

निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ ।



त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2017 - 2018
भाग-2

कार्य प्रभारी श्री नवीन कुमार सिंह ए0डी0ओ0 (एस0टी0) श्री नजीब खान, जे0ई0, खंड विकास अधिकारी श्री रामाशीष, खंड विकास अधिकारी श्री पी0के0 सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-179 पिच सड़क से सिंहाचवर तक तक इंटरलाकिंग पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गयीं:-

- 1- इस्टीमेट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है। इस्टीमेट की मूल प्रति पत्रावली जगह फोटो स्टेट प्रति पत्रावली में लगायी गयी है।
 - 2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
 - 3- निविदा/कोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। तुलनात्मक चार्ट पत्रावली में संलग्न नहीं है।
 - 4- कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में आंशिक रूप से प्रस्तुत रहा।
 - 5- इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
 - 6- मे0 कपिलेश्वरी कंस्ट्रक्शन, वायन, बलिया के प्रथम बिल दि0 10-03-2017 (जो कि फर्म के लेटर पैड पर है।, बिल क्रमांक अंकित नहीं है।) रू0 250101.00 में से टैक्स कटौती के उपरान्त रू0 235095.00 चेक संख्या 129103 दि0 18-03-2017 द्वारा भुगतान किया गया है।
 - 7- मे0 कपिलेश्वरी कंस्ट्रक्शन, वायन, बलिया के द्वितीय बिल दि0 08-04-2017 (जो कि फर्म के लेटर पैड पर है।, बिल क्रमांक अंकित नहीं है।) रू0 174550.00 में से टैक्स कटौती के उपरान्त रू0 167098.00 चेक संख्या 129118 दि0 04-10-2017 द्वारा भुगतान किया गया है।
- इस बिल के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें वैट की जगह 1.0 प्रति0सी0जी0एस0टी0 एवं 1.0 प्रति0एस0जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है। जबकि जी0एस0टी0 के प्रावधान पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से प्रभावी है। काटी गयी जी0एस0टी0 की धनराशि किस एकाउन्ट में जमा की गयी, इससे सम्बन्धित कोई विवरण/ साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। प्रस्तुत बिल पर फर्म का जी0एस0टी0 न0 अंकित नहीं है। स्पष्टतः प्रकरण में मनमाने रूप से टैक्स कटौती कर गम्भीर अनियमितता की गयी है।
- 8- पत्रावली में उपलब्ध मस्टर रोल रू0 66870.00 पर कार्य कराने की अवधि दि0 01-09-2017 से 20-09-2017 अंकित है जिसका भुगतान कार्य प्रभारी को चेक सं0129119 दि0 04-10-2017 द्वारा 15 दिन बिलम्ब से किया गया है। मजदूरों को मजदूरी की वास्तविक तिथि अंकित नहीं है।
- इसी प्रकार कार्य कराये जाने की अवधि के सापेक्ष लगभग 05 माह पूर्व सामग्री क्रय किया जाना गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। कुल अनियमित भुगतान रू0 469063.00 हेतु सहा0 लेखाकार श्री शिवजी राम, लेखाकार कार्य प्रभारी श्री नवीन कुमार सिंह ए0डी0ओ0 (एस0टी0) श्री नजीब खान, जे0ई0, खंड विकास अधिकारी श्री रामाशीष, खंड विकास अधिकारी श्री पी0के0 सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-180 वर्ष आलोच्य 2014-15 से 2016-17 की अवधि के में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों के सापेक्ष प्रस्तुत कुल पत्रावलियों के अनुसार कुल रू0 13064307.00 की सामग्री क्रय की गयी। जिस पर निम्न विवरण के अनुसार आयकर में रू0 36438.00 एवं व्यापार कर में रू0 266403.00 की कम कटौती कर कुल रू0 302841.00 के राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। इस प्रकार हुई क्षति की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित अपेक्षित है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	क्रय सामग्री (रू0)	आयकर कटौती			व्यापार कर कटौती		
			आंकलित	वास्तविक कटौती	कम कटौती	आंकलित	वास्तविक कटौती	कम कटौती
	वर्ष 2014-15							
1	ग्राम सभा नवादा में रामपति चौहान के घर रामछबीला गुप्ता के घर होते हुए बह तक हयूम पाइप नाली निर्माण	120263.00	2694.00	2405.00	289.00	4811.00	0.00	4811.00
2	ग्राम बहादुरपुरकारी में घूरा के खेत से नथुनी के खेत तक इंटरलाकिंग एवं पेवर्स ब्लाक कार्य	262712.00	5885.00	5254.00	631.00	10508.00	0.00	10508.00
3	बि0खंड गड़वार के विभिन्न स्थानों पर सोलर लाइट स्थापना कार्य	1100000.00	24640.00	22000.00	2640.00	44000.00	0.00	44000.00
4	ग्राम जिगनी में रामायण सिंह के दरवाजे से त्रिभुवन सिंह के दरवाजे तक इंटरलाकिंग एवं पेवर्स ब्लाक कार्य	125606.00	2814.00	2512.00	302.00	5024.00	0.00	5024.00

5	ग्राम पंचायत सिंहचवर में पिच रोड से मेन रोड नाली तक इंटरलाकिंग एवं पेवर्स ब्लॉक कार्य	422073.00	9455.00	8441.00	1014.00	16883.00	0.00	16883.00
6	ग्राम पंचायत नैवादा में कुवर मास्टर के घर के सामने इंटरलाकिंग एवं पेवर्स ब्लॉक कार्य	94652.00	2120.00	1893.00	227.00	3786.00	0.00	3786.00
7	विकास खंड गड़वार के ब्लॉक आफिस के छत का मरम्मत कार्य	38890.00	871.00	778.00	93.00	1556.00	0.00	1556.00
8	क्षेत्र 0 गड़वार में विजय सिंह के बगीचे से राकेश मार्या के सागौन के बगीचे तक इंटरलाकिंग एवं पेवर्स ब्लॉक कार्य	498602.00	11169.00	9972.00	1197.00	19944.00	0.00	19944.00
9	ग्राम पंचायत बमनौली मेन रोड से श्रीनिवास के घर तक इंटरलाकिंग एवं पेवर्स ब्लॉक कार्य	401180.00	8987.00	8024.00	963.00	16047.00	0.00	16047.00
10	क्षेत्र 0 गड़वार में जे. पी.सिंह के घर से विजय सिंह के बगीचे तक इंटरलाकिंग एवं पेवर्स ब्लॉक कार्य	498602.00	11169.00	9972.00	1197.00	19944.00	0.00	19944.00
11	क्षेत्र 0 पंच गड़वार में प्रा० विद्यालय शाहपुर से विपुल सिंह के ट्यूबवेल तक इंटरलाकिंग एवं पेवर्स ब्लॉक कार्य	498602.00	11169.00	9972.00	1197.00	19944.00	0.00	19944.00
	योग—	4061182	90973	81223	9750	162447	0	162447
	वर्ष— 2015—16							
12	ग्राम तुकीबारी में संजय पाण्डेय के दरवाजे से हरि पाण्डेय के दरवाजे तक एवं श्रीपाल के पाण्डेय के दरवाजे से पश्चिम तरफ खडंजा तक खडंजा युक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण	258396.00	5788.00	5167.00	621.00	10336.00	3173.00	7163.00
13	ग्राम सभा पड़वार में अशोक प्रजापति के घर से रघुनाथ प्रजापति के घर तक तथा वीरबहादुर यादव के घर से सरकारी नल तक	125004.00	2800.00	2500.00	300.00	5000.00	0.00	5000.00

	तथा चंद्रिका के घर से चन्द्रमा के घर तक खडंजा निर्माण							
14	बलिया गड़वार मुख्य मार्ग से हिन्द ज्ञान एकेडमी गड़वार तक इंटरलाकिंग पेवर्स ब्लॉक का निर्माण कार्य	661993.00	14829.00	13239.00	1590.00	26480.00	8393.00	18087.00
15	रतसड़- नगरा रोड से शिवजी सिंह के स्कूल तक मिट्टी खडंजा कार्य	152705.00	3421.00	2636.00	785.00	6108.00	1750.00	4358.00
16	वि०खंड गड़वार के ग्रामों में वृक्षारोपण का कार्य	294150.00	6589.00	0.00	6589.00	11766.00	0.00	11766.00
17	विसुकिया- कनैला मार्ग पर 2×2 स्पान आर० सी० सी० पुलिया का निर्माण	419592.00	9399.00	8392.00	1007.00	16784.00	0.00	16784.00
18	ग्राम सभा छवता में रतसड़-अमडरिया मार्ग स्थित प्राइमरी स्कूल छतवां सम्पर्क मार्ग तक नाली व सी०सी० रोड़ निर्माण	170014.00	3808.00	3400.00	408.00	6800.00	1604.00	5196.00
19	ग्राम सभा नदौली में रतसड़ सिकरिया मार्ग पर स्थित दशरथ के घर से उमाशंकर यादव के घर तक खडंजा निर्माण	56513.00	1266.00	1130.00	136.00	2261.00	0.00	2261.00
20	ग्राम सभा जनऊपुर में शिव कुमार के घर से महावीर जी के मंदिर तक खडंजा कार्य	61750.00	1383.00	1235.00	148.00	2470.00	0.00	2470.00
21	ग्राम सभा ग्रानपुर के हरदिया में वीरबहादुर चौहान के घर से धनेशर चौहान के ट्यूबेल तक नाली निर्माण	302850.00	6784.00	6057.00	727.00	12114.00	3081.00	9033.00
22	ग्राम सभा बभनौली में राजेश मिश्रा के घर से रामजी उपाध्याय के घर तक इंटरलाकिंग एवं पेवर्स ब्लॉक कार्य	488563.00	10944.00	9771.00	1173.00	19543.00	5960.00	13583.00
	योग-	2991530.00	67011.00	53527.00	13484.00	119662.00	23961.00	95701.00
	वर्ष-2016-17							

23	केशव यादव के घर से प्राथमिक वि० पक्काकोट तक इंटरलाकिंग पेवर्स ब्लाक का निर्माण कार्य	103414.00	2317.00	2192.00	125.00	4137.00	3220.00	917.00
24	बेलौझा सम्पर्क मार्ग पर इंटरलाकिंग पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य	426137.00	9546.00	8627.00	919.00	17046.00	16275.00	771.00
25	पक्काकोट पिच सड़क से हरिहर यादव के मकान तक इंटरलाकिंग पेवर्स ब्लाक का निर्माण	359218.00	8046.00	7409.00	637.00	14369.00	12704.00	1665.00
26	पिच सड़क से सिंहाचवर तक इंटरलाकिंग पेवर्स ब्लाक निर्माण	424651.00	9512.00	8964.00	548.00	16986.00	13494.00	3492.00
27	ग्राम सभा बाराबांध में ऋषिमुनि उपाध्याय के घर से प्रेम सिंह के घर तक इंटरलाकिंग पेवर्स कार्य	48042.00	1076.00	961.00	115.00	1922.00	1922.00	0.00
28	ग्राम सभा कटैया में हनुमान जी के मंदिर से नंदलाल सिंह के घर तक खडंजा सोलिंग कार्य	117650.00	2635.00	2353.00	282.00	4706.00	4706.00	0.00
29	भलुही में आत्मा चौहान से छोटे लाल सिंह नकुल चौहान से गर्जन चौहान नंदलाल हरिजन से रंगलाल हरिजन गलजार चौधरी से मंदू सिंह व सूबेदार सिंह से अनिल शर्मा के डेरा तक खडंजा सोलिंग कार्य	281142.00	6298.00	5814.00	484.00	11246.00	11246.00	0.00
30	रमसड़ तुकीबारी मार्ग स्थित रतसड़खुर्द ग्राम सभा में साधू यादव के घर से मनोज सिंह प्रधान के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य	377154.00	8448.00	7815.00	633.00	15086.00	15086.00	0.00
31	वि०खंड गड़वार में ग्राम पंचायत शाहपुर में राजेश बिन्द के घर से परमेश्वर के दुकान होते हुए अच्छेलाल सिंह के घर तक खडंजा कार्य	191750.00	4295.00	3835.00	460.00	7670.00	7670.00	0.00
32	मिठवार में महावीर जी के सड़क से	212983.00	4771.00	4435.00	336.00	8519.00	8519.00	0.00

	ब्रह्मस्थान तक खंडजा सोलिंग कार्य							
33	वसुदेवा सोनबरसा सम्पर्क मार्ग के सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	215918.00	4837.00	4319.00	518.00	8636.00	8636.00	0.00
34	ग्राम सभा पियरिया में शिवमंदिर के सामने पेवर्स ब्लाक सड़क से रामजी सिंह के घर तक पेवर्स ब्लाक सोलिंग कार्य एवं नाली मरम्मत तथा शिवमंदिर के सामने से मुन्ना सिंह के घर तक पेवर्स ब्लाक सोलिंग कार्य	201206.00	4507.00	4024.00	483.00	8048.00	8048.00	0.00
35	ग्राम स0 त्रिकालपुर में ट्यूबेल सं0 97 बी0जी0 पक्की सड़क के सामने से काली मां के स्थान के तिरोह तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	570187.00	1277.00	11404.00	1368.00	22808.00	22808.00	0.00
36	ग्राम सभा फेफना में कुटी पर से पोखरा तक खंडजा सोलिंग कार्य	451410.00	1011.00	9394.00	718.00	18054.00	18054.00	0.00
37	पचखोरी रतसड़ मुख्य मार्ग से विश्वनाथ सिंह के घर होते हुए गैस गोदाम तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	540847.00	12115.00	10817.00	1298.00	21634.00	21634.00	0.00
38	ग्राम तपनी में सुनील सिंह के घर के पीछे मुख्य मार्ग से हरेन्द्र सिंह जेखापाल के घर तक इंटरलाकिंग पेवर्स ब्लाक निर्माण	362979.00	8131.00	7259.00	872.00	14519.00	14519.00	0.00
39	रामपुर भोज बाराबांध ग्राम सभा में ब्रह्म बाबा के स्थान पर रैन बसेरा का निर्माण	332028.00	7437.00	6641.00	796.00	13281.00	13281.00	0.00
40	वि0 ख0 गड़वार में ग्राम पंचायत बहादुरपुर में पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़क से उमेश उपाध्याय के दरवाजे तक खंडजा कार्य	152440.00	3415.00	2873.00	542.00	6098.00	5745.00	353.00
41	ग्राम सभा अरईपुर में हरेराम पटेल के घर से बीरबहादुर राजभर के घर के पास पक्की सड़क खंडजा	297790.00	6671.00	5524.00	1147.00	11912.00	11047.00	865.00

	सोलिंग कार्य							
42	अमडरिया में सत्ती माई के सीन सीमा से मधूसूदन राय के गेट के आग गली तक इंटरलाकिंग एवं पेवर्स ब्लॉक कार्य	344649.00	7720.00	6797.00	923.00	13786.00	13594.00	192.00
	योग—	6011595	134661	121457	13204	240463	232208	8255
	महा योग—	13064307	292645	256207	36438	522572	256169	266403

प्रस्तर-181 वर्ष आलोच्य 2014-15 से 2017-18 की अवधि के में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य, निविदा प्रक्रिया का नियमानुसार पालन करते हुए सम्पादित की जानी थी। परन्तु निविदा आमंत्रण हेतु बिक्री टेण्डर फार्म के सापेक्ष रूप पत्र 385 निर्गत नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत को प्रति निविदा फार्म रु0 300.00 के आधार पर कुल रु0 103500.00 की राजस्व की क्षति आकलित की गयी। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। इस प्रकार हुई क्षति की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर-182 आलोच्य वर्षों 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में ग्रांट रजिस्टर भाग-2 में निम्न विवरण के अनुसार क्रमशः कुल रु0 4862108.00 व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में इस व्यय के सापेक्ष प्रमाणक, बिल,बाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र सूची एवं पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं रही। प्रमाणक विहीन व्यय राजकीय धन का अपहरण सिद्ध होता है। जाचोपरान्त जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ब्याज सहित धन वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0	ग्रांट रजि0 भाग -2 का पृष्ठ सं0	चेक सं0/दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता का नाम	मद/विवरण	अभ्युक्ति
1	6	466561 / 24.05.15	17510.00	शिवजी राम सहा0 लेखाकार	स्वास्थ्य मिशन प्रशिक्षण व्यय	
2	6	466562 / 19.06.15	25000.00	विजय कुमार उपाध्याय, सहा0 लेखाकार	आर्थिक, सामाजिक जाति आधारित जनगणना पर व्यय हेतु	
3	16	091648 / 16.06.15	1022000.00	मे0 वसंत कंस्ट्रक्शन बलिया	इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प की सप्लाई हेतु	
4	16	91649 / 27.06.15	98500.00	लमली स्टोर बलिया	का0 में पंखा व बिजली पर व्यय तथा जनरेटर सर्विसिंग	
5	16	091650 / 07.07.15	60000.00	स्वयं (अज्ञात) आलमारी	डीजल एवं स्टेशनरी व्यय	
6	16	091654 / 22.08.15	956450.00	मे0 वसंत कंस्ट्रक्शन बलिया	विभिन्न ग्रां0 पंचायत में सोलर लाइट लगवाने का भुगतान	
7	16	091655 / 07.09.15	56000.00	विजय कुमार उपाध्याय, सहा0 लेखाकार	प्रिया साफ्ट, एम0आइ0एस0फीडिंग स्टेशनरी डीजल व्यय	
8	18	112027 / 15.02.16	419600.00	मे0 जयशंकर कंस्ट्रक्शन बलिया	विभिन्न स्थानों पर सोलर लाइट लगवाने का भुगतान	
9	18	112028 / 15.02.16	435120.00	मे0 जयशंकर कंस्ट्रक्शन बलिया	विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु हयूम पाइप क्रय	
10	18	112029 / 15.02.16	411720.00	मे0 जयशंकर कंस्ट्रक्शन बलिया	12 अदद हैण्ड पम्प का भुगतान	
11	72	466564 / 12.10.15	31505.00	विजय कुमार उपाध्याय, सहा0	स्टेशनरी एवं जलपान	

				लेखाकार	(पंचायत चुनाव)	
12	72	466565 / 30.11.15	84455.00	स्वयं (अज्ञान)	जलपान (पंचायत चुनाव)	
13	72	466566 / 29.12.15	49500.00	स्वयं (अज्ञान)	जलपान (पंचायत चुनाव)	
14	1	446569 / 20.04.16	34400.00	विजय कुमार उपाध्याय, सहा0 लेखाकार	डीजल,स्टेशनरी,जनरेटर मरम्मत पर व्यय	
15	1	446570 / 06.06.16	34940.00	विजय कुमार उपाध्याय, सहा0 लेखाकार	डीजल,स्टेशनरी आदि पर व्यय	
16	1	446571 / 07.07.16	13000.00	विजय कुमार उपाध्याय, सहा0 लेखाकार	डीजल आदि पर व्यय	
17	1	446573 / 07.09.16	25490.00	विजय कुमार उपाध्याय, सहा0 लेखाकार	वर्ष 15-16 एम.आइ.एस. एवं फोटो अपलोड कार्य	
18	1	446574 / 07.09.16	14240.00	विजय कुमार उपाध्याय, सहा0 लेखाकार	डीजल,जनरेटर मरम्मत पर व्यय	
19	1	44657 / 19.09.16	8996.00	चंदन पाण्डेय,कम्प्यूटर आपरेट	इंदिरा आवास से सम्बन्धित कार्य	
20	18	112033 / 27.04.16	98960.00	नवीन सिंह,ए.डी.ओ. (एस.टी.)	वि0ख0 के मुख्य द्वार के गेट के रिनेयरिंग पर व्यय	
21	18	112304 / 28.06.16	329232.00	मे0 कपिलेश्वरी कंस्ट्रक्शन, बलिया	वि0ख0 परिसर में विद्युतीकरण एवं जलकर का कार्य	
22	18	120035 / 28.06.16	385576.00	मे0 कपिलेश्वरी कंस्ट्रक्शन, बलिया	वि0ख0परिसर में प्रमुख कक्ष का मरम्मत व रंगाई पुताई	
23	19	112036 / 28.06.16	7100.00	नवीन सिंह,ए.डी.ओ. (एस.टी.)	वि0ख0 में प्रमुख कक्ष का विद्युतीकरण पर व्यय	
24	19	112037 / 29.06.16	10264.00	नवीन सिंह,ए.डी.ओ. (एस.टी.)	वि0ख0 परिसर में प्रमुख कक्ष का मरम्मत कार्य	
25	19	112038 / 22.07.16	55000.00	मा0 कामाख्या कं0 एण्ड सप्लार्स	दो सोलर लाइट लगवाने का भुगतान	
26	19	129102 / 27.01.17	77550.00	मा0 कामाख्या कं0 एण्ड सप्लार्स	दो सोलर लाइट लगवाने का भुगतान	
27	65	795602 / 25.02.17	50000.00	शिवजी राम, सहा0 लेखाकर	बी0एल0ओ0 का मानदेय	
28	65	795603 / 25.02.17	45000.00	शिवजी राम, सहा0 लेखाकर	बी0एल0ओ0 का मानदेय	
29	72	466568 / 09.09.16	5000.00	विजय कुमार उपाध्याय, सहा0 लेखाकार	स्टेशनरी व्यय	
		योग-	4862108.00			

त्रिस्तरीय पंचायतती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष – 2017-18

1-क्षेत्र पंचायत- दुबहड़ वर्ष 2017-18

प्रस्तर-183 एन.एच.-31 नगवां पी.डब्ल्यू.डी. सड़क से बूला पुर तक लेपन कार्य पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

- 1- इस्तीमेत पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है। इस्तीमेत में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। तुलनात्मक चार्ट पर टैण्डर खुलने का दिनांक अंकित नहीं है।
- 2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि “संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है”, इस्तीमेत के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- 3- फर्म मधुमिता कन्स्ट्रक्शन सहोदरा के साथ किये गये अनुबंध पत्र पर बी.डी.ओ. अवर अभियंता का हस्ताक्षर नहीं है। प्रारूप पर आपूर्तिकर्ता का नाम, पता आदि अंकित नहीं है।
- 4- फर्म मधुमिता सहोदरा बलिया को निर्गत सामग्री आपूर्ति पत्रांक-विशेषधदि 22-05-2017 द्वारा डिस्पैच है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।
- 5- पत्रावली में संलग्न सामग्री आपूर्ति बिल रू0 834786.00 फर्म के बिल फोटोस्टेट पर तैयार किया गया है। जो आपत्तिजनक है।
- 6-कार्य के प्रारम्भ,मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
- 7- इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहौ जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 8- पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल रू0 112570.00 पर कार्य की अवधि दि031-05-2017 अंकित है। चेक संख्या 987203, दि0 06-02-2018 द्वारा कार्य प्रभारी श्री नवीन कुमार सिंह, ए0डी0ओ0 एस0टी0 को मजदूरी का भुगतान किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल के समक्ष मजदूरी का भुगतान 6 माह बिलम्ब से किया गया है। जो विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन एवं मजदूरों के आर्थिक हितों के विरुद्ध है। प्रस्तुत मस्टर रोल में कुल अंकित 60 मजदूरों में से किसी भी मजदूर का हस्ताक्षर नहीं है। सभी मजदूरों का अंगूठा निशान दर्शित है। जिन पर मजदूरों का क्रम भी अंकित नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अंगूठा निशान संदिग्ध प्रतीत होते है। लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं गया है। स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित कुल व्यय धनराशि रू0 895099.00 टैक्स काटकर में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री नवीन कुमार सिंह, ए0डी0ओ0 एस0टी0, सहा0 लेखाकार श्री अशोक कुमार झा, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार राय संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-184 विकास खण्ड दुबहड़ के विभिन्न जगहों पर इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगाने का कार्य 10 सेट की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

- 1- इस्तीमेत पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है। इस्तीमेत में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। तुलनात्मक चार्ट पर टैण्डर खुलने का दिनांक अंकित नहीं है।
 - 2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि “संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है”, इस्तीमेत के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
 - 3-कार्यप्रभारी श्री नवीन कुमार सिंह ए0डी0ओ0 एस0टी0 का नियुक्ति पर पत्रांक-विशेष/दिनांक 31-07-2017 अंकित है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। इसी प्रकार सूचना विज्ञप्ति पत्र भी पत्रांक-विशेष दिनांक 31-07-2017 अंकित है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।
 - 4- फर्म मधुमिता सहोदरा बलिया को निर्गत सामग्री आपूर्ति पत्रांक-विशेषधदि 22-05-2017 द्वारा डिस्पैच है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।
 - 5- पत्रावली में संलग्न सामग्री आपूर्ति बिल रू0 400900.00 फर्म के बिल फोटोस्टेट पर तैयार किया गया है। जो आपत्तिजनक है।
 - 6-कार्य के प्रारम्भ,मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
 - 7- इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहौ जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
 - 8- फर्म मधुमिता सहोदरा बलिया के बिल दि0 01-09-2017 में आयकर कटौती के बाद रू0 391920.00 चेक संख्या 987217 दि0 07-03-2008 द्वारा 6 माह बाद अति बिलम्ब से फर्म को भुगतान किया गया है।
- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित कुल व्यय धनराशि रू0 391920.00 (टैक्स काटकर) में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री नवीन कुमार सिंह ए0डी0ओ0 (एस0 टी0) सहा0 लेखाकार श्री अशोक कुमार झा, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार राय, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -185 एन0एच0-31 बंधूचक-पी0डब्ल्यू0 सड़क उदय ब्रह्म बाबा के स्थान से मोहनछपरा मार्ग तक लेपन कार्य पत्रावली जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

- 1- इस्तीमेत पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है। इस्तीमेत में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। तुलनात्मक चार्ट पर टैण्डर खुलने का दिनांक अंकित नहीं है।
- 2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि “संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है”, इस्तीमेत के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- 3- फर्म मधुमिता सहोदरा बलिया को निर्गत सामग्री आपूर्ति पत्रांक-विशेष दि0 22-05-2017 द्वारा डिस्पैच है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।
- 4- पत्रावली में संलग्न सामग्री आपूर्ति बिल रू0 810212.00 फर्म के बिल फोटोस्टेट पर तैयार किया गया है। जो आपत्तिजनक है।
- 5-कार्य के प्रारम्भ,मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
- 6- इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहौ जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 7- पत्रावली में संलग्न सामग्री मस्टर रोल रू0 110200.00 पर कार्य की अवधि दि0 23-05-2017 से 30-05-2017 अंकित है। जिसे पर अपरलेखन कर उक्त तिथि को एक पेज पर दि0 23-06-2017 से 31-06-2017 तो अन्य पेज पर दि0 23-07-2017 से 31-07-2017 कर दिया गया है। स्थिति संदेहास्पद है। चेक संख्या 987202 दिनांक 06-02-2018 द्वारा कार्य प्रभारी श्री नवीन कुमार सिंह, ए0डी0ओ0 एस0टी0 को मजदूरी का भुगतान किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल के समक्ष मजदूरी का भुगतान 6 माह बिलम्ब से किया गया है। जो विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन एवं मजदूरों के आर्थिक हितों के विरुद्ध है। प्रस्तुत मस्टर रोल में कुल अंकित 58 मजदूरों में से किसी भी मजदूर का हस्ताक्षर नहीं है। सभी मजदूरों का अंगूठा निशान दर्शित है। स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित कुल व्यय धनराशि रू0 869694.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री नवीन कुमार सिंह ए0डी0ओ0 (एस0 टी0) सहा0 लेखाकार श्री अशोक कुमार झा, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार राय, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर:-186 एन0एच0-31 से गोपाल पुर सहोदरा सम्पर्क सहोदरा सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य की पत्रावली जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

- 1- इस्तीमेत पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है। इस्तीमेत में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। तुलनात्मक चार्ट पर टैण्डर खुलने का दिनांक अंकित नहीं है।
- 2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि “संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है”, इस्तीमेत के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।

7- पत्रावली में सलंगन सामग्री आपूर्ति बिल रू0 246420.00 फर्म के बिल फोटोस्टेट पर तैयार किया गया है। जो आपत्तिजनक है।

8-कार्य के प्रारम्भ,मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

9- इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

10-पत्रावली में सलंगन मस्टर रोल रू0 31967.00 दि0 20-01-2016 से 31-01-2016 एवं रू0 26510.00 दि0 01-09-2017 से 13-09-2017 के समक्ष क्रमशः चेक संख्या 120767 दि0 15-03-2016 एवं चेक सं0 संख्या 987187 दि0 08-01-2018 द्वारा कार्य प्रभारी श्री आनंद कुमार राय, सहा0 वि0 अधि0 सह0 को मजदूरी का भुगतान किया गया है।इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल के समक्ष मजदूरी का भुगतान क्रमशः डेढ माह एवं चार माह गिलम्ब से किया गया है। जबकि भुगतान साप्ताहिक किया जाना चाहिये था। जो विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन एवं मजदूरों के आर्थिक हितों के विरुद्ध है। प्रस्तुत मस्टर रोल में कुल अंकित 17,12 मजदूरों में से किसी भी मजदूर का हस्ताक्षर नहीं है। सभी मजदूरों का अंगूठा निशान दर्शित है। जिन पर मजदूरों का क्रम भी अंकित नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अंगूठा निशान संदिग्ध प्रतीत होते हैं। लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं गया है। स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित कुल व्यय धनराशि रू0 455067.00(टैक्स काटकर) में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री आनंद कुमार राय, सहा0वि0अधि0 (सह0) लेखाकार श्री अशोक कुमार झा, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार राय संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-190 एन0एच0-31 दुबहड़ पानी टंकी के बगल में सती माता मंदिर तक पेवर्स बलाक निर्माण कार्य पत्रावली जांच में आपत्तियां पाई गयी:-

1- इस्टीमेट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है। इस्टीमेट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। तुलनात्मक चार्ट पर टेण्डर खुलने का दिनांक अंकित नहीं है।

2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट साथ पत्रावली में सलंगन नहीं है।

3- मे0 अजित कुमार यादव सागरपाली बलिया को निर्गत सामग्री आपूर्ति आदेश अंकित नहीं है। स्पष्टतः आदेश कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।

4- मे0 अजित कुमार यादव सागरपाली बलिया के साथ किया गया अनुबंध पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

5-इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण की पुष्टि नहीं की जा सकी।

6-पत्रावली में सलंगन मस्टर रोल रू0 65740.00 एवं रू0 28020.00 पर अंकित क्रमशः 20 एवं 12 मजदूरों में से किसी भी मजदूर का हस्ताक्षर नहीं है। सभी मजदूरों का अंगूठा निशान दर्शित है। जिन पर मजदूरों का क्रम भी अंकित नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अंगूठा निशान संदिग्ध प्रतीत होते हैं। लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं गया है। स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित कुल व्यय धनराशि रू0 735518.00(टैक्स काटकर) में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री नवीन कुमार सिंह ए0डी0ओ0, सहा0वि0अधि0 (सा0) लेखाकार श्री अशोक कुमार झा, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार राय संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-191 ग्राम सभा घोरौली में कदम चौराहा से जाने वाली रोड़ में लिंक रोड़ आमघाट के समाने से शिवजी के दरवाजे तक पेवर्स बलाक निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयी:-

1- स्टीमेट की मूल प्रति पत्रावली में सलंगन नहीं है। फोटो स्टेट प्रति पत्रावली में लगायी गयी है। इस्टीमेट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। स्टीमेट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है। तुलनात्मक चार्ट पर टेण्डर खुलने का दिनांक अंकित नहीं है।

2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट साथ पत्रावली में सलंगन नहीं है।

3- मे0 पूजा कन्स्ट्रक्शन बलिया को निर्गत सामग्री आपूर्ति आदेश पत्रांक-विशेष/ दि0 01-11-2017 द्वारा डिस्पैच है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है जो आपत्तिजनक है।

4- मे0 अजित कुमार यादव सागरपाली बलिया के साथ किया गया अनुबंध पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

5-कार्य के प्रारम्भ,मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

6- इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

7-पत्रावली में सलंगन मस्टर रोल रू0 55440.00 एवं रू0 26390.00 पर अंकित क्रमशः 12 एवं 09 मजदूरों में से किसी भी मजदूर का हस्ताक्षर नहीं है। सभी मजदूरों का अंगूठा निशान दर्शित है। जिन पर मजदूरों का क्रम भी अंकित नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अंगूठा निशान संदिग्ध प्रतीत होते हैं। लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं गया है। पत्रावली में सलंगन मस्टर रोल रू0 55440-00 पर कार्य की अवधि दि0 02-02-018 से 26-02-2018 अंकित है। चेक संख्या 987194, दि0 10-04-2018 द्वारा कार्य प्रभारी श्री नवीन कुमार सिंह सहा0वि0अधि0 (सा0) को मजदूरी का भुगतान किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल के समक्ष मजदूरी का भुगतान छः सप्ताह बिलम्ब से किया गया है। जबकि भुगतान साप्ताहिक किया जाना चाहिये था। जो विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन एवं मजदूरों के आर्थिक हितों के विरुद्ध है। स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित कुल व्यय धनराशि रू0 668229.00(टैक्स काटकर) में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री नवीन कुमार सिंह सहा0वि0अधि0 (सा0) सहा0लेखाकार श्री अशोक कुमार झा, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार राय संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-192 ग्राम पंचायत जनाड़ी में विभिन्न स्थलों पर 20 सोख्ता निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयी:-

1- इस्टीमेट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। स्टीमेट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।

2-कार्य प्रभारी श्री नवीन कुमार सिंह, सहा0 वि0अधिकारी सां0 का नियुक्ति आदेश पत्रांक-विशेष/दि0 14-07-2017 द्वारा डिस्पैच है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।

3-निविदा सूचना पत्रांक -विशेष/दि0 29-12-2015 द्वारा डिस्पैच है स्पष्ट कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।

4- प्राप्त तीनों कोटेशन टेण्डर पर कहीं भी दिनांक अंकित नहीं है। तुलनात्मक चार्ट भी नहीं बनाया गया है।

5- फर्म मधुमिता कन्स्ट्रक्शन सहोदरा बलिया को निर्गत सामग्री आपूर्ति आदेश पत्रांक-विशेष/दि0 31-07-2016 द्वारा डिस्पैच है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है। एक वर्ष पूर्व की तिथि में पत्र निर्गमन का औचित्य त्रुटि पूर्ण एवं अस्पष्ट है।

6- पत्रावली में सलंगन सामग्री आपूर्ति बिल रू0 363268.00 दि0 01-08-2017 फर्म के बिल फोटो स्टेट पर तैयार किया गया है। जो आपत्तिजनक है।

7-कार्य के प्रारम्भ,मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

8- इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

9-पत्रावली में सलंगन मस्टर रोल रू0 71490.00 पर कार्य की अवधि दि0 01-08-2017 से 24-08-2017 अंकित है चेक संख्या 348318, दि0 28-09-2017 द्वारा कार्य प्रभारी श्री नवीन कुमार सिंह सहा0वि0अधि0 (सा0) को मजदूरी का भुगतान किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल के समक्ष मजदूरी का भुगतान एक माह से अधिक बिलम्ब से किया गया है। जबकि भुगतान साप्ताहिक किया जाना चाहिये था। जो विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन एवं मजदूरों के आर्थिक हितों के विरुद्ध है। प्रस्तुत मस्टर रोल में कुल अंकित 16 मजदूरों में से किसी का हस्ताक्षर नहीं है। मजदूरों का अंगूठा निशान दर्शित है। जिन पर मजदूरों का क्रम भी अंकित नहीं है। स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित कुल व्यय धनराशि रू0 426548.00(टैक्स काटकर) में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री नवीन कुमार सिंह सहा0वि0अधि0 (सा0) सहा0लेखाकार श्री अशोक कुमार झा, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार राय संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-197 वि० ख० दुबहड़ के विभिन्न गांवों में 20 सोलर लाईट स्थापना कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

- 1- इस्तीमेत में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। स्टीमेत पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
- 2-कार्य प्रभारी श्री आनंद कुमार राय, ए०डी०ओ० (सह०) वि०अधिकारी सां० का नियुक्ति आदेश पत्रांक-विशेष/दि० 31-07-2017 द्वारा डिस्पैच है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।
- 3-निविदा सूचना पत्रांक -विशेष/दि० 31-07-2017 द्वारा डिस्पैच है स्पष्ट कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।
- 4- प्राप्त तीनों कोटेशन टेण्डर पर कहीं भी दिनांक अंकित नहीं है। तुलनात्मक चार्ट पर निविदा खुलने की तिथि अंकित नहीं है।
- 5- फर्म मे० आदर्श इलेक्ट्रॉनिक एण्ड सोलर केन्द्र बलिया को निर्गत सामग्री आपूर्ति आदेश पत्रांक-विशेष/दि० 10-08-2017 द्वारा डिस्पैच है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।
- 6-प्रस्तुत बिल पर बल्ब का ब्रांड निर्माता कम्पनी एवं वाट आदि अंकित नहीं है। इससे सम्बन्धित गारण्टी कार्ड एवं फ्री मेण्टीनेंस सम्बंधी अनुबंध पत्र भी पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- 7- सोलर लाईट स्थापना का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
- 8- इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित कुल व्यय धनराशि रु० 515570.00(टैक्स काटकर) में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री आनंद कुमार राय सहा०वि०अधि० (सा०) सहा०लेखाकार श्री अशोक कुमार झा, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार राय संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-198 वि० ख० परिसर में क्यारी,मशीन का र्स,नाली निर्माण प पी०वी०सी०पाइप लगाने का कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

- 1- इस्तीमेत में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। स्टीमेत पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
- 2- कार्य प्रभारी नवीन कुमार सिंह, सहा० वि० अधि० सां० का नियुक्ति आदेश पत्रांक-मेमो/दि० 14-07-2014 द्वारा डिस्पैच है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।
- 3- निविदा सूचना पत्रांक-मेमो/दि० 14-07-2014 द्वारा डिस्पैच है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।
- 4- फर्म मे० मधुमिता कन्स्ट्रक्शन सहोदरा से रु० 65441.00 का सामग्री क्रय किया गया है। क्रय कोटेशन टेण्डर नहीं लिया गया है। जो आपत्तिजनक है।
- 5- पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल रु० 23435.00 दिनांक 15-01-2018 से 15-01-2018 अंकित है। चेक संख्या 987214, दि० 23-02-2018 द्वारा कार्य प्रभारी नवीन कुमार सिंह सहा० वि०अधि० सां० को मजदूरी का भुगतान किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मस्टररोल के समक्ष मजदूरी का भुगतान किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल के समक्ष मजदूरी का भुगतान तीन सप्ताह से अधिक बिलम्ब से किया गया है। जबकि भुगतान साप्ताहिक किया जाना चाहिये था। जो विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन एवं मजदूरों के आर्थिक हितों के विरुद्ध है। प्रस्तुत मस्टर रोल में कुल अंकित 08 मजदूरों में से किसी भी मजदूर का हस्ताक्षर नहीं है। सभी मजदूरों का अंगूठा निशान दर्शित है। जिन पर मजदूरों का क्रम भी अंकित नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या अंगूठा निशान संदिग्ध प्रतीत होते हैं। लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं गया है।

उल्लेखनीय है कि पत्रावली में कार्य प्रभारी नवीन सिंह, सहा० वि०अधि० सां० की नियुक्ति दि० 14-07-2017 को ही कर दिया गया है। जबकि कार्य छः माह बाद प्रारम्भ किया गया है। फर्म को सामग्री आपूर्ति आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं है।

स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित कुल व्यय धनराशि रु० 87410.00(टैक्स काटकर) में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री आनंद कुमार राय सहा०वि०अधि० (सा०) सहा०लेखाकार श्री अशोक कुमार झा, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार राय संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-199 विकास खण्ड परिसर में शौचालय निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

- 1- इस्तीमेत में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। स्टीमेत पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
- 2-कार्य प्रभारी श्री नवीन कुमार सिंह, (सा०) वि०अधिकारी सां० का नियुक्ति आदेश पत्रांक-विशेष/दि० 14-07-2017 द्वारा डिस्पैच है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।
- 3-निविदा सूचना पत्रांक -विशेष/दि० 14-07-2017 द्वारा डिस्पैच है स्पष्ट कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है।
- 4- प्राप्त तीनों कोटेशन टेण्डर पर कहीं भी दिनांक अंकित नहीं है। तुलनात्मक चार्ट में उपलब्ध नहीं है।
- 5- फर्म मधुमिता कन्स्ट्रक्शन सहोदरा बलिया को निर्गत सामग्री आपूर्ति आदेश पत्रांक-विशेष/दि० 31-07-2016 द्वारा डिस्पैच है। स्पष्ट है कि पत्र कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच नहीं है। जो आपत्तिजनक है। एक वर्ष पूर्व की तिथि में पत्र निर्गमन का औचित्य त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट है।
- 6- पत्रावली में संलग्न सामग्री आपूर्ति बिल रु० 262916.00 दि० 01-08-2017 फर्म के बिल के फोटो स्टेट पर तैयार किया गया है। जो आपत्तिजनक है।
- 7- कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
- 8- इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- 9-पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल रु० 65155.00 पर दि० 10-09-2017 से 28-09-2017 एवं रु० 42750.00 दि० 16-01-2018 अंकित है। चेक संख्या क्रमशः 348322 दि० 28-09-2017 एवं 987216 दि० 23-02-2018 द्वारा कार्य प्रभारी नवीन कुमार सिंह, सहा० वि० अधि० सां० को मजदूरी का भुगतान किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल दूसरा भाग रु० 42750.00 के समक्ष मजदूरी का भुगतान लगभग तीन सप्ताह बिलम्ब से किया गया है। जबकि भुगतान साप्ताहिक किया जाना चाहिये था। जो विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन एवं मजदूरों के आर्थिक हितों के विरुद्ध है। प्रस्तुत दोनों मस्टर रोल रोल में कुल अंकित (19 +15)मजदूरों में से किसी भी मजदूर का हस्ताक्षर नहीं है। सभी मजदूरों का अंगूठा निशान दर्शित है। जिन पर मजदूरों का क्रम भी अंकित नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या अंगूठा निशान संदिग्ध प्रतीतहोते हैं। लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं गया है। स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित कुल व्यय धनराशि रु०533906.00(टैक्स काटकर) में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री नवीन कुमार सिंह, सहा०वि०अधि० (सा०) सहा०लेखाकार श्री अशोक कुमार झा, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार राय संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 200 वर्ष आलोच्य 2017-18 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य, निविदा प्रक्रिया का नियमानुसार पालन करते हुए सम्पादित की जानी थी। परन्तु निविदा आमंत्रण हेतु गिफ्टी टेण्डर फार्म के सापेक्ष रूप पत्र 385 निर्गत नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत को प्रति निविदा फार्म रु० 300.00 के आधार पर कुल रु० 27900.00 की राजस्व की क्षति आंकलित की गयी। जिसके लिये तत्कालीन बी०डी०ओ०ए० लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। इस प्रकार हुई क्षति की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-201 वर्ष आलोच्य 2017-18 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों के सापेक्ष प्रस्तुत कुल पत्रावलियों के अनुसार कुल रु० 9875289.00 की सामग्री क्रय की गयी। जिस पर निम्न प्रकार आयकर एवं व्यापार कर/ जी०एस०टी० आंकलित किया गया। जिस पर निम्न आपत्तियां हैं:-

कार्य का नाम	क्रय सामग्री	आयकर कटौती	व्यापार कर कटौती

	रु0	आंकलित	वास्तविक कटौती	कम कटौती	आंकलित	वास्तविक कटौती	कम कटौती
एन0एच0-31 नगवां पी0डब्ल्यू0 डी0 सड़क से बूला पुर बाजार तक लेपन कार्य	834786	18866	18866	0.00	33391	33391	0.00
वि0 ख0 दुबहड़ के विभिन्न जगहों पर इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाने का कार्य (10 सेट)	409000	9162	8980	182	16360	0.00	16360
एन0एच0-31 बंधूचक- पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क उदय ब्रह्म बाबा के स्थान से मोहनछपरा सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य	810212	18310	18310	0.00	32408	32408	0.00
ग्राम सवरुबांध में मुन्ना खां के घर के बगल से निर्मला देवी की बाउन्डी वाल तक पेवर्स ब्लाक कार्य	96028	2151	2151	0.00	3841	0.00	3841
एन0एच0-31 से गोपाल पुर सहोदरा सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य	824783	18640	18640	0.00	32991	32991	0.00
एन0एच0-31 से दादा के छपरा सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य	830903	18778	18778	0.00	33236	33236	0.00
एन0एच0-31 से उदयपुरा सम्पर्क मार्ग तक लेपन कार्य	561966	12700	12700	0.00	22479	22479	0.00
ग्राम पंचायत अखार में पिचरोड से अनिल प्रजापति वंसत जी पाण्डेय के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य	405105	9074	8515	559	16204	0.00	16204
एन0एच0-31 दुइहड़ पानी टंकी के बगल से सती माता मंदिर तक पेवर्स ब्लाक निर्माण	656463	14705	14705	0.00	26258	0.00	26258
ग्राम समा घोरीली में कदम चौराहा से जाने वाली रोड में लिंक रोड आमघाट के सामने से शिवजी के दरवाजे तक पेवर्स ब्लाक निर्माण	589599	13206	13206	0.00	23584	0.00	23584
ग्राम पंचायत जनाड़ी में विभिन्न स्थलों पर 20 सोख्ता निर्माण कार्य	363268	8210	8210	0.00	14531	0.00	14531
वि.ख. दुबहड़ के विभिन्न गांवों में 15 सोलर लाईट लगाने का कार्य (भाग-1)	412500	9323	9323	0.00	16500	16500	0.00
वि.ख. दुबहड़ के विभिन्न गांवों में 15 सोलर लाईट लगाने का कार्य (भाग-2)	412500	9323	9323	0.00	16500	16500	0.00
वि.ख. दुबहड़ के विभिन्न गांवों में 30 सोलर लाईट लगाने का कार्य	825000	18665	18665	0.00	33000	33000	0.00
वि.ख. दुबहड़ के विभिन्न गांवों में 20 सोलर लाईट लगाने का कार्य	550000	12430	12430	0.00	22000	22000	0.00
वि.ख. दुबहड़ के विभिन्न गांवों में 20 सोलर लाईट लगाने का कार्य	550000	12430	12430	0.00	22000	22000	0.00
वि.ख. दुबहड़ के विभिन्न गांवों में 20 सोलर लाईट लगाने का कार्य	122942	2754	1573	1181	4917	0.00	4917
वि0 ख0 दुबहड़ कार्यालय में पर्दा,ग्लास,स्क्वूटो प्रूफ जाली व परिसर	120000	2688	2688	0.00	4800	0.00	4800

में ट्री गार्ड कार्य							
वि०ख० दुबहड़ कार्यालय में कूलर, इन्वर्टर, बैट्री लगाने का कार्य	65441	1466	1466	0.00	2618	0.00	2618
वि०ख० परिसर में क्यारी, मशीन का फर्स, नाली निर्माण व पी०वी०सी० पाइप लगाने का कार्य	65441	1466	1466	0.00	2618	0.00	2618
विकास खण्ड परिसर में शौचालय निर्माण	434793	9792	9792	0.00	17392	0.00	17392
	9875289	222673	220751	1922	395010	264505	130505

(क) उपरोक्त विवरण के अनुसार आयकर में ₹0 1922.00 को कम कटौती कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके लिये तत्कालीन बी०डी०ओ० एवं लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। इस प्रकार हुई क्षति की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(ख) उपरोक्त विवरण के अनुसार जी०एस०टी० के रूप ₹0 130505.00 की कटौती फर्मों से की जानी चाहिये थी। जो नहीं की गयी है।

(ग) उपरोक्त आयकर/ व्यापार कर कटौती की धनराशि सम्बन्धित विभाग में जमा किये जाने सम्बन्धि कोई प्रमाण/विवरण/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-202 वर्ष आलोच्य 2017-18 में ग्रांट रजि० भाग-2 ग्रांट रजि० भाग-3 बैंक खातों के वर्षों के अंतिम अवशेष में निम्न विवरण अनुसार अंतर है। जिसका कारण बिना स्पष्टीकरण विभिन्न मदों के शीर्षों में अपलेपन/सुधार/परिवर्तन है। इससे सम्बन्धित कोई विवरण आडिट में प्रस्तुत नहीं रहा।

लेखा परीक्षा वर्ष	ग्रांट रजि० भाग-2 के अनुसार अंतिम अवशेष	ग्रांट रजि० भाग-3 के अनुसार अंतिम अवशेष	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अंतिम अवशेष	अंतर(2-3)	अंतर(3-4)
2017-18	5361562.00	5350349.00	6482404.00	11213.00	1132055.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि अनुदान पंजिका तृतीय एवं बैंक खाते के अंतिम अवशेष के अनुसार ₹0 1132055.00 का अंतर है। जिसके समक्ष क्षेत्र पंचायत में वर्षान्त में बैंक के असमायोजित/अनुभुगतानित चेक का विवरण/बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार कर नहीं रखा गया है। विभिन्न योजनाओं की धनराशि एक ही खाते से संचालित हो रही है। एक ही खाते में कई योजनाओं की धनराशि जमा है। जबकि खातेवार योजनाओं का विवरण अलग-अलग रखा जाना चाहिये। अंतर की धनराशि ₹0 1132055.00 विवरण के अभाव में संदिग्ध प्रतीत होती है। आगामी लेखा परीक्षा में अवशेष धनराशि का विवरण ग्रांट रजिस्टर एवं खाता वार अलग-अलग प्रस्तुत किया जाना चाहिये। असमायोजित चेकों का विवरण तैयार न करके गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। जिसके कारण संस्था में गम्भीर त्रुटि होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तर दायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

2- क्षेत्र पंचायत- गड़वार

प्रस्तर-203 गड़वार के ग्राम सभा रतसड़ में श्री बच्चा सिंह के दरवाजे से श्री जे०पी० गुप्ता के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

1- इस्टीमेट की मूल प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। फोटो स्टेट प्रति पत्रावली लगायी गयी है। इस्टीमेट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है। इस्टीमेट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। तुलनात्मक चार्ट पर टैण्डर खुलने का दिनांक अंकित नहीं है।

2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि “संदर्भित कार्य ग्रामपंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है,” स्ट्रीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।

3- निविदा प्रक्रिया अन्तर्गत सामग्री आपूर्ति हेतु मे० साग इन्टरप्राइजेज, जिंगनी खास, बलिया को निर्गत मांग पत्र कार्या०पत्रांक-890, दि० 19-02-2018 पत्रावली में है जिसकी प्रतिलिपि कार्य प्रभारी श्री रामदेव शर्मा ए०डी०ओ० पं० को निगृत है।

4- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि बी०डी०ओ० द्वारा कार्यालय पत्रांक-895/सा०नि०22017-18, दि० 19-02-2018 द्वारा श्री रामदेव शर्मा, ए०डी०ओ० पं० को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। नियुक्ति आदेश ख०वि०अधि०द्वारा हस्ताक्षरित है। परन्तु नियुक्ति पत्र कार्य प्रभारी श्री रामदेव शर्मा द्वारा रिसीव नहीं किया गया है।

पुनः इसी पत्रांक दिनांक पत्रांक/895/सा०नि०/2017-18 दि० 19-02-2018 द्वारा बिना कोई कारण स्पष्ट किये श्री शर्मा की जगह श्री धर्मेन्द्र पाठक गा० वि० अधि० को उक्त कार्य का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। जिस पर श्री धर्मेन्द्र पाठक, ग्रा०वि० अधि० द्वारा पत्र प्राप्ति का हस्ताक्षर भी है। परन्तु नियुक्ति आदेश पर खण्ड विकास अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार प्रभारी नियुक्ति का आदेश अधूरा, भ्रामक एवं संदेहस्पद है।

5- कार्य प्रभारी श्री पाठक, द्वारा मे० साग इन्टरप्राइजेज, जिंगनीखास बलिया द्वारा प्रस्तुत प्रथम बिल क्रम सं०-90/दिनांक 05-03-2018, ₹0 248898.00 पर सामग्री प्राप्त की गयी है। जबकि बिना कार्य प्रभारी/अवर अभियंता से आख्या प्राप्त किये ही चेक सं० 100341 दि० 27-02-2018 द्वारा आयकर/व्यापार कर कटौती के उपरान्त ₹0 233368.00 का भुगतान फर्म को किया गया है। कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र पाठक द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न तिथियों:- दि० 05-03-2018 में ₹0 75385.00 दि० 13-03-2018 में ₹0 163045.00, दि० 13-03-2018 में ₹0 49686.00 कुल ₹0 537014.00 की सामग्री क्रय की गयी। परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। बिना कार्य प्रारम्भ के लगातार विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय किया जाना व्यय प्रक्रिया को औचित्य विहीन एवं संदिग्ध सिद्ध करता है।

6- पत्रावली के अनुसार श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, ए०डी०ओ० आइ०एस०बी० को कार्या० प०-448, दि० 14-08-2018 द्वारा श्री धर्मेन्द्र पाठक के स्थानांतरण के पश्चात कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। पत्रावली में मजदूरी भुगतान के समक्ष प्रस्तुत प्रथम मस्टर रोल दि० 16-08-2018 से 28-08-2018 ₹0 63870.00 मानव दिवस 271 पत्रावली में संलग्न है। मजदूरी भुगतान हेतु प्रस्तुत पत्र पर कार्य प्रभारी के रूप में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता की जगह श्री धर्मेन्द्र कुमार पाठक, ग्राम विकास अधिकारी का नाम अंकित है। एवं इसी पत्र पर चेक संख्या 014054, दि० 27-12-2018 द्वारा ₹0 63870.00 का भुगतान आदेश अंकित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल के समक्ष मजदूरी का भुगतान चार माह बिलम्ब से किया गया है।

प्रोजेक्ट का तिथि मस्टर रोल दि० 01-11-2018, ₹0 42450.00 मानव दिवस 174 पत्रावली में संलग्न है। जिसका भुगतान चेक संख्या 014055, दि० 27-12-2018 द्वारा ₹0 42450.00 को किया गया है।

7- कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में आंशिक रूप से प्रस्तुत रहा। प्रस्तुत फोटोग्राफ कार्य का शिलापट्ट/बोर्ड युक्त नहीं है।

8- इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य सम्पादन हेतु प्रथम सामग्री क्रय दि० 05-03-2018 को ही कर लिया गया। जबकि कार्य का प्रारम्भ दि० 16-08-2018 को किया गया। इस प्रकार क्रय सामग्री के सापेक्ष कार्य प्रारम्भ 5 माह से अधिक बिलम्ब से प्रारम्भ किया गया है। लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं गया है। कार्य प्रारम्भ के सापेक्ष 5 माह पूर्व सामग्री क्रय का औचित्य लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त कार्य सम्पादन के सापेक्ष मजदूरी का 4 माह विलम्बित भुगतान

स्थानीय श्रमिकों के आर्थिक हितों के विरुद्ध है। स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित कुल व्यय धनराशि रु0 815520.00 टैक्स काटकर में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र पाठक ग्रा0वि0अधि0, ज़र प्रमोद कुमार गुप्ता, ए0डी0ओ0 आइ0एस0बी0 सहा0 लेखाकार श्री शिवजी राम, जे0ई0 श्री एम0के0 गौतम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0के0 सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-204 गड़वार के ग्राम सभा तीखा में प्रमुनाथ पहलवान के मकान से मजार होते हुए हरeram साहनी के झार तक ब्लाक का कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

- 1-इस्टीमेट की मूल प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। फोटो स्टेट प्रति पत्रावली लगायी गयी है। इस्टीमेट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
- 2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्रामपंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है," स्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- 3- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि बी0डी0ओ0 द्वारा कार्यालय पत्रांक-895/सा0नि0/2017-18, दि0 19-02-2018 द्वारा श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, सहा0वि0 अ0 (ए0जी0) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। नियुक्ति आदेश ख0वि0अधि0द्वारा हस्ताक्षरित है। परन्तु नियुक्ति पत्र कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, सहा0वि0 अ0 (ए0जी0) द्वारा रिसीव नहीं किया गया है।
- पुनः इसी पत्रांक दिनांक पत्रांक895/सा0नि0/2017-18 दि0 19-02-2018 द्वारा बिना कोई कारण स्पष्ट किये श्री गुप्ता की जगह श्री धर्मेन्द्र पाठक ग्रा0 वि0 अधि0 को उक्त कार्य का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। जिस पर श्री धर्मेन्द्र पाठक, ग्रा0वि0 अधि0 द्वारा पत्र प्राप्ति का हस्ताक्षर भी है। परन्तु नियुक्ति आदेश पर खण्ड विकास अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार प्रभारी नियुक्ति का आदेश अधूरा, भ्रामक एवं संदेहास्पद है।

पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसी पत्रांक दिनांक पत्रांक-895/सा0नि0/2017-18, दि0 19-02-2018 द्वारा ही आपत्ति सं0-1 में दर्शित कार्य गड़वार के ग्रामसभा रतसड़ में श्री बच्चा सिंह के दरवाजे से श्री जे0पी0गुप्ता के घर तक पक्वर्स ब्लाक कार्य के प्रभारी की नियुक्ति की गयी है। स्पष्टतः उक्त पत्रावलियों में प्रभारी नियुक्ति कूट रचित दर्शित तिथियों के बाद तैयार की गयी है।

4-पत्रावली में संलग्न प्रथम मस्टर रोल के अनुसार कार्य की अवधि दि0 05-03-2018 से 17-03-2018 है जबकि उक्त का मजदूरी भुगतान जे0ई0 से बिना कार्य सम्पादन की आख्या प्राप्त किये ही चेक संख्या 015113, दि0 29-05-2018 द्वारा रु0 34560.00 का भुगतान आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल के समक्ष मजदूरी का भुगतान लगभग 2.5 माह बिलम्ब से किया गया है। इसी प्रकार संलग्न द्वितीय मस्टर रोल के अनुसार कार्य की अवधि दि0 01-12-2018 से 09-12-2018 है। जबकि उक्त मजदूरी का भुगतान जे0ई0 से बिना कार्य सम्पादन की आख्या प्राप्त किये ही चेक संख्या 014130 दि0 22-01-2019 द्वारा रु0 23940.00 का भुगतान आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल के समक्ष मजदूरी का भुगतान लगभग 15 माह बिलम्ब से किया गया है। जो विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन एवं मजदूरों के आर्थिक हितों के विरुद्ध है।

5- कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में आंशिक रूप से प्रस्तुत रहा। प्रस्तुत फोटोग्राफ कार्य का शिलापट्ट/बोर्ड युक्त नहीं है।

6- इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य सम्पादन दर्शित कुल व्यय धनराशि रु0 503617.00 (टैक्स काटकर) में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों के अनुपालन में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र पाठक ग्रा0वि0अधि0, श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, ए0डी0ओ0 (आइ0एस0बी0) सहा0 लेखाकार श्री शिवजी राम, जे0ई0 श्री एम0के0 गौतम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0के0 सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-205 गड़वार के ग्राम सभा मिठवार में मारकाण्डेय सिंह के दरवाजे से विनोद गुप्ता त्रिभुवन सिंह मनोज तिवारी मंगरू तेली के दरवाजे से होते हुए किशोर चौधरी के दरवाजे तक पेवर्स ब्लाक का कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

- 1-इस्टीमेट की मूल प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। फोटो स्टेट प्रति पत्रावली लगायी गयी है। इस्टीमेट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
- 2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्रामपंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है," स्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- 3- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि बी0डी0ओ0 द्वारा कार्यालय पत्रांक-895/सा0नि0/2017-18, दि0 19-02-2018 द्वारा श्री रमाशंकर यादव, सहा0वि0 अ0 (ए0जी0) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। नियुक्ति आदेश ख0वि0अधि0द्वारा हस्ताक्षरित है। परन्तु नियुक्ति पत्र कार्य प्रभारी श्री रमाशंकर यादव, सहा0वि0 अ0 (ए0जी0) द्वारा रिसीव नहीं किया गया है।

पुनः इसी पत्रांक दिनांक पत्रांक895/सा0नि0/2017-18 दि0 19-02-2018 द्वारा बिना कोई कारण स्पष्ट किये श्री रमाशंकर यादव की जगह श्री धर्मेन्द्र पाठक ग्रा0 वि0 अधि0 को उक्त कार्य का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। जिस पर श्री धर्मेन्द्र पाठक, ग्रा0वि0 अधि0 द्वारा पत्र प्राप्ति का हस्ताक्षर भी है। परन्तु नियुक्ति आदेश पर खण्ड विकास अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार प्रभारी नियुक्ति का आदेश अधूरा, भ्रामक एवं संदेहास्पद है।

पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसी पत्रांक/दिनांक पत्रांक-895/सा0नि0/2017-18, दि0 19-02-2018 द्वारा ही आपत्ति सं0-1,2 में दर्शित कार्य के प्रभारी की नियुक्ति की गयी है। स्पष्टतः उक्त पत्रावलियों में प्रभारी नियुक्ति कूट रचित संदेहास्पद व मनमाने तरीके से की गयी है।

4-कार्य प्रभारी श्री पाठक द्वारा मे लक्ष्मण पाण्डेय, वैना सागरपाली, बलिया द्वारा प्रस्तुत प्रथम बिल (क्रम सं0-101/दिनांक 26-02-2018, रु0 242970.00) पर सामग्री प्राप्त की गयी है। फर्म द्वारा भुगतान हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र के अनक्रम में भुगतान किये जाने हेतु संस्तुति पत्र पर कार्य प्रभारी/अवर अभियंतकी टिप्पणी नहीं ली गयी है। प्रस्तुत पत्र केवल लेखाकार श्री शिवजी राम एवं श्री विजय उपाध्याय द्वारा हस्ताक्षरित है जिसमें कार्य सम्पादन का माप एम0बी0न0-11 के पेज संख्या 19 से 21 पर किये जाने का उल्लेख है। भुगतान हेतु प्रस्तुत सहमति पत्र पर बिना कार्य प्रभारी/अवर अभियंता से आख्या प्राप्त किये ही चेक सं0 100349 दि0 28-02-2018 द्वारा आयकर/व्यापार कर कटौती के उपरान्त रु0 227809.00 का भुगतान फर्म को पारित किया गया है। जबकि प्रस्तुत मस्टर रोल के अनुसार कार्य अवधि 07-03-2018 से 24-03-2018 है। स्पष्टतः भुगतान प्रक्रिया संदेहास्पद एवं नियमों, निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमानीपूर्ण है।

इसी प्रकार अनुगामी तिथियों में भी आपूर्तिकर्ता को किये गये अन्य भुगतान-1 दि022-04-2018, चेक सं0 014102 द्वारा रु0 178528.00 दि0 27-12-2018 में चेक सं0 014053 द्वारा रु0 201313.00 भी सहमति पत्र पर बिना कार्य प्रभारी/अवर अभियंता से आख्या प्राप्त किये ही पारित किये गये हैं। जिसमें नियमों/निर्देशों का उचित अनुपालन नहीं किया गया है।

5- पत्रावली में संलग्न प्रथम मस्टर रोल के अनुसार कार्य की अवधि दि0 07-03-2018 से 24-03-2018 है जबकि उक्त का मजदूरी भुगतान रु0 51300.00 (चेक संख्या 014110, दि0 28-05-2018) द्वारा कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र पाठक ग्रा0वि0अधि0 को किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल के समक्ष मजदूरी का भुगतान लगभग 2.0 माह बिलम्ब से किया गया है। पत्रावली में संलग्न द्वितीय मस्टर रोल के अनुसार कार्य की अवधि दि0 01-11-2018 से 19-11-2018 है। जबकि उक्त मजदूरी का भुगतान जे0ई0 से बिना कार्य सम्पादन की आख्या प्राप्त किये ही रु0 40950.00 का भुगतान चेक संख्या 014056, दि0 27-12-2018 द्वारा कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता सहा0 वि0अधि0 आइ0एस0बी0 को किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल के समक्ष मजदूरी का भुगतान एक माह से अधिक बिलम्ब से किया गया है। जो विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन एवं मजदूरों के आर्थिक हितों के विरुद्ध है।

6- लेखा परीक्षा में आपूर्तिकर्ता से प्राप्त सामग्री भण्डारण सम्बन्धि कोई भण्डार रजिस्टर या अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा।

7- कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में आंशिक रूप से प्रस्तुत रहा। प्रस्तुत फोटोग्राफ कार्य का शिलापट्ट/बोर्ड युक्त नहीं है।

8- इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य सम्पादन दर्शित कुल व्यय धनराशि रु0 735856.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों के अनुपालन में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र पाठक ग्रा0वि0अधि0, श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, ए0डी0ओ0 (आइ0एस0बी0) सहा0 लेखाकार श्री शिवजी राम, लेखाकार श्री विजय उपाध्याय जे0ई0 श्री एम0के0 गौतम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0के0 सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-206 गड़वार के ग्राम सभा भलुही में प्रा0पा0भलुही नं0-1 से नई बस्ती तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

- 1-इस्टीमेट की मूल प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। फोटो स्टेट प्रति पत्रावली लगायी गयी है। इस्टीमेट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
- 2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्रामपंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है," स्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- 3- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि बी0डी0ओ0 द्वारा कार्यालय पत्रांक-895/सा0नि0/2017-18, दि0 19-02-2018 (पत्रावली पृष्ठ सं0-34) द्वारा श्री रामदेव शर्मा सहा0वि0अधि0 (पं0) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। नियुक्ति आदेश ख0वि0अधि0द्वारा हस्ताक्षरित है। परन्तु नियुक्ति पत्र कार्य प्रभारी श्री रामदेव शर्मा, सहा0वि0 अ0 (पं0) द्वारा रिसीव नहीं किया गया है।
- बाद में पुनः इसी पत्रांक दिनांक (पत्रांक/895/सा0नि0/2017-18 दि0 19-02-2018) (पत्रावली पृष्ठ सं0-34) द्वारा बिना कोई कारण स्पष्ट किये श्री रामदेव शर्मा की जगह श्री धर्मेन्द्र पाठक ग्रा0 वि0 अधि0 को उक्त कार्य का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। जिस पर श्री धर्मेन्द्र पाठक, ग्रा0वि0 अधि0 द्वारा पत्र प्राप्ति का बिना तिथि हस्ताक्षर है। नियुक्ति आदेश पर खण्ड विकास अधिकारी का हस्ताक्षर बिना तिथि का है। उक्त पत्रांक दिनांक द्वारा ही विभिन्न कार्यों में प्रभारी नियुक्त किया जाना नियमों का खुला उल्लंघन एवं घोर आपत्तिजनक है। स्पष्टतः प्रभारी श्री पाठक की नियुक्ति का आदेश कूटरचित एवं संदेहास्पद प्रतीत होता है।
- 4- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम किश्त के सापेक्ष प्रस्तुत मस्टर रोल कार्य दि0 05-03-2018 से 23-03-2018 तक कराया गया है। जिस हेतु प्रभारी श्री पाठक, द्वारा मे0, सागा इन्टर प्राइजेज, जिगनीखास बलिया से दि0 05-03-2018 को रू0 176729.00 एवं पुनः दि0 05-03-2018 को ही रू0 86790.00 मुरली जी कुबेरजी ईट भट्टा उद्योग, जिगनीखास बलिया से सामग्री प्राप्त किया गया है।

इसमें उल्लेखनीय है कि कार्य समाप्ति तिथि दि0 23-03-2018 के पूरे एक माह बाद दि0 23-04-2018 को रू0 172219.00 की सामग्री मे0, सागा इन्टर प्राइजेज, जिगनीखास बलिया से एवं दि0 24-04-2018 को रू0 43192.00 की सामग्री मुरली जी कुबेरजी ईट भट्टा उद्योग, जिगनीखास बलिया से प्राप्त किया गया है। इस क्रय स्टॉक के उपभोग की स्थिति उपभोग की स्थिति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। स्टॉक पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। इस प्रकार उक्त क्रय सामग्री का औचित्य स्पष्ट नहीं रहा।

- 5- पत्रावली के अनुसार प्राप्त द्वितीय किश्त से मजदूरी भुगतान रू0 51750.00 मस्टर रोल दि0 02-12-2018 से 25-12-2018 चेक सं0 014121 दि0 04-01-2019 द्वारा नये कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता सहा0वि0अधि0 आईएस0बी0 को किया गया है। कार्य प्रभारी के पद से श्री धर्मेन्द्र पाठक, ग्रा0वि0अधि0 को हटाये जाने एवं श्री प्रमोद कुमार गुप्ता सहा0वि0अधि0 आईएस0बी0 को नियुक्त किये जाने सम्बंधी कोई प्रस्ताव/पत्र या नियुक्ति आदेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।
 - 6- पत्रावली में संलग्न प्रथम मस्टर रोल के अनुसार कार्य की अवधि दि0 05-03-2018 से 23-03-2018 है। जबकि इसकी मजदूरी का भुगतान रू0 47250.00 चेक संख्या12014111, दि0 29-03-2018 द्वारा कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र पाठक ग्रा0वि0अधि0 को किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल के समक्ष मजदूरी का भुगतान लगभग 2 माह से अधिक बिलम्ब से किया गया है। मस्टररोल पर मजदूरी भुगतान की वास्तविक तिथि भी अंकित नहीं है। जो विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन एवं मजदूरों के आर्थिक हितों के विरुद्ध है
 - 7- कार्य के प्रारम्भ,मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में आंशिक रूप से प्रस्तुत रहा। प्रस्तुत फोटोग्राफ कार्य का शिलापट्ट/बोर्ड युक्त नहीं है।
 - 8- इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कार्य सम्पादन में दर्शित कुल व्यय धनराशि रू0 808199.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों के अनुपालन में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र पाठक ग्रा0वि0अधि0, श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) सहा0 लेखाकार श्री शिवजी राम, लेखाकार श्री विजय उपाध्याय जे0ई0 श्री एम0के0 गौतम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0के0 सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-207 गड़वार के ग्राम सभा कोड़रा के ग्राम वसुदेवा में उमाशंकर यादव के ट्यूबन के पास से महुआ तिनमुहानी तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

- 1-इस्टीमेट की मूल प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। फोटो स्टेट प्रति पत्रावली लगायी गयी है। इस्टीमेट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
 - 2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्रामपंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है," स्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
 - 3- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि बी0डी0ओ0 द्वारा कार्यालय पत्रांक-895/सा0नि0/2017-18, दि0 19-02-2018 (पत्रावली पृष्ठ सं0-38) द्वारा श्री रामदेव शर्मा सहा0वि0अधि0 (पं0) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। नियुक्ति आदेश ख0वि0अधि0द्वारा हस्ताक्षरित है। परन्तु नियुक्ति पत्र कार्य प्रभारी श्री रामदेव शर्मा, सहा0वि0 अ0 (पं0) द्वारा रिसीव नहीं किया गया है।
 - पत्रावली में उपलब्ध किसी भी सामग्री आपूर्ति बिल पर सामग्री प्राप्तकर्ता के रूप में एवं मस्टर रोल पर वर्क इन्चार्ज के रूप में श्री शर्मा का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। सामग्री प्राप्तकर्ता के रूप में अवर अभियंता आर0इ0डी0 श्री एक0के0गौतम का हस्ताक्षर है तथा मस्टर रोल पर वर्क इन्चार्ज पर श्री धर्मेन्द्र पाठक ग्रा0वि0अधि0 का हस्ताक्षर अंकित है। कार्य प्रभारी श्री रामदेव शर्मा को हटाकर श्री धर्मेन्द्र पाठक की नियुक्ति किये जाने का औचित्य, प्रस्ताव एवं तथा आदेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रभारी श्री धर्मेन्द्र पाठक की नियुक्ति भ्रामक एवं संदेहास्पद प्रतीत होता है।
 - 4- पत्रावली के अनुसार प्राप्त द्वितीय किश्त से मजदूरी भुगतान रू0 42900.00 मस्टर रोल दि0 01-12-2018 से 20-12-2018 चेक सं0 014131 दि0 21-01-2019 द्वारा नये कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता सहा0वि0अधि0 आई0एस0बी0 को किया गया है। कार्य प्रभारी के पद से श्री धर्मेन्द्र पाठक ग्रा0वि0अधि0 को हटाये जाने एवं श्री प्रमोद कुमार गुप्ता सहा0वि0अधि0 आई0एस0बी0 को नियुक्त किये जाने सम्बंधी कोई प्रस्ताव/पत्र या नियुक्ति आदेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।
 - 5- पत्रावली में संलग्न द्वितीय मस्टर रोल के अनुसार कार्य की अवधि दि0 01-12-2018 से 20-12-2018 है। जबकि इसकी मजदूरी का भुगतान रू0 42900.00 चेक संख्या 014131 दि0 21-01-2019 द्वारा कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार सहा0वि0अधि0 आई0एस0बी0 को किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत मस्टर रोल के समक्ष मजदूरी का भुगतान पूरे एक माह बिलम्ब से किया गया है। मस्टर रोल पर मजदूरी भुगतान की वास्तविक तिथि भी अंकित नहीं है। जो विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन एवं मजदूरों के आर्थिक हितों के विरुद्ध है।
 - 6- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष फर्म द्वारा भुगतान मांगने के प्रार्थना पत्र पर बी0डी0ओ0 द्वारा लेखाकार/जे0ई0 से आवश्यक आख्या मांगी गयी है। परन्तु भुगतान हेतु लेखाकार द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र/नोट शीट पर कहीं भी जे0ई0 की आख्या/संस्तुति अंकित नहीं है। इस प्रकार पूरी भुगतान प्रक्रिया में जे0ई0 की सहमति नहीं ली गयी है। जो कार्य एवं भुगतान प्रक्रिया को निरंकुश एवं संदेहास्पद बनाता है।
 - 7- कार्य के प्रारम्भ,मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में आंशिक रूप से प्रस्तुत रहा। प्रस्तुत फोटोग्राफ कार्य का शिलापट्ट/बोर्ड युक्त नहीं है।
 - 8- इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कार्य सम्पादन में दर्शित कुल व्यय धनराशि रू0 709404.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों के अनुपालन में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र पाठक ग्रा0वि0अधि0, श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) सहा0 लेखाकार श्री शिवजी राम, लेखाकार श्री विजय उपाध्याय जे0ई0 श्री एम0के0 गौतम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0के0 सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-208 जगदीशपुर में राजनाथ पासवान के मकान से वीरेन्द्र यादव के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

- 1-इस्टीमेट की मूल प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। फोटो स्टेट प्रति पत्रावली लगायी गयी है। इस्टीमेट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
- 2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्रामपंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है," स्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।

3- पत्रावली में संलग्न मे0 कामाख्या कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स गड़वार, बलिया को निर्गत सामग्री आपूर्ति आदेश कार्यालय से डिस्पैच नहीं है। आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है। पत्र सम्बन्धित फर्म को हस्तगत करा दिया गया है। इस प्रकार का कोई रिसीविंग पत्र पर अंकित नहीं है।

4- कार्य प्रभारी श्री रामदेव शर्मा सहा0वि0अधि0 पं0 नियुक्ति आदेश कार्यालय से डिस्पैच नहीं है। आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है। नियुक्ति पत्र कार्य प्रभारी श्री रामदेव शर्मा यहा0वि0अधि0 पं0 द्वारा रिसीव नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री शर्मा द्वारा न तो कोई सामग्री प्राप्त किया गया है और नहीं प्रोजेक्ट में इनकी कोई भूमिका ही परिलक्षित होती है। इस तथ्य की पुष्टि इस आधार पर भी होती है कि विभिन्न तिथियों में आपूर्ति की गयी सामग्री के बिलों पर नियुक्त अवर अभियंता श्री एम0के0 गौतम द्वारा प्राप्त की गयी है।

5- कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

6- इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

7- पत्रावली के अनुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता मे0 कामाख्या कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स गड़वार बलिया के बिल दिनांक 20-01-2018 रू0 528978.00 में से टैक्स की कटौती के उपरान्त रू0 518398.00 चेक सं0 010561 दि0 22-10-2018 द्वारा एवं बिल दि0 02-04-2018 रू0 129349.00 में से टैक्स की कटौती के उपरान्त रू0 121278.00 चेक सं0 010574 दि0 17-0472018 द्वारा फर्म को भुगतान किया गया है। इस प्रकार कुल रू0 639676.00 का भुगतान मे0 कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स गड़वार बलिया को किया गया है।

उक्त सामग्री क्रय के सापेक्ष पत्रावली में कार्य सम्पादन की पुष्टि में कोई मस्टर रोल उपलब्ध नहीं है। प्रोजेक्ट पर मजदूरी के रूप में कोई भी धन व्यय नहीं किया गया है। कार्य प्रारम्भ होने एवं पूर्ण होने सम्बन्धि कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि फर्जी कार्य प्रभारी नियुक्त कर एवं काल्पनिक सामग्री क्रय दर्शित कर कूट रचित अभिलेखों के आधार पर उक्त व्यय धनराशि रू0 639676.00 का अपहरण मिली भगत कर किया है। जिस हेतु सहा0 लेखाकार श्री शिवजी राम, लेखाकार श्री विजय उपाध्याय, जे0ई0 श्री एम0के0 गौतम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0के0 सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। इनसे उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-209 गड़वार के ग्राम सभा भीमखपुर में अशोक सिंह के दरवाजे से सुरेन्द्र सिंह के दरवाजे तक पेवर्स ब्लाक कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

1-इस्टीमेट की मूल प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। फोटो स्टेट प्रति पत्रावली लगायी गयी है। इस्टीमेट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।

2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्रामपंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है," स्वीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।

3- पत्रावली के अनुसार बी0डी0ओ0 द्वारा कार्यालय पत्रांक-895/सा0नि0/2017-18, दि0 19-02-2018 (पत्रावली पृष्ठ सं0-39) द्वारा श्री प्रमोद कुमार गुप्ता सहा0वि0अधि0 (आइ0एस0बी0) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। नियुक्ति आदेश ख0वि0अधि0द्वारा हस्ताक्षरित है। परन्तु नियुक्ति पत्र कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, सहा0वि0 ओ (आइ0एस0बी0) द्वारा रिसीव नहीं किया गया है।

बाद में पुनः इसी पत्रांक दिनांक (पत्रांक/895/सा0नि0/2017-18 दि0 19-02-2018) (पत्रावली पृष्ठ सं0-58) द्वारा बिना कोई कारण स्पष्ट किये श्री प्रमोद कुमार गुप्ता सहा0वि0अधि0 (आइ0एस0बी0) की जगह श्री धर्मेन्द्र पाठक ग्रा0 वि0 अधि0 को उक्त कार्य का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। जिस पर श्री धर्मेन्द्र पाठक, ग्रा0वि0 अधि0 द्वारा पत्र प्राप्ति का बिना तिथि हस्ताक्षर अंकित है। नियुक्ति आदेश पर खण्ड विकास अधिकारी/लिपिक आदि किसी का भी हस्ताक्षर नहीं है। उक्त पत्रांक दिनांक द्वारा ही विभिन्न कार्यों में प्रभारी नियुक्त किया जाना नियमों का खुला उल्लंघन एवं घोर आपत्तिजनक है। स्पष्टतः प्रभारी श्री पाठक की नियुक्ति का आदेश कूटरचित एवं संदेहास्पद प्रतीत होता है।

अलग-अलग कार्यों में अलग-अलग व्यक्तियों को प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाना नियमों का खुला उल्लंघन एवं घोर आपत्तिजनक है स्पष्टतः प्रभारी श्री पाठक की नियुक्ति का अरदेश कूटरचित एवं संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसी प्रकार सामग्री आपूर्ति आदेश मे0 मुरली जीधुकुबेरजी ईट भट्टा उद्योग, बलिया को आदेश पत्रांक-890/सा0नि0/2017-18 दि0 19-02-2018 पत्रावली पृष्ठसं0-33 द्वारा निर्गत है। जबकि सामग्री आपूर्ति आदेश मे0 साग इंटरप्राइजेज जिगनीखास, बलिया को भी आदेश पत्रांक-890/सा0नि0/2017-18, दि0 19-02-2018 पत्रावली पृष्ठ सं0-25 निर्गत है। इस प्रकार दोनों आपूर्तिकर्ता फर्मों का आपूर्ति आदेश एक ही पत्रांक-890/सा0नि0/2017-18, दि0 19-02-2018 द्वारा जारी किया गया है। जब दोनों पत्र अलग-अलग हैं तो दोनों का डिस्पैच पत्रांक अलग-अलग होना चाहिये।

उल्लेखनीय है कि इसी पत्रांक दिनांक से कई अलग-अलग निर्माण पत्रावलियों में सामग्री आपूर्ति का आदेश अलग-अलग फर्मों को निर्गत किया गया है जो घोर आपत्तिजनक एवं अनियमितता है।

4-कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में आंशिक रूप से प्रस्तुत रहा।

5- इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कार्य सम्पादन में दर्शित कुल व्यय धनराशि रू0 595508.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों के अनुपालन में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र पाठक ग्रा0वि0अधि0, श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, ए0डी0ओ0 (आइ0एस0बी0) सहा0 लेखाकार श्री शिवजी राम, लेखाकार श्री विजय उपाध्याय जे0ई0 श्री एम0के0 गौतम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0के0 सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-210 ग्रा0पंचायत पक्काकोट में हरिहर यादव के डेरा से गांवके बाहर तक नाली निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:-

1-इस्टीमेट की मूल प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। फोटो स्टेट प्रति पत्रावली लगायी गयी है। इस्टीमेट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।

2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्रामपंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है," स्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।

3- सूचना एवं विज्ञप्ति पत्र कार्यालय से डिस्पैच नहीं है। आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है। इसमें टेण्डर खोले जाने के दिनांक अंकित नहीं है। इसमें प्रतिलिपि सूचना बोर्ड पर चस्पा करने हेतु भी किया गया है। अधूरा विज्ञप्ति पत्र का नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना किस प्रकार उद्देश्यों की पूर्ति करता है लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है।

4- तुलनात्मक चार्ट पर टेण्डर खुलने का दिनांक अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्तिकर्ता मे0 कामाख्या कन्स्ट्रक्शन ए0 सप्लायर्स से किया गया अनुबंध पत्र अधूरा है। सभी शीर्षों की प्रविष्टियां नहीं की गयी है। अनुबंध पत्र पर दिनांक भी अंकित नहीं है।

5- पत्रावली में संलग्न मे0 कामाख्या कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स गड़वार बलिया को निर्गत सामग्री आपूर्ति आदेश कार्यालय से डिस्पैच नहीं है। आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है। पत्र सम्बन्धित फर्म को हस्तगत कर दिया गया है। इस प्रकार का कोई रिसीविंग पत्र पर अंकित नहीं है।

6- कार्य प्रभारी श्री रामदेव शर्मा सहा0वि0अधि0 पं0 नियुक्ति आदेश कार्यालय से डिस्पैच नहीं है। आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है।

7- पत्रावली के अनुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता मे0 कामाख्या कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स गड़वार बलिया के बिल दिनांक 09-11-2017 रू0 571389.00 में से टैक्स की कटौती के उपरान्त रू0 546991.00 चेक सं0 100453 दि0 14-11-2017 द्वारा एवं बिल दि0 20-01-2018 रू0 142367.00 में से टैक्स की कटौती के उपरान्त रू0 139519.00 चेक सं0 010563 दि0 22-01-2018 द्वारा फर्म को भुगतान किया गया है। इस प्रकार कुल रू0 686510.00 का भुगतान मे0 कामाख्या कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स गड़वार बलिया को किया गया है।

8- कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

9- इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

10— उक्त सामग्री क्रय के सापेक्ष पत्रावली में कार्य सम्पादन की पुष्टि में कोई मस्टर रोल उपलब्ध नहीं है। प्रोजेक्ट पर मजदूरी के रूप में कोई भी धन व्यय नहीं किया गया है। कार्य प्रारम्भ होने एवं पूर्ण होने सम्बंधी कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि काल्पनिक सामग्री क्रय दर्शित कर कूट रचित अभिलेखों के आधार पर उक्त व्यय धनराशि रु0 686510.00 का अपहरण मिली भगत कर किया गया है। जिस हेतु सहा0 लेखाकार श्री शिवाजी राम, लेखाकार श्री विजय उपाध्याय, कार्य प्रभारी श्री रामदेववर्मा सहा0वि0अधि0 पं0 जे0ई0 श्री एम0के0गौतम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0के0सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। इनसे उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-211 ग्राम पंचायत पक्काकोट में रामजी यादव के मकान से मो0इंद्रीश के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं:

1— इस्टीमेट पर ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है। इस्टीमेट में प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक के स्थान पर कुछ भी अंकित नहीं है।

2— पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि “संदर्भित कार्य ग्रामपंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है,” स्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।

3— कार्य प्रभारी श्री रामदेव शर्मा सहा0वि0अधि0 पं0 नियुक्ति आदेश कार्यालय से डिस्पैच नहीं है। आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं।

4— सूचना एवं विज्ञप्ति पत्र कार्यालय से डिस्पैच नहीं है। आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है। इसमें टेण्डर खोले जाने के दिनांक अंकित नहीं है। इसमें प्रतिलिपि सूचना बोर्ड पर चस्पा करने हेतु भी किया गया है। अधूरा विज्ञप्ति पत्र का नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना किस प्रकार उद्देश्यों की पूर्ति करता है लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है।

5— तुलनात्मक चार्ट पर टेण्डर खुलने का दिनांक अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्तिकर्ता मे0 कामाख्या कन्स्ट्रक्शन एं0 सप्लायर्स से किया गया अनुबंध पत्र अधूरा है। सभी शीर्षों की प्रविष्टियां नहीं की गयी है। अनुबंध पत्र पर दिनांक भी अंकित नहीं है।

6— पत्रावली में संलग्न मे0 कामाख्या कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स गड़वार बलिया को निर्गत सामग्री आपूर्ति आदेश कार्यालय से डिस्पैच नहीं है। आदेश पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है। पत्र सम्बन्धित फर्म को हस्तगत कर दिया गया है। इस प्रकार का कोई रिसीविंग पत्र पर अंकित नहीं है।

7— पत्रावली के अनुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता मे0 कामाख्या कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स गड़वार बलिया के बिल दिनांक 09-11-2017 रु0 658041.00 में से टैक्स की कटौती के उपरान्त रु0 629943.00 चेक सं0 100454 दि0 24-11-2017 द्वारा एवं बिल दि0 20-01-2018 रु0 163543.00 में से टैक्स की कटौती के उपरान्त रु0 160273.00 चेक सं0 010512 दि0 22-01-2018 द्वारा फर्म को भुगतान किया गया है। इस प्रकार कुल रु0 790216.00 का भुगतान मे0 कामाख्या कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स गड़वार बलिया को किया गया है।

8— कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

9— इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होन की पुष्टि नहीं की जा सकी।

10— उक्त सामग्री क्रय के सापेक्ष पत्रावली में कार्य सम्पादन की पुष्टि में कोई मस्टर रोल उपलब्ध नहीं है। प्रोजेक्ट पर मजदूरी के रूप में कोई भी धन व्यय नहीं किया गया है। कार्य प्रारम्भ होने एवं पूर्ण होने सम्बंधी कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि काल्पनिक सामग्री क्रय दर्शित कर कूट रचित अभिलेखों के आधार पर उक्त व्यय धनराशि रु0 790216.00 का अपहरण मिली भगत कर किया गया है। जिस हेतु सहा0 लेखाकार श्री शिवाजी राम, लेखाकार श्री विजय उपाध्याय, कार्य प्रभारी श्री रामदेववर्मा सहा0वि0अधि0 पं0 जे0ई0 श्री एम0के0गौतम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0के0सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-212 ग्राण्ट रजिस्टर भाग-2 पेज सं0-01रु इंदिरा आवास प्रासंगिक मद पर निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है:-

क्र0	चेक सं0/दिनांक	धनराशि रु0	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	अभ्युक्ति
1	795605 / 15-05-17	10091.00	विजय कुमार उपाध्याय, सहा0 लेखाकार	कार्टेज, फोटो स्टेट आदि पर भुगतान
2	795607 / 10-08-17	10000.00	शिवजी राम, सहा0 लेखाकार	गाड़ी सं0 यू0पी060इ0 / 0307 का मरम्मत कार्य
3	795609 / 01-09-17	6938.00	मे0रुदांश पेट्रोलियम रामपुर गड़वार	डीजल हेतु भुगतान
4	795610 / 04-09-17	4995.00	मे0रुदांश पेट्रोलियम रामपुर गड़वार	डीजल हेतु भुगतान
5	795612 / 13-10-17	8975.00	शिवजी राम, सहा0 लेखाकार	स्वच्छ शौचालय के उपर लगी टंकी एवं स्टेशनरी पर व्यय
6	795614 / 27-11-17	6072.00	मे0रुदांश पेट्रोलियम रामपुर गड़वार	डीजल हेतु भुगतान
7	795615 / 14-12-17	4602.00	मे0रुदांश पेट्रोलियम रामपुर गड़वार	डीजल हेतु भुगतान
8	795617 / 07-02-18	10011.00	मे0रुदांश पेट्रोलियम रामपुर गड़वार	डीजल हेतु भुगतान
9	795618 / 20-02-18	2250.00	टाइ0टेक0इ0होम कम्प्यूटर	टोनर पाउडर रिफिलिंग पर व्यय
	योग-	63934.00		

इससे सम्बन्धित कोई प्रमाणक बिल वाउचर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। प्रमाणक विहीन व्यय राजकीय धन का अपहरण सिद्ध होता है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0के0सिंह एवं श्री सहा0 लेखाकार श्री शिवजी राम, लेखाकार श्री विजय उपाध्याय उपरोक्त भुगतान प्राप्तकर्ता संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-213 ग्राण्ट रजि0 भाग-2 पंज सं0-43 विधायक निधि मद में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है:-

क्र०	चेक सं०/दिनांक	धनराशि रु	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	अभ्युक्ति
1	000412/06-04-2017	16570.00	नवीन सिंह, सहा०वि०अधि० सा०	अज्ञात को मजदूरी भुगतान हेतु
2	000413/06-04-2017	25712.00	मे० प्रीती चौबे टैगोर नगर बलिया	भुगतान का विवरण अज्ञात
3	000414/26-04-2017	20602.00	नवीन सिंह, सहा०वि०अधि० सा०	भुगतान का विवरण अज्ञात
4	000418/20-05-2017	136530.00	नवीन सिंह, सहा०वि०अधि०	अज्ञात को मजदूरी भुगतान हेतु
	योग-	199414.00		

इससे सम्बन्धित कोई प्रमाणक बिल वाउचर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। प्रमाणक विहीन व्यय राजकीय धन का अपहरण सिद्ध होता है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी०के०सिंह एवं लेखाकार श्री विजय उपाध्याय उपरोक्त भुगतान प्राप्तकर्ता संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-214 वर्ष आलोच्य 2017-18 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य निविदा प्रक्रिया का नियमानुसार पालन करते हुए सम्पादित की जानी थी। परन्तु निविदा आमंत्रण हेतु बिक्री फार्म के सापेक्ष रूप पत्र 385 निर्गत नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत को प्रति निविदा फार्म रु० 300.00 के आधार पर कुल रु० 12000.00 की राजस्व की क्षति आंकलित की गयी। जिसके लिये तत्कालीन बी०डी०ओ० एवं लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-215 वर्ष आलोच्य 2017-18 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों के सापेक्ष प्रस्तुत कुल पत्रावलियों के अनुसार कुल रु० 7117820.00 की सामग्री क्रय की गयी। जिस पर निम्न प्रकार आयकर एवं व्यापार कर/जी०एस०टी० आंकलित किया गया। जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं:-

कार्य का नाम	क्रय सामग्री रु०	आयकर कटौती			व्यापार कर कटौती		
		आंकलित	वास्तविक कटौती	कम कटौती	आंकलित	वास्तविक कटौती	कम कटौती
जंगली बाबा इ०का०गड़वार में खड्जा कार्य	413760	9268	9392	0	8275	8275	0.00
जगदीशपुर में राजनाथ पासवान के मकान से वीरेन्द्र यादव के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	658327	14746	2897	11849	15754	15754	0.00
अमडरिया नहर से पुरुषोत्तम यादव एवं मेन खड्जा से लल्लन यादव के दरवाजे तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य	501282	11228	11379	0	10026	10026	0.00
ग्राम प० पक्काकोट में रामजी यादव के मकान से मो०इंद्रीश के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य	821584	18403	14938	3465	16432	16430	0.00
ग्रा०प० पक्काकोट में हरिहर यादव के डेरा से गांव के बाहर तक नाली निर्माण कार्य	713757	15988	12971	3017	14275	14276	0.00
डवाकरा हाल वि०ख० गड़वार में कुर्सी एवं मेंज क्रय हेतु व्यय	61507	1378	0	1378	1230	0	1230.00
ब्लाक प्रमुख कक्ष में इन्वर्टर बैटरी एवं स्टेबलाइजर स्थापना कार्य	23956	537	0	537	479	0	479.00
ब्लाक प्रमुख कक्ष में मरम्मत के उपरान्त	33996	762	0	762	680	0	680.00

फर्नीचर हेतु							
गड़वार के गा0सभा रतसड में श्री बच्चा सिंह के दरवाजे से श्री जे0पी0गुप्ता के घर तक पेवर्स ब्लाक का कार्य	751817	16842	16842	0	25774	25774	0.00
गड़वार के गा0सभा तीखा में प्रभुनाथ पहलवान के मकान से मजार होते हुए हरेराम साहनी के घर तक ब्लाक का कार्य	445117	9971	9971	0	14590	14590	0.00
गड़वार के गा0सभा तीखा में प्रभुनाथ पहलवान के मकान से मजार होते हुए हरेराम साहनी के घर तक ब्लाक का कार्य	643606	14416	14416	0	21540	21540	0.00
गड़वार के गा0 सभा मिठवार में मारकण्डेय सिंह के दरवाजे से विनोद गुप्ता त्रिभुवन सिंह मनोज तिवारी मंगरू तेली के दरवाजे से होते हुए किशोर चौधरी के दरवाजे तक ब्लाक का कार्य	550934	12343	12343	0	22037	22037	0.00
गड़वार के गा0 सभा भलुही में प्रा0पा0 भलुही नं01 से नई बस्ती तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य	709199	15883	15883	0	23655	23762	0.00
गड़वार के गा0 सभा कोड़रा के गा0 वसूदेवा में उमाशंकर यादव के ट्यूबवेल के पास से महुआ तिनमुहानी तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य	624144	13983	13983	0	20657	20657	0.00
प्रधान मंत्री प्रशासनिक मद से ब्लाक कार्यालय में इन्वर्टर स्थापना	56850	1273	0	1273	1137	0	1137.00
वि0ख0 गड़वार परिसर में इंदिरा आवास प्रासंगिक मद से माडल प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का निर्माण कार्य	107984	2419	0	2419	2160	0	2160.00
योग—	7117820	159439	135015	24700	198700	193121	5686.00

(क) उपरोक्त विवरण के अनुसार में रु0 24700.00 की कम कटौती कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(ख) उपरोक्त विवरण के अनुसार जी0एस0टी0 के रूप रु0 5686.00 की कटौती फर्म से की जानी चाहिये थी। जो नहीं की गयी है।

(ग) उपरोक्त आयकर/व्यापार कर कटौती की धनराशि सम्बन्धित विभाग में जमा किये जाने सम्बंधी कोई प्रमाणक/विवरण/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। विभागीय जांच अपेक्षित है।

3- क्षेत्र पंचायत- नगरा

प्रस्तर-216 क्षेत्र पंचायत नगरा के वर्ष 2017-18 की "चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजना" के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि अनमूल्य विवरण के अनुसार कराये गये कार्यों में नियमानुसार उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माणकर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 के नियम 4 3 के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत कर्मकार उपकर की कटौती नहीं की गयी है।

कार्य का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०	कार्य का नाम	कार्य की सम्पूर्ण लागत	कर्मकार उपकार 1 प्रतिषत
1	नगरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से लिलकधारी पीच मार्ग प्लक पुलिया, मिट्टी व खडंजा का कार्य	552704.00	5527.04
2	ताड़ी बड़ा गांव में तारापट्टी एवं भिरिया मार्ग से राम बदन चौबे के डेरा तक मिट्टी व खडंजा कार्य	458509.00	4585.09
3	नगरा में लिलकधारी हरिजन बस्ती से बड़ी मठ के समपि तक मिट्टी व खडंजा कार्य	684525.00	6845.25
4	नगरा में सूरज पाण्डेय के घर से देवनाथ के घर से होते हुए नेहा शर्मा के घर तक नाली व पेवर्स निर्माण	814030.00	8140.30
5	नगरा में ईट भट्टा से के०डी०एस० स्कूल तक मिट्टी व खडंजा निर्माण कार्य	495167.00	4951.67
6	करीमपुर में अनिल कनोजिया के घर से पोखरा तक मिट्टी व खडंजा निर्माण कार्य		
7	नगरा में तरिया के पोखरा से गोपाल पाण्डेय के चेक से होते हुए चन्द्रिका के घर तक मिट्टी व खडंजा निर्माण कार्य	990504.00	9905.04
8	नगरा में यादव बस्ती से जजला मार्ग तक मिट्टी व खडंजा कार्य	918300.00	9183.00
9	नगरा के तिलकारी में चन्द्रबली के घर रामाश्रय के घर तक नाली निर्माण व चंददेव के ट्यूबवेल तक मिट्टी व खडंजा कार्य	314588.00	3145.88
10	नगरा में पूरब मोहल्ला में हस्मत के घर से बुधन के घर होते हुए रामबीडा के घर तक पेवर्स कार्य	421899.00	4218.99
11	नगरा पूरब मोहल्ला में झिंगुरी लोहार के घर से सीता राम वर्मा के घर होते हुए रोशन कुमार के घर तक नाली निर्माण	926174.00	9261.74
12	नगरा में बी०आर०सी० से जर्नादन वर्मा के घर तक मिट्टी व खडंजा कार्य	689879.00	6898.79
13	नगरा में जूनीयर हाई स्कूल पर नहर से विद्यालय तक पेवर्स कार्य	309912.00	3099.12
14	नगरा में नगरा घोसी मार्ग सरस्वती शिशु मंदिर से जूनीयर हाई स्कूल के फील्ड एवं श्रीकान्त के घर एवं ब्लाक के मुख्य गेट होते हुए अरतर के घर तक नाली व पंवर्स कार्य	933199.00	9331.99
15	नगरा में तिलकारी प्रा०वि०पीच मार्ग से नरेन्द्र सिंह के दरवाजे तक इण्टर लाकिंग कार्य	866737.00	8667.37
16	नगरा में शिव कुमार सिंह के घर से प्रमोद वर्मा के घर होकर सुक्खु मास्टर के घर तक नाली व पेसर्व कार्य	396943.00	3969.43
17	नगरा बलुआ मार्ग से हरिचन्द्र के घर के आगे एवं विरेन्द्र के घर तक नाली मिट्टी व खडंजा कार्य	970272.00	9702.72
18	अब्दुल पुर मदारी में हनुमान मंदिर से दुर्ग विजय सिंह के घर तक मिट्टी व खडंजा कार्य	127752.00	1277.52
		10371094.00	108555.00

संस्था द्वारा वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त के अन्तर्गत निर्माण कार्यो पर उपरोक्त विवरणनुसार कुल रु0 10371094 खर्च किया गया। उक्त कराये गये कार्यो में निर्धारित 1प्रतिशत की दर से लेवर सेस कर्मकार उपकर की कटौती रु0 113455.00 नहीं की गयी है जो कि शासनादेश के विरुद्ध है। लेवर सेस की कटौती न करके वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। इसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार पाठक, श्री राम आशीष एवं लेखाकार श्री विजयन्त प्रताप सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-217 संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष 2017-18 के सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर रु0 9368399.00 की सामग्री क्रय होती है। जिसके भुगतान के समय 2.24 प्रतिशत की दर रु0 209852.00 टी0डी0एस0 की कटौती होनी चाहिए जिसमें से 66470.00 की टी0डी0एस0 की कटौती दर्शित है और शेष रु0 143382 की टी0डी0एस कटौती फर्म द्वारा दर्शित नहीं है। फर्म द्वारा रु0 143382.00 की कटौती न करके राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर व पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार पाठक श्री रामआशीष व लेखाकार श्री विजयन्त प्रताप सिंह से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया अपेक्षित है। सम्बन्धित धनराशि ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-218 संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष 2017-18 के सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर रु09368399.00 के सामग्री क्रय होती है। जिसके भुगतान के समय 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 209852.00 की टी0डी0एस0 की कटौती होनी चाहिए जिसमें से रु0 6470.00 की कटौती दर्शित है लेकिन टी0डी0एस0 की जमा की पुष्टि में इश्यु चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। इस धनराशि को राजस्व खाते में न जमा करके राजस्व क्षति पहुंचायी गयी। जिससे धन का दुरुपयोग हो रहा है। इस धनराशि को खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार पाठक, श्री राम आशीष व लेखाकार श्री विजयन्त प्रताप सिंह से सम्बन्धित धनराशि ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-219 आलोच्य वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्यो 4 प्रतिशत व्यापार कर की कटौती से रु0 309588.00 की कटौती पत्रावलियों में दर्शित है। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्ग चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यापार कर मद में की गयी कटौती की जमा की स्थिति अपुष्ट है साथ ही रु0 6862 व्यापार की कटौती क्रय सामग्री पर नहीं की गयी है। व्यापार कर कटौती की धनराशि रु0 309588.00 राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिये विकास खण्ड अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार पाठक श्री रामआशीष व लेखाकार श्री विजयन्त प्रताप सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-220 संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्यो का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र0	कार्य का नाम	क्रय संस्था	धनराशि	चेक नं0/दिनांक	कार्य प्रमाणी
1	नगरा ब्राहमणपुर में कमलेश पाण्डेय के घर तक पेवर्स कार्य	जगदम्ब ट्रेडर्स 53/16-3-18	19075 763/18312	3979/23.3.18	प्रमोद यादव
2	मिटकुना में चन्द्रिका सिंह के ट्यूबेल से मेन पुलिया तक नाली निर्माण मरम्मत कार्य	मां शारदा ट्रेडर्स 52/16.3.18	19075 763/18312	3878/23.3.18	प्रमोद यादव
3	गोठाई झाडो मठ में रैन बसेरा कार्य	मां शारदाट्रेडर्स 54/16.3.18	19075 763/18312	3977/22.3.18	प्रमोद यादव
4	नगरा में कुजडा बरती में नहर तक पक्की नाली ढक्कन सहित निर्माण	मां शारदाट्रेडर्स 50/16.3.18	19075 763/18312	3881/22.3.18	प्रमोद यादव
5	ढेकवारी में सड़क से वीरगना लक्ष्मी वाई उ0म0वि0तक पेवर्स कार्य	जगदम्बा ट्रेडर्स 55/16.3.18	19075 763/18312	3976/22.3.18	प्रमोद यादव
6	ताडी बड़ागांव में तारापट्टी एवं भिअिया मार्ग से पु सिंह के घर तक पेवर्स कार्य	मां शारदाट्रेडर्स 16/17.3.18	19075 763/18312	3979/22.3.18	रमाकान्त राय
7	मलय इरसेनपुर पलव चट्टी से पश्चिम विनय प्रताप सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग	मां शारदाट्रेडर्स 20./17.3.18	19075 763/18312	3980/22.3.18	रमाकान्त राय
8	नगरा तिलकारी मार्ग से महेश पाण्डेय के घर से होकर साहव घोषी के घर तक पेवर्स कार्य	मां शारदाट्रेडर्स 21/17.3.18	19075 763/18312	3969/22.3.18	रमाकान्त राय
9	नगरा के ब्राहमण पूरा में प्रा0 वि0से शेषनाथ पाण्डेय के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	जगदम्बा ट्रेडर्स 51/16.3.18	19075 763/18312	3980/22.3.18	रमाकान्त राय
10	मलय के नगरा तिलौरा मार्ग से श्रवण कुमार के घर तक इंटर लाकिंग कार्य	मां शारदाट्रेडर्स 24/17.3.18	...	3967/22.3.18	रमाकान्त राय

		योग-	190750.00	

संस्था द्वारा उपयुक्त कार्यों पर पर रू0 190750.00 का व्यय दर्शित किया गया है। जबकि उपयुक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है और नहीं लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षा में मस्टर रोल प्रस्तुत किया गया और सभी कार्यों पर समान धनराशि की सामग्री का क्रय किया जाना कार्य की काल्पनिकता को दर्शाता है। इससे स्पष्ट होता है कि रू0 190750.00 का खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार पाठक, श्री राम आशीष व लेखाकार श्री विजयन्त कुमार सिंह द्वारा अपहरण किया गया है उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-221 संस्था द्वारा वर्ष 2017-18 में निर्माण कार्यों पर रू0 147622.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री आनन्द कुमार चौरसिया ग्राम पंचायत अधिकारी को रू0 188440.00 श्री रमाकान्त राम (ग्राम पंचायत अधिकारी) को रू0 719965.00 श्री प्रमोद कुमार यादव (ग्राम पंचायत अधिकारी) को रू0 192415.00 एवं अमर नाथ चौबे (ए0डी0ओ0आई0एस0बी0) को रू0 375400.00 किया गया है। पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में जो मस्टर रोल प्रस्तुत किया गया उस पर मस्टर रोल क्रमांक अंकित नहीं है। कार्य पर मजदूरी का भुगतान स्वयं मजदूरों के खाते में न करके कार्य प्रभारियों द्वारा स्वयं भुगतान प्राप्त किया गया है। इससे स्पष्ट है कि मजदूरों को रू0 147622.00 का भुगतान न करके धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार पाठक, श्री रामआशीष व लेखाकार श्री विजयन्त प्रताप सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

4- क्षेत्र पंचायत- सीयर

प्रस्तर-222 उत्तर प्रदेश एवं अन्य सनिर्माण नियमावली 2009 एवं शासनादेश सं0- 1312३3-2-11-10 जी/ 2011 दिनांक 04-08-2011 के द्वारा कर्मचारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराए जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस आरोपित किया जायेगा। जिसकी वसूली प्रत्येक कार्य की लागत पर भुगतान के समय स्रोत पर किया जायेगा। किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में कराये गये कार्यों पर 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	मद का नाम	निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशि
1	राज्य वित्त	7615378.00
2	विधायक निधि	1991767.00
3	सांसद निधि	17000.00
4	तेरहवां वित्त	76650.00
	योग-	9700795.00

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में व्यय धनराशि रू0 97007.95 पर 1 प्रतिशत लेबर सेसरू0 97007.95 की कटौती न करके अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रसिद्ध नाथ तिवारी एवं लेखाकार श्री हीरालाल उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-223 क्षेत्र पंचायत सीयर की वर्ष 2017-18 राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों हेतु सामग्री क्रय हेतु विभिन्न फर्मों को धनराशि का भुगतान किया गया है किन्तु उपयुक्त कार्य का मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम सं0	कार्य का नाम	फर्म का नाम	धनराशि
1	सरैया महादेव मार्ग से इन्द्रजीत तिवारी के मकान तक इण्टरलाकिंग	मृत्युंजय कुमार, बेल्थरा	69617.00
2	हल्दीरामपुर धरहरा में ब्रह्मस्थान से कोइली मुहान तक नाली निर्माण	रोडडी0एफ0ईट मट्टा	196116.00
3	पशुहारी में श्रीराम यादव यादव के दरवाजे से रामबदन यादव के दरवाजे तक नाली एवं स्लैब निर्माण काय	रोडडी0एफ0ईट मट्टा	185176.00
		योग-	450909.00

इससे स्पष्ट है कि निर्माण कार्यों पर श्रमिकों को भुगतान न करके फर्म को भुगतान करके रू0 450909.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रसिद्ध नाथ पाण्डेय एवं लेखाकार श्री हीरालाल उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-224 राज्य वित्त योजना अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में कार्य सरयां डीहूमगत में तुलसी यादव के घर से पारसयादव के घर तक खडंजा कार्य में मजदूरी हेतु रू0 10500.00 भुगतान कार्य प्रभारी श्री वीरेन्द्र कुमार यादव को किया गया है किन्तु मस्टर रोल पर मजदूरों के नाम एवं हस्ताक्षर अंकित नहीं है। मस्टर रोल पर मजदूरों के नाम एवं हस्ताक्षर/अंगूठा निशान के बिना मजदूरी का भुगतान करके रू0 10500.00 की अनियमितता की गयी है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री वीरेन्द्र कुमार यादव खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रसिद्ध नाथ त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री हीरालाल उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-225 राज्य वित्त योजना अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में कार्य देवराज महाविद्यालय देवराज इण्टर कालेज मौउरहा में इण्टरलाकिंग कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी श्री वीरेन्द्र कुमार यादव को रू0 27610.00 किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में उपलब्ध मस्टर रोल पर मजदूरों के नाम एवं हस्ताक्षर नहीं पाया गया है। इस प्रकार बिना हस्ताक्षर/अंगूठा निशान के मजदूरी का भुगतान करके रू0 27610.00 की अनियमितता की गयी है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री वीरेन्द्र कुमार यादव खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रसिद्ध नाथ त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री हीरालाल उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-226 वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा के समय पाया गया कि उ०प्र० सरकार की अधिसूचना सं०-kani-2-1315/ब-9-10/08-up एक्ट 2008 आदेश (101) 2013 दिनांक 07 अक्टूबर 2013 द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती कर राजकीय कोष में जमा किया जाना चाहिए। वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹ 5844052.00 के व्यय प्रमाणकों पर भुगतान के समय वैट/जी०एस०टी० की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार ₹ 5844052.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल वैट ₹ 233762.00 की कटौती न करके एवं राजकीयकोष में जमा न करके राजकीय राजस्व की हानि की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-227 वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आयकर अधिनियम-1961 की धारा-194 सी के अन्तर्गत शासकीय निर्माण कार्यों में सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा की जाने वाली आपूर्ति सामग्री पर भुगतान से पूर्व 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती किया जाना आवश्यक है किन्तु वर्ष 2017-18 में कुल ₹ 3411132.00 की सामग्री पर 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर ₹ 76409.00 की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार उक्त आयकर की कटौती न करके शासकीय राजस्व की हानि की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रसिद्ध नाथ त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री हीरालाल उत्तरदायी है। सम्बन्धित व्यक्तियों से धनराशि ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-228 दिनांक 31-03-2018 को ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय में ₹ 3109047.00 अवशेष था। जबकि बैंक पासबुक में अवशेष धनराशि ₹ 4890313.75 है। इस प्रकार वर्षान्त में अन्तर ₹ 1781266.75 का रहा। इस अन्तर में ₹ 1163725.00 का कारण चेकों का समायोजन बैंक स्तर पर दिनांक 31-03-2018 तक न हो पाना है। जबकि शेष ₹ 617541.75 का अन्तर का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया तथा अन्तर की धनराशि के सम्बन्ध लेखाकार द्वारा भी कुछ नहीं बताया गया। इससे स्पष्ट है कि ₹ 617541.75 अनुदान रजिस्टर तृतीय में कम अवशेष दर्शाकर गम्भीर अनियमितता बरती गयी है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रसिद्ध नाथ त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री हीरालाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। सम्बन्धित व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

5- क्षेत्र पंचायत रसड़ा

प्रस्तर-229 वर्ष 2017-18 के निर्माण कार्यों हेतु टेण्डर न कराये जाने से टेण्डर प्रपत्रों की बिक्री से हुई आय का कोई लेखा कोषबही में नहीं दर्शित है वर्ष 2017-18 में राज्यवित्त योजना में कुल 14 कार्य तथा विधायक निधि योजना एवं क्रिटिकल गैस योजना से एक-एक कार्य अर्थात् कुल 16 कार्य कराये गये हैं। प्रत्येक कार्य हेतु कम से कम तीन निविदा फार्मों की बिक्री की जानी थी। अर्थात् कुल 48 निविदा फार्मों की बिक्री की जानी थी। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार ₹ 500/- प्रति निविदा फार्म की दर से कुल ₹ 24000.00 की आय का लेखा कोषबही में न कर अपहृत कर लिया गया है। उक्त का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री रामआशीष तथा लेखाकार श्री शमशाद आलम व शिवजी सिंह का रहा। अतः उक्त धनराशि की वसूली बराबर मात्रा में खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-230 वर्ष 2017-18 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तालिका-1 के अनुसार राज्यवित्त योजना में क्रमांक-1 से 9 तक समस्त कार्य सोलर लाइट स्थापना से सम्बन्धित है। प्रत्येक कार्य में 18 सोलर लाइटें लगाये जाने का विवरण है। इस प्रकार कार्यों से कुल 162 नग सोलर लाइटों की स्थापना क्षेत्र पंचायत में की गयी है। दर ₹ 27200.00 प्रति नग से कुल 162 सोलर लाइटों पर ₹ 4406400.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं:-

- 1- निविदा नहीं आमंत्रित की गयी है।
- 2- सोलर लाइट हेतु निर्धारित फर्म नेडा से क्रय न कर मनमाने ढंग से क्रय किया गया है।
- 3- प्रत्येक पत्रावली में सोलर लाइटें लगाने के पूर्व लगते समय तथा लगने के पश्चात् के फोटोग्राफ नहीं हैं।
- 4- सोलर लाइटों की स्थापना पर कुल व्यय ₹ 4406400.00 को 9 खण्डों में विभाजित कर प्रत्येक कार्य को ₹ 489600.00 का बनाया गया है। अर्थात् 5.00 लाख से कम ऐसा जानबूझकर तथा वित्तीय अनियमितता की मंशा से कार्य किया गया है।
- 5- पत्रावली के अवलोकन से किसी कार्ययोजना के अनुमोदन की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है।
- 6- प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के पत्रांक-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के क्रमांक -6 पर यह स्पष्ट निर्देश है कि “क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथावश्यकता क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रख-रखाव पर अवश्य किया जाय। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा” इस प्रकार प्रमुख सचिव महोदय के उक्त निर्देश के क्रम में सोलर लाइट पर दर्शित कुल व्यय ₹ 4406400.00 का दुरुपयोग किया गया है। क्योंकि यह व्यय न तो मरम्मत एवं रख-रखाव पर किया गया है और न ही एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले सृजित परिसम्पत्तियों के नये निर्माण कार्य पर है। उक्त वित्तीय दुरुपयोग का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आशीष तथा लेखाकार श्री शमशाद आलम व शिवजी सिंह का है। उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-231 राज्य वित्त योजना से वर्ष 2017-18 में कराये गये कार्य नागपुर में हरिजन बस्ती में गोपाल के घर से दीना के घर तक इंटरलाकिंग कार्य की पत्रावली की जांच में यह पाया गया कि लेखा परीक्षा समय तक फरवरी 2019 सम्बन्धित पत्रावली में मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है जबकि सम्बन्धित कार्य हेतु कृत सामग्री का भुगतान 21-03-2018 को ही किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है। कि सामग्री क्रय कर दर्शित कुल व्यय ₹ 335768.00 का अपहरण किया गया है। उक्त का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आशीष तथा लेखाकार श्री शमशाद आलम व शिवजी सिंह एवं कार्य प्रभारी तथा जे०ई० आर०ई०एस० का रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-232 राज्य वित्त योजना से कराये गये कार्य “ग्राम अमहरपट्टी उत्तर में लल्लन सिंह के घर से ठाकुर जी मां भवानी के स्थान तक इंटरलाकिंग पेवर्स ब्लाक निर्माण” की पत्रावली में मस्टर रोल ₹ 48900.00 का लगा है परन्तु भुगतान श्री आनन्द चौरसिया को ₹ 48920.00 किया गया है। अर्थात् मस्टर दरोल से ₹ 20.00 अधिक भुगतान किया गया है अस्तु ₹ 20.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से की जानी अपेक्षित है। उक्त अधिक भुगतान का दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आशीष तथा लेखाकार श्री शमशाद आलम व शिवजी सिंह का रहा।

प्रस्तर-233 दिनांक 08-01-2018 को चेक सं० 384856 से ₹ 25000.00 का भुगतान श्री शमशाद आलम कैशियर को दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय मेला हेतु किया गया है। व्यय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। बिना प्रमाणक के भुगतान दशरकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आशीष तथा लेखाकार श्री शमशाद आलम पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-234 दिनांक 20-02-2018 को ₹ 67595.00 एवं 23-03-2018 को ₹ 52405.00 का भुगतान श्री कमला प्रसाद ए०डी०ओ० (कृषि) को प्रधानमंत्री मांडल आवास निर्माण हेतु किया गया है। प्रथम भुगतान से सामग्री क्रय की गयी है। तथा द्वितीय भुगतान से मजदूरी भुगतान किया गया है। सामग्री क्रय का भुगतान फर्म को न कर कार्य प्रभारी को करके धन का अपहरण किया गया है। अतः ₹ 67595.00 वसूली योग्य है। जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आशीष तथा लेखाकार श्री शमशाद आलम व शिवजी सिंह एवं सहायक विकास अधिकारी श्री रमाकान्त राम (कृषि) का रहा। यहां यह भी उल्लेखनीय है। कि सामग्री क्रय से सम्बन्धित कोई कोटेशन/निविदा इत्यादि नहीं ली गयी है। बल्कि मनमाने ढंग से खरीद की गयी है। और न ही सामग्री क्रय पर आयकर/जी०एस०टी० की कटौती की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

6- क्षेत्र पंचायत- हनुमानगंज

प्रस्तर- 235 वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में कुल 150 सोलर लाइट क्रय हेतु टेण्डर दिनांक 03-06-2017 को दकनिक राष्ट्रीय सहारा में निकाला गया है जबकि उ0प्र0क्षे0पं0 तथा जि0पं0 निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 के अनुसार टेण्डर एक या अधिक स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए। ऐसी निविदा अल्पकालीन न होकर दीर्घ कालीन होना चाहिए। जबकि यह एक अल्पकालिक टेण्डर पाया गया है। जो दिनांक 05-06-2017 से 07-06-2017 तक खुली रहेगी तथा दिनांक 09-06-2017 को खोली जाएगी। परन्तु पत्रावली के अनुसार कोई भी टेण्डर व कोटेशन नहीं लिया गया है। श0सं0 ए-1-864 (1) दस-2008-15(1)86 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रू0 20000.00 तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किये क्रय की जा सकेगी और निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रू0 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री के टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। परन्तु ऐसा न करके शासनादेश का उल्लंघन किया गया है जो एक गंभीर अनियमितता है। पुनः नेडा जो उ0प्र0 सरकार का एक उपक्रम है वहीं सौर उर्जा/सोलर लाइट की आपूर्ति करने हेतु मात्र नामित सरकारी संस्था है जिससे सोलर लाइट क्रय करना बाध्यता होगी क्योंकि वह संयंत्र 5 साल के गारंटी के साथ आपूर्ति करता है। श0सं0 33/2017/977/45- वि0 अति0उ0सा0वि0 2017 दि0 29-08-2017 तथा सं0 158/43- वि0उ0 स्रोत वि0/2015 दिनांक 16-11-2015 के अवलोकन में अन्य फर्म से क्रय अनियमितता होगी। फिर भी ओम साई अक्षय उर्जा शाप गरवार को आपूर्ति हेतु आदेश दिया गया है। इस कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति नहीं लेकर श0सं0 1838/33-03-2015-03-2015 पंचायती राज अनुभाग 73 दिनांक 31-07-2015 का घोर उल्लंघन किया गया है। जिसके अनुसार रू05000001.00 से ऊपर की कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यहां जे0 ई0 वीरेन्द्र कुशवाहा द्वारा मूल्यांकन किया गया है जो गलत है पुनः कार्य प्रभारी की नियुक्ति भी नहीं हुई है।

अतः सम्पूर्ण कार्य नियमों/अधिनियमों का उल्लंघन करके किया गया है।

वर्ष 2017-18 में नेडा द्वारा सोलर सोलर लाइट की कीमत रू0 22140+ 860 लगाने का चार्ज कुल रू0 23000.00 रहा।

1- दिनांक 24-06-2017 को रू0 1225000.00 दर 24500 प्रति

2- दिनांक 24-07-2017 को 1225000जी0एस0टी0 5 प्रतिशत की दर से रू0 61250=रू0 1286250.00

3- दिनांक 03-10-2017 को 1225000 जी0एस0टी0 61250=1286250कुल रू0 =3797500.00 का भुगतान दर्शित है। जो नेडा द्वारा घोषित मूल्य रू0 23000.00 से ज्यादा है। अतः रू0 225000.00 ज्यादा भुगतान जी0एस0टी0 छोड़ कर किया गया है।

क्रमांक-1 के वय्य प्रमाणक जिस पर प्रोफार्मा लिखा है कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं है नियमतः कार्य प्रभारी के आदेश पर सामग्री की आपूर्ति होती है इस मूल्य पर आयकर 2 प्रतिशत की दर से तथा व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से नहीं काटकर शासन को हानि पहुंचाई गयी है। अतः आयकर 2 प्रतिशत की दर से रू0 24500.00 तथा व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से रू0 49000 काटा जाना अपेक्षित रहा। अतः कुल 73500.00 की वसूली तत्कालीन ख0वि0अधि0/लेखाकार से कर सम्बद्ध लेखा शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

क्रम सं0-2 के प्रमाणक वय्य दि0 24-07-2017 में रू0 1225000.00 पर जी0एस0टी0 5 प्रतिशत की दर से जोड़ा गया है जबकि बिल पर टिन सं0 0985605526 दर्शित है। अतः टिन नं0 वाले प्रमाणक पर जी0एस0टी0 5 प्रतिशत कैसे जोड़ा गया है उक्त तिथि में सोलर लाइट पर जी0एस0टी0 5 प्रतिशत नहीं था यह एक फर्जी प्रमाणक है क्योंकि टिन नं0 के प्रमाणक पर जी0एस0टी0 कैसे लिया जा सकता है स्पष्ट है कि मिली भगत करके धन को खपा दिया गया है। जी0एस0टी0 बिल/इनवाइस आनलाईन निकलती है, परन्तु हस्त लिखित प्रमाणक ले0प0 में दिया गया है जो मान्य नहीं है। स्पष्टतः धन के भुगतान के बाद प्रमाणक बनाया गया है।

क्रम सं0-3 में वय्य प्रमाणक दि0 03-10-2017 का है जिस पर रू0 1286250.00 का भुगतान 50 सालर लाइट हेतु है। प्रमाणक पर जी0एस0टी0 नं0 अंकित है यहां भी कार्यप्रभारी/जे0ई0 द्वारा वय्य प्रमाणक पर हस्ताक्षर नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट है कि सामग्री की आपूर्ति का आदेश कार्य प्रभारी द्वारा नहीं दिया गया।

अतः सम्पूर्ण कार्य के निष्पादन में घोर अनियमितता स्पष्टतः दर्शित है। रू0 3797500.00 का भुगतान फर्म ओम साई अक्षय उर्जा शाप गडवार को किया गया। परन्तु वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति सम्बन्धित पत्रावली ले0 पं0 में प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः कार्य का वर्क आई0डी0 नं0 भी नहीं पाया गया। अतः खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/जे0ई0/ब्लॉक प्रमुख द्वारा मिली भगत करके सरकार को हानि पहुंचाई गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

इन कार्यों पर जी0एस0टी0122500.00 जोड़ा गया है। क्या उक्त फर्म द्वारा यह धनराशि जी0एस0टी0 लेखा शीर्ष में जमा किया गया या नहीं इसकी जानकारी नहीं मिल पायी। फर्म के जी0एस0टी0 नं0 09डीजेकेवाईपीएस3965व्यूआईजेडके को देखने पर पता चलता है वर्ष 2017-18 में उन्होंने सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च 2018 में रिटर्न फाईल किया है, जबकि मई 2019 में जी0एस0टी0 विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

विभागीय जांच किया जाना आवश्यक है तभी पता चल पायेगा कि उक्त फर्म द्वारा जी0एस0टी0 जमा किया गया अथवा नहीं। उ0प्र0 क्षे0 पं0 तथा जि0पं0 निर्माण कार्य नियमावली 1994 के नियम 18 में स्पष्ट है कि ठीकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं का एक रजिस्टर बनाया जाना चाहिए जिसमें उन्ही कर्मों को सामग्री आपूर्ति आदेश दिया जाएगा जिन्होंने अपनी टैक्स सम्बन्धी अर्हताओं को पूरा किया हो। स्पष्ट है में ओम साई अक्षय उर्जा शाप गडवार के टिन नं0-09185605526 की जांच में पाया गया है कि उन्होंने बिक्री कर तथा इन्टी टैक्स की चोरी की है। अतः ख0वि0अधि0 लेखाकार आपूर्तिकर्ता एवं प्रमुख के मिली भगत से ही सामग्री आपूर्ति का आदेश निर्गत हुआ। इस प्रकार उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि कुल वय्य रू0 3797500.00 के भुगतान में गंभीर अनियमितता सहित शसकीय निर्देशों का घोर उल्लंघन किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-236 वर्ष 2017-18 में वि0सं0 हनुमानगंज परिसर में स्थित डवाकरा हाल में टाइल्स लगाने एवं रंगाई पुताई का कार्य की लागत रू0 4.24 लाख है। इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति पत्रांक-312/2016-17/EE/07-12-2016 से दिया गया परन्तु वित्तीय स्वीकृति/प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्र नहीं पाया जो श0सं0 1838/33-3-2015-03/2015 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 31-07-2015 का उल्लंघन है पुनः अस कार्य के लिए सामग्री आपूर्ति हेतु टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित नहीं करके श0सं0-ए-1-864 (1) दस-2008-15 (1) 86 दिनांक 23-09-2008 वित्त (लेखा) अनुभाग-1 का उल्लंघन किया गया जिसके अनुसार रू0 20000.00 तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किये क्रय की जा सकेगी और निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रू0 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री के टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य हों जिससे सम्पूर्ण भुगतान में गंभीर अनियमितता बरती गयी। कार्या0 आदेश सं0 881/रा0वि0/कार्य प्र0/2016-17 दिनांक 25-12-2016 के अनुसार धर्मेन्द्र यादव को कार्य प्रभारी बनाया गया। इस कार्य में सामग्री मे0 सुनील इण्टर प्राइजेज मोहन के मठिया चेरुइयां टिन नं0 09385602305 तथा मे0 चौधरी इटरप्राइजेज, जापलिनगंज बलिया टिन नं0 09685605467 द्वारा आपूर्ति की गयी। दोनों फर्मों में टिन नं0 के अध्ययन से स्पष्ट है कि दोनों फार्मों का रजिस्ट्रेशन वाणिज्य विभाग द्वारा क्रमांक दिनांक 25-01-2015 तथा 22-01-2017 को निरस्त किया जा चुका है क्योंकि सम्बन्ध फर्मों का पैन नं0 निर्गत नहीं था इसके अतिरिक्त इन फार्मों ने बिक्री कर तथा इन्टी कर भी नहीं दिया है। अतः स्पष्ट है कि ख0वि0अधि0 तथा लेखाकार द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु इन फार्मों का चुनाव जानबूझ कर तथा मिली भगत करके सम्पूर्ण का अपहरण कर लिया गया है। इस कार्य में जे0ई0 (आर0इ0एस0) द्वारा आख्या भी नहीं दी गयी बस इसी तरह भुगतान कर दिया गया। मस्टर रोल में कार्य का नाम भी दर्शित नहीं है जिससे यह साबित ही नहीं होता कि यह किस कार्य हेतु निर्गत है। पुनः मस्टर रोल पर वि0ख0 द्वारा नम्बर निर्गत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि मस्टर रोल वि0ख0 द्वारा निर्गत है। अतः ख0वि0 अधि0/जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ब्लॉक प्रमुख द्वारा मिली भगत कर सम्पूर्ण धनराशि रू0 391830.00 का अपहरण कर लिया गया है। ब्याज सहित वसूली तथा विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-237 वर्ष 2017-18 में विकास खण्ड परिसर में स्थित ए0डी0ओ0 आईप द्वितीय के चार आवासों का मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य में रू0 3.60 लाख वय्य आलोच्य वर्ष में हुआ है परन्तु वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में नहीं पाया गया जो श0सं0-1838/33-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 का उल्लंघन है। अतः सम्पूर्ण वय्य में अनियमितता बरती गई है। इस कार्य हेतु सामग्री के क्रय के लिए टेण्डर आमंत्रित नहीं कर उ0प्र0 क्षे0पं0 तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1994 के नियम 19 तथा पत्रांक सं0-ए-1-(1)-/2008-15 (1)/86 दिनांक 23-09-2008 का उल्लंघन किया गया है जिसके अनुसार रू0 20000.00 से 1 लाख तक सामग्री क्रय हेतु कोटेशन तथा 1 लाख से अधिक हेतु टेण्डर आमंत्रित किया जाना अनिवार्य है। ऐसा न करके गंभीर अनियमितता की गई है। यहां सामग्री आपूर्ति हेतु मे0 सुनील इण्टर प्राइजेज, चेरुइयां को नामित किया गया है जिनका टिन नं0 09385602305 है जिसके अध्ययन से स्पष्ट है कि वाणिज्य विभाग उ0प्र0 द्वारा

फर्म का रजिस्ट्रेशन दिनांक 25-01-2015 को निरस्त कर दिया गया है क्योंकि प्रोपराइटर का पैन नं० अंकित नहीं था तथा फर्म ने विक्री कर तथा प्रवेश कर नहीं जमा किया था। अतः सामग्री की आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत करने से पहले वाणिज्य विभाग द्वारा निर्गत रूप पत्र -15 की जांच की जानी चाहिए जिससे फर्म के टैक्स दायित्वों की जांच किया जा सके परन्तु फर्म के मिली भगत से तथा कच्चे बिल देकर सरकारी धन की अनियमितता की गई। कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा रु० 71500.00 मजदूरी का मस्टर रोल दिया गया परन्तु मस्टर रोल वि०ख० से निर्गत नहीं है। क्योंकि विकास ख० द्वारा कोई नम्बर नहीं डाला गया है। उ०प्र० क्षे० पं० तथा जि०पं० निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 49 के अनुसार मजदूर को मजदूरी का प्रमाण पत्र कार्य प्रभारी द्वारा निर्गत किया जायेगा परन्तु ऐसा कुछ भी ले०पं० में प्रस्तुत नहीं कर अनियमितता की गई। अतः कुल रु० 348462.00 के व्यय/भुगतान में उपरिखित गंभीर अनियमितता पायी गयी जिसके लिए ख०वि० अधिकारी लेखाकार कार्यप्रभारी ब्लाक प्रमुख जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-238 वर्ष 2017-18 में वि०ख० परिसर में टाईप चतुर्थ आवास का मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कार्य का लागत रु०2.51 लाख है परन्तु इस कार्य का भी वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति नहीं लिया गया जो एक गंभीर अनियमितता है। (ऊपर दर्शित) इस कार्य में सामग्री आपूर्ति करने के लिए टेण्डर भी नहीं मंगाया गया। धर्मेन्द्र यादव को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है तथा श्री वीरेन्द्र कुशवाहा जे०ई० है। यहां भी सामग्री की आपूर्ति मे० सुनील इण्टर प्राइजेज चेरुइयां द्वारा की गयी जिनका टिन नं० दिनांक 25-01-2015 को निरस्त किया गया है। ख०वि० अधिकारी तथा लेखाकार द्वारा जानबुझ मिली भगत करके इस फर्म को सामग्री आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है। सामग्री आपूर्ति का आदेश कही नहीं पाया गया, न ही सामग्री आपूर्ति के पश्चात् जे०ई० द्वारा आख्या ही दी गई। दिनांक 27-07-2017 को व्यय प्रमाणक (क्रम सं०57) द्वारा रु० 84796.00 का बिल दिया गया परन्तु वहां कहीं भी कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। अतः उस कच्चे बिल के भुगतान में गंभीर अनियमितता पायी। मस्टर रोल के अनुसार कार्य दिनांक 18-02-2017 से 12-03-2017 तक किया गया जिस पर रु० 123800.00 का चेक धर्मेन्द्र यादव कार्य प्रभारी को दिया गया। मस्टर रोल पर नम्बर नहीं दिया गया जिससे यह प्रमाणित नहीं होता कि मस्टर रोल वि०ख० द्वारा निर्गत है। उ०प्र० क्षेत्रपं० तथा जि०पं० निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 49 के अनुसार मजदूरों को भुगतान के सम्बन्ध में हस्ताक्षर लिया जायेगा और निर्माण कार्य के प्रभारी द्वारा भुगतान का प्रमाण दिया जायेगा परन्तु ऐसा कोई प्रमाण पत्र निर्गत नहीं पाया गया। अतः कार्य के सम्पूर्ण भुगतान रु० 208596.00 में गंभीर अनियमितता बरती गई है। ख० वि०अधि० लेखाकार जे०ई० कार्य प्रभारी समी जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

गत वर्ष में इस कार्य पर रु० 65046.00 दिनांक 28-12-2016 को भुगतान दर्शित है। अतः कुल रु० 273642.00 इस कार्य पर व्यय हुआ है जो स्टीमेट रु० 2.51 लाख से अधिक है।

प्रस्तर-239 वर्ष 2017-18 विकास खण्ड परिसर में बिजली मरम्मत एवं एल०ई०डी० बल्ब लगाने की लागत रु० 109200.00 परन्तु इस कार्य हेतु टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित न कर श०सं०ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 का तथा उ०प्र० क्षे०च० तथा जि०पं० निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 का उल्लंघन कर मे० लक्ष्मी ऐडव्हाइजंस, पीपरपाटी को सामग्री आपूर्ति करने की जिम्मेदारी दी गई। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर गंभीर अनियमितता की गई है। यहां कार्य प्रभारी भी नियुक्त नहीं किया गया। यहां शासनादेश सं० 35/2015/656/45-वि० (अति०ऊ०सं०वि०) 2015 दिनांक 02-07-2015 द्वारा उ०प्र० नेडा को उर्जा संरक्षण के उपाय लागू करने के साथ खराब बल्ब को एल०ई०डी० से बदलने की जिम्मेदारी दी गई। अतः एल०ई०डी० बल्ब नेडा से न क्रय करके शा०देश का उल्लंघन किया गया। फर्म के टिन नं० 09685604114 की जांच से पाया गया कि फर्म विक्री कर तथा प्रवेश कर नहीं देती परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि भारत में 1 जुलाई 2017 से जी०एस०टी० लागू होने के बाद भी न टिन नं० का बिल दिया गया तथा उसी पर पेमेंट दिया गया। कोई आयकर तथा जी०एस०टी० नहीं काटकर पुनः अनियमितता की गई है। ख०वि०अधि० तथा लेखाकार जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-240 वर्ष 2017-18 में ख०वि०अधि० के आवास में वेड, कुर्सी मेज आदि के क्रय का लागत रु० 88250.00 है। इस कार्य का वर्क आईडी०, कोटेशन सम्बन्ध पत्रावली इत्यादि प्राप्त नहीं रहा अतः श०सं०ए-1-864/दस-08-15 (1)/86 दिनांक 23-09-2008 का उल्लंघन किया गया (जिसके अनुसार रु० 20000.00 से 1 लाख तक सामग्री क्रय हेतु कोटेशन मंगाया जाना चाहिए) तथा रवि इण्टर प्राइजेज पटखौली की सामग्री आपूर्ति हेतु नामित किया गया। दिनांक 28-08-2017 को रु० 88250.00 का भुगतान दर्शित है परन्तु उक्त पर जी०एस०टी०/आयकर नहीं काटा गया है। उ०प्र० तथा जि०पं० का नियमावली 1984 के नियम 45 (2) में आरक्षित स्टोर के अनुरक्षण/स्टाक रजि० में क्रय सामग्री को लिखा जाना अपेक्षित स्टोर के अनुरक्षण/स्टाक रजि० प्रस्तुत न करने के कारण क्रय/सामग्री की पुष्टि न हो पायी। पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/ब्लाक प्रमुख जिम्मेदार है। बैंक स्टेटमेंट है आर० गुप्ता ने इस चेक का भुगतान प्राप्त किया है जबकि चेक मेव रवि इण्टर प्राइजेज के नाम से निर्गत है। बी०डी०ओ० के आवास हेतु क्रय फर्नीचर/डेड स्टॉक पंजी में स्टॉक दर्ज न करके तथा स्टॉक पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। क्रय प्रमाणकों पर डेड स्टॉक में आमद दर्ज करने की प्रवृत्ति भी अंकित नहीं है। क्रय स्टॉक को डेड स्टॉक पंजी में दर्ज न करके क्रय मूल्य रु० 88250.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए बी०डी०ओ० एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-241 वर्ष 2017/18 अंजोरपुर में मौनी बाबा के मठिया तक पेवर्स प बाउण्ड्री निर्माण कार्य का लागत रु० 3.54 लाख है। यहां कोई वित्तीय प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख नहीं पाया गया जिससे शा०दे०सं० 1838/33-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 का उल्लंघन किया है जिसके अनुसार वित्तीय स्वीकृति जि०पं०रा० अधि० द्वारा तथा तकनीकी स्वीकृति जिला पंचायत के जे०ई० (आर ई एस) द्वारा दिया जायेगा। पुनः इस कार्य के सामग्री क्रय हेतु टेण्डर कोटेशन न देकर शा०सं० ए-1-864/दस-08-15 (1)/86 दिनांक 23-09-2008 का उल्लंघन किया गया है, जिसके अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री क्रय रु० 1 लाख से अधिक के लिए टेण्डर अनिवार्य है तथा उ० प्र० क्षे० पं० तथा जि०पं० निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 (टेण्डर सम्बन्धित) का उल्लंघन कर गंभीर अनियमितता बरती गई है। इस कार्य में सामग्री आपूर्ति की जिम्मेदारी मे० चौधरी इटर प्राइजेज जापलिनगंज बलिया को दिया गया जिनका टिन नं० -09685605467 है इसके जांच से पता चला कि उ०प्र० वाणिज्य विभाग द्वारा फर्म का रजिस्ट्रेशन दिनांक 22-01-2017 को निरस्त कर दिया गया है इसके बावजूद ख०वि०अधि० तथा लेखाकार द्वारा फर्म को सामग्री की आपूर्ति आदेश देने के क्रम में गंभीर अनियमितता पद का दुरुपयोग किया गया जिसके लिए बी०डी०ओ० एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। कार्यालय के आदेश सं० 687/सा०नि०/का०प्र०/2017-18/दिनांक 22-09-2017 के अनुसार धर्मेन्द्र यादव को कार्य प्रभारी है तथा वीरेन्द्र कुशवाहा जे०ई० द्वारा उ० किया गया है। उसी दिन सामग्री आपूर्ति हेतु मे० चौधरी इण्टर प्राइजेज जापलिनगंज (पत्रांक 687/सा०आ०/2017/18/22-09-2017) को सामग्री आपूर्ति का आदेश भी दे दिया गया है। क्योंकि कोई टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया है। आपूर्ति आदेश में सामग्री की मात्रा नहीं लिखा है। दिनांक 05-10-2017 को चौधरी इण्टर प्राइजेज द्वारा सामग्री आपूर्ति के पश्चात् बिल रु० 308170.00 लेटर पेड पर दिया गया है जिस पर रु० 289681.00 का भुगतान दर्शित है इसे व्यय प्रमाणक कदापि नहीं माना जा सकता जबकि लेटर पेड पर बी०डी०ओ० कार्य प्रभारी तथा जे०ई० के हस्ताक्षर मौजूद है। पत्रावली में मस्टर रोल लगा ही नहीं है जबकि रु० 35000.00 का मस्टर रोल मजदूरी हेतु धर्मेन्द्र यादव के नाम से निर्गत है। अतः प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण है अतः इस कार्य में संलग्न सम्पूर्ण व्यय रु० 324681.00 का अपहरण तथा कच्चा बिल प्रस्तुत कर लिया गया। खण्ड वि०अधि०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/जे०ई० तथा ब्लाक प्रमुख जिम्मेदार है। सम्बन्धित व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-242 विकास खण्ड कार्यालय तागी प्रमुख के कक्ष के लिए रिक्लिमिंग कुर्सी व आलमारी का क्रय दर्शित है तथा बिल रु० 85500.00 रविन्द्र गुप्ता इण्टर प्राइजेज जीरावस्ती के नाम निर्गत है जबकि सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेशन नहीं मंगाया गया। अतः शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-2008-15 (1)/86 दिनांक 23-09-2008 का उल्लंघन कर सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया गया पुनः उ०प्र० क्षेत्रपं० तथा जि०पं० निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 45(2) में आरक्षित स्टोर के अनुरक्षण/स्टार के अनुरक्षण/स्टाक रजि० में क्रय सामग्री को लिखा जाना अनिवार्य बनाया गया है परन्तु ले०पं०में स्टॉक रजि० प्रस्तुत नहीं किया गया। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार चेक का नगद भुगतान ए०श० कुमार द्वारा प्राप्त किया गया है जबकि चेक ते० रविन्द्र गुप्ता इण्टर प्राइजेज को निर्गत किया जाना चाहिए था किन्तु अवास्तविक रूप से क्रय एजेन्सी को भुगतान न करके दूसरे एजेन्सी को भुगतान कर धन का अपहरण किया गया। अतः ख०वि०अधि० तथा लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-243 वर्ष 2017-18 में आमदारी में नई बस्ती में मुख्य नहर पिच रोड से आवास अली के घर तक सी0सी0रोड निर्माण कायो में रू0 733421.00 सामग्री पर तथा रू0 214000.00 मजदूरी पी कुल रू0 947421.00 का व्यय दर्शित है। इस कार्य के लिए टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया है। इसके साथ ही वित्तीय ताली तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। इस हेतु मेसर्स घनश्याम सिंह ठेकेदार धम्मनपुरा को सामग्री आपूर्ति हेतु नामित किया गया परन्तु इनके टिन नं0 09685601050 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वाणिज्य विभाग उ0प्र0 द्वारा दिनांक 16-11-2016 को ही इनका रजि0 निरस्त कर दिया गया है। इसके बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी हनुमानगंज द्वारा उक्त फर्म को आपूर्ति आदेश निर्गत करना साबित करता है कि मिलीभगत कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मजदूरी पर दर्शित व्यय रू0 214000.00 के सापेक्ष प्रस्तुत मस्टर रोल पर निर्माण कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र यादव ग्रा0वि0अधि0 द्वारा भुगतान का प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया है जो कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत कार्य नियमावली 1984 के नियम -49 के विपरीत रहा।

इसके अलावा उ0प्र0क्षे0पं0 निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 व 41(2) के आलोक में वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में निर्माण कार्य अपुष्टित रहा।

अतः जिम्मेदार व्यक्तियों यथा-खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव, लेखाकार- श्री मनोज कुमार, कार्य प्रभारी-श्री धर्मेन्द्र यादव तथा तत्कालीन अवर अभियन्ता से सम्पूर्ण दर्शित व्यय रू0 947421.00 की वसूली नियमानुसार की जानी चाहिए। इसके अलावा दिनांक 23-11-2017 को रू0 220298.00 चेक सं0 497959 मे0 घनश्याम सिंह के नाम से निर्गत किया गया परन्तु मनोज कुमार द्वारा बैंक से भुगतान प्राप्त किया गया है जो अपहरण है। सम्बंधित व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-244 आमदारी में ननदलाल गुपता के घर से सुखन वर्मा के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पर आलोच्य वर्ष दौरान कुल रू0 310386.00 व्यय/भुगतान दर्शित है। कार्य पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस कार्य हेतु नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया का पालन न करते हुए मेसर्स विरेन्द्र यादव कान्द्रेक्टर, सिकन्दरपुर को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु आदेशित किया गया है। जबकि वाणिज्य विभाग उ0प्र0 द्वारा उक्त फर्म का रजिस्ट्रेशन नं0 09285701730 दिनांक 25-11-2013 को ही निरस्त किया जा चुका है। इस कार्य से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र यादव, गा0वि0अधि0 को रू0 120200.00 का भुगतान मजदूरी हेतु दर्शित है। जबकि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर श्रमिकों के भुगतान को कार्य प्रभारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।

उपरोक्त कारणों के आधार पर कृत कार्य व उस पर दर्शित आलोच्य वर्ष का व्यय रू0 310386.00 अनियमित रहा। इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार यादव लेखाकार मनोज कुमार व कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र यादव ग्रा0वि0अधि0 जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

इसके साथ ही ग्राण्ट रजि0-द्वितीय के अनुसार दिनांक 20-07-2017 को चेक सं0 112321 द्वारा उक्त फर्म को रू0 190186.00 का भुगतान दर्शित है। जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान की धनराशि वास्तव में मात्र रू0 90186.00 रहा। अतः कृत कार्य पर वास्तविक व दर्शित व्यय में अंतर के प्रति स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

7- क्षेत्र पंचायत-सोहांव

प्रस्तर-245 लेबर शेष का प्रवाधान कटौती न किया जाना- उत्तर प्रदेश भवन और सन्निमण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली 2009 शासनादेश संख्या 1412/36-7-2009 एस0एम0 95 लखनऊ दिनांक 20 नवम्बर के प्रयोजनार्थ सरकारी/अभिकरणों/निजी संस्थानों द्वारा नवम्बर 2009 से होने वाले निर्माण कार्यों के कुल लागत पर 01 प्रतिशत की दर लेबर शेष के रूप में उपकर प्रावधानित कटौती किये जाने के निर्देश है प्रावधानिक कटौती करे मुख्य लेखा शीर्ष 0230 ग्राम तथा रोजगार 800 व अन्य प्राप्तियां एवं 10 उ0प्र0 भवन और सन्निमण कर्मकार नियमावली 2009 के अन्तर्गत जमा कराये जाने का निर्देश है।

क्षेत्र पंचायत सोहांव जनपद बलिया के कार्यालय के लेखा-अभिलेखों की नमुना समीक्षा में पाया गया कि शासनादेश जारी होने के तिथि से आलोच्य अवधि तक लेबर शेष का प्रावधान निर्माण कार्य के बिलों से कटौती नहीं की गयी।

निर्माण कार्यों पर व्यय का विवरण वर्ष 2011 -12 से 2017-18 तक

अवधि	राज्यवित्त	12/13/14वां वित्त	विधायक निधि	सांसदनिधि	मनरेगा
2011.12	2057267	416733	2245358	665149	12862103
2012.13	2095953	2225622	1181847	196160	2001648
2013.14	3866240	2012561	3679603	985771	2169648
2014.15	6866222	2780894	201754	569113	3173346
2015.16	3534687	2127323	2207680	119537	9317168
2016.17	3640102	963943	5734125	749790	5028907
2017.18	4391789	246253	3550515	333405	1723855

योग- रू0-37225589 22419807 36276675 कुल योग-रू0 95922071

उपरोक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा अवधि में राज्य वित्त-12/13/14 वां वित्त विधायक निधि/सांसद निधि तथा मनरेगा से कुल धनराशि 95922071.00 निर्माण कार्यों पर व्यय की गई। इसमें राज्य वित्त/12/13/14 वां वित्त से 25 प्रतिशत कम दिया कर दिया जाय 37225589 25/100रू 9306397 तो भी कुल रू0 86615674 से कराये गये निर्माण पर 01 प्रतिशत से रू0 866156 लेबर सेस प्रावधान बिलों से कटौती करके राजकोष के सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा नहीं कराया गया। लेखा परीक्षा में लेबर सेस जमा करने का कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेबर सेस की धनराशि 866156 की कटौती न करके अनियमितता वरती गयी है सभी तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी तथा लेखाकार जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-246 वर्ष 2017-18 विधायक निधि/सांसद निधि-

कैथवली में फिरोजपुर सड़क से राधेश्याम शर्मा के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण में निम्नलिखित आपत्तियां हैं:-

1- टेण्डर आमंत्रित न करके शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15 1 86 दिनांक 23-9-2008 तथा जिला पंचायत ए-1-864/दस-08-15 1 86 दिनांक 23-9-2008 तथा जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 का उल्लंघन मे0 प्रीति चौबे कान्द्रेक्टर, में वल्सल कन्सट्रक्शन तथा मां कामाख्या कन्सट्रक्शन द्वारा तुलनात्मक चार्ट

में नाम दर्शित है जो नियम 195 का उल्लंघन है।

2- दिनांक प्रमाणक में नहीं लिखा मे0 प्रीति चौबे कन्सट्रक्शन को रू0 169881.00 का चेक निर्गत, कार्यप्रभारी का प्रमाण पर हस्ताक्षर नहीं वित्तीय स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं ली गई।

3- क्रम संख्या 188 बिल का।

4- प्रथम मस्टर रोल दिनांक 1-12-2016 से 13-12-2016 रू0 35022.00 का भुगतान

5- द्वितीय मस्टर रोल पर तिथि नहीं लिखा रू0 106380.00 का भुगतान

6- कार्य से सम्बन्धित फोटो है परन्तु साइन बोर्ड दर्शित नहीं है।

अतः विना टेण्डर/कोटेशन प्रमाणक पर दिनांक नहीं मस्टर रोल पर तिथि अंकित नहीं इस प्रकार कार्य में गंभीर अनियमितता दर्शित हो रहा है रू0 276261.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा वरुण राय कार्य प्रभारी लेखाकार अश्विनी उपाध्याय जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-247 सुजायत वगही जु0 हाई स्कूल से रैन बसेरा तक इंटर लाकिंग पे0 ब्लॉक निर्माण कार्य में रू0 53600.00 का चेक कान्स्ट्रक्शन को दिया गया कोई /नहीं मस्टर रोल रू0 24840.00 का है परन्तु न तो मजदूरों का नाम कार्य विवरण न ही मजदूरों का हस्ताक्षर/मोहर ही पाया गया। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य पर रू0 78440.00 का भुगतान कर धन का अपहरण कर लिया गया है। सामग्री के प्रमाणक में कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं अतः रू0 78440.00 का अपहरण कर लिया गया। प्रमाणक पर क्रम संख्या 179/लिखा है जबकि दिनांक 12-05-2017 को डेबिट हुआ है। चेक संख्या 7057 से क्रमशः कार्य संख्या 2,3,4 का पेमेन्ट रू0 261897.00 एक ही चेक से किया गया है। जो आपत्तिजनक है तथा अमान्य है। खण्ड विकास अधिकारी/कार्य प्रभारी/लेखाकार जिम्मेदार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-248 पिपरा में विजय सिंह के घर से प्रा0विद्यालय तक इंटर लाकिंग पे0 ब्लॉक निर्माण कार्य में टेण्डर/कोटेशन नहीं सामग्री आपूर्ति हेतु मे0 प्रीति चौबे कन्स्ट्रक्शन को चयनित किया गया। प्रमाणक पर क्रम संख्या 180/दिनांक 10-2-2016 रू0 163935.00 दिनांक 12-5-2017 को डेबिट हुआ है दर्शित परन्तु कार्य प्रभारी तथा जे0ई0 का हस्ताक्षर नहीं जे0ई0 द्वारा कोई आख्या नहीं पुनः मस्टर रोल पर मजदूरों का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान नहीं अतः 63690.00 का अपहरण कुल रू0 227625 का अपहरण कर लिया गया खण्ड विकास अधिकारी/कार्य प्रभारी मनोज कुमार लेखाकार तथा जे0ई0 जिम्मेदार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-249 कोठिया सिन्दूरीया में शिवमर के दरवाजे से सूरज ब्रह्मा बाबा के स्थान तक पे0 ब्लॉक कार्य की तकनीकी स्वीकृति पत्रांक 13/23-5-2015 को ली गयी। इस कार्य का लागत 10.31 लाख है जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय अनुमोदन नहीं दी गयी है। टेण्डर/कोटेशन नहीं हुआ, तुलनात्मक चार्ट में मां कामाख्या कन्स्ट्रक्शन मे0 बत्सल कन्स्ट्रक्शन तथा मे0 प्रीति चौबे को सामग्री आपूर्ति हेतु चयनित किया गया। बिल संख्या 182/दिनांक 5-9-2015 को रू0 322811 का पेमेंट दो चेक क्रमशः 7058/12-5-2017 एवं 23-8-2018 से रू0 166380.00 तथा 156431.00 का किया गया तथा मजदूरों का भुगतान कार्य दिनांक 5-8-2015 से 13-9-2015 तथा 15-9-2015 से 4-10-2015 तक होने के तीन साल बाद अर्थात् दिनांक 23-8-2018 को रू0 146000.00 का भुगतान कार्य प्रभारी जगनारायण यादव को किया गया है अतः इन कार्यों में रू0 468811 का भुगतान गम्भीर अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा कार्य प्रभारी तथा लेखाकार जिम्मेदार है। इस कार्य हेतु भी टेण्डर नहीं मांगा कर शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-ए-8-15 186 दिनांक 23-9-2008 तथा जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 तथा 19 (5) का उल्लंघन है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-250 सरायकोटा दुर्गा पूजा समिति पडाल के पास आर0सी0सी0 सडक से इकबाल चौधरी दीन दयाल के घर से आर0सी0सी0 ढक्कन सहित नाली निर्माण कार्य का कुल लागत 10.31 लाख है जिसका वित्तीय अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा दिया जाना था परन्तु पत्रावली में नहीं पाया गया इस कार्य में कोटेशन दो फर्मों द्वारा मगाया गया है। जबकि तुलनात्मक चार्ट में तीन फर्म दर्शित है जिस पर कोई दिनांक नहीं है। मजदूरों मद में रू0 176400.00 दिया गया है जबकि कार्य दिनांक 15-3-2016 से 3-4-2016, 22-4-2016 से 11-5-2016 तथा 13-5-2016 से 1-6-2016 तक हुआ है परन्तु मस्टर रोल में मजदर का हस्ताक्षर तथा अंगूठा का निशान नहीं पाया तभी कार्य प्रभारी हस्ताक्षर नहीं है। भुगतान हेतु खण्ड विकास अधिकारी को लिखे पत्र में भी कार्य प्रभारी श्री जगनारायण का हस्ताक्षर नहीं है। जबकि सामग्री वाले बाउचर पर कार्य प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया। बाउचर पर क्रम संख्या भी दर्शित है। अतः आलोच्य वर्ष में रू0 176400.00 को भुगतान फर्जी मस्टर रोल बनाकर किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार तथा कार्य प्रभारी जिम्मेदार है। मजदूरों को मजदूरी का भुगतान दो वर्ष के बाद दिया गया है संदिग्ध प्रतीत होता है अनियमित भुगतान के लिए बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-251 लक्ष्मणपुर में घोष राय के घर से अरविन्द राय के कोने तक ने0 ब्लॉक निर्माण कार्य में दिनांक 15-11-2016 पत्रांक 68 को तकनीकी स्वीकृति दिया गया। इस कार्य में कोई टेण्डर तथा कोटेशन नहीं लिया गया। तुलनात्मक चार्ट में मे0 प्रीति चौबे कन्स्ट्रक्शन मे0 बत्सल कन्स्ट्रक्शन तथा मां कामाख्या कन्स्ट्रक्शन का नाम लिखा है जिस पर दिनांक तथा जे0ई0 का हस्ताक्षर दर्शित नहीं है। सामग्री हेतु प्रमाणक में क्रम संख्या 183 दिनांक 25-5-2107 रू0 127535.00 में कार्यप्रभारी का हस्ताक्षर नहीं है तथा विक्रेता का फर्जी हस्ताक्षर है परन्तु दिनांक 17-5-2018 को रू0 67623.00 का पेमेंट दर्शित है जिसमें कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर है। कार्य दिनांक 27-12-2016 से 15-1-2017 तक हुआ है व्यय रू0 48900.00 हुआ परन्तु मस्टर रोल मजदूरों का हस्ताक्षर सा अंगूठा निशानी नहीं पाया अतः आलोच्य वर्ष में गंभीर अनियमितता/अपहरण किया गया है। अतः रू0 168783.00 के भुगतान में गंभीर अनियमितता पायी गयी है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/कार्य प्रभारी वरुण राय जिम्मेदार है। इस कार्य की मजदूरी 18 महीने के बाद दिया गया है जिससे कृत कार्य सदैवास्पद हो जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-252 एन0एच0-31 स्थित लक्ष्मणपुर में टाइगर राय के घर होते हुए पे0 ब्लॉक निर्माण कार्य में आलोच्य वर्ष में दिये हुए प्रमाणक बिल क्रम संख्या 43 है परन्तु तिथि नहीं लिखा कार्य प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं जबकि रू0 97343.00 का पेमेंट हुआ है जबकि इस धनराशि के भुगतान हेतु खण्ड विकास अधिकारी को लिखे पत्र में भी हस्ताक्षर नहीं है। मस्टर रोल पर कार्य संख्या 7 का नाम लिखा है। जबकि मजदूरी इस कार्य का ही दिया गया है। अतः रू0 97343 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी कार्य प्रभारी तथा लेखाकार जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-253 बसुदेवा में दुर्गा मां स्थान से मुनी उपाध्याय के खेत तक सी0सी0 रोड का लागत 9.84 लाख है फिर भी कोई टेण्डर/कोटेशन नहीं मगाया गया है। सामग्री आपूर्तिकर्ता मे0 प्रीति चौबे कन्स्ट्रक्शन को रू0 150773.00 का चेक दिया गया है परन्तु प्रमाणक पर क्रम संख्या 190/तिथि अंकित नहीं है। कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर भी नहीं पाया गया। अतः यह गंभीर अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/कार्य प्रभारी इत्यादि जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-254 सरया नसीरपुर मानपूर्ण मंदिर पर रैन बसेरा निर्माण का कुल लागत रू0 6.83 लाख है इस कार्य का कोटेशन टेण्डर नहीं मगाया गया है नहीं सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृति ही ली गयी है फिर भी तुलनात्मक चार्ट फोटो स्टेट में तीन फर्म क्रमशः मां कामाख्या कन्स्ट्रक्शन मे0 बत्सल कन्स्ट्रक्शन तथा मे0 एस प्रीति चौबे कन्स्ट्रक्शन का नाम दर्शित है तथा प्रीति चौबे कन्स्ट्रक्शन को सामग्री आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है। इस कार्य के प्रभारी श्री दयानन्द कुशवाहा है दिनांक 1-6-2017 को बिल बाउचर में क्रम संख्या नहीं है तथा बाउचर पर विक्रेता तथा कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं है। अतः यह बिल फर्जी है रू0 256728.00 का अपहरण मिली भगत करके कर लिया गया है जबकि अन्य दो बिल पर कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर है। इसके अलावा कार्य की मजदूरी रू0 94800.00 दी गई है जिसमें कार्य दिनांक 28-12-2016 से 2-7-2017 तक किया गया तथा कार्यप्रभारी तथा मजदूरों का हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी पाया गया है। अतः रू0 256728.00 का अपहरण किया गया है जिसके खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/कार्य प्रभारी जिम्मेदार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-255 एन0एच0-19 में गुरुधाम सत्संग आश्रम मानपुर तक इंटर लाकिंग कार्य में कोई टेण्डर या कोटेशन नहीं मंगाया गया बल्कि सीधे मे0 प्रीति चौबे को सामग्री आपूर्ति करने का अधिकार दे दिया। बाउचर क्रम संख्या 186/दिनांक अंकित नहीं रू0 103512.00 के भुगतान हेतु आपूर्तिकर्ता का हस्ताक्षर नहीं पुनः मस्टर रोल रू0 51760.00 दिनांक अंकित नहीं मजदूरों का नाम नहीं फिर भी खण्ड विकास अधिकारी का हस्ताक्षर है। जबकि 4000 कोटेंज मिट्टी खरीदी गयी है मात्रा का विवरण नहीं फिर

भी दर 99.70 से 40.12 घनमी0 होता है जिस पर रायल्टी न देकर शासन को हानि पहुंचायी गयी है अतः रायल्टी दर ₹0 30.00 से ₹0 1200.00 कोषागार के लेखा शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए। अतः सामग्री का ₹0 103512.00 मजदूरी ₹0 51760.00 कुल ₹0 155272.00 का भुगतान कर बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-256 एन0एच0-31 से एल0बी0वी0 कान्वेंट स्कूल सुरही सम्पर्क मार्ग तक पे0 ब्लाक के कार्य का प्रस्ताव संख्या 41/10-10-2016 है वित्तीय स्वीकृति भी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं लिया गया है। इससे टेण्डर या कोटेशन नहीं लिया गया है बिना टेण्डर/कोटेशन के कार्य कराया जाना गंभीर अनियमितता है। पुनः टेण्डर/कोटेशन नहीं मंगाने के बाद तुलनात्मक चार्ट में तीन आपूर्ति कर्ताओं के फर्म हैं यहां भी कोई तिथि अंकित नहीं है सीधे तौर पर प्रीति चौबे कन्स्ट्रक्शन द्वारा सामग्री आपूर्ति किया गया है जो अनियमितता है। आलोच्य वर्ष में बिल में अमुक तिथि को क्रम संख्या 187 द्वारा ₹0 31884.00 का पेमेंट किया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार तथा कार्य प्रभारी जिम्मेदार है। यहां मस्टर रोल देखने से पता चलता है कि मजदूरों की मजदूरी एक वर्ष बाद दिया गया है जो श्रम कानूनों के प्रावधानों के विरुद्ध है जहां स्पष्ट रूप से अंकित है कि मजदूरों की मजदूरी एक सप्ताह के अन्दर भुगतान किया जाना चाहिए। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-257 नसीरपुर कला में स्व0 शिव प्रसाद प्रजापति के घर से लखीचन्द्र के घर तक नाली निर्माण में तकनीकी स्वीकृति संख्या 19/9-4-16 है परन्तु वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली नहीं रहा। कार्य प्रभारी की नियुक्ति का पत्रांक दिनांक अंकित नहीं है पुनः दर्शित तुलनात्मक चार्ट में प्रीति कन्स्ट्रक्शन मे0 बत्सल कन्स्ट्रक्शन तथा मे0 कामाख्या कन्स्ट्रक्शन जगदीशपुर में कोटेशन /टेण्डर मंगाया नहीं गया है न ही तिथि ही अंकित है। अतः यह एक गंभीर अनियमितता का विषय है। पुनः चेक संख्या 7075 से दो कार्य का भुगतान किया है जो वित्तीय नियमों का उल्लंघन है दिनांक 18-7-2017 को ₹0 47142.00 का भुगतान प्रीति कन्स्ट्रक्शन को किया जिस पर कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं है पुनः मस्टर रोल जिसमें ₹0 41725.00 की मजदूरी देना दर्शित है मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं है। सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान ₹0 88867.00 का भुगतान कर बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार द्वारा अपहरण कर लिया गया जिसके लिए बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-258 एन0एच0-31 से तेतारपुर गोकुल के डेरा से सम्पर्क मार्ग पर सोलिंग कार्य का लागत मूल्य ₹0 4.48 लाख है इस कार्य की तकनीकी/वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली प्राप्त नहीं रही दिनांक 2-12-2016 पत्रांक 545 के अनुसार श्री वरुण राय को प्रभारी बनाया गया है परन्तु सामग्री आपूर्ति हेतु कोई भी टेण्डर /कोटेशन नहीं मंगाया गया है जो शा0 संख्या ए-1-208 डी0/दस-96-151 86 दिनांक 23-9-2008 के आलोक में गंभीर अनियमितता है। फिर भी तुलनात्मक चार्ट में तीन आपूर्तिकर्ताओं के नाम क्रमशः मे0 प्रीति कन्स्ट्रक्शन में बत्सलकन्स्ट्रक्शन तथा मे0 मां कामाख्या कन्स्ट्रक्शन दर्शित दर्शित है परन्तु उत्तर पर कोई तिथि अंकित नहीं है अतः सम्पूर्ण व्यय की धनराशि अनियमित है। इस कार्य हेतु मे0 प्रीति चौबे कान्टेक्शन को सामग्री आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी दी गयी है आलोच्य वर्ष में बिल में क्रम संख्या 167/दिनांक नहीं ₹0 135442.00 का शुद्ध भुगतान है जिस पर कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया अतः धन की अनियमितता है इस कार्य से सम्बन्धित फोटो तो है जिसमें साइन बोर्ड दर्शित नहीं है। कार्य की मजदूरी मस्टर रोल के अनुसार दर 33020दर्शित है परन्तु उस पर कार्य कराने की तिथि अंकित नहीं है इस प्रकार ₹0 168462.00 का भुगतान कर यहां भी गंभीर अनियमितता वरती गई है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/कार्य प्रभारी जिम्मेदार है। इसके अलावा उपयुक्त दोनों कार्यों का भुगतान एक ही चेक द्वारा दिया है। वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-259 इच्छा चौबे के पुरा में राज नारायण यादव के घर, सूर्य देव माधों पाठक के घर होते हुए सुरेश पासवान के घर तक खंडजा सोलिंग एवं नाली सफाई व के सी0 ड्रेन के निर्माण का आई डीनं0 61/3-1-15 जिसके कार्य प्रभारी वाचस्पति पाण्डेय है इस कार्य हेतु कोई टेण्डर/कोटेशन नहीं मंगाया गया है परन्तु तुलनात्मक चार्ट में दिनांक 23-4-2016 दर्शित है अतः इस कार्य पर आलोच्य वर्ष में व्यय की गयी धन राशि ₹0 116350.00 का भुगतान अनियमित है क्योंकि प्राप्त बाउचर मे0 प्रीति चौबे कान्टेक्शन में क्रम संख्या 93 अमुक तिथि को ₹0 165850.00 देना है परन्तु धन के कमी के कारण ₹0 49500-00 लोकल सैण्ड हेतु भुगतान घटा दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से पता चलता है कि गत वर्ष में भी ₹0 309400-00 का ईट ही खरीदा गया है अतः अब तक कुल खंडजा निर्माण में बिना बालू के खंडजा कैसे बन गया जबकि स्टीमेट/एम0बी0 में बालू 49500.00 ₹0 का दर्शित ₹0 425750-00 का ईट खरीदा जा चुका है परन्तु अन्य सामग्री नहीं खरीदी गयी। उपयुक्त बाउचर में कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर भी नहीं है अतः दिनांक हस्ताक्षर बाउचर में नहीं रहना दर्शित करता है बाउचर फर्जी है। मस्टर रोल में पाया गया कि बिना मिस्त्री के ही खंडजा निर्माण हो गया है कार्य दिनांक 25.06-2017 से 13.06-2017 तक दर्ज है जबकि मजदूरी ₹0 69300 दिनांक 08-08-2017 को यानि एक वर्ष के बाद दिया है अतः सम्पूर्ण कार्य में गंभीर अनियमितता दर्शित हो रही है। अतः क्योंकि भारतीय लेबर अधिनियम के अनुसार किसी दशा में मजदूरी देने में तीन महीने से अधिक देरी नहीं होनी चाहिए अतः खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार तथा कार्य प्रभारी जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-260 दौलतपुर में सत्तानन्द सिंह के बगीचे से कबीर मठ तक सम्पर्क मार्ग पर पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य का आई0डी0 नं0 58/19-12-2015 है तथा लागत ₹0 4.71 लाख है कार्यालय आदेश संख्या 96/दिनांक 23-12-2015 को कार्यप्रभारी का नाम सफेदा से मिटाया से मिटाया गया है तथा निविदा कोटेशन वाले पेज में दयानन्द कुशवाहा को कार्य प्रभारी के तौर पर नाम दर्शित है सिर्फ दो फर्मों क्रमांशः मे0 प्रीति चौबे कन्स्ट्रक्शन तथा मे0 वत्सल कन्स्ट्रक्शन के लेटर पैड पर टेण्डर/कोटेशन हेतु अर्जी दी गयी है जिस पर न ही क्रमांक और न ही दिनांक दर्शित है अतः यह प्रक्रिया फर्जी है भुगतान है। मजदूरी मद में ₹0 58060-00 व्यय हुआ है परन्तु कार्य प्रभारी द्वारा कोई हस्ताक्षर/मोहर नहीं लगाया है अतः कुल ₹0 177056-00 सामग्री तथा मजदूरी के व्यय में गंभीर अनियमितता वरती गई है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार तथा कार्य प्रभारी जिम्मेदार है क्योंकि भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मांगी गयी आख्या रिपोर्ट पर कुछ नहीं लिखा है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-261 वर्ष 2017-18 में भरौली गोलम्बर स्थित स्वामी सहजानन्द सरस्वती पार्क के सुन्दरीकरण कार्य की लागत ₹0 10-26 लाख है जिसकी तकनीकी स्वीकृति सं0 18/2015-16/1-6-2015 है परन्तु वित्तीय स्वीकृति नहीं लिया गया है जिससे सम्पूर्ण व्यय अनियमित हो गया। इस कार्य हेतु टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है क्योंकि तुलनात्मक चार्ट में टेण्डर/कोटेशन खुलने तथा बन्द होने की तिथि नहीं लिखी है (तुलनात्मक चार्ट में दिनांक23-4-2016 अंकित है) इस प्रक्रिया में जे0ई0 का हस्ताक्षर नहीं है अतः टेण्डर/कोटेशन की पूरी प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है। दिनांक 27-5-2016 को कार्य प्रभारी नागेन्द्र सिंह को नियुक्त किया गया है। आलोच्य वर्ष में क्रमशः ₹0 49889-00 तथा ₹0 94820-00 का शुद्ध भुगतान मे0 प्रीति चौबे कन्स्ट्रक्शन के नाम है पुनः मजदूरी मद में कार्य दिनांक 29-5-2016 से 3-6-2016 तथा 4-8-2016 से 23-8-2016 तक कराया गया ₹0 173500-00 का भुगतान दिनांक 17-5-2018 को किया गया। मजदूरी मद में विभिन्न कमियां पायी गयीं:-

1- कार्य वर्ष 2016-17 में कराया गया है मजदूरों को मनरेगा के अनुसार ₹0 174 दिया जाना चाहिए था जबकि ₹0 175 के दर से दिया गया जो वर्ष 2017-18 में मजदूरी का रेट था।

2- कार्य समाप्त होने के एक साल के बाद मजदूरी देना भारतीय श्रम अधिनियम के विरुद्ध है।

3- पत्रांक 118 दिनांक 14-5-2018 को ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 श्री हरिवंश राम को कार्य प्रभारी नामित किया गया क्योंकि पूर्व कार्य प्रभारी रिटायर हो गये थे।

4- मस्टर रोल में मजदूरों का हस्ताक्षर/मोहर नहीं था। अतः सम्पूर्ण प्रक्रिया दोषपूर्ण थी तथा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः आलोच्य वर्ष में सम्पूर्ण व्यय 318209 मे भारी अनियमितता हुई तत्कालीनखण्ड विकास अधिकारी लेखाकार तथा ए0डी0ओ0 नागेन्द्र सिंह जिम्मेदार है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-262 वर्ष 2017-18 में राज्यवित्त के अन्तर्गत खंडजा में अवधेश के घर से गया राजभर के घर तक पेवर्स ब्लाक निर्माण कार्य का लागत ₹0 4.9 लाख है जिसका तकनीकी स्वीकृति संख्या 75/दिनांक 15-11-2016 है। पत्रांक 598/13वां वित्त/नि0 कार्य/का0आ0/2016-17/22-12-2016 के क्रम में मनोज कुमार को कार्य प्रभारी बनाया गया। परन्तु इस कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति के लिए टेण्डर-कोटेशन नहीं मंगाया गया। सामग्री की आपूर्ति मे0 प्रभुनाथ यादव द्वारा की गई जो शासनादेश संख्या ए-1-2086 दस -96-15-186 दिनांक 23-9-2008 का सीधा उल्लंघन है आलोच्य वर्ष में मजदूरी ₹0 दिनांक 12-5-2017 को दी गयी जबकि कार्य दिनांक

20-12-2016 से 31-12-2016 तक किया गया। मस्टर रोल में मजदूरों का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं पाया जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल बाद में बनाया गया है क्योंकि मजदूरों का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है मस्टर रोल पर न० अंकित नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि मस्टर रोल ब्लाक से निर्गत है इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/ब्लाक प्रमुख सभी जिम्मेदार हैं। उक्त कार्य से सम्बन्धित फोटो प्रारम्भ का कार्य मध्य तथा समाप्ति का तथा साइन बोर्ड नहीं पाया अतः रू० 63930-00 का अपहरण कर लिया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-263 वर्ष 2017-18 में विकास खण्ड विकास परिसर में आ० तथा अना० भवनों का विशेष मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य की लागत रू० 9.73 लाख है शासनादेश 1883/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार 5 लाख से उपर की कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा परन्तु पत्रावली नहीं पाया गया कार्य का प्र० सं० 14/19-12-16 है तथा पत्रांक संख्या 594/राज्य वित्त/नि०कार्य/कार्यादेश संख्या/2016-17 दिनांक 22-12-16 के द्वारा अश्विनी उपाध्याय सह० लेखाकार को कार्य प्रभारी बनाया गया पुनः पत्रांक 595 दिनांक 22-12-16 को मनोज कुमार राम को कार्य प्रभारी बनाया गया है स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। उक्त हेतु मे० प्रभुनाथ यादव मे० बलसल कन्स्ट्रक्शन तथा मे० अनिल सिंह द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु आवेदन तुलनात्मक चार्ट में दर्शित है परन्तु टेण्डर/कोटेशन नहीं मंगाया गया है क्योंकि इससे सम्बन्धित कोई तिथि या हस्ताक्षर दर्शित नहीं है। अतः शासनादेश संख्याए-1-2008/दस-96-15186 दिनांक 23-9-2008 का उल्लंघन करते हुए मे० प्रभुनाथ यादव गंगहरा को सामग्री आपूर्ति हेतु नामित किया क्योंकि सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत टेण्डर/कोटेशन में आमंत्रित रू० 20000.00 तक की सामग्री क्रय बिना कोटेशन आमंत्रित किये क्रय की जा सकेगी तथा निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री के क्रय हेतु रू० 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। अतः नियमों का उल्लंघन कर गंभीर अनियमितता की गयी है। आपूर्तिकर्ता मे० प्रभुनाथ यादव के टिन नं० 09285606351 की जांच करने पर पता चलता है वह एक सक्रिय कारोबारी तो है परन्तु सी०एस०टी० तथा इन्ट्री टैक्स नहीं देते अतः उन्होंने टैक्स की चोरी की है सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित बिन्दु:-

1- अज्ञात तिथि के बिल पर क्रम संख्या 10 रू० 79899 कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं

2- दिनांक 30-6-2017 को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कुल रू० 165220.00 का भुगतान परन्तु किसी भी व्यय प्रमाणक पर कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं। अतः गंभीर अनियमितता प्रदर्शित करते हुए धन का अपहरण मजदूरों/मस्टर रोल में दर्शित कमियाँ-1 मस्टर रोल में कार्य दिनांक 21-12-2016 से 31-12-2016 तक जितने मजदूर हैं वह सभी दुबहड ब्लाक के रहने वाले हैं क्योंकि कार्य प्रभारी की नियुक्ति दिनांक 22-12-2016 को हुई जबकि कार्य दर्शित उसके पूर्व ही प्रारम्भ हो गये। स्पष्ट है कि फर्जी मस्टर रोल बनाकर रू० 31080.00 का अपहरण कर लिया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

3- उक्त कार्य के तीसे मस्टर रोल पर कार्य का नाम दर्शित नहीं जबकि कार्य दिनांक 1-6-2016 से 8-6-2016 तक कराया गया परन्तु मजदूरों का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी मस्टर रोल पर नहीं पाया गया अतः रू० 46810.00 का अपहरण कर लिया है क्योंकि उक्त रकम कार्य प्रभारी/सह० लेखाकार श्री अश्विनी उपाध्याय के दिया गया न कि मजदूरों को। अतः उक्त कार्य में रू० 46810.00 का अपहरण तथा रू० 323009.00 के व्यय में गंभीर अनियमितता कर धन का अपहरण हुआ है जिसके लिए प्रमुख/खण्ड विकास अधिकारी/जे०ई०/सह० लेखाकार/कार्य प्रभारी जिम्मेदार हैं। उक्त से स्पष्ट है कि रू० 79899,165220,31080,46810 कुल रू० 323009 का अवास्तविक रूप से भुगतान कर धन का अपहरण कर किया गया जिसके लिए तत्कालीन बी०डी०ओ एवं लेखाकार एवं कार्य प्रभारी सभी पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-264 बैरिया- सागरपाली मार्ग से इच्छा चौबे के पूरा जाने वाली सी०सी०रोड के उत्तर तरफ गांव को जोड़ने वाली इंटर लाकिंग रोड के मरम्मत की लागत रू० 4.25 लाख है इस कार्य से सम्बन्धित कार्य आई०डी०नहीं पाया गया। पत्रांक 2/राज्यवित्त/2017718 दिनांक 22-4-2017 द्वारा निर्माण कार्य का आदेश दिया गया जबकि पत्रांक 60/राज्य वित्त दिनांक 6-5-2017 के अनुसार कार्य प्रभारी श्री बाचस्पति पाण्डेय को नियुक्ति किया गया। यहां भी टेण्डर/कोटेशन आमंत्रित करने तथा खोलने की तिथि अंकित नहीं रही जबकि तुलनात्मक चार्ट में निम्नलिखित आपूर्तिकर्ताओं के नाम अंकित रहे मे० प्रभुनाथ यादव गंगहरा मे० अनिल कुमार सिंह चौरा मे० मां दुर्गा कन्स्ट्रक्शन जिसमें से मे० प्रभुनाथ यादव को सामग्री आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गयी। अतः यहां भी शासनादेश संख्या ए-1-2086/दस-96-15-186 दिनांक 24-10-2008 1996 तथा ए 1864/दस-8-15 2 86 दिनांक 23-9-2008 का उल्लंघन कर सामग्री आपूर्ति निर्माण लिया गया उक्त के अनुसार रू० 20000.00 तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किये तथा निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रू० 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। अतः इस कार्य गंभीर अनियमितता की गयी है दिनांक 17-6-2017 को रू० 205865.00 के व्यय प्रमाणक पर तथा दिनांक 5-11-2017 को रू० 85165 बुक नं० अज्ञात क्रम संख्या 570 तथा क्रम संख्या 27 है कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं है अतः धन का अपहरण कर लिया गया है। पुनः कार्य के सम्बन्ध में जे०ई० द्वारा कोई आख्या नहीं दी गयी तथा सीधे भुगतान का आदेश दे दिया गया। मस्टर रोल रू० 58225.00 का दर्शित है जिससे दिनांक 3-10-2017 से 22-10-2017 तक कार्य कराया गया है परन्तु कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर कहीं नहीं पाया गया मजदूरों के हस्ताक्षर के उपर अंगूठा निशानी है जो संदेह पैदा करता है। उक्त भुगतान नगद कार्य प्रभारी को किया गया है न कि मजदूरों को कार्य से सम्बन्धित फोटो/साइन बोर्ड नहीं है कुल रू० 349255.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए प्रमुख/खण्ड विकास अधिकारी/जे०ई०/कार्य प्रभारी/लेखाकार जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। टिन नं० में गडबडी से सम्बन्धित आपत्ति ऊपर लिखित है क्योंकि उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम 18 अनमोदित ठेकेदारों के रजिस्टर बनाने तथा योग्य व्यक्तियों को /देने के सम्बन्ध में तथा आशवासन दिया जाना कि टैक्स सम्बन्धी अर्हताओं को पूर्ण किया है।

प्रस्तर-265 वर्ष 2017-18 में कुल्हडिया में नई बस्ती में राम विलास के घर से शिव दास के घर तक इंटर लाकिंग कार्य में विगत वर्ष में ही सामग्री पर रू० 432672 का भुगतान मे० प्रभु नाथ यादव गंगहरा को किया जा चुका है आलोच्य वर्ष में रू० 64320 का मस्टर रोल दर्शित है जिसके अनुसार कार्य दिनांक 14-7-2017 से 27-7-2017 तक हुआ है उक्त रोल पर हस्ताक्षर तथा अंगूठा नहीं पाया गया स्पष्टतः धन का अपहरण कर लिया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत नि० कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 49 का पालन नहीं किया गया जिसके अनुसार रू०/ मजदूरों पाने का हस्ताक्षर लिखा किया जाएगा और उस निर्माण कार्य के प्रभारी अधिकारी द्वारा भुगतान का प्रमाण पत्र लिखा जाएगा। खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार तथा कार्य प्रभारी मनोज राम जिम्मेदार हैं उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-266 वर्ष 2017-18 में उजियार में नरेन्द्र गोड के घर के सामने कुआं का मरम्मत एवं जगत निर्माण कार्य का लागत रू० 55000.00 है जबकि कार्य का प्र० संख्या 5/राज्य वित्त/2017718 दिनांक 2-8-2017 है यहां सामग्री आपूर्ति हेतु /आमंत्रित नहीं किया गया (तुलनात्मक चार्ट में तिथि अंकित नहीं पाया पत्रांक 249/राज्य वित्त/निर्माण/दिनांक 3-8-2017 का वाचस्पति पाण्डेय को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। सामग्री क्रय करने सम्बन्धी शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-151 86 दिनांक 23-9-2008 वित्त लेखा अनुभाग-1 का उल्लंघन कर सामग्री बिना कोटेशन के खरीदा गया है जबकि रू० 20000.00 तक की सामग्री ही बिना कोटेशन आमंत्रित किये क्रम की जा सकेगी मे० प्रभुनाथ यादव गंगहरा को सामग्री आपूर्ति हेतु नामित किया गया। दिनांक 5-8-2017 के व्यय प्रमाणक रू० 38870.00 (बुक संख्या अज्ञात क्रय संख्या -38) पर कार्य प्रभारी तथा जे०ई० का हस्ताक्षर नहीं पाया स्पष्टतः फर्जी बिल बनाकर धन का अपहरण कर लिया गया। सामग्री आपूर्ति करने के बाद खण्ड विकास अधिकारी को धन भुगतान हेतु को प्रेषित पत्र में आपूर्ति कर्ता का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। सबसे अजीब बात देखने में आई कि कुए का मरम्मत एवं जगत निर्माण होना था जबकि लोहे का ग्रिल 220 किलो लगाया गया है। कार्य से सम्बन्धित कोई भी फोटो पत्रावली में नहीं पाया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि कार्य किया गया है। मस्टर रोल रू० (5275) में कार्य दिनांक 5-10-017 तक किया गया है मजदूरों का अंगूठा निशानी है। परन्तु कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया कार्य प्रभारी द्वारा मस्टर रोल के भुगतान हेतु आवेदन में कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं पाया गया। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य की आख्या जे०ई० से मांगी गयी परन्तु कोई आख्या नहीं दी गयी। स्पष्टतः सम्पूर्ण धन का अपहरण कर लिया गया है। आपूर्ति कर्ता के टिन नं० 09285606351 के जांच से स्पष्ट है वह विक्री तथा इन्ट्री टैक्स नहीं देते है उसके बाद भी सामग्री आपूर्ति हेतु उन्हें नामित किया गया। स्पष्टतः खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/प्रमुख की मिली भगत है। कुल रू० 44145.00 का अपहरण कर लिया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-267 उजियार में लल्लू प्रजापति के घर के सामने कुआं का मरम्मत कार्य का प्रस्ताव संख्या 42राज्य वित्त/2017-18/दिनांक 2-8-2017 था पत्रांक 249/दिनांक 3-8-2017 से बाचस्पति पाण्डेय को कार्य प्रभारी बनाया गया कार्य के सामग्री हेतु टेण्डर व कोटेशन आमंत्रित नहीं कर शासनादेश संख्या ए-1-864/दस 08-15 186 दिनांक 23-9-2008 वित्त लेखा अनुभाग-1 का उल्लंघन कर जिसमें रू0 20000.00 से अधिक की सामग्री क्रय पर कोटेशन आमंत्रित करना अनिवार्य है मे0 प्रमुनाथ यादव को सामग्री आपूर्ति करने हेतु नामित किया गया। दिनांक 5-8-2017 को व्यय प्रमाणक रू0 64677.00 में (बुक संख्या अज्ञात तथा क्रम संख्या 39) न विक्रेता न ही कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर प्राप्त रहा अपितु सामग्री के भुगतान हेतु दिये गये पत्र में भी विक्रेता का नाम/हस्ताक्षर नहीं पाया गया। पुनः मस्टर रोल रू0 (1795) के अनुसार कार्य 10-1072017 से 19-10-2017 तक किया गया जिसमें कार्य प्रभारी की अवधि उपस्थिति अंकित करने वाले तथा कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया मस्टर रोल रू0 17950.00 के भुगतान हेतु लिखे पत्र में भी कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया में टिन नं0 वाला बिल है जबकि इसी पर जी0एस0टी0 काटा गया जो प्रथम दृष्टया गलत है। अतः सम्पूर्ण धन रू0 82627.00 का अपहरण कर लिया गया है क्योंकि कार्य सम्बन्धित कोई भी फोटो पत्रावली में नहीं लगी है इस कार्य में 220 किलो का ग़्रिल कुआं पर लगाया गया है जबकि यह कार्य कुआं मरम्मत का था रू0 82627.00 का अपहरण कर लिया गया ब्लाक प्रमुख/खण्ड विकास अधि0/जे0ई0/कार्य प्रभारी/लेखाकार सभी जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-268 उजियार में उजियार नाथ मंदिर के पास कुआ में ग़्रिल स्थापना कार्य के व्यय प्रमाणक रू0 17280.00 पर बुक नं0 अज्ञात तथा क्रम संख्या 50 पर विक्रेता कार्य प्रभारी तथा जे0ई0 का हस्ताक्षर मौजूद नहीं है इसके बाद बिल के भुगतान हेतु खण्ड विकास अधिकारी को लिखें पत्र में भी आपूर्तिकर्ता का हस्ताक्षर नहीं पाया यह व्यय शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15 186 दिनांक 23-9-2008 के आलोक में सही है जिसके अनुसार मे0 प्रमुनाथ गंगहरा को सामग्री आपूर्ति हेतु नामित किया गया। यहां भी रू0 17280.00 का अपहरण कर लिया गया है। क्योंकि दिनांक 5-8-20017 के बिल क्रय 50 पर कार्य प्रभारी जे0ई0 आपूर्ति कर्ता का हस्ताक्षर नहीं पाया गया तथा भुगतान हेतु बी0डी0ओ0 के लिखे पत्र में भी आपूर्ति कर्ता द्वारा विक्री/इंटी कर नहीं दिया जाता बाबजूद इसके खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आपूर्ति हेतु नामित किया जाना स्पष्ट करता है कि मिली भगत करके धन का अपहरण कर लिया गया है। कार्य से सम्बन्धित कोई फोटो भी पत्रावली में नहीं पाया गया। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-269 शाहपुर के रइया खड़ी में पीच रोड से हरिजन बस्ती में राम व्यास के घर तक खडंजा निर्माण की लागत रू0 3.80 लाख है कार्य से सम्बन्धित तकनीकी वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वीकृति नहीं लिया गया जिसका प्रस्ताव संख्या 6/राज्य वित्त/2017-18/दिनांक 2-8-2018 है। पत्रांक संख्या 255/राज्य वित्त/नि0का0/17-/-3-8-2017से श्री वाचस्पति पाण्डेय ए0डी0ओ0 पंचायत को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। /आमंत्रित नहीं किया गया है तुलनात्मक प्रिटेड चार्ट में कार्य का नाम ही नहीं लिखा जिसमें न तो तिथि और न ही जे0ई0 का हस्ताक्षर ही पाया गया यहां भी शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15 1 186 दिनांक 23-9-2008 का उल्लंघन किया गया है। जिसके अनुसार रू0 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय करने पर आमंत्रित करना आवश्यक माना गया है। पत्रांक 256/राज्य वित्त/का0आ0/17-18/दिनांक 3-8-17 के आलोक में मे0 प्रमुनाथ यादव गंगहरा को सामग्री आपूर्ति करने हेतु नामित किया गया है जबकि यह जानते हुए उक्त फर्म विक्री/इंटी टैक्स नहीं देती। व्यय प्रमाणक/बिल दिनांक 5-8-17 बुक संख्या-अज्ञात तथा क्रम संख्या 40 रू0 157248.00 पर जे0ई0 तथ्या कार्य प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर भी नहीं किया गया है पुनः दिनांक 25-10717 को बिल रू0 62530.00 का है जिसे पर भी कार्य प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है। माप पुस्तिका के अनुसार उक्त खडंजा निर्माण पर कार्टेज मिट्टी 253 घनमी0 रू0 44034.00 का अंकित है जबकि मिट्टी के बदले ईट अदद 6300 रू0 40950.00 क्रय तथा दो टैक्टर से ढलाई का रू0 22400.00 कुल 62530 दर्शित है। अतः बिना मिट्टी के खडंजा का निर्माण कैसे हो गया। क्या कार्टेज मिट्टी के जगह और ईट क्यों खरीद गया। अगर कार्टेज मिट्टी का इस्तेमाल हुआ नहीं तो दो टैक्टर को रू0 22400.00 क्यों दिया गया। मस्टर रोल रू0 80725.00 जिसके अनुसार कार्य दिनांक 10-10-17 से 30-10-17 तक किया गया है। चेक कार्य प्रभारी श्री वाचस्पति पाण्डेय के नाम निर्गत थापरन्तु मजदूरों को मजदूरी देने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता पुनः मस्टर रोल पर कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया स्पष्ट कार्यहेतु सम्पूर्ण धनराशि रू0 300503 का अपहरण कर लिया गया है क्योंकि कार्य से सम्बन्धित फोटो ग्राफ/साइन बोर्ड पत्रावली में नहीं पायी गयी। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-270 खमीरपुर डीह पी0डब्लू डी0 मार्ग से जगनारायण यादव के घर तक खडंजा निर्माण कार्य की लागत रू0 5.277 लाख है जिसका प्रस्ताव संख्या -85/2017-18/इ0ई0/10-9-2017 है शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुसार रू0 5 लाख से उपर की कार्य योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा या उनके अधिकृति अधिकारी द्वारा किया जायेगा परन्तु पत्रावली में इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख नहीं पाया गया जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो पायी। अधिशासी अभियंता क्षरा तकनीकी स्वीकृति दी गयी है। पत्रांक 334/राज्य वित्त/ नि0 का/17-/-27-972017 द्वारा वाचस्पति पाण्डेय ए0डी0ओ0 पंचायत को कार्य प्रभारी नियुक्ति किया गया। यहां शासनादेश संख्या ए-1-/-08-15 1 186 दिनांक 23-9-2018 का उल्लंघन कर बिना टेण्डर /कोटेशन आमंत्रित किये सामग्री क्रय हेतु मे0 प्रमुनाथ यादव गंगहरा को नामित किया गया जबकि उनके टिन नं0 की जांच में पाया कि उक्त फर्म विक्री कर/इंटी टैक्स नहीं देती अतः खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/जे0ई0/कार्य प्रभारी द्वारा मिली भगत कर राजस्व की हानि पहुंचायी गयी। व्यय प्रमाणक दिनांक 5-10-2017 बुक संख्या -अज्ञात क्रम संख्या -42 रू0 213885 पर जे0ई0 ताली कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर/मोहर नहीं पाया गया पुनः दिनांक 16-10-17 बुक संख्या-अज्ञात क्रम संख्या 42 व्यय प्रमाणक से रू0 182494 का भुगतान दर्शित है परन्तु बिल पर कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया मस्टर रोल के अनुसार कार्य दिनांक 15-10-17 से 30-10-17 तक रू0 48425 तथा दिनांक 3-11-17 से 14-11-17 से 14-11-17 तक कार्य कराया गया जिसपर रू0 43015 मजदूरी देना दर्शित है चूंकि कार्य प्रभारी को मजदूरी हेतु चेक निर्गत है परन्तु मजदूरों को धन दिया गया स्पष्ट नहीं है क्योंकि मस्टर रोल के निर्माण कता के हस्ताक्षर में सारी पत्रावलियां बनाई गई है। मस्टर रोल न0 नहीं है। मस्टर रोल न0 कदाचित विकास खण्ड द्वारा निर्गत नहीं है। इस प्रकार रू0 213885 तथा रू0 182494 कुल रू0 396379 का अनियमितता रूप से भुगतान किया गया जिसके किया गया जिसके लिए बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। क्योंकि उस पर मस्टर रोल नं0 नहीं है। दिनांक 15-11-17 को टैक्ट न0 यू0पी0 60 एन 2328 द्वारा 149 घनमी0 कार्टेज मिट्टी रू0 17537 परन्तु रायल्टी रू0 30 प्रीत घनमी0 नहीं देकर शासन को हानि पहुंचायी गया अतः रू0 4470 रायल्टी देकर लेखा शीर्ष में जाम किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अतः 396379 के भुगतान में गंभीर अनियमितता वरती गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार कार्य प्रभारी जे0ई0 ब्लाक प्रमुख जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-271 पालिया खास में पूरब सी0 रोड से बबन यादव के घर से राजाराम के घर तक पे0 ब्लाक निर्माण कार्य की लागत दर रू0 3.5 लाख है इस कार्य से सम्बन्धित वित्तीय तकनीकी स्वीकृति नहीं पायी गयी जो अनियमितता है जिसका प्रस्ताव संख्या 108/17-18दिनांक 3-11-17 है तुलनात्मक चार्ट के अनुसार कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित करने की तिथि 6-5-17 तथा खोलने की तिथि 25-5-17 थी। तुलनात्मक चार्ट पर जे0ई0 का हस्ताक्षर नहीं था चूंकि तीन फर्मो ने निविदा/कोटेशन में भाग लिया फिर भी विकास खण्ड द्वारा निविदा फर्मों की कीमत नहीं वसूली गयी अतः यह कार्य भी बिना /आमंत्रित किये कराया गयी जिससे शासनादेश संख्या-ए-1-/-08-15-1-186 दिनांक 23-9-2008 का उल्लंघन किया है जिसके अनुसार निर्माण कार्य/मरम्मत हेतु रू0 100000 से ऊपर हेतु टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य है। अतः कार्य पर व्यय सम्पूर्ण धनराशि अनियमितता के अन्तर्गत आता है। पत्रांक 475/रा0वि0/आ0 आ0/17-/-4-11-17 के आलोक में प्रमुनाथ यादव गंगहरा को सामग्री आपूर्ति हेतु नामित किया गया है। व्यय प्रमाणक दिनांक 25-11-17 को रू0 83697 पर कार्य प्रभारी हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः यह एक गंभीर अनियमितता का मामला है भुगतान हेतु पत्र में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जे0ई0 से आख्या मांगी गयी परन्तु कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई बल्कि धन का भुगतान कर दिया गया। मस्टर रोल रू0 40800 का था जिसके अनुसार दिनांक 11-11-17 से 30-11-17 तक कार्य कराया गया परन्तु कार्य प्रभारी द्वारा मस्टर रोल पर हस्ताक्षर नहीं किया जो गंभीर अनियमितता का मामला है। मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है क्योंकि उस पर कोई नम्बर निर्गत नहीं है। कराये गये कार्य के सापेक्ष कोई

फोटोग्राफ/साइन बोर्ड पत्रावली में नहीं लगा है। अतः रु0 124497 का भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गई है। सम्बद्ध व्यक्ति जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-272 उजियार में पीच रोड से रविन्द्र राजू के घर तक पे0 ब्लॉक निर्माण कार्य का लागत रु0 4.31 लाख है जबकि प्रस्ताव संख्या 105/रावि0/17-3-11-18 है इस कार्य से सम्बंधित वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति सम्बंधित शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015 दिनांक 31-7-2015 के अनुपालन में अधिकृति आधिकारियों द्वारा स्वीकृति पत्रावली उपलब्ध नहीं रहा जो गम्भीर अनियमितता का घटक है। अय कार्य में सामग्री क्रय हेतु आपत्ति संख्या 34 के तरह तुलनात्मक चार्ट में /आमंत्रित करने की तिथि तथा खोलने की तिथि क्रमशः 6-5-17 तथा 25-5-17 है तथा तीनों फर्म भी समान है यहां शासनादेश संख्या ए-1-/-8-15-1/86 दिनांक 23-9-2008 का उल्लंघन किया गया जिसके अनुसार रु0 20000 तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किये तथा निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बंधित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु0 एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा तथा मे0 प्रमुनाथ यादव को सामग्री आपूर्ति हेतु नामित किया इनके फर्म के टिन न0 की जाच करने से पता चला कि उक्त फर्म बिक्री/इंटी कर नहीं देती है अतः खण्ड विकास अधिकारी/प्रमुख लेखाकार/जे0ई0/कार्य प्रभारी द्वारा मिली भगत कर हानि पहुंचायी गयी अतः इस कार्य पर सम्पूर्ण व्यय रु0 378186 रु0 328611 सामग्री पर तथा रु0 49575 मजदूरी के भुगतान कर अनियमितता बरती गयी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-273. कार्य संख्या 13 अर्थात नसीरपुर मठ में पीच रोड से अर्जुन यादव के घर होते हुए तेजु यादव के घर तक पेवर्स ब्लॉक निर्माण कार्य का लागत रु0 4.10 लाख है यहां भी कार्यों की स्वीकृति सम्बंधित पत्रावली नहीं पायी गयी तुलनात्मक चार्ट में भी तिथि अंकित है फर्म भी वही बिना /के सामग्री क्रय टिन न0 के अनुसार टैक्स चोरी अतः मिली भगत से राजस्व की हानि पहुंचायी गयी अतः सम्पूर्ण व्यय सामग्री रु0 325087 तथा मजदूरी रु0 49825 कुल रु0 374912 के व्यय में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है। कोई फोटो/साइन बोर्ड प्रस्तुत नहीं रहा। उपर्युक्त तीनों कार्य एक जैसे जिसके लिए तत्कालीन बी0 डी0 ओ0 एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-274 वर्ष 17-18 धर्मापुरा गोसुलपुर बन्धा से प्रभावती इ0 का0 तक पे0 ब्लॉक निर्माण कार्य का लागत रु0 3.29 लाख है इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने सम्बंधी पत्रावली प्राप्त नहीं रही। कार्य का प्रस्ताव संख्या137/रा0वि0-17-18/ 15-1-18 है तथा श्री जगनारायण यादव कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है पत्रांक 117/रा0 वि0/शाआ0/17-18/16-1-18 के आलोक में मे0 प्रमुनाथ यादव गंगहरा को सामग्री आपूर्ति हेतु नामित किया गया जबकि सामग्री आपूर्ति हेतु /आमंत्रित नहीं कर शासनादेश संख्या ए-1-/-8-15-1/86 दिनांक 23-9-2008 का उल्लंघन किया गया जिसके अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बंधित सामग्री के क्रय हेतु रु0 एक लाख से अधिक के लिए टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा तथा टिन न0 के जाच में पाया गया उक्त फर्म द्वारा विक्री कर तथा इन्टी टैक्स नहीं दिया जाता इसके बाद भी खण्ड विकास अधिकारी से सामग्री आपूर्ति हेतु उक्त फर्म को नामित किया स्परटट खण्ड विकास अधिकारी प्रमुख तथा लेखाकार की मिली भगत के राजस्व की हानि पहुंचायी गयी दिनांक 22-1-18 के व्यय प्रमाणक में टिन न0/वैट दर्शित है जबकि लेखाकार द्वारा इसी बाउचर पर जी0 एस0 टी0 जोड़ा गया है जो प्रथम दृष्टया गलत है क्योंकि जी0एस0टी0 वाले प्रमाणक पर जी0एस0टी0 जमा होगा इसी प्रकार दूसरे व्यय प्रमाणक में भी जी0 एस0टी0 जोड़ा गया है इस प्रकार कुल रु0 246214 का भुगतान दर्शित है जो उपरिलिखित कारणों से गम्भीर अनियमितता का शिकारी हुआ है।सामग्री मद में कार्टेज मिटटी 62.16 घनमी0 दर 117.7 रु0 7316 है परन्तु शासन को रायल्टी न देकर हानि पहुंचाया गया है शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15-10-15 आलोक में रायल्टी दर 30 रु0 घनमी0 से रु0 3631 की कटौती खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से कर लेखा शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है। मस्टर रोल के अनुसार कार्य दिनांक 17-1-18 से 29-1-18 तक किया गया है। जिस पर रु0 37275 व्यय दर्शित है परन्तु मस्टर रोल पर विकास खण्ड कोई संख्या अंकित संख्या अंकित नहीं किया गया है। जिससे यह साबित हो सके कि यह कार्यवार निर्गत है। इस कार्य से सम्बंधित कोई फोटो या साइन बोर्ड नहीं पाया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि कार्य कराया गया है।अतः सम्पूर्ण धनराशि (सामग्री तथा मजदूरी) रु0 249745 के भुगतान अनियमित है। सम्बद्ध व्यक्ति जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-275 वर्ष 2017-18 में मेडवरा खुर्द पीच रोड से शिवपूजन यादव के घर के आगे तक इंटर लाकिंग कार्य कालागत रु0 4.65 लाख है तथा प्रस्ताव संख्या 138/2017-18/इ0ई0/15-1-18 है इस कार्य का तकनीकी स्वीकृति तो अधिकारी द्वारा दर्शित है परन्तु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति सम्बन्धी हस्ताक्षर/मोहर नहीं प्राप्त रहा जगनारायण यादव को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है यहां भी कार्य में सामग्री के आपूर्ति हेतु शासनादेश संख्या ए-1-/-8-15- 1 86 दिनांक 25-1-18 को इनवाइस नं0 17 से रु0 224322 का भुगतान दर्शित है तथा जी.एस.टी0 रु0 27544 जोड़ा गया है। इस कार्य पर मजदूरी भी आलोच्य वर्ष में नहीं दी गई है। इस प्रकार रु0 224322 का भुगतान कर अनियमितता बरती गई जिसके लिए बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-276 नगवा में मेन रोड से बबन के घर तक पेवर्स ब्लॉक के निर्माण कार्य का लागत रु0 1.74 लाख है जबकि कार्य का प्रस्ताव संख्या 139/2017-15-1-18 है। जगनारायण यादव को कार्य प्रभारी बनाया गया है परन्तु कार्य में उपयुक्त होने वाले सामग्री के आपूर्ति हेतु कोई /आमंत्रित नद करके शासनादेश संख्या ए-1-/-8-15 1 86 दिनांक 23-9-2008 का उल्लंघन किया गया (जिसके अनुसार निर्माण कार्य से सम्बन्धित क्रय करने हेतु रु0 एक लाख से अधिक के लिए टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा) परन्तु ऐसा न करके गंभीर अनियमितता की गयी है। व्यय प्रमाणक इनवाइस नं0 20 दिनांक 26-1-18 को रु0 64484 तथा दिनांक 6-2-18 को रु0 72160 का भुगतान दर्शित है जबकि उक्त पर जी0एस0टी0 क्रमशः रु0 7918 तथा रु0 8860 कुल रु0 16778 जोड़ा गया है परन्तु क्या उक्त धनराशि को सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा किया गया है अथवा नहीं इसकी जानकारी नहीं मिल पायी जांच किया जाना अपेक्षित है अन्यथा धन के दुरुपयोग अपहरण की संभावना प्रबल है। सामग्री के भुगतान हेतु जे0ई0 से मांगी गयी आख्या नहीं दी गई जो अनियमितता का घटक है। मजदूरी मद में रु0 20650 का मस्टर रोल प्राप्त है जिसमें चेक कार्य प्रभारी के नाम से निर्गत है परन्तु मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है क्योंकि उस पर कोई संख्या/तिथि अंकित नहीं है। अतः प्रक्रियात्मक दोष के कारण सम्पूर्ण व्यय (सामग्री तथा मजदूरी) रु0 157294 के भुगतान में गंभीर अनियमितता पायी गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी/प्रमुख/जे0ई0/प्रभारी दोषी तथा जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-277 क्षेत्र पंचायत सोहाव में छः अदद सोलर लाइट तथा एक स्टीट लाइट विकास खंड मुख्यालय हेतु कार्य का लागत रु0 134800 है परन्तु कार्य प्रस्ताव संख्या दर्शित नहीं है। कार्य योजना भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त कार्य की पुष्टि हो सके पत्रांक संख्या 80/रा0वि0 सोलर लाइट/दिनांक 24-5-17कोटेशन दर/2018 से कोटेशन की सूचना दी गई है। परन्तु यह शासनादेश संख्या ए-1-/-8-15 1 186 दिनांक 23-9-17का साफ तौर पर उल्लंघन किया गया जिसके अनुसार निर्माण कार्य से सम्बन्धित सामग्री क्रय करने हेतु एक लाख व अधिक के लिए टेण्डर आमंत्रित करना अनिवार्य होगा परन्तु ऐसा न करके गंभीर अनियमितता की गई है। यहां मे0 लक्ष्मी एडवर्टाइजर्स वर्मा आर्ट्स तथा विकास इंटरप्राइजेज द्वारा कोटेशन आमंत्रित दर्शित है परन्तु कोटेशन किस दिन आमंत्रित खोला गया इसकी कोई अधिकारिक सूचना नहीं है। मे0 लक्ष्मी एडवर्टाइजर्स को पत्रांक 11/रा0वि0/सोलर लाइट आपूर्ति आदेश/28-6-17 द्वारा छः सोलर लाइट तथा ऐ स्टीट लाइट आपूर्ति का आदेश दिया गया। परन्तु इस कार्य हेतु न ही कोई प्रभारी और न ही जे0ई0 नियुक्त है जो कार्य के निष्पादन की निगरानी कर सके। इनके टिन नं0 09685604114 के जांच में पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा /टैक्स नहीं दिया जाता है। व्यय प्रमाणक दिनांक 4-9-17/2-9-19 तथा 30-8-17 पर कही भी कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया दिनांक 4-9-17/पत्रांक 48 के अनुसार रु0 134800 के भुगतान हेतु खण्ड विकास अधिकारी को पत्र लिखा गया परन्तु उस पर जे0 ई0 द्वारा कोई आख्या प्राप्त न ही उन स्थानों का विवरण तथा फोटो ही पत्रावली में पाया गया जिससे यह साबित होता हो कि सोलर लाइट की स्थापना की गई हो न ही स्टाक रजिस्टर निर्माण कार्य रजिस्टर ही प्रस्तुत किया गया। स्पस्टर रु0 134800 के भुगतान में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है अतः खण्ड विकास अधिकारी/प्रमुख/लेखाकार स्पस्ट रूप से जिम्मेदार है ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत व्यस्था दी गयी है कि सोलर लाइट का क्रय नेडा उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम से किया जाना चाहिए। इस कार्य पर आयकर तथा व्यापार कर/जी एस0 टी0 नहीं काटा गया यह अनियमितता का एक और विन्दु है तथा जी0एस0टी0 लागू के बाद टिन न0 वाला बिल स्वतः समाप्त/नष्ट कर देना चाहिए परन्तु उसी पर भुगतान करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-278. आलोच्य वर्ष 2017-18 में कुल सामग्री क्रय रु0 6348105 दर्शित है तथा लेखा परीक्षा में उपलब्ध प्रमाणकों के आधार रु0 116198 आयकर कटौती दर्शित है जबकि आयकर दर 2 प्रतिशत की दर से 126962 टी0 डी0 एस0 होता है इस प्रकार रु0 10764 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है साथ ही काटे गये टी0 डी0 एस0 रु0 116198 की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

प्रस्तर-279 आलोच्य वर्ष 2017 -18 में कुल सामग्री क्रय रु0 6348105 दर्शित है तथा लेखा परीक्षा में उपलब्ध प्रमाणकों के आधार पर रु0 224783 व्यापार कर दर 4 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 1 प्रतिशत तथा सी0जी0एस0टी0 1 प्रतिशत/ सी0जी0एस0टी0 12 प्रतिशत काटा गया है।

	सामग्री पर कुल व्यय	कुल कर व्यापार कर 4प्रति	जी0एस0टी0 12 प्रति0	सी0जी0एस0टी01प्रति	एस0जी0टी0एस0 1प्रति0
विधायकनिधि	3028584	105526	103046		2480
राज्य वित्त	3319521	119257	14758	74553	29946

अतः व्यापार कर (विधायक निधि के अन्तर्गत रु0 3928584-123955) रु0 2904629पर दर 4 प्रतिशत से रु0 116985 होता है जबकि रु0 103046 काटा गया है अतः रु0 13139 कम व्यापार कर काटा कर राजस्व की हानि की गयी है। अतः 13139 की वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से कर लेखा शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है साथ ही काटे गये कर रु0 224783 की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। राज्य वित्त के तीन कार्यों पर जी0टी0 12 प्रतिशत रु0 74553 जोड़ा गया है इसकी पुष्टि कराया जाना चाहिए।

8- क्षेत्र पंचायत- चिलकहर

प्रस्तर-280 आलोच्य वर्ष 2017718 के राज्य वित्त कार्य बसनावार में डीह से सुरेन्द्र सिंह के घर होते हुए महात्मा वर्मा के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य की पत्रावली जांच में निम्न कमियां प्रकाश में आयी-

निदेशक पंचायतीराज के पत्रांक 4/58/2015-04/66 दिनांक 27-01-2016 के क्रम में डी0पी0आर0ओ0 बलियाद्वारा पत्रांक 4577/2-1-17 से रु0 4.99 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस आधार पर दी गयी थी कि कार्य का प्लान/साफ्ट करते हुए वर्क आई0डी0जनरेट करने के बाद कार्य प्रारम्भ किया जाए लेकिन ऐसा न कर अनियमितता बरती गयी है, तुलनात्मक चार्ट में टेण्डर प्राप्त कर दिनांक 8-12-16 तथा टेण्डर खुलने का दिनांक 16-12-16 है, जबकि डी0पी0आर0ओ0 बलिया द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का दिनांक 2-1717 रहा इस प्रकार कार्य मनमाने तरीके एवं शासनादेश के विपरीत कराकर गंभीर अनियमितता बरती गयी है, जिससे बी0डी0ओ0 श्री रामानन्द सिंह श्री रामाशीष राम एवं श्रीमती मीना सिंह तथा लेखाकार श्री विनय कुमार सिन्हा, श्री श्रीनाथ सिंह, एनआर0ई0पी0 श्री कल्पनाथ सिंह, श्री विनोद कुमार सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। भुगतान का विवरण निम्न रहा:-

क्र0 सं0	सामग्री का कुल मूल्य	कटौती		जमानत	शुद्ध भुगतान	चेक	दिनांक	प्राप्तकर्ता
		आयकर कटौती	व्यापार कर					
1	48200.00		1928.00		250261	100210	22.04.17	श्री तारकेश्वर पाण्डेय
2	212488.50		8499.00					श्री तारकेश्वर पाण्डेय
3	44827.00	896.00			43931	001969	15.7.17	श्री तारकेश्वर पाण्डेय
4	33600.00	श्रमांश हेतु			33600	001970	15.7.17	श्री चन्द्रकेश यादव ए.डी.ओ. एस.टी.
योग	339115.50	896.00	10427.00		327792			

प्रस्तर-281

1- आलोच्य वर्ष 2017718 में बसनावार में वीर बहरदुर के घर से स्वामीनाथ वर्मा के घर होते हुए छांगुर वर्मा के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य की पत्रावली जांच में निम्न कमियां प्रकाश में आयी-

डी0पी0आर0ओ0 बलिया के पत्रांक 4579/दिनांक 2-1-17 द्वारा उक्त कार्य के कार्ययोजना रु0 4.99 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का आदेश इस शर्त पर दिया गया था कि वर्क आई0डी जनरेट के बाद ही कार्य प्रारम्भ कराया जाए लेकिन तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री रामानन्द सिंह द्वारा ऐसा न कर उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गयी है। विभागीय एवं प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

2- उक्त कार्य वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 21-4-17 को गोपालधाम कोटवारी मोड रसड़ा फर्म द्वारा 244600.50का सामग्री आपूर्ति का बिल लेटर पैड पर प्रस्तुत किया गया जिस पर टिन नं0 099856018025 अंकित था उसी तारीख को कार्यप्रभारी द्वाराप्रभारी द्वारा लेटरपैड पर सामग्री प्राप्ति की स्वीकृति है तथा एम0बी0 बुक-15 पेज-30-31 का विवरण देते हुए रु0 97 4 प्रतिशत वैट काटकर रु0 234816 की धनराशि का चेक जारी कर दिया गया उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि

वास्तविक प्रमाणक प्राप्त किये बिना ही भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री रामानन्द सिंह लेखाकार, श्रीनाथ सिंह एन0आर0ई0पी0 कल्पनाथ सिंह कार्यप्रभारी श्री चन्द्रकेश यादव पर प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-282 वर्ष 2017-18 की जांच में पाया गया कि बसनावार में पीच रोड से श्रीपति के घर होते हुए बलिराम मास्टर के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य की पत्रावली जांच में निम्न कमियां पायीं—

उक्त कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति डी0पी0आर0ओ0 बलिया द्वारा पत्रांक 4581 दिनांक 27-1-17 को रु0 450600 की कार्ययोजना की स्वीकृति इस शर्त पर दी गयी थी कि कार्य की वर्क आई0डी0 जनरेट कर कार्य कराया जाना आवश्यक है लेकिन बिना वर्क आई0डी0 के ही 450600.00 कार्ययोजना स्वीकृत की गंभीर अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए बी0डी0ओ0 श्री रमानन्द सिंह लेखाकार श्री नाथ सिंह एन0आर0ई0पी0 श्री कल्पनाथ सिंह तथा कार्यप्रभारी चन्द्रकेश यादव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

उक्त स्वीकृति के पूर्व ही टेण्डर आमंत्रण दिनांक 8-12-16 एवं टेण्डर स्वीकृति तिथि 16-12-2016 रही अर्थात् टेण्डर आमंत्रण प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के पूर्व कर लिया गया है टेण्डर की प्रक्रिया जैसे निविदा फार्म का मूल्य शपथ-पत्र तुलनात्मक चार्ट पर समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर किसी भी फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इत्यादि नहीं रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-283 वर्ष 2017-18 राज्य वित्त पत्रावली की जांच में पाया गया कि सवन में पंचानन के घर से वशिष्ठ के घर होते हुए नहर तक नाली निर्माण कार्य में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयीं। उक्त कार्य में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गयी। कोटेशन टेण्डर आमंत्रित नहीं की गयी है। सामग्री का भुगतान कोटेशन बाउचर पर ही कर दिया गया है जबकि सामग्री आपूर्ति के भुगतान हेतु फर्म द्वारा बिल प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्ति का नियम सामग्री मूल्य 305888.00 के सापेक्ष चेक नं0 001972/001979 दिनांक 15-7-17/26-7-2017 से आयकर रु0 6117.00 एवं जमानत रु0 18391.00 कुल रु0 24508.00 काटकर 281380.00 का भुगतान कर दिया गया है। अतः उक्त सामग्री मूल्य का भुगतान अनियमित रहा। मस्टर रोल की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मस्टर रोल पर कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि अंकित नहीं है तथा किसी मिस्त्री मजदूर का हस्ताक्षर नहीं रहा जबकि उसी मस्टर रोल पर चेक संख्या 01313 दिनांक 27-9-17 को रु0 69360.00 का चेक निर्गत है। मस्टर रोल के जांचमें पाया कि मिस्त्री एवं मजदूरों का भुगतान प्राप्त नहीं है। इससे स्पष्ट है कि श्रमिकों को भुगतान न करके रु0 69360.00 का अपहरण कर लिया गया। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली बी0डी0ओ0 श्री रामाशीष राम, लेखाकार श्री श्रीनाथ सिंह कार्य प्रभारी श्री अनिल चौरसिया ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-284 आलोच्य वर्ष 2017/18 में सरयां बगडौरा में पक्की सड़क से गना राम के घर से जयगोविन्द के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य की पत्रावली जांच में निम्न कमियां प्रकाश में आयीं—

मस्टर रोल पर कार्य प्रारम्भ 28-7-17 से 8-8-18 अंकित है। जबकि मस्टर रोल में मिस्त्री व मजदूरों की उपस्थिति 01-08-17 से 13-08-17 तक ही रही मस्टर रोल पर किसी मिस्त्री मजदूर के हस्ताक्षर नहीं रहे। वर्क इंचार्ज के भी हस्ताक्षर नहीं पाये गये। मस्टर रोल पर एम0बी0 बुक संख्या एवं पेज नम्बर भी अंकित नहीं किया गया है। बिना प्रमाणित मस्टर रोल प्रस्तुत किये ही कार्य प्रभारी श्री अनिल चौरसिया ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 को दिनांक 06-09-17 चेक सं0 001304 से रु0 47435 का भुगतान कर दिया गया है। मिस्त्री एवं मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया गया कि नहीं अस्पष्ट रहा इससे स्पष्ट है कि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न करके कार्यप्रभारी को भुगतान कर रु0 47435 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए बी0डी0ओ0 श्री रामाशीष राम एवं प्रमुख श्री ललित यादव लेखाकार श्रीनाथ सिंह कार्यप्रभारी श्री अनिल चौरसिया सत्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-285 आलोच्य वर्ष 2016/17 में कुरेजी में नहर से हरिकिशुन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य की पत्रावली में निम्न कमियां प्रकाश में आयीं—उक्त कार्य के मस्टर रोल पर अंकित भुगतान सम्बन्धित धनराशि का विवरण निम्न रहा—

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
01317	27-09-17	48000.00	अनिल चौरसिया ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0
01318	27-09-17	6150.00	अनिल चौरसिया ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0

उक्त मस्टर रोल की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जो रु0 6150 का भुगतान किया गया है उस पर किसी भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं रहे जिससे भुगतान संदिग्ध लग रहा है।

रु0 48000.00 धनराशि की मस्टर रोल जांच में क्रमांक 11 पर कमलेश क्रमांक 12 पर वाल्मिकी क्रमांक 13 पर अनिल क्रमांक 15 पर शुलरूप के नाम अंकित है। जिनके हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं रहे। इस प्रकार प्रत्येक मजदूर के मजदूरी की धनराशि रु0 2820×5=14100 की दर से भुगतान दर्शित है। लेकिन उक्त मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं रहे। बिना प्रमाण का साक्ष्य के भुगतान कर रु0 14100, 6150 = 2250 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए बी0डी0ओ0 श्री रामाशीष राम लेखाकार/एन0आर0ई0पी0 श्री श्रीनाथ सिंह कल्पनाथ सिंह कार्यप्रभारी अनिल चौरसिया से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-286 आलोच्य वर्ष 2017-18 में रामपुर असली में सूर्य देयके घर से सुरेन्द्र के घर से सुरेन्द्रके घर होते प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलाकिंगकार्य की पत्रावली जांच में निम्न कमियां आयीं— कार्य से सम्बन्धित भुगतान की स्थिति निम्न रही—

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता	सामग्री हेतु भुगतान
001302	26-02-17	83755.00		सामग्री	श्री तारकेश्वर पाण्डेय
001305	06-09-17	196717.00		सामग्री	श्री तारकेश्वर पाण्डेय
001306	06-09-17	39170.00	मजदूरी	रामप्रसाद (कार्य प्रभारी)	

उक्त मस्टर रोल की धनराशि रु0 39170 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री रामप्रसाद को किया गया है। मस्टर रोल में एम0बी0 बुक संख्या एवं पृष्ठ संख्या अंकित नहीं रहा तथा एम0बी0 बुक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। मस्टररोल पर किसी मिस्त्री/मजदूर द्वारा भुगतान प्राप्ति पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं रहा। इससे स्पष्ट है कि मजदूरों की मजदूरी न करके कार्यप्रभारी द्वारा रु0 39170 का अपहरण कर लिया गया है जिससे बी0डी0ओ0 श्री रामाशीष राम एन0आर0ई0पी0 श्री कल्पनाथ सिंह लेखाकार श्री श्रीनाथ सिंह कार्यप्रभारी श्री रामप्रसाद पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उक्त कर्मचारियों से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है तथा सामग्री उपभोग की भी आवश्यक है।

प्रस्तर-287 वर्ष 2017-18 की जांच में पाया गया कि सोनपुरवा में निशानी के घर से पशुराम के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य की पत्रावली जांच में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयीं—

1- सामग्री भुगतान की धनराशि रु0 251522 का जो भुगतान श्री तारकेश्वर पाण्डेय को किया गया है। प्रमाणक की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि भुगतान प्राप्त हेतु /कैशमेमो प्रस्तुत नहीं रहा कोटेशन को प्रमाणक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसपर क्रमांक 30 टिन नं0 09785603887 अंकित है लेकिन जी0एस0टी0 की धनराशि रु0 5133 काट कर 251522 का भुगतान किया गया है तथा उसी कोटेशन पर कार्य प्रभारी अनिल चौरसिया द्वारा सामग्री प्राप्त की गयी है। एम0बी0 बुक नं0 15 पेज नं0 79.80 जो कोटेशन पर अंकित है के अनुसार जी0एस0टी0 काट कर भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार वास्तविक प्रमाणक प्राप्त किये ही बिना भुगतान कर अनियमितता बरती गयी है। परिणामस्वरूप बी0डी0ओ0 श्री रामाशीष राम, एन0आर0ई0पी0 श्री कल्पनाथ सिंह लेखाकार श्री श्रीनाथ सिंह कार्यप्रभारी श्री अनिल चौरसिया जे0ई0 श्री वीरेन्द्र कुशवाहा आर0ई0डी0 पर प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है

उक्त कार्य पर मस्टर रोल की धनराशि रु0 34550.00 मजदूरों का भुगतान कार्यप्रभारी श्री अनिल चौरसिया को दिया गया है। मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं रहा। कार्य प्रारम्भ/समाप्ति की तिथि अंकित नहीं रहा। श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान न करके कार्य प्रभारी को भुगतान रु0 34550.00 करके कार्यप्रभारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी के साथ बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार से किया जाना चाहिए।

प्रस्तर-288 आलोच्य वर्ष 2017-18 की जांच में पाया गया कि पहाड़पुर यादव बस्ती में पी0डब्लू0डी0 सड़क से लालू के घर होते हुए हरeram के घर तक दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य के पत्रावली में निम्न तथ्य प्रकाश में आये- 1- पत्रांक 111 दिनांक 03711-17 को तकनीकी स्वीकृति जे0ई0 श्री विरेन्द्र कुशवाहा द्वारा ली गयी अनुमति लागत का संक्षिप्त विवरण निम्न रहा-

श्रमांश पर अनुमानित लागत रु0 60893.00
सामग्री का अनुमानित मूल लागत रु0(+) 442601.48

503494.58

घटाया 4 प्रतिशतवैट = (.) 20139.97

जोड 12 प्रतिशतजीएसटी= (+) 58002.57

योग- 541357.37

उक्त विवरण में मजदूरी पर भी वैट जी0एस0टी0 लगायी गयी है तथा सामग्री वार जी0एस0टी0 न लगाकर एक समान 12 प्रतिशत की दर से गणना कर इस्टीमेट प्रस्तुत किया गया है। जो नियमानुसार गलत है। उक्त इस्टीमेट की जांचतकनीकी दल द्वारा किया जाना आवश्यक है एवं तकनीकी स्वीकृति देने वाले उच्चाधिकारियों पर भी प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

2- सामग्री एवं मजदूरी का विवरण निम्न रहा-

सामग्री का मूल्य	जी0एस0टी0	व्यापार कर	जमानत	शुद्ध भुगतान	चेकनं0	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता
310546.50	-	-	9023	81215	003202	27-11-17	श्री तारकेश्वर पाण्डेय
12507.50	-	-	-	100644	003208	06-12-16	श्री तारकेश्वर पाण्डेय
-	58002	-	7	58002	025824	16-8-19	श्री तारकेश्वर पाण्डेय
463153	58002	-	-				

उक्त सामग्री पर जी0एस0टी0 रु0 58002 की अतिरिक्त धनराशि श्री तारकेश्वर पाण्डेय को भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में दोनों बिलों पर टिन नम्बर अंकित है। प्रोपराइट के हस्ताक्षर नहीं हे दोनों बिल छायाप्रति रही अतः भुगतान की धनराशि श्रीमती मीना सिंह बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार श्री विनोद कुमार सिंह जे0ई0 श्री वीरेन्द्र कुशवाहा से वसूल करते हुए प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है तथा सामग्री आपूर्ति के वाउचर की भी जांच की जानी आवश्यक है।

3- उक्त कार्य पर दिनांक 06-12-17 इश्यु चेक नं0 3203 से कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार सिंह जी0पी0ए0 कों मजदूरी भुगतान हेतु रु0 58940.00 का चेक जारी किया गया है लेकिन मस्टर रोल में कार्य प्रारम्भ समाप्ति की तिथि वर्क इंचार्ज के हस्ताक्षर एम0बी0 बुक का विवरण किसी मिस्त्री/मजदूर के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं रहे जिससे मजदूरों के मजदूरी का भुगतान की की पुष्टि नहीं की जा सकी। श्रमिकों को उनके मजदूरी का भुगतान न करके कार्य प्रभारी द्वारा अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह एन0आर0ई0पी0 श्री कल्पनाथ सिंह लेखाकार श्री श्रीनाथ सिंह एवं श्री प्रमोद कुमार सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उक्त कर्मचारियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-289 वर्ष 2017-18 की जांच में पाया गया कि सहउेश बेलोझा में रामवलीके दरवाजे से सहदेश भदौरा मार्ग पर इण्टरलॉकिंग कार्य का विवरण निम्न रहा-

1— प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गयी तकनीकी स्वीकृति का क्रम 107 प्रस्ताव सं० 09 दिनांक 03-11-17 वर्ष 2017-18 के अनुसार रू० 370225 की स्वीकृति ली गयी है लेकिन जो वैट/जी०एस०टी० लगायी गयी है वह गलत है। विवरण निम्न रहा:—

श्रमांश पर अनुमानित लागत रू० (+) 44654..74

सामग्री का अनुमानित मूल लागत रू०(+) 325571..06

370225..80

घटाया 4 प्रतिशत वैट = (-) 14809..00

355416..00

जोड 12 प्रतिशत जीएसटी = (+) 42650..01

योग—398066..18

उक्त विवरण में मजदूरी पर भी वैट एवं जी०एस०टी० लगाया गया है। जो गलत है तथा सामग्री से सम्बन्धित जी०एस०टी० की बिल प्रस्तुत नहीं रही लेकिन इस्टीमेट पर जी०एस०टी० की धनराशि रू० 42650 श्री तारकेश्वर पाण्डेय सामग्री आपूर्तिकर्ता को दिनांक 16-08-19 चेक नं० 025823 से कर दी गयी प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

2— उक्त कार्य पर दिनांक 06-12-17 चेक नं० 003206 से कार्यप्रभारी श्री प्रमोद कुमार सिंह को रू० 40740 की धनराशि का भुगतान किया गया कि पुष्टि में मस्टर रोल की जांच करने पर पता चला कि वर्क इन्चार्ज के हस्ताक्षर मिस्त्री/मजदूर के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी एम०बी० बुक का विवरण मस्टर रोल पर कार्य

प्रारम्भ/समाप्ति की तिथि अंकित नहीं रही मस्टर रोलपर सिर्फ नवम्बर 2017 लिखा गया है। तथा उपस्थिति 18 से 3 तारीख तक अंकित की गयी है। मस्टर रोल की जांच से यह स्पष्ट रहा कि मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न देकर के कार्य प्रभारी को भुगतान कर रू० 40740.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह, श्री कल्पनाथ सिंह एन०आर०ई०पी० श्री श्रीनाथ सिंह लेखाकार श्री प्रमोद कुमार सिंह जी०एस०टी० कार्यप्रभारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। अतः सम्बन्धित कर्मचारियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर—290 वर्ष 2017-18 में भादपा में बबन सिंह के घर से प्रभुनारायण के बगीचे तक पक्की नाली का उच्चीकरण एवं ढक्कन निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य की पत्रावली की जांच का विवरण निम्न रहा:—

1—तकनीकी स्वीकृति सं० -112 प्रस्ताव अज्ञात दिनांक 03-11-17 के अनुसार अनुमानित लागत का विवरण निम्न रहा—

श्रमांश पर अनुमानित लागत रू० =.. 35363.55

सामग्री का अनुमानित मूल लागत रू० 198836.58

234200.00

घटाया 4 प्रतिशत वैट = (+) 9368.00

224832..12

जोड 12 प्रतिशत जीएसटी = (+)26979..85

योग— 251811..98

उक्त विवरण में मजदूरी पर भी वैट एवं जी०एस०टी० लगाया गया है। श्रमिकों की मजदूरी पर वैट एवं जी०एस०टी० रू० 26979.85 लगाकर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए जे०ई०श्री वीरेन्द्र कुशावाहा आर०ई०डी० पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इन पर प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

2— उक्त कार्य पर सामग्री भुगतान की स्थिति निम्न रही—

सामग्री का मूल्य	जी०एस०टी०	व्यापार कर	जमानत	शुद्ध भुगतान	चेकनं०	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता
90238	—	—	9023	81215	003202	27-11-17	श्री तारकेश्वर पाण्डेय
100644	—	—	—	100644	003208	06-12-16	श्री तारकेश्वर पाण्डेय
190882			9023	181859			

उक्त सामग्री भुगतान की पुष्टि में प्रथम बाउचर में बिल नं० अज्ञात दिनांक 20-11-17 तथा हाथ से लिखा हुआ टिन नम्बर की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न रही जबकि द्वितीय भुगतान से सम्बन्धित बिल की छायाप्रति रही जिस पर बिल का क्रमांक दिनांक अंकित नहीं रहा इससे स्पष्ट है कि कार्य भुगतान में घोर अनियमितता बरती गयी है प्रस्तुतबिल की जांच करते हुए समाग्री प्राप्ति की सत्यता की जांच की जानी आवश्यक है। जांचोपरान्त उक्त व्यय के सापेक्ष सम्बन्धित बी०डी०ओ० श्रीमती मीना सिंह लेखाकार श्री श्रीनाथ एन०आर०ई०पी० श्री कल्पनाथ सिंह कार्यप्रभारी श्री प्रमोद कुमार सिंह जीपी०ए० पर उचित प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

3—उक्त कार्य में मस्टर रोलकी जांच में पाया गया कि जो भुगतान रू० 36300 चेक नं० 003209 दिनांक 06-12-17 को कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार सिंह को किया गया है। भुगतान अधिक रहा क्योंकि श्रमांश पर अनुमानित लागत रू० 35363.55 थी जबकि भुगतान रू० 936.45 का ज्यादा कर दिया गया है। जिसका अलग से आदेश नहीं लिया गया है तथा निम्न मिस्त्री एवं मजदूर के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी मस्टर रोल पर नहीं रहे विवरण निम्न है—

क्र० सं०	नाम	पिता का नाम	प्ता	मिस्त्री/मजदूर	कार्य दिवस एवं दर
1	झुलन	झुनखून	भापदा	मिस्त्री	10×320= 3200
2	लक्ष्मण	अर्जुन	भापदा	मिस्त्री	10×320= 3200
3	रामनिवास	भागीरथ	भापदा	मजदूर	10×2325= 23250
4	रामप्रवेश	वंशी	भापदा	मजदूर	10×2325= 23250
5	गुलाब	सुखदेव	भापदा	मजदूर	10×2325= 23250
6	दीन	दुर्खिन	भापदा	मजदूर	10×2325=23250
7	नन्दलाल	अज्ञात	हजौली	मजदूर	10×2325=23250
				योग—	18150.00

उक्त धनराशि रू० 18150.00 की ब्याज सहित वसूली बी०डी०ओ० श्रीमती मीना सिंह, कार्यप्रभारी श्री प्रमोदकुमार सिंह लेखाकार श्रीश्रीनाथ सिंह एवं एन०आर०ई०पी० श्री कल्पनाथ सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-291 वर्ष 2017-18 में बसनवार में कविलास वर्मा के घर से गड़ही तक नाली का मरम्मत व डक्कन निर्माण कार्य की पत्रावली जांच का विवरण निम्न रहा-

2 उक्त कार्य में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गयी तथा कोटेशन टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया जैसा कि अन्य आपतितयों में अंकित है जो अनियमित रहा- तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 110 दिनांक 03-11-17 के अनुसार अनुमति लागत का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-

सामग्री पर अनुमानित लागत रू० = 100228.87

श्रमांश पर अनुमानित लागत रू० = 18471.46

= 118700.33

घटाया 4 प्रतिशत वैट = (+) 4748.01

113952.31

जोड 12 प्रतिशत जीएसटी = (+) 13674.28

योग = 127626.39

उक्त विवरण में स्पष्ट है कि श्रमांश पर व्यय वैट/जी०एस०टी० लगाया गया है जो अनियमित है, जिसके लिए श्री वीरेन्द्र कुशवाहा जे०ई० आर०ई०डी० पूरा रूप से उत्तरदायी है प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

2- उक्त कार्य में सामग्री एवं भुगतान का विवरण निम्न रहा-

समग्री का मूल्य	जी०एस०टी०	व्यापार कर	जमानत	शुद्ध भुगतान	चेकनं०	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता
71271.84	1596	2850	—	66825	003219	07-04-18	तारकेश्वर पाण्डेय

उक्त भुगतान की पुष्टि में बिल की छायाप्रति जिस पर जी०एस०टी० अंकित है लेकिन टिन नं० लिखा गया है बिल का क्रमांक एवं दिनांक नहीं लेकिन बाउचर नं० 22 अंकित है बिल पर प्रभारी द्वारा सामग्री प्राप्त किया गया है एम०बी० बुक नं०-15 पेज नं० 104, 105 के आधार पर रू० 66825 का भुगतान कर दिया गया है जो अनियमित रहा। उक्त प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि भुगतान या तो फर्जी किया गया है या अनियमित किया गया है। जांचोपरान्त उत्तरदायी बी०डी०ओ० श्रीमती मीना सिंह कार्यप्रभारी श्री प्रमोद कुमार सिंह लेखाकार श्री श्रीनाथ सिंह एन०आर०ई०पी० कल्पनाथ सिंह पर प्रशासनिक एवं विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

3- वर्ष 2017-18 के बसनवार में कविलास वर्मा के घर से गड़ही तक नाली का मरम्मत व डक्कन निर्माण की मस्टर रोल जो संलग्न है दिनांक 07-04-18 को चेक नं० 003220 से कार्यप्रभारी श्री प्रमोद कुमार सिंह रू० 13240 की धनराशि का चेक श्रमांश हेतु भुगतान प्राप्त किया गया है जिसकी पुष्टि में जो मस्टर रोल प्रस्तुत है, उस पर किसी मिस्त्री/मजदूर के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं रहा। वर्क इन्चार्ज के भी हस्ताक्षर नहीं रहे एम०बी० बुक का टिल अंकित नहीं था। मस्टर रोल में कार्य प्रारम्भ 12,12,17 से 18-12-17 तक लेकिन मिस्त्री/मजदूरों की उपस्थिति दिनांक 1-6 तारीख अंकित रहीं। इस प्रकार मस्टर रोल की प्रमाणित संदिग्ध है जांचोपरान्त उक्त धनराशि रू० 13240 की ब्याज सहित वसूली बी०डी०ओ० श्रीमती मीना सिंह प्रभारी श्री प्रमोद कुमार सिंह लेखाकार श्री श्रीनाथ सिंह एन०आर०ई०पी० श्री कल्पनाथ सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-292 वर्ष 2017-18 में जोगपुर में बुढउ कुरेजी पी०डब्लू०डी० मार्ग से गया राजभर के घर तक सी०सी०रोड का निर्माण कार्य-राज्य वित्त तेरहवां/चौदहवां वित्त से सम्बन्धित जोगपुर में बुढउ कुरेजी

पी0डब्लू0डी0 मार्ग से गया राजभर के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य पर सामग्री/श्रमांश भुगतान का विवरण निम्न राशि-

सामग्री/ श्रमांश की धनराशि	जी0एस0टी0	व्यापार कर	जमानत	शुद्ध भुगतान	चेकनं0	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता
286597	6419	11463	—	268715	007106	22-05-18	आर0/डी0 एसोसिएट
33600	—	—	—	33600	007107	22-05-18	प्रमोद सिंह
320197	6419	11463	—	320197			

सामग्री भुगतान हेतु जो प्रमाणक आर/डी एसोसिएट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वह कैशमेमो/बिल न होकर टैक्स इन्वायस सिरियल नं0-1 जिसपर जी0एस0टी0 नं0-09 एओटीपीआर 0292 क्यूटै प्रस्तुत किया गया जिस पर तिथि अंकित नहीं रहा तथा उक्त भुगतान हेतु जो डिमाण्ड लेटर दिया गया है। उस पर भी तिथि अंकित नहीं है। लेकिन टैक्स बगैरह काट कर भुगतान का चेक निर्गत कर दिया गया जो अनियमित रहा। उक्त धनराशि में जो 33600 का चेक प्रमोद कुमार सिंह को श्रमांश हेतु दिया गया है। मस्टर रोल की जांच में पाया गया कि कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि एम0बी0 बुक का विवरण अंकित नहीं इस प्रकार रु0 302315 का भुगतान कर गम्भीर अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए बी0डी0ओ0 श्रीमती मीना सिंह लेखाकार श्री श्रीनाथ सिंह एन0आर0पी0 श्री कल्पनाथ सिंह से कार्यप्रभारी श्री प्रमोद कुमार सिंह पूर्ण रूप से एम आर उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-293 बसनवार में लालजी वर्मा के घर से रामप्रवेश के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली का अवशेष कार्य निम्न बिन्दु प्रकाश में आये-

2- असनवार में लालजी वर्मा के घर से रामप्रवेश के घर तक इण्टरलाकिंग नाली का अवशेष कार्य पर सामग्री आपूर्ति का जो बिल प्रस्तुत किया गया है उसका विवरण निम्न रहा-

सामग्री का मूल्य	जी0एस0टी0	व्यापार कर	जमानत	शुद्ध भुगतान	चेकनं0	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता
32228	—	—	—	32228	001319	27-09-17	श्री तारकेश्वर पाण्डेय
82416	—	—	—	82416	003210	06-12-16	श्री तारकेश्वर पाण्डेय
23437	—	—	—	23437	007101	07-04-18	श्री तारकेश्वर पाण्डेय

138081	—	—	—	138081			

उक्त के क्रम में रू0 32228 का भुगतान हेतु जो प्रमाणक प्रस्तुत किया गया है उस कोटेशन पर क्रमांक 32 दिनांक अज्ञात रहा उसी कोटेशन पर कार्य प्रभारी श्री अनिल चौरसिया द्वारा सामग्री प्राप्त किया गया अंकित है। उक्त के क्रम में रू0 82416 का भुगतान किया गया उससे सम्बन्धित बिल की छायाप्रति संलग्न रही। रू0 23437 का जो भुगतान किया गया है उससे सम्बन्धित बिल की छायाप्रति निर्माण पत्रावली में संलग्न रही। इस प्रकार अवास्तविक प्रमाणक के आधार पर 138081 रू0 का भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए बी0डी0ओ0 श्रीमती मीना सिंह लेखाकार श्री श्रीनाथ सिंह एन0आर0ई0पी0 कल्पनाथ सिंह कार्यप्रभारी अनिल चौरसिया उत्तरदायी है। इन पर प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

2— वर्ष 2017-18 में बसनवार में लालजी वर्मा के घर से रामप्रवेश के घर तक इंटरलाकिंग व नाली का अवशेष कार्य दिनांक 27-09-17 चेक नं0 001319 से कार्यप्रभारी श्री अनिल कुमार चौरसिया को श्रमांश हेतु रू0 5915 का चेक दिया गया है। मस्टर रोल की जांच में पाया गया कि मस्टर रोल पर प्रारम्भ/समाप्ति तिथि अंकित नहीं रही एम0बी0 बुक का विवरण वर्क अचपर्ज के हस्ताक्षर निरीक्षण अधिकारी के हसतक्षर तथा मिस्त्री एवं मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं पायी गयी जिससे मिस्त्री एवं मजदूरों के भुगतान की स्थिति अस्पष्ट रहें। दिनांक 7-4-18 चेक सं0 007102 से रू0 14550 की धनराशि श्रमांश हेतु कार्यप्रभारी श्री अनिल चौरसिया ए0डी0ओ0 को चेक निर्गत किया गया जिसकी पुष्टि में मस्टर रोल जो पत्रावली में संलग्न रहा उसमें निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी—

मस्टर रोल प्रारम्भ तिथि 7-12-17 एवं समाप्ति तिथि 12-12-17 लेकिन मिस्त्री/मजदूरों की उपस्थिति तारीख 1 से 6 लगायी गयी है। वर्क इंचार्ज निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर मस्टर रोल पर नहीं रहा एम0बी0 बुक का विवरण भी मस्टर रोल पर नहीं रहा। रामप्रकाश पुत्र कुबेर पमा बसनवार मिस्त्री के रूप में कार्य किये है। उनकी उपस्थिति भी 06 दिन दर 320दिन इस प्रकार कुल मजदूरी की धनराशि 1920 हुआ लेकिन मस्टर रोल में रू0 3180 दिया गया है। इस प्रकार रू0 1260 अधिक भुगतान कर दिया गया है। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली बी0डी0ओ0 श्रीमती मीना सिंह कार्यप्रभारी श्री अनिल चौरसिया लेखाकार श्री श्रीनाथ सिंह एन0आर0ई0पी0 श्री कल्पनाथ सिंह से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-294 राज्य वित्त, तेरहवां, चौदहवा वित्त के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा-खारी खाता सं0 48042010831612 से दिनांक 04-7-17 चेक नं0 091100209 से श्री विनय कुमार सिन्हा लेखाकार द्वारा रू0 90000.00 आहरित एवं दिनांक 09-01-18 चेक नं0 12003217 द्वारा श्री श्रीनाथ सिंह लेखाकार द्वारा आहरित रू0 45500.00 स्वयं आहरित किया गया है। इस प्रकार कुल रू0 135500.00 के व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना प्रमाण के व्यय दर्शाकर रू0 135500.00 के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना प्रमाण के व्यय दर्शाकर रू0 135500 का अपहरण उक्त कर्मचारियों द्वारा कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार विनय कुमार सिन्हा एवं श्रीमती मीना सिंह बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार श्री श्रीनाथ सिंह उत्तरदायी है, ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर- 295 आलोच्य वर्ष 2017-18 में निर्माण से सम्बन्धित जो पत्रावली प्रस्तुत की गयी से सम्बन्धित सामग्री बाउचर का मूल्य रू0 3837454.98 या जिसपर रू0 2 प्रति की दर से आयकरजी0एस0टी0 76749 हुआ लेकिन फर्म कटौती रू0 42224.00 रही इस प्रकार रू0 34525.00 धनराशि की राजकीय धन की हानि हुयी।

उक्त धनराशि पर 4 प्रतिशत व्यापार कर की दर से रू0 153498 हुआ लेकिन फर्म से सिर्फ 52729 रू0 की कटौती की गयी है। इस प्रकार व्यापार कर मद में रू0 100769कम काटा गया इस प्रकार आयकर

एवं व्यापार कर की रु0 135294.00 कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिए बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप – 3

वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायतों में उद्घाटित अपहरण/दुरुपयोग/अनियमितता की आपत्तियों का विवरण-

जनपद – मऊ

सम्भाग-आजमगढ़

क्षेत्र पंचायत – मुहम्मदाबाद 2015-16, 2016-17 व 2017-18

प्रस्तर 1-वर्ष 2015-16 राज्य वित्त/13 वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत पत्रावली सं0 3 के अनुसार भाटीकला में राजेन्द्र मौर्य के घर से किशोर के द्यूबवेल तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य से सम्बन्धित ईट कय हेतु सुरजीत राय ईट भट्टा उद्योग कादीपुर को चेक सं0 065877 ,दिनांक 18.12.15 द्वारा रु0 214520.00 का भुगतान दर्शित है, जबकि फर्म की बिल पर अंकित टिन नं0 काल्पनिक है, जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 16.03.13 के पूर्व ही निरस्त हो चुका है। इसके स्थान पर दिनांक 16.03.13 से नया टिन नं0 09185506757 प्रभावी है। इस प्रकार निरस्त हो चुके टिन नं0 अंकित बाउचर द्वारा दिनांक 18.12.15 को किया गया भुगतान पूर्ण रूप से काल्पनिक है। अतः उक्त धनराशि वसूली योग्य है, तत्कालीन सम्बन्धित लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 2- दरौरा ऑगनबाड़ी निर्माण कार्य के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह प्रकाश में आया कि उक्त कार्य हेतु चेक सं0 059344 द्वारा दिनांक 04-07-15 को रु0 59720.00 ईट कय हेतु भुगतान किया गया है, किन्तु उक्त कय का कोई बाउचर/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, जिससे भुगतान अपुष्ट रहा। अतः बिना व्यय प्रमाणक उक्त भुगतान को अपहरण मानते हुए तत्कालीन सम्बन्धित लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 3-वर्ष 2016-17 में मनरेगा प्रशासनिक मद की धनराशि को अन्य मद में स्थानान्तरित कर भुगतान किया गया। भुगतान की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान मद का नाम
(01)	13.04.16	066368	26085.00	डीजल कय
(02)	04.05.16	066372	27318.00	डीजल कय
(03)	12.05.16	066374	6000.00	जीप सर्विस अग्रिम
(04)	16.05.16	066375	1745.00	जीप सर्विस अग्रिम
(05)	06.06.16	066376	24236.00	डीजल कय
(06)	09.06.16	066378	7610.00	कम्प्यूटर प्रिन्टर मरम्मत
(07)	15.07.16	076322	27290.00	डीजल कय
(08)	04.08.16	076324	9207.00	डीजल कय
(09)	20.08.16	076329	8225.00	रिफिलिंग कय
(10)	06.09.16	076334	6160.00	डीजल कय
(11)	05.10.16	076336	6168.00	डीजल कय
(12)	05.11.16	94677499	9430.00	कम्प्यूटर मरम्मत व रिफिलिंग
(13)	13.12.16	94677500	4564.00	डीजल कय
(14)	09.01.17	21082041	7161.00	डीजल कय
(15)	17.02.17	082047	6569.00	डीजल कय
(16)	07.03.17	082050	5150.00	रिफिलिंग कय
(17)	09.03.17	082051	5400.00	डीजल कय
(18)	योग		188318.00	

उक्त विवरणानुसार दर्शित शीर्षकों के अनुसार कुल रु 188318.00 का भुगतान किया गया, किन्तु उक्त भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली व बाउचर जैसे लागबुक, कय सामग्री की रसीद आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। इस प्रकार उक्त भुगतान अप्रमाणित रहा, एवं धनराशि का अपहरण किया गया। अतः रु0 188318.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 4-आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद की धनराशि को अन्य मद जैसे जीप मरम्मत ,कम्प्यूटर सामग्री कय आदि पर व्यय किया गया है। वर्ष 2015-16 में रु0 39057.00 तथा वर्ष 2016-17 में रु0 10860.00 इस प्रकार कुल रु0 49917.00 व्यय किया गया। उक्त भुगतान से सम्बन्धित बाउचर व अभिलेख इत्यादि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार उक्त भुगतान अप्रमाणित पाया गया, तथा व्यय धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः रु0 49917.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। धनराशि का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	भुगतान मद का नाम
(01)	03-07-15	059341	7985	संजय कुमार	जीप मरम्मत
(02)	27-07-15	059348	4852	राजेन्द्र प्रसाद जीप चालक	जीप मरम्मत
(03)	26-10-15	067370	3270	राजेन्द्र प्रसाद जीप चालक	जीप मरम्मत
(04)	09-11-15	067372	22950	संजय कुमार	प्रिन्टर , लेजर कय
(05)	07-09-16	068707	10860	संजय कुमार	स्कैनर कय
(06)	योग		49917.00		

प्रस्तर 5- आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में सोलर लाईट कय से सम्बन्धित एवं क्षेत्र पंचायत द्वारा कतिपय कराये गए कार्यों हेतु निविदा/टेण्डर आमंत्रित नहीं किए गए हैं। वर्ष 2015-16 में रु0 1052956.00 तथा रु0 1540273.00 कुल रु0 2633229.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार निविदा/टेण्डर के आमंत्रण के बिना ही कराये गए कार्य एवं कय किए गए सोलर लाईटों का भुगतान अनियमित पाया गया। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी की संयुक्त रूप से है। अतः जाँच कर दोषीकर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। धनराशि का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	कृत कार्य का वर्ष	धनराशि	आपत्ति
(01)	विकास खण्ड में 08 सोलर लाईट कय	2015-16	381772.00	निविदा/टेण्डर आमंत्रित नहीं
(02)	देवसीपुर के कमालपुर के डीह स्थान से	2015-16	172804.00	निविदा/टेण्डर आमंत्रित नहीं

	पिच पुलिया तक नाला			
(03)	राजापुर में सी0सी0रोड से अशोक के खेत होते हुए अनु0 बस्ती तक खड़ण्जा मरम्मत	2015-16	124300.00	निविदा / टेण्डर आमंत्रित नहीं
(04)	देवसीपुर में बी0पी0एल0 परिवार सुशीला देवी के घर से बृजेश सिंह के घर तक नाली व पटिया निर्माण	2015-16	143550.00	निविदा / टेण्डर आमंत्रित नहीं
(05)	देवरियाखुर्द में प्रदीप सिंह के घर से उमेश सिंह के घर तक नाली निर्माण	2015-16	75230.00	निविदा / टेण्डर आमंत्रित नहीं
(06)	5 ग्राम पंचायतों में सोलर लाईट आपूर्ति	2015-16	195300.00	निविदा / टेण्डर आमंत्रित नहीं
(07)	7 ग्राम पंचायतों में सोलर लाईट आपूर्ति	2016-17	390600.00	निविदा / टेण्डर आमंत्रित नहीं
(08)	11 ग्राम पंचायतों में सोलर लाईट आपूर्ति	2016-17	390600.00	निविदा / टेण्डर आमंत्रित नहीं
(09)	11 ग्राम पंचायतों में सोलर लाईट आपूर्ति	2016-17	391800.00	निविदा / टेण्डर आमंत्रित नहीं
(10)	11 ग्राम पंचायतों में सोलर लाईट आपूर्ति	2016-17	367273.00	निविदा / टेण्डर आमंत्रित नहीं
(11)	योग		रु0 2633229.00	

प्रस्तर संख्या-6—आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में मनरेगा प्रशासनिक मद से सम्बन्धित शासनादेश व सरकुलर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा,फलस्वरूप व्यय धनराशि के सदुपयोग की वास्तविक स्थिति अस्पष्ट रही, इस मद से सरकारी वाहन व जनरेटर इत्यादि के चलाने हेतु डीजल क्य पर रु0 122577.00 धनराशि व्यय की गयी है किन्तु लेखा परीक्षा में डीजल व्यय व उपयोग से सम्बन्धित लागबुक प्रस्तुत नहीं रही। इस प्रकार कुल रु0 122577.00 धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार/कैशियर श्री अच्छेलाल उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित से अपेक्षित है। व्यय का विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	चेक सं0	दिनांक	धनराशि	व्यय मद
1	082055	01.04.17	6610	डीजल क्य
2	2008966	06.05.17	5318	डीजल क्य
3	12000044	07.07.17	12454	डीजल क्य
4	12000430	08.08.17	12340	डीजल क्य
5	12000445	05.09.17	11013	डीजल क्य
6	12000449	04.10.17	10738	डीजल क्य
7	12000459	06.11.17	13460	डीजल क्य
8	10390	07.12.17	17258	डीजल क्य
9	10401	06.01.18	7186	डीजल क्य
10	10413	05.02.18	12648	डीजल क्य
11	015825	07.03.18	13552	डीजल क्य
12		योग	122577	

प्रस्तर संख्या 7—आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में मनरेगा प्रशासनिक मद से सम्बन्धित शासनादेश व सरकुलर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा,फलस्वरूप व्यय धनराशि के सदुपयोग की वास्तविक स्थिति अस्पष्ट रही, इस मद से दिनांक 18.07.17 को चेक संख्या 12000428 द्वारा मे0 लकी एजेंसी आजमगढ़ से रु0 77200.00 का ए0सी0 क्य किया गया है किन्तु कोटेशन इत्यादि निर्धारित क्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, इस प्रकार कुल रु0 77200.00 धनराशि का ए0सी0 क्य कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार/कैशियर श्री अच्छेलाल उत्तरदायी हैं, आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या 8—क्षेत्र पंचायत में 31.03.18 को रु0 **9847154.00** अनुदान की धनराशि अवशेष चली आ रही है, जो शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है। समयान्तर्गत अनुदान का उपभोग न करने से अनावश्यक बजट बढ़ जाता है तथा कार्य अवरुद्ध होता है। यह भी देखने में आया कि वर्षान्त में अनुदान की अवशेष धनराशि कुछ मदों में यथावत चली आ रही है जैसे बायोगैस रु0 2178.00 व तेरहवीं वित्त रु0 27357.00, ऑगनबाड़ी भवन निर्माण रु0 497639.00 इत्यादि। इस प्रकार दिनांक 31.03.18 को अवशेष अनुदान की धनराशि रु0 **9847154.00** को प्राप्त अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप उपयोगित न कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री अच्छेलाल उत्तरदायी हैं, धनराशि के उपयोग न हो पाने की स्थिति में अवशेष अनुदान को शासन को नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत — बड़सोव — 2013-14 से 15-16

प्रस्तर 9—कार्य का नाम — बलभद्रपुर में राजदेव के खेत से विजयी के घर तक मिट्टी व सोलिंग कार्य अनुमान की संक्षिप्त लागत — रु 337900.00

खण्ड विकास अधिकारी— श्री रामदुलार

कार्य प्रभारी — श्री सुरेन्द्र राय ग्रा0पं0अधि0

तकनीकी अधिकारी — श्री जे0पी0 सिंह, जे0ई0आर0ई0एस0

इस कार्य में श्रमांश पर निम्न विवरणानुसार व्यय किये गए हैं —

क्रम सं०	मस्टर रोल क्र०	मस्टर रोल में मजदूरों की संख्या मजदूर/मिस्त्री-दिवस-दर	मस्टर रोल की धनराशि	विवरण
1.	1742	15 L x7x142	14190	मस्टर रोल पर मजदूरों एवं मिस्त्री का अंगूठा निशान नहीं रहा
2.	1743	8 M x7x250=14000 / 16 L x7x142=15904	29904	मस्टर रोल पर मजदूरों एवं मिस्त्री का अंगूठा निशान नहीं रहा
3.	1744	7 M x7x250=12250 / 14 L x7x142=13916 / 1 L x7x142=710	26876	मस्टर रोल पर मजदूरों एवं मिस्त्री का अंगूठा निशान नहीं रहा
		योग	70970	

इस प्रकार उक्त मस्टर रोल के अनुसार मजदूरों के रूप में कुल रु० 70970 का भुगतान किया जाना ग्राण्ट रजिस्टर 2 में दर्शित रहा, लेकिन मजदूरों व मिस्त्रियों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान मस्टररोल पर नहीं रहे। इस प्रकार फर्जी भुगतान दिखाकर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसे समान अंशों में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 10— कार्य का नाम — ग्राम पंचायत गोधना में डीह स्थान से पक्कर के घर तक खड़पजा मरम्मत कार्य

खण्ड विकास अधिकारी — श्री रामदुलार

कार्य प्रभारी — श्री सुरेन्द्र राय, ग्रा० पं० अधि०

तकनीकी अधिकारी — श्री जे० पी० सिंह, जे० ई० आर० ई० एस०

उक्त कार्य पर दिनांक 22.09.13 को मंशा देवी ईट भट्टा उद्योग से 2200 ईट, 4500/ हजार की दर से कुल रु० 99000 का ईट क्रय किया गया प्रमाणक पर अंकित है, इस पर टी० डी० एस० रु० 2218 काटने के बाद रु० 96782 का भुगतान मंशा देवी ईट भट्टा उद्योग को किया जाना था, लेकिन चेक सं० 026121/19.12.13 द्वारा मात्र रु० 76782 का ही भुगतान किया गया है, इस प्रकार रु० 20000 कम भुगतान किया गया है, स्पष्ट है कि कम ईट उपभोग में लाने से कार्य की गुणवत्ता एवं माप प्रभावित होगी तथा जि उद्देश्य एवं ग्रामवासियों की सुविधा के लिए उक्त कार्य कराया गया है उसका पूर्ण लाभ ग्रामवासियों को नहीं मिल पाया। इस प्रकार रु० 76782— का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 11— कार्य का नाम — क्षेत्र पंचायत के विभिन्न गावों में छोटी लाईट लगवाने पर निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है—

लाईटों की सं० सामग्री पर व्यय श्रमांश पर व्यय

368 रु० 20,70,778 रु० 50232

उक्त लाईटों से सम्बन्धित पत्रावलियों के अवलोकन में निम्न कमियाँ पायी गयी —

1. सामग्रियों आई० एस० आई० मानक के अनुरूप हैं या नहीं इसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
2. सामग्रियों के गारंटी/वारंटी के सम्बन्ध में कोई कार्ड लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। इसके अभाव में सामग्रियों की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होती है।
3. उक्त कार्य पर खर्च हाने वाली धनराशि के भुगतान के पूर्व अवर अभियंता (ग्रा० अधि०) बड़रौव के सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ही भुगतान किया जाना चाहिए था, लेकिन पत्रावलियों में अवर अभियंता (ग्रा० अधि०) का सत्यापन रिपोर्ट नहीं पाया गया। अतः बिना सत्यापन रिपोर्ट के ही सम्बन्धित फर्म को भुगतान कर दिया गया। जो अनियमित रहा।
4. उक्त कार्य हेतु मे० आर० एन० इंटरप्राइजेज, अमिला, मऊ का कोटेशन स्वीकृत किया गया था लेकिन उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रमाणकों पर प्रमाणक सं० अंकित नहीं रहा।

शासनादेश संख्या 866/33-2-14 जी/2004 टी० सी० दिनांक 24.06.2014 में स्पष्ट निर्देश है कि क्षेत्र पंचायत का कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायत को लामान्वित करने का कार्य कराना मात्र है जबकि कार्य गाँव के अन्दर कराया गया है, जो अनियमित है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार रहे। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर 12—मद का नाम ब्याज वर्ष 2013-14 में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों के खातों से प्राप्त ब्याज की धनराशि को अन्य मदों में स्थानांतरित कर व्यय किया गया ग्राण्ट रजिस्टर 2 में दर्शित रहा —

दिनांक	ब्याज मद की धनराशि	जिन मदों से स्थानांतरित किया गया है
21.12.13	100000	राज्य वित्त मद में स्थानांतरित
03.01.14	100000	13 वीं वित्त मद में स्थानांतरित

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार ब्याज की धनराशि कुल रु० 200000 अन्य मदों में स्थानांतरित एवं व्यय कर ब्याज की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, जबकि शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/10-2015-10(33)/2010 उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 29.05.2015 को जारी शासनादेश के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में जमा किया जाता है और ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार उक्त आदेश का उल्लंघन करके धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार रहे। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर 13— मद का नाम ब्याज वर्ष 2015-16 में निम्न विवरणानुसार विभिन्न मदों के खातों से प्राप्त ब्याज को व्यय किया गया है —

क्रमांक	चेक सं०/दिनांक	चेक जिसको निर्गत किया गया	ब्याज मद की धनराशि	व्यय विवरण
1.	30977/22.8.15	श्री सुनील यादव (स० ले०)	25000	आवासीय भवन मरम्मत
2.	30978/22.8.15	श्री सुनील यादव (स० ले०)	25000	आवासीय भवन मरम्मत
3.	30979/01.9.15	श्री अनवार अहमद (उर्दू अनु०)	45000	आवासीय भवन मरम्मत
4.	30980/07.9.15	श्री अनवार अहमद (उर्दू अनु०)	15000	आवासीय भवन मरम्मत
5.	34902/16.9.15	श्री सुनील यादव (स० ले०)	25000	प्रशासकीय व्यय
6.	40463/16.9.15	श्री सुनील यादव (स० ले०)	15000	प्रशासकीय व्यय

7.		योग	150000	

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार वर्ष 2015-16 में अर्जित ब्याज की धनराशि में से रु0 110000 आवासीय भवन मरममत पर एवं रु0 40000 प्रशासनिक मद में व्यय कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, जबकि शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/10-2015-10(33)/2010 उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 29.05.2015 को जारी शासनादेश के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में जमा किया जाता है और ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार उक्त आदेश का उल्लंघन करके ब्याज की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार रहे। आवासीय भवन मरममत से सम्बन्धित पत्रावली एवं प्रशासनिक व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर 14—मद का नाम—आयकर कटौती (राज्य वित्त/13 वॉ वित्त) वर्ष 14-15 निम्न विवरण के अनुसार आय कर कटौती की धनराशि जमा करने के लिए डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाने हेतु विभिन्न बैंक शाखाओं को विभिन्न चेकों के माध्यम से भेजा गया है—

क्रमांक	चेक सं0/दिनांक	डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाने हेतु चेक जिसको निर्गत किया गया	धनराशि	व्यय विवरण
1.	57811/19.06.14	शाखा प्रबन्धक यू0बी0आई0 बोझी	228119 राज्य वित्त	आयकर की डी0डी0 बनवाने हेतु
2.	40502/22.01.15	शाखा प्रबन्धक यू0बी0आई0 बोझी	89976 राज्य वित्त	आयकर की डी0डी0 बनवाने हेतु
3.	34916/08.02.16	शाखा प्रबन्धक यू0बी0आई0 थानीदास अमिला	50028 राज्य वित्त	आयकर की डी0डी0 बनवाने हेतु
4.	34917/08.02.16	शाखा प्रबन्धक यू0बी0आई0 थानीदास अमिला	40244 राज्य वित्त	वैट चार्ज की डी0डी0 बनवाने हेतु
5.	34919/20.03.16	शाखा प्रबन्धक यू0बी0आई0 थानीदास अमिला	35082 राज्य वित्त	वैट चार्ज की डी0डी0 बनवाने हेतु
6.	40502/22.01.15	शाखा प्रबन्धक यू0बी0आई0 बोझी	48377 13 वॉ वित्त	
7.	34916/08.02.16	शाखा प्रबन्धक यू0बी0आई0 थानीदास अमिला	32263 13 वॉ वित्त	
8.	34917/08.02.16	शाखा प्रबन्धक यू0बी0आई0 थानीदास अमिला	31139 13 वॉ वित्त	
9.		योग	555228	

उक्त आयकर एवं वैट चार्ज जमा करने हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाने हेतु विभिन्न बैंक शाखाओं को विभिन्न चेकों के माध्यम से धनराशि भेजी गयी है लेकिन डिमाण्ड ड्राफ्ट किस कार्यालय में जमा किया गया है उसका प्रेषण पत्र एवं प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। अतः—आयकर जमा की पुष्टि न की जा सकी। उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार रहे। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 15—निम्न विवरणानुसार लेखा परीक्षा अवधि में वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक विभिन्न योजनाओं के सापेक्ष धनराशियाँ व्यय दर्शित की गयी हैं —

क्रमांक	वर्ष	दर्शित व्यय की धनराशि
1.	2013-14	7734657.00
2.	2014-15	11580256.00
3.	2015-16	6760975.00
4.	योग	26075888.00

उपरोक्त कुल व्ययदर्शित धनराशियों के सापेक्ष विभिन्न वर्षों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों/आपत्तियों की सन्निहित धनराशियाँ रु0 5069219 के अतिरिक्त शेष धनराशि रु021006669 से समबन्धित व्ययों की पुष्टि में स्टीमेट, कोटेशन, टेण्डर, कार्यालय आदेश, कार्य प्रभारी के नियुक्ति का आदेश, परियोजनाओं की स्वीकृत सूची, कय/व्यय प्रमाणक, कयादेश, मस्टररोल, पी0सी0आर0, कार्यपूर्तिप्रमाणपत्र, कार्यस्थल विवरण, कार्यप्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि भुगतान का तरीका निर्माण कार्य रजिस्टर, मस्टररोल मॉग पत्र एवं उसका लेखा, मस्टर रोल आवंटन, स्टाकरजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर एवं अवशेष हस्तगत परियोजनाओं की सूची के अभाव में उक्त अपुष्टित धनराशि रुपए 21118448 में व्यापक अनियमितता संभावित है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी, तकनीकी अधिकारी(जे0ई0आर0ई0एस0) एवं लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार रहे। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर 16—क्षेत्र पंचायत बड़रौव की वर्ष 13-14 की मनरेगा योजना में वर्ष में कुल रु0 5111684 का व्यय निर्माण कार्यों पर किया गया। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट 2 में इस व्यय रु0 5111684 के सापेक्ष कुल रु0 3894070 व्यय सम्बन्धी निर्माण पत्रावलियों प्राप्त हुई। शेष रु0 1217614 की पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। अतः रु0 1217614 के व्यय को लेखा परीक्षा में पुष्ट नहीं किया जा सका। आलोच्य वर्ष 2013-14 का वर्क रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात न हो सका कि किन-किन कार्यों पर यह धनराशि रु0 1217614 व्यय की गयी है। अतः रु01217614 का अपहरण किया गया है, जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदुलारे व लेखाकार श्री जीमल अहमद जिम्मेदार हैं, जिनसे ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 17—वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि योजनान्तर्गत खाते से प्राप्त ब्याज की धनराशि रु 35313.72 को राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा न कर रु0 35313.72 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाकर ब्याज की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार जिम्मेदार हैं, जिनसे वसूली अपेक्षित है तथा वसूल की गयी धनराशि राज्य कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 18—क्षेत्रपंचायत बड़रौव के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष का अनुदान रजिस्टर 3 या तो बनाया ही नहीं गया है या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्तमान लेखाकार द्वारापत्राचार के बाद भी अनुदान रजिस्टर 3 प्रस्तुत नहीं किया गया। मनरेगा के बैंक खातों के अनुसार वर्ष में कुल रु02844661 की आय क्षेत्र पंचायत को हुई है। बैंक खातों के अनुसार रु0 1513758 का व्यय हुआ है। ग्राण्ट रजिस्टर 3 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण यह ज्ञात न हो सका कि रु0 1513758 का व्यय किन किन मदों में कितना कितना किया गया है। वर्ष 14-15 में नरेगा निर्माण कार्य की मजदूरी व सामग्री का भुगतान आनलाईन होने के कारण पत्रावलियों की जाँच से किसी काम विशेष परहुए संपूर्ण व्यय धनराशि का संपूर्ण आकलन न हो सका। अतः ग्राण्ट रजिस्टर 3 लेखा परीक्षा में आवश्यक था। वर्ष 2014-15 का मनरेगा ग्राण्ट रजिस्टर 2 जानबूझकर ऐसी लापरवाही पूर्वक लिखा गया है कि उसका पठन संभव नहीं है।

अतः वर्ष 2014-15 मनरेगा योजना का व्यय बैंक खाता के अनुसाररु0 1513758 अपुष्ट पाया गयाजिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारीसे की जानी चाहिए।

प्रस्तर 19—वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में मनरेगा कन्टीजेंसीपत्रावली की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.08.15 को मे0 परम कम्प्यूटर हाइडिल चौराहा सिधारी आजमगढ़ से रु0 22800 का कम्प्यूटर कार्टेज एवं हार्ड डिस्क कय किया गया है लेकिन इस पत्रावली में कम्प्यूटर कार्टेज व हार्ड डिस्क की माँग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। साथ ही इस पार्टी के बिल का पेमेंट पार्टी को चेक के माध्यम से न कर नगद भुगतान करके अनियमितता की गयी है जिसके प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर 20—वर्ष 2013-14 क्षेत्र पंचायत बड़रौव की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि नरेगा योजना के अन्तर्गतग्राम पंचा0 अमिला में नवकापुरा में सूर्यभान के घर से गोरख के ट्यूबवेल होते हुए चक्रोड तकसम्पन्न मार्ग पर मस्टर रोल क्रमांक 52 से कुल 10 मजदूरों की 7दिन की मजदूरी का भुगतान किया गया है जबकिमस्टर रोल पर कार्ड धारकों के हस्ताक्षरव अंगूठानिशान नहीं है। बिना हस्ताक्षरव अंगूठानिशान के भुगतान संस्तुत करने के लिए कार्य प्रभारी श्री रवीन्द्र कुमार यादव जिम्मेदार हैं इसलिए रु0 92400 की वसूली ब्याज सहित कार्य प्रभारी श्री रवीन्द्र यादव से की जानी चाहिए, क्योंकि उक्त धनराशि श्री रवीन्द्र यादव द्वारा अपहरण कर ली गयी है।

प्रस्तर 21—वर्ष 2013-14 मनरेगा निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत असना में तरेज के घर से दीलतपुर सीमा तक मिटटी व सोलिंग कार्य पर रु429062 का ईट कय मंशा देवी ईट भट्टा से किया गया है। उक्त बिल पर रु0 9611 टीडीएस न काटकर पूरा पेमेंट मंशा देवी ईट भट्टा उद्योग को किया गया है। । टैक्स न काटकर राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है एवं धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः रु0 9611 की वसूली लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है तथा वसूल की गयी धनराशि रु0 9611 को राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत – बड़रौव –2016-17

प्रस्तर संख्या –22 निम्न विवरणानुसार आयकर कटौती राज्य वित्त 2016-17 दर्शित है

क्रम संख्या	चेक सं0 व दिनांक	आयकर जमा करने हेतु चेक जिसको निर्गत किया गया	धनराशि	विवरण
1.	40471 / दपस	श्री जमील अहमद स0ले0	15192	आयकर जमा करने हेतु
2.	40471 / दपस	श्री जमील अहमद स0ले0	31139	आयकर वैट जमा करने हेतु 13 वॉ वित्त से
3.			46331	

उक्त विवरण के अनुसार आयकर कटौती की धनराशि जमा करने के लिए दिनांक रहित चेक श्री जमील अहमद स0 ले0 को निर्गत किया गया है किन्तु आयकर व वैट जमा करने की पुष्टि में जमा का चालान, कोई आधार पत्र, प्रेषण पत्र एवं प्राप्ति रसीद आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। अतः आयकर एवं वैट जमा की पुष्टि न की जा सकी। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ख0 वि0 अधि0 एवं लेखाकार जिम्मेदार रहे। इनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –23 निम्न विवरणानुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में विभिन्न योजनाओं के सापेक्ष धनराशियाँ व्यय दर्शित की गयी हैं –

वर्ष	दर्शित व्यय की धनराशि
2016-17	2606905 (क्षे0नि0)
2016-17	4958778 (मनरेगा)

योग – 7565683

उपरोक्त कुल व्यय दर्शित धनराशियों के सापेक्ष लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों/आपत्तियों की सन्निहित धनराशियाँ रु0 6098353 के अतिरिक्त शेष धनराशि रु0 1467330 से सम्बन्धित व्ययों की पुष्टि में स्टीमेट,कोटेशन,टेण्डर,कार्यालय आदेश, कार्य प्रभारी की नियुक्ति आदेश, परियोजनाओं की स्वीकृत सूची,कय/व्यय प्रमाणक,कय आदेश,मस्टर रोल,पी0सी0आर0,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,कार्यस्थल विवरण,कार्य प्रारम्भ व समाप्ति की तिथि, भुगतान का तरीका,निर्माण कार्य रजिस्टर, मस्टर रोल मॉग पत्र एवं उसका लेखा,मस्टर रोल आवंटन,स्टाक रजिस्टर,परिसंपत्ति रजिस्टर एवं अवशेष हस्तगत परियोजनाओं की सूची के अभाव में उक्त अपुष्टित धनराशि रु0 1467330 में व्यापक अनियमितता संभावित है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी, लेखाकार व तकनीकी अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार रहे। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-24 दिनांक 31.03.17 को अनुदान पंजि0 तृतीय पर अंकित विवरण के अनुसार कुल रु0 4563932.09 (क्षे0नि0) एवं 1182129.02 मनरेगा की धनराशि अवशेष दर्शित है जो विगत वर्षों से दर्शित की जा रही है, नियमानुसार जिस वर्ष हेतु अनुदान की धनराशि प्राप्त हुई है, उसका उपभोग उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक कर लिया जाना चाहिए , अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित विभागों को वापस कर देना चाहिए, जो नहीं किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में बिना महालेखाकार की अनुमति के अनियमित रूप से व्यय दर्शित कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि का समय से सदुपयोग न कर विकास कार्यों को बाधित किया गया है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या –25 मनरेगा वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि ब्याज की धनराशि रु0 57600 को राजकीय कोषागार में जमा नहीं कर सौर उर्जा संयंत्र लगाकर व्यय किया गया है, जबकि शासनादेश सं0 10/2015/ए-1-502/10-2015-10(33)/2010 **उत्तर प्रदेश** शासन के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 29.05.2015 को जारी शासनादेश के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में जमा किया जाता है और ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज सस्था की आय न

होकर सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार उक्त आदेश का उल्लंघन कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार रहे। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत – बड़ौवा –2017–18

प्रस्तर संख्या-26 क्षेत्र निधि के खातों में दिनांक 01.04.17 को ब्याज मद में प्रारम्भिक अवशेष रु 88306.09 दर्शित था। वर्ष 2017-18 में विभिन्न खातों से कुल रु 170754.72 ब्याज मद में आय प्राप्त हुआ तथा रु 318.71 बैंक कटौती इत्यादि मद में व्यय हुआ। इस प्रकार दिनांक 31.03.18 को ब्याज मद में कुल रु 258742.10 धनराशि अवशेष रही। जबकि शासनादेश संख्या -1/22/10-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.12 के प्रस्तर 3 के अनुसार ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार में नियमित जमा कराया जाना चाहिये। इस प्रकार रु 258742.10 ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा न कर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार / कैषियर श्री जमील अहमद द्वारा अनियमितता बरती गयी है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-27 मनरेगा ब्याज मद के खातों में दिनांक 01.04.17 को प्रारम्भिक अवशेष रु 44077.02 दर्शित था। वर्ष 2017-18 में विभिन्न खातों से कुल रु 27807 ब्याज मद में आय प्राप्त हुआ तथा रु 40519.02 विविध व्यय व बैंक कटौती इत्यादि मद में व्यय हुआ। इस प्रकार दिनांक 31.03.18 को ब्याज मद में कुल रु 31365 धनराशि अवशेष रही। जबकि शासनादेश संख्या -1/22/10-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.12 के प्रस्तर 3 के अनुसार ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार में नियमित जमा कराया जाना चाहिये। इस प्रकार रु 31365 ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा न कर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार/कैषियर श्री जमील अहमद द्वारा अनियमितता बरती गयी है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-28 मनरेगा ब्याज मद से दिनांक 04.05.17/चेक सं० 0693 द्वारा रु 21269 का सहायक लेखाकार श्री सुनील यादव द्वारा कार्यालय प्रयोग हेतु सामग्री कय मद में व्यय कर लिया गया है, इसी प्रकार चेक संख्या 0694 दिनांक 04.05.17 को रु 18650 स्टेशनरी व फोटोकॉपी मद में श्री दिनेश कुमार को भुगतान दर्शित है। इस प्रकार ब्याज मद से कुल रु 39919 व्यय कर शासनादेश संख्या -1/22/10-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.12 के प्रस्तर 3 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जिसके अनुसार ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। इस प्रकार ब्याज की धनराशि को व्यय कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए सहायक लेखाकार श्री सुनील यादव, श्री दिनेश कुमार व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी पूर्ण रुप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित सहायक लेखाकार श्री सुनील यादव, श्री दिनेश कुमार व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-29 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में सरकारी वाहन व जनरेटर इत्यादि के चलाने हेतु विभिन्न मदों से डीजल कय कर रु 227721 धनराशि व्यय दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा में वाहन व जनरेटर से सम्बन्धित लागबुक प्रस्तुत न किये जाने के कारण डीजल खपत की पुष्टि व तत्सम्बन्धी टिप्पणी अंकित न की जा सकी। लागबुक प्रस्तुत न होने के कारण डीजल खपत व उस पर हुए व्यय राजकीय धन का दुरुपयोग है। जिसके लिए लेखाकार श्री जमील अहमद व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी पूर्ण रुप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-30 ग्राण्ट रजिस्टर 2 में रा0पंचायत दिवस मद में वर्ष में रु 10000 प्राप्त व व्यय दर्शित है, किन्तु ग्राण्ट रजिस्टर 3 में इसे व्यय न दर्शाकर अन्तिम अवशेष में से रु 10000 घटा दिया गया है, इस प्रकार की अनियमितता के लिए लेखाकार श्री जमील अहमद व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी पूर्ण रुप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत फतहपुर मण्डाव वर्ष 2011-12 से 2013-14

प्रस्तर संख्या-31 लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में अनुदान रजि० दो के अनुसार दिनांक 13.12.11 को चेक संख्या 09436 द्वारा जनता बायोगैस अनुदान मद से रु 8000 श्री शिवानन्द मौर्य को भुगतान दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख/ पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा मॉग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरुप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री कन्हैया सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-32 लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में अनुदान रजि० दो/प्रिया सापट विवरण के अनुसार राज्य वित्त अनुदान मद से कुल रु 3281440 विभिन्न तिथियों में विभिन्न फर्मों/व्यक्तियों को भुगतान दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख/ पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा मॉग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरुप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री कन्हैया सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-33 लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में अनुदान रजि० दो/प्रिया सापट विवरण के अनुसार तेरहवों वित्त आयोग अनुदान मद से कुल रु 550000 विभिन्न तिथियों में विभिन्न फर्मों/व्यक्तियों को भुगतान दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख/ पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा मॉग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरुप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री कन्हैया सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-34 लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में अनुदान रजि० दो के अनुसार निःशुल्क बोरिंग अनुदान मद से कुल रु 740300 विभिन्न तिथियों में भुगतान दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख/ पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा मॉग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरुप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री कन्हैया सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-35 लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में अनुदान रजि० दो के अनुसार विधायक निधि अनुदान मद से कुल रु 60000 निम्न विवरणानुसार दिनांक 18.2.12/22381 रु 8400, दिनांक 18.2.12/22382 रु 32590 व दिनांक 18.2.12/22383 रु 19010 कुण्डा शरीफ से बाउरी तक खड्जा हेतु भुगतान दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख/ पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा मॉग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरुप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री कन्हैया सिंह से रु 60000 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-48 मनरेगा से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख जैसे गांट रजि0 1, 2 एवं तीन पूर्ण न होने के कारण मनरेगा कंटेजेंसी,मानदेय,ब्याज मद,निर्माण कार्य इत्यादि के आय व्यय का विवरण तैयार नहीं किया जा सका।ग्रंट रजि0 2 में जून तक का ही विवरण लिखा गया है।पत्र द्वारा बार बार मॉग करने के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण तैयार करा कर आगामी लेखा परीक्षा में आय व्यय विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। साथ ही पत्रावली भी देखने को नहीं मिली। जॉचोपरान्त वर्ष में व्यय समस्त धनराशियों की ब्याज सहित वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, एवं अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखाकार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-49 लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में अनुदान रजि0 तृतीय के अनुसार राज्य वित्त अनुदान मद से कुल रु0 5049183 विभिन्न तिथियों में विभिन्न फर्मों/व्यक्तियों को भुगतान दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख ,अनुदान रजि0 द्वितीय व अन्य सम्बन्धित पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा मॉग के बाद भी अप्रस्तुत रही, अतः व्यय विवरण अप्राप्त रहा। फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए,तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री कन्हैया सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-50 लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में अनुदान रजि0 तृतीय के अनुसार तेरहवें वित्त अनुदान मद से कुल रु0 1545785 विभिन्न तिथियों में विभिन्न फर्मों/व्यक्तियों को भुगतान दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख ,अनुदान रजि0 द्वितीय व अन्य सम्बन्धित पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा मॉग के बाद भी अप्रस्तुत रही, अतः व्यय विवरण अप्राप्त रहा। फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए,तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री कन्हैया सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-51 लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में अनुदान रजि0 दो के अनुसार निःशुल्क बोरिंग अनुदान मद से कुल रु0 17500 विभिन्न तिथियों(दिनांक 04.05.13 चेक सं0 016566 द्वारा रु 3125, दिनांक 04.05.13 चेक सं0 016567 द्वारा रु 750, दिनांक 04.05.13 चेक सं0 016568 द्वारा रु 13625) में भुगतान दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख/ पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा मॉग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए,तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री कन्हैया सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-52 लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में अनुदान रजि0 दो के अनुसार दिनांक 17.06.13 को चेक संख्या 016571 एवं दिनांक 01.03.14 को चेक संख्या 32350 द्वारा पेयजल प्रशिक्षण अनुदान मद में क्रमशः रु0 4500 व रु0 50000 अर्थात् कुल रु0 54500 श्री सुरेश यादव, ग्राम पं0अधि0 को भुगतान दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख/ पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा मॉग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए,तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री कन्हैया सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-53 लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में अनुदान रजि0 दो के अनुसार सांसद निधि से कुल रु0 1598725 व्यय दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख/ पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा मॉग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए,तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री कन्हैया सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। अनुदान रजि0 दो के अनुसार व्यय विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	चेक संख्या व दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	भुगतान का उद्देश्य	धनराशि
1	027427 / 02.09.13	सुरेन्द्र नाथ यादव ग्रापं0 अ0	गुरुम्हा में सी0सी0रोड निर्माण	140000
2	027426 / 12.09.13	पंकज इंटरप्राइजेज नन्दौर	गुरुम्हा में सी0सी0रोड निर्माण	177670
3	027428 / 26.09.13	पंकज इंटरप्राइजेज नन्दौर	गुरुम्हा में सी0सी0रोड निर्माण	306713
4	027429 / 17.10.13	सुरेन्द्र नाथ यादव ग्रापं0 अ0	इंटरलाकिंग कार्य मोलनापुर मिश्रौली	100000
5	027430 / 18.10.13	सुरेन्द्र नाथ यादव ग्रापं0 अ0	इंटरलाकिंग कार्य मोलनापुर मिश्रौली	150000
6	027434 / 28.10.13	सुरेन्द्र नाथ यादव ग्रापं0 अ0	इंटरलाकिंग कार्य मोलनापुर मिश्रौली	9414
7	027435 / 31.10.13	सुरेन्द्र नाथ यादव ग्रापं0 अ0	इंटरलाकिंग कार्य मोलनापुर मिश्रौली	359309
8	027441 / 25.02.14	पंकज इंटरप्राइजेज नन्दौर	गुरुम्हा में सी0सी0रोड निर्माण	116779
9	027442 / 25.02.14	सुरेन्द्र नाथ यादव ग्रापं0 अ0	गुरुम्हा में सी0सी0रोड निर्माण	40840
10	027443 / 26.02.14	सुरेन्द्र नाथ यादव ग्रापं0 अ0	मिश्रौली पिच रोड से रामबरन चौहान के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	100000
11	027444 / 28.02.14	सुरेन्द्र नाथ यादव ग्रापं0 अ0	गुरुम्हा में सी0सी0रोड निर्माण	28000
12	027445 / 01.03.14	सुरेन्द्र नाथ यादव ग्रापं0 अ0	मिश्रौली पिच रोड से रामबरन चौहान के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	70000
13		योग		1598725

प्रस्तर संख्या-54 लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में ब्याज अनुदान मद से अनुदान रजि0 दो के अनुसार विभिन्न माह में बैंक कटौती दर्शाकर कुल रु0 926153 व्यय दर्शित है, बैंक कटौती किस रूप में की गयी है,इसका कोई विवरण व सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही, फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए,तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री कन्हैया सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। अनुदान रजि0 दो के अनुसार व्यय विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	भुगतान का उद्देश्य	धनराशि

1	जून 13	बैंक कटौती	18069
2	अगस्त 13	बैंक कटौती	117528
3	अक्टूबर 13	बैंक कटौती	102
4	नवम्बर 13	बैंक कटौती	336797
5	दिसम्बर 13	बैंक कटौती	47926
6	मार्च 2014	बैंक कटौती	405731
7		योग	926153

प्रस्तर संख्या-55 लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में मनरेगा ब्याज अनुदान मद से अनुदान रजि0 तृतीय के अनुसार विभिन्न माह में बैंक कटौती दर्शाकर कुल रु0 14677 व्यय दर्शित है, बैंक कटौती किस रूप में की गयी है, इसका कोई विवरण व सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही, फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री कन्हैया सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अनुदान रजि0 दो के अनुसार व्यय विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	दिनांक	भुगतान का उद्देश्य	धनराशि
1	मई 13	बैंक कटौती	50
2	जुलाई 13	बैंक कटौती	100
3	अक्टूबर 13	बैंक कटौती	14250
4	जनवरी 14	बैंक कटौती	150
5	मार्च 2014	बैंक कटौती	127
6		योग	14677

प्रस्तर संख्या-56 लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में अनुदान रजि0 तीन के अनुसार मनरेगा कंटीजेंसी अनुदान मद से कुल रु0 350757 भुगतान दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख, अनुदान रजि0 दो सहित / पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा मॉग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री कन्हैया सिंह से रु0 350757 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-57 लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में अनुदान रजि0 तीन के अनुसार मनरेगा निर्माण कार्य (कार्यदायी संस्था) अनुदान मद से कुल रु0 6065810 भुगतान दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख, अनुदान रजि0 दो सहित / पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा मॉग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री कन्हैया सिंह से रु0 6065810 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-58 लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में अनुदान रजि0 तीन के अनुसार मनरेगा मानदेय अनुदान मद से कुल रु0 1238000 भुगतान दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख, अनुदान रजि0 दो सहित / पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा मॉग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री कन्हैया सिंह से रु0 1238000 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-59 क्षेत्र पंचायत फतहपुर मण्डाव में वर्ष 2013-14 में अनुदान रजि0 तृतीय के अनुसार अनुदान खातों में अर्जित ब्याज दिनांक 31.03.14 को अवशेष रु 830469 दर्शित था। जबकि शासनादेश संख्या -1/22/10-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.12 के प्रस्तर 3 के अनुसार ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार में नियमित जमा कराया जाना चाहिये। इस प्रकार रु 830469 ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा न कर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार/कैशियर श्री कन्हैया सिंह द्वारा अनियमितता बरती गयी है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-60 क्षेत्र पंचायत फतहपुर मण्डाव में वर्ष 2013-14 में अनुदान रजि0 तृतीय के अनुसार मनरेगा अनुदान खाते में अर्जित ब्याज दिनांक 31.03.14 को अवशेष रु 395439 दर्शित था। जबकि शासनादेश संख्या -1/22/10-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.12 के प्रस्तर 3 के अनुसार ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार में नियमित जमा कराया जाना चाहिये। इस प्रकार रु 395439 ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा न कर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार / कैशियर श्री कन्हैया सिंह द्वारा अनियमितता बरती गयी है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत फतहपुर मण्डाव के वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर संख्या-61 लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में अनुदान रजि0 तृतीय के अनुसार के अनुसार पेयजल प्रशिक्षण अनुदान मद से रु0 18000 व्यय दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख/ पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा मॉग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में

प्रस्तर संख्या –74 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में अनुदान रजि0 तृतीय के अनुसार के अनुसार मनरेगा कटिजेंसी अनुदान मद से कुल रु0 541591 भुगतान दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख/ पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा माँग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री शिवमंगल सिंह से रु0 541591 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या –75 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में अनुदान रजि0 तृतीय के अनुसार मनरेगा निर्माण कार्य (कार्यदायी संस्था) अनुदान मद से कुल रु0 1560 भुगतान दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख/ पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा माँग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री शिवमंगल सिंह से रु0 1560 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या –76 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में अनुदान रजि0 तृतीय के अनुसार मनरेगा मानदेय अनुदान मद से कुल रु0 4322650 भुगतान दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख/ पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा माँग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री शिवमंगल सिंह से रु0 4322650 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या –77 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में अनुदान रजि0 तृतीय के अनुसार पंचायत चुनाव में जमानत धनराशि मद से कुल रु0 1784950 भुगतान दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख/ पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा माँग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री शिवमंगल सिंह से रु0 1784950 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या –78 लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त/तेरहवों वित्त व मनरेगा निर्माण कार्य, मनरेगा कटीजेंसी इत्यादि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख जैसे गांट रजि0 1, 2 एवं तीन प्रस्तुत न होने के कारण व प्रिया साफ्ट की भी फिडिंग न होने के कारण इन अनुदान मदों के आय व्यय का विवरण तैयार नहीं किया जा सका। पत्र द्वारा बार बार माँग करने के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही पत्रावलीयों भी देखने को नहीं मिली। जाँचोपरान्त वर्ष में व्यय समस्त धनराशियों की वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, एवं लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत न करने हेतु लेखाकार श्री शिवमंगल सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –79 लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में अनुदान रजि0 तृतीय के अनुसार के अनुसार पेयजल प्रशिक्षण अनुदान मद से रु0 20000 व्यय दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख/ पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा माँग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री शिवमंगल सिंह से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या –80 लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में अनुदान रजि0 तृतीय के अनुसार मनरेगा ब्याज मद से कुल रु0 180453 भुगतान दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख/ पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा माँग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री शिवमंगल सिंह से रु0 180453 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या –81 लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में अनुदान रजि0 तीन के अनुसार मनरेगा मानदेय अनुदान मद से कुल रु0 5879781 भुगतान दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख, अनुदान रजि0 दो सहित/पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा माँग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री शिवमंगल सिंह से रु0 5879781 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या –82 लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में अनुदान रजि0 तीन के अनुसार नव युवक मंगल दल अनुदान मद से कुल रु0 16000 व्यय दर्शित है, किन्तु व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में समस्त अपेक्षित अभिलेख, अनुदान रजि0 दो सहित / पत्रावलियों बार-बार पत्र द्वारा माँग के बाद भी अप्रस्तुत रही। फलस्वरूप अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री शिवमंगल सिंह से रु0 16000 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या –83 क्षेत्र पंचायत फतहपुर मण्डव में वर्ष 2016-17 में अनुदान रजि0 तृतीय के अनुसार मनरेगा अनुदान खाते में अर्जित ब्याज दिनांक 31.03.17 को अवशेष रु 397893 दर्शित था। जबकि शासनादेश संख्या -1/22/10-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.12 के प्रस्तर 3 के अनुसार ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार में नियमित जमा कराया जाना चाहिये। इस प्रकार रु 397893 ब्याज की धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा न कर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार/कैशियर श्री शिवमंगल सिंह द्वारा अनियमितता बरती गयी है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत-रानीपुर

प्रस्तर संख्या –84 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में डीजल व्यय धनराशि के सदुपयोग की वास्तविक स्थिति अस्पष्ट रही, इस मद से सरकारी वाहन व जनरेटर इत्यादि के चलाने हेतु डीजल कय पर रु0 88585 धनराशि व्यय की गयी है किन्तु लेखा परीक्षा में डीजल व्यय व उपयोग से सम्बन्धित लागबुक प्रस्तुत नहीं रही। इस प्रकार कुल रु0 88585 धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार/कैशियर श्री प्रभुनाथ सिंह तथा श्री इरशाद अहमद उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	चेक सं0	दिनांक	धनराशि	व्यय मद
1	744770	25.04.17	15100	डीजल कय
2	744780	01.05.17	11600	डीजल कय
3	748244	15.06.17	15661	डीजल कय
4	748247	27.07.17	12990	डीजल कय

5	750964	07.12.17	16100	डीजल कय
6	750968	02.02.18	17134	डीजल कय
योग			88585	

प्रस्तर संख्या-85—आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में सांसद निधि मद से सम्बन्धित शासनादेश व सरकुलर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, फलस्वरूप व्यय धनराशि के सदुपयोग की वास्तविक स्थिति अस्पष्ट रही, इस मद से दिनांक (अप्राप्त) चेक संख्या (अप्राप्त) द्वारा मे0 आर0 बी0 इलेक्ट्रिकल्स, आजमगढ़ से रु0 297680 का हाई मास्ट लाइट क्रय किया गया है जिसका वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा इस प्रकार कुल रु0 297680 धनराशि की हाई मास्ट लाइट क्रय कर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार/कैशियर श्री इरशाद अहमद से रु0 297680 की समान अंशों में ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-86—आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में कतिपय ग्राम पंचायतों में ऑगनबाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु कुल रु0 600000 व्यय किया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से उक्त भुगतान अवास्तविक पाया गया। अतः रु0 600000 के भुगतान को अपहरण मानते हुये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री इरशाद अहमद से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्नवत है—

क्र0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
1	19.03.18	750972	200000	ऑगनबाड़ी केन्द्र निर्माण
2	21.03.18	750973	200000	_____ " _____
3	24.03.18	750975	200000	_____ " _____
योग			600000	

प्रस्तर संख्या-87—लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रजि0 तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों की अनुदान को बैंक में रखने से प्राप्त ब्याज की संकलित धनराशि रु0 664428 जो बैंक खातों में अवशेष के रूप में पड़ी है। उक्त के सम्बन्ध में सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश सं0 -10/2015/1-1-502/दस-2015-10(33) 2010 दि0 29 मई के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर शासकीय आय होगी तथा इसे राजकीय कोषागार में जमा किया जायेगा। परन्तु आलोच्य वर्ष में इसका अनुपालन न कर अनियमितता की गयी। इस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री इरशाद अहमद उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-88—उपरोक्त में से क्रमांक 5 पर अंकित आयकर/व्यापार कर की धनराशि रु0 122325 माह मार्च 2018 को अवशेष है। मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश सं0- बी0-1-1197/दस-99 दि0 30.03.1999 के अनुसार दि0 31.03.18 को अवशेष अनुदान सम्बन्धित अनुदानदाता संस्था को वापस किया जायेगा, परन्तु ऐसा न कर रु0 122325 की वित्तीय अनियमितता की गयी। इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री इरशाद अहमद उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-89—अनुदान रजि0 तृतीय के निम्नांकित विवरणानुसार रु0 9253485 दि0 31.03.18 को बैंक खातों में अवशेष पड़ा है—

क्रम सं0	शीर्ष	अवशेष अनुदान
1	राज्य वित्त आयोग	5214231
2	इन्दिरा आवास कण्टिजेन्सी मद	981397
3	बायोगैस	13203
4	ऑगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	2467206
5	विधायक निधि	182929
7	सांसद निधि	355897
8	12 वॉ/13 वॉ वित्त	15551
9	निःशुल्क बोरिंग अनुदान मद	13375
10	जनसूचना से प्राप्त	216
11	आर्थिक गणना	1480
13	गोष्ठी	8000
योग —		9253485

अनुदान के विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत में प्रतिवर्ष अनुदान की धनराशि अवशेष चली आ रही है, जो शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है। समयान्तर्गत अनुदान का उपभोग न करने से अनावश्यक बजट बढ़ जाता है तथा कार्य अवरुद्ध होता है। यह भी देखने में आया कि वर्षान्त में अनुदान की अवशेष धनराशि कुछ मदों में यथावत चली आ रही है जैसे बायोगैस रु0 13203 व बारहवॉ/तेरहवॉ वित्त रु0 15551, निःशुल्क बोरिंग अनुदान(मज0) रु0 13375, जनसूचना से प्राप्त रु0 216, आर्थिक गणना रु0 1480 व गोष्ठी हेतु रु0 8000 इत्यादि। इस प्रकार दिनांक 31.03.18 को अवशेष अनुदान की धनराशि रु0 9253485 को प्राप्त अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप उपयोगित न कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री इरशाद अहमद उत्तरदायी हैं, धनराशि के उपयोग न हो पाने की स्थिति में अवशेष अनुदान को शासन को नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत – परदहॉ(2014-15 से 2016-17)

प्रस्तर संख्या-90— आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार अनुदान के रूप में धनराशि रु0 4063010⁹³ अवशेष एवं अनुपयोगी पड़ी हुई है, वित्तीय वर्षों हेतु प्राप्त अनुदान का उपभोग उन्हीं वित्तीय वर्षों में कर लिया जाना चाहिए था यदि किसी अपरिहार्य कारणों से उन वित्तीय वर्षों में अनुदान का समुचित उपभोग न किया जा सके तो आगामी वर्षों के उपभोग हेतु महालेखाकार की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी अथवा सम्बन्धित विभागों को वापस कर दी जानी चाहिए थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अनुदान की एक लम्बी धनराशि अप्रयुक्त रहने के कारण क्षेत्र के विकास की गति प्रभावित रही है, तथा क्षेत्र की जनता को उससे मिलने वाले लाभों में विलम्ब के साथ साथ क्षेत्र के निर्धन/मजदूर वर्ग के लोगों को भी रोजगार के अवसरों को पूरा करने में क्षेत्र पंचायत अनुदान के समसामयिक उपभोग में सक्षम नहीं है तो अनुदान की धनराशि सम्बन्धित विभागों को वापस कर दी जानी चाहिए। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	मद	धनराशि
1.	राज्य वित्त आयोग	3011967
2.	13 वॉ वित्त आयोग	12532
3.	बायोगैस	40380
4.	संगणना	450
5.	बी0पी0एल0 सर्वे मानदेय	1632
6.	युवक/महिला संगठन प्रोत्साहन दल	39276
7.	विधायक निधि	3062
8.	ब्याज	696601.93
9.	जनसहभागिता	250
10.	आयकर राज्य वित्त आयोग	46936
11.	आयकर 13 वॉ वित्त आयोग	2047
12.	इंदिरा आवास/ प्रधानमंत्री आवास प्रशासनिक मद	96719
13.	ऑगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	69034
14.	बिक्री कर राज्य वित्त आयोग	31678
15.	ऑगनबाड़ी केन्द्र आयकर कटौती	446
16.	जमानत धनराशि	10000
17.	योग	4063010.93

प्रस्तर संख्या-91—आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में रु0 2588857 व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों की पत्रावली बार बार मॉगने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन लेखाकार व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	व्यय विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	चेक सं0 व दिनांक	धनराशि
1.	ग्राम पंचा0 डुमराव में श्यामनारायन के घर से हवलदार के घर तक नाली निर्माण	श्री विनोद कुमार पाण्डेय एडीओ आई एस बी	999877 / 24.09.14	75950
		मे0 विजय पाल सिंह ईट भट्टा ओन्हाईच	999878 / 24.09.14	159365
				इंकम टैक्स .3652
		बबलू इण्टर प्राइजेज रस्तीपुर	999879 / 24.09.14	106651

				इंकम टैक्स .2444
2.	ताजपुर में राजेन्द्र के मड़ई से गड़ही तक नाला निर्माण	मे0 जीत बहादुर सिंह ईट भट्टा मिर्जापुर मऊ	999880 / 22.10.14	124585
3.	ग्राम सभा बभनी कोल में शिव यादव के घर से नदी तक कवर नाली निर्माण	श्री विनोद कुमार पाण्डेय एडीओ आई एस बी	001089 / 10.11.14	30622
		मे0 सुफियान ईट भट्टा सिगाड़ी मऊ	001090 / 10.11.14	50652
				इंकम टैक्स .1161
		बबलू इण्टर प्राइजेज रस्तीपुर	001051 / 10.11.14	65317
				इंकम टैक्स .1497
4.	ताजपुर में चन्द्रभान के घर से गड़ही तक नाला निर्माण	देवेन्द्र कुमार एडीओ को0	7756 / 03.08.15	5131
		मे0 जीत बहादुर सिंह ईट भट्टा मिर्जापुर मऊ	7757 / 03.08.15	381
5.	ऑगनबाड़ी केन्द्र निर्माण ताजपुर पतिला	मे0 जीत बहादुर सिंह ईट भट्टा मिर्जापुर मऊ	698510 / 22.08.15	97286
				इंकम टैक्स .2229
		बबलू इण्टर प्राइजेज रस्तीपुर	698511 / 27.08.15	60870
		बबलू इण्टर प्राइजेज रस्तीपुर	966701 / 18.12.15	60870
		मे0 जीत बहादुर सिंह ईट भट्टा मिर्जापुर मऊ	966703 / 18.12.15	15695
		सत्य प्रकाश यादव ए0डी0ओ0 (एस0टी0)	966705 / 28.06.16	119768
6.	सामग्री क्रय हेतु टेण्डर का भुगतान	ज्ञान मण्डल दल लि0 वाराणसी	1112 / 22.11.14	12150
7.	ब्लाख प्रमुख श्रीमती कमली देवी का मानदेय 11 / 13 से 11 / 14 तक	श्रीमती कमली देवी	007706 / 12.12.14	87000
8.	टेण्डर प्रकाशन हेतु भुगतान	ज्ञान मण्डल दल लि0 वाराणसी	007720 / 11.02.15	9720
9.	क्षेत्र पंचायत में बैठक हेतु सदस्यों को मानदेय	श्री छोटेलाल कन्नौजिया स0ले0	007728 / 25.03.15	55500
10.	ब्लाख प्रमुख मानदेय 12 / 14 से 12 / 15 तक	---	10274 / 06.01.16	91000
11.	क्षेत्र पंचायत में बैठक हेतु सदस्यों को मानदेय	श्री छोटेलाल कन्नौजिया स0ले0	10275 / 27.01.16	52500
12.	ताजपुर पतिला में पिच सड़क से नखडू पास की के घर तक मिट्टी व खड़ण्जा कार्य	मजदूरी हेतु अवधेश सिंह	010276 / 24.02.16	7245
		एडीओपी		
		सरिता ईट उद्योग डुमराँव	010277 / 24.02.16	26487
				इंकम टैक्स .607
13.	पिपरीडीह में पिच सड़क से के0एम0के0 इण्टर कालेज तक मिट्टी व खड़ण्जा	मजदूरी हेतु अवधेश सिंह	010278 / 24.02.16	12075
		एडीओपी		
		सरिता ईट उद्योग डुमराँव	010279 / 24.02.16	46125
				इंकम टैक्स

				.1057
14.	पिपरीडीह में पिच सड़क से केदार सिंह के घर तक मिट्टी व खड़प्पा	मजदूरी हेतु अवधेश सिंह एडीओपी	010280 / 24.02.16	36708
		सरिता ईट उद्योग डुमराँव	010281 / 24.02.16	90311
				इकम टैक्स .2069
15.	ताजपुरपतिला में रामजनम के खेत से प्यारे यादव के घर तक खड़प्पा निर्माण	मजदूरी हेतु अवधेश सिंह एडीओपी	010282 / 24.02.16	24633
		सरिता ईट उद्योग डुमराँव	010283 / 24.02.16	70915
				इकम टैक्स .1625
16.	मिट्टी व खड़प्पा निर्माण कार्य	मजदूरी हेतु अवधेश सिंह एडीओपी	010284 / 24.02.16	35581
		सरिता ईट उद्योग डुमराँव	010285 / 24.02.16	63642
				इकम टैक्स .1458
17.	ओन्हाईच में रामजनम चौहान के घर से नन्हकू चौहान के घर तक खड़प्पा मरम्मत कार्य	देवेन्द्र कुमार एडीओ सीओ	010286 / 24.02.16	34536
		सरिता ईट उद्योग डुमराँव	010287 / 24.02.16	62524
				इकम टैक्स .1434
18.	ओन्हाईच में अम्बिका के खेत से सुरेश राम के घर तक मिट्टी व खड़प्पा कार्य	देवेन्द्र कुमार एडीओ सीओ	010288 / 24.02.16	17927
		सरिता ईट उद्योग डुमराँव	010289 / 24.02.16	54853
				इकम टैक्स .1257
19.	ताजपुरपतिला में रामकरन के घर से दुर्गा के घर तक मिट्टी व खड़प्पा निर्माण	देवेन्द्र कुमार एडीओ सीओ	010290 / 24.02.16	22083
		सरिता ईट उद्योग डुमराँव	010291 / 24.02.16	61581
				इकम टैक्स .1411
20.	नसीरपुर में सुबाष राम के खेत से ललउ खों के खेत तक मिट्टी व खड़प्पा कार्य	देवेन्द्र कुमार एडीओ सीओ	010292 / 24.02.16	35289
		सरिता ईट उद्योग डुमराँव	010293 / 24.02.16	64369
				इकम टैक्स .1475
21.	टेण्डर सूचना प्रकाशन हेतु भुगतान	ज्ञान मण्डल दल लि0 वाराणसी	14527 / 31.03.16	10800
			14528 / 31.03.16	17010
			14529 / 31.03.16	14580
			14530 / 31.03.16	8100

			14531 / 31.03.16	7669
22.	डा0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर गोष्ठी हेतु व्यय	---	698505 / 07.05.14	1500
23.	दिनांक 05.02.14 को विकास खण्ड कार्यालय पर दिए गए प्रशिक्षण में व्यय	---	698506 / 14.08.14	10000
24.	क्षेत्र पंचायत की बैठक में दिनांक 19.05.16 को बी0डी0सी0 व प्रधान के मानदेय भुगतान हेतु	दीपक श्रीवास्तव कनिष्ठ सहायक	016330 / 19.05.16	64000
25.	ब्लाख प्रमुख श्रीमती कमली देवी का मानदेय 01 / 16 से 05 / 16 तक	श्रीमती कमली देवी	016331 / 19.05.16	32194
26.	ब्लाख प्रमुख श्रीमती कमली देवी का मानदेय 19 / 05 / 16 से 30 / 05 / 16 तक	श्रीमती कमली देवी	016332 / 21.11.16	37800
27.	इंदिरा आवास प्रशासनिक मद			
28.	ख0वि0अधि0 / जि0वि0अ0 के बोलेरो वाहन सं0 4854 जी 0107 में डीजल	---	9995562 / 01.09.14	26296
29.	अनिल मोर्टर्स वर्क्स मऊ	---	9995563 / 01.09.14	5200
30.	आशुतोष ट्रेडर्स से स्टेशनरी	---	9995564 / 01.09.14	17250
31.	संतोष इलेक्ट्रिकल्स मऊ	---	9995565 / 01.09.14	37700
32.	मे0एस0के0 पाण्डेय एसोसिएट्स गोरखपुर	---	9995566 / 01.09.14	12110
33.	मे0 दूधनाथ विनोद प्रकाश मऊ(पेट्रोल पम्प)	---	9995567 / 28.10.14	27190
34.	लेखाधिकारी कैश बीएसएनएल टीडीएम मऊ	---	9995568 / 28.10.14	5715
35.	दीपक श्रीवास्तव लेखा सहायक	---	9995569 / 20.10.14	2000
36.	मे0 दूधनाथ विनोद प्रकाश मऊ(पेट्रोल पम्प)	---	9995570 / 31.10.14	13630
37.	छोटेलाल कन्नौजिया को कम्प्यूटर मरम्मत हेतु	---	9995571 / 31.10.14	3950
38.	ए0बी0एस0 कन्सल्टेन्सी सर्विस गोरखपुर	---	9995572 / 28.12.15	15743
39.	कम्प्यूटर मानदेय	आनन्द कुमार बडुवा गोदाम	9995573 / 25.06.16	42000
40.	मे0 न्यू0 आदर्श कन्सल्टेशन जहाँगीर को कम्प्यूटर सर्विस हेतु	---	9995576 / 02.09.16	24597
41.	मे0 न्यू0 आदर्श कन्सल्टेशन जहाँगीर को कम्प्यूटर सर्विस हेतु	---	9995577 / 13.10.16	12500
42.	मे0 न्यू0 आदर्श कन्सल्टेशन जहाँगीर को कम्प्यूटर सर्विस हेतु	---	9995572 / 17.11.16	12500
43.	मे0 न्यू0 आदर्श कन्सल्टेशन जहाँगीर को कम्प्यूटर सर्विस हेतु	---	9995579 / 10.12.16	12500
44.	मे0 न्यू0 आदर्श कन्सल्टेशन जहाँगीर को कम्प्यूटर सर्विस हेतु	---	9995580 / 03.02.17	12500
45.	मे0 न्यू0 आदर्श कन्सल्टेशन जहाँगीर को कम्प्यूटर सर्विस हेतु	---	029081 / 08.03.17	12500

46.	पेयजल/जे0ई0 (दिमागी बुखार)			
47.	स्वच्छता जागरूकता अभियान पर व्यय प्रशिक्षण	छोटेला कन्नौजिया स0ले0	199561 / 27.07.14	8000
48.	दीमागी बुखार के रोकथाम हेतु कार्यशाला		999574 / 03.08.16	10000
49.	सम्पूर्ण योग			2588857

प्रस्तर संख्या 92- आलेख वर्षों में निर्माण कार्य हेतु विभिन्न संस्थाओं से कुल रु0 2266452 का सामग्री कय किया गया है लेकिन संस्था द्वारा उक्त कुल मूल्य का 4 प्रतिशत वाणिज्य कर की कटौती न कर राजस्व को क्षति पहुँचाई गयी है, जो राजकीय राजस्व का दुरुपयोग है, इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। अतः कुल रु0 2266452 का 4 प्रतिशत वाणिज्य कर रु0 90658 की वसूली उपरोक्त जिम्मेदार व्यक्ति से की जानी अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्नवत है -

क्रमांक	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म का नाम	वर्ष	चेक सं0 व दिनांक	सामग्री	धनराशि
1.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (रा0वि0)	14.15	67896 / 16.07.14	सीमेंट	29640
2.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (रा0वि0)	14.15	67899 / 16.07.14	सीमेंट	33002
3.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (रा0वि0)	14.15	999821 / 16.07.14	सीमेंट	98562
4.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (रा0वि0)	14.15	999823 / 16.07.14	सीमेंट	165579
5.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (रा0वि0)	14.15	999825 / 16.07.14	सीमेंट	84916
6.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (रा0वि0)	14.15	001085 / 22.10.14	सीमेंट	42430
7.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (रा0वि0)	14.15	007719 / 05.02.15	सीमेंट	402572
8.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (13 वॉ वि0)	14.15	999829 / 16.07.14	सीमेंट	194458
9.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (13 वॉ वि0)	14.15	999832 / 16.07.14	सीमेंट	13060
10.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (13 वॉ वि0)	14.15	999847 / 08.08.14	सीमेंट	91037
11.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (13 वॉ वि0)	14.15	999850 / 19.08.14	सीमेंट	159540
12.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (13 वॉ वि0)	14.15	999853 / 19.08.14	सीमेंट	104563
13.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (13 वॉ वि0)	14.15	999868 / 06.09.14	सीमेंट	20260
14.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (13 वॉ वि0)	14.15	999871 / 06.09.14	सीमेंट	84260
15.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (13 वॉ वि0)	14.15	999876 / 24.09.14	सीमेंट	65323
16.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (13 वॉ वि0)	14.15	01091 / 10.11.14	सीमेंट	65317
17.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (रा0वि0)	15.16	10266 / 06.11.15	सीमेंट	41532
18.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (रा0वि0)	15.16	10268 / 06.11.15	सीमेंट	34904
19.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (रा0वि0)	15.16	10272 / 06.11.15	सीमेंट	34935
20.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (13 वॉ वि0)	15.16	07758 / 03.08.15	सीमेंट	16275
21.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (13 वॉ वि0)	15.16	007761 / 03.08.15	सीमेंट	28314
22.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (13 वॉ वि0)	15.16	07764 / 03.08.15	सीमेंट	191778
23.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (13 वॉ वि0)	15.16	07767 / 27.08.15	सीमेंट	22393
24.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (13 वॉ वि0)	15.16	07780 / 04.09.15	सीमेंट	42505
25.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (13 वॉ वि0)	15.16	010243 / 10.09.15	सीमेंट	167233

26.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (13 वॉ वि0)	15.16	10266 / 24.02.16	सीमेंट	16966
27.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (13 वॉ वि0)	15.16	10296 / 24.02.16	सीमेंट	17245
28.	मे0 बबलू इण्टरप्राइजेज रस्तीपुर (13 वॉ वि0)	15.16	014523 / 24.02.16	सीमेंट	3853
29.	योग				2266452

प्रस्तर संख्या 93—आलोच्य वर्षों में संस्था द्वारा अनुदान की धनराशियों पर ब्याज अर्जित किया गया है, सचिव उ0प्र0 शासनादेश 10/2015/ए-1-502/दस 2015-10(33)2010 दिनांक 29 मई के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राजकीय आय होगी तथा इसे राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाएगा। परन्तु आलोच्य वर्षों में इसका अनुपालन नहीं किया गया है। दिनांक 31.03.17 को अवशेष ब्याज की धनराशि रु0 696601.93 रोककर गंभीर अनियमितता की गयी है, इसके लिए खण्ड वि0 अधि0 एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। तत्काल कुल रु0 696601.93 राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए।

प्रस्तर संख्या 94—ग्राम सभा कहिनौर में पिच रोड से रामवृक्ष पासवान के घर तक मिट्टी व सोलिंग कार्य कराया गया है, प्रस्तुत मस्टर रोल में कुल 15 मजदूरों द्वारा 22.08.15 से 28.08.15 तक कुल 101 दिन कार्य का रु0 161 की दर से मजदूरी रु0 16261 का भुगतान श्री अवधेश सिंह, ए0डी0ओ0 पंचायत को किया गया है। प्रस्तुत मस्टर रोल पर 5 मजदूरों का नाम अंकित नहीं किया गया है। भुगतान फर्जी किया गया है। उक्त मजदूरों द्वारा 31 दिन कार्य किया जाना मस्टर रोल पर अंकित है, जिसकी मजदूरी 31 ग 161 त्र 4991 रु0 का भुगतान चेक नं0 010244 फर्जी किया गया है। अतः श्री अवधेश सिंह ए0डी0ओ0पं0 से रु0 4991 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या 95—लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में निम्नविवरणानुसार सोलर लाईट कय की गयी है, परन्तु कय नियमों का पालन न करते हुए कय के पूर्व फर्मों से टेण्डर आमंत्रित एवं स्वीकृत नहीं किया गया है, इस प्रकार रु0 1105700 का कय अनियमित रहा। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्नवत है —

क्रमांक	सोलर लाईट की संख्या व विवरण	चेक सं0 व दिनांक	धनराशि
1.	ग्राम पंचा0 कुशमौर में 7 अदद सोलर लाईट	39 / 02.12.16	163450
2.	ग्राम पंचा0 कहिनौर व कुशमौर में 5 अदद सोलर लाईट	37 / 02.12.16	116750
3.	ग्राम पंचा0 कहिनौर व खरगेजपुर में 20 अदद सोलर लाईट	33 / 02.12.16	100000
4.	ग्राम पंचा0 कुशमौर के ग्राम कैथवली में 5 अदद सोलर लाईट	38 / 02.12.16	25000
5.	ग्राम पंचा0 कुशमौर,अहिलाद,मानपुर व पिपरीडीह में 10 अदद सोलर लाईट	354 / 26.03.17	233500
6.	ग्राम पंचा0 अछार,इमिलियाडीह,सरवानसोपुर,ताजोपुर व बढुवागोदाम में 10 अदद सोलर लाईट	355 / 26.03.17	233500
7.	ग्राम पंचा0 रैकवारेडीह,पिपरीडीह,भार,ओन्हाइच,हरपुर,खरगेजपुर व रकौली में 10 अदद सोलर लाईट	356 / 26.03.17	233500
8.	सम्पूर्ण योग		1105700

प्रस्तर संख्या 96—शासनादेश संख्या 4/866/33-2-14 जी0/2004 सी0सी0 दि0 24 जून 2014 के द्वारा जारी निदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि क्षेत्र पंचायत को जो भी धनराशि/ अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है इससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाएं, इसका स्पष्ट उल्लंघन करते हुए निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर कराकर अनुदान राशि का दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं किया गया है, विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि
1.	ग्रा0पं0 मनसडी में बुद्धिराम के घर से हरिनाथ के घर तक नाली निर्माण	04.07.14	43135
2.	ग्रा0पं0 रकौली में हरिन्द्र सिंह के घर से रविन्द्र सिंह के घर तक नाला निर्माण	02.07.14	422692
3.	ग्रा0पं0 रकौली में विरेन्द्र सिंह के घर से रामजीत सिंह के घर तक नाला निर्माण	29.06.14	278062
4.	ग्रा0पं0 ताजपुर में राजेन्द्र के मड़ई से गड़ही तक पक्का नाला निर्माण	08.08.14	264232
5.	ग्रा0पं0 मछलीपुर में बिरजू के घर से देवनाथ के घर तक खड्गजा निर्माण	04.08.14	97499
6.	ग्रा0पं0 रैकवारेडीह में भानु यादव के घर से सुरेन्द्र यादव के घर तक खड्गजा मरम्मत	18.10.14	181144
7.	ग्रा0पं0 खण्डेरायपुर में बसन्त के घर से हरि के घर तक एवं इन्द्रजीत के घर से शिवनाथ के घर तक मिट्टी व खड्गजा मरम्मत	10.10.14	150808

8.	ग्रा0प0 ताजपुरपतिला में देवराम के घर से किशुन के घर तक मिट्टी व खड़ण्जा मरम्मत	07.11.14	217559
9.	ग्रा0प0 परदहों बड़ी रहजनिया में छेद चौहान के घर से गौरी शंकर के घर तक खड़ण्जा मरम्मत	05.11.14	110118
10.	ग्रा0प0 ओन्हाइच में घूरा के घर से बेचू के घर के पास तक मिट्टी व खड़ण्जा मरम्मत	16.04.15	111786
11.	ग्रा0प0 रैकवारेडीह में सुबाष के घर से मोख्तार के घर तक मिट्टी व खड़ण्जा मरम्मत	4.07.15	100395
12.	ग्रा0प0 ताजपुर में राकेश के घर से त्रिभुवन के घर तक मिट्टी व खड़ण्जा मरम्मत	..	102427
13.	सम्पूर्ण योग		2079857

क्षेत्र पंचायत – परदहों वर्ष 2017–18

प्रस्तर संख्या-97—आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार अनुदान के रूप में धनराशि रु 6975757.93 अवशेष एवं अनुपयोगी पड़ी हुई है, वित्तीय वर्षों हेतु प्राप्त अनुदान का उपभोग उन्हीं वित्तीय वर्षों में कर लिया जाना चाहिए था यदि किसी अपरिहार्य कारणों से उन वित्तीय वर्षों में अनुदान का समुचित उपभोग न किया जा सके तो आगामी वर्षों के उपभोग हेतु महालेखाकार की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी अथवा सम्बन्धित विभागों को वापस कर दी जानी चाहिए थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अनुदान की एक लम्बी धनराशि अप्रयुक्त रहने के कारण क्षेत्र के विकास की गति प्रभावित रही है, तथा क्षेत्र की जनता को उससे मिलने वाले लाभों में विलम्ब के साथ साथ क्षेत्र के निर्धन/मजदूर वर्ग के लोगों को भी रोजगार के अवसरों को पूरा करने में क्षेत्र पंचायत अनुदान के समसामयिक उपभोग में सक्षम नहीं है तो अनुदान की धनराशि सम्बन्धित विभागों को वापस कर दी जानी चाहिए। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	विवरण	धनराशि
1.	राज्य वित्त आयोग	5504513
2.	13 वॉ वित्त आयोग	12532
3.	बयोगैस	40380
4.	संगणना	450
5.	बी0पी0एल0 सर्वे मानदेय	1632
6.	युवक/महिला संगठन प्रोत्साहन दल	39914
7.	विधायक निधि	3062
8.	ब्याज	853345.93
9.	जनसहभागिता	250
10.	समूहिक शादी विवाह	64310
11.	आयकर राज्य वित्त आयोग	67676
12.	आयकर 13 वॉ वित्त आयोग	2047
13.	इंदिरा आवास/ प्रधानमंत्री आवास प्रशासनिक मद	274488
14.	ऑगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	69034
15.	बिक्री कर राज्य वित्त आयोग	31678
16.	ऑगनबाड़ी केन्द्र आयकर कटौती	446
17.	जमानत धनराशि	10000
18.	योग	6975757.93

प्रस्तर संख्या 98— आलोच्य वर्षों में संस्था द्वारा अनुदान की धनराशियों पर ब्याज अर्जित किया गया है, सचिव उ0प्र0 शासनादेश 10/2015/ए-1-502/दस 2015-10(33)2010 दिनांक 29 मई के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राजकीय आय होगी तथा इसे राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाएगा। परन्तु आलोच्य वर्षों में इसका अनुपालन नहीं किया गया है। दिनांक 31.03.18 को अवशेष ब्याज की धनराशि रु 853345.93 रोककर गंभीर अनियमितता की गयी है, इसके लिए खण्ड वि0 अधि0 एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। तत्काल कुल रु 853345.93 राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए।

प्रस्तर संख्या 99—शासनादेश संख्या 4/866/33-2-14 जी0/2004 सी0सी0 दि0 24 जून 2014 के द्वारा जारी निदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि क्षेत्र पंचायत को जो भी धनराशि/ अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है इससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाएं, इसका स्पष्ट उल्लंघन करते हुए निम्नलिखित कार्य ग्राम पंचायतों के अन्दर कराकर अनुदान राशि का दुरुपयोग किया गया है। सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं किया गया है, विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि
1.	ग्रा0पं0 कुशमौर में सी0डी0एस0 कोचिंग से अखिलेश यादव के घर तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य	..	64145
2.	ग्रा0पं0 पखईपुर में देवी सिंह के घर से रमाकान्त दूबे के खेत तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य	..	123728
3.	ग्रा0पं0 ओन्हाइच में पतिराम के मड़ई से रामाश्रय विश्वकर्मा के घर तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य	..	94280
4.	ग्रा0पं0 बगली में विनोदपुर ग्रा0पा0 से रामकृत के घर तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य	..	88205
5.	ग्रा0पं0बगली में मिश्री के घर से रमेश राम के घर तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य	..	96235
6.	ग्रा0पं0 बगली में श्री रामकिशुन राम के घर से राजदेव मास्टर के घर तक खड़ण्जा मरम्मत कार्य	..	99320
7.	सम्पूर्ण योग		565913

प्रस्तर संख्या 100—लेखा परीक्षा वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना प्रशासनिक मद पत्रावली की जाँच में पाया गया कि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी की गाड़ी सं0 UP-54/0178 में माह अगस्त 2017 में कुल रु0 **82746** का डीजल व मोबिल मे0 दूधनाथ विनोद प्रकाश मऊ को चेक सं0 029087 दिनांक 12.10.17 को भुगतान डीजल व मोबिल का किया गया है। लेखा परीक्षा में भ्रमण रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट एवं लागबुक बार बार मौखिक व लिखित माँगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री वी0वी0 सिंह एवं लेखाकार श्री जयनाथ प्रसाद द्वारा राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसकी वसूली सम्बन्धित से ब्याज सहित अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। व्यय विवरण निम्नवत है —

क्रमांक	दिनांक	डीजल/ मोबिल की मात्रा
1.	02-08-17	58 लीटर
2.	04-08-17	108 लीटर
3.	06-08-17	58 लीटर / 1 लीटर मोबिल
4.	07-08-17	135 लीटर
5.	08-08-17	58 लीटर
6.	10-08-17	58 लीटर
7.	12-08-17	118 लीटर
8.	14-08-17	58 लीटर / 1 लीटर मोबिल
9.	16-08-17	57 लीटर / 1 लीटर मोबिल
10.	17-08-17	58 लीटर
11.	18-08-17	134 लीटर / 1 लीटर मोबिल
12.	19-08-17	58 लीटर

13.	21-08-17	118 लीटर
14.	22-08-17	58 लीटर / 1 लीटर मोबिल
15.	24-08-17	88 लीटर
16.	26-08-17	58 लीटर
17.	28-08-17	57 लीटर
18.	31-08-17	58 लीटर / 1 लीटर मोबिल

क्षेत्र पंचायत – कोपागंज

प्रस्तर संख्या 101 – निम्नविवरणानुसार वर्ष 2017-18 के दौरान कुल रु0 134262 का टी0डी0एस0 की कटौती की गई है, परन्तु इसे सम्बन्धित राजकीय मद में जमा न कर अनियमितता बरती गयी है, जिस हेतु खण्ड विकास अधि0 श्री विजय शंकर राय व लेखाकार श्री उमेश चन्द्र राय जिम्मेदार रहे, आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। टी0डी0एस0 कटौती का विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	बाउचर संख्या व दिनांक	टी0डी0एस0 कटौती की धनराशि
1.	28 / 20.05.17	11160
2.	29 / 23.05.17	8905
3.	30 / 21.05.17	6052
4.	38 / 22.05.17	7920
5.	39 / 18.07.17	2495
6.	41 / 10.07.17	3146
7.	40 / 04.07.17	4066
8.	65 / 18.07.17	2329
9.	66 / 18.07.17	1665
10.	21.07.17	3200
11.	22.07.17	1485
12.	45 / 20.08.17	2888
13.	46 / 25.08.17	3630
14.	47 / 22.08.17	6200
15.	48 / 22.08.17	3628
16.	49 / 26.09.17	2480
17.	50 / 26.09.17	1910
18.	51 / 28.08.17	2352
19.	52 / 30.08.17	884
20.	825 / 28.08.17	3178
21.	549 / 28.08.17	1913

22.	53 / 12.09.17	2770
23.	57 / 07.09.17	1636
24.	151 / 15.09.17	3320
25.	524 / 08.09.17	1177
26.	10.09.17	5000
27.	602 / 08.09.17	2330
28.	97 / 08.09.17	2490
29.	118 / 10.11.17	6448
30.	119 / 132.11.17	6592
31.	120 / 12.11.17	6448
32.	121 / 14.11.17	6460
33.	122 / 18.11.17	6200
34.	123 / 22.11.17	5090
35.	124 / 25.11.17	2480
36.	125 / 30.11.17	1498
37.	77 / 08.01.18	10518
38.	88 / 12.01.18	8530
39.	86 / 12.01.18	6548
40.	85 / 06.01.18	4266
41.	78 / 23.01.18	7936
42.	81 / 27.01.18	7440
43.	82 / 09.02.18	6540
44.	योग	134262

प्रस्तर संख्या 102 – निम्न विवरणानुसार जीप व जनरेटर के मरम्मत एवं डीजल पर व्यय किया गया है – मद का नाम मनरेगा मानदेय/कंटीजेंसी

क्रमांक	G.R. 2 P.NO.	चेक सं० व दिनांक	धनराशि	विवरण
1.	11	796930 / 19.06.17	19124	में० साई कृषक सेवा केन्द्र सहरोज को डीजल आपूर्ति बिल का भुगतान
2.	11	796932 / 19.07.17	4566	में० साई कृषक सेवा केन्द्र सहरोज को डीजल आपूर्ति बिल का भुगतान
3.	12	796943 / 22.09.17	5588	में० साई कृषक सेवा केन्द्र सहरोज को डीजल आपूर्ति बिल का भुगतान
4.	14	220861 / 15.01.18	11970	शासकीय जीप सं० यूपी-54@जी 179 के मरम्मत हेतु में० अनिल मोटर वर्क्स सहादतपुरा को भुगतान
5.	15	220863 / 15.01.18	5605	शासकीय जीप सं० यूपी-54@जी 179 के मरम्मत हेतु में० मारुती

				आटो वर्क्स गालिबपुर को भुगतान
6.	15	220864 / 15.01.18	2200	शासकीय जीप सं० यूपी-54@जी 179 के मरम्मत हेतु श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता सं०ले०/म०लि० को भुगतान
7.	16	798555 / 20.03.18	31226	मैं० साई कृषक सेवा केन्द्र सहरोज को डीजल आपूर्ति बिल का भुगतान

मद का नाम-ईदिरा आवास कंटेनर

8.	27	220525 / 17.11.17	16832	मैं० साई कृषक सेवा केन्द्र सहरोज को डीजल आपूर्ति शासकीय जीप एवं जनरेटर हेतु
		योग	97111	

उक्त व्ययों की पुष्टि में जनरेटर एवं जीप की लागबुक लेखा परीक्षा में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। लागबुक के अभाव में डीजल,मोबिल एवं मरम्मत पर किया गया व्यय दुरुपयोगित है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय शंकर राय व लेखाकार श्री उमेश चन्द्र राय उत्तरदायी रहे। सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-103 शासनादेश सं० ए-1-122/10-2012(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में जमा किया जाता है और ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज सस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राज्य कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार उक्त आदेश का उल्लंघन शासनादेश के विपरीत है। ग्राण्ट रजि० के अनुसार दिनांक 31.03.18 को ब्याज मद में रु० 1095761 पड़ी हुई है। इस प्रकार उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए धनराशि रु० 1095761 को अनियमित रूप से रोककर रखा गया है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-104 दिनांक 31.03.18 को अनुदान पंजि० तृतीय पर अंकित विवरण के अनुसार कुल रु० 10630384 क्षेत्रनिधि की धनराशि अवशेष दर्शित है जो विगत वर्षों से दर्शित की जा रही है, नियमानुसार जिस वर्ष हेतु अनुदान की धनराशि प्राप्त हुई है, उसका उपभोग उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक कर लिया जाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित विभागों को वापस कर देना चाहिए, जो नहीं किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में बिना महालेखाकार की अनुमति के अनियमित रूप से व्यय दर्शित कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि का समय से सदुपयोग न कर विकास कार्यों को बाधित किया गया है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत-दोहरीघाट

प्रस्तर संख्या-105 -क्षेत्र पंचायत दोहरीघाट के वर्ष 2017-18 की राज्य वित्त की निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच में प्रकाश में आया कि विभिन्न निर्माण कार्यों पर कुल 3433 घन मी० मिट्टी बाहर से लाकर डाली गई है तथा मिट्टी दुलाई और आपूर्तिकर्ता फर्म के प्रस्तुत बिलों एन० ईट मट्टा को पूरा का पूरा भुगतान कर दिया गया है। मिट्टी खनन की रायल्टी 3066 प्रति घन मीटर की दर से काटकर अवशेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए, जबकि ऐसा न कर (3433'30)=102990.00 रु० से अपने चहेते फर्म को लाभ पहुँचाया गया है, तथा राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	मिट्टी घन मी०
1.	सिसवा में भोला के खेत से मुस्लिम बस्ती तक खड़ण्जा मरम्मत	452 घन मी०
2.	फरसराबुजुर्ग में मोती के खेत से राजेश के खेत तक खड़ण्जा मरम्मत	367 घन मी०
3.	नुरुल्लाह में सुदामा के खेत से मुन्ना के खेत तक खड़ण्जा मरम्मत	459 घन मी०
4.	फरसराखुर्द में श्रीकृष्ण के खेत से जनार्दन के खेत तक खड़ण्जा मरम्मत	367 घन मी०
5.	शक्करपुर में रामायन के खेत से काली स्थान तक खड़ण्जा मरम्मत	236 घन मी०
6.	शक्करपुर में तीर्थराज के खेत से नहर तक खड़ण्जा मरम्मत	550 घन मी०
7.	कादीपुर में उदयमान के खेत से रामशब्द के खेत तक खड़ण्जा मरम्मत	367 घन मी०
8.	सीकड़ी कोल में नहर से बहादुर के खेत तक खड़ण्जा मरम्मत	361 घन मी०
9.	मीरपुर में दीपचन्द के खेत से रामकिशुन के खेत तक खड़ण्जा मरम्मत	274 घन मी०
10.	योग	3433 घन मी०

अतः रु० 102990.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शास्त्री जी दूबे व लेखाकार श्री लल्लन राय से करते हुए मिट्टी खनन की रायल्टी जिला पंचायत के खनन विभाग के शीर्ष में जमा कराया जाना चाहिए। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या -106 -क्षेत्र पंचायत दोहरीघाट के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि राज्य वित्त की योजना से कराये गए कार्यों पर शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। जैसे शासनादेश सं० 5038/ग-3337/47/ पंचा० राज अनु०-03 दिनांक 11-07-1973 यथा संशोधित शासनादेश सं०ए 1 864(1) दस 2008-15(1)दिनांक 23-09 2008 के अनुसार रु० एक लाख से अधिक कय या भुगतान पर टेण्डर की कार्यवाही की जायेगी। सभी निर्माण कार्यों की तीन स्तर की फोटोग्राफी की जायेगी तथा कार्यस्थल पर शाईन बोर्ड लगाया जायेगा। परन्तु क्षेत्र पंचायत दोहरीघाट के राज्य वित्त योजना से कराये गए कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि टेण्डर की सभी कार्यवाही काल्पनिक की गयी है, तथा किसी भी निर्माण कार्य पत्रावली में तीनों स्तर की न तो फोटोग्राफी है और न ही शाईन बोर्ड लगाया गया है। इस प्रकार रु० 2650037 की सामग्री कय की वित्तीय अनियमितता की गई

है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधि० व लेखाकार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्नवत है—

क्रम सं०	कार्य का नाम	कय सामग्री	धनराशि
1.	मीरपुर में दीपचन्द के खेत से रामकिशुन के खेत तक खड़ण्जा मरम्मत	ईट	206711
2.	कादीपुर में उदयमान के खेत से रामशब्द के खेत तक खड़ण्जा मरम्मत	ईट	300273
3.	भैंसाखरग में भेला चौक से मस्जिद तक नाली मरम्मत कार्य	सीमेण्ट, बालू व ईट	124148
4.	सीकड़ी कोल में नहर से बहादुर के खेत तक खड़ण्जा मरम्मत	ईट	218090
5.	फरसराखुर्द में श्रीकृष्ण के खेत से जनार्दन के खेत तक खड़ण्जा मरम्मत	ईट	218090
6.	फरसराबुजुर्ग में मोती के खेत से राजेश के खेत तक खड़ण्जा मरम्मत	ईट	218090
7.	सिसवा में भोला के खेत से मुस्लिम बस्ती तक खड़ण्जा मरम्मत	ईट	272340
8.	नुरुल्लाह में सुदामा के खेत से मुन्ना के खेत तक खड़ण्जा मरम्मत	ईट	272340
9.	शक्करपुर में तीर्थराज के खेत से नहर तक खड़ण्जा मरम्मत	ईट	362849
10.	शक्करपुर में रामायन के खेत से काली स्थान तक खड़ण्जा मरम्मत	ईट	193790
11.	पिड़सुई अहिलासपुर में भोला के घर से प्राथमिक वि० तक नाली निर्माण	ईट	143279
12.	पिड़सुई अहिलासपुर में भोला के घर से प्राथमिक वि० तक नाली निर्माण	सीमेण्ट व बालू	120037
13.	योग	ईट	2650037

प्रस्तर संख्या—107—लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों के अनुदान की राशि जो बैंक खातों में आयी है उस पर वर्ष में कुल रु० 227001.00 ब्याज की प्राप्ति हुई है, जो कि बैंक खाते में पड़ी है। सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10 (33) 2010 दिनांक 29 मई के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर शासकीय आय होगी तथा इसे राजकोष में जमा किया जायेगा। परन्तु आलोच्य वर्ष में इसका अनुपालन न कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवव्रत चतुर्वेदी एवं लेखाकार श्री जयनाथ प्रसाद उत्तरदायी हैं। अपेक्षित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या —108—लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय के अनुसार निम्नांकित विवरणानुसार रु० 8760056.00 विभिन्न खातों में दिनांक 31.03.2018 को अवशेष बैंक खातों में पड़ी है।

क्रम सं०	शीर्ष	अवशेष अनुदान
1.	मनरेगा कन्टीजेंसी	1520880
2.	राज्य वित्त	5369308
3.	इंदिरा आवास कंटेजेंसी	779773
4.	तेरहवों वित्त	234572
5.	ऑगनबाड़ी	800000
6.	बायोगैस	55523
7.	योग	8760056.00

मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-बी०-1-1197/दस-99 दिनांक 30.03.1999 के अनुसार वर्षान्त में अवशेष अनुदान सम्बन्धित अनुदानदाता संस्था को वापस किया जायेगा, परन्तु ऐसा न कर रु० 8760056.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवव्रत चतुर्वेदी एवं लेखाकार श्री जयनाथ प्रसाद उत्तरदायी हैं। अपेक्षित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या —109—आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से निर्माण कार्यों हेतु सामग्री बिलों के आपूर्ति के बिलों के स्रोत पर आयकर 2 प्रतिशत तथा व्यापार कर 4 प्रतिशत कटौती करके ही भुगतान किया जायेगा तथा कटौती की धनराशि को लेखाशीर्ष "0021"में जमा कराया जायेगा। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत समस्त निर्माण कार्य सम्बन्धी बिलों की जाँच में नियमानुसार कटौती पायी गयी किन्तु कटौती की धनराशि रु० 47368.00 आयकर तथा रु० 83322.00 व्यापार कर कुल रु० 130690.00 वित्तीय वर्ष के अन्दर सम्बन्धित शीर्ष में जमा न कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री देवव्रत चतुर्वेदी एवं लेखाकार श्री जयनाथ प्रसाद उत्तरदायी हैं। अपेक्षित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत — घोसी

प्रस्तर संख्या —110—लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मनरेगा कन्टीजेंसी सम्बन्धी ग्राण्ट रजिस्टर-2 के निम्नांकित विवरणानुसार रु० 69062.00 का भुगतान कय सामग्री के मूल्य के रूप में किया गया है। जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा में केवल सेल इन्वाइस ही प्रस्तुत पायी गयी है।

सामग्री कय किए जाने सम्बन्धी माँग पत्र, सक्षम अधिकारी से स्वीकृति आदेश उपरान्त कोटेशन/टेण्डर प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए निम्नतम दर पर उच्चतम गुणवत्ता की सामग्री खरीद सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं पाया गया है। इस प्रकार नियम विरुद्ध खरीददारी कर रु० 69062.00 की गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रामनगीना यादव व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है—

क्रम सं०	चेक सं०	दिनांक	धनराशि	सामग्री
1.	887626	08.05.2017	24800.00	ए०सी० कय
2.	887621	08.05.2017	9695.00	स्टेशनरी कय
3.	887647	01.08.2017	9395.00	स्टेशनरी कय
4.	285976	06.11.2017	8595.00	स्टेशनरी कय
5.	541762	05.12.2017	9707.00	स्टेशनरी कय
6.	541778	13.02.2018	6870.00	स्टेशनरी कय
7.		योग	69062.00	

प्रस्तर संख्या-111—लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मनरेगा कन्टीजेन्सी सम्बन्धी ग्राण्ट रजिस्टर-2 के निम्नांकित विवरणानुसार रु0 54000.00 का भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख, व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। डेड स्टॉक रजिस्टर से भी सामग्री कय की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बिना सामग्री कय किए ही काल्पनिक कय पर भुगतान दर्शाकर रु0 54000.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रामनगीना यादव व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। अपहृत धनराशि की वसूली दोनों से समान रूप से ब्याज सहित किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्नवत है —

क्रम सं0	विवरण	फर्म	चेक सं0	दिनांक	धनराशि
1.	अतिरिक्त कम्प्यूटर	आई0 जॉन कन्सल्टेन्सी	887629	05.05.2017	49000.00
2.	सर्विस चार्ज	आई0 जॉन कन्सल्टेन्सी	541796	12.03.2018	5000.00
3.		योग			54000.00

प्रस्तर संख्या -112—लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मनरेगा कन्टीजेन्सी सम्बन्धी ग्राण्ट रजिस्टर-2 के निम्नांकित विवरणानुसार रु0 104509.00 का भुगतान डीजल कय हेतु घोसी पेट्रोलियम को किया गया है। विवरण निम्नवत है —

क्रम सं0	ईंधन मात्रा	चेक सं0	दिनांक	धनराशि
1.	69 ली0	887620	26.04.2017	4132.00
2.	117 ली0	887623	08.05.2017	10584.00
3.	143 ली0	887639	05.07.2017	8038.00
4.	54 ली0	887648	01.08.2017	4704.00
5.	54 ली0	285953	04.09.2017	3076.00
6.	139 ली0	285966	05.10.2017	8331.00
7.	353 ली0	885974	06.11.2017	20836.00
8.	212 ली0	541769	12.01.2018	12620.00
9.	343 ली0	541777	13.02.2018	21093.00
10.	175 ली0	541790	14.04.2018	11095.00
11.		योग		रु0 104509.00

उपरोक्त कय की पुष्टि घोसी पेट्रोलियम के खरीद पर्ची से की गयी है।

परन्तु कय डीजल के उपभोग की पुष्टि के संबंध में क्षे0प0 के जनरेटर व वाहन संबंधी लागबुक को लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रदत्त मौखिक जानकारी के अनुसार लागबुक तैयार ही नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बिना लागबुक तैयार किए ही डीजल कय कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रामनगीना यादव व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-113 —लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ऑगनबाड़ी सम्बन्धी ग्राण्ट रजिस्टर-2 के निम्नांकित विवरणानुसार रु0 1165272.00 का भुगतान ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर प्लास्टर व पेंटिंग आदि कार्यों हेतु किया गया।

क्रम सं0	भुगतान प्राप्तकर्ता	चेक सं0	दिनांक	धनराशि
1.	ग्रा0पं0घोघोवलरामपुर	426896	01.05.2017	200000.00
2.	परमार ट्रेडर्स	426899	05.05.2017	129490.00
3.	साधना ट्रेडर्स	426900	05.05.2017	20000.00
4.	हरिओम ट्रेडर्स	779781	05.05.2017	15782.00
5.	ग्रा0पं0 सद्दोपुर	779782	08.05.2017	200000.00
6.	ग्रा0पं0 माछिल जमीन माछिल	779783	23.09.2017	200000.00
7.	ग्रा0पं0 दौलतपुर	779784	12.03.2017	200000.00
8.	ग्रा0पं0 आदमपुर	779785	12.03.2017	200000.00
9.		योग		रु0 1165272.00

लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान की पुष्टि में कोई बिल बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है। कोई भैतिक रिपोर्ट जिससे यह पुष्ट हो सके कि प्लास्टर आदि कार्य सम्पन्न हो चुका है, लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। इससे स्पष्ट है कि कार्य कराया नहीं गया है, अपितु काल्पनिक भुगतान दर्शाकर समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रामनगीना यादव व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। अपहृत धनराशि की वसूली दोनों से समान रूप से ब्याज सहित किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या -114 —लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त सम्बन्धी ग्राण्ट रजि0 2 के निम्नांकित विवरणानुसार रु0 512556.00 का भुगतान स्ट्रीट लाईट कय हेतु मेसर्स साधना ट्रेडर्स मूंगमास को किया गया है। विवरण निम्नवत है—

क्रम सं0	भुगतान प्राप्तकर्ता	चेक सं0	दिनांक	धनराशि
1.	साधना ट्रेडर्स	350346	15.09.2017	256278.00
2.	साधना ट्रेडर्स	350347	15.09.2017	256278.00
3.		योग		512556.00

स्ट्रीट लाईट कय सम्बन्धी पत्रावली के अवलोकन में निम्नांकित त्रुटियाँ पायी गयी हैं।

1. पत्रावलियों में कार्य के प्रारम्भ, दौरान व पूर्णता पश्चात तीनों स्थितियों के फोटो संलग्न नहीं हैं।
2. कोटेशन/टेण्डर प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया गया है।
3. स्ट्रीट लाईट कय नेडा से न कर निजी फर्म से रिया गया है।
4. एक पत्रावली में केवल एक फोटो संलग्न है, उसी की छाया प्रति दूसरी पत्रावली में संलग्न है।

5. ग्राम पंचायत में इस सम्बन्ध में कोई एनओसी नहीं ली गई है।
इस प्रकार नियमों का अनुपालन नकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री रामनगीना यादव व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -115 — ग्राण्ट रजिस्टर 2 में निम्नांकित विवरणानुसार रु 9261963.00 दिनांक 1.03.18 को बैंक खातों में अन्तिम अवशेष दर्शाया जा रहा है।

क्रम सं०	शीर्ष	अवशेष अनुदान
1.	राज्य वित्त	5548980.00
2.	राज्य वित्त का 10% खाता	142589.00
3.	पीएमवाई कन्टीजेन्सी	50999.00
4.	विधायक निधि	300.00
5.	मुख्यमंत्री शादी अनुदान	247200.00
6.	मनरेगा कन्टीजेन्सी	385805.00
7.	ऑगनबाड़ी केन्द्र	2886090.00
8.	योग	रु 9261963.00

मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-बी०-1-1197/दस-99 दिनांक 30.03.1999 के अनुसार वर्षान्त (31.03.18) में अवशेष अनुदान सम्बन्धित अनुदानदाता संस्था के शीर्ष में वापस किया जायेगा, परन्तु ऐसा न कर रु 9261963.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज वर्मा एवं लेखाकार श्री रामनगीना उत्तरदायी हैं। अपेक्षित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या -116 —लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार विभिन्न मदों के अनुदान की राशि जो बैंक खातों में आयी है उस पर दिनांक 31.03.18 को ब्याज शीर्ष के अन्तर्गत कुल रु 265821.50 की अवशेष दर्शायी जा रही है, जो कि बैंक खाते में पड़ी है।

सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10 (33) 2010 दिनांक 29 मई के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर शासकीय आय होगी तथा इसे राजकीय राजकोष में जमा किया जायेगा। परन्तु आलोच्य वर्ष में इसका अनुपालन न कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज वर्मा एवं लेखाकार श्री रामनगीना उत्तरदायी हैं। अपेक्षित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या -117 —लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार दिनांक 31.03.18 बिक्री कर शीर्ष में रु 54411.00 अन्तिम अवशेष दर्शाया जा रहा है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से निर्माण कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति के बिलों के स्रोत पर आयकर 2 प्रतिशत तथा व्यापार कर 4 प्रतिशत की कटौती कर ही भुगतान किया जायेगा तथा कटौती की धनराशि लेखा शीर्ष "0021" में जमा कराया जायेगा।

लेखा परीक्षा अवधि में उक्त निर्देशों का अनुपालन न कर रु 54411.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा एवं लेखाकार श्री रामनगीना उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या -118 — लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मनरेगा सम्बन्धी व्यय प्रमाणकों की जाँच में पाया गया कि निम्नांकित विवरणानुसार रु 30000.00 जिला विकास अधिकारी मऊ को प्रेषित किया गया है।

क्रम सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि
1.	26.04.2017		887619 10000.00
2.	12.03.2018		541787 20000.00
योग —			30000.00

लेखा परीक्षा में उक्त प्रेषण से सम्बन्धित कोई पत्र या आदेश अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट है कि धनराशि का दुरुपयोग कर लिया गया है, जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार रहे। जिनसे ब्याज सहित वसूली हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रारूप-03
नाम संस्था:- क्षेत्र पंचायत जनपद:- बदायूँ मण्डल :- बरेली

मण्डल का नाम-बरेली जनपद- बदायूँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष -2017-18

जनपद बदायूँ वर्ष -2018-19 में क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा में उद्घाटित अधिभार/गंभीर अनियमितताओं से सम्बन्धित आपत्तियों का विवरण:-

लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12

नाम क्षेत्र पंचायत :- आसफपुर

जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर 1- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान दर्शित करके

धनराशि का अपहरण-

वर्ष 2011-12 में श्रमांश/मस्टर रोल का

भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को निम्नविवरणानुसार किया जाना दर्शित है।

विवरण :- तालिका के अनुसार -

क्रम सं०	नाम कार्य प्रभारी सर्वश्री	दर्शित भुगतान धनराशि
1	देव पाल	113990.00
2	मुनीश कुमार	96330.00
3	गजेन्द्र पाल सिंह	69380.00
4	स्वैराम	46160.00
योग:-		325860.00

उक्त की लेखा परीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये-

क) संलग्न मस्टर रोल में लगे मजदूरो/श्रमिकों के अंगूठों के निशान के प्रथम दृष्टया अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुछ मस्टर रोल में एक ही व्यक्ति व कुछ में दो-तीन व्यक्तियों के अंगूठे लगाकर भुगतान किया/प्राप्त किया गया। कतिपय मस्टर रोल में मजदूरो के हस्ताक्षर मस्टर रोल लेखक/एक ही व्यक्ति की हस्तलिपि के ही प्रतीत हो रहे हैं।

ख) संलग्न मस्टर रोल में क्रमांक के साथ तिथि अंकित नहीं थी। फलतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि मस्टर रोल किन तिथियों को जारी किये गये। साथ ही विकास खण्ड में जारी किये गये मस्टर रोल का ऐसा कोई लेखा/अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह स्पष्ट हो सके कि संलग्न मस्टर रोल क्षेत्र पंचायत/विकास खण्ड से ही जारी किये गये हैं। उक्त के आलोक में स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टर रोल संलग्न करके धनराशि रु0-325860.00/- का अपहरण किया गया। उत्तरदायी तत्कालीन सम्बन्धित कार्यप्रभारियों/लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी/प्रमुख से क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर 2- निर्माण कार्यों के सामग्री मूल्य भुगतान में से टी0डी0एस0/बैट की कम कटौती तथा कटौती के जमा की पुष्टि नहीं होना- वर्ष 2011-12 के निर्माण कार्यों की सामग्री मूल्य भुगतान रु0-1648428/- में से टी0डी0एस0 कटौती रु0- 31444/- की गई है। जबकि लेखा परीक्षा गणना अनुसार टी0डी0एस0 2.06 प्रतिशत की दर से रु0- 33958/- टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0- 2514 की टी0डी0एस0 कम कटौती करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गई है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी से क्षतिपूर्ति ब्याज सहित करके राजकीय कोषागार/निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उक्त के साथ ही कटौती किये गये रु0-31444/- के जमा किये जाने की पुष्टि में चालान/दाखिल रिटर्न/पुष्टि प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए। उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर 3-निर्माण कार्यों में प्रयुक्त/कय मिटटी के वास्तविक कय की पुष्टि नहीं होना-

वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मिटटी का भुगतान निम्न विवरणानुसार कुल धनराशि रु0-67899/- का दर्शित है। जो कि कार्य से सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को मस्टर रोल के भुगतान की धनराशि के साथ किया गया है।

तालिका में दर्शित कार्य का क्रमांक	पत्रावली दर्शित मिटटी मात्रा	भुगतानित धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता कार्य प्रभारी सर्वश्री
1	158.80	8575.00	देव पाल सिंह
2	149.20	8057.00	मुनीश कुमार
3	201.65	10889.00	गजेन्द्र पाल सिंह
4	392.50	21195.00	देव पाल सिंह
5	174.59	9428.00	सेवाराम
6	180.64	9755.00	मुनीश कुमार
योग :-	1257.38	67899.00	-

उक्त दर्शित मिटटी भुगतान में मिटटी रॉयलटी जमा करने का कोई प्रमाणक/साक्ष्य अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ। साथ ही इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि मिटटी कहां से प्राप्त/कय करके प्रयुक्त की गई। मिटटी धनराशि का भुगतान भी मिटटी आपूर्तिकर्ताओं को नहीं करके सम्बन्धित कार्य प्रभारी को किया गया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मिटटी आपूर्ति/कय के फर्जी प्रमाणक/रसीद बनाकर भुगतान करके/प्राप्त करके धनराशि का अपहरण किया गया। जिस हेतु उत्तरदायी सम्बन्धित कार्य प्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/प्रमुख उत्तरदायी है। जिनसे उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर 4-मिटटी रॉयलटी की कटौती/भुगतान नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति-

वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों में (तालिका अनुसार) कुल 1257.38 घन मी0 मूल्य 67899.00 कय/प्रयुक्त की गई जिस पर रॉयलटी भुगतान का कोई साक्ष्य अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ। अतः उक्त मिटटी मात्रा 1257.38 घन मी0 पर रु0-30 प्रति घन मी0 की दर से रॉयलटी रु0-37721.00 राजस्व की क्षति हुई। क्षति हेतु उत्तरदायी तत्कालीन व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से क्षति पूर्ति ब्याज सहित कर राजकीय कोषागार/सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-6)

प्रस्तर 5-विभिन्न मदों में प्राप्त ब्याज को राजकीय कोषागार/राज्य सरकार के पक्ष में जमा नहीं करके राजकीय धनराशि अबरुद्ध करना-

वर्ष 2011-12 की अनुदान पंजीका के अनुसार ब्याज विभिन्न मद वर्ष का प्रारम्भिक शेष ब्याज रु0- 417342/-दिनांक-01.04.11 को था। वर्ष 2011-12 के दौरान ब्याज रु0-324745/- प्राप्त हुआ तथा वर्ष में ब्याज को राज्य सरकार के पक्ष में/कोषागार में जमा नहीं किया गया। इस प्रकार वर्षान्त तक ब्याज शेष रु0-742087 दर्शित था। ब्याज धनराशि को राजकीय कोषागार/राज्य सरकार के पक्ष में जमा नहीं करके अबरुद्ध रखा गया जिस हेतु तत्कालीन व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी के विरुद्ध इस हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। साथ ही जमा नहीं किये जाने के प्रति स्थिति भी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-7)

प्रस्तर 6-निर्माण कार्यों की सामग्री के कय/आपूर्ति व उपभोग में अनियमितताएँ बरतना-

वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्य पत्रावलियों में दर्शित निर्माण की सामग्री कय के प्रमाणकों का भुगतान रु0-1549084/- दर्शित है। उक्त सामग्री मूल्य में मिटटी की धनराशि सम्मिलित नहीं है। निर्माण सामग्री के कय तथा उपभोग में निम्न अनियमितताएँ पाई गई।

क. सामग्री आपूर्ति/कय हेतु आमंत्रित निविदा/कुटेशन के लिए सामाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की प्रतियाँ/निविदा पत्रावली उपलब्ध नहीं हुई। फलतः निर्माण सामग्री कय की निविदा/कुटेशन की शर्तों व उन शर्तों के ही अनुरूप सामग्री की आपूर्ति/कय किये जाने के सम्बन्ध में जॉच नहीं हो सकी।

ख. निर्माण कार्य पत्रावलियों में ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के पेन न0/टिन न0 की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न नहीं थी और न ही उपलब्ध हुई।

ग. सामग्री आपूर्ति के लिए कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को माँग पत्र प्रेषित नहीं किया गया और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया।

घ. सामग्री आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं हुआ केवल सामग्री के बिल/कैश मेमो पर सामग्री प्राप्ति को दर्शाया गया। जबकि स्टॉक रजिस्टर बनाया जाना अनिवार्य है। उक्त के आलोक में स्पष्ट है कि सामग्री के कय/आपूर्ति व उपभोग में व्यापक अनियमितताएँ बरती गईं। इस हेतु उत्तरदायी सम्बन्धित कार्य प्रभारियों/जोई/खण्ड विकास अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-8)

लेखा परीक्षा वर्ष-2012-13

नाम क्षेत्र पंचायत :- आसफपुर

जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर 7- खातों में प्राप्त ब्याज (विभिन्न मद) को राजकीय कोषागार/राज्य सरकार के पक्ष में जमा नहीं करना-वर्ष 2012-13 में अनुदान रजिस्टर के अनुसार वर्ष दौरान विभिन्न मदों में खातों से ब्याज रु०- 332719/-प्राप्त हुआ जिसके सापेश रु०-99218/- जमा किया गया। शेष धनराशि वर्ष की ब्याज आय रु०- 233501/- वर्ष के दौरान जमा नहीं करके राजकीय धनराशि अकारण अवरुद्ध रखी गयी। इस प्रति स्थिति स्पष्ट की जायें तथा इस हेतु उत्तरदायी तत्कालीन व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध इस हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-2)

लेखा परीक्षा वर्ष -2013-14

नाम क्षेत्र पंचायत :- आसफपुर

जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर 8-श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान दर्शित करके धनराशि का अपहरण-

वर्ष 2013-14 में श्रमांश/मस्टर रोल का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को निम्नविवरणानुसार किया जाना दर्शित है।

विवरण :-तालिका के अनुसार-कार्य सं०-1,3,5 से 9,14 से 17 व 21 में दर्शित भुगतान

क्रम सं०	नाम कार्य प्रभारी सर्वश्री	दर्शित भुगतान धनराशि
1	देव पाल सिंह	234460.00
2	श्रीमती पुष्पा विश्नोई	315780.00
3	अविनाश वशिष्ठ	419125.00
	योग:-	969365.00

उक्त की लेखा परीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये-

क. संलग्न मस्टर रोल में लगे मजदूरों/श्रमिकों के अंगूठों के निशान के प्रथम दृष्टया अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुछ मस्टर रोल में एक ही व्यक्ति व कुछ में दो-तीन व्यक्तियों के अंगूठे लगाकर भुगतान किया/प्राप्त किया गया। कतिपय मस्टर रोल में मजदूरों के हस्ताक्षर मस्टर रोल लेखक/एक ही व्यक्ति की हस्तलिपि के ही प्रतीत हो रहे हैं।

ख. संलग्न मस्टर रोल में क्रमांक के साथ तिथि अंकित नहीं थी। फलतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि मस्टर रोल किन तिथियों को जारी किये गये। साथ ही विकास खण्ड में जारी किये गये मस्टर रोल का ऐसा कोई लेखा/अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह स्पष्ट हो सके कि संलग्न मस्टर रोल क्षेत्र पंचायत/विकास खण्ड से ही जारी किये गये हैं। उक्त के आलोक में स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टर रोल संलग्न करके धनराशि रु०-969365.00/- का अपहरण किया गया। उत्तरदायी तत्कालीन सम्बन्धित कार्यप्रभारियों/लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी/प्रमुख से क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर 9-निर्माण कार्यों में प्रयुक्त/कय मिटटी के वास्तविक कय की पुष्टि नहीं होना-

वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मिटटी का भुगतान निम्न विवरणानुसार कुल धनराशि रू0-153302/- का दर्शित है। जो कि कार्य से सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को मस्टर रोल के भुगतान की धनराशि के साथ किया गया है।

तालिका में दर्शित कार्य का क्रमांक	पत्रावली दर्शित मिटटी मात्रा	भुगतानित धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता कार्य प्रभारी सर्वश्री
1	245.6	16578.00	देश पाल सिंह
3	471.03	31795.00	पुष्पा विश्नोई
5	210.13	14184.00	अविनाश वशिष्ठ
8	32.72	2209.00	पुष्पा विश्नोई
9	52.15	3520.00	पुष्पा विश्नोई
14	169.24	11424.00	देश पाल सिंह
15	100.59	6790.00	पुष्पा विश्नोई
16	155.64	10506.00	पुष्पा विश्नोई
17	317.14	21407.00	पुष्पा विश्नोई
21	514.20	34709.00	पुष्पा विश्नोई
2,4,10,11,12,13,18,19,20	1773.86	आपत्ति क्रमांक में सम्मिलित	देश पाल सिंह, सेवा राम, केशव भारती, देव पाल, देश पाल सिंह, देश पाल सिंह, राम किशोर, देश पाल सिंह
योग :-	4042.48 घन मी0	153302.00	

उक्त दर्शित मिटटी भुगतान में मिटटी रॉयल्टी जमा करने का कोई प्रमाणक/साक्ष्य अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ। साथ ही इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि मिटटी कहाँ से प्राप्त/क़य करके प्रयुक्त की गई। मिटटी धनराशि का भुगतान भी मिटटी आपूर्तिकर्ताओं को नहीं करके सम्बन्धित कार्य प्रभारी को किया गया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मिटटी आपूर्ति/क़य के फर्जी प्रमाणक/रसीद बनाकर भुगतान करके/प्राप्त करके धनराशि का अपहरण किया गया। जिस हेतु उत्तरदायी सम्बन्धित कार्य प्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/प्रमुख उत्तरदायी है। जिनसे उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर 10-मिटटी रॉयल्टी की कटौती/भुगतान नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति-

वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों में तालिका अनुसार कुल 4092.48 घन मी0 क़य/प्रयुक्त की गई जिस पर रॉयल्टी भुगतान का कोई साक्ष्य अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ। अतः उक्त मिटटी मात्रा 4092.48 घन मी0 पर रू0-30 प्रति घन मी0 की दर से रॉयल्टी रू0-122787.00 राजस्व की क्षति हुई। क्षति हेतु उत्तरदायी तत्कालीन व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से क्षति पूर्ति ब्याज सहित कर राजकीय कोषागार/सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर 11—निर्माण कार्यों की फर्जी पत्रावलियों/प्रमाणक तैयार करके, भुगतान दर्शित करके अपहरण—निम्न
विवरणनुसार वर्ष 2013-14 की निर्माण कार्य पत्रावलियों में संलग्न कैश मेमों/बिल /प्रमाणको/मस्टररोल के भुगतान के चैक जारी किया जाना पाया गया। लेकिन चैक प्राप्तकर्ताओं द्वारा सम्बन्धित चैक की धनराशि ही आहरित/निकासी बैंक खाते से नहीं की गई जैसाकि बैंक खातों के अवलोकन से स्पष्ट है इसमें यह भी है कि अनुदान पत्रिका में भी इन चैकों का जारी किया जाना दर्शित है। विवरण—

कार्य का क्रमोंक तालिका में	दर्शित चैक सं०	दिनोंक	चैक धनराशि शुद्ध भुगतान की	मद	दर्शित चैक जिसके नाम जारी है	निर्माण कार्य पत्रावली में कार्य का सम्पूर्ण दर्शित भुगतान समग्री , मिट्टी, मस्टररोल
2	111124 111122 111121	19.10. 2013 19.10. 2013 19.10. 2013	3500 7067 29087	सामग्री सामग्री मिट्टी व मस्टररोल	राममनोहरलाल अग्रवाल भोले ईट देव पाल सिंह	174592.00
4	111145 111133 111132 111135	19.10. 2013 19.10. 2013 19.10. 2013 19.10. 2013	32430 185139 40125 41000	सामग्री सामग्री मस्टररोल /श्रमांश मस्टररोल /श्रमांश	भोले ईट राममनोहरलाल अग्रवाल सेवा राम सेवा राम	686388.00
10	111120 111116 111117 111119	19.10. 2013 19.10. 2013 19.10.	34050 39750 3500 40523	मस्टररोल /श्रमांश मस्टररोल /श्रमांश सामग्री	देव पाल सिंह देव पाल सिंह वी.के.ब्रिक्स राममनोहरलाल अग्रवाल	604726

		2013 19.10. 2013		सामग्री		
11	111126 111125	19.10. 2013 19.10. 2013	57209 55265	सामग्री श्रमांश / मिटटी	भोले ईट देव पाल सिंह	676753
12	111138 111140 111136 111137	19.10. 2013 19.10. 2013 19.10. 2013 19.10. 2013	30545 3500 42000 40750	सामग्री सामग्री मस्टररोल / श्रमांश मस्टररोल / श्रमांश	भोले ईट राममनोहरला ल अग्रवाल देश पाल सिंह देश पाल सिंह	678465
13	111107 111110	19.10. 2013 19.10. 2013	80418 4875	सामग्री मस्टररोल / श्रमांश	अनिल सीमेन्ट देश पाल सिंह	260433
18	111104 111103	19.10. 2013 19.10. 2013	53451 29796	सामग्री मस्टररोल / श्रमांश	अनिल सीमेन्ट देश पाल सिंह	175436
19	111113 111114	19.10. 2013 19.10.	3500 43936	सामग्री श्रमांश /	राम किशोर राम किशोर	464279

	111115	2013 19.10. 2013	35475	मिटटी मस्टररोल / श्रमांश	राम किशोर	
20	111131 111128	19.10. 2013 19.10. 2013	34475 47275	मस्टररोल / श्रमांश मस्टररोल / श्रमांश	देश पाल सिंह देश पाल सिंह	1313626
					योग:-	5034698

उक्त लेखा परीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये।

1-कार्यों की निविदा/कुटेशन का समाचार पत्र में प्रकाशन की प्रति उपलब्ध नहीं हुई और न ही आपूर्ति कर्ताओं के पैर न0 / टिन न0 की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न पाई गई।

2-उपरोक्ता अनुसार दर्शित भुगतान चैक को प्राप्त कर्ताओं द्वारा आहरित नहीं किया गया। यह कैसे सम्भव है कि इतनी बड़ी धनराशि को आपूर्ति कर्ताओं / कार्य प्रभारियों द्वारा भुगतान ही प्राप्त नहीं जायें।

3-दर्शित चैक एक ही तिथि 19.10.2013 को जारी किये गये जबकि कार्य पृथक पृथक थे। अतः ऐसा स्पष्ट होता है कि फर्जी बिल/कैश मेमो/मस्टररोल संलग्न करके चैक जारी किये गये लेकिन किसी कारण वश जारी चैक का भुगतान नहीं किया गया इसमें यह भी स्पष्ट होता है कि चैक एक ही व्यक्ति को वास्तव में जारी किये गये हैं जबकि पत्रावली में फर्जी बिल लगाकर फर्मों व कार्य प्रभारियों के नाम चैक इश्यू दर्शाया गया हो। क्योंकि यदि चैक दर्शित नामों को जारी किये जाते हैं। तब उनमें से चैक धनराशि अवश्य जारी की जाती है।

4-उक्त में श्रमांश/ मस्टररोल की धनराशि के चैक भी थे। जिनका भुगतान प्राप्त नहीं किया गया। यदि मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया तो उन्होंने कार्य कैसे किया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बिना श्रमांश के पत्रावली के निर्माण कार्य कैसे किये गये।

5-प्रथम दृष्टया संलग्न श्रमांश मस्टररोल में मजदूरों के अगूठे एक या दो-तीन व्यक्तियों के ही पाये गये जाना प्रतीत होता है। साथ ही जहाँ कहीं मजदूरों के हस्ताक्षर थे वह भी मस्टररोल निर्माता की हस्तलिपि में प्रतीत होता है। मस्टररोल को खण्ड विकास कार्यालय से जारी किये जाने का भी लेखा उपलब्ध नहीं हुआ। अतः मजदूरों के मस्टररोल भी काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

6-कार्यों में दर्शित प्रयोग मिटटी रायल्टी चुकाने का कोई प्रमाणक नहीं मिला। मिटटी का भुगतान मिटटी आपूर्ति कर्ता को नहीं करके कार्य प्रभारी को किया गया। साथ ही यह स्पष्ट नहीं हुआ कि मिटटी कहाँ से प्राप्त करके प्रयुक्त की गई। अतः मिटटी के बिल भी फर्जी स्पष्ट होते हैं।

उक्त कारणों से उक्त निर्माण कार्य पत्रावलियों में दर्शित निर्माण कार्यों की पुष्टि नहीं होती। ऐसा प्रतीत होता है कि फर्जी पत्रावलियाँ तैयार करके धनराशि ₹0-5034698.00 का अपहरण किया गया। जिनके लिए उत्तरदायी तत्कालीन सम्बन्धित लेखाकार/ कार्य प्रभारी/जेई/ख0वि0अधि0/प्रमुख से नियमानुसार कार्यवाही कर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-6)

प्रस्तर 12-निर्माण कार्यों की सामग्री के कय/आपूर्ति व उपभोग में अनियमितताएँ बरतना-

वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य पत्रावलियों में दर्शित निर्माण की सामग्री क्रय के प्रमाणको का भुगतान(कार्य सं०-1,3,5,8,9,14 से 17 तथा 21 से 25)रु०-5770698.00 दर्शित है। (उक्त सामग्री मूल्य में मिटटी की धनराशि सम्मिलित नहीं है।) निर्माण सामग्री के क्रय तथा उपभोग में निम्न अनियमितताएँ पाई गई।

क. सामग्री आपूर्ति/क्रय हेतु आमंत्रित निविदा/कुटेशन के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की प्रतियाँ/निविदा पत्रावली उपलब्ध नहीं हुई। फलतः निर्माण सामग्री क्रय की निविदा/कुटेशन की शर्तों व उन शर्तों के ही अनुरूप सामग्री की आपूर्ति/क्रय किये जाने के सम्बन्ध में जाँच नहीं हो सकी।

ख. निर्माण कार्य पत्रावलियों में ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के पेन न०/टिन न० की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न नहीं थी और न ही उपलब्ध हुई।

ग. सामग्री आपूर्ति के लिए कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को मॉग पत्र प्रेषित नहीं किया गया और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया।

घ. सामग्री आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं हुआ केवल सामग्री के बिल/कैश मेमो पर सामग्री प्राप्ति को दर्शाया गया। जबकि स्टॉक रजिस्टर बनाया जाना अनिवार्य है। उक्त के आलोक में स्पष्ट है कि सामग्री के क्रय/आपूर्ति व उपभोग में व्यापक अनियमितताएँ बरती गई। इस हेतु उत्तरदायी सम्बन्धित कार्य प्रभारियों/जे०ई०/खण्ड विकास अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-7)

प्रस्तर 13- निर्माण कार्यों के सामग्री मूल्य भुगतान में से टी०डी०एस०/बैट की कम कटौती तथा कटौती के जमा की पुष्टि नहीं होना- वर्ष 2013-14 के निर्माण कार्यों की सामग्री मूल्य भुगतान में से टी०डी०एस० तथा वाणिज्य कर कटौती रु०-284791.00/- की गई है। इसमें उल्लेखनीय है कि कतिपय प्रमाणकों के भुगतान के समय टी०डी०एस० तथा वाणिज्य कर की कटौती एक साथ की गई है। लेखा परीक्षा गणना अनुसार 08.10.2013 व उसके पश्चात् भुगतान पर वाणिज्य कर 4 प्रतिशत व टी०डी०एस० 2.06 प्रतिशत की दर से कुल टी०डी०एस० तथा वाणिज्य कर कटौती धनराशि रु०-517095/- होती है। इस प्रकार धनराशि रु०-232304.00 कम कटौती करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गई है। चूँकि भुगतान से करों की कटौती करके राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी का था। अतः क्षति हेतु उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों से उक्त धनराशि ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

उक्त में घ्यातव्य है कि उ०प्र० सरकार के संस्थागत वित्तकर एवं निबन्धन अनुभाग-दो द्वारा जारी अधिसूचना के सं०-के०एन०एन० 1-2-1315/XI-9 (10)08 यू०पी० आर्डर(101)-2013 लखनऊ दिनांक-07.10.2013 के अन्तर्गत तथा जिला विकास अधिकारी बदायूँ के पत्रांक-2017 सहा०लेखा/आडिट/2014-5 दिनांक-07.05.2014 के निदेशों के अनुसार 8.10.2013 से 4 प्रतिशत दर से सामग्री भुगतान धनराशि से वाणिज्य कर की कटौती की जानी थी। लेखा परीक्षा में तालिका के कार्यों में भुगतान की उक्त तिथि को वाणिज्य कर की कटौती का आधार मानकर आकलन किया गया। उक्त के साथ ही दर्शित कटौती टी०डी०एस० तथा वाणिज्य कर धनराशि रु०-284791.00 जमा किये जाने की पुष्टि में चालान/दाखिल रिटर्न आदि उपलब्ध नहीं हुए हैं। अतः या तो उक्त प्राप्त धनराशि रु०- 284791.00 को जमा किये जाने की पुष्टि कराई जाये अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-8)

प्रस्तर 14—विभिन्न मदों में प्राप्त ब्याज को राजकीय कोषागार/राज्य सरकार के पक्ष में जमा नहीं करके राजकीय धनराशि अवरूद्ध करना—

वर्ष 2013-14 की अनुदान पंजीका के अनुसार ब्याज (विभिन्न मद) वर्ष 2013-14 के दौरान ब्याज रु0-466267/-प्राप्त हुआ। तथा वर्ष में ब्याज रु0-179507/-जमा किया जाना दर्शित है। इस प्रकार वर्ष का ब्याज रु0-286760/- जमा नहीं किया गया। ब्याज धनराशि को राजकीय कोषागार/राज्य सरकार के पक्ष में जमा नहीं करके अवरूद्ध रखा गया जिस हेतु तत्कालीन व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी के विरुद्ध इस हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। साथ ही जमा नहीं किये जाने के प्रति स्थिति भी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-9)

लेखा परीक्षा वर्ष -2014-15

नाम क्षेत्र पंचायत :- आसफपुर

जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर 15— श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान दर्शित करके धनराशि का अपहरण—वर्ष 2014-15 में श्रमांश/मस्टर रोल का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को निम्नविवरणानुसार किया जाना दर्शित है।

विवरण :- तालिका के अनुसार -

क्रम स0	नाम कार्य प्रभारी सर्वश्री	दर्शित भुगतान धनराशि
1	श्रीमती पुष्पा विश्नोई	956988
2	अविनाश वशिष्ठ	756961
	योग:-	1703949

उक्त की लेखा परीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये—

क. संलग्न मस्टर रोल में लगे मजदूरों/श्रमिकों के अंगूठों के निशान के प्रथम दृष्टया अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुछ मस्टर रोल में एक ही व्यक्ति व कुछ में दो-तीन व्यक्तियों के अंगूठे लगाकर भुगतान किया/प्राप्त किया गया। कतिपय मस्टर रोल में मजदूरों के हस्ताक्षर मस्टर रोल लेखक/एक ही व्यक्ति की हस्तलिपि के ही प्रतीत हो रहे हैं।

ख. संलग्न मस्टर रोल में क्रमांक के साथ तिथि अंकित नहीं थी। फलतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि मस्टर रोल किन तिथियों को जारी किये गये। साथ ही विकास खण्ड में जारी किये गये मस्टर रोल का ऐसा कोई लेखा/अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह स्पष्ट हो सके कि संलग्न मस्टर रोल क्षेत्र पंचायत/विकास खण्ड से ही जारी किये गये हैं। उक्त के आलोक में स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टर रोल संलग्न करके धनराशि रु0-1703949/- का अपहरण किया गया। उत्तरदायी तत्कालीन सम्बन्धित कार्यप्रभारियों/लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी/प्रमुख से क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर 16—निर्माण कार्यों में प्रयुक्त/कय मिटटी के वास्तविक कय की पुष्टि नहीं होना—वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मिटटी का भुगतान निम्न विवरणानुसार कुल धनराशि रु0-186093/- का दर्शित है। जो कि कार्य से सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को मस्टर रोल के भुगतान की धनराशि के साथ किया गया है।

तालिका मे दर्शित कार्य का क्रमांक	पत्रावली दर्शित मिटटी मात्रा	भुगतानित धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता कार्य प्रभारी सर्वश्री
1	132.45	8941	पुष्पा विश्नोई
2	224	15120	पुष्पा विश्नोई
3	291.05	19646	अविनाश वशिष्ठ
4	318.96	21530	पुष्पा विश्नोई
5	228.59	15430	अविनाश वशिष्ठ
6	88.81	5995	अविनाश वशिष्ठ
7	144.68	9766	पुष्पा विश्नोई
8	227.11	15330	पुष्पा विश्नोई
9	157.67	10643	पुष्पा विश्नोई
10	144.60	9761	अविनाश वशिष्ठ
11	353.34	22636	पुष्पा विश्नोई
14	436.62	31295	अविनाश वशिष्ठ
योग :-	2756.88	186093	

उक्त दर्शित मिटटी भुगतान मे मिटटी रॉयलटी जमा करने का कोई प्रमाणक/साक्ष्य अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ। साथ ही इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि मिटटी कहाँ से प्राप्त/कय करके प्रयुक्त की गई। मिटटी धनराशि का भुगतान भी मिटटी आपूर्तिकर्ताओं को नहीं करके सम्बन्धित कार्य प्रभारी को किया गया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मिटटी आपूर्ति/कय के फर्जी प्रमाणक/रसीद बनाकर भुगतान करके/प्राप्त करके धनराशि का अपहरण किया गया। जिस हेतु उत्तरदायी सम्बन्धित कार्य प्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/प्रमुख उत्तरदायी है। जिनसे उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर 17-मिटटी रॉयलटी की कटौती/भुगतान नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति-

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों मे तालिका अनुसार कुल 2756.88 घन मी० मूल्य 186093 कय/प्रयुक्त की गई जिस पर रॉयलटी भुगतान का कोई साक्ष्य अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ। अतः उक्त मिटटी मात्रा 2756.88 घन मी० पर रू०-30 प्रति घन मी० की दर से रॉयलटी रू०-82706 राजस्व की क्षति हुई। क्षति हेतु उत्तरदायी तत्कालीन व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से क्षति पूर्ति ब्याज सहित कर राजकीय कोषागार/सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर 18-निर्माण कार्यों की सामग्री के कय/आपूर्ति व उपभोग में अनियमितताएँ बरतना-

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य पत्रावलियों में दर्शित निर्माण की सामग्री क्रय के प्रमाणको का भुगतान रु0-6955338/- दर्शित है। उक्त सामग्री मूल्य में मिटटी की धनराशि सम्मिलित नहीं है। निर्माण सामग्री के क्रय तथा उपभोग में निम्न अनियमितताएँ पाई गई।

क. सामग्री आपूर्ति/क्रय हेतु आमंत्रित निविदा/कुटेशन के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की प्रतियाँ/निविदा पत्रावली उपलब्ध नहीं हुई। फलतः निर्माण सामग्री क्रय की निविदा/कुटेशन की शर्तों व उन शर्तों के ही अनुरूप सामग्री की आपूर्ति/क्रय किये जाने के सम्बन्ध में जाँच नहीं हो सकी।

ख. निर्माण कार्य पत्रावलियों में ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के पेन न0/टिन न0 की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न नहीं थी और न ही उपलब्ध हुई।

ग. सामग्री आपूर्ति के लिए कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को मॉग पत्र प्रेषित नहीं किया गया और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया।

घ. सामग्री आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं हुआ केवल सामग्री के बिल/कैश मेमो पर सामग्री प्राप्ति को दर्शाया गया। जबकि स्टॉक रजिस्टर बनाया जाना अनिवार्य है। उक्त के अलोक में स्पष्ट है कि सामग्री के क्रय/आपूर्ति व उपभोग में व्यापक अनियमितताएँ बरती गई। इस हेतु उत्तरदायी सम्बन्धित कार्य प्रभारियों/जे0ई0/खण्ड विकास अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-6)

प्रस्तर 19- निर्माण कार्यों के सामग्री मूल्य भुगतान में से टी0डी0एस0/बैट की कम कटौती तथा कटौती के जमा की पुष्टि नहीं होना- वर्ष 2014-15 के निर्माण कार्यों की सामग्री मूल्य भुगतान रु0-7711367/- में से टी0डी0एस0 तथा बैट की कुल कटौती रु0- 446208/- दर्शित है। (नोट- कतिपय प्रमाणको के भुगतान के समय टी0डी0एस0 2.06 प्रतिशत की दर से तथा बैट 4प्रतिशत की दर से सामग्री मूल्य रु0- 7711367/- पर टी0डी0एस0+बैटरु0-467309/- आकलित होना है। इस प्रकार रु0- 21101 की कम कटौती करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गई है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी से क्षतिपूर्ति ब्याज सहित करके राजकीय कोषागार/निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उक्त के साथ ही कटौती किये गये रु0-446208/- के जमा किये जाने की पुष्टि में चालान/दाखिल रिटर्न/पुष्टि प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए। उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-7)

प्रस्तर 20-विभिन्न मदों में प्राप्त ब्याज को राजकीय कोषागार/राज्य सरकार के पक्ष में जमा नहीं करके राजकीय धनराशि अबरुद्ध करना-

वर्ष 2014-15 की अनुदान पंजीका के अनुसार ब्याज (विभिन्न मद) वर्ष में रु0- 706743/-प्राप्त हुआ। जिसके सापेक्ष रु0-210741/- जमा किया जाना दर्शित है। इस प्रकार वर्ष का प्राप्त ब्याज में से रु0- 496002/- जमा नहीं किया गया। ब्याज धनराशि को राजकीय कोषागार/राज्य सरकार के पक्ष में जमा नहीं करके अबरुद्ध रखा गया जिस हेतु तत्कालीन व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी के विरुद्ध इस हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। साथ ही जमा नहीं किये जाने के प्रति स्थिति भी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-8)

लेखा परीक्षा वर्ष-2015-16
नाम क्षेत्र पंचायत :- आसफपुर
जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर 21- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान दर्शित करके धनराशि का अपहरण-वर्ष 2015-16 में श्रमांश/मस्टर रोल का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को निम्नविवरणानुसार किया जाना दर्शित है।

विवरण :- तालिका के अनुसार -

क्रम स0	नाम कार्य प्रभारी सर्वश्री	दर्शित भुगतान धनराशि
1	अविनाश वशिष्ठ	553205
2	सेवा राम	70915
3	देशपाल सिंह	263300
4	राज नारायन सिंह	26215
योग :-		913635

उक्त की लेखा परीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये-

क. संलग्न मस्टर रोल में लगे मजदूरों/श्रमिकों के अंगूठों के निशान के प्रथम दृष्टया अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुछ मस्टर रोल में एक ही व्यक्ति व कुछ में दो-तीन व्यक्तियों के अंगूठे लगाकर भुगतान किया/प्राप्त किया गया। कतिपय मस्टर रोल में मजदूरों के हस्ताक्षर मस्टर रोल लेखक/एक ही व्यक्ति की हस्तलिपि के ही प्रतीत हो रहे हैं।

ख. संलग्न मस्टर रोल में क्रमांक के साथ तिथि अंकित नहीं थी। फलतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि मस्टर रोल किन तिथियों को जारी किये गये। साथ ही विकास खण्ड में जारी किये गये मस्टर रोल का ऐसा कोई लेखा/अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह स्पष्ट हो सके कि संलग्न मस्टर रोल क्षेत्र पंचायत/विकास खण्ड से ही जारी किये गये हैं। उक्त के आलोक में स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टर रोल संलग्न करके धनराशि ₹0-913635/- का अपहरण किया गया। उत्तरदायी तत्कालीन सम्बन्धित कार्यप्रभारियों/लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी/प्रमुख से क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर 22-निर्माण कार्यों में प्रयुक्त/कय मिटटी के वास्तविक कय की पुष्टि नहीं होना-

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मिटटी का भुगतान निम्न विवरणानुसार कुल धनराशि ₹0-1605/- का दर्शित है। जो कि कार्य से सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को मस्टर रोल के भुगतान की धनराशि के साथ किया गया है।

तालिका में दर्शित कार्य का क्रमांक	पत्रावली दर्शित मिटटी मात्रा	भुगतानित धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता कार्य प्रभारी सर्वश्री

2	23.77	1605	अविनाश वशिष्ठ

उक्त दर्शित मिटटी भुगतान में मिटटी रॉयलटी जमा करने का कोई प्रमाणक/साक्ष्य अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ। साथ ही इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि मिटटी कहाँ से प्राप्त/क्रय करके प्रयुक्त की गई। मिटटी धनराशि का भुगतान भी मिटटी आपूर्तिकर्ताओं को नहीं करके सम्बन्धित कार्य प्रभारी को किया गया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मिटटी आपूर्ति/क्रय के फर्जी प्रमाणक/रसीद बनाकर भुगतान करके/प्राप्त करके धनराशि का अपहरण किया गया। जिस हेतु उत्तरदायी सम्बन्धित कार्य प्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/प्रमुख उत्तरदायी है। जिनसे उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर 23—मिटटी रॉयलटी की कटौती/भुगतान नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति—

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों में तालिका अनुसार कुल 23.77 घन मी० मूल्य 1605 क्रय/प्रयुक्त की गई जिस पर रॉयलटी भुगतान का कोई साक्ष्य अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ। अतः उक्त मिटटी मात्रा 23.77 घन मी० पर ₹0-30 प्रति घन मी० की दर से रॉयलटी ₹0-713 राजस्व की क्षति हुई। क्षति हेतु उत्तरदायी तत्कालीन व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से क्षति पूर्ति ब्याज सहित कर राजकीय कोषागार/सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर 24— निर्माण कार्यों की सामग्री के क्रय/आपूर्ति व उपभोग में अनियमितताएँ बरतना—

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्य पत्रावलियों में दर्शित निर्माण की सामग्री क्रय के प्रमाणको का भुगतान ₹0-2465987/- दर्शित है। उक्त सामग्री मूल्य में मिटटी की धनराशि सम्मिलित नहीं है। निर्माण सामग्री के क्रय तथा उपभोग में निम्न अनियमितताएँ पाई गई।

क. सामग्री आपूर्ति/क्रय हेतु आमंत्रित निविदा/कुटेशन के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की प्रतियाँ/निविदा पत्रावली उपलब्ध नहीं हुई। फलतः निर्माण सामग्री क्रय की निविदा/कुटेशन की शर्तों व उन शर्तों के ही अनुरूप सामग्री की आपूर्ति/क्रय किये जाने के सम्बन्ध में जाँच नहीं हो सकी।

ख. निर्माण कार्य पत्रावलियों में ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के पेन न०/टिन न० की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न नहीं थी और न ही उपलब्ध हुई।

ग. सामग्री आपूर्ति के लिए कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को मॉग पत्र प्रेषित नहीं किया गया और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया।

घ. सामग्री आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं हुआ केवल सामग्री के बिल/कैश मेमो पर सामग्री प्राप्ति को दर्शाया गया। जबकि स्टॉक रजिस्टर बनाया जाना अनिवार्य है। उक्त के आलोक में स्पष्ट है कि सामग्री के क्रय/आपूर्ति व उपभोग में व्यापक अनियमितताएँ बरती गई। इस हेतु उत्तरदायी सम्बन्धित कार्य प्रभारियों/जे०ई०/खण्ड विकास अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-6)

प्रस्तर 25—निर्माण कार्यों के सामग्री मूल्य भुगतान में से टी०डी०एस०/वैट की कम कटौती के जमा की पुष्टि नहीं होना—

वर्ष 2015-16 के निर्माण कार्यों की सामग्री मूल्य भुगतान ₹0-2869272/- में से टी०डी०एस० तथा वैट की कुल कटौती ₹0-172041/- दर्शित है। (नोट कतिपय प्रमाणको के भुगतान के समय टी०डी०एस० तथा वैट

की कटौती एक साथ/सम्मिलित रूप से की गई है) जबकि लेखा परीक्षा गणना अनुसार टी0डी0एस0 2.06 प्रतिशत की दर से तथा वैट 4 प्रतिशत की दर से सामग्री मूल्यरू0-2869272/- पर टी0डी0एस0+वैट रू0-173878/- आकलित होता है इस प्रकार रू0-1837 की कम कटौती करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी से क्षतिपूर्ति ब्याज सहित करके राजकीय कोषागार/सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उक्त के साथ ही कटौती किये गये रू0-172041/- के जमा किये जाने की पुष्टि में चालान/दाखिल रिटर्न/पुष्टि प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए। उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-7)

प्रस्तर 26-विभिन्न मदों में प्राप्त ब्याज को राजकीय कोषागार /राज्य सरकार के पक्ष में जमा नहीं करके राजकीय धनराशि अबरुद्ध करना-वर्ष 2015-16 की अनुदान पंजीका के अनुसार ब्याज विभिन्न मद वर्ष में रू0- 2180593/- प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष रू0-1887811/- जमा किया गया। इस प्रकार वर्ष की ब्याज रू0-292732/- जमा नहीं किया गया। ब्याज धनराशि को राजकीय कोषागार/राज्य सरकार के पक्ष में जमा नहीं करके अबरुद्ध रखा गया जिस हेतु तत्कालीन व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी के विरुद्ध इस हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। साथ ही जमा नहीं किये जाने के प्रति स्थिति भी स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या 8)

लेखा परीक्षा वर्ष -2016-17

नाम क्षेत्र पंचायत :- आसफपुर

जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर27- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान दर्शित करके धनराशि का अपहरण-वर्ष 2016-17 में श्रमांश/मस्टर रोल का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को निम्नविवरणानुसार किया जाना दर्शित है।

विवरण :- तालिका के अनुसार -

क्रम स0	नाम कार्य प्रभारी सर्वश्री	दर्शित भुगतान धनराशि
1	देवपाल सिंह	184520
2	राम किशोर	578842
3	अविनाश वशिष्ठ	—
4	राज नारायन सिंह	177318
5	देशपाल सिंह	59845
योग :-		1000525

उक्त की लेखा परीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये-

क. संलग्न मस्टर रोल में लगे मजदूरों/श्रमिकों के अंगूठों के निशान के प्रथम दृष्टया अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुछ मस्टर रोल में एक ही व्यक्ति व कुछ में दो-तीन व्यक्तियों के अंगूठे लगाकर भुगतान किया/प्राप्त किया गया। कतिपय मस्टर रोल में मजदूरों के हस्ताक्षर मस्टर रोल लेखक/एक ही व्यक्ति की हस्तलिपि के ही प्रतीत हो रहे हैं।

ख. संलग्न मस्टर रोल में क्रमांक के साथ तिथि अंकित नहीं थी। फलतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि मस्टर रोल किन तिथियों को जारी किये गये। साथ ही विकास खण्ड में जारी किये गये मस्टर रोल का ऐसा कोई लेखा/अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह स्पष्ट हो सके कि संलग्न मस्टर रोल क्षेत्र पंचायत/विकास खण्ड से ही जारी किये गये हैं। उक्त के आलोक में स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टर रोल संलग्न करके धनराशि रु0-1000525/- का अपहरण किया गया। उत्तरदायी तत्कालीन सम्बन्धित कार्यप्रभारियों/लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी/प्रमुख से क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर 28—निर्माण कार्यों में प्रयुक्त/कय मिटटी के वास्तविक कय की पुष्टि नहीं होना—

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मिटटी का भुगतान निम्न विवरणानुसार कुल धनराशि रु0-137090/- का दर्शित है। जो कि कार्य से सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को मस्टर रोल के भुगतान की धनराशि के साथ किया गया है।

तालिका में दर्शित कार्य का क्रमांक	पत्रावली दर्शित मिटटी मात्रा	भुगतानित धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता कार्य प्रभारी सर्वश्री
2	855.65	57757	राम किशोर
3	17.54	1184	राम किशोर
4	391.05	36396	राम किशोर
5	475.09	32069	देश पाल सिंह
6	143.46	9684	राम किशोर
योग :-	1882.79	137090	

उक्त दर्शित मिटटी भुगतान में मिटटी रॉयलटी जमा करने का कोई प्रमाणक/साक्ष्य अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ। साथ ही इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि मिटटी कहाँ से प्राप्त/कय करके प्रयुक्त की गई। मिटटी धनराशि का भुगतान भी मिटटी आपूर्तिकर्ताओं को नहीं करके सम्बन्धित कार्य प्रभारी को किया गया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मिटटी आपूर्ति/कय के फर्जी प्रमाणक/रसीद बनाकर भुगतान करके/प्राप्त करके धनराशि का अपहरण किया गया। जिस हेतु उत्तरदायी सम्बन्धित कार्य प्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/प्रमुख उत्तरदायी है। जिनसे उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर 29—मिटटी रॉयलटी की कटौती/भुगतान नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति—

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों में तालिका अनुसार कुल 1882.79 घन मी0मूल्य 137090 कय/प्रयुक्त की गई जिस पर रॉयलटी भुगतान का कोई साक्ष्य अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ। अतः उक्त मिटटी मात्रा 1882.79 घन मी0 पर रु0-30 प्रति घन मी0 की दर से रॉयलटी रु0-56484 राजस्व की क्षति हुई। क्षति हेतु उत्तरदायी तत्कालीन व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से क्षति पूर्ति ब्याज सहित कर राजकीय कोषागार/सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर 30—निर्माण कार्यों की सामग्री के कय/आपूर्ति व उपभोग में अनियमितताएँ बरतना—

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्य पत्रावलियों में दर्शित निर्माण की सामग्री क्रय के प्रमाणको का भुगतानरू0-3808047/- दर्शित है। उक्त सामग्री मूल्य में मिटटी की धनराशि सम्मिलित नहीं है। निर्माण सामग्री के क्रय तथा उपभोग में निम्न अनियमितताएँ पाई गई।

क. सामग्री आपूर्ति/क्रय हेतु आमंत्रित निविदा/कुटेशन के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की प्रतियाँ/निविदा पत्रावली उपलब्ध नहीं हुई। फलतः निर्माण सामग्री क्रय की निविदा/कुटेशन की शर्तों व उन शर्तों के ही अनुरूप सामग्री की आपूर्ति/क्रय किये जाने के सम्बन्ध में जाँच नहीं हो सकी।

ख. निर्माण कार्य पत्रावलियों में ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के पेन न0/टिन न0 की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न नहीं थी और न ही उपलब्ध हुई।

ग. सामग्री आपूर्ति के लिए कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को मॉग पत्र प्रेषित नहीं किया गया और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया।

घ. सामग्री आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं हुआ केवल सामग्री के बिल/कैश मेमो पर सामग्री प्राप्ति को दर्शाया गया। जबकि स्टॉक रजिस्टर बनाया जाना अनिवार्य है। उक्त के अलोक में स्पष्ट है कि सामग्री के क्रय/आपूर्ति व उपभोग में व्यापक अनियमितताएँ बरती गई। इस हेतु उत्तरदायी सम्बन्धित कार्य प्रभारियों/जे0ई0/खण्ड विकास अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-6)

प्रस्तर 31-निर्माण कार्यों के सामग्री मूल्य भुगतान में से टी0डी0एस0/वैट की कम कटौती के जमा की पुष्टि नहीं होना- वर्ष 2016-17 के निर्माण कार्यों की सामग्री मूल्य भुगतान रू0-4561763/- में से टी0डी0एस0 तथा वैट की कुल कटौती रू0-266019/- दर्शित है। (नोट कतिपय प्रमाणको के भुगतान के समय टी0डी0एस0 तथा वैट की कटौती एक साथ/सम्मिलित रूप से की गई है) जबकि लेखा परीक्षा गणना अनुसार टी0डी0एस0 2.06 प्रतिशत की दर से तथा वैट 4 प्रतिशत की दर से सामग्री मूल्य रू0-4561763/- पर टी0डी0एस0+वैट रू0- 276443/- आकलित होता है इस प्रकार रू0-10424 की कम कटौती करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी से क्षतिपूर्ति ब्याज सहित करके राजकीय कोषागार/सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उक्त के साथ ही कटौती किये गये रू0-266019/- के जमा किये जाने की पुष्टि में चालान/दाखिल रिटर्न/पुष्टि प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए। उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-7)

लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12

नाम क्षेत्र पंचायत :-इस्लामनगर

जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर-32 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन रू0 777570/- मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री इलायची नाथ पदनाम सहायक विकास अधिकारी को रू0-113890/- श्री स्वर्णकेश पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रू0-208050/-श्रीमती निकहत सुल्ताना पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रू0-16250/तथा एम0पी0गुप्ता पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रू0-439380/-भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत हैं पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्ताक्षर प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 777570/- का वर्ष 2011-12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी० डी० ओ०/जे० ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर-33 रु०-116457/-टी० डी० एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 162989/-रु० का व्यापार कर टी०डी०एन० न काटकर राजस्व की हानि- वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 116457/- की टी० डी० एस० कटौती की गई है। काटे गये टी० डी० एस० की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 4074730/- पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 162989/- की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में शून्य कटौती की गई है, जिससे रु० 162989/- की राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर-34 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण वर्ष 2011-12 में कुल रु० 3958273/- की सामग्री क्रय की गयी है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/ कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद/ उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-4)

(मूल आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर-35 वर्ष 2011-12 में रु०-175933/-की रु० 2606.41 घन मी० मिटटी की प्रयोग किया गया जिस पर रु०-78192/-रॉयल्टी बनती है। रॉयल्टी को जमा न करके राजस्व की हानि की गयी है, इस सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-6)

लेखा परीक्षा वर्ष -2012-13

नाम क्षेत्र पंचायत :-इस्लामनगर जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर-36 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 646215/- मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री एम०पी०गुप्ता पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु०-164990/- श्री हरीष भारती पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रु०-111870/-श्री राम सागर पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रु०-115260/तथा श्री स्वर्ण केश पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रु०-254095/- भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत हैं पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी

अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्ताक्षर प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 646215/- का वर्ष 2012-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी० डी० ओ०/जे० ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर-37 रु०-48560/- टी० डी० एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 107790/-रु० का व्यापार कर टी०डी०एन० कम काटकर राजस्व की हानि-

वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 48560/- की टी० डी० एस० कटौती की गई है। काटे गये टी० डी० एस० की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक सं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 2694762/- पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 107790/- की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में शून्य कटौती की गई है, जिससे रु० 107790/- की राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति दण्डनीय ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर-38 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण वर्ष 2012-13 में कुल रु० 2646202/- की सामग्री क्रय की गयी है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/ कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद/ उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर-39 वर्ष 2012-13 में 1859.65 घन मी० मिटटी हेतु कुल रु० 125527/- का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 30 रु०/घन मी० की दर से रु०-55790 की रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काट कर राजस्व की क्षति की गई है, क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-6)

लेखा परीक्षा वर्ष -2013-14

नाम क्षेत्र पंचायत :-इस्लामनगर

जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर-40 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 826460/- मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री गजेन्द्र पाल पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु०-360555/-श्री स्वर्ण केश पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रु०-261015/-श्री इलायची नाथ पदनाम सहायक विकास अधिकारी रु०-204890/ भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से

निर्गत हैं पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं हैं

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 826460/- का वर्ष 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी० डी० ओ०/जे० ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर-41 रु०-135116/- टी० डी० एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 77180/-रु० का व्यापार कर ज्वछ कम काटकर राजस्व की हानि-वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 135116/- की टी० डी० एस० कटौती की गई है। काटे गये टी० डी० एस० की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 4678462/- पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 187138/- की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में शून्य कटौती की गई है, जिससे रु० 109958/- की कटौती की गयी है। जिससे रु०-77180/- की राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर-42 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण वर्ष 2013-14 में कुल रु० 4433388/- की सामग्री क्रय की गयी है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/ कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद/ उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर-43 वर्ष 2013-14 में 1005.17 घन मी० मिटटी हेतु कुल रु० 67849/- का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 30 रु०/घन मी० की दर से रु०-30155 की रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काट कर राजस्व की क्षति की गई है, क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-6)

लेखा परीक्षा वर्ष -2014-15

नाम क्षेत्र पंचायत :-इस्लामनगर

जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर-44 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 855197/- मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राजू मोर्य पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु०-196500/-श्री इलायची नाथ पदनाम सहायक विकास अधिकारी रु०-194875/-श्री गजेन्द्र पाल पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रु०-38000/- श्री ज्ञान चन्द्र गुप्ता पदनाम

ग्राम विकास अधिकारी रू0-105125/- तथा श्री स्वर्ण केष पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रू0-320697/- भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत हैं पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 855197/- का वर्ष 2014-15 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0 डी0 ओ0/जे0 ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर-45 रू0-110775/- टी0 डी0 एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 761/-रू0 का टी0डी0 एन0 कम काटकर राजस्व की हानि-

वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 110775/- की टी0 डी0 एस0 कटौती की गई है। काटे गये टी0 डी0 एस0 की जमा की पुष्टि में इष्पू चैक सं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 5377430/- पर 4 प्रतिषत की दर से कुल रू0-215097/- की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में 214336 की कटौती की गई है, जिससे रू0 761/- की राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जमा किये गये व्यापार कर वैट की जमा पुष्टि में वैक स्टेटमेन्ट चालान उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर-46 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण वर्ष 2014-15 में कुल रू0 5052319/- की सामग्री क्रय की गयी है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर-47 वर्ष 2014-15 में 2200.71 घन मी0 मिटटी हेतु कुल रू0-148548/- का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 30 रू0/घन मी0 की दर से रू0-66021/- की रायल्टी बनती है। रायल्टी को जमा न करके राजस्व की हानि की गई है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-6)

लेखा परीक्षा वर्ष -2015-16

नाम क्षेत्र पंचायत :-इस्लामनगर जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर-48 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन रू0 791484/- मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री इलायची नाथ पदनाम सहायक विकास अधिकारी को रू0-619220/-श्री स्वर्ण केष पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रू0-172264/-का भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर

मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत हैं पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं हैं

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 791484/- का वर्ष 2015-16 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी० डी० ओ०/जे० ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर-49 रु०-77768/- टी० डी० एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 56909/-रु० का टी०डी० एन० कम काटकर राजस्व की हानि-वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 77768/- की टी० डी० एस० कटौती की गई है। काटे गये टी० डी० एस० की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। तथा वर्ष में रु०-77768/- की राजस्व की हानि की गयी। इस पर कार्यवाही अपेक्षित है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 3775176/- पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु०-151007/- की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में 94098/- की कटौती की गई है, जिससे रु० 56909/- की राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जमा किये गये व्यापार कर वैट की जमा पुष्टि में वैक स्टेटमेन्ट चालान उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर-50 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण वर्ष 2015-16 में कुल रु० 3603310/- की शुद्ध सामग्री क्रय की गयी है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/ कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद/ उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-5)

लेखा परीक्षा वर्ष -2016-17

नाम क्षेत्र पंचायत :-इस्लामनगर जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर-51 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 499870/- मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री विनीत कुमार

पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रू0-316892/-श्री इलायची नाथ पदनाम सहायक विकास अधिकारी रू0-72568/-तथा श्री स्वर्ण केष पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रू0- 110410/-का भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत हैं पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू० 499870/- का वर्ष 2016-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी० डी० ओ०/जे० ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर-52 रू0-36303/- टी० डी० एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू० 72406/-रू० का टी०डी० एन०जमा की पुष्टि न होने पर राजस्व की हानि-

वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू० 36303/- की टी० डी० एस० कटौती की गई है। काटे गये टी० डी० एस० की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू० 1820143/- पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू०-72406/- की व्यापार कर/वैट की कटौती की गयी है। जमा किये गये व्यापार कर वैट की जमा पुष्टि में वैक स्टेटमेन्ट चालान उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से वसूल की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर-53 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण वर्ष 2016-17 में कुल रू० 1711434/- की शुद्ध सामग्री क्रय की गयी है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद/ उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-5)

लेखा परीक्षा वर्ष -2011-12

नाम क्षेत्र पंचायत :-उसावा

जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर-54 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन रू० 317350/- मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री संजय सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर

मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत हैं पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं हैं

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 317350/- का वर्ष 2011-12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी० डी० ओ०/जे० ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर-55 रु०-47883/-टी० डी० एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 85554/-एवंम् टी०डी०एन०न काटकर राजस्व की हानि-

वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 47883/- की टी० डी० एस० कटौती की गई है। काटे गये टी० डी० एस० की जमा की पुष्टि में इश्यू बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 2138841/- पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 85554/- की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में शून्य कटौती की गई है, जिससे रु०-85554/- की राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से वसूल की जानी अपेक्षित हैं।

(मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर-56 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण वर्ष 2011-12 में कुल रु०-2090958/- की सामग्री क्रय की गयी है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/ कैंश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद/ उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-5)

लेखा परीक्षा वर्ष -2012-13

नाम क्षेत्र पंचायत:-उसावों

जनपद :- बदायूं

प्रस्तर-57 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 85755/- मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री प्रवीन सक्सेना पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु०-37125/- तथा श्री भीम सेन पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रु०-48630/-का भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत हैं पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं हैं

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 85755/- का वर्ष 2012-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है।

जिसके लिये बी० डी० ओ०/जे० ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर-58 रू०-6810/- टी० डी० एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू० 14248/-रू० का व्यापार कर टी०डी० एन० कम काटकर राजस्व की हानि-

वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू० 6810/- की टी० डी० एस० कटौती की गई है। काटे गये टी० डी० एस० की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू० 356197/- पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू० 14248/- की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में शून्य कटौती की गई है, जिससे रू० 14248/- की राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से वसूल की जानी अपेक्षित हैं।
(मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर-59 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण वर्ष 2012-13 में कुल रू० 349387/- की सामग्री क्रय की गयी है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर-60 वर्ष 2012-13 में 197 घन मी० मिटटी हेतु कुल रू० 13312/- का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 30 रू०/घन मी० की दर से रू०-5910/- की रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काट कर राजस्व की क्षति की गई है, क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-6)

लेखा परीक्षा वर्ष-2016-17

नाम क्षेत्र पंचायत:-उसावों

जनपद :- बदायूं

प्रस्तर-61 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्य पर अंकन रू० 3351781/- मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री भीम सेन पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रू०-1729825/- तथा श्री नेम सिंह रू०-1621956/-का भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत हैं पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्ताक्षर प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू० 3351781/- का वर्ष 2016-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया

गया है। जिसके लिये बी० डी० ओ०/जे० ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर-62 रू०-177085/- टी० डी० एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू० 1143/- का टी० डी० एस० कम काट कर राजस्व की हानि- वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू० 177085/- की टी० डी० एस० कटौती की गई है। काटे गये टी० डी० एस० की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। तथा वर्ष में रू०-1143 का टी०डी०एस० कम काट कर राजस्व की हानि की गयी इस पर कार्यवाही अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू० 8911401/- पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू०-356456/- की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में रू०- 352879 की कटौती की गयी है। जिससे रू०-3577/- की राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जमा किये गये व्यापार कर वैट की जमा पुष्टि में बैंक स्टेटमेन्ट चालान उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर-63 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण वर्ष 2016-17 में कुल रू० 7689420/- की शुद्ध सामग्री क्रय की गयी है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/ कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद/ उपभोग व **शेष** का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-5)

लेखा परीक्षा वर्ष -2011-12 से 2013-14

नाम क्षेत्र पंचायत :-दातागंज जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर-64 मस्टर रोल मजदूरी का और भुगतान कार्य प्रभारियों को-

सहायक लेखाकार द्वारा निर्माण कार्यों की उपलब्ध करायी गयी फाइलों के अनुसार वर्ष 2012-13 में रू०-412712/-मात्र का भुगतान कार्य प्रभारियों को तथा वर्ष 2013-14 में रू०- 207836/- मात्र का भुगतान कार्य प्रभारियों को कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्त लेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं तथा उनका जॉब कार्ड न० क्या है उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व कल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। ओर मजदूरी मद में अंकन रू०-620548/- मात्र योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/सहायक लेखाकार/ब्लाक प्रमुख/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	श्रमांश धनराशि रु०— पै०—	उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम
1	264892.00	तत्कालीन बी०डी०ओ०/जे०ई०/सहायक लेखाकार/ब्लाक प्रमुख/राधवेन्द्र सिंह ए०डी०ओ० आई० एस० बी०
2	204979.00	तत्कालीन बी०डी०ओ०/जे०ई०/सहायक लेखाकार/ब्लाक प्रमुख/खालिद अली ग्रा०पंचा० अधि०
3	3630.00	तत्कालीन बी०डी०ओ०/जे०ई०/सहायक लेखाकार/ब्लाक प्रमुख/प्रवीन कुमार ग्रा०पंचा० अधि०
4	65690.00	तत्कालीन बी०डी०ओ०/जे०ई०/सहायक लेखाकार/ब्लाक प्रमुख/नेम सिंह ग्रा०पंचा० अधि०
5	81357.00	तत्कालीन बी०डी०ओ०/जे०ई०/सहायक लेखाकार/ब्लाक प्रमुख/गुलाब सिंह ग्रा०पंचा० अधि०, सेवानिवृत्त
योग:-	620548.00	

प्रस्तर-65 कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को अनियमित भुगतान कर **अपहरण**—कुल दर्शित भुगतान रु०— 3508821/- में से रु०— 3436232/- का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली संलग्न पायी गयी वो सम्स्त प्रमाणक फर्म के कच्चे बिल/ कैंश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक /कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद /उपभोग व **शेष** का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

निष्कर्ष— उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी / श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया। इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्ट नहीं रही। पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ आहरण/ भुगतान के पश्चात् तैयार की गयी है। यहाँ तक की कतिपय चैको का भुगतान प्रमाणकों के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित है।

(मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर-66 समीक्ष्य वर्ष-2011-12 से 2013-14 तक में व्यापार कर /वैट नियमानुसार कुल सामग्री क्रय रु०—3508821/- पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु०— 140353/- की कटौती की जानी चाहिये जबकि वर्ष में रु०— शून्य कटौती की गयी है। जिसे रु०—140353/- के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु०—140353/- की क्षतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर-67 वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक मिटटी कार्य हेतु कुल रु0-97921/- व्यय किया गया है। नियमानुसार धन मी0 के हिसाब से मिटटी डाली जानी चाहिये तदनुसार उस पर 30 रु0- प्रति धन मी0 की दर से रायल्टी काटी जानी चाहिये नियम का उल्लंघन कर राजकीय राजस्व की क्षति की गई है। तथा मिटटी आपूर्ति कर्ता को एकाउन्टपेयी चैक नही देकर स्वयं कार्य प्रभारी द्वारा अपने नाम से चैक बनवाकर भुगतान प्राप्त किया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चाधिकारियों से सौंठ गोंठ कर राजकीय धन का अपहरण किया गया। इसकी क्षतिपूर्ति निम्नानुसार की जानी अपेक्षित है-

क्र०सं०	श्रमांश धनराशि	उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम
	रु०- पै०-	
1	28116.00	राधवेन्द्र सिंह ए०डी०ओ० आई० एस० बी० तत्कालीन बी०डी०ओ० एवं सहायक लेखाकार
2	16090.00	खालिद अली ग्रा०पंचा० अधि०एवं तत्कालीन बी०डी०ओ० एवं सहायक लेखाकार
3	53715.00	गुलाब सिंह ग्रा०पंचा० अधि० तत्कालीन बी०डी०ओ० एवं सहायक लेखाकार
योग:-	97921.00	-----

(मूल आपत्ति संख्या-6)

प्रस्तर-68 समीक्ष्य वर्ष-2011-12 से 2013-14 तक में ग्रन्ट रजिस्टर के अनुसार कुल भुगतान रु0-10278285/- अंकित है। तथा लेखा परीक्षा में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी फाइलों के अनुसार कुल व्यय का योग रु0- 3534153/- होता है।

इस प्रकार रु0- 10278285.00-3534153 रु0-6744132.00 का अन्तर होता है। अन्तर के सापेक्ष वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। आहरण वितरण अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-8)

प्रस्तर-69 समीक्ष्य वर्ष-2011-12 में ग्रन्ट रजिस्टर के अनुसार सामग्री आपूर्ति कर्ता से टी०डी०एस० नही काटा गया। स्थिति संदिग्ध एवं नियमों के प्रतिकूल है। वर्ष 2012-13 में रु0-100994/- तथा वर्ष 2013-14 में रु0- 141290/- टी०डी०एस० काटा गया। इस प्रकार कुल रु0- 100994 141290 रु0-242284 के सापेक्ष टी०डी०एस० रु0- 212555/- जमा होना दर्शित है। जिसके जमा किये जाने की पुष्टि में कोई प्रमाणक व पुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे पुष्टि नहीं की जा सकती। आहरण वितरण अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-9)

लेखा परीक्षा वर्ष -2014-15 से 2016-17

नाम क्षेत्र पंचायत :- दातागंज जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर-70 मस्टर रोल मजदूरो का और भुगतान कार्य प्रभारियों को-

सहायक लेखाकार द्वारा निर्माण कार्यों की उपलब्ध करायी गयी फाइलों के अनुसार वर्ष 2014-15 में रु0-1031250/- मात्र का भुगतान कार्य प्रभारियों को तथा वर्ष 2015-16 में रु0-477367/- मात्र का

भुगतान कार्य प्रभारियों को कर दिया गया है। तथा वर्ष 2016-17 में कराये गये कार्य से सम्बन्धित वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः श्रमांश अज्ञात रहा और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्त लेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गॉक के है तथा उनका जोब कार्ड न0 किया है उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। ओर मजदूरी मद में अंकन रू0-1508617/- मात्र योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/सहायक लेखाकार/ब्लाक प्रमुख/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	श्रमांश धनराशि	उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम
1	477376.00	तत्कालीन बी0डी0ओ0/जे0ई0/सहायक लेखाकार/ब्लाक प्रमुख/प्रवीन कुमार ग्रा0पंचा0 अधि0
2	266618.00	तत्कालीन बी0डी0ओ0/जे0ई0/सहायक लेखाकार/ब्लाक प्रमुख/गुलाब सिंह ग्रा0पंचा0 अधि0
3	247961.00	तत्कालीन बी0डी0ओ0/जे0ई0/सहायक लेखाकार/ब्लाक प्रमुख/दिनेश कुमार ग्रा0पंचा0 अधि0
4	265000.00	तत्कालीन बी0डी0ओ0/जे0ई0/सहायक लेखाकार/ब्लाक प्रमुख/खालिद अली ग्रा0पंचा0 अधि0
5	115341.00	तत्कालीन बी0डी0ओ0/जे0ई0/सहायक लेखाकार/ब्लाक प्रमुख/अजीत सिंह ग्रा0पंचा0 अधि0,
6	28608.00	तत्कालीन बी0डी0ओ0/जे0ई0/सहायक लेखाकार/ब्लाक प्रमुख/हरीओम सिंह ग्रा0पंचा0 अधि0,
7	107613.00	तत्कालीन बी0डी0ओ0/जे0ई0/सहायक लेखाकार/ब्लाक प्रमुख/चन्द्र कान्त यादव ग्रा0वि0 अधि0,
योग :-	1508617.00	-----

प्रस्तर-71 कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को अनियमित भुगतान कर अपहरण-

कुल दर्शित भुगतान रू0- 6514167/- में से रू0- 6034756/- का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक /कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद /उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

निष्कर्ष—उपरोक्त आपत्ति स0—1से 4 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014—15 से 2016—17 तक में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी / श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया। इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्ट नहीं रही। पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/ भुगतान के पश्चात् तैयार की गयी है। यहाँ तक की कतिपय चैको का भुगतान प्रमाणकों के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित है।

(मूल आपत्ति संख्या—4)

प्रस्तर—72 ग्रांट रजिस्टर के अनुसार समीक्ष्य वर्ष 2014—15 से 2016—17 तक कुल सामग्री क्रय पर व्यापार कर / वैट नियमानुसार 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0— 544602/— की कटौती कर जमा किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया, पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या—6)

प्रस्तर—73 वर्ष 2014—15 से 2016—17 तक मिट्टी कार्य हेतु कुल रु0—363746/— व्यय किया गया है। नियमानुसार धन मी0 के हिसाब से मिट्टी डाली जानी चाहिये तदनुसार उस पर 30 रु0— प्रति धन मी0 की दर से रायल्टी काटी जानी चाहिये नियम का उल्लंघन कर राजकीय राजस्व की क्षति की गई है। तथा मिट्टी आपूर्ति कर्ता को एकाउन्टपेयी चैक नहीं देकर स्वयं कार्य प्रभारी द्वारा अपने नाम से चैक बनवाकर भुगतान प्राप्त किया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चाधिकारियों से सॉट गॉट कर राजकीय धन का अपहरण किया गया। इसकी क्षतिपूर्ति ब्याज सहित निम्नानुसार की जानी अपेक्षित है—

क्र०सं०	श्रमांश धनराशि रु0— पै0—	उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम
1	127803.00	प्रवीन कुमार ग्रा०पंचा० अधि० तत्कालीन बी०डी०ओ० एवं सहायक लेखाकार
2	87477.00	खालिद अली ग्रा०पंचा० अधि० एवं तत्कालीन बी०डी०ओ० एवं सहायक लेखाकार
3	51067.00	गुलाब सिंह ग्रा०वि० अधि० तत्कालीन बी०डी०ओ० एवं सहायक लेखाकार
4	17603.00	अजीत सिंह ग्रा०वि० अधि० तत्कालीन बी०डी०ओ० एवं सहायक लेखाकार
5	51502.00	दिनेश कुमार सिंह ग्रा०पंचा० अधि० तत्कालीन बी०डी०ओ० एवं सहायक लेखाकार
6	5642.00	हरीओम सिंह ग्रा०पंचा० अधि० तत्कालीन बी०डी०ओ० एवं सहायक लेखाकार
7	22452.00	चन्द्र कान्त यादव ग्रा०वि० अधि० तत्कालीन बी०डी०ओ० एवं

		सहायक लेखाकार
योग:-	363742.00	-----

(मूल आपत्ति संख्या-7)

प्रस्तर-5 समीक्ष्य वर्ष-2014-15 से 2016-17 तक में ग्रन्ट रजिस्टर के अनुसार कुल भुगतान रू0-13351512- अंकित है। तथा लेखा परीक्षा में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी फाइलों के अनुसार कुल व्यय का योग रू0- 7907119/- होता है।

इस प्रकार रू0- 13351512-7907119 रू0-5444393.00 का अन्तर होता है। अन्तर के सापेक्ष वाछितअभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। आहरण वितरण अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-9)

प्रस्तर-74 ग्रन्ट रजिस्टर के अनुसार समीक्ष्य वर्ष-2014-15 से 2016-17 तक के सामग्री प्रमाणकों के भुगतान रू0-6514167/- पर टी0डी0एस0 130896/- मात्र की कटौती की गयी जबकि 2.06 की दर से रू0-143192 की कटौती की जानी चाहिये इस प्रकार रू0- 3296/- कम काट कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। अतः रू0- 3296/-की प्रतिपूर्ति खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर-75 क उपर्युक्त समीक्ष्य वर्ष में रू0- 130896/- की टी0डी0 एस0 कटौती के सापेक्ष रू0- 130896/- ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार जमा किया जाना दर्शित है, जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/चालान/बैंक स्टेटमेन्ट/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। आहरण वितरण अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-5 क)

प्रस्तर-76 समीक्ष्य वर्षों में निविदी बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपभोगरू0-52273/- ग्रान्ट रजिस्टर में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे व्यय किये गये धन की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। आहरण वितरण अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-13)

लेखा परीक्षा वर्ष -2011-12

नाम क्षेत्र पंचायत :-समरेर जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर-77 लेखा परीक्षा जॉच में क्षेत्र पंचायत की राज्य वित्त /12वॉ वित्त से समबन्धित बैंक पास बुक खाता संख्या-46794 किसान ग्रामीण बैंक उपलब्ध करवयी गयी जिसमें 25.05.2011 को बैंक पास बुक में अवशेष रूव-1785702/- दर्शित था। उसके पश्चात् 07.04.2012 से बैंक खाते में प्रविष्टि अंकित है। जिसमें प्रारम्भिक अवशेषरू0- 767253/- था। इस प्रकार दोनों पास बुक में अन्तर धनराशि 1785702-767253=1018449 के व्यय का विवरण / बैंक खाता विवरण उपलब्ध नहीं हुआ। साथ ही उक्त अवधि में हुए उक्त खाते में वित्तीय लेन देन की जानकारी भी नहीं हो सकी। उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करके ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर-78 आलोच्य वर्ष 2011-12 में बैंक खाते से विभिन्न तिथियों में रु0-79112/-विभिन्न फर्मों /व्यक्तियों के नाम आहरण/निकासी दर्शित है। जिसकी पुष्टि व जाँच हेतु व्यय प्रमाणक /पत्रावलियों उपलब्ध नहीं हुई जबकि इस हेतु लिखित रूप से भी अभिलेखों की माग की गयी थी। फलतः दर्शित भुगतानित धनराशियों के सापेक्ष कृत कार्य की पुष्टि नहीं हुई। नियमानुसार उत्तरदायी सेब्याज सहित वसूल किया जाये।

बैंक खाता सं०- 46794 किसान ग्रामीण बैंक	क्रम सं०	दिनांक	चैक न०	नाम	धनराशि
	1	24.04.2011	421122	—	39450
	2	09.05.2011	421121	—	33662
	3	05.05.2011	421123	—	6000
		योग:-	—	—	79112

(मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर-79 लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत समरेर के वर्ष 2011-12 के समस्त बैंक खातों के ब्याज का विवरण/लेखा उपलब्ध नहीं हुआ लेखा परीक्षा में उपलब्ध करवाये गये बैंक खातों में प्राप्त ब्याज का विवरण निम्न है-

क्रम सं०	बैंक	खाता संख्या	योजना	वर्ष में प्राप्त ब्याज
1	भारतीय स्टेट बैंक	11710668038	राज्य वित्त	6727
2	पंजाब नेशनल बैंक	1839000400225851	क्षेत्र निधि	24414
			योग:-	31141

शासनादेश संख्या एं-1-122/10-2012-10(33)2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि का बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राज कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। जमा करने की पुष्टि नहीं हुई। उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।। (मूल आपत्ति संख्या-05)

लेखा परीक्षा वर्ष -2012-13से 2013-14

नाम क्षेत्र पंचायत :-समरेर जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर-80 श्रमांश के मद में मजदूरों की काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान दर्शित करके धनराशि का **अपहरण-**वर्ष 2012-13 व 2013-14 में श्रमांश मस्टररोल का भुगतान मजदूरों को न करके निम्न विवरण के अनुसार कार्य प्रभारियों को किया गया। विवरण-

नाम कार्य प्रभारी	पदनाम	कृत भुगतान

सुरेश चन्द्र	ग्राम विकास अधिकारी	80009
अमोल पाराशर	ग्राम विकास अधिकारी	226876
मोहनलाल	ग्राम विकास अधिकारी	97207
मौ० गौस	ग्राम विकास अधिकारी	127995
योग:-	—	532087

उक्त की लेखा परीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये—

1—संलग्न मस्टररोल में क्रमांक मुद्रित नहीं थे और न ही अन्य किसी प्रकार से अंकित थें। साथ ही लेखा परीक्षा में ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह स्पष्ट हो के कि संलग्न मस्टररोल क्षेत्र पंचायत/विकास खण्ड द्वारा जारी किये गये हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मस्टररोल बाजार से क्रय करके फर्जी प्रविष्टियाँ करके भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया।

2—मस्टररोल में लगाये गये अंगूठों पर क्रमांक अंकित नहीं थे। साथ ही अंगूठों के निशानों के प्रथम दृष्टया अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अंगूठे दो-तीन व्यक्तियों के द्वारा ही समस्त मजदूरों के आगे लगा दिये गये हैं।

3—कार्य क्रमांक 4 में 'संलग्न मस्टररोल में किसी भी मजदूर के हस्ताक्षर/ अंगूठा नहीं पाया गया। अतः मस्टररोल फर्जी सिद्ध होता है। उक्त सभी के आलोक में स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल संलग्न करके धनराशि 532087/—का अपहरण किया गया। उत्तरदायी तत्कालीन कार्य प्रभारियों/लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी/ प्रमुख से क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर-81 टी०डी०एस० रू०-338 की कम कटौती करके तथा कटौती किये गये टी०डी०एस० रू०-67405 जमा की पुष्टि के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने से पुष्टि नहीं—

सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रू०-67405 टी०डी०एस० की कटौती की गयी है, वर्ष में सामग्री क्रय रू०- 3288515 की दर्शित है, जिस पर 2.06 प्रतिशत की दर से रू०-67743 टी० डी० एस० होता है, जबकि कुल कटौती रू०-67405 ही की गई है। अतः रू०- 338 की कम कटौती करके राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं। जिनसे क्षतिपूर्ति ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

उक्त में ही कटौती किये गये टी०डी० एस रू०-67405 की जमा की पुष्टि में चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराये जाने से पुष्टि नहीं हो सकी है। अतः या तो पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर-82 सामग्री क्रय के भुगतान में वैट/टी०डी०एन० की कटौती नहीं करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचाना— तालिका में दर्शित सामग्री क्रय रू०- 3288515 में से दिनांक 08.10.2013 के पश्चात् व उसके बाद भुगतान सामग्री मूल रू०- 2691486 का किया जाना दर्शित है। उ०प्र० शासन की विज्ञप्ति/सं०1315 दिनांक 07.10.2013 के अनुसार दिनांक 08.10.2013 से 4 प्रतिशत की दर वैट/ टी०डी०एन० की कटौती करके कोषागार में वाणिज्य कर की मद में जमा किया जाना था। लेकिन उक्त का अनुपालन नहीं करके 08.10.2013 के पश्चात् भुगतानित धनराशि तालिका के अनुसार रू०- 2691486/— पर 4 प्रतिशत दर से रू०-107659/— की कटौती नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी रहें। उत्तरदायी से क्षतिपूर्ति ब्याज सहित करके नियमानुसार व निर्धारित प्रक्रिया से कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर-83 वर्ष में निर्माण सामग्री की क़य व आपूर्ति /प्राप्ति व उपभोग में अनियमितताएँ होना- वर्ष में निर्माण काय्ये में कुल रू0-3113011/- की सामग्री मूल्य मिटटी धनराशि को छोडकर का भुगतान किया गया। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया। सामग्री आमद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया। केवल सामग्री के बिलो/कैशमेमो पर सामग्री कार्य स्थल पर प्राप्त की अंकित है।

सामग्री क़य हेतु निविदा/ टेण्डर के विज्ञापन पत्रावली भी उपलब्ध नहीं हुऐ तालिका में दर्शित कार्य क्रमॉक-6 की निर्माण कार्य पत्रावली में तुलनात्मक चार्ट भी नहीं था और न ही टेण्डर/कुटेशन देने वाले अन्य आपूर्ति कर्ताओ का कोई विवरण था। आपूर्तिकर्ताओं के पैन न0 व टिन न0 की प्रमाणित प्रतियाँ भी संलग्न नहीं थी।

उक्त से स्पष्ट है कि सामग्री की क़य व आपूर्ति /प्राप्ति व उपभोग में व्यापक अनियमितताएँ बरती गयी है। इस हेतु उत्तरदायी सम्बन्धित कार्य प्रभारियों/जे0ई0/खण्ड विकास अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर-84 वर्ष 013-14 में निर्माण कार्य पत्रावलियों में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मिटटी का भुगतान निम्न विवरणानुसार कुल धनराशि रू0- 108099/- दर्शित है। जोकि कार्य से सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को मस्टर रोल के भुगतान की राशि के साथ किया गया है। विवरण:-

तालिका में दर्शित कार्य का क्रमॉक	पत्रावली में दर्शित मिटटी की मात्रा वाउचर के अनुसार धन मी0	भुगतानित धनराशि रू0-	भुगतान प्राप्तकर्ता कार्य प्रभारी
2	403.83	27259.00	मोहन लाल
3	82.57	5574.00	अमोल पाराशर
4	247.47	16704.00	अमोल पाराशर
7	199.76	13485.00	मोहन लाल
8	216.60	14620.00	अमोल पाराशर
9	102.71	6933.00	अमोल पाराशर
10	348.50	23524.00	सुरेश चन्द्र
योग:-	1601.41	108099.00	

उक्त में मिटटी क़य की रायल्टी भुगतान के प्रमाणक/ साक्ष्य अभिलेख नहीं थे और न ही रायल्टी का भुगतान किया जाना पाया गया। अतः मिटटी क़य / प्रयुक्त कहां से प्राप्त करके की गयी इसकी पुष्टि नहीं होती है। साथ ही मिटटी धनराशि का भुगतान का मिटटी आपूर्ति कर्ता को नहीं किया गया है। अतः ऐसा स्पष्ट होत हे कि मिटटी आपूर्ति के काल्पनिक बिल/रसीद लगाकर धनराशि का भुगतान करके/ प्राप्त करके अपहरण किया गया। जिस हेतु भुगतान के लिए तत्कालीन कार्य प्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी व प्रमुख उत्तरदायी रहे। क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर-85 आपत्ति क्रमोंक 7 में दर्शित के अनुसार वर्ष 2013-14 में क्षेत्र पंचायत-समरेर को निर्माण कार्य पत्रावलियों में मिटटी मात्रा 1701.41 धन मी0 प्रयुक्त/कय की गई जिस हेतु रू0- 108099 का भुगतान किया गया। प्रयुक्त कय मिटटी पर रू030 प्रति धन मी0 की दर से 48042 की रायल्टी की कटौती करके कोषागार में सम्बन्धित मद में जमा की जानी चाहिए लेकिन कटौती नहीं करके उक्त धनराशि रू0-48042/- से राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी । जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। उत्तरदायी से क्षतिपूर्ति ब्याज सहित कर राजकोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-07 क)

प्रस्तर-86 आलोच्य वर्ष 2012-13 व 2013-14 में बैंक खातों में निम्न विवरणानुसार कुल रू0-4180107 विभिन्न फर्मों/ व्यक्तियों के नाम से आहरण/निकासी दर्शित है जिसकी पुष्टि व जाँच हेतु व्यय प्रमाणक/पत्रावलियों उपलब्ध नहीं हुई जबकि इस हेतु लिखित रूप में अभिलेखों की मांग की गई थी। फलतः दर्शित भुगतानित धनराशियों के सापेक्ष कृत कार्य की पुष्टि नहीं हुई। अतः या तो धनराशियों के व्यय के प्रमाणक/पत्रावली उपलब्ध करवाकर पुष्टि करवाई जाये अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। विवरण-खाता सं0-04225851 पी0एन0बी0 राज्य वित्त/13वें वित्त वर्ष 2012-13

क्रम सं0	दिनांक	चैक न0	नाम	धनराशि
1	02.06.2012	438701	सुरेश चन्द्र	75365
2	31.08.2012	43702	जय श्री राधे ब्रिक	72985
3	31.08.2012	438705	जय श्री राधे ब्रिक	31850
4	31.08.2012	438707	जय श्री राधे ब्रिक	52693
5	31.08.2012	438704	भारत मशीनरी स्टोर	121671
6	31.08.2012	438703	भारत मशीनरी स्टोर	182115
7	31.08.2012	438709	भारत मशीनरी स्टोर	158070
8	31.08.2012	438711	जय श्री राधे ब्रिक फील्ड	48657
9	31.08.2012	438708	जय श्री राधे ब्रिक फील्ड	71222
10	03.10.2012	438719	मो0 गौस	37250
11	03.10.2012	438716	मो0 गौस	41000
12	03.10.2012	438720	मो0 गौस	56756
13	15.10.2012	438118	भारत मशीनरी स्टोर	40449
14	15.10.2012	438715	जय श्री राधे ब्रिक	40910

			फील्ड	
15	15.10.2012	438717	जय श्री राधे ब्रिक फील्ड	16991
16	10.11.2012	438726	मो0 गौस	56603
17	10.11.2012	438724	जय श्री राधे ब्रिक फील्ड	25733
18	10.11.2012	438721	जय श्री राधे ब्रिक फील्ड	17293
19	10.11.2012	438725	भारत मशीनरी स्टोर	31197
20	10.11.2012	438722	भारत मशीनरी स्टोर	23983
21	07.12.2012	438730	राकेश सीमेन्ट स्टोर	41331
22	08.12.2012	438729	जय श्री राधे ब्रिक फील्ड	58099
23	13.03.2013	438731	मो0 गौस	144312
24	13.03.2013	438732	मो0 गौस	70172
25	13.03.2013	438733	जय श्री राधे ब्रिक फील्ड	93316
26	14.03.2013	438739	मो0 गौस	101417
27	15.03.2013	438737	प्रकाश सीमेन्ट स्टोर	83218
28	15.03.2013	438738	बॉके बिहारी ब्रिक	24861
			योग:-	1819519

**खाता सं0-46794 किसान ग्रामीण बैंक राज्यवित्त/13वॉ वित्त
वर्ष 2012-13**

क्रम सं0	दिनांक	चैक न0	नाम	धनराशि
1	04.04.2012	421132	विनोद	37555
2	13.04.2012	421139	मो0 गौस	59893
3	13.04.2012	421142	मो0 गौस	79153

4	13.04.2012	421137	टी0आर0 9345	32725
5	13.04.2012	421140	टी0आर0 9345	59089
6	13.04.2012	421138	टी0आर0 9345	96820
7	13.04.2012	421141	टी0आर0 9345	180130
8	17.04.2012	421135	टी0आर0 9345	9498
9	17.04.2012	421136	टी0आर0 9345	20820
10	17.04.2012	421133	टी0आर0 9345	88934
11	27.08.2012	421143	जावेद खान	10000
12	27.08.2012	421144	मो0 सूनिस जे0ए0	10000
13	05.09.2013	—	टू ट्रांसफर	40000
			योग:—	688417

वर्ष
201
3—
14प
ी0ए
न0ब
ी0
खा
तासं
0—
042
258
51
राज
यवि

त्त/13 वां वित

क्रम सं0	दिनॉक	चैक न0	नाम	धनराशि
1	29.05.2013	438745	मो0 गौस खान	10625
2	29.05.2013	438748	मो0 गौस खान	14777
3	29.05.2013	438743	मो0 गौस खान	24226
4	29.05.2013	438751	मो0 गौस खान	75344
5	29.05.2013	438754	मो0 गौस खान	38305
6	31.05.2013	438744	बॉके बिहारी ब्रिक	118997
7	31.05.2013	438747	बॉके बिहारी ब्रिक	45248
8	31.05.2013	438749	जय श्री राधे ब्रिक फील्ड	65620
9	31.05.2013	438752	जय श्री राधे ब्रिक फील्ड	31537
10	31.05.2013	438753	प्रकाश सीमेन्ट स्टोर	80029
11	31.05.2013	438746	प्रकाश सीमेन्ट स्टोर	130527

12	31.05.2013	438750	भारत मशीनरी स्टोर	199752
13	05.07.2013	438758	बॉके बिहारी ब्रिक	272107
14	05.07.2013	438756	बॉके बिहारी ब्रिक	22693
15	05.07.2013	438759	बॉके बिहारी ब्रिक	109420
16	05.07.2013	438757	मो0 गौस खान	77062
17	05.07.2013	438765	मो0 गौस खान	48691
18	15.10.2013	438766	अमोल पाराशर	51118
19	12.13	438789	वीरपाल	15484
20	04.01.2014	438785	भारत मशीनरी स्टोर	149878
21	04.01.2014	752310	भारत मशीनरी स्टोर	56447
22	20.02.2014	752311	भारत मशीनरी स्टोर	10284
23	14.03.2014	752313	वीरपाल	24000
			योग :-	1672171

कुल योग-1819519+688417+1672171=4180107

(मूल आपत्ति संख्या-08)

प्रस्तर-87 निम्न विवरणनुसर कतिपय सामग्री प्रमाणको के भुगतान में बैंक खाते में नाम दर्शित नहीं था अर्थात अनुदान पत्रावली/निर्माण कार्य पत्रावली में जो भुगतान प्राप्तकर्ता थे बैंक खाते में उनका विवरण निम्न प्रकार पाया गया-

कार्य क्रमांक	धनराशि	चैक न0	दिनांक	बैंक खाते में प्राप्तकर्ता	पत्रावली में प्राप्तकर्ता
4	59878	438760	14.10.13	टू टीआरएफ	जय श्री राधे ब्रिक फील्ड
	242664	438761	14.10.13	टू टीआरएफ	भारत मशीनरी स्टोर
4	141156	438763	14.10.13	टू टीआरएफ	जय श्री राधे ब्रिक फील्ड
	107039	438764	14.10.13	टू टीआरएफ	भारत मशीनरी स्टोर

योग:-	550737	-	-	-	-

उक्त

मे बैंक खाते मे प्राप्तकर्ता का नाम दर्शित नही होने से वास्तविक भुगतान प्राप्तकर्ता के प्रति स्थिति स्पष्ट नही होता है। उत्तरदायी भुगतानकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-09)

प्रस्तर-88 लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत समरेर के वर्ष 2012-13 व 2013-14 के बैंक खातों में प्राप्त ब्याज का विवरण/लेखा उपलब्ध नही हुआ। लेखा परीक्षा में उपलब्ध करवाये गये बैंक खातों में प्राप्त ब्याज का विवरण निम्नवत् है-

वर्ष 2012-13

क्रम सं०	बैंक	खाता सं०	योजना	वर्ष में प्राप्त ब्याज
1	एस० बी० आई०	11710668038	राज्य वित्त	13881.00
2	पी०एन०बी०	1839000400225851	क्षेत्र निधि	78312.00

वर्ष 2013-14

क्रम सं०	बैंक	खाता सं०	योजना	वर्ष में प्राप्त ब्याज
1	एस० बी० आई०	11710668038	राज्य वित्त	8872.00
2	पी०एन०बी०	1839000400225851	क्षेत्र निधि	78312.00

वर्ष 2012-13 व 2013-14 में बैंक से प्राप्त ब्याज का योग-रु० 179377.00

शासनादेश संख्या एं-122/10-2012-10(33)2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि का बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। जमा करने की पुष्टि नही हुई। उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-10)

लेखा परीक्षा वर्ष -2014-15

नाम क्षेत्र पंचायत :-समरेर जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर-89 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यो पर अंकन रु० 168630/- मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री खालिद अली पदनाम सहायक विकास अधिकारी को रु०-29262/- तथा श्री मोहन लाल गंगवार पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु०-139368/- कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात यह विकास खण्ड से निर्गत हैं पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है

वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 168630/- का वर्ष 2014-15 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी० डी० ओ०/जे० ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर -90 रु०-9146/- टी० डी० एस० जमा की पुष्टि न हो पाने-

वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 6810/- की टी० डी० एस० कटौती की गई है। काटे गये टी० डी० एस० की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर -90 क. आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 680414/- पर 4 प्रतिषत की दर से कुल रु० 32707/- टी० डी० एन० कटौती की गयी है। टी० डी० एन० जमा की पुष्टि इश्यू चैक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर -91 वर्ष 2014-15 में कुल रु०-41000/- की जमानत काटी गई है। जमानत जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-6)

प्रस्तर-92 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण वर्ष 2014-15 में कुल रु० 567383/- की सामग्री क्रय की गयी है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद/ उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-7)

प्रस्तर-93 वर्ष 2014-15 में मिट्टी आपूर्ति पर रु०-9943/- की कम की रायल्टी काट कर राजस्व की क्षति की गयी। क्षति पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-8)

लेखा परीक्षा वर्ष -2015-16

नाम क्षेत्र पंचायत :-समरेर जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर-94 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 435993/- मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री खालिद अली

पदनाम सहायक विकास अधिकारी को रू0-411554/- तथा श्री अमोल पाराषर पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रू0-24439/- कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत हैं पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू० 435993/- का वर्ष 2015-16 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी० डी० ओ०/जे० ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर-95 रू0-32707/- टी० डी० एस० जमा की पुष्टि न हो पाने-

वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 32707/- की टी० डी० एस० कटौती की गई है। काटे गये टी० डी० एस० की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसकारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर-96 आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू० 1726127/- पर 4 प्रतिषत की दर से कुल रू० 65413/-टी०डी०एन० कटौती की गयी है।टी०डी०एन० जमा की पुष्टि इश्यू चैक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर -97 वर्ष 2015-16 में कुल रू0-84727/- की जमानत काटी गई है। जमानत जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-6)

प्रस्तर-98 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण वर्ष 2015-16 में कुल रू०-1446190/- की सामग्री क्रय की गयी है किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/ कैंश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद/ उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-7)

प्रस्तर -99 वर्ष 2015-16 में मिटटी आपूर्ति पररू0-13287/-की कम की रायल्टी काट कर राजस्व की क्षति की गयी क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-8)

लेखा परीक्षा वर्ष -2016-17

नाम क्षेत्र पंचायत :-समरेर जनपद :- बदायूँ

प्रस्तर-100 श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 496315/- मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राकेश जर्ग पदनाम सहायक विकास अधिकारी को रु०-496315/- पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत हैं पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं हैं

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 496315/- का वर्ष 2016-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी० डी० ओ०/जे० ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर-101 रु०-67051/- टी० डी० एस० जमा की पुष्टि न हो पाने-

वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 67051/- की टी० डी० एस० कटौती की गई है। काटे गये टी० डी० एस० की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर-102 आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 39522/-टी०डी०एन० जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर-103 वर्ष 2016-17 में कुल रु०-98960/- की जमानत काटी गई है। जमानत जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-6)

प्रस्तर-104 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण वर्ष 2016-17 में कुल रु०-1725455/- की सामग्री क्रय की गयी है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी है। वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/ कैंश मेमो पर हैं। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई भी आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री के आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-7)

प्रारूप- 3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष – 2017-18, आवंटन वर्ष – 2018-19

जनपद-बरेलीमण्डल का नाम- बरेली (उ0प्र0),

क्षेत्र पंचायतों से संबंधित आपत्तियाँ:- कुल 15 क्षेत्र पंचायतों के सापेक्ष 14 क्षेत्र पंचायतों की वर्ष 2011-12 से 2013-14 एक साथ व 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा एक साथ संपन्न करते हुए अलग अलग कुल 28 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (तीन तीन वर्षों की अलग अलग) वर्ष 2018-19 में निर्गत की गई हैं, की आपत्तियाँ वार्षिक प्रतिवेदन में तदनुसार सम्मिलित की गई हैं। शेष 1 क्षेत्र पंचायत की उक्त वर्षों की आपत्तियाँ वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित की गई हैं।

आपत्ति का विवरण- वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक

क्षेत्र पंचायत दमखोदा (वर्ष 2011-12)

आपत्ति संख्या -1.मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का-

वर्ष 2011-2012 में निर्माण कार्यो पर अंकन 922041.00 रु0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री भारत सिंह, पदनाम ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 को रु0 224330.00 श्री परशुराम, पदनाम ए0डी0ओ0 एस.के. रु0 697711.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 922041.00 का वर्ष 2011-12 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0 03)

आपत्ति संख्या -2.आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना-साग्रगी मद में कुल रु0 3711252.00 भुगतान में से रु0 588931.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध साग्रगी क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है।

चैक नं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम दर्शित है	बैंक प्राप्त कर्ता के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
512168	04.05.2012	154197	गोल्डन बिक फील्ड	02 / 191
511101	04.11.2011	49316	तरई स्पन	083102 / 92
550109	02.08.2011	118866	रुबी ब्रिक फील्ड	टू ट्रांसफर
550106	01.08.2011	198111	रुबी ब्रिक फील्ड	टू ट्रांसफर
550111	16.09.2011	36050	भारत सिंह	टू कैश
512166	03.05.2012	32391	गोल्डेन ब्रिक फील्ड	02 / 191
	योग	588931		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 588931.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चेक का भुगतान सम्बन्धित कोनही हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 588931.00 का अपहरण गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 4-क)

आपत्ति संख्या-3- रू0 71652.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 14331.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रू0 71652.00 टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 3804561.00 की दर्शित है। जिसपर 2.26 की दर से रू0 85983.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 14331.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 71652.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-5)

आपत्ति संख्या-4-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 3804561.00 पर 4 प्रतिशत की दर से सेल्स टैक्स कुल रू0 152182.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 21657.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रू0 130525.00 की कटौती नहीं की गई है। जिससे रू0 130525.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 130525.00 की प्रतिपूर्ति दण्डनीय व्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-6)

आपत्ति संख्या-5-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण- कुल दर्शित भुगतान रू0 3711252.00 में से रू0 3122321.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म से मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाद्वारा तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

निष्कर्ष —उपरोक्त आपत्ति संख्या 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011-2012 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्ट नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं। यहाँ तक की कतिपय चैको का भुगतान प्रमाणको के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित हैं परन्तु बैंक खातों में वह भुगतान कोई लिया गया है।

(मूल आपत्ति संख्या 4 ख)

आपत्ति संख्या-6—वर्ष 2011-12 में 293 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रू० 11720.00 भुगतान किया गया है। जिस पर नियमानुसार 14 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रू० 4102.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

आ०सं० 7

वर्ष 2012-2013 आपत्तियों का विवरण

आपत्ति संख्या -7. श्रमांश के मद में मजदूरी को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर अंकन रू० 832120.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री चन्द्रपाल शर्मा, पदनाम ए.डी.ओ.(ए.जी.) को रू० 98130.00 श्री परशुराम पदनाम ए.डी.ओ.(एस. के.)रू० 733990.00 भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है साथ ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान/समितियों से कार्यपूर्णता का प्रमाणक नहीं लिया गया है। यथा—

1.राज्य वित्त से ग्राम उदरा में प्रेमपाल के मकान से तालाब तक मिट्टी व खड़जा कार्य कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर बी०डी०ओ० के साइन नहीं है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर कार्य प्रारम्भ की दिनांक 17.10.12 अंकित है जबकि मस्टररोल 04.10.12-15.10.12. 10.10.12-21.10.12 व 16.10.12-24.10.12 के अर्थात् पहले के ही है। समस्त मस्टररोल फाइल में छायाप्रति में लगे है, कार्यप्रभारी का नियुक्ति आदेश अप्राप्त रहा, समस्त निर्गत आदेश पर पत्रांक नहीं है जैसे कुटेशन आदेश, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदेश इत्यादि। समस्त कार्यों के मस्टररोल जो लगे हैं उनके भुगतान कार्यप्रभारी द्वारा लिया गया है, उक्त से स्पष्ट है कि फर्जी मस्टररोल बनाकर कार्य प्रभारी श्री चन्द्रपाल शर्मा एवं श्री परशुराम द्वारा रू० 98130.00 व रू० 733990.00 का भुगतान प्राप्त किया गया। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से अभिलेख तैयार कर धनराशि का अपहरण किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रू० 832120.00 का वर्ष 2012.-13 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-3)

आपत्ति संख्या -8—आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते मे करना सामग्री मद में कुल रू० 4406771.00 भुगतान में से रू० 388017.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते मे है:—

चैक नं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम दर्शित है	बैंक प्राप्त कर्ता के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
31	11.03.13	9280.00	मे० मौ० अयूब ट्रेडर्स	परशुराम
45	08.04.13	7975.00	ताज ब्रिक फील्ड	परशुराम

512189	22.10.12	283623.00	मे० मौ० अयूब ट्रेडर्स	ताज ब्रिक फील्ड
00003	24.12.12	4200.00	के०जी०एन०वर्कशाप	चन्द्रपाल शर्मा
512294	01.12.12	4200.00	मौ० अयूब ट्रेडर्स	परशुराम
9	08.01.13	4200.00	मौ० अयूब ट्रेडर्स	परशुराम
512283	30.12.12	70339.00	मौ० अयूब ट्रेडर्स	सण्डी खाते मे स्थानांतरित
512293	01.12.13	4200.00	मौ० अयूब ट्रेडर्स	परशुराम
योग		388017.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु० 388017.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु० 388017.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(मूल आ०सं० 4 क)

आपत्ति संख्या-9-रु० 88909.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 10684.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु० 13235.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 4406771.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रु० 99593.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 10684.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन रु० 88909.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 5)

आपत्ति संख्या -10-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 4406771.00 पर 4 प्रतिशत की दर से सेल्स टैक्स कुल रु० 176270.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु० शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रु० 176270.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रु० 176270.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु० 176270.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 6)

आपत्ति संख्या-11-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण कुल दर्शित भुगतान रु० 4317862.00 में से रु० 3929845.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी

कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति के मूल्य का भुगतान अनियमित पाया गया। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि नियम विरुद्ध अनियमित भुगतान किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

निष्कर्ष—उपरोक्त आपत्ति संख्या 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2012–2013 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्ट नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं। यहाँ तक की कतिपय चैको का भुगतान प्रमाणको के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित है परन्तु बैंक खाते में वह भुगतान किसी अन्य द्वारा लिया गया है।

(मूल आपत्ति संख्या 4 ख)

आपत्ति संख्या—12—वर्ष 2012–13 में 580.25 घन मी० मिट्टी हेतु कुल ₹ 29000.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 14 रुपये प्रति घनमीटर की दर से ₹ 8123.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मी० में	धनराशि
09.01.13	580.25	29000.00
योग	580.25	29000.00

(मूल आपत्ति संख्या 7)

वर्ष 2013–2014 आपत्तियों का विवरण

आपत्ति संख्या —13— श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :-

वर्ष 2013–14 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹ 1501980.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री भारत सिंह, पदनाम ए०डी०ओ० आई०एस०बी० को ₹ 30210.00 श्री चन्द्रपाल शर्मा पदनाम ए. डी.ओ.(ए.जी.) ₹ 216870.00 श्री परशुराम पदनाम ए.डी.ओ.(एस.के.) को 1254900.00 भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹ 1501980.00 का वर्ष 2013–14 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 3)

आपत्ति संख्या -14- रू0 144163.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 18019.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रू0 117764.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 7176211.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रू0 162182.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 18019.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 144163.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 5)

आपत्ति संख्या-15- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 7169461.00 पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर कुल रू0 286778.00 की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि वर्ष में रू0 8941.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रू0 277837.00 कटौती कम की गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एन0 कटौती की गई है। फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल/लेटर पैड पर पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2013-14 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एन0 कटौती कुल अंकन रू0 8941.00 की गई है। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान एवं दाखिल रिटन प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे टी0डी0एन0मद में गई कटौती की जमा की स्थिति अपुष्ट है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित में अवगत कराया गया अथवा नहीं। लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाये।

(मूल आपत्ति संख्या 6)

आपत्ति संख्या-16- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर **अपहरण:-**कुल दर्शित भुगतान रू0 7023107.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का अनियमित तरीके से भुगतान किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

निष्कर्ष-उपरोक्त आपत्ति संख्या 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2013-2014 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्ट नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं। यहाँ तक की कतिपय चैको का भुगतान प्रमाणको के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित है परन्तु बैंक खातों में वह भुगतान किसी अन्य द्वारा लिया गया है।

(मू0आ0सं0 4)

आपत्ति संख्या –17—वर्ष 2013—14 में 135 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रू० 6750.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 14 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रू० 1890.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति मय ब्याज तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मत्रा घन मी० में०	धनराशि
28.01.14	135	6750
योग	135	6750

(मूल आपत्ति संख्या 8)

क्षेत्र पंचायत मझगावां – वर्ष 2011—2012 आपत्तियों का विवरण

आपत्ति संख्या –18—मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का

वर्ष 2011—2012 में निर्माण कार्यो पर श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2011—2012 में निर्माण कार्यो पर अंकन रू० 874500.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री ग्रीश पन्त पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रू० 446654.00 श्री सुरेश बाबु सक्सेना ग्राम विकास अधिकारी रू० 342396.00 तथा श्री विष्णुजीत ग्राम विकास अधिकारी को रू० 85450.00 कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत है पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कही भी हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता क हस्तलेख प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू० 874500.00 का वर्ष 2011—12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(समा०आप०सं०-03)

आपत्ति संख्या-19— आपूर्ति कर्ता /फर्म को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/ अन्य खाते में करना सामग्री मद में कुल रू० 3314727.00 भुगतान में से रू० 2423778.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। बैंक फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है-----

बैंक नं०	दिनांक	धनराशि	बैंक जिसके नाम दर्शित है ह०/प्राप्तकर्ता	बैंक प्राप्त कर्ता के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
735247	21.12.11	26087	तराई स्पन	ट्रांसफर
143026	15.09.11	25977	एस०के०का०	अज्ञात
143028	15.09.11	8661	बालाजी ब्रिक	ट्रांसफर बडागांव
143029	15.09.11	43510	सुरेश सक्सेना	नकद
188499	31.08.11	65564	बला जी ब्रिक	ट्रांसफर
188500	31.08.11	237466	एस०के०का०	चालू खाता
143030	15.09.11	259940	एस०के०का०	अज्ञात

143032	15.09.11	143032	बाला जी ब्रिक	ट्रांसफर बडागौव
143031	15.09.11	143031	एस0के0का0	अज्ञात
735258	26.12.11	735258	तराई स्पन	ट्रांसफर
735252	26.12.11	735252	तराई स्पन	ट्रांसफर
	योग	2423778		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 2423778.00 का चैक फर्म/व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रमाक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 2423778.00 की अनियमितता की गई है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0-4क)

आपत्ति संख्या-20- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर **अपहरण:-**कुल दर्शित भुगतान रू0 3314727.00 में से रू0 890949.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(समा0आप0सं04ख)

आपत्ति संख्या-21- रू0 66508.00 टी0डीएस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 1775.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 66508.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है। कोटे गये टी0डी0एस0 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष में उपलब्ध कराई गई पत्रावली के अनुरूप कुल 3314727.00 की सामग्री क्रय की गई जिस पर 2.06 प्रति0 की दर से 68283.00 टी0डी0एस की कटौती की जानी चाहिये थी जबकि 66508.00 की कटौती की गई है। इस प्रकार रू0 1775.00 की कम कटौती की गई जिसे नियमानुसार काटकर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0 5)

आपत्ति संख्या-22-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 3314727.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 132589.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में शून्य कटौती की गई है, जिससे रू0 132589.00 की राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0 6)

आपत्ति संख्या -23- वर्ष 2011-12 में 493.44 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रू0 24672.00 का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 30 रु/घन मी0 की दर में रू0 14803.00 की रॉयल्टी काटी जानी चाहिये।

रॉयल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है, क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0 7)

वर्ष 2012-13

आपत्ति संख्या-24-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2012-2013 में निर्माण कार्यो पर अंकन रु0 2075187.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री प्रेमपाल सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 137684.00 श्री ग्रीष पन्त ग्राम विकास अधिकारी रु0 736132.00 तथा श्री अजय राघव ग्राम विकास अधिकारी को रु0 35378.00, श्री संजीव पराशरी ग्रा0वि0 अधि0 433852.00/-रु, श्री प्रेम शंकर पाली 205429.00/- रु0 श्री विश्वजीत ग्रा0वि0अधि0 122360/- रु0 एवं श्री राजीव सक्सेना ग्राम0 वि0अधि0 को रु0 83950.00 का भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात यह विकास खण्ड से निर्गत है पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के हस्ताक्षर प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 2075187.00 का वर्ष 2012-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0-03)

आपत्ति संख्या-25- आपूर्ति कर्ता/फर्म को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना सामग्री मद में कुल रु0 6538277.00 भुगतान में से रु0 534825.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। बैंक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:---

बैंक नं0	दिनांक	धनराशि	बैंक जिसके नाम दर्शित है ह0/प्राप्तकर्ता	बैंक प्राप्त कर्ता के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
735292	01.08.12	438771	बलाजी ब्रिक	एस0के0का
702087	16.10.12	96054	संतोष पराशरी	संजीव कुमार
		534825		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 288378.00 का बैंक फर्म/व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन बैंक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 534825.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0 4क)

आपत्ति संख्या-26-मात्र बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:- कुल दर्शित भुगतान रु0 6538277.00 में से रु0 6003452.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी का समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान

निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।
(समा0आप0सं04ख)

आपत्ति संख्या-27- रू0 129413.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 5276.00 कम टी0डी0एस काटकर राजस्व की हानि – वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 129413.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है। काटे गये टी0डी0एस0 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक सं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष में उपलब्ध कराई गई पत्रावली के अनुरूप कुल 6538277.00 की सामग्री क्रय की गई जिस पर 2.06 प्रति0 की दर से 134689.00 टी0डी0एस0 की कटौती की जानी चाहिये थी जबकि 129413.00 की कटौती की गई है। इस प्रकार रू0 5276.00 की कम कटौती की गई जिसे नियमानुसार काटकर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-28-रू0 261531.00 टी0डी0एन0 न काटकर राजस्व की हानि—आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 6538277.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 261531.00 की व्यापार कर /वैट की कटौती की जानी चाहिये। जबकि वर्ष में शून्य कटौती की गई है, जिससे रू0 261531.00 की राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, साथ राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0 6)

वर्ष 2013-14

आपत्ति संख्या -29-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान वर्ष 2013-201 में निर्माण कार्यों पर अंकन रू0 2966570.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री मनोज राणा ए0डी0ओ0 सह0 को रू0 1577535.00 श्री प्रेमपाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी रू0 180935.00 तथा श्री ग्रीश पंत ग्राम विकास अधिकारी को रू0 219635.00, श्री अजय राघव ग्रा0वि0अधि0 को रू 552520.0/- रू0 श्री संजीव पाराशरी ग्राम0 वि0अधि0 को रू0 168260.00 रू0 श्री प्रेम शंकर पाली 109005.00/- रू0, श्री राम कुमार उपाध्याय ग्रा0वि0अधि0 158680.00/- रू0 का भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल अंकित है अर्थात् यह विकास खण्ड से निर्गत है पर मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है और जहां कहीं भी हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता क हस्तलेख प्रतीत होते हैं। फार्म पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया हैं और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 2966570.00 का वर्ष 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।
(समा0आप0सं0-03)

आपत्ति संख्या-30-आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना सामग्री मद में कुल रू0 8265761.00 भुगतान में से रू0 1123417.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:—

चैक नं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम दर्शित है ह0/प्राप्तकर्ता	बैंक प्राप्त कर्ता के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता

178117	09.06.14	3324	धारा सिंह	मनोज सिंह राणा
178113	09.06.14	200375	अशफाक अहमद	मनोज सिंह राणा
178113	09.06.14	4500	ताहिर बिल्डिंग	मनोज सिंह राणा
129090	20.05.13	14294	बालमुकुन्द	रामकुमार उपाध्याय
129090	20.05.13	4500	ताहिर बिल्डिंग	रामकुमार उपाध्याय
137011	17.12.13	4500	ताहिर बिल्डिंग	प्रेम शंकर पाली
137011	17.12.13	600	नदीम	प्रेम शंकर पाली
137011	17.12.13	23550	बालमुकुन्द	प्रेम शंकर पाली
137011	17.12.13	4000	फुन्दन खां	प्रेम शंकर पाली
178067	21.01.14	4500	ताहिर बिल्डिंग	ग्रीश पन्त
178067	21.01.14	3600	फुन्दन खां	ग्रीश पन्त
178067	21.01.14	13350	धारा सिंह	ग्रीश पन्त
129094	13.06.13	4500	ताहिर बिल्डिंग	ग्रीश पन्त
129094	13.06.13	4302	तौफिक अहमद	ग्रीश पन्त
178053	15.01.14	4500	ताहिर बिल्डिंग	ग्रीश पन्त
178053	15.01.14	8100	बालमुकुन्द	ग्रीश पन्त
178060	15.01.14	26025	जोगेन्द्र कुमार	राम कुमार उपाध्याय
178060	15.01.14	4500	ताहिर बिल्डिंग	राम कुमार उपाध्याय
137007	17.12.13	5800	जमरुद्दीन	ग्रीश पन्त
137007	17.12.13	4500	ताहिर बिल्डिंग	ग्रीश पन्त
178127	10.09.14	133928	शान ब्रिक	ट्रांसफर
178128	10.09.14	55116	सदाकत हुसैन	ट्रांसफर
131351	23.09.13	4500	ताहिर बिल्डिंग	अजय राघव
137004	15.12.13	4500	एस0के0का	संजीव पाराशरी
137002	16.12.13	41545	एस0के0का	गीता गुप्ता

143057	19.03.14	17745	विमल मालिक	न्कद
178136	20.10.14	225000	आशीष अग्रवाल	ट्रांसफर
96855	17.11.14	297763	आशीष अग्रवाल	ट्रांसफर
		1123417		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 1123417.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है। उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 1123417.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0 4क)

आपत्ति संख्या-31- मात्र बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:-

कुल दर्शित भुगतान रु0 8265761.00 में से रु0 7944914.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। उसमें से 6821497.00 बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी का समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(समा0आप0सं04ख)

आपत्ति संख्या-32-रु0 159452.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 10823.00 कम टी0डी0एस0

काटकर राजस्व की हानि -वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 159452.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 8265761.00 की दर्शित है। जिस पर 2.06 प्रति0 की दर से रु0 170275.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 10823.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 159452.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0-5)

आपत्ति संख्या-33-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 8265761.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 330630.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 104395.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 226235.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रु0 226235.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 226235.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0-6)

आपत्ति संख्या-34- वर्ष 2013-14 में 2669.55 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रु० 199955.00 भुगतान किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु० 80065.50 रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

(समा०आप०सं०-7)

क्षेत्र पंचायत भोजीपुरा जनपद बरेली

आपत्ति संख्या-35- बैंक से निकासी कर उनके सापेक्ष कोई प्रमाणक उपलब्ध न कराकर धन का अपहरण— बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संख्या 26800100006278 व खाता संख्या 26800100006555 से निम्न निकासी की गई जिसके सापेक्ष कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, स्पष्ट है कि बैंक से निकासी कर धन का अपहरण किया गया है। अपुष्ट भुगतानित धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-----

दिनांक	चेक नं०	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	ग्राट पंजिका 2 के अनुसार
13.05.11	103961	8000.00	हरनाम	बायोगैस
06.06.11	103962	12000.00	बीओबी	युवक मंगल दल
23.09.11	105909	7907.00	इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज	इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
20.10.11	105910	17600.00	सेल्फ	बी०डी०सी० मेम्बरों के जलपान हेतु
30.03.12	105911	15600.00	नगद	बी०डी०सी० मेम्बरों के मानदेय हेतु
योग		61107.00		

(मूल आपत्ति संख्या 02)

वर्ष 2012-2013 आपत्तियों का विवरण

आपत्ति संख्या -36. श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:—

वर्ष 2012-2013 में निर्माण कार्यो पर अंकन रु० 531605.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री संजय कुमार गंगवार, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु० 430910.00 श्री सत्य प्रकाश शर्मा पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रु० 100695.00 भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है साथ ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान/समितियों से कार्यपूर्णता का प्रमाणक नहीं लिया गया है। यथा -

1. राज्य वित्त से ग्राम जटौआ जाफरपुर में जटौआ जाफरपुर के मध्य से धौरा मेन रोड तक मिट्टी/खडंजा कार्य में 3 मस्टररोलों द्वारा जो दिनांक 16.01.13 से 07.03.13 तक है, पर कुल मजदूरी रु० 67415.00 चेक नं० 536492.539128 व 539128 दिनांक 01.02.13.13.03.13 से कार्य प्रभारी संजय गंगवार को किया गया है, मस्टररोलों पर मजदूरों के अंगूठे के निशान है जो प्रमाणित नहीं है साथ ही क्षेत्र पंचायत से मस्टररोल निर्गत नहीं है उनपर क्रमांक नहीं है, नं० 2 कार्य जो ब्लाक की रंगाई पुताई व मरम्मत कार्य से सम्बन्धित है इसमें 2 मस्टररोल दिनांक 01.01.13 से 14.01.13 तक व 01.01.13 से 12.01.13 तक तीन मजदूरों को एक साथ कार्य करते हुए दिखाया गया है। 1 बेगराज पुत्र रामलाल 14 दिन 9 दिन 2 पप्पू पुत्र इतवारी

13. दिन व 10 दिन, 3 मनोज पुत्र सोहन लाल 14 दिन व 11 दिन, उक्त से स्पष्ट है कि फर्जी मस्टररोल बनाकर कार्य प्रभारी संजय गगवार द्वारा रू0 42080.00 व रू0 14480.00 का भुगतान प्राप्त किया गया। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से अभिलेख तैयार कर धनराशि का अपहरण किया गया

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 531605.00 का वर्ष 2012-13 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।
(मूल आ0सं0 3)

आपत्ति संख्या -37-आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना
सामग्री मद में कुल रू0 2250418.00 भुगतान में से रू0 271003.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:—

चैक नं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम दर्शित है ह0/प्राप्तकर्ता	बैंक प्राप्त कर्ता के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
539128	13.03.13	27459.00	सुरेश ब्रिक फील्ड	संजय
535064	22.11.13	23680.00	अजन्ता ब्रिक फील्ड	संजय
539127	12.03.13	23920.00	वेदप्रकाश नितिन कुमार	टू कैश
535080	14.02.12	47055.00	वेद प्रकाश नितिन कुमार	संजय
535061	22.11.12	46620.00	वेदप्रकाश नितिन कुमार	संजय
535066	29.11.12	43002.00	अजन्ता ब्रिक फील्ड	संजय
535081	22.12.12	14405.00	अजन्ता ब्रिक फील्ड	संजय
535081	22.12.12	12786.00	वेद प्रकाश नितिन कुमार	संजय
539133	18.03.13	32076.00	ताज ब्रिक फील्ड	सत्यप्रकाश
योग		271003.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 271003.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 271003.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।
(समा0आप0सं0 4क)

आपत्ति संख्या-38- रू0 13235.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 29268.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रू0 13235.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 2263653.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रू0 51158.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 37923.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई

है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 13235.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या 5)

आपत्ति संख्या-39—आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 2263653.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 90546.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रू0 90546.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रू0 90546.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 90546.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 6)

आपत्ति संख्या-40—मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:—कुल दर्शित भुगतान रू0 2250418.00 में से रू0 1979415.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति के मूल्य का भुगतान अनियमित पाया गया। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि नियमविरुद्ध अनियमित भुगतान किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

निष्कर्ष—उपरोक्त आपत्ति संख्या 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2012-2013 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश की भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्ट नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं। यहाँ तक की कतिपय चैको का भुगतान प्रमाणकों के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित है परंतु बैंक खाते में वह भुगतान कोई लिया गया है।

आपत्ति संख्या-41—वर्ष 2012-13 में 905.47 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रू0 55112.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 14 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रू0 12677.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मत्रा घन मी0 में	धनराशि
09.11.12	502.78	32681.00
22.11.12	48.06	3124.00
25.02.13	124.80	4368.00

10.03.13	229.83	14939.00
योग	905.47	55112.00

(मूल आपत्ति संख्या 7)

वर्ष 2013-2014 आपत्तियों का विवरण

आपत्ति संख्या -42- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान :—

वर्ष 2012-2013 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 1602000.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री जितेन्द्र कुमार गंगवार, पदनाम ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी को रु0 65442.00 श्री जगन्नाथ गंगवार पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रु0 257947.00 श्री विवके गंगवार ग्राम विकास अधिकारी को रु0 514398.00 श्री अतुल सक्सेना पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 142924.00 श्री वीरपाल पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 181194.00 श्री विकास रवीन्द्र पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 155694.00 श्री लोचनराम गंगवार पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 129496.00 श्री नरेशपाल पदनाम ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी को रु0 15704.00 श्री सुरेन्द्रवीर पदनाम ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी को रु0 71200.00 एवं श्री मोद प्रकाश ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी को रु0 67995.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर में है। कार्य पर लगे मजदूर गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1602000.00 का वर्ष 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 3)

आपत्ति संख्या -43- रु0 117764.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 26582.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु0 117764.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 6387008.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रु0 144346.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 26582.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 117764.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 5)

3- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 6387008.00 पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर कुल रु0 255480.00 की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 255480.00 कटौती कम की गई है।

जॉचोपरान्त लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाये।

(मूल आपत्ति संख्या 6)

आपत्ति संख्या -44- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:- कुल दर्शित भुगतान रु0 6686894.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त

प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति के मूल्य का भुगतान अनियमित पाया गया। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

निष्कर्ष – उपरोक्त आपत्ति संख्या 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2013-2014 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश की भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्ट नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं। यहाँ तक की कतिपय चैको का भुगतान प्रमाणकों के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित है परन्तु बैंक खाते में वह भुगतान कोई लिया गया है। (मूल आपत्ति संख्या 4)

आपत्ति संख्या –45—वर्ष 2013.14 में 4212.86 घन मी० मिट्टी हेतु कुल ₹0 299886.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 14 रुपये प्रति घनमीटर की दर से ₹0 58980.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मत्रा घन मी० में	धनराशि
21.07.13	154.44	11583
23.11.13	258.00	19350
16.08.13	119.24	8943
10 व 20.07.13	535.26	34792
20.06.13	206.53	13400
20.06.13	300	19500
03.10.13	216.50	14076
03.07.13	64.50	4837
18.05.13	166	11620
15.01.14	225	16875
08.04.13	229	16030
08.04.13	300	21000
03.10.13	661.89	49638

20.08.13	380	28500
20.08.13	396.50	29742
योग	4212.86	299886

(मूल आपत्ति संख्या 8)

क्षेत्र पंचायत रामनगर – वर्ष 2011–2012

आपत्ति संख्या –46– मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का

वर्ष 2011–12 में निर्माण कार्यो पर अंकन 196760.00 रु0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके क्रमशः कार्य प्रभारी श्री हामिद हुसैन पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 127880.00 एवं श्री वजीर अली पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 68880.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठी निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है के फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 196760.00 का वर्ष 2011–12 में योजना बद्ध तरीके से अनियमितता किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ/जे0ई/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0 03)

आपत्ति संख्या-47-कुल दर्शित भुगतान रु0 881295.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लैटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0 04)

आपत्ति संख्या-48-रु0 12422.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 5733.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2011–12 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु0 12422.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलेख्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 881295.00 की दर्शित है। जिसपर 2.06 की दर से रु0 18155.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 5733.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 12422.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0 05)

आपत्ति संख्या-49- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय उपलब्ध पत्रावली के अनुसार रु0 881295.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 35252.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गई

है। इस प्रकार रु 35252.00 कटौती नहीं की गई है जिससे रु 35252.00 के राजस्व क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु 35252.00 की प्रतिपूर्ति दण्डनीय व्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।
(समा0आप0सं0-06)

आपत्ति संख्या-49(1)—उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार वर्ष 2011-12 में 553.89 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु 37664.00 का भुगतान किया जाना अंकित पाया गया। जिस पर नियमानुसार रु 30.00 प्रति घन मी0 की दर से रु 16617.00 रॉयल्टी काटी जानी चाहिए। रॉयल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है। क्षति की पूर्ति तात्कालीन खंड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है। (समा0आप0सं0-07)

वर्ष 2012-13

आपत्ति संख्या -50- मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का

वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर एकमात्र उपलब्ध कराई गई पत्रावली की जांच में स्पष्ट रहा कि अंकन 900740.00 रु0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके क्रमशः कार्य प्रभारी श्री जयप्रकाश गुप्ता पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 598610.00 एवं श्री इज्जत अली पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 134460.00 श्री युधिष्ठिर सिंह ग्राम वि0अधि0 110520.00 श्री गोपाल कृष्ण राणा सहा0 वि0 अधि0 को 38280.00 तथा हरपाल को रु0 18870.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 900740.00 का वर्ष 2012-13 में योजना बद्ध तरीके से अनियमितता किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ/जे0ई/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।
(समा0आप0सं0 03)

आपत्ति संख्या -51-आपूर्ति कर्ता/फर्म को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना
सामग्री मद में कुल रु0 3647801.00 भुगतान में से रु0 46988.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। बैंक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता श्री भरत सिंह ए0डी0ओ है:—

बैंक नं0	दिनांक	धनराशि	बैंक जिसके नाम दर्शित है ह0/प्राप्तकर्ता	बैंक प्राप्त कर्ता के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
382837	01.08.12	18900	बालाजी बिल्डिंग	ट्रांसफर
233742	24.06.13	6345	बालाजी बिल्डिंग	ट्रांसफर
237391	08.08.13	3290	लक्ष्मी ब्रिक	श्री जयप्रकाश गुप्ता
237391	08.08.13	18453	खान पेन्टस	श्री जयप्रकाश गुप्ता

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 46988.00 का बैंक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन बैंक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 46988.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।
(समा0आप0सं0 4क)

आपत्ति संख्या-52- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर **अपहरण:-** कुल दर्शित भुगतान रु0 3647801.00 मे से रु0 3534182.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लैटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।
(समा0आप0सं0 04 ख)

आपत्ति संख्या -53-रु0 69631.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 5514.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु0 69631.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलेख्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 3647801.00 की दर्शित है। जिसपर 2.06 की दर से रु0 75145.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 5514.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 69631.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।
(समा0आप0सं005)

आपत्ति संख्या-54- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 3647801.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 145912.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रु0. 145912.00 कटौती नहीं की गई है जिससे रु0 145912.00 के राजस्व क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 145912.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।
(समा0आप0सं0 -06)

आपत्ति संख्या -55- वर्ष 2012-13 में 648.91 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 44125.00 भुगतान किया गया है। जिसपर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 19467.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज कराई जानी अपेक्षित है।
(समा0आप0सं0- 07)

वर्ष 2013-14

आपत्ति संख्या -56- मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्य पर अंकन रु0 1439600.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके क्रमशः कार्य प्रभारी श्री वजीर अली ग्राम विकास अधिकारी को रु0 346040.00 एवं श्री जयप्रकाश गुप्ता पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 640400.00 तथा श्री ओमेन्द्र को 434840.00 तथा श्री उमरुद्दीन को रु0 18320.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है।

जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तालेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है के फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 1439600.00 का वर्ष 2013-14 में योजना बद्ध तरीके से अनियमितता किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ/जे०ई/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।
(समा०आप०सं० 03)

आपत्ति संख्या -57-आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना
सामग्री मद में कुल रु० 5613963.00 भुगतान में से रु० 2086385.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:---

चैक नं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम दर्शित है ह०/प्राप्तकर्ता	बैंक प्राप्त कर्ता के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
673760	17.01.14	24410	बालाजी बिल्डिंग	ट्रांसफर
674904	12.02.14	138928	बालाजी बिल्डिंग	ट्रांसफर
674943	08.08.14	47483	बालाजी बिल्डिंग	ट्रांसफर
673758	17.01.14	25896	बालाजी बिल्डिंग	ट्रांसफर
673770	31.01.14	60725	ख्वाजा बिल्डिंग	ट्रांसफर
673771	31.01.14	113575	बालाजी बिल्डिंग	ट्रांसफर
674916	28.04.14	4500	बालाजी बिल्डिंग	ट्रांसफर
674936	08.08.14	125411	बालाजी बिल्डिंग	ट्रांसफर
674937	08.08.14	7104	तेजपाल	ट्रांसफर
674907	12.02.14	187898	बालाजी बिल्डिंग	ट्रांसफर
674926	28.04.14	236780	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	ट्रांसफर
674927	28.04.14	37842	बालाजी बिल्डिंग	ट्रांसफर
674931	08.08.14	68864	बालाजी बिल्डिंग	ट्रांसफर
674946	08.08.14	22514	तेजपाल	ट्रांसफर
674909	21.02.14	273194	ख्वाजा ब्रिक	ट्रांसफर
674920	28.04.14	273194	ख्वाजा ब्रिक	ट्रांसफर
674939	08.08.14	273361	ख्वाजा ब्रिक	ट्रांसफर

674942	08.08.14	19887	नेत्रपाल	ट्रांसफर
674949	08.08.14	70162	ख्वाजा ब्रिक	ट्रांसफर
673768	31.01.14	70157	बालाजी बिल्डिंग	ट्रांसफर
674918	28.04.14	4500	बालाजी बिल्डिंग	ट्रांसफर
		2086385		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 2086385.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 2086385.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0 4क)

आपत्ति संख्या –58—मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:— कुल दर्शित भुगतान रू0 5613963.00 में से रू0 3527578.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लैटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0 04 ख)

आपत्ति संख्या—59— रू0 112148.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 7987.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2013—14 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रू0 112148.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलेख्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 6006759.00 की दर्शित है। जिसपर 2.00 की दर से रू0 120135.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 7987.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 112148.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

(समा0आप0सं005)

आपत्ति संख्या –60—आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 6006759.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 240270.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रू0. 240270.00 कटौती नहीं की गई है जिससे रू0 240270.00 के राजस्व क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 240270.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0—06)

क्षेत्र पंचायत नबावगंज जनपद बरेली।

आपत्ति संख्या –61– वर्ष 2011–2012 में रू0 1212178.00 का आहरण बैंक खाता सं0 55570100012117 बडौदा उ0प्र0 ग्रामीण बैंक, शाखा नबाबगंज तथा रू0 2663247.00 का आहरण बैंक खाता सं0 4194000400043928, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा नबाबगंज से किया गया। इस प्रकार कुल धनराशि 3875425.00 का आहरण बैंक से किया गया है। जिसके सापेक्ष में किसी भी कार्य की पत्रावली प्राप्त न होने के कारण सम्बन्धित आहरित धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी नबाबगंज तथा सम्बन्धित लेखाकार नबाबगंज से मय ब्याज की जानी अपेक्षित रही।

(सा0आ0प0-3)

वर्ष 2012–2013 आपत्ति का विवरण

आपत्ति संख्या –62–वर्ष 2012–2013 में रू0 212187.00 का आहरण बैंक खाता सं0 55570100012117 बडौदा उ0प्र0 ग्रामीण बैंक, शाखा नबाबगंज तथा रू0 2931477.00 का आहरण बैंक खाता सं0 4194000400043928, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा नबाबगंज से किया गया। इस प्रकार कुल धनराशि 3143664.00 का आहरण बैंक से किया गया है। जिसके सापेक्ष में किसी भी कार्य की पत्रावली प्राप्त न होने के कारण सम्बन्धित आहरित धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी नबाबगंज तथा सम्बन्धित लेखाकार नबाबगंज से मय ब्याज की जानी अपेक्षित रही।

(सा0आ0प0-3)

वर्ष 2013–2014 आपत्ति का विवरण

आपत्ति संख्या –63– मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का

वर्ष 2013–14 में निर्माण कार्यो पर अंकन 512022.00 रू0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके क्रमशः कार्य प्रभारी श्री खर्ग सेन गंगवार, श्री कमल कुमार एवं श्री शकर लाल को नकद भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है के फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 512022.00 का वर्ष 2013–14 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ/जे0ई/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0 05)

आपत्ति संख्या-64–आपूर्ति कर्ता फर्म/व्यक्ति को चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना सामग्री मद में कुल रू0 2048291.00 भुगतान में से रू0 1445124.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है साथ ही आपूर्ति कर्ता के नाम चैक जारी नहीं किये गये है।:—

कार्य सं0	चैक नं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
01	888448	01.02.14	72030	मोनिका ब्रिक फील्ड	ट्रांसफर
	215223	01.05.14	10181	मोनिका ब्रिक फील्ड	नकद
	215223	01.05.14	8777	अमन सीमेन्ट स्टोर	नकद

	215223	01.05.14	6000	शेख बहादुर	नकद
02	88481	12.02.14	42341	मोनिका ब्रिक फील्ड	ट्रांसफर
	215399	16.06.14	46446	मोनिका ब्रिक फील्ड	आई0डब्लु0/सी0एल0जी0
	215399	16.06.14	58727	अमन सीमेन्ट स्टोर	आई0डब्लु0/सी0एल0जी0
	215401	16.06.14	42655	अमन सीमेन्ट स्टोर	खर्ग सेन
	215416	08.03.14	14175	रामकिशोर	नकद
03	88472	06.02.14	20505	अयाज इण्टरप्राइजेज	नकद
	888472	06.02.14	16478	हिन्दुस्तान ब्रिक इण्डस्ट्रीज	नकद
	888468	06.02.14	51450	हिन्दुस्तान ब्रिक इण्डस्ट्रीज	ट्रांसफर
	215378	21.05.14	25470	अयाज इण्टरप्राइजेज	कमल कुमार
	215379	21.05.14	25000	हिन्दुस्तान ब्रिक इण्डस्ट्रीज	कमल कुमार
	215380	21.05.14	49000	हिन्दुस्तान ब्रिक इण्डस्ट्रीज	आई0डब्लु0/सी0एल0जी0
	215419	08.07.14	58083	अयाज इण्डस्ट्रीज	नकद
	215417	08.07.14	44100	हिन्दुस्तान ब्रिक इण्डस्ट्रीज	आई0डब्लु0/सी0एल0जी0
	215417	08.07.14	44353	हिन्दुस्तान ब्रिक इण्डस्ट्रीज	आई0डब्लु0/सी0एल0जी0
04	089469	15.01.14	13947	गोल्डन ईट उधोग	शंकर लाल
	888453	01.02.14	13650	सतीश	शंकर लाल
	215388	07.06.14	4922	अमन सीमेन्ट स्टोर	शंकर लाल
	215388	07.06.14	14077	गोल्डन ईट उधोग	शंकर लाल

05	888487	04.03.14	16401	मोनिका ब्रिक फील्ड	खर्ग सेन
	888485	04.03.14	74719	मोनिका ब्रिक फील्ड	—
	215208	15.04.14	74869	मोनिका ब्रिक फील्ड	आई0डब्लु0/सी0एल0जी0
	215243	05.05.14	47249	मोनिक ब्रिक फील्ड	खर्ग सेन
	215244	05.05.14	38029	अमन सीमेन्ट स्टोर	खर्ग सेन
06	884445	01.02.14	136681	मोनिका ब्रिक फील्ड	ट्रांसफर
	888445	01.02.14	123023	मोनिका ब्रिक फील्ड	ट्रांसफर
	888490	24.03.14	12500	मोनिका ब्रिक फील्ड	खर्ग सेन
	888488	24.03.14	56805	मोनिका ब्रिक फील्ड	ट्रांसफर
07	089473	15.01.14	41376	मोनिका ब्रिक फील्ड	शंकर लाल
	888443	01.02.14	113900	मोनिका ब्रिक फील्ड	ट्रांसफर
	215425	28.07.14	27215	मोनिका ब्रिक फील्ड	शंकर लाल
योग			1445124.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 1445124.00 चैक फर्म/व्यक्ति के नाम और आपूर्ति कर्ता के नाम निर्गत न दर्शाकर पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 1445124.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0प0-6)

आपत्ति संख्या—65—रू0 33089.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 7797.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रू0 33089.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलेख्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 2048291.00 की दर्शित है। जिसपर 2.00 प्रतिशत की दर से रू0 40886.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 7797.00.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 33089.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।
(समा0आप0सं09)

आपत्ति संख्या—66—आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 2048291.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 81932.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रू0. 81932.00 कटौती नहीं की गई है जिससे रू0 81932.00 के राजस्व क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 81932.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-67-वर्ष 2013-14 में प्रस्तुत कार्यों की जांच के समय पाया गया कि कार्य सं0 1,2,3 में क्रमशः 80 तदैव म3ए189एम3 तथा 183एम3, कुल 451एम3 मिट्टी के लिए रू0 33825.00 का भुगतान 75 रू0 एम3 के हिसाब से किया गया है जिस पर नियमानुसार रायल्टी जमा की रसीद लेखा परीक्षा में देखने को अप्राप्त रही। इस प्रकार दर्शित मात्रा 30रू0/एम3के हिसाब से 13530.00 की रायल्टी न काटकर के राजस्व की क्षति की गई है, जिसकी क्षतिपूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-11)

आपत्ति संख्या -68-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म/व्यक्ति को भुगतान कुल दर्शित भुगतान रू0 2015202.00 में से रू0 570078.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो अधिकांश प्रमाणक फर्म के लैटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म/व्यक्ति द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। जिन कार्यों में मिट्टी का भुगतान सम्बन्धितों को किया गया है उन कार्यों का भुगतान उक्त सम्बन्धित व्याक्तियों द्वारा प्राप्त न करके कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया है। अतः उपरोक्त भुगतान भी पूर्ण रूप से संदिग्ध है। अतः रू0 570078.00 की वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित लेखाकार से मय ब्याज की जानी चाहिए।
(सा0आ0सं0-7)

क्षेत्र पंचायत भदपुरा- वर्ष 2011-2012

आपत्ति संख्या -69. श्रमांश के मद में मजदूरी को अवास्तविक मस्टर रोल से भुगतान कार्य प्रभारियों को :— वर्ष 2011-2012 में निर्माण कार्यों पर अंकन रू0 1042820.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री कृष्ण, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रू0 131820.00 श्री बीरपाल पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रू0 294360.00 एवं श्री फूल सिंह ग्रा0वि0 अ0 को रू0 192690.00 एवं श्री बृजेश गौतम ग्रा0वि0अ0 को रू0 138810.00 श्री आर0पी0सिंह0 ग्रा0वि0अ0 को रू0 272840.00 और श्री नरसिंह गंगवार ग्रा0वि0अ0 को रू0 12300.00 भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। संबंधित मस्टर रोल निर्गमन रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा। जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अवास्तविक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 1042820.00 का वर्ष 2011-12 में अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।
(मूल आ0 सं0 3)

आपत्ति संख्या -70-क-सामग्री आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक भुगतान न करके कार्य प्रभारी को भुगतान करना/अन्य को करना—सामग्री मद में कुल रू0 4344137.00 भुगतान में से रू0 3797592.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। तालिका नं0 2 में अंकित विवरण से स्पष्ट है सामग्री क्रय का भुगतान आपूर्ति कर्ता/फर्म को न करके कार्य प्रभारी या अन्य को किया गया है। विवरण निम्नवत् है।

कार्य का क्रमांक	धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम	अन्य को निर्गत चेक की धनराशि
1	138647	श्री कृष्ण ग्रा0वि0अ0	—
2	254008	बीरपाल ग्रा0वि0अ0	—
3	138334	फूल सिंह ग्रा0वि0अ0	—
4	403296	ब्रजेश गौतम ग्रा0वि0अ0	—
5	568938	फूल सिंह ग्रा0वि0अ0	149121 बीरपाल को
6	634246	बीरपाल ग्रा0वि0अ0	—
7	128909	फूल सिंह ग्रा0वि0अ0	—
8	334228	आर0पी0सिंह ग्रा0वि0अ0	98547 बीरपाल को
9	96615	आर0पी0सिंह ग्रा0वि0अ0	—
10	430271	आर0पी0सिंह ग्रा0वि0अ0	173646 श्री कृष्ण को
11	289174	आर0पी0सिंह ग्रा0वि0अ0	47304 ब्रजेश गौतम को
12	67940	आर0पी0सिंह ग्रा0वि0अ0	38989 श्री कृष्ण को
13	50674	नरसिंह गंगवार ग्रा0वि0अ0	—
14	262312	ब्रजेश गौतम ग्रा0वि0अ0	—
योग	3797592	—	507607

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 3797592.00 का चेक फर्म को निर्गत न करके कार्य प्रभारी या अन्य को किया गया है। जो अनियमित है सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः सामग्री क्रय पर अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकर/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।
सा0 आ0 सं0-4क

ख —मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान :-

कुल दर्शित भुगतान रु0 4344137.00 में से रु0 546545.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लैटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष

का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

सा0आ0सं0 – 4ख)

आपत्ति संख्या –71—रु0 19197.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 75730.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु0 19197.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलेख्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 4237827.00 की दर्शित है। जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 94927.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 75730.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 19197.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

(समा0आप0सं05)

आपत्ति संख्या—72—आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 4237827.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 169513.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रु0. 169513.00 वैट कटौती न कर के राजस्व क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 169513.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0—6)

आपत्ति संख्या—73—वर्ष 2011-12 में 2091.70 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 125507.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 62751.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर के राजस्व की क्षति की गई है, जिसकी क्षतिपूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

क्रां क्रमांक	मात्रा घन मी0 मे	धनराशि
1	174.00	10440
5	240.80	14448
8	54.00	3240
9	439.00	26345
10	151.00	9060
11	825.00	49500
12	207.90	12474
योग	2091.70	125507

(सा0आ0सं0—7)

आपत्तियां का विवरण वर्ष 2012-2013

आपत्ति संख्या -74- श्रमांश के मद में मजदूरी को अवास्तविक मस्टर रोल से भुगतान कार्य प्रभारियों को :-वर्ष 2012-2013 में निर्माण कार्यो पर अंकन रू0 876772.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री कृष्ण, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रू0 54388.00 श्री बीरपाल पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रू0 16130.00 एवं श्री फूल सिंह ग्रा0वि0 अ0 को रू0 323351.00 एवं श्री बृजेश गौताम ग्रा0वि0अ0 को रू0 192904.00 और श्री नरसिंह गंगवार ग्रा0वि0अ0 को रू0 289999.00 भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनप मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। संबंधित मस्टर रोल निर्गमन रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा। जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख में ही हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अवास्तविक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 876772.00 का वर्ष 2012-13 में अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 3)

आपत्ति संख्या -75- क-सामग्री आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक भुगतान न करके कार्य प्रभारी को भुगतान करना-सामग्री मद में कुल रू0 3924952.00 भुगतान में से रू0 2912335.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। तालिका नं0 2 में अंकित विवरण से स्पष्ट है सामग्री क्रय का भुगतान आपूर्ति कर्ता/फर्म को न करके कार्य प्रभारी या अन्य को किया गया है। विवरण निम्नवत् है-

कार्य का क्रमांक	धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम
1	95838	फूल सिंह ग्रा0वि0अ0
2	95838	फूल सिंह ग्रा0वि0अ0
3	95838	नरसिंह गंगवार ग्रा0वि0अ0
4	95838	श्री कृष्ण ग्रा0वि0अ0
5	95838	ब्रजेश गौतम ग्रा0वि0अ0
6	95838	ब्रजेश गौतम ग्रा0वि0अ0
7	95838	ब्रजेश गौतम ग्रा0वि0अ0
8	95838	ब्रजेश गौतम ग्रा0वि0अ0
9	95838	ब्रजेश गौतम ग्रा0वि0अ0
10	95838	श्री कृष्ण ग्रा0वि0अ0
11	95838	ब्रजेश गौतम ग्रा0वि0अ0
12	89206	ब्रजेश गौतम ग्रा0वि0अ0

13	161651	फूल सिंह	ग्रा0वि0अ0
14	85154	बीरपाल	ग्रा0वि0अ0
15	225408	फूल सिंह	ग्रा0वि0अ0
16	149696	फूल सिंह	ग्रा0वि0अ0
17	474593	नरसिंह गंगवार	ग्रा0वि0अ0
18	120372	नरसिंह गंगवार	ग्रा0वि0अ0
19	120975	नरसिंह गंगवार	ग्रा0वि0अ0
20	121062	नरसिंह गंगवार	ग्रा0वि0अ0
योग	2602335		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु 2602335.00 का चेक फर्म को निर्गत न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। जो अनियमित है। संबंधित स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः सामग्री क्रय पर अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए बी0डी0ओ0/जे0ई/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 4-क)

ख – मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान :-

कुल दर्शित भुगतान रु0 3924952.00 में से रु0 1012617.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लैटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-4ख)

आपत्ति संख्या 76-रु0 8263.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 72268.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु0 8263.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलेख्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 3595121.00 की दर्शित है। जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 80531.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 72268.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 8263.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। (समा0आप0सं05)

आपत्ति संख्या-77—आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 3595121.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 143805.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रु0. 143805.00 वैट कटौती न कर के राजस्व क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 143805.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0 -6)

आपत्ति संख्या-78—वर्ष 2012-13 में 5108.70 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 338094.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिसपर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 153261.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य क्रमांक	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
1 से 11 तक	70.90X11 779.90	46794
12	472.50	28350
13	292.00	17520
14	72.00	4320
15	3157.30	221010
16	110.00	6600
19	75.00	4500
20	150.00	9000
योग	5108.70	338094

सामान्य आपत्ति संख्या-7

आपत्तियां का विवरण वर्ष 2013-2014

आपत्ति संख्या -79—श्रमांश के मद में मजदूरों को आवस्तविक मस्टर रोल से भुगतान कार्य प्रभारियों को :—वर्ष 2013-2014 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 1176972.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री कृष्ण, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 416177.00 श्री बीरपाल पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रु0 155638.00 एवं श्री फूल सिंह ग्रा0वि0 अ0 को रु0 314245.00 एवं श्री बृजेश गौतम ग्रा0वि0अ0 को रु0 79812.00 श्री प्यारेलाल ए0डी0अ0 आई0एस0बी0 को रु0 103390 और श्री नरसिंह गंगवार ग्रा0वि0अ0 को रु0 107710.00 भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल निर्गमन नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख में ही हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अवास्तविक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1176972.00 का वर्ष 2013-14 में अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0अ0/जे0ई/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 3)

आपत्ति संख्या -80-क- सामग्री आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक भुगतान न करके कार्य प्रभारी को भुगतान करना—सामग्री मद में कुल रू0 6407793.00 भुगतान में से रू0 3058249.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। तालिका नं0 2 में अंकित विवरण से स्पष्ट है सामग्री क्रय का भुगतान आपूर्ति कर्ता/फर्म को न करके कार्य प्रभारी या अन्य को किया गया है।
विवरण निम्नवत् है—

कार्य का क्रमांक	धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम
1	137913	प्यारे लाल गंगवार ए0डी0ओ आई0एस0बी0
2	144387	श्री कृष्ण ग्रा0वि0अ0
3	241730	नरसिंह गंगवार ग्रा0वि0अ0
4	236382	फूल सिंह ग्रा0वि0अ0
5	79898	श्री कृष्ण ग्रा0वि0अ0
6	270154	श्री कृष्ण ग्रा0वि0अ0
7	160197	बीरपाल ग्रा0वि0अ0
8	245367	फूल सिंह ग्रा0वि0अ0
9	25575	फूल सिंह ग्रा0वि0अ0
10	290707	श्री कृष्ण ग्रा0वि0अ0
11	240680	ब्रजेश गौतम ग्रा0वि0अ0
12	140630	फूल सिंह ग्रा0वि0अ0
13	112509	ब्रजेश गौतम ग्रा0वि0अ0
14	151640	श्री कृष्ण ग्रा0वि0अ0
15	293768	श्री कृष्ण ग्रा0वि0अ0
16	220563	बीरपाल ग्रा0वि0अ0

17	66149	बीरपाल	ग्रा0वि0अ0
योग –	3058249.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 3058249.00 का चेक फर्म को निर्गत न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। जो अनियमित है सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः सामग्री क्रय पर अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।
सामान्य आपत्ति संख्या – 4क

ख – मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान :-

कुल दर्शित भुगतान रू0 6407793.00 में से रू0 3349544.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लैटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-4ख)

आपत्ति संख्या –81-रू0 129569.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 16153.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रू0 129569.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलेख्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 6515382.00 की दर्शित है। जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से रू0 145945.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 16376.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 129569.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।
(समा0आप0सं05)

आपत्ति संख्या-82-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 6515382.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 260615.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि वर्ष में रू0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रू0. 260615.00 वैट कटौती न कर के राजस्व क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 260615.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0-6)

आपत्ति संख्या-83-वर्ष 2013-14 में 314 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रू0 21980.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रू0 9420.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य क्रमांक	मात्रा घन मी० में०	धनराशि
1	314.00	21980

(समा०आप०सं०-7)

क्षेत्र पंचायत— शेरगढ़

आपत्ति संख्या-84. वर्ष 2011-12 में अनुदान पंजी के अनुसार कुल रु० 10147838.00 व्यय किया गया है परन्तु किये गये व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिससे धन का दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार कार्यप्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। वर्ष में किये गये योजनावार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रमांक	योजना का नाम	व्यय धनराशि
1	विधायक निधि	4185467.00
2	राज्य वित्त	2768015.00
	बारहवां वित्त	226601.00
3	तेरहवां वित्त	1513551.00
4	मनरेगा कन्टीजेन्सी	1436204.00
5	बायोगैस अनुदान	8000.00
6	युवक मंगलदल	10000.00
योग		10147838.00

सामान्य आपत्ति संख्या-3

वर्ष 2012-2013

आपत्ति संख्या-85. श्रमांश के मद में मजदूरों को अवास्तविक मस्टर रोल से भुगतान कार्य प्रभारियों को -वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्य पर अंकन रु० 193190.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्रीपाल ग्रा० वि० अ० को रु० 122410.00 एवं श्री धनंजय सिंह ग्रा० वि० अ० को रु० 70780.00 भुगतान किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन मस्टर रोल पर निर्गमन नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। सम्बन्धित मस्टर रोल निर्गमन रजि० प्रस्तुत नहीं रहा। जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अवास्तविक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 1042820.00 का वर्ष 2012-13 में अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

सा० आ० सं०-3

आपत्ति संख्या-86-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान -कुल दर्शित भुगतान रु0 930875.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लैटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति संख्या-4**

आपत्ति संख्या-87.-रु0 13753.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 7092.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि -

वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 13753.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 930575.00 की दर्शित है। जिस पर 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 20845.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 7092.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 13753.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **सा0 आ0 सं0-5**

आपत्ति संख्या-88.-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 930875.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 37223.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 37223.00 वैट की कटौती न कर राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 37223.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

सा0आ0सं0-6

आपत्ति संख्या-89-वर्ष 2012-13 में अनुदान पंजी के अनुसार कुल रु0 6961933.00 व्यय किया गया है परन्तु वर्ष की मात्र दो पत्रावलियां ही प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार रु0 1123765.00 व्यय किया गया है। शेष रु0 5838168.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिससे धन के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति संख्या-8**

वर्ष 2013-14

आपत्ति संख्या-90.- श्रमांश के मद में मजदूरों को अवास्तविक मस्टर रोल से भुगतान कार्य प्रभारियों को -वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 570050.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री हरेन्द्र सिंह मतौलिया ए0डि0ओ0आई0एस0बी0 को भुगतान किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन मस्टर रोल पर निर्गमन नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। सम्बन्धित मस्टर रोल निर्गमन रजि0 प्रस्तुत नहीं रहा। जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अवास्तविक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 570050.00 का वर्ष 2013-14 में अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

सा0 आ0सं0-3

आपत्ति संख्या-91.मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कुल दर्शित भुगतान रु0 2014626.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-4

आपत्ति संख्या-92.रु0 41501.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 3627.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 41501.00 की टी0डी0एस0 की कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2014626.00 की दर्शित है। जिस पर 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 45128.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 3627.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 41501.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/ बैंक स्टेटमेन्ट /चालान /दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

आ0सं0-5

आपत्ति संख्या-93.-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2014626.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 80585.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि वर्ष में रु0 शून्य की कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 80585.00 वैट की कटौती न कर राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 80585.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आ0सं0-6

आपत्ति संख्या-94.-वर्ष 2013-14 में 1022.00 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 56210.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 30660.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज कराई जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या-7

कार्य क्रमांक	मात्रा घन मी० में	धनराशि
4	1022.00	56210.00

आपत्ति संख्या-95-वर्ष 2013-14 में अनुदान पंजी के अनुसार कुल रु० 12729948.00 व्यय किया गया है परन्तु वर्ष की मात्र पाँच पत्रावलियां ही प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार रु० 2640886.00 व्यय किया गया है। शेष रु० 10089062.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिससे धन के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या-9

क्षेत्र पंचायत फतेहगंज (पश्चिमी) जनपद बरेली-वर्ष 2011-12

आपत्ति संख्या-96-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को किया जाना :-वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्य पर अंकन 328370.00 रु० मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार पदनाम- ए०डी०ओ० (एस०के०) को रु० 122320.00 श्री अमित कुमार, पदनाम- ग्राम पंचायत अधिकारी को 128250.00 तथा श्री किशन लाल को 77800.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर संलग्न पाये गये, उन पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं भी हस्ताक्षर अंकित है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं, इसका भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 328370.00 का वर्ष 11-12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप

आपत्ति संख्या-97-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण

आपत्ति संख्या-98-टी०डी०एस० कम काट कर राजस्व की हानि :-वर्ष 2011-12 में कुल 1436491.00 सामग्री क्रय के प्रमाणकों के भुगतान के समय 31904.00 की टी०डी०एस० की कटौती करी गई है। जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से 32177.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार 273.00 से कम कटौती कर राजस्व की हानि करी गई है। ऐसे में न काटे गये आय कर की धनराशि के बराबर धनराशि वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गये टी०डी०एस० अंकन रु० 31904.00 की जमा की पुष्टि में चेक संख्या, चालान, दाखिल रिटर्न भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

आपत्ति संख्या-99-वर्ष आलोच्य 2011-12 में 610 घन मी० मिट्टी हेतु कुल 34950.00 का भुगतान किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रु० प्रति घन मी० की दर से 18300.00 की रॉयल्टी काटी जानी थी। रॉयल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है। इसकी क्षति पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधि० से मय ब्याज कराई जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-06)

आपत्ति संख्या-100—वर्ष आलोच्य में कुल सामग्री क्रय 1436491.00 पर 4 प्रतिशत की दर से 57460.00 व्यापार कर की कटौती करी जानी थी। जो कि नहीं करी गई है। जिससे रु0 57460.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 57460.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-07)

आपत्ति संख्या-101—वर्ष आलोच्य 2011-12 में निम्न विवरणानुसार भुगतान अमित कुमार एवं किशन लाल द्वारा लिया गया है। लेकिन उक्त चेक संख्या की प्रविष्टि न तो ग्रांट रजिस्टर में पाई गई, और न ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक पास बुक में ही है।

क्र०सं०	प्राप्त कर्ता का नाम एवं पद	धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	ग्रांट रजिस्टर में	खाता संख्या 5328 में
1	अमित कुमार, ग्रा०वि०अ०	65750.00	546126	14.6.11	प्रविष्टि नहीं	प्रविष्टि नहीं
2	किशन लाल, ग्रा०वि०अ०	77800.00	546127	14.6.11	प्रविष्टि नहीं	प्रविष्टि नहीं
	योग—	143550.00				

इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त धनराशि 143550.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2012-13 की आपत्तियों का विवरण

आपत्ति संख्या-102—मस्टर रोल मजदूरों को और भुगतान कार्य प्रभारियों को किया जाना :—

वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर अंकन 905850.00 रु0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार पदनाम— ए०डी०ओ०(एस०के०) को रु0 905850.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये, उन पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अँगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं भी हस्ताक्षर अंकित है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं, इसका भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 905850.00 का वर्ष 2012-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-03)

आपत्ति संख्या-103—आपूर्तिकर्ता फर्म को चेक निर्गमन दर्शा कर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना—सामग्री क्रय मद में कुल 3275860.00 के भुगतान में से रु0 516810.00 निम्न विवरणानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और खाते में या नकद है।

क्रम	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम	बैंक खाते के अनुसार

				निर्गत दर्शित है	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	522581	8.4.13	372858.00	कन्नौजिया ईट उद्योग	5 / 37940
2	522588	20.5.13	37497.00	कन्नौजिया ईट उद्योग	5 / 37940
3	522567	4.2.13	2790.00	विनोद कुमार देवरा	नकद
4	522566	4.2.13	2848.00	विनोद कुमार देवरा	नकद
5	522572	4.3.13	80337.00	विनोद कुमार देवरा	टु ट्रांसफर
6	522580	11.4.13	20480.00	विनोद कुमार देवरा	नकद
	योग		516810.00		

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अंकन रु0 516810.00 का चेक फर्म/व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है। उन चेकों का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है, जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शा कर सामग्री मद में 516810.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-04 (क)

आपत्ति संख्या-104-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण :- सामग्री क्रय में किये गये कुल भुगतान रु0 2759050.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई, वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई माँग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान ही निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-4-ख

आपत्ति संख्या-105-टी0डी0एस0 कम काट कर राजस्व की हानि :- वर्ष 2012-13 में कुल 3275860.00 की सामग्री क्रय के प्रमाणकों के भुगतान के समय 67425.00 की टी0डी0एस0 कटौती करी गई है। जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से 73379.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार 5954.00 से कम कटौती कर राजस्व की हानि करी गई है। ऐसे में न काटे गये आय कर की धनराशि के बराबर धनराशि वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 67425.00 की जमा की पुष्टि में चेक संख्या, चालान, दाखिल रिटर्न भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-106-वर्ष आलोच्य 2012-13 में 2304 घन मी० मिट्टी हेतु कुल 159490.00 का भुगतान किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30.00 रुपये प्रति घन मी० की दर से 69120.00 की रॉयल्टी काटी जानी थी। रॉयल्टी न काट कर राजस्व की क्षति की गई है। इसकी क्षति पूर्ति मय ब्याज तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

आ०सं०-6

आपत्ति संख्या-107-वर्ष आलोच्य में कुल सामग्री क्रय 3275860.00 पर 4 प्रतिशत की दर से 131034.00 व्यापार कर की कटौती करी जानी थी। जो कि नहीं करी गई है। जिससे रु० 131034.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु० 131034.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

आपत्ति संख्या-108-वर्ष आलोच्य 2012-13 में निम्न विवरणानुसार भुगतान विभिन्न फर्मों द्वारा लिया गया है। लेकिन उक्त चेक संख्या की प्रविष्टि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक पास बुक में नहीं पाई गई। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में कुल धनराशि की वसूली मय ब्याज तत्कालीन लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

क्रम	चेक संख्या	धनराशि	दिनांक	प्राप्त कर्ता का नाम	खाता संख्या 5328 में
1	511367	68417.00	6.6.12	कन्नौजिया ईट उद्योग	प्रविष्टि नहीं
2	511368	54700.00	6.6.12	सिंह ट्रेडर्स, भिठौरा	प्रविष्टि नहीं
3	511369	84750.00	18.7.12	कन्नौजिया ईट उद्योग	प्रविष्टि नहीं
4	511370	48041.00	18.7.12	सिंह ट्रेडर्स, भिठौरा	प्रविष्टि नहीं
5	511371	65470.00	18.7.12	विनोद कुमार, देवरा	प्रविष्टि नहीं
6	511372	103235.00	1.8.12	सिंह ट्रेडर्स, भिठौरा	प्रविष्टि नहीं
7	511373	38390.00	1.8.12	विनोद कुमार, देवरा	प्रविष्टि नहीं
8	511374	55175.00	3.8.12	विनोद कुमार, देवरा	प्रविष्टि नहीं
9	511375	30729.00	3.8.12	सिंह ट्रेडर्स, भिठौरा	प्रविष्टि नहीं
10	511377	148144.00	3.8.12	कन्नौजिया ईट उद्योग	प्रविष्टि नहीं
11	511379	55637.00	4.2.13	विनोद कुमार देवरा	प्रविष्टि नहीं
	योग	752688.00			

आ०सं०-10

वर्ष 2013-14 की आपत्तियों का विवरण

आपत्ति संख्या-109-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को किया जाना-वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर अंकन 2045440.00 रु० मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार पदनाम- ए०डी०ओ० (एस०के) को रु० 896320.00 का, नत्थूलाल गंगवार (ग्रा०पं०अधि०) को 202150.00 का, सोहनलाल रस्तोगी (ग्रा०पं०अधि०) को 569300.00 का, हेम शंकर गंगवार (ग्रा०पं०अधि०) को

331470.00 का तथा प्यारेलाल (ग्रा0वि0अधि0) को 46200.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर संलग्न पाये गये, उन पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अँगूठा निशानी अंकित है, वह भी प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं भी हस्ताक्षर अंकित है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं, इसका भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन रु0 2045440.00 का वर्ष 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-3

आपत्ति संख्या-110-आपूर्तिकर्ता फर्म को चेक निर्गमन दर्शा कर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना-सामग्री क्रय मद में कुल 6590955.00 के भुगतान में से रु0 1166769.00 निम्न विवरणानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और खाते में, या नकद है।

क्रम	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
1	526013	21.10.13	39889.00	सिंह ट्रेडर्स, भिठौरा	4 / 403
2	526012	21.10.13	53770.00	सेठ अमन ब्रिक फील्ड	261 / 007502
3	526033	9.1.14	83800.00	सेठ अमन ब्रिक फील्ड	टु ट्रांसफर
4	528106	4.2.14	104747.00	सेठ अमन ब्रिक फील्ड	टु ट्रांसफर
5	528105	4.2.14	16250.00	नत्थूलाल गंगवार	नकद
6	526011	17.10.13	20349.00	सिंह ट्रेडर्स, भिठौरा	4 / 403
7	526015	21.10.13	57582.00	सिंह ट्रेडर्स, भिठौरा	4 / 403
8	522592	19.9.13	288482.00	कन्नौजिया ईट उद्योग	2 / 222
9	522593	19.9.13	190931.00	सिंह ट्रेडर्स, भिठौरा	4 / 403
10	526009	17.10.13	59368.00	सिंह ट्रेडर्स, भिठौरा	4 / 403
11	526008	17.10.13	107857.00	सेठ अमन ब्रिक फील्ड	261 / 007502
12	522594	19.9.13	90252.00	कन्नौजिया ईट उद्योग	2 / 222
13	522595	19.9.13	53492.00	सिंह ट्रेडर्स, भिठौरा	4 / 403
	योग		1166769.00		

और फर्जी चेक निर्गमन दर्शा कर सामग्री मद में 1166769.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या 4(क))

आपत्ति संख्या-111-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण

सामग्री क्रय में किये गये कुल भुगतान रु0 5424186.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई, वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई माँग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान ही निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-4-ख

आपत्ति संख्या-112-टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि:-वर्ष 2013-14 में कुल 6590955.00 की सामग्री क्रय के प्रमाणकों के भुगतान के समय 129178.00 की टी0डी0एस0 कटौती करी गई है। जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से 147637.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार 18459.00 से कम कटौती कर राजस्व की हानि करी गई है। ऐसे में न काटे गये आय कर की धनराशि के बराबर धनराशि वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 129178.00 की जमा की पुष्टि में चेक संख्या, चालान, दाखिल रिटर्न भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-5

आपत्ति संख्या-113-वर्ष आलोच्य में कुल सामग्री क्रय 6590955.00 पर 4 प्रतिशत की दर से 263638.00 व्यापार कर की कटौती करी जानी थी। लेकिन मात्र 8789.00 की ही कटौती करी गई है। जिससे रु0 254849.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 254849.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

आ0सं0-7

आपत्ति संख्या-114-वर्ष आलोच्य 2013-14 में निम्न विवरणानुसार 2792.00 घन मी0 हेतु कुल 224300.00 का भुगतान किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30.00 रुपये प्रति घन मी0 की दर से 83760 की रॉयल्टी काटी जानी थी। रॉयल्टी न काट कर राजस्व की क्षति की गई है। इसकी क्षति पूर्ति मय ब्याज तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

क्रम	मिट्टी की मात्रा	दर/घन मी0	धनराशि
1	170 घन मी0	83.00	14100.00
2	152 घन मी0	83.00	12600.00

3	407 घन मी०	83.00	33700.00
4	283 घन मी०	83.00	23400.00

5	495 घन मी०	83.00	41000.00
6	180 घन मी०	55.00	9900.00
7	313 घन मी०	83.00	25950.00
8	323 घन मी०	83.00	26800.00
9	72 घन मी०	55.00	3950.00
10	397 घन मी०	83.00	32900.00
योग	2792 घन मी०		224300.00

आ०सं०-6

आपत्ति संख्या-115—वर्ष आलोच्य 2013-14 में निम्न विवरणानुसार भुगतान विभिन्न फर्मों द्वारा लिया गया है। लेकिन उक्त चेक संख्या की प्रविष्टि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक सट्टेमेन्ट, एवं ग्रांट रजिस्टर में नहीं पाई गई। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में कुल धनराशि 212130.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-10)

	चेक संख्या	धनराशि	दिनांक	प्राप्त कर्ता का नाम	खाता संख्या 5328 में
1	511385	42976.00	28.1.14	सिंट ट्रेडर्स, भिठौरा	प्रविष्टि नहीं
2	511384	64407.00	28.1.14	कन्नौजिया ईट उद्योग	प्रविष्टि नहीं
3	511383	104747.00	28.1.14	कन्नौजिया ईट उद्योग	प्रविष्टि नहीं
	योग	212130.00	—	—	—

क्षेत्र
पंचायत
—आल
मपुर
जाफरा
बाद,
वर्ष
2011—
12

आपत्ति संख्या-116-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्य पर अंकन 1540516.00 रु0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री भरत सिंह, पदनाम सहायक विकास अधिकारी आई0एस0बी0 को रु0 822407.00 एवं श्री सुनील कुमार पदनाम सहायक विकास अधिकारी सह0 को रु0 639487.00 तथा श्री फिरोज अली खॉ को रु0 78622.00 (मिक्सचर मशीन) का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1540516.00 का वर्ष 2011-12 में योजना बद्ध तरीके से अनियमितता किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0-3

आपत्ति संख्या-117-आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना सामग्री मद में कुल रु0 7703920.00 भुगतान में से रु0 4674212.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते/उपलब्ध स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता स्पष्ट नहीं है :-

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतानकर्ता
507484	15.12.11	106617	बांके बिहारी ब्रिक	ट्रांसफर
507485	15.12.11	52888	भारत मशीनरी	ट्रांसफर
507486	15.12.11	133888	प्रकाश ट्रेडर्स	ट्रांसफर
507876	15.12.11	9406	बांके बिहारी ब्रिक	ट्रांसफर
507877	15.12.11	32571	प्रकाश ट्रेडर्स	ट्रांसफर
507878	15.12.11	92554	भारत मशीनरी	ट्रांसफर
508734	16.03.12	81182	भारत मशीनरी	ट्रांसफर
508735	16.03.12	51007	प्रकाश ट्रेडर्स	ट्रांसफर
500849	30.11.11	148810	भारत मशीनरी	ट्रांसफर
500847	30.11.11	64866	बांके बिहारी ब्रिक	ट्रांसफर
500948	30.11.11	132218	प्रकाश ट्रेडर्स	ट्रांसफर
500849	30.11.11	128654	भारत मशीनरी	ट्रांसफर
507879	15.12.11	8062	बांके बिहारी ब्रिक	ट्रांसफर

507880	15.12.11	18325	भारत मशीनरी	ट्रांसफर
507881	26.03.12	48921	प्रकाश ट्रेडर्स	ट्रांसफर
508738	26.03.12	72097	भारत मशीनरी	ट्रांसफर
508739	26.03.12	54210	प्रकाश ट्रेडर्स	ट्रांसफर
508740	26.03.12	31018	बांके बिहारी ब्रिक	ट्रांसफर
507477	30.11.11	66109	प्रकाश ट्रेडर्स	ट्रांसफर
507478	30.11.11	94695	बांके बिहारी ब्रिक	ट्रांसफर
508349	27.02.12	51108	फिरोज अली खाँ	ट्रांसफर
508350	27.02.12	55268	फिरोज अली खाँ	ट्रांसफर
507887	22.02.12	100691	बांके बिहारी ब्रिक	ट्रांसफर
507888	22.02.12	146763	भारत मशीनरी	ट्रांसफर
507889	16.04.12	105721	प्रकाश ट्रेडर्स	ट्रांसफर
507471	06.11.11	88665	बांके बिहारी ब्रिक	ट्रांसफर
507472	06.11.11	66109	प्रकाश ट्रेडर्स	ट्रांसफर
507473	06.11.11	117344	भारत मशीनरी	ट्रांसफर
507472	06.11.11	79331	प्रकाश ट्रेडर्स	ट्रांसफर
507884	13.02.12	78156	साई ईन्टरप्राइजेज	ट्रांसफर
507482	15.12.11	161258	प्रकाश ट्रेडर्स	ट्रांसफर
507483	15.12.11	158664	भारत मशीनरी	ट्रांसफर
507481	15.12.11	140076	बांके बिहारी ब्रिक	ट्रांसफर
507874	02.01.12	74753	प्रकाश ट्रेडर्स	ट्रांसफर
507875	02.01.12	146763	भारत मशीनरी	ट्रांसफर
508341	27.02.12	66800	प्रकाश ट्रेडर्स	ट्रांसफर
508342	27.02.12	120584	भारत मशीनरी	ट्रांसफर
500827	12.07.11	123375	बांके बिहारी ब्रिक	ट्रांसफर

500826	12.07.11	524690	प्रकाश ट्रेडर्स	ट्रांसफर
500844	30.11.11	16616	बांके बिहारी ब्रिक	ट्रांसफर
507888	26.12.11	79917	बांके बिहारी ब्रिक	ट्रांसफर
507489	26.12.11	743462	प्रकाश ट्रेडर्स	ट्रांसफर
योग—		4674212		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 4674212.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है। उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को हुआ है कि नहीं उपलब्ध बैंक स्टेटमेन्ट / खाता से पुष्ट नहीं होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 4674212.00 की अनियमितता की गई है। स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **आप0सं0 4क**

आपत्ति संख्या—118—मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:—कुल दर्शित भुगतान रु0 7703920.00 में से रु0 3029708.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वा समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **आप0सं0 4ख**

आपत्ति संख्या—119—रु0 149079.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 9621.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि :—

वर्ष 2011—12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन 149079.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 7703920.00 की दर्शित है। जिस पर 2.06 की दर से रु0 174108.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 25029.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 149079.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

मा0आप0सं0 5

आपत्ति संख्या—120—आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 7703920.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 308157.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 308157.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रु0 308157.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 308157.00 की प्रतिपूर्ति दण्डनीय ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

आप0सं0 6

आपत्ति संख्या-121-उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार वर्ष 2011-12 में 2803.07 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रु० 190609.00 भुगतान श्री मोरपाल व श्री सत्येन्द्र पाल सिंह को किया जाना अंकित पाया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रु० प्रति घनमीटर की दर से रु० 84092.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति मय ब्याज तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

आप०सं० 7

वर्ष 2012-13

आपत्ति संख्या-122-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का

वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों की एकमात्र उपलब्ध कराई गई पत्रावली की जांच में स्पष्ट रहा कि अंकन रु० 156980.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री भरत सिंह, पदनाम सहायक विकास अधिकारी आई०एस०बी० को रु० 156980.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 156980.00 का वर्ष 2012-13 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-123-आपूर्ति कर्ता/फर्म को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना सामग्री मद में कुल रु० 608463.00 भुगतान में से रु० 11737.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। बैंक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता श्री भरत सिंह ए०डी०ओ है :-

चैक नं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
389972	30.08.2012	11737.00	जय दुर्गे ब्रिक	श्री भरत सिंह
	योग	11737.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु० 11737.00 का बैंक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन बैंक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट / खाता से पुष्ट नहीं होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु० 11737.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

समा०आप०सं००४क

आपत्ति संख्या-124-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:-कुल दर्शित भुगतान रु० 608463.00 में से रु० 584193.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे

बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

मा0आप0सं0 4ख

आपत्ति संख्या— 125—रु0 12533.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाना

वर्ष 2012—13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन 12533.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 608463.00 की दर्शित है। जिस पर 2.06 की दर से रु0 12533.00 टी0डी0एस0 होता है। काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 12533.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0सं0 5

आपत्ति संख्या—126—आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 608463.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 24339.00 के व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 24399.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रु0 24399.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 24399.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

आप0सं0 6

आपत्ति संख्या—127—वर्ष 2012—13 में 756.52 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 51444.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रु0 प्रति घनमीटर की दर से रु0 22695.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति मय ब्याज तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

मा0आप0सं0 7

2013—14 —

आपत्ति संख्या—128—मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का—वर्ष 2013—14 में निर्माण कार्यों पर अंकन 930000.00 रु0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री भरत सिंह, पदनाम सहायक विकास अधिकारी आई0एस0बी0 को रु0 529380.00 एवं श्री ग्रीश कुमार पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु 118960.00 तथा श्री इज्जत अली पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 281660.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 930000.00 का वर्ष 2013—14 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

आ0सं0—3

आपत्ति संख्या—129—आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना सामग्री मद में कुल रु0 2836996.00 भुगतान में से रु0 43102.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते/उपलब्ध स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है :-

चैक नं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार

				भुगतान प्राप्तकर्ता
696168	12.09.13	6670.00	आसिफ अली खॉ	भरत सिंह
696188	01.11.13	36432.00	नेत्रपाल	गिरीश कुमार ग्रा0वि0अ0
योग —		43102.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 43102.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है। जो उपलब्ध बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 43102.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

आप0सं0 4क

आपत्ति संख्या-130-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:-कुल दर्शित भुगतान रु0 2836996.00 में से रु0 2781145.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। उसमें से 2738043.00 बैंक खाता के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वा समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

मा0आप0सं0 4ख

आपत्ति संख्या-131-रु0 53564.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 4878.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि :-वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन 53564.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2836996.00 की दर्शित है। जिस पर 2.06 प्रतिशत की दर से रु0 58442.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 4878.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 53564.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

आप0सं0 5

आपत्ति संख्या-132-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2836996.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 113480.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 2287.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 111193.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रु0 111193.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 111193.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

मा0आप0सं0 6

आपत्ति संख्या-133-वर्ष 2013-14 में 958.10 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 65151.00 भुगतान किया जाना अंकित पाया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रु0 प्रति घनमीटर की दर से रु0 28743.00 रायल्टी काटी

जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति मय ब्याज तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

मा0आप0सं0 7

क्षेत्र पंचायत-भुता-

आपत्ति संख्या-134-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को किया जाना-

वर्ष 2011-12 में निमाण कार्यों पर अंकन 535043.00 रु0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राघवेन्द्र सक्सेना, पदनाम-ए0डी0ओ0(स्टे) को रु0 319100.00, श्री इन्द्रपाल सिंह, पदनाम ए0डी0ओ0(आईएनएसबीएण) को 154843.00, तथा श्री विनोद सिंह तोमर, पदनाम-ग्राम विकास अधि0, को 61100.00 का भुगतान कर दिया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये, उन पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं भी हस्ताक्षर अंकित है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं, यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन रु 535043.00 का वर्ष 2011-12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकर/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(मूल आ0 सं0-03)

आपत्ति संख्या-135- . आपूर्तिकर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्षा कर भुगतान अन्य को/अन्य खाते मे करना- सामग्री मद में कुल रु0 2332626.00 के भुगतान में से रु0 484108.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय के प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्षित है। चेक तो फर्म को निर्गत दर्षित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है।

चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता
500355	15.10.11	36736.00	सचिन सीमेंट स्टोर,भुता	राघवेन्द्र सक्सेना
500356	12.10.11	39104.00	सचिन सीमेंट स्टोर,भुता	राघवेन्द्र सक्सेना
500360	1.12.11	9630.00	श्याम बिहारी सप्लायर्स	2 / 25
500361	1.12.11	192888.00	गंगवार ब्रिक फील्ड	2 / 24
503033	1.12.12	205750.00	गंगवार ब्रिक फील्ड	2 / 24
योग		484108.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 484108.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्षाया गया है, उन चेक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है, जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्षा कर सामग्री मद में रु 484108.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-04(क))

आपत्ति संख्या-136-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण-सामग्री क्रय में किये गये कुल भुगतान रु 2332626.00 में से 1848518.00 का भुगतान सम्बन्धित को

जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई, वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक /कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।
(मू० आ०सं०-4(ख))

आपत्ति संख्या-137-टी०डी०एस०कम काट कर राजस्व की हानि-

वर्ष 2011-12 में कुल 2332626.00 सामग्री क्रय के प्रमाणकों के भुगतान के समय 2.06 प्रतिशत की दर से 48053.00 की टी०डी०एस० कटौती करी गई है। जब कि 2.24 प्रतिशत की दर से 52251.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार 4198.00 से कम कटौती कर राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आय कर की धनराशि के बराबर धनराशि वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गये टी०डी०एस० अंकन रु० 48053.00 की जमा पुष्टि में चेक संख्या एवं चालान उपलब्ध कराया गया है। (मूल आ०सं०-05)

आपत्ति संख्या-138- वर्ष आलोच्य 2011-12 में 144.56 धन मी० मिट्टी हेतु कुल 5638.00 का भुगतान किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रु० प्रति धन मी० की दर से 4337.00 की रॉयल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है। इसकी क्षति पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधि० से मय ब्याज करायी जानी अपेक्षित है।
(मूल आ०सं०-06)

आपत्ति संख्या-139- वर्ष आलोच्य कुल सामान्य क्रय 2332626.00 पर 4 प्रतिशत की दर से 93305.00 व्यापार कर की कटौती करी जानी थी। जो कि नहीं करी गई है। जिससे रु० 93305.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्य वाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु० 93305.00 की प्रति पूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।
(मूल आ०सं०-07)

आपत्ति संख्या-140-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को किया जाना:-

वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर अंकन 885660.00 रु० मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राघवेन्द्र सक्सेना, पदनाम-ए०डी०ओ०(स्टे) को रु० 406970.00, श्री इन्द्रपाल सिंह, पदनाम-ए०डी०ओ०(आई.एस.बी.) को 185914.00, नकद-94710. तथा निम्न दो खातों में क्रमशः 06570100003309 में 73380.00, तथा 06570100010120 में 124200.00, तथा 486.00 अस्पष्ट भुगतान कर दिया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये, उन पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है,, वह प्रमाणित भी नहीं है। जहां कहीं भी हस्ताक्षर अंकित है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। कार्य पर लगाये गये मजदूर किस गांव के हैं, यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 885660. का वर्ष 2012-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकर/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।
(मू० आ०सं०-03)

आपत्ति संख्या-141-आपूर्तिकर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शा कर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना:-
सामग्री मद में कुल रू0 3314901.00 के भुगतान में से रू0 2364251.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय के प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक तो फर्म को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है।

क्रम	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता
1	503049	2.5.12	250648.	न्यू नूरी ब्रिक फील्ड	टु ट्रांसफर
2	503062	1.6.12	18799.	इन्द्रपाल सिंह	6570100003309
3	503061	1.6.12	91016.	न्यू नूरी ब्रिक फील्ड	टु ट्रांसफर
4	504875.	4.7.12	93993.	न्यू नूरी ब्रिक फील्ड	02 / 93
5	504884	1.8.12	34464.	न्यू नूरी ब्रिक फील्ड	टु ट्रांसफर
6	504898	1.2.13	4460.00	इन्द्रपाल सिंह	6570100003309
7	504894	1.2.13	33311.00	राघवेन्द्र सक्सेना	6570100010120
8	504903	25.2.13	19828.00	राघवेन्द्र सक्सेना	नकद
9	504902	25.2.13	69993.00	गोल्डेन ब्रिक फील्ड	23420200000008
10	504896	1.2.13	33311.00	इन्द्रपाल सिंह	6570100003309
11	504904	25.2.13	142761.00	गोल्डेन ब्रिक फील्ड	23420200000008
12	503057	2.5.12	96268.00	श्याम बिहारी सप्लायर्स	2 / 25
	योग-		888852.00		
क्रम	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता
13	503056	2.5.12	102570.00	रहमानी ब्रिक फील्ड	192 / 12
14	503069	1.6.12	19760.00	राघवेन्द्र सक्सेना	6570100010120
15	503068	1.6.12	25028.00	श्याम बिहारी सप्लायर्स	2 / 25
16	503067	1.6.12	32800.00	रहमानी ब्रिक फील्ड	एल.सी.260
17	504879	4.7.12	59032.00	श्याम बिहारी सप्लायर्स	2198020000000025

18	504878	4.7.12	57591.00	रहमानी ब्रिक फील्ड	एल.सी.305./12
19	503052	2.5.12	56019.00	नि0अंसारी सीमेंट उद्योग	2198040000769
20	503051	2.5.12	55910.00	रहमानी ब्रिक फील्ड	190/12
21	503065	1.6.12	11178.00	रहमानी ब्रिक फील्ड	एल.सी.287/12
22	504900	1.2.13	4460.00	इन्द्रपाल सिंह	6570100003309
23	503055	2.5.12	31394.00	श्याम बिहारी सप्लायर्स	2/25
24	504899	2.2.13	4460.00	इन्द्रपाल सिंह	6570100003309
25	510364	8.4.13	61596.00	श्याम बिहारी सप्लायर्स	2/25
26	510376	1.5.13	83385.00	श्याम बिहारी सप्लायर्स	6570100003309
27	510375	1.5.13	201894.00	गोल्डेन ब्रिक फील्ड	दु ट्रांसफर
28	510787	6.6.13	12849.00	श्याम बिहारी सप्लायर्स	2/25
29	504891	1.2.13	79292.00	बरकतिया ब्रिक फील्ड	ट्रांसफर-2/291
30	504907	25.2.12	110216.00	बरकतिया ब्रिक फील्ड	ट्रांसफर-675020000291
31	503047	2.5.12	221823.00	रहमानी ब्रिक फील्ड	एल.सी.193/12
32	503064	1.6.12	18798.00	राघवेन्द्र सक्सेना	6570100010120
33	503063	1.6.12	92114.00	रहमानी ब्रिक फील्ड	एल.सी.261
34	504873	4.7.12	78327.00	रहमानी ब्रिक फील्ड	एल.सी.304-12
35	504882	1.8.12	50443.00	रहमानी ब्रिक फील्ड	एल.सी.347/12
36	504897	1.2.13	4460.00	राघवेन्द्र सक्सेना	6570100010120
	योग-		1475399.00		
कुल	योग-		2364251.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 23642551.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है, उन चेक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है, जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शा कर सामग्री मद में रु 2364251.00 का अपहरण किया। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-04(क))

आपति संख्या-142-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:-सामग्री क्रय में किये गये कुल भुगतान रु 3314901.00 में से 950650.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक

पत्रावली में संलग्न पाई गई, वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-04(ख))

आपत्ति संख्या-143-टी0डी0एस0कम काट कर राजस्व की हानि:-वर्ष 2012-13 में कुल 3314901.00 (सात बोर्ड की धनराशि 31220.00 सहित) इसे हटा कर 3283681.00 के सामग्री क्रय के प्रमाणकों के भुगतान के समय 2.06 प्रतिशत की दर से 67644.00 के स्थान पर 67508.00 की टी0डी0एस0कटौती करी गई है। जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से 73554.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार 6046.00 से कम कटौती कर राजस्व की हानि करी गई है। ऐसे में न काटे गये आय कर की धनराशि के बराबर धनराशि वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 67508.00 की जमा की पुष्टि में चेक संख्या एवं चालान उपलब्ध कराया गया है।

(मूल आपत्ति सं0-05)

आपत्ति संख्या-144-..वर्ष आलोच्य में कुल सामग्री क्रय 3283681.00 पर 4 प्रतिशत की दर से 131347.00 व्यापार कर की कटौती करी जानी थी। जो कि नहीं करी गई है। जिससे रू0 131347.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 131347.00 की प्रतिपूर्ति दण्डनीय ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-06)

आपत्ति संख्या-145-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को किया जाना:-

वर्ष 2013-2014 में निर्माण कार्यों पर अंकन 1533190.00 रू0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राघवेन्द्र सक्सेना, पदनाम-ए0डी0ओ0(स्टे) को रू0 703980.00, श्री इन्द्रपाल सिंह, पदनाम-ए0डी0ओ0(आई.एस.बी.) को 829210.00, का भुगतान कर दिया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये, उन पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित भी नहीं है। जहां कहीं भी हस्ताक्षर अंकित है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। कार्य पर लगाये गये मजदूर किस गांव के हैं, यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रू01533190.00 का वर्ष 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-146-आपूर्तिकर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्षा कर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना:-सामग्री मद में कुल रू0 6676132.00 के भुगतान में से रू0 436873.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय के प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्षित है। चेक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्षित है।

क्रम	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता

1	510380	6.5.13	42150.	गोल्डेन ब्रिक फील्ड	23420200000008
2	510784	6.6.13	34307.	श्याम बिहारी सप्लायर्स	2 / 25
3	510790	2..7.13	23427.	श्याम बिहारी सप्लायर्स	219802 / 25
4	510370	1.5.13	100609.	गोल्डेन ब्रिक फील्ड	23420200000008
5	506693	8.9.14	13110.	राघवेन्द्र सक्सेना	6570100010120
6	506692	8.9.14	69921.	हैदरी ब्रिक फील्ड	200000385
7	506695	8.9.14	21850.	राघवेन्द्र सक्सेना	6570100010120
8	506694	8.9.14	87401.	हैदरी ब्रिक फील्ड	200000385
9	506674	10.6.14	44098.	जय अम्बे ट्रेडर्स	टु ट्रांसफर
	योग—		436873.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 436873.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है, उन चेक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है, जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शा कर सामग्री मद में रु 436873.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या -04(क))

आपत्ति संख्या-147-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर **अपहरण:-**सामग्री क्रय में किये गये कुल भुगतान रु 6676132.00 में से 6239259.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्षित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई, वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड/, कच्चे बिल/ कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/ उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या -04(ख))

आपत्ति संख्या-148-टी0डी0एस0कम काट कर राजस्व की हानि:-वर्ष 2013-14 में कुल 6676132.00 के सामग्री क्रय के प्रमाणकों के भुगतान के समय 2.06 प्रतिशत की दर से 137528.00 के स्थान पर 136402.00 की टी0डी0एस0कटौती करी गई है। जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से 149545.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार 13143.00 से कम कटौती कर राजस्व की हानि करी गई है। ऐसे में न काटे गये आय कर की धनराशि के बराबर धनराशि वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 136402.00 की जमा की पुष्टि में चेक संख्या एवं चालान उपलब्ध कराया गया है। (मू0आ0सं0-05)

आपत्ति संख्या-149-वर्ष आलोच्य में कुल सामग्री क्रय 6676132.00 पर 4 प्रतिशत की दर से 267045.00 व्यापार कर की कटौती करी जानी थी। जबकि मात्र 50338.00 की ही कटौती करी गई है। जिससे रू0 216707.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 216707.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-06)**

आपत्ति संख्या-150-वर्ष 2013-14 में 158.04 घन मी0मिट्टी हेतु कुल 7740.00 का भुगतान किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घन मी0 की दर से 4741.00 की रॉयल्टी काटी जानी थी। लेकिन रॉयल्टी न काट कर राजस्व की क्षति करी गई है। जिसकी क्षतिपूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज कराई जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-09)**

आपत्ति संख्या-151-वर्ष 2013-14 में कराये गये 13 कार्यों में निम्न विवरणानुसार 57 निविदायें आमन्त्रित करी गईं। और 19 स्वीकृत करी गई हैं। इस प्रकार 57 निविदा प्रपत्रों का मूल्य 500.00/ निविदा प्रपत्र की दर से 28500.00 होता है। जिसकी पुष्टि रोकड बही प्रस्तुत कर कराई जाय। अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त समस्त धनराशि 28500.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी ,लेखाकार एवं जे0ई0 से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या -11)**

क्रम	कार्य का क्रमांक	प्राप्त निविदा	स्वीकृत निविदा
1	01	03	01
2	02	03	01
3	03	03	01
4	04	03	01
5	05	06	02
6	06	03	01
7	07	03	01
8	08	06	02
9	09	06	02
10	10	06	02
11	11	06	02
12	12	06	02
13	13	03	01
योग		57	19

क्षेत्र पंचायत-मीरगंज -

आपत्ति संख्या -152-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को किया जाना:-

वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्य पर अंकन 683745.00 रु0 मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री शंभू रतन, पदनाम-ए0डी0ओ0 (एस0के0) को रु0 350160.00 का, विश्वनाथ पाठक (ग्रा0पंचा0अधि0) को 202595.00 का, नरेन्द्र गुप्ता (ग्रा0पंचा0अधि0),को रु0 86955.00 का, तथा ओम प्रकाश गंगवार (ग्रा0विकासस अधि0) को 43755.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर संलग्न पाये गये, उन पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अँगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं भी हस्ताक्षर अंकित है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं, इसका भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फर्जी वि काल्पनिक मस्टर रोले तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 683745.00 का वर्ष 2011-2012 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-03)

आपत्ति संख्या-153-आपूर्तिकर्ता फर्म को चेक निर्गमन दर्षा कर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना- सामग्री क्रय मद में कुल 3083770.00 के भुगतान में से रु0 413063.00 निम्न विवरणानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्षित है। चेक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्षित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता के रूप में टु ट्रांसफर अंकित है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि धनराशि किसके खाते में हस्तांतरित करी गई है।

क्रम	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत दर्षित है	बैंक खाते क अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
1	510976	26.3.12	222172.00	ओम प्रकाश दिवाकर ब्रिक फील्ड	टु ट्रांसफर
2	510969	6.3.12	85934.00	ओम प्रकाश दिवाकर ब्रिक फील्ड	टु ट्रांसफर
3	510970	6.3.12	104957.00	ओम प्रकाश दिवाकर ब्रिक फील्ड	टु ट्रांसफर
	योग-		413063.00		

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अंकन रु0 413063.00 का चेक फर्म/व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्षाया गया है। उन चेकों का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है, जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्षा कर सामग्री मद में 413063.00 का आहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-04(क))

आपत्ति संख्या-154-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:-सामग्री क्रय में किये गये कुल भुगतानन रु 2670707.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्षित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई, वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/ कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई माँग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान ही निर्गत किया गया है।

सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-04(ख))

आपत्ति संख्या-155-टी0डी0एस0कम काट कर राजस्व की हानि:-वर्ष 2011-12 में कुल 3083770.00 की सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय 66105.00की टी0डी0एस0कटौती करी गई है। जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से 69076.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार 2971.00 से कम कटौती कर राजस्व की हानि करी गई है। ऐसे में न काटे गये आयय कर की धनराशि के बराबर धनराशि वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 66105.00 की जमा की पुष्टि में चेक संख्या, चालान,दाखिल रिटर्न भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही खण्ड विकास अधिकारी के प्रति कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-05)

आपत्ति संख्या-156-वर्ष आलोच्य में कुल सामग्री क्रय 3083770.00 पर 4 प्रतिशत की दर से 123351.00 व्यापार कर की कटौती करी जानी थी। जो कि नहीं करी गई है। जिससे रू0123351.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 1123351.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित हैं।
(मूल आपत्ति संख्या-06)

आपत्ति संख्या-157-वर्ष आलोच्य 2011-12 में निम्न विवरणानुसार भुगतान विभिन्न फर्मों/व्यक्ति द्वारा लिया गया है। लेकिन उक्त चेक संख्याओं की प्रविष्टि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक पास बुक में नहीं पाई गई। कुल धनराशि 927505.00 की तत्कालीन लेखाकार से मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-09)

क्रम	चेक संख्या	धनराशि	दिनांक	प्राप्त कर्ता का नाम	खाता संख्या 0662 में
1	176421	198475.00	5.5.11	बालाजी ब्रिक फील्ड	प्रविष्टि नहीं
2	176424	141768.00	21.5.11	बालाजी ब्रिक फील्ड	प्रविष्टि नहीं
3	176429	38382.00	22.6.11	विश्वनाथ पाठक	प्रविष्टि नहीं
4	176451	83279.00	9.11.11	ओ0पी0दिवाकर ब्रिक फील्ड	प्रविष्टि नहीं
5	176452	70322.00	9.11.11	रघुवंशी सीमेन्ट स्टोर	प्रविष्टि नहीं
6	176439	165944.00	9.11.11	ओ0पी0दिवाकर ब्रिक फील्ड	प्रविष्टि नहीं
7	176440	136435.00	9.11.11	रघुवंशी सीमेन्ट स्टोर	प्रविष्टि नहीं
8	176430	92900.00	27.6.11	विश्वनाथ पाठक	प्रविष्टि नहीं
	योग	927505.00			

आपत्ति संख्या-158-वर्ष आलोच्य 2011-12 में कराये गये 09 निर्माण कार्यों हेतु कुल 27 निविदायें आमंत्रित करी गई हैं। एक निविदा प्रपत्र के मूल्य 500. के आधार पर कुल 13500.00 की धनराशि होती है।। इसे क्षेत्र पंचायत की आय के रूप में दर्शाया गया है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं कराई गई, उपरोक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-10)

आपत्ति संख्या-159-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को किया जाना:-

वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर अंकन 529280.00 रु0 मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य श्री शंभू रतन, पदनाम-ए0डी0ओ0(एस0के0) को रु0 491375.00 का, नरेन्द्र गुप्ता (ग्रा0पंचा0अधि0) को 37905.00 रु0 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये, उन पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है।। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अँगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं भी हस्ताक्षर अंकित है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं, इसका भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 529280.00 का वर्ष 2012-2013 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-03)

आपत्ति संख्या-160-आपूर्तिकर्ता फर्म को चेक निर्गमन दर्षा कर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना- सामग्री क्रय मद में कुल 3127307.00 के भुगतान में से रु0 166692.00 निम्न विवरणानुसार पत्रावली में सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्षित है। चेक तो फर्म को निर्गत दर्षित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता के रूप में टु ट्रांसफर/खाता संख्या अंकित है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि धनराशि किस खाते में हस्तांतरित करी गई है।

क्रम	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत दर्षित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
1	000023	3.9.13	48587.00	ओम प्रकाश दिवाकर ब्रिक फील्ड	04 / 941
2	513168	31.10.12	118105.00	ओम प्रकाश दिवाकर ब्रिक फील्ड	टु ट्रांसफर
	योग-		166692.00		

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अंकन रु0 166692.00 का चेक फर्म/व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्षाया गया है। उन चेकों का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है, जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्षा कर सामग्री मद में 166692.00 का अपहरण किया गया है। मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-04(क))

आपत्ति संख्या-161-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर **अपहरण:-**सामग्री क्रय मे किये गये कुल भुगतान रु 2960615.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्षित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्ट पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई, वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/ कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति

हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान ही निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-04(ख))**

आपत्ति संख्या-162-टी0डी0एस0कम काट कर राजस्व की हानि:-

वर्ष 2012-13 में कुल 3127307.00 की सामग्री क्रय के प्रमाणकों के भुगतान के समय 62305.00 की टी0डी0एस0कटौती करी गई है। जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से 70052.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार 7747.00 से कम कटौती कर राजस्व की हानि करी गई है। ऐसे में न काटे गये आय कर की धनराशि के बराबर धनराशि वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गये टी0डी0एस0अंकन रु0 70052.00 की जमा की पुष्टि में चेक संख्या, चालान, दाखिल रिटर्न भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-05)**

आपत्ति संख्या-163-वर्ष आलोच्य में कुल सामग्री क्रय 3127307.00 पर 4 प्रतिशत की दर से 125092.00 व्यापार कर की कटौती करी जानी थी। जो कि नहीं करी गई है। जिससे रु0 125092.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 125092.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-06)**

आपत्ति संख्या-164- वर्ष आलोच्य 2012-13 में कराये गये 06 निर्माण कार्यों हेतु कुल 24 निविदायें आमंत्रित करी गई हैं। एक निविदा प्रपत्र के मूल्य 500.00 के आधार पर कुल 12000.00 की धनराशि होती है। इसे क्षेत्र पंचायत की आय के रूप में दर्शाया गया है या नहीं, इसकी पुष्टि कराई जाय, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-09)**

आपत्ति संख्या-165-वर्ष आलोच्य 2012-13 में कराये गये निर्माण कार्यों में 266.72 घन मी0 मिट्टी 13336.00 की प्रयुक्त करी गई है। लेकिन उक्त मात्रा पर 30.00 प्रति घन मी0 की दर से 8002.00 की रॉयल्टी नहीं काटी गई है। जिससे राजस्व की क्षति करी गयी है। जिसकी क्षति पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-11)**

आपत्ति संख्या-166-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को किया जाना:-

वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर अंकन 1186910.00 रुव मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी के अतिरिक्त श्री अरविन्द मित्तल, पदनाम-जे0ई0 को 709695.00 तथा कार्य प्रभारी श्री नरेन्द्र गुप्ता (ग्रा0पंचा0अधि0) को 477215.00रु0 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये, उन पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अँगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं भी हस्ताक्षर अंकित है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। इसके अतिरिक्त कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं, इसका भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1186910.00 का वर्ष 2013-2014 में योजनाबद्ध तरीके से

अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-03)

आपत्ति संख्या-167-आपूर्तिकर्ता फर्म को चेक निर्गमन दर्शा कर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना- सामग्री क्रय मद में कुल 8249687.00 के भुगतान में से रू0 1178944.00 निम्न विवरणानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक तो फर्म को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता के रूप में टु ट्रांसफर/खाता संख्या अंति है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि धनराशि किस खाते में हस्तांतरित करी गई है।

क्रम	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
1	000125	30.10.14	136779.00	आरिफ ट्रेडर्स	पस बुक में नाम अंकित नहीं
2	000126	30.10.14	373942.00	सरताज ब्रिक उद्योग	ट्रांसफर टु 235502 / 6999
3	000046	13.2.14	99000.00	ओम प्रकाश दिवाकर ब्रिक फील्ड	4 / 941
4	000048	15.2.14	76109.00	ओम प्रकाश दिवाकर ब्रिक फील्ड	ट्रांसफर टु
5	000017,0 00019	1.8.13.3.8. 13	131734.00	लक्ष्मी सीमेंट एण्ड हार्डवेयर स्टोर	ट्रांसफर टु
6	000016,0 00016	1.8.13.3.8. 13	196081.00	गनी ब्रिक फील्ड	ट्रांसफर टु
7	000027	3.9.13	80117.00	जी0एम0ब्रिक फील्ड	2 / 203
8	000026	3.9.13	85182.00	लक्ष्मी सीमेंट एण्ड हार्डवेयर स्टोर	5 / 870
		योग-	1178944.00	----- ---	----- ---

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अंकन रू0 1178944.00 का चेक फर्म/ व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है। उन चेकों का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है, जो बैंक स्टेटमेंट/ खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शा कर सामग्री मद में 1178944.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-04(क))

आपत्ति संख्या -168-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर **अपहरण:-**सामग्री क्रय में किये गये कुल भुगतान रू 8249687.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्ट पाया सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई, वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/ कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान ही निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार

सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत स मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-04(ख))

आपत्ति संख्या-169-टी0डी0एस0कम काट कर राजस्व की हानि:- वर्ष 2013-14 में कुल 8249687.00 की सामग्री क्रय के प्रमाणकों के भुगतान के समय 183922.00 टी0डी0एस0कटौती करी गई है। जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से 184793.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार 871.00 से कम कटौती कर राजस्व की हानि करी गई है। ऐसे में न काटे गये आय कर की धनराशि के बराबर धनराशि वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गये टी0डी0एस0अंकन रु0 183922.00 की जमा की पुष्टि में चेक संख्या, चालान, दाखिल रिटर्न भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही खण्ड विकास अधिकारी के प्रति कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

आपत्ति संख्या-170-वर्ष आलोच्य में कुल सामग्री क्रय 8249687.00 पर 4 प्रतिशत की दर से 329987.00 व्यापार कर की कटौती करी जानी थी। जिसके सापेक्ष 54396.00 की ही कटौती करी गई है। इस प्रकार 275591.00 से कम कटौती कर राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 275591.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ0 सं0-06)

आपत्ति संख्या-171- वर्ष आलोच्य 2013-14 में कराये गये 09 निर्माण कार्य हेतु कुल 54 निविदायें आमंत्रित करी गई हैं। एक निविदा प्रपत्र के मूल्य 500.00 के आधार पर कुल 27000.00 की धनराशि होती है। इसे क्षेत्र पंचायत की आय के रूप में दर्शाया गया है या नहीं, इसकी पुष्टि कराई जाय, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-09)

आपत्ति संख्या-172-वर्ष आलोच्य 2013-14 में कराये गये 09 निर्माण कार्य में 1222.53 घन मी0 मिट्टी 140189.00 की प्रयुक्त करी गई है। लेकिन उक्त मात्रा पर 30.00 प्रति घन मी0 की दर से 36676.00 की रॉयल्टी नहीं काटी गई है। जिससे राजस्व की क्षति करी गयी है। जिसकी क्षति पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से करी जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त वर्ष में विभिन्न दरों से मिट्टी प्राप्त किये जाने के प्रति भी स्थिति स्पष्ट करी जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-10)

आपत्ति संख्या 173-वर्ष आलोच्य 2013-14 में 220 घंटे तालाब में पानी पटाने का 70.00 प्रति घंटे की दर से कुल 15400.00 का भुगतान किया गया है। इसमें से 12880.00 का अरविन्द मित्तल, पदनाम(जे0ई0) को, तथा नरेन्द्र गुप्ता(ग्रा0पंचा0अधि0) को 2520.00 का किया गया है। इस प्रकार उक्त धनराशि पानी पटाने की व्यवस्था करने वाले को प्राप्त नहीं हो पाया। यह स्थिति आपत्तिजनक रही। इससे स्पष्ट है कि उक्त व्यय फर्जी तरीके से दर्शा कर धनराशि का तत्कालीन लेखाकार द्वारा अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-11)

क्षेत्र पंचायत बिथरी चैनपुर -

आपत्ति संख्या -174-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्य पर अंकन 857370.0 रु0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सतेन्द्र प्रकाश

गुप्ता ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 को भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

तालिका दो से स्पष्ट है कि कार्य क्रमांक 17 19, 21 एवं 25 हेतु क्रमशः— रु0 15000, 37000, 10800, एवं रु0 43780 का कुल भुगतान रु0 106580.00 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार श्री सतेन्द्र प्रकाश के नाम न होकर नकद भुगतान दर्शित है। जिससे स्पष्ट है कि बैंक सेल्फ/वेयरर निर्गत किये गये हैं। के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

ग्राम तईयत पुर में नोनीराम के घर से नानक चन्द्र के मकान तक नाली निर्माण हेतु मस्टर रोल दिनांक 21.06.11 से दिनांक 30.06.11 तक रु0 10800.00 पर मजदूर नन्हे लाल पुत्र श्री बेचेलाल एवं मजदूर अशोक पुत्र छेदा लाल को भुगतानित मजदूरी रु0 100 एवं 100 है। परन्तु मस्टर रोल के कुल योग में रु0 900 एवं 900 से किया गया है। अतः रु0 1600 मजदूर को भुगतान न कर कार्य प्रभारी द्वारा धन का स्पष्ट अपहरण किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अकनं कुल रु0 857370.00 का वर्ष 2011–2012 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ0 संख्या—5)

आपत्ति संख्या—175—आलोच्य वर्ष में कार्य से सम्बन्धित फाइलो का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि कई कार्यों में कार्य आरम्भ होने से पूर्व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में दर्शित तारीख एवं कुटेशन एवं टेण्डर खुलने की तारीखों के अनुसार सामग्री खरीद अथवा मजदूरी के मस्टर रोल की तारीखों के अनुसार कार्य पूर्व में ही चालू था। उदाहरणार्थ—

ग्राम पदारथ पुर में मदरसे के सामने मिट्टी खडंजा कार्य	कार्य आरम्भ की तिथि 22.12.11 है परन्तु मस्टर रोल में मजदूरी 17.12.11 से 29.12.11 के है।
ग्राम परसौना में सफीउद्दीन के मकान से गुडडू के मकान तथा मो0 नवी के मकान से मुनब्वर शाह तक मिट्टी खडंजा कार्य	कार्य का कुटेशन 22.09.11 में स्वीकृत है। जबकि मस्टर रोल में कार्य 16.09.11 से 01.10.11 तक दर्शित है।

इससे स्पष्ट होता है कि या तो कार्य आरम्भ करने से सम्बन्धित टेण्डर/कुटेशन की कार्यवाही फर्जी है अथवा मस्टर रोल दोषपूर्ण है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या—24)

आपत्ति संख्या—176—आपूर्ति कर्ता फर्म/व्यक्ति को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना सामग्री मद में कुल रु0 3762709.00 भुगतान में से रु0 449490.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर दर्शित है। बैंक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है साथ ही आपूर्ति कर्ता के नाम बैंक जारी नहीं किये गये हैं।

बैंक नं0	दिनांक	धनराशि	बैंक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता

191212	02.07.11	68659.00	मीना ब्रिक फील्ड	ट्रान्सफर (अपुष्ट)
191227	29.09.11	4450.00	अरशद हुसैन	डी0डी0 259242 पी0एन0बी0
191220	19.10.11	4450.00	प्रमोद कुमार	सतेन्द्र प्रकाश
191925	14.11.11	19794.00	संजीव कुमार	नकद
191924	14.11.11	18900.00	प्रमोद कुमार	नकद
587075	17.12.11	4450.00	सतीश एन्ड अनन्त एसो0	सतेन्द्र प्रकाश
191926	16.11.11	18356.00	संजीव कुमार	नकद
191220	19.10.11	15505.00	अशोक कुमार	सतेन्द्र प्रकाश
191923	01.02.12	4450.00	अशोक कुमार	सतेन्द्र प्रकाश
502584	21.10.11	6783.00	संजीव कुमार	सतेन्द्र प्रकाश
191923	21.10.11	4450.00	अशोक कुमार	सतेन्द्र प्रकाश
502598	01.12.11	12858.00	सतीश बिल्डिंग मैटेरियल	सतेन्द्र प्रकाश
503126	24.02.12	10940.00	सतीश एन्ड अनन्त एसो0	सतेन्द्र प्रकाश
503313	20.04.12	4450.00	संजीव कुमार	—
502598	01.12.11	19304.00	सतीश बिल्डिंग मैटेरियल	सतेन्द्र प्रकाश
587105	02.01.12	16079.00	अशोक कुमार	ट्रान्सफर (अपुष्ट)
501072	26.03.11	5582.00	सतीश एन्ड अनन्त एसो0	सतेन्द्र प्रकाश
501072	26.03.11	15250.00	मेराज ट्रेडर्स	सतेन्द्र प्रकाश
191923	12.11.11	4450.00	संजीव कुमार	सतेन्द्र प्रकाश
502759	—	2641.00	सतीश चन्द्र	सतेन्द्र प्रकाश
587103	02.01.12	25730.00	अशोक कुमार	ओ0बी0सी0 19 / 807

520258	03.02.11	31809.00	योगेन्द्र	सतेन्द्र प्रकाश
191209	17.06.11	4450.00	अरशाद बिल्डर्स	नकद
191923	12.11.11	18000.00	अशोक कुमार	सतेन्द्र प्रकाश
	—	4450.00	संजीव कुमार	सतेन्द्र प्रकाश
191207	17.06.11	10896.00	प्रमोद कुमार	ट्रान्सफर (अपुष्ट)
191207	17.06.11	14037.00	प्रमोद कुमार	ट्रान्सफर (अपुष्ट)
191206	17.06.11	46325.00	अशोक कुमार, लवकुश सैने0	नकद
191209	17.06.11	18850	लवकुश सैने0	सतेन्द्र प्रकाश
191210	17.06.11	12939.00	प्रमोद कुमार	ट्रान्सफर
587076	17.02.11	4450.00	प्रमोद कुमार	ट्रान्सफर
587133	01.02.12	9006.00	संजीव कुमार	एस0बी0 5827
587132	01.02.12	19800.00	प्रमोद कुमार	एस0बी0 5246
587076	17.12.11	4450.00	प्रमोद कुमार	ट्रान्सफर
502759	27.01.12	11836.00	सतीश चन्द्र	सतेन्द्र प्रकाश
587075	17.12.11	4450.00	संजीव कुमार	सतेन्द्र प्रकाश
587132	01.02.12	56350.00	प्रमोद कुमार	एस0बी0 5246
587133	01.02.12	35525.00	संजीव कुमार	एस0बी0 5827
—	—	4450.00	प्रमोद कुमार	—
—	20.04.12	4450.00	अशोक कुमार	—
योग		449490.00		

परोक्ष
त से
स्पष्ट
है
कि
अंक
न
रु0
4494
90.
00
का
चैक
फर्म
/व्य
क्ति
के
नाम
और
आपूर्
ति
कर्ता
के
नाम
निर्ग
त न
दर्शा
कर
पत्रा
वली
में
दर्शा
या
गया
है
उन
चैक
का
भुगत

न सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्ट होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 449490.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली के

प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(आ0 संख्या-6)

आपत्ति संख्या-177—लेखा परीक्षा में पाया गया कि अधिकांश कार्य हेतु सिर्फ एक आइटम हेतु कुटेशन स्वीकृत की गई अथवा मांगी गई है परन्तु अन्य व्यक्तियों/फर्म से भी सामग्री क्रय की गई है। (तालिका दो से स्पष्ट है)। जिससे स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से कार्य किया गया तथा अनुदान की धनराशि का उपयोग दिशा निर्देश के विपरीत रहा।

क्रमांक	कार्य का नाम	फर्म/व्यक्ति का नाम जिससे सामग्री बिना कुटेशन के क्रय दर्शित है।	धनराशि	धनराशि जो आपत्ति क्रमांक 6 में सम्मिलित है।
01	ग्राम परसौना में हाजी नवी रजा के मकान से सफीउद्दीन के मकान से होते हुए रिवाज के मकान के सामने से होते हुए जमीर मुल्ला वालीर गली तक मिट्टी/खडंजा कार्य	कमरुद्दीन अरशद हुसैन	14695.00	— 4450.00
02	ग्राम सैदपुर चुन्नीलाल से पहलबान के मकान से मस्जिद तक खडंजा नाली कार्य	सजीव कुमार प्रमोद कुमार बालाजी प्रमोद कुमार	6091.00 7875.00 19221.00	— — — 4450
03	ग्राम बिथरी चैनपुर में मैनरोड से मस्जिद तक नाली खडंजा	प्रमोद कुमार संजीव कुमार प्रमोद कुमार सतीश एन्ड अनन्त	3273.00 — — —	— 19794.00 18900.00 4450.00
04	ग्राम पुरनापुर में कुआ डांडा बिथरी मार्ग से देवस्थल तक मिट्टी खडंजा कार्य	संजीव कुमार प्रमोद कुमार प्रमोद कुमार	— 11459.00 7522.00	18356.00 — —
05	ग्राम परसौना में सफउद्दीन के मकान से गुडडू के मकान तथा मो0नवी के	अशोक कुमार अशोक कुमार	— —	15505.00 4450.00

	मकान से मुनब्वर शाह तक मिट्टी खडंजा कार्य			
06	ग्राम बिथरी चैनपुर में मेनरोड से बाबू पंएम आर के मकान तक नाली खडंजा	प्रमोद कुमार संजीव कुमार अशोक कुमार अशोक कुमार	12933.00 — 17215.00 —	— 6783.00 — 4450
07	ग्राम परेवा कुइयां में अम्बेडकर पार्क की वाउन्ड्री वाल का निर्माण	संजीव कुमार सतीश बिल्डिंग संजीव कुमार सतीश एन्ड अनन्त संजीव कुमार	19459.00 — 17117.00 — —	— 12858.00 — 10940.00 4450.00
08	ग्राम अहिलादपुर में पातीराम के मकान से राजेश के मकान तक नाली खडंजा कार्य	संजीव कुमार सतीश बिल्डिंग संजीव कुमार	19605.00 — 19019.00	— 19304.00 —
		प्रमोद कुमार संजीव कुमार	4450.00 19315.00	— —
09	ग्राम पदारथ पुर में मदरसे के सामने मिट्टी खडंजा कार्य	निजाकत हुसैन	19315.00	—
10	ग्राम सैदपुर खजुरिया में इमामवाडे से मस्जिद तक नाली खडंजा निर्माण	अशोक कुमार संजीव कुमार प्रमोद कुमार प्रमोद कुमार	— 15895.00 17993.00 20725.00	16079.00 — — —
11	विकास खण्ड कार्यालय बिथरी चैनपुर में फर्स पर टाइल्स लगाने का कार्य	सतीश एन्ड अनन्त मेराज ट्रेडर्स	— —	5582.00 15250.00

12	ग्राम सहूआ में छोटे लाल के खेत के पास पुलिया निर्माण	संजीव कुमार	9289.00	—
		बालाजी	11335.00	—
		मीना ब्रिक फील्ड	15040.00	—
		संजीव कुमार	—	4450.00
13	ग्राम परसौना मे भिताशाह की मजार के पास चौक में खडंजा निर्माण	कमरुद्दीन	17830.00	—
		निजाकत हुसैन	12034.00	—
		इशाक	18750.00	—
		प्रमोद कुमार	13884.00	—
		मीना ब्रिक	14405.00	—
		प्रमोद कुमार	—	4450.00
14	सैदपुर खजुरिया में नत्थु के मकान के सामने से मजार के सामने तक नाली निर्माण	संजीव कुमार	11939.00	—
		प्रमोद कुमार	19274.00	—
		मीना ब्रिक	18452.00	—
		सतीश चन्द	—	2641.00
16	ग्राम परातास पुर में ऋषिपाल सिंह के मकान से बुद्ध पाल सिंह के मकान तक नाली निर्माण	अशोक कुमार	—	25730.00
		बालाजी	72025.00	—
		संजीव कुमार	19079.00	—
17	म्योरी खुर्द मार्ग से बलदेव के झाले तक मिट्टी/खडंजा कार्य	योगेन्द्र इरशाद वि०	— 4450.00	31809.00
18	ग्राम पुरनापुर में मुरारी के मकान से कब्रिस्तान तक मिट्टी खडंजा कार्य	अशोक कुमार	—	18000.00
		संजीव कुमार	—	4450.00
19	विकास खण्ड परिसर में मीटिंग हाल में टाइल्स आदि का कार्य	प्रमोद कुमार	—	10896.00
		प्रमोद कुमार	—	14037.00
		अशोक कुमार/	46325.00	—

		लवकुश सैने0		
20	ग्राम नत्थू रमपुरा में अशर्फीलाल के मकान से बाबूराम के मकान तक खडंजा निर्माण	अशोक कुमार संजीव कुमार	36660.00 4450.00	— —
21	ग्राम तईयतपुर में नोनीराम के घर से नानक चन्द के मकान तक नाली निर्माण	लवकुश सैने0 प्रमोद कुमार बालाजी	— — 23104.00	18850.00 12939.00 —
22	आलमपुर गजरौला मं कब्रिस्तान की बाउन्डी बाल का निर्माण	संजीव कुमार देवकी नन्दन संजीव कुमार	15093.00 6825.00 —	— — 9006.00
23	ग्राम सैदपुर खजुरिया में नत्थू खां के मकान से पुलिया तक खडंजा नाली निर्माण	अशोक कुमार संजीव कुमार प्रमोद कुमार सतीश चन्द्र	22950.00 19778.00 — —	— — 4450.00 11836.00
24	ग्राम गैगटा में मस्जिद के कोने से काले खां की दुकान तक मिट्टी खडंजा कार्य	प्रमोद कुमार संजीव कुमार	19800.00 —	— 4450.00
25	ग्राम सिमरा में मुख्य मार्ग से इन्दिराज खां के मकान तक नाली खडंजा	संजीव कुमार अशोक कुमार संजीव कुमार	— 18526.00 18012.00	35525.00 — —
26	ग्राम म्यूरीखुर्द में भूर के मकान होते हुए मन्दिर तक खडंजा निर्माण	सतीश चन्द्र मदन लाल अशोक कुमार	18281.00 15325.00 —	— — 4450.00
			796092.00	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नियम विरुद्ध क्रय दर्शाकर कार्य कराया गया जिसमें रू0 796092.00 की गम्भीर अनियमितता की गई। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-7)

आपत्ति संख्या-178-रु0 29387.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 56314.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 29387.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलेख्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 3792096.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रु0 85701.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 56314.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 29387.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।
(समा0आप0सं0-13)

आपत्ति संख्या-179-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 3792096.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 151683.00 की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रु0. 151683.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रु0 151683.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 151683.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।
(आप0सं0-14)

आपत्ति संख्या-180-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्ट होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:-कुल दर्शित भुगतान रु 3762709.00 में से रु0 2517127.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्ट पाया सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई, वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया। और न ही फर्म/व्यक्ति द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। जिन कार्यों में ईट एवं चटका ईट की सप्लाय मीना ब्रिक फील्ड श्री बालाजी ब्रिक फील्ड एवं इण्डिया ब्रिक फील्ड से की गई है। उसके ही प्रिन्डेड बिल लगे हैं। जिसपर किसान प्रकार का टैक्स का विवरण अंकित नहीं है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। अतएव किया गया भुगतान की संबंधित से मय ब्याज वसूली योग्य है।
(मूल आपत्ति संख्या-08)

आपत्ति संख्या-181-वर्ष 2011-12 में 5077.68 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 365051.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 152330.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति मय ब्याज तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
17.12.11	35.21	2641.00
23.01.12	636.18	31809.00

01.11.11	240.00	18000.00
22.03.12	499.10	37432.00
17.01.12	91.00	6825.00
17.01.12	264.00	19800.00
20.12.11	157.82	11836.00
05.11.11	264.00	19800.00
16.01.12	226.67	17000.00
10.12.11	243.75	18281.00
10.12.11	204.34	15325.00
01.07.11	195.94	14695.00
09.07.11	81.22	6191.00
15.11.11	244.75	18356.00
26.09.11	206.74	15505.00
05.10.11	172.44	12933.00
23.01.12	228.23	17117.00
22.12.11	257.53	19315.00
12.02.12	282.00	21161.00
10.01.12	50.40	3780.00
17.11.11	237.44	17830.00
योग	5077.68	365051

आलोच्य वर्ष में कई कार्यों में मिट्टी का उपयोग किया गया है जिसकी पत्रावली से ज्ञात हुआ कि उसके लिए कुटेशन/टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये हैं। तथा सामानतया मिट्टी 05 किलोमीटर दूर से ढुलाई के रूप में भुगतान दर्शाया गया है।
(आपत्ति संख्या-09)

आपत्ति संख्या-182—ग्राम पुरनापुर में कुआड़ांडा विथरी मार्ग से देवस्थल तक मिट्टी खडंजा कार्य में दिनांक 02.12.2011 को मीना ब्रिक फील्ड को रु0 23755.00 का भुगतान किया गया परन्तु पत्रावली में उससे सम्बन्धित बिल उपलब्ध नहीं था। न ही बिल लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत किया गया। प्रमाणक के अभाव में स्पष्ट है कि उक्त धनराशि रु0 23755.00 का फर्म से मिलकर अपहरण किया गया। संबंधित से मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-26)

आपत्ति संख्या-183-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्य पर अंकन 174560.00 रु० मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता ए०डी०ओ० आई०एस०बी० को भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

तालिका दो से स्पष्ट है कि समस्त कार्य हेतु मजदूरी मद में किया गया भुगतान बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार श्री सतेन्द्र प्रकाश के नाम न होकर नकद भुगतान दर्शित है। जिससे स्पष्ट है कि बैंक सेल्फ/वेयरर निर्गत किये गये है। के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 174560.00 का वर्ष 2012-2013 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ० सं०-05)

आपत्ति संख्या-184- आपूर्ति कर्ता फर्म/व्यक्ति को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल रु० 918093.00 भुगतान में से रु० 499628.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर दर्शित है। बैंक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है साथ ही आपूर्ति कर्ता के नाम बैंक जारी नहीं किये गये है।

बैंक नं०	दिनांक	धनराशि	बैंक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
503682	14.02.13	158663	प्रमोद कुमार	ट्रान्सफर (अपुष्टि)
734501	10.05.13	19385	महेन्द्र कुमार	नाम अंकित नहीं
734501	10.05.13	3738	महेन्द्र कुमार	नाम अंकित नहीं
503681	14.02.13	158663	प्रमोद कुमार	ट्रान्सफर (अपुष्टि)
503695	30.03.13	4500	सतीश एन्ड अनन्त एसो०	—
587764	27.02.13	10816	गुलाब सिंह	नकद
503695	30.03.13	4500	सतीश एन्ड अनन्त एसो०	—
503683	14.02.13	134863	संजीव कुमार	ट्रान्सफर
503695	30.03.13	4500	संजीव कुमार	स्टेटमेन्ट में नहीं
योग		499628		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु० 499628.00 का बैंक फर्म/व्यक्ति के नाम और आपूर्ति कर्ता के नाम निर्गत न दर्शाकर पत्रावली में दर्शाया गया है उन बैंक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु० 499628.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या - 06)

आपत्ति संख्या -185-रु० 17425.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 3717.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु० 17425.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 935518.00 की दर्शित है। जिसपर 2.26 की दर से रु०

21142.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 3717.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0 डी0 एस0 अंकन रू0 17425.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0-10)

आपत्ति संख्या-186-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 935518.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 37421.00 की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि वर्ष में रू0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रू0. 37421.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रू0 37421.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 37421.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

(समा0आप0सं0-11)

आपत्ति संख्या- 187-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:-

कुल दर्शित भुगतान रू 918093.00 में से रू0 418465.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई, वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म/व्यक्ति द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। अतएव किया गया भुगतान मय ब्याज वसूली योग्य है।(मूल आपत्ति संख्या-08)

आपत्ति संख्या-188-वर्ष 2012-13 में 2463.10 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रू0 191775.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रू0 73893.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
27.02.13	284.36	19905
08.02.13	820.00	69751
28.02.13	467.37	39726
30.04.13	400.00	28000
21.02.13	336.82	23577
27.02.13	154.55	10816
योग	2463.10	191775.00

आलोच्य वर्ष में कई कार्यों में मिट्टी का उपयोग किया गया है जिसकी पत्रावली से ज्ञात हुआ कि उसके लिए कुटेशन/टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये हैं। तथा सामानतया मिट्टी 05 किलोमीटर दूर से ढुलाई के रूप में भुगतान दर्शाया गया है। आलोच्य वर्ष में मिट्टी आपूर्ति हेतु कोई कुटेशन/निविदा मांगी नहीं गई है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।(आपत्ति संख्या - 12)

आपत्ति संख्या-189-चैना मुरारपुर में मन्दिर से शमशान भूमि तक मिट्टी व खडंजा कार्य हेतु 284.36 घन मी0 मिट्टी दर रू0 70 प्रति घन मी0 से रू0 19905.00 की आपूर्ति दिनांक 27.02.13 को ठेकेदार श्री संजीव कुमार द्वारा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में रसीद अनुपलब्ध रही। जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रमाणक के अभाव में उक्त भुगतान अपुष्टि रहा। अतः रू0 19905 की वसूली मय ब्याज संबंधित से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-24)

आपत्ति संख्या -190-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का

वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर अंकन 1693545.00 रू0 मजदूरी/श्रमांका का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 को रू0 1663725.00 एवं श्री कृष्ण कुमार मोर्य सहायक विकास अधिकारी पंचायत को रू0 29820.00 भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास

खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

तालिका दो से स्पष्ट है कि समस्त कार्य हेतु मजदूरी मद में किया गया भुगतान बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार श्री सतेन्द्र प्रकाश/श्रीकृष्ण मौर्य के नाम न होकर नकद भुगतान दर्शित है। जिससे स्पष्ट है कि बैंक सेल्फ/वेयरर निर्गत किये गये हैं, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 5 क)

आपत्ति संख्या-191—पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निम्न धनराशि के मस्टर रोल का भुगतान बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कार्यप्रभारी श्री सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता को न होकर श्रीकृष्ण मौर्य को हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल के मद में किया गया भुगतान काल्पनिक है। अतएव किया गया भुगतान की संबंधित से मय ब्याज वसूली योग्य है।

क्रमांक की धनराशि	चेक नं०	दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार प्राप्त कर्ता
27900	500085	29.03.14	सतेन्द्र प्रकाश	श्रीकृष्ण मौर्य
24230	500087	18.06.14	सतेन्द्र प्रकाश	श्रीकृष्ण मौर्य
40875	500090	26.06.14	सतेन्द्र प्रकाश	श्रीकृष्ण मौर्य
20460	500083	29.03.14	सतेन्द्र प्रकाश	श्रीकृष्ण मौर्य

(आपत्ति संख्या 5 ख)

आपत्ति संख्या-192—वर्ष 2013-14 में नवदिया झाड़ा में सी० सी० रोड से चंद्रपाल के घर तक नाली व खड़जा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त मस्टर रोल अवधि 19.02.14 से 28.02.14 तक मजदूरी रु 14350.00 व अवधि दिनांक 19.02.14 से 28.02.14 तक मजदूरी रु 18380.00 का योग करने पर रु 32730.00 होता है। किंतु बैंक खाता सं० 06244 से दिनांक 13.03.14 को चेक सं० 730578 द्वारा कार्य प्रभारी श्री सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता द्वारा रु 33730.00 आहरण किया गया दर्शित है। इस प्रकार वास्तविक मजदूरी से रु 1000.00 अधिक आहरण करके धन का अपहरण किया गया है।

उपरोक्त आपत्ति सं० 5-क व 5-ख से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु 1693545.00 का वर्ष 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या -05-ग)

आपत्ति संख्या-193— आपूर्ति कर्ता फर्म/व्यक्ति को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल रु० 7110118.00 भुगतान में से रु० 386602.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर दर्शित है। बैंक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई औ व्यक्ति/खाते में है साथ ही आपूर्ति कर्ता के नाम बैंक जारी नहीं किये गये हैं।

बैंक नं०	दिनांक	धनराशि	बैंक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
730516	15.00.14	4500	संजीव कुमार	नकद
730322	21.12.13	82527	संजीव कुमार	ट्रान्सफर
060400	15.02.14	4500	महेन्द्र कुमार	नकद
730520	30.03.14	37366	संजीव कुमार	ट्रान्सफर
514801	07.03.14	4500	संजीव कुमार	—
60387	13.02.14	30940	संजीव कुमार	ट्रान्सफर
730564	03.03.14	4310	संजीव कुमार	ट्रान्सफर
060077	20.06.13	19267	संजीव कुमार	नाम अंकित नहीं
060078	20.06.13	10375	महेन्द्र कुमार	नाम अंकित नहीं
730567	30.01.14	17188	महेन्द्र कुमार	नकद
730566	30.01.14	90916	प्रमोद कुमार	ट्रान्सफर

060091	09.11.13	80213	प्रमोद कुमार	ट्रान्सफर
		386602		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 386602.00 का चैक फर्म/व्यक्ति के नाम और आपूर्ति कर्ता के नाम निर्गत न दर्शाकर पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 386602.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या – 06)

आपत्ति संख्या –194–रू0 139068.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 24763.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2013–14 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रू0 139068.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 7249186.00 की दर्शित है। जिसपर 2.26 की दर से रू0 163831.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 24763.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 139068.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।(समा0आप0सं0–10)

आपत्ति संख्या–195–आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 7249186.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 289967.00 की कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि वर्ष में रू0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रू0. 289967.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रू0 289967.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 289967.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।(समा0आप0सं0 –11)

आपत्ति संख्या–196–मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:–

कुल दर्शित भुगतान रू 7110118.00 में से रू0 6432622.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई, वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म/व्यक्ति द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। अतएव किया गया भुगतान संबंधित से मय ब्याज वसूली की जानी अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या–08)

आपत्ति संख्या–197–शासनादेश संख्या ए–1–122/दस–2012–10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसाद यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया जाता है। तो अर्जित व्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोश में जमा करा दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2013–14 में कार्यालय पत्रांक 948 दिनांक 26.09.13 से चैक नं0 060086 दिनांक 26.09.13 से रू0 108039.00 तथा चैक नं0 512915 दिनांक 26.09.13 से रू0 229891.00 जिला पंचायत राज अधिकारी को राज वित्त एवं तेहरवा वित्त अनुदान से अर्जित व्याज की धनराशि भेजी गई है। जबकि उक्त धनराशि राजकीय कोश में निर्धारित शीर्ष में जमा कराया जाना चाहिए था। उपरोक्त धन की उपयोगिता की स्थिति स्पष्ट नहीं रही। जिससे उक्त धनराशि के दुरुपयोग की सम्भावना है। उक्त धनराशि की वापसी सम्बन्धित कार्यालय से की जानी अपेक्षित है।(आपत्ति संख्या–13)

आपत्ति संख्या–198–वर्ष 2013–14 में 6124.03 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रू0 550805.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रू0 183721.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
29.04.13	417.00	35456

20.12.13	936.25	84262
20.06.14	331.28	29815
28.02.14	448.00	40365
01.01.14	1098.00	98892
08.03.14	245.00	20050
31.01.14	351.00	31590
28.06.13	335.50	30195
—	195.00	17550
05.01.14	857.00	80730
02.11.13	910.00	81900
योग	6124.03	550805

आलोच्य वर्ष में कई कार्यों में मिट्टी का उपयोग किया गया है जिसकी पत्रावली से ज्ञात हुआ कि उसके लिए कुटेशन/टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये हैं। तथा सामानतया मिट्टी 05 किलोमीटर दूर से ढुलाई के रूप में भुगतान दर्शाया गया है। आलोच्य वर्ष में मिट्टी आपूर्ति हेतु कोई कुटेशन/निविदा मांगी नहीं गई है। (आ0 सं012)

क्षेत्र पंचायत-फरीदपुर-

आपत्ति संख्या-199-मस्टर रोल मजदूरी का और भुगतान कार्य प्रभारियों का

वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन 207340.00 रु0 मजदूरी/क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सुरेश पाल सिंह एवं श्री राजीव आनन्द/नकद को भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

तालिका दो से स्पष्ट है कि कार्य क्रमांक 1 में रु0 18480.00, 17650.00 बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार श्री सुरेश पाल सिंह के नाम न होकर नकद भुगतान दर्शित है। जिससे स्पष्ट है कि समस्त श्रमांश की धनराशि रुपये 207340.00 का फर्जी मस्टर रोल तैयार करके भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। सा0आ0सं0-5

आपत्ति संख्या-200-आपूर्ति कर्ता फर्म/व्यक्ति को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल रु.549135.00 भुगतान में से रु0 487861 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। बैंक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है साथ ही आपूर्ति कर्ता के नाम बैंक जारी नहीं किये गये हैं।

बैंक न0	दिनांक	धनराशि	बैंक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
213109	17.07.12	18590	आसिक	नकद
374484	17.07.12	78005	न्यू वारसी	एलसी/291/12
775411	22.07.12	37609	न्यू वारसी	ट्रांसफर
710162	21.09.12	97365	न्यू वारसी	ट्रांसफर
710161	21.09.12	96228	न्याज अंसारी	ट्रांसफर
374498	21.09.12	17150	मिट्टी का अज्ञात	सुरेश पाल सिंह
374478	22.11.11	142914	कै0जी0एन0 ब्रिक फिल्ड	ट्रांसफर
		487861		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0487861.00का बैंक फर्म/व्यक्ति के नाम और आपूर्ति कर्ता के नाम निर्गत न दर्शाकर पत्रावली में दर्शाया गया है उन बैंक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 487861.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। सा0आ0सं0-6

आपत्ति संख्या-201- रु0 10798.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 1856.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-

वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 10798.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 559933.00 की दर्शित है। जिसपर 2.26 की दर से रु0 12654.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 1856.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु010798.00की जमा की पुष्टि में इश्यू बैंक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसकारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। सा0आ0सं0-9

आपत्ति संख्या-202-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 559933.00पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 22397.00की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार रु 22397.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रु0 22397.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु 22397.00की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है। सा0आ0सं0-10

आपत्ति संख्या-203- वर्ष 2011-12 में अप्रदर्शित घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 35740.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। मात्रा अज्ञात होने के कारण नियमानुसार रायल्टी का आंकलन किया जाना संभव नहीं हो सका। अतः मिट्टी की मात्रा बताते हुए उस पर 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
5.06.12	अप्रदर्शित	18590.00
अज्ञात	अप्रदर्शित	17150.00

आलोच्य वर्ष में कई कार्यों में मिट्टी का उपयोग किया गया है जिसकी पत्रावली से ज्ञात हुआ कि उसके लिए कुटेशन/ टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये हैं। तथा सामानतया मिट्टी 05 किलोमीटर दूर से ढुलाई के रूप में भुगतान दर्शाया गया है। **सा0आ0सं0-11**

आपत्ति संख्या-204—दर्शात वित्तीय वर्ष में ग्राम रंजनापुर से बालिस्टर सिंह के मकान के सामने से जगदीश सिंह के मकान के सामने नाली निर्माण कार्य में चैक सं0-710162 द्वारा 97365.00 रुपये का भुगतान न्यू वारसी ब्रिक फ़िल्ड को करना दर्शाया गया है जबकि बैंक खाते में सम्बन्धित चैक 97368.00 का पास हुआ है। इस प्रकार रुपये 3.00 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारियों से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-22**

आपत्ति संख्या-205—मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म/व्यक्तियों को भुगतान

कुल दर्शित भुगतान रु 549135.00 में से 61274.00 का भुगतान जो सम्बन्धित फर्म/व्यक्तियों को दर्शित किया गया है वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई वह अधिकांश प्रमाणक फर्म के लैटर पैड/ कच्चे बिल/ अनियमित कैश मीमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली के साथ संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है, न ही फर्म/ व्यक्तियों द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। अतएव किया गया भुगतान की संबंधित से मय ब्याज वसूली योग्य है। **सा0आ0सं0-23**

आपत्ति संख्या-206—मस्टर रोल मजदूरो का और भुगतान कार्य प्रभारियों का

वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर अंकन 230370.00 रु0 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री चन्द्रपाल सिंह एवं श्री सुरेश पाल सिंह को भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अर्गुना निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गॉव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

तालिका दो से स्पष्ट है कि कतिपय कार्य हेतु मजदूरी मद में किया गया भुगतान बैंक स्टेटमेंट के अनुसार श्री चन्द्रपाल सिंह एवं श्री सुरेशपाल सिंह के नाम न होकर नकद भुगतान दर्शित है। जिससे स्पष्ट है कि चैक सेल्फ/वेयरर निर्गत किये गये हैं। जिसके सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके जिसमें मजदूरों को सीधे भुगतान नहीं करके कार्य प्रभारियों को भुगतान करके मजदूरी मद में अंकन कुल रु0. 230370.00 का वर्ष 2012-13 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/ कार्य प्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली के प्रति आवष्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

सा0आ0सं0-05

आपत्ति संख्या-207—आपूर्ति कर्ता फर्म/ व्यक्ति को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते मे करना

सामग्री मद में कुल रु. 1133095.00 भुगतान में से रु0 611991.00 निमानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/ खाते में है साथ ही आपूर्ति कर्ता के नाम चैक जारी नहीं किये गये हैं।

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
374494	03.08.12	53999	शर्मा बिल्डर्स	ट्रान्सफर (अपुष्टि)
374495	13.08.12	30020	न्यू वारसी	एलसी 337 / 12
374493	03.08.12	82324	न्यू वारसी	एलसी 309 / 12
000026	28.04.13	75992	न्यूरानी ब्रिक फ़िल्ड	एलसी 199
374485	02.08.12	40839	न्यूरानी ब्रिक फ़िल्ड	ट्रांसफर एसबीआई
374488	03.08.12	45934	न्यूरानी ब्रिक फ़िल्ड	ट्रांसफर एसबीआई
000001	21.09.12	10500	न्यूरानी ब्रिक फ़िल्ड	एलसी 365 / 12
374492	03.08.12	30255	न्यूरानी ब्रिक फ़िल्ड	ट्रांसफर एसबीआई
374490	03.08.12	202736	श्री बालाजी	ट्रांसफर 2 / 300
186655	12.08.12	15206	श्री बालाजी	नकद
374497	05.09.12	10186	छाताराम	चन्द्रपाल सिंह
710164	13.05.13	14000	रामसेवक	नकद
योग		611991		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 611991.00 का चैक फर्म/व्यक्ति के नाम और आपूर्ति कर्ता के नाम निर्गत न दर्शाकर पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/ खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 611991.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली के प्रति आवष्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-06**

आपत्ति संख्या-208—रु0 23103.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 3027.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 23103.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 1156198.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रु0 26130.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 3027.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0अ 3027.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेंट/ चालान /दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-09**

आपत्ति संख्या-209—आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु 1156198.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 46248.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार रु 46248.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रु0 46248.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु 46248.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-10**

आपत्ति संख्या-210—आलोच्य वर्ष में मिट्टी का भुगतान प्रथम कार्य में 10180 द्वितीय कार्य में 14000 किया गया है। ज्ञात हो कि उपरोक्त कार्यों में प्रयुक्त मिट्टी की माप अंकित नहीं की गयी है जिससे उस पर रॉयल्टी रुपये 30 घन मीटर की दर से आंकलित नहीं की जा सकी। उपरोक्त कार्य में लगी मिट्टी की माप प्रस्तुत करते हुए उस पर रॉयल्टी जमा करायी जानी अपेक्षित रही। **सा0आ0सं0-11**

आपत्ति संख्या-211—आलोच्य वर्ष में कार्य संख्या-4 में चैक सं0- 374492 दिनांक 03.08.12 द्वारा रुपये 30259.00 का भुगतान किया गया है जबकि सम्बन्धित बिल का भुगतान 30255/- होना था इस प्रकार रुपये 4 से अधिक धन का भुगतान किया गया है। मय ब्याज संबंधित से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-20**

आपत्ति संख्या-212—कार्य संख्या-4 में चैक सं0- 374490 दिनांक 03.08.2012 से बैंक में रुपये 204536.00 का भुगतान हुआ है जबकि सम्बन्धित बिल का भुगतान 202736.00 होना चाहिए था। अतः रुपये 1800/- से अधिक का भुगतान किया गया है। मय ब्याज वसूली सम्बन्धी कार्यवाही लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-21**

आपत्ति संख्या-213—मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म/व्यक्तियों को भुगतान

कुल दर्शित भुगतान रु 1133095.00 में से 521104.00 का भुगतान जो सम्बन्धितफर्म/ व्यक्तियों को दर्शित किया गया है वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई वह अधिकांश प्रमाणक फर्म के लैटर पैड/कच्चे बिल/अनियमित कैश मीमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली के साथ संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है, न ही फर्म/व्यक्तियों द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है।अतएव किया गया भुगतान की संबंधित से मय ब्याज वसूली योग्य है। **सा0आ0सं0-24**

आपत्ति संख्या-214—मस्टर रोल मजदूरो का और भुगतान कार्य प्रभारियों को

वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर अंकन 1110630.00 रु0 मजदूरी /कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री युसुफ अली, चन्द्रपाल सिंह, जगदीश प्रसाद, सुरेश पाल सिंह को भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अर्गुना निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गॉव के है यह भी उल्लेख नहीं है। फर्जी मस्टर रोल तैयार करने के संदर्भ में उदाहरण निम्नवत है—

अ-कार्य सं0-8 में ही इसके सम्बन्ध में मस्टर रोल का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि 06.09.13 से 20.09.13 तक का मस्टर रोल पर हाजिर 01.09.13 से 15.09.13 तक की मरी गयी है। इसी प्रकार 21.09.13 से 30.09.13 तक की हाजिरी भी 01.09.13 से 10.09.13 तक मस्टर रोल में दर्शित तिथि तथा मस्टर रोल में अंकित तिथि में नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि मस्टर रोल से भुगतान रुपये 133630 की धनराशि संदिग्ध है।

ब—उक्त कार्य सं०-9 संलग्न मस्टर रोल में कोई भी तिथि अंकित नहीं है ज्ञात हो कि कार्य आरम्भ हेतु टैन्डर 11.11.13 में जारी किया गया तथा मस्टर रोल में कुल 59 मजदूरों ने 28 दिन तक कार्य करना दिशित है। उक्त मस्टर रोल का भुगतान 19.11.13 में किया गया है। इस प्रकार यदि कार्य प्रभारी द्वारा कार्य में सफाई हेतु जारी टैन्डर की तिथि को आधार मानते हुए 28 कार्य दिवसों तक कार्य करना माना जाये तो इसका भुगतान किस प्रकार से 19.11.13 में 239400.00 किया गया कि स्थिति अस्पष्ट है। मस्टर रोल पूर्णतः फर्जी है। धनराशि का अपहरण किया गया है। संबंधित से उपरोक्त धनराशियों की मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०सं०-5

आपत्ति संख्या-215—आपूर्ति कर्ता फर्म/ व्यक्ति को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल रु. 8767885.00 भुगतान में से रु० 192764.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/ खाते में है साथ ही आपूर्ति कर्ता के नाम चैक जारी नहीं किये गये हैं।

चैक न०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
000106	18.02.14	173231	न्यू वारसी ब्रिक	एलसी 131
000110	18.02.14	34769	न्यू वारसी ब्रिक	एलसी/133
519355	08.04.13	71692	न्यू वारसी ब्रिक फिल्ड	एलसी/149/13
000061	18.09.13	153022	न्यू वारसी	ट्रांसफर
520923	19.11.13	15001	अरविन्द कुमार	चन्द्रपाल सिंह
000043	19.11.13	11459	अरविन्द कुमार	चन्द्रपाल सिंह
000062	20.08.13	364337	न्यू वारसी	ट्रांसफर
000063	18.08.13	273253	न्यू वारसी	ट्रांसफर
710167	07.08.13	455324	न्यू वारसी	2/27
000058	28.08.13	4500	हीरालाल	सुरेशपाल
710168	17.08.13	168156	सर्वेश अग्रवाल	2/27
000043	19.11.13	4500	हीरालाल	चन्द्रपाल सिंह
000040	19.11.13	203520		पट्टण
योग —		1932764		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु० 1932764.00 का चैक फर्म/व्यक्ति के नाम और आपूर्ति कर्ता के नाम निर्गत न दर्शाकर पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु० 1932764.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०सं०-6

आपत्ति संख्या-216—रु 170145.0 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 28009.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि—

वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 170145.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 8767885.00 की दर्शित है। जिसपर 2.26 प्रतिशत की दर से रु० 198154.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 28009.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में इश्यू चैक न०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **सा०आ०सं०-9**

आपत्ति संख्या-217—आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 8767885.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 350715.00 की वाणिज्य कर कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु० 180.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु 350535.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रु० 350535.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु 350535.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

सा०आ०सं०-10

आपत्ति संख्या-218—कार्य सं०-7 में जे०ई० आर०ई०एस० द्वारा अधिकतम कार्य का मूल्य 124900.00 पास किया गया था जिसमें 108314.00 की सामग्री एवं रुपये 16626 का श्रमांश था। परन्तु दोनों ही मदों में क्रमशः रुपये 112140.00 तथा 18960.00 का व्यय किया गया। इस प्रकार 6200 का अधिक व्यय दर्शाया गया है जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

सा०आ०सं०-21

आपत्ति संख्या-219—मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म/व्यक्तियों को भुगतान

कुल दर्शित भुगतान रु 8597560.00 में से 6664796.00का भुगतान जो सम्बन्धित फर्म/व्यक्तियों को दर्शित किया गया है वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई वह अधिकांश प्रमाणक फर्म के लैटर पैड/ कच्चे बिल/ अनियमित कैश मीमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली के साथ संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है, न ही फर्म/ व्यक्तियों द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। उपरोक्त कार्य एवं बिलों के अपुष्टि होने के संदर्भ में उदाहरण निम्नवत हैं।

अ—आलोच्य वर्ष में कार्य संख्या -3 में प्रथम बार कोटेशन प्राप्त न होने के कारण पुनः कोटेशन प्राप्त किये गये। पत्रावली अवलोकन में ज्ञात हुआ कि बाद में जो कोटेशन आमंत्रित किये गये हैं उसकी आपूर्ति हेतु सामग्री की मात्रा कम थी तथा प्रांकलन की धनराशि भी कम थी। एक ही कार्य के लिये दो बार प्रांकलन तैयार किया जाना व स्वीकृति लिये जाने से स्पष्ट है कि उक्त कार्य कराने में सावधानी नहीं रखी गयी तथा मात्रा कागजी कार्यवाही करते हुए पत्रावली तैयार की गयी है। उपरोक्त कार्य में ही 13.03.13 से 02.04.13 के मध्य समस्त सामग्री क्रय की गयी है जबकि मस्टर रोल में 15.07.13 से 10.08.13 मध्य के है। कार्य आरम्भ होने से 4 माह पूर्व सामग्री का आपूर्ति होना संदेहास्पद है। क्रय की गयी सामग्री कहां रखी थी तथा किसके चार्ज में थी, स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं हुई है। अतः यह उल्लेख नहीं किया जा सकता है कि कार्य कब प्रारम्भ हुआ और कब समाप्त हुआ। अतः कार्य पर ज्यादा व्यय धन का योजना बद्ध तरीके से कुल लागत रुपये 782792.00 अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ब—कार्य संख्या -8 में न्यू वारसी से बिल सं० क्रमशः 477.485 एवं 484 दिनांक 16.09.13, दिनांक 24.09.13 बिना दिनांक के प्राप्त किये गये हैं परन्तु भुगतान शीट जो कार्य की फाईल में लगी है उसमें बिल नं०-477/16.09.13 रुपये 372000 का भुगतान 20.08.13 में तथा बिल सं०-485/24.09.13 रुपये 279000/-का भुगतान 18.08.2013 में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि बिल पूर्णतः फर्जी है अथवा भुगतान की तिथि बिल के बाद न होकर के बिल से पूर्व क्यों होती। इस प्रकार कुल धनराशि रुपये 651000 रुपये का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

स—कार्य सं०-14 में पत्रावली का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि विकास खण्ड सभागार में फर्श एवं दीवार पर टाईल एवं रंगाई पुताई हेतु तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री सीताराम गुप्ता के मौखिक आदेश पर श्री रामचन्द्र कनौजिया एन०आर०ई०पी० लेखाकार को कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया तथा बिना इस्टीमेट पास कराये और तकनीकी स्वीकृति लिये ही प्रभारी द्वारा कोटेशन भी जारी कर दिया गया जिसमें फर्श एवं दीवार हेतु क्रमशः 170 एवं 60 वर्ग मीटर की टाईल्स क्रय कर ली गयी जिसको लगाने से सम्बन्धित कोई भी मजदूरी का मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार केवल शिव कॉन्ट्रैक्टर से सामग्री क्रय करने का ही वाउचर प्राप्त दर्शित है। कार्य की पुष्टि में कोई प्रमाणक मजदूरी से सम्बन्धित एवं कार्यपूर्ति होने का कोई प्रमाण/साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। उपरोक्त कार्य के लिये श्री सीताराम गुप्ता के द्वारा किये गये भुगतान की वसूली संबंधित से मय ब्याज वसूली के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

द—कार्य सं०-15 में सभाकार के सौन्दर्यकरण कुर्सी क्रय करने का कार्य किया गया जिसमें 537852/- की कुर्सियों एवं फर्नीचर, फर्नीचर पैलेस से क्रय की गयीं। ज्ञात हो कि उक्त क्रय राज्य वित्त के मद से किया गया है। जबकि वास्तव में राज्य वित्त से इस प्रकार के कार्यों का कोई भी व्यय की स्वीकृति का प्राविधान नहीं है। उपरोक्त खरीद हेतु किसी प्रकार का प्रस्ताव भी स्वीकृत नहीं प्राप्त हुआ है। अतएव किया गया भुगतान की संबंधित से मय ब्याज वसूली योग्य है।

सा०आ०सं०-27

क्षेत्र पंचायत बहेड़ी —

आपत्ति संख्या-220—संलग्न सारणी के अनुसार प्रिया सॉफ्ट में अंकित वर्ष आलोच्य 2011-12 में सामग्री पर व्यय रु 2416357.00 का किया गया है। इससे संबंधित कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। स्पष्ट है कि रु 2416357.00 का अपहरण संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/प्रमुख द्वारा कर लिया गया है। रु 2416357.00 की वसूली संबंधित से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-02)

आपत्ति संख्या-221—संलग्न सारणी के अनुसार प्रिया सॉफ्ट में अंकित वर्ष आलोच्य 2011-12 में मस्टर रोल पर व्यय रु 585279.00 का किया गया है। इससे संबंधित कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। स्पष्ट है कि रु 585279.00 का अपहरण संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/प्रमुख द्वारा कर लिया गया है। रु 585279.00 की वसूली संबंधित से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-03)

आपत्ति संख्या-222—संलग्न सारणी के अनुसार प्रिया सॉफ्ट में अंकित वर्ष आलोच्य 2011-12 में अन्य पर व्यय रु 242566.50 का किया गया है। इससे संबंधित कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। स्पष्ट है कि रु 242566.50 का अपहरण संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/प्रमुख द्वारा कर लिया गया है। रु 242566.50 की वसूली संबंधित से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-04)**

आपत्ति संख्या-223—संलग्न सारणी के अनुसार प्रिया सॉफ्ट में अंकित वर्ष आलोच्य 2012-13 में सामग्री पर व्यय रु 4813655.00 का किया गया है। इससे संबंधित कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। स्पष्ट है कि रु 4813655.00 का अपहरण संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/प्रमुख द्वारा कर लिया गया है। रु 4813655.00 की वसूली संबंधित से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-02)**

आपत्ति संख्या-224—संलग्न सारणी के अनुसार प्रिया सॉफ्ट में अंकित वर्ष आलोच्य 2012-13 में मस्टर रोल पर व्यय रु 954253.00 का किया गया है। इससे संबंधित कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। स्पष्ट है कि रु 954253.00 का अपहरण संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/प्रमुख/संबंधित कार्य प्रभारी/जे0 ई0 द्वारा कर लिया गया है। रु 954253.00 की वसूली संबंधित से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-03)**

आपत्ति संख्या-225—संलग्न सारणी के अनुसार प्रिया सॉफ्ट में अंकित वर्ष आलोच्य 2012-13 में अन्य पर व्यय रु 529557.00 का किया गया है। इससे संबंधित कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। स्पष्ट है कि रु 529557.00 का अपहरण संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/प्रमुख द्वारा कर लिया गया है। रु 529557.00 की वसूली संबंधित से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-04)**

आपत्ति संख्या-226—संलग्न सारणी के अनुसार प्रिया सॉफ्ट में अंकित वर्ष आलोच्य 2013-14 में सामग्री पर व्यय रु 3581414.00 का किया गया है। इससे संबंधित कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। स्पष्ट है कि रु 3581414.00 का अपहरण संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/प्रमुख द्वारा कर लिया गया है। रु 3581414.00 की वसूली संबंधित से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-02)**

आपत्ति संख्या-227—संलग्न सारणी के अनुसार प्रिया सॉफ्ट में अंकित वर्ष आलोच्य 2013-14 में मस्टर रोल पर व्यय रु 1123159.00 का किया गया है। इससे संबंधित कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। स्पष्ट है कि रु 1123159.00 का अपहरण संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/प्रमुख/संबंधित कार्य प्रभारी/जे0 ई0 द्वारा कर लिया गया है। रु 1123159.00 की वसूली संबंधित से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-03)**

आपत्ति संख्या-228—संलग्न सारणी के अनुसार प्रिया सॉफ्ट में अंकित वर्ष आलोच्य 2013-14 में अन्य पर व्यय रु 106497.00 का किया गया है। इससे संबंधित कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। स्पष्ट है कि रु 106497.00 का अपहरण संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/प्रमुख द्वारा कर लिया गया है। रु 106497.00 की वसूली संबंधित से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-04)**

क्षेत्र पंचायत, आपत्ति पत्र-2014-15 से 2016-17

विकास खण्ड- भोजीपुरा वर्ष 2014-15

आपत्ति संख्या-229-कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान— वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन 960563.00 रु0 मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री उदयवीर सिंह पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 19760.00 श्री वीरपाल पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी रु0 152098.00 श्री अतुल सक्सेना पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 137860.00 श्री संजीव गंगवार पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 2303692.00 श्री उत्कट सिंह पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 65900.00 श्री विवेक गंगवार पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 71368.00 श्री सत्यप्रकाश शर्मा पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 68110.00 श्री खर्गसेन गंगवार पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 241775.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नं0 अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अगुआ निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 960563.00 का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 03**

आपत्ति संख्या-230-आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना—सामग्री मद में कुल रु0 5028905.00 भुगतान में से रु0 2332.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खातों के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता पुष्टित नहीं है अर्थात् और व्यक्ति/खाते में है—

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है/प्राप्तकर्ता	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
214	04.04.15	1332	गंगवार हार्डवेयर एण्ड पेंट स्टोर	कैश
214	04.04.15	1000	एस0एस0 फैब्रीकेटर	कैश
	योग	2332.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 2332.00 का चैक फर्म/व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 2332.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 4 क**

आपत्ति संख्या-231-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण— कुल दर्शित भुगतान रु0 5028905.00 में से रु0 3600043.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कमी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 4 ख**

आपत्ति संख्या-232-रु0 72130.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 40305.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि— वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 72130.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 4975043.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से 112435.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 40305.00 कम कटौती पर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 72130.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 5**

आपत्ति संख्या-233—आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 4975043.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 199001.00 की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 17691.00 कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 181310.00 कटौती नहीं की गयी है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एस0 कटौती की गयी है। फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल/लेटर पैड पर पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2014-15 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 कटौती कुल अंकन रु0 17691.00 की गयी है। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान एवं दाखिल रिटन प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे टी0डी0एस0 मद में की गई कटौती की जमा की स्थिति अपुष्टि है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गयी कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित में अवगत कराया गया अथवा नहीं लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाये। **समा0आप0सं0 6**

आपत्ति संख्या-234—वर्ष 2014-15 में 189.07 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 14180.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 14 रु0 घनमीटर की दर से 2647.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मीटर में	धनराशि
08.04.2015	189.07	14180.00
योग	189.07	14180.00

समा0आप0सं0 8

वर्ष 2015-16

आपत्ति संख्या-235-कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान— वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन 1876065.00 रु0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सुरेन्द्र वीर पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 117235.00 श्री वीरपाल पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी रु0 982725.00 श्री खर्गसेन गंगवार पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 478825.00 श्री उत्कट सिंह पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 82350.00 श्री चैतन्य प्रकाश पदनाम ग्राम

पंचायत अधिकारी को ₹ 45065.00 श्री सत्यप्रकाश शर्मा पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को ₹ 99725.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नं० अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अगुंठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹ 1876065.00 का वर्ष 2015-16 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा०आप०सं० 03**

आपत्ति संख्या-236-आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना-

सामग्री मद में कुल ₹ 6682209.00 भुगतान में से ₹ 137465.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खातों के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता पुष्टि नहीं है अर्थात् और व्यक्ति/खाते में है-

चैक सं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है/प्राप्तकर्ता	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
286	03.08.15	17175	वीरपाल सिंह	कैश
302	03.07.15	7200	वीरपाल सिंह	कैश
332	26.08.15	5990	वीरपाल सिंह	खर्गसेन
289	03.07.15	10050	वीरपाल सिंह	कैश
263	21.05.15	24750	सुनील मिट्टी कार्य	कैश
359	10.09.15	28633	शरवर सटरिंग वर्क्स	कैश
397	23.10.15	43667	शरवर सटरिंग वर्क्स	वीरपाल
	योग	137465		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन ₹ 137465.00 का चैक फर्म/व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में ₹ 137465.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा०आप०सं० 4 क**

आपत्ति संख्या-237-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण- कुल दर्शित भुगतान ₹ 6682209.00 में से ₹ 6544744.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा०आप०सं० 4 ख**

आपत्ति संख्या-238-₹ 150967.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाना- वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन ₹ 150967.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है। जिसकी जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **समा०आप०सं० 5**

आपत्ति संख्या-239-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय ₹ 6786992.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 271479.68 की जानी चाहिए जबकि वर्ष में ₹ 88591.00 कटौती की गयी है। इस प्रकार ₹ 182888.68 कटौती नहीं की गयी है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी०डी०एस० कटौती की गयी है। फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल/लेटर पैड पर पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2015-16 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी०डी०एस० कटौती कुल अंकन ₹ 88591.00 की गयी है। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चैक नं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान एवं दाखिल रिटन प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे टी०डी०एस० मद में की गई कटौती की जमा की स्थिति अपुष्टि है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गयी कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित में अवगत कराया गया अथवा नहीं। लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाये। **समा०आप०सं० 6**

आपत्ति संख्या-240-वर्ष आलोच्य में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान समय से सिक्वोरिटी मनी के रूप में अंकन ₹ 0 शून्य की कटौती की गयी है जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को कब-कब कितनी-कितनी और किन किन माध्यमों से की गयी या नहीं की गयी। कोई पत्रावली/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में संगत अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली/विधि कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जाये। **समा०आप०सं० 7**

आपत्ति संख्या-241-वर्ष 2015-16 में 1797 घन मी० मिट्टी हेतु कुल ₹ 134775.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 16 ₹ 0 घनमीटर की दर से 28752.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है। क्षति की पूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मीटर में	धनराशि
09.09.15	74	5550
21.08.15	160	12000
09.09.15	128	9600
03.07.15	134	10050
20.10.15	318	23850
09.09.15	40	3000
03.07.15	96	7200
19.09.15	75	5625
06.01.15	53	3975
20.08.15	51	3825
19.09.15	63	4725
20.01.16	343	25725
09.02.15	262	19650
योग	1797	134775

समा०आप०सं० 8

आपत्ति संख्या-242-वर्ष 2015-16 में कुल 24 निर्माण कार्य दर्शित किये गये हैं। जिनमें से 24 निर्माण कार्य पर तीन तीन निविदायें प्राप्त हुई प्राप्त निविदायें में प्रत्येक निविदा फार्म का मूल्य 500 ₹ है। इस प्रकार वर्ष 2015-16 में ₹ 36000.00 की आय होनी चाहिए। जिसे कोशवही के अभाव में पुष्टि न की जा सकी। जिसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। **समा०आप०सं० 13**

वर्ष 2016-17

आपत्ति संख्या-243-कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान-क - वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन 642965.00 ₹ मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री वीरपाल पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी ₹ 366045.00 श्री खर्गसेन गंगवार पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को ₹ 276920.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नं० अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अगुंठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

ख-कार्य संख्या 2 के लिए दिनांक 12.05.16 से 16.06.16 तक कराये गये विकास गये विकास खण्ड कार्यालय में बोरिंग व समरसेबिल का कार्य श्री राकेश कुमार अवर अभियन्ता लघु सिंचाई को कार्य प्रभारी की हैसियत से ₹ 96165.00 का भुगतान विभिन्न तिथियों को किया गया जो हो रही अनियमितता को दर्शित करता है।

ग-दिनांक 18.09.16 से 28.09.16 के मस्टर रोल रू0 38025.00 दिनांक 20.10.16 से 08.11.16 मस्टर रोल रू0 48375.00 दिनांक 21.01.17 से 24.01.17 मस्टर रोल रू0 7250.00 दिनांक 15.01.17 से 20.01.17 मस्टर रोल रू0 21000.00 दिनांक 09.01.17 से 14.01.17 मस्टर रोल रू0 19550.00 दिनांक 01.01.17 से 08.01.17 मस्टर रोल रू0 23850.00 हेतु क्रमशः चैक नं0 508,510,548,547,546 व 545 क्रमशः दिनांक 04.11.16, 09.11.16, 27.01.17, 21.01.17,27.01.17,27.01.17 को निर्गत किया गया जबकि उक्त चैकों का भुगतान स्टेटमेंट के अनुसार 07.11.16, 27.01.17/07.03.17, 15.03.17,21.02.17. 07.02.17, 13.02.17 को हुआ है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि कराये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक किये जाने का आदेश है तो तीन माह पश्चात क्यों किया गया। यह स्थिति स्पष्ट करता है कि वास्तव में कार्य नहीं कराया गया एवं अधिकारी/कर्मचारी द्वारा धन का अपहरण किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 642965.00 का वर्ष 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 03**

आपत्ति संख्या-244-आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना-सामग्री मद में कुल रू0 1710055.00 भुगतान में से रू0 34488.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खातों के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता पुष्टि नहीं है अर्थात और व्यक्ति/खाते में है-

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है/प्राप्तकर्ता	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
521	21.02.17	5347	विराट एशोसियेट	ट्रांसफर
519	21.02.17	9394	विराट एशोसियेट	ट्रांसफर
518	21.02.17	19747	विराट एशोसियेट	ट्रांसफर
	योग	34488		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 34488.00 का चैक फर्म/व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 34488.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 4 क**

आपत्ति संख्या-245-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण- कुल दर्शित भुगतान रू0 1710055.00 में से रू0 1675567.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 4 ख**

आपत्ति संख्या-246-रू0 55405.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 17214.00 की टी0डी0एस0 अधिक काटकर अनियमितता - वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 55405.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 1689894.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रू0 38191.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 17214.00 अधिक कटौती कर अनियमित राजस्व प्राप्त किया गया है। आयकर की धनराशि के बराबर आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 55405.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 5**

आपत्ति संख्या-247-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 1689894.00 पर कुल रू0 67595.00 के स्थान पर रू0 39784.00 की सेल्स टैक्स कटौती की गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एस0 कटौती की गयी है। फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल/लेटर पैड पर पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2016-17 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 काटौती कुल अंकन रू0 39784.00 की गयी है। जबकि 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 67595.00 काटनी थी कुल रू0 27811.00 कम काटी गयी। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान एवं दाखिल रिटन प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे टी0डी0एस0 मद में की गई कटौती की जमा की स्थिति अपुष्टि है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गयी कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित में अवगत कराया गया अथवा नहीं लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाये। **समा0आप0सं0 6**

आपत्ति संख्या-248-वर्ष आलोच्य में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान समय से सिक्योरिटी मनी के रूप में अंकन रू0 शून्य की कटौती की गयी है जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को कब-कब कितनी-कितनी और किन किन माध्यमों से की गयी या नहीं की गयी। कोई पत्रावली/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यवाही अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 7**

आपत्ति संख्या-249-वर्ष 2016-17 में 2266.19 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रू0 210771.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रू0 घनमीटर की दर से 67985.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मीटर में	धनराशि
28.10.16	81.44	9121
10.01.17	66.23	5894
12.01.17	151.55	13640
30.01.17	147.88	13309
28.10.16	264.74	23826
28.10.16	407.15	45600
25.11.16	115.62	12949
26.03.17	33.87	3048
20.03.17	53.78	4843
12.01.17	251.78	22660
20.03.17	119.13	9888
12.01.17	371.87	27890
15.04.17	70.87	6378
03.02.17	130.28	11725
योग	2266.19	210771

समा0आप0सं0 8

आपत्ति संख्या-250-वर्ष 2016-17 में कुल 06 निर्माण कार्य दर्शित किये गये हैं। जिनमें से प्रत्येक निर्माण कार्य पर तीन तीन निविदायें प्राप्त हुई प्राप्त निविदायें/कोटेशन प्राप्त की गईं। जिनमें से 05 कार्य हेतु विराट एशोसियेट के निविदा स्वीकार की गयी तथा एक कार्य हेतु कृषि पाइप स्टोर की कुटेशन स्वीकार की गई। प्रत्येक निविदा फार्म का मूल्य 500 रू0 है। इस प्रकार वर्ष 2016-17 में 05,03,500. रू0 7500.00 की आय होनी चाहिए। जिसे नहीं दर्शाया गया है इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा टेण्डर मूल्य की धनराशि रू0 7500.00 अपहरण कर लिया गया है जिसकी संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 13**

विकास खण्ड- दमखोदा - वर्ष 2014-15

आपत्ति संख्या-251-कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान- वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन 910745.00 रू0 मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री भारत सिंह पदनाम ए0डी0ओ आई0एस0वी0 को रू0 275225.00 व श्री परशुराम ए0डी0ओ आई0एस0वी0 को रू0 635520.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नं0 अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो आंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 910745.00 का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 03**

आपत्ति संख्या-252-आपूर्ति कर्ता/फर्म को चौक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना-सामग्री मद में कुल ₹0 3587854.00 भुगतान में से ₹0 67416.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चौक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खातों के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है-

चैक सं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है/प्राप्तकर्ता	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
186	29.08.14	17030.00	सना	परशुराम
254	18.04.15	6000.00	संगम	परशुराम
253	18.04.15	6000.00	संगम	भारत सिंह
253	18.04.15	5500.00	संगम	भारत सिंह
254	18.04.15	6000.00	संगम	परशुराम
251	18.04.15	5500.00	संगम	परशुराम
279	18.06.15	12386.00	भारत सिंह	नकद
267	12.05.15	3500.00	भारत सिंह	नकद
251	18.04.15	5500.00	संगम	परशुराम
योग		67416.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 67416.00 का चैक फर्म/व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में ₹0 67416.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं० 4 क**

आपत्ति संख्या-253-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण- कुल दर्शित भुगतान ₹0 3587854.00 में से ₹0 2559339.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

निष्कर्ष-उपरोक्त आपत्ति संख्या 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014-15 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात् तैयार की गयी। यहाँ तक की कतिपय चैकों का भुगतान प्रमाणकों के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित है परन्तु बैंक खातों में वह भुगतान किसी और के द्वारा लिया गया है। **मूल आपाति सं० 4-ख**

आपत्ति संख्या-254-₹0 74725.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं ₹0 3576.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि- वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन ₹0 74725.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय ₹0 3801040.00 की दर्शित है। जिस पर 2.06 प्रतिशत की दर से 78301.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार ₹0 3576.00 कम कटौती पर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन ₹0 74725.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **मा0आप0सं० 5**

आपत्ति संख्या-255-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय ₹0 3801040.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 152042.00 की जानी चाहिए जबकि वर्ष में ₹0 130241.00 कटौती की गयी है। इस प्रकार ₹0 21801.00 कटौती नहीं की गयी है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एस0 कटौती की गयी है। फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल/लेटर पैड पर पाये गये हैं। निम्नानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2014-15 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 काटौती कुल अंकन ₹0 130241.00 की गयी है। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चैक नं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान एवं दाखिल रिटन प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे टी0डी0एस0 मद में की गई कटौती की जमा की स्थिति अपुष्टि है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गयी कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित में अवगत कराया गया अथवा नहीं जॉचोपरान्त लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से दण्डनीय ब्याज सहित जमा कराया जाये। **मूल आपाति सं० 06**

आपत्ति संख्या-256-वर्ष आलोच्य में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान समय सिक्कोरिटी मनी के रूप में अंकन ₹0 8863.00 की कटौती की गयी है जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को कब कब कितनी-कितनी और किन-किन माध्यमों से की गयी है या नहीं की गयी है। कोई पत्रावली/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में संगल अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए मय ब्याज वसूली/विधिक कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जाये। **स0आ0सं० 6**

वर्ष 2015-16

आपत्ति संख्या-257-कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान- वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन 809715.00 ₹0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री भारत सिंह पदनाम ए0डी0ओ आई0एस0वी0 को ₹0 809715.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नं० अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवाह विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 809715.00 का वर्ष 2015-16 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं० 03**

आपत्ति संख्या-258-आपूर्ति कर्ता/फर्म को चौक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना-सामग्री मद में कुल ₹0 2559339.00 भुगतान में से ₹0 66639.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चौक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खातों के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता पुष्टि नहीं है अर्थात् और व्यक्ति/खाते में है-

चैक सं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है/प्राप्तकर्ता	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
327	08.03.16	5975.00	न्यू लवली आर्ट	भारत सिंह
310	28.09.15	16076.00	भारत सिंह	नकद
325	08.03.16	5975.00	न्यू लवली आर्ट	भारत सिंह
295	14.08.15	29977.00	भारत सिंह	नकद
319	09.02.16	2661.00	भारत सिंह	नकद
326	08.03.16	5975.00	न्यू लवली आर्ट	भारत सिंह
योग		66639.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 66639.00 का चैक फर्म/व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में ₹0 66639.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं० 4 क**

आपत्ति संख्या-259-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण- कुल दर्शित भुगतान ₹0 2559339.00 में से ₹0 1080472.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत

किया गया है सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 4 ख**
आपत्ति संख्या-260-रू0 54539.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 4081.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 54539.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 2845674.00 की दर्शित है। जिस पर 2.06 प्रतिशत की दर से 58620.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 4081.00 कम कटौती पर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 54539.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **मू0आप0सं0 5**

आपत्ति संख्या-260-1. आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 2845674.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 113826.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 109020.00 कटौती की गयी है। इस प्रकार रू0 4806.00 कटौती नहीं की गयी है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एस0 कटौती की गयी है। फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल/लेटर पैड पर पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2015-16 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 काटौती कुल अंकन रू0 109020.00 की गयी है। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान एवं दाखिल रिटन प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे टी0डी0एस0 मद में की गई कटौती की जमा की स्थिति अपुष्टि है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गयी कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित में अवगत कराया गया अथवा नहीं जॉचोपरान्त लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाये। **समा0आप0सं0 6**

आपत्ति संख्या-261- वर्ष 2015-16 में 750.60 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रू0 48714.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रू0 घनमीटर की दर से 14614.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मीटर में	धनराशि
23.09.15	247.70	16076.00
08.10.15	461.90	29977.00
29.11.15	41.00	2661.00
योग	750.60	48714.00

समा0आप0सं0 7

आपत्ति संख्या-262- वर्ष आलोच्य में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान समय सिक्कोरिटी मनी के रूप में अंकन रू0 122830.00 की कटौती की गयी है जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को कब कब कितनी-कितनी और किन-किन माध्यमों से की गयी है या नहीं की गयी है। कोई पत्रावली/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में संगल अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली/विधिक कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जाये। **मू0आप0सं0 8**

वर्ष 2016-17

आपत्ति संख्या-263-कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान- वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन 1298664.00 रू0 मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री भारत सिंह पदनाम ए0डी0ओ आई0एस0वी0 को रू0 11300.00 व श्री विनोद कुमार देवड़ा पदनाम ए0डी0ओ आई0एस0वी0 को रू0 1128169.00 एवं श्री अयोध्या प्रसाद त्यागी पदनाम ग्राम वि0ओ को रू0 159195.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नं0 अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अगुंठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है जहाँ कही हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 1298664.00 का वर्ष 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 03**

आपत्ति संख्या- 264-आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना- सामग्री मद में कुल रू0 4468306.00 भुगतान में से रू0 125044.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खातों के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता पुष्टि नहीं है अर्थात् और व्यक्ति/खाते में हैं-

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है/प्राप्तकर्ता	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
372	08.07.16	17612.00	विनोद कुमार देवड़ा	नकद
415	04.01.17	15096.00	विनोद कुमार देवड़ा	नकद
415	04.01.17	5050.00	विनोद कुमार देवड़ा	नकद
448	17.05.17	7012.00	अयोध्या प्रसाद त्यागी	नकद
436	16.03.17	6050.00	विनोद कुमार देवड़ा	नकद
364	02.08.16	11988.00	विनोद कुमार देवड़ा	नकद
367	02.08.16	1259.00	विनोद कुमार देवड़ा	नकद
440	16.03.17	4884.00	विनोद कुमार देवड़ा	नकद
422	04.01.17	11900.00	विनोद कुमार देवड़ा	नकद
376	06.08.16	5005.00	विनोद कुमार देवड़ा	नकद
419	04.01.17	7450.00	विनोद कुमार देवड़ा	नकद
419	04.01.17	3100.00	विनोद कुमार देवड़ा	नकद
412	04.01.17	28638.00	विनोद कुमार देवड़ा	नकद
	योग	125044.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि

अंकन रू0 125044.00 का चैक फर्म/व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 125044.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

समा0आप0सं0 4 क

आपत्ति संख्या 265-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण- कुल दर्शित भुगतान रू0 4203144.00 में से रू0 4078100.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 4 ख**

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्ति संख्या 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016-17 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के पश्चात् तैयार की गयी। यहाँ तक की कतिपय चैकों का भुगतान प्रमाणकों के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित है परन्तु बैंक खातों में वह भुगतान किसी और के द्वारा लिया गया है।

आपत्ति संख्या- 266-रू0 82620.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 9427.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि- वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 82620.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 4468306.00 की दर्शित है। जिस पर 2.

06 प्रतिशत की दर से 92047.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 9427.00 कम कटौती पर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 82620.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 5**

आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 4468306.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 178732.00 की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 161684.00 कटौती की गयी है। इस प्रकार रू0 17048.00 कटौती नहीं की गयी है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एस0 कटौती की गयी है। फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल/लेटर पैड पर पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2016-17 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 काटौती कुल अंकन रू0 161684.00 की गयी है। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान एवं दाखिल रिटन प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे टी0डी0एस0 मद में की गई कटौती की जमा की स्थिति अपुष्टि है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गयी कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित में अवगत कराया गया अथवा नहीं लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाये। **समा0आप0सं0 6**

आपत्ति संख्या-267-वर्ष 2016-17 में 1513.59 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रू0 109882.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रू0 घनमीटर की दर से 32965.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मीटर में	धनराशि
08.07.16	238	17612.00
04.01.17	204	15096.00
16.03.17	110	6050.00
15.07.16	162	11988.00
22.07.16	17.15	1259.00
16.03.17	66	4884.00
20.11.16	161	11900.00
06.08.16	67.64	5005.00
15.11.16	100.80	7450.00
18.11.16	387	28638.00
योग	1513.59	109882.00

समा0आप0सं0 7

आपत्ति संख्या-268-वर्ष आलोच्य में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान समय सिक्कोरिटी मनी के रूप में अंकन रू0 76600.00 की कटौती की गयी है जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को कब कब कितनी-कितनी और किन-किन माध्यमों से की गयी है या नहीं की गयी है। कोई पत्रावली/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में संगल अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली/विधिक कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जाये।

समा0सं0-8

विकास खण्ड-मझगांव- वर्ष 2014-15

आपत्ति संख्या-269-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को रू0 1680590.00- वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन 1680590.00 रू0 मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अरुण कुमार भारती सहा0 विकास अधिकारी सह0 को रू0 114650.00 श्री मनोज कुमार राणा सह0वि0अ0 को 1137110.00 तथा श्री गिरीश पन्त ग्रा0वि0अ0 को रू0 428830.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संगलन पाये गये उन पर मस्टर रोल न0 अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संगलन किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 1680590.00 का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 3**

आपत्ति संख्या-270-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण- कुल दर्शित भुगतान रू0 4665138.00 मे से रू0 4071060.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संगलन पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संगलन है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 4**

आपत्ति संख्या-271-रू0 93303.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने- वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन 93303.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है। काटे गये आयकर की धनराशि रू0 93303.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। कार्यवाही अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 5**

आपत्ति संख्या-272-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 4665138.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 186605 की जानी थी क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में टी0डी0एस0 कटौती रू0 184765.00 जमा की पुष्टि में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। कार्यवाही अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 6**

वर्ष 2015-16

आपत्ति संख्या-273-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को- वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन 1958425.00 रू0 मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अरुण कुमार भारती सहा0 विकास अधिकारी सह0 को रू0 1958425.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संगलन पाये गये उन पर मस्टर रोल नं0 अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संगलन किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 1958425.00 का वर्ष 2015-16 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 03**

आपत्ति संख्या-274-आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना-सामग्री मद में कुल रू0 3345474.00 भुगतान में से रू0 969647.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खातों के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता पुष्टित नहीं है अर्थात और व्यक्ति/खाते में है-

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है/प्राप्तकर्ता	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
96932	8.06.2015	74197	बांके बिहारी ब्रिक	ट्रांसफर
333657	01.07.2015	27663	बांके बिहारी ब्रिक	ट्रांसफर
333660	01.07.2015	17150	भारत मशी0	ट्रांसफर
96938	03.06.2015	290168	बांके बिहारी ब्रिक	ट्रांसफर
96939	08.06.2015	173947	भारत मशी0	ट्रांसफर
333656	01.07.2015	81376	बांके बिहारी ब्रिक	ट्रांसफर
333659	01.07.2015	133205	भारत मशी0	ट्रांसफर
96935	08.06.2015	103858	बांके बिहारी ब्रिक	ट्रांसफर
96936	08.06.2015	68083	भारत मशी0	ट्रांसफर

	योग	969647		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 969647.00 का चैक फर्म/व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 969647.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 4 क**

आपत्ति संख्या-275-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण- कुल दर्शित भुगतान रू0 3345474.00 में से रू0 2375827.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 4 ख**

आपत्ति संख्या-276-रू0 68583.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने- वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन 68583.00 टी0डी0एस0 कटौती की गई है काटे गये आयकर की धनराशि रू0 68583.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/ दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण कार्यवाही अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 5**

आपत्ति संख्या-277-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 3345474.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 133819.00 की कटौती की गई है। क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2015-16 में टी0डी0एस0 कटौती रू0 360365.00 जमा की पुष्टि में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। कार्यवाही अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 6**

वर्ष 2016-17

आपत्ति संख्या-278-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का - वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन 679140.00 रू0 मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अरुण कुमार भारती सहा0 विकास अधिकारी सहा0 को रू0 679140.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नं0 अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 679140.00 का वर्ष 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 03**

आपत्ति संख्या-279-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण- कुल दर्शित भुगतान रू0 2070294.00 में से रू0 1966436.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-280-रू0 35183.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने- वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू 35183.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है। काटे गये आयकर की धनराशि रू0 35183.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/ दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण कार्यवाही अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 5**

आपत्ति संख्या-281-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 2070294.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 82812.00 की जानी थी क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में टी0डी0एस0 कटौती रू0 68674.00 जमा की पुष्टि में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। कार्यवाही अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 6**

विकास खण्ड- रामनगर वर्ष- 2014-15

आपत्ति संख्या-282-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को रू0 1713105.00- वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन 1713105.00 रू0 मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री जय प्रकाश गुप्ता पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रू0 1650285.00 श्री मनोज शाक्य ग्राम पंचायत अधिकारी रू0 33370.00 एवं याकुब अली पदनाम अज्ञात को रू0 29450.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नं0 अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 1713105.00 का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 03**

आपत्ति संख्या-283-सामग्री मद में कुल रू0 6468890.00 भुगतान में से रू0 1090327.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खातों के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता पुष्टि नहीं है अर्थात और व्यक्ति/खाते में है-

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है/प्राप्तकर्ता	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
257604	19.02.15	6112	नेत्रपाल	द्रासफर
257578	15.12.14	216889	जगदीश शरण	द्रासफर
257580	15.12.14	84600	जगदीश शरण	द्रासफर
257582	15.12.14	29018	जगदीश शरण	द्रासफर
257556	03.11.14	165157	जगदीश शरण	द्रासफर
257575	15.12.14	44908	जगदीश शरण	द्रासफर
257590	20.12.14	442652	लक्ष्मी ब्रिक	द्रासफर
237606	19.02.15	52320	जगदीश शरण	द्रासफर
60046	05.10.15	7278	मारुति नन्दन ईट	द्रासफर
60047	05.10.15	33591	जगदीश शरण	द्रासफर
60017	13.07.15	7802	मारुति नन्दन ईट	द्रासफर
	योग	1090327		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 1090327.00 का चैक फर्म/व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 1090327.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 4 क**

आपत्ति संख्या-284-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण- कुल दर्शित भुगतान रू0 5793041.00 में से रू0 4702714.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 4ख**

आपत्ति संख्या-285-रु0 122140.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 7239.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि- वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 122140.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 6468840.00 की दर्शित है। जिस पर 2 प्रतिशत की दर से 129377.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 7239.00 कम कटौती पर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 122140.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 5**

आपत्ति संख्या-286-रु0 244323.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 14431.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 6468840.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 258754.00 की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु0 244323.00 कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 14431.00 कटौती नहीं की गयी है। जिससे रु0 14431.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 244323.00 जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है **समा0आप0सं0 6**

आपत्ति संख्या-287-वर्ष 2014-15 में 497.20 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 36144.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रु0 घनमीटर की दर से 14916.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 7**

वर्ष 2015-16

मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रमारियों का- वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन 740000.00

आपत्ति संख्या-288-रु0 मजदूरी/कमाश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रमारी श्री अजय कुमार पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 124430.00 श्री जय प्रकाश गुप्ता ग्राम विकास अधिकारी को रु0 379770.00 श्री वजीर अली ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 29340.00 श्री नरेश पाल सागर ग्राम वि0 अधि0 रु0 112010.00 श्री देवेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी को रु0 70720.00 एवं श्री मनोज शाय्य ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 23730.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नं0 अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अगुंटा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 740000.00 का वर्ष 2015-16 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रमारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 03**

आपत्ति संख्या-289-आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना-सामग्री मद में कुल रु0 2390135.00 भुगतान में से रु0 183604.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खातों के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता पुष्टि नहीं है अर्थात और व्यक्ति/खाते में है-

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है/प्राप्तकर्ता	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
6000059	18.11.15	20204	बाला जी	ट्रांसफर
257647	12.06.15	5640	जगदीश शरण	ट्रांसफर
6000099	18.04.16	97873	जगदीश शरण	ट्रांसफर
6000070	29.12.15	2250	तेजपाल	ट्रांसफर
6000069	29.12.15	47471	ख्वाजा ईट	ट्रांसफर
6000052	23.10.15	10166	बाला जी	ट्रांसफर
	योग	183604		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 183604.00 का चैक फर्म/व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 183604.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 4 क**

आपत्ति संख्या-290-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण- कुल दर्शित भुगतान रु0 2390135.00 में से रु0 2206531.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी कार्यप्रमारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 4 ख**

आपत्ति संख्या-291-रु0 49092.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 882.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि- वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 49092.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2498678.00 की दर्शित है। जिस पर 2 प्रतिशत की दर से 49974.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 882.00 कम कटौती पर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 49092.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 5**

आपत्ति संख्या-292-रु0 94045.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 5902.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2498678.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 99947.00 की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 94045.00 कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 5902.00 कटौती नहीं की गयी है। जिससे रु0 5902.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 94045.00 जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 6**

आपत्ति संख्या-293-वर्ष 2015-16 में 898.35 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 86492.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रु0 प्रति घनमीटर की दर से 26951.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से संबंधित से मय ब्याज कराई जानी अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 7**

वर्ष 2016-17

आपत्ति संख्या-294-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रमारियों का- वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन 715960.00 रु0 मजदूरी/कमाश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रमारी श्री जय प्रकाश गुप्ता पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 53830.00 श्री दीपक कुमार ग्राम विकास अधिकारी को रु0 269810.00 श्री सुखपाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी को रु0 167370.00 तथा श्री हामिद हुसैन ग्राम वि0 अधि0 रु0 224950.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नं0 अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अगुंटा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 715960.00 का वर्ष 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रमारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 03**

आपत्ति संख्या-295-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण- कुल दर्शित भुगतान रु0 2143856.00 में से रु0 2143856.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है उसमें से 2143856 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी कार्यप्रमारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

समा0आप0सं0 4

आपत्ति संख्या-296-रु0 44683.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 875.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि- वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 44683.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2277906.00 की दर्शित है। जिस पर 2 प्रतिशत की दर से 45558.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 875.00 कम कटौती पर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 44683.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **आप0सं0 5**

आपत्ति संख्या-297-रु0 89367.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 1749.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि- आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2277906.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 91116.00 की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 89367.00 कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 1749.00 कटौती नहीं की गयी है। जिससे रु0 1749.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 89367.00 जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 6**

आपत्ति संख्या-298-वर्ष 2016-17 में 584 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 43800.00 भुगतान किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रु0 प्रति घनमीटर की दर से 17520.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

समा0आप0सं0 7**भुता- वर्ष 2014-2015 -**

आपत्ति संख्या-299-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रमारियों को किया जाना :-

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन 2566323.00 रु0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राघवेन्द्र सकसेना पद नाम-ए0डी0ओ (स्टे) को रु0 1240506.00, श्री इन्द्रपाल सिंहपदनाम-ए0डी0ओ(आई.एस.बी.) को 1325817.00 का भुगतान कर दिया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये,उन पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अँगूठा निशानी अंकित है,वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं भी हस्ताक्षर अंकित है,वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगाये गये मजदूर किस गाँव के हैं,यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 2566323.00 का वर्ष 2014-2015 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **(मुल आपत्ति संख्या-03)**

आपत्ति संख्या-300-आपूर्तिकर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शा कर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना :-

सामग्री मद में कुल रु0 8172926.00 के भुगतान में से रु0 392816.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय के प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक तो फर्म/ व्यक्ति को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है।

क्रम	चेक संख्या	धनराशि	दिनांक	चेक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
1.	000144	5640.00	28.9.15	इन्द्रपाल सिंह	39590200000039
2.	000139	5640.00	28.9.15	जय अम्बे ट्रेडर्स	39590200000039
3.	000141	5640.00	28.9.15	जय अम्बे ट्रेडर्स	39590200000039
4.	000134	5640.00	28.9.15	जय अम्बे ट्रेडर्स	39590200000039
5.	000133	5640.00	28.9.15	जय अम्बे ट्रेडर्स	39590200000039
6.	000132	5640.00	28.9.15	जय अम्बे ट्रेडर्स	39590200000039
7.	000131	5640.00	28.9.15	जय अम्बे ट्रेडर्स	39590200000039
8.	000130	5640.00	28.9.15	जय अम्बे ट्रेडर्स	39590200000039
9.	000129	5640.00	28.9.15	जय अम्बे ट्रेडर्स	39590200000039
10.	000128	5640.00	28.9.15	जय अम्बे ट्रेडर्स	टू ट्रांसफर
11.	000127	5640.00	28.9.15	जय अम्बे ट्रेडर्स	39590200000039
12.	000145	5640.00	28.9.15	राघवेन्द्र सकसेना	39590200000039
13.	000143	5640.00	28.9.15	राघवेन्द्र सकसेना	39590200000039
14.	000142	5640.00	28.9.15	इन्द्रपाल सिंह	39590200000039
15.	000140	5640.00	28.9.15	जय अम्बे ट्रेडर्स	39590200000039
16.	000080	167906.	15.5.15	हसनी ब्रिक फील्ड	टू ट्रांसफर
17.	000076	97474.00	15.5.15	हसनी ब्रिक फील्ड	टू ट्रांसफर
18.	000207	42836.00	1.2.17	राघवेन्द्र सकसेना	एस0आर0स्टील ट्रेडर्स
	योग -	392816.00			

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 392816.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है,उन चेक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है। जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शा कर सामग्री मद में रु0 392816.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **(मुल आपत्ति संख्या-4-क)**

आपत्ति संख्या-301-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:-

वर्ष आलोच्य में सामग्री कय में किये गये कुल भुगतान रु 8172926.00 में से 7780110.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते से पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई, वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड, कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई माँग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **(मुल आ0सं0-4(ख))**

आपत्ति संख्या-302-टी0डी0एस0कम काट कर राजस्व की हानि :-

वर्ष 2014-15 में कुल 8172926.00 की सामग्री कय के प्रमाणकों के भुगतान के समय 2.06: की दर से 168362.00 की करी जानी थी। जबकि 163471.00 की ही करी गई है। जबकि नियमानुसार 2.24: की दर से 183073.00 की कटौती करनी थी। इस प्रकार 19602.00 से कम कटौती कर राजस्व की हानि करी गई है। ऐसे में न काटे गये आय कर की धनराशि के बराबर धनराशि वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 163471.00 की जमा की पुष्टि में चेक संख्या व चालान उपलब्ध कराया गया है। **(मुल आ0 सं0-05)**

आपत्ति संख्या-303-वर्ष आलोच्य में सामग्री कय के प्रमाणकों के भुगतान के समय जमानत की धनराशि के रूप में अंकन 42874.00 की कटौती करी गई है। जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को कब-कब, कितनी-कितनी, और किन-किन माध्यमों से करी गई है या नहीं करी गई है। कोई पत्रावली/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में संगत अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए मय ब्याज वसूली/विधिक कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जाये। **(मुल आपत्ति संख्या-07)**

आपत्ति संख्या-304-वर्ष आलोच्य 2014-15 में क्षेत्र पंचायत की बैठक किये जाने हेतु 35000.00 सेल्फ, अंकित करके चेक संख्या 000001 द्वारा दिनांक 10.3.15 को आहरित किया गया है। लेकिन व्यय संबंधी कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। यह स्थिति आपत्तिजनक रही। किये गये व्यय की पुष्टि कराई जाय। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन लेखाकार / खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **(मुलआ0सं0-11)**

आपत्ति संख्या-305-वर्ष आलोच्य 2014-15 में कराये गये 17 कार्यों पर 96 निविदायें आमंत्रित करी गई हैं। एक कार्य पर निविदा आमंत्रित नहीं करी गई है। इस प्रकार 500.00 प्रति निविदा प्रपत्र के मूल्य के आधार पर 48000.00 की आय होती है। जिसकी पुष्टि में कोई अभिलेखीय साक्ष्य लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्ष्य प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जाय, अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि 48000.00 की वसूली, मय ब्याज तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(मुल आपत्ति संख्या-13)**

वर्ष 2015-2016 की आपत्तियों का विवरण :-

आपत्ति संख्या-306-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को किया जाना :-

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन 725720.00 रु0 मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राघवेन्द्र सक्सेना, दनाम-ए0डी0ओ0(स्टे) को रु0 287295.00 श्री इन्द्रपाल सिंह. पदनाम-ए0डी0ओ0(आई.एस.बी.)को 283290.00, तथा 155135.00का नकद भुगतान कर दिया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये, उन पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अँगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं भी हस्ताक्षर अंकित है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगाये गये मजदूर किस गाँव के हैं, यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 725720.00 का वर्ष 2015-2016 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **(मुल आपत्ति संख्या-03)**

आपत्ति संख्या-307-आपूर्तिकर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शा कर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना:- सामग्री मद में कुल रु0 2458814.00 के भुगतान में से रु0 1306698.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध

सामग्री कय के प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है।

क्रम	चेक संख्या	धनराशि	दिनांक	चेक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
1.	000113	43017.00	28.8.15	हसनी ब्रिक फील्ड	टु ट्रांसफर
2.	000147	24027.00	28.9.15	जय बम्बे ट्रेडर्स	39590200000039
3.	000094	117429.00	1.8.15	हसनी ब्रिक फील्ड	2 / 26
4.	000109	140916.00	28.8.15	हसनी ब्रिक फील्ड	टु ट्रांसफर
5.	000099	49021.00	1.8.15	जय अम्बे ट्रेडर्स	39590200000039
6.	000098	92554.00	1.8.15	हसनी ब्रिक फील्ड	2 / 26
7.	000153	28650.00	28.9.15	जय अम्बे ट्रेडर्स	39590200000039
8.	000116	48370.00	28.8.15	हसनी ब्रिक फील्ड	टु ट्रांसफर
9.	000150	40012.00	28.9.15	जय अम्बे ट्रेडर्स	39590200000039
10.	000101	170136.00	01.8.15	हसनी ब्रिक फील्ड	टु ट्रांसफर
11.	000102	75798.00	1.8.15	जय अम्बे ट्रेडर्स	39590200000039
12.	000121	15149.00	28.8.15	हसनी ब्रिक फील्ड	टु ट्रांसफर
13.	000156	70528.00	28.9.15	जय अम्बे ट्रेडर्स	39590200000039
14.	000164	132747.00	28.10.15	हसनी ब्रिक फील्ड	2 / 26
15.	000092	117429.00	1.8.15	हसनी ब्रिक फील्ड	2 / 26
16.	000111	140915.00	28.8.15	हसनी ब्रिक फील्ड	टू ट्रांसफर
योग—		1306698.00			

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 1306698.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है, उन चेक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है, जो बैंक स्टेटमेन्ट "खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शा कर सामग्री मद में 1306698.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-4(क))

आपत्ति संख्या-308—मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:—

वर्ष आलोच्य में सामग्री कय में किये गये कुल भुगतान रु 2458814.00 में से 1152116.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते से पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई, वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई माँग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक

रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

(मूल आ0 सं0-4(ख)

आपत्ति संख्या-309-टी0डी0एस0कम काट कर राजस्व की हानि:-

वर्ष 2015-16 में कुल 2458814.00 की सामग्री कय के प्रमाणकों के भुगतान के समय नियमानुसार 2.24: की दर से 55077.00 की आय कर की कटौती की जानी थी। जबकि 49179.00 की ही करी गई है। इस प्रकार 5898.00 से कम कटौती कर राजस्व की हानि करी गई है। ऐसे में न काटे गये आय कर की धनराशि के बराबर धनराशि वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 49179.00.की जमा की पुष्टि में चेक संख्या व चालान उपलब्ध कराया गया है। (मूल आपत्ति संख्या-5)

आपत्ति संख्या-310-वर्ष आलोच्य 2015-16 में कराये गये 07 कार्यों पर 42 निविदायें आमंत्रित करी गई हैं। इस प्रकार 500.00 प्रति निविदा प्रपत्र के मूल्य के आधार पर 21000.00 की आय होती है। जिसकी पुष्टि में कोई अभिलेखीय साक्ष्य लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्ष्य प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जाय,अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि 21000.00 की वसूली,तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से संबंधित से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।(मूल आ0 सं0-10)

वर्ष 2016-2017 की आपत्तियों का विवरण:-

आपत्ति संख्या-311-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को किया जाना:-

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन 1380125.00 रू0 मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राघवेन्द्र सकसेना, दनाम-ए0डी0ओ0 (स्टे)को रू0 695995.00 श्री राजेश कुमार,पदनाम-प्रभारी,ए0डी0ओ0(समाज कल्याण)को 684130.00,का भुगतान कर दिया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये,उन पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अँगूठा निशानी अंकित है,वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं भी हस्ताक्षर अंकित है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगाये गये मजदूर किस गाँव के हैं,इसका भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदुरी मद में अंकन कुल रू0 1380125.00 का वर्ष 2016-2017 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या-03)

आपत्ति संख्या-312-आपूर्तिकर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शा कर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना:-

सामग्री मद में कुल रू0 4010341.00 के भुगतान में से रू0 1306698.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय के प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है।चेक तो फर्म व्यक्ति को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है।

क्रम	चेक संख्या	धनराशि	दिनांक	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	अभ्युक्ति
1.	000295	30110.00	10.7.17	वफा ब्रिक फील्ड	सण्डी आर0सी0सी0
2.	000310	5880.00	10.1.18	राघवेन्द्र सकसेना	के0जी0एन0 फेब्रिकेसन्स
3.	000310	5880.00	10.1.18	राघवेन्द्र सकसेना	के0जी0एन0 फेब्रिकेसन्स
4.	000310	5880.00	10.1.18	राघवेन्द्र सकसेना	के0जी0एन0 फेब्रिकेसन्स
5.	000310	5880.00	10.1.18	राघवेन्द्र सकसेना	के0जी0एन0 फेब्रिकेसन्स
6.	000289	300550.00	10.7.17	वफा ब्रिक फील्ड	सण्डी आर0सी0सी0
7.	000310	5880.00	10.1.18	राघवेन्द्र सकसेना	के0जी0एन0 फेब्रिकेसन्स
योग		360060.00	—	—	—

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 360060.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है,उन चेक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है, जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शा कर सामग्री मद में 360060.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या-04(क)

आपत्ति संख्या-313-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:-

वर्ष आलोच्य में सामग्री कय में किये गये कुल भुगतान रु 4010341.00 में से 3650281.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते से पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई,वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई माँग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या-04(ख)

आपत्ति संख्या-314-टी0डी0एस0कम काट कर राजस्व की हानि:-

वर्ष 2016-17 में कुल 4010341.00 की सामग्री कय के प्रमाणकों के भुगतान के समय नियमानुसार 2.24: की दर से 89831.00 की आय कर की कटौती की जानी थी। जबकि 86121.00 की ही करी गई है। इस प्रकार 3710.00से कम कटौती कर राजस्व की हानि करी गई है। ऐसे में न काटे गये आय कर की धनराशि के बराबर धनराशि वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/वरण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 86121.00 की जमा की पुष्टि में चेक संख्या व चालान उपलब्ध कराया गया है। (मूल आपत्ति संख्या-05)

आपत्ति संख्या-315-वर्ष आलोच्य में कुल सामग्री कय 4010341.00 पर 4: की दर से 160414.00 की व्यापार कर की कटौती करी जानी थी। जबकि 136664.00 ही कटौती करी गई है। इस प्रकार 23750.00 से कम कटौती करी गई है। लेकिन उक्त व्यापार कर की धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चेक नं. बैंक स्टेटमेन्ट/चालान एवं दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे टी0डी0एन0मद में करी गई कटौती की जमा की स्थिति अपुष्टि रही। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि करी गई कटौती के सम्बन्ध में फर्म को कटौती व जमा की स्थिति से लिखित में अवगत कराया गया है अथवा नहीं। जॉचोपरान्त शेष व्यापार कर की धनराशि 23750.00 दण्डनीय ब्याज सहित लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से जमा कराया जाय।(मूल आ0 सं0-06)

आपत्ति संख्या-316-वर्ष आलोच्य 2016-17 में कराये गये 10 कार्यों पर 66 निविदायें आमंत्रित करी गई हैं। इस प्रकार 500.00 प्रति निविदा प्रपत्र के मूल्य के आधार पर 33000.00 की आय होती है। जिसकी पुष्टि में कोई अभिलेखीय साक्ष्य लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्ष्य प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जाय,अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि 33000.00 की वसूली,तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।(मूल आ0सं0-10)

आपत्ति संख्या-317-वर्ष आलोच्य में ग्रांट रजिस्टर पार्ट-3 की जाँच में पाया गया कि दिनांक 22.10.16 को चेक संख्या 000189 द्वारा 50000.00 की धनराशि का सेल्फ अंकित कर क्षेत्र पंचायत की बैठक हेतु आहरण किया गया है। लेकिन व्यय संबंधी कोई अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे आहरित धनराशि के उपयोग की स्थिति अस्पष्ट रही। यह स्थिति आपत्तिजनक रही। इस प्रति विवरण प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। इस प्रकार किया गया आहरण गंभीर रूप से अनियमित रहा। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। (मूल आ0सं0-11)

आपत्ति संख्या-318-वर्ष आलोच्य में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कराये गये कार्यों की पत्रावलियों में निम्न विवरणानुसार आहरित धनराशि से सम्बन्धित प्रमाणक संलग्न नहीं पाये गये। लेकिन ग्रांट रजिस्टर पार्ट-3 में अंकित है। इस प्रति स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। इस प्रकार समस्त धनराशि 367314.00 अपुष्टि एवं अप्रमाणित रही। तत्कालीन लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या-12)

क्रम	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके निर्गत दर्शित है	नाम	बैंक खाते के अनुसार भुगतान

					प्राप्तकर्ता
1.	000190	22.10.16	45161.00	जगमोहन सिंह	लेखा परीक्षा में
2.	000191	16.12.16	11592.00	एस0आर0स्टील ट्रेडर्स	प्रस्तुत कराये गये
3.	000192	16.12.16	20172.00	राघवेन्द्र सक्सेना	गये कार्या की
4.	000203	02.01.17	36675.00	राजेश कुमार	पत्रावलियों में
5.	000218	01.03.17	199204.00	भारत ब्रिक फील्ड	प्रमाणक
6.	000219	01.03.17	54510.00	राजेश कुमार	संलग्न नहीं है।
		योग—	367314.00		

विकास खण्ड—बिथरी चैनपुर— वर्ष—2014—15 से 2016—17 तक

आपत्ति संख्या—319—मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का —

वर्ष 2014—15 में निर्माण कार्यों पर अंकन 1869160.00 रु० मजदूरी/ क्रमाश का विकास भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता ए०डी०ओ० आई० एस०बी० को रु० 61890.00 श्री कृष्ण मौर्य सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को रु० 1456455.00 एवं श्री कार्य प्रभारी नियुक्त नहीं नकद भुगतान रु० 350815.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जों मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

तालिका दो से स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण मौर्य को दिया गया अधिकांश भुगतान बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार श्रीकृष्ण मौर्य के नाम न होकर नगद भुगतान दर्शित हैं जिससे स्पष्ट है कि बैंक सेल्फ/बेयरर निर्गत किये गये हैं। के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। तथा ग्राम उडला जागीर में प्राथमिक से भूडा मिर्जा के प्लाट तक नाली निर्माण हेतु नियुक्त कार्य प्रभारी के नाम निर्गत मस्टर रोल के बैंक न० 514822 दिनांक 02.06.14 रु० 61890.00 का भुगतान सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता को न कर श्रीकृष्ण मौर्य के नाम हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त मद में भुगतान वास्तविक नहीं है।

ग्राम बिथरी चैनपुर में सारीपुर मोड से मदरसे तक खडजा कार्य एवं ग्राम मुडिया अहमद नगर में पूरनलाल के मकान से मन्दिर की दुकान तक खडजा व नाली निर्माण एवं तिगरा में मुख्य मार्ग से भूपेन्द्र मडाना के मकान तक खडजा कार्य एवं ग्राम बिथरी चैनपुर में कमला देवी के खेत से श्रीपाल के खेत तक खडजा कार्य हेतु पत्रावली के अनुसार कार्य प्रभारी नियुक्त नहीं पाया गया। उक्त कार्य हेतु क्रमाश रु० 29690.00, रु० 35420.00, रु० 82300.00 एवं 203405.00 के मस्टर रोल का भुगतान नगद बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार पाया गया। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका की वास्तव में उक्त भुगतान किसके द्वारा प्राप्त किया गया। जिससे भुगतान संदिग्ध है।

ग्राम पंचायत उडिया के मजरा वारीपुर में पीपल स्थान के पास तिगरा नाले पर पुलिया व दीवार का कार्य हेतु रु० 60350.00 के मस्टर रोल का भुगतान किया गया है। जबकि मस्टर रोल पर उपस्थिति के अनुसार कुल रु० 60250.00 का भुगतान किया जाना था। अतः रु० 100 से अधिक भुगतान किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 1869160.00 का वर्ष 2014—15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं०—5**

आपत्ति संख्या—320—आलेख्य वर्ष 2014—15 में ग्राम म्यूडी खुर्द में मुख्य मार्ग से जमुना प्रसाद के झाले तक खडजा कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल दिनांक 19.12.14 से 23.12.14 तक में 10 श्रमिक द्वारा कार्य किया गया हैं जिनकी मजदूरी कार्य प्रभारी श्रीकृष्ण मौर्य सहायक विकास अधिकारी पंचायत को बैंक संख्या 170295 द्वारा रु० 21000.00 भुगतान दर्शित हैं किन्तु मस्टर रोल में प्रथम श्रमिक कल्लू पुत्र सोनपाल की 15 दिन उपस्थिति मजदूरी दर रु० 190.00 से रु० 2850.00 होता है। किन्तु मस्टर रोल में 1900.00 अंकित करके हस्ताक्षर पाया गया। इस प्रकार अन्तर रु० 950.00 से कम मजदूरी भुगतान की गई। जबकि मस्टर रोल के कुल योग में रु० 950.00 सम्मिलित है। इस प्रकार रु० 950.00 से कम भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। जिसके लिए कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं०—28**

आपत्ति संख्या—321—आपूर्ति कर्त्ता फर्म/व्यक्ति को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना—सामग्री मद में कुल रु० 5746120.00 भुगतान में से रु० 112665.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध

सामग्री कय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्त्ता कोई और व्यक्ति/खातों में है साथ ही आपूर्ति कर्त्ता के नाम चैक जारी नहीं किये गये हैं।

चेक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्त्ता
730758	03.12.14	6000.00	अशोक कुमार	ट्रान्सफर (अपुष्टि)
170291	09.12.14	106665.00	अशोक कुमार	ट्रान्सफर (अपुष्टि)
	योग	112665.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 112665.00 का चैक फर्म/व्यक्ति के नाम और आपूर्ति कर्त्ता के नाम निर्गत न दर्शाकर पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को किसे हुआ है स्पष्ट नहीं है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 112665.00 का अपहरण किया गया है। मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-6**

आपत्ति संख्या-322-रू0 124723.00 टी0डी0एस0 में से रू0 2365.00 जमा की पुष्टि न हो पाले एवं रू0 17041.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 124723.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रू0 6272763.00 की दर्शित है। जिसपर 2.26 की दर से रू0 141764.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 17041.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 124723.00 में से रू0 122358.00 की जमा की पुष्टि में चालान उपलब्ध कराये गये। इस प्रकार रू0 2365.00 की धनराशि जमा न किये जाने की स्थिति स्पष्ट की जाये।

मूल आपत्ति सं0-10

आपत्ति संख्या-323-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रू0 6272763.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 250910.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 228081.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रू0 22829.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रू0 22829.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं साथ ही राजस्व क्षतिअंकन रू0 22829.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एन0 कटौती की गई है फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये गये ही कच्चे बिल पर पाये गये। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान किया जाना चाहिए था किन्तु आलोच्य वर्ष में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उनपर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एन0कटौती कुल अंकन रू0 228081.00 की गई। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा कराये जाने के प्रमाण स्वरूप मात्र रू0 224065.00 के चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार रू0 4016.00 कम जमा कराया गया। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित रूप में अवगत कराया गया अथवा नहीं। जॉचोपरान्त लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से व्याज सहित जमा कराया जाये। **मूल आपत्ति सं0-11**

आपत्ति संख्या-324-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म/व्यक्ति को भुगतान

कुल दर्शित भुगतान रू0 5746120.00 में से रू0 5569971.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो अधिकांश प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म/व्यक्ति द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शोग का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। अवएव किया गया भुगतान मय ब्याज वसूली योग्य है। **मूल आपत्ति सं0-8**

आपत्ति संख्या-325-वर्ष आलोच्य में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान समय सिक्वोरिटी मनी के रूप में अंकन रू0 173839.00की कटौती की गई है। जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को कब कब कितनी कितनी और किन किन माध्यमों से की गई य नहीं की गई। कोई पत्रावली/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में संगत अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए वसूली मय ब्याज/विधिक/कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जाये। **मूल आपत्ति सं0-17**

आपत्ति संख्या-326-वर्ष 2014-15 में 6063.83 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रू० 483172.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर निम्नानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रू० 181915.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है

दिनांक	मात्रा घन मी० में	धनराशि
20.11.14	495.00	37125.00
15.11.14	186.00	16749.00
30.11.14	120.50	10853.00
28.12.14	121.80	10962.00
18.01.15	667.89	50092.00
31.03.14	269.75	24277.00
25.01.15	180.00	16200.00
18.01.15	450.00	33750.00
14.05.14	222.00	19980.00
02.01.15	241.43	21729.00
18.01.15	174.31	13073.00
01.03.15	550.28	49525.00
15.11.14	1777.27	133295.00
22.11.14	607.50	45562.00
योग	6063.83	483172.00

आलोच्य वर्ष में कई कार्यों में मिट्टी का उपयोग किया गया है जिसकी पत्रावली से ज्ञात हुआ कि उसके लिए कुटेशन/ टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये हैं। **मूल आपत्ति सं०-12**

आपत्ति संख्या-327-ग्राम डडिया के मजरा बीरपुर में पीपल स्थान के पास तिगरा नाले पर पुलिया की सुरक्षा दीवार में कुल कार्य का स्टीमेट रू० 170200.00 का पास किया गया है जबकि कार्य में रू० 154790.00 की सामग्री रू० 28130.00 की मजदूरी कुल रू० 180930.00 का भुगतान हुआ है इस प्रकार रू० 12720.00 का भुगतान स्टीमेट से अधिक किया गया है जिसकी वसूली भुगतान कर्त्ताओं से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

मूल आ०सं०-26क

वर्ष-2015-16

आपत्ति संख्या-328-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन 795325.00 रू० मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता ए०डी०ओ० आई० एस०बी० को रू० 569195.00 श्री कृष्ण मौर्य सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को रू० 226130.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

क्रमांश पर व्यय एवं भुगतान की स्थिति				
क्रमांश की धनराशि	चैक नं०	दिनांक	भुगतान प्राप्त कर्त्ता का नाम	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार प्राप्त कर्त्ता
4725	060445	15.06.15	सतेन्द्र प्रकाश	नकद
4850	170993	02.09.15	सतेन्द्र प्रकाश	नकद
34180	170919	10.08.15	सतेन्द्र प्रकाश	नकद
22050	52000	21.09.15	सतेन्द्र प्रकाश	नकद
14175	170995	21.09.15	सतेन्द्र प्रकाश	नकद
14250	170914	20.07.15	श्री कृष्ण मौर्य	नकद
36960	170918	10.08.15	श्री कृष्ण मौर्य	नकद

26325	170997	01.10.15	सतेन्द्र प्रकाश	नकद
51675	171171	26.10.15	सतेन्द्र प्रकाश	नकद
42075	170999	03.10.15	सतेन्द्र प्रकाश	नकद

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पत्रावली अनुसार भुगतान सतेन्द्र प्रकाश को किया जाना था। परन्तु बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान नकद हैं जिससे स्पष्ट है कि बैंक सेल्फ/ वेयरर निर्गत किये गये हैं। के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 795325.00 का वर्ष 2015-16 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **मूल आ0सं0-05**

आपत्ति संख्या-329-आपूर्ति कर्त्ता फर्म/व्यक्ति को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना-

सामग्री मद में कुल रु 2214127.00 भुगतान में से रु 17280.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। बैंक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्त्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है साथ ही आपूर्ति कर्त्ता के नाम बैंक जारी नहीं किये गये हैं।

बैंक नं0	दिनांक	धनराशि	बैंक जिसके नाम निर्गत दर्शित है।	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्त्ता
519994	28.07.15	5640	प्रमोद कुमार	अशोक कुमार
000012	21.09.15	5640	प्रमोद कुमार	अशोक कुमार
171173	26.02.16	6000	प्रमोद कुमार	ट्रान्सफर
	योग	17280		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 17280.00 का बैंक फर्म/व्यक्ति के नाम और आपूर्ति कर्त्ता के नाम न होकर किसी अन्य को हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 17280.00 का अपहरण किया गया है। मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

मू0आ0सं0-06

आपत्ति संख्या-330-7032.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-

वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु 46135.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2352527.00 की दर्शित है। जिसपर 2.26 की दर से रु0 53167.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 7032.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 46135.00 के सापेक्ष रु0 62182.00 के चालान जमा की पुष्टि में उपलब्ध कराये गये। इस प्रकार रु0 16047.00 की धनराशि अधिक जमा की स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-9**

आपत्ति संख्या-331-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2352527.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 94101.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 92265.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 1836.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रु0 1836.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है साथ ही राजस्व क्षतिअंकन रु0 1836.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एन0 कटौती की गई है फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये गये ही कच्चे बिल पर पाये गये। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान किया जाना चाहिए था किन्तु आलोच्य वर्ष में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उनपर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एन0कटौती कुल अंकन रु0 92265.00 की गई। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा कराये जाने के प्रमाण स्वरूप मात्र रु0 124332.00 के चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार रु0 32067.00 अधिक जमा कराया गया। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित रूप में अवगत कराया गया अथवा नहीं। **मूल आ0 सं0-10**

आपत्ति संख्या-332-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म/व्यक्ति को भुगतान

कुल दर्शित भुगतान रू0 2214127.00 में से रू0 2196847.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो अधिकांश प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म/व्यक्ति द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शोग का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। अतः एव किया गया भुगतान मय ब्याज वसूली योग्य है। **मूल आपत्ति सं0-07**

आपत्ति संख्या-333-वर्ष 2015-16 में 1188.78 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रू0 98863.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर निम्नानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रू0 35663.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है

दिनांक	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
16.07.15	186.85	16816
15.09.15	342.00	30823
30.09.15	545.00	40879
15.06.15	114.93	10345
योग	1188.78	98863

आलोच्य वर्ष में कई कार्यों में मिट्टी का उपयोग किया गया है जिसकी पत्रावली से ज्ञात हुआ कि उसके लिए कुटेशन/ टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये हैं। **मूल आपत्ति सं0-11**

वर्ष-2016-17

आपत्ति संख्या-334-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन 1058340.00 रू0 मजदूरी/ क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता ए0डी0ओ0 आई0 एस0बी0 को रू0 1058340.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रा वलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

क्रमांश पर व्यय एवं भुगतान की स्थिति				
क्रमांश की धनराशि	चैक नं0	दिनांक	भुगतान प्राप्त कर्त्ता का नाम	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्त्ता
45600	994554	20.02.17	सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता	नकद
13500	172284	16.01.17	सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता	नकद
1800	172285	21.01.17	सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता	नकद
21650	172287	20.02.17	सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता	नकद
4290	172282	16.12.16	सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता	नकद
10490	171682	13.06.16	सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता	नकद
11495	172222	03.10.16	सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता	नकद
55350	172229	19.10.16	सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता	नकद
54710	172225	06.10.16	सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता	नकद
18450	171689	14.09.16	सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता	नकद
44605	172228	—	सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता	नकद
20250	171689	14.09.16	सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता	नकद
57970	171179	07.06.16	सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता	नकद

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पत्रावली अनुसार भुगतान सतेन्द्र प्रकाश को किया जाना था। परन्तु बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान नकद हैं जिससे स्पष्ट है कि चैक सेल्फ/ वेयरर निर्गत किये गये हैं। के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

ग्राम परेवा कुईया में प्रताप सिंह के धर से टावर तक मिट्टी/खडजा कार्य से सम्बन्धित पत्रावली में कार्यप्रभारी नियुक्ति से सम्बन्धित प्रपत्र अनुपलब्ध रहे परन्तु क्रमांश पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित भुगतान रु 63325.00 सतेन्द्र प्रकाश गुप्ता को किया गया। बैंक स्टेटमेन्ट से भी पुष्टित है। कार्यप्रभारी नियुक्त न होने के बावजूद भुगतान की स्थिति स्पष्ट की जाये।

विकास खण्ड में सहायक विकास अधिकारी कक्ष का निर्माण कार्य के लिए जो मस्टर रोल तैयार किया गया है (दिनांक 15.12.16 से दिनांक 21.12.16 तक 8 मजदूरों ने कार्य किया है। परन्तु निशानी अंगुठा 9 मजदूरों से लिए गए हैं। जिससे स्पष्ट है कि फर्जी निशानी अंगुठा लगाकर धन का अपहरण किया गया है।

ग्राम लाहिया में तालाब से गया सिंह के खेत तक मिट्टी खडजा निमाण के लिए जो मस्टर रोल तैयार किया गया है (दिनांक 01.09.15 से 15.09.15 तक रु 56550.00) जिसका भुगतान दिनांक 26.09.16 को चैक नं० 000047 से किया गया है। उक्त कार्य की प्रारम्भ तिथि दिनांक 16.08.16 है तथा टेण्डर आमत्रण की तिथि 11.08.16 है। तो पूर्व में क्यों व क्या कार्य कराया गया। उपरोक्त स्थिति स्पष्ट करता है कि कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व का फर्जी मस्टर रोल बनाकर धन का अपहरण किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 1058340.00 का वर्ष 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **मूल आ० सं०-05**

आपत्ति संख्या-335-आपूर्ति कर्त्ता फर्म/व्यक्ति को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना-सामग्री मद में कुल रु 3409232.00 भुगतान में से रु 18633.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्त्ता कोई और व्यक्ति/खातों में है

चैक नं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है।	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्त्ता
27	27.04.16	12993	प्रमोद कुमार	अशोक कुमार
अंकित नहीं	अंकित नहीं	5640	अंकित नहीं	अशोक कुमार

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु० 18633.00 का चैक फर्म/व्यक्ति के नाम और आपूर्ति कर्त्ता के नाम न होकर किसी अन्य को हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु० 18633.00 का अपहरण किया गया है। मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **मूल आ० सं०-06**

आपत्ति संख्या-336-रु० 9616.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि-वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु 72346.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु० 3626668.00 की दर्शित है। जिसपर 2.26 की दर से रु० 81962.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 9616.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन रु० 72346.00 के सापेक्ष रु० 75011.00 के चालान जमा की पुष्टि में उपलब्ध कराये गये। इस प्रकार रु० 2665.00 की धनराशि अधिक जमा की स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। **मूल आ० सं०-9**

आपत्ति संख्या-337-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म/व्यक्ति को भुगतान
कुल दर्शित भुगतान रु० 3409232.00 में से रु० 3390599.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो अधिकांश प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म/व्यक्ति द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शोग का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। अतएव किया गया भुगतान संबंधित से मय ब्याज वसूली योग्य है। **मूल आपत्ति सं०-07**

आपत्ति संख्या-338-वर्ष 2016-17 में 2121.66 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रु० 191128.90 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर निमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु० 63650.00 रायल्टी काटी जानी

चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज कराई जानी अपेक्षित है

दिनांक	मात्रा घन मी० में	धनराशि
15.01.17	340.00	30600.00
25.09.16	718.00	64620.00
22.12.16	82.51	7425.00
19.09.16	260.61	23634.90
20.10.17	198.00	17820.00
26.10.16	522.54	47029.00
योग	2121.66	191128.90

आलोच्य वर्ष में कई कार्यों में मिट्टी का उपयोग किया गया है जिसकी पत्रावली से ज्ञात हुआ कि उसके लिए कुटेशन/ टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये हैं। मूल आ० सं०-11

फरीदपुर -2014-15

आपत्ति संख्या-339-मस्टर रोल मजदूरी का और भुगतान कार्य प्रभारियों का

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन 538520.00 रु० मजदूरी/ क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री युसुफ अली को भुगतान कर दिया गया है और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु०. 538520.00 का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/ कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। सा०आ०सं०-5

आपत्ति संख्या-340-आपूर्ति कर्ता फर्म/व्यक्ति को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद. में कुल रु. 2756397.00 भुगतान में से रु० 47388.00. निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते में अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता प्रमाणित नहीं होता है जिससे स्पष्ट होता है कि आपूर्ति कर्ता के नाम चैक जारी नहीं किये गये हैं।

चैक नं.	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
000108	18.02. 2014	41502.00	न्यू वारसी ब्रिक फिल्ड	एल.सी. 132
000127	22.08. 2014	6063.00	न्यू वारसी ब्रिक फिल्ड	एल.सी. 374
	योग	47565.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु० 47565.00 का चैक फर्म/व्यक्ति के नाम और आपूर्ति कर्ता के नाम निर्गत न दर्शाकर पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को किसे हुआ है स्पष्ट नहीं है। जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु० 47565.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। सा०आ०सं०-6

आपत्ति संख्या-341-रु० 58606.00 टी०डी०एस० में से रु 58429.00 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 177.

00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 58429.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 2921554.00 की दर्शित है। जिसपर लगभग 2 प्रतिशत की दर से रु० 58431.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 02.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन रु० 58429.00 की जमा की पुष्टि में चालान उपलब्ध कराये गये। इस प्रकार रु 02.00 की धनराशि जमा न किये जाने की स्थिति स्पष्ट की जाये। सा०आ०सं०-8

आपत्ति संख्या-342—आलोच्य वर्ष में कूल सामग्री क्रय रू0 2921554.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 116862.00 टी0डी0एन0 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 106728.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रू 10134.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रू0 10134.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू 10134.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त काटे गये कर के जमा की पुष्टि नहीं करायी गयी है जो अपेक्षित रही। **सा0आ0सं0-9**

5—वर्ष आलोच्य में सामग्री प्रमाणको के भुगतान समय सिक्क्योरिटी मनी के रूप में अंकन रू0 78781.00 की कटौती की गई है। जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को कब कब कितनी कितनी और किन किन माध्यमों से की गई या नहीं की गई। कोई पत्रावली/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में संगत अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए मय ब्याज वसूली/वधिक कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जाये। **सा0आ0सं0-13**

आपत्ति संख्या-343—मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म/व्यक्तियों को भुगतान कुल दर्शित भुगतान रू 8597560.00 में से 6664796.00 का भुगतान जो सम्बन्धित फर्म/व्यक्तियों को दर्शित किया गया है वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई वह अधिकांश प्रमाणक फर्म के लैटर पेड /कच्चे बिल/अनियमित कैश मीमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली के साथ संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है, न ही फर्म/व्यक्तियों द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। उपरोक्त कार्य एवं बिलों के अपुष्टि होने के संदर्भ में उदाहरण निम्नवत हैं—

अ— आलोच्य वर्ष में कार्य सं०-1 के अन्तर्गत निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं—

1— स्वीकृत कोटेशन सगीरउद्दीन एण्ड सन्स के हैं जो पेन्ट डीलर हैं जबकि इनके द्वारा सीमेन्ट बालू बजरपुट आदि की आपूर्ति की गयी है। इस तरह स्वीकृत कोटेशन अनियमित एवं संदेहास्पद हैं।

2— तुलनात्मक चार्ट पर खण्ड विकास अधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं जिससे स्पष्ट होता है कि निविदा स्वीकृति में कोई कमेटी नहीं बनायी गयी।

3— समीरुद्दीन एण्ड सन्स के कोटेशन स्वीकृति की सूचना खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा पत्रांक/मीमो दिनांक 18.01.2014 को दी गयी जबकि खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर 18.02.2014 को हुए हैं। स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

4— एक ही फर्म के द्वारा 2 तरह के बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये। यथा समीरुद्दीन एण्ड सन्स एवं अनिल सीमेन्ट टाईल्स द्वारा कभी नम्बरित बिल प्रस्तुत किये गये कभी लेटर पैड का बिल प्रस्तुत किये गये।

5— मिट्टी ढुलाई का कार्य (ट्रैक्टर ट्रॉली) का भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा लिया गया है जबकि ट्रैक्टर मालिक श्री रामसेवक को किया जाना अपेक्षित था। स्पष्ट है उपरोक्त आदेश नियमा विरुद्ध कर धन का अपहरण किया गया है।

6—कार्य समाप्ति का साईन बोर्ड का भुगतान रुपये 4230/- कार्य प्रभारी द्वारा लिया गया है जबकि साईन बोर्ड देने वाले व्यक्ति के नाम पर भुगतान होना अपेक्षित था। भुगतान रू 8597560.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-23**

आपत्ति संख्या-344—मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन 2273075.00 रू0 मजदूरी/ क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री युसुफ अली, श्री सुरेश पाल सिंह, श्री जयराम को भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उसमें कतिपय पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

क्रमांश पर व्यय एवं भुगतान की स्थिति				
क्रमांश की धनराशि	चेक नं०	दिनांक	भुगतान प्राप्त कर्ता का नाम	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार प्राप्त कर्ता
17575	000195	18.06.2015	युसुफ अली	नकद
16530	00077	18.06.2015	युसुफ अली	नकद
2470	000186	18.06.2015	युसुफ अली	नकद

32870	000187	18.06.2015	युसुफ अली	नकद
69445				

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पत्रावली अनुसार भुगतान युसुफ अली को किया जाना था। परन्तु बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान नकद है। जिससे स्पष्ट है कि बैंक सेल्फ/वेयरर निर्गत किये गये हैं। इस प्रकार सम्बन्धित धनराशि नकद निकालकर अपहरण की गयी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु. 2273075.00 को वर्ष 2015-16 में मजदूरों को भुगतान नहीं करके योजना बद्ध तरीक से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **सा०आ०सं०-5**

आपत्ति संख्या-345-रु 3900.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि - वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन रु 140015.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु 7195761.00 की दर्शित हैं। जिसपर 2.00 की दर से रु 143915.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु 3900.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। **सा०आ०सं०-7**

आपत्ति संख्या-346-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु 7195761.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल व्यापार कर रु 287830.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु 285778.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु 2052.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रु 2052.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु 2052.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है। **सा०आ०सं०-8**

आपत्ति संख्या-347-वर्ष 2015-16 में 1280.04 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रु 82520.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु 38401.00 रॉयल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है क्षति की पूर्ति मय ब्याज तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मी० में	धनराशि
12.08.2015	331.02	21516
24.08.2015	34.65	2252
04.05.2015	33.16	2150
15.06.2015	376.9	24400
18.06.2015	327.74	21300
16.07.2015	95.00	5600
09.06.2015	81.75	5302
योग	1280.04	82520.00

आलोच्य वर्ष में कई कार्यों में मिट्टी का उपयोग किया गया है जिसकी पत्रावली से ज्ञात हुआ कि उसके लिए कुटेशन/टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये हैं। **सा०आ०सं०-9**

आपत्ति संख्या-348-आलोच्य वर्ष में कराये गये 16 कार्यों में कुल रुपये 598000/- की जमानत राशि प्राप्त की गयी। ज्ञात हो कि ठेकंदारों से प्राप्त की गयी धनराशि को उनके चालू बिल के साथ ही भुगतान किया गया है जबकि नियमानुसार यह धनराशि कार्यपूर्ति के 6 माह बाद वापसी करने योग्य होती है तथा कार्य में किसी प्रकार की कमी होने पर उसी धनराशि से उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है परन्तु उक्त जमानत राशियों का भुगतान भी कार्य के अन्त में बिना पूर्ण समयावधि के कर दिया गया है जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है तथा ठेकंदारों से मिली भगत का घोटक है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **सा०आ०सं०-21**

आपत्ति संख्या-349-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म/व्यक्तियों को भुगतान

कुल दर्शित भुगतान रु 6924468.00 में से 6924468.00 का भुगतान जो सम्बन्धित फर्म/व्यक्तियों को दर्शित किया गया है वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई वह अधिकांश प्रमाणक फर्म के लैटर पैड/कच्चे बिल/अनियमित कैश मीमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली के साथ संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है, न

ही फर्म/यक्तियों द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। उपरोक्त आपत्ति की अनियमितता के संदर्भ में निम्न उदाहरण प्रस्तुत हैं—

अ— आलोच्य वर्ष में मिट्टी आपूर्ति हेतु भुगतान आपूर्तिकर्ता को ना करके प्रभारी द्वारा लिया गया है तथा उपरोक्त कार्य के लिये कोई निविदा भी आमंत्रित नहीं की गयी है। उदाहरणार्थ—

दिनांक	धनराशि	चैक सं०	चैक जारी करने का दिनांक
04.05.2015	24400	000162	19.05.2015
08.06.2015	21300	000192	18.06.2015
16.07.2015	5600	000096	16.07.2015

इस प्रकार आपूर्तिकर्ता को भुगतान ना करके प्रभारी द्वारा धन का अपहरण किया गया। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

ब—आलोच्य वर्ष में कार्य सं०-16 के अन्तर्गत मांगी गयी निविदा मांगने के क्रम में पत्रांक 1553-सी/14.08.15 द्वारा निविदा दिनांक 28.08.15 तक मांगी गयी थी तथा उसी दिन उसको खोला जाना भी था परन्तु मैसर्स नूरानी ब्रिक फिल्ड को दिनांक 24.08.15 में पत्रांक संख्या 1793-सी द्वारा ही सप्लाई का आदेश जारी कर दिया गया। स्पष्ट है कि निविदा सम्बन्धी कार्यवाही पूर्णतः फर्जी है तथा पूर्व में ही सप्लाई आदेश धाल-मेल के द्वारा जारी करने का कार्य किया गया है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। सा०आ०सं०-22

आपतियाँ वर्ष -2016-17

आपत्ति संख्या-350-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन 731450.00 रु० मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री इन्द्रपाल सिंह ए०एडी०ओ० आई०एस०बी०, धनंजय सिंह, अजय कुमार सक्सेना को रु 731450.00 को भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

क्रमांश की धनराशि	चेक नं०	दिनांक	भुगतान प्राप्त कर्ता का नाम	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार प्राप्त कर्ता
49125	000246	25.03.2017	इन्द्रपाल	नकद
9100	000252	12.04.2017	इन्द्रपाल	नकद
10425	000255	12.04.2017	इन्द्रपाल सिंह	नकद
7700	000295	24.08.2017	अजय कुमार सक्सेना	नकद
31425	000250	11.01.2017	इन्द्रपाल सिंह	नकद
107775	योग			

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पत्रावली अनुसार भुगतान इन्द्रपाल सिंह, धनंजय सिंह, अजय कुमार सक्सेना को किया जाना था। परन्तु बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार भुगतान नकद है। जिससे स्पष्ट है कि चैक सेल्फ/वेयरर निर्गत किये गये है। इस प्रकार फर्जी मस्टर रोल तैयार करके क्रमांश का भुगतान सीधे मजदूरों को नहीं करके रुपये 731450.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। सा०आ०सं०-5

आपत्ति संख्या-351-आपूर्ति कर्ता फर्म/व्यक्ति को चौक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को /अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कूल रु. 2015377.00 भुगतान में से रु० 426145.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है।

चैक नं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
000224	02.01.2017	402512	श्री जी इन्फ्राटैक	सन्डरी डिपोजिटर्स
000221	02.01.2017	23633	श्री जी इन्फ्राटैक	सन्डरी डिपोजिटर्स

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 426145.00 का चौक फर्म/व्यक्ति के नाम और आपूर्ति कर्ता के नाम न होकर किसी अन्य को हुआ है। जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 426145.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

सा0आ0सं0-6

आपत्ति संख्या-352-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु0 2015377.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 80615.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 77394.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु 3221.00 की कम कटौती की गई। यहां उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एन0 कटौती की गई है फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये गये ही कच्चे बिल पर पाये गये। नियमानुसार पक्के विल प्राप्त करके ही भुगतान किया जाना चाहिए था किन्तु आलोच्य वर्ष में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एन0 कटौती कुल अंकन रु 77394.00 की गई। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा कराये जाने के प्रमाण स्वरूप रु0 86008.00 के चालान अपने खातों के स्टेटमेन्ट में दर्शाये गये हैं। इस प्रकार रु 8614.00 अधिक जमा दर्शाया गया है। स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित रूप में फर्मों को अवगत कराया गया है या नहीं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-8**

आपत्ति संख्या-353-आलोच्य वर्ष में समस्त कार्य के अन्दर जमानत के रूप में प्राप्त धनराशि रु 157000.00 रु को इनके रनिंग बिल के साथ ही भुगतान कर दिया गया है जबकि प्राप्त धनराशि का भुगतान शर्त के अनुसार 6 माह पश्चात भी वापिस किया जाना अपेक्षित था तथा कोई अनियमितता या कमी पाये जाने पर उक्त जमानत राशि से इसकी पूर्ति की जानी अपेक्षित थी परन्तु वास्तविक समयावधि का इन्तेजार किये बिना ही जमानत राशि का भुगतान किया जाना पूर्ण सन्देह की स्थिति को एम आर पन्न करता है। इस प्रति उच्चाधिकारियों का आवश्यक ध्यान आकर्षित किया जाता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-17**

आपत्ति संख्या-354-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म/व्यक्तियों को भुगतान

कुल दर्शित भुगतान रु 1898576.00 में से 1472431.00 का भुगतान जो सम्बन्धित फर्म/व्यक्तियों को दर्शित किया गया है वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई वह अधिकांश प्रमाणक फर्म के लैटर पैड /कच्चे बिल/अनियमित कैश मीमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली के साथ संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है, न ही फर्म /व्यक्तियों द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। उपरोक्त आपत्ति की अनियमितता के संदर्भ में निम्न उद्धारण प्रस्तुत हैं-

अ-आलोच्य वर्ष में कार्य सं0-2 के अन्तर्गत पत्रावली का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि पत्रावली में संलग्न इस्टीमेट के अनुसार उक्त कार्य हेतु श्रमांश मद में 183840 तथा सामग्री मद में 61640 दर्शित है। जबकि संलग्न कार्यपूर्ति एवं प्रमाणक अनुसार श्रमांश 143550 तथा सामग्री 93480.00 व्यय किया गया है इस प्रकार इस्टीमेट के अनुसार काफी भिन्नता है जिससे प्रतीत होता है कि धन का सही सदुपयोग नहीं किया गया है। पत्रावली तैयार कर धन का दुरुपयोग करते हुए संदेहास्पद स्थिति एम आर पन्न की गयी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **सा0आ0सं0-19**

फतेहगंज प0-: लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 की आपत्तियों का विवरण :-

आपत्ति संख्या-355-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को किया जाना :-

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन 1563700.00 रु0मजदूरी/क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार पदनाम-ए0डी0ओ0 (एस0के0) को रु0752495.00.राजेन्द्र प्रसाद यादव (ग्रा0वि0अधि0) को 216980.00,विकास चन्द (ग्रा0वि0अधि0) को 101365.00 का,हेम शंकर गंगवार/ग्रा0पं.अधि0) को 309225.00 का, तथा राजेन्द्र गोयल (ग्राएवि0अधि0) को 183635.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर संलग्न पाये गये,उन पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अँगूठा निशानी अंकित है,वह भी प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं भी हस्ताक्षर अंकित है,वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं, इसका भी उल्लेख नहीं है।

अतः उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1563700.00 का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान

रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।(मुल आपत्ति संख्या-03)

आपत्ति संख्या-356-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण

सामग्री कय में किये गये कुल भुगतान रु 5529500.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई, वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड / कच्चे बिल, कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक "कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई माँग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान ही निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।(मुल आपत्ति संख्या-04)

आपत्ति संख्या-357-टी0डी0एस0, एवं व्यापार कर कम काट कर राजस्व की हानि :-

वर्ष 2014-15 में कुल 5529500.00 की सामग्री कय के प्रमाणकों के भुगतान के समय नियमानुसार 2.24: की दर से टी0डी0एस0, 123861.00 तथा 4: की दर से व्यापार कर 321180.00 की कटौती पृथक पृथक की जानी थी। लेकिन वर्ष आलोच्य में एक ही साथ कुल 323534.00 की कटौती करी गई है। जो कि अनियमित रहा। इसके अतिरिक्त 21507.00 से कम कटौती कर राजस्व की हानि करी गई है। ऐसे में न काटे गये आय कर की धनराशि के बराबर धनराशि, वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गये टी0डी0एस0, एवं व्यापार कर अंकन रु 323534.00 की जमा की पुष्टि में चेक संख्या, चालान, दाखिल रिटर्न भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही खण्ड विकास अधिकारी के प्रति कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मुल आपत्ति संख्या-05)

आपत्ति संख्या-358-वर्ष आलोच्य 2014-15 में निम्न विवरणानुसार 1850.60 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल 138700.00 का भुगतान किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30.00 रुपये प्रति घन मी0 की दर से 55518.00 की रॉयल्टी काटी जानी थी। रॉयल्टी न काट कर राजस्व की क्षति की गई है। इसकी क्षति पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है। मिट्टी का विवरण अगले पृष्ठ पर अंकित है।(मुल आपत्ति संख्या-06)

क्रम	मिट्टी की मात्रा	दर/घन मी0	धनराशि
1.	587 घन मी0	68.00	39600.00
2.	340 घन मी0	83.00	28200.00
3.	288 घन मी0	83.00	23850.00
4.	147 घन मी0	55.00	8050.00
5.	271.60 घन मी0	83.00	22500.00
6.	85 घन मी0	83.00	7000.00
7.	83 घन मी0	83.00	6850.00
8.	49 घन मी0	54.00	2650.00
योग	1850.60 घन मी0		138700.00

आपत्ति संख्या-359-वर्ष आलोच्य 2014-15 में कराये गये 13 निर्माण कार्य हेतु 39 टेण्डर आमंत्रित किया गया है। प्रति निविदा प्रपत्र का मूल्य 500.00 के आधार पर 39 निविदा प्रपत्रों का मूल्य 19500.00 होता है। उक्त धनराशि की क्षेत्र पंचायत की आय के रूप में पुष्टि नहीं कराई गयी। उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन लेखाकार से मय ब्याज अपेक्षित है।(मुल आपत्ति संख्या-09)

वर्ष 2015-16 की आपत्तियों का विवरण

आपत्ति संख्या-360-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को किया जाना :-

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्य पर अंकन 625389.00 रु0 मजदूरी/क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार मिश्र पदनाम-ग्राएवि0अधि0को 81355.00 का राजेन्द्र

गोयल(ग्राएपंअधि0) को 50800.00का.राजेन्द्र प्रसाद यादव ग्रा0वि0अधि0 को 17225.00 का हेम शंकर गंगवार(ग्राएपंअधि0) को 249775.00 का,तथा विकास चन्द (ग्राएवि0अधि0) को 226234.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर संलग्न पाये गये,उन पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो अँगूठा निशानी अंकित है,वह भी प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं भी हस्ताक्षर अंकित है,वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं, इसका भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में है अंकन कुल रु0 625389.00 का वर्ष 2015-16 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ/जे0ई0/ लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या-03)

आपत्ति संख्या-361-आपूर्तिकर्ता फर्म को चेक निर्गमन दर्शा कर भुगतान अन्य को /अन्य खाते में करना :-सामग्री कय मद में कुल 1961972.00 के भुगतान में से रु0 64990.00 निम्न विवरणानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार प्राप्तकर्ता कोई और खाते में या नकद है।

क्रम	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते मर्के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
1.	531744	22.2.17	10537.00	कन्नौजिया ईट उद्योग	5 / 37490
2.	000022	27.6.17	54453.00	विकास चन्द	खेमकरन लाल
	योग-		64990.00		

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अंकन रु0 64990.00 का चेक फर्म/व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है। उन चेकों का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है,जो बैंक स्टेटमेन्ट खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शा कर सामग्री मद में 64990.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या-04(क))

आपत्ति संख्या-362-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण :

सामग्री कय में किये गये कूल भुगतान रु 1896982.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई,वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई माँग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान ही निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।(मूलआ0सं0-04(ख))

आपत्ति संख्या-363- टी0डी0एस0,एवं व्यापार कर कम काट कर राजस्व की हानि :-

वर्ष 2015-16 में कुल 1961972.00 की सामग्री कय के प्रमाणकों के भुगतान के समय नियमानुसार 2.24: की दर से टी0डी0एस0 43948.00 एवं 4: की दर से व्यापार कर 78479.00 पृथक पृथक कटौती करी जानी थी। लेकिन आलोच्य वर्ष में सम्मिलित रूप से कुल 80710.00 की ही कटौती करी गई है। इस प्रकार 41717.00 से कम कटौती कर राजस्व की हानि करी गई है। ऐसे में न काटे गये आय कर एवं व्यापार कर की धनराशि के बराबर धनराशि, वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गये टी0डी0एस0,एवं व्यापार कर अंकन रु0 80710.00 की जमा की पुष्टि में चेक संख्या,चालान,दाखिल रिटर्न

भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही खण्ड विकास अधिकारी के प्रति कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

आपत्ति संख्या-364—वर्ष आलोच्य 2015-16 में निम्न विवरणानुसार 1009 घन मी० मिट्टी हेतु कुल 83550.00 का भुगतान किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30.00 रुपये प्रति घन मी० की दर से 30270.00 की रॉयल्टी काटी जानी थी। रॉयल्टी न काट कर राजस्व की क्षति की गई है। इसकी क्षति पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज कराई जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-07)**

क्रम	मिट्टी की मात्रा	दर/घन मी०	धनराशि
1.	225 घन मी०	83.00	18650.00
2.	168 घन मी०	83.00	13900.00
3.	156 घन मी०	83.00	12900.00
4.	460 घन मी०	83.00	38100.00
योग	1009 घन मी०		83550.00

आपत्ति संख्या-365—वर्ष आलोच्य में कराये गये 09 निर्माण कार्यों में एक कार्य हेतु टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया है। इस प्रकार कुल 24 निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं। प्रत्येक निविदा प्रपत्र का मूल्य 500.00 के आधार पर कुल 12000.00 की आय होती है। उक्त आय क्षेत्र पंचायत के रूप में प्राप्त होने की पुष्टि नहीं कराई गयी। उपरोक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन लेखाकार से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

(मू० आ०सं०-10)

आपत्ति संख्या-366—वर्ष आलोच्य में कराये गये निर्माण कार्यों में विकास खण्ड कार्यालय की रंगाई,पुताई एवं मरम्मत के कार्य में विकास चन्द द्वारा 166577.00 का भुगतान नकद ही विभिन्न फर्मों को किया गया है। लेकिन प्राप्ति की पुष्टि में कोई प्रमाण फर्मों से नहीं लिया गया है। अतः किया गया भुगतान अपुष्टि,अप्रमाणित एवं गम्भीर रूप से अनियमित रहा। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-11)**

क्रम	धनराशि	विवरण	अभ्युक्ति
1.	35320.00	विकास चन्द्र, ने कन्नौजिया ईट उद्योग को दिया	फर्म का प्रमाण संलग्न नहीं
2.	36400.00	विकास चन्द्र, ने गुप्ता हार्डवेयर एण्ड सेनेट्री को दिया	फर्म प्रमाण संलग्न नहीं
3.	69224.00	विकास चन्दने साई बिल्डिंग मैटेरियल सेल्स को दिया	फर्म प्रमाण संलग्न नहीं
4.	22000.00	विकास चन्द्र, ने गुप्ता हार्डवेयर एण्ड सेनेट्री को दिया	फर्म प्रमाण संलग्न नहीं
5.	3633.00	विकास चन्द्र, ने गुप्ता हार्डवेयर एण्ड सेनेट्री को दिया	फर्म का प्रमाण संलग्न नहीं
योग	166577.00		

आपत्ति संख्या-367—मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को किया जाना :- (वर्ष 2016-17)

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन 623682.00रु०मजदूरी/क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री खेमकरन लाल मौर्य,पदनाम—ग्रा०वि०अधि०को 336072.00 का,तथा मौर्य बिल्डिंग मैटेरियल को 287610.00 का भुगतान कर दिया गया है। प्रस्तुत किये गये पत्रावलियों में जो मस्टर संलग्न पाये गये,उन पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो अँगूठा निशानी अंकित है,वह भी प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं भी हस्ताक्षर अंकित है,वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं,इसका भी उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त मजदूरों का भुगतान फर्म को किये जाने के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 623682.00 का वर्ष 2016-2017 में योजनाबद्ध

तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ/जे0ई0/ लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख, समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या-03)

आपत्ति संख्या-368-आपूर्तिकर्ता फर्म को चेक निर्गमन दर्शा कर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना-सामग्री कय मद में कुल 1836205.00 के भुगतान में से रु0 58529.00 निम्न विवरणानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक जिस फर्म को निर्गत दर्शित है, बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और फर्म है।

क्रम	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
1.	531750	22.2.17	3633.00	गुप्ता हार्डवेयर्स	मौर्य बिल्डिंग मैटेरियल
2.	531750	22.2.17	54896.00	गुप्ता हार्डवेयर्स	मौर्य बिल्डिंग मैटेरियल
	योग-		58529.00		

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अंकन रु0 58529.00 का चेक फर्म/व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है। उन चेकों का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है, जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शा कर सामग्री मद में 58529.00 का अपहरण किया गया है।

संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या-04(क))

आपत्ति संख्या-369-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण सामग्री कय में किये गये कुल भुगतान में से रु 1777676.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई, वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल कैश मेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई माँग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान ही निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या-04(ख))

आपत्ति संख्या-370- टी0डी0एस0, कम काट कर राजस्व की हानि :-

वर्ष 2016-17 में कुल 1836205.00 की सामग्री कय के प्रमाणकों के भुगतान के समय नियमानुसार 2.24: की दर से टी0डी0एस0 41131.00 की कटौती करी जानी थी। लेकिन वर्ष आलोच्य में 33098.00 की ही कटौती करी गई है। इस प्रकार 8033.00 से कम कटौती कर राजस्व की हानि करी गई है। ऐसे में न काटे गये आय कर की धनराशि के बराबर धनराशि, वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 33098.00 की जमा की पुष्टि में चेक संख्या, चालान, दाखिल रिटर्न भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही खण्ड विकास अधिकारी के प्रति कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या-05)

आपत्ति संख्या-371-वर्ष आलोच्य में कय की गई कुल सामग्री की धनराशि 1836205.00 पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर के रूप में 73448.00 की कटौती करी जानी थी। लेकिन 66195.00 ही करी गई है। इस प्रकार 7253.00 कम कटौती करी गई है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एस0 कटौती करी गई है। फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल/लेटर पैड पर पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त कर के ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिये था, किन्तु वर्ष आलोच्य 16-17 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था, उन पर 04 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 की कुल कटौती 66195.00 की करी गई है। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चेक संख्या बैंक स्टेटमेन्ट/चालान एवं दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे टी0डी0एस0 मद में करी गई कटौती

की जमा की स्थिति अपुष्टि है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को करी गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित में अवगत कराया गया है अथवा नहीं। लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाय। (मूल आपत्ति संख्या-06)

आपत्ति संख्या-372—वर्ष आलोच्य में सामग्री कय के प्रमाणकों के भुगतान के समय सिक्कोरिटी मनी के रूप में 8: की दर से 146896.00 की कटौती करी जानी थी। लेकिन अंकन रु0 127719.00 की ही कटौती करी गई है। इस प्रकार 19177.00 से कम कटौती करी गई है। करी गई समस्त कटौती की वापसी सम्बन्धित फर्म को कब-कब, कितनी-कितनी और किन-किन माध्यमों से की गई या नहीं की गई, कोई पत्रावली/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में संगत अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए मय ब्याज वसूली/विधिक कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जाय। (मूल आपत्ति संख्या-07)

आपत्ति संख्या-373—वर्ष आलोच्य 2016-17 में निम्न विवरणानुसार 1246.78 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल 93237.00 का भुगतान किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30.00 रुपये प्रति घन मी0 की दर से 37403.00 की रॉयल्टी काटी जानी थी। रॉयल्टी न काट कर राजस्व की क्षति की गई है। इसकी क्षति पूर्ति मय ब्याज तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-09)

क्रम	मिट्टी की मात्रा	दर/घन मी0	धनराशि
1.	163.39 घन मी0	74.00	12090.00
2.	46 घन मी0	74.00	3404.00
3.	102 घन मी0	50.00	5100.00
4.	273 घन मी0	74.00	20202.00
5.	278.22 घन मी0	74.00	20641.00
6.	167.98 घन मी0	82.75	13900.00
7.	71.29 घन मी0	82.75	5900.00
8.	144.90 घन मी0	82.82	12000.00
योग	1246.78 घन मी0	—————	93237.00

उपरोक्त
मिट्टी की 05

विवरणानुसार
दरें एक ही वर्ष

में प्रयुक्त करी गई हैं। इस प्रति स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-374—वर्ष आलोच्य में कराये गये 08 निर्माण कार्य हेतु 24 टेण्डर आमंत्रित किया गया है। प्रत्येक निविदा प्रपत्र का मूल्य 500.00 के आधार पर कुल 12000.00 की आय होती है। उक्त आय क्षेत्र पंचायत की आय के रूप में प्राप्त होने की पुष्टि नहीं कराई गयी। उपरोक्त धनराशि है की वसूली तत्कालीन लेखाकार से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-12)

विकास खण्ड-मीरगंज वर्ष-2014-15 से 2016-17 तक

आपत्ति संख्या-375—मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को किया जाना —वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन 868030.00 रु0 मजदूरी/क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री मुनीश कु0 सक्सेना, पदनाम (ग्रा0पंचा0अधि0) को रु 182685.00 का, विमलेश पाठक (ग्रा0पंचा0अधि0) को 129865.00 रु का , ओ0पी गंगवार (ग्रा0वि0अधि0) को 221920.00 का अरविन्द मित्तल (जे0ई0आर0ई0एस0) को 90075.00 का संजय गंगवार (ग्रा0वि0अधि0) को 74195.00 का तथा सुशील कुमार (ग्रा0वि0अधि0) को 169290.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर अंकित है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 868030.00 का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-3)

आपत्ति संख्या-376—आपूर्ति कर्त्ता फर्म/व्यक्ति को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना—

सामग्री मद में कुल रु 3258426.00 के भुगतान में से रु 707946.00 निम्न विवरणानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्त्ता के रूप में टु ट्रांसफर/खाता संख्या अंकित है जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि धनराशि किस खाते में हस्तांतरित करी गयी है।

क्र० सं०	चैक सं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है।	बैंक खातेके अनुसार भुगतान प्राप्तकर्त्ता
1	000148	21.02.15	426621.00	रामपाल सप्लायर्स	268001/9157
2	000170	08.06.15	226415.00	रामपाल सप्लायर्स	टु ट्रांसफर
3	000183	15.07.15	54910.00	रामपाल सप्लायर्स	26800100009157
		योग	707946.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु 707946.00 का चैक फर्म/व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु 707946.00 का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-4-क

आपत्ति संख्या-377-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण-सामग्री क्रय में किये गये कुल भुगतान रु 2550480.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म/व्यक्ति द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-04ख

आपत्ति संख्या-378-टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि- वर्ष 2014-15 में कुल 3258426.00 की सामग्री क्रय के प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु 62771.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से रु 72989.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु 10218.00 से कम कटौती कर राजस्व हानि करी गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु 62771.00 की जमा की पुष्टि में चेक,संख्या,चालान,दाखिल रिटर्न भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही खण्ड विकास अधिकारी के प्रति कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-5

आपत्ति संख्या-379-वर्ष आलोच्य में कुल सामग्री क्रय रु 3258426.00 पर 125473.00 की व्यापार कर की कटौती करी गई है। जबकि 4 प्रतिशत की दर से रु 130337.00 व्यापार कर की कटौती करी जानी थी। इस प्रकार रु 4864.00 से व्यापार कर की कम कटौती करी गई है। जिससे रु 4864.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु 4864.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त की गई कटौती को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चेक नं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान एवं दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यापार कर के मद में करी गई कटौती की जमा की स्थिति अपुष्टि है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही खण्ड विकास अधिकारी के प्रति कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-06

आपत्ति संख्या-380-वर्ष आलोच्य 2014-15 में कराये गये 08 निर्माण कार्य हेतु कुल 27 निविदायें आमंत्रित करी गई है। एक निविदा प्रपत्र के मूल्य 500.00 के आधार पर कुल 13500.00 की धनराशि होती है। इसे क्षेत्र पंचायत की आय के रूप में दर्शाया गया है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं कराई गयी। उपरोक्त धनराशि की मय ब्याज वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आ० सं०-09

आपत्ति संख्या-381-वर्ष आलोच्य 2014-15 में कराये गये निर्माण कार्य में 453.32 घन मी० मिट्टी

38197.00 की प्रयुक्त की गई है। लेकिन उक्त मात्रा पर 30.00 प्रति घन मी० की दर से 13600 की रॉयल्टी नहीं काटी गई है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है जिसकी क्षति पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधि० से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-11

आपत्ति संख्या-382—वर्ष आलोच्य में सामग्री कय के प्रमाणकों के भुगतान समय सिक्कोरिटी मनी के रूप में 8प्रतिशत की दर से 260674.00 की कटौती करी जानी थी। जबकि 250908.00 की ही कटौती करी गई है। इस प्रकार 9766.00 से कम कटौती करी गई है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त की गई कटौती की वापसी सम्बन्धित फर्म को कब-कब कितनी कितनी और किन किन माध्यमों से करी गई है या नहीं करी गई है इससे सम्बन्धित कोई पत्रावली/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में संगत अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए मय ब्याज वसूली/विधिक कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जाये।

मूल आपत्ति सं०-12

वर्ष-2015-16

आपत्ति संख्या-383—मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को किया जाना—

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन 1379190.00 रु० मजदूरी/क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री नजरूल हसन पदनाम(ग्रा०पचा०अधि०/ए०डी०ओ०पंचा०)को भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही भी हस्ताक्षर अंकित है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 1379190.00 का वर्ष 2015-16 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-03

आपत्ति संख्या-384—मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण—

सामग्री कय में किये गये कुल भुगतान रु० 4638118.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म/व्यक्ति द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

मूल आप० सं०-04ख

आपत्ति संख्या-385—टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि—

वर्ष 2015-16 में कुल 4638118.00 की सामग्री कय के प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 92618.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है जबकि 2.24प्रतिशत की दर से रु० 103894.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 11276.00 से कम कटौती कर राजस्व हानि करी गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गये टी०डी०एस० अंकन रु० 92618.00 की जमा की पुष्टि में चेकसंख्या,चालान,दाखिल रिटर्न भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही खण्ड विकास अधिकारी के प्रति कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-5

आपत्ति संख्या-386—वर्ष आलोच्य में कुल सामग्री कय रु० 4638118.00 पर 185234.00 की व्यापार कर की कटौती करी गई है। जबकि 4 प्रतिशत की दर से रु० 185525.00 व्यापार कर की कटौती करी जानी थी। इस प्रकार रु० 291.00 से व्यापार कर की कम कटौती करी गई है। जिससे रु० 291.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु० 291.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं०-06

आपत्ति संख्या-387—वर्ष आलोच्य 2015-16 में कराये गये 11 निर्माण कार्यों हेतु कुल 33 निविदायें

आमंत्रित करी गई है। एक निविदा प्रपत्र के मूल्य 500.00 के आधार पर कुल 16500.00 की धनराशि होती है। इसे क्षेत्र पंचायत की आय के रूप में दर्शाया गया है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं कराई गयी। उपरोक्त धनराशि की मय ब्याज वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं०-09**

आपत्ति संख्या-388-वर्ष आलोच्य 2015-16 में कराये गये निर्माण कार्यों में 1318.46 घन मी० मिट्टी 135534.00 की प्रयुक्त करी गई है। लेकिन उक्त मात्रा पर 30.00 प्रति घन मी० की दर से 39554.00 की रॉयल्टी नहीं काटी गई है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है जिसकी क्षति पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधि० से की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं०-10**

आपत्ति संख्या-389-वर्ष आलोच्य में सामग्री क्रय के प्रमाणकों के भुगतान समय सिक्कोरिटी मनी के रूप में 8प्रतिशत की दर से 371049.00 की कटौती करी जानी थी। जबकि 370476.00 की ही कटौती करी गई है। इस प्रकार 573.00 से कम कटौती करी गई है। उपरोक्त की गई कटौती में से 89153.00 की सम्बन्धित फर्मों को वापसी की गई है जिका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र सं०	कार्य संख्या	फर्म का नाम जमानत वापसी की धनराशि	जमानत वापसी की धनराशि	चेक सं०	दिनांक
01	04	आरिफ ट्रेडर्स	48010.00	000246	21.11.15
02	07	आरिफ ट्रेडर्स	17440.00	000247	23.11.15
03	10	रामपाल सप्लायर्स	23703.00	000245	21.11.15
		योग	89153.00		

शेष धनराशि 281323.00 की पुष्टि में संगत अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए मय ब्याज वसूली/विधिक कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जाये।

मूल आपत्ति सं०-11

वर्ष-2016-17

आपत्ति संख्या-390-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को किया जाना-

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन 862740.00 रु० मजदूरी/क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री नजरूल हसन पदनाम(ग्रा०पंचा०अधि०/ए०डी०ओ०पंचा०)का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर अंकित है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 862740.00 का वर्ष 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं०-03**

आपत्ति संख्या-391-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण-

सामग्री क्रय में किये गये कुल भुगतान रु० 2896109.59 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक सम्बन्धित फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं०-04क**

आपत्ति संख्या-392-टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि-

वर्ष 2016-17 में कुल 2896109.59 की सामग्री क्रय के प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु 40404.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है जबकि 2.24 प्रतिशत की दर से रु० 64873.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 24469.00 से कम कटौती कर राजस्व हानि करी गई है। ऐसे में न काटे गये

आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 40404.00 की जमा की पुष्टि में चेकसंख्या,चालान,दाखिल रिटर्न भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही खण्ड विकास अधिकारी के प्रति कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आ0 सं0-5

आपत्ति संख्या-393—वर्ष आलोच्य में कुल सामग्री कय रु0 2896109.59 पर 84237.00 की व्यापार कर की कटौती करी गई है। जबकि 4 प्रतिशत की दर से रु0 115844.00 व्यापार कर की कटौती करी जानी थी। इस प्रकार रु0 31607.00 से व्यापार कर की कम कटौती करी गई है। जिससे रु0 31607.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 31607.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-06**

आपत्ति संख्या-394—वर्ष आलोच्य 2016-17 में कराये गये 07 निर्माण कार्यों हेतु कुल 21 निविदायें आमंत्रित करी गई हैं। एक निविदा प्रपत्र के मूल्य 500.00 के आधार पर कुल 10500.00 की धनराशि होती है। इसे क्षेत्र पंचायत की आय के रूप में दर्शाया गया है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं कराई गयी। उपरोक्त धनराशि की मय ब्याज वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **मूलआ0सं0-09**

आपत्ति संख्या-395—वर्ष आलोच्य में सामग्री कय के प्रमाणकों के भुगतान समय सिक्योरिटी मनी के रूप में 8प्रतिशत की दर से 231689.00 की कटौती करी जानी थी। जबकि 212512.00 की ही कटौती करी गई है। इस प्रकार 19177.00 से कम कटौती करी गई है। जिसे फर्मों से जमा कराया जाना अपेक्षित है। जमानत की धनराशि की कटौती की वापसी सम्बन्धित फर्म को कब-कब कितनी कितनी और किन किन माध्यमों से की गई है या नहीं की गई हैं कोई पत्रावली/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में संगत अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए मय ब्याज वसूली/विधिक कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जाये। **मू0अ सं0-10**

विकास खण्ड- बहेडी **वर्ष-2014-15 से 2016-17**

आपत्ति संख्या-396—प्रिया साफ्ट में अंकित वर्ष आलेच्य 2014 715 में सामग्री,मजदूरी व अन्य पर कुल व्यय रु0 9779671.00 का किया गया है इससे सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये , स्पष्ट है कि रु0 9779671.00 का अपहरण सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/प्रमुख/जे0ई0/कार्य प्रभारी द्वारा कर लिया गया है रु0 9779671.00 की मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0 2**

आपत्ति संख्या-397—प्रिया साफ्ट में अंकित वर्ष आलेच्य 2015-16 में सामग्री,मजदूरी व अन्य पर कुल व्यय रु0 8128243.00 का किया गया है इससे सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये , स्पष्ट है कि रु0 8128243.00 का अपहरण सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/प्रमुख/जे0ई0/कार्य प्रभारी द्वारा कर लिया गया है रु0 8128243.00 की मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0 2**

आपत्ति संख्या-398—प्रिया साफ्ट में अंकित वर्ष आलेच्य 2016-17 में सामग्री,मजदूरी व अन्य पर कुल व्यय रु0 5386475.00 का किया गया है इससे सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये , स्पष्ट है कि रु0 5386475.00 का अपहरण सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/प्रमुख/जे0ई0/कार्य प्रभारी द्वारा कर लिया गया है रु0 5386475.00 की मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0 2**

विकास खण्ड- भदपुरा **वर्ष-2014-15 से 2016-17**

आपत्ति संख्या-399—क्रमांश के मद में मजदूरों को अवास्तविक मस्टर रोल से भुगतान कार्य प्रभारियों को—

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 834530.00 मजदूरी- क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री शंकर लाल ग्रा0वि0अ0 को रु0 288220.00 श्री रामसिंह वर्मा ग्रा0वि0अ0 को रु0 287630.00 बृजेश गौतम ग्रा0वि0अ0 को रु0 39950.00 श्री प्यारेलाल ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 को रु0 48980.00 और श्री नरसिंह गंगवार ग्रा0वि0अ0 को रु0 89270.00 भुगतान किया गया है तथा रु0 80480.00 कार्य प्रभारी श्री षंकरलाल ग्रा0वि0अ0 को भी न करके वृंदावन विवरेज प्रा0लि0को भुगतान किया गया है (कार्य कं0-7)। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन मस्टर रोल पर निर्गमन नम्बर

अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। सम्बन्धित मस्टर रोल निर्गमन रजि० प्रस्तुत नहीं रहा। जो अगूँठा निशानी अंकित है वचह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अवास्तविक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 8345300.00 का वर्ष 2014-15 में अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। मूल आपत्ति सं०-3

आपत्ति संख्या-400-सामग्री आपूर्ति कर्त्ता/फर्म को चेक भुगतान न करके कार्य प्रभारी को भुगतान करना-

सामग्री मद में कुल य० 3520924.00 भुगतान में से रु० 12675.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। तालिका न० 2 में अंकित विवरण से स्पष्ट है कि सामग्री क्रय का भुगतान आपूर्ति कर्त्ता/फर्म को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है विवरण निम्नवत् है।

कार्य का क्रमांक	धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम
6	12675	रामसिंह वर्मा ग्रा०वि०अ०

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु० 12675.00 का चेक फर्म को निर्गत न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। जो अनियमित है सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः सामग्री क्रय पर अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। मूल आपत्ति सं०-4क

आपत्ति संख्या-401-मात्र कच्चे विल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान-

कुल दर्शित भुगतान रु० 3520924.00 में से रु० 3508249.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वों समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टाक भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। मूल आपत्ति सं०-4ख

आपत्ति संख्या-402-रु० 73516.00 टी०डी०एस०जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 9052.00 टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि-

वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 73516.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 3686080.00 की दर्शित है। जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से रु० 82568.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 9052.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन रु० 73516.00 की जमा की पुष्टि में इष्पू चेक न०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। मूल आपत्ति सं०-5

आपत्ति संख्या-403-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 3686080.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 147443.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि वर्ष में रु० 107264.00 कटौती की गई है इस प्रकार रु० 40179.00 वैट की कटौती न कर राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है साथ ही काटे गये वैट अंकन रु० 107264.00 की जमा की पुष्टि में इष्पू चेकन०/बैंकस्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। मूल आपत्ति सं०-6

आपत्ति संख्या-404-वर्ष 2014-15 में 169 धन मी० मिट्टी हेतु कुल रु० 12675.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति धनमीटर की दर से रु० 5070.00 रायल्टी काटी जानी

चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य क्रमांक	मात्रा घन मी० में	धनराशि
6	169.00	12675

मूल आपत्ति सं०-7

वर्ष-2015-16

आपत्ति संख्या-405-क्रमांश के मद में मजदूरों को अवास्तविक मस्टर रोल से भुगतान कार्य प्रभारियों को-

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 1696105.00 मजदूरी/ क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री शंकर लाल ग्रा०वि०अ० को रु० 1146675.00(इसमें से रु० 17775.00 श्री प्यारे लाल ए०डी०ओ० आई०एस०बी० को किया गया है।) श्री रामसिंह वर्मा ग्रा०वि०अ० को रु० 375090.00 श्री प्यारेलाल ए०डी०ओ० आई०एस०बी० को रु० 174340.00 और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन मस्टर रोल पर निर्गमन नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। सम्बन्धित मस्टर रोल निर्गमन रजि० प्रस्तुत नहीं रहा। जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अवास्तविक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 1696105.00 का वर्ष 2015-16 में अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं०-3**

आपत्ति संख्या-406-सामग्री आपूर्ति कर्त्ता/फर्म को चेक भुगतान न करके कार्य प्रभारी को भुगतान करना-

सामग्री मद में कुल रु० 6122485.00 भुगतान में से रु० 41011.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। तालिका न० 2 में अंकित विवरण से स्पष्ट है कि सामग्री क्रय का भुगतान आपूर्ति कर्त्ता/फर्म को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है विवरण निम्नवत् है।

कार्य का क्रमांक	धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम
1	7107	श्री राम सिंह ग्रा०वि०अ०
3	6874	श्री शंकर लाल ग्रा०वि०अ०
4	12423	श्री शंकर लाल ग्रा०वि०अ०
5	9233	श्री ब्रजेश गौतम ग्रा०वि०अ०
6	5374	श्री राम सिंह ग्रा०वि०अ०
योग	41011	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु० 41011.00 का चेक फर्म को निर्गत न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। जो अनियमित है सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः सामग्री क्रय पर अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं०-4क**

आपत्ति संख्या-407-मात्र कच्चे विल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान-

कुल दर्शित भुगतान रु० 6122485.00 में से रु० 6081474.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वों समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टाक भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति सं०-4ख**

आपत्ति संख्या-408-रु०128263.00 टी०डी०एस०जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 15830.00 टी०डी०एस०

कम काटकर राजस्व की हानि—

वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 128263.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 6432728.00 की दर्शित है। जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 144093.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 15830.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 128263.00 की जमा की पुष्टि में इष्पू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-5**

आपत्ति संख्या-409—आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 6432729.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 257309.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि वर्ष में रु0 256507.00 कटौती की गई है इस प्रकार रु0 802.00 वैट की कटौती न कर राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है साथ ही काटे गये वैट अंकन रु0 256507.00 की जमा की पुष्टि में इष्पू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटन उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-6**

आपत्ति संख्या-410—वर्ष 2015-16 में 993.69 धन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 74527.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति धनमीटर की दर से रु0 29811.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

कार्य क्रमांक	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
3	230.23	17267.00
4	89.87	6740.00
5	123.10	9233.00
13	348.00	26100.00
14	202.49	15187.00
योग	993.69	74527.00

मूल आपत्ति सं0-7

वर्ष-2016-17

आपत्ति संख्या-411—क्रमांश के मद में मजदूरों को अवास्तविक मस्टर रोल से भुगतान कार्य प्रभारियों को—

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 338995.00 मजदूरी/ क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री शंकर लाल ग्रा0वि0अ0 को रु0 338995.00 पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन मस्टर रोल पर निर्गमन नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। सम्बन्धित मस्टर रोल निर्गमन रजि0 प्रस्तुत नहीं रहा। जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अवास्तविक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 338995.00 का वर्ष 2016-17 में अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-3**

आपत्ति संख्या-412—सामग्री आपूर्ति कर्ता/फर्म को चेक भुगतान न करके कार्य प्रभारी को भुगतान करना—सामग्री मद में कुल रु0 1068197.00 भुगतान में से रु0 32725.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। तालिका न0 2 में अंकित विवरण से स्पष्ट है कि सामग्री क्रय का भुगतान आपूर्ति कर्ता/फर्म को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है विवरण निम्नवत् है।

कार्य का क्रमांक	धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम
3	3556	श्री शंकर लाल ग्रा0वि0अ0
4	26847	श्री शंकर लाल ग्रा0वि0अ0

6	2322	श्री शंकर लाल ग्रा0वि0अ0
योग	32725	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 32725.00 का चेक फर्म को निर्गत न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। जो अनियमित है सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः सामग्री क्रय पर अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-4क**

आपत्ति संख्या-413-मात्र कच्चे विल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान-

कुल दर्शित भुगतान रू0 1068197.00 में से रू0 1035472.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वों समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टाक भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-4ख**

आपत्ति संख्या-414-रू0 19527.00 टी0डी0एस0जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 5661.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 19527.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 1124463.00 की दर्शित है। जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से रू0 25188.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 5661.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 19527.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-5**

आपत्ति संख्या-415-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 1124463.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 44979.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि वर्ष में रू0 3906.00 कटौती की गई है इस प्रकार रू0 41073.00 वैट की कटौती कम कर राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है साथ ही काटे गये वैट अंकन रू0 3906.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-6**

आपत्ति संख्या-416-वर्ष 2016-17 में 30.96 धन मी0 मिट्टी हेतु कुल रू0 2322.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति धनमीटर की दर से रू0 929.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गई है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है।

0कार्य क्रमांक	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
6	30.96	2322

मूल आपत्ति सं0-7

विकास खण्ड- शेरगढ वर्ष-2014-15 से 2016-17

आपत्ति संख्या-417-क्रमांश के मद में मजदूरों को अवास्तविक मस्टर रोल से भुगतान कार्य प्रभारियों को-

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन रू0 434885.00 मजदूरी/ क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री पालगंगवार ग्रा0वि0अ0 को रू0 56440.00 श्री हरेन्द्र सिंह ग्रा0वि0अ0 को रू0 219450.00 श्री राजेश कुमार ग्रा0वि0अ0 को रू0 158995.00 का भुगतान किया गया है पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन मस्टर रोल पर निर्गमन नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। सम्बन्धित मस्टर रोल निर्गमन रजि0 प्रस्तुत नहीं रहा। जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के

ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अवास्तविक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 8345300.00 का वर्ष 2014-15 में अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-3**

आपत्ति संख्या-418-मात्र कच्चे विल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान-

वर्ष 2014-15 में सामग्री मद में कुल दर्शित भुगतान रु0 2564723.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वों समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक का रजि0 भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से दुरुपयोग किया गया है। अतः सामग्री क्रय पर अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-4**

आपत्ति संख्या-419-रु0 54201.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 3249.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 54201.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2564723.00 की दर्शित है। जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 57450.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 3249.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा 'शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 54201.00 की जमा की पुष्टि में इष्पू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-5**

आपत्ति संख्या-420-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2564723.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 102589.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि वर्ष में रु0 77609.00 कटौती की गई है इस प्रकार रु0 24980.00 वैट की कटौती कम कर राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है साथ ही काटे गये वैट अंकन रु0 77609.00 की जमा की पुष्टि में इष्पू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-6**

आपत्ति संख्या-421-वर्ष 2014-15 में अनुदान पंजी के अनुसार कुल रु0 10954702.00 व्यय किया गया है। परन्तु वर्ष की मात्र पाँच पत्रावली ही प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार रु0 2999608.00 व्यय किया गया है। शेष रु0 7955094.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिससे धन के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 8**

वर्ष-2015-16

आपत्ति संख्या-422-क्रमांश के मद में मजदूरों को अवास्तविक मस्टर रोल से भुगतान कार्य प्रभारियों को-

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 224890.00 मजदूरी/ क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री परशुराम ए0डी0ओ0 एस0के0 को किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन मस्टर रोल पर निर्गमन नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। सम्बन्धित मस्टर रोल निर्गमन रजि0 प्रस्तुत नहीं रहा। जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अवास्तविक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 224890.00 का वर्ष 2015-16 में अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण

किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 3**

आपत्ति संख्या-423-मात्र कच्चे विल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान-

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन रू0 930547.00 का भुगतान सामग्री क्रय हेतु सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वों समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक का रजि0 भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-4**

आपत्ति संख्या-424-रू0 18617.00 टी0डी0एस0जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 2227.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-

वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 18617.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 930547.00 की दर्शित है। जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से रू0 20844.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 2227.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 18617.00 की जमा की पुष्टि में इष्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-5**

आपत्ति संख्या-425-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 930547.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 37222.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए थी काटे गये वैट अंकन रू0 37222.00 की जमा की पुष्टि में इष्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-6**

आपत्ति संख्या-426-वर्ष 2015-16 में अनुदान पंजी के अनुसार कुल रू0 4633179.00 व्यय किया गया है। परन्तु वर्ष की मात्र दो पत्रावली ही प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार रू0 115547.00 व्यय किया गया है। शेष रू0 3477742.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिससे धन के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-8**

वर्ष-2016-17

आपत्ति संख्या-427-वर्ष 2016-17 में अनुदान पंजी के अनुसार कुल रू0 5689515.00 व्यय किया गया है। परन्तु किये गये व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिससे धन के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी है। मय ब्याज वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है। वर्ष में किये गये योजनवार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रमांक	योजना का नाम	व्यय धनराशि
1	राज्य वित्त चतुर्थ	5346862.00
2	व्याज	158623.00
3	आयकर	86445.00
4	बिक्रीकर	85085.00
5	एन0आई0सी0 कन्टीजेन्सी	10000.00
6	पी0ओ0यल0वसूली	2500.00
योग		5689515.00

मूल आपत्ति सं0-3

वि०ख० आलमपुर जाफराबाद—

आपत्ति संख्या-428—मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को रू० 3295191.00

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यो पर अंकन 3295191.00 रू० मजदूरी/ क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री भरत सिंह, पदनाम सहा० विकास अधिकारी आई०एस०बी० को रू० 3295191.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू० 3295191.00 का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा०आप०सं० 3**

आपत्ति संख्या-429—आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना 288378.00रू०

सामग्री मद में कुल रू० 8257108.00 भुगतान में से 288378.00रू० निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति /खाते में है:—

चैक सं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित ह०/प्राप्तकर्ता	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
922314	22.09.2014	17080.00	विनोद	भरत सिंह
424452	09.10.2014	6000.00	हरिओम	भरत सिंह
		49742.00	विनोद	भरत सिंह
922286	09.09.2014	1185.00	नेत्रपाल	भरत सिंह
		6582.00	वीरपाल	भरत सिंह
		6000.00	हरिओम	भरत सिंह
424487	16.12.2014	13959.00	भीकम सिंह	भरत सिंह
		6000.00	हरिओम	भरत सिंह
922289	09.09.2014	3071.00	हरपाल	भरत सिंह
		6000.00	हरिओम	भरत सिंह
664139	31.07.2014	21740.00	अच्छन बेग	भरत सिंह
		6370.00	विनोद कुमार	भरत सिंह
922279	04.09.2014	16740.00	वीरपाल	भरत सिंह
		4500.00	हरिओम	भरत सिंह
922284	08.09.2014	53636.00	हरपाल	भरत सिंह
		4500.00	हरिओम	भरत सिंह
922297	19.09.2014	23061.00	हरिओम	भरत सिंह
922306	26.09.2014	4500	राजकुमार	भरत सिंह
922276	01.09.2014	8732	नेत्रपाल	भरत सिंह
		4500.00	वीरपाल	भरत सिंह
664142	31.07.2014	1882	नेत्रपाल	भरत सिंह
		4943.00	नेत्रपाल	भरत सिंह
		17655	नेत्रपाल	भरत सिंह
	योग	288378.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू० 288378.00 का चैक फर्म/व्यक्ति को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस

प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 288378.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 4 क**

आपत्ति संख्या-430-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण

कुल दर्शित भुगतान रु0 9345191.00 में से रु0 7988730.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है कि वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पद देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 4 ख**

आपत्ति संख्या-431-वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 180182.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 9345191.00 की दर्शित है। जिस पर 2 प्रतिशत की दर से रु0 186904.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 6722.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा 'शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 180182.00 की जमा की पुष्टि में इष्पू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 5**

आपत्ति संख्या-432-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 9345191.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 373808 टी0डी0एन0 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 360365.00 की कटौती की गयी है इस प्रकार रु0 13443.00 की कटौती नहीं की गयी है। जिससे रु0 13443.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। जिसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 13443.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा 2014-15 में टी0डी0एन0 कटौती रु0 360365.00 जमा की पुष्टि में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 6**

आपत्ति संख्या-433-वर्ष 2014-15 में 2716.48 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 183227.00 (भिन्न भिन्न दरों से) भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 प्रति धनमीटर की दर से रु0 81494.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से कराई जानी अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 7**

आपत्ति संख्या-434-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को-

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों की एकमात्र उपलब्ध कराई गई पत्रावली की जांच से स्पष्ट रहा कि अंकन रु0 988785.00 मजदूर/ क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री भरत सिंह, पदनाम सहायक विकास अधिकारी आई0एस0बी0 को रु0 870160.00 एवं श्री प्रेम शंकर पाली सहायक विकास अधिकारी को रु0 118625.00 का भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 988785.00 का वर्ष 2015-16 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 3**

आपत्ति संख्या-435-आपूर्तिकर्ता फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को /अन्य खाते में कराना सामग्री मद में कुल रु0 3641894.00 भुगतान में से रु0 1373432.00 नियमानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई अन्य है।

चैक सं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित ह०/प्राप्तकर्ता	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
599599	06.10.2015	13171.00	प्रकाश ट्रेडर्स	211689
599598	06.10.2015	136409	भारत मशी०	51158
599597	06.10.2015	271248	बांके ब्रिक	211449
485049	19.02.2016	22816	बांके ब्रिक	211449
485050	19.02.2016	39284	प्रकाश ट्रेडर्स	211689
485051	19.02.2016	379174	प्रकाश ट्रेडर्स	211689
485057	18.04.2016	6087	बांके ब्रिक	211449
485058	18.04.2016	37634	प्रकाश ट्रेडर्स	211689
485059	18.04.2016	44574	प्रकाश ट्रेडर्स	211689
485060	18.04.2016	17667	प्रकाश ट्रेडर्स	211689
608401	18.04.2016	240664	प्रकाश ट्रेडर्स	211689
608402	18.04.2016	119374	प्रकाश ट्रेडर्स	211689
608403	01.06.2016	8471	बांके ब्रिक	211449
608408	01.06.2016	36859	प्रकाश ट्रेडर्स	211689
	योग —	1373432.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु० 1373432.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु० 1373432.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा०आप०सं० 4 क**

आपत्ति संख्या-436—मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:—

कुल दर्शित भुगतान रु० 3117979.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म का कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है सामग्री आमादा/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति की संदिग्ध रही है। इससे स्पष्ट है कि फर्म के मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनावद्ध तरीके आहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा०आप०सं० 4 ख**

आपत्ति संख्या-437—रु० 72838.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाना:—

वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 72838.00 की टी०डी०एस० की कटौती की गयी है काटे गये टी०डी०एस० अंकन रु० 72838.00 की जमा की पुष्टि में ईष्यू चैक नं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया हैं जिस कारण उपरोक्तानुसार की कार्यवाही अपेक्षित है। **समा०आप०सं० 5**

आपत्ति संख्या-438—आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 3641894.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 145675.00 के व्यापार कर की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु० 145023.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु० 652.00 कटौती नहीं की गयी है जिससे रु० 652.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु० 652.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है। **समा०आप०सं० 6**

आपत्ति संख्या-439—मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 698750.00 मजदूरी/ क्रमांश का भुगतान मजदूरों का करके

कार्यप्रभारी श्री भरत सिंह, श्री प्रेम शंकर पाली/पदनाम सहायक विकास अधिकारी को रु0 698750.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियां में जो मास्टर रोल संलग्न पाये हैं उन पर मास्टर रोल नं0 अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणिक नहीं है जहां कहीं हस्ताक्षर वहां मास्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

समा0आप0सं0 3

आपत्ति संख्या-440-आपूर्तिकर्ता फर्म को चैक निगमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में कराना
सामग्री मद में कुल रु0 2664956.00 भुगतान में से रु0 394412.00 नियमानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है।

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित ह0/प्राप्तकर्ता	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
608436	30.07.2016	11340.00	प्रकाश ट्रेडर्स	अज्ञात ट्रान्सफर
608435	30.07.2016	13378.00	बांके बिहारी	अज्ञात ट्रान्सफर
9	30.12.2016	38117.00	प्रकाश ट्रेडर्स	सन्डी
17	02.02.2017	12842.00	प्रकाश ट्रेडर्स	सन्डी
2	15.10.2016	99865.00	भारत मशीन	अज्ञात ट्रान्सफर
1	15.10.2016	21887.00	बांके बिहारी	अज्ञात ट्रान्सफर
	योग	394412.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 394412.00 का चैक फर्म को पत्रावली में दर्शाया गया उन चैक भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रमक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 394412.00 का आहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 4 क**

आपत्ति संख्या-441-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण

कुल दर्शित भुगतान रु0 2664956.00 में से रु0 2291861.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है उसमें से 1897449.00 बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही है। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनावद्ध तरीके से आहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 4 ख**

आपत्ति संख्या-442-रु0 53301.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाना

वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 53301.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री (उपलब्ध पत्रावलियों के अनुरूप) क्रय रु0 2664956.00 की दर्शित है जिस पर 2 प्रतिशत की दर से रु0 53299.00 टी0डी0एस0 होता है काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 53301.00 की जमा की पुष्टि में इष्टू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 5**

आपत्ति संख्या-443-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2664956.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 106597.00 की कटौती की गयी है। काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 106597.00 की जमा की पुष्टि में इष्टू चैक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है जिस कारण टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **समा0आप0सं0 6**

नवाबगंज

आपत्ति संख्या-444-मास्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को:-

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन 1772980.00 रु0 मजदूरी/ क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न

करके कार्य प्रभारी श्री कमल कुमार ग्राम विकास अधिकारी को रू0 797000.00 एवं श्री अमित गंगल ग्राम विकास अधिकारी रू0 270600.00 श्री तुलाराम ग्राम विकास अधिकारी को रू0 172270.00 एवं श्री संजीव कुमार ग्राम विकास अधिकारी को रू0 463200.00 एवं श्री अजय दूबे को रू0 69910.00 भुगतान कर दिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे किस गांव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

मस्टर रोल का अधिकांश भुगतान नकद किया जाना स्टेटमेन्ट में दर्शित है इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वास्तव में इसका भुगतान किसे हुआ है। ग्राम ईद जागीर में एन0एच0 से नत्थू लाल के घर से शर्मा जी के घर तक सी0सी0 कार्य हेतु रू0 51190.00 के मस्टर रोल पर 18 मजदूरों ने कार्य किया है परन्तु उक्त मस्टर रोल पर 19 मजदूरों के अगूँठा निशानी प्राप्त किये गये है।

ग्राम ढकिया खैरुद्दीन में मूल चन्द्र के घर से देव स्थान तक मिट्टी खड़जा निर्माण हेतु मास्टर रोल रू0 49360.00 एवं मास्टर रोल रू0 39900.00 पर क्रमशः मजदूर क्रमांक 617 पर तथा क्रमांक 1 से 12 तक मजदूर एक ही नाम के है। अतः रू0 190 की दर से 12 मजदूरों का 14 दिन की मजदूरी रू0 31920.00 का भुगतान स्पष्ट रूप से फर्जी किया गया है।

कमुआ नहर की पुलिया से सावर खेड़ा मार्ग पर मिट्टी खड़जा कार्य से सम्बन्धित मास्टर रोल पर दिनांक स्पष्ट अंकित नहीं किया गया है। मास्टर रोल रू0 53200.00 क्रमांक 21 से 40 पर अंकित मजदूरों के नाम एवं मास्टर रोल रू0 53200.00 क्रमांक 1 से 20 पर अंकित मजदूरों के नाम एक ही तथा एक ही तिथियों में कार्यरत है। तथा मास्टर रोल रू0 4370.00 पर मजदूर श्री राम पाल पुत्र श्री बाबू राम मास्टर रोल रू0 53200.00 में उन्ही तिथि में कार्य कर रहे है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट हो रहा है कि धन खपाने के लिये मात्र कागजी कार्यवाही पूरी की गयी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 1772980.00 का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0 5**

आपत्ति संख्या-445-आपूर्तिकर्ता फर्म/व्यक्ति को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल रू0 7024493.00 भुगतान में से रू0 1917839.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है अथवा नकद दर्शित है।

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित ह0/प्राप्तकर्ता	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
216495	03.03.15	6000 38243	राकेश कुमार	नगद
889289	14.10.2014	371240.00	युधिष्ठिर देव	क्लीयरिंग
216217	01.02.204	96327.00	युधिष्ठिर देव	क्लीयरिंग
216202	14.10.2014	213297.00	युधिष्ठिर देव	क्लीयरिंग
216211	05.11.2014	67950.00	युधिष्ठिर देव	क्लीयरिंग
216481	01.02.2015	167347.00	युधिष्ठिर देव	क्लीयरिंग
216491	02.03.201	203260.00	युधिष्ठिर देव	क्लीयरिंग
216494	03.03.2105	12056.00	युधिष्ठिर देव	नकद
216238	01.01.2015	186556.00 11857.00	युधिष्ठिर देव	क्लीयरिंग
216208	05.11.2014	72803.00	युधिष्ठिर देव	क्लीयरिंग
889290	14.10.2014	213294.00	युधिष्ठिर देव	क्लीयरिंग
216218	01.12.2014	60470.00	युधिष्ठिर देव	क्लीयरिंग
216480	01.02.2015	164889.00	युधिष्ठिर देव	क्लीयरिंग
161026	03.03.2015	6000.00	राकेश कुमार	नकद

161027	03.03.2015	20250.00 6000.00	राकेश कुमार	नकद
	योग	1917839.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 1917839.00 का चैक फर्म/व्यक्ति के नाम और आपूर्ति कर्ता के नाम निर्गत न दर्शाकर पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को किसे हुआ है स्पष्ट नहीं हैं। जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 1917839.00 का अनियमित भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0 6**

आपत्ति संख्या-446-रू 146370.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 7321.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-

वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 146370.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है। और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 7460725.00 की दर्शित है। जिस पर 2.06 की दर से रू0 153691.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 7321.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 146370.00 की जमा की पुष्टि में चालान उपलब्ध नहीं कराये गये। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आ0 सं0 09**

आपत्ति संख्या-447-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 7460725.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 298429.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 292636.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रू0 5793.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रू0 5793.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 5793.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

यहां उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एन0 कटौती की गई है फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये गये ही कच्चे बिल पर पाये गये। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान किया जाना चाहिए था किन्तु आलोच्य वर्ष में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उनपर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एन0 कटौती कुल अंकन रू0 292636.00 की गई। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा कराये जाने के प्रमाण स्वरूप चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित रूप में अवगत कराया अथवा नहीं। लेखाकार/खण्डविकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाये। **मूल आ0 सं0 10**

आपत्ति संख्या-448-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म /व्यक्ति को भुगतान

कुल दर्शित भुगतान रू0 7024493.00 में से रू0 5006654.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो अधिकांश प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। अतएव किया गया भुगतान मय ब्याज वसूली योग्य है। **आ0 सं0 07**

आपत्ति संख्या-449-वर्ष 2014-15 में 1661.97 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रू0 126656.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 प्रति धनमीटर की दर से रू0 49859.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से मय ब्याज कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा (घन मी)	धनराशि
01.12.2014	516	38700.00
—	509.91	38243.00
29.12.2014	158.10	11857.00
30.12.2014	74	5550.00

28.02.2015	270	20250.00
01.03.15	133.96	12056.00
योग	1661.97	126656.00

आलोच्य वर्ष में कई कार्यों में मिट्टी का उपयोग किया गया है जिसकी पत्रावली से ज्ञात हुआ कि उसके लिए कुटेशन/टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये हैं। मिट्टी समस्त प्रमाणक लैटर पैड पर है। जिस पर ट्रैक्टर जिससे ढुलाई की गयी की नं० अंकित नहीं है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **मूल आपात्ति सं० 11**

आपत्ति संख्या-450-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को:-

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन 894050.00 रु० मजदूरी/ क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री कमल कुमार ग्राम विकास अधिकारी को रु० 527340.00 एवं श्री अमित गंगल ग्राम विकास अधिकारी रु० 159745.00 श्री तुलाराम ग्राम विकास अधिकारी को रु० 104405.00 एवं श्री संजीव कुमार ग्राम विकास अधिकारी को रु० 102560.00 भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जरे अगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि मस्टर रोल का भुगतान कार्य समाप्ति के बहुत दिनों बाद किया गया है। मस्टर रोल का भुगतान नियमानुसार साप्ताहिक किया जाना था। विलम्ब से भुगतान होना यह इस सम्भावना को बल देता है। कि कार्य नहीं कराकर धनराशि आहरण कर बन्दर बाँट कर ली गयी। जो निम्न से स्पष्ट है-

मस्टर रोल की कार्य अवधि	चेक नं०	भुगतान की तिथि	धनराशि
06.10.15 से 18.10.15 20.09.15 से 04.10.15	089517	07.11.15	116595.00
06.10.15 से 21.10.15 20.09.15 से 04.10.15	089533	16.04.16	105505.00
27.08.15 से 07.09.15	089505	18.09.15	70875.00
07.10.15 से 19.10.15 20.09.15 से 05.10.15	089521	07.11.15	102560.00

04.10.15 से 06.10.15 15.09.15 से 30.09.15	089527	03.02.16	70205.00
19.07.15 से 30.07.15 01.08.15 से 09.08.15	161045 089489	03.08.15 18.08.15	49115.00 36765.00
28.07.15 से 10.08.15 18.07.15 से 09.08.15 09.05.15 से 20.05.15	089492	18.08.15	126825.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 894050.00 का वर्ष 2015-16 में योजना बद्ध तरीके से आहरण किया गया है। जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **मूल आपात्ति सं० 05**

आपत्ति संख्या-451-आपूर्तिकर्ता फर्म/ व्यक्ति को चैक निगमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में कराना

सामग्री मद में कुल रु० 3356627.00 भुगतान में से रु० 429142.00 नियमानुसार पत्रावली

में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है। अथवा नकद दर्शित है।

चैक सं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित ह०/प्राप्तकर्ता	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
089532	16.04.16	177383.00	राकेश कुमार	बी०सी० 25
161034	16.05.16	156759.00	युधिष्ठिर देव	आई०डब्लू क्लीयरिंग
1611035	16.05.15	95000.00	युधिष्ठिर देव	आई०डब्लू क्लीयरिंग
योग		429142.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू० 429142.00 का चैक फर्म/व्यक्ति को पत्रावली में दर्शाया गया उन चैक भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रमक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू० 429142.00 का अपहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **मूल आपात्ति सं० 06**

आपत्ति संख्या-452-रू० 70501.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू० 3002.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि- वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू० 70501.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू० 3568132.00 की दर्शिता है। जिस पर 2.06 की दर से रू० 73503.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रू० 3002.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन रू० 70501.00 की जमा की पुष्टि में चालान उपलब्ध नहीं कराये गये। **मूल आपात्ति सं० 09**

आपत्ति संख्या-453-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू० 3568132.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू० 142725.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू० 141004.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रू० 1721.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रू० 1721.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू० 1721.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

यहां उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी०डी०एस० कटौती की गई है फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये गये ही कच्चे बिल पर पाये गये। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान किया जाना चाहिए था किन्तु आलोच्य वर्ष में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उनपर 4 प्रतिशत की दर से टी०डी०एस० कटौती कुल अंकन रू० 141004.00 की गई। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा कराये जाने के प्रमाण स्वरूप चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित रूप में अवगत कराया अथवा नहीं। लेखाकार/खण्डविकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाये। **मूल आपात्ति सं० 10**

आपत्ति संख्या-454-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म/व्यक्ति को भुगतान

कुल दर्शित भुगतान रू० 3356627.00 में से रू० 2927485.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो अधिकांश प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। और न ही फर्म/व्यक्ति द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेषका स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। अतएव किया गया भुगतान मय ब्याज वसूली योग्य है। **मूल आपात्ति सं० 07**

आपत्ति संख्या-455-वर्ष 2015-16 में 573.00 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रू० 42975.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 प्रति घनमीटर की दर से रू० 17190.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड

विकास अधिकारी से मय ब्याज कराई जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा (घन मी)	धनराशि
15.05.15	573.00	42975.00
योग	573.00	42975.00

आलोच्य वर्ष में कई कार्यों में मिट्टी का उपयोग किया गया है जिसकी पत्रावली से ज्ञात हुआ कि उसके लिए कुटेशन/टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये हैं। मिट्टी समस्त प्रमाणक लैटर पैड पर है। जिस पर ट्रैक्टर जिससे डुलाई की गयी की नं० अंकित नहीं है। **मूल आपात्ति सं० 11**

आपत्ति संख्या-456-मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों का:-

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन 655190.00 रु० मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राजीव सक्सेना सहायक विकास अधिकारी (सी) रु० 249600.00 एवं श्री संजीव कुमार ग्राम विकास अधिकारी रु० 405590.00 भुगतान कर दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जरे अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी उललेख नहीं है।

(क)पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि मस्टर रोल का भुगतान कार्य समाप्ति के बहुत दिनों बाद किया गया है। मस्टर रोल का भुगतान नियमानुसार साप्ताहिक किया जाना था। विलम्ब से भुगतान होना यह इस सम्भावना को बल देता है कि कार्य नहीं कराकर धनराशि आहरण कर बन्दरबॉट कर ली गयी। जो निम्न से स्पष्ट है-

मस्टर रोल की कार्य अवधि	चेक नं०	भुगतान की तिथि	धनराशि
06.02.17 से 09.02.17	094483	31.05.17	66565.00
10.02.17 से 24.02.17	094486	01.06.17	45280.00
23.03.17 से 25.03.17			
05.04.17 से 15.04.17			
01.09.16 से 14.09.16	092644	27.09.16	54125.00
16.09.16 से 30.09.16	165080	27.10.16	51820.00
18.02.17 से 01.03.17	089551	16.05.17	109195.00
03.03.17 से 20.03.17	095593	15.11.17	20250.00
10.02.17 से 15.02.17			
05.02.17 से 17.02.17	165094	16.03.17	65975.00
24.01.17 से 04.02.17	089542	01.04.17	60375.00
11.03.17 से 15.03.17			
01.03.17 से 10.03.17			
08.09.16 से 21.09.16	092647	03.10.16	43850.00

(ख)ग्राम बिजामऊ से अशोक बाबू के बाग के तिराहे से सी०सी० रोड निर्माण कार्य पर मस्टर रोल रु० 54125.00 से भुगतान एवं पंडरा में लिंक रोड से पुलिया तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य पर मस्टर रोल रु० 35830.00 से भुगतान के जांच में पाया कि मजदूर सोमपाल पुत्र श्री दीनदयाल दिनांक 02.09.16 से 12.09.16 तक दोनों की मस्टर रोल पर है अतः मजदूरी दर रु० 225.00 से 10 दिन का भुगतान कुल रु० 2250.00 स्पष्ट रूप से फर्जी पाया गया।

इसी प्रकार मस्टर रोल रु० 35830.00 पर मजदूर इरफान पुत्र इब्राहीम दिनांक 08.09.16 से 12.09.16 तक रिछोला किफायतुल्ला में नहर से रोड से सी०सी० रोड निर्माण हेतु मस्टर रोल रु० 43850.00 पर भी उपस्थित पाया गया। अतः मजदूरी दर 225.00 से 5 दिन का भुगतान 1125.00 स्पष्ट रूप से फर्जी पाया गया।

ग्राम बिजामऊ से अशोक बाबू के बाग के तिराहे से सी०सी० रोड निर्माण कार्य पर मस्टर रोल रु० 51820 पर कार्य करने वाले मजदूरों क सं० 20 है जबकि कि 22 मजदूरों के निशानी अगूँठा भुगतान प्राप्ति की पुष्टि में अंकित है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मस्टर रोल फर्जी बनाकर भुगतान दर्शाया

गया है।

(ग)बहोरा नगला लिंक रोक से होली चौराहे तक सी0सी0 निर्माण कार्य से सम्बन्धित मस्टर रोल रु 56025.00 एवं रु0 53170.00 पर कार्य करने वाले मजदूरों के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी अंकित नहीं पाया गया। इसी प्रकार ग्राम धरौरा में पीपल के पेड़ से चौराहे तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य सम्बन्धित मस्टर रोल रु0 37880.00 पर कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या 13 जबकि 15 मजदूरों के निशानी अंगूठा अंकित पाये गये।

उपरोक्त स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 655190.00 का वर्ष 2016-17 में योजनावद्ध तरीके से आहरण किया गया है जिसके लिए बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-05

आपत्ति संख्या-457-आपूर्तिकर्ता फर्म/ व्यक्ति को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल रु0 2200843.00 भुगतान में से रु0 632819.00 नियमानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है।

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित ह0/प्राप्तकर्ता	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
092641	09.09.16	199515.00	आदर्श बिल्डिंग मेटेरियल	ओ0बी0सी0 1940
092642	09.09.16	49250.00	रहीम ब्रिक फील्ड	575602/3
165079	27.10.16	14100.00	रहीम ब्रिक फील्ड	575602/3
165092	25.02.17	6000.00	आदर्श कन्स्ट्रक्शन/संजीव कुमार	राजीव सक्सेना
161050	11.08.16	59220.00	रहीम ब्रिक फील्ड	575602/03
092633	26.08.16	180714.00	आदर्श बिल्डिंग मेटेरियल	ओ0बी0सी0 1998
092635	26.08.16	41520.00	रहीम ब्रिक फील्ड	575602/3
092637	01.09.16	70500.00	आदर्श बिल्डिंग मेटेरियल	ओ0बी0सी0 1909
165091	25.02.17	6000.00	संजीव कुमार	राजीव कुमार
165093	25.02.17	6000.00	आदर्श बिल्डिंग मेटेरियल	संजीव कुमार
योग		632819.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 63.2819.00 का चैक फर्म/व्यक्ति के नाम और आपूर्तिकर्ता के नाम निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया उन चैक भुगतान सम्बन्धित को किसे हुआ है स्पष्ट नहीं है। जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रमक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 632819.00 का अनियमित भुगतान/आहरण किया गया है। संबंधित से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **मूल आपत्ति सं0-06**

आपत्ति संख्या-458-रु0 46527.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 1683.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-

वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 46527.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2340324.00 की दर्शित है। जिस पर 2.06 की दर से रु0 48210.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 1683.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण

अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु0 46527.00 की जमा की पुष्टि में चालान उपलब्ध नहीं करायें गये। **मूल आपात्ति सं0 08**

आपत्ति संख्या-459-आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2340324.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 93613.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 92954.00 कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 657.00 कटौती नहीं की गई है। जिससे रु0 657.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसके सम्बन्ध विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 657.00 की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

यहां उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एन0 कटौती की गई है फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये गये ही कच्चे बिल पर पाये गये। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान किया जाना चाहिए था किन्तु आलोच्य वर्ष में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उनपर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एन0 कटौती कुल अंकन रु0 92954.00 की गई। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा कराये जाने के प्रमाण स्वरूप चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म को की गई कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति से लिखित रूप में अवगत कराया अथवा नहीं। लेखाकार/खण्डविकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा कराया जाये।

मूल आपात्ति सं0 09

आपत्ति संख्या-460-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म /व्यक्ति को भुगतान

कुल दर्शित भुगतान रु0 2200843.00 में से रु0 1568024.00 का भुगतान सम्बन्धित को जो दर्शित किया गया है वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो अधिकांश प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। और न ही फर्म/व्यक्ति द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। अतएव किया गया भुगतान संबंधित से मय ब्याज वसूली योग्य है।

निश्कर्ष-उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है वर्ष 2016-17 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य की मजदूरी कमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये सामग्री आपूर्ति/स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया। इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया और स्पष्ट पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी है यहाँ तक कतिपय चैकों का भुगतान प्रमाणकों के आधार पर फर्मों को कराना पत्रावलियों उल्लेखित है परन्तु बैंक खातों में यह भुगतान कोई लिया गया है।

मूल आपात्ति सं0 07-03

जनपद — पीलीभीत

वर्ष— 2017-18

मण्डल — बरेली

क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियां-

प्रस्तर संख्या- 01

कमांश में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण-

वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु01234950.00 मजदूरी / कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री रोहितेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी को रु0 22800.00 एवं श्री संजीव सिंह कटियार एडीओ (एसटी) को रु0193290.00 एवं श्री अरुण सिंह दीक्षित, ग्रा0वि0अधि0 को रु0 235740.00 व श्री कन्हई लाल ग्रा0 वि0 अधि0 को रु0 210900.00 श्री पंकज शर्मा ग्रा0 वि0 अधि0 को रु0 78100.00 श्री पवन पटेल ग्रा0 वि0 अधि0 को रु0 49700.00 श्री करन सिंह नावियाल एडीओ(आईएसबी) को रु0 401720.00 तथा श्री सुरेन्द्र सिंह ग्रा0 वि0 अधि0 को रु0 42700.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है एवं एमआर पर लम्बाई-चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया गया है, साथ ही साथ एमआर पर विकास खण्ड से जारी क्रमांक संख्या एवं तिथि अंकित नहीं है व पेड एण्ड कैन्सिल्ड की मोहर अंकित नहीं है, मापांकन पुस्तिका का बुक नं0 एवं पेज नं0 भी अंकित नहीं है। उदाहरण स्वरूप- पूरनपुर देहात में हाफिज नईम के घर से मतीन के घर तक नाली व खड़ण्जा कार्य पर मस्टर रोल पर श्रमिकों की उपस्थिति अंकित है। तथा रु0 11960.00 भुगतान प्राप्ति पर अंगूठा निशान अंकित भी है। बाद में क्रमांक सं0- 10 पर सलमान पुत्र श्री मुन्ने खां के नाम एवं उपस्थिति काट कर उक्त भुगतान रु0 11000.00 दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी श्री करन सिंह नावियाल द्वारा काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर भुगतान किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1234950.00 का वर्ष 2011-12 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये बी0डी0ओ0/ जे0ई0/ लेखाकार/ कार्य प्रभारी/ ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0-03 पूरनपुर)

● **प्रस्तर संख्या- 02** मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण-

सामग्री कय पर कुल भुगतान ₹0 5453766.00 सम्बन्धित फर्म को किया गया दर्शित है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पास बुक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 2013405.00 का भुगतान बैंक द्वारा खाते के अनुसार ट्रान्सफर द्वारा किया गया है परन्तु बैंक स्टेटमेंट में आपूर्तिकर्ता फर्म / प्राप्तकर्ता का नाम अंकित नहीं किया गया है, जो लेखा नियमों के विपरीत है। जबकि बैंक स्टेटमेंट में निम्न नियमतः आपूर्तिकर्ता फर्म/ प्राप्त कर्ता का नाम अंकित रहना चाहिए था। शेष धनराशि ₹0 3440361.00 आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया है। सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाये गये वो समस्त प्रमाणक फर्म को देय कैश में / कच्चे बिल पर है। प्रमाणकों पर देय टैक्स का दर व धनराशि भी अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई माँग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही।

सिंह स्पन पाइप इण्डस्ट्रीज लखीमपुर खीरी का बुक नं 6 -सी नं 289 सेल इनवायस दिनांक- 28.06.2011 से मथना जप्ती स्कूल के पास पुलिया निर्माण ₹0 38094.00 का यूम पाइप सप्लाई दर्शाया गया है जबकि उक्त फर्म के बुक नं 6 -सी नं 290 दिनांक- 14.06.2011 से मथना जप्ती में वासखेड़ा मार्ग पर पुलिया निर्माण ₹0 115492.00 का ह्यूम पाइप सप्लाई दर्शाया गया है। सेल इनवायस सी नं 289 दिनांक- 28.06.2011 का है जबकि 290 दिनांक- 14.06.2011 का है। स्पष्ट है कि प्रमाणक फर्जी है। ग्राम टिब्बा (कबीरगंज) से इकवाल सिंह के घर तक खड़गंजा तक निर्माण दयाल ब्रिक्स फील्ड पिपरिया नवदिया पीलीभीत से क्रमशः ₹0 290900.00 तथा ₹0 125960.00 का ईट कय दर्शाया गया है। प्रमाणक फर्म के स्टीमेट पर है। ग्राम कजरी निरंजनपुर में डण्डवा रोड पर गुलजार सिंह के खेत के पास पुलिया निर्माण पर दयाल बन्धु ईट माह के प्रमाणक सं- 485 दिनांक- 17.03. 2012 से ₹0 86340.00 का ईट तथा प्रमाणक सं- 469 दिनांक- 30.03.2012 से ₹0 22080.00 का ईट क्रय दर्शाया गया है। प्रमाणक सं- 485 दिनांक- 17.03.2012 का है। जबकि प्रमाणक सं- 469 दिनांक- 30.03.2012 का है। स्पष्ट है कि प्रमाणक फर्जी है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामग्री आपूर्ति काल्पनिक है। फर्म से मिली भगत कर मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। उक्त ₹0 5453766.00 के अपहरण के लिए बी0डी0ओ0 / लेखाकार / कार्य प्रभारी / जे0ई0 / ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष- 2011-2012 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी / कर्मांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये, सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी माँग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही अपुष्टि रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ आहरण / भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं। (सामान्य आपत्ति सं- 04 पूरनपुर)

● **प्रस्तर संख्या- 03** वर्ष 2011-2012 में ₹0 172797.00 मिट्टी क्रय हेतु भुगतान दर्शाया गया है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम सं०	निर्माण कार्य का नाम	कार्य प्रभारी का नाम	दिनांक बैंक खाते के अनुसार	चैक नं०	मिट्टी क्रय पर भुगतान की गई धनराशि
1	पूरनपुर देहात पक्की रोड से सिटी सेन्टर तक नाला व खड़गंजा निर्माण	संजीव कुमार एडीओ (एसटी)	04.04.2012	543390	6516-00
2	पूरनपुर देहात में भगवन्तपुर रोड से पूरब वाली गली में खड़गंजा / नाली निर्माण	कन्हई लाल एडीओ(आईएसबी)	19.08.2011 08.09.2011	527451 527466	80400-00
3	घाटमपुर माधोपुर रोड से सोवरन सिंह के घर तक खड़गंजा	सरिन्द्र सिंह	22.11.2011	527499	9088-00
4	विकास खण्ड परिसर में खण्ड विकास अधिकारी आवास का मरम्मत एवं पुताई कार्य	संजीव कुमार एडीओ (एसटी)	04.04.2012	543383	21270-00
5	ग्राम खमरिया पट्टी से हाइवे रोड से आश्रम तक खड़गंजा / पुलिया	कन्हई लाल एडीओ(आईएसबी)	20.10.2011	527487	6180-00
6	ग्राम पूरनपुर देहात में वार्ड नं०- 8 से हाशिक अहमद से अलाउद्दीन के घर तक नाली और खड़गंजा	करन सिंह नवियाल	04.04.2012 21.05.2012	543381 000013	8100-00 2116-00
7	ग्राम लोहरी पुर में मेन रोड से हेत राम के घर तक नाली / खण्डजा	संजीव सिंह कटियार	23.05.2012	000023	177.66
8	पूरनपुर देहात में हाफिस नईम के घर से मतीम के घर तक नाली व खड़गंजा कार्य	करन सिंह नवियाल	29.03.2012	543374	8778-00
9	पूरनपुर देहात में वार्ड नं०- 13 में मो० उमर से मेहदी हसन के घर तक नाली व खड़गंजा कार्य	करन सिंह नवियाल	29.03.2012	543372	12583-00
		योग	-	-	172797-00

उक्त भुगतान किये गये धनराशि ₹0 172797.00 की पुष्टि में मिट्टी कय प्रमाणक पर मिट्टी की मात्रा दर व ट्रैक्टर संख्या एवं आपूर्तिकर्ता का नाम पता अंकित नहीं रहा। साथ ही रायल्टी की कटौती का कोई भी विवरण अंकित नहीं पाया गया। उक्त भुगतान आपूर्तिकर्ता को न कर कार्य प्रभारियों को अनियमित तरीके से किया गया है। उक्त से स्पष्ट होता है कि कार्य प्रभारियों से साठ-गांठ कर ₹0 172797.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी / सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी / लेखाकार / कार्य प्रभारी से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं- 08 पूरनपुर)

● **प्रस्तर संख्या- 04** लेखा परीक्षा वर्ष- 2011-12 में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त से सम्बन्धित कुल ₹0 6974555.00 की ही निर्माण पत्रावलियां प्रस्तुत की गयीं। जबकि बैंक खातों से निम्न विवरणानुसार धनराशि आहरित की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है।

वर्ष	आहरित धनराशि	अनुदान पंजी के अनुसार	अन्तर धनराशि
बैंक के अनुसार आहरित धनराशि	13255135-00	14369227.95	1114092.45
उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार व्यय	6974555-00	6974555-00	00
योग-	6280580.50	7394672.95	1114092.45

बीओबी खाता सं 06970100009509

₹012189793.50

बीओबी खाता सं 06970100007985

₹01065342.00

योगरू013255135.50

वर्ष— 2011-12 में वीओवी खाता सं 06970100009509 एवं वीओवी खाता सं 06970100007985 के द्वारा क्रमशः रू0 12189793.50 एवं रू0 1065342.00 कुल धनराशि रू0 13255135.50 का आहरण कर व्यय किया गया। परन्तु उक्त के सापेक्ष मात्र रू0 6974555.00 की निर्माण कार्य पत्रवली ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी। शेष आहरित धनराशि रू0 6280580.50 की पुष्टि में कोई निर्माण / विकास पत्रावलियां एवं अन्य सुसंगत अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण उक्त आहरण धनराशि पूर्णतः अप्रमाणित रही। अतः उक्त खातों से अपुष्टि धनराशि रू0 6280580.50 के व्यय से सम्बन्धित मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी / खण्ड विकास अधिकारी / लेखाकार / अवर अभियन्ता / कार्य प्रभारी से विभागीय कार्यवाही के साथ ब्याजसहित वसूली कराई जानी अपेक्षित रही। (सामान्य आपत्ति सं0— 09 पूरनपुर)

● **प्रस्तर संख्या— 05 कमांश का मजदूरों को भुगतान काल्पनिक मस्टर रोल के आधार पर किया जाना—**

वर्ष 2011-12 में विविध निर्माण कार्यों पर कुल अंकन रू0 650525.00 कमांश/ मजदूरी का भुगतान के सापेक्ष मात्र रू0 75420.00 ही श्रमिकों के खाते में क्रेडिट किये गये हैं शेष रू0 575105.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री आभास कुमार सह0 वि0 अधिव(सा) को किया गया है, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से हो रही है। मस्टर रोल पर अंकित श्रमिकों के हस्ताक्षर 1 अंगूठा निशानी प्रमाणित नहीं पाये गये, साथ ही मजदूरों के हस्ताक्षर मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर में पाये गये। कार्य पर लगे मजदूरों का पता तथा महिला, पुरुष, अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भी मस्टर रोल पर मस्टर रोल क्रमांक (प्रिटेड) नहीं पाया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी द्वारा फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावलियों के साथ संलग्न किया गया है तथा मजदूरी/कमांश अंश का कुल अंकन रू0 575105.00 वर्ष 2011-12 में योजनावद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये कार्य प्रभारी, लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सम्यक पुष्टि उपरान्त तदनुसार सम्बन्धितों से ब्याजसहित बसूली की जानी समीचीन है। (सामान्य आपत्ति संख्या—3 मरौरी)

● **प्रस्तर संख्या— 06 (क) आपूर्ति कर्ता फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना—**

वर्ष 2011-12 के तालिका -2 के सामग्री अंश में भुगतान निम्न विवरण अनुसार किया जाना दर्शित है। यहां पर उल्लेखनीय हैं। कि चैक निर्गमन व्यक्ति/ फर्म को दर्शित हैं, परन्तु बैंक खाते के जांच में पाया गया कि वास्तविक भुगतान कार्य प्रभारी को प्राप्त हुआ है। विवरण अधोलिखित हैं।

क्रम सं0	चैक संख्या	दिनांक	धनराशि (रू0 में)	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	चैक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
1	79218	28.11.2011	5040-00	नथूलाल	श्री आभास कुमार
2.	79224	03.10.2011	9828-00	नथूलाल	श्री आभास कुमार
3.	79213	17.10.2011	7086-00	अल्फा ब्रिक फील्ड	श्री आभास कुमार
4.	9660	27.12.2011	13000-00	छावड़ा ब्रिक फील्ड	श्री आभास कुमार
5.	70704	07.01.2012	5250-00	छावड़ा ब्रिक फील्ड	श्री आभास कुमार
6.	9652	12.12.2011	451-00	छावड़ा ब्रिक फील्ड	श्री आभास कुमार
		योग	40665-00		

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सामग्री क्रम के भुगतान में फर्जी/भ्रामक वाउचर प्रस्तुत कर अंकन रू0 40655.00 का अपहरण कार्य प्रभारी श्री आभास कुमार द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याजसहित वसूली लेखाकार कार्य प्रभारी तथा खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना चाहिये। (सामान्य आपत्ति संख्या—4 क मरौरी)

● **प्रस्तर संख्या— 07** वित्तीय वर्ष 2011-12 में विभिन्न निर्माण पत्रावलियों के अनुसार कुल रू0 3031328.00 सामग्री अंश पर व्यय किया जाना दर्शित है। जबकि उक्त के सापेक्ष कुल कमांश / मजदूरी पर व्यय रू0 650525.00 व्यय दर्शित है। आपत्ति सं0— 3 के आलोक में रू0 75420.00 का ही मजदूरी / कमांश श्रमिकों के खातों में क्रेडिट किए जाने की बैंक अभिलेखों से पुष्टि हो रही है। जबकि उक्त रू0 75420.00 के कमांश व्यय से रू0 262392.00 (वर्ष 2011-12 तालिका— 02 कमांश— 12) के निर्माण कार्यों की पुष्टि पत्रावलियों से होती है। इस प्रकार अन्तर रू0 3031328 - 262392.00 = 2768936.00 के सापेक्ष कमांश रू0— 575105.00 आपत्ति सं0 के अनुक्रम में अपहरण किए गए हैं। उक्त रू0 2768936.00 में से रू0 40655.00 का भुगतान / आहरण कार्य प्रभारी द्वारा एवं रू0 61576.00 टी0डी0एस0 कटौती के रूप में दर्शित राशि घटाने के उपरान्त शेष रू0 2666705.00 सामग्री अंश पर किए गए व्यय के सापेक्ष मजदूरी / कमांश की धनराशि का अपहरण कार्य प्रभारी द्वारा किए जाने (आपत्ति सं0— 03 के अनुरूप) सामग्री आपूर्ति चालान एवं सामग्री आमद / उपभोग व शेष व सत्यापित कार्यपूति प्रमाण—पत्र इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेखों के अभाव में उक्त धनराशि रू0 2666705.00 का अपहरण माने हुए सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों से ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या—4 ख मरौरी)

● **प्रस्तर संख्या— 08** टी0डी0एस0 की पुष्टि न हो पाने तथा टी0डी0एस0 कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि रू—वर्ष 2011-12 में व्यय प्रमाण पत्रों के सापेक्ष कुल अंकन रू0 3031328.00 का भुगतान विभिन्न फर्मों/व्यक्तियों को दर्शित है उक्त भुगतान के सापेक्ष कुल अंकन रू0 61576.00 का टी0डी0एस0 काटा जाना दर्शित है जबकि 2.26 प्रतिशत की दर से कुल रू0 3031328.00 पर अंकन 68508 रू0 का टी0डी0एस0 वर्ष दौरान होना चाहिये था। इस प्रकार कुल अंकन रू0 6932.000 से टी0डी0एस0 कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि की गयी इस प्रकार कम काटे गये टी0डी0एस0 के बराबर वसूलनीय दण्ड शुल्क के साथ आहरणद्वितरण अधि0/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना चाहिये। साथ ही साथ काटे गये टी0डी0एस0 की जमा पुष्टि में इश्यू चैक नम्बर / बैंक स्टेटमेंट / चालान/दाखिल रिटर्न इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे उक्त रू0 61576.00 काटे गये टी0डी0एस0 के जमा कराये जाने की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त रू0 68508.00 टी0डी0एस0 की ब्याजसहित वसूली नियमानुसार सम्बन्धित कर्मचारी अधिकारी से की जानी चाहिये। (सामान्य आपत्ति संख्या—5 मरौरी)

● **प्रस्तर संख्या— 09** आलोच्य वर्ष 2011-12 में कुल सामग्री क्रय अंकन रू0 3031328.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू. 121253.12 का व्यापार कर (वैट) की कटौती की जानी चाहिये थी जो कि नहीं की गयी है। इस प्रकार रू0 121253.12 का राजकीय राजस्व की हानि व्यापार कर के रूप में हुई। अतः रू. 121253.12 का व्यापार कर की हानि की ब्याजसहित वसूली आहरण वितरण अधिकारी / विकास अधिकारी से करके राजकीय कोशागार में जमा करके चालान से पुष्टि की जानी चाहिए। (सामान्य आपात्ति संख्या—06 मरौरी)

● **प्रस्तर संख्या— 10** वर्ष 2011-12 में 584.90 घन मी0 मिट्टी क्रय/आपूर्ति हेतु कुल रू0 40614.00 का भुगतान अधोलिखित विवरण अनुसार किया गया है। जिसपर नियमानुसार रू0 9.00/ घन मी0 की दर से कुल रू0 5263.50 रायल्टी वसूल की जानी चाहिये थी। रायल्टी वसूल न करके राजकीय राजस्व की हानि की गयी है, जिसकी ब्याजसहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी चाहिये।

वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त मिट्टी की दर्शित मात्रा का विवरण—

क्रम सं0	दिनांक	चैक सं0	मिट्टी की मात्रा	धनराशि में	प्रति दर में	अभ्युक्ति
01	28.11.2011	79218	84-00	5450-00	756-00	रायल्टी नहीं काटी गयी।

02	03.10.2011	29224	163.80	9828-00	1774-00	रायल्टी नहीं काटी गयी।
03	17.10.2011	79213	118.10	7086-00	1062.30	रायल्टी नहीं काटी गयी।
04	27.12.2011	9660	156-00	13000-00	1404-00	रायल्टी नहीं काटी गयी।
05	07.01.2012	70704	63-00	5250-00	567-00	रायल्टी नहीं काटी गयी।
			584.90 घनमी०	40614-00	5263.50	

(सामान्य आपाति संख्या -07 मरौरी)

- **प्रस्तर संख्या- 11** विकास खण्ड मरौरी के अर्न्तगत क्षेत्र पंचायत मरौरी के वर्ष 2011-12 के निमित्त खुले विभिन्न बैंक खातों पंजाब एण्ड सिंध बैंक खाता संख्या 9516 ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स खाता संख्या 27420, इण्डियन बैंक खाता संख्या 9205 बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 1655 का समेकित प्रारम्भिक अवशेष रू० 551434.32, वर्ष में प्राप्त रू० 4119705.00 वर्ष में व्यय रू० 4023712.00 एवं वर्षान्त में अवशेष रू० 647427.32 था। जबकि ग्रांट रजिस्टर के अनुसार दर्शित प्रारम्भिक अवशेष रू० 229342.32, वर्ष में प्राप्त रू० 3997808.00, वर्ष में व्यय रू० 3588724.00 एवं वर्षान्त में अवशेष रू० 647426.32 रहा अन्तर्गत के बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये।

जबकि उपरोक्त अवधि की लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गयी गई निर्माण पत्रावलियों में दर्शित व्यय लेखा परीक्षा आगणन के अनुसार रू० 3681853.00 होता है एवं वर्ष दौरान बैंक स्टेटमेंट पासबुक के अनुसार 4023712.00 आहरित किये जाने की पुष्टि हो रही है। इस प्रकार अन्तर रू० 341859.00 का व्यय अपुष्टि रहा। वित लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के पैरा 08(क) के अनुसार व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय की गयी समस्त धनराशि को गबन (अपहरण) मानते हुये वसूली का प्रावधान है। अतः लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में अन्तर धनराशि रू० 341859.00 की सम्यक पुष्टि उपरान्त सम्बन्धित लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत से ब्याजसहित वसूली की जानी संस्था हित में होगी। (सामान्य आपाति संख्या-13 मरौरी)

- **प्रस्तर संख्या- 12** कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान रू० वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन रू० 834210.00 मजदूरी/अमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, सहा० विकास अधिकारी (सहकारिता) को र 381560.00 श्री दिनेश कुमार सिंह, ए० डी० ओ० (आई.एस.बी.) को रू० 191480.00 श्री प्रेम शंकर, ग्राम पंचायत अधिकारी को रू० 102660.00 श्री यशवंत कुमार सक्सेना, ग्राम पंचायत अधिकारी को रू० 94540.00 एवं श्री विकास पाण्डेय, ग्राम विकास अधिकारी को रू० 63970.00 कर दिया गया है।

मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है। वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली विकास खण्ड पर लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि किस कम सं० के मस्टर रोल किस कार्य हेतु किस दिनांक को निर्गत किये गये हैं। मनमाने ढंग से मस्टर रोल तैयार कर भुगतान किया गया है। (वर्ष में उपलब्ध कराई गई कुल 23 कार्यों की पत्रावलियों के अनुसार)।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू० 834210.00 का वर्ष- 2011-12 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी/ जे०ई०/ लेखाकार/ कार्य प्रभारी/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 03 अमरिया)

- **प्रस्तर संख्या- 13** आपूर्तिकर्ता / फर्म को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को / अन्य के खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में रू० सामग्री मद में कुल रू० 5294015.00 के भुगतान में से रू० 462335.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। बैंक तो फर्म / व्यक्ति को निर्गत दर्शित हैं किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति / खाते में है -

बैंक सं०	दिनांक	धनराशि	बैंक जिसके नाम दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान कर्ता
519154 519154	25..4.2011	22805-00 11599-00	एफ. आर. इण्टरप्राइजेज निरंजन लाल गुप्ता एण्ड संस	प्रेमशंकर ग्राम पंचायत अधिकारी कार्य प्रभारी
524937	15.11.2011	17520-00 20100-00 23020-00 22674-00 4305-00 24300-00	पार्वती ब्रिक फील्ड जिरौनियां, बीसलपुर रोड पीलीभीत किसान ड्यूनी डाम विल्डिंग मैटैरियल स्टोर	वीरेन्द्र कुमार सिंह कार्य प्रभारी
525411	22.12.2011	13056-00 8750-00	मोईन सीमेन्ट एजेन्सी मिट्टी खरीद	यशवन्त सक्सेना, कार्य प्रभारी
200318	07.04.2011	15750-00 10000-00 133104-00	सलीम आयरन एण्ड पेन्ट स्टोर सितारगंज रोड अमरिया एफ.आर. इन्टर प्राइजेज	प्रेम शंकर, कार्य प्रभारी
522110	20.10.2011	12027-00	मोईन सीमेन्ट एजेन्सी	वीरेन्द्र कुमार सिंह, कार्य प्रभारी
524934	21.10.2014	12026-00	मोईन सीमेन्ट एजेन्सी	वीरेन्द्र कुमार सिंह, कार्य प्रभारी
524932	21.10.2014	12027-00	मोईन सीमेन्ट एजेन्सी	वीरेन्द्र कुमार सिंह, कार्य प्रभारी
519151	18.05.2011	2468-00	एफ.आर. इन्टर प्राइजेज	
522098	12.07.2011	24183-00 12349-00	गुलशन ब्रिक फील्ड किसन विल्डिंग मैटैरियल	वीरेन्द्र कुमार सिंह, कार्य प्रभारी

522099	12.07.2011	14323-00 14142-00 21280-00	किसन विल्डिंग मटेरियल गुलशन ब्रिक फील्ड गुलशन ब्रिक फील्ड	वीरेन्द्र कुमार सिंह, कार्य प्रभारी
524939	16.11.2011	3974-00 3500-00	जय अम्बे इन्डस्ट्रीज साइन बोर्ड	वीरेन्द्र कुमार सिंह, कार्य प्रभारी
522085	23.06.2011	5000-00 23150-00 4560-00	साइन बोर्ड निरंजन लाल गुप्ता गुलशन ब्रिक फील्ड	प्रेम शंकर, कार्य प्रभारी
522084	23.06.2011	7775-00	गुलशन ब्रिक फील्ड	प्रेम शंकर, कार्य प्रभारी
522095	12.07.2011	6000-00	सादे पेपर पर वाउचर	प्रेम शंकर, कार्य प्रभारी
519143	25.04.2011	23084-00	निरंजन लाल गुप्ता	दिनेश कुमार, कार्य प्रभारी
519142	25.04.2011	31312-00	मैद न्यू हिन्दुस्तान ब्रिक फील्ड	दिनेश कुमार, कार्य प्रभारी
519146 519146	12.05.2011 12.05.2011	26890-00 11636-00	निरंजन लाल गुप्ता गुलशन ब्रिक फील्ड	दिनेश कुमार, कार्य प्रभारी
522100	12.07.2011	5500-00	वाउचर लेटर पैड पर	दिनेश कुमार, कार्य प्रभारी
योग		462335-00		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 462335.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है परन्तु इन चैकों का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है एवं भुगतान होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा, जो बैंक स्टेटमेंट / खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में अंकन ₹0 462335.00 की गम्भीर अनियमितता की गई है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0- 4 क अमरिया)

● **प्रस्तर संख्या- 14 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना -**

कुल दर्शित भुगतान ₹0 5294015.00 में से ₹0 7831680.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक/स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे ₹0 4831680.00 का भुगतान सम्बन्धित अपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि में सही है, जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/ कैंशमेमों पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। इस प्रकार समग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से खपाई गई।

निष्कर्ष:- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011-12 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी / श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को दिया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान जारी नहीं किया गया। इस प्रकार की आमद ही अपुष्टि रही। पत्रावलियों में कभी भी किसी ने भी हस्ताक्षर के नीचे दिनोंक अंकित नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है पत्रावलियाँ आहरण / भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी/ जे0ई0/ लेखाकार/ कार्य प्रभारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0- 4 ख अमरिया)

● **प्रस्तर संख्या- 15 कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान- वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 210070.00 मजदूरी / कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री करन सिंह नावियाल, एडीओ (पीएसबी) को ₹0 97000.00 एवं श्री विजय सिंह एडीओ(सी) को ₹0 47890.00 एवं श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी) ₹0 65180.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अगूँडा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है एवं एम आर पर लम्बाई-चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया गया है, साथ ही साथ एम आर पर विकास खण्ड से जारी कमांक संख्या एवं तिथि अंकित नहीं है।**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 210070.00 का वर्ष 2011-12 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/ लेखाकार/कार्य प्रभारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-03 ललौरी खेड़ा)

● **प्रस्तर संख्या- 016 आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना -**

सामग्री मद में कुल ₹0 1132331.00 भुगतान में से ₹0 32385.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/ व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है -

चैक नं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
384592	24.10.2011	12992	मै0 न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर	ओमप्रकाश एडीओ (एसटी)
384582	24.10.2011	3000	मै0 पाल ट्रेडर्स	करन सिंह नावियाल एडीओ (पीएसबी)
384589	24.10.2011	16393	मै0 न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर	विजय सिंह एडीओ (सी)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 32385.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा, जो बैंक स्टेटमेंट/ खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दकर सामग्री मद में ₹0 32385.00

की गम्भीर अनियमितता की गई है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0- 4क ललौरी खेड़ा)

- **प्रस्तर संख्या- 17** मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना:- कुल दर्शित भुगतान ₹0 1132331.00 में से ₹0 1099946.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पास बुक/स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये हैं जिससे ₹0 827325.00 का भुगतान इलाहाबाद बैंक शाख नौगवा पकड़िया को ट्रांसफर किया गया है परन्तु बैंक स्टेटमेंट में आपूर्तिकर्ता फर्म/प्राप्तकर्ता का नाम अंकित नहीं किया गया है, जो कि लेखा नियमों के विपरीत है। जबकि बैंक स्टेटमेंट में नियमतः आपूर्तिकर्ता फर्म/प्राप्तकर्ता का नाम अंकित रहना चाहिए था। शेष धनराशि ₹0 272321.00 आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया है। जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण की गई। साथ ही ग्राम नौगवा पकड़िया में ग्राम से बाहर काशीराम आवास तक खड़जा निर्माण कार्य पर ₹0 112848.00 की सामग्री तो कय की गयी है परन्तु निर्माण पत्रावली में एम आर संलग्न नहीं पाया गया जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। एवं निर्माण पत्रावलियों के जाँच में पाया गया जो कराये गये कार्य ग्राम के अन्दर थे उसे अपरलेखन कर गांव के बाहर दर्शित किया गया है। गांव के अन्दर कार्य कराया जाना क्षेत्र पंचायत मार्गदशी राधाता क स्पष्ट उल्लंघन है समस्त पत्रावली/फाइल में श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। जो पूर्णतः अनियमित है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011-2012 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं, क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/ कर्मांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये, सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही अपुष्टि रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0- 4ख ललौरी खेड़ा)

- **प्रस्तर संख्या- 18** लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त आयोग योजना अन्तर्गत अनुदान पंजी के अनुसार ₹0 2201231.00 का व्यय/भुगतान निर्माण, कार्यों पर किया गया है। जिसके आहरण की पुष्टि बैंक खाता संख्या- 21716877267 से भी हो रही है परन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में बार-बार माँग किये जाने के बावजूद भी कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। आहरित / व्यय के पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर धनराशि को अपहरण मानते हुए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं कार्य प्रभारी से ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0- 8 ललौरी खेड़ा)

- **प्रस्तर संख्या- 19 कर्मांश का मजदूरों को भुगतान कटर्चित मस्टर रोल के आधार पर किया जाना-**

वर्ष-2011-12 में विविध निर्माण कार्य पर अकन ₹0 644400.00 का भुगतान कर्मांश/मजदूरी के रूप में कार्य प्रभारी को किया गया है, जिसका पुष्टि पर स्टेटमेंट से भी हो रही है, जबकि, नियमानुसार मजदूरी कर्मांश का भुगतान मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिये था। मस्टर रोल पर निर्माता के ही हस्तलेख में पाये गये/कार्य पर लगे मजदूरों के पता, महिला/पुरुष, अनु० जाति/अनु०जन जाति इत्यादि का भी उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भी मस्टर रोल पर मस्टर रोल क्रमांक छपा हुआ नहीं पाया गया।

वर्ष- 2011-12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये कार्य प्रभारी, लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी सामान रूप से उत्तरदायी हैं। मजदूरों को भुगतान कटर्चित मस्टर रोल के आधार पर किया जाना इस तथ्य से भी पुष्टि होता है कि वर्ष 2011-12 के एक ग्राम दौलतपुर पट्टी में कराए गए कार्य हेतु भुगतान दिनांक 31 जून, 2011 को भी किया गया है जबकि 31 जून होती ही नहीं है। विहित निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन न किए जाने को एक मानवीय भूल के रूप में स्वीकार करते हुए अनदेखा कर भी दिया जाए (जबकि उनका शत प्रतिशत अनुपालन किया ही जाना चाहिए) तो भी किसी भी प्रकार से दिनांक- 31 जून, 2011 को 05 मजदूरों को मजदूरी भुगतान केवल सन्देशास्पद ही बनाती है। इसलिए यह संगठित रूप से धन की अपहरण क्यों न माना जाए ? अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि से श्रमिकों की मजदूरी को उनके खातों में न भेजकर कार्य प्रभारी द्वारा आहरण करना और 31 जून को भी मजदूरी भुगतान दर्शाना धन का अपहरण है। अतः समस्त सह सम्बन्ध की पुष्टि उपरान्त सबन्धितों से वसूली की जानी समीचीन है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी द्वारा कूट रचना द्वारा मस्टर रोल । कार्य प्रभारी द्वारा कूट रचना द्वारा मस्टर रोल तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न किया गया तथा कर्मांश अंश का कुल अंकन ₹0 644400.00 मे से श्री महेश चन्द्र वर्मा, एडीओ (एसटी) ₹0 82760.00 तथा ₹0 561640.00 श्री छत्रपाल सिंह, एडीओ एजी द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया है। कर्मांश-

वर्ष- 2011-12 में ₹0 644400.00 का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये कार्य प्रभारी, लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी सामान रूप से उत्तर दायी हैं। अतः सम्यक पुष्टि उपरान्त तदनुसार सम्बन्धितों से ब्याजसहित वसूली की जानी समीचीन है। (सामान्य आपत्ति सं0- 03 बरखेड़ा)

- **प्रस्तर संख्या- 20 आपूर्तिकर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को / अन्य के खाते में करना-**

वर्ष 2011-12 में तालिका-2 के सामग्री अंश में भुगतान निम्न विवरणानुसार किया जाना दर्शित है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि चैक निगमन व्यक्ति/फर्म को दर्शित है। परन्तु चैक खाते के जाँच में पाया गया कि वास्तविक भुगतान कार्य प्रभारी को प्राप्त हुआ है।

क्रम सं०	दिनांक	चैक सं०	वैक जिसके नाम इश्यू दर्शित है	बैंक स्टेटमेंट अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	06.06.2011	500773	मिर्झा लाल	छत्रपाल सिंह	6200-00
2	11.11.2011	500796	मिर्झा लाल	छत्रपाल सिंह	3544-00
3	23.11.2011	514136	देवेन्द्र	छत्रपाल सिंह	10400-00
4	22.11.2011	514136	देवेन्द्र	छत्रपाल सिंह	9160-00
5	25.05.2011	500796	सुंदरलाल	छत्रपाल सिंह	8560-00
6	-	314128	सुंदरलाल	छत्रपाल सिंह	1460-00
7	19.11.2011	514125	सुंदरलाल	छत्रपाल सिंह	1416-00
8	15.11.2011	514139	सुंदरलाल	छत्रपाल सिंह	4240-00
9	07.10.2011	922995	लेखराज	छत्रपाल सिंह	1800-00
10	07.10.2011	922954	राम सिंह	छत्रपाल सिंह	2822-00
11	22.12.2011	514988	जगदीश	छत्रपाल सिंह	8480-00
12	06.02.2012	51500	जगदीश	छत्रपाल सिंह	15560-00

13	22.12.2011	514991	जगदीश	छत्रपाल सिंह	8200-00
14	21.02.2012	515564	सुंदरलाल	छत्रपाल सिंह	1960-00
15	18.05.2012	923852	राधेश्याम	छत्रपाल सिंह	3480-00
16	07.10.2011	922996	राधेश्याम	छत्रपाल सिंह	3096-00
		योग			90378-00

इस प्रकार रु 90378.00 का कूटरचित तरीके से किसी अन्य के नाम चैक इश्यु दर्शित दिखाकर कार्य प्रभारी द्वारा लेखाकार, बी0डी0ओ0, ब्लाक प्रमुख, के सहयोग से रु0 90378.00 का अपहरण लिया गया है, जिसकी ब्याजसहित वसूली सम्बन्धित से किया जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपति सं0-04 क बरखेड़ा)

- **प्रस्तर संख्या- 21** वित्तीय वर्ष 2011-12 में विभिन्न निर्माण पत्रावलियों के कुल रु0 3492755.00 सामग्री अंश पर व्यय किया जाना दर्शित है। जबकि उक्त क सापेक्ष कुल कमांश/मजदूरी पर दर्शित व्यय रु0 42615.00 का अपहरण कार्य प्रभारी द्वारा आपति सं0- 03) के विवरणानुसार किया गया है। इस प्रकार सामग्री अंश पर व्यय रु0 3492755.00 में स रु0 90378.00 का भुगतान /आहरण कार्य प्रभारी द्वारा विभिन्न तिथियों में व्यय रु0 78936.26 टी0डी0एस0 कटौती के रूप में दर्शित राशि घटाने के उपरान्त शेष रु0 3323440.74 सामग्री अंश पर किये गये व्यय के सापेक्ष मजदूरी कमांश की धनराशि का अपहरण आपति सं0- 03 के अनुसार कार्य प्रभारी द्वारा किए जाने तथा सामग्री आपूर्ति चालान एवं सामग्री आमद/उपभोग व शेष, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के अभाव में उक्त धनराशि रु0 3323440.74 का अपहरण मानते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों / अधिकारियों से ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपति सं0- 04 ख बरखेड़ा)
- **प्रस्तर संख्या- 22** टी.डी.एस. की पुष्टि न हो पाने तथा टी0डी0एस0 कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि:- लेखा परीक्षा वर्ष-2011-12 में सामग्री अंश के व्यय प्रमाणों के सापेक्ष कुल अंकन रु0 3492755.00 का भुगतान विभिन्न फर्मों /व्यक्तियों को किया जाना दर्शित है। उक्त भुगतान के सापेक्ष कुल अंकन रु0 42615.00 का टी0डी0एस0 काटा जाना दर्शित है जबकि 2.26 प्रतिशत की दर से कुल र 3492755.00 पर अंकन रु0 78936.26 टी0डी0एस0 काटा जाना चाहिए था। इस प्रकार अंकन रु0 36321.26 से टी0डी0एस0 कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि की गयी है। वर्ष दौरान काटे गये टी0डी0एस0 के आयकर विभाग में जमा किया/कराये जाने की पश्ति में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे स्पष्ट है कि वित्तीय नियमों की घोर उपेक्षा करते हुये समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः अंकन रु0 78936.26 का टी0डी0एस0 की ब्याजसहित वसूली सम्बन्धित कार्मिकों/अधिकारियों से करके जमा कराया जाना चाहिये। (सामान्य आपति सं0- 05 बरखेड़ा)
- **प्रस्तर संख्या- 23** आलोच्य वर्ष 2011-12 में कुल सामग्री कय अंकन रु0 3492755.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 139710.20 का व्यापारकर (वैट) कीकटौती का जानी चाहिए थी, जबकि वर्ष दौरान व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। वर्ष दौरान विभिन्न निर्माणकार्यों पर रु. 3492755.00 पर व्यय अंकन रु 139710.20 वैट काटा जाना चाहिए था। व्यापार कर की कटौती न किये जाने से राजकीय राजस्व की हानि हुई।
अतः उपरोक्त व्यापार कर की धनराशि की ब्याजसहित वसूली लेखाकार कार्य प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी, तथा ब्लाक प्रमुख से की जानी चाहिए। व्यापार कर कटौती न किया जाना एक ओर तो राजकीय राजस्व की हानि की ओर इंगित है दूसरी ओर विधिक रूप से सामग्री कय किए जाने को ही संदिग्ध बना देता है। (सामान्य आपति सं0- 06 बरखेड़ा)
- **प्रस्तर संख्या- 24** वर्ष-2011-12 में 2105.73 घन मी0 मिट्टी क्रय/आपूर्ति हेतु कुल रु0 84938.00 का भुगतान अधोलिखित विवरण के अनुसार किया गया है, जिस पर नियमानुसार रु0 9.00 प्रति घन मीटर की दर से कुल रु0 18951.57 रायल्टी वसूल की जानी चाहिए थी। रायल्टी वसूल न करके राजकीय राजस्व की क्षति हुयी है, जिसकी ब्याजसहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी चाहिए।
- वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर प्रयुक्त दर्शित मिट्टी की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम सं0	दिनांक	चैक सं0	मिट्टी की मात्रा (घन मी0)	दर्शित धनराशि	रु 9.00 प्रति घन मीटर की दर से	अभ्युक्ति
1	06.06.2011	500772	155-00	6200-00	1395-00	रायल्टी नहीं वसूल की गयी।
2.	11.11.2011	500796	70.88	3544-00	637.92	रायल्टी नहीं वसूल की गयी।
3.	23.11.2011	514135	260-00	10400-00	2340-00	रायल्टी नहीं वसूल की गयी।
4.	22.11.2011	514133	229-00	9160-00	2061-00	रायल्टी नहीं वसूल की गयी।
5.	25.05.2011	500769	214-00	8560-00	1926-00	रायल्टी नहीं वसूल की गयी।
6.	19.11.2011	314128	36.5	1460-00	328.50	रायल्टी नहीं वसूल की गयी।
7.	19.11.2011	314125	35.4	1416-00	318.60	
8.	15.11.2011	514139	106-00	4240-00	954-00	रायल्टी नहीं वसूल की गयी।
9.	07.10.2011	922995	45-00	1800-00	405-00	रायल्टी नहीं वसूल की गयी।
10.	07.10.2011	922994	70.55	2822-00	634.95	रायल्टी नहीं वसूल की गयी।
11.	22.12.2011	514988	212-00	8480-00	1908-00	रायल्टी नहीं वसूल की गयी।
12.	06.02.2012	51500	389-00	15560-00	3501-00	रायल्टी नहीं वसूल की गयी।
13.	22.12.2011	514991	205-00	8200-00	1845-00	रायल्टी नहीं वसूल की गयी।
14.	07.10.2011	922996	77.4	3096-00	696.60	रायल्टी नहीं वसूल की गयी।
		योग	2105.73	84938-00	18951.57	

(सामान्य आपति सं0- 07 बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 25 क्षेत्र पंचायत बरखड़ा के वर्ष- 2011-12 की लेखा परीक्षा में ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार प्राप्त अनुदान रु0 3380589.00 दर्शित है। जबकि बैंक स्टेटमन्ट के अनुसार रु0 3366050.00 की पुष्टि होती है। इस प्रकार ग्रान्ट रजिस्टर में दर्शित धनराशि अन्तर रु0 145399.00 अधिक से अंकित है। कारण स्पष्ट

किया जावे। इसी प्रकार सन्दर्भित वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत की गई निर्माण पत्रावलियों के अनुसार दर्शित व्यय धनराशि ₹0 4137155.00 है। जबकि इसी वित्तीय वर्ष में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 4818313.00 के आहरण की पुष्टि होती है। परिणाम स्वरूप निर्माण पत्रावलियों में व्यय दर्शित धनराशि तथा बैंक स्टेटमेंट द्वारा पुष्टित धनराशि ₹0 681158.00 से अधिक है। अतः बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अंकन ₹0 681158.00 के आहरण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इसलिए वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार आहरित/व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में तत्सम्बन्धित पुष्टित व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में दर्शित उपभोग की गई समस्त धनराशि ₹0 681158.00 को अपहरण मानते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों / अधिकारियों से ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०- 08 बरखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या- 26. कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:- वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 414775.00 मजदूरी / कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री चन्द्र प्रकाश, एडीओ (सी) को ₹0 123400.00 एवं श्री अजय कुमार, ग्राम विकास अधिकारी को ₹0 12500.00, श्री मुजीब हसन एडीओ (आईएसबी) को ₹0 27375.00 एवं श्री बाबू राम एडीओ (पी) का ₹0 251500.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है एवं एमआर पर लम्बाई-चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया गया है, साथ ही साथ एमआर पर विकास खण्ड से जारी क्रमांक संख्या एवं तिथि अंकित नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 414775.00 का वर्ष 2011-12 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये बी0डी0ओ0/ जे0ई0/लेखाकार/ कार्य प्रभारी/ ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०- 03 बिलसण्डा)

प्रस्तर संख्या- 27. आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना-

सामग्री मद में कुल ₹0 1860186.00 भुगतान में से ₹0 3500.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म / व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है-

चैक सं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
525461	21.12.2011	3500-00	करन स्प्रे प्रिंटिंग	जगजीत सिंह
	योग	3500-00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 3500.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा, जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में ₹0 3500.00 की गम्भीर अनियमितता की गई है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०- 04 क बिलसण्डा)**

प्रस्तर संख्या- 28. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना:- कुल दर्शित भुगतान ₹0 1860186.00 में से ₹0 1856686.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पास बुक/स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे ₹0 1856686.00 का भुगतान सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को ही हुआ है। की पुष्टि हो सकी है। जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/ कैंशमेंटो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमाद/ उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से खपाई गई।

I- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि तालिका संख्या- 01 में कार्य सं०- 01, 03, 06 व 07 के तहत खडंजा निर्माण कार्य दिया गया है, जिस पर मिट्टी पर व्यय किया जाना दर्शित नहीं है, जबकि बिना मिट्टी कार्य के खडंजा निर्माण सम्भव नहीं है। अतः स्पष्ट है कि मनमानी तरीके से कूटरचना कर धन का अपहरण किया गया है।

II- तालिका संख्या- 01 के कार्य संख्या- 02 व 06 में में टेंडर प्रक्रिया से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा अतः बिना निविदा/टेंडर प्रक्रिया में सामग्री क्रय कर नियमों का उल्लंघन किया गया है।

निशर्क- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011-2012 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं, क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/ कमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री का मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये, सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी माँग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही अपुष्टि रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हरक्षार के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०- 04 ख बिलसण्डा)

प्रस्तर संख्या- 29. लेखा परीक्षा वर्षद्व 2011-12 में बैंक खाते सं०- 01/267 से ₹0 3119671.00 का आहरण किया गया है, जिसकी पुष्टि में केवल ₹0 2306462.00 के व्यय से सम्बन्धित निर्माण पत्रावली ही उपलब्ध कराई गई। अन्तर ₹0 813209.50 के आहरण से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक/निर्माण पत्रावली जाँच में बार-बार माँग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण ₹0 813209.50 के आहरण पूर्णतया अपुष्टि रहा, जिसकी ब्याजसहित वसूली तत्कालीन लेखाकार, अवर अभियन्ता, ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही। **(सामान्य आपत्ति सं०- 22 बिलसण्डा)**

प्रस्तर संख्या- 30. कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान-वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 91200.00 मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राजेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी को ₹0 33880.00, श्री तौले राम, ग्राम पंचायत अधिकारी को ₹0 31960.00, एवं श्री मेवा लाल, ग्राम विकास अधिकारी को ₹0 25360.00 का कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं किया गया है। मस्टर रोल निगमन से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली विकास खण्ड पर लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि किस क्रम सं० के मस्टर रोल किस कार्य हेतु किस दिनांक को निर्गत किये गये हैं। मनमाने ढंग से मस्टर रोल तैयार कर भुगतान किया गया है। (वर्ष में उपलब्ध कराई गई कुल 23 कार्यों की पत्रावलियों के अनुसार)।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 91200.00 का वर्ष 2011-12 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी/जे0ई0/ लेखाकार/कार्य प्रभारी/ ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०- 03 बीसलपुर)

30 (क) आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को / अन्य के खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में -सामग्री मद में कुल ₹0 538704.00 के भुगतान में से ₹0 4000.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/ व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति / खाते में है

चैक सं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
500795	21.12.2011	4000-00	रामभजन	श्री तौले राम, कार्य प्रभारी
	योग	4000-00		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 4000.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है परन्तु इन चैकों 37 समाप्त का नहीं हुआ है एवं भुगतान होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा, जो बैंक स्टेटमेंट / खाता से पृष्ठ होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में अंकन ₹0 4000.00 का अपहरण दर्शित है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०- 04 (क) बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या- 31. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना -

कुल दर्शित भुगतान ₹0 538704.00 में से ₹0 534704.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक / स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे ₹0 534704.00 का भुगतान सम्बन्धित अपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि म सहा ह, जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड / कच्चे बिल / कैशमेमों पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक / कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से खपाई गई।

निष्कर्ष:- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011-12 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी / कमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को दिया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान जारी नहीं किया गया। इस प्रकार की आमद ही अपुष्टि रही। पत्रावलियों में कभी भी किसी ने भी हस्ताक्षर के नीचे दिनोंक अंकित नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है पत्रावलियां आहरण / भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०- 04 (ख) बीसलपुर)

- **प्रस्तर संख्या- 32.** लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में उपलब्ध राज्य वित्त / तेहरवा वित्त आयोग से सम्बन्धित बैंक ऑफ बड़ोदा खाता संख्या- 01/19935 में से ₹0 1595586.50 का आहरण किया गया है। परन्तु उसकी पुष्टि में मात्र ₹0 629904.00 के व्यय सम्बन्धी पत्रावली उपलब्ध करायी गयी। इस प्रकार अन्तर ₹0 965682.50 के आहरण की पुष्टि में कोई भी पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी। जबकि ऐसा किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार ₹0 965682.50 का स्पष्ट अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याजसहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं जे०ई० से की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०- 18 (ख) बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या- 33. कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान-

वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्य पर अंकन ₹0 242280.00 मजदूरी / कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को निम्न प्रकार किया गया है

श्री मेवा लाल, ग्राम विकास अधिकारी को ₹0 179100.00,

श्री राजेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी को ₹0 50140.00,

श्री डालचन्द्र, ग्राम विकास अधिकारी को ₹0 13040.00,

कुल भुगतान ₹0 242280.00 कर दिया गया है।

मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है। वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली विकास खण्ड पर लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि किस क्रम सं० के मस्टर रोल किस कार्य हेतु किस दिनों को निर्गत किये गये हैं। मनमाने ढंग से मस्टर रोल तैयार कर भुगतान किया गया है। (वर्ष में उपलब्ध कराई गई कुल 23 कार्यों की पत्रावलियों के अनुसार)।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 242280.00 का वर्षद्व 2012-13 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी / जे०ई० / लेखाकार / कार्य प्रभारी / प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०- 03 बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या- 34. आपूर्तिकर्ता / फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को / अन्य के खाते में करना / अस्पष्ट विवरण के अभाव में- सामग्री मद में कुल ₹0 1173321.00 के भुगतान में से ₹0 127379.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय अमाणका के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म / व्यक्ति को निर्गत दर्शित हैं किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त को कोई और व्यक्ति / खाते में है

चैक सं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
532298	29.09.2012	13065-00	राज ब्रिक फील्ड	कार्य प्रभारी, श्री मेवा लाल
532269	15.06.2012	3970-00	विनोद आयरन (राम चन्द्र / नरायन रोडियो)	कार्य प्रभारी, श्री मेवा लाल
532281	25.06.2012	5730-00	कार्य प्रभारी	कार्य प्रभारी, श्री मेवा लाल
000007	23.03.2013	8385-00 2052-00	गंगवार सीमेन्ट स्टोर	कार्य प्रभारी, श्री राजेश कुमार
000009	15.04.2013	22200-00 40306-00	छोटेला	कार्य प्रभारी, श्री राजेश कुमार
000010	15.04.2013	1440-00 9647-00	गंगवार सीमेन्ट स्टोर	कार्य प्रभारी, श्री राजेश कुमार
532275	25.06.2012	5040-00	गंगवार पेंटर	कार्य प्रभारी, श्री राजेश कुमार
000002	25.03.2013	5706-00	छोटे लाल	कार्य प्रभारी, श्री मेवा लाल
532266	03.05.2012	938-00	मदार ब्रिक फील्ड	कार्य प्रभारी, श्री राजेश कुमार

532275	25.06.2012	3574-00	सोनी ब्रिक फील्ड	कार्य प्रभारी, श्री मेवा लाल
532287	12.07.2012	5326-00	हरीश कुमार	कार्य प्रभारी, श्री मेवा लाल
	योग	127379-00		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 127379.00 का बैंक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है परन्तु इन बैंकों का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है एवं भुगतान होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा, जो बैंक स्टेटमेंट / खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में अंकन ₹0 127379.00 की गम्भीर अनियमितता की गई है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०- 04 (क) बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या- 35. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना ₹0 कुल दर्शित भुगतान ₹0 1173321.00 में से ₹0 1045942.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक / स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे ₹0 1045942.00 का भुगतान सम्बन्धित अपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि हो सकी है, जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड / कच्चे बिल / कैंशमेमों पर हैं। किसी प्रमाणक पर दय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक / कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भा कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से खपाई गई।

उदाहरणार्थ:- 1- तालिका-01 में क्रमांक- 01 पर अंकित निर्माण कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि बैंक नं०- 532298 दिनांक- 29.09.2012 से कुल ₹0 13065.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री मेवालाल द्वारा लिया गया है, जिसके सापेक्ष ₹0 16380.00 का भुगतान कर्मांश हेतु एवं ₹0 13065.00 का भुगतान मै0 रजा ब्रिक फील्ड को उनके बिल संख्या- 304 हेतु किया गया है। जबकि फर्म को भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा सकता था। इससे स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से कार्य दर्शाकर एवं भुगतान दर्शाकर धन को खपाया गया है।

उदा० 2- इसी प्रकार तालिका 01 में कम सं०- 05 पर अंकित निर्माण कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि ईट क्रय हेतु मै0 मदार ब्रिक्स फील्ड एवं अन्य सामग्री (सीमेंट, रेत, बजरी आदि) हेतु मै0 मोहन सीमेंट स्टोर को टेण्डर प्रक्रिया के आधार पर चुना गया है। जबकि निम्न विवरणानुसार मनमाने ढंग से सामग्री कय दर्शाकर धन को खपाया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है।

बैंक सं०	दिनांक	धनराशि	बैंक जिसके नाम दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
000007	23003.2013	8385-00 2052-00	गंगवार सीमेंट स्टोर	कार्य प्रभारी, श्री मेवा लाल
000010	15.04.2013	1440-00	छोटेला	कार्य प्रभारी, श्री राजेश कुमार
000009	15.04.2013	22200-00 40306-00	छोटेला	कार्य प्रभारी, श्री राजेश कुमार
000010	15.04.2013	9647-00	गंगवार सीमेंट स्टोर	कार्य प्रभारी, श्री राजेश कुमार
	योग	84030-00		कार्य प्रभारी, श्री राजेश कुमार

उदा० 3- 01 के कम सं०- 08 पर अंकित कार्य की पत्रावली में पाया गया कि ईट के अलावा किसी भी अन्य सामग्री हेतु पुरान अमात्रत का गई है। जबकि निर्माण कार्य से सम्बन्धित अन्य सामग्री भी क्रय किया जाना दर्शाया गया है। तराई स्पन पाइप ग्राम एम आर रसिया / समुखिया तहसील बहेड़ी (बरेली) को विकास खण्ड कार्यालय बीसलपुर से पत्रांक संख्या- 1816 / 31.03.2012 के द्वारा सप्लाई आदेश निर्गत किया गया है। जबकि फर्म द्वारा सप्लाई बिल नं०- 800008 / 8001 दिनांक- 30.03.2012 में ही कर दिया गया है। स्पष्ट है कि कार्य मानमाने ढंग से दर्शाकर धन को खपाया गया है।

उदा० 4- तालिका 01 के कम सं० 10 पर अंकित कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि बैंक नं० 532295 एवं 532296 दिनांक 22.09.2012 से ₹0 14124.00 का भुगतान बिना माप को माप पुस्तिका में दर्ज किये ही कार्य प्रभारी श्री मेवालाल ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लिया जाना दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से व्यय दर्शाकर धन को खपाया गया है।

निष्कर्ष:- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2012-13 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी / श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को दिया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान जारी नहीं किया गया। इस प्रकार की आमद ही अपुष्टि रही। पत्रावलियों में कभी भी किसी ने भी हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है पत्रावलियां आहरण / भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०- 04 (ख), बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या- 36. इसी प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में उपलब्ध कराये गये बैंक ऑफ बड़ौदा बीसलपुर खाता संख्या 01 / 19935 (राज्य वित्त तृतीय / तेरहवां वित्त आयोग) से ₹0 1535036.00 का आहरण किया गया है। परन्तु इस आहरण की पुष्टि में केवल ₹0 1415601.00 के निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली ही उपलब्ध कराई गयी। अंतर धनराशि ₹0 119435.00 एवं तालिका 01 के क्रम सं० 05 पर अंकित कार्य में ₹0 73593.00 के बैंक अगले वर्ष समायोजित है। इस प्रकार कुल अन्तर ₹0 119435.00 + ₹0 73593.00 = ₹0 193028.00 का स्पष्ट आहरण किया गया है। जिसकी ब्याजसहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं जे०ई० से की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०- 18 (ख), बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या- 37. कर्मांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान-वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 161490.00 मजदूरी / कर्मांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री महेशपाल, ग्राम विकास अधिकारी को ₹0 84740.00 एवं श्री चन्द्रप्रकाश शुक्ला को ₹0 76750.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अर्गुंदा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है। साथ ही स्पष्ट करना है कि मस्टर रोल भुगतान के सम्बन्ध में बैंक कार्या प्रभारी के नाम जारी किया गया बैंक में भुगतान अन्य व्यक्ति को अनियमित तरीके से किया गया है। उदाहरण रूप- बैंक इश्यु रजिस्टर के अनुसार उक्त भुगतान कार्य प्रभारियों को अनियमित तरीके से किया गया है, जबकि बैंक के अनुसार समस्त भुगतान नगद आहरित किया गया है, जिसका विवरण निम्न है।

क्रम सं०	बैंक सं०	धनराशि	दिनांक	बैंक इश्यु के अनुसार	बैंक खाते के अनुसार
1	528153	21250-00	03.05.2012	महेश पाल (ग्रा०वि०अधि०)	नगद आहरण
2	528152	31500-00	19.06.2012	महेश पाल (ग्रा०वि०अधि०)	नगद आहरण
3	528140	52000-00	19.06.2012	चन्द्रपाल शुक्ला (ग्रा०वि०अधि०)	नगद आहरण
4	528133	31990-00	07.05.2012	महेश पाल (ग्रा०वि०अधि०)	नगद आहरण
5	528134	24750-00	07.05.2012	चन्द्रपाल शुक्ला (ग्रा०वि०अधि०)	नगद आहरण

	योग	161490-00			

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 161490.00 का वर्ष 2012-13 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये बी0डी0ओ0/ जे0ई0/ लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०- (03), बिलसण्डा)

प्रस्तर संख्या- 38. आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/ अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्टिरू-सामग्री मद में कुल ₹0 889148.00 भुगतान में से ₹0 336828.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म / व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है। साथ ही अवगत कराना है कि लेखा परीक्षा द्वारा चेक इश्यु रजिस्टर उपलब्ध न रहा।

क्रम सं०	चैक नं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम दर्शित निर्गत है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
1	528153	03.05.2012	39200-00	अमन ब्रिक	नगद आहरण
2	528133	07.05.2012	59520-00	कौशिकी ब्रिक	नगद आहरण
3	526779	13.04.2012	96000-00	कौशिकी ब्रिक	नगद आहरण
4	528134	07.05.2012	7500-00	चन्द्रपाल शुक्ला	नगद आहरण
5	528134	07.05.2012	60608-00	चन्द्रपाल शुक्ला	नगद आहरण
6	526780	13.04.2012	64000-00	(सामग्री हेतु)	नगद आहरण
7	528133	07.05.2012	10000-00	सैनिक ब्रिक	नगद आहरण
		योग	336828-00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 336828.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेंट / खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में ₹0 336828.00 की गम्भीर अनियमितता की गई है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०- 04 (क), बिलसण्डा)

प्रस्तर संख्या- 39. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना -कुल दर्शित भुगतान ₹0 877770.00 में से ₹0 540942.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक/स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे ₹0 540942.00 का भुगतान सम्बन्धित अपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि में सही है, जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/ कच्चे बिल/ कैशमेमों पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग एवं शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार समग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से खपाई गई।

उदाहरण-ग्राम चपराईा कुईया से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री कंधारा सिंह के मकान तक खड़ण्जा निर्माण पर सामग्र क्रय हतु दिनांक 07.05.2012 के चैक सं०- 528137 के द्वारा ₹0 141034.00 एवं दिनांक- 28.04.2012 के चैक सं०- 528139 के द्वारा ₹ 133512.00 कुल ₹0 274546.00 के वाउचरों की जाँच में पाय गया कि व्यय प्रमाणको पर बुक नं० व क्रमांक अंकित नहीं अर्थात् सादे लेटर पैड पर वाउचर पाये गये।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2013-2014 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हरक्षार के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।(सामान्य आपत्ति सं०- 04 (ख) बिलसण्डा)

प्रस्तर संख्या- 40. लेखा परीक्षा 2012-13 में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिलसण्डा क्षेत्र निधि खाता सं०- 16620100000246 राज्य वित्त /13वां वित्त से दिनांक- 22.06.2012 को चैक संख्या- 228153 के द्वारा ₹0 86700.00 का नगद आहरण दर्शित पाया गया। जबकि लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु दिनांक- 03.05.2012 को ₹0 39200.00 अमन ब्रिक फील्ड एवं ₹0 21250.00 कार्य प्रभारी महेशपाल ग्रा०वि०अधि० को कुल ₹ ६००००० हेतु कुल ₹0 60450.00 का भुगतान सामग्री एवं कमांश पर किया गया है। इस प्रकार उक्त आहरित ₹0 86700.00 से सापेक्ष ₹0 60450.00 के ही अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहे। इस प्रकार अन्तर राशि (₹0 86700.00 - ₹0 60450.00)= ₹0 26250.00 का नगद आहरण कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याजसहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार से की जानी अपेक्षित रही। (सामान्य आपत्ति सं०- 08, बिलसण्डा)

प्रस्तर संख्या- 41. लेखा परीक्षा वर्षदृ 2012-13 में क्षेत्र निधि बैंक खाता संख्या- 16620100000246 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिलसण्डा जनपद पीलीभीत से कुल धनराशि ₹0 1692486.00 का आहरण विभिन्न तिथियों में किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹0 1050638.00 की निर्माण पत्रावलियों ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध करयी गयी। शेष ₹0 641848.00 के आहरण की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिसकी ब्याजसहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार, जे0ई0, खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०- 09 बिलसण्डा)

प्रस्तर संख्या- 42. श्रमांश का मजदूरों को भुगतान कूटरचित मस्टर रोल के आधार पर किया जाना रु- वर्ष-2012-13 में विविध निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 363792.00 का भुगतान श्रमांश/मजदूरी के रूप में कार्य प्रभारी को किया गया है, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है, जबकि, नियमानुसार मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिये था। मस्टर रोल पर निर्माता के ही हस्तलेख में पाये गये/कार्य पर लगे मजदूरों के पता, महिला/पुरुष, अनु० जाति/अनु०जन जाति इत्यादि का भी उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भी मस्टर रोल पर मस्टर रोल क्रमांक छपा हुआ नहीं पाया गया।

उपरोक्त विवरण स स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी द्वारा कट रचना द्वारा मस्टर रोल तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न किया गया है। तथा कमांश/मजदूरी अंश का कुल अंकन ₹0 363792.00 में से श्री महेश कुमार वर्मा, एडीओ (एसटी) द्वारा अंकन ₹0 105560.00 तथा श्री छत्रपाल सिंह, एडीओ द्वारा अंकन ₹0 258232.00 का आहरण प्राप्त कर अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याजसहित वसूली लेखाकार, कार्य प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी से की जानी चाहिए। (सामान्य आपत्ति सं०- 10 बिलसण्डा)

आपत्ति सं०- 03 बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 43. आपूर्तिकर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को / अन्य के खाते में करना रु- वर्ष-2012-13 में तालिका-2 के सामग्री अंश में भुगतान निम्न विवरणानुसार किया जाना दर्शित है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि चेक निगमन व्यक्ति/फर्म को दर्शित है। परन्तु चेक खाते के जॉच में पाया गया कि वास्तविक भुगतान कार्य प्रभारी को प्राप्त हुआ है।

क्रम सं०	दिनांक	चैक सं०	चैक जिसके नाम इश्यु दर्शित है	बैंक स्टेटमेंट अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	19.10.2012	528214	शर्मा बेल्लिंग बक्स	छत्रपाल	3000.00
2	20.10.2012	528224	शर्मा बेल्लिंग स्टोर	छत्रपाल	3000.00
3	19.10.2012	528216	शर्मा बेल्लिंग स्टोर	छत्रपाल	3000.00
4	20.02.2013	528238	शर्मा बेल्लिंग स्टोर	महेश वर्मा	3000.00
5	20.10.2012	528429	नन्हे लाल	छत्रपाल	5520.00
6	20.10.2012	528427	जगदीश	छत्रपाल	2887.00
7	13.02.2013	528235	मोतीराम	महेश वर्मा	7000.00
8	13.02.2013	528235	शर्मा बेल्लिंग बक्स	महेश वर्मा	3000.00
9	11.05.2012	575578	राधेश्याम	छत्रपाल	6480.00
10	06.05.2012	528202	राधेश्याम	छत्रपाल	1296.00
11	23.03.2013	528863	जगदीश	छत्रपाल	3915.00
12	25.03.2013	528867	सोमपाल	छत्रपाल	6615.00
13	27.02.2013	528243	जगदीश	महेश वर्मा	5080.00
14	27.02.2013	528243	शर्मा बेल्लिंग बक्स	महेश वर्मा	3000.00
15	11.03.2013	528245	सतनाम	महेश वर्मा	5080.00
16	11.03.2013	528245	शर्मा बेल्लिंग बक्स	महेश वर्मा	3000.00
17	19.10.2013	528221	मोतीराम	छत्रपाल	760.00
18	20.10.2012	528230	शर्मा बेल्लिंग बक्स	छत्रपाल	2100.00
19	11.05.2012	528278	राधेश्याम	छत्रपाल	6480.00
20	06.05.2012	528202	राधेश्याम	छत्रपाल	1296.00
				योग-	75509.00

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है, कि कूटरचना द्वारा फर्जी तरीके से फर्जी बिल प्रस्तुत कर कार्य प्रभारी श्री छत्रपाल सिंह एडीओ (एजी) द्वारा रु० 46349.00 तथा श्री महेश वर्मा एडीओ (एसटी) द्वारा रु० 29160.00 कुल रु० 75509.00 का अपहरण लेखाकार, वी०डी०ओ०, ब्लाक प्रमुख, की सलिपता से की गयी है, जिसकी ब्याजसहित वसूली उपरोक्त से की जानी चाहिए। **(सामान्य आपत्ति सं०- 04 क बरखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या- 44. वित्तीय वर्ष 2012-13 में विभिन्न निर्माण पत्रावलियों के अनुसार कुल रु० 2011324.00 सामग्री अंश पर व्यय किया जाना दर्शित है। जबकि उक्त के सापेक्ष कुल कमांश/मजदूरी पर दर्शित व्यय रु० 363792.00 का अपहरा कार्य प्रभारी द्वारा (आपत्ति 10- 03) क विवरण अनुसार किया गया है। इस प्रकार सामग्री अंश पर व्यय रु० 2011324.00 में से रु० 75509.00 का भुगतान /आहरण कार्य प्रभारी द्वारा विभिन्न तिथियों में व्यय रु० 40560.00 टी०डी०एस० कटौती के रूप में दर्शित राशि घटाने के उपरान्त शेष रु० 1895255.00 सामग्री अंश पर किये गये व्यय के सापेक्ष मजदूरी श्रमांश की धनराशि का अपहरण आपत्ति सं०- 03 के अनुसार कार्य प्रभारी द्वारा किए जाने तथा सामग्री आपूर्ति चालान तदैव व सामग्री आमद/उपभोग व शेष, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के अभाव में उक्त धनराशि रु० 1895255.00 का अपहरण मानते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों / अधिकारियों से ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०- 04 ख बरखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या- 45. टी.डी.एस. की पुष्टि न हो पाने तथा टी०डी०एस० कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि:- लेखा परीक्षा वर्ष-2012-13 में सामग्री अंश के व्यय प्रमाणकों के सापेक्ष कुल अंकन रु० 2011324.00 का भुगतान विभिन्न फर्मों / व्यक्तियों को किया जाना दर्शित है। उक्त भुगतान के सापेक्ष कुल अंकन रु० 40560.00 का टी०डी०एस० काटा जाना दर्शित है जबकि 2.26 प्रतिशत की दर से कुल रु० 2011324.00 पर अंकन रु० 45455.92 टी०डी०एस० काटा जाना चाहिए था। इस प्रकार अंकन रु० 4895.92 से टी०डी०एस० कम काटकर राजकीय राजस्व का हानि की गयी है। वर्ष दौरान काटे गये टी०डी०एस० के आयकर विभाग में जमा किया/कराय जानी की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे स्पष्ट है कि वित्तीय नियमों की घोर उपेक्षा करते हुये समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः अंकन रु० 40560.00 का टी०डी०एस० की ब्याजसहित वसूली सम्बन्धित कर्मिकों/अधिकारियों से करके जमा कराया जाना चाहिये। **(सामान्य आपत्ति सं०- 05 बरखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या- 46. आलोच्य वर्ष 2012-13 में कुल सामग्री कय अंकन रु० 2011324.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 80452.96 का व्यापार कर (वैट) की कटौती की जानी चाहिए थी, जबकि वर्ष दौरान व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। वर्ष दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 2011324.00 व्यय पर अंकन रु० 80452.96 ट।ज काटा जाना चाहिए था। व्यापार कर की कटौती न किये जाने से राजकीय राजस्व की हानि हुई।

व्यापार कर कटौती न किया जाना एक ओर ताक राजकीय राजस्व की हानि की ओर इंगित है दूसरी ओर विधिक रूप से सामग्री कय किए जाने को संदिग्ध बना देता है। अतः उपरोक्त व्यापार कर की धनराशि की ब्याजसहित वसूली लेखाकार, कार्य प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी, तथा ब्लाक प्रमुख से की जानी चाहिए। **(सामान्य आपत्ति सं०-06 बरखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या- 47. वर्ष-2012-13 में 1449.95 घन मी० मिट्टी क्रय/आपूर्ति हेतु कुल रु० 54649.00 का भुगतान नियमानुसार किया गया है, जिस पर नियमानुसार प्रति घन मीटर की दर से रु० 13784.55 की रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी ब्याजसहित वसूली तत्कालीन लेखाकार, कार्य प्रभारी एवं आहरण खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी चाहिए।

क्रम सं०	दिनांक	चैक सं०	मिट्टी की मात्रा (घन मी०)	दर्शित धनराशि	रु. 14.00 प्रति घन मीटर की दर से	अभ्युक्ति
1.	20.02.2013	508238	188-00	7520-00	1692-00	रायल्टी वसूली नहीं की गयी
2.	21.10.2013	508429	138-00	5520-00	1242-00	रायल्टी वसूली नहीं की गयी
3.	20.10.2013	508427	72.15	2887-00	649-00	रायल्टी वसूली नहीं की गयी
4.	13.02.2013	508235	175-00	7000-00	1575-00	रायल्टी वसूली नहीं की गयी

5.	11.05.2012	575578	162-00	6480-00	1458-00	रायल्टी वसूली नहीं की गयी
6.	06.05.2012	508202	32.4	1296-00	2916-00	रायल्टी वसूली नहीं की गयी
7.	23.03.2013	528863	87-00	3915-00	783-00	रायल्टी वसूली नहीं की गयी
8.	27.02.2013	508245	127-00	5080-00	1143-00	रायल्टी वसूली नहीं की गयी
9.	11.03.2013	508245	127-00	5080-00	1143-00	रायल्टी वसूली नहीं की गयी
10.	11.05.2012	515578	162-00	6480-00	1458-00	रायल्टी वसूली नहीं की गयी
11.	06.05.2012	508202	34.4	1296-00	291.60	रायल्टी वसूली नहीं की गयी
12.	25.03.2013	528867	147-00	6615-00	2058-00	रायल्टी वसूली नहीं की गयी
		योग	1451.95	59169-00	16408.6	

(सामान्य आपत्ति सं०-07 बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 48. क्षेत्र पंचायत बरखेड़ा के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार प्राप्त अनुदान ₹0 5496370.00 दर्शित है। जबकि बक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 5429081.50 की पुष्टि होती है। इस प्रकार ग्रान्ट रजिस्टर में दर्शित धनराशि अन्तर ₹0 67288.50 अधिक से अंकित है। कारण स्पष्ट किया जावे। इसी प्रकार सन्दर्भित वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत की गई निर्माण पत्रावलियों के अनुसार दर्शित व्यय धनराशि ₹0 2375116.00 है। जबकि इसी वित्तीय वर्ष में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 2609589.00 के आहरण की पुष्टि होती है। परिणाम स्वरूप निर्माण पत्रावलियों में व्यय दर्शित धनराशि तथा बैंक स्टेटमेंट द्वारा पुष्टित धनराशि ₹0 234473.00 से अधिक है। अतः बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अंकन ₹0 234473.00 के आहरण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी पत्रावली / अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इसलिए वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में तत्सम्बन्धित पुष्टित व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में दर्शित उपभोग की गई समस्त धनराशि ₹0 234473.00 को अपहरण मानते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों / अधिकारियों से ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-08 बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 49. श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान रु- वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 119190.00 मजदूरी / श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, सहा0 विकास अधिकारी (सहकारिता) को ₹0 39110.00, श्री रईस अहमद, ए0 डी0 ओ0 (एस. टी.) को ₹0 80080.00, कर दिया गया है।

मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है। वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली विकास खण्ड पर लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण यह स्पष्ट रहा कि किस कम सं० के मस्टर रोल किस कार्य हेतु किस दिनों को निर्गत किये गये हैं। मनमाने ढंग से मस्टर रोल तैयार कर भुगतान किया गया है। (वर्ष में उपलब्ध कराई गई कुल 23 कार्यों की पत्रावलियों के अनुसार।)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 119190.00 का वर्ष 2012-13 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी/ जे०ई०/ लेखाकार/ कार्य प्रभारी/ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 03 अमरिया)

प्रस्तर संख्या- 50. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अणुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना रु- कुल दर्शित भुगतान ₹0 723023.00 में से ₹0 723023.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक/ स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे ₹0 723023.00 का भुगतान सम्बन्धित अपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि हो सकी है, जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/ कच्चे बिल/ कैशमेमों पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही सदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से खपाई गई।

निष्कर्ष:- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2012-13 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी / कमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को दिया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान जारी नहीं किया गया। इस प्रकार की आमद ही अणुष्टि रही। पत्रावलियों में कभी भी किसी ने भी हस्ताक्षर के नीचे दिनों अंकित नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है पत्रावलियां आहरण / भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 4 ख अमरिया)

प्रस्तर संख्या- 51. कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:- वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर अंकन 238825.00 मजदूरी / कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी) को ₹0 186240.00 एवं श्री विजय सिंह । को ₹0 52085.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है। साथ ही स्पष्ट करना है कि मस्टर रोल भुगतान के सम्बन्ध में चैक को प्रभारी के नाम जारी किया गया बैंक में भुगतान अन्य व्यक्ति को अनियमित तरीके से किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है

दिनांक	चैक नं०	कार्य प्रभारी का नाम जिस चैक जारी किया गया	बैंक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	धनराशि
27.02.2013	2431	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल	13850-00
22.02.2013	2418	श्री प्रेमपाल	श्री प्रेमपाल	7500-00
20.02.2013	3982	श्री प्रेमपाल	श्री प्रेमपाल	12450-00
20.03.2013	3993	श्री प्रेमपाल	श्री प्रेमपाल	16025-00
20.03.2013	3992	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल	10115-00

			योग	59940-00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व कात्थनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 238325.00 का वर्ष 2012-13 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0- 3 ललौरीखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 52. आपूर्ति कर्ता/फर्म को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्टि-

सामग्री मद में कुल ₹0 1181042.00 भुगतान में से ₹0 11435.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। बैंक तो फर्म/ व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है। साथ ही अवगत कराना है कि लेखा परीक्षा द्वारान चेक इश्यु रजिस्टर उपलब्ध न रहा।

चैक नं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
2431	27.02.2013	7240-00	श्री ओमप्रकाश	श्री प्रेमपाल
2428	22.02.2013	3500-00	श्री विजय सिंह	श्री प्रेमपाल
3993	20.02.2013	195-00	श्री विजय सिंह	श्री प्रेमपाल
3982	20.02.2013	250-00	श्री विजय सिंह	श्री प्रेमपाल
3992	20.03.2013	250-00	श्री ओमप्रकाश	श्री प्रेमपाल
	योग	11435-00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 11435.00 का बैंक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन बैंक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेंट/ खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दकर सामग्री मद में ₹0 11435.00 की गम्भीर अनियमितता की गई है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0- 4क ललौरीखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 53. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना - कुल दर्शित भुगतान ₹0 1181042.00 में से ₹0 1169607.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक / स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे ₹0 1169607.00 का भुगतान आपूर्ति कर्ता को ही हुआ है की पुष्टि हो सकी है। जो सामग्री कय प्रमाण पत्रावली में संलग्न पायी गयी। वह समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड / कच्चे बिल / कैंसमेंपो पर है, किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई माँग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/ उपभोग एवं शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही, इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से खपायी गई है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2013-2014 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरी को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी माँग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, कम द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्तक्षार के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-4 ख ललौरीखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 54. लेखा परीक्षा वर्ष- 2012-13 में राज्य वित्त योजना मद के अन्तर्गत बैंक खाता संख्या- 21716877267 इलाहाबाद बैंक, ब्रान्च ललौरी खेड़ा, जनपद- पीलीभीत से निम्न विवरणानुसार आहरित धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा। विवरण निम्न प्रकार है

दिनांक	चैक नं०	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि
10.04.2012	3839	स्वयं	12000.00
11.04.2012	3840	स्वयं	25200.00
16.04.2012	3841	श्री ओम प्रकाश	11190.00
18.04.2012	3846	ट्रान्सफर	183030.00
26.05.2012	4154	न्यू मीर्या सीमेन्ट स्टोर	8733.00
30.05.2012	4151	जिला सहकारी बैंक	44800.00
01.06.2012	4153	रुबी ब्रिक फील्ड	40640.00
01.06.2012	4152	रुबी ब्रिक फील्ड	20480.00
05.06.2012	4157	श्री ओम प्रकाश	12050.00
05.06.2012	4156	श्री विजय सिंह	10360.00
05.06.2012	4155	श्री विजय सिंह	44450.00
11.07.2012	4159	स्वयं	9000.00
21.08.2012	4160	डी.डी.ओ./बी.सी.	7902.00
04.09.2012	4161	स्वयं	6000.00
10.09.2012	4163	श्री अनिल कुमार	2500.00
31.10.2012	4165	ट्रान्सफर	74880.00
31.10.2012	4164	ट्रान्सफर	38400.00
01.11.2012	4166	ट्रान्सफर	44368.00
02.11.2012	4168	स्वयं	6000.00
07.11.2012	4167	पाल ट्रेडर्स	33835.00
10.11.2012	4169	श्री ओम प्रकाश	7300.00
10.11.2012	4170	श्री ओम प्रकाश	24430.00
17.11.2012	4172	डी.डी. बी.ओ.बी. पीलीभीत	56640.00
17.11.2012	4174	डी.डी. बी.ओ.बी. पीलीभीत	74752.00
17.11.2012	4173	डी.डी. बी.ओ.बी. पीलीभीत	67968.00
17.11.2012	4175	डी.डी. बी.ओ.बी. पीलीभीत	74752.00
17.11.2012	4171	डी.डी. बी.ओ.बी. पीलीभीत	74752
12.12.2012	4178	श्री ओम प्रकाश	16180.00
12.12.2012	4177	श्री ओम प्रकाश	17590.00
22.12.2012	4179	श्री अनिल कुमार	25400.00

24.12.2012	4180	श्री ओम प्रकाश	13210.00
24.12.2012	4181	श्री विजय सिंह	14170.00
08.01.2013	4182	श्री महेश	6000.00
11.01.2013	4183	ललित इण्टरप्राइजेज	3990.00
29.01.2013	4187	ट्रान्सफर	65482.00
29.01.2013	4189	ट्रान्सफर	58064.00
01.02.2013	4192	श्री विजय सिंह	15190.00
01.02.2013	4191	श्री ओम प्रकाश	9020.00
22.02.2013	4198	श्री प्रेमपाल	16498.00
22.02.2013	4199	श्री महेश चन्द्र	10000.00
23.02.2013	4195	ट्रान्सफर	77229.00
25.02.2013	4197	ट्रान्सफर	6496.00
26.02.2013	2426	ट्रान्सफर	77229.00
26.02.2013	2427	ट्रान्सफर	77229.00
02.03.2013	2432	श्री महेश चन्द्र	6000.00
02.03.2013	2429	श्री प्रेमपाल	13660.00
04.03.2013	2430	श्री विजय सिंह	11140.00
05.03.2013	2433	ट्रान्सफर	81096.00
05.03.2013	2435	ट्रान्सफर	36486.00
19.03.2013	2433	श्री ओम प्रकाश	9890.00
		योग—	1683661.00

उक्त आहरित धनराशि ₹0 1132046.00 के व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न रहा, जिस कारण उक्त ₹0 1132046.00 का आहरण पूर्णतः अपुष्टित रहा। अपुष्टि भुगतानित धनराशि की ब्याजसहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0- 7, ललौरखड़ा)

प्रस्तर संख्या— 55. क) लेखा परीक्षा में बार-बार मौखिक एवं लिखित मांग किये जाने के बाद भी वर्ष 2012-13 के ग्रान्ट राजस्टर एवं कुछ बैंक खातों के स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी पत्रावली/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्रान्ट रजिस्टर अनुसार वर्ष 2012-13 में निम्न विवरणानुसार मद-वार व्यय किया जाना दर्शित है

क्रम सं०	योजना का नाम	व्यय की गयी धनराशि
1	राज्य वित्त आयोग	537945.00
2	तेहरवा वित्त आयोग	480136.00
3	अर्जित ब्याज	71123.00
4	डी0डी0एस0	35102.00
	योग—	1124306.00

प्रस्तर संख्या— 55.ख) लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में उक्त विवरणानुसार कुल ₹0 1124306.00 का व्यय किया जाना दर्शित पाया गया। पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि बैंक खातों से निम्न विवरणानुसार धनराशि आहरित की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है

बीओबी खाता सं 06970100009509	₹0 2568980.00
बीओबी खाता सं 06970100007985	₹0 476071.00
योग	₹0 3045051.00

वर्ष— 2012-13 में बीओबी खाता सं 06970100009509 एवं बीओबी खाता सं 06970100007985 के द्वारा क्रमशः ₹0 2568980.00 एवं ₹0 476071.00 कुल धनराशि ₹0 3045051.00 का बैंक से आहरण किया गया है। परन्तु उक्त के सापेक्ष मात्र ₹0 1124306.00 का ही ग्रान्ट रजिस्टर-3 के अनुसार व्यय / उपभोग किया जाना दर्शित पाया गया, जिसकी पुष्टि हेतु कोई भी निर्माण /विकास कार्य पत्रावलियों को लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण ₹0 3045051.00 का बैंक से आहरण पूर्णतः अपुष्टित रहा। लेखा परीक्षा में सम्बन्धित मूल अभिलेखों की बार-बार मांग किये जाने के बावजूद भी प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त आहरित ₹0 3045051.00 आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी / खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/अवर अभियन्ता/कार्य प्रभारी से विभागीय कार्यवाही के साथ ब्याजसहित वसूली कराई जानी अपेक्षित रही। (सामान्य आपत्ति सं०- 01 पूरनपुर)

प्रस्तर संख्या— 56. श्रमांश का मजदूरों को भुगतान काल्पनिक मस्टर रोल के आधार पर किया जाना—वर्ष 2012-13 में विविध निर्माण कार्यों पर कुल अंकन ₹0 205595.00 कर्मांश/ मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री आभास कुमार द्वारा दिनांक ₹0 89425.00 श्री हुकुम चन्द्र गंगवार ₹0 90525.00 तथा श्री विजय कुमार द्वारा ₹0 25645.00 का भुगतान प्राप्त किया गया है। मस्टर रोल पर अंकित श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी प्रमाणित नहीं पाये गये, साथ ही मजदूरों के हस्ताक्षर मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में पाये गये। कार्य पर लगे मजदूरों के पता तथा महिला पुरुष, अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भी मस्टर रोल पर मस्टर रोल पर मस्टर रोल के क्रमांक (प्रिंटेड) नहीं पाया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है, कि कार्य प्रभारी द्वारा फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न किया गया है तथा मजदूरी/श्रमांश अंश का कुल अंकन ₹0 205595.00 वर्ष 2012-13 में योजनावद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये कार्यप्रभारी, लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सम्यक पुष्टि उपरान्त तदनुसार सम्बन्धितों से ब्याजसहित वसूली की जानी समीचीन है।(सामान्य आपत्ति संख्या-3 मरौरी)

प्रस्तर संख्या— 57. क) आपूर्ति कर्ता फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना वर्ष 2012-13 के तालिका 2 के सामग्री अंश में भुगतान निम्न विवरण अनुसार किया जाना दर्शित है, यहां पर उल्लेखनीय है कि चैक निर्गमन व्यक्ति/ फर्म को दर्शित है परन्तु बैंक खाते के जांच में पाया गया कि, वास्तविक भुगतान कार्य प्रभारी को प्राप्त हुआ है।

क्रम सं०	दिनांक	चैक जिसके नाम इश्यू दर्शाते हैं।	चैक नम्बर	चैक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि रु. में
1	11.01.2013	रोशनलाल	9727	हुकुमचन्द्र	594.00
2	26.12.2012	रोशनलाल	9712	आभास कुमार	2148.00
3	04.02.2013	रोशनलाल	9738	हुकुमचन्द्र	1350.00
4	02.07.2012	गंगाराम	9678	आभास कुमार	816.00
5	11.01.2013	रोशनलाल	9732	विजय सिंह	594.00
6	04.12.2013	रोशनलाल	9748	हुकुमचन्द्र	817.00
7	12.12.2012	रोशनलाल	9707	हुकुमचन्द्र	2166.00
8	11.01.2013	रोशनलाल	9722	हुकुमचन्द्र	810.00
9	04.02.2013	रोशनलाल	820586	आभास कुमार	14100.00
			योग—		23395.00

जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-4 (क) मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 58. वित्तीय वर्ष- (2012-13) में विभिन्न निर्माण पत्रावलियों अनुसार कुल ₹0 1220857.00 सामग्री अंश पर व्यय किया जाना दर्शित है। जबकि उक्त के सापेक्ष कुल श्रमांश/ मजदूरी पर दर्शित व्यय ₹0 205595.00 का अपहरण कार्य प्रमारी द्वारा (आपत्ति सं0- 03) के विवरण अनुसार किया गया है। इस प्रकार सामग्री अंश पर व्यय ₹0 1220857.00 से ₹0 23375.00 का भुगतान /आहरण कार्य प्रमारी द्वारा विभिन्न तिथियां में व्यय ₹0 24564.00 टी0डी0एस0 कटौती के रूप में दर्शित राशि घटाने के उपरान्त शेष ₹0 1172918.00 सामग्री अंश पर किए गए व्यय के सापेक्ष मजदूरी/ कमांश की धनराशि का अपहरण आपत्ति सं0- 03 के अनुसार कार्य प्रमारी द्वारा किए जाने तथा सामग्री आपूर्ति चालान एवं सामग्री आमद/ उपभोग व शेष, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के अभाव में उक्त धनराशि ₹0 1172918.00 का अपहरण मानते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों से ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-4 (ख) मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 59. टी0डी0एस0 की पुष्टि न हो पाने तथा टी0डी0एस0 कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि-वर्ष 2012-13 में सामग्री अंश के व्यय प्रमाणकों के सापेक्ष कुल ₹0 1220857.00 का भुगतान विभिन्न फर्मों/व्यक्तियों को दर्शित है। उक्त भुगतान के सापेक्ष कुल अंकन ₹0 24564.00 का टी0डी0एस0 काटा जाना दर्शित है जबकि 2.26 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 1220857.00 पर अंकन ₹0 27591.40 टी0डी0एस0 वर्ष दौरान होना चाहिये था इस प्रकार कुल अंकन ₹0 3027.40 से टी0डी0एस0 कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि की गयी इस प्रकार कम काटे गये टी0डी0एस0 के बराबर वसूलनीय दण्ड शुल्क के साथ आहरण वितरण अधि0/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना चाहिये। साथ ही साथ काटे गये टी0डी0एस0 की जमा पुष्टि में इश्यू बैंक नम्बर बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे उक्त ₹0 24564.00 काटे गये टी0डी0एस0 के जमा कराये जाने की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त ₹0 27591.40 टी0डी0एस0 की ब्याजसहित वसूली नियमानुसार सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से की जानी चाहिये। (सामान्य आपत्ति संख्या-5, मरौरी)

प्रस्तर संख्या-60. आलोच्य वर्ष 2012-13 में कुल सामग्री क्रय अंकन ₹0 1220857.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 48834.30 का व्यापार कर (वैट) की कटौती की जानी चाहिये थी जो नहीं की गयी है। इस प्रकार ₹0 48834.30 का राजकीय राजस्व की हानि व्यापार कर के रूप में हुई है अतः ₹0 48834.30 का व्यापार कर की हानि की ब्याजसहित वसूली आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से करके राजकीय कोशागार में जमा करते हुए चालान से पुष्टि कराई जानी चाहिये। (सामान्य आपत्ति संख्या-6, मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 61. वर्ष 2012-13 में 51.62 घन मी० मिट्टी/रेता क्रय/आपूर्ति हेतु कुल ₹0 24155.00 का भुगतान अधोलिखित विवरण अनुसार किया गया है जिस पर नियमानुसार ₹0 14.00/घन मी० की दर से कुल ₹0 722.68 रायल्टी वसूल की जानी चाहिये थी। रायल्टी वसूल न करके राजकीय राजस्व की हानि की गयी है, जिसकी ब्याजसहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी चाहिये।

क्रम सं०	दिनांक	विवरण	मात्रा	धनराशि ₹0 में	रायल्टी घन मी० ₹0 में 14 घन मी०
1	30.12.2012	रेता	2 ^ण 15	594.00	30.10
2	21.01.2013	रेता	4 ^ण 89	1350.00	68.46
3	09.12.2013	रेता	7 ^ण 71	2128.00	107.94
4	02.07.2012	रेता	2 ^ण 96	816.00	41.44
5	30.12.2012	रेता	1 ^ण 65	594.00	23.10
6	21.01.2013	रेता	2 ^ण 96	817.00	41.44
7	01.11.2012	रेता	2 ^ण 82	780.00	39.48
8	01.12.2012	रेता	7 ^ण 85	2166.00	109.90
9	30.12.2012	रेता	2 ^ण 93	810.00	41.02
10	20.01.2013	रेता	15 ^ण 7	41.00	219.80
		योग-	51 ^ण 62	10096.00	722.68

(सामान्य आपत्ति संख्या-7, मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 62. विकास खण्ड मरौरी के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत मरौरी के वर्ष 2012-13 के निमित्त खुले विभिन्न बैंक खातों पंजाब एण्ड सिंध बैंक खाता संख्या 9516 ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स खाता संख्या 27420, इण्डियन बैंक खाता संख्या 9205 बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 1655 का समेकित प्रारम्भिक अवशेष ₹0 647427.32 वर्ष में प्राप्त ₹0 7109403.00 वर्ष में व्यय ₹0 4318989.00 एवं वर्षान्त में अवशेष ₹0 2137841.32 था। जबकि ग्रांट रजिस्टर के अनुसार दर्शित प्रारम्भिक अवशेष ₹0 647426.32, वर्ष में प्राप्त ₹0 5393076.00, वर्ष में व्यय ₹0 2518475.00 एवं वर्षान्त में अवशेष ₹0 3522027.32 रहा। अन्तरों के बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये।

जबकि उपरोक्त अवधि की लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गयी गई निर्माण पत्रावलियों में दर्शित व्यय लेखा परीक्षा आगणन के अनुसार ₹0 1426452.00 होता है एवं वर्ष दौरान बैंक स्टेटमेंट पासबुक के अनुसार ₹0 4318989.00 आहरित किये जाने की पुष्टि हो रही है। इस प्रकार अन्तर ₹0 2892537.00 का व्यय अपुष्टि रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय दृ 08 के पैरा 08(क) के अनुसार व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय की गयी समस्त धनराशि को गबन (अपहरण) मानते हुये वसूली का प्रावधान है। अतः लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13में अन्तर धनराशि ₹0 2892537.00 की सम्यक पुष्टि उपरान्त तदनुसार सम्बन्धित लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत से ब्याजसहित वसूली की जानी संस्था हित में होगी। (सामान्य आपत्ति संख्या-13, मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 63. श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान - वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य पर अंकन ₹0 965640.00 मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रमारियों को निम्न प्रकार किया गया है

श्री कन्हई लाल, ग्रा०वि०अधिव को ₹0 228665.00,
 श्री जितेन्द्र कुमार, ग्रा०प०अधि० को ₹0 149525.00,
 श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, ग्रा०वि०अधि० को ₹0 149805.00,
 श्री मेवालाल, ग्रा०वि०अधि० को ₹0 220410.00,
 श्री चन्द्र पाल शुक्ला, ग्रा०वि०अधिव को ₹0 62780.00,
 श्री राजेश कुमार, ग्रा०वि०अधि० को ₹0 21750.00,
 श्री अनिल कुमार, ग्रा०वि०अधि० को ₹0 132705.00,

कुल ₹0 965640.00 का भुगतान किया गया है।

मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है। वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली विकास खण्ड पर लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि किस क्रम सं० के मस्टर रोल किस कार्य हेतु किस दिनों को निर्गत किये गये हैं। मनमाने ढंग से मस्टर रोल तैयार कर भुगतान किया गया है। (वर्ष में उपलब्ध कराई गई कुल 23 कार्यों की पत्रावलियों के अनुसार)।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 965640.00 का वर्ष 2013-14 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी/ जे0ई0/ लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं0- 03 बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या- 64. आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को / अन्य के खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में- सामग्री मद में कुल ₹0 6198025.00 के भुगतान में से ₹0 88000.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय अमाणका के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म / व्यक्ति को निर्गत दर्शित हैं किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति / खाते में हैं।

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
000239	11.07.2014	3500.00	रंग रेखा	कन्हई लाल, कार्य प्रभारी
000239	11.07.2014	3500.00	रंग रेखा	कन्हई लाल, कार्य प्रभारी
000185	15.01.2014	9000.00	रंग रेखा	सुरेश चन्द्र वर्मा
000187	13.01.2014	3000.00	रंग रेखा	सुरेश चन्द्र वर्मा
000184	15.01.2014	9000.00	रंग रेखा	जितेन्द्र कुमार
000015	15.11.2013	3000.00	रंग रेखा	जितेन्द्र कुमार
000902	26.08.2013	3000.00	रंग रेखा	कन्हई लाल
000102	26.08.2013	6000.00	रंग रेखा	कन्हई लाल
000139	30.10.2013	12000.00	रंग रेखा	मेवा लाल
000138	30.10.2013	12000.00	रंग रेखा	सुरेश चन्द्र वर्मा
000140	30.10.2013	12000.00	रंग रेखा	जितेन्द्र कुमार (ग्रा0प0अधि0)
000180	30.10.2013	9000.00	रंग रेखा	मेवा लाल(ग्रा0वि0अधि0)
000183	30.10.2013	9000.00	रंग रेखा	मेवा लाल(ग्रा0वि0अधि0)
000181	30.10.2013	3000.00	रंग रेखा	सुरेश चन्द्र वर्मा
000179	23.01.2014	6000.00	रंग रेखा	जितेन्द्र कुमार
000182	23.01.2014	6000.00	रंग रेखा	कन्हई लाल
	योग-	88000.00	रंग रेखा	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 88000.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है परन्तु इन चैकों का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है एवं भुगतान होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा, जो बैंक स्टेटमेंट / खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में अंकन ₹0 12788000.00 की गम्भीर अनियमितता की गई है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0- 04 (क) बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या- 65. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना - कुल दर्शित भुगतान ₹0 6198025.00 में से ₹0 6110025.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक/ स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे ₹0 6110025.00 का भुगतान सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि में सही है, जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/ कच्चे बिल/ कैशमेमों पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से खपाई गई।

उदाहरणार्थरू- 1) तालिका-1 में क्रम सं0- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 13, 20, 23, 24, 26, 32, 33, 34, 40, 47 एवं 48 पर अंकित कार्यों की पत्रावलियों में कुटेशन सम्बन्धी प्रपत्र संलग्न नहीं पाये गये, जिससे स्पष्ट है कि बिना कुटेशन आमन्त्रित किये, मनमाने ढंग से अभिलेख तैयार कर कार्य को पूर्ण होना दर्शाकर धन को खपाया गया है।

उदा0 2) तालिका 01 में क्रम सं0- 01 से 03, 04 से 29 पर अंकित निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया कि पत्रावली में कुटेशन आमन्त्रण प्रपत्र, कुटेशन खुलने की तिथि, कुटेशन कमपैरीजन चार्ट आदि संलग्न नहीं पाये गये। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से पत्रावली तैयार कर कार्य पूर्ण होना दर्शाया गया है।

उदा0 3)- तालिका 01 के क्रम सं0- 38 पर दर्ज निर्माण कार्य की पत्रावली अनुसार उक्त निर्माण हेतु श्री राजेश कुमार गौतम, ग्राम विकास अधिकारी को कार्यालय पत्रांक-01/रा0वि0/आदेश/2012-13 दिनांक- 01.03.2013 के द्वारा कार्य प्रभारा नियुक्त किया गया है। परन्तु पत्रावली के अनुसार वॉर्ड का भुगतान चैक संख्या- 000140 दिनांक- 22.10.2013 के द्वारा ₹0 3000.00 श्री जितेन्द्र कुमार को किया जाना दर्शाया गया है। जबकि संलग्न एम आर के अनुसार काय दिनांक- 17.05.2013 को पूर्ण होना दर्शाया है।

उदा0 4) तालिका 01 के क्रम संख्या 44, 45, 46 एवं 49 पर अंकित निर्माण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि जिस दिन एम आर अनुसार कार्य समाप्त हुआ है। उसी दिन अवर अभियन्ता द्वारा माप पूर्ण कर मापांकन दर्ज किया गया है। निरीक्षणकर्ता अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा निरीक्षण सम्पन्न कर, कार्य पूर्ति आदेश भी निर्गत किया जाना दर्शित है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कूटरचित ढंग से अभिलेख तैयार कर धन को खपाया गया है।

उदा0 5) तालिका 01 के क्रम संख्या- 47 पर अंकित कार्य की निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उपलब्ध कार्यपूर्ति पर किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही कार्यपूर्ति में कार्य प्रारम्भ एवं समाप्त तिथि का उल्लेख किया गया है। पत्रावली में दो मस्टर रोल संलग्न पाये गये एम आर पर कार्य का नाम, कार्य प्रारम्भ एवं समाप्त तिथि का उल्लेख नहीं है। निसानी अंगूठा कौन-सा-किसका है प्रमाणित नहीं किया गया है। दोनों मस्टर रोलों में कुछ नाम एक जैसे ही हैं, विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रम सं0	नाम	01 से 04 वाला एम0आर0	01 से 05 वाला एम0आर0
1	सालिक राम पुत्र श्री नन्हे लाल	4 दिन × 125	5 दिन × 125
2	मदन लाल पुत्र श्री आंगने लाल	4 दिन × 125	5 दिन × 125
3	योगेश कुमार पुत्र श्री राजा राम	4 दिन × 125	5 दिन × 125
4	प्रेम पाल पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद	4 दिन × 125	5 दिन × 125
5	डम्मर लाल पुत्र श्री बिहारी लाल	4 दिन × 125	5 दिन × 125
6	रामदेव पुत्र श्री चुन्नी लाल	4 दिन × 125	5 दिन × 125
7	रविन्द्र कुमार पुत्र श्री भगवान दास	4 दिन × 125	5 दिन × 125
	योग-	3500.00	4375.00

जिसका भुगतान चैक नं0- 000111 दिनांक- 02.09.2013 के द्वारा कार्य के द्वारा कार्य प्रभारी श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी को दिया गया है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से कार्य पूर्ण होना दर्शाकर धन को खपाया गया है।

उदा0 6)- तालिका 01 के क्रम सं0- 48 पर दर्ज कार्य की पत्रावली में पाया गया कि कुटेशन में 0 न्यू रजा ब्रिक फिल्ड बिलसण्डा रोड, पीलीभीत की स्वीकृति की गई है। परन्तु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आपूर्ति आदेश कार्यालय पत्रांक- 66 दिनांक 14.08.2013 के द्वारा मै0 रजा ब्रिक फिल्ड को दिया गया है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से पत्रावली तैयार कर धन को खपाया गया है जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0- 04 (ख), बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या- 66. लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में बैंक खाता सं०- 01/19935 बैंक आफ बड़ौदा बीसलपुर राज्य वित्त/तेरहवां वित्त मद से ₹0 8405975.00 का आहरण किया गया है। परन्तु उसकी पश्ति में मात्र ₹0 7163665.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावली ही जाँच हेतु उपलब्ध करायी गयी। इस प्रकार शेष ₹0 1242310.00 के आहरण की पश्ति में कोई भी पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी। जबकि ऐसा किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार ₹0 1242310.00 ₹0 73593.00 = ₹0 1168717.00 का स्पष्ट अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याजसहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं जे०ई० से की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं०- 18 (ख) बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या- 67. कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:- वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यो पर अंकन ₹0 1309250.00 मजदूरी / कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री मुजीब हसन, प्रा०सा०वि०अधि० को ₹0 887625.00 एवं श्री बाबूराम, सहा०वि०अधि०, (पंचायत) को ₹0 399500.00 एवं श्री रमेश चन्द्र पाल, अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई) को ₹0 22125.00 का भुगतान कर दिया गया हैं। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है। साथ ही स्पष्ट करना है कि मस्टर रोल भुगतान के सम्बन्ध में बैंक कार्य प्रभारी के नाम जारी किया गया, परन्तु बैंक के अन्य व्यक्ति को अनियमित तरीके से किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है

(क) उदाहरण स्वरूप -

क्रम सं०	दिनांक	चैक सं०	धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम जिसे बैंक जारी किया गया है	बैंक के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता का नाम
1	02.12.2013	000151.00	19875.00	मुजीब हसन (एडीओ आईएसबी)	नगद आहरण
2	02.12.2013	22375.00	22375.00	मुजीब हसन (एडीओ आईएसबी)	नगद आहरण
3	02.12.2013	000149	19125.00	बाबूराम (एडीओ)	नगद आहरण
			61375.00		

(ख) उदाहरण स्वरूप -

क्रम सं०	दिनांक	चैक सं०	धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम जिसे बैंक जारी किया गया है	बैंक के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता का नाम
1	30.12.2013	000172	15750.00	बाबूराम (एडीओ)	मुजीब हसन (एडीओ आईएसबी)
2	02.03.2015	000400	1875.00	बाबूराम (एडीओ)	रमेश पाल
3	02.03.2015	000403	1875.00	बाबूराम (एडीओ)	रमेश पाल
4	02.03.2015	000404	1875.00	मुजीब हसन (एडीओ आईएसबी)	रमेश पाल
		योग-	21375.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल में अंकन कुल ₹0 1309250.00 का वर्ष 2013-14 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बीडीओ/जे०ई०/ लेखाकार / कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं०-03 बिलसण्डा)**

प्रस्तर संख्या- 68. आपूर्तिकर्ता/फर्म को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को / अन्य के खाते में करना/अपुष्टि विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्टि - सामग्री मद में कुल ₹0 7834007.00 के भुगतान में से ₹0 997530.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय अमाणका के आधार पर भुगतान दर्शित है। बैंक तो फर्म /व्यक्ति को निर्गत दर्शित हैं किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त को कोई और व्यक्ति / खाते में है।

चैक सं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
511925	23.05.2013	95198.00	सैनिक ब्रिक फील्ड	लूज चैक
511923	23.05.2013	95198.00	सैनिक ब्रिक फील्ड	लूज चैक
000150	02.12.2013	3141.00	एस० के० इण्डस्ट्रीज	नकद आहरण
511924	23.05.2013	95198.00	सैनिक ब्रिक फील्ड	लूज चैक
000122	01.10.2013	3500.00	एस० के० इण्डस्ट्रीज	मुजीब हसन
511684	14.05.2013	96883.00	सैनिक ब्रिक फील्ड	लूज चैक
511926	23.05.2013	59499.00	सैनिक ब्रिक फील्ड	लूज चैक
512030	30.05.2013	95991.00	सैनिक ब्रिक फील्ड	लूज चैक
000056	26.08.2013	6914.00	सैनिक ब्रिक फील्ड	मुजीब हसन
000081	26.08.2013	5724.00	सैनिक ब्रिक फील्ड	मुजीब हसन

512028	30.05.2013	94801.00	सैनिक ब्रिक फील्ड	लूज चैक
512031	30.05.2013	96388.00	सैनिक ब्रिक फील्ड	लूज चैक
000083	26.08.2013	5766.00	सैनिक ब्रिक फील्ड	बाबूराम
000210	03.03.2014	5752.00	प्रियंका ब्रिक फील्ड	मुजीब हसन
000400	02.03.2015	1650.00	एस0 के0 इण्डस्ट्रीज	रमेश पाल
000403	02.03.2015	1600.00	एस0 के0 इण्डस्ट्रीज	रमेश पाल
000399	02.03.2015	2500.00	एस0 के0 इण्डस्ट्रीज	रमेश पाल
000213	03.03.2014	5742.00	प्रियंका ब्रिक फील्ड	बाबूराम
512027	30.05.2013	96388.00	सैनिक ब्रिक फील्ड	लूज चैक
000123	01.10.2013	4603.00	सैनिक ब्रिक फील्ड	मुजीब हसन
000160	21.12.2013	6510.00	सैनिक ब्रिक फील्ड	मुजीब हसन
000075	01.10.2013	4942.00	सैनिक ब्रिक फील्ड	मुजीब हसन
000133	15.10.2013	3500.00	रहमान एण्ड कम्पनी	मुजीब हसन
000212	03.03.2014	5742.00	प्रियंका ब्रिक फील्ड	मुजीब हसन
512029	30.05.2014	94404.00	एस0 के0 इण्डस्ट्रीज	लूज चैक
000211	03.03.2014	5696.00	सैनिक ब्रिक फील्ड	मुजीब हसन
000221	03.03.2014	4300.00	एस0 के0 इण्डस्ट्रीज	बाबूराम
योग—		997530.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 997530.00 का चैक फर्म निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ है एवं होने की पुष्टि में विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेंट/ खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में ₹0 997530.00 की गम्भीर अनियमितता/अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०- 04 क बिलसण्डा)**

प्रस्तर संख्या- 69. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अणुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना — कुल दर्शित भुगतान ₹ 07834007.00 में से ₹0 6836477.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक / स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे ₹0 6836477.00 का भुगतान सम्बन्धित अपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि में सही है, जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड / कच्चे बिल / कैशमेमों पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली

में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से खपाई गई।

निश्कर्ष- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2013-2014 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं, क्योंकि निर्माण कार्य की मजदूरी/श्रमाश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये, सामग्री आपूर्ति, स्टाक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। जिससे स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०- 04 ख बिलसण्डा)** ,

प्रस्तर संख्या- 70. वर्ष 2013-14 में क्षेत्र निधि खाता संख्या- 16620100000246 बैंक ऑफ बड़ौदा बिलसण्डा, जनपद- पीलीभीत से राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त खातों से कुल ₹0 10691670.00 की धनराशि आहरित की गयी है, जबकि कुल ₹0 9275896.00 की निर्माण पत्रावलियां उपलब्ध करायी गयी हैं। इस प्रकार ₹0 1415774.00 के आहरण के सापेक्ष व्यय की पुष्टि में कोई भी संगत अभिलेख/पत्रावलियां उपलब्ध नहीं करायी गयी। पंचायत राज नियमावली -1947 के अध्याय-8 के पर व्यय की पुष्टि में अभिलेख उपलब्ध न होने पर इसे गवन मानते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों /अधिकारियों से वसूल किये जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त धनराशि ₹0 1415774.00 की ब्याजसहित वसूली कार्य प्रभारियों / खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/ब्लाक प्रमुख से कर राजकीय कोश में जमा किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०- 08 बिलसण्डा)**

प्रस्तर संख्या- 71. कमांश का मजदूरों को भुगतान कूटरचित मस्टर रोल के आधार पर किया जाना — वर्ष-2013-14 में विविध निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 977985.00 का भुगतान कमांश/मजदूरी के रूप में कार्य प्रभारी को किया गया है, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है, जबकि, नियमानुसार मजदूरी कमांश का भुगतान मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिये था। मस्टर रोल पर निर्माता के ही हस्तलेख में पाये गये/कार्य पर लगे मजदूरों के पता, महिला/पुरुष, अनु० जाति/अनु०जन जाति इत्यादि का भी उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भी मस्टर रोल पर मस्टर रोल क्रमांक छपा हुआ नहीं पाया गया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी द्वारा कूट रचना द्वारा मस्टर रोल तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न किया गया है। तथा कमांश/मजदूरी अंश का कुल अंकन ₹0 977985.00 में से श्री छत्रपाल सिंह, एडीओ (एजी) द्वारा ₹0 345900.00, श्री महेश चन्द्र वर्मा, एडीओ(एसटी) ₹0 389430.00, श्री राजेश गौतम, जीवीए द्वारा ₹0 65550.00 श्री राज

बन्दन मिश्रा, जीवीए द्वारा ₹0 85150.00, श्री राकेश मिश्रा, द्वारा ₹0 28880.00, श्री राम किशोर, जीवीए द्वारा ₹0 19850.00 तथा श्री अनिल कुमार, जीवीए द्वारा ₹0 43225.00 का सुनियोजित/कूटरचित तरीके से लेखाकार, बी0डी0ओ0 तथा ब्लाक प्रमुख के सहयोग से अपहरण कर लिया जिसकी ब्याजसहित वसूली उपरोक्त से की जानी चाहिए। (सामान्य आपत्ति सं0- 03 बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 72. आपूर्तिकर्ता/ फर्म को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/ अन्य के खाते में करना- वर्ष 2013-14 में तालिका-2 के सामग्री अंश में भुगतान निम्न विवरणानुसार किया जाना दर्शित है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि बैंक निर्गमन व्यक्ति/फर्म को दर्शित है। परन्तु बैंक खाते के जांच में पाया गया कि वास्तविक भुगतान कार्य प्रभारी का प्राप्त हुआ है।

क्रम सं0	दिनांक	बैंक सं0	बैंक जिसके नाम इश्यु दर्शित है	बैंक स्टेटमेंट अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता	धनराशि
1	10.10.2013	000056	कुन्दन शाह	छत्रपाल	5554.00
2	29.10.2013	000075	रामबहादुर	छत्रपाल	7029.00
3	07.04.2015	000293	परसादी लाल	राकेश मिश्रा	6237.00
4	04.02.2014	000141	मोतीराम	छत्रपाल	1782.00
5	28.03.2014	000157	शर्मा बिल्डिंग वर्क्स	छत्रपाल	3500.00
6	28.03.2014	000157	नन्हे लाल	छत्रपाल	12974.00
7	06.04.2015	000288	शर्मा बिल्डिंग स्टोर	श्री राम किशोर जीवीए	3500.00
8	06.04.2015	000288	बद्धसेन	श्री राम किशोर जीवीए	7128.00
9	03.06.2015	000008	सालिक राम	छत्रपाल	6157.00
10	13.05.2013	528859	डोरीलाल	छत्रपाल	3645.00
11	20.05.2013	528885	सतनाम सिंह	छत्रपाल	6111.00
12	20.09.2013	000045	ताराचन्द	छत्रपाल	3504.00
13	08.04.2015	000297	जगदीश	अनिल कुमार जीवीए	5791.00
14	14.10.2013	000058	जगदीश	महेश वर्मा	6232.00
15	06.12.2013	000094	विनोद कुमार	महेश वर्मा	4702.00
16	17.10.2013	000062	जानकी प्रसाद	छत्रपाल सिंह	3415.00
17	27.11.2013	000091	सुन्दर लाल	छत्रपाल सिंह	64894.00
18	14.05.2013	528892	पातीराम	छत्रपाल सिंह	3904.00
19	01.05.2013	528888	शर्मा बिल्डिंग वर्क्स	छत्रपाल सिंह	10350.00
20	11.06.2013	000011	राम भरोसे लाल	छत्रपाल सिंह (रामदेव)	5643.00
21	12.06.2013	000013	नन्हे लाल	महेश वर्मा (रामदेव)	5494.00
22	20.09.2013	000043	श्री कृष्ण	छत्रपाल सिंह	1915.00
23	22.04.2015	000308	नन्हे लाल	राजेश गौतम	15741.00
24	04.03.2014	000152	शर्मा बिल्डिंग वर्क्स	छत्रपाल सिंह	3500.00
25	24.05.2014	000169	शर्मा बिल्डिंग वर्क्स	छत्रपाल सिंह	3500.00
26	03.07.2014	000203	शर्मा बिल्डिंग वर्क्स	छत्रपाल सिंह	3500.00
27	11.04.2013	528878	सालिक राम	छत्रपाल सिंह (रामदेव)	5625.00
28	17.08.2013	000034	रोशन लाल	छत्रपाल सिंह	1980.00
29	10.07.2013	000023	नन्हे लाल	महेश चन्द्र वर्मा	3885.00
30	28.03.2014	000160	ओमपाल	छत्रपाल सिंह	2564.00
31	09.04.2013	526070	सतनाम	छत्रपाल सिंह	4320.00
32	20.04.2013	528881	उमेश कुमार	छत्रपाल सिंह	2150.00
33	17.08.2013	000036	कृष्ण पाल	महेश वर्मा	6519.00
34	20.09.2013	000047	राजू	छत्रपाल सिंह	3856.00
35	04.04.2015	000291	नन्द लाल	राजबन्दन मिश्रा	5841.00
			योग-		242442.00

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि कूटरचना द्वारा फर्जी तरीके से फर्जी बिल प्रस्तुत कर कार्य प्रभारियों श्री छत्रपाल सिंह, एडीओ (एजी) द्वारा ₹0 112962.00, श्री राकेश मिश्रा, द्वारा ₹0 6237.00, श्री राम किशोर, जीवीए द्वारा ₹0 10628.00 श्री अनिल कुमार, जीवीए द्वारा ₹0 5791.00 श्री महेश चन्द्र वर्मा, एडीओ (एसटी) ₹0 26832.00, श्री राजेश गौतम, जीवीए द्वारा ₹0 15741.00 तथा श्री राज बन्दन मिश्रा, जीवीएद्वारा ₹0 5841.00, का आहरण कर अपहरण लेखाकार बी0डी0ओ0 तथा ब्लाक प्रमुख की संलिप्तता से कर लिया अतः कुल ₹0 184032.00, की ब्याजसहित वसूली सम्बन्धितों से की जानी चाहिए (सामान्य आपत्ति सं0- 04 क बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 73. वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभिन्न निर्माण पत्रावलियों के अनुसार कुल ₹0 7376540.00 सामग्री अंश पर व्यय किया जाना दर्शित है। जबकि उक्त के सापेक्ष कुल श्रमांश/ मजदूरी पर दर्शित व्यय ₹0 977985.00 का अपहरण कार्य प्रभारी द्वारा (आपत्ति सं0- 03) के विवरण अनुसार किया गया है। इस प्रकार सामग्री अंश पर व्यय ₹0 7376540.00 में से ₹0 184032.00 का भुगतान /आहरण कार्य प्रभारी द्वारा विभिन्न तिथियों में व्यय ₹0 166709.80 टी0डी0एस0 कटौती के रूप में दर्शित राशि घटाने के उपरान्त शेष ₹0 7025798.20 सामग्री अंश पर किये गये व्यय के सापेक्ष मजदूरी कमाश की धनराशि का अपहरण आपत्ति सं0-03 के अनुसार कार्य प्रभारी द्वारा किए जाने तथा सामग्री आपूर्ति चालान एवं सामग्री आमद/उपभोग व शेष ,सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के अभाव में उक्त धनराशि ₹0 7025798.20 को अपहरण मानते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों / अधिकारियों से ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं0- 04 ख बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 74. टी.डी.एस. की पुष्टि न हो पाने तथा टी0डी0एस0 कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि:- लेखा परीक्षा वर्ष- 2013-14 में सामग्री अंश के व्यय प्रमाणकों के सापेक्ष कुल अंकन ₹0 7376540.00 का भुगतान विभिन्न फर्मों /व्यक्तियों को किया जाना दाशत है। उक्त भुगतान के सापेक्ष कुल अंकन ₹0 142137.00 का टी0डी0एस0 काटा जाना दर्शित है जबकि 2.26 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 7376540.00 पर अंकन ₹0 166709.80 टी0डी0एस0 काटा जाना चाहिए था। इस प्रकार अंकन ₹0 24572.80 से टी0डी0एस0 कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि की गयी है। वर्ष दौरान काटे गये टी0डी0एस0 के आयकर विभाग में जमा किया/कराये जाने की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे स्पष्ट है कि वित्तीय नियमों की घोर उपेक्षा करते हुये समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः अंकन ₹0 166709.80 का टी0डी0एस0 की ब्याजसहित वसूली सहित सम्बन्धित कार्मिकों/अधिकारियों से करके जमा कराया जाना चाहिये। (सामान्य आपत्ति सं0- 05 बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 75. आलोच्य वर्षद्व 2013-14 में कुल सामग्री कय अंकन ₹0 7376540.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 295061.60 का व्यापार कर (वैट) की

कटौती की जानी चाहिए थी, जबकि वर्ष दौरान व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। वर्ष दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 7376540.00 व्यय पर अंकन ₹0 295061.60वैट काटा जाना चाहिए था। व्यापार कर की कटौती न किये जाने से राजकीय राजस्व की हानि हुई।

अतः उपरोक्त व्यापार कर की धनराशि की वसूली लेखाकार, कार्य प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी, तथा ब्लाक प्रमुख से की जानी चाहिए। व्यापार कर कटौती न किया जाना एक ओर राजकीय राजस्व की हानि की ओर इंगित है दूसरी ओर विधिक रूप से सामग्री कय किए जाने की की संदिग्ध बना देता है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।(सामान्य आपत्ति सं०-06 बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 76. वर्ष-2013-14 में 4175.35 घन मी० मिट्टी क्रय/आपूर्ति हेतु कुल ₹0 213074.00 का भुगतान अधोलिखित विवरण के अनुसार किया गया है, जिस पर नियमानुसार ₹0 14.00 प्रति घन मीटर की दर से ₹0 58454.90 की रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी ब्याजसहित वसूली तत्कालीन लेखाकार, कार्य प्रभारी एवं आहरण खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी चाहिए।

वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर प्रयुक्त दर्शित मिट्टी की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम सं०	दिनांक	चैक सं०	मिट्टी की मात्रा (घन मी०)	दर्शित धनराशि
1	10.10.2013	000056	49.50	5454.00
2	29.10.2013	000075	142.00	
3	18.11.2013	000084	126.00	6237.00
4	04.02.2014	000141	36.00	1782.00
5	28.03.2014	000157	252.00	12474.00
6	03.06.2013	00008	125.00	6157.00
7	13.05.2013	528859	74.00	3645.00
8	20.05.2013	528895	124.00	6111.00
9	20.09.2013	000045	71.00	3504.00
10	08.04.2015	000297	117.00	5791.00
11	14.10.2013	000058	126.00	6232.00
12	06.12.2013	000095	95.00	4702.00
13	18.11.2013	000086	111.00	5494.00
14	27.11.2013	000091	131.00	6484.00
15	13.05.2013	528892	79.00	3904.00
16	01.05.2013	528888	209.00	10350.00
17	01.05.2013	528888	893.00	
18	11.06.2013	000011	114.00	5643.00
19	20.09.2013	000043	39.00	1915.00
20	22.01.2013	0000308	318.00	15741.00
21	24.05.2014	0000169	71.00	3500.00
22	03.07.2014	0000203	71.00	3500.00
23	03.07.2014	0000203	153.00	7573.00
24	11.04.2013	528878	114.00	5625.00
25	17.08.2013	000034	40.00	1980.00
26	19.12.2013	0000104	117.00	5791.00
27	10.07.2013	000023	78.00	3885.00
28	23.07.2013	000030	64.5	3197.00
29	28.03.2014	0000160	52.00	2564.00
30	20.04.2013	528881	43.5	2150.00
31	17.08.2013	000036	132.00	
32	20.09.2013	000047	78.00	3856.00

(सामान्य आपत्ति सं०-07 बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 77. क्षेत्र पंचायत बरखेड़ा के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में ग्रांट रजिस्टर के अनुसार प्राप्त अनुदान ₹0 9433633.00 दर्शित है। जबकि बक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 9392264.00 की पुष्टि होती है। इस प्रकार ग्रांट रजिस्टर में दर्शित धनराशि अन्तर ₹0 41369.00 अधिक से अंकित है। कारण स्पष्ट किया जावे। इसी प्रकार सन्दर्भित वित्त वर्ष की लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तु की गई निर्माण पत्रावलियों के अनुसार दर्शित व्यय धनराशि ₹0 8354525.00 है। जबकि इसी वित्तीय वर्ष में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 10436618.00 के आहरण की पुष्टि होती है। परिणाम स्वरूप निर्माण पत्रावलियों में व्यय दर्शित धनराशि तथा बैंक स्टेटमेंट द्वारा पुष्टित धनराशि ₹0 2082093.00 से अधिक है। अतः बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अंकन ₹0 2082093.00 के आहरण के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई भी पत्रावली / अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इसलिए वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार आहरित / व्यय की गई धनराशि की पुष्टि में तत्सम्बन्धित पुष्टित व्यय प्रमाणक उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में दर्शित उपभोग की गई समस्त धनराशि ₹0 2082093.00 को अपहरण मानते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों / अधिकारियों से ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-08 बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 78. कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान- वर्ष 2013 14 मस्टर रोल द्वारा भुगतान - वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 945820.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र पाल, सहा० विकास अधिकारी (सहकारिता) को एवं राम अवतार श्रीवास्तव को ₹0 16400.00, श्री नागेन्द्र कुमार ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री राम अवतार श्रीवास्तव को ₹0 106545.00, श्री रईस अहमद सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी) एवं श्री राम अवतार श्रीवास्तव को ₹0 693635.00, श्री दिनेश सिंह सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) एवं श्री राम अवतार श्रीवास्तव को ₹0 94250.00 एवं श्री पंकज शर्मा ग्राम विकास अधिकारी को ₹0 34990.00 कर दिया गया है। कुल ₹0 945820.00 का भुगतान किया गया है।

मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है। वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली विकास खण्ड पर लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि किस कम सं० के मस्टर रोल किस कार्य हेतु किस दिनों को निर्गत किये गये हैं। मनमाने ढंग से मस्टर रोल तैयार कर भुगतान किया गया है। (वर्ष में उपलब्ध कराई गई कुल 23 कार्यों की पत्रावलियों के अनुसार)।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 945820.00 का वर्ष 2013-14 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी/जे०ई०/ लेखाकार/ कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।(सा०आ०सं०- 03 अमरिया)

प्रस्तर संख्या- 79. आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/ अन्य खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में रु- सामग्री मद में कुल ₹0

6019230.00 भुगतान में से ₹0 343145.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म / व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति / खाते में है—

चैक नं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
000113	13.02.2014	10080-00	श्री रईस अहमद, कार्य प्रभारी	श्री राम अवतार श्रीवास्तव
000080	24.01.2014	8820-00	श्री नागेन्द्र कुमार, ग्रा0वि0अधि0	श्री राम अवतार श्रीवास्तव
000299	04.02.2015	3720-00	श्री रईस अहमद, कार्य प्रभारी	श्री राम अवतार श्रीवास्तव
508771	28.05.2013	19600-00	अरोरा ऑयल कम्पनी	श्री रईस अहमद, कार्य प्रभारी
508772	30.05.2013	19200-00	अरोरा ऑयल कम्पनी	श्री रईस अहमद, कार्य प्रभारी
000044	02.12.2013	22440-00	नवी अहमद	श्री रईस अहमद, कार्य प्रभारी
00079	24.01.2014	8400-00	श्री नागेन्द्र कुमार	श्री राम अवतार श्रीवास्तव
000074	20.01.2014	22162-00 1400-00 19068-00 17500-00 15000-00	आर० के मार्वल्स निरंजन लाल गुप्ता निरंजन लाल गुप्ता गुलशन ब्रिक फील्ड गुलशन ब्रिक फील्ड	श्री राम अवतार श्रीवास्तव
000078	22.01.2014	98766-00	गुलशन ब्रिक फील्ड	दू. टी0आर0एफ0
0000111	08.02.2014	3500-00	श्री रईस अहमद, कार्य प्रभारी	श्री राम अवतार श्रीवास्तव
508789	30.05.2014	2000-00	श्री रईस अहमद, कार्य प्रभारी	श्री राम अवतार श्रीवास्तव
000026	05.08.2013	2000-00	श्री रईस अहमद, कार्य प्रभारी	श्री राम अवतार श्रीवास्तव
000085	24.01.2014	2940-00	श्री नागेन्द्र कुमार, ग्रा0वि0अधि0	श्री राम अवतार श्रीवास्तव
000101	04.02.2014	17700-00 18735-00	अरोरा ऑयल कम्पनी अरोरा ऑयल कम्पनी	श्री रईस अहमद, कार्य प्रभारी
000108	05.02.2014	18855-00 8259-00	अरोरा ऑयल कम्पनी आर० के मार्वल्स	श्री राम अवतार श्रीवास्तव
000045	02.12.2013	2000-00 1000-00	श्री रईस अहमद, कार्य प्रभारी	श्री राम अवतार श्रीवास्तव
	योग	343145-00		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 343145.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है परन्तु इन चैकों का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है एवं भुगतान होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा, जो बैंक स्टेटमेंट / खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में अंकन ₹0 343145.00 की गम्भीर अनियमितता की गई है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-4 क अमरिया)

प्रस्तर संख्या— 80. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना— कुल दर्शित भुगतान ₹0 6019230.00 में से ₹0 56766085.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक / स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे ₹0 56766085.00 का भुगतान सम्बन्धित अपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि में सही है, जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड / कच्चे बिल / कैंशमेमों पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक / कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से खपाई गई।

निष्कर्ष— उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2013-2014 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं, क्योंकि निर्माण कार्य की मजदूरी / श्रमाश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये, सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। जिससे स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ आहरण / भुगतान के पश्चात तैयार की गयी है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-4 ख अमरिया)

प्रस्तर संख्या— 81. कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान— वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य पर अंकन ₹0 917370.00 मजदूरी / कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी) को ₹0 533820.00, श्री विजय सिंह एडीओ (सी) को ₹0 383550.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर में है। साथ ही स्पष्ट करना है कि मस्टर रोल भुगतान के संबंध में चैक कार्य प्रभारी के नाम जारी किया गया, परन्तु बैंक के अनुसार भुगतान अन्य व्यक्ति को अनियमित तरीके से किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	चैक सं०	कार्य प्रभारी का नाम जिसे चैक जारी किया गया	बैंक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	धनराशि
16.04.2013	2445	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल	11050.00
16.04.2013	2446	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल	7220.00
16.04.2013	2447	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल	10325.00
18.05.2013	5257	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल	12175.00
21.05.2013	5261	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल	7030.00

18.05.2013	5260	श्री विजय	श्री प्रेमपाल	8280.00
03.09.2013	301265	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल	3060.00
07.10.2013	301279	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल	18710.00
24.09.2013	301267	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल	149980.00
20.09.2013	301268	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल	17400.00
24.09.2013	301269	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल	17650.00
30.12.2013	1266	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल	15380.00
		योग—		278260.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 917370.00 का वर्ष 2013-14 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिस बी0डी0ओ0/ जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।(सा0आ0सं0-3 ललौरीखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 82. आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना/ अपुष्टि विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्टि- सामग्री मद में कुल ₹0 5816865.00 भुगतान में से ₹0 38355.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है-

चैक नं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
2447	16.04.2013	250.00	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल
5261	21.05.2013	3500.00	श्री विजय सिंह	श्री प्रेमपाल
2445	16.04.2013	250.00	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल
2446	16.04.2013	250.00	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल
5257	18.05.2013	250.00	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल
5261	21.05.2013	7140.00	श्री विजय सिंह	श्री प्रेमपाल
5260	18.05.2013	9240.00	श्री विजय सिंह	श्री प्रेमपाल
5260	18.05.2013	250.00	श्री विजय सिंह	श्री प्रेमपाल
301265	03.09.2013	2520.00	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल
301268	20.09.2013	250.00	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल
301269	24.09.2013	250.00	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल
301269	25.04.2014	14105.00	श्री ओम प्रकाश	श्री प्रेमपाल
	योग—	38255.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 38355.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैकों का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि में विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेंट/ खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में ₹0 38355.00 की गम्भीर अनियमितता की गई है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।(सा0आ0सं0-4क ललौरीखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 83. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना- कुल दर्शित भुगतान ₹0 5816865.00 में से ₹0 5778260.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक/स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये, ₹0 5778260.00 के भुगतान के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत पायी गयी। (1) अनियमित तरीके से कार्यप्रभारी श्री ओम प्रकाश एवं श्री विजय सिंह को सामग्री कय किये जाने हेतु चेक जारी कर ₹0 132064.00 का भुगतान किया गया है। (2) अभिलेखों के अनुसार चैक तो फर्मो के नाम जारी किये गये हैं परन्तु बैंक द्वारा फर्मों के नाम दलित कर मात्र ट्रान्सफर का ₹0 3622006.00 का लेखा पारित किया गया है। (3) शेष धनराशि का भुगतान सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को, ₹0 2224190.00 किया गया है। तथा जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश में पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर एवं धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है।

सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से खपाई गई।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2013-2014 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं, क्योंकि निर्माण कार्य की मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये, सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। जिससे स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0- 4ख ललौरीखेड़ा) **प्रस्तर संख्या- 84.** लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त योजना मद खाता संख्या- 21716877267 एवं तेरहवां वित्त योजना मद के अन्तर्गत बैंक खाता संख्या- 21716915760 में कमशः ₹0 264006.00 एवं ₹0 27272.00 कुल ₹0 291278.00 इलाहाबाद बैंक, ब्रांच ललौरीखेड़ा, जनपद- पीलीभीत से निम्न विवरणानुसार आहरित धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा। विवरण निम्न प्रकार हैः

दिनांक	चैक नं0	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि
09.04.2013	2439	श्री ओम प्रकाश	12540.00
09.04.2013	2438	श्री विजय सिंह	12665.00
16.04.2013	2443	रुबी ब्रिक फील्ड	73719.00
30.04.2013	2449	रुबी ब्रीक फील्ड	77229.00
01.05.2013	4200	तराई स्पन पाइप	5863.00
04.05.2013	5256	स्वयं	6000.00
20.07.2013	5266	ललित इन्टरप्राइजेज	8590.00
30.07.2013	5267	स्वयं	25400.00
27.08.2013	5268	स्वयं	9000.00
11.10.2013	5271	सुमन गंगवार	6000.00
06.12.2013	5296	स्वयं	6000.00
04.03.2012	2890	ट्रान्सफर	21000.00
09.11.2013	301288	तराई स्पन पाइप	6272.00
04.03.2014	2890	ट्रान्सफर	21000.00

		योग—	291278.00

उक्त आहरित धनराशि ₹0 291278.00 के व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न रहा, जिस कारण उक्त ₹0 291278.00 का आहरण पूर्णतः अपुष्टित रहा। अपुष्टि भुगतानित धनराशि की वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०- 7 ललौरीखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 85. श्रमांश में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण- वर्ष 2013-2014 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 80205.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारी, श्री करन सिंह नावियाल, पदनाम - सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) को ₹0 59115.00, श्री निर्मल सिंह-सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को ₹0 20340.00 तथा श्री करन सिंह को ₹0 750.00 का भुगतान कर दिया गया है। उदाहरणार्थ- क) बूंदी भूढ़ में हीरालाल के घर के पास नाले पर पुलिया निर्माण पर कार्य प्रभारी नियुक्त नहीं किया गया, कार्य पूर्ण नहीं कराया गया लेकिन ₹0 750.00 मजदूरी भुगतान कर दिया गया। बैंक स्टेटमेंट से श्री करन सिंह द्वारा ₹0 750.00 के भुगतान प्राप्ति की पश्ति होती है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाया गया उन पर मस्टर रोल नं० अंकित नहीं है। ख) माधोटाड़ा में मिर्दई लाल के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य में संलग्न मस्टर रोल पर अवधि अंकित नहीं की गयी है, जिससे संलग्न मस्टर रोल संदिग्ध प्रतीत होता है। स्पष्ट होता है कि कार्यवार विकास खण्ड से मस्टर रोल निर्गत नहीं है श्रमिकों का अंगूठा निशानी प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं।

वह मस्टर रोल निर्माता के हस्ताक्षर में हैं। कार्य पर लगे लोग किस गाँव के है यह भी अंकित नहीं है।

7 सह को ₹0 750.00 का भुगतान कर दिया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है, और मजदूरी मद में ₹0 80205.00 का वर्ष 2013-14 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया, जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-03 पूरनपुर)

प्रस्तर संख्या- 86. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण-सामग्री क्रय पर कुल भुगतान ₹0 508255.00 सम्बन्धित फर्म को किया जाना दर्शित है। सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड, कैश मेमों कच्चे बिल पर है। प्रमाणकों पर देय टैक्स का दर व धनराशि भी अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री का आमद उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामग्री आपूर्ति काल्पनिक है। फर्म से मिली भगत कर मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। उक्त ₹0 508255.00 के अपहरण के लिये बी०डी०ओ०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/जे०ई०/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०-04 पूरनपुर)

प्रस्तर संख्या- 87. शासनादेश संख्या ए-1-122/ दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च, 2012 के अनुसार यदि संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था का आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राज्य कोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। वर्ष 2013-14 में अनुदान पंजी के अनुसार ₹0 308805.00 व्यय मद में व्यय दर्शाया गया है। पूछने पर सरकार को व्याज वार्षिक बकाया जाना बताया गया, लेकिन पुष्टि में अपेक्षित साक्ष्य/जमा चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०- 08 पूरनपुर)

प्रस्तर संख्या- 88. कमांश का मजदूरों को भुगतान काल्पनिक मस्टर रोल के आधार पर किया जाना वर्ष 2013-14 में विविध निर्माण कार्य पर कुल अंकन ₹0 1275285.00 कमांश/ मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री आभास कुमार ए०डी०ओ० (एस०टी०) को ₹0 1181232.00 तथा श्री हुकुमचन्द्र गंगवार ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०) को ₹0 94053.00 किया गया है।

मस्टर रोल पर अंकित श्रमिकों के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी प्रमाणित नहीं पाये गये, साथ ही मजदूरों के हस्ताक्षर मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में पाये गये। कार्य पर लगे मजदूरों के पता तथा महिला, पुरुष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। किसी की मस्टर रोल पर मस्टर रोल क्रमांक (प्रिन्टेड) नहीं पाया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है, कि कार्य प्रभारी द्वारा फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न किया गया है तथा मजदूरी/कमांश अंश का कुल अंकन ₹0 1275285.00 वर्ष 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये कार्य प्रभारी, लेखाकार तथा विकास अधिकारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सम्यक पुष्टि उपरान्त तदनुसार सम्बन्धितों से बसूली की जानी समीचीन है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-3 मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 89. (क) आपूर्ति कर्ता फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/ अन्य खाते में करना

वर्ष 2013-14 के तालिका 2 के सामग्री अंश में भुगतान निम्न विवरण अनुसार किया जाना दर्शित है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि चैक निर्गमन व्यक्ति/ फर्म को दर्शित है, परन्तु बैंक खाते के जांच में पाया गया कि, वास्तविक भुगतान कार्य प्रभारी को प्राप्त हुआ है।

क्रम सं०	चैक सं०	दिनांक	धनराशि रु. में	चैक जिसके नाम दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
1	38886	04.12.2013	734.00	रोशनलाल	आभास कुमार ए०डी०ओ० (एस०टी०)
2	39324	12.02.2014	21600.00		नकद आहरण
3	9811	22.10.2013	17500.00		आभास कुमार ए०डी०ओ० (एस०टी०)
4	9946	16.11.2013	15630.00		आभास कुमार ए०डी०ओ० (एस०टी०)
5	9941	16.11.2013	11177.00		आभास कुमार ए०डी०ओ० (एस०टी०)
6	38909	13.01.2013	11550.00		नकद आहरण
7	39329	12.01.2014	10800.00		नकद आहरण
	योग-		88991.00		

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सामग्री क्रय है भगतान में फर्जी /भ्रामक बाउचर प्रस्तुत कर अंकन ₹0 88991.00 का अपहरण, कार्य प्रभारी श्री आभास कुमार द्वारा किया गया है। जिसकी बसूली सम्बन्धित लेखाकार, कार्य प्रभारी तथा खण्ड विकास अधिकारी से की जानी चाहिए। (सामान्य आपत्ति संख्या-4 क, मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 90. वित्तीय वर्ष- (2013-14) में विभिन्न निर्माण पत्रावलियों अनुसार कुल रु० 7617662.00 सामग्री अंश पर व्यय किया जाना दर्शित है। जबकि उक्त के सापेक्ष कुल श्रमांश/ मजदूरी पर दर्शित व्यय रु० 1275285.00 का अपहरण कार्य प्रभारी द्वारा (आपत्ति सं०- 03) के विवरण अनुसार किया गया है। इस प्रकार सामग्री अंश पर व्यय रु० 7617662.00 में से रु० 88991.00 का भुगतान /आहरण कार्य प्रभारी द्वारा विभिन्न तिथियां में व्यय रु० 147588.00 टी०डी०एस० कटौती के रूप में दर्शित राशि घटाने के उपरान्त शेष रु० 7381083.00 सामग्री अंश पर किए गए व्यय के सापेक्ष मजदूरी/ कमांश की धनराशि का अपहरण आपत्ति सं०- 03 के अनुसार कार्य प्रभारी द्वारा किए जाने तथा सामग्री आपूर्ति चालान एवं सामग्री आमद/ उपभोग व शेष, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के अभाव में उक्त धनराशि रु० 7381083.00 का अपहरण मानते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों/ अधिकारियों से वसूली की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-4 (ख) मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 91. टी0डी0एस0 की पुष्टि न हो पाने तथा टी0डी0एस0 काटकर राजकोय राजस्व की हानि- वर्ष 2013-14 में सामग्री क्रय व्यय प्रमाणको के सापेक्ष कुल अंकन रू0 7617662.00 का भुगतान विभिन्न फर्मों/व्यक्तियों को भुगतान दर्शित है। उक्त भुगतान के सापेक्ष कुल अंकन रू0 147588.00 का टी0डी0एस0 काटा जाना दर्शित है जबकि 2.26 प्रतिशत की दर से कुल रू0 7617662.00 पर अंकन रू0 172159.16 टी0डी0एस0 बर्षा दौरान होना चाहिए था। इस प्रकार कुल अंकन रू0 24571.16 ये टी0डी0एस0 कम काटकर राकीय राजस्व की हानि की गयी। इस प्रकार कम काटे गये आई0डी0एस0 के बराबर वसूलीय एण्ड शुल्क के साथ आहरण वितरण अधि/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना चाहिये। साथ ही साथ काटे गये टी0डी0एस0 की जमा पुष्टि में इश्यू चैक नम्बर। बैंक स्टेटमेंट/ चालान/दाखिल रिटर्न इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिससे उक्त रू0 147588.00 काटे गये टी0डी0एस0 के जमा कराये जाने की पुष्टि नहीं हो सकी/ अतः उक्त रू0 172159. 16 टी0डी0एस0 की वसूली नियमानुसार सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से की जानी चाहिये। **(सामान्य आपत्ति संख्या-5, मरौरी)**

प्रस्तर संख्या- 92. आलोच्य वर्ष 2013-14 में कुल सामग्री क्रय अंकन रू0 7617662.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 304706.48 का व्यापार कर (वैट) की कटौती की जानी चाहिये थी जो नहीं की गयी है। इस प्रकार रू0 304706.48 का राजकीय राजस्व की हानि व्यापार कर के रूप में हुई है अतः रू0 304706.48 का व्यापार कर की हानि की वसूली दण्ड शुल्क के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से करके राजकीय कोशागार में जमा करते हुए चालान से पुष्टि कराई जानी चाहिये। **(सामान्य आपत्ति संख्या-6, मरौरी)**

प्रस्तर संख्या- 93. वर्ष 2013-14 में 2110 घन मी० मिट्टी/रेता क्रय/आपूर्ति हेतु कुल रू0 26484.00 का भुगतान अधेलिखित विवरण अनुसार किया गया है जिस पर नियमानुसार रू0 14.00/घन मी० की दर से कुल रू0 10312.54 रायल्टी वसूल की जानी चाहिये थी। रायल्टी वसूल न करके राजकीय राजस्व की हानि की गयी है, जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी चाहिये।

क्रम सं०	दिनांक	मद का विवरण	मात्रा	धनराशि
1	11.11.2013	रेता	1.8	734.00
2	03.01.2014	मिट्टी	164.49	16450.00
3	20.08.2013	रेता	2.90	1183.00
4	08.10.2013	रेता	2.80	1142.00
5	28.07.2013	रेता	1.45	592.00
6	28.07.2013	रेता	0.70	286.00
7	07.10.2013	रेता	3.93	1603.00
8	07.10.2013	रेता	4.68	1909.00
9	12.05.2013	रेता	3.55	1450.00
10	13.01.2013	मिट्टी	1.29	15050.00
11	15.01.2013	रेता	5.06	2064.00
12	13.01.2014	मिट्टी	162	21600.00
13	19.07.2013	मिट्टी	69	6900.00
14	03.02.2014	मिट्टी	129	15050.00
15	02.12.2013	मिट्टी	54	6300.00
16	11.11.2013	रेता	2.25	918.00
		योग-		93231.00

क्रम सं०	दिनांक	मद का विवरण	मात्रा	धनराशि
17	27.09.2013	मिट्टी	150	17500.00
18	-	मिट्टी	96	9600.00
19	04.11.2013	मिट्टी	126	14700.00
20	01.11.2013	रेता	2.28	930.00
21	03.11.2013	मिट्टी	90	10500.00
22	02.11.2013	रेता महीन	1.66	677.00
23	-	मिट्टी	21	2100.00
24	-	रेती महीन	0.90	2400.00
25	22.05.2013	मिट्टी	24	367.00
26	03.06.2013	रेता	50.02	20400.00
27	14.05.2013	रेता	5.90	2124.00
28	04.12.2012	रेता	2.20	897.00
29	21.21.2013	मिट्टी	99	11550.00
30	15.01.2014	मिट्टी	108	10800.00
31	20.08.2013	मिट्टी	135	15750.00
32	-	रेता	1.30	530.00
33	15.05.2013	मिट्टी	162	16200.00
34	27.09.2013	रेता	3.10	1264.00
		योग	1078.36	138289.00

क्रम सं०	दिनांक	मद का विवरण	मात्रा	धनराशि
35	03.10.2013	मिट्टी	81	9450.00
36	19.07.2013	मिट्टी	96	9600.00
37	15.11.2013	मिट्टी	45	5250.00
38	15.11.2013	रेता	1.03	620.00
39	02.12.2013	मिट्टी	72	8400.00
		योग-	295.03	33320.00

महायोग 2110 घन मी० 26484.00

(सामान्य आपत्ति संख्या-7, मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 94. विकास खण्ड मरौरी के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत मरौरी के वर्ष 2013-14 के निमित्त खुले विभिन्न बैंक खातों पंजाब एण्ड सिंध बैंक खाता संख्या 9516 ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स खाता संख्या 27420, इण्डियन बैंक खाता संख्या 9205 बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 1655 का समेकित प्रारम्भिक अवशेष रू0

3437841.32 वर्ष में प्राप्त रू0 12295729.00 वर्ष में व्यय रू0 12479011.00 एवं वर्षान्त में अवशेष रू0 3254559.32 था। जबकि ग्रांट रजिस्टर के अनुसार दर्शित प्रारंभिक अवशेष रू0 3522027.32, वर्ष में प्राप्त रू0 10988196.00, वर्ष में व्यय रू0 11173044.00 एवं वर्षान्त में अवशेष रू0 3337179.32 रहा अन्तरों के बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये।

जबकि उपरोक्त अवधि की लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गयी गई निर्माण पत्रावलियों में दर्शित व्यय लेखा परीक्षा आगणन के अनुसार रू0 8892947.00 होता है एवं वर्ष दौरान बैंक स्टेटमेंट पासबुक के अनुसार 12479011.00 आहरित किये जाने की पुष्टि हो रही है। इस प्रकार अन्तर रू0 3586064.00 का व्यय अपुष्टि रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय दृ 08 के पैरा 08(क) के अनुसार व्यय प्रमाणका क अभाव में व्यय की गयी समस्त धनराशि को गबन (अपहरण) मानते हुये वसूली का प्रावधान है। अतः लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 में अन्तर धनराशि रू0 3586064.00 की सम्यक पुष्टि उपरान्त सम्बन्धित लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत से वसूली की जानी संस्था हित में होगी। (सामान्य आपत्ति संख्या-13 मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 95. कमांश का मजदूरों को भुगतान काल्पनिक मस्टर रोल के आधार पर किया जाना- वर्ष 2014-15 में विविध निर्माण कार्यों पर कुल अंकन रू0 1048390.00 कमांश/ मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री आभास कुमार को रू0 1011625.00 श्री अमित कुमार श्रीवास्तव को रू0 7315.00 तथा श्री विजय कुमार सिंह को रू0 29450.00 का भुगतान प्राप्त किया गया है। मस्टर रोल पर अंकित श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी प्रमाणित नहीं पाये गये, साथ ही मजदूरों के हस्ताक्षर मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर पाये गये। कार्य पर लगे मजदूरों के पता तथा महिला पुरुष, अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भी मस्टर रोल पर मस्टर रोल पर मस्टर रोल के क्रमांक (प्रिंटेड) नहीं पाया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है, कि कार्य प्रभारी द्वारा फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न किया गया है तथा मजदूरी/श्रमांश अंश का कुल अंकन रू0 1048390.00 वर्ष 2014-15 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये कार्यप्रभारी, लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी समान रूप से उत्तरदायी है। अतः सम्यक पुष्टि उपरांत तदनुसार संबंधितों से वसूली की जानी समीचीन है। (सामान्य आपत्ति संख्या-3 मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 96. क) आपूर्ति कर्ता फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना- वर्ष 2014-15 के तालिका- 2 के सामग्री अंश में भुगतान निम्न विवरण अनुसार किया जाना दर्शित है, परन्तु बैंक खाते के जांच में पाया गया कि, वास्तविक भुगतान कार्य प्रभारी को प्राप्त हुआ है।

क्रम सं०	दिनांक	चैक जिसके नाम इश्यू दर्शाते हैं	चैक नम्बर	बैंक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि रू में
1	15.10.2014	रोशनलाल	9881	आभास कुमार सिंह	8050.00
2	29.08.2014	रोशनलाल	9864	आभास कुमार सिंह	8750.00
				योग-	16800.00

इस प्रकार उपरान्त विवरण से स्पष्ट है कि अंकन रू0 16800.00 का अपहरण कार्यप्रभारी श्री आभास कुमार सिंह द्वारा फर्जी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर किया गया है जिसकी वसूली लेखाकर, कार्यप्रभारी, वि०ख० अधिकारी तथा प्रमुखा क्षेत्र पंचायत से की जानी चाहिए। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-4 क, मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 97. टी०डी०एस० की पुष्टि न हो पाने तथा टी०डी०एस० कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि-

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में सामग्री अंश के व्यय प्रमाणकों के सापेक्ष कुल कन रू0 4999653.00 का भुगतान विभिन्न फर्मों/व्यक्तियों को दर्शित है। उक्त भुगतान के सापेक्ष कुल अंकन रू0 254122.00 का टी०डी०एस० काटा जाना दर्शित है जबकि 2.26 प्रतिशत की दर से कुल रू0 4999653.00 पर अंकन रू0 112992.15 ही होना चाहिए था। इस प्रकार कुल अंकन रू0 141129.85 की अधिक कटौती सामग्री आपूर्ति पर की गयी, जिससे फर्मों को हानि तथा विभाग की साख को बढ़ा लगया गया। वसूल किये गये टी०डी०एस० को आयकर विभाग में जमा कराये जाने की पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रू0112992.15 टी०डी०एस० को ब्याजसहित वसूली सम्बन्धित कार्मिकों/ अधिकारियों से करके जमा किया जाना चाहिये। (सामान्य आपत्ति संख्या- 5 मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 98.

आलोच्य वर्ष 2014-15 में कुल अंकन क्रय रू0 4999653.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 199986.12 का व्यापार कर (वैट) की कटौती की जानी चाहिये थी जबकि 2014-15 में कुल अंकन क्रय रू0 13577.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार वर्ष दौरान अंकन रू0 186409.12 का व्यापार कर वैट कम काटकर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में वैट जमा की पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध न रहने के कारण व्यापार कर जमा की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः रू0 199986.12 के व्यापार कर क हानि का ब्याज सहित वसूली के साथ सम्बन्धित कार्मिक अधिकारी से की जानी चाहिए। (सामान्य आपत्ति संख्या- 6, मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 99. क- वित्तीय वर्ष- (2014-15) में विभिन्न निर्माण पत्रावलियों अनुसार कुल रू0 4999653.00 सामग्री अंश पर व्यय किया जाना दर्शित है। जबकि उक्तके सापेक्ष कुल श्रमांश/ मजदूरी पर दर्शित व्यय रू0 1048390.00 का अपहरण कार्य प्रभारी द्वारा (आपत्ति सं०- 03) के विवरण अनुसार किया गया है। इस प्रकार सामग्री अंश पर व्यय रू0 4999653.00 में से रू0 16800.00 का भुगतान /आहरण कार्य प्रभारी द्वारा विभिन्न तिथियों में व्यय रू0 254122.00 टी०डी०एस० कटौती के रूप में दर्शित राशि घटाने के उपरान्त शेष रू0 4728731.00 सामग्री अंश पर किए गए व्यय के सापेक्ष मजदूरी/ श्रमांश की धनराशि का अपहरण आपत्ति सं०- 03 के अनुसार कार्य प्रभारी द्वारा किए जाने तथा सामग्री आपूर्ति चालान एवं सामग्री आमद/उपभोग व शेष, सत्यापित कार्यपूति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के अभाव में उक्त धनराशि रू0 4728731.00 का अपहरण मानते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों से ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या- 4 ख, मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 100. वर्ष 2014-15 में दिनांक 15.10.14 को 69 घन मी० मिट्टी कुल रू0 8050 का भुगतान कर क्रय किया गया है जिस पर रू0 14 प्रति घन मी० की दर से रायल्टीवसूल कर कुल रू0 966.00 राजकीय कोशागार में जमा किया जाना चाहिए था। परन्तु रायल्टी का आगणन तथा वसूली न करके राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गयी है, जिसकी ब्याजसहित वसूली सम्बन्धित कार्मिक/ अधिकारी से की जानी चाहिए। (सामान्य आपत्ति संख्या- 7, मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 101. विकास खण्ड मरौरी के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत मरौरी के वर्ष 2014-15 के निमित्त खुले विभिन्न बैंक खातों एंजाब एण्ड सिंध बैंक खाता संख्या 9516 ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स खाता संख्या 27420, इण्डियन बैंक खाता संख्या 9205 बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 1655 का समेकित प्रारम्भिक अवशेष रू0 3254559.32, वर्ष में प्राप्त रू0 6715010.00 वर्ष में व्यय रू0 7079096.00 एवं वर्षान्त में अवशेष रू0 2890473. 32 था। जबकि ग्रांट रजिस्टर के अनुसार दर्शित प्रारंभिक अवशेष रू0 3337179.32, वर्ष में प्राप्त रू0 7048828.00, वर्ष में व्यय रू0 7856304. 00 एवं वर्षान्त में अवशेष रू0 2529703.32 रहा अन्तरों के बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये।

जबकि उपरोक्त अवधि की लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गयी गई निर्माण पत्रावलियों में दर्शित व्यय लेखा परीक्षा आगणन के अनुसार रू0 6048043.00 होता है एवं वर्ष दौरान बैंक स्टेटमेंट पासबुक के अनुसार 7079096.00 आहरित किये जाने की पुष्टि हो रही है। इस प्रकार अन्तर रू0 1031053.00 का व्यय अपुष्टि रहा। वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय दृ 08 के पैरा 08(क) के अनुसार व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय की गयी समस्त धनराशि को गबन (अपहरण) मानते हुये वसूली का प्रावधान है। अतः लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में अन्तर धनराशि रू0 1031053.00 की सम्यक पुष्टि उपरान्त सम्बन्धित लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत से ब्याजसहित वसूली की जानी संस्था हित में होगी। (सामान्य आपत्ति संख्या-13, मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 102. कमांश का मजदूरों को भुगतान कूटरवित्त मस्टर रोल के आधार पर किया जाना -वित्तीय वर्ष 2014-15 में विविध निर्माण कार्यों पर अंकन रू0 266740.00 का भुगतान श्रमांश/मजदूरी के रूप में कार्य प्रभारी को किया गया है, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है, जबकि, नियमानुसार मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिए था। मस्टर रोल पर अंकित श्रमिकों के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान भी प्रमाणित नहीं पाये गये, साथ ही मजदूरी के हस्ताक्षर मस्टर रोल निर्माता के हस्ताक्षर में पाये गये। कार्य पर लगे मजदूरों के पता, महिला/पुरुष, अनु० जाति/अनुजन जाति इत्यादि का भी उल्लेख नहीं

किया गया है। किसी भी मस्टर रोल पर मस्टर रोल क्रमांक छपा हुआ नहीं पाया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी द्वारा कूट रचना द्वारा मस्टर रोल तैयार कर प्रभावितियों में सलग्न किया गया है तथा श्रमांश मजदूरी का कुल अंकन ₹0 266740.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याजसहित वसूली कार्य प्रभारियों/ लेखाकार/ खण्ड विकास अधिकारी/जे0ई0 /ब्लाक प्रमुख से की जानी चाहिए। (सामान्य आपति सं0- 03 बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या-103.आपूर्तिकर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य के खाते में करना-वर्ष 2014-15 में तालिका-2 के सामग्री अंश में भुगतान निम्न विवरणानुसार किया जाना दर्शित है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि चेक निगमन व्यक्ति / फर्म को दर्शित है। परन्तु चेक खाते के जॉच में पाया गया कि वास्तविक भुगतान कार्य प्रभारी को प्राप्त हुआ है। अतः ₹0 123350.00 की ब्याजसहित वसूली कार्य प्रभारियों/लेखाकार/ खण्ड विकास अधिकारी / जे0ई0 / ब्लाक प्रमुख से की जानी चाहिए।

क्रम सं0	दिनांक	चेक सं0	चेक जिसके नाम इश्यू दर्शित है	बैंक स्टेटमेंट अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	16.06.2014	000185	गेंदन लाल	छत्रपाल सिंह (कार्य प्रभारी)	11137.00
2	21.07.2014	000220	प्रेमपाल	छत्रपाल सिंह (कार्य प्रभारी)	5143.00
3	26.07.2014	000222	शर्मा बिल्डिंग मैटेरियल	छत्रपाल सिंह (कार्य प्रभारी)	3500.00
4	30.12.2014	000255	शर्मा बिल्डिंग मैटेरियल	छत्रपाल सिंह (कार्य प्रभारी)	3500.00
5	01.07.2014	000196	कालीचरण	छत्रपाल सिंह (कार्य प्रभारी)	10375.00
6	15.12.2014	000235	खाजा आयरन एण्ड पेंट स्टोर	छत्रपाल सिंह (कार्य प्रभारी)	21515.00
7	20.12.2014	000250	खाजा आयरन एण्ड पेंट स्टोर	छत्रपाल सिंह (कार्य प्रभारी)	18700.00
8	01.01.2015	000262	मुस्तफा इले0 एण्ड लाइट हाउस	छत्रपाल सिंह (कार्य प्रभारी)	11255.00
9	29.12.2015	000243	—	छत्रपाल सिंह (कार्य प्रभारी)	3500.00
10	01.01.2014	000260	—	छत्रपाल सिंह (कार्य प्रभारी)	4306.00
11	21.07.2014	000219	शर्मा बिल्डिंग मैटेरियल	छत्रपाल सिंह (कार्य प्रभारी)	3500.00
12	01.07.2014	000199	शर्मा बिल्डिंग मैटेरियल	छत्रपाल सिंह (कार्य प्रभारी)	5346.00
3	30.12.2014	000253	शर्मा बिल्डिंग मैटेरियल	छत्रपाल सिंह (कार्य प्रभारी)	3500.00
14	25.06.2014	000190	शर्मा बिल्डिंग मैटेरियल	छत्रपाल सिंह (कार्य प्रभारी)	3500.00
15	25.05.2014	000169	शर्मा बिल्डिंग मैटेरियल	छत्रपाल सिंह (कार्य प्रभारी)	3500.00
16	03.07.2014	000203	शर्मा बिल्डिंग मैटेरियल	छत्रपाल सिंह (कार्य प्रभारी)	3500.00
17	03.07.2014	000203	शर्मा बिल्डिंग मैटेरियल	छत्रपाल सिंह (कार्य प्रभारी)	7573.00
			योग	—	123350.00

उक्त धनराशि ₹0 123350-00 की ब्याजसहित वसूली कार्य प्रभारियों/लेखाकार/ खण्ड विकास अधिकारी /जे0ई0 /ब्लाक प्रमुख से की जानी चाहिए। (सामान्य आपति सं0- 04 क, बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या-104. वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभिन्न निर्माण पत्रावलियों के अनुसार कुल ₹0 4916343.00 सामग्री अंश पर व्यय किया जाना दर्शित है। जबकि उक्त के सापेक्ष कुल श्रमांश/मजदूरी पर दर्शित व्यय ₹0 266740.00 का अपहरण कार्य प्रभारी द्वारा (आपति सं0- 03) के विवरण अनुसार किया गया है। इस प्रकार सामग्री अंश पर व्यय ₹0 4916343.00 में से ₹0 123350.00 का भुगतान /आहरण कार्य प्रभारी द्वारा विभिन्न तिथियों में व्यय ₹0 111109.35 टी0डी0एस0 कटौती के रूप में दर्शित राशि, घटाने के उपरान्त शेष ₹0 4681883.65 सामग्री अंश पर किये गये व्यय के सापेक्ष मजदूरी श्रमांश की धनराशि का अपहरण आपति सं0- 03 के अनुसार कार्य प्रभारी द्वारा किए जाने तथा सामग्री आपूर्ति चालान एवं सामग्री आमद/उपभोग व शेष, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के अभाव में उक्त धनराशि ₹0 4681883.65 का अपहरण मानते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों / अधिकारियों से ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपति सं0- 04 ख, बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 105. टी0डी0एस0 की पुष्टि न हो पाने तथा टी0डी0एस0 कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि:- लेखा परीक्षा वर्ष-2014-15 में सामग्री अंश के व्यय प्रमाणकों के सापेक्ष कुल अंकन ₹0 4916343.00 का भुगतान विभिन्न फर्मों / व्यक्तियों को किया जाना दर्शित है। उक्त भुगतान के सापेक्ष कुल अंकन ₹0 94221.00 का

टी0डी0एस0 काटा जाना दर्शित है जबकि 2.26 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 4916343.00 पर अंकन ₹0 111109.35 टी0डी0एस0 काटा जाना चाहिए था। इस प्रकार अंकन ₹0 16888.35 से टी0डी0एस0 कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि की गयी है। वर्ष दौरान काटे गये टी0डी0एस0 के आयकर विभाग में जमा किया/ कराये जान का पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे स्पष्ट है कि वित्तीय नियमों की घोर उपेक्षा करते हुये समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः अंकन ₹0 111109.35 का टी0डी0एस0 की ब्याजसहित वसूली सम्बन्धित कर्मिकों/अधिकारियों से करके जमा कराया जाना चाहिये। (सामान्य आपति सं0-05, बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या— 106. आलोच्य वर्ष— 2014—15 में कुल सामग्री कय अंकन ₹0 4916343.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 196653.74 का व्यापार कर (वैट) की कटौती की जानी चाहिए थी, जबकि वर्ष दौरान ₹0 82904.00 व्यापार कर की कटौती की गयी दर्शित है। इस प्रकार वर्ष अन्तर ₹0 113749.74 से व्यापार कर की कटौती कम किए जाने से एक ओर जहाँ राजकीय राजस्व की क्षति हुयी है। वहीं दूसरी ओर काटे गए व्यापार कर जमा किए जाने की पुष्टि में कोई चालान / अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार न काटे जाने अथवा कम व्यापार कर काटे जाने से नियमानुसार विधिक रूप से सामग्री कय किए जाने को ही लेखा परीक्षा की दृष्टि से सन्देशास्पद बना देता है। परिणाम स्वरूप समस्त व्यापार कर की धनराशि ₹0 196653.74 की ब्याजसहित वसूली लेखाकार कार्य प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी/सम्बन्धित उत्तरदायी प्राधिकारी से किया जाना चाहिए। **(सामान्य आपति सं०—06, बरखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या— 107. वर्ष— 2014—15 में 590 घन मी० मिट्टी क्रय/आपूर्ति हेतु कुल ₹0 38534.00 का भुगतान अधोलिखित विवरण के अनुसार किया गया है, जिस पर नियमानुसार ₹0 9.00 प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹0 5310.00 रायल्टी वसूल की जानी चाहिए थी। रायल्टी वसूल न करके राजकीय राजस्व की क्षति हुयी है, जिसकी ब्याजसहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी चाहिए।

वर्ष 2014—15 में निर्माण कार्यों पर प्रयुक्त दर्शित मिट्टी की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार है —

क्रम सं०	दिनांक	चैक सं०	मिट्टी की मात्रा (घन मी)	दर्शित धनराशि
1	16.06.2014	000185	225.00	11137.00
2	21.07.2014	000220	104.00	5143.00
3	01.07.2014	000196	21.00	10375.00
4	01.01.2015	000260	87.00	4306.00
5	03.07.2014	000203	153.00	7573.00
		योग—	590.00	38534.00

(सामान्य आपति सं०—06, बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या— 108. क्षेत्र पंचायत बरखेड़ा के वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में अनुदान पंजिका में दर्शित प्रारम्भिक अवशेष ₹0 2977649.00 तथा वर्ष में प्राप्त ₹0 7496032.00 दर्शित है जबकि इसी अवधि में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्रारम्भिक अवशेष ₹0 3140962.00 तथा वर्ष में प्राप्त ₹0 144540.00 की पुष्टि हो रही है इस प्रकार बैंक अभिलेखों और अनुदान पंजिका में विद्यमान अन्तर का कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत की गई निर्माण पत्रावलियों में दर्शित कुल व्यय ₹0 5183083.00 की ही पुष्टि होती है। जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान ₹0 4930938.00 के ही आहरण की पुष्टि हो रही है। इस प्रकार अन्तर ₹0 252145.00 से अधिक व्यय किया जाना दर्शित है। इससे स्पष्ट होता है कि कतिपय खाते ऐसे शेष है जिन्हे लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं०— 08, बरखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या— 109. कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान— वर्ष— 2014—15 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 935625.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को निम्न प्रकार किया गया है —

1. श्री मुजीव हसन, एडीओ (आईएसबी)	₹0 567125.00
2. श्री रमेश पाल, जेई एमआई —	₹0 274500.00
3. श्री बाबूराम, एडीओ (पी) —	₹0 79375.00
4. श्री डालचन्द्र, ग्राम पंचायत अधिकारी—	₹0 14625.00
कुल—	₹0 935625.00

मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है। वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली विकास खण्ड पर लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि किस क्रम सं० के मस्टर रोल किस कार्य हेतु किस दिनांक को निर्गत किये गये हैं। मनमाने ढंग से मस्टर रोल तैयार कर भुगतान किया गया है। (वर्ष में उपलब्ध कराई गई कुल 23 कार्यों की पत्रावलियों के अनुसार) उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 834210.00 का वर्ष 2014—15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/ ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं०—03 बिलसण्डा)**

प्रस्तर संख्या— 110. क) आपूर्तिकर्ता / फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को / अन्य के खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में—सामग्री मद में कुल ₹0 5501886.00 भुगतान में से ₹0 61356.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है—

चैक नं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
000333	29.08.2014	4998-00 5685-00	बिल क्रमशः एस० के० एजेन्सी एवं सैनिक ब्रिक्स फील्ड	भुगतान एम आर के साथ कार्य प्रभारी श्री मुजीव हसन
000406	24.303.2014	2345-00	बिल प्रियंका ब्रिक्स फील्ड	कार्य प्रभारी श्री रमेश पाल
000411	24.03.2014	2320-00	बिल प्रियंका ब्रिक्स फील्ड	कार्य प्रभारी श्री रमेश पाल
000274	17.06.2014	5491-00	बिल गुप्ता ब्रिक्स फील्ड	कार्य प्रभारी श्री मुजीव हसन
000273	17.06.2014	5738-00	बिल वाहिदी ब्रिक्स फील्ड	कार्य प्रभारी श्री मुजीव हसन
000332	29.08.2014	1400-00	बिल गुप्ता ब्रिक्स फील्ड	कार्य प्रभारी श्री मुजीव हसन
000270	17.06.2014	4929-00	बिल वाहिदी ब्रिक्स फील्ड	कार्य प्रभारी श्री मुजीव हसन

000271	17.06.2014	5766-00	बिल वाहिदी ब्रिक्स फील्ड	संतोश कुमार
000269	17.06.2014	4891-00	कार्य प्रभारी श्री मुजीब हसन	संतोश कुमार
000268	17.06.2014	5766-00	कार्य प्रभारी श्री मुजीब हसन	संतोश कुमार
000409	24.03.2015	2340-00	बिल प्रियंका ब्रिक्स फील्ड	कार्य प्रभारी श्री रमेश पाल
000407	24.03.2015	2345-00	बिल प्रियंका ब्रिक्स फील्ड	कार्य प्रभारी श्री मुजीब हसन
000312	14.07.2015	4092-00	बिल प्रियंका ब्रिक्स फील्ड	कार्य प्रभारी श्री मुजीब हसन
000331	29.08.2017	1400-00 1850-00	बिल सैय्यदी ब्रिक्स फील्ड एस0 के0 एजेन्सी	कार्य प्रभारी श्री मुजीब हसन
	योग	61356-00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 61356.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा, जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में ₹0 61356.00 की गम्भीर अनियमितता का गई है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०- 04 क बिलसण्डा)**

प्रस्तर संख्या-111.ख) मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना- कुल दर्शित भुगतान ₹0 5501886.00 में से ₹0 5440530.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पास बुक/स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे ₹0 544530.00 का भुगतान सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को ही हुआ है। की पुष्टि हो सकी है। जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल / केशमेंटो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से खपाई गई।

उदाहरणार्थ -

I- तालिका- 01 के क्रमांक- 01 पर अंकित कार्य की पत्रावली की जाँच से स्पष्ट है कि आप ब्लाक (सीमेंट ईट) की आपूर्ति हेतु

क. एम./एस. अनिल सीमेंट टाइल्स फरीदपुर, निकट राजकीय महाविद्यालय, मेन रोड फरीदपुर- बरेली (उ०प्र०) पिन- 243503 ज्छ. 092073090528 चैवदम छव.- 9219445254 प्र० श्रीमती राम प्यारी।

ख. श्री बाला जी सीमेंट टाइल्स, बीसलपुर रोड फरीदपुर बरेली, ज्छ. 09807501819 चैवदम छव. 94123022958 प्र० श्री किशन स्वरूप।

ग. सुनील सीमेंट एजेंसी, मेनरोड, निकट पूर्वी चुंगी, फरीदपुर, बरेली ज्छ. 09507500628 चैवदम छव. 94120302958 प्र० श्री राकेश कुमार।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि तीनों फर्म एक ही परिवार की हैं। पूरे वर्ष इन्हीं फर्मों की निविदायें प्राप्त हुई हैं। मैसर्स अनिल को निविदा दी गई है। स्पष्ट है कि पूर्व नियोजित ढंग से निविदा दी गई है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन्टर लॉकिंग कार्य में प्रथम श्रेणी एवं खंजर ईट भी क्रय गई हैं।

II- तालिका संख्या- 01 के कम संख्या- 15 पर अंकित कार्य भी पत्रावली की जाँच में पाया गया कि मस्टर रोल/ कमांश पर कोई भी व्यय नहीं किया गया है। जबकि सामग्री पर ₹0 144720.00 दर्शित है। उक्त से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से कार्य दर्शाकर / सामग्री क्रय कर धन को खपाया गया है।

III- तालिका 01 के क्रम संख्या- 29, 30 एवं 31 पर दर्ज कार्य की पत्रावली में पाया गया कि कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्य से संबंधित पत्रावली मनमाने ढंग से तैयार की गई है।

IV- तालिका-01 से क्रम संख्या- 30, 44, 48 एवं 52 पर अंकित कार्य की पत्रावली में निविदा आमन्त्रण प्रपत्र, निविदा या प्रपत्र, तुलनात्मक चार्ट आदि उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से पत्रावली तैयार कर धन को खपाया गया है।

V- तालिका 01 के क्रम संख्या- 46 पर दर्ज कार्य की पत्रावली में पाया गया कि दिनांक- 10.03.2015 को टेन्डर 02 बजे अपरान्ह में खोले गये हैं और मस्टर रोल अनुसार दिनांक-10.03.2015 से ही कार्य प्रारम्भ होना दर्शाया गया है। जो सम्भव नहीं है इस प्रकार स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से पत्रावली तैयार कर धन को खपाया गया है।

निष्कर्ष:- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014-15 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को दिया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान जारी नहीं किया गया। इस प्रकार की आमद ही अपुष्टि रही। पत्रावलियों में कभी भी किसी ने भी हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है पत्रावलियाँ आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०- 04 ख बिलसण्डा)**

प्रस्तर संख्या-112. श्रमांश में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण:- वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 1216935.00 मजदूरी / श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री करन सिंह नावियाल एडीओ (आईएसबी) को ₹0 743845.00, श्री निर्मल सिंह एडीओ (एजी) को ₹0 133746.00 एवं श्री ज्ञान चन्द्र आर्य,एडीओ (एसके) को ₹0 339344.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है एवं एम आर पर लम्बाई-चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया गया है, साथ ही साथ एमआर पर विकास खण्ड से जारी क्रमांक संख्या एवं तिथि अंकित नहीं है व पेड एण्ड कैन्सिल्ड की मोहर अंकित नहीं है, मापांकन पुस्तिका का बुक नं० एवं पेज नं० भी अंकित नहीं है। उदाहरण स्वरूप- 1- हबीब गंज गैरिना में गनेश भारती के घर से प्रमोद भारती के घर तक खड़गजा निर्माण में मस्टर रोल का भुगतान चैक श्री करन सिंह नावियाल कार्य प्रभारी को जारी किया गया परन्तु भुगतान बैंक के अनुसार श्री नरेश भारती को ₹0 2006.00 किया गया है। 2- ज्ञान पुर महौलिया में श्री अब्दुल रसीद के घर से होते हुए मस्जिद तक नाली एवं खड़गजा निर्माण के एम आर का चैक श्री करन सिंह नावियाल के नाम जारी है। परन्तु बैंक के अनुसार भुगतान ₹0 4514.00 श्री ओम प्रकाश को किया गया। 3- लोधीपुर प्राइमरी स्कूल से शमसुल कमर मदरसा तक नाली निर्माण के एम आर पर कार्य अवधि में माह एवं वर्ष का उल्लेख नहीं केवल तिथि अंकित है। 4- सिकरैना में राम कृष्ण के खेत से गुरुद्वारा तक खड़गजा कार्य निर्माण पर ₹0 54435.00 भुगतान किया गया है जबकि एमआर ₹0 51075.00 का ही था। 5- शेर पुर टण्डोला मार्ग पर आर.सी.सी. पुलिया निर्माण के एम आर पर कार्य समाप्ति की तिथि का उल्लेख नहीं है। 6- लोधीपुर में मेन रोड से शमशुकमर मदरसा तक खड़गजा एवं दीवार के निर्माण के एमआर पर माह एवं वर्ष का उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 1216935.00 का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये बी०डी०ओ/ जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०- 03, पूरनपुर)**

प्रस्तर संख्या- 113. आपूर्ति कर्ता/ फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना- सामग्री मद में कुल ₹0 4386068.00 भुगतान में से ₹0

14062.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक फर्म को निर्गत न कर कार्य प्रभारी को सामग्री कय हेतु अनियमित तरीके से भुगतान किया गया है।

चैक नं०	दिनांक	धनराशि	सामग्री आपूर्तिकर्ता का नाम	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
00203	16.01.2015	3360.00	दान चन्द्र विवेक कुमार	करन सिंह नवियाल
423033	26.12.2014	3360.00	दान चन्द्र विवेक कुमार	निर्मला सिंह
00176	02.01.2015	3360.00		करन सिंह नवियाल
00186	01.01.2015	3982.00	करन सिंह नवियाल	रसीद खाँ
	योग—	14062.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 14062.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा, जो बैंक स्टेटमेंट / खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में ₹0 14062.00 की गम्भीर अनियमितता की गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **(समान्य आपत्ति सं०— 04 क, पूरनपुर)**

प्रस्तर संख्या— 114. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण— सामग्री कय पर कुल भुगतान ₹0 4386068 .00 में से ₹0 4372006.00 का भुगतान सम्बन्धित फर्म को किया गया दर्शित है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पास बुक स्टेटमेंट के अनुसार ₹0 320839.00 का भुगतान बैंक द्वारा खाते के अनुसार ट्रान्सफर द्वारा किया गया है परन्तु बैंक स्टेटमेंट में आपूर्तिकर्ता फर्म / प्राप्तकर्ता का नाम अंकित नहीं किया गया है, जो लेखा नियमों के विपरीत है। जबकि बैंक स्टेटमेंट में नियमतः आपूर्तिकर्ता फर्म / प्राप्तकर्ता का नाम अंकित रहना चाहिए था। शेष धनराशि ₹0 4051167.00 आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया है। सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाये गये वो समस्त प्रमाणक फर्म को देय कैश मेमो / कच्चे बिल पर है। प्रमाणकों पर देय टैक्स का दर व धनराशि भी अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। उदाहरण — 1 लक्ष्मी पुर में बृह्द स्थान से नन्द लाल के घर तक नाली खड़ण्जा निर्माण हेतु सामग्री कय ईट, सीमेन्ट, मौरंग, मै0 खान कन्स्ट्रक्शनस से ₹0 204476.00 कय दर्शाया गया है, जो कि फर्म के लेटर पैड पर है, जिस पर बुक नं० कम सं० दिनांक भी अंकित नहीं है। 2— लोधीपुर में होली चौराहे से कब्रिस्थान तक खड़ण्जा कार्य एवं चांदपुर खन्नात मार्ग पर आर.सी.सी. पुलिया निर्माण पर कमशः ₹0 174650.00 एवं ₹0 196731.00 का सामग्री खान कन्स्ट्रक्शनस से कय किया गया है। व्यय प्रमाणकों पर जारी करने का दिनांक अंकित नहीं पाया गया। 3— लोधीपुर में मेन रोड से शमशुल कमर मदरसे तक खड़ण्जा एवं दीवार निर्माण पर सामग्री ₹0 192653.00 का कय खान कन्स्ट्रक्शनस से किया गया है। सामग्री कय प्रमाणकों पर कय तिथि अंकित नहीं है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामग्री आपूर्ति काल्पनिक है। फर्म से मिली भगत कर मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। उक्त ₹0 4372006.00 के अपहरण के लिए बी0डी0ओ0 / लेखाकार/कार्य प्रभारी/जे0ई0/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। **निष्कर्ष—** उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014—15 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं, क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये, सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही अपुष्टि रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्तक्षार के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। **(समान्य आपत्ति सं०— 04 ख, पूरनपुर)**

प्रस्तर संख्या— 115. वर्ष 2014—15 में ₹0 74479.00 मिट्टी कय हेतु भुगतान दर्शाया गया है। विवरण निम्न प्रकार है

क्रम सं०	निर्माण कार्य का नाम	कार्य प्रभारी का नाम	दिनांक	चैक नं०	मिट्टी क्रय पर भुगतान की गई धनराशि
1	कालावेसन महोदलिया में श्रवण के घर तक खड़ण्जा निर्माण	निर्मल सिंह	04.10.2014	529341	7740.00
2.	बंजरिया में नन्द किशोर के घर तक	करन सिंह नावियाल	02.01.2015	00194	8918.00
3.	सिकरहना में राम कृष्ण के खेत से गुरुद्वारा तक खड़ण्जा निर्माण	ज्ञान चन्द्र आर्य	19.01.2015	00210	23364.00
4.	लक्ष्मीपुर में बृह्द स्थान से नन्द लाल के घर तक नाली खड़ण्जा निर्माण	करन सिंह नावियाल	16.03.2015	245859	6002.00
5.	लोधीपुर होली चौराहे से कब्रिस्थान तक खड़ण्जा निर्माण	करन सिंह नावियाल	12.03.2015	245840	13000.00
6.	शेरपुर टण्डोला मार्ग पर पुलिया निर्माण	ज्ञान चन्द्र आर्य	04.10.2014	00167	4777.00
7.	लोधीपुर में मेन रोड से शमसीकमर मदरसा तक खड़ण्जा एवं दीवार निर्माण	करन सिंह नावियाल	01.01.2015	000190	10676.00
	योग—				74477.00

उक्त भुगतान किये गये धनराशि ₹0 74477.00 की पुष्टि में मिट्टी कय प्रमाणक पर मिट्टी की मात्रा दर व ट्रैक्टर संख्या एवं आपूर्तिकर्ता का नाम पता अंकित नहीं रहा। साथ ही रायल्टी की कटौती का कोई भी विवरण अंकित नहीं पाया गया। उक्त भुगतान आपूर्तिकर्ता को न कर कार्य प्रभारियों को अनियमित तरीके से किया गया है। उक्त से स्पष्ट होता है कि कार्य प्रभारियों से साठ—गांठ कर ₹0 74477.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी / सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी / लेखाकार / कार्य प्रभारी से किया जाना अपेक्षित है। **(समान्य आपत्ति सं०— 08, पूरनपुर)**

प्रस्तर संख्या— 116. लेखा परीक्षा वर्ष—2014—15 में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त से सम्बन्धित कुल ₹0 6082989.00 की ही निर्माण पत्रावलिया प्रस्तुत की गयीं। जबकि बैंक खातों से निम्न विवरणानुसार धनराशि आहरित की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है

बड़ौदा उ०प्र०ग्रा०बैंक खाता सं०—56140100033087	₹0 3618120.00
वीओवी खाता सं 14522191048140	₹0 20243.00
वीओवी खाता सं 14522191048133	₹0 11310461.00
वीओवी खाता सं 06970100009509	₹0 10631068.00
वीओवी खाता सं 06970100007985	₹0 209816.00

योग ₹0 25789708.00

वर्ष—2014—15 में कुल धनराशि ₹0 25789708.00 का आहरण कर व्यय किया गया। परन्तु उक्त के सापेक्ष मात्र ₹0 6082989.00 की निर्माण कार्य पत्रवली ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी। शेष आहरित धनराशि ₹0 19706719.00 की पुष्टि में कोई निर्माण/विकास पत्रावलियां एवं अन्य सुसंगत अभिलेख उपलब्ध न कराये

जाने के कारण उक्त आहरण धनराशि पूर्णतः अप्रमाणित रही। अतः उक्त खातों से अपुष्टि धनराशि ₹0 19706719.00 के व्यय से सम्बन्धित मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी/खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार/अवर अभियन्ता/कार्य प्रभारी से विभागीय कार्यवाही के साथ ब्याजसहित वसूली कराई जानी अपेक्षित रही। (सामान्य आपति सं०- 09, पूरनपुर)

प्रस्तर संख्या-117.कामांश मद में मजदूरों को भुगतान की पुष्टि नहीं-वर्ष 2014-15 में राज्यवित्त से कराए गए निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 539660.00 तथा तेरहवां वित्त से कराए गए निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 1029370.00 कुल ₹0 1569030.00 मजदूरी/श्रमांश भुगतान दर्शाया गया है। उक्त में ₹0 7025.00 पेन्टिंग का भुगतान श्रमिक को किया गया है। शेष ₹0 1562005.00 का भुगतान कार्यप्रभारी को पत्रावली के अनुसार किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं-

क)ग्राम पस्तौर में मेन रोड से बाबू के घर तक खड़ण्जा कार्य पर मजदूरों को ₹0 45600.00 भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान कार्यप्रभारी श्री राम भरोसे लाल, सहा० विकास अधिकारी (स०क०) को किया गया है। मस्टरोल पर किसी भी मजदूर का भुगतान प्राप्ति हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं लगा है। मजदूर संख्या 21 से 23 तक का केवल क्रमांक एवं उपस्थिति अंकित है, नाम भी अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि ₹0 45600.00 का मजदूरी भुगतान नहीं कर धनराशि का अपहरण किया गया।

ख)अमरिया में नाला निर्माण एवं सिरसा में नाला निर्माण पर कार्य प्रभारी श्री रईस अहमद, सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी) को भुगतान क्रमशः ₹0 123080.00 तथा ₹0 114525.00 मजदूरी का दर्शाया गया है। बैंक स्टेटमेंट से ₹0 123080.00 तथा ₹0 114525.00 के भुगतान श्री राम अवतार श्रीवास्तव द्वारा प्राप्ति की पुष्टि होती है। स्पष्ट है कि ₹0 237605.00 का भुगतान श्री राम अवतार श्रीवास्तव को किया गया जो किसी भी प्रकार से उक्त कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। श्री श्रीवास्तव को भुगतान कर ₹0 237605.00 का अपहरण किया गया है।

ग) वर्ष 2014-15 में कुल मजदूरी भुगतान ₹0 1562005.00 जो फाइलों में कार्य प्रभारी को दर्शाया गया है, में श्री राम भरोसे लाल पदनाम सहा० वि०अधि० को ₹0 618405.00 श्री दिनेशसिंह पदनाम सहा०वि०अधि० आई०एस०बी० को ₹0 505025.00 श्री रईस अहमद पदनाम सहा० वि०अधि०, एस०टी० को ₹0 429575.00 श्री पंकज शर्मा, पदनाम ग्राम वि० अधि० को ₹0 9000.00 भुगतान कर दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि कार्यवार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। मस्टर रोल पर श्रमिकों का जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भी अंकित नहीं है। कई मस्टर रोल पर कार्य का नाम तथा उपस्थिति की अवधि भी अंकित नहीं है। उदाहरणार्थ ग्राम बहरुआ में मेन रोड से जसवीर के घर तक खड़ण्जा मरम्मत के फाइल में संलग्न मस्टर रोल पर कार्य का नाम तथा उपस्थिति का माह एवं वर्ष अंकित नहीं है, हरहर पुर संजीव के घर से मुखिया के खेत तक नाला निर्माण के फाइल में संलग्न मस्टर रोल पर कार्य का नाम अंकित नहीं है, धुंधरी में एजाज के बाग से बद्री के खेत तक नाला निर्माण के फाइल में संलग्न मस्टर रोल पर कार्य का नाम अंकित नहीं है। फाइल में कार्य प्रारम्भ कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है। अन्य कार्यदायी संस्था से उक्त कार्य कराये जाने का प्रमाण पत्र नहीं लगा है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है तथा मजदूरी मद में अंकन ₹0 1562005.00 का वर्ष 2014-15 में कूटरचना कर योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिए बी०डी०ओ०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/जे०ई०/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-03, अमरिया)

प्रस्तर संख्या-118. आपूर्तिकर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य के खाते में करना- सामग्री मद में निम्न विवरणानुसार अंकन ₹0 16868.00 का भुगतान अन्य को किये जाने की पुष्टि होती है।

चैक सं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत है।	बैंक स्टेटमेंट अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
279	16.12.2014	12200.00	जय अम्बे इण्डस्ट्रीज	भावना
310	16.12.2015	4668.00	जय अम्बे इण्डस्ट्रीज	गुलशन ब्रिक्स फील्ड
योग-		16868.00		

स्पष्ट है कि ग्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में ₹0 16868.00 का अपहरण किया गया, जिसके लिए बी०डी०ओ०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/जे०ई०/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 4क, अमरिया)

प्रस्तर संख्या- 119. आपूर्तिकर्ता/फर्म को भुगतान नहीं कर कार्य प्रभारी को भुगतान करना- सामग्री मद में विभिन्न विवरणानुसार अंकन ₹0 43725.00 का भुगतान आपूर्ति कर्ता /फर्म को नहीं कर कार्य प्रभारी को किया गया है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	सामग्री	आपूर्तिकर्ता /फर्म का नाम	भुगतान जिसे किया गया	चैक सं०	धनराशि
1	विकास खण्ड कार्यालय रंगाई पुताई तथा मरम्मत कार्य	सरिया, ईट	निरंजन लाल गुप्ता एण्ड सन्स गुलशन ब्रिक्स फील्ड	श्री राम भरोसे स०व०अ०(स०क०)	250	16750.00
					250	10000.00
2	अमरिया में रामलीला फील्ड से पटवारी साहब के खेत तक नाली निर्माण	लकड़ी	श्री रसीद अहमद	श्री राम भरोसे स०व०अ०(स०क०)	332	3000.00
3	विकास खण्ड कार्यालय मीटिंग हाल आदि में बिजली मरम्मत	पादर्स पकीजा इलेक्ट्रिकल्स	श्री रईस हमद एडीओ (ए०टी०)	श्री राम भरोसे स०व०अ०(स०क०)	207	13975.00
				योग-		43725.00

इस प्रकार ₹0 43725.00 के सामग्री कय का भुगतान आपूर्तिकर्ता को नहीं कर कार्यप्रभारी को कर धनराशि का अपहरण किया गया, जिसके लिए बी०डी०ओ०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/जे०ई०/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 4 ख, अमरिया)

प्रस्तर संख्या- 120. मात्र बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण रु- सामग्री कय पर कुल दर्शित भुगतान ₹0 8076644.00 में ₹0 8016051.00 का भुगतान सम्बन्धित फर्म को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि है। सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गई वो समस्त प्रमाणक केश में, कच्चे बिल पर है। कतिपय प्रमाणकों पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया है। सामग्री का आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। एक ही केश में से अलग-अलग तिथियों पर अलग-अलग योजनाओं पर आपूर्ति दर्शाया गया है। उदाहरणार्थ केश में सं०- 10/453 दिनांक- 04.08.2014 से सिरसा में नाली निर्माण पर पाकीजा ट्रेडर्स द्वारा सामग्री आपूर्ति दर्शाया गया, पुनः उक्त केश में संख्या- 10453 दिनांक- 26.07.2014 से दीनारपुर में नाली निर्माण पर समग्री आपूर्ति दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है आपूर्ति काल्पनिक है। इसी प्रकार गुलशन ब्रिक्स फील्ड के केश में सं०- 010/454 दिनांक- 04.02.2015 से सरौनी त्रिकुनिया में स्कूल से ट्रान्सफार्मर के पास खड़ण्जा कार्य पर ईट आपूर्ति दर्शाया गया है जबकि केश में सं०- 10/453 दिनांक- 12.02.2015 से चहलोरा में मा के रास्ते पर खड़ण्जा कार्य हेतु ईट आपूर्ति दर्शाया गया है। केश में सं०- 10/454 दिनांक- 04.02.2015 का है जबकि 10/453 दिनांक- 12.02.2015 का है। स्पष्ट है कि केश में वास्तविक नहीं है। फर्म से मिली भगत का धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिए बी०डी०ओ०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/जे०ई०/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 4ग, अमरिया)

प्रस्तर संख्या— 121. कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान रु— वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य पर अंकन रु0 823746.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री मुनेन्द्र पाल, सहा0 विकास अधिकारी (ठ) को रु0 554991.00, श्री रुपलाल, सहा0 विकास अधिकारी (पंचायत) को रु0 182975.00, श्री भगवान स्वरूप , ग्राम विकास अधिकारी को रु0 17150.00, श्री छत्रपाल सिंह, सहा0 विकास अधिकारी को रु0 68630.00 कुल अंकन रु0 823746.00 का भुगतान किया गया गया है।

मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है। वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली विकास खण्ड पर लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि किस कम सं0 के मस्टर रोल किस कार्य हेतु किस दिनांक को निर्गत किये गये हैं। मनमाने ढंग से मस्टर रोल तैयार कर भुगतान किया गया है। (वर्ष में उपलब्ध कराई गई कुल 25 कार्यों की पत्रावलियों के अनुसार)।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 823746.00 का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी/ जे0ई0/ लेखाकार/ कार्य प्रभारी/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति संख्या— 03, बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या— 122. आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य के खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में रु सामग्री मद में कुल रु0 4147394.00 के भुगतान में से रु0 45500.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म/व्यक्ति को निर्गत दर्शित हैं किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति / खाते में है —

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
284	21.11.2014	3500.00	मै0 रंग रेखा बीसलपुर	श्री रुपलाल
282	21.11.2014	7000.00	मै0 रंग रेखा बीसलपुर	श्री रुपलाल ।
283	21.11.2014	10500.00	मै0 रंग रेखा बीसलपुर	श्री मुनेन्द्र पाल सिंह ।
285	21.11.2014	24500.00	मै0 रंग रेखा बीसलपुर	श्री मुनेन्द्र पाल सिंह ।
योग—		45500.00		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अंकन रु0 45500.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है परन्तु इन चैकों का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है एवं भुगतान होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा, जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में अंकन रु0 45500.00 की गम्भीर अनियमितता की गई है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या— 04 क, बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या— 123. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना— कुल दर्शित भुगतान रु0 4147394.00 में से रु0 4101894.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे रु0 4101894.00 का भुगतान सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि में सही है, जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/ कैशमेमों पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही । इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से खपाई गई।

उदाहरणार्थ— 1— तालिका—1 में कम सं0— 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 पर दर्ज कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्यों हेतु टेन्डर पत्रावली में संलग्न नहीं है। अतः स्पष्ट है कि बिना टेन्डर आमंत्रित किये कार्य पूर्ण कराया जाना दशाये जाने से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से कार्य दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

2— तालिका 01 में कम सं0— 01 से 04 तक व 09, 10 कार्यों की फाइलों में संलग्न कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में बोर्ड पर किये गये व्यय रु0 3500.00 को शामिल नहीं किया गया है। जबकि सभी कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में स्पष्ट है कि बोर्ड का बिल संलग्न है परन्तु वह कार्य सामप्त होने की काफी बाद की तिथियों का है। स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से पत्रावली तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

3— तालिका नं0— 01 में अंकित क्रमांक— 13, 14 से सम्बन्धित कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। जिस कारण वास्तविक व्यय, निरीक्षण कर्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र, जे0ई0 की रिपोर्ट आदि अज्ञात रहे। इससे स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से पत्रावली तैयार कर धन का अपहरण किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों कार्यों हेतु टेन्डर भी आमात्रत नहीं किये गये हैं।

4. तालिका 01 में क्रमांक- 10 पर अंकित कार्य की निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्य हेतु टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये हैं। संलग्न वाउचरों अनुसार सामग्री पर कुल व्यय ₹0 250213.00 श्रमांश पर ₹0 60340.00 कुल व्यय ₹0 310553.00 का पुल है। परन्तु संलग्न कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, अनुसार सामग्री पर ₹0 157953 .00 एवं श्रमांश पर ₹0 60340 .00 कुल ₹0 218293 .00 का व्यय प्रमाणित किया गया है। स्पष्ट है कि ₹0 92260.00 से व्यय कम प्रमाणित है, जिससे स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से पत्रावली तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

5- तालिका-01 में क्रमांक- 21 एवं 23 पर अंकित कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य हेतु टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये ह। परन्तु फिर भी क्रमशः कार्यालय पत्रांक- 100/01.12.2014 एवं 88/05.10.2014 के द्वारा ओम ब्रिक फील्ड टेहरी बीसलपुर को आपूर्ति आदेश निर्गत किये गये हैं। कार्य क्रमशः दिनांक- 30.12.2014 एवं 18.10.2014 को समाप्त होना दर्शाया गया है। उसी दिन जे0ई0 द्वारा मॉप दर्शाकर डट की गई है। तथा ठक्क द्वारा निरीक्षण कर कार्य पूर्ति भी निर्गत किया गया है। परन्तु ठक्क द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। तथा जे0ई0 द्वारा डट करते समय भी तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

निष्कर्ष:- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014-15 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी / कमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को दिया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान जारी नहीं किया गया। इस प्रकार की आमद ही अपुष्टि रही। पत्रावलियों में कभी भी किसी ने भी हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है पत्रावलियां आहरण /भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति संख्या- 04 ख, बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या- 124. इसी प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में उपलब्ध कराये गये राज्य/तेहरवां वित्त आयोग के बैंक ऑफ बड़ौदा बीसलपुर के खाता संख्या 01/19935 के अनुसार कुल आहरण ₹0 6255145.00 का किया गया है, जिसकी पुष्टि में केवल 25 (पच्चीस) निर्माण पत्रावलियाँ उपलब्ध कराई गई, जिनसे ₹0 4971140.00 के व्यय की ही पुष्टि हो सकी। इस प्रकार अन्तर ₹0 1284005.00 अधिक आहरण से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई। जबकि ऐसा किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार ₹0 1284005.00 का स्पष्ट अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याजसहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या- 18 ख बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या- 125. कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:- वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 563970.00 मजदूरी / कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री करन सिंह नावियाल, एडीओ (आईएसबी) को ₹0 86665.00 एवं श्री विजय सिंह एडीओ (सी) को ₹0 100515.00 एवं श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी) को ₹0 376790.00 का भुगतान कर दिया गया हैं।

मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है एवं एम आर पर लम्बाई-चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया गया है, साथ ही साथ एम आर पर विकास खण्ड से जारी क्रमांक संख्या एवं तिथि अंकित नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 563970.00 का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये बी0डी0ओ0/जे0ई0/ लेखाकार/ कार्य प्रभारी/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0- 3 ललौरीखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 126. आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना - सामग्री मद में कुल ₹0 2411666.00 भुगतान में से ₹0 175034.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक फर्म को निर्गत न कर कार्य प्रभारी को सामग्री क्रय हेतु अनियमित तरीके से भुगतान किया गया है।

चैक नं0	दिनांक	धनराशि	सामग्री आपूर्तिकर्ता का नाम	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
4963	05.11.2014	250.00	तरंग फोटो स्टूडियो	कार्य प्रभारी, श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
5042	22.11.2014	250.00	तरंग फोटो स्टूडियो	कार्य प्रभारी, श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
5712	19.03.2015	3180.00	रूबी ब्रिक सेन्टर	कार्य प्रभारी, श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
5703	23.02.2015	2250.00	रूबी ब्रिक सेन्टर	कार्य प्रभारी, श्री ओम प्रकाश

				एडीओ (एसटी)
5316	13.02.2015	21750.00	रूबी ब्रिक सेन्टर	कार्य प्रभारी, श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
5318	21.02.2015	36250.00	रूबी ब्रिक सेन्टर	श्री विजय सिंह एडीओ (सी)
5728	07.05.2015	3180.00	तराई स्पन पाइप	कार्य प्रभारी, श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
5715	23.03.2015	5724.00	तराई स्पन पाइप	श्री करन सिंह नावियाल, एडीओ (आईएसबी)
5711	17.03.2015	98700.00	रूबी ब्रिक सेन्टर	श्री करन सिंह नावियाल, एडीओ (आईएसबी)
6101	20.05.2015	250.00	तरंग फोटो स्टूडियो	कार्य प्रभारी, श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
6101	20.05.2015	3250.00	तरंग फोटो स्टूडियो	कार्य प्रभारी, श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
	योग—	175034.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 175034.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा, जो बैंक स्टेटमेंट/ खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में ₹0 175034.00 की गम्भीर अनियमितता की गई है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0—

4 क, ललौरीखेड़ा)

प्रस्तर संख्या— 127. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना— कुल दर्शित भुगतान ₹0 2411666.00 में से ₹0 2236632.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पास बुक / स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये हैं जिससे ₹0 2236632.00 का भुगतान बैंक खाते के अनुसार ट्रांसफर द्वारा किया गया है परन्तु बैंक स्टेटमेंट में आपूर्तिकर्ता फर्म/प्राप्तकर्ता का नाम अंकित नहीं किया गया है, जो कि लेखा नियमों के विपरीत है। जबकि बक स्टेटमेंट में नियमतः आपूर्तिकर्ता फर्म/प्राप्तकर्ता का नाम अंकित रहना चाहिए था, जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। कतिपय प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई माग पत्र प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे

स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण की गई। साथ ही रूपपुर कमालू में कृपा की तरफ राजेन्द्र के घर के पास खड़ण्जा ₹0 48750.00 की सामग्री तो कय की गयी है। परन्तु निर्माण पत्रावली में एम आर संलग्न नहीं पाया गया जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं होती है। एवं निर्माण पत्रावलियों के जाँच में पाया गया जो कराये गये कार्य ग्राम के अन्दर थे उसे अपरलेखन कर गाव के बाहर दर्शित किया गया है। गाव के अन्दर कार्य कराया जाना क्षेत्र पंचायत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के स्पष्ट उल्लंघन है समस्त पत्रावली/फाइल में श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। जो पूर्णतः अनियमित है। निश्कर्ष— उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष— 2014-15 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं, क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/क्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये, सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी माँग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही अपुष्टि रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है, साथ ही कार्य के प्रारम्भ मध्य एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त के फोटोग्राफ पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाये गये और न ही कार्य की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी की गयी स्थिति पंजिका के अभाव में अस्पष्ट रही, जिससे स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ आहरण/भुगतान के पश्चात मनमाने ढंग से तैयार की गयी है। जिसकी ब्याजसहित वसूली उत्तरदायी अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0— 4 ख ललौरीखेड़ा)

प्रस्तर संख्या— 128. लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त योजना मद खाता संख्या— 21716877267 एवं तेरहवां वित्त योजना मद के अन्तर्गत बैंक खाता संख्या— 21716915760 में कमशः ₹0 303418.00 एवं ₹0 3296744.00 कुल ₹0 3600162.00 इलाहाबाद बैंक ब्रांच ललौरीखेड़ा, जनपद— पीलीभीत से निम्न विवरणानुसार आहरित धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा, विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या— 21716877267 इलाहाबाद बैंक, ललौरीखेड़ा —

दिनांक	चैक नं०	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि
30.04.2014	2901	टीआरएफ	19594.00
30.05.2014	2903	टीआरएफ	14000.00
30.06.2014	2904	टीआरएफ	101871.00
07.06.2014	2909	ओमप्रकाश	12055.00
11.07.2014	2910	टीआरएफ	14000.00
18.07.2014	2911	टीआरएफ	7371.00
31.07.2014	2912	अनिल कुमार	63500.00
08.08.2014	2905	टीआरएफ	2079.00
04.09.2014	2913	टीआरएफ	14000.00
29.09.2014	2914	ओम प्रकाश	5050.00
13.10.2014	2915	टीआरएफ	10314.00
17.10.2014	2917	टीआरएफ	13986.00
29.10.2014	2916	टीआरएफ	11598.00
05.11.2014	4962	टीआरएफ	14000.00
		योग—	303418.00

खाता संख्या— 21716915760 इलाहाबाद बैंक, ललौरीखेड़ा—

दिनांक	चैक नं०	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि
30.05.2014	1277	टीआरएफ	18340.00
02.06.2014	4001	टीआरएफ	45060.00
02.06.2014	4006	टीआरएफ	39090.00
02.06.2014	4003	ओम प्रकाश	5382.00
02.06.2014	4008	विजय सिंह	4664.00
02.06.2014	1278	विजय सिंह	2153.00
03.06.2014	1279	टीआरएफ	66617.00
03.06.2014	1275	टीआरएफ	79553.00
07.06.2014	4009	विजय सिंह	16900.00
26.06.2014	4012	विजय सिंह	28500.00
01.07.2014	4013	टीआरएफ	51038.00
01.07.2014	4025	टीआरएफ	63651.00
01.07.2014	4021	टीआरएफ	61011.00
01.07.2014	4029	टीआरएफ	87071.00
01.07.2014	4017	टीआरएफ	50186.00
02.07.2014	4019	टीआरएफ	74431.00
02.07.2014	4015	टीआरएफ	86460.00
02.07.2014	4031	टीआरएफ	143972.00
02.07.2014	4023	टीआरएफ	103753.00
11.07.2014	4033	टीआरएफ	108059.00
15.07.2014	4035	ओम प्रकाश	22810.00
15.07.2014	4034	ओम प्रकाश	39800.00
08.08.2014	4036	विजय सिंह	23060.00
06.09.2014	4037	विजय सिंह	21245.00
29.09.2014	4039	ओम प्रकाश	21905.00
07.10.2014	4742	न्यू मौर्य सेन्टर	17353.00
07.10.2014	4744	न्यू मौर्य सेन्टर	16303.00
07.10.2014	4748	न्यू मौर्य सेन्टर	24497.00
07.10.2014	4040	न्यू मौर्य सेन्टर	41266.00
07.10.2014	4746	न्यू मौर्य सेन्टर	40791.00
07.10.2014	4741	टीआरएफ	67633.00
07.10.2014	4745	टीआरएफ	17508.00
07.10.2014	4743	टीआरएफ	17508.00
07.10.2014	4747	टीआरएफ	69419.00
07.10.2014	4749	टीआरएफ	28217.00
22.10.2014	4751	करन सिंह नवियाल	16850.00

27.10.2014	4752	टीआरएफ	22278.00
01.11.2014	4753	न्यू मौर्य सेन्टर	23463.00
05.11.2014	4754	करन सिंह नवियाल	5180.00
08.11.2014	4755	न्यू मौर्य सेन्टर	62171.00
20.11.2014	4756	टीआरएफ	116105.00
21.11.2014	4760	विजय सिंह	12200.00
21.11.2014	4759	न्यू मौर्य सेन्टर	7381.00
20.11.2014		टीआरएफ	10000.00
22.12.2014	4758	टीआरएफ	9912.00
08.12.2014	5044	ओम प्रकाश	34715.00
10.12.2014	5053	करन सिंह नवियाल	6740.00
10.12.2014	5047	टीआरएफ	24497.00
10.12.2014	5052	टीआरएफ	12500.00
18.12.2014	5283	टीआरएफ	18870.00
19.12.2014	5082	मौर्य सीमेन्ट स्टोर	10795.00
19.12.2014	5058	मौर्य सीमेन्ट स्टोर	97384.00
20.12.2014	5281	टीआरएफ	17070.00
20.12.2014	5057	टीआरएफ	167085.00
22.12.2014	5045	टीआरएफ	22829.00
29.12.2014	5286	तराई स्पन पाइप	17430.00
02.01.2015	5293	टीआरएफ	14000.00
02.01.2015	5290	न्यू मौर्य सेन्टर	48155.00
02.01.2015	5292	न्यू मौर्य सेन्टर	21731.00
03.01.2015	5287	टीआरएफ	70500.00
03.01.2015	8289	ज्टीआरएफ	85540.00
03.01.2015	5291	ज्टीआरएफ	22278.00
19.01.2015	5295	न्यू मौर्य सेन्टर	40420.00
12.01.2015	5294	रुबी ब्रिक फील्ड	56960.00
19.01.2015	5298	ओम प्रकाश	53200.00
29.01.2015	5299	विजय सिंह	24235.00
29.01.2015	5301	विजय सिंह	55436.00
10.02.2015	5314	विजय सिंह	18642.00
10.02.2015	5313	ओम प्रकाश	76751.00
11.02.2015	5312	टीआरएफ	41619.00
28.02.2015	5704	विजय सिंह	70065.00
28.02.2015	5705	न्यू मौर्य सेन्टर	43470.00
13.03.2015	5708	टीआरएफ	14000.00
18.03.2015	5707	स्वयं	68182.00
24.03.2015	5713	प्रेमपाल	5724.00
24.03.2015	5719	करन सिंह नवियाल	39750.00
25.03.2015	5717	टीआरएफ	102695.00
		योग-	3294014.00

कुल योग-3294014.00, 303418.00 , 3597432.00

उक्त आहरित धनराशि ₹0 3597432.00 के व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न रहा, जिस कारण उक्त ₹0 3597432.00 का आहरण पूर्णतः अपुष्टित रहा। अपुष्टि भुगतानित धनराशि की ब्याजसहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-7, ललौरीखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 129. कमांश का मजदूरों को भुगतान काल्पनिक मस्टर रोल के आधार पर किया जाना-

वर्ष 2015-16 में विविध निर्माण कार्यों पर कुल अंकन ₹0 318745.00 श्रमांश/ मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके काय प्रमारा बा आमास कुमार को ₹0 183945.00 तथा श्री प्रेम प्रताप एडीओ पीपी को ₹0 134800.00 मजदूरों के हस्ताक्षर मस्टर रोल निमाता क हा हस्तलख में पाये गये। कार्य पर लगे मजदूरों के पता तथा महिला पूरुश, अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भी मस्टर रोल पर मस्टर रोल पर मस्टर रोल के क्रमांक (प्रिटेड) नहीं पाया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है, कि कार्य प्रभारी द्वारा फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न किया

गया है तथा मजदूरा/ कर्मांश अंश का कुल अंकन रु0 318745.00 वर्ष 2015-16 में योजनावद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये कार्यप्रभारी, लखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी समान रूप से उत्तरदायी है। अतः सम्यक पुष्टि उपरांत तदनुसार संबंधितों से वसूली की जानी समीचीन है (सामान्य आपत्ति संख्या-3, मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 130. टी0डी0एस0 की पुष्टि न हो पाने तथा टी0डी0एस0 कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि-लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में सामग्री अंश के व्यय प्रमाणकों के सापेक्ष कुल अंकन रु0 1284832.00 का भुगतान विभिन्न फर्मों/ व्यक्तियों को भुगतान दर्शित है। उक्त भुगतान के सापेक्ष कुल अंकन रु0 25415.00 का टी0डी0एस0 काटा जाना दर्शित है जबकि 2. 26 प्रतिशत की दर से कुल रु0 1284832.00 पर अंकन रु0 29037.20 टी0डी0एस0 वर्ष दौरान होना चाहिए था। इस प्रकार कुल अंकन रु0 3622.20 से टी0डी0एस0 कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि की गयी इस प्रकार कम काटे गये टी0डी0एस0 के बराबर वसूलनीय दण्ड शुल्क के साथ आहरणद्वितरण अधि0/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना चाहिये। साथ ही साथ काटे गये।

टी0डी0एस0 की जमा पुष्टि में इश्यू चैक नम्बर। बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिससे उक्त रु0 25415.00 काटे गये टी0डी0एस0 के जमा कराये जाने की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त 29037.20 टी0डी0एस0 की वसूली दण्ड शुल्क के साथ नियमानुसार संबंधित कर्मचारी/अधिकारी से की जानी चाहिए। (सामान्य आपत्ति संख्या-5, मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 131. वर्ष 2015-16 में कुल सामग्री क्रय अंकन रु0 1284832.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 51393.28 के सापेक्ष अंकन रु0 21047.00 की ही वर्ष दौरान कटौती की गयी है इस प्रकार वर्ष दौरान अंकन रु0 30346.28 की कम कटौती कर राजकीय राजस्व की हानि व्यापक कर के रूप में हुई साथ ही व्यापार कर जमा किये जाने की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रु0 51393.28 दण्ड शुल्क के साथ आहरण विवरण अधिकारी/खण्डविकासी अधिकारी से करके राजकीय कोशागार में जमा करके, चालान से पुष्टि करायी जानी चाहिए। (सामान्य आपत्ति संख्या-6, मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 132. वर्ष 2015-16 में को 825.00 घन मी0मिट्टी क्रय/आपूर्ति हेतु कुल रु0 96250.00का भुगतान अधोलिखित विवरण अनुसार किया गया है जिस पर नियमानुसार रु0 14/ घन मी0 दर से कुल रु0 11550.00 रायल्टी वसूल की जानी चाहिए थी। रायल्टी वसूल न करके राजकीय राजस्व की हानि की गयी है, जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी चाहिए।

क्रम सं0	दिनांक	विवरण मद	मात्रा सी0यू0एम0 में	धनराशि
1	08.07.2015	मिट्टी	30.00	3500.00
2	25.04.2015	मिट्टी	195.00	22750.00
3	08.07.2015	मिट्टी	63.00	7350.00
4	08.07.2015	मिट्टी	30.00	3500.00
5	16.07.2015	मिट्टी	24.00	2800.00
6	20.08.2015	मिट्टी	420.00	49000.00
7	08.07.2015	मिट्टी	63.00	7350.00
		योग-	825.00	96250.00

(सामान्य आपत्ति संख्या-7, मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 133. क)- लेखा परीक्षा 2015-16 में क्षेत्र पंचायत की अनुमोदित कार्य योजना एवं ग्राम पंचायतों की ग्रामनिधि एवं मनरेगा योजना सम्बन्धा अनुमोदित कार्य योजना उपलब्ध नहीं कराये जाने से यह अस्पष्ट रहा कि कही कार्यों की पुनरावृत्ति तो नहीं की गयी। पुष्टि करायी जाना चाहिए।

प्रस्तर संख्या- 133. ख- वित्तीय वर्ष- (2015-16) में विभिन्न निर्माण पत्रावलियों अनुसार कुल रु0 1284832.00 सामग्री अंश पर व्यय किया जाना दर्शित है। जबकि उक्त क सापेक्ष कुल श्रमांश/मजदूरी पर दर्शित व्यय रु0 318745.00 का अपहरण कार्य प्रभारी द्वारा (आपत्ति सं0-03) के विवरण अनुसार किया गया है। इस प्रकार सामग्री अंश पर व्यय रु0 1284832.00 मे रु0 25415.00 टी0डी0एस0 कटौती के रूप में दर्शित राशि घटाने के उपरान्त शेष रु0 1259417.00 सामग्री अंश पर किए गए व्यय के सापेक्ष मजदूरी/श्रमांश की धनराशि का अपहरण आपत्ति सं0- 03 के अनुसार कार्य प्रभारी द्वारा किए जाने तथा सामग्री आपूर्ति चालान एवं सामग्री आमद/ उपभोग व शेष एवं सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के अभाव में उक्त धनराशि रु0 1259417.00 का अपहरण मानते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों से वसूली की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या-4 ख, मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 134. विकास खण्ड मरौरी के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत मरौरी के वर्ष 2015-16 के निमित्त खुले विभिन्न बैंक खातों एंजाब एण्ड सिंध बैंक खाता संख्या 9516 ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स खाता संख्या 27420, इण्डियन बैंक खाता संख्या 9205 बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 1655 का समेकित प्रारम्भिक अवशेष रु0 2529703.32, वर्ष में प्राप्त रु0 8065920.00 वर्ष में व्यय रु0 4765157.00 एवं वर्षान्त में अवशेष रु0 6191236.32 था। जबकि ग्राट रजिस्टर के अनुसार दर्शित प्रारम्भिक अवशेष रु0 2529703.32, वर्ष में प्राप्त रु0 8184250.00, वर्ष में व्यय रु0 4467645.00 एवं वर्षान्त में अवशेष रु0 6246308.32 रहा अन्तरों के बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये।

जबकि उपरोक्त अवधि की लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गयी गई निर्माण पत्रावलियों में दर्शित व्यय लेखा

परीक्षा आगणन के अनुसार रू0 3020003.00 होता है एवं वर्ष दौरान बैंक स्टेटमेंट पासबुक के अनुसार 4765157.00 आहरित किये जाने की पुष्टि हो रही है। इस प्रकार अन्तर रू0 1745154.00 का व्यय अपुष्टि रहा। वित लेखा मैनुअल के अध्याय दृ 08 के पैरा 08(क) के अनुसार व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय की गयी समस्त धनराशि को गबन (अपहरण) मानते हुये वसूली का प्रावधान है। अतः लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में अन्तर धनराशि रू0 1745154.00 की सम्यक पुष्टि उपरान्त सम्बन्धित लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत से वसूली की जानी संस्था हित में होगी। (सामान्य आपत्ति संख्या-13, मरौरी)

प्रस्तर संख्या- 135. कमांश का मजदूरों को भुगतान कूटरचित मस्टर रोल के आधार पर किया जाना – वर्ष 2015-16 में विविध निर्माण कार्यों पर अंकन रू0 1944465.00 का भुगतान कमांश/मजदूरी के रूप में कार्य प्रभारी को किया गया है, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है, जबकि, नियमानुसार मजदूरी कमांश का भुगतान मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिये था। मस्टर रोल पर निर्माता के ही हस्तालेख में पाये गये/ कार्य पर लगे मजदूरों के पता, महिला/पुरुष, अनु० जाति/अनु०जन जाति इत्यादि का भी उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भी मस्टर रोल पर मस्टर रोल कमांक छपा हुआ (क्षपदजमक) नहीं पाया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी द्वारा कूट रचना द्वारा मस्टर रोल तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न किया गया है। तथा कमांश / मजदूरी अंश का कुल अंकन रू0 1944465.00 की वसूली लेखाकार, कार्य प्रभारियों श्री महेश कुमार ट।, श्री राम किशोर ठट।, श्री पी०एन०पाण्डेय ट। तथा खण्ड विकास अधिकारी से की जानी चाहिए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में आरम्भ किये निर्माण कार्यों का भुगतान किया गया है, जो कार्य को बिलम्ब से पूर्ण किये जाने को स्पष्ट करता है। यह गम्भीर आपत्ति का विषय है। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। (सामान्य आपत्ति सं०- 03 बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 136. आपूर्तिकर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को / अन्य के खाते में करना – वर्ष- 2015-16 में तालिका-2 के सामग्री अंश में भुगतान निम्न विवरणानुसार किया जाना दर्शित है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि चेक निगमन व्यक्ति/फर्म को दर्शित है। परन्तु चेक खाते के जाँच में पाया गया कि वास्तविक भुगतान कार्य प्रभारी को प्राप्त हुआ है। अतः रू0 108963.00 की वसूली कार्य प्रभारियों/ लेखाकार/ खण्ड विकास अधिकारी / जे०ई० / ब्लाक प्रमुख से की जानी चाहिए।

क्रम सं०	दिनांक	चेक सं०	चेक जिसके नाम इश्यू दर्शित है	बैंक स्टेटमेंट अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	16.05.2015	000331	दिनेश श्रीवास्तव	दिनेश श्रीवास्तव (कार्य प्रभारी)	3500.00
2	06.04.2015	000290	राम विवेक	राकेश चन्द्र मिश्रा(कार्य प्रभारी)	15578.00
3	08.05.2015	000314	शर्मा विडिंग मैट०	कोशलेन्द्र सिंह (कार्य प्रभारी)	4500.00
4	08.05.2015	000299	बुद्धसेन	राकेश चन्द्र मिश्रा(कार्य प्रभारी)	15147.00
5	08.05.2015	000317	शर्मा विडिंग मैट०	अनिल कुमार (कार्य प्रभारी)	4500.00
6	26.05.2015	000330	शर्मा विडिंग मैट०	राजेश कुमार (कार्य प्रभारी)	3500.00
7	12.06.2015	000341	शर्मा विडिंग मैट०	महेश पाल (कार्य प्रभारी)	4500.00
8	16.09.2015	000371	शर्मा विडिंग मैट०	महेश पाल (कार्य प्रभारी)	4500.00
9	08.05.2015	000320	शर्मा विडिंग मैट०	राजेन्द्र कुमार (कार्य प्रभारी)	4500.00
10	21.05.2015	000312	शर्मा विडिंग मैट०	कोशलेन्द्र सिंह (कार्य प्रभारी)	4500.00
11	07.04.2015	000293	परसादी लाल	राकेश मिश्रा	6237.00
12	06.04.2015	000288	शर्मा विडिंग मैट०	राम किशोर	—
13	06.04.2015	000288	बुद्धसेन	राम किशोर	7128.00
14	08.04.2015	000297	जगदीश	अनिल कुमार	5791.00
15	22.04.2015	000358	—	राजेश गौतम	15741.00
16	07.04.2015	000291	नन्दलाल	राजवन्दन मिश्रा	5841.00
			योग-		108963.00

(सामान्य आपत्ति सं०- 04 (क) बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 137. वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभिन्न निर्माण पत्रावलियों के अनुसार कुल रू0 4112783.00 सामग्री अंश पर व्यय किया जाना दर्शित है। जबकि उक्त के सापेक्ष कुल श्रमांश/मजदूरी पर दर्शित व्यय रू0 1944465.00 का अपहरण कार्य प्रभारी द्वारा (आपत्ति सं०- 03) के विवरण अनुसार किया गया है। इस प्रकार सामग्री अंश पर व्यय रू0 4112783.00 में से रू0 108963.00 का भुगतान /आहरण काय प्रभारी द्वारा विभिन्न तिथियों में व्यय रू0 92948.00 टी०डी०एस० कटौती के रूप में दर्शित राशि घटाने के उपरान्त शेष रू0 3910872.00 सामग्री अंश पर किये गये व्यय के सापेक्ष मजदूरी श्रमांश की धनराशि का अपहरण आपत्ति सं०- 03 के अनुसार कार्य प्रभारी द्वारा किए जाने तथा सामग्री आपूर्ति चालान तदैव व सामग्री आमद/उपभोग व शेष, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के अभाव में उक्त धनराशि रू0 3910872.00 का अपहरण मानते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों / अधिकारियों से वसूली की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०- 04 ख बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या— 138. टी.डी.एस. की पुश्ति न हो पाने तथा टी0डी0एस0 कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि:— लेखा परीक्षा वर्ष—2015—16 में सामग्री अंश के व्यय प्रमाणकों के सापेक्ष कुल अंकन ₹0 4112783.00.00 का भुगतान विभिन्न फर्मों / व्यक्तियों को किया जाना दर्शित है। उक्त भुगतान के सापेक्ष कुल अंकन ₹0 78211.00 का टी0डी0एस0 काटा जाना दर्शित है जबकि 2.26 प्रतिशत की दर से कुल ₹ 4112783.00 पर अंकन ₹0 92948.00 टी0डी0एस0 काटा जाना चाहिए था। इस प्रकार अंकन ₹0 14737.00 से टी0डी0एस0 कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि की गयी है। वर्ष दौरान काटे गये टी0डी0एस0 के आयकर विभाग में जमा किया/कराये जाने की पुश्ति में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे स्पष्ट है कि वित्तीय नियमों की घोर उपेक्षा करते हुये समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः अंकन ₹0 92948.00 का टी0डी0एस0 की वसूली दण्ड शुल्क सहित सम्बन्धित कार्मिकों/अधिकारियों से करके जमा कराया जाना चाहिये।

(सामान्य आपत्ति सं0-05 बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या—139. आलोच्य वर्ष 2015—16 में कुल सामग्री क्रय अंकन ₹0 4112783.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 164511.32 का व्यापार कर (ट।) की कटौती की जानी चाहिए थी, जबकि वर्ष दौरान ₹0 68837.00 व्यापार कर की कटौतीकम किये जाने से एक ओर जहां राजकीय राजस्व की क्षति हुयी है वही। दूसरी ओर काटे गये व्यापार कर जमा किये जाने की पुश्ति में कोई चालान अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार न काटे जाने अथवा कम व्यापार कर काटे जाने से नियमानुसार विधिक रूप से सामग्री क्रय किये जाने को ही लेखा परीक्षा की दृष्टि से सन्देहास्पद बना देता है। परिणाम स्वरूप समस्त व्यापार कर ₹0 164511.32 की धनराशि का वसूली सदण्ड शुल्क लेखाकार कार्य प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी/सम्बन्धित उत्तरदायी प्राधिकारी से किया जाना चाहिये। **(सामान्य आपत्ति सं0- 06 बरखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या— 140. वर्ष—2015—16 में 1197.05 घन मी० मिट्टी कय/आपूर्ति हेतु कुल ₹0 59222.00 का भुगतान अधोलिखित विवरण के अनुसार किया गया है, जिस पर नियमानुसार 14 प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹0 16758.00 रायल्टी वसूल की जानी चाहिए थी। रायल्टी वसूल न करके राजकीय राजस्व की क्षति हुयी है, जिसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार, कार्य प्रभारी ती खण्ड विकास अधिकारी से की जानी चाहिए।

वर्ष— 2015—16 में निर्माण कार्यों पर प्रयुक्त दर्शित मिट्टी की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार है —

क्रम सं०	दिनांक	चैक सं०	मिट्टी की मात्रा (घन मी०)	दर्शित धनराशि	रु. 14.00 प्रति घन मीटर की दर से
1	16.05.2015	000331	71.00	3500.00	994.00
2	06.04.2015	000290	315.00	15578.00	4410.00
3	08.04.2015	000299	306.00	15147.00	4284.00
4	07.04.2015	000293	126.00	6237.00	1764.00
5	06.04.2015	000288	144.00	7128.00	2016.00
6	08.04.2015	000297	117.00	5791.00	1638.00
7	07.04.2015	000291	118.00	5841.00	1652.00
		योग	1197.00	59222.00	16758.00

(सामान्य आपत्ति सं0- 07, बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या— 141. क्षेत्र पंचायत बरखेड़ा के वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में अनुदान पंजिका में दर्शित प्रारम्भिक अवशेष ₹0 3989814.00 है एवं वर्ष में प्राप्त ₹0 7863798.00 दर्शित है जबकि इसी अवधि में बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार प्रारम्भिक अवशेष ₹0 5354564.00 तथा वर्ष में प्राप्त ₹0 7300979.00 की पुश्ति हो रही है। इस प्रकार बैंक उक्त दोनों मदों में विद्यमान अन्तरों का कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए। उक्त क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रस्तुत की गई निर्माण पत्रावलियों में दर्शित कुल व्यय ₹0 1267480.00 ही होता है। जबकि इसी अवधि में प्रस्तुत किए गये बैंक खातों से वर्ष दौरान ₹0 7870271.00 के आहरण / व्यय की पुश्ति हो रही है। इस प्रकार अन्तर ₹0 1813023.00 बैंक खातों से आहरित धनराशि की पुश्ति में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। ऐसी स्थिति में वित लेखा मैनुअल के अध्याय— 8 के पैरा— 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणकाके के अभाव में व्यय की गई समस्त धनराशि को गवन (अपहरण) मानते हुए पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या— 256 (1) के अन्तर्गत सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति / व्यक्तियों / पदाधिकारियों से वसूली की जानी चाहिए।

(सामान्य आपत्ति सं0- 08, बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या— 142. कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान रु— वर्ष— 2015—16 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 499625.00 मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी रमेश पाल जे0ई0एम0आई0, ग्राम विकास अधिकारी को ₹0 385125.00 एवं विनोद कुमार सिंह जे0ई0एम0आई0 को ₹0 114500.00 का भुगतान कर दिया गया है गया है —

मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुश्ति हेतु अंगूठा निशानी अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है। वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली विकास खण्ड पर लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं

कराई गई, जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि किस क्रम सं० के मस्टर रोल किस कार्य हेतु किस दिनांक को निर्गत किये गये हैं। मनमाने ढंग से मस्टर रोल तैयार कर भुगतान किया गया है। (वर्ष में उपलब्ध कराई गई कुल 23 कार्यों की पत्रावलियों के अनुसार)।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 499625.00 का वर्ष 2015-16 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/ ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। (सामान्य आपत्ति सं०-03 बिलसण्डा)

प्रस्तर संख्या- 143. क) आपत्तिकर्ता /फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को / अन्य के खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में रु- सामग्री मद में कुल ₹0 2268438.00 भुगतान में से ₹0 20405.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म /व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है साथ ही अवगत कराना है कि लेखा परीक्षा दौरान चेक इश्यू रजिस्टर उपलब्ध न रहा।

क्रम सं०	चैक नं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
1	000477	07.08.2015	20405.00	ओम गवरमेंट कंस्ट्रक्सन	खालिद हुसैन लेखाकार
योग-			20405.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 20405.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा, जो बैंक स्टेटमेंट/ खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में ₹0 20405.00 की गम्भीर अनियमितता का गई है। (सामान्य आपत्ति सं०- 04 क बिलसण्डा)

प्रस्तर संख्या- 143. ख) मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना - कुल दर्शित भुगतान ₹0 2268438.00 में से ₹0 2248033.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पास बुक/स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे ₹0 2248033.00 का भुगतान सम्बन्धित आपत्तिकर्ता को ही हुआ है। की पुष्टि हो सकी है। जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल / कैशमेंमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से खपाई गई।

उदाहरण - 1- तालिका- 01 के क्रम सं०- 17 पर दर्ज कार्य की पत्रावली में संलग्न एम०आर० अनुसार कार्य 07 से 18 अप्रैल/2015 के मध्य हुआ है। परन्तु माँप पुस्तिका नं- 19र के पेज संख्या- 140 पर कार्य की अवधि दिनांक- 07. 04.2015 से 16.04.2015 दर्ज हैं कार्य हेतु सामग्री बिल नं०- 171/18.03.2015 के द्वारा मै० ब्रिक फील्ड से 19025 खंजर क्रय की गयी है। जिसे डट 19र के पृष्ठ सं०- 134 पर दर्ज किया गया है। मस्टर रोल एवं जे०ई० द्वारा की गई है और माँप पुस्तिका में अन्तर होने के कारण, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण की तिथि अंकित नहीं किया जाना आदि से स्पष्ट होता है कि मनमाने ढंग से अभिलेख तैयार कर धन को खपाया गया है।

उदाहरण - 1- तालिका- 01 के क्रम सं०- 18 पर अंकित कार्य की पत्रावली की जांच में स्पष्ट हुआ कि जे०ई० कार्य की डट, माँप पुस्तिका सं०-19र के पृष्ठ सं०- 170, 178-180 पर दर्ज पर दर्ज की गई है। परन्तु कहीं भी कार्य प्रारम्भ, कार्य समाप्त एव मापांकन का तिथियों का उल्लेख नहीं किया गया है। कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र पर तिथि अंकित नहीं है। निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा भी निरीक्षण की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से पत्रावली तैयार कर धन को खपाया गया है।

निशकर्ष- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015-16 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी / कर्मांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को दिया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान जारी नहीं किया गया। इस प्रकार की आमद ही अपुष्टि रही। पत्रावलियों में कभी भी किसी ने भी हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है पत्रावलियां आहरण / भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं। (सामान्य आपत्ति सं०- 04 ख बिलसण्डा)

प्रस्तर संख्या- 144. कर्मांश में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण- वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 2154520.00 मजदूरी / कर्मांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री करन सिंह नावियाल (एडीओ)आईएसबी(को ₹0 512980.00, एवं श्री ज्ञान चन्द्र आर्य, एडीओ)एस के(को ₹0 1481965.00 श्री कौशलेन्द्र सिंह चौहान, एडीओ)पी(को ₹0 159575.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है यह भा उल्लेख नहीं है एवं एम आर पर लम्बाई-चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया गया है, साथ ही साथ एम आर पर विकास खण्ड से जारी

क्रमांक सं० एवं तिथि अंकित नहीं है व पेड एण्ड कैन्सिल्ड की मोहर अंकित नहीं है, मापांकन पुस्तिका का बुक न० एवं पेज न० भी अंकित नहीं है। उदाहरण स्वरूप—

क्रम सं०	कार्य का नाम	विवरण	धनराशि
1	ग्राम पंचायत में बूंदी भूड में उत्तर रोड के किनारे होते हुए बार्ड नं० 6 से सारदा तक जाती है तक नाली निर्माण	एम आर पर उपस्थिति का माह एवं वर्ष अंकित नहीं है।	46725.00
2	खमाड़या चुगी के दक्षिण ग्राम पंचायत पुरनपुर क्षेत्र के रुकवा क्षेत्र से करवला शमसान घाट होते हुए ग्राम पंचायत मधुखाता तक रास्ते प□ इण्टरलॉकिंग		
	श्रमिक संख्या 22 से 36 तक कुल 15 श्रमिकों की प्राप्ति हस्ताक्षर नहीं है	112850.00	
3	नवदिया धनेश में जगदेव की फर्म से रतन सिंह के घर तक खडण्जा निर्माण	एम आर पर कार्य का नाम व श्रमिक का नाम पता अंकित नहीं	34580.00
4	पिपरिया दुलई में धुविया तालाब □पुलिया मरम्मत	एम आर पर माह एवं वर्ष अंकित नहीं है।	114480.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹० 2154520.00 का वर्ष 2015-16 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। (समान्य आपत्ति सं०- 03, पूरनपुर)

प्रस्तर संख्या- 145. आपूर्ति कर्ता / फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/ अन्य खाते में करना - सामग्री मद में कुल ₹० 7280065.00 भुगतान में से ₹० 672997.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक फर्म को निर्गत न कर कार्य प्रभारी को सामग्री क्रय हेतु अनियमित तरीके से भुगतान किया गया है।

क्रम सं०	चैक नं०	दिनांक	धनराशि	सामग्री आपूर्तिकर्ता का नाम	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
1	246239	28.08.2015	45473.00	मै० बरकाती कन्स्ट्रक्शन्स	मै० भारती
2	246242	28.08.2015	200080.00	मै० बरकाती कन्स्ट्रक्शन्स	मै० भारती
3	246241	28.08.2015	190986.00	मै० बरकाती कन्स्ट्रक्शन्स	मै० भारती
4	247915	28.08.2015	223468.00	मै० बरकाती कन्स्ट्रक्शन्स	मै० भारती
		योग-	660007.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन ₹० 672997.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा, जो बैंक स्टेटमेंट/ खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में ₹० 672997.00 की गम्भीर अनियमितता की गई है। (समान्य आपत्ति सं०- 04 क, पूरनपुर)

प्रस्तर संख्या- 146. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण— सामग्री क्रय पर कुल भुगतान ₹० 7280065.00 में से ₹० 6607068.00 का भुगतान सम्बन्धित फर्म को किया गया दर्शित है। सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाये गये वो समस्त प्रमाणक फर्म को देय कैश में/ कच्चे बिल पर है। प्रमाणकों पर देय टैक्स का दर व धनराशि भी अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। उदाहरण रु- 1- पिपरिया दुलई में धुविया तालाब की पुलिया मरम्मत के प्रमाणक ₹० 3500.00 मै० दानचन्द्र विवेक कुमार प्र०स०- 63 पर तिथि का उल्लेख

नहीं है। मै० खान कन्स्ट्रक्शन्स के प्रमाण ₹० 11200.00 पर बिल संख्या व तिथि अंकित नहीं है। नवभारत ब्रिक्स फील्ड के ₹० 115855.00 बिल सं०- 430 पर दिनांक अंकित नहीं है। 2- नवदिया धनेस कलीनगर रोड से गजाधर के खेत तक खडण्जा कार्य पर फर्म दानचन्द्र विवेक कुमार से ₹० 4000.00 का सामग्री क्रय किया गया। प्रमाणक पर बुक सं० एवं तिथि अंकित नहीं है। मै० बरकाती से ₹० 394763.00 का सामग्री क्रय दर्शाया गया है, प्रमाण पर तिथि का उल्लेख नहीं है। 3- पूरनपुर नहर से ढक्का मजरा तक खडण्जा निर्माण पर खान कन्स्ट्रक्शन्स से ₹० 174930.00 का सामग्री कय दर्शाया गया है। प्रमाणक क्रम सं०- 23 पर तिथि अंकित नहीं है। 4. जटपुरा लिंक रोड से रामनगर गुरुद्वारा होते हुए चौराहे तक खडण्जा निर्माण पर खान कन्स्ट्रक्शन्स से ₹० 619752.00 का सामग्री क्रय दर्शाया गया है। प्रमाणक तिथि अंकित नहीं है खान कन्स्ट्रक्शन्स से ही दूसरा प्रमाणक पर ₹० 94962.00 का सामग्री क्रय दर्शाया गया है। प्रमाणक पर बिल सं० व दिनांक अंकित नहीं है। 5- जटपुरा गजरौला मार्ग से शमसान घाट होते हुए लाह पेंटिंग रोड तक खडण्जा निमोण पर ₹० 1309746.00 का सामग्री कय खान कन्स्ट्रक्शन्स से किया गया है। प्रमाणक पर तिथि अंकित नहीं है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामग्री आपूर्ति काल्पनिक है। फर्म से मिली भगत कर मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। उक्त ₹० 6607068.00 के अपहरण के लिए बी०डी०ओ०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/जे०ई०/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015-16 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं, क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/ कमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये, सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही अपुष्टि रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हरक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी है।

(समान्य आपत्ति सं०- 04 ख, पूरनपुर)

प्रस्तर संख्या- 147. वर्ष 2015-16 में ₹० 9900.00 मिट्टी कय हेतु भुगतान दर्शाया गया है। विवरण निम्न प्रकार है

क्रम सं०	निर्माण कार्य का नाम	कार्य प्रभारी का नाम	दिनांक	चैक नं०	मिट्टी क्रय पर भुगतान की गई धनराशि
1	पिपरिया दुलई में धुविया तालाब में पुलिया निर्माण	ज्ञान चन्द्र आर्य	19.10.2016	2410349	9900.00
		योग-			9900.00

उक्त भुगतान किये गये धनराशि ₹० 9900.00 की पुष्टि में मिट्टी कय प्रमाणक पर मिट्टी की मात्रा दर व ट्रैक्टर संख्या एवं आपूर्तिकर्ता का नाम पता अंकित नहीं रहा। साथ ही रायल्टी की कटौती का कोई भी विवरण अंकित नहीं पाया गया। उक्त भुगतान आपूर्तिकर्ता को न कर कार्य प्रभारियों को अनियमित तरीके से किया गया है। उक्त से स्पष्ट होता है कि कार्य प्रभारियों से सांट-गांट कर ₹० 9900.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली उत्तरदायी अधिकारी /

सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी / लेखाकार / कार्य प्रभारी से किया जाना अपेक्षित है। **(समान्य आपत्ति सं०- 08, पूरनपुर)**

प्रस्तर संख्या- 148. लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त से सम्बन्धित कुल ₹0 10121829.00 की ही निर्माण पत्रावलियां प्रस्तुत की गयीं। जबकि बैंक खाता से निम्न विवरणानुसार धनराशि आहरित की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है—

बड़ौदा उ०प्र०ग्रा०बैंक खाता सं०-56140100033087 ₹0 14170446.00

ओबीसीबीओबी खाता सं 14522191048140 ₹0 225716.00

ओबीसी बीओबी खाता सं 14522191048133 ₹0 172.00

बीओबीबीओबी खाता सं 06970100009509 ₹013069187.00

बीओबीबीओबी खाता सं 06970100007985 ₹0 1817571.00

योग ₹0 29283092.00

वर्ष-2015-16 में कुल धनराशि ₹0 29283092.00 का आहरण कर व्यय किया गया। परन्तु उक्त के सापेक्ष मात्र ₹0 10121829.00 की निर्माण कार्य पत्रवली ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी। शेष आहरित धनराशि ₹0 19161263.00 की पुष्टि में कोई निर्माण / विकास पत्रावलियां एवं अन्य सुसंगत अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण उक्त आहरण धनराशि पूर्णतः अप्रमाणित रही। अतः उक्त खातों से अपुष्टि धनराशि ₹0 19161263.00 के व्यय से सम्बन्धित मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी / खण्ड विकास अधिकारी / लेखाकार / अवर अभियन्ता / कार्य प्रभारी से विभागीय कार्यवाही के साथ वसूली कराई जानी अपेक्षित रही। **(समान्य आपत्ति सं०- 09, पूरनपुर)**

प्रस्तर संख्या- 149 कमांश मद में भुगतान में अनियमितता- वर्ष 2015-16 में राज्यवित्त से कराए गए कार्यों पर अंकन ₹0 884260.00 तथा तेरहवा वित्त से कराए गए निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 153330.00 कुल ₹0 1037590.00 कमांश का भुगतान दर्शाया गया है। मजदूरी भुगतान मजदूरों का न करके कार्य प्रभारी श्री राम भरोसे लाल, सहा० विकास अधिकारी (स०क०) को ₹0 742520.00 तथा श्री दिनेश सिंह, सहा०विकास अधिकारी (आई० एस. बीव) को ₹0 295070.00 किया गया है। भुगतान की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है।

पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाया गया उन पर मस्टर रोल कमांक अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि कार्य वार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। प्राप्ति पर जो अंगूठे का निशान अंकित है प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं श्रमकों के हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी अंकित नहीं है। कई मस्टर रोल पर उपस्थिति अवधि भी अंकित नहीं है। जैसे नूरपुर में खड़ण्जा निर्माण, सरैनी त्रिकुनिया में खड़ण्जा निर्माण, ग्राम अमरिया में कैनाल कोठी के पास पुलिया निर्माण का मस्टर रोल।

फाइल में कार्य प्रारम्भ, कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त का फोटोग्राफी संलग्न नहीं है। अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा विगत वर्षों में उक्त कार्य नहीं कराए जाने का प्रमाण पत्र नहीं लगा है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है तथा मजदूरी मद में वर्ष 2015-16 में अंकन कुल ₹0 1037590.00 का वर्ष 2015-16 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया, जिसके लिए बी०डी०ओ०/ लेखाकार/कार्य प्रभारी/ जे०ई०/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। **(सा०आ०सं०-03, अमरिया)**

प्रस्तर संख्या- 150 आपूर्तिकर्ता/फर्म को निर्गत चेक का भुगतान प्राप्तकर्ता बैंक स्टेटमेंट से स्पष्ट नहीं/आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण - सामग्री मद में निम्न विवरणानुसार अंकन ₹0 2823874.00 का भुगतान फर्म को दर्शाया गया है। जबकि बैंक स्टेटमेंट से भुगतान प्राप्तकर्ता स्पष्ट नहीं होता। विवरण निम्न प्रकार है—

चैक सं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत है	बैंक स्टेटमेंट अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
433	27.07.2015	488040.00	गुलशन ब्रिक्स फील्ड	टू 02/03
369	30.04.2015	170814.00	गुलशन ब्रिक्स फील्ड	टू 02/03
366	30.04.2015	146412.00	गुलशन ब्रिक्स फील्ड	टू 02/03
370	30.04.2015	146412.00	गुलशन ब्रिक्स फील्ड	टू 02/03
371	30.04.2015	122010.00	गुलशन ब्रिक्स फील्ड	टू 02/03
365	30.04.2015	97608.00	गुलशन ब्रिक्स फील्ड	टू 02/03
426	23.07.2015	94924.00	गुलशन ब्रिक्स फील्ड	टू 02/03
427	23.07.2015	14641.00	गुलशन ब्रिक्स फील्ड	टू 02/03
355	12.04.2015	234060.00	गुलशन ब्रिक्स फील्ड	टू 0200730200000261
356	15.04.2015	316589.00	गुलशन ब्रिक्स फील्ड	टू 02/03
432	23.07.2015	118350.00	गुलशन ब्रिक्स फील्ड	टू 02/03
383	13.05.2016	97020.00	गुलशन ब्रिक्स फील्ड	टू 02/03
380	13.05.2016	194436.00	गुलशन ब्रिक्स फील्ड	टू 02/03
431	23.07.2015	97852.00	गुलशन ब्रिक्स फील्ड	टू 02/03
367	30.04.2015	122010.00	गुलशन ब्रिक्स फील्ड	टू 02/03
368	30.04.2015	146412.00	गुलशन ब्रिक्स फील्ड	टू 02/03
434	24.07.2015	134260.00	गुलशन ब्रिक्स फील्ड	टू 02/03
442	03.08.2015	17700.00	पाकीजा ट्रेडर्स	एलओबीसी न० 242
444	03.08.2015	64324.00	पाकीजा ट्रेडर्स	एलओबीसी न० 241
	योग-	2823874.00		

सामग्री क्रय प्रमाणक जो पत्रावली में संलग्न पायी गयी वह समस्त प्रमाणक केश में / कच्चे बिल पर है। प्रमाणकों पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। फर्म द्वारा आपूर्ति का कोई चालान निर्गत नहीं है। सामग्री आमद /उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर तैयार कर नहीं रखा गया है, जिसके लिए बी०डी०ओ०/ लेखाकार/कार्य प्रभारी/ जे०ई०/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। **(सा०आ०सं०- 4क, अमरिया)**

प्रस्तर संख्या-151 आपूर्तिकर्ता/फर्म को भुगतान नहीं कर कार्य प्रभारी को भुगतान करना - सामग्री मद में निम्न विवरणानुसार अंकन ₹0 51990.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता को नहीं कर कार्य प्रभारी को किया गया है—

क्रम सं०	कार्य का नाम	सामग्री	आपूर्तिकर्ता/फर्म का नाम	भुगतान जिसे किया गया है	चैक सं०	धनराशि

1	ब्लाक प्रमुख कक्ष का जीर्णोद्धार	अखीराज जनरल, स्टोर, मै0 अजहर ट्रेडर्स, निरंजन लाल, गुप्त एण्ड सन्स, गुलशन ब्रिक्स फील्ड	श्री राम भरोसे स0वि0अ0(स0क0) श्री राम भरोसे स0वि0अ0(स0क0)	416	20090-00
2	ग्राम अमरिया में मुन्ना टी0वी0 वाले के पास खड्डण्जा निर्माण	श्री रियाज अहमद	श्री राम भरोसे	419	9400-00
3	विकास खण्ड कार्यालय में सहा0 विकास अधि0 कक्ष में फर्स (पी0वी0सी0) का कार्य	रईस जनरल सोट्र	स0वि0अ0(स0क0)	387 392	3000-00 19500-00
					51990-00

इस प्रकार ₹0 51990.00 के सामग्री क्रय का भुगतान आपूर्तिकर्ता को नहीं कर कार्यप्रभारी को कर अपहरण किया गया, जिसके लिए बी0डी0ओ0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/ जे0ई0/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। (सा0आ0सं0- 4 ख, अमरिया)

प्रस्तर संख्या- 152 मात्र बिल प्राप्त कर आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण करना - सामग्री पर कुल भुगतान दर्शित ₹0 5833163.00 में से ₹0 2957299.00 का भुगतान सम्बन्धित फर्म को किये जाने की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है। सामग्री क्रय प्रमाणक, पत्रावली में संलग्न पाई गई वह समस्त प्रमाणक कैंश मेमों/ कच्चे बिल पर है। कतिपय प्रमाणकों पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। कार्य प्रभारी द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु फर्म को कोई भी मांग पत्र प्रेषित नहीं है। फर्म द्वारा आपूर्ति कोई चालान निर्गत नहीं किया गया है। सामग्री आमद/ उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं तैयार किया गया है। इस प्रकार सामग्री आपूर्ति ही संदिग्ध है।

स्पष्ट है कि फर्म से मिली भगत कर मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिए बी0डी0ओ0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/ जे0ई0/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। (सा0आ0सं0- 4 ग, अमरिया)

प्रस्तर संख्या- 153 कमांश के मद में मजदूरों को कात्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान - वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन ₹0 429530.00 मजदूरी/ कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री छत्रपाल सिंह, एडीओ ,एजीड को ₹0 198660.00, श्री रूप लाल, एडीओ पी को ₹0 188620.00, श्री मुनेन्द्र पाल सिंह, एडीओ ,आईएसवीड को ₹0 42250.00 कुल ₹0 429530.00 कर दिया गया है।

मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है। वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली विकास खण्ड पर लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि किस कम सं0 के मस्टर रोल किस कार्य हेतु किस दिनांक को निर्गत किये गये हैं। मनमाने ढंग से मस्टर रोल तैयार कर भुगतान किया गया है। (वर्ष में उपलब्ध कराई गई कुल 10 कार्यों की पत्रावलियों के अनुसार)। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व कात्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 429530.00 का वर्ष 2015-16 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी/ जे0ई0/ लेखाकार/ कार्य प्रभारी/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। (सामान्य आपत्ति संख्या- 03, बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या-154 आपूर्तिकर्ता / फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को / अन्य के खाते में करना / अस्पष्ट विवरण के अभाव में सामग्री मद में कुल ₹0 1900706.00 के भुगतान में से ₹0 67265.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म / व्यक्ति को निर्गत दर्शित है। किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/ खाते में है।

चैक नं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
561496	16.06.2015	2300.00	राकेश	छत्रपाल
561497	06.07.2015	10951.00	राकेश	छत्रपाल
561498	06.07.2015	2587.00	नरेश	रूपलाल
000353	24.07.2015	2300.00	नरेश	रूपलाल
000360	10.08.2015	12424.00	इजरायल	रूपलाल
000444	18.03.2015	10741.00	जंग बहादुर	रूपलाल
000342	25.05.2016	2300.00	राकेश	छत्रपाल
000358	19.08.2015	23662.00	अजय पाल	रूपलाल
योग-		67265.00		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 67265.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है परन्तु इन चैकों का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है एवं भुगतान होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा, जो बैंक स्टेटमेंट / खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में अंकन ₹0 67265.00 की गम्भीर अनियमितता की गई है। (सामान्य आपत्ति संख्या- 04 क, बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या- 155 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना - कुल दर्शित भुगतान ₹0 1900706.00 में से ₹0 1833441.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक/ स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे ₹0 1833441.00 का भुगतान सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि हो सकी है, जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/ कच्चे बिल/ कैंशमेमों पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से खपाई गई।

उदाहरणार्थ- 1- तालिका-01 में क्रमांक- 03 एवं 04 पर अंकित कार्य की पत्रावली में कुटेशन आमन्त्रण पत्र एवं कुटेशन संलग्न नहीं है, फिर भी क्रमशः कार्यालय पत्रांक- 21/आंकिक/2014-15/31.07.2015 एवं 29/आंकिक/2014-15 द्वारा ओम ब्रिक्स फील्ड, टेहरी, बीसलपुर रोड, पीलीभीत के नाम निर्गत दर्शाया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से फर्म से सांट गांठ कर पत्रावली तैयार कर धन को खपाया गया है।

2- तालिका 01 में क्रम सं0- 05 पर अंकित कार्य की पत्रावली में ईट कय हेतु कुटेशन/निविदा संलग्न नहीं है। परन्तु कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी पत्रांक- 05/23.04.2015 के द्वारा 33207 प्रथम श्रेणी ईट एवं 24249 खंजर ईट की आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश ओम ब्रिक्स फील्ड को निर्गत किया गया। एम आर एवं कार्यपूति प्रमाण-पत्र अनुसार कार्य प्रारम्भ दिनांक 11.07.2015 एवं समाप्त 08.08.2015 में हुआ। उसी दिन जे0ई0 द्वारा माप कर मापांकन अंकित किया गया है तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण सम्पन्न कर कार्यपूति प्रमाण भी निर्गत कर दिया गया। जब कार्या 11.07.2015 से प्रारम्भ हुआ है तो फिर माह अप्रैल में रेत एवं सामग्री क्रय की क्या आवश्यकता थी। कार्या जुलाई एवं अगस्त माह में होना दर्शाया है, यह वर्षा का समय है, ऐसी स्थिति में तालाब का कार्य सम्भव नहीं है।

तालाब हेतु रिटेनिंग बाल एवं पुलिया निर्माण में खुदाई से प्राप्त मिट्टी का क्या किया गया। स्पष्ट नहीं रहा। उक्त कार्य में एक ही चैक से श्रमांश का भुगतान किया गया है उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से पत्रावली तैयार कर कार्य होना दर्शाकर धन को खपाया गया है।

3- तालिका नं०- 01 में क्रमांक- 06 पर दर्ज कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यालय 07/28.05.2015 के द्वारा ₹0 20000.00 हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दी गई है। कार्यालय पत्रांक में 06.06.2015 के द्वारा श्री मुनेन्द्र पाल सिंह । (पैठ) को ₹0 1900.00 की धनराशि के साथ कार्य प्रभारी नियुक्ति दर्शाया है जबकि स्टीमेन्ट ₹0 17200.00 का ही है। संलग्न मस्टर रोल पर कार्य का नाम, कार्य का माह, तिथि आदि का उल्लेख नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से कार्य दर्शाकर धन को खपाया गया है।

4- इसी प्रकार तालिका नं० 01 में क्रमांक- 08 पर दर्ज कार्य की पत्रावली में कुटेशन प्रपत्र संलग्न नहीं है। फिर भी खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पत्रांक 02/10.04.2015 के द्वारा मै० ओम ब्रिक फील्ड, टेहरी, बीसलपुर, पीलीभीत से 37170 खंजर ईट क्रय हेतु आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया है बिल संख्या- 192/16.04.2015 ओम ब्रिक फील्ड से 37170 खंजर ईट ₹0 4990.00 प्रति हजार की दर से ₹0 185478.00 की कय की गई हैं। परन्तु जे०ई० (आर.ई.एस.) द्वारा डट 01/13-14 के पृष्ठ संख्या- 181 पर 01 प्रतिशत (371) ईट कम करते हुये कुल 36799 की आपूर्ति दर्ज की है, जिससे 59 ईट प्रति वर्ग मी० की दर से कुल खड़ण्जा लगवाई पर ₹0 23077.00 का ही व्यय होगा। जबकि जे०ई० (आर.ई.एस.) श्री ललित कुमार ने कुल 630 वर्ग मी० $\times$ 37 = ₹0 23310.00 के भुगतान की पुष्टि का है। अतः ₹0 233.00 के अधिक भुगतान की पुष्टि जे०ई० द्वारा की गई है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जे०ई० द्वारा बिना कार्य स्थल पर गये ही डट का धन के अपहरण में सहयोग किया गया है।

5- तालिका 01 में क्रमांक 07 पर अंकित कार्य की पत्रावली की जाँच से स्पष्ट हुआ कि कार्य हेतु सामग्री कय की गई है। परन्तु श्रमांश का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से सामग्री कय कर धन को खपाया गया है।

निष्कर्ष:- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष- 2015-16 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी / कमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को दिया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान जारी नहीं किया गया। इस प्रकार की आमद ही अपुष्टि रही। पत्रावलियों में कभी भी किसी ने भी हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है पत्रावलियाँ आहरण / भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं। **(सामान्य आपत्ति संख्या- 04 ख, बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या- 156 इसी प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में उपलब्ध कराये गये राज्य/तेहरवाँ वित्त आयोग के बैंक ऑफ बड़ौदा बीसलपुर के खाता संख्या 01/19935 के अनुसार कुल आहरण ₹0 3349477.00 का किया गया है, जिसकी पुष्टि में केवल 10 (दस) निर्माण पत्रावलियाँ उपलब्ध कराई गईं, जिनसे ₹0 2330236.00 के व्यय की ही पुष्टि हो सकी। इस प्रकार अन्तर ₹0 1019241.00 अधिक आहरण से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई। जबकि ऐसा किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार ₹0 1019241.00 का स्पष्ट अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली सम्बन्धित लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख एवं अवर अभियन्ता से की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या- 18 ख बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या- 157 कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान- वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अकन ₹0 198970.00 मजदूरी / कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश एडीओ एसटी को ₹0 198970.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है। साथ ही स्पष्ट करना है कि मस्टर रोल भुगतान के सम्बन्ध में चैक कार्य प्रभारी के नाम जारी किया गया बैंक में भुगतान अन्य व्यक्ति को अनियमित तरीके से किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है रु

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अकन कुल ₹0 198970.00 का वर्ष 2015-16 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/ लेखाकार/ कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है।

(सा०आ०सं०- 3, ललौरीखेड़ा)

प्रस्तर संख्या-158 आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को /अन्य खाते में करना/अस्पष्ट

विवरण के अभाव में भुगतान अपुष्टि- सामग्री मद में कुल ₹0 709365.00 भुगतान में से ₹0 203829.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक फर्म को निर्गत न कर कार्य प्रभारी को सामग्री कय हेतु अनियमित तरीके से भुगतान किया गया है।

चैक नं०	दिनांक	धनराशि	सामग्री आपूर्तिकर्ता	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
6123	09.11.2015	10210-00	न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर	कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
5739	13.05.2015	15000.00	न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर	कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
6109	16.06.2015	36650.00	रुबी ब्रिक फील्ड	कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
5733	13.05.2015	8435.00	न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर	कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
6102	20.05.2015	21450.00 1200.00 250.00	रुबी ब्रिक फील्ड न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर तरंग फोटो स्टूडियो	कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
5735	13.05.2015	18000.00	न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर	कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
5737	13.05.2015	7500.00 6405.00	न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर	कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
6106	23.05.2015	3900.00 1910.00 6361.00 250.00	न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर रुबी ब्रिक फील्ड तरंग फोटो स्टूडियो	कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
5731	13.05.2015	250.00 11664.00 14100.00	तरंग फोटो स्टूडियो न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर	कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
6108	16.06.2015	5775.00 5006.00	रुबी ब्रिक फील्ड न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर	कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
6107	23.05.2015	4986.00 4986.00 7125-00 1436-00	तराई स्पन पाइप तराई स्पन पाइप रुबी ब्रिक फील्ड न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर	कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)

		2400-00		
6119	06.11.2015	4300-00	सिंह आर्ट सेन्टर	कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
6126	21.12.2015	4300-00	सिंह आर्ट सेन्टर	कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश एडीओ (एसटी)
	योग	203849-00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 203829.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेंट/ खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में ₹0 203829.00 की गम्भीर अनियमितता की गई है। (सा0आ0सं0- 4 क, ललौरीखेड़ा)

प्रस्तर संख्या-159 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना ₹0- कुल दर्शित भुगतान ₹0 709365.00 में से ₹0 505536.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक/स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे ₹0 505536.00 का भुगतान बैंक खाते के अनुसार ट्रान्सफर किया गया है। परन्तु बैंक स्टेटमेंट में आपूर्तिकर्ता फर्म/प्राप्तकर्ता का नाम अंकित नहीं किया गया है। जो कि लेखा नियमों के विपरीत है। जबकि बैंक स्टेटमेंट में नियम: आपूर्तिकर्ता फर्म/प्राप्तकर्ता का नाम अंकित रहना चाहिए था। जो सामग्री क्रय प्रमाण पत्रावली में संलग्न पायी गयी। वह समस्त प्रमाणक फर्म के लेंटर पैड/कच्चे बिल/ कैंशमैमो पर है, किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई माँग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग एवं शेष का ना नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही, इससे स्पष्ट है कि फर्म

की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण की गई। साथ ही सैजना एवं हरचुइया में पुलिया निर्माण पर ₹0 20925.00 का सामग्री तो क्रय की गयी है परन्तु निर्माण पत्रावली में एम आर संलग्न नहीं पाया गया, जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं होता है। एवं निर्माण पत्रावलियों के जाँच में पाया गया जो कराये गये कार्य ग्राम के अन्दर थे उसे अपरलेखन कर गांव के बाहर दर्शित किया गया है। गांव के अन्दर कार्य कराया जाना क्षेत्र पंचायत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के स्पष्ट उल्लंघन है। समस्त पत्रावली/ फाइल में श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है, जो पूर्णतः अनियमित है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015.16 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/ कमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी माँग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। साथ ही कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त के फोटोग्राफ पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाये गए और न ही कार्य की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी की गयी की स्थिति पंजिका के अभाव में अस्पष्ट रही, जिससे स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ आहरण/ भुगतान के पश्चात मनमाने ढंग से तैयार की गयी है। उदाहरण स्वरूप -

क्रम सं०	आपूर्तिकर्ता का नाम	चैक नं०	दिनांक	धनराशि
1	न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर	6123	09.11.2015	10210.00
2	न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर	5739	13.05.2015	11785.00
3	न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर	5733	13.05.2015	8435.00
4	न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर	5735	13.05.2015	12795.00
5	न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर	5731	13.05.2015	11644.00
6	न्यू मौर्य सीमेन्ट स्टोर	6107	23.05.2015	1436.00

प्रस्तर संख्या- 160 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त योजना मद खाता संख्या- 21716877267 एवं तेहरवां वित्त योजना मद के अन्तर्गत बैंक खाता सं०- 21716915760 में क्रमशः ₹0 3383.00 एवं ₹0 324185.00 कुल ₹0 327568.00 इलाहाबाद बैंक, ब्रान्च ललौरीखेड़ा, जनपद- पीलीभीत से निम्न विवरणानुसार आहरित धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा। विवरण निम्न प्रकार है-खाता संख्या- 21716877267 इलाहाबाद बैंक. ब्रान्च ललौरीखेड़ा. जनपद- पीलीभीत।

दिनांक	चैक नं०	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि
01.09.2015	4969	टीआरएफ	3383.00
		योग-	3383.00

खाता संख्या- 21716915760 इलाहाबाद बैंक. ब्रान्च ललौरीखेड़ा. जनपद- पीलीभीत।

दिनांक	चैक नं०	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि
08.05.2015	5729	टीआरएफ	14000.00
09.05.2015	5725	टीआरएफ	12324.00
09.05.2015	5723	टीआरएफ	152322.00
16.05.2015	5724	टीआरएफ	7404.00
18.05.2015	5740	करन सिंह नावियाल	17350.00
01.08.2015	6110	टीआरएफ	21000.00
07.09.2015	6112	टीआरएफ	5181.00
07.09.2015	6111	टीआरएफ	10362.00
24.09.2015	6114	ओमप्रकाश	6700.00
15.01.2016	6127	जागरण	3544.00
04.02.2016	6128	टीआरएफ	21000.00
19.03.2016	6130	टीआरएफ	4269.00
19.03.2016	6129	टीआरएफ	8538.00
31.03.2016	6131	टीआरएफ	40191.00
योग			324185.00

महायोग-

327568.00

उक्त आहरित धनराशि ₹0 327568.00 के व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न रहा, जिस कारण उक्त ₹0 327568.00 का आहरण पूर्णतः अपुष्टित रहा। अपुष्टि भुगतानित धनराशि की वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-161 कमांश का मजदूरों को भुगतान काल्पनिक मस्टर रोल के आधार पर किया जाना -वर्ष 2016-17 में विविध निर्माण कार्यों पर कुल अंकन रु0 408598.00 कमांश/ मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री आभास कुमार एडीओएसटी को रु0 7676.00 तथा श्री प्रेम प्रताप एडीओ पीपी को रु0 400922.00 मजदूरों के हस्ताक्षर मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर में पाये गये। कार्य पर लगे मजदूरों के पता तथा महिला पुरुष, अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भी मस्टर रोल पर मस्टर रोल के क्रमांक (प्रिंटेंड) नहीं पाया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है, कि कार्य प्रभारी द्वारा फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न किया गया है तथा कमांश/ मजदूरी अंश का कुल अंकन रु0 408598.00 वर्ष 2016-17 में योजनावद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये कार्य प्रभारी, लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी समान रूप से उत्तरदायी है। अतः सम्यक पुष्टि उपरान्त तदनुसार संबंधितों से वसूली की जानी समीचीन है **(सामान्य आपत्ति संख्या-3, मरौरी)**

प्रस्तर संख्या-162 टी0डी0एस0 की पुष्टि न हो पाने तथा टी0डी0एस0 कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि -परीक्षा वर्ष 2016-17 में व्यय प्रमाणकों के सापेक्ष कुल अंकन रु0 1038840.00 का भुगतान विभिन्न फर्मों/व्यक्तियों को दर्शित है। उक्त भुगतान के सापेक्ष कुल अंकन रु0 17298.00 का टी0डी0एस0 काटा जाना दर्शित है जबकि 2.26 प्रतिशत की दर से कुल रु0 1038840.00 पर अंकन रु0 23477.78 टी0डी0सी0 वर्ष दौरान होना चाहिए था। इस प्रकार कुल अंकन रु0 6179.78 से टी0डी0एस0 काटकर राजकीय राजस्व की हानि की गयी इस प्रकार कम काटे गये टी0डी0एस0 के बराबर वसूलनीय दण्ड शुल्क के साथ आहरणदृ वितरण अधि0/खण्डविकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना चाहिये। साथ ही साथ काटे गये टी0डी0एस0 की जमा पुष्टि में दृश्य चैक नम्बर/बैंक स्टेटमेंट / चालान/ दाखिल रिटर्न इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिससे उक्त रु0 17298.00 काटे गये सीडी0एस0 के जमा कराये जाने की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त रु0 23477.78 टी0डी0एस0 की वसूली दण्ड शुल्क के साथ नियमानुसार संबंधित कर्मचारी/अधिकारी से की जानी चाहिए। **(सामान्य आपत्ति संख्या-5, मरौरी)**

प्रस्तर संख्या-163 आलोच्य वर्ष 2016-17 में कुल सामग्री क्रय अंकन रु0 1038840.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 41553.60 के सापेक्ष अंकन रु0 का व्यापार कर (वैट) की कटौती की जानी चाहिये थी जबकि वर्ष दौरान रु0 34595.00 की कटौती की जानी दर्शित है इस प्रकार रु0 6958.00 की कटौती कम की गयी। ले0प0 में व्यापार कर जमा किये जाने की पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये साथ ही राजकीय राजस्व की हानि व्यापार कर के रूप में हुई। अतः रु0 41553.60 के व्यापार कर की हानि की वसूली दण्ड शुल्क के साथ आहरण विवरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से करके राजकीय कोशागार में जमा करके, चालान से पुष्टि करायी जानी चाहिए। **(सामान्य आपत्ति संख्या-6, मरौरी)**

प्रस्तर संख्या-163 ख - वित्तीय वर्ष- (2016-17) में विभिन्न निर्माण पत्रावलियों अनुसार कुल रु0 1038840.00 सामग्री अंश पर व्यय किया जाना दर्शित है। जबकि उक्त के सापेक्ष कुल कमांश/ मजदूरी पर दर्शित व्यय रु0 408598.00 का अपहरण कार्य प्रभारी द्वारा किया गया है। इस प्रकार सामग्री अंश पर व्यय रु0 1038840.00 में से रु0 34595.00 टी0डी0एस0 के रूप में दर्शित कटौती रु0 17298.00 टी0डी0एस0 कटौती के रूप में दर्शित राशि घटाने के उपरान्त शेष रु0 986947.00 सामग्री अंश पर किए गए व्यय के सापेक्ष मजदूरी/ कमांश की धनराशि का अपहरण आपत्ति सं0- 03 के अनुसार कार्य प्रभारी द्वारा किए जाने तथा सामग्री आपूर्ति चालान एवं सामग्री आमद/ उपभोग व शेष एवं सत्यापित कार्यपूति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के अभाव में उक्त धनराशि रु0 986947.00 का अपहरण मानते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों से वसूली की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-4 ख, मरौरी)**

प्रस्तर संख्या-164 विकास खण्ड मरौरी के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत मरौरी के वर्ष 2016-17 के निमित्त खुले विभिन्न बैंक खातों पंजाब एण्ड सिंध बैंक खाता संख्या 9516 ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स खाता संख्या 27420, इण्डियन बैंक खाता संख्या 9205 बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 1655 का समेकित प्रारम्भिक अवशेष रु0 6191236.32, वर्ष में प्राप्त रु0 9983056.00 वर्ष में व्यय रु0 6490882.32 एवं वर्षान्त में अवशेष रु0 9683410 था। जबकि ग्रांट रजिस्टर के अनुसार दर्शित प्रारम्भिक अवशेषरु0 6246308.32, वर्ष में प्राप्त रु0 7399319.00, वर्ष में व्यय रु0 3803516.00 एवं वर्षान्त में अवशेष रु0 9842111.32 रहा अन्तरों के बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये।

जबकि उपरोक्त अवधि की लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत की गयी गई निर्माण पत्रावलियों में दर्शित व्यय लेखा परीक्षा आगणन के अनुसार रु0 1447438.00 होता है एवं वर्ष दौरान बैंक स्टेटमेंट पासबुक के अनुसार 6490882.32 आहरित किये जाने की पुष्टि हो रही है। इस प्रकार अन्तर रु0 5043444.32 का व्यय अपुष्टि रहा। वित लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के पैरा 08(क) के अनुसार व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय की गयी समस्त धनराशि को गबन (अपहरण) मानते हुये वसूली का प्रावधान है। अतः लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में अन्तर धनराशि रु0 5043444.32 की सम्यक पुष्टि उपरान्त सम्बन्धित लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत से वसूली की जानी संस्था हित में होगी। **(सामान्य आपत्ति संख्या-13, मरौरी)**

प्रस्तर संख्या-165 कमांश का मजदूरों को भुगतान कूटरचित मस्टर रोल के आधार पर किया जाना - वर्ष-2016-17 में विविध निर्माण कार्यों पर भुगतान श्रमांश/मजदूरी के रूप में कार्य प्रभारी को किया गया है, जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से भी हो रही है, जबकि, नियमानुसार मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिये था। मस्टर रोल पर निर्माता के ही हस्ताक्षर में पाये गये /कार्य पर लगे मजदूरों के पता, महिला/पुरुष, अनु० जाति/अनु०जन जाति इत्यादि का भी उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भी मस्टर रोल पर मस्टर रोल कमांक छपा हुआ (क्लपदजमक) नहीं पाया गया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी द्वारा कूट रचना द्वारा मस्टर रोल तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न किया गया है। तथा कमांश / मजदूरी अंश का कुल अंकन रु0 619820.00 की वसूली लेखाकार, कार्य प्रभारियों सर्व श्री 1. मुनेन्द्र पाल सिंह 2. महेश पाल 3. वीरपाल सिंह एडीओ)एसटी (तथा खण्ड विकास अधिकारी से की जानी चाहिए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में वित्तीय वर्ष 2015-16 में आरम्भ किये निर्माण कार्यों का भुगतान किया गया है, जो कार्य को बिलम्ब से पूर्ण किये जाने को स्पष्ट करता है। यह गम्भीर आपत्ति का विषय है। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। **(सामान्य आपत्ति सं0- 03 बरखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या-166 आपूर्तिकर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को / अन्य के खाते में करना - वर्ष-2016-17 में तालिका-2 के सामग्री अंश में भुगतान निम्न विवरणानुसार किया जाना दर्शित है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि चेक निर्गमन व्यक्ति /फर्म को दर्शित है। परन्तु चेक खाते के जॉच में पाया गया कि वास्तविक भुगतान कार्य प्रभारी को प्राप्त हुआ है।

क्रम सं0	दिनांक	चैक सं0	चैक जिसके नाम इश्यु दर्शित है	बैंक स्टेटमेंट अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	27.09.2016	000444	खाजा आयरन स्टोर	महेश पाल	3348.00
2	27.09.2016	000444	राहुल ब्रिक्स	महेश पाल	8034.00
3	27.09.2016	000444	गंगवार ट्रेडर्स	महेश पाल	1422.00
4	27.09.2016	000444	गंगवार ट्रेडर्स	महेश पाल	16350.00
5	23.06.2016	119378	-	मुनेन्द्र पाल सिंह	15400.00
6	23.06.2016	119378	शर्मा बिल्डिंग मैटे0	मुनेन्द्र पाल सिंह	4000.00
7	26.11.2016	000448	-	महेश पाल	6500.00
8	04.07.2016	000412	शर्मा बिल्डिंग मैटे0	महेश पाल	18940.00
9	04.07.2016	000412	खाजा आयरन	महेश पाल	19280.00
10	04.07.2016	000412	खाजा आयरन	महेश पाल	18480.00
11	22.07.2016	000419	खाजा आयरन	महेश पाल	73922.00
12	02.11.2016	000447	शर्मा बिल्डिंग मैटे0	महेश पाल	7400.00
13	02.11.2016	000447	खाजा आयरन	महेश पाल	35666.00

				योग—	228742.00

अतः रु 228742.00 की वसूली कार्य प्रभारियों, लेखाकार, बी0डी0ओ0 से की जानी चाहिए।

(सामान्य आपति सं0- 4 क बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या-167 वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभिन्न निर्माण पत्रावलियों के अनुसार कुल रु0 4575165.00 सामग्री अंश पर व्यय किया जाना दर्शित है। जबकि उक्त के सापेक्ष कुल कमांश/मजदूरी पर दर्शित व्यय रु0 619820.00 का अपहरण कार्य प्रभारी द्वारा (आपति सं0- 03) के विवरण अनुसार किया गया है। इस प्रकार सामग्री अंश पर व्यय रु0 4575126.00 में से रु0 228742.00 का भुगतान / आहरण काय प्रभारी द्वारा विभिन्न तिथियों में व्यय रु0 103398.73 टी0डी0एस0 कटौती के रूप में दर्शित राशि घटाने के उपरान्त शेष रु0 4243024.27 सामग्री अंश पर किये गये व्यय के सापेक्ष मजदूरी श्रमांश की धनराशि का अपहरण आपति सं0- 03 के अनुसार कार्य प्रभारी द्वारा किए जाने तथा सामग्री आपूर्ति चालान तदैववं सामग्री आमद/उपभोग व शेष, सत्यापित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के अभाव में उक्त धनराशि रु0 4243024.27 का अपहरण मानते हुए सम्बन्धित कर्मचारियों / अधिकारियों से वसूली की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं0- 04 ख बरखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या-168 टी0डी0एस0 की पुष्टि न हो पाने तथा टी0डी0एस0 कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि- लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में सामग्री अंश के व्यय प्रमाणको के सापेक्ष कुल अंकन रु0 4575165.00 का भुगतान विभिन्न फर्मों / व्यक्तियों को किया जाना दर्शित है। उक्त भुगतान के सापेक्ष कुल अंकन रु0 86004.00 का टी0डी0एस0 काटा जाना दर्शित है जबकि 2.26 प्रतिशत की दर से कुल रु0 4575165.00 पर अंकन रु0 103398.73 टी0डी0एस0 काटा जाना चाहिए था। इस प्रकार अंकन रु0 17394.73 से टी0डी0एस0 कम काटकर राजकीय राजस्व की हानि की गयी है। वर्ष दौरान काटे गये टी0डी0एस0 के आयकर विभाग में जमा किया/कराये जाने की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे स्पष्ट है कि वित्तीय नियमों की घोर उपेक्षा करते हुये समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतः अंकन रु0 103398.73 का टी0डी0एस0 की वसूली दण्ड शुल्क सहित सम्बन्धित कर्मियों/अधिकारियों से करके जमा कराया जाना चाहिये। **(सामान्य आपति सं0- 05 बरखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या-169 आलोच्य वर्ष 2016-17 में कुल सामग्री क्रय अंकन रु0 4575165.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 183006.00 का व्यापार कर (ट) की कटौती की जानी चाहिए थी, जबकि वर्ष दौरान रु0 149724.00 व्यापार कर की कटौती की गयी दर्शित है। इस प्रकार वर्ष दौरान अन्तर रु0 33282.60 से व्यापार कर की कटौती कम किये जाने से एक ओर जहां राजकीय राजस्व की क्षति हुयी है वहीं। दूसरी ओर काटे गये व्यापार कर जमा किये जाने की पुष्टि में कोई चालान अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार न काटे जाने अथवा कम व्यापार कर काटे जाने से नियमानुसार विधिक रूप से सामग्री क्रय किय जान को ही लेखा परीक्षा की दृष्टि से सन्देहास्पद बना देता है। परिणाम स्वरूप समस्त व्यापार कर रु0 183006.60 की धनराशि का वसूली सदन शुल्क लेखाकार कार्य प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी / सम्बन्धित उत्तरदायी प्राधिकारी से किया जाना चाहिये। **(सामान्य आपति सं0- 06, बरखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या-170 वर्ष 2016-17 में 442.42 घन मी० मिट्टी कय/आपूर्ति हेतु कुल रु0 21900.00 का भुगतान अधोलिखित विवरण के अनुसार किया गया है, जिस पर नियमानुसार रु0 30.00 प्रति घन मीटर की दर से कुल रु0 13272.60 रायल्टी वसूल की जानी चाहिए थी। रायल्टी वसूल न करके राजकीय राजस्व की क्षति हुयी है, जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी चाहिए।

वर्ष-2016-17 में निर्माण कार्यों पर प्रयुक्त दर्शित मिट्टी की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार है

क्रम सं०	दिनांक	चैक सं०	मिट्टी की मात्रा (घन मी०)	दर्शित धनराशि	रु. 14.00 प्रति घन मीटर की दर से
1	04.06.2016	119377	311.11	15400.00	9333.33
2	26.11.2016	000448	131.31	6500.00	3939.30
3		योग—	442.42	21900.00	13272.63

(सामान्य आपति सं0-07, बरखेड़ा)

प्रस्तर संख्या-171 क्षेत्र पंचायत बरखेड़ा के वर्ष 2016-7 की लेखा परीक्षा में अनुदान पंजिका में दर्शित प्रारम्भिक अवशेष रु0 4693424 है एवं वर्ष में प्राप्त रु0 6593662.00 दर्शित है जबकि इसी अवधि में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्रारम्भिक अवशेष रु0 4785272.00 तथा वर्ष में प्राप्त रु0 6190111.00 की पुष्टि हो रही है। इस प्रकार बैंक उक्त दोनों मदों में विद्यमान अन्तरों का कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए। उक्त क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रस्तुत की गई निर्माण पत्रावलियों में दर्शित कुल व्यय रु0 5194985.00 ही होता है। जबकि इसी अवधि में प्रस्तुत किए गये बैंक खातों से वर्ष दौरान रु0 6004332.00 के आहरण / व्यय की पुष्टि हो रही है। इस प्रकार अन्तर रु0 809347.00 बैंक खातों से आहरित धनराशि की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। ऐसी स्थिति में वित लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के पैरा- 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणकाके के अभाव में व्यय की गई समस्त धनराशि को गबन (अपहरण) मानते हुए पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या- 256 (1) के अन्तर्गत सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति / व्यक्तियों / पदाधिकारियों से वसूली की जानी चाहिए। **(सामान्य आपति सं0- 08, बरखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या-172 कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान - वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 314790.00 मजदूरी / कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को निम्न प्रकार किया गया रु -
 श्री राम किशोर, ग्राम विकास अधिकारी रु0 220760.00
 श्री बाबूराम, ग्राम पंचायत अधिकारी रु0 17860.00
 श्री ज्ञानचन्द्र आर्य, ए0डी0ओ0 समाज कल्याण रु0 18030.00
 श्री गणेश राम, ए0डी0ओ0 समाज कल्याण रु0 58140.00
 को भुगतान किया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है। वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही स्पष्ट करना है कि मस्टर रोल भुगतान के संबंध में चैक कार्य प्रभारी के नाम जारी किया गया, परन्तु बैंक के अनुसार भुगतान अन्य व्यक्ति को अनियमित तरीके से किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है—

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 314790.00 का वर्ष 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0 / जे0ई0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। **(सामान्य आपति सं0- 03 बिलसण्डा)**

प्रस्तर संख्या-173क) आपतिकर्ता / फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भगतान अन्य को / अन्य के खाते में करना/अस्पष्ट विवरण के अभाव में- सामग्री मद में कुल रु0 877300.00 भुगतान में से रु0 21946.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली सामग्री क्रय प्रमाणको के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म / व्यक्ति को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है—

चैक नं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
000462	18.09.2017	9746.00	न्यू गुप्ता इलेक्ट्रीकल्स	कार्य प्रभारी, श्री राम किशोर
000664	03.10.2017	5750.00 6450.00	जय बजरंग वली ट्रेडर्स न्यू गुप्ता इलेक्ट्रीकल्स	कार्य प्रभारी, श्री राम किशोर
	योग—	21946.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 21946.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है भुगतान सम्बन्धित का नहीं हुआ एव होने की पुष्टि में विवरण अग्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेंट/ खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 21946.00 की गम्भीर अनियमितता/अपहरण किया गया है। **(सामान्य आपति सं0- 04 क बिलसण्डा)**

प्रस्तर संख्या-173 ख-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना:- कुल दर्शित भुगतान रु0 877300.00 में से रु0 855354.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक/स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये, रु0 855354.00

का भुगतान सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को नहीं हुआ है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मॉग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया, इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही, इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से खपायी गई है।

उदाहरणार्थ— 01) तालिकादृ 01 के करुम सं०— 01 एवं 02 पर दर्ज कार्य की निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि दोनों ही कार्य हेतु दिनांक— 20.06.2016 को टेण्डर आमंत्रित किये गये हैं। एवं दिनांक— 08.07.2016 में टेण्डर खोले गये तथा निविदा स्वीकार कर कार्य आदेश निर्गत किये जाने सम्बन्धी प्रपत्र संलग्न है। फर्म द्वारा क्रमशः दिनांक 31.12.2016 एवं — 04.11.2016 में बिल (सामग्री खरीद) संलग्नकर क्रमशः रु० 33176.00 एवं रु० 106017.00 का भुगतान चैक सं०— 000544 दिनांक— 13.12.2016 एवं 000538 दिनांक— 17.11.2016 द्वारा लिया गया दर्शित है, जिसकी पुष्टि बैंक से भी हो रही है। परन्तु पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के अनुसार कार्य दिनांक— 04.03.2017 से दिनांक— 10.03.2017 एवं दिनांक— 10.03.2017 से 24.03.2017 तक दर्शाया गया है, जिसका भुगतान रु० 36230.00 एवं रु० 50550.00 का चैक सं०— 000625/27.07.2017 एवं 000627 / 27.07.2017 के द्वारा किया जाना दर्शित है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से अभिलेख तैयार कर धन को खपाया गया है।

उदाहरणार्थ— 02) तालिका— 01 के क्रम सं०— 03 पर अंकित कार्य की पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि कार्य हेतु टेण्डर दिनांक— 20.06.2018 को आमंत्रित किये गये हैं। दिनांक— 15.07.2016 में टेण्डर खोला गया। इस कार्य हेतु श्री राम किशोर, ग्राम विकास अधिकारी की पत्रांक/अंकित/कार्य प्रभारी/2016—17 दिनांक 22.09.2016 के द्वारा कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस कार्य पर सामग्री कय भी क्रमशः बिल नं०— /05.08.2016 रु० 108345.00 से क्रय की गई है, जिसका भुगतान चैक सं०— 000540 दिनांक— 17.11.2016 से किया गया है, जिस पर रु० 43230.00 का भुगतान चैक सं०— 000628/ 27.07. 2017 के द्वारा किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रु० 34170.00 का भुगतान सामग्री मद में माह जून, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर—17 के बिल संलग्न कर लिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से पत्रावली तैयार कर धन को खपाया गया

उदाहरणार्थ— 03) तालिका— 01 के क्रम पर अंकित कार्य की पत्रावली में निविदा संबंधी (आमन्त्रण, निविदायें, तुलनातक चार्ट एवं अन्य) प्रपत्र संलग्न नहीं होने के बाद भी मोहित राज कन्स्ट्रक्शन को रु०245265.00 का भुगतान उनके द्वारा प्रस्तुत बिल रूपी रसीद पर चैक सं०— 000539/17. 11.2016 एवं श्रमांश रु० 90750.00 का चैक सं०— 000624/27.07.2017 के द्वारा कार्य प्रभारी श्री राम किशोर को किया जाना दर्शित है। इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है मनमाने ढंग से पत्रावली तैयार कर धन को खपाया गया है।

निष्कर्ष— उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016—17 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं, क्योंकि निर्माण कार्य की मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये, सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मॉग पत्र निर्गत ही नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्तिचालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। जिससे स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ आहरण भुगतान के पश्चात तैयार गयी हैं। **(सामान्य आपत्ति सं०— 04 ख बिलसंज्ञा)**

प्रस्तर संख्या—174 इसी प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष 2016—17 में उपलब्ध कराये गये बैंक खाते 01/246 बी०ओ०बी०, बिलसंज्ञा के अनुसार रु० 4953818.00 का आहरण किया गया है, जिसके सापेक्ष मात्र रु० 1287710.00 की ही व्यय सम्बन्धी पत्रावली उपलब्ध कराई गई। परन्तु इसमें से रु० 254930.00 का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017—18 में होने के कारण वित्तीय वर्ष 2017—18 में होने के कारण पत्रावलियों का शुद्ध भुगतान रु० 1287710.00 रु० 254630.00 रु० 1032780.00 का ही रहा। अतः अन्तर राशि रु० 4953818.00 रु० 1032780.00 रु० 3921038.00 के आहरण के सापेक्ष कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रु० 3921038.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली सम्बन्धित लेखाकार, जे०ई०, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख से की जानी अपेक्षित। **(सामान्य आपत्ति सं०— 18 ख, बिलसंज्ञा)**

प्रस्तर संख्या—175 कमांश में मजदूरी को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण— वर्ष 2016—17 में निर्माण कार्य पर अंकन रु० 1113484.00 मजदूरी / कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री ज्ञान चन्द्र आर्य, एडीओ)एस के(को रु० 248415.00 श्री कौशलेन्द्र सिंह चौहान, एडीओ)पी(को रु० 689724.00 एवं रु० 175345.00 ग्राम पंचायत मुजफ्फरनगर से पूरनपुर देहात के ब्लाक रोड पर जाने वाले रास्ते पर पुलिया निर्माण पर किया गया, किसे भुगतान किया गया स्पष्ट नहीं है। फाइल में कार्य प्रभारी का नाम अंकित नहीं है। भुगतान का चैक सं० एवं दिनांक भी अंकित नहीं है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है एवं एम आर पर लम्बाई—चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया गया है, साथ ही साथ एम आर पर विकास खण्ड से जारी कमाक संख्या एवं तिथि अंकित नहीं है व पेड एण्ड कैंसिड की मोहर अंकित नहीं है, मापांकन पुस्तिका का बुक नं० एवं पेज नं० भी अंकित नहीं है। उदाहरण स्वरूप ग्राम पंचायत मुजफ्फरनगर से पूरनपुर देहात के ब्लाक रोड तक जाने वाली रास्ते पर पुलिया निर्माण का कार्य प्रभारी नियुक्त नहीं है। एम आर पर माह एवं वर्ष का उल्लेख नहीं है रु० 21670.00 मजदूरी भुगतान दर्शाया गया है। कटैया से जितौनिया रास्ते पुर रपटुआ घाट पर पुलिया निर्माण पर कार्य प्रभारी नियुक्त नहीं है। ग्राम पंचायत निजामपुर से ग्राम पंचायत बिलहरी जाने वाली रास्ता जो जंगल क्रास करके जाती है पर पुलिया निर्माण पर एम आर पर रु० 66815.00 व्यय दर्शाया गया है। एम आर पर कार्य अविधि, प्रारम्भ तिथि एवं समाप्ति तिथि का उल्लेख नहीं है। ग्राम पंचायत पिपरिया सुआबोझ तक जाने वाली रास्ते पर पूरव से सिरसा क्रासिंग वाली पुलिया के निकट आर.सी.सी. पुलिया निर्माण के एम आर पर रु० 58940.00 व्यय दर्शाया गया है। कार्य समाप्ति तिथि का उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरा मद में अंकन कुल रु० 1113484.00 का वर्ष 2016—17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये बी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्य प्रभारी/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। **(सामान्य आपत्ति सं०— 03, पूरनपुर)**

प्रस्तर संख्या—176 मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण— सामग्री कय पर कुल भुगतान रु० 4092513.00 सम्बन्धित फर्म को किया गया दर्शित है। भुगतान की पुष्टि लेखा परीक्षा में बैंक पास /स्टेटमेन्ट से होती है। विकास खण्ड परिसर में आवासीय भवनों में चार दीवारी निर्माण पर रु० 13133.00 सामग्री कय भुगतान दर्शाया गया है। भुगतान में चैक सं० एवं दिनांक अंकित नहीं है। सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाये गये वो समस्त प्रमाणक फर्म को देय कैश में / कच्चे बिल पर है। प्रमाणकों पर देय टैक्स का दर व धनराशि भी अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है।

सामग्री की आमद उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। उदाहरण

1— विकास खण्ड परिसर में आवासीय भवनों में चार दीवारी का निर्माण पर कार्य प्रभारी नियुक्त नहीं है। अरीबा कन्स्ट्रक्शन से रु० 743845.00 के सामग्री क्रय प्रमाणक पर तिथि का उल्लेख नहीं है। चन्दिदा हजारा के ग्राम चन्दिदा हजारा से ग्राम पंचायत खिरकिया बरकादिया तक जाने वाली रास्ते पर बनी पुलिया पर खड्गजा निर्माण पर रु० 304904.00 का सामग्री कन्स्ट्रक्शन से क्रय दर्शाया गया है प्रमाणक पर विक्रेता का हस्ताक्षर नहीं है। पिपरिया सन्तोश सुआबोझ जाने वाली रास्ते पर पूरनपुर से सिरसा क्रासिंग वाली पुलिया के निकट आर.सी.सी. पुलिया निर्माण पर रु० 243040.00 का सामग्री अरीबा कन्स्ट्रक्शन से किया गया है। प्रमाणक पर विक्रेता का हस्ताक्षर नहीं है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामग्री आपूर्ति काल्पनिक है। फर्म से मिली भगत कर मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। उक्त रु० 4092513.00 के अपहरण के लिए बी०डी०ओ०/ लेखाकार/ कार्य प्रभारी/जे०ई०/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है।

निष्कर्ष— उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष— 2016—17 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं, क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये, सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मॉग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही अपुष्टि रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं। **(सामान्य आपत्ति सं०— 04 ख, पूरनपुर)**

प्रस्तर संख्या—177लेखा परीक्षा वर्ष—2016—17 में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त से सम्बन्धित कुल रु० 5468912.00 की ही निर्माण पत्रावलिया प्रस्तुत की गयीं। जबकि बैंक खातों से निम्न विवरणानुसार धनराशि आहरित की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है
बड़ौदा उ०प्र०ग्रा०बैंक खाता सं०—56140100033087 रु० 567969.00

ओबीसीबीओबी खाता सं 14522191048140 रु0 595933.00
ओबीसीबीओबी खाता सं 14522191048133 रु0 172.00
ओबीसीबीओबी खाता सं 06970100009509 रु0 8942800.00
ओबीसीबीओबी खाता सं 06970100007985 रु0 214006.00

योग रु0 10320880.00

वर्ष 2016-17 में कुल धनराशि रु0 10320880.00 का आहरण कर व्यय किया गया। परन्तु उक्त के सापेक्ष मात्र रु0 5468912.00 की निर्माण कार्य पत्रवली ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी। शेष आहरित धनराशि रु0 4851968.00 की पुष्टि में कोई निर्माण/विकास पत्रावलियां एवं अन्य सुसंगत अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण उक्त आहरण धनराशि पूर्णतः अप्रमाणित रही। अतः उक्त खातों से अपुष्टि धनराशि रु0 4851968.00 के व्यय से सम्बन्धित मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त आहरित धनराशि को अपहरण मानते हुए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी/ खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार / अवर अभियन्ता/कार्य प्रभारी से विभागीय कार्यवाही के साथ वसूली कराई जानी अपेक्षित रही। (सामान्य आपत्ति सं0- 09, पूरनपुर)

प्रस्तर संख्या-178 कमांश मद में मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी को किया जाना - वर्ष 2016-17 में कराए गए निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 601380.00 मजदूरी कमांश का भुगतान मजदूरों का न करके कार्य प्रभारी श्री पंकज शर्मा, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 390095.00 तथा श्री राम भरोसे लाल, पदनाम सहायक विकास अधिकारी (स0क0) को रु0 211285.00 कर दिया गया। पत्रावलियों में संलग्न कई मस्टर रोलों पर मस्टर रोल संख्या अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि कार्य वार मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। श्रमकों का जो अंगूठे का निशान लगा है प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी अंकित नहीं है। बरहा बिकम से बसन्त पुर तक मिटटी एवं खडण्जा कार्य पर रु0 147230.00 तथा रु0 19485.00 का मजदूरी भुगतान कार्य प्रभारी श्री पंकज शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी को किया गया। मस्टर रोल पर समस्त श्रमकों का हस्ताक्षर एक ही हस्तलेख में है। बगनेरा से वांसखेड़ा तक खडण्जा निर्माण तथा कृषि बीज भण्डार समरिया पर मरम्मत कार्य के मस्टर रोल पर मस्टर रोल क्रमांक अंकित नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है तथा मजदूरी मद में वर्ष 2016-17 में अंकन कुल रु0 60138.00 का वर्ष 2016-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया, जिसके लिए बी0डी0ओ0/ लेखाकार/कार्य प्रभारी/ जे0ई0/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। (सा0आ0सं0- 3, अमरिया)

प्रस्तर संख्या-179 आपूर्तिकर्ता/ फर्म को भुगतान नहीं कर कार्य प्रभारी को भुगतान करना-

कार्य का नाम	सामग्री आपूर्तिकर्ता का नाम/फर्म का नाम	भुगतान जिसे किया गया	चैक सं0	धनराशि
कृषि बीज भण्डार समरिया पर मरम्मत कार्य	हनीफ पुत्र श्री अब्दुल मजीद	श्री राम भरोसे सा0वि0अधि0(स0क0)	505	3821-00
	योग-			3821-00

इस प्रकार रु0 3821.00 का भुगतान आपूर्तिकर्ता को नहीं कर कार्य प्रभारी को करके अपहरण किया गया, जिसके लिए बी0डी0ओ0/लेखाकार/कार्य प्रभारी/जे0ई0/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-4ख, अमरिया)

प्रस्तर संख्या-180 मात्र बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण - सामग्री क्रय पर कुल भुगतान रु0 2686284.00 का भुगतान सम्बन्धित फर्म को दर्शाया गया है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट से रु0 10998.00 गंगवार बिल्डिंग मटेरियल्स को भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार बैंक स्टेटमेंट से सम्बन्धित फर्म को रु0 2675286.00 भुगतान की पुष्टि होती है। सामग्री क्रय प्रमाणक, पत्रावली में संलग्न पाई गई। वह समस्त प्रमाणक कश मेमो/ कच्चे बिल पर है। कतिपय प्रमाणकों पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी फर्म को मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं है। सामग्री का आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक राजस्तर भी नहीं तैयार कर रखा गया है। बगनेरा से बांसखेड़ा तक खडण्जा निर्माण पीट दारा ईट आपूर्ति दर्शाया गया है। कैश मेमों संख्या- 9/425 दिनांक- 17.08.2016 से रु0 317400.00 का ईट आपूर्ति दर्शाया गया है। कैश मेमों संख्या- 9/426 दिनांक 08.08.2016 से रु0

264500.00 का तथा कैश मेमों संख्या- 9/427 दिनांक- 14.08.2016 से रु0 285554.00 का ईट आपूर्ति दर्शाया गया है। कैश मेमों संख्या- 9/425 पर बाद की तिथि तथा कैश मेमों संख्या- 9/427 व 9/426 पर पहले की तिथि अंकित होने से स्पष्ट है कि कैश मेमों काल्पनिक हैं। इस प्रकार सामग्री आपूर्ति हा संदिग्ध रही स्पष्ट है कि फर्म से मिली भगत कर मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर कूटरचना कर योजनाबद्ध तरीके से जिसके लिए बी0डी0ओ0/ लेखाकार/कार्य प्रभारी/ जे0ई0/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। कर मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर कूटरचना कर योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-4ग, अमरिया)

प्रस्तर संख्या- 181.कमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान- वर्ष- 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 986575.00 मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अजय कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, रु0 383110.00 को श्री अवनीश, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 300775.00, श्री नागेन्द्र कुमार, ग्राम विकास अधिकारी रु0 214630.00 एवं श्री रूपलाल, सहायक विकास अधिकारी (पं0) को रु0 88060.00, का भुगतान किया गया है।

मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अंगूठा निशानी अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं। वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली विकास खण्ड पर लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण यह अस्पष्ट रहा कि किस सं0 के मस्टर रोल किस कार्य हेतु किस दिनांक को निर्गत किये गये हैं। मनमाने ढंग से मस्टर रोल तैयार कर भुगतान किया गया है। (वर्ष में उपलब्ध कराई गई कुल 10 कार्यों की पत्रावलियों के अनुसार)।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 986575.00 का वर्षद्व 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी/ जे0ई0/ लेखाकार/ कार्य प्रभारी/ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या- 03, बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या- 182.आपूर्तिकर्ता / फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को / अन्य के खाते में करना / अस्पष्ट विवरण के अभाव में-सामग्री मद में कुल रु0 3751087.00 के भुगतान में से रु0 191354.00 का भुगतान निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म / व्यक्ति को निर्गत दर्शित है। किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/ खाते में है।

चैक न0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
542523	03ण10ण2016	22423.00	गया प्रसाद	कार्य प्रभारी, अजय कुमार
अंकित नहीं		10680-00	कार्य प्रभारी, अजय कुमार	कार्य प्रभारी, अजय कुमार
000398	22.09.2016	2214-00 26393-00	राशिद खां मुरारी बिल्डिंग मैटे0 रामा आयरन एण्ड सीमेन्ट	कार्य प्रभारी, अजय कुमार

		10930-00		
542528	18.10.2016	1650-00	सौरम सीमेन्ट स्टोर	कार्य प्रभारी, अजय कुमार
542826	18.10.2016	8035-00	विनोद आयरन स्टोर	कार्य प्रभारी, अजय कुमार
000405	23.09.2016	28858-00	दुर्ग पाल	कार्य प्रभारी, अजय कुमार
553119	03.01.2017	19990-00	प्रेम पाल	कार्य प्रभारी, अजय कुमार
000394	07.09.2016	5050-00 12960-00 10032-00	सौरम सीमेन्ट स्टोर कुमार एग्रीकल्चर स्टोर शानू इलेक्ट्रीकल्स	कार्य प्रभारी श्री अरुणेश, मद तीनों का ही चैक कार्य प्रभारी के नाम बना और भुगतान लिया गया।
542532	18.10.2016	922-00 8280-00 16600-00 7200-00	रईस अहमद गंगवार इलेक्ट्रीकल्स गंगवार इलेक्ट्रीकल्स मिडलाइट इलेक्ट्रीकल्स	कार्य प्रभारी अजय कुमार, मद चारों का एक ही चैक कार्य प्रभारी के नाम बना और भुगतान लिया गया।
000390	07.09.2016	17000-00	सौरम सीमेन्ट स्टोर	कार्य प्रभारी अजय कुमार, मद चैक फर्म के नाम न बनाकर कार्य प्रभारी के नाम बनाये गये और भुगतान लिया गया।
000398	22.09.2016	26393-00 2214-00 10830-00	मुरारीबैलिंगबक्सशॉप राशिदखां रामाआयरनस्टोर	कार्य प्रभारी, अजय कुमार
000408	02.12.2016	16990-00	सौरमसीमेन्टस्टोर	कार्य प्रभारी, अजय कुमार
	योग	191354-00		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 191354-00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है परन्तु इन चैकों का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है एवं भुगतान होने की पुष्टि का विवरण अप्राप्त रहा, जो बैंक स्टेटमेंट / खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में अंकन ₹0 191354-00 की गम्भीर अनियमितता की गई है। उत्तरदायी व्यक्तियों पर कार्यवाही अपेक्षित है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या- 04 क बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या- 183. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना- कुल दर्शित भुगतान ₹0 3751087.00 में से ₹0 3559733.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक/स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे ₹0 3559733.00 का भुगतान सम्बन्धित अपूर्तिकर्ता को ही हुआ है कि पुष्टि हो सकी है, जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से खपाई गई।

उदाहरणार्थ:- 1. तालिका-1 में कम सं-01, 02, 03, 06 में मिट्टी खरीद से प्राप्त होने वाली रायल्टी का भुगतान, फर्म के बिल से नहीं कर क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से पत्रावल तैयार कर धन को खपाया गया है।

2- तालिका 01 में कम सं-01, 02, 06, 07, 08, 10 पर अंकित कार्यों की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में कुटेशन आमन्त्रण पत्र एवं कुटेशन संलग्न नहीं थे, उसके बाद भी कार्य सम्पन्न कराया जाना दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से पत्रावली तैयार कर धन को खपाया गया है।

3- तालिका 01 के कम सं-10 पर अंकित कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि पत्रावली में ईट क्रय हेतु ओम ब्रिक फील्ड से कुटेशन प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, बीसलपुर के कार्यालय पत्रांक- दिनांक ... के द्वारा 8376 नग प्रथम श्रेणी ईट एवं 0.90 घन मा0 रोडा आपूर्ति हेतु कय आदेश निर्गत किया गया है। स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से पत्रावली तैयार कर धन को खपाया गया है।

4- तालिका 01 के क्रम सं-07 पर दर्ज कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्य प्रभारी श्री नागेन्द्र कुमार ग्राम विकास अधिकारी को क्रमशः चैक सं-000428 दिनांक 17.02.2017 एवं 000429 दिनांक 17.02.2017 से क्रमशः ₹0 24000.00 एवं ₹0 49810.00 कुल ₹0 73810.00 का भुगतान किया गया है, जिसकी पुष्टि बैंक से भी हो रही है। परन्तु पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है-

राज	मजदूर	दिवस	दर	धनराशि
04	-	20	400.00	32000.00
-	7	20	230.00	32200.00
-	1	7	230.00	1610.00
		योग-		65810.00

अतः अधिक भुगतान ₹0 73810.00 ₹0 65810.00 , 8000.00 इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से कार्य दर्शाकर एवं पत्रावली तैयार कर धन को खपाया गया है।

5. तालिका 01 के क्रमांक 10 पर अंकित कार्य की पत्रावली में पाया गया कि कार्य दिनांक- 04.05.2017 से प्रारम्भ होकर दिनांक- 0707 तक होना दर्शित है, जिसकी पत्रावली में टेण्डर आमन्त्रण, एव टेण्डर खुलने की पत्रावली संलग्न नहीं हैं। पत्रावली में संलग्न पत्र सं-.....दिनांक- 19.12.2016 के अनुसार श्री नागेन्द्र कुमार, ग्राम विकास अधिकारी को कार्य प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। दिनांक- 02.01.2017 में विभिन्न संस्थाओं से ₹0 107552.00 की सामग्री क्रय भी दर्शित है। ऐसी स्थिति में पूर्व में सामग्री क्रय का कारण अस्पष्ट रहा। अस्पष्ट है कि मनमाने ढंग से कार्य की पत्रावली तैयार कर धन को खपाया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण संबंधी मार्ग दर्शी सिद्धान्तों का भी खुला उल्लंघन किया गया है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016-17 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी / श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को दिया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान जारी नहीं किया गया। इस प्रकार की आमद ही अपुष्टि रही। पत्रावलियों में कभी

भी किसी ने भी हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है पत्रावलियां आहरण / भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या- 04 ख बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या- 184. लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत बीसलपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये राज्य/तेहरवां/चौदहवां वित्त आयोग से संबंधित खाता संख्या-01/19935 बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा बीसलपुर के अनुसार ₹0 4704884.00 के आहरण के सापेक्ष ₹0 4737662.00 से सम्बन्धित पत्रावली ही उपलब्ध करायी गयी। जिसमें ₹0 229689.00 की ऐसी धनराशि शामिल है, जिसका बैंक से भुगतान 31.03.2017 के बाद हुआ है। अतः कुल आहरण ₹0 4737662.00 ₹0 229689.00 ₹0 4507973.00 के ही आहरण की पुष्टि हो रही है। इस प्रकार ₹0 196911.00 के आहरण से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई जबकि ऐसा किया जाना अपेक्षित था। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या- 18 ख, बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या- 185. क्रमांश मद में मजदूरो को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान- वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यो पर अंकन ₹0 1308293.00 मजदूरी / क्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री बाबू खलिक एडीओ/आईएसबी(को ₹0 324323.00 एवं विनोद कुमार को ₹0 535670.00 एवं श्री आभाश कुमार सिंह को ₹0 448300.00 का भुगतान कर दिया गया है। मस्टर रोल पर जो धनराशि भुगतान की पुष्टि हेतु अगूँठा निशानी अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है। एवं एम आर पर लम्बाई-चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही साथ एम आर पर विकास खण्ड से जारी क्रमांक संख्या एवं तिथि अंकित नहीं है। विवरण निम्न प्रकार है

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 1308293.00 का वर्ष 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये बी0डी0ओ0/ जे0ई0/ लेखाकार/कार्य प्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। उदाहरण स्वरूप पशु चिकित्सालय ललौरीखेड़ा भवन की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई के कार्य व्यय पत्रावली में संलग्न एम आर में अंकित प्रारम्भ तिथि एवं समाप्ति तिथि क्रमशः दिनांक- 08.08.2013 एवं 29.08.2013 अंकित है। जबकि एम आर जारी करने का दिनांक- 04.08.2016 दर्शित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0- 3, ललौरीखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या-186 आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना- सामग्री मद में कुल ₹0 3287950.00 भुगतान में से ₹0 200.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक फर्म को निर्गत न कर कार्य प्रभारी को सामग्री कम हेतु अनियमित तरीके से भुगतान किया गया

क्र० न०	दिनांक	धन राशि	सामग्री आपूर्तिकर्ता का नाम	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
10054	18.10.2016	200.00	सिंह आर्ट सेन्टर	बाबू खलिक
योग-		200.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन ₹0 200.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ एवं होने की पुष्टि में विवरण अप्राप्त रहा। जो बैंक स्टेटमेंट/ खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फजी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में ₹0 200.00 की गम्भीर अनियमितता की गई है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0- 4 क, ललौरीखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या- 187. मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान करना - कुल दर्शित भुगतान ₹0 3287950.00 में से ₹0 3287750.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। भुगतान की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक /स्टेटमेंट उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे ₹0 3287750.00 का भुगतान बैंक खाते के अनुसार ट्रान्सफर किया गया है। परन्तु बैंक स्टेटमेंट में आपूर्तिकर्ता फर्म/प्राप्तकर्ता का नाम अंकित नहीं किया गया है। जो कि लेखा नियमों के विपरीत है। जबकि बैंक स्टेटमेंट में नियम: आपूर्तिकर्ता फर्म/ प्राप्तकर्ता का नाम अंकित रहना चाहिए था। जो सामग्री क्रय प्रमाण पत्रावली में संलग्न पायी गयी। वह समस्त प्रमाणक फर्म के लेंटर पैड / कच्चे बिल / कैंशमेमो पर है, किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/ कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री अपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मॉग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग एवं शेष का ना नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही, इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण की गई। साथ ही निर्माण पत्रावलियों के जाँच में पाया गया जो कराये गये कार्य ग्राम के अन्दर थे उसे अपरलेखन कर गांव के बाहर दर्शित किया गया है। गांव के अन्दर कार्य कराया जाना क्षेत्र पंचायत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के स्पष्ट उल्लंघन है। समस्त पत्रावली/ फाइल में श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है, जो पूर्णतः अनियमित है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016-17 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मॉग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्तक्षार के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। साथ ही कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त के फोटोग्राफ पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाये गए और न ही कार्य की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी की गयी की स्थिति पंजिका के अभाव में अस्पष्ट रही, जिससे स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/ भुगतान के पश्चात मनमाने ढंग से तैयार की गयी है।

01) कृषि बीज भण्डार व कृषि रक्षा इकाई भवन की मरम्मत व सौन्दर्यकरण पत्रावली में कच्चे अनुसार ₹0 482200.00 का भुगतान/ व्यय किया जाना दर्शित है जबकि कुल योग ₹0 478252.00 ही है। इस प्रकार अन्तर ₹0 3938.00 से 9 कम व्यय किया जाना दर्शित है एवं पत्रावली में प्राक्कलन एवं मापांकन पुस्तिका भी उपलब्ध नहीं रही।

02) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर शौचालय निर्माण एवं आगनवाड़ी केन्द्र निर्माण में प्राक्कलन की धनराशि ₹0 350237.00 है, जिसे बिना किसी सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के संशोधन कर अंकन ₹0 344400.00 अनियमित तरीके से कर दिया गया है।

03) पशु चिकित्सालय ललौरीखेड़ा भवन की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई की कच्चे 9 के अनुसार व्यय / भुगतान धनराशि ₹0 57951.00 है। जबकि वास्तविक योग ₹0 56530.00 है। इस प्रकार अन्तर धनराशि ₹0 1421.00 से अधिक -9 मनमाने ढंग से तैयार कर भुगतान किया गया है। एवं एम आर का प्रारम्भ व समाप्ति दिनांक- 08.08.2013 से 23.08.2013 तक दर्शित है जबकि कार्य योजना स्वीकृति पत्रांक 824/09.06.2016 अंकित है। इस प्रकार कराया गया कार्य फर्जी प्रतीत होता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0- 4 ख, ललौरीखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या- 188. लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में तेहरवां वित्त योजना मद के अन्तर्गत इलाहाबाद बैंक ललौरीखेड़ा खाता संख्या- 21716915760 में एवं स्टेट बैंक शूगर फैंक्ट्री पीलीभीत खाता संख्या- 35853432099 में क्रमशः ₹0 255955.00 एवं ₹0 237203.00 कुल ₹0 493158.00 निम्न विवरणानुसार आहरित धनराशि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा। विवरण निम्न प्रकार है-

खाता संख्या- 21716915760 इलाहाबाद बैंक, ब्रान्च ललौरीखेड़ा, जनपद- पीलीभीत।

दिनांक	चैक नं०	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि
30.08.2016	6140	महिला	11708.00
07.09.2016	10042	टीआरएफएसबीआई	45141.00
07.09.2016	10043	टीआरएफ एसबीआई	21395.00
20.09.2016	10049	प्रवीण सिंह	99520.00
21.10.2016	10056	स्वयं	70000.00
13.02.2017	13862	हिन्दुस्तान मीडिया	8191.00
		योग-	255955.00

खाता संख्या- 35853432099 स्टेट बैंक, शूगर फैंक्ट्री, जनपद- पीलीभीत

दिनांक	चैक नं०	आहरणकर्ता का नाम	धनराशि
21.09.2016	585116	एच डी एफ अमर उजाला	41113.00
13.10.2016	585119	टीआरएफ	41113.00
22.12.2016	585122	टीआरएफ	14610.00
27.01.2017	585131	टीआरएफ	14683.00
30.01.2017	585129	टीआरएफ	51269.00
31.01.2017	585130	बीडाजो प्रा	25636.00
06.02.2017	585135	टीआरएफजागरन प्रकाश	14250.00
03.03.2017	585137	टीआरएफ	23019.00
07.03.2017	585136	टीआरएफ	11510.00
		योग—	237203.00

उक्त आहरित धनराशि ₹0 493158.00 के व्यय की पुष्टि में कोई भी मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न रहा, जिस कारण उक्त ₹0 493158.00 का आहरण पूर्णतः अपुष्टित रहा। अपुष्टि भुगतानित धनराशि की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-7, ललौरीखेड़ा)

प्रस्तर संख्या— 189. ₹0 113042.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि नहीं एवं ₹0 12768.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि —

वर्ष 2011-12 में उपरोक्त तालिका-02 से स्पष्ट है कि ₹0 5566808.00 के सामग्री कय पर अंकन ₹0 113042.00 टी0डी0एस0 कटौती की गई जबकि 2.26 प्रतिशत की दर से ₹0 125810.00 की टी0डी0एस0 कटौती की जानी थी। इस प्रकार ₹0 12768.00 से कटौती कम कर राजस्व की हानि की गई। ऐसे में न काटे गए आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है साथ ही ₹0 125810.00 टी0डी0एस0 की पुष्टि में इश्यु चैक नं० / चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण उक्त के जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। (सामान्य आपति सं०- 05 पूरनपुर)

प्रस्तर संख्या-190 उ0प्र0 वैट अधिनियम- 2008 की धारा-3 (1) के अन्तर्गत फर्म /सम्बन्धित को भुगतानों की दसा में 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती की जानी थी। शासनादेश सं०- ए-1-35/दस-2011 दिनांक- 03.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तगत कटौती सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है।

वर्ष- 2011-12 में संलग्न तालिका- 2 के अनुसार कुल सामग्री कय ₹0 5566808.00 पर 4 प्रतिशत की दर से ₹0 222672.00 की वैट कटौती किया जाना था जबकि कटौती शून्य रही। इस प्रकार ₹0 222672.00 की वैट कटाता नहीं कर राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन ₹0 222672.00 की क्षतिपूर्ति दण्डीय ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आपति सं०- 06 पूरनपुर)

प्रस्तर संख्या-191 शासनादेश । संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च, 2012 के अनुसार यदि संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राज्य कोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। वर्ष 2011-12 में अर्जित ब्याज एवं गत वर्षों का अर्जित ब्याज में से ₹0 249217.00 राज्य सरकार को वापस किया जाना बताया गया, लेकिन उक्त को जमा किये जाने की पुष्टि में प्रमाणक चालान उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे ₹0 249217.00 धनराशि को राज्य कोश में जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि राजकीय कोश में जमा नहीं कराया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायीव्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपति सं०- 07 पूरनपुर वर्ष 2011-12)

प्रस्तर संख्या- 192 ₹0 89262.00 टी.डी.एस. जमा की पुष्टि न हो पाने एवं ₹0 30383.00 की टी.डी.एस. कम काटकर राजस्व की हानि वर्ष-2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन ₹0 89262.00 के आयकर कटौती की गयी है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय ₹0 5294015.00 की दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से ₹0 119645.00 के आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार ₹0 30383.00 का आयकर कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी.डी.एस. अंकन ₹0 89262.00 की जमा की पुष्टि में इश्यु चैक नं०/ बैंक स्टेटमेंट / चालान / दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्य वाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-5 अमरिया)

प्रस्तर संख्या- 193 आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय ₹0 5294015.00 पर 04 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 211760.80 के आयकर की कटौती की जानी थी जो नहीं की गयी है। इस प्रकार ₹0 211760.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0- 06 अमरिया)

प्रस्तर संख्या-194 वर्ष-2011-12 में 1753.81 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल ₹0 119260.00 का भुगतान नियमानुसार किया गया है, जिस पर नियमानुसार ₹0 30.00 प्रति घन मीटर की दर से ₹0 52614.30 की रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से कराया जाना अपेक्षित है।

दिनांक	दर	मात्रा घन मी० में	धनराशि
22.12.2011	68/घन मी०	128.67	8750.00
27.08.2011	68/घन मी०	46.32	3150.00
12.05.2011	68/घन मी०	169.85	11550.00
03.06.2011	68/घन मी०	375.00	25500.00
09.06.2011	68/घन मी०	212.50	14450.00
28.03.2011	68/घन मी०	187.50	12750.00
01.05.2011	68/घन मी०	62.50	4250.00
14.04.2011	68/घन मी०	275.50	18700.00
30.03.2011	68/घन मी०	296.47	20160.00
	योग—	1753.81	119260.00

(सा0आ0सं0- 07 अमरिया)

प्रस्तर संख्या- 195. ₹0 7783.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं ₹0 18059.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि -वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन ₹0 7783.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय ₹0 1143449.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 : की दर से ₹0 25842.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार ₹0 18059.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन ₹0 7783.00 की जमा की पुष्टि में इश्यु चैक नं०/ बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-5 ललौरी खेड़ा)

प्रस्तर संख्या- 196 आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रू0 1143449.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 45738.00 की कटौती की जाना चाहिए, जबकि वर्ष में रू0 3335.00 कटौती की गई है, इस प्रकार रू0 42403.00 कटौती कम की गई है, जिससे रू0 42403.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। ऐसे में न काटे गये वाणिज्य की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 13335.00 का जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0 / बैंक स्टेटमेंट / चालान / दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0- 6 ललौरी खेड़ा)**

प्रस्तर संख्या- 197 रू0 31501.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 11251.12 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि - वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 31501.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 1891687.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 : की दर से रू0 42752.12 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 11251.12 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 31501.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0 / बैंक स्टेटमेंट / चालान / दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0- 05 बिलसण्डा)**

प्रस्तर संख्या- 198 आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 1891687.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 75667.48 की वाणिज्यकर की कटौती का जानी चाहिए, जबकि वर्ष में रू0 00.00 कटौती की गई है, इस प्रकार रू0 75667.48 कटौती कम की गई है, जिससे रू0 75667.48 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार वाणिज्यकर की कटौती न करके कुल रू0 75667.48 के बराबर राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी चाहिये। **(सामान्य आपत्ति सं0- 06 बिलसण्डा)**

प्रस्तर संख्या- 199 . 11016.00 टी.डी.एस. जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 1158.71 का टी.डी.एस. कम काटकर राजस्व का हानि- वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 11016.00 के आयकर कटौती की गयी है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री रू0 538704.00 का दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रू0 12174.71 के आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार 1158.1 का आयकर कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी.डी.एस. अंकन रू0 11016.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0 / बैंक स्टेटमेंट / चालान / दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्य वाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0- 05 बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या- 200 लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में कुल सामग्री कय रू0 538704.00 पर 04 प्रतिशत की दर से कुल रू0 21548.00 के व्यापारकर (ट।) की कटौती की जानी थी जो नहीं की गयी है। इस प्रकार रू0 21548.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0- 06 बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या-201 वर्ष 2011-12 में 80.80 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रू0 4000.00 का भुगतान किया गया है, जिस पर नियमानुसार रू0 30.00 प्रति घन मीटर की दर से रू0 2424.00 की रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। क्षतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

दिनांक	दर	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
21.12.2011	49.50 / घनमी0	80.80	4000-00
योग		80.80	4000-00

(सामान्य आपत्ति सं0-07 बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या-202 रू0 18825.00 टी.डी.एस. जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 7692.00 की टी.डी.एस. कम काटकर राजस्व की हानि: वर्ष- 2012-13 में प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 18825.00 के आयकर की कटौती की गयी है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री रू0 1173321.00 का दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रू0 26517.00 के आयकर की कटौती की जानी था। इस प्रकार रू. 7692.00 का आयकर कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी.डी.एस. अंकन रू0 18825.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0 / बैंक स्टेटमेंट / चालान / दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्य वाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0-(05), बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या-203 आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 1173321.00 पर 04 प्रतिशत की दर से कुल रू0 46932.84 के वाणिज्यकर की कटौती की जानी थी जो नहीं की गयी है। इस प्रकार रू0 46932.84 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0- (06), बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या-204 लेखा परीक्षा वर्ष- 2012-13 में 324.67 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रू0 16072.00 का भुगतान नियमानुसार किया गया है, जिस पर 30.00 प्रति घन मीटर की दर से रू0 9740.00 की रायल्टी काटी जानी चाहिए, जो नहीं काटी गयी है। रायल्टी न काटकर राजस्व का क्षति की गयी है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

दिनांक	दर	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
25.06.2012	49.50	24.85	1230.00
15.306.2012	49.50	41.81	2070.00
23.03.2013	49.50	41.45	2052.00
2303.2013	49.50	29.09	1440.00
25.03.2013	49.50	115.27	5706.00
25.06.2012	49.50	72.20	3574.00
योग-		324.67	16072.00

(सामान्य आपत्ति सं0- (07), बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या-205 रू0 11378.00 टी.डी.एस. जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 8717.00 की टी.डी.एस. कम काटकर राजस्व की हानि: वर्ष- 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 11378.00 के आयकर कटौती की गयी है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रू0 889148.00 की दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रू0 20095.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 8717.00 की कटौती कर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही टी0डी0एस0 अंकन रू 11378.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0 / बैंक स्टेटमेंट / चालान / दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं0- (05), बिलसण्डा)**

प्रस्तर संख्या-206 आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 889148.00 पर 04 प्रतिशत की दर से कुल रू0 35566.00 के आयकर की कटौती की जानी थी जो नहीं की गयी है। इस प्रकार रू0 35566.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण

प्रस्तर संख्या-207 .लेखा परीक्षा वर्ष- 2012-13 में 350 घन मी० मिट्टी हेतु कुल ₹0 17500.00 का भुगतान नियमानुसार किया गया है, जिस पर 30.00 प्रति घन मीटर की दर से ₹0 10500.00 की रायल्टी काटी जानी चाहिए, जो नहीं काटी गयी है। रायल्टी न काटकर राजस्व का क्षति की गयी है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

क्रम सं०	दिनांक	दर	मात्रा घन मी० में	धनराशि
1	15.04.2012	50/घन मी०	200.00	10000.00
2	07.05.2012	50/ घन मी०	150.00	7500.00
		योग-	350.00	17500.00

(सामान्य आपत्ति सं०- (07), बिलसण्ड)

प्रस्तर संख्या-208 . ₹0 14204.00 टी.डी.एस. जमा की पुष्टि न हो पाने एवं ₹0 1910.00 की टी.डी.एस. कम काटकर राजस्व की हानि:- वर्ष 2012-13 में ₹0 14204.00 के आयकर कटौती की गयी है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय ₹0 723023.00 की दर्शित है, जिस पर 2. 26 प्रतिशत की दर से ₹0 16117.00 के आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार ₹0 1910.00 का आयकर कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ वार्षिक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी.डी.एस. अंकन ₹0 14207.00 की जमा की पुष्टि में इश्यु चैक नं०/बैंक स्टेटमेंट /चालान / दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्य वाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-5 अमरिया)

प्रस्तर संख्या-209 .आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय ₹0 723023.00 पर 04 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 28921.00 के आयकर का कटौती की जानी थी जो नहीं की गयी है। इस प्रकार ₹0 28921.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 06, अमरिया)

प्रस्तर संख्या-210 .लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में 488.82 घन मी० मिट्टी हेतु कुल ₹0 33240.00 का भुगतान नियमानुसार किया गया है, जिस पर नियमानुसार ₹0 30.00 प्रति घन मीटर की दर से ₹0 14664.60 की रायल्टी काटी जानी चाहिए, जो नहीं काटी गयी है। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

दिनांक	दर	मात्रा घन मी० में	धनराशि
20.07.2012	68/ घन मी०	92.65	6300.00
12.07.2012	68/ घन मी०	162.50	11050.00
17.07.2012	68/ घन मी०	41.17	2800.00
11.06.2012	68/ घन मी०	87.50	5950.00
21.03.2013	68/ घन मी०	105.00	7140.00
	योग-	488.82	33240.00

(सा०आ०सं०- 07, अमरिया)

प्रस्तर संख्या-211 .₹0 3272.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं ₹0 23493.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन ₹0 3272.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय ₹0 1184314.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से ₹0 26765.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार ₹0 23493.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन ₹0 3272.00 की जमा की पुष्टि में इश्यु चैक नं०/ बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-5 ललौरीखेड़ा)

प्रस्तर संख्या-212 .आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय ₹0 1184314.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 44373.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में ₹0 शून्य कटौती की गई है। इस प्रकार ₹0 44373.00 कम कटौती कर राजस्व की क्षति की गई है। ऐसे में न काटे गये वाणिज्यकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही लेखा परीक्षा दौरान पुष्टि में इश्यु चैक सं०/ बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसकी उपरोक्तानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०- 6 ललौरीखेड़ा)

प्रस्तर संख्या-213 .₹0 116148.00 टी.डी.एस. जमा की पुष्टि न हो पाने एवं ₹0 23927.36 की टी.डी.एस. कम काटकर

राजस्व की हानि: वर्ष-2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन ₹0 116148.00 के आयकर कटौती की गयी है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय ₹0 6198025.00 की दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से ₹0 140075.36 के आयकर कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार ₹0 23927.36 का आयकर कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पैनालटी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं०- (05), बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या- 214 .आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय ₹0 6198025.00 पर 04 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 247921.00 के आयकर की कटौती की जानी थी जो नहीं की गयी है। इस प्रकार ₹0 247921.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पैनालटी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं०- (06), बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या-215 .वर्ष 2013-14 में 2790.47 घन मी० मिट्टी हेतु कुल ₹0 127655.00 का भुगतान किया गया है, जिस पर नियमानुसार ₹0 30.00 प्रति घन मीटर की दर से ₹0 83714.00 की रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

दिनांक	दर	मात्रा घन मी० में	धनराशि
10.04.2014	45.00	115.26	5187.00
08.11.2013	45.00	38.93	1752.00
28.10.2013	45.00	104.71	4712.00
15.01.2014	45.00	69.28	3118.00
22.03.2013	45.00	116.00	5220.00
16.03.2013	45.00	61.00	2745.00
16.04.2013	45.00	160.00	7200.00
04.07.2013	45.00	122.00	5494.00
29.07.2013	45.00	173.00	7821.00
27.06.2013	45.00	155.08	6979.00
11.11.2013	45.00	38.93	1752.00
05.11.2013	49.00	128.68	5791.00
05.11.2013	49.00	151.80	6831.00
05.11.2013	49.00	113.00	5593.00
02.12.2013	49.00	9499.00	4702.00
27.07.2013	49.00	178.00	8811.00
14.06.2013	49.00	76.36	3780.00
14.06.2013	45.00	105.00	4725.00
28.10.2013	45.00	104.48	4702.00
28.10.2013	45.00	104.48	4702.00
27.09.2013	45.00	76.00	3420.00
14.06.2013	45.00	28.80	1296.00
01.08.2013	45.00	117.68	5296.00
21.09.2013	45.00	139.13	6261.00
31.05.2013	45.00	217.00	9765.00
		योग-	127655.00

(सामान्य आपति सं०- (07), बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या-216 ₹0 132639.00 टी.डी.एस. जमा की पुष्टि न हो पाने एवं ₹0 47407.20 की टी.डी.एस. कम काटकर राजस्व की हानि: वर्ष- 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन ₹0 132639.00 के आयकर कटौती की गयी है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय ₹0 7966646.00 की दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से ₹0 118046.20 के आयकर कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार ₹0 47407.20 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पैनालटी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही टी0डी0एस0 अंकन रु 132639.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपति सं०- 05,बिलसण्डा)**

प्रस्तर संख्या- 217 .आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय ₹0 7966646.00 पर 04 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 318665.84

के आयकर की कटौती की जानी थी जबकि वर्ष में रु शून्य की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु 318665.84 की कटौती कम की गयी है, जिससे रु 318665.84 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पैनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति सं०- (06), बिलसण्डा I)**

प्रस्तर संख्या-218 . रु 119856.00 टी.डी.एस. जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु 16178.00 की टी.डी.एस. कम काटकर राजस्व की हानि: वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु 119856.00 के आयकर कटौती का नया सामग्री कय रु 6019230.00 की दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रु 136034.00 के आयकर की कटौती की जानी चाहिए था। इस प्रकार रु 16178.00 का आयकर कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनाय पैनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं०- 05 अमरिया)**

प्रस्तर संख्या-219 . आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु 6019230.00 पर 04 प्रतिशत की दर से कुल रु 240769.00 के आयकर की कटौती का जाना था जो नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 240769.00 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पैनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं०-06अमरिया)**

प्रस्तर संख्या-220 . 2013-14 में 688.08 घन मी० मिट्टी हेतु कुल रु 47560.00 का भुगतान नियमानुसार किया गया है, जिस पर नियमानुसार रु 30.00 प्रति घन मीटर की दर से रु 20642.40 की रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

दिनांक	दर	मात्रा घन मी० में	धनराशि
13.02.2014	68 / घन मी०	148.23	10080.00
04.02.2015	68 / घन मी०	54.41	3700.00
02.12.2013	68 / घन मी०	330.00	22440.00
24.01.2014	75 / घन मी०	112.21	8400.00
24.01.2014	68 / घन मी०	43.23	2940.00
	योग-	688.08	47560.00

(सा0आ0सं०- 07 अमरिया)

प्रस्तर संख्या-221 . रु 65283.00 टी.डी.एस. जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु 67256.00 की टी.डी.एस. कम काटकर राजस्व की हानि: वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु 65283.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु 5882248.00 की दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रु 132939.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु 67656.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनाय पैनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रु 65283.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक नं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा0आ0सं०- 05 ललौरीखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या-222 . आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु 5882248.00 पर 04 प्रतिशत की दर से कुल रु 235290.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि रु शून्य कटौती की गयी है। इस प्रकार रु 235290.00 कम कटौती कर राजस्व की क्षति की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पैनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही आंकलित किये गये टी0डी0एस0 अंकन रु 235290.00 को जमा किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही अपेक्षित रहा। **(सा0आ0सं०- 06 ललौरीखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या-223 . रु 10022.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि नहीं एवं रु 2179.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-वर्ष 2013-14 में उपरोक्त तालिका-02 से स्पष्ट है कि रु 539871.00 के सामग्री क्रय पर अंकन रु 10022.00 टी0डी0एस0 कटौती की गई जबकि 2.26 प्रतिशत की दर से रु 12201.00 की टी0डी0एस0 कटौती की जानी थी। इस प्रकार रु 2179.00 से कम कटौती कर राजस्व का हानि की गई। ऐसे में न काटे गए आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पैनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही रु 12201.00 टी0डी0एस0 की पुष्टि में इश्यू चैक नं० / चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण उक्त के जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। **(सामान्य आपत्ति सं०- 05 पूरनपुर)**

प्रस्तर संख्या-224 . वैट रु 195755.00 को जमा नहीं करना- उ०प्र० वैट अधिनियम- 2008 की धारा- 3 (1) के अन्तर्गत कर्म सम्बिदा के भगतानों की दसा में 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती की जानी थी। शासनादेश सं०-

ए-1-35/दस-2011 दिनांक- 03.08. 2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत कटौती सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है।

वर्ष- 2013-14 में संलग्न तालिका- 2 के अनुसार कुल सामग्री कय ₹0 539871.00 पर 4 प्रतिशत की दर से ₹0 21594.00 की वैट कटौती किया जाना था जबकि कटौती शून्य रही। इस प्रकार ₹0 21594.00 की वैट कटौती नहीं कर राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी, जिसके सम्बन्ध में अवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन ₹0 21594.00 की क्षतिपूर्ति दण्डीय ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।
(सामान्य आपत्ति सं०- 06 पूरनपुर)

प्रस्तर संख्या-225 .लेखा परीक्षा में बार-बार मौखिक एवं लिखित मांग किये जाने के बाद भी तेरहवां वित्त की कुछ निर्माण पत्रावलियों के अतिरिक्त कोई भी व्यय पत्रावली एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। बैंक खाता सं०- 14522191018068 का पास बुक/स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे बैंक से आहरित धनराशि अस्पष्ट रही। ग्राण्ट रजिस्टर अनुसार वर्ष 2013-14 में निम्न प्रकार योजनावार व्यय किया गया है।

क्रम सं०	योजना का नाम	व्यय की गयी धनराशि
1	राज्य वित्त आयोग	2886253.00
2	तेरहवां वित्त	5787242.00
	योग-	8673495.00

उक्त व्यय ₹0 8673495.00 के सापेक्ष ₹0 620076.00 की तेरहवां वित्त की निर्माण पत्रावली ही प्रस्तुत किया गया। शेष ₹0 8053419.00 के व्यय पत्रावलियों को प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि बैंक खातों से निम्न विवरणानुसार धनराशि आहरित की गयी है।

बीओबीबीओबी खाता सं 06970100009509 ₹0 989797.50

बीओबीबीओबी खाता सं 06970100007985 ₹0 5700312.50

ओबीसीबीओबी खाता सं 14522191048133 ₹0 1628249.00

योग ₹0 8318359.00

वर्ष-2013-14 में ठळ बीओबी खाता सं 06970100009509, ठळ बीओबी खाता सं 06970100007985 एवं ओबीसी। छव. 14522191048133 के द्वारा कमशः ₹0 989797.50, ₹0 5700312.50 एवं ₹0 1628249.00 कुल धनराशि ₹0 8318359.00 का बैंक से आहरण किया गया है। परन्तु उक्त के सापेक्ष मात्र ₹0 620076.00 की निर्माण पत्रावलियां ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गई। शेष (₹0 8318359.00 . ₹0 620076.00) ₹0 7698283.00 के बैंक से आहरण लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण ₹0 17698283.00 का बैंक से आहरण पूर्णतः अपुष्टित रहा। लेखा परीक्षा में सम्बन्धित मूल अभिलेखों की बार-बार मांग किये जाने के बावजूद भी प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त आहरित ₹0 7698283.00 की धनराशि को अपहरण मानते हुए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी/खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार अवर अभियन्ता/कार्य प्रभारी से विभागीय कार्यवाही के साथ वसूली कराई जानी अपेक्षित रही। (सामान्य आपत्ति सं०- 07 पूरनपुर)

प्रस्तर संख्या-226 .₹0 91926.00 टी.डी.एस. जमा की पुष्टि न हो पाने एवं ₹0 37768.00 की टी.डी.एस. कम काटकर राजस्व की हानि:- वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन ₹0 91926.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय ₹0 5738666.00 की दर्शित है।

जिस पर 2.26 : की दर से ₹0 129694.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार ₹0 37768.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन ₹0 91926.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/ बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०- 05 बिलसण्डा)

प्रस्तर संख्या- 227 130604.00 व्यापारकर जमा की पष्टि न हो पाने एवं ₹0 98942.00 की व्यापार कर कम काटकर राजस्वों हानी - वर्ष 2014-15 में कुल सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन ₹0 130604.00 के व्यापार कर की कटौती की गयी है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय ₹0 5738666.00 ही दर्शित है, जिस पर 4: प्रतिशत की दर से कुल ₹0 229546.00 के व्यापारकर की कटौती की जानी चाहिए, इस प्रकार ₹0 98942.00 के व्यापार कर कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये व्यापारकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्डविकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये व्यापारकर ₹0 130604.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/ बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्य वाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०- 06 बिलसण्डा)

प्रस्तर संख्या-228 . ₹0 97798.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि नहीं एवं ₹0 10492.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि- वर्ष 2014-15 में उपरोक्त तालिका-02 से स्पष्ट है कि ₹0 4791575.00 के सामग्री क्रय पर अंकन ₹0 97798.00 टी0डी0एस0 कटौती की गई जबकि 2.26 प्रतिशत की दर से ₹0 108290.00 की टी0डी0एस0 कटौती की जानी थी। इस प्रकार ₹0 10492.00 से कटौती कम कर राजस्व की हानि की गई। ऐसे में न काटे गए आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है साथ ही ₹0 97798.00 टी0डी0एस0 की पुष्टि में इश्यु चैक नं0 /चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण उक्त के जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। **(सामान्य आपति सं0-05, पूरनपुर)**

प्रस्तर संख्या-229 . उ0प्र0 वैट अधिनियम- 2008 की धारा- 3 (1) के अन्तर्गत फर्म / सम्बन्धित को भुगतानों की दशा में 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती की जानी थी। शासनादेश सं0- ए-1-35/दस-2011 दिनांक- 03.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत कटौती सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है। वर्ष-2014-15 में संलग्न तालिका-2 के अनुसार कुल सामग्री क्रय ₹0 4791575.00 पर 4 प्रतिशत की दर से ₹0 191663.00 की वैट कटौती किया जाना था जबकि कटौती शून्य रही। इस प्रकार ₹0 186271.00 की वैट कटौती नहीं कर राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी, जिसके सम्बन्ध में अवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन ₹0 5392.00 की क्षतिपूर्ति दण्डीय ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0 आ0 सं0- 06, पूरनपुर)**

प्रस्तर संख्या-230 .वर्ष-2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय सिक्कोरिटी मनी के रूप में अंकन ₹0 121438.00 की कटौती की गई है, जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को कब-कब कितनी-कितनी और किन-किन माध्यमों से की गई या नहीं की गई कोई पत्रावली / अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में संगत अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली /विधिक कार्यवाही लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी से की जाये। **(सा0 आ0 सं0- 07 पूरनपुर)**

प्रस्तर संख्या-231 .टी.डी.एस. कम काटकर राजस्व की हानि:- वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन ₹0 165813.00 के आयकर कटौती की पुष्टि ग्रांट रजिस्टर से होती है जबकि वर्ष 2014-15 में ₹0 8578545.00 के सामग्री क्रय पर 2.26 प्रतिशत की दर से ₹0 193875.00 कटौती किया जाना था। इस प्रकार ₹0 28062.00 कम कटौती कर राजस्व हानि पहुंचाई गयी। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0- 05 अमरिया)**

प्रस्तर संख्या-232 .उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008 की धारा-3 (1) के अन्तर्गत सम्बिदा के भुगतानों की दशा में 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती की जायेगी। शासनादेश सं0- ए-1-351/दस-2011 दिनांक- 03.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत टी0डी0एस0 सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का है।

आलोच्य वर्षों में कुल सामग्री क्रय ₹0 8578545.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 343141.80 व्यापार कर वसूली की जानी थी जबकि ग्रांट रजिस्टर से ₹0 331718.00 की कटौती की पुष्टि होती है। इस प्रकार व्यापार कर ₹0 11423.80 से कम काटी जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है साथ ही राजस्व क्षति अंकन ₹0 11423.80 की प्रतिपूर्ति दण्डीय ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0सं0- 06 अमरिया)**

प्रस्तर संख्या-233 .शासनादेश संख्या- ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक- 21.03.2012 के अनुसार यदि संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राज कोश में जमा करा दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2014-15 में अर्जित ब्याज एवं गत वर्षों का अर्जित ब्याज में से ₹0 675650.00 वर्ष में राज्य सरकार को वापस किया जाना बताया गया। लेकिन उक्त को जमा किये जाने की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे ₹0 675650.00 की धनराशि को राज्य कोश में जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी।उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।**(सा0आ0सं0-07 अमरिया)**

प्रस्तर संख्या-234 . ₹0 78908.00 टी.डी.एस. जमा की पुष्टि न हो पाने एवं ₹0 14823.00 की टी.डी.एस. कम काटकर राजस्व की हानि:-वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन ₹0 78908.00 के आयकर कटौती की गयी है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय ₹0 4147394.00 की दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से ₹0 93731.00 के आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार ₹0 14823.00 का आयकर कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी.डी.एस. अंकन ₹0 78908.00 की जमा की पुष्टि में इश्यु चैक नं0/ बैंक स्टेटमेन्ट / चालान /दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्य वाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपति संख्या- 05, बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या-235 .आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय ₹0 4147394.00 पर 04 प्रतिशत की दर से कुल वाणिज्यकर ₹0 165895.76 की कटौती की जानी चाहिए थी, जबकि वर्ष में ₹0 66626.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार ₹0 99269.76 की कटौती कम की गई है, जिससे ₹0 99269.76 के राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। साथ ही काटे गये वाणिज्यकर ₹0 66626.00 की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-06,बीसलपुर)**

प्रस्तर संख्या-236 . वर्ष 2014-15 में 2406.69 घन मी० मिट्टी हेतु कुल ₹0 127818.00 का भुगतान किया गया है, जिस पर नियमानुसार ₹0 30.00 प्रति घन मीटर की दर से ₹0 82200.70 की रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

दिनांक	दर/घन मी०	तालिका 01 में कार्य का क्रमांक	मात्रा घन मी० में	धनराशि	किससे खरीद की गयी
23.06.2014	55.00	05	189.89	10444.00	गेंदन लाल
09.12.2014	55.00	06	132.11	7266.00	मनोज
26.03.2015	55.00	09	181.80	9999.00	संजीव कुमार
19.03.2015	55.00	10	113.63	6250.00	पृथ्वी सिंह
—	55.00	13	65.69	3613.00	सुरेश
—	55.00	14	254.69	14008.00	मैशाद खां
08.10.2014	55.00	16	57.63	3170.00	प्रेमपाल
19.02.2014	55.00	17	148.00	8140.00	विशु कुमार
17.10.2014	55.00	18	272.73	15000.00	विजय पाल शर्मा
19.03.2015	55.00	20	100.09	5505.00	जय सिंह
20.12.2015	55.00	21	63.00	3465.00	रामेश्वर दयाल
19.03.2015	49.50	22	190.91	9450.00	सरवेश
18.10.2014	49.50	23	82.52	4085.00	इल्यास
12.06.2014	49.50	24	292.00	14454.00	प्रेमपाल
17.03.2015	49.50	25	262.00	12969.00	सुरेश चन्द्र
योग—	803.00		2406.69	127818.00	

(सामान्य आपत्ति संख्या- 07, बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या-237 . ₹0 48656.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं ₹0 9147.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि- वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन ₹0 48656.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय ₹0 2557634.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 : की दर से ₹0 57803.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार ₹0 9147.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन ₹0 48656.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न०/ बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा०आ०सं०- 5 ललौरीखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या-238 . आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय ₹0 2557634.00 पर 4: प्रतिशत की दर से कुल ₹0 102305.00 की कटौती की जानी चाहिए, जबकि वर्ष में ₹0 97312.00 कटौती की गई है, इस प्रकार ₹0 4993.00 कटौती कम की गई है, जिससे ₹0 4993.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। ऐसे में न काटे गये वाणिज्य की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन ₹0 97312.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा०आ०सं०- 6, ललौरीखेड़ा)**

प्रस्तर संख्या-239 . ₹0 47692.00 टी.डी.एस. जमा की पुष्टि न हो पाने एवं ₹0 8049.00 की टी.डी.एस. कम काटकर राजस्व की हानि:- वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणको के भुगतान के समय अंकन ₹0 47692.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय ₹0 2466409.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 : की दर से ₹0 55741.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार ₹0 8049.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन ₹0 47692.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न०/ बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही

अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०- 05 बिलसण्डा)

प्रस्तर संख्या-240 .आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय ₹0 2466409.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 98656.00 के वाणिज्य कर की कटौती की जाना चाहिए, जबकि वर्ष में ₹0 94113.00 कटौती की गई है, इस प्रकार ₹0 4543.00 कटौती कर राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी। ऐसे में न काटे गये वाणिज्य की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये वाणिज्य कर ₹0 94113.00 का जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न०/ बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति सं०- 06 बिलसण्डा)

प्रस्तर संख्या-241 .लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में उपलब्ध कराई 01/246 बैंक ऑफ बडौदा बिलसण्डा से ₹0 5295954.00 का आहरण किया गया है। परन्तु उसकी पुष्टि मात्र ₹0 2966034.00 के व्यय संबंधी पत्रावली ही उपलब्ध करायी गयी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सं०-18 ख बिलसण्डा)

प्रस्तर संख्या-242 . ₹0 179544.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि नहीं एवं ₹0 293.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-वर्ष 2015-16 में उपरोक्त तालिका-02 से स्पष्ट है कि ₹0 7957409.00 के सामग्री क्रय पर अंकन ₹0 179544.00 टी0डी0एस0 कटौती की गई जबकि 2.26 प्रतिशत की दर से ₹0 179837.00 की टी0डी0एस0 कटौती की जानी थी। इस प्रकार ₹0 293.00 से कटौती कम कर राजस्व की हानि की गई। ऐसे में न काटे गए आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है साथ ही ₹0 179544.00 टी0डी0एस0 की पुष्टि में इश्यू चैक न० / चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण उक्त के जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। (सामान्य आपत्ति सं०-05, पूरनपुर)

प्रस्तर संख्या-243 . उ०प्र० वैट अधिनियम- 2008 की धारा- 3 (1) के अन्तर्गत फर्म / सम्बन्धित को भुगतानों की दसा में 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती की जानी थी। शासनादेश सं०- ए-1-35/दस-2011 दिनांक- 03.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत कटौती सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है।

वर्ष-2015-16 में संलग्न तालिका-2 के अनुसार कुल सामग्री कय ₹0 7957409.00 पर 4 प्रतिशत की दर से ₹0 318296.00 की वैट कटौती किया जाना था जबकि कटौती शून्य रही। इस प्रकार ₹0 285306.00 की वैट कटौती नहीं कर राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी, जिसके सम्बन्ध में अवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन ₹0 32990.00 की क्षतिपूर्ति दण्डीय ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (सा० आ० सं०- 06, पूरनपुर)

प्रस्तर संख्या- 244. वर्ष- 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय सिक्कोरिटी मनी के रूप में अंकन ₹0 97904.00 की कटौती की गई है, जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को कब-कब कितनी-कितनी और किन-किन माध्यमों से की गई या नहीं की गई कोई पत्रावली / अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वापसी की पुष्टि में संगत अभिलेख उपलब्ध न करा पाने की दशा में अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली / विधिक कार्यवाही लेखाकार / खण्ड विकास अधिकारी से की जाये। (सा० आ० सं०- 07 पूरनपुर)

प्रस्तर संख्या-245 .टी.डी.एस. कम काटकर राजस्व की हानि:-वर्ष 2015-16 में ₹0 5973052.00 के सामग्री कय पर भुगतान के समय अंकन ₹0 119642.00 आयकर कटौती की पुष्टि ग्रांट रजिस्टर से होती है। जबकि ₹0 5973052.00 के सामग्री क्रय पर 2.26 प्रतिशत की दर से ₹0 134991.00 कटौती किया जाना था। इस प्रकार ₹0 15349.00 कम कटौती कर राजस्व हानि पहुंचाई गयी। ऐसे में न काटे गये आयकर का धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-5, अमरिया)

प्रस्तर संख्या-246 .उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008 की धारा- 3 (1) के अन्तर्गत सम्बन्धित के भुगतानों की दशा में 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती की जायेगी। शासनादेश सं०- ए-1-351/दस-2011 दिनांक- 03.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत टी0डी0एस0 सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का है।

आलोच्य वर्षों में कुल सामग्री कय ₹0 5973052.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 238922.00 व्यापार कर वसूली की जानी थी जबकि ग्रांट रजिस्टर से ₹0 23565.00 की कटौती की पुष्टि होती है। इस प्रकार ₹0 215357.00 से व्यापार कर कम काटी गयी, जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है साथ ही राजस्व क्षति अंकन ₹0 215357.00 की प्रतिपूर्ति दण्डीय ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-6, अमरिया)

प्रस्तर संख्या-247 .शासनादेश संख्या- ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक- 21.03.2012 के अनुसार यदि संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राज कोश में जमा करा दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2015-16 में अर्जित ब्याज एवं गत वर्षों का अर्जित ब्याज में से ₹0 156068.00 वर्ष में राज्य सरकार को वापस किया जाना बताया गया। लेकिन उक्त को जमा किये जाने की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे ₹0 156068.00 की धनराशि को राज्य कोश में जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-07 अमरिया)

प्रस्तर संख्या-248 . ₹0 35614.00 जमा की पुष्टि हो पाने एवं ₹0 7341.95 की जै कम काटकर राजस्व की हानि - वर्ष- 2015-16 ₹0 35614.00 के आयकर कटौती की गयी है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय ₹0 1900706.00 की दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से ₹0 42955.95 के आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार ₹0 7341.95 का आयकर कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी.डी.एस. अंकन ₹0 35614.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चक न०/ बैंक स्टेटमेंट / चालान / दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्य वाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या- 05 बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या-249 .आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय ₹0 1900706.00 पर 04 प्रतिशत की दर से कुल ₹0 76028.00 के (ट।ज) व्यापारकर की कटौती की जानी थी, जिसके सापेक्ष ₹0 16815.00 के व्यापार कर की कटौती की गई है। इस प्रकार ₹0 59213.00 का व्यापारकर कम काटकर राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। ऐसे में न काटे गये व्यापारकर ₹0 16815.00 के जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न०/ बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण ही उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या- 06 बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या-250 .वर्ष 2015-16 में 1336.41 घन मी० मिट्टी हेतु कुल ₹0 66153.00 का भुगतान किया गया है, जिस पर नियमानुसार ₹0 30.00 प्रति घन मीटर की दर से ₹0 40092.30 की रायल्टी काटी जानी चाहिए, रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। अतः क्षति की पूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से करायी जानी अपेक्षित है।

दिनांक	दर/घन मी०	मात्रा घन मी० में	धनराशि (में ₹.)
10.06.2015	49.50	198.00	9801.00

10.06.2015	49.50	250.98	12424.00
05.09.2015	49.50	216.98	10741.00
20.07.2015	49.50	449.00	22225.00
08.09.2015	49.50	221.45	10962.00
योग—	247.50	1336.41	66153.00

(सामान्य आपति संख्या— 07 बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या—251 .रु० 6950.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 9530.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि—वर्ष 2015—16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 6950.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु० 729215.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रु० 16480.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 9530.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन रु० 6950.00 की जमा की पुष्टि में इश्यु चैक न० /बैंक स्टेटमेंट/ चालान /दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०—5, ललौरीखेड़ा)

प्रस्तर संख्या—252 .आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 729215.00 पर 4: की दर से कुल रु० 29168.00 की कटौती की जानी चाहिए, जबकि वर्ष में रु० 13900.00 कटौती की गई है, इस प्रकार रु० 15268.00 कटौती कम की गई है, जिससे रु० 15268.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। ऐसे में न काटे गये वाणिज्य की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन रु० 13900.00 की जमा की पुष्टि में इश्यु चैक न०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं०— 6, ललौरीखेड़ा)

प्रस्तर संख्या—253 . रु० 15165.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 6823.00 टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि— वर्ष 2016—17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 15165.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु० 972920.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रु० 21988.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 6823.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० अंकन रु० 15165.00 की जमा की पुष्टि में इश्यु चैक न०/ बैंक स्टेटमेंट/चालान / दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपति सं०— 05 बिलसण्डा)

प्रस्तर संख्या—254 . आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 972920.00 पर वाणिज्यकर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 38917.00 की कटौती की जाना चाहिए, जबकि वर्ष में रु० 26818.00 कटौती की गई है, इस प्रकार रु० 12099.00 कटौती कम की गयी है, जिससे रु० 12099.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। ऐसे में न काटे गये वाणिज्य की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये वाणिज्य कर रु० 26818.00 का जमा की पुष्टि में इश्यु चैक न०/ बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपति सं०— 06 बिलसण्डा)

प्रस्तर संख्या—255 .रु० 86304.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि नहीं एवं रु० 12129.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि—वर्ष 2016—17 में उपरोक्त तालिका—02 से स्पष्ट है कि रु० 4355428.00 के सामग्री क्रय पर अंकन रु० 86304.00 टी०डी०एस० कटौती की गई जबकि 2.26 प्रतिशत की दर से रु० 98433.00 की टी०डी०एस० कटौती की जानी थी। इस प्रकार रु० 12129.00 से कटौती कम कर राजस्व की हानि की गई। ऐसे में न काटे गए आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है साथ ही रु० 86304.00 टी०डी०एस० की पुष्टि में इश्यु चैक न०/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण उक्त के जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। (सामान्य आपति सं०—05, पूरनपुर)

प्रस्तर संख्या—256 . उ०प्र० वैट अधिनियम— 2008 की धारा— 3 (1) के अन्तर्गत फर्म / सम्बन्धित को भुगतानों की दसा में 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती की जानी थी। शासनादेश सं०— ए—1—35/दस—2011 दिनांक— 03.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत कटौती सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी की है।

वर्ष—2016—17 में संलग्न तालिका—2 के अनुसार कुल सामग्री कय रु० 4355428.00 पर 4 प्रतिशत की दर से रु० 174217.00 की वैट कटौती किया जाना था जबकि कटौती शून्य रही। इस प्रकार रु० 176611.00 की वैट कटौती नहीं कर राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी, जिसके सम्बन्ध में अवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु० 2394.00 की क्षतिपूर्ति दण्डीय ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी से की जानी अपेक्षित है। (सा० आ० सं०— 06, पूरनपुर)

प्रस्तर संख्या—257 .टी.डी.एस. कटौती कर जमा की पुष्टि नहीं— वर्ष 2016—17 में रु० 106911.00 आयकर कटौती की पुष्टि ग्रान्ट रजिस्टर से होती है वर्ष में रु० 107709.00 आयकर जमा कराया गया है। उक्त जमा की पुष्टि में जमा प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।रु० 107709.00 आयकर जमा की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०—5,अमरिया)

प्रस्तर संख्या—258 .उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008 की धारा—3 (1) के अन्तर्गत सम्बिदा के भुगतानों की दशा में 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती की जायेगी। शासनादेश सं०— ए—1—351/दस—2011 दिनांक— 03.08.2011 के अनुसार वैट अधिनियम के अन्तर्गत टी०डी०एस० सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का है।

आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु० 2862758.00 पर कुल रु० 115268.00 व्यापार कर कटौती की पुष्टि ग्रान्ट रजिस्टर से होती है। रु० 115268.00 व्यापार कर जमा ग्रान्ट रजिस्टर में दर्शाया गया है। जमा की पुष्टि में प्रमाणक सुलभ नहीं कराया गया। रु० 115268.00 व्यापार कर जमा की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०—6, अमरिया)

प्रस्तर संख्या—259 .शासनादेश संख्या— ए—1—122/दस—2012—10(33)/2010 दिनांक— 21.03.2012 के अनुसार यदि संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज सस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राज कोश में जमा करा दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2016—17 में रु. 185512.00 ब्याज राज्य कोश में जमा दर्शाया गया है लेकिन पुष्टि में जमा प्रमाणक सुलभ नहीं रहा साथ ही 31.03.2017 को रु० 213132.50 ब्याज की धनराशि अवशेष रोककर धन का दुरुपयोग किया गया। रु० 213132.50 राज्य कोश में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा।

(सा०आ०सं०— 7, अमरिया)

प्रस्तर संख्या—260 रु० 65045.00 जमा की पुष्टि हो पाने एवं रु० 19729.56 की कम काटकर राजस्व की हानि —वर्ष— 2016—17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 65045.00 के आयकर कटौती की गयी है। आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु० 3751087.00 की दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रु० 84774.56 के आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। इस प्रकार रु० 19729.56 का आयकर कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आपति संख्या— 05 बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या—261 .आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 3751087.00 पर 04 प्रतिशत की दर से कुल रु० 150043.48 के (ट।) की कटौती की जानी थी, जबकि रु० 130587.00 काटा गया। इस प्रकार रु० 19456.48 के बराबर कम व्यापार की कटौती की गयी है। अतः रु० 19456.48 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। ऐसे में न काटे गये व्यापार कर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से वसूलकर लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। तथा काटे गये व्यापार कर रु० 130587.00 के जमा की पुष्टि में इश्यु चैक न०/ बैंक स्टेटमेंट / चालान / दाखिल

रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण ही उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आपत्ति संख्या- 06 बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या-262 . वर्ष 2016-17 में 2628.14 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल ₹0 130092.00 का भुगतान किया गया है, जिस पर नियमानुसार ₹0 30.00 प्रति घन मीटर की दर से ₹0 78844.20 की रायल्टी काटी जानी चाहिए। परन्तु कार्यालय द्वारा रायल्टी मिट्टी आपूर्तिकर्ता से न काटकर कुल ₹0 70444.00 क्षेत्र पंचायत से जमा किया जाना दर्शाया है। अतः ₹0 78844.20 की कटौती नहीं कर एवं ₹0 70444.00 की धनराशि अपने स्तर से जमा की जानी दर्शित है, जिसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः ₹0 149288.20 की गम्भीर वित्तीय अनियमिता की गयी है, जिसकी वसूली संबंधित से की जानी चाहिए। मिट्टी खरीद का विवरण निम्न प्रकार से है-

दिनांक	दर/ घन मी0	मात्रा घन मी0 में	धनराशि (रु में)
-	49.50	215.75	10680.00
25.09.2016	49.50	453.00	22423.00
08.09.2016	49.50	363.00	17968.00
01.03.2016	49.50	403.84	19990.00
07.07.2017	49.50	172.00	8514.00
13.02.2017	49.50	326.93	16183.00
12.03.2017	49.50	166.00	8217.00
30.10.2016	49.50	269.50	13340.00
10.11.2016	49.50	62.12	3075.00
31.01.2017	49.50	196.00	9702.00
योग-	-	2628.14	130092.00

(सामान्य आपत्ति संख्या- 07 बीसलपुर)

प्रस्तर संख्या-263 . ₹0 681200.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं ₹0 10860.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व का- वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन ₹0 681200.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय ₹0 3494700.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से ₹0 78980.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार ₹0 10860.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन ₹0 681200.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0 / बैंक स्टेटमेंट/ चालान / दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-5, ललौरीखेड़ा)

प्रस्तर संख्या-264 . आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय ₹0 3494700.00 पर 4:प्रतिशत की दर से कुल ₹0 139788.00 की कटौती की जानी चाहिए, जबकि वर्ष में ₹0 138630.00 कटौती की गई है, इस प्रकार ₹0 1158.00 कटौती कम की गई है, जिससे ₹0 1158.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। ऐसे में न काटे गये वाणिज्य की धनराशि के बराबर बसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन ₹0 138630.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0- 6, ललौरीखेड़ा)

प्रारूप- 3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष- 2017-18 आवंटन वर्ष- 2018-19

मण्डल का नाम- बरेली

जनपद- शाहजहाँपुर

क्षेत्र पंचायतों से संबंधित आपत्तियों:-

(वर्ष 2018-19 में विशेष अभियान अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 से 16-17 तक की लेखा परीक्षा जनपद अन्तर्गत समस्त 15 क्षेत्र पंचायतों की सम्पन्न की गई। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के दो-दो अधिभार प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक का एक एवं वर्ष 2014-15 से 16-17 तक का एक। इस प्रकार कुल 30 अधिभार प्रतिवेदन निर्गत हुए, जिसके प्रस्तर 01 से 456 तक निम्नवत् है।)

प्रस्तर सं0-1 क्षेत्र पंचायत का नाम-**बण्डा**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटों को स्ट्रीट पोलो में लगाया जाना- टीएफसी टीएफसीसं0-250, स्टी0-1229750.00

तकनीकी स्टी0- 10.00 लाख, प्रशा0 व वि0 स्वी0- 1000000.00

उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि- प्रश्नगत कार्य तेरहवें वित्त आयोग के धन के उपभोग संबंधी गाइड लाइंस संबंधी शासनादेश सं0 2566 दिनांक 23.12.10 के विपरीत रहा।

आश्चर्य जनक रूप से 250 स्ट्रीट लाइटें लगवाने की स्वीकृति के बाद मात्र 125 लाइटें ही लगवायी गयी।

कार्यालय के नियमित पत्राकों का प्रयोग न कर मेमो दिनांक 29.09.2011 को अवर अभि0 राकेश कौशिक को कार्य प्रभारी बनाया गया और इसी दिन गोण्डा की फर्म एन एस कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर का कोटेशन भी आ गया। प्राप्त तीनों कोटेशन एक लिपि हस्तलिपि में हैं। गोण्डा कौन गया एवं क्यों अस्पष्ट रहा।

स्टीमेट के अनुसार स्ट्रीट लाइट स्थापना में प्रति लाइट रु0 44/- लेवर चार्ज व प्रति लाइट लिखाई पर रु0 50/- व्यय होना था, किन्तु 125 लाइट स्थापना पर एक भी धन व्यय नहीं है। आखिर लाइट लगी कैसे, अस्पष्ट रहा।

शासकीय विद्युत पोलो पर किसी भी रूप में छेड़-छाड़ कानूनन अपराध है। विद्युत लाइन पर किसी भी तरह का कार्य संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारी की स्वीकृति पर लाइन मैन द्वारा किया जाता है। पत्रावली में ऐसी न तो कोई स्वीकृति ही और न ही बी0डी0ओ या अवर अभि0 द्वारा विद्युत विभाग को पत्र ही लिखा गया है।

एम/एस चरनास जनपद गोंडा द्वारा 15.11.11 को 125 लाइटों का भुगतान रु0 500000 के भुगतान की मांग की हैं। मांग पत्र बिल के दो दिन पूर्व दिनांक 13.11.11 का है।

बिल पर बुक नं0 अंकित नहीं हैं। जिससे बिल का फर्जी होना स्पष्ट है।

उक्त पर एस0टी0 रु0 11300/- की कटौती नहीं की गयी मात्र टी0डी0एस0 रु0 10300/- काटा गया हैं। फर्म फर्जी होने के कारण फर्म द्वारा फार्म .16 की मांग नहीं की गयी।

भुगतान दि0 17.11.2011 को एक चेक से न कर तीन चेकों से निम्नवत् किया गया-

चेक नं0	दिनांक	धनराशि
002231	17.11.11	163234.00
002232	17.11.11	163233.00
002233	17.11.11	163233.00

भुगतान प्रक्रिया किये गये गबन को ही स्पष्ट करती है।

प्रस्तुत बी0डी0सी0, पंचायत सदस्यों व प्रधानों की फर्जी हैं। कुछ मुहर लगी हैं/ नहीं हैं एवं विश्वविजय वीर सिंह बी0डी0सी0 के 5 स्थानों पर हस्ताक्षर हैं।

कार्य के फोटो ग्राफ नहीं हैं। गांव-गांव लाइट कौन ले गया अज्ञात है।

उपरोक्त अंकित विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है। यहां तक कि पत्रावली में भुगतान के लिये लेखाकार द्वारा अंकित की जाने वाली टिप्पणी किसी अन्य ने (कोटेशन वाली हस्तलिपि है) की हैं, नीचे हस्ताक्षर लेखाकार के हैं।

इस प्रकार अपहरित धन रु0 500000/- की वसूली ब्याज सहित कार्य प्रभारी श्री राकेश कौशिक अवर अभि0, खण्ड विकास अधिकारी श्री लल्लूराम, प्रमुख श्री तौलराम व लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-2 क्षेत्र पंचायत का नाम-**बण्डा**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में 2- महमूदपुर में शिवपुरी खंजी मार्ग से प्रमुख जी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण एस0एफ0सी0, 150 मी0, स्टी0 3.81, उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि-

1- स्टीमेट गलत बनाया गया एवं तकनीकी स्वीकृति भी गलत दी गयी। टी0 एंड पी0 दरे कम सं. 279 के अनुसार आंकलित न कर रु0 250/- मीटर 3 से

आंकलित की गयी जो रु0 11250/- होता है। नियमानुसार टी एण्ड पी मूल्य रु0 2984/- होता है।

भुगतान रु0 659.30 प्रतिदिन की दर से रु0 12526.70 किया गया।

उक्त से स्पष्ट है कि अधिक लागत दिखाने के लिए माप आदि में भी हेराफेरी की गयी है।

2012-2013 के कार्य पडरिया पक्के मार्ग से छोटे लाल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण में रु030/- की दर से टी0 एंड पी0 आंकलित किया गया है।

कार्यालय के नियमित पत्राकों का प्रयोग न कर सभी पत्र मेमो से जारी है।

प्राप्त तीनों कोटेशन (दोनों सामान के 6) एक ही हस्तलिपि में हैं व फोटो स्टेट है।

स्वीकृत कोटेशन व पत्रावली में लेखाकार की टिप्पणी की हस्तलिपि एक है। साथ अधिसंख्य बिल व मस्टररोलों में भी।

धन अपहरण के लिए पत्रावली बनायी गयी है क्योंकि लेखाकार द्वारा अंकित की जाने वाली टिप्पणी की हस्तलिपि व स्वीकृत कोटेशनों व बिलों की हस्तलिपि एक व्यक्ति की है। लेखाकार ने मात्र हस्ताक्षर किये हैं।

मिट्टी कार्य स्टीमेट में रु0 10489.50 का 2 किमी0 दूर से लाना आंकलित था। किन्तु मिट्टी कार्य हुआ ही नहीं। उक्त के बगैर कार्य संभव न था।

मै0 शिवम ट्रेडर्स के बिल दो प्रकार के हैं लाल व सफेद। लाल बिल पर बुक नं0 अंकित नहीं हैं।

सामग्री खरीद कर नियमानुसार एस0टी0 व रायल्टी कटौती नहीं की गयी है।

मस्टर रोल पर कार्य अवधि व कार्य का नाम अंकित नहीं हैं, उपस्थिति प्रतिदिन न लेकर एक बार में भरी गयी है, व नि0अं0 एक या दो व्यक्तियों ने बनाये हैं।

अग्रिम मस्टररोलो 1642 बी0 में मिस्ट्री कार्यरत नहीं हैं। बिना मिस्ट्री रोड ढलाई संभव नहीं है।

प्रस्तुत कार्यपूति प्रमाणपत्र में निरीक्षण तिथि ही अंकित नहीं है तथा कार्य प्रारम्भ तिथि 27.04.11 गलत अंकित है साथ ही कार्य की माप तब अंकित नहीं है।

कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं हैं।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 373842.00 की वसूली ब्याज सहित कार्य प्रभारी श्री आर0एन0 मिश्र ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0), खण्ड विकास अधिकारी श्री लल्लू राम, अवर अभि0, श्री राकेश कौशिक तथा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। अभिनव शर्मा ब्लाक प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-3 क्षेत्र पंचायत का नाम-**बण्डा**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में- इकाई द्वारा निम्न सी0सी0 रोड व नाली निर्माण के कार्य करवाया जाना दर्शाया है-

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्टीमेट में ल0	निर्मित ल0	अनु0 लागत	कुल प्रयुक्त	योजना
1	महमूदापुर में खंडबारी सम्पर्क पर होली स्थान से नलकूप तक	80 मी0	70.40	2.881	173181	एस0एफ0सी0
2	सुनासर रोड से स्वामी जी की समाधी तक सी0सी0	60 मी0	अंकित नहीं	1.40	134134	एस0एफ0सी0
3	सिंगापुर पनई में छेदालाल के मकान से श्री कृष्ण के मकान तक	150 मी0	149.50	3.81	376607	एस0एफ0सी0
4	सिंघापुर पनई में भानपुर सम्पर्क मार्ग से रेवती के घर तक	70 मी0	अंकित नहीं	1.91	155995	एस0एफ0सी0
	योग				839917.00	

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि-

1- काल्पनिक व बढ़ा चढ़ा कर बनाये गये स्टीमेट-

अ- उक्त कार्यों के स्टीमेट में टी0 एंड पी0 चार्जस का आंकलन । पर सिरियल नं0 273 एवं 773 न कर मनमर्जी से काफी अधिक दर से किया व तदनुसार भुगतान किया गया। विवरण इस प्रकार है-

कार्य क्रमांक	जे0ई0 द्वारा दर्शित		वाजिव	भुगतान	
	कुल	दर मी03		दर प्रतिदिन	धनराशि
1	6000	250	1267	487	5357
2	4500	250	1161	305	4575
3	11200	25	2760	अंकित नहीं	11250
4	5250	250	1284	313.90	4594

ब- निम्न कार्यों पर स्टीमेट में 2 किमी0 दूर से मिट्टी ढलाई कर पट्टाई का प्राविधान किया गया है, किन्तु कार्य बिना मिट्टी पट्टाई के ही पूर्ण होना दर्शित है जिससे स्वतः स्पष्ट है कि या तो स्टीमेट कल्पित है या फिर कार्य हुआ ही नहीं है। क्योंकि स्टीमेट स्थलीय सर्वे कर बनाया जाता है। विवरण निम्नवत है-

सूची कार्य का क्रमांक	स्टीमेट में 2 किमी0 की दूरी से मिट्टी की मात्र	लागत मिट्टी की
02	168.73 घनमीटर	13110.00
03	135 घनमीटर	10489.00
04	63 घनमीटर	5329.00

2 ठेके पर कार्यालय के बाहर कार्यों की फाइल तैयार होना-

लेखाकार द्वारा भुगतान के लिए अंकित टिप्पणी/नोट लेखाकार की हस्तलिपि में न होकर किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसने कोटेशन व बिल बनाया है। लेखाकार ने अंकित टिप्पणी के नीचे हस्ताक्षर मात्र किये हैं।

3 कच्चे बिल होना, रायल्टी व व्यापार कर की कटौती न करना-

अ- अधिसंख्य बिलों पर बुक नं0 का अंकन नहीं है।

ब- सामग्री खरीद के बिलों पर नियमानुसार व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी।

स- उपखनिजों की खरीद पर न तो वैध रक्कन मिमी.11द्ध लिया गया और न ही रायल्टी की कटौती की गयी।

द- बिलों की टी0डी0एस0 की कटौती तो की गयी किन्तु फर्मों से टी0डी0एस0 रिफण्ड हेतु फार्म.16द्ध नहीं लिया गया जिससे स्वतः स्पष्ट है कि फर्म टैक्स रिटर्न फाईल नहीं करती हैं तथा इस से यह भी स्पष्ट है कि जो सामग्री फर्मों द्वारा ब्रिकी की गयी है, उसके लिये वह अधिकृत ही नहीं है।

4-कंसट्रक्सन ज्वॉन्ट संबंधी कोई व्यय नहीं है, जिससे कार्य पूर्ण नहीं होना स्पष्ट है।

5- पॉलीथीन खरीद नहीं की गयी है। बिना पॉलीथीन सी0सी0 रोड निर्माण नियमानुसार संभव नहीं है।

6- कार्यों में प्रयुक्त मस्टर रोल का विवरण निम्नवत रहा-

कार्य क्रमांक	मस्टररोल नं0	कार्य अवधि	धनराशि	आय
1	ए.1651	अंकित नहीं	27880.00	सभी निशान एक जैसे
	बी.1651	अंकित नहीं	2680.00	उपस्थिति एक बार में भरी है
2	बिना नं0	अंकित नहीं	26800.00	उपरोक्त
3	ए.1643	अंकित नहीं	10600.00	उपरोक्त
	ए.1644	अंकित नहीं	33650.00	उपरोक्त

	बी.1644	अंकित नहीं	15550.00	उपरोक्त
4	बी.1659	अंकित नहीं	23160.00	उपरोक्त
	ए.1659	अंकित नहीं	4620.00	उपरोक्त

मस्टर रोल पर कार्य का नाम अंकित नहीं हैं तथा विकास खण्ड से मस्ट्रोल जारी होने की पुष्टि में तिथि सहित बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं हैं।

7- संग्रहित कार्यपूति प्रमाण-पत्र संलग्न कार्यपूति प्रमाण पत्रों की स्थिति निम्नवत रही-

कार्य क्रमांक	कार्यपूति हैं/नहीं	निरीक्षण तिथि	टिप्पणी
01	हैं	17.12.11	प्रारम्भ तिथि 30.11.11 गलत अंकित हैं। कार्य की चौड़ाई अंकित नहीं।
02	हैं	20.05.11	प्रारम्भ तिथि 27.04.11 गलत अंकित हैं, समाप्ति तिथि अंकित नहीं हैं, माप अंकित नहीं
03	हैं	26.09.11	कार्य प्रारम्भ तिथि 27.04.11 गलत अंकित है कार्य की चौड़ाई एवं मोटाई अंकित नहीं।
04	हैं	30.03.12	समग्री अलग-अलग अंकित नहीं, हस्ताक्षर किसी के नहीं है।

उपरोक्त अंकित विवरण से स्पष्ट है कि फर्जी कार्यपूति व एम बी की गई हैं। क्यूब टेस्ट रिपोर्ट नहीं है।

8- किसी भी कार्य के फोटोग्राफ नहीं हैं।

9- क्रमांक 3 के कार्य पर आंकिक द्वारा कार्य गाइड लाइंस के अनुसार न होना तथा प्रमुख द्वारा दबाव बनाया लिखा किन्तु बी0डी0ओ0 द्वारा उपेक्षा की गयी हैं।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से सुस्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्मों से दुरभिसंधि कर एवं फर्जी अभिलेख बनाकर धन का अपहरण किया गया हैं।

अतः अपहरित धन के 839917.00 की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री रामनारायन मिश्र ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) श्री विवेकशील पाल श्री देशराज ग्रा0 पं0 अधि0, अवर अभि0 श्री राकेश कौशिक लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। श्री अभिनव शर्मा ब्लाक प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-4 क्षेत्र पंचायत का नाम-**बण्डा**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में-इकाई द्वारा वर्ष आलोच्य में निम्नानुसार धन व्यय किया गया हैं-

राज्य वि0 आयोग- 2150419.00

बारहवां वि0 आ0- 104118.00

तेरहवां वि0 आ0- 500000.00

योग- 2754537.00

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कुल 07 कार्यों की पत्रावलियां प्रस्तुत की गयी जिनमें कुल प्रयुक्त राशि का 1760840.00 रही हैं अवशेष राशि रु0 993697.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक व पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। दिनांक 31.12.2016 को सेवानिवृत्त हुए लेखाकार श्री ईश्वर चंद मिश्र द्वारा अपने कार्यकाल से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का चार्ज वर्तमान लेखाकार को नहीं दिया गया हैं। बिना चार्ज हस्तारण के नोडयूज देकर सेवा निवृत्त देयकों भुगतान कराने के लिए खण्ड विकास अधिकारी भी उक्त के लिए उत्तरदायी हैं।

व्यय धनराशि के सापेक्ष संगत प्रमाणक व पत्रावलियां न होना धन का अपहरण को ही स्पष्ट करता है।

अतः अपहरित राशि रु0 993697.00 की वसूली ब्याज सहित लेखाकार श्री ईश्वर चंद मिश्र व खण्ड वि0 अधि0 श्री लल्लूराम, श्री आर0पी0 मिश्र श्री एस0 सी0 निगम व श्री उत्तम राम से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

पूर्ण चार्ज हस्तांतरण न कराने के लिए श्री विजय शंकर त्रिपाठी व श्री विकास खण्डबाल के प्रति भी प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-5 क्षेत्र पंचायत का नाम-**बण्डा**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में-इकाई द्वारा वर्ष आलोच्य 2012-13 में निम्नवत सी0सी0 रोड व नाली निर्माण के कार्य करवाया जाना दर्शित किया गया हैं-

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्टीमेट में लम्बाई मी0 में	निर्मित लम्बाई मी0 में	स्टीमेट में दक्षिण आकलित लागत	वास्तविक व्यय राशि	योजना
1	बण्डा ददिउरी मार्ग से नरवैल सिंह के फार्म तक सी0सी0 रोड	180 मी0	अंकित नहीं	4.85	418911.00	टीएफसी
2	ग्राम पडरिया में पक्के मार्ग से छोटेलाल के घर तक सी0सी0 व नाली	160 मी0	नहीं हैं।	4.53	432988.00	एस0एफ0सी0
3	बण्डा में पुवायां रोड से ताजपुर स0 पर सी0सी0 रोड व नाली	200 मी0	200.90	4.995	476179.00	एस0एफ0सी0
4	अल्हादादपुर में डामर रोड से बहादुर लाल बी0डी0सी0 के घर तक	200 मी0	187.00	6.52	575046.00	एस0एफ0सी0

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि-

1- उक्त कोई भी कार्य 2012-13 की तेरहवें वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग के धन से कराये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना में नहीं हैं।

तेरहवें वित्त आयोग की दो कार्य योजनाएं ले0प0 में पायी गयी। एक में 36 कार्य तो दूसरी में 41 कार्य अंकित हैं। इस प्रकार दूरीत कार्ययोजनाएं बनाये जाने का प्रकरण प्रकाश में आया हैं। कार्य योजनाएं संलग्न हैं।

2- गलत स्टीमेट बनाया जाना एवं बिना सम्यक जांच के स्वीकृति दिया जाना-

अ- कार्य क्रमांक 2 व 3 के स्टीमेट की प्रस्तावना में अंकन हैं कि मार्ग पर खण्डजा लगा हैं। उक्त के बावजूद कच्चे मार्ग की भांति 10 सेमी0 मोटी सी0सी0 रोड ढलाई का प्राक्कलन तैयार किया गया। नियमानुसार 7 से 7.5 सेमी0 मोटी सी0सी0 रोड ढलाई का प्राक्कलन बनाया जाना था, अन्यथा की दशा में ईटें उखड़वानी चाहिए थी।

ब- कार्य क्रमांक 3 में टी0 एंड पी0 का प्राक्कलन नियम विरुद्ध रु0 250/- की दर से बनाया गया।

3- टी0 एंड पी0 का प्राक्कलन गलत बनाना एवं अनियमित रूप से भुगतान-

स्टीमेट में अवर अभि0ने टी0 एंड पी0गलत दर पर आगणन किया एवं भुगतान किया गया तकनीक स्वीकृति बगैर सम्यक जांच के तदैवफडीआरडीए द्वारा दी गयी।

विवरण इस प्रकार रहा-

कार्य क्रमांक	आगणन	आगणन में दर	भुगतान में दर	कुल भुगतान
01	3793.50	30मी 3व 35 दरसे घनमीटर	217.80/प्रतिदिन व 62.85/प्रतिदिन	3706.95
02	1440.00	30 दरसे घनमीटर	172.70/प्रतिदिन	2935.90
03	15000.00	250घनमीटर दरसे घनमीटर	454/प्रतिदिन	14998.00
04	17178.25	35घनमीटर दरसे 3वदरसे 250 घनमीटर	30 मी 3व 35 दरसे घनमीटर	3716.20

4- मिट्टी ढुलाई से सम्बन्धित स्टीमेट गलत बनाना व भुगतान- स्टीमेटों में 2 किमी0 दूर से मिट्टी ढुलाई का आगणन किया गया। किन्तु 2 किमी0 दूर मिट्टी खदान कहां हैं, जी0एस0टी0 का कोई विवरण नहीं दिया गया। भुगतान कार्य प्रभारी से करवाया।

मिट्टी ढुलाई भाडा, भुगतान किया गया, किन्तु मिट्टी कहां से आयी, क्या मूल्य था रायल्टी सम्बन्धी कोई विवरण नहीं हैं। मिट्टी खरीद पर एक भी धन व्यय नहीं हैं। विवरण इस प्रकार रहा-

कार्य क्रमांक	2 किमी0 दूर से भाड़ा	भाड़ा भुगतान	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	14580.00	14580.00	कार्य प्रभारी
2	6480.00	6457.00	कार्य प्रभारी को
3	7380.00	—	—
4	10631.00	10611.00	कार्य प्रभारी को

5- कार्य क्रमांक 2 व 3 में बिना पॉलीथीन बिछाये सी0सी0 ढलाई दर्शित हैं, जो संभव नहीं हैं, पॉलीथीन क्रय नहीं हैं।

6- संदिग्ध कोटेशन- सभी कार्यों पर मात्र 3-3 कोटेशन ही प्राप्त दर्शित हैं। कोटेशन किसके द्वारा लाये गये, अस्पष्ट हैं। अधिसंख्य कोटेशनों की हस्तलिपि नहीं हैं, जिससे लेखाकार की टिप्पणियां अंकित हैं।

7- संदिग्ध मस्टर रोलो- उक्त कार्यों के मस्टरोलों की जांच में पाया गया कि-

अ- नियमों के विपरीत मस्टर रोलो में श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न लेकर एक बार में सभी की उपस्थिति अंकित की गयी हैं।

ब- सभी मस्टर रोलों में लगे श्रमिकों के नि0अ0 एक दो लोगों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। कुछ निशान उगलियों से बनाये गये हैं।

स- अधिकांश मस्टर रोलों पर श्रमिकों के नाम उसी हस्तलिपि में हैं। जिससे लेखाकार की टिप्पणी अंकित की गयी हैं।

द- अधिकांश मस्टर रोलों में कार्य अवधि का अंकन नहीं है मात्र माह का नाम अंकित है। क्रमांक 3 के कार्य में श्रमिकों के भुगतान तीन माह बाद दर्शित हैं।

ध- मस्टर रोलो पर विकास खण्ड से निर्गमन की पुष्टि में तिथि अंकित खण्ड वि0अधि0 के हस्ताक्षर नहीं हैं।

8- ठेके पर कार्यालय के बाहर कार्यों की पत्रावलियां तैयार किया जाना- उक्त कार्यों की पत्रावलियों में जांच में पाया गया कि लेखाकार द्वारा भुगतान के लिये अंकित की टिप्पणी/नोट लेखाकार की हस्तलिपि हैं मे न होकर किसी ऐसे व्यक्ति की हस्तलिपि जिसने अधिकांश कोटेशन व बिल तैयार किये हैं। लेखाकार द्वारा मात्र हस्ताक्षर ही किये गये हैं।

9- नियमानुसार कार्यों के फोटोग्राफ न होना- किसी कार्यों के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं पाये गये। फोटोग्राफ से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की आशंका से ऐसा किया गया पाया गया।

10- उपखनिजों की खरीद पर शासनादेश सं0 3981/77-5-200-1(2016) 93 दि0 05.08.2002 के अनुसार रायल्टी कटौती न कर शासकीय कोश की क्षति पहुंचाना- कार्यों के बिलों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर भुगतान पूर्व न तो रक्कन ,फार्म.मिमी.11द्ध लिया गया और न ही रायल्टी की कटौती की गयी।

रायल्टी की कटौती कर राजकोश में जमा न करने के कारण शासकीय कोश को क्षति जानबूझकर पहुंचायी गयी हैं, लेखा परीक्षा में संज्ञान में आया कि जिन फर्मों से उपखनिजों की खरीद दशायी गयी हैं, वह फर्म उपखनिजों की बिक्री के लिए अधिकृत ही नहीं हैं। इस प्रकार कय खनिजों की खरीद ही संदिग्ध हैं।

11- फर्मों द्वारा उनकें बिलों से कटौती किये गये टी0डी0एस0 के रिफण्ड के लिये ईकाई से,फार्म.16द्ध न लिया जाना-लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न फर्मों से विभिन्न कार्यों पर खरीदी गयी सामग्री के बिलों से टी0डी0एस0 की कटौती कर कोशागार में जमा किया गया हैं।

फर्मों द्वारा रिटर्न दाखिल करने में काटे गये टी0डी0एस0 के रिटर्न के लिये नियमानुसार,फार्म.16 ईकाई से लिया जाना था। किन्तु किसी भी फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि फर्म रिटर्न दाखिल नहीं करती या उनके द्वारा प्रस्तुत बिल कच्चे एवं अधिकृत नहीं हैं।

12- संदिग्ध कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र- कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्रों की जांच में पाया गया कि अवर अभियंता द्वारा नियमानुसार सामग्री का पूर्ण विवरण अंकित न कर एक मुश्त कुल लागत लिखी गयी तथा माप में भी लम्बाई, चौड़ाई व ऊंचाई का पूर्ण विवरण अंकित न कर मात्र लम्बाई ही लिखी गयी हैं

13-कार्यों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी पत्रों को नियमानुसार कार्यालय के नियमित पत्राकों से जारी न कर किसी अन्य पत्राकों से जारी हैं। अधिकांश पत्र मेमों से जारी हैं।

14- अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर न करना- लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखाकार से लेकर खण्ड विकास अधिकारी तक ने हस्ताक्षर बिना तिथि अंकित किये गये हैं, जोकि स्वयं में अनियमितता हैं।

15- कार्यों का चयन शासनादेशों के अनुरूप नहीं रहा- उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्मों से दुरभिसंधि कर एवं फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 1903124.00/- की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री एस0के0 गौतम/विवेकशील पाल ग्रा0पं0अधि0, अवर अभि0 श्री राकेश कौशिक, खण्ड वि0 आ0 श्री आर0 पी0 मिश्र/श्रीमती नजमा सिद्दकी/श्रीमती विमला देवी (कार्यकालानुसार) करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-6 क्षेत्र पंचायत का नाम-**बण्डा**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 मेइकाई द्वारा वर्ष आलोच्य 2012-13 में निम्नवत नाली निर्माण के कार्य करवाया जाना दर्शित किया गया है-

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्टीमेट लम्बाई में	में मी0	निर्मित लम्बाई मी0 में	स्टीमेट आकलित लागत	वास्तविक व्यय राशि	योजना पर व्यय	योजना
1	सिंघापुर में पूर्व प्रधान राम भजन के घर से कलरा तालाब तक	220.00		236.00	3.88	3653963.00	टीएफसी	टीएफसी
2	भानपुर निबुआ चक में मनोज के घर से गांव के पूरब तालाब	60.00		संलग्न नहीं	1.89	178493.00	टीएफसी	टीएफसी
3	तिहार ऐजनपुर से पंचम के घर से मेन रोड तक	40.00		संलग्न नहीं	1.23	83949.00	टीएफसी	टीएफसी
4	शिवपुरी खन्जी. में रामदयाल के घर के दक्षिण खण्डजा तक	120.00		80.70	0.64	40664.00	टीएफसी	टीएफसी
5	धर्मापुर में राजेश के घर से छोटे लाल के घर तक	40		संलग्न नहीं	0.65	51294.00	टीएफसी	टीएफसी
6	सैदापुर डावघाट में अरब सिंह से घर मंगूलाल के घर तक	50		संलग्न नहीं	0.65	22808.00	टीएफसी	टीएफसी
	योग					742604.00		

उपरोक्त कार्यों की कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि-

कार्यों का चयन शासनादेशों के अनुरूप नहीं रहा।

लेखाकार ने उपरोक्त अंकित कार्य क्रमांक 4 में टिप्पणी अंकित की हैं कि 13 वे वित्त आयोग की कार्य योजना के कार्य क्रमांक 1,2,4,7,24,30,32,36 के फार्म तेरहवें वित्त आयोग की गाइड लाइन के विपरीत हैं फिर भी बी0डी0आ0 ने कार्य कराने के निर्देश दिये

उपरोक्त अंकित सभी कार्यों पर कोटेशन मात्र 3-3 प्राप्त होना दर्शित है। कोटेशन किसके द्वारा प्राप्त हैं, अस्पष्ट हैं। अधिसंख्य कोटेशनों, बिलों व लेखाकार की टिप्पणी में एक ही हस्तलिपि हैं, जिससे वास्तविकता संदिग्ध हैं।

एमधएस बण्डा सीमेंट स्टोर व शिवम ट्रेडर्स द्वारा एक ही तिथि दिनांक 2.1.13 को विभिन्न कार्यों पर सामग्री की आपूर्ति स्वीकृति कोटेशनों के आधार पर भिन्न-भिन्न दर पर निम्नवत की गयी-

सामग्री का नाम	सिंघापुर पनई कलरा तालाब तक नाली निर्माण	ददिथुरी खण्डजे से नरवेल के फार्म तक सी0सी0 रोड
रोडी	3000	3400

बजरी	546 दरसे घनमीटर	1522 दरसे घनमीटर
मोरंग	1406 दरसे घनमीटर	1383 दरसे घनमीटर

इस प्रकार कोटेशनों की स्वीकृति अनियमित रही।

कार्य क्रमांक (1) में स्टीमेट में बजरी 6-78 मीटर 3 लगना आंकलित था, जबकि कय मात्र 2-92 घनमीटर की गयी है। उक्त मात्रा से नाली निर्माण संभव ही नहीं है।

उपखनिजों की खरीद पर शासनादेश सं० 3981/77-5-200-1(216) 93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार भुगतान पूर्व रवन्ना ,मिमी.11द्व लिया गया और न ही रायल्टी की कटौती की गयी है। वस्तुतः दर्शित फर्म उपखनिजों की बिक्री के लिये अधिकृत ही न थी।

व्यापार कर की कटौती न किया जाना-

सामग्री खरीद के बिलों से व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार से शासकीय कोश को क्षति पहुंचायी गयी है। उक्त से यह भी स्पष्ट है कि बिल विधिक नहीं हैं। फर्मों द्वारा कटौती किये गये टी0डी0एस0 के रिफंड के लिये इकाई से ,फार्म.16द्व नहीं लिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि फर्म वास्तविक नहीं हैं।

संदिग्ध मस्टररोल-

उक्त कार्यों के मस्टर रोल की जांच में पाया गया कि-

क- नियमों के विपरीत मस्टर रोल में श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न लेकर एक बार में सभी की उपस्थिति अंकित की गयी है।

ख- सभी मस्टर रोल में लगे श्रमिकों के नि० अ० एक दो लोगों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं।

ग- अधिकांश मस्टर रोल पर श्रमिकों के नाम उसी हस्तलिपि में हैं जिससे लेखाकार की टिप्पणी अंकित की गयी है।

ड- मस्टर रोल पर विकास खण्ड से निर्गमन की पुष्टि में तिथि अंकित खण्ड वि०अधि० के हस्ताक्षर नहीं हैं।

ठेके पर कार्यालय के बाहर कार्यों की पत्रावलियां तैयार किया जाना-

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि लेखाकार द्वारा भुगतान के लिये अंकित की टिप्पणी/नोट लेखाकार की हस्तलिपि में न होकर किसी ऐसे व्यक्ति की हस्तलिपि है जिसने अधिकांश कोटेशन व बिल तैयार किये हैं। लेखाकार द्वारा मात्र हस्ताक्षर ही किये गये हैं।

नियमानुसार कार्यों के फोटोग्राफ न होना-

किसी कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं पाये गये। फोटोग्राफों से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की आशंका से ऐसा किया जाना पाया गया।

उपखनिजों की खरीद पर शासनादेश सं० 3981/77-5-200-1(216) 93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रायल्टी कटौती न कर शासकीय कोश की क्षति पहुंचाना-

कार्यों के बिलों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर भुगतान पूर्व न तो रवन्ना ,फार्म.मिमी.11द्व लिया गया और न ही रायल्टी की कटौती की गयी।

रायल्टी की कटौती कर राजकोश में जमा न करने के कारण शासकीय कोश को क्षति जानबूझकर पहुंचायी गयी है, लेखा परीक्षा में संज्ञान में आया कि जिन फर्मों से उपखनिजों की खरीद दशायी गयी है, वह फर्म उपखनिजों की बिक्री के लिए अधिकृत ही नहीं हैं। इस प्रकार कय खनिजों की खरीद ही संदिग्ध है।

12-फर्मों द्वारा उनकें बिलों से कटौती किये गये टी0डी0एस0 के रिफंड के लिये इकाई से वित०.16 न लिया जाना-लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न फर्मों से विभिन्न कार्यों पर खरीदी गयी सामग्री के बिलों से टी0डी0एस0 की कटौती कर कोशागार में जमा किया गया है।

फर्मों द्वारा रिटर्न दाखिल करने में काटे गये टी0डी0एस0 के रिटर्न के लिये नियमानुसार वित०.16 इकाई से लिया जाना था। किन्तु किसी भी फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि फर्म रिटर्न दाखिल नहीं करती या उनके द्वारा प्रस्तुत बिल कच्चे एवं अधिकृत नहीं हैं।

12-संदिग्ध कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र- कार्यों के फार्म पूर्ति प्रमाण पत्रों की जांच में पाया गया कि अवर अभियंता द्वारा नियमानुसार सामग्री का पूर्ण विवरण अंकित न कर एक मुश्त कुल लागत लिखी गयी तथा माप में भी लम्बाई, चौड़ाई व ऊंचाई का पूर्ण विवरण अंकित न कर मात्र लम्बाई ही लिखी गयी है।

13-कार्यों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी पत्रों को नियमानुसार कार्यालय के नियमित पत्राकों से जारी न कर किसी अन्य पत्राकों से जारी हैं। अधिकांश पत्र मेमों से जारी हैं।

14-अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर न करना- लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखाकार से लेकर खण्ड विकास अधिकारी तक ने हस्ताक्षर बिना तिथि अंकित किये गये हैं, जोकि स्वयं में अनियमितता है।

15-कार्यों का वयन शासनादेशों के अनुरूप नहीं रहा- उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्मों से दुरभिसंधि कर एवं फर्जी अभिलेख तैयार फिर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 742604/- की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री एस०के० गौतम/विवेकशील पाल ग्रा०पं०अधि०, अवर अभि० श्री राकेश कौशिक, खण्ड वि० अधि० श्री लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-7 क्षेत्र पंचायत का नाम-**बण्डा**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में इकाई द्वारा वर्ष आलोच्य 2012-13 में निम्नवत नाली निर्माण के कार्य करवाया जाना दर्शित किया गया है-

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्टीमेट में लम्बाई मी० में	निर्मित दर्शित लम्बाई मी० में	स्टीमेट आंकलित लागत	वास्तविक व्यय राशि	योजना
1	खुटार रोड से डकौरा सेवा मार्ग पर	300.00	अंकित नहीं	2056	241313	एस०एफ०सी०
2	ददियूरी सुनासर मार्ग पर चरन सिंह के फार्म तक	200.00	अंकित नहीं	1.59	142360	एस०एफ०सी०
3	कुर्वरपुर जप्ती में पुवायां रोड से प्रेमपाल के मकान तक	200.00	अंकित नहीं	1.60	153987	एस०एफ०सी०
4	बण्डा पूरनपुर रोड से लालपुर रोड तक	750.00	763.00	8.00	780776	एस०एफ०सी०
	योग				1318436.00	

उक्त कार्यों की कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि-

उपरोक्त अंकित चारों कार्यों में से कोई भी कार्य 2012-13 की राज्य वित्त या तेरहवें वित्त आयोग की कार्य योजना में नहीं है। नियमानुसार विगत वित्तीय वर्षों के यदि कोई कार्य कराना हो, तो आलोच्य वर्ष की कार्ययोजना में शामिल करने के उपरान्त वर्ष की कार्ययोजना में शामिल करने के उपरान्त ही कार्य कराया जाना चाहिए था। (क्रमांक 4 को छोड़कर)

योजना की दो कार्य योजनाएं लेखा परीक्षा में प्रस्तुत थी, जिनमें कोई भी कार्य योजना पूरक कार्य योजना न थी साथ ही उक्त दोनों में प्रमुख खण्ड वि० अधि० व अवर अभि० के हस्ताक्षर बिना तिथि अंकित हैं।

एक कार्य योजना में 41 कार्य तो दूसरी में 36 कार्य अंकित हैं। इस प्रकार कार्य योजना ही नियम विरुद्ध रही। (छाया प्रति संलग्न है।)

कार्य योजना में दर्शित लम्बाई अनुमानित लम्बाई होती है। वास्तविक लम्बाई स्टीमेट बनाने में माप के समय ज्ञात होती है।

कार्यक्रमांक 4 में अनुमानित लम्बाई 750 मी० व स्टीमेट में दर्शित वास्तविक लम्बाई मी० 750 मी० ही है। जिससे स्टीमेट स्वयं संदिग्ध होता है।

कार्य क्रमांक 1 व 2 में सभी पत्र मेमों से जारी हैं तथा कार्य क्रमांक 3 व 4 क्रमशः 78 से 87 दिनांक 01.1.13 व 2.1.13 तथा 67 से 68 दिनांक 1.1.13 प्रयुक्त हैं। उक्त पत्राक नं० कार्यालय के नियमित पत्राक नं० न होकर कल्पित नं० हैं। किसी भी कार्यालय में एक ही प्रेषण व प्राप्ति पंजिका होती है। उक्त के सम्बन्ध में इकाई द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

कार्य क्रमांक 1 व 3 पर 2 से 4 किमी० दूर से मिटटी ढुलाई का निम्नवत प्राक्कलन किया गया व व्यय किया गया है-

कार्य क्रमांक	प्राक्कलन	दूरी	धनराशि	व्यय विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता
01	763.29×45	2	34354.31	अर्जुन सिंह-739×45 15.5.12त्र33255	कार्य प्रभारी 25.5.12
03	342.60×61.20	4	930.40	धीरपाल-209.4-4×61.20 त्र12815, 13.1.13	कार्य प्रभारी 21.2.13

स्टीमेट में 2 किमी0 या 2 किमी0 दूर मिटटी की खदान है, स्पष्ट नहीं किया गया। प्रमाण से भी स्थिति अस्पष्ट है। रायल्टी रू0 33181- अदायगी का कोई साक्ष्य नहीं है। मिटटी किससे और कितने मूल्य की खरीदी गयी आदि तथा अस्पष्ट है।

उक्त का भुगतान सम्बन्धित को न कर कार्य प्रभारी को करना, फर्जीवाड़ा को ही स्पष्ट करता है। इस प्रकार उक्त कार्य फर्जी पाया गया ग्राम पं0 अधि0 अल्प वे0 भोगी होता है, वह अपनी अमानत नहीं लगायेगा।

उक्त चारों कार्य हेतु ईट खरीद के लिए निम्नवत कोटेशन मांग व स्वीकृति दी गयी-

क्र0सं0	कोटेशन पत्रांक व दिनांक	कोटेशन प्राप्ति तिथि	प्राप्त कोटेशन की संख्या	स्वीकृति तिथि
1	मेमो दिनांक 3.5.12	4.5.12	03	5.5.12
2	मेमो दिनांक 3.5.12	10.3.12	03	14.3.12
3	80 दिनांक 01.01.13	2.1.13	03	2.1.13
5	68 दिनांक 01.01.13	2.1.13	03	2.1.13

उपरोक्त अंकित विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि कोटेशन संबंधी प्रक्रिया में कागजी रवन्ना पूर्ति की गयी है।

कोटेशनों की हस्तलिपि पत्रावली में लेखाकार की टिप्पणी में जो हस्तलिपि है वही है।

कार्य क्रमांक 3 व 4 के स्टीमेटों में खण्डजा ईट दर रू0 2909/- प्रति हजार की दर थी। किन्तु इ0ई0 डी0आर0डी0ए0 ने अतिविलम्ब से दिनांक 31.12.2012 को तकनीकी स्वीकृति दी, फलस्वरूप ईट दर रू0 4050/- हो गयी एवं लागत बढ़ गयी। जिसके लिए ए0ई0डी0आर0डी0ए0 दोषी पाये गये।

कार्य क्रमांक 3 व 4 में खण्डजा ईट लगवायी का कार्य निम्नवत प्रारम्भ किया गया व उक्त के लिये ईट खरीद निम्नवत कय किया जाना पाया गया-

कार्य क्र0	ईट लगवायी प्रारम्भ तिथि	ईट क्रय विवरण		
		तिथि	मात्रा	मूल्य
03	21.1.13	2.1.13	26000	105300.00
		20.1.13	4245	17192.00
04	16.1.13	9.1.13	125000	506250.00
		16.1.13	20900	84646.00

उपरोक्त अंकित विवरण से स्पष्ट है कि बिना आवश्यकता के ईट क्रय की गयी एवं पहले से खरीदी गयी ईटों का उपभोग किये बगैर बिना आवश्यकता के पुनः ईट क्रय की गयी है।

उपरोक्त अंकित सभी कार्यों के मस्टर रोल में-

क- नियमों के विपरीत श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न लेकर एक बार में भरी गयी है।

ख- मस्टर रोल पर अंकित सभी नि0अ0 एक समान हैं व एक दो लोगों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं।

ग- कार्य क्रमांक 4 के मस्ट्रोल नं0 अ-1682, अ-1631,अ-1380 व अ-1679 सभी में आश्चर्यजनक रूप से श्रमांश रू0 33600/- हैं व मकर संक्रांति (14.01.2012) को भी कार्य करना दर्शित है, जो संभव नहीं है।

घ- कार्य क्रमांक4 के मस्ट्रोल क्रमांक अ-1679 में अंकित माह जनवरी-13 के अनुसार 16.1 से 31.1 के मध्य 6 मिस्त्रियों व 14 श्रमिकों ने खण्डजा लगाया है। एक मिस्त्री पर दो श्रमिक लगते हैं।

जबकि इसी कार्य पर एम0आर0 ब-1680 में 7 श्रमिकों द्वारा इसी अवधि में कार्य कराना दर्शित है। जो संभव नहीं है।

किसी कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं है।

कार्य क्रमांक 3 की कार्य पूर्ति नहीं है व कार्य क्रमांक 4 की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार कृत कार्य 763×3.303त्र2517.90 वर्ग मीटर रहा है।

उक्त कार्य पर कुल 14556 ईट लगेंगे जबकि ईट खरीद मात्र 145900 है। इस प्रकार मात्र 749.35×3त्र30 मी02 कार्य संभव है।

स्वतः स्पष्ट है, कार्यपूर्ति कल्पित है।

इस प्रकार अवर अभि0 द्वारा तैयार एम बी स्वयं संदिग्ध है। एम बी

आयुक्त ग्राम विकास उ.प्र. के पत्रांक 1276/मु0प्रा0प0/एत सप्र-सरकार ग्रा0वि0/06 दिनांक 16.01.2006 के अनुसार 11 किमी0 मार्ग के कार्य पर जल निकासी हेतु दो पुलियों की व्यवस्था अनिवार्य है। जबकि क्रमांक 4 पर अंकित कार्य की लम्बाई 750 मी0 है एवं एक भी पुलिया प्राक्कलन में शामिल नहीं है। इस प्रकार प्राक्कलन नियमानुसार नहीं रहा।

किसी भी बिल से व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है। सभी कार्यों की पत्रावलियों में पाया गया कि लेखाकार द्वारा अंकित की जानी वाली टिप्पणियों उसी हस्तलिपि में हैं जो अधिकांश बिलों व कोटेशनों में हैं। लेखाकार द्वारा मात्र हस्ताक्षर ही किये गये हैं, जो स्पष्ट करता है कि पत्रावली कार्यालय के बाहर होने पर बनायी गयी है। कार्य का चयन भी शासनादेशों के अनुरूप नहीं है।

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट हैं कि सुनियोजित रूप से शासनादेशों के विपरीत कार्यों का चयन कर व फर्मों से दूरभिसंधि कर तथा फर्जी प्रमाणक तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 1318436 की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री रामनारायन मिश्र ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) (कार्य क्रमांक-1 व2), श्री विवेकशील पाल ग्रा0पं0अधि0 (कार्य क्रमांक-3), श्री ख्याली राम ग्रा0पं0 अधि0 (कार्य क्रमांक-4), अवर अभि0 श्री राकेश कौशिक वि0खण्ड वि0 अधि0 श्री एस0पी0 कन्नौजियां (कार्य क्रमांक 1 व 2) श्रीमती नजमा सिददकी व श्रीमती विमला देवी व लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-8 क्षेत्र पंचायत का नाम-बण्डा, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में इकाई द्वारा वर्ष आलोच्य 2013-14 में निम्नवत सी0सी0 रोड व नाली निर्माण के कार्य करवाया जाना दर्शित किया गया-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्टीमेट में ल0(मी0 में)	निर्मित दर्शित ल0 कार्यपूर्ति (मी0 में)	स्टीमेट में आकलि त लागत	वास्तव व्यय राशि	योजना
1	ग्राम रसूलपुर में पक्के रोड से अवधेश सिंह के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य	45 मी0	कार्य पूर्ति नहीं है।	1.62	147651.00	एस0एफ0 सी0
2	पडरिया दलेलपुर में सैदापुर सम्पर्क मार्ग से काव्या पब्लिक स्कूल तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	100 मी0	कार्य पूर्ति नहीं है।	3.08	286296.00	एस0एफ0 सी0
3	ग्राम बण्डा में पक्के रोड से प्रभु नारायण के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	80 मी0	कार्य पूर्ति नहीं है।	2.61	243060.00	एस0एफ0 सी0
4	ग्राम बण्डा में पक्के रोड से प्रभु नारायण सिंक के घर तक सी0सी0 रोड के अवशेष भाग का निर्माण	42 मी0	कार्य पूर्ति नहीं है।	1.46	137239.00	एस0एफ0 सी0
5	ग्राम शिवपुरी खंजी में पक्के रोड से मुरई लाल के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	100 मी0	कार्य पूर्ति नहीं है।	5.73	479593.00	एस0एफ0 सी0
6	ग्राम शिवपुरी खंजी में पक्के रोड से मुरई लाल के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	175 मी0	103.65	3.19	304162.00	एस0एफ0 सी0
7	रसूलपुर गढिया में रूपराम के घर रामरहीस यादव के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	60 मी0	कार्य पूर्ति नहीं है।	1.98	166177.00	एस0एफ0 सी0
8	सरदारपुर में पक्के रोड से प्रति पाल के घर के आगे तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	30 मी0	कार्य पूर्ति नहीं है।	1.04	90641.00	एस0एफ0 सी0
9	आलमपुर पिपरिया में खुटार रोड से श्री कृष्ण वर्मा के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	150 मी0	कार्य पूर्ति नहीं है।	5.54	436428.00	एस0एफ0 सी0
10	ग्राम बण्डा में ब्लाक के पीछे बाल कृष्ण पाण्डे के मकान से शिव किशोर मिश्रा के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	150 मी0	कार्य पूर्ति नहीं है।	5.40	532989.00	एस0एफ0 सी0

11	पडरी किशनपुर में पक्के रोड से विद्यालय से रामपाल वर्मा के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	100 मी0	कार्य पूर्ति नहीं है।	3.26	308708.00	एस0एफ0 सी0
12	बण्डा ददियूरी मार्ग से नखेल सिंह के फार्म तक सी0सी0 रोड अवशेश भाग	63 मी0	कार्य पूर्ति नहीं है।	2.47	184619.00	एस0एफ0 सी0
13	ग्राम हंसापुर में जय सिंह के घर से ओमप्रकाश के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण	60 मी0	कार्य पूर्ति नहीं है।	1.65	158700.00	एस0एफ0 सी0
14	ग्राम बौंदा जमालपुर में सिंघापुर कुरसंडा सम्पर्क मार्ग से राजेन्द्र वर्मा के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली	60 मी0	कार्य पूर्ति नहीं है।	2.03	167854.00	एस0एफ0 सी0
15	इण्डलपुर में मुकेश चंद गुप्ता के मकान से कृष्णा कुमार के घर तक सी0सी0 रोड व नाली		कार्य पूर्ति नहीं है।	2.69	259206.00	एस0एफ0 सी0
	योग				3903323.00	

उपरोक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि—

1— संदिग्ध स्टीमेट—

क— उक्त दर्शित कार्यों में क्रमांक 2,7,8,9 व 11 वर्ष 2013—14 की कार्ययोजनाओं में तथा क्रमांक 1,3,4,10 व 14 वर्ष 2012—13 की कार्ययोजना से सम्बन्धित हैं। कार्य योजना में अनुमानित माप अंकित की जाती हैं। लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त कार्यों के स्टीमेटों में बिल्कुल वही माप अंकित हैं, जो माप कार्ययोजना में लिखी गयी है। स्पष्ट हैं कि स्टीमेट स्थलीय माप के आधार पर नहीं बनाये गये हैं।

ख— कार्य क्रमांक 7 में मिटटी कार्य 49.32 मी² का आगणन रु0 98.60 की दर से तैयार किया गया है, जबकि दर रु0 39.60 हैं। इस प्रकार रु0 2909.88 से स्टीमेट अधिक बनाया गया।

ग— कार्य क्रमांक 6 के स्टीमेट में ब्रिक वर्क 36.23 के स्थान पर 51.32 का आगणन किया गया है। जिसके कारण ईट 6941 बढ़े व श्रमांश में रु0 5304.13 की वृद्धि हुई।

घ—ऊपर अंकित अधिकांश कार्यों पर स्टीमेट में 2 किमी⁰ दूर से मिटटी लाना तथा उसका भाड़ा आंकलित किया है, किन्तु 2 किमी⁰ दूर मिटटी खदान कहाँ हैं, मिटटी का मूल्य व वाटू रायल्टी का आगणन नहीं किया गया और न ही विवरण दिया।

ड— कार्य क्रमांक 3 व 4 तथा 5 व 6 के स्टीमेट एक बार में न बनाकर टुकड़ों में बनाये जाने के कारण अस्पष्ट रहा।

च— स्टीमेट किस तिथि को बने, अस्पष्ट रहा क्योंकि अवर अभियंता द्वारा हस्ताक्षर के नीचे तिथि अंकित नहीं की गयी।

2— संदिग्ध एवं नियम विरुद्ध कार्ययोजनाये—

ले0प0 में पाया गया कि राज्य वित्त आयोग की दो कार्ययोजनायें हैं, जिनमें एक में 8 कार्य तो दूसरी में 57 कार्य है। तेरहवें वित्त आयोग की भी दो कार्ययोजनायें हैं। जबकि नियमानुसार वर्ष पर्यन्त के लिये एक ही कार्य योजना बनायी गयी थी। अति आवश्यकता पर संशोधित/पूरक कार्य योजना बनानी थी। कार्यों का चयन शासनादेश सं0 8307/33—2—2004—93 जी/2004 दिनांक 12.01.2005 के विपरीत किया गया तथा शासनादेश सं0 2566/33—3—2010—142/2010 दिनांक 23.12.10 तथा 1719/33—3/2010—48/2007 दिनांक 31.09.10 का उल्लंघन किया गया।

3— सी0सी0 रोड की ढलाई मिक्सर मशीन के बिना संभव नहीं हैं। निम्नकार्यों पर टी एण्ड पी पर व्यय शून्य है।

जिससे स्वतः स्पष्ट हैं कि कार्य हुआ ही नहीं विवरण इस प्रकार है— कार्य क्रमांक 3,4,6,8,10,11,12 व 14।

4— किसी भी कार्य में ज्याॅन्ट फिलर मैटेरियल की खरीद नहीं दर्शित हैं।

5- दूशित कोटेशन प्रक्रिया ले0प0 में पाया गया कि सभी कार्यों पर मात्र तीन ही कोटेशन प्राप्त होना दर्शित है।

इसके अतिरिक्त अधिसंख्य कोटेशनों की हस्तलिपि वही हैं जो कि लेखाकार के द्वारा अंकित की जाने वाली टिप्पणियों में हैं।

कोटेशन किसके द्वारा लाये गये अस्पष्ट रहा।

6- मास्टर रोलों पर पता व श्रमिकों के हस्ताक्षर न होना-

क- कार्य क्रमांक 4 व 6 के मास्टर रोलों पर धन प्राप्ति की पुष्टि में श्रमिकों के हस्ताक्षर या नि0 अंगूठे नहीं लगे हैं। विवरण इस प्रकार है-

कार्य क्रमांक	मास्टर रोल नं0	राशि
04	बिना नं027/1 से 31.1.14	6960.00
	बिना नं0 1/2/14 से 8/2/14	10582.00
06	बिना नं0 27/1/14 से 31/1/14	13920.00
	बिना नं0 1/2/14 से 9/2/14	24772.00

ख- कतिपय मास्टर रोलों पर मिस्त्री की उपस्थिति व हस्ताक्षर/नि0अ0 लगे हैं किन्तु मिस्त्रियों के नाम अंकित ही नहीं है। उदा0 निम्नवत् है-

कार्य क्रमांक	मास्टर रोल नं0	राशि
02	ठ. 1744-16/10 से 21/10/13	16804.02

उक्त में श्रमिकों के पता/गांव तक का अंकन नहीं है उक्त के कारण मास्टर रोल फर्जी बनाया जाना स्वतः स्पष्ट होना पाया गया।

7- श्रमिकों को कमांश भुगतान की दूशित प्रक्रिया-

श्रमिक अपने कमांश का भुगतान अधिकतम साप्ताहिक आधार पर लेते हैं, क्योंकि यही उनकी रोजी रोटी होती है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि कतिपय कार्यों पर काफी समय बाद भुगतान दर्शित है। यदि वास्तविक श्रमिक होते तो कमांश की मांग श्रमिकों द्वारा की जाती एवं शिकायतें की जाती, किन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ।

कुछ उदा0 निम्नवत् है-

कार्य क्रमांक	मास्टर रोल	कार्य अवधि	कमांश	भुगतान तिथि
03	ए.1748	8.10 से 15.10.13	11420.00	13.12.13
	बी.1748	16.10 से 29.10.13	19488.00	13.12.10
06	ए.1749	8.10 से 15.10.13	22272.00	13.12.13
	बी.1749	16.10 से 29.10.13	38976.00	13.12.13
07	सादा	1.3.14 से 11.3.14	22826.00	2.5.14
08	सादा	1.3.14 से 19.3.14	11974.00	2.5.14
09	बी.1662	20.8 से 29.8	5125.00	10.10.13
	ए.1739	2.9 से 15.9	27510.00	10.10.13
10	बी .1736	19.8 से 28.8	4875.00	9.10.13
	ए.1740	8.9 से 15.9	6200.00	9.10.13
11	सादा	1.3 से 15.3.14	42184.00	2.5.14

8- व्यापार की की कटौती सामग्री खरीद के बिलों आदि से न करना-

विभिन्न कार्यों के लिये खरीदी गयी सामग्री के बिलों से दिसम्बर-2013 तक व्यापार कर कटौती नहीं की गयी, जिससे राजकोश को क्षति हुई। ले0प0 में प्रस्तुत बिलों में से कोई भी बिल टैक्स पेड न होकर कच्चे बिल पाये गये।

9- संदिग्ध मास्टर रोल-

उक्त कार्यों के मास्टर रोलों की जांच में पाया गया कि-

क- नियमों के विपरीत मास्टर रोल में श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न लेकर एक बार में सभी की उपस्थिति अंकित की गयी हैं।

ख- सभी मास्टर रोलों में लगे श्रमिकों के नि0 अं0 एक दो लोगों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं।

ग- अधिकांश मस्टर रोलों पर श्रमिकों के नाम उसी हस्तलिपि में हैं जिससे लेखाकार की टिप्पणी अंकित की गयी हैं।

ड- मास्टर रोलों पर विकास खण्ड से निर्गमन की पुष्टि में तिथि अंकित खण्ड वि०अधि० के हस्ताक्षर नहीं हैं।

उके पर कार्यालय के बाहर कार्यों की पत्रावलियां तैयार किया जाना-

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि लेखाकार द्वारा भुगतान के लिये अंकित की टिप्पणी/नोट लेखाकार की हस्तलिपि में न होकर किसी ऐसे व्यक्ति की हस्तलिपि हैं जिसने अधिकांश कोटेशन व बिल तैयार किये हैं। लेखाकार द्वारा मात्र हस्ताक्षर ही किये गये हैं।

नियमानुसार कार्यों के फोटोग्राफ न होना-

किसी कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं पाये गये। फोटोग्राफों से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की आशंका से ऐसा किया जाना पाया गया।

14 :-उपखनिजों की खरीद पर शासनादेश सं० रा०वि०का०नि०-5-1712(1) 11-200-500(डब्ल्यू-29)/2006 दिनांक 02.05.2006 के अनुसार रायल्टी कटौती न कर शासकीय कोश की क्षति पहुंचाना-

कार्यों के बिलों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर भुगतान पूर्व न तो रवन्ना ;फार्म.मिमी. 11 लिया गया और न ही रायल्टी की कटौती की गयी।

रायल्टी की कटौती कर राजकोश में जमा न करने के कारण शासकीय कोश को क्षति जानबूझकर पहुंचायी गयी हैं, लेखा परीक्षा में संज्ञान में आया कि जिन फर्मों से उपखनिजों की खरीद दशायी गयी हैं, वह फर्म उपखनिजों की बिक्री के लिए अधिकृत ही नहीं हैं। इस प्रकार कय खनिजों की खरीद ही संदिग्ध हैं।

12-फर्मों द्वारा उनके बिलों से कटौती किये गये टी०डी०एस० के रिफण्ड के लिये ईकाई से ;फार्म.16द्ध न लिया जाना-लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न फर्मों से विभिन्न कार्यों पर खरीदी गयी सामग्री के बिलों से टी०डी०एस० की कटौती कर कोशागार में जमा किया गया हैं।

फर्मों द्वारा रिटर्न दाखिल करने में काटे गये टी०डी०एस० के रिटर्न के लिये नियमानुसार ;फार्म.16द्ध इकाई से लिया जाना था। किन्तु किसी भी फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उक्त से स्पष्ट हैं कि फर्म रिटर्न दाखिल नहीं करती या उनके द्वारा प्रस्तुत बिल कच्चे एवं अधिकृत नहीं हैं।

13 क-संदिग्ध कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र मात्र एक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पाया गया- कार्यों के फार्म पूर्ति प्रमाण पत्रों की जांच में पाया गया कि अवर अभियंता द्वारा नियमानुसार सामग्री का पूर्ण विवरण अंकित न कर एक मुश्त कुल लागत लिखी गयी तथा माप में भी लम्बाई, चौड़ाई व ऊंचाई का पूर्ण विवरण अंकित न कर मात्र लम्बाई ही लिखी गयी हैं

कार्यों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी पत्रों को नियमानुसार कार्यालय के नियमित पत्रांकों से जारी न कर किसी अन्य पत्रांकों से जारी हैं। अधिकांश पत्र मेमों से जारी हैं।

14- अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर न करना- लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखाकार से लेकर खण्ड विकास अधिकारी तक ने हस्ताक्षर बिना तिथि अंकित किये गये हैं, जोकि स्वयं में अनियमितता हैं।

15-कार्यों का चयन शासनादेशों के अनुरूप नहीं रहा- उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्मों से दुरभिसंधि कर एवं फर्जी अभिलेख तैयार फिर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 3903323/- की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री एस०के० गौतम/विवेकशील पाल/श्री पीयूश अवस्थी ग्रा०पं०अधि०, अवर अभि० श्री राकेश कौशिक, खण्ड वि० अधि० श्री आर० पी० मिश्र/श्रीमती नजमा सिददकी/श्रीमती विमला देवी तथा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-9 क्षेत्र पंचायत का नाम-**बण्डा**, जनपद- **शाहजहाँपुर** वर्ष 2012-13 मे इकाई द्वारा वर्ष आलोच्य 2012-13 में निम्नवत खडंजा निर्माण के कार्य करवाया जाना दर्शित किया गया हैं-

क्रम० सं०	कार्य का नाम	स्टीमेट में दर्शित (ल०मी०में)	निर्मित ल० कार्यपूर्ति में	स्टीमेट में आंकलित लागत	वास्तविक व्यय	योजना

1	आलमपुर पक्के रोड से बख्शीश सिंह के घर तक	350	350.00	3.70	369908.00	एस0एफ0सी0
2	खुटार रोड से डभौरा सेवा तक	500	300.00	5.47	392183.00	एस0एफ0सी0
3	शिवपुरी खंजी जू0हा0 से शिवपुरी तक	200	200.00	2.178	197190.00	एस0एफ0सी0
4	शिवपुरी खंजी में रामविलास के घर तक	160	नहीं है।	1.695	165827.00	एस0एफ0सी0
5	देवकली में हैण्डपम्प से सुभाश चंद्र बोस स्कूल तक	200	187.00	1.93	189614.00	एस0एफ0सी0
6	ठंदलपुर में हैण्डपम्प से मलकीत सिंह के फार्म तक	750	16.95	7.867	739923.00	एस0एफ0सी0
7	शिवपुरी खंजी में पक्के रोड से हरीराम के घर तक	100	नहीं है।	0.95	47575.00	एस0एफ0सी0
8	ग्राम पडरिया में गुरुद्वारा से सुच्चा सिंह झोले तक270	200	200.00	2.11	208957.00	एस0एफ0सी0
9	कुवंरपुर जप्ती में कैप्टन रघुवीर सिंह के फार्म से बण्डा सम्पर्क मार्ग तक	160	नहीं है।	1.55	152307.00	एस0एफ0सी0
10	ग्राम रामपुर दौलतपुर में सुनासर स0 मा0 से कमलजीत के फार्म	270	270.00	2.89	284760.00	एस0एफ0सी0
11	नरायनपुर गंगा में अमरीश के मकान से रामनरेश के मकान तक	150	नहीं है।	1.56	153190.00	एस0एफ0सी0
	योग				2901434.00	

उक्त कार्यों की कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि—

1— कार्यों का चयन शासनदेशों के विपरीत व नियम विरुद्ध कार्य योजनाएं—

ले0प0 में पाया गया कि कार्यों का शासनादेश सं0 8307/33.2.2004—93जी/2004दि0 12.1.2005 के विपरीत किया गया तथा शासनादेश सं0 2566/33.3.2010—142/2010—142/2010 दि0 23.12.10 व 1719/33.3.2010—48/2007 दि0 31.9.10 के विपरीत राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग के धन का प्रयोग किया गया।

अनियमित रूप से प्रत्येक योजना की 2—2 कार्ययोजनायें पायी गयी। विगत वर्ष के कार्य वर्ष आलोच्य में कराये गये, किन्तु वर्ष आलोच्य की कार्ययोजना में शामिल नहीं किया गया।

2—संदिग्ध स्टीमेट—

क—अधिकसंख्य खड0 3.30 मी0 की चौड़ाई में लगवाये गये हैं। कतिपय कार्यों के स्टीमेटों में पाया गया कि पूरी ल0 में 6 से 8.90 मी0 के औसत में चौड़ाई में मिटटी कार्य की गणना के बाद पटरी में मिटटी कार्य का आगणन पुनः किया गया है। जैसे कार्य क्रमांक 1,2,3,4,8,1,10,11,5,6,7, में।

ख— कतिपय स्टीमेटों में 2 किमी0 दूर से मिटटी लाये जाने को आगणन किया गया तथा धन ढुलाई पर व्यय किया गया। किन्तु 2 किमी0 दूर मिटटी खदान कहां पर हैं तथा मिटटी मूल्य कुछ अदा नहीं किया

गया और रायल्टी का आगणन नहीं हैं, और न ही भुगतान हैं।

ग- कार्य क्रमांक (3) में मिटटी कार्य पर 12.5 नियमानुसार नहीं घटाया गया। जिससे 48.75 मिटटी कार्य अधिक दर्शित रहा।

3- संदिग्ध कार्यालय के पत्र-

क- ले0प0 में पाया गया कि एक ही पत्रांक का कई कार्यों पर प्रयोग किया गया है।

क्रम0सं 0	कार्य का नाम	प्रयुक्त पत्रांक	विवरण
1	नरायनपुर गंगा में अमरीश के मकान से रामनरेश के मकान तक खडंजा सी	सी .109-15.3.13	वित्तीय व प्रशा0स्वी0
		सी .110-2.3	कार्य प्रभारी बनाना
		सी .11-22.3	कोटेशन मांग
2	बौंदा जमालपुर में सिंघापुर कुरसंडा सम्पर्क मार्ग से राजेन्द्र वर्मा के मकान तक सी0सी0 रोड	सी.109-215.3.13	वित्तीय व प्रशा0स्वी0
			कार्य प्रभारी बनाना
		सी .109-22.3	कोटेशन मांग
3	ददिउरी मार्ग से नरवैल सिंह के फार्म तक सी0सी0 रोड	सी .109-15.3.2013	वित्तीय व प्रशा0स्वी0
		सी .110-21.3.2013	कार्य प्रभारी बनाना
		सी .111-1.3.2013	कोटेशन मांग
4	इंदलपुर में महेश गुप्ता के मकान से डा0 कृष्ण कुमार के घर तक सी0सी	सी.122-6.6.2013	वित्तीय व प्रशा0स्वी0
		सी 123-.6.2013	विवेकशीलपाल ग्रा0पं0अ0
		सी 124-4.6.2013	कोटेशन मांग
5	खुटार रोड से डभौरा रोड तक खडंजा निर्माण	सी 122-4.6.2013	वित्तीय व प्रशा0स्वी0
		सी.123-4.6.2013	वित्तीय व प्रशा0स्वी0
		सी 124-6.6.2013	कोटेशन मांग

जबकि पत्रांक सी-121 दिनांक 06.9.13 से बण्डा ब्लॉक के पीछे बालकृष्ण पांडे के मकान से शिवकुमार मिश्रा के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण में मै0 अमन ब्रिक फील्ड व मै0 जय भोले क0 कम्पनी को जारी था।

4- फर्जी मस्टर रोल-

एक ही मिस्त्री मेवाराम पुत्र हुलासी को एक ही अवधि में दो कार्यों पर कार्यरत दर्शाकर धन का भुगतान दर्शाया गया। विवरण इस प्रकार हैं-

क्रम0सं 0	कार्य का नाम	मस्टर रोल व अवधि	क्रमांक
1	शिवपुर खंजी में पक्के रोड से हरीराम के घर तक खडंजा निर्माण	बी..1728-17.4. से 21.4.13	01
2	कुँवरपुर रत्ती में कैप्टन रघुवीर सिंह के फार्म से बंडा सम्पर्क मार्ग तक खडंजा	बी..1720-16.4 से 24.4.13	01

5- व्यापार कर की कटौती न करना-

1.4.13 से दिसम्बर 13 तक विभिन्न कार्यों हेतु खरीदी गयी किसी भी सामग्री के बिलों से नियमानुसार व्यापार कर की कटौती नहीं कर शासकीय कोश को क्षति पहुंचायी गयी।

इसके अतिरिक्त जनवरी-14 से जो व्यापार कर 4 प्रतिशत काटा गया उसके रिफंड के लिये किसी फर्म ने फार्म-16 नहीं मांगा जिससे स्वतः है कि फर्मों द्वारा रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता तथा सभी बिल फर्जी

व कच्चे हैं।

6-संदिग्ध कोटेशन-

कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि सभी कार्यों पर मात्र 3-3 कोटेशन नहीं प्राप्त दर्शित है। प्राप्त अधिसंख्य कोटेशनों ही हस्तलिपि वही हैं जोकि लेखाकार की टिप्पणियों में उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि फर्जी कोटेशन पत्र कागजी खाना पूर्ति के लिये तैयार किये गये हैं।

7- श्रमांश का अतिविलम्बित भुगतान जिससे मे मस्टर रोल संदिग्ध-

श्रमिक अधिकतम साप्ताहिक आधार पर अपने श्रमांश का भुगतान लेते हैं। अधिकतर श्रमिक तो उसी दिन अपने श्रमांश का भुगतान लेते हैं। निम्न कार्यों पर अति विलम्ब से श्रमांश का भुगतान कार्य प्रभारी को दिया गया किन्तु आश्चर्यजनक रूप से किसी श्रमिक न तो शिकायत की और न ही मांग की। ग्रा0पं0अधि0 एक अल्पवेतन भोगी कर्मचारी होता है। वह अपनी अमानत नहीं लगा सकता।

विवरण इस प्रकार हैं-

कार्य क्रमांक	कार्य अवधि	श्रमांश	भुगतान विवरण
4	2.7 से 12.7, 16.7 से 23.7	20980	2.9.13
2	1.9 से 15.9	23735	30.10.13
	1.7 से 13.7 16.7 से 28.7	42530	2.9.13
5	1.3 से 12.3, 3.5 से 11.4.14	25748	28.6.14
6	1.2 से 16.2, 17.2 से 28.2, 1.3 से 10.3.14	31370	10.4.14
7	1.4 से 11.4, 17.4 से 21.4	11125	2.9.13
9	2.4 से 11.4, 16.4 से 24.4	25150	18.5.13
10	8.2 से 15.2 16.2 से 28.2, 1.3 से 11.3	8200	26.4
11	2.4 से 11.4, 6.4 से 24.4	21475	18.5

उक्त कार्यों की कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि-

7- संदिग्ध मस्टर रोल-

उक्त कार्यों के मस्टर रोलों की जांच में पाया गया कि-

क- नियमों के विपरीत मस्टर रोलों में श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न लेकर एक बार में सभी की उपस्थिति अंकित की गयी हैं।

ख- सभी मस्टर रोलों में लगे श्रमिकों के नि0 अं0 एक दो लोगों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं।

ग- अधिकांश मस्टर रोलों पर श्रमिकों के नाम उसी हस्तलिपि में हैं जिससे लेखाकार की टिप्पणी अंकित की गयी हैं।

ड- मस्टर रोलों पर विकास खण्ड से निर्गमन की पुष्टि में तिथि अंकित खण्ड वि0अधि0 के हस्ताक्षर नहीं हैं।

8-ठेके पर कार्यालय के बाहर कार्यों की पत्रावलियां तैयार किया जाना-

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि लेखाकार द्वारा भुगतान के लिये अंकित की टिप्पणी/नोट लेखाकार की हस्तलिपि में न होकर किसी ऐसे व्यक्ति की हस्तलिपि हैं जिसने अधिकांश कोटेशन व बिल तैयार किये हैं। लेखाकार द्वारा मात्र हस्ताक्षर ही किये गये हैं।

9-नियमानुसार कार्यों के फोटोग्राफ न होना-

किसी कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं पाये गये। फोटोग्राफों से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की आशंका से ऐसा किया जाना पाया गया।

10-उपखनिजों की खरीद पर शासनादेश सं0 495(1)77-5-2006-506/5 दि0 5.10.2005के अनुसार रायल्टी कटौती न कर शासकीय कोश की क्षति पहुँचाना-

कार्यों के बिलों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर भुगतान पूर्व न तो रवन्ना ;वितउ. उण्ड.11द्ध लिया गया और न ही रायल्टी की कटौती की गयी।

रायल्टी की कटौती कर राजकोश में जमा न करने के कारण शासकीय कोश को क्षति जानबूझकर पहुँचायी गयी हैं, लेखा परीक्षा में संज्ञान में आया कि जिन फर्मों से उपखनिजों की खरीद दशायी गयी हैं, वह फर्म उपखनिजों की बिक्री के लिए अधिकृत ही नहीं हैं। इस प्रकार कय खनिजों की खरीद ही संदिग्ध हैं।

11—**फर्मों द्वारा उनके बिलों से कटौती किये गये टी0डी0एस0 के रिफण्ड के लिये ईकाई से वित्त.16 न लिया जाना**—लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न फर्मों से विभिन्न कार्यों पर खरीदी गयी सामग्री के बिलों से टी0डी0एस0 की कटौती कर कोशागार में जमा किया गया है।

फर्मों द्वारा रिटर्न दाखिल करने में काटे गये टी0डी0एस0 के रिटर्न के लिये नियमानुसार वित्त.16 ईकाई से लिया जाना था। किन्तु किसी भी फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि फर्म रिटर्न दाखिल नहीं करती या उनके द्वारा प्रस्तुत बिल कच्चे एवं अधिकृत नहीं हैं।

12—**संदिग्ध कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र मात्र एक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पाया गया**— कार्यों के फार्म पूर्ति प्रमाण पत्रों की जांच में पाया गया कि अवर अभियंता द्वारा नियमानुसार सामग्री का पूर्ण विवरण अंकित न कर एक मुश्त कुल लागत लिखी गयी तथा माप में भी लम्बाई, चौड़ाई व ऊंचाई का पूर्ण विवरण अंकित न कर मात्र लम्बाई ही लिखी गयी है।

13—कार्यों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी पत्रों को नियमानुसार कार्यालय के नियमित पत्राकों से जारी न कर किसी अन्य पत्राकों से जारी हैं। अधिकांश पत्र मेमों से जारी हैं।

14— **अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर न करना**— लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखाकार से लेकर खण्ड विकास अधिकारी तक ने हस्ताक्षर बिना तिथि अंकित किये गये हैं, जोकि स्वयं में अनियमितता है।

15—**कार्यों का चयन शासनादेशों के अनुरूप नहीं रहा**— उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्मों से दुरभिसंधि कर एवं फर्जी अभिलेख तैयार फिर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 2901434 /— की वसूली दण्ड ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री ख्यालीराम कश्यप/श्री पीयूष अवस्थी/एस0 के0 गौतम/विवेकशील पाल ग्रा0पं0अधि0, अवर अभि0 श्री राकेश कौशिक, खण्ड वि0 अधि0 श्री आर0 पी0 मिश्र/श्रीमती नजमा सिददकी/श्रीमती विमला देवी तथा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

3— वर्ष आलोच्य में ईकाई द्वारा बताया गया कि आंतरिक लेखा परीक्षा हुई है। किन्तु लेखा परीक्षा रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने से तत्संबंधी तथ्य अज्ञात रहे। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित रही।

4— 31.3.14 को निम्नवत धन अवशेष था नियमानुसार वित्तीय वर्ष के अंदर धन का उपयोग न किया जाना आपत्तिजनक रहा। समय से धन का उपभोग न किया जाना प्रशासनिक विफलता है। उच्चाधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

दिनांक	राज्य वित्त आयोग	तेरहवां वित्त आयोग
31.3.12	803720.00	3345565
31.3.13	3932905.00	306397
31.3.14	1274626 व 2815288	1061981

5— वर्ष 2013-14 में वैट कटौती रु0 89499 रही है। उक्त धन को 31.3.14 तक राजकीय कोशागार में संगत शीर्ष में जमा न किया जाना आपत्तिजनक रहा नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित रही।

6— कार्य पत्रावलियां एवं प्रमाणकों का चार्ज हस्तान्तरण लेखाकारों द्वारा नहीं किया गया है। विगत अभिलेख बिना चार्ज हस्तान्तरण के अलमारियों में रखे हैं। जोकि सर्वथा आपत्तिजनक रहा। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित रही।

7— अवर अभियंता की भ्रमण पंजिका बनवाया जाना अपेक्षित रहा जिससे तत्संबंधी तथ्य पुष्टि हो सके।

8— क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही पंजिका निरीक्षण पंजिका आदि ले0प0 में प्रस्तुत न होने से तत्संबंधी तथ्य अज्ञात रहे। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित रही।

क्षेत्र पंचायत का नाम — बण्डा जनपद — शाहजहाँपुर

वर्ष 2014-2015

प्रस्तर सं0-10 क्षेत्र पंचायत का नाम—बण्डा, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में ईकाई द्वारा वर्ष आलोच्य 2014-15 में निम्नवत सी0सी0 रोड व नाली निर्माण के कार्य करवाया जाना दर्शित किया गया है—

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई मीटर में		लागत		योजना
		अनुमानित मी0	वास्तविक मी0	अनुमानित	वास्तविक	
1	मेहिददीनपुर में नत्थूलाल	100.00	117.80	4.21	394347.00	टी0एफ0सी0

	राना के घर से तेजप्रकाश के घर तक					
2	भुल्लन अवस्थी के घर से राजेश धवन के मकान तक	60.00	कार्यपूर्ति नहीं है।	2.54	235736.00	एस0एफ0सी0
3	नबादा ढाह में रमेश के घर से	35.00	कार्यपूर्ति नहीं है।	1.49	138253.00	टी0एफ0सी0
4	पटना में प्रा0 पा0 से बबलू यादव के घर की ओर	100.00	कार्यपूर्ति नहीं है।	4.00	348838.00	एस0एफ0सी0
5	बण्डा में पूरनपुर रोड से गुरुद्वारा से आगे तक	225.00	कार्यपूर्ति नहीं है।	7.51	707803.00	एस0एफ0सी0
6	भानपुर निबुआ चक में पक्के रोड से प्रा0 पा0 तक सी0 सी0 रोड	40.00	कार्यपूर्ति नहीं है।	1.44	128962.00	टी0एफ0सी0
	योग				1953939.00	

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि—

1— कार्यों का चयन शासनादेशों के विपरीत, स्वेच्छाचारितापूर्वक प्रमुख बी0डी0ओ. व अवर अभियंता द्वारा किया गया।

2— स्टीमेटों व कार्ययोजना के अवलोकन में पाया गया कि कार्ययोजना में दर्शित कार्य की माप व स्टीमेट में दर्शित लम्बाई एक है। जबकि कार्ययोजना में दर्शित माप अनुमानित होती है। इस प्रकार स्टीमेट काल्पनिक आधार पर बनाये गये पाया गया।

3— कतिपय स्टीमेटों में 2 किमी0 दूर से मिटटी ढुलाई का आगणन किया गया है। किन्तु 2 किमी0 दूर कहां खदान है स्पष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार स्टीमेट संदिग्ध रहे।

4— संदिग्ध टेण्डर प्रक्रिया—

निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि टेण्डर प्रक्रिया मात्र कागजी खानापूर्ति के लिये की गयी है। विवरण निम्नवत रहा—

1— टेण्डर में नियमानुसार मात्र सामग्री की दरे दी जाती है। जबकि पाया गया कि सभी कार्यों पर टेण्डर में दर मात्रा के आधार पर दी गयी है। टेण्डर में मात्रा का उल्लेख नहीं होता है।

2— नियमानुसार टेण्डर हेतु बहुप्रसार वाले समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं छपवाये गये।

3— टेण्डर कमेटी नहीं बनायी गयी।

4— कतिपय टेण्डर कोटेशनों में टेण्डर/कोटेशन प्रस्तुत करने की तारीख ही अंकित नहीं है। उदा0 कार्य क्रमांक 5,4,3

5— कार्य पत्रावलियों में संलग्न टेण्डरों की जांच में पाया गया कि अधिकांश टेण्डर उसी हस्तलिपि में लिखे गये हैं, जो हस्तलिपि लेखाकार की टिप्पणी में प्रयुक्त है।

6— कतिपय टेण्डर/कोटेशन मांग में कार्यालय के नियमित पत्रांक व दिनांक का प्रयोग हुआ है तो कुछ में काल्पनिक व नियम विरुद्ध पत्रांकों का। उदा0—

कार्य क्रमांक	प्रयुक्त पत्रांक टेण्डर आमंत्रण में
1	सी0-3659 दि0 1.10.14
3	सी-53 दि0 17.9.14
5	सी0-177 दि0 23.2.14
4	सी0- 3767 दि0 10.12.14

5— ईट विक्रेता भट्टों से मिटटी खरीद दर्शाया गया जबकि वह मिटटी विक्रेता नहीं होते हैं। कतिपय बिलों पर मिटटी बिक्री दर्शाने के बाद लेखाकार द्वारा काटना एवं भुगतान न करना पाया गया। यदि कोई कार्य होता तो भट्टे वाले विरोध करता। कुछ उदा0—

कार्य क्रमांक 3 मै0 अमन ब्रिक फील्ड — दि0 15.10.14 मिटटी बिल में काटा गया।

कार्य क्रमांक 5 मै0 अमन ब्रिक फील्ड दि0 19.4.14-192 मी0ड मिटटी कय रू0 10560.00

7- बिना मिक्सर मशीन के सी0सी0 रोड की ढलाई दर्शाना-

निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया जो कि कतिपय कार्यों में सी0सी0 रोड की ढलाई बिना मिक्सर मशीन के दर्शित है। जोकि किसी भी रूप में संभव नहीं है। कुछ उदा0- कार्य क्रमांक 1,2,3,4

8- बिना ज्वाइंट फिलर मैटेरियल के सी0सी0 रोड निर्माण पूर्ण कराया जाना दर्शाया जाना-

कतिपय कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि सी0सी0 रोड निर्माण कार्य बिना ज्वाइंट फिलर मैटेरियल क्रय व प्रयोग के कार्य पूर्ण दर्शाया गया है। जो संभव नहीं है। कुछ उदा0- कार्य क्रमांक 1,2,3,4

9- सी0सी0 रोड ढलाई बिना पालीथीन बिछाये ही करना दर्शाया जाना-

अधिकांश कार्यों में सी0सी0 रोड की ढलाई में प्राक्कलन में प्राविधान के बावजूद पालीथीन का प्रयोग नहीं किया गया। बिना पालीथीन बिछाये गुणवत्तायुक्त सी0सी0 रोड निर्माण संभव नहीं। कुछ उदा0- कार्य क्रमांक 1,2,3,4

10- क्यूव टेक्स्ट रिपोर्ट नहीं-

किसी भी कार्य की स्ट्रेन्थ रिपोर्ट नहीं ली गयी जिससे निर्धारित गुणवत्ता के कार्य कराना संदिग्ध रहा। सामान्य माप गुणवत्ता की पुष्टि नहीं करता।

11- उपखनिजों की खरीद पर शासनादेश सं0 के अनुसार रायल्टी कटौती कर शासकीय कोश को क्षति पहुंचाना-

कार्यों में बिलों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर भुगतान पूर्व न तो रवन्ना (फार्म एम. एम.11) लिया गया और न ही रायल्टी की कटौती की गयी।

रायल्टी की कटौती कर राजकोश में जमा न करने के कारण शासकीय कोश की क्षति जान बूझकर पहुंचायी गयी है। लेखा परीक्षा में संज्ञान में आया कि जिन फर्मों से उपखनिजों की खरीद दर्शायी गयी है, वह फर्म उपखनिजों की बिक्री के लिए अधिकृत ही नहीं है। इस प्रकार उपखनिजों की खरीद ही संदिग्ध है।

12- फर्मों द्वारा उनके बिलों से कटौती किये गये टी0डी0एस0 के रिफण्ड के लिये इकाई से (फार्म-16) न लिया जाना-

लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न फर्मों से विभिन्न कार्यों पर खरीदी गयी सामग्री फर्मों से विभिन्न कार्यों पर खरीदी गयी सामग्री के बिलों से टी0डी0एस0 की कटौती कर कोशागार में जमा किया गया है। फर्मों द्वारा रिटर्न दाखिल करने में काटे गये टी0डी0एस0 के रिटर्न के लिये नियमानुसार (फार्म-16) इकाई से लिया जाना था। किन्तु किसी भी फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उक्त से स्पष्ट हैं कि फर्म रिटर्न दाखिल नहीं किसी या उनके द्वारा प्रस्तुत बिल कच्चे हैं एवं अधिकृत नहीं हैं।

13- संदिग्ध मस्टर रोल-

उक्त कार्यों के मस्टर रोलों की जांच में पाया गया कि-

क- नियमों के विपरीत मस्टर रोलों में श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न लेकर एक बार में सभी की उपस्थिति अंकित की गयी है।

ख- सभी मस्टर रोलों में लगे श्रमिकों के नि0अ0 एक दो लोगों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं।

ग- अधिकांश मस्टर रोलों पर श्रमिकों के नाम उसी हस्तलिपि में हैं, जिससे लेखाकार की टिप्पणी अंकित की गयी है।

घ- अधिकांश मस्टर रोलों में कार्य अवधि का अंकन नहीं है। मात्र माह का नाम अंकित है।

ड- मस्टर रोलों पर विकास खण्ड से निगमन की पुष्टि में तिथि अंकित खण्ड वि0अधि0 के हस्ताक्षर नहीं है। कार्य क्रमांक 5 के मस्टर रोलों में तो कार्य प्रभारी के ही हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

14- ठेके पर कार्यालय के बाहर कार्यों की पत्रावलियां तैयार किया जाना-

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि लेखाकार द्वारा भुगतान के लिये अंकित की टिप्पणी/नोट लेखाकार की हस्तलिपि में न होकर किसी ऐसे व्यक्ति की हस्तलिपि है। जिसने अधिकांश कोटेशन व बिल तैयार किये हैं। लेखाकार द्वारा मात्र हस्ताक्षर ही किये गये हैं।

15- नियमानुसार कार्यों के फोटोग्राफ न होना-

किसी कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं पाये गये। फोटोग्राफों से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की आशंका से ऐसा किया गया पाया गया।

16- टेण्डर/कोटेशन, कार्य प्रभारी बनाने आदि में कार्यालय के नियमित पत्राकों का प्रयोग न कर

काल्पनिक पत्रांक नं० का प्रयोग किया गया तथा काफी पत्र बिना पत्रांक के ही जारी पाये गये। उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट हैं कि सुनियोजित रूप से फर्मों से मिलकर व काल्पनिक अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन ₹ 1953939.00 की वसूली ब्याज सहित के साथ कार्य प्रभारी श्री ख्याली राम, श्री एस०के० गौतम, श्री विवेकशीन पाल, श्री देशराज ग्रा० पं० अधि० अवर अभि० श्री राकेश कौशिक, खण्ड वि० अधि० श्री आर० पी, श्री राम कुमार वर्मा, लेखाकार श्री ईश्वरचंद्र मिश्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-11 क्षेत्र पंचायत का नाम-**बण्डा**, जनपद-**शाहजहाँपुर** वर्ष 2014-15 में **इकाई** द्वारा वर्ष **आलोच्य 2014-15** में निम्नवत खडंजा निर्माण के कार्य करवाया जाना दर्शित किया गया है-

क्र०	कार्य का नाम	लम्बाई मीटर में		लागत		योजना
		अनुमानित मी०	वास्तविक मी०	अनुमानित	वास्तविक	
1	नहिलौरा बुजुर्ग में पंचायत घर से छोटे चौकीदार के घर तक	125.00	अंकित नहीं	1.22	110832.00	एस०एफ०सी०
2	सिंघापुर पलई में रामनरेश वर्मा के घर से पूरनपुर रोड तक	550.00	कार्यपूर्ति नहीं है।	5.73	564210.00	टी०एफ०सी०
3	गहलुइया में पक्के रोड मंजीत सिंह बी०डी०सी० के घर तक	200.00	कार्यपूर्ति नहीं है।	2.10	205620.00	टी०एफ०सी०
4	इंदलपुर में चंदी फार्म चौराहे से सोनू के घर तक	700.00	744.00	7.23	788820.00	टी०एफ०सी०
5	भानपुर निबुआ चक में बरमबाबा के स्थान से भगवान दास के घर तक	100.00	कार्यपूर्ति नहीं है।	1.08	87480.00	टी०एफ०सी०
	योग				1756962.00	

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि-

1- कार्यों का चयन शासनादेशों के विपरीत, स्वेच्छा चारिता पूर्वक बिना समुचित आधार के कार्यों का चयन प्रमुख बी०डी०ओ० व अवर अभियंता द्वारा किया गया।

2- अधिसंख्य कार्यों के स्टीमेटों में पाया गया कि पटरी सहित चौड़ाई शामिल कर मिटटी के कार्य का आगणन किया गया तथा पुनः पटरी के कार्य कर आगणन किया गया। इस प्रकार स्टीमेट त्रुटिपूर्ण पाये गये।

3- कार्य योजनाओं में प्रस्तावित कार्य की अनुमानित लम्बाई व स्टीमेट में दर्शित लम्बाई समान है। जबकि कार्ययोजना अनुमानित होती है। इस प्रकार स्टीमेट स्थलीय मापक आधार पर बने हुए नहीं पाये गये।

4- संदिग्ध टेण्डर की प्रक्रिया-

पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि विभिन्न कार्यों में जो टेण्डर प्राप्त हुए हैं, उनकी स्थिति निम्नवत रही-

क- प्रायः अधिसंख्य टेण्डर एक ही हस्तलिपि में है। हस्तलिपि वही हैं, जो लेखाकार द्वारा भुगतान करने में अंकित की गयी है।

ख- सभी टेण्डरों में आपूर्ति की जानी वाली सामग्री की मात्रा का अंकन है। नियमतः टेण्डर में सामग्री की दर अंकित होती है।

ग- विभिन्न फर्मों द्वारा प्रस्तुत टेण्डरों में पाया गया कि एक ही फर्म एक कार्य पर दूसरी दर व दूसरे काम पर दूसरी दर एक ही अवधि में दी गयी है।

घ- कार्यालय पत्रांक 3659 दिनांक 01.10.2014 से विभिन्न कार्यों हेतु टेण्डर मांगे गये जिसमें टेण्डर जमा करने की तिथि एक माह पूर्व की 10.9.14 अंकित है।

ड- टेण्डर खेलने की कमेटी का कभी गठन ही नहीं किया गया।

उक्त बिन्दुओं से स्पष्ट हैं कि टेण्डर प्रक्रिया पूर्णतया संदिग्ध है। मात्र कागजी रवाना पूर्ति की गयी है।

5-खंडजा लगवाना प्रारम्भ करने के काफी समय पूर्व अनावश्यक ईट खरीद-

कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि खंडजा निर्माण में ईटों का उपयोग होना शुरू हुये बगैर एवं स्टॉक में ईट रहते पुनः ईटे क्रय की गयी है। कुछ उदा०- निम्नवत है-

क्र० सं०	कार्य का नाम	ईट प्रयोग तिथि	ईट खरीद मात्रा व मूल्य
1	नहिलौर बुजुर्ग में पंचायत घर से छोटे चौकीदार के घर तक	1.4.2014	25.2.14-12000-55800 27.3.14-8355-38850
2	सिंघापुर पलई में रामनरेश वर्मा के घर से पूरनपुर रोड तक	1.11.2014	14.10.14-80000-400000 15.10.14-17350-86750
3	गहलुईया में पक्के रोड से मंजीत सिंह बी०डी०ओ० के घर तक	1.11.2014	14.10.14-30000-1500000 15.10.14-5400-27000
4	ईदलपुर में चंदीफार्म से चौराहे से सोनू के घर तक	1.2.2015	24.12.14-124000-620000 31.1.15-2290-61450

6- मस्टर रोलों में कार्य का नाम व श्रमिकों के गांव/पता का अंकन न होना-

नियमानुसार मस्टर रोलों पर कार्य का नाम व कार्य करने वाले श्रमिकों के गांव/पता अंकन अवश्य होना चाहिए।

कतिपय कार्यों के मस्टर रोलों पर उक्त का अंकन नहीं पाया गया। श्रमिकों के गांव/पता अंकन न होने से काल्पनिक श्रमिक होना स्पष्ट है। कुछ उदाहरण-ईदलपुर में चंदीफार्म से चौराहे से सोनू के घर तक खंडजा निर्माण आदि।

7- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में निरीक्षण तिथि का अंकन न होने से फर्जी कार्यपूर्ति एवं एम०बी० का पाया जाना- निम्नकार्यों के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रों में कार्य का भौतिक रूप से निरीक्षण/माप की तिथि अंकन नहीं पाया गया। स्पष्ट हैं कि बिना माप किये फर्जी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम०बी० तैयार की गयी है। कुछ उदा० कार्य क्रमांक सं० - 1 में।

8- संदिग्ध मस्टर रोल-

उक्त कार्यों के मस्टर रोलों की जांच में पाया गया कि-

क-नियमों के विपरीत मस्टर रोलों में श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न लेकर एक बार में सभी की उपस्थिति अंकित की गयी है।

ख- सभी मस्टर रोलों में लगे श्रमिकों के नि०अ० एक दो लोगों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। कुछ निशान उंगलियों से बनाये गये हैं।

ग- अधिकांश मस्टर रोलों पर श्रमिकों के नाम उसी हस्तलिपि में है जिससे लेखाकार की टिप्पणी अंकित की गयी है।

घ- अधिकांश मस्टर रोलों में कार्य अवधि का अंकन नहीं है। मात्र माह का नाम अंकित है।

ड- मस्टर रोलों पर विकास खण्ड से निर्गमन की पुष्टि में तिथि अंकित खण्ड वि० अधि० के हस्ताक्षर नहीं हैं।

9- ठेके पर कार्यालय के बाहर कार्यों की पत्रावलियां तैयार किया जाना- उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि लेखाकार द्वारा भुगतान के लिये अंकित की टिप्पणी/नोट लेखाकार की हस्तलिपि में न होकर किसी ऐसे व्यक्ति की हस्तलिपि है। जिसने अधिकांश कोटेशन व बिल तैयार किये हैं। लेखाकार द्वारा मात्र हस्ताक्षर ही किये गये हैं।

10- नियमानुसार कार्यों के फोटोग्राफ न होना- किसी कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं पाये गये। फोटोग्राफों से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की आशंका से ऐसा किया गया पाया गया।

11- संदिग्ध कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र-

कार्यों के फार्म पूर्ति प्रमाण पत्रों की जांच में पाया गया कि अवर अभियंता द्वारा नियमानुसार सामग्री का

पूर्ण विवरण अंकित न कर एकमुश्त कुल लागत लिखी गयी तथा माप में भी लम्बाई, चौड़ाई व ऊँचाई का पूर्ण विवरण अंकित न कर मात्र लम्बाई ही लिखी गयी हैं।

12- कार्यों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी पत्रों को नियमानुसार कार्यालय के नियमित पत्राकों से जारी न कर किसी अन्य पत्राकों से जारी है। अधिकांश पत्र मेमों से जारी हैं।

13- अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षरी न करना-

लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखाकारी से लेकर खण्ड विकास अधिकारी तक ने हस्ताक्षर बिना तिथि अंकित किये हैं, जोकि स्वयं में अनियमितता हैं।

14- कार्यों का चयन शासनादेशों के अनुरूप नहीं रहा-

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट हैं कि सुनियोजित रूप से फर्मों से दुरभिसंधि एवं फर्जी अभिलेख तैयार फिर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 1756962.00 की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री ख्यालीराम कश्यप/श्री पीयूश अवस्थी/श्री एस0के0 गौतम/ श्री विवेकशील पाल ग्रा0पं0अधि0, अवर अभि0 श्री राकेश कौशिक, खण्ड वि0 अधि0 श्री राम कुमार वर्मा व लेखाकार श्री ईश्वरचंद्र मिश्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-12 क्षेत्र पंचायत का नाम-**बण्डा**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में खंड विकास अधिकारी कार्यालय में मरम्मत एवं रंगाई पुताई एस0एफ0सी0, 1.17 लाख, टी0एस0- 6.6.14 उक्त कार्य में मरम्मत, पुताई व बिजली फिटिंग का कार्य प्रस्तावित था किन्तु बिजली संबंधी कार्य नहीं करवाया गया। कारण अज्ञात रहा। पत्रावली की जांच में पाया गया कि-

1- पत्राक 8 दिनांक 1.7.2014 से कोटेशन मांग पत्र में कोटेशन जमा करने की तिथि का अंकन नहीं हैं तीन कोटेशन 2.7.14 को प्राप्त हुए व 3.7.14 को स्वीकृत दर्शित है। इस प्रकार कोटेशन प्रक्रिया दूषित रही।

2-प्रस्तुत मस्टर रोल के अनुसार कार्य 1.2.14 से प्रारम्भ हुआ जबकि सामग्री खरीद निम्नवत रही-

कार्य का नाम	बुक नं0	बिल नं0	दिनांक	सामग्री	मूल्य
मै0 शिवम ट्रेडर्स	अंकित नहीं	408	5.7.2014	सीमेंट, बालू आदि	27597.00
मै0 शिवम ट्रेडर्स	अंकित नहीं	474	30.11. 2014	सीमेंट, बालू आदि	8241.00
शर्मा प्लाई बुड एवं हार्ड वेयर पेंट स्टोर	3	108	5.07.2014	प्लाई बोर्ड, पेंट आदि	19044.00
शर्मा प्लाई बुड एवं हार्ड वेयर पेंट स्टोर	3	118	30.11. 2014	प्लाई बोर्ड, पेंट आदि	8727.00
योग					63609.00

बिना आवश्यकता के सामग्री खरीद व सामग्री का प्रयोग हुए बिना पुनः सामग्री खरीद फर्जीबाड़ा को ही स्पष्ट करती है। सामग्री स्टोर करना नियमसम्मत नहीं हैं।

3- उक्त कार्य में दो मस्टर रोल प्रयुक्त हैं जिनमें न तो क्रमांकन एवं न ही विकास खंड से जारी होने की पुष्टि में तिथि अंकित ख0वि0अधि0 के हस्ताक्षर ही है। विवरण इस प्रकार हैं-

क-1.12.14 से 11.12.14 - 12540 - सभी नि0 अं0

15.12.14 से 28.12.14 - 16380 - सभी नि0 अं0

योग रु0 28920.00

उक्त का भुगतान कार्य के तीन माह बाद 12.3.15 को चेक नं0 135082 से कार्य प्रभारी श्री एस0के0गौतम को किया गया है।

1- पेंटर नहीं हैं, बिना पेंटर के पेंटिंग कार्य संभव नहीं हैं।

2- उक्त में कोई लुहार या कारपेंटर नहीं है जिससे प्लाई बोर्ड संबंधी कार्य संभव नहीं हैं।

3- श्रमिक अधिकतम साप्ताहिक आधार पर भुगतान लेते हैं। तीन माह तक कोई इंतजार नहीं करेगा।

4-उपस्थिति एक बार में भरी है व नि0 अं0 एक-दो लोगों के बनाये हैं।

5-मस्टर रोलों में कार्य का नाम अंकित नहीं हैं। इस प्रकार मस्टर रोल फर्जी पाये गये।

4- कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं हैं। कार्यपूर्ति भी नहीं हैं। नियमित पत्रांक भी नहीं है। उक्त

अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट हैं कि सुनियोजित रूप से फर्मों से मिलकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 92529.00 की वसूली ब्याज सहित के साथ कार्य प्रभारी श्री एस0के0 गौतम, ग्रा0 पं0 अधि0, अवर अभि0 श्री राकेश कौशिक, बी0डी0ओ0 श्री रामकिशोर व श्री राम कुमार वर्मा तथा लेखाकार श्री ईश्वरचंद्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-13 क्षेत्र पंचायत का नाम—**बण्डा**, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 मेबण्डा वि0ख0 कार्या0 की बाउण्ड्री वाल मरम्मत कार्य एवं रंगाई पुताई—एस0एफ0सी0, लागत 1.35 लाख, उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि—

1—नियमित कार्या0 के पत्रांक से भिन्न पत्रांक 9 दि0 1.7.14 से कोटेशन मांग पत्र में कोटेशन जमा करने की तिथि नहीं है दिनांक 2.7.14 को तीन कोटेशन प्राप्त तथा 3.7.14 को स्वीकृत दर्शित हैं। कोटेशन कैसे एवं किसके द्वारा गाये गये अस्पष्ट रहा बिना प्रचार-प्रसार के इस प्रकार प्राप्त कोटेशन पूरी प्रक्रिया को दूषित होना सिद्ध करते हैं।

2— उक्त कार्य मास्टर रोलो के अनुसार दिनांक 7.8.14 से प्रारम्भ है। उक्त के लिये सामग्री खरीद निम्नवत की गयी हैं।

फर्म का नाम	बुक नं0	बिल नं0	दिनांक	सामग्री विवरण	मूल्य
मै0 शर्मा प्लाई बुड व हार्ड0	03	187	5.7.14	स्नोसेम, पेंट आदि	10450.00
मै0 अमन ब्रिक फील्ड	03	102	5.7.14	ईट	10000.00
मै0 शिवम ट्रेडर्स	—	407	5.7.14	सीमेंट, रेता, मौरंग आदि	26535.00
मै0 शर्मा प्लाई बुड व हार्ड0	03	111	28.8.14	स्नोसेम, पेंट आदि	10450.00
मै0 अमन ब्रिक फील्ड	—	85	28.8.14	ईट	2625.00
मै0 शिवम ट्रेडर्स	—	414	28.8.14	सीमेंट, रेता, मौरंग आदि	10799.00
योग					70859.00

उक्त में—

क— मै0 शर्मा प्लाई बुड हार्डवेयर के बिल नं0 फर्जी बिल होने की स्वयं पुष्टि करता हैं। 3/111 दिनांक 28/8 को तथा 3/187 दिनांक 05.07.14 को हैं।

ख— मै0 अमल ब्रिक फील्ड के एक बिल में बुक नं0 होना व दूसरे में बुक नं0 का न होना बिलों के फर्जी होने को स्पष्ट करता है।

ग— मै0 शिवम ट्रेडर्स के बिलों पर बिल बुक नं0 ही अंकित नहीं है।

घ— माह जुलाई-14 में (5.7.14 को) पेंट आदि खरीद की आवश्यकता न थी तथा चूंकि मस्टर रोल के अनुसार पुताई का कार्य 1.9.14 से प्रारम्भ हुआ है तो पहले से सामग्री स्टोक में रहते दिनांक 28.8.14 को पेंट आदि खरीद की भी कोई आवश्यकता न थी।

ड— 5.7.14 को खरीदी गयी सामग्री के भुगतान के लिए दिये प्रार्थना पत्र में कार्य प्रभारी ने लिख हैं कि पुताई का कार्य प्रारम्भ करा दिया है। जिस पर दिनांक 18.7.14 को भुगतान हुआ है। नियमः पहले मरम्मत होगी उसके बाद पुताई।

च— अधिकांश बिलों की हस्तलिपि एक है व तारीखे बाद में अंकित की गयी है।

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट हैं कि सामग्री खरीद संदिग्ध है।

3— उक्त पर प्रयुक्त मस्टर रोलों पर तिथि अंकित बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

विवरण इस प्रकार है—

मस्ट्रोल नं0	कार्य अवधि	श्रमांश	भुगतान विवरण
ए-1766	7/8 से 15/8/14	18900.00	चेक नं0 464119 दिनांक 23.09.14 रु0 54690
बी-1766	16/8 से 30/8/14	28650.00	
ए-1767	01/09/14 से	7140.00	

	9/9/14		
योग		54690.00	

उक्त में पाया गया कि—

क— 15.8.14 को भी कार्य कराना दर्शित हैं जबकि उक्त तिथि को स्वतंत्रता दिवस होता है।

ख— मास्टर रोलों में श्रमिकों की उपस्थिति एक बार में भरी गयी जबकि प्रतिदिन उपस्थिति भरी जानी थी।

ग—कार्य प्रभारी द्वारा श्रमिकों के नि0अ0 प्रमाणित नहीं किये गये हैं।

घ— मस्टर रोल नं0 ए0-1766 में कार्य प्रभारी के हस्ताक्षर नहीं है।

ड— श्रमिकों के नि0अ0 एक दो लोगों द्वारा बनाये गये हैं जिनमें कुछ निशानी उंगलियों के हैं।

च— पुताई के लिये ब्रुश खरीद नहीं की गयी। बिना ब्रुश के पुताई संभव नहीं है। पेंटर स्वयं ब्रुश नहीं लाता।

4— प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में निरीक्षण तिथि ही अंकित नहीं है। तथा प्रमुख सामग्री का अलग-अलग विवरण भी अंकित नहीं है। और कार्य की माप भी अंकित नहीं पायी गयी इस प्रकार कार्य पूर्ति व एम0बी0-86 पेज 153 से 155 स्वयं संदिग्ध है।

5— कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं है।

6— स्टीमेट में पुताई पर व्यय (श्रमांश) रू0 15008.00 आगणित हैं जबकि व्यय रू0 7140.00 मात्र दर्शित है। इतने कम व्यय में नियमानुसार गुणवत्तायुक्त पुताई संभव नहीं है।

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट हैं कि सुनियोजित रूप से फर्मों से मिलकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 125549.00 की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्रीएस0के0 गौतम ग्रा0पं0अधि0, खण्ड वि0 अधि0 श्री रामकिशोर व श्री राम कुमार वर्मा, अवर अभियन्ता राकेश कौशिक तथा लेखाकार श्री ईश्वरचंद्र मिश्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-14 क्षेत्र पंचायत का नाम—**बण्डा**, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष आलोच्य 2014-15 में ग्राण्ट पंजिका के अनुसार निम्नवत धन का उपयोग किया गया है—

राज्य वि0 आयोग — 2483471.00

तेरहवों वि0 आयोग — 3431792.00

रा0 वि0 आ0 — 2194115.00

संवर्धित राशि योग — 8109378.00

उक्त के सापेक्ष मात्र रू0 4873979.00 के कार्यों की पत्रावलियां व अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं। अवशेष धन रू0 3235399.00 से सम्बन्धित संगत अभिलेख ले0प0 में प्रस्तुत नहीं थे। आहरित धन के सापेक्ष अभिलेख न होना धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत होता है। श्री ईश्वरचन्द्र लेखाकार द्वारा नियमानुसार चार्ज नहीं दिया गया है। ठेके पर अभिलेख तक बने हैं। अतः अपहरित धन रू0 3235399.00 की वसूली ब्याज के साथ तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता श्री राकेश कौशिक व लेखाकार श्री ईश्वरचन्द्र मिश्र से अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-15 क्षेत्र पंचायत का नाम—**बण्डा**, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में इकाई द्वारा निम्नवत सी0सी0 रोड व नाली निर्माण के कार्य करवाया जाना दर्शित किया गया है—

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई मीटर में		लागत		योजना
		अनुमानित मी0	वास्तविक मी0	अनुमानित लागत	वास्तविक	
1	तिहार ऐजनपुर में सूरज सिंह के घर से दक्षिण की ओर	60	60	2.17	204834.00	टी0एफ0सी0
2	चरखी देवरी में राजेन्द्र के घर से खुशी राम के घर तक	50	कार्यपूर्ति नहीं है।	2.10	198713.00	एस0एफ0सी0

3	भानपुर में पक्के रोड से पुत्तू लाल के घर तक	140	136.90	5.76	518870.00	एस0एफ0सी0
4	शिवपुरी खंजी में कामता के घर से हरी राम के घर तक	40	40.50	1.72	154333.00	एस0एफ0सी0
5	उगनापुर में खडंजा से वेदप्रकाश के घर तक	90	कार्यपूति नहीं है।	3.84	373313.00	एस0एफ0सी0
6	धर्मापुर खडंजे से विनय के घर तक	50	59.95	1.94	183519.00	एस0एफ0सी0
7	शिवपुरी खंजी में सी0सी0 रोड से कन्धई के घर तक	50	कार्यपूति नहीं है।	2.15	185040.00	एस0एफ0सी0
8	देवकली रोड से रामकुमार के घर तक	60	कार्यपूति नहीं है।	2.52	209601.00	एस0एफ0सी0
9	नवदिया में पक्के रोड से सतीश सिंह के घर तक	45	कार्यपूति नहीं है।	1.92	175682.00	एस0एफ0सी0
10	नटियूरा में खडंजा से तोताराम के घर तक	50	कार्यपूति नहीं है।	2.17	203290.00	एस0एफ0सी0
11	बंडा में खुटार रोड से प्रीतम लोटस प्राइमरी स्कूल तक	100	कार्यपूति नहीं है।	3.15	273561.00	एस0एफ0सी0
12	वैवहा सम्पर्क मार्ग से रामविलास उ0प्रा0 स्कूल तक	60	कार्यपूति नहीं है।	1.91	166739.00	एस0एफ0सी0
	योग				2847495.00	

उक्त कार्य की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि—

- 1— कार्यों का चयन शासनादेशों के विपरीत प्रमुख, बी0डी0ओ0 व अवर अभियन्ता द्वारा किया गया।
- 2— स्टीमेट काल्पनिक पाये गये क्योंकि कार्ययोजना में दर्शित कार्यों की अनुमानित लम्बाई के ही स्टीमेट बने हैं। अनुमानित लम्बाई वास्तविक नहीं हो सकती है।
- 3— कतिपय स्टीमेटों में कार्यस्थल पर पुराना खडंजा लगा होना अंकन करने के बाद कच्चे मार्ग की भांति 10 सेमी0 मोटी सी0सी0 रोड ढलाई के स्टीमेट बनाये गये हैं जबकि नियमानुसार 7 से 7.50 सेमी0 मोटी ढलाई होनी थी नहीं तो खडंजा उखड़वाया जाना चाहिए था।
- 4—श्रमांश का भुगतान काफी समय बाद करना—
मजदूर अपना श्रमांश अधिकतम साप्ताहिक आधार पर लेते हैं। कतिपय कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि श्रमांश का भुगतान कार्य के काफी समय बाद किया गया जिसके कारण कार्य स्वयं बाद किया गया जिसके कारण कार्य स्वयं संदिग्ध होता है। कुछ उदा0—

कार्य क्रमांक	कार्य अवधि	भुगतान तिथि
01	16.5 से 27.5.15	2.7.2015
02	16.9 से 29.9.15	23.11.2015
04	16.6 से 28.6.15	22.8.15
05	1.9 से 24.9.15	3.11.15
06	1.9.15 से 23.9.15	3.12.2015
07	7.11 से 25.11.15	19.01.2016

- 5— पहले खरीदी सामग्री का उपयोग किये बगैर पुनः सामग्री खरीद करना व बिना आवश्यकता के सामग्री खरीद करना। कुछ उदा0—

कार्य क्रमांक	कार्य अवधि	सामग्री खरीद विवरण
01	16.5 से 27.5.15	24.12.14—75545.00
		24.12.14—24082.00

		14.5.15—44333.00
		14.5.14—21086.00
02	16.9 से 29.9.15	28.8.15—31230.00
		28.8.15—12500.00
		16.9—38005
04	16.6 से 28.6.15	18.5—71957.00
		18.5—27324.00
		18.6—13509.00
		18.6—14163.00
05	1.9.5.15 से 24.9.15	23.8.15—150350.00
		27.8—39793.00
		21.9—52890.00
		21.9—55560.00
06	1.9 से 23.9.15	8.8—31230.00
		28.8—12500.00
		2.9—72500.00
		2.9—31399.00 आदि

6— बिना मिक्सर मशीन के सी0सी0 रोड की ढलाई दर्शाया—

निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया जो कि कतिपय कार्यों में सी0सी0 रोड की ढलाई बिना मिक्सर मशीन के दर्शाया है। जोकि किसी भी रूप में संभव नहीं है। कुछ उदा0— कार्य क्रमांक 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

7— बिना ज्वाइंट फिलर मैटेरियल के सी0सी0 रोड निर्माण पूर्ण कराया जाना दर्शाया जाना—

कतिपय कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि सी0सी0 रोड निर्माण कार्य बिना ज्वाइंट फिलर मैटेरियल क्रय व प्रयोग के कार्य पूर्ण दर्शाया गया है। जो संभव नहीं है। कुछ उदा0— कार्य क्रमांक 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

8— सी0सी0 रोड ढलाई बिना पालीथीन बिछाये ही करना दर्शाया जाना—

अधिकांश कार्यों में सी0सी0 रोड की ढलाई में प्राक्कलन में प्राविधान के बावजूद पालीथीन का प्रयोग नहीं किया गया। बिना पालीथीन बिछाये गुणवत्तायुक्त सी0सी0 रोड निर्माण संभव नहीं। कुछ उदा0— कार्य क्रमांक 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

09— क्यूव टेक्स्ट रिपोर्ट नहीं—

किसी भी कार्य की स्ट्रेन्थ रिपोर्ट नहीं ली गयी जिससे निर्धारित गुणवत्ता के कार्य कराना संदिग्ध रहा। सामान्य माप गुणवत्ता की पुष्टि नहीं करता।

10— संदिग्ध टेण्डर प्रक्रिया—

निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि टेण्डर प्रक्रिया मात्र कागजी खानापूर्ति के लिये की गयी है। विवरण निम्नवत रहा—

1— टेण्डर में नियमानुसार मात्र सामग्री की दरे दी जाती है। जबकि पाया गया कि सभी कार्यों पर टेण्डर में दर मात्रा के आधार पर दी गयी है। टेण्डर में मात्रा का उल्लेख नहीं होता है।

2— नियमानुसार टेण्डर हेतु बहुप्रसार वाले समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं छपवाये गये।

3— टेण्डर कमेटी नहीं बनायी गयी।

4— कतिपय [टेण्डर/कोटेशन](#)ों में [टेण्डर/कोटेशन](#) प्रस्तुत करने की तारीख ही अंकित नहीं है। उदा0 कार्य क्रमांक—4,6,7,8,9 आदि।

5— कार्य पत्रावलियों में संलग्न टेण्डरों की जांच में पाया गया कि अधिकांश टेण्डर उसी हस्तलिपि में लिखे गये हैं, जो हस्तलिपि लेखाकार की टिप्पणी में प्रयुक्त है।

6— कतिपय [टेण्डर/कोटेशन](#) मांग में कार्यालय के नियमित पत्रांक व दिनांक का प्रयोग हुआ है तो कुछ में काल्पनिक व नियम विरुद्ध पत्रांकों का। उदा0—

कार्य क्रमांक	प्रयुक्त पत्रांक टेण्डर आमंत्रण में

1	सी0-3767 दिनांक 10.12.14
2	कोटेशन/टेण्डर मांग ही नहीं है।
3	कोटेशन/टेण्डर मांग ही नहीं है।
4	सी0-133 दिनांक 12.5.15
5	कोटेशन/टेण्डर मांग ही नहीं हैं।
6	कोटेशन/टेण्डर मांग ही नहीं हैं।
7	कोटेशन/टेण्डर मांग ही नहीं हैं।
8	कोटेशन/टेण्डर मांग ही नहीं हैं।
9	कोटेशन/टेण्डर मांग ही नहीं हैं।
10	कोटेशन/टेण्डर मांग ही नहीं हैं।

11- उपखनिजों की खरीद पर शासनादेश सं0 के अनुसार रायल्टी कटौती कर शासकीय कोश को क्षति पहुंचाना-

कार्यों में बिलों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर भुगतान पूर्व न तो रवन्ना (फार्म एम. एम.11) लिया गया और न ही रायल्टी की कटौती की गयी।

रायल्टी की कटौती कर राजकोश में जमा न करने के कारण शासकीय कोश की क्षति जान बूझकर पहुंचायी गयी है। लेखा परीक्षा में संज्ञान में आया कि जिन फर्मों से उपखनिजों की खरीद दर्शायी गयी है, वह फर्म उपखनिजों की बिक्री के लिए अधिकृत ही नहीं है। इस प्रकार उपखनिजों की खरीद ही संदिग्ध है।

12- फर्मों द्वारा उनके बिलों से कटौती किये गये टी0डी0एस0 के रिफण्ड के लिये इकाई से (फार्म-16) न लिया जाना-

लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न फर्मों से विभिन्न कार्यों पर खरीदी गयी सामग्री फर्मों से विभिन्न कार्यों पर खरीदी गयी सामग्री के बिलों से टी0डी0एस0 की कटौती कर कोशागार में जमा किया गया है। फर्मों द्वारा रिटर्न दाखिल करने में काटे गये टी0डी0एस0 के रिटर्न के लिये नियमानुसार (फार्म-16) इकाई से लिया जाना था। किन्तु किसी भी फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि फर्म रिटर्न दाखिल नहीं किसी या उनके द्वारा प्रस्तुत बिल कच्चे हैं एवं अधिकृत नहीं हैं।

13- संदिग्ध मास्टर रोल-

उक्त कार्यों के मास्टर रोलों की जांच में पाया गया कि-

क- नियमों के विपरीत मास्टर रोलों में श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न लेकर एक बार में सभी की उपस्थिति अंकित की गयी है।

ख- सभी मास्टर रोलों में लगे श्रमिकों के नि0अ0 एक दो लोगों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं।

ग- अधिकांश मास्टर रोलों पर श्रमिकों के नाम उसी हस्तलिपि में हैं, जिससे लेखाकार की टिप्पणी अंकित की गयी है।

घ- अधिकांश मास्टर रोलों में कार्य अवधि का अंकन नहीं है। मात्र माह का नाम अंकित है।

ड- मास्टर रोलों पर विकास खण्ड से निगमन की पुष्टि में तिथि अंकित खण्ड वि0अधि0 के हस्ताक्षर नहीं है। कार्य क्रमांक 5 के मास्टर रोलों में तो कार्य प्रभारी के ही हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

14- ठेके पर कार्यालय के बाहर कार्यों की पत्रावलियां तैयार किया जाना-

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि लेखाकार द्वारा भुगतान के लिये अंकित की टिप्पणी/नोट लेखाकार की हस्तलिपि में न होकर किसी ऐसे व्यक्ति की हस्तलिपि है। जिसने अधिकांश कोटेशन व बिल तैयार किये हैं। लेखाकार द्वारा मात्र हस्ताक्षर ही किये गये हैं।

15- नियमानुसार कार्यों के फोटोग्राफ न होना-

किसी कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं पाये गये। फोटोग्राफों से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की आशंका से ऐसा किया गया पाया गया।

16- संदिग्ध कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र-

कार्यों के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रों की जांच में पाया गया कि अवर अभियंता द्वारा नियमानुसार सामग्री का पूर्ण विवरण अंकित न कर एकमुश्त कुल लागत लिखी गयी तथा माप में भी लम्बाई, चौड़ाई व ऊंचाई का पूर्ण विवरण अंकित न कर मात्र लम्बाई ही लिखी गयी हैं।

17- कार्यों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी पत्रों को नियमानुसार कार्यालय के नियमित पत्राकों से

जारी न किसी अन्य पत्राकों से जारी है। अधिकांश पत्र मेमों से जारी है। टेण्डर संबंधी कुछ पत्र नियमित पत्राकों से है।

18— अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर न करना—

लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखाकार से लेकर खण्ड विकास अधिकारी तक के हस्ताक्षर बिना तिथि अंकित किये हैं, जोकि स्वयं में अनियमितता हैं।

19— कार्यों का चयन शासनादेशों के अनुरूप नहीं रहा—

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट हैं कि सुनियोजित रूप से फर्मों से दुरभिसंधि एवं फर्जी अभिलेख तैयार फिर धन का अपहरण किया गया है।

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट हैं कि सुनियोजित रूप से फर्मों से मिलकर व काल्पनिक अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 2847495 की वसूली दाण्डिक ब्याज सहित ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री विवेकशील पाल, श्री एस0के0 गौतम, श्री ख्याली राम, श्री पीयूष अवस्थी(ग्रा0पं0अधि0), श्री राकेश कौशिक अवर अभियंता व खण्ड वि0 अधिकारी श्री अनुज कुमार, श्री राम कुमार वर्मा व श्री सी0पी0 दीक्षित तथा लेखाकार श्री ईश्वरचंद्र मिश्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0—16 क्षेत्र पंचायत का नाम—बण्डा, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2015—16 में इकाई द्वारा निम्नवत खडंजा निर्माण के कार्य करवाया जाना दर्शित किया गया है—

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई मीटर में		लागत		योजना
		अनुमानित मी0	वास्तविक मी0	अनुमानित लागत	वास्तविक	
1	महमूदापुर में होली स्थान से मंदिर तक इण्टरलॉकिंग व नाली	150	कार्यपूर्ति नहीं है।	5.89	10127.00	एस0एफ0सी0
2	महमूदापुर में रामपाल के घर से जीवनलाल के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण	120	कार्यपूर्ति नहीं है।	1.93	98846.00	एस0एफ0सी0
	योग				108973.00	

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि—

1— कार्य का चयन शासनादेश के विपरीत व प्रमुख बी0डी0ओ0 व अवर अभियन्ता द्वारा बिना किसी आधार के मनमर्जी से किया गया है।

2— कार्य योजना वर्ष अनुमानित लम्बाई व स्टीमेंट में दर्शित लम्बाई एक ही है जिससे स्वतः स्पष्ट हैं कि स्टीमेंट वास्तविक माप पर आधारित नहीं हैं।

3— कार्य क्रमांक (2) की पत्रावली के अनुसार कार्य दिनांक 1.1.2016 से 9.1.16 के मध्य हुआ जबकि सामग्री खरीद निम्नवत दर्शित हैं।

28.2.16 ओरियण्टल ब्रिक फील्ड — 2884 — ईट व रोडी

28.12.16 शिवम ट्रेडर्स — 22812 — सीमेंट, रेता, आर,वी0एम0।

28.2.16 पटेल सीमेंट ब्रिक फील्ड 66450 इण्टरलॉकिंग ईट बिलों में तिथि सामग्री कथित लेखाकार की हस्तलिपि में हैं।

4— कार्य क्रमांक (1) में निविदा प्राप्ति तिथि 16.8.15 हैं तो निविदा खोलने की तिथि 20.06.2015 है। बिना दिनांक के टेण्डर है।

सामग्री खरीद व प्रयोग विवरण इस प्रकार है।

मस्ट्रोल बिना नं0 का 1.1.16 से 23.1.16 17940 मजदूरों के नि0अ0 तक नहीं लगे हैं।

उपरोक्त से धन अपहरण स्वयं पुष्टित है। फर्म के बिल एक हस्तलिपि में है। यही हस्तलिपि लेखाकार की टिप्पणी में भी है।

किसी कार्य के नक्शे, निरीक्षण, क्रॉस सेक्सन आदि नहीं पाये गये।

दोनों मार्गों पर पहले खडंजा लगा होना अंकित हैं, किन्तु सामग्री का आगणन कच्चे मार्ग के अनुसार पाया गया है।

5—संदिग्ध टेण्डर प्रक्रिया— निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि टेण्डर प्रक्रिया मात्र कागजी खानापूर्ति के लिये की गयी है। विवरण निम्नवत रहा—

क— टेण्डर में नियमानुसार मात्र सामग्री की दरे दी जाती है जबकि पाया गया कि सभी फर्मों पर टेण्डर में दर मात्रा के आधार पर दी गयी है। टेण्डर में मात्रा का उल्लेख नहीं होता है।

ख— नियमानुसार टेण्डर हेतु बहुप्रसार वाले समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं छपवाये गये।

ग— टेण्डर कमेटी नहीं बनायी गयी।

घ— कतिपय टेण्डर/कोटेशन में टेण्डर/कोटेशन प्रस्तुत करने की तारीख ही अंकित नहीं हैं। उदा०—कार्य क्रमांक—1 आदि।

ड— कार्य पत्रावलियों में संलग्न टेण्डरों की जांच में पाया गया कि अधिकांश टेण्डर उसी हस्तलिपि में लिखे गये हैं, जो हस्तलिपि लेखाकार की टिप्पणी में प्रयुक्त है।

च— कतिपय टेण्डर/कोटेशन मांग में कार्यालय के नियमित पत्रांक व दिनांक का प्रयोग हुआ है तो कुछ में काल्पनिक व नियम विरुद्ध पत्रांकों का। उदा०—

कार्य क्रमांक	पत्रांक
01	कोटेशन मांग नहीं हैं। बिना मांग कोटेशन प्राप्त है।
02	169—6.8.15 / 12.2.16

6— उपखनिजों की खरीद पर शासनादेश सं० के अनुसार रायल्टी कटौती न कर शासकीय कोश की क्षति पहुंचाना— कार्यों में बिलों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर भुगतान पूर्व न तो रवन्ना (फॉर्म एम.एम.—11) लिया गया और न ही रायल्टी की कटौती की गयी।

रायल्टी की कटौती कर राजकोश में जमा न करने के कारण शासकीय कोश को क्षति जानबूझकर पहुंचायी गयी है। लेखा परीक्षा में संज्ञान में आया कि जिन फर्मों से उपखनिजों की खरीद दर्शायी गयी है, वह फर्म उपखनिजों की बिक्री के लिए अधिकृत ही नहीं है। इस प्रकार उपखनिजों की खरीद ही संदिग्ध है।

7— फर्मों द्वारा उनके बिलों से कटौती किये गये टी०डी०एस० के रिफंड के लिये इकाई से (फार्म —16) न लिया जाना— लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न फर्मों से विभिन्न कार्यों पर खरीदी गयी सामग्री के बिलों से टी०डी०एस० की कटौती कर कोशागार में जमा किया गया है।

फर्मों द्वारा रिटर्न दाखिल करने में काटे गये टी०डी०एस० के रिफंड के लिये नियमानुसार फार्म—16 इकाई से लिया जाना था। किन्तु किसी भी फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि फर्म रिटर्न दाखिल नहीं करती या उनके द्वारा प्रस्तुत बिल कच्चे हैं एवं अधिकृत नहीं है।

8— संदिग्ध मास्टर रोल—

उक्त कार्यों के मास्टर रोलों की जांच में पाया गया कि—

क— नियमों के विपरीत मास्टर रोलों में श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न लेकर एक बार में सभी की उपस्थिति अंकित की गयी है।

ख— सभी मास्टर रोलों में लगे श्रमिकों के नि०अ० एक दो लोगों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं।

ग— अधिकांश मास्टर रोलों पर श्रमिकों के नाम उसी हस्तलिपि में हैं, जिससे लेखाकार की टिप्पणी अंकित की गयी है।

घ— अधिकांश मास्टर रोलों में कार्य अवधि का अंकन नहीं है। मात्र माह का नाम अंकित है।

ड— मास्टर रोलों पर विकास खण्ड से निगमन की पुष्टि में तिथि अंकित खण्ड वि०अधि० के हस्ताक्षर नहीं है।

9— ठेके पर कार्यालय के बाहर कार्यों की पत्रावलियां तैयार किया जाना—

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि लेखाकार द्वारा भुगतान के लिये अंकित की टिप्पणी/नोट लेखाकार की हस्तलिपि में न होकर किसी ऐसे व्यक्ति की हस्तलिपि है। जिसने अधिकांश कोटेशन व बिल तैयार किये हैं। लेखाकार द्वारा मात्र हस्ताक्षर ही किये गये हैं।

10— नियमानुसार कार्यों के फोटोग्राफ न होना—

किसी कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं पाये गये। फोटोग्राफों से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की आशंका से ऐसा किया गया पाया गया।

11— संदिग्ध कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र— कार्यों के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रों की जांच में पाया गया कि अवर अभियंता द्वारा नियमानुसार सामग्री का पूर्ण विवरण अंकित न कर एकमुश्त कुल लागत लिखी गयी तथा माप में भी लम्बाई, चौड़ाई व ऊंचाई का पूर्ण विवरण अंकित न कर मात्र लम्बाई ही लिखी गयी हैं।

12- कार्यों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी पत्रों को नियमानुसार कार्यालय के नियमित पत्राकों से जारी न किसी अन्य पत्राकों से जारी है। अधिकांश पत्र मेमों से जारी है। टेण्डर संबंधी कुछ पत्र नियमित पत्राकों से है। प्रमुख पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

13- अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर न करना-

लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखाकार से लेकर खण्ड विकास अधिकारी तक के हस्ताक्षर बिना तिथि अंकित किये हैं, जोकि स्वयं में अनियमितता हैं।

14- कार्यों का चयन शासनादेशों के अनुरूप नहीं रहा-

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट हैं कि सुनियोजित रूप से फर्मों से दुरभिसंधि एवं फर्जी अभिलेख तैयार फिर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन ₹0 108973.00 की वसूली मय ब्याज कार्य प्रभारी श्री पीयूष अवस्थी ग्रा0पं0अधि0, अवर अभि0 श्री राकेश कौशिक, खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुज कुमार तथा लेखाकार श्री ईश्वरचंद्र मिश्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-17 क्षेत्र पंचायत का नाम-**बण्डा**, जनपद- **शाहजहाँपुर** वर्ष 2015-16 में **इंकाई** द्वारा निम्नवत **सी0सी0 रोड व नाली निर्माण** के कार्य करवाया जाना दर्शित किया गया है-

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई मीटर में		लागत		योजना
		अनुमानित मी0	वास्तविक मी0	अनुमानित लागत	वास्तविक	
1	इंदलपुर में खडंजे से जीत सिंह के घर तक	70	68	0.95	87038.00	एस.एफ.सी.
2	ददियूरी में पक्के रोड तरसेन के घर तक	210	233.20	2.44	23760.00	एस.एफ.सी.
3	मुडिगंवा में तहल सिंह के घर से जनरैल सिंह के घर तक	330	350	4.00	376350.00	एस.एफ.सी.
4	इंदलपुर में चंदी फार्म बक्सीस सिंह के फार्म तक	300	कार्यपूति नहीं हैं।	3.47	325230.00	एस.एफ.सी.
5	गहलुइया मोड से शमशेर सिंह पुत्र निदर सिंह के झाले तक	110	कार्यपूति नहीं हैं।	1.29	114690.00	एस.एफ.सी.
6	भानपुर निबुआचक रोड से दर्शन सिंह के घर तक	130	कार्यपूति नहीं हैं।	1.607	155390.00	एस.एफ.सी.
7	नवदिया बंकी में पप्पू के घर रोड तक	100	कार्यपूति नहीं हैं।	1.195	108630.00	एस.एफ.सी.
8	महमूदपुर में पक्के रोड से ओमप्रकाश के खेत तक	550	कार्यपूति नहीं हैं।	6.62	595850.00	एस.एफ.सी.
9	ददियूरी में सुनासर मार्ग से रामखिलावन के घर तक	90	कार्यपूति नहीं हैं।	1.28	104991.00	एस.एफ.सी.
10	रनमस्तपुर बुर्जुग में खडंजा से दर्शन सिंह के घर तक	200	कार्यपूति नहीं हैं।	2.447	238110.00	एस.एफ.सी.
	योग				2130039.00	

उक्त कार्य की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि-

1- कार्यों का चयन शासनादेशों के विपरीत प्रमुख, बी0डी0ओ0 व अवर अभियन्ता द्वारा बिना किसी आधार के किया गया।

2- कार्ययोजना में दर्शित कार्यों की अनुमानित लम्बाई व स्टीमेट में दर्शित लम्बाई एक ही है। अनुमानित लम्बाई वास्तविक नहीं होती। उक्त से स्पष्ट है कि स्टीमेट माप के अनुसार न बनाकर काल्पनिक है।

3- स्टीमेटों में कतिपय कार्यों पर 2 किमी0 दूर से मिटटी लाना दर्शाकर आगणन किया गया है। 2

किमी० दूर मिटटी खदान कहाँ है, स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार स्टीमेट त्रुटिपूर्ण रहे।

4— स्टीमेटों में मिटटी कार्य के आगणन में पटरी की चौड़ाई सहित आगणन किया गया तथा पुनः पटरी का अलग से आगणन किया गया है, जो गलत रहा।

5—मास्टर रोलो, कोटेशन/टेण्डर अधिकांश बिल व लेखाकार की टिप्पणी की हस्तलिपि एक पायी गयी। जिससे स्वतः स्पष्ट हैं कि मात्र अभिलेखों में कार्य कराना दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

भुगतान आदि में लेखाकार की टिप्पणी किसी अन्य ने लिखी है, लेखाकार द्वारा मात्र हस्ताक्षर किये हैं।

6—अवर अभियंता को स्टीमेट बनाने के लिए कब और किसने निर्देशित किया अस्पष्ट रहा। अवर अभि० द्वारा स्थलीय माप की गयी व स्टीमेट कब बने अज्ञात रहा।

कार्ययोजना में दर्शित किस कार्य का स्टीमेट बनाना हैं व किसका नहीं, से संबंधित विवरण अज्ञात रहा। नियमतः क्रमबद्ध रूप से स्टीमेट बनाये जाने थे। जबकि ऐसा न कर मनमर्जी से पिक एंड चूज के आधार पर बनाये गये।

7—श्रमांश का भुगतान काफी समय बाद करना—

मजदूर अपना कमांश अधिकतम साप्ताहिक आधार पर लेते हैं। कतिपय कार्यों पर श्रमांश का भुगतान कार्य के काफी समय बाद किया जाना पाया गया जिससे कार्य स्वयं संदिग्ध होता है। कुछ उदा०—

कार्य क्रमांक	कार्य अवधि	भुगतान तिथि
01	16.10 से 23.10.15	19.1.2016
07	16.5 से 27.5.15	2.7.2015
08	1.9 से 30.9.15, 7.10 से 30.10.15	20.2.16
09	16.11 से 25.11.15	19.1.16 आदि

8— पहले खरीदी सामग्री का उपयोग किये बगैर पुनः सामग्री खरीद करना व बिना आवश्यकता के सामग्री खरीद करना। कुछ उदा०—

कार्य क्रमांक	कार्य अवधि	सामग्री खरीद विवरण
02	1.9 से 23.9.15	28.8.15—150000.00 1.9.15—54050.00
03	1.9 से 24.9.15	27.8.15—275600.00 1.9.15—50350.00
06	1.9 से 28.9.15	28.7.15—42400.00 1.9.15—91690.00
09 योग	1.6.11 से 25.11.15	28.9.15—92871 756961.00

9—कार्य क्रमांक 6 में कोटेशन स्वीकृति पत्रांक 195 दिनांक 26.8.15 से किन्तु सामग्री खरीद दिनांक 28.7.15 को पायी गयी। कार्य क्रमांक 8 में इंडिया ब्रिक फील्ड के बिल इस प्रकार रहे।

बिल नं० — 89—27.8.15

99—18.9.15

26—15.10.15

10—संदिग्ध टेण्डर प्रक्रिया— निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि टेण्डर प्रक्रिया मात्र कागजी खानापूर्ति के लिये की गयी है। विवरण निम्नवत रहा—

1— टेण्डर में नियमानुसार मात्र सामग्री की दरें दी जाती है। जबकि पाया गया कि सभी कार्यों पर टेण्डर में दर मात्रा के आधार पर दी गयी है। टेण्डर में मात्रा का उल्लेख नहीं होता है।

2— नियमानुसार टेण्डर हेतु बहुप्रसार वाले समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं छपवाये गये।

3— टेण्डर कमेटी नहीं बनायी गयी।

4—कतिपय/टेण्डर कोटेशनों में टेण्डर/कोटेशन प्रस्तुत करने की तारीख ही अंकित नहीं है। उदा०— कार्य क्रमांक — 2,3,4,5,6 आदि।

5— कार्य पत्रावलियों में संलग्न टेण्डरों की जांच में पाया गया कि अधिकांश टेण्डर उसी हस्तलिपि में लिखे गये हैं, जो हस्तलिपि लेखाकार की टिप्पणी में प्रयुक्त है।

6- कतिपय टेण्डर/कोटेशन मांग में कार्यालय के नियमित पत्रांक व दिनांक का प्रयोग हुआ है तो कुछ में काल्पनिक व नियम विरुद्ध पत्रांकों का। उदा०-

कार्य क्रमांक	प्रयुक्त पत्रांक
1	163 दिनांक 6.8.15
2	315 दिनांक 30.6.15
3	मांग नहीं।
4	मांग नहीं।
5	मांग नहीं।
6	मांग नहीं।
7	सी-134 दिनांक 12.5.15
8	मांग नहीं।
9	166 दिनांक 06.08.15

13- संदिग्ध मास्टर रोल-

उक्त कार्यों के मास्टर रोलों की जांच में पाया गया कि-

क-नियमों के विपरीत मास्टर रोलों में श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न लेकर एक बार में सभी की उपस्थिति अंकित की गयी है।

ख- सभी मास्टर रोलों में लगे श्रमिकों के नि०अ० एक दो लोगों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं।

ग- अधिकांश मास्टर रोलों पर श्रमिकों के नाम उसी हस्तलिपि में हैं जिससे लेखाकार की टिप्पणी अंकित की गयी है।

घ- अधिकांश मास्टर रोलों में कार्य अवधि का अंकन नहीं है। मात्र माह का नाम अंकित है।

ड- मास्टर रोलों पर विकास खण्ड से निर्गमन की पुष्टि में तिथि अंकित खण्ड वि० अधि० के हस्ताक्षर नहीं हैं।

14- ठेके पर कार्यालय के बाहर कार्यों की पत्रावलियां तैयार किया जाना- उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि लेखाकार द्वारा भुगतान के लिये अंकित की टिप्पणी/नोट लेखाकार की हस्तलिपि में न होकर किसी ऐसे व्यक्ति की हस्तलिपि है। जिसने अधिकांश कोटेशन व बिल तैयार किये हैं। लेखाकार द्वारा मात्र हस्ताक्षर ही किये गये हैं।

15- नियमानुसार कार्यों के फोटोग्राफ न होना- किसी कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं पाये गये। फोटोग्राफों से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की आशंका से ऐसा किया गया पाया गया।

16- संदिग्ध कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र-

कार्यों के फार्म पूर्ति प्रमाण पत्रों की जांच में पाया गया कि अवर अभियंता द्वारा नियमानुसार सामग्री का पूर्ण विवरण अंकित न कर एकमुश्त कुल लागत लिखी गयी तथा माप में भी लम्बाई, चौड़ाई व ऊँचाई का पूर्ण विवरण अंकित न कर मात्र लम्बाई ही लिखी गयी हैं।

17- कार्यों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी पत्रों को नियमानुसार कार्यालय के नियमित पत्रांकों से जारी न कर किसी अन्य पत्रांकों से जारी है। अधिकांश पत्र मेमों से जारी हैं।

18- अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर न करना-

लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखाकारी से लेकर खण्ड विकास अधिकारी तक ने हस्ताक्षर बिना तिथि अंकित किये हैं, जोकि स्वयं में अनियमितता हैं।

19- कार्यों का चयन शासनादेशों के अनुरूप नहीं रहा-

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट हैं कि सुनियोजित रूप से फर्मों से दुरभिसंधि एवं फर्जी अभिलेख तैयार फिर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 2343929.00 की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री ख्यालीराम कश्यप/ श्री एस०के० गौतम, ग्रा०प०अधि० श्री राकेश कौशिक, खण्ड वि० अधि० श्री राज कुमार वर्मा व लेखाकार श्री ईश्वर चंद्र मिश्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं०-18 क्षेत्र पंचायत का नाम-**बण्डा**, जनपद- **शाहजहाँपुर** वर्ष 2015-16 में **इकाई** द्वारा निम्नवत **खडंजा निर्माण** के कार्य करवाया जाना दर्शित किया गया है-

		लम्बाई मीटर में	लागत	

क्र0	कार्य का नाम	अनुमानित मी0	वास्तविक मी0	अनुमानित लागत	वास्तविक	योजना
1	भानपुर निबुआ चक में मनोक कुमार के घर दक्षिण तक नाली निर्माण	250	कार्यपूर्ति नहीं है।	2.17	167926.00	एस.एफ.सी.
2	सैदापुर गांव के एम आर तर पुलिया निर्माण	—	कार्यपूर्ति नहीं है।	1.78	161776.00	एस.एफ.सी.
	योग				329702.00	

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि—

1— कार्य का चयन शासनादेश के विपरीत रहा तथा कार्यों का निर्धारित व्यवस्था के विपरीत प्रमुख क्षेत्र पंचायत बी0डी0ओ0 व अवर अभियन्ता द्वारा किया गया।

2—कार्य क्रमांक (1) में अंकित माप कार्ययोजना में दर्शित अनुमानित माप है। वास्तविक माप अनुमानित माप के बराबर संभव नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत स्टीमेट स्थल माप के आधार पर न होकर काल्पनिक होना पाया गया।

3—कार्यवार आपत्तियां निम्नवत रही—

क—कार्य क्रमांक—1

1— कोटेशन मांग पत्र सी—137 दिनांक 12.5.15 में कोटेशन जमा करने की तिथि नहीं है तथा यह भी स्पष्ट नहीं है कि दिनांक 14.5.15 को कोटेशन कौन लाया।

2—मिश्रा ट्रेडर्स के 18.5.15 का बिल क्रमांक 20 है किन्तु बुक नं0 नहीं है तथा दिनांक 15.6.15 का बिल में हाथ से बुक नं0 5 व बिल क्रमांक 11 है। इस प्रकार बिल फर्जी पाये गये।

3— मिश्रा ट्रेडर्स से दिनांक 15.6.15 को रू0 7350 से खरीदी सामग्री में से रू0 6129/ मूल्य की सामग्री अप्रयुक्त होने के कारण वापस अंकित है किन्तु कौन कौन सी सामग्री वापस की गयी, अस्पष्ट रहा।

4— उक्त कार्य 15.7.15 से 30.7.15 के मध्य रू0 30800 के श्रमांश से होना दर्शित है, जबकि सामग्री निम्नवत दर्शित है—

मै0 इंडिया ब्रिक फील्ड—13—18.5.15—73216—ईट व मिटटी

मै0 मिश्रा ट्रेडर्स—20—18.5.15—59289—सीमेंट, मौ0 आदि

मै0 मिश्रा ट्रेडर्स—5/11—15.6.15—7350—सीमेंट, मौ0 आदि

मै0 इंडिया ब्रिक फील्ड— 93—15.6.15—3400—बोर्ड

उपरोक्त अंकित विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि बिना आवश्यकता के सामग्री खरीद की गयी व पहले खरीदी सामग्री का उपयोग किये बगैर पुनः सामग्री क्रय की गयी। बिलों में कुछ नं0 का अंकन न होना बिलों की फर्जी होना स्पष्ट करता है।

ख— कार्य क्रमांक—2

1— बिना पत्रांक व दिनांक के मै0 मिश्रा ट्रेडर्स व मै0 मीर वाहिदी ब्रिक फील्ड को सामग्री आपूर्ति आदेश दिये गये।

2— मै0 सिंह स्पन पाइप को सामग्री आपूर्ति आदेश पत्रांक 154 दिनांक 15.5.15 किये गये जबकि अन्य सामग्री के कोटेशन मांग पत्र तक जारी नहीं किया गया।

3— मिश्रा ट्रेडर्स व मै0 सिंह स्पन पाइप के बिलों में क्रमशः बिल नं0 नहीं है व बुक नं0 बिल नं0 हाथ से लिप्त है। जिससे फर्जी बिल पुष्टित है।

4— कार्य 01.10.15 से 13.10.15 के मध्य रू0 24760 श्रमांश व्यय कर करवाया जाना दर्शित है, जबकि सामग्री खरीद निम्नवत है।

मै0 सिंह स्पन पाइप — 20.5.15 —57779.42 हयूमपाइप

मै0 मिश्रा ट्रेडर्स — 20.9.15 —23839 सीमेंट आदि

मै0 मीर वाहिदी ब्रिक फील्ड 20.9.15—55398.00 ईट

उक्त में—

क— मिश्रा ट्रेडर्स व मीर वाहिदी ब्रिक फील्ड के बिल एक ही हस्तलिपि में है वही हस्तलिपि स'लेखाकार

की टिप्पणी भी है।

ख- कार्य के पांच माह पूर्व मै0 हयूम पाइप खरीद कर कोई औचित्य न था।

5- कोई कार्य के कार्यपूति प्रमाण पत्र नहीं है। इससे स्पष्ट है कि स्थलीय सत्यमापन कार्य का नहीं किया गया। इस प्रकार काल्पनिक एम0बी0 बनाया जाना पाया गया।

4- उपखनिजों की खरीद पर शासनादेश सं0 के अनुसार रायल्टी कटौती न कर शासकीय कोश की क्षति पहुंचाना- कार्यों में बिलों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर भुगतान पूर्व न तो रवन्ना (फॉर्म एम.एम.-11) लिया गया और न ही रायल्टी की कटौती की गयी।

रायल्टी की कटौती कर राजकोश में जमा न करने के कारण शासकीय कोश को क्षति जानबूझकर पहुंचायी गयी है। लेखा परीक्षा में संज्ञान में आया कि जिन फर्मों से उपखनिजों की खरीद दर्शायी गयी है, वह फर्म उपखनिजों की बिक्री के लिए अधिकृत ही नहीं है। इस प्रकार उपखनिजों की खरीद ही संदिग्ध है।

5- फर्मों द्वारा उनके बिलों से कटौती किये गये टी0डी0एस0 के रिफंड के लिये इकाई से (फार्म -16) न लिया जाना- लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न फर्मों से विभिन्न कार्यों पर खरीदी गयी सामग्री के बिलों से टी0डी0एस0 की कटौती कर कोशागार में जमा किया गया है।

फर्मों द्वारा रिटर्न दाखिल करने में काटे गये टी0डी0एस0 के रिफंड के लिये नियमानुसार फार्म-16 इकाई से लिया जाना था। किन्तु किसी भी फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि फर्म रिटर्न दाखिल नहीं करती या उनके द्वारा प्रस्तुत बिल कच्चे हैं एवं अधिकृत नहीं है।

8- संदिग्ध मास्टर रोल-

उक्त कार्यों के मास्टर रोलों की जांच में पाया गया कि-

क- नियमों के विपरीत मास्टर रोलों में श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न लेकर एक बार में सभी की उपस्थिति अंकित की गयी है।

ख- सभी मास्टर रोलों में लगे श्रमिकों के नि0अ0 एक दो लोगों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं।

ग- अधिकांश मास्टर रोलों पर श्रमिकों के नाम उसी हस्तलिपि में हैं, जिससे लेखाकार की टिप्पणी अंकित की गयी है।

घ- अधिकांश मास्टर रोलों में कार्य अवधि का अंकन नहीं है। मात्र माह का नाम अंकित है।

ड- मास्टर रोलों पर विकास खण्ड से निगमन की पुष्टि में तिथि अंकित खण्ड वि0अधि0 के हस्ताक्षर नहीं पाये गये हैं।

7- ठेके पर कार्यालय के बाहर कार्यों की पत्रावलियां तैयार किया जाना-

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि लेखाकार द्वारा भुगतान के लिये अंकित की टिप्पणी/नोट लेखाकार की हस्तलिपि में न होकर किसी ऐसे व्यक्ति की हस्तलिपि है। जिसने अधिकांश कोटेशन व बिल तैयार किये हैं। लेखाकार द्वारा मात्र हस्ताक्षर ही किये गये हैं।

8- नियमानुसार कार्यों के फोटोग्राफ न होना-

किसी कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं पाये गये। फोटोग्राफों से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की आशंका से ऐसा किया गया पाया गया।

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्मों से दुरभिसंधि एवं फर्जी अभिलेख तैयार फिर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 329702 की वसूली दण्ड ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री पीयूश अवस्थी ग्रा0पं0अधि0, अवर अभियन्ता श्री राकेश कौशिक, खण्ड विकास अधिकारी, श्री अनुज कुमार व लेखाकार श्री ईश्वरचंद्र मिश्र करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

5- इकाई के अंतरिम आपत्तियां जारी की गयी थी किन्तु उक्त के परिपालन में लेखा प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर सं0-19 क्षेत्र पंचायत का नाम-बण्डा, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में इकाई द्वारा निम्नवत सी0सी0 रोड व नाली निर्माण के कार्य करवाया जाना दर्शित किया गया है-

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई मीटर में		लागत		योजना
		अनुमानित मी0	वास्तविक मी0	अनुमानित लागत	वास्तविक	

1	बण्डा में बनवारी के घर से मझिले के घर तक	100.00	96.70	3.59	317936.00	एस.एफ.सी.
2	धीमरपुर गुरुद्वारा से हरदयाल सिंह के झाला तक	100.00	कार्यपूर्ति नहीं है।	4.00	397652.00	एस.एफ.सी.
3	बण्डा में पक्के रोड से दाताराम के घर तक	150.00	कार्यपूर्ति नहीं है।	5.59	549722.00	एस.एफ.सी.
	योग				1265310.00	

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि—

1— उक्त कार्यों का चयन शासनादेश के विपरीत प्रमुख क्षेत्र पंचायत, बी०डी०ओ० व अवर अभियन्ता द्वारा बिना किसी प्रक्रिया के किया गया।

2—स्टीमेटों में बही लम्बाई दर्शित हैं जोकि कार्ययोजना में अनुमानित रूप से अंकित है। अनुमानित लम्बाई के वास्तविक लम्बाई एक नहीं हो सकती है। इस प्रकार स्टीमेट अनुमानित माप के आधार पर बचे पाया गया।

3— कार्य समाप्ति के बाद सामग्री क्रय दर्शित है।

कार्य क्रमांक	कार्य अवधि	कार्य समाप्ति के बाद सामग्री क्रय
03	1.9 से 30.9.16	8.10.16 —163763
		8.10.16— 74564

4— सामग्री आपूर्ति के आदेश के पहले सामग्री खरीद—

कार्य क्रमांक	कार्य अवधि	कार्य समाप्ति के बाद सामग्री क्रय
01	240 दिनांक 2.1.17 मै० बण्डा सीमेंट स्टोर	30.12.16—32700
	239 दिनांक 2.1.17 मै० अमन ब्रिक फील्ड	30.12.16—62710

5— बिना बी०डी०ओ० के हस्ताक्षर के सामग्री आपूर्ति आदेश जारी होना—

कार्य क्रमांक	आदेश	फर्म का नाम
02	249 दिनांक 20.8.16	मै० मिश्रा ट्रेडर्स
	248 दिनांक 20.8.16	मै० अमन ब्रिक फील्ड

6— कार्य क्रमांक 1 व 2 किमी० दूर से मिटटी लाने का स्टीमेट बनाया गया है। किन्तु 2 किमी दूर मिटटी खदान कहाँ है, स्पष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार स्टीमेट त्रुटिपूर्ण रहा।

7— कार्य क्रमांक 3 के स्टीमेट के प्रतिवेदन में 45 मी० खडंजा लगा होना अंकित है। उक्त के बावजूद 10 सेमी मोटी सी०सी० रोड ढलाई का स्टीमेट कच्चे मार्ग के समान बनाया गया। नियमतः 7 से 7.5 सेमी मोटी सी०सी० ढलाई का स्टीमेट बनाया जाना था या फिर ईट उठवाना चाहिए था।

इस प्रकार स्टीमेट सही नहीं पाया गया।

8— बिना मिक्सर मशीन के सी०सी० रोड की ढलाई दर्शाना—

निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया जो कि कतिपय कार्यों में सी०सी० रोड की ढलाई बिना मिक्सर मशीन के दर्शित है। जोकि किसी भी रूप में संभव नहीं है। कुछ उदा०— कार्य क्रमांक 1,2,3

9— बिना ज्वाइंट फिलर मैटेरियल के सी०सी० रोड निर्माण पूर्ण कराया जाना दर्शाया जाना—

कतिपय कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि सी०सी० रोड निर्माण कार्य बिना ज्वाइंट फिलर मैटेरियल क्रय व प्रयोग के कार्य पूर्ण दर्शाया गया है। जो संभव नहीं है। कुछ उदा०— कार्य क्रमांक 1,2,3

8— सी०सी० रोड ढलाई बिना पालीथीन बिछाये ही करना दर्शाया जाना—

अधिकांश कार्यों में सी०सी० रोड की ढलाई में प्राक्कलन में प्राविधान के बावजूद पालीथीन का प्रयोग नहीं किया गया। बिना पालीथीन बिछाये गुणवत्तायुक्त सी०सी० रोड निर्माण संभव नहीं। कुछ उदा०— कार्य क्रमांक 1,2

9— क्यूव टेक्स्ट रिपोर्ट नहीं—

किसी भी कार्य की स्ट्रेनेथ रिपोर्ट नहीं ली गयी जिससे निर्धारित गुणवत्ता के कार्य कराना संदिग्ध रहा।

सामान्य माप गुणवत्ता की पुष्टि नहीं करता।

10 संदिग्ध टेण्डर प्रक्रिया—

निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि टेण्डर प्रक्रिया मात्र कागजी खानापूरति के लिये की गयी है। विवरण निम्नवत रहा—

1— टेण्डर में नियमानुसार मात्र सामग्री की दरे दी जाती है। जबकि पाया गया कि सभी कार्यों पर टेण्डर में दर मात्रा के आधार पर दी गयी है। टेण्डर में मात्रा का उल्लेख नहीं होता है।

2—नियमानुसार टेण्डर हेतु बहुप्रसार वाले समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं छपवाये गये।

3—टेण्डर कमेटी नहीं बनायी गयी।

4—कतिपय टेण्डर/कोटेशन में टेण्डर/कोटेशन प्रस्तुत करने की तारीख ही अंकित नहीं है। उदा० कार्य क्रमांक — 01,03 आदि।

5— कार्य पत्रावलियों में संलग्न टेण्डरों की जांच में पाया गया कि अधिकांश टेण्डर उसी हस्तलिपि में लिखे गये हैं, जो हस्तलिपि लेखाकार की टिप्पणी में प्रयुक्त है।

6—कतिपय टेण्डर/कोटेशन मांग में कार्यालय के नियमित पत्रांक व दिनांक का प्रयोग हुआ है तो कुछ में काल्पनिक व नियम विरुद्ध पत्रांकों का। उदा०—

कार्य क्रमांक	पत्रांक
1	204 दिनांक 22.12.2016
2	कोई पत्रवही
3	सी०—1580 दिनांक 02.08.2015

11— उपखनिजों की खरीद पर शासनादेश सं० के अनुसार रायल्टी कटौती कर शासकीय कोश को क्षति पहुंचाना—

कार्यों में बिलों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर भुगतान पूर्व न तो रवन्ना (फार्म एम. एम.11) लिया गया और न ही रायल्टी की कटौती की गयी।

रायल्टी की कटौती कर राजकोश में जमा न करने के कारण शासकीय कोश की क्षति जान बूझकर पहुंचायी गयी है। लेखा परीक्षा में संज्ञान में आया कि जिन फर्मों से उपखनिजों की खरीद दर्शायी गयी है, वह फर्म उपखनिजों की बिक्री के लिए अधिकृत ही नहीं है। इस प्रकार उपखनिजों की खरीद ही संदिग्ध है।

12— फर्मों द्वारा उनके बिलों से कटौती किये गये टी०डी०एस० के रिफण्ड के लिये इकाई से (फार्म—16) न लिया जाना—

लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न फर्मों से विभिन्न कार्यों पर खरीदी गयी सामग्री फर्मों से विभिन्न कार्यों पर खरीदी गयी सामग्री के बिलों से टी०डी०एस० की कटौती कर कोशागार में जमा किया गया है। फर्मों द्वारा रिटर्न दाखिल करने में काटे गये टी०डी०एस० के रिटर्न के लिये नियमानुसार (फार्म—16) इकाई से लिया जाना था। किन्तु किसी भी फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि फर्म रिटर्न दाखिल नहीं किसी या उनके द्वारा प्रस्तुत बिल कच्चे हैं एवं अधिकृत नहीं हैं।

13— संदिग्ध मास्टर रोल—

उक्त कार्यों के मास्टर रोलों की जांच में पाया गया कि—

क— नियमों के विपरीत मास्टर रोलों में श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न लेकर एक बार में सभी की उपस्थिति अंकित की गयी है।

ख— सभी मास्टर रोलों में लगे श्रमिकों के नि०अ० एक दो लोगों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं।

ग— अधिकांश मास्टर रोलों पर श्रमिकों के नाम उसी हस्तलिपि में हैं, जिससे लेखाकार की टिप्पणी अंकित की गयी है।

घ— अधिकांश मास्टर रोलों में कार्य अवधि का अंकन नहीं है। मात्र माह का नाम अंकित है।

ड— मास्टर रोलों पर विकास खण्ड से निगमन की पुष्टि में तिथि अंकित खण्ड वि०अधि० के हस्ताक्षर नहीं है। कार्य क्रमांक 5 के मास्टर रोल में तो कार्य प्रभारी के ही हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

14— ठेके पर कार्यालय के बाहर कार्यों की पत्रावलियां तैयार किया जाना—

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि लेखाकार द्वारा भुगतान के लिये अंकित की टिप्पणी/नोट लेखाकार की हस्तलिपि में न होकर किसी ऐसे व्यक्ति की हस्तलिपि है। जिसने अधिकांश कोटेशन व बिल तैयार किये हैं। लेखाकार द्वारा मात्र हस्ताक्षर ही किये गये हैं।

15— नियमानुसार कार्यों के फोटोग्राफ न होना—

किसी कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं पाये गये। फोटोग्राफों से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की आशंका से ऐसा किया गया पाया गया।

16— संदिग्ध कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र—

कार्यों के फार्म पूर्ति प्रमाण पत्रों की जांच में पाया गया कि अवर अभियंता द्वारा नियमानुसार सामग्री का पूर्ण विवरण अंकित न कर एकमुश्त कुल लागत लिखी गयी तथा माप में भी लम्बाई, चौड़ाई व ऊँचाई का पूर्ण विवरण अंकित न कर मात्र लम्बाई ही लिखी गयी है।

17— कार्यों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी पत्रों को नियमानुसार कार्यालय के नियमित पत्रांकों से जारी न कर किसी अन्य पत्रांकों से जारी है। अधिकांश पत्र मेमों से जारी हैं। टेण्डर संबंधी कुछ पत्र नियमित पत्रांकों से है।

18— अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षरी न करना—

लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखाकारी से लेकर खण्ड विकास अधिकारी तक ने हस्ताक्षर बिना तिथि अंकित किये हैं, जोकि स्वयं में अनियमितता हैं।

19— कार्यों का चयन शासनादेशों के अनुरूप नहीं रहा—

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट हैं कि सुनियोजित रूप से फर्मों से दुरभिसंधि एवं फर्जी अभिलेख तैयार फिर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 1265310.00 की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार मिश्र, श्री देशराज सिंह अवर अभियन्ता श्री राकेश कौशिक, खण्ड वि० अधि० श्री विजय शंकर त्रिपाठी, श्री विकास खण्डवाल व लेखाकार श्री ईश्वरचंद्र मिश्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०—20 क्षेत्र पंचायत का नाम—**बण्डा**, जनपद— **शाहजहाँपुर** वर्ष 2016—17 में **ददिउरी में पक्के रोड से धनज्जय सिंह के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण का कार्य एस०एफ०सी० योजना में करवाया जाना दर्शित किया गया है। कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि—**

1— कार्य का चयन शासनादेश के विपरीत किया गया।

2— कार्य पर व्यय धन शासनादेश के विपरीत रहा।

3— संलग्न स्टीमेट में 35 मी० खडंगा लगा होना अंकित हैं तथा उक्त की रोड़ी बनवाकर प्रयुक्त किया जाना प्रतिवेदन में अंकित हैं। किन्तु आगणन में उक्त की मात्रा को नहीं घटाया गया। इस प्रकार स्टीमेट त्रुटिपूर्ण पाया गया।

4— कार्यालय पत्रांक सी—1580 दिनांक 02.8.2016 से निविदा प्रकाशन है। जबकि अन्य पत्रांक 236, 237, 241, 242, 243 काल्पनिक पाये गये(13/8, 13/8, 20/08/2016)

5— प्रस्तुत मस्ट्रोल के अनुसार कार्य 01.09.2016 से 27.9.16 के मध्य रु0 82520/— श्रमांश का प्रयोग कर करवाया गया है। जबकि सामग्री खरीद निम्नवत है।

फर्म का नाम	बुक नं०	बिल नं०	दिनांक	मूल्य	सामग्री विवरण
मै० पटेल सीमेंट ब्रिक फील्ड	—	54	28.8.16	120000.00	इण्टरलॉकिंग ईट
मै० बण्डा सीमेंट स्टोर	—	456	28.8.16	72000.00	सीमेंट आदि
मै० अमन ब्रिक फील्ड	8	368	28.8.16	63400.00	ईट
मै० पटेल सीमेंट ब्रिक फील्ड	—	56	1.9.16	92625.00	इण्टरलॉकिंग
मै० बण्ड सीमेंट स्टोर	—	459	1.9.16	21239.00	सीमेंट आदि
मै० अमन ब्रिक फील्ड	8	388	1.9.16	25103.00	ईट
योग				394367.00	

उक्त से स्वतः स्पष्ट हैं कि बिना आवश्यकता के सामग्री खरीदी गयी व पहले खरीदी सामग्री का उपयोग किये पुनः बिना आवश्यकता के सामग्री कय की गयी।

6— 27 दिनों तक लगातार कार्य होना व एक भी श्रमिक 1 या 2 दिन छोड़कर अनुपस्थित न होना संभव नहीं है। मस्टररोल में उपस्थिति एक बार में भरी गयी हैं जबकि नियमानुसार उपस्थिति प्रतिदिन ली जानी चाहिए।

- 7— सभी निओएक दो व्यक्तियों के द्वारा बनाये जैसे हैं जिनमें कुछ ऊगलियों के निशान हैं।
 8—मस्टर रोल पाक्षिक होता है। मस्ट्रोल ब्लाक से जारी होने की पुष्टि में तिथि अंकित बीडीओ की हस्ताक्षर नहीं हैं।
 9— इंटरलॉकिंग ईट की गुणवत्ता संबंधी टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, जिससे गुणवत्ता अप्रमाणित है लेखाकार के स्थान पर किसी अन्य ने टिप्पणी लिखी है।
 10—रोड की कम्प्रहेन्सिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, जिससे फार्म की गुणवत्ता अप्रमाणित रही।
 11— कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं है।
 12— कार्यपूर्ति नहीं है जिससे स्वतः स्पष्ट हैं कि एमबी० काल्पनिक है।
 उपरोक्त विवरण से सुस्पष्ट हैं कि फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 476887.00 की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री देशराज सिंह ग्रा०पं०अधि०, अवर अभियन्ता श्री राकेश कौशिक, खण्ड वि० अधि० श्री रामगोपाल वर्मा व लेखाकार श्री ईश्वरचंद्र मिश्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-21 क्षेत्र पंचायत का नाम—**बण्डा**, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार निम्नानुसार धन व्यय किया जाना दर्शित है—**

तेरहवां वित्त आयोग —	398208.00
चतुर्थ रा०वि०आयोग —	4436857.00
चतुर्थ राज्य वि० आयोग की संवमित राशि —	72533.00
योग —	4907598.00

उक्त के सापेक्ष मात्र रु० 1797225.00 से संबंधित कार्यों की पत्रावलियां/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये।

व्यय धन के सापेक्ष अभिलेख न होना धन के अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

ले०प० में प्रस्तुत निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कार्यों का चयन शासनादेश के विपरीत तथा शासनादेशों द्वारा निर्धारित गाइड लाइंस के विपरीत धन व्यय किया गया। फर्मों से दुरभिसंधि कर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया। धन गबन के लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी हनन किया गया, समितियों तक का गठन नहीं किया गया।

अतः अपहरित धन रु० 3110373.00 की वसूली ब्याज के साथ उत्तरदायी कार्य प्रभारी, अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी रामगोपाल वर्मा व लेखाकार श्री ईश्वरचंद्र मिश्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

श्री ईश्वरचंद्र मिश्र लेखाकार द्वारा नियमानुसार अभिलेखों का चार्ज दिया जाना भी नहीं पाया गया।

क्षेत्र पंचायत— कांट

प्रतिवेदन में संलग्न वर्ष (2011-12) में कृत कार्यों की सूची में अंकित कार्य वार आपत्तियां निम्नवत् पायी गयी—

प्रस्तर सं०-22 क्षेत्र पंचायत का नाम—**कांट**, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **जरावन में सुधीर सिंह के महान से रामसिंह के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण ल० 72मी०—**

(1.1) प्रमुख सचिव पंचायती राज उ०प्र० के द्वारा जारी शासनादेश-8307/33-2-2004-93 जी०-2004 दिनांक 12.01.05वसं०-4/866/33-2-14-93जी/2004 टी०सी० दिनांक 24.06.2014 द्वारा डुप्लीकेसी से बचने के लिये जारी दिशा निर्देश के विपरीत गांव के अन्दर के कार्य का चयन किया गया, जो अनियमित रहा निर्माण समिति के हस्ताक्षर नहीं है।

(1.2) कार्य चयन व प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया।

(1.3) बिना तिथि व पत्रांक के प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा०पं० अधि० को बनाया गया।

(1.4) कार्य के स्टीमेट में 47.25 मी० मिट्टी 2 किमी०दूर से लाकर पटाई कराने व सी०सी० रोड ढालने से पूर्व 180 मिमी० पालीथीन डालने का प्राविधान था किन्तु उक्त का उपयोग नहीं किया गया।

(1.5) सी०सी० रोड का नियमानुसार क्यूब टेस्ट रिपोर्ट नहीं ली गयी।

(1.6) फोटोग्राफ नहीं हैं, तथा गिट्टी, मौरंग, बालू आदि के एम०एम०-11 नहीं हैं और न ही रायल्टी कटौती की गयी। उक्त फर्म मौरंग गिट्टी व बालू बेचने के लिये अधिकृत ही नहीं थीं।

अवर अभियन्ता श्री प्रवीण कुमार द्वारा निरीक्षण में उक्त पर कोई टिप्पणी न करना स्वतः स्पष्ट करता है कि एमबी० फर्जी है। इस प्रकार इस कार्य पर किया गया कुल व्यय रु० 123600/- का दुरुपयोग

किया गया है एवं कार्य अधोमानक रहा है। अतः अपहरित राशि रु0 123600.00 की वसूली ब्याज के साथ श्री महेन्द्र वर्मा कार्य प्रभारी/ग्रा0पं0अधि0, खण्ड विकास अधि0 श्री प्रणय कृष्ण व अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारित कर कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-23 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **ग्राम दिलावरपुर में बनी सी0सी0 रोड से केसरी के मकान से होली तक सी0सी0 रोड निर्माण लं0-160मी0, स्टी0-3.35 लाख-**

(2.1) कार्य का चयन शासनादेश के विपरीत गांव के अंदर किया गया एवं ग्राम पं0से अनापत्ति भी नहीं ली गयी। निर्माण समिति के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(2.2) पत्रांक 02-3 से 15.06.11 से श्री विश्वनाथ ए0डी0ओ0 (पं0) को कार्य प्रभारी बनाया गया।

(2.3) मस्टर रोल नं0 988 में मजदूरों की उपस्थिति 15.06.11 अंकित है। कार्यालय अवधि में (सुबह 10 से 5 बजे) प्रभारी बनाया जाना और उसी दिन प्रातः से कार्य प्रारम्भ करवाना संभव नहीं है। स्पष्ट है कि मस्टर रोल पर अंकित उपस्थिति फर्जी है।

(2.4) अवर अभियंता द्वारा निरीक्षण दिनांक 18.7.11 को किया जाना अंकित है जबकि एम0बी0 25/33 दिनांक 08.7.11 को की गयी है। स्पष्ट है कि फर्जी एम0बी0 व निरीक्षण रिपोर्ट है।

(2.5) स्टीमेंट में 94.50 मी0 मिट्टी 2 किमी दूर से लाकर पटाई कराने व 360मी0 पालीथीन का प्रयोग सी0सी0 रोड निर्माण में करना था। जो नहीं किया गया। अधोमानक कार्य पुष्टित।

(2.6) रायल्टी की कटौती नहीं की गयी और न ही एम0एम0-11 लिया गया। वस्तुतः फर्म मां वैष्णव ट्रेडर्स मोरंग, गिट्टी व बालू बिक्री के लिये पंजीकृत ही नहीं हैं।

(2.7) नियमानुसार क्यूब टेस्ट रिपोर्ट नहीं ली गयी।

उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि फर्जी कार्य कराना दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 292448/- की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री विश्वनाथ ए0डी0ओ0(पं0), श्री प्रवीण कृष्ण बी0डी0ओ0 व अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-24 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **रामलीला मैदान से जीतराम के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण-110मी0 स्टी0 2.54 लाख**

(3.1) कार्य का चयन शासनादेश के अनुरूप नहीं हैं एवं ग्राम पंचायत से अनापत्ति भी नहीं ली गयी। निर्माण समिति के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(3.2) कार्या0 पत्रांक 07.08 दिनांक 26.07.11 से श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा0पं0 अधि0 को प्रभारी नियुक्त किया गया है तथा प्रस्तुत मास्टररोल के अनुसार कार्य 18.7.11 से प्रारम्भ होकर 29.7.11 को समाप्त हुआ। कार्य पहले व कार्य प्रभारी की नियुक्ति बाद में है जो संभव नहीं हैं।

(3.3) मास्टररोल में क्रमांक 3 पर अंकित श्रमिक इरफान पुत्र नवीशेर प्रथम दिन अनुपस्थित है। प्रथम दि नहीं अनुपस्थित श्रमिक का नाम सबसे नीचे होना था। स्पष्ट है कि मस्टर रोल फर्जी है सभी निशानी अंगूठे हैं एवं एक से है।

(3.4) किसी कार्य के फोटो नहीं हैं।

(3.5) **क्यूब टेक्स्ट रिपोर्ट** नहीं है।

(3.6) स्टीमेंट में 2 किमी0 दूर से 86.63 मी0 मिट्टी लाकर पटाई कराना था जो नहीं किया गया और न ही पालीथीन का प्रयोग किया गया।

(3.7) रायल्टी की कटौती नहीं की गयी और न ही एम0एम0-11 लिया गया। वस्तुतः मै0 मां वैष्णो ट्रेडर्स बालू मोरंग व स्टोन ब्लास्ट बिक्री के लिये अधिकृत ही नहीं है।

(3.8) कार्य प्रभारी नियुक्ति के पूर्व समस्त सामग्री खरीद दर्शित है।

(3.9) निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण तिथि का अंकन नहीं है।

उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि रु0 189303.00 का अपहरण किया गया है। स्टीमेंट 2.54 लाख का होते हुए कार्य रु0 189303.00 में होना संभव नहीं हैं।

अतः अपहरित राशि रु0 189303.00 की वसूली ब्याज के साथ श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा0पं0 अधि0, श्री प्रणय कृष्ण बी0डी0ओ0 व जे0ई0 श्री प्रवीण कुमार से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-25 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में सत्येन्द्र यादव के मकान से श्याम लाल मौर्या के घर तक खण्डजा व नाली निर्माण-105मी0 स्टी0-1.92 लाख

(4.1) कार्य का चयन शासनादेश के अनुसार नहीं किया गया। ग्राम पंचायत से अनापत्ति भी नहीं ली

गयी।

(4.2) कार्या० पत्रांक 16-17 दिनांक 22.09.2011 से श्री अभिशोक शुक्ला ग्रा०पं० अधि० को कार्य प्रभारी बनाया गया तथा 23.11.11 को कार्य प्रारम्भ हो गया व 23.11.11 हो ही सामग्री भी पहुंच गयी, जो संभव ही नहीं है।

(4.3) सामग्री आपूर्ति हेतु एम०एस० राम नारायन कमलेश कुमार, एम०एस० गौरव शर्मा हार्डवेयर सैनिटरी एण्ड पेन्ट स्टोर व एम०एस० मों वैष्णव ट्रेडर्स द्वारा प्रस्तुत किसी कोटेशन में फर्म के मालिकों के हस्ताक्षर ही नहीं है।

(4.4) कार्य का फोटोग्राफ ही नहीं है।

(4.5) रायल्टी कटौती नहीं की गयी और न ही एम०एस० फार्म लिया गया। वस्तुतः फर्म एम०एस० मां वैष्णव ट्रेडर्स बालू, मौरंग आदि बिक्री के लिये अधिकृत ही नहीं है।

(4.6) अवर अभियंता द्वारा निरीक्षण दिनांक 25.01.12 को करना अंकित किया गया है जबकि एम०बी० 25/33 दिनांक 22.11.11 को करना दर्शाया है। बिना देखे एम०बी० संभव नहीं है।

(4.7) मस्टर रोल क्रमांक 0999 में अंकित मजदूरों के निशानी अंगूठे एक जैसे हैं जिनमें कुछ उगलियों के निशान प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि रु० 183729/- का अपहरण किया गया है। अतः रु० 183729/-की वसूली ब्याज के साथ श्री अभिशोक शुक्ल ग्रा०पं०अधि०, बी०डी०ओ० श्री प्रणय कृष्ण व अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं०-26 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **तेरहवें वित्त आयोग के धन से निम्नानुसार स्ट्रीट लाइट लगवाने पर भुगतान किया गया है-**

क्र०सं०	फर्म का नाम	बिल तिथि	संख्या	दर	कुल धन	टी०डी०एस०	भुगतान
1	मै० अनमोल इण्टरप्राइसेस शाहजहाँपुर	18.10.11	24	4055	97320	2005	95315
2	मै० अनमोल इण्टरप्राइसेस शाहजहाँपुर	19.10.11	24	4055	97320	2005	95315
3	मै० अनमोल इण्टरप्राइसेस शाहजहाँपुर	20.10.11	24	4055	97320	2005	95315
4	मै० अनमोल इण्टरप्राइसेस शाहजहाँपुर	21.10.11	24	4055	97320	2005	95315
5	मै० अनमोल इण्टरप्राइसेस शाहजहाँपुर	22.10.11	24	4055	97320	2005	95315
6	मै० अनमोल इण्टरप्राइसेस शाहजहाँपुर	23.10.11	24	4055	97320	2005	95315
7	मै० अनमोल इण्टरप्राइसेस शाहजहाँपुर	24.10.11	24	4055	97320	2005	95315

उक्त की जांच में पाया गया कि दर्शित बिलों का भुगतान निम्नवत किया गया है-

क्रमांक	बिल तिथि	भुगतान तिथि	चेक नं०
1	18.10.11	18.10.11	117223
2	19.10.11	19.10.11	117224
3	20.10.11	20.10.11	117225
4	21.10.11	21.10.11	117226
5	22.10.11	22.10.11	117227
6	23.10.11	23.10.11	117228
7	24.10.11	24.10.11	117229

उक्त में आपत्तिजनक रहा कि-

(5.1) प्राप्त कोटेशन खुले रूप में प्राप्त किये, संलग्न लिफाफे चिपके नहीं थे।

(5.2) रु० 681240/- जैसी बड़ी खरीद के लिये निविदा जारी किया था। कोटेशन लिया जाना वित्तीय

नियमों के विपरीत रहा।

(5.3) प्राप्त तीनों कोटेशन पर तिथि (15.11.11) एक ही हस्तलिपि में हैं।

(5.4) प्रस्तुत बिल नियमानुसार बिल बुक पर न होकर लेटर पैड पर है, जो नियमों के विपरीत रहा।

(5.5) स्ट्रीट लाइट का विद्युत विभाग के पोलो से संयोजन शासकीय सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद विभागीय जैई की उपस्थिति में लाइन मैन द्वारा ही की जाती है।

अन्य किसी के द्वारा विद्युत लाइन से छेड़ छाड़ या संयोजन किया जाना आपराधिक कृत्य है। प्रश्नगत कार्य में किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं पायी गयी।

(5.6) किसी भी स्ट्रीट लाइट लगने की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एम0बी0 या पुष्टि परक साक्ष्य नहीं है। और नहीं फोटोग्राफ है।

ग्राम प्रधान/सदस्य क्षेत्र पं0 या प्रमुख द्वारा सेट फार्मेट पर दिया गया प्रमाण पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

(5.7) अप्रत्याशित रूप से दिनांक 18.10.11 से 24.10.11 तक प्रतिदिन एक बिल आता रहा एवं उसी दिन प्रमाण पत्र आ गये और उसी दिन चेक भी जारी हो गया, जो संभव नहीं है।

(5.8) नियमानुसार भुगतान एक मुश्त एक चेक से होना चाहिए था। जो नहीं किया गया।

(5.9) कोटेशन आमंत्रण पत्र सी0-22 दिनांक 01.10.11 स्ट्रीट लाइटों की संख्या का अंकन नहीं हैं एवं न ही स्थानों को अंकन हैं।

(5.10) फर्म केबिलों से रू0 14035/टी0डी0एस0 काटा गया किन्तु फर्म द्वारा आज की तिथि तक फार्म-16 नहीं मांगा गया।

(5.11) फर्म के बिल के नियमानुसार 2.26 की दर से बिक्री कर कटौती नहीं की गयी।

(5.12) पंचायती राज्य अनुभाग-3 द्वारा जारी शासनादेश सं02566/33-3-2010-142/2010 के बिन्दु प्रथम के अनुसार तेहरवें वित्त आयोग की प्रथम किस्त का उपयोग मात्र रख रखाव। अनुरक्षण पर किया जाना था। इस प्रकार उक्त व्यय नियमों के विपरीत रहा।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से स्पष्ट है कि धन का गबन किया गया है। धन के गबन करने के लिये ही अनियमित कार्यवाहियां की गयी है।

अतः अपहरित राशि रू0 681240/ की वसूली ब्याज के साथ खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रणय कृष्ण व प्रमुख श्रीमती संतरा देवी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-27 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में वर्ष आलोच्य में कराये गये कार्यों में सामग्री आपूर्ति कर्ताओं के बिलों के क्रमांक व तिथियां निम्नवत रही-

एम0एस0 शिव शक्ति ईंट उद्योग		एम0एस0 वैष्णव ट्रेडर्स	
बिल नं0	तिथि	बिल नं0	तिथि
3/139	08.07.11	5/39	08.07.11
3/124	20.06.11	5/27	20.06.11
3/101	16.06.11	5/9	16.06.11
3/115	23.09.11	5/40	28.10.11
3/116	08.10.11	5/34	18.07.11
3/117	11.10.11	5/45	20.07.11
		5/22	23.09.11

उपरोक्त रसीद नं0 से स्पष्ट है कि दिये गये बिल काल्पनिक है। जिससे दर्शित कार्यों के मौखिक रूप से सम्पादित होने में संदेह है। फर्मों द्वारा टी0डी0एस0 कटौती का फार्म-16 न लेना उक्त की स्वतः पुष्टि करता है कि बिल फर्जी है।

अतः कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

वर्ष आलोच्य में विधायक निधि अंतर्गत प्राप्त धन से दो कार्य करवाये गये दर्शित है। कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पायी गयी आपत्तियां कार्यवार निम्नवत रही-

प्रस्तर सं0-28 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **बरूआ बुजुर्ग मार्ग पर पुलिया निर्माण-स्टी0-1.37 लाख प्रभारी श्री अभिशेक शुक्ला ग्रा0पं0 अधि0-**

(1.1) उक्त कार्य पर मेसर्स हिन्दुस्तान ह्यूम पाइप इण्ड से खरीदे गये ह्यूम पाइप कुल मूल्य 65960/ पर 2.0690 की दर से टी0डी0एस0 रू0 1359- न काट कर शासकीय कोश की अति पहुंचायी गयी।

(1.2) उक्त कार्य पर दो मस्टर रोल प्रमुख किये गये, जिनका विवरण निम्नवत है-

एम आर छ0-4413-31.10.11 से 06.11.11 - 11400- चेक नं0- 505041-22.08.12

एम आर छ0-4414- 08.11.11 से 09.11.11 - 900- चेक नं0- 505042-22.08.12

लगभग 10 माह बाद भुगतान होना कार्य को स्वयं संदिग्ध करता है।

(1.3) बोर्ड स्थापना कार्य के पूर्व 08.10.11 को करवा दी गयी।

(1.4) स्टीमेट में 2 किमी० दूर से 167.93 मी० लाकर पटाई करानी थी किन्तु मिटटी कार्य नहीं हुआ।

अतः कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर सं०-29 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **ग्राम भुडिया में कुरिया कलां रोड से राम नरेश पाल के दरवाजे तक 255मी० खंडजा, नाली व पुलिया निर्माण-स्टी०-4.5633.**

प्रभारी- अभिशेक शुक्ला उक्त कार्य में-

(2.1) स्टीमेट में प्राविधानित 2 किमी० से 539.24 मी० मिटटी लाकर पटाई का कार्य नहीं कराया गया। बिना मिटटी के कार्य संभव न था। भाड़ा-24265-80 व खुदाई रु० 17633/ कुल रु० 41898 का कार्य नहीं हुआ।

(2.2) रोडी (ईट 40एम०एम०) की स्वीकृत दर रु० 345/- थी जबकि भुगतान रु० 545/ की दर से कर रु० 3000/ का अधिक भुगतान एम०एस० शिव शक्ति ईट उद्योग को किया गया।

(2.3) उक्त कार्य में प्रस्तुत मस्टर रोल का भुगतान निम्नवत् किया गया-एमआर नं.

एड्ड एमआर नं.-0994-16.10.11 से 25.10.11- 8000-कअपबम से 20.11.11

बी ड्ड एमआर नं.-0995-13.10.11 से 25.10.11- 25700-कअपबम से 21.11.11

सी ड्ड एमआर नं.-4438-26.10.11 से 05.11.11- 12400- चेक नं०-505047

डीड्ड एमआर नं. -4437-28.08.12 से 05.09.12- 14000- चेक नं०-505047 दिनांक 26.04.13 से व चेक संख्या 505047 दिनांक 26.04.13 से श्री अभिशेक शुक्ला को।)

एक साल पूर्व खरीदी सामग्री से कार्य साल भर बाद संभव नहीं हैं। क्रमांक ;सी ड्ड एवं ;डीड्ड में दर्शित मस्टर रोल पर मजदूर व मिस्त्रियों के धन प्राप्ति की पुष्टि में अंगूठा निशानी या हस्ताक्षर नहीं हैं। दो साल बाद भुगतान वास्तविक व्यय को ही संदिग्ध करता है।

(2.4) कार्य समाप्ति 05.09.12 के पूर्व ही दिनांक 08.11.11 को वार्ड स्थापना करा दी गयी है।

(2.5) एडवाइज से भुगतान किये गये मास्टर रोलों में एक ही तिथि को वही लेबर दो जगह एक साथ कार्य करते दर्शित हैं। जो संभव नहीं हैं। विवरण इस प्रकार है-

एमआर नं.-0994-16.10.11 से 25.10.11			एमआर नं.-0995-13.10.11 से 25.10.11	
क्रमांक	नाम	धनराशि	मस्टर रोल में क्रमांक	भुगतान राशि
1	अरूण पुत्र महेन्द्र दिलावरपुर	1500	3	1800
2	राम सेवक पुत्रपूरन दिलावरपुर	1500	4	1800
3	रमेश पुत्र मनोहर दिलावरपुर	1000	10	1200
4	भूरे लाल पुत्र मनोहर दिलावरपुर	1000	8	1200
5	पवन कुमार पुत्र ओम प्रकाश दिलावरपुर	1000	6	1800
6	शिव सागर पुत्र राम सरन दिलावरपुर	1000	7	1200
7	मेवाराम पुत्र मुंशी लाल दिलावरपुर	1000	5	1800

(2.6) विधायक निधि से करवाये गये दोनों कार्यों के मस्टर रोल में एक ही तिथि में एक ही मजदूर दो जगहों पर कार्य दर्शित है। जिसका विवरण इस प्रकार है-

बरूआ बुजुर्ग में पुलिया निर्माण	ग्राम भुडिया में कुरिया कलां खेत से

मस्टर रोल नं०-4413-31.10.11 से 06.11.11				नरेश पाल के घर तक खण्डजा नाली	
				मस्टर रोल नं०-4438-26.10.11 से 05.11.11	
क्रमांक	नाम	गांव	राशि	मस्टर रोल में क्रमांक	भुगतान राशि
3	राम लखन पुत्र रविन्दर	रसूलपुर	700	2	1000
5	रिंकू पुत्र रामरतन	रसूलपुर	700	15	100
13	रामू पुत्र ओमकार	रसूलपुर	700	13	100
14	श्यामू पुत्र ओमकार	रसूलपुर	700	9	1000

उपरोक्त विवरण एवं अंकित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि विधायक निधि से दर्शित कार्यों पर व्यय राशि से कोई निर्माण कार्य न कराकर धन का अपहरण किया गया एवं फर्जी बिल व प्रमाण पत्र तैयार किये गये हैं। रायल्टी व अन्य टैक्स कटौती इसी कारण नहीं की गयी।

अतः अपहरित धन रु० 482634/- की वसूली ब्याज के साथ भी अभिशोक शुक्ला ग्रा०पं० अधि०, श्री प्रणय कृष्ण बी०डी०ओ०, श्री गिरजा मिश्रा बी०डी०ओ० व अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार से करते हुये प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही साथ ही सम्बन्धित फर्मों के लिखलाफ भी विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही साथ प्रमुख श्रीमती संतरा देवी पर भी दायित्व अवधारण कर कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं०-30 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में कलुआपुर में बने खण्डजा से राम प्रकाश के मकान तक खण्डजा निर्माण-

स्टीमें-2.13 लाख एस०एफ०सी०

(1.1) उक्त कार्य का चयन शासनदेश के विपरीत मांग के अन्दर किया गया।

(1.2) ग्राम पंचायत से अनापत्ति नहीं ली गयी।

(1.3) खण्ड विकास अधिकारी कांट के कार्यालय पत्रांक 34-35 दिनांक 18.04.12 से श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा०पं०अ० को कार्य प्रभारी बनाया गया जबकि कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल के अनुसार कार्य 18.03.12 को प्रारम्भ हुआ। विवरण इस प्रकार रहें-

मस्टर रोल नं० कार्य अवधि राशि चेक नं० व तिथि

4401 18.3.12 से 27.3.12-15840-46989 दिनांक 20.4.12

4402 19.4.12 से 24.4.12-15720-46990 दिनांक 20.4.12

प्रभारी बनाये जाने के एक माह पूर्व ही कार्य प्रारम्भ होना संभव नहीं है साथ ही मस्टर रोल नं०- 4402 में कार्य समाप्ति तिथि दिनांक 24.4.12 के पूर्व 20.4.12 को भुगतान होना संभव नहीं हैं।

(1.4) मिटटी ढुलाई भाडा रु० 18000/- का भुगतान महेन्द्र वर्मा द्वारा चेक नं० 46991 दिनांक 20.4.12 से प्राप्त किया है। रसीद पर गुड्डू पुत्र राम नरेश वर्मा के हस्ताक्षर श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा०पं०अधि० द्वारा फर्जी बनाये गये हैं।

(1.5) मस्टर रोल सं० 4401 में प्रथम लेबर मनमोहन पुत्र केदार 18.3.12 व 19.3.12 को अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में उसका नाम अंत में अंकित होना चाहिए था।

(1.6) मस्टर रोल में नाम व उपस्थिति नियमों के विपरीत एक बार में एक ही पेन से भरी गयी है।

उपरोक्त अंकित विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि फर्जी प्रमाणकों के सहारे धन का अपहरण किया गया है। इसीलिये निर्माण समिति को प्रभावी नहीं किया।

अतः अपहरित राशि रु० 189000/- की वसूली श्री महेन्द्र वर्मा कार्य प्रभारी/ग्रा०पं०अ०, बी०डी०ओ० श्री गिरजा मिश्रा व अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार से ब्याज के साथ करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत का भी दायित्व निर्धारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-31 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में ग्राम दिलावरपुर में गंगाराम के मकान से छत्रपाल के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण-

लं०-50मी, स्टी०-1.068 लाख, एस०एफ०सी०कार्य प्रभारी श्री विश्वनाथ ए०डी०ओ० (पं०)

(2.1) स्टीमेट के प्रस्तावना में उक्त मार्ग पर खण्डजा लगा होना अंकित है। साथ ही 10 सेमी० मोटी० सी०सी० रोड ढलाना अंकित है। कच्चे रास्ते पर भी 10 सेमी० मोटी व खण्डजे के ऊपर भी 10 सेमी० मोटी सी०सी० रोड ढुलाई का स्टीमेट विधिक नहीं रहा। दोनों स्थिति में बराबर सामग्री प्रयोग होना

स्टीमेटों में है।

ऐसी दशा में खण्डजों में लगे ईट उखड़वाया जाना चाहिये था या नियमानुसार 7 सेमी0 मोटी सी0सी0 रोड डालनी चाहिए। इस प्रकार स्टीमेट त्रुटिपूर्ण रहा। उक्त पर 9570 ईट लगे थे। (50× 3.3× 58) जिनका मूल्य रु0 28710.00 होता है।

(2.2) कार्य का चयन शासनदेश के विपरीत रहा तथा निर्माण समिति को प्रभावी न करना धन के अपहरण के उद्देश्य को ही स्पष्ट करता है।

(2.3) प्रयुक्त मस्टर रोल 4403 के अनुसार कार्य 28.4.12 से 3.5.12 तक चला है। मस्टर रोल में श्रमिकों व मिस्त्रियों के नाम का तथा उपस्थिति एक बार में एक ही पेन से भरी गयी एवं सभी के निशान अंगूठे लगे हैं जो कि एक जैसे है तथा कुछ निशान उंगलियों के प्रतीत होते हैं।

(2.4) मिटटी का कार्य नहीं कराया गया और पालीथीन की भी खरीद नहीं की गयी जो आवश्यक थी। सी0सी0 रोड डालने में मशीन भी प्रयोग नहीं है।

(2.5) कार्यपूति प्रमाण पत्र में कार्य प्रभारी के हस्ताक्षर नहीं है तथा अवर अभियंता द्वारा 30.5.12 को निरीक्षण किया जाना दर्शाया है जबकि मस्टर रोल में माप तिथि 5.5.12 अंकित की है।

जब दिनांक 5.5.12 को स्थलीय रूप से माप हो चुकी थी तो 30.5.12 को पुनः निरीक्षण का क्या औचित्य था, अस्पष्ट रहा। स्पष्ट है कि माप व निरीक्षण दोनों फर्जी हैं।

(2.6) फोटो ग्राफ नहीं है। पत्थर बोर्ड स्थापना भी नहीं की।

(2.7) बालू, मोरंग, गिटटी, पर रायल्टी कटौती नहीं की गयी और न ही एम0एम0-11 लिया गया। आयकर भी नहीं काटा गया है।

(2.8) किसी भी फर्म द्वारा काटे गये टी0डी0एस0 के संबंध में फार्म-16 की मांग तक नहीं की गयी।

उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित राशि रु0 90652/की वसूली ब्याज के साथ श्री विश्वनाथ कार्य प्रभारी ए0डी0ओ0(पं0), खण्ड वि0अ0 श्री गिरजा मिश्रा व अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार से ब्याज के साथ करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत का भी दायित्व निर्धारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-32 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय एवं आवासों की पुताई कार्य वाउण्ड्री वाल सहित-

स्टीमेट-1.20 लाख, एस0एफ0सी0,प्रभारी- श्री विश्वनाथ ए0डी0ओ0(पं0)

(3.1) स्टीमेट के अवलोकन पर पाया गया कि स्टीमेट संपूर्ण आफिस, आवासों एवं वाउण्ड्रीवाल का है।

(3.2) स्टीमेट में रेगमाल पेपर, ब्रश आदि का कोई प्राविधान नहीं है और न ही उक्त सामग्री पुताई में खरीदी गयी है।

उक्त सामग्री के बिना पुताई कार्य संभव नहीं है। कोई पेन्टर स्वयं अपने पैसे लगाकर ब्रश व रेगमाल नहीं खरीद कर लाता है। स्नोसेम व पेन्ट की पुताई संभव ही न थी।

(3.3) प्रस्तुत स्टीमेट के अनुसार पुताई में 1763 किलो0 स्नोसेम व 64 किलो0 पेन्ट का प्रयोग होना था।

कार्य प्रभारी द्वारा दिनांक 15.5.12 को 1140 किलो0 पेन्ट व 25 किलो0 स्नोसेम की मांग की जिस पर बी0डी0ओ0 द्वारा 25 किलो0 व 1140 किलो0 स्नोसेम का आर्डर दिया गया। मांग के विपरीत सामग्री आपूर्ति का उद्देश्य अस्पष्ट रहा।

आश्चर्यजनक रूप से उक्त मात्रा में ही कार्य पूर्ण भी हो गया। प्रभारी का आंकलन अवर अभियंता से ज्यादा सही रहा।

(3.4) मै0 शाहजहाँपुर एलुमिनम के पैड पर बिल है। जो कि सही नहीं है। कच्चा बिल स्वीकार योग्य नहीं हैं।

(3.5) पुताई कार्यपर प्रयुक्त मस्टर रोल के अनुसार विवरण इस प्रकार रहा-

मास्टर रोल	कार्य अवधि	पेन्टर सं0	मजदूर सं0	धनराशि
4406	18.5.12 से 31.5.12	02	10	21560.00
4407	1.6.12 से 4.6.12	02	08	5080.00

रेगमाल न होने से घिसाई का कार्य न होने पर दो पेन्टर के पीछे 10 और 8 मजदूरों की आवश्यकता न थी।

(3.6) मस्टर रोल एक बार में बनाये गये है तथा सभी निशान अंगूठे है जो एक जैसे है। कुछ निशान अंगूठे न होकर उंगलियों के निशान प्रतीत होते हैं।

इस प्रकार मस्टर रोल का फर्जी होना प्रमाणित होता है। मस्टर रोल नं०- 4407 के अंत में राकेश पुत्रबाबू का नाम लिखकर काटा गया।

(3.7) स्टीमेट में अंकन है कि उक्त कार्य कभी नहीं कराया गया तथा आगे पेन से अंकन किया गया है कि 2 वर्ष पूर्व कराया गया था।

विरोधाभासी कथन स्टीमेट व कार्य को स्वयं फर्जी होना स्पष्ट करता है। फोटोग्राफ न होना स्थिति को और भी संदिग्ध करता है।

उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्जी अभिलेख तैयार कर रु० 73710/- का अपहरण किया गया।

अतः अपहरित राशि रु० 73710/-की वसूली ब्याज के साथ श्री विश्वनाथ कार्य प्रभारी ए०डी०ओ०(पं०), खण्ड वि०अ० श्री गिरजा मिश्रा व अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार से ब्याज के साथ करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत का भी दायित्व निर्धारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-33 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में बिलंदपुर में महेश केमकान से कन्हाई के मकान तक खण्डजा व नाली निर्माण-

लं०-200मी०, स्टीमेट-2.249 लाख, टी०एफ०सी०

(4.1) उक्त कार्य का चयन शासनादेश के अनुरूप नहीं है।

(4.2) ग्राम पंचायत की अनापत्ति नहीं ली गयी एवं निर्माण काय्र समिति द्वारा कार्य की पुष्टि नहीं है। निर्माण कार्य समिति को सक्रिय/प्रभावी न करना एकाधिकार बनाये रखना एवं धन अपहरण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है।

(4.3) श्री अभिशेक शुक्ल ग्रा०पं०अ० को बिना पत्रांक व दिनांक के जारी पत्र से कार्य प्रभारी अनियमित रूप से बनाया गया।

(4.4) मस्टर रोल नं० 4409 के अनुसार कार्य 30.5.12 से 13.6.12 तक हुआ है। जबकि खण्डजा ईट दिनांक 8.6.12 को क्रय की गयी है। इस प्रकार मात्र 5 दिनों में 200 मी० खण्डजा लगना संभव नहीं है।

(4.5) दिनांक 17.06.12 को 195 मी० मिट्टी ढुलाई का भुगतान प्रभारी श्री अभिशेक शुक्ल को चेक नं० 00012 से रु० 8775.00 दिनांक 19.06.12 से किया गया है जबकि ढुलाई गुड्डू पुत्र रामनरेश ने किया था। इस प्रकार अनियमितता की गई।

उक्त में रायल्टी की कटौती नहीं की गयी। साथ ही एम०एम०-11 भी नहीं लिया गया। स्टीमेट में 2 किमी० दूर से मिट्टी लाना दर्शित है, किन्तु 2 किमी० दूर ऐसा कौन सा स्थान है जहां से मिट्टी खरीदी जानी है, स्पष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार स्टीमेट भी कल्पित पाया गया।

(4.6) उपखनिजों पर न तो रायल्टी कटौती की गयी और नहीं एम०एम०11 (स्वन्ना) लिया गया। वस्तुतः मै० रामनरायन कमलेश कुमार बालू, मौरंग, पत्थर, सीमेन्ट, मिट्टी बेचने के लिये अधिकृत ही न थी।

(4.7) वाणिज्य कर की कटौती किसी भी बिल पर नहीं की गयी एवं राजकोश को क्षति पहुँचायी गयी है।

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 200424.00 की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री अभिशेक शुक्ल ग्रा०पं०अ०, खण्ड वि०अ० श्री गिरजा मिश्रा व अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार से करते हुए प्रशासनिक व विधि कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत का दायित्व भी अवधारित कर कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं०-34 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में खपती से बनकटा गांव तक खण्डजा निर्माण कार्य-

ल०-600 मी०, स्टीमेट-4.85 लाख, एस०एफ०सी०

(5.1) कार्य प्रभारी श्री अभिशेक शुक्ल ग्रा०पं०अ० को पत्रांक 25.26 दिनांक 10.03.12 से बनाया गया है। वर्ष पर्यन्त मात्र 25 पत्र ही जारी हुए हो संभव नहीं है। इसके पूर्व 01.04.11 से 09.03.12 तक हजारों पत्रांक प्रयुक्त हो चुके थे। दिनांक 04.07.12 को पत्रांक 1230 प्रयुक्त है।

(5.2) उक्त कार्य में निम्नवत सामग्री खरीद की गयी दर्शित है, जिसमें वाणिज्य कर की कटौती नहीं की गयी है-

26.03.12 मै० शिव शक्ति से ईट क्रय-60000 मूल्य 174300.00

30.03.12 मै० शिव शक्ति से ईट क्रय-42750.00 मूल्य 124188.00

उक्त ईटों का प्रयोग मस्टर रोल के अनुसार निम्नवत किया जाना दर्शित है-

(अ) मस्टर रोल नं०- 1000-11.03.12 से 24.03.12-33585- मजदूरों के नि०अ० नहीं लगे।

(ब) मस्टर रोल नं०-0980-25.03.12 से 05.04.12- 3385- सभी नि०अ० एक जैसे है।

मस्टर रोल नं०-1000 पर मजदूरों के अंगूठा निशानी धन प्राप्ति की पुष्टि में न होना धन व सामग्री के अपहरण की पुष्टि स्वयं करता है।

मस्टर रोल नं०-0980 में लगे नि०अ० एक समान होना व कुछ उंगलियों के होना तथा मजदूरों की उपस्थिति एक बार में अंकित होना मस्टर रोल के फर्जी होने को ही स्पष्ट करता है।

(5.3) 45 मी० मिट्टी ढुलाई का कार्य गुड्डू वर्मा द्वारा किया गया किन्तु भाडा रू० 37000.00 का भुगतान चेक नं० 46980 दिनांक-09.04.12 को कार्य प्रभारी श्री अभिशेक शुक्ला को किया गया वह भी बिना रायल्टी कटौती किये या एम०एम०-11 लिए बिना। इस प्रकार भुगतान अनियमित रहा। मिट्टी स्टीमेट के अनुसार 2 किमी० दूर से कहा से खरीद कर लायी गयी स्पष्ट नहीं रहा। स्टीमेट में भी मिट्टी बिक्रेता या स्थल स्पष्ट नहीं है। गुड्डू वर्मा के हस्ताक्षर संदिग्ध है।

(5.4) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में निरीक्षण तिथि 08.04.12 है, किन्तु उस पर कार्य प्रभारी के हस्ताक्षर ही नहीं है। जिससे कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की वास्तविकता ही संदिग्ध है।

उपरोक्त में ईट आपूर्ति कर्ता फर्म द्वारा काटे गये टी०डी०एस० के सन्दर्भ में फार्म नं०-16 आतिथि तक नहीं लिया गया है। उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रू० 401713.00 की वसूली ब्याज के साथ श्री अभिशेक शुक्ल कार्य प्रभारी/ग्रा०पं०अ० खण्ड वि०अ० श्री गिरजा मिश्रा व अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण कर कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं०-35 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में **सिमरा खेड़ा रोड से बाग तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण-**

लं०- 150 मी०, स्टीमेट- 3.06 लाख,, एस०एफ०सी०

(6.1) कार्य का चयन शासनादेश के विपरीत रहा है एवं निर्माण समिति के कहीं हस्ताक्षर नहीं है। एकाधिकार रखने व धन के अपहरण/दुरुपयोग के लिए सुनियोजित रूप से निर्माण सामग्री को सक्रिय नहीं किया।

(6.2) पत्रांक 61-62 दिनांक 15.09.12 से श्री अभिशेक शुक्ला ग्रा०पं०अ० को कार्य प्रभारी बनाया गया है। 01.04.12 से 14.09.12 तक 400-500 पत्रांक प्रयुक्त हो चुके थे। इस प्रकार प्रभारी बनाने में दर्शित पत्रांक कल्पित रहे।

(6.3) शमीम मिक्सर मशीन मालिक का भाडा रू० 2400.00 शमीम को न कर श्री अभिशेक शुक्ला कार्य प्रभारी को चेक नं० 000049 दिनांक 05.11.12 से अनियमित रूप से किया गया है।

(6.4) श्री गुड्डू द्वारा 53.15 मी० मिट्टी ढुलाई का भाडा रू० 2391.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री अभिशेक शुक्ला को चेक नं० 000048 दिनांक 05.11.12 से अनियमित रूप से किया गया है।

(6.5) प्रयुक्त मस्टर रोल क्रमांक 4429 व 4430 में लगे मजदूरों के निशानी अंगूठे एक से है तथा कुछ निशान उंगलियों के प्रतीत होते हैं।

दोनों मस्टर रोल में उपस्थिति एक बार में भरी गयी है। जो मस्टर रोल को संदिग्ध करती है।

(6.6) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में निरीक्षण तिथि 20.10.2011 अंकित है जबकि कार्य 17.10.12 को पूर्ण हुआ था। एक वर्ष पूर्व ही कार्य का निरीक्षण हो चुका था।

(6.7) वाणिज्य कर व रायल्टी कटौती नहीं की गयी और न ही एम०एम०-11 लिया गया। वस्तुतः मै० रामनारायन कमलेश कुमार बालू मौरंग व मिट्टी के अधिकृत विक्रेता ही नहीं है।

(6.8) स्टीमेट में 2 किमी० दूर से मिट्टी लाना दर्शित है। लेकिन 2 किमी० दूर कहां से मिट्टी आयी है, स्पष्ट नहीं है और बिल से भी उक्त अस्पष्ट रहा।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से स्वतः है कि धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रू० 299568.00 की वसूली ब्याज के साथ श्री अभिशेक शुक्ला ग्रा०पं०अ० श्री गिरजा मिश्रा व अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत का भी दायित्व अवधारित कर कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं०-36 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में **रसूलपुर में बनी सी०सी० रोड से रामस्वरूप मास्टर के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण-**

लं०- 169 मी०, स्टीमेट- 4.53 लाख,, एस०एफ०सी०

(7.1) कार्य पहले 150 मी० का था जिसमें बाद में 19 मी० का बढ़ोत्तरी की गयी एवं स्टीमेट बनवाया गया

है।

(7.2) कार्य का चयन शासनादेश के विपरीत रहा है एवं ग्राम पंचायतों से अनापत्ति नहीं ली गयी।

(7.3) निर्माण समिति को सक्रिय नहीं किया गया।

(7.4) 19 मी० बड़ी लम्बाई के कार्य में ईट कय नहीं की गयी और मिट्टी 5.7 मी० की जगह मात्र 4 मी० कय की गयी।

(7.5) स्टीमेट में अंकन है कि उक्त मार्ग पर खडण्जा लगा है। कच्चे मार्ग पर भी 10 सेमी० मोटी सी०सी० रोड डाली गयी व खडण्जे के ऊपर भी 10 सेमी० मोटी व एम आर नी ही सामग्री उपभोग दर्शित है जो संभव न है। नियमानुसार 7 सेमी० मोटी ढलाई होनी चाहिए।

(7.6) मस्टर रोल क्रमांक 4405 में कुल श्रमांश का योग रू० 21480.00 अंकित है। जबकि वास्तविक योग रू० 21600.00 होता है।

(7.7) प्रयुक्त मस्टर रोल 4404, 4405 व 4411 में धन प्राप्ति की पुष्टि में लगे नि०अ० एक व्यक्ति के द्वारा बनाये प्रतीत होते हैं तथा कुछ ऊंगलियों के निशान प्रतीत होते हैं।

(7.8) सभी मास्टर रोलों में मजदूरों की उपस्थिति नियमानुसार प्रतिदिन न भरकर एक बार में एक ही दिन पेन से भरी गयी है। जिससे मस्टर रोल संदिग्ध है।

(7.9) खरीद के बिलों से रायलटी व व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी और फर्मों द्वारा फार्म नं०-16 की मांग तक नहीं की गयी।

(7.10) सभी बिल कच्चे हैं।

इस प्रकार रू० 353165.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धन रू० 353165.00 की वसूली ब्याज के साथ श्री महेन्द्र वर्मा कार्य प्रभारी/ग्रा०पं०अ०, जे०ई० प्रवीण कुमार व बी०डी०ओ० श्री गिरजा मिश्रा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख का दायित्व भी निर्धारित किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-37 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में फैजुल्लागंज में प्रधान के घर से हरिउरा तक मिट्टी खडण्जा एवं पुलिया निर्माण-

लं०- 800 मी०, स्टीमेट- 6.72 लाख,, एस०एफ०सी०

(8.1) कार्य का चयन शासनादेश के विपरीत रहा।

(8.2) निर्माण समिति के कहीं हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

(8.3) स्टीमेट रू० 6.72 लाख है, जबकि बी०डी०ओ० द्वारा वित्तीय स्वीकृति रू० 6.86 लाख की दी गयी।

(8.4) स्टीमेट में अंकित है कि पूर्व में 8 वर्ष पूर्व खडण्जा कार्य करवाये जाने की सूचना दी गयी। आगे हाथ से लिखा गया है कि- खडण्जा कार्य प्रथम बार करवाया जा रहा है।

स्पष्ट है कि खडण्जा मरम्मत कराया जाना तो जरूरी हो सकता था न कि नया खडण्जा लगवाया जाना। इस प्रकार स्टीमेट फर्जी पाया गया।

(8.5) ईट खरीद दिनांक 19.07.12 को की गयी है, किन्तु निम्नलिखित मस्टर रोल काफी पहले के पाये गये।

मस्टर रोल नं०	कार्य तिथियां	राशि
4415	8/6 से 23.06.12	38400
4416	8/6 से 23.06.12	19200
4417	24/6 से 26.06.12	7200
4419	01.07.12 से 09.07.12	13635
4420	01.07.12 केवल	345

उक्त सभी में धन प्राप्ति की पुष्टि में सभी के निशानी अंगूठे हैं एवं एक से हैं। कुछ निशानियां ऊंगलियों के प्रतीत होते हैं। अन्य मस्टर रोल की यही स्थिति है।

इसके अतिरिक्त मस्टर रोल नं० 4415 व 4416 में एवं श्रमिक भूपराम पुत्र बनवारी एक ही तिथियों में दोनों मस्टर रोल में कार्यरत दर्शित हैं, जो संभव नहीं है। स्पष्ट है कि मस्टर रोल फर्जी है।

(8.6) स्टीमेट में 2 किमी० दूर से मिट्टी कहां से आयेगी स्पष्ट नहीं है। चेक नं० 000032 दिनांक-01.09.12 से रू० 14100.00 मिट्टी भाड़ा भुगतान दर्शित है किन्तु मिट्टी कहां से आयी स्पष्ट नहीं है। रायलटी अदा नहीं है एवं न ही जमा रसीद है।

(8.7) नियमानुसार टेण्डर नहीं किया गया है।

(8.8) सामग्री खरीद के बिलों से वाणिज्यकर की कटौती नहीं की गयी है।

(8.9) किसी भी फर्म द्वारा काटे गये टी0डी0एस0 के रिफण्ड के लिये फार्म नं0-16 नहीं मांगा गया।

उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन कर सुनियोजित रूप से धन के अपहरण के लिये अभिलेख तैयार किये गये हैं।

अतः अपहरित धन रू0 654928.00 की वसूली ब्याज के साथ श्री महेन्द्र वर्मा कार्य प्रभारी/ग्रा0पं0अ0 श्री गिरजा मिश्रा व अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार व तकनीकी स्वीकृत कर्ता अधिशासी अभियंता डी0आर0डी0ए0 से करते हुये प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत का भी दायित्व अवधारित कर कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-38 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में सिकरन में प्रदीप के मकान से प्रेमपाल के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण-

लं0- 210 मी0, स्टीमेट- 5.93 लाख,, एस0एफ0सी0

(9.1) कार्य का चयन शासनादेश के विपरीत रहा।

(9.2) निर्माण समिति को धन अपहरण के उद्देश्य से निष्क्रिय रखा गया।

(9.3) पत्रांक-66-67, दिनांक-06.01.13 से श्री विश्वनाथ ए0डी0ओ0 (पं0) को कार्यप्रभारी बनाया गया है। जबकि पत्रांक 1230 दिनांक- 07.07.12 को प्रयुक्त है। स्पष्ट है कि फर्जी पत्रांक नम्बर डाला गया है।

(9.4) स्टीमेट में अंकन है कि वर्तमान में खडण्जा लगा है। इसके बाबजूद 10 सेमी0 मोटाई रखते हुए स्टीमेट तैयार किया गया व स्वीकृत किया गया है।

कच्चे मार्ग पर सी0सी0 10 सेमी0 मोटी डलवायी जाती है।

अतः खडण्जा पर या तो 7 सेमी मोटी सी0सी0 रोड डालना चाहिये था या खडण्जा ग्राम पंचायत की अनुमति से उखडवा लेना था। उक्त 210 मी0 मार्ग पर खडण्जा पर मानक के अनुसार 40194 ईट लगी थी जिनका मूल्य 84207.00 होता है। यदि सी0सी0 रोड बनी है तो रू0 168613.83 दुरुपयोग है।

(9.5) 2 किमी0 देर से मिट्टी कहां से आयेगी का कोई उल्लेख स्टीमेट में नहीं है और न ही मिट्टी भाडा के प्रमाणक से स्पष्ट है। रायल्टी जमा कर चालान भी नहीं है।

(9.6) मस्टर रोल नं0 4433 में कार्य अवधि 09.11.13 से 03.02.13 अंकित है। जो संभव नहीं है।

सभी मस्टर रोल पर धन प्राप्ति के नि0अ0 है जो एक समान है। कुछ निशान उंगलियों के प्रतीत होते हैं।

इसके अतिरिक्त सभी मस्टर रोल एक बार में बनाये व उपस्थिति भरी गयी है।

(9.7) संलग्न फोटो में खडण्जा व नाली बनी दिख रही है। टेण्डर नहीं करवाया गया है।

उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण करने के लिये फर्जी अभिलेख तैयार किये गये हैं।

अतः अपहरित धन रू0 585519.00 की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा0पं0अ0 बी0डी0ओ0 श्री गिरजा मिश्रा, अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार, अधिशासी अभियंता डी0आर0डी0ए0 से करते हुये प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारित कर कार्यवाही अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-39 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में डींगुरपुर में सुरेश के मकान से मदनापुर रोड तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण-

लं0- 39 मी0, स्टीमेट- 1.09 लाख,, एस0एफ0सी0

(10.1) कार्य का चयन शासनादेश के विपरीत रहा।

(10.2) निर्माण समिति को सुनिश्चित योजनानुसार सक्रिय नहीं किया गया।

(10.3) पत्रांक-76.77 दिनांक-10.02.13 से श्री विश्वनाथ ए0डी0ओ0 (पं0) को कार्यप्रभारी बनाया गया है। पत्रांक व दिनांक फर्जी है, क्योंकि पत्रांक 1230 दिनांक 07.07.13 को जारी था।

(10.4) स्टीमेट में उक्त स्थान पर खडण्जा लगा होना अंकित है। संलग्न फोटोग्राफ में भी खडण्जा व नाली निर्मित दर्शित है।

उक्त के बाबजूद कच्चे मार्ग की भांति खडण्जे के ऊपर 10 सेमी0 मोटी सी0सी0 डालना दर्शाया गया है। नाली बनी होने के बाद भी उक्त को पुनः बनवाने का स्टीमेट है। खडण्जे पर 7 सेमी0 मोटी0 सी0सी0 रोड का प्राविधान हैना था। इस प्रकार स्टीमेट गलत पाया गया।

(10.5) प्रयुक्त मस्टर रोल पर सभी मजदूरों के निशान अंगूठे हैं सब एक जैसे हैं। उपस्थिति भी एक बार में भरी गयी है।

इसके अतिरिक्त सबसे अंत में एक लेबर की 9 दिन की उपस्थिति व कुल मजदूरी 1125 अंकन

के बाद काटा गया है।

(10.6) कार्य समाप्ति तिथि 05.03.13 है जबकि बोर्ड स्थापना 03.03.13 को दर्शित है।

(10.7) रायल्टी व वाणिज्य कर की कटौती नहीं की गयी है।

(10.8) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में निरीक्षण तिथि अंकित नहीं है। बिना तिथि के निरीक्षण पूरे कार्य के फर्जी होने की पुष्टि करता है।

अतः अपहरित धन ₹0 14661.00 की वसूली ब्याज के साथ श्री विश्वनाथ कार्य प्रभारी/ए0डी0ओ0 (पं0) बी0डी0ओ0 श्री गिरजा मिश्रा, अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार, अधिशासी अभियंता डी0आर0डी0ए0 से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारित कर कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-40 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न कराये गये कार्यों पर सामग्री खरीद में धन व्यय किया गया है किन्तु नियमानुसार 2.26 प्रतिशत की दर से वाणिज्यकर की कटौती कर राजकोश में धन जमा नहीं किया गया, जिससे राजकोश को क्षति हुई है।

वर्ष कुल सामग्री खरीद वाणिज्यकर कर 2.26 प्रतिशत

2011-12	1367100	30896
2012-13	2981416	67380
2013-14	3009485	68014
योग-		166290

इस प्रकार ₹0 166290 से राजकोश को क्षति पहुंचायी गयी है, जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रणय कृष्ण, श्री गिरजा मिश्रा, श्रीमती कंजन बाला श्रीवास्तव व श्री सूरजमल शर्मा व लेखाकार श्री बाबूराम तथा श्री अनूप द्विवेदी उत्तरदायी है। उक्त की वसूली ब्याज के साथ उक्त लोगों से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-41 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर में निम्न विवरण के अनुसार उप खनिजों की खरीद की गयी है। भुगतान पूर्व नियमानुसार एम0एम0-11 (रवन्ना) नहीं लिया गया और न ही रायल्टी कटौती की गयी है जिससे राजकोश को क्षति हुई है।

वर्ष	मोरंग कय	बालू कय	मिट्टी कय (20एम0एम0)
2011-12	40.79 मी0	56.56 मी0	76.06 मी0
2012-13	149.13 मी0	110.03 मी0	190.74 मी0
2013-14	182.57 मी0	132.67 मी0	275.73 मी0
योग-	372.49 मी0	299.26 मी0	542.53 मी0

उक्त पर शासनादेश सं0 3891/77-5200-1 (216)/93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार निम्नवत रायल्टी वाजिब होती है-

1	मौरंग (कोरसैण्ड)	372.49×33	12292.17
2	बालू (फाइन सैण्ड)	299.26×33	9875.58
3	स्टोनग्रिट (20एम0एम0)	542.53×102	55338.06
	योग-		77505.81

उक्त क्षति ₹0 77505.81 की वसूली ब्याज के साथ तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रणय कृष्ण श्री गिरजा मिश्रा, श्रीमती कंजनबाला श्रीवास्तव व श्री सूरजमल शर्मा तथा लेखाकार श्री बाबूराम तथा श्री अनूप कुमार द्विवेदी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित।

प्रस्तर सं0-42 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष आलोच्य में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न योजनाओं के धन से कार्य करवाये गये हैं उक्त पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम-1996 एवं सपठित केन्द्रीय उपकर नियमावली-1996 तथा सचिव उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कानपुर के पत्र सं0 5524/5653/भ0नि0 बोर्ड (21)-11 दिनांक-16.06.11 के अनुसार 1 प्रतिशत की दर से सेस की कटौती कर संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया गया। जिसका दायित्व तत्काल खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रणय कृष्ण, श्री गिरजा मिश्र, श्रीमती कंजन बाला श्रीवास्तव व श्री सूरजमल शर्मा तथा लेखाकार श्री बाबूराम व श्री अनूप द्विवेदी का रहा। उक्त से वसूली ब्याज के

साथ कर धन जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-43 क्षेत्र पंचायत का नाम—कांट, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष आलोच्य में प्राप्त ब्याज व कटौती कर प्राप्त टी०डी०एस० तथा राजकीय कोशागार में जमा व दर्शित विवरण इस प्रकार रहा—

प्रा० शेष	वर्ष	प्राप्त टी०डी०एस०	जमा टी०डी०एस०	प्राप्त ब्याज	गत शेष	जमा
229416	2011-12	35514	214135	123611	227818	307975
50795	2012-13	65201	80638	90905	43454	1288
35358	2013-14	49053	78501	111683	133071	227017

उक्त के सापेक्ष ले०प० में जमा प्रमाणक निम्नवत वर्षवार प्रस्तुत किये गये—

वर्ष	प्राप्त टी०डी०एस०	ब्याज जमा प्रमाणक चालान
2011-12	93443	—
2012-13	80641	1288
2013-14	81112	126938

इस प्रकार वर्ष वार निम्नानुसार जमा प्रमाणक/चालान ले०प० में प्रस्तुत नहीं किये गये—

वर्ष	अप्रस्तुत टी०डी०एस० जमा प्रमाणक	अप्रस्तुत ब्याज जमा चालान
2011-12	120692	307975
2012-13	—	—
2013-14	—	100079

इस प्रकार त्रुटिपूर्ण लेखा रखने एवं प्रमाणक/चालान प्रस्तुत न करने के लिये लेखाकार श्री अनूप द्विवेदी उत्तरदायी है। नियमानुसार वर्षान्त तक समस्त कटौती किया गया टी०डी०एस० व ब्याज वापसी न किया जाना आपत्तिजनक रहा नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं०-44 क्षेत्र पंचायत का नाम—कांट, जनपद— शाहजहाँपुर में कार्यालय में कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री रहते तथ समय समय पर अनुरक्षण एवं सामग्री खरीद पर धन व्यय किये जाने के बाद भी कार्यालय में टाइप व फीडिंग न कर प्राइवेट दुकानों से कार्य कराया जाना दर्शाया गया है। जो कि धन का स्पष्ट रूप से दुविनियोजन है। अतः उक्त की वसूली ब्याज के साथ स्वीकृतकर्ता खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से अपेक्षित रही। विवरण इस प्रकार रहा—

2011-12	55685.00
2012-13	49808.00
2013-14	20645.00
योग	126138.00

उक्त व्यय मरनेगा रिवाल्विंग फण्ड से की गयी है।

प्रस्तर सं०-45 क्षेत्र पंचायत का नाम—कांट, जनपद— शाहजहाँपुर मै० शनिदेव इण्टरप्राइजेज को०१४ गांवों में मनरेगा योजनाके स्लोगन लिखवायी कानिम्नवत चेकों से भुगतान किया गया है—(मनरेगा रिवाल्विंग फंड से)

चेक नं०— 063829 दिनांक— 21.7.11 — 47905.00

चेक नं०— 061274 दिनांक— 8.6.11 — 86229.00

उक्त लिखाई कार्य का विवरण निम्नवत दर्शित है—

बिल नं०— 1/44 दिनांक 13.6.11 पांच पचा० $520 \times 5 = 2600 \times 14.30 = 37180.00$

लिखाई $150 \times 5 = 750 \times 14.30 = 10725.00$

बिल नं०— 1/44 दिनांक 19.5.11 $9 \times 500.4500 \times 14.30 = 64350.00$

$9 \times 170 = 1530 \times 14.30 = 21879.00$

प्राप्त कोटेशन में स्लोगन लिखाई दर 14.30 प्रतिवर्ग फीट दर्शित व स्वीकृत थी। कोटेशन में पुताई व

लिखाई दोनों शामिल थी। इस प्रकार पुताई कर स्लोगन लिखाई मात्र रु0 14.30 प्रतिवर्ग फीट के हिसाब से की जानी चाहिये थी।

अतः लिखाई के नाम पर कुल रु0 32604.00 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज के साथ भुगतान कर्ता खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रणय कृष्ण से करते हुए प्रशासनिक अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-46 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर में मनरेगा रिवाल्विंग फण्ड से चेक सं0 063830 दिनांक 21.7.11 से रु0 76000.00 श्री जितेन्द्र सिंह टी0ए0 को जून-11 तक का मानदेय निम्न विवरण के अनुसार मांग पर भुगतान किया गया है-

1.6.11 से 31.12.10 - 4000.00 प्रतिमाह

1.1.11 से 30.6.11 - 8000.00 प्रतिमाह

अनुबंध पत्र प्रस्तुत न करने के कारण मानदेय भुगतान करना अंकित है। संलग्न शपथ पत्र निम्नवत पाया गया-

स्टाम नं0- 81ए0ए0 -762282-नोटरी तिथि - 23.6.10

स्टाम नं0- 14ए0बी0 -218686 - नोटरी तिथि - 2.4.11

उक्त की नियुक्ति डी0आर0डी0ए0 के पत्रांक सी0-944 दिनांक 24.5.10 से की गयी थी।

नियुक्ति के एक माह के अन्दर की अनुबंध पत्र बनवाया जा चुका था। अतः अनुबंध पत्र प्रस्तुत न करने का कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

मनरेगा योजना के अंतर्गत नियुक्ति सभी कर्मचारियों का वेतन बराबर निकलता रहा, उक्त को छोड़कर।

श्री जितेन्द्र सिंह टी0ए0 द्वारा 1.6.10 से 30.6.11 तक कोई भी कार्य किया जाना नहीं पाया गया। इस प्रकार बिना कार्य के वेतन भुगतान करना आपत्तिजनक रहा।

अतः अनियमित रूप से किये गये मानदेय भुगतान रु0 76000.00 की वसूली ब्याज के साथ श्री जितेन्द्र सिंह टी0ए0 से न हो पाने पर भुगतानकर्ता खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रणय कृष्ण से की जानी अपेक्षित रही। प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-47 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर में चेक नं0 823247 दिनांक 7.2.11 से मै0 एस0डी0 इण्टरप्राइजेज को रु0 13880.00 का भुगतान 694 इंदिरा व महामाया आवासों की फीडिंग का किया गया है। विकास खण्ड कार्यालय में कम्प्यूटर लगे हैं एवं इण्टरनेट कनेक्शन होते हुए बाहर से फीडिंग करने का कोई औचित्य न था। मनरेगा रिवाल्विंग से भुगतान आपत्तिजनक रहा बिजली व्यवस्था हेतु जनरेटर भी संचालित रहा है।

अतः उक्त धन दुरुपयोगिता रहा। उक्त धन रु0 13880.00 की वसूली ब्याज के साथ भुगतानकर्ता खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रणय कृष्ण से की जानी अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-48 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में ग्राम इमलिया में किशन लाल के मकान से देवस्थान तक तथा मेवाराम के मकान से बाबू सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण (एस0एफ0सी0) ल0-350 मी0 स्टी0-9.15 लाख।

(1.1) उक्त कार्य 2012-13 का था जो 2012-13 व 13-14 में करवाया जाना दर्शित है। कार्यका चयन शासनादेश के अनुरूप नहीं पाया गया। राज्य वित्त आयोग के धन से 50 प्रतिशत धन अनुरक्षण में व्यय किया जाना था, जो नहीं किया गया।

(1.2) कार्य की ामल चसंद में मात्र किशन लाल के मकान से देवस्थान ही दर्शाते हुए दूरी 350 मी0 दर्शित है।

(1.3) कार्य के प्रस्तावना में उक्त मार्ग पर खंडजा लगा होना अंकित है, जबकि संलग्न फोटोग्राफ में कच्चा रास्ता दर्शित है।

(1.4) स्टीमेट में 10 सेमी0 मोटी सी0सी0 रोड डालना अंकित है खंडजा लगा होने पर यदि 10 सेमी0 मोटी सी0सी0 रोड डालना है तो खंडजा उखड़वाना चाहिए नहीं तो ब्रिक बैलास्ट व **स्टोन ग्रेट** की मात्रा कम होना चाहिए। खंडजा लगा होने पर 7 सेमी0 मोटी सी0सी0 रोड डाली जाती है।

यदि 10 सेमी0 मोटी सी0सी0 डाली गयी है तो खंडजा में लगे कुल ईट 66990- जिसका मूल्य इस की दर पर रु0 271309/- की वसूली फर्म प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा0पं0अ0 से अपेक्षित है।

(1.5) श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा0पं0अ0 को बिना पत्रांक व दिनांक के जारी पत्र से प्रभारी बनाया गया।

(1.6) मै0 रामनारायन कमलेश कुमार द्वारा मौरंग, मिटटी, बालू आदि की आपूर्ति की जानी दर्शित है। उक्त के बिलों से न तो रायलटी काटी गयी और न ही एम0एम0-11 (खवन्ना) लिया गया। वस्तुतः उक्त फर्म मौरंग मिटटी व बालू ब्रिकी के लिए अधिकृत की नहीं है।

(1.7) मै० रामनरेश कमलेश कुमार व मै० शिव शक्ति ईट उद्योग द्वारा काटे गये टी०डी०एस० के रिफण्ड के लिये फार्म-16 मांगा तक नहीं गया।

(1.7) प्रस्तुत मस्टर रोल 4439,4440 व 4441 में सभी मजदूरों की उपस्थिति एक बार में भरी गयी है तथा धन प्राप्ति की पुष्टि में अंकित निशानी अंगूठे एक से है तथा कुछ निशान अंगूठे के स्थान पर ऊंगलियों के हैं।

(1.8) प्रस्तुत मस्टर रोल के अनुसार कार्य 21.3.13 से प्रारम्भ हुआ तथा 5.5.13 को समाप्त हुआ है। तीनों मस्टर रोल का भुगतान चेक सं० 000081 दिनांक 19.6.13 को रू० 1122500/श्री महेन्द्र वर्मा को किया गया है। जबकि मजदूर तो अधिकतम साप्ताहिक देय से मजदूरी लेते हैं।

(1.9) उक्त कार्य तथा से ही कृत कार्य ग्राम वीरमपुर में मुनेन्द्र के मकान से नरवीर के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण में दर्शित मजदूर व मिस्त्री एक ही तिथि में भिन्न-भिन्न स्थानों पर कार्यरत दर्शित हैं। विवरण इस प्रकार है-

मास्टर रोल नं० 4441 22.04 से 05.05.13				वीरमपुर में मुनेन्द्र के मकान से नरवीर के मकान तक सी०सी० व नाली मास्टर रोल नं०-4444 23.04 से 07.05.13	
क्रमांक	नाम		भुगतान राशि	क्रमांक	
4	वाहिद अली पुत्र गुलशेर- रावतपुर	मिस्त्री	2700	03	3375
9	भूपराम पुत्र बनवारी- सरथौली	श्रमिक	1625	14	1875
10	गुड्डू पुत्र राम नरेश सरथौली	श्रमिक	1500	15	1875
11	महेन्द्र पुत्र राम नरेश सरथौली महेन्द्र पुत्र राम सहाय सरथौली	श्रमिक	1500	16	1875

(1.10) प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं व निरीक्षण तिथि भी अंकित नहीं है। कार्य समाप्ति तिथि 5.5.13 के पूर्व 10.04.13 को बोर्ड स्थापना स्थिति को संदिग्ध करता है।

उपरोक्त अंकित विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है। अतः जांचोपरांत रू० 874125/- की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा०पं०अ० श्री बाबूराम वर्मा बी०डी०ओ० अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। निर्माण कार्य समिति के कही हस्ताक्षर नहीं पाए गए हैं।

प्रस्तर सं०-49 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में ग्राम रतहरे में बनें खण्डजे से राममूर्ती के यहां से होते हुए ओमप्रकाश के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण-ल० 200 मी०, सी०-5.20 लाख टी०एफ०सी०-

(2.1) कार्य का चयन शासनादेश के अनुरूप नहीं है तथा ग्रा०पं० की परिसम्पत्ति उखाड़ने या दबाने के लिए ग्रा०पं० की स्वीकृति नहीं ली गयी है।

(2.2) श्री गोपाल सिंह ग्रा०वि०अ० को कार्य प्रभारी बिना पत्रांक व दिनांक से जारी पत्र से अनियमित रूप से बनाया गया।

(2.3) बी०डी०ओ० कांट के कार्यालय पत्रांक सी०-103 दिनांक 18.10.13 से आमत्रित कोटेशन में कोटेशन खोलने की तिथि 26.10.13 अंकित है। विभिन्न फर्मों से कोटेशन दिनांक 26.10.13 को प्राप्त हुए एवं स्वीकृत/अस्वीकृत हुए सामग्री आपूर्ति निम्नवत पायी गयी।

बी०डी०ओ० कांट को आदेश सामग्री आपूर्ति कर्ता फर्म व बिल दिनांक

11- दिनांक 24.10.13

मै० किसान ब्रिक फील्ड- 25.10.13

12- दिनांक 24.10.13

मै० रामनरायन कमलेश कुमार- 25.10.13

15 दिनांक 03.12.13

मै० रामनरायन कमलेश कुमार- 04.11.13

16- दिनांक 03.12.13

मै० किसान ब्रिक फील्ड 02.11.13

आदेश संख्या 15 व 16 में बी०डी०ओ० के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(2.4) प्रस्तुत मस्टर रोल का विवरण निम्नवत् रहा—

एम आर छव.4442—25.10.13 से 31.10.13—23234—सभी नि0अ0 एक जैसे

एम आर छव.4443—01.11.13 से 12.11.13—40560—सभी नि0अ0 एक जैसे

उक्त का भुगतान प्रभारी जो चेक नं0 63794 से दिनांक 03.12.13 को किया गया। डेढ माह तक मजदूर मजदूरी पाने के लिये इंतजार नहीं करेगा। इसी कारण निर्माण समिति को निष्क्रिय रखा गया है।

(2.5) कार्य समाप्ति तिथि 12.11.13 के पूर्व बोर्ड स्थापना दिनांक 07.11.13 को है। वर्ष 2013—14 की कार्ययोजना न होकर 2012—13 की है।

(2.6) संलग्न फोटोग्राफ में पत्थर पर उद्घाटन होना अंकित है। किन्तु शिलापट का कोई बिल नहीं है।

(2.7) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में निरीक्षण की तिथि ही अंकित नहीं है। सी0सी0 डालने के लिये पालीथीन भी कय नहीं की। उपरोक्त बिन्दुओं से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 512341/— की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी/ग्रा0पं0अ0 श्री गोपाल सिंह, बी0डी0ओ0 बाबूराम व श्रीमती कंचन बाला श्रीवास्तव तथा अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0—50 क्षेत्र पंचायत का नाम—**कांट**, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013—14 में ग्राम मीरवैश्यपुर में मुनेन्द्र के मकान से नरवीर के मकान तक नाली निर्माण एवं सी0सी0 रोड लं0—145 मी0, स्टी0—4.26 एस0एफ0सी0।

प्रभारी अभिशोक शुक्ला ग्रा0पं0अ0—87.88 दिनांक 26.03.13 पत्रावली की जांच में पाया गया कि—

(3.1) कार्य का चयन शासनादेश के अनुसार नहीं है। तथा वित्तीय वर्ष 2013—14 की कार्य योजना में न होकर 2012—13 की कार्ययोजना है।

(3.2) प्राप्त सभी कोटेशन के लिफाफे फटे नहीं हैं, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि कोटेशन लेने की मात्र प्रक्रिया पूरी की गयी है।

(3.3) सभी कोटेशन में तिथि बाद में 08.04.13 व 07.04.13 एक ही हस्तलिपि में अंकित की गयी है।

(3.4) प्रस्तुत मस्टर रोल 4444 के कुछ श्रमिक व एक मिस्त्री इमलिया में किशन लाल के मकान से देवस्थान तक तथा मेवाराम के मकान से बाबू सिंह के मकान तक सी0सी0 व नाली निर्माण के कार्य के मस्टर रोल सं0 4441 में एक ही तिथि में कार्यरत रहें जो संभव नहीं है। मस्टर रोल 4444 व 4445 में सभी मजदूरों व मिस्त्रियों के निशानी अंगूठे हैं एवं एक से हैं। कुछ निशानी अंगूठे, उंगलियों के भी प्रतीत होते हैं।

(3.5) मीर वैश्यपुर में मेन रोड से मन्दिर तक सी0सी0 रोड तक नाली निर्माण कार्य

मस्टर रोल में कार्य अवधि निम्नवत् है—

..म0नं0— 4444—23.04.13 से 7.5.13— 36000 /

म0नं0— 4445—08.05.13 से 13.5.13— 13325 /

उक्त का भुगतान कार्य प्रभारी को दिनांक 28.06.13 से चेक नं0—000087 ये किया गया है। श्रमिक अधिकतम साप्ताहिक आधार पर भुगतान लेते हैं। लगभग 2 माह बाद भुगतान, कार्य को स्वयं संदिग्ध करता है।

(3.6) रायल्टी कटौती नहीं की गयी और न ही एम0एम0—11 लिया गया। जिससे बिलों की स्थिति संदिग्ध होती है। मै0 रामनरेश कमलेश कुमार फर्म बालू, मौरंग गिट्टी आदि की बिक्री के लिये अधिकृत ही नहीं है। इसी लिये फार्म न016 की मॉग फर्म द्वारा नहीं की गयी।

(3.7) प्रस्तुत कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र में निरीक्षण की तिथि अंकित न होना प्रमाण—पत्र को फर्जी होना स्पष्ट करता है।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से स्वतः स्पष्ट है। कि रु0 388806/— का अपहरण किया गया है एवं फर्जी प्रमाणक तैयार किये गये हैं। कार्य में 10 सेमी0 मोटी सी0सी0 रोड डलवाया जाना अंकित कहें। जबकि वहाँ खंडण्जा लगा हुआ था। खंडण्जे के उपर 7 सेमी 0 मोटी सी0सी0 रोड ही पएम आर की है।

अतः अपहरित धन रु0 388806/— की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी/ग्रा0पं0अ0 श्री गोपाल सिंह, बी0डी0ओ0 बाबूराम व श्रीमती कंचन बाला श्रीवास्तव तथा अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0—51 क्षेत्र पंचायत का नाम—**कांट**, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013—2014 में मीर वैश्यपुर में मेन रोड से मंदिर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य ल0—100 मी0 स्टी0—2563, टी0एफ0सी0

- (4.01) कार्य 2012-2013 की कार्य योजना का था । 2013-2014 की कार्य योजना प्रस्तुत नहीं ।
- (4.2) कार्य पत्रांक 107-08 दिनांक 18.10.2013 से श्री प्रतिपाल सिंह ग्रा0 पं0 अ0 को प्रभारी बनाया गया ।
- (4.3) कोटेशन दिनांक 26.10.2013 को खोले गये किन्तु सामग्री आपूर्ति निम्नव है।
बी 0डी0ओ0कॉट का आदेश आपूर्ति फर्म द्वारा सामग्री आपूर्ति
पत्रांक -14 दिनांक 20.11.2013 मै 0राम नरायन कमलेश कुमार 29.10.2013
पत्रांक-13 दिनांक 20.11.2013 मै0किसान ब्रिक फील्ड-28.10.2013
अन्य सामग्री आपूर्ति बिना आदेश के हो गये क्रमशः 5.11.2013 व 6.11.2013को है।
- (4.4) बी0डी0ओ0 कार्या0 पत्रांक 107-08 दिनांक 10.10.2013 को तथा पत्रांक 13 व14 दिनांक 20.11.2013 को जारी है। स्पष्ट है। कि पत्रांकों में हेरा फरी की गयी है।
- (4.5) निर्माण कार्य समिति को सक्रिय नहीं किया गया ।
- (4.6) कार्य शासनादेश के अनुसार नहीं है एवं ग्राम पंचायत की अनापत्ति भी नहीं है। 100मी0 खडण्जा स्थल पर लम्बा था, जिसमें गणनानुसार 19140ईट लगी थी । जिनका मूल्य रु087852.60/-होता है। खडण्जों के उपर 10 सेमी0 मोटी सी0सी0 रोड निर्माण का औचित्य नहीं है।
- (4.7) प्रयुक्त मस्टर रोल क्रमांक 4451 में दिनांक 30.10.2013 से 11.11.2013 तक की उपस्थिति अंकित है । सभी के अंगूठा निशानी हैं एवं एक से है । उक्त का भुगतान रु026080/-चेक न0-000018से दिनांक 17.12.2013को प्रभारी को है। मजदूरी अधिकतम साप्ताहिक रूप से मजदूरी लेते हैं। स्वतः स्पष्ट है कि मस्टर रोल फर्जी है।
- (4.8) कार्य की कार्यपूर्ति में कार्य की निरीक्षण तिथि अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र फर्जी हैं । रायल्टी भी नहीं काटी गयी ।

उक्त बिन्दुओं से स्वतः स्पष्ट है कि रु0229158/- का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 229158/- की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी/ग्रा0पं0अ0 श्री प्रतिपाल सिंहबी0डी0ओ0 श्रीमती कंचन बाला श्रीवास्तव तथा अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-52 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-2014 विकास खण्ड में खण्ड विकास अधिकारी के कक्ष की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण- स्टी0-0-80(लाख) टी0एफ0सी0 प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा0 पं0 अ0 उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि

(5.1)कार्य पर सम्पूर्ण व्यय प्रभारी को चेक न0 -00019दिनांक 17.12.2013 से रु045000/- अग्रिम देकर पुनः चेक न0 000127 दिनांक 2.3.2014 को रु031914/- भुगतान कर करवाया गया है जो समस्त विभागीय नियमों एवं शासनादेशों के विपरीत रहा है।

(5.2) प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा द्वारा प्रस्तुत किसी बिल पर टी0डी0एस0 ,सेल टैक्स ,रायल्टी आदि की कटौती न कर शासकीय कोश को क्षति पहुँचायी गयी है।

(5.3) चौखट , दरवाजे, खिड़की ,ग्रिल आदि की खरीद दर्शित है । पुराने चौखट , दरवारजे , खिड़की व ग्रिल कहा गये अस्पष्ट रहा है।

(5.4)मात्र एक दिन में कारपेन्टर सभी कार्य सम्पन्न कर देना संभव नहीं है।

(5.5)कारपेन्टर के कार्य के बाद मिस्त्री प्लास्टर आदि सही करता है । किन्तु कारपेन्टर रामप्रसाद पुत्र बुलाकी राम के 10/2 के कार्य के बाद कोई मिस्त्री कार्यरत न था ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः अपहरित धन रु0 76914/- की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी/ग्रा0पं0अ0 श्री महेन्द्र वर्मा बी0डी0ओ0श्री सूरजमल शर्मा तथा अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-53 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013.2014 ग्राम पंचायत जरावन में मेन रोड से राम प्रकाश के मकान तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण ल0-150मी0टी0एफ0सी0 स्टी0-0-4.50(लाख) प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा0 पं0 अ0 कार्या पत्रांक 98-99दिनांक 9.7.2013से प्रभारी बनाया गया । पत्रावली की जाँच में पाया गया कि

(6.1)कार्य का चयन शासनदेश के अनुरूप नहीं है । तथा ग्राम पंचायत से अनापत्ति नहीं ली गयी जबकि वहाँ खडण्जा लगा था , जिसमें 19140ईट प्रयुक्त थी । जिनका मूल्य रु87852.80 होता है।

(6.2) निर्माण कार्य समिति के कही हस्ताक्षर नहीं है।

(6.3) खडण्जों के उपर 10 सेंमी0 मौ0सी0सी0 डालने का कोई औचित्य न था ।

(6.4) पत्रावली की जाँच में पाया कि सामग्री आपूर्ति हेतु नियमानुसार आदेश दिये गये व सामग्री आपूर्ति हुई ।

बी 0डी0ओ0 का आदेश फर्म का नाम व आपूर्ति तिथि

पत्रांक 104 दिनांक 20.8.2013 मै0शि0व शक्ति ईट उद्योग 23.8.2013

पत्रांक 103 दिनांक 20.8.2013 मै0 राम नरेश कमलेश कुमार 22.8.2013

पत्रांक 100-102 दिनांक 25.8.2013 मै राम नरेश कमलेश कुमार 29.8.2013

पत्रांक 100.101 दिनांक 25.8.2013 मै शिव शक्ति ईट उद्योग 26.8.2013

पत्रांक नम्बरों से हेरा फेरी सुस्पष्ट है।

(6.5) मस्टर रोल विवरण निम्नवत रहा ।

मस्टर रोल न0-4499-24.8.2013 से 6.9.2013 रू045808.00

मस्टर रोल न0-4500-28.8.2013 से 6.9.2013 रू05692.00

सभी निशानी अंगूठे है जो एक से है । जब 20.8.2013 को मंगाई सामग्री थी तो 25.8.2013 को पुनः सामग्री मंगाने का कोई औचित्य न था ।

(6.6) बोर्ड स्थापना 2.9.2013 को कार्य समाप्ति के पूर्व है जो संभव नहीं है ।

(6.7) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र में निरीक्षण तिथि अंकित नहीं हैं । जिससे स्वतः स्पष्ट है कि कार्यपूर्ति फर्जी है । कोटेशन के स्थान पर टेण्डर मंगाना था ।

उपरोक्त से सुस्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धन रू0 445611/- की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी/ग्रा0पं0अ0 श्री महेन्द्र वर्मा बी0डी0ओ0 श्री गिरजा मिश्रा तथा अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

निष्कर्ष-

उपरोक्त अंकित आपत्तियों में सामान्य रूप से पाया गया कि-

1. कार्यों का चयन नियमानुसार न कर प्रमुख क्षेत्र पंचायत व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया है। वस्तुतः कार्य योजना बनाने व स्वीकृत करने के लिए कोई बैठक की ही नहीं गयी।

2. नियमानुसार व शासनादेश संख्या 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23.12.10 के बिन्दु-7 के अनुरूप कार्ययोजना का पूर्व अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से नहीं कराया गया।

3. नियमानुसार राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग या अन्य धन से कराये जाने वाले कार्य निर्माण समिति की देखरेख में कराये जाने थे। किन्तु इकाई द्वारा एकाधिकार रखने के लिये विधि द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन किया गया एवं किसी भी समिति को सक्रिय नहीं किया।

4. कराये जाने वाले कार्यों का चयन शासनादेश सं0 8307/33-2-2004-93 जी0/2004 दिनांक 12.1.1.05 के अनुरूप दो या दो से अधिक गांवों से जोड़ने वाले का चयन न कर गांवों के अंदर के चयनित किये गये। अधिकांश कार्यों में ग्राम पंचायत में लगे खंडजे के ऊपर बिना अनापत्ति के सी0सी0 रोड बनवायी गयी।

5. शासनादेश संख्या 1719/33-3/2010-48/2007 दिनांक 31.9.10 व शासनादेश सं0 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23.12.10 के द्वारा जारी मार्ग निर्देशानुसार राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग के धन का उपयोग नहीं किया गया।

6. फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर भुगतान- अनापत्ति मस्टर रोल योजनाबद्ध रूप से फर्जी व काल्पनिक रूप से तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न किये गये हैं और इकाई प्रभारी (बी0डी0ओ0) द्वारा सम्यक जांच किये बगैर भुगतान किया गया है।

मस्टर रोल पर मजदूरों की उपस्थिति प्रतिदिन अंकित न कर एक बार में अंकित की गयी है। कतिपय मस्टर रोल में एक ही तिथि में एक ही श्रमिक/मिस्त्री भिन्न स्थानों पर कार्यरत दर्शित है जैसे कि मस्टर रोल क्रमांक 4445, 4446, 4448 आदि में धन प्राप्ति की पुष्टि में मजदूरों के सभी मास्टर रोलों में निशानी अंगूठे लगे हैं जो एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते हैं। यह भी पाया गया कि कतिपय निशानी अंगूठे, उंगलियों के हैं न कि अंगूठे के। इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके फर्जी मस्टर रोल तैयार कर व भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये कार्य प्रभारी/ग्रा0पं0अ0 श्री महेन्द्र वर्मा बी0डी0ओ0 श्री गिरजा मिश्रा तथा अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

7. कच्चे माल बिल लेकर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्जी का भुगतान कर अपहरण- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों में पाया गया कि समस्त फर्मों के बिल कच्चे बिल/कैश मेमो/लेटर पैड

पर है एक भी बिल टैक्स पैड बिल न था। फर्म द्वारा कोई आमद/उपभोग का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि फर्मों की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर योजनाबद्ध तरीके से धन का अपहरण किया गया है। अतएव फर्मों द्वारा जारी किये गये प्रमाणकों/बिलों की जांच इनके बिक्री रजिस्टर/दाखिल रिटर्न व्यापार कर एवं आयकर आदि के आलोक में करते हुए विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आश्चर्यजनक रूप से किसी फर्म द्वारा फार्म-16 की मांग तक नहीं की गयी।

7:-व्यापार कर की कटौती न करना:- वर्ष आलोच्य 2013-2014 में नियमानुसार एस0टी0 की कटौती 2.26 प्रतिशत कही दर से बिलों पर नहीं कर राजकोश को क्षति पहुंचायी गयी है। जो रु068014.00 होती है। इस प्रकार योजनाबद्ध रूप से कुल रु0 2526955.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिये कार्य प्रभारी/ग्रा0पं0अ0 श्री महेन्द्र वर्मा बी0डी0ओ0श्री गिरजा मिश्रा एव लेखाकार श्री अनुप कुमार द्विवेदी तथा अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार ब्लाक प्रमुख श्रीमती संतरा देवी से वसूली समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में राज्य वित्त आयोग (तृतीय व चतुर्थ) य एवं तेहरवें व चौहदवें वित्त आयोग से प्राप्त धन से कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रायवलियों की जाँच में सामान्य रूप से पाया गया कि :-

(क)कार्यों का चयन पंचायती राज अनुभाग-2 द्वारा डुप्लीकेसी से बचने के लिये ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के चयन के लिये जारी गाइड लाइंस संबंधी शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93जी0/2004 दिनांक 12.1.2005 व शासनादेश संख्या-04/866/33-2-14-93जी0/2014 दिनांक 24.6.2014 का पूर्ण रूपेण उल्लघन किया है। व गाँवों के अन्दर तथा व्यक्ति विशेष को दृष्टिगत रखकर किया गया है।

(ख) शासनादेश निर्धारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लघन कर खण्ड विकास अधिकारी / सचिव व ब्लाक प्रमुख द्वारा बिना किसी समुचित आधार के कार्यों का चयन किया गया नियमानुसार न तो क्षेत्र पंचायत की बैठक की गयी और न ही समितियों को सक्रिय किया गया, छः वर्षों मात्र 18.3.2011, 20.8.11, 20.10.12, 20.2.14, 12.12.14, 6.4.16 को ही बैठकें की गयी।

धन के गबन के प्रकरणों को दृष्टिगत रखते ऐसा पाया गया कि सुनिश्चित योजनानुसार ऐकाधिकार रखने के उद्देश्य से लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन किया गया है।

(ग) राज्य वित्त आयोग (तृतीय व चतुर्थ) एवं तेहरवें वित्त आयोग के धन के उपयोग किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1719/33-3-2010-48/2007 दिनांक 31.9.10 शासनादेश संख्या 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23.12.10 व शा0 संख्या 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19.6.2015 आदि से जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों का उल्लघन कर मनमर्जी से स्वेच्छाचारित पूर्वक धन का उपयोग किया गया है।

(घ) ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लिये गये। मात्र एक दो कार्यों पर प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से लिखवाया गया है। नियमानुसार ग्राम पंचायत का प्रस्ताव होना चाहिये था।

(ङ) प्रस्तुत कार्यों की पत्रायवलियों में विभिन्न फर्मों के बिल टैक्स पेड न होकर कच्चे हैं एवं बिना बुक नं0 के हैं।

(च) उपखनिजों (बालू मौरंग गिट्टी) की खरीद पर शासनादेश सं0 3891/77-5-2001(216)93 दिनांक 5.8.2002 के अनुसार न तो बैद्य खन्ना (एम0एम0-11) लिया गया और न ही रायल्टी की कटौती की गयी।

(छ) कतिपय कार्यों पर मिट्टी ढुलाई भाडा का भुगतान तो किया गया, किन्तु मिट्टी कहाँ से आयी एवं उसका कितना मूल्य और किसको भुगतान किया गया, अस्पष्ट रहा। इस्टीमेटों में 2 किमी0 दूर से मिट्टी लाने के किराये का प्राविधान तो किया गया किन्तु, मिट्टी कहाँ से आयेगी, का विवरण नहीं दिया गया (कौन सी खदान 2 किमी0 दूर है) जिससे इस्टीमेट ही संदिग्ध हो गया है।

उपरोक्त से सुस्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धन रु0 445611/- की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी/ग्रा0पं0अ0 श्री महेन्द्र वर्मा बी0डी0ओ0श्री गिरजा मिश्रा तथा अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर :-54ग्राम दिलावरपुर में गाँव से गौटिया तक नामा निर्माण :-

ल 0-398 मी0, स्टी0-13-93टी0एफ0सी0

(1.1) स्टीमेन्ट में अंकन है कि कार्य 22.2.14 की बैठक में 13-14 की कार्ययोजना हेतु पारित है। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य 2014-2015 के लिय पारित नहीं पाया गया।

(1.2) पत्रांक 32'-33 दिनांक 22.1.15 से श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा0 पं0 अधि0 को कार्य प्रभारी बनाया गया तथा 22.1.15 को श्री महेन्द्र वर्मा द्वारा सामग्री की मांग की गयी जबकि प्रस्तुत मस्टर रोल (4478) के अनुसार

कार्य 28.1.15 को प्रारम्भ हुआ है।

नाला निर्माण में पहले नाला खुदाई होती है, न कि पहले चिनाई।

श्री महेन्द्र वर्मा द्वारा 22.1.2015 को मात्र दो मस्टर रोलों की मांग की गयी है, जबकि प्रयुक्त मस्टर रोल 07 रहे हैं। उक्त से ऐसा पाया गया कि जल निकासी के लिये नाला पहले से ही बना था।

(1.3) सामग्री आपूर्ति हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी आदेश एवं फर्मों द्वारा सामग्री प्रेशण बिलों की स्थिति निम्नवत् रही।

खण्ड विकास अधिकारी का आदेश	सामग्री आपूर्ति			
	फर्म का नाम	दिनांक	बिल न0	धनराशि
सी0-31 दिनांक 22.1.15	मै0 रामनरायन कमलेश कुमार	24.1.15	860	243968
सी 0-35 दिनांक 22.1.15	मै0 खान ब्रिक फील्ड	24.1.15	30	237350
कोई आदेश नहीं	मै0 खान ब्रिक फील्ड	31.1.15	37	198478
कोई आदेश नहीं	मै0 रामनरायन कमलेश कुमार	30.1.15	785	163'924
कोई आदेश नहीं	मै0 रामनरायन कमलेश कुमार	23.2.15	795	33127
कोई आदेश नहीं	मै0 खान ब्रिक फील्ड	24.2.15	45	107109

नाला खुदायी का कार्य 28.1.15 से शुरू होना मस्टर रोल में दर्शित है इस प्रकार जब 22.1.15 को प्रेशित सामग्री का उपयोग ही नहीं हुआ था, तो 30 व 31.1.15 को सामग्री बिना आदेश के प्रेशण का कोई औचित्य ही न था। स्टॉक कहाँ रखा गया स्पष्ट नहीं है। बिना आवश्यकता के सामग्री खरीद धन के अपहरण को ही उद्भाषित करता है।

(1.4) प्रश्नगत कार्य पर प्रयुक्त मस्टर रोल का विवरण निम्नवत्

मस्टर रोल न0	कार्य अवधि	श्रमांश	अन्य विवरण
4478	28.1.15 से 11.2.15	58357	सभी नि0 अ0 व0 एक बार में बनें मस्टर रोल / मजदूर की उपस्थिति एक बार में भरी गयी है।
4479	13.2.15 से 25.2.15	45136	
4480	13.2.15 से 25.2.15	6084	
4481	27.2.15 से 14.3.15	58357	
4482	27.2.15 से 14.3.15	2340	
4483	15.3.15 से 22.3.15	29900	
4484	15.3.15 से 22.3.15	2652	

मजदूरों की उपस्थिति प्रतिदिन अंकित न कर एक बार में अंकन तथा एक समान अगूठा निशानी, जिनमें कुछ उंगलियों के प्रतीक होते हैं। मस्टर रोल की वास्तविकता संदिग्ध है।

(1.5) प्रश्नगत कार्य व वि0 ख0 में डवाकरा भवन की मरम्मत कार्य में प्रयुक्त श्रमिक एक ही तिथि में दो स्थानों में कार्यरत दर्शाये गये हैं, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि फर्जी मस्टर रोल बनाकर व प्रमाणित कर धन का अपहरण किया गया है। विवरण इस प्रकार रहा

प्रश्नगत नाला निर्माण		विकास खण्ड में डवाकरा भवन मरम्मत		
मस्टर रोल न0 4481 अवधि 27.2.15 से 14.3.15				
मा0 रोल में श्रमिक क्रमांक	नाम	निवासी	दिवस	धन
10	सुधाकर पुत्र राम लड़ैते	औदापुर	15	4875
12	आशाराम पुत्र लाखन	औदापुर	15	2354
13	राम नरेश पुत्र रामासरे	दिलावरपुर	15	2354

	मस्टर रोल न04483 अवधि 15.3.से22.3.15			
13	श्री राम नरेश पुत्र रामासरे	दिलावरपुर	313 ,15.3 ,16.3	
10	सुधाकर पुत्र राम लड़ैते	औदापुर	312 15.3.,16.3	
16	आशाराम पुत्र लाखन	औदापुर		
11	सुधाकर पुत्र राम लड़ैते	औदापुर	07	1475
10	आशाराम पुत्र लाखन	औदापुर	07	2030
06	राम नरेश पुत्र रामासरे	दिलावरपुर	09	1404

उपरोक्त अंकित विवरणानुसार एक ही तिथि में दो अलग अलग कार्यों पर एक साथ मजदूर कार्यरत दर्शित किये गये हैं। जिससे स्वतः स्पष्ट है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मस्टर रोल फर्जी है। मस्टर रोल में अंकित अगूठा निशानी फर्जी है।

(1.6) स्टीमेंट में 7.07 कु0 सरिया का प्राविधान था किन्तु सरिया खरीदी ही नहीं गयी। फोटो सी0सी0 रोड का है।

उपरोक्त अंकित विवरण से स्वतः स्पष्ट है। कि धन का अपहरण फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर किया गया गया है। एम0बी0 भी काल्पनिक है। सुनिश्चित योजनानुसार ऐसा किया गया है। मनाही के बाबजूद ग्राम पं0 अधि0 को कार्यप्रभारी बनाया गया है।

अतः अपहरित धन रू01186782/- की ब्याज सहित वसूली श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा0 पंचायत अधिकारी अवर अभियंता श्री आर0पी0 सिंह व खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सुधा आर्या ब्लाक प्रमुख श्रीमती संतरा देवी से समान रूप से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर :-55 विकास खण्ड में डवाकरा भवन की मरम्मत कार्य :-

स्टी0 -0.69 लाख ,टी 0एफ0सी0

उक्त कार्य हेतु पत्रांक सी026-27 दिनांक 1.12.14 से श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल ए0डी0ओ0(आई0एस0 बी0) को प्रभारी बनाया गया था।

(2.1) उक्त कार्य 2013-2014 की कार्य योजना का हैं। 2014-2015 के लिये चयन नहीं किया गया। कोटेशन आदि की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गयी।

(2.2) उक्त कार्य हेतु सामग्री खरीद हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी आदेश व फर्मों द्वारा सामग्री आपूर्ति का विवरण निम्नवत् रहा।

खण्ड विकास अधिकारी का आपूर्ति का आदेश	फर्मों का सामग्री प्रेषण विवरण			
	फर्म का नाम	दिनांक	बिल न0	धनराशि
कोई आदेश नहीं	मै0 वर्मा मशीनरी स्टोर्स	12.12.14	965	12600
कोई आदेश नहीं	मै0 राम ग्लास हाउस शाहजहाँपुर	12.12.14	पैड पर	8582
कोई आदेश नहीं	मै0 भारत हार्डवेयर पेंट स्टोर	11.12.14	118	12084
कोई आदेश नहीं	मै0 राम नरेश कमलेश कुमार	14.12.14	339	6345
योग				39611.00

उक्त फर्मों से खरीदे गये सामान के मूल्य का भुगतान फर्मों को न कर चेक नं0 000151 दिनांक14.1.15 से रू039611.00श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल को बिना वैट और टी0डी0 एस0 काटे अनियमित रूप से किया गया। बिना आदेश के सामग्री कैसे संभव हैं इस प्रकार शासकीय कोश को भी रू02400.00 से क्षति पहुँचायी गयी।

(2.3) कार्य में प्रस्तुत मस्टर रोल न04487 के अनुसार कार्य अवधि 1.3.15 से16.3.15 रही है एवं श्रमांश रू019044.00बना। उक्त मास्टर रोल में अंकित विवरणानुसार एक ही तिथि में भिन्न भिन्न स्थानों पर श्रमिक कार्यरत है। जो मस्टर रोल को फर्जी होना स्वयं स्पष्ट करता है। मेट रखना भी आपत्ति का विषय हैं, अनावश्यक धन मेट रखकर दिया गया।

(2.4) कार्य मार्च 15 में कराया गया, किन्तु सामग्री 3 माह पूर्व यमाह दिसम्बर में खरीद कर रखने का

कोई औचित्य न था ।

(2.5) एक मिस्त्री के पीछे 7 लेबर नियमानुसार नहीं रहा ।

(2.6) पुताई व प्लास्टर तुड़ाई के लिये ब्रश , रेगमाल व धातु की पत्ती आदि प्रयुक्त होती है, किन्तु उक्त क्रम ही नहीं की गयी ।

(2.7) पत्रावली में लगी फोटो में पुराना ही भवन दिख रहा है। पुताई (नई)दिख ही नहीं रही है।

उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि बगैर कार्य कराये फर्जी बिल व मस्टर रोल तथा एम0बी 0 तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु058655.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) अवर अभियंता श्री आर 0पी0 सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सुधा आर्या ब्लाक प्रमुख श्रीमती संतरा देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही वैट व टी0डी0एस0 न काटने के लिए लेखाकार श्रीअनुप कुमार द्विवेदी उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित रही ।

प्रस्तर :-56-बरूआ बुजुर्ग में बने रोड से आगे ग्राम तक सी0सी0रोड व नाली निर्माण :-

ल0-250मी0 स्टीमेट-7.18 एस0एफ0सी0

(3.1) स्टीमेट मे10 सेंमी0 मोटी सी0सी0 रोड डालने का प्राविधान है। तथा तदानुसार सामग्री का आंकलन किया गया है। संलग्न फोटोग्राफ में मार्ग पर अच्छी स्थिति में खडण्जा व नाली बनी दिख रही है।

खडण्जे के उपर सी0 सी0 रोड बनाने में 7 सेंमी0 मोटी सी0सी0रोड डाली जाती है क्योंकि कच्चे मार्ग पर 10 सेंमी मोटी सी0सी0 रोड बनायी जाती है। इस प्रकार स्टीमेट ही गलत बनाया गया है । 250 मी0 खडण्जें में 47850 ईट लगती है। जिनका प्रचलित दर रु04650.00 पर मूल्य रु0222502.50होता है। इस प्रकार बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के 222502.50की क्षति ग्राम पंचायत को पहुचायी गयी है। 10 सेमी0 मोटी सी0 सी0 डालनी थी तो ईट उखडवाई जानी चाहिये थी ।

(3.2) सामग्री आपूर्ति आदेशों में बी0डी0ओ0 के पत्र सी0-22 /निविदा /13-14 दिनांक 14.6.14 के आधार पर दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत के दिनांक 20.6.14 के संस्करण में प्रकाशित निविदा सूचना के आधार पर प्राप्त निविदाओं का अंकन है किन्तु प्राप्त निविदायें एवं समाचार पत्र ले0 पं0 में प्रस्तुत न था

(3.3) पत्रांक सी03-4 दिनांक 7.7.14 से श्री विश्वनाथ ए0डी0ओ0 (पंचायत)को कार्य प्रभारी बनाया गया है । जबकि निविदा हेतु स्वतंत्र भारत समाचार पत्र को प्रेशित पत्र का पत्रांक सी0 -22 दिनांक 14.6.14 है स्पष्ट है कि पत्रांक में फर्जीवाडा किया गया है।

(3.4) कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल का विवरण निम्नवत् रहा है।

मस्टर रोल नं0 -4463-16.7.14से31.7.14-36790.00

मस्टर रोल नं0 -4464-01.8.14से 14.8.14-32370.00

उक्त में धन प्राप्ति की पुष्टि में लगे निशानी अंगूठे एक समान है तथा कुछ निशान उंगलियों के प्रतीत होते हैं। मजदूर अपनी मजदूरी का भुगतान अधिकतम साप्ताहिक आधार पर लेते हैं जबकि उक्त कुल मजदूरी रु069160.00 का भुगतान कार्य प्रभारी को चेक नं0 000149से दिनांक 13.10.14से किया गया है। साथ ही मस्टर रोल में श्रमिकों की उपस्थिति नियमानुसार प्रतिदिन न भरकर एक मुस्त एक बार में भरने से स्थिति और भी संदिग्ध होती है।

(3.5) सी0सी0 रोड की ढलाई मिक्सर मशीन के बिना संभव नहीं है । जबकि प्रश्नगत कार्य पर मिक्सर मशीन के किराये पर एक भी धन व्यय नहीं है ।

(3.6) सी 0सी0 रोड की बनइम जमेज तमचवतज नहीं है।

उक्त अंकित विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि धन के अपहरण के लिये फर्मों के सहयोग के बिना बुक नं0 के कच्चे बिल तैयार किये गये एवं फर्जी मस्टर रोल एवं एम0बी0 तैयार किये गये हैं।

अतः अपहरित धन रु0608638.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री विश्वनाथ ए0डी0ओ0 (पंचायत) अवर अभियंता श्री आर 0पी0 सिंह लेखाकार श्रीअनुप कुमार द्विवेदी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री रामगोपाल वर्मा ब्लाक प्रमुख श्रीमती संतरा देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही है ।

प्रस्तर :-57-ग्राम ताहरपुर में बने रोड से आगे खडण्जा निर्माण :-

ल0-294मी0 स्टी0-3.22, एस0एफ0सी0

(4.1)(3.3) कार्यालय पत्रांक सी01-02दिनांक 8.7.14 से श्री विश्वनाथ ए0डी0ओ0 (पंचायत)को कार्य प्रभारी बनाया गया है ।

पत्रांक सी03-4 दिनांक 7.7.14 से श्री विश्वनाथ को बरूआ बुजुर्ग में बने रोड से आगे ग्राम तक सी0सी0

रोड का कार्य प्रभारी बनाया गया था। इसके अतिरिक्त सी0 -22 दिनांक 14.6.14 जारी था इस प्रकार पत्रांकों की हेराफेरी सुस्पष्ट है।

(4.2)स्टीमेट में 489-60 मी मिटटी पटाई का प्राविधान था, किन्तु यकार्य में मिटटी प्रयोग ही नहीं की गयी। बिना मिटटी के खडण्ज निर्माण संभव ही न था।

(4.3)कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल 4457,4458,4459,4462 में मजदूरो की उपस्थिति एक बार में भरी गयी है नियमतः उपस्थिति प्रतिदिन भरी जानी चाहिये थी।

मस्टर रोल में धन प्राप्ति की पुष्टि में लगे निशानी अंगूठे एक जैसे प्रतीत होते हैं तथा कुछ उंगलियों के निशान प्रतीत होते हैं।

(4.4) कार्य के फोटो ग्राफ नहीं है। उपस्थिति पंजिका के अनुसार कार्य अवधि में श्री विश्वनाथ कार्यालय में रहे हैं

(4.5) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र नहीं है।

उपरोक्त अंकित विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि कार्य कराया ही नहीं गया है या किसी संस्था द्वारा कराये गये कार्य को दिखाया गया है। इसी कारण अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लिये गये हैं। धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0317135.00की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री विश्वनाथ ए0डी0ओ0 (पंचायत) अवर अभियंता श्री आर 0पी0 सिंह लेखाकार श्रीअनुप कुमार द्विवेदी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री रामगोपाल वर्मा ब्लाक प्रमुख श्रीमती संतरा देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही है।

प्रस्तर :-58-पुरैना पूर्वी गौटिया प्रा0पा0 से श्री कृष्ण के मकान तक लाखन सिंह मलिखान सि हके मकान तक सी0सी0 व नाली निर्माण :-ल0-200मी0स्टी0-5.40 एस0एफ0सी0

(5.1) प्रश्नगत कार्य 2012-2013 की कार्ययोजना का था। जिसकी तकनीकी स्वीकृति अधि0अभि0 डी0 आर0डी0ए0 के पत्रांक 105/13-14 दिनांक 10.12.13 से दी गयी थी।

(5.2) श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा0 पं0 अधि0 को बिना पत्रांक दिनांक से जारी पत्र से अनियमित रूप से कार्य प्रभारी बनाया गया।

(5.3)स्टीमेट में आख्या के अनुसार प्रश्नगत मार्ग पर खडण्जा लगा है। बिना खडण्ज उखड़वाये कच्चे मार्ग की भौति 10 सेमी0 मोटी सी0सी0 रोड ढलाई का स्टीमेट व कार्य कराना अनियमित रहा।

200मी0खडण्जे पर लगभग 38280 ईट प्रयुक्त होती जिनका मूल्य रु0178002.00होता है।

(5.4)प्राप्त सभी कोटेशनों में दिनांक 5.1.14 एक ही हस्तलिपि व पेन की है जिससे गड़बड़ी स्पष्ट होती है। नियमानुसार निविदा आमंत्रित की जानी चाहिये थी।

(5.5) निम्नलिखित सामग्री खण्ड विकास अधिकारी के बिना पत्रांक व दिनांक के जारी पत्र से की गयी

(क) मै0 जय मों दुर्गा टेडिंग कम्पनी 01-10.1.14-218650.00(सीमेन्ट बालू मौरंग व गिट्टी)

(ख) मै 0 किसान ब्रिक फील्ड -37 दिनांक 11.1.14-68240.00(ईट एवं रोड़ा)

(5.6)कार्य में प्रयुक्त मास्टर रोलो (44564.4455व4456) के अनुसार कार्य 12.1.14 से प्रारम्भ होकर 16.4.14 तक चला है।

जबकि मिक्सर मशीन मैन को रु03600.00 का भुगतान दिनांक 22.3.14 को किया गया है। मास्टर रोलो का विवरण निम्नवत् है।

4454-12.1.14से 25.1.14-16940.00

4455-22.3.14 से31.3.14-16786.00

4456-1.4 से16.4.14- 27812.00

उल्लेखनीय है कि नाली निर्माण के बाद ही रोड ढलाई का कार्य होता है। मकर संक्रांति (खिचड़ी के त्योहार के दिन भी कार्य दर्शित है।

(5.7)मास्टर लगे निशानी अंगूठे एक जैसे प्रतीत होते हैं तथा कुछ उंगलियों के निशान प्रतीत होते हैं।

(5.8)नियमानुसार मास्टर रोलो पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन भरी जाती है। प्रस्तुत मास्टर रोलो में उपस्थिति एक बार में भरी गयी है।

(5.9)श्रमांश कुल रु061538.00का भुगतान चेक नं0-000131से दिनांक 22.5.14को श्री महेन्द्रवर्मा को भुगतान किया गया है। श्रमिक अधिकतम साप्ताहिक आधार पर भुगतान लेते हैं। 3-4 माह बाद श्रमांश का भुगतान फर्जी वाड़े को ही स्पष्ट करता है।

(5.10)रायल्टी कटौती नहीं की गयी और न ही फार्म -11लिया गया।

(5.11) फोटोग्राफ नहीं है । कार्यपूर्ति नहीं है।

(5.12) सी0सी0 रोड की क्यूब टेस्ट रिपोर्ट नहीं है।

(5.13) फर्म मै0 जय माँ दुर्गा उपखनिजों की बिक्री के लिये अधिकृत ही नहीं है।

(5.14) सी0सी0 रोड डालने में पालीथीन का प्रयोग होता है किन्तु पालीथीन कय ही नहीं की गयी ।

उपरोक्त अंकित विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि विभिन्न फर्मों से मिलकर एवं फर्जी प्रमाणक बनाकर धन का अपहरण किया गया है। इसी कारण अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लिये गया है।

अतः अपहरित धन रु0518009.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा अवर अभियंता श्री प्रवीण कुमार लेखाकार श्रीअनुप कुमार द्विवेदी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री सूरजमल आर्या ब्लाक प्रमुख श्रीमती संतरा देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही है ।

प्रस्तर :-59-अभायन में मैन रोड से सर्वेश के मकान तक सी0सी0 रोड:- ल0-200मी0 ,स्टी0-5.22लाख, एसण0एफ0सी0

(6.1) श्री अभिशेक शुक्ला ग्रा0 पं0 अधि0 को प्रभारी बनाने का कोई आदेश ही जारी नहीं किया गया ।

(6.2) स्टीमेट में अंकन है कि लगा खडण्जा उबड़-खाबड़ है एवं रहा है। जिससे प्राक्कलन स्वयं संदिग्ध होता है।

(6.3) प्रस्तुत मस्टर रोल में कार्य तिथियाँ निम्नवत् अंकित है।

मा 0न0-4474-5.10.14 से20.10.14-22555.00

मा 0 न0-4475-21.10 से 20.10.14- 13338.00

जबकि सामग्री आपूर्ति विवरण निम्नवत् है।

फर्म का नाम	बिल नं0	तिथि	व्यय विवरण	धनराशि
मै0 किसान ब्रिक फील्ड	117	16.9.14	ईट व रोड़ी कय	61491.00
मै0 रामनरायन कमलेश कुमार	820	18.9.14	सीमेन्ट ,मौरंग आदि	217830.00
मै0 रामनरायन कमलेश कुमार	377	1.10.14	सीमेन्ट ,मौरंग आदि	3242.10
मै0 मै0 किसान ब्रिक फील्ड	1804	29.9.14	रोड़ी	1804.00

जबकि कार्य शुरू ही नहीं हुआ था तो सामग्री क्यों प्रेशित की जा रही थी, अस्पष्ट रहा 16.9.14 व18.9.14 को प्रेशित सामग्री कहाँ भण्डारित थी अस्पष्ट रही ।

(6.5) बिना तिथि व माप अंकित पत्र से कार्य प्रभारी न विवाद होने की सूचना दी जिस पर फर्मों ने खण्ड विकास अधिकारी के पत्रांक 23.24 दिनांक 29.10.14 के पत्र के आधार पर सामग्री उठवा ली थी तथा 15.1.15 को धन बैंक खाते में जमा किया गया खण्ड विकास अधिकारी ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और न ही एफ0आई0आर0 करवायी । कारण अस्पष्ट रहा ।

(6.6)मस्टर रोल नं0 4475 के पीछे अवर अभियंता की रिपोर्ट 29.10.13 को लगायी गयी है । एक वर्ष पूर्व माप संभव नहीं हैं य, चूकि 29.10.14 तक कार्य चलतना मस्टर रोल में दर्शित हैं । ऐसी स्थिति में 29.10.14 को भी माप संभव नहीं है।

(6.7) 29.10.14 तक विवादित रहित रूप से कार्य चला है 29.10.14 को ही खण्ड विकास अधिकारी का पत्र स्वयं स्थिति को संदिग्ध करता है।

(6.8) मस्टर रोल में दर्शित कुल श्रमांश व मशीन किराया का भुगतान दिनांक 16.1.15 को चेक नं0 000155से रु037943.00 कार्य प्रभारी श्री अभिशेक शुक्ला को किया गया है। मजदूर अधिकतम साप्ताहिक आधार पर भुगतान लेते हैं। कार्य समाप्ति के ढाई माह बाद श्रमांश का भुगतान कार्य के भौतिक रूप से सम्पादित होने को संदिग्ध करता है।

(6.9)क्यूब टेस्ट रिपोर्ट नहीं है और न ही फोटोग्राफ है।

(6.10) रायल्टी की कटौती नहीं की गयी यऔर न ही फार्म -11 (खन्ना) लिया गया है । वस्तुतः मै0 रामनरेश कमलेश कुमार उपखनिजों की बिक्री के लिये अधिकृत ही नहीं है।

(6.11) कार्यपूर्ति नहीं है। मस्टर रोल में उपस्थिति एक बार में भरी गयी हैं एवं नि0 ऑगूठा संदिग्ध है । उपरोक्त अंकित विवरण से सुस्पष्ट है कि फर्मों से मिलकर एवं फर्जी प्रमाणक तैयार कर सुनियोजित योजनानुसार धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0297756.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अभिशेक शुक्ला) अवर अभियंता श्री आर 0पी0 सिंह लेखाकार श्री अनुप कुमार द्विवेदी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री रामगोपाल

वर्मा ब्लाक प्रमुख श्रीमती संतरा देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही है ।

प्रस्तर :-60—देवरिया झाला में हनुमान मंदिर से नत्थू सिंह के खेत तक खडण्जा निर्माण :-

ल0—200मी0 स्टी0—2.15लाख ,एस0एफ0सी0

(7.1) प्रश्नगत कार्य की तकनीकी स्वीकृति अधि0अभि0 डी0आर0डी0ए0 द्वारा पत्रांक 3/14—15 दिनांक 4.6.14 से दी गयी । निविदा आमंत्रण हेतु स्वतंत्र भारत समाचार पत्र में विज्ञापन सी0—22 दिनांक 14.6.14 को प्रकाशित करने के लिये दिया जाना अंकित है किन्तु प्राप्त निविदायें ले0 प0 में प्रस्तुत न थी ।

(7.2) श्री अभिशेक शुक्ला ग्रा0 पं0 अधिकारी को बिना पत्रांक व दिनांक के जारी पत्र से अनियमित रूप से प्रभारी नियुक्त किया गया है ।

(7.3) प्रस्तुत मस्टर रोल नं0 4465 के अनुसार कार्य 9.8.14 से 21.8.14 तक की अवधि में करावाया गया है, किन्तु सामग्री आपूर्ति निम्नानुसार रही है ।

खण्ड विकास अधिकारी का सामग्री आपूर्ति आदेश	सामग्री आपूर्ति का विवरण	बिल नं0	दिनांक	मूल्य
बिना पत्रांक व दिनांक के सी0—15 दिनांक 8.8.14	मै0 किसान ब्रिक फील्ड उपरोक्तानुसार	46 104	25.7.14 10.8.14	153450.00 27621.00

25.7.14 को सामग्री कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिनों पूर्व क्रय करने का कोई औचित्य न था साथ ही बिना पहले उपभोग हुई सामग्री के 10.8.14 को सामग्री आपूर्ति नहीं की जानी थी ।

(7.4) प्रस्तुत मस्टर रोल (4465) में श्रमिकों की उपस्थिति प्रति दिन न भरकर एक बार में भरी गयी है तथा सभी अंगूठे निशानी एक दो व्यक्तियों द्वारा बनाये प्रतीत होते हैं कुछ निशानी उंगलियों के प्रतीत होते हैं ।

(7.5) मजदूर अपनी मजदूरी का भुगतान अधिकतम एक सप्ताह में लेते हैं । किन्तु मजदूरी रु31031.00 का भुगतान चेक नं0—000150से दिनांक 13.10.14 को कार्य प्रभारी श्री अभिशेक शुक्ला को कार्य समाप्ति के लगभग 2 माह बाद किया गया है ।

(7.6) कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र नहीं है ।

(7.7) कार्य की फोटो नहीं है ।

(7.8) मै0 किसान ब्रिक फील्ड के बिलों पर बुक नं0 तक का अंकन नहीं है ।

उपरोक्त अंकित विवरण से स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्म से दुरभिसंधि कर धन का अपहरण किया गया एवं फर्जी मस्टर रोल बनाया गया है ।

अतः अपहरित धन रु0212102.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अभिशेक शुक्ला) अवर अभियंता श्री आर 0पी0 सिंह लेखाकार श्रीअनुप कुमार द्विवेदी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनीम लाल ब्लाक प्रमुख श्रीमती संतरा देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही है ।

प्रस्तर :-61भैसटाकला में जू0 हा0 स्कूल से गाँव तक खडण्जा निर्माण व नाली निर्माण ।

ल0—500मी0 , स्टीमेट —7.50 लाख , टी0एफ0सी0

(8.1) श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा0 पंचायत अधिकारी को पत्रांक सी0—11—12 दिनांक 15.7.14 से कार्य प्रभारी बनाया गया है । जबकि निविदा विज्ञापन पत्रांक सी0—22 /निविदा दिनांक 14.6.14 से जारी था । स्पष्ट है कि पत्रांको में हेरा—फेरी की गयी हैं ।

(8.2) उक्त की तकनीकी स्वीकृति ए0ई0डी0आर0डी0ओ0ए0 द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 27/2013.14 दिनांक 26.6.2014 दी है जबकि निविदा हेतु पत्र सी0—22 /निविदा /2013—2014 दिनांक 14.6.14 करे स्वतंत्र भारत समाचार पत्र को लिखा गया है ।

स्पष्ट है कि तकनीकी स्वीकृति के पूर्व निविदा प्रकाशन हेतु पत्र जारी नहीं हो सकता है । किन्तु यहा ऐसा ही किया गया है । जो वित्तीय अनियमितता को सुनिश्चित योजना को ही स्पष्ट करता है ।

(8.3) कार्य में प्रयुक्त मास्टर रोलो एवं दर्शित कार्य अवधि का विवरण निम्नवत् दर्शित है ।

मस्टर रोल नं0—4470—18.9.14 से3.10.14 —38662—सभी नि0अं0

मस्टर रोल नं0—4471—4.10.14 से17.10.14— 32682—सभी नि0 अं0

उक्त हेतु सामग्री आपूर्ति निम्नवत् की गयी दर्शित हैं ।

खण्ड विकास अधिकारी के आदेश का विवरण		समग्री आपूर्ति विवरण			
		फर्म का नाम	बिल न0	दिनांक	धनराशि

सी0-13दिनांक 15.7.14	मै0 किसान ब्रिक फील्ड	86	2.8.14	368773.
सी 0-13 दिनांक 15.7.14	मै0रामनरायन कमलेश	133	03.8.14	00
सी0-21 दिनांक 19.9.14	कुमार	115	18.9.14	73078.10
	मै0 किसान ब्रिक फील्ड			67146.00

कार्य शुरू होने के डेढ़ माह पहले सामग्री भिजवाने का कोई औचित्य न था तथा पहले प्रेशित सामग्री के उपभोग के पहले फिर सामग्री भिजवाने का कोई समुचित कारण नहीं था ।

इसके अतिरिक्त सामग्री आदेश 19.9.14 को होता है तथा सामग्री 18.9.14 को पहले ही पहुँचाना स्थिति को संदिग्ध करता है ।

(8.4) श्री महेन्द्र ने बिना तिथि युक्त यपत्र से अवगत कराया कि लगभग 400मी0 खडण्जा तथा 200मी0 नाली निर्माण हो गया है अब हिन्दू मुस्लिम विवाद हो गया है । आगे कार्य संभव नहीं है । सामग्री दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने का कष्ट करें ।

जेई की टिप्पणी पायी गयी कि सामग्री दिलावरपुर में बांके के मकान से अंनगपाल के सामने सी0 सी0 कार्य पर स्थानान्तरित हो सकती हैं । खण्ड विकास अधिकारी ने उक्त पर सामग्री स्थानान्तरित कर अवगत कराने की टिप्पणी अंकित की है । ले0 पं0 में पाया गया कि :-

(क) दिलावरपुर में बांके के मकान से अंनगपाल के सामने उक्त अवधि में कोई सी0सी0 रोड बन ही नहीं रही थी एवं वर्ष पर्यन्त इस नाम का कोई कार्य न था ।

(ख) खडण्जा ईट का प्रयोग सी0सी0 रोड में नहीं होता है ।

(ग) सामग्री स्थानांतरण को कोई परिवहन बिल भुगतान नहीं है ।

इस प्रकार दर्शित अवशेष सामग्री जिसका मूल्य रु072854.00 है, का अपहरण कर लिया गया है ।

(8.5) प्रस्तुत मास्टर रोलो पर नियमानुसार मजदूरों को उपस्थिति प्रतिदिन न लेकर सभी उपस्थिति एक बार में भरी गयी है ।

उसके अतिरिक्त मजदूरों के निशान अंगूठे एक दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं तथा कुछ निशानी उंगलियों के प्रतीत होते हैं ।

(8.6) मिट्टी ढुलाई गुडडू पुत्र अकबर द्वारा 59 टाली रु0175/- की दर से की गयी है रसीद पर एक निशानी अंगूठा लगा है । उक्त का भुगतान रु010325/-कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा को किया गया है जबकि भुगतान गुडडू को एकाउन्ट पेयी चेक से होना चाहिये था ।

इसके अतिरिक्त मिट्टी खरीद का कोई भुगतान नहीं है और न ही रायल्टी का भुगतान है ।

(8.7) स्टीमेट में 2 किमी 0 दूर से मिट्टी किराये का प्राविधान रु011550/- (210मी03 दर 55/-) किया गया है किन्तु 2 किमी0 दूर मिट्टी खदान कहाँ है, का कोई उल्लेख नहीं है । जिसके कारण स्टीमेट स्वयं संदिग्ध है । कार्य के फोटोग्राफ व कार्यपूर्ति नहीं है ।

उक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि योजनानुसार धन का गबन करने के लिये विभिन्न फर्मों से मिलकर एवं काल्पनिक व फर्जी प्रमाणक व एम0बी0 तैयार किये गये हैं । विवादित स्थिति यदि एम आर पन्न हुई थी , तो पुलिस के पास एफ 0 आई 0आर0 इसी कारण से नहीं करवायी गयी ।

अतः अपहरित धन रु0590666.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा अवर अभियंता श्री आर 0पी0 सिंह लेखाकार श्रीअनुप कुमार द्विवेदी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनीम लाल ब्लाक प्रमुख श्रीमती संतरा देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही है ।

प्रस्तर :-62-विकास खण्ड कार्यालय की मरम्मत कार्य :-स्टीमेट :-3.45लाख टी0एफ0सी0

(9.1) नियम विरुद्ध रूप से कार्यालय से नियमित पत्रांक व दिनांक से पत्र न जारी कर मैमो दिनांक 10.1.15 से श्री महेन्द्र वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी को कार्य प्रभारी बनाया गया ।

(9.2) कोई टेण्डर या कोटेशन आमंत्रित नहीं किये गये ।

(9.3) वित्तीय वर्ष 12.13 व 13-14 में पुताई व मरम्मत कार्य सम्पन्न करवाया गया था । पुनः करवाने की आवश्यकता न थी ।

(9.4) प्रस्तुत मास्टर रोलो का विवरण , कार्य अवधि सहित निम्नवत रहा ।

मास्टर रोल नं0-4485-12.3.15 से 27.3.15-26260-सभी नि0 अं0

मास्टर रोल नं0-4486-28.3.15 से 10.4.15-28358-सभी नि0 अं0

उक्त कार्य हेतु सामग्री खरीद निम्नवत् की गयी है जबकि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कोई खरीद आदेश जारी नहीं किया गया था ।

फर्म का नाम	बिल न0	दिनांक	धनराशि	खरीद सामग्री विवरण
मै0 रामनरायन कमलेश कुमार	875	25.1.15	179488.34	सीमेन्ट मोरंग बालू टायल्स चौखट मुर्गा जाली ग्लास पैन शीशा प्लाईबुड डोर सेंटर
मै0 खान ब्रिक फील्ड	36	25.1.15		ईट रोड़ा
मै0 रामनरायन कमलेश कुमार	927	23.3.15	13017.60	सीमेन्ट टायल्स ग्रील पेंट डिस्टेम्पर स्नोसेम
			37430.00	

उक्त में टायल्स रु0103378.20की रही हैं । जिसकी गुणवत्ता का परीक्षण किसी स्तर से नहीं किया गया और निविदा/ टेण्डर न होने से दरों के न्यूनतम होने की पुष्टि नहीं हुई । मै0 रामनरायन कमलेश कुमार टायल्स पेंट स्नोसेम ग्रील , डिस्टेम्पर के अधिकृत विक्रेता भी नहीं है ।

सामग्री कार्य प्रारम्भ के लगभग डेड माह पूर्व खरीद कर रखने का कोई औचित्य न था । इस प्रकार उक्त खरीद स्वयं संदिग्ध है ।

(9.5) पुताई हेतु ब्रशे , लोहे की पत्ती , रेगमाल , आदि कय नहीं किया गया । बिना उक्त के पुताई कार्य संभव ही नहीं है। उक्त सामग्री अपने पास से कोई पेन्टर लगाता भी नहीं है ।

(9.6) कार्यालय में पहले लगली ग्रीलें चौखट आदि कहां गये अस्पष्ट रहा ।

(9.7) मास्टर रोलो में नियमानुसार श्रामिकों की उपस्थिति प्रतिदिन अंकित न करके एक बार में भरी गयी है तथा निशान अंगूठे एक दो व्यक्तियों द्वारा लगाये गये प्रतीत होते हैं । जिनमें कुछ अंगूठा निशानी उंगलियों जैसी है । उक्त के कारण मास्टर रोलो की विश्वसनीयता संदिग्ध होती है ।

(9.8) कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र नहीं है ।

(9.9) फोटो नहीं है ।

उक्त से स्वयं स्पष्ट है कि धन के अपहरण के लिये फर्मों से दुरभिसंधि कर फर्जी प्रमाणक व एम0बी0 तैयार की गयी है यह संभव है कि मार्च में खरीदी गयी सामग्री दिखावे के लिये थोड़ा बहुत कार्य करवाया गया हो इस प्रकार रु0284553/-का अपहरण किया गया है ।

अतः अपहरित धन रु0284553.00की वसूली कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा अवर अभियंता श्री आर 0पी0 सिंह लेखाकार श्री अनुप कुमार द्विवेदी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री रामगोपाल वर्मा ब्लाक प्रमुख श्रीमती संतरा देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही है ।

निष्कर्ष :-

उपरोक्त अंकित आपत्तियों में सामान्य रूप से पाया गया कि :-

1:- कार्यो का चयन नियमानुसार न कर प्रमुख क्षेत्र पंचायत व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया है । वस्तुतः कार्य योजना बनाने व स्वीकृति करने के लिए कोई बैठक की ही नहीं गई ।

2:-नियमानुसार व शासनादेश संख्या 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23.12.10 के बिन्दु -7 के अनुरूप कार्य योजना का पूर्व अनुमोदन

1. कार्यो का चयन नियमानुसार न कर प्रमुख क्षेत्र पंचायत व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया है। वस्तुतः कार्य योजना बनाने व स्वीकृति करने के लिए कोई बैठक की ही नहीं गयी।

2. नियमानुसार व शासनादेश संख्या 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23.12.10 के बिन्दु-7 के अनुरूप कार्ययोजना का पूर्व अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से नहीं कराया गया।

3. नियमानुसार राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग या अन्य धन से कराये जाने वाले कार्य निर्माण समिति की देखरेख में कराये जाने थे। किन्तु इकाई द्वारा एकाधिकार रखने के लिये विधि द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन किया गया एवं किसी भी समिति को सक्रिय नहीं किया।

4. कराये जाने वाले कार्यो का चयन शासनादेश सं0 8307/33-2-2004-93 जी0/2004 दिनांक 12.1.05 के अनुरूप दो या दो से अधिक गांवों से जोड़ने वाले का चयन न कर गांवों के अंदर के चयनित किये गये। अधिकांश कार्यो में ग्राम पंचायत में लगे खंडजे के ऊपर बिना अनापत्ति के सी0सी0 रोड बनवायी गयी।

5. शासनादेश संख्या 1719/33-3/2010-48/2007 दिनांक 31.9.10 व शासनादेश सं0 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23.12.10 के द्वारा जारी मार्ग निर्देशानुसार राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग के धन का उपयोग नहीं किया गया।

6. फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर भुगतान- अनापत्ति मस्टर रोल योजनाबद्ध रूप से फर्जी व

काल्पनिक रूप से तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न किये गये हैं और इकाई प्रभारी (बी0डी0ओ0) द्वारा सम्यक जांच किये बगैर भुगतान किया गया है।

मस्टर रोल पर मजदूरों की उपस्थिति प्रतिदिन अंकित न कर एक बार में अंकित की गयी है। कतिपय मस्टर रोल में एक ही तिथि में एक ही श्रमिक/मिस्त्री भिन्न स्थानों पर कार्यरत दर्शित है जैसे कि मस्टर रोल क्रमांक 4445, 4446, 4448 आदि में धन प्राप्ति की पुष्टि में मजदूरों के सभी मास्टर रोलों में निशानी अंगूठे लगे हैं जो एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते हैं। यह भी पाया गया कि कतिपय निशानी अंगूठे, उंगलियों के हैं न कि अंगूठे के। इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके फर्जी मस्टर रोल तैयार कर व भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा अवर अभियंता श्री आर 0पी0 सिंह लेखाकार श्रीअनुप कुमार द्विवेदी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनीम लाल ब्लाक प्रमुख श्रीमती संतरा देवी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही है।

7. मात्र कच्चे माल बिल लेकर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्जी का भुगतान कर अपहरण— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों में पाया गया कि समस्त फर्मों के बिल कच्चे बिल/कैश मेमो/लेटर पैड पर है एक भी बिल टैक्स पैड बिल न था। फर्म द्वारा कोई आमद/उपभोग का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि फर्मों की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर योजनाबद्ध तरीके से धन का अपहरण किया गया है। अतएव फर्मों द्वारा जारी किये गये प्रमाणकों/बिलों की जांच इनके बिक्री रजिस्टर/दाखिल रिटर्न व्यापार कर एवं आयकर आदि के आलोक में करते हुए विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आश्चर्यजनक रूप से किसी फर्म द्वारा फार्म-16 की मांग तक नहीं की गयी।

8. उपखनिजों पर रॉयल्टी की कटौती न करना और न ही खवन्ना (फार्म एम0एम0 -11) लेना— इकाई द्वारा उपखनिजों की खरीद पर शासनादेश संख्या 3981/77-5-200-1(216) 93 दिनांक 5.8.2002 एवं रा0वि0का0 नि0-5-1712(1) 11-2000-500 (डब्ल्यू-29) 2006 दिनांक 02.5.2016 के अनुसार बिल भुगतान पूर्व न तो खवन्ना (फार्म एम0एम0 -11) लिया गया और न ही रॉयल्टी कटौती की गयी जिसके कारण शासकीय कोश को रुपये 43848.11 की क्षति हुई है।

9. उपखनिजों आपूर्ति करने वाली फर्मों का निबंधन प्रमाण पत्र नहीं लिया। जबकि क्रय पूर्व यहा जाँचना आवश्यक था कि फर्म उपखनिज बेचने के लिए अधिकृत हैं भी या नहीं।

10. जिन कार्यों पर मिटटी ढुलाई का भुगतान है उनमें यह स्पष्ट नहीं है कि मिटटी कहां से आयी हैं और मिटटी मूल्य किसने किसको और कितना भुगतान किया।

11. कतिपय स्टीमेटों में से 2 किमी0 दूर से मिटटी लाने व कॉर्टेज का प्राविधान किया गया किन्तु एक या दो किमी0 दूर मिटटी खदान कहां है, स्पष्ट नहीं किया गया।

12. सी0सी0 रोड निर्माण के स्टीमेटों में कच्चे मार्गों एवं खंडजे के ऊपर समान रूप से 10 सेमी0 मोटी सी0सी0 रोड ढुलाई का प्राविधान किया गया एवं तदनुसार व्यय किया गया है, जबकि खंडजे पर 7 से 7.5 सेमी0 मोटी सी0सी0 रोड निर्माण होता है अन्यथा खंडजे पर लगी ईट उखड़वा लेना चाहिए था।

13. खंड विकास अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा बिना तिथि अंकित हस्ताक्षर करना—पत्रावलियों में खंड विकास अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों ने जानबूझ के विपरीत अपने हस्ताक्षर के नीचे अंकित नहीं की है, जोकि स्वयं अति गम्भीर है।

इस प्रकार योजनाबद्ध रूप से कुल रु04074216.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा अवर अभियंता श्री आर 0पी0 सिंह लेखाकार श्री अनुप कुमार द्विवेदी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनीम लाल ब्लाक प्रमुख श्रीमती संतरा देवी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही है।

क्षेत्र पंचायत— कांट

वित्तीय वर्ष 2015-16 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग व चौदवे वित्त आयोग से प्राप्त धन से कराये गये विभिन्न कार्यों पर पत्रावली बार निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी—

प्रस्तर सं0-63 क्षेत्र पंचायत का नाम—कांट, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में हरिहरपुर में महिपाल के मकान से तालाब तक नाली निर्माण—

ल0-155 मी, स्टी0 — 1.62 लाख, टी0एफ0सी0

(1.1) उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति के 8 दिन पूर्व ही प्रभारी नियुक्त किया गया जो अनियमित रहा। प्रभारी नियुक्ति आदेश में लागत तकनीकी स्वीकृति में दर्शित राशि ही है, जिससे स्पष्ट है कि स्टीमेट बनाने व तकनीकी स्वीकृति देने वालों में दुराभिसंधि है। विवरण इस प्रकार है—

तकनीकी स्वीकृति पत्रांक सी0- 190 दिनांक 9.9.15 श्री महेन्द्र वर्मा प्रभारी बनाने का आदेश पत्रांक—

सी0-107 दिनांक 1.9.15

(1.2) निम्नलिखित सामग्री बिना सामग्री आपूर्ति आदेश के की गयी है-

मै0 खान ब्रिक फील्ड- बिल नं0-84 दिनांक 5.10.15 ईट आदि- 11460.00

मै0 एस0एस0एम. बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स-बिल नं0- 204 दिनांक 5.10.15 सीमेंट आदि- 13325.00

(1.3) कार्यालय पत्रांक सी0-36/निविदा/2014-15 दिनांक 28.3.15 से सवतंत्र भारत समाचार पत्र के 10.4.15 के अंक में निविदा छपी थी। जिसके अनुसार स्वीकृति दरों में व प्रश्नगत कार्य में दरों में काफी विभिन्नता है, जिससे अधिक भुगतान अनियमित रूप से किया गया। एक बार वर्ष के लिये दरें स्वीकृति हो जाने पर दुबारा निविदा आमंत्रण का औचित्य न था।

नाम सामग्री	मात्रा	भुगतान दर	स्वीकृति दर	अंतर	अधिक भुगतान
सीमेंट	90 बोरी	299	298	01	90
मौरंग	8मी3	2155	2036	119	952
बालू	4.45 मी3	660	615	45	200.25
बजरी	3.15 मी3	2180	2058	122	384.30
ईट प्रथम	9300	5790	5490	300	2790
रोड़ी (40एम0एम0)	8.4 मी3	950	902	48	403.2
योग					4819.75

(1.4) कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल में नम्बर का अंकन नहीं है। उक्त के अनुसार कार्य अवधि निम्न रही- 20.9.15 से 30.9.15 एवं 1.10.15 से 30.9.15 श्रमांश रू0 29110.00

दोनों अवधि के लिये नियमानुसार दो मस्टर रोल प्रयोग होने चाहिये थे।

मस्टर रोल में नियमानुसार श्रमिकों की उपस्थिति प्रति दिन अंकित न कर एक बार में भरी गयी है श्रमिकों के लगे निशान अंगूठा एक दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं तथा कुछ उंगलियों के प्रतीत होते हैं।

उक्त श्रमांश का भुगतान चेक नं0 0246 से दिनांक 18.1.2016 को कार्य समाप्ति के साढ़े तीन माह बाद किया गया है।

श्रमिक अधिकतम सप्ताह के आधार पर श्रमांश का भुगतान लेते हैं। साढ़े तीन माह तक कोई इंतजार नहीं करेगा।

उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि फर्जी मस्टर रोल बनाया गया है।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से स्पष्ट है कि धन के अपहरण के लिये फर्मी से मिलकर फर्जी अभिलेख बनाये गये हैं। इसी कारण कहीं से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 146499.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा0पं0अधि0, अवर अभियंता श्री आर0पी0सिंह0 तथा खण्ड वि0अधि0 श्रीमती सुधा आर्या से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अपेक्षित है। ए0ई0डी0आर0डी0ए0 पर भी कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-64 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **ताहरपुर में फूलचंद के मकान से राम चन्द्र के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण-**

लं0- 80मी0, लागत-4.20 लाख, टी0एफ0सी0

(2.1) नियमों के विपरीत तकनीकी स्वीकृति के पूर्व कार्य प्रभारी नियुक्ति किया नियुक्ति आदेश में लागत तकनीकी स्वीकृति के अनुसार है जिससे स्वतः स्पष्ट है कि ए0ई0 डी0आर0डी0ए0 व इकाई के मध्य दुरभिसंधि है तकनीकी स्वी0- पत्रांक सी0- 195 दिनांक 9.9.15, श्री अभिशेक शुक्ला को कार्य प्रभारी आदेश सी0- 107 दिनांक 1.9.2015

(2.2) कार्य योजना के क्रमांक 14 में चयनित कार्य ताहरपुर में बिजेन्द्र के मकान से आगे सोलिंग तक सी0सी0 रोड कार्य 130 मी0 का है। इस प्रकार कार्य योजना से भिन्न कार्य करवाया गया।

(2.3) अन्य मस्टर रोल की तुलना में 80 मी0 सी0सी0 रोड की लागत रू0 3.90. लाख होगी। जबकि लागत 4.20 लाख दर्शित है। इस प्रकार स्टीमेट त्रुटिपूर्ण रहा।

(2.4) सामग्री आपूर्ति आदेश पत्रांक सी0-110 दिनांक 9.8.15 में कार्यालय पत्रांक सी0-476/निविदा/15-16 दिनांक 31.8.15 से जारी निविदा जो स्वतंत्र भारत समाचार पत्र के दिनांक 4. 9.15 के अंक में प्रकाशित हुई का संदर्भ है जिसके अनुसार प्राप्त निविदायें दिनांक 12.9.15 को खोली गयी

है, का संदर्भ है।

निविदा खुलने के पूर्व सामग्री आपूर्ति आदेश हैं किन्तु बिलों में दरें गत प्रचलित दर से काफी बढ़ी हैं। कार्यालय पत्रांक सी०-36/निविदा/2014-15 दिनांक 28.3.15 से सामग्री आपूर्ति हेतु निविदायें मांगी गयी थी। उक्त निविदा का प्रकाशन स्वतंत्र भारत दैनिक समाचार पत्र के 10.4.15 को हुआ था। उक्त में दरें कम थी। इस प्रकार दिनांक 10.4.15 (वित्तीय वर्ष 15-16) में दर स्वीकृति हो जाने पर पुनः निविदा आमंत्रण की आवश्यकता न थी, क्योंकि दरें पूरे वित्तीय वर्ष के लिये थी।

इस प्रकार अधिक दर पर सामग्री आपूर्ति लेकर धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके संबंध में सम्मिलित आपत्ति अलग से की जा रही है।

(2.5) उक्त कार्य में प्रस्तुत मस्टर रोल पर कम संख्या का अंकन नहीं है। जो कि पूर्णतया अनियमित रहा है। पूर्व में विकास खण्ड कार्य से जारी मास्टर रोलों पर क्रमांकन रहा है।

मस्टर रोल के अनुसार कार्य अवधि 20.9.15 से 19.10.15 रही है जिससे रु० 72702.00 श्रमांश बना। मस्टर रोल पर लगे निशान अंगूठा एक दो लोगों के द्वारा लगाये प्रतीत होते हैं। तथा कुछ निशान अंगूठा उंगलियों के हैं।

उक्त का भुगतान कार्य समाप्ति के लगभग तीन माह बाद चेक नं० 00247 दिनांक 18.1.16 को कार्य प्रभारी को हुआ है। श्रमिक अपने श्रमांश का भुगतान अधिकतम साप्ताहिक आधार पर लेते हैं। इस प्रकार मस्टर रोल फर्जी पाया गया।

(2.6) मार्ग पर खंडजा लगा होने के बावजूद कच्चे मार्ग की भांति 10 सेमी० ढलाई का स्टीमेंट बनाया गया है जबकि नियमता 7 सेमी० सी०सी० के हिसाब से स्टीमेंट बनाना चाहिये था। अन्यथा ईट उखड़वाना चाहिये था।

(2.7) क्यूव टेस्ट रिपोर्ट सी०सी० रोड की नहीं है और न ही फोटो ग्राफ हैं कार्यपूर्ति भी नहीं हैं, अनापत्ति भी नहीं है।

(2.8) मिक्सर मशीन के किराये पर एक भी धन व्यय नहीं है, बिना मिक्सर मशीन के सी०सी० रोड ढलाई संभव ही नहीं है।

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि सुनिश्चित योजनानुसार विभिन्न फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 383736.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अभिशेक शुक्ला ग्रा०पं०अधि०, अवर अभियंता श्री एस०पी० सिंह व खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सुधा आर्या से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत व ए०ई० डी०आर०डी०ए० पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-65 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांठ, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में दिलावरपुर में शिव मंदिर तक सी०सी० रोड निर्माण-

लं०-30मी०, स्टी०-1.21 लाख, टी०एफ०सी०

(3.1) स्टीमेंट में यह अंकन के बाद कि मार्ग पर सोलिंग लगी है, 10 सेमी० मोटी सी०सी० रोड ढलाई के आधार पर कच्चे मार्ग की भांति, सामग्री का नियमविरुद्ध रूप से आंकलन किया गया। नियमतः 7 सेमी० मोटी सी०सी० रोड ढलाई का स्टीमेंट होना चाहिये था। इस प्रकार स्टीमेंट सही नहीं पाया गया।

(3.2) श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा०पं० अधि० को अनियमित रूप से बिना कार्यालय पत्रांक व दिनांक के पत्र से कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया।

(3.3) सामग्री अनियमित रूप से अधिक दर पर कच्चे बिलों के आधार पर की गयी बिलों पर बुक नं० तक का अंकन नहीं है। अधिक दर के कारण हुई क्षति के संबंध में अलग से आपत्ति जारी की जा रही है।

(3.4) सी०सी० ढलाई पर मिक्सर मशीन के किराये पर कोई व्यय नहीं है। जबकि मिक्सर मशीन के बिना ढलाई संभव ही नहीं है।

(3.5) प्रस्तुत मस्टर रोल में कम संख्या का अंकन नहीं है, मस्टर रोल पर मजदूरों के गांव का पता तक अंकित नहीं है। जब कार्य प्रभारी मजदूरों के गांव तक नहीं जानता तो कार्य होना किसी प्रकार संभव नहीं हैं।

(3.6) मस्टर रोल पर श्रमिक की उपस्थिति नियमानुसार प्रति दिन अंकित न कर एक बार में अंकित की गयी है।

(3.7) प्रस्तुत मस्टर रोल के अनुसार कार्य अवधि 9.10.15 से 18.10.15 रही है जिसमें श्रमांश रु० 17408.00 वाजिब हुआ।

उक्त श्रमांश का भुगतान कार्य समाप्ति के 4 माह बाद चेक नं० 00254 दिनांक 27.2.16 से कार्य प्रभारी को किया गया है। श्रमिक चार महीने श्रमांश के लिये इंतजार नहीं करेगा वह अधिकतम साप्ताहिक आधार पर अपनी मजदूरी का भुगतान लेता है। मस्टर रोल पर लगे निशान अंगूठा एक दो व्यक्तियों द्वारा लगाये गये प्रतीत होते हैं, जिनमें कुछ उंगलियों के निशान हैं।

(3.8) क्यूव टेस्ट रिपोर्ट नहीं है। और न ही फोटोग्राफ है।

(3.9) रायल्टी कटौती नहीं है और न ही फार्म एम०एम०-11 ही है।

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट है कि धन के अपहरण के लिये फर्मों से मिलकर एवं फर्जी अभिलेख तैयार किये गये हैं।

अतः अपहरित धन रु० 93262.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा०पं०अधि०, अवर अभियंता श्री आर०पी० सिंह व खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सुधा आर्या से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत व ए०ई० डी०आर०डी०ए० पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत भी समान रूप से उत्तरदायी हैं

प्रस्तर सं०-66 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **वहलोलपुर में रामप्रकाश के मकान से गांव की तरफ सी०सी० रोड निर्माण-**

ल०- 70 मी०, स्टी०- 2.75 लाख, टी०एफ०सी०,

(4.1) उक्त कार्य के कार्य प्रभारी की नियुक्ति तकनीकी स्वीकृति के पूर्व की गयी एवं नियुक्ति आदेश में वही धनराशि का अंकन है जितनी की तकनीकी स्वीकृति पत्र में है। जिससे ए०ई०डी०आर०डी०ए० व संस्था के बीच दुरभिसंधि सुस्पष्ट है। तकनीकी स्वीकृति- पत्रांक-192 दिनांक 9.9.15 श्री अभिशेक शुक्ला को कार्य प्रभारी आदेश पत्रांक सी०-109 दिनांक 1.9.2015

(4.2) प्रश्नगत मार्ग में खंडजा लगा होने के बावजूद कच्चे मार्ग की भांति स्टीमेट 10 सेमी० मोटी सी०सी० ढलाई का बनाया गया तथा तदानुसार कार्य करवाया गया। नियमतः 7 सेमी० मोटी सी०सी० रोड के हिसाब से स्टीमेट बनाया जाना चाहिये था। अन्यथा ईट उखड़वाकर दूसरी जगह प्रयुक्त किया जाना चाहिये था।

(4.3) मस्टर रोल के अनुसार कार्य 7.10.15 से प्रारम्भ होकर 29.10.15 को समाप्त हुआ। इसके लिये सामग्री खरीद निम्नवत् रही।

खण्ड वि० अधि० का आपूर्ति आदेश	फर्म द्वारा सामग्री आपूर्ति विवरण			
	फर्म का नाम	बिल नं०	दिनांक	राशि
सी०- 116 दिनांक 9.8.15	मै० खान ब्रिक फील्ड	91	15.9.15	37392.00
सी०-117 दिनांक 9.8.15	मै० एस०एस०एम० बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर	130	16.9.15	115880.00
सी०-129 दिनांक 2.10.15	मै० एस०एम०एम० बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर	259	5.10.15	44849.00
सी०-130 दिनांक 2.10.15	मै० खान ब्रिक फील्ड	414	5.10.15	6931.00

22 दिन पहले सामग्री खरीद कर रखने का कोई औचित्य न था तथा पूर्व में खरीदी गयी सामग्री के उपभोग के बाद ही पुनः सामग्री खरीद की जानी चाहिये थी।

प्रभारी बनाने का आदेश पत्रांक सी०-109 दिनांक 1.9.15 तथा सामग्री आपूर्ति आदेश पत्रांक सी०-116 व सी०-117 दिनांक 9.8.15 हेरा-फेरी को ही स्वतः करते हैं।

(4.4) प्रस्तुत मस्टर रोल में कम संख्या का अंकन नहीं है तथा मस्टर रोल पर मजदूरों के धन प्राप्ति की पुष्टि में निशान अंगूठा या हस्ताक्षर नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल फर्जी है।

(4.5) मजदूर प्रायः साप्ताहिक आधार पर अपने श्रमांश लेते हैं दिनांक 27.2.16 को चेक नं० 00251 से श्रमांश रु० 48305.00 का भुगतान कार्य प्रभारी को कार्य समाप्ति के लगभग 4 माह बाद किया गया है।

(4.6) मिटटी ढुलाई द्वारा किसी गुडडू से 14 ट्राली करवायी गयी दर्शित है। किन्तु कथित रसीद में गुडडू के निशान अंगूठा या हस्ताक्षर नहीं है।

उक्त भाडा रु० 3300.00 का भुगतान चेक नं० 00255 से दिनांक 14.3.15 को कार्य प्रभारी को किया गया है।

मिटटी किससे खरीदी, मूल्य किसने भुगतान किया तथा रायल्टी रसीद (एम०एम०-11) कहाँ है, अस्पष्ट

रहा। स्टीमेट में 2 किमी० दूर से मिटटी भाड़ा का प्राविधान है किन्तु 2 किमी० दूर कहां से मिटटी आयेगी, अस्पष्ट है। इस प्रकार स्टीमेट भी संदिग्ध है।

(4.7) सी०सी० रोड की ढलाई मिक्सर मशीन से की जाती है किन्तु इस कार्य में मिक्सर मशीन के किराये पर एक भी धन व्यय नहीं है।

(4.8) क्यूव टेस्ट रिपोर्ट नहीं है। और न ही फोटोग्राफ है।

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित तरीके से फर्मों से मिलकर तथा फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 256733.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अभिशोक शुक्ला ग्रा०पं०अधि०, अवर अभियंता श्री आर०पी० सिंह व खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सुधा आर्या से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत व ए०ई० डी०आर०डी०ए० पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-67 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **बनकटा में राजेन्द्र के मकान से रामनरेश के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण-**

लं०-110मी०, स्टीमेट-3.64 लाख, एस०एफ०सी०

(5.1) संलग्न फोटोग्राफ में मार्ग पर खंडजा सही हालत में पाया गया, जबकि स्टीमेट में सोलिंग खराब हो गयी अंकित हैं। स्टीमेट में यह अंकन नहीं पाया गया कि उक्त खंडजा कब और किस एजेन्सी ने लगवाया था।

(5.2) स्टीमेट में कच्चे मार्ग की भांति 10 सेमी० मोटी सी०सी० रोड ढलाई के अनुसार प्राविधान किया गया। जबकि खंडजे के ऊपर 7 सेमी० मोटी सी०सी० रोड की ढलाई होनी चाहिये विपरीत स्थिति में खंडजा उखड़वा लेना चाहिये एवं अन्यत्र प्रयोग करना चाहिये था। उक्त लम्बाई में 21504 ईट लगी होगी जिनका मूल्य वर्तमान कीमत पर रु० 97900.00 होता है।

(5.3) प्रयुक्त मस्टर रोल 4488 व 4489 में श्रमिकों के गांव तक अंकन नहीं है। तथा लगे निशान अंगूठा एक दो व्यक्तियों के बनाये प्रतीत होते हैं, जिनमें कुछ निशान उंगलियों के प्रतीत होते हैं।

(5.4) प्रयुक्त मस्टर रोल पर नियमानुसार श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न भरकर एक बार में भरी गयी है जिससे मस्टर रोल स्वयं संदिग्ध है कुल श्रमांश रु० 5690.00

(5.5) सी०सी० रोड की ढलाई मिक्सर मशीन से होती है जबकि मिक्सर मशीन के किराये पर एक भी धन व्यय नहीं है।

(5.6) कार्य के फोटोग्राफ नहीं है। पत्रोंको में हेरा-फेरी हैं

(5.7) क्यूव टेस्ट रिपोर्ट नहीं। और न ही फोटो ग्राफ है।

उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है सुनियोजित रूप से धन के अपहरण के लिये फर्मों से मिलकर फर्जी बिल व प्रमाणक अभिलेख तैयार किये गये हैं।

अतः अपहरित धन रु० 344777.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अभिशोक शुक्ला ग्रा०पं०अधि०, अवर अभियंता श्री आर०पी०सिंह० व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। ए०ई० डी०आर०डी०ए० व प्रमुख क्षेत्र पंचायत को भी उत्तरदायी बनाते हुये कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं०-68 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **चडरिया में मेन रोड से कल्लू सिंह चौहान के मकान तक एवं रोड से रामलाल के मकान तक सी०सी० रोड-**

ल०235 मी०, स्टीमेट-87.38 लाख, एस०एफ०सी०

(6.1) स्टीमेट में अंकित विवरणानुसार 110 मी० कच्ची एवं 125 मी० सोलिंग लगी है। स्टीमेट में सोलिंग व कच्ची रोड दोनों पर 10 सेमी० मोटी सी०सी० के हिसाब से लागत का प्रकरण बनाया गया जो त्रुटिपूर्ण रहा। सोलिंग पर 7 सेमी० मोटी सी०सी० ढलाई का प्राक्कलन बनाया जाना था, अन्यथा ईट उखड़वाना चाहिए।

(6.2) अवर अभियंता द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से प्राक्कलन बनाये जाना पाया गया, जो कि आलोच्य वर्ष के विभिन्न कार्यों के अनुसार निम्नवत है।

मार्ग की लं०	सेलिंग लगी या कच्चा मी० सोलिंग	स्टीमेट की राशि	प्रति लागत
235 मी०	110 मी० कच्चा व 125 मी० सोलिंग	8.738 लाख	3718

185 मी०	सोलिंग लगी है	7.30 लाख	3946
172 मी०	सोलिंग लगी है	5.97 लाख	3471
110 मी०	सोलिंग लगी है	3.64 लाख	3309
70 मी०	सोलिंग लगी है	2.75 लाख	3929
130 मी०	सोलिंग लगी है	5.02 लाख	3862

जबकि सभी में मोटाई 10 सेमी० है।

(6.3) उक्त कार्य मास्टर रोलों के अनुसार 23.05.15 से प्रारम्भ होकर 21.06.15 को समाप्त हुआ।

उक्त के लिए एक माह पूर्व सामग्री भेजने व पहले भेजी गयी सामग्री का उपभोग हुए बिना पुनः सामग्री प्रेशण का औचित्य अस्पष्ट रहा। विवरण इस प्रकार है।

ख०वि० अधि० का आदेश	फर्म का नाम	बिल नं०	दिनांक	सामग्री	धन
सी०-60 दिनांक 11.04.15	मै० खान ब्रिक फील्ड	57	20.04.15	ईट आदि	136470.00
सी०-61 दिनांक 11.04.15	मै० रामनरायन कमलेश कुमार	66	19.04.15	सीमेन्ट आदि	375821.00
सी०-65 दिनांक 14.05.15	मै० खान ब्रिक फील्ड	58	14.05.15	ईट आदि	44033.00
सी०-64 दिनांक 14.05.15	मै० रामनरायन कमलेश कुमार	159	15.05.15	सीमेन्ट आदि	116535.00
कोई आदेश नहीं	मै० रामनरायन कमलेश कुमार	514	26.05.15	सीमेन्ट आदि	33302.00

(6.4) दिनांक 20.05.15 को श्री कल्लू चौहान को 20 ट्राली ढुलाई के भाडे रु० 4500.00 के भुगतान की रसीद है। उक्त का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। रसीद में हस्ताक्षर कार्य प्रभारी द्वारा बनाये प्रतीत होते हैं। कार्य प्रारम्भ होने के पहले मिट्टी ढुलाई का कोई औचित्य न था। साथ ही साथ मिट्टी कहां से आयी, मिट्टी के मूल्य का भुगतान किसने किया व रायल्टी की रसीद कहां है आदि अज्ञात रहा।

(6.5) प्रयुक्त मस्टर रोल 4496 व 4497 में मजदूरों के गांव तक का पता नहीं लिखा है। अनियमित रूप से मस्टर रोल पर श्रमिकों की उपस्थिति एक बार में भरा गया है। जबकि श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन भरी जाने के नियम है।

इसके अतिरिक्त श्रमिकों के लगे निशान अंगूठा एक दो लोगों द्वारा बनाये प्रतीत होते हैं तथा कुछ निशान उंगलियों के हैं।

(6.6) स्टीमेट में श्रमांश का आंकलन रु० 145800.00 है जबकि व्यय रूप 736119.00 मात्र है। स्टीमेट के अनुसार अधिकतम बचत 10 प्रतिशत की संभव होती है। जबकि यहां लगभग 54 प्रतिशत है।

(6.7) सी०सी० रोड की ढलाई मिक्सर मशीन से होती है। जबकि प्रशानगत कार्य पर मिक्सर मशीन का प्रयोग ही नहीं किया गया। क्यूब टेस्ट रिपोर्ट नहीं है।

(6.8) कार्य के फोटोग्राफ नहीं हैं। पत्राकों में हेरा-फेरी भी है।

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित तरीके से फर्मों से मिलकर एवं फर्जी प्रमाणक व अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 784280 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अभिशेक शुक्ला ग्रा०पं०अधि०, अवर अभियंता श्री आर०पी० सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। ए०ई०डी०आर०डी०ए० एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत का भी दायित्व अवधारित कर कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं०-69 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में मोहनपुर में पटियारी रोड से दीपू शर्मा के मकान तक एवं राम प्रकाश के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण-ल०-185 मी०, स्टीमेट-7.30 लाख, टी०एफ०सी०

(7.1) संलग्न फोटो में सही खडण्जा लगा दिख रहा है, किन्तु स्टीमेट में खराब खडंजा अंकित किया गया तथा खडंजा लगा होने के बाबजूद 10 सेमी० मोटी सी०सी० रोड ढलाई के हिसाब से लागत का आंकलन किया गया। जबकि खडंजा लगा होने पर 7 सेमी० मोटी सी०सी० पड़ती है अन्यथा ईट उखड़वाना चाहिये

था, क्योंकि कच्चे मार्ग पर 10 सेमी0 मोटी सी0सी0 पड़ती है। कार्टेज शून्य रहा जो सही सोलिंग की पुष्टि करता है।

(7.2) कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल के अनुसार कार्य अवधि 01.8.15 से 4.9.15 तक रही हैं। उक्त कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति कर विवरण इस प्रकार रहा है—

सामग्री आपूर्ति हेतु आदेश	फर्म का नाम	बिल नं0	दिनांक	सामग्री	धनराशि
सी0-98 दिनांक 28.6.15	मै0 रामनरायन कमलेश कुमार	594	3.7.15	सीमेन्ट आदि	334884.00
सी0-99 दिनांक 28.6.15	मै0 खान ब्रिक फील्ड	77	3.7.15	ईट आदि	101960.00
कोई पत्रांक नहीं	मै0 रामनरायन कमलेश कुमार	1249	1.8.15	सीमेन्ट आदि	11463.00
कोई पत्रांक नहीं	मै0 खान ब्रिक फील्ड	81	01.8.15	ईट आदि	24808.00

(अ) श्री अभिशोक शुक्ला ग्रा0पं0 अधिकारी को पत्रांक सी0-97 दिनांक 28.6.15 को ही कार्य प्रभारी बनाया गया एवं उसी दिन सामग्री आपूर्ति आदेश स्वयं स्पष्ट करता है कि सुनियोजित रूप से दूषित कार्यवाहियों की गयी। पत्रांकों की भी हेरा-फेरी हैं

(ब) कार्य प्रारम्भ होने के लगभग एक माह पूर्व सामग्री प्रेशण का कोई औचित्य न था साथ ही पहले प्रेशित सामग्री का उपयोग हुए बिना पुनः कार्य प्रारम्भ तिथि को सामग्री प्रेशण पूरे कार्य को ही संदिग्ध करता है।

(7.3) प्रस्तुत मास्टर रोलों में क्रय संख्या का अंकन नहीं है। जबकि अन्य अधिसंख्य कार्यों पर है।

(7.4) मस्टर रोल पर नियमानुसार श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन अंकित न कर एक बार में भरी गयी है। जिससे मास्टर रोलों की विश्वसनीयता स्वयं संदिग्ध है।

(7.5) मास्टर रोलों पर श्रमिकों के गांव के नाम तक का अंकन नहीं है

मास्टर रोलों पर श्रमिकों के लगे निशान अंगूठे एक दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं, जिनमें कुछ उंगलियों के निशान जैसे है।

(7.6) सी0सी0 रोड की ढलाई मिक्सर मशीन से होती है, किन्तु प्रश्नगत कार्य पर मशीने किराये पर एक भी धन व्यय नहीं हुआ। जिससे स्वतः स्पष्ट है कि मशीन का प्रयोग हुआ ही नहीं।

(7.7) तथाकथित निर्मित रोड की क्यूब टेस्ट रिपोर्ट नहीं है।

(7.8) कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ भी नहीं है।

(7.9) कार्य के स्टीमेट में दर्शित लागत के संबंध में अलग से आपत्ति की जा रही हैं पूर्व आपत्ति में टिप्पणी अंकित है।

उपरोक्त अंकित विवरणों से सुस्पष्ट है कि पूर्ण सुनियोजित तरीके से फर्मों से मिलकर एवं फर्जी प्रमाणक व अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 687885.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अभिशोक शुक्ला ग्रा0पं0अधि0 अवर अभियंता श्री आर0पी0सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी, श्री सुधीर कुमार से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं ए0ई0डी0आर0डी0ए0 पर भी दायित्व अवधारित का कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-70 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में दिलावरपुर में सी0सी0 रोड से अनंगपाल के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण-

लं0-25 मी0, स्टीमेट-0.91 लाख एस0एफ0सी0

(8.1) फोटो में मार्ग पर सही हालत में खडंजा लगा दिख रहा है। स्टीमेट में अंकन है कि सोलिंग खराब हो चुकी है। स्टीमेट में कच्चे मार्ग की भांति 10 सेमी0, मोटी सी0सी0 ढलाई कि हिसाब से सामग्री का आंकलन किया गया है। जबकि 7 सेमी0 मोटी0 का होना था। स्टीमेट में बनने वाले मार्ग की विशिष्टियों के बारे में कुछ नहीं लिखा गया जो अनिवार्यता थी।

(8.2) श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा0पं0 अधि0 को कार्यालय पत्रांक 54-55 दिनांक 11.04.15 से कार्य प्रभारी बनाया गया जबकि कार्यालय पत्रांक सी0 42-44 दिनांक 12.04.15 को तथा सी0-46 दिनांक 20.04.15 को जारी है।

(8.3) बिना सामग्री मांग के कार्यप्रभारी बनाने की ही तिथि में तथा कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 7.5.15 के 26 दिन पूर्व सामग्री आपूर्ति आदेश पत्रांक सी0-56 व सी0-57 दिनांक 11.04.15 को ही जारी किये गये।

(8.4) प्रयुक्त मस्टर रोल क्रमांक 4493 में रमिकों के लगे निशानी अंगूठे एक दो व्यक्तियों द्वारा बनाये प्रतीत होते हैं, जिनमें कुछ उंगलियों के निशान भी प्रतीत होते हैं। मस्टर रोल में श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न भरकर एक बार में भरी गयी है।

(8.5) सी0सी0 रोड की ढलाई मिक्सर मशीन से होती है, प्रश्नगत कार्य पर मशीन किराये मद में एक भी धन व्यय नहीं है। बिना मिक्सर मशीन के सी0सी0 रोड की ढलाई संभव नहीं है।

(8.6) फोटोग्राफ नहीं है, कार्य का चयन शासनादेश के विपरीत है।

(8.7) क्यूब टेस्ट रिपोर्ट नहीं है।

उपरोक्त अंकित विवरण से सुस्पष्ट है कि धन के अपहरण के लिये सुनियोजित रूप से विभिन्न फर्मों से मिलकर फर्जी प्रमाणक व अभिलेख तैयार किये गये हैं।

अतः अपहरित धन रु0 76146.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा0पं0अधि0, अवर अभियंता श्री आर0पी0सिंह0 व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारित कर कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-71 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **सरथौली में अजय सिंह के मकान से मेन रोड तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण-**

लं0-172मी0, स्टी0-5.97 लाख, एस0एफ0सी0

(9.1) संलग्न कार्य पूर्व मार्ग के फोटोग्राफ में मार्ग पर खंडजा लगा हुआ दर्शित है। जबकि स्टीमेट में उक्त का अंकन नहीं है और न ही कार्य की विशिष्टियों के संबंध में कुछ अंकन है। स्पष्ट है कि बिना स्थलीय जांच के स्टीमेट बनाया गया है। 10 सेमी0 मोटी0 सी0सी0 के हिसाब से आंकलन है जबकि सोलिंग लगी होने पर 7 सेमी0 से 7.5 तक मोटी0 सी0सी0 ढलाई का स्टीमेट होना था।

(9.2) कार्यालय पत्रांक सी0-29-30 दिनांक 20.01.15 से श्री अभिशेक शुक्ला ग्रा0पं0अधि0 को कार्य प्रभारी बनाया गया है जबकि निविदा आमंत्रण का पत्रांक सी0-1694/निविदा दिनांक 2.1.15 है। उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि पत्रांकों में हेरा-फेरी अज्ञात कारणों से की गयी है।

(9.3) पत्रांक सी0-31 दिनांक 22.1.15 व पत्रांक सी0-35 दिनांक 22.1.15 से जारी सामग्री आपूर्ति आदेशों से खरीदी गयी सामग्री स्टीमेट के अनुसार काफी कम/अधिक है। जिसका विवरण निम्नवत है-

नाम सामग्री	स्टीमेट में आंकलित	खरीदी गयी सामग्री	अंतर	
			अधिक	कम
सीमेंट	571 बोरी	616 बोरी	45	-
मौरंग	34-76 मी0ड	36-80 मी0ड	2.04 मी0ड	-
स्टोन ग्रेट 20एम0एम0	34-76 मी0ड	61-60 मी0ड	23-84 मी0ड	-
ईट	11997	8790	-	3207
ईट रोडी (40 एम0एम0)	34-76 मी0ड	51-45 मी0ड	16-69 मी0ड	-

इतना अधिक अंतर होना संभव नहीं है। स्पष्ट है कि उक्त से सम्पूर्ण कार्य व स्टीमेट स्वतः संदिग्ध है।

(9.4) प्रस्तुत मास्टर रोलों के अनुसार कार्य अवधि 27.1.15 से 21.2.15 रही है। मस्टर रोल का विवरण निम्न है-

म0नं0- 4476 - 27.1.15 से 4.2.15 — 58357.00

म0नं0- 4477 - 12.2.15 से 21.2.15 — 37336.00

मस्टर रोलों में श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न भर कर एक बार में भरी गयी एवं मजदूरों के लगे निशानी अंगूठे एक दो लोगों द्वारा बनाये प्रतीत होते हैं, जिनमें कुछ निशानी उंगलियों के भी हैं।

(9.5) प्रस्तुत कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य की निरीक्षण तिथि अंकित नहीं है। स्वतः स्पष्ट है कि कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र गलत है।

(9.6) सी0सी0 रोड की ढलाई मिक्सर मशीन से होती है, जबकि कार्य में मिक्सर मशीन के किराये पर कोई धन व्यय नहीं है। बिना मिक्सर मशीन के सी0सी0 रोड निर्माण संभव नहीं है। नियमानुसार फोटो भी नहीं है।

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से विभिन्न फर्मों से मिलकर व फर्जी प्रमाणक व अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 590620.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अभिशेक शुक्ल ग्रा0पं0अधि0, अवर अभियंता श्री आर0पी0सिंह0 व खण्ड विकास अधिकारी श्री रामगोपाल से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारित कर कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-72 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में लिन्थरा में विश्राम के घर से अनंतराम के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण-

लं0-150मी0, स्टीमेट-5.31 लाख, एस0एफ0सी0

(10.1) कार्यालय पत्रांक सी0-42-44 दिनांक 12.4.15 से श्री अभिशेक शुक्ल ग्रा0पं0अधि0 को कार्य प्रभारी बनाया गया जबकि पत्रांक सी0-48-49 दिनांक 11.4.15 को जारी था, इसी प्रकार इस कार्य के लिये सामग्री आपूर्ति आदेश क्रमशः सी0-45 दिनांक 20.4.15, सी0-73 दिनांक 28.5.15, सी0-74 दिनांक 28.5.15 को जारी है जबकि अन्य पत्रांक सी0-260 दिनांक 22.4.15, सी0-263 दिनांक 20.4.15, सी0-266 दिनांक 10.5.15 को जारी है। स्पष्ट है कि फर्जीवाड़ा किया गया है।

(10.2) प्रयुक्त मास्टर रोलों के अनुसार कार्य 20.6.15 को प्रारम्भ होकर 19.7.15 को समाप्त हुआ है। कार्य हेतु खरीद निम्नवत दर्शित है-

सामग्री आपूर्ति आदेश	फर्म द्वारा सामग्री प्रेशण				चेक नं0 व तिथि
	फर्म का नाम	बिल नं0	दिनांक	राशि	
सी0-45 दिनांक 20.4.15	मै0 राम नरायन कमलेश कुमार	69	24.4.15	24896 2	0181 दिनांक 27.5.15
सी0-46 दिनांक 20.4.15	मै0 खान ब्रिक फील्ड	61	23.4.15	82667	0182 दिनांक 27.5.15
सी0-74 दिनांक 28.5.15	मै0 खान ब्रिक फील्ड	66	30.5.15	55478	0200 दिनांक 5.7.15
सी0-73 दिनांक 28.5.15	मै0 राम नरायन कमलेश कुमार	518	30.5.15	58368	0199 दिनांक 5.7.15

कार्य प्रारम्भ होने के दो माह पूर्व सामग्री खरीद का कोई औचित्य न था तथा पहले भेजी गयी सामग्री का उपभोग हुए बिना पुनः सामग्री प्रेशण का भी कोई औचित्य न था। फर्मों के बिलों में बुक नं0 अंकन न होना, फर्जी बिल की पुष्टि करता है।

(10.3) प्रस्तुत मास्टर रोल क्रमांकित भी नहीं है। मास्टर रोल का उपयोग दो पार्ट में किया गया है। उपस्थिति प्रतिदिन अंकित न कर सारी उपस्थिति एक बार में भरी गयी है, लगे निशानी अंगूठे एक दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं, जिनमें कुछ उंगलियों से भी बनाये गये प्रतीत होते हैं नियमानुसार अलग-अलग मास्टर रोल होने थे, उक्त से मास्टर रोल की वास्तविकता स्वयं संदिग्ध है।

(10.4) सी0सी0 रोड की ढलाई मिक्सर मशीन से की जाती है। बिना मिक्सर के ढलाई संभव नहीं है। जबकि प्रश्नगत कार्य पर मशीन किराया मद है एक भी धन व्यय नहीं है।

(10.5) नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं है।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से सुस्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से विभिन्न फर्मों से मिलकर धन अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 478563.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अभिशेक शुक्ल ग्रा0पं0अधि0, अवर अभियंता श्री आर0पी0सिंह0 व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-73 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में खुटरिया में पारसमल के मकान से रामपाल के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण-

लं0-158मी0, स्टी0-5.51 लाख, एस0एफ0सी0

(11.1) उक्त कार्य हेतु श्री अभिशेक शुक्ल ग्रा0पं0अधि0 को कार्य प्रभारी बिना पत्रांक के जारी पत्र से दिनांक 20.4.15 को बनाया गया।

(11.2) उक्त कार्य हेतु प्रयुक्त मास्टर रोल के अनुसार कार्य दिनांक 12.5.15 को प्रारम्भ एवं 12.6.15 को समाप्त हुआ।

कार्य हेतु सामग्री खरीद निम्नवत रही-

सामग्री आपूर्ति आदेश	फर्म द्वारा सामग्री प्रेशण	चेक नं0 व तिथि

	फर्म का नाम	बिल नं०	दिनांक	राशि	
सी०-260 दिनांक 22.4.15	मै० खान ब्रिक फील्ड	65	23.4.15	97450.00	0180 दिनांक 27.5.15
सी०-262 दिनांक 22.4.15	मै० राम नरायन कमलेश कुमार	84	24.4.15	247816.00	0179 दिनांक 27.5.15
सी०-266 दिनांक 10.5.15	मै० राम नरायन कमलेश कुमार	506	13.5.15	72114.00	00195 दिनांक 15.7.15
सी०-263 दिनांक 20.4.15	मै० खान ब्रिक फील्ड	62	12.5.15	8704.00	00194 दिनांक 15.7.15

उक्त के फर्मों के बिना बुक नं० के बिलों के कर्मांकन व तिथियां फर्जीवाड़ा को स्पष्ट करती है। पहले भेजी गयी सामग्री के उपयोग हुए बिना पुनः सामग्री खरीद का कोई औचित्य न था। मांग पत्र भी नहीं है।

(11.3) प्रयुक्त मस्टर रोल में श्रमिकों का पता/गांव अंकित नहीं है।

(11.4) मस्टर रोल में उपस्थिति प्रतिदिन न भरकर एक बार में भरी गयी है तथा लगे निशान अंगूठा एक दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं जिनमें कुछ उंगलियों के जैसे हैं।

(11.5) श्रमांश रु०-85306.00 का भुगतान चेक नं०-00197 से दिनांक 21.7.15 को कार्य प्रभारी को किया गया। श्रमिक अधिकतम साप्ताहिक आधार पर अपने श्रमांश का भुगतान लेते हैं। दो माह तक कोई इंतजार नहीं करता।

(11.6) सी०सी० रोड की ढलाई मिक्सर मशीन से की जाती है। बिना मिक्सर मशीन के ढलाई संभव नहीं है। जबकि इस शीर्ष में व्यय शून्य है।

(11.7) मार्ग पर खंडजा लगा होने के बावजूद 10 सेमी० मोटी सी०सी० रोड ढलाई का स्टीमेट बनाया जाना त्रुटिपूर्ण रहा।

(11.8) नियमानुसार कार्य के फोटोग्राफ नहीं हैं।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से सुस्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से विभिन्न फर्मों से मिलकर धन अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 511390.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अभिशेक शुक्ला ग्रा०प०अधि०, अवर अभियंता श्री आर०पी०सिंह० व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त मार्ग पर खंडजा लगा होने के बावजूद 10 सेमी० मोटी सी०सी० रोड ढलाई के स्टीमेट की तकनीकी स्वीकृति देने वाले ए०ई०डी०आर०डी०ए० पर भी कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं०-74 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में भण्डेरी में ज्ञानेन्द्र यादव के मकान से प्रा० स्कूल तक सी०सी० रोड निर्माण-

लं०-100मी०, स्टी०-3.60 लाख, एस०एफ०सी०

(12.1) मार्ग में खंडजा लगा होने के बावजूद कच्चे मार्ग की भांति 10 सेमी० मोटी सी०सी०रोड का प्राक्कलन बनाना व तकनीकी स्वीकृति देना अनियमित रहा।

(12.2) बिना पत्रांक व दिनांक के जारी पत्र से श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा०प०अधि० को कार्य प्रभारी बनाया गया।

(12.3) कार्यालय के नियमित पत्रांकों से पत्र जारी न कर मेमो से सामग्री आपूर्ति आदेश जारी किये गये।

(12.4) प्रयुक्त मस्टर रोल में कम संख्या नहीं है तथा एक मस्टर रोल को नियम विरुद्ध दो पार्ट में प्रयोग किया गया। नियमित दो मस्टर रोल होने चाहिये थे।

अन्य कार्यों में प्रयुक्त मस्टर रोल कर्मांकित है।

(12.5) मस्टर रोल में नियमानुसार श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में अंकित की गयी है।

(12.6) मस्टर रोल में श्रमिकों के निशान अंगूठा एकदो व्यक्तियों ने बनाये हैं, प्रतीत होते हैं, कुछ निशान उंगलियों के भी जैसे हैं।

(12.7) सी०सी० रोड की ढलाई मिक्सर मशीन से की जाती है। बिना मिक्सर मशीन के ढलाई संभव नहीं है। जबकि इस शीर्ष में व्यय शून्य है।

(12.8) नियमानुसार कार्य के फोटोग्राफ नहीं हैं

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से सुस्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से विभिन्न फर्मों से मिलकर धन अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन ₹ 339398.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा कार्य प्रभारी ग्रा0पं0अधि0, अवर अभियंता श्री आर0पी0सिंह0 व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त मार्ग पर खंडजा लगा होने के बावजूद 10 सेमी मोटी सी0सी0 रोड ढलाई की तकनीकी स्वीकृति देने के प्रति ए0ई0डी0आर0डी0ए0 पर भी कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-75 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **गुरथना में मच्छकेन्द्र के मकान से सूरजमल के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण-**

लं0-33 मी0, स्टी0-1.39 लाख, एस0एफ0सी0

(13.1) मार्ग में सोलिंग लगी होने के बावजूद कच्चे मार्ग की भांति 10 सेमी मोटी सी0सी0रोड की ढलाई का प्राक्कलन बनाना व तकनीकी स्वीकृति देना आपत्तिजनक रहा।

(13.2) कार्य का प्रस्तुत मस्टर रोल के अनुसार कार्य 3.7.15 को प्रारम्भ होकर 16.7.15 को समाप्त हुआ है।

उक्त कार्य हेतु सामग्री की खरीद निम्नवत की गयी है-

सामग्री आपूर्ति आदेश	फर्म द्वारा सामग्री प्रेषण				चेक नं0 व तिथि
	फर्म का नाम	बिल नं0	दिनांक	राशि	
सी0-95 दिनांक 17.6.15	मै0 खान ब्रिक फील्ड	71	20.6.15	31141	00205 दिनांक 05.7.15
सी0-96 दिनांक 17.6.15	मै0 राम नरायन कमलेश कुमार	587	20.6.15	54989	00206 दिनांक 5.7.15
सी0-42 दिनांक 16.7.15	मै0 राम नरायन कमलेश कुमार	1204	17.7.15	24543	00218 दिनांक 1.9.15

उक्त में आपत्तिगत बिन्दु निम्न है-

(क) पहले 20.6.15 को खरीदी गयी सामग्री का उपभोग होने के बाद दूसरी बार सामग्री क्रय की जानी थी।

(ख) 16.7.15 को कार्य समाप्त होने के बाद सामग्री क्रय क्यों की गयी। सामग्री का प्रयोग कैसे संभव हुआ।

(ग) पत्रांक सी0-42 दिनांक 16.7.15 को तथा पत्र सी0- 95 व 96 दिनांक 17.6.15 को है। जो संभव नहीं है।

(13.3) प्रस्तुत मस्टर रोल में कम संख्या का अंकन नहीं है, जबकि अन्य कार्यों में प्रयुक्त मस्टर रोल कर्मांकित है।

(13.4) मस्टर रोल के अनुसार कार्य 3.7.15 से 16.7.15 तक चला है। कुल श्रमांश ₹ 21577.00 का भुगतान कार्य प्रभारी को चेक सं0 00215 से दिनांक 01.09.15 को किया गया है श्रमिक अपने श्रमांश का भुगतान अधिकतम साप्ताहिक रूप से लेता है डेड महीने वह इंतजार नहीं करेगा।

(13.5) मस्टर रोल पर दो श्रमिकों के हस्ताक्षर हैं बाकी अंगूठा निशानी हैं सभी निशान अंगूठा एक दो व्यक्तियों द्वारा बनाये प्रतीत होते हैं, उक्त में कुछ उंगलियों से बनाये निशान प्रतीत होते हैं।

(13.6) सी0सी0 रोड की ढलाई मिक्सर मशीन से की जाती है। बिना मिक्सर मशीन के ढलाई संभव नहीं है। जबकि उक्त पर कोई धन व्यय नहीं है।

(13.7) नियमानुसार कार्य के फोटोग्राफ नहीं हैं।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से सुस्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से विभिन्न फर्मों से मिलकर धन अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन ₹ 132250.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा0पं0अधि0, अवर अभियंता श्री आर0पी0सिंह0 व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त स्टीमेट पर तकनीकी स्वीकृति देने वाले ए0ई0डी0आर0डी0ए0 पर भी कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-76 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **मेन रोड से विकास**

खण्ड के दोनों गेटों तक सी0सी0 रोड निर्माण—

लं0—22मी0, स्टी0—1.76 लाख, एस0एफ0सी0

(14.1) प्रश्नगत कार्य 2012—13 में करवाया जा चुका था।

(14.2) कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल कमांकित नहीं है। मस्टर रोल के अनुसार विवरण निम्नवत है—

(क) 1/7 से 5/7/15 तक व 20/6 से 30.6.15 तक श्रमांश — 21989.00

(ख) 6/7 से 9/7/15 तक कमांश— 5176.00

योग— 27165.00

उक्त श्रमांश रू0 27165.00 का भुगतान कार्य प्रभारी को चेक नं0 00204 से दिनांक 5.7.2015 को किया गया है जबकि कार्य 9.7.15 को समाप्त हुआ है पहले भुगतान कैसे संभव है।

स्वतः स्पष्ट है कि मस्टर रोल फर्जी है मस्टर रोल में नियमविरुद्ध श्रमिकों की उपस्थिति एक बार में भरी गयी व लगे निशानी अंगूठे एक दो व्यक्तियों द्वारा बनाये प्रतीत होते हैं। दो हस्ताक्षर भी भिन्न प्रकार के हैं।

(14.3) सी0सी0रोड की ढलाई मिक्सर मशीन से होती है बिना मशीन के ढलाई संभव नहीं है। जबकि प्रश्नगत कार्य में मशीन किराये पर एक भी धन व्यय नहीं है।

(14.4) कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं है।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से सुस्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से विभिन्न फर्मों से मिलकर धन अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 161493.00 की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र वर्मा ग्रा0पं0अधि0, अवर अभियंता श्री आर0पी0सिंह0 व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित है।

निष्कर्ष—

उपरोक्त अंकित आपत्तियों में सामान्य रूप से पाया गया कि—

1. कार्यों का चयन नियमानुसार न कर प्रमुख क्षेत्र पंचायत व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया है। वस्तुतः कार्य योजना बनाने व स्वीकृत करने के लिए कोई बैठक की ही नहीं गयी।

2. नियमानुसार व शासनादेश संख्या 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23.12.10 के बिन्दु-7 के अनुरूप कार्ययोजना का पूर्व अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से नहीं कराया गया।

3. नियमानुसार राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग या अन्य धन से कराये जाने वाले कार्य निर्माण समिति की देखरेख में कराये जाने थे। किन्तु इकाई द्वारा एकाधिकार रखने के लिये विधि द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन किया गया एवं किसी भी समिति को सक्रिय नहीं किया।

4. कराये जाने वाले कार्यों का चयन शासनादेश सं0 8307/33-2-2004-93 जी0/2004 दिनांक 12.1.1.05 के अनुरूप दो या दो से अधिक गांवों से जोड़ने वाले का चयन न कर गांवों के अंदर के चयनित किये गये। अधिकांश कार्यों में ग्राम पंचायत में लगे खंडजे के ऊपर बिना अनापत्ति के सी0सी0 रोड बनवायी गयी।

5. शासनादेश संख्या 1719/33-3/2010-48/2007 दिनांक 31.9.10 व शासनादेश सं0 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23.12.10 के द्वारा जारी मार्ग निर्देशानुसार राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग के धन का उपयोग नहीं किया गया।

6. फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर भुगतान— अनापत्ति मस्टर रोल योजनाबद्ध रूप से फर्जी व काल्पनिक रूप से तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न किये गये हैं और इकाई प्रभारी (बी0डी0ओ0) द्वारा सम्यक जांच किये बगैर भुगतान किया गया है।

मस्टर रोल पर मजदूरों की उपस्थिति प्रतिदिन अंकित न कर एक बार में अंकित की गयी है। कतिपय मस्टर रोल में एक ही तिथि में एक ही श्रमिक/मिस्त्री भिन्न स्थानों पर कार्यरत दर्शित है जैसे कि मस्टर रोल कमांक 4445, 4446, 4448 आदि में धन प्राप्ति की पुष्टि में मजदूरों के सभी मास्टर रोलों में निशानी अंगूठे लगे हैं जो एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते हैं। यह भी पाया गया कि कतिपय निशानी अंगूठे, उंगलियों के हैं न कि अंगूठे के। इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके फर्जी मस्टर रोल तैयार कर व भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये कार्य प्रभारी अवर अभियंता/खण्ड विकास अधिकारी/प्रमुख क्षेत्र पंचायत समान रूप से उत्तरदायी है।

7. कच्चे माल बिल लेकर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्जी का भुगतान कर अपहरण— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों में पाया गया कि समस्त फर्मों के बिल कच्चे बिल/कैश मेमो/लेटर पैड

पर है एक भी बिल टैक्स पैड बिल न था। फर्म द्वारा कोई आमद/उपभोग का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि फर्मों की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर योजनाबद्ध तरीके से धन का अपहरण किया गया है। अतएव फर्मों द्वारा जारी किये गये प्रमाणकों/बिलों की जांच इनके बिक्री रजिस्टर/दाखिल रिटर्न व्यापार कर एवं आयकर आदि के आलोक में करते हुए विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आश्चर्यजनक रूप से किसी फर्म द्वारा फार्म-16 की मांग तक नहीं की गयी।

8. उपखनिजों पर रॉयल्टी की कटौती न करना और न ही रवन्ना (फार्म एम0एम0 -11) लेना- इकाई द्वारा उपखनिजों की खरीद पर शासनादेश संख्या 3981/77-5-200-1(216) 93 दिनांक 5.8.2002 एवं रा0वि0का0 नि0-5-1712(1) 11-2000-500 (डब्ल्यू-29) 2006 दिनांक 02.5.2016 के अनुसार बिल भुगतान पूर्व न तो रवन्ना (फार्म एम0एम0 -11) लिया गया और न ही रॉयल्टी कटौती की गयी जिसके कारण शासकीय कोश को रुपये 69322.44 की क्षति हुई है।

9. उपखनिजों आपूर्ति करने वाली फर्मों का निबंधन प्रमाण पत्र नहीं लिया। जबकि क्रय पूर्व यहा जाँचना आवश्यक था कि फर्म उपखनिज बेचने के लिए अधिकृत हैं भी या नहीं।

10. जिन कार्यों पर मिटटी ढुलाई का भुगतान हैं उनमें यह स्पष्ट नहीं है कि मिटटी कहां से आयी हैं और मिटटी मूल्य किसने किसको और कितना भुगतान किया।

11. कतिपय स्टीमेटों में से 2 किमी0 दूर से मिटटी लाने व कॉर्टेज का प्राविधान किया गया किन्तु एक या दो किमी0 दूर मिटटी खदान कहां है, स्पष्ट नहीं किया गया।

12. सी0सी0 रोड निर्माण के स्टीमेटों में कच्चे मार्गों एवं खंडजे के ऊपर समान रूप से 10 सेमी0 मोटी सी0सी0 रोड ढुलाई का प्राविधान किया गया एवं तदनुसार व्यय किया गया है, जबकि खंडजे पर 7 से 7.5 सेमी0 मोटी सी0सी0 रोड निर्माण होता हैं अन्यथा खंडजे पर लगी ईट उखड़वा लेना चाहिए था।

13. खंड विकास अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा बिना तिथि अंकित हस्ताक्षर करना-पत्रावलियों में खंड विकास अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों ने जानबूझ के विपरीत अपने हस्ताक्षर के नीचे अंकित नहीं की है, जोकि स्वयं अति गम्भीर है।

इस प्रकार योजनाबद्ध रूप से कुल रू0 4987032.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिये कार्य प्रभारी/ अवर अभियंता श्री आर0पी0सिंह0 व खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार से वसूली ब्याज के साथ करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण

अपहरित धन की आपत्तियों में अंकित उत्तरदायियों से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही जिसकी वसूली आपत्तियों में अंकित उत्तरदायी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निर्माण कार्य पत्रावलियों में खण्ड विकास अधिकारी/सचिव अवर अभियंता आदि ने अपने हस्ताक्षर बिना तिथि के किये हैं, जोकि स्वयं गंभीर आपत्ति का विषय है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग व चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त धन से कराये गये विभिन्न कार्यों पर पत्रावलीवार निम्नवत आपत्तियां प्रकाश में आयी-

प्रस्तर सं0-77 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में हरिपुर में डामर रोड से महेश के मकान तक सी0सी0 व नाली निर्माण-

स्टीमेट-90100, लं0-25 मी0, एस0एफ0सी0

(1.1) कार्य का चयन शासन द्वारा निर्धारित लोकतांत्रिक व्यवस्था अनुसार क्षेत्र पंचायत की बैठक में न कर प्रमुख क्षेत्र पंचायत व खण्ड विकास अधिकारी/सचिव द्वारा शासनादेश सं0 8307/33-2-2004-93जी0- 2014 12.1.2005 व शासनादेश सं0 4/866/33/2/14 -93जी0/2014 टी0सी0 दिनांक 24.6.2014 के विपरीत किया गया।

(1.2) कार्य योजना का अनुमोदन शासनादेश सं01639/33-3-2015-03-2015 दिनांक 19.6.2015 के प्रस्तर 2-5 के अनुसार नहीं लिया गया और न ही राज्य वित्त आयोग के धन का उपभोग उपरोक्त शासनादेश के अनुरूप किया गया।

(1.3) श्री अभिशेक शुक्ला ग्रा0पं0अधि0 को कार्य प्रभारी बिना पत्रांक के जारी पत्र दिनांक 24.07.2016 से अनियमित रूप से बनाया गया। ग्रा0पं0अधि0 को कार्य प्रभारी बनाये जाने की मनाही थी।

(1.4) कृत दर्शित कार्य के लिये सामग्री खरीद व मस्टर रोल के अनुसार कार्य कराये जाने का विवरण निम्नवत रहा-

सामग्री आपूर्ति आदेश- सामग्री आपूर्ति विवरण- बिल नं0- दिनांक राशि

167-69 दिनांक 7.12.16 मै0 शिव शंकर ईट उद्योग 32 9.12.16 - 14289

170-72 दिनांक 7.12.16 मै0 दुर्गा ट्रेडर्स

218 9.12.16 - 55404

मास्टर रोल बिना क्रमांक का है जिसके अनुसार कार्य अवधि 24.9.16 से 3.10.16 है कुल श्रमांश रु0 16910.00 रहा। श्रमांश भुगतान कार्य प्रभारी श्री अभिशेक शुक्ला को चेक नं0 00288 दिनांक 28.3.17 को किया गया है। सामग्री आपूर्ति के दो माह पूर्व कार्य सम्पादित होना दर्शित है। जो संभव नहीं है।

कार्य समाप्ति के है माह बाद मजदूरों को मजदूरी का भुगतान संभव नहीं है, क्योंकि श्रमिक अधिकतम साप्ताहिक आधार पर नगद भुगतान लेते हैं। मास्टर रोल पर धन प्राप्ति की पुष्टि में अंकित अंगूठा निशानी एक समान है तथा उंगलियों के निशान भी प्रतीत होते हैं।

इसी तरह सी0सी0 डलवाने में मशीन (मिक्सर) का प्रयोग न होना धन के अपहरण किये जाने को स्पष्ट करता है। बिलों से रायल्टी कटौती न होना या फार्म-11 न लेना बिलों के फर्जी होने को ही पुष्टि करता है। कच्चे बिल है।

ईट व सीमेंट आदि के बिलों में बुक नं0 अंकन न होना, बिलों के फर्जी होने को स्पष्ट करता है। क्यूव टेस्ट रिपोर्ट नहीं है।

इस प्रकार सुनियोजित रूप से रु0 86603.00 का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 86603.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अभिशेक शुक्ला ग्रा0पं0अधि0, अवर अभियंता श्री जितेन्द्र भारती, बी0डी0ओ0 श्री विजय शंकर त्रिपाठी व सुश्री प्रीति वर्मा से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-78 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **हरिपुर में डामर रोड से बहोरन शुक्ला के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण-**

लं0-55 मी0, स्टी0-1.84 लाख, एस0एफ0सी0

(2.1) कार्य का चयन लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन कर शासनादेशों के विपरीत रहा।

(2.2) कार्ययोजना का अनुमोदन नियमानुसार नहीं कराया गया तथा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के धन का उपभोग नियमों के विपरीत किया गया।

(2.3) कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु जारी आदेश व आपूर्ति विवरण इस प्रकार रहा-

सामग्री आदेश	आपूर्ति दिनांक	आदेश बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर तिथि	फर्म द्वारा सामग्री प्रेशण			
			फर्म का नाम	बिल नं0	दिनांक	राशि
सी0-141 दिनांक 19.8.16		19.10.2016	मै0 शिवशंकर ईट भट्टा	388	19.8.16	15140
सी0-148 दिनांक 19.10.16		19.10.2016	मै0 शिवशंकर ईट भट्टा	35	23.8.16	16520.40
सी0-146 दिनांक 19.08.16		19.10.2016	मै0 दुर्गा ट्रेडर्स	207	19.8.16	49860
सी0-147 दिनांक 19.10.16		19.10.2016	मै0 दुर्गा ट्रेडर्स	221	23.8.16	63647

कार्यालय से 19.10.16 की तिथि से हस्ताक्षरित पत्र 19.08.16 की तिथि में जारी होना व उसी के अनुसार सामग्री आपूर्ति होना, फर्जीवाड़ा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त दो माह में एक भी पत्र कार्यालय से जारी न हुए हों, वह भी संभव नहीं है, क्योंकि सी0-146 दिनांक 19.08.16 में तथा सी0-147 दिनांक 19.10.16 को जारी है।

मै0 दुर्गा ट्रेडर्स के बिलों से रायल्टी नहीं काटी गयी और न ही फार्म-11 रवन्ना की लिया गया वस्तुतः वह बालू, मौरंग, मिट्टी आदि बेचने के लिए अधिकृत ही नहीं है।

2.4 जारी मास्टर रोलों पर क्रमांकन नहीं है, किन्तु बी0डी0ओ0 द्वारा अपने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 19.10.16 अंकित का जारी किया है। मास्टर रोलों में अंकित कार्य अवधि निम्नवत रही-

1- 26.08.16 से 11.09.16 - 19536.00

2- 12.09.16 से 26.09.16 - 16898.00

विकास खण्ड से 19.10.16 को जारी मास्टर रोलों में उक्त कार्य अवधि संभव ही नहीं है।

मास्टर रोल-1 में क्रमांक 1 व 4 के लेबर प्रथम दि नहीं अनुपस्थित रहे तथा मास्टर रोल-2 में क्रमांक 1 पर अंकित मिस्त्री प्रथम दिन अनुपस्थित रहा है। नियमानुसार उनके नाम नीचे अंकित होने

चाहिए थे।

स्वतः स्पष्ट है कि मस्टर रोल फर्जी है।

मस्टर रोल में मजदूरों की उपस्थिति प्रतिदिन न भरकर एक बार में भरी गयी है तथा लगे नि०अ० एक समान है।

उक्त का भुगतान चेक नं० 0279 दिनांक 13.10.16 को लिया गया है। कार्य के डेढ माह बाद भुगतान स्वयं फर्जी वाड़े को सिद्ध करता है।

2.5 सी०सी० रोड बिना मिक्सर मशीन के डाली गयी है क्योंकि मशीन किराये पर एक भी धन व्यय नहीं हैं बिना मशीन के सी०सी० रोड निर्माण संभव नहीं है क्यूब टेस्ट रिपोर्ट नहीं है।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है। ग्रा०पं०अ० को कार्य प्रभारी बनाना प्रतिबंधित भी था।

अतः अपहरित धन रु० 181601.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अभिशेक शुक्ला कार्य प्रभारी/ग्रा०पं०अ० अवर अभियन्ता श्री जितेन्द्र भारती, खण्ड विकास अधिकारी सुश्री प्रीति वर्मा से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-79 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **हरिपुर में डामर रोड से महेश के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण-**

लं०-65 मी०, स्टी०-1.93 लाख, एस०एफ०सी०

3.1 कार्य का चयन लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन कर शासनादेश के विपरीत रहा।

3.2 कार्य योजना का अनुमोदन नियमानुसार नहीं कराया गया तथा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के धन का उपभोग नियमों के विपरीत किया गया है।

3.3 उक्त कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु बी०डी०ओ० द्वारा जारी आदेश व फर्मों द्वारा प्रेशित सामग्री व बिलों का विवरण निम्नवत रहा-

सामग्री आदेश	आपूर्ति	आदेश पर बी०डी०ओ० के हस्ताक्षर की तिथि	आपूर्ति विवरण			
			फर्म	बिल नं०	दिनांक	धन
सी०-138, दि० 19.08.16		19.10.16	मै० दुर्गा ट्रेडर्स	204	19.08.16	55175
सी०-139, दि० 19.08.16		19.10.16	मै० शिव शंकर ईट भट्टा।	1377	19.08.16	18200
सी०-142, दि० 19.10.16		19.10.16	मै० दुर्गा ट्रेडर्स	211	22.08.16	57104
सी०-173, दि० 19.10.16		19.10.16	मै० शिव शंकर ईट भट्टा।	36	22.08.16	21630

बी०डी०ओ० द्वारा 19.10.16 को हस्ताक्षरित पत्र 19.08.16 की तिथि में डिस्पैच होना तथा उसी के अनुसार सामग्री आपूर्ति होना व 19.10.16 को सामग्री आपूर्ति हेतु जारी आदेश के अनुपालन में 22.08.16 को फर्मों द्वारा सामग्री आपूर्ति के बिल फर्जीवाड़ा को स्पष्ट करता है। बिना बुक नं० के बिल फर्जीवाड़ा को ही स्पष्ट करता है।

उक्त बिलों का भुगतान 29.08.16 व 13.10.16 को ऊपर अंकित विवरणानुसार क्रमशः चेक नं० 00265, 00266, 00274, व 00275 से हुआ है।

3.4 उक्त कार्य पर प्रस्तुत मस्टर रोल पर क्रमांकन नहीं है। किन्तु मस्टर रोल दिनांक 19.10.16 को जारी किया गया है। उक्त मस्टर रोल में कार्य अवधि 26.07.16 से 26.08.16 दर्शित है। कुल रमांश रु० 36260.00 है जिसका भुगतान दिनांक 13.10.16 को चेक नं० 00278 से कार्य प्रभारी को किया गया है। सभी निशानी अंगूठे एक समान हैं एवं कुछ निशान अंगूठे ऊंगलियों के प्रतीत होते हैं।

उक्त से फर्जीवाड़ा स्वयं स्पष्ट है। फर्जी अभिलेख धन अपहरण के लिये किये गये हैं।

3.5 मिट्टी की आवश्यकता के बाद भी मिट्टी कय नहीं है।

3.6 बिना मिक्सर मशीन के सी०सी० रोड ढुलाई संभव नहीं है। मिक्सर मशीन किराया मद में कोई

व्ययनहीं है।

उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि रु० 188369.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धन रु० 188369.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी भी अभिशेक शुक्ला ग्रा०पं०अधि० अवर अभियंता श्री जितेन्द्र भारती सुश्री प्रीति वर्मा बी०डी०ओ० से करते हुए प्रशासनिक विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत का भी दायित्व निर्धारण शासनादेश व नियमों के अनुसार अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-80 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **लिलथरा के मजरा पिपरामदा में तोता राम के मकान से गुड्डू के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण-**

लं०-77 मी० (41 मी० में खडंजा लगा हुआ) स्टी०-2.00 लाख एस०एफ०सी०

4.1 कार्य चयन लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं शासनादेश के विपरीत निरंकुश तरीके से खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया। निर्माण समिति को निष्क्रिय रखा गया।

4.2 कार्ययोजना का अनुमोदन नियमानुसार नहीं करवाया गया एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के धन का उपभोग शासनादेश के विपरीत किया गया।

4.3 श्री कुलदीप सक्सेना ग्रा०पं०अ० को पत्रांक सी०-156 दिनांक 24.07.16 से बनाया गया। जबकि ग्रा०पं०अ० को कार्य प्रभारी बनाने के लिये मनाही थी।

4.4 सामग्री आपूर्ति हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी आदेश व फर्मों द्वारा प्रेशित सामग्री के बिलों की स्थिति निम्नवत् रही।

आदेश पत्रांक व दिनांक	आदेश पर ख०वि०अधि० के हस्ताक्षर	सामग्री आपूर्ति विवरण			
		फर्म का नाम	बिल नं०	दिनांक	राशि
सी०-155-57, दि० 07.12.16	हस्ताक्षर नहीं है	मै० दुर्गा ट्रेडर्स	215	09.12.16	52740
सी०-151-54, दि० 07.12.16	हस्ताक्षर नहीं है	मै० शिव शंकर ईट भट्टा।	111	09.12.16	15190
सी-177-78 दि० 01.03.17	हस्ताक्षर नहीं है	मै० दुर्गा ट्रेडर्स	288	01.03.17	70166
सी-173-75 दि० 08.02.16	हस्ताक्षर नहीं है	मै० शिव शंकर ईट भट्टा।	126	01.03.17	22431

उक्त में पत्रांकों की हेरा फेरी फर्जीवाड़ा की पुष्टि स्वयं करता है। पत्रांक सी०-156 दिनांक 24.07.16 किन्तु पत्रांक सी०-155-57 दिनांक 07.12.16 को जारी है। पूर्व आपत्ति में पत्रांक सी०-173 दिनांक 19.10.16 को जारी है जबकि पुनः पत्रांक सी०-173-75 दिनांक 08.02.16 को जारी दर्शित है। वस्तुतः 08.02.16 के स्थान पर 08.02.17 अंकन होना था।

4.5 बिना बुक नं० के बिल एवं बिलों के नम्बर तथा मै० दुर्गा ट्रेडर्स के बिलों से रायल्टी की कटौती न करना फर्जी सामग्री खरीद को ही स्पष्ट करता है।

4.6 उक्त कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल में कमांकन नहीं है तथा बिना तिथि के बी०डी०ओ० द्वारा जारी है। मस्टर रोल के अनुसार कार्य अवधि 02.03.17 से 10.03.17 थी जिस पर रु० 38000.00 श्रमांश हुआ।

कार्य जब मार्च-17 में कराया जाना था तो माह दिसम्बर-16 में तीन माह पूर्व सामग्री खरीद की कोई आवश्यकता न थी।

मस्टर रोल पर अंकित निशान अंगूठे एक समान है तथा कुद निशानी उंगलियों की प्रतीत होती है। मास्टररोल एक बार में बनाया गया है।

4.7 स्टीमेट में अंकन है कि 41 मी० में खडंजा लगा हुआ है तथा 36 मी० कच्चा रास्ता है। कच्चा रास्ता में भी 10 सेमी० मोटी व खडंजा पर भी 10 सेमी० मोटी सी०सी० रोड ढलाई में एक समान सामग्री प्रयोग होना नियमानुसार नहीं है। खडंजे पर 7 सेमी० माटी ढलाई होनी चाहिए थी। विपरीत स्थिति में खडंजे में लगी ईट उखड़ा लिया जाना चाहिए था।

4.8 ग्राम पंचायत से अनापतित नहीं ली गयी है।

4.9 बिना मिट्टी पटाई व मिक्सर मशीन के सी0सी0 रोड निर्माण संभव नहीं है।

4.10 क्यूब टेस्ट रिपोर्ट नहीं है।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्वतः स्पष्ट है कि धन के अपहरण के लिए सुनियोजित रूप से कार्यवाहियां की गयी व फर्जी अभिलेख तैयार किए गए हैं।

अतः अपहरित धन रु0198527.00 की ब्याज सहित वसूली की वसूली श्री कुलदीप सक्सेना कार्य प्रभारी/ग्रा0पं0अ0, अवर अभियंता श्री जितेन्द्र भारती व खण्ड वि0अ0 श्री विजय शंकर तिवारी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षे. पंचायत का भी दायित्व विधि व्यवस्था के अनुरूप निर्धारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-81 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में गडचपा में मुकेश पाल के मकान से पं0 विश्वनाथ राकेश तिवारी सोबरन यादव के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण-

लं0-138 मी0, स्टी0 5.35 लाख एस0एफ0सी0

5.1 कार्य चयन लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन कर एवं प्रभावी शासनादेश के विपरीत किया गया है निर्माण समिति को सक्रिय नहीं किया।

5.2 कार्ययोजना का अनुमोदन नियमानुसार नहीं करवाया गया एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के धन का उपभोग गाइड लाइंस के विपरीत रहा। ग्राम पंचायत से अनापत्ति भी नहीं ली गयी।

5.3 ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 को कार्य प्रभारी बनाने की मनाही के बाबजूद कार्यालय पत्रांक 160 दिनांक 24.07.16 से प्रभारी बनाया गया।

पाया गया कि उक्त पत्रांक 160 कूट रचित है क्योंकि आपत्ति कामांक 4 में पत्रांक सी0-151-60 दिनांक 07.12.16 को मै0 शिव शंकर ईट भट्टा के नाम तथा 55-57 दिनांक 07.12.16 मै0 दुर्गा ट्रेडर्स के नाम जारी है।

5.4 सामग्री आपूर्ति हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी आदेश व फर्मों द्वारा प्रेशित सामग्री के बिलों की स्थिति निम्नवत् रही।

आदेश पत्रांक व दिनांक	बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर	सामग्री आपूर्ति विवरण			
		फर्म का नाम	बिल नं0	दिनांक	राशि
सी0-161-63, दि0 07.12.16	बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं है	मै0 शिव शंकर ईट भट्टा।	12	09.12.16	59600.00
सी0-164-66, दि0 07.12.16	बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं है	मै0 दुर्गा ट्रेडर्स	239	09.12.16	138495.00
कोई पत्रांक नहीं	बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं है	मै0 दुर्गा ट्रेडर्स	208	02.03.17	82284.00
कोई पत्रांक नहीं	बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं है	मै0 शिव शंकर ईट भट्टा।	132	02.03.17	18559.00
कोई पत्रांक नहीं	बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं है	मै0 शिव शंकर ईट भट्टा।	134	02.03.17	23204.00
कोई पत्रांक नहीं	बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं है	मै0 दुर्गा ट्रेडर्स	202	02.03.17	80628.54

उक्त में बिना बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर के जारी आपूर्ति आदेश व पत्रांक बिना आदेश के प्रेशित सामग्री बिल कार्य माह मार्च-17 में होने के बाबजूद दिसम्बर-16 में सामग्री आपूर्ति आदेश, बिना बुक नं0 के फर्मों के कच्चे बिल व क्रमांकन व एक ही दिन कई कई बिलों से सुस्पष्ट है कि धन के अपहरण के लिये फर्मों के सहयोग से बिल तैयार किए गए हैं।

5.5 स्टीमेट में प्रावधान:प्रस्तावना शीर्ष में यह तक अंकन नहीं है कि वर्तमान में रास्ते की स्थिति क्या है। बिना भौतिक स्थिति जाने स्टीमेट कैसे बनाया जा सकता है। अधि0 अभि0 डी0आर0डी0ए0 द्वारा भी उक्त न्यूनता के रहते अपने पत्रांक 43 दिनांक 04.07.16 से दिखाने के लिये कुछ दरें व माप कम ज्यादा करते हुए तकनीकी स्वीकृति दे दी है एवं सहभागिता की है।

5.6 कार्य में प्रयुक्त मास्टर रोलों में क्रमांकन नहीं हैं किन्तु बिना तिथि के हस्ताक्षर से बी0डी0ओ0 द्वारा

जारी किए गए हैं, जिनमें विवरण निम्नवत रहा।—

1— कार्यअवधि—11.03.17 से 22.03.17 —48352.00

2— कार्यअवधि— 23.03.17 से 31.03.17— 47830.00

उक्त मास्टर रोलों में—

(क) प्रथम मास्टर रोल में प्रयुक्त श्रमकों के गांव तक का अंकन नहीं है।

(ख) दिनांक 11 व 12.03.17 को होली के त्योहार में कार्य संभव नहीं है।

(ग) लगाये गये सभी निशानी अंगूठे एक से तथा कुछ उंगलियों के निशान प्रतीत होते हैं।

(घ) मास्टर रोल पर नियमानुसार उपस्थिति प्रति दिन अंकित न कर एक बार में बनाया गये हैं।

इस प्रकार रु० 498956.00 की ब्याज सहित वसूली श्री कुलदीप सक्सेना कार्य प्रभारी/ग्रा०प०अ० फर्जी माप प्रस्तुत करने वाले अवर अभियंता श्री जितेन्द्र भारती, खण्ड वि०अ० सुश्री प्रीति वर्मा व श्री विजय शंकर त्रिपाठी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही प्रमुख क्षेत्र पंचायत का भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०—82 क्षेत्र पंचायत का नाम—कांट, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2016—17 में लिलथरा के पिपरामदा में परशुराम के मकान से राम दयाल के मकान तक सी०सी० व नाली निर्माण—

ल०—77मी०, स्टी०—2.39 लाख एस०एफ०सी०

6.1 कार्य का चयन लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन कर एवं प्रभावी शासनादेश के विरित किया गया। निर्माण समिति को सक्रिय नहीं किया गया।?

6.2 कार्य योजना का अनुमोदन शासनादेशानुसार नहीं कराया गया। तथा राज्य वित्त आयोग के धन का उपयोग गाइड लाइंस के विपरीत रहा। ग्राम पंचायत से अनापत्ति भी नहीं ली गयी।

6.3 ग्रा०प०अ०/ग्रा०वि०अ० को कार्य प्रभारी न बनाने के निर्देश का उल्लंघन कर कार्यालय पत्रांक 142 दिनांक 24.07.16 से कार्य प्रभारी बनाया गया है।

6.4 उक्त कार्य पर सामग्री आपूर्ति हेतु बी०डी०ओ० द्वारा निम्नवत फर्मों को आदेश जारी किए गए तथा फर्मों द्वारा निम्नवत सामग्री आपूर्ति की गयी।

बी०डी०ओ० का आदेश दिनांक	पत्रांक	सामग्री आपूर्ति विवरण			
		फर्म का नाम	बिल नं०	दिनांक	राशि
मेमो दिनांक 19.08.16		मै० शिव शंकर ईट उद्योग।	1391	19.08.16	18990.00
		मै० दुर्गा ट्रेडर्स	210	19.08.16	66400.00
		मै० दुर्गा ट्रेडर्स	238	01.03.17	84225.00
		मै० शिव शंकर ईट उद्योग।	125	01.03.17	18138.00

पत्रांक 142 दिनांक 24.07.16 से प्रभारी बनाना व फिर उसी पत्रांक से कार्य आदेश हेरा फेरी को ही स्पष्ट करता है। अन्य अंकित पत्रांक पूर्व में अंकित आपत्तियों में विभिन्न कार्यों में विभिन्न तिथियों में प्रस्तुत हो चुके थे। फर्मों के बिल नं० बिना बुक नं० के फर्जीवाड़े को ही स्पष्ट करते हैं। बिल नं० का मिलान से उक्त स्वतः स्पष्ट है। मै० दुर्गा ट्रेडर्स के बिल से रायल्टी कटौती नहीं कीगयी और न ही फार्म—11 लिया गया है। फर्म अधिकृत ही न थी।

6.5 प्रस्तुत मास्टर रोल के अनुसार कार्य 02.3.17 से 10.3.17 तक चला है।

कार्य के 8 माह पूर्व सामग्री खरीद का कोई औचित्य ही न था। खंडजा उखड़वाया ही नहीं गया।

6.6 कार्य में प्रस्तुत मास्टर रोल में कमांकन नहीं है किन्तु बी०डी०ओ०द्वारा बिना तिथि के हस्ताक्षर कर जारी किया गया है। मास्टर रोल के अनुसार कार्य 2.3.17 से 10.3.17की अवधि में सम्पन्न हुआ है।

मास्टर रोल के कमांक 5 में अंकित मिस्त्री प्रथम दि नही अनुपस्थित था, ऐसी अवस्था में उसका नाम सबसे अंत में होना चाहिये था।

सभी मिस्त्री व मजदूरों के अंगूठे निशानी लगे हैं जो एक समान प्रतीत होते हैं तथा कुछ निशान उंगलियों के प्रतीत होते हैं। नियमानुसार मास्टर रोल पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न भर कर एक बार में भरी गयी है।

चेक नं० 00295 दिनांक 10.4.17 से कुल श्रमांश रु० 45326.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री अभिशेक

शुक्ला को किया गया है। मजदूर एक माह तक भुगतान का इंतजार नहीं कर सकता।

6.7 कार्य में स्टीमेट के अनुसार मिटटी का प्रयोग ही नहीं किया गया।

6.8 मिक्सर मशीन पर कोई धन व्यय नहीं है। बिना मिक्सर मशीन के सी0सी0 रोड ढलाई संभव नहीं है। उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से स्पष्ट है कि धन का अपहरण करने के लिये कार्यवाहियों की गयी एवं फर्जी अभिलेख तैयार किये गये एम0बी0 फर्जी है।

अतः अपहरित धन रु0 233079.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अभिशोक शुक्ला कार्य प्रभारी/ ग्रा0पं0अ0, अवर अभियंता श्री जितेन्द्र भारती, खण्ड विकास अधिकारी सुश्री प्रीति वर्मा व श्री विजय शंकर त्रिपाठी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही प्रमुख क्षेत्र पंचायत का भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-83 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **विरनामई में रामपाल के पालेशर मकान सेमंदिर होते हुए विद्यालय तक नाली व सी0सी0रोड निर्माण-**

स्टीमेट- 5.4 लाख,एस0एफ0सी0

(7.1) कार्य का चयन लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन कर व शासनादेशों के विपरीत किया गया। निर्माण समिति तक को सक्रिय नहीं किया गया।

(7.2) कार्य योजना का अनुमोदन शासनादेश के अनुसार नहीं कराया गया और राज्य वित्त आयोग के धन का उपभोग गाइड लाइंस के विपरीत किया गया।

(7.3) उच्च स्तर से प्रतिबंध के बावजूद श्री अभिशोक शुक्ला ग्रा0पं0अधि0 को कार्यालय पत्रांक सी0-135 दिनांक 24.7.16 से कार्य प्रभारी बनाया गया।

(7.4) कार्य हेतु बी0डी0ओ0 द्वारा निम्नवत् फर्मों को सामग्री आपूर्ति हेतु आदेश जारी किये गये एवं फर्मों द्वारा सामग्री आपूर्ति की गयी।

खण्ड वि0अ0 का आदेश विवरण	सामग्री आपूर्ति विवरण			
	फर्म का नाम	बिल नं0	दिनांक	राशि
कोई आदेश नहीं	मै0 दुर्गा ट्रेडर्स	230	24.8.16	138199.00
सी0-137 दिनांक 19.8.16	मै0 दुर्गा ट्रेडर्स	201	19.8.16	142900.00
सी0-136 दिनांक 19.8.16	मै0 शिवशंकर ई0 उद्योग	1368	19.8.16	64350.00
सी0-144 दिनांक 5.10.16	मै0 शिवशंकर ई0 उद्योग	1363	24.8.16	35173.00

खण्ड विकास अधिकारी के आपूर्ति आदेश पत्रांक आपत्ति सं0 1 से 6 तक में पूर्व में ही विभिन्न तिथियों में कई बार प्रयुक्त हो चुके हैं

इसी प्रकार बिना बुक नं0 के फर्मों के बिल भी फर्जी हैं जो आपत्ति सं0 1 से 5 तक मिलान से स्वतः स्पष्ट है। क्रमांक 1368 का बिल 19.8.16 को व 1363 का बिल 24.8.16 को स्वयं भी फर्जी बाड़े को स्पष्ट करता है।

(7.5) प्रयुक्त मास्टर रोलों में क्रमांकन नहीं है। किन्तु बी0डी0ओं द्वारा अपने हस्ताक्षर के नीचे 5.10.16 की तिथि अंकित कर जारी किया गया है। अन्य विवरण इस प्रकार रहा-

1- कार्यअवधि - 25.8.16 से 9.9.16 - 46724.00

2- कार्यअवधि - 10.9.16 से 25.9.16 - 48464.00

5.10.16 को जारी मास्टर रोल पर द्वितीय पर श्रमिकों की उपस्थिति 10.9.16 से 25.9.16 तक का अंकन संभव नहीं है।

सभी मास्टर रोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति एक बार में भरी गयी है जबकि नियमानुसार प्रतिदिन उपस्थिति अंकित करनी थी। सभी श्रमिकों व मिस्त्रियों के निशानी अंगूठे लगे हैं जो एक ही व्यक्ति द्वारा बनाये प्रतीत होते हैं, कुछ उंगलियों के निशान प्रतीत होते हैं।

(7.6) मै0 दुर्गा ट्रेडर्स के बिलों से बालू, मौरंग व गिटटी आपूर्ति पर रायल्टी नहीं काटी गयी और न ही फार्म-11 (खाना) ही लिया गया। वस्तुतः उक्त फर्म बालू, मौरंग व गिटटी बेचने के लिये अधिकृत ही न थी।

(7.7) मिटटी 98-77मी0ड की ढलाई सोनपाल से करायी गयी जिसका भाड़ा रु0 5778.00 का भुगतान कार्यप्रभारी श्री अभिशोक शुक्ला को किया गया है।

उक्त मिटटी खरीद किससे व किस मूल्य पर की गयी तथा उक्त मूल्य व रायल्टी का भुगतान किसने किया अस्पष्ट है। कोई धन व्यय नहीं है।

(7.8) स्टीमेट में 2 किमी० दूर से मिटटी लाना प्राविधानित है किन्तु 2 किमी० दूर कहां पर मिटटी है, स्पष्ट नहीं है।

(7.9) सी०सी० रोड ढुलाई मिक्सर मशीन से ही संभव है किन्तु मिक्सर मशीन के किराये पर कोई धन मांग तक नहीं हैं।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से स्वतः स्पष्ट है कि धन के अपहरण के लिये कार्यवाहियां की गयी एवं विभिन्न फर्मों व व्यक्तियों से मिलकर कूटरचित प्रमाणक तैयार किये गये हैं। फर्जी एम०बी० तक बनायी गयी है।

अतः अपहरित धन रु० 481588.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अभिशोक शुक्ला ग्रा०पं०अ०, अवर अभियंता श्री जितेन्द्र भारती, खण्ड विकास अधिकारी सुश्री प्रीति वर्मा व श्री विजय शंकर त्रिपाठी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही प्रमुख क्षेत्र पंचायत का भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-84 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **कुइयां कटैया में शंकर के मकान से ग्रा०पा० तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण-**

लं०- 141 मी०, स्टी०- 5.42 लाख, एस०एफ०सी०

(8.1) कार्य का चयन लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन कर व शासनादेशों के विपरीत रहा। निर्माण समिति तक को सक्रिय नहीं किया गया।

(8.2) कार्य योजना का अनुमोदन शासनादेश के अनुसार नहीं लिया गया एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के धन का उपभोग शासनादेश के विपरीत अनियमित रूप से किया गया।

(8.3) मार्ग में खंडजा लगा था, खंडजा उखाड़ने या उसके ऊपर सी०सी० रोड कराने हेतु ग्रा०पं० से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया।

(8.4) स्टीमेट की जांच में पाया गया कि मार्ग पर खंडजा लगा होने के बावजूद कच्चेमार्ग की भांति 10 सेंमी० सी०सी० मोटी रोड निर्माण का प्राविधान किया गया है। स्टीमेट बनाने व स्वीकृत करने के पूर्व यह तक जानने का प्रयास नहीं किया गया कि खंडजा कितना पुराना है। गणना के अनुसार उक्त मार्ग पर $141 \times 3.30 \times 58 = 26988.00$ ईट लगी थी जिनका मूल्य रु० 5200.00 प्रति हजार की दर से रु० 140334.00 होता है। नियतमा 7 सेंमी० सी०सी० रोड का प्राविधान होना था। क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत द्वारा लगाये खंडजे को उखाड़ने को अधिकृत न थी।

(8.5) उक्त कार्य हेतु सामग्री आपूर्ति करने हेतु बी०डी०ओ० द्वारा नियमानुसार फर्मों को आदेश जारी किये व फर्मों द्वारा सामग्री आपूर्ति का विवरण इस प्रकार रहा है-

खण्ड वि०अ० का आदेश विवरण	सामग्री आपूर्ति विवरण			
	फर्म का नाम	बिल नं०	दिनांक	राशि
सी०-152-54 दिनांक 7.12.16	मै० शिवशंकर ईट उद्योग	14	9.12.16	65400.00
सी०-149-51 दिनांक 7.12.16	मै० दुर्गा ट्रेडर्स	237	9.12.16	138280.00
कोई आदेश नहीं	मै० दुर्गा ट्रेडर्स	278	1.1.16	171557.00
कोई आदेश नहीं	मै० शिवशंकर ईट उद्योग	159	1.1.16	49884.00

खण्ड विकास अधिकारी के उक्त आदेश पत्रांक आपत्ति 01 से 07 में पहले ही कई बार प्रयुक्त हो चुके थे।

प्रस्तुत मस्टर रोल के अनुसार कार्य 1.4.17 से 30.4.17 की अवधि में रु० 103378.00 के श्रमांश से करवाया गया है कार्य प्रारम्भ होने के 1 वर्ष 3 माह व 4 माह पूर्व सामग्री खरीद को कोई औचित्य नहीं है।

इस स्वतः स्पष्ट है कि फर्मों के बिल पूर्णतया फर्जी है। इसी कारण बिलों में बुक नं० का अंकन नहीं है तथा बिल नं० के क्रमांक पूर्व की आपत्ति के अनुसार आगे-पीछे की तिथियों में है। बिल कच्चे हैं।

(8.6) मै० दुर्गा ट्रेडर्स के बिलों से मौरंग, बालू व गिट्टी पर रायल्टी की कटौती नहीं की गयी और न ही फार्म-11 लिया गया।

(8.7) प्रस्तुत मस्टर रोल में क्रमांकन नहीं है किन्तु बी०डी०ओ० द्वारा बिना तिथि अंकित किये हस्ताक्षरों से जारी किया गया है। उक्त के अनुसार कार्य अवधि 1.4.17 से 30.4.17 रही है एवं श्रमांश रु० 103378.00 हुआ है।

मस्टर रोल नियमानुसार साप्ताहिक रूप से नहीं बनाया गया। मजदूरों व मिस्त्रियों के पता का अंकन तक

मास्टररोल में नहीं है। नियमानुसार मजदूरों की उपस्थिति मस्टर रोल में प्रतिदिन न लेकर सारी उपस्थिति एक बार में भरी गयी है। मस्टर रोल में सभी निशानी अंगूठे लगे हैं जो एक समान प्रतीत होते हैं एवं कुछ निशान उंगलियों के प्रतीत होते हैं।

उक्त श्रमांश का भुगतान चेक नं० 00306 से दिनांक 1.7.17 को कार्य प्रभारी श्री मुनेन्द्र पाल सिंह तोमर ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०) को किया गया है।

मजदूर अधिकतम साप्ताहिक आधार पर मजदूरी लेते हैं, तीन माह तक कोई इंतजार नहीं करेगा। खाते में पर्याप्त पैसा रहते मस्टर रोल सही होने पर समय से भुगतान होता है।

(8.8) उक्त कार्य पर स्टीमेट के अनुसार मिट्टी पटाई नहीं की गयी। एक भी धन व्यय नहीं है।

(8.9) सी०सी० रोड ढलाई पर मिक्सर मशीन का प्रयोग किया जाता है किन्तु इस कार्य पर एक भी धन मिक्सर मशीन के किराये पर व्यय नहीं है।

उक्त बिन्दुओं से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण करने के लिये फर्मों एवं व्यक्तियों से मिलाकर कूटरचित अभिलेख तैयार किये एवं फर्जी एम०बी० तक बनायी गयी एवं स्टीमेट भी संदिग्ध है।

अतः अपहरित धन रु० 539566.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री मुनेन्द्र पाल सिंह तोमर ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०), अवर अभियंता श्री जितेन्द्र भारती, खण्ड विकास अधिकारी सुश्री प्रीति वर्मा व श्री विजय शंकर त्रिपाठी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही प्रमुख क्षेत्र पंचायत का भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-85 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष आलोच्य 2014-15, 2015-16, 2016-17 में विभिन्न कार्यों हेतु उपखनिजों की खरीद की गयी है। इकाई द्वारा नियमानुसार भुगतान पूर्व न तो वैध रवन्ना एम०एम०-11 लिया गया और न ही शासनादेशों के अनुसार रॉयल्टी की कटौती बिलों से की गयी जिससे राजकोश को क्षति हुई है। विवरण इस प्रकार है-

वर्ष	मौरंग क्रय (मी०ड)	बालू क्रय (मी०ड)	गिट्टी क्रय (मी०ड) 20 मिमी०
2014-15	238.14	179.88	294.65
2015-16	329.98	250.90	491.70
2016-17	152.60	146.59	217.30
योग	720.72	577.37	1003.65

उक्त पर शासनादेश सं० 3891/77-5-200-1(216) 193 दिनांक 05.08.2002 तथा

शासनादेश सं०- शा०वि०का०नि० 5-17/2(1)11-2000-500(डब्ल्यू-29)2006 दिनांक 02.05.2006 के निम्नवत रॉयल्टी वाजिब होती है।

मौरंग- $720.72 \times 33 = 23783.76$

बालू- $577.37 \times 33 = 19053.21$

पत्थर गिट्टी (20 मिमी०)- $1003.65 \times 102 = 102372.30$

योग= 145209.27

शासकीय कोश को हुई उक्त क्षति रु० 145209.27 की ब्याज सहित वसूली कार्यरत रहे [सचिव/खण्ड विकास अधिकारी](#) श्री पूरनलाल शर्मा, श्री मुनीम लाल, श्री राम गोपाल, श्री सुधीर कुमार, श्रीमती सुधा आर्या, श्रीमती प्रीति वर्मा, श्री विनय शंकर त्रिपाठी लेखाकार श्री अनूप कुमार द्विवेदी से करते हुए नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं०-86 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष आलोच्य में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न योजनाओं के धन से कार्य करवाये गये हैं। उक्त पर भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधि० 1996 एवं सपठित केन्द्रीय उपकर नियमवली- 1996 तथा सचिव उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड कानपुर के पत्र संख्या 5524-5653/भ०नि०बोर्ड(21)-11 दिनांक 16.6.2011 के अनुसार कुल लागत का 1 की दर से सेस की कटौती कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा नहीं किया गया, जिसका दायित्व [सचिव/खण्ड विकास अधिकारी](#) श्री सूरजमल शर्मा, श्री मुनीम लाल श्री राम गोपाल, श्री सुधीर कुमार, श्रीमती सुधा आर्या, श्रीमती प्रीति वर्मा, व श्री विजय शंकर त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अनूप द्विवेदी का है। उक्त से वसूली कर धन संगत शीर्ष में जमा कराना अपेक्षित रहा। विवरण निम्नवत है-

वर्ष	कुल व्यय	वाट्टि	सेस

2014-15	6263605.00	626360.05
2015-16	9536025.00	95360.25
2016-17	1778050.00	17780.50
	योग	176776.80

प्रस्तर सं०-87 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर नियमानुसार बिलों से कटौती किये गये टी0डी0एस0 की धनराशि क्वार्टरली राजकोश में संगत शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए इकाई द्वारा कटौती किये गये टी0डी0एस0 नियमानुसार राजकोश में जमा नहीं किया गया, यहां तक की वर्शान्त में भी धन बचा रहा है, जो गंभीर आपत्तिजनक रहा। वार्षिक रिटर्न भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, नियमानुसार कार्यवाही हेतु दायित्व विकास अधिकारी श्री सूरजमल शर्मा, श्री मुनीम लाल श्री राम गोपाल, श्री सुधीर कुमार, श्रीमती सुधा आर्या, श्रीमती प्रीति वर्मा, व श्री विजय शंकर त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अनूप द्विवेदी का है। उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण इस प्रकार रहा-

वर्ष	प्रा० शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में जमा	वर्षांत में शेष
2014-15	5910.00	101918.00	49375.00	58453.00
2015-16	58453.00	113982.00	155252.00	17183.00
2016-17	17183.00	36865.00	17153.00	36895.00

प्रस्तर सं०-88 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर में नियमानुसार विभिन्न खातों पर बैंक से प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर शासकीय आय होती है, (शासना देश संख्या 10/2015/ए0-1-502/दस-2015-10 (33)-2010 दिनांक 29/05/15 व ए0-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21/03/12) प्राप्त ब्याज को उसी वित्तीय वर्ष में शासकीय कोश में संगत शीर्ष में जमा कराने के निर्देशों का उल्लंघन कर अनावश्यक रूप से इकाई द्वारा अपने पास रोके रखा गया है। जो गंभीर आपत्तिजनक रहा। नियमानुसार कार्यवाही हेतु दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सूरजमल शर्मा, श्री मुनीम लाल श्री राम गोपाल, श्री सुधीर कुमार, श्रीमती सुधा आर्या, श्रीमती प्रीति वर्मा, व श्री विजय शंकर त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अनूप द्विवेदी का है। उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण इस प्रकार रहा-

वर्ष	प्रा० शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में जमा	वर्षांत में शेष
2014-15	17737.00	205804.00	98959.00	124582.00
2015-16	124582.00	207757.00	242973.00	89366.00
2016-17	89366.00	95448.00	120081.00	64733.00

प्रस्तर सं०-89 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर में नियमानुसार बिलों से कटौती किये गये वैट को शासकीय कोश में त्रैमासिक आधार पर जमा नहीं किया गया, यहां तक कि वर्ष अंत में भी पूरा वैट कटौती का धन जमा न कर अनावश्यक रूप से धन रोके रखा गया है जो गंभीर आपत्तिजनक रहा। वार्षिक रिटर्न भी ले०प० में प्रस्तुत न था। जिसके लिए दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सूरजमल शर्मा, श्री मुनीम लाल श्री राम गोपाल, श्री सुधीर कुमार, श्रीमती सुधा आर्या, श्रीमती प्रीति वर्मा, व श्री विजय शंकर त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अनूप द्विवेदी का है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण इस प्रकार है-

वर्ष	प्रा० शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में जमा	वर्षांत में शेष
2014-15	11476.00	173122.00	-	184598.00
2015-16	184598.00	176755.00	3000.00	358353.00
2016-17	358353.00	74020.00	388211.00	44162.00

प्रस्तर सं०-90 क्षेत्र पंचायत का नाम-कांट, जनपद- शाहजहाँपुर में नियमानुसार वित्तीय वर्ष में प्राप्त अनुदान का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाना चाहिए किन्तु इकाई द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जो प्रशासनिक विफलता का परिचायक है एवं गंभीर आपत्ति का विषय हैं। जिसके लिए दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सूरजमल शर्मा, श्री मुनीम लाल श्री राम गोपाल, श्री सुधीर कुमार, श्रीमती सुधा आर्या, श्रीमती प्रीति वर्मा, व श्री विजय शंकर त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अनूप द्विवेदी का है।

नियमानुसार कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

वर्षान्त में अवशेष अनुदान का विवरण निम्नवत रहा है—

31/03/2014—4737335.00 — 31/03/2015 — 5752086.00 — 31/3/16 — 2357471.00

31/03/2017 — 3796705.00

निष्कर्ष—

उपरोक्त अंकित आपत्तियों में सामान्य रूप से पाया गया कि—

1. कार्यो का चयन नियमानुसार न कर प्रमुख क्षेत्र पंचायत व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया है। वस्तुतः कार्य योजना बनाने व स्वीकृत करने के लिए कोई बैठक की ही नहीं गयी।
2. नियमानुसार व शासनादेश संख्या 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23.12.10 के बिन्दु-7 के अनुरूप कार्ययोजना का पूर्व अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से नहीं कराया गया।
3. नियमानुसार राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग या अन्य धन से कराये जाने वाले कार्य निर्माण समिति की देखरेख में कराये जाने थे। किन्तु इकाई द्वारा एकाधिकार रखने के लिये विधि द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन किया गया एवं किसी भी समिति को सक्रिय नहीं किया।
4. कराये जाने वाले कार्यो का चयन शासनादेश सं० 8307/33-2-2004-93 जी०/2004 दिनांक 12.1.1.05 के अनुरूप दो या दो से अधिक गांवों से जोड़ने वाले का चयन न कर गांवों के अंदर के चयनित किये गये। अधिकांश कार्यो में ग्राम पंचायत में लगे खंडजे के ऊपर बिना अनापत्ति के सी०सी० रोड बनवायी गयी।

5. शासनादेश संख्या 1719/33-3/2010-48/2007 दिनांक 31.9.10 व शासनादेश सं० 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23.12.10 के द्वारा जारी मार्ग निर्देशानुसार राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग के धन का उपयोग नहीं किया गया।

6. फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर भुगतान— अनापत्ति मस्टर रोल योजनाबद्ध रूप से फर्जी व काल्पनिक रूप से तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न किये गये हैं और इकाई प्रभारी (बी०डी०ओ०) द्वारा सम्यक जांच किये बगैर भुगतान किया गया है।

मस्टर रोल पर मजदूरों की उपस्थिति प्रतिदिन अंकित न कर एक बार में अंकित की गयी है। कतिपय मस्टर रोल में एक ही तिथि में एक ही श्रमिक/मिस्त्री भिन्न स्थानों पर कार्यरत दर्शित है जैसे कि मस्टर रोल क्रमांक 4445, 4446, 4448 आदि में धन प्राप्ति की पुष्टि में मजदूरों के सभी मास्टर रोलों में निशानी अंगूठे लगे हैं जो एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते हैं। यह भी पाया गया कि कतिपय निशानी अंगूठे, उंगलियों के हैं न कि अंगूठे के। इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके फर्जी मस्टर रोल तैयार कर व भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये कार्य प्रभारी अवर अभियंता/खण्ड विकास अधिकारी/प्रमुख क्षेत्र पंचायत समान रूप से उत्तरदायी है।

7. कच्चे माल बिल लेकर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्जी का भुगतान कर अपहरण— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों में पाया गया कि समस्त फर्मों केबिल कच्चे बिल/कैश मेमो/लेटर पैड पर है एक भी बिल टैक्स पैड बिल न था। फर्म द्वारा कोई आमद/उपभोग का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि फर्मों की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर योजनाबद्ध तरीके से धन का अपहरण किया गया है। अतएव फर्मों द्वारा जारी किये गये प्रमाणकों/बिलों की जांच इनके बिक्री रजिस्टर/दाखिल रिटर्न व्यापार कर एवं आयकर आदि के आलोक में करते हुए विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आश्चर्यजनक रूप से किसी फर्म द्वारा फार्म-16 की मांग तक नहीं की गयी।

8. उपखनिजों पर रॉयल्टी की कटौती न करना और न ही रवन्ना (फार्म एम०एम० -11) लेना— इकाई द्वारा उपखनिजों की खरीद पर शासनादेश संख्या 3981/77-5-200-1(216) 93 दिनांक 5.8.2002 एवं रा०वि०का० नि०-5-1712(1) 11-2000-500 (डब्ल्यू-29) 2006 दिनांक 02.5.2016 के अनुसार बिल भुगतान पूर्व न तो रवन्ना (फार्म एम०एम० -11) लिया गया और न ही रॉयल्टी कटौती की गयी जिसके कारण शासकीय कोश को रुपये 32037.87 की क्षति हुई है।

9. उपखनिजों आपूर्ति करने वाली फर्मों का निबंधन प्रमाण पत्र नहीं लिया। जबकि क्रय पूर्व यहा जाँचना आवश्यक था कि फर्म उपखनिज बेचने के लिए अधिकृत हैं भी या नहीं।

10. जिन कार्यो पर मिटटी ढुलाई का भुगतान है उनमें यह स्पष्ट नहीं है कि मिटटी कहां से आयी हैं और मिटटी मूल्य किसने किसको और कितना भुगतान किया।

11. कतिपय स्टीमेटों में से 2 किमी० दूर से मिटटी लाने व कॉर्टेज का प्राविधान किया गया किन्तु एक या दो किमी० दूर मिटटी खदान कहां है, स्पष्ट नहीं किया गया।

12. सी0सी0 रोड निर्माण के स्टीमेटों में कच्चे मार्गों एवं खंडजे के ऊपर समान रूप से 10 सेमी0 मोटी सी0सी0 रोड ढुलाई का प्राविधान किया गया एवं तदनुसार व्यय किया गया है, जबकि खंडजे पर 7 से 7.5 सेमी0 मोटी सी0सी0 रोड निर्माण होता है अन्यथा खंडजे पर लगी ईट उखड़वा लेना चाहिए था।

13. खंड विकास अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा बिना तिथि अंकित हस्ताक्षर करना—पत्रावलियों में खंड विकास अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों ने जानबूझ के विपरीत अपने हस्ताक्षर के नीचे अंकित नहीं की है, जोकि स्वयं अति गम्भीर है।

इस प्रकार योजनाबद्ध रूप से कुल ₹0 2408289.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिये कार्य प्रभारी/अवर अभियंता/खंड विकास अधिकारी व प्रमुख क्षेत्र पंचायत उत्तरदायी हैं अपहरित धन की वसूली ब्याज सहित आपत्तियों में अंकित **उत्तरदायियों** से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। जिसके लिए दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सूरजमल शर्मा, श्री मुनीम लाल श्री राम गोपाल, श्री सुधीर कुमार, श्रीमती सुधा आर्या, श्रीमती प्रीति वर्मा, व श्री विजय शंकर त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री अनूप द्विवेदी का है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आपत्तियों में अंकित उत्तरदायी से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निर्माण कार्य पत्रावलियों में खण्ड विकास अधिकारी/सचिव अवर अभियंता आदि ने अपने हस्ताक्षर बिना तिथि के किये हैं, जोकि स्वयं गंभीर आपत्ति का विषय है।

वर्ष-2011-12

खुदागंज

प्रस्तर सं0-91 क्षेत्र पंचायत का नाम—**खुदागंज**, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत में राज्य वित्त आयोग व बारहवें/तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त धन का उपयोग निम्नानुसार किया गया है।

राज्य वित्त आयोग—	₹0 1245169
बारहवां/तेरहवें वित्त आयोग	₹0 250784
योग—	1495953

उक्त धन से कराये गये कार्यों की कार्य पत्रावलियां, प्रमाणक, एम0बी0 आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि तत्समय कार्यरत रहे लेखाकारों ने पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रतिस्थानी को चार्ज में ही नहीं दिया गया।

बिना चार्ज दिये खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा लेखाकारों को कार्यमुक्त करना पूर्णतया नियम विरुद्ध रहा।

बैंक खातों से आहरित धन के सापेक्ष संगत प्रमाणक न होना, धन के अपहरण को ही प्रमाणित करता है।

आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1257/सम्प्रेक्षा/अनु0/सह0समि0 एवं पंचायतें/2017-18 दिनांक 02.11.2017 के बाद भी पत्रावलियां नहीं ढूँढी गयी। जिससे सुस्पष्ट है कि आहरित धन के व्यय प्रमाणक व पत्रावलियां हैं ही नहीं। इसी कारण चार्ज में पत्रावलियां दी ही नहीं गयी।

इस प्रकार धन का अपहरण, विभिन्न फर्मों से मिलकर व फर्जी व्यय दर्शाकर किया गया है

अतः अपहरित धन ₹0 1495953 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूराम वर्मा श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव लेखाकारों श्री अजय कुमार श्री अनुप शुक्ला अवर अभियंता श्री राकेश बाबू शुक्ला श्रीपाल व कार्य प्रभारियों करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा। **आपत्तियां— 2012-13**

प्रस्तर सं0-92 क्षेत्र पंचायत का नाम—**खुदागंज**, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में ले0पं0 में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों एवं संलग्न तालिका 1 व 2 निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी।

1— कार्यों का चयन पंचायती राज अनु0 2 द्वारा डुप्लीकेसी से बचने के लिए ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों का चयन के लिये जारी गाइड लाइन संबंधी शासनादेश सं0 8307/33.02.2004 93 जी0/2004 दिनांक 12.01.2005 व शासनादेश सं0 04/866/33-2-14-93 जी0/2014 दिनांक 24.06.14 का पूर्णरूपेण उल्लंघन किया गया है व ग्रामों के अंदर तथा व्यक्ति विशेष को दृष्टिगत रखकर किया गया है।

2— शासनादेश व लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन कर खण्ड वि0अधि0/सचिव व प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा बिना किसी समुचित आधार के कार्यों का चयन किया गया है। नियमानुसार समितियों का गठन तक नहीं किया गया।

3— राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवें वित्त आयोग के धन के उपयोग किये जाने संबंधी शासनादेश सं0 1719/33-3-2010-48/2007 दिनांक 31.09.2011 शासनादेश सं0 2566/33-3-2010-142/2010

दिनांक 23.12.2010 व शासनादेश सं० 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19.06.2015 आदि से जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया एवं मनमर्जी से कार्य करवाये गये हैं, जिससे समस्त व्यय अनियमित रहा।

4- कतिपय कार्यों पर मिट्टी, ढुलाई, भाड़े का भुगतान तो किया गया, किन्तु मिट्टी कहां से आयी एवं रायल्टी कितनी अदा की गयी अस्पष्ट रहा। जिसके कारण मिट्टी कार्य संदिग्ध रहा हैं।

5-त्रुटिपूर्ण स्टीमेट पाये गये-

1- कतिपय स्टीमेंटों में मिट्टी 2 कि०मी० दूर से लाने का प्राविधान कर तदनुसार मिट्टी 2 कि०मी० दूर से लाने का प्राविधान कर तदनुसार मिट्टी मूल्य का आंकलन किया गया है, किन्तु 2 कि०मी० दूर मिट्टी खदान कहां है, स्पष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार स्टीमेट त्रुटिपूर्ण पाये गये।

2- सी०सी०रोड निर्माण में पूर्व से लगे खण्डजे पर भी कच्चे मार्ग से समान 10 सेमी० मोटी रोड ढुलाई का प्राविधान किया गया है जो कि स्टीमेट को अनियमित होना स्पष्ट करता है।

6-सी०सी० रोड व इण्टरलाकिंग रोड की मजबूती संबंधी रिपोर्ट न लेना- प्राप्त पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कम्प्रेहन्सिब स्टेन्थ रिपोर्ट एवं ब्लॉक स्टेन्थ रिपोर्ट नहीं ली गयी। जिससे कृत कार्य की गुणवत्ता अप्रमाणित रही।

7- किसी भी निर्माण कार्य पत्रावली में किसी भी अधि०/कर्म० द्वारा हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं की गयी, जिससे स्पष्ट होता है कि आहरण व भुगतान के दृष्टिगत बाद में पत्रावली तैयार की गयी है।

8- किसी भी कार्य पत्रावली में भुगतान के सापेक्ष कोई भी निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं पायी गयी।

9-संदिग्ध मस्टर रोल-

कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि संलग्न मस्टर रोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन अंकित न कर एक बार में भरी गयी हैं। जिससे मस्टर रोल संदिग्ध हैं।

मस्टर रोलों पर अंकित अंगूठे निशानी एक दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। जिससे मस्टर रोल काल्पनिक होना पुष्टित होता है।

10- मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी भुगतान कर अपहरण-

कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि-

क. बिलों पर बुक नं० का नियमानुसार अंकन नहीं हैं।

ख. फर्मों द्वारा उपखनिजों की आपूर्ति की गयी है, किन्तु रायल्टी रसीद एम०एम -11संलग्न नहीं है।

ग. फर्मों के बिलों से टी०डी० एस० व वैट कटौती की गयी है। किन्तु किसी भी फर्म द्वारा टैक्स रिफण्ड के लिये फार्म-16 नहीं लिया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि फर्म टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है जो कि स्पष्ट करता है कि फर्म उस सामग्री आपूर्ति/बिक्री के लिये अधिकृत ही नहीं है या फर्जी पंजीकरण संख्या अंकित की गयी है। फर्मों से सामग्री खरीद के पूर्व फर्मों से निबंधन प्रमाण पत्र नहीं लिये गये हैं।

घ. किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं हैं।

ङ. सामग्री कार्यस्थल पर आपूर्ति हेतु कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजि० भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से स्पष्ट है कि फर्मों की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है।

11-उपखनिजों की खरीद पर रायल्टी कटौती न करना-

कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया उपखनिजों की खरीद पर रायल्टी रसीद एम०एम०-11, डड.11द्ध नहीं लिया गया और शासनादेश सं० 3891/77-5-2001 (216) 93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रायल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है। जिससे राजकोश को क्षति हुई है। उक्त से यह भी स्पष्ट है कि उपखनिजों की खरीद संदिग्ध हैं। विवरण निम्नवत है-

नाम सामग्री	मात्रा	वाजिब रायल्टी
कोर सैण्ड	109.36	3609
फाइन सैण्ड	123.42	4073
16-20 स्टोन ग्रेट	189.72	19351
	योग	27033

12- कतिपय कार्यों के मस्टर रोलों पर धन प्राप्ति की पुष्टि में श्रमिकों के हस्ताक्षर या अंगूठे निशानी ही

नहीं लगे हैं। कुछ उदाहरण—

क्रम सं०	कार्य का नाम	मस्ट्रोल नं०	राशि
1	ग्राम अकबरी में याकूब हुसैन के घन के पास पुलिया से हरदेवी मार्ग की ओर खड़ण्जा निर्माण	।.1169	12125
		।.1170	12125
2	स्टेशन रोड से ग्राम सैजना मार्ग पर मिट्टी खड़ण्जा कार्य	।.1171	6500
		ठ.1159	27500
		ठ.1160	27500
		ठ.1161	16625
		ठ.1162	1075
	योग		103450.00

13— कतिपय कार्यों के मस्टर रोल पर कार्य अवधि का ही अंकन नहीं है। जिससे काल्पनिक मस्ट्रोल होना स्पष्ट करता है—

क्रम सं०	कार्य का नाम	मस्ट्रोल नं०	राशि
1	वी०डी०ओ० के आवासीय भवन की मरम्मत	।.1173	6500
2	मकरंदपुर स०मा० से पलिया मार्ग तक खड़ण्जा	ठ.1129	26400
		ठ.1130	26400
		ठ.1131	26400
		ठ.1132	18480
		।.1133	24000
		।.1134	21480
		।.1136	4800
		।.1137	4800
		।.1138	4800
		।.1140	120
3	स्टेशन रोड से ग्राम सैजना मार्ग पर खड़ण्जा	ठ.1159	27500
		ठ.1160	27500
		ठ.1161	16625
		ठ.1162	1075
4	शाहपुर खितौआ में मुंशीबरखा के घर से तालाब तक खड़ण्जा	।.1184	8538
	योग		245418.00

14— कतिपय कार्यों पर एक ही व्यक्ति एक ही अवधि व समय में दो स्थानों पर एक साथ कार्यरत दर्शित हैं—

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य अवधि	मस्ट्रोल नं०	डबल मिस्त्री व श्रमिक
1	कटरा खुदागंज मार्ग से शाहपुर	13.11 से 25.11.12	।.1180	तीनों मिस्त्री दोनों मस्टर रोल में एक साथ।
2	खितौआ में परशुरामपुर लिधौवा मार्ग तक नाला निर्माण	13.11 से 25.11.12	ठ.1180	

15- कतिपय कार्य पर सामग्री खरीद का भुगतान फर्म को न कर कार्य प्रभारी को करना-

क्रम सं०	कार्य का नाम	खरीद सामग्री विवरण	मूल्य	चेक नं०
1	वी०डी०ओ० के आवासीय भवन की मरम्मत	स्टॉक फर्जी एवं बिल्डिंग मैटेरियल	3537	0261437 दिनांक 10. 11.12
		सादा बिल बोर्ड व शीशा	7070	
		अग्रवाल एजेन्सी पेंट आदि	9991	
	योग		20598.00	

16- लगभग सभी कार्यों पर मे० डायमण्ड ब्रिक फील्ड मे० अशोक कुमार आशीश कुमार व मे० शिवशक्ति एजेन्सी द्वारा सामग्री आपूर्ति की गयी है, जिनके बिल अनियमित रूप से पैड पर है।

17- कतिपय कार्यों में संलग्न कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रों में निरीक्षण करने की तिथि ही अंकित नहीं है। कुद उदाहरण

1-वी०डी०ओ० के आवासीय भवन की मरम्मत।

2- विकास खण्ड कार्यालय से खुदागंज पेण्टेड रोड तक खड़ण्जा।

3- ग्राम परमानंदपुर के नाले का अवशेष भाग निर्माण आदि।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अवर अभि० द्वारा फर्जी कार्यपूर्ति व एम०बी० किया गया है।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से सुस्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से विभिन्न फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 3471538.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री चरन सिंह श्री के०एन० पाण्डेय श्री बाबूराम वर्मा श्री राम किशोर राना लेखाकारों श्री अजय कुमार श्री अनुप शुक्ला अवर अभियंता श्री राकेश बाबू शुक्ला श्रीपाल व कार्य प्रभारियों करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। श्रीमती तारादेवी प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा। दायित्व अवधारण कर कार्यवाही अपेक्षित रही।

2013-14

प्रस्तर सं०-93 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुदागंज**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में वर्ष आलोच्य में निम्नलिखित कार्य करवाये गये दर्शित है-

क्रम सं०	कार्य का नाम	सामग्री	श्रमांश	योग
1	पलिया से पोसिल तक खड़ण्जा मरम्मत	474714	281866	756580
2	ग्राम पोसिल में मुख्य मार्ग से कल्प सिंह के घर तक खड़ण्जा	242605	39844	282449
3	शाहपुर खेतौवा में बाबूराम की चौपाल से पक्के रोड तक नाली व पुलिया निर्माण	420987	43962	464949
4	ग्राम पौकी में श्रीकृष्ण के घर से पूरब रामनरेश के घर तक नाली निर्माण	34045	7192	41237
	योग-	1172351	372864	1545215

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि-

1- कार्यों का चयन पंचायती राज अनुभाग-2 द्वारा डुप्लीकेसी से बचने के लिए जारी शासनादेश सं०- 8307/33.02.2004 93 जी०/2004 दिनांक 12.01.2005 के विपरीत गांवों के अंदर व्यक्ति विशेष को लक्ष्य कर किया गया है।

2- क्षेत्र पंचायत में नियमानुसार समितियों का गठन नहीं किया गया एवं शासन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार से बचने के लिए जारी निर्देशों का उल्लंघन एकाधिकार बनाये रखने के लिये किया गया।

3- राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवों वित्त आयोग के धन के उपयोग किये जाने संबंधी शासनादेश

सं01719/33-3-2010-48/2007 दिनांक 31.09.2011 शासनादेश सं0 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23.12.2010 व शासनादेश सं0 1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19.06.2015 का उल्लंघन कर धन व्यय किया गया।

4- पत्रावलियों में लगे विभिन्न फर्मों के बिल टैक्स पेड न होकर कच्चे हैं, एवं इसी कारण बिना बुक नं0 अंकित हैं।

5- दर्शित फर्म टैक्स रिटर्न नहीं भरती है, इसी कारण फार्म-16 नहीं लिये गये हैं। वस्तुतः फर्म उक्त सामग्री (उपखनिज) बिक्री के लिए अधिकृत ही नहीं है।

6-शासनादेश सं0 3891/77-5-2001 (210) 93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार उपखनिजों की खरीद पर न तो वैध रवन्नाएम0 एम0 डड.11द्ध लिया गया और न ही रायल्टी की कटौती की गयी।

7- प्रस्तुत मस्टर रोल फर्जी हैं क्योंकि-

अ- मस्टर रोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन नियमानुसार अंकित न कर एक बार में भरी गयी है।

ब- लगे एक दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये हैं।

स- वि0ख0 से मस्टर रोल जारी होने की पुष्टि में तिथि अंकित वी0डी0ओं के हस्ताक्षर नहीं है।

8-किसी सक्षम अधि0 द्वारा कार्या का निरीक्षण नहीं किया गया। कोटेशन सभी में मात्र तीन ही रहे हैं।

9- कार्यों के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं है। इसके अतिरिक्त मात्र एक ग्राम पंचायत अधि0 श्री अखिलेश कुमार गौतम को पूरे विकास खण्ड का ठेकेदार बना दिया गया है।

उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण सुनियोजित रूप से विभिन्न फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख बनाकर किया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 1545215 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अखिलेश कुमार गौतम , तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सूरजपाल वर्मा श्री राम कुमार वर्मा श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री मुनीम लाल लेखाकारों श्री बृजेश दीक्षित श्री अनुप शुक्ला अवर अभियंता श्री राकेश बाबू शुक्ला श्रीपाल व कार्य प्रभारियों करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। श्री नरेन्द्र गुप्ता ब्लाक प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा। दायित्व अवधारण कर कार्यवाही अपेक्षित रही।

खुदागंज आपत्तियां-2014-15

प्रस्तर सं0-93.क क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुदागंज**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में ले0प0 में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों एवं संलग्न तालिका 1 व 2 में निम्न आपत्तियों प्रकाश में आयी-

1- कार्यों का चयन पंचायती राज अनु0 2 द्वारा डुप्लीकेसी से बचने के लिए ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के चयन के लिये जारी गाइड लाइन संबंधी शासनादेश सं0 8307/33.02.2004 93 जी0/2004 दि0 12.01.2005 व शासनादेश सं0 04/866/33-02-14-93 जी0/2014 दि0 24.06.2014 का पूर्णरूपेण उल्लंघन किया गया है व ग्रामों के अंदर तथा व्यक्ति विशेष को दृष्टिगत रखकर किया गया है।

2-शासनादेश व लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन कर खण्ड वि0अधि0/सचिव व प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा बिना किसी समुचित आधार के कार्यों का चयन किया गया है। नियमानुसार समितियों का गठन तक नहीं किया गया।

3- राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवों वित्त आयोग के धन के उपयोग किये जाने संबंधी शासनादेश सं0 1719/33-03-2010-48/2007, दि0 31.09.2011 शासनादेश सं0 2566/33.03.2010-142/2010, दि0 23.12.2010 व शासनादेश सं0 1639/33-3-2015-03/2015, दि0 19.06.2015 आदि से जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया एवं मनमर्जी से कार्य करवाये गये हैं, जिससे समस्त व्यय अनियमित रहा।

4- कतिपय कार्यों पर मिट्टी, ढुलाई, भाड़े का भुगतान तो किया गया, किन्तु मिट्टी कहां से आयी एवं रायल्टी कितनी अदा की गयी अस्पष्ट रहा। जिसके कारण मिट्टी कार्य संदिग्ध रहा है।

5-त्रुटिपूर्ण स्टीमेट पाये गये-

1-कतिपय स्टीमेटों में मिट्टी 2 कि0मी0 दूर से लाने का प्राविधान कर तदानुसार मिट्टी मूल्य का आंकलन किया गया है, किन्तु 2 कि0मी0 दूर मिट्टी खदान कहां है, स्पष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार स्टीमेट त्रुटिपूर्ण पाये गये।

2- सी0सी0 रोड निर्माण में पूर्व से लगे खडण्जे पर भी कच्चे मार्ग के समान 10 सेमी0 मोटी रोड ढुलाई का प्राविधान किया गया है जो कि स्टीमेट को अनियमित होना स्पष्ट करता है।

6-सी0सी रोड़ व इण्टरलॉकिंग रोड की मजबूती संबंधी रिपोर्ट न लेना-प्राप्त पत्रावलियों की जांच में पाया

गया कि कम्प्रेहन्सिब स्टेन्थ रिपोर्ट एवं ब्लाक स्टेन्थ रिपोर्ट नहीं ली गयी। जिससे कृत कार्य की गुणवत्ता अप्रमाणित रही।

7— किसी भी निर्माण कार्य पत्रावली में किसी भी अधि०/कर्म० द्वारा हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं की गयी, जिससे स्पष्ट होता है कि आहरणव भुगतान के दृष्टिगत बाद में पत्रावली तैयार की गयी है।

8—किसी भी कार्य पत्रावली में भुगतान के सापेक्ष कोई भी निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं पायी गयी।

9—संदिग्ध मस्टर रोल—

कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि संलग्न मस्टर रोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन अंकित न कर एक बार में भरी गयी हैं। जिससे मस्टर रोल संदिग्ध हैं।

मस्टर रोलों पर अंकित अंगूठे निशानी एक दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। जिससे मस्टर रोल काल्पनिक होना पुष्टित होता है।

10— मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी भुगतान कर अपहरण—

कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि—

क. बिलों पर बुक नं० का नियमानुसार अंकन नहीं है।

ख. फर्मों द्वारा उपखनिजों की आपूर्ति की गयी है, किन्तु रायल्टी रसीद (एम०एम०—11) संलग्न नहीं है।

ग. फर्मों के बिलों सेटी०डी०एस० व वैट की कटौती की गयी है। किन्तु किसी भी फर्म द्वारा टैक्स रिफण्ड के लिये फार्म -16 नहीं लिया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि फर्म टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है जो कि स्पष्ट करता है कि फर्म उस सामग्री आपूर्ति/बिक्री के लिये अधिकृत ही नहीं है या फर्जी पंजीकरण संख्या अंकित की गयी है। फर्मों से सामग्री खदीद के पूर्व फर्मों से निबंधन प्रमाण पत्र नहीं लिये गये हैं।

घ. किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है।

ङ. सामग्री कार्यस्थल पर आपूर्ति हेतु कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया।

च सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजि० भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही।

13— निम्न कार्यों पर सामग्री खरीद कार्य समाप्ति के बाद की गयी है। उक्त कथित सामग्री न तो स्टॉक में है एवं न ही उपभोग किया गया है विवरण इस प्रकार है—

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य अवधि	सामग्री खरीद
1	शाहपुर खेतौसा में विजय शर्मा के मकान से हरदेवी के मकान तक इण्टर लॉकिंग	16.01.2015 से 22.01.2015	सैजल बिक फी० 23.01.15—49006 प्रकाश ब्रिक फील्ड—23.01.15—100060.50
2	शाहपुर खितौआ में कसरक रोड से श्याम लाल के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली	16.01.2015 से 22.01.2015	प्रकाश ब्रिक फील्ड—23.01.15—99000 प्रकाश ब्रिक फील्ड—29.01.15—99000 प्रकाश ब्रिक फील्ड—05.02.15—7964 सैजल बिक फी० 13.02.15—91612 15.02.2015—58125
3	ग्राम पौकी में ओमकार के खेत से मधुमुरी डामर रोड़ तक खडण्जा	16.01.2015 से 22.01.2015	प्रकाश ब्रिक फील्ड—23.01.15—99000 प्रकाश ब्रिक फील्ड—25.01.15—21950 आदि।

14— कार्यपूर्तियां नियमानुसार नहीं हैं।

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार व भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन सं० 5094529 की ब्याज सहित वसूली संबंधित कार्य प्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सूरजपाल वर्मा श्री राम कुमार वर्मा श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री मुनीम लाल लेखाकारों श्री बृजेश दीक्षित श्री अनुप शुक्ला अवर अभियंता श्री राकेश बाबू शुक्ला श्रीपाल व कार्य प्रभारियों करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। श्री नरेन्द्र गुप्ता ब्लाक प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा। दायित्व अवधारण कर कार्यवाही अपेक्षित रही।

नियमानुसार अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया। निर्माण कार्यों में कार्यादेश व रूप पत्र में करके

जारी हैं जबकि नियमानुसार कार्यालय के नियमित पत्राकों से पत्र जारी होने चाहिए थे। उच्चाधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

आपत्तियां-2015-16

प्रस्तर सं०-94 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुदागंज**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में ले०प० में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों एवं संलग्न तालिका 1 व 2 में निम्न आपत्तियों प्रकाश में आयी-

1- कार्यों का चयन पंचायती राज अनु० 2 द्वारा डुप्लीकेसी से बचने के लिए ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के चयन के लिये जारी गाइड लाइन संबंधी शासनादेश सं० 8307/33.02.2004 93 जी०/2004 दि० 12.01.2005 व शासनादेश सं० 04/866/33-02-14-93 जी०/2014 दि० 24.06.2014 का पूर्णरूपेण उल्लंघन किया गया है व ग्रामों के अंदर तथा व्यक्ति विशेष को दृष्टिगत रखकर किया गया है।

2-शासनादेश व लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन कर खण्ड वि०अधि०/सचिव व प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा बिना किसी समुचित आधार के कार्यों का चयन किया गया है। नियमानुसार समितियों का गठन तक नहीं किया गया।

3- राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवों वित्त आयोग के धन के उपयोग किये जाने संबंधी शासनादेश सं० 1719/33-03-2010-48/2007, दि० 31.09.2011 शासनादेश सं० 2566/33.03.2010-142/2010, दि० 23.12.2010 व शासनादेश सं० 1639/33-3-2015-03/2015, दि० 19.06.2015 आदि से जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया एवं मनमर्जी से कार्य करवाये गये हैं, जिससे समस्त व्यय अनियमित रहा।

4- कतिपय कार्यों पर मिट्टी, ढुलाई, भाड़े का भुगतान तो किया गया, किन्तु मिट्टी कहां से आयी एवं रायल्टी कितनी अदा की गयी अस्पष्ट रहा। जिसके कारण मिट्टी कार्य संदिग्ध रहा है।

5-त्रुटिपूर्ण स्टीमेट पाये गये-

1-कतिपय स्टीमेटों में मिट्टी 2 कि०मी० दूर से लाने का प्राविधान कर तदनुसार मिट्टी मूल्य का आंकलन किया गया है, किन्तु 2 कि०मी० दूर मिट्टी खदान कहां है, स्पष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार स्टीमेट त्रुटिपूर्ण पाये गये।

2- सी०सी० रोड निर्माण में पूर्व से लगे खडण्जे पर भी कच्चे मार्ग के समान 10 सेमी० मोटी रोड ढुलाई का प्राविधान किया गया है जो कि स्टीमेट को अनियमित होना स्पष्ट करता है।

6-सी०सी रोड़ व इण्टरलॉकिंग रोड की मजबूती संबंधी रिपोर्ट न लेना-प्राप्त पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कम्प्रेहन्सिब स्टेन्थ रिपोर्ट एवं ब्लाक स्टेन्थ रिपोर्ट नहीं ली गयी। जिससे कृत कार्य की गुणवत्ता अप्रमाणित रही।

7- किसी भी निर्माण कार्य पत्रावली में किसी भी अधि०/कर्म० द्वारा हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं की गयी, जिससे स्पष्ट होता है कि आहरण व भुगतान के दृष्टिगत बाद में पत्रावली तैयार की गयी है।

8-किसी भी कार्य पत्रावली में भुगतान के सापेक्ष कोई भी निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं पायी गयी।

9-संदिग्ध मस्टर रोल-

कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि संलग्न मस्टर रोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन अंकित न कर एक बार में भरी गयी हैं। जिससे मस्ट्राल संदिग्ध हैं।

मस्टर रोलों पर अंकित अंगूठे निशानी एक दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। जिससे मस्टर रोल काल्पनिक होना पुष्टित होता है।

10-मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी भुगतान कर अपहरण-

कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि-

क. बिलों पर बुक नं० का नियमानुसार अंकन नहीं है।

ख. फर्मों द्वारा उपखनिजों की आपूर्ति की गयी है, किन्तु रायल्टी रसीद संलग्न नहीं है।

ग. फर्मों के बिलों से व कटौती की गयी है। किन्तु किसी भी फर्म द्वारा टैक्स रिफण्ड के लिये नहीं लिया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि फर्म टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है जो कि स्पष्ट करता है कि फर्म उस सामग्री आपूर्ति/बिक्री के लिये अधिकृत ही नहीं है या फर्जी पंजीकरण संख्या अंकित की गयी है। फर्मों से सामग्री खदीद के पूर्व फर्मों से निबंधन प्रमाण पत्र नहीं लिये गये हैं।

घ. किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है।

ङ. सामग्री कार्यस्थल पर आपूर्ति हेतु कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजि० भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही

संदिग्ध रही।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से स्पष्ट है कि फर्मों की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है।

11-उपखनिजों की खरीद पर रायल्टी कटौती न करना-

कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया उपखनिजों की खरीद पर रायल्टी रसीद एम0एम0-11 नहीं लिया गया और शासनादेश सं0 3891/77-5-2001 (216) 93 दि0 05.08.2002 के अनुसार रायल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है, जिससे राजकोश को क्षति हुई है।

उक्त से यह भी स्पष्ट है कि उपखनिजों की खरीद संदिग्ध हैं। विवरण निम्नवत् है-

नाम सामग्री	मात्रा	वाजिब रायल्टी
कोर सैण्ड	181.69	5996
फाइन सैण्ड	198.32	6545
16-20 स्टोन ग्रेट	201.18	20520
	योग	33061

12- कतिपय कार्यों के मस्टर रोल पर धन प्राप्ति की पुष्टि में श्रमिकों के हस्ताक्षर या नि0अ0 नहीं लगे हैं।

कुछ उदाहरण -

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मस्टर रोल नं0	राशि
1	ग्राम पौकी में अभिलेख के बंजर से पंचम लाल के मकान तक नाला निर्माण	बी.0015	22757 आदि

13- कतिपय फर्मों के बिल एक ही हस्तलिपि में हैं। जिससे बिल फर्जी होना प्रमाणित होता है। उदा0

क्र0सं0	कार्य का नाम	फर्म का नाम
1	खिरिया में चंद्रभाल के मकान से सुरेश के मकान तक इण्टर लाकिंग	प्रकाश ब्रिक फील्ड व सेजल
2	नवादा ता0 पलिया में कौशल सिंह के मकान से प्रथ्वीपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली	उपरोक्त के बिल आदि।

14- मजदूर अधिकतम सप्ताहिक आधार पर भुगतान लेते हैं। कतिपय कार्यों पर पाया गया कि कई-कई माहों बाद भुगतान किया गया है। जो मस्टर रोलों को फर्जी होना प्रमाणित करता है। उदा0-

क्र0सं0	कार्य का नाम	मस्टर रोल नं0 व कार्य अवधि	भुगतान तिथि
1	नवादा ता0 पलिया में कौशल सिंह के मकान से प्रथ्वीपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली	बी 0020.9.5 से 18.05.15	02.01.2016
2	खेड़ामजखेड़ा घाट से कुआंडांडा रोड तक खडण्जा कार्य	12.5 से 18.05.15	01.01.16 आदि

15- एक मध्यस्थ दलाल कम्पनी मे0 कंचन ट्रेडिंग क0 से भवन निर्माण सामग्री, ईट इण्टरलाकिंग आदि क्रय दर्शायी गयी। फर्म उक्त सामग्री बेचने के लिये अधिकृत ही न थी। प्रस्तुत बिलों पर हाथ से बुक नं0 व इनवाइस नं0 लिखे गये हैं। फर्जी फर्म होने के कारण कटे टैक्स की वापसी लेने हेतु फार्म 16 तक नहीं लिया गया।

16- कार्यपूर्तियां नियमानुसार नहीं है।

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से धनापहरण के लिए फर्मों से सांठगांठ की गयी एवं फर्जी अभिलेख तैयार किये गये हैं।

अतः अपहरित धन रू0 11791513 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारियों, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सूरजपाल वर्मा श्री राम कुमार वर्मा श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री मुनीम लाल

लेखाकारों श्री बृजेश दीक्षित श्री अनुप शुक्ला अवर अभियंता श्री राकेश बाबू शुक्ला श्रीपाल व कार्य प्रभारियों करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। श्री नरेन्द्र गुप्ता ब्लाक प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा। दायित्व अवधारण कर कार्यवाही अपेक्षित रही।

वर्ष 2016-17

प्रस्तर सं०-95 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुदागंज**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में वर्ष आलोच्य में क्षेत्र पंचायत खुदागंज में राज्य वित्त आयोग व बारहवें/तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त धन का उपयोग निम्नानुसार किया गया है।

राज्य वित्त आयोग रू०-2912395-

बारहवां/तेरहवें वित्त आयोग-रू०-

योग-2912395

उक्त धन से कराये गये कार्यों की कार्य पत्रावलियां, प्रमाणक, एम०बी० आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं।

इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि तत्समय कार्यरत रहे लेखाकारों ने पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रतिस्थानी को चार्ज में ही नहीं दिया गया।

बिना चार्ज दिये खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा लेखाकारों को कार्यमुक्त करना पूर्णतया नियम विरुद्ध रहा।

बैंक खातों से आहरित धन के सापेक्ष संगत प्रमाणक न होना, धन के अपहरण को ही प्रमाणित करता है।

आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1257/सम्प्रेक्षा/अनु०/सह०समि० एवं पंचायतें/2017-18 दि० 02.11.2017 के बाद भी पत्रावलियां हैं ही नहीं। इसी कारण चार्ज में पत्रावलियां दी ही नहीं गयीं।

इस प्रकार धन का अपहरण, विभिन्न फर्मों से मिलकर व फर्जी व्यय दर्शाकर किया गया है।

अतः अपहरित धन रू० 2912395 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र पाल सिंह श्री खण्डेलवाल लेखाकारों श्री बृजेश दीक्षित श्री अनुप शुक्ला अवर अभियंता श्री राकेश बाबू शुक्ला श्रीपाल व कार्य प्रभारियों करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। श्री नरेन्द्र गुप्ता ब्लाक प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा। दायित्व अवधारण कर कार्यवाही अपेक्षित रही।

2011-12

प्रस्तर सं०-96 क्षेत्र पंचायत का नाम-**तिलहर**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **विकास खण्ड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट स्थापना-**

संख्या-110, तेरहवां वित्त आयोग, स्टी०-436323

उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि-

- 1- तेरहवें वित्त आयोग के धन के उपयोग संबंधी गाइड लाइंस शासनादेश सं० 2566/33-3/2010-142/2010 दिनांक 23.12.2010 के विपरीत उक्त कार्य कराया गया।
- 2- कार्यालय पत्रांक 1428 ए दिनांक 18.10.11 से कोटेशन मांगे गये तथा पत्रांक 1428 बी दिनांक 18.10.11 से कार्य प्रभारी बनाया गया। इस प्रकार कार्यालय के नियमित पत्रांक का प्रयोग न करना पाया गया।
- 3- प्राप्त तीनों कोटेशन एक ही हस्तलिपि व एक ही तिथि में हैं।
- 4- प्रस्तुत बिलों पर बुक नं० का अंकन नहीं है, जो कच्चे बिल होना स्पष्ट करता है।
- 5- प्रस्तुत बिलों का विवरण निम्नवत रहा-

बुक नं०	बिल नं०	तिथि	संख्या लाइट	धनराशि
अंकन नहीं	856	07.12.2011	24	97200.00
	856	08.12.2011	24	97200.00
	861	14.12.2011	24	97200.00
	864	15.12.2011	24	97200.00
	866	18.12.2011	14	56700.00
			योग	445500.00

नियमानुसार इतनी बड़ी राशि की सामग्री खरीद पर निविदाएं दैनिक समाचार पत्र में छपवाकर लिया जाना था।

6— बिलों से व्यापार कर 2.24 प्रतिशत की कटौती न कर रु0 9979.20 की क्षति राजकोश को पहुँचायी गयी है।

7— खण्ड वि0 अधि0 के पत्रांक 1799—1900 दिनांक 06.02.2012 से कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र व सदस्यों/कार्यों के प्रमाण पत्र स्थापना संबंधी मांगने पर प्रभारी द्वारा अवर अभियन्ता द्वारा 20.12.11 को निरीक्षण कर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि 28.10.11 व समाप्ति तिथि 30.11.11 है। जबकि कार्य 07.12.11 को प्रारम्भ है तथा 18.12.11 को समाप्त है। इस प्रकार कार्यपूर्ति फर्जी पायी गयी।

8— कोई फोटोग्राफ एवं प्रमाण पत्र नहीं है।

9— विद्युत लाइनों से स्ट्रीट लाइटों का संयोजन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा करने/कराने का कोई आदेश नहीं है। प्राइवेट व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि अपराध हैं।

10— फर्म एम/एस एम. के इन्टरप्राइजेज द्वारा फार्म—16 की मांग तक नहीं की गयी है।

इसके अतिरिक्त स्थापना पर कोई श्रम सम्बन्धी व्यय नहीं है।

उपरोक्त विवरणों से स्वतः स्पष्ट हैं कि धन का अपहरण सुनिश्चित योजनानुसार किया गया है। अतः अपहरित धन रु0 445500/— की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री मुरारी लाल, अवर अभियन्ता श्री मंगरू मिश्रा व कार्य प्रभारी श्री राजेश कुमार शर्मा ग्रा0पं0अधि0 से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत की भूमिका का दायित्व निर्धारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0—97 क्षेत्र पंचायत का नाम—तिलहर, जनपद— शाहजहाँपुर **वि0ख0 की ग्राम पंचायतों में सोलर लाइटों की स्थापना—**

संख्या—36, टी0एफ0सी0 स्टी0 378000 उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि—

1— उक्त कार्य शासनादेश संख्या 2566/31.03.2010—142/2010 दिनांक 23.12.2010 के विपरीत रहा।

2— स्टीमेट के विपरीत 70 सोलर लाइट लगवाने के लिए कार्यालय पत्रांक 1338 दिनांक 03.10.11 से श्री राजेश कुमार शर्मा ग्रा0पं0अधि0 को कार्य प्रभारी बनाया गया।

3— मात्र तीन कोटेशन हैं जो सिद्ध करता है कि सेटिंग का परिणाम है।

4— शासनादेश के अनुसार 11 वाट सी0एफ0एल0 की अनुमन्य हैं जबकि 16 वाट की लगवायी गयी।

5— नियमों के विपरीत बिना पत्रांक व दिनांक को 70 सोलर लाइटों की 7—35 लाख की वित्तीय स्वीकृति बी0डी0ओ0 द्वारा दी गयी।

6— बिलों पर वैट 5.26 प्रतिशत की दर पर फर्म द्वारा चार्ज किया गया है जबकि न तो यह वैट की दर थी और न ही देय है।

जबकि इकाई द्वारा वैट नहीं काटा गया। तत्समय वैट प्रचलित ही न था। इकाई द्वारा व्यापार कर नहीं काटा गया एवं रु0 8467.20 की राजकीय कोश की क्षति हुई तथा रु0 18900/— वैट के नाम पर भुगतान किया गया।

7— बिलों के अनुसार कार्य 21.10.11 को प्रारम्भ हुआ एवं अंतिम बिल 24.10.11 को प्रस्तुत हुआ।

अवर अभियन्ता द्वारा 24.10.11 को जारी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार 18.10.11 को कार्य प्रारम्भ हुआ एवं 25.10.11 को समाप्त हुआ है। स्पष्ट है कि कार्यपूर्ति फर्जी है। वारण्टी एवं गारण्टी प्रमाण पत्र नहीं है।

8— फोटो नहीं है एवं प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र नहीं हैं।

9— कार्य स्थलों का चयन का आधार अस्पष्ट है। इसके अतिरिक्त स्थापना सम्बन्धी कोई व्यय नहीं है।

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट है कि फर्जी सोलर लाइट स्थापना दर्शाकर सुनिश्चित योजनानुसार धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 378000/— की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी/ग्रा0पं0अधि0 श्री राजेश कुमार शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी श्री मुरारी लाल व अवर अभियन्ता श्री मंगरू मिश्रा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही साथ ही प्रमुख क्षेत्र पंचायत की भूमिका का दायित्व निर्धारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0—98 क्षेत्र पंचायत का नाम—तिलहर, जनपद— शाहजहाँपुर **वि0ख0 परिसर में 174 मीटर सी0सी0 रोड़ निर्माण—**

एस0एफ0सी0 स्टी0—5.38 लाख

उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि—

1—कार्य क्षेत्र पंचायत की बैठक में अनुमोदित नहीं हैं। अंकन है कि मा. मुख्यमंत्री जी के दौरे के कारण बनवाया जा रहा है। आकस्मिकता पर बाद में अनुमोदन लिया जाना था जो नहीं लिया गया और न ही

सक्षम स्तर से स्वीकृत है।

2- स्टीमेट में टी0 और पी0 चार्ज का गलत आगणन रु0 18550/- है जो कि मात्र रु0 1768.50 होता है जैसा कि 2012-13 में विकास खण्ड परिसर में 110 मी0सी0सी0 रोड निर्माण के स्टीमेट के अनुमोदन में ए0ई0डी0आर0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त के कारण रु0 18372 का अधिक भुगतान हुआ।

3- सामग्री खरीद के बिल नियम विरुद्ध रूप से दुकानों के पैड पर हैं नियमानुसार बुक नं0 व बिल नं0 युक्त बिल पर होने थे। विवरण इस प्रकार रहा-

1- शंकर शरण शम्भू नाथ- 24.2.18 सीमेण्ट आदि-356461 भुगतान चेक नं0 90274 दिनांक 18.4.11

2- आदेश ब्रिक फील्ड 24.2.11 ईट आदि- 83296/- भुगतान चेक नं0 90275 दिनांक 18.4.2011 रु0 81431/-

3- सामग्री खरीद बिलों पर व्यापार कर की रु0 9851/- कटौती नहीं की गयी एवं शासकीय कोश की क्षति जानबूझकर पहुंचायी गयी।

4- बिना रायल्टी की रसीद के रामचन्द्र से 141-88 मी0 3 मिटटी रु0 6300/- की खरीद गयी भुगतान कार्य प्रभारी के अनियमित रूप से किया गया।

5- मजदूर साप्ताहिक आधार पर अपने श्रमांश का भुगतान लेते हैं। भुगतान दिनांक 24.06.11 को दर्शित है जबकि कार्य अवधि निम्नवत रही-

एम0आर0-बी0-0204-16.02.11 से 28.02.11-18240

एम0आर0-ए0-0205-1.3.11 से 15.03.11-28650

एम0आर0-बी0-16.03.11 से 30.03.11-2910

4 से 3 माह तक मजदूरी पाने के लिये मजदूर इंतजार नहीं करेगा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी मस्टर रोल हैं।

6- स्टीमेट के अनुसार सारी सामग्री एक बार में क्रय की गयी है जो स्वयं में आपत्तिजनक हैं क्योंकि स्टीमेट पूर्वनुमान होता है। कोटेशन नहीं लिये।

उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्जी कार्य के फर्जी प्रमाणक व कार्यपूर्ति आदि बनाकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 535497 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी से ग्रा0प0अधि0, बी0डी0ओ0 श्री मुरारी लाल व अवर अभियंता श्री मंगरू मिश्रा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-99 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर **तिलहर जैतीपुर मार्ग से मंशूरपुर गौटिया तक सम्पर्क मार्ग पर पुलिया व खण्डजा निर्माण-**

एस0एफ0सी0 लं0-500 मी0, स्टी0-4.34 लाख

उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि-

1- अधिशासी अभियन्ता के पत्र 343-44 दिनांक 09.05.11 पर अधिशासी अभियन्ता आर0ई0एस0 के कार्यालय पत्रांक 502/16 सी0दिनांक 11.5.11 से पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही कार्या0 पत्रांक सी0-252 (1) दिनांक 30.04.11 को प्रभारी श्री प्रतिपाल ग्रा0पं0अधि0 को बनाया गया एवं 11.5.11 को ही सामग्री खरीद की गयी नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त होने के बाद ही कार्यवाहियां की जानी थी।

2- ईट खरीद के बाद पत्रांक मेमो दिनांक 18.5.11 से कार्य प्रभारी श्री प्रतिपाल ग्रा0पं0अधि0 को सीमेण्ट आदि के लाने के लिए निर्देशित किया गया, जो आपत्तिजनक रहा। नियमानुसार समस्त टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही सामग्री क्रय की जानी थी।

3- नियमानुसार एक बिल पर एक सामग्री की मात्रा व मूल्य का विवरण एक बार में ही अंकित होता है न कि कई बार। जबकि एम/एस साबरी ब्रिक फील्ड के प्रमाणक पर प्रविष्टि निम्नवत है-

बुक नं0 अंकित नहीं बिल नं0- 17 दिनांक 11.5.2011

30000 ईट दर - 2772-93160

35000 ईट दर - 2772-97020

10000 ईट दर - 2772-27720

भुगतान चेक नं0 320183 दिनांक 19.05.11 से रु0 202343/- का मात्र टी0डी0एस0 कटाकर हुआ/व्यापार कर नहीं काटा गया।

4- उक्त कार्य दिनांक 16.5.2011 से प्रारम्भ हुआ है। पहले से ईट मौजूद रहते पुनः ईट खरीद का औचित्य न था। फिर भी बिना आवश्यकता एम/एस साबरी ब्रिक फील्ड से निम्नवत ईट क्रय की गयी-

बुक नं० अंकित नहीं — बिल नं०— 20 दिनांक 15.05.2011

25000 ईट दर — 2772—69300

4588 ईट 1 दर— 2909—13346.49

10000 ईट दर — 2772—27720

भुगतान चेक नं० 320184 दिनांक 20.05.11 को टी०डी०एस० के 1851/— काटकर रु० 80795/— किया गया।

5— अन्य सामग्री खरीद निम्नवत की गयी किन्तु भुगतान दुगुने मूल्य का किया गया—

क्र०सं०	नाम फर्म	दिनांक	सामग्री विवरण	मूल्य	भुगतान विवरण
1	सिंह स्पन पाइप	21.5.11	हयूज पाइप एवं बालर	28890	चेक नं० 320187 दिनांक 27.05.11—57778
2	शब्बीर एण्ड संस	22.5.11	सीमेण्ट आदि ईट रोड़ा 4—6 मीड सहित	15299	30596

ईट रोड़ा ईट भटटे वाले से कय होता है न किसी सीमेंट विक्रेता से।

6— उक्त कार्य में प्रस्तुत मस्टर रोल का विवरण निम्नवत रहा—

क्र०सं०	मस्टरोल नं०	कार्य अवधि	श्रमांश	अन्य विवरण
1	बी०—0206	16.05.11 से 31.5.11	25600	अंगूठे नि० एक से एवं एक बार में उप० अंकित
2	बी०—0301	16.05.11 से 31.05.11	12600	“
3	ए०—0208	01.06.11 से 11.06.11	16300	“
4	ए०—207	01.06.11 से 11.06.11	11000	“
5	बी०—0209	08.06.11 से 15.06.11	10490	“
6	बी०—0307	16.06.11 से 25.06.11	11440	“

7— प्रस्तुत कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य के निरीक्षण की तिथि ही अंकित नहीं है तथा कार्य 09.5.11 को प्रारम्भ होना लिखा है जबकि कार्य 16.5.11 को प्रारम्भ हुआ है। स्पष्ट है कि कार्यपूर्ति भी फर्जी है।

8— कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं है।

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्मों से मिलकर फर्जी बिल बनवाये गये तथा फर्जी मस्टरोल आदि बनाकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 484350/— की वसूली कार्य प्रभारी/ ग्रा०प०अधि० श्री प्रतिपाल, अवर अभियन्ता श्री मंगरू मिश्रा व बी०डी०ओ० श्री मुरारी लाल से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही साथ ही प्रमुख क्षेत्र पंचायत की भूमिका का दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

निष्कर्ष— उपरोक्त अंकित आपत्तियों में सामान्य रूप से पाया गया कि—

1— कार्य का चयन नियमानुसार न कर प्रमुख क्षेत्र पंचायत व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया है।

2— नियमानुसार व शासनादेश संख्या 2566/33—3—2010—142/2010 दिनांक 23.12.2010 के बिन्दु—7 के अनुरूप कार्ययोजना का पूर्ण अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से नहीं कराया गया।

3— नियमानुसार राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग या अन्य धन से कराये जाने वाले कार्य निर्माण समिति की देखरेख में कराये जाने थे। किन्तु इकाई द्वारा एकाधिकार रखने के लिये विधि द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन किया गया एवं किसी भी समिति को सक्रिय नहीं किया।

4. कराये जाने वाले कार्य का चयन शासनादेश सं० 8307/33—2—2004—93 जी०/2004 दिनांक 12.1.05

के अनुरूप दो या दो से अधिक गांवों से जोड़ने वाले का चयन न कर गांवों के अंदर के चयनित किये गये। अधिकांश कार्यों में ग्राम पंचायत में लगे खंडजे के ऊपर बिना अनापत्ति के सी0सी0 रोड बनवायी गयी।

5. शासनादेश संख्या 1719/33-3/2010-48/2007 दिनांक 31.9.10 व शासनादेश सं0 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23.12.10 के द्वारा जारी मार्ग निर्देशानुसार राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग के धन का उपयोग नहीं किया गया।

6. फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर भुगतान— अनापत्ति मस्टर रोल योजनाबद्ध रूप से फर्जी व काल्पनिक रूप से तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न किये गये हैं और इकाई प्रभारी (बी0डी0ओ0) द्वारा सम्यक जांच किये बगैर भुगतान किया गया है।

मस्टर रोल पर मजदूरों की उपस्थिति प्रतिदिन अंकित न कर एक बार में अंकित की गयी है। कतिपय मस्टर रोल में एक ही तिथि में एक ही श्रमिक/मिस्त्री भिन्न स्थानों पर कार्यरत दर्शित है, धन प्राप्ति की पुष्टि में मजदूरों के सभी मास्टर रोलों में निशानी अंगूठे लगे हैं जो एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते हैं। यह भी पाया गया कि कतिपय निशानी अंगूठे, उंगलियों के हैं न कि अंगूठे के। इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके फर्जी मस्टर रोल तैयार कर व भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये कार्य प्रभारी श्री प्रतिपाल अवर अभियंता श्री मंगरू मिश्रा लेखाकार श्रीअनुप कुमार द्विवेदी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री मुरारी लाल ब्लाक प्रमुख से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही है।

7. मात्र कच्चे माल बिल लेकर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्जी का भुगतान कर अपहरण— लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों में पाया गया कि समस्त फर्मों के बिल कच्चे बिल/कैश मेमो/लेटर पैड पर है एक भी बिल टैक्स पैड बिल न था। फर्म द्वारा कोई आमद/उपभोग का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि फर्मों की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर योजनाबद्ध तरीके से धन का अपहरण किया गया है। अतएव फर्मों द्वारा जारी किये गये प्रमाणकों/बिलों की जांच इनके बिक्री रजिस्टर/दाखिल रिटर्न व्यापार कर एवं आयकर आदि के आलोक में करते हुए विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आश्चर्यजनक रूप से किसी फर्म द्वारा फार्म-16 की मांग तक नहीं की गयी।

8. उपखनिजों पर रॉयल्टी की कटौती न करना और न ही रवन्ना (फार्म एम0एम0 -11) लेना— इकाई द्वारा उपखनिजों की खरीद पर शासनादेश संख्या 3981/77-5-200-1(216) 93 दिनांक 5.8.2002 एवं रा0वि0का0 नि0-5-1712(1) 11-2000-500 (डब्ल्यू-29) 2006 दिनांक 02.5.2016 के अनुसार बिल भुगतान पूर्व न तो रवन्ना (फार्म एम0एम0 -11) लिया गया और न ही रॉयल्टी कटौती की गयी जिसके कारण शासकीय कोश की क्षति हुई है।

9. उपखनिजों आपूर्ति करने वाली फर्मों का निबंधन प्रमाण पत्र नहीं लिया। जबकि क्रय पूर्व यहा जाँचना आवश्यक था कि फर्म उपखनिज बेचने के लिए अधिकृत हैं भी या नहीं।

10. जिन कार्यों पर मिटटी ढुलाई का भुगतान है उनमें यह स्पष्ट नहीं है कि मिटटी कहां से आयी हैं और मिटटी मूल्य किसने किसको और कितना भुगतान किया।

11. कतिपय स्टीमेटों में से 2 किमी0 दूर से मिटटी लाने व कॉर्टेज का प्राविधान किया गया किन्तु एक या दो किमी0 दूर मिटटी खदान कहां है, स्पष्ट नहीं किया गया।

12सी0सी0 रोड निर्माण के स्टीमेटों में कच्चे मार्गों एवं खंडजे के ऊपर समान रूप से 10 सेमी0 मोटी सी0सी0 रोड ढुलाई का प्राविधान किया गया एवं तदनुसार व्यय किया गया है, जबकि खंडजे पर 7 से 7.5 सेमी0 मोटी सी0सी0 रोड निर्माण होता है अन्यथा खंडजे पर लगी ईट उखड़वा लेना चाहिए था।

खंड विकास अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा बिना तिथि अंकित हस्ताक्षर करना—पत्रावलियों में खंड विकास अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों ने जानबूझ के विपरीत अपने हस्ताक्षर के नीचे अंकित नहीं की है, जोकि स्वयं अति गम्भीर है।

12:- कार्यों का नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं है।

13:- पत्रांको में हेरा-फेरी की गयी है।

इस प्रकार योजनाबद्ध रूप से कुल रु01843347/-00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री राजेश कुमार अवर अभियंता श्री मंगरू मिश्रा लेखाकार श्रीअनुप कुमार द्विवेदी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री मुरारी लाल ब्लाक प्रमुख से समान रूप से ब्याज सहित वसूली करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही है।

2012-13

प्रस्तर सं0-100 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में इकाई आंकिक की

स्पष्ट टिप्पणी की कार्य का स्टीमेट व कार्ययोजना नहीं हैं फिर भी खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूराम वर्मा ने बी0डी0ओ0 आवास की पुताई हेतु राज्य वित्त आयोग के धन से रु0 25000/- अग्रिम चेक नं0 680235 दिनांक 02.06.12 से श्री सुधीर जौहरी स्टोर कीपर/कैशियर को दिया गया।

कार्य न होने व समायोजन न होने पर कार्यालय पत्रांक 877-78/रा0वि0/निर्माण /मापाकन/2012 दिनांक 14.8.12 से अवर अभियंता श्री मंगरु मिश्रा व स्टोर कीपर/कैशियर श्री सुधीर जौहरी को पत्र लिखा गया।

किन्तु समायोजन आतिथि तक नहीं हुआ। बिना कार्ययोजना व स्टीमेट आदि के अग्रिम धन दिया जाना अनियमितता के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं।

अतः अपहरित धन रु0 25000/- की ब्याज सहित वसूली श्री सुधीर जौहरी कैशियर/स्टोर कीपर से की जानी अपेक्षित है तथा यदि उनसे वसूली न हो तो उक्त का संपूर्ण दायित्व अनियमित रूप से अग्रित देने वाले खण्ड विकास अधिकारी0 श्री बाबूराम वर्मा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-101 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में **विकास खण्ड परिसर में आवासीय भवनों के सामने सी0सी0 रोड़ निर्माण-**

एस0एफ0सी0, लं0-11 मी0, स्टी0-2.73

कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि-

1- अवर अभियंता श्री मंगरु मिश्रा द्वारा बनाये गये स्टीमेट व अनुमोदित स्टीमेट में भारी अंतर है-

क्र0सं0	शीर्ष विवरण	अवर अभि0 के स्टीमेट अनुसार	अनुमोदन में ए0ई0डी0आर0डी0ए0
1	क्रमांश	51050	47200
2	सामग्री	337440	224450
3	टी0पी0पी0	16700	1390

उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि श्री मंगरु मिश्रा द्वारा काल्पनिक स्टीमेट बनाये जाते थे एवं उन्हें दरों तक का ज्ञान नहीं था।

2-प्रस्तुत मस्टर रोल के अनुसार कार्य 1.12.17 को प्रारम्भ हुआ व 31.12.12 को समाप्त हुआ। उक्त कार्य हेतु सामग्री निम्नवत रही-

क्र0सं0	फर्म का नाम	बुक नं0	बिल नं0	तिथि	सामग्री विवरण	मूल्य
1	एम0एस0 न्यू हसनी ब्रिक फील्ड	अंकित नहीं	173	3.4.2012	ईंट एवं ईंट रोड़ी	44775
2	गुप्ता बिल्डिंग मैटेरियल	8	86	3.4.2012	सीमेण्ट आदि	169690
	योग					214465

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कार्य प्रारम्भ होने के 8 माह पूर्व सामग्री कय की गयी है। जिसका कोई औचित्य न था। स्टॉक रजि0, गोदाम किराया पत्रावली नहीं हैं।

3- 14 ट्राली मिटटी अजीज से ली गयी है जिसका मूल्य रु0 5200 का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। रायल्टी रसीद नहीं है।

4- प्रस्तुत मास्टर रोलों का विवरण निम्नवत रहा-

क्र0सं0	मस्टर रोल क्रमांक	कार्यअवधि	श्रमांश	अन्य विवरण
1	4743	1.12.12 से 15.12.12	23180	07 लगे अंगूठे नि0 एक राइटिंग में है। उ0प्र0 एक बार में भरी गयी।
2	4744	16.12 से 31.12.12	23820	उपरोक्तानुसार
	योग		47000	

उक्त से मस्ट्रोल संदिग्ध है।

5- उक्त कार्य की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में निरीक्षण तिथि 7.1.2013 है, जिसके अनुसार कार्य दिनांक 26.

3.2012 को प्रारम्भ व 31.12.12 को समाप्त है। स्वतः स्पष्ट है कि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र काल्पनिक है।

6- टेण्डर प्रक्रिया दूषित रही है। फोटो भी नहीं है।

7- रेता, बजरी व मौरंग खरीद की रायल्टी रसीदें नहीं हैं।

उपरोक्त विवरणों से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्जी कार्य कराना दर्शाकर धन का अपहरण फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर किया गया है।

अतः अपहरित धन ₹0 268055/- की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री राजेश कुमार ग्रा0पं0अधि0, अवर अभि0, श्री मंगरू मिश्रा व खण्ड विकास अधिकारी0 श्री मुरारी लाल से के साथ करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-102 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में **ग्राम छकड़ापुर में नंद किशोर के मकान से करन सिंह के मकान तक पक्की नाली निर्माण-**

टी0एफ0सी0, स्टी0-3.58 लाख, लं0- 450 मी0

1- कार्य का चयन शासनादेश सं0 2566/33-3/2010-142 दिनांक 23.12.10 के विपरीत रहा।

2- टी0एस0 बिना पत्रांक/कमांक के दिनांक 10.01.2013 की ए0ई0डी0आर0डी0ए0 शाहजहाँपुर द्वारा किया गया।

3- कोटेशन प्रक्रिया अनियमित रही।

4- प्रस्तुत मस्टर रोल के अनुसार कार्य 01.05.2013 को प्रारम्भ हुआ, किन्तु सामग्री खरीद निम्नवत दर्शित है-

फर्म का नाम	बुक नं0	बिल नं0	दिनांक	सामग्री विवरण	मूल्य	टिप्पणी
एम/एस शम्बीर एण्ड संस	12	30	3.2.13	सीमेंट मौरंग आदि	149059	व्यापार कर नहीं काटा गया ₹0 3339/-
कुमार ईट उद्योग	हाथ से लिखा गया पैड पर बिल		3.2.13	ईट आदि	137687	व्यापार कर नहीं काटा गया ₹03084/-
				योग	286746	6423

उक्त में सभी सामग्री स्टीमेट में अंकित मात्रा के बराबर खरीदी गयी जबकि स्टीमेट मात्रा अनुमान होता है। कार्य प्रारम्भ होने के दो माह पूर्व संपूर्ण सामग्री की खरीद बिना किसी आवश्यकता के अनियमित रही। सामग्री का भण्डारण दो माह कहां किया गया अस्पष्ट रहा।

अवर अभियंता ने आश्चर्यजनक रूप से 03.02.13 को ही सामग्री आपूर्ति की पुष्टि भी कर दी व कार्य संतोशजनक लिख है जबकि कार्य प्रारम्भ ही न था।

5- मस्टर रोलों का विवरण निम्नवत रहा-

मस्टर रोल नं0	कार्य अवधि	श्रमांश	टिप्पणी
ए-0240	1.5.13 से 15.5.13	22520/-	1- पहले श्रमांश ₹0 16520/- लिख था बाद में बढ़ाया गया। 2- मस्टर रोल जारी होने में बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं है। 4- सभी नि0अ0 एक से है।
ए-0241	16.5.13 से 30.5.13	23470/-	उपरोक्त अंकित कमांक 2 से 4 के अनुसार
ए-0292	31.5.13 से 14.6.13	25160/-	उपरोक्तानुसार

उपरोक्त अंकित टिप्पणियों के कारण मस्टर रोल काल्पनिक पाये गये। साथ ही चेक नं0 512539 से दिनांक 10.7.13 को कुल श्रमांश ₹0 71150/- का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया। श्रमिक अपनी मजदूरी अधिकतम साप्ताहिक आधार पर लेता है दो महीने वह इंतजार नहीं करेगा। उक्त के कारण भी मस्टर रोल फर्जी पाया गया।

4- कार्य के फोटोग्राफ नहीं है।

5- उपखनिजों की खरीद पर रायल्टी की रसीद नहीं ली गयी। वस्तुतः दुकानदार उपखनिजों की बिक्री के लिए अधिकृत ही नहीं है। इसीलिये उसने फार्म-16 नहीं लिया।

6- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं है।

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से शासनादेश के विपरीत कार्य का चयन किया फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0357896/- की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, ग्रा0प0अधि0, अवर अभियन्ता श्री मंगरू मिश्रा व बी0डी0ओ0 श्री बाबूराम वर्मा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही साथ ही प्रमुख क्षेत्र पंचायत की भूमिका का दायित्व अवधारण अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-103 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में जैतीपुर मार्ग से सुल्तानपुर तक खण्डजा निर्माण कार्य-

कार्य- एस0एफ0सी0, लं0-1000 मी0

प्रथम- टी0एस0- 21.4.11, लागत- 6.80 लाख

द्वितीय- टी0एस0-26.3.12 लागत- 7.42 लाख

1- प्रथम तकनीकी स्वीकृति के बाद साल भर तक कार्य प्रारम्भ ही नहीं कराया गया। पत्रावली में रास्ते में विवाद होने की टिप्पणी पायी गयी किन्तु विवाद संबंधी कोई पत्र या एफ0आई0आर0 की प्रति नहीं पायी गयी।

2- पुलिया कार्य जोड़ने व श्रमांश दर बढ़ने के कारण लागत बढ़ी।

3- जांच में पाया गया कि खण्डजा निर्माण व पुलिया निर्माण का कार्य 16.11.12 से प्रारम्भ हुआ जबकि कार्य हेतु सामग्री निम्नवत खरीदी गयी-

फर्म का नाम	बिल बुक नं0	बिल नं0	दिनांक	सामग्री विवरण	मूल्य
न्यू हसनी ब्रिक फील्ड	अंकित नहीं	200	24.5.12	8000 खण्डजा ईट	232640
सिंह स्पन पाइप	अंकित नहीं	325	26.5.12	हयून पाइप	12346
न्यू हसनी ब्रिक फील्ड	अंकित नहीं	195	31.5.12	114700 खण्डजा	332093.60
योग					577079.60

उपरोक्त से स्पष्ट है कि-

1- कार्य प्रारम्भ होने के 6 माह पूर्व सामग्री खरीदी गयी।

2- पहले खरीदी गयी खण्डजा ईटों का उपयोग किये बर्गर पुनः ईट खरीदने का कोई औचित्य न था।

3- उक्त खरीद पर नियमानुसार व्यापार कर रु0 12927/- की कटौती न कर शासकीय कोश को क्षति पहुंचायी गयी।

4- पुलिया निर्माण में सीमेण्ट प्रयोग होगी जो कय नहीं हैं।

5- उक्त कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल का विवरण निम्नवत रहा-

क्रमांक	मस्ट्रोल नं0	कार्य अवधि	क्रमांश	मिस्त्री	श्रमिक की क्रमांक दर	हस्ताक्षर की तिथि
1	0228	12.5.12 से 31.5.12	35000/-	एक भी नहीं	125/-	सभी एल.टी. आई.
2	0229	17.5.12 से 31.5.12	32250/-	एक भी नहीं	125/-	सभी एल.टी. आई.
3	0230	20.5.12 से 31.5.12	21500/-	एक भी नहीं	125/-	सभी एल.टी. आई.
4	04748	02.12.12 से 08.12.12	16650/-	05	125/-	सभी एल.टी. आई.
5	04747	06.11.12 से 01.12.12	34700/-	05	125/-	सभी एल.टी. आई.
6	01864	20.5.13 से 3.6.13	25720/-	05	125/-	सभी एल.टी. आई.

योग			165820 / —			

उपरोक्त से स्पष्ट है कि—

- 1— श्रमांश दर में ₹0 5/— प्रतिदिन की दर से अधिक भुगतान क्रमांक 1 से 3 में किया गया जो कि 3550/— होता है।
- 2— मार्ग समतलीकरण /मिटटी कार्य 31.5.12 तक चला/जबकि 7 माह पूर्व सामग्री माह मई में ही क्रय कर ली गयी।
- 3— 8.12.12 के बाद 5 माह तक कार्य बंद रखने का कोई औचित्य न था।
- 4— सभी नि0अ0 तक समान पाये गये।
- 5— क्रमांक 6 पर अंकित मस्ट्रोल का भुगतान ₹0 4285/— सामग्री मूल्य समायोजित करते हुए चेक सं0 512535 से दिनांक 10.7.13 को ₹0 214350 किया गया। कौन सी सामग्री मूल्य समायोजित हुआ अस्पष्ट रहा।
- 6— 1.12.12 के बाद 5 माह कार्य क्यों बंद रहा अस्पष्ट रहा।
- 7— 31.5.12 के बाद 7 माह बाद कार्य कराने का औचित्य अस्पष्ट रहा।
- 8— कार्य के फोटोग्राफ नहीं हैं।
- 9— कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं हैं।

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्मों से मिलकर फर्जी कार्य कराना दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन ₹0 738615/— की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी/ग्रा0पं0अधि0 श्री धर्मेन्द्र मिश्र खण्ड विकास अधिकारी, श्री बाबूराम वर्मा, अवर अभियंता, श्री मंगरू मिश्रा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही साथ ही प्रमुख क्षेत्र पंचायत की भूमिका की जांच कर दायित्व अवधारण अपेक्षित है।
प्रस्तर सं0-104 क्षेत्र पंचायत का नाम—**तिलहर**, जनपद— **शाहजहाँपुर** वर्ष 2012-13 में **कमलापुर में सत्यपाल मास्टर साहब के मकान से गली के आखिर तक नाली निर्माण—**

टी0एफ0सी0-लागत ₹0 — 345, लं0- 40 मी0

उक्त कार्य की पत्रावली जांच में पाया गया कि—

- 1— शासनादेश सं0 2566/33-3/2010-142/2010 दिनांक 23.12.2010 के विपरीत कार्य पाया गया।
- 2— कार्य का चयन शासनादेश के विपरीत रहा।
- 3— कोटेशन मांग पत्र जारी न होने के बाद भी तीन कोटेशन प्राप्त हुए।
- 4— कार्य 15.6.2013 से प्रारम्भ होकर 21.6.13 को समाप्त दर्शित है जबकि उक्त कार्य के लिए सामग्री खरीद निम्नवत है—

फर्म का नाम	बुक नं0	बिल नं0	दिनांक	सामग्री खरीद विवरण	मूल्य
न्यू हसनी ब्रिक फील्ड	अंकित नहीं	303	22.2.13	ईट व रोड़ी क्रय	12394
शब्बीर एण्ड संस	12 हाथ से लिख गया	47 हाथ से लिख गया	23.2.13	सीमेंट आदि	15179.57

उक्त से स्पष्ट है कि—

- 1— कार्य प्रारम्भ होने के 4 माह पूर्ण बिना आवश्यकता के सामग्री खरीद की गयी। कारण अस्पष्ट रहा।
- 2— न्यू हसनी ब्रिक फील्ड का बिल फर्जी है क्योंकि क्रमांक 303 का बिल 22.2.13 को जारी है तथा इसी मार्ग के सी0सी0 रोड़ निर्माण में क्रमांक 71 नं0 का बिल 20.2.13 को जारी है साथ ही 195 क्रमांक का बिल 31.5.1991 जारी है। बिल बुक नं0 भी नहीं है।
- 3—मैसर्स शब्बीर एण्ड संस के बिल पर बुक नं0 व बिल नं0 हाथ से लिखा गया, जो स्वयं स्पष्ट करता है कि बिल फर्जी है।
- 4— प्रयुक्त मस्ट्रोल क्रमांक बी-4726 के अनुसार कार्य दिनांक 15.6.13 से 21.6.13 के मध्य हुआ। उक्त मस्ट्रोल में लगे नि0अ0-एक से है तथा कुछ उगलियों से बनाये प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त मस्ट्रोल में उपस्थिति प्रतिदिन अंकित न कर एक बार में अंकित की गयी है। उपरोक्त से मस्ट्रोल स्वयं संदिग्ध है।
- 5— कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं हैं।
- 6— कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं है।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप फर्मी से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 33954/- की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी/ग्रा0पं0अधि0 श्री प्रतिपाल, खण्ड विकास अधि0 श्री बाबूराम वर्मा व अवर अधि0 श्री मंगरू मिश्रा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही साथ ही प्रमुख क्षेत्र पंचायत का दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-105 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में **कमलापुर में सत्यपाल मास्टर के मकान से गली के आखरी छोर तक सी0सी0 रोड का निर्माण-**

टी0एफ0सी0, लागत रु0-2.99, लाख रु0- 100 मी0

उक्त कार्य की पत्रावली जांच में पाया गया कि-

1- आपत्ति/कार्य बिन्दु 5 में उक्त मार्ग की लम्बाई मात्र 40 मी0 अंकित है। 100 मी0 लम्बाई कैसे संभव हुई अस्पष्ट रहा।

2-शासनादेश सं0 2566/33-3/2010-142/2010 दिनांक 23.12.2016 के अनुसार उक्त कार्य पर व्यय अनियमित रहा।

3- शासनादेश के अनुसार कार्य का चयन गलत रहा।

4- उक्त कार्य 2.6.2013 से प्रारम्भ होकर 26.6.13 तक पूर्ण हुआ दर्शित है। जबकि सामग्री खरीद निम्नवत रही।

फर्म का नाम	बुक नं0	बिल नं	दिनांक	सामग्री विवरण	मूल्य
न्यू हसनी ब्रिक फील्ड	अंकित नहीं	71	20.2.13	ईट क्रय व रोड़ी	55574.40
शब्बीर एण्ड संस	12 हाथ से लिखा गया	13 हाथ से लिखा गया	20.2.13	सीमेंट मौरंग आदि क्रय	188322/-
				योग	243896.40

उक्त में पाया गया कि-

1- कार्य प्रारम्भ होने के 4 माह पूर्व बिना आवश्यकता के सामग्री खरीद की गयी। रायल्टी की रसीद नहीं है। व्यापार कर नहीं लिया।

2- न्यू हसनी ब्रिक फील्ड के बिल पर बुक नं0 अंकित नहीं हैं तथा मै0 शब्बीर एण्ड संस के बिल पर बुक नं0 व बिल नं0 अनियमित रूप से हाथ से लिखा गया है। उक्त बिलों के फर्जी होने के संबंध में पूर्ण आपत्ति में विवरण अंकित हैं।

5- प्रयुक्त मस्ट्रोल विवरण निम्नवत है-

म0 नं0	कार्य अवधि	कमांश	आपत्ति
बी-4720	2.6.13 से 17.6.13	27970/-	1- सभी नि0अ0 हैं जो एक समान हैं। 2- नियमों के विपरीत श्रमिकों की उप0 प्रतिदिन अंकित न कर एक दिन में भरी गयी।
बी-4724	18.6.13 से 26.6.13	15430/-	उपरोक्तानुसार
योग		43400/-	

उपरोक्त अंकित विवरण से स्पष्ट है कि मस्ट्रोल फर्जी बनाये गये हैं।

6- बिना मिक्सर मशीन के सी0सी0 रोड का निर्माण संभव नहीं है जबकि इस शीर्ष में व्यय शून्य है।

7- कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं हैं।

8- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं है।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप फर्मी से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 287296.40/- की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री प्रतिपाल, ग्रा0पं0अधि0, खण्ड विकास अधि0 श्री बाबूराम वर्मा व अवर अधि0 श्री मंगरू मिश्रा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही साथ ही प्रमुख क्षेत्र पंचायत की भूमिका भी जांचकर दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

निष्कर्ष-

उपरोक्त अंकित आपत्तियों में सामान्य रूप से पाया गया कि-

1- कार्यों का चयन नियमानुसार न कर प्रमुख क्षेत्र पंचायत व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया है।

2- नियमानुसार व शासनादेश संख्या 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23.12.10 के बिन्दु-7 के अनुरूप कार्ययोजना का पूर्ण अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से नहीं कराया गया।

3- नियमानुसार राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग या अन्य धन से कराये जाने वाले कार्य निर्माण समिति की देखरेख में कराये जाने थे। किन्तु इकाई द्वारा एकाधिकार रखने के लिये विधि द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन किया गया एवं किसी भी समिति को सक्रिय नहीं किया।

4. कराये जाने वाले कार्यों का चयन शासनादेश सं० 8307/33-2-2004-93 जी०/2004 दिनांक 12.1.05 के अनुरूप दो या दो से अधिक गांवों से जोड़ने वाले का चयन न कर गांवों के अंदर के चयनित किये गये। अधिकांश कार्यों में ग्राम पंचायत में लगे खंडजे के ऊपर बिना अनापत्ति के सी०सी० रोड बनवायी गयी।

5. शासनादेश संख्या 1719/33-3/2010-48/2007 दिनांक 31.9.10 व शासनादेश सं० 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23.12.10 के द्वारा जारी मार्ग निर्देशानुसार राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग के धन का उपयोग नहीं किया गया।

6. फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर भुगतान- अनापत्ति मस्टर रोल योजनाबद्ध रूप से फर्जी व काल्पनिक रूप से तैयार कर पत्रावलियों में संलग्न किये गये हैं और इकाई प्रभारी (बी०डी०ओ०) द्वारा सम्यक जांच किये बगैर भुगतान किया गया है।

मस्टर रोल पर मजदूरों की उपस्थिति प्रतिदिन अंकित न कर एक बार में अंकित की गयी है। कतिपय मस्टर रोल में एक ही तिथि में एक ही श्रमिक/मिस्त्री भिन्न स्थानों पर कार्यरत दर्शित है, धन प्राप्ति की पुष्टि में मजदूरों के सभी मास्टर रोलों में निशानी अंगूठे लगे हैं जो एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते हैं। यह भी पाया गया कि कतिपय निशानी अंगूठे, उंगलियों के हैं न कि अंगूठे के। इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके फर्जी मस्टर रोल तैयार कर व भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये कार्य प्रभारी श्री प्रतिपाल अवर अभियंता श्री मंगरू मिश्रा लेखाकार श्रीअनुप कुमार द्विवेदी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री मुरारी लाल ब्लाक प्रमुख से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही है।

7. मात्र कच्चे माल बिल लेकर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्जी का भुगतान कर अपहरण- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावलियों में पाया गया कि समस्त फर्मों के बिल कच्चे बिल/कैश मेमो/लेटर पैड पर है एक भी बिल टैक्स पैड बिल न था। फर्म द्वारा कोई आमद/उपभोग का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि फर्मों की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर योजनाबद्ध तरीके से धन का अपहरण किया गया है। अतएव फर्मों द्वारा जारी किये गये प्रमाणकों/बिलों की जांच इनके बिक्री रजिस्टर/दाखिल रिटर्न व्यापार कर एवं आयकर आदि के आलोक में करते हुए विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। आश्चर्यजनक रूप से किसी फर्म द्वारा फार्म-16 की मांग तक नहीं की गयी।

8. उपखनिजों पर रॉयल्टी की कटौती न करना और न ही रवन्ना (फार्म एम०एम० -11) लेना- इकाई द्वारा उपखनिजों की खरीद पर शासनादेश संख्या 3981/77-5-200-1(216) 93 दिनांक 5.8.2002 एवं रा०वि०का० नि०-5-1712(1) 11-2000-500 (डब्ल्यू-29) 2006 दिनांक 02.5.2016 के अनुसार बिल भुगतान पूर्व न तो रवन्ना (फार्म एम०एम० -11) लिया गया और न ही रॉयल्टी कटौती की गयी जिसके कारण शासकीय कोश की क्षति हुई है।

9. उपखनिजों आपूर्ति करने वाली फर्मों का निबंधन प्रमाण पत्र नहीं लिया। जबकि कय पूर्व यहा जाँचना आवश्यक था कि फर्म उपखनिज बेचने के लिए अधिकृत हैं भी या नहीं।

10. जिन कार्यों पर मिटटी ढुलाई का भुगतान है उनमें यह स्पष्ट नहीं है कि मिटटी कहां से आयी हैं और मिटटी मूल्य किसने किसको और कितना भुगतान किया।

11. कतिपय स्टीमेटों में से 2 किमी० दूर से मिटटी लाने व कॉर्टेज का प्राविधान किया गया किन्तु एक या दो किमी० दूर मिटटी खदान कहां है, स्पष्ट नहीं किया गया।

12सी०सी० रोड निर्माण के स्टीमेटों में कच्चे मार्गों एवं खंडजे के ऊपर समान रूप से 10 सेमी० मोटी सी०सी० रोड ढुलाई का प्राविधान किया गया एवं तदानुसार व्यय किया गया है, जबकि खंडजे पर 7 से 7.5 सेमी० मोटी सी०सी० रोड निर्माण होता है अन्यथा खंडजे पर लगी ईट उखड़वा लेना चाहिए था।

खंड विकास अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा बिना तिथि अंकित हस्ताक्षर करना-पत्रावलियों में खंड विकास अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों ने जानबूझ के विपरीत अपने हस्ताक्षर के नीचे अंकित नहीं की है, जोकि स्वयं अति गम्भीर है।

12:- कार्यों का नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं है।

13:- पत्रांको में हेरा -फेरी की गयी है।

इस प्रकार योजनाबद्ध रूप से कुल रु01710816/-00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री राजेश कुमार अवर अभियंता श्री मंगरु मिश्रा लेखाकार श्रीअनुप कुमार द्विवेदी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री मुरारी लाल ब्लाक प्रमुख से समान रूप से ब्याज सहित वसूली करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही है।

2013-2014

प्रस्तर सं0-106 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में हाजीपुर में गयादीन के मकान से खडकरी रोड तक सोलिंग कार्य-

एस0एफ0सी0, लं0-200 मी0, स्टी0-1.56 लाख

1- कार्य का चयन शासनादेश के अनुसार नहीं है।

2- कार्यालय पत्रांक सी0-317 दिनांक 16.5.2012 से श्री बृजेश कुमार ग्रा0पं0अधि0 को कार्य प्रभारी बनाया गया तथा पत्रांक सी0-317 दिनांक 22.5.2012 से एम/एस न्यू हसनी ब्रिक फील्ड के कोटेशन को स्वीकृति दी गयी।

3- प्रस्तुत मस्टर रोल के अनुसार कार्य 15.5.13 से प्रारम्भ होकर 13.3.2013 को समाप्त हुआ, जबकि खण्डजा ईट की खरीद निम्नवत की गयी है-

फर्म का नाम	बिल नं0	बुक नं0	दिनांक	मात्रा ईट	मूल्य	भुगतानचेक नं0 दिनांक
न्यू हसन ब्रिक फील्ड	196	अंकित नहीं	4.5.2012	25000	72700	680233 दिनांक 25.05.2012
न्यू हसन ब्रिक फील्ड	191	अंकित नहीं	31.5.2012	13900	40421	680239 दिनांक 02.06.2012
योग					113121	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि-

1- फर्म के बिल फर्जी हैं क्योंकि क्रमांक 196 दिनांक 04.05.2012 को जारी है जबकि क्रमांक 191 का 31.5.2012 को जारी है। साथ ही दोनों बिलों पर बुक नं0 का अंकन नहीं है।

2- कार्य प्रारम्भ होने के एक वर्ष पूर्व सामग्री खरीद का कोई औचित्य नहीं बनता।

3- खरीदी गयी मात्रा स्टीमेट के बराबर है जबकि स्टीमेट एक अनुमान मात्र होता है।

4- कोटेशन स्वीकृति तिथि 22.5.12 के पूर्व सामग्री आपूर्ति कैसे संभव हैं।

5- प्रयुक्त मस्टर रोल क्रमांक ए-0244 व ए-0245 में दर्शित श्रमांश रु0 36020 का भुगतान 10.7.2013 को चेक नं0 512536 से किया गया है। मस्टर रोलों में अंकित सभी नि0अ0 एक दो व्यक्तियों द्वारा बनाये प्रतीत होते हैं तथा श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न लेकर एक बार में भरी गयी हैं। जिससे स्वतः स्पष्ट है कि मस्टर रोल फर्जी बनाया गया है।

6- फोटोग्राफ नहीं है।

7- 15.6.13 को निरीक्षण कर जारी कार्यपूति प्रमाण पत्र में कार्य प्रारम्भ तिथि 16.5.2012 अंकित है जो गलत है।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु0 149141/- की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी/ग्रा0पं0अधि0 श्री बृजेश कुमार अवर अभियंता श्री मंगरु मिश्रा व खण्ड विकास अधि0 श्री बाबूराम वर्मा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही साथ ही प्रमुख क्षेत्र पंचायत की भूमिका भी जांचकर दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-107 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में रानी खिरिया के ग्राम पिपरा में बहोरे के मकान से तालाब तक पक्की नाली निर्माण-

टी0एफ0सी0, लं0-100मी0, लागत-0.81 लाख

1- कार्य का चयन शासनादेश सं0 8307/33-3-2004-93 जी/2004 दिनांक 12.01.5 के विपरीत रहा।

2- तेरहवें वित्त आयोग के धन के उपयोग संबंधी गाइड लाइन शासनादेश सं0 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23.12.10 के विपरीत धन व्यय किया गया।

3- उक्त कार्य हेतु सामग्री खरीद निम्नवत दर्शित है-

फर्म का नाम	बुक नं०	बिल नं०	दिनांक	सामग्री विवरण	मूल्य
ख्वाजा नवाज ब्रिक फील्ड	अंकित नहीं	02	26.5.13	ईट आदि	31803
गुप्ता बिल्डिंग मैटेरियल	9	19	28.5.13	सीमेंट मौरंग आदि	29772
योग					61575

ख्वाजा नवाज ब्रिक फील्ड के बिल में बुक नं० का अंकन नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त द्वारा बिल नं० 02/86 दिनांक 25.4.13 के तथा 86 दिनांक 22.5.13 को जारी हैं। उक्त से बिल फर्जी होना स्पष्ट है।

ठ. गुप्ता बिल्डिंग मैटेरियल से उप खनिजों की खरीद पर जमा रायल्टी की रसीद (एम.एम.-11) नहीं ली गयी और न ही व्यापार कर की कटौती की गयी।

4- उक्त कार्य का मस्ट्रोल नहीं है यद्यपि कि दिनांक 4.9.14 को चेक नं० 373968 से रू० 10270/- श्रमांश का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है।

कोई श्रमिक सवा साल तक भुगतान का इंतजार नहीं करेगा। स्पष्ट है कि यदि कोई मस्ट्रोल हो भी तो वह फर्जी ही होगा।

5- खण्ड विकास अधिकारी ने अपने कार्यालय पत्रांक 1113-14 दिनांक 9.10.13 को प्रभारी को कार्य पूर्ण कराकर मापांकन कराने का निर्देश जारी किया था। स्पष्ट है कि 9.10.13 तक सामग्री का उपयोग नहीं हुआ था।

6 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं है।

7- फोटोग्राफ नहीं है।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रू० 71845/- की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र मिश्र ग्रा०पं०अधि०, अवर अभि० श्री मंगरू मिश्रा व खण्ड विकास अधि० श्री बाबूराम वर्मा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही साथ ही प्रमुख क्षेत्र पंचायत की भूमिका भी जांचकर दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-108 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में **मेन रोड से बुधई अक्का रोड से मुंशीलाल के खेत के पास पुलिया निर्माण-**

टी०एफ०सी०, स्टी०-1.71 लाख

उक्त की पत्रावली की जांच में पाया गया कि-

1- कार्य का चयन शासनादेश के विपरीत रहा।

2- टी०एफ०सी० के धन से उक्त कार्य कराना शासनादेश के विपरीत रहा।

3- कोटेशन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रही।

4- प्रश्नगत कार्य हेतु सामग्री खरीद निम्नवत रही-

फर्म का नाम	बुक नं०	बिल नं०	दिनांक	सामग्री विवरण	मूल्य
ख्वाजा गरीब ब्रिक फील्ड	अंकित नहीं	86	22.5.13	ईट आदि	55728
गुप्ता बिल्डिंग मैटेरियल	9	12	22.5.13	सीमेंट मौरंग आदि	23550
सिंह स्पन पाइप	8	374	20.5.13	हयूम पादप	5776.03
योग					85054.03

उक्त में-

1. ख्वाजा गरीब नवाज ब्रिक फील्ड के बिल फर्जी होने के संबंध में पूर्व आपत्ति में टिप्पणी की जा चुकी है।

ठ. गुप्ता बिल्डिंग मैटेरियल के बिल से व्यापार कर की कटौती न लिया जाना तथा उपखनिजों के संबंध में रायल्टी की रसीद (एम.एम.-11) न लेना पूरी खरीद को संदिग्ध करता है।

5- उक्त कार्य पर प्रयुक्त मस्टर रोलों का विवरण निम्नवत रहा-

एम.आर. नं०-241-18.5.13 से 23.5.13-7140-सभी नि०अ०

एम.आर. नं०-242-10.12.13 से 20.12.13-1823-सभी नि०अ०

भुगतान चेक नं० 681287 से दिनांक 28.1.14 को रू० 24110/- (रू० 1260/- ईट मूल्य काटकर)
उक्त में-

1.मस्टर रोलों में सभी नि०अ० एक व्यक्ति द्वारा बनाये प्रतीत होते हैं।

ट.श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन अंकित न कर एक बार में भरी गयी है।

इ.दिनांक 18.5.13 से 23.5.13 कार्य अवधि के श्रमिकों के श्रमांश का भुगतान 8 माह बाद करना दर्शित है जो फर्जीबाड़े को स्पष्ट करता है क्योंकि श्रमिक अधिकतम साप्ताहिक आधार पर मजदूरी लेते हैं।

क.7 माह तक काम बंद रहने का कारण अस्पष्ट रहा। 7 माह सामग्री कहां पड़ी रही स्पष्ट नहीं किया गया।

6-कार्य की नियमानुसार फोटो नहीं हैं।

7-कार्य की कार्यपूर्ति नहीं हैं।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रू० 162413/- की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री जयप्राकश ग्रा०पं०अधि०, अवर अभि० श्री मंगरू मिश्रा व खण्ड विकास अधि० श्री बाबूराम वर्मा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही साथ ही प्रमुख क्षेत्र पंचायत की भूमिका भी जांचकर दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-109 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में वि०ख० परिसर के कार्यालय एवं खण्ड विकास अधि० आवास की मरम्मत एवं पुर्वाई कार्य-

एस०एफ०सी०, स्टी०-3.00 लाख

उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि-

1- कार्यालय पत्रांक सी०-258 दिनांक 10.05.2013 से श्री सुधीर चौधरी स्टोर कीपर/कैशियर को कार्य प्रभारी बनाया जाना अनियमित रहा जो पहले ही खण्ड वि०अधि० के आवास की पुर्वाई के नाम रू० 25000/- दिनांक 02.06.2012 को लेकर हड़प चुका था। (चेक नं० 680235)

2- कोटेशन प्राप्ति प्रक्रिया दोषपूर्ण रही।

3- उक्त कार्य हेतु सामग्री खरीद बिना आवश्यकता के निम्नवत् की गयी जबकि कार्य 22.8.13 से प्रारम्भ होकर 14.6.14 तक हुआ-

फर्म का नाम	बुक नं०	बिल नं०	दिनांक	सामग्री विवरण	मूल्य
शब्बीर एण्ड संस	अंकित नहीं	04	15.6.13	सीमेंट लकड़ी, फ्रेम फिटिंग आदि	125884.60
साबरी ब्रिक फील्ड	अंकित नहीं	122	15.6.13	ईट आदि	63738.00
आजम पेन्ट स्टोर	03	286	15.6.13	पेंट आदि	50758.00
योग					240380.60

उक्त में- 1.नियमानुसार बुक नं० अंकित न होना बिल को स्वयं संदिग्ध करता है।

ट.एवं सा० न बिना आवश्यकता के पेंट आदि खरीदना आपत्तजनक रहा।

4- कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोलों का विवरण निम्नवत् रहा है-

मस्टर रोल नं०	कार्य अविध	श्रमांश	भुगतान तिथि व चेक नं०
0255	22.08.13 से 30.08.13	16640/-	चेक नं० 373456
0256	1.9.13 से 15.9.13	22040/-	दिनांक 22.5.14
0257	16.9.13 से 25.9.13	11360/-	रू० 59490/-
0254	02.06.14 से 14.06.14	24960/-	अवशेष सामग्री हटाकर

उक्त से स्पष्ट है कि-

1.दो माह पूर्व बिना आवश्यकता के सामग्री खरीद हुई।

ट.सभी नि०अ० हैं एवं एक से है।

अगस्त-13 से सितम्बर-13 में कार्य किये मजदूरों को श्रमांश का भुगतान 7 माह बाद किया गया है, जो स्वयं स्पष्ट करता है कि मस्टर रोल फर्जी है क्योंकि कोई श्रमिक एक सप्ताह से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता।

25.9.13 के बाद 9 माह तक कार्य क्यों बंद रहा अस्पष्ट रहा।

मस्टर रोल क्रमांक 0254 में कार्य अवधि 2.6.14 से 14.6.14 है जबकि भुगतान लगभग 1 माह पूर्व है। जो संभव नहीं हैं।

निम्न फर्मों को सामग्री वापसी दर्शित है—

शब्बीर एण्ड संस — 7291 /—

अजय पेन्ट — 4813 /—

साबरी ब्रिक — 3406

योग — 15510

कौन-कौन सामग्री वापस की गयी, का कोई विवरण नहीं है। किसकी अनुमति से स्पष्ट नहीं है। स्टीमेंट के अनुसार एक मुश्त सामग्री खरीद का कोई औचित्य व आवश्यकता न थी। लगभग एक साल तक सामग्री कहाँ रही, अस्पष्ट रही।

6— पेन्टिंग का कार्य सबसे बाद होता है किन्तु सामग्री खरीद 15.06.13 को क्यों की गयी, अस्पष्ट रहा।

7— कार्य प्रारम्भ व समाप्ति के फोटोग्राफ नहीं हैं।

8— कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं हैं। खण्ड विकास अधिकारी के आदेश पत्रांक 1111-12 दिनांक 09.13 के बाद भी न तो समय से कार्य पूर्ण किया गया और न ही मापांकन करवाया गया।

9— पेटिंग हेतु रेगमाल, ब्रुश, लोहे की पत्ती आदि की आवश्यकता होती है, किन्तु उक्त सामग्री खरीदी ही नहीं गयी।

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है, इसीलिये फर्मों के बिलों से न तो व्यापार कर की कटौती की गयी और न ही रायल्टी की रसीद (एम.एम. 11) लिया गया।

अतः अपहरित धन रु0 299871.00 /— की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री सुधीर चौधरी कैशियर/स्टोर कीपर, अवर अभियंता श्री मंगरू मिश्रा व श्री संजय कुमार तथा खण्ड विकास अधि0 श्री बाबूराम वर्मा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही साथ ही प्रमुख क्षेत्र पंचायत का दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-110 क्षेत्र पंचायत का नाम—तिलहर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में **मरक्का रोड पर आशाराम के खेत के पास 1000एम.एम. एन.पी.3 पुलिया निर्माण—**

टी0एफ0सी0, लागत—2.36 लाख

कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि—

1— कार्य पर तेरहवें वित्त आयोग के धन का प्रयोग शासनादेश संख्या 2566/33-3-2010-142 दिनांक 23.12.07 के विपरीत रहा।

2— कार्य 18.05.13 से 25.05.13 व 14.09.13 से 20.09.13 तक चलना दर्शित है, जबकि सामग्री खरीद निम्नवत दर्शित है—

फर्म का नाम	बुक नं0	बिल नं0	दिनांक	मात्रा ईट	मूल्य
गरीब नवाज ब्रिक फील्ड	02	80	24.5.13	ईट खरीद	79200 /—
गुप्ता बिल्डिंग मैटेरियल	09	20	24.5.13	सीमेंट मौरंग आदि	33132 /—
सिंह स्पन पाइप	8	376	24.5.13	हयूम पाइप	86647 /—
योग					198979 /—

उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि—

1. बिना आवश्यकता के स्टीमेंट के अनुसार सामग्री खरीदी गयी।

2. व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी।

3. उपखनिजों की खरीद पर न तो रायल्टी कटौती की गयी और न ही जमा रायल्टी की पुष्टि में रवन्ना (एम.एम.-11) लिया गया।

3— प्रयुक्त मस्टर रोलों का विवरण निम्न रहा—

ए0-0249-18.5.13 से 25.5.13 - 14870 - सभी नि0अ0
ए0-0250-14.09.13 से 20.09.13 - 12200- सभी नि0अ0
योग - 27070/-

भुगतान चेक नं0 373967 से दिनांक 14.9.2014 को हुआ।

उक्त में-

1.मस्टर रोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति नियमों के विपरीत एक बार में भरी गयी हैं।

ट.सभी नि0अ0 एवं दो लागों द्वारा बनाये प्रतीत होते हैं।

द.मस्टर रोल क्रमांक 0250 में कार्य 20.9.13 तक होना अंकित है जबकि भुगतान 14.09.2018 को करना अंकित है जो संभव नहीं है।

क.मस्टर रोलों पर कार्य का नाम अंकित नहीं है व खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

म.मस्टर रोल में नि0अ0 प्रमाणित नहीं है।

4- कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं है।

5- कार्य 05.05.13 के बाद 3 1/2 माह क्यों बंद रहा, अस्पष्ट रहा। सामग्री 3 1/2 माह कहाँ रही अज्ञात रहा।

6- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं हैं।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 226049/- की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री जय प्रकाश मिश्रा ग्रा0पं0अधि0, अवर अभि0 श्री मंगरू मिश्रा व, खण्ड विकास अधि0 श्री बाबूराम वर्मा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही साथ ही प्रमुख क्षेत्र पंचायत का दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-111 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में चौडेरी में गांव के एम आर तर तालाब के किनारे खण्डजा निर्माण-

टी0एफ0सी0, लं0- 150×3.30 मी0², स्टी0- 1.38 लाख

उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि-

क- कार्य का चयन शासनादेश के अनुरूप गांवों को जोड़ने वाले कार्य न कर नियमों के विपरीत किया गया।

ख- तेरहवें वित्त आयोग के धन का प्रयोग शासनादेश संख्या 2566/33-3-2010/2010-142 दिनांक 23.12.10 के विपरीत किया गया।

ग- उक्त कार्य हेतु सामग्री के खरीद हेतु की गयी कोटेशन प्रक्रिया दोषपूर्ण रही।

घ- उक्त कार्य हेतु सामग्री खरीद निम्नवत रही-

एम0/एस0 ख्वाजा गरीब नवाज ब्रिक फील्ड-2/90 दिनांक 26.5.13-117450- (ईट मात्रा 2900 दर 4050)

उक्त खरीद स्टीमेट के अनुरूप है एवं बिना आवश्यकता के एक मुश्त की गयी है। उक्त फर्म के बिल फर्जी होने के सम्बन्ध में पूर्व में विवरण अंकित हैं।

नियमानुसार व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी।

ड- कार्य के मस्टर रोल जिसमें श्रमांश रू0-16100-दर्शित है, में-

1.कार्य अवधि का अंकन नहीं हैं।

ट.मजदूरों का पता अंकित नहीं है।

द.कार्य प्रभारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

क.मस्टर रोल जारी करने की पुष्टि में बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं हैं।

म.उपस्थिति एक बार में भरी है तथा अंगूठे नि0 एक समान हैं।

च- खण्ड वि0अधि0 के आदेश पत्रांक 1115-16 दिनांक 09.10.13 के बाद भी कार्यपूर्ण कर एम0बी0 प्रस्तुत नहीं की गयी जबकि अंतिम भुगतान चेक नं0 373966 दिनांक 04.09.14 से हुआ है। श्रमांश का भुगतान एक वर्ष बाद हुआ है।

छ- फोटो व कार्यपूर्ति नहीं है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 133550/- की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री जय प्रकाश मिश्र

ग्रा०प०अधि०, अवर अभि० श्री मंगरू मिश्रा व श्री संजय कुमार व खण्ड विकास अधि० श्री बाबूराम वर्मा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही साथ ही प्रमुख क्षेत्र पंचायत का दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-112 क्षेत्र पंचायत का नाम—तिलहर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में वर्ष आलोच्य 2011-12 से 2013-14 में उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार निम्न विवरणानुसार मूल्य की सामग्री क्रय की गयी किन्तु नियमानुसार व्यापार कर और वैट टैक्स की कटौती न कर शासकीय कोश की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व लेखाकार श्री सुनील कुमार अग्रवाल व कार्यरत रहे खण्ड विकास अधिकारियों का है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण इस प्रकार है—

क्र०सं०	वर्ष	कुल खरीदी गयी सामग्री का मूल्य	वाजिब कर/वैट	एम आर तरदायी
1	2011-12	2261962	46144	श्री सुनील कुमार अग्रवाल लेखाकार एवं खण्ड वि०अधि० श्री मुरारी लाल श्री एम० लाल व श्री बाबूराम वर्मा कार्यकालानुसार
2	2012-13	1969933	40178	
3	2013-14	1690038	34477	
		3138642	246354	

प्रस्तर सं०-113 क्षेत्र पंचायत का नाम—तिलहर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में वर्ष आलोच्य में निम्न विवरण के अनुसार उपखनिजों की खरीद की गयी। उक्त खरीद पर शासनादेश सं० 3981/77-5-200-1(216) 93 दि० 5.8.2002 एवं रा०वि०का०नि०-5-1712 (1) 11-1712 (1)-200-500 (डब्ल्यू-ख) 2006 दि० 2.5.2006 के अनुसार बिलों के भुगतान पर न रायल्टी जमा की पुष्टि में रवन्ना लिया गया और न ही रायल्टी की कटौती की गयी जिससे राजकोश को क्षति हुई विवरण एवं दायित्व निम्नवत रहा—

क्र०सं०	वर्ष	कुल खरीद		सूटो/बैलास्ट	वाजिब रायल्टी	उत्तरदायी व्यक्ति
		मौरंग	बालू			
1	2011-12	85.22	112.94	40.32	10061/-	श्री सुनील कुमार अग्रवाल लेखाकार एवं खण्ड वि०अधि०
2	2012-13	124.93	182.79	31.52	13647/-	
3	2013-14	206.73	147.75	158.14	27828/-	
योग					51536/-	

किसी फर्म से लाइसेंस शुदा होने का प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया।

अतः शासकीय कोश को पहुँचायी गयी क्षति रु० 51536/- की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री सुनील कुमार अग्रवाल, खण्ड विकास अधिकारी श्री मुरारी लाल, श्री एम० लाल व श्री बाबूराम वर्मा से (कार्य अवधि अनुसार) करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं०-114 क्षेत्र पंचायत का नाम—तिलहर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांग के बावजूद निम्न विवरणानुसार संगत वर्षों के अभिलेख/प्रमाणक ले०प० में प्रस्तुत नहीं किये गये। पाया गया कि चार्ज हस्तांतरण नियमानुसार नहीं हुआ है। उक्त के लिए तत्कालीन लेखाकार श्री सुनील कुमार अग्रवाल व खण्ड विकास अधिकारी श्री मुरारी लाल, श्री एम० लाल व श्री बाबूराम वर्मा उत्तरदायी हैं। अभिलेख न होने पर उक्त से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

2011-12 — 436624/-

2012-13 — 110104/-

2013-14 — 729948/-

1276676/-

10— इकाई अभिलेखों के निरीक्षण किये जाने की पुष्टि में कोई निरीक्षण रिपोर्ट या पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न थी, फलस्वरूप विभागीय अनुश्रवण की स्थिति अज्ञात रही। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित रही।

11— इकाई द्वारा बताया गया कि इकाई अभिलेखों का प्रतिवर्ष आंतरिक (विभागीय) लेखा परीक्षा हुई। किन्तु ले०प० रिपोर्ट प्रस्तुत न होने से तत्संबंधी तथ्य अज्ञात रहे। इतनी अधिक न्यूनताएं आंतरिक लेखा परीक्षा के बाद भी रहना आश्चर्यजनक है। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित रही।

निष्कर्ष—

उपरोक्त अंकित आपत्तियों में सामान्य रूप से पाया गया कि—

- 1— कार्यों का चयन नियमानुसार कर प्रमुख क्षेत्र पंचायत व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया है।
- 2— नियमानुसार व शासनादेश संख्या 2566/33-3-2010-142/2010 दिनांक 23.12.10 के बिन्दु-7 के अनुरूप कार्ययोजना का पूर्ण अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से नहीं कराया गया।
- 3— नियमानुसार राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग या अन्य धन से कराये जाने वाले कार्य निर्माण समिति की देखरेख में कराये जाने थे। किन्तु इकाई द्वारा एकाधिकार रखने के लिये विधि द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन किया गया एवं किसी भी समिति को सक्रिय नहीं किया।
- 4— कराये जाने वाले कार्यों का चयन शासनादेश सं० 8307/33'2-2004-93 जी०/2004 दि० 12.1.05 के अनुरूप दो या दो से अधिक गांवों को जोड़ने वाले का चयन न कर गांवों के अंदर के चयनित किये गये। अधिकांश कार्यों में ग्राम पंचायतों में लगे खण्डों के ऊपर बिना अनापत्ति के सी०सी० रोड़ बनवायी गयी।
- 5— शासनादेश सं० 1719/33-3/2010-48/2007 दि० 31.9.10 व शासनादेश सं० 2566 / 33-3-2010-142 /2010 दिनांक 23.12.07 के द्वारा जारी मार्ग निर्देशानुसार राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग के धन का उपयोग नहीं किया गया।

2014-15

क्षेत्र पंचायत—तिलहर

प्रस्तर सं०-115 क्षेत्र पंचायत का नाम—**तिलहर**, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में धनेला में मुख्य मार्ग से प्रयागदास के घर तक सी०सी० रोड़ व नाली निर्माण—

एस०एफ०सी० 100मी० लागत— 4.86 लाख उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न यूनताएं प्रकाश में आयी—

- (1) कार्य के विभिन्न पत्रों में नियमित पत्रांकों का प्रयोग न कर मेमों से जारी किये गये हैं।
- (2) मार्ग पर खड़जा लगे होने के बावजूद कच्चे मार्ग की भांति नियमों के विपरीत 10 सेमी० मोटी सी०सी० रोड़ ढलाई का आगणन किया गया एवं तकनीकी स्वीकृति भी दी गयी। नियमानुसार 7 से 7.50 सेमी० मोटी ढलाई का प्रॉक्कलन बनाना था। अन्यथा की दशा में लगे ईट 19470 को उखड़ाया जाना था, जिसका मूल्य रु० 90925.00 होता है।

इस प्रकार अधिक लागत दर्शायी गयी व ईटों को दुरुप्रयोग किया गया।

- (3) ग्राम पंचायत द्वारा सृजित परिसम्पत्ति को अनाधिकृत रूप से अतिग्रस्त व हानि पहुंचायी गयी।

(4) उक्त कार्य पर निम्नवत सामग्री क्रय दर्शित है—

बी०डी०ओ०	फर्म का नाम	बुक नं०	बिल नं०	दिनांक	मूल्य	चेक नं० व दिनांक
मेमो०, दि० 20.02.15	हिरा ब्रिक फील्ड	—	13	27.02.15	117750.00	97607 दि० 02.03.15 रु० 110605.00
मेमो०, दि० 20.02.15	कृषि रक्षा केन्द्र	15	1470	28.02.15	264032.00	97606 दि० 02.03.15 रु० 248189.00
योग					381782.00	

उक्त में कृषि रक्षा केन्द्र उपखनिजों की ब्रिकी के लिए अधिकृत नहीं है।

- (5) प्रयुक्त मस्टर रोलों में विकास खण्ड से जारी होने की पुष्टि में तिथि अंकित बी०डी०ओ० के हस्ताक्षर नहीं हैं।

प्रस्तुत मस्टर रोलों का विवरण निम्नवत हैं—

मस्टर रोल नं०	कार्य अवधि	कुल श्रमांश	टिप्पणी
बी-0358	29.02.15 से 13.03.15	43524.00	1. फरवरी 28 दिन की होती है, जबकि 29 व 30/2015 को कार्य करवाना दर्शित है। 2. सभी नि०अ० एक समान हैं।

			3. एक बार में उप0 भरी है।
बी-0359	उपरोक्तानुसार	28785.00	उपरोक्त
योग		72309.00	

इस प्रकार स्वतः स्पष्ट है कि मस्टर रोल फर्जी हैं क्योंकि माह फरवरी, 2015 में 29 व 30 की तारीख नहीं होती है।

(6) चन्द्रपाल से 78-80 मी0ड मिट्टी ढुलाने पर रू0 4610.00 व्यय दर्शित है। मिट्टी कहां से खरीदा गया व किससे तथा कितना धन व्यय हुआ, अस्पष्ट है। रायल्टी रसीद नहीं है। मजदूरी व मिट्टी ढुलायी का भुगतान प्रभारी को चेक नं0-097610 दिनांक-17.03.15 को रू0 76919/- रुपये किया गया।

(7) सी0सी0 ढलायी मशीन से होती है। बिना मिक्सर मशीन सी0सी0 रोड़ निर्माण सम्भव नहीं है, जबकि प्रश्नगत कार्य पर मशीन किराये पर एक भी धन व्यय नहीं है।

(8) कार्यपूर्ति में निरीक्षण तिथि अंकित नहीं है तथा कार्य 29.02.15 से 14.03.15 तक होना अंकित है। साथ ही कार्य की लम्बाई व चौड़ाई का अंकन नहीं है।

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्वतः स्पष्ट है कि सुनिश्चित योजनानुसार फर्मों से मिलकर धन का अपहरण किया है। लेखाकार स्तर पर भी कार्य अवधि तक का अवलोकन सहभागिता के कारण नहीं किया गया।

अतः अपहरित धन रू0 458701.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री धर्मेन्द्र मिश्रा ग्रा0वि0अधि0 अवर अभियन्ता श्री संजय कुमार, लेखाकार श्री सुनील अग्रवाल व खण्ड वि0अधि0 श्री बाबूराम वर्मा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। गलत तकनीकी स्वी0 देने वाले ए0ई0डी0आर0डी0ए0 तथा प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारित अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-116 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में फीलनगर में मदनापुर जलालाबाद रोड़ पर मा0 श्री राजेश विधायक जी के पेट्रोल पम्प के बराबर में इण्टर लॉकिंग-एस0एफ0सी0, 550 मी0² स्टी-4006

पत्रावली की जांच में पाया गया कि-

(1) प्रतिवेदन में मा0 विधायक जी के पेट्रोल पम्प पर कार्य कराया जाना अंकित है। संलग्न फोटोग्राफ में भी पेट्रोल पम्प पर ही कार्य कराया जाना प्रदर्शित है।

व्यक्तिगत लाभ के कार्य कराया जाना पूर्ण तथा विधि विरुद्ध रहा।

(2) कार्य की मात्रा 550 मी0²अंकित है। यदि किसी मार्ग पर कार्य होता है ल0 व चौ0 जो अधिकतम 3 से 4 मी0 अंकित होती।

(3) कार्यालय पत्रांक-644 ए दिनांक- 03.09.2014 जो कोटेशन मांग-पत्र के अनुसार कोटेशन खुलने की तिथि 12.09.2014 थीं प्राप्त तीनों कोटेशनों में तारीख एक ही व्यक्ति द्वारा अंकित की गयी हैं तथा कोटेशन किसके द्वारा लाया गया अस्पष्ट है। सामग्री खरीद के आदेश कोटेशन खुलने की तिथि 12.09.2014 के पूर्व निम्नवत की गयी।-

आदेश मेमो-10.09.14 कृषि रक्षा केन्द्र-13/12228-14.09.14 363433.00

उक्त में जी0ए0बी0 व इण्टर लॉकिंग ईअ सम्मिलित है।

उक्त फर्म उक्त सामग्री बेचने के लिए अधिकृत नहीं है। इसी कारण रायल्टी की रसीद (फार्म-11) नहीं लिया गया और न ही रायल्टी की कटौती की गयी।

(4) उक्त कार्य हेतु मिट्टी 164.82 मी0ड ढुलाई गंगा विष्णु से रू0 8900/- में दर्शित है। उक्त के साथ रायल्टी की रसीद नहीं है और न ही यह स्पष्ट है कि मिट्टी किससे कय की गयी व कितना धन भुगतान हुआ। भुगतान प्रभारी को है।

(5) प्रथम मस्टररोल विवरण निम्नवत है-

एम0आर0ए0-12.09.2014 से 26.09.2014-30336.00

उक्त में-

(अ) कार्य अवधि 12/9 से 27/9 अंकित है जबकि कार्य अवधि 12/9 से 26/9 है।

(ब) मजदूरों के नि0अ0-14 लगे हैं जबकि मजदूर कुल 13 ही हैं। सभी नि0अ0 एक समान एक व्यक्ति द्वारा बनाये गये हैं।

(स) मजदूरों की उपस्थिति प्रतिदिन अंकित न कर एक बार में भरी गयी है।

(द) मस्टररोल पर जारी होने में बी०डी०ओ० के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही कार्य का नाम, माह व वर्ष अंकित है।

(अ) मजदूर सप्ताहिक आधार पर भुगतान प्राप्त करते हैं जबकि भुगतान डेढ़ माह बार दिनांक-18/11 को चेक नं०- 373972 से हुआ है।

(6) कार्य पूर्ति नहीं है और न ही नियमानुसार फोटोग्राफ है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि-

सुनिश्चित योजनानुसार धन का अपहरण फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 402669.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री जयप्रकाश ग्रा०वि०अधि० अवर अभियन्ता श्री संजय कुमार व खण्ड वि० अधि० श्री बाबूराम वर्मा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत की भूमिका की जांच कर दायित्व अवधारण अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं०-117 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में रुजबारी से तिलहर कुंआ डाडा सम्पर्क मार्ग रेलवे फाटक गुमटी तक मिट्टी व खडंजा निर्माण कार्य-एस०एफ०सी० 1200 मी०, स्टी० 13.13

उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि-

(1) एक ही पत्रांक सी-1778 दिनांक 30.01.14 से कार्य प्रभारी नियुक्ति व कोटेशन मांग अनियमित रूप से की गयी।

(2) टेण्डर आमंत्रित न कर कोटेशन मांग नियमों के विपरीत रहा।

(3) बिना किसी आपूर्ति आदेश से निम्नवत खडंजा निर्माण हेतु व पुलिया निर्माण हेतु सामग्री क्रम की गयी एवं कार्य करवाया।

(4) खडंजा निर्माण हेतु-

फर्म का नाम	बुक नं०	बिल नं०	दिनांक	धनराशि	वैट कटौती	टी०डी०एस०
एवन ब्रिक फील्ड	-	120	26.02.14	604500.00	-	12453.00
एवन ब्रिक फील्ड	-	124	07.09.14	470580.00	18823.00	9412.00
		102	25.08.14	69675.00	279.00	139.00
योग				1144755.00	19102.00	22004.00

उक्त में-

(1) बिल नं०-102 दिनांक-25.08.14 को तथा बिल नं०-120 व 124 क्रमशः दिनांक-26.02.14 व 07.09.2014 को बिना बुक नं० के होना, बिलों के फर्जी होने को स्पष्ट करता है।

(2) 26.02.14 को खरीदे गये। 130000 ईट के बिल से वैट के रु० 24906.00 की कटौती न करना मिलीभगत का परिणाम है।

(3) 26.02.2014 को ईट खरीद की कोई आवश्यकता न थी।

मस्टररोलों का विवरण इस प्रकार रहा-

क्रमांक	मस्टररोल नं०	कार्य अवधि	श्रमांश	नि०अ०/हस्ताक्षर
1	ए-0260	अंकन नहीं	60600.00	अ०नि० एक जैसे
2	ए-0261	अंकन नहीं	36348.00	अ०नि० एक जैसे
3	ए-0267	अंकन नहीं	55752.00	अ०नि० एक जैसे
4	ए-0264	अंकन नहीं	12948.00	अ०नि० एक जैसे
योग			165648.00	

उक्त में-

(अ) किसी मस्टररोल में कार्य अवधि अंकित नहीं है।

(ब) किसी भी मस्टररोल में मस्टररोल जारी होने में बी०डी०ओ० के हस्ताक्षर, कार्य का नाम, श्रमिकों का पता, माह व वर्ष का अंकन नहीं है।

(स) कार्य प्रभारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(द) मस्टररोल नियमानुसार प्रतिदिन न भरकर एक बार में भरे गये हैं।

(य) भुगतान चेक नं०-373970 से दिनांक-08.10.14 को रु० 163648/- किया गया है।

दिनांक 26.02.2014 को खरीद ईट श्रमांश भुगतान दिनांक 08.10.2014 के पूर्व कब प्रयुक्त हुआ अस्पष्ट है। क्योंकि श्रमिक अपनी मजदूरी अधिकतम साप्ताहिक आधार पर लेते हैं।

उक्त से मस्टररोल फर्जी होना अस्पष्ट है।

बी- दो पुलिया निर्माण-

सामग्री कय विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	फर्म का नाम	बुक नं०	बिल नं०	दिनांक	राशि/मूल्य
1	हिन्दुस्तान हयूम पाइप इण्डस्ट्रीज	अंकन नहीं	231	02.12.14	11625.00
2	शब्बीर एण्ड संस	13 (हाथ से लिखा)	20 (हाथ से लिखा)	02.12.14	9856.94
3	एवन ब्रिक फील्ड	अंकन नहीं	9	02.12.14	22206.00
	योग				43687.94

उक्त में -

(अ) हिन्दुस्तान हयूम पाइप इण्ड के बिल पर आवश्यक बुक नं० का अंकन न होना, बिल को संदिग्ध करता है।

(ब) मै० शब्बीर एण्ड संस के बिल पर बुक नं० व बिल नं० हाथ से लिखा होना, बिल को फर्जी होना सिद्ध करता है।

(स) एवन ब्रिक फील्ड के बिल पर बुक नं० न होना व बिल क्रमांक 120, 124 व 102 को पहले होना बिल को फर्जी होना प्रभावित करता है।

(द) कार्य 23.01.15 से प्रारम्भ है। एक माह पूर्व सामग्री खरीद की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(य) प्रमुख मस्टर रोल बी-0267 के अनुसार कार्य 23.01.15 से 31.01.2015 तक हुआ व श्रमांश रु० 7218/- हुआ।

प्रस्तुत मस्टर रोल में नियमानुसार उपस्थिति प्रतिदिन न भरकर एक बार में भरी गयी नि०अ० एक से हैं, माह व वर्ष का अंकन नहीं है। बी०डी०ओ० के हस्ताक्षर जारी होने में नहीं है।

(4) प्रस्तुत कार्य पूर्ति में निरीक्षण तिथि अंकित नहीं है और न ही माप अंकित है और न ही प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि।

(5) फोटो नहीं है। मिट्टी तक बाहर से नहीं मंगायी।

उपरोक्त से सुस्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 1298609.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री जयप्रकाश मिश्र ग्रा०पं० अधि०, अवर अभियन्ता श्री संजय कुमार, लेखाकार श्री सुनील अग्रवाल व खण्ड वि०अधि० श्री बाबूराम वर्मा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-118 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में पृथ्वीपुर उर्फ नगरिया में कटरा जलालाबाद मार्ग से आई०टी०आई० कालेज तक खड़जा निर्माण एस०एफ०सी०, माप 550×3.30 मी०², स्टी०-6.30 लाख

उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि-

(1) आयुक्त ग्राम विकास उत्तरप्रदेश के द्वारा जारी शासनादेश सं०-1276/मु०प्रा०पं०/एत सप्र-सरकूलर/ग्रा०वि०/06, दिनांक-16.10.2006 के अनुसार 500 मी० से अधिक कार्य पर जल निकासी हेतु पुलिया या हयूम पाइप की व्यवस्था अनिवार्य है। जबकि स्टीमेट में ऐसी व्यवस्था न होना स्टीमेट जो नियमानुसार न होना स्पष्ट करता है। टी०एस० भी इस प्रकार गलत रहा।

(2) बिना पत्रांक व दिनांक के श्री जय प्रकाश मिर ग्रा०पं०अधि० को कार्य प्रभारी बनाना अनियमित रहा।

(3) टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया। प्राप्त तीनों कोटेशन एक हस्तलिपि में हैं, जो फर्जीवाड़े को स्पष्ट करता है।

(4) मै० हिरा ब्रिक फील्ड से निम्नवत खड़जा ईट कय की गयी है।

बी०डी०ओ० आदेश	बिल नं०	बुक नं०	दिनांक	कुल मूल्य

बिना पत्रांक-09.11.14	44	अंकित नहीं	09.11.14	450000.00
मेमों दिनांक-04.01.15	11	अंकित नहीं	10.01.16	62500.00
योग				512500.00

बिना नियमित पत्रांकों के आपूर्ति आदेश व बिना बुक नं० के बिल तथा बिल क्रमांक 11 दिनांक 10.01.15 तथा बिल क्रमांक 44 दिनांक-09.11.14 का होना, फर्जी बिल होना सिद्ध करता है।

(5) प्रयुक्त मस्टररोल का विवरण इस प्रकार है—

क्र० सं०	मस्टररोल नं०	कार्य अवधि	श्रमांश	नि०अ० / हस्ताक्षर
1	बी-0262	08.11.14 से 10.11.14 24.11.14 से 30.11.14 11.01.15 से 03.01.15	44085.00	नि०अ०
2	बी-0261	उपरोक्तानुसार	40248.00	नि०अ०
3	बी-0263	04.01.15 से 06.01.15	5454.00	नि०अ०
योग			89787.00	

उक्त में—

(अ) तीन-तीन फ्रेक्शन में मस्टररोल होना फर्जीवाड़े को स्पष्ट करता है।

(ब) उपस्थिति प्रतिदिन अंकित न होकर एक बार में भरा जाना आपत्तिजनक रहा।

(स) सभी नि०अ० हैं एवं एक समान हैं।

(द) भुगतान चेक नं० 97586 से दिनांक 19.01.15 को किया गया है। माह नवम्बर 14 में कार्य करने वाला श्रमिक डेढ़ माह से अधिक समय तक मजदूरी पाने के लिए इन्तजार नहीं करेगा। साप्ताहिक मजदूरी श्रमिक लेते हैं।

(य) मस्टररोल जारी होने में डी०डी०ओ० कि हस्ताक्षरी नहीं है व कार्य का माह व वर्ष अंकन निर्धारित कॉलम में नहीं है।

(र) दिनांक-06.01.15 को कार्य समाप्त है तथा जे०ई० ने मस्टररोल में 06.01.15 कसे ही माप करना दर्शाया है जो संभव नहीं है।

(6) प्रस्तुत कार्य पूर्ति में निरीक्षण करने की तिथि ही अंकित नहीं है।

(7) कार्य दिनांक 06.01.15 को समाप्त दर्शित है, जबकि दिनांक 10.01.15 को मै० हिरा ब्रिक फील्ड से 12500 ईट क्रय की गयी है। उक्त ईट कहा गयी।

(8) फोटोग्राफ नहीं है।

उपरोक्त अंकित विवरण से स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्म से मिलकर व फर्जी प्रमाणक तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 602287.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री जयप्रकाश मिश्र ग्रा०पं०अधि०, लेखाकार श्री सुनील अग्रवाल अवर अभियन्ता श्री संजय कुमार व खण्ड वि० अधि० श्री बाबूराम वर्मा से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित हो।

प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-119 क्षेत्र पंचायत का नाम—तिलहर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में समधाना में पी०डब्लू०डी० मार्ग से प्रीतम सिंह के झाले तक खड़जा निर्माण—

एस०एफ०सी०, ल०-145 मी, स्टी०-1.59 लाख

उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि—

(1) नियमित कार्यालय पत्रांकों के स्थान पर अनियमित रूप से मेमों करके पत्र जारी किये गये। विवरण इस प्रकार है—

मेमो दिनांक 29.11.14— श्री जयप्रकाश मिश्र ग्रा०पं०अधि० को कार्य प्रभारी बनाया गया।

मेमो दिनांक 29.11.14— कोटेशन मांग की गयी।

मेमो दिनांक 06.12.14— मै० राजेन्द्र प्रसाद सुधीर चन्द्र गर्ग ईट भट्ठा को ईट आपूर्ति आदेश।

उक्त प्रक्रिया अनियमित रही। नियमता नियमित कार्यालय पत्रांकों से पत्र जारी किया जाना चाहिये था।

(2) खड़जा ईट क्रय दिनांक-07.12.14 को 25000 ईट रु० 125000.00 की क्रय की गयी। जिसके प्रयोग में प्रयुक्त मस्टररोल का विवरण निम्नवत रहा—

मस्टररोल—ए-0284-08.12.2014 से 19.12.14-17454

जिसमें निम्न आपत्तियां पायी गयीं।—

(अ) वि०ख० से मस्टररोल जारी होने में बी०डी०ओ० के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(ब) कार्य प्रभारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व नि०अ० प्रमाणित नहीं हैं।

(स) श्रमिकों के सभी नि०अ० हैं जो एक समान प्रतीत होते हैं।

(द) मस्टररोल में जो श्रमिक पहले आते हैं उसका नाम ऊपर एवं जो बाद में आते हैं उनका नाम नीचे अंकित होता है। निम्न मिस्त्री कार्य प्रारम्भ से ही अनुपस्थित थे, किन्तु उनका नाम क्रमशः क्रमांक—1, 2 व 3 पर है। विवरण इस प्रकार है।

क्रमांक	नाम मिस्त्री	अनुपस्थित दिनांक
1	इकबाल पुत्र वहीद	08.12.14 से 11.12.14
2	तरिक पुत्र इनायत	08.12.14 से 11.12.14
3	सफदर पुत्र रसीद	08.12.14 से 11.12.14

(य) नियमानुसार मस्टररोल पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन अंकित की जाती है किन्तु प्रस्तुत मस्टररोल पर उपस्थिति एक बार में भरी गयी है।

उपरोक्त विवरण से सुस्पष्ट है कि मस्टररोल फर्जी है।

(3) 145 मी० × 3.30 मी० के खड्जा कार्य पर 28232.00 ईट प्रयोग होंगी। जबकि ईट मात्र 25000 ही एक बार में कय की गयी हैं। जिससे 145 मी० खड्जा निर्माण सम्भव नहीं है।

(4) कार्य के फोटोग्राफ्स नहीं हैं।

(5) कार्य का कार्यपूति प्रमाण—पत्र नहीं है।

उपरोक्त अंकित विवरण से स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्म से मिलकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 142454.00 की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री जयप्रकाश मिश्र ग्रा०पं०अधि०, अवर अभियन्ता श्री संजय कुमार, लोखाकार श्री सुनील अग्रवाल व खण्ड वि०अधि० श्री बाबूराम वर्मा से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०—120 क्षेत्र पंचायत का नाम—**तिलहर**, जनपद—**शाहजहाँपुर** वर्ष 2014—15 में सुल्तानपुर में हरीश के घर से प्रदीप के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य— एस०एफ०सी०, 200 मी० स्टी०—6.73 लाख

उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि—

(1) प्रश्नगत मार्ग पर खड्जा लगा होने के बावजूद कच्चे मार्ग की भांति 10 सेमी० मोटी सी०सी० रोड़ ढलाई का स्टीमेट बनाया गया है। इस प्रकार स्टीमेट त्रुटिपूर्ण रही।

(2) कार्य पत्रांक सी—462 बी दिनांक 03.08.14 कोटेशन मांग की गई, जिसमें कोटेशन जमा करने की तिथि 30.07.14 अंकित है। इस प्रकार कोटेशन मांग ही त्रुटिपूर्ण रही।

दिनांक— 05.08.14 को तीन कोटेशन प्राप्त होना दर्शित है जो एक राईटिंग में है।

(3) सामग्री खरीद आदेश में नियमित कार्यालय पत्रांक का प्रयोग न कर मेमों से पत्र जारी हैं जो स्थिति को और भी संदिग्ध करते हैं। विवरण इस प्रकार रहा।

बी०डी०ओ० का आदेश	फर्म का नाम	बिल नं०	बुक नं०	दिनांक	मूल्य	अन्य विवरण
मेमों 10.08.14	हिरा ब्रिक फील्ड	03	अंकित नहीं	22.08.14	20692—60	ईट आदि
मेमों 10.08.14	हिरा ब्रिक फील्ड	02	अंकित नहीं	16.08.14	113296	ईट आदि
मेमों 10.08.14	लक्ष्मी बिल्डिंग मैटेरियल	48	अंकित नहीं	22.08.14	85548—73	सीमेन्ट आदि
मेमों 10.08.14	लक्ष्मी बिल्डिंग मैटेरियल	45	अंकित नहीं	16.08.14	306211—27	सीमेन्ट आदि
मेमों 10.08.14	लक्ष्मी बिल्डिंग मैटेरियल	47	अंकित नहीं	25.08.14	3817	फावड़ा मशीन आदि
योग					529565.60	

उक्त में –

(अ) बिलों में बुक नं० का अंकन नहीं है।

(ब) लक्ष्मी बिल्डिंग मैटेरियल का 47 क्रमांक का बिल 25.08.14 को किन्तु 48 नं० का बिल दिनांक 22.08.14 को है जो फर्जी बिल होना स्पष्ट करता है।

(4) उक्त कार्य में प्रयुक्त मस्टररोलों का विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	मस्टररोल नं०	कार्य अवधि	श्रमांश	हस्ताक्षर/नि०अ०
1	ए-0252	13.08.14 से 25.08.14	46806.00	नि०अ०
2	ए-0253	अंकन नहीं	23244.00	नि०अ०
योग			70050.00	

उक्त में मस्टररोल क्रमांक 0253 पर कार्य अवधि अंकित न होना, सभी नि०अ० एक समान होना, उपस्थिति प्रतिदिन अंकित न कर एक बार में भरना आदि मस्टररोलों को फर्जी होना सिद्ध करते हैं।

कार्य की— (अ) फोटो नियमानुसार नहीं है।

(ब) निरीक्षण रिपोर्ट नहीं है।

(स) क्यूब रिपोर्ट नहीं है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है सुनियोजित रूप से फर्मों से मिलाकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 599615.00 की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री प्रतिपाल ग्रा०पं०अधि०, खण्ड वि०अधि० श्री बाबूराम वर्मा व अवर अभि० श्री संजय कुमार से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-121 क्षेत्र पंचायत का नाम—तिलहर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में इकाई द्वारा निम्न सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य करवाया गया है—

क्र० सं०	कार्य का नाम	माप मी०	कार्य अवधि	कुल व्यय धन		
				श्रमांश	सामग्री	योग
1	ग्राम सहायपुर में सुनील के घर से बाबूराम के घर तक	115	अंकित नहीं	39672.00	294655.00	334327.00
2	ग्राम डभौरा में गुड्डू के घर से अली मोहम्मद के घर तक	156	अंकित नहीं	60729.00	310784.00	371513.00
3	ग्राम खार में मुख्य मार्ग से हीराकली के मकान तक	190	06.01.15 से 14.01.15	100998.00	532405.00	633403.00
4	ग्राम खडकरी में शिशुपाल सिंह के मकान से श्रीपाल के मकान तक	170	02.02.15 से 30.02.15	75918.00	400160.00	476078.00
5	संधा में रोड से महेश के मकान तक	150	02.02.15 से 30.02.15	125352.00	668631.00	793983.00
योग						2609304.00

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि—

(1) बिना मिक्सर मशीन के ढलाई कराना दर्शित है। जो किसी भी रूप में संभव नहीं है। मिक्सर मशीन किराये पर एक भी धन व्यय नहीं है।

(2) कॉन्स्ट्रक्शन ज्वाइंट सामग्री क्रय नहीं है।

(3) कोटेशन प्रक्रिया दूषित रही। सेट करके मात्र तीन कोटेशन लिये गये हैं।

(4) कार्य क्रमांक 1 व 2 में मस्टररोल में कार्य अवधि तक का अंकन नहीं है।

(5) कार्य क्रमांक-4 व 5 में 30 फरवरी, 2015 तक कार्य दर्शित है। जबकि फरवरी मात्र 28 दिन की ही है। इस प्रकार मस्टररोल फर्जी हैं।

(6) मस्टररोलों में श्रमिकों की उपस्थिति नियमानुसार प्रतिदिन अंकित न कर एक बार में भरी गयी है, जो फर्जी मस्टररोल होना स्पष्ट करता है।

(7) मस्टररोल पर लगे सभी निओ एवं दो व्यक्तियों द्वारा बनाये प्रतीत होता है।

(8) कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं है।

(9) कार्य की क्यूब टेस्ट रिपोर्ट नहीं है।

उपरोक्त अंकित विवरणों से स्पष्ट है सुनियोजित रूप से फर्मों से दुरभिसंधि कर एवं फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः रु० 2609304.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री जयप्रकाश मिश्र/धर्मेन्द्र मिश्र, अवर अभि० श्री संजय कुमार व खण्ड वि०अधि० श्री बाबूराम वर्मा से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-122 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में विकासखण्ड परिसर का सौंदर्यकरण-

टी०एफ०सी०, स्टी०-5.20 लाख

पत्रावली की जांच में पाया गया कि-

(1) टी०एस० दिनांक 24.02.14 को किया गया जिसका क्रमांक 212 है। जबकि टी०एस० होने के पूर्व कार्यालय पत्रांक सी-1440 दिनांक 05.12.13 से कोटेशन मांगे गये व कार्यालय पत्रांक सी-1439 दिनांक 05.12.13 से प्रभारी बनाने का पत्र जारी है, जिसमें प्रभारी का नाम तक अंकित नहीं है।

(2) उक्त कार्य हेतु सामग्री खरीद पर व्यय निम्नानुसार दर्शित है।

क्र०सं०	फर्म का नाम	बिल नं०	बुक नं०	दिनांक	सामग्री मूल्य	वैट फर्म को भुगतान
1	हिरा ब्रिक फील्ड	15	अंकन नहीं	04.03.14	19510.00	-
2	हिरा ब्रिक फील्ड	17	-	10.04.14	10309.00	-
3	कपूर इण्टरप्राइजेज	23	01	03.05.14	50397.00	5526663=6189
4	कपूर इण्टरप्राइजेज	46	01	27.05.14	20159.00	2476.00
5	शब्बीर एण्ड संस	4	03	04.03.14	142060.00	-
6	शब्बीर एण्ड संस	15	03	10.04.14	85882.00	-
7	अब्दुल रसीद खान	114	-	22.05.14	19373.00	-
8	लक्ष्मी बिल्डिंग मैटेरियल	पैड पर अंकन नहीं			2205.00	
	योग				349895.0	

बिलों पर बुक नं० अंकित न होना व हाथ से लिखा होना फर्जी प्रमाणक होना स्पष्ट करता है।

कपूर इण्टरप्राइजेज को 12.5 प्रतिशत वैट भुगतान करना किन्तु वैट कटौती न करना आपत्तिजनक रहा। कोटेशन में वैट व सैट अलग से लिये जाने का प्राविधान न था।

(3) उक्त कार्य पर प्रयुक्त मस्टररोल का विवरण निम्नवत रहा-

क्रमांक	मस्टररोल नं०	कार्य अवधि	श्रमांश	हस्ताक्षर/निओ
1	ए-0273	अंकन नहीं	36531.00	निओ
2	ए-0276	अंकन नहीं	7960.00	निओ
योग			44491.00	

उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि मस्टररोल पर कार्य अवधि तक का अंकन नहीं है। सभी लगे निओ एक समान एक दो व्यक्तियों बनाये गये प्रतीत होते हैं।

मजदूरों की उप० एक बार में भरी गयी जबकि नियमानुसार उपस्थिति प्रतिदिन ली जानी चाहिए।

मस्टररोल वि०ख० से जारी होने की पुष्टि में तिथि अंकित बी०डी०ओ० के हस्ताक्षर नहीं हैं। कार्य का विवरण माह व वर्ष तक का अंकन नहीं है। फोटोग्राफ नहीं है।

उक्त से स्वतः स्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख बनाकर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 394386.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री प्रतिपाल ग्रा०पं०अधि०

अवर अभियन्ता श्री संजय कुमार व खण्ड वि०अधि० श्री बाबूराम वर्मा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

2015-16

प्रस्तर सं०-123 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में वर्ष आलोच्य में इकाई द्वारा निम्नलिखित सी०सी० रोड व नाली निर्माण के कार्य कराये गये हैं।

- (1) सामग्री आपूर्ति हेतु कार्यालय के नियमित पत्रांकों से पत्र न जारी कर मेमों से जारी किये गये तथा अधिकांश ऐसे पत्रों पर बी०डी०ओ० के हस्ताक्षरी तक नहीं हैं।
- (2) उपखनिजों के क्रम पर रायल्टी कटौती नहीं की गयी।
- (3) बिना मिक्सर मशीन के सी०सी० रोड की ढलाई सम्भव नहीं है, किन्तु इस शीर्ष में एक भी धन व्यय नहीं हैं।
- (4) सी०सी० रोड की ढलाई में पॉलीथीन का प्रयोग का प्राविधान होने के बाद भी प्रयोग नहीं पाया गया।
- (5) कान्ट्रेक्शन जवाईट मैटेरियल कम ही नहीं है।
- (6) कार्य के नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं है।
- (7) क्रमांक -2 में अंकित कार्य में प्रयुक्त मस्टररोल पर धन प्राप्ति की पुष्टि में नि०अं० या हस्ताक्षर ही नहीं लगे हैं।
- (8) मजदूरों की उप० प्रतिदिन न लेकर एक बार में अनियमित रूप से भरी गयी है।
- (9) कार्य की क्यूब टेस्ट रिपोर्ट नहीं है।

अधिकांश जे०ई० द्वारा जारी निरीक्षण / कार्यपूर्ति रिपोर्ट में निरीक्षण की तिथि तक अंकित नहीं है।

इस प्रकार सुनियोजित रूप से नियमों के विपरीत क्षेत्र अधिकारी के बाहर के कार्यों का चयन कर व सुनियोजित रूप से विभिन्न फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रु० 1424382.00 की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री जयप्रकाश मिश्रा व धर्मेन्द्र मिश्रा (कार्यवार) अवर अभि० श्रीपाल मिश्र व खण्ड वि० अधि० श्री बाबूराम वर्मा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंच० पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-124 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में वर्ष आलोच्य में निम्नलिखित इण्टर लाकिंग रोड निर्माण व नाली कार्य करवाये गये हैं।

क्र० सं०	कार्य का नाम	ल० मी०	कार्य अवधि	कुल व्यय धन			अन्य विवरण
				श्रमांश	सामग्री	योग	
1	सुल्तानपुर में मेन रोड से	100	01/06 से 08.06.15	36993.00	269514.00	306507.00	नि०अं० नहीं हैं
2	ग्राम डभौरा शमशाद के घर से जामा मस्जिद तक	325	01.06.15 से 08.06.15	159339.00	2487.00 988424.00	2487.00 1147763.00	20 की जगह 22 नि०अं०
3	सुल्तानपुर में लल्ला के मकान से शफीके मजान तक	130	05.06.15 से 01.07.15	40937.00	182855.00	223792.00	18 के स्थान पर 19 नि०अं० भुगतान 06 माह बाद
योग				1680549.00			

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच ने पाया गया कि-

- (1) किसी भी निर्माण कार्य में कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ रिपोर्ट नहीं ली गयी, जिससे गुणवत्ता अपुष्टि व अप्रमाणित रही।
- (2) खण्ड वि०अधि० द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु जारी पत्र नियमित पत्रांकों से जारी न कर मेमों से जारी किये गये हैं, जो अनियमित रहा। अधिकांश ऐसे पत्रों पर बी०डी०ओ० के हस्ताक्षर तक नहीं पाये गये।
- (3) मै० कृषि रक्षा केन्द्र जिससे उपखनिज व इण्टर लॉकिंग ईट क्रय की गयी है वह इसके लिए अधिकृत

ही नहीं है।

- नियमानुसार अधिकृत फर्म से व निर्माण फर्म से सामग्री खरीद की जानी थी जो नहीं की गयी।
- (4) क्रमांक-3 में अंकित कार्य में मजदूरी का भुगतान कार्य के लगभग 6 माह बाद भुगतान किया गया हैं मजदूर अधिकतम साप्ताहिक आधार पर भुगतान लेते हैं। इस प्रकार मस्टररोल संदिग्ध हैं।
- (5) मस्टररोलों पर लगे नि0अ0 एक समान 01 या 02 व्यक्तियों द्वारा बनाये गये हैं।
- (6) क्रमांक 1 में प्रयुक्त मस्टररोलों में श्रमिकों के नि0आ0 या हस्ताक्षर धन प्राप्ति की पुष्टि में नहीं है।
- (7) क्रमांक 2 में अंकित कार्य पर श्रमिकों के नि0आ0 20 के स्थान पर 22 लगे हैं।
- (8) नियमानुसार श्रमिकों की उप0 प्रतिदिन की जाती है प्रस्तुत मस्टररोलों में सभी उप0 एक बार में भरी गयी हैं।
- (9) मस्टररोलों क्रमांक 0381 में 18 मजदूर व मिस्त्री के बावजूद 19 नि0अ0 लगे हैं।
- (10) नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं है।
- (11) कार्यपूरतियों में निरीक्षण की तिथि नहीं है व नियमानुसार प्रविष्टियां नहीं है।

उपरोक्त अंकित विवरण से सुस्पष्ट है कि शासनादेशानुसार कार्यों का चयन धन अपहरण के कारण नहीं किया गया व फर्मों से दुरभिसंधि कर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रू0 1680549.00 की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री जयप्रकाश मिश्र ग्रा0पं0अधि0, अवर अभि0 श्री श्रीपाल व खण्ड वि0अधि0 श्री बाबूराम वर्मा से करते हुये प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-124क क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में जोधपुर नवदिया में रूपराम के मकान से श्यामा के मकान तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण-

ए0एफ0सी0, स्टी0-6.20 ल0 185 मी0

उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि-

- (1) कोटेशन मांगे तक नहीं गये।
- (2) कार्यालय के नियमित पत्राकों के स्थान पर मेमो करके सामग्री आपूर्ति हेतु पत्र जारी किये गये।
- (3) प्रभारी की डिमाण्ड के बगैर सामग्री आपूर्ति हेतु फर्मों के आपूर्ति आदेश जारी किये गये।
- (4) जिन फर्मों से (कृषि रक्षा केन्द्र) उपखनिज व इण्टर लॉकिंग ईट खरीद दर्शित है, व उक्त के लिये अधिकृत ही नहीं है।
- (5) उक्त कार्य हेतु निम्नवत सामग्री कय की गयी किन्तु कहीं प्रयोग नहीं किया गया और न ही स्टॉक में सामग्री है जिससे स्वतः स्पष्ट है कि फर्म द्वारा फर्जी बिल देकर बिक्री दर्शायी जाती है व धन अपहरण में सहयोग किया जाता है।

बिना मेमो व दिनांक	कृषि रक्षा केन्द्र 1254	14.06.15	82500.00	इण्टर लॉकिंग ईट
बिना हस्ताक्षर मेमों दि0 09.10. 15	कृषि रक्षा केन्द्र 1254	15/1406 11.06. 15	72055.00 43577.00 40040.00	उपखनिज व सीमेन्ट
बिना हस्ताक्षर मेमों दि0 09.10. 15	एवन ब्रिक फील्ड	416/11.06.15	69592.00	ईट व रोड़ी
			307764.00	

मस्टररोल -शून्य कार्य सम्पादन-शून्य

इस प्रकार रू0 307764.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धन रू0 307763.00 की वसूली ब्याज के साथ श्री जयप्रकाश मिश्र, जी0पी0ए0 अंकित हरिबाबू सक्सेना, अवर अभि0 श्री शंकर लाल व ख0वि0अधि0 श्री बाबूराम पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-125 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में सहा0 विकास अधिकारी के कार्यालय के सामने बरामदा व सौंदर्यीकरण कार्य-

एस0एफ0सी0, लागत 2.09 लाख

उक्त कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि-

- (1) उक्त कार्य बी0डी0ओ0 व प्रमुख के मौखिक निर्देश पर करवाया गया, इस प्रकार कार्य का चयन नियम

विरुद्ध रहा।

(2) कार्य की नियमानुसार फोटोग्राफ नहीं हैं।

(3) सामग्री आपूर्ति की मांग बी०डी०ओ० तिलहर से न कर बी०डी०ओ० मदनापुर से की गयी है।

(4) उक्त कार्य हेतु सामग्री खरीद निम्नवत की जानी दर्शित है—

क्र० सं०	बी०डी०ओ० का आदेश	फर्म का नाम	बुक नं०	बिल नं०	दिनांक	मूल्य
1	मेमो दि० 02.04.15	कृषि रक्षा केंद्र	16	1580	09.04.15	52160.00
2	मेमो दि० 02.04.15	एवन ब्रिक फील्ड	...	10	05.04.15	42108.00
3	बिना हस्ताक्षर के पत्र से	कृषि रक्षा केंद्र	13	1257	09.06.15	52841.90 (डिस्टेम्पर पेन्ट आदि)
4	बिना हस्ताक्षर के पत्र से	एवन ब्रिक फील्ड	..	407	09.06.15	20422.00
योग						167531.90

उक्त में—

(अ) कृषि रक्षा केंद्र पेन्ट आदि के बिक्री के लिए अधिकृत नहीं है फिर भी उसका बिल है।

(ब) कृषि रक्षा केंद्र के बिल से रायल्टी की कटौती नहीं की गयी।

(स) दिनांक 05.04.15 व 09.04.15 से खरीदी गयी सामग्री का उपभोग किये बगैर 09.06.15 को सामग्री खरीद का कोई औचित्य न था। कार्य 08.06.15 को प्रारम्भ हुआ था।

(द) बिलों के बुक नं० व बिना बुक नं० के बिल फर्जी प्रतीत होते हैं। स्टॉक रजि० नहीं है।

इस प्रकार रू० 167531.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धन रू० 167531.00 की वसूली ब्याज के साथ श्री जयप्रकाश मिश्र, जी०पी०ए० अंकित हरिबाबू सक्सेना, अवर अभि० श्री शंकर लाल व ख०वि०अधि० श्री बाबूराम पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं०-126 क्षेत्र पंचायत का नाम—तिलहर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2015—16 में मस्टररोल नं०-0382 से दिनांक 08.06.2015 से 21.06.15 के मध्य रू० 41039.00 से कार्य करवाया गया दर्शित है।

(अ) मस्टररोल पर धन प्राप्ति की पुष्टि में श्रमिकों के हस्ताक्षर या नि०अं० नहीं लगे हैं।

(ब) वि०ख० से मस्टररोल जारी होने की पुष्टि में तिथि अंकित बी०डी०ओ० के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(स) पेन्टर एक भी नहीं है। अतः खरीदी गयी पुताई सामग्री मूल्य रू० 528441.90 जिसके प्रयोग अस्पष्ट रहा।

(द) नियमानुसार मजदूरों की उप० प्रतिदिन न भरकर एक बार में भरी गयी है।

(य) मजदूर अपनी मजदूरी अधिकतम साप्ताहिक आधार पर लेता है। प्रश्नगत मस्टररोलका भुगतान कार्य प्रभारी को कार्य समाप्ति के 6 माह बाद चेक नं० 97654 से दिनांक 14.12.2015 को रू० 41039.00 किया गया है। कोई अपना धन नहीं लगायेगा ग्रा०पं०अधि० अल्प वेतनभोगी होता है।

इस प्रकार मस्टररोल फर्जी पाया गया।

इस प्रकार रू० 41039.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धन रू० 41039.00 की वसूली ब्याज के साथ अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं०-127 क्षेत्र पंचायत का नाम—तिलहर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2015—16 में प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में निरीक्षण की तिथि अंकित नहीं है तथा कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि तक अंकित नहीं है। इस प्रकार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। उपरोक्त अंकित विवरणों से सुस्पष्ट है कि सुनियोजित रूप से फर्मों से मिलकर व फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरित धन रू० 208571.00 की वसूली ब्याज के साथ कार्य प्रभारी श्री जयप्रकाश मिश्र ग्रा०पं०अधि० अवर अभियन्ता श्री संजय कुमार व खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूराम वर्मा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पर भी दायित्व अवधारण अपेक्षित रहा।

2016—17

प्रस्तर सं०-128 क्षेत्र पंचायत का नाम—तिलहर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2016—17 में दिनांक 30.03.2017 को राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त धन निम्नानुसार अवशेष रहा है—

तेरहवां वित्त आयोग – 9464.00

चतुर्थ रा0वि0आ0 – 5809855.00

योग 5819319.00

वर्ष आलोच्य में इकाई द्वारा खातों में धन रहते धन का उपभोग न किया जाना आपत्तिजनक रहा। इकाई द्वारा एक भी निर्माण कार्य वर्ष आलोच्य में नहीं करवाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इकाई क्षेत्र संतृप्त हो गया है। यदि ऐसा है तो धन वापस किया जाना अपेक्षित रहा। उच्चाधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया गया है। धन प्राप्ति विवरण इस प्रकार रहउत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है II-

31.03.16 को अवशेष – वर्ष में प्राप्त

तेरहवां वित्त आयोग 464 – 9000.00

चतुर्थ वि0आ0 2379750 – 3515575.00

प्रस्तर सं0-129 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में दिनांक 31.03.2017 को रा0वि0आ0 व तेरहवें वित्त आयोग के बैंक में जमा धन पर प्राप्त ब्याज रू0 220390.89 वापस किया जाना अवशेष रहा है।

वर्ष आलोच्य में प्राप्त ब्याज रू0 165096.00 के सापेक्ष मात्र रू0 8844.00 वापस किया गया है। नियमानुसार समस्त ब्याज शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार राजकोश में जमा करवाया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर सं0-130 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में दिनांक 30.03.2017 को टेण्डर बिक्री मूल्य रू0 1575.00 से हुई आय ग्राण्ट पंजिका-2 में अंकित नहीं किया गया। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-131 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में बी0डी0सी0 सदस्यों को निम्न विवरण के अनुसार बैंक भत्ता भुगतान नगद किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में बी0डी0सी0 सदस्यों द्वारा धन प्राप्ति की पुष्टि में धन प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं की गयी। धन प्राप्ति रसीद न होने से स्थिति अपुष्टित रही। उक्त दायित्व कैशियर श्री सुधीर जौहरी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूराम वर्मा तथा श्री जोधितकान्त (कार्यकालानुसार) होगा। कार्यवाही अपेक्षित रही।

चेक नं0 07614 – 17.04.15 – 59500.00

97659 – 30.03.17 – 70000.00

प्रस्तर सं0-132 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में निम्न विवरण के अनुसार प्रमुख क्षेत्र पंचायत को मानदेय का भुगतान वीयरर चेकों से भुगतान किया गया है। जिससे भुगतान संदिग्ध है। नियमानुसार एकाउण्ट पेयी चेक से भुगतान किया जाना चाहिए था। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित रही।

चेक नं0 97645 – 21.09.15 – 49000.00

97658 – 04.02.17 – 70000.00

प्रस्तर सं0-133 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में दिनांक 31.03.17 को रू0 220390.00 ब्याज का धन इकाई के खातों में जमा शेष रहा है। नियमानुसार समय से उक्त राजकोश में न जमा किया जाना आपत्तिजनक रहा। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-134 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत की कार्यवाही पंजिका ले0पं0 में प्रस्तुत न होने से तत्संबंधी तथ्य अज्ञात रहे। कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-135 क्षेत्र पंचायत का नाम-तिलहर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न कार्यों हेतु उपखनिजों की खरीद की गयी है। शासनादेश सं0 3891/77-5-200-1(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार भुगतान पूर्व न तो जमा रवन्ना (फर्म-11) लिया गया और न ही रायल्टी की कटौती कर धन राजकोश में जमा किया गया। उक्त के कारण शासकीय कोश को क्षति हुई है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधि0 व लेखाकार श्री सुनील कुमार अग्रवाल हैं उक्त से धन वसूल कर राजकोश में जमा कराया जाना अपेक्षित रहा।

ले0पं0 में पाया गया जिन फर्मों से उक्त उपखनिज खरीद दर्शित हैं, वह उपखनिजों की बिक्री के लिये अधिकृत ही न थीं विवरण इस प्रकार रहा-

क्र0सं0	वर्ष	मोरंग कय	बालू कय	स्टोन कय	ग्रिड	वार्षिक रायल्टी

1	2014-15	244.25 मीड	163.46 मीड	327.92 मीड	45079.00
2	2014-15	240.00 मीड	192.76 मीड	240.00 मीड	34724.00
				योग-	79802.00

क्षेत्र पंचायत- खुटार वर्ष-2011-12

प्रस्तर सं0-136 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्य अंकन रु0 426126.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अनुराग पराशरी को रु0 102698.00 श्री सुशील अग्निहोत्री को रु0 220278.00 तथा श्री राधेश्याम को रु0 103150.00 का भुगतान किया गया।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टररोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टररोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रायः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी। जिससे मस्टररोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु0 426126.00 का वर्ष 11-12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामप्रकाश मिश्रा डी0डी0ओ0 श्री एम आर तमराम श्री सी0पी0 कन्नौजिया /जे0ई0 श्री राकेश कौशिक /लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा /कार्यप्रभारी/श्री मनोज कुमार त्रिवेदी ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। अतः अपहरित धन की वसूली ब्याज के साथ अपेक्षित रही।

प्रस्तर सं0-137 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर, सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण करना-**

कुल दर्शित भुगतान रु0 1919197.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री कम प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक/कच्चे** बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद, उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु01919197.00 जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामप्रकाश मिश्रा डी0डी0ओ0 श्री एम आर तमराम श्री सी0पी0 कन्नौजिया /जे0ई0 श्री राकेश कौशिक /लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा /कार्यप्रभारी/श्री मनोज कुमार त्रिवेदी ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। अतः अपहरित धन की वसूली ब्याज के साथ अपेक्षित रही।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 11-12 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं है। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों **आहरण/भुगतान** के बाद तैयार की गयी है।

प्रस्तर सं0-138 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **रूपये 39149.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना एवं रूपये 4718.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-**

आलोच्य वर्ष 11-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु0 39149.00 टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कम रु0 1958346.00 की दर्शिता है जिस पर 2.24 प्रति की दर से टी0डी0एस0 रु0 43867.00 होता है। इस प्रकार रु0 4718.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि में बराबर वसूलनीय रायल्टी के साथ आहरण वितरण **अधिकारी/खण्ड** विकास अधिकारी श्री रामप्रकाश मिश्रा डी0डी0ओ0 श्री एम आर तमराम श्री सी0पी0 कन्नौजिया लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 रु0 39149.00 की जमा पुष्टि में चालान चेक

नं०/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-139 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्व की हानि करना-**

आलोच्य वर्ष 11-12 में कुल रु० 1958346.00 की सामग्री कय की गयी है। जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से कुल 44259.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में शून्य की कटौती की गयी। इस प्रकार रु० 44259.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु० 44259.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन आहरण वितरण **अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी** जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामप्रकाश मिश्रा डी०डी०ओ० श्री एम आर तमराम श्री सी०पी० कन्नौजिया लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से उत्तरदायी है।

प्रस्तर सं०-140 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यो पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु० 2384472.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु० 23845.00 होता है जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी जिम्मेदारी जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामप्रकाश मिश्रा डी०डी०ओ० श्री एम आर तमराम श्री सी०पी० कन्नौजिया /लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा इसकी प्रतिपूर्ति उत्तरदायी से की जानी चाहिए। आपत्ति संख्या-07

प्रस्तर सं०-141 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना-**

निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद (एम०एस०-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं०-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 101.63 घन मी० रेता(बालू), 92.18 घन मी० मोरंग, 118.66 घन मी० बजरी (गिट्टी) एवं × 775.00घन मी० मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है-

मात्रा × दर (प्रति घन मी०)	धनराशि
(1) रेता बालू- 101.63 × 33	3354.00
(2) मोरंग- 92.18 × 33	3042.00
(3) बजरी (गिट्टी)- 118.66 × 102	12103.00
(4) मिट्टी - 775.00 × 14	10850.00
	योग- 29349.00

उक्त क्षति अंकन रु० 29349.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामप्रकाश मिश्रा डी०डी०ओ० श्री एम आर तमराम श्री सी०पी० कन्नौजिया लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-12**

आपत्ति पत्र वर्ष-2012-13

प्रस्तर सं०-142 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यो अंकन रु० 300575.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राधेश्याम को रु० 154820.00 को, श्री सुशील अग्निहोत्री को रु० 145755.00 का भुगतान किया गया।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टर रोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टररोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रायः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी। जिससे मस्टररोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु० 300575.00 का वर्ष 12-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी०पी० कन्नौजिया श्री बाबू राम श्री राम प्रकाश मिश्र लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे०ई०श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्री मनोज त्रिवेदी ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते

हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-03

प्रस्तर सं0-143 क्षेत्र पंचायत का नाम-खुटार, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर, सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण करना-

कुल दर्शित भुगतान रु0 1149667.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री कम प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद, उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु01149667.00 जिसके लिए ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 कन्नौजिया श्री बाबू राम श्री राम प्रकाश मिश्र लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्री मनोज त्रिवेदी ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 12-13 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं है। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के बाद तैयार की गयी है। आपत्ति संख्या-04

प्रस्तर सं0-144 क्षेत्र पंचायत का नाम-खुटार, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में रूपये 24116.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना एवं रूपये 2177.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-

आलोच्य वर्ष 12-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु0 24116.00 टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कम रु0 1173783.00 की दर्शिता है जिस पर 2.24 प्रति की दर से टी0डी0एस0 रु0 26293.00 होता है। इस प्रकार रु0 2177.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि में बराबर वसूलनीय राँयल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी जिसके लिए ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 कन्नौजिया श्री बाबू राम श्री राम प्रकाश मिश्र लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना आमंत्रित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 रु0 24116.00 की जमा पुष्टि में चालान चेक नं0/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-05

प्रस्तर सं0-145 क्षेत्र पंचायत का नाम-खुटार, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्व की हानि करना-

आलोच्य वर्ष 12-13 में कुल रु0 1173782.00 की सामग्री क्रय की गयी है। जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से कुल 26527.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में शून्य की कटौती की गयी। इस प्रकार रु0 26527.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु0 26527.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी जिसके लिए ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 कन्नौजिया श्री बाबू राम श्री राम प्रकाश मिश्र लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। से अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-06

प्रस्तर सं0-146 क्षेत्र पंचायत का नाम-खुटार, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में आलोच्य वर्ष 12-13 में निर्माण कार्यों पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु0 1474358.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु0 14744.00 होता है जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन जिसके लिए ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 कन्नौजिया श्री बाबू राम श्री राम प्रकाश मिश्र लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए समान रूप से करते हुए

प्रशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिए। आपत्ति संख्या-07

प्रस्तर सं0-147 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में **उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना-**

निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद (एम0एस0-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं0-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 34.66 घन मी0 रेता(बालू), 41.80 घन मी0 मोरंग, 29.29 घन मी0 बजरी (गिट्टी) एवं शून्यघन मी0 मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है-

मात्रा × दर (प्रति घन मी0)	धनराशि
(1) रेता बालू- 34.66 × 33	1144.00
(2) मोरंग- 41.80 × 33	1379.00
(3) बजरी (गिट्टी)- 29.29 × 102	2988.00
	योग- 5511.00

उक्त क्षति अंकन रु0 5511.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 कन्नौजिया श्री बाबू राम श्री राम प्रकाश मिश्र लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-12

आपत्ति पत्र वर्ष-2013-14

प्रस्तर सं0-148 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में आलोच्य वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य अंकन रु0 470344.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री सुशील अग्निहोत्री को रु0 99568.00 को, श्री राधेश्याम को रु0 141200.00 का, श्री राजीव शर्मा को रु0 141156.00 तथा श्री महेशकान्त पाण्डेय को रु0 88420.00 का भुगतान किया गया।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टर रोलों पर श्रमिकों की उपस्थित प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टर रोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रायः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी। जिससे मस्टररोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु0 470344.00 का वर्ष 13-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए जिसके लिए ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 कन्नौजिया श्री बाबू राम श्री राम प्रकाश मिश्र लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्री मनोज त्रिवेदी ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-03

प्रस्तर सं0-149 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर, सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण करना-**

कुल दर्शित भुगतान रु0 2382201.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया, किन्तु जो सामग्री क्रम प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद, उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु02382201.00 जिसके लिए ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 कन्नौजिया श्री बाबू राम श्री राम प्रकाश मिश्र लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्री मनोज त्रिवेदी ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

निष्कर्ष— उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 13-14 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं है। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खवन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ आहरण/भुगतान के बाद तैयार की गयी है। आपत्ति संख्या-04 प्रस्तर सं०-150 क्षेत्र पंचायत का नाम-खुटार, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में रूपये 50739.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना एवं रूपये 4803.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-

आलोच्य वर्ष 13-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रू० 50739.00 टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रम रू० 247954.00 की दर्शिता है जिस पर 2.24 प्रति की दर से टी0डी0एस0 रू० 55542.00 होता है। इस प्रकार रू० 4803.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि में बराबर वसूलनीय रॉयल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी जिसके लिए ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 कन्नौजिया श्री बाबू राम श्री राम प्रकाश मिश्र लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए। लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 रू० 50739.00 की जमा पुष्टि में चालान चेक नं०/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-05

प्रस्तर सं०-151 क्षेत्र पंचायत का नाम-खुटार, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्व की हानि करना-

आलोच्य वर्ष 13-14 में कुल रू० 2479540.00 की सामग्री कय की गयी है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 52639.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रू० 46543.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार रू० 6096.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रू० 6096.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी जिसके लिए वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 कन्नौजिया श्री बाबू राम श्री राम प्रकाश मिश्र लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-06

प्रस्तर सं०-152 क्षेत्र पंचायत का नाम-खुटार, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रू० 2949884.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रू० 29499.00 होता है जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 कन्नौजिया श्री बाबू राम श्री राम प्रकाश मिश्र लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-07

प्रस्तर सं०-153 क्षेत्र पंचायत का नाम-खुटार, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना-

निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद (एम0एस0-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं०-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 1.84 घन मी० रेत(बालू), 2.63 घन मी० मोरंग, 1.25 घन मी० बजरी (गिट्टी) एवं 489.00घन मी० मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है-

मात्रा × दर (प्रति घन मी०)	धनराशि
(1) रेत बालू- 1.84 × 33	61.00
(2) मोरंग- 2.63 × 33	87.00
(3) बजरी (गिट्टी)- 1.25 × 102	128.00

4.4 मिट्टी - 489.00 × 14

6846.00

योग- 7122.00

उक्त क्षति अंकन रु0 7122.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 कन्नौजिया श्री बाबू राम श्री राम प्रकाश मिश्र लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-12

क्षेत्र पंचायत- खुटार,

आपत्ति पत्र वर्ष-2014-15

प्रस्तर सं0-154 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य अंकन रु0 761220.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री महेशकान्त पाण्डेय को रु0 147750.00 को एवं श्री सुशील अग्निहोत्री को रु0 503640.00 का एवं श्री प्रमोद वर्मा को रु0 109830.00 का भुगतान किया गया।

आलोच्य वर्ष की निर्माण फाइलों में लगे मस्टर रोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टररोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रायः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी। जिससे मस्टररोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु0 761220.00 का वर्ष 14-15 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 दीक्षित श्री बाबू राम श्री राम प्रकाश मिश्र लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्री मनोज त्रिवेदी ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-03

प्रस्तर सं0-155 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर, सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण करना-**

कुल दर्शित भुगतान रु0 4354212.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री कम प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक/कच्चे बिल** पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद, उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु04354212.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 कन्नौजिया श्री बाबू राम श्री राम प्रकाश मिश्र लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्री मनोज त्रिवेदी ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 14-15 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं है। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों **आहरण/भुगतान** के बाद तैयार की गयी है। आपत्ति संख्या-04

प्रस्तर सं0-156 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में **रुपये 86131.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना एवं रुपये 14963.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-**

आलोच्य वर्ष 14-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु0 86131.00 टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कम रु0 4513139.00 की दर्शिता है जिस पर 2.24 प्रति की दर से टी0डी0एस0 रु0 101094.00 होता है। इस प्रकार रु0 14963.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि में बराबर वसूलनीय रायल्टी के साथ आहरण वितरण **अधिकारी/खण्ड** विकास अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 कन्नौजिया

बाबू राम श्री राम प्रकाश मिश्र लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 रू0 86131.00 की जमा पुष्टि में चालान चेक नं0/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-05

प्रस्तर सं0-157 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में **व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्व की हानि करना-**

आलोच्य वर्ष 14-15 में कुल रू0 4513139.00 की सामग्री कय की गयी है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 180526.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रू0 72796.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार रू0 107730.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रू0 107730.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/ तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 कन्नौजिया श्री बाबू राम श्री राम प्रकाश मिश्र लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-06

प्रस्तर सं0-158 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रू0 5274359.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रू0 52744.00 होता है जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसके लिए जिम्मेदार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 कन्नौजिया श्री बाबू राम श्री राम प्रकाश मिश्र लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा से समान रूप से प्रतिपूर्ति करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-07

प्रस्तर सं0-159 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में **उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना-**

निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद (एम0एस0-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं0-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 115.13 घन मी0 रेत(बालू), 168.13 घन मी0 मोरंग, 153.34 घन मी0 बजरी (गिट्टी) एवं $\times 810.94$ घन मी0 मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है-

मात्रा $\times$ दर (प्रति घन मी0)	धनराशि
(1) रेत बालू- 115.13×33	3799.00
(2) मोरंग- 168.13×33	5548.00
(3) बजरी (गिट्टी)- 153.34×102	15641.00
(4) मिट्टी - 810.94×14	11353.00
योग-	36341.00

उक्त क्षति अंकन रू0 36341.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0 कन्नौजिया श्री बाबू राम श्री राम प्रकाश मिश्र लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-12

आपत्ति पत्र वर्ष-2015-16

प्रस्तर सं0-160 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में आलोच्य वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों अंकन रू0 310430.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राजीव शर्मा को रू0 98020.00 का, श्री प्रमोद वर्मा को रू0 145210.00 तथा श्री सुशील अग्निहोत्री को रू0 67200.00 का भुगतान किया गया।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टररोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टररोलों पर अंकित अंगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रायः अंगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी। जिससे मस्टररोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रू0 310430.00 का वर्ष 15-16 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुज कुमार सक्सेना श्री रामगोपाल वर्मा श्री पी0एन0द्विवेदी श्री उग्रसेन यादव लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्री मनोज त्रिवेदी ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-03

प्रस्तर सं0-161 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर, सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण करना-**

कुल दर्शित भुगतान रू0 1750485.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री कम प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद, उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रू01750485.00 जिसके लिए ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुज कुमार सक्सेना श्री रामगोपाल वर्मा श्री पी0एन0द्विवेदी श्री उग्रसेन यादव लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्री मनोज त्रिवेदी ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 15-16 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं है। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का रवन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों **आहरण/भुगतान** के बाद तैयार की गयी है। आपत्ति संख्या-04

प्रस्तर सं0-162 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **रूपये 40533.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना एवं रूपये 1111.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-**

आलोच्य वर्ष में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रू0 40533.00 टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कम रू0 1859107.00 की दर्शिता है जिस पर 2.24 प्रति की दर से टी0डी0एस0 रू0 41644.00 होता है। इस प्रकार रू0 1111.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि में बराबर वसूलनीय रॉयल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी जिसके लिए ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुज कुमार सक्सेना श्री रामगोपाल वर्मा श्री पी0एन0द्विवेदी श्री उग्रसेन यादव लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 रू0 40533.00 की जमा पुष्टि में चालान चेक नं0/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-05

प्रस्तर सं0-163 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्व की हानि करना-**

आलोच्य वर्ष 15-16 में कुल रू0 1859107.00 की सामग्री कय की गयी है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 74364.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रू0 68089.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार रू0 6275.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रू0 6275.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रू0 6275.00 की तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी जिसके लिए ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुज कुमार सक्सेना श्री रामगोपाल वर्मा श्री पी0एन0द्विवेदी श्री उग्रसेन यादव लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-06

प्रस्तर सं0-164 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में आलोच्य वर्ष 15-16 में निर्माण कार्य पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रू0 2169537.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रू0 21695.00 होता है जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुज कुमार सक्सेना श्री रामगोपाल वर्मा श्री पी0एन0द्विवेदी श्री उग्रसेन यादव लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-07

प्रस्तर सं0-165 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना-**

निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद (एम0एस0-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं0-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 10.50 घन मी0 रेता(बालू), 11.90 घन मी0 मोरंग, 3.00 घन मी0 बजरी (गिट्टी) एवं 348.00 घन मी0 मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है-

मात्रा × दर (प्रति घन मी0)	धनराशि
(1) रेता बालू- 10.500 × 33	347.00
(2) मोरंग- 11.900 × 33	393.00
(3) बजरी (गिट्टी)- 3.00 × 102	306.00
4. मिट्टी - 348.00 × 14	10440.00
योग- 11486.00	

उक्त क्षति अंकन रू0 11486.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुज कुमार सक्सेना श्री रामगोपाल वर्मा श्री पी0एन0द्विवेदी श्री उग्रसेन यादव लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-12

आपत्ति पत्र वर्ष-2016-17

प्रस्तर सं0-166 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में आलोच्य वर्ष में निर्माण कार्य अंकन रू0 710770.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री हर्शवर्धन श्रीवास्तव का रू0 290300.00 का श्री नन्हें लाल को रू0 245970.00 का, श्री हरिशरण लाल पाण्डेय को रू0 85100.00 का, श्री प्रमोद कुमार मिश्र को रू0 35590.00 का, श्री शिव सिंह को रू0 21830.00 का तथा श्री अनुराग पराशरी को रू0 31980.00 को भुगतान किया गया। श्री हर्शवर्धन श्रीवास्तव के मस्टररोलों पर मजदूरों के नाम व हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टररोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टररोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रायः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी। जिससे मस्टररोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रू0 710770.00 का वर्ष 16-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुज कुमार सक्सेना श्री रामगोपाल वर्मा श्री पी0एन0द्विवेदी श्री उग्रसेन यादव श्री विकास खण्डवाल लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्री मनोज त्रिवेदी ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-03

प्रस्तर सं0-167 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **मात्र कच्चे बिल**

प्राप्त कर, सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण करना—

कुल दर्शित भुगतान रु0 2481961.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री कम प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद, उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु02481961.00 जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुज कुमार सक्सेना श्री रामगोपाल वर्मा श्री पी0एन0द्विवेदी श्री उग्रसेन यादव श्री विकास खण्डवाल लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्री मनोज त्रिवेदी ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित।

निष्कर्ष— उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 16-17 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं है। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के बाद तैयार की गयी है। **आपत्ति संख्या-04**

प्रस्तर सं0-168 क्षेत्र पंचायत का नाम-खुटार, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **रूपये 52912.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना एवं रूपये 6225.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि—**

आलोच्य वर्ष में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु0 52912.00 टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कम रु0 2640059.00 की दर्शिता है जिस पर 2.24 प्रति की दर से टी0डी0एस0 रु0 59137.00 होता है। इस प्रकार रु0 6225.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि में बराबर वसूलनीय रायल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुज कुमार सक्सेना श्री रामगोपाल वर्मा श्री पी0एन0द्विवेदी श्री उग्रसेन यादव श्री विकास खण्डवाल लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए। लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 रु0 52912.00 की जमा पुष्टि में चालान चेक नं0/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-05

प्रस्तर सं0-169 क्षेत्र पंचायत का नाम-खुटार, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्व की हानि करना—**

आलोच्य वर्ष 16-17 में कुल रु0 2640059.00 की सामग्री कय की गयी है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 105602.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु0 105186.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार रु0 416.00.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु0 416.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है। साथ ही काटे गये व्यापार कर/वैट के जमा की पुष्टि में कोई जमा प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुज कुमार सक्सेना श्री रामगोपाल वर्मा श्री पी0एन0द्विवेदी श्री उग्रसेन यादव श्री विकास खण्डवाल लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-06**

प्रस्तर सं0-170 क्षेत्र पंचायत का नाम-खुटार, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यो पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु0 3350829.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु0 33508.00 होता है जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुज कुमार सक्सेना श्री रामगोपाल वर्मा श्री पी0एन0द्विवेदी श्री उग्रसेन यादव श्री

विकास खण्डेवाल लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-07**

प्रस्तर सं0-171 क्षेत्र पंचायत का नाम-**खुटार**, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना-**

निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद (एम0एस0-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं0-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 24.21 घन मी0 रेता(बालू), 21.89 घन मी0 मोरंग, 33.02 घन मी0 बजरी (गिट्टी) एवं ×घन मी0 मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है-

मात्रा × दर (प्रति घन मी0)	धनराशि
(1) रेता बालू- 24.21 × 33	799.00
(2) मोरंग- 21.89 × 33	722.00
(3) बजरी (गिट्टी)- 33.02 × 102	3368.00
	योग- 4889.00

उक्त क्षति अंकन रु0 4889.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुज कुमार सक्सेना श्री रामगोपाल वर्मा श्री पी0एन0द्विवेदी श्री उग्रसेन यादव श्री विकास खण्डेवाल लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- मदनापुर, आपत्ति पत्र वर्ष 2011-12

प्रस्तर सं0-172 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्य अंकन रु0 356402.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार सिंह को रु0 40095.00 का, श्री प्रवीण कुमार को रु0 151350.00 का श्री नन्द किशोर राणा को रु0 78717.00 का तथा श्री प्रमोद गंगवार को रु0 86240.00 का भुगतान किया गया। मस्टरोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था। आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टर रोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टर रोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रायः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी साथ ही मस्टर रोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था। जिससे मस्टर रोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु0 356402.00 का वर्ष 11-12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूराम वर्मा श्रीमती विमलादेवी श्री राजकुमार वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्रीमती सुशीलादेवी ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-173 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 1153877.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु01153877.00 जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूराम वर्मा श्रीमती विमलादेवी श्री राजकुमार वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्रीमती सुशीलादेवी ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

निष्कर्ष— उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011-12 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष स्टॉक रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खण्डन उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के बाद तैयार की गयी है।

प्रस्तर सं०-174 क्षेत्र पंचायत का नाम—मदनापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **रु० 24419.00 टी०डी०एस० (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रु० 1975.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि**— आलोच्य वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 24419.00 की टी०डी०एस० कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 1178296.00 को दर्शित है। जिस पर 2.24 प्रति की दर से रु० 26394.00 होता है। इस प्रकार रु० 1975.00 का टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय रायल्टी ब्याज सहित आहरण-वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूराम वर्मा श्रीमती विमलादेवी श्री राजकुमार वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी०डी०एस० अंकन रु० 24419.00 भी जमा की पुष्टि में चालान चेक नं०/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-175 क्षेत्र पंचायत का नाम—मदनापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्वकी हानि करना**— आलोच्य वर्ष 2011-12 में कुल रु० 1178296.00 की सामग्री क्रय की गयी है। जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से कुल 26629.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु० शून्य की कटौती की गयी। इस प्रकार रु० 26629.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु० 26629.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रु० 26629.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूराम वर्मा श्रीमती विमलादेवी श्री राजकुमार वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-176 क्षेत्र पंचायत का नाम—मदनापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु० 1434698.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु० 14347.00 होता है, जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूराम वर्मा श्रीमती विमलादेवी श्री राजकुमार वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 07**

प्रस्तर सं०-177 क्षेत्र पंचायत का नाम—मदनापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **उपखनिजों की खरीद पर रायल्टी कटौती न करना**— निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रायल्टी रसीद (एम०एम०-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं०-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रायल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 96.00 घन मी० रेत (बालू), 94.89 घन मी० मोरंग, 166.35 घन मी० बजरी (मिट्टी) एवं ग घन मी० मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रायल्टी वाजिब होती है—

मात्रा दर (प्रति घन मी०)	धनराशि
1— रेत बालू — 96.00 ग 33	= 3168.00
2— मोरंग — 94.89 ग 33	= 3131.00
3— बजरी (मिट्टी)— 166.35 ग102	= 16968.00
योग = 23267.00	

उक्त क्षति अंकन रु० 23267.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूराम वर्मा श्रीमती विमलादेवी श्री राजकुमार वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति पत्र वर्ष-2012-13

प्रस्तर सं०-178 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्य अंकन रु० 396784.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री नन्दकिशोर राणा को रु० 222058.00 का तथा श्री अनिल कुमार सिंह को रु० 174726.00 का भुगतान किया गया। मस्टरोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टर रोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टर रोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रायः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी साथ ही मस्टर रोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था। जिससे मस्टर रोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु० 396784.00 का वर्ष 12-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे०ई०श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्रीमती सुशीलादेवी ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-179 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 1724356.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेषित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम०एम०-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु०1724356.00 जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे०ई०श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्रीमती सुशीलादेवी ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2012-13 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष स्टॉक रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के बाद तैयार की गयी है।

प्रस्तर सं०-180 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में **रु० 35821.00 टी०डी०एस० (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रु० 3607.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि-** आलोच्य वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 35821.00 की टी०डी०एस० कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 1760177.00 को दर्शित है। जिस पर 2.24 प्रति की दर से रु० 39428.00 होता है। इस प्रकार रु० 3607.00 का टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय रायल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी०डी०एस० अंकन रु० 35821.00 भी जमा की पुष्टि में चालान चेक नं०/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-181 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में **व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्वकी हानि करना-** आलोच्य वर्ष 2012-13 में कुल रु० 1760177.00 की सामग्री क्रय की गयी है। जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से कुल 39780.00 की व्यापार

कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु० शून्य की कटौती की गयी। इस प्रकार रु० 39780.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु० 39780.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रु० 39780.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-182 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में आलोच्य वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्य पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु० 2156961.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु० 21570.00 होता है, जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-183 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में **उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना**- निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद (एम०एम०-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं०-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 128.00 घन मी० रेता (बालू), 126.52 घन मी० मोरंग, 221.80 घन मी० बजरी (मिट्टी) एवं ग घन मी० मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है-

मात्रा दर (प्रति घन मी०)	धनराशि
1- रेता बालू - 128.00 ग 33	= 4224.00
2- मोरंग - 126.52 ग 33	= 4175.00
3- बजरी (मिट्टी)- 221.80 ग 102	= 22624.00
योग = 31023.00	

उक्त क्षति अंकन रु० 31023.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति पत्र वर्ष 2013-14

प्रस्तर सं०-184 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य अंकन रु० 1119824.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार सिंह को रु० 376404.00 का, श्री प्रवीण कुमार गंगवार को रु० 335784.00 का श्री नन्द किशोर राणा को रु० 407636.00 का भुगतान किया गया। मस्टरोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टर रोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टररोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रायः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी साथ ही मस्टररोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था। जिससे मस्टर रोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु० 1119824.00 का वर्ष 13-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा श्री रामगोपाल वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे०ई०श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्रीमती सुशीलादेवी ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-185 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 6177965.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेषित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं

बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु06177965.00 जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा श्री रामगोपाल वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। / जे0ई0 श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी / श्रीमती सुशीलादेवी ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2013-14 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष स्टॉक रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के बाद तैयार की गयी है।

प्रस्तर सं0-186 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में रु0 133139.00 टी0डी0एस0 (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रु0 9334.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर

राजस्व की हानि- आलोच्य वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 133139.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 6360384.00 को दर्शित है। जिस पर 2.24 प्रति की दर से रु0 142473.00 होता है। इस प्रकार रु09934.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय रायल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा श्री रामगोपाल वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना आमंत्रित है। साथ ही काटे गये, टी0डी0एस0 अंकन रु0 133139.00 भी जमा की पुष्टि में चालान चेक नं0/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-187 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्वकी हानि करना- आलोच्य वर्ष 2013-14 में कुल रु0 6360384.00 की सामग्री क्रय की गयी है। जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से कुल 254415.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु0 49280.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार रु0 205135.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु0 205135.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रु0 205135.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा श्री रामगोपाल वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-188 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु0 7480208.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु0 74802.00 होता है, जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा श्री रामगोपाल वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-189 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में उपखनिजों की खरीद पर रायल्टी कटौती न करना- निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रायल्टी रसीद (एम0एम0-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं0-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रायल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 384.00 घन मी0 रेता (बालू), 379.56 घन मी0 मोरंग, 665.40 घन मी0 बजरी (मिट्टी) एवं ग घन मी0 मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रायल्टी वाजिब होती है-

मात्रा दर (प्रति घन मी0)	धनराशि
1- रेता बालू - 384.00 ग 33	= 12672.00
2- मोरंग - 379.56 ग 33	= 12525.00

3- बजरी (मिट्टी)- 665.40 ग 102 = 67871.00
योग = 93068.00

उक्त क्षति अंकन रु0 93068.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा श्री रामगोपाल वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- मदनापुर जनपद-शाहजहाँपुर, वर्ष 2014-15 से 2016-17

प्रस्तर सं0-190 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य अंकन रु0 563020.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार सिंह को 279339.00 का, श्री नन्द किशोर राणा को रु0 265323.00 का एवं श्री प्रमोद गंगवार को रु0 18358.00 का भुगतान किया गया। मस्टररोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टररोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टररोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रायः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी साथ ही मस्टररोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था। जिससे मस्टररोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु0 563020.00 का वर्ष 14-15 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0पी0 त्रिपाठी श्रीमती प्रीति वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्रीमती आरती सिंह ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-191 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 2424839.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेषित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु02424839.00 जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0पी0 त्रिपाठी श्रीमती प्रीति वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्रीमती आरती सिंह ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014-15 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष स्टॉक रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के बाद तैयार की गयी है।

प्रस्तर सं0-192 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में **रु0 51097.00 टी0डी0एस0 (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रु0 6144.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-** वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 51097.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2555420.00 को दर्शित है। जिस पर 2.24 की दर से रु0 57241.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 6144.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0पी0 त्रिपाठी श्रीमती प्रीति वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए

। लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी0डी0एस0 अंकन रु0 51097.00 भी जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-193 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्वकी हानि करना- आलोच्य वर्ष 2014-15 में कुल रु0 2555420.00 की सामग्री क्रय की गयी है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 102217.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु0 79484.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार रु0 22733.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु0 22733.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रु0 22733.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0पी0 त्रिपाठी श्रीमती प्रीति वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-194 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु0 3118440.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु0 31184.00 होता है, जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0पी0 त्रिपाठी श्रीमती प्रीति वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-195 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना- निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद (एम0एम0-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं0-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 192.00 घन मी0 रेता (बालू), 189.78 घन मी0 मोरंग, 332.70 घन मी0 बजरी (मिट्टी) एवं ग घन मी0 मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है-

मात्रा दर (प्रति घन मी0)	धनराशि
1- रेता बालू - 192.00 ग 33	6336.00
2- मोरंग - 189.78 ग 33	6263.00
3- बजरी (मिट्टी)- 332.70 ग 102	33935.00
योग-	46534.00

उक्त क्षति अंकन रु0 46534.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0पी0 त्रिपाठी श्रीमती प्रीति वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति पत्र वर्ष 2015-16

प्रस्तर सं0-196 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्य अंकन रु0 1363903.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार सिंह का 630286.00 का, श्री नन्द किशोर राणा को रु0 572382.00 का एवं श्री प्रमोद गंगवार को रु0 161235.00 का भुगतान किया गया। मस्टरोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टरोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टरोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रायः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी साथ ही मस्टरोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था। जिससे मस्टरोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टरोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु0 1363903.00 का वर्ष 15-16 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0पी0 त्रिपाठी श्रीमती प्रीति वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्रीमती आरती सिंह ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-197 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 8176946.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु08176946.00 जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0पी0 त्रिपाठी श्रीमती प्रीति वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्रीमती आरती सिंह ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015-16 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष स्टॉक रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के बाद तैयार की गयी है।

प्रस्तर सं०-198 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **रु0 173323.00 टी0डी0एस0 (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रु0 21488.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-** आलोच्य वर्ष में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 173323.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 8696915.00 को दर्शित है। जिस पर 2.24 की दर से रु0 194811.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 21488.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0पी0 त्रिपाठी श्रीमती प्रीति वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना आमंत्रित है। साथ ही काटे गये, टी0डी0एस0 अंकन रु0 173323.00 भी जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-199 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्वकी हानि करना-** आलोच्य वर्ष 2015-16 में कुल रु0 8696915.00 की सामग्री क्रय की गयी है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 347877.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु0 346646.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार रु0 1231.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु0 1231.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रु0 1231.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0पी0 त्रिपाठी श्रीमती प्रीति वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-200 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में आलोच्य वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु0 10060818.42 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु0 100608.00 होता है, जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0पी0 त्रिपाठी श्रीमती प्रीति वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-201 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना-** निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की

खरीद पर रॉयल्टी रसीद (एम0एम0-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं0-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 630.00 घन मी0 रेता (बालू), 618.60 घन मी0 मोरंग, 1109.00 घन मी0 बजरी (मिट्टी) एवं ग घन मी0 मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है—

मात्रा दर (प्रति घन मी0)	धनराशि
1— रेता बालू — 630.00 ग 33	= 20790.00
2— मोरंग — 618.60 ग 33	= 20414.00
3— बजरी (मिट्टी)— 1109.00 ग102	= 113118.00
योग =	154322.00

उक्त क्षति अंकन रु0 154322.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0पी0 त्रिपाठी श्रीमती प्रीति वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति पत्र वर्ष 2016-17

प्रस्तर सं0-202 क्षेत्र पंचायत का नाम—मदनापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्य अंकन रु0 895146.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री प्रवीण कुमार को रु0 269996.00 का, श्री सन्तोष बाबू को रु0 67062.00 का एवं श्री अमरपाल सोनकर को रु0 48613.00 तथा श्री संजीव भारद्वाज को रु0 75475.00 का भुगतान किया गया। मस्टरोलों पर क्रमांक अंकित नहीं थे।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टरोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टरोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रायः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी साथ ही मस्टरोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था। जिससे मस्टरोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टरोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु0 895146.00 का वर्ष 16-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0पी0 त्रिपाठी श्रीमती प्रीति वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0 श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्रीमती आरती सिंह ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-203 क्षेत्र पंचायत का नाम—मदनापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 3683681.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेषित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु0 3683681.00 जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0पी0 त्रिपाठी श्रीमती प्रीति वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0 श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्रीमती आरती सिंह ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

निष्कर्ष— उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016-17 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी रु0 190316.00 श्री सक्सेना को रु0 82490.00 श्री वीरसेन को रु0 161194.00 श्री विश्वकान्त को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष स्टॉक रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस

नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के बाद तैयार की गयी है।

प्रस्तर सं०-204 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **रु० 78138.00 टी०डी०एस० (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रु० 9627.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि-** आलोच्य वर्ष में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 78138.00 की टी०डी०एस० कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 3918095.00 को दर्शित है। जिस पर 2.24 की दर से रु० 87765.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 9627.00 का टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी०पी० त्रिपाठी श्रीमती प्रीति वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी०डी०एस० अंकन रु० 78138.00 भी जमा की पुष्टि में चालान चेक नं०/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-205 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्वकी हानि करना-** आलोच्य वर्ष 2016-17 में कुल रु० 3918095.00 की सामग्री क्रय की गयी है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 156724.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु० 156276.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार रु० 448.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु० 448.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रु० 448.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी०पी० त्रिपाठी श्रीमती प्रीति वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-206 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में आलोच्य वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु० 4813241.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु० 48132.00 होता है, जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी०पी० त्रिपाठी श्रीमती प्रीति वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-207 क्षेत्र पंचायत का नाम-मदनापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना-** निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद (एम०एम०-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं०-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 110.25 घन मी० रेता (बालू), 111.35 घन मी० मोरंग, 195.18 घन मी० बजरी (मिट्टी) एवं ग घन मी० मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है-

मात्रा दर (प्रति घन मी०)	धनराशि
1- रेता बालू - 110.25 ग 33	= 3638.00
2- मोरंग - 111.35 ग 33	= 3675.00
3- बजरी (मिट्टी)- 195.18 ग 102	= 19908.00
योग = 27221.00	

उक्त क्षति अंकन रु० 27221.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी०पी० त्रिपाठी श्रीमती प्रीति वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-जलालाबाद

आपत्ति पत्र वर्ष 2011-12

प्रस्तर सं०-208 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों अंकन रु० 286762.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अतर सिंह को रु० 64100.00 का, श्री सतीश कुमार निगम को रु० 80277.00 का तथा श्री श्यामवीर सिंह को रु० 142385.00

का भुगतान किया गया है।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टररोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टररोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रयः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी साथ ही मस्टररोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था। जिससे मस्टररोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु0 286762.00 का वर्ष 11-12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कपिल कुमार श्री सत्येन्द्र कुमार श्री एम आर तम राम श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्रीमती महजवी बेगमब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-209 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर, सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण करना-**

कुल दर्शित भुगतान रु0 1802710.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रम प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक/कच्चे** बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद, उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु01802710.00 जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कपिल कुमार श्री सत्येन्द्र कुमार श्री एम आर तम राम श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्रीमती महजवी बेगम ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 11-12 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं है। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों **आहरण/भुगतान** के बाद तैयार की गयी है।

प्रस्तर सं0-210 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **रूपये 29134.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना एवं रूपये 11899.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-** आलोच्य वर्ष 11-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु0 **29134.00** टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कम रु0 1831844.00 की दर्शिता है जिस पर 2.24 प्रति की दर से टी0डी0एस0 रु0 41033.00 होता है। इस प्रकार रु0 11899.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि में बराबर वसूलनीय राँयल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कपिल कुमार श्री सत्येन्द्र कुमार श्री एम आर तम राम श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 रु0 **29134.00** की जमा पुष्टि में चालान चेक नं0/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-211 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्व की हानि करना-**

आलोच्य वर्ष 11-12 में कुल रु0 1831844.00 की सामग्री कय की गयी है। जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से कुल 41400.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु0

शून्य की कटौती की गयी। इस प्रकार रु0 41400.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु0 41400.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके संबंध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रु0 41400.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज सहित तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कपिल कुमार श्री सत्येन्द्र कुमार श्री एम आर तम राम श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-212 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्य पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु0 2118605.00 पर 1 प्रतिशत लेवर शेष नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु0 21186.00 होता है जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कपिल कुमार श्री सत्येन्द्र कुमार श्री एम आर तम राम श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-213 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना-

निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद(एम0एस0-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं0-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 54.43 घन मी0 रेता(बालू), 69.43 घन मी0 मोरंग, 201.44 घन मी0 बजरी (मिट्टी) एवं शून्य घन मी0 मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है-

मात्रा × दर (प्रति घन मी0)	धनराशि
(1) रेता बालू- 110.72ग33	1796.00
(2) मोरंग- 132.00 × 33	2291.00
(3) बजरी (मिट्टी)- 178.80 × 102	20547.00

योग- 24634.00

उक्त क्षति अंकन रु0 24634.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कपिल कुमार श्री सत्येन्द्र कुमार श्री एम आर तम राम श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति पत्र वर्ष 2012-13

प्रस्तर सं0-214 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्य अंकन रु0 590188.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री मो0 इलियास को रु0 193727.00 का, श्री सुशील अग्निहोत्री को रु0 191738.00, श्री राजेश पाल को रु0 74998.00 तथा श्री ओमपाल गंगवार को रु0 129725.00 का भुगतान किया गया है।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टररोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टररोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रयः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी साथ ही मस्टररोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था। जिससे मस्टर रोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु0 590188.00 का वर्ष 2012-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा श्री मुनीम लाल लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्रीमती महजवी बेगम ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-215 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर, सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण करना-

कुल दर्शित भुगतान रु0 374380.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रम

प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद, उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु0374380.00 जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0 श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी/श्रीमती महजवी बेगम ब्लाक प्रमुख समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2012-13 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं है। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के बाद तैयार की गयी है।

प्रस्तर सं0-216 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में रूपये 79174.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना एवं रूपये 6462.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-

आलोच्य वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु0 79174.00 टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कम रु0 3823044.00 की दर्शिता है जिस पर 2.24 प्रति की दर से टी0डी0एस0 रु0 85636.00 होता है। इस प्रकार रु0 6462.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि में बराबर वसूलनीय राँयल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 रु0 79174.00 की जमा पुष्टि में चालान चेक नं0/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-217 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्व की हानि करना-

आलोच्य वर्ष 2012-13 में कुल रु0 3823044.00 की सामग्री कय की गयी है। जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से कुल 86401.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु0 शून्य की कटौती की गयी। इस प्रकार रु0 86401.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु0 86401.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके संबंध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रु0 86401.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-218 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु0 4413232.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु0 44132.00 होता है जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-219 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में उपखनिजों की खरीद पर राँयल्टी कटौती न करना-

निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर राँयल्टी रसीद(एम0एस0-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं0-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.

2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 239.23 घन मी० रेत(बालू), 320.60 घन मी० मोरंग, 422.82 घन मी० बजरी (मिट्टी) एवं 26.99 घन मी० मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है—

मात्रा × दर (प्रति घन मी०)	धनराशि
(1) रेत बालू— 110.72 × 33	7895.00
(2) मोरंग— 132.00 × 33	10580.00
(3) बजरी (मिट्टी)— 178.80 × 102	43128.00
(4) मिट्टी— 408.00 × 14	378.00
योग—	61981.00

उक्त क्षति अंकन रु० 61981.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति पत्र वर्ष 2013-14

प्रस्तर सं०-220 क्षेत्र पंचायत का नाम—जलालाबाद, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य अंकन रु० 698911.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री मो० इलियास को रु० 499251.00 का, श्री ओमपाल गंगवार का रु० 126390.00 का, तथा श्री संजीव भारद्वाज को रु० 73270.00 का भुगतान किया गया।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टररोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टररोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक—दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रयः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी साथ ही मस्टररोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था। जिससे मस्टररोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु० 590188.00 का वर्ष 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए वी०डी०ओ० श्री बलीराम वर्मा श्री मुनीम लाल /जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख श्रीमतीमहजबी बेगम समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-221 क्षेत्र पंचायत का नाम—जलालाबाद, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर, सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण करना—**

कुल दर्शित भुगतान रु० 3662113.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रम प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक/कच्चे** बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग—पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद, उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम०एम०-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण धनराशि रु० 3662113.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी बली राम वर्मा श्री मुनीम लाल ब्लाक प्रमुख श्रीमती महजबी बेगम से किया गया है।

निष्कर्ष— उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2013-14 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग—पत्र निर्गत नहीं है। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ **आहरण/भुगतान** के बाद तैयार की गयी है।

प्रस्तर सं०-222 क्षेत्र पंचायत का नाम—जलालाबाद, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में **रूपये 75694.00**

टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना एवं रुपये 8033.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि—

आलोच्य वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु0 75694.00 टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कम रु0 3737807.00 की दर्शिता है जिस पर 2.24 प्रति की दर से टी0डी0एस0 रु0 83727.00 होता है। इस प्रकार रु0 8033.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि में बराबर वसूलनीय रॉयल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 रु0 75694.00 की जमा पुष्टि में चालान चेक नं0/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-223 क्षेत्र पंचायत का नाम—जलालाबाद, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्व की हानि करना—

आलोच्य वर्ष 2013-14 में कुल रु0 3737807.00 की सामग्री कय की गयी है। जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से कुल 84474.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु0 शून्य की कटौती की गयी। इस प्रकार रु0 84474.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु0 84474.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके संबंध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रु0 84474.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-224 क्षेत्र पंचायत का नाम—जलालाबाद, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु0 4436718.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु0 44367.00 होता है जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-07

प्रस्तर सं0-225 क्षेत्र पंचायत का नाम—जलालाबाद, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना—

निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद(एम0एस0-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं0-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 152.77 घन मी0 रेता(बालू), 260.33 घन मी0 मोरंग, 223.39 घन मी0 बजरी (मिट्टी) एवं शून्य घन मी0 मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है—

मात्रा × दर (प्रति घन मी0)	धनराशि
(1) रेता बालू— 110.72 × 33	5041.00
(2) मोरंग— 132.00 × 33	8591.00
(3) बजरी (मिट्टी)— 178.80 × 102	22786.00
	योग— 36418.00

उक्त क्षति अंकन रु0 36418.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत—जलालाबाद

आपत्ति पत्र वर्ष 2014-15

प्रस्तर सं0-226 क्षेत्र पंचायत का नाम—जलालाबाद, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 14-15 में निर्माण कार्य अंकन रु0 1107753.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री मो0 इलियास को रु0

686849.00 का, श्री ओमपाल गंगवार का रु0 242006.00 का, श्री दिलीप गुप्ता को रु0 79080.00 का तथा श्री संजीव सिन्हा को रु0 99818.00 का भुगतान किया गया है।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टररोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टररोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रायः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी साथ ही मस्टररोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था। जिससे मस्टररोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु0 1107753.00 का वर्ष 14-15 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी समान रूप से धनराशि रु01107753.00की वसूली खण्ड विकास अधिकारी बली राम वर्मा श्री मुनीम लाल ब्लाक प्रमुख श्रीमती महजबी बेगम अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-227 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर, सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण करना-**

कुल दर्शित भुगतान रु0 5014686.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री कम प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक/कच्चे बिल** पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद, उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु05014686.00 जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। /जे0ई0श्री राकेश कौशिक कार्यप्रभारी समान रूप ब्लाक प्रमुख श्रीमती महजबी बेगम अपेक्षित है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 14-15 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं है। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ **आहरण/भुगतान** के बाद तैयार की गयी है।

प्रस्तर सं0-228 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में **रूपये 105176.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना एवं रूपये 12054.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-**

आलोच्य वर्ष में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु0 105176.00 टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कम रु0 5233504.00 की दर्शिता है जिस पर 2.24 प्रति की दर से टी0डी0एस0 रु0 117230.00 होता है। इस प्रकार रु0 12054.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि में बराबर वसूलनीय रायल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री बली राम वर्मा लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 रु0 105176.00 की जमा पुष्टि में चालान चेक नं0/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण राजस्व हानि जमा कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनीम लाल से वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-05

प्रस्तर सं0-229 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में **व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्व की हानि करना-**

आलोच्य वर्ष 14-15 में कुल रु0 5233504.00 की सामग्री कय की गयी है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 209340.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु0 113642.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार रु0 95698.00 की कटौती नहीं

की गयी। जिससे रू0 95698.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके संबंध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रू0 95698.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनीम लाल लेखाकार श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा समान रूप से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। साथ ही काटे गये व्यापार कर/वैट के जमा की पुष्टि में कोई जमा प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये जिसकारण राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनीम लाल से वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-230 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 14-15 में निर्माण कार्य पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रू0 6341257.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रू0 63413.00 होता है जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनीम लाल एवं लेखाकार की है। इसकी प्रतिपूर्ति खण्ड विकास अधिकारी से की जानी चाहिए। राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित से वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-231 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना-

निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद(एम0एस0-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं0-3891/77-5-200(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 186.41 घन मी0 रेत(बालू), 227.39 घन मी0 मोरंग, 333.99 घन मी0 बजरी (मिट्टी) एवं × घन मी0 मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है-

मात्रा × दर (प्रति घन मी0)	धनराशि
(1) रेत बालू- 186.41 × 33	6152.00
(2) मोरंग- 227.39 × 33	7504.00
(3) बजरी (मिट्टी)- 333.39 × 102	34067.00
	योग- 47723.00

उक्त क्षति अंकन रू0 47723.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों श्री मुनीम लाल एवं लेखाकार से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति पत्र वर्ष 2015-16

प्रस्तर सं0-232 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्य पर अंकन रू0 1542672.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री मो0 इलियास को रू0 454867.00 का, श्री ओमपाल गंगवार का रू0 811460.00 का, श्री संजीव सिन्हा को रू0 126697.00 का श्री दिलीप गुप्ता को रू0 23675.00 का तथा श्री संजीव सिन्हा को रू0 125973.00 का भुगतान किया गया है।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टररोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टररोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रयः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी साथ ही मस्टररोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था। जिससे मस्टररोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रू0 1542472.00 का वर्ष 15-16 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए वी0डी0ओ0 श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी श्रीमती सुधा आर्याश्रीमती प्रीति वर्मा श्री राजेश कुमार झा/जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ब्लाक श्रीमती महजबी बेगम प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-233 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर, सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण करना-

कुल दर्शित भुगतान रू0 5643605.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रम प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर

हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद, उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु05643605.00 जिसके लिए वी0डी0ओ0 श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी श्रीमती सुधा आर्याश्रीमती प्रीति वर्मा श्री राजेश कुमार झा/जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ब्लाक श्रीमती महजबी बेगम प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

निष्कर्ष— उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 15-16 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं है। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ आहरण/भुगतान के बाद तैयार की गयी है।

प्रस्तर सं0-234 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में रूपये 94944.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना एवं रूपये 37840.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि— आलोच्य वर्ष में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु0 94944.00 टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कम रु0 5927837.00 की दर्शिता है जिस पर 2.24 प्रति की दर से टी0डी0एस0 रु0 132784.00 होता है। इस प्रकार रु0 37840.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि में बराबर वसूलनीय रॉयल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी जिसके लिए वी0डी0ओ0 श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी श्रीमती सुधा आर्याश्रीमती प्रीति वर्मा श्री राजेश कुमार झा लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 रु0 94944.00 की जमा पुष्टि में चालान चेक नं0/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-235 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्व की हानि करना—

आलोच्य वर्ष 15-16 में कुल रु0 5927837.00 की सामग्री कय की गयी है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 237113.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु0 189488.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार रु0 47625.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु0 47625.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके संबंध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रु0 95698.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है। साथ ही काटे गये व्यापार कर/वैट के जमा की पुष्टि में कोई जमा प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी श्रीमती सुधा आर्या श्रीमती प्रीति वर्मा श्री राजेश कुमार झासे वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-236 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु0 7470509.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु0 74705.00 होता है जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी श्रीमती सुधा आर्या श्रीमती प्रीति वर्मा श्री राजेश कुमार झा एवं लेखाकार की है। राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु वसूली खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-237 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना—

निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद(एम0एस0-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं0-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है।

आलोच्य वर्ष में 110.72 घन मी० रेत(बालू), 132.00 घन मी० मोरंग, 178.80 घन मी० बजरी (मिट्टी) एवं 408.00 घन मी० मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है—

मात्रा × दर (प्रति घन मी०)	धनराशि
(1) रेत बालू— 110.72 × 33	3654.00
(2) मोरंग— 132.00 × 33	4356.00
(3) बजरी (मिट्टी)— 178.80 × 102	18238.00
(4) मिट्टी— 408.00 × 14	5712.00
	योग— 31960.00

उक्त क्षति अंकन रु० 31960.00 की ब्याज सहित वसूली वी०डी०ओ० श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी श्रीमती सुधा आर्या श्रीमती प्रीति वर्मा श्री राजेश कुमार झा / जे०ई० / लेखाकार / कार्यप्रभारी / ब्लाक श्रीमती महजबी बेगम प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति पत्र वर्ष 2016—17

प्रस्तर सं०—238 क्षेत्र पंचायत का नाम—जलालाबाद, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2016—17 में निर्माण कार्य अंकन रु० 774268.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय को रु० 401849.00 श्री राजेश शर्मा को रु० 233663.00 तथा श्री अतर सिंह को रु० 138756.00 का भुगतान किया गया है।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टररोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टररोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक—दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रयः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी साथ ही मस्टररोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था। जिससे मस्टररोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु० 774268.00 का वर्ष 16—17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए वी०डी०ओ० श्री राजेश कुमार झा श्री जोगेन्द्र सिंह यादव श्री सुधीर कुमार यादव / जे०ई० / लेखाकार / कार्यप्रभारी / ब्लाक प्रमुख श्री गोपाल सिंह वर्मा समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०—239 क्षेत्र पंचायत का नाम—जलालाबाद, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2016—17 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर, सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण करना—**

कुल दर्शित भुगतान रु० 4014521.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रम प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड / कच्चे बिल / कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक / कच्चे** बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग—पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद, उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम०एम०—11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है।

निष्कर्ष— उपरोक्त आपत्तियों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 16—17 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग—पत्र निर्गत नहीं है। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियाँ **आहरण / भुगतान** के बाद तैयार की गयी है। आहरित धनराशि रु० 4014521.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु वी०डी०ओ० श्री राजेश कुमार झा श्री जोगेन्द्र सिंह यादव श्री सुधीर कुमार यादव / जे०ई० / लेखाकार / कार्यप्रभारी / ब्लाक प्रमुख श्री गोपाल सिंह वर्मा समान रूप से उत्तरदायी है।

प्रस्तर सं०-240 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **रूपये 81909.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना एवं रूपये 13521.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-** आलोच्य वर्ष में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु० **81909.00** टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कम रु० 4260248.00 की दर्शिता है जिस पर 2.24 प्रति की दर से टी0डी0एस0 रु० 95430.00 होता है। इस प्रकार रु० 13521.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि में बराबर वसूलनीय रॉयल्टी के साथ आहरण वितरण **अधिकारी/खण्ड** विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 रु० **81909.00** की जमा पुष्टि में चालान चेक नं०/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु वी0डी0ओ0 श्री राजेश कुमार झा श्री जोगेन्द्र सिंह यादवश्री सुधीर कुमार यादव उत्तरदायी है।

वसूली कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-241 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्व की हानि करना-**

आलोच्य वर्ष 16-17 में कुल रु० 4260248.00 की सामग्री क्रय की गयी है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 170410.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु० 163818.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार रु० 6592.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु० 6592.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके संबंध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रु० 6592.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण **अधिकारी/खण्ड** विकास अधिकारी से अपेक्षित है। साथ ही काटे गये व्यापार कर/वैट के जमा की पुष्टि में कोई जमा प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु वी0डी0ओ0 श्री राजेश कुमार झा श्री जोगेन्द्र सिंह यादव श्री सुधीर कुमार यादव से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-242 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में आलोच्य वर्ष 15-16 में निर्माण कार्य पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु० 5034516.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु० 50345.00 होता है जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की है। राजस्व हानि जमा कराये जाने खण्ड विकास अधिकारी वी0डी0ओ0 श्री राजेश कुमार झा श्री जोगेन्द्र सिंह यादवश्री सुधीर कुमार यादव/जे0ई0/ लेखाकार/ कार्यप्रभारी / ब्लाक प्रमुखश्री गोपाल सिंह वर्मा समान रूप से उत्तरदायी है। वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-243 क्षेत्र पंचायत का नाम-जलालाबाद, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना-**

निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद(एम0एस0-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं०-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 110.72 घन मी० रेत(बालू), 132.00 घन मी० मोरंग, 178.80 घन मी० बजरी (मिट्टी) एवं 408.00 घन मी० मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है-

मात्रा × दर (प्रति घन मी०)

(1) रेत बालू- 110.72 × 33

(2) मोरंग- 132.00 × 33

(3) बजरी (मिट्टी)- 178.80 × 102

धनराशि

3432.00

5280.00

24480.00

योग- 33192.00

उक्त क्षति अंकन रु० 33192.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों वी0डी0ओ0 श्री राजेश कुमार झा श्री जोगेन्द्र सिंह यादवश्री सुधीर कुमार यादव/ जे0ई0/ लेखाकार / कार्यप्रभारी/ ब्लाक प्रमुखश्री गोपाल सिंह वर्मा समान रूप से उत्तरदायी है।

प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत— कलान, जनपद— शाहजहाँपुर, वर्ष 2011-12 से 2013-14

आपत्ति पत्र वर्ष 2011-12

प्रस्तर सं०-244 क्षेत्र पंचायत का नाम—कलान, जनपद— शाहजहाँपुर 2011-12 में निर्माण कार्य अंकन रु० 902681.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार पाण्डेय को रु० 79178.00 का तथा श्री गंगा महेश पाण्डेय को रु० 150150.00 का, श्री राजकुमार शुक्ला को रु० 492704.00 का तथा श्री जयप्रकाश तिवारी को रु० 180649.00 का भुगतान किया गया। मस्टर रोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टररोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टररोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रायः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की। जिससे मस्टररोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु० 902681.00 का वर्ष 11-12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए वी०डी०ओ० श्री कपिल कुमार श्रीए०के०अग्रवाल श्री लल्लूराम/जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-245 क्षेत्र पंचायत का नाम—कलान, जनपद— शाहजहाँपुर 2011-12 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 3859656.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेषित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम०एम०-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है।

निष्कर्ष— उपरोक्त आपत्तियों के अवलोकन में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011-12 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष स्टॉक रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के बाद तैयार की गयी है। रु०. 3859656.00 वी०डी०ओ० श्री कपिल कुमार श्रीए०के०अग्रवाल श्री लल्लूराम /जे०ई० /लेखाकार /कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-246 क्षेत्र पंचायत का नाम—कलान, जनपद— शाहजहाँपुर 2011-12 में **रु० 79683.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न होना एवं रु० 6773.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि—** आलोच्य वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 79683.00 की टी०डी०एस० कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु० 3859656.00 को दर्शित है। जिस पर 2.24 की दर से रु० 86456.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 6773.00 का टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी०डी०एस० अंकन रु० 79683.00 भी जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी वी०डी०ओ० श्री कपिल कुमार श्रीए०के०अग्रवाल श्री लल्लूराम/लेखाकार/ समान रूप से उत्तरदायी से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-247 क्षेत्र पंचायत का नाम—कलान, जनपद— शाहजहाँपुर 2011-12 में **व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्वकी हानि करना—** आलोच्य वर्ष 2011-12 में कुल रु०

3859656.00 की सामग्री क्रय की गयी है। जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से कुल 87228.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु0 शून्य की कटौती की गयी। इस प्रकार रु0 87228.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु0 87228.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रु0 87228.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी वी0डी0ओ0 श्री कपिल कुमार श्रीए0के0अग्रवाल श्री लल्लूराम से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-248 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2011-12 में निर्माण कार्यो पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु0 4762337.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु0 47623.00 होता है, जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की है। इसकी प्रतिपूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से की जानी चाहिए। आलोच्य वर्ष में कुल धनराशि का उपभोग रु0 7156015.00 किया गया है। परन्तु तालिका-2 के अनुसार श्रम एवं सामग्री पर कुल व्यय रु0 4762337.00 किया गया है। अन्तर की धनराशि का उपभोग रु0 2393678.00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी वी0डी0ओ0 श्री कपिल कुमार श्रीए0के0अग्रवाल श्री लल्लूराम समान रूप से उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-249 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2011-12 में उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना- निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद (एम0एम0-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं0-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 241.54 घन मी0 रेता (बालू), 324.74 घन मी0 मोरंग, 354.54 घन मी0 बजरी (मिट्टी) एवं 691.98 घन मी0 मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है-

मात्रा दर (प्रति घन मी0)	धनराशि
1- रेता बालू - 241.54.33	= 7971.00
2- मोरंग - 324.74.33	= 10716.00
3- बजरी (मिट्टी)- 354.54.102	= 36163.00
4- मिट्टी- 691.98.14	= 9688.00
योग = 64538.00	

उक्त क्षति अंकन रु0 64538.00 की ब्याज सहितवसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों वी0डी0ओ0 श्री कपिल कुमार श्रीए0के0अग्रवाल श्री लल्लूरामलेखाकार समान रूप से उत्तरदायी से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति पत्र वर्ष 2012-13

प्रस्तर सं0-250 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में निर्माण कार्यो अंकन रु0 428645.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राजकुमार शुक्ला को रु0 170160.00 का तथा श्री टी0एन0 मिश्रा को रु0 175285.00 का जय प्रकाश तिवारी को रु0 83200.00 का भुगतान किया गया। मस्टरोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टरोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टरोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रायः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की। जिससे मस्टरोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टरोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु0 428645.00 का वर्ष 12-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए वी0डी0ओ0 बाबूराम श्री ए0के0अग्रवाल श्री रक्षपालसिंह श्री एस0पी0 कन्नौजिया श्री एम आर तमराम श्री मुनीम लाल/जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से सम्बन्धित धनराशि रु0428645.00 से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-251 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण: कुल दर्शित भुगतान रुपये 3446808.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न

पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2012-13 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष स्टॉक रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के बाद तैयार की गयी है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार सक्सेनाश्री एस0पी0 कन्नौजिया श्री मुनीम लाल श्री सी0पी0 दीक्षित जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख से सम्बन्धित धनराशि रु03446808.00की ब्याज सहितवसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-252 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में रु0 71610.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना एवं रु0 7203.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि- आलोच्य वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 71610.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 3518418.00 को दर्शित है। जिस पर 2.24 की दर से रु0 78813.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 7203.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी0डी0एस0 अंकन रु0 71610.00 भी जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी से श्री सुधीर कुमार सक्सेनाश्री एस0पी0 कन्नौजिया श्री मुनीम लाल श्री सी0पी0 दीक्षित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-253 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्वकी हानि करना- आलोच्य वर्ष 2012-13 में कुल रु0 3518418.00 की सामग्री क्रय की गयी है। जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से कुल 79516.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु0 शून्य की कटौती की गयी। इस प्रकार रु0 79516.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु0 79516.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रु0 79516.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार सक्सेनाश्री एस0पी0 कन्नौजिया श्री मुनीम लाल श्री सी0पी0 दीक्षित से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-254 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में आलोच्य वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु0 3947063.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु0 39471.00 होता है, जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की है। इसकी प्रतिपूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार सक्सेनाश्री एस0पी0 कन्नौजिया श्री मुनीम लाल श्री सी0पी0 दीक्षित से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-255 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना- निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद (एम0एम0-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं0-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राकीय कोश की क्षति

हुई है। आलोच्य वर्ष में 161.24 घन मी० रेंता (बालू), 248.59 घन मी० मोरंग, 327.76 घन मी० बजरी (मिट्टी) एवं 208.71 घन मी० मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है—
मात्रा दर (प्रति घन मी०) धनराशि

1— रेंता बालू — 161.24.33	= 5321.00
2— मोरंग — 248.59.33	= 8203.00
3— बजरी (मिट्टी)— 327.76.102	= 33432.00
4— मिट्टी— 208.71.14	= 2922.00

योग = 49878.00

उक्त क्षति अंकन रु० 49878.00 की ब्याज सहितवसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों श्री सुधीर कुमार सक्सेनाश्री एस०पी० कन्नौजिया श्री मुनीम लाल श्री सी०पी० दीक्षित जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत— कलान, जनपद— शाहजहाँपुर, वर्ष 2014—15 से 2016—17 तक

आपत्ति पत्र वर्ष 2014—15

प्रस्तर सं०—256 क्षेत्र पंचायत का नाम—कलान, जनपद— शाहजहाँपुर 2014—15 में निर्माण कार्य अंकन रु० 1202366.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार पाण्डेय को रु० 133440.00 का, श्री उदय प्रताप सिंह को रु० 1068926.00 का भुगतान किया गया।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टर रोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टररोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक—दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रायः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी साथ ही मस्टररोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था। जिससे मस्टररोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु० 1202366.00 का वर्ष 14—15 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए वी०डी०ओ० श्री सी०पी० दीक्षित

श्री मनीस लाल श्री अनुज सक्सेना/जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ब्लाक प्रमुख श्री सोरन सिंह से समान रूप से रु०1202366.00की ब्याज सहितवसूली से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०—257 क्षेत्र पंचायत का नाम—कलान, जनपद— शाहजहाँपुर 2014—15 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 8426195.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग—पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम०एम०—11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है।

निष्कर्ष— उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014—15 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष स्टॉक रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग—पत्र निर्गत नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के बाद तैयार की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन वी०डी०ओ० श्री सी०पी० दीक्षित

श्री मनीस लाल श्री अनुज सक्सेना/जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ब्लाक प्रमुख श्री सोरन सिंह से समान रूप से रु०8426195.00की ब्याज सहितवसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०—258 क्षेत्र पंचायत का नाम—कलान, जनपद— शाहजहाँपुर 2014—15 में **रु० 186413.00 टी०डी०एस० (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रु० 21027.00 की टी०डी०एस० कम काटकर**

राजस्व की हानि— आलोच्य वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 186413.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 9260710.00 को दर्शित है। जिस पर 2.24 प्रति की दर से रु0 207440.00 होता है। इस प्रकार रु0 21027.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय रॉयल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना आमंत्रित है। साथ ही काटे गये, टी0डी0एस0 अंकन रु0 186413.00 भी जमा की पुष्टि में चालान चेक नं0/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी वी0डी0ओ0 श्री सी0पी0 दीक्षित श्री मुनीस लाल श्री अनुज सक्सेना की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-259 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2014-15 में व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्वकी हानि करना— आलोच्य वर्ष 2014-15 में कुल रु0 9260710.00 की सामग्री क्रय की गयी है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 370428.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु0 347571.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार रु0 22857.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु0 22857.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रु0 22857.00 की राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी वी0डी0ओ0 श्री सी0पी0 दीक्षित श्री मुनीस लाल श्री अनुज सक्सेना से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-260 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2014-15 में निर्माण कार्यों पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु0 10463076.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु0 104631.00 होता है, जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की है। इसकी प्रतिपूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी वी0डी0ओ0 श्री सी0पी0 दीक्षित श्री मुनीस लाल श्री अनुज सक्सेना से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-261 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2014-15 में उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना— निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद (एम0एम0-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं0-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 80.31 घन मी0 रेंता (बालू), 175.34 घन मी0 मोरंग, 105.92 घन मी0 बजरी (मिट्टी) एवं 343.94 घन मी0 मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है—
मात्रा दर (प्रति घन मी0) धनराशि

1— रेंता बालू — 80.31.33	= 2650.00
2— मोरंग — 175.34.33	= 5786.00
3— बजरी (मिट्टी)— 105.92.102	= 10804.00
4—मिट्टी— 343.94.14	= 4815.00

योग = 24055.00

उक्त क्षति अंकन रु0 24055.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों वी0डी0ओ0 श्री सी0पी0 दीक्षित श्री मुनीस लाल श्री अनुज सक्सेना एवं लेखाकार से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति पत्र वर्ष 2015-16

प्रस्तर सं0-262 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में निर्माण कार्यों अंकन रु0 229522.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार पाण्डेय को रु0 201078.00 का तथा श्री उदय प्रताप सिंह को रु0 28440.00 का भुगतान किया गया। मस्टरोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टरोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टरोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रायः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी साथ ही मस्टरोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था। जिससे मस्टरोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु० 229518.00 का वर्ष 15-16 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए वी०डी०ओ० श्री भगवान सिंह वर्मा श्री सुधार कुमार यादव श्री अमित कुमार श्री सुधीर कुमार यादव श्री जैनिभ कान्त जे०ई०/ लेखाकार कार्यप्रभारी/ ब्लाक प्रमुख श्री सोरन सिंह समान रूप से धनराशि रु०229518.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-263 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 1491895.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक/कच्चे** बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम०एम०-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015-16 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष स्टॉक रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों **आहरण/भुगतान** के बाद तैयार की गयी है। जिसके लिए वी०डी०ओ० श्री भगवान सिंह वर्मा श्री सुधार कुमार यादव श्री अमित कुमार श्री सुधीर कुमार यादव श्री जैनिभ कान्त जे०ई०/ लेखाकार कार्यप्रभारी/ ब्लाक प्रमुख श्री सोरन सिंह से रु०1491895.00की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-264 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में **रु० 31428.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न होना एवं रु० 6905.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि-** आलोच्य वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 31428.00 की टी०डी०एस० कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु० 1711281.00 को दर्शित है। जिस पर 2.24 प्रति की दर से रु० 38333.00 होता है। इस प्रकार रु० 6905.00 का टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय रॉयल्टी के साथ आहरण-वितरण **अधिकारी/खण्ड** विकास अधिकारी से लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी०डी०एस० अंकन रु० 31428.00 भी जमा की पुष्टि में चालान चेक नं०/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण से राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी जिसके लिए वी०डी०ओ० श्री भगवान सिंह वर्मा श्री सुधार कुमार यादव श्री अमित कुमार श्री सुधीर कुमार यादव श्री जैनिभ कान्त से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-265 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में **व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्वकी हानि करना-** आलोच्य वर्ष 2015-16 में कुल रु० 1711281.00 की सामग्री क्रय की गयी है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 68451.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु० 62997.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार रु० 5454.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु० 5454.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रु० 26629.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण **अधिकारी/खण्ड** विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह वर्मा श्री सुधार कुमार यादव श्री अमित कुमार श्री सुधीर कुमार यादव श्री जैनिभ कान्त से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-266 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में निर्माण कार्यों पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु० 1940803.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु० 19408.00 होता है, जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री

भगवान सिंह वर्मा श्री सुधार कुमार यादव श्री अमित कुमार श्री सुधीर कुमार यादव श्री जैनिभ कान्त एवं लेखाकार की है। इसकी प्रतिपूर्ति से की जानी चाहिए।

प्रस्तर सं०-267 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में **उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना-** निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद (एम०एम०-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं०-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 29.93 घन मी० रेता (बालू), 62.70 घन मी० मोरंग, 16.41 घन मी० बजरी (मिट्टी) एवं 15.77 घन मी० मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है-

मात्रा दर (प्रति घन मी०)	धनराशि
1- रेता बालू - 29.93.33	= 988.00
2- मोरंग - 62.70.33	= 2069.00
3- बजरी (मिट्टी)- 16.41.102	= 1674.00
4- मिट्टी- 15.77.14	= 221.00
	योग = 4952.00

उक्त क्षति अंकन रु० 4952.00 की ब्याज सहितवसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों श्री भगवान सिंह वर्मा श्री सुधार कुमार यादव श्री अमित कुमार श्री सुधीर कुमार यादव श्री जैनिभ कान्त लेखाकार से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति पत्र वर्ष 2016-17

प्रस्तर सं०-268 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में निर्माण कार्य अंकन रु० 968912.00 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार पाण्डेय को रु० 571752.00 का तथा श्री राजकुमार शुक्ला को रु० 397160.00 का भुगतान किया गया। मस्टरोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था।

आलोच्य वर्ष को निर्माण फाइलों में लगे मस्टरोलों पर श्रमिकों की उपस्थिति प्रतिदिन न अंकित कर एक बार में भरी गयी है। मस्टरोलों पर अंकित अँगूठा निशानी एक-दो व्यक्तियों द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं। प्रायः अँगूठा निशानी प्रमाणित भी नहीं की गयी साथ ही मस्टरोलों पर क्रमांक अंकित नहीं था। जिससे मस्टरोल संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टरोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु० 968912.00 का वर्ष 16-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए वी०डी०ओ० श्री जैनिभ कान्त

श्री सुधीर कुमार यादव /जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ब्लाक प्रमुख श्री जबर सिंह समान रूप से रु०968912.00की ब्याज सहितवसूली की कार्यवाही उत्तरदायी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-269 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 4600480.00 बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक/कच्चे** बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम०एम०-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016-17 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष स्टॉक रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे

दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के बाद तैयार की गयी है। जिसके लिए वी0डी0ओ0 श्री जैनिभ कान्त श्री सुधीर कुमार यादव /जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ब्लाक प्रमुख श्री जबर सिंह से रु04600480.00की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-270 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में **रु0 95812.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना एवं रु0 20209.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-** आलोच्य वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 95812.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 5179513.00 को दर्शिता है। जिस पर 2.24 प्रति की दर से रु0 116021.00 होता है। इस प्रकार रु0 20209.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय रॉयल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी0डी0एस0 अंकन रु0 95812.00 भी जमा की पुष्टि में चालान चेक नं0/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण से राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी जिसके लिए वी0डी0ओ0 श्री जैनिभ कान्त श्री सुधीर कुमार यादव से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-271 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में **व्यापार कर/वैट नियमानुसार न काटकर कम काटकर राजस्वकी हानि करना-** आलोच्य वर्ष 2016-17 में कुल रु0 5179513.00 की सामग्री क्रय की गयी है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कुल 207181.00 की व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि वर्ष में रु0 169825.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार रु0 37356.00 की कटौती नहीं की गयी। जिससे रु0 37356.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है, साथ ही राजस्व की क्षति अंकन रु0 37356.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री जैनिभ कान्त श्री सुधीर कुमार यादव से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-272 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में निर्माण कार्यों पर सामग्री व मजदूरी पर कुल व्यय रु0 6148425.00 पर 1 प्रतिशत लेवर सेस नहीं काटा गया है। जिससे राजस्व की क्षति की गयी है। कुल व्यय पर 1 प्रतिशत लेवर सेस रु0 61484.00 होता है, जिसे काटकर संगत हेड में जमा कराया जाना अपेक्षित था। जिसकी प्रतिपूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जैनिभ कान्त श्री सुधीर कुमार यादव एवं लेखाकार से की जानी चाहिए।

प्रस्तर सं0-273 क्षेत्र पंचायत का नाम-कलान, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में **उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी कटौती न करना-** निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपखनिजों की खरीद पर रॉयल्टी रसीद (एम0एम0-11) नहीं की गयी है और शासनादेश सं0-3891/77-5-200/(216)93 दिनांक 05.08.2002 के अनुसार रॉयल्टी कटौती बिलों से नहीं की गयी है जिससे राजकीय कोश की क्षति हुई है। आलोच्य वर्ष में 187.96 घन मी0 रेता (बालू), 112.33 घन मी0 मोरंग, 41.18 घन मी0 बजरी (गिट्टी) एवं 123.52 घन मी0 मिट्टी खरीद की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार खरीदे गये उप खनिजों की निम्न विवरण अनुसार रॉयल्टी वाजिब होती है-

मात्रा दर (प्रति घन मी0)	धनराशि
1- रेता बालू - 187.96.33	= 6203.00
2- मोरंग - 112.23 .33	= 3707.00
3- बजरी (मिट्टी)- 41.18 . 102	= 4200.00
4- मिट्टी- 123.52 .14	= 1729.00
योग = 15839.00	

उक्त क्षति अंकन रु0 15839.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों श्री जैनिभ कान्त श्री सुधीर कुमार यादव एवं लेखाकार से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष 2011-12 से संबंधित आपत्तियों का विवरण

क्षेत्र पंचायत-भावलखेड़ा जनपद-शाहजहाँपुर

प्रस्तर सं0-274 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2011-12 में **श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान-वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन 715400.00 रु0 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी का रु0 211660.00 श्री राजारामपाल पदनाम, ग्राम विकास अधिकारी, रु0 113680.00, श्री विनीत**

कुमार, ग्रा0वि0अधि0 को रू0 224070.00, श्री आलोक अस्थाना को रू0 114150.00 एवं श्री अजय पाल सिंह, ग्रा0वि0अधि0 को रू0 51840.00 का भुगतान कर दिया गया है और जो अगूठा निशानी अंकित है उनमें कतिपय अगूठा के स्थान पर उंगलियों के निशान हैं तथा क्रमांक ही अंकित नहीं एवं कोई भी निशान प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन रू0 715400.00 का वर्ष 11-12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए वी0डी0ओ0 श्री अभिराम त्रिवेदी

श्री राजकुमार वर्मा / जे0ई0 / लेखाकार / कार्यप्रभारी / ब्लाक प्रमुख श्री उधौलाल वर्मा समान रूप से रू0 715400.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-275 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2011-12 में **आपूर्तिकर्ता/फर्म को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/ अन्य खाते में करना-**

सामग्री मद में कुल रू0 3874919.00 भुगतान में से रू0 2517629.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। बैंक तो फर्म को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है-

बैंक नं0	दिनांक	धनराशि	बैंक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
224757	21.07.11	268520.00	तामीर ट्रेडिंग कं0	टू ट्रान्सफर
223946	19.07.11	100332.00	तामीर ट्रेडिंग कं0	टू ट्रान्सफर
511977	17.12.11	89714.00	प्रतुल कुमार गर्ग	02/233
105796	09.05.11	36800.00	मै0 प्रतुल कुमार गर्ग	टू ट्रान्सफर
105797	09.05.11	109600.00	मै0 तामीर ट्रेडिंग कं0	टू ट्रान्सफर
224755	21.07.11	71429.00	मै0 तामीर ट्रेडिंग कं0	टू ट्रान्सफर
224754	21.07.11	25039.00	प्रतुल कुमार गर्ग	टू ट्रान्सफर
105796	09.05.11	45140.00	प्रतुल कुमार गर्ग	टू ट्रान्सफर
105797	09.05.11	146475.00	मै0 तामीर ट्रेडिंग कं0	टू ट्रान्सफर
223948	20.07.11	147871.00	मै0 तामीर ट्रेडिंग कं0	टू ट्रान्सफर
223949	21.07.11	60108.00	मै0 प्रतुल कुमार गर्ग	टू ट्रान्सफर
224751	21.07.11	48497.00	प्रतुल कुमार गर्ग	टू ट्रान्सफर
224752	21.07.11	145646.00	मै0 तामीर ट्रेडिंग कं0	टू ट्रान्सफर
223943	18.06.11	61372.00	न्यूशान ब्रिक फील्ड	टू ट्रान्सफर
223942	18.06.11	230590.00	मै0 तामीर ट्रेडिंग कं0	टू ट्रान्सफर
149053	18.08.11	7563.00	न्यूशान ब्रिक फील्ड	टू ट्रान्सफर
149054	18.08.11	26197.00	तामीर ट्रेडिंग कं0	टू ट्रान्सफर
149056	25.08.11	2448.00	विनीत कुमार	राकेश कुमार
149073	17.12.11	165905.00	तामीर ट्रेडिंग कं0	टू ट्रान्सफर
149075	17.12.11	41008.00	न्यूशान ब्रिक फील्ड	टू ट्रान्सफर
149080	20.12.11	76334.00	मै0 तामीर ट्रेडिंग कं0	टू ट्रान्सफर
149084	22.12.11	49586.00	मै0 तामीर ट्रेडिंग कं0	टू ट्रान्सफर
149090	01.02.12	28174.00	मै0 तामीर ट्रेडिंग कं0	टू ट्रान्सफर
149081	21.12.11	152551.00	मै0 तामीर ट्रेडिंग कं0	टू ट्रान्सफर
149095	04.02.12	143189.00	मै0 तामीर ट्रेडिंग कं0	टू ट्रान्सफर
149072	17.12.11	185918.00	मै0 तामीर ट्रेडिंग कं0	टू ट्रान्सफर
149070	15.11.11	27093.00	मै0 तामीर ट्रेडिंग कं0	टू ट्रान्सफर
149077	17.12.11	7736.00	मै0 तामीर ट्रेडिंग कं0	टू ट्रान्सफर
107077	04.04.12	16794.00	न्यू इण्डिया स्टील वर्क्स	टू ट्रान्सफर
योग		2517629.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 2517629.00 का बैंक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन

चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु० 2517629.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए वी०डी०ओ० श्री अभिराम त्रिवेदी

श्री राजकुमार वर्मा /जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ब्लाक प्रमुख श्री उधौलाल वर्मा से समान रूप की ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-276 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2011-12 में **रुपये 80166.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न होना एवं रुपये 9219.00 टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि-**

आलोच्य वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु० 80166.00 टी०डी०एस० कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रम रु० 3955085.00 की दर्शित है जिस पर 2.26 प्रति की दर से टी०डी०एस० रु० 89385.00 होता है। इस प्रकार रु० 13482.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि में बराबर वसूलनीय रॉयल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० रु० 80166.00 की जमा पुष्टि में चालान चेक नं०/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण से राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी वी०डी०ओ० श्री अभिराम त्रिवेदी व श्री राजकुमार वर्मा से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-277 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2011-12 में कुल सामग्री क्रय रु० 3955085.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 158203.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु० शून्य कटौती की गयी है। इस प्रकार रु० 158203.00 की कटौती नहीं की गयी है। जिससे रु० 158203.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु० 158203.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी जिसके लिए वी०डी०ओ० श्री अभिराम त्रिवेदी व श्री राजकुमार वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-278 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2011-12 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर, सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण**

कुल दर्शित भुगतान रु० 3874919.00 में से रु० 1357290.00 का भुगतान संबंधित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रम प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद, उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम०एम०-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए वी०डी०ओ० श्री अभिराम त्रिवेदी श्री राजकुमार वर्मा /जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ब्लाक प्रमुख श्री उधौलाल वर्मा समान रूप से रु०3874919.00 की ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-279 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2011-12 में 870.66 घन मी० मिटटी हेतु कुल रु० 38150.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमी० की दर से रु० 26120.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अभिराम त्रिवेदी श्री राजकुमार वर्मा /जे०ई०/लेखाकार /कार्यप्रभारी/ब्लाक प्रमुख श्री उधौलाल वर्मा समान रूप से से करायी जानी अपेक्षित है

आपत्ति संख्या-07

दिनांक	मात्रा घन मी० में	धनराशि
17.12.11	263.60	11550.00
17.12.11	119.82	5250.00
17.12.11	111.83	4900.00
22.12.11	111.83	4900.00
01.02.12	23.96	1050.00
02.02.12	239.64	10500.00

योग	870.68	38150.00

प्रस्तर सं०-280 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान-वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्या पर अंकन 376010.00 रु० मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी का रु० 99160.00 श्री राजारामपाल पदनाम, ग्राम विकास अधिकारी, रु० 47580.00, श्री विनीत कुमार, को रु० 40470.00, श्री आलोक अस्थाना पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु० 150640.00 एवं श्री गंगा महेश पाण्डेय, ग्रा०वि०अधि० को रूपया 37890.00 का भुगतान कर दिया गया है और जो अंगूठा निशानी अंकित है उनमें कतिपय अंगूठा के स्थान पर उंगलियों के निशान हैं तथा क्रमांक ही अंकित नहीं एवं कोई भी निशान प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तालेख में हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन रु० 376010.00 का वर्ष 12-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए श्री गोविन्द वल्लभ पाठक वी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख श्री उधौलाल वर्मा समान रूप से रु०376010.00की ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-281 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/ अन्य खाते में करना-

सामग्री मद में कुल रु० 2031023.00 भुगतान में से रु० 585479.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है- जिसके लिए श्री गोविन्द वल्लभ पाठक वी०डी०ओ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख श्री उधौलाल वर्मा से समान रूप से रु०2031023.00की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

चैक नं०	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम पत्रावली के अनुसार	भुगतान बैंक स्टेटमेंट के अनुसार
107089	03.10.2012	28689.00	मै० गुप्ता ब्रिक फील्ड	अपुष्टि
107090	03.10.2012	119307.00	मै० तामीर ट्रेडिंग कं०	अपुष्टि
107091	03.10.2012	33040.00	आलोक अस्थाना	अपुष्टि
206861	01.11.2012	57194.00	मै० गुप्ता ब्रिक फील्ड	टू ट्रांसफर
511994	02.07.2012	16982.00	मै० प्रतुल कुमार गर्ग	टू ट्रांसफर
107082	21.09.2012	39161.00	मै० गुप्ता ब्रिक फील्ड	अपुष्टि
107083	21.09.2012	143613.00	मै० तामीर ट्रेडिंग कं०	अपुष्टि
107084	21.09.2012	41040.00	गंगा महेश पाण्डे	अपुष्टि
205142	12.07.2012	17086.00	मै० प्रतुल कुमार गर्ग	01 / 11160
107085	24.09.2012	8209.00	मै० गुप्ता ब्रिक फील्ड	अपुष्टि
107086	24.09.2012	35214.00	मै० तामीर ट्रेडिंग कं०	अपुष्टि
107087	24.09.2012	8530.00	राजारामपाल	अपुष्टि
511997	03.07.2012	37414.00	मै० प्रतुल कुमार गर्ग	टू ट्रांसफर
	योग	585479.00		

प्रस्तर सं०-282 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में रुपये 41640.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न होना एवं रुपये 5202.00 टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि-

आलोच्य वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु० 41640.00 टी०डी०एस० कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रम रु० 2072663.00 की दर्शित है जिस पर 2.26 प्रति की दर से

टी0डी0एस0 रू0 46842.00 होता है। इस प्रकार रू0 5202.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि में बराबर वसूलनीय रॉयल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 रू0 41640.00 की जमा पुष्टि में चालान चेक नं0/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण से राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी जिसके लिए श्री गोविन्द वल्लभ पाठक से ब्याज सहितवसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-283 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में कुल सामग्री क्रय रू0 2072663.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 82906.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 शून्य कटौती की गयी है। इस प्रकार रू0 82906.00 की कटौती नहीं की गयी है। जिससे रू0 82906.00 के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 82609.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड श्री गोविन्द वल्लभ पाठक से अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-06**

प्रस्तर सं0-284 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर, सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण**

कुल दर्शित भुगतान रू0 2031023.00 में से रू0 1445544.00 का भुगतान संबंधित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रम प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद, उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए श्री गोविन्द वल्लभ पाठक वी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख श्री उधौलाल वर्मा से समान रूप से रू02031023.00की वसूली की जानी अपेक्षित है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्ति संख्या 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2012-13 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी है। यहां तक कि कतिपय चैकों का भुगतान प्रमाणकों के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित हैं परन्तु बैंक खातों में वह भुगतान कोई लिया गया है। जिसके लिए श्री गोविन्द वल्लभ पाठक वी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख श्री उधौलाल वर्मा से समान रूप से रू0 2031023.00की ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-285 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में 927.18 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रू0 40919.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रू0 27815.40 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी जिसके लिए श्री गोविन्द वल्लभ पाठक से करायी जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
02.07.2012	41.93	2100.00
10.05.2012	23.96	1050.00
02.06.2012	111.83	4900.00
03.07.2012	79.88	3500.00
12.07.2012	95.86	4200.00
21.09.2012	71.89	3150.00
24.09.2012	15.97	700.00

03.10.2012	63.90	2800.00
01.11.2012	167.75	7350.00
13.03.2012	248.21	11169.00
योग	927.18	40919.00

वर्ष 2013-14 से संबंधित आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर सं०-286 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2013-14 में श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान-वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य पर अंकन 132846.00 रु० मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी का रु० 63020.00 श्री राजारामपाल पदनाम, ग्राम विकास अधिकारी, रु० 20000.00, श्री दिनेश राम पदनाम सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता), को रु० 49826.00 का भुगतान कर दिया गया है और जो अगूठा निशानी अंकित है उनमें कतिपय अगूठा के स्थान पर उंगलियों के निशान हैं तथा क्रमांक ही अंकित नहीं एवं कोई भी निशान प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन रु० 132846.00 का वर्ष 13-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए श्री बाबू राम वर्मा श्री गोविन्द वल्लभ पाठक वी०डी०एस० /जे०ई० /लेखाकार /कार्यप्रभारी /प्रमुख श्री उधौलाल वर्मा से समान रूप से रु०.132846.00 की ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-287 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2013-14 में **रुपये 41640.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न होना एवं रुपये 5202.00 टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि सम्भावना-**

आलोच्य वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु० 30008.00 टी०डी०एस० कटौती की गयी है काटे गये काटे गये टी०डी०एस० रु० 30008.00 की जमा पुष्टि में चालान चेक नं०/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण से राजस्व हानि जाम कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। जिसके लिए श्री बाबू राम वर्मा श्री गोविन्द वल्लभ पाठक से वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-288 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2013-14 में कुल सामग्री कय रु० 828038.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 33122.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में शून्य की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु० 33122.00 कटौती कम की गयी है।

फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2013-14 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी०डी०एस० कटौती की जानी चाहिए थी। राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी जिसके लिए श्री बाबू राम वर्मा श्री गोविन्द वल्लभ पाठक वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-289 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2013-14 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर, सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण**

कुल दर्शित भुगतान रु० 798030.00 का भुगतान संबंधित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री कम प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद, उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम०एम०-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्ति संख्या 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2013-14 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये

सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी है। यहां तक कि कतिपय चैकों का भुगतान प्रमाणकों के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित हैं परन्तु बैंक खातों में वह भुगतान कोई लिया गया है। जिसके लिए श्री बाबू राम वर्मा श्री गोविन्द वल्लभ पाठक वी0डी0ओ0/जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख श्री उधौलाल वर्मा से समान रूप से रु0798030.00 की ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-290 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2013-14 में 284.97 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 12823.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 8549.10 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबू राम वर्मा श्री गोविन्द वल्लभ पाठक से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
06.04.2013	175.11	7880.00
10.06.2013	109.86	4943.00
योग	284.97	12823.00

मूल आपत्ति संख्या -07

क्षेत्र पंचायत- भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर, वर्ष 2014-15 से 2016-17

वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर सं0-291 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2014-15 में श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान- वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 1139511.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री दिनेश राम पदनाम सहायक विकास अधिकारी(सह0) को रु0 502918.00 श्री सुखलाल भास्कर, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रु0 95760.00 श्री राम विनोद बाजपेई पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 132732.00 श्री अवनीश कुमार त्रिपाठी पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 41949.00 श्री गंगा महेश पाण्डे, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 48164.00 श्री राकेश कुमार पदनाम ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 111242.00 का, श्री प्रेम प्रकाश उपाध्याय, ग्राम विकास अधिकारी को रु0 15496.00, श्री राजाराम पाल को रुपया 38392.00, श्री आदित्य कुमार सक्सेना को रु0 43420.00, श्री रामवीर को रु0 109438.00 को भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर तो अंकित है निशानी अंगूठा अंकित है वह प्रमाणित नहीं है तथा जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख होना प्रतीत होता है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु0 1139511.00 का वर्ष 14-15 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। रु01139511.00की ब्याज सहितवसूली वी0डी0ओ0श्री गोविन्द बल्लभ पाठक श्री रामगोपाल वर्मा श्रीमती कचन माला श्रीवास्तव बाबूराम वर्मा /जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-292 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2014-15 में आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते से करना- सामग्री मद में कुल रु0 7868803.00 भुगतान में से रु0 510536.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है-

चैक नं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
000162	04.07.2014	4328700	मै0 किसान ब्रिक फील्ड	091002/6475
000213	21.08.2014	31026.00	मै0 किसान ब्रिक फील्ड	091002/6475
000243	11.10.2014	39178.00	मै0 किसान ब्रिक फील्ड	091002/6475
000084	02.08.2014	5754.00	श्रीस्टार ब्रिक फील्ड	क्विलयरिंग
000082	02.08.2014	97029.00	तामीर ट्रेडिंग कम्पनी	क्विलयरिंग

000084	23.06.2015	12151.00	श्रीस्टार ब्रिक फील्ड	क्विलयरिंग
000082	23.06.2015	8670.00	तामीर ट्रेडिंग कम्पनी	क्विलयरिंग
000196	02.08.2014	2463.00	तामीर ट्रेडिंग कम्पनी	क्विलयरिंग
000082	13.06.2014	43287.00	मै0 किसान ब्रिक फील्ड	091002 / 6475
000195	02.08.2014	57618.00	मै0 किसान ब्रिक फील्ड	091002 / 6475
000247	27.10.2014	1946.00	तामीर ट्रेडिंग कम्पनी	क्विलयरिंग
000249	27.10.2014	2562.00	तामीर ट्रेडिंग कम्पनी	क्विलयरिंग
000191	02.08.2014	43287.00	मै0 किसान ब्रिक फील्ड	श्रीस्टार ब्रिक फील्ड
000208	13.08.2014	27308.00	मै0 किसान ब्रिक फील्ड	091002 / 6475
000079	12.06.2014	14988.00	मै0 किसान ब्रिक फील्ड	091002 / 6475
000182	28.07.2014	34870.00	मै0 किसान ब्रिक फील्ड	091002 / 6475
000253	17.11.2014	7582.00	श्रीस्टार ब्रिक फील्ड	क्विलयरिंग
000252	17.10.2014	36095.00	तामीर ट्रेडर्स	क्विलयरिंग
000248	27.10.2014	1435.00	तामीर ट्रेडिंग कम्पनी	क्विलयरिंग
	योग	510536.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु० 510536.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चेक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु० 510536.00 का अपहरण किया गया है। रु० 510536.00 की ब्याज सहित वसूली वी०डी०ओ०श्री गोविन्द बल्लभ पाठक श्री रामगोपाल वर्मा श्रीमती कचन माला श्रीवास्तव बाबूराम वर्मा / जे०ई० / लेखाकार/कार्यप्रभारी/ब्लाक प्रमुख श्री उधौ लाल वर्मा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-293 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2014-15 में रु० 496064.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न होना- वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय काटे गये टी०डी०एस० कुल रूपया 496064.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक संख्या/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे काटे गये टी०डी०एस० के जमा की पुष्टि नहीं होती है। राजस्व हानि की वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-294 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2014-15 में आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु० 8364867.00 पर 4 प्रतिशत की दर से टी०डी०एस० की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि वर्ष में शून्य कटौती की गयी है। इस प्रकार रु० 334595.00 की कटौती नहीं की गयी है। जिससे रु० 334595.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु० 334595.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री गोविन्द बल्लभ पाठक श्री रामगोपाल वर्मा श्रीमती कचन माला श्रीवास्तव बाबूराम वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-295 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2014-15 में मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण- कुल दर्शित भुगतान रुपये 7868803.00 में से रु० 7358268.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्ति संख्या 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014-15 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष स्टाक रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी

मांग-पत्र निर्गत नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का खनना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के बाद तैयार की गयी है। रु07868803.00की ब्याज सहितवसूली वी0डी0ओ0श्री गोविन्द बल्लभ पाठक श्री रामगोपाल वर्मा श्रीमती कंचनमाला श्रीवास्तव बाबूराम वर्मा /जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ब्लाक प्रमुख श्री उधौ लाल वर्मा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-296 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2014-15 में 756.15 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 37120.00 का भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 22684.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी वी0डी0ओ0श्री गोविन्द बल्लभ पाठक श्री रामगोपाल वर्मा श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव बाबूराम वर्मा से करायी जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मन्त्रा घन मी0 में	धनराशि
29.07.2014	146.86	6755.00
10.07.2014	150.09	8255.00
02.06.2014	214.13	9850.00
09.05.2014	109.76	6036.00
10.07.2014	135.31	6224.00
योग	756.15	37120.00

वर्ष 2015-16 से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर सं0-297 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान- वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 2368706.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री दिनेश राम पदनाम सहायक विकास अधिकारी(सह0) को रु0 2256023.00 श्री रामवीर, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी रु0 112683.00 का भुगतान कर दिया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर तो अंकित है निशानी अंगूठा अंकित है वह प्रमाणित नहीं है तथा जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख होना प्रतीत होता है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु0 2368706.00 का वर्ष 15-16 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। रु02368706.00की ब्याज सहितवसूली वी0डी0ओ0श्री गोविन्द बल्लभ पाठक श्री रामगोपाल वर्मा श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव बाबूराम वर्मा /जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ब्लाक प्रमुख श्री उधौ लाल वर्मा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-298 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में आपूर्ति कर्ता/फर्म को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते से करना- सामग्री मद में कुल रु0 11786260.00 भुगतान में से रु0 206773.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। बैंक तो फर्म को निर्गत दर्शित है किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है-

चैक नं0	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
000087	23.06.2015	33962.00	श्री स्टार ब्रिक फील्ड	क्लियरिंग
000086	23.06.2015	172811.00	तामीर ट्रेडिंग कम्पनी	क्लियरिंग
	योग	206773.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 206773.00 का बैंक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन बैंक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 206773.00 का अपहरण किया। रु0206773.00की ब्याज सहितवसूली वी0डी0ओ0श्री गोविन्द बल्लभ पाठक श्री रामगोपाल वर्मा श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव

बाबूराम वर्मा / जे0ई0 / लेखाकार / कार्यप्रभारी / ब्लाक प्रमुख श्री उधौ लाल वर्मा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-299 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में **रु0 742767.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना-** वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय काटे गये टी0डी0एस0 कुल रुपया 496064.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक संख्या/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे काटे गये टी0डी0एस0 के जमा की पुष्टि नहीं होती है। रु0496064.00 खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूराम वर्मा श्रीमती सुधा आर्या से राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-300 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में कुल सामग्री कय रु0 12529027.00 पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 की कुल रु0 501161.00 कटौती की जानी चाहिए थी जबकि वर्ष में शून्य कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 501161.00 कटौती न कर राजकीय राजस्व की हानि की गयी है जिसकी प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण **अधिकारी/खण्ड** विकास अधिकारी श्री बाबूराम वर्मा श्रीमती सुधा आर्या से राजस्व वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-301 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण-** कुल दर्शित भुगतान रुपये 11786260.00 में से रु0 11579487.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक/कच्चे** बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रु011786260.00 की ब्याज सहित वसूली वी0डी0ओ0 श्री बाबूराम वर्मा श्रीमती सुधा आर्या / जे0ई0 / लेखाकार / कार्यप्रभारी / ब्लाक प्रमुख श्री उधौ लाल वर्मा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्ति संख्या 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015-16 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष स्टाक रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का रवन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर सेस नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों **आहरण/भुगतान** के बाद तैयार की गयी है।

प्रस्तर सं0-302 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में 808.77 घन मी0 मिट्टी हेतु कुल रु0 71605.00 का भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रु0 24263.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबूराम वर्मा श्रीमती सुधा आर्या श्री राकेश कुमार झा से की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	मत्रा घन मी0 में	धनराशि
23.06.2015	58.70	6708.00
22.05.2015	58.60	17577.00
16.04.2015	58.50	10721.00
14.05.2015	56.78	9187.00
23.06.2015	280.44	16433.00
23.06.2015	86.43	5064.00
14.05.2014	50.72	2972.00
14.05.2015	58.60	2943.00

योग	808.77	71605.00

वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर सं०-303 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में **श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान**- वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 785602.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री दिनेश राम पदनाम सहायक विकास अधिकारी(सह०) को रु० 785602.00 को किया गया है और पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं हैं और जो निशानी अंगूठा अंकित है वह प्रमाणित नहीं है तथा जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में बनाये गये प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के है यह भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में अंकन रु० 785602.00 का वर्ष 16-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। रु० 785602.00 की ब्याज सहित वसूली वी०डी०ओ० श्रीराकेश कुमार झा सुश्री प्रीति वर्मा श्रीमती सुधा आर्या श्री अजय प्रकाश जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ब्लाक प्रमुख श्री उधौ लाल वर्मा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-304 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में फर्म का जारी चेक जिसकी पुष्टि बैंक खाते/स्टेटमेंट से नहीं हो सकी तथा चेक निर्गमन का दिनांक भी पत्रावली में अंकित नहीं पाया गया। विवरण निम्न प्रकार है-

चैक नं०	दिनांक	धनराशि	चैक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
000270	अंकित नहीं	31164.00	मै० गुप्ता बिल्डर्स	अज्ञात
000220	अंकित नहीं	60970.00	मै० गुप्ता बिल्डर्स	अज्ञात
000219	अंकित नहीं	44478.00	मै० गुप्ता बिल्डर्स	अज्ञात
	योग	136882.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु० 136882.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु० 136882.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली वी०डी०ओ० श्रीराकेश कुमार झा सुश्री प्रीति वर्मा श्रीमती सुधा आर्या श्री अजय प्रकाश जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ब्लाक प्रमुख श्री उधौ लाल वर्मा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-305 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में **रु० 282378.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न होना**- वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय काटे गये टी०डी०एस० कुल रुपया 282378.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक संख्या/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे काटे गये टी०डी०एस० के जमा की पुष्टि नहीं होती है। रु० 282378.00 की वसूली वी०डी०ओ० श्रीराकेश कुमार झा सुश्री प्रीति वर्मा श्रीमती सुधा आर्या श्री अजय प्रकाश से राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-306 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु० 4158492.00 पर कुल रु० 166340.00 कटौती की जानी चाहिए थी जबकि वर्ष में शून्य कटौती की गयी है। इस प्रकार रु० 166340.00 कटौती न कर राजकीय राजस्व की हानि की गयी है जिसकी प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी वी०डी०ओ० श्रीराकेश कुमार झा सुश्री प्रीति वर्मा श्रीमती सुधा आर्या श्री अजय प्रकाश से राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-307 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण**- कुल दर्शित भुगतान रुपये 3876114.00 में से रु० 3739232.00 का भुगतान जो सम्बन्धित को दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि

अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। ₹03876114.00 जिसकी ब्याज सहित वसूली वी0डी0ओ0श्रीराकेश कुमार झा सुश्री प्रीति वर्मा श्रीमती सुधा आर्या श्री अजय प्रकाश जे0ई0/लेखाकार/कार्यप्रभारी/ब्लॉक प्रमुख श्री उधौ लाल वर्मा से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

निष्कर्ष— उपरोक्त आपत्ति संख्या 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016-17 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं। क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं। भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे बिल के प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, उपभोग एवं शेष स्टॉक रजिस्टर के अभाव में अपुष्टि रहा। कभी मांग-पत्र निर्गत नहीं रहा। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया। उप खनिजों का रवन्ना उपलब्ध नहीं कराया गया। रायल्टी व लेवर से नहीं जमा किया गया। पत्रावलियों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर की नीचे दिनांक अंकित नहीं थे। स्पष्ट है कि पत्रावलियों आहरण/भुगतान के बाद तैयार की गयी है। यहाँ तक की कतिपय चेकों का भुगतान प्रमाणकों के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में लिखित है। परन्तु बैंक खातों में वह भुगतान किसी और के द्वारा लिया गया है।

प्रस्तर सं0-308 क्षेत्र पंचायत का नाम-भावलखेड़ा, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में वर्ष आलेख्य में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान समय सिव्योरिटी मनी के रूप में अंकन ₹0 260500.00 की कटौती की गई है। जिसकी वापसी सम्बन्धित फर्म को कब कब कितनी-2 और किन-2 माध्यमों से की गई या नहीं की गई, कोई पत्रावली/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अपहरित ₹0260500.00 ब्याज सहित वसूली कार्यवाही वी0डी0ओ0श्रीराकेश कुमार झा सुश्री प्रीति वर्मा श्रीमती सुधा आर्या श्री अजय प्रकाश लेखाकार/ से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- ददरौल

जनपद शाहजहाँपुर

वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक

वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित आपत्ति-

प्रस्तर सं0-309 क्षेत्र पंचायत का नाम-ददरौल, जनपद- शाहजहाँपुर 2011-12 में अनुदान रजिस्टर के अनुसार वर्ष में उपभोग/व्यय की कुल धनराशि ₹0 6497608.00 है जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा के दौरान नहीं करायी गयी। अपुष्टि धनराशि ₹06497608.00की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रणय कृष्ण श्री रामसमुझ श्री राजकुमार वर्मा श्री गोविन्द वल्लभ पाठक श्री अन्दरा वागसी लेखाकार श्री अनूप चन्द्र शुक्ला श्री अशफाक हुसैन अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री पाल मिश्रा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अनीता देवी से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित आपत्ति-

प्रस्तर सं0-310 क्षेत्र पंचायत का नाम-ददरौल, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में अनुदान रजिस्टर के अनुसार वर्ष में उपभोग/व्यय की कुल धनराशि ₹0 5229994.00 है जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा के दौरान नहीं करायी गयी। अपुष्टि धनराशि ₹05229994.00की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रणय कृष्ण श्री रामसमुझ श्री राजकुमार वर्मा श्री गोविन्द वल्लभ पाठक श्री अन्दरा वागसी लेखाकार श्री अनूप चन्द्र शुक्ला श्री अशफाक हुसैन अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री पाल मिश्रा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अनीता देवी से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

वर्ष 2013-14 से सम्बन्धित आपत्ति-

प्रस्तर सं0-311 क्षेत्र पंचायत का नाम-ददरौल, जनपद- शाहजहाँपुर 2013-14 में अनुदान रजिस्टर के अनुसार वर्ष में उपभोग/व्यय की कुल धनराशि ₹0 5766231.00 है जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा के दौरान नहीं करायी गयी। अपुष्टि धनराशि ₹05766231.00की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री गोविन्द वल्लभ पाठक श्री अन्दरा बाबू राम वर्मा श्री मिथिलेश कुमार तिवारी लेखाकार श्री अनूप चन्द्र शुक्ला श्री अशफाक हुसैन अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री पाल मिश्रा ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अनीता देवी से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

2014-15

क्षेत्र पंचायत-ददरौल

प्रस्तर सं0-312 क्षेत्र पंचायत का नाम-ददरौल, जनपद- शाहजहाँपुर 2014-15 में श्रमांश के मद में

मजदूरी को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान—

वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यो पर अंकन रु0 2391833.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरी को न करके कार्य प्रभारी श्री श्रीकृष्ण राठौर पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 2391833.00 का भुगतान कर दिया गया हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित है उनमें कई निशान उंगलियों के हैं एवं कोई भी निशान प्रमाणित नहीं है। जहां कही हसताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 2391833.00 का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशिरु02391833.00 ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारीश्री गोविन्दबल्लभ पाठक श्री राम गोपाल वर्मा लेखाकार श्री अशफाक हुसैन अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री पाल मिश्रा ब्लाक प्रमुख श्रीमती अनीता देवी से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-313 क्षेत्र पंचायत का नाम-ददरौल, जनपद- शाहजहाँपुर 2014-15 में आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/अन्य खाते में करना—

सामग्री मद में कुल रु0 10778995.00 भुगतान में से रु0 5468425.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में हैं—

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम पत्रावलीनुसार	भुगतान बैंक स्टेटमेण्टनुसार
504360	14.02.15	394841.00	साई कान्स्ट्रक्शन	क्लियरिंग
554406	03.03.15	128917.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
554323	24.02.15	286451.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
554382	06.04.15	131799.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
554419	25.03.15	286448.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
554366	20.06.15	188197.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
554417	25.03.15	314250.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
554332	10.04.15	190170.00	साई कान्स्ट्रक्शन	02 / 156
554321	24.02.15	323123.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
554388	06.04.15	270771.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
554408	03.03.15	199574.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
554420	25.03.15	146582.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
558722	28.08.15	83686.00	साई कान्स्ट्रक्शन	02 / 156
000034	08.09.15	69352.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
554412	19.03.15	246906.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
554383	06.04.15	198845.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
554413	19.03.15	483259.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
554416	25.03.15	222077.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
554385	06.04.15	120418.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
504360	10.02.15	156097.00	साई कान्स्ट्रक्शन	क्लियरिंग
554410	03.03.15	375783.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
554414	19.03.15	190921.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
54384	06.04.15	50393.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
554411	19.03.15	192522.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
554409	03.03.15	217043.00	साई कान्स्ट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
योग	—	5468425.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 5468425.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेण्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 5468425.00 का अपहरण किया गया हैं है। अपहरित

धनराशिरु05468425.00 ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारीश्री गोविन्दबल्लभ पाठक श्री राम गोपाल वर्मा लेखाकार श्री अशफाक हुसैन अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री पाल मिश्रा ब्लाक प्रमुख श्रीमती अनीता देवी से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-314 क्षेत्र पंचायत का नाम-ददरौल, जनपद- शाहजहाँपुर 2014-15 में मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण-

कुल दर्शित भुगतान रु0 5309570.00 का भुगतान संबंधित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है किनतु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। है। अपहरित धनराशिरु05309570.00 ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री गोविन्दबल्लभ पाठक श्री राम गोपाल वर्मा लेखाकार श्री अशफाक हुसैन अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री पाल मिश्रा ब्लाक प्रमुख श्रीमती अनीता देवी से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

निष्कर्ष- उपरोक्त आपत्ति सं0 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014-15 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी है। यहां तक की कतिपय चैकों का भुगतान प्रमाणकों के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित हैं परन्तु बैंक खातों में वह भुगतान कोई लिया गया है।

प्रस्तर सं0-314अ क्षेत्र पंचायत का नाम-ददरौल, जनपद- शाहजहाँपुर 2014-15 में रु0 238207.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु0 21090.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 238207.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु0 11473303.00 की दर्शित हैं जिस पर 2.26 की दर से रु0 259297.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 21090.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई हैं ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित हैं साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण से राजस्व जमा कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी है। श्री गोविन्दबल्लभ पाठक श्री राम गोपाल वर्मा से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-315 क्षेत्र पंचायत का नाम-ददरौल, जनपद- शाहजहाँपुर 2014-15 में कुल सामग्री कय रु0 11473303.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 458932.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु0 457101.00 की कटौती की गई है। इस प्रकार रु0 1831.00 की कटौती कम की गई हैं

फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल पाये गये हे। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2014-15 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 कटौती की जानी चाहिए थी। राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री गोविन्दबल्लभ पाठक श्री राम गोपाल वर्मा लेखाकार श्री अशफाक हुसैन से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष 2015-16

प्रस्तर सं0-316 क्षेत्र पंचायत का नाम-ददरौल, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान-

वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु0 627614.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री श्रीकृष्ण राठौर ग्राम विकास अधिकारी को रु0 517504.00 एवं श्री हरिश्चन्द्र वर्मा वरि0सहा0 को रु0 110110.00 का भुगतान कर दिया गया है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है उनमें

कई निशान उंगलियों के हैं एवं कोई भी निशान प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 627614.00 का वर्ष 2015-16 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रु627614.00की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारीश्री सुधीर सक्सेना श्रीमती सुधा आर्या श्री विजय शंकर त्रिपाठी श्री राजेश कुमार झा सुश्री प्रीति वर्मा लेखाकार श्री अशफाक हुसैन श्री सुनील कुमार अग्रवाल अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री पाल मिश्रा श्री प्रवीन कुमार ब्लाक प्रमुख श्रीमती अनीता देवी से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-317 क्षेत्र पंचायत का नाम-ददरौल, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में **आपूर्ति कर्ता/फर्म को बैंक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/ अन्य खाते में करना**

सामग्री मद में कुल रु0 2725362.00 भुगतान में से रु0 1012096.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणकों के आधारपर भुगतान दर्शित है। बैंक तो फर्म को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में हैं-

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम पत्रावली के अनुसार	भुगतान स्टेटमेन्ट अनुसार बैंक के
322936	28.12.15	47787.00	मै0 गुप्ता बिल्डर्स	टू ट्रान्सफर
554418	25.03.15	212087.00	श्री साई कान्सट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
554333	10.04.15	161989.00	श्री साई कान्सट्रक्शन	02/156
000036	05.11.15	223653.00	श्री साई कान्सट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
000041	04.04.16	132881.00	श्री साई कान्सट्रक्शन	02/156
000039	04.04.16	5500.00	श्री हरिश्चन्द्र वर्मा	टू कैश
554365	20.06.15	150496.00	श्री साई कान्सट्रक्शन	02/156
554322	24.02.15	77703.00	श्री साई कान्सट्रक्शन	02/156
	योग-	1012096.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 1012096.00 का बैंक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन बैंक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी बैंक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 515871.00 का अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रु515871.00की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारीश्री सुधीर सक्सेना श्रीमती सुधा आर्या श्री विजय शंकर त्रिपाठी श्री राजेश कुमार झा सुश्री प्रीति वर्मा लेखाकार श्री अशफाक हुसैन श्री सुनील कुमार अग्रवाल अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री पाल मिश्रा श्री प्रवीन कुमार ब्लाक प्रमुख श्रीमती अनीता देवी से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-318 क्षेत्र पंचायत का नाम-ददरौल, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण-**

कुल दर्शित भुगतान रु0 1713266.00 का भुगतान संबंधित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक/कच्चे** बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रु1713266.00की व ब्याज सहित सूल खण्ड विकास अधिकारीश्री सुधीर सक्सेना श्रीमती सुधा आर्या श्री विजय शंकर त्रिपाठी श्री राजेश कुमार झा सुश्री प्रीति वर्मा लेखाकार श्री अशफाक हुसैन श्री सुनील कुमार अग्रवाल अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री पाल मिश्रा श्री प्रवीन कुमार ब्लाक प्रमुख श्रीमती अनीता देवी से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

निष्कर्ष - उपरोक्त आ0 सं0 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015-2016 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों

को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं यहा तक की कतिपय चैकों का भुगतान प्रमाणकों के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित हैं परन्तु बैंक खातों में व भुगतान कोई लिया गया है।

प्रस्तर सं०-319 क्षेत्र पंचायत का नाम-ददरौल, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में **रु० 59205.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 6320.00 का टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि**

वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 59205.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 2899364.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रु० 65525.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 6320.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनालजी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालाना/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर सक्सेना श्रीमती सुधा आर्या श्री विजय शंकर त्रिपाठी श्री राजेश कुमार झा सुश्री प्रीति वर्मा से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित हैं

प्रस्तर सं०-319 क. क्षेत्र पंचायत का नाम-ददरौल, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में कुल सामग्री क्रय रु० 2899364.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 115975.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु० 114797.00 की कटौती की गई है। काटे गये वैट के जमा की पुष्टि में संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे।

फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2015-16 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी०डी०एस० कटौती की जानी चाहिए थी। राजस्व जमा कराये जाने हेतु लेखाकार खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर सक्सेना श्रीमती सुधा आर्या श्री विजय शंकर त्रिपाठी श्री राजेश कुमार झा सुश्री प्रीति वर्मा लेखाकार श्री अशफाक हुसैन श्री सुनील कुमार अग्रवाल से समान रूप से से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष 2016-17

प्रस्तर सं०-320 क्षेत्र पंचायत का नाम-ददरौल, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में **श्रमांश के मद में मजदूरों को कालपनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान-**

वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 1181095.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री विनीत ग्राम विकास अधिकारी को रु० 1077547.00 एवं श्री शिवानन्द सिंह ग्राम विकास अधिकारी को रु० 3850.00 श्री राकेश कुमार ग्रा०वि०अधि० को रु० 99698.00 का भुगतान कर दिया गया है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है उनमें कई निशान उंगलियों के हैं एवं कोई भी निशान प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 1181095.00 का वर्ष 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रु० 1181095.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार झा सुश्री प्रीति वर्मा लेखाकार श्री अशफाक हुसैन श्री सुनील कुमार अग्रवाल अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री पाल मिश्रा श्री प्रवीन कुमार ब्लाक प्रमुख श्रीमती अनीता देवी से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-321 क्षेत्र पंचायत का नाम-ददरौल, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/ अन्य खाते में करना

सामग्री मद में कुल रु० 4418228.00 भुगतान में से रु० 3021536.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में हैं-

चेक सं०	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम पत्रावली के	भुगतान बैंक स्टेटमेन्ट

			अनुसार	के अनुसार
558739	15.07.16	201169.00	मैं0 ओम साई इन्टरप्राइजेज	क्लियरिंग
562373	06.08.16	80959.00	मैं0 ओम साई इन्टरप्राइजेज	क्लियरिंग
558740	15.07.16	196517.00	मैं0 ओम साई इन्टरप्राइजेज	क्लियरिंग
562366	03.08.16	49649.00	मैं0 ओम साई इन्टरप्राइजेज	साई इन्टरप्राइजेज
562564	20.09.16	475984.00	मैं0 ओम साई इन्टरप्राइजेज	क्लियरिंग
562361	15.07.16	240917.00	मैं0 ओम साई इन्टरप्राइजेज	क्लियरिंग
562370	03.08.16	347824.00	मैं0 ओम साई इन्टरप्राइजेज	साई इन्टरप्राइजेज
562375	16.08.16	61039.00	मैं0 ओम साई इन्टरप्राइजेज	क्लियरिंग
562566	03.10.16	179789.00	मैं0 ओम साई इन्टरप्राइजेज	साई इन्टरप्राइजेज
562570	28.11.16	139873.00	मैं0 ओम साई इन्टरप्राइजेज	क्लियरिंग
562572	20.12.16	437495.00	मैं0 ओम साई इन्टरप्राइजेज	क्लियरिंग
562578	26.12.16	226288.00	मैं तामीर कान्स्ट्रक्शन	क्लियरिंग
562577	26.12.16	176188.00	मैं0 ओम साई इन्टरप्राइजेज	क्लियरिंग
562582	19.07.17	207845.00	मैं0 ओम साई इन्टरप्राइजेज	क्लियरिंग
	योग	3021536.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रु0 3021536.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रु0 515871.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारीश्री श्री राजेश कुमार झा सुश्री प्रीति वर्मा लेखाकार श्री अशफाक हुसैन श्री सुनील कुमार अग्रवाल अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री पाल मिश्रा श्री प्रवीन कुमार ब्लाक प्रमुख श्रीमती अनीता देवी से समान रूप से की जानी अपेक्षित

प्रस्तर सं0-322 क्षेत्र पंचायत का नाम-ददरौल, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण-**

कुल दर्शित भुगतान रु0 1396692.00 का भुगतान संबंधित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक/कच्चे** बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रु1396692.00की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारीश्री श्री राजेश कुमार झा सुश्री प्रीति वर्मा लेखाकार श्री अशफाक हुसैन श्री सुनील कुमार अग्रवाल अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री पाल मिश्रा श्री

प्रवीन कुमार ब्लाक प्रमुख श्रीमती अनीता देवी से समान रूप से की जानी अपेक्षित

निष्कर्ष — उपरोक्त आ० सं० 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015-2016 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं यहा तक की कतिपय चैकों का भुगतान प्रमाणकों के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित हैं परन्तु बैंक खातों में व भुगतान कोई लिया गया है।

प्रस्तर सं०-323 क्षेत्र पंचायत का नाम-ददरौल, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में **रु० 111081.00 टी०डी०एस० जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रु० 1017.00 का टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि**

वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 111081.00 की टी०डी०एस० कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्य रु० 4960083.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रु० 112098.00 टी०डी०एस० होता है इस प्रकार रु० 1017.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार झा सुश्री प्रीति वर्मा लेखाकार श्री अशफाक हुसैन श्री सुनील कुमार अग्रवाल से समान रूप से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-324 क्षेत्र पंचायत का नाम-ददरौल, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्य रु० 4960083.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 198403.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रु० 216310.00 की कटौती की गई है। काटे गये वैट के जमा की पुष्टि में संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे।

फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2016-17 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी०डी०एस० कटौती की जानी चाहिए थी। राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार झा सुश्री प्रीति वर्मा लेखाकार श्री अशफाक हुसैन श्री सुनील कुमार अग्रवाल से समान रूप से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत-**सिन्धौली**

वर्ष 2011-12 से संबंधित आपत्तियां

प्रस्तर सं०-325 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2011-12 में श्रमांश में मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:-

वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 610305.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री पंकज बाजपेई, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु० 237840.00, श्री प्रवीण कुमार शाही पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु० 213355.00, श्री के०पी०उपाध्याय को रु० 147110.00 तथा श्री राजीव श्रीवास्तव, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु० 12000.00 का भुगतान कर दिया गया है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है, उनमें कई निशान उगलियों के हैं तथा कोई भी क्रमांक भी अंकित नहीं हैं एवं कोई भी निशानी अंगूठा नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन रु० 610305.00 का वर्ष 11-12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रु० 610305.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री श्री महेन्द्र देव पाण्डे श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री राकेश पाल सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती सीमा देवी से समान रूप से की जानी अपेक्षित

प्रस्तर सं०-326 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2011-12 में आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/ अन्य खाते में करना-

सामग्री मद में कुल रू0 2335986.00 भुगतान में से रू0 1407442.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:-

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम पत्रावली के अनुसार	भुगतान बैंक स्टेटमेंट के अनुसार
520021	12.03.12	7101.00	मै0 मुसरत हुसैन खां	दू ट्रान्सफर
520016	04.01.12	391956.00	मै0 मुसरत हुसैन खां	दू ट्रान्सफर
520031	26.07.12	83788.00	मै0 अजमेरी ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
520030	26.07.12	24450.00	प्रवीण कुमार शाही	दू ट्रान्सफर
512513	23.07.11	42286.00	मै0 मुसरत हुसैन खां	दू ट्रान्सफर
512511	22.07.11	101926.00	मै0 सिंह स्पन पाइप	ओ0बी0सी0
557182	01.10.11	74871.00	मै0 सिंह स्पन पाइप	दू ट्रान्सफर
520014	04.01.12	18861.00	मै0 गुप्ता सी0एजे0	दू ट्रान्सफर
520013	04.01.12	31625.00	मै0 मुसरत हुसैन खां	दू ट्रान्सफर
520011	04.01.12	22825.00	मै0 गुप्ता सी0एजे0	दू ट्रान्सफर
520010	04.01.12	15040.00	मै0 मुसरत हुसैन खां	दू ट्रान्सफर
520023	12.03.12	4828.00	मै0 मुसरत हुसैन खां	दू ट्रान्सफर
557198	28.12.11	204450.00	मै0 मुसरत हुसैन खां	दू ट्रान्सफर
520008	04.01.12	383435.00	मै0 अजमेरी ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
	योग-	1407442.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 1407442.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निगमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 1407442.00 का अपहरण किया गया है अपहरित धनराशि रू0 1407442.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारीश्री श्री महेन्द्र देव पाण्डे श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री राकेश पाल सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती सीमा देवी से समान रूप से की जानी अपेक्षित।

प्रस्तर सं0-327 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2011-12 में **रूपये 44702.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना एवं रूपये 9102.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-**

आलोच्य वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 44702.00 टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कम रू0 2380688.00 की दर्शिता है जिस पर 2.26 प्रति की दर से टी0डी0एस0 रू0 53804.00 होता है। इस प्रकार रू0 9102.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि में बराबर वसूलनीय रॉयल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 रू0 44702.00 की जमा पुष्टि में चालान चेक नं0/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारीश्री श्री महेन्द्र देव पाण्डे श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री राकेश पाल सिंह से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-328 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2011-12 में कुल सामग्री क्रय रू0 2380688.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 95228.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 शून्य कटौती की गयी है। इस प्रकार रू0 95228.00 की कटौती नहीं की गयी है। जिससे रू0 95228.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। जिसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 95228.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारीश्री श्री महेन्द्र देव पाण्डे श्रीमती नजमा सिद्दीकी से समान रूप से की जानी अपेक्षित

प्रस्तर सं0-329 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2011-12 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर, सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण**

कुल दर्शित भुगतान रू0 2335986.00 में से रू0 928544.00 का भुगतान संबंधित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी

गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद, उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रु62335986.00की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारीश्री श्री महेन्द्र देव पाण्डे श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री राकेश पाल सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती सीमा देवी से समान रूप से की जानी अपेक्षित

प्रस्तर सं0-330 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2011-12 में 1025.00 घन मी0 मिटटी हेतु कुल रु0 51290.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमीअर की दर से रु0 30774.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र देव पाण्डे श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री राकेश पाल सिंह से करायी जानी अपेक्षित हैं **आपत्ति संख्या-07**

दिनांक	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
26.07.12	489.00	24450.00
04.06.13	190.00	9500.00
12.03.12	16.80	840.00
21.07.11	330.00	16500.00
योग	1025.80	51290.00

वर्ष 2012-13 से संबंधित आपत्तियां

प्रस्तर सं0-331 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में श्रमांश मे मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:-

वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्य पर अंकन रु0 626035.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री पंकज बाजपेई, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 318845.00, श्री प्रवीण कुमार शाही पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 119175.00, श्री के0पी0उपाध्याय को रु0 19860.00 श्री मो0 उमर सिद्दीकी को रु0 138000.00 तथा श्री राजीव श्रीवास्तव, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 30155.00 का भुगतान कर दिया गया है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है, उनमें कई निशान उगलियों के हैं तथा कोई भी कमांक भी अंकित नहीं हैं एवं कोई भी निशानी अंगूठा नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन रु0 626035.00 का वर्ष 12-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारीश्री श्री महेन्द्र देव पाण्डे श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री राकेश पाल सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती सीमा देवी से समान रूप से वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-03

प्रस्तर सं0-332 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/ अन्य खाते में करना-

सामग्री मद में कुल रु0 2247507.00 भुगतान में से रु0 1414093.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:-

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम पत्रावली के अनुसार	भुगतान बैंक स्टेटमेंट के अनुसार
511308	03.06.13	150730.00	मै0 अजमेरी ब्रिक फील्ड	टू ट्रान्सफर
511303	03.06.13	44062.00	मै0 अजमेरी ब्रिक फील्ड	टू ट्रान्सफर
511304	03.06.13	38334.00	मै0 राठौर सीमेन्ट एजेन्सी	टू ट्रान्सफर

511305	03.06.13	40852.00	मै0 राठौर सीमेन्ट एजेन्सी	दू ट्रान्सफर
564004	15.10.12	7904.00	मै0 किसान खाद भण्डार	पंकज बाजपेई
564006	15.10.12	15182.00	मै0 गुप्ता सीमेन्ट एजेन्सी	पंकज बाजपेई
520034	13.08.12	89468.00	मै0 सकलैनी ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
564008	15.10.12	9716.00	मै0 राठौर सीमेन्ट एजेन्सी	दू ट्रान्सफर
520035	13.08.12	20312.00	मै0 साबरी ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
564027	25.04.13	174529.00	मै0 कादरी ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
564035	01.06.13	15073.00	मै0 कादरी ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
564036	01.06.13	176512.00	मै0 कादरी ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
564029	25.04.13	174529.00	मै0 कादरी ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
564038	01.06.13	43632.00	मै0 कादरी ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
520040	13.08.12	205919.00	मै0 अजमेरी ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
520038	13.08.12	207339.00	मै0 अजमेरी ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
		1414093.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 1414093.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 1414093.00 का अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रू0 1414093.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारीश्री श्री महेन्द्र देव पाण्डे श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री राकेश पाल सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती सीमा देवी से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

निष्कर्ष— उपरोक्त आपत्ति संख्या 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2012-13 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री, आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात् तैयार की गयी है। यहां तक कि कतिपय चैकों का भुगतान प्रमाणकों के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित हैं परन्तु बैंक खातों में वह भुगतान कोई लिया गया है।

प्रस्तर सं0-333 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में **रूपये 40858.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना एवं रूपये 10859.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि—** आलोच्य वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रू0 40858.00 टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कम रू0 2288365.00 की दर्शित है जिस पर 2.26 प्रति की दर से टी0डी0एस0 रू0 51717.00 होता है। इस प्रकार रू0 10859.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि में बराबर वसूलनीय रॉयल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 रू0 40858.00 की जमा पुष्टि में चालान चेक नं0/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण से राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र देव पाण्डे श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री राकेश पाल सिंह से समान रूप से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-334 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में कुल सामग्री कय रू0 2288365.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 91535.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 शून्य कटौती की गयी है। इस प्रकार रू0 91535.00 की कटौती नहीं की गयी है। जिससे रू0 91535.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी । जिसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 91535.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारीश्री श्री महेन्द्र देव पाण्डे श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री राकेश पाल सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-335 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में **मात्र कच्चे बिल**

प्राप्त कर, सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण

कुल दर्शित भुगतान रु0 2247507.00 में से रु0 833414.00.00 का भुगतान संबंधित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री कम प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद, उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री श्री महेन्द्र देव पाण्डे श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री राकेश पाल सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती सीमा देवी से समान रूप से ।

प्रस्तर सं0-336 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2012-13 में 463.00 घन मी0 मिटटी हेतु कुल रु0 23150.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमी0 की दर से रु0 13890.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र देव पाण्डे श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री राकेश पाल सिंह से समान रूप से करायी जानी अपेक्षित हैं। **आपत्ति संख्या-07**

दिनांक	मात्रा घन मी0 में	धनराशि
03.06.13	360.00	18000.00
14.01.13	88.00	4400.00
25.04.13	15.00	750.00
योग	463.00	23150.00

वर्ष 2013-14 से संबंधित आपत्तियां

प्रस्तर सं0-337 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2013-14 में **श्रमांश मे मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल द्वारा भुगतान:-**

वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य पर अंकन रु0 1147356.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री पंकज बाजपेई, पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 369084.00, श्री प्रवीण कुमार शाही पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 304888.00, श्री के0पी0उपाध्याय पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 83456.00 श्री मो0 उमर सिद्दीकी, ग्र0वि0अधि0 को रु0 46658.00 तथा श्री राजीव श्रीवास्तव को रु0 343270.00 का भुगतान कर दिया गया है। और जो अगूँठा निशानी अंकित है, उनमें कई निशान उगलियों के हैं तथा कोई भी क्रमांक भी अंकित नहीं हैं एवं कोई भी निशानी अंगूठा नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन रु0 1147356.00 का वर्ष 13-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला देवी श्री सुधीर कुमार सक्सेना श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव लेखाकार श्री राकेश पाल सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती सीमा देवी से समान रूप से वसूली ब्याज सहितकी जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर सं0-338 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2013-14 में **आपूर्तिकर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/ अन्य खाते में करना-**

सामग्री मद में कुल रु0 5627303.00 भुगतान में से रु0 1314200.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में है:-

चैक सं0	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम पत्रावली के अनुसार	भुगतान बैंक स्टेटमेंट के अनुसार
102453	05.04.14	26773.00	मै0 कादरी ब्रिक फील्ड	टू ट्रांसफर
516801	31.10.13	236564.00	मै0 शाहीन ब्रिक इन्डस्ट्री	टू ट्रांसफर
572411	13.03.14	68481.00	मै0 सिंह स्पन पाइप इंड0	टू ट्रांसफर
572412	13.03.14	64297.00	मै0 श्यामा ब्रिक फील्ड	टू ट्रांसफर

572416	13.03.14	26515.00	मै0 राठौर सीमेन्ट एजेन्सी	दू ट्रान्सफर
102450	05.04.14	5667.00	मै0 साबरी ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
573852	27.05.14	65631.00	मै0 कादरी ब्रिक फील्ड	एस0बी0आई0
572413	13.03.14	131046.00	मै0 श्यामा ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
102451	05.04.14	8736.00	मै0 श्यामा ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
572414	13.03.14	87364.00	मै0 श्यामा ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
102452	05.04.14	26209.00	मै0 श्यामा ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
511332	15.10.13	204719.00	मै0 अवध ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
511333	15.10.13	227466.00	मै0 अवध ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
102449	05.04.14	54544.00	मै0 श्यामा ब्रिक फील्ड	दू ट्रान्सफर
516850	18.02.14	80188.00	मै0 राठौर सीमेन्ट एजेन्सी	दू ट्रान्सफर
	योग	1314200.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 1314200.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान सम्बन्धित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 1314200.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला देवी श्री सुधीर कुमार सक्सेना श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव लेखाकार श्री राकेश पाल सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती सीमा देवी से समान रूप से वसूली ब्याज सहितकी जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर सं0-339 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2013-14 में **रूपये 118106.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न होना एवं रूपये 13482.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-**

आलोच्य वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रू0 118106.00 टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रम रू0 5822484.00 की दर्शित है जिस पर 2.26 प्रति की दर से टी0डी0एस0 रू0 131588.00 होता है। इस प्रकार रू0 13482.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि में बराबर वसूलनीय रॉयल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 रू0 40858.00 की जमा पुष्टि में चालान चेक नं0/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण से राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला देवी श्री सुधीर कुमार सक्सेना श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव लेखाकार श्री राकेश पाल सिंह से समान रूप से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित हैं।

प्रस्तर सं0-340 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2013-14 में कुल सामग्री क्रय रू0 5822484.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 222899.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 शून्य कटौती की गयी है। इस प्रकार रू0 77075.00 की कटौती कम की गयी है।

फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2013-14 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 कटौती की जानी चाहिए थी। राजस्व हानि जमा कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला देवी श्री सुधीर कुमार सक्सेना श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव लेखाकार श्री राकेश पाल सिंह से समान रूप से वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-341 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2013-14 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर, सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण**

कुल दर्शित भुगतान रू0 4313103.00 का भुगतान संबंधित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है किन्तु जो सामग्री क्रम प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर हैं। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न हैं। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्य प्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान भी निर्गत नहीं है। सामग्री की आमद, उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। फर्म द्वारा खन्ना (एम0एम0-11) भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला देवी श्री सुधीर कुमार

सक्सेना श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव लेखाकार श्री राकेश पाल सिंह अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती सीमा देवी से समान रूप से वसूली ब्याज सहितकी जानी अपेक्षित हैं।

निष्कर्ष—उपरोक्त आपत्ति संख्या 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2012-13 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री, आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात् तैयार की गयी है। यहां तक कि कतिपय चेकों का भुगतान प्रमाणकों के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित हैं परन्तु बैंक खातों में वह भुगतान कोई लिया गया है।

प्रस्तर सं०-342 क्षेत्र पंचायत का नाम—सिन्धौली, जनपद— शाहजहाँपुर 2013-14 में 210.00 घन मी० मिटटी हेतु कुल रु० 10500.00 भुगतान निम्नानुसार किया गया है। जिस पर नियमानुसार 30 रुपये प्रति घनमी० की दर से रु० 6300.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए। रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। क्षति की पूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला देवी श्री सुधीर कुमार सक्सेना श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव लेखाकार श्री राकेश पाल सिंह से समान रूप से करायी जानी अपेक्षित हैं **आपत्ति संख्या-07**

दिनांक	मात्रा घन मी० में	धनराशि
31.10.13	70.00	3500.00
18.02.14	30.00	1500.00
27.05.14	110.00	5500.00
योग	210.00	10500.00

क्षेत्र

पंचायत— सिन्धौली, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 से 2016-17

वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर सं०-343 क्षेत्र पंचायत का नाम—सिन्धौली, जनपद— शाहजहाँपुर 2014-15 में श्रमांश मे मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल भुगतान— वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य पर अंकन रु० 823317.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री पंकज वाजपेई पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु० 229624.00 एवं श्री प्रवीण कुमार शाही ग्राम विकास अधिकारी को रु० 213650.00 श्री सुनील मिश्रा पदनाम ग्रा०वि०अधि० को रु० 48324.00, श्री मो० उमर सिद्दकी, ग्राम विकास अधिकारी को रु० 224640.00 तथा श्री राजीव श्रीवास्तव को रु० 22307.00, मो० आरिफ को रु० 48230.00 तथा नवैद अहमद को रु० 36542.00 का भुगतान कर दिया गया है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है उनमें कई निशान उंगलियों के हैं एवं कोई भी निशान प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 823317.00 का वर्ष 2014-15 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार सक्सेना श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव लेखाकार श्री कप्तान पाल सिंह श्री हरकिशोर अग्निहोत्री अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शिव कुमार वर्मा ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुनीतादेवी देवी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-344 क्षेत्र पंचायत का नाम—सिन्धौली, जनपद— शाहजहाँपुर 2014-15 में आपूर्ति कर्ता/फर्म को चेक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/ अन्य खाते में करना—

सामग्री मद में कुल रु० 4400751.00 भुगतान में से रु० 515871.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चेक तो फर्म को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में हैं—

चेक सं०	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम पत्रावली के अनुसार	भुगतान स्टेटमेंट अनुसार	बैंक के

102493	15.07.15	246256.00	मै0 आरिफ ब्रिक फील्ड	02 / 200
102487	15.07.15	269615.00	मै0 उदय इन्टरप्राइजेज	दू ट्रान्सफर
	योग	515871.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 515871.00 का चेक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चेक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेंट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चेक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 515871.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार सक्सेना श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव लेखाकार श्री कप्तान पाल सिंह श्री हरिकिशोर अग्निहोत्री अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शिव कुमार वर्मा ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुनीतादेवी देवी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या- 4 क)

प्रस्तर सं0-345 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2014-15 में रू0 92924.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 12832.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 92924.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रू0 4679454.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रू0 105756.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 12832.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार सक्सेना श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव लेखाकार श्री कप्तान पाल सिंह श्री हरिकिशोर अग्निहोत्री से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 92924.00 जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या -05)

प्रस्तर सं0-346 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2014-15 में कुल सामग्री कय रू0 4679454.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 187178.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 185779.00 की कटौती की गई है। इस प्रकार रू0 1399.00 की कटौती कम की गयी है।

फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलेख्य वर्ष 2014-15 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 कटौती की जानी चाहिए थी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार सक्सेना श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव लेखाकार श्री कप्तान पाल सिंह श्री हरिकिशोर अग्निहोत्री से समान रूप से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-347 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2014-15 में मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण-

कुल दर्शित भुगतान रू0 3884880.00 का भुगतान संबंधित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत नहीं किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार सक्सेना श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव लेखाकार श्री कप्तान पाल सिंह श्री हरिकिशोर अग्निहोत्री अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शिव कुमार वर्मा ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुनीतादेवी देवी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

निष्कर्ष - उपरोक्त आ0 सं0 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015-2016 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/भुगतान के

पञ्चात तैयार की गयी हैं यहा तक की कतिपय चेकों का भुगतान प्रमाणकों के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित हैं परन्तु बैंक खातों में वह भुगतान कोई अन्य द्वारा लिया गया है। (मूल आपत्ति संख्या –4ख)

वर्ष 2015-16 से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर सं0-348 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में **श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल भुगतान-** वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यो पर अंकन रु0 918444.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री पंकज वाजपेई पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 263197.00 श्री शिवानन्द सिंह, ग्राम विकास अधिकारी को रु0 252149.00 श्री मो0यूनस पदनाम ग्रा0वि0अधि0 को रु0 78476.00, श्री मो0 उमर सिद्दकी, ग्राम विकास अधिकारी को रु0 87833.00 तथा श्री राजीव श्रीवास्तव को रु0 152576.00, मो0 आरिफ को रु0 56628.00 तथा श्री के0पी0 उपाध्याय को रु0 27585.00 का भुगतान कर दिया गया है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है उनमें कई निशान उंगलियों के हैं एवं कोई भी निशान प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 918444.00 का वर्ष 2015-16 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री श्री राज कुमार वर्मा श्री देवेन्द्र कुमार श्री राम गोपाल वर्मा लेखाकार श्री कप्तान पाल सिंह श्री हरिकिशोर अग्निहोत्री अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शिव कुमार वर्मा ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुनीतादेवी देवी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या –03)

प्रस्तर सं0-349 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में **आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/ अन्य खाते में करना-**

सामग्री मद में कुल रु0 4717891.00 भुगतान में से रु0 1566929.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में हैं-

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम पत्रावली के अनुसार	भुगतान बैंक स्टेटमेंट के अनुसार
102504	16.09.15	30972.00	मै0 आरिफ ब्रिक फील्ड	02/200
102531	06.05.16	181434.00	मै0 चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल	टू ट्रान्सफर
102530	06.05.16	59711.00	मै0 राशिद ब्रिक फील्ड	क्लियरिंग
102534	06.05.16	212284.00	मै0 चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल	04/274
102533	06.05.15	66597.00	मै0 राशिद ब्रिक फील्ड	क्लियरिंग
102519	16.09.15	39457.00	मै0 राशिद ब्रिक फील्ड	क्लियरिंग
102518	16.09.15	119357.00	मै0 चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल	टू ट्रान्सफर
102516	16.09.15	35769.00	मै0 राशिद ब्रिक फील्ड	क्लियरिंग
102515	16.09.15	118242.00	मै0 चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल	टू ट्रान्सफर
102527	01.04.16	69177.00	मै0 राशिद ब्रिक फील्ड	एल0एम0ओ0
102524	01.04.16	60946.00	मै0 राशिद ब्रिक फील्ड	टू ट्रान्सफर
382887	19.10.15	62052.00	मै0 श्यामा ब्रिक फील्ड	टू ट्रान्सफर
382886	10.10.15	52665.00	मै0राठौर सीमेन्ट एजेन्सी	टू ट्रान्सफर
359715	21.12.15	22514.00	मै0राठौर सीमेन्ट एजेन्सी	टू ट्रान्सफर
359714	21.12.15	60689.00	मै0राठौर सीमेन्ट एजेन्सी	टू ट्रान्सफर

359713	21.12.15	40354.00	मै0 श्यामा ब्रिक फील्ड	टू ट्रान्सफर
359774	05.07.16	55600.00	मै0राठौर सीमेन्ट एजेन्सी	टू ट्रान्सफर
359774	05.07.16	11261.00	मै0राठौर सीमेन्ट एजेन्सी	टू ट्रान्सफर
102473	07.07.16	81639.00	मै0ऊँ भगवानजी ब्रिक फील्ड	पी0एन0बी0एल0सी0533 / 15
359712	21.12.15	24141.00	मै0 जय भोले कान्स0 कम्पनी	टू ट्रान्सफर
259778	05.07.16	22580.00	मै0 ऊँ भगवानजी ब्रिक फील्ड	टू एकाउन्ट
259779	05.07.16	5035.00	मै0 जय भोले कान्स0 कम्पनी	टू ट्रान्सफर
259779	05.07.16	64359.00	मै0 जय भोले कान्स0 कम्पनी	टू ट्रान्सफर
	योग	1566229.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 1566229.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 515871.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राज कुमार वर्मा श्री देवेन्द्र कुमार श्री राम गोपाल वर्मा लेखाकार श्री कप्तान पाल सिंह श्री हरिकिशोर अग्निहोत्री अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शिव कुमार वर्मा ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुनीतादेवी देवी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं0-350 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में **रू0 99661.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 13872.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि** वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 99661.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रू0 5023595.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रू0113533.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 13872.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री राज कुमार वर्मा श्री देवेन्द्र कुमार श्री राम गोपाल वर्मा लेखाकार श्री कप्तान पाल सिंह श्री हरिकिशोर अग्निहोत्री से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 99661.00 जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालना/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तनुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-05)**

प्रस्तर सं0-351 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में कुल सामग्री कय रू0 5023595.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 200944.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 206043.00 की कटौती की गई है। काटे गये बैट के जमा की पुष्टि में सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं रहें। इस प्रकार रू0 206043.00 की कटौती कम की गयी है।

फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलेख्य वर्ष 2015-16 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 कटौती की जानी चाहिए थी। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्री राज कुमार वर्मा श्री देवेन्द्र कुमार श्री राम गोपाल वर्मा लेखाकार श्री कप्तान पाल सिंह श्री हरिकिशोर अग्निहोत्री समान रूप से जमा कराया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या -6)**

प्रस्तर सं0-352 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण-**

कुल दर्शित भुगतान रू0 3151662.00 का भुगतान संबंधित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति

चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राज कुमार वर्मा श्री देवेन्द्र कुमार श्री राम गोपाल वर्मा लेखाकार श्री कप्तान पाल सिंह श्री हरिकिशोर अग्निहोत्री अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शिव कुमार वर्मा ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुनीतादेवी देवी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

निष्कर्ष – उपरोक्त आ0 सं0 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015-2016 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं यहा तक की कतिपय चेकों का भुगतान प्रमाणकों के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित हैं परन्तु बैंक खातों में वह भुगतान किसी अन्य द्वारा लिया गया है। (मूल आपत्ति संख्या -4 ख)

वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर सं0-353 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में श्रमांश मे मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टर रोल भुगतान— वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यो पर अंकन रु0 1533072.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री शिवानन्द सिंह पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 152138.00, श्री मो0यूनुस पदनाम ग्राम विकास अधिकारी को रु0 712739.00 एवं श्री प्रेम सागर यादव पदनाम ग्रा0वि0अधि0 को रु0 668195.00 का भुगतान कर दिया गया है। और जो अंगूठा निशानी अंकित है उनमें कई निशान उंगलियों के हैं एवं कोई भी निशान प्रमाणित नहीं है। जहां कही हस्ताक्षर है वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1533072.00 का वर्ष 2016-17 में योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम गोपाल वर्मा श्री राजेश कुमार झा श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव लेखाकार श्री कप्तान पाल सिंह श्री हरिकिशोर अग्निहोत्री अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शिव कुमार वर्मा ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुनीतादेवी देवी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है (मूल आपत्ति संख्या -3)

प्रस्तर सं0-354 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में आपूर्ति कर्ता/फर्म को चैक निर्गमन दर्शाकर भुगतान अन्य को/ अन्य खाते में करना—

सामग्री मद में कुल रु0 4864885.00 भुगतान में से रु0 1437523.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान दर्शित है। चैक तो फर्म को निर्गत दर्शित है, किन्तु बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता कोई और व्यक्ति/खाते में हैं—

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम पत्रावली के अनुसार	भुगतान बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार
100570	24.10.16	10350.00	मै0 के0जी0एन0 ट्रेडर्स	क्लियरिंग
102569	24.10.16	10234.00	मै0 देवा पेन्ट स्टोर	क्लियरिंग
102570	24.10.16	10350.00	मै0 के0जी0एन0 ट्रेडर्स	क्लियरिंग
102569	24.10.16	10254.00	मै0 देवा पेन्ट स्टोर	क्लियरिंग
102574	24.08.16	1955.00	मै0 साबिर ब्रिक इन्डस्ट्रीज	टू ट्रांसफर
102571	24.01.16	15538.00	मै0 हरिओम बिल्डिंग मैटेरियल	क्लियरिंग
102575	24.10.16	26107.00	मै0 श्यामा ब्रिक फील्ड	टू ट्रांसफर
102570	24.10.16	10350.00	मै0 के0जी0एन0 ट्रेडर्स	क्लियरिंग
102569	24.10.16	10234.00	मै0 देवा पेन्ट स्टोर	क्लियरिंग
102573	24.10.16	10350.00	मै0 के0जी0एन0 ट्रेडर्स	क्लियरिंग
102572	24.10.16	10234.00	मै0 देवा पेन्ट स्टोर	क्लियरिंग

102571	24.10.16	29708.00	मै0 हरिओम बिल्डिंग मैटेरियल	क्लियरिंग
102573	24.10.16	15129.00	मै0 के0जी0एन0 ट्रेडर्स	क्लियरिंग
102572	24.10.16	10263.00	मै0 देवा पेन्ट स्टोर	क्लियरिंग
102571	24.10.16	24832.00	मै0 हरिओम बिल्डिंग मैटेरियल	क्लियरिंग
102586	02.01.17	17395.00	मै0 भगवानदास भगवती देवी	टू ट्रान्सफर
102587	02.01.17	10831.00	मै0 साबरी ब्रिक इन्डस्ट्रीज	टू ट्रान्सफर
102588	02.01.17	45365.00	मै0 मुबारक सीमेन्ट एजेन्सी	टू ट्रान्सफर
102586	02.01.17	12713.00	मै0 भगवानदास भगवती देवी	टू ट्रान्सफर
102545	26.08.17	113092.00	मै0 न्यूज राज कान्सट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
102547	26.08.17	79712.00	मै0 न्यूज राज कान्सट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
102583	09.12.16	672570.00	मै0 न्यूज राज कान्सट्रक्शन	टू ट्रान्सफर
102555	06.09.16	279957.00	मै0साबरी ब्रिक इन्डस्ट्रीज	02 / 2025
	योग	1437523.00		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंकन रू0 1437523.00 का चैक फर्म को निर्गत पत्रावली में दर्शाया गया है उन चैक का भुगतान संबंधित को नहीं हुआ है जो बैंक स्टेटमेन्ट/खाता से पुष्टि होता है। इस प्रकार भ्रामक और फर्जी चैक निर्गमन दर्शाकर सामग्री मद में रू0 515871.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम गोपाल वर्मा श्री राजेश कुमार झा श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव लेखाकार श्री कप्तान पाल सिंह श्री हरिकिशोर अग्निहोत्री अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शिव कुमार वर्मा ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुनीतादेवी देवी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है (मूल आपत्ति संख्या -4क)

प्रस्तर सं0-355 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में रू0 102721.00 टी0डी0एस0 जमा की पुष्टि न हो पाने एवं रू0 13357.00 का टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि

वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 102721.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गई है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रू0 5136187.00 की दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रू0 116078.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 13357.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनालजी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम गोपाल वर्मा श्री राजेश कुमार झा श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव लेखाकार श्री कप्तान पाल सिंह श्री हरिकिशोर अग्निहोत्री से समान रूप से लेखाशीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 अंकन रू0 99661.00 जमा की पुष्टि में इश्यू चैक न0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालना/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण उपरोक्तनुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-356 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रू0 5136187.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 205447.00 की कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू0 168581.00 की कटौती की गई है। इस प्रकार वर्ष 2016-17 में रू0 36866.00 की कम कटौती कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी है। साथ ही काटे गये वैट के जमा पुष्टि में सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे।

फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए किन्तु आलोच्य वर्ष 2016-17 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था उन पर 4 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 कटौती की जानी चाहिए थी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम गोपाल वर्मा श्री राजेश कुमार झा श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव लेखाकार श्री कप्तान पाल सिंह श्री हरिकिशोर अग्निहोत्री से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है (मूल आपत्ति संख्या -6)

प्रस्तर सं0-357 क्षेत्र पंचायत का नाम-सिन्धौली, जनपद- शाहजहाँपुर 2016-17 में मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण-

कुल दर्शित भुगतान रू0 3427362.00 का भुगतान संबंधित को जो दर्शित किया गया है। वह बैंक खाता के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पाई गयी वो

समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमों पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स का दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई अपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम गोपाल वर्मा श्री राजेश कुमार झा श्रीमती कंचन माला श्रीवास्तव लेखाकार श्री कप्तान पाल सिंह श्री हरिकिशोर अग्निहोत्री अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शिव कुमार वर्मा ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुनीतादेवी देवी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

निष्कर्ष—उपरोक्त आ0 सं0 01 से 04 के आलोक से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016-2017 में दर्शित निर्माण कार्य वास्तव में कराये ही नहीं गये हैं क्योंकि निर्माण कार्य के मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को मिला ही नहीं भुगतान तो कार्य प्रभारी को किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये। सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं रहा, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया, इस प्रकार सामग्री की आमद ही पुष्टि नहीं रही पत्रावलियों में कभी भी किसी ने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नहीं किया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात तैयार की गयी हैं यहा तक की कतिपय चैकों का भुगतान प्रमाणकों के आधार पर फर्मों को करना पत्रावलियों में उल्लिखित हैं परन्तु बैंक खातों में वह भुगतान किसी अन्य द्वारा लिया गया है।

क्षेत्र पंचायत—जैतीपुर, जनपद— शाहजहाँपुर, वर्ष 2011-12 से 2013-14

आपत्तियाँ (2011-12)

प्रस्तर सं0-358 क्षेत्र पंचायत का नाम—जैतीपुर, जनपद— शाहजहाँपुर 2011-12 में क्षेत्र पंचायत जैतीपुर के आय-व्यय का परीक्षण उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के आधार पर किया गया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि क्षेत्र पंचायत जैतीपुर को आलोच्य वर्ष में ₹0 3248773.90 का अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹0 1212305.00 का व्यय किया गया, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित कोई भी पत्रावली अथवा अभिलेख लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त उल्लिखित धनराशि (₹0 1212305.00) का अपहरण किया गया है और दर्शित व्यय से संबंधित कोई भी पत्रावली क्षेत्र पंचायत जैतीपुर में उपलब्ध/तैयार नहीं की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सत्यप्रकाश कन्नौजिया श्री बाबूराम वर्मा लेखाकार श्री बृजेश दीक्षित श्री अनूप चतुर्वेदी अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री मंगल लाल मिश्रा ब्लाक प्रमुख श्रीमती ईश्वरवती यादव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या-2)**

आपत्तियाँ (2012-13)

प्रस्तर सं0-359 क्षेत्र पंचायत का नाम—जैतीपुर, जनपद— शाहजहाँपुर 2012-13 में क्षेत्र पंचायत जैतीपुर के आय-व्यय का परीक्षण उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के आधार पर किया गया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि क्षेत्र पंचायत जैतीपुर को आलोच्य वर्ष में ₹0 6772222.90 का अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹0 3164219.00 का व्यय किया गया, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित कोई भी पत्रावली अथवा अभिलेख लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त उल्लिखित धनराशि (₹0 3164219.00) का अपहरण किया गया है और दर्शित व्यय से संबंधित कोई भी पत्रावली क्षेत्र पंचायत जैतीपुर में उपलब्ध/तैयार नहीं की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सत्यप्रकाश कन्नौजिया श्री बाबूराम वर्मा लेखाकार श्री बृजेश दीक्षित श्री अनूप चतुर्वेदी अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री मंगल लाल मिश्रा ब्लाक प्रमुख श्रीमती ईश्वरवती यादव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है **(मूल आपत्ति संख्या-2)**

आपत्तियाँ (2013-14)

प्रस्तर सं0-360 क्षेत्र पंचायत का नाम—जैतीपुर, जनपद— शाहजहाँपुर 2013-14 में क्षेत्र पंचायत जैतीपुर के आय-व्यय का परीक्षण उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के आधार पर किया गया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि क्षेत्र पंचायत जैतीपुर को आलोच्य वर्ष में ₹0 9741195.90 का अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹0 3762209.00 का व्यय किया गया, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित कोई भी पत्रावली अथवा अभिलेख लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त उल्लिखित धनराशि (₹0 3762209.00) का अपहरण किया गया है और दर्शित व्यय से संबंधित कोई भी पत्रावली क्षेत्र पंचायत जैतीपुर में उपलब्ध/तैयार नहीं की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सुधा आर्या श्री

बाबू राम वर्मा लेखाकार श्री बृजेश दीक्षित श्री अनूप चतुर्वेदी अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शंकर बाबू शुक्ला ब्लाक प्रमुख श्रीमती ईश्वरवती यादव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है (मूल आपत्ति संख्या-2)

क्षेत्र पंचायत- जैतीपुर, जनपद- शाहजहाँपुर, वर्ष 2014-15 से 2016-17

आपत्तियाँ (2014-15)

प्रस्तर सं०-361 क्षेत्र पंचायत का नाम-जैतीपुर, जनपद- शाहजहाँपुर में 2014-15 में क्षेत्र पंचायत जैतीपुर के आय-व्यय का परीक्षण उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के आधार पर किया गया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि क्षेत्र पंचायत जैतीपुर को आलोच्य वर्ष में ₹0 12825818.90 का अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹0 4741588.00 का व्यय किया गया, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित कोई भी पत्रावली अथवा अभिलेख लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त उल्लिखित धनराशि (₹0 4741588.00) का अपहरण किया गया है और दर्शित व्यय से संबंधित कोई भी पत्रावली क्षेत्र पंचायत जैतीपुर में उपलब्ध/तैयार नहीं की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबू राम वर्मा श्री मुनीम लाल श्री पी० पी० त्रिपाठी लेखाकार श्री बृजेश दीक्षित श्री अनूप चतुर्वेदी अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शंकर बाबू शुक्ला ब्लाक प्रमुख श्रीमती ईश्वरवती यादव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है (मूल आपत्ति संख्या-2)

आपत्तियाँ (2015-16)

प्रस्तर सं०-362 क्षेत्र पंचायत का नाम-जैतीपुर, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर-3 पर दर्शित वर्ष 2015-16 में प्राप्त अनुदान ₹0 15365955.00 हुआ, जिसमें से ₹0 11234882.00 का व्यय किया गया, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित कोई भी पत्रावली अथवा अभिलेख लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त उल्लिखित धनराशि (₹0 11234882.00) का अपहरण किया गया है और दर्शित व्यय से संबंधित कोई भी पत्रावली क्षेत्र पंचायत जैतीपुर में उपलब्ध/तैयार नहीं की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबू राम वर्मा श्री मुनीम लाल श्री पी० पी० त्रिपाठी लेखाकार श्री बृजेश दीक्षित श्री अनूप चतुर्वेदी अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शंकर बाबू शुक्ला ब्लाक प्रमुख श्रीमती ईश्वरवती यादव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है (मूल आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर सं०-363 क्षेत्र पंचायत का नाम-जैतीपुर, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 के ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार वर्ष में ₹0295898.00 का टी०डी०एस० प्राप्त हुआ है किन्तु प्राप्त टी०डी०एस० की अंकन धनराशि ₹0 295898.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबू राम वर्मा श्री मुनीम लाल श्री पी० पी० त्रिपाठी लेखाकार श्री बृजेश दीक्षित श्री अनूप चतुर्वेदी अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शंकर बाबू शुक्ला ब्लाक प्रमुख श्रीमती ईश्वरवती यादव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है (मूल आपत्ति संख्या -5)

प्रस्तर सं०-364 क्षेत्र पंचायत का नाम-जैतीपुर, जनपद- शाहजहाँपुर 2015-16 के ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार वर्ष में ₹0378588.00 का वैट (वाणिज्य कर) प्राप्त हुआ है किन्तु प्राप्त वैट की अंकन धनराशि ₹0 378588.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबू राम वर्मा श्री मुनीम लाल श्री पी० पी० त्रिपाठी लेखाकार श्री बृजेश दीक्षित श्री अनूप चतुर्वेदी अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शंकर बाबू शुक्ला ब्लाक प्रमुख श्रीमती ईश्वरवती यादव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है (मूल आपत्ति संख्या-06)

आपत्तियाँ (2016-17)

प्रस्तर सं०-365 क्षेत्र पंचायत का नाम-जैतीपुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्रांट रजिस्टर-3 पर दर्शित वर्ष 2016-17 में अनुदान ₹0 1012177.00 प्राप्त हुआ जिसमें से ₹0 5241120.00 का व्यय किया गया, किन्तु उक्त व्यय से संबंधित कोई भी पत्रावली अथवा अभिलेख लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त उल्लिखित धनराशि (₹0 5241120.00) का अपहरण किया गया है और दर्शित व्यय से संबंधित कोई भी पत्रावली क्षेत्र पंचायत जैतीपुर में उपलब्ध/तैयार नहीं की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी० पी० त्रिपाठी श्री वीरपाल श्री अमित कुमार सिंह श्री उग्रसेन यादव श्री जैनित कान्त लेखाकार श्री बृजेश दीक्षित श्री अनूप चतुर्वेदी अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शंकर बाबू शुक्ला ब्लाक प्रमुख श्रीमती

ईश्वरवती यादव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है (मूल आपत्ति संख्या -2)

प्रस्तर सं0-366 क्षेत्र पंचायत का नाम-जैतीपुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में वर्ष 2016-17 के ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार वर्ष में 80055.00 रु0 टी0डी0एस0 प्राप्त हुआ है किन्तु प्राप्त टी0डी0एस0 की अंकन धनराशि रु0 80055.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0 पी0 त्रिपाठी श्री वीरपाल श्री अमित कुमार सिंह श्री उग्रसेन यादव श्री जैनित कान्त लेखाकार श्री बृजेश दीक्षित श्री अनूप चतुर्वेदी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है (मूल आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर सं0-367 क्षेत्र पंचायत का नाम-जैतीपुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में ग्रांट रजिस्टर-3 के अनुसार वर्ष में 222158.00 रु0 का वैट (वाणिज्य कर) प्राप्त हुआ है किन्तु प्राप्त वैट की अंकन धनराशि रु0 222158.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः उक्त की सम्यक जाँच करने के उपरान्त दायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री पी0 पी0 त्रिपाठी श्री वीरपाल श्री अमित कुमार सिंह श्री उग्रसेन यादव श्री जैनित कान्त लेखाकार श्री बृजेश दीक्षित श्री अनूप चतुर्वेदी से समान रूप से की जानी अपेक्षित है (मूल आपत्ति संख्या-5)

क्षेत्र पंचायत- पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर, वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक आपत्ति (2011-12)

प्रस्तर सं0-368 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को** वर्ष 2011-12 में निर्माण पर अंकन रु0 171830.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री कुलदीप वर्मा, पदनाम-ग्रा0वि0अ0 को रु0 36090.00 श्री अरविन्द शर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 73190.00, श्री राजाराम, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 34780.00 श्री कुलदीप वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 9790.00 व रु0 17980.00 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यवार विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। कार्य पर लगे मजदूरों के पते का भी उल्लेख नहीं है। (मूल आपत्ति संख्या-3)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 177830- /का वर्ष 2011-12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार यादव श्री एम आर तम राम श्री एस0पी0 कन्नौजिया श्री आर पी मिश्रा लेखाकार श्री बालक राम अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीसुरजन लाल से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर सं0-369 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 798380.00 में से रु0 (626550.00-11976.00) = 614574.00 का भुगतान सम्बन्धित को दर्शित किया गया है, जो कि बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है। किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है और न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये, सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं किया गया। फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं जारी किया गया है। स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात् तैयार की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार यादव श्री एम आर तम राम श्री एस0पी0 कन्नौजिया श्री आर पी मिश्रा लेखाकार श्री बालक राम अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीसुरजन लाल से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर सं०-370 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **रु० 11976.00 टी०डी०एस० (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रु० 1165.00 की टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि-** वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 11976.00 की टी०डी०एस० कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 581450.00 को दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रु० 13140.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 1165.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/खण्ड जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार यादव श्री एम आर तम राम श्री एस०पी० कन्नौजिया श्री आर पी मिश्रा लेखाकार श्री बालक राम से लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी०डी०एस० अंकन रु० 11976.00 भी जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-5)**

प्रस्तर सं०-371 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में कुल सामग्री क्रय रु० 581450.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर टी०डी०एस० कुल रु० 23258.0 की कटौती की जानी चाहिए, जबकि वर्ष में रुपये शून्य कटौती की गयी। इस प्रकार रु० 23258.00 की कटौती नहीं की गयी, जिससे रु० 23258.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु० 23258.00 की तत्कालीन आहरण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-6)**

प्रस्तर सं०-372 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **बैंक खाता संख्या 6385000100017832 (पंजाब नेशनल बैंक पुवायां)** के अनुसार निम्नानुसार तालिका में अंकित चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संलग्न अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टि भुगतानिक धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार यादव श्री एम आर तम राम श्री एस०पी० कन्नौजिया श्री आर पी मिश्रा लेखाकार श्री बालक राम से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम संख्या	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट में पाये जाने वाले ☐ नाम
1	04.10.2011	888609	20430.00	अरविन्द शर्मा
2	04.10.2011	888607	18246.00	गुप्ता ट्रेडर्स
3	04.10.2011	888608	13207.00	गुप्ता ट्रेडर्स
4	07.10.2011	888606	31151.00	हिन्द ब्रिक सप्लाय
5	07.10.2011	888604	49913.00	सिंह पाइप इन्डस्ट्रीज
6	17.10.2011	888611	4719.00	स्वयं
7	14.11.2011	888617	8640.00	स्वयं
8	14.11.2011	888616	2180.00	स्वयं
9	17.12.2011	888618	20920.00	अरविन्द शर्मा
10	17.12.2011	888628	34050.00	अरविन्द शर्मा
11	17.12.2011	888625	42000.00	अरविन्द शर्मा
12	20.12.2011	888631	12890.00	धर्मन्द्र कुमार
13	20.12.2011	888629	16320.00	धर्मन्द्र कुमार
14	21.12.2011	888630	102249.00	रामप्रसाद राजाराम 042300
15	21.12.2011	888632	56805.00	रामप्रसाद राजाराम 042300
16	21.12.2011	888626	127812.00	हिन्दी ब्रिक 042300
17	21.12.2011	888627	119291.00	हिन्दी ब्रिक 042300
18	26.12.2011	888621	36113.00	शान ब्रिक

19	26.12.2011	888619	17918.00	मिश्रा बिल्डिंग
20	02.01.2012	888641	24000.00	अशोक सिंह
21	02.01.2012	888640	17400.00	अशोक सिंह
22	05.01.2012	888639	68166.00	राम प्रसाद राजाराम भट्ट ईट 042300
23	19.01.2012	888642	16191.00	स्वयं
24	22.03.2012	888643	1050.00	स्वयं
	योग		861661.00	

(मूल आपत्ति संख्या-10)

आपत्ति 2012-13

प्रस्तर सं०-373 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 के निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयीं, जबकि आलोच्य वर्ष में तेरहवां वित्त आयोग/तृतीय वित्त आयोग के अंतर्गत रु० 1881251.00 प्रा० अवशेष तथा रु० 3842485.00 वर्ष में प्राप्त हुई धनराशियां हैं। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में कुल रु० 5723736.00 अनुदान उपलब्ध रहा। जिसमें से रु० 3629741.00 का व्यय अनुदान पंजिका के अनुसार किया गया, किन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी। इससे प्रतीत होता है कि रु० 3629741.00 का वर्ष 2012-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धनराशि रु० 3629741.00 की ब्याज सहितवसूली जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार यादव श्री एम आर तम राम श्री एस०पी० कन्नौजिया श्री आर पी मिश्रा लेखाकार श्री बालक राम अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीसुरजन लाल से समान रूप से की जानी अपेक्षित (मूल आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर सं०-374 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में बैंक खाता संख्या 6385000100017832 (पंजाब नेशनल बैंक पुवायां) के अनुसार निम्नानुसार तालिका में अंकित चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संलग्न अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टि भुगतानिक धनराशियों की ब्याज सहितवसूली एवं विधिक कार्यवाही जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार यादव श्री एम आर तम राम श्री एस०पी० कन्नौजिया श्री आर पी मिश्रा लेखाकार श्री बालक राम से समान रूप से की जानी अपेक्षित विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम संख्या	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट पाये जाने वाले का नाम
1	03.04.2012	888644	37355.00	अनुराग सिंह
2	23.04.2012	888642	13000.00	जयपाल
3	23.04.2012	888651	13250.00	जयपाल
4	23.04.2012	888650	33840.00	जयपाल
5	23.04.2012	888648	68400.00	जयपाल
6	23.04.2012	888645	62400.00	जयपाल
7	24.04.2012	888654	8280.00	अशोक सिंह
8	25.04.2012	888653	8493.00	मिश्रा टेडर्स
9	26.04.2012	888655	9816.00	स्वयं
10	26.04.2012	888647	113610.00	रामप्रसाद राजा राम
11	26.04.2012	888649	111622.00	रामप्रसाद राजाराम
12	26.04.2012	888646	241422.00	रामप्रसाद राजाराम
13	30.04.2012	888656	12000.00	स्वयं
14	18.06.2012	888659	25500.00	जयपाल
15	18.06.2012	888660	16500.00	जयपाल
16	21.06.2012	888658	2150.00	स्वयं

17	22.06.2012	888657	102250.00	श्रामप्रसाद जायसवाल
18	23.06.2012	888663	13928.00	आर्यन ट्रेडर्स
19	23.06.2012	888664	14180.00	आर्यन ट्रेडर्स
20	23.06.2012	888665	18174.00	आर्यन ट्रेडर्स
21	02.07.2012	888661	1090.00	राम नारायण मल्होत्रा
22	02.07.2012	888666	16315.00	राम नारायण मल्होत्रा
23	02.07.2012	888662	15225.00	राम नारायण मल्होत्रा
24	23.07.2012	888667	27498.00	स्वयं
25	24.08.2012	888671	30625.00	अशोक सिंह
26	24.08.2012	888677	14750.00	अशोक सिंह
27	24.08.2012	888669	43000.00	कुलदीप वर्मा
28	24.08.2012	888676	24750.00	कुलदीप वर्मा
29	24.08.2012	888678	11625.00	कुलदीप वर्मा
30	24.08.2012	888672	20607.00	रामप्रसाद राजाराम
31	24.08.2012	888670	109301.00	रामप्रसाद राजाराम
32	25.08.2012	888679	19950.00	अशोक सिंह
33	25.08.2012	888673	23358.00	गुप्ता ट्रेडर्स पुवार्यो
34	28.08.2012	888668	181777.00	शान ब्रिक फील्ड
35	28.08.2012	888680	11500.00	एस0बी0 इण्टरप्राइजेज
36	28.08.2012	888681	13500.00	एस0बी0 इण्टरप्राइजेज
37	31.08.2012	888674	6122.00	स्वयं
38	31.08.2012	888675	936.00	स्वयं
39	01.10.2012	888691	36250.00	पवन कुमार श्रीवास्तव
40	01.10.2012	888690	23500.00	पवन कुमार श्रीवास्तव
41	01.10.2012	888692	47125.00	अशोक कुमार
42	01.10.2012	888684	8693.00	अशोक कुमार
43	01.10.2012	888683	21873.00	आर्यन ट्रेडर्स
44	03.10.2012	888688	113610.00	रामप्रसाद राजाराम बितौनी पुवायां
45	03.10.2012	888686	113610.00	रामप्रसाद राजाराम बितौनी पुवायां
46	03.10.2012	888687	112190.00	रामप्रसाद राजाराम बितौनी पुवायां
47	03.10.2012	888689	127812.00	रामप्रसाद राजाराम बितौनी पुवायां
48	05.10.2012	888682	9135.00	राम नारायण मल्होत्रा
49	18.10.2012	888693	12000.00	स्वयं
50	20.10.2012	888695	44500.00	अशोक सिंह
51	20.10.2012	888696	5750.00	अशोक सिंह
52	20.10.2012	888698	61250.00	राकेश शुक्ला
53	22.10.2012	198741	29750.00	अशोक सिंह
54	22.10.2012	888700	15875.00	पवन कुमार
55	29.10.2012	888697	96569.00	रामप्रसाद राजाराम
56	29.10.2012	888694	59645.00	रामप्रसाद राजाराम
57	02.11.2012	888699	10625.00	पवन कुमार श्रीवास्तव
58	30.11.2012	198743	13114.00	स्वयं
59	30.11.2012	888685	460.00	स्वयं
60	10.12.2012	198742	35714.00	स्वयं
61	13.12.2012	198745	31750.00	राकेश शुक्ला
62	17.12.2012	198744	176096.00	धर्मेन्द्र अवस्थी

63	11.01.2013	198748	3704.00	स्वयं
64	01.02.2013	198750	13750.00	धर्मेन्द्र अवस्थी
65	02.02.2013	198749	18250.00	अशोक सिंह
66	26.02.2013	198754	51705.00	अशोक सिंह
67	26.02.2013	198752	22187.00	अशोक सिंह
68	26.02.2013	198751	28813.00	अशोक सिंह
69	26.02.2013	198773	5000.00	अशोक सिंह
70	27.02.2013	198758	22694.00	अशोक सिंह
71	27.02.2013	198757	4000.00	अशोक सिंह
72	27.02.2013	198756	7620.00	अशोक सिंह
73	27.02.2013	198759	22500.00	धर्मेन्द्र अवस्थी
74	01.03.2013	198755	12000.00	स्वयं
75	09.03.2013	198760	606.00	अशोक सिंह
76	30.03.2013	933001	36000.00	अनुराग सिंह
			2953969.00	

(मूल आपत्ति संख्या -2)

आपत्ति 2013-14

प्रस्तर सं0-375 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में **मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को** वर्ष 2013-14 में निर्माण पर अंकन रु0 228038.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री अरविन्द शर्मा, पदनाम-ग्रा0पं0अधि0 को रु0 113500.00 श्री राजाराम, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 21375.00, श्री कै0पी0सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 34625.00 श्री कुलदीप वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 46172.00 व रु0 12366.00 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यबार विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूरों के पते का भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 228038-/- का वर्ष 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर पी मिश्रा लेखाकार श्री ओंकर सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शंकर लाल ब्लाक प्रमुख श्रीसुरजन लाल से समान रूप से रु0228038.00की ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-376 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 1632685.00 में से रु0 1375712.00 का भुगतान सम्बन्धित को दर्शित किया गया है, जो कि बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक/कच्चे** बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये, सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं किया गया, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं किया गया है, स्पष्ट है कि पत्रावलियां **आहरण/भुगतान** के पश्चात् तैयार की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर पी मिश्रा श्रीमती नजमा सिद्दकी लेखाकार श्री ओंकर सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शंकर लाल ब्लाक प्रमुख श्रीसुरजन लाल से समान रूप से ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-377 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में **रु0 28935.00**

टी0डी0एस0 (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रू0 2810.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि— वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 28935.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू0 1404647.00 को दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रू0 31745.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 2810.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/खण्ड जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर पी मिश्रा श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री ओंकर सिंह श्री राकेश पाल सिंह से लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, डी0डी0एस0 अंकन रू0 28935.00 भी जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-378 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में कुल सामग्री क्रय रू0 1404647.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर टी0डी0एस0 कुल रू0 56186.00 की कटौती की जानी चाहिए, जबकि वर्ष में रुपये शून्य कटौती की गयी। इस प्रकार रू0 56186.00 की कटौती नहीं की गयी, जिससे रू0 56186.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू0 56186.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण अधिकारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर पी मिश्रा श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री ओंकर सिंह श्री राकेश पाल सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-379 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में बैंक खाता संख्या 6385000100017832 (पंजाब नेशनल बैंक पुवायां) के अनुसार निम्नानुसार तालिका में अंकित चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संलग्न अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टि भुगतानिक धनराशियों की ब्याज सहितवसूली एवं विधिक कार्यवाही जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर पी मिश्रा श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री ओंकर सिंह श्री राकेश पाल सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम संख्या	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट पाये जाने वाले का नाम
1	22.04.2013	933003	8000.00	अशोक सिंह
2	22.4.2013	933002	10703.00	अशोक सिंह
3	22.04.2013	933004	10000.00	रामपाल सिंह
4	15.06.2013	933008	4125.00	श्राजाराम
5	18.06.2013	933010	9428.00	हिन्द ब्रिक सप्लाइ
6	19.06.2013	933009	8314.00	नीरज सीमेंट स्टोर
7	19.06.2013	933011	21405.00	स्वयं
8	27.06.2013	933012	12000.00	स्वयं
9	06.07.2013	933013	201296.00	हिन्द ब्रिक सप्लाइ
10	01.08.2013	933016	50000.00	अरविन्द शर्मा(ग्रा0पं0अधि0)
11	07.08.2013	933014	19000.00	राजाराम
12	07.08.2013	933023	17250.00	श्राजाराम
13	17.08.2013	933026	12000.00	श्राजाराम
14	26.09.2013	933027	1401.00	स्वयं
15	17.10.2013	933028	80582.00	हिन्द ब्रिक सप्लाइ
16	27.12.2013	933036	191071.00	हिन्द ब्रिक सप्लाइ
17	27.12.2013	933035	163775.00	हिन्द ब्रिक सप्लाइ
18	27.12.2013	933034	186522.00	हिन्द ब्रिक सप्लाइ
19	30.12.2013	933037	60323.00	स्वयं

20	30.12.2013	933038	58126.00	स्वयं
21	02.01.2014	933041	12236.00	धर्मेन्द्र अवस्थी
22	02.01.2014	933042	17040.00	धर्मेन्द्र अवस्थी
23	03.01.2014	933039	19596.00	राकेश शुक्ला
24	03.01.2014	933040	13872.00	राकेश शुक्ला
25	10.01.2014	933047	17892.00	अरविन्द शर्मा
26	10.01.2014	933046	13446.00	अरविन्द शर्मा
27	17.01.2014	933049	42870.00	राजाराम(ग्रा0पं0अधि0)
28	17.01.2014	933045	8500.00	कुलदीप वर्मा
29	17.01.2014	933050	34161.00	मिश्रा ट्रेडर्स
30	22.01.2014	933048	27419.00	श्राजाराम
31	15.02.2014	206581	30000.00	आनन्द गुप्ता
32	18.02.2014	206582	5300.00	आनन्द गुप्ता
33	14.03.2014	206585	6816.00	धर्मेन्द्र अवस्थी
34	14.03.2014	206586	6766.00	धर्मेन्द्र अवस्थी
35	14.03.2014	206583	27489.00	तिरूपति बालाजी ब्रिक फील्ड
36	14.03.2014	206584	76360.00	तिरूपति बालाजी ब्रिक फील्ड
37	28.03.2014	206589	800.00	श्रवण कुमार
38	29.03.2014	206591	88151.00	स्वयं
39	31.03.2014	206593	7836.00	आनन्द गुप्ता
	योग		1581871.00	

क्षेत्र पंचायत – पुवायां

जनपद– शाहजहाँपुर, वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक
आपत्तियाँ (2014–15)

प्रस्तर सं0–380 क्षेत्र पंचायत का नाम–पुवायां, जनपद– शाहजहाँपुर वर्ष 2014–15 में **मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को** वर्ष 2014–15 में निर्माण पर अंकन रु0 660639.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री कुलदीप वर्मा, पदनाम–ग्रा0वि0अ0 को रु0 13512.00, श्री अरविन्द शर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 27669.00, 72864.00, श्री राजाराम, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 45996.00 , 42408.00, श्री राकेश शुक्ला, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 35469.00, 85080.00 व रु0 107715.00, श्री के0पी0 सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 58986.00, 86382.00 तथा श्री धर्मेन्द्र अवस्थी, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 84558.00 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यबार विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूरों के पते का भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 660639–/ का वर्ष 2014–15 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता (आर0ई0एस0), लेखाकार, कार्य प्रभारी तथा प्रमुख क्षेत्र पंचायत समान रूप से उत्तरदायी है।

आलोच्य वर्ष में रु0 140406.00 का व्यय मिट्टी कार्य कराने हेतु मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा प्राप्त किया गया, जबकि मिट्टी डलवायी ही नहीं गयी है। इस प्रकार बिना कार्य के ही भुगतान प्राप्त कर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है, जोकि धनराशि 660639.00 में सम्मिलित है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री राजकुमार वर्मा श्री रामगोपाल वर्मा लेखाकार श्री राकेशपाल सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शंकर लाल ब्लाक प्रमुख श्रीकुवर अनुराग सिंह से समान रूप से ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–381 क्षेत्र पंचायत का नाम–पुवायां, जनपद– शाहजहाँपुर वर्ष 2014–15 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये

3588793.00 में से रू0 3372109.00 रू0 का भुगतान सम्बन्धित को दर्शित किया गया है, जो कि बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनावद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये, सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं किया गया, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं किया गया है, स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात् तैयार की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री राजकुमार वर्मा श्री रामगोपाल वर्मा लेखाकार श्री राकेशपाल सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शंकर लाल ब्लाक प्रमुख श्रीकुवर अनुराग सिंह से समान रूप से ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-382 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में **रू0 73132.00 टी0डी0एस0 (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रू0 7975.00की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-** वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 73132.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रू0 3588793.00 को दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रू0 81107.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 7975.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/खण्ड जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री राजकुमार वर्मा श्री रामगोपाल वर्मा लेखाकार श्री राकेशपाल से लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, डी0डी0एस0 अंकन रू0 73132.00 भी जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-383 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में कुल सामग्री कय रू0 3588793.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर टी0डी0एस0 कुल रू0 143552.00 की कटौती की गयी है। किन्तु जमा की पुष्टि में चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में काटे गये वाणिज्य कर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री राजकुमार वर्मा श्री रामगोपाल वर्मा लेखाकार श्री राकेशपाल से समान रूप से ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-384 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में **बैंक खाता संख्या 6385000100017832 (पंजाब नेशनल बैंक पुवायां)** के अनुसार निम्नानुसार तालिका में अंकित चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संलग्न अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टि भुगतानिक धनराशियों की वसूली एवं विधिक कार्यवाही जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिद्दीकी श्री राजकुमार वर्मा श्री रामगोपाल वर्मा लेखाकार श्री राकेशपाल सिंह से समान रूप से ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम संख्या	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट पाये जाने वाले का नाम
1	02.04.2014	206590	950.00	जी0एस0 इन्फो सोलूशन प्रा0लि0
2	09.04.2014	206587	30762.00	अजय पाल सिंह
3	09.04.2014	206588	1994.00	अजय पाल सिंह
4	28.04.2014	206596	5970.00	एस0बी0 इण्टर प्राइजेज, पुवायां
5	28.04.2014	206595	19164.00	एस0बी0 इण्टर प्राइजेज, पुवायां
6	29.04.2014	206594	52000.00	अनुराग सिंह
7	26.05.2014	206598	2266.00	स्वयं आनन्द गुप्ता

8	26.05.2014	206597	6000.00	राजाराम
9	02.07.2014	206599	5028.00	हिन्दुस्तान मीडिया
10	30.07.2014	206600	608054.00	हिन्द ब्रिक सप्लाई
11	05.08.2014	30810	48360.00	के0पी0 सिंह
12	05.08.2014	30802	34950.00	के0पी0 सिंह
13	05.08.2014	30804	12102.00	धर्मन्द्र अवस्थी
14	05.08.2014	30803	11700.00	धर्मन्द्र अवस्थी
15	06.08.2014	30805	3921.00	कुलदीप वर्मा
16	06.08.2014	30807	9189.00	सागर ट्रेडर्स, पुवायां
17	09.08.2014	30806	10272.00	हिन्द ब्रिक सप्लाई
18	13.08.2014	30808	30000.00	स्वयं
19	07.10.2014	30812	49875.00	सिंह एसपीयूएन
20	27.10.2014	3034	21840.00	धर्मन्द्र अवस्थी
21	28.10.2014	30826	187504.00	हिन्द ब्रिक सप्लाई
22	14.11.2014	30836	25560.00	धर्मन्द्र अवस्थी
23	19.11.2014	30811	8328.00	सुभार्ती
24	20.11.2014	30835	56252.00	हिन्द ब्रिक सप्लाई
25	22.11.2014	30837	351570.00	ओम भगवान जी ब्रिक फील्ड
26	25.11.2014	30838	107815.00	के0 जी0एन0 ब्रिक फील्ड
27	28.11.2014	30840	232974.00	वाहिदी ब्रिक फील्ड
28	04.12.2014	30845	32813.00	ओम भगवान जी ब्रिक फील्ड
29	04.12.2014	30848	5460.00	अरविन्द शर्मा
30	04.12.2014	30849	71720.00	वाहिदी ब्रिक फील्ड
31	04.12.2014	30839	175316.00	वाहिदी ब्रिक फील्ड
32	04.12.2014	30846	86720.00	वाहिदी ब्रिक फील्ड
33	04.12.2014	30845	32813.00	ओम भगवान जी ब्रिक फील्ड
34	04.12.2014	30848	5460.00	अरविन्द शर्मा
35	04.12.2014	30849	71720.00	वाहिदी ब्रिक फील्ड
36	04.12.2014	30839	175316.00	वाहिदी ब्रिक फील्ड
37	04.12.2014	30846	86720.00	वाहिदी ब्रिक फील्ड
38	06.12.2014	30851	11580.00	के0पी0 सिंह
39	06.12.2014	30842	10920.00	के0पी0 सिंह
40	09.12.2014	30853	6594.00	अरविन्द शर्मा
41	09.12.2014	30852	26280.00	अरविन्द शर्मा
42	09.12.2014	30844	29016.00	अरविन्द शर्मा
43	09.12.2014	30843	22664.00	अरविन्द शर्मा
44	09.12.2014	30854	40050.00	अरविन्द शर्मा
45	09.12.2014	0860	20606.00	के0 जी0एन0 ब्रिक फील्ड
46	09.12.2014	30859	12665.00	सागर ट्रेडर्स पुवायां
47	10.12.2014	30847	3744.00	राकेश शुक्ला
48	10.12.2014	30856	7788.00	राकेश शुक्ला
49	10.12.2014	0841	11232.00	धर्मन्द्र अवस्थी
50	10.12.2014	30855	15996.00	धर्मन्द्र अवस्थी
51	16.12.2014	30850	5000.00	राकेश शुक्ला
52	03.01.2015	30858	7527.00	सुभार्ती मीडिया लि0
53	15.01.2015	30868	30000.00	स्वयं

54	15.01.2015	30867	56000.00	अनुराग सिंह
55	23.02.2015	30871	90499.00	टी0आर0एफ0डी0डी0
56	23.02.2015	30870	174027.00	टी0आर0एफ0डी0डी0
57	23.02.2015	30879	417463.00	हिन्द ब्रिक सप्लाई
58	23.02.2015	30882	328342.00	हिन्द ब्रिक सप्लाई
59	23.02.2015	30883	178243.00	हिन्द ब्रिक सप्लाई
60	03.03.2015	30881	51168.00	धर्मन्द्र अवस्थी
61	04.03.2015	30880	46209.00	के0पी0 सिंह
62	04.03.2015	30878	41696.00	के0 पी0 सिंह
63	09.03.2015	30889	44351.00	ब्रान्च मैनेजर एस0बी0आई0
64	09.03.2015	30890	8703.00	ब्रान्च मैनेजर एस0बी0आई0
	योग		4466821.00	

आपत्तियाँ (2015-16)

प्रस्तर सं0-385 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को** वर्ष 2015-16 में निर्माण पर अंकन रु0 453679.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार शुक्ला, पदनाम-ग्रा0वि0अ0 को रु0 29724.00 व 70648.00 श्री राजाराम, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 66536.00, श्री प्रवीन कुमार शाही, ग्राम विकास अधिकारी को रु0 29724.00, 64258.00, श्री अरविन्द कुमार शर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 55059.00, कृष्ण पाल सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 80495.00 श्री धर्मन्द्र अवस्थी, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 19087.00 व 38148.00 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यबार विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूरों के पते का भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 453679- / का वर्ष 2015-16 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजकुमार वर्मा श्री रामगोपाल वर्मा लेखाकार श्री राकेशपाल सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शंकर लाल ब्लाक प्रमुख श्रीकुवर अनुराग सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-386 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 2351135.00 में से रु0 2210065.00 रु0 का भुगतान सम्बन्धित को दर्शित किया गया है, जो कि बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेषित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये, सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं किया गया, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं किया गया है, स्पष्ट है कि पत्रावलियां आहरण/भुगतान के पश्चात् तैयार की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजकुमार वर्मा श्री रामगोपाल वर्मा लेखाकार श्री राकेशपाल सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शंकर लाल ब्लाक प्रमुख श्रीकुवर अनुराग सिंह से समान रूप से ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-387 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **रु0 47023.00 टी0डी0एस0 (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रु0 6113.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-** वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 47023.00 की

टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 2351135.00 को दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से रु0 53136.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 6113.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/खण्ड जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजकुमार वर्मा श्री रामगोपाल वर्मा लेखाकार श्री राकेशपाल सिंह से लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, डी0डी0एस0 अंकन रु0 47023.00 भी जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-388 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में कुल सामग्री क्रय रु0 2351135.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर टी0डी0एस0 कुल रु0 94047.00 की कटौती की गयी है। किन्तु जमा की पुष्टि में बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में काटे गये वाणिज्य कर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजकुमार वर्मा श्री रामगोपाल वर्मा लेखाकार श्री राकेशपाल सिंह से समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-389 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में बैंक खाता संख्या 6385000100017832 (पंजाब नेशनल बैंक पुवायां) के अनुसार निम्नानुसार तालिका में अंकित बैंकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संलग्न अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टि भुगतानिक धनराशियों की ब्याज सहितवसूली एवं विधिक कार्यवाही जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजकुमार वर्मा श्री रामगोपाल वर्मा लेखाकार श्री राकेशपाल सिंह से समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम संख्या	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट पाये जाने वाले का नाम
1	15.04.2015	30895	46956.00	धर्मन्द्र अवस्थी
2	18.04.2015	30892	305835.00	एस0बी0आई0 042300
3	18.04.2015	30897	3752.00	एस0बी0आई0 042300
4	18.04.2015	30896	1876.00	एस0बी0आई0 042300
5	23.04.2015	30898	16454.00	अमर उजाला
6	24.04.2015	30899	262673.00	वाहिदी ब्रिक फील्ड
7	24.04.2015	231982	18624.00	वाहिदी ब्रिक फील्ड
8	29.04.2015	231986	45110.00	एस0बी0आई0 042300
9	29.04.2015	231984	22555.00	एस0बी0आई0 042300
10	13.05.2015	231996	27840.00	श्राजाराम
11	13.05.2015	231994	23712.00	श्राजाराम
12	3.05.2015	231987	29328.00	प्रवीन शाही
13	25.05.2015	232000	211077.00	न्यू वाहिदी ब्रिक फील्ड
14	25.05.2015	232001	409958.00	न्यू वाहिदी ब्रिक फील्ड
15	30.05.2015	232003	56368.00	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
16	30.05.2015	232002	28183.00	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
17	23.06.2015	232005	211077.00	न्यू वाहिदी ब्रिक फील्ड
18	23.06.2015	232008	323652.00	न्यू वाहिदी ब्रिक फील्ड
19	25.06.2015	232006	16261.00	श्राजाराम
20	25.06.2015	232011	42325.00	श्राजाराम
21	25.06.2015	232010	35420.00	श्राजाराम
22	25.06.2015	232007	21367.00	श्राजाराम
23	30.06.2015	232015	22754.00	एस0बी0आई0 042300
24	30.06.2015	232014	11377.00	एस0बी0आई0 042300

25	03.07.2015	232009	28980.00	अरविन्द शर्मा
26	04.07.2015	232020	35179.00	न्यू वाहिदी ब्रिक फील्ड
27	04.07.2015	232021	45493.00	आर0के0 शुक्ला
28	09.07.2015	232024	49000.00	अनुराग सिंह
29	11.07.2015	232023	8882.00	एस0बी0आई0 042300
30	24.07.2015	232022	4442.00	एस0बी0आई0 042300
31	04.08.2015	232031	9860.00	धर्मेन्द्र अवस्थी
32	04.08.2015	232029	10610.00	सागर ट्रेडर्स
33	04.08.2015	232028	34075.00	अरविन्द शर्मा
34	05.08.2015	232027	12684.00	श्राजाराम
35	05.08.2015	232026	11788.00	के0जी0एम0ब्रिक
36	08.08.215	232033	2038.00	एस0बी0आई0 मैनेजर
37	08.08.2015	232032	1020.00	एस0बी0आई0 मैनेजर
38	12.08.2015	232030	25503.00	न्यू वाहिदी ब्रिक
39	18.08.2015	232034	30000.00	आनन्द गुप्ता (कैशियर)
40	29.09.2015	232037	1950.00	पार्थ
41	30.09.2015	232036	6170.00	अमर उजाला
42	01.10.2015	232035	2040.00	जी0एस0
43	03.10.2015	232040	427423.00	तिरुपति बाला जी ब्रिक फील्ड
44	08.10.2015	232041	527088.00	वाहिदी ब्रिक फील्ड
45	15.10.2015	232043	61612.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 टाऊन हॉल
46	15.10.2015	232042	30807.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई
47	20.10.2015	232050	44059.00	के0पी0सिंह
48	20.10.2015	232049	55022.00	के0पी0सिंह
49	20.10.2015	232048	44270.00	के0पी0सिंह
50	20.10.2015	232046	23810.00	के0पी0सिंह
51	30.11.2015	232051	81732.00	एस0बी0आई0 पुवायां
52	11.01.2016	232054	4889.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई
53	11.01.2016	232055	9778.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0
54	03.03.2016	232056	120.00	स्वयं
55	28.03.2016	232058	40599.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 पुवायां
	योग		4034457.00	

आपत्तियों (2016-17)

प्रस्तर सं0-390 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को** वर्ष 2016-17 में निर्माण पर अंकन रु0 795722.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार शुक्ला, पदनाम-ग्रा0वि0अ0 को रु0 116298.00 श्री प्रवीन कुमार शाही, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 196856.00 व 93740.00, श्री राजीव शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी को रु0 41758.00 अशोक सिंह, सहायक विकास अधिकारी (पंचा0) को रु0 60942.00, 107898.00 50046.00 36380.00 व 14452.00, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी को रु0 28914.00 नरेन्द्र वीर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी को रु0 23112.00 व 25326.00 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यबार विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूरों के पते का भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है

और मजदूरी मद में अंकन कुल ₹0 795722-/- का वर्ष 2016-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीश्री राजेश कुमार झा श्रीमती कंचलमाला श्रीवास्तव लेखाकार श्री राकेशपाल सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शंकर लाल ब्लाक प्रमुख श्रीमती शोभा यादव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-391 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 3023616.00 में से ₹0 2843729.00 ₹0 का भुगतान सम्बन्धित को दर्शित किया गया है, जो कि बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक/कच्चे** बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। सामग्री के मात्र कच्चे प्रमाणक पाये गये, सामग्री आपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर के अभाव में आपूर्ति हेतु कभी मांग पत्र निर्गत ही नहीं किया गया, फर्म द्वारा आपूर्ति चालान नहीं किया गया है, स्पष्ट है कि पत्रावलियां **आहरण/भुगतान** के पश्चात् तैयार की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीश्री राजेश कुमार झा श्रीमती कंचलमाला श्रीवास्तव लेखाकार श्री राकेशपाल सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री शंकर लाल ब्लाक प्रमुख श्रीमती शोभा यादव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित

प्रस्तर सं०-392 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **₹0 5992.00 टी0डी0एस0 (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं ₹0 8372.00 की टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि-** वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन ₹0 59962.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय ₹0 3023616.00 को दर्शित है। जिस पर 2.26 की दर से ₹0 68334.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार ₹0 8372.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण **अधिकारी/खण्ड** जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीश्री राजेश कुमार झा श्रीमती कंचलमाला श्रीवास्तव लेखाकार श्री राकेशपाल सिंह से लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, डी0डी0एस0 अंकन ₹0 59962.00 भी जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-393 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में कुल सामग्री कय ₹0 3023616.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर टी0डी0एस0 कुल ₹0 120945.00 की कटौती की गयी है। किन्तु जमा की पुष्टि में चैक नं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में काटे गये वाणिज्य कर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण **अधिकारी/खण्ड** जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीश्री राजेश कुमार झा श्रीमती कंचलमाला श्रीवास्तव लेखाकार श्री राकेशपाल सिंह से समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित ।

प्रस्तर सं०-394 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में वर्ष 2016-17 में 144.03 घन मीटर मिट्टी डलवाने हेतु कुल ₹0 8425.00 का भुगतान ₹0 58.5 प्रति घन मी० दर से किया गया। जोकि निर्माण प्रभारी द्वारा प्राप्त किया गया है। जिस पर 30/- ₹0 प्रति घन मी० दर से ₹0 4321.00 की धनराशि रायल्टी के रूप में जमा की जानी थी, किन्तु रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी। क्षति की प्रतिपूर्ति जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीश्री राजेश कुमार झा श्रीमती कंचलमाला श्रीवास्तव लेखाकार श्री राकेशपाल सिंह से समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-395 क्षेत्र पंचायत का नाम-पुवायां, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **बैंक खाता संख्या 6385000100017832 (पंजाब नेशनल बैंक पुवायां)** के अनुसार निम्नानुसार तालिका में अंकित चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संलग्न अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टि भुगतानिक धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही जिसके लिए

तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीश्री राजेश कुमार झा श्रीमती कंचलमाला श्रीवास्तव लेखाकार श्री राकेशपाल सिंह से समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम संख्या	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट पाये जाने वाले का नाम
1	08.04.2016	232057	59839.00	अनुराग सिंह
2	04.07.2016	232059	23935.00	शोभा यादव
3	22.07.2016	232061	442.00	पार्थ कम्प्यूटर्स एण्ड फोटोस्टेट
4	22.07.2016	232060	977.00	पार्थ कम्प्यूटर्स एण्ड फोटोस्टेट
5	30.07.2016	232062	34664.00	एस0बी0आई0 पुवायां
6	02.08.2016	232065	300190.00	उदय इण्टरप्राइजेज
7	02.08.2016	232064	71792.00	सागर ट्रेडर्स
8	05.08.2016	232067	19224.00	एस0बी0आई0 पुवायां
9	06.08.2016	232063	79773.00	वाहिदी ब्रिक फील्ड
10	06.08.2016	232066	9611.00	मैनेजर एस0बी0आई0
11	17.08.2016	232070	4680.00	गोविन्द आर्ट्स
12	30.08.2016	232075	56102.00	एस0बी0आई0 पुवायां
13	30.08.2016	232074	28051.00	ब्रान्च मैनेजर एस0बी0आई0
14	01.09.2016	232069	5460.00	स्वतंत्र भारत यूनिट
15	16.09.2016	780861	10887.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0
16	16.09.2016	780863	1010.00	मै0 जी0एस0 इन्फो साल्यूशन
17	19.09.2016	780862	21773.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 पुवायां
18	13.10.2016	780867	38500.00	आनन्द गुप्ता
19	16.11.2016	780868	5502.00	आनन्द गुप्ता
20	11.01.2017	780870	42000.00	शोभा यादव
21	17.01.2017	780869	6413.00	स्वतंत्र भारत
22	07.02.2017	780871	73275.00	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया पुवायां
23	22.02.2017	780874	7673.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0
24	03.03.2017	780875	15347.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 पुवायां
25	09.03.2017	780883	17110.00	स्टेट बैंक पुवायां
26	14.03.2017	780882	8855.00	मैनेजर एस0बी0आई0
	योग		943085.00	

क्षेत्र पंचायत— निगोही जनपद—शाहजहाँपुर, वर्ष 2011—12 से 2013—14 तक

आपत्ति 2011—12

प्रस्तर सं0—396 क्षेत्र पंचायत का नाम— निगोही, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2011—12 में द्वारा वर्ष 2011—12 के निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी, जबकि अनुदान पंजिका के अनुसार आलोच्य वर्ष में तेरहवां वित्त आयोग/तृतीय वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 (1975457 + 75419 =) 2050876.00 प्राव0 अवशेष तथा रु0 (1073000 + 1718359 =) 2791359.00 वर्ष में प्राप्त हुई धनराशियां हैं। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में कुल रु0 4842235.00 अनुदान उपलब्ध रहा, जिसमें से रु0 2968357.00 का व्यय अनुदान पंजिका के अनुसार किया गया, किन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। इससे प्रतीत होता है कि रु0 2968357.00 का वर्ष 2011—12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धनराशि रु0 2968357.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीश्रीगिरीश कुमार मिश्रा लेखाकार श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी श्री अरविन्द कुमार सक्सेना अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री राकेश कुमार कौशिक ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुमारी से समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-397 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **बैंक खाता संख्या 09100100017551 (बैंक ऑफ बड़ौदा, निगोही)** के अनुसार निम्नानुसार तालिका में अंकित चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संलग्न अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टि भुगतानिक धनराशियों की ब्याज सहितवसूली एवं विधिक कार्यवाही तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीश्रीगिरीश कुमार मिश्रा लेखाकार श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी श्री अरविन्द कुमार से समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

लेखाकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी से भी की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम सं०	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट पाये जाने वाले का नाम
1	01.09.2011	508401	40000.00	श्री शिव सिंह
2	25.11.2011	508402	54870.00	श्री वी०के० शर्मा
3	25.11.2011	508403	147199.00	मै० किसान ब्रिक फील्ड निगोही
4	21.12.2011	508404	197291.00	बबा आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर, निगोही
5	21.12.2011	508405	38724.00	शान ब्रिक फील्ड, निगोही
6	22.12.2011	508406	118290.00	श्री वी०के० शर्मा
7	10.01.2012	508409	20420.00	श्री वी०के० शर्मा
8	12.01.2012	508411	4560.00	श्री ए०के० सक्सेना
9	12.01.2012	508410	2836.00	श्री ए०के० सक्सेना
10	12.01.2012	508407	11594.00	किसान ब्रिक फील्ड, निगोही
11	12.01.2012	508408	9868.00	बाबा आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
12	13.01.2012	508412	232656.00	डब्लू फ्लैक ब्लू ;ब्लू/छद्म
13	31.01.2012	508412	232656.00	स्टार इले०
14	22.03.012	508414	43525.00	स्वयं
15	22.03.2012	508413	12172.00	स्वयं
	योग		1166661.00	

आपत्तियाँ (2012-13)

प्रस्तर सं०-398 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में **मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को** वर्ष 2012-13 में निर्माण पर अंकन रु० 383050.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री वी०के० शर्मा, पदनाम-ग्राम पंचायत अधिकारी को रु० 37500.00 व 94375.00, श्री टी०आर०राठौर, सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०वी०) को रु० 253175.00 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यभार विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूरों के पते का भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 383050-/- का वर्ष 2012-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीश्रीगिरीश कुमार मिश्रा लेखाकार श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी श्री अरविन्द कुमार सक्सेना अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री राकेश कुमार कौशिक ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुमारी से समान रूप से ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-399 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 2805658.00 में से रु० 4746319.00 रु० का भुगतान सम्बन्धित को दर्शित किया गया है, उनमें से 718250.00 रु० बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में

संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनावद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रु02805658.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार मिश्रा लेखाकार श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी श्री अरविन्द कुमार सक्सेना अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री राकेश कुमार कौशिक ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुमारी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-400 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में **रु0 59345.00 टी0डी0एस0 (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रु 4063.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि:** वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 5945.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु0 2805658.00 को दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रु0 63408.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 4063.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/खण्ड तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार मिश्रा लेखाकार श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी श्री अरविन्द कुमार सक्सेना से समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है। से लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी0डी0एस0 अंकन रु0 59345.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-401 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में कुल सामग्री कय रु0 2805658.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर टी0डी0एस0 कुल रु0 112227.00 की कटौती की जानी चाहिए थी, जबकि वर्ष में शून्य रुपये की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 112227.00 की कटौती नहीं की गयी है, जिससे रु0 112227.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी, जिसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन 112227.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार मिश्रा लेखाकार श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी श्री अरविन्द कुमार सक्सेना से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-402 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में ट्रैक्टर ट्राली के द्वारा रु0 300 प्रति ट्राली की दर से 47 ट्राली मिट्टी रु0 14100.00 की डलवायी गयी, जिसका भुगतान कार्य प्रभारी श्री टी0आर राठौर, सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0वी0) को किया गया है। उक्त भुगतान अनियमित है, जिस पर रॉयल्टी काटी जानी चाहिए थी। अतः उक्त धनराशि रु0 14100.00 की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार मिश्रा लेखाकार श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी श्री अरविन्द कुमार सक्सेना से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-403 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में **बैंक खाता संख्या 09100100017551 (बैंक ऑफ बड़ौदा, निगोही)** के अनुसार निम्नानुसार तालिका में अंकित चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों का भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संलग्न अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टि भुगतानिक धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार मिश्रा लेखाकार श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी श्री अरविन्द कुमार सक्सेना से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट पाये जाने वाले का नाम
1	26.05.2012	508416	13400.00	मो0 सलीम खान
2	17.09.2012	49335	49355.00	सरोज कुमारी गौतम
3	24.11.2012	508418	9000.00	सरोज कुमारी
4	29.12.2012	508419	13200.00	स्वयं

5	31.01.2013	508424	15850.00	वी.के० शर्मा
6	26.02.2013	508427	12701.00	स्वयं
7	21.03.2013	508428	12000.00	श्रीमती सरोज कुमारी
8	25.03.2013	508432	3981.00	स्वयं
	योग		129487.00	

आपत्तियाँ (2013-14)

प्रस्तर सं०-404 क्षेत्र पंचायत का नाम— निगोही, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में **मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को** वर्ष 2013-14 में निर्माण पर अंकन रु० 98911.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री वी०के० शर्मा, पदनाम—प्रभारी, सहायक विकासअधिकारी (सा०) को रु० 98911.00 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यवार विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूरों के पते का भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 98911- / का वर्ष 2013-14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार मिश्रा लेखाकार श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी श्री अरविन्द कुमार सक्सेना अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री राकेश कुमार कौशिक ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुमारी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-405 क्षेत्र पंचायत का नाम— निगोही, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 600795.00 में से रु० 578408.00 रु० का भुगतान सम्बन्धित को दर्शित किया गया है, जो कि बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक/कच्चे** बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रु० 600795.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार मिश्रा लेखाकार श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी श्री अरविन्द कुमार सक्सेना अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री राकेश कुमार कौशिक ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुमारी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-406 क्षेत्र पंचायत का नाम— निगोही, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में **रु० 12477.00 टी०डी०एस० (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रु० 1101.00 टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि:** वर्ष 2013-14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 12477.00 की टी०डी०एस० कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 600795.00 को दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रु० 13578.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 1101.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण **अधिकारी/खण्ड** तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार मिश्रा लेखाकार श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी श्री अरविन्द कुमार सक्सेना से समान रूप से लेखाशीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी०डी०एस० अंकन रु० 12477.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-407 क्षेत्र पंचायत का नाम— निगोही, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में कुल सामग्री क्रय रु० 600795.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर टी०डी०एस० कुल रु० 24032.00 की कटौती की जानी चाहिए थी, जबकि वर्ष में 10010.00 रुपये की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु० 14022.00 की कम कटौती की गयी है, जिससे रु० 14022.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी, जिसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन 14022.00 की प्रतिपूर्ति

ब्याज के साथ तात्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार मिश्रा लेखाकार श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी श्री अरविन्द कुमार सक्सेना से समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 (वैट) अंकन रु0 10010.00 की जमा की पुष्टि में चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण उपरोक्तानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-408 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में **बैंक खाता संख्या 09100100017551 (बैंक ऑफ बड़ौदा, निगोही)** के अनुसार निम्नानुसार तालिका में अंकित चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संलग्न अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टि भुगतानिक धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार मिश्रा लेखाकार श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी श्री अरविन्द कुमार से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम सं0	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट पाये जाने वाले का नाम
1	22.04.2013	508433	83632.00	स्वयं
2	03.08.2013	508434	13400.00	स्वयं
3	07.01.2014	508435	27000.00	पुवायां ट्रांसफर
4	13.02.2014	508442	12377.00	वी0एम0 शाहजहाँपुर
5	13.02.2014	50843	81759.00	वी0एम0 शाहजहाँपुर
6	21.03.2014	508441	2480.00	एमआईसीआर आईएनडब्ल्यूडी सीएनजी ओटीएच बैंक,
	योग		220648.00	

क्षेत्र पंचायत- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर, वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक

आपत्तियाँ (2014-15)

प्रस्तर सं0-409 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में **मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को** वर्ष 2014-15 में निर्माण पर अंकन रु0 1478529.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री वी0के0 शर्मा, पदनाम-ग्रा0वि0अ0(सां0) को रु0(306090+127242+45084+49392+119904+20820+76782+32772+53220

+86676+109425+88125+37713+47190=) 1200435/- श्री रामेन्द्र पाल, स0वि0अ0 (पं0) को रु0 (20736+23106+59928+22080+61380=) 187230/- , श्री अशोक कुमार सिंह, स0वि0अ0 (पं0) को रु0 (12537+55248+23079=) 90864 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यबार विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूरों के पते का भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1478529-/- का वर्ष 2014-15 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, अपहरित धनराशि रु0 1478529.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिददीकी श्री मुनीम लाल लेखाकार श्री अनुप कुमार शुक्ला अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री प्रमोद कुमार वर्मा श्री सुबोध कुमार वर्मा ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुमारी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-410 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में **श्रमांश/मजदूरी मद में चैक सं0-33 दिनांक 22.08.2014 के द्वारा श्री रामेन्द्र पाल को रु0 61380.00 का भुगतान किया गया, किन्तु बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु0 67580.00 का भुगतान प्राप्त किया गया है।** इस प्रकार श्री रामेन्द्र पाल द्वारा (67580- 61380) रु0 6200/- का अधिक भुगतान प्राप्त किया गया। अतः श्री रामेन्द्र पाल,

स0वि0अधिकारी से व ब्याज सहितसूली की जानी अपेक्षित है तथा लेखाकार का उत्तरदायित्व नर्धारित कर विधिक प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-411 क्षेत्र पंचायत का नाम— निगोही, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 मेंमात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण: कुल दर्शित भुगतान रुपये 10377704.00 में से रू0 9753255.00 रू0 का भुगतान सम्बन्धित को दर्शित किया गया है, जो कि बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनावद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रू010377704.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिददीकी श्री मुनीम लाल लेखाकार श्री अनुप कुमार शुक्ला अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री प्रमोद कुमार वर्मा श्री सुबोध कुमार वर्मा ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुमारी से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-412 क्षेत्र पंचायत का नाम— निगोही, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 मेंरू0 209443.00 टी0डी0एस0 (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रू 25094.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि: वर्ष 2014-15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 209443.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रू0 10377704.00 को दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रू0 234537.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 25094.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/खण्ड तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिददीकी श्री मुनीम लाल लेखाकार श्री अनुप कुमार शुक्ला से समान रूप से लेखाशीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी0डी0एस0 अंकन रू0 209443.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-413 क्षेत्र पंचायत का नाम— निगोही, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में कुल सामग्री कय रू0 10377704.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर टी0डी0एस0 कुल रू0 415109.00 की कटौती की जानी चाहिए थी, जबकि वर्ष में 415007.00 रुपये की कटौती की गयी है। इस प्रकार रू0 102.00 की कम कटौती की गयी है, जिससे रू0 102.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी, जिसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन 102.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिददीकी श्री मुनीम लाल लेखाकार श्री अनुप कुमार शुक्ला से समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-414 क्षेत्र पंचायत का नाम— निगोही, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में बैंक खाता संख्या 09100100017551 (बैंक ऑफ बड़ौदा, निगोही) के अनुसार निम्नानुसार तालिका में अंकित चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संलग्न अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टि भुगतानिक धनराशियों की ब्याज सहितवसूली एवं विधिक कार्यवाही तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिददीकी श्री मुनीम लाल लेखाकार श्री अनुप कुमार शुक्ला से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम सं0	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट पाये जाने वाले का नाम
1	06.06.2014	508446	3350000	स्वयं
2	21.06.2014	508447	10010.00	एस0बी0आई0, शाहजहाँपुर
3	30.06.2014	508450	15949.00	एम0आई0सी0आर0, शाहजहाँपुर
4	08.07.2014	1	49000.00	ट्रांसफर पुवायां

5	18.07.2014	8	41974.00	ब्रान्च मैनेजर, बी0ओ0बी0
6	18.07.2014	9	8502.00	डी0डी0
7	18.07.2014	10	344845.00	डी0डी0
8	30.07.2014	16	104106.00	राजू आयरन एण्ड सीमेंट स्टोर, निगोही
9	31.07.2014	25	24842.00	बी0ओ0बी0
10	31.07.2014	26	48234.00	बी0ओ0बी0
11	26.08.2014	44	12761.00	बी0ओ0बी0, निगोही
12	26.08.2014	45	24986.00	बी0ओ0बी0, निगोही
13	27.08.2014	31	32138.00	किसान ब्रिक
14	19.09.2014	53	3196.00	राजू आयरन एण्ड सीमेंट स्टोर
15	24.09.2014	63	19684.00	डी0डी0
16	24.09.2014	चैक सं0 अंकित नहीं	39369.00	वाई0 ट्रांसफर
17	01.10.2014	78	88793.00	बाबा आयरन एण्ड सीमेंट स्टोर
18	07.10.2014	82	31475.00	बैंक ऑफ बड़ौदा
19	07.10.2014	83	62951.00	बैंक ऑफ बड़ौदा टू डी0डी0
20	10.10.2014	84	13560.00	एम0आई0सी0आर0, शाहजहाँपुर
21	15.10.2014	107	13560.00	डी0डी0
22	15.10.2014	105	29118.00	डी0डी0
23	15.10.2014	106	58236.00	डी0डी0
24	15.10.2014	चैक सं0 अंकित नहीं	25089.00	टू ट्रांसफर
25	16.10.2014	85	21000.00	सरोज कुमारी
26	16.10.2014	29	9588.00	सी0एल0, शाहजहाँपुर
27	16.10.2014	14	3548.00	एस0टी0एल0, शाहजहाँपुर
28	22.10.2014	113	48880.00	टी/एफ0टू 02/6475
29	22.10.2014	114	152760.00	टू ट्रांसफर
30	22.10.2014	111	77583.00	टी/एफ0टू 02/33
31	22.10.2014	110	21902.00	टी/एफ0टू 02/33
32	27.10.2014	115	9936.00	टू डी0डी0
33	27.10.2014	116	19872.00	टू डी0डी0
34	21.11.2014	150	3196.00	राजू आयरन एण्ड सीमेंट स्टोर, निगोही
35	21.11.2014	121	22460.00	बाबा आयरन एण्ड सीमेंट स्टोर, निगोही
36	21.11.2014	129	10843.00	बाबा आयरन एण्ड सीमेंट स्टोर, निगोही
37	21.11.2014	140	22066.00	टी/आर0टू 02/6475
38	24.11.2014	137	71947.00	बाबा आयरन एण्ड सीमेंट स्टोर, निगोही
39	25.11.2014	153	2660.00	बैंक ऑफ बड़ौदा
40	25.11.2014	151	22036.00	बैंक ऑफ बड़ौदा
41	25.11.2014	152	44068.00	बैंक ऑफ बड़ौदा
42	25.11.2014	—	28877.00	कॉन्सिलेशन ऑफ डी0डी
43	25.11.2014	153	2660.00	अंकन नहीं
44	18.02.2015	165	3082.00	बी0ओ0बी0
45	18.02.2015	166	20592.00	बी0ओ0बी0
46	18.02.2015	167	10297.00	बी0ओ0बी0

47	18.02.2015	169	1780.00	बी0ओ0बी0
48	18.02.2015	168	13635.00	बी0ओ0बी0
49	21.03.2015	170	33500.00	स्वयं
	योग		2274536.00	

आपत्तियाँ (2015-16)

प्रस्तर सं0-415 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को** वर्ष 2015-16 में निर्माण पर अंकन रु0 1083890.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री वी0के0 शर्मा, पदनाम-प्रभारी, सहायक विकासअधिकारी(सा0)(68350+113425+68889+95974+189720+44828+63386+76765+68040+16904=) 806281/- श्री रामेन्द्र पाल, पदनाम स0वि0अ0 (पं0) को रु0 (31145+94400+12572+21880=) 159997/-, रु0 तथा श्री अशोक कुमार सिंह, पदनाम स0वि0अ0 (पं0) को रु0 (32176+30515+27881+27040=) 117612/- का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यवार विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूरों के पते का भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1083890-/- का वर्ष 2015-16 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिददीकी श्री मुनीम लाल लेखाकार श्री अनुप कुमार शुक्ला अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री प्रमोद कुमार वर्मा श्री सुबोध कुमार वर्मा ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुमारी से समान रूप से ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-416 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 6238526.00 में से रु0 5874273.00 रु0 का भुगतान सम्बन्धित को दर्शित किया गया है, जो कि बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक/कच्चे** बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रु06238526.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती नजमा सिददीकी श्री मुनीम लाल लेखाकार श्री अनुप कुमार शुक्ला अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री प्रमोद कुमार वर्मा श्री सुबोध कुमार वर्मा ब्लाक प्रमुख श्रीमती सरोज कुमारी से समान रूप से ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-417 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **रु0 121929.00 टी0डी0एस0 (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रु 19062.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि:** वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 121929.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु0 6238526.00 को दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रु0 140991.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 25094.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण **अधिकारी/खण्ड** तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनीम लाल श्री राजकुमार वर्मा श्री उग्रसेन यादव लेखाकार श्री अरविन्द कुमार सक्सेना से समान रूप से लेखाशीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी0डी0एस0 अंकन रु0 209443.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-418 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में कुल सामग्री कय

रु0 6238526.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर टी0डी0एस0 कुल रु0 24954100 की कटौती की जानी चाहिए थी, जबकि वर्ष में 242324.00 रुपये की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 7217.00 की कम कटौती की गयी है, जिससे रु0 7217.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी, जिसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन 7217.00 की प्रतिपूर्ति दण्डनीय ब्याज के साथ तात्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनीम लाल श्री राजकुमार वर्मा श्री उग्रसेन यादव लेखाकार श्री अरविन्द कुमार सक्सेना से समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है। साथ ही काटे गये टी0डी0एस0 (वैट) अंकन रु0 242324.00 की जमा की पुष्टि में बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण उपरोक्तानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-419 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार सिंह, स0वि0अधि0 (पं0) द्वारा घन मी0 मिट्टी रु0 50/- प्रति घन मीटर की दर से डलवाने का कुल भुगतान रु0 5336/- प्राप्त किया गया, जिस पर नियमानुसार 30/- रु0 प्रति घन मी0 की दर से रु0 2760/- रायल्टी काटी जानी चाहिए थी, किन्तु रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। अतः राजस्व के क्षति की प्रतिपूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनीम लाल श्री राजकुमार वर्मा श्री उग्रसेन यादव लेखाकार श्री अरविन्द कुमार सक्सेना से समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-420 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में कार्यप्रभारी श्री बी0के0 शर्मा, प्र0स0वि0अ0 (सां0) द्वारा रु0 300/- प्रति ट्राली की दर से 25 ट्राली मिट्टी डलवायी गयी, जिसकी कुल लागत रु0 7500/- हुई तथा इसका भुगतान कार्यप्रभारी को बैंक सं0 285 दिनांक 05.11.2015 के द्वारा रु0 7192/- का भुगतान किया गया। उक्त कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि मिट्टी घन मीटर में डलवाने के वजाए ट्राली के हिसाब से डलवायी गयी, जो रायल्टी से बचने के लिए किया गया प्रतीत होता है तथा कार्यप्रभारी को लागत मूल्य 7500/- के सापेक्ष 7192/- का भुगतान किया गया, जोकि लागत मूल्य से 308/- रु0 कम है। इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य किया ही नहीं गया और भुगतान प्राप्त कर लिया गया। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनीम लाल श्री राजकुमार वर्मा श्री उग्रसेन यादव लेखाकार श्री अरविन्द कुमार सक्सेना अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री प्रमोद कुमार वर्मा श्री सुबोध कुमार जायसवाल ब्लॉक प्रमुख श्रीमनोज कुमार वर्मा से समान रूप से ब्याज सहितवसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-421 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में बैंक खाता संख्या 09100100017551 (बैंक ऑफ बड़ौदा, निगोही) के अनुसार निम्नानुसार तालिका में अंकित बैंकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संलग्न अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टि भुगतानिक धनराशियों की ब्याज सहितवसूली एवं विधिक कार्यवाही तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनीम लाल श्री राजकुमार वर्मा श्री उग्रसेन यादव लेखाकार श्री अरविन्द कुमार सक्सेना से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम सं0	दिनांक	बैंक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट पाये जाने वाले का नाम
1	24.04.2015	171	42000.00	सरोज कुमारी
2	06.05.2015	173	1600.00	हरि किशोर अग्निहोत्री
3	06.05.2015	172	700.00	बी0ओ0बी0
4	10.06.2015	178	6993.00	एम0आई0सी0आर0, शाहजहाँपुर
5	01.07.2015	183	51287.00	बाबा आयरन
6	11.07.015	187	141000.00	जनता ब्रिक फील्ड
7	17.07.2015	199	188000.00	एम0आई0सी0आर0, शाहजहाँपुर
8	30.07.2015	191	10238.00	एस0ई0आर0, बरेली
9	03.08.2015	233	75975.00	बी0ओ0बी0 निगोही/डी0डी
10	03.08.2015	228	151952.00	बी0ओ0बी0 निगोही/डी0डी
11	03.08.2015	230	28200.00	टू ट्रांसफर

12	04.08.2015	192	9856.00	एम0सी0आई05, मीडिया काम्युनिकेट
13	27.08.2015	242	78020.00	किसान ब्रिक फील्ड
14	10.09.2015	249	30035.00	बी0ओ0बी0 निगोही फॉर डी0डी
15	10.09.2015	250	15018.00	बी0ओ0बी0 फॉर डी0डी0
16	10.09.2015	251	110186.00	बी0ओ0बी0 फॉर डी0डी0
17	15.09.2015	248	35000.00	सरोज कुमारी
18	28.09.2015	269	60010.00	टू ट्रांसफर
19	28.09.2015	268	3005.00	टू ट्रांसफर
20	29.09.2015	252	19537.00	—
21	30.09.2015	257	74606.00	बाबा आयरन एण्ड सीमेंट स्टोर
22	03.10.2015	261	4000.00	रजा आयरन एण्ड सीमेंट स्टोर
23	13.10.2015	274	23400.00	किसान ब्रिक फील्ड
24	13.10.2015	275	14700.00	बाबा आयरन एण्ड सीमेंट स्टोर
25	15.10.2015	255	7885.00	एम0आई0सी0आर0, शाहजहाँपुर
26	30.10.2015	280	7312.00	बी0ओ0बी0 फॉर डी0डी0
27	30.10.2015	281	3656.00	बी0ओ0बी0 फॉर डी0डी0
28	30.10.2015	282	905.00	बी0ओ0बी0 फॉर डी0डी0
29	24.11.2015	286	5491.00	बी0ओ0बी0 फॉर डी0डी0
30	24.11.2015	287	2745.00	बी0ओ0बी0 फॉर डी0डी0
31	21.12.2015	289	22000.00	किसान ब्रिक फील्ड
32	29.12.2015	88	21000.00	सरोज कुमारी
33	22.01.2016	293	93000.00	बी0ओ0बी0 निगोही
34	22.01.2016	294	2700.00	बी0ओ0बी0 निगोही
35	22.01.2016	295	1350.00	बी0ओ0बी0 निगोही
36	22.01.2016	292	425.00	जी0एस0 इन्फो सॉल्यूशन
37	15.03.2016	296	21000.00	सरोज कुमारी
	योग		1364787.00	

आपत्तियाँ (2016-17)

प्रस्तर सं0-422 क्षेत्र पंचायत का नाम— निगोही, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को** वर्ष 2016-17 में निर्माण पर अंकन रु0 198330.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री वी0के0 शर्मा, पदनाम—प्रभारी, सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0) को (31398+95784+71148=)1983301/—रु0 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यबार विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूरों के पते का भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 198330—/ का वर्ष 2016-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री उग्रसेन यादव लेखाकार श्री अरविन्द कुमार सक्सेना अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री प्रमोद कुमार वर्मा श्री सुबोध कुमार जायसवाल ब्लाक प्रमुख श्रीमनोज कुमार वर्मा से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-423 क्षेत्र पंचायत का नाम— निगोही, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 869863.00 में से रु0 817671.00 रु0 का भुगतान सम्बन्धित को दर्शित किया गया है, जो कि बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व

धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। अपहरित धनराशि रु869863.00 तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनीम लाल श्री राजकुमार वर्मा श्री उग्रसेन यादव लेखाकार श्री अरविन्द कुमार सक्सेना अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री प्रमोद कुमार वर्मा श्री सुबोध कुमार जायसवाल ब्लाक प्रमुख श्रीमनोज कुमार वर्मा से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-424 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **रु० 17398.00 टी०डी०एस० (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रु 2261.00 टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि:** वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 17398.00 की टी०डी०एस० कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रु० 869863.00 को दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रु० 19659.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 25094.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/खण्ड तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री उग्रसेन यादव लेखाकार श्री अरविन्द कुमार सक्सेना से समान रूप से लेखाशीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी०डी०एस० अंकन रु० 17398.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-425 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में कुल सामग्री कय रु० 869863.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर टी०डी०एस० कुल रु० 34795.00 की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि रु० 34794.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु० 1.00 की कम काटौती की है। साथ ही काटे गये टी०डी०एस० (वैट) अंकन रु० 17398.00 की जमा की पुष्टि में बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण उपरोक्तानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री उग्रसेन यादव लेखाकार श्री अरविन्द कुमार सक्सेना से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-426 क्षेत्र पंचायत का नाम- निगोही, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **बैंक खाता संख्या 09100100017551 (बैंक ऑफ बड़ौदा, निगोही)** के अनुसार निम्नानुसार तालिका में अंकित चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संलग्न अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टि भुगतानिक धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनीम लाल श्री राजकुमार वर्मा श्री उग्रसेन यादव लेखाकार श्री अरविन्द कुमार सक्सेना से समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम सं०	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट पाये जाने वाले का नाम
1	03.10.2016	297	291262.00	02/6600
2	03.10.2016	298	55630.00	श्री रामचन्द्र लाल
3	15.10.2016	302	363315.00	मै० आदित्य इण्टरप्राइजेज
4	15.10.2016	301	48438.00	मै० आदित्य इण्टरप्राइजेज
5	15.10.2016	303	897159.00	मै० आदित्य इण्टरप्राइजेज
6	15.10.2016	299	9084.00	जागरण प्रकाशन लि०
7	28.10.2016	304	68092.00	डी०डी०एस०बी०आई०
8	28.10.2016	305	34047.00	डी०डी०
9	28.10.2016	306	500.00	डी०डी०
10	10.11.2016	309	246028.00	मै० आदित्य इण्टरप्राइजेज
11	10.11.2016	307	103003.00	मै० आदित्य इण्टरप्राइजेज
12	30.11.2016	312	7427.00	बी०ओ०बी० निगोही
13	30.11.2016	11	14852.00	बी०ओ०बी० निगोही

14	20.12.2016	313	3971.00	कैनविच कम्युनिकेशन प्रा0लि0
15	29.12.2016	308	112864.00	बी0के0 शर्मा
16	30.12.2016	318	15529.00	डी0डी0
17	30.12.2016	319	31058.00	डी0डी0
18	31.12.2016	315	105750.00	मै0 आदित्य इण्टरप्राइजेज
19	31.12.2016	314	99640.00	किसान ब्रिक फील्ड
20	12.01.2017	322	5129.00	शारदा प्रबन्धक
21	12.01.2017	320	21000.00	मनोज कुमार
22	12.01.2017	321	1000.00	मनोज कुमार
23	16.01.2017	323	504.00	जी0एस0इन्फो सॉल्यूशन
24	10.02.2017	325	22000.00	नकद
25	10.02.2017	324	45835.00	किसान ब्रिक फील्ड
26	10.02.2017	327	112500.00	मै0आदित्य इण्टरप्राइजेज
27	02.03.2017	328	20000.00	शिवलाल
28	04.03.2017	345	8588.00	डी0डी0
29	04.03.2017	346	17174.00	डी0डी0
30	07.03.2017	329	16792.00	शिवलाल
31	15.03.2017	342	50000.00	बी0के0 शर्मा
32	15.03.2017	341	50000.00	बी0के0 शर्मा
33	15.03.2017	343	50000.00	बी0के0 शर्मा
34	15.03.2017	340	50000.00	बी0के0 शर्मा
35	15.03.2017	344	45988.00	बी0के0 शर्मा
36	15.03.2017	326	20768.00	रवि लाल
37	16.03.2017	349	106459.00	मै0 आदित्य इण्टरप्राइजेज
38	16.03.2017	348	35040.00	बी0के0 शर्मा
39	17.03.2017	350	5460.00	कैनविच कम्युनिकेशन
40	23.03.2017	353	32616.00	बी0के0 शर्मा
41	23.03.2017	352	69085.00	मै0 आदित्य इण्टरप्राइजेज
42	30.03.2017	354	3735.00	फॉर डी0डी0
43	30.03.2017	355	7470.00	फॉर डी0डी0
	योग		3324792.00	

क्षेत्र पंचायत- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर, वर्ष 2011-12 से 2013-14

आपत्तियाँ (2011-12)

प्रस्तर सं0-427 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को** वर्ष 2011-12 में निर्माण पर अंकन रु0 35790.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री महेश पाल सिंह, पदनाम-ग्रा0वि0अ0 को रु0 35790.00 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यबार विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूरों के पते का भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 35790- / का वर्ष 2011-12 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार यादव श्री एम आर तम राम श्री एस0 पी0 कन्नौजिया लेखाकार श्री बालक राम अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीपुरुशोत्तम सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित

प्रस्तर सं0-428 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये

188222.00 में से रु0 184746.00 रु0 का भुगतान सम्बन्धित को दर्शित किया गया है, जो कि बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनावद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु0188222.00 जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार यादव श्री एम आर तम राम श्री एस0 पी0 कन्नौजिया लेखाकार श्री बालक राम अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीपुरुशोत्तम सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-429 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **रु0 3476.00 टी0डी0एस0 (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रु 778.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि:** वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 3476.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 188222.00 को दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रु0 4254.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 778.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/खण्ड जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार यादव श्री एम आर तम राम श्री एस0 पी0 कन्नौजिया लेखाकार श्री बालक राम से समान रूप से लेखाशीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी0डी0एस0 अंकन रु0 3476.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-430 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में कुल सामग्री क्रय रु0 188222.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर टी0डी0एस0 कुल रु0 7529.00 की कटौती की जानी चाहिए थी, जबकि वर्ष में रुपये शून्य रुपये की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 7529.00 की कटौती नहीं की गयी है, जिससे रु0 7529.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी, जिसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन 7529.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार यादव श्री एम आर तम राम श्री एस0 पी0 कन्नौजिया लेखाकार श्री बालक राम से समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-431 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में कार्यप्रभारी श्री महेश पाल सिंह (ग्रा0वि0अधि0) द्वारा 436.51 (233.34 + 203.17) घन मी0 मिट्टी रु0 45 प्रति घन मीटर की दर से डलवाने का कुल भुगतान रु0 19500/- प्राप्त किया गया। जिस पर नियमानुसार 30/- रु0 प्रति घन मीटर की दर से 13095.3 की रायल्टी काटी जानी चाहिए थी, किन्तु रायल्टी नहीं काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। क्षति की प्रतिपूर्ति जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार यादव श्री एम आर तम राम श्री एस0 पी0 कन्नौजिया लेखाकार श्री बालक राम से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-432 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2011-12 में **बैंक खाता संख्या 11790100006592 (बैंक ऑफ बड़ौदा, मिर्जापुर)** के अनुसार निम्नानुसार तालिका में अंकित चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संलग्न अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टि भुगतानिक धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार यादव श्री एम आर तम राम श्री एस0 पी0 कन्नौजिया लेखाकार श्री बालक राम से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम संख्या	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट पाये जाने वाले का नाम

1	23.05.2011	500504	227131	टू ट्रांसफर
2	30.07.2011	504882	39500	महेश पाल सिंह
3	08.08.2011	504881	158026	अजीत ब्रिक फील्ड
4	08.08.2011	500510	114325	ट्रांसफर
5	20.10.2011	504884	54132	अजीत ब्रिक फील्ड
6	20.10.2011	504885	43000	महेश पाल सिंह
7	20.10.2011	504886	21800	वी०पी०शुक्ला
8	14.12.2011	504888	31711	अजीत ब्रिक फील्ड
9	28.12.2011	504890	279002	ट्रैक्टर
10	28.12.2011	504889	298933	ट्रैक्टर
11	29.12.2011	506963	18400	महेश पाल सिंह
12	29.12.2011	504887	31981	टू वित्त बससमबजपवद
13	30.12.2011	503962	7655	टू वित्त बससमबजपवद
14	02.01.2012	503961	76831	अजीत ब्रिक फील्ड
15	02.01.2012	503967	14755	महेश पाल सिंह
16	09.01.2012	503966	49453	अजीत ब्रिक फील्ड
17	01.03.2012	504883	86012	टू वित्त बससमबजपवद
	योग		1552647	

आपत्तियाँ (2012-13)

प्रस्तर सं०-433 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में **मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को** वर्ष 2012-13 में निर्माण पर अंकन रु० 367280.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री श्री दीपक सक्सेना, पदनाम—ग्रा०वि०अ० को रु० 185180.00 तथा श्री महेश पाल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी को रु० 182100.00 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यबार विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूरों के पते का भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 367280.-/ का वर्ष 2012-13 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एस० पी० कन्नौजिया श्री आर०पी० मिश्रा लेखाकार श्री बालक राम श्री ओंकार सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीपुरुशोत्तम सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित

प्रस्तर सं०-434 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में—

क. ग्राम नई बस्ती हरिहरपुर (जरियनपुर) में मिट्टी खड़जा निर्माण कार्य में मजदूरी के कार्य में मस्टर रोल सं० 420421 एवं 423 का प्रयोग किया गया, किन्तु मस्टर रोल पर कार्य अवधि/दिनांक का अंकन नहीं किया गया है। जबकि कार्यप्रभारी श्री महेश पाल सिंह, ग्रा०वि०अ० द्वारा चैक संख्या— 203862/27.04.2012 एवं 203866/05.05.2012 के द्वारा क्रमशः रु० 43560.00 तथा 35100.00 का भुगतान प्राप्त किया गया है। इससे स्पष्ट है कि कार्य कराये बिना ही काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर भुगतान प्राप्त किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एस० पी० कन्नौजिया श्री आर०पी० मिश्रा लेखाकार श्री बालक राम श्री ओंकार सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीपुरुशोत्तम सिंह से समान रूप से रु०.43560+35100 कुल रु०.78660.00 की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ख. ग्राम हरिहरपुर में श्री रामसेवक के मकान से प्राथमिक विद्यालय तक मिट्टी खड़जा निर्माण कार्य में मजदूरी के कार्य में मस्टर रोल सं० 422 एवं 424 का प्रयोग किया गया है, किन्तु मस्टर रोल पर कार्य अवधि/दिनांक का अंकन नहीं किया गया है। जबकि कार्यप्रभारी श्री महेश पाल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा चैक संख्या 50397/25.04.2012, 240125/05.05.2012 के द्वारा क्रमशः 30000.00 व

30960.00 का भुगतान प्राप्त किया गया है। इससे स्पष्ट है कि बिना कार्य कराये ही काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर भुगतान प्राप्त किया गया है। कार्यप्रभारी, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0 पी0 कन्नौजिया श्री आर0पी0 मिश्रा लेखाकार श्री बालक राम श्री ओंकार सिंह से समान रूप से रू0.30000+30960कुल रू0.60960.00की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

ग. ग्राम डंडिया में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराने में मिक्सिंग मशीन का प्रयोग करना दिखाया गया है। मिक्सिंग मशीन के किराये का भुगतान कार्यप्रभारी श्री दीपक सक्सेना, ग्रा0वि0अधि0 द्वारा रू0 4800.00 प्राप्त किया गया है। इस सम्बन्ध में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। इससे स्पष्ट होता है कि बिना कार्य के ही भुगतान प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार ग्राम फरिया में बदायूँ-फर्रुखाबाद मार्ग से आशाराम के मकान तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य में मिक्सिंग मशीन का किराया रू0 5600.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री दीपक सक्सेना द्वारा प्राप्त किया गया है। इस सम्बन्ध में भी कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। इससे स्पष्ट है कि बिना कार्य के ही भुगतान प्राप्त किया गया है।

उपरोक्त उल्लिखित दोनों ही कार्यों की कार्यप्रभारी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0 पी0 कन्नौजिया श्री आर0पी0 मिश्रा लेखाकार श्री बालक राम श्री ओंकार सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित

प्रस्तर सं0-435 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 1740506.00 में से रू0 1705444.00 रू0 का भुगतान सम्बन्धित को दर्शित किया गया है, जो कि बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक/कच्चे** बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनावद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रू01740506.00जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0 पी0 कन्नौजिया श्री आर0पी0 मिश्रा लेखाकार श्री बालक राम श्री ओंकार सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीपुरुशोत्तम सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित

प्रस्तर सं0-436 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में **रू0 35062.00 टी0डी0एस0 (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रू 4274.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि:** वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 35062.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रू0 1740506.00 को दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रू0 39336.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रू0 4274.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण **अधिकारी/खण्ड** तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0 पी0 कन्नौजिया श्री आर0पी0 मिश्रा लेखाकार श्री बालक राम श्री ओंकार सिंह से समान रूप से लेखाशीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी0डी0एस0 अंकन रू0 35062.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-437 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में-

क- कुशवाह बिल्डिंग मेटैरियल स्टोर, शाहजहाँपुर के बिल सं0 580/10.09.2012 की बिल राशि रू0 238450.00 का भुगतान बिना टी0डी0एस0 काटे चैक सं0 205362 दिनांक 03.10.2012 के द्वारा किया गया है जो कि फर्म को आर्थिक लाभ पहुंचाने की मंशा से किया गया प्रतीत होता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0 पी0 कन्नौजिया श्री आर0पी0 मिश्रा लेखाकार श्री बालक राम श्री ओंकार सिंह से समान रूप से वसूली आहरण वितरण **अधिकारी/खण्ड** विकास अधिकारी से नहीं काटी गयी टी0डी0एस0 की धनराशि रू0 5389.00 के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ख- अजीज ब्रिक फील्ड पिण्डरा, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर के बिल सं0 308/28.05.2012की बिल धनराशि

रु0 56338.00 का भुगतान बिना टी0डी0एस0 काटे चैक सं0- 203871/23.06.2012 के द्वारा फर्म को आर्थिक लाभ पहुंचाने की मंशा से किया गया प्रतीत होता है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0 पी0 कन्नौजिया श्री आर0पी0 मिश्रा लेखाकार श्री बालक राम श्री ओंकार सिंह से समान रूप से वसूली एवं आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से नहीं काटी गयी टी0डी0एस0 की धनराशि रु0 1274.00 के बराबर वसूलनीय पैनाल्टी के साथ लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-438 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में कुल सामग्री कय रु0 1740506.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर टी0डी0एस0 कुल रु0 69620.00 की कटौती की जानी चाहिए, जबकि वर्ष में शून्य रु0 की कटौती की गयी है। इस प्रकार वाणिज्य कर टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गयी, जिससे रु0 69620.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन रु0 69620.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0 पी0 कन्नौजिया श्री आर0पी0 मिश्रा लेखाकार श्री बालक राम श्री ओंकार सिंह से समान रूप से तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-439 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में 858.63 घन मी0 मिट्टी डलवाने हेतु कुल रु0 38400/- का भुगतान निम्नानुसार किया गया, जिस पर 30/- प्रति घन मी0 की दर से 25759.00 रु0 रॉयल्टी काटी जानी चाहिए थी। किन्तु रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। क्षति की प्रतिपूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0 पी0 कन्नौजिया श्री आर0पी0 मिश्रा लेखाकार श्री बालक राम श्री ओंकार सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

मात्रा (घन मी0)	चैक संख्या व दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
243.83	203875 / 10.07.2012	10900.00	श्री दीपक सक्सेना, ग्रा0वि0अधि0
614.80	503970 / 25.04.2012	27500.00	श्री महेश पाल सिंह, ग्रा0वि0अधि0
858.63		38400.00	

प्रस्तर सं0-440 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2012-13 में बैंक खाता संख्या 11790100006592 (बैंक ऑफ बड़ौदा, मिर्जापुर) के अनुसार निम्नानुसार तालिका में अंकित चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संलग्न अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टि भुगतानिक धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0 पी0 कन्नौजिया श्री आर0पी0 मिश्रा लेखाकार श्री बालक राम श्री ओंकार सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम संख्या	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट पाये जाने वाले का नाम
1	11.06.2012	203861	170710	अजीज ब्रिक फील्ड
2	11.06.2012	203865	99865	अजीज ब्रिक फील्ड
3	27.07.2012	203875	43900	दीपक सक्सेना
4	17.09.2012	203879	357154	डी0डी0 इश्यू (अज्ञात)
5	07.11.2012	203880	21800	स्वयं
6	23.11.2012	205365	54360	दीपक कुमार सक्सेना
7	29.01.2013	छम्पूठ त्त*302	199308	अज्ञात
8	29.01.2013	छम्पूठ त्त*302	199308	अज्ञात
			1146405	

आपत्तियाँ (2013-14)

प्रस्तर सं0-441 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2013-14 में मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को वर्ष 2013-14 में निर्माण पर अंकन रु0 172692.00

मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री दीपक सक्सेना, पदनाम—ग्रा0वि0अ0 को रू0 25308.00, श्री राजेन्द्र सिंह, स0वि0अ0 (पं0) को रू0 26930.00, श्री रामपाल सिंह, स0वि0अ0 (सां0) को रू0 81102.00 तथा श्री संजय श्रीवास्तव, ग्रा0वि0अ0 को रू0 39352.00 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यभार विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूरों के पते का भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रू0 172692—/ का वर्ष 2013—14 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0पी0 मिश्रा श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री बालक राम श्री ओंकार सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीपुरुशोत्तम सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित

प्रस्तर सं0-442 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013—14 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 1016723.00 में से रू0 99324.00 रू0 का भुगतान सम्बन्धित को दर्शित किया गया है, जो कि बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक/कच्चे** बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग—पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रू01016723.00 जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0पी0 मिश्रा श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री बालक राम श्री ओंकार सिंह अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री सत्यवीर सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीपुरुशोत्तम सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित

प्रस्तर सं0-443 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013—14 में—पाया गया कि **चैक सं0 000007 दिनांक 06.01.2014 के द्वारा रू0 1584.00 का भुगतान किया गया है, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई विवरण/प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा तथा बैंक स्टेटमेंट में भी भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम अंकित नहीं है।** इससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0पी0 मिश्रा श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री बालक राम श्री ओंकार सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-444 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013—14 में **रू0 23459.00 टी0डी0एस0 (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाना** वर्ष 2013—14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 23459.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री कय रू0 23459.00 की की पुष्टि में इश्यू चैक नं0/बैंकस्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0पी0 मिश्रा श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री बालक राम श्री ओंकार सिंह से समान रूप से आहरण वितरण **अधिकारी/खण्ड** विकास अधिकारी से वसूलनीय पैनाल्टी के साथ लेखा शीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-445 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013—14 में कुल सामग्री कय रू0 1016723.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर टी0डी0एस0 कुल रू0 40669.00 की कटौती की जानी चाहिए थी, जबकि वर्ष में रुपये शून्य रुपये की कटौती की गयी है। इस प्रकार वाणिज्य कर टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गयी है, जिससे रू0 40669.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी, जिसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति अंकन 40669.00 की प्रतिपूर्ति जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0पी0 मिश्रा श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री बालक राम श्री ओंकार सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-446 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2013—14 में **बैंक खाता संख्या 11790100006592 (बैंक ऑफ बड़ौदा, मिर्जापुर)** के अनुसार निम्नानुसार तालिका में अंकित चैकों से

कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संलग्न अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टि भुगतानिक धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर०पी० मिश्रा श्रीमती नजमा सिद्दीकी लेखाकार श्री बालक राम श्री ओंकार सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम संख्या	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट पाये जाने वाले का नाम
1	18.07.2013	डी०डी०इश्यू	1476	सचिव एवं आहत आयुक्त
2	08.01.2014	205376	21800	स्वयं
3	08.01.2014	205377	116733	स्वयं
4			140009	

क्षेत्र पंचायत—मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर, वर्ष 2014—15 से 2016—17

आपत्तियाँ (2014—15)

प्रस्तर सं०—447 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2014—15 में **मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को** वर्ष 2014—15 में निर्माण पर अंकन रु० 698944.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री रामपाल, पदनाम—स०वि०अ० (सां०) को रु० 335537.00 श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, स०अ०वि० (आई०एस०बी०) को रु० 302541.00 तथा दीपक सक्सेना (ग्रा०वि०अ०) को रु० 60866.00 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यभार विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूरों के पते का भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 698944—/ का वर्ष 2014—15 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी०पी०दीक्षित श्री मुनीम लाल लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री प्रवीण कुमार ब्लाक प्रमुख श्रीपुरुशोत्तम सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०—448 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2014—15 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 4745750.00 में से रु० 411875.00 रु० का भुगतान सम्बन्धित को दर्शित किया गया है, जो कि बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक/कच्चे** बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग—पत्र प्रेषित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु०4745750.00 जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी०पी०दीक्षित श्री मुनीम लाल लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री प्रवीण कुमार ब्लाक प्रमुख श्रीपुरुशोत्तम सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०—449 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2014—15 में रु० 94505.00 टी०डी०एस० (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रु० 12749.00 टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि: वर्ष 2014—15 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 94505.00 की टी०डी०एस० कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 474575.00 को दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रु० 107254.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 12749.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण—वितरण **अधिकारी/खण्ड** तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी०पी०दीक्षित श्री मुनीम लाल लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला से समान रूप से लेखाशीर्ष 0021 में जमा कराया जाना

अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी0डी0एस0 अंकन रू0 94505.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-450 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में कुल सामग्री क्रय रू0 4745750.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर टी0डी0एस0 कुल रू0 189830.00 की कटौती की जानी चाहिए थी, जबकि वर्ष में रुपये 186118.00 रुपये की कटौती की गयी हैं। इस प्रकार रू0 3712.00 की कटौती कम की गयी हैं। यहां उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एस0 (वाणिज्य कर) कटौती की गयी है वह फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल/लेटर पैड पर पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान किया जाना चाहिए, किन्तु आलोच्य वर्ष 2014-15 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था, उन पर टी0डी0एस0 (वाणिज्य कर), कटौती कुल अंकन रू0 186118.00 की गयी है। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे (टी0डी0एस0), वाणिज्य कर मद में की गयी कटौती की जमा की स्थिति अपुष्टि रही। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म की गयी कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है अथवा नहीं। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। राजस्व क्षति अंकन 3712.00 की प्रतिपूर्ति रू0186118.00+3712.00 कुल रू0189830.00 अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0दीक्षित श्री मुनीम लाल लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री प्रवीण कुमार ब्लाक प्रमुख श्रीपुरुशोत्तम सिंह से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-451 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में 252.35 घन मी0 मिट्टी रू0 55/- प्रति घन मी0 की दर से कुल रू0 13879/- की डलवायी गयी, जिस पर नियमानुसार 30/- रू0 घन मी0 की दर से रू0 7571.00 रायल्टी काटी जानी चाहिए थी, किन्तु रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। क्षति की प्रतिपूर्ति जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0दीक्षित श्री मुनीम लाल लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-452 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2014-15 में बैंक खाता संख्या 11790100006592 (बैंक ऑफ बड़ौदा, मिर्जापुर) के अनुसार निम्नानुसार तालिका में अंकित चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संलग्न अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टि भुगतानिक धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0पी0दीक्षित श्री मुनीम लाल लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम संख्या	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट में प्ये जाने वाले का नाम
1	24.05.2014	डी0डी0 इश्यू	261306	अज्ञात
2	07.07.2014	16	33193	अजीज ब्रिक फील्ड
3	07.07.2014	15	2922	अजीज ब्रिक फील्ड
4	29.09.2014	24	30841	रामपाल
5	20.10.2014	न्यू एफ0डी0आर0	23657	खण्ड विकास अधिकारी
6	20.10.2014	न्यू एफ0डी0आर0	24103	खण्ड विकास अधिकारी
7	21.11.2014	30	38767	गुप्ता सीमेंट एजेंसी
8	27.11.2014	32	81528	वर्मा ब्रिक एजेंसी
9	03.01.2015	36	19740	श्री वीरेन्द्र
10	05.01.2015	33	115722	वर्मा ब्रिक फील्ड
11	13.01.2015	41	67032	वीरेन्द्र पाल सिंह
	योग		698811	

आपत्तियाँ (2015-16)

प्रस्तर सं०-453 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को** वर्ष 2015-16 में निर्माण पर अंकन रु० 1008801.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री वीरेन्द्र पाल सिंह पदनाम—स०वि०अ० (सां०) को रु० 378671.00 श्री दीपक सक्सेना, स०अ०वि० (आई०एस०बी०) को रु० 263293.00 श्री राम पाल सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को रु०99242.00 तथा श्यामवीर सिंह (ग्रा०वि०अ०) को रु० 267595.00 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यभार विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्तलेख में प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूरों के पते का भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 1008801- / का वर्ष 2015-16 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह वर्मा श्री जयनित कान्त श्री सुधीर कुमार लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री दीपक कुमार राजपूत ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुमन लता यादव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-454 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में उपरोक्त तालिका-1 के क्रमांक 11 पर अंकित कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल निर्धारित प्रारूप पर न होकर फर्जी तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कोई क्रमांक भी अंकित नहीं है तथा मस्टर रोल की धनराशि रु० 86882.00 का भुगतान चैक सं० 521505 दिनांक 03.11.2015 के द्वारा कार्य प्रभारी श्री श्यामवीर सिंह, ग्रा०वि०अ० को किया गया है। इस प्रकार रु० 86882.00 का अपहरण फर्जी मस्टर रोल लगाकर किया गया है। इससे स्पष्ट है कि वास्तव में कोई कार्य कराया ही नहीं गया है। अतः अपहरित धनराशि का कार्यप्रभारी तथा जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह वर्मा श्री जयनित कान्त श्री सुधीर कुमार लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-455 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 5648191.00 में से रु० 4867168.00 रु० का भुगतान सम्बन्धित को दर्शित किया गया है, जो कि बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त **प्रमाणक/कच्चे** बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु०5648191.00 जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह वर्मा श्री जयनित कान्त श्री सुधीर कुमार लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री दीपक कुमार राजपूत ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुमन लता यादव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-456 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में **रु० 111574.00 टी०डी०एस० (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रु 12749.00 टी०डी०एस० कम काटकर राजस्व की हानि:** वर्ष 2015-16 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु० 111574.00 की टी०डी०एस० कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु० 5648191.00 को दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रु० 127650.00 टी०डी०एस० होता है। इस प्रकार रु० 16076.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह वर्मा श्री जयनित कान्त श्री सुधीर कुमार लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला से समान रूप से से लेखाशीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी०डी०एस० अंकन रु० 111574.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं०/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-457 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में कुल सामग्री क्रय रु० 5648191.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर टी०डी०एस० कुल रु० 225928.00 की कटौती की जानी चाहिए थी, जबकि वर्ष में रुपये 223151.00 रुपये की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु० 2777.00 की कटौती कम की गयी है। यहां उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी०डी०एस० (वाणिज्य कर) कटौती की गयी है वह फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल/लेटर पैड पर पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान किया जाना चाहिए, किन्तु आलोच्य वर्ष 2015-16 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था, उन पर टी०डी०एस० (वाणिज्य कर), कटौती कुल अंकन रु० 223151.00 की गयी है। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चैक नं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे (टी०डी०एस०), वाणिज्य कर मद में की गयी कटौती की जमा की स्थिति अपुष्टि रही। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म की गयी कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है अथवा नहीं। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। राजस्व क्षति अंकन 2777.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह वर्मा श्री जयनित कान्त श्री सुधीर कुमार लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-458 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में 850.7 घन मी० मिट्टी डलवाने हेतु कुल रु० 49340/- का भुगतान निम्नानुसार किया गया, जिस पर 30/- प्रति घन मी० की दर से 25521.00 रु० रॉयल्टी काटी जानी चाहिए थी। किन्तु रायल्टी न काटकर राजस्व की क्षति की गयी है। क्षति की प्रतिपूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह वर्मा श्री जयनित कान्त श्री सुधीर कुमार लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

मात्रा (घन मी०)	चैक संख्या व दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
101.00	000118 / 20.09.2015	5858.0	श्री दीपक सक्सेना, ग्रा०वि०अधि०
252.70	000115 / 20.09.2015	14656.00	श्री श्यामवीर सिंह, ग्रा०वि०अधि०
447.00	521505 / 03.11.2015	25926.00	श्री श्यामवीर सिंह, ग्रा०वि०अधि०
50.00	000117 / 20.09.2015	2900.00	श्री दीपक सक्सेना, ग्रा०वि०अधि०
850.70		49340.00	

प्रस्तर सं०-459 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2015-16 में बैंक खाता संख्या 11790100006592 (बैंक ऑफ बड़ौदा, मिर्जापुर) के अनुसार निम्नानुसार तालिका में अंकित चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संलग्न अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टि भुगतानिक धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह वर्मा श्री जयनित कान्त श्री सुधीर कुमार लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम संख्या	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट पाये जाने वाले का नाम
1	04.04.2015	51	167365	लाला मथुरा प्रसाद ईट उद्योग
2	16.04.2015	61	74238	वीरेन्द्र पाल सिंह
3	01.06.2015	67	70391	लाला मथुरा प्रसाद ईट उद्योग
4	01.06.2015	65	43783	लाला मथुरा प्रसाद ईट उद्योग
5	05.06.2015	8	204814	गुप्ता सीमेंट एजेंसी

6	05.06.2015	66	124296	गुप्ता सीमेंट एजेंसी
7	09.06.2015	70	257000	पुरुशोत्तम सिंह वर्मा, ब्लॉक प्रमुख
8	20.06.2015	73	54500	सी0ई0डी0 प्रकाश शुक्ला, कैशियर ब्लॉक मिर्जापुर
9	09.07.2015	80	93015	वीरेन्द्र पाल सिंह
10	09.07.2015	83	56319	रामपाल
11	09.07.2015	86	67419	रामपाल
12	09.07.2015	78	24255	लाला मथुरा प्रसाद ईट उद्योग
13	09.07.2015	81	12488	लाला मथुरा प्रसाद ईट उद्योग
14	21.07.2015	79	132520	गुप्ता सीमेंट एजेंसी
15	21.07.2015	82	90108	गुप्ता सीमेंट एजेंसी
16	09.09.2015	101	130780	अज्ञात
17	14.09.2015	103	102681	अज्ञात
18	15.09.2015	110	22407	श्यामवीर सिंह
19	21.09.2015	113	69947	वीरेन्द्र पाल सिंह
20	21.09.2015	118	5858	दीपक कुमार सक्सेना
21	21.09.2015	521503	183478	गुप्ता सीमेंट एजेंसी
22	21.09.2015	521501	246140	अज्ञात
23	21.09.2015	521502	91705	वर्मा ब्रिक फील्ड
24	17.03.2016	521507	24017	लाला मथुरा प्रसाद ईट उद्योग
25	17.03.2016	521506	184219	गुप्ता सीमेंट एजेंसी
26	22.03.2016	521506	483216	डी0डी0
	योग		3233559	

आपत्तियाँ (2016-17)

प्रस्तर सं0-460 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **मस्टर रोल मजदूरों का और भुगतान कार्य प्रभारियों को** वर्ष 2016-17 में निर्माण पर अंकन रु0 755858.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री उदय प्रताप सिंह, पदनाम—ग्रा0वि0अ0 को रु0 620836.00 तथा श्री श्यामवीर सिंह ग्रा0वि0अ0 को रु0 135022.00 का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल निर्गमन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कार्यभार विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर जो अंगूठा निशानी अंकित है, वह प्रमाणित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है, वह मस्टर रोल निर्माता के ही हस्ताक्षर में प्रतीत होते हैं। कार्य पर लगे मजदूरों के पते का भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 755858—/ का वर्ष 2016-17 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह वर्मा श्री जयनित कान्त श्री सुधीर कुमार लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री दीपक कुमार राजपूत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सुमन लता यादव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-461 क्षेत्र पंचायत का नाम— मिर्जापुर, जनपद— शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में—

क. उपरोक्त तालिका-1 के क्रमांक 2 पर अंकित कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल सं0 080, 0809, 0812 के अनुसार मजदूरी की धनराशि रु0 84308 है, किन्तु कार्य प्रभारी श्री उदय प्रताप सिंह, ग्रा0वि0अ0 को चैक 00146 दिनांक 2.05.2017 के द्वारा रु0 84608.00 का भुगतान किया गया, जो कि मस्टर रोल की धनराशि रु0 300.00 अधिक है। इस प्रकार कार्य प्रभारी से रु0 300.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है, साथ ही तत्कालीन जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह वर्मा श्री जयनित कान्त श्री सुधीर कुमार लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला से समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

ख. उपरोक्त तालिका-1 के क्रमांक 4 पर अंकित कार्य में प्रयुक्त मस्टर रोल सं0 0799, 0800 व 801

के अनुसार मजदूरी की धनराशि रु0 372064.00 है, किन्तु कार्य प्रभारी श्री उदय प्रताप सिंह, ग्रा0वि0अधि0 को चैक सं0 000150/02.05.17, 521541/02.05.17, 521542/02.05.17 तथा 521543/02.05.17 के द्वारा रु0 260372.00 का भुगतान किया गया, इस प्रकार मस्टर रोल की धनराशि रु0 372064.00 भुगतानित धनराशि रु0 260372.00 से रु0 111692.00 अधिक है। अतः कार्य प्रभारी को कम भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि काल्पनिक मस्टर रोल तैयार कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः कार्यप्रभारी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह वर्मा श्री जयनित कान्त श्री सुधीर कुमार लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-462 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर सामग्री आपूर्ति अपुष्टि होने पर भी फर्म को भुगतान कर अपहरण:** कुल दर्शित भुगतान रुपये 3091455.00 में से रु0 2818712.00 रु0 का भुगतान सम्बन्धित को दर्शित किया गया है, जो कि बैंक खाते के अनुसार पुष्टि पाया गया है, किन्तु जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी, वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। किसी भी प्रमाणक पर देय टैक्स की दर व धनराशि अंकित नहीं है। समस्त प्रमाणक/कच्चे बिल पत्रावली में संलग्न है। सामग्री आपूर्ति हेतु कभी भी कार्यप्रभारी द्वारा फर्म को कोई मांग-पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा कोई आपूर्ति निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं पाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि का योजनावद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। धनराशि रु03091455.00 जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह वर्मा श्री जयनित कान्त श्री सुधीर कुमार लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला अवरअभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा श्री दीपक कुमार राजपूत ब्लाक प्रमुख श्रीमती सुमन लता यादव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-463 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **रु0 61714.00 टी0डी0एस0 (आयकर) जमा की पुष्टि नहीं हो पाने एवं रु 8153.00 टी0डी0एस0 कम काटकर राजस्व की हानि:** वर्ष 2016-17 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0 61714.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रु0 3091455.00 को दर्शित है, जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से रु0 69867.00 टी0डी0एस0 होता है। इस प्रकार रु0 8153.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी। ऐसी स्थिति में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली योग्य पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह वर्मा श्री जयनित कान्त श्री सुधीर कुमार लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला से समान रूप से लेखाशीर्ष 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही काटे गये, टी0डी0एस0 अंकन रु0 61714.00 की जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-464 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में कुल सामग्री क्रय रु0 3091455.00 पर 4 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर टी0डी0एस0 कुल रु0 123658.00 की कटौती की जानी चाहिए थी, जबकि वर्ष में रुपये 123429.00 रुपये की कटौती की गयी हैं। इस प्रकार रु0 229.00 की कटौती कम की गयी हैं। यहां उल्लेखनीय है कि जिन सामग्री प्रमाणकों से टी0डी0एस0 (वाणिज्य कर) कटौती की गयी है वह फर्म द्वारा बिना टैक्स चार्ज किये ही कच्चे बिल/लेटर पैड पर पाये गये हैं। नियमानुसार पक्के बिल प्राप्त करके ही भुगतान किया जाना चाहिए, किन्तु आलोच्य वर्ष 2016-17 में कच्चे बिल पर ही जिन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया था, उन पर टी0डी0एस0 (वाणिज्य कर), कटौती कुल अंकन रु0 123429.00 की गयी है। इस धनराशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करने के प्रमाण स्वरूप निर्गत चैक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान दाखिल रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे (टी0डी0एस0), वाणिज्य कर मद में की गयी कटौती की जमा की स्थिति अपुष्टि रही। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि फर्म की गयी कटौती के सम्बन्ध में कटौती व जमा की स्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है अथवा नहीं। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं। राजस्व क्षति अंकन 229.00 की प्रतिपूर्ति तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह वर्मा श्री जयनित कान्त श्री सुधीर कुमार लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-465 क्षेत्र पंचायत का नाम- मिर्जापुर, जनपद- शाहजहाँपुर वर्ष 2016-17 में **बैंक खाता**

संख्या 11790100006592 (बैंक ऑफ बड़ौदा, मिर्जापुर) के अनुसार निम्नानुसार तालिका में अंकित चैकों से कतिपय व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान किया गया है एवं कतिपय खातों में हस्तान्तरण किया गया है। इसका औचित्य व कारण की पुष्टि में संलग्न अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अपुष्टि भुगतानिक धनराशियों की ब्याज सहित वसूली एवं विधिक कार्यवाही जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री भगवान सिंह वर्मा श्री जयनित कान्त श्री सुधीर कुमार लेखाकार श्री वेद प्रकाश शुक्ला से समान रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम संख्या	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	बैंक स्टेटमेंट पाये जाने वाले का नाम
1	04.06.2016	521510	800482	डी0डी0 (अज्ञात)
2	04.06.2016	अज्ञात	274550	अज्ञात
3	25.10.2016	अज्ञात	24961	डी0डी0 (अज्ञात)
4	27.10.2016	521529	68033	शिव सीमेंट एजेंसी
5	27.10.2016	521528	89488	शिव सीमेंट एजेंसी
6	27.10.2016	521522	197400	श्री कृष्णा इण्टरलॉकिंग टाईलस
7	27.10.2016	521523	211500	श्री कृष्णा इण्टरलॉकिंग टाईलस
8	27.10.2016	521524	65087	किशन ईट उद्योग कलान
9	27.10.2016	521526	77644	किशन ईट उद्योग कलान
10	06.01.2017	122	60089	किशन ब्रिक फील्ड
11	07.01.2017	126	10437	श्यामवीर सिंह
12	23.01.2017	521533	45996	शिव सीमेंट एजेंसी
13	08.02.2017	521534	6484	अज्ञात
14	18.02.2017	125	66319	श्यामवीर सिंह
15	06.03.2017	0.	6484	अज्ञात
	योग	136	2004954	

प्रारूप-3
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18
(क्षेत्र पंचायतो से संबन्धित आपत्तियाँ)

जनपद-बस्ती

संभाग-बस्ती

प्रस्तर-01- क्षेत्र पंचायत साउघाट के वर्ष 2011-12 के निर्माण कार्य की कोई पत्रावली जांच हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी। ग्रान्ट रजिस्टर-।।। के अनुसार मनरेगा को छोड़कर कुल रू0 2087501.00 आय तथा प्रारम्भिक शेष रू0 1434299.00 था। इसमें से वर्ष में रू0 983968.00 का व्यय/ भुगतान दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा में भुगतान/ व्यय किये गये रू0 983968.00 की पुष्टि में कोई विवरण पत्र/ प्रमाण पत्र **दर** पत्रावली उपलब्ध नहीं रही, अतः उक्त भुगतान/व्यय अनियमित रहा जिसकी जिम्मेदारी वी0डी0ओ0 श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री विद्यासागर गुप्ता की है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-02- क्षेत्र पंचायत साउघाट के वर्ष 2011-12 में निशुल्क बोरिंग अर्न्तगत रू0-351720 व्यय/भुगतान किया गया है। बोरिंग कहाँ-कहाँ कराया गया सूची/विवरण पत्र उपलब्ध नहीं रहा। अतः उक्त व्यय की सार्थकता/वास्तविकता की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त व्यय रू0-351720.00 अनियमित रूप से की गयी। जिसकी जिम्मेदारी बी0डी0ओ0 श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री विद्यासागर गुप्ता की है। **ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-03- क्षेत्र पंचायत साउघाट के वर्ष 2012-13 में कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं रही। ग्रान्ट रजिस्टर-।।। के अनुसार वर्ष में रू0-2537832.00 प्रा0 शेष, रू0-5298401.00 प्राप्ति तथा रू0-3938734.00 व्यय दर्शित है। उक्त व्यय रू0-3938734.00 की पुष्टि में कोई पत्रावली/प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। अतः उक्त व्यय अनियमित रही, जिसकी

जिम्मेदारी बी०डी०ओ० श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री विद्यासागर गुप्ता की है।
उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-04— क्षेत्र पंचायत साउघाट के वर्ष 2012-13 में निशुल्क बोरिंग पर रू०-332500.00 व्यय दर्शित है। पुश्ति में बोरिंग कराये जाने के स्थानों की सूची/विवरण पत्र, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र सत्यापन प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं रही। अतः व्यय की सार्थकता, वास्तविकता की पुश्ति न की जा सकी। इस प्रकार उक्त व्यय अनियमित रहा, जिसकी जिम्मेदारी बी०डी०ओ० श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री विद्यासागर गुप्ता की है। **उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-05— क्षेत्र पंचायत साउघाट के वर्ष 2013-14 में रा०वि०, तेरहवां वित्त, बी०आर०जी०एफ० अप्राप्त कुल रू०-8244606.00 व्यय किया गया है। ग्रान्ट रजिस्टर-।।। के अनुसार वर्ष में रू०- 9406241.00 व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त के सापेक्ष रू०-3637636.00 की व्यय/भुगतान की पत्रावली उपलब्ध रही। इस प्रकार रू०-5768605.00 की व्यय/भुगतान में पत्रावली/प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं रही है। अतः उक्त व्यय/भुगतान अनियमित रूप से दर्शित रही जिसकी जिम्मेदारी बी०डी०ओ० श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री विद्यासागर गुप्ता है। अतः **उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-06— क्षेत्र पंचायत कुदरहा की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त से कराये गये कार्यों का मजदूरी भुगतान सीधे मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को किया है जो अनियमित रहा तथा जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	चेक सं०/दिनांक	धनराशि	नाम कार्यप्रभारी जिसे भुगतान किया गया
1	कौलपुर रसूलपुर मार्ग पर आर०सी०सी० पुलिया	07529/25.05.2011	490164.00	श्री राम दरश, ग्रा०वि०अधि०
	योग		490164.00	

प्रस्तर-07—क्षेत्र पंचायत कुदरहा की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त से कराये गये कार्यों पर सामग्री क्रय हेतु चयनित फर्मों की बिलों का भुगतान बिना निर्धारित वैट की कटौती किये ही किया गया है जो कि उ०प्र० मूल्य सम्बर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-34(1) के प्रविधानों के विपरीत रहा। इस प्रकार अनियमित भुगतान हेतु संस्था के तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी रहे— **विवरण निम्न है-**

क्र० सं०	कार्य का नाम	फर्म का नाम	भुगतान की गयी धनराशि	आडिट गणनानुसार 4 प्रति० की दर से वैट की धनराशि
1	कौलपुर रसूलपुर मार्ग पर आर०सी०सी० पुलिया	यादव ब्रिक फील्ड	250266.00	10010.00
		चौधरी ब्रिक फील्ड	242342.00	9693.00
	योग		—	19703.00

अतः रू० 19703 की वसूली ब्याज सहित करके सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-08—क्षेत्र पंचायत कुदरहा की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त से कराये गये कार्यों का मजदूरी भुगतान सीधे मजदूरों को न करके कार्यप्रभारियों को किया है जो अनियमित रहा तथा जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक सं०/दिनांक	धनराशि	नाम कार्यप्रभारी जिसे भुगतान किया गया
1	सिकन्दरपुर पिच रोड से ओमप्रकाश पाण्डेय के घर तक खड़पुजा	01145/08.12.2012	25125.00	श्री रवीन्द्र यादव, सहा०वि०अधि० (सांख्यिकी)
2	बानपुर पिच रोड से चन्द्रिका यादव के घर तक खड़पुजा	9182/06.10.2012	15800.00	
3	जनवल में युसुफ के घर से गोपाल पाल के घर तक सी०सी०रोड	0011047/	11375.00	
4	वि०ख० परिसर में ए०डी०ओ० टाइप भवन की मरम्मत	011049/	273425.00	
	योग		325725.00	

प्रस्तर-09—क्षेत्र पंचायत कुदरहा की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त से कराये गये कार्यों पर सामग्री क्रय हेतु चयनित फर्मों की बिलों का भुगतान बिना निर्धारित वैट की कटौती किये ही किया गया है जो कि उ०प्र० मूल्य सम्बर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-34(1) के प्रविधानों के विपरीत रहा। इस प्रकार अनियमित भुगतान हेतु संस्था के तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी रहे। अर्थदण्ड सहित वसूली करके सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाय।

क्र० सं०	कार्य का नाम	फर्म का नाम	भुगतान की गयी धनराशि	आडिट गणनानुसार 4 प्रति० की दर से वैट की धनराशि
1	श्यामनारायण के घर के बैठक होते हुये राम आधार के घर तक सी०सी०रोड	सिंह ट्रेडर्स	323325.00	12933.00
2	सिकन्दरपुर पिच रोड से ओमप्रकाश पाण्डेय के घर तक खड़पुजा		65800.00	2632.00
3	शरीफ के घर से दक्षिण तालाब तक नाली निर्माण		82810.00	3312.00
4	बानपुर पिच रोड से चन्द्रिका यादव के घर तक खड़पुजा		39190.00	1567.00
5	जनवल में युसुफ के घर से गोपाल पाल के घर तक सी०सी० रोड		83171.00	3326.00
6	वि०ख० परिसर में ए०डी०ओ० टाइप भवन की मरम्मत	चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल	1578858.00	63154.00
7	ख०वि०अधि० आवास की मरम्मत	चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल	217182.00	8687.00

	यादव ब्रिकफील्ड	20667.00	826.00
योग		—	96437.00

प्रस्तर-10—क्षेत्र पंचायत कुदरहा के वर्ष 2012-13 में तेरहवें वित्त आयोग से कराये गये कार्य सहा0वि0अधि0 आवास के पीछे नाली निर्माण की निर्माण पत्रावली की जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये—
(1) उक्त पर सामाग्री खरीद हेतु सिंह ट्रेडर्स थन्हवां मुड़ियारी बस्ती द्वारा अपना कैश मेमो/बिल सं0-15 मु0 रू0-158402.00 दिनांक-12.01.2013 को जारी किया गया है जबकि उक्त के भुगतान हेतु चेक सं0-014045 दो दिन पूर्व दिनांक-10.01.2013 को निर्गत कर दिया गया। अतः भुगतान अनियमित रहा।
(1।) संलग्न मस्टररोल मु0 रू0-40000.00 पर कार्य का नाम अंकित नहीं रहा तथा उसका भुगतान किस चेक से किया गया, यह भी पत्रावली पर अंकित नहीं रहा। पुनः भुगतान सीधे मजदूरों को न कर कार्यप्रभारी श्री रामकेश भास्कर को किया गया है जो अनियमित रहा।

इस प्रकार कुल रू0-198402.00 की अनियमितता हेतु तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी रहे। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। **आवश्यक कार्यवाही तथा** ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11—क्षेत्र पंचायत कुदरहा के वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त से कराये गये कार्य—बानपुर पिचरोड से चंद्रिका यादव के घर तक 50 मी0 खड़ण्जा की निर्माण पत्रावली की जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये—
(1) कार्यालय पत्रांक—मेमो दिनांक-22.09.2012 द्वारा समाग्री आपूर्ति हेतु सिंह ट्रेडर्स को लिये पत्र में परियोजना का नाम अंकित नहीं है तथा सामाग्री क्रय हेतु रू0-38312.00 का भुगतान भी कार्यप्रभारी को किया गया है।

(1।) कार्य हेतु प्रयुक्त मस्टररोल सं0-65410 मु0 रू0-5800.00 एवं म0सं0-65411 मु0रू0-10000.00 पर न तो कार्य का नाम अंकित है और न ही उपस्थिति लेने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर हैं जिससे स्पष्ट है कि मस्टररोल की मात्र खानापूर्ति की गयी है। मस्टररोल किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं है।

इस प्रकार उक्त कार्य मात्र कागजी खानापूर्ति है तथा उस पर व्यय कुल धनराशि रू0-54112.00 का अपहरण तत्कालीन कार्यप्रभारी, लेखाकार एवं ख0वि0अधि0 द्वारा कर लिया गया है। अतः **उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-12—क्षेत्र पंचायत कुदरहा की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त से कराये गये कार्यों का मजदूरी भुगतान सीधे मजदूरों को न करके कार्यप्रभारियों को किया है जो अनियमित रहा तथा जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र सं 0	कार्य का नाम	चेक सं0/दिनांक	धनराशि	नाम कार्यप्रभारी जिसे भुगतान किया गया
1	लालगंज बाजार में सी0सी0 रोड	19378/01.04. 2013	209940. 00	श्री रामकेश भास्कर, सहा0वि0अधि0 (कृषि)
2	राम जानकी मार्ग से बृजेश पाल के गोदाम तक खड़ण्जा मरम्मत	19379/01.04. 2013	59618.00	
3	ब्लाक भवन मरम्मत	3493/13.12. 2013	199870. 00	
	योग		469428. 00	

प्रस्तर-13—क्षेत्र पंचायत कुदरहा की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित

विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त से कराये गये कार्यों पर सामग्री कय हेतु चयनित फर्मों की बिलों का भुगतान बिना निर्धारित वैट की कटौती किये ही किया गया है जो कि उ०प्र० मूल्य सम्बर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-34(1) के प्रविधानों के विपरीत रहा। इस प्रकार अनियमित भुगतान हेतु संस्था के तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी रहे। अर्थदण्ड सहित वसूली करके सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाय।

क्र० सं०	कार्य का नाम	फर्म का नाम	भुगतान की गयी धनराशि	आडिट गणनानुसार 4 प्रति० की दर से वैट की धनराशि
1	लालगंज बाजार में सी०सी० रोड	सिंह ट्रेडर्स	112129.00	4485.00
2	ब्लाक भवन मरम्मत	...	181075.00	7243.00
	योग		—	11728.00

प्रस्तर-14—क्षेत्र पंचायत कुदरहा के वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त से कराये गये कार्य राम जानकी मार्ग से बृजेश पाल के गोदाम तक मिट्टी/खडण्जा कार्य की निर्माण पत्रावली की जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये—

(i) 1140 ईट मूल्य रु०-4700.00 का भुगतान सम्बन्धित सप्लायर फर्म को न कर कार्यप्रभारी श्री रामकेश भास्कर को किया गया है जिसका बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, अतः धन का अपहरण कर लिया गया है।

(ii) साइनबोर्ड मूल्य रु०-3000.00 जिसका भुगतान कार्य प्रभारी श्री रामकेश भास्कर को किया गया है, का बाउचर जो सूरज डिजिटल फोटो स्टूडियो का है तथा जिसपर न तो रसीद सं० और न ही बुक नं० अंकित है पूर्णरूप से फर्जी है। अतः मु० रु०-3000.00 का अपहरण कार्यप्रभारी श्री रामकेश भास्कर सहा०वि०अधि० (कृषि) द्वारा कर लिया गया है।

(iii) उक्त कार्य पर प्रयुक्त मस्टररोल क्रमांक-65632 द्वारा 01.06.2013 से 06.06.2013 तक 17 मजदूरों को कुल रु०-1519'2.00 तथा मस्टररोल क्रमांक-65633.00 द्वारा 01.06.2013 से 15.06.2013 तक 18 मजदूरों को कुल रु०-36726.00 का भुगतान किया गया है। मस्टररोलों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मस्टररोल क्रमांक-65633 में क्रमांक-15 पर अंकित मजदूर रामसरन पुत्र प्रहलाद को छोड़कर शेष समस्त मजदूरों से एक ही तिथि में दोनों मस्टररोलों पर कार्य कराया दर्शित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि दोनों मस्टररोल फर्जी हैं। अतः दोनों मस्टररोलों की संकलित धनराशि रु०-51918.00 जिसका चेक कार्यप्रभारी श्री रामकेश भास्कर के नाम निर्गत किया गया है, का अपहरण उनके द्वारा कर लिया गया है।

इस प्रकार उक्त अपहृत कुल धनराशि रु०-59618.00 की वसूलीब्याज सहित कार्यप्रभारी, लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 15— क्षेत्र पंचायत कुदरहा के वर्ष 2014-15 से 16-17 की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त से कराये गये कार्यों का मजदूरी भुगतान सीधे मजदूरों को न करके कार्यप्रभारियों को किया है जो अनियमित रहा तथा जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	वर्ष	धनराशि	नाम कार्य प्रभारी जिसे भुगतान किया गया
1	शिवपूजन के घर से पुलिया तक मिट्टी/खडण्जा कार्य	2014-15	73464.00	श्री रवीन्द्र यादव, सहा०वि०अधि० (सा०)

2	बन्धे से पटपरवा मार्ग पर आर0सी0सी0पुलिया	2014-15	184896.00	श्री रामकेश भास्कर सहा0वि0अधि0 (कृषि)
3	ग्राम अमईपार में भोभनाताल पर आर0सी0सी0 पुलिया	2014-15	160008.00	श्री रामकेश भास्कर सहा0वि0अधि0 (कृषि)
4	मसुरिहा से बनभक्ती माई के स्थान के बीच आर0सी0सी0 पुलिया	2014-15	192264.00	श्री प्रशान्त कुमार खरे
5	अकेला कुबेरपुर चौराहे से टिटहरी मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया	2014-15	149880.00	श्री प्रशान्त कुमार खरे
6	रामजानकी मार्ग से राम सजन के घर तक खडंजा कार्य	2014-15	176932.00	श्री रामकेश भास्कर सहा0वि0अधि0 (कृषि)
7	अमईपार में तीन मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया	2014-15	149880.00	श्री रामकेश भास्कर, सहा0वि0अधि0 (कृषि)
	योग	2014-15	1087324.00	
1	थन्हवांमुडियारी काली मां स्थान से दयाराम हरिजन के घर होते हुये महेन्द्र सिंह के घर तक सी0सी0 रोड	2015-16	224095.00	श्री रामकेश भास्कर, सहा0वि0अधि0 (कृषि)
2	सिंकन्दरपुर प्रा0पा0 पिचरोड से पप्पू पाण्डेय के घर तक इंटरलाकिंग	2015-16	28730.00	श्री रामकेश भास्कर, सहा0वि0अधि0 (कृषि)
3	तेनुआं में खडंजा निर्माण	2015-16	48731.00	श्री रामकेश भास्कर, सहा0वि0अधि0 (कृषि)
4	महुआपार में खासकेवट पुरवा में आर0सी0सी0 पुलिया	2015-16	331260.00	श्री रामकेश भास्कर, सहा0वि0अधि0 (कृषि)
	योग	2015-16	632816.00	
1	गाना में लालजी मिश्र के घर से ओमनारायण के घर तक इंटरलाकिंग	2016-17	234256.00	श्री रामकेश भास्कर, सहा0वि0अधि0 (कृषि)
2	परेवा में राम अशीश के घर के बगल बाबूराम के घर तक इंटरलाकिंग	2016-17	152704.00	श्री रामकेश भास्कर, सहा0वि0अधि0 (कृषि)
3	बैसिया में इंटरलाकिंग	2016-17	152704.00	श्री रामकेश भास्कर, सहा0वि0अधि0 (कृषि)
	योग	2016-17	539664.00	
	कुल योग		2259804.00	

प्रस्तर 16— क्षेत्र पंचायत कुदरहा के वर्ष 2014-15 से 16-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम अमईपार में भोभना ताल पर 1'4 मी0 की आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण की कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र तथा मस्टररोल की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य दिनांक-29.08.2014 को पूर्ण हो गया था। ऐसे में

मजदूरी के भुगतान हेतु चेक कार्य प्रभारी श्री रामकेश भास्कर को दिनांक 26.03.2015 चेक सं०-947686 मु० रु 160008.00 निर्गत किया गया जो लगभग सात माह बाद किया गया। चूंकि मस्टररोल पर मजदूरी भुगतान की तिथि अंकित नहीं है और न ही मजदूरों द्वारा भुगतान प्राप्ति की ही तिथि अंकित है। इससे स्पष्ट है कि मस्टररोल पूर्णतया फर्जी है तथा धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन कार्यप्रभारी, लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है, जिनसे वसूलब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि मस्टररोल किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित भी नहीं रहा है।

प्रस्तर 17— क्षेत्र पंचायत कुदरहा के वर्ष 2014-15 से 16-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक-11.03.2015 को राज्य वित्त निधि से रु 450000.00 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में हस्तान्तरित किया जाना अनुदान पंजी में दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई भी आदेश/यथोचित कारण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त हस्तांतरण का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सका। अतः उक्त हस्तांतरण बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के अनियमित तथा मनमाना रहा जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी रहे। **ब्याज सहित वसूली** आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-18—क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज वित्त/तेरहवांवित्त के निर्माण पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मजदूरों की मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न देकर कार्यप्रभारियों को किया गया है। जो कि अनियमित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	चेक नं०	दिनांक	धनराशि	चेक कार्य प्रभारी को निर्गत है।	मद	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी + एकाउंटेंट
1	213759	02.01.2012	10370	श्री राम कुमार स०वि०अधि० कृषि	कमांश	श्री गोपाल प्रसाद कुशवाहा खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री राम कुमार
2	249755	19.04.2012	12950	श्री राजेश सिंह भण्डार लिपिक	कमांश	श्री गोपाल प्रसाद कुशवाहा खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री राजेश सिंह
3	801479	29.08.2011	19160	श्री सत्यराम तिवारी ग्रा०पं०अधि०	कमांश	श्री सुमिरन प्रसाद खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री सत्यराम तिवारी
4	801471	30.08.2011	23730	श्री सत्यराम तिवारी ग्रा०पं०अधि०	कमांश	श्री सुमिरन प्रसाद खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री सत्यराम तिवारी
5	801492	22.12.2011	25560	श्री राम कुमार स०वि०अधि० कृषि	कमांश	श्री के०के० मिश्र खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री राम कुमार
6	801496	24.12.2011	13920	श्री राम कुमार स०वि०अधि०	कमांश	श्री के०के० मिश्र खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री राम

				कृषि		कुमार
7	8014 98	24.12. 2011	38880	श्री राम कुमार स0वि0अधि0 कृषि	क्रमांश I	श्री के0के0 मिश्र खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री राम कुमार
8	8014 93	24.12. 2011	17400	श्री राम कुमार स0वि0अधि0 कृषि	क्रमांश I	श्री के0के0 मिश्र खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री राम कुमार
9	8014 76	17.06. 2011	14700	श्री सत्य राम तिवारी	क्रमांश I	श्री सुमिरन प्रसाद खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री सत्य राम तिवारी
10	2497 60	02.08. 2012	5930	श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा	क्रमांश I	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा
11	2137 63	04.01. 2012	5160	श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा	क्रमांश I	श्री गोपाल प्रसाद कुशवाहा खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरों का भुगतान न देकर कार्य प्रभारियों को भुगतान दिया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में जो मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये उन पर कार्य सम्बन्धित पूर्ण विवरण अंकित नहीं है तथा जो अंगूठा निशान अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार अप्रमाणित मस्टररोल पर मजदूरी का भुगतान देकर अनियमितता की गई है। जिसके लिये उपरोक्त विवरण के अनुसार सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार तथा सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध **विभागीय कार्यवाही तथा** ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-19- क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में सामाग्री क्रय प्रमाणकों की धनराशि रु0-374844.00 जिस पर 2.26 प्रतिशत की दर से टीडीएस 8471.00 होता है। किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में रु0-3371.00 टीडीएस की कटौती अंकित है। जिसको निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय व लेखाकार श्री रज्जाक मोहम्मद उत्तरदायी है। तथा कम काटे गये टीडीएस धनराशि 8471-3371= 5100.00 है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार मिश्र व श्री गोपाल प्रसाद कुशवाहा तथा लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है।

उक्त सामाग्री के प्रमाणकों के भुगतान के समय न काटे गये व्यापार कर/वैट की धनराशि को उपरोक्त विवरण अनुसार सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से **ब्याज सहित** वसूल कर निर्धारित शीर्षकमें जमा किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर-20- क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में सामाग्री क्रय प्रमाणकों की धनराशि रु0-374844.00 है जिस पर व्यापारकर/वैट की कटौती भुगतान करते समय नहीं की गई है। उक्त धनराशि रु0-374844.00 पर 04 प्रतिशत की दर से व्यापारकर की धनराशि 14993.00 की कटौती की जानी चाहिये थी। कटौती न करने से राजकीय क्षति हुई है। जिसके लिये खण्ड

विकास अधिकारी श्री सुमिरन प्रसाद चौधरी, श्री के०के० मिश्र, श्री उग्रसेन पाण्डेय व श्री जी०पी० कुशवाहा तथा लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। है। **अर्थदण्ड सहित वसूली करकेसम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाय।**

प्रस्तर-21- क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर-।।। के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि 214341.00 मार्च 2012 में अंकित है। जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है। शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो अर्जित किया जाता है उसे राजकोश में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा न कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया है। उक्त अनियमितता के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री उग्रसेन पाण्डेय व श्री जीपी कुशवाहा तथा लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-22-क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज वित्त/तेरहवांवित्त के निर्माण पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मजदूरों की मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न देकर कार्यप्रभारियों को किया गया है। जोकि अनियमित है। विवरण निम्न प्रकार है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	चेक नं०	दिनांक	धनराशि	चेक कार्य प्रभारी को निर्गत है।	मद	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एकाउंटेंट
1	249762	09.07.2012	5980	श्री राम कुमार स०वि०अधि० कृषि	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री राम कुमार
2	523208	21.04.2014	51524	श्री जावेद अख्तर स०वि०अधि०	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री जावेद अख्तर
3	523210	21.04.2014	12668	श्री जावेद अख्तर स०वि०अधि०	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री जावेद अख्तर
4	164596	09.01.2013	22485	श्री राम कुमार स०वि०अधि० कृषि	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री राम कुमार
5	249764	24.08.2012	25545	श्री जावेद अख्तर स०वि०अधि०	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री जावेद अख्तर
6	164588	07.12.2012	99090	श्री जावेद अख्तर स०वि०अधि०	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री जावेद अख्तर

7	16458 3	07.12. 2012	69160	श्री जावेद अख्तर स0वि0अधि0	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री जावेद अख्तर
8	16635 2	28.01. 2013	21745	श्री जावेद अख्तर स0वि0अधि0	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री जावेद अख्तर
9	16458 6	07.12. 2012	41240	श्री राम कुमार स0वि0अधि0 कृषि	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री राम कुमार
10	16460 0	28.01. 2013	10670	श्री जावेद अख्तर स0वि0अधि0	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री जावेद अख्तर
11	16459 9	28.01. 2013	26025	श्री जावेद अख्तर स0वि0अधि0	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री जावेद अख्तर
12	24984 6	29.08. 2014	11504	श्री राम कुमार स0वि0अधि0 कृषि	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री राम कुमार
13	24984 4	29.08. 2014	4236	श्री राम कुमार स0वि0अधि0 कृषि	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री राम कुमार
14	24981 7	07.07. 2014	18718	श्री राम कुमार स0वि0अधि0 कृषि	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री राम कुमार
15	44503 8	18.09. 2014	16676	श्री राम कुमार स0वि0अधि0 कृषि	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री राम कुमार
16	16457 6	18.10. 2012	22900	श्री जावेद अख्तर स0वि0अधि0	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री जावेद अख्तर

17	16459 0	07.12. 2012	25120	श्री जावेद अख्तर स0वि0अधि0	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री जावेद अख्तर
18	16458 1	03.12. 2012	25650	श्री जावेद अख्तर स0वि0अधि0	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री जावेद अख्तर
19	16635 7	30.03. 2013	7750 7544	श्री जावेद अख्तर स0वि0अधि0	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री जावेद अख्तर
20	16636 7	31.08. 2013	13100 7544	श्री जावेद अख्तर स0वि0अधि0	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, व श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री जावेद अख्तर

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरों का भुगतान न देकर कार्य प्रभारियों को भुगतान दिया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में जो मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये उन पर कार्य सम्बन्धित पूर्ण विवरण अंकित नहीं है तथा जो अंगूठा निशान अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार अप्रमाणित मस्टररोल पर मजदूरी का भुगतान देकर अनियमितता की गई है। जिसके लिये उपरोक्त विवरण के अनुसार सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार तथा सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-23—क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण विकास खण्ड परिसर में ब्लाक संसाधन केन्द्र का मरम्मत अवर्ष कार्य पर रूपया 26649.00 मजदूरी/श्रमांश पर व्यय दर्शित है। किन्तु लेखा परीक्षा में रूपया 5980 का मस्टररोल ही प्रस्तुत किया गया है। तथा शेष धनराशि 26649-5980=20669 का कोई प्रमाणक/मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार काल्पनिक व्यय दर्शित कर रूपयों 20669 के राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। पत्रावलियों में अंकित विवरण के अनुसार चेक नं0 249762 दिनांक-09.07.2012 द्वारा कार्य प्रभारी श्री राम कुमार को उक्त भुगतान दिया गया है उक्त अपहरण के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्त शुक्ला लेखाकार श्री अवधेशकुमार श्रीवास्तव व कार्य प्रभारी श्री राम कुमार उत्तरदायी है। **उक्त अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-24—क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में ग्रांट रजिस्टर के अनुसार नेडा बस्ती से 13 सोलर लाईट खरीदकर चेक नं0-249769 दिनांक-22.10.2012 द्वारा रू0-303563.00 व्यय किया गया है उक्त सोलर लाईट क्रय पर निम्न आपत्तियां है—

- (1) क्रय किये गये सोलर लाईट कहाँ-कहाँ लगाये गये है इसका कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (2) सोलर लाईट क्रय के लिये आदेश तथा स्वीकृति मूल्य सूची भी प्रस्तुत नहीं की गई।
- (3) सोलर लाईट का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (4) नेडा बस्ती का सोलर लाईट का प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस प्रकार नेडा बस्ती को उक्त सोलर लाईट क्रय पर रू0-303563.00 का भुगतान कर अनियमितता की गई है जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्त शुक्ल व लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-25—क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर-3 के अनुसार अनुदानों पर अर्जित व्याज की धनराशि 132404.00 अंकित है जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है। शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार

शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो व्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोश में जमा किया जाना चाहिए। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित व्याज को राजकोश में जमा न कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। उक्त अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्तशुक्ल व लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-26—क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय 45224.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। किन्तु लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त उक्त काटे गये टी0डी0एस0 की धनराशि को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने की प्रमाणक अप्रस्तुत रहा। जिसे यह स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि रू0 45224.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय व लेखाकार रज्जाक मोहम्मद उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-27—क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में सामग्री क्रय प्रमाणकों की धनराशि रू0 2121290.00 है जिस पर रू0 6585.00 व्यापारकर/बैट की धनराशि को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने की प्रमाणक अप्रस्तुत रहा। जिसे यह स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि रू0 6585.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय व लेखाकार रज्जाक मोहम्मद उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-28—क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में सामग्री क्रय प्रमाणक की धनराशि रू0 2191290.00 पर नियमानुसार 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर/वैट 87651.00 की कटौती की जानी चाहिए थी। किन्तु मात्र 6585.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार 87651-6585=81066.00 की कटौती नहीं की गयी है। उक्त कम काटे गये व्यापार कर की धनराशि 81066.00 की राजकीय क्षति के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार मिश्रा, श्री सुमिरन प्रसाद चौधरी, श्री गोपान प्रसाद कुशवाहा व लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अर्थदण्ड सहित वसूली करके सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाय।

प्रस्तर-29—क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त/तेरहवां वित्त के निर्माण पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है। कि मजदूरो की मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न देकर कार्य प्रभारियों को किया गया है। जो कि अनियमित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	चेक नं०	दिनांक	धनराशि	चेक कार्य प्रभारी को निर्गत है।	मद	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एकाउंटेंट
1	249793	13.12.13	91628	श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा	क्रमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार व कार्य प्रभारी श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा।
2	522320	02.01.12	76814	श्री राम कुमार, सहा० वि० अधि० कृषि	क्रमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार व कार्य प्रभारी श्री रामकुमार।
3	523211	29.01.14	13928	श्री राम कुमार, सहा० वि० अधि० कृषि	क्रमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार व कार्य प्रभारी श्री रामकुमार।

4	53320 2	19.12. 13	17268	श्री राम कुमार, सहा0 वि0 अधि0 कृषि	क्रमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार व कार्य प्रभारी श्री रामकुमार।
5	16637 3	13.12. 13	51020	श्री राम कुमार, सहा0 वि0 अधि0 कृषि	क्रमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार व कार्य प्रभारी श्री रामकुमार।
6	16637 2	13.12. 13	15885	श्री राम कुमार, सहा0 वि0 अधि0 कृषि	क्रमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार व कार्य प्रभारी श्री रामकुमार।
7	16634 0	03.10. 13	54360	श्री राम कुमार, सहा0 वि0 अधि0 कृषि	क्रमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार व कार्य प्रभारी श्री रामकुमार।
8	52320 3	02.01. 14	22670	श्री राम कुमार, सहा0 वि0 अधि0 कृषि	क्रमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार व कार्य प्रभारी श्री रामकुमार।
9	16636 9	03.10. 13	52298	श्री राम कुमार, सहा0 वि0 अधि0 कृषि	क्रमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार व कार्य प्रभारी श्री रामकुमार।
10	16636 8	03.10. 13	31832	श्री राम कुमार, सहा0 वि0 अधि0 कृषि	क्रमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार व कार्य प्रभारी श्री रामकुमार।
11	53320 1	19.12. 13	102114	श्री जावेद अख्तर	क्रमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला खण्ड विकास अधिकारी, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार व कार्य प्रभारी श्री जावेद अख्तर।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न देकर कार्य प्रभारियों को भुगतान दिया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में जो मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये उन पर कार्य सम्बन्धित पूर्ण विवरण अंकित नहीं है। तथा जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार अप्रमाणित मस्टररोल पर मजदूरी का भुगतान देकर अनियमितता की गई है। जिसके लिए उपरोक्त विवरण के अनुसार सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार तथा सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-30—क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय रु0 35655.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। किन्तु उसे निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा। जो यह स्पष्ट करता है कि उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार

पाण्डेय व लेखाकार श्री रज्जाक मोहम्मद उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-31—क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में सामग्री क्रय प्रमाणको की धनराशि 1800549.00 पर भुगतान के समय 4 प्रतिशत की दर से 72022.00 व्यापारी कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए थी। किन्तु आलोच्य वर्ष में शून्य कटौती की गयी है। इस प्रकार धनराशि रू0 72022.00 की कटौती न करने से राजकीय क्षति हुयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्त व लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अर्थदण्ड सहित वसूली करके सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाय।

प्रस्तर-32—क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर-3 के अनुसार अनुदानों पर अनुदानों पर अर्जित व्याज की धनराशि 248136.00 अंकित है जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है। शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो व्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोश में जमा किया जाना चाहिए। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित व्याज को राजकोश में जमा न कर उक्त शासनादेश का उलन्घन किया गया है। उक्त अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्त शुक्ल व लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 33— क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त/तेरहवां वित्त के निर्माणा पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मजदूरों की मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न देकर कार्य प्रभारियों को किया गया है। जोकि अनियमित है। विवरण निम्न प्रकार है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र सं 0	चेक नं0	दिनांक	धनराशि	चेक कार्य प्रभारी को निर्गत है।	मद	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी + एकाउंटेंट
1	445041	09.10.14	17164	श्री जावेद अख्तर स0वि0अधि0	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव तथा कार्यप्रभारी श्री जावेद अख्तर
2	249825	28.07.14	70208	श्री जावेद अख्तर स0वि0अधि0	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव तथा कार्यप्रभारी श्री जावेद अख्तर
3	523219	9.10.14	58264	श्री जावेद अख्तर स0वि0अधि0	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव तथा कार्यप्रभारी श्री जावेद अख्तर
4	445044	9.10.14	26212	श्री जावेद अख्तर स0वि0अधि0	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव तथा कार्यप्रभारी श्री जावेद अख्तर
5	523220	9.10.14	54408	श्री जावेद अख्तर	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री

						कार्यप्रभारी श्री रामकुमार
16	445030	11.09.14	58620	श्री राम कुमार स0वि0आ0 कृषि	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव तथा कार्यप्रभारी श्री रामकुमार
17	445043	09.10.14	13552	श्री राम कुमार स0वि0आ0 कृषि	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव तथा कार्यप्रभारी श्री रामकुमार
18	445048	21.1.15	36508	श्री राम कुमार स0वि0आ0 कृषि	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव तथा कार्यप्रभारी श्री रामकुमार
19	445050	21.01.15	57600	श्री जावेद अख्तर स0वि0अधि0	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव तथा कार्यप्रभारी श्री जावेद अख्तर
20	899849	06.05.15	22490	श्री जावेद अख्तर स0वि0अधि0	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव तथा कार्यप्रभारी श्री जावेद अख्तर
21	899832	10.02.15	58620	श्री जावेद अख्तर स0वि0अधि0	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव तथा कार्यप्रभारी श्री जावेद अख्तर
22	899834	10.02.15	72295	श्री जावेद अख्तर स0वि0अधि0	कमांश	श्री दुर्गादत्त शुक्ला ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव तथा कार्यप्रभारी श्री जावेद अख्तर

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरी को मजदूरी का भुगतान न देकर कार्य प्रभारियों को भुगतान दिया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में जो मस्टररोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये गये उन पर कार्य सम्बन्धित पूर्ण विवरण अंकित नहीं है तथा जो अंगूठा निशान अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार अप्रमाणित मस्टररोल पर मजदूरी का भुगतान देकर अनियमितता की गई है। जिसके लिये उपरोक्त विवरण के अनुसार सम्बन्धित ख0वि0अधि0 व लेखाकार तथा सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 34— क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में समग्री कय प्रमाणकों के भुगतान के समय रु 81251.00 टी0डी0एस0 की कटौती लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में अंकित पाया गया। किन्तु लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त उक्त काटे गये टी0डी0एस0 धनराशि 81251 की निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उक्त काटे गये टी0डी0एस0 धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इसके लिये ख0वि0अधि0 श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय व लेखाकार श्री रज्जाक मोहम्मद उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित

किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 35— क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में समग्री कय प्रमाणकों के भुगतान के समय रु 143005 वैट/व्यापारकर की कटौती लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में अंकित पाया गया। किन्तु लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त उक्त काटे गये वैट/व्यापार कर 143005 की निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उक्त काटे गये वैट/व्यापार कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इसके लिये ख०वि०अधि० श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय व लेखाकार श्री रज्जाक मोहम्मद उत्तरदायी है। **अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 36— क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान पंजिका ।।। के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि मार्च 2015 में रु 465865.00 अंकित है जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है शासनादेश सं०— ए-1-122/दस-2012-10(33)/2019 दिनांक- 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसको राजकोश में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा न करके उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री रामचन्द्रराम व लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 37— क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में अनुदान पंजिका ।।। में माह जून 2014 में रु 342605.00 की ब्याज की धनराशि की निकासी/व्यय किया गया है उपरोक्त शासनादेश के अनुसार राजकोश में जमा किया जाना चाहिये था किन्तु उक्त अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोश में जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार रु 342605.00 की धनराशि निकासी/व्यय करने के कारण दुरुपयोग किया गया है जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री दुर्गादत्त शुक्ल व लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। **आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

प्रस्तर 38— क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त/तेरहवां वित्त के निर्माण पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मजदूरों की मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न देकर कार्यप्रभारियों को किया गया है जोकि अनियमित है विवरण निम्न प्रकार है—

क्र० सं०	चेक नं०	दिनांक	धनराशि	चेक प्रभारी कार्य को निर्गत है।	मद	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एकाउंटेंट
1	589455	05.03.16	58299.00	श्री जावेद अख्तर	क्रमांश I	श्री सुशील कुमार अग्रहरि ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र तथा कार्यप्रभारी श्री जावेद अख्तर
2	589437	09.09.15	55827.00	श्री रामकुमार	क्रमांश I	श्री श्याम जी ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी तथा कार्य प्रभारी श्री रामकुमार
3	893867	25.06.15	105080.00	श्री आदित्य प्रकाश मिश्र	क्रमांश I	श्री दिग्विजयनाथ तिवारी ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री राशंकर चौधरी तथा कार्यप्रभारी श्री आदित्य प्रकाश मिश्र
4	899861	19.06.15	45666.00	श्री रामकुमार	क्रमांश I	श्री दिग्विजयनाथ तिवारी ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री राशंकर चौधरी तथा कार्य प्रभारी श्री रामकुमार
5	899869	26.6.15	92012.00	श्री रामकुमार	क्रमांश I	श्री दिग्विजयनाथ तिवारी ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री राशंकर चौधरी तथा कार्य प्रभारी श्री

						रामकुमार
6	899865	19.06. 15	18008.00	श्री रामकुमार	क्रमांश T	श्री दिग्विजयनाथ तिवारी ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री राशंकर चौधरी तथा कार्य प्रभारी श्री रामकुमार
7	523224	30.06. 15	6754.00	श्री रामकुमार	क्रमांश T	श्री दिग्विजयनाथ तिवारी ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री राशंकर चौधरी तथा कार्य प्रभारी श्री रामकुमार
8	899863	19.06. 15	20906.00	श्री रामकुमार	क्रमांश T	श्री दिग्विजयनाथ तिवारी ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री राशंकर चौधरी तथा कार्य प्रभारी श्री रामकुमार
9	589457	05.03. 16	11564.00	श्री रामकुमार	क्रमांश T	श्री हनुमान प्रसाद मिश्र ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र तथा कार्य प्रभारी श्री रामकुमार
10	589449	20.12. 15	30192.00	श्री रामकुमार	क्रमांश T	श्री सुशील कुमार अग्रहरि मिश्र ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री राशंकर चौधरी तथा कार्य प्रभारी श्री रामकुमार
11	589447	26.12. 15	103890. 00	श्री रामकुमार	क्रमांश T	श्री सुशील कुमार अग्रहरि मिश्र ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री राशंकर चौधरी तथा कार्य प्रभारी श्री रामकुमार
12	589434	07.09. 15	34213.00	श्री आदित्य प्रकाश मिश्र	क्रमांश T	श्री श्याम जी ख0वि0अधि0 व रामशंकर चौधरी लेखाकार तथा कार्य प्रभारी श्री आदित्य प्रकाश मिश्र
13	589432	26.08. 15	48180.00 63596.00	श्री आदित्य प्रकाश मिश्र	क्रमांश T	श्री त्रिभुवननाथ पाण्डेय ख0वि0अधि0 व रामशंकर चौधरी लेखाकार तथा कार्य प्रभारी श्री आदित्य प्रकाश मिश्र
14	899873	26.08. 15	44968.00	श्री आदित्य प्रकाश मिश्र	क्रमांश T	श्री रामचन्द्रराम ख0वि0अधि0 व अवधेश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार तथा कार्य प्रभारी श्री आदित्य प्रकाश मिश्र

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न देकर कार्यप्रभारियों को भुगतान दिया गया है उक्त भुगतान पुष्टि में जो मस्टररोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये गये उन पर कार्य सम्बन्धित पूर्ण विवरण अंकित नहीं है तथा जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है इस प्रकार अप्रमाणित मस्टररोल पर मजदूरी का भुगतान देकर अनियमितता की गयी है जिसके लिये उपरोक्त विवरण के अनुसार सम्बन्धित ख0वि0अधि0 व लेखाकार तथा सम्बन्धित कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 39— क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में समग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय रु 105603.00 टी0डी0एस0 की कटौती लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में अंकित पाया गया है किन्तु लेखापरीक्षा में मांगोपरान्त उक्त टी0डी0एस0 धनराशि राजकीय राजस्व रु 105603.00 की निर्धारित शीर्षक में जमा करने का प्रमाणक अप्रस्तुत रहा इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उक्त काटे गये टी0डी0एस0 धनराशि का अपहरण कर लिया गया है इसके लिये ख0वि0अधि0 श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय व लेखाकार श्री रज्जाक मोहम्मद उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज

सहित सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 40— क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में सामाग्री कय प्रमाणको के भुगतान के समय रु 191333.00 वैट/व्यापार कर की कटौती लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में अंकित पाया गया किन्तु लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त उक्त काटे गये वैट/व्यापार कर 191333.00 की निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक अप्रस्तुत रहा इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उक्त काटे गये वैट/व्यापार कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया इसके लिये ख०वि०अधि० श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय व लेखाकार श्री रज्जाक मोहम्मद उत्तरदायी है। **अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 41— क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में शासनादेश सं०-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2019 दिनांक- 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसको राजकोश में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान पंजिका ।।। के अनुसार रु 465865.00 की निकासी/व्यय माह जून 2015 में की गई है उक्त ब्याज की धनराशि को राजकोश में जमा करने का प्रमाणक अप्रस्तुत रहा इस प्रकार उक्त अनुदान पंजिका में निकासी/व्यय अंकित धनराशि रु 465865.00 का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री दिग्विजयनाथ तिवारी तथा लेखाकार श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। **आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

प्रस्तर 42— क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त/तेरहवां वित्त के निर्माण पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मजदूरों की मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न देकर कार्यप्रभारियों को किया गया है जोकि अनियमित है विवरण निम्न प्रकार है—

क्र० सं०	चेक नं०	दिनांक	धनराशि	चेक कार्य प्रभारी को निर्गत है।	मद	सम्बन्धित खण्ड अधिकारी एकाउंटेंट विकास
1	589465	12.09.16	9416.00	श्री आदित्य प्रकाश मिश्र	क्रमांश I	श्री प्यारे लाल ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र तथा कार्यप्रभारी श्री आदित्य प्रकाश मिश्र
2	589468	25.10.16	5054.00	श्री आदित्य प्रकाश मिश्र	क्रमांश I	श्री प्यारे लाल ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र तथा कार्यप्रभारी श्री आदित्य प्रकाश मिश्र
3	589477	15.03.17	51624.00	श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी	क्रमांश I	श्री मोहम्मद नसीम ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र तथा कार्यप्रभारी श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी
4	589473	15.03.17	52320.00	श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी	क्रमांश I	श्री मोहम्मद नसीम ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र तथा कार्यप्रभारी श्री सुरेन्द्र नाथ चौधरी
		योग	118414.00			

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न देकर कार्यप्रभारियों को भुगतान दिया गया है उक्त भुगतान पुश्ति में जो मस्टररोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये गये उन पर कार्य सम्बन्धित पूर्ण विवरण अंकित नहीं है तथा जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है इस प्रकार अप्रमाणित मस्टररोल पर मजदूरी का भुगतान देकर अनियमितता की गयी है जिसके लिये उपरोक्त विवरण के अनुसार सम्बन्धित ख०वि०अधि० व लेखाकार तथा सम्बन्धित कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 43— क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावली में समाग्री कय प्रमाणकों के भुगतान के समय रु 21045.00 टी०डी०एस० की कटौती की गयी है। उक्त काटे गये टी०डी०एस० का निर्धारित शीर्षकका जमा करने का प्रमाणक लेखापरीक्षा में मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि राजकीय राजस्व का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय व लेखाकार श्री रज्जाक मोहम्मद उत्तरदायी है। **अपहरित धनराशि 21045.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 44— क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में समाग्री कय प्रमाणकों की धनराशि रु 981774.00 है जिस पर 4 प्रतिशत की दर से रु 39270.00 की कटौती प्रमाणकों के भुगतान के समय की जानी चाहिये थी किन्तु निर्माण पत्रावलियों में मात्र 19882.00 व्यापारकर/वैट की कटौती अंकित की गई है इस प्रकार 39270-19882=19388.00 व्यापारकर/वैट की कम कटौती करके राजकीय क्षति की गई है जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री प्यारेलाल व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र उत्तरदायी है तथा काटे गये व्यापार कर/वैट की धनराशि रु 19882.00 को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक मांगोपरान्त लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहा इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि रु 19882.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय व लेखाकार श्री रज्जाक मोहम्मद उत्तरदायी है। **अतः उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 45— क्षेत्र पंचायत दुबौलिया के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि रु 28678.00 है जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया शासनदेश सं०— ए-1-122/दस-2012-10(33)/2019 दिनांक— 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसको राजकोश में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में न जमा कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया है उक्त अनियमितता के लिये ख०वि०अधि० श्री मोहम्मद नसीम एवं लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र उत्तरदायी है। **विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 46— क्षेत्र पंचायत गौर के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्रियों पर कुल व्यय रु० 3594000.00 किया गया है। नियमानुसार निर्माण सामग्री की बिलों से 2.24 प्रतिशत की दस से कुल रु० 80506.00 टी०डी०एस० कटौती के सापेक्ष रु० 51337.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु० 29169.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी वसूली **ब्याज सहित** तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री नरसिंह नरायन से संयुक्त रूप से की जानी **अपेक्षित है।**

प्रस्तर-47— क्षेत्र पंचायत गौर के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्रियों पर कुल व्यय रु० 3594000.00 किया गया है। जिसके सापेक्ष 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर की कटौती न कर कुल रु० 143760.00 राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी वसूली **ब्याज सहित** तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार तथा लेखाकारी श्री नरसिंह नरायन से संयुक्त रूप से की जानी **अपेक्षित है।**

प्रस्तर-48— क्षेत्र पंचायत गौर के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्री की बिलों से टी०डी०एस० की की गयी कुल कटौती रु० 51337.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्षकमें न जमा कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार तथा लेखाकारी श्री नरसिंह नरायन संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है। **सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-49— क्षेत्र पंचायत गौर के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट रजिस्टर-3 की जांच में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में क्षेत्र निधि से अर्जित व्याज शीर्ष में शुद्ध जमा शेष रु0 105967.00 दर्शाया गया है जो विगत वर्षों से चला आ रहा है। शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से अवमुक्त अनुदान की धनराशि को बैंक में रखने पर व्याज अर्जित होता है तो, उसे संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए अथवा राजकीय कोश में जमा कर दिया जाना चाहिए किन्तु संस्था द्वारा ऐसा न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री नरसिंह नारायण संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। यह भी उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष में उक्त शीर्ष में आय शून्य दर्शित है, जबकि एक बड़ी धनराशि वर्षान्त में उपलब्ध होना दर्शित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-50— क्षेत्र पंचायत गौर के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्रियों पर कुल व्यय रु0 3444384.00 किया गया है। नियमानुसार निर्माण सामग्री की बिलों से 2.24 प्रतिशत की दर से कुल रु0 77154.00 टी0डी0एस0 कटौती के सापेक्ष रु0 43732.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 33422.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह, श्री अनिल कुमार तथा लेखाकार श्री नरसिंह नारायण से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-51— क्षेत्र पंचायत गौर के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्रियों पर कुल व्यय रु0 3444384.00 किया गया है। जिसके सापेक्ष 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर की कटौती न कर कुल रु0 43732.00 राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार, श्री अनिल कुमार तथा लेखाकार श्री नरसिंह नारायण से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-52— क्षेत्र पंचायत गौर के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्री की बिलों से टी0डी0एस0 की गयी कुल कटौती रु0 43732.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्षक में न जमा कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार तथा लेखाकार श्री नरसिंह नारायण संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-53— क्षेत्र पंचायत गौर के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट रजिस्टर-3 की जांच में पाया गया कि वर्ष 2012-13 में क्षेत्र निधि से अर्जित व्याज शीर्ष में शुद्ध जमा शेष रु0 105967.00 दर्शाया गया है जो विगत वर्षों से चला आ रहा है। शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से अवमुक्त अनुदान की धनराशि को बैंक में रखने पर व्याज अर्जित होता है तो, उसे संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए अथवा राजकीय कोश में जमा कर दिया जाना चाहिए किन्तु संस्था द्वारा ऐसा न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री नरसिंह नारायण संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। यह भी उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष में उक्त शीर्ष में आय शून्य दर्शित है, जबकि एक बड़ी धनराशि वर्षान्त में उपलब्ध होना दर्शित है। उक्त स्थिति में व्याज अप्राप्त होना संभव नहीं है और आपत्ति का विषय है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-54— क्षेत्र पंचायत गौर के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्रियों पर कुल व्यय रु0 5552135.00 किया गया है। नियमानुसार निर्माण सामग्री की बिलों से 2.24 प्रतिशत की दर से कुल रु0 124368.00 टी0डी0एस0 कटौती के सापेक्ष रु0 93439.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 30929.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह, श्री अनिल कुमार सिंह, श्री उपेन्द्र पाठक तथा श्री श्यामजी एवं लेखाकार श्री नरसिंह नारायण से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-55— क्षेत्र पंचायत गौर के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्रियों पर कुल व्यय रु0 5552135.00 किया गया है। जिसके सापेक्ष 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर की कटौती न कर कुल रु0 222085.00 राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी वसूली **अपेक्षित है**। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह, श्री अनिल कुमार सिंह, श्री उपेन्द्र पाठक तथा श्री श्यामजी एवं लेखाकार श्री नरसिंह नरायण से संयुक्त रूप से **क्षतिपूर्ति अपेक्षित है**।

प्रस्तर-56— क्षेत्र पंचायत गौर के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्री की बिलों से टी0डी0एस0 की की गयी कुल कटौती रु0 93439.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्षकमें न जमा कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्यामजी एवं लेखाकार श्री नरसिंह नरायण संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-57— क्षेत्र पंचायत गौर के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट रजिस्टर-3 की जांच में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में क्षेत्र निधि से अर्जित व्याज शीर्ष में शुद्ध जमा शेष रु0 105967.00 दर्शाया गया है जो विगत वर्षों से चला आ रहा है। शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से अवमुक्त अनुदान की धनराशि को बैंक में रखने पर व्याज अर्जित होता है तो, उसे संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए अथवा राजकीय कोश में जमा कर दिया जाना चाहिए किन्तु संस्था द्वारा ऐसा न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री नरसिंह नरायण संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। यह भी उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष में उक्त शीर्ष में आय शून्य दर्शित है, जबकि एक बड़ी धनराशि वर्षान्त में उपलब्ध होना दर्शित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक **क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है**।

प्रस्तर-58— क्षेत्र पंचायत गौर के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट रजिस्टर की जांच में पाया गया कि वर्ष में कुल रु0 193523.00 आयकर कटौती/अन्यमद में उपभोग किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय संबन्धी प्रमाणक/ जमाचालान/ अन्य अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर एवं दर्शित व्यय की पुष्टि न कराकर गंभीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री नरसिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। **व्याज सहित वसूली अपेक्षित है**।

प्रस्तर 59— क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्रियों पर कुल रु 5546626.00 किया गया है, जिसका विवरण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में तालिका 02 पर दर्शित है। नियमानुसार निर्माण सामग्री की बिलों से **दर 2.24 प्रतिशत की दर से** कुल रु 124244.00 टी0डी0एस0 कटौती के सापेक्ष रु 96427.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु 27817.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी वसूली **व्याज सहित** तत्कालीन ख0वि0अधि0 गण श्री अशोक कुमार सिंह श्री एस0डी0 दूबे, श्री राम बहादुर चौधरी, श्री हनुमान प्रसाद मिश्र एवं श्री कृष्ण कुमार दूबे तथा लेखाकार श्री नरसिंह नरायण एवं राम कुमार पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 60— क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्रियों पर कुल रु 5546626.00 किया गया है, जिसका विवरण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में तालिका 02 पर दर्शित है। नियमानुसार निर्माण सामग्री की बिलों से **दर 4.00 प्रतिशत की दर से** कुल रु 221865.00 बिक्रीकर कटौती के सापेक्ष रु 81675.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु 140190.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी वसूली **व्याज सहित** अपेक्षित है।

तत्कालीन ख0वि0अधि0 गण श्री अशोक कुमार सिंह श्री एस0डी0 दूबे, श्री राम बहादुर चौधरी, श्री हनुमान प्रसाद मिश्र एवं श्री कृष्ण कुमार दूबे तथा लेखाकार श्री नरसिंह नरायण एवं राम कुमार पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 61— क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में सामग्री के बिलों से टी0डी0एस0 की की गयी कटौती कुल रु 96427.00 का वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्षकमें न जमा कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री कृष्ण कुमार दूबे तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया

जाना अपेक्षित है। **विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 62— क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में सामाग्री के बिलो से बिक्रीकर की गयी कटौती कुल रु 81675.00 का वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्षकमें न जमा कर गम्भीर अनियमितता कीगयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री कृष्ण कुमार दूबे तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है। **विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 63— क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट ।।। रजिस्टर की जांच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 में क्षेत्र निधि से अर्जित ब्याज शीर्ष में शुद्ध जमा शेष रु 574362.00 दर्शाया गया है। शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-दस(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से अवमुक्त अनुदान की धनराशि को बैंक में रखने पर ब्याज अर्जित होता है तो उसे संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिये अथवा राजकीय कोश में जमा कर दिया जाना चाहिये किन्तु संस्था द्वारा वर्षान्त में ऐसा न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री कृष्ण कुमार दूबे तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति **क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

प्रस्तर 64— क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में सामाग्री की बिलों से टी0डी0एस0 की की गयी कटौती कुल रु 101564.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्ष में न जमा कर गंभीर अनियमितता की है। जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री प्यारे लाल एवं लेखाकार श्री नरसिंह नारायण संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है। **विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 65— क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामाग्री की बिलों से बिक्रीकर की गयी कटौती कुल रु 178972.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्षकमें न जमा कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री प्यारे लाल एवं लेखाकार श्री नरसिंह नारायण संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है। **विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 66— क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट-3 रजिस्टर की जांच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में क्षेत्र निधि से अर्जित ब्याज शीर्ष में शुद्ध जमा शेष रु 610385.00 दर्शाया गया है। शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-दस(33)/2010 दिनांक 21.03.12 के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से अवमुक्त अनुदान की धनराशि को बैंक में रखने पर ब्याज अर्जित होता है तो उसे संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिये अथवा राजकीय कोश में जमा कर दिया जाना चाहिये किन्तु संस्था द्वारा वर्षान्त में ऐसा न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री प्यारे लाल एवं लेखाकार श्री नरसिंह नारायण संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति **क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

प्रस्तर 67— क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामाग्री के बिलो से टी0डी0एस0 की की गयी कटौती कुल रु 50962.00 का वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्षकमें न जमा कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री चन्द्र प्रकाश यादव तथा लेखाकार श्री नरसिंह नारायण संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है। **विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।**

प्रस्तर 68— क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामाग्री के बिलो से बिक्रीकर की की गयी कटौती कुल रु 90260.00 का वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्षकमें न जमा कर गम्भीर अनियमितता कीगयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री चन्द्र प्रकाश यादव तथा लेखाकार श्री नरसिंह नारायण संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक **क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

प्रस्तर 69— क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट-3 रजिस्टर की जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में क्षेत्र निधि से अर्जित ब्याज शीर्ष में शुद्ध जमा शेष रु 610375.00 दर्शाया गया है। जो गत वर्ष से चला आ रहा है। शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-दस(33)/2010 दिनांक

21.03.12 के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से अवमुक्त अनुदान की धनराशि को बैंक में रखने पर ब्याज अर्जित होता है तो उसे संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिये अथवा राजकीय कोश में जमा कर दिया जाना चाहिये किन्तु संस्था द्वारा वर्र्शान्त में ऐसा न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री चन्द्र प्रकाश यादव तथा लेखाकार श्री नरसिंह नारायण संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। यह भी उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष में उक्त शीर्ष में आय शून्य दर्शित है, जबकि एक बड़ी धनराशि वर्र्शान्त में उपलब्ध होना दर्शित है। उक्त स्थित में ब्याज अप्राप्त होना सम्भव नहीं है और आपत्ति का विषय है। है। **विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-70— क्षेत्र पंचायत गौर की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में दिनांक-31.03.17 को ग्राण्ट-।।।

रजिस्टर के अनुसार युवक/महिला मंगल दल योजना में अनुदान की अवर्ष श धनराशि कुल रु 38000.00 दर्शित है जो विगत कई वर्षों से यथावत चला आ रहा है। उक्त धनराशि का उपभोग संस्था द्वारा न कर योजना को विफल किया गया, साथ ही वर्र्शान्त में प्रदाता विभाग को वापस न कर के अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री चन्द्र प्रकाश यादव तथा लेखाकार श्री नरसिंह नारायण संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-71— क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित विवरणानुसार राष्ट्रीय बायो गैस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 05 लाभार्थियों को अनुदान पंजी अनुसार कुल रु०-22000.00 व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में लाभार्थियों के चयन सम्बन्धी पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी और न ही क्षेत्र पंचायत की बैठक की कार्यवाही पंजी ही प्रस्तुत की गयी जिससे लाभार्थियों के चयन की पुष्टि होती हो। इससे उक्त धनराशि रु०-22000.00 का तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपहरण कर लिया जाना पुष्टित होता है जिसकी वसूली **ब्याज सहित** उनसे बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

01- श्री विमल कुमार सिंह- निवासी ग्राम धौरहरा-	रु०-8000.00
02- श्री सत्य प्रकाश-निवासी ग्राम कसैला-	रु०-3500.00
03- श्री आज़ाराम चौधरी-निवासी ग्राम-भाडेसर-	रु०-3500.00
04- श्री मिट्ठीराम-निवासी ग्राम- प्रतापपुर-	रु०-3500.00
05- श्री राजेश सिंह-निवासी ग्राम-प्रतापपुर-	रु०-3500.00

योग- 22000.00

प्रस्तर-72— क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2011-12 में कराये गये कार्यों की माप-पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। माप-पुस्तिका की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्नलिखित कार्यों पर सामाग्री क्रय हेतु भुगतान सम्बन्धित फर्मों को न कर कार्यप्रभारियों को किया गया है जो अनियमित रहा। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

01- मोहम्मदपुर में कुरैशी के घर से नदी तक-नाली निर्माण कार्य प्रभारी- श्री बाबूलाल-	
48700.00	
02- मूहम्मदपुर में अनवर साहिन के घर से नदी तक नाली निर्माण-कार्य प्रभारी- श्री बाबूलाल	
48700.00	
03- बेइली में जोखूराम के घर से पाटन के घर तक नाली निर्माण-कार्य प्रभारी-श्रीमती कुसुमलता सिंह	
48700.00	
04- बेइली में अनवर अली के घर से मेही के घर तक नाली निर्माण-	
130275.00	
05- बेइली में अनवर अली के घर से मेही के घर तक नाली निर्माण-	
32224.00	

योग-281599.

00

प्रस्तर-73— क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2011-12 में कराये गये निर्माण कार्यों की माह पुस्तिका की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मजदूरी भुगतान हेतु निम्नविरणानुसार चेक कार्य प्रभारियों के नामे निर्गत किये गये है जबकि उक्त से सीधे मजदूरों के खाते में प्रेषित किया जाना चाहिये था। अतः उक्त

समस्त भुगतान अनियमित रहे जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

01- राज्य वित्त से भुगतान की गई धनराशि रू0- 3440876.00

02- तेरहवां वित्त से भुगतान की गई धनराशि रू0- 173434.00

योग- 517510.00

प्रस्तर-74- क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2012-13 में कुल 04 निर्माण कार्यों पर मजदूरी मद में रू0-577875.00 का भुगतान सीधे मजदूरों को न करके कार्यप्रभारी श्री राम इन्दर पासवान, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता को किया गया है। उक्त पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोलो पर न तो मस्टररोल क्रमांक और न ही कार्य का नाम अंकित पाया गया। मस्टररोलो पर मजदूरों के अंगूठा निशान किसी भी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रमाणित नहीं है तथा मजदूरों के पते भी मस्टररोल पर अंकित नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर फाइल में संलग्न किया गया है और मजदूरी मद में अंकन रू0- 577875.00 का योजना बद्ध तरीके से तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0,लेखाकार तथा कार्य प्रभारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है जो वसूली योग्य है। जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित उत्तरदायी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-75- क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित विवरणानुसार धनराशियों को सम्बन्धित को प्राप्त न कराकर कार्य प्रभारी को भुगतान कर धन का अपहरण कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त हेतु निर्गत बाउचर अन्य बाउचरों से भिन्न एवं फर्जी है-

कार्य का नाम	बाउचर संख्या/ तिथि	विवरण	धनराशि	भुगतान
प्राप्तकर्ता				
बहादुरपुर अल्पसंख्यक	1/29/ 29.03.13	पवन इण्टरप्राइजेज से सामाग्री	16103.00	
श्री राम इन्दर पासवान				
बस्ती पर सी0सी0 रोड	224/ 28.03.13	चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल	6805.00	
"" "" ""	19/ 28.03.13	मे0 विजय श्रीवास्तव	6145.00	""
"" "" ""				
योग-				29053.00

अतः उक्त अंकन रू0-29053.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार एवं कार्यप्रभारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-76- क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2012-13 में तेरहवां वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध धनराशि में से क्षेत्र पंचायत में कुल 87 सोलर लाईटो पर कुल रू0-1813950.00 का व्यय किया गया है उक्त व्यय पर निम्न गंभीर आपत्तियां जांच में प्रकाश में आयी है-

01- उक्त कय हेतु आमंत्रित टेण्डरो में से आपूर्तिकर्ता फर्म संगम इलेक्ट्रानिक्स गौसपुर बस्ती को छोड़कर शेष को टेण्डर प्रस्तुत करने वाले आपूर्तिकर्ताओं 01- मेसर्स पवन इण्टरप्राइजेज एवं 02-मे0 लक्की मन्नु ब्रिक फील्ड का रजिस्ट्रेशन नेडा में नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट होता है कि टेण्डर की कार्यवाही मात्र कागजी ही रही। समस्त भुगतान रू0-1813950.00 वैध टेण्डर के अभाव में अनियमित रहा।

02- आपूर्ति कर्ता फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों में से 04 प्रतिशत वैट की कटौती की जानी चाहिये थी जो आडिट गणनानुसार रू0-72558.00 होता है अतः रू0- 72558.00 की कटौती न कर अनियमितता बरती गई है। जिससे राजकीय कोश को हानि उठानी पड़ी है।

इस प्रकार उक्त अनियमितताओं हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जिनसे धनराशियों की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-77- क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2013-14 में कुल 04 निर्माण कार्यों पर मजदूरी मद में रू0- 969206.00 का भुगतान सीधे मजदूरों न करके कार्यप्रभारियों को किया गया है। उक्त पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोलो पर न तो मस्टररोल क्रमांक और न ही कार्य का नाम अंकित पाया गया। मस्टररोलो पर मजदूरों के अंगूठा निशान किसी भी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रमाणित नहीं है तथा मजदूरों के पते भी

मस्टररोल पर अंकित नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। और मजदूरी मद में अंकन रु० 989206.00 का योजनाबद्ध तरीके से तत्कालीन खण्डविकास अधिकारी, जे०ई० तथा लेखाकार तथा कार्य प्रभारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-78- क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित वाउचरों पर विक्रेता का हस्ताक्षर नहीं है। अतः वे फर्जी हैं, इस प्रकार फर्जी वाउचर संलग्न कर धनराशियों का अपहरण तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, एवं कार्यप्रभारी द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूल ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है-

कार्य का नाम	फर्म का नाम	वाउचर संख्या /	तिथि	धनराशि
1 बहादुरपुर बाजार में मुख्य मार्ग से मस्जिद	पवन इण्टरप्राइजेज	24 /		09.04.13
183443.00				
होते हुए गांव के अन्दर तक सी०सी०रोड				
2 नगर बाजार मेन रोड से महावि० तक चौधरी बि० मटै०		230 /	28.06.13	
61800.00				
सी०सी०रोड निर्माण	पवन इण्टरप्राइजेज	—		86770.
00				
3 बहादुरपुर मुख्य मार्ग से गांव के अन्दर तक	—	—	02.11.13	241127.
00				
सी०सी० रोड				
4 नरायनपुर में स०मार्ग पर सोलिंग मरम्मत कार्य	पवन इण्टरप्राइजेज	—		3980.00
	टैक्टर द्वारा मिटटी	—		58006.00
	योग-			635126.00

प्रस्तर-79- क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सड़क से गांव के अन्दर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य पर चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल एकसडा बस्ती को 04 कुन्तल सरिया दि रु० 5239.00 प्रति कुन्तल से रु० 20956.00 का भुगतान किया गया है। परन्तु वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे धन का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-80- क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में मुख्य मार्ग से गांव के अन्दर तक सी०सी० रोड निर्माण की पत्रावली की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल को रु० 81000.00 का भुगतान किया गया है। परन्तु संलग्न वाउचर पर न तो क्रम संख्या और न ही बुक संख्या ही अंकित है। इससे स्पष्ट है कि फर्जी व्यय प्रमाण संलग्न कर धन का अपहरण तत्कालीन लेखाकार, कार्य प्रभारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-81- क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में मुख्य मार्ग से गांव के अन्दर तक सी०सी० रोड निर्माण की पत्रावली की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल एकसडा बस्ती द्वारा दिनांक 07.11.13 को बुक संख्या 04 से क्रमांक 196 की रशीद निर्गत की गयी है। जबकि बुक संख्या 04 से ही दिनांक 02.11.13 को क्रमांक 200 की रशीद जारी की गयी जो लेखा परीक्षा की दृष्टिकोण से समझ से परे है। अतः रशीद संख्या 04/196 दिनांक 07.11.13 मूल्य रु० 139612.00 का भुगतान फर्जी है जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार, कार्यप्रभारी एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-82- क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आदर्श शिक्षा निकेतन में शौचालय निर्माण पर कुल रु० 51957.00 के सामग्री क्रय पर व्यय किया गया है। परन्तु उक्त कार्य से संबंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि कार्य कराया नहीं गया तथा उक्त कार्य हेतु रु० 51957.00 की निकासी कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 83— क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त की प्रस्तुत की गई पत्रावली की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मस्टररोल पर व्यय की गई कुल धनराशि 498860.00 का भुगतान सीधे मजदूरों के खातों में न कर कार्यप्रभारियों किया गया है जो अनियमित रहा। उल्लेखनीय है कि मनरेगा के लागू होने के पश्चात से समस्त भुगतान सम्बन्धित के खातों में सीधे अन्तरित किये जाने के निर्देश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाते रहे हैं। अतः उक्त अनियमित भुगतान के लिये तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 84— क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि उमिलहा पिच मार्ग से लड्डन के घर तक सी0सी0रोड निर्माण का कार्य कराया गया है जिसमें निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी—

1. पत्रावली में स्वीकृत कार्ययोजना संलग्न नहीं है।
2. माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में अनिमितता की गई है। अतः अनिमितता के लिए उत्तरदायी के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 85— क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त की पत्रावली की जांच में पाया गया किय बहादुरपुर हरिजन बस्ती से आगे तक सी0सी0रोड निर्माण किया जाना दर्शित है। उक्त कार्य हेतु पत्रावली में संलग्न मस्टररोल रु 4860.00 पर भुगतान प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर/नि0 अंगूठा नहीं पाया गया। अतः रु 4860.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसे कार्य प्रभारी श्री राम इंदर पासवान से वसूल ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 86— क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त की प्रस्तुत की गयी पत्रावलियों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मस्टररोल पर व्यय की गयी कुल धनराशि रु 763926.00 का भुगतान सीधे मजदूरों के खातों में न कर कार्यप्रभारियों किया गया है जो अनियमित रहा। उल्लेखनीय है कि मनरेगा के लागू होने के पश्चात से समस्त भुगतान सम्बन्धित के खातों में सीधे अन्तरित किये जाने के निर्देश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाते रहे हैं। अतः उक्त अनियमित भुगतान के लिये तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 87— क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि बहादुरपुर सडक से हरदेवनाथ जाने वाले मार्ग पर सी0सी0रोड का निर्माण कार्य कराया गया है जिसमें निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी—

1. उक्त कार्य पर 80.64 घन मी0 मिट्टी डाली गयी है जिसपर कुल रु 11540.00 का व्यय दर्शित है। संलग्न बाउचर श्री जगनारायण पाण्डेय निवासी नरायनपुर द्वारा हस्तलिखित दिया गया है जिस पर टैक्टर टाली का न तो नम्बर अंकित है और न ही रसीदी टिकट ही लगा है जिससे भुगतान की सत्यता प्रमाणित नहीं होती है।
2. मस्टररोलों के सत्यापन हेतु उस पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
3. दिनांक 10.09.2015 को रु 18314.00 का भुगतान सामग्री क्रय हेतु बालाजी इण्टरप्राइजेज को किया गया है परन्तु बिल पर बिलकर्ता का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। अतः उक्त भुगतान फर्जी है जिसका अपहरण तत्कालीन कार्यप्रभारी, लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 88— क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त से बहादुरपुर के रेहरवा में पिच मार्ग से चौखरी टोला तक इण्टरलाकिंग का कार्य कराया गया है जिसमें निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी—

1. उक्त कार्य की पत्रावली में संलग्न चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल एक्सड्रा चौराहा बस्ती द्वारा दिनांक-10.05.2015 को बिल नम्बर 37 मु0 रु 76650.00 निर्गत किया गया है तथा दिनांक-08.05.2015 बिल नम्बर 43 मु0रु0-7300.00 निर्गत किया गया है। अतः बिल सं0-43 पहले दिनांक 08.05.2015 तथा बिल सं0-37 बाद में दिनांक 10.05.2015 को जारी किया जाना उक्त बाउचरों को फर्जी सिद्ध करता है। अतः फर्जी बाउचर संलग्न कर रु 83950.00 का अपहरण तत्कालीन

कार्य प्रभारी, लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कर लिया गया है जो वसूल किया जाना अपेक्षित है।

2. इसी प्रकार लकीमनू ब्रिक फील्ड द्वारा दिनांक-25.07.2015 को बिल सं0-534 मु0 रु- 11408.00 तथा दिनांक- 05.08.2015 को बिल सं0-533 मु0रु 3125.00 भी फर्जी है जिसकी वसूली **ब्याज सहित** उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 89- क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त की प्रस्तुत की गयी पत्रावलियों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मस्टररोल पर व्यय की गयी कुल धनराशि रु 448896.00 का भुगतान सीधे मजदूरों के खातों में न कर कार्यप्रभारियों किया गया है जो अनियमित रहा। उल्लेखनीय है कि मनरेगा के लागू होने के पश्चात से समस्त भुगतान सम्बन्धित के खातों में सीधे अन्तरित किये जाने के निर्देश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने रहे हैं। अतः उक्त अनियमित भुगतान के लिये तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 90- क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त से कराये गये कार्य कलवारी एहतमाली में गोडियाखोर में रु 7.47 लाख व्ययकर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयी-

1. संलग्न मस्टररोल के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि क0सं0-1 पर बहादुरपुर मिस्त्री का नाम अंकित है जो लगातार अनुपस्थिति दर्शित है। इससे स्पष्ट है कि मस्टररोल कागजी कार्यवाही मात्र के लिये भरा गया है।
2. दिनांक-04.06.2017 से जून-2017 तक के मस्टररोल में रामदीन एवं परदेसी को कुल 17 दिन उपस्थित दर्शाया गया है जबकि आडिट गणनानुसार उनकी उपस्थिति मात्र 14 दिन ही होती है। अतः तीन दिन का अधिक का भुगतान जो रु 175 प्रति दिन के हिसाब से रु 525.00 होता है, किया गया जिसकी वसूली **ब्याज सहित** तत्कालीन कार्यप्रभारी श्री सुरेन्द्रनाथ चौधरी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 91- क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि ग्राम पिपरा गौतम में महेन्द्र प्रताप सिंह के घर के सामने नाली निर्माण पर सामग्री क्रय हेतु पवन इण्टरप्राइजेज के बाउचर सं0-02/दिनांक-06.11.2016 मु0 रु 9600.00 तथा माडर्न मोहनी स्कूल करहली में शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय हेतु निर्गत पवन इण्टरप्राइजेज के बाउचर सं0 03/07.11.2016 मु0 रु 6000.00 पर बिलकृता के हस्ताक्षर नहीं हैं जिससे उक्त बाउचर फर्जी है। उल्लेखनीय है कि उक्त भुगतान कार्यप्रभारी को किये गये हैं जो धनराशियों के अपहृत कर लिये जाने को प्रमाणित करते हैं। अतः कुल रु 15600.00 की वसूली **ब्याज सहित** तत्कालीन कार्यप्रभारी श्री अरविन्द श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-92- क्षेत्र पंचायत सल्टौआ के वर्ष 2011-12 में ग्राण्ट रजिस्टर-11 में दर्शित कार्यों /निर्माण कार्यों में विकास खण्ड कार्यालय स्थल /भवन मरम्मत एवं सफाई मरम्मत हेतु क्रमशः रु0 81391.00 एवं रु0 30000.00 क्रमशः श्री जीतेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0 अधि0 एवं दीलीप वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी को उपलब्ध कराकर व्यय दर्शाया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में संबन्धित कार्यों की पत्रावली उपलब्ध नहीं रही। स्पष्ट है कि उक्त व्यय की सार्थकता की पुष्टि में कोई अभिलेख यथा मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री क्रय बिल, टेण्डर आदि उपलब्ध नहीं रहे अतः व्यय की सार्थकता की पुष्टि नहीं हो सकी अतः उक्त व्यय /भुगतान अनियमित रूप से दर्शाकर धनराशि रु0 81391.00 एवं 30000.00 का अपहरण तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री विजय कुमार वर्मा, तत्कालीन लेखाकार श्री शिवप्रसाद उपाध्याय एवं कार्य प्रभारी श्री जीतेन्द्र सिंह (81391.00) एवं श्री दीलीप वर्मा (30000.00) द्वारा किया गया है। **ब्याज सहित** वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-93- क्षेत्र पंचायत सल्टौआ के वर्ष 2011-12 में कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष सामग्री क्रय पर कुल रु0 1931681.00 व्यय किया गया है। जिसमें से रु0 1620573.00 पर नियमानुसार करो की कटौती नहीं की गयी है। अतः उक्त व्यय रु0 1620573.00 पर नियमानुसार 1 प्रतिशत ट्रेड टैक्स एवं 2.24 प्रतिशत आयकर कुल रु0 52506.00 की करो की कटौती न कर राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी वसूली **ब्याज सहित** तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री विजय कुमार वर्मा, श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन

लेखाकार श्री शिवप्रसाद उपाध्याय एवं संबन्धित कार्य प्रभारी से कर क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

क्र० सं०	कार्य प्रभारी का नाम	सामग्री मूल्य	आयकर 2.24 एवं व्यापार कर 1 प्रतिशत	कार्य
1	श्रीमती निशान्त अफरोज, ग्रा०वि०अधि०	98487.00	3191.00	पोखर भिटवा नाली
2	श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र, जे०ई०	129676.00	4202.00	आमा नरायन में नाली
3	श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र, जे०ई०	608190.00	19705.00	बसडिलिया में आर०सी०सी०
4	ब्रह्म प्रकाश मिश्र, जे०ई० एवं श्री रामराज, ग्रा०पं०अधि०	385910.00	12503.00	बहरामपुर में आर०सी०सी०
	योग	1620573.00	52506.00	

प्रस्तर-94- क्षेत्र पंचायत सल्टौआ के वर्ष 2011-12 में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर-।।। में 31.03.12 को बैंक खाते में निम्नविवरणानुसार अवशेष है-

बैंक का नाम	शाखा	खाता संख्या	धनराशि
पी०एन०बी०	लक्ष्मनपुर	9271	108943.00
पी०एन०बी०	लक्ष्मनपुर	9674	1121.00
पी०एन०बी०	सल्टौआ	1182175	5691303.00
पी०एन०बी०	सोनहा	325504599	132189.00
	योग		5935556.00

पुश्टि में संबन्धित पासबुक/स्टेटमेंट अथवा प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहा। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-95- क्षेत्र पंचायत सल्टौआ के वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्य औडजंगल प्रदीप चौधरी के घर से काली प्रसाद के घर के दक्षिण गडहा तक 76 मी० नाली निर्माण रु० 338000.00 की वित्तीय स्वीकृति थी परन्तु इस कार्य पर कुल रु० 533258.00 व्यय किया गया इस प्रकार इस कार्य पर रु० 195258.00 अनियमित रूप से अधिक व्यय कर उक्त धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री अनिल कुमार सिंह तत्कालीन लेखाकारी श्री शिव प्रसाद उपाध्याय एवं कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। **ब्याज सहित** वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-96- क्षेत्र पंचायत सल्टौआ के वर्ष 2012-13 में निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों पर क्रय सामग्री पर नियमानुसार करो की कटौती नहीं की गयी है-

क्र० सं०	कार्य प्रभारी का नाम	कार्य का नाम	सामग्री मूल्य	आयकर 2.24 एवं व्यापार कर 1 प्रतिशत
1	श्री दीलीप वर्मा	कोठिला में पक्का नाला	87517.00	2836.00
2	श्री दीलीप वर्मा	कोठिला में नाली निर्माण	36158.00	1173.00
3	श्री दीलीप वर्मा	हरिहरपुर में आंगनवाडी निर्माण	207794.00	6731.00
4	श्री महेन्द्र यादव	करमरिया पोखरे के पास से आर०सी०सी० मार्ग	289769.00	9389.00
5	श्री महेन्द्र यादव	तेनुआ में आर०सी० सी० पुलिया	3799970.00	12311.00

6	श्री महेन्द्र यादव	साहई रोजना मे हनीफ के घर के पास नाली पर आर0सी0सी0 पुलिया	357573.00	11585.00
7	श्री महेन्द्र यादव	औडजंगल में प्रदीप चौधरी के घर से काली प्रसाद के दक्षिण गडढा तक नाली निर्माण	192808.00	6247.00
8	श्री महेन्द्र यादव	पडरिया चेत सिंह ग्राम में प्रा0 वि0 का वाउण्ट्रीवाल निर्माण	52713.00	1708.00
9	श्री महेन्द्र यादव	आहरमण्डल ग्राम में पोखरा निर्माण	99961.00	3239.00
10	श्री महेन्द्र यादव	हटवा सच्चाराम के घर से पिचरोड तक नाली निर्माण	56567.00	1838.00
		योग—		57052.00

उक्त दर्शित धनराशि मूल्य 57052.00 की अनियमितता कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित कार्य प्रभारी एवं तत्कालीन बी0डी0ओं श्री विजय कुमार वर्मा एवं श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन लेखाकारी श्री शिवप्रसाद उपाध्याय से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—97— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ के वर्ष 2012—13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्य आहर में फेरसहन स्कूल से आमा स्कूल तक खण्डजाकार्य पर रु 490875.00 मजदूरी पर व्यय हुआ है। जिसमें से रु 61500.00 का मस्टररोल अप्रस्तुत रहा जिसका भुगतान कार्य प्रभारी श्री दिलीप वर्मा को चेक संख्या 383654.00 दिनांक 09.01.13 को दिया गया है। बिना मस्टररोल के भुगतान अनियमित रूप से दर्शाकर अपहरण किया गया है। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री दिलीप वर्मा उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—98— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ के वर्ष 2013—14 में निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्य हेतु कय सामग्री पर करों की कटौती नियमानुसार नहीं की गयी है—

क्र 0 सं 0	कार्य प्रभारी का नाम	कार्य का नाम	सामग्री मूल्य	आयकर 2.24 एवं व्यापार कर 1 प्रतिशत
1	श्री महेन्द्र यादव	विकास खण्ड कार्यालय भवन छत मरम्मत	212219.00	6876.00
2	श्री महेन्द्र यादव	जिनवा से बेलसहा पर सिद्धू केवट के घर से श्रीराम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	172223.00	5580.00
		योग—		12456.00
3	श्री दिलीप वर्मा	कोठियाडीह में रखवलिया के गांव से चौराहे तक खण्डजा कार्य	52831.00	1712.00
4	श्री दिलीप वर्मा	शिवाघाट में सीढ़ी निर्माण	71360.00	2312.00
		योग—		4024.00
		कुल योग		16480.00

इस प्रकार रु 16480.00 की अनियमित रूप से भुगतान कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिस हेतु संबंधित कार्य प्रभारी एवं तत्कालीन बी0डी0ओं श्री अशोक कुमार मौर्य, श्री राम चन्द्र वर्मा एवं तत्कालीन लेखाकारी श्री शिवप्रसाद उपाध्याय समान रूप से उत्तरदायी है। उपर्युक्त वर्णित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—99— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ के वर्ष 2013—14 में निर्माण कार्य नेवादा के उत्तर मार्ग पर श्याम नरायन के चक पर खण्डजा कार्य हेतु मजदूरी रु 79786.00 भुगतान किया गया जिसके सापेक्ष प्रस्तुत

मस्टररोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान नहीं पाये गये। जो स्पष्ट करता है कि मजदूरी का भुगतान न कर कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र यादव द्वारा धन का अपहरण किया गया है। **ब्याज सहित वसूली** करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-100— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ के वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य जिनवा में बेलहसा मार्ग में सिद्धु केवट के घर से श्री राम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु मजदूरी रु0 88631.00 व्यय किये गये जिससे रु0 79525.00 के प्रस्तुत मस्टररोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान नहीं पाये गये तथा रु0 9106.00 का भुगतान चेक संख्या 483069 दिनांक 14.01.14 का मस्टररोल भी अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार रु0 79525.00 एवं रु0 9106.00 की अनियमित रूप से भुगतान दर्शाकर कार्यप्रभारी श्री महेन्द्र यादव द्वारा अपहरण किया गया है। **ब्याज सहित वसूली** की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-101— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ के वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य शिवाघाट में सीढी निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान रु0 120390.00 दर्शित है। जबकि मस्टररोल रु0 120274.00 का ही उपलब्ध है। अतः रु0 116.00 का अपहरण कार्य प्रभारी श्री महेन्द्र यादव द्वारा किया गया है। **ब्याज सहित वसूली** की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-102— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ के वर्ष 2013-14 में दर्शित कार्य बरहपुरचौर पुलिया निर्माण रु0 292767.00, बरहपुर महया बाग तक पुलिया निर्माण रु0 292767.00 तथा सोलर लाइट कय रु0 1415104.00 से संबन्धित पत्रावलिया अनुपलब्ध रही। अतः व्यय की वास्तविकता की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार रु0 292767.00, रु0 292767.00 एवं रु0 1415104.00 का भुगतान/व्यय अनियमित रूप से दर्शाकर बी0डी0ओ0 श्री अशोक मौर्य, श्री रामचन्द्र वर्मा, श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री हनुमान प्रसाद मिश्र, एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शिव प्रसाद उपाध्याय द्वारा अपहरण किया गया है। **ब्याज सहित वसूली** की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 103— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2014-15 में विकास भवन सभा कक्ष व चबूतरा पर टाईल्स कार्य तथा बाउण्ड्रीवाल गेट निर्माण हेतु सामाग्री पर निम्न विवरणानुसार भुगतान पर नियमानुसार 1 प्रतिशत व्यापार कर तथा 2.24 प्रतिशत आयकर की कटौती नहीं की गयी है—

31825	—	1031
86422	—	2800
30000	—	972

योग— 4803

उपरोक्तनुसार विकास खण्ड सभागार में फर्नीचर, खिडकी ग्लास फाईबर आदि की कय पर टी0डी0एस0 कटौती नहीं की गयी—

85707	—	2777
106046	—	3436
189000	—	6124

योग— 12337

इस प्रकार उक्त कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है, जिसके लिये तत्कालीन कार्य प्रभारी दोनों कार्यों के लिये श्री ब्रह्मप्रकाश मिश्र जे0ई0 तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री अजय कुमार श्रीवास्तव एवं तत्कालीन लेखाकार श्री दधीचचन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी है। कार्य प्रभारी से उक्त धन की वसूल कर राजकीय कोशागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 104— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2014-15 में पाया गया कि मनोज टेण्ट ट्रेडर्स कानपुर से 60 गद्देदार कुर्सी रु—3150 प्रति कुर्सी की दर से उक्त कार्य के बाउचर नं0-51/02.07.2015 द्वारा कयकर कुल भुगतान रु—189000/- किया गया। तत्समय की डेडस्टॉक बुक के पृष्ठ संख्या-106 पर केवल 49 कुर्सी की प्रविष्टि दर्ज की गयी है। शेष 11 कुर्सी के आपूर्ति के सम्बन्ध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं रहा। स्पष्ट है कि शेष 11 कुर्सी की यानी रु 11 ' 3150= 34650 का अपहरण कार्य प्रभारी श्री ब्रह्मप्रकाश मिश्र, तत्कालीन लेखाकार श्री दधीचचन्द्र श्रीवास्तव एवं तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री कृष्ण प्रताप त्रिपाठी द्वारा किया गया कार्य प्रभारी से उक्त धन की **ब्याज सहित वसूली** की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 105— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों हेतु कय सामग्री का भुगतान फर्म को न कर कार्य प्रभारी को किया गया जो अनियमित रहा।

क्र० सं०	कार्य	धनराशि	बाउचर सं०	फर्म	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	खण्ड कार्यालय में कक्ष व चबूतरा निर्माण	31825 86422 30000	06.01.15 105 / 11.04.15 156 / 12.04.15	— — —	ब्रह्मप्रकाश मिश्र जे०ई०
2	खण्ड कार्यालय सभागार में खिडकी में फाईफर+माईक	85707 106046 189000	40 / 01.02.15 230 / 01.07.15 51 / 02.07.15	मनोज टेट ट्रेडर्स कानपुर	ब्रह्मप्रकाश जे०ई०
3	खण्ड का० परिसर में बी०डी०ओ० कक्ष, प्रमुख कक्ष रंगाई पुताई+टाईल्स	33396	1240 / 22.09.15	—	परमहंस शुक्ल ए०डी०ओ० आई०एसबी०
4	खण्ड कार्यालय परिसर में सी०सी०रोड निर्माण मिट्टी भराई, समतलीकरण	23520 401881	160 / 02.03.15 104 / 01.03.15	— —	ब्रह्मप्रकाश मिश्र जे०ई०
5	खण्ड कार्यालय भवन की वायरिंग व चबूतरा शेड व बेंच निर्माण	58800 125051 42113 28834 58800	6 / 15.03.15 8 / 11.03.15 385 / 13.03.15 356 / 13.03.15 6 / 17 14.03.15	— — — — —	ब्रह्मप्रकाश मिश्र मिश्र
6	जगतापुर में महादेव मन्दिर सम्पर्क मार्ग पर आर०सी०सी० पुलिया	123608	/ 04.01.15	—	ब्रह्मप्रकाश मिश्र जे०ई०
7	डुहवा में पडरिया ढोढ मार्ग पर घाट पर आर०सी०सी० पुलिया	80289 87355	238 / 02.06.14 228 / 01.06.14	— —	ब्रह्मप्रकाश मिश्र जे०ई०

इस प्रकार उक्त कुल धनराशि रु—1592654.00 में से रु— 33396 की अनियमित रूप से भुगतान हेतु श्री परमहंस शुक्ला ए०डी०ओ०/आई०एसबी० कार्य प्रभारी तथा शेष धनराशि रु— 1559258.00 की अनियमित रूप से भुगतान हेतु कार्य प्रभारी श्री ब्रह्मप्रकाश मिश्र एवं तत्कालीन लेखाकार श्री दधीचन्द्र श्रीवास्तव एवं बी०डी०ओ० श्री अजय कुमार श्रीवास्तव एवं श्री कृष्ण प्रताप त्रिपाठी सामान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 106— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य बेलवाडाड में कैथलिया पक्की रोड से बडगवां तक मिट्टी+खडंजा पर मजदूरी पर मस्टररोल क्रमांक दिनांक 04.07.14 से 11.07.14 तक कुल 19 मजदूरी कार्य की धनराशि रु— 24240 का भुगतान अनियमित रूप से फर्म को बाला जी ब्रिक फील्ड को किया गया है। चेक संख्या 760523/22.07.14 इस अनियमित भुगतान के लिये कार्य प्रभारी श्री ब्रह्मप्रकाश मिश्र तत्कालीन लेखाकार श्री शिवप्रसाद उपाध्याय एवं श्री दधीचन्द्र श्रीवास्तव एवं तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री अजय कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। **विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 107— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2014-15 में सोलर लाईट पर कय रु 495000.00 अनुदान पंजी—।। में दर्शित है। लेखा परीक्षा में सम्बन्धित पत्रावली तथा सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहा। अतः उक्त भुगतान/व्यय अनियमित रहा, जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री शिव प्रसाद उपाध्याय, श्री दधीचन्द्र श्रीवास्तव एवं तत्कालीन बी०डी०ओ० उत्तरदायी है। **विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 108— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2014-15 में निम्न विवरणानुसार सामग्री कय के बिलों से नियमानुसार वैट की एवं आयकर की कटौती नहीं की गयी या कम काटी गयी।

सामग्री	वैट	आयकर	वैट/आयकर कम
529000	21160	11550	—

750226	30009	—	1800
4246188	169847	—	—

उक्त के प्रति तत्कालीन बी०डी०ओ० तत्कालीन लेखाकार एवं सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 109— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2015—16 में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर नियमानुसार टी०डी०एस० कटौती नहीं की गयी है।

कार्य	धनराशि	टी०डी०एस० जो नहीं काटा गया।
1— विकास खण्ड परिसर सुन्दरीकरण इण्टरलाकिंग	283128	9173
2— ग्राम सभा दसिया में नाली निर्माण	63600	2061
	योग	11234

इस प्रकार उक्त धनराशि रु 11234 की कटौती न कर अनियमित रूप से राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। इसके लिये कार्य प्रभारी दोनों कार्यों हेतु श्री ब्रह्मप्रकाश मिश्र जे०ई० तत्कालीन लेखाकार श्री दधीशचन्द्र श्रीवास्तव एवं तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री अजय कुमार श्रीवास्तव एवं श्री कृष्ण प्रताप त्रिपाठी उत्तरदायी है। कार्य प्रभारी से उक्त धन की वसूली ब्याज सहित कर राजकीय कोशागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 110— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2015—16 में निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य हेतु क्रय सामग्री का भुगतान फर्म को न कर कार्य प्रभारी को किया गया है जो अनियमित रहा कार्य प्रभारी श्री ब्रह्मप्रकाश मिश्र जे०ई०

कार्य	धनराशि	फर्म
1— विकास खण्ड परिसर सुन्दरीकरण इण्टरलाकिंग कार्य	283128	कृष्ण कुमार बि०मै० बाला जी ब्रिक फील्ड शिवम ट्रेडिंग कम्पनी
2— बस्ती डुमरियागंज रोड से चन्दर के घर से दसिया पोखरा मार्ग पर इण्टरलाकिंग	350000	बाला जी, शिवम् एच०आर० कार्य प्रभारी नरेन्द्रदत्त शर्मा ए०डी०ओ०

इस प्रकार उक्त अनियमित तरीके से भुगतान के लिये सम्बन्धित कार्य प्रभारी एवं तत्कालीन लेखाकार श्री दधीशचन्द्र श्रीवास्तव एवं तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री कृष्ण प्रताप त्रिपाठी एवं कार्य संख्या—2 के लिये श्री सुशील कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 111— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2015—16 में निम्न विवरणानुसार क्रय सामग्री बिलों पर नियमानुसार वैट एवं आयकर नहीं काटा गया। कम काटा गया।

सामग्री मूल्य	वैट	आयकर	वैट/आयकर कम
63600	2544	1425	—
283128	11325	6342	—
2541498	—	—	6099

इस अनियमित भुगतान हेतु तत्कालीन बी०डी०ओ० लेखाकार एवं सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। सम्बन्धित उत्तरदायी के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 112— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2016—17 में कराये गये कार्यों के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार करों की कटौती की गयी है—

उपलब्ध पत्रावली	सामग्री व्यय	टी०डी०एस० कटा	वैट कटा
5	2021933	32606	65213

जबकि नियमानुसार उक्त धन पर आयकर 2.24 प्रतिशत की दर से रु 45291 एवं वैट 4 प्रतिशत की दर से रु 80577 कटौती कर राजकीय कोशागार में जमा कराया जाना चाहिये था। इस प्रकार दोनों मदों को मिलाकर कुल रु 28349 (126168—97819 = 28349) की अनियमित रूप से कटौती न कर राजकीय राजस्व की भांति की गयी है, जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री दधीचन्द्र श्रीवास्तव बी०डी०ओ० श्री सुशील कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 113— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2016-17 में कार्य आहर के पचपेडवा में ओमप्रकाश तिवारी के घर के आगे इण्टरलाकिंग के कार्य पर मजदूरी रु 52962 तथा सामग्री पर 322020.00 भुगतान है। प्रस्तुत कार्य पूर्ति पर सामग्री का भुगतान कर की कटौती रु 20554.00 सहित 342574 दर्शित है। इसके लिये तत्कालीन तीन बी0डी0ओ0, तत्कालीन लेखाकार एवं सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 114— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2016-17 में उपलब्ध विवरण पत्र अनुसार राज्य वित्त मद से रु 2876257.00 व्यय दर्शित है। जबकि उपलब्ध पत्रावली (निर्माण कार्य) एवं अनुदान पंजी अनुसार कुल रु 2229811.00 ही व्यय हुये है। इस प्रकार रु 646446.00 की व्यय का कोई विवरण उपलब्ध नहीं रहा, जो अनियमित रहा। इसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री दधीशचन्द्र श्रीवास्तव एवं तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री सुशील कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 115— क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर की वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित निर्माण कार्यों के सापेक्ष पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। अतः आवश्यक समीक्षा न की जा सकी।

1— सिंहवरा में रा0वि0 मद से इण्टरलाकिंग— 383994.00

2—मण्डप पोखरा में सीढ़ी बेंच निर्माण — 279736.00

योग— 663730.00

इस प्रकार रु 663730 का अनुदान पंजी में दर्शित भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0 तथा लेखाकार जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-116— क्षेत्र पंचायत बस्ती सदर के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2011-12 में रु0- 257797.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेशों के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री हुबलाल एवं लेखाकार श्री मुबारक हुसैन जिम्मेदार है। अर्जित ब्याज रु0- 257797.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-117— क्षेत्र पंचायत बस्ती सदर के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2012-13 में रु0-154604.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेशों के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री हुबलाल एवं लेखाकार श्री मुबारक हुसैन जिम्मेदार है, वर्ष 2012-13 में अर्जित ब्याज रु0- 154604.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-118— क्षेत्र पंचायत बस्ती सदर के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले मार्ग निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाते हैं। मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-93/सी0ई0जेड0 सामान्य/07 दिनांक- 31.01.2007 के द्वारा सीमेन्ट कंक्रीट इंटरलाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता नियंत्रित करने हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्थान पर 50 से 100 इण्टर लाकिंग टाइल्स में से 01 टाइल्स के अचानक (रैण्डम) परीक्षणकर गुणवत्ता पाये जाने पर ही टाइल्स को स्वीकार किया जाना चाहिये।

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त के अर्न्तगत कराये गये इण्टरलाकिंग कार्यों के पत्रावली की

जांच मेंपाया

गया कि निम्न विवरण के अनुसार 01 इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य कराये गये है। कार्य में प्रस्तुत इंटरलाकिंग टाइलस की जांच नहीं की गई है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हवेली खास में डा० वी०पी० मिश्रा के घर से इंटर लाकिंग	954470.00

लोक निर्माण विभाग के उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में इंटर लाकिंग टाइलस की जांच रिपोर्ट मांगने पर संस्था द्वारा मौखिक उत्तर में बताया गया कि वर्णित कार्यों में प्रस्तुत टाइलस की जांच नहीं हुई है एवं भविष्य में टाइलस की जांच करा ली जायेगी।

संस्था के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि बिना टाइलस की जांच कराये ही टाइलसों का प्रयोग कर लिया गया है और उसकी गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित नहीं की गई है।

इस प्रकार अनियमित रूप से बिना टाइलस की जांच कराये ही उपरोक्त कार्य पर रू०— 954470.00 का व्यय कर अनियमितता बरती गई है इस हेतु ख०वि०अधि० श्री हुबलाल अवर अभियन्ता श्री आर०सी० शुक्ला जिम्मेदार है आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-119— क्षेत्र पंचायत बस्ती सदर के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग योजना से ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय अनुसार निम्न कार्यों हेतु धनराशि का व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	चेक सं०/दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता
1	गोरखपुर मेन रोड से सेंट जोसेफ तक खडंजा मरम्मत	077907 / 02.05. 2012	6225.00	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव (सप्लायर)
		077908 / 02.05. 2012	50835.00	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव (सप्लायर)
		077909 / 02.05. 2015	15300.00	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव (कार्य प्रभारी)
		योग	72360.00	

उपरोक्त निर्माण कार्य की कार्य पत्रावली जिसमें प्राक्कलन, बिल बाउचर, मास्टररोल माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा समय मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य दिखाकर, सप्लायर रू०—57060.00 सामग्री मद से एवं कार्य प्रभारी को रू०— 15300.00 मजदूरी मद में कुल रू०— 72360.00 भुगतान कर आहरण कर लिया गया है। अतएव रू०— 72360.00 की वसूली ब्याज सहित संयुक्त रूप से ख०वि०अधि० श्री हुबलाल , लेखाकार श्री मुबारक हुसैन एवं कार्यप्रभारी श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-120— क्षेत्र पंचायत बस्ती सदर के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले मार्ग निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाते है। मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-93/सी०ई०जेड० सामान्य/07 दिनांक- 31.01. 2007 के द्वारा सीमेन्ट कंक्रीट इंटरलाकिंग टाइलस की गुणवत्ता नियंत्रित करने हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिये गये है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्थान पर 50 से 100 इण्टर लाकिंग टाइलस में से 01 टाइलस के अचानक (रैण्डम) परीक्षणकर गुणवत्ता पाये जाने पर ही टाइलस को स्वीकार किया जाना चाहिये।

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 में 13वें वित्त के अर्न्तगत कराये गये इण्टरलाकिंग कार्यों के पत्रावली की जांच मेंपाया

गया कि निम्न विवरण के अनुसार 02 इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य कराये गये है। कार्य में प्रस्तुत इंटरलाकिंग टाइलस की जांच नहीं की गई है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	महसों में समय माई के स्थान से सुरेश के घर होते हुये इ०ला० कार्य	1106489.00

2	तरक नाथ उपध्याय के घर से राजकपूर यादव के घर तक इ0ला0 कार्य	380134.00
	योग	1486623.00

लोक निर्माण विभाग के उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में इंटर लाकिंग टाइल्स की जांच रिपोर्ट मांगने पर संस्था द्वारा मौखिक उत्तर में बताया गया कि वर्णित कार्यों में प्रस्तुत टाइल्स की जांच नहीं हुई है एवं भविष्य में टाइल्स की जांच करा ली जायेगी।

संस्था के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि बिना टाइल्स की जांच कराये ही टाइल्सों का प्रयोग कर लिया गया है और उसकी गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित नहीं की गई है।

इस प्रकार अनियमित रूप से बिना टाइल्स की जांच कराये ही उपरोक्त कार्य पर रु0— 1486623.00 का व्यय कर अनियमितता बरती गई है इस हेतु ख0वि0अधि0 श्री हुबलाल अवर अभियन्ता श्री आर0सी0 शुक्ला जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—121— क्षेत्र पंचायत बस्ती सदर के वर्ष 2013—14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या ए—1—122/दस—2012—10(33)/2010 दिनांक—21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2012—13 में रु0—230761.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेशों के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिस प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री मुबारक हुसैन जिम्मेदार है, वर्ष 2013—14 में अर्जित ब्याज रु0— 230761.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—122— क्षेत्र पंचायत बस्ती सदर के वर्ष 2013—14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले मार्ग निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाते हैं। मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक—93/सी0ई0जेड0 सामान्य/07 दिनांक— 31.01.2007 के द्वारा सीमेन्ट कंक्रीट इंटरलाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता नियंत्रित करने हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्थान पर 50 से 100 इन्टर लाकिंग टाइल्स में से 01 टाइल्स के अचानक (रैण्डम) परीक्षणकर गुणवत्ता पाये जाने पर ही टाइल्स को स्वीकार किया जाना चाहिये।

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2013—14 में राज्य वित्त के अर्न्तगत कराये गये इन्टरलाकिंग कार्यों के पत्रावली की जांच में पाया

गया कि निम्न विवरण के अनुसार 05 इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य कराये गये हैं। कार्य में प्रस्तुत इंटरलाकिंग टाइल्स की जांच नहीं की गई है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	पाकर डाड़ में अकबर के घर से प्रहलाद के घर होते हुये प्रभू सोनी के घर तक इ0क0 कार्य	555639.00
2	खौरहवां में इ0ला0 कार्य	370675.00
3	बस्ती महुली मार्ग लक्ष्मण सिंह के घर होते हुये इ0ला0 कार्य	1056723.00
4	खौरहवां में दरोगा कालोनी से डा0 सत्यव्रत द्विवेदी के घर तक इ0ला0 कार्य	1548902.00
5	मड़वानगर पिच रोड से सतीश चन्द श्रीवास्तव के घर तक इ0ला0 कार्य	470877.00

	योग	4002816.00

लोक निर्माण विभाग के उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में इंटर लाकिंग टाइल्स की जांच रिपोर्ट मांगने पर संस्था द्वारा मौखिक उत्तर में बताया गया कि वर्णित कार्यों में प्रस्तुत टाइल्स की जांच नहीं हुई है एवं भविष्य में टाइल्स की जांच करा ली जायेगी।

संस्था के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि बिना टाइल्स की जांच कराये ही टाइल्सों का प्रयोग कर लिया गया है और उसकी गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित नहीं की गई है।

इस प्रकार अनियमित रूप से बिना टाइल्स की जांच कराये ही उपरोक्त कार्य पर रु०— 4002816.00 का व्यय कर अनियमितता बरती गई है इस हेतु ख०वि०अधि० श्री अनिल कुमार सिंह अवर अभियन्ता श्री आर०सी० शुक्ला जिम्मेदार है **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है**

प्रस्तर—123— क्षेत्र पंचायत बस्ती सदर के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले मार्ग निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाते हैं। मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-93/सी०ई०जेड० सामान्य/07 दिनांक- 31.01.2007 के द्वारा सीमेन्ट कंक्रीट इंटरलाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता नियंत्रित करने हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्थान पर 50 से 100 इण्टर लाकिंग टाइल्स में से 01 टाइल्स के अचानक (रैण्डम) परीक्षणकर गुणवत्ता पाये जाने पर ही टाइल्स को स्वीकार किया जाना चाहिये।

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 में 13वें वित्त के अर्न्तगत कराये गये इण्टरलाकिंग कार्यों के पत्रावली की जांच में पाया

गया कि निम्न विवरण के अनुसार 02 इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य कराये गये हैं। कार्य में प्रस्तुत इंटरलाकिंग टाइल्स की जांच नहीं की गई है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	नेशनल हाईवे से मड़वानगर पिचरोडरामतीरथ के घर तक इ०ला० कार्य	1250948.00
2	गणेशपुर मे इंटर लाकिंग कार्य	710866.00
	योग	1961814.00

लोक निर्माण विभाग के उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में इंटर लाकिंग टाइल्स की जांच रिपोर्ट मांगने पर संस्था द्वारा मौखिक उत्तर में बताया गया कि वर्णित कार्यों में प्रस्तुत टाइल्स की जांच नहीं हुई है एवं भविष्य में टाइल्स की जांच करा ली जायेगी।

संस्था के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि बिना टाइल्स की जांच कराये ही टाइल्सों का प्रयोग कर लिया गया है और उसकी गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित नहीं की गई है।

इस प्रकार अनियमित रूप से बिना टाइल्स की जांच कराये ही उपरोक्त कार्य पर रु०— 1961814.00 का व्यय कर अनियमितता बरती गई है इस हेतु ख०वि०अधि० श्री अनिल कुमार सिंह अभियन्ता श्री आर०सी० शुक्ला जिम्मेदार है **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है**

प्रस्तर—124— क्षेत्र पंचायत बस्ती सदर के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2013-14 में राज्यवित्त मद से कराये गये निर्माण कार्य के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि नियमानुसार आयकर की कटौती नहीं की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं० / दिनांक	बिल की धनराशि	भुगतान चेक / दिनांक	आयकर र 2.24 प्रतिशत जो काटी जानी चाहिये	आयकर जो कटौती की गई	आयकर जो काटी नहीं गई	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम

3	क्षेत्र पंचायत बस्ती सदर कैपस में मिट्टी पटार्ई एवं बाउन्डरी वाल मरम्मत कार्य	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	175 / 09.01.14	41954.00	0584 94 / 23.01.14	940.00	शून्य	940.00	1— श्री अनिल कुमार सिंह ख0वि0अधि0 2—श्री मुबारक हुसैन लेखाकार
							योग	940.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू0— 940.00 आयकर की कटौती कम कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गई है अतएव कटौती नहीं की गयी आयकर रू0—940.00 के साथ ही आयकर धनराशि के बराबर पेनाल्टी आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री मुबारक हुसैन से संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूल कर आयकर के लेखा शीर्ष—0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—125— क्षेत्र पंचायत बस्ती सदर के वर्ष 2013—14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2013—14 में राज्यवित्त मद से कराये गये निर्माण कार्य के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि नियमानुसार व्यापकर (वैट) की कटौती नहीं की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:—

क्र0 सं0	कार्यका नाम	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं0/ दिनांक	बिल की धनराशि	भुगतान चेक/ दिनांक	(वैट) 4 प्रतिशत जो काटी जानी चाहिये	(वैट) जो कटौती की गई	(वैट) जो काटी नहीं गई	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	क्षेत्र पंचायत बस्ती सदर कैपस में मिट्टी पटार्ई एवं बाउन्डरी वाल मरम्मत कार्य	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	175 / 09.01.14	41954.00	05849 4 / 23.01.14	1678.00	शून्य	1678.00	1— श्री अनिल कुमार सिंह ख0वि0अधि0 2—श्री मुबारक हुसैन लेखाकार
							योग	1678.00	

अतएव कटौती नहीं की गयी व्यापकर (वैट) रू0—1678.00 के साथ ही व्यापकर (वैट) धनराशि के बराबर पेनाल्टी आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री मुबारक हुसैन से संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूल कर व्यापकर (वैट) जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—126— क्षेत्र पंचायत बस्ती सदर के वर्ष 2013—14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2013—14 में तेरहवां वित्त मद से कराये गये निर्माण कार्य के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि नियमानुसार मिट्टी कय पर रायल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:—

क्र० सं०	कार्य का नाम	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं० / दिनांक	बिल की धनराशि	भुगतान चेक / दिनांक	रायल्टी / 14.00 रू० / घन मी० जो काटी जानी चाहिये	रायल्टी जो कटौती की गई	रायल्टी जो काटी नहीं गई	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	क्षेत्र पंचायत बस्ती सदर कैंपस में मिट्टी पटाई एवं बाउन्डरी वाल मरम्मत कार्य	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	175 / 09.01.14	41954.00	05849 4 / 23 .01.14	269.07 घन मी० / 14.00 रू० 3767.00	शून्य	3767.00	1— श्री अनिल कुमार सिंह ख० वि० अधि० 2—श्री मुबारक हुसैन लेखा कार
2	ढोरिका में हवेली खास मुख्य मार्ग से सौरव विद्या मंदिर तक इ० ला०	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	194 / 21.03.14	13823 2.00	06663 4 / 11 .04.14	45.94 घन मी० / 14.00 रू० 643.00	शून्य	643.00	1— श्री अनिल कुमार सिंह ख० वि० अधि० 2—श्री मुबारक हुसैन लेखा कार
							योग	4410.00	

अतएव कटौती नहीं की गयी रायल्टी रू०—4410.00 से राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गई है अतएव रू०—4410.00 की संयुक्त रूप से ब्याजसहित वसूली आहरण वितरण अधिकारी / ख० वि० अधि० श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री मुबारक हुसैन से कर रायल्टी राजस्व को जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—127— क्षेत्र पंचायत बस्ती सदर के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्राप्त अनुदान को निशप्रयोजित रखकर वापस न कर अनियमितता ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार 31.03.2014 तक निम्न विवरणानुसार धनराशियां निशप्रयोजित रही—

क्र० सं०	नाम योजना	धनराशि
1	जनता बायो गैस	25244.00
2	बारहवां वित्त	2309.00
3	सांसद निधि	5586.00
4	बी०आर०जी०एफ०	13775.00
	योग	46914.00

उपरोक्त तालिका में इस प्रकार कुल रू०— 46914.00 मदवार अंकित धनराशि विगत वर्षों से अनुपयोगित रहा जो क्षेत्र पंचायत में निशप्रयोजित पड़ी रही। निशप्रयोजित पड़ी धनराशि को प्रदाता के

समय से वापस न कर गम्भीर अनियमितारें की गयी है। इस प्रति ख०वि०अ० श्री अनिल सिंह व लेखाकार श्री मुबारक हुसैन जिम्मेदार है।

अतः एवं तालिका में मदवार अंकित धनराशि को तत्काल प्रदाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। **आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

प्रस्तर-128- क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ब्याज की राशि वापस न कर अनियमितता-शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2014-15 में रु०-87015 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेशों के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है। **आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

प्रस्तर-129- क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त से कराये गये कार्य विकास खण्ड परिसर में मिटिंग हाल एवं ख०वि०अ० आवास मरम्मत के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य हेतु आपूर्ति की गई सामग्री हेतु मे० विनोद कुमार श्रीवास्तव के बिल सं०-46/17.12.14 धनराशि रु०-39618.00 का भुगतान चेक सं०-074617/27.12.14 से किया गया है। भुगतान करते समय नियमानुसार आयकर 2.24 प्रतिशत की कटौती रु०-887.00.00 नहीं की गई है। इस प्रकार आयकर की कटौती नहीं किये जाने से रु०-887.00 का राजकीय राजस्व की हानि हुई। अतएव कटौती नहीं की गयी आयकर रु०-887.00 के साथ ही आयकर धनराशि के बराबर पेनाल्टी आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री मुबारक हुसैन से संयुक्त रूप से वसूल कर आयकर के लेखा शीर्ष-0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। **आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

प्रस्तर-130- क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त से कराये गये कार्य विकास खण्ड परिसर में मिटिंग हाल एवं ख०वि०अ० आवास मरम्मत के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य हेतु आपूर्ति की गई सामग्री हेतु मे० विनोद कुमार श्रीवास्तव के बिल सं०-46/17.12.14 धनराशि रु०-39618.00 का भुगतान चेक सं०-074617/27.12.14 से किया गया है। भुगतान करते समय नियमानुसार व्यापकर (वैट) 4 प्रतिशत की कटौती रु०-1585.00 नहीं की गई है। इस प्रकार व्यापकर (वैट) की कटौती नहीं किये जाने से रु०-1585.00 का राजकीय राजस्व की हानि हुई। अतएव कटौती नहीं की गयी व्यापकर (वैट) रु०-1585.00 के साथ ही व्यापकर (वैट) धनराशि के बराबर पेनाल्टी आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री मुबारक हुसैन से संयुक्त रूप से वसूल कर व्यापकर (वैट) जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-131- क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले मार्ग निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाते हैं। मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-93/सी०ई०जेड० सामान्य/०7 दिनांक- 31.01.2007 के द्वारा सीमेन्ट कंक्रीट इंटरलाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता नियंत्रित करने हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्थान पर 50 से 100 इण्टर लाकिंग टाइल्स में से 01 टाइल्स के अचानक (रैण्डम) परीक्षणकर गुणवत्ता पाये जाने पर ही टाइल्स को स्वीकार किया जाना चाहिये।

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त के अर्न्तगत कराये गये इण्टरलाकिंग कार्यों के पत्रावली की जांच में पाया

गया कि निम्न विवरण के अनुसार 03 इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य कराये गये हैं। कार्य में प्रस्तुत इंटरलाकिंग टाइल्स की जांच नहीं की गई है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	ढोरिका में इंटरलाकिंग कार्य	231700.00
2	बल्ली पट्टी में सड़क से अलहाज इण्टर कालेज तक इंटरलाकिंग	400371.00
3	सुपेलवा में इंटरलाकिंग	871780.00
	योग	1503851.00

लोक निर्माण विभाग के उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में इंटर लाकिंग टाइल्स की जांच रिपोर्ट मांगने पर

संस्था द्वारा मौखिक उत्तर में बताया गया कि वर्णित कार्यों में प्रस्तुत टाइलस की जांच नहीं हुई है एवं भविष्य में टाइलस की जांच करा ली जायेगी।

संस्था के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि बिना टाइलस की जांच कराये ही टाइलसों का प्रयोग कर लिया गया है और उसकी गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित नहीं की गई है।

इस प्रकार अनियमित रूप से बिना टाइलस की जांच कराये ही उपरोक्त कार्य पर रु०— 1503851.00 का व्यय कर अनियमितता बरती गई है इस हेतु ख०वि०अधि० श्री अनिल कुमार सिंह अवर अभियन्ता श्री आर०सी० शुक्ला जिम्मेदार है **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-132— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले मार्ग निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाते हैं। मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-93/सी०ई०जेड० सामान्य/०7 दिनांक- 31.01.2007 के द्वारा सीमेन्ट कंक्रीट इंटरलाकिंग टाइलस की गुणवत्ता नियंत्रित करने हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्थान पर 50 से 100 इण्टर लाकिंग टाइलस में से 01 टाइलस के अचानक (रैंडम) परीक्षणकर गुणवत्ता पाये जाने पर ही टाइलस को स्वीकार किया जाना चाहिये।

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में 13वें वित्त के अर्न्तगत कराये गये इण्टरलाकिंग कार्यों के पत्रावली की जांच में पाया ।

गया कि निम्न विवरण के अनुसार 04 इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य कराये गये हैं। कार्य में प्रस्तुत इंटरलाकिंग टाइलस की जांच नहीं की गई है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	ग्राम पंचायत ढिढोहा में सीताराम चौधरी के घर से इंटरलाकिंग कार्य	803165.00
2	मड़वानगर में आनन्द श्रीवास्तव के घर से विनय दूबे के घर तक इंटरलाकिंग	742408.00
3	मड़वानगर में पी०एन०बी० से स्कूल तक इंटरलाकिंग कार्य	356661.00
4	ग्नेशपुर में पुलिस चौकी इंटरलाकिंग कार्य	856528.00
	योग	2758762.00

लोक निर्माण विभाग के उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में इंटर लाकिंग टाइलस की जांच रिपोर्ट मांगने पर संस्था द्वारा मौखिक उत्तर में बताया गया कि वर्णित कार्यों में प्रस्तुत टाइलस की जांच नहीं हुई है एवं भविष्य में टाइलस की जांच करा ली जायेगी।

संस्था के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि बिना टाइलस की जांच कराये ही टाइलसों का प्रयोग कर लिया गया है और उसकी गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित नहीं की गई है।

इस प्रकार अनियमित रूप से बिना टाइलस की जांच कराये ही उपरोक्त कार्य पर रु०— 2758762.00 का व्यय कर अनियमितता बरती गई है इस हेतु ख०वि०अधि० श्री अनिल कुमार सिंह अवर अभियन्ता श्री आर०सी० शुक्ला जिम्मेदार है **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-133— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले मार्ग निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाते हैं। मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-93/सी०ई०जेड० सामान्य/०7 दिनांक- 31.01.2007 के द्वारा सीमेन्ट कंक्रीट इंटरलाकिंग टाइलस की गुणवत्ता नियंत्रित करने हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्थान पर 50 से 100 इण्टर लाकिंग टाइलस में से 01 टाइलस के अचानक (रैंडम) परीक्षणकर गुणवत्ता पाये जाने पर ही टाइलस को स्वीकार किया जाना चाहिये।

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में बी०आर०जी०एफ० के अर्न्तगत कराये गये इण्टरलाकिंग कार्यों के पत्रावली की जांच में पाया

गया कि निम्न विवरण के अनुसार 06 इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य कराये गये हैं। कार्य में प्रस्तुत इंटरलाकिंग टाइलस की जांच नहीं की गई है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	बनकटा में हरिप्रसाद के घर से राधेष्णाम के घर तक इ०ला० कार्य	607000.00
2	गणेशपुर समय माता मंदिर से दुर्गा मंदिर तक इ०ला० कार्य	330000.00
3	परसा तकिया मे बावा मजार तक इ०ला० कार्य	508700.00
4	गणेशपुर मार्ग से बाबू लाल के घर तक इ०ला० कार्य	330000.00
5	उमरी पोखरे से प्रेमचन्द धोबी के घर तक इ०ला० कार्य	330000.00
6	सोनूपार हरिजन बस्ती में इ०ला० कार्य	330000.00
	योग	2435700.00

लोक निर्माण विभाग के उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में इंटर लाकिंग टाइल्स की जांच रिपोर्ट मांगने पर संस्था द्वारा मौखिक उत्तर में बताया गया कि वर्णित कार्यों में प्रस्तुत टाइल्स की जांच नहीं हुई है एवं भविष्य में टाइल्स की जांच करा ली जायेगी। संस्था के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि बिना टाइल्स की जांच कराये ही टाइल्सों का प्रयोग कर लिया गया है और उसकी गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित नहीं की गई है।

इस प्रकार अनियमित रूप से बिना टाइल्स की जांच कराये ही उपरोक्त कार्य पर रु०— 2435700.00 का व्यय कर अनियमितता बरती गई है इस हेतु ख०वि०अधि० श्री अनिल कुमार सिंह एवं एस०पी० सिंह अवर अभियन्ता श्री आर०सी० शुक्ला जिम्मेदार है आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-134- क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में के बी०आर०जी०एफ० मद से कराये गये निर्माण कार्यों में कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य हेतु किये गये निविदा अनुसार ठेकेदार द्वारा जो कम दर पर कार्य किये जाने की निविदा स्वीकृति किया गया उसे भुगतान करते समय ठेकेदार के बिल से कटौती नहीं की गई है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्र० सं०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल	भुगतान जो, आयकर व्यापाकर एवं जमानत कटौती सहित किया गया	व्यय दर जिस पर निविदा स्वीकृत किया गया	धनराशि जो नहीं कटौती की गई	उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी का नाम
1	गणेशपुर में समय माता मंदिर से दुर्गा मंदिर तक इ०ला०	बाल गोविन्द	330000.00	330000.00	0.10: कम पर	330.00	1— श्री एस०पी० सिंह ख०वि०अधि० 2— श्री आर०सी० शुक्ला अवर अभियन्ता 3— फूलचन्द लेखाकार
2	सोनूपार हरिजन बस्ती इ०ला० कार्य	सचिन कन्सट्रक्शन	330000.00	330000.00	0.10: कम पर	330.00	1— श्री एस०पी० सिंह ख०वि०अधि०

							2— श्री आर०सी० शुक्ला अवर अभियन्त 3— फूलचन्द लेखाकार
3	परसा तक्रिया बाबा मजार परिसर इ०ला० कार्य	मे० विनोद कुमार श्रीवास्त व	509000. 00	509000.00	0.5: कम पर	2545. 00	1— श्री एस०पी० सिंह ख०वि०अधि० 2— श्री आर०सी० शुक्ला अवर अभियन्त 3— फूलचन्द लेखाकार
4	डमरी पोखरे से लेकर प्रेमचन्द धोबी के घर तक इ०ला०	सचिन कन्सट्रक् शन	330000. 00	330000.00	0.5: कम पर	1650. 00	1— श्री एस०पी० सिंह ख०वि०अधि० 2— श्री आर०सी० शुक्ला अवर अभियन्त 3— फूलचन्द लेखाकार
5	ग्राम बनकटा में हरी प्रसाद के दुकान से राधे श्याम के घर तक इ०ला०	बाल गोविन्द	607000. 00	607000.00	0.1: कम पर	607.00	1— श्री एस०पी० सिंह ख०वि०अधि० 2— श्री आर०सी० शुक्ला अवर अभियन्त 3— फूलचन्द लेखाकार
					योग	5462. 00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिस कम दर पर निविदा स्वीकृत किया गया है उसे भुगतान करते समय ठेकेदार से कटौती नहीं कर पूर्ण भुगतान कर दिया है। अतएव रु०— 5462.00 जो ठेकेदार से कटौती नहीं कर अधिक भुगतान किया गया है की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ख०वि०अधि० श्री एस०पी० सिंह, श्री आर०सी० शुक्ला अवर अभियन्ता व लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—135— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में के लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय अनुसार तेरहवां वित्त मद से निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है—

क्र० सं०	भुगतान जिसको किया गया	चेकसं०/दिनांक	भुगतान जिस कार्य हेतु किया गया	धनराशि
1	प्रकाश बैट्री	066655 / 02.06. 2014	02 अदद बैट्री	24900.00
2	अशोक कुमार गुप्ता	069458 / 23.09.14	वाटर कुलर मरम्मत	9800.00
3	कृष्णा मशीनरी स्टोर	069459 / 26.09.14	जनरेटर मरम्मत	4750.00
4	अविनाश (आंकिक)	074604 / 03.11.14	बिजली पंखा	20000.00
			योग	59450.00

उपरोक्त विवरण अनुसार भुगतान किये गये धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा समय, क़य/मरम्मत हेतु कोटेशन, क़य/मरम्मत आदेश, क़य/मरम्मत के बिल, क़य सामग्री के स्टॉक पंजिका आदि मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे स्पष्ट है कि फर्जी रूप से भुगतान कर ग्रांट द्वितीय रजिस्टर में व्यय दर्शित कर रु०— 59450.00 अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ख०वि०अधि० श्री अनिल सिंह एवं लेखाकार श्री मुबारक हुसैन से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—136— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2014—15 में तेरहवां वित्त मद से कराये गये निर्माण कार्य के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि नियमानुसार आयकर की कटौती नहीं की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:—

क्र० सं०	कार्य का नाम	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं०/दिनांक	बिल की धनराशि	भुगतान चेक/दिनांक	आयकर 2.24 प्रतिशत जो काटी जानी चाहिये	आयकर जो कटौती की गई	आयकर जो काटी नहीं गई	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	मड़वा नगर में पी०एन०बी० रोड से सुनील श्रीवास्तव के घर तक इ०ला०	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	10 / 06.07. 14	313205. 00	069446 / 30.07. 14	7016.00	6783. 00	233.00	1— श्री अनिल कुमार सिंह ख०वि०अधि० 2—श्री मुबारक हुसैन लेखाकार

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु०— 233.00 आयकर की कटौती कम कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गई है अतएव कटौती नहीं की गयी आयकर रु०—233.00 के साथ ही आयकर धनराशि के बराबर पेनाल्टी आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री मुबारक हुसैन से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल कर आयकर के लेखा शीर्ष—0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—137— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में तेरहवां वित्त मद से कराये गये निर्माण कार्य के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि नियमानुसार व्यापकर (वैट) की कटौती नहीं

की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं०/दिनांक	बिल की धनराशि	भुगतान चेक/दिनांक	वैट 4 प्रतिशत जो काटी जानी चाहिये	वैट जो कटौती की गई	वैट जो काटी नहीं गई	उत्तर दायी व्यक्ति का नाम
1	मड़वा नगर में पी०एन०बी० रोड से सुनील श्रीवास्तव के घर तक इ०ला०	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	10/06.07.14	313205.00	069446 / 30.07.14	12528.00	12112.00	416.00	1— श्री अनिल कुमार सिंह ख०वि०अधि० 2—श्री मुबारक हुसैन लेखाकार

अतएव कटौती नहीं की गयी व्यापारकर (वैट) रू०—416.00 के साथ ही व्यापारकर (वैट) धनराशि के बराबर पेनाल्टी आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री मुबारक हुसैन से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल कर व्यापकर (वैट) जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—138—क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में तेरहवां वित्त मद से कराये गये निर्माण कार्य के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि नियमानुसार मिट्टी क्रय पर रायल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं०/दिनांक	बिल की धनराशि	भुगतान चेक/दिनांक	रायल्टी दर 14.00 रू०/घन मी० जो काटी जानी चाहिये	रायल्टी जो कटौती की गई	रायल्टी जो काटी नहीं गई	उत्तर दायी व्यक्ति का नाम
1	मड़वा नगर में पी०एन०बी० रोड से सुनील श्रीवास्तव के घर तक इ०ला०	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	10/06.07.14	313205.00	069446 / 30.07.14	82.69 घन मी० / 14.00 रू०त्र1158.00	शून्य	1158.00	1— श्री अनिल कुमार सिंह ख०वि०अधि० 2—श्री मुबारक हुसैन लेखाकार

									र
2	मनिराम के घर से खड़जे तक इ0ला0	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	21 / 30. 08.14	86084.00	069946 0 / 27. 09.14	111.48 घन मी0 / 14.00 रू0त्र156 1.00	शून्य	1561. 00	1— श्री अनिल कुमार सिंह ख0वि0 अधि0 2—श्री मुबारक हुसैन लेखाक र
3	मड़वा नगर में आनन्द श्रीवास्तव के मकान से विनय दूबे के मकान के घर तक इ0ला0	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	02 / 28. 05.14	61743.00	066656 / 13. 06.14	296.60 घन मी0 / 14.00 रू0त्र415 2.00	शून्य	4152. 00	1— श्री अनिल कुमार सिंह ख0वि0 अधि0 2—श्री मुबारक हुसैन लेखाक र
							योग	6871. 00	

अतएव कटौती नहीं की गयी रायल्टी रू0—6871.00 से राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गई है अतएव रू0— 6871.00 की संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूली आहरण वितरण अधिकारी / ख0वि0.अधि0 श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री मुबारक हुसैन से कर रायल्टी राजस्व को जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—139— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में राज्यवित्त मद से कराये गये निर्माण कार्य के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि नियमानुसार आयकर की कटौती नहीं की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:—

क 0 सं 0	कार्य का नाम	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं0/दि नांक	बिल की धनराशि	भुगतान चेक/दिनांक	आयकर 2.24 प्रतिशत जो काटी जानी चाहिये	आयकर जो कटौती की गई	आयकर जो काटी नहीं गई	उत्तर दायी व्यक्ति का नाम

1	सुपेलवा में इं0ला0 कार्य	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	56 / 28 .12.14	130402.00	074621 / 17.01.15	2921.00	2363.00	558.00	1— श्री अनिल कुमार सिंह ख0 वि0 अध0 2— श्री मुबारक हुसैन लेखा कार
2	गनेशपुर बंधुवा से मजौरा नाले पर पुलिया	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	30 / 01 .10.14	21417.00	074802 / 03.11.14	480.00	शून्य	480.00	1— श्री अनिल कुमार सिंह ख0 वि0 अध0 2— श्री मुबारक हुसैन लेखा कार
							योग	1038.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू0— 1038.00 आयकर की कटौती कम कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गई है अतएव कटौती नहीं की गयी आयकर रू0—1038.00 के साथ ही आयकर धनराशि के बराबर पेनाल्टी आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री मुबारक हुसैन से संयुक्त रूप से वसूल कर आयकर के लेखा शीर्ष—0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—140— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में राज्यवित्त मद से कराये गये निर्माण कार्य के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि नियमानुसार व्यापकर (वैट) की कटौती नहीं की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:—

क्र० सं०	कार्य का नाम	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं०/दिनांक	बिल की धनराशि	भुगतान चेक/दिनांक	(वैट) 4 प्रतिशत जो काटी जानी	(वैट) जो कटौती की गई	(वैट) जो काटी नहीं	उत्तर दायी व्यक्ति का

						चाहिये		गई	नाम
1	सुपेलवा में इं0ला0 कार्य	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	56 / 28 .12.14	130402.00	074621 / 17.01.15	5216.00	4220.00	996.00	1— श्री अनिल कुमार सिंह ख0वि 0अधि 0 2—श्री मुबारक हुसैन लेखा कार
2	गनेशपुर बंधुवा से मजौरा नाले पर पुलिया	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	30 / 01 .10.14	21417.00	074802 / 03.11.14	856.00	शून्य	856.00	1— श्री अनिल कुमार सिंह ख0वि 0अधि 0 2—श्री मुबारक हुसैन लेखा कार
							योग	1852.00	

अतएव कटौती नहीं की गयी व्यापकर (वैट) रू0—1852.00 के साथ ही व्यापकर (वैट) धनराशि के बराबर पेनाल्टी आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री मुबारक हुसैन से संयुक्त रूप से वसूल कर व्यापकर (वैट) जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—141— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2014—15 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से कराये गये निर्माण कार्य के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि नियमानुसार मिट्टी क्रय पर रायल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:—

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं0/दि नांक	बिल की धनराशि	भुगता न चेक /दि नांक	रायल्टी दर14.00 रू0/घन	रायल्टी जो कटौती की गई	रायल्टी जो काटी नहीं गई	उत्तर दायी व्यवि त का

						मी० जो काटी जानी चाहिये			नाम
1	सुपेलवा में इं०ला० कार्य	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	56 / 28. 12.14	130402. 00	0746 21 / 17. 01.15	156.3 घन मी० दर 14.00 रु०त्र 2188.00	शून्य	2188. 00	1— श्री अनि ल कुमार सिंह ख०वि ०अधि ० 2—श्री मुबार क हुसैन लेखा कार
2	गनेशपुर बंधुवा से मजौरा नाले पर पुलिया	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	30 / 01. 10.14	21417.00	0748 02 / 03. 11.14	134.25 घन मी० दर 14.00 रु०त्र 1879.00	शून्य	1879. 00	1— श्री अनि ल कुमार सिंह ख०वि ०अधि ० 2—श्री मुबार क हुसैन लेखा कार
3	विकास खण्ड परिसर आवासीय भवन का मरम्मत / स्थलीय विकास	श्री मती पूनम शर्मा	—	41908.00	0746 09 / 15. 12.14	262.50 घन मी० दर 14.00 रु०त्र 3675.00	शून्य	3675. 00	1— श्री अनि ल कुमार सिंह ख०वि ०अधि ० 2—श्री मुबार क हुसैन

									लेखा कार
							योग	7742. 00	

अतएव कटौती नहीं की गयी रायल्टी रू0-7742.00 से राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गई है अतएव रू0- 7742.00 की संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूली आहरण वितरण अधिकारी/ ख0वि0अधि0 श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री मुबारक हुसैन से कर रायल्टी राजस्व को जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-142-क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में **ब्याज की राशि वापस न कर अनियमितता**-शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2015-16 में रू0-107550 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है।

अर्जित ब्याज रू0 107550 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-143- क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2015-16 में तेरहवां वित्त मद से कराये गये निर्माण कार्य के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि नियमानुसार आयकर की कटौती नहीं की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं०/दिनांक	बिल की धनराशि	भुगतान चेक/दिनांक	आयकर 2.24 प्रतिशत जो काटी जानी चाहिये	आयकर जो कटौती की गई	आयकर जो काटी नहीं गई	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	डा० विपिन के घर से रंगीले के घर तक इ०ला०	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	08/07.07.15	572492.00	083059/21.07.15	12824.00	10824.00	2000.00	1- श्री अनिल कुमार सिंह ख०वि०अधि० 2- श्री फूलचन्द श्रीवास्

									तव लेखा कार
2	खौरहवा मे रामवृक्ष यादव के घर से लौकिहवा मार्ग तक इं0ला0	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	27 / 01. 09.15	290411. 00	083074 / 16. 09.15	6505.00	5808.00	697.00	1— श्री अनि ल कुमार सिंह ख0वि 0अधि 0
		श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	34 / 25. 09.15	257752. 00	092142 / 16. 11.15	5774.00	5128.00	646.00	2— श्री फूलच न्द श्रीवास् तव लेखा कार
							योग	3343. 00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू0— 3343.00 आयकर की कटौती कम कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गई है अतएव कटौती नहीं की गयी आयकर रू0—3343.00 के साथ ही आयकर धनराशि के बराबर पेनाल्टी आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल कर आयकर केलेखा शीर्ष—0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—144— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में तेरहवां वित्त मद से कराये गये निर्माण कार्य के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि नियमानुसार व्यापकर (वैट) की कटौती नहीं की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:—

क्र सं 0	कार्य का नाम	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं0/दि नांक	बिल की धनराशि	भुगतान चेक/दि नांक	(वैट) 4 प्रतिशत जो काटी जानी चाहिये	(वैट) जो कटौती की गई	(वैट) जो काटी नहीं गई	उत्तर दायी व्यक्ति का नाम

1	खौरहवा मे रामवृक्ष यादव के घर से लौकिहवा मार्ग तक इं0ला0	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	34 / 25. 09.15	257752. 00	092142 / 16. 11.15	10310. 00	9158.00	1152. 00	1— श्री अनिल कुमार सिंह ख0वि0अधि0 2— श्री फूलचन्द श्रीवास्तव लेखाकार

अतएव कटौती नहीं की गयी व्यापकर (वैट) रू0—1152.00 के साथ ही व्यापकर (वैट) धनराशि के बराबर पेनाल्टी आहरण वितरण अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव से संयुक्त रूप सेवसूल कर व्यापकर (वैट) जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—145— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में तेरहवां वित्त मद से कराये गये निर्माण कार्य के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि नियमानुसार मिट्टी कय पर रायल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:—

क्र० सं०	कार्य का नाम	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं०/दिनांक	बिल की धनराशि	भुगतान चेक/दिनांक	रायल्टी दर 14.00 रू0/घन मी0 जो काटी जानी चाहिये	रायल्टी जो कटौती की गई	रायल्टी जो काटी नहीं गई	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	खौरहवा मे रामवृक्ष यादव के घर से लौकिहवा मार्ग तक इं0ला0	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	34 / 25 .09.15	257752. 00	092142 / 16. 11.15	189.41 घन मी0 दर 14.00 रू0त्र 2652.00	शून्य	2652.00	1— श्री अनिल कुमार सिंह ख0वि0अधि0 2—श्री फूलचन्द श्रीवास्तव लेखाकार

2	डा0 विपिन के घर से रंगीले के घर तक इं0ला0	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	08 / 07 .07.15	572492.00	083059 / 21. 07.15	181.98 घन मी0 दर 14.00 रु0त्र 2548.00	शून्य	2548.00	1— श्री अनिल कुमार सिंह ख0वि0अधि0 2—श्री फूलचन्द श्रीवास्तव लेखाकार
							योग	5200.00	

अतएव कटौती नहीं की गयी रायल्टी रु0—5200.00 से राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गई है अतएव रु0— 5200.00 की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली आहरण वितरण अधिकारी/ ख0वि0अधि0 श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव से कर रायल्टी राजस्व को जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—146— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में राज्यवित्त मद से कराये गये निर्माण कार्य के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि नियमानुसार आयकर की कटौती नहीं की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:—

क्र० सं०	कार्य का नाम	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं०/दिनांक	बिल की धनराशि	भुगतान चेक/दिनांक	आयकर 2.24 प्रतिशत जो काटी जानी चाहिये	आयकर जो कटौती की गई	आयकर जो काटी नहीं गई	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	बनकटा में हरिराम के मकान से राधेष्णाम के घर तक इं0ला0	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	78 / 06 .04.15	18933.00	74637 / 01. 05.15	424.00	शून्य	424.00	1— श्री यशवन्त कुमार ख0वि0अधि0 2— श्री फूलचन्द श्रीवास्तव लेखाकार
2	गणेशपुर में बलराम चौधरी के घर से राजेन्द्र चौबे के	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	79 / 06 .04.15	13900.00	083045 / 02. 05.15	311.00	शून्य	311.00	1— श्री यशवन्त कुमार ख0वि0अधि0

	घर तक इं0ला0								2- श्री फूलचन् द श्रीवास् तव लेखाक ार
3	जनक दुलारी के घर से खलीफा के मड़ई के घर तक इं0ला0	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	23 / 14 .02.16	679371. 00	092165 / 19. 02.16	15218. 00	13587. 00	1631. 00	1-सुश्र ी रेनु चौधरी ख0वि0 अधि0 2- श्री फूलचन् द श्रीवास् तव लेखाक ार
4	गनेशपुर के करैली गांव में इं0ला0	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	26 / 01 .09.15	247259. 00	083071 / 15. 09.15	14498. 00	12943. 00	1553. 00	1-श्री अनिल कुमार सिंह ख0वि0 अधि0 2- श्री फूलचन् द श्रीवास् तव लेखाक ार
		श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	32 / 04 .09.15	21546.00	156026 / 14. 10.15	482.00	शून्य	482.00	
5	गौरा के गांव गढवल में इं0ला0	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	31 / 04 .09.15	120181. 00	083077 / 01. 09.15	2692.00	2334. 00	358.00	1-श्री अनिल कुमार सिंह ख0वि0 अधि0 2- श्री फूलचन् द श्रीवास् तव लेखाक ार

							योग	2366.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु०— 3343.00 आयकर की कटौती कम कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गई है अतएव कटौती नहीं की गयी आयकर रु०—3343.00 के साथ ही आयकर धनराशि के बराबर पेनाल्टी आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री यशवन्त कुमार, श्री अनिल कुमार सिंह एवं सुश्री रेनु चौधरी ,लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से वसूल कर आयकर के लेखा शीर्ष—0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—147— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से कराये गये निर्माण कार्य के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि नियमानुसार व्यापरकर (वैट) की कटौती नहीं की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:—

क्र० सं०	कार्य का नाम	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं०/दिनांक	बिल की धनराशि	भुगतान चेक/दिनांक	(वैट) 4 प्रतिशत जो काटी जानी चाहिये	(वैट) जो कटौती की गई	(वैट) जो काटी नहीं गई	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	बनकटा मे हरिराम के मकान से राधेध्याम के घर तक इ०ला०	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	78/06 .04.15	18933.00	74637 /01. 05.15	757.00	शून्य	757.00	1— श्री यशवन्त कुमार ख०वि०अ धि० 2— श्री फूलचन्द श्रीवास्तव लेखाकार
2	गणेशपुर में बलराम चौधरी के घर से राजेन्द्र चौबे के घर तक इ०ला०	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	79/06 .04.15	13900.00	083045 /02. 05.15	556.00	शून्य	556.00	1— श्री यशवन्त कुमार ख०वि०अ धि० 2— श्री फूलचन्द श्रीवास्तव लेखाकार
3	गणेशपुर के करैली गांव में इ०ला०	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	32/04 .09.15	21546.00	156026 /14. 10.15	862.00	शून्य	862.00	1—श्री अनिल कुमार सिंह ख०वि०अ धि०

									2- श्री फूलचन्द श्रीवास्तव लेखाकार
4	गौरा के गांव गढवल में इं0ला0	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	31/04 .09.15	120181.00	083077 /01. 09.15	4807.00	4167.00	640.00	1-श्री अनिल कुमार सिंह ख0वि0अ धि0 2- श्री फूलचन्द श्रीवास्तव लेखाकार
							योग	2815.00	

अतएव कटौती नहीं की गयी व्यापकर (वैट) रू0-2815.00 के साथ ही व्यापकर (वैट) धनराशि के बराबर पेनाल्टी आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी श्री यशवन्त कुमार, श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव से संयुक्त रूप सेवसूल कर व्यापकर (वैट) जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-148- क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से कराये गये निर्माण कार्य के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि नियमानुसार मिट्टी क्रय पर रायल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	आपूर्ति कर्ता का नाम	बिल सं०/दिनांक	बिल की धनराशि	भुगतान चेक/दिनांक	रायल्टी दर 14.00 रू0/घन मी0 जो काटी जानी चाहिये	रायल्टी जो कटौती की गई	रायल्टी जो काटी नहीं गई	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	बनकटा मे हरिराम के मकान से राधेष्थाम के घर तक इं0ला0	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	78/06 .04.15	18933.00	74637 /01. 05.15	126.56 घन मी0 दर14.00 त्र रू0 1772.00	शून्य	1772.00	1- श्री यशवन्त कुमार ख0वि0अ धि0 2- श्री फूलचन्द श्रीवास्तव लेखाकार

									र
2	गणेशपुर में बलराम चौधरी के घर से राजेन्द्र चौबे के घर तक इं0ला0	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	79 / 06 .04.15	13900.00	083045 / 02. 05.15	63.47 घन मी0 दर 14. 00 त्र रू0 888.00	शून्य	888.00	1— श्री यशवन्त कुमार ख0वि0 अधि0 2— श्री फूलचन्द श्रीवास्त व लेखाका र
3	गणेशपुर के करैली गांव में इं0ला0	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	32 / 04 .09.15	21546.00	156026 / 14. 10.15	141.75 घन मी0 दर 14. 00 त्र रू0 1984.00	शून्य	1984. 00	1—श्री अनिल कुमार सिंह ख0वि0 अधि0 2— श्री फूलचन्द श्रीवास्त व लेखाका र
4	गणेशपुर में आसीन के घर से प्रभु के घर तक इं0ला0	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	85 / 07 .05.15	870295. 00	083047 / 20. 05.15	163.25 घन मी0 दर 14. 00 त्र रू0 2285.00	शून्य	2285. 00	1— श्री यशवन्त कुमार ख0वि0 अधि0 2— श्री फूलचन्द श्रीवास्त व लेखाका र
							योग	6929. 00	

अतएव कटौती नहीं की गयी रायल्टी रू0-6929.00 से राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गई है अतएव रू0- 6929.00 की संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूली आहरण वितरण अधिकारी/ ख0वि0.अधि0 श्री अनिल कुमार सिंह , श्री यशवन्त कुमार एवं लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव से कर रायल्टी राजस्व को जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-149- क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त ब्याज मद से कराये गये कार्य खण्ड विकास अधिकारी आवासीय भवन टाइल्स लगवाई एवं अन्य मरम्मत के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि खण्ड विकास अधिकारी के पत्रांक-2400/मनरेगा/रा0वि0/तेरहवां वित/2015-16 दिनांक-03.11.15 द्वारा निर्माण कार्य सम्पादन

हेतु श्री रमाकान्त शुक्ला ए0डी0ओ0 (सह0) को कार्य प्रभारी बनाया गया तथा पत्रांक-2401 /मनरेगा /रा0वित्त/तेरहवां वित/2015-16 दिनांक-03.11.15 द्वारा में0 विनोद कुमार श्रीवास्तव को सामग्री आपूर्ति आदेश दिये गये। जिससे स्पष्ट है कि कार्य कार्यप्रभारी द्वारा मास्टररोल पर कराना था। परन्तु सम्पूर्ण भुगतान में विनोद कुमार श्रीवास्तव को निम्न विवरण अनुसार किया गया है-

क 0 सं0	बिल सं0/दिन ांक	भुगतान प्राप्त कर्ता	बिल ही धनराशि	कटौती		शुद्ध भुगतान	चेक सं0/दिनांक
				आयकर	वैट		
1	40/04. 11.15	में0 विनोद कुमार श्रीवास्तव	128664. 00	2882.00	5146.00	120636.00	0156020/0 7.11.15
2	79/08. 11.15	में0 विनोद कुमार श्रीवास्तव	107061. 00	2398.00	4282.00	100381.00	092145/16. 11.15
3	6/22. 11.15	में0 विनोद कुमार श्रीवास्तव	110919. 00	2484.00	4436.00	103999.00	092158/11. 12.15
		योग	346644. 00	7764.00	13864.00	325016.010	

उपरोक्त तालिका में वर्णित बिलों एवं भुगतान की जांच में पाया गया कि-

(क)- कम सं0-1 पर अंकित बिल संख्या 40/04.11.15 में (1) ख0वि0अधि0 आवास के कमरे में टाइल्स कार्य (2) कोटा स्टोन कार्य का कुल बिल -128644.00 अंकित है। कार्यप्रभारी नियुक्ति आदेश एवं सामग्री आपूर्ति आदेश 03.11.15 को किया गया तो में0 विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा एक दिन के बाद ही अर्थात् 04.11.15 को ही सामग्री आपूर्ति नहीं कर कार्य करवा कर बिल कैसे प्रस्तुत किया गया है? जो कार्य एक ही दिन में किया जाना संभव नहीं है।

(ख)- कम सं0-03 पर अंकित बिल सं0-6/22.11.15 का पाया गया परन्तु बिल के आगे का सं0-40 एवं 79 क्रमशः दिनांक-04.11.15 एवं 08.11.15 का पाया गया।

(ग)- मजदूरी का भुगतान कार्यप्रभारी श्री रमाकान्त शुक्ला ए0डी0ओ0 (सह0) को नहीं किया गया है।

(घ)- भुगतान हेतु प्रस्तुत किसी भी बिल को कार्य प्रभारी श्री रमाकान्त शुक्ला द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।

(ङ)-लेखा परीक्षा समय मागें जाने पर भी कार्य के मापन पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया।

(च)- कार्य के सभी भुगतान में विनोद कुमार श्रीवास्तव को दिये जाने सम्बन्धित प्रश्न पर संस्था द्वारा बताया गया कि कार्य में0 विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा ठेकेदारी दर पर कराकर भुगतान किया गया है। परन्तु अगर ठेकेदारी दर पर कार्य कराया गया तो-

1. कार्यप्रभारी की नियुक्ति क्यों की गई?
2. सामग्री आपूर्ति का आदेश क्यों किया गया?
3. ठेकेदारी से ठेकेदारी दर पर कार्य सम्पन्न किया गया तो कार्य का टेन्डर क्यों नहीं किया गया?

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि में0 विनोद कुमार श्रीवास्तव से सांठगांठ कर उपरोक्त वर्णित कार्य नहीं कराकर फर्जी ढंग से बिल बाउचर तैयार कर परियोजना पर व्यय धनराशि रू0-346644.00 (भुगतान+आयकर कटौती+वैट कटौती) राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतएव व्यय धनराशि रू0-346644.00 की वसूली **ब्याज सहित** ख0वि0अधि0 श्री अनिल कुमार सिंह, अवर अभियन्ता श्री आर0सी0 शुक्ला एवं लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-150-क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में बी0आर0जी0एफ0 मद से कराये गये निर्माण कार्यों में कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य हेतु किये गये निविदा अनुसार ठेकेदार द्वारा जो कम दर पर कार्य किये जाने की निविदा स्वीकृति किया गया उसे भुगतान करते समय ठेकेदार के बिल से कटौती नहीं की गई है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल	भुगतान जो, आयकर व्यापाकर एवं जमानत कटौती सहित किया गया	कम दर जिस पर निविदा स्वीकृत किया गया	धनराशि जो नहीं कटौती की गई	उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी का नाम
1	भगवान दास घर से कन्हैया प्रसाद शुक्ल के घर तक इ०ला०	बालगोविन्द	992993.00	992993.00	0.05 : कम	496.00	1— श्री यशवन्त कुमार ख०वि०अधि० 2— श्री आर०सी० शुक्ला ख०वि०अधि० 3— श्री फूलचन्द श्रीवास्तव लेखाकार
2	श्रानीपुर रामनायक के घर से रामबहाल मास्टर के घर तक इ०ला०	बालगोविन्द	973954.00	973954.00	0.05 : कम	487.00	1— श्री एस०पी० सिंह ख०वि०अधि० 2— श्री आर०सी० शुक्ला ख०वि०अधि० 3— श्री फूलचन्द श्रीवास्तव लेखाकार
					योग	983.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिस कम दर पर निविदा स्वीकृत किया गया है उसे भुगतान करते समय ठेकेदार से कटौती नहीं कर पूर्ण भुगतान कर दिया है। अतएव रु०— 983.00 जो ठेकेदार से कटौती नहीं कर अधिक भुगतान किया गया है की वसूली **ब्याज सहित** संयुक्त रूप से तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री यशवन्त कुमार श्री एस०पी० सिंह , श्री आर०सी० शुक्ला अवर अभियन्ता व लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-151— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले मार्ग निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाते हैं। मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-93/सी०ई०जेड० सामान्य/07 दिनांक- 31.01.2007 के द्वारा सीमेन्ट कंक्रीट इंटरलाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता नियंत्रित करने हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्थान पर 50 से 100 इण्टर लाकिंग टाइल्स में से 01 टाइल्स के

अचानक (रैंडम) परीक्षणकर गुणवत्ता पाये जाने पर ही टाइल्स को स्वीकार किया जाना चाहिये। क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त के अर्न्तगत कराये गये इण्टरलाकिंग कार्यों के पत्रावली की जांच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार 09 इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य कराये गये है। कार्य में प्रस्तुत इण्टरलाकिंग टाइल्स की जांच नहीं की गई है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	ग्राम पंचायत खीरीघाट में नीरज श्रीवास्तव के घर से मोहन के घर तक इ०ला०	433839.00
2	बनकटा में हरीराम के दुकान से इ०ला०	51929.00
3	चौबे टोला गणेशपुर में इ०ला०	593764.00
4	ग्राम पंचायत गणेशपुर में इ०ला०	995695.00
5	ग्रा०पं० गौरा में ग्राम गढ़वल में सईद बाबा के माजार से इ०ला०	695505.00
6	ग्राम पंचायत गौरा के ग्राम गंगापुर में अवधेश के खेत से इ०ला०	978082.00
7	ग्राम पंचायत गणेशपुर करैली गांव में इ०ला०	741019.00
8	ग्रा०पं० खीरीघाट में समय माता मंदिर से राहुल श्रीवास्तव के घर तक इ०ला०	853610.00
9	मड़वानगर उत्तरी छोर स०जनक दुलारी के घर तक इ०ला०	763821.00
	योग	6107264.00

लोक निर्माण विभाग के उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में इण्टर लाकिंग टाइल्स की जांच रिपोर्ट मांगने पर संस्था द्वारा मौखिक उत्तर में बताया गया कि वर्णित कार्यों में प्रस्तुत टाइल्स की जांच नहीं हुई है एवं भविष्य में टाइल्स की जांच करा ली जायेगी।

संस्था के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि बिना टाइल्स की जांच कराये ही टाइल्सों का प्रयोग कर लिया गया है और उसकी गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित नहीं की गई है।

इस प्रकार अनियमित रूप से बिना टाइल्स की जांच कराये ही उपरोक्त कार्य पर रु०-6107264.00 का व्यय कर अनियमितता बरती गई है इस हेतु ख०वि०अधि० श्री अनिल कुमार सिंह ,श्री एस०पी० सिंह, श्री यशवन्त कुमार सिंह एवं सुश्री रेनू चौधरी व अवर अभियन्ता श्री आर०सी० शुक्ला व लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव जिम्मेदार है आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-152- क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले मार्ग निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाते हैं। मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-93/सी०ई०जेड० सामान्य/०7 दिनांक- 31.01.2007 के द्वारा सीमेन्ट कंक्रीट इण्टरलाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता नियंत्रित करने हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्थान पर 50 से 100 इण्टर लाकिंग टाइल्स में से 01 टाइल्स के अचानक (रैंडम) परीक्षणकर गुणवत्ता पाये जाने पर ही टाइल्स को स्वीकार किया जाना चाहिये।

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2015-16 में तेरहवां वित्त के अर्न्तगत कराये गये इण्टरलाकिंग कार्यों के पत्रावली की जांच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार 02 इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य कराये गये है। कार्य में प्रस्तुत इण्टरलाकिंग टाइल्स की जांच नहीं की गई है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	डा० विपिन सिंह के घर से रंगीले के घर तक इ०ला०	674742.00
2	खौरहवा में रामवृक्ष यादव के घर से पंचायत भवन इ०ला०	628038.00
	योग	1302780.00

लोक निर्माण विभाग के उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में इंटर लाकिंग टाइल्स की जांच रिपोर्ट मांगने पर संस्था द्वारा मौखिक उत्तर में बताया गया कि वर्णित कार्यों में प्रस्तुत टाइल्स की जांच नहीं हुई है एवं भविष्य में टाइल्स की जांच करा ली जायेगी।

संस्था के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि बिना टाइल्स की जांच कराये ही टाइल्सों का प्रयोग कर लिया गया है और उसकी गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित नहीं की गई है।

इस प्रकार अनियमित रूप से बिना टाइल्स की जांच कराये ही उपरोक्त कार्य पर रु०—1302780.00 का व्यय कर अनियमितता बरती गई है इस हेतु ख०वि०अधि० श्री अनिल कुमार सिंह व अवर अभियन्ता श्री आर०सी० शुक्ला व लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव जिम्मेदार है **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर—153— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले मार्ग निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाते हैं। मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक—93/सी०ई०जेड० सामान्य/०7 दिनांक— 31.01.2007 के द्वारा सीमेन्ट कंक्रीट इंटरलाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता नियंत्रित करने हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्थान पर 50 से 100 इण्टर लाकिंग टाइल्स में से 01 टाइल्स के अचानक (रैंडम) परीक्षणकर गुणवत्ता पाये जाने पर ही टाइल्स को स्वीकार किया जाना चाहिये।

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2015—16 में बी०आर०जी०एफ० के अर्न्तगत कराये गये इण्टरलाकिंग कार्यों के पत्रावली की जांच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार 09 इंटरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य कराये गये हैं। कार्य में प्रस्तुत इंटरलाकिंग टाइल्स की जांच नहीं की गई है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	ग्रा०पं० रानीपुर में रामनारायण के घर से रामबहाल के घर तक इं०ला०	979954.00
2	ग्रा०पं० टेमा सम्पर्क मार्ग से राहुल के घर तक इं०ला०	880000.00
3	ग्रा०पं० जिगिना मे भगवान दास के घर से कन्हैया प्रसाद शुक्ल के घर तक इं०ला०	992993.00
4	ओरई में पिच रोड से इं०ला०	993984.00
	योग	3846631.00

लोक निर्माण विभाग के उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में इंटर लाकिंग टाइल्स की जांच रिपोर्ट मांगने पर संस्था द्वारा मौखिक उत्तर में बताया गया कि वर्णित कार्यों में प्रस्तुत टाइल्स की जांच नहीं हुई है एवं भविष्य में टाइल्स की जांच करा ली जायेगी।

संस्था के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि बिना टाइल्स की जांच कराये ही टाइल्सों का प्रयोग कर लिया गया है और उसकी गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित नहीं की गई है।

इस प्रकार अनियमित रूप से बिना टाइल्स की जांच कराये ही उपरोक्त कार्य पर रु०—3846631.00 का व्यय कर अनियमितता बरती गई है इस हेतु तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री एस०पी० सिंह , श्री यशवन्त कुमार सिंह ,श्री अनिल कुमार सिंह व सुश्री रेनु चौधरी अवर अभियन्ता श्री आर०सी० शुक्ला लेखाकार व श्री फूलचन्द श्रीवास्तव जिम्मेदार है **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर—154— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2015—16 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय अनुसार राज्य वित्त मद से निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है—

भुगतान जिसको किया गया	चक्रसं०/दिनांक	भुगतान जिस कार्य हेतु किया गया	धनराशि
आदित्य इण्टरप्राइजेज	083046/08.05.15	वाटर कूलर मरम्मत	2750.00
		योग	2750.00

उपरोक्त विवरण अनुसार भुगतान किये गये धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा समय, कय/मरम्मत हेतु

कोटेशन, कय/मरम्मत आदेश, कय/मरम्मत के बिल, कय सामग्री के स्टॉक पंजिका आदि मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे स्पष्ट है कि फर्जी रूप से भुगतान कर ग्रांट द्वितीय रजिस्टर में व्यय दर्शित कर रू0— 2750.00 अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ख0वि0अधि0, श्री यशवन्त कुमार एवं लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-155— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रांट रजिस्टर द्वितीय अनुसार तेरहवां वित्त मद से निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है—

क्र0सं0	भुगतान जिसको किया गया	चेकसं0/दिनांक	भुगतान जिस कार्य हेतु किया गया	धनराशि
1	प्रकाश बैट्री	083051/05.06.15	ईन्वर्टर का भुगतान	16000.00
2	आदित्य इण्टरप्राइजेज	083070/16.09.15	आर0ओ0 मरम्मत	6500.00
			योग	22500.00

उपरोक्त विवरण अनुसार भुगतान किये गये धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा समय, कय/मरम्मत हेतु कोटेशन, कय/मरम्मत आदेश, कय/मरम्मत के बिल, कय सामग्री के स्टॉक पंजिका आदि मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे स्पष्ट है कि फर्जी रूप से भुगतान कर ग्रांट द्वितीय रजिस्टर में व्यय दर्शित कर रू0— 22500.00 अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री यशवन्त कुमार, श्री अनिल सिंह एवं लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-156— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में ग्रांट रजिस्टर द्वितीय अनुसार दिनांक-20.11.15 को रू0— 19149.00 का भुगतान किया जाना अंकित है। उक्त भुगतान किसको तथा किस कार्य हेतु एवं चेक सं0/दिनांक-अंकित नहीं किया गया है। बैंक स्टेटमेंट में चेक सं0-092149 से ट्रान्सफर द्वारा रू0— 19149.00 का निकासी दर्शित है। लेखा परीक्षा समय ग्रांट रजिस्टर में दर्शित रू0— 19149.00 के भुगतान विवरण एवं भुगतान के सापेक्ष बिल बाउचर मांगें जाने पर भुगतान के विवरण का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया एवं बिल बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव स्पष्ट है कि ग्रांट रजिस्टर में बिना भुगतान विवरण दर्शित कर रू0— 19149.00 राजकीय धन का भुगतान कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ख0वि0अधि0 श्री अनिल कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-157— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में ब्याज की राशि वापस न कर अनियमितता—शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2015-16 में रू0— 72054.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेशों के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है।

अर्जित ब्याज रू0— 72054.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-158— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में राज्यवित्त मद में कराये गये कार्य— खौरहवा मे डा0 सत्यव्रत द्विवेदी के मकान से दरोगा कालोनी तक इंटर लाकिंग रोड के कार्यपत्रावली के जांच अनुसार भुगतान निम्न प्रकार से किया गया है:—

क्र0सं0	बिल सं0	कर्मि/भुगतान प्राप्त कर्ता	बिल की धनराशि	आयकर एवं वैट कटौती के बाद शुद्ध भुगतान	चेक सं0/दिनांक
1	6/1.11.12	मै0 विनोद कुमार श्रीवास्तव	395748.00	371055.00	092200/18.03.17

2	मस्टररोल दिनांक 01.11.16 से 30.01.17	कार्यप्रभारी राम निरंजन चौधरी ए0डी0ओ0 (आइ0एस0वी0)	99846.00	99846.00	119241 / 18.03.17

1. निर्माण कार्य का तकनीकी स्वीकृति —पत्रांक—32 / 16—17 दिनांक—24.12.16 से हुआ है।
2. ख0वि0अधि0 द्वारा वर्ष स्वीकृति पत्रांक—2863 / 2—लेखा / रा0वित्त / 2016—17 दिनांक—31.12.16 से हुआ है।
3. क्रम सं0—1 पर अंकित बिल सं0— 61 / 1.11.12 पाया गया जो लगभग 04 वर्ष पूर्व का है।
4. मस्टररोल अनुसार कार्य दिनांक—01.11.16 से प्रारम्भ है जबकि तकनीकी स्वीकृति 24.12.16 को एवं वित्तीय स्वीकृति 31.12.16 को हुआ है स्पष्ट है कि तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति से पहले ही कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
5. मास्टररोल पर ख0वि0अधि0 एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं पाया गया तथा अवर अभियन्ता द्वारा मजदूरी प्रमाणित नहीं है। साथ ही उपरोक्त कार्य वर्ष 2013—14 में राज्यवित्त से भी कराया गया है जिसका भुगतान निम्न प्रकार किया गया है—

क्र0सं0	भुगतान प्राप्त कर्ता	बिल की धनराशि	कटौती		शुद्ध भुगतान	चेक सं0 / दिनांक
			आयकर	वैट		
1	मे0 विनोद कुमार श्रीवास्तव	774280.00	17343.00	30971.00	725966.00	05811 / 05.03.14
2	मे0 विनोद कुमार श्रीवास्तव	601934.00	13483.00	24077.00	564374.00	058514 / 05.03.14
3	मे0 विनोद कुमार श्रीवास्तव	62208.00	1412	2488.00	58308.00	069441 / 16.07.14
4	कार्य प्रभारी श्री भुआल सिंह मजदूरी भुगतान	110480.00	—	—	110480.00	069444 / 16.07.14

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वित्तीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति से पूर्व ही कार्य प्रारम्भ कर आपूर्ति कर्ता के 04 वर्ष पहले के तिथि का बिल प्रस्तुत कर एवं वर्ष 2013—14 के कराये गये कार्य को दुबारा कार्य दर्शित कर आपूर्तिकर्ता फर्म, ख0वि0अधि0, अवर अभियन्ता कार्यप्रभारी एवं लेखाकार द्वारा सांठगांठ कर रू0—395748.00 (शुद्ध भुगतान+आयकर+ब्यापारकर) सामग्री मद एवं रू0— 99848.00 मजदूरी मद में कुल रू0— 495596.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित ख0वि0अधि0 श्री रेनू चौधरी अवर अभियन्ता श्री आर0सी0 शुक्ला कार्यप्रभारी श्री रामनिरंजन चौधरी एवं लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—159— क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय अनुसार राज्य वित्त मद से निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है—

क्र0 सं0	भुगतान जिसको किया गया	चेक सं0 / दिनांक	भुगतान जिस कार्य हेतु किया गया	धनराशि
1	मे0 न्यू यूरो पम्प इण्टरप्राइजेज	092176 / 06.07.16	आर0ओ0 मशीन मरम्मत	7890.00
2	मे0 पी0के0 इण्टरप्राइजेज	092177 / 06.07.16	फोटो कॉपी मशीन मरम्मत	18856.00
			योग	26746.00

उपरोक्त विवरण अनुसार भुगतान किये गये धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा समय, क्रय / मरम्मत हेतु कोटेशन, क्रय / मरम्मत आदेश, क्रय / मरम्मत के बिल, क्रय सामग्री के स्टॉक पंजिका आदि मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे स्पष्ट है कि फर्जी रूप से भुगतान कर ग्रान्ट द्वितीय रजिस्टर में व्यय

दर्शित कर रु0- 26746.00 अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित संयुक्त रूप से तत्कालीन ख0वि0अधि0 सुश्री रेनु चौधरी एवं लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-160- क्षेत्र पंचायत बस्ती की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में प्राप्त अनुदान को निशप्रयोजित रखकर वापस न कर अनियमितता ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार 31.03.2017 तक निम्न विवरणानुसार धनराशियां निशप्रयोजित रही-

क्र0सं 0	नाम योजना	धनराशि
1	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद	2669.00
2	जनता बायोगैस	25244.00
3	बारहवां वित्त	363.00
4	नवाचार योजना	6118.00
5	राष्ट्रीय पेय जल योजना	22360.00
	योग	56754.00

उपरोक्त तालिका में इस प्रकार कुल रु0- 56754.00 मदवार अंकित धनराशि विगत वर्षों से अनुपयोगित रहा जो क्षेत्र पंचायत में निशप्रयोजित पड़ी रही। निशप्रयोजित पड़ी धनराशि को प्रदाता के समय से वापस न कर गम्भीर अनियमिततायें की गयी है। इस प्रति ख0वि0अ0 श्रीमती रेणु चौधरी व लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव जिम्मेदार है। अतएव तालिका में मदवार अंकित धनराशि को तत्काल प्रदाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-161-क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों को देखने से ज्ञात हुआ कि रु0-320320.00 का मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न कर कार्य प्रभारियों को किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल नं0 अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशान अंकित है वो प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है इसका भी उल्लेख नहीं है। इस प्रकार पत्रावलियां में संलग्न मस्टररोल के आधार पर कार्यप्रभारियों के भुगतान कर अनियमितता की गई है। उत्तरदायी व्यक्तियों को विवरण निम्न प्रकार है7

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
179680.00	कार्यप्रभारी श्री उदयवीर राज सिंह ए.डी.ओ. एजी लेखाकार श्री रामसूरत चौधरी खण्ड विकास अधिकारी श्री राजाराम चौधरी व श्री रामनाथ
140640.00	कार्य प्रभारी श्रीपरविन्दर सिंह लेखाकार श्रीराम सूरत चौधरी खण्ड विकास अधिकारी श्री राजाराम चौधरी व श्री रामनाथ
योग-320320.00	

प्रस्तर-162-क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में सामाग्री कय प्रमाणकों की धनराशि रु0-1097918.00 रहा। जिस पर सामाग्री के प्रमाणकों के भुगतान के समय वैट/व्यापार कर नहीं काटा गया है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से वैट/व्यापारकर काटाना था। इस प्रकार उक्त धनराशि 1097918.00 का 4 प्रतिशत=43917.00 धनराशि का हानि हुई। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री राजाराम चौधरी, श्री रामनाथ व लेखाकार श्री रामसूरत चौधरी उत्तरदायी है। उक्त न काटे गये व्यापार कर धनराशि को उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल कर निर्धारित शीर्षकमें जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-163-क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में सामाग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0-23354.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त काटे गये टी0डी0एस0 की धनराशि को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धनराशि रु0-23354.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार नायक तथा लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-164-क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटेमेंट के अनुसार

अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि 19080.00 है। जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है। शासनादेश सं०-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोश में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा न कर उक्त शासनदेश का उल्लंघन किया है। उक्त अनियमितता के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री रामनाथ व लेखाकार श्री रामसूरत चौधरी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-165—क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में स्ट्रीट क्रय पर रू०-311800.00 व्यय किया गया है। किन्तु सम्बन्धित पत्रावली को देखने से स्पष्ट होता है कि उक्त क्रय नेडा बस्ती से न क्रय करके प्राइवेट/निजी फर्म मां वैश्वो इण्टर प्राइजेंज हथियावांकला बस्ती से किया गया है। भुगतान 13वें वित्त आयोग मद से किया गया है विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	भुगतान पाने वाले का नाम	बिल सं०	दिनांक	बिल की धनराशि
1	मेसर्स मां वैश्वो इण्टरप्राइजेज हथियावां	6	12.02.2011	90800
2	मेसर्स मां वैश्वो इण्टरप्राइजेज हथियावां	7	16.12.2011	221000
			योग	311800
			आयकर कटौती प्रतिशत 2.24	6984
			शुद्ध भुगतान	304816

उक्त शुद्ध भुगतान रू०-304816 को चेक नं० 447478 दिनांक-24.12.2011 को लेखाकार श्री रामसूरत चौधरी खण्ड विकास अधिकारी श्री राजाराम चौधरी व श्री आर०पी० वरुण द्वारा किया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां हैं।

- 1 उक्त क्रय के लिये कोई टेण्डर नहीं दिया गया।
- 2 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत रहा।
- 3 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बिल पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नं० नहीं अंकित है।

इस प्रकार उक्त स्ट्रीट लाईट क्रय में अनियमितता की गई है। जिसके लिये लेखाकार श्री रामसूरत चौधरी खण्ड विकास अधिकारी श्री राजाराम चौधरी व श्री आर०पी० वरुण उत्तरदायी है।

आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-166—क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों को देखने से ज्ञात हुआ कि रू०-137640.00 का मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न कर कार्य प्रभारियों को किया गया है। पत्रावलियों में जो संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नं०-अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशान अंकित है वो प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं इसका भी उल्लेख नहीं है। इस प्रकार पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोल के आधार पर कार्यप्रभारियों के भुगतान कर अनियमितता की गई है। उत्तरदायी व्यक्तियों को विवरण निम्न प्रकार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
18000.00	कार्यप्रभारी श्री उदयवीर राज सिंह ए०डी०ओ० एजी लेखाकार श्री विजय शंकर पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी श्री रामनाथ, श्री रामचन्द्र शर्मा श्री चन्द्रशेखर
119640.00	कार्य प्रभारी श्री राम कुमार मौर्य लेखाकार श्री विजय शंकर पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी श्री रामनाथ श्री रामचन्द्र शर्मा श्री चन्द्रशेखर
योग-137640.00	

प्रस्तर-167—क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में सामग्री क्रय प्रमाणकों/ टेण्डर की धनराशि रू० 2100886 रहा। जिस पर सामग्री के प्रमाणकों के भुगतान के समय रू० 59839 वैट/ व्यापार कर काटा गया है। उक्त काटे गये व्यापार कर/ वैट की धनराशि को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार प्रमाणक लेखा परीक्षा में न

प्रस्तुत कर रू0 59839.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार नायक व लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी है। तथा नियमानुसार उक्त सामग्री क्रय/टेण्डर की धनराशि 2100886.00 का 4 प्रतिशत =84035.00 धनराशि/व्यापारकर/वैट काटना था। किन्तु 84035-59839=24196 कम व्यापार कर की कटौती की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामनाथ, श्री रामचन्द्र शर्मा व श्री चन्द्रशेखर तथा लेखाकार श्री विजय शंकर पाण्डेय उत्तरदायी है। उक्त न काटे गये व्यापार की की धनराशि को उत्तरदायी व्यक्तियों से **ब्याज सहित** वसूल कर निर्धारित शीर्षकमें जमा किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर-168—क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 42823.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त काटे गये टी0डी0एस0 की धनराशि को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धनराशि रू0 42823.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार नायक तथा लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी है। **अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-169—क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि 34651.00 है। जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है। शासनादेश सं0-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोश में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा न कर उक्त शासनदेश का उल्लंघन किया है। उक्त अनियमितता के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचन्द्र शर्मा व लेखाकार श्री विजयशंकर पाण्डेय उत्तरदायी है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-170—क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों में से रू0 14859.00 सेस की कटौती की गयी है। किन्तु उक्त काटे गये सेस की धनराशि रू0 14859.00 को जमा करने का प्रमाणक मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा। जमा करने का प्रमाणक न दिखाकर उक्त धनराशि का खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार नायक व लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव द्वारा अपहरित कर लिया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-171—क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में माँ वैश्यों इंटरप्राइजेज लालगंज से 93 स्ट्रीट लाइट रू0 4500 की दर से क्रय करने में रू0 418500.00 व्यय किया गया है। जिसपर रू0 9416 आयकर की कटौती करके रू0 409084.00 को चेक नं0 296781 दिनांक 22.06.12 द्वारा संबन्धित को दिया गया है। इस संबन्ध में निम्न आपत्तियां हैं:-

- 1 उक्त क्रय के लिए कोई टेण्डर नहीं दिया गया है।
- 2 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत रहा।
- 3 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बिल पर व्यापार कर रजिस्टर्ड नं0 नहीं अंकित है।
- 4 नेडा बस्ती से उक्त स्ट्रीट लाइट क्रय न करने का कारण अस्पष्ट रहा।

इस प्रकार उक्त स्ट्रीट लाइट क्रय में अनियमितता की गयी है। जिसके लिए लेखाकार श्री विजय शंकर पाण्डेय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रामनाथ उत्तरदायी है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-172—क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मस्टररोल मजदूरों का है और भुगतान कार्य प्रभारियों को दिया गया है। मजदूरों के मस्टररोल पर मस्टररोल नम्बर नहीं अंकित है। और जो अंगूठा निशान अंकित है वह भी प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं इसका भी उल्लेख नहीं है। इस प्रकार पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोल के आधार पर कार्य प्रभारियों के भुगतान पर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम जिसे चेक निर्गत किया गया	मद	उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार तथा कार्य प्रभारी का नाम
I					

2975 98	06.08. 13	9574.00	श्री प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0)	क्रमां श	कार्य प्रभारी श्री प्रेमप्रकाश श्रीवास्तव, लेखाकारी श्री विजय शंकर पाण्डेय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचन्द्र शर्मा
2975 94	05.07. 13	15846.00	श्री राजकुमार मौर्य ए0डी0ओ0(सहकारिता)	क्रमां श	कार्य प्रभारी श्री राजकुमार मौर्य, लेखाकारी श्री विजय शंकर पाण्डेय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राम चन्द्र शर्मा
2975 96	05.07. 13	25970.00	श्री राम इन्दर पासवान ए0डी0ओ0(सहकारिता)	क्रमां श	कार्य प्रभारी श्री रामइन्दर पासवान, लेखाकार श्री विजय शंकर पाण्डेय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचन्द्र शर्मा
2976 00	06.08. 13	54864.00	श्री हरिहर प्रसाद यादव ए0डी0ओ0(एस0टी0)	क्रमां श	कार्य प्रभारी श्री हरिहर प्रसाद यादव, लेखाकार श्री विजय शंकर पाण्डेय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचन्द्र शर्मा
	योग—	106254.00			

इस प्रकार उक्त धनराशि 106254.00 का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को किया गया है। जिसके लिए उपरोक्त विवरण के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—173—क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जो निर्माण कार्य कार्यप्रभारियों द्वारा कराया गया है। उनकी सामग्री कय प्रमाणकों की धनराशि रु0 232038.00 है। इनके भुगतान के समय अंकन रु0 340.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। किन्तु उक्त सामग्री के प्रमाणकों रु0 232038.00 पर 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 5197.00 टी0डी0एस0 कटौती की जाना चाहिए थी। इस प्रकार 5197-340=4857.00 कम धनराशि टी0डी0एस0 कटौती की गयी है।, जिसके लिए लेखाकार श्री विजयशंकर पाण्डेय व खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचन्द्र शर्मा उत्तरदायी है। कम काटे गये टी0डी0एस0 धनराशि 4857.00 की ब्याज सहित वसूली करने निर्धारित शीर्षकमें जमा कराना अपेक्षित है।

प्रस्तर—174—क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जो निर्माण कार्य कार्यप्रभारियों द्वारा कराया गया है। उनकी सामग्री कय प्रमाणकों की धनराशि रु0 232038.00 है। जिस पर व्यापार कर/ वैट नहीं काटा गया है। उक्त धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से 9281.00 व्यापार कर काटना चाहिए था। उक्त न काटे गये वैट की धनराशि को खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचन्द्र शर्मा व लेखाकार श्री विजय शंकर पाण्डेय से ब्याज सहित वसूली कर निर्धारित शीर्षकमें जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—175—क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों जिनमे निर्माण कार्य टेण्डर से कराया गया है। उन निर्माण पत्रावलियों से रु0 45697.00 की सेस की कटौती की गयी है। उक्त काटे गये सेस की धनराशि रु0 45697.00 को निर्धारित शीर्षकमें जमा कराने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार अपहरण की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार नायक तथा लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी है।

अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली भी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—176—क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों जिनमे निर्माण कार्य टेण्डर से कराया गया है। उन निर्माण पत्रावलियों से रु0 102585.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। उक्त काटे गये टी0डी0एस0 धनराशि रु0 102585.00 को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार अपहरण की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार नायक तथा लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी है।

अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली भी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—177—क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों

जिनमे निर्माण कार्य टेण्डर से कराया गया है। उन निर्माण पत्रावलियों से रू0 182776.00 व्यापार कर की कटौती की गयी है। उक्त काटे गये व्यापार कर की धनराशि रू0 182776.00 को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार अपहरण की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार नायक तथा लेखाकारी श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी है।

अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली भी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-178-क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अनुदानों पर अर्जित व्याज की धनराशि 98829.00 है। जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है। शासनादेश सं0-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोश में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा न कर उक्त शासनदेश का उल्लंघन किया है। उक्त अनियमितता के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर व लेखाकार श्री विजयशंकर पाण्डेय उत्तरदायी है। **आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

प्रस्तर-179-क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में तेरहवाँ वित्त आयोग योजना अन्तर्गत जे0पी0 सिंह मॉ वैश्यों इंटरप्राइजेज हथियांवकला बस्ती से 60 अदद सोलर स्ट्रीट लाइट रू0 20600 की दर से क्रय करने में रू0 1236000.00 व्यय किया गया है। सोलर स्ट्रीट लाइट क्रय के लिए 1236000 का भुगतान के लिए निम्न चेक निर्गत किया गया है।

चेक संख्या 842319 दिनांक 03.03.2014 रू0 798074.00

चेक संख्या 842994 दिनांक 02.07.20147 रू0 247200.00

कुल रू0 1236000.00 का 2.24 प्रतिशत आयकर रू0 27686.00 तथा व्यापार कर 4 प्रतिशत रू0 49440 काटा गया है। जमानत की धनराशि रू0 113600 काटा गया है। जिसे बाद में चेक संख्या 400281 दिनांक 03.11.2014 द्वारा मां वैश्यों इंटरप्राइजेज हथियांवकला को वापस दिया गया है। उक्त क्रय के संबंध में निम्न आपत्तियां हैं:-

- 1 उक्त सोलर लाइट नेडा बस्ती से न क्रय करके प्राईवेट दुकान से किया गया है।
- 2 उक्त सोलर लाइट क्रय के लिए कोई टेण्डर नहीं निकाला गया है।
- 3 नेडा बस्ती से सोलर लाइट क्रय न करने का कोई कारण पत्रावली में अंकित नहीं पाया गया है।
- 4 सोलर स्ट्रीट लाइट क्रय के लिए जो अनुबन्ध पत्र पत्रावली में संलग्न हैं उस पर किसी अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। अनुबन्ध पत्र अपूर्ण एवं भ्रामक है।
- 5 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत रहा।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है। कि सोलर स्ट्रीट लाइट क्रय में अनियमितता की गयी है। जिसके लिए लेखाकार श्री विजय शंकर पाण्डेय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर उत्तरदायी है। **विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 180- क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों में देखने से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2014-15 में रू 1300136.00 का मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को किया गया है पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल नं0 अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगूठा निशान अंकित है वो प्रमाणित नहीं है कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है इसका भी उल्लेख नहीं है उपरोक्त से स्पष्ट है अनियमित व अप्रमाणित मस्टररोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी का पैसा कार्यप्रभारी द्वारा भुगतान में अनियमितता की गयी है इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
1300136	श्री चन्द्र शेखर व श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह ख0वि0अधि0 तथा लेखाकर श्री विजय शंकर पाण्डेय एवं कार्यप्रभारी श्री रामचन्दर पासवान, श्री सहाबुद्दीन, श्री रामकेश भास्कर श्री अरुण कुमार पाण्डेय श्री हरिहर यादव

प्रस्तर 181- क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में सामाग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रू 127323.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गई है जिसे निर्धारित शीर्षकजमा करने के पुष्टि में

चालान/दाखिल रिटर्न आदि नहीं प्रस्तुत किया गया इस प्रकार लेखा परीक्षा में रु 127323.00 का जमा प्रमाणक न प्रस्तुत कर अपहरण की गयी है जिसके लिये श्री संजय कुमार नायक खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली भी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 182— क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में कुल सामग्री क्रय पर रु 227698.00 वैट की कटौती की गई है उक्त काटे गये व्यापार कर/वैट धनराशि को निर्धारित शीर्षकजमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया इस प्रकार लेखा परीक्षा में रु 227698.00 का व्यापार कर का जमा प्रमाणक न प्रस्तुत कर अपहरण की गयी जिसके लिये संजय कुमार नायक खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 183— क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि 81880.00 है जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है शासनादेश सं०- ए-1-122/दस-2012-10(33)/2019 दिनांक- 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसको राजकोश में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में न जमा कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया है उक्त अनियमितता के लिये ख०वि०अधि० श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह एवं लेखाकार श्री विजयशंकर पाण्डेय उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 184— क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ख०वि०अधि० बनकटी में मां वैश्वो इण्टरप्राइजेज हथियांव कला से 100 अदद सोलर लाईट क्रय पर रु 20,80,000.00 व्यय किया गया है आयकर 2.24 प्रतिशत आयकर रु 46717.00 तथा 4 प्रतिशत वैट 83200.00 की कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान दिया गया है ब्यौरा निम्न प्रकार है—

चेक नं०- 400283 दिनांक 05.11.2014- रु 1456000.00

चेक नं०- 400288 दिनांक- 17.12.2014- रु 150000.00

चेक नं०- 400292 दिनांक- 29.12.2014- रु 136083.00

चेक नं०- 833571 दिनांक- 25.07.15- रु 208000.00

उक्त सोलर लाईट का क्रय नेडा बस्ती से न करके प्राईवेट दुकान से किया गया है लेखापरीक्षा में उक्त दुकान मां वैश्वो इण्टरप्राइजेज के बिल पर व्यापार का रजिस्टर नं० भी अंकित नहीं पाया गया तथा टेण्डर प्रक्रिया संबंधित अभिलेख मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार उक्त सोलर लाईट क्रय में अनियमितता की गयी जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री चन्द्रशेखर व लेखाकार श्री विजयशंकर उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 185— क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों में देखने से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2015-16 में रु 851676.00 का मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारियों को किया गया है पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टररोल नं० अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगूठा निशान अंकित है वो प्रमाणित नहीं है कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है इसका भी उल्लेख नहीं है उपरोक्त से स्पष्ट है अनियमित व अप्रमाणित मस्टररोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी का पैसा कार्यप्रभारी द्वारा भुगतान में अनियमितता की गयी है इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है— आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
851676	श्री अनिल कुमार सिंह व श्री दिग्विजयनाथ तिवारी ख०वि०अधि० तथा लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव व कार्यप्रभारी श्री रामकेश भास्कर श्री अनिल कुमार पाण्डेय श्री प्रेमप्रकाश श्रीवास्तव

प्रस्तर 186— क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान

के समय रु 75928.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गई है जिसे निर्धारित शीर्षकमें जमा करने के पुश्ति में चालान/दाखिल रिटर्न आदि नहीं प्रस्तुत किया गया इस प्रकार लेखापरीक्षा में रु 75928.00 का जमा प्रमाणक न प्रस्तुत कर अपहरण की गयी है जिसके लिये श्री संजय कुमार नायक खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली भी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 187— क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में कुल सामग्री क्रय पर रु 135587.00 वैट की कटौती की गई है उक्त काटे गये व्यापार कर/वैट धनराशि को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया इस प्रकार लेखा परीक्षा में रु 135587.00 का व्यापारकर का जमा प्रमाणक न प्रस्तुत कर अपहरण की गयी जिसके लिये संजय कुमार नायक खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली भी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 188— क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि 88043.00 है जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है शासनादेश सं0- ए-1-122/दस-2012-10(33)/2019 दिनांक- 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसको राजकोश में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में न जमा कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया है उक्त अनियमितता के लिये ख0वि0अधि0 श्री दिग्विजयनाथ तिवारी एवं लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 189— क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में ख0वि0अधि0 मेसर्स शुभम सोलर शॉप से 50 स्ट्रीट लाईट क्रय करने में रु 23000 प्रति नग की दर से कुल रु 1150000.00 व्यय किया गया है विवरण निम्न प्रकार है—

मू0- 474426.00 चेक नं0 201797 दिनांक-26.10.2015 द्वारा भुगतान किया गया है आयकर 2.24 प्रतिशत 11334.00 व्यापार कर 4 प्रतिशत 20240.00 की कटौती की गई है इस प्रकार रु 506000.00 का व्यय किया गया है।

28 सोलर लाईट क्रय करने में भुगतान का विवरण—

मू0- 603814.00 चेक नं0 214609 दिनांक- 05.01.16 द्वारा भुगतान किया गया है आयकर 2.24 प्रतिशत 14426.00 व्यापार कर 4 प्रतिशत 25760.00 की कटौती की गई है इस प्रकार रु 644000.00 का व्यय किया गया है।

उक्त सोलर लाईट का क्रय नेडा बस्ती से न करके प्राइवेट दुकान शुभम सोलर शॉप से किया गया है लेखा परीक्षा में उक्त दुकान शुभम सोलर शॉप के बिल पर व्यापार कर का रजिस्ट्रेशन नं0 भी अंकित नहीं पाया गया तथा टेण्डर प्रक्रिया सम्बन्धित अभिलेख मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा तथा सोलर लाईट स्थापित करने हेतु स्थल चयन की सूची ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्ति रसीद नेडा बस्ती से न क्रय करने का कारण पत्रावली में अंकित नहीं पाया गया एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट भी नहीं प्रस्तुत किया गया इस प्रकार उक्त सोलर लाईट क्रय में अनियमितता की गयी है जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्री दिग्विजयनाथ तिवारी व लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 190— क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों में देखने से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2016-17 में रु 528805.00 का मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारियों को किया गया है पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उनपर मस्टररोल नं0 अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगूठा निशान अंकित है वो प्रमाणित नहीं है कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है इसका भी उल्लेख नहीं है उपरोक्त से स्पष्ट है अनियमित व अप्रमाणित मस्टररोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी का पैसा कार्यप्रभारी द्वारा भुगतान में अनियमितता की गयी है इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है—ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति

528805	श्री दिग्विजयनाथ तिवारी ख०वि०अधि० तथा लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव एवं कार्यप्रभारी श्री रामकेश भास्कर श्री अरुण कुमार पाण्डेय

प्रस्तर 191— क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु 80027.00 टी०डी०एस० की कटौती की गई है जिसे निर्धारित शीर्षकमें जमा करने के पुरिष्ट में चालान/दाखिल रिटर्न आदि नहीं प्रस्तुत किया गया इस प्रकार लेखापरीक्षा में रु 80027.00 का जमा प्रमाणक न प्रस्तुत कर अपहरण की गयी है जिसके लिये श्री संजय कुमार नायक खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली भी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 192— क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में कुल सामग्री क्य पर रु 142827.00 वैट की कटौती की गई है उक्त काटे गये व्यापार कर/वैट धनराशि को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया इस प्रकार लेखा परीक्षा में रु 142827.00 का व्यापारकर का जमा प्रमाणक न प्रस्तुत कर अपहरण की गयी जिसके लिये संजय कुमार नायक खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 193— क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि 68249.00 है जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है शासनादेश सं०— ए-1-122/दस-2012-10(33)/2019 दिनांक— 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसको राजकोश में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में न जमा कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया है उक्त अनियमितता के लिये ख०वि०अधि० श्री दिग्विजयनाथ तिवारी एवं लेखाकार श्री फूलचन्द श्रीवास्तव उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-194— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2011-12 के निर्माण कार्यों के मस्टररोलों की जांच में पाया गया कि संलग्न मस्टररोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं है और हस्ताक्षर अंगूठा निशानी को कार्य प्रभारियों द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। साथ ही उल्लिखित मजदूर के गॉव का उल्लेख भी मस्टररोल पर अंकित नहीं किया गया है। वर्ष में मजदूरी मद में कुल भुगतान रु० 160720.00 संबन्धित मजदूरों को न कर कार्य प्रभारियों को भुगतान कर के अनियमितता की गयी है। जिसके उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीगण श्री इन्द्रबली, श्रीमती शोभावती देवी श्री उग्रसेन पाण्डेय व श्री राजेश यादव तथा लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र है इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-195—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2011-12 में सामग्री मद में कुल रु० 855609.00 भुगतान में से रु० 54007.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्य प्रमाणकों के आधार पर भुगतान कार्य प्रभारी को कर गंभीर अनियमितता की गयी है।

दिनांक	धनराशि	चेक न०	चेक जिसके नाम निर्गत है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
06.12.11	16000.00	267465	अमरनाथ बि० मटै०	राजेन्द्र प्रसाद सिंह
06.12.11	18775.00	267465	परफेक्ट इन्जी० वर्क्स	राजेन्द्र प्रसाद सिंह
06.12.11	15284.00	267465	शिव इलेक्ट्रानिक्स	राजेन्द्र प्रसाद
15.09.11	3948.00	267462	हरिराम	फिरोज खान

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में सामग्री मद में दर्शित व्यय की कतिपय धनराशियों नियमानुसार सम्बन्धित फर्म को बाई चेक भुगतान न कर मनमाने ढंग से कार्य प्रभारियों को भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री इन्द्रबली, श्रीमती शोभावती, श्री उग्रसेन पाण्डेय व श्री राजेश यादव व लेखाकारी श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-196—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2011-12 में निर्माण सामग्रियों पर कुल व्यय रु० 851661.00 (मिटटी को छोड़कर) किया गया है। नियमानुसार निर्माण समग्री की बिलो से 2.24 प्रतिशत की दर से कुल रु० 19077.00 टी०डी०एस० कटौती के सापेक्ष रु० 17955.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु०

1122.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्डविधि अधिगण श्री इन्द्रबली, श्रीमती शोभावती, श्री उग्रसेन पाण्डेय व श्री राजेश यादव व लेखाकारी श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-197—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2011-12 में निर्माण सामग्रियों पर कुल व्यय रु० 851661.00 (मिट्टी को छोड़कर) किया गया है। जिसके सापेक्ष 4 प्रतिशत की दर से बिक्री करकी कटौती न कर कुल रु० 34066.00 राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्डविधि अधिगण श्री इन्द्रबली, श्रीमती शोभावती, श्री उग्रसेन पाण्डेय व श्री राजेश यादव व लेखाकारी श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-198—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2011-12 में निर्माण सामग्रियों की बिलो से टी०डी०एस० की की गयी कटौती कुल रु० 17955.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्षक में न जमा कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए श्री राजेश यादव, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-199—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों में निम्नलिखित विवरणानुसार कृय मिट्टी की बिल से रायल्टी की कटौती न कर रु० 496.00 राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी प्रतिपूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री इन्द्रबली तथा लेखाकारी श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र (बिल जांचकर्ता एवं स्वीकृतकर्ता) से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	दिनांक	मिट्टी की मात्रा	कार्य का नाम
1	—	35.40 घन मी०	विकास खण्ड परिसर में सेप्टिक टैंक सोकपिट निर्माण
योग— 35.40घनमी०×14.00=496.00			

प्रस्तर-200—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2011-12 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष व्यय उपरान्त दिनांक 31.03.2012 को कुल रु० 3306160.00 (क्षेत्र निधि एवं मनरेगा से ब्याज प्राप्ति को छोड़कर) अनुदान का उपभोग नहीं किया जा सका है। उक्त अनुपयोगित अनुदान धनराशि को नियमानुसार प्रदाता विभाग को वापस न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति खण्डविधि अधिगण श्री राजेश यादव व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-201—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2011-12 में ग्राण्ट रजिस्टर-111 की जांच में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में क्षेत्र निधि से अर्जित ब्याज शीर्ष में शुद्ध जमा शेष रु० 57921.00 दर्शाया गया है। शासनादेश सं०-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखने पर ब्याज अर्जित होता है तो, उसे संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए अथवा राजकीय कोश में जमा कर दिया जाना चाहिए किन्तु संस्था द्वारा वर्षान्त में ऐसा न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्डविधि अधिगण श्री राजेश यादव व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-202—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2012-13 के निर्माण कार्यों के मस्टररोलों की जांच में पाया गया कि संलग्न मस्टररोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं है और हस्ताक्षर अंगूठा निशानी को कार्य प्रभारियों द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। साथ ही उल्लिखित मजदूर के गाँव का उल्लेख भी मस्टररोल पर अंकित नहीं किया गया है। वर्ष में मजदूरी मद में कुल भुगतान रु० 552675.00 संबंधित मजदूरों को न कर कार्य प्रभारियों को भुगतान कर के अनियमितता की गयी है। जिसके उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीगण श्री राजेश यादव, श्री उग्रसेन पाण्डेय तथा लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-203—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2012-13 में सामग्री मद में कुल रु० 2321561.00 भुगतान में से रु० 34033.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कृय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान कार्य प्रभारी को कर गंभीर अनियमितता की गयी है।

चेक नं०	दिनांक	धनाशि	चेक जिसके नाम निर्गत है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
367478	01.06.12	13306.00	प्रदीप कुमार चौधरी	अनिल कुमार पाण्डेय
267481	02.06.12	8127.00	प्रदीप कुमार चौधरी	अनिल कुमार पाण्डेय
126728	04.01.13	12600	प्रदीप कुमार चौधरी	राजेन्द्र प्रसाद सिंह

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में सामग्री मद में दर्शित व्यय की कतिपय धनराशियों नियमानुसार सम्बन्धित फर्म को बाई चेक भुगतान न कर मनमाने ढंग से कार्य प्रभारियों को भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री राजेश यादव, श्री उग्रसेन पाण्डेय, श्रीमती रामकिशुन, तथा श्रीमती शोभावती देवी व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-204—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2012-13 में निर्माण सामग्रियों पर कुल व्यय रु० 2287528.00 (मिटटी को छोड़कर) किया गया है। जिसके सापेक्ष 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर की कटौती न कर कुल रु० 91501.00 राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी क्षतिपूर्ति तत्कालीन ख०वि०अधि० गण श्री राजेश यादव, श्री उग्रसेन पाण्डेय, श्रीमती रामकिशुन, तथा श्रीमती शोभावती देवी व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-205—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2012-13 में निर्माण सामग्रियों की बिलो से टी०डी०एस० की गयी कटौती कुल रु० 51241.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्षकमें न जमा कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए श्रीमती शोभावती देवी, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-206—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों में निम्नलिखित विवरणानुसार कय मिटटी की बिल से रायल्टी की कटौती न कर रु० 5211.00 राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी प्रतिपूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव तथा शोभावती देवी तथा लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र (बिल जांचकर्ता एवं स्वीकृतकर्ता) से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	दिनांक	मिटटी की मात्रा	कार्य का नाम
1	—	131.75 घन मी०	विकासखण्ड परिसर में सी०सी० रोड निर्माण (कार्यालय भवन के सामने)
2	—	80.47 घन मी०	विकास खण्ड परिसर में सी०सी० रोड निर्माण (बी०आर०जी०एफ० भवन के सामने)
3	—	160.00 घन मी०	बेलवा सेंगर में तिलकराम के घर से संतराम के खेत तक खण्डजा कार्य
	योग	372.00घन मी०×14.00=5211.00	

प्रस्तर-207—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2012-13 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष व्यय उपरान्त दिनांक 31.03.2013 को कुल रु० 2911559.00 (क्षेत्र निधि एवं मनरेगा से ब्याज प्राप्ति को छोड़कर) अनुदान का उपभोग नहीं किया जा सका है। उक्त अनुपयोगित अनुदान धनराशि को नियमानुसार प्रदाता विभाग को वापस न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति ख०वि०अधि० श्रीमती शोभावती देवी व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-208—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2012-13 में ग्राण्ट रजिस्टर-।।। की जांच में पाया गया कि वर्ष 2012-13 में क्षेत्र निधि से अर्जित व्याज शीर्ष में शुद्ध जमा शेष रु० 108529.00 दर्शाया गया है। शासनादेश सं०-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखने पर ब्याज अर्जित होता है तो, उसे संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए अथवा राजकीय कोश में जमा कर दिया जाना चाहिए किन्तु संस्था द्वारा वर्षान्त में ऐसा न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री राजेश यादव व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-209—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2012-13 में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में कुल रु०

356735.00 मनरेगा व्याज का उपभोग किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित उपभोग की पुष्टि में प्रमाणक/ अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-210—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2013-14 के निर्माण कार्यों के मस्टररोलों की जांच में पाया गया कि संलग्न मस्टररोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं है और हस्ताक्षर अंगूठा निशानी को कार्य प्रभारियों द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। साथ ही उल्लिखित मजदूर के गाँव का उल्लेख भी मस्टररोल पर अंकित नहीं किया गया है। वर्ष में मजदूरी मद में कुल भुगतान रु0 617556.00 संबंधित मजदूरों को न कर कार्य प्रभारियों को भुगतान कर के अनियमितता की गयी है। जिसके उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीगण श्रीमती शोभावती देवी, श्री दुर्गादत्त शुक्ल, श्री हनुमान प्रसाद मिश्र तथा श्री रामचन्द्र शर्मा तथा लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र है इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-211—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2013-14 में सामग्री मद में कुल रु0 2136242.00 भुगतान में से रु0 53545.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान कार्य प्रभारी को कर गंभीर अनियमितता की गयी है।

चेक नं०	दिनांक	धनाशि	चेक जिसके नाम निर्गत है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
586316	30.09.13	19096.00	चौधरी बि० मटै०	सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी
586321	21.10.13	4641.00	राधवेन्द्र प्रताप	सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी
586327	20.12.13	29808.00	राधवेन्द्र प्रताप	सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में सामग्री मद में दर्शित व्यय की कतिपय धनराशियाँ नियमानुसार सम्बन्धित फर्म को बाई चेक भुगतान न कर मनमाने ढंग से कार्य प्रभारियों को भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि० श्रीमती शोभावती देवी, श्री दुर्गादत्त शुक्ल, श्री हनुमान प्रसाद मिश्र तथा श्री रामचन्द्र शर्मा तथा लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-212—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2013-14 में निर्माण सामग्रियों पर कुल व्यय रु0 2101793.00 (मिटटी को छोड़कर) किया गया है। नियमानुसार निर्माण सामग्री की बिलो से 2.24 प्रतिशत की दर से कुल रु0 47080.00 टी०डी०एस० कटौती के सापेक्ष रु0 46653.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु0 427.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण०वि०अधि० गण श्रीमती शोभावती देवी, श्री दुर्गादत्त शुक्ल, श्री हनुमान प्रसाद मिश्र तथा श्री रामचन्द्र शर्मा तथा लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-213—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2013-14 में निर्माण सामग्रियों पर कुल व्यय रु0 2101793.00 (मिटटी को छोड़कर) किया गया है। जिसके सापेक्ष 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर की कटौती न कर कुल रु0 84072.00 राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण०वि०अधि० श्रीमती शोभावती देवी, श्री दुर्गादत्त शुक्ल, श्री हनुमान प्रसाद मिश्र तथा श्री रामचन्द्र शर्मा तथा लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-214—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2013-14 में निर्माण सामग्रियों की बिलो से टी०डी०एस० की की गयी कटौती कुल रु0 46653.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्षकमें न जमा कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए श्री रामचन्द्र शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-215—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यों में निम्नलिखित विवरणानुसार क्रय मिटटी की बिल से रायल्टी की कटौती न कर रु0 5264.00 राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी प्रतिपूर्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हनुमान प्रसाद मिश्र तथा लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र (बिल जांचकर्ता एवं स्वीकृतकर्ता) से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है:—

क्रम संख्या	दिनांक	मिटटी की मात्रा	कार्य का नाम
1	—	52.00 घन मी०	बी०एस०पी० कार्यालय से श्री रामशंकर चौधरी के घर

			तक खण्डजा कार्य
2	—	324.00 घन मी0	कप्तानगंज नगर मार्ग से खनुरिथि प्रदीप के घर तक खण्डजा कार्य
योग— 376.00घनमी0×14.00=5264.00			

प्रस्तर-216—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2013-14 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष व्यय उपरान्त दिनांक 31.03.2014 को कुल रू0 3879334.00 (क्षेत्र निधि एवं मनरेगा से व्याज प्राप्ति को छोड़कर) अनुदान का उपभोग नहीं किया जा सका है। उक्त अनुपयोगित अनुदान धनराशि को नियमानुसार प्रदाता विभाग को वापस न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति ख0वि0अधि0 श्री रामचन्द्र शर्मा व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-217—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2013-14 में ग्राण्ट रजिस्टर-।।। की जांच में पाया गया कि वर्ष 2013-14 में क्षेत्र निधि से अर्जित व्याज शीर्ष में शुद्ध जमा शेष रू0 200359.00 दर्शाया गया है। शासनादेश सं0-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखने पर व्याज अर्जित होता है तो, उसे संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए अथवा राजकीय कोश में जमा कर दिया जाना चाहिए किन्तु संस्था द्वारा वर्षान्त में ऐसा न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री रामचन्द्र शर्मा व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-218—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2013-14 में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में कुल रू0 34053.00 मनरेगा व्याज का उपभोग किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित उपभोग की पुष्टि में प्रमाणक/ अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामचन्द्र शर्मा व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। **व्याज सहित वसूली** अपेक्षित है।

प्रस्तर-219—क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2013-14 में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में कुल रू0 194064.00 आयकर/ बिक्रीकर/ जमानत आदि मद में उपभोग किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय संबंधी प्रमाणक/ जमाचालान/ अन्य अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर दर्शित व्यय की पुष्टि न कराकर धन का अपहरण कर लिया गया है।, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्त शुक्ला तथा श्री हनुमान प्रसाद मिश्र व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। **व्याज सहित वसूली** अपेक्षित है।

प्रस्तर 220— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्यों के मस्टररोलों की जांच में पाया गया कि संलग्न मस्टररोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं है और जो हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी को कार्यप्रभारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है साथ ही उल्लिखित मजदूर के गांव का उल्लेख भी मस्टररोल पर अंकित नहीं किया गया है वर्ष में मजदूरी मद में कुल भुगतान रू 1233816.00 सम्बन्धित मजदूरों को भुगतान न कर कार्यप्रभारियों कर अनियमितता की गई है जिसके उत्तरदायी तत्कालीन ख0वि0अधि0 गण श्री रामचन्द्र शर्मा एवं एम0एस0 असलम तथा लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 221— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में सामाग्री मद में कुल रू 4045642.00 भुगतान में से रू 44200.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामाग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान कार्यप्रभारी को करके गंभीर अनियमितता की गई है।

दिनांक	धनराशि	चेक0नं0	चेक जिसके नाम दर्शित है।	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
11.8.14	3600.00	586340	जितेन्द्र वस्त्रालय	सुरेन्द्रनाथ त्रिपाठी
11.8.14	16480.00	586340	चौधरी बिल्डिंग मटेरियल	सुरेन्द्रनाथ त्रिपाठी
11.8.14	15634.00	586340	चौधरी बिल्डिंग मटेरियल	सुरेन्द्रनाथ त्रिपाठी

11.8.14	8486.00	586340	शिव इलेक्ट्रिकल्स	सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी
योग	44200.00			

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में सामग्री मद में दर्शित व्यय की कतिपय धनराशियां नियमानुसार सम्बन्धित फर्म को बाई चेक भुगतान न कर मनमाने ढंग से कार्यप्रभारी को भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके लिये तत्कालीन ख०वि०अधि० गण श्री रामचन्द्र शर्मा एवं एम०एस० असलम तथा लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र है। संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 222— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में सामग्री के बिलों से टी०डी०एस० की की कटौती कुल रु 99221.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्षकमें न जमा कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके लिये श्री एम०एस० असलम ख०वि०अधि० तथा श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 223— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में सामग्री के बिलों से बिक्री कर की कटौती कुल रु 170765.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्षकमें न जमा कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके लिये श्री एम०एस० असलम ख०वि०अधि० तथा श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 224— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष व्यय उपरान्त दिनांक-31.03.2015 को कुल रु 4576122.00 (क्षेत्र निधि एवं मनरेगा से ब्याज प्राप्ति छोड़कर) अनुदान का उपभोग नहीं किया जा सका उक्त अनुपायोगित अनुदान धनराशि को नियमानुसार प्रदाता विभाग को वापस न कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके प्रति श्री एम०एस० असलम ख०वि०अधि० तथा श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 225— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट-।।। रजिस्टर की जांच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 में क्षेत्र निधि से अर्जित ब्याज शीर्ष में शुद्ध जमा शेष रु 339164.00 दर्शाया गया है शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-दस(33)/2010 दिनांक- 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से अवमुक्त अनुदान की धनराशि को बैंक में रखने पर ब्याज अर्जित होता है तो उसे संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिये अथवा राजकीय कोश में जमा कर दिया जाना चाहिये किन्तु संस्था द्वारा वर्षान्त में ऐसा न कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके लिये तत्कालीन श्री एम०एस० असलम ख०वि०अधि० तथा श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 226— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट-।।। रजिस्टर की वर्ष 2014-15 के जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में कुल रु 142131.00 मनरेगा ब्याज का उपभोग किया जाना दर्शित है लेखा परीक्षा में दर्शित उपभोग की पुष्टि में प्रमाणक/अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके लिये तत्कालीन श्री एम०एस० असलम ख०वि०अधि० तथा श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 227— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट-।।। रजिस्टर की वर्ष 2014-15 के जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में रु 469202.00 आयकर/बिक्रीकर/जमानत आदि मद में उपयोग किया जाना दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय सम्बन्धी प्रमाणक/जमा चालान/अन्य अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर एवं दर्शित व्यय की पुष्टि न कराकर गंभीर अनियमितता की गई है। जिसके लिये तत्कालीन श्री एम०एस० असलम ख०वि०अधि० तथा श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 228— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्यों के मस्टररोलों

की जांच में पाया गया कि संलग्न मस्टररोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं है और जो हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी को कार्यप्रभारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है साथ ही उल्लिखित मजदूर के गांव का उल्लेख भी मस्टररोल पर अंकित नहीं किया गया है वर्ष में मजदूरी मद में कुल भुगतान रु 802575.00 सम्बन्धित मजदूरों को भुगतान न कर कार्यप्रभारियों कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके उत्तरदायी तत्कालीन ख०वि०अधि० गण श्री दिग्विजयनाथ तिवारी, श्री सरजू प्रसाद सिंह, श्री यशवन्त कुमार सिंह, श्री प्यारेलाल एवं श्री मती रूकमणि वर्मा तथा लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र व श्री बलराम यादव है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 229— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में सामाग्री मद में कुल रु 2852836.00 भुगतान में से रु 64988.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामाग्री कय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान कार्यप्रभारी को करके गंभीर अनियमितता की गई है।

दिनांक	धनराशि	चेकनं०	चेक जिसके नाम दर्शित है।	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता
22.9.15	15435.00	583029	वीरेन्द्र प्रताप	नकद
22.9.15	20625.00	744992	राघवेन्द्र	नकद
11.8.15	15000.00	583024	मधु इलेक्ट्रीकल्स	आनन्द यादव
11.8.15	4776.00	583025	मां अम्बे इण्टर प्रा०	नकद
11.8.15	9152.00	583025	चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल	नकद
योग	64988.00			

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में सामाग्री मद में दर्शित व्यय की कतिपय धनराशियां नियमानुसार सम्बन्धित फर्म को बाई चेक भुगतान न कर मनमाने ढंग से कार्यप्रभारी को भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके लिये तत्कालीन ख०वि०अधि० गण श्री दिग्विजयनाथ तिवारी एवं प्यारेलाल तथा लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, श्री बलराम यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 230— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामाग्रियों पर कुल व्यय रु 3035544.00 किया गया है। जिसका विवरण उपरोक्त तालिका पर दर्शित है नियमानुसार सामाग्री के बिलों से दर 2.24 प्रतिशत की दर से कुल रु 67966.00 टी०डी०एस० कटौती के सापेक्ष कुल रु 65885.00 की कटौती की गई है इस प्रकार रु 2111.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख०वि०अधि० गण श्री दिग्विजयनाथ तिवारी, श्री प्यारेलाल तथा लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र व श्री बलराम यादव से की जानी अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 231— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामाग्रियों पर कुल व्यय रु 3035544.00 किया गया है जिसका विवरण उपरोक्त तालिका पर दर्शित है नियमानुसार निर्माण सामाग्री के बिलों से दर 4.00 प्रतिशत की दर से कुल रु 121421.00 बिक्री कर कटौती के सापेक्ष रु 116823.00 की कटौती की गई है इस प्रकार रु 4598.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गई है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख०वि०अधि० गण श्री दिग्विजयनाथ तिवारी, श्री प्यारेलाल तथा लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र व श्री बलराम यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 232— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामाग्री के बिलों से टी०डी०एस० की की गई कटौती कुल रु 65885.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्ष में न जमा कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके लिये श्री मती रूकमणि वर्मा ख०वि०अधि० व श्री बलराम यादव लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाने हेतु आवश्यक

कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 233— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामाग्री के बिलो से बिक्री कर की की गई कटौती कुल रु 1168223.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्ष में न जमा कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके लिये श्री मती रूकमणि वर्मा ख0वि0अधि0 व श्री बलराम यादव लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 234— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष व्यय उपरान्त दिनांक— 31.03.2016 को कुल रु 123670.00 (क्षेत्रनिधि एवं मनरेगा से ब्याज छोड़कर) अनुदान का उपभोग नहीं किया जा सका है उक्त अनुपयोगित अनुदान धनराशि को नियमानुसार प्रदाता विभाग को वापस न कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति ख0वि0अधि0 श्री मती रूकमणि वर्मा ख0वि0अधि0 व श्री बलराम यादव लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा करायेजाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 235— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट—।।। रजिस्टर की जांच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में क्षेत्र निधि से अर्जित ब्याज शीर्ष में शुद्ध जमा शेष रु 380225.00 दर्शाया गया है शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-दस(33)/2010 दिनांक— 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से अवमुक्त अनुदान की धनराशि को बैंक में रखने पर ब्याज अर्जित होता है तो उसे संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिये अथवा राजकीय कोश में जमा कर दिया जाना चाहिये किन्तु संस्था द्वारा वर्षान्त में ऐसा न कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके लिये तत्कालीन श्री मती रूकमणि वर्मा ख0वि0अधि0 व श्री बलराम यादव लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा करायेजाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 236— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट—।।। रजिस्टर की वर्ष 2015-16 के जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में रु 908800.00 आयकर/बिक्रीकर/जमानत आदि मद में उपयोग किया जाना दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय सम्बन्धी प्रमाणक/जमा चालान/अन्य अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर एवं दर्शित व्यय की पुष्टि न कराकर गंभीर अनियमितता की गई है। जिसके लिये तत्कालीन श्री दिग्विजय तिवारी मती रूकमणि वर्मा, ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र श्री बलराम यादव और श्री सत्यनारायन संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 237— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्यों के मस्टररोलों की जांच में पाया गया कि संलग्न मस्टररोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं है और जो हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी को कार्यप्रभारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है साथ ही उल्लिखित मजदूर के गांव का उल्लेख भी मस्टररोल पर अंकित नहीं किया गया है वर्ष में मजदूरी मद में कुल भुगतान रु 258896.00 सम्बन्धित मजदूरों को भुगतान न कर कार्यप्रभारियों कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके उत्तरदायी तत्कालीन ख0वि0अधि0 गण श्री मती रूकमणि वर्मा, श्री रामचन्द्र राम , श्री श्याम जी श्री मती शोभावती देवी श्री दुर्गादत्त शुक्ल एवं श्री आर0पी0 सिंह तथा लेखाकार श्री बलराम यादव एवं श्री सत्यनारायन है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 238— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में सामग्री के बिलो से टी0डी0एस0 की की कटौती कुल रु 17578.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्षकमें न जमा कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्री आर0पी0 सिंह तथा लेखाकार श्री सत्यनारायन संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में जमा करायेजाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 239— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामाग्री के बिलो से बिक्री कर की की गई कटौती कुल रु 31032.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्ष में न जमा कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्री आर0पी0 सिंह तथा लेखाकार श्री सत्यनारायन संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में जमा करायेजाने हेतु

आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 240— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष व्यय उपरान्त दिनांक— 31.03.2017 को कुल रु 1828799.00 (क्षेत्रनिधि एवं मनरेगा से ब्याज छोड़कर) अनुदान का उपभोग नहीं किया जा सका है उक्त अनुपयोगित अनुदान धनराशि को नियमानुसार प्रदाता विभाग को वापस न कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके प्रति ख0वि0अधि0 श्री आर0पी0 सिंह तथा लेखाकार श्री सत्यनारायन संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 241— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट—।।। रजिस्टर की जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में क्षेत्र निधि से अर्जित ब्याज शीर्ष में शुद्ध जमा शेष रु 427036.00 दर्शाया गया है शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-दस(33)/2010 दिनांक— 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से अवमुक्त अनुदान की धनराशि को बैंक में रखने पर ब्याज अर्जित होता है तो उसे संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिये अथवा राजकीय कोश में जमा कर दिया जाना चाहिये किन्तु संस्था द्वारा वर्षान्त में ऐसा न कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री आर0पी0 सिंह तथा लेखाकार श्री सत्यनारायन संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 242— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट—।।। रजिस्टर की वर्ष 2015-16 के जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में रु 48610.00 आयकर/बिक्रीकर/जमानत आदि मद में उपयोग किया जाना दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय सम्बन्धी प्रमाणक/जमा चालान/अन्य अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत न कर एवं दर्शित व्यय की पुष्टि न कराकर गंभीर अनियमितता की गई है। जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री आर0पी0 सिंह तथा लेखाकार श्री सत्यनारायन संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 243— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में अनुदान पंजी -3 के जांच में पाया गया कि दिनांक—31.03.2016 के अन्तिम वर्ष तथा दिनांक— 1.4.16 के प्रारम्भिक वर्ष के मध्य योजनावार निम्नलिखित अन्तर दर्शित है।

क्र०सं०	विवरण	31.03.16 को दर्शित धनराशि	01.04.16 को दर्शित धनराशि	अन्तर
1	मनरेगा रिवाल्विंग फण्ड	34825.00	38206.00	(-)3381.00
2	इन्दिरा आवास प्रशासनिक	72750.00	69369.00	(+)3381.00

उक्त प्रकार रु (+) 3381.00 एवं रु (-)3381.00 की अधिक एवं कम धनराशियां दिनांक— 01.04.16 को प्रारम्भिक वर्ष में दर्शाकर तथा अनुदान का विचलन कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री मी रुकमणि वर्मा तथा लेखाकार श्री बलराम यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 244— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2017-18 की निर्माण पत्रावलियों को देखने से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2017-18 में रु 272650.00 का मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री हरिपूजन सिंह ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टरोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टरोल नंबर अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि कार्यालय विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशान अंकित है वो प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है इसका भी उल्लेख नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनियमित व अप्रमाणित मस्टरोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी का पैसा कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान में अनियमितता की गयी है। इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम

52150.00	श्री राम प्रकाश सिंह (पी0डी0) प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय व कार्य प्रभारी श्री हरिपूजन सिंह ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0)
53200.00	श्री राम प्रकाश सिंह (पी0डी0) प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय व कार्य प्रभारी श्री हरिपूजन सिंह ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0)
91350.00	श्री राम प्रकाश सिंह (पी0डी0) प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय व कार्य प्रभारी श्री हरिपूजन सिंह ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0)
49000.00	श्री राम प्रकाश सिंह (पी0डी0) प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय व कार्य प्रभारी श्री हरिपूजन सिंह ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0)
272650.00	श्री राम प्रकाश सिंह (पी0डी0) प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय व कार्य प्रभारी श्री हरिपूजन सिंह ए0डी0ओ0(आई0एस0बी0)

प्रस्तर 245— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु 32835.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। जिसे निर्धारित शीर्षकमें जमा करने की पुष्टि चालान/दाखिल रिटर्न आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रु— 32835.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये श्री राम प्रकाश सिंह (पी0डी0) प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 246— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि की कुल सामग्री क्रय पर रु 63217.00 वैट/जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है। उक्त काटी गयी व्यापार कर/वैट की धनराशि को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त काटी गयी धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये श्री राम प्रकाश सिंह (पी0डी0) प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 247— क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर द्वितीय के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि रु 88076.00 है। जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है शासनादेश संख्या ए0-1-122/दस-2012-10(33) 2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोश में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा न कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। उक्त अनियमितता के लिये श्री रामप्रकाश सिंह (पी0डी0) प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-248—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यो का अंकन रु0 303300.00 का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्रा जे0ई0 आर0ई0 एस0 को रु0 297000.00 व श्री ओम प्रकाश कनिष्ठ सहायक को रु0 6300.00 का भुगतान दिया गया है। और पत्रावलियों में जो मस्टरोल संलग्न पाये गये है। उन पर मस्टरोल नम्बर अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार मस्टरोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूरी किस गांव के है इसका भी उल्लेख नहीं है। इस प्रकार अनियमित व अप्रमाणित मस्टरोल पत्रावली में संलग्न कर मजदूरी में अंकन रु0 303300.00 की अनियमित भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
285000.00	श्री के0के0 मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी श्री ब्रह्मप्रकाश मिश्र, लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी
12000.00	श्री जी0पी0 कुशवाहा खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी ब्रह्म प्रकाश मिश्र, लेखाकारी श्री रामशंकर चौधरी

6300.00	श्री के०के० मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक व कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश, लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी अवर अभियन्ता श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्र

प्रस्तर-249—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2011-12 में सामग्री कय पर रू० 640232.00 (मिटटी कय को छोड़कर) व्यय किया गया है। जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में संलग्न पायी गयी उन समस्त प्रमाणकों पर व्यापार कर रजिस्ट्रेशन न०, बुक न० आदि अंकित नहीं है। वह फर्म के कच्चे बिल/ गलत बिल है। सामग्री आपूर्ति हेतु फर्म को कोई मांग पत्र नहीं प्रेशित किया गया है। और न ही फर्म द्वारा आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपयोग का शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं प्रस्तुत किया गया। इसके बावजूद धनराशि का भुगतान कर अनियमिता की गयी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है—
आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
594402.00	श्री के०के० मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी श्री ब्रम्हप्रकाश मिश्र, लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी
45830.00	श्री के०के० मिश्रा, खण्ड विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक व कार्य प्रभारी श्री ओम प्रकाश, लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी अवर अभियन्ता श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्र

प्रस्तर-250—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रू० 7598.00 टी०डी०एस० की कटौती की गयी है। जबकि सामग्री कय प्रमाणकों की धनराशि रू० 647830.00 पर 2.26 प्रतिशत की दर से टी०डी०एस० रू० 14641.00 काटना चाहिए था किन्तु रू० 7598.00 की टी०डी०एस० काटने से रू० 7043.00 की कम टी०डी०एस० की कटौती की गयी है। इस प्रकार रू० 7598.00 काटी गयी टी०डी०एस० धनराशि का निर्धारित शीर्षकमें जमा प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रू० 7598.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री आर०एस० पाण्डेय व लेखाकारी श्री रामशंकर चौधरी उत्तरदायी है। तथा कम काटी गयी आयकर की धनराशि रू० 7043.00 के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री० के०के० मिश्र व लेखाकारी श्री रामशंकर चौधरी उत्तरदायी है। **उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-251—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2011-12 में ग्राम रूपगढ सिसौनिया तालाब पर स्नान की पुलिया निर्माण पर 200 ट्राली मिटटी अर्थात् 800 घनमीटर मिटटी का प्रयोग किया गया है जिस पर रायल्टी रू० 9.00 प्रति घन मीटर की दर से रू० 7200.00 की रायल्टी नहीं काटा गया है। जिससे रू० 7200.00 राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जिसकी **ब्याज सहित** वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री के०के० मिश्रा० व लेखाकारी रामशंकर चौधरी से तत्काल कराकर संबन्धित शीर्षकमें जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-252—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2011-12 में कुल सामग्री कय रू० 647830.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू० 25913.00 व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए थी। जबकि वर्ष में शून्य कटौती की गयी है। जिससे रू० 25913.00 राजस्व की क्षति हुई है। राजस्व क्षति की धनराशि की प्रतिपूर्ति व्याज के साथ शीघ्र तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी श्री के०के० मिश्रा व लेखाकारी श्री रामशंकर चौधरी से की जानी **अपेक्षित है।**

प्रस्तर-253—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2011-12 में पाया गया कि शासनादेश सं०-ए-1-122/दस-2012-10(33) /2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त अनुदानों की धनराशि को बैंक में रखकर पर ब्याज अर्जित हुआ है। वह व्याज राजकोश में जमा किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष 2011-12 में अनुदानों से रू० 50683.00 की धनराशि व्याज प्राप्त हुआ है। किन्तु उसे राजकोश में जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिरी के०के० मिश्र व श्री० जी०पी० कुशवाहा तथा लेखाकारी श्री रामशंकर चौधरी समान रूप से उत्तरदायी है। **आवश्यक क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

प्रस्तर-254— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2012-13 में निर्माण पत्रावलियों को देखने से ज्ञात हुआ कि निम्न विवरण अनुसार मजदूरी/श्रमांश का भुगतान कार्य प्रभारियों को दिया गया है।

1 श्री अनिल कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी	—	62250.00
2 श्री ओम प्रकाश, सहा०वि०अधि०(आई०एस०बी०)	—	353495.00
3 श्री जगदीश प्रसाद, सहा०वि०अधि०(स०क०)	—	532547.00

4 श्री ओम प्रकाश, कनिष्ठ सहायक
योग

— 124520.00
— 1072812.00

पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल न० अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। और जो अंगूठा निशान अंकित है वो प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है इसका भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनियमित व अप्रमाणित मस्टररोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी का पैसा कार्यप्रभारी द्वारा भुगतान में अनियमितता की गयी है। उक्त अनियमितता के लिए बराबर-बराबर उत्तरदायी व्यक्ति का विवरण निम्न प्रकार है—**आवश्यकक्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
193125.00	श्री अनिल कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्रा, कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री ओम प्रकाश सहा०वि०अधि०(आई०एस०बी०), श्री जगदीश प्रसाद, सहा०वि०अधि०(स०क०), जे०ई० श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्र।
570875.00	श्री डी०पी० सिंह खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्रा, जे०ई० श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्र कार्यप्रभारी श्री ओम प्रकाश सहा०वि०अधि०(आई०एस०बी०), श्री जगदीश प्रसाद, सहा०वि०अधि०(स०क०)।
163172.00	श्री उपेन्द्र पाठक खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्रा, जे०ई० श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्र कार्यप्रभारी श्री ओम प्रकाश सहा०वि०अधि०(आई०एस०बी०), श्री जगदीश प्रसाद, सहा०वि०अधि०(स०क०)।
145640.00	श्री जी०पी० कुशवाहा खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी, जे०ई० श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्र कार्यप्रभारी श्री ओम प्रकाश सहा०वि०अधि०(आई०एस०बी०), श्री जगदीश प्रसाद, सहा०वि०अधि०(स०क०)।

प्रस्तर-255—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2012-13 में तेरहवां वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाने पर रू० 1219990.00 का भुगतान नेडा बस्ती को किया गया है—

चेक नं०	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
366017	28.03.2013	884500.00	नेडा बस्ती को अग्रिम दिया गया
365955	14.03.2013	371490.00	नेडा बस्ती को अग्रिम दिया गया
	योग—	1219990.00	

उपरोक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं—

- 1 नेडा बस्ती का कोई बिल/रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 2 उक्त स्ट्रीट लाइट कहाँ-कहाँ लगा है। इसका भी कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 3 उक्त धनराशि स्ट्रीट लाइट के लिए पत्रावली में नेडा बस्ती को अग्रिम देना दर्शाया गया है। दिये गये अग्रिम के सापेक्ष स्ट्रीट लाइट आपूर्ति का प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।
- 4 स्ट्रीट लाइट लगाने का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत किया गया।
- 5 स्ट्रीट लाइट के लिए स्वीकृत मूल्य सूची अप्रस्तुत रही।

इस प्रकार स्ट्रीट लाइट स्थापना के लिए नेडा बस्ती को भुगतान कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्डविकास अधिकारी श्री डी०पी०सिंह व लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्रा उत्तरदायी है। **आवश्यक क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

प्रस्तर-256—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणक निमार्ण पत्रावली में संलग्न पाया गया उस प्रमाण पर व्यापार कर रजिस्ट्रेशन नं., बुक नं० आदि अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु फर्म को कोई मांगपत्र प्रेशित नहीं किया है न ही फर्म द्वारा सामग्री आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री का आमद/उपयोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया। सामग्री आपूर्ति पर टेण्डर आदि भी नहीं निकाला गया है। इस प्रकार सामग्री क्रय पर भुगतान 5404319.00 अनियमित रहा। उक्त अनियमितता के लिए बराबर-बराबर व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है—**सम्बन्धित उत्तरदायी के**

प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1152612.00	श्री अनिल कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्रा, कार्य प्रभारी श्री अनिल कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री ओम प्रकाश सहावि0अधि0(आई0एस0बी0), श्री जगदीश प्रसाद, सहावि0अधि0(स0क0), जे0ई0 श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्र।
3535249.00	श्री डी0पी0 सिंह खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्रा, जे0ई0 श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्र कार्यप्रभारी श्री ओम प्रकाश सहावि0अधि0(आई0एस0बी0), श्री जगदीश प्रसाद, सहावि0अधि0(स0क0)।
263657.00	श्री उपेन्द्र पाठक खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्रा, जे0ई0 श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्र कार्यप्रभारी श्री ओम प्रकाश सहावि0अधि0(आई0एस0बी0), श्री जगदीश प्रसाद, सहावि0अधि0(स0क0)।
452801.00	श्री जी0पी0 कुशवाहा खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी, जे0ई0 श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्र कार्यप्रभारी श्री ओम प्रकाश सहावि0अधि0(आई0एस0बी0), श्री जगदीश प्रसाद, सहावि0अधि0(स0क0)।
5404319.00	योग

प्रस्तर-257- क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू0 50291.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। निर्धारित शीर्षकमें जमा की पुष्टि में इश्यू चेक न0/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार उक्त काटे गये टी0डी0एस0 की धनराशि 50291.00 को अपहरण कर लिया गया है। टी0डी0एस0 सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है-

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	सामग्री प्रमाणकों की धनराशि	जो आयकर काटना चाहिए था	जो आयकर सामग्री प्रमाणको से काटा गया	कम काटे गये टी0डी0एस0 की धनराशि
श्री अनिल कुमार, खण्डविकास अधिकारी व लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्रा	1166253.00	26357.00	13641.00	12716.00
श्री डी0पी0 सिंह, ख0वि0अधि0, व लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्रा	3568521.00	80648.00	33272.00	47376.00
श्री उपेन्द्र पाठक, ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्र	266319.00	6019.00	2662.00	3357.00
श्री जी0पी0 कुशवाहा, खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी	453517.00	10249.00	716.00	9533.00
योग	5454610.00	123273.00	50291.00	72982.00

लेखा परीक्षा में उक्त काटी गयी टी0डी0एस0 की धनराशि 50291.00 का निर्धारित शीर्षकमें जमा प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त धनराशि 50291.00 का अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रामशंकर चौधरी उत्तरदायी है। तथा कम काटे गये टी0डी0एस0 की धनराशि के लिए उक्त तालिका में अंकित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-258- क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2012-13 में प्रस्तुत बैक स्टेटमेंट के अनुसार अनुदानों पर अर्जित व्याज की धनराशि रू0 409590.00 है। जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है।

शासनादेश सं०-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त अनुदानों की धनराशि को बैंक में रखकर पर ब्याज अर्जित हुआ है। वह व्याज राजकोश में जमा किया जाना चाहिए। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित व्याज को राजकोश में जमा न कर उक्त शासनादेशों का उल्लंघन किया है। उक्त अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री डी०पी०सिंह व लेखाकारी श्री शिवकुमार मिश्रा उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-259—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2012-13 में कुल सामग्री क्रय रु० 5454610.00 पर 4 प्रतिशत की दर से रु० 218184.00 व्यापार कर/वैट की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि आलोच्य वर्ष में शून्य कटौती की गयी है। जिससे रु० 218184.00 राजस्व की क्षति हुयी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है—आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	सामग्री प्रमाणक पत्रों की धनराशि	जो व्यापार कर/वैट काटना चाहिए था
श्री अनिल कुमार सिंह, ख०वि०अधि० व लेखाकारी शिवकुमार मिश्रा	1166253.00	46650.00
श्री डी०पी० सिंह, ख०वि०अधि०, व लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्रा	3568521.00	142741.00
श्री उपेन्द्र पाठक, ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्रा	266319.00	10653.00
श्री जी०पी० कुशवाहा, ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी	452517.00	18140.00
योग—	5454610.00	218184.00

प्रस्तर-260—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2013-14 में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टररोल न० अंकित नहीं है। और जो अंगूठा निशान अंकित है वो प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है इसका भी उल्लेख नहीं है। कार्य प्रभारियों को को रु० 191337.00 की धनराशि प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों के साथ संलग्न मस्टररोल में पाया गया। जिसका भुगतान कार्य प्रभारी श्री ब्रम्हप्रकाश मिश्रा को किया गया है। प्रस्तुत मस्टररोलो पर कार्य सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण भी अंकित नहीं है। इस प्रकार अनियमित व अप्रमाणित मस्टररोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी का पैसा कार्यप्रभारी द्वारा भुगतान में अनियमितता की गयी है। उक्त अनियमितता के लिए बराबर-बराबर उत्तरदायी व्यक्ति का विवरण निम्न प्रकार है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
839414.00	श्री एस०एम०असलम, ख०वि०अधि०, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्रा व लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय।
318596.00	श्री प्यारेलाल, ख०वि०अधि०, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्रा व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी।
124620.00	श्री प्यारेलाल, ख०वि०अधि०, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्रा व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय।
400776.00	श्री श्यामजी, ख०वि०अधि०, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्रा व लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्रा।
229931.00	श्री उपेन्द्र पाठक, ख०वि०अधि०, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्रा व लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्रा।

प्रस्तर-261—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2013-14 में सामग्री आपूर्ति पर दर्शित भुगतान 4941521.00 है। जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में पाये गये उन पर व्यापार कर रजिस्ट्रेशन न० बुकन० आदि अंकित नहीं है। सामग्री आपूर्ति हेतु कोई मांगपत्र फर्म को प्रेशित नहीं किया गया है। न ही फर्म द्वारा सामग्री आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है। सामग्री की आमद/उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार सामग्री आपूर्ति संदिग्ध है। इससे स्पष्ट है कि फर्म से कच्चे बिल/

गलत बिल प्राप्त कर धनराशि का भुगतानकर अनियमिता की गयी है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है—आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

766213.00	श्री श्यामजी, ख0वि0अधि0, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्र व लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्रा।
502816.00	श्री श्यामजी, ख0वि0अधि0, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्र व लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय।
1573545.00	श्री एस0एम0असलम, ख0वि0अधि0, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्र व लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय।
428803.00	श्री अनिल कुमार सिंह, ख0वि0अधि0, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्र व लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्रा।
1574535.00	श्री उपेन्द्र पाठक, ख0वि0अधि0, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्र व लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्रा।
95609.00	श्री प्यारेलाल, ख0वि0अधि0, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्र व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी।

प्रस्तर—262—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2013—14 में निर्माण कार्यो का तकनीकी परीक्षण श्री ब्रम्ह प्रकाश मिश्रा, अवर अभियन्ता द्वारा किया गया है। और क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये अनेको निर्माण कार्यो में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा श्री ब्रम्हप्रकाश मिश्रा, अवर अभियन्ता को ही कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। इस प्रकार अवर अभियन्ता को ही कार्य प्रभारी नियुक्त किया जाना अनियमित रहा। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर—263—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2013—14 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय 118890.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। जिसे निर्धारित शीर्षकमें जमा करने की पुष्टि में चालान/दाखिल रिटर्न आदि नहीं प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार रु0 118890.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0एस0 पाण्डेय व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी उत्तरदायी है। **अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर—264—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2013—14 में शासनादेश सं0—ए—1—122 / दस—2012—10(33)/2010 दिनांक—21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त अनुदानों की धनराशि को बैंक में रखकर पर ब्याज अर्जित हुआ है। वह व्याज राजकोश में जमा किया जाना चाहिए। आलोच्य वर्ष 2011—12 में अनुदानों से रु0 195606.00 की धनराशि व्याज प्राप्त हुआ है। किन्तु उसे राजकोश में जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र पाठक व श्री श्यामजी तथा लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्रा उत्तरदायी है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर—265—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2013—14 में सामग्री कय के भुगतान के समय रु0 210787.00 व्यापार कर की कटौती की गयी है। किन्तु उक्त काटी गयी व्यापार कर/बैट की धनराशि को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किय गया इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त काटी गयी धनराशि का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0एस0 पाण्डेय व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी उत्तरदायी है। **अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर—266—क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2013—14 में शासनादेश संख्या—8307 /33—02—2004—93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 के अनुसार ग्राम में कार्य कराना ग्राम पंचायतो का क्षेत्राधिकार है। क्षेत्र पंचायत को एक से अधिक ग्रामों से सम्बन्धित विकास कार्य कराना चाहिए। किन्तु क्षेत्र पंचायत बिक्रमजोत में कई कार्य एक ही ग्राम पंचायत की सीमा के अन्तर्गत कराया गया है। तथा उन

ग्राम पंचायतों द्वारा संबन्धित कार्य न कराये जाने का अनापत्ति पत्र भी पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया जो अनियमित रहा है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-267— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य सम्बन्धित कोई भी टेण्डर पत्रावली मांगोपरान्त नहीं प्रस्तुत की गई जिससे सम्बन्धित जांच न की जा सकी टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत करना अपेक्षित रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-268— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2013-14 में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर-।। के अनुसार पूरे हेमराज में 3 मीटर पुलिया निर्माण कार्य हुआ दर्शित है। जिस पर निम्नलिखित विवरण अनुसार धनराशि का व्यय हुआ है—

क्र०सं 0	दिनांक	चेक न०	धनराशि	प्राप्तकर्ता का नाम
1	25.09.13	761965	137842.00	श्री रामकेवल यादव
2	25.09.13	761966	50086.00	जनता टेर्डस
3	25.09.13	761967	15758.00	श्री जगदीश प्रसाद, ए०डी०ओ०
		योग	203686.00	

इस प्रकार कुल रू० 203686.00 व्यय किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण कार्य पत्रावली मांगोपरान्त नहीं प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि काल्पनिक कार्य दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री आर०एस० पाण्डेय व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-269— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2013-14 में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर-।। के अनुसार बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत ग्राम हियारूपुर में रोड निर्माण पर निम्नलिखित विवरणानुसार धनराशि का व्यय किया गया है—

क्र०सं 0	चेक नं०	दिनांक	धनराशि	कान्ट्रेक्टर का नाम
1	082198	05.12.13	849013.00	श्री रमाकान्त सिंह
2	082201	26.02.14	287340.00	श्री रमाकान्त सिंह
		योग	1136353.00	

लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण कार्य पत्रावली मांगोपरान्त नहीं प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि काल्पनिक कार्य दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री आर०एस० पाण्डेय व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-270— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों को देखने से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2014-15 में रू० 1032945.00 का मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री ब्रह्म प्रकाश जे०ई०आर०ई०एस० को किया गया है पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये हैं उन पर मस्टररोल नं० अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगूठा निशान अंकित है वो प्रमाणित नहीं है कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं इसका भी उल्लेख नहीं है उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनियमित व अप्रमाणित मस्टररोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी का पैसा कार्यप्रभारी द्वारा भुगतान में अनियमितता की गई है इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है— उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
92950	श्री अनिल कुमार सिंह ख०वि० अधि० व लेखाकार श्री रंजन कुमार श्रीवास्तव अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र
160881	श्री अनिल कुमार सिंह ख०वि० अधि० व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी अवर

	अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र
779114	श्री प्यारे लाल ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रमाशंकर चौधरी अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र
योग-103294 5	

प्रस्तर-271- क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में कच्चे बिल/गलत बिल पर सामाग्री आपूर्ति का फर्म को भुगतान कर अनियमितता वर्ष 2014-15 में जो सामाग्री प्रमाणक निर्माण पत्रावली में संलग्न पाया गया उस प्रमाणक पर व्यापार कर रजिस्ट्रेशन नं0, बुक नं0 आदि अंकित नहीं है सामाग्री आपूर्ति हेतु फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा सामाग्री आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है सामाग्री का आमद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया सामाग्री आपूर्ति पर टेण्डर आदि भी नहीं निकाला गया है इस प्रकार सामाग्री क्रय पर भुगतान 3422212.00 अनियमितता रहा इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है—आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
702665	श्री प्यारे लाल ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र
2294588	श्री प्यारे लाल ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रमाशंकर चौधरी अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र
288545	श्री अनिल कुमार सिंह ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रमाशंकर चौधरी अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र
136414	श्री एम0एस0 अस्लम ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र
योग-342221 2	

प्रस्तर-272- क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में सामाग्री प्रमाणको के भुगतान के समय 82768.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गई है जिससे निर्धारित शीर्षकमें जमा करने की पुष्टि में चालान/दाखिल रिटर्न आदि प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार 83448.00 रु का अपहरण कर लिया गया जिसके लिये श्री आर0एस0 पाण्डेय ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 273- क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में कुल सामाग्री क्रय पर रु 146042.00 वैट की कटौती की गयी है उक्त काटे गये व्यापार कर/वैट की धनराशि को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त काटे गये धनराशि का अपहरण कर लिया गया जिसके लिये श्री आर0एस0 पाण्डेय ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 274- क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि 109334.00 है जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है शासनादेश सं0-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोश में जमा किया जाना चाहिये किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा न कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया है उक्त अनियमितता के लिये ख0वि0अधि0 श्री श्याम जी , श्री एम0एस0 अस्लम व श्री प्यारे लाल तथा लेखाकार श्री शिवकुमार मिश्र व श्री रामशंकर चौधरी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 275- क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में दो निर्माण कार्य पत्रावलियां ऐसी प्रस्तुत की गईं जिनमें सामाग्री क्रय का भुगतान दिया गया है किन्तु श्रमिकों को भुगतान नहीं दिया गया है। उक्त निर्माण कार्य पत्रावलियों में सामाग्री क्रय सम्बन्धि प्रमाणकों पर व्यापार कर रजिस्ट्रेशन नं0

अंकित नहीं है न ही कार्य के लिये टेण्डर की कोइ पत्रावली प्रस्तुत की गई इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य कराया ही नहीं गया है मात्र समग्री का भुगतान अनौचित्य प्रण करके धनराशि का अपहरण किया गया है जिसके लिये व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है—

विकास खण्ड कार्यालय में आवासीय भवन की रंगाई पुताई	धनराशि 136414.00	चेक नं0 764763	उत्तरदायी व्यक्ति श्री एम0एस0 अस्लम ख0वि0अधि0 व लेखाकर श्री रामकुमार पाण्डेय कार्यप्रभारी व जे0ई0 श्री ब्रहम प्रकाश मिश्र
रूपगढ खैरूल के खेत से रामजानकी मार्ग तक खडंजा कार्य	303685.00	764770	श्री प्यारेलाल ख0वि0अधि0 व लेखाकर श्री रामकुमार पाण्डेय कार्यप्रभारी व जे0ई0 श्री ब्रहम प्रकाश मिश्र

उक्त धनराशि अपहरण के लिये उपरोक्त ख0वि0अधि0 व लेखाकार व कार्यप्रभारी सामान्य रूप से उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 276— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों को देखने से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2015-16 में रु 515720.00 का मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री ब्रहम प्रकाश जे0ई0आर0ई0एस0 को किया गया है पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये हैं उन पर मस्टररोल नं0 अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगूठा निशान अंकित है वो प्रमाणित नहीं है कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं इसका भी उल्लेख नहीं है उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनियमित व अप्रमाणित मस्टररोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी का पैसा कार्यप्रभारी द्वारा भुगतान में अनियमितता की गई है इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
483105	श्री अनिल कुमार सिंह ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रहम प्रकाश मिश्र
32615	श्री प्यारे लाल ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रमाशंकर चौधरी अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रहम प्रकाश मिश्र
योग-515720	

प्रस्तर 277— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में कच्चे बिल/गलत बिल पर सामग्री आपूर्ति का फर्म को भुगतान कर अनियमितता वर्ष 2015-16 में जो सामग्री प्रमाणक निर्माण पत्रावली में संलग्न पाया गया उस प्रमाणक पर व्यापार कर रजिस्ट्रेशन नं0, बुक नं0 आदि अंकित नहीं है सामग्री आपूर्ति हेतु फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा सामग्री आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है सामग्री का आमद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया सामग्री आपूर्ति पर टेण्डर आदि भी नहीं निकाला गया है इस प्रकार सामग्री क्रय पर भुगतान 1192131.00 अनियमित रहा इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है—आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
997387	श्री अनिल कुमार सिंह ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रमाशंकर चौधरी अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रहम प्रकाश मिश्र

194744	श्री प्यारे लाल ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रमाशंकर चौधरी अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र
योग—1192 131	

प्रस्तर 278. क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में सामाग्री प्रमाणको के भुगतान के समय 28820.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गई है जिससे निर्धारित शीर्षकमें जमा करने की पुष्टि में चालान/दाखिल रिटर्न आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके लिये श्री आर0एस0 पाण्डेय ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 279— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में कुल सामाग्री क्य पर रु 50872.00 वैट की कटौती की गयी है उक्त काटे गये व्यापार कर/वैट की धनराशि को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त काटे गये धनराशि का अपहरण कर लिया गया जिसके लिये श्री आर0एस0 पाण्डेय ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी उत्तरदायी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 280— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि 82612.00 है जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है शासनादेश सं0-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोश में जमा किया जाना चाहिये किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा न कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया है उक्त अनियमितता के लिये ख0वि0 अधि0 व लेखाकार उत्तरदायी है।

आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 281— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य सम्बन्धित कोई भी टेण्डर पत्रावली मांगोपरान्त नहीं प्रस्तुत की गई जिससे सम्बन्धित जांच न की जा सकी टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत करना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर 282— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में सोलर पावर प्लाण्ट के भुगतान की पत्रावली प्रस्तुत की गई पत्रावली में दिये गये विवरण अनुसार उ0प्र0 नवीन एवं नवीनिकरण उर्जा विकास अभिकरण (यू0पी0 नेडा) का प्रस्तुत प्रोफार्मा बिल रु 410054.00 का है जिसमें सर्विस+वैट की धनराशि भी 20454.00 व स्थापना लागत 389600.00 सम्मिलित है उक्त पत्रावली के अनुसार विकास खण्ड परिसर में परियोजना अधिकारी यू0पी0 नेडा बस्ती द्वारा सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कराया गया है जिसका मू0 410054.00 में से 35380.00 समायोजित करते हुये मू0 374674.00 की धनराशि का भुगतान चेक नं0 764111 दिनांक 13.07.2015 को ख0वि0 अधि0 विक्रमजोत द्वारा किया गया है उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

1. सोलर पावर प्लाण्ट के मूल्य 410054.00 में से मू0 35380.00 समायोजित का प्रमाणक आदि/चेक नं0 लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

पत्रावली में दिये गये विवरण अनुसार मू0 374674.00 का भुगतान राज्य/तेरहवां वित्त आयोग के ब्याज में से किया गया है जोकि शासनादेश के प्रतिकूल है शासनादेशानुसार अनुदान से प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजकोश में जमा किया जाना चाहिये इस प्रकार रु 374674.00 का दुरुपयोग किया गया जिसके लिये श्री प्यारेलाल ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी उत्तरदायी है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 283— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर ।। के अनुसार निर्माण कार्य अमोहा कलपू के खेत से सुरेन्द्र के खेत तक खडंजा कार्य पर निम्न अनुसार धनराशि व्यय किया गया है—

दिनांक	चेक नं0	धनराशि	जिसको दिया गया
28.03.2016	866062	367164.00	के0पी0 कान्सट्रक्शन

28.03.2016	866063	149892.00	श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र जे0ई0आर0ई0एस0
	योग	517056.00	

लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली नहीं प्रस्तुत की गई जिससे आवश्यक जानकारी व जांच न किया जा सका उपरोक्त अभिलेख आडिट में प्रस्तुत न कर/कराकर गंभीर अनियमितता की गई है जिस हेतु वर्तमान ख0वि0अधि0 श्री आर0एस0 पाण्डेय व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 284— शासनोदश सं0 1838/33-3-2015-3/2015 दिनांक- 31.07.2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात कराये जाने वाले कार्य प्राक्कलन का अनुमोदन एवं कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायतराज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में उक्त अनुमोदन की पत्रावली संलग्न नहीं थी जिससे आवश्यक जानकारी न हो सकी। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 285— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों को देखने से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2016-17 में रु 1058158.00 का मजदूरी श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारियों को किया गया है जिसमें श्री जयशंकर सिंह ए0डी0सी0 (सी) को रु 218400.00 व शेष धनराशि रु 839758.00 श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र जे0ई0आर0ई0एस0 को दिया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टररोल संलग्न पाये गये हैं उन पर मस्टररोल नं0 अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है और जो अंगूठा निशान अंकित है वो प्रमाणित नहीं है कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं इसका भी उल्लेख नहीं है उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनियमित व अप्रमाणित मस्टररोल पत्रावली में संलग्न किया गया है और मजदूरी का पैसा कार्यप्रभारी द्वारा भुगतान में अनियमितता की गई है इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है—**ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।**

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
254440	श्री प्यारे लाल ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रमाशंकर चौधरी अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र
218400	श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रमाशंकर चौधरी अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र व कार्य प्रभारी श्री जयशंकर सिंह
50908	श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रमाशंकर चौधरी अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र
534410	श्री अनिल कुमार सिंह ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रमाशंकर चौधरी अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र

प्रस्तर 286— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में कच्चे बिल/गलत बिल पर सामाग्री आपूर्ति का फर्म को भुगतान कर अनियमितता वर्ष 2016-17 में जो सामाग्री प्रमाणक निर्माण पत्रावली में संलग्न पाया गया उस प्रमाणक पर व्यापार कर रजिस्ट्रेशन नं0, बुक नं0 आदि अंकित नहीं है सामाग्री आपूर्ति हेतु फर्म को कोई मांग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है न ही फर्म द्वारा सामाग्री आपूर्ति चालान निर्गत किया गया है सामाग्री का आमद/उपभोग व शेष का स्टाक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया सामाग्री आपूर्ति पर टेण्डर आदि भी नहीं निकाला गया है इस प्रकार सामाग्री क्रय पर भुगतान 2844175.00 अनियमित रहा इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है—**उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति

460075	श्री प्यारे लाल ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रमाशंकर चौधरी अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रहम प्रकाश मिश्र
293799	श्री प्यारे लाल ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रमाशंकर चौधरी अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रहम प्रकाश मिश्र व कार्य प्रभारी श्री जयशंकर सिंह
192940	श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रमाशंकर चौधरी अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रहम प्रकाश मिश्र व कार्य प्रभारी श्री जयशंकर सिंह
406267	श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रमाशंकर चौधरी अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रहम प्रकाश मिश्र
1491095	श्री अनिल कुमार सिंह ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रमाशंकर चौधरी अवर अभियन्ता व कार्यप्रभारी श्री ब्रहम प्रकाश मिश्र

प्रस्तर 287— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में सामाग्री प्रमाणको के भुगतान के समय 64398.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गई है जिससे निर्धारित शीर्षकमें जमा करने की पुष्टि में चालान/दाखिल रिटर्न आदि प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार 64398.00 रु का अपहरण कर लिया गया जिसके लिये श्री आर0एस0 पाण्डेय ख0वि0 अधि0 व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 288— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में कुल सामाग्री क्य पर रु 121191.00 वैट की कटौती की गयी है उक्त काटे गये व्यापार कर/वैट की धनराशि को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त काटे गये धनराशि का अपहरण कर लिया गया जिसके लिये श्री आर0एस0 पाण्डेय ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 289— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि 47212.00 है जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है शासनादेश सं0-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोश में जमा किया जाना चाहिये किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा न कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया है उक्त अनियमितता के लिये श्री प्यारेलाल व श्री अनिल कुमार सिंह, श्री सुनील कुमार अग्रहरि, श्रीमती रेनू चौधरी ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी तथा श्री रंजन कुमार श्रीवास्तव सामान्य रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 290— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य सम्बन्धित कोई भी टेण्डर पत्रावली मांगोपरान्त नहीं प्रस्तुत की गई जिससे सम्बन्धित जांच न की जा सकी टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत करना अपेक्षित रहा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 291— क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर ।। के अनुसार निम्नलिखित दो निर्माण कार्यो पर निम्न अनुसार धनराशि व्यय किया गया है—

1-विकास खण्ड परिसर में प्रमुख कक्ष में टाइल्स, वाटर सप्लाई एवं फिटिंग कार्य

दिनांक	चेक नं0	धनराशि	जिसको दिया गया
20.05.2016	866068	197123	के0पी0 कान्सट्रक्शन
20.05.2016	866069	39596	श्री ब्रहम प्रकाश मिश्र जे0ई0आर0ई0एस0
	योग	236719	

2-ढोलवापुर से डडिया सम्पर्क मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण

दिनांक	चेक नं०	धनराशि	जिसको दिया गया
10.04.2017	866086	575148	के०पी० कान्सट्रक्शन
10.04.2017	866087	131222	श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र जे०ई०आर०ई०एस०
	योग	709370	

उक्त दोनों पत्रावलियां लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं की गईं उक्त दोनों निर्माण पत्रावलियों वे धनराशि 236719+709370=946089 है लेखा परीक्षा में उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली नहीं प्रस्तुत की गई जिससे आवश्यक जानकारी व जांच न किया जा सका उपरोक्त अभिलेख आडिट में प्रस्तुत न कर/कराकर गंभीर अनियमितता की गई है जिस हेतु वर्तमान ख०वि०अधि० श्री आर०एस० पाण्डेय व लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-292- क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में शासनादेश सं०-ए-1-122/दस(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था का न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में ग्रण्ट रजिस्टर-।।। के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2011-12 में रु०-1633.00 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेशानुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है, अर्जित ब्याज रु०-1633.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। **आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

प्रस्तर-293- क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में कराये गये निर्माण कार्यों पर कार्य पत्रावली के अनुसार कुल कय की गयी सामग्री रु०-1585927.00 के सापेक्ष 4 प्रतिशत की दर से कुल रु०-63437.00 वैट की कटौती की जानी चाहिये थी, किन्तु आलोच्य वर्ष में रु०- शून्य वैट की कटौती की गयी है इस प्रकार रु०-63437.00 वैट की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी खण्ड विकास अधिकारी गण श्री आर०पी० वरुण, श्री उपेन्द्र कुमार पाठक तथा लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव की है। यदि व्यापार कर विभाग द्वारा कोई दण्ड/व्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी ख०वि०अधि० तथा लेखाकार की होगी जिनसे संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूल कर संगत लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-294- क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली के अनुसार कय की गयी सामग्री रु०-1585927.00 के सापेक्ष 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर कुल रु०-35525.00 की कटौती की जानी चाहिये थी, किन्तु आलोच्य वर्ष में मात्र रु०-18840.00 की कटौती की गयी, इस प्रकार कुल रु०-16685.00 कम आयकर की कटौती करके राजकीय राजस्व की हानि पहुँचायी गयी। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी गण श्री आर०पी० वरुण, श्री उपेन्द्र कुमार पाठक तथा लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव जिम्मेदार है। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/व्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार की होगी जिनसे संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूल कर संगत लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-295- क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में कार्य पत्रावली के अनुसार निर्माण कार्य सामग्री पर कुल आयकर रु०-18840.00 की कटौती की गयी है जिसकी जमा चलान की प्रति लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त धनराशि के जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी, इस प्रकार काटे गये आयकर रु०-18840.00 को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री जगतपाल तथा लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को लेखा शीर्ष में अतिशीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/व्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार की होगी जिनसे संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूल कर संगत लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-296— क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में 13 वें वित्त मद से कराये गये कार्य डुमरियागंज में भरौली सम्पर्क मार्ग पर ह्यूम पाइप पुलिया कार्य पर कार्य पत्रावली एवं ग्रण्ट रजिस्टर-11 के अनुसार कार्य प्रभारी श्री गोपाल कृष्ण खरे (ए0डी0ओ0 आईएस0बी0) को चेक सं0-23587 दिनांक-04.01.2012 को रू0-48595.00 का भुगतान किया गया है, जिसके सापेक्ष लक्ष्मी स्पान पाइप कम्पनी का बिल सं0-50 दिनांक 24.12.2012 को रू0-48595.00 का लगा पाया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य पर प्राक्कलन के अनुसार सामग्री मद में रू0-48595.00 तथा श्रमांश में रू0-1800.00 कुल रू0-50395.00 का व्यय होना था। किन्तु कार्य पत्रावली में मस्टररोल नहीं पाया गया, अर्थात् श्रमांश हेतु भुगतान नहीं हुआ। कार्य प्रभारी को 04 जनवरी 2012 को ही उपरोक्त चेक द्वारा रू0-48595.00 का भुगतान कर दिया गया जबकि जो बिल प्रस्तुत है वह बिल सं0-50 दिनांक-24 दिसम्बर 2012 का है।

अतः स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान न होने तथा बिल के लगभग 11 माह पूर्व ही उक्त धनराशि रू0-48595.00 का भुगतान कार्य प्रभारी को होना यह पुष्टि करता है कि कार्य न कराकर व फर्जी बिल प्रस्तुत कर बी0डी0ओ0 एवं कार्य प्रभारी की मिली भगत द्वारा रू0-48595.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली **ब्याज सहित** संयुक्त रूप से श्री उपेन्द्र कुमार पाठक (ख0वि0अधि0) तथा कार्य प्रभारी श्री गोपाल कृष्ण खरे (ए0डी0ओ0 आईएस0बी0) से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-297— क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से कार्य कार्यालय भवन रंगाई पुताई, पर कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव (ग्रा0पं0अधि0) को चेक सं0-233924 दिनांक-07.03.2011 से रू 54000.00 तथा चेक सं0-687279 दिनांक-03.05.2011 से रू0-39800.00 कुल रू0-93800.00 अग्रिम के रूप में दिया गया है। जिसके सापेक्ष कार्य पत्रावली में सामग्री क्रय का शिव बिल्डिंग मैटेरियल एवं हार्डवेयर का रू0-7410.00 तथा गंगा सागर मशीनरी स्टोर (जो कि बिल कि अनुसार ट्रैक्टर रिपेयरिंग सेन्टर एवं स्टील बाक्स हाउस है) से पेंट, प्राइमर आदि के क्रय का रू0-70110.00 कुल रू0-77520.00 का बिल तथा मस्टररोल रू0-16280.00 का लगा पाया गया। उक्त बिल बाउचर तथा मस्टररोल खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख द्वारा प्रमाणित नहीं है। जे0ई0 श्री आर0सी0 शुक्ला द्वारा गंगा सागर मशीनरी स्टोर से क्रय की गयी सामग्री की स्टॉक लेखा एम0बी0 बुक में दिनांक-20.04.2011 को की गयी है, जिसमें 30 अदद गमला रू0-400.00 की दर से रू0-12000.00 दर्शाया गया है, जबकि उक्त फर्म द्वारा दिये गये बिल सं0-898 दिनांक-10.03.2011 में मात्र 098 अदद ही गमला क्रय दर्शित है। यहाँ उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य पर प्राक्कलन के अनुसार रू0-65500.00 सामग्री क्रय में तथा रू0-25300.00 अधिक है तथा श्रमांश में मात्र रू 16280.00 का ही भुगतान किया गया है जो कि रू-9020.00 कम है।

अतः स्पष्ट है कि बिल बाउचर तथा मस्टर रोल पर बी0डी0ओ0 एवं प्रमुख के हस्ताक्षर न होने तथा प्राक्कलन के सापेक्ष जे0ई0 रू0-93800.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी **ब्याज सहित** वसूली श्री आर0पी0 वरुण (बी0डी0ओ0), श्री आर0सी0 शुक्ला (जे0ई0) तथा कार्यप्रभारी श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-298— क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से कार्य विकास खण्ड परिसर में फर्श प्लास्टर बाउन्ड्री वाल आदि मरम्मत कार्य पर कार्य पत्रावली व ग्रण्ट रजि0-11 के अनुसार शिव बिल्डिंग मैटेरियल एवं हार्डवेयर को चेक सं0 687280 से दिनांक 03.05.2011 को रू 90268.00 का भुगतान तथा पुनः शिव बिल्डिंग मैटेरियल को रू0-32202.00 व सन्नी ब्रिक फील्ड को रू 11748.00 का भुगतान सामग्री क्रय के सापेक्ष नकद एवं श्रमांश भुगतान रू0-40000.00 कार्य प्रभारी द्वारा नकद किया गया है। जिसके सापेक्ष कार्य प्रभारी को चेक सं0-687282.00 से दिनांक-18.06.2011 को रू 50000.00 अग्रिम तथा श्रमांश हेतु चेक सं0-687290 से दिनांक-21.09.2011 को रू 40000.00 का भुगतान किया गया है।

अग्रिम रू 50000.00 के सापेक्ष कार्य प्रभारी द्वारा शिव बिल्डिंग मैटेरियल बिल सं0-219 दिनांक-16.05.2011 रू032202.00 तथा सन्नी ब्रिक फील्ड बिल सं0-78 दिनांक-16.05.2011 को रू 11748.00 कुल रू 43950.00 का समायोजन बिल प्रस्तुत किया गया जो कि रू 6050.00 कम है। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य पर प्राक्कलन के अनुसार कुल रू 278000.00 का व्यय होना था किन्तु मात्र रू 174218.00 का ही व्यय दर्शित है। प्राक्कलन के अनुसार सम्पूर्ण कार्य पर 114 बोरी सीमेण्ट की खपत होनी थी, किन्तु अवर अभियन्ता श्री आर0सी0 शुक्ला द्वारा एम0बी0 स्टॉक लेखा प्रारम्भ में ही बिल सं0 472 दिनांक 05.05.2011 के सापेक्ष 143 बोरी सीमेण्ट का दिनांक 02.05.2011 में ही कर दिया गया था। लागत धनराशि रू

278000.00 के सापेक्ष बहुत कम मात्र रु 174218.00 का ही भुगतान होने , प्राक्कलन से बहुत कम सामग्री क्रय के बावजूद 114 बोरी सीमेण्ट के सापेक्ष 224 बोरी (110 बोरी अधिक) सीमेण्ट क्रय, कार्य प्रभारी द्वारा अग्रिम रु 50000.00 के सापेक्ष मात्र रु 43950.00 का ही (6050.00 कम) समायोजन बिल प्रस्तुत करने, बिलों व मस्टररोल पर प्रमुख एवं बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर न होने, मस्टररोल पर कार्य का नाम अंकित न होने आदि तथ्यों से स्पष्ट है कि कार्य कराया ही नहीं गया तथा बी0डी0ओ0, जे0ई0 व कार्य प्रभारी द्वारा सांड-गांड करके कुल रु 1742128.00 का फर्जी बिल बाउचर व मस्टररोल प्रस्तुत कर अपहरण किया गया है। जिसकी **ब्याज सहित** वसूली श्री उपेन्द्र कुमार पाठक (ख0वि0अधि0), श्री आर0सी0 शुक्ला (जे0ई0) तथा कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-299-क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से कार्य-बीजलपुर सेमरा सम्पर्क मार्ग पर (1 ' 3 मी0) स्पान पुलिया, की कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राण्ट रजि-।। के अनुसार चेक सं0 687285 दिनांक 16.07.2011 को रु 11000.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव (ग्रा0पं0अधि0) को दर्शित है। लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि उक्त कार्य से सम्बन्धित अन्य कोई भुगतान नहीं हुआ है, जिससे पुष्टि होती है कि कार्य हुआ ही नहीं। अतः स्पष्ट है कि श्री आर0पी0 वरुण (ख0वि0अधि0) तथा श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव (ग्रा0पं0अधि0) की मिली भगत से रु 11000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी **ब्याज सहित** वसूली उनसे संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-300-क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से कार्य-सिसवारी अहिरौली मार्ग पर (1'3 मी0) आर0सी0सी0 पुलिया, की कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राण्ट रजि-।। के अनुसार कार्य प्रभारी श्री जगदीश कुमार यादव (ग्रा0वि0अधि0) को चेक सं0 687286 दिनांक 16.07.2011 को रु 18599.00 का भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि उक्त कार्य से सम्बन्धित अन्य कोई भुगतान नहीं हुआ है, जिससे पुष्टि होती है कि कार्य हुआ ही नहीं।

अतः स्पष्ट है कि श्री आर0पी0 वरुण (ख0वि0अधि0) तथा श्री जगदीश कुमार यादव (ग्रा0वि0अधि0) की मिली भगत से रु 18599.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी **ब्याज सहित** वसूली उनसे संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-301- क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में शासनादेश सं0-ए-1-122/दस(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था का न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में ग्राण्ट रजिस्टर-।।। के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2012-13 में रु0-6367.00 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेशानुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है, अर्जित ब्याज रु0-6367.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-302- क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में कराये गये निर्माण कार्यों में क्रय किये गये सामग्री मूल्य रु 5259674.00 के भुगतान समय नियमानुसार 2.24 प्रतिशत आयकर की कटौती की जानी चाहिये थी। कुल कटौती रु 117816.00 के सापेक्ष रु 54631.00 आयकर नहीं काटा गया है तथा उक्तानुसार राजस्व की हानि की गई है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी ख0वि0अधि0 श्री उपेन्द्र कुमार पाठक तथा लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव की है। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई आर्थिक दण्ड/व्याज अवधारित किया जाता है। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अधि0/आहरण-वितरण अधिकारी तथा लेखाकार की होगी जिनसे संयुक्त रूप से वसूल कर जमा कराना अपेक्षित है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-303-क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में क्रय किये गये निर्माण सामग्री पर निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार आयकर रु0-63185.00 की कटौती की गयी है जिसके जमा की पुष्टि में जमा चालान लेखा परीक्षा समय अप्रस्तुत रहे। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रु 63185.00 जमा न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। काटी गयी आयकर की धनराशि रु 63185.00 को सुसंगत लेखा

शीर्ष में तत्काल जमा किया जाये। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/व्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार पाठक तथा लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव की होगी जिनसे संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूलकर जमा कराया जाना अपेक्षित है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-304—क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में कय किये गये निर्माण सामग्री पर निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार वैट रू0-46417.00 की कटौती की गयी है जिसके जमा की पुष्टि में जमा चालान लेखा परीक्षा समय अप्रस्तुत रहे। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रू 46417.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुँचायी गयी है, जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है। काटी गयी वैट की धनराशि रू 46417.00 को तत्काल जमा किया जाये। यदि वाणिज्य कर विभाग द्वारा कोई दण्ड/व्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार पाठक तथा लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव की होगी जिनसे संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूलकर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-305—क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में कराये गये निर्माण कार्यों में कय किये गये सामग्री मूल्य रू 5259674.00 के भुगतान समय नियमानुसार 4 प्रतिशत वैट की कटौती की जानी चाहिये थी। कुल कटौती रू 210387.00 के सापेक्ष रू 163970.00 वैट नहीं काटा गया तथा उक्तानुसार राजस्व की हानि की गयी है, उक्त राजस्व की क्षति हेतु ख0वि0अधि0 श्री उपेन्द्र कुमार पाठक तथा लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव जिम्मेदार है। यदि वाणिज्यकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/व्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार की होगी जिनसे संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूलकर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-306—क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में निम्नविवरणानुसार कार्य पत्रावली के अनुसार मिट्टी कय पर भुगतान किया गया है:-

कार्य का नाम	मिट्टी की मात्रा	भुगतान रू0
1 विकास खण्ड परिसर में टाइप आवास का मरम्मत कार्य व रंगाई पुताई आदि	129.29 घन मी0	16251.00
2 विकास खण्ड परिसर में सी0सी0 रोड	70.86 घन मी0	7865.00
योग-	200.15 घन मी0	24116.00

इस प्रकार कुल कय मिट्टी 200.15 घन मी0 के सापेक्ष बिल से 14 रूपया प्रति घन मी0 की दर से रू 2802.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है जिसकी प्रतिपूर्ति तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री उपेन्द्र कुमार पाठक एवं कार्य प्रभारी श्री गोपाल कृष्ण खरे ए0डी0ओ0 (एस0टी0) से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-307—क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2012-13 में कराये गये कार्य विकास खण्ड परिसर में मंदिर से आवासीय भवनों के चारों तरफ होते हुये बी0डी0ओ0 आवास तक सी0सी0 कार्य में मां वैशणों बिल्डिंग मैटेरियल के बाउचर सं0 11 दिनांक-03.07.2012 में बालू कय 34.37 घन मी0 रू 598.00 की दर से रू 20553.26 का भुगतान उक्त फर्म को किया गया है। स्वीकृत प्राक्कलन एवं टेण्डर/कोटेशन के अनुसार फर्म को रू 560.00 प्रति घन मी0 की दर से 34.37 घन मी0 हेतु रू 19247.20 का भुगतान किया जाना चाहिये था। उक्त फर्म के ही बाउचर सं0 19 दिनांक-01.08.2012 से रू 560.00 प्रति घन मी0 की दर से बालू की आपूर्ति की गयी है। इस प्रकार मां वैशणो बिल्डिंग मैटेरियल को बाउचर सं0 11 दिनांक-03.07.2012 में रू 1306.00 बालू कय पर अधिक भुगतान फर्म को अधिक लाभ पहुँचाने की नियति से किया गया है, इसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री उपेन्द्र कुमार पाठक एवं कार्य प्रभारी श्री गोपालकृष्ण खरे ए0डी0ओ0 (एस0टी0) उत्तरदायी है। अतः रू 1306.00 की **ब्याज सहित** वसूली उनसे संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-308—क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2012-13 में कराये गये कार्य उप मुख्य पशु चिकित्सालय कार्यालय मरम्मत पर कार्य पत्रावली के अनुसार कार्य प्रभारी श्री गोपाल कृष्ण खरे को रू 48740.00 चेक

सं० 15.03.2013 को अग्रिम के रूप में दिया गया है उक्त धनराशि के समायोजन हेतु काग्र प्रभारी द्वारा रु 39990.00 सामग्री क्रय पर तथा रु 8750.00 श्रमांश भुगतान मद में दर्शित है। किन्तु कार्य पत्रावली में केवल रु 8750.00 मस्टररोल संलग्न पाया गया तथा सामग्री क्रय रु 39990.00 का बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहा। स्पष्ट है कि उक्त धनराशि रु 39990.00 का अपहरण परिलक्षित होता है, जिसकी **ब्याज सहित** वसूली तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री उपेन्द्र कुमार पाठक एवं कार्य प्रभारी श्री गोपाल कृष्ण खरे से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-309—क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2012-13 में ग्राण्ट रजि०-।। में निम्नविवरणानुसार धनराशि की निकासी दर्शित है—

कार्य का नाम	चेक सं०/दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
ब्लाक परिसर में सफाई कार्य	115517/12.12.2012	64810.00	गोपाल कृष्ण खरे ए०डी०ओ० (एस०टी०)

उक्त कार्य की कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा समय मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य दिखाकर कार्य प्रभारी को भुगतान कर धनराशि रु 64810.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु 64810.00 कार्य प्रभारी श्री गोपाल कृष्ण खरे तथा ख०वि०अधि० श्री उपेन्द्र कुमार पाठक से संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-310—क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2013-14 में कराये गये निर्माण कार्यों में कार्य पत्रावली के अनुसार क्रय किये गये सामग्री मूल्य रु० 3919175.00 के भुगतान समय नियमानुसार 4 प्रतिशत वैट की कटौती की जानी चाहिये थी, जबकि कुल कटौती रु 156767.00 के सापेक्ष रु 8542.00 वैट नहीं काटा गया है तथा उक्तानुसार राजस्व की हानि की गयी है। जिसके लिये श्री उपेन्द्र कुमार पाठक (ख०वि०अधि०) तथा श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी है। यदि वाणिज्यकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी/ख०वि०अधि० तथा लेखाकार की होगी जिनसे संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-311—क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2013-14 में कराये गये निर्माण कार्यों में क्रय किये गये सामग्री मूल्य रु 3919175.00 के भुगतान समय नियमानुसार 2.24 प्रतिशत आयकर की कटौती की जानी चाहिये थी, जबकि कुल कटौती रु 87790.00 के सापेक्ष रु 3886.00 आयकर नहीं काटा गया है तथा उक्तानुसार राजस्व की हानि की गयी है। जिसके लिये श्री उपेन्द्र कुमार पाठक (ख०वि०अधि०) तथा श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी है। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी/ख०वि०अधि० तथा लेखाकार की होगी जिनसे संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-312—क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2013-14 में क्रय किये गये निर्माण सामग्री पर निर्माण का पत्रावली के अनुसार आयकर रु 83904.00 की कटौती की गयी है। जिसके जमा की पुष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रु 83904.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुँचायी गयी है, जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। काटी गयी आयकर की धनराशि रु 83904.00 को संगत लेखा शीर्ष में तत्काल जमा किया जाये। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी/ख०वि०अधि० श्री रामचन्द्र शर्मा तथा लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव की होगी जिनसे संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-313—क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्री पर निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार वैट मूल्य रु० 148225.00 की कटौती की गयी है। जिसके जमा की पुष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रु 148225.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुँचायी गयी है, जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। काटी गयी वैट की धनराशि रु 148225.00 को तत्काल जमा किया जाये। यदि वाणिज्यकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी/ख०वि०अधि० श्री रामचन्द्र शर्मा तथा लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव की होगी जिनसे संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-314- क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त मद में स्वीकृत कार्य विकास खण्ड कार्यालय कक्ष में हाल पार्टीशन कार्य हेतु श्री गोपाल कृष्ण खरे ए0डी0ओ0 (एस0टी0) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। कार्य प्रभारी द्वारा उक्त कार्य के विपरीत कुर्सी, मेज, पंखा, कूलर, आलमारी, आदि क्रय हेतु खण्ड विकास अधिकारी रुधौली से धनराशि की मांग के सापेक्ष अवर अभियन्ता की संस्तुति पर रु 50000.00 चेक सं0-115565 दिनांक-20.04.2013 द्वारा भुगतान किया गया है। कार्य पत्रावली में उक्त क्रय का समायोजन बाउचर अप्रस्तुत रहा। उपरोक्त स्वीकृत कार्य जिसकी प्राक्कलन धनराशि रु 104000.00 है, कार्य पत्रावली में उक्त क्रय का समायोजन बाउचर अप्रस्तुत रहा। उपरोक्त स्वीकृत कार्य जिसकी प्राक्कलन धनराशि रु 104000.00 है, कार्य न कराकर तथा अन्य मद में खर्च दिखाकर तथा उक्त खर्च का बिल बाउचर न प्रस्तुत करने से स्पष्ट है कि उपरोक्त धनराशि रु 50000.00 का अपहरण खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार पाठक, कार्य प्रभारी श्री गोपाल कृष्ण खरे तथा जे0ई0 शुक्ला द्वारा सांठ-गांठ करके किया गया है। जिसकी **ब्याज सहित** वसूली संयुक्त रूप से उपरोक्त से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-315- क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त मद में कराये गये कार्य कैपस में शंकर जी के पीछे तथा सामने बाउण्ड्रीवाल निर्माण में कार्य पत्रावली के अनुसार सामग्री क्रय पर मे0 चौधरी कान्सट्रक्शन कम्पनी के लेटरपैड दिनांक 18.07.2013 पर प्रस्तुत बिल रु 61092.00 के सापेक्ष रु 57281.100 का भुगतान चेक सं0 115585 दिनांक 30.07.2013 द्वारा फर्म को किया गया है जो कि अवर अभियन्ता द्वारा संस्तुत है। कार्य पत्रावली में मस्टररोल अप्रस्तुत रहा। प्राक्कलन के अनुसार उक्त कार्य पर सामग्री पर रु 77400.00 तथा श्रमांश पर रु 18000.00 कुल रु 95400.00 व्यय होना था। लागत धनराशि के पूर्ण भुगतान का न होने मस्टररोल अप्रस्तुत रहने एम0बी0 न होने से स्पष्ट है कि कार्य नहीं कराया गया है तथा उपरोक्त भुगतानित धनराशि को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा वसूल न किये जाने से उनकी संलिप्तता परिलक्षित होती है। अतः स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी श्री गोपाल कृष्ण खरे तथा अवर अभियन्ता आर0सी0 शुक्ला तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार पाठक द्वारा फर्म से सांठ-गांठ कर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी **ब्याज सहित** वसूली कार्य प्रभारी, अवर अभियन्ता तथा खण्ड विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-316- क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त मद में कराये गये कार्य विकास खण्ड परिसर में टाइप-।।। आवास मरम्मत कार्य पर कार्य पत्रावली अनुसार सामग्री मद में निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है-

क्र०सं०	फर्म का नाम	वा0सं0/दिनांक	भुगतानित धनराशि	चेक सं0/दिनांक
1	मॉ वैश्यों बिल्डिंग मैटेरियल	07 / 02.07.2012	37254.00	023608 / 11.07.2012
2	मॉ वैश्यों बिल्डिंग मैटेरियल	15 / -	83047.00	115558 / 18.04.2013
3	जय मॉ दुर्गे ब्रिक फील्ड	14 / 02.03.2013	39593.00	115559 / 18.04.2013
	योग-		159894.00	

लेखा परीक्षा समय कार्य पत्रावली में मस्टररोल अप्रस्तुत रहा। कार्य प्रभारी श्री नन्हेलाल द्वारा अग्रिम के रूप में रु 25000.00 चेक सं0 023609 दिनांक 11.07.2012 से प्राप्त किया गया है। उपरोक्त कार्य पर सामग्री मद में रु 178900.00 तथा श्रमांश पर रु 45200.00 का भुगतान प्राक्कलन अनुसार होना था। इस प्रकार लागत धनराशि के भुगतान का न होने, मस्टररोल अप्रस्तुत रहने, एम0बी0 अप्रस्तुत रहने तथा रु 25000.00 अग्रिम का समायोजन बिल कार्य प्रभारी द्वारा प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि कार्य नहीं कराया गया है तथा कुल रु 184894.00 का अपहरण कार्य प्रभारी श्री नन्हेलाल, खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार पाठक तथा अवर अभियन्ता आर0सी0 शुक्ला द्वारा फर्म से सांठ-गांठ कर समस्त धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी **ब्याज सहित** वसूली उनसे संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-317- क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2013-14 में विधायक निधि से कराये गये कार्य कथकपुरवा में इण्टलाकिंग एवं नाली निर्माण पर कार्यपत्रावली तथा ग्राण्ट।। के अनुसार कार्य प्रभारी श्री जगदीश कुमार यादव (ग्रा0पं0अधि0) को चेक सं0 435531 दिनांक 05.09.2013 से रु 57482.00 का भुगतान श्रमांश हेतु किया गया है, जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा समय मस्टररोल अप्रस्तुत रहा। जिससे स्पष्ट है कि उक्त धन का अपहरण कर लिया गया है। इस प्रति खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से

उनकी भी संलिप्तता परिलक्षित होती है। अतः उक्त धन की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार पाठक तथा कार्य प्रभारी श्री जगदीश कुमार यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-318—क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2013-14 में कथकपुरवा में इण्टरलाकिंग एव नाली निर्माण कार्य पर कार्य पत्रावली अनुसार संलग्न मस्टररोल दिनांक 06.11.2014 से 18.11.2014 पर रु 37200.00 तथा दिनांक 20.11.2014 से 28.11.2014 पर रु 26375.00 का भुगतान चेक सं० 435545/03.05.2015 से कुल रु 63575.00 का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। जिसमें 10 कुशल मजदूर कुल मानव दिवस 100 के सापेक्ष रु 350.00 की दर से रु 35000.00 का भुगतान तथा 13 अकुशल मजदूर कुल मानव दिवस 127 के सापेक्ष रु 225.00 की दर से रु 28575.00 का भुगतान किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसी निधि से अन्य कराये गये कार्य पिपरापाती में खण्डजे से गांव के मकतब के आगे इण्टरलाकिंग कार्य पर अधिकतम भुगतान कुशल मजदूर 290.00 रु/दिवस तथा अकुशल मजदूरों को 156.00 रु/दिवस की दर से भुगतान किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त कार्य का मजदूरी भुगतान यदि कुशल मजदूरी प्रति दिवस 290.00 रु तथा अकुशल मजदूरी प्रति दिवस 156.00 रु (जैसा की अन्य कार्यों में हुआ है) दिया गया होता तो भुगतान मात्र रु 48812.00 का हुआ होता। इस प्रकार कार्य प्रभारी व खण्ड विकास अधिकारी तथा अवर अभियन्ता द्वारा श्रमांश भुगतान उच्चतम दर पर करके रु 14763.00 का अनियमित भुगतान किया है जिसके लिये कार्य प्रभारी श्री जगदीश कुमार यादव, खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार पाठक तथा अवर अभियन्ता श्री आर०सी० शुक्ला जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-319—क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त मद से कराये गये कार्य साइन बोर्ड निर्माण पर रु 56256.00 चेक सं० 115588/30.07.2013 का भुगतान मे० चौधरी कांस्ट्रक्शन कंपनी को किया गया है (ग्रांट रजि०।। के अनुसार) लेखा परीक्षा के समय उक्त कार्य से सम्बन्धित कार्य पत्रावली अप्रस्तुत रहने से स्पष्ट है कि उक्त धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार पाठक तथा लेखाकार श्री फूलचन्द्र श्रीवास्तव जिम्मेदार है। अतः उक्त धन की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-320— क्षेत्र पंचायत रुधौली के वर्ष 2013-14 में निम्न विवरण अनुसार 31.03.2014 को धनराशियां निशप्रयोज्य पड़ी रही—

क्र०सं०	योजना का नाम	अवर्ष धनराशि
1	राष्ट्रीय बायोगैस	13518.00
2	बी०आर०जी०एफ०	2877.00
3	सी०डी०पी०ओ० अनुरक्षण मद	80000.00
	योग	96395.00

इस प्रकार उपरोक्तानुसार रु-96395.00 विभिन्न खातों में निशप्रयोज्य पड़ी रही जिसे प्रदाता को वापस न कर अनियमितता की गयी है। उक्त धनराशि रु-96395.00 को तत्काल प्रदाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-321—क्षेत्र पंचायत रामनगर के वर्ष 2011-12 में निःशुल्क बोरिंग पर व्यय रु 335600.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय की पुष्टि में कोई विवरण पत्र/पत्रावली उपलब्ध नहीं रही। अतः उक्त व्यय की वास्तविकता अपुष्टित रही। इस धन का अपहरण कर लिया जाना प्रतीत होता है जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन लेखाकार श्री रामकृपाल तथा तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण एवं श्री अग्रसेन पाण्डेय की है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-322—क्षेत्र पंचायत रामनगर के वर्ष 2011-12 में नरेगा प्रबन्धकीय व्यय से निम्न कार्यों का पत्रावलियों/बाउचर्स प्रस्तुत नहीं रहे।

सामग्री	सामग्री मूल्य
आलमारी कय	58669
इन्वैटर	62100
स्टेशनरी	10263
प्लास्टिक कुर्सी	23924

योग	154956

मृत स्कन्ध रजिस्टर, कय करने का मांग स्वीकृति आवश्यकता सत्यापन प्रमाण-पत्र, बाउचर्स, कोटेशन आदि उपलब्ध नहीं रहे, जिसके अभाव में उक्त धन का अपहरण कर लिया जाना प्रतीत होता है। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन लेखाकार श्री रामकृपाल एवं तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण एवं अग्रसेन पाण्डेय पर है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-323—क्षेत्र पंचायत रामनगर के वर्ष 2011-12 में निम्नविवरणानुसार सामग्री का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है—

क्र०सं०	कार्य का नाम	सामग्री मूल्य	बाउचर्स सं०	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	नौवागांव हरिजन बस्ती में नाली	28317 8000	171/05.11.12 07.305/05.11.12	अमरनाथ मिश्रा ए०डी०ओ०
2	प्रमुख कक्ष से कार्यालय भवन तक इण्टरलाकिंग	3289	161/25.10.11	फजील अहमद आ०लि०
3	वि०ख० कार्यालय की पीछे सी०सी० रोड	10440	मिट्टी कय रसीद	
4	कार्यालय परिसर में सफाई कार्य	26658	मिट्टी कय रसीद	रामचरन शुक्ल जे०ई० आर०ई०एस०
	योग	76704		

उक्त धन 76764 का अनियमित रूप से भुगतान किया गया किसी जिम्मेदारी तत्कालीन लेखा श्री रामकृपाल एवं बी०डी०ओ० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण एवं श्री अग्रसेन पाण्डेय की है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-324—क्षेत्र पंचायत रामनगर के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों में सामग्री पर व्यय रु 2469313.00 हुआ है। जिस पर सिर्फ आयकर काटकर भुगतान किया गया है। जबकि नियमानुसार एक प्रतिशत व्यापार कर तथा एक प्रतिशत अधिभार/शेष कुल दो प्रतिशत करों की कटौती और कर भुगतान किया जाना चाहिये था। इस प्रकार प्रस्तुत सामग्री व्यय से रु 49386.00 कर की कटौती कम कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण एवं श्री अग्रसेन पाण्डेय तथा तत्कालीन लेखाकार श्री रामकृपाल जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-325—क्षेत्र पंचायत रामनगर के वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त तथा 13 वां वित्त में से कुल रु 2083228.00 व्यय दर्शित है। जबकि लेखा परीक्षा में केवल रु 1523606.00 की पत्रावलियां प्रस्तुत रही। इस प्रकार शेष रु 559622.00 का व्यय अनियमित रूप से दर्शाकर अपहरण किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण एवं श्री अग्रसेन पाण्डेय तथा तत्कालीन लेखाकार श्री रामकृपाल की है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-326— क्षेत्र पंचायत रामनगर के वर्ष 2011-12 में विकास खण्ड परिसर में सफाई कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति रु 22300 की थी, परन्तु इस कार्य पर रु 41558.00 व्यय किया गया है। मिट्टी कय रु 26658.00 तथा मजदूरी रु 15000.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री रामचरन शुक्ला जे०ई०आर०ई०एस० को किया गया है। कार्य प्रभारी की नियुक्ति पत्र भी ले०प० में उपलब्ध नहीं रहा। इस मद के बढ़े व्यय का औचित्य व कारण तथा स्वीकृति अस्पष्ट रही। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री राजेन्द्र प्रसाद वरुण एवं श्री अग्रसेन पाण्डेय एवं लेखाकार श्री रामकृपाल की है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-327—क्षेत्र पंचायत रामनगर के वर्ष 2012-13 नौवागांव में यादव पुरवा में इण्टरलाकिंग कार्य हेतु प्रतीक कन्स्ट्रक्शन की निविदा स्वीकृति हुयी थी। इस कार्य हेतु ईट मे० अनिल कुमार इण्टरलाकिंग उद्योग

से कमशः रु 156000.00 (रसीद सं० 9/15.06.12) तथा रु 117000.00 (रसीद सं० 20/12.06.2012) द्वारा कय किया गया है। निविदा आमंत्रण में की उक्त फर्म का नाम नहीं था। अतः उक्त फर्म से कय करना अनियमित रहा। साथ ही उक्त दर्शित/प्रस्तुत रसीद पर टिन नं० भी अंकित नहीं पाया गया। इस प्रकार सामग्री कय रु 273000.00 का भुगतान अनियमित रहा, जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री उपेन्द्र कुमार पाठक एवं अग्रसेन पाण्डेय एवं लेखाकार श्री रामकृपाल की है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-328—क्षेत्र पंचायत रामनगर के वर्ष 2012-13 में खण्ड विकास अधिकारी आवास मरम्मत हेतु रु 427028.00 की कार्य पूर्ति बनी है। उक्त में से मजदूरी पर व्यय रु 102125.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावली में केवल रु 32125.00 की मस्टररोल उपलब्ध रही। शेष 70000.00 का मजदूरी का भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। इस कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री संजय श्रीवास्तव है। इस प्रकार कार्य कार्यालय परिसर में बाउण्ड्रीवाल मरम्मत पर कार्य पूर्ति रु 156240.00 बनी है। जब कि प्रस्तुत पत्रावली में इस कार्य हेतु मजदूरी भुगतान रु 64840.00 तथा सामग्री पर व्यय 109440.00 कुल रु 174280.00 हुआ। इस मद में रु 18040.00 अधिक व्यय हुआ है। इस प्रकार उक्त दर्शित दोनों कार्यों पर रु 18040.00 कय रु 70000.00 कुल रु 88040.00 भुगतान संदिग्ध है। कुल रु 88040.00 के अनियमित रूप से भुगतान दर्शाकर इस धन का अपहरण किया गया है। जिसकी जिम्मेदारी कार्य प्रभारी संजय श्रीवास्तव एवं तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री अग्रसेन पाण्डेय एवं श्री उपेन्द्र कुमार पाठक एवं लेखाकार श्री राजकृपाल की है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-329—क्षेत्र पंचायत रामनगर के वर्ष 2012-13 में निम्नविवरणानुसार कय सामग्री पर निम्नानुसार आयकर की कटौती नहीं की गयी है—

क्र० सं०	कुल प्रभारी	कार्य	लागत सामग्री	आयकर प्रतिशत व्यापार कर प्रतिशत
1	प्रतीक का० इण्टर०	नौवागांव मस्जिद से लैस मोहम्मद के घर होते हुये पिच तक एवं मिश्रा के घर से नसरुल्लाह के घर तक इण्टरलाकिंग	2684 17540	49 393
2	भगवानी प्रतीक का०	कलन्दरनगर से नरखोरिया मार्ग पर हरिराम के खेत के पास आर०सी०सी० पुलिया	25100 92180	585 2065
3	अग्रहरि ईट	विकास खण्ड परिसर में कार्यालय मरम्मत का सुन्दरीकरण	144162	3229

उक्त दर्शित धनराशि मु०- 6321 कम आयकर काटकर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जिसकी जिम्मेदारी तत्काली बी०डी०ओ० श्री अग्रसेन पाण्डेय एवं श्री उपेन्द्र कुमार पाठक एवं लेखाकार श्री रामकृपाल की है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-330—क्षेत्र पंचायत रामनगर के वर्ष 2012-13 वर्ष में निम्न विवरणानुसार कराये गये कार्यों के सापेक्ष कय सामग्री मिट्टी कय का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है—

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री मूल्य	कर्मचारी का नाम
1	नौवागांव यादव पुरवा में इण्टरलाकिंग	2752	रामचन्द्र वर्मा
2	पशु चिकित्साधिकारी आवास के सामने गैरेज व नाली निर्माण कार्य	92565	संजय श्रीवास्तव
3	प्रमुख कक्ष में वाटर सप्लाई	118888	संजय श्रीवास्तव
4	मंझारी पिच रोड से उत्तलुका के मेन रोड कटान पर आर०सी०सी० पुलिया	42175	रामदेव
5	आपत्ति सं० 3 के कमांक (1)का कार्य	3323	रामचन्द्र वर्मा (मिट्टी कय)
6	आवासीय भवन टाईप- I।। मरम्मत	14625	संजय श्रीवास्तव

योग	274328

इस प्रकार रु 274328 का भुगतान अनियमित रूप से किया गया जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री अग्रसेन पाण्डेय एवं श्री उपेन्द्र कुमार पाठक एवं लेखाकार श्री राजकृपाल की है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-331—क्षेत्र पंचायत रामनगर के वर्ष 2012-13 में खण्ड कार्यालय परिसर में सी0सी0 रोड के बगल मिट्टी भराई हेतु ठेकेदार सफीउल्लाह को मिट्टी कय का भुगतान रु 162015.00 कुल 1538.83 घन मी0 मिट्टी का भुगतान किया गया है। इस पर नियमानुसार रायल्टी की कटौती रु 46165.00 नहीं किया गया है जो अनियमित रहा। इसकी जिम्मेदारी तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री अग्रसेन पाण्डेय एवं श्री उपेन्द्र कुमार पाठक तथा लेखाकार श्री रामकृपाल की है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-332—क्षेत्र पंचायत रामनगर के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों में सामग्री पर कुल व्यय रु0-5225530.00 पर नियमानुसार व्यापार कर 1 प्रतिशत तथा शेष/अधिभार 1 प्रतिशत नहीं काटा गया है। इस प्रकार रु 104511.00 के राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन लेखाकार श्री रामकृपाल एवं बी0डी0ओ0 अग्रसेन पाण्डेय एवं श्री उपेन्द्र कुमार पाठक की है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-333—क्षेत्र पंचायत रामनगर के वर्ष 2013-14 में नौवागांव भगवानदास के घर से सत्येन्द्र तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर रु0 955675 की सामग्री कय के बिल का भुगतान तथा रु 139654.00 की मजदूरी का भुगतान का मस्टररोल कुल रु 1095329.00 का भुगतान का बिल उपलब्ध रहा। लेखा परीक्षा में इस कार्य हेतु प्रस्तुत कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र पर कुल व्यय रु 715369.00 दर्शित है। साथ ही कार्य पूर्ण की तिथि 01.12.13 अंकन के साथ टिप्पणी कार्य अपूर्ण रहने की गयी है। स्थिति संदिग्ध है तथा वास्तविक भुगतान रु 1095329.00 से कार्य पूर्ति में व्यय रु 379760.00 अनियमित रूप से कम दर्शाकर अपहरण किया गया है। जिसको जिम्मेदारी तत्कालीन बी0डी0ओ0 श्री अशोक कुमार मौर्या एवं श्री चन्द्रशेखर लेखाकार श्री रामकृपाल एवं कार्यप्रभारी श्री चन्द्रभान ग्रा0पं0अधि0 की है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-334—क्षेत्र पंचायत रामनगर के वर्ष 2013-14 में निम्न विवरणनुसार सामग्री कय का बिल संलग्न बाउचर्स पक्का बिल न रखकर स्टीमेट/कच्चा बिल संलग्न कर रखा गया है।

क्र0 सं0	कार्य	सामग्री व्यय	नाम
1	ग्राम धौरहरा में इण्टरलाकिंग	515231	दिनेश चन्द्र मिश्रा (का0)
2	डिडईमाफी में इण्टरलाकिंग	1293191	
3	कटरिया गांव मे अमीना मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया	559734	
4	टेडी कुईया मकतब स्कूल के पास कटान पर आर0सी0सी0 पुलिया	449993	
5	कैम्पस में सार्वजनिक शौचालय निर्माण	188222 71530	संजय श्री0 (कार्य प्रभारी)
6	जयपुर गांव के पश्चिम कब्रिस्तान तक खण्डजा	451200	दिनेश चन्द्र मिश्रा (कन्देआर)
7	बड़ोखर भरनापुर मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया	346416	
8	काटेखैरा पिच रोड से फूलपुर गांव तक खण्डजा	329000	
	कुल योग-	4132987	+71530=4204517

इस प्रकार रु0 71530.00 की सामग्री का भुगतान संजय श्रीवास्तव कार्य प्रभारी को तथा शेष रु 4132987.00 का भुगतान कान्ट्रेक्टर दिनेश चन्द्र मिश्रा को कर दिया गया है। जो अनियमित रहा। नियमानुसार कार्य, कार्य प्रभारियों से कराया जाना चाहिये कान्ट्रेक्टर से निविदा प्राप्तकर कार्य कराना

अनियमितता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-335- क्षेत्र पंचायत रामनगर के वर्ष 2013-14 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों में से सामग्री कय पर नियमानुसार वैट 4 प्रतिशत की कटौती नहीं की गयी है-

क्र० सं०	कार्य का नाम	सामग्री मूल्य	वैट
1	नौवागांव के पश्चिम कटान पर आर०सी०सी० पुलिया	495688	19827
2	नौवागां० पिच रोड से यादव पुरवा तक खण्डजा	97290	3892
3	गुरुचर चौ० इण्टर कालेज पिच रोड से वि०ख० तक	75200	3008
4	नौवागांव भगवानदास के घर से सत्येन्द्र तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग	955675	38227
5	शंकरपुर चौराहे पर नाली निर्माण	372492	1500
6	धवाय में शिवदयाल डीह से पिच तक खण्डजा	524276	20971
7	नरखोरिया में प्रा०पा० के पास इण्टरलाकिंग	942331	37693
8	भानपुर से बनिकटरा मण्डी समिति किसान इण्टर कालेज तक इण्टरलाकिंग	166863	6674
9	कैम्पस में सार्वजनिक शौचालय निर्माण	39955	1598
		योग	133390

कुल रु 133390 के वैट की कटौती कय का राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है, जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री अशांक कुमार मौर्या एवं श्री चन्द्रशेखर एवं लेखाकार श्री रामकृपाल की है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 336- क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में दिनांक-05.08.14 चेक सं०-454574 द्वारा 36446.00 तथा दिनांक 09.10.14 चेक सं०- 454575 द्वारा रु 7554.00 श्री रामचरन शुक्ला को बाल विकास परियोजना कार्यालय मरम्मत हेतु भुगतान किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में सम्बन्धित व्यय की वास्तविकता की पुष्टि में व्यय बाउचर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया स्पष्ट है कि उक्त धनराशि रु 44000.00 का अनियमित रूप से भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया है जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन बी०डी०ओ० तथा लेखाकर तथा कार्यप्रभारी श्री रामचरन शुक्ला की है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 337- क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत ग्राण्ट-।। रजिस्टर अनुसार रु 6082777.00 व्यय दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा में रु 5867147.00 की व्यय की पत्रावलियां प्रस्तुत की गयी इस प्रकार रु 215630.00 की व्यय अनियमित रूप से दर्शाकर अपहरण किया गया है जिसके लिये तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री एस०डी० दूबे श्री सतीश चन्द्र पाठक एवं लेखाकार श्री रामकृपाल उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 338- क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट-।। अनुसार वर्ष 2014-15 में रा०वि०, तेरहवां वित्त एवं मनरेगा ग्राम पंचायत अंश मदों में कुल रु 7275060.00 व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में रु 7113852.00 की व्यय की पत्रावलियां प्रस्तुत की गई अतः रु 161217.00 के व्यय अनियमित रूप से दर्शाकर अपहरण किया गया है। इसके लिये तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री एस०डी० दूबे श्री सतीश चन्द्र पाठक एवं लेखाकार श्री रामकृपाल उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 339- क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट-।। के अनुसार रा०वि० मद में रु 5181212.00 एवं बी०आर०जी०एफ० मद में रु 608733.00 कुल रु 5789945.00 व्यय किये गये लेकिन लेखा परीक्षा में केवल रु 5458280.00 की पत्रावलियां प्रस्तुत रही इस प्रकार रु 331665.00 की पत्रावली अनुपलब्ध/अप्रस्तुत रही अतः रु 331665.00 का व्यय भुगतान अनियमित रहा इस प्रति तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री श्याम जी श्री कृष्ण प्रताप त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री रामकृपाल उत्तरदायी है। अपुष्टित धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 340— क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निम्नविवरणानुसार मिट्टी क्रय भुगतान पर नियमानुसार 30 रु प्रति घन मी० रायल्टी कटौती कर राजकीय खाते में जमा नहीं किये गये हैं।

क्र०सं०	कार्य	मिट्टी क्रय मात्रा	रायल्टी धनराशि
1	जोगिया में रामसहाय इ०का० से मिट्टी/खडंजा	13.38 घन मी०	3401.00
2	कार्यालय परिसर में मिट्टी पटाई	205.50 घन मी०	6165.00
3	सदरा पिच रोड से रामकरन चौ०वि० तक मिट्टी/खडंजा	115.82 घन मी०	3475.00
		योग	13041.00

इस प्रकार रु 13041 के राजकीय राजस्व के क्षति के लिये तत्कालीन बी०डी०ओ० श्री श्याम जी, श्री कृष्ण त्रिपाठी लेखाकार श्री रामकृपाल उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 341— क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में ग्राम आल्हे कुईया में दक्षिण कटान पर आर०सी०सी० पुलिया निर्माण हेतु मजदूरी पर रु 164677.00 व्यय भुगतान किये गये लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान में से रु 3650.00 के भुगतान का प्रमाणक अप्रस्तुत रहा इस प्रकार रु 3650.00 अधिक व्यय दर्शाकर कार्य प्रभारी श्री अरविन्द कुमार द्वारा अपहरण कर लिया गया इसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 342— क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में कार्यालय परिसर में मीटिंग हाल निर्माण हेतु अवर्ष कार्य हेतु कार्यप्रभारी श्री शिवपूजन को रु 57168.00 चेक सं० 41542/14.10.16 द्वारा भुगतान किया गया है मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टररोल प्रस्तुत न कर उक्त धन का कार्यप्रभारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी श्री शिवपूजन से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 343— क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में रा०वि० मद में रु 3412269.00 तेरहवां वित्त मद में 120879.00 बी०आर०जी०एफ० मद में रु 143842.00 कुल रु 3676990.00 व्यय/भुगतान ग्राण्ट—।। रजिस्टर में दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा में कुल रु 3432051.00 के भुगतान की पुष्टि में पत्रावलियां उपलब्ध रही इस प्रकार रु 244939 की व्यय/भुगतान की वास्तविकता की पुष्टि न हो सकी स्पष्ट है कि उक्त भुगतान अनियमित रूप से दर्शाकर उक्त धन रु 244939.00 का अपहरण किया गया जिसके लिये तत्काली बी०डी०ओ० श्री सुशील कुमार अग्रहरि, श्री मती रुकमणि वर्मा एवं लेखाकार श्री रामकृपाल उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 344— क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्य हेतु मिट्टी क्रय पर नियमानुसार 30 रु प्रति घन मी० की दर से रायल्टी की कटौती कर राजकीय खाते में जमा नहीं करायी गयी है।

क्र०सं०	कार्य	मिट्टी क्रय मात्रा	रायल्टी धनराशि
1	नौवां गांव चौधरी डीह से राजेन्द्र के खेत तक इ०ला०	147.66 घन मी०	4430.00
2	नौवां गांव शमशान घाट से इ०ला०	147.66 घन मी०	4430.00

उक्त मिट्टी की भुगतान श्री अरविन्द चौधरी कार्यप्रभारी को की गई। इस प्रकार रु 8860.00 की रायल्टी न काटकर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है। जिसके लिये तत्कालीन बी०डी०ओ० व लेखाकार एवं कार्यप्रभारी अरविन्द चौधरी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 345— क्षेत्र पंचायत रामनगर की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही—

क्र०सं०	कार्य	लागत धन	कार्य प्रभारी
1	नौवां गांव पिच रोड नहर से लोनिया डीह तक खडंजा	480854.00	अरविन्द चौधरी
2	कार्यालय परिसर में मीटिंग हाल का अवर्ष कार्य	475909.00	शिवपूजन ए०डी०ओ० एस०टी०

इस प्रकार उक्त लागत धन रु 956763.00 का व्यय/भुगतान अनियमित रहा जिसके लिये तत्कालीन बी0डी0ओ0, लेखाकार एवं सम्बन्धित कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-346—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों के मस्टररोलों की जांच में पाया गया कि संलग्न मस्टररोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं है और हस्ताक्षर अंगूठा निशानी को कार्य प्रभारियों द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। साथ ही उल्लिखित मजदूर के गांव का उल्लेख भी मस्टर रोल पर अंकित नहीं किया गया है। वर्ष में मजदूरी मद में कुल भुगतान रु 177200.00 सम्बन्धित मजदूरों को न कर कार्य प्रभारियों को भुगतान कर के अनियमितता की गयी है। जिसके उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र पाठक एवं श्री राजेश यादव तथा लेखाकार श्री बलराम यादव है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-347—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2011-12 में सामाग्री मद में कुल रु 864841.00 भुगतान में से रु 383515.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामाग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान कार्य प्रभारी को कर के गंभीर अनियमितता की गयी है।

चेक नं०	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता
687640	07.05.2011	8644.00	श्री दीना नाथ कार्य प्रभारी	श्री दीनानाथ
687640	07.05.2011	39486.00	श्री दीना नाथ कार्य प्रभारी	श्री दीनानाथ
569305	02.07.2011	42925.00	श्री दीना नाथ कार्य प्रभारी	श्री दीनानाथ
569308	02.07.2011	32399.00	श्री दीना नाथ कार्य प्रभारी	श्री दीनानाथ
569308	02.07.2011	13738.00	श्री दीना नाथ कार्य प्रभारी	श्री दीनानाथ
687645	10.09.2011	10557.00	श्री राजकुमार सिंह	श्री राजकुमार सिंह
569316	20.12.2011	30075.00	नकद	नकद
279437	02.11.2013	33018.00	श्री राजेन्द्र प्रसाद कार्य प्रभारी	श्री राजेन्द्र प्रसाद कार्य प्रभारी
279437	02.11.2013	18000.00	श्री राजेन्द्र प्रसाद कार्य प्रभारी	श्री राजेन्द्र प्रसाद
87646	10.09.2011	28000.00	श्री राजेन्द्र प्रसाद कार्य प्रभारी	श्री राजेन्द्र प्रसाद
279438	02.11.13	24806.00	श्री राजेन्द्र प्रसाद कार्य प्रभारी	श्री राजेन्द्र प्रसाद
687648	01.10.2011	92442.00	श्री राजेन्द्र प्रसाद कार्य प्रभारी	श्री राजेन्द्र प्रसाद
687648	01.10.2011	9405.00	श्री राजेन्द्र प्रसाद कार्य प्रभारी	श्री राजेन्द्र प्रसाद
	योग	383515.00		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में सामाग्री मद में दर्शित व्यय की अधिकांश धनराशि नियमानुसार सम्बन्धित फर्म को बाई चेक भुगतान न कर, मनमाने ढंग से काग्र प्रभारियों को भुगतान कर, गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री उपेन्द्र पाठक एवं श्री राजेश यादव तत्कालीन ख0वि0अधि0 एवं लेखाकार श्री बलराम यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-348—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2011-12 में निर्माण सामाग्रियों पर कुल व्यय रु 872047.00 किया गया है (जिसका विवरण सामान्य प्रतिवेदन के तालिका 02 पर दर्शित है) नियमानुसार निर्माण सामग्री की बिलों से दर 2.24 प्रतिशत की दर से कुल रु 19534.00 टी0डी0एस0 कटौती के सापेक्ष रु 7206.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु 12328.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री उपेन्द्र पाठक एवं श्री राजेश यादव तथा लेखाकार श्री बलराम यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-349— क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2011-12 में निर्माण सामाग्रियों पर कुल रु 872047.00 किया गया है। जिसके सापेक्ष 4 प्रतिशत की दर से बिक्रीकर की कटौती न कर कुल रु 34882.00 राजस्व की क्षति की गई है। जिसकी क्षतिपूर्ति तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री उपेन्द्र पाठक एवं श्री राजेश यादव तथा लेखाकार श्री बलराम यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-350—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2011-12 में सामग्री की बिलों से टी0डी0एस0 की की गयी कटौती कुल रु 7206.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्षकमें जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये श्री राजेश यादव ख0वि0अधि0 तथा श्री बलराम यादव लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धन को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है। अनियमितता के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-351—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2011-12 में निर्माण कार्यों में निम्नलिखित विवरणानुसार कय मिट्टी की बिल से रायल्टी की कटौती न कर रु 8756.00 राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी प्रतिपूर्ति तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री उपेन्द्र पाठक एवं श्री राजेश यादव तथा लेखाकार श्री बलराम यादव (बिल जांच कर्ता/स्वीकृति कर्ता) से संयुक्त रूप से की जानी चाहिये। विवरण निम्नवत् है—आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	दिनांक	कय मिट्टी की मात्रा	कार्य का नाम
1	—	71.00 घन मी०	लखनी पुर में सी०सी० रोड दबी प्रसाद के घर तक खण्डजा मरम्मत कार्य
2	—	173.96 घन मी०	पूरे लेखई में राजेश तिवारी की दुकान से रामनाथ के घर के आगे तक खण्डजा कार्य
3	—	116.29 घन मी०	लोकईपुर में खण्डजा मरम्मत कार्य
4	—	264.20 घन मी०	लोकईपुर में मल्हपुर स०मा० पर डबल बैरल पुलिया
	योग	625.45 घन मी०, 14.00 = 8756.00	

प्रस्तर-352—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2011-12 में विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष व्यय उपरान्त दिनांक-31.03.2012 को कुल रु 1692786.00 अनुदान का उपभोग नहीं किया गया जा सका है। उक्त अनुपयोगित अनुदान धनराशि को नियमानुसार प्रदाता विभाग को वापस न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति ख0वि0अधि0 श्री राजेश यादव एवं लेखाकार श्री बलराम यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है इस प्रति क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-353—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पांच परियोजनाओं की निर्माण सम्बन्धी कार्यों की पत्रावलियां जिसका विवरण निम्नवत् है पर कुल रु 1142616.00 का है जिनकी पत्रावलियां मांगोपरान्त जांच में प्रस्तुत न कर अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र पाठक एवं श्री राजेश यादव तथा लेखाकार श्री बलराम यादव है। इनसे ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०सं०	परियोजना का नाम	कुल व्यय धनराशि ग्राण्ट-।। के

0		अनुसार
1	विशरगंज ककरहवा मार्ग के नहर पर बंदी के खेत के पास 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	224197.00
2	कोदई से बहुतिया नाले के पिचमार्ग पर 2.00 मी स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	128505.00
3	टाइप कालोनी 4-6 तक क्वार्टर मरम्मत कार्य	343686.00
4	विकास खण्ड परिसर टाइप-1 क्वार्टर मरम्मत कार्य	146682.00
5	विकास खण्ड परिसर में चहारदीवारी की रंगाई -पुताई	1142616.00

प्रस्तर-354—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2011-12 में ग्रांट-।।। रजिस्टर की जांच में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में अर्जित ब्याज शीर्ष में शुद्ध जमा शेष रु 352471.00 दर्शाया गया है। शासनादेश सं०-ए-1-122/दस-2012-दस(33)/2010 दिनांक 21.03.12 के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से अवमुक्त अनुदान की धनराशि को बैंक में रखने पर ब्याज अर्जित होता है तो, उसे संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिये अथवा राजकीय कोश में जमाकर दिया जाना चाहिये किन्तु संस्था द्वारा वर्षान्त में ऐसा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री राजेश यादव एवं श्री बलराम यादव लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-355—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2012-13 में निर्माण कार्यों के मस्टररोलों की जांच में पाया गया कि संलग्न मस्टररोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं है और हस्ताक्षर अंगूठा निशानी को कार्य प्रभारियों द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। साथ ही उल्लिखित मजदूरों के गांव का उल्लेख भी मस्टररोल पर अंकित नहीं किया गया है। वर्ष में मजदूरी मद में कुल भुगतान रु 481418.00 सम्बन्धित मजदूरों को न कर, कार्य प्रभारियों को भुगतान कर के अनियमितता की गयी है। जिसके उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गण श्री राजेश यादव, श्री उग्रसेन पाण्डेय, श्री दिनेश कुमार शुक्ल तथा श्री दुर्गादत्त शुक्ल एवं लेखाकार श्री बलराम यादव है। इस प्रति क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-356—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2012-13 में सामाग्री मद में कुल रु 2725239.00 भुगतान में से रु 1710461.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणकों के आधार पर, भुगतान कार्यप्रभारियों को कर के गंभीर अनियमितता की गयी है।

चेक नं०	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत दर्शित है।	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता
09621	12.04. 2012	266884	सिंह ब्रिक फील्ड	राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला
09623	16.04. 2012	79092	प्रकाश ट्रेडर्स	राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला
09635	20.07. 2014	46775	प्रकाश ट्रेडर्स	राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला
09539	12.11. 2012	190025	प्रकाश ट्रेडर्स	राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला
09630	27.06. 2012	268840	प्रकाश ट्रेडर्स	राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला
09640	20.11. 2012	342700	प्रकाश ट्रेडर्स	राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला
09632	27.06. 2012	139019	प्रकाश ट्रेडर्स	राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला

09654	16.04. 2013	38969	प्रकाश ट्रेडर्स	राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला
09654	16.04. 2013	57590	शिव बहादुर सिंह	राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला
09652	14.03. 2013	89744	शिव बहादुर सिंह	राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला
09651	14.03. 2012	190823	प्रकाश ट्रेडर्स	राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला
	योग	1710461.00		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में सामग्री मद में दर्शित व्यय की अधिकांश धनराशि नियमानुसार सम्बन्धित फर्म को बाई चेक भुगतान न कर, मनमाने ढंग से काग़्र प्रभारियों को भुगतान कर, गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये श्री राजेश यादव, श्री उग्रसेन पाण्डेय, श्री दिनेश कुमार शुक्ल तथा श्री दुर्गादत्त शुक्ल तत्कालीन ख०वि०अधि० गण एवं लेखाकार श्री बलराम यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-357—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2012-13 में निर्माण सामाग्रियों पर कुल व्यय रु 2742055.00 किया गया है (जिसका विवरण सामान्य प्रतिवेदन के तालिका 02 पर दर्शित है) नियमानुसार निर्माण सामग्री की बिलों से दर 2.24 प्रतिशत की दर से कुल रु 61422.00 टी०डी०एस० कटौती के सापेक्ष रु 16816.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु 44606.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख०वि०अधि० गण श्री राजेश यादव, श्री उग्रसेन पाण्डेय, श्री दिनेश कुमार शुक्ल तथा श्री दुर्गादत्त शुक्ल और लेखाकार श्री बलराम यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-358—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2012-13 में निर्माण सामाग्रियों पर कुल व्यय रु 2742055 किया गया है। जिसके सापेक्ष 4 प्रतिशत की दर से बिक्रीकर की कटौती न कर कुल रु 109682.00 राजस्व की क्षति की गई है। जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ख०वि०अधि० गण श्री राजेश यादव, श्री उग्रसेन पाण्डेय, श्री दिनेश कुमार शुक्ल तथा श्री दुर्गादत्त शुक्ल तथा लेखाकार श्री बलराम यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-359—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2012-13 में सामग्री की बिलों से टी०डी०एस० की की गयी कटौती कुल रु 16816.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्ष में न जमा कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये श्री दुर्गादत्त शुक्ल ख०वि०अधि० तथा श्री बलराम यादव लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशियों को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-360—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में दो परियोजनाओं की निर्माण सम्बन्धी कार्यों की पत्रावलियों जिसका विवरण निम्नवत है पर कुल व्यय रु 1624540.00 का है, जिनकी पत्रावलियां मांगोपरान्त जांच में प्रस्तुत न कर अपहरण किया गया है। जिसके लिये श्री राजेश यादव, श्री उग्रसेन पाण्डेय, श्री दिनेश कुमार शुक्ल तथा श्री दुर्गादत्त शुक्ल तत्कालीन ख०वि०अधि० गण एवं लेखाकार श्री बलराम यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इनसे वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०सं०	परियोजना का नाम	कुल व्यय धनराशि ग्रांट- II के अनुसार
1	लखनीपुर में महगू के घर से प्रा० पाठशाला तक आर०सी०सी० रोड निर्माण	690700.00
2	40 अदद सोलर लाईट क्रय	934040.00
	योग	1624740.00

प्रस्तर-361—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2012-13 में विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष व्यय उपरान्त दिनांक- 31.03.2013 को कुल रु 5255692.00 अनुदान का उपभोग नहीं किया जा सका है। उक्त अनुपयोगिता अनुदान धनराशि को नियमानुसार प्रदाता विभाग को वापस न कर गंभीर

अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति ख0वि0अधि0 श्री दुर्गादत्त शुक्ल एवं लेखाकार श्री बलराम यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है इसके प्रति क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-362—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2012-13 में ग्रांट-3 रजिस्टर जांच में पाया गया कि क्षेत्रनिधि खाते से अर्जित ब्याज मद में प्रा0 अवर्ष श रु 352471.00 वर्ष में ब्याज से आय रु 263099.00, वर्ष में व्यय रु 15978.00 के उरान्त वर्शान्त अवर्ष श रु 599592.00 दर्शित है उक्त शीर्ष में वर्ष में दर्शित व्यय कुल रु 15978.00 में से ग्रांट रजिस्टर-02 के अनुसार रु 5901.00 का व्यय नेट भुगतान के निमित्त चेक सं0-09626 दिनांक 18.05.2012 से श्री दुखरन प्रसाद (ए0डी0ओ0 पं0) एवं रु 4000.00 प्रिया साफ्ट फीडिंग मद में भुगतान चेक सं0 32003 दिनांक 09.01.2013 से श्री इब्नेहसन (कनिश्ठ लिपिक) तथा अवर्ष श धनराशि रु 6077.00 अज्ञात को भुगतान (जिसके विवरण अनुपलब्ध रहे) करके कुल रु 15978.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसमे से रु 5901.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश यादव तथा लेखाकार श्री बलराम यादव से संयुक्त रूप से और रु 10077.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्त शुक्ल तथा लेखाकार श्री बलराम यादव से संयुक्त रूप से करके शासनदेशानुसार राज्य सरकार को वापस किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-363—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्यो के मस्टररोलों की जांच में पाया गया कि संलग्न मस्टर रोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं है और हस्ताक्षर अंगूठा निशानी को काग़ प्रभारियों द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। साथ ही उल्लिखित मजदूर के गांव का उल्लेख भी मस्टररोल पर अंकित नहीं किया गया है। वर्ष में मजदूरी मद में कुल भुगतान रु 668242.00 सम्बन्धित मजदूरों को न कर कार्य प्रभारियों को भुगतान कर के अनियमितता की गयी है। जिसके उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्त शुक्ल तथा लेखाकार श्री बलराम यादव है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-364—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2013-14 में सामाग्री मद में कुल रु 3041810.00 भुगतान में से रु 1086312.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान कार्य प्रभारी को करके गंभीर अनियमितता की गयी है।

चेक नं0	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत दर्शित है।	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता
27944 5	02.11. 2013	4922.00	डी0एस0 ब्रिक फील्ड	इब्नेहसन
02993 2	10.02. 2014	49013.00	आर0के0 इण्टर प्रा0	...
27944 5	02.11. 2013	42764.00	राम सूरत	
27944 5	02.11.13	119225.00	राजकुमार	
27944 9	02.11. 2013	121412.00	जोखू	राम रेखा सरोज
29935	20.02.14	29315.00	आर के इण्टर प्रा0	
29935	20.02.14	7657.00	राम गरीब	
35766 2	01.07.14	13402.00	सुरेन्द्र कुमार	इब्नेहसन
29937	11.02.14	194900.00	आर0के0 इण्टर प्रा0	इन्द्रसेन

35766 2	01.07.14	74180.00	डी0एस0 ब्रिक फील्ड	इब्नेहसन
35762	01.07.14	32272.00	आर0के0 इण्टर प्रा0	...
74001 7	16.11.15	9688.00	सुरेन्द्र कुमार	राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल
27945 0	02.11.13	108259.00	विष्वकर्मा इं0 वर्कशाप	
27945 0	02.11.13	111690.00		
74007 9	16.01.15	124100.00		...
84470	27.10.16	11900.00	अन्सार लाउडस्पीकर	
84470	27.10.16	3008.00	शिवबहादुर सिंह	
84470	27.10.16	11800.00	अमरदेव	...
84470	27.10.16	16805.00	बब्लू	...
	योग	1086312.00		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में सामग्री मद में दर्शित व्यय की प्रायः धनराशियां नियमानुसार सम्बन्धित फर्म को बाई चेक भुगतान न कर, मनमाने ढंग से काग़्र प्रभारियों को भुगतान कर, गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये श्री दुर्गादत्त शुक्ल तत्कालीन ख0वि0अधि0 एवं लेखाकार श्री बलराम यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-365—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2013-14 में निर्माण सामग्रियों पर कुल व्यय रु 3041810.00 किया गया है (जिसका विवरण सामान्य प्रतिवेदन के तालिका 02 पर दर्शित है) नियमानुसार निर्माण सामग्री की बिलों से दर 2.24 प्रतिशत की दर से कुल रु 68136.00 टी0डी0एस0 कटौती के सापेक्ष रु 16708.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु 51428.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख0वि0अधि0 दुर्गादत्त शुक्ल तथा लेखाकार श्री बलराम यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-366—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2013-14 में निर्माण सामग्रियों पर कुल व्यय रु 3041810.00 किया गया है (जिसका विवरण सामान्य प्रतिवेदन के तालिका 02 पर दर्शित है) नियमानुसार निर्माण सामग्री की बिलों से दर 4.00 प्रतिशत की दर से कुल रु 121672.00 बिकी कर कटौती के सापेक्ष रु 3764.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु 117908.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री दुर्गादत्त शुक्ल तथा लेखाकार श्री बलराम यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-367—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2013-14 में सामग्री की बिलों से टी0डी0एस0 की की गयी कटौती कुल रु 16708.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये श्री दुर्गादत्त शुक्ल ख0वि0अधि0 तथा श्री बलराम यादव लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-368—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2013-14 में निर्माण सामग्री के बिलों से बिक्री कर की गयी कटौती कुल रु 3764.00 वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्ष में न जमा कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिस प्रति श्री दुर्गादत्त शुक्ल खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री बलराम यादव उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-369—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में तीन परियोजनाओं की निर्माण समन्धी कार्यों की पत्रावलियों जिसका निम्नवत् है, पर कुल व्यय रु 907837.00 का है, जिनकी पत्रावलियां मांगोपरान्त जांच में प्रस्तुत न कर अपहरण किया गया है। जिसके लिये श्री दुर्गादत्त शुक्ल तत्कालीन ख०वि०अधि० एवं लेखाकार श्री बलराम यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इनसे **ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।**

क्र०सं०	परियोजना का नाम	कुल व्यय धनराशि ग्रांट-।। के अनुसार
1	वि० खण्ड मे स्टोर रूम का निर्माण	146036.00
2	रामगढ़ खास में मुस्तकीम के घर से गढ़दे तक शेष भाग पर नाली निर्माण	167456.00
3	निदुरी बुद्धिराम के बाग से निदुरी गोदराजपुरवा पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	594345.00
	योग	907837.00

वर्ष 2013-14 में विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष व्यय उपरांत दिनांक-31.03.2014 को कुल रु 6599207.00 अनुदान का उपभोग नहीं किया जा सका है। उक्त अनुपायोगित अनुदान धनराशि को नियमानुसार प्रदाता विभाग को वापस न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति ख०वि०अधि० श्री दुर्गादत्त शुक्ल एवं लेखाकार श्री बलराम यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति **क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

प्रस्तर-370—क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2013-14 में ग्रांट-।।। रजिस्टर की जांच मे पाया गया कि वर्ष 2013-14 में अर्जित ब्याज शीर्ष में शुद्ध जमा शेष रु 599592.00 दर्शाया गया है। शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-दस(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से अवमुक्त अनुदान की धनराशि को बैंक में रखने पर ब्याज अर्जित होता है तो, उसे संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिये अथवा राजकीय कोश में जमाकर दिया जाना चाहिये किन्तु संस्था द्वारा वर्षान्त में ऐसा न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री दुर्गादत्त शुक्ल एवं श्री बलराम यादव लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति **क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।** यह भी उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष में उक्त शीर्ष में आय शून्य दर्शित है, जबकि एक बड़ी धनराशि वर्षान्त में उपलब्ध होना दर्शित है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-371— क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा मे निर्माण कार्यों के मस्टररोलों की जांच में पाया गया कि संलग्न मस्टररोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं है और हस्ताक्षर अंगूठा निशानी को कार्य प्रभारियों द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। साथ ही उल्लिखित मजदूर के गांव का उल्लेख भी मस्टररोल पर अंकित नहीं किया गया है। वर्ष में मजदूरी मद में भुगतान रु 1223232.00 सम्बन्धित मजदूरों को न कर कार्य प्रभारियों को भुगतान कर के अनियमितता की गयी है। जिसके उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्त शुक्ल तथा लेखाकार श्री बलराम यादव है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-372— क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा मे सामग्री मद में कुल रु 6642971.00 भुगतान में से 218906.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री कय प्रमाणकों के आधार पर भुगताना कार्य प्रभारी को कर के गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

चेक नं०	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत दर्शित है।	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता
47773	04.03.15	18103.00	साधूसरन	रामरेखा सरोज
50776	22.06.15	12301.00	दानबहादुर सिंह	राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल
47785	25.03.15	30454.00	आजाद सिंह	इब्ने हसन
47798	18.04.15	35810.00	सुरेन्द्र कुमार	रामरेखा सरोज
47798	18.04.15	34529.00	उमाशंकर	रामरेखा सरोज
50767	21.05.15	32597.00	राम प्रसाद सिंह	रामरेखा सरोज
47786	25.03.15	6311.00	सुरेन्द्र कुमार	राजेन्द्र प्रसाद
47786	25.03.15	17946.00	राम मूरत	राजेन्द्र प्रसाद
50773	25.5.15	7504.00	कामता प्रसाद	राजेन्द्र प्रसाद
50770	25.05.15	23351.00	नईम	राजेन्द्र प्रसाद
	योग	218906.00		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में सामग्री मद में दर्शित व्यय की अधिकांश धनराशि नियमानुसार सम्बन्धित फर्म को बाईं चेक भुगतान न कर मनमाने ढंग से कार्य प्रभारियों को भुगतान कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री दुर्गादत्त शुक्ल तत्कालीन ख०वि०अधि० एवं लेखाकार श्री बलराम यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-373- क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामाग्रियों पर कुल व्यय रु 6954041.00 किया गया है जिसका विवरण उपरोक्त तालिका 02 दर्शित है। नियमानुसार निर्माण सामग्री की बिलों से /2.00 प्रतिशत की दर से कुल रु 139081.00 टी०डी०एस० कटौती के सापेक्ष रु 110080.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार रु 29001.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसके ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री दुर्गादत्त शुक्ल तथा लेखाकार श्री बलराम यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-374- क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामाग्रियों पर कुल व्यय रु 6954041.00 किया गया है। नियमानुसार निर्माण सामग्री की बिलों से 4.00 प्रतिशत की दर से कुल रु 278162.00 के सापेक्ष रु 196564.00 की कटौती की गयी है। इस प्रकार 81598.00 बिक्रीकर की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री दुर्गादत्त शुक्ल तथा लेखाकार श्री बलराम यादव से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-375- क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामाग्रियों की बिलों से टी०डी०एस० की की गयी कटौती कुल रु 110080.00 को वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्ष में न जमा कर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये श्री दुर्गादत्त शुक्ल तथा श्री बलराम यादव लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धन को निर्धारित शीर्ष में ब्याज सहित वसूल कर शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-376- क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्री की बिलों से बिक्रीकर की गयी कटौती कुल रु 196564.00 वर्षान्त तक निर्धारित लेखा शीर्ष में न जमा कर अपहरण कर लिया गया है। जिसके प्रति श्री दुर्गादत्त शुक्ल खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री बलराम यादव उत्तरदायी है। उक्त धन को शीघ्र ब्याज सहित वसूल कर निर्धारित शीर्ष में जमा कराया जाना

अपेक्षित है।

प्रस्तर-377- क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्यों में निम्नलिखित विवरणानुसार कय मिट्टी की बिल से रायल्टी की कटौती न कर रु 7194.100 राजस्व की क्षति की गयी है। जिसकी प्रतिपूर्ति तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री दुर्गादत्त शुक्ल तथा लेखाकार श्री बलराम यादव (बिल जांच कर्ता/स्वीकृति कर्ता) से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	दिनांक	मात्रा	धनराशि	कार्य का नाम
1	13.10.14	50.00 घन मी०	35000.00	कुर्थिया में सचिवालय की चहारदीवारी एवं खण्डजा
2	15.10.14	50.00 घन मी०	35000.00	कुर्थिया में सचिवालय की चहारदीवारी एवं खण्डजा
3	17.10.14	50.00 घन मी०	35000.00	कुर्थिया में सचिवालय की चहारदीवारी एवं खण्डजा
4	19.10.14	50.00 घन मी०	35000.00	कुर्थिया में सचिवालय की चहारदीवारी एवं खण्डजा
5	22.10.14	57.18 घन मी०	40026.100	कुर्थिया में सचिवालय की चहारदीवारी एवं खण्डजा
6	—	256.67 घन मी०	32597.00	गाजीपुर में सी०सी० रोड से चंचल के घर होते हुये गवई के घर तक सी०सी० रोड निर्माण
	योग	513.85 घन मी०	$\times 14.00 = 7194.00$	

प्रस्तर-378- क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट रजिस्टर-।।। की जांच में पाया गया कि वर्ष 2014-'15 में अर्जित ब्याज शीर्ष में शुद्ध जमा शेष रु 956348.00 दर्शाया गया है। शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-दस(33)/2010 दिनांक- 21.03.12 के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से अवमुक्त अनुदान की धनराशि को बैंक में रखने पर ब्याज अर्जित होता है तो उसे संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिये अथवा राजकीय कोश में जमाकर दिया जाना चाहिये किन्तु संस्था द्वारा वरशान्त में ऐसा न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री दुर्गादत्त शुक्ल एवं श्री बलराम यादव लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-379- क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष व्यय उपरान्त दिनांक 31.03.2015 को कुल रु 1805561.00 अनुदान का उपभोग नहीं किया जा सका है। उक्त अनुपयोगित अनुदान धनराशि को नियमानुसार प्रदाता विभाग को वापस न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति ख०वि०अधि० श्री दुर्गादत्त शुक्ल एवं लेखाकार श्री बलराम यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-380- क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में दो परियोजनाओं की निर्माण सम्बन्धी कार्यों की पत्रावलियों जिसका विवरण निम्नवत है, पर कुल रु व्यय रु 840621.00 का है मांगोपरान्त जांच में अप्रस्तुत रहीं। इससे स्पष्ट होता है कि फर्जी कार्य दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके उत्तरदायी तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री दुर्गादत्त शुक्ल तथा लेखाकार श्री बलराम यादव है। इनसे संयुक्त रूप से धन की ब्याज सहित वसूली कर संबंधित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

क्र०सं०	परियोजना का नाम	कुल व्यय धनराशि ग्रांट-।। के अनुसार
1	पिठलापुर में लहुरी के घर से डीहबाबा के स्थान तक खण्डजा	308392.00

2	करमडाडे में शमशान घाट का निर्माण	532229.00
	योग	840621.00

प्रस्तर-381— क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट-3 रजिस्टर अनुसार राज्य वित्त आयोग मद का वर्ष का व्यय रु 5786733.00 तथा वर्रान्त शेष रु 289244.00 दर्शित है, जबकि आडिट गणनानुसार ग्राण्ट-2 रजिस्टर के आधार पर उक्त मद में वर्ष का कुल व्यय रु 6338000.00 तथा वर्रान्त शेष रु (-) 551267.00 होता है। इस प्रकार ग्राण्ट-3 रजिस्टर में त्रुटिपूर्ण सूचना दर्शाकर तथा बिना धन के योजना स्वीकृत कर एवं चेक निर्गत कर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्त शुक्ल तथा लेखाकार श्री बलराम यादव द्वारा गंभीर अनियमितता की गयी है। उल्लेखनीय है कि अनुदान पत्रावली आदि आडिट में अप्रस्तुत रहने से आलोच्य वर्ष के दर्शित आय एवं व्यय को प्रमाणित नहीं किया जा सका है। अतः पूर्ण छान-बीन कराते हुये अभिलेखों में सुधार तथा आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-382— क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्यों के मस्टररोलों की जांच में पाया गया कि संलग्न मस्टररोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं है और हस्ताक्षर अंगूठा निशानी को कार्य प्रभारियों द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। साथ ही उल्लिखित मजदूर के गांव का उल्लेख भी मस्टररोल पर अंकित नहीं किया गया है। वर्ष में मजदूरी मद में भुगतान रु 1182502.00 सम्बन्धित मजदूरों को न कर कार्य प्रभारियों को भुगतान कर के अनियमितता की गयी है। जिसके उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्त शुक्ल एवं श्री श्याम जी तथा लेखाकार श्री बलराम यादव, श्री रामकृपाल, श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र और श्री रामशंकर चौधरी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-383— क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में सामग्री मद में कुल रु 3839612.00 भुगतान में से रु 100933.00 निम्नानुसार पत्रावली में उपलब्ध सामग्री क्रय प्रमाणकों के आधार पर भुगतान कार्यप्रभारियों को कर के गंभीर अनियमितता की गयी है।

चेक नं०	दिनांक	धनराशि	चेक जिसके नाम निर्गत दर्शित है	बैंक खाते के अनुसार भुगतान प्राप्त कर्ता
52458	09.12.2015	30933	मो० नईम	राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला
50758	04.09.2015	70000	राम बरन ट्रेडर्स	इब्ने हसन
	योग	100933.00		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष में सामग्री मद में दर्शित व्यय की कतिपय धनराशियों नियमानुसार सम्बन्धित फर्म को बाई चेक भुगतान न कर मनमाने ढंग से राजकीय धन की हेराफेरी करते हुये कार्य प्रभारियों को भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख०वि०अधि० श्री दुर्गादत्त शुक्ल तथा लेखाकार श्री राम कृपाल एवं श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-384— क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्री बिलों से टी०डी०एस० की की गयी कटौती कुल रु 81108.00 को वर्रान्त तक निर्धारित लेखा शीर्ष में न जमा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये श्री दुर्गादत्त शुक्ल ख०वि०अधि० तथा श्री रामशंकर चौधरी लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को ब्याज सहित वसूल कर निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-385— क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्री की बिलों से बिक्रीकर की की गयी कटौती कुल रु 165449.00 वर्रान्त तक निर्धारित लेखा शीर्ष में न जमा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके प्रति श्री दुर्गादत्त शुक्ल ख०वि०अधि० एवं लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को ब्याज सहित वसूल कर निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-386- क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा मे निर्माण कार्य मनिकरपुर में सी0सी0 रोड का निर्माण हेतु 257.78 घ0मी0 दर 120-00 की दर से रु 30933.00 की मिट्टी कय की गयी है कय मिट्टी के बिल से रायल्टी की कटौती न कर (257.78 घन0मी0 14-00) राजस्व रु 3609.00 की क्षति की गयी। जिसकी प्रतिपूर्ति तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री दुर्गादत्त शुक्ला तथा श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र लेखाकार (बिल चार्जकर्ता/बिल स्वीकृति कर्ता) से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-387- क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा मे ग्राण्ट-3 रजिस्टर की जांच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में अर्जित ब्याज शीर्ष में शुद्ध जमा शेष रु 60867.00 दर्शाया गया है शासनादेश सं0- ए-1-122/दस-20102-दस-(33)/2010 दिनांक- 21.03.12 के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से अवमुक्त अनुदान की धनराशि को बैंक में रखने पर ब्याज अर्जित होता है तो उसे संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिये अथवा राजकीय कोश में जमाकर दिया जाना चाहिये किन्तु संस्था द्वारा वरशान्त में ऐसा न कर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री दुर्गादत्त शुक्ल एवं श्री रामशंकर चौधरी लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-388- क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा मे विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष व्यय उपरान्त दिनांक- 31.03.16 को कुल रु 596592.00 अनुदान का उपभोग नहीं किया जा सका है। उक्त अनुपयोगित अनुदान धनराशि को नियमानुसार प्रदाता विभाग को वापस न कर गंभीर अनियमितता की गई है। जिसके प्रति ख0वि0अधि0 श्री दुर्गादत्त शुक्ल एवं श्री रामशंकर चौधरी लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-389- क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा मे ग्राण्ट-2 रजिस्टर की जांच में पाया गया कि दिनांक 03.11.15 को चेक सं0- 52442 से दुग्ध संग्रह केन्द्र मरम्मत योजना अर्न्तगत रु 213173.00 का भुगतान आर0के0 इण्टरप्राइजेज को दर्शित है जिसकी निकासी/व्यय की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है। लेखा परीक्षा में युक्त योजना के पत्रावली मे उक्त व्यय विशयक प्रमाणक संलग्न नहीं रहे उक्त से स्पष्ट होता है कि बिना स्वीकृति/आधार के काल्पनिक रूप से उक्त योजना में रु 213173.00 का व्यय दर्शाकर तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री दुर्गादत्त शुक्ला तथा लेखाकार श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र एवं कार्यप्रभारी श्री राजेन्द्र शुक्ल (ग्रा0वि0अधि0 सं0क0) द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-390- क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा मे ग्राण्ट रजिस्ट्रों की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में क्षेत्र निधि खाते से अर्जित ब्याज मद में कुल रु 1394150.00 व्यय/उपभोग किया जाना दर्शित है। इस धनराशि को शासनादेशानुसार राज्य सरकार को वापस न कर मनमाने ढंग से राज्य वित्त आयोग मद में स्थानान्तरित करके व्यय कर रु 1394150.00 का दुरुपयोग किया गया, जिसमें से रु 998353.00 के लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री दुर्गादत्त शुक्ल तथा लेखाकार श्री बलराम यादव एवं रु 395797.00 के लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री दुर्गादत्त शुक्ल एवं श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली यथा दर्शित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-391- क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा मे अनुदान पंजी 3 की जांच में पाया गया कि दिनांक- 31.03.15 के अन्तिम अवशेष तथा दिनांक- 01.04.15 के प्रारम्भिक अवशेष के मध्य योजनावार निम्नलिखित अन्तर दर्शित है-

क्र० सं०	विवरण	31.03.15 को दर्शित धनराशि	01.04.15 को दर्शित धनराशि	अन्तर
1	राज्य वित्त आयोग	289244.00	1545593.00	-1306349.00
2	तेरहवां वित्त आयोग	59618.00	1129207.00	1069589.00
3	क्षेत्र अनु०नि० जमानत	11242.00	34929.00	23687.00
4	रायल्टी कटौती	83437.00	84437.00	1000.00
5	जे०ई०ई० प्रशिक्षण	-	7420.00	7420.00
6	रा०पेयजल गुणवत्ता	-	27940.00	27940.00
7	पि०क्षे०अनु० निधि	274060.00	235495.00	38565.00

8	विधायक निधि	—	421.00	421.00
9	आयकर कटौती	64421.00	—	64421.00

उक्त प्रकार रु (+) 1233043.00 एवं रु (-)1306349.00 की अधिक एवं कम धनराशियों दिनांक— 01.04.15 को प्रारम्भिक अवशेष में दर्शाकर तथा अनुदान का विचलन कर गंभीर अनियमितता की गई है, जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री दुर्गादत्त शुक्ल एवं श्री बलराम यादव लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। वर्ष के अनुदानों के आय की जांच अनुदान पत्रावली के अभाव में न होने से वर्ष की वास्तविक आय—व्यय वर्शान्त शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः उक्त की पूर्ण जांच करते हुये सुधार एवं आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—392— क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्यों के मस्टररोलों की जांच में पाया गया कि संलग्न मस्टररोल विकास खण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं है और हस्ताक्षर अंगूठा निशानी को कार्य प्रभारियों द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। साथ ही उल्लिखित मजदूर के गांव का उल्लेख भी मस्टररोल पर अंकित नहीं किया गया है। वर्ष में मजदूरी मद में भुगतान रु 625236.00 सम्बन्धित मजदूरों को न कर कार्य प्रभारियों को भुगतान कर के अनियमितता की गयी है। जिसके उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दुर्गादत्त शुक्ल एवं श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव तथा लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी है।, ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—393— क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्री (मिट्टी कय) मद में भुगतान रु 27572.00 मो0 नईम को कय प्रमाणक के आधार पर दर्शित किया गया है। (जैसा कि तालिका 2 दर्शित है।) नियमानुसार सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को बाई चेक भुगतान न कर मनमाने ढंग से कार्य प्रभारी को भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके लिये श्री दुर्गादत्त शुक्ल तत्कालीन ख0वि0अधि0 एवं लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—394— क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्री के बिलों से टी0डी0एस0 की की गई कटौती कुल रु 30471.00 वर्शान्त तक निर्धारित लेखा शीर्षकमें न जमा कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव ख0वि0अधि0 तथा श्री रामशंकर चौधरी लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को ब्याज सहित वसूल कर निर्धारित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—395— क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य ब्लाक परिसर में बी0आर0जी0एफ0 कक्ष की रंगाई—पुताई एवं पटाई हेतु 138.00 घन मी दर 198.65 की दर से रु 27572.00 की मिट्टी कय की गई है कय मिट्टी के बिल से रायल्टी की कटौती न कर (138.80 घन0मी0 × 14—00) राजस्व रु 1943.00 की क्षति की गई है। जिसकी प्रतिपूर्ति तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री दुर्गादत्त शुक्ल तथा श्री रामशंकर चौधरी लेखाकार बिल जांचकर्ता/बिल स्वीकृति कर्ता संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—396— क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट—3 रजिस्टर की जांच में पाया गया कि क्षेत्र निधि खाते से अर्जित ब्याज शीर्ष में शुद्ध जमा शेष रु 151248.00 दर्शाया गया है शासनदेशानुसार सं0— ए—1—122/दस—2012—दस(33)/2010 दिनांक— 21.03.12 के अनुसार यदि किसी संस्था को शासन से अवमुक्त अनुदान की धनराशि को बैंक में रखने पर ब्याज अर्जित होता है तो उसे संस्था की आय न मानकर राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिये अथवा राजकीय कोश में जमा कर दिया जाना चाहिये किन्तु संस्था द्वारा वर्शान्त में ऐसा न कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके लिये तत्कालीन ख0वि0अधि0 श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव तथा श्री रामशंकर चौधरी लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर—397— क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2016—17 की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत प्राप्त अनुदानों के सापेक्ष व्यय उपरान्त दिनांक— 31.03.2017 को कुल रु 3123826.00 अनुदान का उपभोग नहीं किया जा सका है। उक्त अनुपयोगित अनुदान धनराशि को नियमानुसार प्रदाता विभाग को वापस न कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसके प्रति ख0वि0अधि0 श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव तथा लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि उक्त धनराशि रु 103491.00 रायल्टी कटौती का है जो विगत वर्षों से चला आ रहा है और अब

तक उसे निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा नहीं किया गया है।

प्रस्तर-398— क्षेत्र पंचायत हरैया की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में ग्राण्ट-2 रजिस्टर की जांच में पाया गया कि तेरहवां वित्त आयोग मद से रु 816850.00 दिनांक- 02.12.16 को राज्य वित्त आयोग मद में स्थान्तरित कर व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त अन्तरण विषयक समक्ष अधिकारी का आदेश/स्वीकृति मांगोपरान्त अप्रस्तुत रही इससे स्पष्ट होता है कि उक्त अंतरण बिना आवश्यक स्वीकृति के ख0वि0अधि0 एवं लेखाकार द्वारा मनमाने ढंग से करके अनियमितता की गई है। जिसके लिये श्री दुर्गादत्त शुक्ल तत्कालीन ख0वि0अधि0 एवं लेखाकार श्री रामशंकर चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-399—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त/तेरहवांवित्त के बैंक स्टेटमेंट में निम्न चेकों के लिये टू कैश पेड अंकित किया गया है। जो यह स्पष्ट करता है कि सम्बन्धित को एकाउंट पेयी चेक न देकर बियरर चेक निर्गत किया गया है। जो अनियमित है विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	चेक नं०	दिनांक	धनराशि	चेक कार्य प्रभारी को निर्गत है।	मद	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी +एकाउंटेंट
1	02017 4	20.09. 2011	121960	श्री सुदर्शन प्रसाद मौर्य ए०डी०ओ० आई०एस०बी०	कमांश	श्री राजाराम चौधरी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय कार्य प्रभारी सुदर्शन प्रसाद मौर्य
2	02017 6	20.09. 2011	121960	श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय ए०डी०ओ० एस०टी०	कमांश	श्री राजाराम चौधरी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय व श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय
3	02017 1	25.06. 2011	123720	श्री सुदर्शन प्रसाद मौर्य ए०डी०ओ० आई०एस०बी०	कमांश	श्री राजाराम चौधरी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय कार्य प्रभारी सुदर्शन प्रसाद मौर्य
4	02018 7	16.06. 2012	2400	श्री सुदर्शन प्रसाद मौर्य ए०डी०ओ० आई०एस०बी०	कमांश	श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय कार्य प्रभारी सुदर्शन प्रसाद मौर्य
5	02018 6	16.06. 2012	69120	श्री सुदर्शन प्रसाद मौर्य ए०डी०ओ० आई०एस०बी०	कमांश	श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय कार्य प्रभारी सुदर्शन प्रसाद मौर्य
		योग	439160			

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न देकर कार्य प्रभारियों को बियरर चेक के माध्यम से भुगतान दिया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में जो मस्टरोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये उन पर कार्य सम्बन्धित पूर्ण विवरण अंकित नहीं है तथा जो अंगूठा निशान अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार अप्रमाणित मस्टरोल पर मजदूरी का भुगतान देकर अनियमितता की गई है। जिसके लिये उपरोक्त विवरण के अनुसार सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार तथा

सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध **विभागीय** कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-400—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में समाग्री कय प्रमाणकों की धनराशि रु 847500.00 रहा। जिसमें श्री धमेन्द्र प्रताप सिंह खण्ड विकास अधिकारी ने रु 227200.00 तथा शेष रु 620300.00 प्रमाणकों की धनराशि का भुगतान श्री राजाराम चौधरी खण्ड विकास अधिकारी न किया है। किन्तु उक्त सामग्री कय प्रमाणकों की धनराशि के भुगतान के समय वैट/व्यापारकर नहीं काटा गया है। जो अनियमितता है विवरण निम्न प्रकार है—

समाग्री कय के प्रमाणकों की धनराशि	व्यापार कर/वैट 4 प्रतिशत की दर से जो काटना था	उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार का नाम
620300	24812	श्री राजाराम चौधरी खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय
227200	9088	श्री धमेन्द्र प्रताप सिंह खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय
847500	33900	

उक्त सामग्री के प्रमाणकों के भुगतान के समय न काटे गये व्यापार कर/वैट की धनराशि को उपरोक्त विवरण अनुसार सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से **ब्याज सहित** वसूल कर निर्धारित शीर्षकमें जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-401—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 2011-12 में क्षेत्र पंचायत परसरामपुर में आठ सोलर लाइट नेडा बस्ती से कय करने में चेक नं० 020178 दिनांक 15.12.2011 धनराशि रु 82056 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं—

1. नेडा बस्ती का कोई बिल/रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. उक्त सोलर लाइट कहां कहां लगा है इसका भी कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. सोलर लाइट लगाने का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत किया गया।
4. सोलर लाइट के लिये स्वीकृत मूल्य सूची अप्रस्तुत रही।

इस प्रकार सोलर लाइट स्थापना के लिये नेडा बस्ती को भुगतान कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी, श्री कृपाराम लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-402—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 2011-12 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु 18973.00 टी०डी०एस० की कटौती की गयी है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त काटे गये टी०डी०एस० की धनराशि को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धनराशि रु 18970.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला चौधरी तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय व श्री राम सुरेश उत्तरदायी है। **अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-403— क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 2011-12 में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि 10435.00 है। जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है। शासनादेश सं० ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोश में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा न कर उक्त शासनदेश का उल्लंघन किया है। उक्त अनियमितता के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री कृपाराम व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-404—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 2012-13 में तेरहवां वित्त से विकास खण्ड परिसर परसरामपुर में भवन निर्माण पर निम्न विवरण अनुसार धनराशि व्यय किया गया है।

क्र० सं०	चेक नं०	दिनांक	धनराशि	चेक कार्य प्रभारी को निर्गत है।	मद	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी + एकाउंटेंट
1	020188	12.07.2012	10,000	श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय ए०डी०ओ० एस०टी०	क्रमांश I	श्री डी०पी० सिंह खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय कार्य प्रभारी द्वारिका प्रसाद पाण्डेय
2	020190	12.07.2012	20,000	श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय ए०डी०ओ० एस०टी०	क्रमांश I	श्री डी०पी० सिंह खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय कार्य प्रभारी द्वारिका प्रसाद पाण्डेय
3	020191	04.08.2012	60,000	श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय ए०डी०ओ० एस०टी०	क्रमांश I	श्री डी०पी० सिंह खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय कार्य प्रभारी द्वारिका प्रसाद पाण्डेय
4	020193	14.08.2012	40,000	श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय ए०डी०ओ० एस०टी०	क्रमांश I	श्री डी०पी० सिंह खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय कार्य प्रभारी द्वारिका प्रसाद पाण्डेय
5	020197	14.09.2012	20,00,000	श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय ए०डी०ओ० एस०टी०	क्रमांश I	श्री डी०पी० सिंह खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय कार्य प्रभारी द्वारिका प्रसाद पाण्डेय
		योग	3,30,000			

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट उक्त चेकों के लिये टू कैश पेड अंकित किया गया है। जो यह स्पष्ट करता है कि धनराशि एकाउंटपेयी चेक से न देकर बियरर चेक से दिया गया है। जो अनियमित है इसके अतिरिक्त उक्त व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया तथा अनुमोदित कार्य योजना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र स्टीमेट आदि भी नहीं प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है किय काल्पनिक कार्य दर्शित कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये उपरोक्त विवरण अनुसार खण्ड विकास अधिकारी लेखाकार कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-405—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 2012-13 में निम्न प्रकार सोलर लाइट का क्रय नेडा बस्ती से करने पर निम्न अनुसार धनराशि व्यय किया गया है।

योजना का नाम	चेक नं०	दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार
43 सोलर लाईट	020185	25.05.2012	1004093	श्री डी०पी० सिंह खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय

99 सोलर लाईट	017351	28.03.2012	875655	श्री डी0पी0 सिंह खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय
			187974 8	

उपरोक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं—

नेडा बस्ती का कोई बिल/रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त सोलर लाईट कहां कहां लगा है इसका भी कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सोलर लाईट लगाने का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत किया गया।

सोलर लाईट के लिये स्वीकृत मूल्य सूची अप्रस्तुत रही।

सोलर लाईट क्रय करने का आदेश नहीं प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार सोलर लाईट स्थापना के लिये नेडा बस्ती को भुगतान कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0पी0 सिंह व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-406— क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 2012-13 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु 29912.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त काटे गये टी0डी0एस0 की धनराशि को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धनराशि रु 29912.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री मती विमला चौधरी तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय व श्री राम सुरेश उत्तरदायी हैं। **अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-407—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 2012-13 में विकास खण्ड कार्यालय मरम्मत पर निम्न विवरण अनुसार धनराशि व्यय किया गया है—

1. सामग्री की धनराशि रु 151855.00 तथा मस्टररोल की धनराशि रु 9575.00 कुल योग रु 16430.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय ए0डी0ओ0 एस0टी0 को चेक नं0 20199 दिनांक 30.10.2012 द्वारा दिया गया है। बैंक स्टेटमेंट में उक्त चेक नं0 20199 का भुगतान कैश पेड अंकित किया गया है। इस प्रकार सामग्री का भुगतान व मस्टररोल के श्रमिकों का भुगतान सम्बन्धित को न देकर कार्यप्रभारी को बियरर चेक द्वारा दिया गया है।
2. रु 60000.00 सामग्री का भुगतान भी चेक नं0 019355 दिनांक 06.05.2012 द्वारा श्री शारदा प्रसाद तिवारी ए0डी0ओ0 को दिया गया है जो कि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कैश पेड है। इस प्रकार एकाउण्ट पेयी चेक न देकर बियरर चेक ही भुगतान दे दिया गया है।

उक्त काग्र के लिये दिये गये भुगतान की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक टेन्डर, कोटेशन आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि काल्पनिक कार्य दर्शित कर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0पी0 सिंह तथा लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय व कार्यप्रभारी श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय तथा श्री शारदा प्रसाद तिवारी उत्तरदायी हैं। **अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-408—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 2012-13 में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में क्रय सामग्री प्रमाणकों की धनराशि रु 1745796.00 है जिस पर व्यापार कर/वैट नहीं काटा गया है। उक्त धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से 69831.00 व्यापार कर/वैट काटना चाहिये था। उक्त न काटे गये वैट की धनराशि को खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0पी0 सिंह व लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय से **ब्याज सहित वसूली कर निर्धारित शीर्षकमें जमा कराया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-409—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 2012-13 में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि 211082.00 है। जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है। शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोश में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा न कर उक्त शासनदेश का उल्लंघन किया है। उक्त अनियमितता के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0पी0 सिंह व लेखाकार श्री

रामकुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-410—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 2013-14 में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मस्टररोल मजदूरों का है और भुगतान कार्यप्रभारियों को दिया गया है। मजदूरों के मस्टररोल पर मस्टररोल नं० अंकित नहीं है और जो अंगूठा निशान अंकित है वह भी प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के है इसका भी उल्लेख नहीं है तथा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट में से यह भी स्पष्ट होता है कि कार्यप्रभारियों को एकाउण्ट पेयी चेक न देकर बियरर चेक दिया गया है। इस प्रकार भुगतान में अनियमितता की गयी है। बैंक स्टेटमेंट में उन चेकों के लिये टू कैश पेड ऑर सी०एस०एच० (सी०एच०क्यू०) अंकित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	चेक नं०	दिनांक	धनराशि	चेक कार्य प्रभारी को निर्गत है।	मद	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी +एकाउण्टेंट
1	17357	06.05.2013	40500.00	श्री शारदा प्रसाद तिवारी ए०डी०ओ० (पं०)	क्रमांश I	श्री अनिल कुमार सिंह खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय, कार्य प्रभारी श्री शारदा प्रसाद तिवारी
2	17354	25.04.2013	35125.00	श्री शारदा प्रसाद तिवारी ए०डी०ओ० (पं०)	क्रमांश I	श्री अनिल कुमार सिंह खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय, कार्य प्रभारी श्री शारदा प्रसाद तिवारी
3	17365	16.06.2013	205782.00	श्री शारदा प्रसाद तिवारी ए०डी०ओ० (पं०)	क्रमांश I	श्री अनिल कुमार सिंह खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय, कार्य प्रभारी श्री शारदा प्रसाद तिवारी
		योग	281407.00		क्रमांश I	
4	017373	15.07.2013	31612.00	श्री नरेन्द्र व्रत शर्मा	क्रमांश I	श्री अनिल कुमार सिंह खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय, कार्य प्रभारी श्री नरेन्द्र प्रसाद शर्मा
5	013414	04.03.2014	140850.00	श्री नरेन्द्र व्रत शर्मा	क्रमांश I	श्री अनिल कुमार सिंह खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय, कार्य प्रभारी श्री नरेन्द्र प्रसाद शर्मा
6	013416	04.03.2014	274950.00	श्री नरेन्द्र व्रत शर्मा	क्रमांश I	श्री अनिल कुमार सिंह खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय, कार्य प्रभारी श्री नरेन्द्र प्रसाद शर्मा

		योग	2151740.00		क्रमांश T	
17	0133 95	27.11. 2013	230736.00	श्री नरोत्तम प्रसाद	क्रमांश T	श्री अनिल कुमार सिंह खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय, कार्य प्रभारी श्री नरोत्तम प्रसाद
18	0134 06	24.12. 2013	16224	श्री नरोत्तम प्रसाद	क्रमांश T	श्री अनिल कुमार सिंह खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय, कार्य प्रभारी श्री नरोत्तम प्रसाद
		योग	246960.00		क्रमांश T	
19	0134 34	19.04. 2014	120880.00	श्री धन प्रकाश शुक्ला	क्रमांश T	श्री अनिल कुमार सिंह खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय, कार्य प्रभारी श्री धन प्रकाश शुक्ला

इस प्रकार उक्त अनियमितता के लिये उपरोक्त विवरण के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-411—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 2013-14 में सामाग्री प्रमाणकों (राज्य वित्त व तेरहवां वित्त) बी0आर0जी0एफ0 के भुगतान के समय अंकन रु 141280.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त काटे गये टी0डी0एस0 की धनराशि को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धनराशि रु 141280.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री मती विमला चौधरी तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय व श्री राम सुरेश उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-412—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 2013-14 में प्रस्तुत (राज्य वित्त व तेरहवां वित्त) बी0आर0जी0एफ0 निर्माण पत्रावलियों में कय समाग्री प्रमाणकों की धनराशि रु 6723002.00 है जिस पर व्यापार कर/वैट नहीं काटा गया है। उक्त धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से 268920.00 व्यापार कर/वैट काटना चाहिये था। उक्त न काटे गये वैट की धनराशि को खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह व लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय व श्री दधीच चन्द्र श्रीवास्तव से ब्याज सहित वसूली कर निर्धारित शीर्षकमें जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-413—क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 2013-14 में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि 133607.00 है। जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है। शासनादेश सं0-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोश में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा न कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया है। उक्त अनियमितता के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह व लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 414— क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत राज्य वित्त/तेरहवां वित्त के बैंक स्टेटमेंट में निम्न चेकों के लिये सी0एस0एच0 (सी0एच0क्यू0) अंकित किया गया है। जो यह स्पष्ट करता है कि सम्बन्धित को अकाउण्टपेयी चेक न देकर बियरर चेक निर्गत किया गया है जो अनियमित है। विवरण निम्न प्रकार है—

क्र0	चेक	दिनांक	धनराशि	चेक कार्य प्रभारी को	मद	सम्बन्धित

सं०	नं०			निर्गत है		ख०वि०अधि०/एकाउंटेंट
1	013428	15.4.14	239966.00	श्री धनप्रकाश शुक्ला	कमांश	श्री अनिल कुमार सिंह ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री धधीच चन्द्र श्रीवास्तव तथा कार्य प्रभारी धनप्रकाश शुक्ला
2	013431	15.4.14	143920.00	श्री धनप्रकाश शुक्ला	कमांश	श्री अनिल कुमार सिंह ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री धधीच चन्द्र श्रीवास्तव तथा कार्य प्रभारी धनप्रकाश शुक्ला
3	013420	05.03. 14	190426.00	श्री नरेन्द्रवृत्त शर्मा	कमांश	श्री अनिल कुमार सिंह ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री धधीच चन्द्र श्रीवास्तव तथा कार्य प्रभारी नरेन्द्र वृत्त शर्मा
4	013439	18.14. 14	377628.00	श्री अवधेश कुमार	कमांश	श्री अनिल कुमार सिंह ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री रामसूरत चौधरी तथा कार्य प्रभारी अवधेश कुमार
		योग	951940.00			

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न देकर कार्य प्रभारियों को बियरर चेक के माध्यम से भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में जो मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये उन पर कार्य सम्बन्धित पूर्ण विवरण अंकित नहीं है तथा जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं है इस प्रकार अप्रमाणित मस्टररोल पर मजदूरी का भुगतान देकर अनियमितता की गई है जिसके लिये उपरोक्त विवरण के अनुसार सम्बन्धित ख०वि०अधि० व लेखाकार तथा सम्बन्धित कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 415— क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में समाग्री कय प्रमाणकों की धनराशि रु 3630130.00 रहा जिस पर सामग्री के प्रमाणकों के भुगतान के समय वैट/व्यापार कर नहीं काटा गया है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से वैट/व्यापार कर काटना था इस प्रकार उक्त धनराशि 3630130.00 का 4 प्रतिशत =145205.00 धनराशि का हानि हुई जिसके लिये ख०वि०अधि० श्री अनिल कुमार सिंह व लेखाकार श्री धधीच चन्द्र श्रीवास्तव व श्री रामसूरत चौधरी उत्तरदायी है। उक्त न काटे गये व्यापार कर धनराशि को उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूल कर निर्धारित शीर्षकमें जमा किया जाना अपेक्षित है।

उक्त सामग्री के प्रकरणों के भुगतान के समय न काटे गये व्यापार कर /वैट की धनराशि को उपरोक्त विवरण अनुसार सम्बन्धित ख०वि०अधि० व लेखाकार से वसूल कर निर्धारित शीर्षकमें जमा किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर 416— क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में समाग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु 81727.00 टी०डी०एस० की कटौती की गई है किन्तु लेखा परीक्षा में काटे गये टी०डी०एस० की धनराशि को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धनराशि रु 81727.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिये ख०वि०अधि० श्रीमती विमला चौधरी तथा लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय व श्री राम सुरेश उत्तरदायी है। अपहरित

धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 417— क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि 80704.00 है जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है शासनादेश सं०-ए-1-122/दस-2012-दस(33)/2010 दिनांक- 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोश में जमा किया जाना चाहिये किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा न कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया है उक्त अनियमितता के लिये ख०वि० अधि० श्री अनिल कुमार सिंह व लेखाकार श्रीराम सूरत चौधरी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 418— क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त/तेरहवां वित्त के बैंक स्टेटमेंट में निम्न चेको का भुगतान कार्यप्रभारी श्री ब्रह्माप्रकाश मिश्रा को किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्र० सं०	चेक नं०	दिनांक	धनराशि	चेक कार्य प्रभारी को निर्गत है	मद	सम्बन्धित ख०वि०अधि० +अकाउंट
1	013460	21.5.15	78931.00	श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र	क्रमांश	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री राममूरत चौधरी तथा कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मप्रकाश मिश्र
2	013458	13.5.15	341402.00	श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र	क्रमांश	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री राममूरत चौधरी तथा कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मप्रकाश मिश्र
3	13451	13.5.15	351550.00	श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र	क्रमांश	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री राममूरत चौधरी तथा कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मप्रकाश मिश्र
4	013471	6.1.16	120912.00	श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र	क्रमांश	श्री श्यामजी ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री नरसिंह तथा कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मप्रकाश मिश्र
5	013473	16.6.16	137974.00	श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र	क्रमांश	श्री श्यामजी ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री नरसिंह तथा कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मप्रकाश मिश्र
6	013487	17.3.16	252600.00	श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र	क्रमांश	श्री श्यामजी ख०वि०अधि० व लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय तथा कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मप्रकाश मिश्र

7	013469	29.10.15	390950.00	श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र	कमांश	श्री श्यामजी ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री नरसिंह सिंह तथा कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मप्रकाश मिश्र
8	13467	29.10.15	175966.00	श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र	कमांश	श्री श्यामजी ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री नरसिंह सिंह तथा कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मप्रकाश मिश्र
9	13454	13.5.15	18636.00	श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र	कमांश	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री राममूरत चौधरी तथा कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मप्रकाश मिश्र
		योग				

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न देकर कार्यप्रभारियों को दिया गया है उक्त भुगतान की पुष्टि में जो मस्टररोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये गये उन पर कार्य सम्बन्धी पूर्ण विवरण अंकित नहीं है तथा जो अंगूठा निशान अंकित है वह प्रमाणित नहीं हैं इस प्रकार अप्रमाणित मस्टररोल पर मजदूरी का भुगतान देकर अनियमितता की गई है जिसके लिये उपरोक्त विवरण के अनुसार सम्बन्धित ख0वि0अधि0 व लेखाकार एवं सम्बन्धित कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 419— क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में सामग्री क्रय प्रमाणको की धनराशि रु 4382404.00 रहा जिस पर 4 प्रतिशत की दर से वैट/व्यापार कर 175296.00 होता है किन्तु भुगतान के समय रु 96894.00 ही काटा गया है उक्त काटे गये व्यापार कर का निर्धारित शीर्षक में जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्रीमती विमला चौधरी व लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय व श्री रामसुरेश उत्तरदायी है तथा कम काटे गये वैट की धनराशि 175296.00-96894.00=78402.00 है जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है—

कार्य का नाम	सामग्री प्रमाणकों की धनराशि	जो वैट काटना था	उत्तरदायी व्यक्ति
रोहदा में खलील के घर से पिच रोड तक	1085640.00	43426.00	श्री सुरेन्द्र कुमार ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री रामसूरत चौधरी
भैसहा से मिश्रौली सरहद संपर्क मार्ग पर 4 मी0 स्थान आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	776923.00	31077.00	श्री सुरेन्द्र कुमार ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री रामसूरत चौधरी
विकास खण्ड कार्यालय में सौन्दर्यीकरण व इंटरलाकिंग	87891.00 9600.00	3899	श्री सुरेन्द्र कुमार ख0वि0अधि0 व लेखाकार श्री रामसूरत चौधरी
	योग	78402.00	

इस प्रकार उक्त न काटे गये व्यापार कर/वैट की धनराशि रु 78402.00 राजकीय क्षति हुई जिसकी ब्याज सहित वसूली उपरोक्त विवरणानुसार सम्बन्धित से करके निर्धारित शीर्षकजमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 420— क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु 99036.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त काटे गये टी0डी0एस0 की धनराशि को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धनराशि रु 99036.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्रीमती विमला चौधरी तथा लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय व श्री राम सुरेश उत्तरदायी है। **अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 421— क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि 153301.00 है। जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है। शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोश में जमा किया जाना चाहिये किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा न कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया है। उक्त अनियमितता के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम जी व लेखाकार श्री नरसिंह नारायण तथा श्री राम कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 422— क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक-31/07/2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात कराये जाने वाले कार्य प्राक्कलन का अनुमोदन एवं कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायतराज अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में उक्त अनुमोदन की पत्रावली संलग्न नहीं थी। जिससे आवश्यक जानकारी न हो सकी। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 423— क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावली भैसहा से मिश्रौली सरहद तक सम्पर्क मार्ग पर 4 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण में मजदूरी की धनराशि रु 351550.00 तथा मिटटी क्रय रु 14229.00 कुल रु 365879.00 चेक नं0 013451 दिनांक-13.05.15 द्वारा श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्रा को दिया गया अंकित है। किन्तु बैंक स्टेटमेन्ट में उक्त चेक नं0 013451 के लिये रु 385879.00 का भुगतान श्री ब्रह्मा प्रकाश मिश्रा द्वारा आहरित किया जाना दर्शित है। इस प्रकार रु 2000.00 अधिक का चेक कार्यप्रभारी को निर्गत किया गया है। लेखा परीक्षा में मिटटी क्रय पर भुगतान क्रय का प्रमाणक अप्रमाणित व उचित प्रारूप पर नहीं था। इस प्रकार मिटटी क्रय पर काल्पनिक व्यय दर्शित कर रु 14329.00 तथा रु 2000.00 का अधिक चेक निर्गत कर कुल रु 14329+2000=34329 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार श्री राममूरत चौधरी व कार्यप्रभारी श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्र उत्तरदायी है। **जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 424— क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त/तेरहवांवित्त के बैंक स्टेटमेन्ट में निम्न चेकों का भुगतान कार्यप्रभारी को किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	चेक नं0	दिनांक	धनराशि	कार्य प्रभारी का नाम	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार	मद	सम्बन्धित ख0वि0अधि0+एकाउंट
1	013486	10.05.16	54280	श्री ब्रह्मप्रकाश मिश्रा	सीएसएच (सीएचक्यू)	क्रमांश	श्री श्याम जी ख0वि0अधि0 लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय

							कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मा प्रकाश मिश्रा
2	043181	11.08.17	196648	श्री ब्रह्माप्रकाश मिश्रा	सीएसएच (सीएचक्यू)	कमांश	श्री श्याम जी ख0वि0अधि0 लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मा प्रकाश मिश्रा
3	043184	11.08.17	119000	राजेन्द्र प्रसाद तिवारी	सीएसएच (सीएचक्यू)	कमांश	श्री श्याम जी ख0वि0अधि0 लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय कार्यप्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी
4	043165	06.10.16	116994	श्री ब्रह्माप्रकाश मिश्रा	सीएसएच (सीएचक्यू)	कमांश	श्री श्याम जी ख0वि0अधि0 लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मा प्रकाश मिश्रा
5	043164	06.10.16	141876	श्री ब्रह्माप्रकाश मिश्रा	सीएसएच (सीएचक्यू)	कमांश	श्री श्याम जी ख0वि0अधि0 लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मा प्रकाश मिश्रा
6	043186	11.08.17	154700	श्री ब्रह्माप्रकाश मिश्रा	सीएसएच (सीएचक्यू)	कमांश	श्रीमती रेनू ख0वि0अधि0 लेखाकार श्री सत्य नारायण कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मा प्रकाश मिश्रा
7	043163	03.10.16	192288	श्री ब्रह्माप्रकाश मिश्रा	सीएसएच (सीएचक्यू)	कमांश	श्री श्याम जी ख0वि0अधि0 लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मा प्रकाश मिश्रा
8	043183	11.08.17	102900	श्री ब्रह्माप्रकाश मिश्रा	सीएसएच (सीएचक्यू)	कमांश	श्री श्याम जी ख0वि0अधि0 लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मा प्रकाश मिश्रा
9	043182	11.08.17	188616	श्री ब्रह्माप्रकाश मिश्रा	सीएसएच (सीएचक्यू)	कमांश	श्री मती रेनू चौधरी ख0वि0अधि0 लेखाकार श्री सत्यनारायण कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मा प्रकाश मिश्रा

10	043185	11.08.17	83920	श्री ब्रह्माप्रकाश मिश्रा	सीएसएच (सीएचक्यू)	कमांश	श्री मती रेनू चौधरी ख0वि0अधि0 लेखाकार श्री सत्यनारायण कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मा प्रकाश मिश्रा
11	043187	11.08.17	43580	श्री ब्रह्माप्रकाश मिश्रा	सीएसएच (सीएचक्यू)	कमांश	श्री मती रेनू चौधरी ख0वि0अधि0 लेखाकार श्री सत्यनारायण कार्यप्रभारी श्री ब्रह्मा प्रकाश मिश्रा
12	043190	27.09.17	128625	श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी	सीएसएच (सीएचक्यू)	कमांश	श्री मती रेनू चौधरी ख0वि0अधि0 लेखाकार श्री सत्यनारायण कार्यप्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न देकर कार्य प्रभारियों को भुगतान दिया गया है। तथा अधिकांश चेक वियरर कार्य प्रभारी को दिया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में जो मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये उन पर कार्य सम्बन्धित पूर्ण विवरण अंकित नहीं है तथा जो अंगूठा निशान अंकित है। वह प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार अप्रमाणित मस्टररोल पर मजदूरी का भुगतान देकर अनियमितता की गई है। जिसके लिये उपरोक्त विवरण के अनुसार सम्बन्धित ख0वि0अधि0 व लेखाकार तथा सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 425— क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों में सामग्री क्रय प्रमाणकों के भुगतान के समय 163524 व्यापार कर/वैट की कटौती की गई है। उक्त काटे गये व्यापार कर का निर्धारित शीर्षक में जमा करने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती विमला चौधरी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय व श्री राम सुरेश उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 426— क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु 84039.00 टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त काटे गये टी0डी0एस0 की धनराशि को निर्धारित शीर्षकमें जमा करने का प्रमाणक मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धनराशि रु 84039.00 का अपहरण कर लिया गया जिसके लिये ख0वि0अधि0 श्रीमती विमला चौधरी तथा लेखाकार श्रीराम कुमार पाण्डेय व श्री राम सुरेश उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 427— क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार अनुदानों पर अर्जित ब्याज की धनराशि 86189 है। जिसे राजकीय कोश में जमा नहीं किया गया है। शासनादेश सं0 ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक- 21 मार्च 2012 के अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे राजकोश में जमा किया जाना चाहिये। किन्तु संस्था द्वारा बैंक में रखकर अनुदानों पर अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा न कर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया है। उक्त अनियमितता के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम जी व श्री राजाराम तथा लेखाकार श्री रामकुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 428— क्षेत्र पंचायत परसरामपुर की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में परसरामपुर प्रा0वि0 गेट से बी0आर0सी0 गेट तक इण्टरलाकिंग कार्य में पत्रावली में रु 340830.00 सामग्री क्रय का प्रमाणक संलग्न

है। जिसमें पत्रावली में टीडीएस रु 9193.00 व वैट रु 13633 काटने पर 318004.00 अंकित है। किन्तु उसके भुगतान के समय चेक नं० 013490 दिनांक- 03.9.16 द्वारा धर्मपाल सिंह कांटरक्शन को रु 357604 दिया गया है। इस प्रकार 357604-318004=39600 अधिक धनराशि का चेक निर्गत कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री श्यामजी व लेखाकार श्री राम कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 से 2012-13 व 2013-14 से 2014-15 व 2015-16 व 2016-17
(क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ)

जनपद-संत कबीर नगर

संभाग बस्ती

प्रस्तर -1-क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनदेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2011-12 में रु० 98289.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है।

अर्जित ब्याज रु० 98289.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। **अनियमितता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		98289.00	98289.00

प्रस्तर -2- क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि-पू०वि०निधि योजना के वर्ष 11-12 में हुए कार्यों के बिल भुगतान करते समय टीडीएस (आयकर)की कटौती निम्न बिलों से कम की गई है।

कार्य का नाम	बिल का धनराशि	टीडीएस की गयी	कटौती की जानी चाहिए	कम कटौती
भरौरा प्रा०वि० आर०सी०सी० पुलिया	3000.00	-	68.00	68.00
परसवनिया आर०सी०सी० पुलिया	271450.00	6111.00	6151.00	40.00
			योग	108.00

इस प्रकार उपर्युक्त बिलों से रु० 108.00 कम टीडीएस की कटौती की गई तथा उक्तानुसार राजस्व की हानि की गई ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि केबराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ख०वि०अ० श्री वी०के० मोहन तथा स० लेखाकार श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूल कर लेखा शीर्षक००२१ में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		108.00	108.00

प्रस्तर संख्या-3-क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में निम्न योजनाओं में फर्म से सामग्री क्रय भुगतान बिलों से 2.266 प्रतिशत टीडीएस की कटौती की गई है।

योजना का नाम	बिल से टीडीएस की कटौती की गई	ग्रांट रजि-2 के अनुसार जमा की गई	शेष टीडीएस की धनराशि जो जमा नहीं की गई

राज्यवित्त	53815	—	53815
12/13 वां वित्त	17751	—	17751
विधायक निधि	33272	136270	
पू0वि0नि0	59452	60362	
संसद निधि	15711	21109	
योग	180001	217841	71566

उपरोक्त तालिका अनुसार वर्ष 2011-12 में कुल रू0 180001.00 आयकर कटौती की गई है। ग्रांट रजि0-2 के अनुसार रू0 217841.00 आयकर जमा दर्शित है इस प्रकार रू0 71566.00 काटी गई आयकर की धनराशि जमा नहीं कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी है काटी गयी आयकर की धनराशि 71566.00 को तत्काल संगत लेखाशीर्षकमें जमा किया जाय। आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री संजय कुमार शुक्ल तथा सहायक लेखाकर श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की होगी जिससे संयुक्त रूप से वसूल कर जमा कराना अपेक्षित है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		71566	71566

प्रस्तर संख्या-4-क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2011-12 की लेखा परिक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष-2011-12 में कुल सामग्री क्रय रू0 8646712.00 पर प्रतिशत की दर से कुल रू0 345868.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि उक्त वर्ष में रू0 शून्य की कटौती की गई है जिससे रू0 345868.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति रू0 345868.00 की वसूली ब्याज के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री संजय कुमार शुक्ल एवं स0 लेखाकार श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		345868.00	345868.00

प्रस्तर संख्या-5-क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजि-2 एवं कार्य पत्रावली के अनुसार विभिन्न योजनाओं (विवरण आपत्ति सं0-3 के तालिका में से काटी गयी आयकर के सापेक्ष कुल रू0 2178841.00 आयकर जमा दर्शित है। उक्त जमा धनराशि के सापेक्ष आयकर जमा चालान लेखा परीक्षा समय मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये साथ ही आयकर सेक्शन 200(3), 193, 194 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा फार्म 26 फाइल करने एवं सप्लायर फर्म को फार्म 16ए निर्गत करने के कोई भी साक्ष्य लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये स्पष्ट है कि रू0 217841.00 आयकर जमा दर्शित कर राजकीय राजस्व का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री संजय कुमार शुक्ल एवं स0 लेखाकार श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
217841.00			217841.00

प्रस्तर संख्या-6-क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजि0-2 एवं कार्य पत्रावली के अनुसार राज्यवित्त से कढजा पीडब्लूडी मार्ग से उडसर तक खडंजा मरम्मत 1.50 किमी0 हेतु कार्य प्रभारी श्री कौशल कुमार सिंह के आवेदन पर मे0 जनता ब्रिक फील्ड के लेटर पैड दिनांक-23.03.2011 के पर 100000 ईट क्रय हेतु चेक सं0-013383/29.03.2011 से रू0 371389.00 का भुगतान किया गया है। कार्य पत्रावली में लगे प्राक्कलन के अनुसार उपर्युक्त कार्य पर रू0 700000.00 व्यय होना था। परन्तु कार्य पत्रावली कार्य पत्रावली एवं ग्रांट रजि0-2 के अनुसार मात्र 371389.00 का भुगतान किया गया है। लागत धनराशि के पूर्ण भुगतान का न होने, लेटर पैड पर बिल का भुगतान होने, मजदूरी का भुगतान होने की दशा में स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी श्री कौशल कुमार सिंह द्वारा फर्जी व्यय वाउचर लगाकर फर्म से सांठगांठ कर भुगतानित रू0 371389.00 का अपहरण किया गया है।

ख0वि0अ0 द्वारा भी इस प्रति कोई पत्र व्यवहार न करने से उनकी भी संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता। अतएव अपहर्दत धनराशि रू0 371389.00 की **ब्याज सहित** वसूली संयुक्त रूप से अवर अभियन्ता श्री रामअचल, कार्य प्रभारी श्री कौ ल कुमार सिंह, ख0वि0अ0 श्री वी0के0 मोहन से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
371389.00			371389.00

प्रस्तर संख्या-7—क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2011-12 में विधायक निधि से कराये गये कार्य रूधौली बखिरा सम्पर्क मार्ग से हसनी चौराहा सम्पर्क मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया में कार्य प्रभारी श्री विनय पाण्डेय द्वारा श्रमांश मद में कार्य पत्रावली में संलग्न मस्टरोल के सापेक्ष रू0 242760.00 का भुगतान चेक संख्या-072974/24.12.2011 से प्राप्त कर भुगतान दर्शित किया गया है। प्राक्कलन के अनुसार उक्त कार्य पर कमांश मद में 25311 ईट का प्रयोग कर सोलिंग कार्य पर रू0 54381 के साथ कुल रू0 166000.00 का व्यय होना था। संलग्न बिल के अनुसार कार्य पर प्राक्कलन के 110000 ईट के बजाय 85600ईट क्रय अर्थात् कुल 24400 ईट हुआ है। स्पष्ट है कि सोलिंग नहीं हुआ है। पुनः श्रमांश मद में प्राक्कलन से अधिक श्रमांश 242760-166000 रू0 76760.00 का फर्जी तरीके से व्यय किया गया है। स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी द्वारा सोलिंग कार्य न कराकर रू0 54381.00 तथा प्राक्कलन से रू0 76760.00 का अधिक व्यय करके धन रू0 131141.00 का फर्जी तरीके से मस्टरोल प्रस्तुत कर अपहरण किया गया है। चूंकि उक्त मस्टरोल अवर अभियन्ता द्वारा प्रमाणित है अतः उनकी भी संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः अपहरण धनराशि कार्य प्रभारी श्री विनय कुमार पाण्डेय तथा अवर अभियन्ता श्री राम अचल से **ब्याज सहित** वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
131141.00			131141.00

प्रस्तर संख्या-8—क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2011-12 में विधायक निधि से कराये गये राजेडीहा अमथरी मार्ग पर 2.00मी0 स्थान आर सी सी पुलिया निर्माण में कार्य प्रभारी श्री विनय कुमार पाण्डेय द्वारा निम्न विवरणानुसार सामग्री मद में भुगतान कार्य पत्रावली के अनुसार किया गया है।

फर्म	चेक संख्या	धनराशि
जनता ब्रिकफील्ड	072969 / 29.07.2011	120921.00
जयसवाल ट्रेडर्स	072968 / 29.07.2011	46660.0
जयसवाल ट्रेडर्स	072978 / 27.04.2012	59772.0
योग		227353.00

कार्य पत्रावली में कार्य प्रभारी भुगतानित रू0 62800 चेक संख्या-0729976/27.04.2012 के सापेक्ष मजदूरो के हस्ताक्षर/अंगूठानिश्चान रहित मस्टरोल संलग्न किया गया है बिना मजदूरो के हस्ताक्षर/अंगूठा निश्चान से मस्टरोल स्वतः फर्जी साबित होता है तथा स्पष्ट है। कि श्रमांश का व्यय नहीं हुआ है। एवं कार्य नहीं कराया गया है तथा फर्म से सांट गांट करके सामग्री मद का रू0 227353 का तथा श्रमांश मद का स्वयं भुगतानित रू0 62800 कुल 290153.00 का कार्य प्रभारी द्वारा अपहरण किया गया है जिसकी **ब्याज सहित** वसूली कार्य प्रभारी श्री विनय कुमार पाण्डेय अवर अभियन्ता श्री राम अचल तथा ख0वि0अ0 श्री संजय कुमार शुक्ल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
290153.00			290153.00

प्रस्तर संख्या-9—क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजि0-2 में राज्यवित्त मद से निम्न विवरणानुसार धनराशि की निकासी दर्शित है:-

चेक सं0/दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
013406 / 16.08.2011	20280.00	नन्दिनी कम्प्यूटर्स

017011 / 29.08.2011	143569.00	जयसवाल ट्रेडर्स
017012 / 29.08.2011	155143.00	न्यू सुमार ब्रिक
017017 / 21.12.2011	49049.00	न्यू सुमार ब्रिक
017018 / 21.12.2011	151320.00	विनय कुमार पाण्डेय
योग	519361.00	

उक्त भुगतान सम्बन्धी कार्य पत्रावली जिसमें प्राक्कलन टी0एस0 बिल बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे। जिससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य प्रभारी तथा फर्म को भुगतान कर धनराशि रू0 519361.00 का अपहरण किया गया है। अतएव रू0 519361.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त विवरणानुसार श्री विनय कुमार पाण्डेय (ग्रा0वि0अ0) श्री आर0एन0 मौर्य ख0वि0अ0 से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
519361.00			519361.00

प्रस्तर संख्या-10-क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजि0-2 में संसद निधि मद से निम्न विवरणानुसार धनराशि की निकासी दर्शित है:-

चेक सं0/दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
510477 / 22.07.2011	96149.00	कौशल कुमार सिंह
510485 / 02.09.2011	85000.00	कौशल कुमार सिंह
510486 / 12.12.2011	193115.00	राजपूत बिल्डिंग मैटेरियल
510487 / 12.12.2011	62000.00	अमर कुमार
योग	436264.00	

उक्त भुगतान सम्बन्धी कार्य पत्रावली जिसमें प्राक्कलन, टी0एस0, बिल बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे। जिससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य प्रभारी तथा फर्म को भुगतान कर धनराशि रू0 436264.00 का अपहरण किया गया है। अतएव रू0 436264.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त विवरणानुसार श्री कौशल कुमार सिंह, श्री अमर कुमार तथा ख0वि0अ0 श्री आर0एन0 मौर्य से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
436264.00			436264.00

प्रस्तर संख्या-11-क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजि0-2 में विधायक निधि मद से निम्न विवरणानुसार धनराशि की निकासी दर्शित है:-

चेक सं0/दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
72944 / 24.05.2011	4690.00	जयसवाल ट्रेडर्स
72945 / 24.05.2011	3225.00	जनता ब्रिक
72946 / 24.05.2011	22720.00	कौशल कुमार सिंह
72947 / 24.05.2011	21990.00	जनता ब्रिक
72948 / 24.05.2011	61160.00	कौशल कुमार सिंह
72949 / 24.05.2011	4691.00	जनता ब्रिक
72950 / 24.05.2011	41550.00	जयसवाल ट्रेडर्स
72951 / 24.05.2011	71320.00	विनय कुमार पाण्डेय
72952 / 24.05.2011	4691.00	जनता ब्रिक
72953 / 24.05.2011	41550.00	जयसवाल ट्रेडर्स
72954 / 24.05.2011	71080.00	विनय कुमार पाण्डेय
72961 / 24.05.2011	24400.00	जयसवाल ट्रेडर्स
72962 / 24.05.2011	24400.00	जनता ब्रिक

72963 / 24.05.2011	71200.00	कौशल कुमार सिंह
72964 / 07.07.2011	49630.00	रवी ट्रेडर्स
72965 / 07.07.2011	32585.00	मुन्नी ब्रिक
72967 / 20.07.2011	94892.00	कौशल कुमार सिंह
योग	645774.00	

उक्त भुगतान सम्बन्धी कार्य पत्रावली जिसमें प्राक्कलन, टी0एस0, बिल बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे। जिससे प्रतीत होता है कि अपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य प्रभारी तथा फर्म को भुगतान कर धनराशि रू0 645774.00 का अपहरण किया गया है। अतएव रू0 645774.00 की ब्याज सहित वसूली अपरोक्त विवरणानुसार श्री कौशल कुमार सिंह, श्री विनय कुमार पाण्डेय तथा ख0वि0अ0 श्री वी0के0 माहेन से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
645774.00			645774.00

आपत्ति वर्ष 2012-2013

प्रस्तर सं0-12-क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनदेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है। लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2012-13 में रू0 98289.00 विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2012-13 में रू0 98289.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है। अर्जित ब्याज रू0 98289.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया गया अपेक्षित है। अनियमितता के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		98289.00	98289.00

प्रस्तर -13-क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2012-13 में बी0आर0जी0एफ0 मद से आंगनबाड़ी निर्माण मोतीपुर, जसवल, करमाकला तथा परसिया में कुल सामग्री क्रय रू0 1308340.00 के सापेक्ष टी0डी0एस0 कटौती 2.266 दर से रू0 29647.00 की कटौती निर्धारित होती है जबकि कार्यग पत्रावली के अनुसार रू0 7292.00 टी0डी0एस0 की कटौती अर्थात् रू0 22355 कम टी0डी0एस की कटौती कर उक्तानुसार राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ वितरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री चन्द्रशेखर तथा लेखाकार श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल कर लेखा शीर्षक0021 मेजमा कराया जा अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		22355.00	22355.00

प्रस्तर सं0-14-क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2012-13 में निम्न योजनाओं में फर्म से सामग्री क्रय भुगतान विलो से 2.266 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती की गई है।

योजना का नाम	बिल से टी0डी0एस0 की कटौती की गई	ग्रांट रजि-2 के अनुसार जमा की गई	शेष टी0डी0एस0 की धनराशि जो जमा नहीं की गई
राज्यवित्त	11496.00	110653.00	
12/13 वां वित्त	19733.00	—	19733.00
बी0आर0जी0एफ0	34679.00	23284.00	11395.00
पू0वि0नि	—	60362.00	—

सांसद निधि	—	8729.00	—
वि०निधि	—	34286.00	—
योग	65908.00	237314.00	31128.00

उपरोक्त तालिका अनुसार वर्ष 2012-13 में कुल रु० 65908.00 आयकर कटौती की गई है। ग्रांट रजि०-2 के अनुसार रु० 237314.00 आयकर जमा दर्शित है इस प्रकार रु० 31128.00 काटी गई आयकर की धनराशि जमा नहीं कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी है। काटी गयी आयकर की धनराशि 31128.00 को तत्काल संगत लेखाशीर्षकमें जमा किया गया। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख०वि०अ० श्री चन्द्रशेखर तथा सहायक लेखाकर श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की होगी जिससे संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		31128.00	31128.00

प्रस्तर सं०-15-क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2012-13 में कुल सामग्री क्रय रु० 1581314.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु० 63253.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि उक्त वर्ष में रु० शून्य की कटौती की गई है जिससे रु० 63253.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति रु० 63253.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ख०वि०अ० श्री चन्द्रशेखर तथा लेखाकर श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		63253.00	63253.00

प्रस्तर सं०-16-क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2012-13 में ग्रांट रजि-2 के अनुसार विभिन्न योजनाओं से काटी गयी (विवरण आपत्ति संख्या 145 के तालिका में) आयकर के सापेक्ष कुल रु० 237314.00 आयकर जमा दर्शित है। उक्त जमा धनराशि के सापेक्ष आयकर जमा जमा चालान लेखा परीक्षा समय मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये साथ ही आयकर सेक्शन 200(3),193,194 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा फार्म 26क्यू फाईन करने एवं स्पलायर फर्म 16ए निर्गत करने के कोई भी साक्ष्य लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत किये गये स्पष्ट है कि रु० 237314.00 आयकर जमा दर्शित कर राजकीय राजस्व का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन ख०वि०अ० श्री चन्द्रशेखर एवं स० लेखाकर श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
237314.00			237314.00

प्रस्तर सं०-17-क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2012-13 में निम्न योजनाओं में फर्म से सामग्री क्रय भुगतान बिलो से 4 प्रतिशत वैट की कटौती की गई है।

योजना का नाम	बिल से टी०डी०एस० की कटौती की गई	ग्रांट रजि-2 के अनुसार जमा की गई	शेष वैट की धनराशि जो जमा नहीं की गई
बी०आर०जी०एफ०	20115.00	—	20115.00
योग	20115.00		20115.00

उपरोक्त तालिका अनुसार वर्ष 2012-13 में कुल रु० 20115 वैट की कटौती की गई है। जिसकी जमा की पृष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रु० 20115.00 व्यापार कर जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गई है काटी गयी वैट की धनराशि रु० 20115.00 को तत्काल जमा किया जाय। यदि व्यापार कर विभाग द्वारा कोई/ब्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख०वि०अ०/आहरणवितरण अधिकारी श्री चन्द्रशेखर तथा सहायक लेखाकर श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की होगी जिससे संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		20115.00	20115.00

प्रस्तर सं०-18—क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2012-13 में बी०आर०जी०एफ० मद में आंगनबाड़ी केन्द्र हरैया निर्माण हेतु कार्य पत्रावली में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय का भुगतान किया गया है।

फर्म	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि
जयसवाल ट्रेडर्स	484759 / 29.01.2013	154839.00
जनता ब्रिक फिल्ड	484760 / 29.01.2013	89359.00
योग		244798.00

उपरोक्त आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण पत्रावली में शेष कार्य के सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान के कोई भी प्रमाणक नहीं पाए गये लेखा परीक्षा समय कार्य प्रभारी द्वारा मौखिक पूछने पर बताया गया कि जमीनी विवाद के कारण उक्त केन्द्र का नीव स्तर तक ही निर्माण हुआ जिसकी सूचना तत्कालीन ख०वि०अ० महोदय को लिखित में देदी थी। स्पष्ट है कि शेष सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान नहीं होने एवं कार्य का एम०बी० नहीं होने तथा कार्यप्रभारी श्री प्रेमचन्द्र यादव द्वारा कार्य न होने की सूचना के बाद कोई कार्यवाही न कर तत्कालीन ख०वि०अ० श्री चन्द्रशेखर व अवर अभियन्ता श्री रामअचल द्वारा फर्म से सांठगांठ कर रु० 244798.00 का अपहरण किया गया है। अतएव धनराशि रु० 244798.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ख०वि०अ० श्री चन्द्रशेखर व अवर अभियन्ता श्री रामअचल से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
244798.00			244798.00

प्रस्तर सं०-19—क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2012-13 में ग्रांट रजि०-2 में विधायक निधि मद से निम्न विवरणानुसार धनराशि की निकासी दर्शित है।

चेक संख्या/दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
72979 / 10.07.2012	159900.00	कौशल कुमार सिंह
72980 / 06.11.2012	11083.00	कुली ब्रिक फील्ड
72982 / 06.11.2012	38599.00	विनय कुमार पाण्डेय
योग	209582.00	

उक्त भुगतान सम्बन्धी कार्य पत्रावली जिससे प्राक्कलन, टी०एस०, बिल बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे। जिसे प्रतीत होता है कि उपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य प्रभारी तथा फर्म को भुगतान कर धनराशि रु० 209582.00 का अपहरण किया गया है। अतएव रु० 209582.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त विवरणानुसार श्री कौशल कुमार सिंह, श्री विनय कुमार पाण्डेय तथा ख०वि०अ० श्री चन्द्रशेखर से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
209582.00			209582.00

प्रस्तर सं०-20—क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2012-13 में ग्रांट रजि०-2 में आई०आर०डी० कंटीजेंसी मद से निम्नविवरणानुसार धनराशि की निवासी दर्शित है।

चेक संख्या/दिनांक	धनराशि	कार्य	प्राप्तकर्ता
016401	50000.00	टी०ए० बिल, जीप मरम्मत, स्टेशनरी व अन्य	कृष्ण कुमार भण्डार लिपिक
016408 / 28.09.2012	20280.00	आवास फीडिंग	शाखा प्रबंधक सी०वी०आई
योग	70280.00		

उपरोक्त भुगतान के सापेक्ष कोई भी बिल/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किए गये। स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतानित धनराशि रु० 70280.00 अपहरण किया गया है। अतएव रु० 70280.00 राजकीय धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री कृष्ण कुमार भण्डार लिपिक, श्री संजय कुमार शुक्ल, श्री चन्द्रशेखर

ख०वि०अ० एवं श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव लेखाकार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
70280.00			70280.00

आपत्ति वर्ष 2013-14

प्रस्तर सं०-21-क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2013-14 की लेखा परिक्षा में पाया गया कि शासनदेश संख्या-ए-1-122/दस-2 012-10(33) /2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2013-14 में रू० 416243.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है।

अर्जित ब्याज रू० 416243.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। अनियमितता के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		416243.00	416243.00

प्रस्तर सं०-22-क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2013-14 में विधायक निधि योजना के वर्ष 2013-14 में हुए कार्यों के बिल भुगतान करते समय टी०डी०एस० (आयकर) की कटौती निम्न बिल से कम की गई है-

कार्य	बिल की धनराशि	टी०डी०एस० कटौती की गयी	कटौती की जानी चाहिए	कम कटौती
पी०डब्लू०डी० से जसवल मार्ग पर आर०सी०सी० पुलिया	366757.00	3779.00	8310.00	4531.00

इस प्रकार उपरोक्त बिल से रू० 4531.00 कम टी०डी०एस० की कटौती की गई तथा उक्तानुसार राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ख०वि०अ० श्री चन्द्रशेखर तथा लेखाकार श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से वसूल कर लेखा शीर्षक००२१ में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		4531.00	4531.00

प्रस्तर सं०-23-क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2013-14 में विधायक निधि योजना के वर्ष 2013-14 में हुए कार्यों के बिल भुगतान करते समय वी०ए०टी० (वैट) की कटौती निम्न बिल से कम की गई है-

कार्य	बिल की धनराशि	वी०ए०टी० कटौती की गयी	कटौती की जानी चाहिए	कम कटौती
पी०डब्लू०डी० से जसवल मार्ग पर आर०सी०सी० पुलिया	366757.00	6670.00	14670.00	8000.00

छिबरा देउरा सम्पर्क मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया	325450.00	3688.00	13018.00	9330.00
योग				17330.00

इस प्रकार उपरोक्त बिल से रू0 17330.00 कम वैट की कटौती की गई तथा उक्तानुसार राजस्व की क्षति पहुंची गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति रू0 17330.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री कृष्णा तथा लेखाकर श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		17330.00	17330.00

प्रस्तर सं0-24-क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2013-14 में निम्न योजनाओं में फर्म से सामग्री क्रय भुगतान बिलों से 4 प्रतिशत वैट की कटौती की गई है।

योजना का नाम	बिल से वैट की कटौती की गई	ग्रांट रजि-2 के अनुसार जमा की गई	शेष वैट की धनराशि जो जमा नहीं की गई
विधायक निधि	52598.00	—	52598.00
सांसद निधि	19926.00	—	19926.00
योग	72524.00	—	72524.00

उपरोक्त तालिका अनुसार वर्ष 2013-14 में कुल रू0 72524.00 वैट की कटौती की गई है। जिसकी जमा की पुष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रू0 72524.00 व्यापार कर जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गई है काटी गयी वैट की धनराशि रू0 72524.00 को तत्काल जमा किया जाय। यदि व्यापार कर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अ0/आहरणवितरण अधिकारी श्री चन्द्रशेखर तथा सहायक लेखाकर श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की होगी जिससे संतुक्त रूप से वसूल कर जमा कराना अपेक्षित है। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		72524.00	72524.00

प्रस्तर सं0-25-क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2013-14 में निम्न योजनाओं में फर्म से सामग्री क्रय भुगतान बिलों से 2.266 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती की गई है।

योजना का नाम	बिल से वैट की कटौती की गई	ग्रांट रजि-2 के अनुसार जमा की गई	शेष टी0डी0एस0 की धनराशि जो जमा नहीं की गई
विधायक निधि	67050	—	67050
सांसद निधि	11288	—	11288
योग	78338	—	78338

उपरोक्त तालिका अनुसार वर्ष 2013-14 में कुल रू0 78338.00 आयकर कटौती की गई है। इस प्रकार रू0 78338.00 काटी गई आयकर की धनराशि जमा नहीं कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी है काटी गयी आयकर की धनराशि 78338.00 को तत्काल संगत लेखाशीर्षकमें जमा किया जाय। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री कृष्णा तथा सहायक लेखाकर श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की होगी जिससे संयुक्त रूप से वसूल कर जमा कराना अपेक्षित है। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		78338	78338

प्रस्तर सं०-26-क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2013-14 में ग्रांट रजि-3 के अनुसार 31.03.2014 तक निम्न विवरणानुसार धनराशियां निष्प्रयोज्य रही।

क्र० सं०	नाम योजना	धनराशि
1.	पू०वि० निधि	267487.00
2.	इन्दिरा आवास शौचालय	28500.00
3.	इन्दिरा आवास	115093.00
4.	जनता वायोगैस	43010.00
5.	निर्बल वर्ग आवास	75234.00
6.	ग्रामीण पेयजल योजना	1056.00
7.	जे०आर०वाई०/एस०आर०वाई०	6094.00
8.	पेयजल गुलवत्त प्रशिक्षण	9820.00
	योग	546294.00

उपरोक्त तालिका में इस प्रकार कुल रु० 546294.00 मदवार अंकित धनराशि विगत वर्ष से अनुपयोगित रहा जो क्षेत्र पंचायत में निष्प्रयोजिम पड़ी रही। निष्प्रयोजित पड़ी धनराशि को प्रदाता के समय से वापस न कर गम्भीर अनियमितताएं की गयी है। इस प्रति ख०वि०अ० श्री कृष्णा व लेखाकार श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जिम्मेदार है। अतएव तालिका में मदवार अंकित धनराशि को तत्काल प्रदाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		546294	546294

आपत्ति वर्ष 2014-15

प्रस्तर सं०-27-क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2014-15 की लेखा परिक्षा में पाया गया कि शासनदेश संख्या-ए-1-122/दस-2 012-10(33) /2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2014-15 में रु० 430652.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है।

अर्जित ब्याज रु० 430652.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। अनियमितता के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		430652.00	430652.00

प्रस्तर सं०-28-क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2014-15 में बी०आर०जी०एफ० योजना के कार्यों में क्रय किये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार आयकर रु० 45512.00 की कटौती की गयी है। जिसके सापेक्ष ग्रांट रजि-2 के अनुसार रु० 15901.00 आयकर जमा दर्शित है। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रु० 29611.00 जमा कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गई है। काटी गयी आयकर धनराशि 29611.00 को लेखा शीर्षक००२१ में तत्काल जमा किया जाय। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख०वि०अ० श्री के०के० मिश्रा एवं लेखाकार श्री उदयशंकर पाण्डेय की होगी। जिनसे संयुक्त रूप से वसूल कर जमा कराना अपेक्षित है। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		29611.00	29611.00

प्रस्तर सं०-29-क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2014-15 में बी०आर०जी०एफ० योजना के कार्यों में

क्रय किये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार आयकर रु0 803841.00 की कटौती की गयी है। जिसके सापेक्ष ग्रांट रजि-2 के अनुसार रु0 28072.00 व्यापारकर जमा दर्शित है। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रु0 775769.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचांयी गई है। काटी गयी व्यापार कर की धनराशि 775769.00 को तत्काल जमा किया जाय। यदि व्यापारकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारति किया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री के0के0 मिश्रा एवं लेखाकार श्री उदयशंकर पाण्डेय की होगी। जिनसे संयुक्त रूप जमा कराना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		775769.00	775769.00

प्रस्तर सं0-30-क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्रांट रजि0-2 के अनुसार निम्न विवरण अनुसार टी0डी0एस0 (आयकर) जमा दर्शित है।

योजना का नाम	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि
राज्यविता	026769 / 20.02.2015	86529.00
12वां/13वां वित	026771 / 20.02.2015	13631.00
विधायक निधि	67425 / 20.02.2015	16070.00
	67427 / 20.02.2015	13738.00
सांसद निधि	511508 / 02.02.2015	8307.00
बी0आर0जी0एफ0	594567 / 20.02.2015	15901.00
	योग	154176.00

उपरोक्त जमा धनराशि रु0 154176.00 के सापेक्ष टी0डी0एस0 (आयकर) जमा चालान लेखा परीक्षा समय मॉगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ आयकर सेक्शन 200(3), 193, 194 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा फर्म 26क्यूफाईल करने एवं सप्लायर फर्म को फार्म 16ए निर्गत करने का कोई भी साक्ष्य लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किए गए। स्पष्ट है कि रु0 154176.00 आयकर जमा दर्शित कर राजकीयराजस्व का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अर्थदण्ड सहित तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री के0के0 मिश्रा एवं लेखाकार श्री उदयशंकर पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
154176.00			154176.00

प्रस्तर सं0-31-क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्रांट रजि0-2 के अनुसार निम्न विवरण अनुसार वैट (व्यापारकर) जमा दर्शित है।

योजना का नाम	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि
राज्यविता	026770 / 20.02.2015	152744.00
12वां/13वां वित	026772 / 20.02.2015	24062.00
विधायक निधि	067426 / 20.02.2015	28367.00
	067428 / 20.02.2015	24251.00
सांसद निधि	510510 / 20.02.2015	14664.00
बी0आर0जी0एफ0	694568 / 20.02.2015	28072.00
	योग	272160.00

उपरोक्त जमा धनराशि रु0 272160.00 के सापेक्ष वैट जमा चालान लेखा परीक्षा समय मॉगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही वैट नियमावली के नियम संख्या 45(6) के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा फर्म 25 पर त्रैमासिक रिटर्न एवं नियम 45(9) के अनुसार फर्म 27 पर वार्षिक विवरण भी लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किए गए। स्पष्ट है कि रु0 272160.00 को जमा नहीं कर अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री के0के0 मिश्रा एवं लेखाकार श्री उदयशंकर पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है। उल्लेखीय है कि वैट नियमावली के नियम 49 के अनुसार फर्म को प्रमाण पत्र फर्म-31 भी नहीं जारी किए गए हैं।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
272160.00			272160.00

प्रस्तर सं०-32—क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2014-15 में बी०आर०जी०एफ० मद से बांसी नन्दौर मार्ग से निधुरी गांव तक सी०सी० रोड 400 मा० कार्य के कार्य पत्रावली अनुसार कार्य का टी०एस० 166/ई०ई०/16.10.13 को किया गया तथा कार्य हेतु धनराशि चेक संख्या-880360 से दिनांक-28.08.2013 को प्राप्त हो गया। धनराशि प्राप्त होने के लगभग 9 माह तक कार्य न करा कर खण्ड विकास अधिकार एवं जे०ई० द्वारा पुनः उपरोक्त कार्य पर सामग्री दर बढ़ा कर संशोधित टी०एस० कराया गया तथा दिनांक-11.09.2014 को कार्यादेश जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक-16.10.2013 के टी०एस० अनुसार सामग्री मूल्य रु० 893541.00 के सापेक्ष रु० 998013.00 का सामग्री व्यय किया गया है। अतः स्पष्ट है कि समय पर कार्य नहीं करा, ख०वि०अ० एवं जेई द्वारा पुनः—अधिक दर पर प्राक्कलन तैयार कर सामग्री मद में रु० 998013.00— रु० 893541.00, रु० 104472.00 का अनियमित रूप से व्यय किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ख०वि०अ० श्री कृष्णा एवं जेई श्री राम अचल से संयुक्त रूप से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		104472.00	104472.00

आपत्ति वर्ष 2015-16

प्रस्तर सं०-33—क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनदेश संख्या-ए-1-122/दस-2 012-10(33) /2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2015-16 में रु० 207619.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है।

अर्जित ब्याज रु० 207619.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। **अनियमितता के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		207619.00	207619.00

प्रस्तर सं०-34—क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य मद से हुए कार्य वि.ख० सूचना कक्ष मरम्मत कार्य में जयसवाल ट्रेसर्ड के बिल संख्या-तिथि 05.09.2015 कुल धनराशि रु० 408284.00 से टी०डी०एस० रु० 8399.00 की कटौती की गई है जबकि 2.266 प्रतिशत के दर से टी०डी०एस० रु० 9252.00 होता है इस प्रकार रु० 853.00 टी०डी०एस० कम कटौती कर राजकीय की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ख०वि०अ० श्री राजाराम यादव लेखाकार श्री उदयशंकर पाण्डेय से संयुक्त रूप से वसूल कर लेखा शीर्षक००२१ में जमा कराया जाना अपेक्षित है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		853.00	853.00

प्रस्तर सं०-35—क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्यवित्त योजना के कार्यों में क्रय किये गये निर्माण सामग्री पर निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार आयकर रु० 237787.00 की कटौती की गयी है। जिसके सापेक्ष ग्रांट रजि०-2 के अनुसार रु० 64286.00 आयकर जमा दर्शित है। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रु० 173501.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी है। काटी गयी आयकर धनराशि 173501.00 को लेखा शीर्षक००२१ में तत्काल जमा किया जाय। यदि आयकर विभाग

द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख०वि०अ० आहरण वितरण अधिकारी श्री सौरभ कुमार पाण्डेय तथा लेखा श्री उदयशंकर पाण्डेय की होगी जिनसे संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		173501.00	173501.00

प्रस्तर सं०-36—क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्यवित्त योजना से हुए कार्य वि०ख० सूचना कक्ष मरम्मत कार्य में जयसवाल ट्रेडर्स के बिल संख्या-तिथि 05.09.2015 कुल धनराशि रु० 408284.00 से वैट रु० 14826.00 की कटौती की गई है जबकि 4 प्रतिशत के दर से वैट से रु० 16331.00 होता है इस प्रकार रु० 1505.00 वैट कम कटौती कर राजकीय राजस्व की हानि की गई है। अतएव रु० 1505.00 की प्रतिपूर्ति तातारीख ब्याज के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ख०वि०अ० श्री राजाराम यादव तथा लेखाकर श्री उदयशंकर पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		1505.00	1505.00

प्रस्तर सं०-37—क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्यवित्त योजना के कार्यों में क्रय किये गये निर्माण सामग्री पर निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार व्यापारकर रु० 419748.00 की कटौती की गयी है। जिसके सापेक्ष ग्रांट रजि०-2 के अनुसार रु० 113480.00 व्यापारकर जमा दर्शित है। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रु० 306268.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी है। काटी गयी व्यापारकर की धनराशि 306268.00 तत्काल जमा किया जाय। यदि व्यापार कर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो सकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख०वि०अ०/आहरण वितरण अधिकारी श्री संजय कुमार पाण्डेय एवं लेखाकर श्री उदयशंकर पाण्डेय से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		306268.00	306268.00

प्रस्तर सं०-38—क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2015-16 में ग्रांट रजि०-2 के अनुसार निम्न विवरण अनुसार टी०डी०एस० (आयकर) जमा दर्भित है।

योजना का नाम	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि
राज्यविता	26797 / 03.07.2015	64286.00
12वां/13वां वित्त	26799 / 03.07.2015	57430.00
विधायक निधि	101291 / 03.07.2015	4077.00
सांसद निधि	511515 / 03.07.2015	9916.00
बी०आर०जी०एफ०	694513 / 03.07.2015	29431.00
	योग	165140.00

उपरोक्त जमा धनराशि रु० 165140.00 के सापेक्ष टी०डी०एस० (आयकर) जमा चालान परीक्षा समय मॉगोपरान्त श्री प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही आयकर सेक्शन 200(3), 193, 194 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा फर्म 26क्यू फाईल करने एवं सप्लायर फर्म को फार्म-16ए निर्गत करने का कोई भी साक्ष्य लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये स्पष्ट है कि रु० 165140.00 आयकर जमा दर्शित कर राजकीय राजस्व का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली अर्थदण्ड सहित ख०वि०अ० श्री राजाराम यादव तथा लेखाकार श्री उदयशंकर पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
165140.00			165140.00

प्रस्तर सं०-39—क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2015-16 में ग्रांट रजि०-2 के अनुसार निम्न विवरण अनुसार वैट (व्यापारकर) जमा दर्भित है।

योजना का नाम	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि
राज्यविता	26798 / 03.07.2015	113480.00

12वां/13वां वित	26800 / 03.07.2015	101377.0
विधायक निधि	101292 / 03.07.2015	7197.00
सांसद निधि	510516 / 03.07.2015	17503.00
बी0आर0जी0एफ0	694514 / 03.07.2015	51953.00
	योग	291510.00

उपरोक्त दर्शित जमा धनराशि रु0 291510.00 के सापेक्ष वैट जमा चालान लेखा परीक्षा समय माँगोपरानत भी प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही वैट नियमावली के नियमावली के नियम संख्या 45(6) के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा फर्म 25 पर त्रैमासिक रिटर्न एवं नियम 45(9) के अनुसार फार्म 27 पर वार्षिक विवरण भी लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किए गए। स्पष्ट है कि रु0 291510.00 को जमा नहीं कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ख0वि0अ0 राजाराम यादव तथा लेखाकार श्री उदयशेकर पाण्डेय से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि वैट नियमावली के नियम 49 के अनुसार फर्म को प्रमाण पत्र फार्म 31 भी नहीं जारी किए गए हैं।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
291510.00			291510.00

प्रस्तर सं0-40-क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्यवित्त योजना से विकास खण्ड सूचना कक्ष मरम्मत कार्य के कार्य पत्रावली अनुसार निम्न व्यय दर्शित है।

क्र0सं0	मद	मात्रा	दर	मूल्य
1.	विद्युत वायरिंग	62 पाईप	300.00	18600.00
2.	सी0एफ0एल0लाईट	20 नग	450.00	9000.00
3.	ट्यूब लाइट	13 नग	2000.00	26000.00
4.	पंखा	13 नग	5000.00	65000.00
5.	वाटर सप्लाई चार्ज	285 फुट	132.00	37620.00
	योग			156220.00

- उपरोक्त दर्शित सामग्री मद में क्रम संख्या-1 से 5 तक के लिए तकनीकी स्वीकृति टीएस0 में दर मूल्य सत्यापित/स्वीकृति नहीं करते हुए अवर अभियन्ता आर0इ0डी0 द्वारा केवल स्टीमेंट के लिए अंकित कर स्वीकृत किया गया है।
- उपरोक्त सामग्री क्रय/कार्य हेतु कोई भी टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है। टीएस0 में अंकित दर पर ही सामग्री 2 कार्य का भुगतान किया गया है।
- कार्य प्रभारी प्राक्कलन/एम0वी0 करने जेई श्री राम अचल को ही बनाया गया है उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ख0वि0अ0 एवं जेई द्वारा सांठ-गांठ कर बिना कोटेशन /टेण्डर, बिना तकनीकी स्वीकृति के रु0 156220.00 का भुगतान/व्यय अनियमित रूप से किया गया है। अतएव धनराशि 156220.00 वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली ख0वि0अ0 श्री राजाराम यादव एवं जेई श्री रामअचल से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		156220.00	156220.00

प्रस्तर सं0-41-क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्यवित्त योजना से खण्ड विकास कार्यालय का मरम्मत एवं टाईल्स कार्य के कार्य पत्रावली अनुसार निम्न व्यय दर्शित है।

क्र0सं0	मद	मात्रा	दर	मूल्य
1.	विद्युत वायरिंग आदि मटेरियल	1 नग	140000.00	140000.00
2.	सी0एफ0एल0लाईट	20 नग	450.00	9000.00
3.	ट्यूब लाइट	20 नग	2000.00	40000.00
4.	सिलींग फैन	7 नग	5000.00	35000.00
5.	शौचालय मेन्टीनेंस कार्य	2 नग	60000.00	120000.00
6.	पानी सप्लाई (पाईप, साकेट, टोटी	1 नग	68000.00	68000.00

	आदि)			
7.	केबिन कार्य मैटेरियल मजदूरी सहित	3 नग	90000.00	270000.00
		योग		682000.00

1. उपरोक्त दर्शित सामग्री मद में क्रम संख्या-1 से 6 तक के लिए तकनीकी स्वीकृति टी0एस0 में दर एवं मूल्य सत्यापित/स्वीकृति नहीं करते हुए अवर अभियन्ता आर0इ0डी0 द्वारा केवल स्टीमेंट के लिए अंकित कर किया गया है।
2. क्रम सं0 7 पर अंकित सामग्री एवं कार्य का तकनीकी स्वीकृति टी0एस0 में विवरण स्वीकृति नहीं है।
3. उपरोक्त सभी सामग्री क्रय/कार्य हेतु कोई भी टेण्डर/कोटेशन नहीं लिया गया है। टी0एस0 में अंकित दर पर ही सामग्री/कार्य का भुगतान किया गया है।
4. कार्य प्रभारी प्राक्कलन/एम0वी0 करने जेई श्री राम अचल को ही बनाया गया है।
उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ख0वि0अ0 एवं जेई द्वारा सांठ-गांठ कर बिना कोटेशन/टेण्डर, बिना तकनीकी स्वीकृति के रू0 682000.00 का भुगतान/व्यय अनियमित रूप से किया गया है। अतएव धनराशि रू0 682000.00 वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली ख0वि0अ0 श्री राजाराम एवं जेई श्री राम अचल से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		682000.00	682000.00

आपत्ति वर्ष 2016-17

प्रस्तर सं0-42-क्षेत्र पंचायत सांथा के वर्ष 2016-17 की लेखा परिक्षा में पाया गया कि शासनदेश संख्या-ए-1-122/दस-2 012-10(33) /2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2016-17 में रू0 166176.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है।

अर्जित ब्याज रू0 166176.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		166176.00	166176.00

प्रस्तर सं0-43-क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2016-17 में सांसद निधि योजना के कार्यों में क्रय किए गए निर्माण सामग्री पर निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार आयकर टी0डी0एस0 रू0 7226.00 की कटौती रू0 की गई है जिसके सापेक्ष ग्रांट रजि-2 के अनुसार रू0 शून्य आयकर जमा दर्शित है। अतः स्पष्ट है कि की गई कटौती रू0 7226.000 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुँचाई गयी है। काटे गए आयकर की धनराशि रू0 7226.00 तत्काल जमा किया जाए। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अ0/आहरण वितरण अधिकारी श्री चन्द्रशेखर प्रसाद एवं लेखाकार प्रसाद एवं लेखा खुर्शीद अहमद से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		7226.00	7226.00

प्रस्तर सं0-44-क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2016-17 में सांसद निधि योजना के कार्यों में क्रय किए गए निर्माण सामग्री पर निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार व्यापार कर रू0 12757.00 की कटौती रू0 की गई है जिसके सापेक्ष ग्रांट रजि-2 के अनुसार रू0 शून्य व्यापार कर जमा दर्शित है। अतः स्पष्ट है

कि की गई कटौती रु0 12757.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुँचाई गयी है। काटे गए आयकर की धनराशि रु0 12757.00 तत्काल जमा किया जाए। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अ0/आहरण वितरण अधिकारी श्री चन्द्रशेखर प्रसाद एवं लेखाकार प्रसाद एवं लेखा खुर्शीद अहमद से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		12757.00	12757.00

प्रस्तर सं0-45—क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त मद से दिनांक-23.01.2017 को चेक सं0-39664 जयसवाल ट्रेडर्स को रु0 391128.00 जमानत वापस ग्रांट रजिस्टर-2 में दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा समय पर भी जमानत पंजी प्रस्तुत नहीं रहा परन्तु प्रस्तुत कार्य पत्रावली अनुसार फर्म जयसवाल ट्रेडर्स से वर्ष 2015-16 में मात्र रु0 359693.00 की काटौती जमानत के रुम में की गई थी। इस प्रकार काटे गए जमानत रु0 35968.00 भुगतान (रु0 391128-359683) रु0 31445.00 का अधिक भुगतान कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ख0वि0अ0 श्री चन्द्रशेखर प्रसाद एवं लेखाकार खुर्शीद अहमद से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
31445.00			31445.00

प्रस्तर सं0-46—क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त मद से दिनांक-23.01.2017 को चेक सं0-39663 से जनता ब्रिक फील्ड को रु0 146229.00 जमानत वापस ग्रांट रजिस्टर-2 में दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा समय भुगतान पुष्टि हेतु मांगे जाने पर भी जमानत पंजी प्रस्तुत नहीं रहा परन्तु प्रस्तुत कार्य पत्रावली अनुसार फर्म जनता ब्रिकफील्ड से वर्ष 2014-15 में रु0 88634.00 एवं 2015-16 में रु0 136462.00 कुल रु0 225096.00 जमानत कटौती की गई थी जिसके सापेक्ष वर्ष 2015-16 में चेक सं0 026783/24.04.2015 से रु0 51654.00 एवं चेक सं0-026942/03.07.2015 से रु0 46547.00 कुल रु0 98201.00 जमानत वापसकी गयी थी इस प्रकार वर्ष 2015-2016 व 2016-17 में रु0 98201.00 व रु0 146229.00 कुल रु0 244430.00 जमानत वापस की गई है इस प्रकार काटे गए जमानत कुल रु0 225096.00 के सापेक्ष कुल जमानत वापस रु0 244430.00 किया गया है। स्पष्ट है कि रु0 19334.00 का अधिक जमानत वापस का भुगतान फर्म को कर अपहरण किया गया है अतएव रु0 19334.00 की ब्याज सहित वसूली ख0वि0अ0 श्री चन्द्रशेखर प्रसाद एवं लेखाकार खुर्शीद अहमद से सयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
19334.00			19334.00

प्रस्तर सं0-47—क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2016-17 ग्रांट रजि0-2 के अनुसार दिनांक-01.04.2014 का प्रा0 अवशेष ब्याज मद में रु0 416243.00 दर्शित है जो 31.03.2014 को रु0 1279761.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
...		1279761.00	1279761.00

प्रस्तर सं0-48—क्षेत्र पंचायत सांथा के आलोच्य वर्ष 2016-17 ग्रांट रजि0-2 के अनुसार दिनांक-31.03.2014 तक निम्न विवरणानुसार धनराशियां निष्प्रयोज्य रही—

क्र0सं0	नाम योजना	धनराशि
1.	इन्दिरा आवास शौचालय मद	28500.00
2.	पूर्वांचल वि0निधि	267487.00
3.	संशोधित निर्वल वर्ग आवास	75234.00
4.	एस0आर0वाई0 योजना	6094.00

	प्रसांगिक व्यय	
5.	ग्रामीण पेयजल योजना	1056.00
6.	पेयजल प्रशिक्षण	9820.00
7	वी०आर०जी०एफ०	104335.00
	योग	492526.00

उपरोक्त तालिका में इस प्रकार कुल रू० 492526.00 मदवार अंकित धनराशि विगत वर्ष से अनुपयोगित रहा जो क्षेत्र पंचायत में निष्प्रयोजित पड़ी रही। निष्प्रयोजित पड़ी धनराशि को प्रदाता को समय से वापस न कर गम्भीर अनियमितताएं की गयी इस प्रति ख०वि०अ० श्री चन्द्रशेखर प्रसाद व लेखाकार श्री खुर्शीद अहमद जिम्मेदार है।

अतएव तालिका में मदवार अंकित को तत्काल प्रदाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति वर्ष:-2011-12

प्रस्तर सं०-49—क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजि०-2 एवं कार्य पत्रावली के अनुसार राज्य वित्त से कराए गए कार्य—बलही—कटका सम्पर्क मार्ग पर 1×2 मी० आर०सी०सी० पुलिया निर्माण हेतु कार्य प्रभारी श्री राम सजीवन सिंह, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को चेक सं०-870659 दिनांक-11.05.2011 को य० 153320.00 का भुगतान किया गया है जिसमें निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी—

(अ) दिनांक-08.05.2011 बि०सं-109 द्वारा राजन ब्रिकफील्ड से रू० 88040.00 तथा आलम सीमेंट स्टोर से बि०सं०-05/दि०-08.05.2011 से सामग्री क्रय रू० 72542.00 किया गया है, जबकि भुगतान सम्बन्धित फर्म को न करके उक्त चेक द्वारा टी०डी०एस०/वैट कटौती के उपरान्त दिनांक-11.05.2011 को रू० 153320.00 कार्यप्रभारी श्री राम सजीवन को किया गया है, जो कि अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्य प्रभारी पूर्णतया उत्तरदायी है।

(ब) पत्रावली में लगे मस्टररोल के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि-03.04.2012 अंकित है जबकि सामग्री का क्रय दिनांक-08.05.2011 को किया गया है। एक वर्ष स्टाक की खरीद का औचित्य, पुष्टि हेतु स्टाक पंजी तथा भण्डारण का स्थान आदि के सम्बन्ध में कोई समुचित उत्तर लेखा परीक्षा में नहीं दिया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक-01.04.2012 एवं 02.04.2012 को पुनः सामग्री खरीद की गयी तथा कार्य प्रारम्भ कराया गया।

(स) कार्य पत्रावली में संलग्न बाउचर में टिन संख्या अंकित नहीं है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		153320.00	153320.00

प्रस्तर सं०-50—क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजि०-2 एवं कार्य पत्रावली के अनुसार राज्य वित्त से कराए गए कार्य—कोड़री—बलही—कटका सम्पर्क मार्ग के बगल में नाले पर 1×3 मी० आर०सी०सी० पुलिया निर्माण कार्य में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी—

(अ) उक्त कार्य वर्ष-2011-12 में स्वीकृति उपरान्त 2012-13 में प्रारम्भ हुआ परन्तु कार्य स्वीकृत होते ही राजन ब्रिकफील्ड से बि०सं०-103/दि०-07.05.2011 द्वारा ईट क्रय तथा आलम सीमेंट स्टोर से बि०सं०-01/दि०-06.05.2011 द्वारा सीमेण्ट आदि की खरीद के सापेक्ष चेक सं०-870660 दिनांक-11.05.2011 मु०रू०-204263.00 का भुगतान कार्य प्रभारी फर्मों को न कर कार्य प्रभारी श्री राम सजीवन, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को किया गया जो कि अनियमित रहा तथा इसके लिए कार्य प्रभारी तथा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी है।

(ब) पत्रावली में लगे मस्टररोल के अनुसार कार्य दिनांक-03.05.2012 को प्रारम्भ हुआ जबकि सामग्री की खरीद एक वर्ष पूर्व दिनांक-06.05.2011 एवं 07.05.2011 को ही कर ली गयी जिसके भण्डारण, औचित्य एवं स्टाक पंजी आदि का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(स) कार्य पत्रावली में लगे बाउचरो पर टिन सं० अंकित नहीं पायी गयी। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		204263.00	204263.00

प्रस्तर सं०-51-क्षेत्र पंचायत नाथनगरके वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजि०-2 एवं कार्य पत्रावली के अनुसार राज्य वित्त से कराए गए कार्य-बलही गांव में राम प्रताप के घर के निकट 1×3 मी० आर०सी०सी० पुलिया निर्माण हेतु ईट की खरीद राजन ब्रिकफिल्ड से बि०सं०-103/दि०-05.05.2011 मु० रू० 88040.00 एवं सामग्री खरीद आलम सीमेण्ट स्टोर से बि०सं०-04/दि०-07.05.2011 मु०रू० 72542.00 कुल रू०-152320.00 (टी०डी०एस० एवं वैट की कटौती उपरान्त) का भुगतान फर्म को न कर प्रभारी श्री राज सजीवन सिंह, सहायक विकास अधिकारी कृषि को किया गया है परन्तु पत्रावली में मस्टररोल एवं कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं पाया गया जिससे कार्य के प्रारम्भ/समाप्ति आदि की पुष्टि नहीं हो सकी और न ही ग्रांट पंजी में उक्त कार्य के सापेक्ष मजदूरी दिया जाना ही दर्शित है। इस प्रकार रू० 152320.00 की खरीद काल्पनिक प्रतीत होती है। अतः फर्म की मिली भगत से फर्जी बिल प्रस्तुत कर रू० 152320.00 का अपहरण तत्कालीन कार्य प्रभारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
152320.00			152320.00

प्रस्तर सं०-52-क्षेत्र पंचायत नाथनगरके वर्ष 2011-12 में विधायक निधि से ग्राम कटुई में सी०सी०रोड निर्माण की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयीं।

(अ) पत्रावली में संलग्न मस्टररोल के अनुसार दिनांक-02.05.2011 को कार्य प्रारम्भ होकर-22.05.2011 को समाप्त कर लिया गया परन्तु दिनांक-25.05.2011 को विनय ट्रेडर्स हैंसर बाजार से रू० 84342.00 की सामग्री खरीद (सीमेण्ट आदि) के क्रय का बाउचर संलग्न है। अतः जब कार्य दिनांक-22.05.2011 को ही समाप्त हो गया तो सामग्री की खरीद दिनांक-25.05.2011 को किए जाने का औचित्य लेखा परीक्षा में सिद्ध नहीं किया जा सका। अतः स्पष्ट है कि रू० 84342.00 के फर्जी बिल प्रस्तुत कर धन का अपहरण तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री राम सजीवन सिंह, सहायक विकास अधिकारी कृषि एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली इनसे संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
84342.00			84342.00

(ब) पत्रावली में संलग्न बाउचर आजाद ईट उद्योग बसुलहिया संतकबीरनगर द्वारा रू० 57557.00 का बिल संख्या-05 दिनांक-04.04.2011 को निर्गत किया गया जबकि मु०रू० 66980.00 का बिल सं०-03 दिनांक-05.05.2011 को निर्गत किया गया है। इस प्रकार बिल सं०-05 के पूर्व निर्गत किया जाना दोनों बिलों को फर्जी सिद्ध करता है। अतः उक्त द्वारा कुल रू० 124537.00 का फर्जी बिल संलग्न कर भुगतान करते हुए धन का अपहरण तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री राम सजीवन सिंह, सहायक विकास अधिकारी कृषि एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी वसूली दोनों से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
124537.00			124537.00

आपत्ति वर्ष:-2012-13

प्रस्तर सं०-53-क्षेत्र पंचायत नाथनगरके वर्ष 2012-13 में सांसद निधि से कराए गए कार्य ग्राम घोरहट-सेवईपुर के बीच में आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया की पत्रावली में सामग्री क्रय हेतु संलग्न प्राप्त कोटेशन/टेण्डर आलम सीमेण्ट स्टोर नाथनगर से सीमेण्ट क्रय की दर रू० 286.00 प्रति बोरी स्वीकृत हुई जबकि उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत 70 बोरी सीमेण्ट क्रय के बाउचर (बिल सं०/दिनांक अंकित नहीं) पर दर 309.00 अंकित है। इस प्रकार 70ग286त्र 20200 के बजाय 70ग309त्र21630 का भुगतान किया गया। अतः अन्तर धनराशि रू० 1610.00 का अधिक भुगतान कर संस्था को हानि पहुंचाई गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री राम सजीवन सिंह, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एवं खण्ड विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....	1610.00		1610.00

आपत्ति वर्ष:-2013-14

प्रस्तर सं0-54—क्षेत्र पंचायत नाथनगरके वर्ष 2013-14 की राज्य वित्त की पत्रावली (कार्य-सड़हरा गांव में खड़जा कार्य) की जांच में पाया गया कि रु0 64530.00 का भुगतान मजदूरी एवं टैक्टर टाली द्वारा मिट्टी ढुलाई पर व्यय दर्शित किया गया है। जिसमें निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयीं—

(अ)संलग्न पत्रावली में रु0 35130.00 मजदूरी पर व्यय दर्शित है परन्तु जो मस्टररोल पत्रावली से संलग्न है उस कार्य का नाम, तिथि व माह, मजदूरी का पता, जाति अंकित नहीं है। अतः उक्त मस्टररोल फर्जी है तथा व्यय धनराशि का अपहरण तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री क्षितिज चौधरी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
35130.00			35130.00

(ब) रु0 29400.00 का भुगतान टैक्टर टाली द्वारा मिट्टी ढुलाई पर टैक्टर मालिक को किया गया है परन्तु रसीद पर टैक्टर टाली संख्या तथा मिट्टी की मात्रा अंकित नहीं है जो आपत्तिजनक है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
29400.00			29400.00

प्रस्तर सं0-55—क्षेत्र पंचायत नाथनगरके वर्ष 2013-14 की राज्य वित्त की पत्रावली (कार्य-सड़हरा हरिजन बस्ती से नीवा सम्पर्क मार्ग पर 1×3 मी0आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण) की जांच में पाया गया कि पत्रावली में रु0 77000.00 का जो मस्टररोल पाया गया उस पर किसी मजदूर का हस्ताक्षर नहीं पाया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त मस्टररोल काल्पनिक रूप से तैयार कर रु0 77000.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए श्री अरुण कुमार पाण्डेय कार्यप्रभारी जिम्मेदार है। अतः उक्त धन की ब्याज सहित वसूली इनसे तथा भुगतानकर्ता तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
77000.00			77000.00

प्रस्तर सं0-56—क्षेत्र पंचायत नाथनगरके वर्ष 2013-14 दौरान राज्य/13वां वित्त के ब्याज रु0 268796.00 को तेरहवा वित्त के अनुदान के रूप में व्यय कर लिया गया है जबकि शासनादेशानुसार इसे सम्बन्धित विभाग को वापस कर दिया जाना चाहिए था। अतः उक्त प्रकरण गम्भीर अनियमिता का विषय है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		268796.00	268796.00

प्रस्तर सं0-57—क्षेत्र पंचायत नाथनगरके वर्ष 2013-14 दिनांक-31.03.2014 को विभिन्न योजनाओं का कुल रु0-7223270.00 अप्रयुक्त शेष रहा जिसके शासनादेशानुसार प्रदाता को वापस न कर अनियमिता की गयी है। इसके सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। अनियमितता के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		7223270.00	7223270.00

आपत्ति वर्ष:-2014-15

प्रस्तर सं0-58—क्षेत्र पंचायत नाथनगरके वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित विवरणानुसार कार्य पर व्यय की पत्रावलियां मांगोपरान्त जांच में प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अनियमित रहा एवं इसके लिए श्री विश्वविजय पाण्डेय, लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं 0	कार्य का नाम	व्यय की गयी धनराशि
01	विकास खण्ड कार्यालय का रंगाई पोताई कार्य	58010.00
02	विकास खण्ड कार्यालय की बाउंड्री मरम्मत एवं खण्ड वि०अधि० आवास मरम्मत	75090.00
03	मझौवा गांव में मिट्टी एवं खड़ण्जा मरम्मत	148333.00
04	विकास खण्ड कार्यालय की बाउंड्री मरम्मत एवं मीटिंग हाल मरम्मत	22973.00
	योग—	304406.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		304406.00	304406.00

प्रस्तर सं०-59—क्षेत्र पंचायत नाथनगरके वर्ष 2014-15 में तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय की पत्रावलियां मांगोपरान्त जांच में प्रस्तुत नहीं की गयीं जो कि अनियमित रहा एवं इसके लिए श्री विश्वविजय पाण्डेय, लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्र०सं 0	कार्य का नाम	व्यय की गयी धनराशि
01	बलही गांव में पुलिया से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	420277.00
02	बलही गांव में रामरूप के घर के पास कुआँ मरम्मत	24328.00
03	बलही गांव में हरिकेश के दरवाजे के सामने कुआँ मरम्मत	176607.00
04	बलही गांव के केशव के दरवाजे के सामने कुआँ मरम्मत	30361.00
05	20 सोलर लाइटों क्रय	389746.00
06	82 सोलर लाइटों का क्रय	743254.00
	योग	1625573.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		1625573.00	1625573.00

आपत्ति वर्ष:-2015-16

प्रस्तर सं०-60—क्षेत्र पंचायत नाथनगरके वर्ष 2015-16 में वित्त के कराए गए कार्य विकास खण्ड मुख्यालय नाथनगर परिसर में क्षेत्र पंचायत संसाधन केन्द्र का अवशेष कार्य की पत्रावली के जांच कि रु० 8750.00 का जो बिल साई कांस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर का ईट गिट्टी 7 घन मी० मु० य०-1250.00 का पत्रावली में संलग्न है वह फर्म के लेटर पैड पर प्रस्तुत किया गया है। उक्त कार्य में रु० 142351.00 का भुगतान कार्य प्रभारी को चेक संख्या-142351 दिनांक-22.08.2015 को किया गया है। जिसमें रु० 89651.00 सामग्री तथा रु० 52700.00 श्रमांश मद में दिया गया है। इस प्रकार सामग्री क्रय पर रु० 89651.00 का भुगतान सीधे फर्म को नकद कार्य प्रभारी को किया जाना अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री राम सजीवन सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		89651.00	89651.00

आपत्ति वर्ष:-2016-17

प्रस्तर सं०-61—क्षेत्र पंचायत नाथनगरके वर्ष 2016-17 में वित्त के कराए गए कार्य टिकुई कोल प्राथमिक स्कूल के पास 2मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया निर्माण कार्य पर सामग्री की खरीद मेसर्स राजनाथ ठेकेदार के बिल क्रमांक-03 बुक संख्या-01 दिनांक-08.07.2016 से की गयी परन्तु कार्य पत्रावली में जो मस्टररोल क्रमांक-8112व 8113 संलग्न है उसमें मजदूरी को काम करते हुए दिनांक-01.07.2016 से

दर्शाया गया है। अब यदि सामग्री की खरीद दिनांक-08.07.2016 की गयी है। तो मजदूरों से दिनांक-01.07.2016 से कैसे कार्य कराया गया। यदि उक्त समय में अकुशल मजदूर गड्ढा खोद रहे थे तो फिर कुल 06 दिनों के लिए 03 कुशल मजदूरों द्वारा 18 मानव दिवसों पर व्यय धनराशि रु0 6300.00 का औचित्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। उल्लेखनीय है कि उक्त दिवसों में कराए गए कार्य कि एम0बी0 भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त धनराशि रु0 6300.00 का अपहरण तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री उमाशंकर गौतम एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
6300.00			6300.00

प्रस्तर सं0-62-क्षेत्र पंचायत नाथनगरके वर्ष 2016-17 में विधायक निधि से कराए गए कार्य ग्राम देवकली में परघट के घर से जोगीडीह बाबा के घर तक 250मी0 नाली निर्माण की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त कार्य वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में चलता रहा। उक्त कार्य में माह जनवरी-2017 का जो मस्टररोल क्रमांक-9888 संलग्न है उसमें कार्य का प्रारम्भ 01.01.2017 से दर्शाया गया है जबकि सामग्री खरीद का जो बिल मेसर्स राजनाथ ठेकेदार क्रमांक-12 बुक संख्या-01 कार्य पत्रावली में संलग्न है वह दिनांक-22.01.2017 का है। अब यदि सामग्री 22.01.2017 को क्रय की गयी तो फिर कार्य के इतने पूर्व प्रारम्भ किए जाने का औचित्य लेखा परीक्षा में सिद्ध नहीं हुआ। यहां यह विशेषरूप से उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य वर्ष-2017-18 में 15 मई 2018 तक चलता रहा। ऐसे में दिनांक-01.01.2017 से 22.07.2017 तक कराया गया कार्य मात्र कागजी खानापूर्ति ही है। अतः उक्त समय में दर्शित व्यय रु0 34850.00 का अपहरण तत्कालीन कार्य प्रभारी श्री क्षितिज चौधरी द्वारा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी की मिलीभगत से कर लिया गया है। अतः रु0 34850.00 की ब्याज सहित वसूली इनसे संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
34850.00			34850.00

आपत्तियों वर्ष 2011-12

प्रस्तर संख्या-63-क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के वर्ष 2011-12 शासनादेश संख्या-ए-1-122 /दस-2012-10 (33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संख्या की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2011-12 में रु0 411123.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है। अनियमितता के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। अर्जित ब्याज रु0 411123.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		411123.00	411123.00

प्रस्तर संख्या-64-क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के वर्ष 2011-12 में कराये गये निर्माण कार्यों में क्रय किये गये सामग्री मूल्य रु0 9674167.00 के भुगतान समय नियमानुसार 2.26 प्रतिशत आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। कुल कटौती रु0 218636.00 के सापेक्ष रु0 74673.00 आयकर नहीं काटा गया है तथा उक्तानुसार राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री दिग्विजयनाथ तिवार, श्री वी0के0 माहेन से संयुक्त रूप से वसूल कर लेखा शीर्षक 0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

.....		74673.00	74673.00

प्रस्तर संख्या-65—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2011-12 में क्रय किये गये निर्माण सामग्री पर निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार आयकर रू0 143963.00 की काटौती की गयी है। जिसके जमा की पुष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रू0 143963.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी है। काटी गयी आयकर धनराशि 143963.00 को लेखा शीर्षक0021 में तत्काल जमा किया जाय। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो सकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अ0 आहरण वितरण अधिकारी श्री दिग्विजयनाथ तिवारी, श्री वी0के0 मोहन की होगी जिनसे संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराना अपेक्षित है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		143963.00	143963.00

प्रस्तर संख्या-66—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2011-12 में कुल समग्री क्रय रू0 9674167.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 386966.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि उक्त वर्ष में रू0 शून्य की कटौती की गई है। जिससे रू0 386966.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्वकी क्षति रू0 386966.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री दिग्विजय नाथ तिवारी, श्री वी0के0 मोहन से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		386966.00	386966.00

प्रस्तर संख्या-67—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजि-2 एवं काग्र पत्रावली के अनुसार राज्य वित्त से ददरा कुष्टहा मार्ग पर 1ग4 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया के निर्माण हेतु कार्य प्रभारी मु0 अनवर को चेक संख्या-13549 दिनांक-23.08.2021 से रू0 110850.00 का अग्रिम भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान के सापेक्ष निर्माण पत्रावली में फर्म चन्द्रशेखर सिंह एण्ड कम्पनी से 14000 ईट दर रू0 4000.00 तथा 20 घन मी0 गिट्टी की दर रू0 670.00 कुल रू0 69400.00 का तथा अहद बिल्डिंग मैटेरियल से सीमेंट 90 बोरी दर रू0 273.00 तथा 20 घन मी0 बालू दर रू0 844 कुल रू0 41450.00 का बिल लगा पाया गया। बिल पर फर्म स्वामी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। कार्य पत्रावली में लगे प्राक्कलन के अनुसार उपर्युक्त कार्य पर रू0 499000.00 व्यय होना था। परन्तु कार्य पत्रावली एवं ग्रांट रजि-2 के अनुसार कार्य प्रभारी को मात्र रू0 110850.00 का भुगतान किया गया है। लागत धनराशि के पूर्ण भुगतान का न होने मजदूरी का भुगतान न होने की दशा में स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी श्री मु0 अनवर द्वारा फर्जी बाउचर लगाकर अग्रिम के रूप में भुगतानित रू0 110850.00 का अपहरण किया गया है तथा अग्रिम दिये जाने के बाद कार्य पूर्ण हेतु ख0वि0अ0 श्री दिग्विजय नाथ तिवारी द्वारा निरीक्षण एवं कार्य पूर्ण न होने के प्रति कोई भी पत्र व्यवहार न करने से उनकी भी संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतएव अपहत धनराशि रू0 110850.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से कार्य प्रभारी श्री मु0 अनवर, ख0वि0अ0 श्री दिग्विजय नाथ तिवारी से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
110850.00			110850.00

प्रस्तर संख्या-68—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2011-12 में बी0आर0जी0एफ0 मद से कराये गये कार्य ढोढ़ में पक्की सड़क से प्रा0वि0 तक सी0सी0रोड निर्माण से सामग्री क्रय वगहा बाबा बिल्डिंग मैटेरियल से की है के सापेक्ष कार्य प्रभारी द्वारा रू0 123926.00 का भुगतान सम्बन्धित फर्म के पक्ष में करने का आवेदन कार्य पत्रावली के अनुसार किया गया है। किन्तु ख0वि0अ0 तथा लेखाकार द्वारा उक्त फर्म को मांग के विपरीत रू0 5434.00 अधिक अर्थात् 129360.00 का भुगतान चेक संख्या-895768 दिनांक-22.05.2012 द्वारा किया गया है। स्पष्ट है कि उक्त कृत्य फर्म को अधिक लाभ पहुंचाने की नियत से करके सांठ गांठ द्वारा राजकीय धन की क्षति की गयी है। अतएव उक्त अधिक भुगतान अतएव उक्त अधिक भुगतानित धनराशि रू0 5434.00 की ब्याज सहित वसूली ख0वि0अ0 श्री दिग्विजय नाथ तिवारी तथा लेखाकार श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से संयुक्त रूप में की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
5434.00			5434.00

प्रस्तर संख्या-69—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2011-12 में बी0आर0जी0एफ0 मद से कराये गये कार्य महादेवा में मेडवाईफ सेंटर से प्रधान के घर तक सी0सी0रोड निर्माण से सामग्री कार्य में कार्य प्रभारी द्वारा सामग्री क्रय फर्म वगहा बाबा बिल्डिंग मैटेरियल से की गयी के सापेक्ष रू0 326909.00 की मांग पत्रावली के अनुसार किया गया है। किन्तु ख0वि0अ0 तथा लेखाकार द्वारा उक्त फर्म को मांग के विपरीत रू0 7322.00 अधिक अर्थात् 334231.00 का भुगतान चेक संख्या-898731 दिनांक-23.11.2011 द्वारा किया गया है। स्पष्ट है कि उक्त कृत्य फर्म को अधिक लाभ पहुंचाने की नियत से करके सांठ गांठ द्वारा राजकीय धन की क्षति की गयी है। अतएव उक्त अधिक भुगतान अतएव उक्त अधिक भुगतानित धनराशि रू0 7322.00 की ब्याज सहित वसूली ख0वि0अ0 श्री दिग्विजय नाथ तिवारी तथा लेखाकार श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से संयुक्त रूप में की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
7322.00			7322.00

प्रस्तर संख्या-70—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2011-12 में बी0आर0जी0एफ0 मद से कराये गये कार्य बढ़या में पक्की सड़क से प्रा.वि0 तक सी0सी0 रोड निर्माण में कार्य प्रभारी मु0 अनवर द्वारा सामग्री मद में कुल रू0 438589.00 की मांग के सापेक्ष

1. बगहा बाबा मैटेरियल रू0 126424.00 (बिना फर्म स्वामी के हस्ताक्षरित बिल)
2. बगहा बाबा मैटेरियल रू0 227556.00 (बिना दिनांक तथा बिना फर्म स्वामी के हस्ताक्षरित बिल)
3. बजरंग ब्रिक फील्ड रू0 49663.00 (बिना फर्म स्वामी के हस्ताक्षरित बिल)
4. बजरंग ब्रिक फील्ड (बिना बाउचर सं0-दिनांकित तथा बिना फर्म स्वामी के हस्ताक्षरित बिल)

का बिल प्रस्तुत कर भुगतान सम्बन्धित फर्म को उक्तानुसार कराया गया है। पुनः श्रमांश में रू0 46900 का भुगतान स्वयं कार्य प्रभारी द्वारा लिया गया है। लेखापरीक्षा समय प्रस्तुत कार्य पत्रावली में मस्टररोल बिना क्रमांक का पाया गया। तथा उक्त मस्टररोल में क्रमांक 5 पर अंकित बुद्धिसागर पुत्र रामसुभग कार्य प्रारम्भ दिनांक-01.07.2011 को ही अनुपस्थित दर्शाया गया है। अतः स्पष्ट मस्टररोल फर्जी साबित होता है। साथ ही उक्त कार्य की एम0बी0 भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहना इसकी पुष्टि करता है। इस प्रकार उक्त कार्य पर सामग्री मद में भुगतानित राशि के सापेक्ष बिल तथा श्रमांश मद में रू0 46900.00 का मस्टररोल फर्जी साबित होता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य को बिना कराये ही कार्य प्रभारी ख0वि0अ0 द्वारा फर्म से सांठ गांठ करके धन का अपहरण किया गया है।

इस प्रकार कुल व्यय धनराशि रू0 485489.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री मु0 अनवर ख0वि0अ0 श्री दिग्विजय नाथ तिवारी तथा श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव लेखाकार से संयुक्त रूप अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
485489.00			485489.00

प्रस्तर संख्या-71—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजि-2 निम्न विवरणानुसार धनराशि की निकासी दर्शित है।

कार्य	चेक नं0/दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
विकास खण्ड कार्यालय रंगाई पुताई	013541/13.05.2011	150300.00	श्री परशुराम ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0)

उक्त निर्माण कार्य की कार्य पत्रावली जिसमें प्राक्कलन, टी0एस0, बिज बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा समय मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य दिखाकर प्रभारी को भुगतान कर धनराशि रू0 150300.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतएव रू0 150300.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री परसुराम जाटव ख0वि0अ0 श्री दिग्विजय नाथ तिवारी तथा श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव लेखाकार से संयुक्त रूप से

बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
150300.00			150300.00

प्रस्तर संख्या-72-क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजि-2 निम्न विवरणानुसार धनराशि की निकासी दर्शित है।

कार्य	चेक नं0/दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
सड़हरी में हयूम पाइप पुलिया	031542/18.07.2011	80040.00	श्री अभय प्रताप सिंह ग्रा0पं0अ0

उक्त निर्माण कार्य की कार्य पत्रावली जिसमें प्राक्कलन, टी0एस0, बिल बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा समय मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य दिखाकर प्रभारी को भुगतान कर धनराशि रू0 80040.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतएव रू0 80040.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अभय प्रताप सिंह, ख0वि0अ0 श्री दिग्विजय नाथ तिवारी तथा श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव लेखाकार से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
80040.00			80040.00

प्रस्तर संख्या-73-क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजि-2 निम्न विवरणानुसार धनराशि की निकासी दर्शित है।

कार्य	चेक नं0/दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
समोगर कमाली मार्ग पर 1×3 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया	013545/04.08.2011	91296.00	श्री अभय प्रताप सिंह ग्रा0पं0अ0
	013553/29.09.2021	289016.00	
	योग	380312.00	

उक्त निर्माण कार्य की कार्य पत्रावली जिसमें प्राक्कलन, टी0एस0, बिल बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा समय मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य दिखाकर प्रभारी को भुगतान कर धनराशि रू0 380312.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतएव रू0 380312.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अभय प्रताप सिंह, ख0वि0अ0 श्री दिग्विजय नाथ तिवारी तथा श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव लेखाकार से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
380312.00			380312.00

प्रस्तर संख्या-74-क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजि-2 के अनुसार मनरेगा सेल कम्प्यूटर कक्ष निर्माण कार्य पर चेक संख्या-013546 दिनांक-04.08.2011 द्वारा श्री परशुराम जाटव ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) को रू0 150000.00 भुगतान दर्शित है के सापेक्ष लेखा परीक्षा समय मांगोपरान्त कार्य पत्रावली जिसमें प्राक्कलन, टी0एस0, बिल बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका आदि अप्रस्तुत रहे। जिससे प्रतीत होता है कि फर्जी रूप से कार्य दिखाकर प्रभारी को भुगतान कर धनराशि 150000.00 का अपहरण किया गया है। अतएव रू 150000.00 कार्य प्रभारी श्री परशुराम जाटव, ख0वि0अ0 श्री दिग्विजय नाथ तिवारी तथा लेखाकार श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
150000.00			150000.00

प्रस्तर संख्या-75-क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजि-2 निम्न विवरणानुसार धनराशि की निकासी दर्शित है।

कार्य	चेक नं०/दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
विकास खण्ड कार्यालय मरम्मत	013551/23.08.2011	147444.00	श्री परशुराम जाटव ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०)
	013552/21.09.2011	152556.00	
	योग	300000.00	

उक्त निर्माण कार्य की कार्य पत्रावली जिसमें प्राक्कलन, टी०एस०, बिल बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा समय मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य दिखाकर प्रभारी को भुगतान कर धनराशि रु० 300000.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतएव रु० 300000.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री परशुराम जाटव, ख०वि०अ० श्री दिग्विजय नाथ तिवारी तथा श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव लेखाकार से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
300000.00			300000.00

आपत्तियो वर्ष 2012-13

प्रस्तर संख्या-76-क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के वर्ष 2012-13 शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संख्या की आय न होकर राज्य सरकार की आय होंगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2012-13 में रु० 204861.00 विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2012-13 में रु० 204861.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है।

अर्जित ब्याज रु० 204861.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। अनियमितता के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		204861.00	204861.00

प्रस्तर संख्या-77-क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के वर्ष 2012-13 में कराये गये निर्माण कार्यों में क्रय किये गये सामग्री मूल्य रु० 5409163.00 के भुगतान समय नियमानुसार 2.26 प्रतिशत आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। कुल कटौती रु० 122247.00 के सापेक्ष रु० 18787.00 आयकर नहीं काटा गया है तथा उक्तानुसार राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/ख०वि०अ० श्री दिग्विजय नाथ तिवारी, श्री चन्द्रशेखर, लेखाकार श्री ओमप्रकाश सिंह से संयुक्त रूप से वसूल कर लेखा शीर्षक००२१ में जमा कराया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		18787.00	18787.00

प्रस्तर संख्या-78-क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के वर्ष आलोच्य 2012-13 में क्रय किये गये निर्माण सामग्री पर निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार आयकर रु० 103460.00 की कटौती की गयी है। जिसके जमा की पुष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रु० 103460.00 जमा कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गई है। काटी गयी आयकर धनराशि 103460.00 को लेखा शीर्षक००२१ में तत्काल जमा किया जाय। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है। तो सकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख०वि०अ० आहरण वितरण अधिकारी श्री दिग्विजय तिवारी, श्री चन्द्रशेखर तथा लेखाकार ओम प्रकाश सिंह की होगी। जिनसे संयुक्त रूप से वसूल कर जमा कराना अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		103460.00	103460.00

प्रस्तर संख्या-79-क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के वर्ष आलोच्य 2012-13 में कुल सामग्री क्रय रु0 5409163.00 पर 4 प्रतिशत की दर कुल रु0 216366.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि उक्त वर्ष में रु0 शून्य की कटौती की गई है जिससे रु0 216366.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति रु0 216366.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री दिग्विजय नाथ तिवारी, श्री चन्द्रशेखर तथा लेखाकार ओम प्रकाश सिंह से का जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		216366.00	216366.00

प्रस्तर संख्या-80-क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के वर्ष आलोच्य 2012-13 में ग्रांट रजि0-2 एवं कार्य पत्रावली के अनुसार राज्य वित्त से ग्राम कुडवा में सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 रोड निर्माण हेतु रु0 250000.00 का व्यय सामग्री मद में किया गया है। कार्य पत्रावली में लगे लागत स्वीकृति के अनुसार उक्त कार्य पर रु0 635000.00 व्यय होना था। परन्तु कार्य पत्रावली एवं ग्रांट रजि0-2 के अनुसार उक्त कार्य पर मात्र 250000.00 का भुगतान किया गया है। लागत धनराशि के पूर्ण भुगतान का न होने मजदूरी की भुगतान न होने की दशा में स्पष्ट है कि कार्य नहीं कराया गया है तथा फर्म से सांठ गांठ कर खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनेश तिवारी एवं लेखाकार प्रमोद श्रीवास्तव द्वारा रु0 250000.00 का अपहरण किया गया है। अतएव अपहृत धनराशि रु0 250000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ख0वि0अ0 श्री दिग्विजय नाथ तिवारी लेखाकार प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
250000.00			250000.00

प्रस्तर संख्या-81-क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के वर्ष आलोच्य 2012-13 में ग्रांट रजि0-2 एवं कार्य पत्रावली के अनुसार राज्य वित्त से सांडेखुर्द में शिव मन्दिर पर सी0सी0 रोड निर्माण हेतु श्री अभय प्रताप सिंह को चेक संख्या-027088/14.08.2012 से रु0 150000.00 का अग्रिम भुगतान किया गया है। जिसके आपेक्ष कार्य पत्रावली में रु0 100180.00 की सामग्री क्रय का बिल लगा पाया गया। उक्त कार्य पर प्राक्कलन अनुसार रु0 323000.00 व्यय होना था। परन्तु कार्य पत्रावली एवं ग्रांट रजि0-2 के अनुसार उक्त कार्य पर मात्र रु0 150000.00 का भुगतान किया गया है। लागत धनराशि के पूर्ण भुगतान न होने मजदूरी का भुगतान न होने रु0 150000.00 के सापेक्ष रु0 100180.00 का ही बिल लगा होने की दशा में स्पष्ट है कि कार्य नहीं कराया गया है तथा फर्म से सांठगांठ कर श्री अभय प्रताप सिंह (ग्राम पं0अ0), ख0वि0अ0 श्री दिग्विजय नाथ तिवारी तथा लेखाकार प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा रु0 150000.00 का अपहरण किया गया है। अतएव अपहृत धनराशि रु0 150000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से श्री अभय प्रतापसिंह ग्रा0पं0अ0, ख0वि0अ0 श्री दिग्विजय नाथ तिवारी लेखाकार प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
150000.00			150000.00

प्रस्तर संख्या-82-क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के वर्ष आलोच्य 2012-13 में ग्रांट रजि0-2 एवं कार्य पत्रावली के अनुसार विधायक निधि मद से नन्दौर गांव में सोनू खँ के घर के बगल 1×3 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण पर रु0 99353.00 का भुगतान सामग्री मद में किया गया है। उक्त कार्य पर प्राक्कलन अनुसार रु0 315000.00 व्यय होना था। परन्तु कार्य पत्रावली एवं ग्रांट रजि0-2 के अनुसार उक्त कार्य पर मात्र रु0 99353.00 का भुगतान किया गया है। लागत धनराशि के पूर्ण धनराशि का भुगतान न होने, मजदूरी का भुगतान न होने की दशा में स्पष्ट है कि कार्य नहीं कराया गया है तथा फर्म से सांठगांठ कर ख0वि0अ0 श्री दिग्विजय तिवारी तथा लेखाकार ओम प्रकाश सिंह द्वारा रु0 99353.00 का अपहरण किया गया है।

अत एव अपहृत धनराशि रु0 99353.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ख0वि0अ0 श्री दिग्विजय तिवारी लेखाकार ओमप्रकाश सिंह से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
99353.00			99353.00

आपत्तियों वर्ष 2013-14

प्रस्तर संख्या-83-क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के वर्ष 2013-14 शासनादेश संख्या-ए-1-122 /दस-2012-10 (33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संख्या की आय न होकर राज्य सरकार की आय होंगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2013-14 में रु0 288045.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अर्जित ब्याज रु288045.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		288045.00	288045.00

प्रस्तर संख्या-84-क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2013-14 में क्रय किये गये निर्माण कार्यों में क्रय किये गये सामग्री मूल्य रु0 10972892.00 के भुगतान समय नियमानुसार 2.26 प्रतिशत आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। कुल कटौती रु0 247987.00 के सापेक्ष रु0 12289.00 आयकर नहीं काटा गया है तथा उक्तानुसार राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री दिग्विजय तिवारी, श्रीमती पुष्पा सोनकर, लेखाकार श्री ओमप्रकाश सिंह से संयुक्त रूप से वसूल कर लेखा शीर्षक0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		12289.00	12289.00

प्रस्तर संख्या-85-क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2013-14 में क्रय किये गये निर्माण सामग्री पर निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार आयकर रु0 235698.00 की कटौती की गयी है। जिसके जमा की पुष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रु0 235698.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाया गया है। काटी गयी आयकर धनराशि 235698.00 को लेखा शीर्षक0021 में तत्काल जमा किया जाय। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो सकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अ0 आहरण वितरण अधिकारी श्री दिग्विजय नाथ तिवारी, रीमती पुष्पा सोनकर, तथा लेखाकार ओम प्रकाश सिंह की होगी। जिनसे संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		235698.00	235698.00

प्रस्तर संख्या-86-क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2013-14 में कुल सामग्री क्रय रु0 10972892.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 438915.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि उक्त वर्ष में रु0 शून्य की कटौती की गई है। जिससे रु0 438915.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति रु0 438915.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री दिग्विजय नाथ तिवारी, श्रीमती पुष्पा सोनकर, तथा लेखाकार ओम प्रकाश सिंह से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		438915.00	438915.00

प्रस्तर संख्या-87-क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2013-14 में बी0आर0जी0ए0 मद से कराये गये कार्य मेंहदावल सिक्टोर बाबूरोड पर 1,3 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण हेतु कार्य प्रभारी श्री रविन्द्रनाथ कुशवाहा (ग्रा0पं0अ0) द्वारा रु0 135996.00 का भुगतान सामग्री क्रय पर भुगतान बिल पर किया गया है। उक्त कार्य पर प्राक्कलन के अनुसार रु0 333000.00 व्यय होना चाहिए। परन्तु कार्य पत्रावली एवं

ग्रांट रजि०-2 के अनुसार उक्त कार्य पर मात्र 135996.00 का भुगतान किया गया है। लागत धनराशि के पूर्ण भुगतान का न होने, मजदूरी का भुगतान न होने, माप पुस्तिका न प्रस्तुत करने तथा मात्र 135996.00 का ही बिल लगा होने की दशा में स्पष्ट है कि कार्य नहीं कराया गया है तथा फर्म से सांठगांठ कर श्री रविन्द्रनाथ कुशवाहा, ख०वि०अ० श्रीमती पुष्पा सोनकर द्वारा रू० 135996.00 का अपहरण किया गया है।

अतएव अपहृत धनराशि रू० 135996.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से श्री रविन्द्रनाथ कुशवाहा (ग्रा०प०अ०) ख०वि०अ० श्रीमती पुष्पा सोनकर से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
135996.00			135996.00

प्रस्तर संख्या-88—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2013-14 में विधायक निधि अन्तर्गत कार्य साडेकला गांव में नाला ड्रेन निर्माण 300 मी० में ग्रांट रजि०-2 तथा कार्य पत्रावली के अनुसार सामग्री क्रय पर रू० 250551.00 का भुगतान किया गया है। प्राक्कलन के अनुसार उक्त कार्य पर रू० 810000.00 व्यय होना था। परन्तु कार्य पत्रावली एवं ग्रांट रजि०-2 के अनुसार उक्त कार्य पर मात्र सामग्री मद में रू० 250551.00 का व्यय किया गया है। लागत धनराशि के पूर्ण भुगतान का न होना, मस्टररोल अप्रस्तुत रहने, श्रमांश का भुगतान न होने, माप पुस्तिका अप्रस्तुत रहने की दशा में स्पष्ट है कि कार्य नहीं कराया गया है तथा फर्म से सांठगांठ करके ख०वि०अ० श्री दिग्विजय नाथ तिवारी द्वारा रू० 250551.00 का अपहरण किया गया है।

अत एव अपहृत धनराशि रू० 250551.00 की ब्याज सहित वसूलीख०वि०अ० श्री दिग्विजय नाथ तिवारी से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
250551.00			250551.00

प्रस्तर संख्या-89—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2013-14 में ग्रांट रजि०-3 के अनुसार दिनांक-01.04.2011 का प्रा० अवशेष ब्याज मद में रू० 190900.00 दर्शित है जो 31.03.2014 को यथावत रहा। ब्याज में अंकित धनराशि रू० 190900.00 को रोककर आपत्ति सं०-1 के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है। ब्याज की राशि रू० 190900.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। अनियमितता के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		190900.00	190900.00

प्रस्तर संख्या-90—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2013-14 में ग्रांट रजि०-3 के अनुसार दिनांक-31.03.2014 तक निम्न विवरणानुसार धनराशियां निष्प्रयोज्य रही।

क्र०सं०	नाम योजना	धनराशि
1.	एस०जी०आर०वाई०	2920.00
2.	पू०वि०नि०	30714.00
3.	धूम्र रहित चूल्हा	10694.00
4.	इन्दिरा आवास	46950.00
5.	महिला काम्पलेक्स	1107.00
6.	एन०आर०ई०पी० लिपिक वेतन	3671.00
7.	ग्रामीण जीवन बीमा	258.00
8.	ग्रामीण क्षेत्र में लगाये गये हैण्डपम्प	7.00
9	सांसद निधि सूखा राहत	3819.00
10	जनता वायोगैस	54420.00
	योग	154560.00

उपरोक्त तालिका में इस प्रकार कुल रू० 154560.00 मदवार अंकित धनराशि विगत वर्ष से अनुपयोगित रहा जो क्षेत्र पंचायत में निष्प्रयोजित पड़ी रही। निष्प्रयोजित पड़ी धनराशि को प्रदाता के समय से वापस न कर गम्भीर अनियमितताएं की गयी है। इस प्रति ख०वि०अ० श्रीमती पुष्पा सोनकर व लेखाकार श्री

ओमप्रकाश सिंह जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अतः एंव तालिका में मदवार अंकित धनराशि को तत्काल प्रदाता को वापस किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		154560.00	154560.00

आपत्तियों वर्ष 2014-15

प्रस्तर संख्या-91—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के वर्ष 2014-15 शासनादेश संख्या-ए-1-122 /दस-2012-10 (33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संख्या की आय न होकर राज्य सरकार की आय होंगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2014-15 में रु0 501471.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है।

अर्जित ब्याज रु0 501471.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। अनियमितता के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		501471.00	501471.00

प्रस्तर संख्या-92—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के निम्न विवरणानुसार वर्ष 2014-15 में आयकर 2.26 प्रतिशत कार्य पत्रावली के अनुसार नहीं काटा गया है।

योजना	कार्य	कटौती योग्य राशि	कटौती की गयी	कम कटौती
बी0आर0जी0एफ0	नौगो म बलराम के घर से बंधा तक सी0सी0रोड	9817.00	5282.00	4535.00
राज्य/तेरहवा वित	वि0ख0 कार्यालय आवासीय भवन मरम्मत	6181.00	—	6181.00
सांसद निधि	बेलाली गांव में खड़ण्जा निर्माण	14889.00	5003.00	9886.00
	नन्दौर पी0डब्लू0डी0 रोड से घोरहटा मार्ग पर 2 मी0 स्पान की पुलिया	6780.00	1580.00	5200.00
			योग	25802.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार रु0 25802.00 आयकर की कटौती न कर राजकीय राजस्व की हानि की गयी है। इस प्रति ख0वि0अ0 श्रीमती पुष्पा सोनकर तथा लेखाकार श्री विनोद कुमार जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		25802.00	25802.00

प्रस्तर संख्या-93—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के निम्न विवरणानुसार वर्ष 201-15 में कार्य पत्रावली अनुसार व्यापार कर की कटौती नहीं की गयी है।

योजना	कार्य	कटौती योग्य राशि	कटौती की गयी	कम कटौती
बी0आर0जी0ए फ0	नौगो म बलराम के घर से बंधा तक सी0सी0रोड	17376.00	9350.00	8026.00
राज्य/तेरहवा	वि0ख0 कार्यालय	10940.00	—	10940.0

वित्त	आवासीय भवन मरम्मत			
	ग्राम गगनई राव में सी0सी0 रोड	22583.00	16015.00	6568.00
सांसद निधि	बेलाली गांव में खड़ण्जा निर्माण	26352.00	8832.00	17520.00
	नन्दौर पी0डब्लू0डी0 रोड से घोरहटा मार्ग पर 2 मी0 स्पान की पुलिया	12000.00	2790.00	9210.00
			योग	52264.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार रू0 52264.00 व्यापार कर की कटौती न कर राजकीय राजस्व की हानि की गयी है। इस प्रति ख0वि0अ0 श्रीमती पुष्पा सोनकर तथा लेखाकार श्री विनोद कुमार जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		52264.00	52264.00

प्रस्तर संख्या-94—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2014-15 में कार्य पत्रावली अनुसार विभिन्न मदों से व्यापार कर की कटौती निम्नानुसार की गयी है।

मद	कटौती
राज्यवित्त/तेरहवा वित्त	131817.00
सांसद निधि	11622.00
बी0आर0जी0एफ0	82872.00
योग	226311.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार रू0 226311.00 व्यापारकर की कटौती की गई जिसकी जमा की पुष्टि में कोई भी जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रू0 226311.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुँचायी गयी है। काटी गयी व्यापार कर की धनराशि को तत्काल जमा किया जाय। इस प्रति ख0वि0अ0 श्रीमती पुष्पा सोनकर तथा लेखाकार श्री विनोद कुमार जिम्मेदार है। हानि के प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		226311.00	226311.000

प्रस्तर संख्या-95—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2014-15 में राज्यवित्त योजना से कराये गये कार्य ग्राम सीयर में इ0ला0 निर्माण में कार्य पत्रावली अनुसार कार्य प्रभारी को चेक संख्या-067417/17.02.2015 से रू0 240426.00 तथा चेक संख्या-067407/08.12.2014 से रू0 300000.00 कुल रू0 540426.00 का भुगतान किया गया है जिसके सापेक्ष कार्य प्रभारी द्वारा भुगतानित रू0 434739.00 का सामग्री क्रय का बिल तथा 82800.00 का मस्टररोल अर्थात् कुल रू0 517539.00 का बिल/मस्टररोल कार्य पत्रावली में संलग्न पाया गया। अन्तर रू0 22887.00 का कोई भी बिल/बाउचर/मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। स्पष्ट है कि रू0 22887.00 का अपहरण कार्य प्रभारी एवं ख0वि0अ0 द्वारा कर लिया गया है। अतएव अपहृत धनराशि रू0 22887.00 की वसूली ब्याज सहित कार्य प्रभारी श्री अंगद कुमार गौड़ तथा ख0वि0अ0 श्रीमती पुष्पा सोनकर से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
22887.00			22887.00

प्रस्तर संख्या-96—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्रांट रजि0-2 में चेक संख्या-188235/31.03.2015 से रू0 23200.00 कार्यालय प्रयोग हेतु कुर्सी फाइबर के लिए शिवम इण्टर प्राइजेज को दिया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में इस प्रति कोई भी व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा। स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान फर्जी तरीके से करके ख0वि0अ0 द्वारा फर्म से सांठगांठ कर रू0 23200.00 का

अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ख0वि0अ0 श्रीमती पुष्पा सोनकर से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
23200.00			23200.00

आपत्तियो वर्ष 2015-16

प्रस्तर संख्या-97—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के वर्ष 2015-16 शासनादेश संख्या-ए-1-122 /दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संख्या की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2015-16 में रु0 338940.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है।

अर्जित ब्याज रु0 338940.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। अनियमितता के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		338940.00	338940.00

प्रस्तर संख्या-98—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्यवित्त मद से क्रय किये गये निर्माण सामग्री पर निर्माण कार्य पत्रावली अनुसार आयकर रु0 124202.00 की कटौती ककी गयी है। जिसके जमा की पुष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि गयी कटौती रु0 124202.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुचायी गयी है। काटी गयी आयकर धनराशि 124202.00 को लेखा शीर्षक0021 में तत्काल जमा किया जाय। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अ0 आहरण वितरण अधिकारी श्री राजबहादुर सिंह तथा लेखाकार श्री विनोद कुमार की होगी जिनसे संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		124202.00	124202.00

प्रस्तर संख्या-99—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्यवित्त मद से कराये गये कार्य पर निर्माण सामग्री पर निर्माण कार्य पत्रावली अनुसार रु0 219859.00 व्यापार कर की कटौती की गयी है। जिसके जमा की पुष्टि में कोई चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि गयी कटौती रु0 219859.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुचायी गयी है। काटी गयी व्यापार कर धनराशि 219859.00 को तत्काल जमा किया जाय। इस प्रति समस्त जिम्मेदारी ख0वि0अ0 श्री राजबहादुर सिंह तथा लेखाकार श्री विनोद कुमार की है। जिम्मेदार के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		219859.00	219859.00

प्रस्तर संख्या-100—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2015-16 में ग्रांट रजि0-2 में चेक संख्या-079576/07.11.2015 से रु0 84000.00 क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रधान का मानदेय हेतु श्री खुर्शीद अहमद उर्दू अनुवादक को दिया जाना दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रधान द्वारा उपराक्त धन की प्राप्ति रशीद/प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। इससे प्रतीत होता है कि काल्पनिक व्यय दिखाकर रु0 84000.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतएव अपहृत धनराशि रु0 84000.00 की ब्याज सहित वसूली ख0वि0अ0 श्री विनय कुमार श्रीवास्तव तथा खुर्शीद अहमद उर्दू अनुवादक से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

84000.00			84000.00

प्रस्तर संख्या-101—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2015-16 में ग्रांट रजि0-2 में चेक संख्या-079577/30.03.2016 से रू0 20000.00 कार्यालय प्रयोग हेतु श्री गिरजेश पाण्डेय, स0वि0अ0 (पं0) को दिया जाना दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। इससे प्रतीत होता है कि काल्पनिक व्यय दिखाकर रू0 20000.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतएव अपहृत धनराशि रू0 20000.00 की ब्याज सहित वसूली ख0वि0अ0 श्री राजबहादूर सिंह एवं श्री गिरजेश पाण्डेय से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20000.00			20000.00

आपत्तियो वर्ष 2016-17

प्रस्तर संख्या-102—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के वर्ष 2016-17 शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संख्या की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2016-17 में रू0 275820.00 तथा ग्रांट 3 के अनुसार रू0 190900.00 जो विगर्त से यथावत दर्शित है। कुल मिलाकर रू0 466720.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है।

अर्जित ब्याज रू0 466720.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		466720.00	466720.00

प्रस्तर संख्या-103—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के वर्ष 2016-17 से सांसद निधि से कराये गये निर्माण बढ़या ढाढर में बंधे पर शौचालय निर्माण में क्रय किये गये सामग्री मूल्य रू0 51041.00 के भुगतान समय नियमानुसार 2.26 प्रतिशत आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। कुल कटौती रू0 1154.00 के सापेक्ष रू0 1154.00 आयकर नहीं काटा गया है तथा उक्तानुसार राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री उमाकान्त शुक्ल लेखाकार श्री विनोद कुमार से संयुक्त रूप से वसूल कर लेखा शीर्षक0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		1154.00	1154.00

प्रस्तर संख्या-104—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2016-17 में क्रय किये गये निर्माण सामग्री पर सांसद निधि मद में रू0 23658.00 तथा राज्यवित्त से रू0 73330.00 निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार कुल आयकर रू0 96988.00 की कटौती की गयी है। जिसके जमा की पुष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रू0 96988.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाया गया है। काटी गयी आयकर धनराशि 96988.00 को लेखा शीर्षक0021 में तत्काल जमा किया जाय। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो सकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अ0 आहरण वितरण अधिकारी श्री चन्द्रशेखर तथा लेखाकार श्री विनोद कुमार की होगी। जिनसे संयुक्त रूप से वसूल कर जमा कराना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		96988.00	96988.00

प्रस्तर संख्या-105—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2016-17 में कराये गये निर्माण कार्यो में सामग्री के सापेक्ष कार्य पत्रावली के अनुसार राज्यवित्त से रू0 129439.00 तथा सांसद निधि से रू0 41835.00 कुल रू0 171274.00 व्यापार कर की कटौती की गयी है। जिसके जमा की पुष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि गयी कटौती रू0 171274.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाया गया है। काटी गयी व्यापार कर की धनराशि 171274.00 को तत्काल जमा किया जाय। इस प्रति समस्त जिम्मेदारी ख0वि0अ0 श्री चन्द्रशेखर तथा लेखाकार श्री विनोद कुमार की है। उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार पर आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		171274.00	171274.00

प्रस्तर संख्या-106—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2016-17 में सांसद निधि मद में कराये गये कार्य बढ़या ढाढर में बंधे पर शौचालय निर्माण में सामग्री क्रय रू0 51041.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 2041.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि उक्त वर्ष में रू0 शून्य की कटौती की गई है जिससे रू0 2041.00 के राजस्व की क्षति पहुंचांयी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति रू0 2041 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ आहरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री उमाकान्त शुक्ल, तथा लेखाकार विनोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		2041.00	2041.00

प्रस्तर संख्या-107—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्यवित्त मद से कराये गये कार्य बढ़या टोला मधईपुर में नाली एवं ढक्कन निर्माण पन्नेलाल के घर से विजय शंकर के घर तक 100 मी0 में कार्य प्रभारी श्री मु0 अनवर ए0डी0ओ0एस0टी0 द्वारा रू0 108618.00 का भुगतान सामग्री क्रय पर भुगतान बिल पर किया गया है। उक्त कार्य पर प्राक्कलन के अनुसार रू0 159118.00 व्यय होना चाहिए। परन्तु कार्य पत्रावली एवं ग्रांट रजि0-2 के अनुसार उक्त कार्य पर मात्र 108618.00 का भुगतान किया गया है। लागत धनराशि के पूर्ण भुगतान का न होने, मजदूरी का भुगतान न होने, माप पुस्तिका न प्रस्तुत करने तथा मात्र 108618.00 का ही बिल लगा होने की दशा में स्पष्ट है कि कार्य नहीं कराया गया है। तथा फर्म से सांठगांठ कर मो0 अनवर, ख0वि0अ0 श्री चन्द्रशेखर द्वारा 108618.00 का अपहरण किया गया है।

अतएव अपहृत धनराशि रू0 108618.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से श्री मो0 अनवर (कार्य प्रभारी), श्री चन्द्रशेखर ख0वि0अ0 से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
108618.00			108618.00

प्रस्तर संख्या-108—क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के आलोच्य वर्ष 2016-17 में ग्रांट रजि0-3 के अनुसार 31.03. 2017 तक निम्न विवरणानुसार धनराशियां निष्प्रयोज्य रही—

क्र0सं0	नाम योजना	धनराशि
1.	एस0जी0आर0वाई0	2920.00
2.	पू0वि0नि0	30714.00
3.	विधायक निधि	550105.00
4.	धूम्र रहित चूल्हा	10694.00
5.	महिला काम्पलेक्स	1107.00
6.	एन0आर0ई0पी0 लिपि वेतप	3671.00
7.	जनता वायोगैस	54420.00
8.	ग्रामीण जीवन बीमा	258.00
9.	ग्रामीण क्षेत्र में लगाये गये हैण्डपम्प	07.00
10.	सांसद निधि सूखा राहत	3819.00
11.	वी0आर0जी0एफ0	1741867.00

12	डी0आर0डी0ए0 कटीजेंसी	426.00
13.	आर्थिक एवं जातिगत जनगणना	130.00
14.	पेयजल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम	10290.00
	योग	2410428.00

उपरोक्त तालिका में इस प्रकार कुल रू0 2410428.00 मदवार अंकित धनराशि विगत वर्ष से अनुपयोगित रहा जो क्षेत्र पंचायत में निष्प्रयोजित पड़ी रही। निष्प्रयोजित पड़ी धनराशि को प्रदाता के समय से वापस न कर गम्भीर अनियमितताएं की गयी है। इस प्रति ख0वि0अ0 श्री चन्द्रशेखर व लेखाकार श्री विनोद कुमार जिम्मेदार है।

अतःएवं तालिका में मदवार अंकित धनराशि को तत्काल प्रदाता को वापस किया जाना अपेक्षित है।
आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		2410428.00	2410428.00

आपत्ति 2011-12

प्रस्तर संख्या-109—क्षेत्र पंचायत हैसर बाजार के आलोच्य वर्ष 2011-12 में ब्लाक के विभिन्न स्थानों पर हाईमास्ट लाईट लगाने हेतु चारण मेसर्स गोडा से रू0 47200 का-4 रू0 708000 का 11 एवं रू0 590000 का 5 लाईट लगवाने का भुगतान क्रमशः 9.5.12 16.04.2012 एवं 14.12.12 को किया गया है। नियमानुसार उक्त भुगतान पर टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गयी है।

भुगतान	टी0डी0एस0
472000	10573
708000	15859
590000	13216
योग—	39648

इस प्रकार रू0-39648 के राजकीय राजस्व की क्षति पहुचाई गयी है। इसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। साथ ही लाईट लगवाने का सत्यापन प्रमाण-पत्र/कार्यपूति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। अतः लाईट लगाने की वास्तविकता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार उक्त भुगतान रू0 472000+70800+590000 त्र 1770000 अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		1770000.00	1770000.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		39648.00	39648.00

प्रस्तर संख्या-110—क्षेत्र पंचायत हैसर बाजार के आलोच्य वर्ष 2011-12 में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय का भुगतान अनियमित रूप से कार्य प्रभारी को किया गया:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1.	दुधारा कला परसा	302123	पी0एन0त्रिपाठी ग्रा0पं0अ0
2.	गायघाट पिच रोड से अमाली स0मा0 पर पुलिया	295793	अशोक कुमार गुप्ता ग्रा0पं0अ0
3.	ग्राम समरडीह में विवाह पर निर्माण	106939	राजेश कुमार ग्रां0वि0अ0
4.	बेगवा बाजार में जू0हा0 स्कूल पर पुलिया	305574	राजेश कुमार ग्रां0वि0अ0
योग		1011169.00	कुल रू0 411513

उक्त अनियमित भुगतान के लिए तत्कालीन लेखाकार एवं बी0डी0ओ0 उत्तरदायी है। अनियमित

भुगतान के लिए लेखाकार एवं बी0डी0ओ0 पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		411513.00	411513.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		302123.00	302123.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		295793.00	295793.00

प्रस्तर संख्या-111-क्षेत्र पंचायत हैसर बाजार के आलोच्य वर्ष 2011-12 में दिनांक-31.03.2012 को रू0 3867768 का अनुदान शेष रह गया। जिसे नियमानुसार अनुदानदाता को वापस कर दिया जाना चाहिए था जो बी0डी0ओ0 एवं तत्कालीन लेखाकार द्वारा अनियमित रूप से रोककर रखा गया। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		3867768.00	3867768.00

आपत्ति 2012-13

प्रस्तर संख्या-112-क्षेत्र पंचायत हैसर बाजार के आलोच्य वर्ष 2012-13 में दिनांक-31.03.2013 को रू0 2043123.00 शेष अनुदान अनियमित रूप से ख0वि0अ0 एवं तत्कालीन लेखाकार द्वारा रोककर रखा गया। जिसे अनुदानदाता को वापस कर दिया जाना चाहिए था। अनियमितता के लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		2043123.00	2043123.00

प्रस्तर संख्या-113-क्षेत्र पंचायत हैसर बाजार के आलोच्य वर्ष 2012-13 में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय का भुगतान अनियमित रूप से कार्य प्रभारी को किया गया:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1.	मुडैरा में आर0सी0सी0 पुलिया	298001	दिवाकर सिंह ग्रां0पं0अ0
2.	रामदरहिया में पुलिया	330217	राजेश कुमार ग्रां0पं0अ0

उक्त अनियमित भुगतान के लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार अनिल सिंह एवं सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		298001	298001.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		330217.00	330217.00

प्रस्तर संख्या-114-क्षेत्र पंचायत हैसर बाजार के आलोच्य वर्ष 2012-13 में ब्लाक के जिन स्थानों पर सोलर लाईट लगवाया गया है। भुगतान के सापेक्ष टी0डी0एस0 कटौती नहीं।

1.	120000	2240	श्याम कांस्टक्शन	सं0-6
2.	342000	7161	कीरत ट्रेडर्स	सं0-12
3.	285000	6384	कीरत ट्रेडर्स	सं0-10
	योग-	16305		

इस प्रकार रू0 16305 से राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन

बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार अनिल सिंह उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		16305.00	16305.00

प्रस्तर संख्या-115—क्षेत्र पंचायत हैसर बाजार के आलोच्य वर्ष 2012-13 में कार्य डुहिया खुर्द के छपिया में खडण्जा एवं नाली निर्माण पर कुल रु0 185844 सामग्री क्रय भुगतान पर दर्शित है। परन्तु इसके सापेक्ष मस्टररोल उपलब्ध नहीं रहा। अतः कार्य हुआ या नहीं स्पष्ट नहीं रहा। कार्यपूर्ति भी उपलब्ध नहीं रहा। स्पष्ट है कि उक्त व्यय काल्पनिक रूप से दिखाकर कार्य प्रभारी पी0एन0 त्रिपाठी द्वारा अपहरण किया गया। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार अनिल सिंह एवं पी0एन0 त्रिपाठी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		185844.00	185844.00

आपत्ति संख्या-2013-14

प्रस्तर संख्या-116—क्षेत्र पंचायत हैसर बाजार के आलोच्य वर्ष 2013-14 में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1.	पिच रोड से तकिया गांव तक खडण्जा	192700	दिवाकर सिंह
2.	पिच रोड से औराडांड तक खडण्जा	180480	राजेश सिंह
3.	रामजानकी मार्ग से भरतपुरा में इण्टरलाकिंग	321195	राजेश सिंह
4.	चपरा पूर्वा से घघरा नदी रोड पर पुलिया	434173	राजेश सिंह
5.	राम जानकी मार्ग से चंडा बनील में इण्टरलाकिंग	833503	राजेश सिंह

इस प्रकार अनियमित रूप से रु0 192700 दिवाकर सिंह को एवं रु0 17693391 राजेश सिंह को भुगतान किया गया। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार अनिल सिंह सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		192700	192700

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		1769351.00	1769351.00

प्रस्तर संख्या-117—क्षेत्र पंचायत हैसर बाजार के आलोच्य वर्ष 2013-14 में जांच में पाया गया कि रु0 17084.00 का चेक सं0-778093 दिनांक-02.02.2015 को श्री कमलापति को भुगतान है परन्तु उसके सापेक्ष बाउचर्स उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उक्त भुगतान को काल्पनिक रूप से दिखाकर अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार अनिल सिंह एवं सम्बन्धित कार्य प्रभारी श्री कमलापति उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
17084.00			17084.00

प्रस्तर संख्या-118—क्षेत्र पंचायत हैसर बाजार के आलोच्य वर्ष 2013-14 में दिनांक-15.06.2016 से 23.06.2016 मस्टररोल रु0 26980 का चेक सं0-976081 द्वारा राजेश कुमार को प्रेशित है। सम्बन्धित मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं है। स्पष्ट है कि उक्त भुगतान राजेश कुमार द्वारा काल्पनिक रूप से दिखाकर अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार अनिल सिंह एवं सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
26980.00			26980.00

आपत्ति वर्ष 2014-2015 से 2016-2017

प्रस्तर संख्या-119—क्षेत्र पंचायत हैंसर बाजार के आलोच्य वर्ष 2014-2015 में दिनांक-13.01.2015 के चेक संख्या-708686 से रु0 60398.00 का भुगतान दर्शित है। परन्तु सम्बन्धित बाउचर्स लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध नहीं रहा। अनियमित रूप से चेक काटकर व्यय दिखाकर धन का अपहरण किया गया है। इसके लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
60398.00			60398.00

प्रस्तर संख्या-120—क्षेत्र पंचायत हैंसर बाजार के आलोच्य वर्ष 2014-2015 में दिनांक-31.03.2015 को अनुदान मद में रु0 4018295.00 अवशेष रहा। नियमानुसार यह धन अनुदानदाता को वापस कर दिया जाना चाहिए। अनुदान रोककर उक्त धन अनियमित रूप से बी0डी0ओ0 एवं तत्कालीन लेखाकार द्वारा रोककर रखा गया। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		4018295.00	4018295.00

प्रस्तर संख्या-121—क्षेत्र पंचायत हैंसर बाजार के आलोच्य वर्ष 2015-2016 में निम्न कार्यो पर मस्टर रोल का भुगतान दर्शित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1.	कोड़ईया पिच रोड से राममिलन के घर तक इण्टरलाकिंग	67729	अस्पष्ट
2.	कोड़ईया में रामू के घर से रामधनी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	67560.00	अस्पष्ट
	योग—	135289.00	

प्रस्तुत मस्टररोल पर मजदूरो के हस्ताक्षर नहीं है। स्पष्ट है कि उक्त को अनियमित रूप से व्यय दर्शाकर अपहरण सम्बन्धित बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार द्वारा किया गया है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
135289.00			135289.00

प्रस्तर संख्या-122—क्षेत्र पंचायत हैंसर बाजार के आलोच्य वर्ष 2015-2016 में मिट्टी कार्य निम्न विवरणानुसार कराया गया है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	धनराशि	रायल्टी
1.	रजनौली में विशम्भर राय के घर से गंगाराम के घर तक इण्टरलाकिंग	4.25 घन मी0	127
2.	भरतपुरा में पी0डब्लू0डी0 रोड से शिवा जी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	357.44 घन मी0	10723
	योग—	10850.00	

नियमानुसार उक्त रायल्टी रु0 10850 राजकीय राजस्व के जमा न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। इस अनियमिता के लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		10850.00	10850.00

प्रस्तर संख्या-123-क्षेत्र पंचायत हैसर बाजार के आलोच्य वर्ष 2016-2017 में दिनांक-31.03.2016 को रू0 3961352.00 अनुदान का धन अनियमित रूप से संस्था पर रोककर रखा गया है। इसे सम्बन्धित अनुदानदाता को वापस कर दिया जाना चाहिए था। जो नहीं किया गया इस अनियमितता के लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार अनिल सिंह उत्तरदायी है। अनियमितता के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		3961352.00	3961352.00

प्रस्तर संख्या-124-क्षेत्र पंचायत हैसर बाजार के आलोच्य वर्ष 2016-2017 में दिनांक-31.03.2017 को रू0 7194640 रू0 का अनुदान मद का अवशेष सम्बन्धित अनुदाता को वापस न कर अनियमित रूप से सम्बन्धित बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार द्वारा संस्था पर रोककर रखा गया है। तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार अनिल सिंह उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		7194640.00	7194640.00

प्रस्तर संख्या-125-क्षेत्र पंचायत हैसर बाजार के आलोच्य वर्ष 2016-2017 में दिनांक-31.03.2017 को रू0 272365 ब्याज की धनराशि अवशेष गत कई वर्ष से यथावत दर्शित चला आ रहा है। नियमानुसार ब्याज सम्बन्धित अनुदानदाता को वापस न कर अनियमित रूप से बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार द्वारा रोक कर रखा गया है। तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार अनिल सिंह उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		272365.00	272365.00

प्रस्तर संख्या-126-क्षेत्र पंचायत हैसर बाजार के आलोच्य वर्ष 2016-2017 में निम्न विवरणानुसार मदजूरी का भुगतान दर्शित है। प्रस्तुत मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

क्र0सं0	कार्य का नाम	मजदूरी	प्राप्तकर्ता
1.	मल सेवा के पूरब नाले पर आर0सी0सी0 पुलिया	137095	कमलेश पति त्रिपाठी
2.	जिगना मे लालमन के घर से दक्षिण ताल तक नाली	41340	कमलेश पति त्रिपाठी
	योग-	178435	

स्पष्ट है कि उक्त धन का अपहरण तत्कालीन बी0डी0ओ0, लेखाकार अनिल सिंह एवं प्रभारी कमलेश पति त्रिपाठी द्वारा किया गया है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
178435.00			178435.00

आपत्ति वर्ष 2011-12

प्रस्तर संख्या-127-क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के आलोच्य वर्ष 2011-12 में लेखा परीक्षा में सिर्फ राज्य वित्त से सम्बन्धित कुल 4 (चार) पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध रही। जिसमें निर्माण कार्यों पर कुल रू0 1099299.00 व्यय/भुगतान हुआ है। जबकि वास्तव में इस मद में अनुदान पंजी 2 के अनुसार 2343015.00 व्यय हुआ है, साथ ही निम्न दर्शित योजना मदों में विवरणानुसार व्यय/भुगतान किया गया है। जबकि कोई पत्रावली जांच हेतु उपलब्ध नहीं रही।

क्र0सं0	योजना मद	व्यय/भुगतान की धनराशि
1.	विधायक निधि	59409.00
2.	सांसद निधि	1054403.00
3.	बारहवां/तेरहवां वित्त	1216668.00
4.	पूर्वांचल विकास निधि	48386.00

5.	का0ग्रा0वि0 मड़िया	20000.00
6.	पिछड़ा जनपद कल्याण योजना	1102271.00
7.	खण्ड कार्यालय भवन मरम्मत एवं शौलालय निर्माण	121768.00
8.	डी0आर0डी0ए0 कन्टीजेन्सी	36500.00
	योग—	3659405.00

इस प्रकार राज्य वित्त मद में रू0 1243716.00 एवं उक्त दर्शित धनराशि रू0—3659405.00 कुल योग 4903121.00 की धनराशि को अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार एवं सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		4903121.00	4903121.00

आपत्ति वर्ष 2012—13

प्रस्तर संख्या—128—क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के आलोच्य वर्ष 2012—13 में सिर्फ सांसद निधि कार्य से सम्बन्धित केवल 4 पत्रावलियां जिनमें कुल धनराशि रू0 879840.00 व्यय/भुगतान की उपलब्ध रही जबकि इस मद में कुल धनराशि रू0—2932158 व्यय/भुगतान हुई प्रकार धनराशि रू0—2052318.00 की धनराशि का व्यय/भुगतान सम्बन्धित की वास्तविकता/सार्थकता की पुष्टि न हो सकी। साथ ही आचोच्य वर्ष में विभिन्न योजनाओं पर कुल रू0 3671505 की धनराशि की व्यय/भुगतान की सार्थकता/वास्तविकता की पुष्टि में सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। अतः कुल धनराशि 2052318+3671505=5723823 का व्यय/भुगतान अनियमित रूप से रहा जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं आंकिक तथा सम्बन्धित कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		5723823.00	5723823.00

आपत्ति वर्ष 2013—14

प्रस्तर संख्या—129—क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के आलोच्य वर्ष 2013—14 में अनुदान पत्रिका (2) के अनुसार कुल धनराशि 7135258 का व्यय/भुगतान हुआ है जबकि लेखा परीक्षा में कुल—6203665 की धनराशि के कार्य में व्यय/भुगतान की सार्थकता में पत्रावलियां उपलब्ध रही। इस प्रकार रू0 931593 की धनराशि की वास्तविकता/सार्थकता में पत्रावलियां उपलब्ध नहीं रही। अतः उक्त धनराशि का भुगतान अनियमित रहा जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा आंकिक तथा सम्बन्धित कार्य प्रभारी की है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		931593.00	931593.00

प्रस्तर संख्या—130—क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के आलोच्य वर्ष 2013—14 में निम्न विवरण अनुसार कार्यों के सामग्री मूल्य का भुगतान अनियमित रूप से कार्य प्रभारी को किया गया है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य प्रभारी	सामग्री मूल्य
1.	कटका मार्ग पर नहर के पास ईदगाह तक सी0सी0 रोड	श्री अनिल कुमार सिंह ग्रा0वि0अ0	333952
2.	डड़वा में सी0सी0 रोड	श्री संतोश कुमार पाण्डेय ग्रा0 वि0अ0	301606
3.	भिउरा में अली हसन के घर से दक्षिण तक खण्डजा	श्री संतोश कुमार पाण्डेय ग्रा0 वि0अ0	232913
4.	काली जी के स्थान से ओंकार नाथ पाठक के घर तक इण्टरलाकिंग (छोटकी रूधौली)	श्री संतोश कुमार पाण्डेय ग्रा0 वि0अ0	606443

5.	अशरफा बाद में मो0 इदरीस के घर में कब्रिस्तान तक खण्डजा	श्री अनिल कुमार सिंह	149237

इस प्रकार उपरोक्त भुगतान सम्बन्धित भुगतान सम्बन्धित कार्य प्रभारी को अनियमित रूप से किया गया है। जिसके लिए सम्बन्धित कार्य प्रभारी के साथ-साथ तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं आंकिक उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		483189.00	483189.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		1140962.00	1140962.00

आपत्ति वर्ष 2014-15

प्रस्तर संख्या-131-क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के आलोच्य वर्ष 2014-15 में कार्य डीघा में पिचरोड से राजेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण से अनियमित रूप से सामग्री क्रय हेतु भुगतान रू0 1027673 चेक सं0-66012 दिनांक-10.03.2015 द्वारा कार्य प्रभारी श्री बीरबल प्रसाद को दिया गया। इस अनियमित भुगतान के लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 तथा लेखाकार उत्तरदायी है। **तत्कालीन बी0डी0ओ0 तथा लेखाकार द्वारा** ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		1027673.00	1027673.00

प्रस्तर संख्या-132-क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के आलोच्य वर्ष 2014-15 में बेलपोखरी गोरियाखार मार्ग पर खण्डजा निर्माण पर कुल रू0 514460 सामग्री पर तथा रू0 123800 **मजदूरी** पर व्यय अनुदान पंजी अनुसार दर्शित है। संशोधित पत्रावली उपलब्ध नहीं रही। अतः व्यय की सार्थकता/वास्तविकता की पुष्टि न की जा सकी। इस अनियमितता/गबन के लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 तथा लेखाकार उत्तरदायी है। **अनियमितता/गबन के लिए उत्तरदायी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
638260.00		...	638260.00

प्रस्तर संख्या-133-क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के आलोच्य वर्ष 2014-15 में उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर नियमानुसार दरों की कटौती कम की गयी।

क्र0सं0	कार्य	धनराशि सामग्री	कर जो काटा जाना चाहिए था।	कर जो काटा गया	कम काटा गया कर
1.	नौरंगियो में रामरूप के मढ़ई से सुरेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग	377833	25164	11243	13921
2.	बैरमपुर में इण्टरलाकिंग	467669	31147	13507	17640
3.	कोनी नौरंगिया बस्ती में पल्लू हरिजन के घर से राजेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग	496302	33054	24870	8184
4.	धनरुआ रौतापार मुख्य मार्ग से उमरी सिवान तक खण्डजा	443120	29512	11992	17520
5.	कोनी नौरंगिया में सुरेन्द्र यादव के घर से रामजीत के घर तक इण्टरलाकिंग	521798	34352	14715	20037

6.	डीघा में जनता मार्ग पर दिलीप मिश्र के घर तक इण्टरलाकिंग	577394	38454	16011	22443
				योग—	99745.00

इस प्रकार रू0 99745.00 के राजकीय की क्षति के लिए सम्बन्धित बी0डी0ओ0 एवं आंकिक उत्तरदायी है। **ब्याज सहित** वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
99745.00			99745.00

प्रस्तर संख्या—134—क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के आलोच्य वर्ष 2014—15 में कार्य धनरूआ रौमापर मार्ग से उमरी सिवान तक खड़ण्जा निर्माण हेतु 500 मीटर खड़ण्जा हेतु दोबारा स्वीकृति क्रमशः संख्या—1013/19.11.2016 तथा 1027/22.11.2016 दी गयी तथा कार्य प्रभारी श्री संतोश पाण्डेय द्वारा इस कार्य की दोबारा सामग्री क्रय क्रमशः 221560 एवं 221560 चेक संख्या क्रमशः 81517/27.12.2016 तथा 81519/27.12.2016 द्वारा जी0पी0 इण्टरप्राइजेज को भुगतान किया गया तथा दोनों कार्यों पर मजदूरी क्रमशः 292575 एवं रू0 287025 चेक संख्या क्रमशः 81518/27.12.2016 एवं 81520/27.12.2016 द्वारा संतोश पाण्डेय को प्रदान किया गया। ध्यातव्य है कि इन दोनों कार्यों पर मस्टररोल क्रमशः आदेश संख्या—1013/19.11.2016 के लिए 1—20.11.2016, 30.11.2016, 2—01.12.2016, 06.12.2016 तथा 3—09.12.2016, 19.12.2016 तथा कार्य आदेश सं01027/22.11.16 के लिए दर्शाया गया 1.27.11.16, 2.29.11.2016, 2—01.12.2016, 09.12.2016 एवं 3—11.12.2016, 21.12.2016 दर्शाया गया। लगभग एक ही समय में उक्त दोनों कार्य एक ही स्थान पर संदेहास्पद है। इस प्रकार उक्त व्यय की कुल धनराशि रू0 1022720 का दुरुपयोग/अपहरण की संभावना है। यदि एक कार्य हुआ तो दूसरे कार्य की धनराशि रू0 508585 का अपहरण तत्कालीन लेखाकार एवं बी0डी0ओ0 तथा संतोश कुमार पाण्डेय द्वारा मिलकर किया गया। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। **अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
508585.00			508585.00

आपत्ति वर्ष—2015—16

प्रस्तर संख्या—135—क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के आलोच्य वर्ष 2015—16 में कुल व्यय रू0 21740631 दर्शित है। लेखा परीक्षा में कुल रू0 872859.00 (सांसद निधि से सम्बन्धित) का ही पत्रावली उपलब्ध रहा, साथ ही वर्ष में ब्याज पर रू0 110967.00 इन्दिरा आवास फीडिंग कन्टीजेन्सी रू0 90031.00 एवं क्रिटिकल गैस योजना की धनराशि रू0 17500.00 कुल धनराशि 218498.00 तथा प्रस्तुत पत्रावली की धनराशि रू0 872859.00 कुल रू0 1091357.00 को दर्शित व्यय रू0 21740631.00 से घटाने पर रू0 20649274.00 की व्यय की पुष्टि में पत्रावलिया/विवरण पत्र उपलब्ध नहीं रहा।

प्रिया साफ्ट वर्ष 2015—16 के वेबसाईट के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत—खलीलाबाद में वर्ष 2015—16 में निर्माण कार्यों पर कुल रू0 14510111.00 व्यय हुआ है। लेखा परीक्षा में रू0 872859.00 की व्यय की पुष्टि में विवरण पत्र प्रस्तुत रहा। अतः शेष रू0 (14510111—872859.00) 13637252.00 की पुष्टि में विवरण पत्र/पत्रावली उपलब्ध नहीं रही। व्यय की पुष्टि में विवरण पत्र/पत्रावली उपलब्ध नहीं रही। व्यय की पुष्टि के अभाव में दर्शित धनराशि 13637252.00 अपहृत है। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विनय कुमार श्रीवास्तव गौरव श्रीवास्तव एवं पूर्णवासी प्रसाद तथा तत्कालीन लेखाकार श्री रामसुरेश की है साथ ही दर्शित व्यय 20649274.00 तथा प्रिया साफ्ट में दर्शित व्यय रू0 14510111.00 का अन्तर रू0 6139163.00 का कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। **अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित उत्तरदायी से किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
13637252.00			13637252.00

आपत्ति वर्ष-2016-17

प्रस्तर संख्या-136—क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के आलोच्य वर्ष 2016-17 में सोलर लाईट लगवाने हेतु आदेश संख्या-1170/09.12.2016 एवं संख्या-1247/03.01.2017 द्वारा क्रमशः रु0 792000.00 एवं 770000.00 स्वीकृत कर व्यय किये गये। लेखा परीक्षा में सम्बन्धित सत्यापन सूची विवरण पत्र कार्य पूर्ण होने की संस्तुति/प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं रही। अतः उक्त व्यय की वास्तविकता/सार्थकता की पुष्टि न कराकर धन का अपहरण किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1562000.00			1562000.00

प्रस्तर संख्या-137—क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के आलोच्य वर्ष 2016-17 में अनियमित रूप से कार्य प्रमुख कक्ष मरम्मत एवं सुन्दरीकरण पर रु0 179751 श्री संतोश पाण्डेय कार्य प्रभारी को चेक संख्या-81514 दिनांक-05.11.2016 को प्रदान किया गया। मस्टररोल ले0प00 को उपलब्ध नहीं रहा। कार्य के लिए सामग्री आपूर्ति हेतु फर्म जी0पी0 इण्टरप्राइजेज का नाम प्राधिकृत था। इस अनियमितता के लिए तत्कालीन बी0डी0ओ0 तथा लेखाकार जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		179751.00	179751.00

प्रस्तर संख्या-138—क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के आलोच्य वर्ष 2016-17 में निम्न विवरणानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये पत्रावलियों के अनुसार कार्यों हेतु सामग्री क्रय पर करो की कटौती कम की गयी।

क्र0सं0	कार्य	धनराशि सामग्री	कर जो काटा जाना चाहिए था।	कर जो काटा गया	कम काटा गया कर
1.	रौतापार में इण्टरलाकिंग	1126141	75000	51895	23105
2.	रौतापार पोखरा पिच रोड बेलराई तक इण्टरलाकिंग	914044	60875	47615	13260
				योग—	36365

इस प्रकार रु0 36365 के राजकीय राजस्व की क्षति के लिए सम्बन्धित बी0डी0ओ0 एवं लेखाकार उत्तरदायी है। सम्बन्धित क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
36365.00			36365.00

आपत्ति वर्ष 2011-2012

प्रस्तर संख्या-139—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2011-12 में शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार ग्रांट रजि-3 में 31.03.2012 को शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2011-12 में रु0 19769.00 अवशेष ब्याज दर्शित है। जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है। अर्जित ब्याज रु0 19769.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। इस प्रति ख0वि0अ0 श्री वी0के0 मोहन तथा श्री खुर्शीद अहमद लेखाकार संयुक्त से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		19769.00	19769.00

प्रस्तर संख्या-140—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2011-12 के ग्रांट रजिस्टर 2 अनुसार सं० ग्रा० रो० योजना मद से दिनांक-23.08.2021 को चेक संख्या-458552.00 द्वारा श्री खुर्शीद अहमद को रू० 4676.00 का भुगतान किया गया है। भुगतान किस कार्य हेतु किया गया का विवरण ग्रांट रजि-2 में अंकित नहीं पाया गया। साथ ही ही लेखा परीक्षा समय उक्त भुगतानित धनराशि रू०-4676.00 का व्यय प्रमाणक/वाउचर भी प्रस्तुत नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि भुगतानित प्राप्तकर्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतःएवं धनराशि रू० 4676.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से लेखाकार/भुगतान प्राप्तकर्ता श्री खुर्शीद अहमद एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री बी०के० मोहन सेक की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
4676.00			4676.00

प्रस्तर संख्या-141—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2011-12 के ग्रांट रजिस्टर 2 अनुसार डी०आर०डी०ए० कन्टीजेन्सी मद से दिनांक-19.01.2012 को चेक सं०-458554 द्वारा रू० 30000.00 एवं दिनांक-31.02.2012 को चेक संख्या-458555 द्वारा रू० 200000 का भुगतान किया गया है। भुगतान श्री खुर्शीद अहमद को किया गया है। भुगतान किस कार्य हेतु किया गया का विवरण ग्रांट रजि०-2 में अंकित नहीं पाया गया। साथ ही ही लेखा परीक्षा समय उक्त भुगतानित धनराशि (रू०-30000.00+20000.00) कुल रूपया 50000.00 का व्यय प्रमाणक/वाउचर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि भुगतान प्राप्तकर्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतःएवं कुल धनराशि रू०-50000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से लेखाकार/भुगतान प्राप्तकर्ता श्री खुर्शीद अहमद एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री बी०के० मोहन से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
50000.00			50000.00

आपत्ति वर्ष-2012-13

प्रस्तर संख्या-142—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2012-13 में शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार ग्रांट रजि-3 में विभिन्न खातों शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2012-13 में रू० 133285.00 विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2012-13 में रू० 133285.00 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है।

अर्जित ब्याज रू० 133285.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। इस प्रति ख०वि०अ० श्री चन्द्रशेखर एवं लेखाकार श्री अखिलेश शर्मा संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		133285.00	133285.00

प्रस्तर संख्या-143—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2012-13 में राज्य/13वॉ वित्त से कराये गये कार्य ब्लॉक कैम्पस में सी०सी० रोड व जल निकासी नाली निर्माण पर कार्य पत्रावली अनुसार बा०सं 214/06.10.2012, 02/98/06.2012, 215/08.11.2012, 02/99/08.11.2012 से सामग्री क्रय पर बिल की धनराशि रू० 566348 पर आयकर कटौती रू० 12743 के उपरान्त रू० 553605.00 का भुगतान तथा उसके सापेक्ष मस्टररोल अवधि-10.10.2012, 15.10.2012 पर रू० 51320.00 का भुगतान किया गया है। पुनः बा०संख्या-2/184/03.02.2013 व 222/03.02.2013 से रू० 79168 के बिल पर रू० 1781.00 आयकर कटौती उपरान्त रू० 77387.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त अवधि के सापेक्ष कोई मस्टररोल कार्य पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया न ही ग्रांट रजि०-2 में उक्त अवधि में कोई मजदूरी भुगतान का उल्लेख है। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्राक्कलन अनुसार उक्त कार्य पर रू० 738600.00 सामग्री

पर तथा रू0 122000.00 मजदूरी पर व्यय होना था के सापेक्ष कुल सामग्री रू0 645516.00 व मजदूरी व्यय रू0 51320.00 का ही किया गया है।

सामग्री क्रय पर भुगतान रू0 77387.00 के सापेक्ष मस्टररोल न होने, ग्रांट रजि0 में मजदूरी का उल्लेख न होने, प्राक्कलन के अनुसार व्यय कम होने से स्पष्ट है कि उक्त सामग्री पर फर्जी भुगतान कर फर्म से सांठ-गांठ कर कार्य प्रभारी व जे0ई0 द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहृत धनराशि रू0 77387.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह तथा अवर अभियन्ता श्री ए0ए0 सिद्दीकी से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
77387.00			77387.00

प्रस्तर संख्या-144—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त से कराये गये कार्य वि0ख0 मुख्यालय खड़न्जा मार्ग से बेलवा ठकुराई पिच मार्ग तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी खड़न्जा कार्य पर निर्माण कार्य पत्रावली अनुसार सामग्री क्रय पर रू0 380000.00 तथा मजदूरी पर रू0 59880.00 भुगतान दर्शित है। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य पर प्राक्कलन के अनुसार सामग्री मद में रू0 380000.00 तथा मजदूरी पपर रू0 81300.00 अर्थात् मजदूरी के सापेक्ष लगभग 4.7 गुना सामग्री क्रय पर व्यय होना था। जबकि कार्य पत्रावली अनुसार सामग्री तो प्राक्कलन के ठीक बराबर अर्थात् रू0 380000.00 की क्रय की गयी जबकि मजदूरी पर भुगतान प्राक्कलन के रू0 81300.00 के सापेक्ष केवल रू0 59880.00 का किया गया है। जो कि प्राक्कलन के श्रम सामग्री मानक के विपरीत है इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राक्कलन के मानक के अनुसार यदि रू0 59880.00 श्रम पर व्यय है तो सामग्री पर मात्र रू0 281436.00 (59800*4.7) की ही लगनी चाहिए। अर्थात् अन्तर रू0 98564.00 (380000-281436) सामग्री पर व्यय फर्जी रूप से दर्शित कर कार्य प्रभारी व जे0ई0 द्वारा फर्म की मिली भगत से अपहृत किया गया है। अतः अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह जे0ई0 श्री ए0ए0 सिद्दीकी से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
98564.00			98564.00

प्रस्तर संख्या-145—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2012-13 में कार्य ग्राम जिवधरा में मंदिर से जाने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य प्रभारी श्री सुरेश बहादुर सिंह ग्रा0पं0अ0 के द्वारा दिये गये आवेदन के अनुसार भुगतान हेतु रू0 31544.00 की मांग सामग्री एवं मजदूरी भुगतान हेतु की गई है, जिसे जे0ई0 श्री ए0ए0 सिद्दीकी द्वारा रू0 23319.00 सामग्री एवं रू0 8225.00 मजदूरी देने की संस्तुति की गई है ख0वि0अ0 श्री चन्द्रशेखर द्वारा चेक संख्या-187585.00 दिनांक-31.01.2013 द्वारा रू0 8225.00 का भुगतान कार्य प्रभारी को मजदूरी हेतु किया गया है। किये गये भुगतान के सापेक्ष पत्रावली में लगे मस्टररोल संख्या-1251 में कुल मजदूर 10 के कार्य दिवस 43*125 की दर से रू0 5375.00 एवं एक मिस्त्री कार्य दिवस 3*200 की दर से रू0 600.00 कुल मजदूरी रू0 5975.00 का भुगतान किया गया है, अर्थात् कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरी हेतु प्राप्त धनराशि रू0 8225.00 के सापेक्ष रू0 5975.00 का ही मस्टररोल प्रस्तुत किया गया है।

स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी द्वारा प्राप्त धनराशि 8225.00 (-) भुगतानित मजदूरी रू0 5975.00 अन्तर रू0 2250.00 का अपहरण किया गया है, अतएव रू0 2250.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री सुरेश बहादुर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2250.00			2250.00

प्रस्तर संख्या-146—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2012-13 में तेरहवॉ वित्त योजना मद के कार्य ब्लाक कैम्पस में इण्टर लाकिंग कार्य 640.9.मी0 के कार्य पत्रावली के जांच में पाया गया कि—

- 1:- स्टीमेंट की तकनीकी स्वीकृति नहीं दी गई है।
 - 2:- स्टीमेंट के अनुसार सामग्री पर रू0 593700.00, श्रम पर — रू0 131300.00 एवं फोटो एवं साइन बोर्ड पर रू0 5000.00 कुल रू0 730000.00 का व्यय होना था।
- परन्तु कार्य पत्रावली में लगे बिल एवं भुगतान विवरण अनुसार निम्न भुगतान किये गये हैं।

क्र०सं०	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	061341 / 26.11.2012	72374.00	मो० चौधरी टेडिंग कम्पनी
2	061342 / 26.11.2012	135872.00	मो० एवन ब्रिक फिल्ड
3	061343 / 26.11.2012	144670.00	मो० प्रतिमा ईट उद्योग
	योग	352916.00	

कार्य पत्रावली अनुसार के अनुसार शेष सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। जो पत्रावली में लगे ख०वि०अ० के कार्यालय पत्रांक 362 दिनांक 14.07.2015 के पत्र जो कार्य प्रभारी संतराम चौधरी को सन्दर्भित है के अनुसार अपूर्ण कार्य को कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं। जिससे स्पष्ट है कि तत्कालीन ख०वि०अ०, जे०ई० एवं कार्य प्रभारी द्वारा फर्म से सांठ-गांठ कर रू० 352916.00 का अपहरण किया गया है।

अतःएवं धनराशि रू० 352916.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से खण्ड विकास अधिकारी श्री बी०के मोहन जे०ई० श्री ए०ए० सिद्दीकी एवं कार्य प्रभारी श्री संतराम चौधरी से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
352916.00			352916.00

आपत्ति वर्ष 2013-14

प्रस्तर संख्या-147—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित कियश जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2013-14 में रू० 237066.00 ब्याज अर्जित अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है।

अर्जित ब्याज रू० 237066.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। अनियमितता के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		237066.00	237066.00

प्रस्तर संख्या-148—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2013-14 में बी०आर०जी०ई० योजना मद के कार्य—लोहरौली मिश्र में सी०सी० रोड अनुसूचित जाति बस्ती में के कार्य पत्रावली के जाच में पाया गया कि उपरोक्त कार्य के मद में स्टीमेंट अनुसार (सामग्री—रू० 508738.00, मजदूरी—रू० 83800.00 एवं साइन बोर्ड —रू०6000.00) कुल योग रू० 598538.00 व्यय होना था। जिसकी तकनीकी स्वीकृति स्टीमेंट 98/ई०ई० /31.08.2013 द्वारा दी गई है। जिसके अनुसार बी०आर०जी०ई० मद रुपया 5.00 लाख एवं राज्य वित्त मद से रुपया 0985 लाख व्यय होना था परन्तु कार्य पत्रावली में सामग्री क्रय के मात्र दो फर्म के बिल लगा पाया गया जिसका भुगतान टी०डी०एस० एवं वैट की कटौती निम्न विवरण अनुसार किया गया।

क्र०सं०	बिल सं०/दिनांक	फर्म का नाम	बिल की धनराशि	टी०डी० एस०	वैट	भुगतानित धनराशि	चेक सं०/दिनांक
1.	03/106/01.02.2014	राय ब्रिक फिल्ड	59860.00	1347.00	2394.00	56119.00	013070/10.02.2014
2.	/31.02.2014	चौधरी ट्रेडिंग कम्पनी	195005.00	4388.00	7800.00	182817.00	013071/10.02.2014

3.	/ 30.02.2014	चौधरी ट्रेडिंग कम्पनी	119085. 00	2680. 00	4763. 00	111642.00	013094 / 28.02. 2014
4	15 / 706 / 01. 02.2014	राय ब्रिक फिल्ड	36620. 00	842.00	1465. 00	34331.00	013095 / 28.02. 2014
	योग		410570. 00	9239. 00	16422. 00	384909.00	

बिल एवं भुगतान मांग पत्र पर कार्य प्रभारी श्री नजीर अहमद द्वारा साईड फर्म पर प्राप्त किया जाना दर्शित है तथा जी0ई0 सिद्दीकी द्वारा बिल एवं भुगतान मांग पत्र पर उक्त सामग्री को माप पुस्तिका 06 (एल) के पृष्ठ संख्या 27 से 29 पर अंकित कर रिपोर्ट लिखकर भुगतान की संस्कृति किया गया है।

उक्त योजना पर स्टीमेंट के अनुसार सामग्री पर पूर्ण व्यय नहीं किया गया है और न ही मजदूरी का भुगतान किया गया है इससे स्पष्ट है कि कार्य न करा कर रुपया 384909.00 सामग्री मद में फर्जी भुगतान फर्म को कर एवं फर्म से सांड गांठ कर खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0 एवं कार्य प्रभारी द्वारा राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतएव धनराशि रु0 384909.00 कि ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से खण्ड विकास अधिकारी श्री रमेश चन्द्रा जे0ई0 श्री ए0ए0 सिद्दीकी एवं कार्य प्रभारी श्री नजीर अहमद से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
384909.00			384909.00

प्रस्तर संख्या-149—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2013-14 में पिपरी सी0सी0 रोड निर्माण द्वारिका के घर से राम अजोर के घर तक के कार्य पत्रावली के जांच में पाया गया कि उपरोक्त कार्य के मद में स्टीमेंट अनुसार (सामग्री— रु0 550476.00, मजदूरी—रु0 105000.00 एवं साईन बोर्ड — रु0 6000.00) कुल योग रु0-661476.00 व्यय होना था। जिसकी तकनीकी स्टीमेंट 100/ई0ई0/31.08.2013 द्वारा दी गई है। जिसके अनुसार बी0आर0जी0ई0 मद रुपया 1.61 लाख एवं राज्य वित्त मद से रुपया 0.985 लाख व्यय होना था परन्तु कार्य पत्रावली में सामग्री क्रय के मात्र दो फर्म के बिल लगा पाया गया जिसका भुगतान टी0डी0एस0 एवं वैट की कटौती उपरान्त निम्न विवरण अनुसार किया गया।

क्र 0सं 0	बिल सं0/दिनांक	फर्म का नाम	बिल की धनराशि	टी0डी0 एस0	वैट	भुगतानित धनराशि	चेक सं0/दिनांक
1.	03 / 108 / 01.02. 2014	राय ब्रिक फिल्ड	59860.00	1347. 00	2394. 00	56119.00	013072 / 10.02. 2014
2.	— / 31.02.2014	चौधरी ट्रेडिंग कम्पनी	167591.00	3771. 00	6704. 00	157116.00	013073 / 10.02. 2014
	योग		227451.00	5118. 00	9098. 00	213233.00	

बिल एवं भुगतान मांग पत्र पर कार्य प्रभारी श्री नजीर अहमद द्वारा साईड फर्म प्राप्त किया जाना दर्शित है। तथा जे0ई0 श्री ए0ए0 सिद्दीकी द्वारा बिल एवं भुगतान मांग पत्र पर उक्त सामग्री को माप पुस्तिका 06(एल) के पृष्ठ संख्या 27 से 29 पर अंकित कर रिपोर्ट लिखकर भुगतान की संस्कृति किया गया है।

उक्त योजना पर स्टीमेंट के अनुसार सामग्री पर पूर्ण व्यय नहीं किया गया है और न ही मजदूरी का भुगतान किया गया है इससे स्पष्ट है कि कार्य न कर रुपया 213233.00 सामग्री मद में फर्जी भुगतान फर्म को कर एवं फर्म को कर से सांड-गांठ कर खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0 एवं कार्य प्रभारी द्वारा राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतएव धनराशि रु0 213233.00 कि ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से खण्ड विकास अधिकारी

श्री रमेश चन्द्रा जे०ई० श्री ए०ए० सिद्दीकी एवं कार्य प्रभारी श्री नजीर अहमद से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
213233.0			213233.00

प्रस्तर संख्या-150—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2013-14 में बी०आर०जी०एफ० योजना मद के कार्य—भरवलिया खूँद में सी०सी० रोड निर्माण के कार्य पत्रावली के जांच में पाया गया कि उपरोक्त कार्य के मद में स्टीमेंट अनुसार (सामग्री—रु० 550476.00, मजदूरी—रु० 105000.00 एवं साइन बोर्ड—रु० 6000.00) कुल योग रु० 661476.000 व्यय होना था। जिसकी तकनीकी स्वीकृति स्टीमेंट 104/ई०ई०/31.08.20013 द्वारा दी गई है। जिसके अनुसार बी०आर०जी०ई० मद से रुपया 5.00 लाख एवं राज्य वित्त मद से 1.61 लाख व्यय होना था परन्तु कार्य पत्रावली में सामग्री क्रय के मात्र एक फर्म के बिल लगा पाया गया जिसका भुगतान टी०डी०एस० एवं वैट की कटौती उपरान्त निम्न विवरण अनुसार किया गया।

क्र० सं०	बिल सं०/दिनांक	फर्म का नाम	बिल की धनराशि	टी०डी० एस०	वैट	भुगतानित धनराशि	चेक सं०/दिनांक
1.	48/08.01.2014	शिवम् क०सं० एण्ड जनरल सप्लायर	201572.00	4535.00	8063.00	188974.00	013065/13.01.2014
2.	53/16.02.2014	शिवम् क०सं० एण्ड जनरल सप्लायर	149164.00	3356.00	5967.00	139841.00	013075/25.02.2014
	योग					328815.00	

बिल एवं भुगतान मांग पत्र पर कार्य प्रभारी श्री एस०बी० सिंह द्वारा साइड फर्म प्राप्त किया जाना दर्शित है तथा जे०ई० श्री०ए०ए० सिद्दीकी द्वारा बिल एवं भुगतान मांग पत्र पर उक्त सामग्री को माप पुस्तिका 06(एल) के पृष्ठ संख्या 56 से 57 पर अंकित पर रिपोर्ट लिखकर भुगतान की संस्तुति किया गया है।

उक्त योजना पर स्टीमेंट के अनुसार सामग्री पर पूर्ण व्यय नहीं किया गया है और न ही मजदूरी का भुगतान किया गया है इससे स्पष्ट है कि कार्य न करा कर रुपया 328815.00 सामग्री मद में फर्जी भुगतान फर्म को कर एवं फर्म से सांठ-गांठ कर खण्ड विकास अधिकारी, जे०ई० एवं कार्य प्रभारी द्वारा राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतः एवं धनराशि रु० 328815.00 कि ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से खण्ड विकास अधिकारी श्री जनार्दन एवं श्री रमेश चन्द्रा जे०ई० ए०ए० सिद्दीकी एवं कार्य प्रभारी श्री एस०बी० सिंह से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
328815.00			328815.00

प्रस्तर संख्या-151—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2013-14 में राज्य/तेरहवां वित्त से कराये ग्राम सुम्हा में हरिशंकर के दुकान से दलित बस्ती में इण्टरलाकिंग कार्य पर पत्रावली अनुसार सामग्री क्रय पर विभिन्न फर्मों के लगे बिल धनराशि रु० 444243.00 के सापेक्ष आयकर रु० 16000.00 तथा वैट रु० 11765.00 की कटौती उपरान्त रु० 416478.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य सामग्री क्रय के सापेक्ष कार्य पत्रावली में मस्टररोल संलग्न नहीं पाया गया, तथा उल्लेखनीय है कि ग्रांट रजि-2 में भी उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है। अतः स्पष्ट है कि कार्य नहीं कराया गया है तथा भुगतानित धनराशि का अपहरण फर्म से सांठ-गांठ कर कार्य प्रभारी, जे०ई० ख०वि०अ० द्वारा कर लिया गया है। अतः उपहृत धनराशि रु० 416478.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री सुरेश बहादुर सिंह, अवर अभियन्ता श्री ए०ए० सिद्दीकी व ख०वि०अ० श्री रमेश चन्द्रा से किया जाना अपेक्षित

ह।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
416478.00			416478.00

प्रस्तर संख्या-152—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2013-14 में सांसद योजना मद के कार्य—ग्राम सुम्हा में श्मशान घाट निर्माण के कार्य पत्रावली के जांच में पाया गया कि उपरोक्त कार्य के मद में स्टीमेंट अनुसार (सामग्री—रु0 1118400.00, मजदूरी—रु0 163200.00, हैण्ड पम्प रु0 70000.00 एवं साइन बोर्ड—रु0 5000.00) कुल योग रु0 1356600.00 व्यय होना था। जिसकी तकनीकी स्वीकृति स्टीमेंट 30/ई0ई0/10.09.2012 द्वारा दी गई है।

उक्त निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय के लिए सप्लायर फर्म को भुगतान न कर कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार गुप्ता को जे0ई0 के संस्तुति पर चेक सं0—187573 दिनांक—08.10.2012 से रु0 300000.00 एवं चेक संख्या—187584 दिनांक—15.01.2013 से 185000.00 का भुगतान किया गया है उक्त भुगतान के सापेक्ष कार्य प्रभारी द्वारा मात्र क्रय के दो बिल एवं एक मास्टररोल प्रस्तुत किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	बिल सं0/दिनांक	फर्म का नाम	बिल की धनराशि	टी0डी0 एस0	भुगतानित धनराशि
1	निल/15.10.2012	वी के बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर	46800.00	1058.00	45747.00
2	01/47/14.10.2012	शिवम् क0सं0 एण्ड जनरल सप्लायर	69198.00	1557.00	67461.00
		योग			113388.00
1	मास्टररोल 01.02.2012 से 31.10.2012 तक के कार्य				22000.00
	योग				135388.00

इस प्रकार कार्य प्रभारी को रु0 300000.00+रु0 185000.00 योग त्र रु0 485000.00 का भुगतान किया गया जिसके सापेक्ष कार्य प्रभारी द्वारा उपरोक्त तालिका के विवरण अनुसार सामग्री मद में रु0 113388.00 एवं मजदूरी मद में 22000.00 कुल योग रु0 135388.00 के ही विल व मास्टररोल प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त कार्य में स्टीमेंट अनुसार रु0 1356600.00 व्यय होना था परन्तु कार्य पत्रावली अनुसार मात्र रु0 485000.00 का ही भुगतान हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी, खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं जे0ई0 द्वारा सांठ-गांठ कर कार्य न कराकर रु0 485000.00 राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतएव धनराशि रु0 485000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर जे0ई0 श्री ए0ए0 सिद्दीकी लेखाकार श्री ए0के0 शर्मा एवं कार्य। प्रभारी से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
485000.00			485000.00

प्रस्तर संख्या-153—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2013-14 में प्राप्त निशप्रयोजित रखकर वापस न कर अनियमितता ग्रांट 3 के अनुसार 31.03.2014 तक निम्न विवरणानुसार धनराशियां निष्प्रयोज्य रही।

1.	राष्ट्रीय बयोगैस	5020.00
2.	पू0वि0नि0	2612.00
3.	स0ग्रा0रो0यो0	909.00
4.	बारहवाँ वित्त	5000.00

5.	इंदिरा आवास	8165.00
6.	स0ग्रा0रो0 योजना 2 प्रतिशत कंटेजेंसी	1643.00
7.	आर्दश जलाशय	22692.00
8.	डी0आर0डी0ए0 कंटेजेंसी	10497.00
9	स्वच्छ पेयजल	400.00
	योग	56938.00

उपरोक्त तालिका में इस प्रकार कुल रू0 56938.0 मदवार अंकित धनराशि विगत वर्ष से अनुपयोगित रहा जो क्षेत्र पंचायत में निष्प्रयोजित पड़ी रही। निष्प्रयोजित पड़ी धनराशि को प्रदाता को समय से वापस न कर गम्भीर अनियमितताएं की गयी है। इस प्रति ख0वि0अ0 श्री रमेश चन्द्रा व लेखाकार श्री अखिलेश शर्मा जिम्मेदार है।

अतः एवं तालिका में मदवार अंकित धनराशि को तत्काल प्रदाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		56938.00	56938.00

आपत्ति वर्ष 2014-15

प्रस्तर संख्या-154—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेशों के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में ग्रांट रजि0-3 के अनुसार प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2014-15 में रू0 384734.00 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है। अर्जित ब्याज रू0 384734.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। इस प्रति ख0व0अ0 श्री कृष्ण कुमार मिश्र एवं लेखाकार श्री अखिलेश शर्मा संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		384734.00	384734.00

प्रस्तर संख्या-155—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2014-15 बी0आर0जी0एफ0 योजना मद के कार्य-बेग पंचायत बेलहर कला के परिसर में सी0सी0 रोड के कार्य पत्रावली के जांच में पाया गया कि उपरोक्त कार्य के मद में स्टीमेंट अनुसार (सामग्री -रू0 638510.00, मजदूरी - रू0 118800.00 एवं साइन बोर्ड-रू0 6000.00) कुल योग रू0- 763310.00 व्यय होना था। जिसकी तकनीकी स्वीकृति स्टीमेंट 106/ई0ई0/31.08.2013 द्वारा दी गई है। जिसके अनुसार बी0आर0जी0एफ0 मद रूपया 6.00 लाख एवं राज्य वित्त मद से रूपया 1.63 लाख व्यय होना था परन्तु कार्य पत्रावली में सामग्री क्रय के एक फर्म के बिल लगा पाया गया जिसका भुगतान टीडी0एस0 एवं वैट कटौती उपरान्त निम्न विवरण अनुसार किया गया।

क्र0 सं0	बिल सं0/दिनांक	फर्म का नाम	बिल की धनराशि	टी0डी0 एस0	वैट	भुगतानित धनराशि	चेक सं0/दिनांक
1.	1/19.05.2014	सत्यम एवं पूजा कन्सट्रक्सन	161981.00	3645.00	6479.00	151857.00	013087/0.06.2014
	योग					151857.00	

बिल एवं भुगतान मांग पत्र पर कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार गुप्ता द्वारा साइड पर सामग्री प्राप्त किया जाना दर्शित है तथा जे0ई0 श्री ए0ए0 सिद्दीकी द्वारा बिल एवं भुगतान मांग पत्र पर उक्त सामग्री को माप पुस्तिका 06(एल) के पृष्ठ संख्या 61 से 62 पर अंकित कर रिपोर्ट लिखकर भुगतान की संस्तुति किया

गया है।

उक्त योजना पर स्टीमेंट के अनुसार सामग्री पर पूर्ण व्यय नहीं किया गया है और नहीं मजदूरी का भुगतान किया गया है। इससे स्पष्ट है कि कार्य न करा कर रुपया 151857.00 सामग्री मद में फर्जी भुगतान फर्म को कर एवं फर्म को कर एवं फर्म से गांठ-सांठ कर खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0 एवं कार्य प्रभारी द्वारा राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतः एवं धनराशि रू0 151857.00 कि ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से खण्ड विकास अधिकारी श्री रमेश चन्द्रा जे0ई0 श्री ए0ए0 सिद्धकी एवं कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
151857.00			151857.00

प्रस्तर संख्या-156—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2014-15 में बी0आर0जी0एफ0 योजना मद के कार्य-अमरगढ़ में प्रहलाद पाण्डेय के घर से दौलत चौधरी के घर तक इन्टर लाकिंग के कार्य पत्रावली के जॉच में पाया गया कि उपरोक्त कार्य के मद में स्टीमेंट अनुसार (सामग्री-रू0 732400.00, मजदूरी- रू 131000.00, एवं साईन बोर्ड-रू0 6000.00) कुल योग रू0 869400.00 व्यय होना था। जिसकी तकनीकी स्वीकृति स्टीमेंट 39/ई0ई0/29.11.2014 द्वारा दी गई है। कार्य पत्रावली में सामग्री क्रय के तीन फर्म के बिल लगा पाया गया जिसका भुगतान टी0डी0एस0 एवं वैट कटौती उपरान्त निम्न विवरण अनुसार किया गया।

क्र0 सं0	बिल सं0/दिनांक	फर्म का नाम	बिल की धनराशि	टी0डी0 एस0	वैट	भुगतानित धनराशि	चेक सं0/दिनांक
			धनराशि			धनराशि	
1	104 / 05.02.2015	ऋशिकेश कान्त्रेशन	81270.00	1837.00	3251.00	76182.00	067563 / 09.03.2015
2	17 / 844 / 05.02.2015	राय ब्रिक फिल्ड	45196.00	1021.00	1808.00	42367.00	067561 / 09.03.2015
3	निल / 05.02.2015	चौधरी एजेन्सी	49091.00	1109.00	1964.00	46018.00	067562 / 09.03.2015
	योग					164567.00	

बिल एवं भुगतान मांग पत्र पर कार्य प्रभारी श्री आनन्द कुमार द्वारा साइड सामग्री प्राप्त किया जाना दर्शित है तथा जे0ई0 श्री ए0ए0 सिद्धकी द्वारा बिल एवं भुगतान मांग पत्र पर उक्त सामग्री को माप पुस्तिका 06 (एल) पृष्ठ संख्या 85 से 87 पर अंकित कर रिपोर्ट लिखकर भुगतान की संस्तुति किया गया है।

उक्त योजना पर स्टीमेंट के अनुसार सामग्री पर पूर्ण व्यय नहीं किया गया है और नहीं मजदूरी का भुगतान किया गया है। साथ ही क्रम संख्या दो पर अंकित राय ब्रिक फिल्ड के बिल पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। इससे स्पष्ट है कि कार्य न करा कर रुपया 164567.00 सामग्री मद में फर्जी भुगतान फर्म को कर एवं फर्म से सांठ-गांठ कर खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0 एवं कार्य प्रभारी द्वारा राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतः एवं धनराशि रू0 164567.00 कि ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार मिश्र, जे0ई0 श्री ए0ए0 सिद्धकी कार्य प्रभारी श्री आनन्द कुमार से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
164567.00			164567.00

प्रस्तर संख्या-157—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2014-15 में बी0आर0जी0एफ0 योजना मद

के कार्य—जंगल बेलहर ड्राइवर के घर से मिस्त्री के घर तक पक्की नाली के कार्य पत्रावली के जांच में पाया गया कि उपरोक्त कार्य के मद में स्टीमेंट अनुसार (सामग्री—रु0 166124.00 मजदूरी—रु0 33000.00, एवं साईन बोर्ड —रु0 6000.00) कुल योग रु0 205124.00 व्यय होना था। जिसकी तकनीकी स्वीकृति स्टीमेंट 38/ई0ई0/दिनांक—29.11.2014 द्वारा दी गई है। कार्य पत्रावली में सामग्री क्रय के दो फर्म के बिल लगा पाया गया जिसका भुगतान टी0डी0एस0 एवं वैट कटौती उपरान्त निम्न विवरण अनुसार किया गया।

क्र0 सं0	बिल सं0/दिनांक	फर्म का नाम	बिल की धनराशि	टी0डी0 एस0	वैट	भुगतानित धनराशि	चेक सं0/दिनांक
1	17/843/05.02.2015	राय ब्रिक फिल्ड	32716.00	739.00	1309.00	30668.00	067564/09.03.2015
2	निल/05.02.2015	चौधरी एजेन्सी	25603.00	579.00	1024.00	46018.00	067565/09.03.2015
	योग					76686.00	

बिल एवं भुगतान मांग पत्र पर कार्य प्रभारी श्री आनन्द कुमार द्वारा साईड सामग्री प्राप्त किया जाना दर्शित है। तथा जे0ई0 श्री ए0ए0 सिद्दीकी 06 (एस) पृष्ठ संख्या 87 से 89 पर अंकित कर रिपोर्ट लिखकर भुगतान की संस्तुति किया गया है। क्रम सं0 2 पर अंकित चौधरी एजेन्सी को भुगतान नोट शीट पर रु0—24000.00 भुगतान ख0वि0अधि0 द्वारा स्वीकृत दिया गया परन्तु लेखाकार श्री ए0के0 शर्मा द्वारा फर्म को रु0 46018.00 का भुगतान किया गया है। साथ ही पत्रावली में बिना मजदूरों के नाम पता अंकित एवं बिना हस्ताक्षर के मास्टरोल पाया गया जिसे जे0ई0 द्वारा भुगतान हेतु संस्तुति भी किया गया है।

उक्त योजना पर स्टीमेंट के अनुसार सामग्री पर पूर्ण व्यय नहीं किया गया है और न ही मजदूरी का भुगतान किया गया है इससे स्पष्ट है कि कार्य न करा कर रुपया 76686.00 सामग्री मद में फर्जी भुगतान फर्म को कर एवं फर्म से साठ—गाठ कर खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0 कार्य प्रभारी द्वारा लेखाकार राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतः एवं धनराशि रु0 76686.00 कि ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार मिश्र, जे0ई0 ए0ए0 सिद्दीकी कार्य प्रभारी श्री आनन्द कुमार एवं लेखाकार श्री ए0के0 शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
76686.00			76686.00

प्रस्तर संख्या—158—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2014—15 में बी0आर0जी0एफ0 योजना मद के कार्य— कुल्हड़िया अनू0 जाति बस्ती में सी0सी0 रोड के कार्य पत्रावली के जांच में पाया गया कि उपरोक्त कार्य के मद में स्टीमेंट अनुसार (सामग्री—रु0 438200.00, मजदूरी—रु0 71600.00, एवं साइन बोर्ड—रु0 6000.00) कुल योग रु0 515800.00 व्यय होना था। जिसकी तकनीकी स्वीकृति स्टीमेंट 105/ई0ई0/31.08.2013 द्वारा दी गई है। कार्य पत्रावली में सामग्री क्रय के एक फर्म के बिल लगा पाया गया जिसका भुगतान टी0डी0एस0 एवं वैट कटौती उपरान्त निम्न विवरण अनुसार किया गया।

क्र0 सं0	बिल सं0/दिनांक	फर्म का नाम	बिल की धनराशि	टी0डी0 एस0	वैट	भुगतानित धनराशि	चेक सं0/दिनांक
1	49/10.01.2014	शिवम कान्स0 एण्ड जनरल सल्लार	169508.00	6780.00	3814.00	158914.00	013066/13.01.2014

2	52 / 15.02.2014	शिवम कान्स0 एण्ड जनरल सलपलार	159319. 00	6373. 00	3584. 00	149362. 00	013079 / 25 .02.2014
3	57 / 03.06.2014	शिवम कान्स0 एण्ड जनरल सलपलार	93920.00	3757. 00	2113. 00	88050.00	013089 / 24 .07.2014
	योग					396326. 00	

क्रम संख्या-1 एवं 2 दर्शित बिल एवं भुगतान मांग पत्र पर कार्य प्रभारी श्री रविन्द्र सिंह द्वारा एवं क्रम संख्या-3 पर दर्शित बिल पर कार्य प्रभारी श्री एस0वी0 सिंह द्वारा साइड पर सामग्री प्राप्त किया जाना दर्शित है तथा जे0ई0 श्री ए0ए0 सिद्दीकी द्वारा बिल एवं भुगतान मांग पत्र पर उक्त सामग्री को माप पुस्तिका 06(एस) पृष्ठ संख्या 70 से 75 पर अंकित कर रिपोर्ट लिखकर भुगतान की संस्तुति किया गया है।

उपरोक्त कार्य के भुगतान में निम्न तथ्य प्रकाश में आए:-

1. ख0वि0अ0 कार्यालय पत्रांक 943 दिनांक-18.12.2013 से श्री रविन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी कार्य प्रभारी बनाए गए।
2. कार्य प्रभारी श्री रविन्द्र सिंह द्वारा दिनांक-22.02.2014 को खण्ड विकास अधिकारी को सम्बोधित पत्र में साइड पर सामग्री की आपूर्ति से संतुष्ट नहीं रहने एवं अपनी तबियत खराब होने का कारण कार्य प्रभारी से मुक्त करने का आवेदन दिया गया है जिसे ख0वि0अ0 द्वारा लेखाकार को मार्क किया गया है।
3. कार्य प्रभारी श्री रविन्द्र सिंह द्वारा 22.02.2014 को दिए आवेदन में सामग्री की आपूर्ति से संतुष्ट नहीं रहने पर भी शिवम कान्स0 एण्ड जनरल सलपलार के बिल सं0-52 दिनांक-15.02.2014 रु 149362.00 का भुगतान चेक संख्या-013079 / 25.02.2014 को किया गया। सामग्री से संतुष्ट नहीं रहने पर भी भुगतान क्यों?
4. ख0वि0अधि0 कार्यालय पत्रांक 242(1) दिनांक-24.07.2014 द्वारा श्री एस0बी0 सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी को कार्य प्रभारी बनाया गया।
5. शिवम कान्स0 एण्ड जनरल सलपलार के बिल संख्या-57 / 03.06.2014 रु0 88050.00 का भुगतान चेक संख्या-013089 / 24.07.2014 को किया गया जिस पर कार्य प्रभारी श्री एस0वी0 सिंह द्वारा सामग्रीप्राप्त दर्शित है। श्री एस0वी0 सिंह की नियुक्ति कार्य प्रभारी दिनांक-24.07.2014 तो सामग्री की प्राप्ति दिनांक-03.06.2014 को कैसे ? एवं नियुक्ति तिथि को भुगतान कैसे हुआ ?
6. कार्य पत्रावली में लगे एम0आर0 संख्या-81 जिसपर 01.06.2014 / 26.06.2014 तक कार्य होना अंकित है। रु0 56730 का भुगतान चेक संख्या-013090 दिनांक-24.07.2014 से कार्य 24.07.2014 से कार्य प्रभारी श्री एस0वी0 सिंह को किया गया है। एम0आर0 अनुसार कार्य 01.06.2014 से 26.06.2014 तक हुआ तो कार्य प्रभारी श्री एस0वी0 सिंह को नियुक्ति तिथि दिनांक-24.07.2014 को किया गया। तो मजदूरी का भुगतान श्री एस0बी0 सिंह को कैसे हुआ?
7. कार्य पत्रावली में एम0आर0 संख्या-812 रु0 2965.00 एवं शिवम कान्स0 एण्ड जनरल सलपलार के बिल संख्या-59 दिनांक-28.07.2014 रु0 25545.00 लगा पाया गया जिसका भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान किस कारण नहीं हुआ?

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्य नहीं करा कर कार्य प्रभारी बदल कर खण्ड विकास अधिकारी जे0ई0 एवं लेखाकार द्वारा फर्म से सांठ-गांठ कर रु0 396326.00 सामग्री मद में एवं संख्या-56730.00 मजदूरी में कार्य प्रभारी को भुगतान कर कुल योग रु0 453056.00 राजकीय धन का अपहरण किया गया है।

अतएव धनराशि रु0 453056.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ख0वि0अ0 श्री रमेश चन्द्रा, जेई श्री ए0ए0 सिद्दीकी कार्य प्रभारी श्री एस0वी0 सिंह एवं लेखाकार श्री ए0के0 शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
453056.00			453056.00

प्रस्तर संख्या-159—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त मद से कराये गये कार्य बेलहर खुर्द में इण्टरलाकिंग कार्य अली अहमद के घर सिराज अहमद के घर तक कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार (ग्रा0वि0अधि0) के मांग पत्र पर पत्रावली अनुसार विभिन्न फर्मों के सामग्री क्रय बिल रू0 131664.00 के सापेक्ष रू0 5239.00 वैट तथा रू0— 2960.00 आयकर कटौती उपरान्त रू0 123422.00 का भुगतान सम्बन्धित फर्म को किया गया है। किन्तु सामग्री क्रय के सापेक्ष पत्रावली में मस्टररोल संलग्न नहीं पाया गया उल्लेखनीय है कि ग्राण्ट रजिस्टर-2 में भी कहीं भी उक्त कार्य पर मजदूरी का उल्लेख नहीं है। जबकि प्राक्कलन अनुसार उक्त कार्य पर रू0 418600.00 सामग्री हेतु तथा रू0 77000.00 मजदूरी पर व्यय होना था।

मस्टररोल संलग्न न होने मजदूरी का भुगतान न होने से स्पष्ट है कि कार्य कराया ही नहीं गया है तथा फर्म से सांठ-गांठ करके समस्त भुगतानित धनराशि का कार्य प्रभारी ख0वि0अ0 एवं जे0ई0 द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरण धनराशि रू0 123422.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राकेश कुमार ग्रा0वि0अधि0 (कार्य प्रभारी) श्री कृष्ण कुमार मिश्र (ख0वि0अधि0) श्री ए0ए0 सिद्दीकी जे0ई0 से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
123422.00			123422.00

प्रस्तर संख्या-160—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2014-15 में राज्य/तेरहवां वित्त मद से कराये गये कार्य कम्हरिया में इण्टरलाकिंग कार्य पर कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार (ग्रा0वि0अधि0) की मांग पत्र पर पत्रावली अनुसार रू0 161201.00 के सामग्री क्रय पर विभिन्न मदों के बिल पर रू0 6448.00 वैट तथा रू0 3627.00 आयकर कटौती उपरान्त रू0 151126.00 भुगतान किया गया है। किन्तु उक्त के सापेक्ष कोई भी मस्टररोल पत्रावली से संलग्न नहीं पाया गया न ही ग्राण्ट रजिस्टर-2 में उक्त कार्य पर किस प्रकार का मजदूरी व्यय का उल्लेख है। जबकि प्राक्कलन अनुसार उक्त कार्य पर सामग्री क्रय पर रू0 418600.00 तथा मजदूरी पर रू0 77000.00 का व्यय होना था।

इस प्रकार केवल सामग्री क्रय का बिल लगा होने, मस्टररोल संलग्न न होने ग्राण्ट रजिस्टर-2 में श्रमांश व्यय का उल्लेख न होने से स्पष्ट है परियोजना पर कार्य नहीं हुआ है तथा भुगतान धनराशि का अपहरण कार्य प्रभारी, ख0वि0अ0, जे0ई0 द्वारा कर लिया गया है अतः समस्त धनराशि रू0 151126.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार ख0वि0अ0, श्री कृष्ण कुमार मिश्र, जे0ई0 श्री0ए0ए0 सिद्दीकी से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
151126.00			151126.00

आपत्ति वर्ष 2015-2016

प्रस्तर संख्या-161—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2015-16 में ब्याज की राशि वापस न कर अनियमितता का शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33/2010) दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर ग्राण्ट-3 के अनुसार वर्ष-2015-2016 में रू0 265836.00 विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2015-2016 में रू0 265836.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है।

अर्जित ब्याज रू0 265836.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। इस प्रति ख0वि0अ0 श्री राजाराम यादव एवं लेखाकार श्री अखिलेश शर्मा संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		265836.00	265836.00

प्रस्तर संख्या-162—क्षेत्र पंचायत बेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य/तेरहवां वित्त योजना

मद के कार्य विभिन्न ग्रामों में सोलर लाईट स्थापना के कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि—
(क)–

1. खण्ड विकास अधिकारी के पत्रांक-980/रा0वि0/ते0वित्त/2014-2015 दिनांक-शून्य एवं पत्रांक-997/रा0वित्त/2014-2015 दिनांक-शून्य द्वारा में0 वैष्णवी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एण्ड जनरल सप्लायर में निविदा दिनांक-05.07.2015 को सबसे न्यूनतम दर होने के कारण स्वीकृति ग्राम में 07 दिनों के अन्दर सोलर लाईट लगाने का कार्यादेश निर्गत करते हुये अवर अभियन्ता (आ0ई0डी0) को सोलर लाईट की गुणवत्ता तथा सोलर लाईट लगने का सत्यापन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
2. परन्तु कार्यादेश में वर्णित निविदा दिनांक-05.07.2015 को कोई भी निविदा प्रपत्र पत्रावली में लगी नहीं पाई गई। मांगे जाने पर भी निविदा का पूर्ण प्रपत्र लेखा परीक्षा समय उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे स्पष्ट है कि निविदा कराये ही कार्यादेश जारी कर सोलर लाईट का क्रय कर अनियमितता की गई है।
3. सोलर लाईट नेडा से नहीं क्रय किया गया है न ही नेडा द्वारा निर्धारित दर नेडा से प्राप्त कर तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया गया है।
4. भुगतान के समय था पहले लगाये गये सोलर लाईट की गुणवत्ता आख्या कार्यादेश में निर्देशित अपर अभियन्ता (आ0ई0डी0) द्वारा नहीं ली गई है।

उक्त कार्यादेश से लगाये गये सोलर लाईट के भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया है—

क्र0सं 0	फर्म का बिल सं0/दिनांक	विवरण	बिल की धनराशि	कटौती		शुद्ध भुगतान	चेक सं0/तिथि
1.	28/अंकित नहीं	80 नग 20490	1639200	3704 6	6556 8	1536586	188584/29.07. 2015
2	35/09.07. 2015	21 नग 20490	430290	9725	1721 2	403353	077542/24.08. 2015
3	36/24.07. 2015	23 नग 20490	471270	1065 1	1885 1	441768	077543/28.08. 2015
4	41/20.08. 2017	22 नग 20490	450780	1014 2	1803 1	422606	077549/28.08. 2015
5	43/अंकित नहीं	28 नग 20490	573720	1250 3	2212 9	518598	077555/05.11. 2015
		योग	3565260				

उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि सोलर लाईट क्रय करने में सोलर लाईट नेडा से नहीं क्रय किया गया साथ ही नेडा के दर से तुलना भी नहीं की गई एवं बिना निविदा टेण्डर से क्रय किया गया साथ ही अवर अभियन्ता से गुणवत्ता आख्या प्राप्त किये बिना ही भुगतान किया गया है अतः स्पष्ट है कि अनियमित रूप से सोलर लाईट क्रय कर रु03565260.00 की अनियमितता की गई है। अनियमित धनराशि में रु0 3565260.00 से अपहरण की धनराशि (जिसका विवरण आपत्ति ख में है) रु0 450780.00 को घटाने के बाद रु0 3114480.00 की अनियमितता की गई है। जिस प्रति लेखाकार श्री अखिलेश शर्मा एवं ख0वि0अ0 श्री राजाराम यादव जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		3114480.00	3114480.00

(ख)–कार्यपत्रावली में लगे सप्लायर फर्म के भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ संलग्न सोलर लाईट लगाये गये स्थानों की सूची के जांच में पाया गया कि बिल संख्या0-43/दिनांक- अंकित नहीं में लगे सूची के क्रम संख्या-01 से 12 तथा 19 से 28 जिसका भुगतान चेक संख्या-077555/05.11.2015 को किया गया है। उन्ही स्थानों की पर सोलर लाईट लगाये जाने का उल्लेख बिल संख्या-36/24.07.2015 के साथ संलग्न सूची के क्रम संख्या-12 से 23 में पाया गया जिसका भुगतान चेक संख्या-077543/28.08.2015 से किया गया तथा बिल संख्या-28/अंकित नहीं के साथ संलग्न सूची के क्रम संख्या-71 से 77 में पाया गया जिसका भुगतान चेक संख्या-188584/29.04.2015 से किया गया जिसका पूर्ण विवरण निम्नानुसार

है—

बिल के साथ संलग्न सूची अनुसार विवरण				बिल के साथ संलग्न सूची अनुसार विवरण दोहरा भुगतान किया गया।			
बिल सं/दिनांक	सूची में क्र०सं०	नाम	पता	बिल सं० दिनांक	सूची में क्र०सं०	नाम	पता
36/24.07.2015	12	श्री मती सुज्जुबुनिशा के घर के सामने	कुसुरु कला	43/अंकित नहीं	1	श्री मती सुज्जुबुनिशा के घर के सामने	कुसुरु कला
भुगतान चोक सं०/दिनांक	13	श्री इब्रार अहमद के घर के सामने	कुसुरु कला	भुगतान चेक सं/दिनांक	2	श्री इब्रार अहमद के घर के सामने	कुसुरु कला
077543/28.06.2015	14	मस्जिद पर	कुसुरु कला	077555/05.11.2015	3	मस्जिद पर	कुसुरु कला
	15	पीर बाबा के स्थान	कुसुरु कला		4	पीर बाबा के स्थान	कुसुरु कला
	16	श्री रहमान अली के घर के सामने	कुसुरु कला		5	श्री रहमान अली के घर के सामने	कुसुरु कला
	17	श्री रामनरेश के घर के सामने	बेलवा टुकड़ाई		6	श्री रामनरेश के घर के सामने	बेलवा टुकड़ाई
	18	श्री राममिलन के घर के सामने	बेलवा टुकड़ाई		7	श्री राममिलन के घर के सामने	बेलवा टुकड़ाई
	19	श्री बुद्ध के घर के सामने	बेलवा टुकड़ाई		8	श्री बुद्ध के घर के सामने	बेलवा टुकड़ाई
	20	श्री पप्पू के घर के सामने	बेलवा टुकड़ाई		9	श्री पप्पू के घर के सामने	बेलवा टुकड़ाई
	21	श्री घुरहु गुप्ता के घर के सामने	बेलवा टुकड़ाई		10	श्री घुरहु गुप्ता के घर के सामने	बेलवा टुकड़ाई
	22	श्री दूधनाथ के घर के सामने	बेलवा टुकड़ाई		11	श्री दूधनाथ के घर के सामने	बेलवा टुकड़ाई
	23	श्री रज्जन निशाद के घर के सामने	बेलवा टुकड़ाई		12	श्री रज्जन निशाद के घर के सामने	बेलवा टुकड़ाई
28/अंकित नहीं	71	पिपरा प्रथम चौहारे पर	पिपरा प्रथम		19	पिपरा प्रथम चौहारे पर	पिपरा प्रथम

		दिनेश के दुकान के सामने				दिनेश के दुकान के सामने	
भुगतान चेक सं०/दिनांक	72	श्रीमती इन्द्रावती देवी के घर के सामने	मनेतापुर		20	श्रीमती इन्द्रावती देवी के घर के सामने	मनेतापुर
188584/29. 07.15	73	श्री श्रवण यादव के घर के सामने	मनेतापुर		21	श्री श्रवण यादव के घर के सामने	मनेतापुर
	74	श्री घरभरन के घर के सामने	मनेतापुर		22	श्री घरभरन के घर के सामने	मनेतापुर
	75	श्री रामसजीवन के घर के सामने	मनेतापुर		23	श्री रामसजीवन के घर के सामने	मनेतापुर
	76	श्री हुसैन मोहम्मद के घर के सामने	मनेतापुर		24	श्री हुसैन मोहम्मद के घर के सामने	मनेतापुर
	77	श्री हरिशंकर के घर के सामने	बेलवासेंगर		25	श्री हरिशंकर के घर के सामने	बेलवासेंगर
	78	श्री सुरेश के घर के सामने	बेलवासेंगर		26	श्री सुरेश के घर के सामने	बेलवासेंगर
	79	काली जी के स्थान पर	बेलवासेंगर		27	काली जी के स्थान पर	बेलवासेंगर
	80	श्री हृदय नारायण के घर के सामने	बेलवासेंगर		28	श्री हृदय नारायण के घर के सामने	बेलवासेंगर

(उपरोक्त विवरणानुसार बिल संख्या 28, 36, एवं 43 की छायाप्रति सूची सहित संलग्न है।

सप्लायर फर्म द्वारा बिल के साथ लगे भुगतान आवेदन पत्र पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अंकित लेखकार को मार्ग किया गया है परन्तु लेखाकार श्री अखिलेश शर्मा द्वारा अपने कतव्यों को निर्वहन नहीं करते हुये फर्म, द्वारा लगाये गये सोलर लाईट के स्थानों की नियम पूर्वक जांच नहीं की गई तथा जानबूझकर फर्म से सांठ-गांठ कर कुल 22 सोलर लाईट का भुगतान बिल संख्या-36 में सूची में क्र०सं०-12 से 23 तक कुल 12 सोलर लाईट तथा बिल सं०-28 में सूची में क्र०सं०-71 से 80 तक कुल 10 सोलर लाईट का भुगतान क्रमशः चेक सं०-077543/28.04.2015 एवं 188584/29.07.2015 द्वारा किया जा चुका था पुनः बिल सं०-43 में सूची में क्र०सं०- 01 से 12 तक, 19 एवं 20 से 28 तक उसी लगाये गये सोलर लाईट के स्थानों का उल्लेख कर कुल 22 सोलर लाईट का रू० 450780.00 का दोहरा भुगतान, चेक सं०-077555/05.11.2015 से कर राजकीय राजस्व का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री अखिलेश शर्मा एवं ख०वि०अधि० श्री राजाराम यादव से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
450780.00			450780.00

आपत्ति वर्ष-2016-2017

प्रस्तर संख्या-163—क्षेत्र पंचायतबेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2016-17के लेखा परीक्षा में पाया गया कि ब्याज की राशि वापस न कर अनियमितता का शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33/2010) दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर ग्राण्ट-3 के अनुसार वर्ष-2016-2017 में ₹0 329820.00 विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2016-2017 में ₹0 329820.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है।

अर्जित ब्याज ₹0 329820.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। इस प्रति ख0वि0अ0 श्री राजाराम यादव एवं लेखाकार श्री अखिलेश शर्मा संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		329820.00	329820.00

प्रस्तर संख्या-164—क्षेत्र पंचायतबेलहर कला के आलोच्य वर्ष 2016-17के लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्राप्त अनुदान को निष्प्रयोजित रखकर वापस न कर अनियमितता-ग्राण्ट रजिस्टर-3 अनुसार 31.03. 2017 तक निम्न विवरणानुसार धनराशिया निष्प्रयोज्य रही—

क्र0सं0	मद	धनराशि
1	विधायक निधि	570957.00
2	आर0डी0ए0 कटीजेसी	10497.00
3	राष्ट्रीय बायोगैस	5020.00
4	पू0वि0नि0	2612.00
5	स0ग्रा0रो0ययो0 2.5 प्रतिशत	909.00
6	बरहवां वित्त	5000.00
7	—	—
8	बी0आर0जी0एफ0	1943070.00
9	सा0ग्रा0रो0यो0 02 प्रतिशत	1643.00
10	आदर्श जलाशय	22692.00
11	स्वच्छ पेयजल	8400.00
	योग	2570800.00

उपरोक्त तालिका में इस प्रकार ₹0 2570800.00 मदवार वर्ष से अनुपयोगित रहा जो क्षेत्र पंचायत में 5निष्प्रयोजित पड़ी रही। निष्प्रयोजित पड़ी धनराशि को प्रदाता के समय से वापस न कर गम्भीर अनियमिततायें की गयी है। इस प्रति ख0वि0अ0 श्री अमित सिंह लेखाकार श्री अखिलेश शर्मा जिम्मेदार है।

अतःएवं तालिका में मदवार अंकित धनराशि को तत्काल को वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		2570800.00	2570800.0

आपत्ति वर्ष 2011-12

प्रस्तर संख्या-165—क्षेत्र पंचायत बघौली के वर्ष 2011.12 की लेखा परीक्षा में पाया गया की ब्याज की राशि वापस न कर अनियमितता का शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33/2012) दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार ग्रांट 2/ में वर्ष 2011-12 का अर्जित ब्याज दर का प्रारम्भिक अवशेष रू0 403388.027 रहा जो पूर्व वर्ष (2009-10) का अर्जित किया गया था। वर्ष में विभिन्न खातों में स्टेटमेंट के अनुसार रू0 86582.00 ब्याज अर्जित किया गया इस प्रकार ग्रांट रजि0 2 तथा खातो से प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष-2011-2012 में रू0 489970.27 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है।

अर्जित ब्याज रू0 489970.27 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		489970.27	489970.27

प्रस्तर संख्या-166—क्षेत्र पंचायत बघौली में वर्ष 2011-12 में कराये गये कार्यों में क्रय किये गये सामग्री मूल्य रू0 6033155 के भुगतान समय नियमानुसार 2.26 प्रतिशत आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। कुल कटौती रू0 136349.00 के सापेक्ष रू0 117535.00 आयकर नहीं काटा गया है तथा उक्तानुसार राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री पूर्णमासी प्रसाद, श्री सुरेशचन्द्र, एवं लेखाकार श्री महन्त तिवारी से संयुक्त रूप से वसूल कर लेखा शीर्षक0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		117535.00	117535.00

प्रस्तर संख्या-167—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया की क्रय किये गये निर्माण सामग्री पर निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार आयकर रू0 18814.00 की कटौती की गयी है। जिसके जमा की पुष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि गयी कटौती रू0 18814.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी है। काटी गयी आयकर धनराशि 18814.00 को लेखा शीर्षक0021 में तत्काल जमा किया जाय। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है। तो सकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अ0 आहरण वितरण अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र एवं श्री महन्त तिवारी की होगी जिनसे संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		18814.00	18814.00

प्रस्तर संख्या-168—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया की कुल सामग्री क्रय रू0 6033155.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रू0 241326.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि उक्त वर्ष में रू0 शून्य की कटौती की गई है जिससे रू0 241326.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति रू0 241326.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री पूर्णमासी प्रसाद, श्री सुरेश चन्द्र एवं लेखाकार श्री महन्त तिवारी से की जानी अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		241326.00	241326.00

प्रस्तर संख्या-169—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया की ग्रांट रजि0 2 निम्न विवरणानुसार धनराशि की निवासी दर्शित है—

क्र0सं0	चेक नं0/दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
ब्लाक परिसर	0164031/04.08.2011	10000.00	विनोद कुमार गौड़
ब्लाक परिसर	0164033/05.08.2011	113404.00	विनोद कुमार गौड़

	योग	123404.00	

उक्त निर्माण कार्य की कार्य पत्रावली जिसमें प्राक्कलन, टी0एस0, बिल बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा समय मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य दिखाकर भुगतान कर धनराशि रु0 123404.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतएव रु0 123404.00 की ब्याज सहित वसूली भुगतान प्राप्तकर्ता विनोद कुमार गौड़ और ख0वि0अ0 श्री पूर्णमासी प्रसाद से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
123404.00			123404.00

आपत्ति वर्ष 2012-13

प्रस्तर संख्या-170—क्षेत्र पंचायत बघौली वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया की ब्याज की राशि वापस न कर अनियमितता का शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33/2012) दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2012-13 में रु0 89905.00 ब्याज अर्जित किया गया। जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है।

अर्जित ब्याज रु0 89905.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		89905.00	89905.00

प्रस्तर संख्या-171—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया की कराये गये निर्माण कार्यों में क्रय किये गये सामग्री मूल्य रु0 5832720.00 के भुगतान समय नियमानुसार 2.26 प्रतिशत आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। कुल कटौती रु0 131820.00 के सापेक्ष रु0 77553.00 आयकर नहीं काटा गया है तथा उक्तानुसार राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री वी0के0 मोहन, श्री आनन्द कुमार मिश्रा, लेखाकार श्री विजय कुमार श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से वसूल कर लेखा शीर्षक0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		77553.00	77553.00

प्रस्तर संख्या-172—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया की क्रय किये गये निर्माण सामग्री पर निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार आयकर रु0 54267.00 की कटौती की गयी है। जिसके जमा की पुष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि गयी कटौती रु0 54267.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गई है। काटी गयी आयकर धनराशि 54267.00 को लेखा शीर्षक0021 में तत्काल जमा किया जाय। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अ0 आहरण वितरण अधिकारी श्री आनन्द कुमार मिश्रा तथा लेखाकार विजय कुमार श्रीवास्तव की होगी। जिनसे संयुक्त रूप से वसूल कर जमा कराना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		54267.00	54267.00

प्रस्तर संख्या-173—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2012-13 में कुल सामग्री क्रय रु0 5832720.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 233308.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि उक्त वर्ष में रु0 9766.00 की कटौती की गई है। जिससे रु0 223542.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति रु0 223542.00 की प्रतिपूर्ति तातरीख ब्याज के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री बी0के0 मोहन, श्री आनन्द

कुमार मिश्रा तथा लेखाकार श्री विजय कुमार श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		223542.00	223542.00

प्रस्तर संख्या-174—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2012-13 में क्रय किये गये निर्माण सामग्री पर निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार आयकर रु0 9766.00 की कटौती की गयी है। जिसके जमा पुष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रु0 9766.00 जमा न कर राजकीय की हानि पहुंचायी गया है। काटी गयी वैट की धनराशि को संगत लेखाशीर्षकमें जमा किया जाय। यदि वाणिज्य कर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी पूरी ख0वि0अ0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा तथा लेखाकार श्री विजय कुमार श्रीवास्तव की होगी जिनसे संयुक्त रूप से वसूल कर जमा कराना अपेक्षित है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		9766.00	9766.00

प्रस्तर संख्या-175—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2012-13 में कराये गये कार्य घेचुआ तैतरिया सम्पर्क मार्ग के बीच नाले पर 1×3 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया में कार्य पत्रावली अनुसार कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार गुप्ता के मांग पत्र अनुसार रु0 141062.00 मांग का भुगतान 2480.00 आयकर की कटौती कर चेक संख्या-810898 से रु0 138582.00 का भुगतान है जिसके सापेक्ष मणि ट्रेडर्स का बिल (161/03.11.2012) रु0 21787.00 तथा मस्टटरोल रु0 31000.00 का संलग्न व्यय प्रमाणक पाया गया। शेष धनराशि रु0 25795.00 का बिल/मस्टटरोल अप्रस्तुत रहा। पुनः कार्य प्रभारी के मांग पत्र अनुसार चेक संख्या-369910 रु0 131574 का भुगतान किया गया है। जिसके सापेक्ष कार्य पत्रावली में रु0 69904.00 का मस्टटरोल संलग्न पाया गया शेष धनराशि रु0 61670.00 के बिल/मस्टटरोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। इस प्रकार धनराशि रु0 25795 तथा रु 61670.00 कुल रु 87465.00 के बिल /मस्टटरोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। स्पष्ट है की कुल रु 87465.00का अधिक भुगतान कर राजकीय धन का अपहरण सांठ-गांठ करके कार्य प्रभारी एवं ख0वि0अ0 द्वारा किया गया है अतः अपहृत धनराशि रु 87465.00 की **ब्याज सहित** वसूली कार्य प्रभारी श्री अशोक गुप्ता एवं ख0वि0अ0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा से संयुक्त रूप अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
87465.00			87465.00

प्रस्तर संख्या-176—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2012-13 में ग्रांट रजि-2 में राज्यवित्त मद से निम्न विवरणानुसार धनराशि निकासी दर्शित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	चेक सं0/दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	वि0ख0 रंगाई पुताई	022927 / 07.05.2012	50000.00	विनोद कुमार
2	वि0ख0 रंगाई पुताई	0229928 / 19.06.2012	50000.00	विनोद कुमार
3	वि0ख0 रंगाई पुताई	022931 / 19.06.2012	75000.00	विनोद कुमार
4	वि0ख0 रंगाई पुताई	164036 / 26.05.2012	23660.00	अशोक कुमार गुप्ता
5	बारी गांव पुलिया निर्माण	022929 / 19.06.2012	56671.00	पटेल बिल्डिंग मैटेरियल
6	बारी गांव पुलिया निर्माण	022928 / 19.06.2012	88473.00	शाकम्भरी ब्रिक फील्ड
	योग		343804.00	

उक्त निर्माण कार्य की कार्य पत्रावली जिसमें प्राक्कलन, टी0एस0, बिल बाउचर, मस्टटरोल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा समय मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य दिखाकर भुगतान कर धनराशि रु0 343804.00 अपहरण कर लिया गया है अतएव रु0 343804.00 की **ब्याज सहित** वसूल भुगतान प्राप्तकर्ता श्री विनोद कुमार, श्री अशोक कुमार गुप्ता तथा ख0वि0अ0 श्री बी0के0 मोहन से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
343804.00			343804.00

प्रस्तर संख्या-177—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2012-13 में ग्रांट रजि-2 में राज्यवित्त मद से निम्न विवरणानुसार धनराशि निकासी दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	चेक सं०/दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	चौरी अजगड़वा मार्ग पर पुलिया	810632	59232.00	चौधरी बिल्डिंग मैटेरियल
2	बढ़या पुरवा	810633	165260.00	दिव्यांशिता ब्रिक फील्ड
3	नियांवा में सी०सी० रोड	810637/06.11.2012	55210.00	ए०एल०एस० ब्रिक फील्ड
4	नियांवा में सी०सी० रोड	810638/06.11.2012	267420.00	राय इण्टर प्राइजेज
5	नियांवा में सी०सी० रोड	810648/10.12.2012	9766.00	श्याम कंसट्रक्शन
6	नियांवा में सी०सी०रोड	810897/11.03.2013	31500.00	श्री जय प्रकाश
		योग	588388.00	

उक्त निर्माण कार्य की कार्य पत्रावली जिसमें प्राक्कलन, टी०एस०, बिल बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा समय मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य दिखाकर भुगतान कर धनराशि रु० 588388.00 का अपहरण कर लिया गया है अतएव रु० 588388.00 की ब्याज सहित वसूल भुगतान प्राप्तकर्ता श्री जय प्रकाश तथा वि०ख० श्री आनन्द कुमार मिश्रा रूप से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
588388.00			588388.00

प्रस्तर संख्या-178—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2012-13 में सांसद निधि से कराये गये कुरियार बेलहसा में बुधिराम धोबी के घर के सामने से सरयू कैनाल तक सी०सी० रोड निर्माण में कार्य पत्रावली व ग्रांट-2 के अनुसार कार्य प्रभारी श्री अमरनाथ गुप्ता को निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया है।

चेक संख्या/दिनांक	धनराशि
239533/25.05.2012	100000.00
239537/03.08.2012	144400.00
810639/08.11.2012	101450.00
811152/09.04.2013	86875.00
810893/07.03.2013	150000.00
योग	582725.00

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर कार्य प्रभारी को कुल भुगतानित रु० 582725.00 के सापेक्ष कार्य पत्रावली में बी०डी०वाई० फील्ड तथा मणि ट्रेडर्स के कुल रु० 541808 के बिल पर रु० 7200.00 आयकर की कटौती उपरान्त रु० 534608.00 का भुगतान दर्शित है पुनः रु० 39500.00 का मस्टररोल भी संलग्न पाया गया। इस प्रकार कार्य प्रभारी द्वारा स्वयं को भुगतान प्राप्ति 582725.00 के सापेक्ष कार्य पत्रावली में कुल रु० 574108.00 का बिल व मस्टररोल संलग्न पाया गया। अन्तर रु० 8617.00 के कोई भी व्यय प्रमाणक, लेखा परीक्षा समय अप्रस्तुत रहे। स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी द्वारा अधिक भुगतान प्राप्त कर रु० 8617.00 का अपहरण किया गया है। अतः रु० 8617.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अमरनाथ गुप्ता तथा ख०वि०अ० श्री वी०के० मोहन तथा श्री आनन्द कुमार मिश्रा से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

8617.00			8617.00

आपत्ति वर्ष 2013-14

प्रस्तर संख्या-179—क्षेत्र पंचायत बघौली के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया की ब्याज की राशि वापस न कर अनियमितता का शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33/2010) दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2013-14 में रु0 179019.00 ब्याज अर्जित किया गया। जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है। अर्जित ब्याज रु0 179019.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		179019.00	179019.00

प्रस्तर संख्या-180—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2013-14 में कराये गये निर्माण कार्यों में क्रय किये गये सामग्री मूल्य रु0 16629715.00 के भुगतान समय नियमानुसार 2.26 प्रतिशत आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। कुल कटौती रु0 375832.00 के सापेक्ष रु0 19075.00 आयकर नहीं काटा गया है तथा उक्तानुसार राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा, श्री रमेशचन्द्रा लेखाकार श्री महन्त प्रसाद तिवारी से संयुक्त रूप से वसूल कर लेखा शीर्षक0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		19075.00	19075.00

प्रस्तर संख्या-181—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2013-14 में क्रय किये गये निर्माण सामग्री पर निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार आयकर रु0 356757.00 की कटौती की गयी है। जिसके जमा की पुष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रु0 356757.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी है। काटी गयी आयकर धनराशि 356757.00 को लेखा शीर्षक0021 में तत्काल जमा किया जाय। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो सकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अ0 आहरण वितरण अधिकारी श्री आनन्द कुमार मिश्रा, श्री रमेशचन्द्रा लेखाकार श्री महन्त प्रसाद तिवारी की होगी। जिनसे संयुक्त रूप से वसूल कर जमा कराना अपेक्षित है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		356757.00	356757.00

प्रस्तर संख्या-182—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2013-14की लेखा परीक्षा में पाया गया की कुल सामग्री क्रय सामग्री क्रय रु0 16629715.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 665189.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि उक्त वर्ष में रु0 94946.00 की कटौती की गई है जिससे रु0 570243.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है साथ ही राजस्व क्षति रु0 570243.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा, श्री रमेश चन्द्रा लेखाकार श्री महन्त प्रसाद तिवारी की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		570243.00	570243.00

प्रस्तर संख्या-183—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2013-14की लेखा परीक्षा में पाया गया की क्रय किये गये निर्माण सामग्री पर निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार वैट रु0 94946.00 की कटौती की गई जिसकी जमा की पुष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है

कि की गयी कटौती रु0 94946.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गई है। काटी गयी धनराशि को तत्काल संगत लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त वित्तीय अनियमिता की जिम्मेदारी खण्ड विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी श्री आनन्द कुमार मिश्रा, श्री रमेशचन्द्रा तथा लेखाकार श्री महन्त प्रसाद तिवारी पर है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		94946.00	94946.00

प्रस्तर संख्या-184-क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया की सांसद निधि से कराये गये ग्रामसभा सरैनी में हरिहर मास्टर के घर से संजय के घर होते हुए काली मन्दिर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य पर कार्य प्रभारी श्री अशोक गुप्ता द्वारा प्राप्त भुगतान रु0 82900 ;चेक सं0/दि0 369913/22.10.13 के सपेक्ष कार्य प्रभावली मे रु0 40096.00 तथा रु0 20084.00 का मस्टररोल संलग्न पाया गया। शेष धनराशि रु0 22720.00 का कोई भी बिल/मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। स्पष्ट है कि रु0 22720.00 का अधिक भुगतान प्राप्त कर कार्य प्रभारी द्वारा राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। अतएव रु0 22720.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अशोक कुमार गुप्ता तथा ख0वि0अ0 आनन्द कुमार मिश्रा से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
22720.00			22720.00

प्रस्तर संख्या-185-क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया की राज्य वित्त से कराये गये कार्य ग्राम पंचायत सई बुजुर्ग में शमशुलहक के घर से उत्तर मनव्वर के खेत तक इ0ला0 कार्य में प्रस्तुत कार्य पत्रावली में 15 ट्रालीमिट्टी रु155.00 की दर से ट्राली संख्या-यू0पी0 58 बी0 2010 द्वारा गिराने हेतु श्री अमित कुमार चौधरी को रु0 2325.00 के भुगतान का रसीद संलग्न पाया गया। उक्त गाडी नं0- आर0टी0ओ0 में मोअरसाईकिल का श्री गणेश यादव के नाम पर दर्ज है। स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी श्री संतराम चौधरी द्वारा रु0 2325.00 का मिट्टी भुगतान फर्जी बिल संलग्न कर अपहरण किया गया है। अतः रु0 2325.00 की ब्याज सहित वसूली श्री संतराम चौधरी (ग्रा0वि0अ0) में अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2325.00			2325.00

प्रस्तर संख्या-186-क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया की ग्रांट रजि-2 में राज्यवित्त मद से निम्न विवरणानुसार धनराशि निकासी दर्शित है।

क्र0सं 0	कार्य का नाम	चेक सं0/दिनांक	धनराशि	प्रप्तकर्ता
1	अमरडोभा में ख0म0	039709/.04.2013	150000.00	मे0 राजेश कुमार
2	अमरडोभा में ख0म0	039712/.04.2013	300000.00	मे0 मणि ट्रेडर्स
3	ब्लाक परिसर गेट निर्माण	0397111/.04.2013	800000.00	मे0 मणि ट्रेडर्स
4	ब्लाक परिसर गेट निर्माण	039715/.04.2013	100000.00	मे0 मणि ट्रेडर्स
5	अमरडोभा में नाली	039714/.04.2013	150000.00	मे0 मणि ट्रेडर्स
6	अमरडोभा में नाली	45067/.04.2013	41878.00	मे0 मणि ट्रेडर्स
7	खडण्जा मरम्मत	039717/.04.2013	150000.00	बी0डी0वाई0 ईट भट्टा
8	सई बुजुर्ग में पुलिया	039719/.05.2013	250000.00	मे0 मणि ट्रेडर्स
9	अमरडोभा में नाली	045065/08.07.2013	48916.00	जयप्रकाश
10	अमरडोभा में नाली	045066/07.07.2013	41084.00	मे0 मणि ट्रेडर्स
11	ब्लाक परिसर में मिट्टी एवं	045069/26.07.	100000.00	मे0 मणि ट्रेडर्स

	खड़ण्जा	2013		
12	ब्लाक परिसर	45076 / —	94020.00	संतराम चौधरी
13	ब्लाक परिसर में	45078 / —	28058.00	में हेमन्त
14	अमरडोभा में नाली	45079 / 13.01. 2014	69801.00	मे0 मणि ट्रेडर्स
15	माधोपुर में इ0ला0 कार्य	100154 / 27.01. 2014	71350.00	बी0डी0वाई0 ईट भट्टा
16	माधोपुर में इ0ला0 कार्य	100155 / 27.01. 2014	45062.00	यादव एजेंसी
17	—	54663 / 06.03. 2014	94808.00	प्रतिमा ईट उद्योग
18	अमरडोभा में नाली	054675 / 12.03. 2014	14760.00	जवबाद हुसैन खां.
	योग		1829737. 00	

उक्त निर्माण कार्य की कार्य पत्रावली जिससे प्राक्कलन, टी0एस0, बिल बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा समय मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य दिखाकर भुगतान कर धनराशि रू0 1829737.00 का अपहरण कर लिया गया है अतएव रू0 1829737.00 की ब्याज सहित वसूल भुगतान प्राप्तकर्ता श्री जय प्रकाश, श्री संतराम चौधरी, श्री जब्बाद हुसैन खां तथा ख0वि0अ0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा, रमेश चन्द्रा से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1829737.00			1829737.00

प्रस्तर संख्या-187-क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया की ग्रांट रजि-2 में राज्यवित्त मद से निम्न विवरणानुसार धनराशि निकासी दर्शित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	चेक सं0/दिनांक	धनराशि	प्रप्तकर्ता
1	नियांवा में सी0सी0 रोड	369980 / 10.06. 2013	115000.00	श्री जय प्रकाश
2	नियांवा में सी0सी0 रोड	369907 / 26.06. 2013	9655.00	श्री जय प्रकाश
3	सांसद निधि	369908 / 10.07. 2013	71000.00	में0 बी0डी0वाई0 ब्रिक फील्ड
	योग		195655.00	

उक्त निर्माण कार्य की कार्य पत्रावली जिससे प्राक्कलन, टी0एस0, बिल बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा समय मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य दिखाकर भुगतान कर धनराशि रू0 195655.00 का अपहरण कर लिया गया है अतएव रू0 195655.00 की ब्याज सहित वसूल भुगतान प्राप्तकर्ता श्री जय प्रकाश, तथा ख0वि0अ0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा, रमेश चन्द्रा से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
195655.00			195655.00

प्रस्तर संख्या-188-क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया की ग्रांट रजि-3 के अनुसार निम्न मदों के धनराशियां 31.03.2014 को अवशेष व निष्प्रयोज्य रही।

क्र0सं0	योजना का नाम	धनराशि 31.03.2014
1	एस0जी0आर0वाई0	122000.00
2	जनता वायोर्गैस	4502.00

3	ब्याज की धनराशि	694236.27
4	डी0आर0डी0ए0 कन्टेजेन्सी	2132.00
5	जे0आर0ई0एस0 कैम्प आयोजन	1905.00
6	आर्थिक एवं जातिगत जनगणता	3600.00
	योग	828375.27

उपरोक्त तालिका में इस प्रकार कुल रु0 828375.27 मदवार अंकित धनराशि विगत वर्ष से अनुपयोगित रहा जो क्षेत्र पंचायत में निष्प्रयोजित पड़ी रही। निष्प्रयोजित पड़ी धनराशि को प्रदाता के समय से वापस न कर गम्भीर अनियमितताएं की गयी है। इस प्रति ख0वि0अ0 श्री रमेश चन्द्रा व लेखाकार श्री महन्थ तिवारी जिम्मेदार है।

अतः एवं तालिका में मदवार अंकित धनराशि को तत्काल प्रदाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		828375.27	828375.27

आपत्ति वर्ष-2014-2015

प्रस्तर संख्या-189-क्षेत्र पंचायत बघौली में वर्ष-2014-2015 के लेखा परीक्षा में पाया गया कि ब्याज की राशि वापस न कर अनियमितता का शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33/2012) दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष-2014-2015 में रु0 394575.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है। अर्जित ब्याज रु0 394575.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		394575.00	394575.00

प्रस्तर संख्या-190-क्षेत्र पंचायत बघौली में वर्ष 2014-2015 में निम्न विवरणानुसार आयकर की कटौती कम की गई है।-

क्र0सं 0	कार्य	फर्म	कुल धनराशि	कटौती योग्य टी0डी0एस0 (2. 26 प्रतिशत)	काटी गई टी0डी0एस0	कम कटौती
1.	जोगाडीहा में सत्य प्रकाश के बाग से रंगी लाल के घर तक इ0 ला0 कार्य0	अर्जुन कन्सट्रक्शन	155961.00	3525.00	3225.00	300.00
2.	करैली में पक्की सड़क से शोहराब अली के घर तक इ0ला0कार्य	कृष्णा ब्रिक फिल्ड	39098.00	88.00	837.00	47.00
					योग	347.00

इस प्रकार उक्तानुसार रु0 347.00 आयकर न काटकर राजस्व की हानी की गई है। इस प्रति ख0वि0अ0

श्री रमेश चन्द्रा तथा लेखाकार श्री महन्त प्रसाद तिवारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		347.00	347.00

प्रस्तर संख्या-191-क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2014-2015 में राज्यवित्त मद से क्रय किये गये निर्माण सामग्री पर जिसका भुगतान आगामी वर्ष में भी हुआ है। कार्य पत्रावली अनुसार आयकर रु0 139216.00 की कटौती की गई है जिसका जमा की पुष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रु0 139216.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी है। काटी गयी आयकर धनराशि 139216.00 को संगत लेखा शीर्षकमें तत्काल जमा किया जाय। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो सकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अ0/आहरण वितरण अधिकारी श्री रमेश चन्द्रा तथा लेखाकार श्री महन्त प्रसाद तिवारी की होगी जिनसे संयुक्त रूप से वसूल कर जमा कराना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		139216.00	139216.00

प्रस्तर संख्या-192-क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2014-2015 में बी0आर0जी0एफ0 मद से निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय के सापेक्ष वैट की कटौती नहीं की गयी है-

क्र0सं0	कार्य	क्रय सामग्री रु0	कटौती योग्य वैट 4 प्रतिशत
1	मेडरापार में बहखरा सहजनवा मार्ग से मठ तक सी0सी0रोड	516509.00	20660.00
2	पचपोखरी में सी0सी0रोड	527243.00	21090.00
	योग	527243.00	41750.00

इस प्रकार उपरोक्तानुसार रु0 41750.00 वैट की कटौती न कर राजस्व की हानि की गयी है। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति रु0 41750.00 की पूर्तिपूर्ति ब्याज के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री रमेश चन्द्रा लेखाकार श्री महन्त प्रसाद तिवारी से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		41750.00	41750.00

प्रस्तर संख्या-193-क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2014-2015 में मदवार क्रय सामग्री जिसका कार्य पत्रावली व ग्रांट 2 में दर्शित है-

मद का नाम	की गयी वैट की कटौती	ग्रांट रजि-2 के अनुसार जमा रु0	जमा नहीं किया गया वैट
राज्यवित्त/तेरहवां वित्त	246963.00	187510.00	59453.00
बी0आर0जी0एफ0	77823.00	48707.00	29116.00
योग	324786.00	236217.00	88569.00

इस प्रकार उपरोक्तानुसार रु0 88569.00 की गई वैट की कटौती को जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचायी गयी है काटी गयी वैट का संगत लेखाशीर्षकमें तत्काल जमा किया जाय। यदि व्यापार कर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अ0/आहरण वितरण अधिकारी श्री रमेश चन्द्रा तथा श्री महन्त प्रसाद तिवारी की होगी। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		88569.00	88569.00

प्रस्तर संख्या-194-क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2014-2015 में योजना राज्यवित्त के कार्य

खलीलाबाद मेहदावल पिचरोड़ से बधुआ तक इ०ला० के कार्यपत्रावली में संलग्न प्राक्कलन अनुसार सामग्री में रु० 357700.00 मजदूरी में रु० 52600.00 व्यय होना था परन्तु संलग्न बिल बाउचर एवं मस्टरोल अनुसार सामग्री में रु० 365780.00 एवं मजदूरी में रु० 45900.00 का व्यय हुआ है जो सामग्री मद में रु० 8080.00 का अधिक एवं मजदूरी मद में रु० 6700.00 का कम व्यय हुआ है। लेखा परीक्षा समय बार-बार मौखिक रूप से एम०बी० मांगने पर भी एम०बी० प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वास्तविक सामग्री व्यय एवं मजदूरी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। परन्तु कार्य पत्रावली में लगे प्राक्कलन एवं व्यय वाउचर से स्पष्ट है कि सामग्री क्रय एवं मजदूरी के अनुपात में सामग्री क्रय रु० 53643.00 का अधिक व्यय/भुगतान कर अपहरण किया गया है जिसकी **ब्याज सहित** वसूली कार्य प्रभारी श्री मु० अनवर एवं ख०वि०अ० श्री रमेश चन्द्र तथा अवर अभियन्ता श्री अरशद अली सिद्दीकी से संयुक्त रूपसे अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
53643.00			53643.00

प्रस्तर संख्या-195—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2014-15 में योजना राज्यवित्त के कार्य ग्राम पं० बधुआ में शिव प्रसाद के घर से पी०डब्लू०डी० रोड़ तक इ०ला० के कार्य पत्रावली में संलग्न प्राक्कलन अनुसार सामग्री में रु० 357716.00 मजदूरी में रु० 57074.00 व्यय होना परन्तु संलग्न बिल वाउचर एवं मास्टरोल अनुसार सामग्री में रु०368656.00 एवं मजदूरीमें रु० 47190.00 का व्यय हुआ है जो सामग्री मद में रु० 10640.00 का अधिक एवं मजदूरी मद में रु० 9884.00 का कम व्यय हुआ है। लेखा परीक्षा समय बार-बार मौखिक रूप में एम०बी० मांगने पर भी एम०बी० प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वास्तविक सामग्री व्यय एवं मजदूरी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। परन्तु कार्य पत्रावली में लगे प्राक्कलन एवं व्यय वाउचर से स्पष्ट है कि सामग्री क्रय एवं मजदूरी के अनुपात में सामग्री क्रय रु० 72589.00 का अधिक व्यय/भुगतान कर अपहरण किया गया है जिसकी **ब्याज सहित** वसूली कार्य प्रभारी श्री संतराम चौधरी एवं ख०वि०अ० श्री रमेश चन्द्रा तथा अवर अभियन्ता श्री अरशद अली सिद्दीकी से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
72589.00			72589.00

प्रस्तर संख्या-196—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2014-15 में योजना राज्यवित्त के कार्य ग्राम पंचायत सई बुजुर्ग में पिच रोड से कब्रिस्तान तक इ०ला० के कार्य पत्रावली में संलग्न प्राक्कलन अनुसार सामग्री में रु० 394850.00 मजदूरी में रु० 59400.00 व्यय होना था। परन्तु संलग्न बिल बाउचर एवं मस्टररोल अनुसार सामग्री में रु० 402231.00 एवं मजदूरी में रु० 51145.00 का व्यय हुआ है जो सामग्री मद में रु० 7381.00 का अधिक एवं मजदूरी मद में रु० 8255.00 का कम व्यय हुआ है। लेखा परीक्षा समय बार-बार मौखिक रूप से एम०बी० मांगने पर भी एम०बी० प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वास्तविक सामग्री व्यय एवं मजदूरी व्यय की पुष्टि नहीं कि जा सकी। परन्तु कार्य पत्रावली में लगे प्राक्कलन एवं व्यय वाउचर से स्पष्ट है कि सामग्री क्रय एवं मजदूरी के अनुपात में सामग्री क्रय रु० 62255.00 का अधिक व्यय/भुगतान कर अपहरण किया गया है जिसकी **ब्याज सहित** वसूली कार्य प्रभारी श्री भानु प्रताप सिंह एवं ख०वि०अ० श्री रमेश चन्द्रा तथा अवर अभियन्ता श्री अरशद अली सिद्दीकी से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
62255.00			62255.00

प्रस्तर संख्या-197—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2014-15 में योजना राज्यवित्त के कार्य ग्राम जोगीडीहा में सत्यप्रकाश के बाग से रंगीलाल के घर तक इ०ला० के कार्य पत्रावली में संलग्न प्राक्कलन अनुसार सामग्री में रु० 378560.00 मजदूरी में रु० 70800.00 व्यय होना था परन्तु संलग्न बिल वाउचर एवं मस्टररोल अनुसार सामग्री में रु० 402808.00 एवं मजदूरी में रु० 50885.00 का व्यय हुआ है। जो सामग्री मद में रु० 24248.00 का अधिक एवं मजदूरी मद में रु० 19915.00 का कम व्यय हुआ है। लेखा परीक्षा समय बार-बार मौखिक रूप से एम०बी० मांगने पर भी एम०बी० प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वास्तविक सामग्री व्यय एवं मजदूरी व्यय की पुष्टि नहीं कि जा सकी। परन्तु कार्य पत्रावली में लगे प्राक्कलन एवं व्यय वाउचर से स्पष्ट है कि सामग्री क्रय एवं मजदूरी के अनुपात में सामग्री क्रय रु० 130732.00 का अधिक व्यय/भुगतान कर अपहरण किया गया है जिसकी **ब्याज सहित** वसूली कार्य प्रभारी श्री संतराम

चौधरी एवं ख0वि0अ0 श्री रमेश चन्द्रा तथा अवर अभियन्ता श्री अरशद अली सिद्दीकी से संयुक्त से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
130732.00			130732.00

प्रस्तर संख्या-198—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2014-15 में राज्यवित्त मद से कराये गये कार्य बिहारे पिचरोड से कोपिया शिवशक्ती शिशु मन्दिर तक इ0ला0 कार्य में कार्य पत्रावली में कार्य प्रभारी को भुगतानित रू0 54115.00 (चेक संख्या-171171/01.10.2014) के सापेक्ष रू0 51315.00 का मस्टररोल संलग्न पाया गया। शेष रू0 2800.00 का कोई भी बिल/बाउचर कार्य प्रभारी श्री संतराम चौधरी द्वारा भुगतानित धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उनसे की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2800.00			2800.00

प्रस्तर संख्या-199—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2014-15 में उपरोक्त कार्य पर कार्य प्रभारी को भुगतानित रू0 28000 (चेक संख्या-171170/01.10.2014) के सापेक्ष कार्य पत्रावली में कार्य प्रभारी द्वारा ट्राली संख्या-यू0पी0 53 ए0डब्लू0 9928 से 10 ट्राली मिट्टी दर रू0 280 प्रति ट्राली से रू0 25800 के भुगतान की रसीद श्री शिवपूजन यादव पुत्र श्री लोरिक ग्राम व पोस्ट कोपिया संत कबीर नगर का संलग्न किया पाया गया। उक्त गाड़ी सं0 का रजि आर0टी0ओ0 में मोटरसाइकिल बजाज पल्सर श्री समीउल्लाह के नाम पर दर्ज है। स्पष्ट है कि फर्जी बिल प्रस्तुत करके धनराशि रू0 2800.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपद्धत धनराशि रू0 2800.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री संतराम चौधरी से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2800.00			2800.00

प्रस्तर संख्या-200—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्रांट रजि-2 में राज्यवित्त मद से निम्न विवरणानुसार धनराशि निकासी दर्शित है।

क्र0सं 0	कार्य का नाम	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	जंगल खुर्द पिचरोड से साधू यादव के घर तक इ0ला0 कार्य	66614/07.09.2014	9779.00	एस0डी0बाई0 ब्रिक
2	नौरो में इ0ला0 कार्य	66639/11.09.2014	48145.00	कृष्णा ब्रिक फील्ड
3	नौरो में इ0ला0 कार्य	66640/11.09.2014	35412.00	मणि ट्रेडर्स
4	खलीलाबाद मेहदावल रोड से मस्जिद तक इ0 ला0 कार्य	171160/01.10.2014	50788.00	अर्जुन कंसट्रक्शन
5	ग्राम पं0 सिहटीकर में सी0सी0रोड	171193/01.10.2014	30324.00	कृष्णा ब्रिक फील्ड
6	ग्राम पं0 सिहटीकर में सी0सी0 रोड	171194/01.10.2014	160391.00	मणि ट्रेडर्स
7	ग्राम पं0 सिहटीकर में सी0सी0रोड	171195/01.10.2014	30215.00	भानू प्रताप सिंह
8	जोगीडीहा काटामानसिंह	68504/14.01.2015	85805.00	कृष्णा ब्रिक फील्ड
9	जोगीडीहा काटामानसिंह	68505/14.01.2015	60415.00	मणि ट्रेडर्स
10	जोगीडीहा काटामानसिंह	68506/14.01.2015	101577.00	अर्जुन कंसट्रक्शन

	योग		612851.00	

उक्त निर्माण कार्य की कार्य पत्रावली जिसमें प्राक्कलन, टी0एस0 बिल बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा समय मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य दिखाकर भुगतान कर धनराशि रू0 612851.00 का अपहरण कर लिया गया है अतएव रू0 612851.00 श्री भानू प्रताप सिंह, ख0वि0अ0 श्री रमेश चन्द्रा से संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
612851.00			612851.00

प्रस्तर संख्या-201-क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्रांट रजि-2 में राज्यवित्त मद से निम्न विवरणानुसार धनराशि निकासी दर्शित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	चेक संख्या / दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	सिहटीकर में सी0सी0 रोड	385701 / 16.10. 2014	26391.00	कृष्णा ब्रिक फिल्ड
2	सिहटीकर में सी0सी0 रोड	385702 / 16.10. 2014	23213.00	मणि ट्रेडर्स
3	सिहटीकर में सी0सी0 रोड	385703 / 16.10. 2014	72555.00	अर्जुन कंसट्रक्शन
4	सिहटीकर में इण्टरलाकिंग	385740 / 25.02. 2015	34463.00	अर्जुन कंसट्रक्शन
5	सिहटीकर में इण्टरलाकिंग	385741 / 25.02. 2015	13668.00	मणि ट्रेडर्स
6	सिहटीकर में इण्टरलाकिंग	385742 / 25.02. 2015	13991.00	कृष्णा ब्रिक फील्ड
7	सिहटीकर में इण्टरलाकिंग	385743 / 25.02. 2015	23295.00	भानू प्रताप सिंह
	योग		207576.00	

उक्त निर्माण कार्य की कार्य पत्रावली जिसमें प्राक्कलन, टी0एस0, बिल बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा समय मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य दिखाकर भुगतान कर धनराशि रू0 207576.00 का अपहरण कर लिया गया है अतएव रू0 207576.00 श्री भानू प्रताप सिंह , ख0वि0अ0 श्री रमेश चन्द्रा से संयुक्त रूप से **ब्याज सहित** वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
207576.00			207576.00

प्रस्तर संख्या-202-क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त से कराये गये कार्य चौरी में विद्यासागर यादव के घर से राजाराम सिंह के घर तक इ0ला0 कार्य में पत्रावली में सामग्री क्रय के सापेक्ष रू0 265472.00 के बिल/बाउचर तथा कार्य प्रभारी को भुगतानित रू0 33950.00 (चेक संख्या-68517/23.03.2015) के सापेक्ष बिना मजदूरों के हस्ताक्षर मस्टररोल संलग्न पाया गया जिससे मस्टररोल फर्जी सावित होता है तथा स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर श्रमांश का भुगतान नहीं हुआ है।

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य पर प्राक्कलन अनुसार सामग्री क्रय पर रू0 260000.00 तथा श्रमांश पर रू0 34100.200 व्यय होना था। लागत धनराशि के विपरीत सामग्री क्रय रू0 265472.00 का बिल संलग्न होने श्रमांश का भुगतान न होने से स्पष्ट है कि कार्य नहीं कराया गया है तथा भुगतानित धनराशि रू0 299422.00 का फर्जी बिल प्रस्तुत कर कार्य प्रभारी, अवर अभियन्ता तथा ख0वि0अ0 द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस प्रकार कुल धनराशि रू0 299422.00 की **ब्याज सहित** वसूली कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार गुप्ता, अवर अभियन्ता श्री अरशद अली सिद्दीकी तथा ख0वि0अ0 श्री रमेश चन्द्रा से संयुक्त

रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
299422.00			299422.00

आपत्ति वर्ष 2015-16

प्रस्तर संख्या-203—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2015-16 में ब्याज की राशि वापस न कर अनियमितता का शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33/2010) दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष-2015-2016 में रु0 247748.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है। अर्जित ब्याज रु0 247748.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		247748.00	247748.00

प्रस्तर संख्या-204—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त से कार्य पत्रावली अनुसार कराये गये कार्यों के सापेक्ष सामग्री क्रय जिसका भुगतान बाद के वर्ष में भी हुआ है पर रु0 282089.00 वैट की कटौती की गयी है। जिसकी जमा की पुष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रु0 282089.00 को जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुचाई गई ह। काटे गये वैट की धनराशि रु0 282089.00 को तत्काल जमा किया जाय। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		282089.00	282089.00

प्रस्तर संख्या-205—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2015-16 में सांसद निधि से कराये गये कार्यों के सापेक्ष कार्य पत्रावली अनुसार रु0 29943.00 वैट की कटौती की गयी है जिसके सापेक्ष ग्रांट-2 के अनुसार रु0 16360.00 जमा दर्शित है इस प्रकार शेष रु0 13583.00 वैट की कटौती जमा कर उक्तानुसार राजस्व की हानि की गयी है। काटी गयी वैट की शेष जमा न की गयी धनराशि रु0 13583.00 को तत्काल जमा किया जाय। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		13583.00	13583.00

प्रस्तर संख्या-206—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त से कराये गये जोगाडीहा ग्राम में राममहेश के खेत से बुझारथ के घर तक इ0ला0 की कार्य पत्रावली में सामग्री क्रय रु568509.00 का बिल तथाश्रमांश मद पर व्ययरु97095.00 कामास्टररोल संलग्न पाया गया लेखा परीक्षासमय प्रस्तुत कार्य पत्रावली में संलग्न माप पुस्तिका में उपरोक्त कार्य पर सामग्री व्यय रु0 120517.00 तथा श्रमांश पर व्यय रु0 97095.00 दर्शित है। इस प्रकार शेष सामग्री क्रय रु0 447992.00 के सापेक्ष मास्टररोल तथा एम0वी0 लेखा परीक्षा समय अप्रस्तुत रहा। क्रय सामग्री के सापेक्ष मास्टररोल अप्रस्तुत रहने एम0बी0 के न होने से स्पष्ट है कि रु0 447992.00 सामग्री क्रय का फर्जी बिल प्रस्तुत कर धनराशि रु0 447992.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतएव अपहृत धनराशि रु0 447992.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री भानु प्रताप सिंह, ख0वि0अ0 श्री रमेशचन्द्रा तथा अवर अभियन्ता श्री ओ0पी0 सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
447992.00			447992.00

प्रस्तर संख्या-207—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त से कराये गये ग्राम

हावपुर भण्डारी मे पिचरोड से रामपयारे के घर तक इ0ला0 की कार्य पत्रावली में सामग्री क्रय का रू0 376731.00 का बिल तथा श्रमांश मद पर व्यय रू0 62500.00 का मस्टररोल संलग्न पाया गया। लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत कार्य पत्रावली में उपरोक्त कार्य पर सामग्री व्यय रू0 227733.00 तथा श्रमांश पर व्यय रू0 62500.00 दर्शित है। इस प्रकार शेष सामग्री क्रय सख्या-148998.00 के सापेक्ष मस्टररोल तथा एम0बी0 लेखा परीक्षा समय अप्रस्तुत रहा। क्रय सामग्री के सापेक्ष मस्टररोल अप्रस्तुत रहने, एम0बी0 के न होने से स्पष्ट है कि रू0 148998.00 सामग्री क्रय का फर्जी बिल प्रस्तुत कर धनराशि रू0 148998.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतएव अपहृत धनराशि रू0 148998.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री भानू प्रताप सिंह, ख0वि0अ0 श्री रमेशचन्द्रा तथा अवर अभियन्ता श्री ओ0पी सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
148998.00			148998.00

प्रस्तर संख्या-208-क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त से कराये गये ग्राम हावपुर भण्डारी मे पिचरोड से काली जी के स्थान तक इ0ला0 की कार्य पत्रावली में सामग्री क्रय का रू0 442658.00 का बिल तथा श्रमांश मद पर व्यय रू0 86000.00 का मस्टररोल संलग्न पाया गया। लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत कार्य पत्रावली में संलग्न माप पुस्तिका में उपरोक्त कार्य पर सामग्री व्यय रू0 342214.00 तथा श्रमांश पर व्यय रू0 86000.00 दर्शित है। इस प्रकार शेष सामग्री क्रय रू0 100444.00 के सापेक्ष मस्टररोल तथा एम0बी0 लेखा परीक्षा समय अप्रस्तुत रहा। क्रय सामग्री के सापेक्ष मस्टररोल अप्रस्तुत रहने, एम0बी0 के न होने से स्पष्ट है कि रू0 100444.00 सामग्री क्रय का फर्जी बिल प्रस्तुत कर धनराशि रू0 100444.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतएव अपहृत धनराशि रू0 100444.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री भानू प्रताप सिंह, ख0वि0अ0 श्री रमेशचन्द्रा तथा अवर अभियन्ता श्री ओ0पी सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
100444.00			100444.00

प्रस्तर संख्या-209-क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त से कराये गये ग्राम बधुआ में मुख्य मार्ग से फुलदेव के घर के पीछे तक इ0ला0 की कार्य पत्रावली के मांग पत्र पर चेक संख्या-86706/16.11.2015 से रू0 100000.00 भुगतान दर्शित है स्टेटमेंट अनुसार उक्त धनराशि मे0 अर्जुन कसंद्रक्शन को दिनांक-30.11.2015 को भुगतानित है लेखा परीक्षा समय उक्त भुगतानित धनराशि के सापेक्ष कोई भी बिल/बाउचर प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि भुगतानित धनराशि का अपहरण फर्म सांठ-गांठ कर कर लिया गया है। ऐसी दशा में अपहृत धनराशि रू0 100000.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार गुप्ता तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री रमेश चन्द्रा से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
100000.00			100000.00

प्रस्तर संख्या-210-क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त से कराये गये कार्य बारीगांव में जगदीश के घर से विद्यालय मार्ग तक की कार्य पत्रावली में प्रस्तुत क्रय का रू0 329259.00 का बिल तथा श्रमांश मद पर व्यय रू0 40950.00 का मस्टररोल संलग्न पाया गया। लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत कार्य पत्रावली में संलग्न माप पुस्तिका में उपरोक्त कार्य पर सामग्री व्यय रू0 224679.00 तथा श्रमांश पर व्यय रू0 40950.00 दर्शित है। इस प्रकार शेष सामग्री क्रय रू0 104580.00 के सापेक्ष मस्टररोल तथा एम0बी0 लेखा परीक्षा समय अप्रस्तुत रहा। क्रय सामग्री के सापेक्ष मस्टररोल अप्रस्तुत रहने, एम0बी0 के न होने से स्पष्ट है कि रू0 104580.00 सामग्री क्रय का फर्जी बिल प्रस्तुत कर धनराशि रू0 104580.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतएव अपहृत धनराशि रू0 104580.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार गुप्ता, ख0वि0अ0 श्री रमेशचन्द्रा तथा अवर अभियन्ता श्री ओ0पी सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

104580.00			104580.00

प्रस्तर संख्या-211—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त से कराये गये कार्य फेउसी में विशम्भर के मकान से जगन्नाथ मिश्र के खेत तक इ0ला0 की कार्य पत्रावली में सामग्री क्रय का रू0 440660.00 का बिल तथा श्रमांश मद पर व्यय रू0 73550.00 का मस्टररोल संलग्न पाया गया। लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत कार्य पत्रावली में संलग्न माप पुस्तिका में उपरोक्त कार्य पर सामग्री व्यय रू0 224679.00 तथा श्रमांश पर व्यय रू0 350356.00 दर्शित है। इस प्रकार शेष सामग्री क्रय रू0 73550.00 के सापेक्ष मस्टररोल तथा एम0बी0 लेखा परीक्षा समय अप्रस्तुत रहा। क्रय सामग्री के सापेक्ष मस्टररोल अप्रस्तुत रहने, एम0बी0 के न होने से स्पष्ट है कि रू0 90295.00 सामग्री क्रय का फर्जी बिल प्रस्तुत कर धनराशि रू0 90295.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतएव अपहृत धनराशि रू0 90295.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अशोक कुमार गुप्ता, ख0वि0अ0 श्री रमेशचन्द्रा तथा अवर अभियन्ता श्री ओ0पी0 सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
90295.00			90295.00

प्रस्तर संख्या-212—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2014-15 में ग्रांट संख्या-2 में राज्यवित्त मद से निम्न विवरणानुसार धनराशि निकासी दर्शित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	चेक संख्या / दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	शिवापार में इ0ला0	75373 / 16.04. 2015	22910.00	कृष्णा ब्रिक फिल्ड
2	शिवापार में इ0ला0	75374 / 16.04. 2015	15707.00	मणि ट्रेडर्स
3	शिवापार में इ0ला0	75375 / 16.04. 2015	36277.00	अर्जुन कंसट्रक्शन
4	सिहटीकर में इण्टरलाकिंग	73382 / 17.04. 2015	24223.00	कृष्णा ब्रिक फिल्ड
5	सिहटीकर में इण्टरलाकिंग	73383 / 17.04. 2015	18006.00	मणि ट्रेडर्स
6	सिहटीकर में इण्टरलाकिंग	73384 / 17.04. 2015	54416.00	अर्जुन कंसट्रक्शन
7	जोगीडीहा में इ0ला0	75546 / 17.04. 2015	45820.00	कृष्णा ब्रिक फिल्ड
8	जोगीडीहा में इ0ला0	75547 / 17.04. 2015	30885.00	मणि ट्रेडर्स
9	जोगीडीही में इ0ला0	75548 / 17.04. 2015	65300.00	अर्जुन कंसट्रक्शन
10	ब्लाक परिसर में रंगई पुताई	75555 / 11.07. 2015	48178.00	अर्जुन कंसट्रक्शन
11	सिहटीकर में इ0ला0	75573 / 06.11. 2015	53000.00	भानू प्रताप सिंह
12	सिहटीकर में इ0ला0	86690 / 06.11. 2015	103658.00	अर्जुन कंसट्रक्शन
	योग		518380.00	

उक्त निर्माण कार्य की कार्य पत्रावली, जिसमें प्राक्कलन, टी0एस0 बिल बाउच, मस्टररोल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा समय मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है। कि उपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य दिखाकर भुगतान कर धनराशि रू0 518380.00 का अपहरण कर लिया

गया है। अतएव रु0 518380.00 की ब्याज सहित वसूली भुगतान प्राप्तकर्ता श्री संतराम चौधरी, श्री भानू प्रताप सिंह तथा ख0वि0अ0 श्री रमेश चन्द्रा से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
518380.00			518380.00

आपत्ति वर्ष 2016-17

प्रस्तर संख्या-213—क्षेत्र पंचायत बघौली में वर्ष 2016-17 के लेखा परीक्षा में पाया गया की ब्याज की राशि वापस न कर अनियमितता का शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33/2010) दिनांक-21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है।

लेखा परीक्षा अनुसार विभिन्न खातों में प्राप्त शासकीय अनुदानों पर वर्ष 2016-2017 में रु0 203741.00 ब्याज अर्जित किया गया है जिसे शासनादेश के अनुसार वापस न कर अनियमितता की गयी है। अर्जित ब्याज रु0 203741.00 को तत्काल नियमानुसार वापस किया जाना अपेक्षित है। अनियमितता के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		203741.00	203741.00

प्रस्तर संख्या-214—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2016-17 में कराये गये निर्माण कार्य प्रमुख कच रंगाई पुताई में सामग्री मूल्य रु0 90781.00 के भुगतान समय नियमानुसार 2.26 प्रतिशत आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी। कुल कटौती रु0 शून्य के सापेक्ष रु0 2052.00 आयकर नहीं काटा गया है तथा उक्तानुसार राजस्व की हानि की गई है। ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी के साथ आहरण-वितरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री अजय कुमार यादव तथा लेखाकार श्री महन्त तिवारी से संयुक्त रूप से वसूल कर लेखा शीर्षक0021 में जमा कराया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		2052.00	2052.00

प्रस्तर संख्या-215—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2016-17 में क्रय किये गये निर्माण कार्य पत्रावली के अनुसार आयकर रु0 31760.00 की कटौती की गयी है। जिसमें से ग्रांट-2 के अनुसार रु0 17330.00 जमा दर्शित है शेष रु0 14430.00 के जमा की पुष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा समय प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्पष्ट है कि की गयी कटौती रु0 14430.00 जमा न कर राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाया गया है। काटी गयी आयकर धनराशि 14430.00 को लेखा शीर्षक0021 में तत्काल जमा किया जाय। यदि आयकर विभाग द्वारा कोई दण्ड/ब्याज अवधारित किया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन ख0वि0अ0 आहरण वितरण अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार चतुर्वेदी तथा लेखाकार श्री महन्त प्रसाद तिवारी की होगी। जिनसे संयुक्त रूप से वसूल कर जमा अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		14430.00	14430.00

प्रस्तर संख्या-216—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त मद से कार्य पत्रावली अनुसार रु0 56046.00 वैट की कटौती की गयी है। जिसकी जमा की पुष्टि में कोई जमा चालान लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रहा। काटे गये वैट की धनराशि रु0 56046.00 को जमा न कर राजस्व की हानि की गयी है। इसे तत्काल जमा किया जाय। अगर व्यापार कर विभाग द्वारा कोई अर्थदण्ड/ब्याज आकलित किया जाता है। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आहरण/वितरण अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार चतुर्वेदी तथा लेखाकार श्री महन्त प्रसाद तिवारी की होगी। जिनसे संयुक्त रूप से वसूल कर जमा कराना अपेक्षित होगा। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		56046.00	56046.00

प्रस्तर संख्या-217—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त के कार्य प्रमुख कक्ष की रंगाई पुताई में सामग्री क्रय रु0 90781.00 पर 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 3631.00 वैट की कटौती की जानी चाहिए। जबकि उक्त वर्ष में रु0 शून्य की कटौती की गई जिससे रु 3631.00 की राजस्वकी क्षति पहुंचाई गयी जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही राजस्व क्षति रु0 3631.00 की प्रतिपूर्ति ब्याज के साथ आहरण वितरण अधिकारी/ख0वि0अ0 श्री अजय कुमार यादव तथा लेखाकार श्री महन्त प्रसाद तिवारी से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		3631.00	3631.00

प्रस्तर संख्या-218—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त से कराये गये कार्य प्रमुख कक्ष की रंगाई पुताई में कार्य पत्रावली अनुसार में कार्य प्रभारी को चेक संख्या/दिनांक 587707/01.04.2016 से रु0 80000.00 तथा चेक सं0—/दिनांक—587708/07.04.2016 से रु0 24381.00 कुल रु0 104381.00 भुगतानित है। जिसके सापेक्ष बिल/बाउचर/मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रह/स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी श्री विनय तिवारी द्वारा स्वयं को भुगतानित रु0 4000.00 का अपहरण कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री विनय कुमार तिवारी से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
4000.00			4000.00

प्रस्तर संख्या-219—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2016-17 ग्रांट रजि0 2 में राज्यवित्त मद से निम्न विवरणानुसार धन राशि निकासी दर्शित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	सिहटीकर में इ0ला0	587709/03.05.2016	103658.00	अर्जुन कंसट्रक्शन
2	सिहटीकर में इ0ला0	587710/03.05.2016	56089.00	मणि ट्रेडर्स
3	सिहटीकर में इ0ला0	107590/09.01.2017	45015.00	कृष्णा ब्रिक फिल्ड
4	बारीगांव में इण्टरलाकिंग	587727/06.06.2016	61082.00	अर्जुन कंसट्रक्शन
	योग		265844.00	

उक्त निर्माण कार्य की कार्य पत्रावली जिसमें प्राक्कलन, टी0एस0, बिल बाउचर मस्टररोल, माप पुस्तिका आदि लेखा परीक्षा समय मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त विवरणानुसार फर्जी रूप से कार्य दिखाकर भुगतान कर धनराशि रु0 265844.00 का अपहरण कर लिया गया है अतएव रु0 265844.00 की ब्याज सहित वसूली ख0वि0अ0 श्री रविन्द्र कुमार चतुर्वेदी से संयुक्त रूप से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
265844.00			265844.00

प्रस्तर संख्या-220—क्षेत्र पंचायत बघौली में आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्यवित्त मद से प्राप्त अनुदान को निष्प्रयोजित रख कर वापस न कर 31.03.2017 अनियमितता ग्रांट-3 के अनुसार 31.3.2017 तक निम्न विवरणानुसार धनराशि व निष्प्रयोजित रही।

क्र0सं0	मद	धनराशि रु0
1	जनता वायोगैस	4502.00
2	सामामजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना	3600.00
3	कैम्प आयेजन हेतु जे0ई0/ए0ई0 एस0	1905.00

4	इन्दिरा आवास कंटीजेंसी	657.00
5	प्राप्त ब्याज	370020.35
	योग	380684.35

उपरोक्त तालिका में इस प्रकार कुल रू0 380684.35 मदवार अंकित धनराशि विगत वर्ष से अनुपायोगित रहा जो क्षेत्र पंचायत में निष्प्रयोजित पड़ी रही। निष्प्रयोजित पड़ी धनराशि को प्रदाता के समय से वापस न कर गम्भीर अनियमितताएं की गयी है। इस प्रति ख0वि0अ0श्री रविन्द्र कुमार चतुर्वेदी व लेखाकार श्री महंत प्रसाद तिवारी जिम्मेदार है अतएव तालिका में मदवार अंकित धनराशि को तत्काल प्रदाता को वापस किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		380684.35	380684.35

आपत्ति वर्ष 2011-12

प्रस्तर संख्या-221-क्षेत्र पंचायत सेमरियावां वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कीराज्य वित्त मद में वर्ष रू0 2420700 व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा में इस मद से सिर्फ रू0 411918 की पत्रावली उपलब्ध रही। इस प्रकार रू0 2008352 के व्यय की सार्थकता वास्तविकता की पुष्टि में कोई विवरण पत्र/प्रमाण पत्र प्रस्तुत/उपलब्ध नहीं रहा। अतः उक्त धन रू0 2008352 का भुगतान अनियमित रूप से दर्शाकर अपहरण किया गया। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार की है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
2008352.00			2008352.00

प्रस्तर संख्या-222-क्षेत्र पंचायत सेमरियावां वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया की तेरहवां वित्त आयोग मद में से रू0 958677 व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में इस व्यय की पुष्टि में, सार्थकर्ता तथा वास्तविकता में कोई विवरण पत्र/प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहा। इस प्रकार उक्त व्यय/भुगतान अनियमित रूप से दर्शाकर अपहरण किया गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
958677.00			958677.00

प्रस्तर संख्या-223-क्षेत्र पंचायत सेमरियावां वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया की निम्न विवरणानुसार दर्शित कार्यों की सामग्री क्रय हेतु भुगतान सम्बन्धित कार्य प्रभारी को किया गया। जबकि इस हेतु भुगतान सीधे फर्म को किया जाना चाहिए था।

क्र0सं0	कार्य का नाम	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	कार्यालय परिसर में जनरेटर का	11547	20.07.2011	50000	जलान्धर प्रसाद
2	धुरंदा ढोढई हरिजन बस्ती संख्या मार्ग पर पुलिया	625901 625905	06.07.2011 14.11.2011	200000 164588	“ “ “ “
3	पौली खास में स्कूल से काली जी के स्थान के बीच पुलिया	625902 625907	20.07.2011 03.01.2012	100000 122914	“ “ “ “
			योग	587502	

स्पष्ट है कि उक्त अनियमित भुगतान के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की है। अनियमितता के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		587502.00	587502.00

आपत्ति वर्ष-2012-13

प्रस्तर संख्या-224-क्षेत्र पंचायत सेमरियावां वर्ष-2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया की निम्न

विवरणानुसार दर्शित कार्यों की सामग्री क्रय हेतु भुगतान सम्बन्धित विक्रेता/फर्म को किया जाना चाहिए था।

क्र०सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	दानेकुइया से भदलिया से सी०सी० रोड	319672 319678	13.12.2012 24.01.2013	271342 234114	राकेश चन्द्र श्रीवास्तव
2	तिलना सं०मा० पर सी०सी० रोड	22277	28.06.2012	303383	जलान्धर प्र०
3	खम्हरि में फुलवरिया बाग में पुलिया	22280	13.07.2014	111022	“ ”
4	बगैचा में आर०सी०सी० पुलिया	319663	03.11.2012	130000	“ ”
5	महुआरी में आर०सी०सी० पुलिया	319664	03.11.2012	130000	“ ”
6	भंगुरा अहिरानी सं० मार्ग पर आर०सी०सी० पुलिया	319695	03.12.2012	150000	“ ”
7	जू०हा० स्कूल सेमरियावां आर०सी०सी० भवन के सामने पुलिया	319666	31.11.2012	130000	“ ”
8	पिपरा हसन मार्ग पर पुलिया	655361 319674	08.02.2013 21.01.2013	114891 100000	“ ” “ ”
9	दरियाबाद में जाफर के घर के कचकपुरवा मार्ग पर आर०सी०सी० पुलिया	319671 319677 655362	13.11.2012 22.01.2013 08.02.2013	271342 234114 110431	रमेश चन्द्र श्री० “ ” “ ”
10	रउतापार में शिव मन्दिर से हरिजन बाग तक खण्डजा	655369	19.02.2013	264630	“ ”
11	तेनुहारी सोयम में डुहवा हरजिन बस्ती के पास आर०सी०सी० पुलिया	625909 625911 625912	21.05.2012 28.07.2012 26.10.2012	140470 43700 128463	सूर्य किरण “ ” “ ”
12	सेहुडा सं०मा० पर कोठिला झिनकान के घर तक आर०सी०सी० रोड	625910 625918	28.05.2012 17.12.2012	140434 121771	विश्राम
13	तेनुहारी सोयम में तक पर जाने वाली सड़क पर मान सिंह के खेत के पास पुलिया	625917 625916	06.03.2013 26.02.2013	229794 326015	विश्राम
			योग—	3755836	

स्पष्ट है कि उक्त अनियमित भुगतान के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		3755836.00	3755836.00

प्रस्तर संख्या—225—क्षेत्र पंचायत सेमरियावां वर्ष—2012—13 की लेखा परीक्षा में पाया गया की ग्राम उमिला एस०जी०एम०वाई० वार्ड विलेज हट हेतु दिनांक—02.01.2013 को चेक संख्या—863030 द्वारा रू० 57022 का भुगतान श्री कृष्ण देव मिश्र ग्रा०वि०अ० को दिया गया। लेखा परीक्षा में इसकी वास्तविकता की पुष्टि में कोई प्रमाण—पत्र/बाउचर्स उपलब्ध नहीं रहा। स्पष्ट है कि उक्त धन रू० 57022 का अपहरण श्री कृष्ण देव मिश्रा द्वारा कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
57022.00			57022.00

प्रस्तर संख्या—226—क्षेत्र पंचायत सेमरियावां वर्ष—2012—13 की लेखा परीक्षा में पाया गया की निम्न विवरणानुसार वि०नि० से वर्ष में भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा किया गया।

क्र०सं०	कार्य का नाम	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	अहिरौली में आर०सी०सी० पुलिया	4600	05.06.2012	100000	विश्राम
2	रामपुर छपिया में पुलिया	460004	06.08.2012	171934	जलान्धर प्र०
3	इमलिया डीह में पुलिया	460005	08.08.2012	171934	“ ”
	योग			443868.00	

उक्त कार्य की पुष्टि में सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। स्पष्ट है कि उक्त धन का अपहरण सम्बन्धित कार्य प्रभारी द्वारा किया गया, जिसकी **ब्याज सहित** वसूली की आनी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
443868.00			443868.00

आपत्ति वर्ष-2013-14

प्रस्तर संख्या-227-क्षेत्र पंचायत सेमरियावां में आलोच्य वर्ष 2013-14 में विभिन्न चेकों के माध्यम से कुल-532 स्ट्रीट लाईट प्रति 9750 रु० हेतु कुल रु० 4863331 का भुगतान मे०एन०पी० इलेक्ट्रानिक एण्ड सोलर लाईट को किया गया। लेखा परीक्षा में सम्बन्धित स्ट्रीट लाईट लगवाने हेतु सूची/विवरण तथा सत्यापन प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध रहा। जिसके अभाव में स्ट्रीट लाईट लगवाने की पुष्टि न की जा सकी। अनियमित रूप से उक्त धनराशि रु० 4863331 का भुगतान दर्शाकर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा अपहरण किया गया। जिसकी **ब्याज सहित** वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
4863331.00			4863331.00

आपत्ति वर्ष-2014-15

प्रस्तर संख्या-228-क्षेत्र पंचायत सेमरियावां में आलोच्य वर्ष 2014-15 में विभिन्न चेकों के माध्यम से मे० वैष्णवी का० की 222 सोलर लाईट क्रय हेतु कुल रु० 4203183 भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा में सोलर लाईट लगवाने की सूची/विवरण पत्र अप्रस्तुत रहा। साथ ही सत्यापन प्रमाण पत्र भी अप्रस्तुत रहा। इस प्रकार उक्त भुगतान अनियमित रूप से दर्शाकर उक्त धन रु० 4203183 का अपहरण सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री एम०कृष्ण, श्री रमेशचन्द्र एवं श्री उपेन्द्र पाठक एवं लेखाकार श्री राम विलास द्वारा किया गया। जिसकी **ब्याज सहित** वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
4203183.00			4203183.00

आपत्ति वर्ष-2015-16

प्रस्तर संख्या-229-क्षेत्र पंचायत सेमरियावां में आलोच्य वर्ष 2015-16 में कुल 243 सोलर लाईट क्रय हेतु मे० वैष्णवी का० को विभिन्न चेकों के माध्यम से कुल रु० 4728580.00 भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा में सोलर लाईट लगवाने की सूची/विवरण एवं लगाने का सत्यापन प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा। स्पष्ट है कि उक्त धन रु० 4728580.00 का भुगतान अनियमित रूप से दर्शाकर अपहरण किया गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीकृष्ण कुमार मिश्र, श्री विनय कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री राम विलास द्वारा किया गया। जिसकी **ब्याज सहित** वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
4728580.00			4728580.00

प्रस्तर संख्या-230-क्षेत्र पंचायत सेमरियावां में आलोच्य वर्ष 2015-16 में दिनांक-27.05.2015 को चेक संख्या-188216 द्वारा रु० 221212 प्र० कीरत ट्रेडर्स गोण्डा को दिया गया। इस भुगतान का प्रयोजन अथवा बाउचर्स अथवा कोई भी विवरण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। स्पष्ट है कि अनियमित रूप से भुगतान दर्शाकर रु० 221212 का अपहरण तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार मिश्रा, श्री विनय कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री राम विलास द्वारा किया गया। जिसकी **ब्याज सहित** वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
221212.00			221212.00

आपत्ति वर्ष-2016-17

प्रस्तर संख्या-231-क्षेत्र पंचायत सेमरियावां में आलोच्य वर्ष 2016-17 में में0 वैष्णवी कां0 को सोलर लाईट 160 नग क्रय हेतु भुगतान रू0 3360383.00 किया गया। लेखा परीक्षा में सोलर लाईट लगाने की सूची विवरण पत्र एवं सत्यापन प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध रहा। स्पष्ट है कि उक्त भुगतान अनियमित रूप से दर्शाकर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शुक्ला, रवीन्द्र कुमार चतुर्वेदी एवं लेखाकार श्री राम विलास द्वारा अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
3360383.00			3360383.00

आपत्ति वर्ष-2011-12

प्रस्तर संख्या-232-क्षेत्र पंचायत पौली में आलोच्य वर्ष 2011-12 में केवल दो पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध रही जिनमें सामग्री मूल्य पर किये गये भुगतान पर नियमतानुसार 2.24 प्रतिशत आयकर, 1 प्रतिशत व्यापार कर कुल 3.24 प्रतिशत कटौती दर्शित नहीं की गयी है।

कार्य का नाम	सामग्री मूल्य	करो की कटौती
मझौरा मेन रोड सम्पर्क मार्ग पुलिया	291837	9456
बधईपुर विश्व बैंक रोड पर पुलिया	271032	8781
योग		18237

इस प्रकार रू0 18237 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। आलोच्य वर्ष 2011-12 में अन्य पत्रावलियों का जाँच कराकर इस प्रकार अनियमितता की समीक्षा करायी जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		18237.00	18237.00

प्रस्तर संख्या-233-क्षेत्र पंचायत पौली में आलोच्य वर्ष 2011-12 में दर्शित कार्यों की सामग्री मूल्यों का भुगतान अनियमित रूप से फर्म/विक्रेता को न कर कार्य प्रभारी श्री पी0एन0 त्रिपाठी को किया गया। इस प्रकार कुल रू0 562869 का भुगतान अनियमित रहा जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		562869.00	562869.00

प्रस्तर संख्या-234-क्षेत्र पंचायत पौली में आलोच्य वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त में कुल रू0 1571918 व्यय संस्था द्वारा दर्शित है। लेखा परीक्षा में केवल रू0 634461 की पत्रावलियां ही अवलोकन हेतु प्रस्तुत रही। इस प्रकार रू0 937457 की व्यय भुगतान अनियमित रहा। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0डी0 शुक्ला एवं लेखाकार श्री अकील अहमद भी उत्तरदायी है। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		937457.00	937457.00

आपत्ति वर्ष 2012-13

प्रस्तर संख्या-235-क्षेत्र पंचायत पौली में आलोच्य वर्ष 2012-13 में प्रस्तुत पत्रावलियां की जांच में पाया गया कि कई सामग्री मूल्यों के भुगतान के सापेक्ष आयकर एवं व्यापार कर क्रमशः 2.24 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत कुल 3.24 प्रतिशत कटौती नहीं की गयी है।

कार्य का नाम	सामग्री मूल्य	करो की कटौती
बधईपुर में नाली निर्माण	108040	3500

सार्वजनिक स्थल पर सी0एफ0एल0 लगाना	395992	12830
मूड़ाडीहा चौराहा शिव मन्दिर पर नाली	174906	5667
	योग	21997

उक्त धन रू0 21997 से राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। इस अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		21997.00	21997.00

प्रस्तर संख्या-236—क्षेत्र पंचायत पौली में आलोच्य वर्ष 2012-13 में निम्न कार्य हेतु क्रय सामग्री के सापेक्ष व्यापार कर की 1 प्रतिशत की कटौती नहीं की गयी है।

कार्य का नाम	सामग्री मूल्य	करो की कटौती
किसुनपुर हड़िया नाले पर निर्माण पुलिया	422387	4224
नारायनपुर के व्यय पर खडण्जा मरम्मत	175162	1752
	योग	5976

इस प्रकार रू0 5976 के राजकीय राजस्व की क्षति हुयी है। इस अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		5976.00	5976.00

प्रस्तर संख्या-237—क्षेत्र पंचायत पौली में आलोच्य वर्ष 2012-13 में उपलब्ध पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निम्न कार्य हेतु सामग्री मूल्य का भुगतान अनियमित रूप से कार्य प्रभारी श्री पी0एन0 त्रिपाठी को किया गया है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	सामग्री मूल्य
1	किसुनपुर हड़िया नाले पर निर्माण पुलिया	246229
2	नारायनपुर बांध पर खडण्जा मरम्मत	175162
3	बधईपुर में नाली निर्माण	108040
4	मूड़ाडीहा चौराहा शिव मन्दिर नाले पर पुलिया	272541
	योग	801972

इस प्रकार रू0 801972 का भुगतान अनियमित रहा, जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		801972.00	801972.00

प्रस्तर संख्या-238—क्षेत्र पंचायत पौली में आलोच्य वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त, सांसद निधि, विधायक निधि में कुल रू0 3954655 संस्था द्वारा व्यय दर्शित है, परन्तु लेखा परीक्षा में केवल रू0 2076055 की पत्रावलियां जांच हेतु उपलब्ध रही। इस प्रकार रू0 1878600 के व्यय भुगतान अनियमित रहा। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0डी0 शुक्ला एवं लेखाकार श्री अकील अहमद भी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		1878600.00	1878600.00

आपत्ति वर्ष-2013-14

प्रस्तर संख्या-239—क्षेत्र पंचायत पौली में आलोच्य वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य रामजानकी मार्ग से दुबौली तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सामग्री मूल्य कुल रू0 489621 में से रू0 110000 का भुगतान अनियमित रूप से कार्य प्रभारी श्री रामप्रकाश त्रिपाठी को किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की है। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी

व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		110000.00	110000.00

प्रस्तर संख्या-240-क्षेत्र पंचायत पौली में आलोच्य वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त सांसद निधि, विधायक निधि मदों में कुल रु0 4091701 व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में जांच हेतु कुल रु0 1123815 की पत्रावलियां उपलब्ध रही। इस प्रकार रु0 2967886 की व्यय भुगतान अनियमित रहा, जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री डी0डी0 शुक्ला एवं लेखाकार श्री अकील अहमद भी उत्तरदायी है। **अपुष्टित धनराशि की** ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		2967886.00	2967886.00

आपत्ति वर्ष-2014-15

प्रस्तर संख्या-241-क्षेत्र पंचायत पौली में आलोच्य वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य बधईपुर चौराहे से घुरहू के घर तक नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय का भुगतान अनियमित रूप से कार्य प्रभारी श्री पी0एन0 त्रिपाठी को किया गया है। इस धन रु0 217382 के अनियमित रूप से भुगतान के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		217382.00	217382.00

प्रस्तर संख्या-242-क्षेत्र पंचायत पौली में आलोच्य वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य बधईपुर चौराहे से घुरहू के घर तक नाली निर्माण हेतु क्रय सामग्री मूल्य पर नियमानुसार 4 प्रतिशत वैट की कटौती नहीं की गयी है।

सामग्री मूल्य 222363 **4 प्रतिशत कटौती** 8895

इस प्रकार उक्त धन रु0 8895 के राजकीय राजस्व क्षति हुयी है। इस अनियमित भुगतान के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। **क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		8895.00	8895.00

प्रस्तर संख्या-243-क्षेत्र पंचायत पौली में आलोच्य वर्ष 2014-15 में रा0वि0 मु0-4461885 व्यय संस्था द्वारा दर्शित है। लेखा परीक्षा में कुल रु0 1016109 क्रय की पत्रावलियां उपलब्ध रही। इस प्रकार रु0 3445776 की व्यय भुगतान अनियमित रही जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी की है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		3445776.00	3445776.00

आपत्ति वर्ष-2015-16

प्रस्तर संख्या-244-क्षेत्र पंचायत पौली में आलोच्य वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्य पिच रोड से बुद्ध बिहार सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग हेतु सामग्री क्रय रु0 42554 का भुगतान अनियमित रूप से कार्य प्रभारी श्री सुभाश प्रसाद को किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। **आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		42554.00	42554.00

प्रस्तर संख्या-245-क्षेत्र पंचायत पौली में आलोच्य वर्ष 2015-16 में दर्शित धनराशि रु0 42554 पर नियमानुसार 4 प्रतिशत वैट एवं 2.24 प्रतिशत आयकर कुल रु0 2655 की कटौती कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुचाई गयी है। इस अनियमित भुगतान के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं

लेखाकार तथा कार्य प्रभारी श्री सुभाश प्रसाद उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		2655.00	2655.00

प्रस्तर संख्या-246—क्षेत्र पंचायत पौली में आलोच्य वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त कुल रु0 3527065 दर्शित है। लेखा परीक्षा में कुल रु0 1021960 की पत्रावलियां उपलब्ध रही। इस प्रकार रु0 2505105 की व्यय भुगतान अनियमित रही। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		2505105.00	2505105.00

आपत्ति वर्ष-2016-2017

प्रस्तर संख्या-247—क्षेत्र पंचायत पौली में आलोच्य वर्ष 2016-17 में निम्न विवरणानुसार करों की कटौती कम की गयी है।

क्र0सं0	कार्य	सामग्री मूल्य	कटौती	सही कटौती 4प्रतिशत+2.24 प्रतिशत	अन्तर
1	गागर बाड़े पक्की सड़क से पश्चिम पुरवा तक खडण्जा	97836 36653	5746 2153	6105 2287	359 134
2	उक्त कार्य का अवशेष कार्य	221489 41528	13049 2439	13821 2591	772 252
3	बैड़ारी राम जानकी मार्ग से शिवमन्दिर तक खडण्जा मरम्मत	184574 43059	10894 2529	11517 2687	643 158
				योग अन्तर	2216

इस प्रकार रु0 2216 से दर्शित भुगतान पर राजकीय राजस्व की क्षति कर अनियमित रूप से तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा भुगतान किया गया है।

उक्त के साथ वर्ष में कराये गये अन्य निर्माण कार्यों की पत्रावलियां की जांच कराकर समीक्षा करायी जानी आवश्यक है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		2216.00	2216.00

प्रस्तर संख्या-248—क्षेत्र पंचायत पौली में आलोच्य वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त, विधायक निधि, सांसद निधि में कुल रु0 2057378 व्यय संस्था ने दर्शाया है। लेखा परीक्षा में कुल रु0 1112094 की पत्रावलियां उपलब्ध रही। इस प्रकार रु0 945284 की व्यय भुगतान अनियमित रही। जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार की है। अपुष्टित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
.....		945284.00	945284.00

जिला-सिद्धार्थनगर

मण्डल-बस्ती

क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ

प्रस्तर सं0-01—क्षेत्र पंचायत बॉसी के वर्ष 11-12 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं के निर्माण पत्रावलीयों में संबंधित प्रमाणकों से सामग्री क्रय पर व्यय रु0 2796094.00 किया गया है। जिसपर 4 प्रतिशत की दर से रु0 111844.00 बिक्री कर अवधारित होता है। परन्तु तत्कालीन ख0वि0अधि व लेखाकार द्वारा प्रमाणको से मात्र रु0 1697.00 ही बिक्री कर की कटौती की गयी है। जिसके कारण कुल रु0 110147.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। जो एक गंभीर वित्तीय

अनियमितता है जिसके लिए ख0वि0अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	110147.00	110147.00

प्रस्तर सं0-02—क्षेत्र पंचायत बॉसी के वर्ष 11-12 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं के निर्माण पत्रावलीयों में संबंधित प्रमाणकों से सामग्री क्रय पर व्यय रु0 2796094.00 किया गया है जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 62633.00 आयकर अवधारित होता है। परन्तु तत्कालीन ख0वि0अधि व लेखाकार द्वारा प्रमाणको से मात्र रु0 3025.00 ही आय कर की कटौती की गयी है जिसके कारण कुल रु0 59608.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए ख0वि0अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	59608.00	59608.00

प्रस्तर सं0-03—क्षेत्र पंचायत बॉसी के वर्ष 12-13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं के निर्माण पत्रावलियों में संबंधित प्रमाणकों से सामग्री क्रय पर व्यय रु0 5346377.00 किया गया है जिसपर 4 प्रतिशत की दर से रु0 213855.00 बिक्री कर अवधारित होता है। परन्तु तत्कालीन ख0वि0अधि व लेखाकार द्वारा प्रमाणको से बिक्री कर की कटौती नहीं की गयी है। जिसके कारण कुल रु0 213855.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए ख0वि0अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	213855.00	213855.00

प्रस्तर सं0-04—क्षेत्र पंचायत बॉसी के वर्ष 12-13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं के निर्माण पत्रावलियों में संबंधित प्रमाणकों से सामग्री क्रय पर व्यय रु0 5346377.00 किया गया है जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 119759.00 आयकर अवधारित होता है। परन्तु तत्कालीन ख0वि0अधि व लेखाकार द्वारा प्रमाणको से आयकर की कटौती नहीं की गयी है जिसके कारण कुल रु0 119759.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए ख0वि0अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	119759.00	119759.00

प्रस्तर सं0-05—क्षेत्र पंचायत बॉसी के वर्ष 13-14 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं के निर्माण पत्रावलीयों में संबंधित प्रमाणकों से सामग्री क्रय पर व्यय रु0 4056566.00 किया गया है। जिसपर 4 प्रतिशत की दर से रु0 162263.00 बिक्री कर अवधारित होता है। परन्तु तत्कालीन ख0वि0अधि व लेखाकार द्वारा प्रमाणको से बिक्री कर की कटौती नहीं की गयी है जिसके कारण कुल रु0 162263.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए ख0वि0अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	162263.00	162263.00

प्रस्तर सं०-06—क्षेत्र पंचायत बॉसी के वर्ष 13-14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं के निर्माण पत्रावलीयों में संबंधित प्रमाणकों से सामग्री क्रय पर व्यय रु० 4056566.00 किया गया है जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से रु० 90867.00 आयकर अवधारित होता है। परन्तु तत्कालीन ख०वि०अधि व लेखाकार द्वारा प्रमाणकों से आयकर की कटौती नहीं की गयी है जिसके कारण कुल रु० 90867.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए ख०वि०अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	90867.00	90867.00

प्रस्तर सं०-07—क्षेत्र पंचायत बॉसी वर्ष 11-12 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि माह नवम्बर 2011 में अन्नपूर्ण / बृद्धापेंशन ब्याज मद का प्रारम्भिक अवर्ष रु० 142114.00 था माह में रु० 267723.00 की आय हुई जबकि व्यय शून्य है। अतः अंतिम शेष रु० 168837.00 होना चाहिए। परन्तु अवर्ष रु० 1269.00 कम अर्थात् 167568.00 अंकित है जिससे मार्च 2012 का अंतिम अवर्ष रु० 1269.00 कम हो गया है। इस प्रकार तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार द्वारा अवर्ष कम अंकित करके राजकीय धन का अपहरण किया है जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1269.00	—	—	1269.00

प्रस्तर सं०-08—क्षेत्र पंचायत बॉसी के वर्ष 13-14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निम्न योजनाओं में माह 2014 तक प्राप्त अनुदान का समुचित उपयोग न करने के कारण रु० 638474.00 अनावश्यक खाता में पड़ा रहा जिसका न तो उपयोग ही किया गया और न ही संबंधित विभाग को वापस किया गया। व्यय न होने के कारण संबंधित योजनाओं के लाभ से भी जनता वंचित रही। इस प्रकार राजकीय धन को अनावश्यक रूप से रोककर गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि श्री शिव कुमार शर्मा व श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	638474.00	638474.00

प्रस्तर सं०-09—क्षेत्र पंचायत बॉसी के वर्ष 14-15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं के निर्माण पत्रावलीयों में संबंधित प्रमाणकों से सामग्री क्रय पर व्यय रु० 2159521.00 किया गया है जिसपर 4 प्रतिशत की दर से रु० 86381.00 बिक्री कर अवधारित होता है। परन्तु तत्कालीन ख०वि०अधि व लेखाकार द्वारा बिक्री कर की कटौती नहीं की गयी है जिसके कारण कुल रु० 86381.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए ख०वि०अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	86381.00	86381.00

प्रस्तर सं०-10—क्षेत्र पंचायत बॉसी के वर्ष 14-15 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि

विभिन्न योजनाओं के निर्माण पत्रावलीयों में संबंधित प्रमाणकों से सामग्री क्रय पर व्यय रु0 2159521.00 किया गया है। जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 48373.00 आय कर अवधारित होता है। परन्तु तत्कालीन ख0वि0अधि व लेखाकार द्वारा मात्र रु0 8786 ही आय कर की कटौती नहीं की गयी है। जिसके कारण कुल रु0 39587.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए ख0विअधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	39587.00	39587.00

प्रस्तर सं0-11-क्षेत्र पंचायत बॉसी के वर्ष 15-16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं के निर्माण पत्रावलीयों में संबंधित प्रमाणकों से सामग्री क्रय पर व्यय रु0 1462569.00 किया गया है। जिसपर 4 प्रतिशत की दर से रु0 58503.00 बिक्री कर अवधारित होता है। परन्तु तत्कालीन ख0वि0अधि व लेखाकार द्वारा बिक्री कर की कटौती मात्र 55622.00 की गयी है। जिसके कारण कुल रु0 2881.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए ख0विअधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2881.00	2881.00

प्रस्तर सं0-12-क्षेत्र पंचायत बॉसी के वर्ष 15-16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं के निर्माण पत्रावलीयों में संबंधित प्रमाणकों से सामग्री क्रय पर व्यय रु0 1462569.00 किया गया है। जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 32762.00 आय कर अवधारित होता है। परन्तु तत्कालीन ख0वि0अधि व लेखाकार द्वारा मात्र रु0 29251 ही आय कर की कटौती नहीं की गयी है। जिसके कारण कुल रु0 3511.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए ख0विअधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	3511.00	3511.00

प्रस्तर सं0-13-क्षेत्र पंचायत बॉसी के वर्ष 16-17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं के निर्माण पत्रावलीयों में संबंधित प्रमाणकों से सामग्री क्रय पर व्यय रु0 2091890.00 किया गया है। जिसपर 4 प्रतिशत की दर से रु0 83676.00 बिक्री कर अवधारित होता है। परन्तु तत्कालीन ख0वि0अधि व लेखाकार द्वारा बिक्री कर की कटौती मात्र 83673.00 की गयी है। जिसके कारण कुल रु0 03.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए ख0विअधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	03.00	03.00

प्रस्तर सं0-14-क्षेत्र पंचायत बॉसी के वर्ष 16-17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं के निर्माण पत्रावलीयों में संबंधित प्रमाणकों से सामग्री क्रय पर व्यय रु0 2091890.00

किया गया है। जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 46858.00 आय कर अवधारित होता है। परन्तु तत्कालीन ख0वि0अधि व लेखाकार द्वारा मात्र रु0 41839.00 ही आय कर की कटौती नहीं की गयी है। जिसके कारण कुल रु0 5019.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए ख0वि0अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	5019.00	5019.00

प्रस्तर सं0-15-क्षेत्र पंचायत बॉसी के वर्ष 16-17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निम्न योजनाओं में माह 2014 तक प्राप्त अनुदान का समुचित उपयोग न करने के कारण रु0 8047303.00 अनावश्यक खाता में पड़ा रहा जिसका न तो उपयोग ही किया गया और न ही संबंधित विभाग को वापस किया गया। व्यय न होने के कारण संबंधित योजनाओं के लाभ से भी जनता वंचित रही। इस प्रकार राजकीय धन को अनावश्यक रूप से रोककर गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि श्री शिव कुमार शर्मा व श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	8047303.00	8047303.00

प्रस्तर सं0-16-क्षेत्र पंचायत खेसरहा वर्ष 13-14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं की पत्रावली में संलग्न मस्टररोल के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारी को रु0 1392253.00 का चेक निर्गत किया गया है, तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टररोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। जबकि श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान अकाउंट पेई चेक से उनके खाते में किया जाना चाहिए। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/कार्यप्रभारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1392253.00	1392253.00

प्रस्तर सं0-17-क्षेत्र पंचायत खेसरहा वर्ष 2013-14 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 3115863.00 की सामग्री क्रय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2013-2014 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 124634.00 का वैट (रु 3115863.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी / लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	124634.0.00	124634.00

प्रस्तर सं0-18-क्षेत्र पंचायत खेसरहा वर्ष 2013-14 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 3115863.00 की सामग्री क्रय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2013-2014 आयकर की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 69795.00 का आयकर (रु 3115863.00 का 2.24 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी / लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	69795.00	69795.00

प्रस्तर सं०-19-क्षेत्र पंचायत खेसरहा वर्ष 13-14 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की गई मिट्टी पर रायल्टी की कटौती नहीं की गयी है। वर्ष 13-14 राज्य वित्त अनुदान से कराये गए कार्यों पर कुल 2250.00 घ०मी मिट्टी का प्रयोग किया गया है जिसपर 14 रु प्रति घ०मी की दर से कुल 31500.00 की रायल्टी की कटौती न कर के राजकीय राजस्व को रु 31500.00 की क्षति पहुँचाई गई है जिसके लिए तात्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	31500.00	31500.00

प्रस्तर सं०-20-क्षेत्र पंचायत खेसरहा वर्ष 14-15 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं की पत्रावली में संलग्न मस्टररोल के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारी को रु० 2516186.00 का चेक निर्गत किया गया है, तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टररोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। जबकि श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान अकाउंट पेई चेक से उनके खाते में किया जाना चाहिए। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तात्कालीन ख०वि०अधि/कार्यप्रभारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2516186.00	2516186.00

प्रस्तर सं०-21-क्षेत्र पंचायत खेसरहा वर्ष 2014-15 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 6389453.00 की सामग्री क्रय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2014-2015 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 255578.00 का वैट (रु 6389453.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। विवरण निम्न है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	255578.00	255578.00

प्रस्तर सं०-22-क्षेत्र पंचायत खेसरहा वर्ष 2014-15 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 6389453.00 की सामग्री क्रय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु प्रतिशत 2014-2015 आयकर की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 143123.00 का आयकर (रु 6389453.00 का 2.24 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी हो गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	143123.00	143123.00

प्रस्तर सं०-23-क्षेत्र पंचासत खेसरहा के वर्ष 2014-15 में कराये गए कार्य "कार्यालय में इण्टरलाकिंग एवं विद्युतिकरण" कार्य के पत्रावली के अवलोकन में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पर रु 135800.00 का भुगतान सामग्री क्रय के लिए किया गया है परन्तु पत्रावली में मजदूरी भुगतान से संबंधित कोई भी मस्टर रोल/वाउचर संलग्न नहीं पाया गया। बिना मजदूरी भुगतान के कोई भी कार्य का कराया जाना संभव नहीं है। स्पष्ट है कि उपयुक्त कार्य पर सामग्री पर भुगतान दर्शा कर बिना कार्य कराये रु० 135800.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित ख०वि०अधि/लेखाकार/कार्यप्रभार से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
135800.00	—	—	135800.00

प्रस्तर सं०-24-क्षेत्र पंचायत खेसरहा वर्ष 14-15 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की गई मिट्टी पर रायल्टी की कटौती नहीं की गयी है। वर्ष 14-15 राज्य वित्त अनुदान से कराये गए कार्यों पर कुल 4700.00 घ०मी मिट्टी का प्रयोग किया गया है जिसपर पर 14 रु प्रति घ०मी की दर से कुल 65800.00 की रायल्टी की कटौती न कर के राजकीय राजस्व को रु 65800.00 की क्षति पहुँचाई गयी है। क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	65800.00	65800.00

प्रस्तर सं०-25-क्षेत्र पंचायत खेसरहा वर्ष 2015-16 की लेखापरीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारियों को रु० 603915.00 का चेक निर्गत किए गए हैं, तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे०ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	603915.00	603915.00

प्रस्तर सं०-26-क्षेत्र पंचायत खेसरहा लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2015-16 में विभिन्न तिथियों में तेरहवा वित्त/राज्य वित्त ब्याज की धनराशि रु 224984.00 को राज्य वित्त अनुदान में मद में ट्रांसफर कर के व्यय कर दिया गया है। जबकी उत्तर प्रदेश द्वारा जारी शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस/2015-10 (33) 2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पर बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा कराया जाना चाहिये उल्लेखनीय है कि अनुदान में प्राप्त धनराशियों पर अर्जित ब्याज अन्य प्राप्तियाँ मद में दर्शा कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राजकीय कोशागार में जमा किया जाना चाहिये जो आगामी बजट में राज्य सरकार द्वारा अपनी आय के रूप में सम्मिलित की जाती है। परन्तु इकाई द्वारा ऐसा न कर के राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

0	224984.00	0	224984.00

प्रस्तर सं०-27—क्षेत्र पंचायत खेसरहा वर्ष 15-16 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की गई मिट्टी पर रायल्टी की कटौती नहीं की गयी है। वर्ष 15-16 राज्य वित्त अनुदान से कराये गए कार्यों पर कुल 2340.00 घ०मी मिट्टी का प्रयोग किया गया है जिसपर 14 रु प्रति घ०मी की दर से कुल 32760.00 की रायल्टी की कटौती न कर के राजकीय राजस्व को रु 32760.00 की क्षति पहुँचाई गयी है जिसके लिए तात्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	32760.00	32760.00

प्रस्तर सं०-28—क्षेत्र पंचायत खेसरहा वर्ष 2016-17 की लेखापरीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारियों को रु 1695832.00 का चेक निर्गत किए गए हैं, तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे०ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1695832.00	1695832.00

प्रस्तर सं०-29—क्षेत्र पंचायत खेसरहा वर्ष 2016-17 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 32000.00 की सामग्री क्रय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2016-2017 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 1280.00 का वैट (रु 32000.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1280.00	1280.00

प्रस्तर सं०-30—क्षेत्र पंचायत खेसरहा की वर्ष 2016-17 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 32000.00 की सामग्री क्रय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2016-2017 में रु 32000.00 की सामग्री क्रय आयकर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 717.00 का आयकर (रु 32000.00 का 2.24 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र० स	कार्य का नाम	कार्य प्रभारी	भुगतानित धनराशि	अवधारित आयकर	आयकर की कटौती	टंतर
1	दुग्धशाला का	राम	32000.00	717.00	00	717.00

मरम्मत, सफेदी एवं फर्श पर टाईल्स लगाने का कार्य	प्रकाश				
अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग		
—	—	717.00	717.00		

प्रस्तर सं०-31- क्षेत्र पंचायत खेसरहा के वर्ष 16-17 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की गई मिट्टी पर रायल्टी की कटौती नहीं की गयी है। वर्ष 16-17 राज्य वित्त अनुदान से कराये गए कार्यों पर कुल 2020.00 घ०मी मिट्टी का प्रयोग किया गया है। जिसपर 30 रु प्रति घ०मी की दर से कुल 60600.00 की रायल्टी की कटौती न कर के राजकीय राजस्व को रु 60600.00 की क्षति पहुँचाई गई है जिसके लिए तात्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है— क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र० स	कार्य का नाम	धनराशि	प्रयुक्त मिट्टी	रायल्टी की धनराशि 14 रु प्रति घन०मी० की दर से
1	पशु चिकित्सालय भवन का मरम्मत एवं बाउंड्रीवाल	30960.00	1730 घ०मी	51900.00
2	विकास खण्ड आवासीय भवनो के सामने सी०सी रोड	58000.00	290 घ०मी०	8700.00
		योग	2020.00	60600.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	60600.00	60600.00

प्रस्तर सं०-32- क्षेत्र पंचायत खेसरहा के वर्ष 2016-17 की पत्रावलियों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कराये गए कार्यों पर मजदूरी का भुगतान तो किया गया है पर कुछ पत्रावलियों में मस्टर रोल संलग्न नहीं पाये गये हैं। जिससे मजदूरी कार्य पर किये गये भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। मस्टर रोल के बिना कार्यप्रभारी को किये गए भुगतान के लिए लेखाकार/कार्यप्रभारी एवं ख०वि०अधि उत्तरदायी है। जिसकी वसूली संबंधित से किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्न है—

क्र० स	कार्य का नाम	योजना का नाम	मजदूरी की धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	कार्यप्रभारी का नाम
1	कार्यालय के सामने सी०सी रोड का मरम्मत कार्य	रा०वित्त	49992	531253	19.05.16	श्री महमूद अली
2	आवासीय भवन टाईप वन के 3 अदर क्वार्टर का मरम्मत कार्य	रा०वित्त	47200	531211	21.03.16	श्री महमूद अली
			64360	531213	21.03.16	श्री महमूद अली
			55890	531226	21.03.16	श्री महमूद अली
		योग	217442.			

			00			

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
217442.00	—	—	217442.00

प्रस्तर सं०-33—क्षेत्र पंचायत खेसरहा के वर्ष 2016-17 में कराये गए कार्य "बनके गाँव में अबरार के घर से सोहराब के घर तक सी०सी रोड" के पत्रावली के अवलोकन में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पर रु 303650.00 का भुगतान सामग्री क्रय के लिए किया गया है परन्तु पत्रावली में मजदूरी भुगतान से संबंधित कोई भी मस्टर रोल/वाउचर संलग्न नहीं पाया गया। बिना मजदूरी भुगतान के कोई भी कार्य का कराया जाना संभव नहीं है। स्पष्ट है कि उपयुक्त कार्य पर सामग्री पर भुगतान दर्शा कर बिना कार्य कार्य कराये रु० 303650.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ख०वि०अधि/लेखाकार/कार्यप्रभारी से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
303650.00	—	—	303650.00

प्रस्तर सं०-34—क्षेत्र पंचायत खेसरहा के वर्ष 2016-17 में विभिन्न योजनामदों में कुल रु 2684962.00 का अवर्ष है, जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपभोग न होने की स्थिति में धनदाता विभाग को वापस कर दिया जाना चाहिए परन्तु ईकाई द्वारा ऐसा न कर के वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2684962.00	2684962.00

प्रस्तर सं०-35—क्षेत्र पंचायत लोटन की वर्ष 15-16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्य पर अंकन रु० 682801.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाए गए हैं उन पर मस्टररोल सं० अंकित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर है वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किए गए हैं, और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 682801.00 का योजनाबद्ध तरीके से गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए ख०वि०अधि /लेखाकार /जे०ई० /कार्य प्रभारी /ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	682801.00	682801.00

प्रस्तर सं०-36—क्षेत्र पंचायत लोटन वर्ष 2015-16 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 1451264.00 की सामग्री क्रय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2015-2016 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 58051.00 का वैट(रु 1451246.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	58051.00	58051.00

प्रस्तर सं०-37—क्षेत्र पंचायत लोटन की वर्ष 16-17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्य पर अंकन रु० 437330.00 मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाए गए हैं उन पर मस्टररोल सं० अंकित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किए गए हैं, और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 437330.00 का योजनाबद्ध तरीके से गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए ख० वि० अधि / लेखाकार / जे० ई० / कार्यप्रभारी / ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	437330.00	437330.00

प्रस्तर सं०-38—क्षेत्र पंचायत लोटन वर्ष 2016-17 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया कि वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु० 536258.00 की सामग्री खरीदी गयी है, नियमानुसार उपरोक्त खरीद की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2016-2017 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु० 21450.00 का वैट (रु० 536258.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी / लेखाकार उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	21450.00	21450.00

प्रस्तर सं०-39—क्षेत्र पंचायत इटवा के वर्ष 14-15 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं के निर्माण पत्रावलीयों में संबंधित प्रमाणकों से सामग्री खरीद पर व्यय रु० 4238656.00 किया गया है। जिसपर 4 प्रतिशत की दर से रु० 169546.00 बिक्री कर अवधारित होता है। परन्तु तत्कालीन ख० वि० अधि व लेखाकार द्वारा बिक्री कर की कटौती मात्र 18423.00 की गयी है। जिसके कारण कुल रु० 151123.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए ख० वि० अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	151123.00	151123.00

प्रस्तर सं०-40—क्षेत्र पंचायत इटवा के वर्ष 15-16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं के निर्माण पत्रावलीयों में संबंधित प्रमाणकों से सामग्री खरीद पर व्यय रु० 5585453.00 किया गया है। जिसपर 4 प्रतिशत की दर से रु० 223418.00 बिक्री कर अवधारित होता है। परन्तु तत्कालीन ख० वि० अधि व लेखाकार द्वारा बिक्री कर की कटौती मात्र 17052.00 की गयी है। जिसके कारण कुल रु० 206366.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए ख० वि० अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	206366.00	206366.00

प्रस्तर सं०-41—क्षेत्र पंचायत इटवा के वर्ष 16-17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि

विभिन्न योजनाओं के निर्माण पत्रावलीयों में संबंधित प्रमाणकों से सामग्री क्रय पर व्यय रु0 3463388.00 किया गया है। जिसपर 4 प्रतिशत की दर से रु0 138536.00 बिक्री कर अवधारित होता है। परन्तु तत्कालीन ख0वि0अधि व लेखाकार द्वारा बिक्री कर की कटौती मात्र 121934.00 की गयी है। जिसके कारण कुल रु0 16602.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए ख0वि0अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	16602.00	16602.00

प्रस्तर सं0-42—क्षेत्र पंचायत इटवा के वर्ष 16-17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निम्न योजनाओं में माह 2014 तक प्राप्त अनुदान का समुचित उपयोग न करने के कारण रु0 7528545.00 अनावश्यक खाता में पड़ा रहा जिसका न तो उपयोग ही किया गया और न ही संबंधित विभाग को वापस किया गया। व्यय न होने के कारण संबंधित योजनाओं के लाभ से भी जनता वंचित रही। इस प्रकार राजकीय धन को अनावश्यक रूप से रोककर गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि श्री अशोक कुमार दूबे श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव (लेखाकार) उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	7528545.00	7528545.00

प्रस्तर सं0-43—क्षेत्र पंचायत भनवापुर की वर्ष 11-12 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्य पर अंकन रु0 1642803.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाए गए हैं उन पर मस्टररोल सं0 अंकित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किए गए हैं, और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1642803.00 का योजनाबद्ध तरीके से गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए ख0 वि0 अधि /लेखाकार /जे0ई0 /कार्य प्रभारी /ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1642803.00	1642803.00

प्रस्तर सं0-44—क्षेत्र पंचायत भनवापुर वर्ष 2011-12 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 6218919.00 की सामग्री क्रय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2011-2012 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 248757.00 का वैट (रु0 6218919.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	248757.00	248757 .00

प्रस्तर सं0-45—क्षेत्र पंचायत भनवापुर की वर्ष 12-13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्य पर अंकन रु0 1568440.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी

को किया गया है। पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाए गए हैं उन पर मस्टररोल सं० अंकित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किए गए हैं, और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 1568440.00 का योजनाबद्ध तरीके से गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए ख०वि०अधि / लेखाकार / जे०ई० / कार्यप्रभारी / ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1568440.00	1568440.00

प्रस्तर सं०-46—क्षेत्र पंचायत भनवापुर वर्ष 2012-13 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु० 8862120.00 की सामग्री क्रय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2012-2013 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु० 354485.00 का वैट (रु० 8862120.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी / लेखाकार उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	354485.00	354485 .00

प्रस्तर सं०-47—क्षेत्र पंचायत भनवापुर की वर्ष 13-14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्य पर अंकन रु० 2323069.00 मजदूरी / श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाए गए हैं उन पर मस्टररोल सं० अंकित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किए गए हैं, और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 2323069.00 का योजनाबद्ध तरीके से गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए ख०वि०अधि / लेखाकार / जे०ई० / कार्यप्रभारी / ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2323069.00	2323609.00

प्रस्तर सं०-48—क्षेत्र पंचायत भनवापुर वर्ष 2013-14 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु० 10971065.00 की सामग्री क्रय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2013-2014 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु० 438843.00 का वैट (रु० 10971065.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी / लेखाकार उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	438843.00	438843 .00

प्रस्तर सं०-49—क्षेत्र पंचायत भनवापुर की वर्ष 14-15 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्य पर अंकन रु० 2152029.00 मजदूरी / कर्मांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी

को किया गया है। पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाए गए हैं उन पर मस्टररोल सं० अंकित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किए गए हैं, और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 2152029.00 का योजनाबद्ध तरीके से गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए ख०वि०अधि / लेखाकार / जे०ई० / कार्यप्रभारी / ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2152029.00	2152029.00

प्रस्तर सं०-50-क्षेत्र पंचायत भनवापुर वर्ष 2014-15 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु० 9995442.00 की सामग्री क्रय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2013-2014 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु० 399818.00 का वैट (रु० 9995442.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी / लेखाकार उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	399818.00	399818.00

प्रस्तर सं०.51-क्षेत्र पंचायत भनवापुर की वर्ष 15-16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्य पर अंकन रु० 2042195.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाए गए हैं उन पर मस्टररोल सं० अंकित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किए गए हैं, और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 2042195.00 का योजनाबद्ध तरीके से गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए ख०वि०अधि / लेखाकार / जे०ई० / कार्य प्रभारी / ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2042195.00	2042195.00

प्रस्तर सं०-52-क्षेत्र पंचायत भनवापुर की वर्ष 16-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्य पर अंकन रु० 1417272.00 मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाए गए हैं उन पर मस्टररोल सं० अंकित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किए गए हैं, और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 1417272.00 का योजनाबद्ध तरीके से गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए ख०वि०अधि / लेखाकार / जे०ई० / कार्य प्रभारी / ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1417272.00	1417272.00

प्रस्तर सं०-53-क्षेत्र पंचायत खुनियॉव की वर्ष 11-12 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्य पर अंकन रु० 1157940.00 मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी

को किया गया है। पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाए गए हैं उन पर मस्टररोल सं० अंकित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्ताक्षर हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किए गए हैं, और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 1157940.00 का योजनाबद्ध तरीके से गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए ख०वि०अधि / लेखाकार / जे०ई० / कार्य प्रभारी / ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1157940.00	1157940.00

प्रस्तर सं०-54—क्षेत्र पंचायत खुनियों वर्ष 2011-12 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु० 4217511.00 की सामग्री क्रय की गई है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गई सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2011-2012 वैट की कोई कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार रु० 168700.00 का वैट (रु० 4217511.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गई है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी / लेखाकार उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	168700.00	168700.00

प्रस्तर सं०-55—क्षेत्र पंचायत खुनियों वर्ष 11-12 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विधायक निधि से कराये गए कार्य खंडवा गाँव के पश्चिम कटेष्वरनाथ मार्ग से प्रा०वि होते हुए रमाशंकर चौबे के घर तक मि०/ख० कार्य तथा बरगदवा गाँव के पश्चिम पिच रोड तक अवर्ष पत्थर सोलिंग कार्य का कार्यप्रभारी अवर अभियंता आर०ई०एस० मा० मुस्तकीम को बनाया गया है। जो घारे आपत्तिजनक है। उल्लेखनीय है की मो० मुस्तकीम को न सीर्फ कार्यप्रभारी बनाया गया बल्कि कराये गए कार्य हेतु मजदूरी व सामग्री का भुगतान भी किया गया। कार्य कराने पर व्यय की गयी धनराशि रु० 186966.00 चेक सं० 403829 दिनांक 23.09.11 तथा क्रमशः चेक सं० 403835 दिनांक 18.10.11 रु० 89640.00 चेक सं० 403848 दिनांक 02.01.12 को रु० 149160.00 का भुगतान (सामग्री/मजदूरी) भी कर दिया गया। इस प्रकार कुल रु० 425766.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित ख०वि०अधि/लेखाकार/कार्यप्रभारी से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
425766.00	—	—	425766.00

प्रस्तर सं०-56—क्षेत्र पंचायत खुनियाँ वर्ष 11-12 के विधायक निधि कार्य इटवा-डुमरियागंज मार्ग से नवेलवा मार्ग तक खड़न्जा कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि मस्टररोल सं० 1 दिनांक 23.12.12 से 31.12.11 व मस्टररोल सं० 02 दिनांक 01.01.12 से 04.01.12 से क्रमशः 180 मानव दिवस दर 120 प्रति व 80 मानव दिवस दर 120 प्रति कुल मजदूरी धनराशि रु० 31200.00 बनता है किन्तु चेक सं० 403850 दिनांक 06.01.12 को धनराशि 39200.00 कार्य प्रभारी के नाम से आहरित किया गया है। इस प्रकार रु० 8000.00 अधिक आहरित करके अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/कार्यप्रभारी /लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

8000.00	—	—	8000.00

प्रस्तर सं०-57—क्षेत्र पंचायत खुनियों की वर्ष 11-12 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रु० 16000.00 बायोगैस अनुदान का भुगतान किया गया है, जबकि किसी लाभार्थी द्वारा बायोगैस पूर्ण होने की सूचना देते हुए अनुदान हेतु आवेदन नहीं किया गया है। साथ ही साथ ख०वि०धि० द्वारा उक्त धन संबंधी बायोगैस का जॉच सेक्टर प्रभारी से कराकर अनुदान अवमुक्त करने हेतु बी०डी०सी० की स्वीकृति भी नहीं लिया गया है। स्पष्ट है कि अनुदान का उपयोग नियमों के अन्तर्गत नहीं कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	16000.00	16000.00

प्रस्तर सं०-58—क्षेत्र पंचायत खुनियों की वर्ष 12-13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्य पर अंकन रु० 1504783.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाए गए हैं उन पर मस्टररोल सं० अंकित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किए गए हैं, और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 1504783.00 का योजनाबद्ध तरीके से गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए ख०वि०अधि०/लेखाकार/जे०ई०/कार्यप्रभारी/ब्लॉक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1504783.00	1504783.00

प्रस्तर सं०-59—क्षेत्र पंचायत खुनियों वर्ष 2012-13 की निर्माण पत्रावलीयों की जॉच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु० 7130561.00 की सामग्री क़य गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क़य की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2012-2013 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु० 285222.00 का वैट (रु० 7130561.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	285222.00	285222.00

प्रस्तर सं०-60—क्षेत्र पंचायत खुनियों की वर्ष 2012-13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है वर्ष दौरान कुल भुगतान रु० 900000.00 फर्म को अकाउंट पेई चेक से न करके पूरा भुगतान कार्य प्रभारी को अग्रिम के रूप में कर दिया गया है। जबकि नियमानुसार फर्म द्वारा सामान आपूर्ति के बाद प्रस्तुत बिल में से आयकर एवं वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को अकाउंट पेई चेक से किया जाना चाहिए। कार्यप्रभारी द्वारा जो सामग्री क़य प्रमाणक पत्रावली में लगाए गए हैं वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से

अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
900000.00	—	—	900000.00

प्रस्तर सं०-61-क्षेत्र पंचायत खुनियों की वर्ष 12-13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रु० 12000.00 बायोगैस अनुदान का भुगतान किया गया है, जबकि किसी लाभार्थी द्वारा बायोगैस पूर्ण होने की सूचना देते हुए अनुदान हेतु आवेदन नहीं किया गया है। साथ ही साथ ख० वि० धि० द्वारा उक्त धन संबंधि बायोगैस का जॉच सेक्टर प्रभारी से कराकर अनुदान अवमुक्त करने हेतु बी०डी०सी० की स्वीकृति भी नहीं लिया गया है। स्पष्ट है कि अनुदान का उपयोग नियमों के अन्तर्गत नहीं कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	12000.00	12000.00

प्रस्तर सं०-62-क्षेत्र पंचायत खुनियों की वर्ष 13-14 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्य पर अंकन रु० 2305560.00 मजदूरी/कमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाए गए हैं उन पर मस्टर रोल सं० अंकित नहीं है। जहाँ कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किए गए हैं, और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 2305560.00 का योजना बद्ध तरीके से गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए ख० वि० अधि० /लेखाकार /जे०ई० /कार्य प्रभारी /ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2305560.00	2305560.00

प्रस्तर सं०-63-क्षेत्र पंचायत खुनियों वर्ष 2013-14 की निर्माण पत्रावलियों की जॉच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु० 10923584.00 की सामग्री क़य गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क़य की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2013-2014 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु० 436943.00 का वैट (रु० 10923584.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	436943.00	436943.00

प्रस्तर सं०-64-क्षेत्र पंचायत खुनियों की वर्ष 13-14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रु० 16000.00 बायोगैस अनुदान का भुगतान किया गया है, जबकि किसी लाभार्थी द्वारा बायोगैस पूर्ण होने की सूचना देते हुए अनुदान हेतु आवेदन नहीं किया गया है। साथ ही साथ ख० वि० धि० द्वारा उक्त धन संबंधि बायोगैस का जॉच सेक्टर प्रभारी से कराकर अनुदान अवमुक्त करने हेतु बी०डी०सी० की स्वीकृति भी नहीं लिया गया है। स्पष्ट है कि

अनुदान का उपयोग नियमों के अन्तर्गत नहीं कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	16000.00	16000.00

प्रस्तर सं०-65—क्षेत्र पंचायत खुनियों वर्ष 13-14 के लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राष्ट्रीय पेयजल अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु जिला विकास अधि० सिद्धार्थनगर द्वारा धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिसका भुगतान रु० 54000.00 श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह ग्रा०प०अधि० को किया गया। जबकि इसका भुगतान संबंधित आपूर्तिकर्ता को होना था न की व्यक्ति वर्ष को नगद या अग्रिम के रूप में। अतः भुगतान नियम विपरीत रहा। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि० व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	54000.00	54000.00

प्रस्तर सं०-66—क्षेत्र पंचायत खुनियों के वर्ष 13-14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आदर्श जलाशय योजनामार्ग कुल रु० 405615.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री गोविंद प्रसाद ए०डी०ओ आ०एस०बी का नगद/बीयरर चेक से अग्रिम रूप में किया गया जबकि योजना निर्देशों के अन्तर्गत किसी भी स्वीकृति योजना पर सप्ताह में आकलित मजदूरी के बराबर ही धन कार्यप्रभारी को भुगतान किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों के विपरीत कार्य करते हुए गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि०/लेखाकार/ब्लॉक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	405615.00	405615.00

प्रस्तर सं०-67—क्षेत्र पंचायत खुनियों की वर्ष 14-15 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्य पर अंकन रु० 2320766.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाए गए हैं उन पर मस्टररोल सं० अंकित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किए गए हैं, और मजदूरी मद में अंकन कुल रु० 2320766.00 का योजनाबद्ध तरीके से गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए ख०वि०अधि०/लेखाकार/जे०ई०/कार्यप्रभारी/ब्लॉक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2320766.00	2320766.00

प्रस्तर सं०-68—क्षेत्र पंचायत खुनियों वर्ष 2014-15 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु० 1996202.00 की सामग्री कय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त कय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2014-2015 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु० 79848.00 का वैट (रु० 1996202.00 का 4

प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	79848.00	79848.00

प्रस्तर सं०-69-क्षेत्र पंचायत खुनियों की वर्ष 2014-15 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है वर्ष दौरान कुल भुगतान रु0 1000000.00 फर्म को अकाउंट पेई चेक से न करके पूरा भुगतान कार्य प्रभारी को अग्रिम के रूप में कर दिया गया है। जबकि नियमानुसार फर्म द्वारा सामान आपूर्ति के बाद प्रस्तुत बिल में से आयकर एवं वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को अकाउंट पेई चेक से किया जाना चाहिए। कार्यप्रभारी द्वारा जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में लगाए गए है वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड / कच्चे बिल / कैशमेमो पर है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1000000.00	—	—	1000000.00

प्रस्तर सं०-70-क्षेत्र पंचायत खुनियों की वर्ष 15-16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्य पर अंकन रु0 2414765.00 मजदूरी / श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाए गए है उन पर मस्टररोल सं० अंकित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टररोल निर्माता के ही हस्तलेख में है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किए गए है, और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 2414765.00 का योजनाबद्ध तरीके से गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए ख०वि०अधि / लेखाकार / जे०ई० / कार्यप्रभारी / ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2414765.00	2414765.00

प्रस्तर सं०-71-क्षेत्र पंचायत खुनियों वर्ष 2015-16 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 71604.00 की सामग्री क्रय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2015-2016 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 2904.00 का वैट (रु 72604.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2904.00	2904.00

प्रस्तर सं०-72-क्षेत्र पंचायत खुनियों की वर्ष 16-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्य पर अंकन रु0 1472645.00 मजदूरी / श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है। पत्रावली में जो मस्टररोल संलग्न पाए गए है उन पर मस्टररोल सं० अंकित नहीं है। जहाँ कही हस्ताक्षर है वह मस्टररोल निर्माता के ही

हस्तलेख में है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किए गए हैं, और मजदूरी मद में अंकन कुल रु0 1472645.00 का योजनाबद्ध तरीके से गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है जिसके लिए ख0वि0अधि /लेखाकार /जे0ई0 /कार्यप्रभारी /ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1472645.00	1472645.00

प्रस्तर सं0-73—क्षेत्र पंचायत खुनियों वर्ष 2016-17 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 263660.00 की सामग्री कय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त कय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2016-2017 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 10546.00 का वैट (रु 263660.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	10546.00	10546.00

प्रस्तर सं0-74—क्षेत्र पंचायत खुनियों की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है वर्ष दौरान कुल भुगतान रु0 263660.00 फर्म को अकाउंट पेई चेक से न करके पूरा भुगतान कार्य प्रभारी को अग्रिम के रूप में कर दिया गया है। जबकि नियमानुसार फर्म द्वारा सामान आपूर्ति के बाद प्रस्तुत बिल में से आयकर एवं वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को अकाउंट पेई चेक से किया जाना चाहिए। कार्य प्रभारी द्वारा जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में लगाए गए हैं वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजना बद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
263660.00	—	—	263660.00

प्रस्तर सं0-75—क्षेत्र पंचायत खुनियों के वर्ष 16-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों पर कुल व्यय रु0 49855.00 कार्य प्रभारी इन्द्र कुमार शर्मा पदनाम सहा0 लेखाकार/भण्डार लिपिक को तथा रु0 246055.00 का भुगतान कार्य प्रभारी अब्दुल अहद उर्दू अनुवादक को नगद/बीयरर चेक से किया गया है। जबकि नियमानुसार फर्म द्वारा सामान आपूर्ति के बाद प्रस्तुत बिल में से आयकर एवं वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को अकाउंट पेई चेक से किया जाना चाहिए। कार्य प्रभारी द्वारा जो सामग्री कय प्रमाणक पत्रावली में लगाए गए हैं वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैश मेमो पर है। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मिलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि योजना बद्ध तरीके से अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
295910.00	—	—	295910.00

प्रस्तर सं0-76-क्षेत्र पंचायत बर्डपुर वर्ष 2011-12 की लेखापरीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारियों को रु 408670.00 के चेक निर्गत किए गए हैं, तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे0ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	408670.00	408670.00

प्रस्तर सं0-77-क्षेत्र पंचायत बर्डपुर के वर्ष 2011-12 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 2174806.00 की सामग्री क्रय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2011-2012 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 86992.00 का वैट (रु 2174806.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	86992.00	86992.00

प्रस्तर सं0-78-क्षेत्र पंचायत बर्डपुर वर्ष 11-12 लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2011-12 में कुल भुगतान रु0 2174806.00 में से रु 276898.00 का भुगतान फर्म को अकाउंट पेई चेक से न कर के पूरा भुगतान कार्य प्रभारियों को कर दिया गया है। जबकी नियमानुसार फर्म द्वारा सामान आपूर्ति के बाद प्रस्तुत बिल में से आय कर एवं वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को अकाउंट पेई चेक से किया जाना चाहिए। कार्यप्रभारी द्वारा जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में लगाये गए हैं वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर हैं। सामान आपूर्ति हेतु फर्म को कोई मॉग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई चालान निर्गत किया गया है। सामग्री आमद /उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मीलीभगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए कार्य प्रभारी /खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
276898.00	—	—	276898.00

प्रस्तर सं0-79-क्षेत्र पंचायत बर्डपुर वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्य प्रभारियों को रु0 776489.00 के चेक निर्गत किए गए हैं, तथा कार्य प्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी

का भुगतान चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे०ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	776489.00	776489.00

प्रस्तर सं०-80-क्षेत्र पंचायत बर्दपुर वर्ष 2012-13 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 5639122.00 की सामग्री क्रय की गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2012-2013 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 225564.00 का वैट (रु 5639122.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	225564.00	225564.00

प्रस्तर

सं०-81-क्षेत्र

पंचायत बर्दपुर वर्ष 2012-13 की लेखपरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि तेरहवा वित्त कान्टीजेंसी मद से विकास खण्ड कार्यालय परिसर के लिए कूलर का क्रय किया गया था, क्रय सामग्री के भुगतान की गयी धनराशि में से 2.24 :आयकर एवं 4 प्रतिशत वैट न काट कर रु 1231.00 की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है जिसके लिए तात्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधि उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1231.00	1231.00

प्रस्तर सं०-82-क्षेत्र पंचायत बर्दपुर वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2011-12 में कुल भुगतान रु 5639122.00 में से रु 3610024.00 का भुगतान फर्म को अकाउंट पेई चेक से न कर के पूरा भुगतान कार्य प्रभारियों को कर दिया गया है। जबकी नियमानुसार फर्म द्वारा सामान आपूर्ति के बाद प्रस्तुत बिल में से आय कर एवं वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को अकाउंट पेई चेक से किया जाना चाहिए। कार्यप्रभारी द्वारा जो सामग्री क्रय प्रमाणक पत्रावली में लगाये गए हैं वो समस्त प्रमाणक फर्म के लेटर पैड/कच्चे बिल/कैशमेमो पर हैं। सामान आपूर्ति हेतु फर्म को कोई मॉग पत्र प्रेशित नहीं किया गया है। और न ही फर्म द्वारा कोई चालान निर्गत किया गया है। सामग्री आमद /उपभोग व शेष का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। इस प्रकार सामग्री की आपूर्ति संदिग्ध रही। इससे स्पष्ट है कि फर्म की मीली भगत से मात्र कच्चे बिल प्राप्त कर धनराशि को योजना बद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिए कार्य प्रभारी /खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
3610024.00	—	—	3610024.00

प्रस्तर सं0-83-क्षेत्र पंचायत बर्दपुर वर्ष 2012-13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं हेतु कय किए गए मिट्टी का भुगतान कच्चे बिलो के आधार पर कार्य प्रभारियों को किया गया है। मिट्टी भुगतान पर नियमानुसार आयकर की कटौती नहीं की गयी है। आयकर कटौती न किए जाने से रु0 985.00 राजकीय राजस्व की क्षति उठानी पड़ी। जिसके लिए खण्ड0 वि0 अधि/लेखाकार/कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	985.00	985.00

प्रस्तर सं0-84-क्षेत्र पंचायत बर्दपुर वर्ष 13-14 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि रु0 197432.00 का भुगतान सामग्री कय हेतु कार्यप्रभारी श्री विवेक मणि को किया गया है परन्तु बिलो से 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती नहीं की गयी है। जिससे रु0 4421.00 की राजकीय रु0 राजस्व की क्षति हुई जिसके लिए तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	4421.00	4421.00

प्रस्तर सं0-85-क्षेत्र पंचायत बर्दपुर वर्ष 2012-13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं हेतु कय किए गए मिट्टी का भुगतान कच्चे बिलो के आधार पर कार्यप्रभारियों को किया गया है। मिट्टी भुगतान पर नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती नहीं की गयी है। रॉयल्टी की कटौती न किए जाने से रु0 7952.00 राजकीय राजस्व की क्षति उठानी पड़ी। जिसके लिए खण्ड0 वि0 अधि/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	7952.00	7952.00

प्रस्तर सं0-86-क्षेत्र पंचायत बर्दपुर वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलो के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारियों को रु0 606772.00 चेक निर्गत किए गए हैं, तथा कार्य प्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे0ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	606772.00	606772.00

प्रस्तर सं0-87-वर्ष 2013-14 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 4922345.00 की सामग्री कय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त कय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2013-2014 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 196893.00 का वैट(रु0 वकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	196893.00	196893.00

प्रस्तर सं0-88- क्षेत्र पंचायत बर्दपुर वर्ष 13-14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त /तेरहवा वित्त कन्टीजेंसी से क़य की गयी सामग्री पर रु 8344.00 का वैट नही काटा गया है। नियमानुसार क़य की गयी सामग्री के बिलो से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। वर्ष दौरान कान्टीजेंसी मद से कुल रु 208603.00 की सामग्री क़य की गयी ,जिसपर 4 प्रतिशत की दर से वैट रु 8344.00 काट कर शेष धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए था। परन्तु यहाँ पर ईकाई द्वारा ऐसा न कर के गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई जिसके लिए तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	8344.00	8344.00

प्रस्तर सं0-89-क्षेत्र पंचायत बर्दपुर वर्ष 13-14 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त/तेरहवा वित्त कन्टीजेंसी से क़य की गयी सामग्री पर रु 4673.00 का आयकर नही काटा गया है। नियमानुसार क़य की गयी सामग्री के बिलो से आयकर काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। वर्ष दौरान कान्टीजेंसी मद से कुल रु 208603.00 की सामग्री क़य की गयी ,जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर रु 4673.00 काट कर शेष धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए था। परन्तु यहाँ पर ईकाई द्वारा ऐसा न कर के गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई जिसके लिए तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	4673.00	4673.00

प्रस्तर सं0-90-क्षेत्र पंचायत बर्दपुर वर्ष 2013-14 में कराये गये कार्य विकास खण्ड में प्रमुख कक्ष का निर्माण कार्य में 155 घ0मी मिट्टी का प्रयोग किया गया था ,नियमानुसार उपरोक्त कार्टेज मिट्टी के प्रयोग पर 14 रु प्रति घ0मी की दर से रायल्टी काट कर भुगतान किया जाना चाहिये था,परन्तु कार्यप्रभारी द्वारा रायल्टी न काट कर रु 2170.00(155,14,2170) की राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। क्षतिपूर्ति की आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2170.00	2170.00

प्रस्तर सं0-91-क्षेत्र पंचायत बर्दपुर वर्ष 2013-2014 की लेखपरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ मदों में त्रणात्मक भुगतान किया गया है जो की विगत वर्षों से लगातार अनुदान पंजिका में दर्शाया जा रहा है। स्पष्ट है कि निम्नवर्णित मदों का भुगतान अन्य मदों में प्राप्त अनुदान से किया गया है जो गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है क्योंकि योजना वर्ष में प्राप्त अनुदान का उपयोग उसी योजना में किया जाता है। परन्तु संदर्भित क्षेत्र पंचायत में अंकित विवरण के अनुसार कुल रु 170663.00 अन्य योजनाओं के धन का

भुगतान संबंधित मदों में ऋणात्मक दर्शाते हुए बड़े पैमाने पर अनुदान का व्यावर्तन किया गया है जिसके लिए तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	170663.00	170663.00

प्रस्तर सं0-92-क्षेत्र

पंचायत बर्डपुर वर्ष

2014-15 की लेखापरीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्य प्रभारियों को रु 112524.00 के चेक निर्गत किए गए हैं, तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे0ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। जॉचोपरान्त विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	112524.0.00	112524.00

प्रस्तर सं0-93-क्षेत्र पंचायत बर्डपुर वर्ष 2014-15 की निर्माण पत्रावलियों की जॉच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 942407.00 की सामग्री क़य गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क़य की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2014-2015 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 37696.00 का वैट (रु 942407.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	37696.0.00	37696.00

प्रस्तर सं0-94-क्षेत्र पंचायत बर्डपुर वर्ष 2015-16 की निर्माण पत्रावलियों की जॉच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 10043721.00 की सामग्री क़य गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क़य की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2015-2016 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 401748.00 का वैट (रु 10043721.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	401748.0.00	401748.00

प्रस्तर सं0-95-क्षेत्र पंचायत बर्डपुर वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं हेतु क़य किए गए मिट्टी का भुगतान कच्चे बिलों के आधार पर कार्य प्रभारियों को किया गया है। मिट्टी भुगतान पर नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती नहीं की गयी है। रॉयल्टी की कटौती न किए जाने से रु 27034.00 राजकीय राजस्व की क्षति

उठानी पड़ी जिसके लिए खण्ड0वि0अधि/लेखाकार/कार्य प्रभारी उत्तरदायी है।
आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-96-क्षेत्र पंचायत बर्दपुर वर्ष 15-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2015-16 में विभिन्न तिथियों में तेरहवा वित्त/राज्य वित्त ब्याज की धनराशि रु0 563639.00 को राज्य वित्त अनुदान में मद में ट्रांसफर कर के व्यय कर दिया गया है। जबकी उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस/2015-10 (33) 2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पर बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा कराया जाना चाहिये। उल्लेखनीय है कि अनुदान में प्राप्त धनराशियों पर अर्जित ब्याज अन्य प्राप्तियों मद में दर्शा कर समाप्ति पर जमा किया

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	27034.00	27034.00

वित्तीय वर्ष की राजकीय कोशागार जाना चाहिये जो आगामी बजट में राज्य सरकार द्वारा अपनी आय के रूप में सम्मिलित की जाती है। परन्तु इकाई द्वारा ऐसा न कर के राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अवष्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	563639.00	563639.00

प्रस्तर सं0-97-क्षेत्र पंचायत बर्दपुर वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त मद में प्राप्त अनुदान से कराये गये कार्य बर्दपुर न0 10 में टोला रामनगर में सी0सी रोड (स्वीकृत लागत 600000.00) का निर्माण ठेकेदार श्री शब्बीर अहमद से करवाया गया है। जबकी राज्य वित्त अनुदान से कोई भी कार्य ठेकेदार से कराये जाने पर प्रतिबंध है। परन्तु संदर्भित कार्य को ठेकेदार से करवा कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया है। जिसके लिए ख0वि0अधि एवं लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी वसूली संबंधित से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	600000.00	600000.00

प्रस्तर सं0-98- क्षेत्र पंचायत बर्दपुर के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित है कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्य प्रभारियों को चेक निर्गत किए गए हैं, तथा कार्य प्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे0ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है।

क्र0स	कार्यप्रभारी का नाम	मस्टर रोल की धनराशि
1	उमेश पटेल	338850.00
2	अनूप श्रीवस्तव	186100.00

3	अनिल मिश्र	300970.00
4	गोपेस्वर पटेल	389150.00
5	अजीजुर्रहमान	228450.00
6	विजय मिश्र	390950.00
7	द्वारिका पाण्डेय	82400.00
8	चन्द्र भूषण तिवारी	93580.00
9	राम नारायण झा	107450.00
		2117900.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2117900.00	2117900.00

प्रस्तर सं०-९९-वर्ष 2016-2017 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ मदों में त्रणात्मक भुगतान किया गया है जो की विगत वर्षों से लगातार अनुदान पंजिका में दर्शाया जा रहा है। स्पष्ट है कि निम्नवर्णित मदों का भुगतान अन्य मदों में प्राप्त अनुदान से किया गया है जो गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है क्योंकि योजना वर्ष में प्राप्त अनुदान का उपयोग उसी योजना में किया जाता है। परन्तु संदर्भित क्षेत्र पंचायत में अंकित विवरण के अनुसार कुल रु 170663.00 अन्य योजनाओं के धन का भुगतान संबंधित मदों में त्रणात्मक दर्शाते हुए बड़े पैमाने पर अनुदान का व्यावर्तन किया गया है जिसके लिए तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	170663.00	170663.00

प्रस्तर सं०-100-क्षेत्र पंचायत बढनी वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारियों को रु0 543960.00 के चेक निर्गत किए गए हैं तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे०ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	543960.00	543960.00

प्रस्तर सं0-101-क्षेत्र पंचायत बढनी वर्ष 2012-13 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यो पर रु 4832112.00 की सामग्री क्रय गयी है,नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था ।परन्तु वर्ष 2012-2013 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है।इस प्रकार रु 193284.00 का वैट(रु 4832112.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है।जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	193284.00	193284.00

प्रस्तर सं0-102-क्षेत्र पंचायत बढनी वर्ष 2012-13 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यो पर रु 402227.00 की सामग्री क्रय गयी है,नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था । परन्तु वर्ष 2012-2013 आयकर की कोई कटौती नहीं की गयी है।इस प्रकार रु 9009.00 का आयकर(रु 402227.00 का 2.24 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है।जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	9009.00	9009.00

प्रस्तर सं0-103-क्षेत्र पंचायत बढनी वर्ष 2012-13 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया कि सामग्री की धनराशि का भुगतान कार्यप्रभारीयो को किया गया है परन्तु पत्रावली में या तो संबंधित वाउचर/प्रमाणक संलग्न नहीं पाये गये है,या वाउचर हस्तलिखित है जो लेखा परीक्षा में मान्य नहीं है।बिना वाउचर/व्यय प्रमाणक/कच्चे बिलोके आधार पर कार्यप्रभारीयों को भुगतान करके रु0 208491.00 राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया हैं ,जिसके लिए कार्यप्रभारी/लेखाकार एवं ख0वि0अधि उत्तरदायी है।जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
208491.000	—	—	208491.00

प्रस्तर सं0-104-क्षेत्र पंचायत बढनी वर्ष 2012-13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में सामग्री का भुगतान किया है परन्तु कोई भी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। बिना मजदूरी भुगतान किये कार्य कराया जाना संभव नहीं है। स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में सामग्री क्रय पर व्यय दर्शाकर रु0 886843.00 राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए कार्यप्रभारी /ख0वि0अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
886843.00	—	—	886843.00

प्रस्तर सं0-105-क्षेत्र पंचायत बढनी वर्ष 2012-13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं हेतु क्रय किए गए मिट्टी का भुगतान कच्चे बिलों के आधार पर कार्यप्रभारियों को किया गया है। मिट्टी भुगतान पर नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती नहीं की गयी है। रॉयल्टी की कटौती न किए जाने से रु 4032.00 राजकीय राजस्व की क्षति उठानी पड़ी। जिसके लिए खण्ड0वि0अधि/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	4032.00	4032.00

प्रस्तर सं0-106-क्षेत्र पंचायत बढनी वर्ष 2013-14 की लेखापरीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारियों को रु0 1110149.00 के चेक निर्गत किए गए हैं, तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे0ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1110149.00	1110149.00

प्रस्तर सं0-107-क्षेत्र पंचायत बढनी वर्ष 2013-14 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 4529723.00 की सामग्री क्रय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2013-2014 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 181189.00 का वैट (रु 4529723.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

—	—	181189.00	181189.00

प्रस्तर सं०-108-क्षेत्र पंचायत बढनी वर्ष 2013-14 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 467156.00 की सामग्री क़य गयी है,नियमानुसार उपरोक्त क़य की गयी सामग्री की धनराशि से 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था । परन्तु वर्ष 2013-2014 आयकर की कोई कटौती नहीं की गयी है।इस प्रकार रु 10465.00 का आयकर(रु 467156.00 का 2.24 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है।जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	10465.00	10465.00

प्रस्तर सं०-109-क्षेत्र पंचायत बढनी वर्ष 2013-14 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया कि सामग्री की धनराशि का भुगतान कार्यप्रभारीयो को किया गया है परन्तु पत्रावली में या तो संबंधित वाउचर/प्रमाणक संलग्न नहीं पाये गये है,या वाउचर हस्तलिखित है जो लेखा परीक्षा में मान्य नहीं है।बिना वाउचर/व्यय प्रमाणक/कच्चे बिलो के आधार पर कार्य प्रभारीयों को रु 734107.00 का भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया हैं ,जिसके लिए कार्यभारी/लेखाकार एवं ख०वि०अधि उत्तरदायी है।जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
734107.00	—	—	734107.00

प्रस्तर सं०-110-क्षेत्र पंचायत बढनी वर्ष 2013-14 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया कि कुछ निर्माण कार्यों पर मजदूरी का भुगतान तो किया गया है परन्तु पत्रावली में मजदूरी भुगतान से संबंधित मस्टररोल संलग्न नहीं पाया गया जिससे मजदूरी पर किये गए भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।बिना मस्टर रोल प्रस्तुत किये रु 57794.00 मजदूरी पर किए गए भुगतान के लिए ,लेखाकार, ख०वि०अधि एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है।जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
57794.00	—	—	57794.00

प्रस्तर सं०-111-क्षेत्र पंचायत बढनी वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं हेतु क़य किए गए मिट्टी का भुगतान कच्चे बिलो के आधार पर कार्य प्रभारियों को किया गया है। मिट्टी भुगतान पर नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती नहीं की गयी है। रॉयल्टी की कटौती न किए जाने से रु 35287.00 राजकीय राजस्व की क्षति उठानी पडी।जिसके लिए खण्ड०वि०अधि/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	35287.00	35287.00

प्रस्तर सं०-112-क्षेत्र पंचायत बढनी के वर्ष 2014-15 की लेखापरीक्षा में विभिन्न योजनाओ। की प्रस्तुत पत्रावलीयों के अवलोकन से यह विदित कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलो के आधार पर

श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारियों को चेक निर्गत किए गए हैं, तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे०ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है—

क्र० स	कार्यप्रभारी का नाम	मस्टर रोल की धनराशि
1	दिलीप पटेल	981675.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	981675.00	981675.00

प्रस्तर सं०-113-क्षेत्र पंचायत बढनी के वर्ष 2014-15 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु० 5269153.00 की सामग्री क्रय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2014-2015 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 210766.00 का वैट (रु० 5269153.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	210766.00	210766.00

प्रस्तर सं०-114-क्षेत्र पंचायत बढनी के वर्ष 2014-15 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 165571.00 की सामग्री क्रय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2014-2015 आयकर की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 3709.00 का आयकर (रु 165571.00 का 2.24 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है—

क्र० स	कार्य का नाम	धनराशि	निर्धारित आयकर	काटा गया आयकर	अंतर
1	एफ०एन०बी०एस रोड से दशरथ देवी के घर तक सी०सी रोड	18450.00	413.00	0	413.00
2	वनचौरी गाँव में विष्णुनाथ के घर से हरिराय के घर तक इण्टर लाकिंग	5000.00	112.00	0	112.00
3	महादेव बैरिया मार्ग से अर्री बार्डर तक इण्टरलाकिंग	9713.00	218.0	0	218.0
		11541.0	259.0	0	259.0

		16810.0	377.0	0	377.0
4	एफ0एन0बी0एस रोड से घरुआर सम्पर्क मार्ग	15808.0	354.0	0	354.0
	के बगल में नाली सोलिंग	22125.0	496.0	0	496.0
5	घरुआर में नाली निर्माण पोखरे से काली स्थान तक	13748.00	308.0	0	308.0
6	गणेशपुर गाँव में सडक से अमेरिका चौधरी के घर तक इण्टरलाकिंग	19550.0	438.0	0	438.0
		13697.0	307.0	0	307.0
7	ग्राम चन्दवा में इण्टरलाकिंग	19129.0	428.0	0	428.0
	योग	165571.00	3709.0	0	3709.0

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	3709.0	3709.0

प्रस्तर सं0-115-क्षेत्र पंचायत बढनी के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं हेतु कय किए गए मिट्टी का भुगतान कच्चे बिलों के आधार पर कार्यप्रभारियों को किया गया है। मिट्टी भुगतान पर नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती नहीं की गयी है। रॉयल्टी की कटौती न किए जाने से रु 13356.00 राजकीय राजस्व की क्षति उठानी पड़ी जिसके लिए खण्ड0 वि0 अधि/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए विभागीय कार्यवही अपेक्षित है। विवरण निम्न है—

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	13356.0	13356.0

क्र0 स	कार्य का नाम	कय मिट्टी की मात्रा	रॉयल्टी की दर प्रति घ0मी0	रॉयल्टी की धनराशि
1	हृदयनगर उर्फ कल्याण नगर में पी0डब्लू0डी रोड से अवधराम भूज के घर के घर से सुरेन्द्र यादव के घर तक सी0सी रोड	111 घ0मी	14	1554.00
2	एफ0एन0बी0एस रोड से दशरथ देवी के घर तक सी0सी रोड	09 घ0मी	14	126.0
3	ग्राप पंचायत चम्पापुर में पी0डब्लू0डी रोडे सडक से चण्डी जी के स्थान तक सी0सी रोड	93 घ0मी	14	1302.0
4	तुलसियापुर गाँव में सी0सी रोड कार्य(राम सिंह के घर से भोला के घर तक	33 घ0मी	14	462.0
5	मदनपुर गाँव में सी0सी रोड	102 घ0मी	14	1428.0
6	वनचौरी गाँव में विष्वनाथ के घर से हरिराय के घर तक इण्टरलाकिंग	69 घ0मी	14	966.0
7	ग्राम घरुआर में नाली निर्माण	204 घ0मी	14	2856.0

8	घरुआर मे नाली निर्माण पोखरे से काली स्थान तक	333 घ0मी	14	4662.0
	योग	954.0 घ0मी		13356.0

प्रस्तर सं0-116-क्षेत्र पंचायत बढनी के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलो के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारीयों को चेक निर्गत किए गए हैं, तथा कार्य प्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे0ई/लेखाकार/कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है।

क्र0स	कार्यप्रभारी का नाम	मस्टर रोल की धनराशि		
1	श्री दिलीप पटेल	206450.0		
2	श्री प्रहलाद पाण्डेय	37350.00		
		243800.00		
	अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
	—	—	243800.00	243800.00

प्रस्तर सं0-117-क्षेत्र पंचायत बढनी के वर्ष 2015-16 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु0 2202901.00 की सामग्री क्रय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2015-2016 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 88116.00 का वैट (रु 2202901.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0-118- क्षेत्र

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	88116.00	88116.00

पंचायत
बढनी के

वर्ष

2015-16

की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यो पर रु 58502.00 की सामग्री क्य गयी है,नियमानुसार उपरोक्त क्य की गयी सामग्री की धनराशि से 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2015-2016 आयकर की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 1310.00 का आयकर(रु 58502.00 का 2.24 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

विवरण निम्न है—

क्र० स	कार्य का नाम	धनराशि	निर्धारित आयकर	काटा गया आयकर	अंतर
1	सेवरा मे भरौलीडीह पिचोड मार्ग से भुलई के घर तक सी0सी रोड	16800.00	376.0	0	376.0
		11900.0	267.0	0	267.0
2	सेवरा में एफ0एन0बी0एस रोड से नाई के घर तक इण्टरलाकिंग	20196.0	452.0	0	452.0
		9606.0	215.0	0	215.0
	योग	58502.0	1310.0	0	1310.0
		अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
		—	—	1310.0	1310.0

प्रस्तर सं0-119-क्षेत्र पंचायत बढनी के वर्ष 2016-17 की लेखापरीक्षा में विभिन्न योजनाओ। की प्रस्तुत पत्रावलीयों के अवलोकन से यह विदित कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलो के आधार पर श्रमिको को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारीयों को चेक निर्गत किए गए है,तथा कार्य प्रभारियों द्वारा श्रमिको को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए है। श्रमिको की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए है। मजदूरो को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे0ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है।

क्र० स	कार्यप्रभारी का नाम	मस्टर रोल की धनराशि
1	श्री राजीव सिंह	699500.00
2	श्री दिलीप पटेल	317800.00
3	श्री राम सिंह	35850.00
		1053150.00

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1053150.00	1053150.00

प्रस्तर सं०-120-क्षेत्र पंचायत बढनी के वर्ष 2016-17 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 959372.00 की सामग्री कय गयी है,नियमानुसार उपरोक्त कय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2016-2017 वैट की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 38375.00 का वैट (रु 959372.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है—

क्र० स	कार्य का नाम	धनराशि	निर्धारित वैट	काटा गया वैट	अंतर
1	मटियार उर्फ भुतहवा में मेन रोड से इन्द्रजीत के घर तक इण्टरलाकिंग	178110.00	7124.0	0	7124.0
2	पिपरा मेन रोड से गौरी के घर तक इण्टरलाकिंग	185989.0	7440.0	0	7440.0
3	परसा स्टेशन में सोमई के घर से सडक तक इण्टरलाकिंग	136130.0	5445.0	0	5445.0
4	बोहली में भानू के घर से कयूम के घर तक इण्टरलाकिंग	114275.0	4571.0	0	4571.0
5	तालकुण्डा में बेचनराम के घर से राम हरख के घर तक एवं तुलसीराम के घर तक इण्टरलाकिंग	98647.00	3946.0	0	3946.0
6	घनष्याम के घर से सोमई के घर तक इण्टरलाकिंग	246221.0	9849.0	0	9849.0
		959372.0	38375.0	0	38375.0

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	38375.0	38375.0

प्रस्तर सं०-121-क्षेत्र पंचायत बढनी के वर्ष 2016-17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ निर्माण कार्यों की पत्रावलीयों में सामग्री का भुगतान किया है परन्तु कोई भी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। बिना मजदूरी भुगतान किये कार्य कराया जाना संभव नहीं है। स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में सामग्री कय पर व्यय दर्शाकर रु 605085.00 राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। विवरण निम्न है—

क्र० स	कार्य का नाम	सामग्री पर किया गया भुगतान	मजदूरी पर भुगतान
1	रामनगर मे शरण यादव के घर से पी०डब्लू०रोड से समया माता स्थान तक इण्टरलाकिंग	184733.00	0

2	ग्राम पंचउथ में इण्टरलाकिंग	420352.00	0
		605085.00	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
605085.00	—	—	605085.00

प्रस्तर सं०-122—लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2016-17 में माह सितम्बर 2016 में तेरहवा वित्त/राज्य वित्त ब्याज की धनराशि रु 600000.00 को राज्य वित्त अनुदान में मद में ट्रांसफर कर के व्यय कर दिया गया है। जबकी उत्तर प्रदेश द्वारा जारी शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस/2015-10 (33) 2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पर बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा कराया जाना चाहिये। उल्लेखनीय है कि अनुदान में प्राप्त धनराशियों पर अर्जित ब्याज अन्य प्राप्तियों मद में दर्शा कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राजकीय कोशागार में जमा किया जाना चाहिये जो आगामी बजट में राज्य सरकार द्वारा अपनी आय के रूप में सम्मिलित की जाती है। परन्तु इकाई द्वारा ऐसा न कर के राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	600000.00	600000.00

प्रस्तर सं०-123—क्षेत्र पंचायत बढनी के वर्ष 16-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि दिनांक 31.03.2017 को विभिन्न योजना मद में रु०-2936596.00 अनुदान अवशेष रहा। जिसे वर्ष दौरान न तो विकास कार्यों में व्यय किया गया ओ न ही संबंधित विभाग को वापस किया गया। अनुदान की धनराशि का समयान्तर्गत उपभोग न किए जाने से विकास कार्य प्रभावित रहा। वर्षान्त में अवशेष धनराशियों का संबंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था। अगले वित्तीय वर्ष में पिछले अवशेष धनराशि के उपयोग हेतु संबंधित विभाग से अपुमति लेना चाहिए था। इस अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। प्रकरण की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2936596.00	2936596.00

प्रस्तर सं०-124—क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2011-12 की पत्रावलियों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कराये गए कार्यों पर मजदूरी का भुगतान तो किया गया है पर पत्र पत्रावलियों में मस्टर रोल संलग्न नहीं पाये गये हैं। जिससे मजदूरी कार्य पर किये गये भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। मस्टर रोल के बिना कार्यप्रभारी को किये गए रु० 673830.00 भुगतान के लिए लेखाकार/कार्यप्रभारी एवं ख०वि०अधि उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	यो

—	—	673830.00	67383.00

प्रस्तर सं०-125-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त परियोजना मद से विकास खण्ड परिसर के मार्गों का सी०सी रोड निर्माण कार्य कराया गया था। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्य कराये जाने हेतु कार्य प्रभारी श्री विनोद कुमार (छलिपिक) को रु 696455 का भुगतान किया गया है। परन्तु पत्रावली में न तो कोई बिल/वाउचर ही संलग्न पाया गया और न ही कोई मस्टर रोल ही संलग्न पाया गया। बिना किसी प्रमाणक के कार्य प्रभारी को रु 696455.00 का भुगतान कर के राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए कार्य प्रभारी, लेखाकार एवं ख०वि०अधि उत्तरदायी है। जिसकी वसूल ब्याज सहित संबंधित से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
696455.00	—	—	696455.00

प्रस्तर सं०-126-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2011-12 की लेखापरीक्षा में कार्यप्रभारियों द्वारा प्रस्तुत सामग्री क्रय के प्रमाणको की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि फर्मों को मात्र कच्चे बिल के आधार पर भुगतान कर दिया गया है, प्रमाणको पर बिल/कैश मेमो संख्या, बिक्रीकर रजिस्ट्रेशन संख्या अंकित नहीं है। बहुत से बिलों पर ख०वि०अधि एवं अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर भी नहीं पाए गये हैं और न ही उनपर एम०बी पृष्ठ संख्या ही अंकित है। जो लेखापरीक्षा में मान्य नहीं है। प्रमाणको की सत्यता जाँच किये बिना कार्यप्रभारियों को भुगतान करके वित्तीय अनियमितता बरती जा रही है। नियमानुसार सामग्री के मूल्य का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को अकाउंट पेई चेक से किया जाना चाहिए परन्तु यहाँ पर समस्त भुगतान कार्यप्रभारियों को किया गया है। इस तरह के अनियमित भुगतान के लिए कार्यप्रभारी, लेखाकार एवं ख०वि०अधि उत्तरदायी है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	3697257.00	3697257.00

प्रस्तर

सं०-127-क्षेत्र

पंचायत उसका वर्ष 2011-12 के विधायक निधि के द्वारा कराये गये कार्य " सड़क से चन्द्र प्रकाश के घर तक सुगही में इण्टरलाकिंग कार्य " की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि सामग्री क्रय के संलग्न वाउचर रु 73966.00 के हैं परन्तु कार्यप्रभारी को रु 78770.00 का भुगतान किया गया है, इस प्रकार कार्यप्रभारी को रु 4804.00 (78770-73966) का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित कार्यप्रभारी/लेखाकार एवं ख०वि०अधि से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
4804.00	—	—	4804.00

प्रस्तर सं०-128-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2011-12 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि सामग्री की धनराशि का भुगतान कार्यप्रभारियों को किया गया है परन्तु पत्रावली में संबंधित वाउचर/प्रमाणक संलग्न नहीं पाये गये हैं। बिना वाउचर/व्यय प्रमाणक के कार्यप्रभारियों को रु 458453.00 भुगतान करके राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए कार्यप्रभारी/लेखाकार एवं ख०वि०अधि उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
458453.00	—	—	458453.00

प्रस्तर सं०-129-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्य प्रभारियों को रु० 1047139.00 के चेक निर्गत किए गए हैं, तथा कार्य प्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे०ई/लेखाकार/कार्य प्रभारी उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1047139.00	1047139.00

प्रस्तर सं०-130-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2011-12 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु० 10589522.00 की सामग्री खरीदी गई है, नियमानुसार उपरोक्त खरीद की गई सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2011-2012 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु० 423580.00 का वैट (रु० 10589522.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	423580.00	423580.00

प्रस्तर सं०-131-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2011-12 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु० 10589522.00 की सामग्री खरीदी गई है, नियमानुसार उपरोक्त खरीद की गई सामग्री की धनराशि से 2.24 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2011-2012 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु० 237205.00 का आयकर (रु० 10589522.00 का 2.24 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	237205.00	237205.00

प्रस्तर सं०-132-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2012-13 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया की विधायक निधि मद से कराये गए कार्य पोखरभिटवा पिच रोड से मेहताब के घर होते हुए सी०सी रोड कार्य पर कार्यप्रभारी श्री विमलकांत को रु० 153889.00 का भुगतान किया गया है। जिसमें से मात्र रु० 70560.00 के ही वाउचर पत्रावली में संलग्न पाए गए हैं। कार्यप्रभारी द्वारा कार्य प्रगति पर है कारण दिखाते हुए प्रार्थना पत्र लिखकर सामग्री एवं मजदूरी के भुगतान के लिए धनराशि की माँग की गयी और उसी आधार पर कार्यप्रभारी को भुगतान कर दिया गया। कार्यप्रभारी द्वारा धनराशि की माँग करते हुए कोई भी बिल/वाउचर/मस्टररोल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है। बिना किसी प्रमाणक के प्रस्तुत किए कार्यप्रभारी को धनराशि का भुगतान कर के रु० 83329.00(

153889—70560) का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तात्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
83329.00	—	—	83329.00

प्रस्तर सं0—133—क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2012—13 में विधायक निधि अनुदान से कराये गए कार्य उसका नौगढ मार्ग से चोरई गॉव तक 200 मी0 इण्टरलाकिंग कार्य कराने हेतु कार्य प्रभारी श्री विमलकांत को दिनांक 04.02.13 को चेक संख्या 136899 से रु0 100000.00 का अग्रिम भुगतान किया गया था। नियमानुसार अग्रिम भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है, अगर किसी कारण वर्ष अग्रिम भुगतान किया भी गया है तो अग्रिम भुगतान का समायोजन बाद के प्रस्तुत बिलो से कर लिया जाना चाहिए था, परन्तु संदर्भित प्रकरण में अग्रिम का समायोजन बाद के बिलो से नहीं किया गया है। अग्रिम धनराशि का समायोजन न कर के रु 100000.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए कार्यप्रभारी/लेखाकार एवं ख0वि0अधि सम्मिलित रूप से उत्तरदायी है जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
100000.00	—	—	100000.00

प्रस्तर सं0—134—क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2012—13 की विधायक निधि अनुदान से कराये गए कार्य नौगढ उसका मार्ग अयोध्या प्रसाद के घर से चुल्हई के घर तक 150 मी इण्टरलाकिंग कार्य पत्रावली के अवलोकन में पाया गया है कि परियोजना पर कार्यप्रभारी श्री संतराम भारती को कुल रु 495877.00 का भुगतान किया गया है। परन्तु पत्रावली में मात्र 138016.00 रु का ही सामग्री क्रय के वाउचर संलग्न पाया गया है। इस प्रकार कार्यप्रभारी को रु 357861.00 का भुगतान बिना व्यय प्रमाणक/मस्टररोल के कर दिया गया है। बिना व्यय प्रमाणक के कार्यप्रभारी को रु 357861.00 का भुगतान कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए कार्यप्रभारी/लेखाकार एवं ख0वि0अधि संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
357861.00	—	—	357861.00

प्रस्तर सं0—135—क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2012—13 में विधायक निधि अनुदान से कराये गए कार्य कोल्हुआ मार्ग पर कब्रिस्तान से भरत के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर कार्यप्रभारी श्री संतराम भारती को कुल रु 1041903.00 का भुगतान किया गया है। परन्तु पत्रावली में मात्र रु 309611.00 के ही वाउचर ही संलग्न पाये गए हैं। शेष रु 732292.00 के वाउचर पत्रावली में संलग्न नहीं थे जिससे रु 732292.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। बिना व्यय प्रमाणक के कार्यप्रभारी को भुगतान करना अपहरण की श्रेणी में आता है जिसके लिए कार्यप्रभारी/लेखाकार एवं ख0वि0अधि उत्तरदायी है जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
732292.00	—	—	732292.00

प्रस्तर सं0—136—क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2012—13 के विधायक निधि अनुदान से कराये गए कार्य ३ ग्राम सुगही में रोहित यादव के घर से रमेश के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य ३ पर कार्यप्रभारी

श्री विमलकांत को रु 342825.00 का भुगतान किया गया है, परन्तु पत्रावली में कोई भी वाउचर एवं मस्टररोल संलग्न नहीं पाया गया है। बिना किसी वाउचर के कार्यप्रभारी को रु 342825.00 का भुगतान कर के राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए कार्य प्रभारी / लेखाकार एवं ख०वि०अधि उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
342825.00	—	—	342825.00

प्रस्तर सं०-137—क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 12-13 विधायक निधि अनुदान से कराये गए कार्य मरवटिया माफी प्रा०पा से शिवेन्द्र प्रताप के घर तक इण्टरलाकिंग का पर कार्य प्रभारी श्री रविन्द्र जाटव को कुल रु 666924.00 का भुगतान किया गया है। परन्तु पत्रावली में मात्र रु 106560.00 के वाउचर संलग्न पाए गये हैं। इस प्रकार कार्यप्रभारी को संलग्न वाउचर के सापेक्ष रु 560364.00 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसके लिए कार्यप्रभारी / लेखाकार एवं ख०वि०अधि उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
560364.00	—	—	560364.00

प्रस्तर सं०-138—क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 12-13 विधायक निधि से कराये गए कार्य नौगढ मार्ग से सुखराज ट्रे० क० से धर्मपाल के घर तक 260 मी० इण्टरलाकिंग कार्य में कार्यप्रभारी श्री संतराम भारती को रु 655921.00 का भुगतान किया गया है। जिसमें सामग्री मद के लिए रु 579981.00 एवं मजदूरी के लिए रु 75940.00 रु 'गामिल है। परन्तु पत्रावली में मात्र रु 115560.00 (सामग्री क्रय) का ही वाउचर संलग्न पाया गया है। कार्यप्रभारी को रु 115560.00 के वाउचर के सापेक्ष रु 655921.00 का भुगतान कर के रु 540361.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए कार्यप्रभारी / लेखाकार एवं ख०वि०अधि उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
540361.00	—	—	540361.00

प्रस्तर सं०-139—क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 12-13 विधायक निधि से कराये गए कार्य उसका बृजमनगंज मार्ग से ग्राम मैनखाई में राजाराम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य में कार्यप्रभारी श्री रविन्द्र जाटव को रु 1006967.00 का भुगतान किया गया है परन्तु पत्रावली में मात्र रु 130080.00 के वाउचर संलग्न पाया गया है। कार्यप्रभारी श्री रविन्द्र जाटव को 130080.00 रु के वाउचर के सापेक्ष रु 1006967.00 का भुगतान कर के रु 876887.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए कार्यप्रभारी / लेखाकार एवं ख०वि०अधि उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
876887.00	—	—	876887.00

प्रस्तर सं०-140—क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2012-13 के राज्य वित्त अनुदान से कराये गए कार्य ख०वि०अधि आवास का मरम्मत कार्य में कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी को कुल रु 344291.00 का भुगतान किया गया है। परन्तु पत्रावली में कोई भी वाउचर संलग्न नहीं पाया गया। बिना व्यय प्रमाणक के रु 344291.00 का भुगतान कर के रु 344921.00

भुगतान कर के राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए कार्यप्रभारी/लेखाकार एवं ख0वि0अधि उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
344921.00	—	—	344921.00

प्रस्तर सं0-141-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2012-13 की लेखापरीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारियों को रु0 2953496.00 का चेक निर्गत किए गए हैं, तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे0ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2953496.00	2953496.00

प्रस्तर सं0-142-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2012-13 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 12570038.00 की सामग्री कय गयी है, नियमानुसार उपरोक्त कय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2012-2013 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 502801.00 का वैट (रु 12570038.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	502801.00	502801.00

प्रस्तर सं0-143-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2012-13 की निर्माण पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कतिपय बिलों से निर्धारित दर से कम की आयकर कटौती कर के रु0 148305.00 से राजस्व को क्षति पहुँचाई गयी है। जिसके लिए तात्कालीन ख0वि0अधि एवं लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	148305.00	148305.00

प्रस्तर सं0-144-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारियों को रु0 555974.00 के चेक निर्गत किए गए हैं, तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी का

भुगतान चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तात्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे० ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। जॉचोपरान्त विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	555974.00	55974.00

प्रस्तर सं०-145-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2013-14 की निर्माण पत्रावलीयों की जॉच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 3827507.00 की सामग्री कय गयी है,नियमानुसार उपरोक्त कय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2013-2014 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 153100.00 का वैट(रु 3827507.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	153100.00	153100.00

प्रस्तर सं०-146-क्षेत्र पंचायत वर्ष 2013-14 की निर्माण पत्रावलीयों की जॉच में पाया गया कतिपय बिलो से निर्धारित दर से कम की आयकर कटौती कर के रु० 6367.00 से राजस्व को क्षति पहुचाई गयी हैं। जिसके लिए तात्कालीन ख० वि० अधि एवं लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	6367.00	6367.00

प्रस्तर सं०-147-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2014-15 की लेखापरीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलीयों के अवलोकन से यह विदित कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलो के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्य प्रभारियों को रु० 1083011.00 के चेक निर्गत किए गए हैं, तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे०ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1083011.00	1083011.00

प्रस्तर सं०-148-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2014-15 की निर्माण पत्रावलीयों की जॉच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 5259187.00 की सामग्री कय गयी है,नियमानुसार उपरोक्त कय की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था। परन्तु वर्ष 2014-2015 वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 200652.00 का वैट(रु 5259187.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही

अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	200652.00	200652.00

प्रस्तर सं०-149-वर्ष 2014-15 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्य पर रु 1641866.00 की सामग्री क्य गयी है,नियमानुसार उपरोक्त क्य की गयी सामग्री की धनराशि से 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था ।परन्तु वर्ष 2014-2015 आयकर की क कटौती नहीं की गयी है।इस प्रकार रु 36137.00 का आयकर(रु 1641866.00 का 2.24 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है।जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	36137.00	36137.00

प्रस्तर सं०-150-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न योजनाओं हेतु क्य किए गए मिट्टी का भुगतान कच्चे बिलो के आधार पर कार्य प्रभारियों को किया गया है। मिट्टी भुगतान पर नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती नहीं की गयी है। रॉयल्टी की कटौती न किए जाने से रु 3024.00 राजकीय राजस्व की क्षति उठानी पडी।जिसके लिए खण्ड0वि0अधि/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	3024.00	3024.00

प्रस्तर सं०-151-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलीयों के अवलोकन से यह विदित कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलो के आधार पर श्रमिको को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्य प्रभारियों को रु0 70105.00 के चेक निर्गत किए गए है,तथा कार्य प्रभारियों द्वारा श्रमिको को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए है। श्रमिको की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए है।मजदूरो को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था।इस वित्तीय अनियकमतता के लिए तातकालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे0ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	70105.00	70105.00

प्रस्तर सं०-152-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2016-17 की लेखापरीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलीयों के अवलोकन से यह विदित कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलो के आधार पर श्रमिको को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्यप्रभारियों को 637542.00 के चेक निर्गत किए गए है,तथा कार्यप्रभारियों द्वारा श्रमिको को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किए गए है।श्रमिको की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत/सक्षम व्यक्तियों से प्रमाणित नहीं कराए गए है।मजदूरो को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा उनके खाते में किया जाना चाहिए था।इस वित्तीय अनियकमतता के

लिए तातकालीन खण्ड विकास अधिकारी/जे0ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	637543.00	637542.00

प्रस्तर सं0-153-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2016-17 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 63512.00 की सामग्री क़य गयी है,नियमानुसार उपरोक्त क़य की गयी सामग्री की धनराशि से 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था । परन्तु वर्ष 2016-2017 में कुछ बिलो से वैट की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 2541.00 का वैट(रु 63512.00 का 4 प्रतिशत) न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2541.00	2541.00

प्रस्तर सं0-154-क्षेत्र पंचायत उसका वर्ष 2016-17 की निर्माण पत्रावलीयों की जाँच में पाया गया की वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु 63512.00 की सामग्री क़य गयी है,नियमानुसार उपरोक्त क़य की गयी सामग्री की धनराशि से 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिये था । परन्तु वर्ष 2016-2017 में कुछ बिलो से आयका की कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु 1422.00 का वैट(रु 63512.00 का 2.24 न काट कर राजस्व की हानी की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1422.00	1422.00

प्रस्तर सं0-155-क्षेत्र पंचायत उसका की वर्ष 16-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश मेंआया है कि ब्याज की धनराशि को संस्था में रोक के रखा गया है। उसका उत्तर प्रदेश द्वारा जारी शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस/2015-10 (33) 2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पर बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा कराया जाना चाहिये ।उल्लेखनीय है कि अनुदान में प्राप्त धनराशियों पर अर्जित ब्याज अन्य प्राप्तियों मद में दर्शा कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राजकीय कोशागार में जमा किया जाना चाहिये जो आगामी बजट में राज्य सरकार द्वारा अपनी आय के रुप में सम्मिलित की जाती है। लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 में विभिन्न तिथियों में तेरहवा वित्त/राज्य वित्त में कुल ब्याज की धनराशि रु 2603909.00 रु प्राप्त हुआ था जिसे नियमानुसार राजकीय कोशागार में वापस किया जाना चाहिए था। परन्तु इकाई द्वारा ऐसा न कर के वित्तीय अनियमितता बरती गयी है जिसके लिए लेखाकार/खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2603909.00	2603909.00

प्रस्तर सं०-156-क्षेत्र पंचायत उसका की वर्ष 16-17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 31.03.2017 को विभिन्न योजना मद में रु-3742256.00 अनुदान अवशेष रहा जिसे वर्ष दौरान न तो विकास कार्यों में व्यय किया गया ओ न ही संबंधित विभाग को वापस किया गया। अनुदान की धनराशि का समयान्तर्गत उपभोग न किए जाने से विकास कार्य प्रभावित रहा। वर्षान्त में अवशेष धनराशियों का संबंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था। अगले वित्तीय वर्ष में पिछले अवशेष धनराशि के उपयोग हेतु संबंधित विभाग से अनुमति लेना चाहिए था। इस अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	3742256.00	3742256.00

प्रस्तर सं०-157-क्षेत्र पंचायत मिठवल वर्ष 11-12 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष दौरान कुल रु0 2819070.00 की सामग्री क्रय की गयी जिसपर 4 प्रतिशत की दर बिक्री कर काटने के बाद शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था, परन्तु सामग्री क्रय पर बिक्री कर न काटे जाने के कारण रु0 112763.00 की राजस्व की हानि हुई जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि /लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	112763.00	112763.00

प्रस्तर सं०-158-क्षेत्र पंचायत मिठवल की वर्ष 11-12 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है वर्ष दौरान कुल रु0 2819070.00 की सामग्री क्रय की गयी कि जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर आय कर काटने के बाद शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था। परन्तु बिलो से निर्धारित दर से आयकर की कटौती न करने के कारण रु0 20759.00 की राजस्व की क्षति कर गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि /लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	20759.00	20759.00

प्रस्तर सं०-159—क्षेत्र पंचायत मिठवल वर्ष 12-13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष दौरान कुल रु० 2823699.00 की सामग्री क्रय की गयी जिसपर 4 प्रतिशत की दर बिक्री कर काटने के बाद शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था ,परन्तु सामग्री क्रय पर बिक्री कर न काटे जाने के कारण रु० 112948.00 की राजस्व की हानि हुई जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि /लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	112948.00	112948.00

प्रस्तर सं०-160—क्षेत्र पंचायत मिठवल की वर्ष 12-13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है वर्ष दौरान कुल रु० 2823699.00 की सामग्री क्रय की गयी कि जिसपर 2.24 प्रतिशत की दर आय कर काटने के बाद शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था ।परन्तु बिलो से मात्र रु० 24168.00 की ही कटौती की गयी है ,जबकि रु० 2823699.00 की सामग्री क्रय पर रु० 63251.00 का आयकर काटा जाना चाहिए था। निर्धारित दर से आयकर की कटौती न करने के कारण रु० 39083.00 की राजस्व की क्षति कर गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है।जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि /लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	39083.00	39083.00

प्रस्तर सं०-161—क्षेत्र पंचायत मिठवल वर्ष 13-14 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष दौरान कुल रु० 5866984.00 की सामग्री क्रय की गयी जिसपर 4 की दर बिक्री कर काटने के बाद शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था ।क्रय की सामग्री पर कुल रु० 234679.00 का बिक्री कर काटा जाना चाहिए था। परन्तु सामग्री क्रय पर मात्र रु० 2535.00 का ही बिक्री काटा गया है।निर्धारित दर से बिक्री कर न काटे जाने के कारण रु० 232144.00;234679-2535द्ध की राजस्व की हानि हुई जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि /लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	232144.00	232144.00

प्रस्तर सं०-162—क्षेत्र पंचायत मिठवल की वर्ष 13-14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है वर्ष दौरान कुल रु० 5866984.00 रु० की सामग्री क्रय की गयी ,जिसपर 2.24 : की दर से कुल रु० 131420.0 की आयकर कटौती बनती है। परन्तु विभिन्न बिलो से मात्र रु०

72502.00 की ही आयकर कटौती की गयी है। इस प्रकार बिलो से निर्धारित दर से आयकर की कटौती न करने के कारण रु0 58918.00,131420-72502,की राजस्व की क्षति कर गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि /लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	58918.00	58918.00

प्रस्तर सं0-163-क्षेत्र पंचायत मिठवल

वर्ष 13-14 की अनुदान पंजिका भाग-03 की जाँच में पाया गया कि मार्च 2014 तक योजनाओं का समुचित उपयोग न होने के कारण रु0 10954152.00 अनावश्यक खाता में पड़ा रहा। जिसका न तो उपयोग ही किया गया और न ही संबंधित विभाग को वापस किया गया। खर्च न होने के कारण संबंधित योजनाओं के लाभ से भी जनता वंचित रही। इस प्रकार राजकीय धन को अनावश्यक रूप से रोककर गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	10954152.00	10954152.00

प्रस्तर सं0-164-क्षेत्र पंचायत मिठवल वर्ष 13-14 के अनुदान पंजिका भाग तीन की जाँच में पाया गया कि दिसम्बर 2013 में इंदिरा आवास 2007-08 मद में अंतिम अवर्ष रु0 859451.00 है। माह जनवरी 2014 का प्रारंभिक अवर्ष भी यही होना चाहिए। परन्तु जनवरी 2014 का प्रारंभिक अवर्ष रु0 619163.00 अंकित किया गया है। जो रु0 240288.00 कम है। इस प्रकार तत्कालीन ख0वि0अधि श्री राजाराम यादव एवं लेखाकार श्री अर्जुन चौधरी द्वारा अवर्ष कम अंकित कर राजकीय धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
240288	—	—	240288.00

प्रस्तर सं0-165-क्षेत्र पंचायत मिठवल वर्ष 14-15 की विभिन्न योजनाओं की निर्माण पत्रावलियों में संबंधित प्रमाणों से 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर की कटौती न करने के कारण गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके कारण विभिन्न मद में कुल रु0 38183.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि /लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	38183.00	38183.00

प्रस्तर

सं0-166-क्षेत्र

पंचायत मिठवल वर्ष 14-15 की विभिन्न योजनाओं की निर्माण पत्रावलियों में संबंधित प्रमाणको से 2.24 प्रतिशत की दर से बिक्री कर की कटौती न करने के कारण गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके कारण विभिन्न मद में कुल रु0 6180.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	6180.00	6180.00

प्रस्तर सं0-167-क्षेत्र पंचायत मिठवल वर्ष 15-16 की विभिन्न योजनाओं की निर्माण पत्रावलियों में संबंधित प्रमाणको से 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर की कटौती न करने के कारण गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके कारण विभिन्न मद में कुल रु0 16857.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	16857.00	16857.00

प्रस्तर सं0-168-क्षेत्र पंचायत मिठवल वर्ष 15-16 की विभिन्न योजनाओं की निर्माण पत्रावलियों में संबंधित प्रमाणको से 2.24 प्रतिशत की दर से बिक्री कर की कटौती न करने के कारण गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके कारण विभिन्न मद में कुल रु0 8458.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	8458.00	8458.00

प्रस्तर सं0-169-क्षेत्र पंचायत मिठवल वर्ष 16-17 की विभिन्न योजनाओं की निर्माण पत्रावलियों में संबंधित प्रमाणको से 2.24 प्रतिशत की दर से बिक्री कर की कटौती न करने के कारण गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके कारण विभिन्न मद में कुल रु0 3949.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	3949.00	3949.00

प्रस्तर सं0-170-क्षेत्र पंचायत मिठवल वर्ष 16-17 की अनुदान पंजिका भाग-03 की जाँच में पाया गया कि मार्च 2017 तक योजनाओं का समुचित उपयोग न होने के कारण रु0 5026529.00 अनावश्यक खाता में पड़ा रहा जिसका न तो उपयोग ही किया गया और न ही संबंधित विभाग को वापस किया गया। खर्च न होने के कारण संबंधित योजनाओं के लाभ से भी जनता वंचित रही। इस प्रकार राजकीय धन को अनावश्यक रूप से रोककर गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	5026529.00	5026529.00

प्रस्तर सं०—171—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 11-12 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्यो पर अंकन रु० 664800.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरो को न करके कार्यप्रभारीयो को किया गया है। नियमतः मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। ऐसा न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/जे०ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी /ब्लाक प्रमुख समान रुप से उत्तरदायी है। **आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	664800.00	664800.00

प्रस्तर सं०—172—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 11-12 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न निर्माण कार्यो पर रु० 287582.00 की सामग्री कय की गयी है। नियमानुसार उपरोक्त कय की गयी सामग्री की धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था। परन्तु वर्ष 11-12 में उक्त भुगतानित धनराशि पर वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु० 115033.00 का वैट न काटकर राजकीय राजस्व की हानि की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/लेखाकार संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। **हानि की राशि की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित से किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	115033.00	115033.00

प्रस्तर सं०—173—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 12-13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्यो पर अंकन रु० 2196301.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरो को न करके कार्यप्रभारीयो को किया गया है। नियमतः मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। ऐसा न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि/जे०ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी /ब्लाक प्रमुख समान रुप से उत्तरदायी है। **कार्य प्रभारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2196301.00	2196301.00

प्रस्तर सं०—174—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 12-13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न निर्माण कार्यो पर रु० 11756063.00 की सामग्री कय की गयी है। नियमानुसार उपरोक्त कय की गयी सामग्री की धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से वैट

काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था। परन्तु वर्ष 12-13 में उक्त भुगतानित धनराशि पर वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु0 470243.00 का वैट न काटकर राजकीय राजस्व की हानि की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी की विभागीय कार्यवाही/किया जाना अपेक्षित है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	470243.00	470243.00

प्रस्तर सं0-175—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 13-14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्यो पर अंकन रु0 4262369.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरो को न करके कार्यप्रभारीयो को किया गया है। नियमतः मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। ऐसा न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/जे0ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी /ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	4262369.00	4262369.00

प्रस्तर सं0-176—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 13-14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न निर्माण कार्यो पर रु0 21744400.00 की सामग्री कय की गयी है। नियमानुसार उपरोक्त कय की गयी सामग्री की धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था। परन्तु वर्ष 13-14 में उक्त भुगतानित धनराशि पर वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु0 869776.00 का वैट न काटकर राजकीय राजस्व की हानि की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	869776.00	869776.00

प्रस्तर सं0-177—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 14-15 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्यो पर अंकन रु0 2731727.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरो को न करके कार्यप्रभारीयो को किया गया है। नियमतः मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरो के खाते में किया जाना चाहिए। ऐसा न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/जे0ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी /ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2731727.00	2731727.00

प्रस्तर सं०—178—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 14—15 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु० 10255821.00 की सामग्री क़य की गयी है। नियमानुसार उपरोक्त क़य की गयी सामग्री की धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फ़र्म को किया जाना चाहिए था। परन्तु वर्ष 14—15 में उक्त भुगतानित धनराशि पर वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु० 410233.00 का वैट न काटकर राजकीय राजस्व की हानि की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख० वि० अधि/लेखाकार संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	410233.00	410233.00

प्रस्तर सं०—179—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 15—16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 1020500.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारीयों को किया गया है। नियमतः मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिए। ऐसा न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख० वि० अधि/जे०ई/लेखाकार/कार्य प्रभारी /ब्लाक प्रमुख समान रुप से उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1020500.00	1020500.00

प्रस्तर सं०—180—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 15—16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु० 4256850.00 की सामग्री क़य की गयी है। नियमानुसार उपरोक्त क़य की गयी सामग्री की धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फ़र्म को किया जाना चाहिए था। परन्तु वर्ष 15—16 में उक्त भुगतानित धनराशि पर वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु० 170274.00 का वैट न काटकर राजकीय राजस्व की हानि की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख० वि० अधि/लेखाकार संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	170274.00	170274.00

प्रस्तर सं०—181—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 16—17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि निर्माण कार्यों पर अंकन रु० 1092629.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्यप्रभारीयों को किया गया है। नियमतः मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिए। ऐसा न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख० वि० अधि/जे०ई/लेखाकार/कार्यप्रभारी /ब्लाक प्रमुख समान रुप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1092629.00	1092629.00

प्रस्तर सं०—182—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 16—17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है

कि विभिन्न निर्माण कार्यों पर रु0 45185.00 की सामग्री क्रय की गयी है। नियमानुसार उपरोक्त क्रय की गयी सामग्री की धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से वैट काट कर शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था। परन्तु वर्ष 16-17 में उक्त भुगतानित धनराशि पर वैट की कोई कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार रु0 1807.00 का वैट न काटकर राजकीय राजस्व की हानि की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। खले/अधिकारी 0वि 0से हानि की राशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1807.00	1807.00

प्रस्तर सं0-183-क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 11-12 में टी0डी0एस0 एवं वैट की कम कटौती तथा कटौती की पूर्ण धनराशि जमा न कर रु0 146373.44 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	146373.44.00	146373.44.00

प्रस्तर सं0-184-क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 11-12 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष वर्ष 11-12 में कुल रु0 149820.00 का स्वयं के नाम नगद भुगतान प्राप्त कर कार्य प्रभारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया। म0रो0 पर क्रमांक दर्ज नहीं होने से स्पष्ट है कि श्रमांश के नाम पर संलग्नक म0रो0 वि0ख0 कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया। कई परियोजनाओं में भुगतानित दर्शित धनराशि के सापेक्ष मा0रो0 अनुपलब्ध है। कई मामले में एक ही मजदूर एक ही तिथि में अलग-अलग कार्य करते दर्शाए गए हैं। स्पष्ट है कि काल्पनिक आधार पर कार्यप्रभारी, ख0वि0अ0, संबंधित लेखाकार एवं अवर अभियंता द्वारा दुरभिसंधि कर अनुदान में प्राप्त धनराशि का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
149820.00	—	—	149820.00

प्रस्तर सं0-185-क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 11-12 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है वर्ष 2011-12, में निर्माण कार्यों के सापेक्ष विभिन्न मदों में कच्चे बिल/लेटर पैड/बिना क्रय प्रमाणक के रु0 444221.00, का भुगतान दर्शाकर अनुदान की धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन समस्त ख0वि0अ0, लेखाकार, जे0ई0, कार्य प्रभारी एवं प्रमुख संयुक्त रूप से है, जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित पक्षों से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
444221.00	—	—	444221.00

प्रस्तर सं0-186-क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 11-12 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अनुदान में प्राप्त रा0वि0/13वॉ वित्त के धनराशियों में से स्वैच्छिक तरिके से धन आहरण कर बिना बिल/बाउचर के, बिना किसी आदेश के, एवं नियमों का उल्लंघन कर भुगतान प्राप्तकर्ता, तत्कालीन ख0वि0अ0 एवं लेखाकार की दुरभिसंधि से योजना के गार्डिलाईन्स एवं उद्देश्यों से हटकर वर्ष 2011-12 में रु0 281167.00, का संयुक्त रूप से अपहरण

कर लिया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित भुगतान प्राप्तकर्ता, तत्कालिन ख०वि०अ० एवं लेकाखार से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
281167.00	—	—	281167.00

प्रस्तर सं०—187—क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 11—12 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न चेकों के द्वारा वर्ष में कुल रू० 277180.00 प्रकाश स्टेशनर्स को भुगतान किया गया है। भुगतान से संबंधित मद, बिल/बाउचर्स, टेंडर/कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कय किए गए सामग्री का स्टॉक पंजिका भी पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि परचेज स्टोर्स रूल्स का पालन किए बिना फर्म से दुरभिसंधि कर तत्कालिन ख०वि०अ० एवं लेखाकार द्वारा क्षेत्र निधि से रू० 277180.00 का अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
277180.00	—	—	277180.00

प्रस्तर सं०—188—क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 11—12 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष खातों पर अर्जित ब्याज को वर्ष के अंत में राजकीय कोशागार में निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा नहीं किया जा रहा है। उ०प्र० बजट मैनुअल में निहित प्राविधानों के अनुसार सरकारी योजनाओं के धन पर अर्जित ब्याज को 'गसन द्वारा अन्य विभागीय प्राप्तियों मद में इक्कठा कर आगामी वर्ष के बजट की तैयारी में आय का एक स्रोत माना जाता है। इस कम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/ दस/2015-10 (33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के द्वारा पुनः यह निर्देश दिया गया कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा कराया जाना चाहिये। संस्था द्वारा इसका अनुपालन न कर वितीय अनियमितता की गई है। लेखा परीक्षा में उपलब्ध बैंक पासबुक/स्टेटमेंट के अनुसार विभिन्न खातों पर वर्ष 2011—12 में अर्जित ब्याज रू० 29909.00 को संस्था में अवरुद्ध रखी गई। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	29909.00	29909.00

प्रस्तर सं०—189—क्षेत्र पंचायत जोगिया कि बी०आर०जी०एफ० योजना वर्ष 2011—12 के बैंक खाता पी०एन०बी०(खाता सं० 2233000100329416) से भुगतानित/आहरित धनराशि की जाँच में पाया गया कि चेक सं० 7758921, एवं चेक सं०—758922 द्वारा क्रमशः रू० 340200.00 एवं रू० 250000.00 का नकद भुगतान श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ सहायक द्वारा लिया गया है। बैंक पासबुक के अनुसार उक्त भुगतान की तिथि क्रमशः दि० 10.6.11 व दि० 12.08.11 है। ग्रांट—2 के अनुसार भी उक्त भुगतान श्री अमित कुमार श्रीवा० को दर्शाया गया है। लेकिन वर्ष 2011—12 से 2013—14 में उपलब्ध कराये गए निर्माण पत्रावली में कराये गए कुल 8 कार्यों में कही भी श्री अमित कुमार कार्य प्रभारी नहीं पाये गए। अलग से कोई पत्रावली या योजना से संबंधित रोकड़बही भी उपलब्ध नहीं रहा। स्पष्ट है कि तत्कालिन ख०वि०अ०, लेखाकार एवं कनि०सह० श्री अमित कुमार श्रीवा० की दुरभिसंधि से अनुदान में प्राप्त धनराशि का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
590200.00	—	—	590200.00

प्रस्तर सं०-190-क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 12-13 में टी०डी०एस० एवं वैट की कम कटौती तथा कटौती की पूर्ण धनराशि जमा न कर रु० 211184.99 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ख०वि०आ० लेखाकार क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	211184.99.	211184.99

प्रस्तर सं०-191-क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 12-13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष वर्ष 12-13 में कुल रु० 401872.00 का स्वयं के नाम नगद भुगतान प्राप्त कर कार्य प्रभारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया। म०रो० पर कमांक दर्ज नहीं होने से स्पष्ट है कि श्रमांश के नाम पर संलग्नक म०रो० वि०ख० कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया। कई परियोजनाओं में भुगतानित दर्शित धनराशि के सापेक्ष मा०रो० अनुपलब्ध है। कई मामले में एक ही मजदूर एक ही तिथि में अलग-अलग कार्य करते दर्शाए गए हैं। स्पष्ट है कि काल्पनिक आधार पर कार्यप्रभारी, ख०वि०अ०, संबंधित लेखाकार एवं अवर अभियंता द्वारा दुरभिसंधि कर अनुदान में प्राप्त धनराशि का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
401872.00	—	—	401872.00

प्रस्तर सं०-192-क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 12-13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है वर्ष 2012-13, में निर्माण कार्यों के सापेक्ष विभिन्न मदों में कच्चे बिल/लेटर पैड/बिना कय प्रमाणक के रु० 111270.00, का भुगतान दर्शाकर अनुदान की धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालिन समस्त ख०वि०अ०, लेखाकार, जे०ई०, कार्य प्रभारी एवं प्रमुख संयुक्त रूप से है, जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित पक्षों से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
111270.00	—	—	111270.00

प्रस्तर सं०-193-क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि ग्रा०पं० हरैया टोला तरकुलहा में दुलारे के घर से पश्चिम तरफ 1×4 मी० स्पांन पुलिया निर्माण में स्वीकृत आकलन कुल रु० 1166023.00 किया गया, जिसमें मजदूरी का आकलन कुल रु० 240920.00 था। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावली व एम०बी० की जाँच में पाया गया कि इस परियोजना पर श्रमांश मद में फर्जी तरिके से स्वीकृत प्राकलन से अधिक रु० 22912.00 बढ़ाकर उक्त मद में कुल भुगतान रु० 263832.00 करके रु० 22912.00 का अपहरण कर लिया गया। संलग्नक मस्टररोल के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस पुलिया निर्माण के क्रम में प्रति दिन 113 मजदूर एवं 13 राजमिस्त्री 14 दिनों तक कार्य करते दर्शाए गए हैं, जो पुलिया की परिमाण से असंगत है। इस हेतु

उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालिन ख०वि०अ०, कार्यप्रभारी, जे०ई० एवं लेखाकार है,जिनसे वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
22912.00	—	—	22912.00

प्रस्तर सं०—194—क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 2012—13 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि ग्रा०पं० लखनापार में किताबुल के घर से पूरब जाने वाली रास्ते पर आर०सी०सी० पुलिया की स्वीकृत प्राकल्लन जिला ग्राम विकास अभिकरण,सि० नगर के द्वारा कुल रू० 757000.00 किया गया था, संबंधित परियोजना के निर्माण पत्रावली व एम०बी० की जाँच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर अनधिकृत तरिके से उक्त स्वीकृत प्रकल्लन में विचलन कर परियोजना की लागत रू० 8910.00 बढ़ाकर परियोजना का कुल लागत रू० 765910.00 कर अधिक भुगतान की धनराशि रू० 8910.00 का अपहरण कर लिया गया। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालिन ख०वि०अ०, कार्यप्रभारी, जे०ई० एवं लेखाकार है,जिनसे वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
8910.00	—	—	8910.00

प्रस्तर सं०—195—क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 12—13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष खातों पर अर्जित ब्याज को वर्ष के अंत में राजकीय कोशागार में निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा नहीं किया जा रहा है। उ०प्र० बजट मैनुअल में निहित प्राविधानों के अनुसार सरकारी योजनाओं के धन पर अर्जित ब्याज को शासन द्वारा अन्य विभागीय प्राप्तियों मद में इक्कठा कर आगामी वर्ष के बजट की तैयारी में आय का एक स्रोत माना जाता है। इस कम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/ दस/2015-10 (33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के द्वारा पुनः यह निर्देश दिया गया कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा कराया जाना चाहिये। संस्था द्वारा इसका अनुपालन न कर वितीय अनियमितता की गई है।लेखा परीक्षा में उपलब्ध बैंक पासबुक/स्टेटमेंट के अनुसार विभिन्न खातों पर वर्ष 2012—13 में अर्जित ब्याज रू० 29909.00 को संस्था में अवरुद्ध रखा गया । आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	75676.00	75676.00

प्रस्तर सं०—196—क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 12—13 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अनुदान में प्राप्त रा०वि०/13वॉ वित के धनराशियों में से स्वैच्छिक तरिके से धन आहरण कर विना बिल/बाउचर के, बिना किसी आदेश के,एवं नियमों का उल्लंघन कर भुगतान प्राप्तकर्ता, तत्कालिन ख०वि०अ० एवं लेखाकार की दुरभिसंधि से योजना के गाईडलाईन्स एवं उद्देश्यों से हटकर वर्ष 2012—13 में रू० 52822.00, का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित भुगतान प्राप्तकर्ता, तत्कालिन ख०वि०अ० एवं लेखाकार से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

52822.00	—	—	52822.00

प्रस्तर सं०-197-क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 13-14 में टी०डी०एस० एवं वैट की कम कटौती तथा कटौती की पूर्ण धनराशि जमा न कर रु० 210179 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	210179.00	210179.00

प्रस्तर सं०-198-क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 13-14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष वर्ष 13-14 में कुल रु० 154642.00 का स्वयं के नाम नगद भुगतान प्राप्त कर कार्य प्रभारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया। म०रो० पर कमांक दर्ज नहीं होने से स्पष्ट है कि श्रमांश के नाम पर संलग्नक म०रो० वि०ख० कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया। कई परियोजनाओं में भुगतानित दर्शित धनराशि के सापेक्ष मा०रो० अनुपलब्ध है। कई मामले में एक ही मजदूर एक ही तिथि में अलग-अलग कार्य करते दर्शाए गए हैं। स्पष्ट है कि काल्पनिक आधार पर कार्यप्रभारी, ख०वि०अ०, संबंधित लेखाकार एवं अवर अभियंता द्वारा दुरभिसंधि कर अनुदान में प्राप्त धनराशि का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयो	अनियमितता	योग
154642.00	—	—	154642.00

प्रस्तर सं०-199-क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 13-14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है वर्ष 2013-14, में निर्माण कार्यों के सापेक्ष विभिन्न मदों में कच्चे बिल/लेटर पैड/बिना क्रय प्रमाणक के रु० 14900.00, का भुगतान दर्शाकर अनुदान की धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन समस्त ख०वि०अ०, लेखाकार, जे०ई०, कार्य प्रभारी एवं प्रमुख संयुक्त रूप से है, जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित पक्षों से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
14900.00	—	—	14900.00

प्रस्तर सं०-200-क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 2013-14 में 13वाँ वित्त से परि० "ग्रा०पं० पटखौली में पी०डब्लू०डी० रोड से इंद्रजीत के घर होते हुए अवधेश के घर तक सी०सी० रोड मरम्मत " निर्माण कार्य की पत्रावली की जाँच में यह तथ्य संज्ञान में आया कि कार्य प्रभारी द्वारा सामग्री के सापेक्ष प्रस्तुत बिल व माँग प्रार्थना पत्र में कुल रु० 123574.00 की माँग की गई। संबंधित एम०बी० में जे०ई० श्री अर्जुन प्रसाद द्वारा सामग्री के सापेक्ष रु० 123574.00 की एम०बी० भी की गई है। लेकिन संबंधित पत्रावली व एम०बी० में कार्य के सापेक्ष श्रमांश भुगतान का कोई ब्यौरा नहीं पाये जाने पर लेखा परीक्षा दल को तत्कालीन लेखाकार द्वारा

अवगत कराया गया कि उक्त कार्य नहीं हो पाया। उपरोक्त सामग्री से संबंधित स्टॉक रजि० भी उपलब्ध नहीं रहा। स्पष्ट है कि बिना कार्य कराये इस मद में कुल रु० 123574.00 का अपहरण कर लिया गया। इस हेतु संयुक्त रूप से उत्तरदायी तत्कालिन ख०वि०अ०, कार्यप्रभारी, जेई, लेखाकार एवं प्रमुख हैं, जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। उक्त धनराशि का नकद भुगतान चेक सं० 956628 द्वारा दि० 20.09.13 को कार्यप्रभारी श्री विष्णुनाथ सिंह द्वारा प्राप्त किया गया है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
123574.00	—	—	123574.00

प्रस्तर सं०-201-क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 2013-14 में राज्य वित्त से परि० "ग्रा०पं० नगरा में सिरिसिया पी०डब्लू०डी० रोड से सिरिसिया गॉव वाले मार्ग पर 2मी० स्पान पुलिया " निर्माण कार्य की पत्रावली की जाँच में यह तथ्य संज्ञान में आया कि कार्य प्रभारी श्री रामलखन, सहा०वि०अ०, आई०एस०बी० द्वारा सामग्री के सापेक्ष प्रस्तुत बिल व मॉग प्रार्थना पत्र में कुल रु० 502429.00 की मॉग की गई। संलग्नक क्र० प्रमाणक में ईट की आपूर्ति गोयल ब्रिक्स, चौरासी के द्वारा आपूर्ति ईट 32.20 हजार की दर से कुल मूल्य रु० 170660.00 लगाया गया है, जबकि उक्त अवधि में दूसरे फर्म नगरा ग्रा०पं० में ही स्थित हरि ईट-भट्टा द्वारा वि०ख० के अन्य परियोजनाओं पर ईट की आपूर्ति प्रति हजार रु० 4700.00 की दर से किया गया है। स्पष्ट है कि इस परि० पर फर्म की मिली-भगत से ईट का दर प्रति हजार रु० 600.00 बढ़ाकर कुल रु० 19320.00 का अपहरण कर लिया गया। इस हेतु संयुक्त रूप से उत्तरदायी तत्कालिन ख०वि०अ०, कार्यप्रभारी, जेई, लेखाकार हैं, जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
19320.00	—	—	19320.00

प्रस्तर सं०-202-क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि समान अवधि में एक ही फर्म रसूल ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा आपूर्ति सामग्री-लोकल बालू, मोरंग, पत्थर गिट्टी के आपूर्ति में दर क्रमशः रु० 400 प्रति घनमी०, रु० 420.70 प्रति घनमी०, एवं रु० 362.22 प्रति घनमी० बढ़ाकर आपूर्ति की गई है। इस संबंध में कार्य से संबंधित कोई टेंडर नहीं किया गया है, न ही लेखा परीक्षा में शेड्यूल्ड दर ही प्रस्तुत किया गया है। फर्म की मिली भगत से उक्त सामग्री पर दर बढ़ाकर भुगतान करने से निम्न विवरणानुसार विभिन्न परि० के सापेक्ष कुल रु० 64574.00 का अधिक भुगतान दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
64574.00	—	—	64574.00

प्रस्तर सं०-203-क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 13-14 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष खातों पर अर्जित ब्याज को वर्ष के अंत में राजकीय कोशागार में निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा नहीं किया जा रहा है। उ०प्र० बजट मैनुअल में निहित प्राविधानों के अनुसार सरकारी योजनाओं के धन पर

अर्जित ब्याज को शासन द्वारा अन्य विभागीय प्राप्तियों मद में इक्कठा कर आगामी वर्ष के बजट की तैयारी में आय का एक स्रोत माना जाता है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/ दस/2015-10 (33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के द्वारा पुनः यह निर्देश दिया गया कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा कराया जाना चाहिये। संस्था द्वारा इसका अनुपालन न कर वितीय अनियमितता की गई है। लेखा परीक्षा में उपलब्ध बैंक पासबुक/स्टेटमेंट के अनुसार विभिन्न खातों पर वर्ष 2013-14 में अर्जित ब्याज रु0 54597.00 को संस्था में अवरुद्ध रखा गया। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	54597.00	54597.00

प्रस्तर सं0-204-क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 13-14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अनुदान में प्राप्त रा0वि0/13वाँ वित्त के धनराशियों में से स्वैच्छिक तरिके से धन आहरण कर विना बिल/बाउचर के, बिना किसी आदेश के, एवं नियमों का उल्लंघन कर भुगतान प्राप्तकर्ता, तत्कालिन ख0वि0अ0 एवं लेखाकार की दुरभिसंधि से योजना के गार्डलाईन्स एवं उद्देश्यों से हटकर वर्ष 2013-14 में रु0 159450.00, का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित भुगतान प्राप्तकर्ता, तत्कालिन ख0वि0अ0 एवं लेखाकार से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
159450.00	—	—	159450.00

प्रस्तर सं0-205-क्षेत्र पंचायत जोगिया बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक में उपलब्ध निर्माण पत्रावली के अनुसार कुल 7 परियोजनाओं पर ठेकेदार से टेंडर द्वारा कार्य कराया गया है एवं 1 परियोजना पर कार्यप्रभारी द्वारा कार्य कराया गया है। उक्त के सापेक्ष ठेकेदार भुगतान एवं कार्यप्रभारी को सामग्री पर भुगतान कुल रु0 12341195.00 के सापेक्ष देय आयकर 2.24 प्रतिशत की दर से कुल रु0 276442.77 तथा देय वैट 4 प्रतिशत की दर से कुल रु0 493647.80 हुआ। ठेकेदारों से प्राप्त बिल के सापेक्ष तत्समय कटौती न कर बाद में नकद जमा कराकर एवं जमानत में प्राप्त धनराशि में से आयकर व वैट की कटौती कर वर्ष 2014-15 में चालान से जमा किया गया है। देय आयकर के सापेक्ष रु0 52455.00 एवं देय वैट के सापेक्ष रु0 45671.00 कम जमा कर राजकीय राजस्व को क्षति पहुँचायी गई। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालिन ख0वि0अ0 एवं लेखाकार है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	98126.00	98126.00

प्रस्तर सं0-206-क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 13-14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि बी0आर0जी0एफ योजना में अर्जित ब्याज व्यय कर अनियमित भुगतान किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्गत बी0आर0जी0एफ0 गार्ड लाईन्स के प्रस्तर 4.9 के अनुसार जमा राशियों पर अर्जित ब्याज की रकम बी0आर0जी0एफ0 के अंतर्गत अतिरिक्त संसाधन माना

जाएगा। योजना की जाँच में पाया गया कि इस योजनान्तर्गत दो खातों का संचालन किया गया, जो अनियमित रह, अवर्ष श धन एवं अर्जित ब्याज की वापसी के संबंध में ख०वि०अ० के कार्यालय पत्रांक— 2015 /2-लेखा /13-14 / बी०आर०जी०एफ०/अवर्ष श, दि० 27.12.13 द्वारा निम्न विवरणानुसार अ०मु०अ०/नोडल अधिकारी, जिला पंचायत, सि० नगर को धनराशि वापस करना दर्शायी गई।

खाता का प्रकार	दि०	चेक सं०	वापस दर्शायी गई धनराशि	अभुक्ति
पी०एन०बी०	27.12.13	564381	105183	ब्याज की धनराशि, जि०पं० सि०नगर को वापस की गई
सेंट्रल बैंक	27.12.13	3060	69008	ब्याज की धनराशि, जि०पं० सि०नगर को वापस की गई
सेंट्रल बैंक	27.12.13	3059	10669	अवर्ष श धनराशि, जि०पं० सि०नगर को वापस की गई

उपरोक्त वापस की गई धनराशि से संबंधित रसीद—385 प्राप्त कर अनुरक्षित नहीं रखा गया है। लेखा परीक्षा वर्ष 2011—12 से 2013—14 तक में अर्जित ब्याज एवं ब्याज मद में प्रा शेष कुल रू० 211005.00 के सापेक्ष वर्ष 2013—14 तक मात्र रू० 174191.00 वापस की है। शेष रू० 36814.00 के जाँच में पाया गया कि दि०31.03.13 को अनुदान पंजिका में मात्र रू० 12160.00 ब्याज मद में अवर्ष श दर्शाया जा रहा है। शेष रू० 24654.00 का व्यय कर अनियमितता की गई है, जिसके लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्ति ख०वि०अ० एवं लेखाकार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	24654.00	24654.00

प्रस्तर सं०—207—क्षेत्र पंचायत जोगिया के बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत वर्ष 2009—10 की कार्ययोजना में स्वीकृत परियोजना मिना सचिवालय, रीवानानकार से संबंधित निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया कि कार्य प्रभारी की नियुक्ति ख०वि०अ० के कार्यालय पत्रांक—मेंमो/5.3.2011 द्वारा किया गया। कार्य के सापेक्ष कार्य प्रभारी को चेक सं० 534208, दि० 8.3.11 द्वारा रू० 700000.00 अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया। कार्य का प्रारंभ मार्च 2011 से हुआ, जिसकी समाप्ति मार्च 2014 में की गई है। स्पष्ट है कि निर्धारित सीमा से अधिक समय तक धनराशि के आबंटन के बावजूद भी कार्य को पूर्ण नहीं कराया गया। योजना पर कुल रू० 14.00 लाख व्यय किया गया, जिसमें सामग्री पर व्यय 1141508.00 तथा श्रमांश पर व्यय 258492.00 किया गया है। समस्त भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा लिया गया है। संलग्नक मस्टररोल पर क्रमांक अंकित नहीं होने से स्पष्ट है कि संलग्नक म०रो० डी०आर०डी०ए०/वि०ख० द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। प्रयुक्त सामग्री के सापेक्ष भुगतान फर्म को न कर कार्यप्रभारी द्वारा चेक स्वयं के नाम आहरित कर नकद भुगतान किया गया दर्शाया गया है। पत्रावली में कई कच्चे बिल/स्टीमेट पर ही भुगतान कर दिया गया है। स्पष्ट है कि प्रयुक्त सामग्री के सापेक्ष उपलब्ध बिल/बाउचर में से कच्चे बिल/स्टीमेट के आधार पर भुगतान दर्शाकर कुल रू० 205770.00 का अपहरण कर लिया गया है। श्रमांश भुगतान पर

कुल रु0 258492.00 के सापेक्ष किसी मस्टररोल पर क्रमांक नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि बाहर से फर्जी म0रो0 के आधार पर मजदूरी भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। कार्य का टेंडर न कराकर वितीय अनियमितता की गई है। इस प्रकार इस कार्य पर कुल भुगतान रु0 14.00 लाख में से सामग्री व मजदूरी मद में कुल रु0 464262.00 का अपहरण कर लिया गया तथा शेष रु0 935738.00 का भुगतान अनियमित पाया गया। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालिन ख0वि0अ0, लेखाकार, कार्यप्रभारी एवं जे0ई0 है। अपहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
464262.00	—	935738.00	1400000.00

प्रस्तर सं0-208-क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 14-15 में टी0डी0एस0 एवं वैट की कम कटौती तथा कटौती की पूर्ण धनराशि जमा न कर रु0 78585.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अधि एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	78585.00	78585.00

प्रस्तर सं0-209-क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 14-15 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष वर्ष 14-15 में कुल रु0 861562.00 का स्वयं के नाम नगद भुगतान प्राप्त कर कार्य प्रभारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया। म0रो0 पर क्रमांक दर्ज नहीं होने से स्पष्ट है कि श्रमांश के नाम पर संलग्नक म0रो0 वि0ख0 कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया। कई परियोजनाओं में भुगतानित दर्शित धनराशि के सापेक्ष मा0रो0 अनुपलब्ध है। कई मामले में एक ही मजदूर एक ही तिथि में अलग-अलग कार्य करते दर्शाए गए हैं। स्पष्ट है कि काल्पनिक आधार पर कार्यप्रभारी, ख0वि0अ0, संबंधित लेखाकार एवं अवर अभियंता द्वारा दुरभिसंधि कर अनुदान में प्राप्त धनराशि का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
861562.00	—	—	861562.00

प्रस्तर सं0-210-क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 14-15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है वर्ष 2014-15, में निर्माण कार्यों के सापेक्ष विभिन्न मदों में कच्चे बिल/लेटर पैड/बिना कय प्रमाणक के रु0 86400.00, का भुगतान दर्शाकर अनुदान की धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालिन समस्त ख0वि0अ0, लेखाकार, जे0ई0, कार्य प्रभारी एवं प्रमुख संयुक्त रूप से है, जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित पक्षों से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
86400.00	—	—	86400.00

प्रस्तर सं०-211—क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त/13वाँ वित्त स्वीकृत कार्ययोजना एवं संबंधित निर्माण कार्य पर व्यय की गई धनराशि की जाँच में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उपर्युक्त बिशयक ख०वि०अ० के कार्यालय पत्रांक-2178/2014-15/संशोधित कार्ययोजना/रा०वि०/13वाँ वित्त, दि० 12.2.15 के क्रम में जिला पंचायतराज अधिकारी, सि० नगर के कार्यालय पत्रांक-3244, दि० 20.03.15 द्वारा रा०वि० के कार्ययोजना में अंकित कुल 18 परियोजनाओं में से बिन्दु सं० 8,14,15, व 16 को छोड़कर शेष की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार 13वाँ वित्त मद में कुल 12 परियोजनाओं में से बिन्दु सं० 2,4, व 12 को छोड़कर शेष पर कार्य कराने की स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान की गई। लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार स्वीकृति/अनुमोदन की सीमा से अधिक व्यय कर अनियमितता की गई है। कुछ योजनाओं पर बिना स्वीकृति के कार्य भी कराये गए हैं, जो अनियमित रहा। बिना अनुमोदन के अथवा अनुमादित सीमा से अधिक व्यय कर वर्ष 2014-15 में कुल रु० 2063268.00 का अनियमित भुगतान किया गया है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालिन ख०वि०अ०, प्रमुख, लेखाकार, जे०ई० एवं कार्यप्रभारी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2063268.00	2063268.00

प्रस्तर सं०-212—क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 14-15 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अनुदान में प्राप्त रा०वि०/13वाँ वित्त के धनराशियों में से स्वैच्छिक तरिके से धन आहरण कर विना बिल/बाउचर के, बिना किसी आदेश के, एवं नियमों का उल्लंघन कर भुगतान प्राप्तकर्ता, तत्कालिन ख०वि०अ० एवं लेखाकार की दुरभिसंधि से योजना के गार्डिलाईन्स एवं उद्देश्यों से हटकर वर्ष 2014-15 में रु० 263331.00, का संयुक्त रूप से अपहरण व अनियमित भुगतान कर लिया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित भुगतान प्राप्तकर्ता, तत्कालिन ख०वि०अ० एवं लेखाकार से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
263331.00	—	—	263331.00

प्रस्तर सं०-213—उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस/2015-10 (33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा कराया जाना चाहिये। उल्लेखनीय है कि अनुदान में प्राप्त धनराशियों पर अर्जित ब्याज अन्य प्राप्तियाँ मद में दर्शा कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राजकीय कोशागार में जमा किया जाना चाहिए जो आगामी बजट में राज्य सरकार द्वारा अपनी आय के रूप में सम्मिलित की जाती है। क्षेत्र पंचायत जोगिया की वर्ष 14-15 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध बैंक पासबुक एवं ग्रांट पंजिका में दर्ज विवरण के अनुसार पाया गया कि उपरोक्त शासनादेशों एवं एवं उ०प्र० बजट व लेखा मैनुअल में निर्धारित प्राविधानों के अनुपालन में अर्जित ब्याज की धनराशि रु० 42409.00 राजकीय कोशागार के अन्य प्राप्तियाँ मद में जमा

न कर वित्तीय अनियमितता की गई है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालिन ख०वि०अ० एवं लेखाकार है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के प्रति विभागीय कार्यवाही किया/ जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	42409.00	42409.00

प्रस्तर सं०-214—क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 2014-15 के राज्य वित्त योजना अंतर्गत निर्माण कार्य “ राजकीय पशु चिकित्सालय भवन मरम्मत कार्य ” से संबंधित निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कुल ₹ 116680.00 की शीशम की लकड़ी क्रय पर भुगतान किया गया है। बिल में लकड़ी की मात्रा, दर आदि अंकित नहीं है। लेखा परीक्षा में इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी की उपयोगिता भी स्पष्ट नहीं हुई। उपरोक्त दर्शित खरीद के सापेक्ष भुगतान रजि०फर्म को एकाउन्टपेयी चेक से न कर कार्यप्रभारी श्री विष्वनाथ सिंह को किया गया है, जो स्टोर परचेज रूल एवं आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं के विपरीत पाया गया। स्पष्ट है कि ख०वि०अ०, लेखाकार, जेई० एवं कायप्रभारी की दुरभिसंधि से कागजी खरीद दर्शाकर कुल ₹ 116680.00 का अपहरण कर लिया गया, जिसकी वसूली संबंधित पक्षों से अपेक्षित है। उपरोक्त कार्य के क्रम में कुल ₹ 90000.00 गेट, ग्रील मद में संतोश ट्रेडर्स को भुगतान दर्शाया गया है। उल्लेखनीय है कि कार्य से संबंधित स्वीकृत कोटेशन में कहीं भी गेट, ग्रील का विवरण नहीं दिया गया है। संबंधित सप्लायर्स सीमेंट, बालू, गिट्टी का ही अपूर्तिकर्ता है। दर्शित गेट, ग्रील की मात्रा व दर का कोई विवरण नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि फर्म से मिली-भगत कर तत्कालिन कार्यप्रभारी, ख०वि०अ०, लेखाकार, एवं जेई द्वारा संयुक्त रूप से अनुदान में प्राप्त धनराशि ₹ 206680.00 का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया। जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
206680.00	—	—	206680.00

प्रस्तर सं०-215—क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 2014-15 के राज्य वित्त योजना अंतर्गत निर्माण कार्य “ बभनी बाजार में सार्वजनिक मार्ग से उत्तर भटमला करौंदा सार्वजनिक मार्ग तक मिट्टी/खड्गजा कार्य ” से संबंधित निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि प्राकल्लन के डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट में कटिंग-फिलिंग मिट्टी का आकलन 834.75 घनमी० है, जबकि अब्सट्रैक्ट ऑफ कास्ट में उक्त मात्रा को दुगुनी कर 1669.50 घनमी० के आधार पर भुगतान दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि आस-पास मिट्टी होने के बावजूद भी प्राकल्लन में मात्रा दुगुना कर टाली से ढुलाई के आधार पर एक ही मद में दुबारा भुगतान कर दिया गया है। उपरोक्त मिट्टी का भुगतान दो कच्चे रसीद के आधार पर किया गया है, जिसमें प्रथम रसीद ₹ 45600.00 का श्री रसूल, पुत्र दोश मोहम्मद तथा द्वितीय ₹ 10400.00 रसूल, पुत्र दोश मोहम्मद का है। उपरोक्त कच्चे रसीदों के आधार पर एक चेक सं० 764963, दि० 23.01.15, धनराशि ₹ 10400.00 रसूल ट्रेडर्स को तथा द्वितीय कच्चे

रसीद के सापेक्ष चेक सं० 764958, दि० 22.11.14, धनराशि रू० 45600.00 का नकद भुगतान कार्य प्रभारी श्री विष्णुनाथ सिंह को किया गया है। स्पष्ट है कि प्राकल्लन में अब्सट्रैक्ट ऑफ कास्ट मात्रा बढ़ाकर कच्चे रसीद के आधार पर कुल रू० 56000.00 का कार्टेज मिट्टी पर भुगतान दर्शाकर तत्कालिन ख०वि०अ०, कार्यप्रभारी, जे०ई० एवं लेखाकार द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
56000.00	—	—	56000.00

प्रस्तर सं०-216—क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 2014-15 के 13वाँ वित्त योजना अंतर्गत निर्माण कार्य " ग्रा०पं० भैसहवा टोला परसोहिया में पिचरोड से बब्लू दूबे के घर तक सी०सी०रोड एवं नाली निर्माण कार्य " से संबंधित निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि स्वीकृत प्राकल्लन रू० 2204000.00 के सापेक्ष रू० 2190077.00 व्यय किया गया है। कार्य की तकनीकी स्वीकृति दि० 15.10.14 को अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा ली गई है। उल्लेखनीय है कि इतनी बड़ी धनराशि वाली परियोजना की स्वीकृति का अधिकार शासन स्तर पर है। क्षेत्र पंचायत द्वारा इस परियोजना की स्वीकृति शासन स्तर से प्राप्त किए बिना कार्य कराए जाने से वित्तीय अनियमितता हुई है। कार्य के सापेक्ष टेंडर नहीं कराया गया है। परियोजना के सापेक्ष प्रयुक्त ईट 1130000 नग के सापेक्ष अधिक दर से हरि ईट भट्टा को भुगतान किया गया है। स्पष्ट है कि अधिक दर से भुगतान करके रू० 79100.00 का अपहरण कर लिया गया है। स्पष्ट है कि इस परियोजना पर कुल व्यय दर्शित रू० 2190077.00 के सापेक्ष योजना की स्वीकृति शासन स्तर से नहीं कराये जाने से रू० 2110977.00 का भुगतान अनियमित रहा, एवं फर्म की मिली-भगत से अधिक दर पर ईट के सापेक्ष भुगतान कर रू० 79100.00 अपहरण कर लिया गया। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति संयुक्त रूप से तत्कालिन ख०वि०अ०, कार्यप्रभारी, जे०ई० एवं लेखाकार है जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
79100.00	—	—	2110977.00

प्रस्तर सं०-217—क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 15-16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष वर्ष 15-16 में कुल रू० 111523.00 का स्वयं के नाम नगद भुगतान प्राप्त कर कार्य प्रभारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया। म०रो० पर क्रमांक दर्ज नहीं होने से स्पष्ट है कि श्रमांश के नाम पर संलग्नक म०रो० वि०ख० कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया। कई परियोजनाओं में भुगतानित दर्शित धनराशि के सापेक्ष मा०रो० अनुपलब्ध है। कई मामले में एक ही मजदूर एक ही तिथि में अलग-अलग कार्य करते दर्शाए गए हैं। स्पष्ट है कि काल्पनिक आधार पर कार्यप्रभारी, ख०वि०अ०, संबंधित लेखाकार एवं अवर अभियंता द्वारा दुरभिसंधि कर अनुदान में प्राप्त धनराशि का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
111523.00	—	—	111523.00

प्रस्तर सं०-218—क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त/13वॉ वित्त स्वीकृत कार्ययोजना एवं संबंधित निर्माण कार्य पर व्यय की गई धनराशि की जाँच में यह तथ्य संज्ञान में आया कि रा०वि०/13वॉ वि० मद से कराये गए कार्य, की स्वीकृति जिला पंचायतराज अधिकारी से नहीं करयी गई है। स्पष्ट है कि बिना अनुमोदन के व्यय कर वर्ष 2015-16 में कुल रु० 579704.00 का अनियमित भुगतान किया गया है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालिन ख०वि०अ०, प्रमुख, लेखाकार, जे०ई० एवं कार्यप्रभारी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	579704.00	579704.00

प्रस्तर सं०-219—क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 15-16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अनुदान में प्राप्त रा०वि०/13वॉ वित के धनराशियों में से स्वैच्छिक तरिके से धन आहरण कर बिना बिल/बाउचर के, बिना किसी आदेश के, एवं नियमों का उल्लंघन कर भुगतान प्राप्तकर्ता, तत्कालिन ख०वि०अ० एवं लेखाकार की दुरभिसंधि से योजना के गाईडलाईन्स एवं उद्देश्यों से हटकर वर्ष 2015-16 में रु० 222078.00, का संयुक्त रूप से अपहरण व रु० 127278.00 अनियमित भुगतान कर लिया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित भुगतान प्राप्तकर्ता, तत्कालिन ख०वि०अ० एवं लेखाकार से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
222078.00	—	127278.00	349356.00

प्रस्तर सं०-220—क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि दि० 26.08.15 को चेक सं०-921434 से रु० 51080.00 का भुगतान श्री अशोक कुमार तिवारी, भं०लि० को जीप मरम्मत मद में किया गया है। दर्शित जीप मरम्मत से संबंधित तकनीकी पर्यवेक्षण रिपोर्ट, वितीय स्वीकृति, एवं व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। उ०प्र० शासन पंचायती राज अनुभाग-2 के पत्रांक सं०-8011 बी/33-2-95-212-172, लखनऊ, दि० 29.10.86 के अनुसार रु० 2000 से 5000 तक की गाड़ी मरम्मत के पूर्व मंडलायुक्त की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है तथा गाड़ी मरम्मत के पूर्व संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय से अनुमानित धनराशि एवं आवश्यक मरम्मत का विवरण पत्र प्राप्त करके शासन द्वारा अनुमोदित गैराज से कार्य कराना चाहिए था, लेकिन उक्त नियमों का उल्लंघन कर गाड़ी मरम्मत देयक कुल रु० 51080.00 का भुगतान तत्कालिन भंडार लिपिक को नियमविरुद्ध ढंग से कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। तत्कालिन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, एवं भण्डार लिपिक से उक्त धनराशि ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोशागार में अन्य विभागीय प्राप्तियों मद में जमा करवाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-221-उत्तर प्रदेश

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
51080.00	—	—	51080.00

शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/ दस/ 2015-10 (33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित ब्याज को राजकोश में जमा कराया जाना चाहिये। उल्लेखनीय है कि अनुदान में प्राप्त धनराशियों पर अर्जित ब्याज अन्य प्राप्तियाँ मद में दर्शा कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राजकीय कोशागार में जमा किया जाना चाहिए जो आगामी बजट में राज्य सरकार द्वारा अपनी आय के रूप में सम्मिलित की जाती है। इस क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 15-16 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध बैंक पासबुक एवं ग्रांट पंजिका में दर्ज विवरण के अनुसार पाया गया कि उपरोक्त शासनादेशों एवं एवं उ०प्र० बजट व लेखा मैनुअल में निर्धारित प्राविधानों के अनुपालन में अर्जित ब्याज की धनराशि रु० 50582.00 राजकीय कोशागार के अन्य प्राप्तियाँ मद में जमा न कर वित्तीय अनियमितता की गई है इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालिन ख०वि०अ० एवं लेखाकार है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	50582.00	50582.00

प्रस्तर सं०-222-क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 16-17 में टी०डी०एस० एवं वैट की कम कटौती तथा कटौती की पूर्ण धनराशि जमा न कर रु० 541.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अ० एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	541.00	541.00

प्रस्तर सं०-223-क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 16-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष वर्ष 16-17 में कुल रु० 220747.00 का स्वयं के नाम नगद भुगतान प्राप्त कर कार्य प्रभारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया। म०रो० पर कमांक दर्ज नहीं होने से स्पष्ट है कि श्रमांश के नाम पर संलग्नक म०रो० वि०ख० कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया। कई परियोजनाओं में भुगतानित दर्शित धनराशि के सापेक्ष मा०रो० अनुपलब्ध है। कई मामले में एक ही मजदूर एक ही तिथि में अलग-अलग कार्य करते दर्शाए गए हैं। स्पष्ट है कि काल्पनिक आधार पर कार्यप्रभारी, ख०वि०अ०, संबंधित लेखाकार एवं अवर अभियंता द्वारा दुरभिसंधि कर अनुदान में प्राप्त धनराशि का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
220747.00	—	—	220747.00

प्रस्तर सं०-224-क्षेत्र पंचायत जोगिया के वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त/13वॉ वित्त स्वीकृत कार्ययोजना एवं संबंधित निर्माण कार्य पर व्यय की गई धनराशि की जाँच में यह तथ्य संज्ञान में आया कि रा०वि०/13वॉ वि० मद से कुल दो परि० पर कार्य कराये गए हैं, जिसकी स्वीकृति जिला पंचायतराज अधिकारी से नहीं करयी गई है। स्पष्ट है कि बिना अनुमोदन के व्यय कर वर्ष 2016-17 में कुल रू० 1169461.00 का अनियमित भुगतान किया गया है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालिन ख०वि०अ०, प्रमुख, लेखाकार, जे०ई० एवं कार्यप्रभारी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1169461.00	1169461.00

प्रस्तर सं०-225-क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 16-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि राज्य वित्त/13वॉ वित्त मद से स्वैच्छिक तरिके से धन आहरण कर विना बिल/बाउचर के, बिना किसी आदेश के, एवं नियमों का उल्लंघन कर भुगतान प्राप्तकर्ता, तत्कालिन ख०वि०अ० एवं लेखाकार की दुरभिसंधि से योजना के गार्डलाईन्स एवं उद्देश्यों से हटकर वर्ष 2016-17 में रू० 24000.00 का संयुक्त रूप से अपहरण व अनियमित भुगतान कर लिया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित भुगतान प्राप्तकर्ता, तत्कालिन ख०वि०अ० एवं लेखाकार से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
24000.00	—	—	24000.00

प्रस्तर सं०-226-क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि राज्य वित्त कंटीजेंसी मद से दि० 12.04.16 को चेक सं०-259251 से श्री इंद्रेश कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर को जनवरी, फरवरी, मार्च 2016 हेतु मानदेय भुगतान प्रति माह रू० 8000.00 की दर से कुल रू० 24000.00 किया गया दर्शित है। उपरोक्त भुगतान सहा०वि०अधिकारी(पं०) के कार्यालय पत्र (पत्रांक व दि० दर्ज नहीं) के अनुरोध पर कर दिया गया। उक्त अवधि का अनुबंध पत्रावली, सेवा की 'गते' लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। भुगतान की पूर्व स्वीकृति जिला पंचायतराज अधिकारी से नहीं ली गई। स्पष्ट है कि तत्कालिन ख०वि०अ० एवं लेखाकार द्वारा उक्त मद में नियमविरुद्ध भुगतान करने से वित्तीय अनियमितता हुई है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	24000.00	24000.00

प्रस्तर सं०-227-उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस/2015-10 (33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित ब्याज को राजकोश

में जमा कराया जाना चाहिये। उल्लेखनीय है कि अनुदान में प्राप्त धनराशियों पर अर्जित ब्याज अन्य प्राप्तियों मद में दर्शा कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राजकीय कोशागार में जमा किया जाना चाहिए जो आगामी बजट में राज्य सरकार द्वारा अपनी आय के रूप में सम्मिलित की जाती है। इस क्षेत्र पंचायत जोगिया वर्ष 16-17 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध बैंक पासबुक एवं ग्रांट पंजिका में दर्ज विवरण के अनुसार पाया गया कि उपरोक्त शासनादेशों एवं एवं उ०प्र० बजट व लेखा मैनुअल में निर्धारित प्राविधानों के अनुपालन में अर्जित ब्याज की धनराशि रु० 102578.00 राजकीय कोशागार के अन्य प्राप्तियों मद में जमा न कर वित्तीय अनियमितता की गई है इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालिन ख०वि०अ० एवं लेखाकार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	102578.00	102578.00

प्रस्तर सं०-228-क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ वर्ष 12-13 में टी०डी०एस० एवं वैट की कम कटौती तथा कटौती की पूर्ण धनराशि जमा न कर रु० 795775.82 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अ० एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	795775.82.00	795775.82

प्रस्तर सं०-229-क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ वर्ष 12-13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष वर्ष 12-13 में कुल रु० 853550.00 का स्वयं के नाम नगद भुगतान प्राप्त कर कार्य प्रभारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया। म०रो० पर कमांक दर्ज नहीं होने से स्पष्ट है कि श्रमांश के नाम पर संलग्नक म०रो० वि०ख० कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया। कई परियोजनाओं में भुगतानित दर्शित धनराशि के सापेक्ष मा०रो० अनुपलब्ध है। कई मामले में एक ही मजदूर एक ही तिथि में अलग-अलग कार्य करते दर्शाए गए हैं। स्पष्ट है कि काल्पनिक आधार पर कार्यप्रभारी, ख०वि०अ०, संबंधित लेखाकार एवं अवर अभियंता द्वारा दुरभिसंधि कर अनुदान में प्राप्त धनराशि का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
853550.00	—	—	853550.00

प्रस्तर सं०-230-क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ के वर्ष 12-13 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है वर्ष 2012-13, में निर्माण कार्यों के सापेक्ष विभिन्न मदों में कच्चे बिल/लेटर पैड/बिना कय प्रमाणक के रु० 1973020.00, का भुगतान दर्शाकर अनुदान की धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालिन समस्त ख०वि०अ०, लेखाकार, जे०ई०, कार्य प्रभारी एवं प्रमुख संयुक्त रूप से है, जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित पक्षों से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

1973020.00	—	—	1973020.00

प्रस्तर सं०-231-क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ वर्ष 12-13 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष वर्ष 12-13 रु० 1015000.00 का कार्य प्रभारियों को नकद अग्रिम भुगतान किया गया है। किसी भी कार्यप्रभारी का कोई जमानत/सिक्यूरिटी भी नहीं लिया गया है। नियमानुसार कार्य प्रारंभ होने के बाद प्रस्तुत बिलों एवं सप्ताहिक आधार पर मस्टररोल के अनुसार ही भुगतान किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त दर्शित अग्रिम भुगतान अनियमित रहा, जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालिन ख०वि०अ० एवं सहायक लेखाकार तथा भुगतान की संस्तुति करनेवाले जे०ई० है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1015000.00	1015000.00

प्रस्तर सं०-232-क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि खातों पर अर्जित ब्याज को वर्ष के अंत में राजकीय कोशागार में निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा नहीं किया जा रहा है। उ०प्र० बजट मैनुअल में निहित प्राविधानों के अनुसार सरकारी योजनाओं के धन पर अर्जित ब्याज को शासन द्वारा अन्य विभागीय प्राप्तियों मद में इक्कठा कर आगामी वर्ष के बजट की तैयारी में आय का एक स्रोत माना जाता है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/ दस/2015-10 (33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के द्वारा पुनः यह निर्देश दिया गया कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित ब्याज रु० 456334.00 को राजकोश में जमा कराया जाना चाहिये। संस्था द्वारा इसका अनुपालन न कर वित्तीय अनियमितता की गई है आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	456334.00	456334.00

प्रस्तर सं०-233-क्षेत्र पंचायत

शोहरतगढ़ के वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि अनुदान में प्राप्त रा०वि०/13वॉ वित्त के धनराशियों में से स्वैच्छिक तरिके से धन आहरण कर विना बिल/बाउचर के, बिना किसी आदेश के, एवं नियमों का उल्लंघन कर भुगतान प्राप्तकर्ता, तत्कालिन ख०वि०अ० एवं लेखाकार की दुरभिसंधि से योजना के गार्डलाईन्स एवं उद्देश्यों से हटकर वर्ष 2012-13 में रु० 168690.00, का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित भुगतान प्राप्तकर्ता, तत्कालिन ख०वि०अ० एवं लेखाकार से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
168690.00	—	—	168690.00

प्रस्तर सं०-234-क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ के वर्ष 12-13 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि सांसद निधि योजनान्तर्गत निर्माण कार्य " खजुरिया गॉव से मंदिर होते हुए हातिम के घर होते हुए नाले के पास पिच तक 380मी० सी०सी०रोड निर्माण कार्य" में पाया गया कि

समान अवधि में अन्य परियोजनाओं पर सामग्री के सापेक्ष किए गए भुगतान से अधिक दर पर भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में शेड्यूल्ड दर उपलब्ध नहीं रहा। एक अन्य परि० के सापेक्ष ईट का दर रु० 4000/प्रति हजार, ईट गिट्टी का दर रु० 650/घनमी० तथा सीमेंट का दर रु० 275/बैग की दर भुगतान की गई है(उदाहरणार्थ सांसद निधि से चिलिहया में कब्रिस्तान की बाउण्ड्री वाली पत्रावली देखी जा सकती है) ,जबकि इस परियोजना पर दर बढ़ाकर निम्न विवरणानुसार अधिक दर से भुगतान कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। स्पष्ट है कि अधिक दर से भुगतान कर तत्कालिन ख०वि०अ०,कार्यप्रभारी, लेखाकार एवं जे०ई० की दुरभिसंधि से उक्त परि० पर कुल रु० 48279.00 का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया,जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित पक्षों से की जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि समस्त भुगतान फर्म को न कर वाहक चेक से कार्य प्रभारी को कर दिया गया। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
48279.00	—	—	48279.00

प्रस्तर सं०—235—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ वर्ष 13—14 में टी०डी०एस० एवं वैट की कम कटौती तथा कटौती की पूर्ण धनराशि जमा न कर रु० 818696.67 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अ० एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	818696.67	818696.67

प्रस्तर सं०—236—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ वर्ष 13—14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष वर्ष 13—14 में कुल रु० 1759620.00 का स्वयं के नाम नगद भुगतान प्राप्त कर कार्य प्रभारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया। म०रो० पर क्रमांक दर्ज नहीं होने से स्पष्ट है कि श्रमांश के नाम पर संलग्नक म०रो० वि०ख० कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया। कई परियोजनाओं में भुगतानित दर्शित धनराशि के सापेक्ष मा०रो० अनुपलब्ध है। कई मामले में एक ही मजदूर एक ही तिथि में अलग—अलग कार्य करते दर्शाए गए हैं। स्पष्ट है कि काल्पनिक आधार पर कार्यप्रभारी, ख०वि०अ०, संबंधित लेखाकार एवं अवर अभियंता द्वारा दुरभिसंधि कर अनुदान में प्राप्त धनराशि का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है,जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1759620.00	—	—	1759620.00

प्रस्तर सं०—237—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ के वर्ष 13—14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है वर्ष 2013—14, में निर्माण कार्यों के सापेक्ष विभिन्न मदों में कच्चे बिल/लेटर पैड/बिना क्रय प्रमाणक के रु० 508770.00, का भुगतान दर्शाकर अनुदान की धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालिन समस्त ख०वि०अ०, लेखाकार, जे०ई०, कार्य प्रभारी एवं प्रमुख संयुक्त रूप से है, जिसकी वसूली ब्याज सहित

संबंधित पक्षों से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
508770.00	—	—	508770.00

प्रस्तर सं०-238-क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ वर्ष 13-14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष वर्ष 13-14 रु० 770000.00 का कार्यप्रभारियों को नकद अग्रिम भुगतान किया गया है। किसी भी कार्यप्रभारी का कोई जमानत/सिक्यूरिटी भी नहीं लिया गया है। नियमानुसार कार्य प्रारंभ होने के बाद प्रस्तुत बिलों एवं सप्ताहिक आधार पर मस्टररोल के अनुसार ही भुगतान किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त दर्शित अग्रिम भुगतान अनियमित रहा, जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालिन ख०वि०अ० एवं सहायक लेखाकार तथा भुगतान की संस्तुति करनेवाले जे०ई० है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	770000.00	770000.00

प्रस्तर सं०-239-क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि खातों पर अर्जित ब्याज को वर्ष के अंत में राजकीय कोशागार में निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा नहीं किया जा रहा है। उ०प्र० बजट मैनुअल में निहित प्राविधानों के अनुसार सरकारी योजनाओं के धन पर अर्जित ब्याज को शासन द्वारा अन्य विभागीय प्राप्तियों मद में इक्कठा कर आगामी वर्ष के बजट की तैयारी में आय का एक स्रोत माना जाता है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस/ 2015-10 (33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के द्वारा पुनः यह निर्देश दिया गया कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी तथा अर्जित ब्याज रु० 119821.00 को राजकोश में जमा कराया जाना चाहिये। संस्था द्वारा इसका अनुपालन न कर वितीय अनियमितता की गई है। कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	119821.00	119821.00

प्रस्तर सं०-240-क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ के वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि अनुदान में प्राप्त रा०वि०/13वॉ वित के धनराशियों में से स्वैच्छिक तरिके से धन आहरण कर विना बिल/बाउचर के, बिना किसी आदेश के, एवं नियमों का उल्लंघन कर भुगतान प्राप्तकर्ता, तत्कालिन ख०वि०अ० एवं लेखाकार की दुरभिसंधि से योजना के गार्डलाईन्स एवं उद्देश्यों से हटकर वर्ष 2013-14 में रु० 155561.00, का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित भुगतान प्राप्तकर्ता, तत्कालिन ख०वि०अ० एवं लेखाकार से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
155561.00	—	—	155561.00

प्रस्तर सं०-241-क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ के वर्ष 13-14 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि राज्य वित्त योजनान्तर्गत निर्माण कार्य गुजरौलिया ग्राम में करगदही से चंपापुर मार्ग पर मेन रोड संपर्क मार्ग पर आर०सी०सी० पुलिया में प्रयुक्त निर्माण सामग्री सीमेंट, बालू, मोरंग, सरिया आदि मद में अधिक दर से फर्म को भुगतान **दर्शा** कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। राज्य वित्त में ही इसी अवधि में निर्माण कार्य चेतारा सिंहोरा मार्ग पर आर०सी०सी० पुलिया निर्माण मद में सीमेंट का दर 315 प्रति बैग, बालू रु० 644/घमी०, मोरंग रु० 2030/प्रतिघन मी०, एवं सरिया का दर रु० 4500/कुंतल की दर से फर्म को भुगतान किया गया है, जबकि इस परि० में सीमेंट का दर रु० 331.50, बालू का दर रु० 666.50, मोरंग का दर रु० 2163.60 तथा सरिया का दर य० 6765/कुंतल लगाया गया है। **स्पष्ट** है कि अधिक दर से भुगतान कर तत्कालिन ख०वि०अ०, लेखाकार एवं जे०ई० की दुरभिसंधि से उक्त परि० पर कुल रु० 20452.00 का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित पक्षों से की जानी चाहिए।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
20452.00	—	—	20452.00

प्रस्तर सं०-242-क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ वर्ष 14-15 में टी०डी०एस० एवं वैट की कम कटौती तथा कटौती की पूर्ण धनराशि जमा न कर रु० 659047.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अ० एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। **क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	659047.00	659047.00

प्रस्तर सं०-243-क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ वर्ष 14-15 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष वर्ष 14-15 में कुल रु० 1878800.00 का स्वयं के नाम नगद भुगतान प्राप्त कर कार्य प्रभारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया। म०रो० पर कमांक दर्ज नहीं होने से **स्पष्ट** है कि श्रमांश के नाम पर संलग्नक म०रो० वि०ख० कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया। कई परियोजनाओं में भुगतानित **दर्शित** धनराशि के सापेक्ष मा०रो० अनुपलब्ध है। कई मामले में एक ही मजदूर एक ही तिथि में अलग-अलग कार्य करते **दर्शाए** गए हैं। **स्पष्ट** है कि काल्पनिक आधार पर कार्यप्रभारी, ख०वि०अ०, संबंधित लेखाकार एवं अवर अभियंता द्वारा दुरभिसंधि कर अनुदान में प्राप्त धनराशि का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1878800.00	—	—	1878800.00

प्रस्तर सं०-244-क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ के वर्ष 14-15 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है वर्ष 2014-15, में निर्माण कार्यों के सापेक्ष विभिन्न मदों में कच्चे बिल/लेटर पैड/बिना कय प्रमाणक के रु० 1136948.00, का भुगतान **दर्शाकर** अनुदान की धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालिन समस्त ख०वि०अ०,

लेखाकार, जे0 ई0, कार्य प्रभारी एवं प्रमुख संयुक्त रूप से हैं, जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित पक्षों से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1136948.00	—	—	1136948.00

प्रस्तर सं0-245—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ के वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि खातों पर अर्जित ब्याज को वर्ष के अंत में राजकीय कोशागार में निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा नहीं किया जा रहा है। उ0प्र0 बजट मैनुअल में निहित प्राविधानों के अनुसार सरकारी योजनाओं के धन पर अर्जित ब्याज को शासन द्वारा अन्य विभागीय प्राप्तियों मद में इक्कठा कर आगामी वर्ष के बजट की तैयारी में आय का एक स्रोत माना जाता है। इस कम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/ दस/2015-10 (33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के द्वारा पुनः यह निर्देश दिया गया कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी परन्तु ईकाई द्वारा अर्जित ब्याज की धनराशि में से रु0 100000.00 व्यय कर के धनराशि का दुरुपयोग किया गया है तथा 183370.00 ब्याज की धनराशि को राजकोश में जमा न कराके अनियमितता की गयी है। **आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	100000.00	183370.00	283370.00

प्रस्तर सं0-246—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ वर्ष 14-15 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि निर्माण कार्य हेतु नियुक्त कार्य प्रभारियों को कार्य के पूर्व ही बिना किसी बिल/बाउचर के नकद अग्रिम भुगतान किया गया है, जो अनियमित रहा। विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष वर्ष 14-15 में रु0 225000.00 कार्यप्रभारियों को नकद अग्रिम भुगतान किया गया है। किसी भी कार्यप्रभारी का कोई जमानत/सिक्यूरिटी भी नहीं लिया गया है। नियमानुसार कार्य प्रारंभ होने के बाद प्रस्तुत बिलों एवं सप्ताहिक आधार पर मस्टररोल के अनुसार ही भुगतान किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त दर्शित अग्रिम भुगतान अनियमित रहा, जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ख0वि0अ0 एवं सहायक लेखाकार तथा भुगतान की संस्तुति करनेवाले जे0ई0 है। **आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	225000.00	225000.00

प्रस्तर सं0-247—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ वर्ष 15-16 में टी0डी0एस0 एवं वैट की कम कटौती तथा कटौती की पूर्ण धनराशि जमा न कर रु0 224836.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए तत्कालीन ख0वि0अ0 एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। **क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	224836.00	224836.00

प्रस्तर सं0-248—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ वर्ष 15-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष वर्ष 15-16 में कुल रु0 983850.00 का स्वयं के नाम नगद भुगतान प्राप्त कर कार्य प्रभारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया। म0रो0

पर क्रमांक दर्ज नहीं होने से स्पष्ट है कि श्रमांश के नाम पर संलग्नक म०रो० वि०ख० कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया। कई परियोजनाओं में भुगतानित दर्शित धनराशि के सापेक्ष मा०रो० अनुपलब्ध है। कई मामले में एक ही मजदूर एक ही तिथि में अलग-अलग कार्य करते दर्शाए गए हैं। स्पष्ट है कि काल्पनिक आधार पर कार्यप्रभारी, ख०वि०अ०, संबंधित लेखाकार एवं अवर अभियंता द्वारा दुरभिसंधि कर अनुदान में प्राप्त धनराशि का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
983850.00	—	—	983850.00

प्रस्तर सं०-249-क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ के वर्ष 15-16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है
वर्ष 2015-16, में निर्माण कार्य के सापेक्ष विभिन्न मदों में कच्चे बिल/लेटर पैड/बिना कय प्रमाणक के रू० 160730.00, का भुगतान दर्शाकर अनुदान की धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालिन समस्त ख०वि०अ०, लेखाकार, जे०ई०, कार्य प्रभारी एवं प्रमुख संयुक्त रूप से है, जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित पक्षों से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
160730.00	—	—	160730.00

प्रस्तर सं०-250-क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ के वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि खातों पर अर्जित ब्याज को वर्ष के अंत में राजकीय कोशागार में निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा नहीं किया जा रहा है। उ०प्र० बजट मैनुअल में निहित प्राविधानों के अनुसार सरकारी योजनाओं के धन पर अर्जित ब्याज को शासन द्वारा अन्य विभागीय प्राप्तियों मद में इक्कठा कर आगामी वर्ष के बजट की तैयारी में आय का एक स्रोत माना जाता है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/ दस/2015-10 (33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के द्वारा पुनः यह निर्देश दिया गया कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी परन्तु ईकाई द्वारा अर्जित ब्याज की धनराशि में से रू० 6000.00 व्यय कर के धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। तथा 37542.00 ब्याज की धनराशि को राजकोश में जमा न कराके अनियमितता की गयी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	6000.00	37542.00	43542.00

प्रस्तर सं०-251-क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ वर्ष 15-16 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि निर्माण कार्य हेतु नियुक्त कार्य प्रभारियों को कार्य के पूर्व ही बिना किसी बिल/बाउचर के नकद अग्रिम भुगतान किया गया है, जो अनियमित रहा। विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष वर्ष 15-16 में रू० 35000.00 कार्यप्रभारियों को नकद अग्रिम भुगतान किया गया है। किसी भी कार्यप्रभारी का कोई जमानत/सिक्यूरिटी भी नहीं लिया गया है। नियमानुसार कार्य प्रारंभ होने के बाद प्रस्तुत बिलों एवं सप्ताहिक आधार पर मस्टररोल के अनुसार ही भुगतान किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त दर्शित अग्रिम भुगतान अनियमित रहा, जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालिन ख०वि०अ० एवं सहायक लेखाकार तथा भुगतान की संस्तुति करनेवाले जे०ई० है। उत्तरदायी व्यक्तियों पर आवश्यक विभागीय

कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	35000.00	35000.00

प्रस्तर सं०—252—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ के वर्ष 2015—16 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि कुछ परियोजनाओं के सापेक्ष स्वीकृत प्राकल्लन से अधिक मात्रा में सामग्री क्रय दर्शाकर उक्त सामग्री पर प्राकल्लन से अधिक मात्रा में भुगतान कर रु० 18796.00 का अपहरण कर लिया गया है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति कार्यावधि के अनुसार संयुक्त रूप से ख०वि०अ०,लेखाकार,जे०ई० एवं कार्यप्रभारी है जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
18796.00	—	—	18796.00

प्रस्तर सं०—253—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ वर्ष 16—17 में टी०डी०एस० एवं वैट की कम कटौती तथा कटौती की पूर्ण धनराशि जमा न कर रु० 129544.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए तत्कालीन ख०वि०अ० एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	129544.00	129544.00

प्रस्तर सं०—254—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ वर्ष 16—17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष वर्ष 16—17 में कुल रु० 1047032.00 का स्वयं के नाम नगद भुगतान प्राप्त कर कार्य प्रभारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया। म०रो० पर कमांक दर्ज नहीं होने से स्पष्ट है कि श्रमांश के नाम पर संलग्नक म०रो० वि०ख० कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया। कई परियोजनाओं में भुगतानित दर्शित धनराशि के सापेक्ष मा०रो० अनुपलब्ध है। कई मामले में एक ही मजदूर एक ही तिथि में अलग—अलग कार्य करते दर्शाए गए हैं। स्पष्ट है कि काल्पनिक आधार पर कार्यप्रभारी, ख०वि०अ०, संबंधित लेखाकार एवं अवर अभियंता द्वारा दुरभिसंधि कर अनुदान में प्राप्त धनराशि का संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली दण्डात्मक ब्याज सहित अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
1047032.00	—	—	1047032.00

प्रस्तर सं०—255—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ के वर्ष 16—17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है वर्ष 2016—17, में निर्माण कार्यों के सापेक्ष विभिन्न मदों में कच्चे बिल/लेटर पैड/बिना क्रय प्रमाणक के रु० 215728.00, का भुगतान दर्शाकर अनुदान की धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन समस्त ख०वि०अ०, लेखाकार,जे०ई०, कार्य प्रभारी एवं प्रमुख संयुक्त रूप से है, जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित पक्षों से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

215728.00	—	—	215728.00

प्रस्तर सं०-256—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ के वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि खातों पर अर्जित ब्याज को वर्ष के अंत में राजकीय कोशागार में निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा नहीं किया जा रहा है। उ०प्र० बजट मैनुअल में निहित प्राविधानों के अनुसार सरकारी योजनाओं के धन पर अर्जित ब्याज को शासन द्वारा अन्य विभागीय प्राप्तियों मद में इक्कठा कर आगामी वर्ष के बजट की तैयारी में आय का एक स्रोत माना जाता है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस/ 2015-10 (33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के द्वारा पुनः यह निर्देश दिया गया कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों को बैंक में रख कर ब्याज अर्जित किया जाता है तो प्राप्त ब्याज संस्था की आय न हो कर राज्य सरकार की आय होगी परन्तु ईकाई द्वारा अर्जित ब्याज की धनराशि में से रु० 21048.00 व्यय कर के धनराशि का दुरुपयोग किया गया है तथा 178068.00 ब्याज की धनराशि को राजकोश में जमा न कराके अनियमितता की गयी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	21048.00	178068.00	199116.00

प्रस्तर सं०-257—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ के वर्ष 16-17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि कुछ परियोजनाओं के सापेक्ष सिर्फ सामग्री क्रय पर भुगतान किया गया है, जबकि श्रमांश मद में कोई भुगतान प्रस्तुत निर्माण पत्रावली के अनुसार नहीं पाया गया। बिना श्रमांश के कोई निर्माण कार्य संभव नहीं हैं। परियोजना से संबंधित आमद सामग्री का स्टॉक पंजिका एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। प्रायः स्वीकृत प्राकल्लन से सामग्री की मात्रा भी काफी कम है। इससे स्पष्ट है कि काल्पनिक आधार पर सामग्री क्रय दर्शाकर आपसी दुरभिसंधि से बिना कार्य कराये अनुदान में प्राप्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति कार्यावधि के अनुसार संयुक्त रूप से ख०वि०अ०, प्रमुख, लेखाकार, जे०ई० एवं कार्यप्रभारी है जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
257445.00	—	—	257445.00

प्रस्तर सं०-258—क्षेत्र पंचायत शोहरतगढ़ के वर्ष 2016-17 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि कुछ परियोजनाओं के सापेक्ष स्वीकृत प्राकल्लन से अधिक मात्रा में सामग्री क्रय दर्शाकर उक्त सामग्री पर प्राकल्लन से अधिक मात्रा में भुगतान कर रु० 31485.00 का अपहरण कर लिया गया है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति कार्यावधि के अनुसार संयुक्त रूप से ख०वि०अ०, लेखाकार, जे०ई० एवं कार्यप्रभारी है जिसकी वसूली ब्याज सहित संबंधित से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
31485.00	—	—	31485.00

प्रस्तर सं०-259—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज वर्ष 17-18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि

निर्माण कार्य पर अंकन रु0 194675.00 मजदूरी /श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री विजय कुमार (ए0डी0ओ) को रु0 162825.00 ,श्री खुशींद अली (ए0डी0ओ) को रु0 31850.00 का भुगतान किया गया है। नियमतः मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मजदूरों के खातों में किया गया है। ऐसा न करके इकाई द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए ख0वि0अधि/जे0ई /लेखाकार/ कार्यप्रभारी / ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	194675.00	194675.00

प्रस्तर सं0—260—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 17—18 की विधायक निधि की पत्रावली की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया प्रकाश में आया है कि माँ वटवासिनी गालापुर में शंका मुक्ति सदन/मंदिर के बगल में सुलभ शौचालय व स्नान गृह निर्माण कार्य में सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष मे0 अमरनाथ ठेकेदरा द्वारा कुल रु0 98237.00 का व्यय प्रमाणक भुगतान हेतु ईकाई के सापेक्ष प्रस्तुत किया गया । जिसमे से रु0 1964.00 वैट एवं रु0 2200.0 आयकर काटकर कुल शुद्ध भुगतान रु0 94073.00 संबंधित फर्म को किया जाना चाहिए था।परन्तु ईकाई द्वारा संबंधित फर्म को कुल रु0 94237.00 का भुगतान किया गया । इस प्रकार रु0 164.00 का वैट न काटकर राजकीय राजस्व की हॉनी की गयी है।जिसके लिए ख0वि0अधि/लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	164.00	164.00

प्रस्तर सं0—261—क्षेत्र पंचायत डुमरियागंज की वर्ष 17—18 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अनुदान पंजिका भाग—2 में दिनांक 04.08.17 को ब्याज मद में रु0 172607.00 का अंतरण सांसद निधि मद में किया गया है। इस प्रकार एक मद का धन दूसरे मद में अन्तरित कर इकाई द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।जिसके लिए ख0वि0अधि/लेखाकार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	172607.00	172607.00

प्रस्तर सं0—262—क्षेत्र पंचायत मिठवल की वर्ष 13—14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष दौरान कुल रु0 11509753.00 की सामग्री क्रय की गयी जिस पर 04 प्रतिशत की दर बिक्री कर काटने के बाद शेष धनराशि का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था, परन्तु सामग्री क्रय पर बिक्री कर न काटे जाने के कारण रु0 457855.00 की राजस्व की हानि हुयी।जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/ लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी पर क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	457855.00	457855.00

प्रस्तर सं0—263—क्षेत्र पंचायत मिठवल की वर्ष 13—14 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है

कि बिल से निर्धारित दर से आयकर की कटौती न करने के कारण रु0 118760.00 की राजस्व की क्षति कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी पर क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	118760.00	118760.00

जनपद का नाम— बाँदा
क्षेत्र पंचायत— नरैनी

मण्डल का नाम— चित्रकूट धाम

मण्डल— बाँदा

प्रस्तर संख्या—1 क्षेत्र पंचायत नरैनी के लेखा परीक्षा वर्ष 2011—12 से 2013—14 में अनुदान रजिस्टर 3 के जांच में पाया गया कि दिनांक 02—04—2012 चेक संख्या 156744 धनराशि रु0 100286.00 में अनुराग सिंह इंदिरा नगर बाँदा को ब्लांक परिसर की रंगार्ड—पुतार्ड हेतु आहरित की गयी। लेखा परीक्षा में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे, अतः उक्त धनराशि की उचित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। नियमानुसार 20000.00 से अधिक की धनराशि अकाउंट पेय चेक के माध्यम से आहरित किया जाना था, जिससे उक्त राशि अपहरित प्रतीत होती है। अतः जांच कराकर तत्कालीन पटल प्रभारी श्री लालू राम वर्मा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रविशंकर से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर—2 क्षेत्र पंचायत नरैनी के लेखा परीक्षा वर्ष 2011—12 से 2013—14 में अनुदान रजिस्टर 3 के जांच में पाया गया कि खण्ड विकास अधिकारी श्री रविशंकर एवं पटल प्रभारी श्री लालू राम वर्मा द्वारा क्षेत्र पंचायत बैठक यात्रा भत्ता देयक हेतु दिनांक 09—07—2012 चेक संख्या 156748 द्वारा धनराशि रु 36600.00 आहरित की गयी। नियमानुसार उक्त धनराशि को अकाउंट पेय चेक के माध्यम से आहरित किया जाना चाहिए था। जिससे उक्त धनराशि आहरित प्रतीत होती है। लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु कार्यवाही रजिस्टर एवं मानदेय रजिस्टर अप्राप्त रहे अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। कार्यवाही रजिस्टर एवं मानदेय रजिस्टर अनुपलब्ध रहे। अतः नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 3— आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर 2 की जांच में पाया गया कि निम्न तिथियों में निम्न विवरण के अनुसार धनराशि व्यय की गयी

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	प्रभारी/आपूर्ति कर्ता	कार्य विवरण
13—07—2012	156749	378612.00	रिषभ ट्रेडर्स नरैनी	कटरा कालिंजर में पूरन अहिरवार के घर से समुदायिक भवन की ओर सी0सी0 रोड सामग्री
06—09—2012	156754	250735.00	रिषभ ट्रेडर्स नरैनी	कटरा कालिंजर में पूरन अहिरवार के घर से समुदायिक भवन की ओर सी0सी0 रोड सामग्री
06—09—2012	156755	140460.00	योगेन्द्र सिंह, जेई आर.ई.एस.	उपरोक्त पर मजदूरी
18—07—2012	156750	833812.00	रिषभ ट्रेडर्स नरैनी	तरहटी कालिंजर में लक्ष्मी गुप्ता के घर से प्राथमिक विद्यालय तक सी0सी0 रोड

				सामग्री
03-09-2012	156752	523087.00	रिषभ ट्रेडर्स नरैनी	तरहटी कालिंजर में लक्ष्मी गुप्ता के घर तक प्राथमिक विद्यालय तक सी0सी0 रोड सामग्री।
03-09-2012	156753	308760.00	योगेन्द्र सिंह, जेई आर.ई.एस.	उपरोक्त पर मजदूरी
06-09-2012	156756	117866.00	रिषभ ट्रेडर्स नरैनी	तरहटी कालिंजर में मयंक सोनकर क से सीता राम गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड सामग्री।
06-09-2012	156757	26160.00	योगेन्द्र सिंह, जेई आर.ई.एस.	उपरोक्त पर मजदूरी
05-10-2012	156579	220213.00	मे0 राकेश कु0 अतर्रा	हडहा माफी से बी0 के वर्मा के दरवाजे से हुल्ला के दरवाजे तक सी0सी0 रोड निर्माण सामग्री।
21-01-2013	533834	230879.00	मे0 राकेश कु0 अतर्रा	हडहा माफी से बी0 के वर्मा के दरवाजे से हुल्ला के दरवाजे तक सी0सी0 रोड निर्माण सामग्री।
21-01-2013	533835	11200.00	शाखा प्रबन्धक इला0 बैंक बॉदा	उपरोक्त पर मजदूरी
21-01-2013	533336	83040.00	शाखा प्रबन्धक इला0 बैंक बॉदा	उपरोक्त पर मजदूरी
योग		3124824.00		

आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त कार्य विवरण की पुष्टि में सम्बन्धित पत्रावलियाँ एवं कराए गये कार्य की प्रमाणिकता हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके लिए नियमानुसार पटल प्रभारी श्री लालू राम वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी श्री रवि शंकर राय एवं योगेन्द्र सिंह जेई आर0ई0एस0 से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 4 आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में अनुदान प्राप्त रजिस्टर 2 की जांच में पाया गया की दिनांक 20-11-2016 चेक संख्या 124648 द्वारा धनराशि रु0 111528.00 मजदूरी भुगतान (ग्राम पंचायत पर शहर में सी0सी0 रोड निर्माण हेतु श्री राम किशन जेई आर.ई.एस. द्वारा आहरित की गयी। नियमानुसार उक्त धनराशि अकाउंट पेय चेक के माध्यम से आहरित किया जाना चाहिए था। कराये गये कार्य की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, इसीलिये उक्त धनराशि अपहरित प्रतीत होती है। जांच कराकर उक्त धनराशि की श्री राम किशन जेई आर0ई0एस0 से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 5 वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्राम पंचायत महुई में सी0सी रोड निर्माण हेतु सामग्री क्रय भुगतान में राशि रु0 227697.00 चेक संख्या 124649 दिनांक 28-11-2016 द्वारा मे0 कामदगिरी ट्रेडर्स नरैनी को भुगतानित की गयी। उक्त की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, क्रय सामग्री की रसीदें एवं पत्रावलियाँ अप्राप्त रही, जिसके लिये विभागीय नियमानुसार खण्ड विकास अधिकारी श्री योगेन्द्र भूषण एवं श्री राम किशन जेई आर0ई0एस0 से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर -6 क्षेत्र पंचायत तिन्दवारी में वायो गैस अनुदान वर्ष 2012-13 में रु0 17000.00 वितरित किया गया। लेखा परीक्षा में उक्त मद से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। वितरण रजिस्टर के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी, पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन खण्ड

विकास अधिकारी व पटल प्रभारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 7 आलोच्य वर्ष 2013-14 के समय पाया गया की दिनांक 22-02-2014 को चेक संख्या 595063 प्रधान सम्मेलन के प्रचार प्रसार हेतु रु0 15000.00 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वयं अनुदान लिया गया जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना मद का है। लेखा परीक्षा में प्रचार-प्रसार सम्बन्धित कोई अभिलेखा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अनियमितता की पुष्टि होती है। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 8 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया की निम्न तिथियों में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा श्री प्रभाकर प्रसाद ग्राम विकास अधिकारी के निम्न विवरण के अनुसार अग्रिम भुगतान किया गया जबकि नियमानुसार कार्य कराये जाने के बाद ही भुगतान किया जाना चाहिये था। कितनी अधिक धनराशि अग्रिम भुगतान दर्शाकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया। श्री प्रभाकर प्रसाद ग्राम विकास अधिकारी ने कितनी धनराशि किस बैंक खाता या नकद अपने पास रखी नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	कार्य का विवरण
01-05-2013	984132	300000.00	ग्राम पंचायत माटा में तलाब खुदाई
01-05-2013	984133	200000.00	ग्राम पंचायत बेंदा में तलाब खुदाई
05-06-2013	984134	391000.00	ग्राम पंचायत बेंदा में तलाब खुदाई
12-06-2013	984135	450000.00	ग्राम पंचायत माटा में तलाब खुदाई
योग		1341000.00	

प्रस्तर 9 आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में पाया गया की शासनादेश संख्या 140/2015/अ-1 562/दस 2015-10(33)2010 दिनांक 29-05-2015 लखनऊ का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें ये निर्देशित है कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि बैंक में रख कर व्याज अर्जित किया गया है, जो अर्जित व्याज संस्था की आय ना होकर राज्य सरकार की आय होगी। अतः अर्जित व्याज शासकीय कोष में जमा किया जाना चाहिए, जो क्षेत्र पंचायत तिन्दवारी द्वारा नहीं किया गया है। अतः निम्न विवरण के अनुसार व्याज की धनराशि राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष	दिनांक	धनराशि
2011-'12	31-03-2012	777893.70
	31-03-2013	1027813.00
	31-03-2014	1558521.70
	योग	3364228.04

प्रस्तर 10 आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में अनुदान रजिस्टर 2 की जांच में पाया गया की विभिन्न तिथियों में मे0 तिवारी सप्लायर्स जवाहर नगर बोंदा को सोलर स्ट्रीट लाइट समूहों के बिलों का भुगतान किया गया जो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं कि जा सकी, जिससे अनियमितता प्रतीत होती है। विवरण निम्न प्रकार है

दिनांक	धनराशि	चेक संख्या
10-10-2014	352612.00	013180
13-11-2014	204144.00	013187
30-12-2014	296937.00	002651

14-01-2015	129910.00	002657
13-02-2015	183605.00	002658
26-03-2015	220326.00	002667
20-09-2015	721721.00	024483
06-10-2015	41241.00	024526
योग	2810355.00	

उपरोक्त धनराशि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व पटल प्रभारी से व्याज सहित ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 11 अनुदान रजिस्टर 2 की जांच में पाया गया की दिनांक 16-04-2015 को श्री प्रभाकर प्रसाद ग्राम विकास अधिकारी को चेक संख्या 002672 से ग्राम पंचायत पपरेन्दा में पुलिया निर्माण का कार्य प्रभारी बना कर रु0 158100.00 का भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति पमाणक एम0 बी0 के अभाव में व्यय की धन राशि अपुष्टिकृत रही। अतः रु0 158100.00 का अनियमित भुगतान किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं पटल प्रभारी से व्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर 12 अनुदान रजिस्टर 2 की जांच में पाया गया की दिनांक 26-08-2015 को श्री नईम अहमद ग्राम विकास अधिकारी को चेक संख्या 020549 से रेहुत नाला निर्माण की मजदूरी का भुगतान रु0 123116.00 किया गया। लेखा परीक्षा में मास्टर रोल एवं कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र एम0बी0 के अभाव में अनियमितता प्रतीत होती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं पटल प्रभारी से व्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर 13 अनुदान रजिस्टर 2 की जांच में पाया गया कि ए0बी0आर0वाई0 अनुदान रजिस्टर निम्न विवरण के अनुसार वितरित की गयी। लेखा परीक्षा में ए0बी0आर0वाई0 अनुदान रजिस्टर एवं लाभार्थियों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे निम्न धनराशियाँ दुरुपयोगित प्रतीत होती है।

दिनांक	धनराशि
02-02-2015	15000.00
05-02-2015	7500.00
11-05-2015	60000.00
18-03-2015	37500.00
30-03-2015	15000.00
26-06-2015	7500.00
31-03-2016	40000.00
31-03-2016	15000.00
योग	197500.00

उपरोक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं पटल प्रभारी से व्याज सहित अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत बबेरु

प्रस्तर 14 अनुदान रजिस्टर 2 से वायोगेस अनुदान दिनांक 01-04-2011 को खाता संख्या 20168 (अनुदान रजिस्टर 3 से) रु0 6791.00 पर वर्ष 2011-12 में प्राप्त व्याज रुपया 287.00 प्राप्त के बाद वर्ष 2012-13 में जिला परियोजना अधिकारी बौदा के पत्रांक संख्या 1924 दिनांक 31-03-2012 को रु0 25500.00 प्राप्त निम्न विवरण अनुसार लाभार्थियों को दिया गया था

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	नाम लाभार्थी/ग्राम
04-05-2012	092807	8000.00	श्री गोपाल शरन सिंह, सांतर
03-10-2012	092808	8000.00	श्रीमती शकुन्तला, मझीवा
05-10-2012	092809	8000.00	श्री सुरेन्द्र सिंह, काजीटोला
08-02-2013	092811	8000.00	श्री विजयपाल, समगरा

उपरोक्त लाभार्थियों को वितरित अनुदान की पुष्टि में चयनित लाभार्थियों की सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत एवं संस्तुति सहित सूची प्राप्त न रहने से एवं लाभार्थियों की पत्रावली प्रस्तुत ना रहने से वितरित अनुदान दुरुपयोगित/अनियमित प्रतीत होता है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख जिम्मेदार रहे।

अतः रु0 32000.00 की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री वीरभानु सिंह एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती उमा देवी से आधा-आधा व्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर 15 अनुदान रजिस्टर 2 के पृष्ठ संख्या 14 पर राज वित वर्ष 2010 दिनांक 31-03-2011 को रुपया 78777.00 अवशेष में निम्न विवरणानुसार प्राप्त एवं व्यय दर्शित था।

दिनांक	अवशेष	अनु.	प्राप्त व्याज	नकद	दिनांक	व्यय	विवरण
31.03.11	78777.00				26.06.11	28800.0	क्षे.पं. सदस्य व प्रधानों को मानदेय
08.09.11			1777.00		20.07.11	32549.0	कार्यालय रंगार्ड-पुतार्ड
08.09.11				14200.0	27.03.11	28800.0	सदस्य/प्रधान मानदेय
30.03.12			16555.0	12000.0	19.11.12	28000.0	सदस्य/प्रधान मानदेय
07.09.12			16582.0		26.09.13	21742.0	सदस्य/प्रधान मानदेय
योग	78777.0	0.00	34914.0	26200.0		139891	

उपरोक्त पर निम्न आपत्ति रही

1- नकद जमा दिनांक 23-06-2011 एवं 27-03-2012 को आहरित रु0 28800.00 एवं स्वयं (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा क्षे0पं0 सदस्य/ प्रधानों को वितरित बाद अवशेष क्रमशः रुपया 14200'00 एवं 12000.00 है।

2- दिनांक 19-11-2012 को स्वयं आहरित रुपया 28000.00 में 13172.00 एवं 26-09-2013 को आहरित रुपया 21742.00 कुल 34914.00 खातें में बैंक शाखा द्वारा देय व्याज दिनांक 08-09-2011 एवं 07-09-2012 सम्मिलित है।

3- उपरोक्त विवरणानुसार वितरित मानदेय रुपया 81142.00 क्षे.पं0 सदस्य/प्रधानों को, में रुपया 34914.00 राज वित्त अनुदान की प्राप्त धनराशि बैंक शाखा में खुले बचत खाता अधिक जमा पर बैंक शाखा द्वारा देय व्याज थी।

4- शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012/10(33)/2010 दिनांक 31मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया जाता है तो

अर्जित व्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोश में जमा कर दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त आपत्तियों से खातों में प्राप्त व्याज 34914.00 रु0 जिसे राजकीय कोषागार में जमा न कर क्षेत्र. पं. सदस्यों/प्रधानों को वितरित किया मानदेय अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार पाठक एवं श्री वीरभानु सिंह उत्तरदायी रहे। जिनसे विभागीय नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 16 अनुदान रजिस्टर 2 के पृष्ठ संख्या 31 पर राज्य वित्त आयोग वर्ष 2011-12 से में0 पटेल ट्रेडर्स बबेरु को आय कर एवं व्यापार का काट कर उनके द्वारा ग्राम पंचायत हर्दोली में बाबू खों के घर से मेन रोड से मस्जिद तक सी0सी0 रोड निर्माण हेतु सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष प्रेषित विल क्रम संख्या 001 बुक संख्या 05 दिनांक 17-11-2011 धनराशि 175407.40 से 10945.00 काट कर शेष धनराशि 164462.00 चेक संख्या 534922 दिनांक 20-12-2011 को भुगतान किया की पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली की जांच में पाया गया कि राम किशन अपर अभियन्ता द्वारा निम्न लिखित आपूर्ति सामग्री पर रु0 29.50 प्रति घन मी0 स्टेटिंग चार्ज का प्रावधान करके परोक्ष रूप से में0 पटेल ट्रेडर्स बबेरु को रु0 2634.00 का अतिरिक्त अनियमित लाभ दिया गया था। जबकि लोक निर्माण की विशिष्टियों के अनुसार विभागीय कार्य पर सामग्री की दर से स्टैकिंग चार्ज देय नहीं होगा।

क्रमांक	सामग्री विवरण	का	मात्रा घन मीटर	कुल मात्रा घन मीटर	धनराशि
1	बालू		44.12	89.29 29.50	2634.055
2	गिट्टी एम0एम0	40	23.79		
	गिट्टी एम0एम0	20	21.38		

अतः अतिरिक्त अनियमित लाभ रुपया 2634.055 की ब्याज सहित वसूली में. पटेल ट्रेडर्स बबेरु से अपेक्षित है।

प्रस्तर 17 अनुदान रजिस्टर 2 की जांच में पृष्ठ संख्या 31 पर दिनांक 11.06.2012 को ग्राम पंचायत- बबेरु ग्रामीण में राम सागर के घर से मुन्ना के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण पर श्रमिकों को भुगतान हेतु श्री भवानी सिंह, ग्राम विकास अधिकारी को चेक संख्या 202604 से रुपया 27500.00 का भुगतान किया गया था कि पुष्टि में पुस्तुत पत्रावली में नत्थी (संलग्न) मास्टर रोल में क्रम 1 से 10 तक अकुशल श्रमिक एवं क्रम 10 एवं 11 पर कुशल श्रमिक से दिनांक 23.12.2011 से 29.12.2011 तक श्रम के बदले रुपया 10400.00 एवं दिनांक 14.01.2012 से 20.01.2012 तक रुपया 9600.00 इस प्रकार कुल रुपया 20000.00 तथा रुपया 7500.00 मिक्चर मशीन किराया, ट्रैक्टर एवं ट्राली का नम्बर एवं रसीदी टिकट लगा कर हस्ताक्षर नहीं था। जिससे प्रतीत होता है कि श्रम के बदले भुगतानित रुपया 7500.00 की फर्जी रसीद रख कर भुगतान किया गया था जो दुरुपयोगित प्रतीत होता है जिसके लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती उमा देवी एवं श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी रहे।

अतः रुपया 7500.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती उमा देवी, भू0 ब्लाक प्रमुख एवं श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय भू खण्ड विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रस्तर 18

क्र 0	चेक सं	दिनांक	धनराशि	कार्य विवरण	उत्तरदायी वी0डी0ओ0	लेखाकार
1	20699 1	23.06. 11	28800.00	क्षेत्र0पं0 सदस्य व प्रधानों को मानदेय	श्री किशुन लाल सोनकर	श्री राम प्रसाद
2	20699 3	27.03. 12	28800.00	क्षेत्र0पं0 सदस्य व प्रधानों को	श्री प्रदीप कु0 पाण्डेय	श्री राम प्रसाद

				मानदेय		
3	20699 4	09.11. 12	28800.00	क्षेत्र 0 पं० सदस्य व प्रधानों को मानदेय	श्री वीर भानु सिंह	श्री राम प्रसाद
4	20699 5	26.09. 13	21742.00	क्षेत्र 0 पं० सदस्य व प्रधानों को मानदेय	श्री रवि शंकर राय	श्री राम प्रसाद
5	20260 7	11.06. 12	36000.00	प्रमुख पद का मानदेय	श्री प्रदीप कुं पाण्डेय	श्री राम प्रसाद
6	20260 9	21.09. 12	1500.00	टैंडर का प्रकाशन नव कर्मयुग	श्री वीर भानु सिंह	श्री राम प्रसाद
7	20261 0	21.09. 12	12636.00	टैंडर का प्रकाशन नव कर्मयुग	श्री वीर भानु सिंह	श्री राम प्रसाद
8	17951 7	21.12. 13	54000.00	अ० क्षेत्र 0 पंचायत का मानदेय	श्री गिरीश कुं पाठक	श्री राम प्रसाद
9	17951 8	27.12. 13	10223.00	रा० वि/बी.आर. जी०एफ. का प्रकाशन	श्री गिरीश कुं पाठक	श्री राम प्रसाद
10	17951 9	27.12. 13	8686.00	रा.वि./तेरहवां टैंडर प्रकाशन	श्री गिरीश कुं पाठक	श्री राम प्रसाद
11	18395 2	27.02. 14	4500.00	निविदा प्रकाशन का भुगतान	श्री गिरीश कुं पाठक	श्री राम प्रसाद
12	53492 1	26.09. 11	46702.00	सोलन स्ट्रीट लाइट	श्री किशुन लाल सोनकर	श्री राम प्रसाद
	योग		281589.00			

उपरोक्तानुसार प्राप्त अनुदान का उपभोग विकास कार्य में न कर प्रासंगिक/प्रशासनिक मद में कर तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा गम्भीर अनियमितता की गई।

अतः रुपया 281589.00 की ब्याज सहित वसूली उपरोक्त उत्तरदायी श्री गिरीश पाठक एवं रामप्रसाद व्यक्तियों से अपेक्षित है।

प्रस्तर 19 अनुदान रजिस्टर 2 के पृष्ठ संख्या 66 पर तेरहवां वित्त आयोग वर्ष 10-11 से दिनांक 19.12.2013 को चेक संख्या 179508 से रुपया 50000.00 का भुगतान श्रमिकों के लिए श्री श्याम लाल जे०ई० को एवं पृष्ठ संख्या 67 पर तेरहवां वित्त 2013-14 से दिनांक 04.03.14 को चेक संख्या 153602 से रुपया 75527.00 (रुपया 1853.00 आयकर एवं 3224.00 सेल टैक्स काट कर) में अनिल कुमार, दुर्गेश कुमार बबेरु को सामग्री का ब्लाक परिसर में बोरिंग हेतु किया गया था।

उपरोक्त पर निम्न आपत्ति रही-

1- रुपया 50000.00 कार्य से पूर्व भुगतानित था कि पुष्टि में अग्रिम पंजिका एवं अग्रिम समायोजन पंजिका प्रस्तुत नहीं रही।

2- कार्य से पूर्व सिंचाई विभाग की स्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं था।

3- श्रमिकों की भुगतानित राशि पूर्णक में थी।

उपरोक्त से प्रतीत होता है कि सिंचाई विभाग द्वारा ब्लाक परिसर में कराये बोरिंग कार्य पर रुपया 125527.00 (में श्रमिकों को पूर्णक में भुगतानित धनराशि) का भुगतान दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया था। जिसके लिए तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी रहे।

अतः रुपया 125527.00 की ब्याज सहित वसूली तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार पाठक एवं लेखाकार श्री राम प्रसाद से अपेक्षित है।

प्रस्तर 20 शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया जाता है तो

अर्जित व्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करना होगा।

संस्था द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरणानुसार शासन से अवमुक्त धनराशि बैंक में रख कर व्याज अर्जित किया गया था।

क्र 0	मद	11-12	12-13	13-14	कुल योग
1	राज्य वित्त	216627	329795	236214	782636
2	बरहवां वित्त		16304	33050	49354
3	तेरहवां वित्त			175928	175928
4	बी.आर.जी.एफ.	5327	57524	117903	180754
5	बायोगैस	287	629	48	964
6	इ. आ. अ. य.			158	158
7	कन्टीजेन्सी	355	348	309	1012
8	मनरेगा	157583	72363	23537	253483
		380179	476963	587147	1444289

उपरोक्त अर्जित व्याज रुपया 1444289 मद बार खाते से शासन को वापस न कर खाते में रख गम्भीर अनियमितता की गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, श्री वीर भानु सिंह, श्री गिरीश कुमार पाठक एवं श्री राम प्रसाद लेखाकार उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 21 अनुदान रजिस्टर द्वितीय के पृष्ठ संख्या 45 व 46 में दिनांक 18-10-2016 को चेक संख्या 098270 द्वारा रुपया 263226.00 एवं दिनांक 22-12-2016 को चेक संख्या 433491 द्वारा रुपया 275467.00 आय कर एवं व्यापारकर क्रमशः 13222.00 व 22997.00 काट कर सामग्री आपूर्ति कर्ता मे0 मित्र ट्रेडर्स औगासी रोड बबेरु को भुगतान किया गया कि जांच में प्रस्तुत पत्रावली में विकास खण्ड बबेरु कार्यालय भवन मरम्मत की प्राक्कलन धनराशि 8.36 लाख में सामग्री पर 495601.00 रुपया, श्रम पर 194926.00 रुपया कम्प्लीट सामग्री 160722.00 रुपये एवं मे 1 प्रतिशत रुपये 8512.00 रुपये 3500.00 का डिस्प्ले बोर्ड दर्शित तथा के सापेक्ष मित्र ट्रेडर्स औगासी रोड बबेरु द्वारा दिनांक 28-10-2016 को बिल नं 254,154, 1555 से रुपया 280924.00, 293988.00 एवं 2850.00 को सामग्री आपूर्ति की गयी पर उपरोक्तानुसार मित्र ट्रेडर्स औगासी रोड बबेरु को सामग्री आपूर्ति रुपये 274912.00 के सापेक्ष रुपया आयकर काटकर भुगतान किया गया था तथा कार प्रभारी श्री श्याम लाल जी एम0 आई0 को भवन मरम्मत में श्रमिकों को मजदूरी मास्टर रोल 1 से 6 में दर्शित धनराशि रुपया 221680.00, 277760.00 श्रम तथा कम्प्लीट आइटम एवं रुपया 2850.00 डिस्प्लेबोर्ड इस तरह कुल रुपया 254920.00 का भुगतान चेक संख्या 435492.00 दिनांक 22-12-2016 को किया गया था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आपूर्ति की प्राक्कलन धनराशि रुपया 495601.00 के सापेक्ष रुपया 574912.00 मूल्य की निर्माण सामग्री विकासखण्ड बबेरु कार्यालय भवन मरम्मत में उपभोग बिना प्राक्कलन में संसोधन किये बिना क्षे0पं0 अध्यक्ष एवं सचिव(स.वि.अधि.) की स्वीकृति प्राप्त किये रुपया 79311.00 मूल की सामग्री प्राक्कलन में दर्शित से अधिक प्रयुक्त कर धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए कार्य प्रभारी उत्तरदायी रहे।

अतः रुपया 79311.0 की ब्याज सहित वसूली कार्यप्रभारी श्री श्याम लाल जी जे0ई0 एम0आई0 से अपेक्षित है।

प्रस्तर 22 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेख, अनुदान रजिस्टर द्वितीय, तृतीय एवं पासबुक की जांच से वर्ष 2015-16 में शासन से प्राप्त एवं उपभोग पश्चात तेरहवां वित्त अनुदान 1-04-2015 को रुपया 1244369.00 एवं बैंक शाखा द्वारा अवशेष धनराशियों पर देय व्याज 295821.00 में वर्ष 2015-16 शासन से प्राप्त अनुदान 1965273.00 तथा क्षे0पं0 द्वारा दिनांक 21-07-2015 तक उपभोग अनुदान 2964604.00 के उपरान्त दिनांक 21-07-2015 को अवशेष अनुदान 245038.00 था में दिनांक 20-10-2010 को बारहवां वित्त का अवशेष अनुदान 134865.00 पर बैंक शाखा द्वारा दिनांक 09-03-2015 तक कुल व्याज

04-03-2013 से 83228.00 का अनुदान रजिस्टर द्वितीय के पृष्ठ संख्या 69 पर हस्ताक्षरित लेखा कर निम्न विवरणानुसार सम्बन्धित को भुगतान दर्शित है।

क्र 0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	पक्ष में	विवरण
1	30.07.15	032782	483835.0	मे. साई ट्रेडर्स क0	ग्राम पंचायत अहार में निविहा तालाब में रिटर्निंग वाल
2	30.07.15	032785	32531.0	आयकर+विक्रीकर	11876.00+20655.00
3	30.07.15	032783	136990.00	श्री हरि नारायण (ग्रा0 पं0 अधि.)	श्रमांश का
4	04.09.15	032803	68894.00	मे. साई ट्रेडर्स क0	ग्राम पल्हरी साहू पुरवा में पुलिया निर्माण
5	04.09.15	032804	27237.00	श्री कमलेश सिंह (ग्रा0पं0अधि0)	मजदूरी का
6	28.03.17	155642	2941.0	बिक्रीकर जमा	
7	28.03.17	155643	1691.00	आयकर जमा	
		योग	754119.00		

उपरोक्त सम्बन्धित पक्ष को भुगतानित धनराशि में बारहवां वित्त एवं तेरहावें वित्त का अनुदान एवं बैंक शाखा द्वारा प्राप्त व्याज निम्न प्रकार था।

मद	अनुदान+व्याज	भुगतानित	अवशेष
बारहवां वित्त	134865.00+83228.00	218093.00	शून्य
आयोग	245038.00+334160.	536026.00	730734.00
तेरहवां वित्त	00+27562.00		
आयोग			
	379903.00+417388.00+27562.00	754119.00	70734.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान बैंक शाखा में रख कर बैंक शाखा द्वारा अवशेष धनराशि पर व्याज देय बारहवां वित्त आयोग पर 83228.00 एवं तेरहवां वित्त आयोग पर 361722.00 कुल रुपया 444950.00 में से रुपया 374216.00 सम्बन्धित को भुगतान किया गया है जो शासनादेश के विरुद्ध रहा। क्योंकि शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21-03-2012 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज संस्था की आय न होकर राज सरकारी की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करना होगा।

अतः शासनादेश के विरुद्ध भुगतानित रुपया 374216.00 की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार पाठक एवं लेखा कार राम प्रसाद से अपेक्षित है।

प्रस्तर 23 राज वित्त आयोग अनुदान से ग्राम पंचायत बड़ा गाँव में मिलाथू पक्की रोड से मिलाथू पलहरी रोड में सोलिंग एवं पोलियों के निर्माण हेतु में. साई ट्रेडर्स बाँदा द्वारा सामगी एवं रोलर की आपूर्ति कर संस्था को प्रस्तुत बिल का भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया है अनुदान रजिस्टर द्वितीय में भुगतानित निम्न प्रकार दर्शित था

क्र	अनु. रजि. का पृष्ठ	दिनांक	चेक सं.	भुगतानित धनराशि	दिनांक	बिल संख्या	विल की राशि	काटा गया आयकर	व्यापार कर

	संख्या								
1	38	23.05.15	016256	755076.0	22.5.15	276	805844.0	18534.0	32234.0
2	39	7.7.15	016269	485973.0	30.6.15	346	485973.0	—	—
3	39	16.7.15	016276	675273.0	13.3.15 14.7.15	349 350	130798.0 552715.0	— —	— —
4	40	25.8.15	32792	476300.0	27.27.15 27.07.15	284 285	430737.0 77587.0	11691.0	20333.0
				2392522.0			2483654.0	33233.0	57799.0

उपरोक्त भुगतान संस्था (मे. साई ट्रेडर्स क0) द्वारा प्रस्तुत विलों के सापेक्ष किया में बिल संख्या 346 एव 350 की धनराश पर क्षेत्र पंचायत द्वारा बिना आयकर की कटौती किए भुगतान किया जबकि आयकर अधिनियम 1961 (यथा संसोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो तथा सामग्री आपूर्ति के विलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किए जाने उपरान्त ही भुगतान किए जाने के प्रावधान है, आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तरगत प्रत्येक तिमाही अनितम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमाकिए जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किए जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर " न काटे गये आयकर की धनराशि बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्षेत्र.पं. द्वारा बिल संख्या 346 व 350 के बिलों के भुगतानित धनराशि पर आयकर रुपया 23890.00 पर पेनाल्टी आरोपित कर ब्याज सहित वसूली आहरण-वितरण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार पाठक से अपेक्षित है।

प्रस्तर 24 अनुदान रजिस्टर द्वितीय के पृष्ठ संख्या 41 पर राज्य वित्त आयोग से विकास खण्ड कार्यालय परिषर में मिट्टी भराई का भुगतान मे0 नीलेश ट्रेडर्स बबेरु को दिनांक 30.11.2015 को चेक संख्या 032816 से रुपया 26730.00 भुगतानित दर्शित था की पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली की जांच में पाया गया कि मे0 नीलेश ट्रेडर्स औगसी रोड बबेरु द्वारा श्री भवानी सिंह ग्रा0पं0 अधिकारी कार्यप्रभारी की देख-रेख में विकासखण्ड कार्यालय परिषर में 162 घनमीटर मिट्टी डालकर श्रमिकों से समतल कराकर रुपया 26730.00 का विल संख्या 38 दिनांक 13.10.2015 को प्रस्तुत किया कि एम0बी अवर अभियन्ता द्वारा कर रुपया 26762.00 दर्शित के सापेक्ष क्षेत्र0पं0 बबेरु द्वारा उक्त भुगतान किया गया है।

क्षेत्र पंचायत द्वारा 162 घनमीटर मिट्टी का किया भुगतान उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 (यथा संसोधित 39वां संसोधन) के नियम 21 के अनुसार और शासनादेश संख्या 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ दिनांक 15 दिसम्बर 2004 के अनुसार निर्माण कार्यो में भरायी आदि प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी के खनन हेतु विधिवत् अनुज्ञा पत्र खण्ड एम0एम0-11 एवं रायल्टी(19 जनवरी 2016 से 14 रु0 बढ़ा कर 30 रु प्रति घनमीटर) का देय सुनिश्चित किया गया है, पर इसकी कटौती नहीं कि गयी है। इस प्रकार रुपया 2268.0 राजस्व की हानि हुई जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीश कुमार पाठक एवं तत्कालीन लेखाकार रामप्रसाद से राजकीय कोश में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 25 अनुदान रजिस्टर द्वितीय के पृष्ठ संख्या 43 पर राज वित्त आयोग से दिनांक 11.07.2016 को चेक संख्या 098261 से रुपया 227606.00 में मे0 रामकरन पटेल को भुगतान किया कि पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली ग्राम पंचायत जलालपुर में राम किशोर सविता के घर से ध्यान चंद बाबा के आश्रम की ओर सीसी रोड निर्माण 4.62 लाख स्वीकृति पीआर श्री चंद्र राज ग्राम पंचायत अधिकारी को कार्यप्रभारी नियुक्त

कर मे० रामकरन पटेल से सीसी रोड निर्माण हेतु की सामग्री आपूर्ति की एम०बी० श्री श्याम लाल जी एम०आई० द्वारा स्टॉक रजिस्टर अप्रस्तुत रहा, में बिना लेखा किया आपूर्ति सामग्री के सापेक्ष विल नं 2 दिनांक 06.07.2016 मूल्य 242709.00 रु० से आयकर रुपया 5587.00 एवं व्यापार कर 9716.00 काटकर क्षे०पं० द्वारा उपरोक्त भुगतान किया गया ।

भुगतानित रुपया 227606.00 के सापेक्ष निर्मित निर्माण स्थलपर सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा की गयी सामग्री का उपभोग दिनांक 31.03.2017 नहीं किया गया था बल्कि आपूर्ति सामग्री का उपभोग 25.07.2017 से 10.08.2017 के मध्य किया गया जो सामग्री आपूर्ति के एक वर्ष उन्नीस दिन बाद था जबकि सामग्री आपूर्ति में सीमेंट भी थी जो बिना किसी सुरक्षित स्थान स्टॉक में रख कर एक वर्ष बाद किया उपभोग भुगतानित रुपया 227606.00 अलाभकारी रहा जिसके लिए एम०बी० कर्ता श्री श्याम लाल जेई एमआई उत्तरदायी रहे जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 26 लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों की जांच में पाया गया कि माह मार्च 2017 के अन्त में शासन से प्राप्त अनुदान निम्नलिखित मदवार अप्रयुक्त/अवरुद्ध रखा गया।

क्रम	मद	वर्ष के अन्त में मेन शेष
1	राज्य वित्त	3021805
2	वायोगैस	291
3	इ०आ०अ०व्यय	977592
4	एबीआरवाइ	68027
5	बीआरजीएफ	26025
6	मनरेगा	38149
	योग	4131889

भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा किसी भी कार्यकारी संस्था को यदि क्षेत्रीय विकास कार्य हेतु अनुदान दिया जाता है तो उस संस्था का यह दायित्व होता है कि प्राप्त धनराशि को उस वित्तीय वर्ष में कार्य योजना बना कर धनराशि का उपभोग कर लिया जाये जिससे क्षेत्र में विकास कार्य होंगे साथ ही क्षेत्रीय जनता को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। यदि धनराशि अप्रयुक्त अवशेष रहती है तों क्षेत्रीय कार्य प्रभावित होंगे। जनता को प्राप्त होने वाले रोजगार से वंचित होना पड़ेगा साथ ही बाजार मूल्य के चढाव से हानि होगी।

अतः उपरोक्त अनुदान की धनराशि रुपया 4131889.00 दिनांक 31.03.2017 तक अवशेष/अवरुद्ध रखा जाना आपत्ति जनक रहा, जिसके लिए बी.डि.ओ.श्री धीरेन्द्र कुमार यादव एवं ब्लाक प्रमुख श्री मती सुमन देवी उत्तरदायी रहे जिनसे नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 27 प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर द्वितीय की जांच में तेरहवां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगवाकर भुगतान किया दर्शित था जो निम्न प्रकार भुगतान दर्शित था

क्र.	अनु० रजि० पृष्ठ संख्या	मद	भुगतान का दिनांक	चेक संख्या	पक्ष में राशि	विवरण
1	69	13 वां वित्त	2805.2015	016261	1128335.00	मे०भरत इन्टरप्राइजेज
2	69	13वां वित्त	02.07.2015	016280	919784.00	मे०भरत इन्टरप्राइजेज
3	46	राज्य वित्त	09.11.2016	098274	752040.00	मैं. मन्नत इलेक्ट्रिकल्स
4	46	राज्य वित्त	19.01.2017	98278	5222510.00	मैं. मन्नत इलेक्ट्रिकल्स
5	46	राज्य वित्त	30.03.2017	15564	396910.	मैं. मन्नत इलेक्ट्रिकल्स

				1	00	
				योग	3718919.00	

उपरोक्त भुगतानित धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायतों में लगवाई गयी स्ट्रीट लाइट 13 वित्त आयोग से एवं राज्य वित्त आयोग से की पत्रावलियों की जांच से निम्न ग्राम पंचायतों में अधिस्थापित की गयी।

क्र	ग्रा.प.	संख्या	क्र	ग्रा.प.	संख्या	क्र	ग्रा.प.	संख्या	क्र	ग्रा.प.	संख्या
1	पल्हरी	06	16	गौरीखानपुर	03	31	मर्का	03	46	अनौसा	01
2	देवरथा	02	17	समसुद्दीनपुर	01	32	नाथूबाबा का डेरा	01	47	औगासी	06
3	बगेहटा	07	18	पतवन	04	33	उसरा मर्का	01	48	पाराबन्नुबेगम	01
4	पेस्टा	04	19	बबेरु	01	34	बैरफ मर्का	01	49	गुजैनी	01
5	पडरी	02	20	बघैला	02	35	मिरजापुर मर्का	01	50	उमरहनी	05
6	रगौली	01	21	बदौली	01	36	पालनडेरा मर्का	01	51	जुगरेहली	03
7	मझिवां	03	22	कलाना	01	37	झंगुवारी मर्का	01	52	समगरा	02
8	अहार	21	23	उमरी	01	38	सांडा	02	53	निमौरा	05
9	शिव	02	24	परास	01	39	अधांव	04	54	जलालपुर	06
10	भवाई जुमदार	01	25	टोलाकाला	01	40	रयान	01	55	बौजा	01
11	परा विहारी	04	26	पिण्डारन	03	41	बाकल	01	56	भभुवा	04
12	मुरवल	08	27	बबेरु ग्रामीण	05	42	बरौली आजम	04	57	भदवारी	02
13	अलिहा	03	28	मिलाथू	04	43	आलमपुर	04	58	अन्नावन	01
14	जनवारा	01	29	बड़ागांव	02	44	काजीटोला	04	59	थरथुआ	01
15	हरदौली	05	30	गौरी तालाब व मर्का	01	45	सिमौनी	07	60	कोरारी	02

उक्त ग्राम पंचायतों में सोलन लाइट अधिष्ठापित फलस्वरूप सृजित संपत्ति पर जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत में से किसका स्वामित्व होगा पत्रावली में स्पष्ट नहीं था। सोलन स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित होने पर सृजित संपत्ति न तो किसी संस्था को हैंडओवर की गई और न ही स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की गई ऐसी स्थिति में अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट पर भुगतानित रुपया 3718919.00 संदिग्ध प्रतीत होता है अधिष्ठापित सोलन लाइट के कार्यरत् में बनाए रखने हेतु किसी संस्था को हैंडओवर किया जाना जरूरी था जिससे भुगतानित धनराशि की प्रमाणिकता की पुष्टि होती है।

अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट के वास्तविकता की पुष्टि संबंधी संस्था को हैंड ओवर एवं स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट को फर्जी/काल्पनिक मानते हुए जाचोंपरान्त ब्लॉक प्रमुख श्रीमती उमा देवी, श्रीमती सुमन देवी एवं बीडीओ श्री गिरीश कुमार पाठक एवं श्री धीरेन्द्र कुमार यादव के विरुद्ध ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 28 शा0स0ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित व्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विरिीत है।

संस्था द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न विवरण अनुसार शासन से अवमुक्त धनराशि बैंक शाखाओं में रखकर व्याज अर्जित किया गया था।

क्रम	मद	2014-15	2015-16	2016-17
1	वायोगैस	50	58	42
2	मनरेगा(कंटीजेन्सी)	361		
3	ए बी आर वाई	497	2754	2206
4	इ.आ.अ.व्य.	18233	42518	40213
5	बी आर जी एफ	55948	11370	8186
6	राज्यवित्त आयोग	128822	168095	66732
7	13वां वित्त आयोग	119893	38339	27562
8	12वां वित्त आयोग	33874		
9	मनरेगा	19137	27092	20500
10	योग	376815	290226	165441

उपरोक्त अर्जित व्याज वर्ष 2014-15 में रुपया 37815, 2015-16 में रुपया 290226.00 एवं वर्ष 2016-17 में रुपया 165441.00 कुल रुपया 832482.00 शासन को वापस न कर बैंक शाखाओं में खुले बचत खाता अधीन कर गम्भीर अनियमितता की गई जिसके लिए तत्कालीन बीडीओ श्री उमेश चन्द्र तिवारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय, गिरीश कुमार पाठक एवं धीरेन्द्र कुमार यादव एवं लेखाकार श्री राम प्रसाद एवं रामचन्द्र उत्तरदायी रहे।

प्रस्तर 29 अनुदान रजिस्टर 2 के पृष्ठ संख्या 40 पीआर दिनांक 04-09-2015 को चेक संख्या 032805 से रुपया 61730.00 मे0 साई ट्रेडिंग कंपनी को बबेरु ग्रामीण में तालाब झील से संतोष वकील के घर तक मोरंगीकरण का भुगतान किया दर्शित की पुष्टि में प्रस्तुत पत्रावली की जांच में पाया गया की तालाब झील से संतोष वकील के घर तक मिट्टी भराई एवं मोरंगीकरण हेतु में. साई ट्रेडिंग कंपनी बोंदा द्वारा लाल मोरम 61.5 घनमीटर की आपूर्ति कर दिनांक 21-07-2015 को बिल संख्या 283 से मू0 65880.00 के प्रस्तुत बिल से आयकर रुपया 1515.00 एवं व्यापार कर रुपया 2635.00 काटकर उपरोक्त भुगतान संस्था द्वारा किया गया था। श्री कमलेश सिंह ग्रा0पं0वि0अधि0/ कार्यप्रभारी द्वारा आपूर्ति मोरंग की उपयोगिता में श्रमिकों को भुगतानित श्रम के बदले धनराशि शून्य एवं मास्टर रोल अप्राप्त के साथ-साथ आपूर्ति मोरंग स्टाक अधीन थी कि पुष्टि में स्टाक रजिस्टर अप्राप्त से आपूर्ति मोरंग पीआर भुगतानित रुपया आयकर एवं व्यापार काट कर रु0 61730.00 दुरुपयोगित प्रतीत होता है। जिसके लिए तात्कालिक बीडीओ श्री गिरीश कुमार पाठक एवं लेखाकार श्री राम प्रसाद उत्तरदायी रहे जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

क्षेत्र पंचायत- कमासिन

प्रस्तर 30 लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा कृत कार्यों से संबन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि अधोलिखित कार्यों के श्रमांश भुगतान में निम्न कमियाँ रही-

क्र	कार्य	श्रमांश	चेक सं	दिनां	आपत्ति	कार्य प्रभारी

				क		
1	ग्राम पंचायत जामु में वादे यादव के घर से माडल तालाब तक नाला निर्माण सत्र 2012-13।	61263.00			मास्टर रोल नहीं पाया गया	श्री रवि मौर्य
2	ग्राम पंचायत बेनामऊ के महेड़पुरवा में लखनपुर में रोड से बंशीलाल कि कुटी तक सी0सी0 रोड निर्माण सत्र 2013-14	51810.00	195107	6.2.14	मास्टर रोल में श्रमिकों के अंगूठे/हस्ताक्षर नहीं पाये	श्री रवि मौर्य
3	ग्राम पंचायत लखनपुर जगऊटोला में हरिजन बस्ती से सिंघवाहिनी तक खड़जा निर्माण सत्र 2013-14	22092.00	195104	5.2.14	मास्टर रोल में श्रमिकों के अंगूठे/हस्ताक्षर नहीं पाये	
4	ग्राम पंचायत परसौली में तरान्या रोड से शिवबली के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण सत्र 2013-14	20460.00			मास्टर रोल में श्रमिकों के अंगूठे/हस्ताक्षर नहीं पाये	
	योग	155625.0				

उपरोक्त कार्यों के श्रमांश की धनराशि बिना मास्टररोल के निकाल कर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः रु0 155625.00 की कार्यों के कार्यप्रभारी श्री रवि मौर्या (ग्रा0वि0अ0), श्री वेदप्रकाश वर्मा (ग्रा0वि0अ0), श्री अमित कुमार (जे0ई0), श्री तुलाराम(जे0ई0) से ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर 31 लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा कृत कार्य से संबन्धित वर्ष 2012-13 की पत्रावलियों की जांच में पाया गया की ग्राम पंचायत छिलोलर में भूरा कोरी के दरवाजे से लक्ष्मी कोरी के दरवाजे तक खड़जा निर्माण कार्य में सामाग्री हेतु चेक संख्या 136871 दिनांक 04-01-2013 रु 129000.00 का भुगतान किया गया है। जिससे संबन्धित बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। वाउचर विहीन धनराशि रु0 129000.00 अपहरित प्रतीत होती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन श्री रामराज सिंह (बीडीओ) व प्रधान श्रीमति भूरा देवी से अपेक्षित है।

प्रस्तर 32 लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत के कृत कार्यों से संबन्धित जांच में पाया गया की निम्न बिलों के भुगतान में आयकर व्यापार कर नहीं काटा गया है।

क्र	कार्य	चेक संख्या	दिनांक	बिल बुक संख्या/बिल संख्या	बिल की धनराशि	व्यापार	आयकर
1	ग्राम पं0 बंथरी में जमरेहीनाथ में सामुदायिक भवन का निर्माण सत्र 2012-13			7/7 7/24	143410.00 97850.00	5737.0 3914.0	3299.00 2251.00
2	ग्रा0 पं0 तरायां में सीसी रोड निर्माण शिवस्वरूप तिवारी के घर से मेन रोड तक	136890 195076	18.1.13 9.5.13		200000.00 128500.00	8000.0 5140.0	4600.0 2956.0

	सत्र 2012-13, 2013-14						
3	ग्रा0 पं0 जामु में वादे यादव के दरवाजे से माडल तालाब तक नाला निर्माण सत्र 2012-13	13687 3 17540 4 17540 7	1.1.13 24.1.13 16.3.13		222000. 00 35090.00 21937.00	8880.0 1404.0 878.00	5106. 00 807.00 505.00
	योग					33953. 0	19524. 0

उपरोक्त धनराशि पर क्षेत्र पंचायत द्वारा बिना आयकर व व्यापारकर कटौती के भुगतान किया। आयकर अधिनियम 1961 (यथा संसोधित) की धरा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो तथा सामग्री आपूर्ति के बिलों से स्रोत पर आयकर की कटौती किए जाने उपरांत की भुगतान किया जाने का प्रावधान है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर न काटे गए आयकर की धनराशि के बराबर वसूलनीय पेनाल्टी आरोपित किये जाने का प्रावधान है और कम से कम तीन माह के कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है।

अतः भुगतानित धनराशि पर आयकर 19524.00 व व्यापार कर 33953.00 पर पेनाल्टी आरोपित कर ब्याज सहित वसूली आहरण वितरण अधिकारी तात्कालिक बीडीओ श्री रामराज सिंह व श्री विरभानु सिंह से अपेक्षित है।

प्रस्तर 33 लेखा परीक्षा में क्षेत्रपंचायत के कृत कार्यो से संबन्धित जांच में पाया गया की बी0आर0जी0एफ0 योजना में निम्न अनुसार भुगतान हुआ है—

क्र	कार्य	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1	ग्राम पंचायत मुसीवा के आवास	24.09.2011	689567	41784. 00
2	ग्राम पंचायत कुम्हेड़ासानी के आवास	13.12.2011	689568	10446. 00
3	टावासों की द्वितीय किस्त	14.12.2012	689568	20892. 00
	योग			73122. 00

उपरोक्त भुगतान से संबन्धित कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं रही। जो की गम्भीर अनियमितता को दर्शाती है। राशि 73122.00 की ब्याज सहित वसूली तात्कालिक श्री महेन्द्र कुशवाहा (ब्लॉक प्रमुख) श्री बी0डी0 वर्मा (बीडीओ) व श्री रामराज सिंह बीडीओ से अपेक्षित है।

प्रस्तर 34 लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत के कृत कार्यो से संबन्धित जांच में पाया गया की ग्राम पं. तरायां में सी0सी0 रोड निर्माण शिवस्वरूप तिवारी के घर से मेन रोड तक में सामग्री हेतु चेक संख्या 136890 दिनांक 18-01-2013 रुपया 200000.00 व चेक संख्या 195076 दिनांक- 09-05-2013 रुपये 128500.00 भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आयकर व्यापार कर नहीं काटा गया एवं श्रमांश रु0 45277.00 के भुगतान का प्रमाणक मास्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा साथ उपराक्त कार्य की टेण्डर/कोटेशन की पत्रावली, एम0बी0 की मूलप्रति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही रहे।

अतः सम्पूर्ण धनराशि 373777 गम्भीर अनियमितता करते हुए अपहरित प्रतीत होती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तात्कालिक श्री महेन्द्र कुशवाहा (ब्लॉक प्रमुख), श्री विरभानु सिंह (बीडीओ), श्री रामराज सिंह (बीडीओ), श्री रवि मौर्या (ग्रा0वि0अ0), श्री अमित कुमार (जे0ई0) से अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- बड़ोखर खुर्द

प्रस्तर 35 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्रांट रजिस्टर द्वितीय की जांच में पाया गया कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से निर्माण कार्य कराये जाने थे किन्तु उक्त कार्य न कराकर सम्बन्धित निधि से अन्य मदों (सेनेटरी एवं फर्नीचर) में व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र	दिनांक	फर्म का नाम	चेक संख्या	धनराशि	मद
1	01.06.2015	मे0 जगदीश यादव	483375	139980.00	सेनेटरी
2	23.12.2016	मे0 साईं फर्नीचर	483378	76028.00	फर्नीचर
		योग		216008.00	

उपरोक्त धनराशि के दुरुपयोग हेतु तत्कालीन पटल प्रभारी श्री गुलाम मुस्तफा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0डी यादव उत्तरदायी है। विभागीय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 36 ग्रांट रजिस्टर द्वितीय की जांच में पाया गया कि इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी मद के अन्तर्गत दिनांक 28.02.2015 को श्री शिवलोचन कैशियर को चेक संख्या 188257 द्वारा रुपया 47457.00 के विविध बिल के भुगतान किए गये जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं शासनादेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जिससे उक्त धनराशि अपहरण प्रतीत होती है जिसके लिए श्री शिवलोचन कैशियर एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री आ0डी0 यादव उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री शिवलोचन कैशियर एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0डी0 यादव से अपेक्षित है।

प्रस्तर 37 ग्रांट रजिस्टर द्वितीय की जांच में पाया गया कि इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी मद के अन्तर्गत दिनांक 25.03.2015 को श्री शिवलोचन कैशियर को चेक संख्या 020023 द्वारा रुपया- 58738.00 कार्यालय कन्टीजेन्सी हेतु भुगतान किया गया, किन्तु उक्त धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये जिससे उक्त धनराशि अपहरण प्रतीत होती है जिसके लिए श्री शिवलोचन कैशियर एवं खण्ड विकास श्री आर0डी0 यादव उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री शिवलोचन कैशियर एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0डी यादव से अपेक्षित है।

प्रस्तर 38 ग्रांट रजिस्टर द्वितीय की जांच में पाया गया कि इन्दिरा आवास कन्टीजेन्सी के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार श्री शिवलोचन कैशियर को भुगतान किया गया-

क्र0सं 0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	मद
1	30.11.2015	020034	94408.00	स्टेशनरी
2	03.05.2016	022101	37164.00	
		योग	131572.00	

उक्त धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त धनराशि के अपहरण हेतु श्री शिवलोचन कैशियर एवं खण्डविकास अधिकारी श्री आर0डी0 यादव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- बिसण्डा

प्रस्तर 39 नियमानुसार विभिन्न बैंको में अनुदान की जमा धनराशि पर बैंकों द्वारा प्राप्त व्याज को राजकीय कोषागार में जमा कर दिया जाना चाहिए परन्तु ऐसा न कर क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2012-13 में 162745.00 की धनराशि का उपयोग विभिन्न मदों में कर लिया गया है जो अनियमित एवं आपत्ति जनक है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्रमां क	माह	धनराशि	मद

1	06 / 2012	106665.00	कम्प्यूटर, कुर्सी, मेज, का क्रय
2	02 / 2012	26600.00	कम्प्यूटर व बैटरी
3	08 / 2012	5580.00	रंगाई / पुताई में
4	09 / 2012	23900.00	इन्वर्टर व दो नग बैटरी
		योग	

प्रस्तर- 40 वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायत फफूदी में रामकेश के दरवाजे से कल्लू यादव के दरवाजे तक सी0सी0 रोड का निर्माण प्रभारी श्री अरविन्द कुमार द्वारा कराया गया जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

- 1- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं है।
- 2- मास्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं है।
- 3- निरीक्षण कर्ता का हस्ताक्षर मास्टर रोल पर नहीं पाया गया।
- 4- कार्य के पूर्व एवं पूर्ण होने के बाद फोटो कराया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है।
- 5- एक लाख के उपर के कार्य हेतु निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा न कर कोटेशन लिया गया।

उक्त कार्य हेतु श्री अरविन्द कुमार (प्रभारी) को चेक संख्या 200160 दिनांक 28.03.2012 द्वारा रुपया 36060.00 (एमआर रु 11940.00, एमआर रु 12180.00, डटते 11940.00) का भुगतान किया गया। तथा सामग्री क्रय हेतु मे0 बाम्बेश्वर ट्रेडर्स को चेक संख्या 200155 द्वारा रुपया 261214.94 का भुगतान किया गया है।

चूँकि इस कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है अतः बिना कार्य सामग्री का उपयोग भी नहीं हुआ।

इस प्रकार सामग्री पर दर्शित व्यय रुपया 261214.94 व मजदूरी पर दर्शित व्यय रुपया 36060.00 कुल व्यय रुपया 297274.94 का भुगतान फर्जी प्रतीत होता है जिसकी ब्याज सहित क्षतिपूर्ति श्री अरविन्द कुमार प्रभारी, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार नागेन्द्र कुमार दीक्षित से कराई जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 41 वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत सिंहपुर में प्राथमिक विद्यालय से नत्थू राम के दरवाजे तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराया गया जिसपर निम्न आपत्तियाँ हैं-

- 1- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।
- 2- कार्य के पूर्व एवं पूर्ण होने के बाद फोटो नहीं कराया गया।
- 3- मास्टर रोल के निरीक्षण कर्ता का हस्ताक्षर नहीं पाया गया।

अतः कार्य की सत्यता संदिग्ध है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त कार्य हेतु निम्न प्रकार व्यय दर्शाया गया है।

क्रमांक	मद का नाम	धनराशि	दिनांक
1	सामग्री पर व्यय	88054.00	
2	मजदूरी पर व्यय	49500.00	22.05.2014
3	सामग्री पर व्यय	172370.00	22.02.2014
	योग	309924.00	

अतः दर्शित व्यय रुपये 309924.00 अधिभार योग्य है जिसकी ब्याज सहित क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से अपेक्षित है

प्रस्तर 42 शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया जाता है तो व्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकीय कोश में जमा करा दिया जाना चाहिए, परन्तु क्षेत्र पंचायत विसण्डा द्वारा ऐसा न कर धन का दुरुपयोग किया गया है जो अनियमित एवं आपत्तिजनक है आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	मद

1	14 सितम्बर 2015	5497.00	लाइट फिटिंग
2	फरवरी 2016	3275.00	
3	मार्च 2016	97702.00	प्रमुख कक्ष में कारपेट, चेयर, फैन, टेबुल
4	अप्रैल 2016	7425.00	
5	जुलाई 2016	17850.00	
	योग	131749.00	

प्रस्तर 43 वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायत इटरा मिलौली में सुखराम सिंह के मकान से जम्मू शाह के महान तक सी0सी0 रोड का निर्माण राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत दर्शित है। जिस पर निम्न प्रकार व्यय किया गया दर्शित है—

क्रमांक	मद	दिनांक	धनराशि
1	तिवारी ट्रेडर्स से सामग्री क्रय	07.06.2015	190196.00
2	तिवारी ट्रेडर्स से सामग्री क्रय	14.06.2015	126619.00
3	मजदूरी भुगतान पर व्यय	28.06.2015	53000.00
	योग		369815.00

उक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

- 1— मजदूरी का भुगतान प्रति सप्ताह किया जाना चाहिए जो नहीं हुआ। कार्य समाप्त होने के दिनांक 28.06.2015 से एक माह बाद दिनांक 20.07.2015 को दिया गया।
 - 2— क्रमांक 122 पर दर्शित सामग्री क्रय का दिनांक 07.06.2015 व 14.06.2015 को किया गया जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी फोटो प्रति फाइल में संलग्न है जबकि मूल प्रति होनी चाहिए।
 - 3— सामग्री का क्रय 07.06.2015 को हुआ जबकि मास्टर रोल के हिसाब से कार्य दिनांक 26.05.2015 को ही पूर्ण हो चुका था। इस प्रकार बिन सामग्री कार्य पूर्ण होना संदिग्ध प्रतीत होता है।
- उपरोक्त कारणों से किया गया कार्य संदिग्ध है जिस पर व्यय एवं सामग्री पर दर्शित व्यय रुपया 369815.00 प्रभारी श्री ओम प्रकाश मिश्र से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-03

जनपद—हमीरपुर मण्डल का नाम — चित्रकूट धाम, बांदा।

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

आपत्ति सं0— 1 :—क्षेत्र पंचायत मौदहा में शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान पर अर्जित ब्याज शासनादेश सं0—10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33) 2015 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार संस्था की नहीं है, वरन् शासन का है। जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोष में सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराते हुये शासन को वापस करना चाहिये। वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रू0—15,66,009.00 प्राप्त ब्याज शीघ्र से शीघ्र शासन को वापस किया जाना चाहिये। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं0— 2 :— क्षेत्र पंचायत मौदहा में वर्ष 2015-16 के ग्राण्ट रजिस्टर 2 के मद अनुसार ब्याज रू0— 14,686.00, दुकान किराया रू0— 1,36,574.00, पेयजल प्रशिक्षण रू0— 30,708.00 कुल धनराशि रू0— 1,81,968.00 दर्शित है। वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा हेतु उक्त मदों से सम्बन्धित ग्राण्ट रजिस्टर 3 एवं बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक अप्राप्त रही। प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर 3 में उक्त मदों से सम्बन्धित धनराशि को सम्मिलित नहीं किया गया है। वर्ष 2015-16 के उक्त अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण वर्ष की आय एवं व्यय की स्थिति अज्ञात रही, जो गम्भीर आपत्तिजनक रहा। अस्तु उक्त मदों से सम्बन्धित आय-व्यय एवं वर्षान्त अवशेष धनराशि की पुष्टि आगामी लेखा परीक्षा में कराया जाना अपेक्षित है। दुकान की किराया से सम्बन्धित अनुबन्ध पत्र एवं दुकान किराया ब्याज सहित वसूली एवं जमा एवं वर्षान्त अवशेष

रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे उक्त वर्षों में किराया ब्याज सहित वसूली एवं जमा एवं वर्षान्त में शेष की स्थिति की जाँच न की जा सकी, जो गम्भीर आपत्तिजनक रहा। ग्राण्ट रजिस्टर 2 में उक्त मद को 24.09.2015 तक प्रविष्टियाँ की गयी हैं इसके बाद ग्राण्ट रजिस्टर 2 में प्रविष्टियाँ नहीं की गयी हैं। जिसके लिये लेखाकार पूर्ण रूपेण जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अपूर्ण अभिलेख हेतु लेखाकार श्री मिधवा प्रजापति एवं महाराजदीन आजाद पूर्ण रूपेण जिम्मेदार है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 3 :- क्षेत्र पंचायत मौदहा में लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि बिल नं०- 01/08 दिनांक 04.12.2014 में ओम सांईराम बिल्डर्स सुमेरपुर का सामग्री रु०- 2,01,572.00 का बिल है। जो करहिया में सप्पू वर्मा के मकान से रामदेव के मकान तक सी०सी० एवं नाली निर्माण हेतु था। उक्त बिल मूल प्रति में न होकर फोटो कापी में पाया गया है, जबकि मूल बिल पर ही भुगतान किया जाना चाहिये था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि उक्त बिल 01/08 दिनांक 05.12.2014 रु०- 1,49,088.00 तिन्दुही में रामकरन कुशवाहा से बलराम कुशवाहा तक सी०सी० रोड एवं मरम्मत की सामग्री का बिल पत्रावली में पाया गया है जो 01/08 मूल बिल था। अस्तु 01/08 दिनांक 04.12.2014 का बिल रु०- 2,01,572.00 जो फोटो कापी पर तैयार किया गया है वह फर्जी बिल है। अस्तु रु०- 2,01,572.00 की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री मिधवा प्रजापति एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम सुन्दर विश्वकर्मा से अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 4 :- क्षेत्र पंचायत मौदहा में लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि कतिपय पत्रावली में मूल बिल की प्रति न होकर उनकी फोटो कापी पर बिल तैयार कर भुगतान किया गया है। जबकि मूल प्रति होने पर ही भुगतान किया जाना चाहिये, निम्न भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र ० सं०	बिल नं०	दिनांक	कार्य का नाम	फर्म का नाम	धनराशि
1	01/05	04.12. 2014	करहिया में नत्थू वर्मा के मकान से सप्पू वर्मा के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	में० ओम सांईराम बिल्डर्स सुमेरपुर	1,61,159.00
2	01/07	04.12. 2014	करहिया में बाबूराम प्रजापति के मकान से दशरथ वर्मा के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	में० ओम सांईराम बिल्डर्स सुमेरपुर	4,84,138.00
3	01/06	04.12. 2014	करहिया में बाबूलाल बसोर के मकान से गंगादीन के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	में० ओम सांईराम बिल्डर्स सुमेरपुर	2,04,350.00
4	01/03	01.12. 2014	पिपरौंदा में पहलवान बाबा से गुन्देला तालाब तक एवं प्रकाश पाण्डेय से रामप्रकाश पाण्डेय तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण	में० ओम सांईराम बिल्डर्स सुमेरपुर	6,25,887.00
योग -					14,75,534.00

अतः रु०- 14,75,534.00 की ब्याज सहित वसूली लेखाकार श्री मिधवा प्रजापति एवं खण्ड विकास

अधिकारी श्री श्यामसुन्दर विश्वकर्मा से आधी-आधी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 5 :- क्षेत्र पंचायत मौदहा में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि फाइल नं०- 31 मौदहा-मुस्करा मेन रोड से काछिन डेरा सम्पन्न मार्ग में सोलिंग कार्य के मस्टररोल दिनांक 06.12.2014 से 19.12.2014 तक कुल 51 मजदूरों का रू०- 89,856.00 का भुगतान दर्शित है। फाइल नं०- 32 मिराजपुरवा में गोमती अनुरागी से रामराज के मकान तक सी०सी० एवं नाली निर्माण का मस्टररोल 01.12.2014 से 14.12.2014 तक कुल 56 मजदूरों का रू०- 1,34,484.00 का भुगतान किया गया है। जाँच में पाया गया कि क्रमांक 01 व क्रमांक 02 के मस्टररोलों पर 10 मजदूरों के नाम, पिता का नाम, जाति व ग्राम एक समान एक ही तिथियों में दोनों कार्यों में कार्य करते हुये दर्शाये गये हैं। इससे प्रतीत होता है कि एक मस्टररोल के नाम फर्जी अंकित कर धनराशि रू०- 21,840.00 का कार्य प्रभारी श्री शिवचरन सिंह भदौरिया द्वारा धनराशि को बैंक से निकाल कर अपहरण किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	जाति	ग्राम	धनराशि
1	नन्दू	पंचा	चमार	छिमौली	2,184.00
2	सुनील	नन्दू	चमार	छिमौली	2,184.00
3	नीरज	काशीराम	चमार	छिमौली	2,184.00
4	कामता	काशीराम	चमार	छिमौली	2,184.00
5	दीपक	काशीराम	चमार	छिमौली	2,184.00
6	प्रदीप	गयादीन	चमार	छिमौली	2,184.00
7	बाबू	बिन्दा	चमार	छिमौली	2,184.00
8	छिद्दू	बिन्दा	चमार	छिमौली	2,184.00
9	मैकी	किशना	चमार	छिमौली	2,184.00
10	रतिय	कमतू	केवट	छिमौली	2,184.00
योग -					21,840.00

उक्त की ब्याज सहित वसूली श्री शिवचरन सिंह भदौरिया से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 6 :- क्षेत्र पंचायत मौदहा में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि :-

1 :-फाइल नं०- 28 करहिया छिरका मार्ग में दो पुलिया निर्माण का मस्टररोल के अनुसार रू०- 37,412.00 व 38,036.00 दिनांक 24.09.2014 से 07.10.2014 व 01.12.2014 से 14.12.2014 का भुगतान दर्शित है।

2 :-फाइल नं०- 32 में राजपुरवा में गोमती अनुरागी से रामराज तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण के मस्टररोल रू०- 1,34,484.00 दिनांक 01.12.2014 से 14.12.2014 का भुगतान 56 मजदूरों का दर्शित है। जाँच में पाया गया कि राम बिहारी पुत्र छोटा जाति धोबी कारीगर ग्राम सिलौली को रू०- 4,900.00 का भुगतान दोनों कार्यों के मस्टररोल में एक ही तिथियों में कार्य करना दर्शाया गया है, इससे स्पष्ट है कि एक मस्टररोल में नाम फर्जी अंकित कर रू०- 4,900.00 का अपहरण श्री शिवचरन सिंह भदौरिया कार्य प्रभारी द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री शिवचरन सिंह भदौरिया से की जानी चाहिये।

आपत्ति सं०- 7 :- क्षेत्र पंचायत मौदहा में भवन एवं अन्य सानिर्माण, कर्मकर, उपकर अधिनियम 1996 की धारा- 3 में उपकर तथा उसके संग्रह किये जाने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों के हित लाभ सुनिश्चित किये जाने हेतु 01: (एक प्रतिशत) बतौर सेस वसूल करके बोर्ड के नियन्त्रणाधीन गठित फण्ड में जमा कराये जाने हेतु अधिसूचना सं०- 1412/36-2-09 दिनांक 20 नवम्बर 2009 के द्वारा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्राहक नियुक्त किया गया है के क्रम में वर्ष 2014-15 में ग्राम

क्र०	ठेकेदार द्वारा कार्य का नाम	धनराशि
1	ग्राम पासुन में पुराने प्रा०वि० से राकेश साहू तक सी०सी० रोड एवं रजिंग निर्माण	4,57,665.00
2	ग्राम पासुन में अशोक विश्वकर्मा से रतीराम के मकान तक सी०सी० रोड एवं रजिंग निर्माण	5,56,587.00
3	ग्राम रतौली में चन्द्रपाल साहू से शिवचरन के मकान तक सी०सी० रोड एवं रजिंग निर्माण	3,22,644.00
योग –		13,36,896.00

राज्यवित्त/तेरहवे वित्त से कराये गये निर्माण कार्यों का लागत मूल्य 13,36,896.00 रुपये है जिससे रू०— 13,369.00 श्रम प्रतिकर नहीं काट कर अनियमितता की गयी है जिसका उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री श्यामसुन्दर विश्वकर्मा एवं लेखाकार श्री मिधवा प्रजापति का है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं०— 8 :—क्षेत्र पंचायत मौदहा में आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि :—

1 :— रागौल के महाविद्यालय में मेन रोड से फायर बिग्रेड तक इण्टरलाकिंग कार्य में मस्टररोल दिनांक 20.10.2015 से 02.11.2015 तक कुल 72 मजदूरों का रू०— 2,17,602.00 का भुगतान दर्शित है।
 2 :— पिपरौंदा में रोड से बलवीर मास्टर तक सी०सी० एवं नाली मरम्मत कार्य का मस्टररोल दिनांक 21.10.2015 से 03.11.2015 तक कुल 18 मजदूरों का रू०— 49,224.00 का भुगतान किया गया दर्शित है। जाँच में पाया गया कि क्रमांक 01 व क्रमांक 11 के मस्टररोलों पर 18 मजदूरों के नाम, पिता का नाम, जाति बेलदार, कारीगर व ग्राम एक समान एक ही तिथियों में दोनों कार्यों में कार्य करते हुये दर्शाये गये हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि एक मस्टररोल के नाम फजी अंकित कर धनराशि रू०— 47,502.00 का कार्य प्रभारी श्री शिवचरन सिंह भदौरिया द्वारा धनराशि को बैंक से निकालकर अपहरण किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है :—

क्र०	नाम	पिता का नाम	जाति	पद	ग्राम	दिवस	दर प्रतिदिन	कुल धनराशि
1	सलीम	सब्बीर	मुसलमान	कारिगर	पिपरौंदा	13 दिन	350.00	4,450.00
2	कलीम	सब्बीर	मुसलमान	कारिगर	पिपरौंदा	13 दिन	350.00	4,450.00
3	मुमताज	हुसैन	मुसलमान	कारिगर	पिपरौंदा	13 दिन	350.00	4,450.00
4	शरीफ	सब्बीर	मुसलमान	कारिगर	पिपरौंदा	13 दिन	350.00	4,450.00
5	चन्द्रकली	कलुवा	कोरी	बेलदार	पाटनपुर	13 दिन	161.00	2,093.00
6	सुमन	राजू	कोरी	बेलदार	पाटनपुर	13 दिन	161.00	2,093.00
7	रानिया	रामप्रसाद	चमार	बेलदार	पाटनपुर	13 दिन	161.00	2,093.00
8	श्रीमती	पप्पू	चमार	बेलदार	पाटनपुर	13 दिन	161.00	2,093.00
9	कौशिल्या	बादी	चमार	बेलदार	पाटनपुर	13 दिन	161.00	2,093.00
10	श्रवण कुमार	घसीटा	कोरी	बेलदार	पाटनपुर	13 दिन	161.00	2,093.00
11	सत्यप्रकाश	लक्ष्मण	चमार	बेलदार	पाटनपुर	13 दिन	161.00	2,093.00
12	सियाप्यारी	भजन	कोरी	बेलदार	पाटनपुर	13 दिन	161.00	2,093.00
13	इमामुद्दीन	रसीद	मुसलमान	बेलदार	पिपरौंदा	13 दिन	161.00	2,093.00

14	विनोद	कालीदीन	कुम्हार	बेलदार	पिपरौंदा	13 दिन	161.00	2,093.00
15	इन्सान	मुद्दी	मुसलमान	बेलदार	पिपरौंदा	13 दिन	161.00	2,093.00
16	इस्लाम	सगीर	मुसलमान	बेलदार	पिपरौंदा	13 दिन	161.00	2,093.00
17	रफीक	सब्बीर	मुसलमान	बेलदार	पिपरौंदा	13 दिन	161.00	2,093.00
18	दयालू	रामआसरे	कुम्हार	बेलदार	पिपरौंदा	13 दिन	161.00	2,093.00
योग –								47,102.00

उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री शिवचरन सिंह भदौरिया से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 9 :- क्षेत्र पंचायत मौदहा में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा की जाँच में पाया गया कि फाइल नं०- 06 लदार में बरदानी बसोर से अखिलेश यादव के घर तक सी०सी०रोड का मस्टररोल 14.03.2017 से 09.04.2017 तक 32 मजदूरों का रू०- 1,50,266.00 का भुगतान दर्शित है। फाइल नं०- 08 लदार में दर्शन यादव के घर से आपानदास स्वामी तक सी०सी० रोड का मस्टररोल 14 मजदूरों का रू०- 26,310.00, 05.04.2017 से 13.04.2017 तक का भुगतान दर्शित है। जाँच में पाया गया कि 08 (आठ) मजदूरों के नाम, पिता का नाम, जाति व ग्राम एक समान एवं 05.04.2017 से 09.04.2017 तक दोनों मस्टररोलों पर कार्य करते हुये भुगतान दर्शित है। अस्तु एक मस्टररोल का भुगतान फर्जी रहा। अतः रू०- 7,840.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री बृजमोहन पटेल ए०डी०ओ० (सी) एवं लेखाकार श्री महाराजदीन आजाद से आधी-आधी की जानी चाहिये। विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	नाम	पिता/पति का नाम	जाति	ग्राम	धनराशि
1	शियारानी	शिवकुमार	अनु०जाति	लदार	870.00
2	सुरजा	जुमला	अ०पि०वर्ग	लदार	870.00
3	फूलकुँवर	लल्लू/ लल्ली	अनु०जाति	लदार	870.00
4	सुशील	रमेश	अ०पि०वर्ग	लदार	870.00
5	सिरोम	गुरुदीन	अ०पि०वर्ग	लदार	870.00
6	बरदानी	रामेश्वर	अ०पि०वर्ग	लदार	870.00
7	चुन्ना	रामशरण	अनु०जाति	लदार	870.00
8	देवीदीन	परदेशी (मिस्त्री)	अनु०जाति	लदार	1,750.00
योग –					7,840.00

आपत्ति सं०- 10 :- क्षेत्र पंचायत मौदहा में शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान पर अर्जित ब्याज शासनदेश सं०- 10/2015/ ए-1-502/ दस-2015-10(33) 2015 दिनांक- 29 मई 2015 के अनुसार संस्था की नहीं है। वरन् शासन का है। जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोष में सम्बन्धित शीर्ष में जमा कराते हुये शासन को वापस करना चाहिये। वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रू०- 4,18,691.00 ब्याज प्राप्त हुआ है। अतः वर्ष 2017-18 की ब्याज प्राप्ति धनराशि रू०- 4,18,691.00 शासन को चालान द्वारा अविलम्ब वापस किया जाना चाहिये। जिसके लिये लेखाकार श्री महाराजदीन आजाद एवं बी०डी०ओ० श्री विजय शंकर शुक्ला उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 11 :- क्षेत्र पंचायत राठ में भवन एवं अन्य सानिर्माण, कर्मकर, उपकर अधिनियम 1996 की धारा- 3 नियमावली 2009 के अन्तर्गत अधिसूचना सं०- 1412/36-2-09 दिनांक 20 नवम्बर 2009 के अनुसार ऐसी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान जो भवन एवं अन्य सनिर्माण के कार्य में श्रमिकों का नियोजन करते हैं या ठेकेदारों के माध्यम से उनका नियोजन करते हैं ऐसे प्रयोजनों के लिये किसी नियोजक द्वारा उपगत का निर्माण की लागत का 01 प्रतिशत की दर से उपकर का प्रावधान किया गया है जो बतौर सेस

वसूल किया जायेगा।

निम्न विवरणानुसार आलोच्य वर्षों में ठेकेदारों के द्वारा निर्माण कार्य कराये गये हैं जिनसे 01 प्रतिशत लेवर सेस वसूल नहीं किया गया है। अस्तु सम्बन्धित ठेकेदारों से ब्याज सहित वसूली करायी जाये अन्यथा की स्थिति में मे तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

क्र०सं०	निर्माण कार्य का नाम	वर्ष	धनराशि	1: लेवर सेस
1	ग्राम रौंरो मे अमर सिंह ढीमर के मकान से धमनी ढीमर तक सी०सी० व नाली निर्माण	2012-13	8,71,929.00	8,720.00
2	इकठौर मे सरगाँव मजरा मे बहादुर कोरी के मकान से बाबू कोरी के मकान तक सी०सी० व नाली निर्माण	2012-13	4,85,389.00	4,854.00
3	सैदपुर मे राजेन्द्र सक्सेना के मकान से शंकर जी के मन्दिर होते हुये गोकुल के मकान तक सी०सी० व नाली निर्माण	2012-13	8,68,030.00	8,681.00
4	मवई मे लट्ठू प्रसाद से श्याम सिंह तक सी०सी० व नाली निर्माण	2013-14	12,12,333.00	12,124.00
5	औडेरा में सी०सी० एवं नाली निर्माण	2013-14	8,66,352.00	8,664.00
6	मलेहटा मे रामसिंह से अरुण सिंह से फूलसिंह तक सी०सी० व नाली निर्माण	2013-14	20,68,189.00	20,682.00
7	ग्राम बहगाँव में मदनलाल, मुन्नालाल अहिरवार तक सी०सी० व नाली निर्माण	2013-14	8,30,183.00	8,302.00
8	कैथा मे बड़ा कुआ-भाष्कर लोधी से महिपाल बी०डी०सी० तक सी०सी० व नाली निर्माण	2013-14	2,16,652.00	2,167.00
9	इकठौर में मंगल कोटेदार से अलीचन्द्र साहू तक सी०सी० व नाली निर्माण	2013-14	5,70,109.00	5,701.00
10	सैदपुर में तांगा स्टैण्ड से शमशान घाट तक सी०सी० व नाली निर्माण	2013-14	13,91,000.00	13,910.00
11	विकास खण्ड कार्यालय के परिसर मे जल निकासी इण्टरलाकिंग समरसेबुल पम्प लगवायी	2013-14	8,50,820.00	8,508.00
12	टोलारावत मे अटबल से कालीचरन लोधी तक सी०सी० व नाली निर्माण	2013-14	5,62,219.00	5,622.00

आपत्ति सं०- 12 :-क्षेत्र पंचायत राठ में आलोच्य वर्ष 2012-13 मे बी०आर०जी०एफ० योजना के अन्तर्गत कुल रू०- 4,45,776.00 व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष रू०- 2,47,219.00 के व्यय बाउचर/पत्रावली प्राप्त हुये हैं। शेष रू०- 1,98,557.00 के व्यय बाउचर/पत्रावली लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहे हैं। व्यय प्रमाणक/पत्रावली अप्राप्त की दशा मे वित्तीय गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व तत्कालीन लेखाकार जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 13 :- क्षेत्र पंचायत राठ में आलोच्य वर्ष 2012-13 मे तेरहवे वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों मे स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु उज्जवला इण्टरप्राइजेज लखनऊ को टेण्डर दिया गया जिसमे स्ट्रीट लाईट 88/5660 कुल 4,97,200.00 की खरीद की गयी थी जिसमे ग्राम पंचायत इकठौर में 08, बरेल मे 08, मुस्कुरा खर्द मे 08, टोलारावत में 08, खड़ाखर मे 08, कुर्रा में 08, नौहाई में 08, गिरवर में 08, नौरंगा में 10, सैदपुर मे 13 कुल योग- 87 इस प्रकार एक स्ट्रीट लाईट को न लगा करके रू०- 5,650.00 रुपये का अपहरण कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री गोविन्द प्रसाद से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०— 14 :-क्षेत्र पंचायत राठ में आलोच्य वर्ष 2011-12 में सांसद निधि योजना के अन्तर्गत मिनी स्टेडियम इटायल राठ में उरई रोड में नवोदय विद्यालय के पास मिट्टी भराई व अन्य कार्य में ₹0-3,90,126.00 व्यय दर्शाया गया। जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अस्तु अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०— 16 :—क्षेत्र पंचायत राठ में आलोच्य वर्ष 2014—15 में बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत रुपया 3,49,889.00 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में कोई बिल/बाउचर/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे उक्त व्यय की अपुष्ट रहा। अस्तु अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०— 18 :—क्षेत्र पंचायत राठ में आलोच्य वर्ष 2014—15 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत रु०— 75,262=00 व्यय करना दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे उक्त व्यय की अपुष्ट रहा। अस्तु पत्रावली प्रस्तुत न करने के कारण गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०— 20 :-क्षेत्र पंचायत राठ में आलोच्य वर्ष 2015—16 में इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद योजना के अन्तर्गत रु०— 65,886.00 व्यय करना दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पत्रावलिआं प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अस्तु पत्रावली प्रस्तुत न करने के कारण गम्भीर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 22 :-क्षेत्र पंचायत राठ में शासनादेश सं०- ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21 मार्च 2012 के अनुसार यदि किसी संस्था के द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये। ऐसा न किया जाना शासनादेश के विपरीत है। आलोच्य वर्षों में

संस्था द्वारा निम्नांकित समाज अर्जित किया गया है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष	राज्य वित	तेरहवां वित	इन्दिरा आवास	अन्य योजना	योग
2014-15	63,500.00	27657.00	17,495.00	7,137.00	1,15,789.00
2015-16	34,196.00	6,214.00	18,456.00	6,439.00	65,305.00
2016-17	62,985.00	192.00	4,148.00	4,799.00	7,2,124.00
योग -					2,53,218.00

आपत्ति सं०- 23 :-क्षेत्र पंचायत कुरारा में भवन एवं अन्य सन्निर्माण, कर्मकर, उपकर अधिनियम 1996 की धारा- 3 में उपकर तथा उसके संग्रह किये जाने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों का हितकर लाभ सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिसूचना सं०- 1412/36-02-2009 दिनांक 20 नवम्बर 2009 के द्वारा निर्धारित किया गया है। जो कार्य ठेके पर कराये गये हैं उन ठेकेदारों के भुगतान से 1: लेवर सेस के रूप में काटकर भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। लेखा परीक्षित वर्षों में निम्न कार्य ठेके पर कराये गये हैं जिनमें लेवर सेस नहीं काटा गया है। जो गम्भीर अनियमितता है, जिसके उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी आलोक आर्य व लेखाकार श्री बलवीर सिंह चौहान का होगा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	फर्म का नाम	भुगतान की धनराशि	1: लेवर सेस
1	ग्राम कण्डौर में जगन्नाथ के दरवाजे से शिवप्रसाद के दरवाजे तक सी०सी० रोड निर्माण	चन्देल कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर कुरारा	8.10 लाख रुपये	8,100.00
2	ग्राम कुशौलीपुरवा में अरिमर्दन सिंह के मकान से रघुवीर के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण	चन्देल कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर कुरारा	4.40 लाख रुपये	4,400.00
योग -				12,500.00

आपत्ति सं०- 24 :-क्षेत्र पंचायत कुरारा में शासनादेश सं०- 10-2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 द्वारा वित लेखा अनुभाग-1 लखनऊ के प्रस्तर- 3 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था का आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा करा दिया जाये/जाना चाहिये था। किन्तु संस्था द्वारा प्राप्त धनराशियां ब्याज भी खाते में ही जमा रखा गया है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	मद/खाता सं०	वर्ष			योग
		2011-12	2012-13	2013-14	
1	विधायक निधि खाता सं०- 21503808330, इलाहाबाद बैंक कुरारा	10,307.00	5,518.00	5,652.00	21,477.00
2	बु० पिछड़ा क्षेत्र निधि खाता सं०-	10,872.00	9,515.00	-	20,387.00

	10320100011121 इलाहाबाद यू0पी0ग्रा0 बैंक				
3	राज्य वित्त आयोग I खाता सं0— 10320100003219 इलाहाबाद यू0पी0ग्रा0 बैंक	19,851.00	771.00	—	20,622.00
4	बारहवां वित्त/तेरहवां वित्त (111)/5324/6663	26,587.00	7,721.00	52,231.00	86,539.00
5	बु0 पिछड़ा क्षेत्र निधि 2/5009/479447 इलाहाबाद बैंक कुरारा	16,146.00	31,624.00	30,437.00	78,207.00
6	राज्य वित्त आयोग2 (नया खाता) सं0— 50044766663 इलाहाबाद बैंक	41,863.00	89,632.00	22,793.00	1,54,288.00
7	माडल शौचालय खाता सं0— 10320100023436 इलाहाबाद यू0पी0ग्रा0 बैंक	—	569.00	2,792.00	3,361.00
योग —		1,25,626.00	1,44,850.00	1,13,905	3,84,881.00

विधायक निधि का प्राप्त ब्याज रू0— 21,477.00 में से रू0— 18,646.00 डी0आर0डी0ए0 को वापस किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है। अनुदान की धनराशि रू0— 1,24,089.00 एवं ब्याज रू0— 21,477.00 में दिनांक 20.12.2013 को चेक सं0— 678421 से रू0— 1,35,090.00 तथा 26.12.2013 को चेक सं0— 678422 से रू0— 76,450.00 इस प्रकार कुल रू0— 1,42,735.00 वापस किया गया है, जबकि अनुदान की धनराशि रू0— 1,24,089.00 ही थी। इस प्रकार ब्याज रू0— 18,646.00 भी वापस किया है, प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

बी0आर0जी0एफ0 का खाता सं0— 10320100011121 इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक कुरारा बन्द है स्टेटमेंट अवलोकन करने पर जनवरी 2018 तक रू0— 1,881.00 का बैलेन्स दर्शित है, उक्त अवशेष धनराशि को बी0आर0जी0एफ0 के नाम खाते में हस्तान्तरण किया जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार की ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं0— 25 :—क्षेत्र पंचायत कुरारा में शासनदेश सं0— 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10 (33)/2010 दिनांक-29.05.2015 द्वारा वित्त लेखा अनुभाग-1 लखनऊ के प्रस्तर-3 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये था। किन्तु संस्था द्वारा प्राप्त धनराशियां एवं ब्याज भी खाते में ही जमा रखा गया है, विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	मद/खाता सं0	वर्ष			योग
		2014-15	2015-16	2016-17	
1	राज्य वित्त	1,28,570.00	1,25,943.00	1,52,675.00	4,07,188.00
2	तेरहवां वित्त	93,924.00	—	—	93,924.00
3	पिछड़ा क्षेत्र निधि	33,451.00	34,900.00	27,402.00	95,753.00
4	मॉडल शौचालय	1,749.00	1,979.00	1,426.00	5,154.00
5	बायोगैस	02.00	02.00	01.00	05.00
योग —		2,57,696.00	1,62,824.00	1,81,504.00	6,01,960.00
				-64	-64

			1,8,1440.00	6,01,960.00

उक्त तीनों वर्षों की ब्याज की धनराशि रु०- 6,01,960.00 को खाते में रोककर गम्भीर अनियमितता की है, जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री नीरज गुप्ता की है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 26 :-क्षेत्र पंचायत कुरारा में वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ब्लाक प्रमुख बैठक कक्ष का निर्माण की सामग्री सप्लाई का टेण्डर में०- के०जी०एन० ट्रेडर्स कुरारा को स्वीकृत हुआ था। सप्लायर द्वारा दिनांक- 14.07.2016 को बिल सं०- 1/9 के द्वारा रु०- 2,88,479.00 की सामग्री आपूर्ति की थी जिसके भुगतान में लेखाकार श्री नीरज गुप्ता द्वारा आयकर 2.27 प्रति० रु०- 6,548.00, व्यापारकर रु०- 1,154.00, रायल्टी बालू की रु०- 2,187 एवं गिट्टी की रु०- 2,115.00 कुल रु०- 12,004.00 काटकर रु०- 2,76,475.00 का भुगतान कर दिया है जबकि आडिट के अनुसार व्यापारकर 04 प्रति० रु०- 11,539.00 होता है। इस प्रकार सप्लायर को रु०- 10,385.00 का अधिक अनियमित भुगतान किया है, जिसका उत्तरदायित्व लेखाकार श्री नीरज गुप्ता एवं उदय शंकर त्रिपाठी तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री आदित्य कुमार का है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 27 :-क्षेत्र पंचायत कुरारा में वर्ष 2016-17 में विकास खण्ड कुरारा में राज्य वित्त योजनान्तर्गत कार्यालय परिसर की बाउन्ड्रीवाल पर मेन गेट के बगल में एक छोटा गेट निर्माण की पत्रावली तैयार कर तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर रोहित पालीवाल ए०डी०ओ० सांख्यिकी को कार्य प्रभारी बनाया गया है। तकनीकी प्रभारी श्री राजबली अवर अभियन्ता (ग्राम्य विकास अभिकरण) द्वारा कार्यपूति प्रमाण पत्र भी निर्गत कर दिया गया है। मेन गेट के बगल में उक्त गेट न पाये जाने पर वर्तमान लेखाकार श्री इमरान खान द्वारा बताया गया कि उक्त गेट नहीं बना है।

तकनीकी स्वीकृति- बी०ई०- 87/16-17 दिनांक- 24.06.2016 में मु०- 1.99 लाख रुपये के सापेक्ष निम्न व्यय किया गया।

क्र० सं०	तिथि	धनराशि	विवरण	फर्म का नाम
1	10.07. 2016	93,078.00	बिल सं०- 1/20	में०- के०जी०एन० ट्रेडर्स
2	17-18	44,355.00	मजदूरी भुगतान	
3	17-18	23,752.00	मजदूरी भुगतान	
योग -		1,61,185.00		

अतः रु०- 1,61,185.00 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली मु०- 93,078.00 रुपये की लेखाकार श्री नीरज गुप्ता, कार्य प्रभारी रोहित पालीवाल, ए०डी०ओ० सांख्यिकी एवं जे०ई० श्री राजबली अवर अभियन्ता (ग्राम्य विकास अभिकरण) तथा 23,752.00 एवं 44,355.00 रुपये की ब्याज सहित वसूली श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी खण्ड विकास अधिकारी, श्री नीरज कुमार लेखाकार, श्री रोहित पालीवाल ए०डी०ओ० सांख्यिकी एवं जे०ई० श्री राजबली से की जानी अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 28 :-क्षेत्र पंचायत सुमेरपुर में ग्राम कुण्डौरा में श्री रामपाल सिंह के दरवाजे से श्री देवीदीन के दरवाजे तक सी०सी० रोड व के०सी० ड्रेन निर्माण कार्य की स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति बीई-85/2014-15 दिनांक 17.11.2014 को तेरहवें वित्त आयोग से मजदूरी भुगतान रु०- 47,478.00 की स्वीकृति थी जबकि जे०ई० द्वारा एम०बी० करके मु०- 49,664.00 रुपये का भुगतान किया गया। इस प्रकार रु०- 2,186.00 अधिक भुगतान किया गया है, जो गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिसका उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रवण कुमार तोमर व लेखाकार श्री कामता साहू का होगा। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 29 :-क्षेत्र पंचायत सुमेरपुर में वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि फर्म/सप्लायर्स/टेकेदारों का भुगतान बगैर सेल्स टैक्स व इनकम टैक्स की धनराशियों को काटे ही भुगतान कर दिया गया है, जो गम्भीर अनियमितता है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	सप्लायर्स/फर्म का नाम	बिल की धनराशि	चेक सं०	तिथि	सेल्स टैक्स	आयकर
1	बड़ागाँव से अम्बे आश्रम जाने वाली पुलिया निर्माण का 25: अवशेष भुगतान	मे० जय कुमार ट्रेडर्स सुमेरपुर	36,038.00	354634	02.12.2014	1,442.00	818.00
2	बड़ागाँव में प्रा०वि० से पूर्व मा० विद्यालय तक सी०सी० मरम्मत एवं नाली निर्माण	मे० जय कुमार ट्रेडर्स सुमेरपुर	3,77,130.00	354638	02.12.2014	15,085.00	8,561.00
3	ग्राम छानी खुर्द में सुशील पाण्डेय की चक्की से मुकुट सिंह चौहान के पास बजेहटा रोड तक खड़ण्जा एवं नाली निर्माण	मे० शकुन्तला ट्रेडर्स राठ रोड छानी	1,17,173.00	354943	30.03.2015	4,687.00	2,660.00
4	हेलापुर में पंचायत भवन में इण्टरलाकिंग का 25: अवशेष भुगतान	मे० संजय ट्रेडर्स विवेक नगर हमीरपुर	95,193.00	340194	15/16	3,808.00	2,161.00
5	बड़ागाँव में आशादीन साहू के पास सी०सी० निर्माण	मे० राजनारायन टेकेदार बड़ागाँव	1,28,877.00	008789	28.05.2016	5,155.00	2,956.00
योग -						30,177.00	17,156.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार राजस्व की कटौती न कर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसकी भ्रपायी सम्बन्धित फर्मों/सप्लायर्स से की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उक्त का दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रवण कुमार तोमर एवं लेखाकार श्री कामता साहू का होगा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 30 :-क्षेत्र पंचायत सुमेरपुर में वर्ष 2014-15 के ग्रान्ट रजिस्टर 3 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी का प्रा० अवशेष रु०- 65,650.00 दर्शित था जो 31.03.2017 तक यथावत अवशेष दर्शित है। जबकि उक्त अवशेष पड़ी स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि को राजकीय कोषागार में जमा किया जाना था। जो न जमा करके गम्भीर अनियमितता की गयी, जिसको राजकीय कोषागार में जमा किये जाने की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उक्त का दायित्व तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार का होगा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 31 :-क्षेत्र पंचायत सुमेरपुर में आलोच्य वर्षों में निम्नलिखित बैंक खातों में संस्था की बैंक पासबुक में ब्याज अर्जित किया गया है। किन्तु शासनादेश सं०- ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि पर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था का आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिसे राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिये, विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं	खाता सं०	वर्ष 2014-15 में	वर्ष 2015-16 में प्राप्त	वर्ष 2016-17 में प्राप्त

0		प्राप्त ब्याज	ब्याज	ब्याज
1	10700100017 295	19,887.00	22,431.00	16,175.00
2	50045560990	4,29,114.00	1,75,518.00	79,897.00
3	10700100002 244	26,664.00	69,223.00	769.00
4	10700100039 154	7,552.00	18,503.00	2,619.00
योग –		4,83,217.00	2,85,675.00	99,460.00

इस प्रकार कुल 8,68,352.00 रुपये ब्याज को राजकीय कोषागार में न जमा करके वित्तीय अनियमितता की गयी है, जमा करने की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र, श्री महेन्द्र देव व श्री विजय शंकर शुक्ला एवं लेखाकार श्री कामता साहू का उत्तरदायित्व होगा। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 32 :-क्षेत्र पंचायत मुस्कुरा में संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में प्राप्त ब्याज को शासनादेश सं०-10/2015/ ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक- 21.05.2015 वित्त लेखा अनुभाग-1 के अनुसार प्राप्त ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं 0	वर्ष	मद का नाम	प्राप्त ब्याज की धनराशि
1	2016-17	राज्य वित्त आयोग	1,19,826.00
2	2016-17	तेरहवां वित्त आयोग	370.00
3	2016-17	पिछड़ा क्षेत्र निधि अनुदान	455.00
4	2016-17	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज जिलांश	41,635.00
योग –			1,62,286.00

वर्ष 2016-17 में उक्त मदों से प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। जिससे सम्पूर्ण ब्याज रु०- 1,62,286.00 को राज्य सरकार के राजकीय कोष में चालान द्वारा जमा किया जाना अपेक्षित है। अस्तु गमभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 33 :-क्षेत्र पंचायत मुस्कुरा में निम्नलिखित तिथियों में जिसमें रायल्टी निर्धारित दर से कम काटी गयी है, 39वां संशोधन खनिज एवं लौहकर्म का विभाग के अनुसार दरें निम्नवत है।

क्र० सं०	सामग्री	रुपये प्रति घन मीटर
1	साधारण बालू	65.00 प्रति घन मीटर
2	सी० सैण्ड, कोर्स सैण्ड	150.00 प्रति घन मीटर
3	गिट्टी	160.00 प्रति घन मीटर
4	मिट्टी	30.00 प्रति घन मीटर

क्र० सं०	दिनांक-	निर्माण कार्य	फर्म का नाम	क्रय सामग्री की मात्रा	संस्था द्वारा काटी गयी रायल्टी	ले०प० अनुसार रायल्टी धनराशि	के की	अन्तर की धनराशि

					की धनराशि		
1	16.06. 2016	विकास खण्ड कार्यालय मे विपणन केन्द्र जीर्णोद्धार	में0 लखन आयरन स्टोर, मुस्करा	सी0 सैण्ड— 11. 7 घन मीटर लोकल सैण्ड— 11.7घन मीटर गिट्टी — 18.घन मीटर	1,751.00 शून्य 1,836.00	1,755.00 760.00 2,880.00	760.00 1,044.00
2	10.08. 2016	विकास खण्ड कार्यालय मे विपणन केन्द्र जीर्णोद्धार	में0 लखन आयरन स्टोर, मुस्करा	सी0 सैण्ड— 2.5 घन मीटर लोकल सैण्ड— 3घन मीटर गिट्टी 40 एमएम— 1.7घन मीटर गिट्टी 20 एमएम— 0.9घन मीटर	413.00 265.00	570.00 416.00	157.00 151.00
3	16.06. 2016	मेला मैदान बिहूनी कलां से सन्तोष मुखिया के मकान तक सी0सी0 रोड एवं एएल टिप ड्रेन निर्माण	में0 लखन आयरन स्टोर, मुस्करा	सी0 सैण्ड— 108 घन मीटर लोकल सैण्ड— 108घन मीटर गिट्टी 40 एमएम— 120घन मीटर गिट्टी 20 एमएम— 90घन मीटर मिट्टी — 435. 75 घन मीटर	16,200.00 21,420.00 शून्य	16,200.00 7,020.00 19,200.00 14,400.00 13,073.00	— 7,020.00 — 12,180.00 13,073.00
4	10.08. 2016	मेला मैदान बिहूनी कलां से सन्तोष मुखिया के मकान तक सी0सी0 रोड एवं एएल टिप ड्रेन निर्माण	में0 लखन आयरन स्टोर, मुस्करा	सी0 सैण्ड— 41. 6 घन मीटर लोकल सैण्ड— 26.75घन मीटर गिट्टी 40 एमएम— 48.4घन मीटर मिट्टी — 105घन मीटर	5,126.00 4,937.00 1,470.00	6,240.00 1,739.00 7,744.00 3,150.00	2,853.00 2,807.00 1,680.00
5	16.06. 2016	प्रमुख आवास मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	में0 लखन आयरन स्टोर, मुस्करा	सी0 सैण्ड— 6.3 घन मीटर लोकल सैण्ड— 6.3घन मीटर गिट्टी 40 डड— 6.3घन मीटर गिट्टी 20 डड— 2घन मीटर	945.00 847.00	945.00 410.00 1,328.00	410.00 481.00

6	26.07. 2016	प्रमुख आवास मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	में0 लखन आयरन स्टोर, मुस्करा	सी0 सैण्ड- 0.9 घन मीटर लोकल सैण्ड- 0.9घन मीटर गिट्टी - 1.8घन मीटर	135.00 184.00	135.00 58.50 288.00	58.50 104.00
कुल अन्तर की धनराशि							42,778.00

अतः अन्तर की धनराशि रु0- 42,778.00 रायल्टी से कम काटी गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आपत्ति सं0- 34 :-क्षेत्र पंचायत मुस्करा में लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 की जाँच में पाया गया कि लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पासबुकों में जो ब्याज की आय हुयी है वह संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। शासनादेश सं0- 10/2015/ए-1-502/स-2015-10(33)/2010 दिनांक- 21.05.2015 वित्त लेखा अनुभाग द्वारा वर्षान्त ब्याज प्राप्ति की धनराशि को राज्य सरकार को वापस की जानी चाहिये थी। अतः 3,25,191.00 राज्य सरकार के राजकीय कोषागार में चालान द्वारा अविलम्ब प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक का नाम	खाता सं0	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	21670756403	2,62,493.00
इलाहाबाद बैंक	21678879720	161.00
इलाहाबाद बैंक	21678849729	450.00
इलाहाबाद बैंक	50151647022	54,595.00
इलाहाबाद बैंक	21678767073	5,041.00
इलाहाबाद बैंक	50393172605	2,451.00
योग -		3,25,191.00

आपत्ति सं0- 35 :-क्षेत्र पंचायत सरीला में लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 2016-17 की जाँच में पाया गया कि लेखा परीक्षा वर्ष में बैंक पासबुकों में जो ब्याज की आय हुयी है वह संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। शासनादेश सं0- 10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2015 दिनांक- 21.05.2015 वित्त लेखा अनुभाग द्वारा वर्षान्त ब्याज प्राप्ति की धनराशि को राज्य सरकार को वापस की जानी चाहिये थी। अतः रु0- 1,25,819.00 राज्य सरकार के राजकीय कोषागार में अविलम्ब प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक का नाम	अर्जित ब्याज की धनराशि	वर्ष
इलाहाबाद बैंक	61,541.00	2014-15
इलाहाबाद बैंक	12,543.00	2016-17

इलाहाबाद बैंक	51,735.00	2016-17
योग -	1,25,819.00	

आपत्ति सं०- 36 :-क्षेत्र पंचायत सरीला में आलोच्य वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित बैंक खातों में संस्था की बैंक पासबुक में ब्याज अर्जित किया गया है किन्तु शासनादेश सं०- ए-1-122/दस-2012-10 (33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा शासन से अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी, जिसे राजकीय कोष में जमा किया जाना चाहिये। विवरण निम्न प्रकार :-

क्र०सं०	खाता सं०	वर्ष 2013-14 में प्राप्त ब्याज
1	17559	22,784.00
2	50054898600	498.00
3	7365	59,617.00
4	21741250724	40,279.00
5	22091140028	14,463.00
6	91	2,101.00
7	14113	256.00
8	10297	1,28,628.00
9	17816	37,137.00
	कुल योग -	3,05,763.00

इस प्रकार कुल रु०- 3,05,763.00 ब्याज को राजकीय कोष में जमा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी, जमा करने की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 37 :-क्षेत्र पंचायत सरीला में वर्ष 2013-14 के आडिट दौरान स्वच्छता कार्यक्रम पर रु०- 80,000.00 का व्यय किया गया है, जिसकी पुष्टि में कोई बिल/बाउचर/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अस्तु अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

आपत्ति सं०- 38 :-क्षेत्र पंचायत सरीला में वर्ष 2013-14 के आडिट दौरान राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता एवं निगरानी कार्यक्रम के अन्तर्गत रु०- 18,000.00 का व्यय किया गया है, किन्तु इसकी पुष्टि में कोई बिल/बाउचर/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अस्तु अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप -3

जनपद का नाम :- महोबा मण्डल का नाम :- चित्रकूट धाम मण्डल- बांदा

क्षेत्र पंचायत का नाम :- कबरई वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक

आपत्ति का सूक्ष्म विवरण

प्रस्तर संख्या-1 क्षेत्र पंचायत कबरई द्वारा वर्ष 2014-15 व 2015-16 में विभिन्न अनुदानों से ठेके पर कराये गये निर्माण कार्यों में ठेकेदारों के बिलों से नियमानुसार 1 प्रतिशत की दर से लेवरसेस की कटौती न कर वर्ष 2014-15 में मु०-192638.00 रुपये व 2015-16 मु०- 214481.00 रुपये कुल मु०-407119.00 रुपये से ठेकेदारों को लाभ व संस्था को हानि पहुचाई गई है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है एवं ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। सूची संलग्न

प्रस्तर संख्या-2 शासनादेश संख्या-1415/दस-02/वित्त/02-2001 दिनांक 28.09.2002 के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक तैनात खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा मु0- 400.00 रुपये प्रतिमाह की दर से वाहन कटौती की धनराशि अपने वेतन से नहीं कटवायी गयी और न ही सम्बन्धित मद में उक्त धनराशि जमा की गयी अतः दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2017 तक कुल 36 माहों की संख्या मु0- 14400.00 रुपये की ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-3 वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक योजनावार अनुदान की जमा धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज मु0-614766.00 रुपये राज्य सरकार को वापस किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया शासनादेश संख्या- 10/2015/ए-1-502/10-2015-10 (33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के पैरा 3 के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक अर्जित ब्याज मु0- 614766.00 रुपये की धनराशि राजकोष में जमा किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया जो गम्भीर रूप से आपत्तिजनक व अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है तथा इन पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-4 उ0प्र0 पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्रपंचायत कबरई द्वारा वर्ष 2015-16 व 2016-17 में प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक राजस्व गाँवों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को न कराकर मु0-10 लाख रुपये से कम की अनुमानित लागत/स्वीकृत लागत के निर्माण कार्य एक ही राजस्व गाँव को लाभान्वित करने वाले कराकर उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया है। जिससे वित्तीय अनियमितता से इंकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है और आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

	क्र० सं०	कार्य का नाम व पूर्ण पता	लागत /धनराशि	ठेकेदारों के बिल की धनराशि	विकास खण्ड	काटा गया लेंबर सेस	1 प्रतिशत से कटौती की धनराशि	कम ली गई धनराशि	ठेकेदार का नाम
राज्य वित्त आयोग से कराये		वर्ष 2014-15 में कराये गये निर्माण							
कराये गये कार्य	1	बीला दक्षिण में देवीदीन के मकान से चन्द्रपाल अहिरवार के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	4.49	446805	कबर ई	शून्य	4468.00	4468.00	श्रीमती शकुन्तल ठेकेदार
कराये गये कार्य	2	विकास खण्ड के परिसर के आवासीय भवन (मु0/वि0आ0) की मरम्मत आदि।	2.10	201781	कबर ई	शून्य	2018.00	2018.00	श्रीमती शकुन्तल ठेकेदार

तृ०करा ०वि०आ ०	3	धरौन में आजाद मुस्लिम के घर से बरम देव के स्थान तक सी०सी०व नाली निर्माण	16.00	159200 0	कबर ई	शून्य	15920. 00	15920. 00	में०—अभि षेक कन्ट्रैक्श न धरौन (मीरा शुक्ला)
तृ०करा ०वि०आ ०	4	पचपहरा में पूरन अहिरवार के घर से चतुराई के घर तक सी०सी०व नाली निर्माण	6.31	180889	कबर ई	शून्य	1809.00	1809. 00	श्रीमती शकुन्तल I ठेकेदार
तृ०करा ०वि०आ ०	5	ग्राम पंचायत बहिंगा में दीपू द्विवेदी के घर से शंकर जी के मंदिर तक सी०सी०व नाली निर्माण	6.64	660680	कबर ई	शून्य	6607.00	6607. 00	श्रीमती शकुन्तल I ठेकेदार
तृ०करा ०वि०आ ०	6	सिरसीखुर्द में पुत्तन खरे के मकान से देवीदयाल सिंह के मकान तक सी०सी० व नाली निर्माण	6.39	635805	कबर ई	शून्य	6358.00	6358. 00	श्रीमती शकुन्तल I ठेकेदार
तृ०करा ०वि०आ ०	7	अकबई में बाबूलाल प्रजापति के घर से जिबनोडा रोड तक सी०सी०व नाली निर्माण	3.53	351235	कबर ई	शून्य	3512.00	3512. 00	श्रीमती शकुन्तल I ठेकेदार
तृ०करा ०वि०आ ०	8	रैपुराकलां में पंचायत घर से उमाशंकर तिवारी के घर तक तक सी०सी०व नाली निर्माण	10.69	106098 2	कबर ई	शून्य	10610. 00	10610. 00	श्रीमती शकुन्तल I ठेकेदार
तृ०करा ०वि०आ ०	9	ग्राम पंचायत खन्ना में	11.24	111838 0	कबर ई	शून्य	11184. 00	11184. 00	श्रीमती शकुन्तल

0		सी0सी0व नाली निर्माण							T ठेकेदार
पि0छे0 अनु0नि धि	10	ग्राम पंचायत गंज में उमा शंकरलाल के घर से पंचायत भवन तक सी0सी0व नाली निर्माण	10.00	995000	कबर ई	शून्य	9950.00	9950. 00	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा ठेकेदार
पि0छे0 अनु0नि धि	11	ग्राम पंचायत गहरा में कैलाश मिश्रा के घर से दुलारी अनुरागी के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण	10.00	995000	कबर ई	शून्य	9950.00	9950. 00	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा ठेकेदार
पि0छे0 अनु0नि धि	12	ग्राम पंचायत चुरबुरा में मेंन रोड से भईया रानी मंदिर बडी माई तक सी0सी0व नाली निर्माण	10.08	159200 0	कबर ई	शून्य	15920. 00	15920. 00	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा ठेकेदार
पि0छे0 अनु0नि धि	13	ग्राम पंचायत मझलवारा में कारक देव पुलिया से कार्विस्थान तक नाला निर्माण	17.00	169150 0	कबर ई	शून्य	16915. 00	16915. 00	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा ठेकेदार
तृ0करा 0वि0आ 0	14	ग्राम पंचायत पत्रपहरा में पूरन अहिरवार नौहदरा कंधी अहिरवार से बरदानी तक सी0सी0व नाली निर्माण	6.31	627845	कबर ई	शून्य	6278.00	6278. 00	श्रीमती शकुन्तल T ठेकेदार
तृ0करा 0वि0आ 0	15	ग्राम पंचायत रैवारा में शिवकांत के घर से रंजीत व बरदानी यादव	2.81	279597	कबर ई	शून्य	2796.00	2796. 00	श्री राकेश कुमार ठेकेदार पहरा

		से कुबर बहादुर के घर तक सी0सी0व नाली निर्माण							
तृ0करा 0वि0आ 0	16	ग्राम पंचायत बहिंगा में सी0सी0 रोड का अवशेष भाग	3.37	335315	कबर ई	शून्य	3353.00	3353. 00	श्रीमती शकुन्तल I ठेकेदार
तृ0करा 0वि0आ 0	17	ग्राम पंचायत सिरसीखुर्द में सी0सी0रोड का अवशेष भाग	2.69	267655	कबर ई	शून्य	2677.00	2677. 00	श्रीमती शकुन्तल I ठेकेदार
तेर0वि 0आ0	18	ग्राम चन्द्रपुरा में मातादीन के खेत के पास रपटा निर्माण	6.52	648934	कबर ई	शून्य	6489.00	6489. 00	श्रीमती शकुन्तल I ठेकेदार
तेर0वि 0आ0	19	ग्राम चन्द्रपुरा में 02 मीटर स्थान पर आर0ओ0सी0 पुलिया निर्माण एन0एच0-76 स0मा0पर	3.97	394800	कबर ई	शून्य	3948.00	3948. 00	श्रीमती शकुन्तल I ठेकेदार
तेर0वि 0आ0	20	ग्राम पंचायत करहराकलां में मेंन रोड से उमराव खेडा स0मा0 में 2.5 र 2.00 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया	10.66	105087 1	कबर ई	शून्य	10509. 00	10509. 00	श्रीमती शकुन्तल I ठेकेदार
तृ0करा 0वि0आ 0	21	ग्राम पंचायत पहरा में लल्लू अहिरवार के पास से दीक्षित जी के बागिया तक सी0सी0रोड	9.61	956195	कबर ई	शून्य	9562.00	9562. 00	श्री राकेश कुमार दीक्षित ठेकेदार
तेर0वि 0आ0	22	ग्राम पंचायत बम्हौरी काजी में चिरंजी के खेत के पास	3.59	351235	कबर ई	शून्य	3512.00	3512. 00	श्रीमती शकुन्तल I ठेकेदार

		01 मीटर स्थान पर पुलिया निर्माण							
तेर0वि 0आ0	23	ग्राम बम्हौरी गौसाई में गुलाब यादव के पास 01 मीटर स्थान पर पुलिया निर्माण	3.59	351235	कबर ई	शून्य	3512.00	3512.00	श्रीमती शकुन्तल ठाकुर
तेर0वि 0आ0	24	ग्राम पंचायत रैपुराकला में एन0एच0-76 से राठ रोड से रैपुराकला पूर्व माध्यमिक में बाबमलाल के खेत के पास तक पुलिया निर्माण	3.46	344270	कबर ई	शून्य	3443.00	3443.00	श्रीमती शकुन्तल ठाकुर
तृ0करा 0वि0आ 0	25	ग्राम पंचायत बिलबई में जगमोली आहिरवार से कारक देव होकर मेन रोड तक सी0सी0रोड	12.18	121495 5	कबर ई	शून्य	12150.00	12150.00	श्रीमती शकुन्तल ठाकुर
तृ0करा 0वि0आ 0	26	ग्राम पंचायत पसवारा में पाल धर्मशाला के पास 02 मीटर स्थान पर पुलिया निर्माण	4.11	407890	कबर ई	शून्य	4079.00	4079.00	श्रीमती शकुन्तल ठाकुर
तृ0करा 0वि0आ 0	27	विकास खण्ड का नीलम भवन राशि मरम्मत/पुताई कार्य	5.20	510890	कबर ई	शून्य	5109.00	5109.00	श्रीमती शकुन्तल ठाकुर
				192637 44	योग —	निल—	192638.00	192638.00	

वित्तीय वर्ष — 2015—16

विकास खण्ड—कबरई

निर्माण कार्य का विवरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम व पूर्ण पता	लाग त/ध	ठेकेदारों के	विक ास	काट ा	1 प्रतिशत	कम ली गई	ठेकेदार का नाम

			नराशि T	बिल की धनराशि	खण्ड	गया लेंबर सेस	से कटौती की धनराशि	धनराशि	
तेरहमाँ वि० आ०	1	ग्राम पंचायत करहराकलां में मैन रोड से उमराव खोडा खन्ना में बीरेन्द्र तिवारी के खेत के पास महोबा	4.00	39700 0	कबर ई	शून्य	3970.00	3970. 00	श्रीमती शकुन्तल T ठेकेदार
रा० वि० आ०	2	ग्राम पंचायत सिजहरी में बब्बा सेठ के पास से प्राथमिक विद्यालय तक सी०सी०रोड व नाली निर्माण	13.03	12887 46	कबर ई	शून्य	12887. 00	12887. 00	श्रीमती शकुन्तल T ठेकेदार
रा० वि० आ०	3	ग्राम पंचायत गहरा में भवानीदीन के पास से टीकाराम के घर के पास तक सी०सी०रोड व नाली निर्माण	13.19	13058 10	कबर ई	शून्य	13058. 00	13058. 00	श्रीमती शकुन्तल T ठेकेदार
रा० वि० आ०	4	ग्राम पंचायत खन्ना में ब्रम्हचारी मार्केट के पास से बिन्दा यादव के घर के पास तक सी०सी०रोड व नाली निर्माण	13.17	13104 05	कबर ई	शून्य	13104. 00	13104. 00	श्रीमती शकुन्तल T ठेकेदार
तेरहमाँ वि० आ०	5	ग्राम पंचायत रीनगर में अनुसूचित बस्ती में चौकी से मोहका अहिरवार के पास तक आर०सी०आर० व नाला	17.87	17735 97	कबर ई	शून्य	17736. 00	17736. 00	श्रीमती शकुन्तल T ठेकेदार
ति०गै स०यो०	6	ग्राम पंचायत इमिलिया उरवारा स०मा०में 3 ^ग 3स्थान में आर०सी०आर० रपटा	18.62	18620 00	कबर ई	शून्य	18620. 00	18620. 00	श्रीमती शकुन्तल T ठेकेदार
ति०गै स०यो०	7	ग्राम पंचायत मझलवारा में पूर्व निहित से नाले से काब्रिस्थान तक आर०सी०आर० व नाली	4.638	45356 8	कबर ई	शून्य	4536.00	4536. 00	श्रीमती शकुन्तल T ठेकेदार
रा०वि० आ०	8	ग्राम पंचायत पचपहरा तिदुही में खेरा पति के पास सी०सी० रोड व नाली	13.40	13349 12	कबर ई	शून्य	13349. 00	13349. 00	श्रीमती शकुन्तल T ठेकेदार
रा०वि० आ०	9	ग्राम पंचायत बीजानगर में सी०सी०	5.40	53658 0	कबर ई	शून्य	5366.00	5366. 00	श्री खेमचन्द्र

		रोड व नाली							ठेकेदार
रा0वि0 आ0	10	ग्राम पंचायत रिवाई सुनैचा में सुखदेव यादव के पास सी0सी0 रोड व नाली	4.35	43006 0	कबर ई	शून्य	4307.00	4307. 00	श्री खेमचन्द्र ठेकेदार
चौ0वि0 आ0	11	ग्राम पंचायत श्रीनगर में चरखारी रोड से ब्रम्हानन्द एजुकेशन एके टंकी के पास पुलिया	3.50	34650 0	कबर ई	शून्य	3465.00	3465. 00	श्रीमती शकुन्तल I ठेकेदार
चौ0वि0 आ0	12	ग्राम पंचायत श्रीनगर में चरखारी रोड से चरखारी रोड से ब्रम्हानन्द एजुकेशन एके आर0सी0आर0 व नाला निर्माण	3.50	34650 0	कबर ई	शून्य	3465.00	3465. 00	श्रीमती शकुन्तल I ठेकेदार
रा0 वि0 आ0	13	ग्राम पंचायत ननौरा में जैतपुर मुख्य मार्ग में पालीवाल की दुकान से पुलिया तक आर0सी0आर0 व नाला	3.50	34650 0	कबर ई	शून्य	3465.00	3465. 00	श्रीमती शकुन्तल I ठेकेदार
रा0 वि0 आ0	14	ग्राम पंचायत बरातपहाडी में में रोड से स0मा0 में 01 से 02 मीटर स्थान में आर0सी0आर0 पुलिया	4.00	39400 0	कबर ई	शून्य	3940.00	3940. 00	श्री प्रकाश दीक्षित ठेकेदार
रा0 वि0 आ0	15	ग्राम पंचायत सुरहा में देवीजी के मंदिर के पास 01 मीटर स्थान पर आर0सी0आर0 पुलिया	4.00	39354 5	कबर ई	शून्य	3935.00	3935. 00	श्री नितिन दीक्षित ठेकेदार
केवल गैप्स यो0	16	ग्राम पंचायत मिरतला के ग्राम भोरी गौसाई मे आर0सी0आर0 व नाला निर्माण	9.00	89775 7	कबर ई	शून्य	8978.00	8978. 00	श्रीमती शकुन्तल I ठेकेदार
केवल गैप्स यो0	17	ग्राम पंचायत ननौरा में आर0सी0आर0 नालों का निर्माण	11.00	10972 50	कबर ई	शून्य	10973. 00	10973. 00	श्रीमती शकुन्तल I ठेकेदार
रा0वि0 आ0	18	ग्राम पंचायत रिवाई सुनैचा के ग्राम रिकार्ड में सुखदेव यादव के पास सी0सी0रोड (द्वितीय प्रति)	4.35	31322 9	कबर ई	शून्य	3132.00	3132. 00	श्रीमती शकुन्तल I ठेकेदार
रा0वि0 आ0	19	ग्राम पंचायत बबेडी में शिवनन्दन यादव के	7.45	73755 0	कबर ई	शून्य	7376.00	7376. 00	श्रीमती शकुन्तल

		मकान के पास से हरिचरन यादव के पास तक सी0सी0रोड							1 टेकेदार
रा0वि0 आ0	20	ग्राम पंचायत सिजवाहा में सुखनन्दन लोधी के मकान से फूला लोधी के मकान के पास सी0सी0रोड व नाली	13.32	13186 46	कबर ई	शून्य	13186. 00	13186. 00	श्रीमती शकुन्तल 1 टेकेदार
रा0वि0 आ0	21	ग्राम पंचायत अतरारमाफ के ग्राम सेरा में मेंन रोड से दीनदयाल अहिरवार के घर तक सी0सी0रोड व नाली	15.05	14899 50	कबर ई	शून्य	14900. 00	14900. 00	श्रीमती शकुन्तल 1 टेकेदार
रा0वि0 आ0	22	ग्राम पंचायत शाहपहाडी में लल्लू अहिरवार के क0स0से अच्छेलाल अहिरवार के घर तक सी0सी0 रोड न नाली	13.76	13622 40	कबर ई	शून्य	13622. 00	13622. 00	श्रीमती शकुन्तल 1 टेकेदार
रा0वि0 आ0	23	ग्राम पंचायत अतरारमाफ के परिजन में कुशवाहा बस्ती में सी0सी0 रोड न नाली	13.06	12929 40	कबर ई	शून्य	12929. 00	12929. 00	श्रीमती शकुन्तल 1 टेकेदार
रा0वि0 आ0	24	ग्राम पंचायत खन्ना में रामबहादुर खटीक के मकान से रामचरन नाई के मकान तक सी0सी0रोड व नाली	4.23	41877 0	कबर ई	शून्य	4188.00	4188. 00	श्री संजीव कुमार सक्सेना टेकेदार
			217. 288	21448 055	योग —	शून्य —	214481. 00	214481 .00	

आपत्ति संख्या 04 / सूची रू0-10 लाख से कम अनु0 लागत के नि0कार्यो0 का विवरण
विकास खण्ड - कबरई वर्ष -2015-16

क्र0सं0	कार्य का नाम व पूर्ण पता	योजना का नाम	भुगतान की गई धनराशि	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	ग्राम पंचायत श्रीनगर में चरखारी रोड से ब्रम्हनन्द एजुकेशन एकेडमी तक आर0सी0आर0 व नाला निर्माण	तेरहवां विता आयोग	346500.00	22.08.2015
2	ग्राम पंचायत बरातपहाडी में मेंन रोड से सम्पर्क मार्ग में 1.00 मीटर स्थान में आर0सी0आर0 व नाला निर्माण	तेरहवां विता आयोग	394000.00	22.08.2015
3	ग्राम पंचायत सुरहा में देवी जी के मंदिर के पास 1.00 मीटर के स्थान पर आर0सी0आर0 व नाला निर्माण	तेरहवां विता आयोग	393545.00	09.09.2015
4	ग्राम पंचायत मिरतला के ग्राम बभौर गौसाई में आर0सी0आर0 व नाला	केवल गैप्स यो0	897757.00	09.09.2015

	निर्माण			
5	ग्राम पंचायत रिर्व सुनैचा के ग्राम रिर्व में सुखदेव यादव के घर के पास तक सी0सी0रोड	राज्य वित्त आयोग	313229.00	09.03.2021
6	ग्राम पंचायत खन्ना में रामबहादुर खटीक के मकान से रामचरन नाई के मकान तक सी0सी0रोड व नाली निर्माण	राज्य वित्त आयोग	418770.00	09.03.2015
	योग—	—	2763805.00	—

वर्ष —2016—17

क्र0सं0	कार्य का नाम व पूर्ण पता	योजना का नाम	भुगतान की गई धनराशि	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	ग्राम बरीपुरा में नाथूराम अनुरागी के घर से में रोड तक सी0सी0रोड निर्माण	लेखा वित्त	575190.00	09.03.2016
2	ग्राम पंचायत पचपहरा में शिवपाल के घर से नन्दराम यादव के घर तक सी0सी0रोड निर्माण	राज्य वित्त आयोग	423720.00	27.01.2016
3	ग्राम पंचायत पवा में प्रेमलाल के घर से जुम्नन के घर तक सी0सी0रोड व नाला निर्माण	राज्य वित्त आयोग	732210.00	27.01.2016
4	ग्राम पंचायत दमौरा कचेरिया के खेत से भाऊ के खेत तक आर0सी0आर0 नाला निर्माण	सांसद निधि	895500.00	09.07.2016
5	ग्राम पंचायत छिकहरा में गनपत के घर से नदी तक आर0सी0आर0 नाला निर्माण	सांसद निधि	895093.00	09.07.2016
	योग—	—	3521713.00	—
	कुल योग— 2015—16 व 2016—17		6285518.00	

जनपद का नाम:— महोबा मण्डल का नाम:— चित्रकूट धाम मण्डल— बांदा

क्षेत्र पंचायत का नाम:— पनवाडी वर्ष:— 2011—12 से 2013—14

आपत्ति का विवरण

प्रस्तर संख्या:—5 शासनादेश संख्या—1415/दस—02/वित्त/02—2001 दिनांक 28.09.2002 के अनुसार जिन अधिकारियों को वाहन आवांटी होता है उनसे मु0—400.00 रुपये प्रतिमाह वेतन से वाहन कटौती की धनराशि काटकर सम्बन्धितमद में जिससे किराया दिया जाता है जमा किया जाना चाहिए किन्तु क्षेत्र पंचायत पनवाडी में वर्ष—2011—12 से 2013—14 तक कुल 36 माहों में कोई भी वाहन कटौती की धनराशि मु0 14400.00 जमा नहीं की गई उक्त धनराशि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों से ब्याज सहित वसूली कर जमा करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या:—6 शासनादेश संख्या—10/2015/ए—10—2015 (33)/2010 दिनांक:— 29 मई 2015 को पैरा—3 के अनुसार वर्ष—2011—12 से वर्ष— 2013—14 तक योजनावार जमा अनुदान की धनराशियों पर प्राप्त/अर्जित ब्याज मु0 758555.00 जो सम्बन्धित विभाग/राज्य सरकार को वापस किया जाना चाहिए ,जो नहीं किया गया जबकि उक्त शासनादेश के अनुसार अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होती है जिसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए था जो गम्भीर रूप से आपत्तिजनक व अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है

और इनपर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या:-7 शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक- 31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायते प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक राजस्व गाँवोंको लाभान्वित करने वाले कार्यो को करायेगी जब क्षेत्र पंचायत पनवाडी द्वारा वर्ष-2011-12 से 2013-14 तक उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर रुपया 10.00 लाख से काम की अनुमानित लागत वाले एक ही राजस्व गाँवों को लाभान्वित करने वाले निर्माण कार्यो पर 11927698.00 रु० व्यय किया गया जो गम्भीर आपत्ति का विषय है व अनियमित जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी और इनपर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-8 उ०प्र० भवन एवं अन्य समनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 2009 के नियमानुसार संख्या-4(3) के अनुसार ठेकेदारों के बिलों से नियमानुसार 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर (लेबर सेस) की कटौती मु० 88745.00 की जानी चाहिये थी जो नही की गई जो गम्भीर रूप से आपत्ति जनक व अनियमित है इस प्रकार लेबर सेंस की कटौती न कर ठेकेदारों को लाभ व संस्था को हानि पहुचाई गई है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली कराई जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-02)

क्र०सं०	योजना का नाम	2011-12 में प्राप्त ब्याज	वर्ष-2012-13 में प्राप्त ब्याज	वर्ष-2013-14 में प्राप्त ब्याज	योग
1	राज्य वित्त आयोग	138158.00	85574.00	30746.00	254478.00
2	राष्ट्रीय श्रम विकास योजना	7585.00	6120.00	2693.00	16398.00
3	12वाँ/13वाँ वित्त आयोग	निल	निल	114683.00	114683.00
4	एस०जी०एस०वाई०	15566.00	233204.00	निल	248770.00
5	बी०आर०जी०एफ०	30680.00	9790.00	19208.00	59678.00
6	बिधायक निधि	निल	निल	561.00	561.00
7	बुन्देला खण्ड विकास पैकेज (आई०ए०वार्ड०)	15551.00	21513.00	138.00	37202.00
8	सांसद निधि	1789.00	2801.00	2420.00	7010.00
9	मनरेगा प्रशासनिक	निल	11460.00	निल	11460.00
10	एम०पी०एल०ए०डी०	निल	निल	8315.00	8315.00
	योग-	209329.00	370462.00	178764.00	758555.00

रुपया दस लाख से कम अनुमानित लागत वाले निर्माण कार्य का वर्षवार विवरण (आपत्ति संख्या-03)

क्र०सं०	कार्य का नाम व पूर्ण पता	योजना का नाम	अनुमानित लागत	भुगतान की गई धनराशि
1	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में सी०सी० रोड निर्माण	किटिकल गैप्स सी०	639500	575249.00
2	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में बाउण्ड्रीवाल निर्माण	किटिकल गैप्स सी०	362000	331142.00

3	ग्राम पंचायत अमानपुरा में गडोरा में ईट खडंजा निर्माण	किटिकल गैप्स सी0	605500	495619.00
4	ग्राम कुनाटा में ईट खडंजा निर्माण	किटिकल गैप्स सी0	623000	545785.00
5	ग्राम किल्हौरा में अजय पाल के मकान से विश्वनाथ के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण	राज्य वित्त आयोग	136000	85127.00
6	ग्राम बेंदों में पुलिया निर्माण	बी0आर0 जी0पी0	162000	147923.00
7	ग्राम पंचायत गाड़ौ में सी0सी0रोड निर्माण	बी0आर0 जी0पी0	700000	566192.00
8	ग्राम पंचायत गाड़ौ में पुलिया निर्माण	बी0आर0 जी0पी0	180000	144330.00
9	ग्राम पंचायत लौलारा में कछियन मुहाल व हरिजन वस्ती में सी0सी0रोड	सांसद निधि	764000	656489.00
10	ग्राम बेदों में मुन्नू साहू के मकान से धर्मपाल के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण	सांसद निधि	571000	517043.00
11	ग्राम बुडेरा में दीनदयाल के मकान से हरिजन बस्ती में सी0सी0रोड	सांसद निधि	507000	455042.00
12	ग्राम रूरीखुर्द में क्योलारी पदी पर कटान रोकने हुतु रोक दिवाल	बी0आर0 जी0पी0	500000	409814.00
	योग—	—	—	4929755.00

वर्ष— 2012—13

क्र0सं0	कार्य का नाम व पूर्ण पता	योजना का नाम	अनुमानित लागत	भुगतान की गई धनराशि
1	ग्राम पंचायत का काशीपुरा में रपटा निर्माण	राज्य वित्त आयोग	485000	433157.00
2	ग्राम पंचायत महोबकंठ में 2/2 स्थान पर आर0सी0सी0 रपटा निर्माण	तेरहवों वित्त आयोग	511000	472707.00
3	ग्राम जखा में पुष्पेन्द्र के मकान से संतोष के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य	राज्य वित्त आयोग	183000	164734.00
4	ग्राम कोटरा में हरप्रसाद के मकान से माइनर नहर तक सी0सी0रोड व रोक दिवाल निर्माण कार्य	राज्य वित्त आयोग	873000	800983.00
5	ग्राम मसूदपुरा में स्वयं सहायता समूह भवन के सामने आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	राज्य वित्त आयोग	244000	219303.00
6	ग्राम महोबकंठ में एन0एच0—76 से थाना तक सी0सी0रोड	तेरहवों वित्त आयोग	232000	202857.00
7	अलीपुरा में तालाब से सड़क तक सी0सी0रोड निर्माण	राज्य वित्त आयोग	400000	357804.00
	योग—	—	—	2651545.00

वर्ष— 2013—14

क्र0सं	कार्य का नाम व पूर्ण पता	योजना का नाम	अनुमानित	भुगतान की

0			लागत	गई धनराशि
1	ग्राम पनवाडी में राठ पनवाडी रोड से अनुसूचित जाति बस्ती में सी0सी0रोड निर्माण	राज्य वित्त आयोग	330000	288561.00
2	ग्राम स्योढी में मेबावाल यादव के मकान के पास रोड दीवाल निर्माण	राज्य वित्त आयोग	448000	359120.00
3	ग्राम महोबकंठ में एन0एच0-76 रोड से दीवान शाह के चबूतरे तक सी0सी0रोड निर्माण	राज्य वित्त आयोग	590000	506015.00
4	ग्राम सतौरा में राम सेवक के खेत के पास बम्बा पर पुलिया निर्माण	तेरहवाँ आयोग	295000	261901.00
5	ग्राम सौरा में चुन्नू धोबी के घर से मुन्ना धोबी के घर तक सी0सी0रोड निर्माण	बी0आर0 जी0एफ0	600000	541788.00
6	ग्राम जमाला में हरदयाल ढीमर के घर से किशन पाल के घर तक सी0सी0रोड निर्माण	राज्य वित्त आयोग	260000	232172.00
7	ग्राम लौलारा में रामशरण यादव के घर से शंकर जी के मंदिर तक व चन्द्रभान के घर से रामशरण के बाड़े तक सी0सी0रोड	राज्य वित्त आयोग	760000	686035.00
8	ग्राम बरेण्डा में रेलबे फाटक के पास पुलिया निर्माण कार्य	तेरहवाँ आयोग	766000	708301.00
9	ग्राम सौरा में मुन्ना धोबी के घर से तालाब तक सी0सी0रोड निर्माण	राज्य वित्त आयोग	348000	314920.00
10	ग्राम सतौरा में मैन रोड से उत्तम के घर होकर हैण्डपम्प तक सी0सी0रोड निर्माण	राज्य वित्त आयोग	490000	447585.00
	योग-	—	—	4346398.00
	कुल योग वर्ष-2011-12 मु0-4929755.00, वर्ष- 2012-13 मु0-2651545.00 व 2013-14 मु0-4346398.00	—	—	11927698.00

लेबरसेस (कर्मकार कल्याण उपकर) की कटौती ठेकेदारों के बिलों से न किये जाने से सम्बन्धित विवरण

आपत्ति संख्या-04

क्र0 सं0	कार्य का नाम व पूर्ण पता	वर्ष- 2013-14	ठेकेदारों के बिल की धनराशि	काटा गया लेबर सेस	1 प्रतिशत कटौती की धनराशि	कम ली गई धनराशि
1	ग्राम पनवाडी में बाईपास रोड से नेहरू इण्टर कॉलेज तक सी0सी0रोड निर्माण	2013-14	342214.00	शून्य	3422.00	3422.00
2	ग्राम पनवाडी में राठ पनवाडी रोड से अनुसूचित	2013-14	314796.00	शून्य	3148.00	3148.00

	बस्ती में सी0सी0रोड निर्माण					
3	ग्राम स्योढी में मेवालाल यादव के मकान के पास रोक दीवाल का निर्माण	2013-14	392158.00	शून्य	3922.00	3922.00
4	महोबा कंट में एन0एच0 रोड से दीवान शाह के चबूतरे तक सी0सी0 रोड	2013-14	550484.00	शून्य	5505.00	5505.00
5	ग्राम सतौरा में रामसेवक के खेत के पास बब्बा पर पुलिया निर्माण	2013-14	283273.00	शून्य	2832.00	2832.00
6	ग्राम सौरा में चुन्नु धोबी के घर से मुन्ना धोबी के घर तक सी0सी0रोड	2013-14	597077.00	शून्य	5971.00	5971.00
7	पनवाडी में नेहरू इण्टर कॉलेज से सम्पर्क मार्ग में सारंगपुरा पुलिया निर्माण	2013-14	366753.00	शून्य	3668.00	3668.00
8	ग्राम जमाला में हरदयाल ढीमर के घर से किशन पाल के घर तक सी0सी0रोड	2013-14	250955.00	शून्य	2510.00	2510.00
9	ग्राम लौलाश में रामशरण यादव के घर से शंकर जी मंदिर तक व चन्द्रभान के घर से रामशरण के रोड तक सी0सी0रोड	2013-14	741203.00	शून्य	7412.00	7412.00
10	ग्राम नैपुरा में सतौरा सम्पर्क मार्ग की पुलिया से बीरेन्द्र के मकान तक रोक दीवाल एवं मिट्टी भराई कार्य	2013-14	923994.00	शून्य	9240.00	9240.00
11	ग्राम बरेन्डा में रेलवे फाटक के पास पुलिया निर्माण	2013-14	760856.00	शून्य	7608.00	7608.00
12	ग्राम सौरा में मुन्ना धोबी के मकान से तालाब तक सी0सी0रोड निर्माण	2013-14	341193.00	शून्य	3412.00	3412.00
13	ग्राम सतौरा में मैन रोड से उत्तम के घर से होकर हैण्डपम्प तक सी0सी0रोड निर्माण	2013-14	485409.00	शून्य	4854.00	4854.00
14	ग्राम काशीपुरा में माधवगंज में फूल सिंह के घर से गयाप्रसाद के घर तक सी0सी0रोड	2013-14	834564.00	शून्य	8345.00	8345.00

15	ग्राम बरेण्डा में रेलवे गेट से मैन रोड तक सी0सी0रोड निर्माण	2013-14	625007.00	शून्य	6250.00	6250.00
16	ग्राम सतौरा में फूल सिंह के मकान से मैन रोड तक सी0सी0रोड एवं पुलिया निर्माण	2013-14	1064573.00	शून्य	10646.00	
	योग-	-	8874509.00	-	88745.00	88745.00

जनपद का नाम :- महोबा मण्डल का नाम :- चित्रकूट धाम मण्डल- बांदा

क्षेत्र पंचायत का नाम :- पनवाडी वर्ष :- 2016-17 आपत्ति का विवरण

प्रस्तर संख्या-9 आलोच्य वर्ष की लेख परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश एवं अन्य समनिर्माण कल्याण उपकार नियम संख्या 2009 (जो कि 4 फरवरी 2009 से उ0प्र0 में लागू है।) कि नियम संख्या 4 (3) के अनुसार ठेकेदारों के बिलों से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर में कर्मकार उपकार (लेबरसेस) नियोक्ता के द्वारा कटौती की जानी चाहिये थी जो नहीं की गई जो गम्भीर रूप से आपत्ति जनकव अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी श्री अवधेश कुमार खरे, श्री गोरेलाल (लेखाकार) श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, श्री पी0एन0 दीक्षित व अश्विनी कुमार सोनकर बी0डी0ओ0 उत्तरदायी है। इस प्रकार उत्तरदायी अधिकारियों एवं में कर्मचारियों से ब्याज सहित वसूली कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम व पूर्ण पता	वर्ष	ठेकेदारों की बिल की धनराशि	काटा गया लेबर सेस	1 प्रतिशत कटौती की धनराशि	कम ली गई धनराशि
1	ग्राम सिलालपुरा में गौन गुढा मौजा में पानी निकासी हेतु नहर से इमामी के खेत तक पक्की नाली निर्माण	16-17	518874.00	निल	5189.00	5189.00
2	ग्राम सिलालपुरा में रामाधर के मकान से अशोक राजपूत के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण	16-17	743758.00	निल	7438.00	7438.00
3	ग्राम सिलालपुरा में प्राइमरी स्कूल से मुन्नीलाल यादव के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण	16-17	587956.00	निल	5880.00	5880.00
4	ग्राम पंचायत कुनकुआ में ग्यादीन कुशवाहा के हैण्डपम्प के पास से बालकृष्ण के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण	16-17	956330.00	निल	5663.00	5663.00
5	ग्राम पनवाडी में पाठकपुरा मुहाल में	16-17	376548.00	निल	3765.00	3765.00

	कारकदेव के सामने मैदान में इण्टरलॉकिंग कार्य					
6	ग्राम पंचायत रुरीकला के ग्राम कनेरा में श्री बंशीधर के मकान से श्री बीरसिंह लोधी के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण	16-17	491867.00	निल	4919.00	4919.00
7	ग्राम स्योढी में श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के मकान से श्री राजवहादुर नाई के मकान तक सी0सी0रोड निर्माण	16-17	508245.00	निल	5082.00	5082.00
8	ग्राम घुटवई में अच्छेलाल के खेत के पास आर0सी0आर0 पुलिया निर्माण	16-17	143425.00	निल	1434.00	1434.00
	योग-	-	4327003.00	निल	43270.00	43270.00

प्रस्तर संख्या-10 वर्ष 2016-17 का योजनावार जमा धनराशियों पर ब्याज जो सम्बन्धित विभाग/राज्य सरकार को वापस किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया जो गम्भीर रूप से आपत्तिजनक व अनियमित है अनुदान की योजनावार जमा धनराशियों पर ब्याज प्राप्त का विवरण निम्नबत है।

क्र0सं0	योजना का नाम	वर्ष-2016-17 मे प्राप्त ब्याज
1	राज्य वित्त आयोग	182230.00
2	तेरहवां वित्त आयोग	43371.00
3	मनरेगा प्रशासनिक मद	10978.00
4	आवास प्रशा0/विविध प्राप्ति	3834.00
	योग-	240413.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1-502 (ए) दस 2015-10 (33)/2015 दिनांक 29 मई 2015 के पैरा 3 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिये था किन्तु संस्था द्वारा ब्याज की धनराशी को खाते में रखा गया है जो गंभीर रूप से आपत्तिजनक व अनियमित अनियमित है। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री गोरेलाल खण्ड विकास अधिकारी श्री अश्विनी कुमार सोनकर जिम्मेदार है। उत्तरदायी अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 11 शासनादेश संख्या-1415/दस-02/वित्त/2-2001 दिनांक 28.09.2002 के अनुसार जिन अधिकारियों को वाहन आवंटित होता है उनसे मु0-400.00 रु0 प्रति माह वेतन से वाहन कटौती की धनराशि सम्बंध मद में जिससे किराया दिया जाता है जमा किया जाना चाहिये था किन्तु क्षेत्र पंचायत पनवाडी वर्ष 2016-17 के कुल 12 माहों में कोई भी वाहन कटौती की धनराशि जमा नहीं की गई जो गंभीर रूप से आपत्ति जनक व अनियमित है। अतः दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक 12 माहों की धनराशि मु0 4800.00 रु0 की ब्याज सहित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, श्री पी0एन0 दीक्षित व श्री अश्विनी कुमार सोनकर से जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या— 12 उ0प्र0 पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश सं0—1838/33—3—2015—03—2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने हेतु मार्गदर्शन व सिद्धान्त निर्धारित की गयी हैं जो क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुरूप हो।

उक्त शासनादेश के अनुसार क्षेत्र पंचायत प्राप्त विविध अनुदानों से एक से अधिक राजस्व गांव को लाभान्वित करने वाले कार्यों को करायेगी। वर्ष 2016-17 में कराये गये निर्माण कार्यों की सूची जिनकी अनुमानित लागत मु0 10.00 लाख रुपये से कम है क्षेत्र पंचायत पनवाड़ी द्वारा उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुये एक ही राजस्व गांव को लाभान्वित करने वाले कार्य कराये गये हैं जो गंभीर रूप से आपत्तिजनक व अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री अवधेश कुमार खरे, श्री गोरेलाल तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, श्री पी0एन0 दीक्षित व श्री अश्विनी कुमार सोनकर उत्तरदायी है। जिनके प्रति वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0	कार्य का नाम व पूर्ण पता	योजना का नाम	अनुमानित लागत	भुगतान की गई धनराशि
1	ग्राम सिलालपुरा में गौन गुद्दा मोजे में पानी निकासी हेतु नहर से इमामी के खेत तक पक्की नाली निर्माण	राज्य वित्त	528000.00	429564.00
2	ग्राम सिलालपुरा में रामाधार के मकान से अशोक राजपूत के मकान तक सी0सी0 रोड़ निर्माण	राज्य वित्त	769000.00	606402.00
3	ग्राम पनवाड़ी में पाठक पुरा मौहाल में कारक देव के सामने मेदान में इण्टरलाकिंग कार्य	राज्य वित्त	392000.00	311459.00
4	ग्राम पंचायत रुरीकलां के ग्राम कनौरा में श्री वंशीधर के मकान से श्री बीरसिंह लोधी के मकान तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य	राज्य वित्त	698000.00	375655.00
	योग—		2387000.00	1723080.00

जनपद का नाम— महोबा

मण्डल का नाम— चित्रकूट धाम

मण्डल —बाँदा

क्षेत्र पंचायत का नाम— जैतपुर

वर्ष 2013-14 से 2015-16 आपत्ति का विवरण

प्रस्तर संख्या—13 लेखा परीक्षा दौरान पायागया की आलोच्य वर्षों में शासनादेश सं0 ए—1—122/दस/2012—10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 एवं शासनादेश संख्या 10/2015/ए—7502(1) दस—2015—10 (33)/2010 दिनांक 29.05.2015 में दिये गये निर्देशानुसार शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है। अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी अतः उक्त खातों में अर्जित संपूर्ण ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। जिस हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

1 प्रशासनिक व्यय (मनरेगा)–	7876.00
2. राज्य वित्त आयोग –	21356.00
3. राष्ट्रीय अजीविका मिशन–	20448.00
4. सांसद निधि योजना –	36242.00
5. विधायक निधि–	26201.00
6. विविध योजना–	27555.00
7. पिछड़ा वर्ग अनुदान–	144821.00

ब्याज कुल योग— 284499.00

उपरोक्त शासनादेशानुसार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार को उत्तरदायी ठहराकर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—14 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया की आलोच्य वर्षों में शासनादेश संख्या 1415/दस—02/वित्त/2—2001 दिनांक 28.09.2002 के अनुसार जिन अधिकारियों को वाहन आवंटित होता है उनसे मु0 400.00 रुपया प्रतिमाह वेतन से वाहन कटौती की धनराशि सम्बंधित मद में जिससे

वाहन किरायादिया जाता है। जमा किया जाना चाहिये किन्तु क्षेत्र पंचायत जैतपुर में 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक 36 माह तक कोई भी वाहन कटौती की धनराशि जमा नहीं की गयी अतः दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.03.2016 तक कुल 36 माह की तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों से 14400.00 की ब्याज सहित वसूलकर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15 लेखा परीक्षा दौरान आलोच्य वर्ष 2013-14 से 2015-16 तकमे पाया गया की उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्न निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (लेवरसेंस) नियम 2009 जो की दिनांक 04 फरवरी 2009 से उ0प्र0 में लागू है। के नियम 4 (3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार-उपकर (लेवरसेंस) नियोक्ता के द्वारा ठेकेदार को भुगतान राशि से काटी जायेगी कटौती के पश्चात श्रम विभाग में जमा की जायेगी जबकी क्षेत्र पंचायत जैतपुर में राज्य वित्त आयोग तेरहवा वित्त आयोग पिछड़ा वर्ग अनुदान सांसद निधि क्रिटिकल ग्रेप्स योजना, प्रशासनिक व्यय मनरेगा मद एस0जी0एस0वाई0 योजना क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य योजना विधायक निधि आदिमें प्राप्त धनराशियों से कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कीवर्ष 2013-14 व वर्ष 2014-15 व वर्ष 2015-16 में ठेकेदारोके बिलो (देयको) से आयकर, ब्यापार कर, रॉयलटी, अर्थदण्ड की कटौती के साथ लेवरसेंस कर्मकार-उपकर की कटौती नहीं की गयी है जो कि वर्ष 2013-14 में रुपये 39219.00 वर्ष 2014-15 में रु 161201.00 वर्ष 2015-16 में रु 54671.00 कुल रुपये 255091.00 की उक्त कर्मकार उपकर (लेवरसेंस) की 1 प्रतिशत की न करके ठेकेदारो को लाभ एवं सस्था को क्षति पहुचायी गयी है जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन लेखाकार श्री अरविन्द कुमार चतुर्वेदी एवं श्री दीनदयाल श्री प्रदीप कुमार पाड़े श्री आदित्य प्रसाद पाड़े श्री ओम प्राकश मिश्रा श्री शिवनारायण सिंह तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों जैतपुर का है उक्त धनराशि मु0 255091.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16 आलोच्य वर्षों में उ0प्र0 पंचायतराज राज्य अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-3/2015 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओ द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये है जो क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्राविधानो के विभिन्न अनुदानो से 1 से अधिक राजस्व ग्राम पंचायतो को लाभाविन्त करने वाले कार्योको करायेगी वर्ष 2015-16 में दिनांक 31.07.2015 के बाद प्रारम्भ किये जाने वाले कार्यो कि सूची जिनकी अनुमानित लागत 10 लाख रु से कम है जो निम्नवत है क्षेत्र पंचायत जैतपुर द्वारा उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुये 1 ही ग्राम पंचायत को लाभाविन्त करने वाले कार्यकराये गये जो गंभीर रुप से आपत्तिजनक व अनियमित है जिसके लिये तत्कालीन ठेकेदार कार्य प्रभारी अभियन्ता एवं श्री एस0एन0सिंह खण्ड विकास अधिकारी अरविन्द्र कुमार चतुर्वेदी लेखाकार महेन्द्र कुमार जेईआरएस, श्री रामकुमार कार्य प्रभारी श्री कामता प्रसाद ठेकेदार उत्तरदायी है जिनपर वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्र 0	कार्य का नाम व पूर्ण पता वर्ष 2015-16	खण्ड विकास अधिकारी	कार्य प्राभरी	अभियन्ता	ठेकेदार	मद का नाम	लेखाकार	स्वीकृत लागत	कार्य प्रारम्भ तिथि
1	जैतपुर में चौधरयाने के बगल से मेन रोड़ तक सी0सी0 रोड़	श्री एस0एन0 सिंह	श्री गुलाबसिंह जी0पी0ए0 कामता ठेकेदार	श्री महेन्द्र वर्मा जे0ई	श्री कामता प्रसाद	रा0वि 0	श्री अरविन्द कुमार चतुर्वेदी लेखाकार	3.53	13.08.2015
2	बसरिया में रमाशंकर के बाड़े से प्रा0वि0 तक	श्री एस0एन0 सिंह	श्री रामकुमार जी0पी0ए0	श्री महेन्द्र वर्मा जे.ई	श्री कामता प्रसाद	ते.वि.	श्री अरविन्द कुमार चतुर्वेदी	8.38	19.08.2015

	सी0सी0 / न ली निर्माण						लेखाका र		
3	जैतपुर में सिद्धवीर हनुमान जी मंदिर से फिल्टर तक सी0सी0रोड	श्री एस0एन 0 सिंह	श्री बालकृष्ण सोनी प्रभारी	श्री अरविन्द्र जे0ई0	श्री कामता प्रसाद	रा0वि 0	श्री अरविन्द्र कुमार चतुर्वेदी लेखाका र	9.26	09. 03. 2015
वर्ष 2015-16 का योग-							योग-	21.17 या(2117000)	

प्रस्तर संख्या- 17 ग्राम पंचायत महुवा बांध में सरस हाट मैदान में 5*13 मीटर का टीनशैड निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2013-14 में विधायक निधि से रू0- 300000.00 रुपया दिनांक 15.04.2014 को स्वीकृत हुआ था जिसका निर्माण कार्य वर्ष-2014-15 में दिनांक 18.06.2014 से दिनांक- 01.07.2014 तक 2 कारीगर एवं 8 श्रमिकों ने 14 दिन तक लगातार कार्य किया गया जिसमें मस्टरोल संख्या-1 द्वारा रू0-27272.00 का 10 मजदूरों को मस्टरोल पर रसीदी टिकिट लगकर हस्ताक्षर कर एवं अंगूठा लगाकर भुगतान करना अंकित है जबकि क्रमांक 1 पर अंकित श्री कल्लू पुत्र गुन्दा कारीगर 2 अर्जुन पुत्र इन्द्रजीत कारीगर 3 हरिश्चन्द्र पुत्र गनेशा श्रमिक 4 चन्दन पुत्र विन्द्रावन श्रमिक 5. देवकरन पुत्र श्री मंजू धोबी 6 महेन्द्र पाल पुत्र विन्द्रावन लोधी 7 मुन्ना पुत्र श्री विन्द्रावन 8 राजेश पुत्र श्री हलकुट्टी धोबी 9 कल्लू पुत्र परसू लोधी 10 भूरा पुत्र प्रेम को निम्न विवरणानुसार किया गया है। 8 मजदूरों को दर 156.00 से $156 \times 14 = 2184 \times 8 = 17472-00$ 14 दिनों की 8 मजदूरों एवं 2 कारीगरों की दर $350 \times 14 =$ दिन $\times 2$ कारीगर = $9800-00$ का भुगतान करना अंकित है अतः $17472 + 9800 = 27272.00$ कुल योग रू0 27272.00 का भुगतान किया गया है जबकि मस्टरोल पर श्री अर्जुन, हरिश्चन्द्र, राजेश 3 श्रमिकों के हस्ताक्षर एवं 6 लोगों के अंगूठा निशानी रसीदी टिकिटों पर लगी है कुल 9 श्रमिकों को धन प्राप्त कराकर मस्टरोल पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी कराई गई है जबकि 10 व्यक्तियों को मस्टरोल पर भुगतान करना दर्शाया गया है जो पूर्णता फर्जी प्रतीत होता है पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्नक नहीं था निर्माण कार्य की फोटोग्राफी नहीं थी एवं मौके पर कार्य पूर्ण कराकर साईनबोर्ड की एक फोटोग्राफी लेकर फाइल में संलग्न करनी आवश्यक थी जो नहीं की गई जिसका श्री महेन्द्र कुमार सिंह अवर अभियन्ता ने चैक संख्या- 000031 दिनांक-09.12.2014 को रू0- 45666.00 भुगतान प्राप्त कर टीनशैड में लगे कारीगर मजदूरों का नगद भुगतान रू0- 27272.00 का किया गया है जबकि दैनिक चिट्ठा (मस्टरोल) पूर्णतया फर्जी प्रतीत होता है अतः किया गया भुगतान फर्जी है एवं रू0-27272.00 का भुगतान उपरान्त रू0- 18394.00 की धनराशि कहाँ पर उपयोग की गई है कोई विवरण अंकित नहीं है अतः रू0- 27272.00 फर्जी मस्टरोल का भुगतान एवं रुपया 18394.00 विवरण न होने के कारण रू0- 45666.00 ब्याज सहित बसूली योग्य है जिस हेतु श्री आदित्य कुमार पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी श्री अरविन्द्र कुमार चतुर्वेदी लेखाकार एवं श्री महेन्द्र कुमार सिंह अवर अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी है जिनमें रू0- 45666.00 की ब्याज सहित बसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम-महोबा मण्डल का नाम-चित्रकूट धाम मण्डल-बांदा

क्षेत्र पंचायत का नाम-जैतपुर वर्ष- 2016-17 आपत्ति का विवरण

प्रस्तर संख्या -18 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या ए0-1-122/दस/2012-10(33)/2010-दिनांक 21.03.2012 एवं शासनादेश संख्या दस/2015/ए-7502(1) दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 में दिये गये निर्देशानुसार शासन द्वारा अप्रमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है। अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी अतः निम्नलिखित खातों में अर्जित संपूर्ण ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है जिस हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

1. प्रशासनिक व्यय (मनरेगा) 7858.00

2. राज्य वित्त आयोग में 76191.00
3. पिछड़ा वर्ग अनुदान मद में 49701.00
4. राष्ट्रीय अजीविका मिशन मद में 28573.00

कुल योग 162323.00

उपरोक्त शासनादेशानुसार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार को उत्तरदायी ठहराकर ब्याज बापसी की आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19 आलोच्य वर्ष 2016-17 में उ0प्र0 पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक-31.07.2015 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं जो क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अनुरूप हो। उक्त शासनादेश के अनुसार क्षेत्र पंचायत में प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को करायेगी वर्ष 2016-17 में दिनांक- 31.07.2015 के प्रारम्भ किये जाने वाले कार्यों की सूची जिनकी अनुमानित लागत 10.00 लाख रुपये से कम है जो निम्न लिखित है क्षेत्र पंचायत जैतपुर द्वारा उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुये एक ही ग्राम पंचायत को लाभान्वित करने वाले ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये हैं जो गम्भीर रूप से आपत्तिजनक है जिसके लिये तत्कालीन ठेकेदार श्री हबीब, अवर अभियन्ता श्री अरविन्द्र कुमार लेखाकार श्री अरविन्द्र कुमार चतुर्वेदी एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव नारायण उत्तरदायी है और इनपर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0सं 0	कार्य का नाम व पूर्ण पता	वर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	भुगतान किया गया	कार्य प्रारम्भ की तिथि
1	जैतपुर में पंचायत भवन मेदान से सभी के घर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य	16-17	रा0वि0आ0	6.50 लाख	525613.00	08.08.2015

प्रस्तर संख्या - 20 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि आलोच्य वर्ष-2016-17 में उ0प्र0 भवन एवं सन्न निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 2009 जो कि दिनांक 04.02.2009 से उ0प्र0 में लागू है के नियम 4 (3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार-उपकर (लेवरसेस) नियोक्ता के द्वारा ठेकेदार को भुगतान राशि से काटी जायेगी कटौती पश्चात् श्रम विभाग में जमा की जायेगी जबकि क्षेत्र पंचायत जैतपुर में राज्य वित्त आयोग, तेरहवों वित्त आयोग, पिछड़ा वर्ग अनुदान, सांसद निधि, क्रिटिकल गेप्स योजना, प्रशासनिक व्यय (मनरेगा), विविध प्राप्तिमा मद बुन्देलखण्ड पैकज (मनरेगा) मद, एस0जी0एस0वाई0 योजना, क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य योजना, विधायक निधि, मद में प्राप्त धनराशियों से कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष-2016-17 में ठेकेदारों के बिलों से आयकर, व्यापार कर, रॉयल्टी, अर्थदण्ड की कटौती के साथ लेवरसेस कर्मकार-उपकर की कटौती नहीं की गई जो कि वर्ष 2016-17 में रु0-69892.00 की उक्त कर्मकार-उपकर (लेवरसेस) की 1 प्रतिशत की कटौती न करके ठेकेदारों को लाभ एवं संस्था को क्षति पहुंचाई गई है जिसका उत्तरदायित्व तत्कालीन लेखाकार श्री अरविन्द्र कुमार चतुर्वेदी एवं खण्ड विकास अधिकारी जैतपुर श्री शिवनारायण सिंह, श्री गणेश प्रसाद, सुश्री महिमा विद्यार्थी का है। इस प्रकार 69892.00 की ब्याज सहित बसूली की जानी अपेक्षित है। वर्ष-2016-17 में कराये गये निर्माण कार्यों की सूची संलग्न है-

क्र0सं 0	कार्य का नाम व पूर्ण पता	लागत/धनराशि (लाख)	ठेकेदार से बिल की धनराशि	विकास खण्ड	काटा गया लेवरसेस	1 प्रतिशत की कटौती की	कम ली गई धनराशि	ठेकेदार का नाम

						धनराशि		
1	जैतपुर में अंजनी माता मंदिर के पास बेला सागर घाट	14.21	139925 9.00	जैतपुर	शून्य	13992.00	13992. 00	श्री बालकृष्ण
2	श्री मुन्ना सेठ से श्मसान घाट तक सी0सी0	12.26	119193 3.00	जैतपुर	शून्य	11919.00	11919. 00	श्री बालकृष्ण
3	जैतपुर में बाई पास से हनुमान मंदिर से बल्ली कुशवाहा तक सी0सी0रोड	10.39	102642 7.00	जैतपुर	शून्य	10264.00	10264. 00	श्री बालकृष्ण
4	जैतपुर से पंचायत भवन मैदान से सनी के घर तक सी0सी0 रोड	6.50	525613. 00	जैतपुर	शून्य	5256.00	5256. 00	श्री हबीब अहमद
5	घघौरा से महादेव साहू से नाले तक सी0सी0रोड	13.00	127754 2.00	जैतपुर	शून्य	12775.00	12775. 00	श्री रामजीवन मिश्रा
6	जैतपुर में बेला सागर रामसेतु घाट का जीर्णोद्धार	15.70	145338 1.00	जैतपुर	शून्य	14533.00	14533. 00	श्री बालकृष्ण
7	जैतपुर में कार्यालय ब्लॉक प्रमुख एवं ए0डी0ओ0पंचायत रंगाड़ पुताई	1.20	115327. 00	जैतपुर	शून्य	1153.00	1153. 00	श्री अरविन्द्र कुमार टी0आई0
						योग—	69892. 00	

निर्माण कार्य का विवरण वर्ष – 2016–17 क्षेत्र पंचायत का नाम – जैतपुर

प्रस्तर संख्या—21 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि शासनादेश संख्या— 1415/दस—02/वित्त/2—2001 दिनांक— 28.09.2002 के अनुसार जिन अधिकारियों को वाहन आवांछित होता है उनसे मु0— 400.00 रुपया प्रति माह वेतन से वाहन कटौती की धनराशि सम्बन्धित मद में जिससे वाहन किराया दिया जाता है जमा किया जाना चाहिए किंतु क्षेत्र पंचायत जैतपुर में वर्ष—2016—17 में 12 माह कोई भी वाहन कटौती धनराशि जमा नहीं की गई है अतः दिनांक— 01.04.2016 से दिनांक— 31.03.2017 तक कुल 12 माह की धनराशि मु0—4800.00 रुपया तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी जैतपुर श्री शिवनारायण सिंह, श्री गणेश प्रसाद, सुश्री महिमा विद्यार्थी से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली कर जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि मार्च 2017 में श्री विनय कुमार धुरिया कम्प्यूटर ऑपरेटर से रूपया 540.00 आवास किराया आवास आवंटनपंजिका के अनुसार जमा कराया जाना शेष है जो आपत्तिजनक है जिसे समयांतर्गत ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-23 लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि मार्च 2017 में श्री मनीष कुमार व्याससोशल ओडिटर से रूपया 1800.00 आवास किराया आवास आवंटनपंजिका के अनुसार जमा कराया जाना शेष है जो आपत्ति जनक है जिसे समयांतर्गत ब्याज सहित बसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-3

वर्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

जनपद-बहराइच

मंडल-देवीपाटन

आपत्ति का विवरण

क्षेत्र पंचायत-बलहा

वर्ष 2011-12 से 13-14

प्रस्तर संख्या

1. आलोच्य वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय टी.डी.एस. कटौती रू0 60208.00 की गयी। जिसके जमा की पुष्टि मैं इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध न कर रू0 60208.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः उक्त धनराशि खंड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री जितेन्द्र सिंह से ब्याज सहित बराबर-बराबर संबंधित विभाग में जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-09)

2. आलोच्य वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय टी.डी.एस. कटौती रू0 53617.00 की गयी। जिसके जमा की पुष्टि मैं इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध न कर रू0 53617.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः उक्त धनराशि खंड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री जितेन्द्र सिंह से ब्याज सहित बराबर-बराबर संबंधित विभाग में जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-10)

3. आलोच्य वर्ष-2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 12वां वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम रतहिया में गिरधारी के पालेशर होते हुये फारेस्ट चौकी तक खडंजा निर्माण कराया गया। जिसकी कुल लागत रू0 649022.00 थी। जिसके कार्य समाप्त पर फोटोग्राफी नहीं करायी गयी, मस्टर रोल एवं ईट क्रय -व्यय प्रमाणकों पर बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं हैं, माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर रू0- 649022.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी है। जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है अतः उक्त धनराशि श्रीनाथ द्विवेदी अवर अभियंता, श्री शाहिद अली, कार्य प्रभारी/ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री नागेन्द्र मोहन त्रिपाठी बी0डी0ओ0 से ब्याज सहित बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-11)

4. आलोच्य वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 12वां वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम रतहिया में बेल गुलरिया से बरुहा डामर तक खडंजा निर्माण कराया गया। जिसकी कुल लागत रू0 2092321.00 थी। जिसके कार्य समाप्त पर फोटोग्राफी नहीं करायी गयी, मस्टर रोल एवं ईट क्रय -व्यय प्रमाणकों पर बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं हैं, माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर रू0 2092321.00 की धनराशि की गम्भीर अनियमितता की गयी है। जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः उक्त धनराशि श्रीनाथ द्विवेदी अवर अभियंता, श्री शाहिद अली, कार्य प्रभारी/ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री नागेन्द्र मोहन त्रिपाठी बी0डी0ओ0 से ब्याज सहित बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-18)

क्षेत्र पंचायत-बलहा

वर्ष 2014-15 से 16-17

5. आलोच्य वर्ष-2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 12वां वित्त आयोग/13वां वित्त आयोग

के अंतर्गत बलसिंहपुर बनजारन टांणा में झुर्रा के घर से त्रिवेणी के घर तक खडंजा निर्माण कराया गया। जिसकी कुल लागत रु० 384899.00 थी। जिसके कार्य समाप्त पर फोटोग्राफी नहीं करायी गयी, मस्टर रोल एवं ईट क्रय —व्यय प्रमाणकों पर बी०डी०ओ० के हस्ताक्षर नहीं हैं, माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर धनराशि रु० 384899.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी है। जोकि उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः उक्त धनराशि श्री रामहेतु शर्मा अवर अभियंता, श्री हरिश्चंद्र बी०डी०ओ० एवं संबंधित ठेकेदार से ब्याज सहित बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-09)

क्षेत्र पंचायत —रिसिया वर्ष 2011-12 से 2013-14

6. आलोच्य वर्ष क्रमशः 2011-12 से 13-14 में शासनादेश सं० ए-1-122/10-2012-10/(33)2010 वित्त (लेखा अनुभाग-1) लखनऊ दिनांक 21-03-2012 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं० बी-1-564/10-7/97 दिनांक 02-03-1998 के अनुसार विभिन्न सरकारी उपक्रमों एवं निगमों को शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियाँ राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाती हैं तो उन जमा राशियों पर अर्जित ब्याज की धनराशि संस्था/निकाय की न होकर राज्य सरकार की आय मानी जाती है जोकि कुल धनराशि रु० 907877.00 को राजकोष में जमा न कर धनराशि रु०- 907877.00 की अनियमितता की गयी है। जोकि उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जोकि शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है। इस ओर इंगित करने पर बताया गया कि जमा करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। अतः उक्त धनराशि उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं श्री प्रशान्त श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी एवं अरुण कुमार त्रिपाठी लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है। (सा०आ०सं०-05)
7. आलोच्य वर्ष 2013-14 में 10 निर्माण पत्रावलियों के अनुसार कुल सामग्री क्रय पर रु० 7802921.00 दर्शाया गया है जिस पर रु० 65721.00 का व्यापार कर काटा गया है जबकि 4 प्रतिशत की दर से रु० 312116.00 होता है। इस प्रकार रु० 246395.00 कम कटौती कर राजस्व की हानि कर धनराशि रु०- 246395.00 की अनियमितता की गयी जो कि उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। व्यापार कर की धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री वेदप्रकाश मौर्य एवं श्री अनिल कुमार चौधरी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं अरुण कुमार त्रिमाठी लेखाकार से ब्याज सहित सम्बन्धित विभाग में बराबर-बराबर जमा की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-07)

8. आलोच्य वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में लेखाकार श्री अरुण कुमार त्रिपाठी के द्वारा फार्म बिक्री से रु०-4400.00 की आय दर्शायी गयी है। इसके अतिरिक्त कोई आय आलोच्य वर्ष में दर्ज नहीं की गयी है जबकि आलोच्य वर्ष के कार्यों के अनुसार टेंडर फार्म बिक्री से रु०- 24000.00 आय दर्ज की जानी चाहिये थी किंतु ऐसा न कर रु०-19600.00 धनराशि का अपहरण किया गया है जो कि उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री वेदप्रकाश मौर्य एवं श्री अनिल कुमार चौधरी तथा श्री प्रशान्त श्रीवास्तव तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं अरुण कुमार त्रिमाठी लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-08)

9. आलोच्य वर्ष 2013-14 में परियोजनाओं के बोर्डों की सप्लाई हेतु चेक सं० 002373 से रु०-19200.00 का भुगतान एम०एस० वैष्णों ट्रेडर्स एवं सप्लायर्स को किया गया है। उक्त भुगतान संबंधी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर रु० 19200.00 की धनराशि की अनियमितता की गयी है। जोकि उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है,

जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री वेदप्रकाश मौर्य एवं श्री अनिल कुमार चौधरी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं अरुण कुमार त्रिमाठी लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-09)

10. आलोच्य वर्ष 2013-14 में निविदा प्रकाशन हेतु चेक सं0 002347 से रू0 1738.00 एवं चेक सं0 686433 से रू0 12512.00 का भुगतान प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जे0ई0 को किया गया है। उक्त भुगतान संबंधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर रू0 14250.00 धनराशि का अपहरण किया गया है जो कि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री वेदप्रकाश मौर्य एवं श्री अनिल कुमार चौधरी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं अरुण कुमार त्रिमाठी लेखाकार से ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-10)

11. आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक विभिन्न तिथियों की लेखा परीक्षा में कुल रू0 202255.00 का व्यय बी0डी0सी0 एवं ब्लाक प्रमुख के मानदेय हेतु दर्शाया गया है। किंतु मानदेय पंजिकायें प्रस्तुत न कर कुल धनराशि रू0 202255.00 का अपहरण किया गया है। जो कि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री प्रशान्त श्रीवास्तव एवं वेदप्रकाश मौर्य एवं श्री अनिल कुमार चौधरी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं अरुण कुमार त्रिमाठी लेखाकार से ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-11)

12. आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक विभिन्न तिथियों में लेखा परीक्षा में रू0 32953.00, रू0-3092.00 एवं रू0-114866.00 आयकर जमा करने हेतु चेक जमा किये गये किंतु धनराशि की पुष्टि नहीं करायी गयी अतः बिना चालान/व्यय प्रमाणक के संदिग्ध प्रतीत होता है। जोकि अनियमितता की श्रेणी में आता है। अतः उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री प्रशान्त श्रीवास्तव एवं वेदप्रकाश मौर्य एवं श्री अनिल कुमार चौधरी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं अरुण कुमार त्रिमाठी लेखाकार से ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर हिस्सों में कर सम्बन्धित विभाग में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-12)

13. आलोच्य वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की लेखा परीक्षा में कुल रू0 48000.00 का भुगतान विभिन्न चैक के द्वारा बायोगैस बनाने हेतु अनुदान का किया गया है। किन्तु अनुदान वितरण पंजिका/चेक इश्यू रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध नहीं कराये गये, जोकि अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रशान्त श्रीवास्तव एवं श्री वेदप्रकाश मौर्य एवं श्री अनिल कुमार चौधरी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं अरुण कुमार त्रिमाठी लेखाकार से ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-13)

14. आलोच्य वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक क्रमशः (रू0 775120.00, 371570.00, 89500.00) लेखा परीक्षा में कुल रू0 1236190.00 निःशुल्क बोरिंग योजना में अनियमित भुगतान किया गया है। उपरोक्त सम्बन्धित लाभार्थियों की सूची बोरिंग कार्य में लगे मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, बोरिंग टेक्निशियन द्वारा अनुमोदित सूची आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर रू0 1236190.00 धनराशि की अनियमितता की गयी। जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री प्रशान्त श्रीवास्तव एवं श्री वेदप्रकाश मौर्य तथा श्री अनिल कुमार चौधरी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं श्री अरुण कुमार त्रिमाठी लेखाकार से ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-23)

15. आलोच्य वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में कुल रू0 12109612.66 का अनुदान था जिसमें मात्र रू0 386409.90 का व्यय किया गया जो कुल अनुदान का 3 प्रतिशत है। अतः प्राप्त धन का 97 प्रतिशत धनराशि रू0 11723202.76 संस्था पर रोक कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179

(2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रशान्त श्रीवास्तव, श्री वेदप्रकाश मौर्य एवं श्री अनिल कुमार चौधरी खण्ड विकास अधिकारी, श्री अरुण कुमार त्रिपाठी लेखाकार से ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-24)

16. आलोच्य वर्ष 2012 की लेखा परीक्षा में स्वीकृति लागत रु0 12.41 लाख से ग्राम पंचायत घुसियारी में जुनैठा पर खड़न्जा निर्माण कार्य जिसकी ल0 900 मी0 एवं चौ0 3.30 मी0 का कार्य कराया गया। उक्त कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि प्राप्त तीन निविदाओं में मेसर्स बी0टी0 कन्सट्रक्शन, बहराइच की निविदा विभागीय दर से 0.6 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी, उक्त कार्य पत्रावली में शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर टंकित न करके सादे कागज पर हस्तलिपि में लिखकर स्टाम्प पेपर पर चस्पा कर दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि कार्य पत्रावली जल्दी में तैयार की गयी है। निविदा 0.6 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी थी किन्तु बिल पेमेंट करते समय 0.5 प्रतिशत का रु0 5872.00 डिडक्शन किया गया जबकि रु0 7046.00 का डिडक्शन किया जाना था। अतः रु0 1174.00 कम डिडक्शन की धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन जेई आरईएस., खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक/लेखाकार से की जाये। बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं बिना छाया चित्र के कराये गये कार्य पर भुगतान चेक सं0 002379 दि0 03.03.2014 से रु0 780000.00 एवं चेक सं0 034285 दि0 15.05.2014 से रु0 362357.00 कुल धनराशि रु0 1142357.00 की अनियमितता की गयी है। जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रशान्त श्रीवास्तव, श्री वेदप्रकाश मौर्य एवं श्री अनिल कुमार चौधरी खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अरुण कुमार त्रिपाठी लेखाकार से ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-28)

क्षेत्र पंचायत -रिसिया वर्ष 2014-15 से 2016-17

17. आलोच्य वर्ष क्रमशः 2014-15 से 2016-17 में शासनादेश सं0 ए-1-122/10-2012- 10/(33) 2010 वित्त (लेखा अनुभाग-1) लखनऊ दिनांक 21-03-2012 एवं वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 बी-1-564/10-7/97 दिनांक 02-03-1998 के अनुसार विभिन्न सरकारी उपक्रमों एवं निगमों को शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियाँ राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाती हैं तो उन जमा राशियों पर अर्जित ब्याज की धनराशि संस्था/निकाय की न होकर राज्य सरकार की आय मानी जाती है जोकि कुल धनराशि क्रमशः रु0 139271.00, 321942.00 एवं रु0 174093.00 को राजकोष में जमा नहीं किया गया है। जो अनियमित रहा। जोकि शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है। इस ओर इंगित करने पर बताया गया कि जमा करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। अतः उक्त धनराशि उत्तरदायी व्यक्तियों सर्व श्री वेद प्रकाश मौर्य, सौमनाथ चौरसिया, राजेश कुमार, सुशील कुमार पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी एवं कुवंर बहादुर सोनकर लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है।
- (सा0आ0सं0-05)
18. आलोच्य वर्ष 2014-15 में सामग्री क्रय रु0 5013145.00 पर व्यापार कर 4 प्रतिशत की दर से रु0 200525.80 के स्थान पर मात्र रु0 75310.00 की कटौती की गयी। इस प्रकार रु0 125216.00 की कम कटौती की गयी एवं 2016-17 में 6 निर्माण पत्रावलियों के अनुसार कुल सामग्री क्रय पर रु0 4912619.00 दर्शाया गया है जिस पर रु0 196137.00 का व्यापार कर काटा गया। जबकि उक्त सामग्री क्रय पर 4 प्रतिशत की दर से रु0 196504.00 व्यापार कर होता है अतः रु0 368.00 का व्यापार कर कम काट कर कर राजस्व की हानि की गयी जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है अतः कुल धनराशि रु0 125216.00+368.00=125584.00 की ब्याज सहित वसूली सर्व श्री वेद प्रकाश मौर्य, सौमनाथ चौरसिया, राजेश कुमार, सुशील कुमार पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी एवं कुवंर बहादुर सोनकर लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-07)

19. आलोच्य वर्ष 2014-15 में सामग्री क्रय रु0 5013145.00 पर आयकर 2.24 प्रतिशत की दर से

रु0 112294.00 के स्थान पर मात्र रु0 108311.00 की कटौती की गयी इस प्रकार रु0 3983.00 कम कटौती की गयी एवं 2016-17 में 6 निर्माण पत्रावलियों के अनुसार कुल सामग्री क्रय पर रु0 4912619.00 दर्शाया गया है जिस पर रु0 98066.00 का आयकर काटा गया जबकि उक्त सामग्री क्रय पर 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 110042.00 आयकर होता है। इस प्रकार रु0 11976.00 की कम कटौती कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी जो कि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित जमा करायी जानी अपेक्षित है साथ ही काटे गये आयकर अंकन रु0 44937.00 की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-08)

20. आलोच्य वर्ष 2014-15 में दिनांक 07.01.15 को तूलिका एडवरटाइजेज, बहराइच को चेक सं0 009892 से रु0 93000.00 भुगतान किया गया है किंतु सत्यापन में इस नाम की कोई संस्था बहराइच में नहीं पाई गई जिससे उक्त संस्था को निर्गत चेक संदिग्ध प्रतीत होते हैं। इस प्रकार मनमाने ढंग से रु0- 93000.00 की धनराशि का अपहरण किया गया। जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री वेद प्रकाश मौर्य, सौमनाथ चौरसिया, राजेश कुमार, सुशील कुमार पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी एवं कुंवर बहादुर सोनकर लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-09)

21. आलोच्य वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि खंड विकास अधिकारी की जीप संख्या यूजीएम1129 के डीजल क्रय भुगतान हेतु दिनांक 26.11.2014 से 08.03.2017 तक विभिन्न चेक (चेक संख्या 36700, 009881, 009896, 009897, 009900, 024148, 024149, 024151, 024153, 024155, 012159, 024160, 026975) के द्वारा डीजल क्रय की कुल धनराशि रु0 59921.00 का भुगतान किया गया। किंतु तत्संबंधी लॉग बुक एवं निरीक्षण पंजिका एवं डीजल क्रय की रसीदें पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं की गयी जिससे कितने कि0मी0 एवं कहाँ से कहाँ तक भ्रमण किया गया अज्ञात रहा ऐसे में सरकारी राजस्व का निजी कार्यों हेतु दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जिससे क्रमशः रु0 16005.00 एवं रु0 59921.00 का भुगतान कर अपहरण किया गया। जो कि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-10)

22. दि0:- 01.02.2017 को डीजल क्रय हेतु चेक सं0 026973 से रु0- 10000.00 का अग्रिम भुगतान श्री राजेश कुमार जीप चालक को किया गया है जबकि डीजल क्रय की अग्रिम धनराशि का समायोजन लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अग्रिम रजिस्टर एवं लॉग बुक/निरीक्षण रजिस्टर के अभाव में समायोजन की पुष्टि न हो सकी। जो कि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजेश कुमार जीप चालक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-11)

23. दि0:- 23.03.2017 को डीजल क्रय हेतु चेक सं0 026980 से रु0- 10000.00 का अग्रिम भुगतान श्री राजेश कुमार जीप चालक को किया गया है जबकि डीजल क्रय की अग्रिम धनराशि का समायोजन लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अग्रिम रजिस्टर एवं लॉग बुक/निरीक्षण रजिस्टर के अभाव में समायोजन की पुष्टि न हो सकी। जो कि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री राजेश कुमार जीप चालक से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-12)

24. दि0:- 11.02.2015 को रु0- 5000.00 का अग्रिम भुगतान श्री कुंवर बहादुर सोनकर लेखाकार को किया गया है जबकि समायोजन हेतु अग्रिम रजिस्टर लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया

गया। अग्रिम रजिस्टर के अभाव में समायोजन की पुष्टि न हो सकी। जो कि उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री कुंवर बहादुर सोनकर लेखाकार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-13)

25. आलोच्य वर्ष 2014-15 व वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया कि बी०डी०सी० विभिन्न तिथियों में बी०डी०सी० एवं ब्लाक प्रमुख को दिनांक 28.04.2014 से 17.03.2016 तक पांच चेको (चेक संख्या 634283, 007242, 007254, 007270, 017937) द्वारा मानदेय क्रमशः रु०-178000.00 एवं रु०-97000.00 (कुल धनराशि रु०-275000.00) का व्यय दर्शाया गया है। किन्तु मानदेय पेजिकाएं प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे किन-किन माहों का मानदेय दिया गया नहीं ज्ञात हो सका एवं व्यय धनराशियों की पुष्टि न की जा सकी। मानदेय रजिस्टर व चेक इश्यू रजिस्टर के अभाव में रु० 275000.00 मानदेय के अनियमित व्यय की संभावना है। भुगतान अनियमित पाया गया। जो कि उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-14)

26. आलोच्य वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 15.06.2014, 17.12.2014, 26.11.2014, 12.05.2015, 13.08.2015, 25.06.2015, 19.11.2016, में दिये गये चेको (चेक संख्या-034294, 07245, 36699, 007271, 017923 017921, 023386, 023387) द्वारा क्रमशः रु० 37956.00 एवं रु०-44102.00 को प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है। जो कि उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री वेद प्रकाश मौर्य, सौमनाथ चौरसिया, राजेश कुमार, खण्ड विकास अधिकारी एवं कुंवर बहादुर सोनकर लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-15)

27. आलोच्य वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में श्री नागेश कुमार त्रिपाठी को हल्का नाश्ता एवं लंच पैकेट हेतु दिनांक 10.12.2015 से 08.03.2016 तक चार चेक (चेक सं०-134353, 134354, 134355, 134356) कुल धनराशि रु० 105000.00 के दिये गये। जिसमें पाया गया कि रिसिया बाजार के तीन दुकानदारों से टेण्डर के रूप में सादे पेपर पर लिखाया गया है जिसकी हस्तलिपि एक समान पायी गयी। दुकानदारों में सगुन कैटर्स रिसिया, राधे होटल रिसिया एवं रुदा होटल रिसिया में सगुन कैटर्स रिसिया का टेण्डर कम होने के कारण स्वीकृत किया गया। सगुन कैटर्स रिसिया की चाय रु० 10.00 प्रति कप, पकौड़ा रु० 10.00 प्रति पकौड़ा एवं लंच पैकेट रु० 45.00 प्रति प्लेट दर्शाया गया है। जबकि वर्तमान समय, वर्ष 2018 में चाय रु० 5.00 प्रति कप, पकौड़ा रु० 5.00 प्रति पकौड़ा एवं लंच पैकेट रु० 22.50 प्रति लंच पैकेट रहा। लेखा परीक्षा दौरान फोटोस्टेट व्यय प्रमाणक दिखाये गये। बताया गया कि मूल प्रमाणक जि०पं० राज अधिकारी कार्यालय में जमा कर दिये गये। जबकि लेखा परीक्षा में मूल व्यय प्रमाणक दिखाये जाने चाहिए थे। इस प्रकार हल्के नाश्ते के तत्कालीनदर से दुगुना दर दर्शाकर चेक निर्गत किये गये एवं रु० 52500.00 का सीधा-सीधा अपहरण किया गया। जोकि उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री नागेश कुमार त्रिपाठी से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-25)

28. करामतपुरवा में इण्टरलॉकिंग कार्य दि०:- 18.12.2014 से दि०:- 17.01.2015 तक कराया गया। प्रकाशित निविदा/कार्ययोजना अनुसार करामतपुरवा में इण्टरलॉकिंग कार्य एवं नाली हेतु रु० 10.00 लाख की लागत थी। किन्तु केवल इण्टरलॉकिंग कार्य पर ही रु० 10.73 लाख का इस्टीमेट स्वीकृत किया गया। कार्य परिवर्तन का कोई आदेश पत्रावली में नहीं पाया गया। स्वीकृत इस्टीमेट में एक ही कार्य पर स्वीकृत कार्य योजना से अधिक धनराशि का आदेश क्यों किया गया। स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्वीकृत इस्टीमेट की जांच में पाया गया कि इस्टीमेट पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है एवं जे०ई आरईडी के हस्ताक्षर व अधिशासी अभ्यन्ता

की मुहर में दिनांक नहीं पाया गया। जिससे कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त कार्य पत्रावली की जांच में एम0बी0 प्रस्तुत नहीं की गयी और पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लगा है जिससे कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही। जे0ई0 आरईडी श्री प्रवीन कुमार श्रीवास्तव द्वारा इस्टीमेट स्वीकृत किया गया है। जिससे कराया गया कार्य एवं भुगतान अवास्तविक प्रतीत होता है। उक्त कार्य पर बिना कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के जे0ई0 द्वारा बिल पर रु0 1008930.00 का भुगतान प्राप्त किया गया जो अनियमित है। जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमिता एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन जे0ई0, आर0ई0एस0, खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखा0/लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-28)

29. मोहरबा में मुनीम के घर से खडन्जा तक इण्टरलॉकिंग कार्य दि0:- 18.12.2014 से दि0:- 17. 01.2015 तक कराया गया। जो प्रकाशित निविदा/कार्ययोजनानुसार मोहुरवा में खडन्जा तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु रु0 11.175 लाख का इस्टीमेट स्वीकृत किया गया। प्रकाशित निविदा से विपरीत कार्य पर अधिक का इस्टीमेट स्वीकृत/वर्क आर्डर क्यो किया गया स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्वीकृत इस्टीमेट की जांचमें पाया गया कि इस्टीमेट पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है एवं जे0ई आरईडी के हस्ताक्षर व अधिशासी अभियन्ता की मुहर में दिनांक नहीं पाया गया। जिससे कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त कार्य पत्रावली की जांच में एम0बी0 प्रस्तुत नहीं की गयी और पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लगा है जिससे कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही। जे0ई0 आरईडी श्री प्रवीन कुमार श्रीवास्तव द्वारा इस्टीमेट स्वीकृत किया गया है। जिससे कराया गया कार्य एवं भुगतान अवास्तविक प्रतीत होता है। उक्त कार्य पर बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के जे0ई0 बिल पर रु0 946630.00 प्रथम बिल का भुगतान किया गया जो अनियमित है। जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमिता एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन जे0ई0, आर0ई0एस0, खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखा0/लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-29)

30. अचरौरा मोहरबा में अमृतलाल के बाग से ताहिर के घर होते हुए रमजान के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य दि0:- 10.02.2015 से दि0:- 09.04.2015 तक कराया गया। जो प्रकाशित निविदा/कार्ययोजनानुसार उक्त इण्टरलॉकिंग व नाली कार्य हेतु 15.00 लाख कार्य की लागत थी। किन्तु इण्टरलॉकिंग कार्य पर रु0 11.814 लाख का इस्टीमेट स्वीकृत किया गया। प्रकाशित निविदा के विपरीत कार्य की लागत परिवर्तित कर इस्टीमेट स्वीकृत किया गया। प्रकाशित निविदा से विपरीत कार्य की लागत परिवर्तित कर इस्टीमेट स्वीकृत/वर्क आर्डर क्यो किया गया स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्वीकृत इस्टीमेट पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिनांक रहित हस्ताक्षर किया गया है, एवं जे0ई0, आर0ई0डी0 के हस्ताक्षर व अधिशासी अभियन्ता की मुहर में दिनांक नहीं पाया गया। जिससे कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। मेसर्स वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत शर्तनामा में अनुबन्धित/स्वीकृत धनराशि नहीं दर्शायी गयी है जिससे स्पष्ट है कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984-85 का पालन नहीं किया गया है। किये कार्य की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र बिना ही निर्माण पत्रावली पर भुगतान रु0-1159432.00 किया गया, जो अनियमितता है। उल्लेखनीय है उक्त कार्य पत्रावली में शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर टंकित न करके सादे कागज पर हस्तलिपि में लिखकर स्टाम्प पेपर पर चस्पा कर दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि कार्य पत्रावली जल्दी में तैयार की गयी है, कार्य अनियमित ढंग से कराया गया है। उक्त कार्य पर बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के जे0ई0 बिल पर रु0 1159432.00 कुल भुगतान किया गया जो अनियमितता है। उल्लेखनीय है कि पत्रावली में मस्टररोल नहीं पाये गये जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0, आर0ई0एस0 एवं सहायक लेखा/लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-30)

31. मंगलपुरवा से गैडासिंहपुरवा तक अवशेष खडन्जा निर्माण कार्य दि0:- 15.12.2014 से दि0:- 14.

01.2015 तक कराया गया। जिसमें कि 15.11.2014 को प्रकाशित राज्य वित्त/तेरहवां वित्त टेण्डर के क्रमांक 2 पर उक्त कार्य हेतु रू0 8 लाख की लागत से 600 मी0 खण्डजा हेतु निविदा थी। परन्तु निर्माण पत्रावली में 620 मी0 खण्डजा हेतु रू0 8.39 लाख का प्राक्कलन दिखाया गया है, जबकि निविदा के अक्षरशः पालन का आदेश जिलाधिकारी महोदय का था, इस प्रकार निर्देशों का पूर्णरूप से उल्लंघन किया गया है। उक्त कार्य में व्यवधान दिखाकर टेण्डर स्वीकृत लम्बाई 600 मी0 न कराकर मात्र 540 मी0 कार्य पर रू0 8.39 लाख का भुगतान किया गया है, अतिरिक्त कार्य को दर्शाकर केवल जे0ई0आर0ई0एस0 द्वारा हस्ताक्षर करके रू0 140000.00 का भुगतान किया गया है। जोकि अपहरण योग्य है। जिसकी पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं निर्माण कार्य सम्बन्धी छाया चित्र बिना ही निर्माण पत्रावली पर भुगतान रू0-753790.00 किया गया जोकि अनियमितता की श्रेणी में आता है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन जे0ई0, आर0ई0एस0, खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखा0/लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-31)

क्षेत्र पंचायत -तेजवापुर

वर्ष 2011-12 से 13-14

32. आलोच्य वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय टी.डी.एस. कटौती रू0 73233.00 की गयी। जिसके जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः उक्त धनराशि सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी श्री एस0एन0 श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री राम कुमार मिश्र से ब्याज सहित वसूली कर ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में संबंधित विभाग में जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-08)

33. आलोच्य वर्ष-2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम बेडत्रनापुर मेन रोड से मस्जिद तक सी0सी0 रोड निर्माण कराया गया। जिसकी कुल लागत रू0 70681.00 है। जिसके कार्य समाप्त पर फोटोग्राफी नहीं करायी गयी, मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों पर बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं हैं, माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः उक्त धनराशि श्री शिवशरण मिश्र अवर अभियंता, कार्य प्रभारी श्री चन्द्रमणि मूल कुमार एवं श्री एस0एन0श्रीवास्तव खण्ड विकास अधिकारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-11)

क्षेत्र पंचायत -तेजवापुर

वर्ष 2014-15 से 2016-17

34. आलोच्य वर्ष-2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 13 वां वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम झिंगहा में रसीद के घर से बुद्ध के घर तक नाली निर्माण का कार्य कराया गया। जिसकी कुल लागत रू0 390928.00 है। जिसके कार्य समाप्त पर फोटोग्राफी नहीं करायी गयी, मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणकों पर बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं हैं, माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः उक्त धनराशि श्री डी0एन0सिंह अवर अभियंता, मेसर्स विनोद कुमार ठेकेदार एवं श्री राम कुमार मिश्र लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-08)

क्षेत्र पंचायत -चित्तौरा

वर्ष 2011-12 से 13-14 तक

35. आलोच्य वर्ष-2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कुल रू0 11976.00 विभिन्न योजनाओं में जमा धन पर अर्जित ब्याज से आहरित कर बायो गैस संयन्त्र मद पर व्यय किया गया है, जबकि शासन के निर्देशों के अन्तर्गत

अर्जित ब्याज का धन चालान द्वारा कोषागार में जमा किया जाना चाहिए था। क्योंकि यह ब्याज रूपी आय राज्य सरकार का आय है। ऐसा न कर अन्य मद में व्यय कर दुरुपयोग किया गया है। अतः उक्त धनराशि सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं तत्कालीन लेखाकार से ब्याज सहित वसूली कर ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-08)

36. आलोच्य वर्ष-2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त का धन कुल रु0 300000.00 बी0आर0जी0एफ0 खाता संख्या-306643033 में हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है। राज्य वित्त का धन डी0आर0जी0एफ0 योजना में हस्तान्तरित कर नियमों के विपरीत गम्भीर अनियमतिता बरती गई। अतः उक्त धनराशि सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं तत्कालीन लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-09)

37. आलोच्य वर्ष-2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत रु0 1527833.00 विभिन्न निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय किया गया अभिलेखों में दर्शित है, किन्तु 4 प्रतिशत बिक्री कर की कटौती नियमानुसार नहीं की गयी। जिससे रु0 61113.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुई। अतः उक्त धनराशि सम्बन्धित श्री राजेन्द्र प्रसाद खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-10)

38. आलोच्य वर्ष-2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत कुल रु0 103158.00 की 1624 घन मीटर मिट्टी क्रय दर्शित कर भुगतान किया गया है, किन्तु उसके बिलों से रायल्टी की कटौती 09.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से न कर कुल रु0 14616.00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। अतः उक्त धनराशि सम्बन्धित श्री राजेन्द्र प्रसाद खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-11)

39. आलोच्य वर्ष-2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के अनुसार राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त के अन्तर्गत प्रारम्भिक शेष रु0 350977.00 दर्शित है, वर्ष में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त के अन्तर्गत रु0 5805575.00 प्राप्त हुआ है। वर्ष में विभिन्न योजनाओं पर कुल रूपया 3446347 व्यय के परिणाम स्वरूप रूपया 2710205.00 शेष बचता है। उक्त अवशेष की जगह रूपया 2680205 अंकित किया गया है। जोकि रु0 30000.00 से कम दर्शा कर धन का अपहरण किया गया है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः उक्त धनराशि सम्बन्धित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री करुणापति मिश्रा एवं लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-12)

40. आलोच्य वर्ष-2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत कुल रु0 3446347.00 दर्शित है। जिसके सापेक्ष रु0 1527835.00 सामग्री पर व्यय, रु0 407926.00 मजदूरी पर व्यय, तथा रु0 103158.00 कार्टेज मिट्टी पर पर कुल रु0 2038919.00 का व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत की गई है। शेष धन रु0 1407428.00 के पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। अतः व्यय प्रमाणक विहीन धनराशि रु0 1407428.00 तत्सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी की मिली भगत से आधारहीन ढंग से अनुदान को व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः उक्त धनराशि सम्बन्धित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री करुणापति मिश्रा एवं लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-13)

41. आलोच्य वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त के अन्तर्गत सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय टी.डी.एस. कटौती रु0 33253.00 की गयी। जिसके जमा की पुष्टि मैं इश्यू चेक नं0/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं

कराये गये। अतः उक्त तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री करुणापति मिश्रा एवं लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल कर संबंधित विभाग में जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-14)

42. आलोच्य वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त खाते से दिनांक 23.05.2012 को चेक संख्या 253415 से रु0 53550.00 का भुगतान श्री मकबूल खाँ को वास्ते मिट्टी पटाई कोरमऊ सम्पर्क मार्ग से रमा के घर होकर लक्ष्मीराम के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य सम्पादित कराने हेतु किया गया है। परन्तु सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली में भुगतानप्राप्त रसीद नहीं है। जोकि वित्तीय नियमों के अन्तर्गत अपहरण की श्रेणी में आता है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः उक्त धनराशि तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री करुणापति मिश्रा एवं लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-15)

43. आलोच्य वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त खाते से अमीन पुर नागौर से स्थित सेन्ट नार्बेट स्कूल बाउड्रीवाल की किनारे जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य कराया जाना दर्शित है। सम्बन्धित पत्रावली के जांच में पाया गया कि सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म बहराइच बिल्डिंग मैटेरियल के बिल संख्या 20 दिनांक 20.05.2012 हेतु रु0 113738.00 का भुगतान किया गया है। संलग्नक बिल पर टिन नम्बर अंकित नहीं है बिल पर बिक्रेता का हस्ताक्षर भी नहीं है, जबकि सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत कोई भी सामान टैक्स पेड फर्म से ही क्रय किया जाना चाहिए था। अतः बिना टिन नम्बर बिल व फर्म दोनों अमान्य है। अतः भुगतानित धन रु0 113738.00 अपहरण की श्रेणी में आता है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खंड विकास अधिकारी श्री करुणापति मिश्रा एवं लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-16)

44. आलोच्य वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त से कुल रु0 530328.00 श्री मोहम्मद उमर एण्ड ब्रदर्स को दिया गया अभिलेखों में अंकित है। जिसमें निम्न आपत्तियां पायी गई। माप पुस्तिका सम्बन्धित में योजना का नाम ही नहीं है अतः आपूर्ति सामग्री का आमद पुष्टि नहीं हुई। दिनांक 30.04.2012 को बिल संख्या 178 से रु0 197802.00 का भुगतान बियरर चेक संख्या 253424 से किया गया है। तथा दिनांक 05.05.2012 को बिल संख्या 177 से रु0 332526.00 का भुगतान बियरर चेक संख्या 253424 से किया उक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 30.04.2012 को जब बिल संख्या 178 निर्गत किया जा चुका था, तो दिनांक 05.05.2012 को पुनः बिल संख्या 177 को कहां से निर्गत किया गया। अतः स्पष्ट है कि आधारहीन बिलों के सहारे उक्त धन रु0 530328.00 (197802+332526) का भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खंड विकास अधिकारी श्री करुणापति मिश्रा एवं लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-17)

45. आलोच्य वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त खाते से मसीहाबाद में मालीबाग से मसीहाबाद मस्जिद तक खड़न्जा निर्माण में श्री मकबूल खाँ से ट्रैक्टर संख्या यू0पी0 40 एल-6826 द्वारा 660.51 घनमीटर मिट्टी पटाई का / 63.50 रुपये घनमीटर की दर कराकर कुल रु0 41942.00 का भुगतान चेक संख्या 253412 दिनांक 23.05.2012 से किया गया है। उक्त कार्य का उल्लेख योजना से सम्बन्धित एम0बी0 में नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि उक्त के नाम आधारहीन भुगतान दर्शाकर उक्त धनराशि रु0 41942.00 का अपहरण किया गया है, जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खंड विकास अधिकारी श्री करुणापति मिश्रा एवं लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-18)

46. आलोच्य वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत रु0-2205880.00 का निर्माण कार्यों में सामग्री क्रय किया गया अभिलेखों में दर्शित है, किन्तु 4 प्रतिशत बिक्री कर की कटौती नियमानुसार नहीं की गयी। जिससे रु0-88235.00 की राजकीय राजस्व की क्षति हुई। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः उक्त धनराशि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-19)
47. आलोच्य वर्ष-2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत कुल रु0 197715.00 की कुल 3114 घन मीटर मिट्टी ढुलाई का भुगतान किया गया है, किन्तु उक्त बिक्री से रायल्टी की कटौती नियमानुसार वर्ष 2013 में रु0-14.00 प्रति घन मीटर की दर से कुल रु0 43596.00 की ब्याज सहित वसूली न कर राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है।
जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः उक्त धनराशि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-20)
48. आलोच्य वर्ष-2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त के अन्तर्गत सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रु0-49981.00 की टी0डी0एस0 कटौती की गयी है, जिसकी पुष्टि में जारी चेक नम्बर/बैंक स्टेटमेन्ट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः उक्त धनराशि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-21)
49. आलोच्य वर्ष-2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रान्ट रजिस्टर द्वितीय के अनुसार कुलरु0-7200593.00 व्यय किया है, जिसके सापेक्ष रु0- 7024987.00 के व्यय पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहे। शेष धनराशि रुपया 175606.00 की पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। परिणाम स्वरूप स्पष्ट है कि पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक विहीन धनराशि रु0-175606.00 तत्सम्बन्धित लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी की मिलीभगत से आधारहीन ढंग से अनुदान धन व्यय दर्शाकर अपहरित किया गया है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः उक्त धनराशि सम्बन्धित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री राजमन से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-22)
50. आलोच्य वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 19.03.2014 को रु0 5565966.00 अनुदान पंजिका में शेष रहा, जिसका दिनांक 31.03.2014 तक कोई उपयोग नहीं किया गया। दिनांक 19.03.2014 को एक नया खाता संख्या 50176341540 बिना वित्त विभाग के पूर्व स्वीकृति के इलाहाबाद बैंक डिगिहा में खोलकर रु0-55.00 लाख ट्रान्सफर कर दिया गया, जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, क्योंकि ग्रान्ट के धन का जनता के हितार्थ उपयोग किया जाता है, न उपयोग होने की दशा में अवशेष धन को उसी वर्ष के अन्त में राज्य सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए था। परन्तु सन्दर्भित संस्था द्वारा ऐसा न कर राजकीय धन को राज्य सरकार से छिपाकर एवं अलग खाता खोलकर धनराशि को अनावश्यक रूप से रोक कर आगामी वर्षों में अपने मनचाहे ढंग से दुरुपयोग करने की पृष्ठ भूमि तैयार की गयी है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः उक्त धनराशि सम्बन्धित तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री लालमन से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-23)

51. आलोच्य वर्ष-2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त से रू0-2542657.00 का निर्माण कार्य में सामग्री क्रय किया गया अभिलेखों में दर्शित है, किन्तु 4 प्रतिशत बिक्री कर की कटौती रू0-101706.00 नियमानुसार नहीं की गयी। जिससे रू0-101706.00 की राज्यकीय राजस्व की क्षति हुई। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः उक्त धनराशि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री लालमन से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-24)
52. आलोच्य वर्ष-2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत कुल रू0- 226538.00 की 3568 घन मीटर मिट्टी क्रय दर्शित कर भुगतान किया गया है, किन्तु उसके बिलों से रायल्टी की कटौती 14.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से न कर कुल रू0 49952.00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः उक्त धनराशि सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार लालमन से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-25)
53. आलोच्य वर्ष-2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 18.06.2013 को चेक संख्या 253464 से रू0- 18495.00 का भुगतान किया गया है। भुगतान की पुष्टि में सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं है, साथ साथ यह भी उल्लेखनीय है कि मेसर्स पुस्तक निकेतन कम्प्यूटर की दुकान नहीं है, बल्कि पुस्तक एवं स्टेशनरी की दुकान है, जिसके कम्प्यूटर का भुगतान किया जाना आधारहीन है स्पष्ट है कि पुस्तक के बिल पर भुगतान कर धन का दुरुपयोग किया गया है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः उक्त धनराशि सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार लालमन से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-26)
54. आलोच्य वर्ष-2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 18.06.2013 को बियरर चेक संख्या-253465 से रुपया 18953.00 का भुगतान मो0 आरिफ कैशियर विकास खण्ड चित्तौरा को बावत जनरेटर डीजल हेतु किया गया है। भुगतान आधारहीन रहा क्योंकि डीजल का भुगतान अधिकृत पेट्रोल पम्प को उसके खाते में क्रय डीजल के मूल्य के अनुसार एकाउन्ट पेयी चेक से किया जाना था। स्पष्ट है कि डीजल के नाम पर कैशियर को भुगतान दिखाकर धन का दुरुपयोग किया गया है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री लालमन से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-27)
55. आलोच्य वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31.12.2013 को रुपया 12580.00 का भुगतान श्री लालमन प्रसाद एम0आर0पी0 लिपिक को बावत टेन्डर प्रकाशन कराने हेतु किया गया है जबकि प्रकाशन का स्वीकृति जिला सूचना अधिकारी से लेने के उपरान्त सम्बन्धित प्रकाशन फर्म के खाते में एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही करना नियमानुसार था परन्तु यहां व्यक्ति विशेष को धनराशि का भुगतान करके धन का दुरुपयोग किया गया है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सन्त कुमार एवं लेखाकार श्री लालमन से ब्याज सहित बराबर-बराबर जमा करायी जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-28)
56. आलोच्य वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बेगमपुर, शान्तीपुर, नानपारा डामर रोड़ मुसैली के घर होते हुए प्रेम के घर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य हेतु दिनांक 16.06.2013 को चेक संख्या 253468 से 95.67 घनमीटर मिट्टी / 63.50 रुपये का भुगतान रू0 25125.00 किया गया है। परन्तु सन्दर्भित भुगतान की

पुष्टि माप पुस्तिका से नहीं होती है स्पष्ट है कि कार्य का बिना एम0बी0 किये ही भुगतान किया गया है। जो धन अपहरण की श्रेणी में आता है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री लालमन से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-29)

57. आलोच्य वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 29.07.2013 को रू0 14010.00 का भुगतान सीमेंट क्रय हेतु विकास खंड अधिकारी, चित्तौरा में बाउन्ड्रीवाल मरम्मत कार्य के लिए श्री रमाशंकर कश्यप को कार्य प्रभारी किया गया है। जिसमें से रू0 314.00 वैट की कटौती कर रू0 13696.00 का भुगतान कार्य प्रभारी को कर दिया गया है। भुगतान की पुष्टि अनुपलब्ध है। प्रमाणक विहीन भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, श्री लालमन लेखाकार एवं रमाशंकर कश्यप, कार्य प्रभारी से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-30)

क्षेत्र पंचायत -जरबल

वर्ष 2014-15 से 16-17 तक

58. आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2016-17 में शासनादेश सं0 ए-1-122/10-2012-10/(33)2010 वित्त (लेखा अनुभाग-1) लखनऊ दिनांक 21-03-2012 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 बी-1-564/10-7/97 दिनांक 02-03-1998 के अनुसार विभिन्न सरकारी उपक्रमों एवं निगमों को शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियाँ राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाती हैं तो उन जमा राशियों पर अर्जित ब्याज की धनराशि संस्था/निकाय की न होकर राज्य सरकार की आय मानी जाती है जोकि कुल धनराशि रू0 877803.00 को राजकोष में जमा नहीं किया गया है। जोकि शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, सर्व श्री बृजराज सिंह, आलोक आर्या, छोटे लाल, विनय कुमार अवस्थी, अनिल कुमार चौधरी, चन्द्र शेखर एवं सरयू प्रसाद सिंह खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-5)

59. आलोच्य वर्ष-2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 11.07.2014 को चालान सं0 02 से रू0 78178.00 आयकर जमा किया गया है जबकि वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्यों पर कुल आयकर कटौती रू0 123115.00 की रही। इस प्रकार रू0 (123115-78178)= रू0 44937.00 जमा की पुष्टि में प्रमाणक/चालान लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जो गंभीर अनियमितता है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, सर्व श्री बृजराज सिंह, आलोक आर्या, छोटे लाल, विनय कुमार अवस्थी, अनिल कुमार चौधरी, चन्द्र शेखर एवं सरयू प्रसाद सिंह खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-9)

60. आलोच्य वर्ष-2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 25.05.2015 को चालान सं0 006 से रू0 170084.00 आयकर जमा किया गया है जबकि वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों पर कुल आयकर कटौती रू0 278292.00 की रही। इस प्रकार रू0 (278292-170084)= रू0 108208.00 जमा की पुष्टि में प्रमाणक/चालान लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जो गंभीर अनियमितता है जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, सर्व श्री बृजराज सिंह, आलोक आर्या, छोटे लाल, विनय कुमार अवस्थी, अनिल कुमार चौधरी, चन्द्र शेखर एवं सरयू प्रसाद सिंह खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर ब्याज सहित

वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-10)

61. आलोच्य वर्ष 2016-17 में वर्ष दौरान कुल रु0 46925.00 की आयकर कटौती की गयी किंतु जमा की पुष्टि में प्रमाणक/ चालान अप्राप्त रहे। जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है, जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, सर्व श्री बृजराज सिंह, आलोक आर्या, छोटे लाल, विनय कुमार अवस्थी, अनिल कुमार चौधरी, चन्द्र शेखर एवं सरयू प्रसाद सिंह खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-10 अ)

62. आलोच्य वर्ष 2015-16 में 22 निर्माण पत्रावलियों के अनुसार कुल सामग्री क्रय पर रु0 12452552.00 दर्शाया गया है। जिस पर रु0 496816.00 का व्यापार कर काटा गया। जबकि उक्त सामग्री क्रय पर 4 प्रतिशत की दर से रु0 498102.00 व्यापार कर होता है इस प्रकार रु0 1286.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, सर्व श्री आलोक आर्या, छोटे लाल, विनय कुमार अवस्थी, अनिल कुमार चौधरी, खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-11)

63. आलोच्य वर्ष 2014-15 में 11 निर्माण पत्रावलियों के अनुसार कुल सामग्री क्रय पर रु0 6021631.00 दर्शाया गया है। जिस पर रु0 123115.00 का आयकर काटा गया। जबकि उक्त सामग्री क्रय पर 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 134884.00 आयकर होता है इस प्रकार रु0 11769.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, सर्व श्री बृजराज सिंह, आलोक आर्या, छोटे लाल, विनय कुमार अवस्थी, अनिल कुमार चौधरी, खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-12)

64. आलोच्य वर्ष 2015-16 में 22 निर्माण पत्रावलियों के अनुसार कुल सामग्री क्रय पर रु0 12452552.00 दर्शाया गया है। जिस पर रु0 278292.00 का आयकर काटा गया। जबकि उक्त सामग्री क्रय पर 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 278937.00 आयकर होता है इस प्रकार रु0 645.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अनियमित एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, सर्व श्री बृजराज सिंह, आलोक आर्या, छोटे लाल, विनय कुमार अवस्थी, अनिल कुमार चौधरी, खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-13)

65. आलोच्य वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 व वर्ष 2016-17 की विभिन्न तिथियों में तूलिका एडवरटाइजेज, बहराइच को चेक निर्गत किये गये हैं किंतु सत्यापन में इस नाम की कोई संस्था बहराइच में नहीं पाई गई जिससे उक्त संस्था को निर्गत चेक संदिग्ध प्रतीत होते हैं। इस प्रकार मनमाने ढंग से क्रमशः रु0 292288.00, रु0-361048.00 व रु0- 111446.00 की धनराशि का अपहरण किया गया। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, सर्व श्री बृजराज सिंह, आलोक आर्या, छोटे लाल, विनय कुमार अवस्थी, अनिल कुमार चौधरी, चन्द्र शेखर, एवं सरयू प्रसाद सिंह खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-14)

66. आलोच्य वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विकास खंड कार्यालय परिसर में आर0ओ0 एवं वाटरकूलर की स्थापना हेतु आपूर्ति का भुगतान दिनांक 02.06.2015 को चेक सं0 706894 से रू0 65938.00 एम एक्वा फिल्टेक लखनऊ को किया गया है। जबकि विकास खंड कार्यालय पर पीने हेतु पानी बाहर से मंगाया जाता है। आर0ओ0 एवं वाटर कूलर हेतु व्यय वाउचर अनुपलब्ध रहे। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, सर्व श्री बृजराज सिंह, आलोक आर्या, छोटे लाल, विनय कुमार अवस्थी, अनिल कुमार चौधरी, खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर कराया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-15)

67. आलोच्य वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विकास खंड कार्यालय परिसर में पाइप फिटिंग एवं टंकी आदि हेतु आपूर्ति का भुगतान दिनांक 20.06.2015 को चेक सं0 018261 से रू0 23850.00 मौर्या पाइप फिटिंग, कैसरगंज, बहराइच को किया गया है। जिसके व्यय वाउचर अनुपलब्ध रहे। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, सर्व श्री बृजराज सिंह, आलोक आर्या, छोटे लाल, विनय कुमार अवस्थी, अनिल कुमार चौधरी, खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-16)

68. आलोच्य वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में पाया गया कि खंड विकास अधिकारी की जीप सं0 4 जी0एम0 2614 के डीजल भुगतान हेतु स्वयं (अज्ञात) को विभिन्न तिथियों में चेक निर्गत किये गये हैं किंतु तत्संबंधी लागबुक एवं निरीक्षण पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे कितने किलोमीटर और कहाँ से कहाँ तक भ्रमण किया गया, अज्ञात रहा। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत दुरुपयोग एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। है। अतः क्रमशः धनराशि रू0 58880.00 एवं 33213.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, सर्व श्री बृजराज सिंह, आलोक आर्या, छोटे लाल, विनय कुमार अवस्थी, अनिल कुमार चौधरी, खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-17)

69. आलोच्य वर्ष 2014-15 व वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 30.07.2014 को श्री रामेन्द्र प्रसाद, सहायक लेखाकार द्वारा टेंडर फॉर्म बिक्री से आय रू0 मात्र 9000.00 दर्शायी गयी है, जबकि बिक्री से आय क्रमशः रू 11000.00, 22000.00 व 5000.00 दर्शायी जानी चाहिए थी। आलोच्य वर्षों के कार्यों के अनुसार टेंडर फार्मों की बिक्री से रू0 38000.00 की आय हुई। इस प्रकार रू0 29000.00 से आय कम दर्शा कर रू0 29000.00 अपहरण किया गया है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। है। अतः कुल धनराशि रू0. 29000.00 की ब्याज सहित वसूली , सर्व श्री बृजराज सिंह, आलोक आर्या, छोटे लाल, विनय कुमार अवस्थी, अनिल कुमार चौधरी, खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-18)

70. आलोच्य वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 16.04.2014 को टोनर फोटोस्टेट मशीन हेतु रू0 8500.00 का भुगतान चेक सं0 706820 से वी0आर0 कार्पोरेशन, लखनऊ को किया गया। उक्त हेतु व्यय वाउचर अनुपलब्ध रहे। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। है। अतः धनराशि रू0. 8500.00 की ब्याज सहित वसूली , सर्व श्री बृजराज सिंह, खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-20)

71. आलोच्य वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 02.06.2015 को विकास खंड कार्यालय में फोटोस्टेट मशीन की सर्विस, पार्ट एवं स्टब्लाइजर हेतु रु0 11615.00 का भुगतान चेक सं0 706895 से पी0के0 ट्रेडर्स, गोंडा को किया गया। उक्त हेतु व्यय वाउचर अनुपलब्ध रहे। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। है। अतः कुल धनराशि रु0. 11615.00 की ब्याज सहित वसूली श्री आलोक आर्या, खंड विकास अधिकारी एवं श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-21)
72. आलोच्य वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में श्रमिकों को मजदूरी हेतु विभिन्न चेकों द्वारा कुल धनराशि 86226.00 व्यय की गयी है। किंतु श्रमिकों के मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। है। अतः कुल धनराशि रु0. 86226.00 की ब्याज सहित वसूली , सर्व श्री बृजराज सिंह, आलोक आर्या, खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-22)
73. आलोच्य वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में रु0 84448.00 का व्यापार कर कटौती के स्थान पर मात्र रु0 81453.00 की कटौती की गयी जबकि वर्ष 2016-17 में सामग्री क्रय पर रु0 2111200.00 व्यय किया गया जिस पर 4 प्रतिशत की दर से रु0 84448.00 व्यापार कर होता है इस प्रकार रु0 2995.00 कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। है। अतः कुल धनराशि रु0. 2995.00 की ब्याज सहित वसूली , सर्व श्री आलोक आर्या, छोटे लाल, विनय कुमार अवस्थी, अनिल कुमार चौधरी, चन्द्र शेखर व सरयू प्रसाद सिंह खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-33)
74. आलोच्य वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि जमापुर चौराहे से कोठार मुजीबुल्ला के फार्महाउस तक इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य जिसकी स्वीकृत लागत रु0 13.63 लाख एवं मार्ग की ल0 350 मी0 जिसकी निविदा प्राप्त करने एवं खोलने की तिथि एक ही क्यों रही, शपथपत्र अनुपलब्ध रहा। निर्माण पत्रावली में कार्य के पूर्व को फोटोग्राफ के अनुसार मार्ग पर खडंजा लगा हुआ था। खडंजे का निर्माण किस कार्यदायी संस्था द्वारा कराया गया, लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत अपहरण एवं ब्याज सहित वसूली योग्य है। है। अतः धनराशि रु0. 216692.00 की ब्याज सहित वसूली , सर्व श्री बृजराज सिंह, आलोक आर्या, खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-36)
75. आलोच्य वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सप्सा दिकौलिया से रोड से श्री अनिल सिंह के दरवाजे तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य जिसकी स्वीकृत लागत रु0 6.19 लाख एवं कार्य की ल0 100 मी, कार्यावधि दिनांक 14.07.15 से 13.08.15 जिसकी प्राप्त दो निविदाओं में उदय कन्शट्रक्शन्स, बहराइच की निविदा विभागीय दर से 0.11 प्रतिशत कम पर स्वीकृत की गयी। उक्त कार्य पत्रावली में शपथपत्र स्टांपपेपर पर अंकित न करके सादे कागज पर हस्तलिपि में लिखकर स्टांपपेपर पर चस्पा कर दिया गया है, कार्य के पूर्व का एवं कार्य के पूरे होने का एम0बी0 नहीं प्रस्तुत की गयी। कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र नहीं लगाया गया। मस्टररोल नहीं पाये गये जो उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खंड 2 के कि "जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों को उल्लंघन करके व्यय किया गया हो।" बिना कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं बिना छायाचित्र के कराये गये कार्य पर भुगतान चेक सं0 018296 दिनांक 30.12.15 से रु0 329144.00

एवं चेक सं० 018396 दिनांक 06.04.2016 से रू० 278502.00 वित्तीय अनियमितता है। अतः कुल धनराशि रू०. 607646.00 की ब्याज सहित वसूली , सर्व श्री , आलोक आर्या, छोटे लाल, विनय कुमार अवस्थी, अनिल कुमार चौधरी, चन्द्र शेखर एवं सरयू प्रसाद सिंह खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-37)

76. आलोच्य वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रिठौड़ा खेसुआ पेण्टेड रोड से लखनऊ-बहराइच मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्यकार्यावधि दिनांक 30.08.2015 से दिनांक 16.10.15 तक के कार्य में पाया गया कि प्राप्त दो निविदाओं में मेसर्स उदय कान्सट्रक्शन बहराइच की निविदा विभागीय दर से 0.10 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी। उक्त कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि मार्ग की स्वीकृत पर ध्यान लम्बाई 200 मी० थी। जबकि मेजरमेण्ट 215 मी० पर तैयार किया गया जिससे स्पष्ट है कि स्वीकृति पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार कार्य अनियमित ढंग से कराया गया है। कार्य के पूर्व का एवं कार्य के पूरे होने का एम०बी० नहीं प्रस्तुत की गयी। कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र नहीं लगाया गया। मस्टररोल नहीं पाये गये जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खंड 2 के कि "जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों को उल्लंघन करके व्यय किया गया हो।" बिना कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के कराये गये कार्य पर भुगतान चेक सं० 018273 दिनांक 08.09.15 से रू० 401920.00 एवं चेक सं० 018322 दिनांक 06.04.2016 से रू० 469283.00 वित्तीय अनियमितता है अतः कुल धनराशि रू०. 871203.00 की ब्याज सहित वसूली , सर्व श्री, आलोक आर्या, छोटे लाल, विनय कुमार अवस्थी, अनिल कुमार चौधरी, चन्द्र शेखर एवं सरयू प्रसाद सिंह खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-38)

77. आलोच्य वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि करमुल्लापुर के पकड़ी में स्वामी दयाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य दिनांक 22.07.14 से 21.08.15 तक में पाया गया कि उक्त कार्य पत्रावली कमें निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं निविदा खोलने की तिथि अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि बिना निविदा के ही कार्य कराया गया एवं भुगतान किया गया जो नियम विरुद्ध रहा। शपथपत्र अनुपलब्ध रहा। निर्माण पत्रावली में कार्य के पूर्व को फोटोग्राफ के अनुसार मार्ग पर खडंजा लगा हुआ था। खडंजे का निर्माण किस कार्यदायी संस्था द्वारा कराया गया, लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के प्राविधानों का कड़ाई सेपालन किये जाने हेतु आदेश जारी करने की अपेक्षा सक्षम विभागीय अधिकारियों से की जाती है। उक्त कार्य के बिना कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के जे०ई० बिल पर भुगतान चेक सं० 706831 दिनांक 20.08.14 से रू० 510126.00 एवं चेक सं० 706835 दिनांक 30.09.2014 से रू० 14286.00 वित्तीय अनियमितता है। अतः कुल धनराशि रू०. 524412.00 की ब्याज सहित वसूली , सर्व श्री, बृजराज सिंह आलोक आर्या, खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-39)

78. आलोच्य वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सप्सा पेण्टेड रोड से श्री राम नरेश सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु 4.19 लाख एवं कार्य की लागत थी एवं इण्टरलाकिंग कार्य की लम्बाई 112 मी, कार्यावधि दिनांक 30.08.15 से 29.09.15 थी मेसर्स उदय कान्सट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत शर्तनामा में अनुबन्धित/स्वीकृत धनराशि नहीं दर्शायी गयी है जिससे स्पष्ट है कि उ०प्र० क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984-85 का पालन नहीं किया गया है। उक्त कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृत पत्र में कार्य का नाम कालम में सप्सा पेण्टेड रोड से श्री राम नरेश सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य लिया गया है। नींव खुदायी में मिट्टी कार्य पर 12.378 घनमी० के सीन पर 13.758 घनमी० पर भुगतान किया गया है इस प्रकार अनियमित ढंग से भुगतान किया गया है। जो उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 के नियम 179 के खंड 2 के कि "जहाँ अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों को उल्लंघन

करके व्यय किया गया हो।" के अन्तर्गत ब्याज सहित वसूली योग्य है। उक्त कार्य पर सादे कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के आधार पर एवं जे०ई० बिल पर भुगतान चेक सं० 018288 दिनांक 16.09.2015 से रू० 466557.00 एवं चेक सं० 018317 दिनांक 06.04.2016 से रू० 11200.00 वित्तीय अनियमितता है। अतः कुल धनराशि रू०. 477757.00 की ब्याज सहित वसूली , सर्व श्री, बृजराज सिंह आलोक आर्या, खंड विकास अधिकारी एवं श्री रामेन्द्र प्रसाद तथा श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-40)

क्षेत्र पंचायत—हुजूरपुर वर्ष 2011-12 से 2013-14

79. आलोच्य वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्य हुजूरपुर पयागपुर रोड़ से कपिराजपुरवा में राम आधार के मन्दिर हेते हुए ननकू महाराज के घर तक खडन्जा निर्माण का कार्य कराया गया जिसकी कुल लागत रू० 279923.00 है। उक्त कार्य पर किये गये भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत फाइलों में वॉछित प्रपत्र/निविदा एम०बी० पुस्तिका आदि प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जोकि उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री विसारत गुप्ता सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०बी०) एवं अवर अभियन्ता श्री बी०पी० सिन्हा से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-08)

80. आलोच्य वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्य हरिहरपुर चिलिवरिया मार्ग से सूरज राम यादव के घर तक खडन्जा निर्माण का कार्य कराया गया जिसकी कुल लागत रू० 202518.00 है। उक्त कार्य पर किये गये भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत फाइलों में वॉछित प्रपत्र/निविदा एम०बी० पुस्तिका आदि प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जोकि उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत धनराशि रू० 202518.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह, अवर अभियन्ता श्री बी०पी० सिन्हा एवं कार्य प्रभारी श्री विद्या विसारत गुप्ता सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०बी०) से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-09)

81. आलोच्य वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्य पयागपुर हुजूरपुर मार्ग से संजय कुमार सिंह के खेत तक खडन्जा निर्माण का कार्य कराया गया जिसकी कुल लागत रू० 222563.00 है। उक्त कार्य पर किये गये भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत फाइलों में वॉछित प्रपत्र/निविदा एम०बी० पुस्तिका आदि प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जोकि उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत धनराशि रू० 222563.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ठेकेदार श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव एवं अवर अभियन्ता श्री बी०पी० सिन्हा से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-12)

क्षेत्र पंचायत—हुजूरपुर

वर्ष 2014-15 से 2016-17

82. आलोच्य वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्य ग्राम सभा गौडरिया मार्ग पर बडकऊ के समाधि से गौडरिया खास तक खडन्जा निर्माण का कार्य कराया गया जिसकी कुल लागत रू० 631560.00 है। उक्त कार्य पर किये गये भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत फाइलों में वॉछित प्रपत्र/निविदा एम०बी० पुस्तिका आदि प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जोकि उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत धनराशि रू० 631560.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार एवं अवर अभियन्ता श्री राज नरायन सिंह तथा ठेकेदार श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-08)

83. आलोच्य वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्य इमलियां के बड़के पुरवा में खडन्जा मार्ग पुलिया से कैलाश यादव, सागर यादव व तिलक राज

के घर तक खड़प्पा निर्माण कार्य कराया गया जिसकी कुल लागत रु0 264483.00 है। उक्त कार्य पर किये गये भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत फाइलों में वॉछित प्रपत्र/निविदा एम0बी0 पुस्तिका आदि प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत धनराशि रु0 264483.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार एवं अवर अभियंता श्री राम नरायन सिंह तथा ठेकेदार नीलकण्ठ कान्स्ट्रू0 से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-09)

84. आलोच्य वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विकास खण्ड परिसर में अभिलेखागार मरम्मत कार्य पर किये गये भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत फाइलों में वॉछित प्रपत्र/निविदा हैसियत, चरित्र आदि प्रस्तुत न कर रु0 313465.00 गम्भीर अनियमितता की गयी है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत धनराशि रु0 313465.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अवर अभियंता श्री राज नरायन सिंह तथा ठेकेदार विजय कान्स्ट्रू0 से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-34)

85. आलोच्य वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त के अन्तर्गत कराये गये कार्य ग्रामसभा यादवपुर मटेहिया चौभइयां मियादर सिंह के खेत से प्राइमरी पाठशाला चौभइयां तक खड़प्पा निर्माण का कार्य पर किये गये भुगतान रु0 806865.00 की पुष्टि में प्रस्तुत फाइलों में वॉछित प्रपत्र/निविदा, हैसियत, चरित्र एवं एम0बी0 पुस्तिका आदि प्रस्तुत न कर धनराशि को लेखा मैनुअल के अन्तर्गत गम्भीर अनियमितता की गयी है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत धनराशि रु0 806865.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली अवर अभियन्ता श्री राम कुमार भारती एवं ठेकेदार कमला देवी से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-35)

क्षेत्र पंचायत -कैसरगंज

वर्ष 2011-12 से 2013-14

86. आलोच्य वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य शासनादेश सं0-ए-1-122/दस-20120-10-33/दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर-3 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित की जाती है तो अर्जित ब्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए, परन्तु वर्ष 2011-12 में ग्रांट रजिस्टर ।।। में अंकित ब्याज मद संयुक्त खाता में कुल रु0 3176818/- है। जिसका विवरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्ष में प्राप्त अर्जित ब्याज रु0 85778/- है तथा प्रारम्भिक अवशेष रु0 3091040/- है। उक्त ब्याज की पुष्टि में बैंक स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट/पास बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त ब्याज के सम्बन्ध में जानकारी न हो सकी। उपरोक्त ब्याज राजकीय कोष में जमा न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जोकि उ0प्र0जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत धनराशि रु0 3176818.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री रजत यादव श्री एवं लेखाकार श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-32)

87. आलोच्य वर्ष 2012-13 लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य शासनादेश सं0-ए-1-122/दस-20120-10/33/दिनांक 21.03.2012 के प्रस्तर -3 के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित की जाती है तो अर्जित ब्याज संस्था की न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए, परन्तु वर्ष 2012-13 में ग्रांट रजिस्टर ।।। में अंकित ब्याज मद संयुक्त खाता में कुल रु0 4611984/- है। जिसका विवरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्ष में प्राप्त अर्जित ब्याज रु0 177285/- है तथा प्रारम्भिक अवशेष रु0 4434699/- है। उक्त ब्याज की पुष्टि में बैंक

स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट/पास बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त ब्याज के सम्बन्ध में जानकारी न हो सकी। उपरोक्त ब्याज राजकीय कोष में जमा न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जोकि उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत धनराशि रू० 3176818.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री वेद प्रकाश मौर्य श्री एवं लेखाकार श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-33)

88. आलोच्य वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्रय सम्बन्धी सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय टी.डी.एस. एवं आईटी की कटौती रू० 62492.00 की गयी। जिसके जमा की पुष्टि में इश्यू चेक नं०/बैंक स्टेटमेंट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध न कर रू० 62492.00 की धनराशि की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जोकि उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत धनराशि रू० 62492.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव एवं लेखाकार श्री इशरत अली सिद्दीकी से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-34)

क्षेत्र पंचायत -कैसरगंज

वर्ष 2014-15 से 2016-17

89. आलोच्य वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त योजनाके अन्तर्गत कराये गये कार्य ग्राम पंचायत ऐनी हथिन्सी में गन्डारा मार्ग से जू०हा० स्कूल तक इंटलाकिंग कार्य पर किये गये भुगतान रू० 42006.00 की पुष्टि में प्रस्तुत फाइलों में वांछित प्रपत्र/एम०बी० पुस्तिका आदि प्रस्तुत न कर धनराशि को लेखा मैनुअल के अन्तर्गत गम्भीर अनियमितता में आंकलित किया गया है। जोकि उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत धनराशि रू० 42006.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार चौधरी, अवर अभियन्ता श्री आर०के० भारती एवं सम्बन्धित ठेकेदार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-08)

90. आलोच्य वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि टेण्डर फीस रू० 17976.00 मिला जिसे राजकोष में जमा न कर वित्तीय अनियमितता की गयी। जोकि उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत धनराशि रू० 17976.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार चौधरी एवं लेखाकार श्री बसंत बल्लभ लोहमी से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-12)

91. आलोच्य वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ब्लॉक मुख्यालय में लखनऊ बहराइच रोड़ तक इंटलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य कराया गया जिसकी कुल लागत रू० 1231000.00 है, की पुष्टि में प्रस्तुत फाइलों में कार्य में पारदर्शिता नहीं दिखाई गयी है। निविदा खोलने प्रपत्र पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त कार्य की कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गयी, निविदा तुलनात्मक विवरण पत्र से पूरी तरह ओवराइटिंग कर ठेकेदार को अप्रत्यक्ष रूप से गलत निविदा दिया गया प्रतीत होता है। जिसमें अस्वीकृत को स्वीकृत तथा स्वीकृत को अस्वीकृत किया गया है जो कि पूर्णतया अप्रमाणित है। जोकि उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत धनराशि रू० 42006.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार चौधरी, अवर अभियन्ता श्री दिनेश प्रताप सिंह एवं सम्बन्धित ठेकेदार श्री बकाउल्ला से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-19)

क्षेत्र पंचायत -चित्तौरा

वर्ष 2014-15 से 2016-17

92. आलोच्य वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रुपये 10552851.00 (बैंक अनुसार प्राप्त है) प्रारम्भिक अवशेष दर्शित है, रुपये 5119571.00 (बैंक अनुसार प्राप्त है) प्राप्त हुआ है। आलोच्य वर्ष 2014-15 में रुपये 6097370.00 की निर्माण पत्रावलिया प्राप्त हुई, अतः अवशेष रुपये

9575052.00 होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार बैंक खाते में रुपये 6818120.00 पाया गया। अतः रुपये 2756932.00 का ग्रांट रजिस्टर में व्यय दर्शित कर धन का अपहरण किया गया। जोकि उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत धनराशि रु० 2756932.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लालमन लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-20)

93. आलोच्य वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवा वित्त के अन्तर्गत जिसका प्रारूप सं०-3 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय रु०- 133566.00 की टी०डी०एस० एवं रु०-187595.00 वैट कटौती की गयी जिसकी कटौती इश्यू चेक नम्बर/ बैंक स्टेटमेंट/ चालान/ दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि शासन के निर्देशों के अन्तर्गत टी०डी०एस० एवं बैट का धन चालान द्वारा कोषागार में किया जाना चाहिए था। उक्त आयकर कटौती चालान विवरण लेखा परीक्षा के कार्य के दौरान अनुपलब्ध रहा। अतः उक्त धनराशि, रुपये 321161.00 राजकीय कोषागार में जमा न कराकर वित्तीय अनियमितता की गयी। 321161.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है। जोकि ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लालमन लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-21)

94. आलोच्य वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवा वित्त खाते से विभिन्न तिथियों में कु रु०-64951.00 का कुल 1022 घन मीटर मिट्टी दर्शित कर भुगतान किया गया है, परन्तु उसके बिलो से रायल्टी कटौती 14 रु० प्रति घन मीटर की दर से कुल रु०-14308.00 कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गई है। जोकि ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लालमन लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-24)

95. आलोच्य वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त एवं तेरहवा वित्त खाते से व्यय धनराशि प्रारूप सं०-3 क्र०सं०-13 वि०ख० चित्तौरा के प्रमुख कक्ष में दरवाजा तथा शौचालय तथा दरवाजे के मरम्मत कार्य में दिनांक 16.03.2016 को चेक सं० 880663 धनराशि रु०-1000.00 का भुगतान दर्शित किया गया परन्तु प्रावली में उक्त बिल बाउचर संलग्न नहीं पाया गया। अतः प्रमाणक विहीन व्यय मानते हुए उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लालमन लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर से की जानी अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-33)

96. आलोच्य वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यय विवरण में प्रारम्भिक अवशेष रुपये 4739649.00 (बैंक अनुसार प्राप्त है) वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्रांट रजिस्टर में उपभोग रुपये 4567818.00 हुआ है। जिसमें अवशेष रु०-5713231.00 होना चाहिए। जबकि ग्रांट रजिस्टर के अनुसार रु०-5107508.00 दर्शित है। अतः रु०-605723.00 कम दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया। जोकि उ०प्र०जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के अंतर्गत धनराशि रु० 605723.00 ब्याज सहित वसूली योग्य है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लालमन लेखाकार से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-19)

प्रारूप-3

जनपद का नाम – गोण्डा मण्डल का नाम – देवीपाटन, गोन्डा

क्षेत्र पंचायतों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

क्षेत्र पंचायत-हलधरमऊ

प्रस्तर -01 (क) वर्ष 2011-12 में कुल 10 निर्माण कार्य में सामग्री क्रय पर रु० 17,35,628.00 का व्यय किया गया। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयीं-

1. किसी भी निर्माण कार्य पत्रावली में एम० बी० नहीं पायी गई है।
2. किसी भी निर्माण कार्य पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।

3. आलोच्य वर्ष में केवल दो ही फर्मों—भारत बिकफील्ड, अशफाक अहमद गवर्नमेन्ट कान्ट्रेक्टर एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर से आपूर्ति ली गयी है।
4. सामग्री क्रय के सम्बन्ध में सामग्री मांग पत्र व सामग्री आपूर्ति पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
5. आलोच्य वर्ष में सामग्री क्रय रु0 17,35,628.00 पर टी0डी0एस0 रु0 38,877.00 काटा गया है, परन्तु एस0 बी0 आई0 के लेखा शीर्ष 0021 में जमा करने के प्रमाण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।
6. आलोच्य वर्ष में सामग्री क्रय रु0 17,35,628.00 के सापेक्ष वैट नहीं काटा गया है।

उक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि सामग्री मद में व्यय रु0 17,35,628.00 के सापेक्ष काल्पनिक पत्रावलियों का निर्माण कर रु0 17,35,628.00 का अपहरण कर लिया गया है।

(ख) वर्ष 2012-13 में कुल 10 निर्माण कार्य में सामग्री क्रय पर रु0 29,44,427.00 का व्यय किया गया। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयीं—

1. किसी भी निर्माण कार्य पत्रावली में एम0 बी0 (माप पुस्तिका) नहीं पायी गई है। किसी भी निर्माण कार्य पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है।
2. आलोच्य वर्ष में भी केवल दो ही फर्मों से ही सामग्री आपूर्ति की गयी है। भारत बिकफील्ड, अशफाक अहमद गवर्नमेन्ट कान्ट्रेक्टर एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर ने ही आपूर्ति की है। जो नियमसंगत नहीं है।
3. सामग्री क्रय के सम्बन्ध में मांग पत्र व सामग्री आपूर्ति पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं हुआ है।
4. आलोच्य वर्ष में सामग्री क्रय रु0 29,44,427.00 पर टी0डी0एस0 रु0 66,838.00 की कटौती की गयी है, परन्तु इसे एस0 बी0 आई0 के लेखा शीर्ष 0021 में जमा करने के प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. आलोच्य वर्ष में सामग्री क्रय रु0 29,44,427.00 के सापेक्ष वैट की कटौती नहीं की गई है।

उक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि सामग्री मद में व्यय रु0 29,44,427.00 के सापेक्ष काल्पनिक पत्रावलियां तैयार कर अपहरण कर लिया गया है।

इस प्रकार वर्ष 2011-12 में व 2012-13 में निर्माण कार्य पर क्रय सामग्री पर व्यय क्रमशः रु0 17,35,628.00 व रु0 29,44,427.00 कुल रु0 46,80,055.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये कार्य प्रभारी श्री मु0 आजम खॉन, ए0डी0ओ0 श्री लालमन, लेखाकार श्री राजेश्वरी गुप्ता, बी0डी0ओ0 श्रीमती पुष्पा वर्मा व श्रीमती राजपती, श्री के0 एन0 पाण्डेय, श्रीर कर्ताराम, श्री राकेश पाण्डेय उत्तरदायी हैं। जिनसे अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0 8,9,22,23)

प्रस्तर-02 (क) वर्ष 2011-12 में विधायक निधि, बी0आर0जी0एफ0, मनरेगा प्रशासनिक व्यय व टी0डी0एस0 कटौती योजना में कुल रु0 71,47,409.00 का व्यय अनुदान पंजी में दर्शित है। इसी प्रकार वर्ष 2012-13 में टेलीफोन बिल्डिंग का किराया, निविदा फार्म बिक्री एवं जमानत राशि, बी0आर0जी0एफ0, मनरेगा प्रशासनिक व्यय व टी0 डी0 एस0 कटौती व सा0 आर्थिक जाति गणना योजना में कुल रु0 19,40,085.00 बिना व्यय प्रमाणक व्यय किया गया है।

उपरोक्त दर्शित कुल रु0 90,87,494.00 के व्ययों के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जो कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अपहरण की श्रेणी में रहा। जिसके लिए लेखाकार श्री राजेश्वर गुप्ता, बी0डी0ओ0 श्रीमती पुष्पा वर्मा/श्रीमती राजपती श्री के0 एन0 पाण्डेय श्री कर्ताराम श्री राकेश पाण्डेय उत्तरदायी हैं। जिनसे अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 13(क) 13(ख))

प्रस्तर-03 वर्ष 2012-13 में कुल 10 निर्माण कार्यों पर श्रमांश के मद में कुल रु0 11,83,757.00 व्यय किया गया है। चूंकि उक्त से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावलियां उपरोक्त आपत्तियों के दृष्टि से काल्पनिक प्रतीत होती हैं। अतएवं श्रमांश पर व्यय रु0 11,83,757.00 उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अपहृत रहा। जिसके लिए लेखाकार श्री राजेश्वर गुप्ता कार्य प्रभारी श्री मु0 आजम खॉन, श्री लालमन (ए0डी0 ओ0), खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजपति, श्री के0 एन0 पाण्डेय, श्री कर्ताराम, श्री राकेश पाण्डेय उत्तरदायी हैं। जिनसे अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- मनकापुर

प्रस्तर-04 प्रोजेक्ट का नाम-मनकापुर रोड से चांदपुर बरसौनिया तक लगे पुराने खड़न्जे का मरम्मत कार्य।

कार्य प्रभारी श्री शिव प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा विभिन्न चेकों के माध्यम से कुल रू0 2,41,857.00 का भुगतान किया गया। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

अ- प्रोजेक्ट पत्रावली में दर्शित कार्य सापेक्ष एम0बी0 पंजिका को प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे के एम0 बी0 आधार पर प्रयुक्त सामग्री की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिये श्री हरिश्चन्द्र खन्ड विकास अधिकारी, श्री संजय कुमार सिंह, ज्येष्ठ लेखाकार, श्री शिव प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता जिम्मेदार हैं।

ब- प्रोजेक्ट पत्रावली में संलग्न इस्टीमेट में $495 \text{ एम } 2 \times 59.2 \text{ ईट/एम } 2 = 29304 \text{ ईट}$ को आवरराइटिंग करके $825 \text{ एम } 2 \times 59.2 \text{ ईट/एम } 2 = 48840 \text{ ईट}$ बनाया गया है। इस्टीमेट का कुल योग रू0 216649 को ओवरराइटिंग करके रू0 259129 बनाया गया। अर्थात् 29300 ईट के स्थान पर 48800 ईट दर्शाकर 19500 ईट मूल्य $\times 3400$ (प्रति हजार) = रू0 66,300.00 का अपहरण कार्य प्रभारी, खन्ड विकास अधिकारी, लेखाकार द्वारा किया गया। पहले से बनाये गये इस्टीमेट में ओवरराइटिंग करना क्या औचित्य रहा। लेखा परीक्षा में यह नहीं बताया जा सका।

स- 23800 ईट/रू0 3400 (प्रति हजार) मूल्य 80,920 के स्थान पर 85680 का भुगतान करके रू0 4760 का अधिक भुगतान क्यों किया गया। लेखा परीक्षा में यह अप्राप्त रहा।

द- दर्शित एम0आर0 पर समस्त भुगतान श्री शिव प्रताप सिंह द्वारा किया गया है। एम0आर0 पर इस बात का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया कि मजदूरी का भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा स्वयं नकद किया गया है। एम0आर0 खन्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत एवं प्रमाणित नहीं है। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं यह भी उल्लिखित नहीं हैं निशानी अंगूठा कार्य प्रभारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मस्टर रोल बनाने वाले स्वयं सभी मजदूरों का निशानी अंगूठा लगाये हों। अर्थात् अवास्तविक मस्टर रोल के आधार पर कार्य प्रभारी द्वारा रू0 78,800.00 का भुगतान समायोजन कराया गया है।

इस प्रकार उक्त प्रोजेक्ट पर रू0 71,060.00 का अपहरण व रू0 78,800.00 की अनियमितता पायी गयी। जिसके लिये श्री हरिश्चन्द्र खन्ड विकास अधिकारी, श्री संजय कुमार सिंह, लेखाकार, श्री शिव प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता/कार्य प्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। अपहरण से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु तथा वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(स0आ0सं0-03)

प्रस्तर-05 प्रोजेक्ट का नाम-मनकापुर मछलीगांव पी0डब्लू0डी0 रोड से बिजली विभाग कालोनी तक खड़न्जा कार्य।

कार्य प्रभारी श्री शिव प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा विभिन्न चेकों के माध्यम से कुल रू0 5,16,608.00 का भुगतान किया गया। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

अ- प्रोजेक्ट पत्रावली में दर्शित कार्य सापेक्ष एम0बी0 पंजिका को प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे एम0 बी0 के आधार पर प्रयुक्त सामग्री की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिये श्री हरिश्चन्द्र खन्ड विकास अधिकारी, श्री संजय कुमार सिंह, ज्येष्ठ लेखाकार, श्री शिव प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता जिम्मेदार हैं।

ब- उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय हेतु कोई भी निविदा प्रकाशित नहीं करायी गयी। बिना निविदा के आधार पर सीधे क्रय किया गया। जो कि आपत्तिजनक रहा।

स- दर्शित एम0 अर0 पर समस्त भुगतान श्री शिव प्रताप सिंह द्वारा किया गया है। एम0 आर0 पर श्री शिव प्रताप सिंह द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है कि मजदूरों को भुगतान नकद मेरे द्वारा किया गया है, यह भी उल्लिखित नहीं है। मजदूरों का निशानी अंगूठा भी प्रमाणित नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मस्टर रोल बनाने वाले का स्वयं का अंगूठा लगाया गया है। अतः अवास्तविक मस्टररोल के आधार पर रू0 1,05,000.00 का भुगतान समायोजन कराया गया।

द- श्री शिव प्रताप सिंह कार्य प्रभारी द्वारा नकद 1,11,100.00 का भुगतान प्राप्त किया गया जबकि एम0 आर0 के आधार पर मात्र रू0 1,05,000.00 का भुगतान समायोजन कराया गया। अर्थात् रू0 6,100.00 का अपहरण कर लिया गया।

इस प्रकार उक्त प्रोजेक्ट पर कुल व्यय रू0 5,16,608.00 में रू0 6,100.00 का अपहरण एवं रू0

510508.00 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी। जिसके लिये श्री हरिश्चन्द खन्ड विकास अधिकारी, श्री संजय कुमार सिंह, लेखाकार, श्री शिव प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता/कार्य प्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। अपहरण से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु तथा वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(स0आ0सं0-04)

प्रस्तर-06 प्रोजेक्ट का नाम-गजडहवा खड़न्जा से प्राइमरी पाठशाला मदनापुर मार्ग होते हुये सिसवा मदनापुर रोड तक मिट्टी/खड़न्जा कार्य।

कार्य प्रभारी श्री शिव प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा विभिन्न चेकों के माध्यम से कुल रु0 5,47,862.00 का भुगतान किया गया। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

अ- प्रोजेक्ट पत्रावली में दर्शित कार्य सापेक्ष एम0बी0 पंजिका को प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे एम0 बी0 आधार पर प्रयुक्त सामग्री मूल्य रु0 4,40,652 की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिये श्री हरिश्चन्द खन्ड विकास अधिकारी, श्री संजय कुमार सिंह, ज्येष्ठ लेखाकार, श्री शिव प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता जिम्मेदार हैं।

ब- उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय हेतु कोई भी निविदा प्रकाशित नहीं करायी गयी। बिना निविदा के आधार पर सीधे क्रय किया गया। जो कि आपत्तिजनक रहा।

स- दर्शित एम0 आर0 पर समस्त भुगतान श्री शिव प्रताप सिंह द्वारा किया गया है। इस बात का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है कि मजदूरों को भुगतान नकद स्वयं किया गया है। एम0 आर0 पर मजदूरों को किस दर से भुगतान किया गया, उल्लिखित नहीं है। मजदूरों का निशानी अंगूठा भी प्रमाणित नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मस्टर रोल पर निशानी अंगूठा मस्टर रोल बनाने वाले का है। अतः अवास्तविक मस्टररोल के आधार पर रु0 1,06,500.00 का भुगतान समायोजन कराया गया।

द- कार्य प्रभारी द्वारा नकद 1,07,210 के स्थान पर मात्र रु0 1,06,560 का ही भुगतान भुगतान समायोजन कराया गया। अर्थात् रु0 650.00 का अपहरण कर लिया गया।

इस प्रकार उक्त प्रोजेक्ट पर कुल व्यय रु0 5,47,862.00 में रु0 650.00 का अपहरण एवं रु0 5,47,212.00 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी। जिसके लिये श्री हरिश्चन्द खन्ड विकास अधिकारी, श्री संजय कुमार सिंह, लेखाकार, श्री शिव प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता/कार्य प्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। अपहरण से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु तथा वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(स0आ0सं0-05)

प्रस्तर-07 प्रोजेक्ट का नाम-विकास खन्ड कार्यालय में वाटर सप्लाई कार्य।

कार्य प्रभारी श्री मनोज कुमार गौतम, कैशियर/भन्डार लिपिक को विभिन्न चेकों के माध्यम से कुल रु0 1,30,000.00 का भुगतान किया गया। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

अ- शासन के निर्देश के क्रम में सामग्री क्रय का भुगतान चेक के माध्यम से सम्बन्धित फर्म को किया जाना चाहिये था। किन्तु उक्त प्रोजेक्ट में समस्त भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है।

ब- क्रम सं0 1 से 4 सामग्री क्रय रु0 93,705.00 का 2.26 प्रतिशत अर्थात् रु0 2,118.00 की टी0 डी0 एस0 की कटौती नहीं की गयी है। जिससे राजस्व की हानि हुई।

स- उक्त सामग्री क्रय के पूर्व कोई भी निविदा प्रकाशित नहीं करायी सीधे कार्य प्रभारी द्वारा सामग्री क्रय कर ली गई। जो कि नियम विरुद्ध रहा।

द- उक्त कार्य का कोई भी इस्टीमेट पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि वास्तव में आवासीय परिसर में वाटर फिटिंग की जरूरत है।

य- उक्त कार्य की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है कि वास्तव में समस्त कार्य प्रभारी द्वारा संतोषप्रद ढंग से किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रु0 1,30,000.00 का भुगतान अनियमित एवं दुरुपयोगित रहा। जिसके लिये कार्य प्रभारी श्री मनोज कुमार गौतम, कैशियर/भन्डार लिपिक, श्री संजय कुमार सिंह, लेखाकार, खन्ड विकास अधिकारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। जिसके लिये सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित अपेक्षित है।

(स0आ0सं0-06)

प्रस्तर-08 प्रोजेक्ट का नाम-क्षेत्र पंचायत के अन्दर विभिन्न स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था।

कार्य प्रभारी श्री शिव प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को विभिन्न चेकों के माध्यम से

कुल ₹0 6,28,086.00 का भुगतान किया गया। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

अ— खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय पत्रांक 2253 दिनांक 24.09.11 को निविदा सूचना जारी की गयी। किन्तु उक्त निविदा से सम्बन्धित अखबार की प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी। जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि वास्तव में उक्त कार्य की निविदा प्रकाशित हुई थी।

ब— उक्त निविदा हेतु तीन निविदा—1. मेसर्स सिंह इलेक्ट्रानिक, 2. मेसर्स कीरत ट्रेडर्स, 3. मेसर्स पंजाब इलेक्ट्रानिक प्राप्त हुये। लिफाफे के अवलोकन से स्पष्ट है कि तीनों निविदा डाक से न आकर सीधे कार्यालय को प्राप्त कराये गये। विकास खण्ड कार्यालय में किस पत्रांक/दिनांक को निविदा प्राप्त हुये, यह स्पष्ट नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि निविदा त्रुटिपूर्ण ढंग से की गई तथा तीन निविदा प्राप्ति की औपचारिकतायें की गयी।

स— जिन ग्राम पंचायतों में प्रकाश व्यवस्था लागू की गयी, उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न नहीं की गयी, जोकि अपेक्षित था।

द— उक्त कार्य का परिसम्पत्ति पंजिका में अंकित किया गया कि नहीं, इससे सम्बन्धित परिसम्पत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

इस प्रकार उक्त प्रोजेक्ट पर कुल व्यय ₹0 6,28,086.00 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी। जिसके लिये श्री हरिश्चन्द खण्ड विकास अधिकारी, श्री संजय कुमार सिंह, लेखाकार, श्री शिव प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता/कार्य प्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है। (स0आ0सं0-07)

प्रस्तर-09 प्रोजेक्ट का नाम—क्षेत्र पंचायत के अन्दर विभिन्न स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था।

कार्य प्रभारी श्री शिव प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को विभिन्न चेकों के माध्यम से कुल ₹0 6,28,854.00 का भुगतान किया गया। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

अ— खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय पत्रांक 10 दिनांक 05.03.2012 को निविदा सूचना जारी की गयी। किन्तु उक्त निविदा से सम्बन्धित अखबार की प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी। जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि वास्तव में उक्त कार्य की निविदा प्रकाशित हुई थी।

ब— उक्त निविदा हेतु तीन निविदा —1. मेसर्स सिंह इलेक्ट्रानिक, 2. मेसर्स कीरत ट्रेडर्स, 3. मेसर्स पंजाब इलेक्ट्रानिक प्राप्त हुये। लिफाफा अवलोकन से स्पष्ट है कि तीनों निविदा डाक से न आकर सीधे कार्यालय को प्राप्त कराये गये। विकास खण्ड कार्यालय में किस पत्रांक/दिनांक को निविदा प्राप्त हुये, यह स्पष्ट नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि निविदा त्रुटिपूर्ण ढंग से की गई तथा तीन निविदा प्राप्ति की औपचारिकतायें की गयी।

स— जिन ग्राम पंचायतों में प्रकाश व्यवस्था लागू की गयी, उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न नहीं की गयी, जोकि अपेक्षित था।

द— उक्त कार्य का परिसम्पत्ति पंजिका में अंकित किया गया कि नहीं, इससे सम्बन्धित परिसम्पत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

इस प्रकार उक्त प्रोजेक्ट पर कुल व्यय ₹0 6,82,854.00 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी। जिसके लिये श्री हरिश्चन्द खण्ड विकास अधिकारी, श्री संजय कुमार सिंह, लेखाकार, श्री शिव प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता/कार्य प्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है। (स0आ0सं0-08)

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायतों में विभिन्न स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु तीन तीन अर्थात् छः निविदा प्राप्त हुये।

प्रत्येक निविदा फार्म का मूल्य ₹0 500.00 है। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में (2 X 3 X 500= 3,000) कुल ₹0 3,000.00 की आय होनी चाहिये। जिसे नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार श्री हरिश्चन्द खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री संजय कुमार सिंह लेखाकार द्वारा टेन्डर मूल्य की धनराशि ₹0 3,000.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित हेतु अधिभार प्रस्ताव की कार्यवाही सम्बन्धित से अपेक्षित है। (स0आ0सं0-09)

प्रस्तर-11 वर्ष 2011-12 में निम्न विवरणानुसार—

मनकापुर रोड से चांदपुर बरसैनिया तक लगे पुराने खड़न्जे का मरम्मत कार्य पर व्यय— 2,41,857.00
मनकापुर मछलीगांव पी0 डब्लू0 डी0 रोड से बिजली विभाग कालोनी तक खड़न्जा

कार्य पर व्यय—	5,16,608.00
गजडहवा खड़न्जा से प्राइमरी पाठशाला मदनापुर रोड तक मिट्टी/खड़न्जा पर व्यय—	5,48,862.00
विकास खण्ड कार्यालय में वाटर सप्लाई कार्य पर व्यय—	1,30,000.00
क्षेत्र पंचायत के अन्दर विभिन्न स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था पर व्यय—	6,28,086.00
क्षेत्र पंचायत के अन्दर विभिन्न स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था पर व्यय—	6,82,854.00

योग—

2748267.00

उपरोक्त के व्यय से सम्बन्धित प्रोजेक्ट पत्रावली खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी। जबकि अनुदान पंजिका 2 तथा अनुदान पंजिका 3 के अनुसार वर्ष 2011-12 में ₹0 30,77,419 का उपयोग दर्शाया गया है। अर्थात् ₹0 3,29,152.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा अप्रस्तुत रही। अर्थात् ₹0 3,29,152.00 का अपहरण खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र (दि० 01.04.11 से 01.09.11 तक) लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह के साथ-साथ क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह द्वारा किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित हेतु अधिभार प्रस्ताव की कार्यवाही सम्बन्धित से अपेक्षित है।

(स०आ०सं०- 10)

प्रस्तर-12 प्रोजेक्ट का नाम—पचपुती जगतापुर में गंगाराम बाबा स्थान सी० सी० रोड के बगल से सी० सी० रोड निर्माण/नाली निर्माण।

प्रोजेक्ट पत्रावली में जे० ई० द्वारा नाली निर्माण पर कुल ₹0 12,012.00 तथा सी० सी० रोड निर्माण पर कुल ₹0 10,24,131.00 के इस्टीमेट बनाया हुआ पाया गया।

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी श्री अटल बिहारी वर्मा, सहायक विकास अधिकारी के माध्यम से कुल ₹0 12,12,580.00 का भुगतान किया गया।

सी० सी० रोड निर्माण की पत्रावली के अवलोकन से सामग्री क्रय से सम्बन्धित प्रमाणक तथा एम० आर० के आधार पर कुल भुगतान ₹0 11,86,977.85 रहा।

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पाई गयी—

अ—प्रोजेक्ट पत्रावली में दर्शित कार्य के सापेक्ष एम०बी० पंजिका को प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे एम०बी० के आधार पर प्रयुक्त सामग्री की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल, ज्ये० लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह तथा जे० ई० जिम्मेदार हैं।

ब—सी० सी० रोड निर्माण में इस्टीमेट तथा क्रय की स्थिति निम्नवत रही—

मौरंग 56.20 एम 2 के स्थान पर 67.80 का भुगतान किया गया। जो ₹0 23,455.20 अधिक का रहा।

पत्थर गिट्टी 79.90 के स्थान पर 109.50 का भुगतान किया गया। जो ₹0 55,470.40 से अधिक का रहा।

एफ० सैन्ड 56.20 के स्थान पर 67.30 का भुगतान किया गया। जो ₹0 7,770.00 से अधिक का रहा।

पालीथीन शीट 296 मीटर के स्थान पर 349.50 का भुगतान किया गया। जो ₹0 334.37 से अधिक का रहा।

सीमेन्ट 987 बोरी के स्थान पर 1169 बोरी का भुगतान किया गया। जो ₹0 54,000.00 से अधिक का रहा।

क्रमांक 09, 10, 11, 12 व 13 ह्यूम पाइप, छड़, सड़न बोर्ड, सीधा ईट व ट्राली मिट्टी बिना इस्टीमेट के आधार पर भुगतान किया गया। जो ₹0 43,410.00 से अधिक का रहा।

क्रमांक 14 से 18 तक एम० आर० के आधार पर भुगतान किया गया। एम० आर० निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है। मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं, यह भी उल्लेख नहीं है। अर्थात् अवास्तविक मस्टर रोल के आधार पर कार्य प्रभारी द्वारा ₹0 1,73,331 का भुगतान समायोजन कराया गया है।

इस प्रकार उक्त प्रोजेक्ट पर कुल ₹0 3,58,370.97 अर्थात् ₹0 3,58,371.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल, लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन जे० ई० के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री अटल बिहारी वर्मा एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(स०आ०सं०-11)

प्रस्तर-13 प्रोजेक्ट का नाम—पचपुती जगतापुर में गंगाराम बाबा स्थान सी० सी० रोड के बगल से नाली निर्माण।

कार्य प्रभारी—श्री अटल बिहारी वर्मा (सहायक विकास अधिकारी, पं०)

उक्त कार्य पर ₹0 1,812 मजदूरी तथा सामग्री क्रय पर ₹0 10,210 का व्यय किया गया, जिसके सापेक्ष

एम0 बी0 पंजिका को प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे एम0 बी0 के आधार पर प्रयुक्त सामग्री की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस प्रकार उक्त प्रोजेक्ट पर रू0 12,022.00 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी। जिसके लिये खन्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल, लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन जे0 ई0 के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री अटल बिहारी वर्मा एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (स0आ0सं0- 12)

प्रस्तर-14 प्रोजेक्ट का नाम-पचपुती जगतापुर में गंगाराम बाबा स्थान सी0 सी0 रोड के बगल से सी0 सी0 रोड निर्माण।

कार्य प्रभारी-श्री अटल बिहारी वर्मा (सहायक विकास अधिकारी, पं0)

अ-बहाल ट्रेडर्स ब्लाक के सामने मनकापुर से कार्य प्रभारी श्री अटल बिहारी वर्मा ने स्वयं सामग्री क्रय किया गया है। उक्त सामग्री क्रय पर 2.26 प्रतिशत की दर से रू0 819.00 टी0 डी0 एस0 की कटौती नहीं की गयी है। जिससे राजस्व क्षति हुई।

शासकीय निर्देश के अन्तर्गत समस्त सामग्री क्रय फर्म के आधार पर किये जाने हैं तथा सम्बन्धित फर्म को चेक के माध्यम से भुगतान किये जाने है। किन्तु उक्त नियमों का उल्लंघन कार्य प्रभारी द्वारा किया गया। अर्थात् अवास्तविक सामग्री क्रय करके तथा स्वयं भुगतान करना दर्शाके रू0 36,260.00 का अपहरण कार्य प्रभारी के साथ-साथ खन्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल, लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह द्वारा किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित हेतु अधिभार प्रस्ताव की कार्यवाही सम्बन्धित से अपेक्षित है।

ब- मे0 इन्द्रा कान्सट्रक्शन को सामग्री क्रय के मद में रू0 46,883 का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया। किन्तु उक्त क्रय के सापेक्ष 2.26 प्रतिशत की दर से टी0 डी0 एस0 की कटौती नहीं करके रू0 1,060 की राजस्व की क्षति पहुंचायी गई।

इस प्रकार कुल सामग्री क्रय रू0 83,143.00 चेक के माध्यम से न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जबकि क्रय सामग्री पर कुल रू0 1,879.00 टी0 डी0 एस0 की कटौती न कर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिये खन्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल, लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन जे0 ई0 के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री अटल बिहारी वर्मा एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(स0आ0सं0-13)

प्रस्तर-15 प्रोजेक्ट का नाम-क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था।

कार्य प्रभारी-श्री शिव प्रताप सिंह, अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा।

उक्त कार्य में विभिन्न चेकों के माध्यम से कुल रू0 14,96,921.00 का भुगतान किया गया। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

अ-खन्ड विकास अधिकारी के कार्यालय पत्रांक 172 दिनांक 30.04.2012 तथा कार्यालय पत्रांक 1996 दिनांक 18.10.12 द्वारा प्रकाश सामग्री क्रय हेतु निविदा की सूचना जारी की गयी। किन्तु उक्त निविदा प्रकाशन से सम्बन्धित अखबार की प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि वास्तव में उक्त निविदा की सूचना प्रकाशित हुई थी।

ब-उक्त निविदा हेतु क्रमशः तीन निविदा -

सोलर लाइट-1 मेसर्स कीरत ट्रेडर्स. 2. मेसर्स सिंह ट्रेडर्स. 3. मेसर्स पंजाब इलेक्ट्रानिक्स

स्ट्रीट लाइट-1 मेसर्स कीरत ट्रेडर्स. 2. मेसर्स पंजाब इलेक्ट्रानिक्स. 3. मेसर्स सिंह ट्रेडर्स. प्राप्त हुये। लिफाफा अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि तीनों निविदा डाक से न आकर सीधे प्राप्त कार्यालय आकर स्वयं प्राप्त कराये गये। विकास खन्ड कार्यालय में किस पत्रांक/दिनांक को निविदा प्राप्त हुये, यह स्पष्ट नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि निविदा त्रुटिपूर्ण ढंग से की गई तथा तीन कोटेशन प्राप्त की औपचारिकतायें पूरी की गयीं।

स- जिन ग्राम पंचायतों में प्रकाश व्यवस्था लागू की गयी, उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न नहीं की गयी, जोकि अपेक्षित था।

द- उक्त कार्य का परिसम्पत्ति पंजिका में अंकित किया गया कि नहीं, इससे सम्बन्धित परिसम्पत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रू0 14,96,921.00 का भुगतान अनियमित एवं दुरुपयोगित

रहा। जिसके लिये खन्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल, लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन जे0 ई0 के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री शिव प्रताप सिंह एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(स0आ0सं0-14)

प्रस्तर-16 प्रोजेक्ट का नाम—खजुरी पूर्व प्रधान हरीराम वर्मा के घर से गजड़हवा तक खड़न्जा मरम्मत/चौड़ीकरण कार्य।

कार्य प्रभारी—श्री गिरजा दत्त सिंह, ए0 डी0 ओ0/एस0 के0।

उक्त कार्य में विभिन्न चेकों के माध्यम से कुल रू0 2,56,786.00 का भुगतान किया गया। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

अ—खन्ड विकास अधिकारी के कार्यालय पत्रांक मेमा दिनांक 06.11.2012 द्वारा निविदा की सूचना जारी की गयी। किन्तु उक्त निविदा प्रकाशन से सम्बन्धित अखबार की प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि वास्तव में उक्त निविदा की सूचना प्रकाशित हुई थी।

ब—उक्त निविदा हेतु क्रमशः तीन निविदा— आर0 एस0 पी0 ब्रिकफील्ड, सिद्धौर, बलरामपुर. 2. राज ईट भट्ठा खपरीपारा, मसकनवां तथा 3. स्टील ब्रिक फील्ड महवा गोपाल. प्राप्त हुये। लिफाफा अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि तीनों नविदा डाक से न आकर सीधे प्राप्त कार्यालय आकर स्वयं प्राप्त कराये गये। विकास खन्ड कार्यालय में किस पत्रांक/दिनांक को नविदा प्राप्त हुये, यह स्पष्ट नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि निविदा त्रुटिपूर्ण ढंग से की गई तथा तीन कोटेशन प्राप्त की औपचारिकतायें पूरी की गयी।

स— प्रोजेक्ट पत्रावली में दर्शित कार्य के सापेक्ष इस्टीमेट एम0 बी0 पंजिका में संलग्न नहीं किया गया जिससे इस्टीमेट एम0 बी0 के आधार पर प्रयुक्त सामग्री पुष्टि नहीं की जा सकी।

द— कार्य प्रभारी द्वारा स्वयं रू0 1,86,000 का ही भुगतान प्राप्त किया गया लेकिन एम0 आर0 के आधार पर मात्र रू0 1,33,380 का ही भुगतान समायोजन कराया गया। अर्थात् रू0 52,620.00 का अपहरण कर लिया गया।

य— दर्शित एम0 आर0 पर समस्त भुगतान कार्य प्रभारी श्री गिरजा दत्त सिंह द्वारा स्वयं प्राप्त किया गया है। मस्टरोलों पर श्री गिरजा दत्त सिंह द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है कि मस्टर रोलों में दर्शित मजदूरों को भुगतान मेरे द्वारा ही किया गया है। मस्टर रोलों पर मजदूरों की निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मस्टर रोल बनाने वाले का स्वयं अंगूठा लगाया गया है। अतः अवास्तविक मस्टर रोल के आधार पर श्री गिरजा दत्त सिंह द्वारा रू0 1,33,380 का भुगतान समायोजन कराया गया है।

अतः इस प्रकार उपरोक्त प्रोजेक्ट पर कुल व्यय रू0 2,55,786.00 में रू0 52,620.00 का अपहरण तथा रू0 2,03,166.00 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी। जिसके लिये श्री हरिश्चन्द्र खन्ड विकास अधिकारी, श्री संजय कुमार सिंह, लेखाकार, श्री गिरजा दत्त सिंह कार्य प्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी है। अपहरण से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु तथा वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है। (स0आ0सं0-15)

प्रस्तर-17 प्रोजेक्ट का नाम—मनकापुर कोर्ट बाईपास से जगदेव धोबी के घर से मनकापुर होते हुये मनवरबाग तक इन्टरलाकिंग का कार्य।

कार्य प्रभारी—श्री गिरजा दत्त सिंह, ए0 डी0 ओ0/एस0 के0।

उक्त कार्य में विभिन्न चेकों के माध्यम से कुल रू0 4,97,695.00 का भुगतान किया गया। प्रोजेक्ट पत्रावली में जे0 ई0 द्वारा कुल रू0 6,22,193.00 का इस्टीमेट बनाया गया। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

अ—उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय हेतु कोई भी निविदा जारी नहीं की गई। सीधे स्थानीय स्तर पर सामग्री क्रय किया गया, जो कि नियमानुसार सही नहीं है।

ब—क्रय सामग्री रू0 1,37,707 का 2.26 प्रतिशत अर्थात् रू0 3,112.00 का टी0 डी0 एस0 कटौती नहीं की गयी, जिससे राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी।

स— प्रोजेक्ट पत्रावली में दर्शित कार्य के सम्बन्धित एम0 बी0 पंजिका अप्रस्तुत रही। जिससे एम0 बी0 के आधार पर प्रयुक्त सामग्री पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिये श्री प्यारे लाल खन्ड विकास अधिकारी, श्री संजय कुमार सिंह, लेखाकार, तत्कालीन जे0 ई0 के साथ-साथ कार्य प्रभारी जिम्मेदार हैं।

द— शासकीय निर्देश के अन्तर्गत सामग्री क्रय के सापेक्ष सम्बन्धित फर्म को चेक से भुगतान किये जाने

हैं। किन्तु खन्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार द्वारा समस्त भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया। अर्थात् अवास्तविक क्रय दर्शाकर समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

य- दर्शित एम0 आर0 पर समस्त भुगतान कार्य प्रभारी श्री गिरजा दत्त सिंह को किया गया है। मस्टर रोल पर श्री सिंह द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है कि मजदूरों का भुगतान मेरे द्वारा ही किया गया है। मस्टर रोल विकास खन्ड द्वारा निर्गत तथा तथा प्रमाणित नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मस्टर रोल बनाने वाले का स्वयं अंगूठा लगाया गया है।

इस प्रकार उक्त प्रोजेक्ट पर रू0 4,97,695.00 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी। जिसके लिये खन्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल, लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन जे0 ई0 के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री गिरजा दत्त सिंह एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (स0आ0सं0- 16)

प्रस्तर-18 वर्ष 2012-13 कुल 03 निर्माण कार्यो हेतु क्रमशः तीन-तीन निविदा प्राप्त हुये। प्रत्येक निविदा फार्म का मूल्य रू0 500.00 है। इस प्रकार (03 X 3 X 500) कुल रू0 4500.00 की आय होनी चाहिये। जिसे नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार श्री प्यारे लाल, खन्ड विकास अधिकारी तथा श्री संजय कुमार सिंह, लेखाकार द्वारा टेन्डर मूल्य की धनराशि रू0 4500.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहितहेतु अधिभार प्रस्ताव की कार्यवाही सम्बन्धित से अपेक्षित है। (स0आ0सं0- 17)

प्रस्तर-19 प्रोजेक्ट का नाम-विकास खन्ड परिसर के कार्यालय भवन/आवासीय भवन/खन्ड विकास अधिकारी आवास/प्रशिक्षण हाल बाउन्ड्री का मरम्मत तथा रंगाई पोताई कार्य।

कार्य प्रभारी-श्री मनोज कुमार गौतम, भन्डार लिपिक।

जे0 ई0 द्वारा कुल रू0 3,93,568.00 का इस्टीमेट बनाया गया। उक्त कार्य में विभिन्न चेकों के माध्यम से कुल रू0 3,97,000.00 के सापेक्ष कार्य प्रभारी द्वारा सामग्री क्रय पर रू0 2,96,492 तथा मस्टर रोल पर रू0 1,00,742 कुल रू0 3,97,234 अर्थात् रू0 3,97,000 का भुगतान समायोजन कराया गया। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

पत्रावली के क्रम संख्या 18 खान फर्नीचर हाउस, पटेलनगर, सिंह मार्केट, उतरौला रोड, मनकापुर से दिनांक 29.01.13 को दरवाजा 01 पीस 2300 को उल्लिखित करके दरवाजा 02 पीस, चौखट 02 पीस करके रू0 2300 के स्थान पर रू0 12,300 दर्शाया गया। क्रय की स्थिति संदेहास्पद रही। भुगतान सम्बन्धित को चेक के माध्यम से नहीं किया गया।

पत्रावली के क्रम संख्या 19 ट्राली नं0 यू0पी0 43 एल 2239 से 21 ट्राली मिट्टी पर कुल रू0 8,400 भुगतान समायोजन किया गया है। प्रस्तुत प्रमाणक पर ट्राली मालिक का नाम व पता अंकित नहीं है। ट्राली मालिक द्वारा किस तिथि में ट्राली से मिट्टी का कार्य किया गया है, अंकित नहीं है। भुगतान सम्बन्धित को चेक के माध्यम से नहीं किया गया है।

पत्रावली के क्रम संख्या 20 किसान ईट उद्योग, धुसवा, मसकनवा को 5,000 ईट X 4400/हजार = 22,000.00 व 9,000 ईट 4200/हजार = 37,800.00 का भुगतान चेक के माध्यम से नहीं किया गया।

पत्रावली के क्रम संख्या 21 बहाल ट्रेडर्स उतरौला रोड मनकापुर को सीमेन्ट 100 बोरी X 300 = 30,000.00 व बालू 8,216.00 कुल रू0 38,216.00 को सीमेन्ट 100 बोरी X 300 = 30,000.00 बालू 13,216.00 को कुल रू0 43,216.00 उल्लिखित करके दर्शाया गया। क्रय की स्थिति संदेहास्पद रही। भुगतान सम्बन्धित फर्म को चेक के माध्यम से नहीं किया गया।

पत्रावली के क्रम संख्या 24 एम0 आर0 रू0 8,750.00 (01.01.13 से 07.01.13)

पत्रावली के क्रम संख्या 31 एम0 आर0 रू0 36,000.00 (27.01.13 से 12.02.13)

पत्रावली के क्रम संख्या 47 एम0 आर0 रू0 34,560.00 (01.05.13 से 15.05.13)

पत्रावली के क्रम संख्या 48 एम0 आर0 रू0 15,972.00 (18.05.13 से 29.05.13)

पत्रावली के क्रम संख्या 48 एम0 आर0 रू0 5,460.00 (18.05.13 से 29.05.13) कुल रू0 1,00,742.00

उक्त एम0 आर0 पर कार्य प्रभारी द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है कि समस्त भुगतान मेरे द्वारा ही किया गया है। मस्टर रोलों पर निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त अंगूठा मस्टर रोल बनाने वाले है।

पत्रावली के क्रम संख्या 25 सचिन ट्रेडर्स से चूना डिस्टैम्पर क्रय पर

रू0 11,625.00

पत्रावली के क्रम संख्या 26 राज ईट भट्टा खपरीपारा, मसकनवां से 10,000 ईट क्रय पर	रु0 42,000.00
पत्रावली के क्रम सं0 27 बहाल ट्रेडर्स उतरौला रोड, मनकापुर से सीमेन्ट, मोरंग क्रय पर	रु0 39,643.00
पत्रावली के क्रम सं0 42 राज ईट भट्टा खपरीपारा, मसकनवां से 4,500 ईट क्रय पर	रु0 19,800.00
पत्रावली के क्रम सं0 43 खान फर्नीचर हाउस, पटेलनगर, सिंह मार्केट ,उतरौला रोड, मनकापुर से 03 अदद चौखट दरवाजा पर	रु0 18,345.00
पत्रावली के क्रम सं0 44 बहाल ट्रेडर्स उतरौला रोड, मनकापुर से सामग्री क्रय पर	रु0 22,344.00
पत्रावली के क्रम सं0 45 भारती पेन्टर, थाना कोतवाली मसकनवां से पेंटिंग मजदूरी पर	रु0 14,050.00

का भुगतान स्वयं किया गया है। जबकि शासकीय निर्देशों के अन्तर्गत सामग्री क्रय का समस्त भुगतान सम्बन्धित फर्म से चेक के माध्यम से किये जाने हैं।

उक्त कार्य की पुष्टि में एम0 बी0 पंजिका आदि अप्रस्तुत रही। जिससे एम0 बी0 के आधार पर प्रयुक्त सामग्री की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रु0 3,97,000.00 का भुगतान अनियमित रहा जिसके लिये कार्य प्रभारी श्री मनोज गौतम के साथ-साथ खन्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल, तत्कालीन जे0 ई0 जिम्मेदार एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(स0आ0सं0- 18)

प्रस्तर-20 प्रोजेक्ट का नाम-मनकापुर मछलीगांव पी0 डब्लू0 डी0 सड़क से बिजली विभाग कालोनी तक लगे पुराने खड़न्जे की मरम्मत कार्य।

कार्य प्रभारी-श्री गिरजा दत्त सिंह सहायक विकास अधिकारी (स0क0)।

उक्त कार्य में विभिन्न चेकों के माध्यम से कुल रु0 2,00,030.00 का भुगतान किया गया। जिस पर कार्य प्रभारी द्वारा सामग्री क्रय पर रु0 1,18,300 तथा मस्टर रोल पर रु0 81,830.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

अ-पत्रावली के क्रम संख्या 13 ट्राली नं0 यू0पी0 43 एल 2239 से 122 ट्राली मिट्टी (रु0 350 प्रति ट्राली) पर कुल रु0 42,700 भुगतान दर्शाया गया है। प्रस्तुत प्रमाणक पर ट्राली मालिक का नाम व पता अंकित नहीं है। ट्राली मालिक द्वारा किस तिथि में ट्राली से मिट्टी का कार्य किया गया है, अंकित नहीं है। ट्राली मालिक को नकद भुगतान दर्शित है जबकि चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना था।

ब-पत्रावली के क्रम संख्या 14 किसान ईट उद्योग, धुसवा, मसकनवा को 10,000 ईट क्रय पर नकद भुगतान रु0 42,000.00 करना दर्शाया गया है। जबकि शासकीय निर्देशों के अन्तर्गत सामग्री क्रय का भुगतान एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से किया जाना था।

स-पत्रावली के क्रम संख्या 17 किसान ईट उद्योग, धुसवा, मसकनवा को 8,000 क्रय पर नकद भुगतान रु0 33,600 करना दर्शाया गया है। जबकि शासकीय निर्देशों के अन्तर्गत सामग्री क्रय का भुगतान एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से किया जाना था।

द-पत्रावली के क्रम संख्या 15 एम0 आर0 रु0 19,600.00 (06.12.12 से 17.12.12)

पत्रावली के क्रम संख्या 19 एम0 आर0 रु0 42,350.00 (20.12.12 से 31.12.12)

पत्रावली के क्रम संख्या 22 एम0 आर0 रु0 19,880.00 (13.07.13 से 22.07.13)

पर समस्त भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा स्वयं प्राप्त किया गया है। मस्टर रोल पर इस बात का प्रमाण पत्र जारी नहीं है कि मजदूरों को नकद भुगतान स्वयं किया गया है। मस्टर रोल पर निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मस्टर रोल बनाने वाले का ही अंगूठा लगा है।

य-प्रमाणक/ क्रम सं0 22 एम0 आर0 रु0 19880.00 का कार्य ईट क्रय के लगभग सात माह बाद जुलाई 13 में होना दर्शाया गया है। जिससे एम0 आर0 का भुगतान अवास्तविक प्रतीत होता है।

र- पत्रावली में जे0 ई0 द्वारा बनाये गये इस्टीमेट मजदूरी पर रु0 41,840.37 का इस्टीमेट बनाया गया है। जबकि उपरोक्तानुसार कार्य प्रभारी द्वारा रु0 81,930.00 का भुगतान एम0 आर0 के आधार पर प्राप्त किया गया है।

इस प्रकार उक्त प्रोजेक्ट पर कुल रु0 2,00,030.00 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी। जिसके लिये खन्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल, लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन जे0 ई0 के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री गिरजा दत्त सिंह एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु

सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है। (स0आ0सं0- 19)

प्रस्तर-21 प्रोजेक्ट का नाम-मनकापुर कोर्ट बाईपास जगदेव धोबी के घर से मनकापु गांव होतु हुये मनवरबाग तक इन्टरलाकिंग का कार्य।

कार्य प्रभारी-श्री गिरजा दत्त सिंह सहायक विकास अधिकारी (स0क0)।

उक्त कार्य में विभिन्न चेकों के माध्यम से कुल रू0 15,59,597.00 का भुगतान किया गया। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

कार्य प्रभारी श्री गिरजा दत्त सिंह द्वारा रू0 6,60,000.00 के स्थान पर रू0 6,84,576.00 का समायोजन जिसमें एम0 आर0 के आधार पर समायोजन रू0 2,25,825.00 व सामग्री क्रय पर रू0 4,58,751.00 का किया गया है।

सामग्री क्रय में रू0 4,25,861 का 2.26 प्रतिशत रू0 9,624.00 की टी0 डी0 एस0 की कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। उल्लेखनीय है कि शासकीय निर्देश के क्रम में सामग्री क्रय का भुगतान एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से किया जाना है किन्तु कार्य प्रभारी द्वारा स्वयं नकद भुगतान करना दर्शाया गया है। अतः समस्त व्यय रू0 4,58,751.00 अनियमित एवं दुरुपयोगित रहा।

मस्टर रोल रू0 67,200.00 के क्र0 सं0 02 श्री राहुल पुत्र महादेव, क्र0 सं0 07 श्री गोली पुत्र दुलारे, क्र0 सं0 09 श्री मुन्नालाल पुत्र राम किशून, क्र0 सं0 13 श्री गब्बू पुत्र हरीराम, क्र0 सं0 15 श्री मेड़ई पुत्र छेदा, क्र0 सं0 17 श्री रोहित पुत्र बृज मोहन, क्र0 सं0 20 श्री भोला पुत्र जुम्नन का भुगतान पाने की पुष्टि में हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा नहीं रहा, फिर भी समस्त भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा दर्शाया गया है। सभी मस्टर रोलों पर निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं रहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि समस्त निशानी अंगूठा मस्टर रोल बनाने वाले का ही है। कार्य प्रभारी द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया गया है कि मजदूरों को उनके द्वारा स्वयं भुगतान दिया गया है। अतः अवास्तविक मस्टर रोल के आधार पर कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान का समायोजन कराया गया है।

उक्त कार्य की पुष्टि में एम0 बी0 पंजिका आदि अप्रस्तुत रही। जिससे एम0 बी0 के आधार पर प्रयुक्त सामग्री एवं मस्टर रोल पर व्यय की वास्तविक पुष्टि नहीं की जा सकी।

उक्त कार्य में केवल सीमेन्ट ईट हेतु तीन निविदायें प्राप्त हुईं। बाकी सामग्री क्रय हेतु कोई भी निविदा नहीं प्राप्त किये गये। जिससे क्रय एवं भुगतान की स्थिति संदेहास्पद रही।

उपरोक्तानुसार रू0 15,59,597.00 का व्यय अनियमित एवं दुरुपयोगित रहा। जिसके लिये खन्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल, लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह, कार्य प्रभारी के साथ-साथ जे0 ई0 एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख जिम्मेदार हैं। उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है। (स0आ0सं0-20)

प्रस्तर-22 प्रोजेक्ट का नाम-अमवावीरपुर मार्ग से पश्चिम प्रा0 पा0 धुनाही होते हुये छोटी धुनाही में काली माई स्थान तक सी0 सी0 रोड निर्माण।

कार्य प्रभारी-श्री किशुन प्रसाद सिंह सहायक विकास अधिकारी (पं0)।

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रू0 7,01,360.00 का भुगतान किया गया। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

अ-उक्त कार्य के लिये खन्ड विकास अधिकारी द्वारा कोई भी निविदा की प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी है। खन्ड विकास अधिकारी के कार्यालय पत्रांक 3120 दिनांक 06.02.14 द्वारा निविदा सूचना प्रकाशित करने के लिये पत्र जारी किया गया था। फिर भी मेसर्स अजीत प्रताप सिंह कान्स्ट्रक्टर पचपुती जगतपुर मनकापुर गोन्डा से समस्त सामग्री क्रय की गयी।

ब-प्रोजेक्ट पत्रावली में जे0 ई0 द्वारा इस्टीमेट बनाया गया है किन्तु एम0 बी0 पंजिका को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सामग्री क्रय, जो प्रयुक्त की गयी, की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिये खन्ड विकास अधिकारी, लेखाकार/जे0 ई0 के साथ-साथ कार्य प्रभारी भी जिम्मेदार हैं।

स-जे0 ई0 द्वारा कुल रू0 12,52,979.00 का इस्टीमेट बनाया गया। जिसके सापेक्ष 53 ट्राली गिट्टी X 500= रू0 26,500.00 व पालीथीन शीट क्रय रू0 8,000.00 योग रू0 34,500.00 का अवास्तविक भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा प्राप्त किया गया। जिसका इस्टीमेट में कोई भी विवरण नहीं है।

द-दर्शित एम0 आर0 पर समस्त भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा स्वयं प्राप्त किया गया। एम0 आर0 पर इस बात का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है कि मजदूरों को नकद भुगतान स्वयं कार्य प्रभारी द्वारा किया

गया है। मस्टर रोल विकास खण्ड द्वारा निर्गत एवं प्रमाणित नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मस्टर रोल बनाने वाले ने स्वयं अंगूठा भी लगा दिये हों। अर्थात् अवास्तविक मस्टर रोल के आधार पर ₹0 94356.00 का भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा प्राप्त किया गया है।

य—जे0 ई0 द्वारा बनाया गया इस्टीमेट में गिट्टी 950/एम 2 तथा मोरंग 1800/एम 3 की दर उल्लिखित है। फिर निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया—

गिट्टी 59.75 X 1005/एम 2 तथा मोरंग 4481/एम 3 X 2201 की दर से भुगतान किया गया। जो क्रमशः ₹0 3,286.25 तथा ₹0 17,968.80 ज्यादा है। अर्थात् ₹0 21,255.00 का ज्यादा भुगतान किया गया।

इस प्रकार उक्त प्रोजेक्ट पर कुल व्यय ₹0 34,500.00 का अपहरण एव ₹0 6,66,860.00 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी। जिसके लिये श्री प्यारे लाल खण्ड विकास अधिकारी, श्री संजय कुमार सिंह लेखाकार, श्री किशुन प्रसाद सिंह कार्य प्रभारी व क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। अपहरण से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु तथा वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(स0आ0सं0-22)

प्रस्तर-23 प्रोजेक्ट का नाम—पिकौरा तिलरहवा पक्की सड़क से खजुआ ए0 एन0 एम0 केन्द्र तक सी0सी0 रोड निर्माण।

कार्य प्रभारी का नाम—श्री किशुन प्रसाद सिंह सहायक विकास अधिकारी (पं0)।

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल ₹0 7,39,200.00 का भुगतान किया गया। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

अ—उक्त कार्य के लिये खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कोई भी निविदा की प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी है। खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय पत्रांक 3126 दिनांक 06.02.14 द्वारा निविदा सूचना प्रकाशित करने के लिये पत्र जारी किया गया था। किन्तु प्रोजेक्ट पत्रावली में अखबार की प्रति संलग्न नहीं पायी गयी। जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि वास्तव में कोई सूचना प्रकाशित की गयी थी।

ब—प्रोजेक्ट पत्रावली में जे0 ई0 द्वारा बनायी गयी इस्टीमेट संलग्न है किन्तु एम0 बी0 पंजिका को प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे एम0 बी0 के आधार पर प्रयुक्त सामग्री की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं स्वयं कार्य प्रभारी जिम्मेदार हैं।

स—जे0 ई0 द्वारा बनाये गये इस्टीमेट के अनुसार गिट्टी 950/ एम 3 की जगह ₹0 1005/ एम 3 तथा मोरंग ₹0 1800/ एम 3 की जगह ₹0 2201/ एम 3 का भुगतान किया गया। इस प्रकार—

गिट्टी 54.32 एम 3 (1005-950) = ₹0 2,987.60 व मोरंग 41.82 एम 3 (2201-1800) = ₹0 16,769.80 योग = ₹0 19,757.40 का अधिक भुगतान किया गया।

द—पालीथीन एवं अन्य सामग्री क्रय पर ₹0 16,884.00 का व्यय दर्शाया गया। जिसका विवरण इस्टीमेट में नहीं दर्शित है। अर्थात् ₹0 16,884.00 का अवास्तविक भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा प्राप्त किया गया।

य—दर्शित एम0 आर0 पर समस्त भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा स्वयं प्राप्त किया गया। मस्टर रोल पर इस बात का प्रमाण पत्र नहीं दर्शाया गया है कि मजदूरों को भुगतान उनके द्वारा ही किया गया है। मस्टर रोल पर निशानी अंगूठा भी प्रमाणित नहीं है। मस्टर रोल विकास खण्ड द्वारा निर्गत एवं प्रमाणित नहीं है। निशानी अंगूठा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मस्टर रोल बनाने वाले का स्वयं अंगूठा है। अतः अवास्तविक मस्टर रोल के आधार पर कार्य प्रभारी द्वारा ₹0 1,13,651.00 का भुगतान प्राप्त किया गया है।

इस प्रकार उक्त प्रोजेक्ट पर कुल व्यय ₹0 7,39,200.00 में ₹0 16,884.00 का अपहरण तथा ₹0 7,22,316.00 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी, श्री प्यारे लाल, श्री संजय कुमार सिंह लेखाकार एवं कार्य प्रभारी श्री किशुन प्रसाद सिंह व क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। अपहरण से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु तथा वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है। **(स0आ0सं0-23)**

प्रस्तर-24 प्रोजेक्ट का नाम—मनकापुर-मसकनवा रोड पर नायब साहब के बाग से सिद्धपुरवा होते हुये जगनापुर तक मिट्टी/खड्डजा कार्य।

कार्य प्रभारी का नाम—श्री अटल बिहारी वर्मा (सहायक विकास अधिकारी)।

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल ₹0 12,99,410.00 का भुगतान किया गया। जिसके सापेक्ष जे0 ई0 द्वारा कुल ₹0 13,94,920.00 का इस्टीमेट बनाया गया। उक्त के सम्बन्ध में

निम्न आपत्तियां हैं—

अ—खन्ड विकास अधिकारी के कार्यालय पत्रांक मेमो दिनांक 17.08.13 द्वारा निविदा की सूचना हेतु पत्र जारी किया गया था जिसके बाद तीन निविदा — 1 लकी ब्रिकफील्ड, लखतनगर, 2 किसान ईट उद्योग मसकनवां 3 ओ0 पी0 एस0 ईट भट्ठा पेड़ी पोखर प्राप्त हुये। पत्रावली में संलग्न लिफाफा अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि ये तीनों निविदा डाक से न आकर सीधे तौर पर स्वयं कार्यालय आकर उपलब्ध कराये गये हैं। विकास खन्ड कार्यालय पत्रांक/दिनांक दर्शित नहीं था। अतः विकास खन्ड अधिकारी द्वारा निविदा त्रुटिपूर्ण ढंग से कराई गयी तथा तीन निविदा प्राप्ति की औपचारिकताये पूरा किया गया।

ब—प्रोजेक्ट पत्रावली में इस्टीमेट संलग्न पाया गया किन्तु उक्त कार्य की एम0 बी0 पंजिका को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे एम0 बी0 के आधार पर प्रयुक्त सामग्री की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसके लिये खन्ड विकास अधिकारी, लेखाकार/जे0 ई0 तथा स्वयं कार्य प्रभारी जिम्मेदार हैं।

स—एम0 आर0 क्रमशः रू0 1,02,950.00, रू0 1,06,500.00 एवं रू0 1,10,050.00 कुल रू0 3,19,500.00 का अवास्तविक भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा प्राप्त किया गया। उल्लेखनीय है कि एम0 आर0 पर कार्य प्रभारी द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है कि मजदूरों को उनके द्वारा ही भुगतान किया गया है। जबकि मस्टर रोल के आधार पर समस्त भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा ही प्राप्त किया गया है। मस्टर रोल पर निशानी अंगूठा भी कार्य प्रभारी द्वारा प्रमाणित नहीं रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मस्टर रोल बनाने वाले स्वयं ही अंगूठा लगा दिये हों।

द—कार्य प्रभारी द्वारा अवास्तविक रूप से 2,05,000 ईट की दुलाई 130/हजार की दर से रू0 26,650.00 का भुगतान प्राप्त किया गया। क्योंकि उपलब्ध निविदा में सम्बन्धित फर्मों द्वारा अलग से दुलाई दर का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात् रू0 4800/हजार की दर में दुलाई दर भी सम्मिलित था।

उक्त प्रोजेक्ट पर कुल व्यय रू0 12,99,410.00 में ईट दुलाई पर व्यय रू0 26,650.00 का अपहरण तथा एम.0 आर0 पर कुल व्यय रू0 3,19,500.00 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी। जिसके लिये खन्ड विकास अधिकारी, श्री प्यारे लाल, श्री संजय कुमार सिंह लेखाकार एवं कार्य प्रभारी श्री अटल बिहारी वर्मा (सहायक विकास अधिकारी) व क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। अपहरण से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु तथा वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य का कार्य कराने के पहले का फोटो, कार्य के मध्य का फोटो, कार्य के समाप्ति के बाद का फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है। इस लिये कार्य एवं उस पर व्यय की गयी धनराशि दुरुपयोगित प्रतीत होती है।

(स0आ0सं0-24)

प्रस्तर-25 प्रोजेक्ट का नाम—मछलीगांव लौकहा पी0 डब्लू0 डी0 से प्रा0 पा0 लौकहा होते हुये भयपुरवा तक

मिट्टी/खड़न्जा कार्य।

कार्य प्रभारी का नाम—श्री अटल बिहारी वर्मा (सहायक विकास अधिकारी)।

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रू0 4,63,141.00 का भुगतान किया गया। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

अ—उक्त निर्माण कार्य में सामग्री क्रय (ईट) हेतु तीन निविदा प्राप्त हुये, तीनों निविदा डाक से न आकर सीधे कार्यालय आकर स्वयं उपलब्ध कराये गये हैं क्योंकि लिफाफे पर विकास खन्ड कार्यालय की प्राप्ति की पुष्टि में पत्रांक/दिनांक दर्शित नहीं है। उल्लेखनीय है कि उक्त हेतु मात्र तीन निविदा नहीं प्राप्त हुये, इससे स्पष्ट है कि निविदा की औपचारिकता पूर्ण की गयी। निविदा की जो प्रक्रिया अपनायी गयी वह पूरी तरह से संदेहास्पद रही। जिसके लिये खन्ड विकास अधिकारी, लेखाकार, कार्यप्रभारी, जे0 ई0 जिम्मेदार हैं।

ब—खुशी ईट भट्ठा तेजपुर, भोपतपुर से 2000 ईट क्रय के भुगतान पर रू0 233.00 टी0 डी0 एस0 की कटौती नहीं की गयी। सम्बन्धित फर्म को भुगतान चेक के माध्यम से न करके स्वयं करना दर्शाया गया है। जो संदेहास्पद रहा।

स—बहाल ट्रेडर्स उत्तरौला रोड, मनकापुर से सामग्री क्रय पर रू0 4,800.00 का भुगतान से रू0 108.00 टी0 डी0 एस0 की कटौती नहीं की गयी। सम्बन्धित फर्म को भुगतान चेक के माध्यम से न करके स्वयं करना दर्शाया गया है। जो संदेहास्पद रही।

द—मस्टर रोल के आधार पर कुल रू0 89,602.00 का भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा स्वयं प्राप्त किया गया है।

मस्टर रोल पर कार्य प्रभारी द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया कि मजदूरों को उनके द्वारा नकद भुगतान किया गया है। मस्टर रोल पर निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मस्टर रोल बनाने वाले स्वयं ही अंगूठा लगा दिये हो। अतः उक्त भुगतान रु० 89,602.00 अवास्तविक रहा।

य—उक्त कार्य की पुष्टि में एम० बी० पंजिका अप्रस्तुत रहा। जिससे एम० बी० के आधार पर प्रयुक्त सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा इसके उपयोग की स्थिति अस्पष्ट रही।

उपरोक्तानुसार प्रोजेक्ट पर कुल व्यय रु० 4,63,141.00 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल, लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री अटल बिहारी वर्मा (सहायक विकास अधिकारी) व क्षेत्र पंचायत प्रमुख उत्तरदायी हैं। उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(स०आ०सं०-25)

प्रस्तर-26 प्रोजेक्ट का नाम—कठौवा मोतीगंज सड़क से कैमी भट्टे से नगरा गढ़ीसरहद तक खड़न्जा मरम्मत कार्य।

कार्य प्रभारी का नाम—श्री अटल बिहारी वर्मा (सहायक विकास अधिकारी)।

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रु० 2,33,830.00 का भुगतान किया गया। जिसमें सामग्री क्रय पर रु० 93,830.00 तथा एम० आर० पर कुल रु० 1,40,000.00 का व्यय सम्मिलित है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

अ—पत्रावली के क्रम सं० 13 राज ईट भट्टा खपरीपारा, मसकनवा से दिनांक 03.12.13 को 20,000 ईट की क्रय पर कुल रु० 93,830.00 (टी० डी० एस० कटौती में उपलब्ध) का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया है। उक्त भट्टा के सम्बन्धित प्रमाणक पर टिन नं० अंकित नहीं है। जिससे क्रय की स्थिति संदेहास्पद प्रतीत होती है।

ब—पत्रावली के क्रम सं० 13 एम० आर० (01.12.13 से 21.12.13) रु० 59,640.00 व एम० आर० (01.11.13 से 30.11.13) रु० 86,940.00 कुल रु० 1,46,580.00 का भुगतान स्वयं कार्य प्रभारी द्वारा प्राप्त किया गया। मस्टर रोल पर निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है। मस्टर रोल पर मजदूरों को किस दर से मजदूरी दी गयी, इसका भी विवरण अंकित नहीं है। मस्टर रोल पर कार्य प्रभारी द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया कि मजदूरों को उनके द्वारा नकद भुगतान किया गया है।

स—उक्त कार्य की पुष्टि में एम० बी० पंजिका अप्रस्तुत रही। जिससे मजदूरी तथा सामग्री क्रय पर भुगतान की स्थिति अस्पष्ट रही।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समस्त भुगतान रु० 2,33,830.00 अवास्तविक एवं काल्पनिक हैं। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल, लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह, कार्य प्रभारी श्री अटल बिहारी वर्मा, जे० ई० व क्षेत्र पंचायत प्रमुख जिम्मेदार हैं। उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(स०आ०सं०-26)

प्रस्तर-27 प्रोजेक्ट का नाम—विकास खण्ड परिसर पुराना एवं नया आवास के मध्य फर्श निर्माण।

कार्य प्रभारी का नाम—श्री मनोज कुमार गौतम (कैशियर/भण्डार लिपिक)।

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रु० 1,59,946.00 का भुगतान किया गया। जिसमें सामग्री क्रय पर रु० 1,28,431.00 तथा एम० आर० पर कुल रु० 32,240.00 का व्यय सम्मिलित है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

अ—पत्रावली के क्रम सं० 15 एम० आर० (03.10.13 से 05.11.13) तथा एम० आर० (16.11.13 से 09.12.13) रु० 32,240.00 का भुगतान स्वयं कार्य प्रभारी द्वारा प्राप्त किया गया। मस्टर रोल पर कार्य प्रभारी द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है कि मजदूरों को उनके द्वारा नकद भुगतान किया गया है। मस्टर रोल पर निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मस्टर रोल बनाने वाले स्वयं ही अंगूठा लगा दिये हो। मस्टर रोल पर पुरुष/महिला का विवरण भी दर्शित नहीं है। अतः मस्टर रोल अवास्तविक रहा तथा इसका भुगतान भी अवास्तविक रहा।

ब—पत्रावली के क्रम सं० 16 बहाल ट्रेडर्स उत्तरौला रोड, मनकापुर से सामग्री क्रय पर रु० 43,923.38 का भुगतान नकद कार्य प्रभारी द्वारा करना दर्शाया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त बिल दिनांक 10.11.2011 से सम्बन्धित है। जो कार्य के लगभग 02 वर्ष पहले का है। अतः उक्त भुगतान समयोजन अवास्तविक रूप से कराया गया है।

स—पत्रावली के क्रम सं० 17 किसान ईट भट्ठा धुसवा, मसकनवां से ईट क्रय पर टी० डी० एस० की कटौती के उपरान्त रू० 56,218.24 का भुगतान नकद कार्य प्रभारी द्वारा करना दर्शाया गया है। जबकि शासकीय निर्देशों के अन्तर्गत उक्त भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना था। जो कि नहीं किया गया।

द—पत्रावली के क्रम सं० 20 बहाल ट्रेडर्स उत्तरौला रोड, मनकापुर से 69 ट्राली मिट्टी रू० 410/ ट्राली की दर से कार्य प्रभारी द्वारा रू० 28,290.00 का भुगतान करना दर्शाया गया है। उक्त भुगतान करते समय कार्य प्रभारी द्वारा कोई भी जानकारी नहीं करायी गयी है कि प्रमाणक में किस तिथि में ट्राली मिट्टी का कार्य कराया गया है, अंकित नहीं है। उक्त संस्था को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान न करके नकद किया गया है। जिससे भुगतान की स्थिति संदेहास्पद रही।

य—उक्त कार्य से सम्बन्धित एम० बी० पंजिका अप्रस्तुत रही। जिससे प्रयुक्त सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान की वास्तविक पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त प्रोजेक्ट पर कुल रू० 1,59,946.00 का भुगतान अनियमित/दुरुपयोगित रहा। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल, लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह, कार्य प्रभारी श्री मनोज कुमार गौतम, जे० ई० एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख जिम्मेदार हैं। उक्त वित्तीय अनियमितता/दुरुपयोग हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है। (स०आ०स०-27)

प्रस्तर-28 प्रोजेक्ट का नाम—रामपुर अनूपपुरवा में गया वर्मा के घर से सुखदेव के घर तक मिट्टी/खड़न्जा कार्य।

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी के माध्यम से किया गया भुगतान—

क्रमांक	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि
01	0011785/13.10.13	14,074.00
02	0011786/30.10.13	1,005.00
	योग	15,079.00

जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं—

अ—उक्त कार्य का कार्य प्रभारी कौन है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं रहा।

ब—सामग्री क्रय पर रू० 14,074.00 तथा एम० आर० पर रू० 1,005.00 का व्यय दर्शाया गया है। एम० आर० पत्रावली में नहीं है। अतः रू० 1,005.00 के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

स—उक्त कार्य की पुष्टि में एम० बी० पंजिका अप्रस्तुत रही।

इस प्रकार समस्त व्यय रू० 15,079.00 में रू० 1,005.00 का भुगतान अपहृत तथा रू० 14,074.00 का भुगतान अनियमित/दुरुपयोगित रहा। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल, लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख जिम्मेदार हैं। अपहरण से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु तथा वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है। (स०आ०स०-28)

प्रस्तर-29 प्रोजेक्ट का नाम—सोलर लाइट/हाई मास्क लाइट क्रय ।

कार्य प्रभारी का नाम—पत्रावली से स्पष्ट नहीं हुआ।

उक्त मद में कार्य प्रभारी के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रू० 18,79,734.00 का भुगतान किया गया। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

पत्रावली के क्रम सं० 33 मेसर्स कीरत ट्रेडर्स, दयानन्दनगर, चौक बाजार, गोन्डा को 75 स्क्री लाइट रू० 9,540/प्रति स्क्री लाइट की दर से टी० डी० एस० की कटौती के उपरान्त रू० 6,92,732.00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य के लिये तीन कोटेशन 1. पंजाब इले० छावनी बाजार, 2. सिंह ट्रेडर्स चौक बाजार, फैजाबाद 3. कीरत ट्रेडर्स, दयानन्दनगर, चौक बाजार, गोन्डा प्राप्त हुए। तीनों कोटेशन हाथ से विकास खण्ड कार्यालय को प्राप्त कराये गये। क्योंकि लिफाफे पर विकास खण्ड की प्राप्ति हेतु पत्रांक/दिनांक अंकित नहीं पाये गये। स्पष्ट है कि टेन्डर की निर्धारित प्रक्रिया का पालन खण्ड विका अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।

पत्रावली के क्रम सं० 89 मेसर्स कीरत ट्रेडर्स, को 70 नग स्ट्रीट लाइट रू० 9,540 प्रति की दर से टी० डी० एस० की कटौती के उपरान्त रू० 6,46,550.00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य के लिये तीन कोटेशन 1. सिंह ट्रेडर्स चौक बाजार, फैजाबाद 2. सिंह इलेक्ट्रानिक चौक बाजार, फैजाबाद 3. कीरत

ट्रेडर्स, दयानन्दनगर, चौक बाजार, गोन्डा प्राप्त हुए। तीनों कोटेशन हाथ से विकास खण्ड कार्यालय को प्राप्त कराये गये। क्योंकि लिफाफे पर विकास खण्ड की प्राप्ति हेतु पत्रांक/दिनांक अंकित नहीं पाये गये। स्पष्ट है कि टेन्डर की निर्धारित प्रक्रिया का पालन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। पत्रावली के क्रम सं० 155 मेसर्स कीरत ट्रेडर्स, को 55 नग स्ट्रीट लाइट रु० 9,540 प्रति की दर से टी० डी० एस० की कटौती के उपरान्त रु० 5,07,950.00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य के लिये तीन कोटेशन 1. सिंह ट्रेडर्स चौक बाजार, फैजाबाद 2. सिंह इलेक्ट्रानिक चौक बाजार, फैजाबाद 3. कीरत ट्रेडर्स, दयानन्दनगर, चौक बाजार, गोन्डा प्राप्त हुए। तीनों कोटेशन हाथ से विकास खण्ड कार्यालय को प्राप्त कराये गये। क्योंकि लिफाफे पर विकास खण्ड की प्राप्ति हेतु पत्रांक/दिनांक अंकित नहीं पाये गये। स्पष्ट है कि टेन्डर की निर्धारित प्रक्रिया का पालन खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। उक्त समस्त क्रय से सम्बन्धित स्ट्रीट लाइट कहां-कहां पर लगाये गये। पत्रावली में यह अस्पष्ट रहा। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि कुछ स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायतों में भी लगाये गये। जिससे ग्राम पंचायतों के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया। प्रकरण समीक्षा में ऐसा कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत अपना या प्रबन्ध कमेटी द्वारा पारित नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त अधिनियम 1961 की धारा 34 (1) में प्रदत्त अधिकारों के अधीन ग्राम पंचायत के द्वारा उपरोक्त क्रय कराने हेतु क्षेत्र पंचायत को अधिकृत किया गया हो।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सोलर लाइट क्रय पर भुगतान रु० 18,79,734.00 अनियमित/दुरुपयोगित रहा। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल, लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह के साथ-साथ तत्कालीन जे० ई० व क्षेत्र पंचायत प्रमुख जिम्मेदार हैं। उक्त अनियमित भुगतान/दुरुपयोग हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (स०आ०सं०-29)

प्रस्तर-30 प्रोजेक्ट का नाम-मनवरबाग से समाधि स्थल होते हुये कढ़ैया गांव तक खड़न्जा निर्माण।

कार्य प्रभारी का नाम-श्री अटल बिहारी वर्मा, ए०डी०ओ० (आई०एस०बी०)।

उक्त मद में कार्य प्रभारी के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रु० 12,29,896.00 का भुगतान किया गया। जिसमें सामग्री क्रय पर रु० 7,64,136.00 तथा एम० आर० पर कुल रु० 4,65,760.00 का व्यय सम्मिलित है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

अ-उक्त कार्य में ईंट क्रय हेतु निविदा आमन्त्रित की गयी जिसके सापेक्ष तीन निविदा-1. सिंह ईंट भट्ठा नरायनपुर, मिश्रोलिया, मसकनवां। 2. शारदा ईंट भट्ठा सादुल्लानगर, गोन्डा। 3. किसान ईंट भट्ठा धुसवा, मसकनवां प्राप्त हुई। तीन निविदा स्वयं हाथ से विकास खण्ड कार्यालय पर उपलब्ध कराये गये। क्योंकि लिफाफे पर विकास खण्ड की प्राप्ति हेतु पत्रांक/दिनांक अंकित नहीं पाये गये। अर्थात् निविदा की प्रक्रिया पूरी तरह से त्रुटि पूर्ण ढंग से अपनाई गई।

ब-मस्टर रोलों पर निशानी अंगूठा क्रमांकित की गयी है। निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है। किस दर से मजदूरों को मजदूरी दी गयी है, इसका विवरण दर्शित नहीं है। मस्टर रोलों पर कार्य प्रभारी द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया कि समस्त भुगतान मजदूरों को उनके द्वारा ही किया गया है। अतः समस्त मस्टर रोल अवास्तविक एवं अवास्तविक मस्टर रोल के आधार पर रु० 4,65,760.00 का भुगतान समायोजन कार्य प्रभारी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल तथा लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह के सहयोग से किया गया।

स-पत्रावली के क्रम सं० 39 किसान ईंट भट्ठा धुसवा, मसकनवां से दिनांक 20.08.13 को 60,000 ईंट क्रय किया गया। जिसका टी० डी० एस० कटौती के उपरान्त रु० 2,71,528.00 का नकद भुगतान किया गया। उल्लेखनीय है कि एम० आर० पर दिनांक 18.08.13 के बाद कोई भी व्यय नहीं हुआ। अर्थात् कार्य प्रभारी तथा जे० ई० द्वारा अवास्तविक रूप से इस्टीमेट के आधार पर 60,000 ईंट मूल्य रु० 2,71,528.00 का अपहरण कर लिया गया।

द-उक्त कार्य के सापेक्ष जे० ई० द्वारा बनायी गयी एम० बी० पंजिका अप्राप्त रही। अतः ईंट के उपयोग तथा मजदूरी व्यय की वास्तविक पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्तानुसार कुल व्यय रु० 12,29,896.00 में रु० 2,71,528.00 अपहृत व रु० 9,58,368.00 अनियमित एवं दुरुपयोगित रहा। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल, लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह, कार्य प्रभारी तथा जे० ई० व क्षेत्र पंचायत प्रमुख जिम्मेदार हैं। अपहरण से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु तथा वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(स0आ0सं0-30)

प्रस्तर-31 प्रोजेक्ट का नाम-मनकापुर कोर्ट बाईपास प्रा0 पा0 से मनवरबाग तक लगे पुराने खड़न्जे का मरम्मत कार्य।

कार्य प्रभारी का नाम-श्री अटल बिहारी वर्मा, ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0)।

उक्त मद में कार्य प्रभारी के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रू0 2,07,145.00 का भुगतान किया गया। जिसमें सामग्री क्रय पर रू0 1,41,265.00 तथा एम0 आर0 पर रू0 65,880.00 का व्यय सम्मिलित है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

क-उक्त कार्य सामग्री क्रय हेतु कोई भी निविदा प्रक्रिया नहीं अपनवाई गई कार्य प्रभारी द्वारा सीधे स्थानीय स्तर पर राज ईट भट्टा, खपरीपारा, मसकनवां से ईट क्रय किया गया है।

ख-एम0 आर0 पर निशानी अंगूठा कार्य प्रभारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। कार्य प्रभारी द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया कि मजदूरों को दिया गया भुगतान स्वयं का है।

स-एम0 आर0 पत्रावली के क्रम सं0 14 (03.09.13 से 01.11.13) के क्रम सं0 16 श्री मेड़ईराम पुत्र देवी का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा मस्टररोल पर नहीं था। उनके स्थान पर श्री प्रीतम का नाम काटकर जोड़ा गया। अतः मस्टर रोल का भुगतान भी संदिग्ध रहा।

द-उक्त कार्य से सम्बन्धित एम0 बी0 पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। जिससे सामग्री पर व्यय एवं मजदूरी पर हुये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उपरोक्तानुसार कुल रू0 2,07,142.00 का व्यय अनियमित रहा। जिसके लिये खन्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल, लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह, कार्य प्रभारी तथा जे0 ई0 व क्षेत्र पंचायत प्रमुख जिम्मेदार हैं। उक्त अनियमित भुगतान/दुरुपयोग हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(स0आ0सं0-31)

प्रस्तर-32 वर्ष 2013-14 में निम्न विवरणानुसार-

अमवा वीरपुर मार्गसे पश्चिम प्रा0 पा0 धुनाही होते हुये छोटी धुनाही में काली माई स्थान तक सी0 सी0 रोड निर्माण-	रू0 7,01,360.00
पिकौरा बिलरहवा पक्कर सड़क से खजुरी एएनएम केन्द्र तक सी. सी. रोड निर्माण-	रू0 7,39,200.00
मनकापुर मसकनवां रोड पर नायब साहब के बगल से सिहिवापुर होते हुये जगतापुर तक मिट्टी/खड़न्जा कार्य-	रू0 12,99,410.00
मछलीगांव भौकहा पी0डब्लू0 डी0 रोड से प्रा0 पा0 भौकहा होते हुये मनपुरवा तक मिट्टी/खड़न्जा कार्य-	रू0 4,63,141.00
कहोबा मोतीगंज सड़क से कैमी भट्टे से नगर गढ़ी सरहद तक खड़न्जा मरम्मत-	रू0 2,33,830.00
विकास खन्ड परिसर पुराना एवं नये आवास के मध्य फर्श निर्माण कार्य-	रू0 1,59,946.00
रामपुर अनूपपुरवा में गया वर्मा के घर से सुखदेव के घर तक मिट्टी/खड़न्जा कार्य-	रू0 15,079.00
सोलर/हाईफास्ट लाइट स्थापना-	रू0 18,79,734.00
मनवरबाग से समाधि स्थल होते हुये कठैया गांव तक खड़न्जा निर्माण कार्य-	रू0 12,29,896.00
मनकापुर कोर्ट बाईपास प्रा0 पा0 से मनवरबाग तक लगे पुराने खड़न्जे का मरम्मत कार्य-	रू0 2,07,145.00

योग-

रू0 69,28,741.00

के व्यय से सम्बन्धित पत्रावली खन्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी। जबकि अनुदान पंजिका-2 तथा अनुदान पंजिका-3 के अनुसार वर्ष 2013-14 में कुल व्यय रू0 1,29,25,016.00 का उपयोग दर्शाया गया है। अर्थात् रू0 59,96,275.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

अर्थात् रू0 59,96,275.00 का अपहरण तत्कालीन खन्ड विकास अधिकारी श्री प्यारे लाल, लेखाकार श्री संजय कुमार सिंह, कार्य प्रभारी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह द्वारा किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहितहेतु अधिभार प्रस्ताव की कार्यवाही विचार करने योग्य है।

(स0आ0सं0-32)

प्रस्तर-33 क्षेत्र पंचायत- मनकापुर

प्रोजेक्ट का नाम- बैजू के राइस मिल से भाई लाल के चक तक सी0सी0 रोड निर्माण।

कार्य प्रभारी का नाम— श्री किशुन प्रसाद सिंह (ए0डी0ओ0 पंचायत)।

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रू0 12,01,008.00 का भुगतान किया गया। जिसमें पाया गया कि—

पत्रावली के क्रम संख्या 13 अजीत प्रताप सिंह कन्ट्रक्टर पचपुती जगतापुर को सादे कागज पर हाथ से बना बिल पर चेक सं0 371121 दिनांक 09.07.2014 द्वारा रू0 1,48,160.00 का भुगतान किया गया है।

पत्रावली के क्रम संख्या 20 अजीत प्रताप सिंह कन्ट्रक्टर पचपुती जगतापुर को सादे कागज पर हाथ से बना बिल पर चेक सं0 371139 दिनांक 12.09.2014 द्वारा रू0 4,26,016.00 का भुगतान किया गया है।

मेसर्स अजीत प्रताप सिंह कन्ट्रक्टर पचपुती जगतापुर को सादे कागज पर हाथ से बना बिल पर चेक सं0 0032325 दिनांक 27.02.2015 द्वारा रू0 4,23,177.00 का भुगतान किया गया है।

146 ट्राली बालू x रू0 400 प्रति ट्राली = रू0 65700 व ज्वाइंट मरम्मत 197.60 x 37 =रू0 73011 कार्य प्रभारी को नगद भुगतान किया गया।

एम0आर0 रू0 72198.00 (17.09.2014 से 07.10.2014 तक) व एम0आर0 रू0 58446.00 (31.08.2014 से 16.09.2014 तक) कुल रू0 130644.00 कार्य प्रभारी को नगद भुगतान किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

जे0ई0 द्वार उक्त कार्य के लिए रू0 4,77,030.24 का इस्टीमेट बनाया गया (जो पत्रावली में संलग्न है)। जिसके सापेक्ष कार्य प्रभारी के माध्यम से रू012,01,008.00 का व्यय किया गया। पत्रावली में ए0बी0 पंजिका के आधार पर प्रयुक्त सामग्री की पुष्टि नहीं की जा सकी।

निम्न विवरणानुसार— सीमेंट 1148 बोरी x 320 = 367360.00

ईट 23000 x 5400 = 124200.00

ईट गिट्टी 94.04 एम03 x 950 = 89338.00

बालू 59.41 एम03 x 700 = 41587.00

पत्थर गिट्टी 113.28 एम03 x 2660 = 301324.80

मोरंग 56.56 एम03 x 2201 = 124488.56

ट्राली मिट्टी 146 x 450 = 65700.00

पालीथिन 900 मी0 x 28.80 = 25920.00

ज्वाइंट कन्सट्रा 197.60 मी0 x 37 = 7311.00

का सामग्री क्रय किया गया। जबकि इस्टीमेट में सीमेंट 442 बोरी, ईट गिट्टी 36 एम03, एफ/एस 22—70 एम03, ईट 9260 नग, एस/सी 43.50 एम03, सी/एस 21.70 ही दर्शाया गया था। पालीथिन, ट्राली मिट्टी, ज्वाइंट कन्सट्रा से सम्बन्धित व्यय इस्टीमेट में दर्शाया नहीं गया पर फिर भी भुगतान किया गया। एम0आर0 पर सभी मजदूरों को नगद भुगतान करना दर्शाया गया है। जबकि एम0आर0 से सम्बन्धित सभी धनराशि को भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। कार्य प्रभारी द्वारा मस्टररोल पर इस बात का प्रमाण—पत्र भी जारी नहीं किया गया कि मजदूरों को भुगतान नगद मेरे द्वारा किया गया है। एम0आर0 पर मजदूरों की निशानी अंगूठा भी प्रमाणित नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मस्टररोल पर निशानी अंगूठा मस्टररोल बनाने वाले का ही है। अतः अवास्तविक मस्टररोल के आधार पर कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान समायोजन कराया गया।

इस प्रकार उक्त प्रोजेक्ट पर कुल व्यय रू0 12,01,008.00 अनियमित एवं दुरुपयोगित रहा। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारेलाल/वीरपाल, तत्कालीन लेखाकार संजय कुमार सिंह, श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन जे0ई0 के साथ—साथ कार्य प्रभारी श्री किशुन प्रसाद सिंह तथा तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमित/दुरुपयोगित भुगतान हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0— 03)

प्रस्तर—34 प्रोजेक्ट का नाम—ग्राम पंचायत गढी में दयाराम के चक से पारस के चक तक अवशेष खड़न्जा कार्य।

कार्य प्रभारी का नाम— किशुन प्रसाद सिंह (ए0डी0ओ0 पंचायत)

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी ने दो चेकों के द्वारा कुल रू0 1,78,000.00 का भुगतान प्राप्त किया है।

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

फर्म को एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से भुगतान न करके कार्य प्रभारी द्वारा नगद भुगतान करना दर्शाया गया है। तथा टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गयी है।

ट्राली से मिट्टी कार्य पर भुगतान चेक से ट्राली मालिक को न करके कार्य प्रभारी द्वारा नगद करना दर्शाया गया है। किस तिथि में तथा किस ट्राली नं0 से कार्य कराया गया है प्रमाणक से स्पष्ट नहीं है। ट्राली का भुगतान करते समय टी0डी0एस0 भी नहीं काटी गयी है।

एम0आर0 पर सभी मजदूरों को भुगतान रू0 35,926.00 करना दर्शाया गया है जबकि एम0 आर0 से सम्बन्धित सभी धनराशि को भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। कार्य प्रभारी द्वारा मस्टररोल पर इस बात का प्रमाण-पत्र भी जारी नहीं किया गया कि मजदूरों को भुगतान नगद मेरे द्वारा किया गया है। एम0आर0 पर मजदूरों की निशानी अंगूठा भी प्रमाणित नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मस्टररोल पर निशानी अंगूठा मस्टररोल बनाने वाले का ही है। अतः अवास्तविक मस्टररोल के आधार पर कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान समायोजन कराया गया।

उक्त तथ्यों के आधार पर रू0 1,78,000.00 का भुगतान अनियमित एवं दुरुपयोगित रहा। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारेलाल/वीरपाल, तत्कालीन लेखाकार संजय कुमार सिंह, श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन जे0ई0 के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री किशुन प्रसाद सिंह तथा तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमित/दुरुपयोगित भुगतान हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0- 04)

प्रस्तर-35 प्रोजेक्ट का नाम-छट्ठीदीन के मशीन से पूरे सीर राम कुमार शुक्ला के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण।

कार्य प्रभारी का नाम- किशुन प्रसाद सिंह (ए0डी0ओ0 पंचायत)।

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रू0 13,11,001.00 का भुगतान किया गया। जिसमें पाया गया कि-

पत्रावली के क्रम संख्या 14 अजीत प्रताप सिंह कन्ट्रक्टर पचपुती जगतापुर को सादे कागज पर हाथ से बना बिल पर चेक सं0 371110 दिनांक 29.05.2014 द्वारा रू0 3,09,752.00 का भुगतान किया गया है।

पत्रावली के क्रम संख्या 18 अजीत प्रताप सिंह कन्ट्रक्टर पचपुती जगतापुर को सादे कागज पर हाथ से बना बिल पर चेक सं0 371126 दिनांक 24.07.2014 द्वारा दिनांक 20.07.2014 के क्रय का रू0 2,89,328.00 का भुगतान किया गया है।

पत्रावली के क्र0सं0 19 एम0आर0 (16.04.2014 से 06.05.2014) रू0 72,192.00 का नगद भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा किया गया।

पत्रावली के क्रम संख्या 20 अजीत प्रताप सिंह कन्ट्रक्टर पचपुती जगतापुर चेक सं0 371145 दिनांक 23.01.2015 द्वारा दिनांक 04.11.2014 के क्रय का रू0 4,13,434.00 का भुगतान किया गया है।

उक्त फर्म से दिनांक 05.11.2014 को क्रय किये गये सामान का भुगतान चेक सं0 032370 दिनांक 30.12.2015 द्वारा 51,226.00 का भुगतान किया गया है।

एम0आर0 (दिनांक 20.11.2014 से 10.12.2014 तक) रू0 65,322.00 का भुगतान चेक के माध्यम से कार्य प्रभारी को दिया गया।

मेसर्स अजीत प्रताप सिंह कन्ट्रेक्टर पचपुती जगतापुर से रू0 32243.00 का भुगतान सम्बन्धित फर्म को चेक के माध्यम से न करके कार्य प्रभारी द्वारा नकद भुगतान किया गया।

एम0आर0 (बिना तिथि का) रू0 27504.00 कार्य प्रभारी को भुगतान किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

1. जे0ई0 द्वार उक्त कार्य के लिए रू0 12,03,202.30 का इस्टीमेट बनाया गया,जबकि कार्य प्रभारी के माध्यम से उक्त कार्य पर कुल रू0 13,11,001.00 का व्यय किया गया। जो कि रू0 1,07,798.70 से ज्यादा का है। उक्त व्यय से सम्बन्धित एम0बी0 पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। ए0बी0 पंजिका के आधार पर प्रयुक्त सामग्री की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. कार्य प्रभारी द्वारा जे0ई0 के सहयोग से इस्टीमेट से लगभग रू0 1,91,357.94 का अधिक भुगतान किया गया।
3. एम0आर0 का भुगतान रू0 165018.00 मजदूरों को न करके सीधे कार्य प्रभारी को किया गया है। कार्य प्रभारी द्वारा मस्टररोल पर इस बात का प्रमाण-पत्र भी जारी नहीं किया गया कि मजदूरों को भुगतान नगद मेरे द्वारा किया गया है। एम0आर0 पर मजदूरों की निशानी अंगूठा भी प्रमाणित नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि मस्टररोल बनाने वाले ने स्वयं ही अपना निशानी अंगूठा लगा दिया हो।

4. मस्टररोल रू0 27,504.00 का मस्टररोल पर तिथि व विवरण अंकित नहीं है। मस्टररोल प्रत्यक्ष तौर पर अवास्तविक प्रतीत है। उपरोक्तानुसार कार्य प्रभारी द्वारा अवास्तविक मस्टररोल द्वारा भुगतान समायोजन कराया गया।

एम0बी0 पंजिका के अभाव में उपरोक्त प्रोजेक्ट पर रू0 13,11,001.00 की वित्तीय अनियतिता एवं दुरुपयोग पाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारेलाल/वीरपाल, तत्कालीन लेखाकार संजय कुमार सिंह, श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन जे0ई0 के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री किशुन प्रसाद सिंह तथा तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमित/दुरुपयोगित भुगतान हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0- 05)

प्रस्तर-36 प्रोजेक्ट का नाम-(बी0आर0जी0एफ0)ग्राम पंचायत ककरधराचौद में अरुणेश के चक से पी0डबलूडी0 रोड से रामदौड के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण।

कार्य प्रभारी का नाम- श्री किशुन प्रसाद सिंह (ए0डी0ओ0)।

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रू0 12,64,487.00 का भुगतान किया गया। जिसमें पाया गया कि-

मेसर्स अजीत प्रताप सिंह कन्स्ट्रक्टर पचपुती जगतापुर को विभिन्न चेकों के माध्यम से रू0 10,06,286.00 का भुगतान किया गया।

क्रय प्रभारी द्वारा रू0 2,08,201.00 नगद प्राप्ति के सापेक्ष रू0 2,17,207.00 का भुगतान समायोजन कराया गया।

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

1. मेसर्स अजीत प्रताप सिंह कन्स्ट्रक्टर पचपुती जगतापुर को चेक सं0 371143 दिनांक 23.01.2015 से रू0 2,34,076.00 के सापेक्ष कोई भी बिल पत्रावली में संलग्न नहीं है। अतः रू0 2,34,076.00 का भुगतान अवास्तविक रहा।
2. क्रय किये गये सामग्री के सापेक्ष एम0बी0 पंजिका अप्रस्तुत रही, एम0बी0 पंजिका के अभाव में प्रयुक्त सामग्री के उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।
3. एम0आर0 (05.11.2014 से 19.11.2014) रू0 50,070.00 व एम0आर0 (17.11.2014 से 25.11.2014) रू0 30,942.00 कुल रू0 81,012.00 में कार्यरत मजदूर दोनों मस्टररोलों पर दिनांक 17.11.2014 से 19.11.2014 पर उपस्थित है। अर्थात् अवास्तविक मस्टररोल के आधार पर कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान समायोजन कराया गया है।

अतः एम0बी0 पंजिका के अभाव में उपरोक्त प्रोजेक्ट पर कुल रू0 12,64,487.00 की वित्तीय अनियतिता पायी गयी। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारेलाल/वीरपाल, तत्कालीन लेखाकार संजय कुमार सिंह, श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन जे0ई0 के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री किशुन प्रसाद सिंह तथा तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमित/दुरुपयोगित भुगतान हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0- 06)

प्रस्तर-37 बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार सी0सी0 रोड निर्माण पर कुल 11 प्रोजेक्टों पर फार्म 27 के आधार पर टी0डी0एस0 कटौती के उपरान्त कुल रू0 78,73,389.00 का भुगतान श्री अजीत प्रताप सिंह कन्स्ट्रक्टर पचपुती जगतापुर को किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

1. समस्त कार्य कार्यप्रभारी के माध्यम से न कराकर ठेकेदार के माध्यम से कराया गया है।
2. उक्त कार्य के लिए कोई भी निविदा, कुटेशन, कचेहरिया चार्ट की प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी है। सीधे ठेकेदार श्री अजीत प्रताप सिंह से कार्य करा लिया गया है।
3. पत्रावली के आधार पर (वर्क आर्डर) विकास खण्ड कार्यालय/क्षेत्रपंचायत कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है।
4. उक्त समस्त भुगतान बिना व्यय प्रमाणक, बिना मस्टररोल के किया गया है।
5. उक्त समस्त भुगतान पी0डबलूडी0 सेडूल फार्म 27 के आधार पर जे0ई0 द्वारा बनाये गये एम0बी0 के आधार किया गया। क्योंकि सम्बन्धित ठेकेदार कोई भी कार्य आदेश जारी नहीं किया गया था। फिर

फार्म 27 के आधार पर भुगतान किये जाने का कोई औचित्य नहीं था।

6. सम्बन्धित ठेकेदार की अर्नेस्ट मनी/अनुबन्ध की शर्तों से सम्बन्धित पत्रावली को भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्तानुसार रु0 7873389.00 की वित्तीय अनियमितता तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारेलाल/वीरपाल, तत्कालीन लेखाकार संजय कुमार सिंह, श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन जे0ई0 के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री किशुन प्रसाद सिंह तथा तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह द्वारा की गयी है। उक्त अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0- 07)

प्रस्तर-38 प्रोजेक्ट का नाम-मछलीगाँव आई0टी0आई0 इमीलिया के पास पुलिया निर्माण।

कार्य प्रभारी का नाम- श्री किशुन प्रसाद सिंह (ए0डी0ओ0)।

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रु0 6,54,333.00 का भुगतान किया गया। उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां हैं-

1. कार्य प्रभारी द्वारा नगद रु0 1,04,220.00 के स्थान पर एम0आर0 से (49,980 49,980 99,960) रु0 99,960.00 का ही भुगतान समायोजन कराया गया। अर्थात् रु0 4,260.00 असमायोजित रहा।
2. एम0आर0 (दि0 01.06.2014 से 30.06.2014) रु0 49,980.00 व एम0आर0 (दि0 01.06.2014 से 30.06.2014) रु0 49,980.00 कुल रु0 99,960.00 पर कार्यरत मजदूर दोनों मस्टररोलों पर दि0 01.06.2014 से 30.06.2014 तक उपस्थित थे। भुगतान समायोजन कराते समय लेखाकार द्वारा इस गलती को पकड़ने के उपरान्त एक सादे कागज पर नये सिरे से 10 मजदूरों का नाम लिखकर उसको मस्टररोल पर चिपका दिया गया। मस्टररोल पर निशानी अंगूठा भी कार्य प्रभारी द्वारा प्रमाणित नहीं रहा। अर्थात् अवास्तविक मस्टररोल के आधार पर सीधा रु0 99,960.00 का भुगतान किया गया।
3. चेक के माध्यम से- राज ईट भट्टा खपरीपारा को- रु0 1,96,591.00, बहाल ट्रेडर्स मनकापुर को- रु0 11,08,062.00, राज ईट भट्टा खपरीपारा को- रु0 11,19,348.00, बहाल ट्रेडर्स मनकापुर को- रु0 23,985.00 व राज ईट भट्टा खपरीपारा को- रु0 83,655.00 का भुगतान किया गया।
4. उक्त कार्य में जे0ई0 द्वारा बनाये गये इस्टीमेट में 394 बोरी सीमेंट का इस्टीमेट बनाया गया किन्तु 394 बोरी सीमेंट के स्थान पर 530 बोरी सीमेंट क्रय किया गया। जो 136 बोरी ज्यादा है।
5. उक्त से सम्बन्धित एम0बी0 पंजिका अप्रस्तुत रही एम0बी0 पंजिका के अभाव में प्रयुक्त सामग्री के उपयोग की पुष्टि नहीं जा सकी।

अतः उपरोक्तानुसार उक्त प्रोजेक्ट पर कुल रु0 654333 की वित्तीय अनियमितता (एम0बी0 के अभाव में) की गयी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारेलाल/वीरपाल, तत्कालीन लेखाकार संजय कुमार सिंह, श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन जे0ई0 के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री किशुन प्रसाद सिंह तथा तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0-

08)

प्रस्तर-39 प्रोजेक्ट का नाम-ग्राम तुर्काडीहा में पी0डब्लू0डी0 रोड़ तक खड़न्जा निर्माण।

कार्य प्रभारी का नाम- श्री किशुन प्रसाद सिंह (ए0डी0ओ0)।

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रु0 5,64,807.00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य के लिये जे0 ई0 द्वारा रु0 6,65,384.56 का इस्टीमेट बनाया गया। उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां हैं-

1. खड़न्जा कार्य पर मिट्टी वर्क 0.65 एम0 की दर से किया गया है जबकि खड़न्जा कार्य के अधिकतम मिट्टी कार्य 0.30 एम0 ही किया जाना चाहिए था। इस प्रकार 1800 ग (0.65एम0-30एम0)त्र 630 एम03 का मिट्टी कार्य एम0 से इस्टीमेट में दर्शाया गया है।
2. एम0बी0 पंजिका के अभाव में 90,000 ईट x4920/हजार मूल्य रु0 4,42,800.00 की उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।
3. रु0 442800 - रु0 13083 (टी0डी0एस0 कटौती)= रु0 429717 एम0आर0 (दि0 01.03.2014 से 23.03.2014) रु0 72,846.00 व एम0आर0 (दि0 05.06.2014 से 25.06.2014) रु0 62,244.00 कुल रु0 1,35,090.00मस्टररोल पर मजदूरी की भुगतान निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है। मजदूरों को किस दर

से मजदूरी दी गयी है, स्पष्ट नहीं है। जबकि एम0आर0 भुगतान कार्य प्रभारी को दिया गया है। मस्टररोल पर कार्य प्रभारी द्वारा इस बात का प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया गया कि “ मजदूरों को नगद भुगतान मेरे द्वारा ही किया गया है।” अतः अवास्तविक मस्टररोल के आधार पर कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान समायोजन कराया गया है।

चूंकि एम0बी0 पंजिका के अप्राप्त रही। अतः कुल व्यय रू0 5,64,804.00 का भुगतान अनियमित एवं दुरुपयोगित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारेलाल/वीरपाल, तत्कालीन लेखाकार संजय कुमार सिंह, श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन जे0ई0 के साथ—साथ कार्य प्रभारी श्री किशुन प्रसाद सिंह तथा तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0— 09)

प्रस्तर—40 प्रोजेक्ट का नाम—अशरफपुर पी0डब्लू0डी0 रोड़ से राजा साहब के बाग होते हुए काली स्थान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।

कार्य प्रभारी का नाम— श्री किशुन प्रसाद सिंह (ए0डी0ओ0)।

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रू0 12,60,329.00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य के लिये जे0 ई0 द्वारा रू0 14,19,590.84 का इस्तीमेट बनाया गया। उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां हैं—

1. जे0 ई0 द्वारा मिट्टी कार्य का इस्तीमेट 0.65 एम0 की दर से किया गया है जबकि खडन्जा कार्य/इण्टरलाकिंग कार्य पर अधिकमत 0.30 एम0 मिट्टी कार्य ही अनुमन्य है। इस प्रकार $1230 \text{ एम02} \times (0.65 \text{ एम0} - 0.30 \text{ एम0}) = 369 \text{ एम03}$ का मिट्टी कार्य का इस्तीमेट अवास्तविक बनाया गया है।
2. इस्तीमेट में 8,676 ईट का प्रयोग दर्शाया गया है। जबकि वास्तव में कार्य प्रभारी द्वारा 18,000 ईट क्रय किया गया है। जो 9,324 ईट ज्यादा है।
3. कार्य प्रभारी द्वारा हयूमपाइप क्रय पर रू0 10932.00, रू0 2,186.00 = रू0 13118.00 का व्यय दर्शाया गया है। जबकि इस्तीमेट में हयूमपाइप क्रय पर कोई भी व्यय नहीं दर्शाया गया है।
4. कार्य प्रभारी द्वारा नगद रू0 1,94,144.00 के सापेक्ष मात्र मस्टररोल रू0 88,320.00 का ही समायोजन कराया गया है। शेष रू0 1,05,824.00 असमायोजित रहा।
5. मस्टररोल रू0 88,320.00 का समस्त भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा ही प्राप्त किया गया है। मस्टररोल पर कार्य प्रभारी द्वारा इस बात का प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया गया कि “ मजदूरों को नगद भुगतान मेरे द्वारा ही किया गया है।” मस्टररोल पर मजदूरी भुगतान की निशानी अंगूठा भी कार्य प्रभारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मस्टररोल बनाने वाले ने स्वयं ही अपना अंगूठा लगा दिया हो। अतः अवास्तविक मस्टररोल के आधार पर कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान समायोजन कराया गया है।

6. पत्रावली में एम0बी0 पंजिका संलग्न पायी गयी जिसके आधार पर सामग्री क्रय

सीमेंट 38000 इण्टरलाकिंग ईट $\times 19 =$ रू0 7,22,000.00

सीमेंट 323 बोरी $\times 320 =$ रू0 1,03,360.00

ईट 18000 $\times 5495 =$ रू0 98,910.00

ईट गिट्टी 105.82 $\times 970 =$ रू0 1,02,645.00

बालू 60.40 एम03 $\times 700 =$ रू0 42,280.00

मोरंग 12.00 एम03 $\times 1910 =$ रू0 22,920.00

हयूम पाइप = रू0 1,318.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कुल व्यय रू0 12,60,329.00 दुरुपयोगित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारेलाल/वीरपाल, तत्कालीन लेखाकार संजय कुमार सिंह, श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन जे0ई0 के साथ—साथ कार्य प्रभारी श्री किशुन प्रसाद सिंह तथा तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0— 10)

प्रस्तर—41 प्रोजेक्ट का नाम—गेमदा डामर रोड़ से मसकनवा लमती डामर रोड़ तक सी0सी0 रोड़ का

निर्माण।

कार्यप्रभारी का नाम— श्री किशुन प्रसाद सिंह (ए0डी0ओ0)

पत्रावली के क्रम सं0 17 मेसर्स अजीत प्रताप सिंह कन्ट्रक्टर पचपुती जगतापुर को चेक सं0 371142 दिनांक 23.09.2014 से 3,95,881.00 रु0 का भुगतान किया गया।

पत्रावली के क्रम सं0 14 मेसर्स अजीत प्रताप सिंह कन्ट्रक्टर पचपुती जगतापुर को चेक सं0 0271120 दिनांक 09.07.2014 से 1,47,984.00 रु0 का भुगतान किया गया।

बिल— 151406.00—3422.00 (टी0डी0एस0 कटौती) — 147984.00

उक्त फर्म से सामग्री क्रय — रु0 4,94,550.00 — अधिक कटौती— रु0 11,260.00 = रु0 4,83,290.00 — टी0डी0एस0 कटौती— रु0 10,951.00 = रु0 472338.00 — सक्यूरिटी— रु0 50,000.00 = रु0 4,22,338.00 का भुगतान किया गया है।

उक्त फर्म से सामग्री क्रय — 59,800.00 — टी0डी0एस0 कटौती — रु0 1,355.07 = रु0 48,444.00 का भुगतान किया गया है।

उक्त फर्म से 74 ट्राली मिट्टी 450/ट्राली की दर से 33,300.00 रु0 का भुगतान किया गया है।

उक्त फर्म से पालीथिन 890.80 मीटर 28/मीटर की दर से 24,942.40 व ज्वाइंट सामग्री 211/ 37/की दर से रु0 7,807.00 कुल रु0 32,749.00 का भुगतान किया गया है।

मस्टररोल (दि0 11.10.2014 से दि0 10.11.2014) 1,16,880.00 रु0 का भुगतान कार्य प्रभारी द्वारा किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

(अ) पत्रावली में एम0बी0 अप्रस्तुत रही। एम0बी0 पंजिका के अभाव में निम्न विवरणनुसार—

1. सीमेंट 1187 बोरी X 320/बोरी	= रु0 3,79,840.00
ईंट 8676 X 5400/हजार	= रु0 1,86,300.00
ईंट गिट्टी 63.65 एम03 X 950/एम0	= रु0 60,467.50
बालू 41.92 एम03 X 700/एम03	= रु0 29,344.00
पत्थर गिट्टी 110.35 एम03 X 2660/एम03	= रु0 2,93,531.00
मोरंग बालू 58.60 एम03 X 2201/एम03	= रु0 1,28,978.60
ट्राली गिट्टी 74 X 450/ट्राली	= रु0 33,300.00
पालीथिन 890 मी0 X 28	= रु0 24,942.40
ज्वाइंट शीट 211 मी0 X 37	= रु0 7,807.00

रु0 11,44,510.50 के प्रयुक्त सामग्री की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ब) पत्रावली में संलग्न इस्टीमेट में मजदूरी— रु0 1,48,095.72 रु0 80,726.24 = रु0 2,28,822.00 व सामग्री— रु0 4,84,351.50 रु0 3,96,304.00 = रु0 8,80,665.50 कुल रु0 11,09,476.50 के सापेक्ष कुल 12,92,364.00 रु0 का व्यय किया गया है। जो इस्टीमेट से रु0 1,82,887.50 ज्यादा है।

(स) मस्टररोल के आधार पर समस्त भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। मस्टररोल पर कार्य प्रभारी द्वारा इस बात का प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया गया कि “ मजदूरों को नगद भुगतान मेरे द्वारा ही किया गया है।” मस्टररोल पर मजदूरी भुगतान की निशानी अंगूठा भी कार्य प्रभारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मस्टररोल बनाने वाले ने स्वयं ही अपना अंगूठा लगा दिया हो। अतः अवास्तविक मस्टररोल के आधार पर कार्य प्रभारी द्वारा रु0 1,16,880.00 का भुगतान समायोजन कराया गया है।

चूंकि एम0बी0 पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः उक्त प्रोजेक्ट पर कुल व्यय रु0 12,92,364.00 की वित्तीय अनियमितता की गई। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारेलाल/वीरपाल, तत्कालीन लेखाकार संजय कुमार सिंह, श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन जे0ई0 के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री किशुन प्रसाद सिंह तथा तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0— 11)

प्रस्तर—42 प्रोजेक्ट का नाम—पी0डब्लू0डी0 रोड से पानी की टंकी से प्राथमिक विद्यालय होते हुए दुग्ध डेयरी तक सी0सी0 रोड का निर्माण।

कार्य प्रभारी का नाम— श्री किशुन प्रसाद सिंह (ए0डी0ओ0)।

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रु0 10,34,113.00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य के लिये जे0 ई0 द्वारा रु0 13,21,284.72 का इस्टीमेट बनाया गया। उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां है—

(अ) उक्त कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री क्रय हेतु कोई भी निविदा, कोटेशन, कम्परेटिव चार्ट की प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी। सीधे आपूर्तिकर्ता मेसर्स अजीत प्रताप सिंह कन्ट्रेक्टर, पचपुती जगतापुर से सामग्री क्रय कर ली गयी। जो कि आपत्तिजनक रहा।

(ब) उक्त कार्य में एम0बी0 पंजिका अप्रस्तुत रही। एम0 बी0 पंजिका के अभाव में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय के उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

सीमेंट 850 बोरी x 320/बोरी = रु0 2,72,000.00

ईट गिट्टी 80.02 एम03 ग 1005/एम03 = रु0 80,420.10

ईट 21600 ग 5520/हजार = रु0 1,19,232.00

बालू 21.98 एम03 x 700/एम03 = रु0 15,386.00

पत्थर गिट्टी 40.72 एम03 x 2660/एम03 = रु0 1,08,315.00

मोरंग बालू 56.46 एम03 x 2201/एम03 = रु0 1,24,268.46

पालीथिन 927.6 मी0 x 6.50 = रु0 6,029.00

ज्वाइंट शीट 200 मी0 x 37 = रु0 7,400.00

रु0 733050.76

सीमेंट 150 बोरी x 320/बोरी = रु0 48,000.00

पत्थर गिट्टी 40.72 एम03 x 2660/एम03 = रु0 1,08,315.70

ईट 10000 x 4800/हजार = रु0 48,000.00

2,04,315.70

कुल योग— रु0 9,37,366.36 अर्थात् रु0 9,37,366.00

(स) कार्य प्रभारी श्री किशुन प्रसाद सिंह को नगद 1,91,000.00 रु0 के सापेक्ष मात्र सामग्री क्रय पर रु0 13,429.00 रु01,45,494.00 (एम0आर0 के आधार पर) = रु0 1,58,923.00 का ही भुगतान समायोजन कराया गया। अर्थात् रु0 32,077.00 असमायोजित रहा।

(घ) कार्य प्रभारी द्वारा रु0 13,429.00 का चेक निर्गत करके सम्बन्धित फर्म को भुगतान नहीं किया गया। जो कि आपत्तिजनक रहा। शासकीय निर्देशों के अन्तर्गत सामग्री क्रय का भुगतान सम्बन्धित फर्म को चेक से ही किये जाने है।

(ङ) उक्त फर्म से सम्बन्धित परिसम्पत्ति पंजिका को भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे परिसम्पत्ति सृजन की गयी। इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

(य) मस्टररोल के आधार पर समस्त भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। मस्टररोल पर कार्य प्रभारी द्वारा इस बात का प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया गया सभी निशानी अंगूठा एक ही तरह प्रतीत हो रहे है। निशानी अंगूठा भी कार्य प्रभारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। अतः अवास्तविक मस्टररोल के आधार पर कार्य प्रभारी द्वारा भुगतान समायोजन कराया गया है।

चूंकि एम0बी0 पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः उक्त प्रोजेक्ट पर कुल व्यय रु0 11,14,997.00 की वित्तीय अनियमितता की गई। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारेलाल/वीरपाल, तत्कालीन लेखाकार संजय कुमार सिंह, श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन जे0ई0 के साथ—साथ कार्य प्रभारी श्री किशुन प्रसाद सिंह तथा तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0—

12)

प्रस्तर—43 प्रोजेक्ट का नाम—पी0डब्लू0डी0 रोड से हनुमान मंदिर से रामउजागर सिंह के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण।

कार्य प्रभारी का नाम— श्री किशुन प्रसाद सिंह (ए0डी0ओ0)।

जे0ई0 द्वारा बनाया गया इस्टीमेट— मजदूरी आदि पर व्यय—रु0 2,05,747.41

सामग्री क्रय पर व्यय— रु0 10,46,232.40

रु0 12,51,979.81

उक्त कार्य के सापेक्ष सामग्री क्रय मेसर्स अजीत प्रताप सिंह कन्ट्रेक्टर पचपुती जगतापुर को सामग्री क्रय के सापेक्ष कटौतियां घटाने के उपरान्त रु0 5,91,694.00 का भुगतान किया गया है।

उक्त कार्य के लिए कार्य प्रभारी द्वारा पालीथिन शीट + ज्वाइंट सामग्री क्रय = रु0 9,167.40 व मस्टररोल रु0 1,30,380.00 कुल रु0 1,39,547.00 का भुगतान किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

(क) उक्त कार्य में प्रयुक्त निर्माण क्रय हेतु कोई भी निविदा, कोटेशन, कम्परेटिव चार्ट की प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी। सीधे आपूर्तिकर्ता मेसर्स अजीत प्रताप सिंह कन्ट्रेक्टर, पचपुती जगतापुर से सामग्री क्रय कर ली गयी। जो कि आपत्तिजनक रहा।

(ख) उक्त कार्य में एम0बी0 पंजिका अप्रस्तुत रही। एम0बी0 पंजिका के अभाव में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय के उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

सीमेंट 722 बोरी x 320/बोरी = 2,31,040.00

ईट गिट्टी 45.04 एम03 x 1005/एम03 = 45,265.20

ईट 14800 x 5520/हजार = 81,696.00

बालू 39.26 एम03 x 700/एम03 = 27,482.00

पत्थर गिट्टी 72.56 एम03 x 2660/एम03 = 1,93,009.60

मोरंग बालू 36.40 एम03 x 2201/एम03 = 80,116.40

पालीथिन + ज्वाइंट शीट = 9,167.00

6,67,776.20

(ग) कार्य प्रभारी मस्टररोल (11.08.2015 से 09.09.2015) के आधार पर रु0 1,30,380.00 का भुगतान समायोजन कराया गया। मस्टररोल पर कार्य प्रभारी द्वारा इस बात का प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया गया कि “मजदूरों को नगद भुगतान मेरे द्वारा ही किया गया है।” 08 मजदूरों की मजदूरी भुगतान निशानी अंगूठा भी कार्य प्रभारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मस्टररोल बनाने वाले ने स्वयं ही अपना अंगूठा लगा दिया हो। अतः अवास्तविक मस्टररोल के आधार पर कार्य प्रभारी द्वारा रु0 1,30,380.00 का भुगतान समायोजन कराया गया है।

(घ) पत्रावली में संलग्न बाउचर के आधार पर दि0 27.02.2014 को रु0 1,17,952.00, दि0 07.03.2014 को रु0 251017.00 व दि0 06.08.2015 को रु0 2,89,639.70 की सामग्री क्रय की गई।

स्पष्ट है कि दि0 27.02.2014 तथा 07.03.2014 के सामग्री क्रय के लगभग डेढ़ साल बाद मजदूरी का कार्य किया गया है। अर्थात् उक्त सामग्री क्षेत्र पंचायत द्वारा निष्प्रयोज्य पड़ी रही। स्टाक पंजिका के अभाव में उक्त स्टाक की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्रम सं0 1 व 2 की क्रय की स्थिति अवास्तविक रही। तथा अवास्तविक व्यय प्रमाणक के आधार पर आपूर्तिकर्ता के साथ सहयोग करके खण्ड विकास के समस्त अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। जिसकी ओर उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

चूंकि एम0बी0 पंजिका अप्रस्तुत रहा। अतः कुल व्यय रु0 7,98,156.00 की वित्तीय अनियमितता की गई। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारेलाल/वीरपाल, तत्कालीन लेखाकार संजय कुमार सिंह, श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन जे0ई0 के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री किशुन प्रसाद सिंह तथा तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0— 13)

प्रस्तर—44 वर्ष 2014—15 तथा 2015—16 में विभिन्न क्षेत्रों/ग्राम पंचायतों में प्रकाश व्यवस्था पर टी0डी0एस0 कटौती के उपरान्त तीन चेकों के माध्यम से कुल रु0 6,23,090.00 का भुगतान क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

1. जिन ग्राम पंचायतों में क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रकाश व्यवस्था पर व्यय को दर्शाया गया है। उन ग्राम पंचायतों का प्रस्ताव एवं अनुमति पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। जो कि अपेक्षित रहा।
2. प्रकाश व्यवस्था का रख-रखाव किसके द्वारा किया जायेगा जिससे सम्बन्धित अनुबन्ध पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। जो कि अपेक्षित रहा।

3. क्षेत्र पंचायत द्वारा किये गये व्यय से सम्बन्धित सृजित अस्थायी परिसम्पत्ति पंजिका को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो कि अपेक्षित रहा।
4. निविदा त्रिस्तरीय कमेटी समक्ष की गयी निविदा का विज्ञापन किस अखबार में किया गया। सम्बन्धित अखबार पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी। जो कि अपेक्षित रहा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रु० 6,23,090.00 का व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारेलाल/वीरपाल, तत्कालीन लेखाकार संजय कुमार सिंह, श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन जे०ई० के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री किशुन प्रसाद सिंह तथा तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(आ०सं० 15)

प्रस्तर-45 (क) दिनांक 04.08.2014 चेक सं० 003216 द्वारा अमर उजाला को विज्ञापन मद में रु० 2,730.00 का भुगतान किया गया। जबकि अमर उजाला द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर मात्र रु० 1,365.00 का ही भुगतान किया जाना था। जो रु० 1,365.00 से ज्यादा का रहा।

(ख) दिनांक 04.08.2014 चेक सं० 003214 द्वारा अमर उजाला को विज्ञापन मद में रु० 4,450.00 का भुगतान किया गया। जबकि अमर उजाला द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर मात्र रु० 2,275.00 का ही भुगतान किया जाना था। जो रु० 2,275.00 से ज्यादा का रहा।

(ग) दिनांक 04.08.2014 चेक सं० 003215 द्वारा हिन्दुस्तान को विज्ञापन मद में रु० 6,562.00 का भुगतान किया गया। जबकि हिन्दुस्तान द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर मात्र रु० 3,181.00 का ही भुगतान किया जाना था। जो रु० 3,181.00 से ज्यादा का रहा।

(घ) दिनांक 04.08.2014 चेक द्वारा हिन्दुस्तान को विज्ञापन मद में रु० 9,090.00 का भुगतान किया गया। जबकि हिन्दुस्तान द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर मात्र रु० 4,545.00 का ही भुगतान किया जाना था। जो रु० 4,545.00 से ज्यादा का रहा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कुल रु० 11,366.00 अपहृत धन की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री वीरपाल से तत्कालीन लेखाकार श्री अरविन्द कुमार सिंह से अपेक्षित है।

(आ०सं० 16)

प्रस्तर-46 वर्ष 2014-15 में कुल व्यय रु० 1,81,66,693.00 के व्यय से सम्बन्धित प्रोजेक्ट पत्रावली खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी। जबकि अनुदान पंजिका-2 तथा अनुदान पंजिका 3 के अनुसार वर्ष 2014-15 में रु० 1,89,10,073.00 का व्यय किया गया है। अर्थात् रु० 6,76,648.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही बिना पत्रावली/व्यय प्रमाणक के आधार पर किया गया व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः रु० 6,76,648.00 व्यय की धनराशि को अपहृत मानते हुये उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारेलाल/वीरपाल, तत्कालीन लेखाकार संजय कुमार सिंह, श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन जे०ई० के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री किशुन प्रसाद सिंह तथा तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह से अधिभार प्रस्ताव सम्बन्धित से अपेक्षित है।

(आ०सं०- 17)

प्रस्तर-47 प्रोजेक्ट का नाम-मटेवा गोपाल राजकीय ट्यूबेल से देवनरायन सिंह के घर तक मिट्टी/खड़न्जा का कार्य।

कार्य प्रभारी का नाम- श्री किशुन प्रसाद सिंह (ए०डी०ओ०)।

उक्त कार्य में कार्य प्रभारी के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रु० 66,732.00 का भुगतान किया गया। उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां हैं-

1. मस्टररोल (किस तिथि को कार्य कराया गया है, विवरण अंकित नहीं है) रु० 14,200.00 का भुगतान कार्य प्रभारी प्राप्त किया गया है। मस्टररोल पर कार्य प्रभारी द्वारा इस बात का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया कि सभी मजदूरों को नगद भुगतान मेरे द्वारा ही किया गया है।" मस्टररोल पर निशानी अंगूठा भी कार्य प्रभारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। सभी निशानी अंगूठा एक ही तरह प्रतीत हो रहे है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मस्टररोल बनाने वाले ने स्वयं ही अपना अंगूठा लगा दिया हो। अतः अवास्तविक मस्टररोल के आधार पर कार्य प्रभारी द्वारा रु० 14,200.00 का भुगतान समायोजन कराया गया है।
2. उक्त कार्य की एम०बी० पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। जिससे 10800 ईट x 4800/हजार त्र

रु0 51,840.00 व 04 ट्राली मिट्टी x 410/ट्राली = रु0 1,640.00 कुल रु0 53,480.00 के उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

3. उक्त कार्य में प्रयुक्त निर्माण क्रय हेतु कोई भी निविदा, कोटेशन, कम्परेटिव चार्ट की प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी। जो कि अपेक्षित रहा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रु0 66,732.00 का भुगतान अनियमित एवं दुरुपयोगित रहा जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्यारेलाल/वीरपाल, तत्कालीन लेखाकार संजय कुमार सिंह, श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन जे0ई0 के साथ-साथ कार्य प्रभारी श्री किशुन प्रसाद सिंह तथा तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0- 18)

प्रस्तर-48 वर्ष 2015-16 में निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य पर समस्त भुगतान मेसर्स अजीत प्रताप सिंह कन्स्ट्रक्टर, पचपुती जगतापुर को रु0 23,78,921.00 में रु0 3,94,936.00 टी0डी0एस0 एवं वैट कटौती के उपरान्त रु0 19,83,985.00 का भुगतान किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

1. समस्त कार्य, कार्य प्रभारी से न कराकर ठेकेदार के माध्यम से कराया गया है।
2. उक्त कार्य के लिए कोई भी निविदा, कोटेशन, कम्परेटिव चार्ट की प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी। सीधे ठेकेदार श्री अजीत प्रताप सिंह सक कार्य कराया गया है।
3. पत्रावली के आधार पर उक्त कार्य के लिए मेसर्स अजीत प्रताप सिंह कन्स्ट्रक्टर, पचपुती जगतापुर को कोई आदेश विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है।
4. उक्त समस्त भुगतान पी0डब्लू0डी0 सेडयूल फार्म 27 के आधार पर जे0ई0 द्वारा बनाये गये एम0बी0 के आधार पर किया। चूंकि उक्त ठेकेदार को कोई भी कार्य आदेश जारी नहीं किया गया था फिर भी फार्म 27 के आधार पर भुगतान किये जाने का औचित्य नहीं था।
5. सम्बन्धित ठेकेदार की अर्नेस्ट मनी/अनुबन्ध की शर्तों से सम्बन्धित पत्रावली भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उपरोक्तानुसार रु0 23,78,921.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री वीरपाल सिंह, तत्कालीन लेखाकार श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन जे0ई0 श्री अमरेश सिंह तथा तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0- 19)

प्रस्तर-49 वर्ष 2015-16 में आगनबाडी केन्द्र गौहला के निर्माण कार्य पर कुल व्यय रु0 4,75,107.00 में रु0 45,713.00 टी0डी0एस0 कटौती के उपरान्त रु0 4,29,394.00 का भुगतान किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

(अ) उक्त सामग्री क्रय की कोई भी मदूरी पर व्यय नहीं दर्शाया गयी है। जिससे सामग्री के उपयोग की स्थिति अस्पष्ट रही।

(ब) उक्त कार्य की एम0बी0 पंजिका अप्रस्तुत रही। जिससे सामग्री के उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ग) पत्रावली में उक्त कार्य की कम्प्लीशन रिपोर्ट तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र नहीं पाई गयी। जिससे कार्य होने की स्थिति संदिग्ध रही।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रु0 4,75,107.00 का व्यय वित्तीय अनियमित एवं दुरुपयोगित रहा जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री वीरपाल सिंह, तत्कालीन लेखाकार श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन जे0 ई0 श्री अमरेश सिंह तथा तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0- 20)

प्रस्तर-50 वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में कुल व्यय रु0 28,54,028.00 व्यय से सम्बन्धित प्रोजेक्ट पत्रावली खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा उपब्ध कराई गयी। जबकि अनुदान पंजिका-2 तथा अनुदान पंजिका-3 के अनुसार वर्ष 2015-16 में 2,78,53,179.00 व वर्ष 2016-17 में रु0 21,272.00 कुल रु0 2,78,74,451.00 का व्यय किया गया है। अर्थात् रु0 2,50,20,423.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। बिना पत्रावली/व्यय प्रमाणक के आधार पर किया गया व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः रु० 2,50,20,423.00 के अपहुत धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री वीरपाल सिंह, तत्कालीन लेखाकार श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन जे०ई० श्री अमरेश सिंह सम्बन्धित के कार्य प्रभारी तथा तत्कालीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती संध्या सिंह से अपेक्षित है।

(आ०सं०- 21)

क्षेत्र पंचायत – रूपईडीह

प्रस्तर –51 वित्तीय वर्ष 2011-12 में सोलर लाइट मद में 34 नग सोलर लाइट क्रय दर रु० 27500/नग कुल रु० 9,35,000.00 में टी०डी०एस० रु० 20,944.00 की कटौती करते हुये रु० 9,14,056.00 का भुगतान मेसर्स गुलाब सिंह, बल्लीपुर, मनकापुर, गोन्डा को चेक सं० 195545 दि० 23.04.2011 द्वारा किया गया दर्शित है। उक्त क्रय से सम्बन्धित टेण्डर प्रयुक्त स्थानों की फोटो एवं परिसम्पत्ति पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अन्तर्गत अनियमितता की गयी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री हरीलाल रावत एवं लेखाकार श्री विनय कुमार खरे उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 03)

प्रस्तर –52 वित्तीय वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर सोलर लाईट अवस्थापना हेतु 150 नग सोडियम लाईट 3500 प्रति नग की दर से कुल रु० 525000.00 हुआ। जिससे टी०डी०एस० कटौती रु० 11918.00 के उपरान्त 5,13,082.00 का भुगतान चेक न० 195560 दिनांक 26.05.2012 से मेसर्स चावला इलेक्ट्रानिक चौक बाजार गोण्डा को किया गया है। सोडियम लाईट अवस्थापना से सम्बन्धित फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है तथा परिसम्पत्ति पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अन्तर्गत अनियमितता की गयी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विवेक त्रिपाठी एवं लेखाकार श्री विनय कुमार खरे उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 04)

प्रस्तर –53 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के पीछे सी०सी० इण्टर लाकिंग कार्य पर वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में मेसर्स मिश्रा कन्स्ट्रक्शन को चेक सं० 195559 दि० 24.05.2012 द्वारा 4,77,812.00 को भुगतान के अतिरिक्त कार्य प्रभारी श्री कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा प्राप्त धनराशि रु० 3,55,166.00 के सापेक्ष समायोजन का विवरण निम्नलिखित है—

सामग्री क्रय मेसर्स मिश्रा कान्स्ट्रक्शन से	रु० 1,59,500.00	टी०डी०एस० कटौती नहीं की गयी
सामग्री क्रय मेसर्स मिश्रा कान्स्ट्रक्शन से	रु० 32,471.00	टी०डी०एस० कटौती नहीं की गयी
मस्टर रोल	रु० 73,840.00	
मुन्नाराम दूबे मिट्टी क्रय का नगद भुगतान	रु० 31,475.00	श्री मुन्नाराम दूबे
मस्टर रोल	रु० 30,480.00	
मस्टर रोल	रु० 27,400.00	
योग	रु० 3,55,166.00	

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मस्टर रोल अपूर्ण है। निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है। कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं समाप्ति का फोटो संलग्न नहीं है। तथा खण्ड विकास अधिकारी का कार्यादेश पत्रांक 410 दि० 23.05.2011 का है। जिसमें कार्य की अवधि 30 दिन निर्धारित की गयी है। जबकि कार्य 15 माह तक हुआ है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर नकद भुगतान रु० 2,00,000.00 एवं रु० 6,32,978.00 जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अन्तर्गत अनियमित रहा। रु० 2,00,000.00 की अनियमितता के लिए कार्य प्रभारी श्री कृष्ण कुमार मिश्र खण्ड विकास अधिकारी श्री हरीलाल रावत एवं लेखाकार श्री विनय कुमार खरे एवं रु० 6,32,978.00 की अनियमितता के लिए कार्य प्रभारी श्री कृष्ण कुमार मिश्र खण्ड विकास अधिकारी श्री राजाराम गौतम एवं लेखाकार श्री विनय कुमार खरे उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 05)

प्रस्तर —54 वित्तीय वर्ष 2012-13 में कम्प्यूटर कक्ष के मरम्मत हेतु रु0 51,000.00 का भुगतान का नगद भुगतान कार्य प्रभारी श्री कृष्ण कुमार मिश्र को दिनांक 02.06.2012 को चेक सं0 005603 से लिया गया है। सामग्री क्रय रु0 37,360.00 नकद की गयी है तथा मस्टर रोल से भुगतान रु0 13,640.00 दर्शाया गया है। उक्त व्यय की पुष्टि में प्रस्तुत एम0बी0 अपूर्ण है। मस्टर रोल पर श्रमिकों का हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं है तथा कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं समाप्ति का फोटो संलग्न नहीं है।

अतः उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अन्तर्गत नगद भुगतान रु0 51,000.00 अनियमित रहा। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री कृष्ण कुमार मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी श्री राजाराम गौतम एवं लेखाकार श्री विनय कुमार खरे उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 06)

प्रस्तर —55 वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में खण्ड विकास खण्ड कार्यलय कैम्पस में शौचालय निर्माण कार्य पर दिनांक 25.05.2011 को चेक सं0 195548 से रु0 1,50,000.00 एवं दि0 19.06.2012 को चेक सं0 005304 से रु0 1,40,979.00 का भुगतान किया गया दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

1. सामग्री क्रय का समस्त भुगतान चेक से न कर सीधे नकद किया गया है। सामग्री क्रय के भुगतान में टी0डी0एस0 कटौती नहीं की गयी। जिससे क्रय की स्थिति संदिग्ध रही।
2. मस्टर रोलो पर कार्य प्रभारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है कि समस्त भुगतान मेरे द्वारा नकद किये गये हैं। मस्टर रोलों पर निशानी अंगूठा क्रमांकित की गयी है जबकि प्रमाणित होनी चाहिये। ऐसी स्थिति में मस्टर रोलो के आधार पर किया गया समायोजन संदिग्ध रहा।
3. खण्ड विकास अधिकारी के आदेश के क्रम में कार्य के पूर्व, कार्य के मध्य तथा कार्य की समाप्ति से सम्बन्धित कोई भी फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है, जिससे कार्य की स्थिति संदिग्ध रही।
4. खण्ड विकास अधिकारी के आदेश के क्रम में कार्य को 30 दिनों के अन्दर पूर्ण किया जाना है। जबकि कार्य प्रभारी द्वारा लगभग 13 माह में कराया गया है।
5. श्री डी0 वी0 अवर अभियन्ता द्वारा अपूर्ण एम0 बी0 की गयी है जिसमें प्रारम्भ तिथि, समाप्त तिथि तथा एम0 बी0 करने की तिथि अंकित नहीं है। एम0 बी0 के आधार पर मात्र रु0 46,925.00 भुगतान की पुष्टि होती है।

इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल भुगतान रु0 2,90,979.00 उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अन्तर्गत अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री हरीलाल रावत एवं लेखाकार श्री विनय कुमार खरे उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 07)

प्रस्तर —56 वित्तीय वर्ष 2012-13 में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा कम्प्यूटर कक्ष के सामने मिट्टी कार्य में दि0 24.05.2012 को रु0 66,243.00 नगद भुगतान कार्य प्रभारी श्री कृष्ण कुमार मिश्र को किया गया है। जिसके समायोजन वाउचर में श्री मुन्नाराम दूबे को मिट्टी का भुगतान रु0 33,603.00 तथा मस्टर रोल से भुगतान 32,640.00 किया गया है। पत्रावली में कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं समाप्ति का फोटो संलग्न नहीं है तथा एम0बी0 में प्रारम्भ तिथि एवं समाप्ति तिथि अंकित नहीं है। अतः भुगतान रु0 66,243.00 उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अन्तर्गत अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राजाराम गौतम एवं लेखाकार श्री विनय कुमार खरे उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 08)

प्रस्तर —57 वर्ष 2012-13 में विकास खण्ड कार्यालय में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कक्ष के सामने तथा कम्प्यूटर कक्ष के सामने सी0 सी0 रोड इन्टरलाकिंग कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री कृष्ण कुमार मिश्र (कैशियर/भण्डारनायक) को विभिन्न चेकों के माध्यम से कुल भुगतान रु0 3,45,560.00 तथा मे0 मिश्रा कान्स्ट्रक्शन को रु0 5,08,518.00 किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

1. उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री के क्रय हेतु टेन्डर सम्बन्धी जो प्रपत्र जारी किये गये, उस पर कोई भी पत्रांक/तिथि अंकित नहीं था।

2. श्री कृष्ण कुमार मिश्र द्वारा प्राप्त रू0 2,71,160.00 के सापेक्ष सामग्री क्रय (मे0 मिश्रा कान्स्ट्रक्शन) रू0 2,38,780.00 (टी0डी0एस0 कटौती नहीं की गयी) व मस्टर रोल रू0 32,380.00 (भुगतान मई 2012 में) का समायोजन कराया गया है। बालू क्रय रू0 24,000.00 का भुगतान चेक से न कर नकद किया गया है।
3. उक्त सामग्री क्रय में 11,000 सीमेन्ट ईट के सापेक्ष एम0बी0 के आधार पर मात्र 4,200 ईट के उपयोग की पुष्टि की गयी। अर्थात् 6,800 सीमेन्ट ईट दर रू0 16.50 प्रति ईट की दर से रू0 1,12,200.00 का अपहरण किया गया।
4. भुगतान मे0 मिश्रा कान्स्ट्रक्शन को सामग्री क्रय रू0 5,08,518.00 में 23,200 सीमेन्ट ईट के सापेक्ष एम0बी0 के आधार पर 21,737 ईट के उपयोग की पुष्टि की गयी। अर्थात् 1,463 सीमेन्ट ईट दर रू0 16.50 प्रति की दर से रू0 24,139.50 का अपहरण किया गया।
5. मस्टर रोल के आधार पर कुल रू0 82,780.00 का भुगतान समायोजन कराया गया, जिसमें रू0 32,380.00 के मस्टर रोल पर निशानी अंगूठा क्रमांकित रहा। शेष रू0 50,400.00 के मस्टर रोल पर भुगतान पाने वाले के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। अर्थात् अवास्तविक मस्टर रोल के आधार पर भुगमान समायोजन कराया गया।

इस प्रकार क्रमांक 03 व 04 पर दर्शित अधिक सीमेन्ट ईट क्रय का रू0 1,36,339.50 तथा मस्टर रोल के आधार पर व्यय रू0 50,400.00 कुल रू0 1,86,739.50 अपहरण की श्रेणी में रहा। जबकि क्रमांक 02 पर दर्शित धन रू0 2,95,160.00 का भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिये कार्य प्रभारी श्री कृष्ण कुमार मिश्र के साथ-साथ खण्ड विकास अधिकारी श्री हरीलाल रावत, श्री राराम गौतम तथा तत्कालीन लेखाकार श्री विनय कुमार खरे उत्तरदायी है। उत्तरदायी से अपहरण की धनराशि रू0 1,86,739.50 की ब्याज सहित वसूली तथा अनियमित भुगतान रू0 2,95,160.00 के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0

09)

प्रस्तर -58 ग्राम पंचायत तेलियानी पाठक लिंकरोड पर मिट्टी/खडंजा कार्य पर कार्य प्रभारी श्री राम शंकर वर्मा ए0डी0ओ0 (पंचायत) को कुल रू0 1,51,755.00 भुगतान के सापेक्ष रू0 1,51,815.00 के समायोजन में निम्न आपत्तियां हैं—

1. खडंजा निर्माण 24.08.2010 से 08.09.2010 की अवधि का दर्शित है, जबकि ईट क्रय की तिथि दि0 03.12.2010 की है। अर्थात् अवास्तविक रूप से कार्य दर्शाया गया है।
2. कार्य का भुगतान एम0 बी0 के आधार पर किया गया है, जबकि एम0 बी0 पर कार्य की प्रारम्भ तिथि, समाप्त तिथि, एम0 बी0 करने की तिथि का उल्लेख नहीं है। अर्थात् एम0 बी0 त्रुटिपूर्ण बनायी गयी है।
3. कार्य के प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के मध्य तथा कार्य की समाप्ति के उपरान्त का फोटो भी पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिससे कार्य की स्थिति संदेहास्पद प्रतीत होती है।
4. खण्ड विकास अधिकारी के आदेश के क्रम में कार्य 30 दिनों के भीतर ही पूर्ण किया जाना था। जबकि कार्य प्रभारी द्वारा लगभग तीन साल का समय लिया गया है। अर्थात् कार्य की स्थिति संदेहास्पद प्रतीत रही।

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य पर समस्त भुगतान रू0 1,51,755.00 अनियमित रहा। जिसके लिये जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री राम शंकर वर्मा एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम जी, तथा तत्कालीन लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त अनियमित भुगतान हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 10)

प्रस्तर -59 वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में दुधरवा पक्की सड़क से नरहरिया प्राइमरी स्कूल लिंक रोड तक मिट्टी खडंजा कार्य पर कार्य प्रभारी श्री सुभाष चन्द्र पान्डेय, ग्राम पंचायत अधिकारी के माध्यम से विभिन्न चेकों द्वारा कुल रू0 12,69,246.00 किया गया है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

1. खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पत्रांक ममो/दिनांक 19.11.12 के अनुसार टेन्डर अखबार में प्रकाशित करायी गयी थी, पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।
2. कार्य प्रभारी को कुल रू0 3,62,466.00 भुगतान के सापेक्ष रू0 2,01,250.00 का ही मस्टर रोल प्रस्तुत

किया गया। शेष रू0 70,716.00 का समायोजन नहीं कराया गया। इस प्रकार रू0 70,716.00 का अपहरण कर लिया गया।

3. श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत मस्टर रोलों पर निशानी अंगूठा क्रमांकित था, जबकि प्रमाणित होना चाहिये। मस्टर रोलों पर श्री पाण्डेय द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है कि समस्त भुगतान मेरे द्वारा नकद किया गया है।
4. खण्ड विकास अधिकारी के आदेश के क्रम में कार्य के प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के मध्य तथा कार्य की समाप्ति के उपरान्त का फोटो भी पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिससे कार्य की स्थिति संदिग्ध रही।
5. मस्टर रोलों के अनुसार दि0 17.06.12 से 02.07.12 तक तथा दि0 04.07.12 से 17.07.12 की अवधि में कार्य हुआ। मस्टर रोलों की धनराशि रू0 61,000.00 पर किस तिथि में कार्य हुआ, स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार दि0 03.12.12 को ईंट क्रय 10,000 तथा दि0 14.03.13 को ईंट क्रय 1,15,900 के उपयोग कब हुआ, पत्रावली से स्पष्ट नहीं है। अर्थात् ईंट क्रय के उपरान्त कोई भी निर्माण कार्य से सम्बन्धित मस्टर रोल पत्रावली में संलग्न नहीं है।

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अन्तर्गत रू0 70,716.00 का समायोजन न कर धन का अपहरण तथा रू0 11,98,530.00 का भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री के0 एन0 पाण्डेय, श्री श्याम जी, लेखाकार श्री विनय कुमार खरे उत्तरदायी है। उत्तरदायी से अपहरण की धनराशि रू0 70,716.00 की ब्याज सहित वसूली तथा अनियमित भुगतान रू0 11,98,530.00 के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 11)

प्रस्तर —60 वित्तीय वर्ष 2012—13 में कार्य प्रभारी श्री विष्णु कुमार प्रजापति द्वारा कुल रू0 15,35,083.00 का कार्य कराया गया है। उक्त कार्य से सम्बन्धित कोटेशन/टेन्डर सम्बन्धी विज्ञापन, कार्य के पूर्व, कार्य के मध्य एवं समाप्ति का फोटो ग्राफ संलग्न नहीं है, मस्टर रोलों पर श्रमिकों का हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं है तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर किसी अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। अतः भुगतान रू0 15,35,083.00 की अनियमितता के लिए कार्य प्रभारी प्रभारी श्री विष्णु कुमार प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी श्याम जी, लेखाकार श्री कृष्ण कुमार उत्तरदायी है। अनियमित भुगतान रू0 15,35,083.00 के सम्बन्ध में उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 12)

प्रस्तर —61 श्री राघवेन्द्र मिश्रा द्वारा वित्तीय वर्ष 2012—13 में कुल रू0 18,50,169.00 का कार्य कराया गया है। उक्त कार्य से सम्बन्धित कार्य की पुष्टि में कोटेशन/टेन्डर से सम्बन्धित विज्ञापन, कार्य के पूर्व, कार्य के मध्य एवं समाप्ति का फोटो ग्राफ संलग्न नहीं है। मस्टर रोलों पर श्रमिकों का हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं है तथा पत्रावली में प्रस्तुत कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर किसी अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। अतः नियमों का उल्लंघन कर रू0 18,50,169.00 का भुगतान किया गया। जिसके लिए कार्य प्रभारी प्रभारी श्री विष्णु कुमार प्रजापति, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम जी, लेखाकार श्री कृष्ण कुमार उत्तरदायी है। अनियमित भुगतान रू0 18,50,169.00 के सम्बन्ध में उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 13)

प्रस्तर —62 श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय द्वारा वित्तीय वर्ष 2012—13 में कुल रू0 9,25,059.00 का कार्य कराया गया है। उक्त कार्य की पुष्टि में कोटेशन/टेन्डर से सम्बन्धित विज्ञापन, कार्य के पूर्व, कार्य के मध्य एवं समाप्ति का फोटो ग्राफ संलग्न नहीं है। मस्टर रोल पर श्रमिकों का हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं है तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर किसी भी अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। अतः भुगतान रू0 9,25,059.00 अनियमित रहा। जिसके लिए कार्य प्रभारी प्रभारी श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम जी, लेखाकार श्री कृष्ण कुमार उत्तरदायी है। अनियमित भुगतान रू0 9,25,059.00 के सम्बन्ध में उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 14)

प्रस्तर —63 (क) वित्तीय वर्ष 2011—12 की लेखा परीक्षा में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मनरेगा से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुदान पंजी-3 के अनुसार वर्ष 2012—13 में कुल

व्यय रू0 18,08,705.00 की पुष्टि पत्रावली के अभाव में नहीं की जा सकी। इस प्रकार बिना पत्रावली के रू0 18,08,705.00 का व्यय उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अन्तर्गत अपहरण रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार चतुर्वेदी, श्री विवेक त्रिपाठी, श्री राजाराम गौतम, श्री के0 एन0 पाण्डेय, लेखाकार श्री विनय कुमार खरे, श्री कृष्ण कुमार मिश्र तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं तत्कालीन कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी से अपहरण की धनराशि रू0 18,08,705.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मनरेगा से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुदान पंजी-3 के अनुसार में कुल व्यय रू0 2,27,91,143.00 की पुष्टि पत्रावली अभाव में नहीं की जा सकी। इस प्रकार बिना पत्रावली के रू0 2,27,91,143.00 का व्यय का व्यय उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अन्तर्गत अपहरण रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम जी, लेखाकार श्री कृष्ण कुमार एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं तत्कालीन कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी से अपहरण की धनराशि रू0 2,27,91,143.00 की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 15)

प्रस्तर -64 निम्न विवरणानुसार ठेकेदारों को निर्माण कार्य के सापेक्ष भुगतान किया गया है।

श्री गुलाब सिंह	रू0 61,67,315.00
श्री अजीत सिंह	रू0 43,94,134.00
श्री अर्जुन सिंह	रू0 6,93,178.00
श्री राम सुख	रू0 1,13,604.00

योग रू0 1,13,68,231.00

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

1. उक्त ठेकेदारों को कार्यादेश निविदा/टेन्डर की प्रक्रिया के आधार पर किया गया। किन्तु उक्त निविदा/टेन्डर प्रक्रिया का विज्ञापन किस अखबार में कराया गया। पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।
2. खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बिना जमानत जमा कराये ही ठेकेदारों को कार्यादेश जारी कर दिया गया। अनुबन्ध की शर्तें निर्धारित स्टाम्प पर न कराकर एक सादे कागज पर कराया गया, जिससे कुल रू0 79,577.00 की राजकीय राजस्व की क्षति हुयी।
3. निविदा की शर्त-06 के अनुसार कार्य के पूर्व, कार्य के मध्य एवं समाप्ति का फोटो ग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिससे कार्य की स्थिति संदिग्ध रही।
4. उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक तथा मजदूरी व्यय से सम्बन्धित मस्टर रोल पत्रावली में संलग्न नहीं पाये गये।
5. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र/डी0पी.0सी0-09 पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।
6. क्षेत्र पंचायत द्वारा सृजित की गयी परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित परिसम्पत्ति पंजिका से उक्त कार्य की पुष्टि नहीं करायी गयी।
7. टी0डी0एस0 जमा/ बैंक जमा की रसीद से सम्बन्धित प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाये गये।
8. जे0 ई0 द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से एम0 बी0 बनाकर भुगतान कराया गया। एम0 बी0 पंजिका में कार्य की प्रारम्भ तिथि, कार्य की समाप्त तिथि, एम0 बी0 करने की तिथि तथा कार्य प्रभारी का नाम का कालम अपूर्ण था।
9. कार्य पर कुल 12,345 ईट आवश्यकता से अधिक क्रय किया गया।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार कुल भुगतान रू0 1,13,68,231.00 अनियमित रहा। जिसके लिये सम्बन्धित ठेकेदार के साथ खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम जी, श्री केशव चन्द्र, लेखाकार श्री कृष्ण कुमार एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता डी0 बी0 सिंह तथा तत्कालीन कार्य प्रभारी उत्तरदायी है। जिसके सम्बन्ध में उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 16)

प्रस्तर -65 वित्तीय वर्ष 2011-12 में मनरेगा के अतिरिक्त अनुदान पंजी-3 के अनुसार कुल रू0 33,06,228.00 का व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कुल रू0 20,10,750.00 की पत्रावली प्रस्तुत रही। इस प्रकार बिना पत्रावली के रू0 12,95,478.00 व्यय उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत

(बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अन्तर्गत अपहरण रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री हीरालाल रावत, श्री के०एन० पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार चतुर्वेदी तथा लेखाकार श्री विनय कुमार खरे उत्तरदायी है। अपहृत धनराशि रु० 12,95,478.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु उत्तरदायी से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 17

अ)

प्रस्तर -66 अनुदान पंजी-3 के अनुसार वर्ष 2012-13 में मनरेगा के अतिरिक्त रु० 85,34,723.00 का कुल व्यय दर्शित है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कुल रु० 72,75,840.00 की पत्रावली प्रस्तुत रही। इस प्रकार बिना पत्रावली के रु० 12,58,883.00 का व्यय उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अन्तर्गत अपहरण रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार चतुर्वेदी, श्री विवके त्रिपाठी, श्री राजाराम गौतम, श्री के०एन० पाण्डेय, लेखाकार श्री विनय कुमार खरे, श्री कृष्ण कुमार मिश्र उत्तरदायी है। अपहृत धनराशि रु० 12,58,883.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु उत्तरदायी से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 17 ब)

प्रस्तर -67 अनुदान पंजी-3 के अनुसार वर्ष 2013-14 में कुल रु० 1,44,49,445.00 क्षेत्र पंचायत द्वारा व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कुलरु० 11368231.00 की पत्रावली प्रस्तुत रही। इस प्रकार बिना पत्रावली के रु० 30,81,214.00 का व्यय उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अन्तर्गत अपहरण रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम जी, श्री केशव चन्द्र, लेखाकार श्री कृष्ण कुमार उत्तरदायी है। अपहृत धनराशि रु० 30,81,214.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु उत्तरदायी से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 17 स)

प्रस्तर -68 (क) वित्तीय वर्ष 2014-15 में बी०आर०जी०एफ० योजना में कुल व्यय धनराशि रु० 1,02,11,181.00 के सापेक्ष रु० 54,38,224.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत की गयी। रु० 47,72,957.00 के व्यय से संबंधित पत्रावली अप्रस्तुत रही, जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री केशव चन्द्र एवं तत्कालीन लेखाकार श्री कृष्णा कुमार मिश्रा उत्तरदायी है। अपहृत धनराशि रु० 47,72,957.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु उत्तरदायी से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 में बी०आर०जी०एफ० योजना में कुल व्यय धनराशि रु० 40,22,961.00 के सापेक्ष सापेक्ष रु० 24,76,906.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत की गयी। रु० 15,46,555.00 के व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्रस्तुत रही, जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री केशव चन्द्र, श्री राम अवतार एवं श्री घनश्याम तथा लेखाकार श्री कृष्णा कुमार मिश्रा एवं श्री अखिलेश श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अपहृत धनराशि रु० 15,46,555.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु उत्तरदायी से किया जाना अपेक्षित है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2016-17 में बी०आर०जी०एफ० योजना में कुल व्यय धनराशि रु० 14,93,445.00 के सापेक्ष सापेक्ष रु० 9,50,476.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत की गयी। रु० 5,42,969.00 के व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्रस्तुत रही, जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री केशव चन्द्र, श्री राम अवतार एवं श्री घनश्याम तथा लेखाकार श्री कृष्णा कुमार मिश्रा एवं श्री अखिलेश श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अपहृत धनराशि रु० 5,42,969.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु उत्तरदायी से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 03)

प्रस्तर -69 बी०आर०जी०एफ० योजना के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः कुल व्यय रु० 54,38,224.00, रु० 24,76,406.00 एवं रु० 9,50,476.00 के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

1. समस्त कार्य ग्राम पंचायतों में कराये गये। पत्रावली में ग्राम पंचायत द्वारा इस तरह का कोई प्रस्ताव संलग्न नहीं रहा, जिसमें उनके द्वारा क्षेत्र पंचायत को ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य करने के लिये अधिकृत किया गया था।
2. अपर मुख्य अधिकारी के कार्यालय पत्रांक 397 दि० 21.01.15 के क्रम में समस्त निर्माण कार्य टेन्डर प्रक्रिया/सुसंगत निर्माण नियमावली के आधार पर कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा समस्त कार्यों को संस्था द्वारा अपने सृजित परिसम्पत्ति पंजिकाओं में दर्ज किये जाने के निर्देश दिये गये। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा टेन्डर प्रक्रिया हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी पत्रावली से नहीं होती है।
3. निविदा की शर्त के अनुसार कराये गये कार्यों की पुष्टि में क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों द्वारा सृजित की गयी परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित परिसम्पत्ति पंजिका अप्रस्तुत रही। जिससे कार्य होने की स्थिति संदिग्ध रही।
4. सामान्य निर्माण कार्यों के लिये केवल श्री अजीत सिंह, श्री अर्जुन सिंह, श्री गुलाब सिंह का ही टेन्डर प्राप्त हुआ। इन ठेकेदारों से कोई भी जमानत धनराशि, धरोहर धनराशि जमा नहीं कराई गई। ऐसी स्थिति में टेन्डर प्रक्रिया भी संदेहास्पद रही।
5. चार कार्यों को छोड़कर समस्त कार्यों पर भुगतान बिना बिल तथा बिना मस्टर रोल के, केवल कार्य प्रभारी की संस्तुति के आधार पर कराये गये। जिसमें कार्य प्रभारी द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है कि "समस्त सामग्री मेरे द्वारा प्राप्त कर लिये गये हैं तथा समस्त मजदूरी मेरे द्वारा कराये गये हैं" को भुगतान का आधार बनाया गया। बिना बिल तथा बिना मस्टर रोल का भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है।
6. पत्रावली में संलग्न एम०बी० पंजिका भी त्रुटिपूर्ण पायी गयी। जिसके प्रारम्भ तिथि, समाप्त तिथि, एम० बी० करने की तिथि, कार्य प्रभारी का नाम व एम०बी० करने वाले अधिकारी का नाम अपूर्ण पाये गये। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण/अवास्तविक एम०बी० को भी भुगतान का आधार बनाया गया।
7. पत्रावली में कार्य पूर्ण कराये जाने से सम्बन्धित कोई भी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं पाये गये।

इस प्रकार—

(क) वर्ष 2014—15 में कुल व्यय रू० 54,38,224.00 में से रू० 48,39,364.00 का अपहरण (बिना बिल/एम०आर० के आधार पर भुगतान) तथा रू० 5,98,860.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी।

(ख) वर्ष 2015—16 में कुल व्यय रू० 24,76,406.00 में से रू० 14,15,680.00 का अपहरण (बिना बिल/एम०आर० के आधार पर भुगतान) तथा रू० 10,60,726.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी।

(ख) वर्ष 2016—17 में कुल व्यय रू० 9,50,476.00 (बिना बिल/एम०आर० के आधार पर भुगतान) अपहृत रहा।

इस प्रकार उपरोक्त अवधि के कुल व्यय में रू० 72,05,520.00 का अपहरण तथा रू० 16,59,586.00 की वित्तीय अनियमितता रही। जिसके लिए संबंधित ठेकेदार, संबंधित कार्य प्रभारी के साथ— साथ खण्ड विकास अधिकारी श्री केशव चन्द्र एवं तत्कालीन लेखाकार श्री कृष्ण कुमार मिश्रा तथा तत्कालीन जे०ई० उत्तरदायी है। अपहरण से सम्बन्धित धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु तथा वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में सम्बन्धित उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 04)

प्रस्तर —70 वित्तीय वर्ष 2014—15 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त मद से निर्माण कार्यों पर कुल धनराशि रू० 1,02,12,148.00 का व्यय क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

1. क्षेत्र पंचायत के अन्दर कराये गये कार्यों की पुष्टि में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रस्ताव (जिसके आधार पर क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराये गये हैं) पत्रावली में संलग्न नहीं है।
2. जिन ग्राम पंचायतों के अन्दर परिसम्पत्तियां सृजित की गयीं। उससे सम्बन्धित सृजित परिसम्पत्ति पंजिका अप्रस्तुत रही। जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।
3. क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत सृजित की गयी परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित सृजित परिसम्पत्ति पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।
4. उक्त कार्य हेतु खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से कोई भी निविदा सूचना जारी नहीं की गई। उक्त निविदा सूचना का विज्ञापन किस अखबार में प्रकाशित हुआ, पत्रावली से स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा टेन्डर प्रक्रिया का नियमानुसार पालन नहीं किया गया।
5. निविदा की शर्त 06 के अनुसार समस्त कार्यों से सम्बन्धित कार्य के पूर्व, कार्य के मध्य, तथा कार्य की

समाप्ति से सम्बन्धित कोई भी फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी। अर्थात् कार्य होने की स्थिति संदिग्ध रही।

6. निर्माण कार्य से सम्बन्धित मात्र तीन ठेकेदार 1. श्री अजीत सिंह, 2. श्री अर्जुन सिंह, 3. श्री गुलाब सिंह के ही आवेदन प्राप्त हुए। जिनसे कोई भी जमानत, धरोहर धनराशि नहीं ली गई। बिना धरोहर धनराशि के ही आवेदन मान्य कर दिया गया।
7. निविदा की शर्तों के अनुसार स्वीकृत ठेकेदार से कुल व्यय का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि अर्थात् ₹0 10,21,214.00 की जमानत नहीं ली गयी। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार जमानत धनराशि का 7 प्रतिशत अर्थात् ₹0 71,485.00 का स्टाम्प शुल्क भी जमा नहीं कराया गया जिससे राजस्व की क्षति भी पहुंचायी गयी।
8. पत्रावली में भुगतान से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल नहीं पाये गये। केवल एम0बी0 के आधार पर एवं कार्य प्रभारी की संस्तुति के आधार पर ठेकेदारों को भुगतान कराया गया।
9. पत्रावली में एम0बी0 त्रुटिपूर्ण/अवास्तविक प्रतीत हुयी। जिसमें कार्य की प्रारम्भ तिथि, समाप्त तिथि, एम0 बी0 करने की तिथि, कार्य प्रभारी का नाम व एम0बी0 करने वाले अधिकारी का नाम अपूर्ण पाये गये।
10. कार्य होने से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी पत्रावली में नहीं पाये गये।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त व्यय ₹0 1,02,12,148.00 उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए संबंधित ठेकेदार, संबंधित कार्य प्रभारी के साथ— साथ खण्ड विकास अधिकारी श्री केशव चन्द्र एवं तत्कालीन लेखाकार श्री कृष्ण कुमार मिश्रा तथा तत्कालीन जे0ई0 उत्तरदायी है। अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 05)

प्रस्तर -71 वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य वित्त/तेरहवां वित्त मद से विभिन्न निर्माण कार्यों पर क्रमशः ₹0 47,64,775.00 एवं ₹0 16,54,158.00 का व्यय क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

1. ग्राम पंचायतों के अन्दर कराये गये कार्यों की पुष्टि में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव (जिसके आधार पर क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराये गये हैं) पत्रावली में संलग्न नहीं है।
2. जिन ग्राम पंचायतों के अन्दर परिसम्पत्तियां सृजित की गयी। उससे सम्बन्धित सृजित परिसम्पत्ति पंजिका अप्रस्तुत रही। जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।
3. क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत सृजित की गयी परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित सृजित परिसम्पत्ति पंजिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।
4. उक्त कार्य हेतु खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से कोई भी निविदा सूचना जारी नहीं की गई। उक्त निविदा सूचना का विज्ञापन किस अखबार में प्रकाशित हुआ, पत्रावली से स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा टेन्डर प्रक्रिया का नियमानुसार पालन नहीं किया गया।
5. निविदा की शर्त 06 के अनुसार समस्त कार्यों से सम्बन्धित कार्य के पूर्व, कार्य के मध्य, तथा कार्य की समाप्ति से सम्बन्धित कोई भी फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी। अर्थात् कार्य होने की स्थिति संदिग्ध रही।
6. निर्माण कार्य से सम्बन्धित मात्र तीन ठेकेदार 1. श्री अजीत सिंह, 2. श्री अर्जुन सिंह, 3. श्री गुलाब सिंह के ही आवेदन प्राप्त हुए। जिनसे कोई भी जमानत, धरोहर धनराशि नहीं ली गई। बिना धरोहर धनराशि के ही आवेदन मान्य कर दिया गया।
7. पत्रावली में सामग्री क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक ठेकेदार के लटरपैड पर बनाये गये हैं। कार्य प्रभारी की संस्तुति के आधार पर लेटरपैड पर बने बिल के आधार पर ही समस्त भुगतान कराये गये। जोकि नियमानुसार सही नहीं है।
8. श्रमांश मद में समस्त भुगतान चेक द्वारा कार्य प्रभारी को बिनामस्टर रोल के आधार पर ही कर दिये गये। बिना मस्टर रोल के आधार पर समस्त भुगतान अपहृत रहा।
9. पत्रावली में एम0बी0 में कार्य की प्रारम्भ तिथि, समाप्त तिथि, एम0 बी0 करने की तिथि, कार्य प्रभारी का नाम व एम0बी0 करने वाले अधिकारी का नाम अपूर्ण पाये गये। अर्थात् त्रुटिपूर्ण/अवास्तविक एम0बी0 के आधार पर ही समस्त भुगतान कराये गये।
10. कार्य होने से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/डी0पी0सी0-09 संलग्न नहीं पाये गये।

अतः उपरोक्तानुसार—

(क) वर्ष 2015-16 में कुल व्यय रू0 47,64,775.00 में रू0 12,21,885.00 का अपहरण (बिना बिल/एम0आर0 के आधार पर भुगतान) एवं रू0 35,42,890.00 की वित्तीय अनियमितता रही। जिसके लिये जिसके लिए संबंधित ठेकेदार, संबंधित कार्य प्रभारी के साथ-साथ तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री केशव चन्द्र, श्री राम अवतार, श्री घनश्याम, तत्कालीन लेखाकार श्री कृष्ण कुमार मिश्रा, श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव तथा तत्कालीन जे0ई0 उत्तरदायी है।

(ख) वर्ष 2016-17 में कुल व्यय रू0 16,54,158.00 में से रू0 6,17,178.00 का अपहरण (बिना बिल/एम0आर0 के आधार पर भुगतान) एवं रू0 10,36,980.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिये जिसके लिए संबंधित ठेकेदार, संबंधित कार्य प्रभारी के साथ-साथ तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री केशव चन्द्र, श्री यशवन्त कुमार सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री पन्नालाल, श्री विजय प्रताप सिंह, श्री गया प्रसाद सिंह, तत्कालीन लेखाकार श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव तथा तत्कालीन जे0ई0 उत्तरदायी है।

जो उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड) तक, के अनुसार अपहरण/अनियमितता है। अपहृत धनराशि कुल रू0 18,39,063.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु तथा कुल रू0 45,79,870.00 की अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 06 अ व

06 ब)

प्रस्तर -72 वित्तीय वर्ष 2015-16 में चेक सं0 034772 दिनांक रहित से इनवर्टर तथा बैटरी क्रय का रू0 35800.00 का भुगतान किया गया है। जिसमें कोटेशन नहीं लिया गया है। संबंधित स्टॉक पंजिका अप्राप्त रही। क्रय से पूर्व की स्वीकृति से संबंधित प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी। अतः उपरोक्तानुसार रू0 35800.00 का व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम अवतार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री कृष्ण कुमार मिश्रा एवं श्री अखिलेश श्रीवास्तव उत्तरदायी है। अनियमित भुगतान हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 07)

प्रस्तर -73 वित्तीय वर्ष 2014-15 में बी0आर0जी0एफ0 योजना को छोड़कर कुल धनराशि रू0 1,45,32,500.00 के सापेक्ष रू0 1,02,12,148.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। शेष रू0 43,20,352.00 के व्यय से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली अप्राप्त रही। जो कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री केशव चन्द्र एवं लेखाकार श्री कृष्ण कुमार मिश्रा उत्तरदायी है। जिनसे अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 -08)

प्रस्तर -74 वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान पंजी-03 के अनुसार (बी0आर0जी0एफ0 योजनाको छोड़कर) कुल धनराशि रू0 73,97,929.00 के सापेक्ष कुल रू0 48,00,575.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। शेष रू0 25,97,354.00 के व्यय से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली अप्राप्त रही। जो कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) (क) से (ड) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री केशव चन्द्र, श्री राम अवतार एवं श्री घनश्याम तथा तत्कालीन लेखाकार श्री कृष्ण कुमार मिश्रा एवं श्री अखिलेश श्रीवास्तव उत्तरदायी है। जिनसे अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-09)

प्रस्तर -75 वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान पंजी-03 के अनुसार (बी0आर0जी0एफ0 योजना को छोड़कर) कुल धनराशि रू0 38,07,932.00 के सापेक्ष रू0 16,54,158.00 के व्यय से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। शेष रू0 21,53,774.00 के व्यय से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली अप्राप्त रही। जो कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री केशव चन्द्र, श्री यशवन्त कुमार सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री पन्नालाल, श्री विजय प्रताप सिंह एवं गया प्रसाद सिंह तथा तत्कालीन लेखाकार श्री कृष्ण कुमार मिश्रा एवं श्री अखिलेश श्रीवास्तव उत्तरदायी है। जिनसे अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-10)

क्षेत्र पंचायत – छपिया

प्रस्तर –76 वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹0 3,40,580.00 एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹0 7,32,452.00 कुल ₹0 10,73,032.00 श्रमांश का भुगतान श्रमिकों को न कर कार्य प्रभारियों को किया गया है। कार्य प्रभारी को भुगतान करने सम्बन्धी कोई आदेश/सर्कुलर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अवास्तविक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है। जो उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार अपहृत एवं अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विवेक तिवारी लेखाकार, श्री श्रीराम अवर अभियन्ता श्री अरविन्द एवं कार्यप्रभारी के साथ-साथ प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 03)

प्रस्तर –77 (क) वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में बैंक खाते में जमा अनुदान पर प्राप्त ब्याज क्रमशः ₹0 3,61,725.00, ₹0 3,61,725 व ₹0 2,16,725.00 सम्बन्धित अनुदानदाता/शासन को वापस नहीं कर वित्तीय अनियमितता की गई है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2013-14 में ब्याज की धनराशि ₹0 1,45,000.00 आहरित किया गया है, किन्तु उक्त के व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जिससे प्रतीत होता है कि ₹0 1,45,000.00 बैंक से आहरित कर अन्यत्र व्यय/अपहरण किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार उक्त अवधि में प्राप्त अनुदान पर ब्याज कुल ₹0 9,40,175.00 अनुदानदाता/शासन को वापस न किया जाना वित्तीय अनियमितता है। जबकि ₹0 1,45,000.00 का व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने के कारण धन अपहरण है। जिसके लिये सम्बन्धित ख0 वि0 अ0 श्री विवेक तिवारी व लेखाकार श्री श्रीराम उत्तरदायी है। जिसमें अपहृत धन की ब्याज सहित वसूली हेतु तथा वित्तीय अनियमितता ₹0 9,40,175.00 हेतु उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 04)

प्रस्तर –78 दि0 01.04.2011 को युवक/महिला दल योजना अन्तर्गत ₹0 48000.00 अवशेष दिनांक 31.03.2014 तक बैंक में निष्प्रयाज्य पड़ा रहा। जो शासन को वापस न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार अनियमित रहा। जिसके लिए सम्बन्धित श्री दुर्योधन खण्ड विकास अधिकारी व श्री श्रीराम लेखाकार उत्तरदायी है। वित्तीय अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 06)

प्रस्तर –79 वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹0 16,000.00 एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹0 32,000.00 बायोगैस अनुदान मद से आहरित किया गया है। जिसकी पुष्टि में लाभार्थियों की सूची/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार ₹0 48,000.00 अपहरण है। जिसके लिए सम्बन्धित श्री दुर्योधन व श्री दुर्योधन खण्ड विकास अधिकारी व श्री श्रीराम लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 07)

प्रस्तर –80 वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक क्रय की गयी सामग्री क्रमशः ₹0 19,74,170.00, ₹0 21,06,753.00 एवं ₹0 27,49,350.00 कुल 68,30,273.00 पर 4: की दर से कुल बैट ₹0 2,73,210.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। जो उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार अनियमित रहा। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर व श्री दुर्योधन एवं लेखाकार श्री

श्रीराम उत्तरदायी है। उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 08)

प्रस्तर —81 वित्तीय वर्ष 2011—12 से 2013—14 तक की अवधि में की गयी टी0डी0एस0 कटौती कुल रू0 1,28,576.00 राजकोष में जमा न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। जो उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार अनियमित रहा। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर व श्री दुर्योधन एवं लेखाकार श्री श्रीराम उत्तरदायी है। उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 09)

क्षेत्र पंचायत —झंझरी

प्रस्तर —82 वित्तीय वर्ष 2011—12, 2012—13 व 2013—14 में निर्माण कार्यों पर कुल रू0 23,79,075.00 मजदूरी/श्रमांश का भुगतान श्रमिकों को न कर कार्य प्रभारियों को किया गया है। पत्रावलियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाये गये उन पर मस्टर रोल नं0 अंकित नहीं है। मस्टर रोल पर अंगूठा निशानी अंकित है किन्तु प्रमाणित नहीं है। जहां कहीं हस्ताक्षर हैं वह मस्टर रोल निर्माता के हस्तलेख में हैं। कार्य पर लगे मजदूर किस गांव के हैं, यह भी उल्लेख नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल का भुगतान एक ही व्यक्ति को किया गया है। जो उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार अपहरण की श्रेणी में है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, श्री चन्द्रशेखर व श्री दुर्योधन जे0 ई0, श्री अरविन्द लेखाकार श्री श्रीराम एवं कार्यप्रभारी उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 03)

प्रस्तर —83 वित्तीय वर्ष 2011—12, 2012—13 व 2013—14 में टी0डी0एस0 कटौती क्रमशः रू0 1,46,684.00, रू0 3,47,476.00 व रू0 1,96,315.00 कुल रू0 6,90,475.00 जमा दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि में बैंक स्टेटमेंट/चालान/ दाखिल रिटर्न लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार टी0 डी0 एस0 कटौती फर्मों से कर राजकीय कोषागार में जमा न किया जाना उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अन्तर्गत अनियमितता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर व श्री दुर्योधन एवं लेखाकार श्री श्रीराम उत्तरदायी है। उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 04)

प्रस्तर —84 वित्तीय वर्ष 2011—12, 2012—13 व 2013—14 में क्रमशः रू0 31,01,815.00, रू0 45,50,624.00 व रू0 77,06,188.00 की सामग्री क्रय की गयी है। जिस पर 4: की दर से क्रमशः रू0 1,24,072.00, रू0 1,82,025.00 व रू0 3,08,247.00 वैट की कटौती नहीं की गयी है। जिससे कुल रू0 6,14,344.00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गई। जोकि वित्तीय अनियमितता है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अन्तर्गत अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर व श्री दुर्योधन एवं लेखाकार श्री श्रीराम उत्तरदायी है। उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 05)

प्रस्तर —85 वित्तीय वर्ष 2014—15 में निम्न निर्माण कार्यों से पर व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे—

गिर्द गोण्डा में गायत्रीपुरम में बाला जी के दुकान से मिश्रा जी के मकान तक इन्टर लांकिंग कार्य पर व्यय रू0 48,510.00।

गिर्द गोण्डा में गायत्रीपुरम में मायाराम चौहान के मकान से अशोक के मकान तक इन्टर लांकिंग कार्य पर सामग्री मूल्य रू0 300.00

जानकी नगर में जगराम सिंह के मकान से सांवल के मकान तक नाली निर्माण पर सामग्री मूल्य— रू0 1,30,964.00 इस प्रकार कुल रू0 1,79,774.00 के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जो कि उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत

एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम जी प्रमुख, श्री राजू कार्य प्रभारी, लेखाकार श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव एवं जे० ई० श्री राम मोहन उपाध्याय उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 04)

प्रस्तर—86 वित्तीय वर्ष 2014—15 में विभिन्न कार्यों पर कुल धनराशि रु० 10,15,124.00 श्रमांश पर भुगतान किया गया है। जिसके सापेक्ष मात्र रु० 9,02,684.00 का ही मस्टर रोल प्राप्त रहा, शेष भुगतानित धनराशि रु० 1,12,440.00 के मस्टर रोल अप्राप्त रहा। जो कि उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए सम्बन्धित श्री श्याम जी बी०डी०ओ०, श्री राजू प्रमुख, कार्य प्रभारी, श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार एवं श्री राम मोहन उपाध्याय जे०ई० उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 05)

प्रस्तर—87 वित्तीय वर्ष 2014—15 से 2016—17 की अवधि में निर्माण कार्यों में कुल रु० 35,69,390.00 श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके कार्य प्रभारी श्री रामनरेश यादव ए०डी०ओ० को रु० 15,89,873.00, श्री विजय कुमार सिंह (ग्रा०वि०अ०) को रु० 6,37,455.00, श्री सूर्यबक्श सिंह (ग्रा०वि०अ०) को रु० 6,67,638.00 तथा श्री कश्मीरी लाल त्रिपाठी को रु० 6,74,424.00 का भुगतान विभिन्न चेकों के माध्यम से किया गया है। उक्त व्यय धनराशि अवास्तविक मस्टर रोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। अतः उक्त शीर्ष में कुल भुगतान रु० 35,69,390.00 उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए सम्बन्धित श्री श्याम जी बी०डी०ओ०, श्री यगवन्ता कुमार कार्य प्रभारी, श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार एवं श्री राम मोहन उपाध्याय जे० ई० एवं श्री वतन सिंह प्रमुख उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 06)

प्रस्तर—88 वित्तीय वर्ष 2015—16 में धनराशि (व्याज की) रु० 26,708.00 खाते से आहरित कर ब्याज वापसी किया जाना दर्शित है। परन्तु ब्याज वापसी से संबंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे प्रतीत होता है कि रु० 26,708.00 बैंक से आहरित करके अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए श्री यशवन्त कुमार खण्ड विकास अधिकारी, श्री वतन सिंह प्रमुख एवं अखिलेश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 07)

प्रस्तर—89 दिनांक 01.04.2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत रु० 15,000.00 उपलब्ध था, जो दिनांक 31.03.2017 तक अनुपयोगित पड़ा रहा। संबंधित धनराशि को अनावश्यक रूप से खाते में रोककर एक तरफ जहाँ व्याज कमाया जाता रहा वहीं दूसरी तरफ धनराशि वापस न करके वित्तीय अनियमितता की गयी जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त वित्तीय अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 09)

प्रस्तर—90 पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत रु० 10,000.00 का व्यय वित्तीय वर्ष 2016—17 में किया जाना ग्राण्ट रजिस्टर—03 में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक/पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा। अतः अवास्तविक रूप से व्यय अंकन की धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए श्री श्याम जी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार अखिलेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 10)

प्रस्तर—91 वित्तीय वर्ष 2015—16 में विभिन्न तिथियों में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन निधि से कुल धनराशि रु० 44,700.00 आहरित किया गया है। जिसके व्यय/उपभोग के संबंध में कोई भी पत्रावली/प्रमाणक

अप्राप्त रही। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए श्री यशवन्त कुमार खण्ड विकास अधिकारी एवं अखिलेश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 11)

प्रस्तर-92 वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामग्री क्रय मूल्य के सापेक्ष काटा गया टी०डी०एस० की धनराशि रु० 49,775.00 है। जिसे ट्रजरी के माध्यम से राजकीय कोष में जमा किया जाना था परन्तु धनराशि रु० 49,775.00 राजकीय कोष में जमा न करके राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया। जो कि वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए श्री यशवन्त कुमार खण्ड विकास अधिकारी, जे०ई० राम मोहन उपाध्याय एवं श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी है। जिसके लिये उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 12)

प्रस्तर-93 वित्तीय वर्ष 2015-16 में बायोगैस अनुदान मद से रु० 50,000.00 अवास्तविक रूप से व्यय करके अपहरण कर लिया गया है। व्यय से सम्बन्धित लाभार्थियों की सूची व पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके लिए श्री यशवन्त कुमार खण्ड विकास अधिकारी, जे०ई० राम मोहन उपाध्याय एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 13)

प्रस्तर -94 वैट कटौती की निर्धारित दर 4: की दर से सामग्री क्रय पर काटी जानी चाहिए, जो नहीं काटी गयी। वर्ष 2014-15 में कटौती रु० 3,02,986.28 व 2015-16 में रु० 74,889.64 एवं 2016-17 में 86,461.20 कुल धनराशि रु० 4,64,337.12 की कटौती की जानी चाहिए। वैट कटौती न करके वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए श्री श्याम जी, यशवन्त कुमार खण्ड विकास अधिकारी, श्री राजू व श्री वतनसिंह प्रमुख एवं लेखाकार अखिलेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। जिसके लिये उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 15)

क्षेत्र पंचायत -पड़री कृपाल

प्रस्तर-95 वित्तीय वर्ष 2011-12 अनुदान पंजी भाग -2 के पृष्ठ सं० 25 पर बी० आर० जी० एफ० खाते में दिनांक 26.09.2013 को प्रा० अवशेष रु० 2,07,189.00 के स्थान पर रु० 2,06,189.00 दर्शित कर रु० 1,000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन श्री चन्द्रशेखर खन्ड विकास अधिकारी एवं श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 9)

प्रस्तर- 96 निम्नलिखित योजना की धनराशि को दूसरी योजना के शीर्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के स्थानान्तरित कर रु० 6,13,698.00 की अनियमितता की गयी है। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी, प्रमुख एवं लेखाकार उत्तरदायी है-

क्र०सं०	अनुदान पंजी / पृष्ठ सं०	दिनांक	योजना जिससे धनराशि स्थानान्तरित	योजना जिसमें धनराशि स्थानान्तरित	धनराशि
01	भाग-2 / 27	20.08.11	बी० आर०जी०एफ०	राज्य वित्त आयोग	21,160.00
02	भाग-2 / 20	20.08.11	बी० आर०जी०एफ०	रिसोर्स सेन्टर निर्माण	6,378.00
03	भाग-2 / 13	04.03.14	तेरहवाँ वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोग	1,50,000.00
04	भाग-2	31.03.12	राज्य वित्त	तेरहवाँ वित्त	4,15,000.

			आयोग	आयोग	00
05	भाग-2 / 27	20.08.11	बी0 आर0जी0एफ0	राज्य वित्त आयोग	21,160.00
				योग	6,13,698. 00

उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 10)

प्रस्तर—97 शासनादेश सं0-ए-1-122/10-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 के अनुसार शासन से प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याजों को राज्य सरकार की आय मानते हुये राजकीय कोषागार में जमा किया जाना चाहिये। वित्तीय वर्ष 11-12, 12-13 एवं 13- में शासन से प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज क्रमशः रु0 80,194.00, रु0 26,591.00 एवं रु0 81,599.00 कुल रु0 1,88,384.00 को राजकोष में न जमाकर एवं क्षेत्र पंचायत के कार्यों में प्रयुक्त कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन श्री चन्द्रशेखर खन्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 17)

प्रस्तर— 98 आलोच्य अवधि में राज्य वित्त आयोग/13वें वित्त आयोग/बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत सामग्री आपूर्ति प्राप्त कर भुगतान बिलों से टी0डी0एस0 की कटौती कर एस0बी0आई0 गोण्डा में विभिन्न तिथियों में कुल रु0 7,87,688.00 जमा दर्शित है। जिसकी पुष्टि में जमा प्रमाणकों की मूल कापी के स्थान पर फोटो कापी लगायी गयी है। जमा की पुष्टि में मूल प्रमाणक व बैंक पासबुक/स्टेटमेंट भी लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत कर रु0 7,87,688.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन श्री चन्द्रशेखर खन्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 18)

प्रस्तर— 99 वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत खैरा नई बस्ती में अयोध्या के घर से रेलवे चहार दीवारी तक सी0सी0 रोड का निर्माण दर्शाया गया है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री रहीमउल्लाह (ग्रा0पं0अ0) द्वारा रु0 3,21,919.00 का भुगतान प्राप्त कर निर्माण सामग्री क्रय एवं नकद मजदूरी का भुगतान किया गया है। जिसमें निम्न कमियां पायीं गयीं—

1. सामग्री क्रय का भुगतान नकद किया गया है।
2. मस्टररोल पर मजदूरों के भुगतान प्राप्ति पर हस्ताक्षर/नि0 अंगूठा एक व्यक्ति द्वारा किया गया प्रतीत होता है।
3. मस्टररोल पर क्रमांक अंकित नहीं है।
4. मस्टररोल पर हाजिरी लेने वाले के हस्ताक्षर नहीं है।

अतः रु0 3,21,919.00 का अवास्तविक भुगतान कर अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन श्री चन्द्रशेखर प्रसाद खन्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 19)

प्रस्तर—100 बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में मिश्रौलिया कानूनगो लोनियन पुरवा सम्पर्क मार्ग से बलि करन के घर के पास हरिजन वस्ती मिश्रौलिया कानूनगो छेदी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कराया गया है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री रहीम उल्लाह (ग्रा0पं0अ0) द्वारा रु0 16,47,817.00 का भुगतान प्राप्त कर निर्माण सामग्री क्रय एवं मजदूरी पर नकद भुगतान किया गया है। जिसमें निम्न कमियां पायीं गयीं—

1. सामग्री का भुगतान नकद धनराशि में किया गया है।
2. मस्टर रोल पर मजदूरों के भुगतान प्राप्ति पर हस्ताक्षर/नि0अ0 एक ही व्यक्ति का प्रतीत होता है।
3. मस्टररोल पर क्रमांक अंकित नहीं है।

अतः काल्पनिक भुगतान दर्शाकर रु0 16,47,817.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन श्री चन्द्रशेखर खन्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी

है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0

20)

प्रस्तर-101 वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत भदवा सोमवंशी के कुर्मीपुरवा में सी0सी0 रोड़ का निर्माण किया गया है। जिस हेतु कार्य प्रभारी श्री रहीम उल्लाह (ग्रा0पं0अ0) द्वारा अपने नाम से भुगतान प्राप्त कर विभिन्न तिथियों में कुल रू0 10,31,367.00 का नगद भुगतान निर्माण सामग्री क्रय तथा मजदूरों को किया गया है। उक्त निर्माण कार्य पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

1. उक्त कार्य हेतु टेण्डर/कोटेशन सम्बन्धी पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. सामग्री क्रय रू0 4,81,367.00 पर 2.24: की दर से टी0डी0एस0 रू0 10,782.00 तथा 4: की दर से वैट रू0 19,254.00 की कटौती न कर राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है।
3. मस्टर रोल पर मजदूरों के भुगतान प्राप्ति पर हस्ताक्षर/नि0अ0 भुगतान प्राप्त कर्ता का न होकर एक ही व्यक्ति का प्रतीत होता है।
4. मस्टर रोल पर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

अतः अवास्ताविक व्यय दर्शाकर रू0 10,31,367.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन श्री चन्द्रशेखर खन्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 21)

प्रस्तर-102 वित्तीय वर्ष 2011-12 में खन्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा निम्न विवरणानुसार प्रोजेक्ट/पत्रावली को उपलब्ध कराया गया।

क्र0सं0	प्रोजेक्ट का नाम	धनराशि
1.	कधरा तेजी मार्ग पक्की सड़क से निगवाबोध मार्ग पर निर्माण कार्य	7,49,099.00
2.	गोण्डा बलरामपुर मार्ग से बटवलिया मार्ग पर ब्लॉक कालोनी के पास आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	3,89,057.00
3.	ग्राम पंचायत सेमरादम्न में पंचायत सचिवालय निर्माण कार्य	14,83,171.00
4.	ग्राम पंचायत पड़रीबल्लभ में पंचायत सचिवालय निर्माण कार्य	14,83,171.00
5.	ग्राम पंचायत सिसउर अन्दूपुर में पंचायत सचिवालय निर्माण कार्य	14,83,171.00
6.	ग्राम पंचायत परसा सोहसा में पंचायत सचिवालय निर्माण कार्य	14,83,171.00
7.	सोनापार में प्रा0 स्कूल से गांव तक मिट्टी पटायी	1,15,200.00
योग		71,86,040.00

अनुदान पंजि-03 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कुल रू0 99,53,958.00 का व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष कुल 71,86,040.00 की ही पत्रावली प्रस्तुत की गयी। शेष रू0 27,67,918.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः बिना व्यय प्रमाणक के रू0 27,67,918.00 व्यय कर अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन श्री चन्द्रशेखर खन्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 22)

प्रस्तर-103 वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान पंजि-03 के अनुसार रू0 56,29,207.00 का व्यय दर्शाया गया है। जिसके सापेक्ष कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं करायी गयी। अतः उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड) तक, के अन्तर्गत अपहरित है। जिसके लिए तत्कालीन श्री चन्द्रशेखर खन्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 23)

प्रस्तर-104 वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त से गोण्डा बलरामपुर सड़क से बकठोरवा के बाबापुरवा मार्ग पर 3 कि0मी0 आ0सी0सी0 व पुलिया निर्माण कराया गया है। समस्त भुगतान कुल रू0 7,64,535.00 कार्य

प्रभारी श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी को चेक के माध्यम से किया गया है। श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी कार्य प्रभारी द्वारा सामग्री क्रय पर रू0 6,24,160.00 तथा मस्टर रोल पर रू0 1,40,375.00 का भुगतान किया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं –

1. क्रय सामग्री से सम्बन्धित बिल का क्रमांक 40, 41 व 42 रहा। जिससे स्पष्ट है कि समस्त बिल एक साथ लिये गये हैं। साथ ही समस्त सामग्री नकद क्रय की गई है। जो उनकी निष्ठा को संदिग्ध करती है।
2. समस्त मस्टर रोल कर्मांकित नहीं थे। जबकि मस्टर रोल क्षेत्र पंचायत स्तर से निर्गत व कर्मांकित होने चाहिये।
3. दिनांक 23.04.12 से 30.04.12 तक के मस्टर रोल पर कार्यस्थल का उल्लेख है, शेष मस्टर रोलों पर कार्यस्थल उल्लिखित नहीं है। साथ ही समस्त मस्टर रोलों पर श्रमिकों का केवल निशानी अंगूठा लगा है, जो एक ही व्यक्ति द्वारा लगाया गया प्रतीत होता है।
4. सहायक अभियन्ता द्वारा कार्यस्थल पर आपूर्ति सामग्री की एम0बी0 नहीं की गयी है जबकि उनके द्वारा श्री चौधरी के अग्रिम समायोजन हेतु प्रार्थना पत्र पर समायोजन की रिपोर्ट लगाकर पुनः अग्रिम देने की संस्तुति की गई है।
5. सामग्री क्रय हेतु टेन्डर/कोटेशन के माध्यम से नहीं किया गया है।
6. सामग्री क्रय भुगतान रू0 6,24,160.00 पर 2.24 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 रू0 13,981.00 की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य सम्बन्धित भुगतानों में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। जोकि उ0प्र0 क्षे0 पं0 एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रू0 7,64,535.00 अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन श्री चन्द्रशेखर प्रसाद खन्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी एवं श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 24)

प्रस्तर-105 वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त आयोग से कन्धरा मार्ग पक्की सड़क से बड़के निगवा बोध तक सम्पर्क मार्ग मिटटी/खड़जा निर्माण हेतु कार्य प्रभारी श्री रहीमउल्लाह (ग्रा0वि0अधिकारी) को कार्यादेश दिनांक 25.08.2011 द्वारा बनाया गया है। उक्त कार्य पर हुये व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. मनोज ईट भटठा को कोई क्रय आदेश नहीं किया गया था। कार्य प्रभारी के आदेश पर ईट की आपूर्ति की गयी है।
2. मनोज ईट भटठा द्वारा लेटर पैड पर रू0 3,31,200.00 एवं रू0 1,38,600.00 के दो बिल प्रस्तुत किए गए हैं। जो अवास्तविक है, जिसके आधार पर भुगतान करना वित्तीय अनियमितता है।
3. मस्टर रोलों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि कार्य प्रारम्भ 21.08.2011 को हुआ है, क्योंकि पत्रावली में संलग्न प्रथम तीन मस्टररोल पर 50 मजदूर दिनांक 21.08.2011 से 04.09.2011 तक उपस्थित दर्शाए गए हैं। जबकि कार्यादेश दिनांक 25.08.2011 को जारी किया गया है। स्पष्ट है कि कार्यादेश दिनांक 25.08.2011 के पूर्व दिनांक 21.08.2011 से दिनांक 24.08.2011 तक 50 मजदूरों की उपस्थिति दर्शाकर रू0 24,000.00 का अपहरण किया गया है।
4. एम0बी0 में दिनांक 04.10.2011 को कार्य पूर्ण होना दर्शाया गया है, जबकि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों पर क्रमांक 21 से 32 तक के मजदूर दिनांक 05.10.2011 को भी उपस्थित दर्शाये गये हैं। स्पष्ट है कि दि0 05.10.2011 को 12 मजदूरों की फर्जी रूप से उपस्थिति दर्शाकर रू0 1,440.00 का अपहरण किया गया है।
5. उपरोक्त कार्य हेतु रू0 4,69,800.00 की ईट क्रय की गयी थी। ईट की आपूर्ति बिना टेण्डर आमंत्रित किए एवं बिना क्रय आदेश जारी किए सीधे कार्य प्रभारी के आदेश पर आपूर्ति प्राप्त की गयी है।
6. मस्टररोलों पर कार्य प्रभारी द्वारा मजदूरों की दैनिक उपस्थिति दर्शाकर अपने हस्ताक्षर नहीं बनाए गए हैं। इससे मजदूरों की उपस्थिति की पुष्टि नहीं होती है।
7. मस्टररोल क्षेत्र पंचायत से निर्गत नहीं किए गए हैं। जबकि नियमानुसार मस्टररोल क्षेत्र पंचायत से निर्गत किया जाना चाहिए था। मस्टररोल पर क्रमांक अंकित नहीं है। जबकि क्रमांक अंकित होना चाहिए।
8. माप पुस्तिका में कार्य प्रारम्भ 06.09.2011 दर्शित है। जबकि मस्टररोल पर कार्य 21.08.2011 से दर्शित है।

9. मस्टररोल पर क्रमांक 1 से 20 मजदूर दर्शित में दिनांक 27, 28, 29, 30 सितम्बर एवं 03, 04 अक्टूबर पर उपरिलेखन करके बनाया गया है।

अतः उ0प्र0 क्षे0 पं0 एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत क्रमांक 03 पर दर्शित व्यय रु0 24,000.00 अपहरण तथा शेष धन रु0 4,69,800.00 का व्यय अनियमित रहा जिसके लिए खन्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, लेखाकार श्री अखिलेश श्री वास्तव एवं कार्य प्रभारी श्री रहीमउल्लाह उत्तरदायी हैं। अतः अपहरण रु0 24000.00 के लिए खन्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, लेखाकार श्री अखिलेश श्री वास्तव, अवर अभियन्ता श्री आर0 एम0 उपाध्याय एवं कार्य प्रभारी श्री रहीमउल्लाह उत्तरदायी हैं। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु तथा वित्तीय अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 25)

प्रस्तर -106 वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायत परसा सोहसा में बी0आर0जी0एफ0 मद से क्षेत्र पंचायत द्वारा सचिवालय भवन निर्माण कराया गया है। जिस पर कुल रु0 14,83,171.00 व्यय किया गया दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयीं-

1. निर्माण कार्य पर कुल रु0 12,58,561.00 सामग्री पर व्यय किया गया है, जिसमें से केवल ईंट क्रय हेतु कोटेशन प्राप्त किया गया है। अन्य सामग्री बिना कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन किए ही क्रय की गयी है। इस प्रकार वित्तीय नियमों का पालन न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है।
2. कुल सामग्री भुगतान रु0 12,58,561.00 में से रु0 4,77,350.00 का भुगतान पार्टी को क्षेत्र पंचायत स्तर से किया गया है। शेष रु0 7,81,211.00 श्री रहीमउल्लाह (ग्राम वि0 अधिकारी) कार्य प्रभारी को अग्रिम के रूप में किया गया है। जिसका भुगतान श्री रहीमउल्लाह द्वारा पार्टी को नकद किया गया है। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।
3. श्री रहीम उल्लाह द्वारा पार्टी से लेटर पैड पर बिल प्राप्त किया गया है। जिस पर टिन नं0 अंकित नहीं है।
4. ईंट क्रय से सम्बन्धित जो बिल क्षेत्र पंचायत द्वारा मनोज ईंट भटठा को भुगतान किया गया है, वह भी पार्टी द्वारा लेटर पैड पर प्रस्तुत किया गया है, जो अवास्तविक है।
5. पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल दिनांक 18.12.2011 से 31.12.2011 तक का है। जबकि कार्य प्रभारी श्री रहीमउल्लाह द्वारा दिनांक 02.01.12 एवं 03.01.12 को नकद सामग्री क्रय की गयी, तो दि0 03.01.2012 को कार्य कैसे समाप्त हो गया।

अतः उ0प्र0 क्षे0 पं0 एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु0 14,83,171.00 का व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन श्री चन्द्रशेखर प्रसाद खन्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी एवं श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 26)

प्रस्तर -107 वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायत सिसउर अन्दूपुर में बी0आर0जी0एफ0 मद से क्षेत्र पंचायत द्वारा सचिवालय भवन निर्माण कराया गया है जिस पर कुल रु0 14,83,171.00 व्यय किया गया दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयीं-

1. निर्माण कार्य पर कुल रु0 12,58,561.00 सामग्री पर व्यय किया गया है, जिसमें से केवल ईंट क्रय हेतु कोटेशन प्राप्त किया गया है। अन्य सामग्री बिना कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिय 1 का पालन किए ही क्रय की गयी है। इस प्रकार वित्तीय नियमों का पालन न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है।
2. कुल सामग्री भुगतान रु0 12,58,561.00 में से रु0 4,77,350.00 का भुगतान पार्टी को क्षेत्र पंचायत स्तर से किया गया है। शेष रु0 7,81,211.00 श्री रहीमउल्लाह (ग्राम वि0 अधिकारी) कार्य प्रभारी को अग्रिम के रूप में किया गया है। जिसका भुगतान श्री रहीमउल्लाह द्वारा पार्टी को नकद किया गया है। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।
3. श्री रहीम उल्लाह द्वारा पार्टी से लेटर पैड पर बिल प्राप्त किया गया है। जिस पर टिन नं0 अंकित नहीं है।
4. ईंट क्रय से सम्बन्धित जो बिल क्षेत्र पंचायत द्वारा मनोज ईंट भटठा को भुगतान किया गया है, वह भी पार्टी द्वारा लेटर पैड पर प्रस्तुत किया गया है जो वास्तविक बिल नहीं है। लेटर पैड पर भुगतान किया जाना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

5. पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल दिनांक 18.12.2011 से 31.12.2011 तक का है। जबकि कार्य प्रभारी श्री रहीमउल्लाह द्वारा दिनांक 02.01.12 एवं 03.01.12 को नकद सामग्री क्रय की गयी, तो दि० 03.01.2012 को कार्य कैसे समाप्त हो गया, क्योंकि अन्तिम मस्टर रोल 18.12.11 से 31.12.11 के लगाये गये हैं।

अतः उ० प्र० १० एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु० 14,83,171.00 का व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन तत्कालीन श्री चन्द्रशेखर प्रसाद खन्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी एवं श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 27)

प्रस्तर-108 वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायत सेमरा दम्भन में बी०आर०जी०एफ० मद से क्षेत्र पंचायत द्वारा सचिवालय भवन निर्माण कराया गया है जिस पर कुल रु० 14,83,171.00 व्यय किया गया दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयीं—

1. निर्माण कार्य पर कुल रु० 12,58,561.00 सामग्री पर व्यय किया गया है, जिसमें से केवल ईंट क्रय हेतु कोटेशन प्राप्त किया गया है। अन्य सामग्री बिना कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन किए ही क्रय की गयी है। इस प्रकार सामग्री क्रय में वित्तीय अनियमितता की गयी है।
2. कुल सामग्री भुगतान रु० 12,58,561.00 में से रु० 4,77,350.00 का भुगतान पार्टी को क्षेत्र पंचायत स्तर से किया गया है। शेष रु० 7,81,211.00 श्री रहीमउल्लाह (ग्राम वि० अधिकारी) कार्य प्रभारी को अग्रिम के रूप में किया गया है। जिसका भुगतान श्री रहीमउल्लाह द्वारा पार्टी को नकद किया गया है। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।
3. श्री रहीम उल्लाह द्वारा पार्टी से लेटर पैड पर बिल प्राप्त किया गया है। जिस पर टिन नं० अंकित नहीं है।
4. ईंट क्रय से सम्बन्धित जो बिल पर मनोज ईंट भट्टा को भुगतान किया गया है, वह भी पार्टी द्वारा लेटर पैड पर प्रस्तुत किया गया है, जो कि वास्तविक बिल नहीं है। लेटर पैड पर भुगतान किया जाना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।
5. पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल दिनांक 18.12.2011 से 31.12.2011 तक का है। जबकि कार्य प्रभारी श्री रहीमउल्लाह द्वारा दिनांक 02.01.12 एवं 03.01.12 को नकद सामग्री क्रय की गयी, तो दि० 03.01.2012 को कार्य कैसे समाप्त हो गया एवं बिना सामग्री कार्य कैसे पूर्ण किया गया।

अतः उ० प्र० १० एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु० 14,83,171.00 का व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन श्री चन्द्रशेखर प्रसाद खन्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी एवं श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०-28)

प्रस्तर -109 वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायत पड़री बल्लभ में बी०आर०जी०एफ० मद से क्षेत्र पंचायत द्वारा सचिवालय भवन निर्माण कराया गया है। जिस पर कुल रु० 14,83,171.00 व्यय किया गया दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयीं—

1. निर्माण कार्य पर कुल रु० 12,58,561.00 सामग्री पर व्यय किया गया है, जिसमें से केवल ईंट क्रय हेतु कोटेशन प्राप्त किया गया है। अन्य सामग्री बिना कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन किए ही क्रय की गयी है।
2. कुल सामग्री भुगतान रु० 12,58,561.00 में से रु० 4,77,350.00 का भुगतान पार्टी को क्षेत्र पंचायत स्तर से किया गया है। शेष रु० 7,81,211.00 श्री रहीमउल्लाह (ग्राम वि० अधिकारी) कार्य प्रभारी को अग्रिम के रूप में किया गया है। जिसका भुगतान श्री रहीमउल्लाह द्वारा पार्टी को नकद किया गया है।
3. श्री रहीम उल्लाह द्वारा पार्टी से लेटर पैड पर बिल प्राप्त किया गया है। जिस पर टिन नं० अंकित नहीं है।
4. ईंट क्रय से सम्बन्धित जो भुगतान किया गया है, उसके भुगतान हेतु पार्टी द्वारा लेटर पैड पर बिल बनाकर प्रस्तुत किया गया है।
5. पत्रावली में संलग्न अन्तिम मस्टर रोल दिनांक 18.12.2011 से 31.12.2011 तक का है। जबकि कार्य प्रभारी श्री रहीमउल्लाह द्वारा दिनांक 02.01.12 एवं 03.01.12 को नकद भुगतान कर सामग्री क्रय की गयी। अतः बिना सामग्री के दिनांक 31.12.2011 को कार्य कैसे समाप्त कराया।

अतः उ०प्र० क्षेत्र पं० एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु० 14,83,171.00 का व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन श्री चन्द्रशेखर प्रसाद खन्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी एवं श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 29)

प्रस्तर-110 वर्ष 11-12 में भदवा सोमवंशी के कुर्मीपुरवा में क्षेत्र पंचायत द्वारा बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत सी०सी० रोड का निर्माण कराया गया है। जिस पर रु० 8,42,887.00 सामग्री मद में तथा रु० 23,600.00 मिटटी क्रय पर एवं रु० 1,64,880.00 मजदूरी पर, इस प्रकार कुल रु० 10,31,367.00 का व्यय किया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. सामग्री क्रय हेतु कोई टेण्डर आमन्त्रित नहीं किया गया है। समस्त सामग्री कार्य प्रभारी श्री रहीमउल्लाह को अग्रिम देकर नकद क्रय किया गया है।
2. सामग्री आपूर्ति हेतु पार्टी को कोई क्रय आदेश जारी नहीं किया गया है।
3. मस्टररोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर तथा निशानी अगूँठा एक ही व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं।
4. समस्त भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। कार्य प्रभारी द्वारा पार्टी एवं श्रमिकों को नकद भुगतान किया गया है।
5. कार्य प्रभारी को बियरर चेक से भुगतान किया गया है।
6. कुल भुगतान रु० 10,31,367.00 में से रु० 9,50,000.00 जिला पंचायत से बी०आर०जी०एफ० योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी। शेष रु० 81,367.00 का भुगतान राज्य वित्त से किया गया है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि कार्य करने में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया है जो उ०प्र० क्षेत्र पं० एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत रु० 10,31,367.00 का व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन श्री चन्द्रशेखर प्रसाद खन्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी एवं श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 30)

प्रस्तर-111 वर्ष 11-12 में ग्राम चिलबिला खत्तीपुर डिहवा से शिवपुर सरहद मार्ग पर 3 कि०मी० आर० सी० व पुलिया का निर्माण कराया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. सामग्री क्रय हेतु कोई टेण्डर आमन्त्रित नहीं किया गया है।
2. सामग्री क्रय रु० 6,23,872.00 श्री निवास विल्डिंग मटेरियल से कार्य प्रभारी श्री रहीमुल्लाह द्वारा नकद किया गया है।
3. मस्टररोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर तथा निशानी अगूँठा एक ही व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं।
4. समस्त भुगतान कार्य प्रभारी श्री रहीमउल्लाह को किया गया है। जिसमें से रु० 6,50,000.00 अग्रिम के रूप में तथा रु० 1,10,912.00 का भुगतान कार्य समाप्ति पर किया गया है।
5. कार्य प्रभारी को वीयरर चेक से भुगतान किया गया है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि कार्य करने में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया है जो उ०प्र० क्षेत्र पं० एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत कुल रु० 7,60,912.00 का व्यय अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन श्री चन्द्रशेखर प्रसाद खन्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी एवं श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 31)

प्रस्तर -112 वर्ष 13-14 में खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं की पत्रावली उपलब्ध करायी गयी—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	धनराशि
1—	मिश्रौलिया कानूनगो लोनियनपुरवा सम्पर्क मार्ग से बलिकरन के घर के पास हरिजन बस्ती मिश्रौलिया कानूनगो छेदी केघर तक।	16,47,820.00
2—	खैरा नई बस्ती अयोध्या के घर से रेलवे चहारदीवारी तक सी०सी० रोड।	3,26,748.00
3—	पटखौली गौव में रामचरित्र वर्मा के घर से सम्पर्क मार्ग तक सी०सी० रोड।	4,93,245.00

- 4- चिलबिला खत्तीपुर में रामफेर के खेत से खैरा प्रसाद के खेत तक सी0सी0 रोड। 6,59,037.00
 5- चिलबिला खत्तीपुर में देवांश पाण्डेय के घर से हवलदार के खेत तक सी0सी0 रोड। 9,87,989.00
 6- खैरा में सर्वजीत के घर के पीछे से सीताराम दूबे के घर होते हुए देवेन्द्र शर्मा के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण। 13,14,415.00

7-भीटी पटखौली में भटवल गांव में रामनरेश के घर से विद्याशंकर के घर तक सी0सी0रोड। 1143353.00

योग-65,72,607.00

अनुदान पंजी-3 के सनुसार द्वारा क्षेत्र पंचायत द्वारा कुल रु0 3,04,83,355.00 का व्यय किया गया, जिसके सापेक्ष रु0 65,72,607.00 की पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी। अन्तर रु0 2,39,10,748.00 के व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः उ0 प्र0 क्षे0 पं0 एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत रु0 2,39,10,748.00 का अपहरण रहा। जिसके लिए तत्कालीन श्री चन्द्रशेखर प्रसाद खन्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी एवं श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव लेखाकार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 32)

प्रस्तर-113 लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 में कुल रु0 1,26,38,116.00 व्यय किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। बिना व्यय प्रमाणक के रु0 1,26,38,216.00 व्यय कर अपहरण किया गया है। जिसके लिए श्री केशव चन्द/श्री चन्द्र शेखर खन्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 -2)

प्रस्तर -114 लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 में कुल रु0 36,81,397.00 व्यय किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। बिना व्यय प्रमाणक के रु0 36,81,397.00 व्यय कर अपहरण किया गया है। जिसके लिए श्री यशवन्त कुमार सिंह/श्री कर्ताराम खन्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 -3)

प्रस्तर-115 लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में कुल रु0 27,51,284.00 व्यय किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक/निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। बिना व्यय प्रमाणक के रु0 27,51,284.00 व्यय कर अपहरण किया गया है। जिसके लिए श्री कर्ताराम/श्री पन्नालाल खन्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0

-4)

क्षेत्र पंचायत- इटियाथोक

प्रस्तर-116 क्षेत्र पंचायत इटियाथोक के सर्व यू0पी0 ग्रामीण बैंक के खाता सं0 90751700029057 से दिनांक 23.08.2011 को रु0 6,000.00 चेक सं0 664514 से न्यू कानपुर आटो रिपेयर को भुगतान किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः प्रमाणक विहीन व्यय रु0 6,000.00 का अपहरण किया गया। जिसके लिए खन्ड विकास अधिकारी श्री श्याम जी एवं लेखाकार श्री श्याम किशोर उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 4)

प्रस्तर-117 वर्ष 2011-12 में विकास खण्ड कार्यालय की रंगाई पुतायी हेतु सामग्री क्रय का किसान सीमेंट स्टोर, इटियाथोक को चेक सं0 00570 दिनांक 28.03.2012 को टी0डी0एस0 कटौती रु0 2,363.00 के उपरान्त रु0 1,05,513.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान पर निम्न आपत्तियां पायी गयीं-

1. पत्रावली में कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि अंकित नहीं है।
2. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पर कार्य प्रभारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

3. उक्त भुगतान के सापेक्ष आपूर्ति किए गए सामानों की पुष्टि तत्कालीन अवर अभियन्ता द्वारा नहीं की गयी है।

उपर्युक्त के आधार पररू0 1,05,513.00 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री प्रभाकर शुक्ल (ग्रा0वि0अ0), श्री एस0के0 पाण्डेय लेखाकार एवं श्री लखई प्रसाद खन्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख श्रीमती गुलबहार उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 5)

प्रस्तर-118 लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में सामग्री क्रय पर कुल रू0 11,77,729.00 का व्यय दर्शाया गया है। जिस पर 4: की दर से रू0 47,109.00 वैट की कटौती न कर राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। जोकि वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए खन्ड विकास अधिकारी श्री श्याम जी, श्री चन्द्र शेखर प्रसाद, श्री विवेक त्रिपाठी एवं श्री लखई प्रसाद एवं लेखाकार श्री एस0के0 पाण्डेय उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 6)

प्रस्तर-119 लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में अनुदान पंजि-03 के अनुसार सामग्री क्रय पर रू0 11,77,729.00 व्यय किया गया दर्शित है। जिस पर 2.24: की दर से से टी0डी0एस0 की कटौती रू0 26,379.00 की गयी है। लेकिन राजकोष में रू0 26,379.00 न जमा कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खन्ड विकास अधिकारी लखई प्रसाद एवं लेखाकार श्री एस0के0 पाण्डेय उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 7)

प्रस्तर-120 वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त एवं 13 वॉ वित्त आयोग मद के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर सामग्री अंश में रू0 29,29,361.00 तथा श्रमांश मद में रू0 7,07,740.00 कुल 36,37,101.00 का भुगतान दर्शित है। समस्त श्रमांश की धनराशि में से श्री राकेश श्रीवास्तव, ग्रा0वि0अ0 को रू0 1,00,100.00, श्री दिनेश चन्द्र, ग्रा0वि0अ0 को रू0 1,69,950.00, श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव ग्रा0वि0अ0 को रू0 70,000.00, श्री हीरालाल यादव, ग्रा0वि0अ0 को रू0 99,150.00, श्री गणराज सिंह, ग्रा0वि0अ0 को रू0 2,00,000.00 का भुगतान किया गया है तथा सामग्री अंश के सापेक्ष भुगतान सम्बन्धित फर्मों को दर्शित है। जिस पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं—

1. पत्रावली में जो मस्टर रोल संलग्न है, उस पर क्रमांक अंकित नहीं हैं। जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल विकास खन्ड कार्यालय से निर्गत नहीं है तथा मस्टर रोल पर निशानी अंगूठा एक ही व्यक्ति का प्रतीत होता है। मजदूर किस गांव के निवासी हैं, का उल्लेख मस्टररोल पर नहीं है।
2. श्रमांश मद में चेक सं0 007706 दिनांक 07.09.2012 द्वारा रू0 60,000.00 का भुगतान श्री दिनेश चन्द्र ग्रा0वि0अ0 को निर्गत किया गया है। लेकिन बैंक विवरण के अनुसार दिनांक 12.09.2012 को उक्त धनराशि का भुगतान श्री हसनरजा के नाम है।
3. सामग्री आपूर्ति बिना कोटेशन के की गयी है।
4. सामग्री क्रय के समस्त प्रमाणक लेटरपैड/कैश मेंमों पर है। सामग्री आपूर्ति कार्य प्रभारियों द्वारा फर्म को मांगपत्र निर्गत नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सामग्री क्रय में व्यय रू0 29,29,361.00 एवं श्रमांश मद में रू0 5,37,790.00 कुल 34,67,151.00 की वित्तीय अनियमितता एवं श्रमांश में रू0 1,69,950.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए सम्बन्धित कार्य प्रभारी, लेखाकार, जे0ई0, खन्ड विकास अधिकारी, एवं प्रमुख उत्तरदायी है। उत्तरदायी से अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली एवं वित्तीय अनियमितता हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 8,9,10,12,13,16,19,20)

प्रस्तर-121 लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 में विकास खण्ड कार्यालय की साज सज्जा/फर्नीचर आदि क्रय पर रू0 4,43,903.00 का व्यय दर्शित है। जिसमें से रू0 3,29,489.00 के फर्नीचर आदि खरीद पंचायत उद्योग मनकापुर से की गयी हैं। जिस पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं—
क्र0सं0 दिनांक बिल विवरण मात्रा दर मूल्य बेट योग टी0डी0एस0 शुद्ध धनराशि

01.12.2012	405	कुर्सी सागौन	35	2360	82600	11564	94164	1875	92289

07.12.2012	406	कुर्सी सागौन	25	2360	59000				
		मेज सनमाइका	2	5800	11600	11428	93053	1852	91201
		मैट	9	1225	11025				
17.12.2012	408	मेज मी0हाल हेतु	1	99800	99800	13972	113772	2265	111507
21.12.2012	411	सागौनकुर्सी गद्दीदार	5	5000	25000	3500	28500	—	28500
		योग				329489	5992		323497

1. पत्रावली में कार्यादेश का प्रस्ताव संलग्न नहीं है।

2. क्रमांक 4 पर दर्शित खरीद पर टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गयी है।

3. उपरोक्त खरीद पर नियमानुसार वैट की कटौती नहीं की गयी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्नीचर खरीद रु0 3,29,489.00 में वित्तीय नियमों की अवहेलना की गयी है। जिसके लिए प्रमुख श्रीमती गूल बहार, खन्ड विकास अधिकारी श्री अमजद अली अंसारी, कैशियर श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, लेखाकार श्री ए0 के0 पाण्डेय उत्तरदायी है। वित्तीय अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 11)

प्रस्तर—122 वर्ष 2012—13 में गनेशग्रन्ट में पिचरोड अखिलेश पाण्डेय के घर तक इन्टर लाकिंग कार्य पर सामग्री पर रु0 6,35,774.00 तथा श्रमांश पर रु0 94,720.00 कुल रु0 6,35,774.00 का व्यय दर्शाया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियां हैं—

1. इण्टर लाकिंग ईट की आपूर्ति हेतु मो0 परवेज ठेकेदार का कोटेशन स्वीकृत था। इस फर्म से रु0 1,74,700.00 की इण्टर लाकिंग ईट क्रय की गयी है। किन्तु बाद में नव भारत इन्टर प्राइजेज से रु0 1,41,681.00 की इण्टर लाकिंग ईट क्रय की गयी है। जोकि आपत्तिजनक है।

2. ईट आपूर्ति हेतु कोटेशन आजाद ईट भट्टा का स्वीकृत था एवं शुरू में रु0 53,253 की ईट क्रय की गयी है। किन्तु बाद में श्याम ईट भट्टा से रु0 47,778.00 की ईट खरीद की गयी, जोकि आपत्तिजनक रहा।

3. सामग्री आपूर्ति हेतु फर्मों को मांगपत्र निर्गत नहीं किया गया है।

इस प्रकार अवास्तविक प्रमाणक लगाकर रु0 1,41,681.00 को इण्टर लाकिंग ईट तथा रु0 47,778.00 की ईट कुल रु0 1,89,459.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री राजीव कुमार यादव ग्रा0वि0अ0, आर0एम0 उपाध्याय अवर अभियन्ता (जे0ई0आर0ई0डी0) लेखाकार श्री एस0के0 पाण्डेय एवं खन्ड विकास अधिकारी श्री अमजद अली अंसारी व प्रमुख श्रीमती गुलबहार उत्तरदायी है। उत्तरदायी से अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 17)

प्रस्तर—123 वर्ष 2012—13 में विकास खण्ड कार्यालय से सटे बाथरूम एवं शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय पर रु0 26,643.00 एवं श्रमांश पर रु0 27,154.00 कुल रु0 53,797.00 व्यय दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्तियां हैं—

1. खान हार्डवेयर प्लाई एवं पेन्ट हाउस के बिल सं0 75 दिनांक 6.08.2012 रु0 22,093.00 एवं बिल सं0 76 दिनांक 06.08.2012 रु0 4,550.00, जो वेंटीलेटर एवं दरवाजा क्रय से सम्बन्धित है, का कोटेशन तीन फर्मों से प्राप्त नहीं किया गया है।

2. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर कार्य प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं है।

3. मस्टर रोलों पर मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं है।

4. मस्टररोल विकास खन्ड कार्यालय से निर्गत नहीं है।

5. पत्रावली में रु0 9,050 का मस्टर रोल संलग्न है एवं 18 ट्राली मिट्टी दर 375/ट्राली से रु0 4,750.00 किसान ब्रिक्स फील्ड को रु0 4,257.00 एवं किसान ट्रेडर्स को रु0 7,097.00 कुल रु0 27,154.00 का भुगतान दिनांक 07.09.2012 को चेक सं0 07711 से श्री दिनेश चन्द्र ग्रा0पं0अ0 को किया गया है। किन्तु बैंक विवरण पत्र के अनुसार चेक सं0 07711 का भुगतान श्री हसनरजा को दिनांक 15.09.2012 का किया गया है। इस प्रकार मजदूरी का भुगतान किसी तीसरे व्यक्ति को किया गया है।

6. समस्त भुगतान पर व की वैट एवं टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शौचालय एवं बाथरूम का कार्य नहीं कराया गया है तथा अवास्तविक प्रमाण संलग्नकर रु0 53,797.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री दिनेश चन्द्र ग्रा0पं0अ0, लेखाकार श्री ए0के0 पाण्डेय, ख0वि0अ0 श्री अमजद अली अंसारी, तत्कालीन अवर

अभियन्ता लघु सिंचाई व प्रमुख श्रीमती गुलबहार उत्तरदायी है। उत्तरदायी से अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 18)

प्रस्तर-124 वर्ष 2012-13 में 13वाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत सामग्री क्रय के अन्तर्गत 28,38,868.00 व्यय किया गया है। जिस पर 2.27: की दर से रु0 64,442.00 टी0डी0एस0 आकलित किया गया है। किन्तु पत्रावली में संलग्न प्रमाणकों पर जो टी0डी0एस0 कटौती की गयी है। वह धनराशि रु0 64,124.00 है।

जबकि संस्था द्वारा एस0 बी0 आई0 गोण्डा में चेक सं0 007744 से दिनांक 23.03.13 को रु0 55,194.00 जमा किया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा रु0 318.00 सम्बन्धित फर्मों से कम कटौती की गयी है तथा रु0 9,248.00 टी0डी0एस0 कम जमाकर राजस्व की क्षति की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन श्री अमजद अली अंसारी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। वित्तीय अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा0 आ0सं0 21)

प्रस्तर-125 वर्ष 12-13 में राज्य वित्त एवं तेरहवाँ वित्त आयोग योजनान्तर्गत सामग्री क्रय पर व्यय क्रमशः रु0 26,80,566.00 तथा रु0 28,38,866.00 का 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती क्रमशः 1,07,222.00 तथा रु0 1,13,555.00 कुल रु0 2,20,777.00 नहीं की गयी है।

अतः सम्बन्धित फर्मों से वैट रु0 2,20,777.00 की कटौती न कर राजस्व की क्षति की गयी है। जिसके लिए सम्बन्धित श्री अमजद अली अंसारी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस वित्तीय अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0 आ0सं0 15, 22)

प्रस्तर-126 वर्ष 2012-13 में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत चुरिहारपुर में भदोहा तालाब से रफीउल्ला के घर तक सी0सी0रोड निर्माण पर सामग्री पर रु0 8,70,027.00 तथा श्रमांश पर रु0 1,18,425.00 कुल रु0 9,88,452.00 व्यय किया गया। जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. ईट आपूर्ति हेतु तीन फर्मों के कोटेशन पत्रावली में संलग्न है। उनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कार्य प्रभारी द्वारा यह स्वयं बनाया गया है। जोकि आपत्तिजनक है।
2. सीमेंट, मोरंग, बालू, पत्थर गिटटी हेतु प्राप्त कोटेशन एक ही व्यक्ति द्वारा बनाया गया है। यहाँ तक कि नेशनल ट्रेडर्स इंटियाथोक के कोटेशन पर प्रोपराईटर के हस्ताक्षर नहीं है।
3. किसान ट्रेडर्स इंटियाथोक द्वारा सामग्री आपूर्ति के पक्ष में जो बिल प्रस्तुत किया गया। वे क्रमशः दि0 21.12.12 को बिल सं0 501, दि0 27.12.12 को बिल सं0 503, दि0 04.01.13 को बिल सं0 502, दि0 13.02.13 को बिल सं0 505, दि0 28.01.13 को बिल सं0 377 तथा दि0 23.02.13 को बिल सं0 506 रहे। जिससे स्पष्ट है कि समस्त बिल पर आपूर्ति अवास्तविक रहे।
4. मजदूरों के अंगूठा निशान को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा अपने हाथ की पांचों अंगुलियों का प्रयोग किया गया है।
5. समस्त मस्टररोल के क्रमांक क्रमशः होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त मस्टररोल एक ही दिन में एक साथ विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त किए गए हैं।
6. दिनांक 26.12.2012 को श्री दिनेशचन्द्र कार्य प्रभारी को चेक सं0 312115 द्वारा रु0 80,000.00 का भुगतान छोटी मोटी सामग्री को क्रय करने हेतु किया गया था। जिसके समायोजन कार्य प्रभारी द्वारा मस्टररोल के सापेक्ष किया गया है। जो नियमों के विपरीत रहा।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त परियोजना पर वास्तविक रूप से कार्य ही नहीं कराया गया। अतः अवास्तविक कार्य दर्शाकर रु0 9,88,452.00 का व्यय उ0प्र0 क्षे0 पं0 एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत रु0 9,88,452.00 की धनराशि अपहरित रही। जिसके लिए ख0 वि0 अधिकारी श्री अमजद अली अंसारी, लेखाकार श्री एस0 के0 पाण्डेय, अवर अभियन्ता श्री आर0 एम0 उपाध्याय एवं कार्य प्रभारी श्री दिनेशचन्द्र उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी से अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 23)

प्रस्तर-127 वर्ष 2012-13 व 2013-14 में विधायक निधि मद में निर्माण कार्यों पर (क्रमांक 5 व 11 को छोड़कर) सामग्री अंश में रु0 26,55,710.00 तथा श्रमांश मद में रु0 7,96,131.00 कुल रु0 34,51,841.00

व्यय दर्शित है। जिसमें श्रमांश मद की धनराशि में से श्री राकेश कुमार तिवारी ग्राम विकास अधिकारी को रु0 2,12,870.00, श्री राजीव कुमार यादव ग्रा0 वि0 अ0 को रु0 1,90,907.00, श्री प्रभाकर शुक्ल ग्रा0वि0 अ0 को रु0 1,67,216.00, श्री राम प्रकाश मौर्य ,ग्रा0वि0अ0 को रु0 1,43,024.00 तथा श्री सीताराम तिवारी ग्रा0वि0अ0 को रु0 82,114.00 का भुगतान किया गया है तथा सामग्री अंश का समस्त भुगतान सम्बन्धित फर्मों को दर्शित है। उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

(अ) मस्टर रोल सम्बन्धी—

- 1— पत्रावली में संलग्न अधिकांश मस्टररोलों पर तिथि अंकित नहीं है ।
- 2— मस्टररोलों पर मजदूरों के निवास स्थान का उल्लेख नहीं है। मजदूरों के हस्ताक्षर को प्रमाणित नहीं किया गया है तथा मस्टररोलों पर क्रमांक अंकित नहीं है। मस्टररोल पर लगाए गए अंगूठा निशान एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते हैं।
- 3— वर्ष 2012-13 के कार्य सं0 2, 3, 4, 7, 8, 9 तथा वर्ष 13-14 के कार्य सं0 2, 3, 4, 7, 8, 9 की पत्रावली में मस्टररोल संलग्न नहीं है।
- 4—वर्ष 2012-13 व 2013-14 के कार्य सं0 1 की पत्रावली में संलग्न मस्टररोलों पर अंकित मजदूरी का योग रु0 90,208.00 है तथा कुल रु0 1,01,852.00 का भुगतान करके रु0 11,644.00 का अधिक भुगतान किया गया है।

(ब) सामग्री आपूर्ति सम्बन्धी आपत्तियाँ

- 1— अधिकांश पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है ।
- 2— सामग्री आपूर्ति हेतु फर्मों को मॉग पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
- 3— कार्य सं0 1 के समस्त भुगतान अवर अभियन्ता (आर0 ई0डी0) की आख्या के बिना ही किया गया है।
- 4— अधिकांश पत्रावली में कोटेशन का तुलनात्मक चार्ट सादा है तथा सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
- 5—पत्रावली में परियोजना से संबन्धित कार्यादेश एवं कार्य प्रभारी की नियुक्ति का आदेश संलग्न नहीं है।
- 6— कार्य सं0 3 (वर्ष 2012-13 व 2013-14)में ईट आपूर्ति हेतु स्वीकृत काटेशन में दिनांक का उल्लेख नहीं है। लकी ईट उद्योग, फिरोजपुर ,गोण्डा का स्वीकृत है। फिर भी पाण्डेय ब्रिक फील्ड, मुण्डेरवा, सरहदी, विशेश्वरगंज, बहराईच से दिनांक 16.03.13 को चेक सं0 615260 द्वारा रु0 76500.00 का भुगतान किया गया है। जो अनियमित है ।
- 7—कार्य सं0 4 में ईट आपूर्ति हेतु स्वीकृत काटेशन किसान ब्रिक फील्ड पारासराय का था। लेकिन पाण्डेय ब्रिक फील्ड, मुण्डेरवा, सरहदी, विशेश्वरगंज, बहराईच से दिनांक 28.03.13 के तीन बिल 70/25.03.13, 63/24.04.13 व 72/16.05.13 पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार बाद का बिल पहले तथा पहले का बिल बाद में पत्रावली में संलग्न रहना, ईट की आपूर्ति पर संदेह प्रकट करता है ।
- 8— ग्रांट रजिस्टर-2 में दिनांक 21.10.13 को चेक सं0 615292 द्वारा 7000 ईट की कीमत रु0 31,500.00 में रु0 715.00 टी0डी0एस0 कटौती के पश्चात रु0 30,785.00 का भुगतान किसान ब्रिक फील्ड पारासराय को दर्शित है जिसकी पुष्टि में प्रमाणक संलग्न नहीं है।
- 9— कार्य सं0 5 पर ईट आपूर्ति हेतु पाण्डेय ब्रिक फील्ड एवं पप्पू ईट भटठा के कोटेशन संलग्न पाए गए तथा उनके काटेशन अस्वीकृत किए गए। विजय ईट भटठा का कोटेशन पत्रावली में संलग्न नहीं है, फिर भी विजय ईट भटठा के काटेशन को स्वीकृत दर्शाया गया है ।
- 10— वर्ष 2013-14 में कार्य सं0 10 में ईट आपूर्ति के सापेक्ष चेक सं0 615298 दिनांक 21.10.13 द्वारा रु0 83,560.00 का भुगतान ग्रांट रजिस्टर-2 में किसान ब्रिक फील्ड पारासराय को अंकित है। लेकिन पत्रावली में उक्त भुगतान से संबन्धित प्रमाणक नहीं रहा। इसी परियोजना पर 92 ट्राली मिटटी 400.00 रु0 प्रति ट्राली की दर से रु0 36,800.00 की गिराई गयी है। जिस पर रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया है । उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि फर्म एवं कर्मचारियों द्वारा मिली भगत करके रु0 34,51,841.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री मृणाज सिंह जे0ई0, कार्य प्रभारी एवं लेखकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी से अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 24,25,26,27,28,29,30,31,32)

प्रस्तर-128 दिनांक 29.10.13 को चेक सं0 116478 द्वारा रु0 60,500.00 श्री ओमप्रकाश पाण्डेय गवर्नमेंट कंट्रैक्टर को साइन बोर्ड आपूर्ति, विधायक निधि हेतु भुगतान किया गया है। भुगतान से संबन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः बिना प्रमाणक के रु0 60,500.00 का भुगतान, उ0प्र0 क्षे0 पं0 एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अपहरित रहा। जिसके लिए ख0 वि0 अधिकारी श्री रामऔतार एवं लेखाकार श्री एस0 के0 पाण्डेय उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी से अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 33)

प्रस्तर—129 विधायक निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2012—13 में रु0 15,99,750.00 तथा वर्ष 2013—14 में रु0 30,16,910.00 सामग्री अंश पर व्यय किया गया है। जिस पर 4 प्रतिशत की दर से वैट रु0 1,20,676.00 की कटौती न कर राजस्व की क्षति कर अनियमितता की गयी है। उ0प्र0 क्षे0 पं0 एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत रु0 1,20,676.00 अनियमित रहा। जिसके लिए ख0 वि0 अधिकारी श्री रामऔतार एवं लेखाकार श्री एस0 के0 पाण्डेय उत्तरदायी हैं। इस वित्तीय अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 34)

34)

प्रस्तर— 130 विधायक निधि के अन्तर्गत वर्ष 2012—13 व 2013—14 में निम्नलिखित विवरणानुसार टी0डी0एस0 की कटौती की गयी है।

क्र0सं0	वर्ष	सामग्री पर व्यय	निर्धारित टी0डी0एस0 2.27 प्रतिशत	टी0डी0एस0 कटौती	अन्तर
	2012—13	15,99,750.00	36,314.00	36,310.00	04.00
	2013—14	14,17,160.00	32,169.00	30,637.00	1532.00
	योग—	68,483.00		66,947.00	1,536.00

संस्था द्वारा दिनांक 14.03.14 को चेक सं0 116492 द्वारा रु0 64,342.00 भारतीय स्टेट बैंक, गोण्डा में जमा दर्शित है। पुष्टि में जमा चालान की प्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इस प्रकार रु0 2,605.00 कम जमा कर तथा रु0 1,536.00 कम कटौती कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड वि0 अधिकारी श्री राम औतार एवं लेखाकार श्री एस0के0 पाण्डेय उत्तरदायी हैं। इस वित्तीय अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 35)

प्रस्तर— 131 वर्ष 2013—14 में राज्य वित्त मद से क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बैठक भत्ता पर रु0 31,200.00 का व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः बिना प्रमाणक के रु0 31,200.00 का भुगतान, उ0 प्र0 क्षे0 पं0 एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अपहरित रहा। जिसके लिए ख0 वि0 अधिकारी श्री रामऔतार एवं लेखाकार श्री एस0 के0 पाण्डेय उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी से अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 38)

प्रस्तर— 132 वर्ष 2013—14 में राज्य वित्त मद से स्वच्छता कार्य क्रम के अन्तर्गत अवस्थी कंट्रैक्टर एवं सप्लायर्स को कुड़ादान खरीद पर रु0 4,55,678.00 का भुगतान किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः बिना प्रमाणक के रु0 4,55,678.00 का भुगतान, उ0 प्र0 क्षे0 पं0 एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अपहरित रहा। जिसके लिए ख0 वि0 अधिकारी श्री रामऔतार एवं लेखाकार श्री एस0 के0 पाण्डेय उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी से अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 43)

प्रस्तर— 133 वर्ष 2013—14 में राज्य वित्त मद से मरिया सरकाण्ड मार्ग से स्व0 घनश्याम शुक्ल बालिका इण्टर कालेज तक सी0सी0 इण्टरलाकिंग कार्य पर सामग्री क्रय पर 4,48,514.00 तथा श्रमांश पर रु0 80,000.00 कुल रु0 5,28,514.00 का व्यय दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

- 1— समस्त श्रमांश का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है।
- 2— मस्टररोल पर एक ही व्यक्ति द्वारा अंगूठा लगाया गया प्रतीत होता है।
- 3— मस्टररोल पर क्रमांक अंकित नहीं है।

4- सामग्री क्रय किसान ट्रेडर्स से रु0 11,813.00, मोहन ब्रिक फील्ड से रु0 8,790.00, नवभारत इण्टर प्राइजेज से रु0 43,700.00 कुल रु0 64,321.00 का भुगतान किया गया है ।
उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सामग्री क्रय रु0 64,321.00 एवं श्रमांश पर व्यय रु0 80,000.00 कुल रु0 1,44,321.00 उ0प्र0 क्षे0 पं0 एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अपहरित रहा। जिसके लिए ख0 वि0 अधिकारी श्री मृणाल सिंह,अवर अभियन्ता श्री आर0 एम0 उपाध्याय,कार्य प्रभारी श्री दिनेशचन्द्र (ग्रा0वि0अधिकारी) ,प्रमुख श्रीमती गुलबहार एवं लेखाकार श्री एस0 के0 पाण्डेय उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी से अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 39)

प्रस्तर- 134 वर्ष 2013-14 में विभिन्न परियोजनाओं पर रु0 5,35,528.00 श्रमांश के रुप में व्यय दर्शित है। जिसमें श्री राकेश कुमार तिवारी ग्रा0वि0अधिकारी को रु0 3,00,051.00, श्री प्रभाकर शुक्ल ग्रा0 वि0 अधिकारी रु0 81,117.00, श्री राजीव कुमार यादव ग्रा0वि0 अधिकारी को रु0 50,000.00 तथा श्री दिनेश चन्द्र ग्रा0 वि0 अधिकारी को रु0 1,04,360.00 भुगतान किया गया है। जबकि मजदूरी का भुगतान सीधे मजदूरों को करना चाहिए। मस्टररोल पर क्रमांक अंकित नहीं है तथा मजदूरों का निशानी अंगूठा प्रमाणित नहीं है एवं मस्टररोल कार्यवार विकास खण्ड से निर्गत नहीं है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर पत्रावली में संलग्न किया गया है। मजदूरी मद में दर्शित व्यय रु0 5,35,528.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री राकेशकुमार तिवारी, श्री राजीव कुमार यादव, श्री दिनेशचन्द्र, श्री प्रभाकर शुक्ल, अवर अभियन्ता आर0एम0 उपाध्याय , लेखाकार श्री एस0 के0 पाण्डेय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री मृणाल सिंह, श्री अमजद अली अंसारी, श्री राम औतार समान रुप से उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 36,37,40,41,42,47,48,49,50,51,55)

प्रस्तर- 135 वर्ष 2013-14 में विभिन्न परियोजनाओं पर सामग्री मद में रु0 14,63,618.00 तथा श्रमांश मद में 2,17,278.00 कुल रु0 16,80,896.00 का व्यय दर्शित है। मजदूरी मद में श्री गजराज सिंह ग्रा0 पं0 अ0 को रु0 39,966.00, श्री राकेशकुमार तिवारी ग्रा0 वि0 अधिकारी को रु0 74,312.00 श्री प्रभाकर शुक्ल ग्रा0वि0 अधिकारी को रु0 58,000.00, श्री दिनेशचन्द्र, ग्रा0 वि0 अधिकारी को रु0 45,000.00 का भुगतान किया गया है। जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

- 1- समस्त श्रमांश का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है। जबकि भुगतान मजदूरों को होना चाहिए।
- 2- मस्टररोल पर एक ही व्यक्ति द्वारा अंगूठा निशान लगाया गया प्रतीत होता है ।
- 3- सामग्री का भुगतान बिना कोटेशन के किया गया है।
- 4- कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पर कार्य प्रभारी के हस्ताक्षर नहीं है।

अतः सामग्री की आपूर्ति ही संदिग्ध रही।
अतः श्रमांश मद में व्यय रु0 2,17,278.00 अपहरित तथा सामग्री मद में व्यय रु0 14,63,618.00 अनियमित रहा। जिसके लिए सम्बन्धित कार्य प्रभारी लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी श्री मृणाज सिंह एवं प्रमुख उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी से अपहृत धन की ब्याज सहित वसूली तथा अनियमितता के सम्बन्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 44,45,46,52,53,54)

प्रस्तर- 136 वर्ष 2013-14 में तेरहवॉ वित्त आयोग मद से हरैया झूमन में मदरसा जामिया इस्लामिया से नौवा तालाब तक नाली निर्माण कराया गया है। जिसमें राकेश कांस्ट्रक्शन एण्ड जनरल सप्लायर परसिया बहोरीपुर को दिनांक 30.05.13 को चेक सं0 007780 से रु0 6,080.00 का भुगतान ग्रांट रजिस्टर भाग-2 में अंकित है। लेकिन पत्रवली में प्रमाणक उपलब्ध नहीं है। अतः रु0 6,080.00 के अपहरण के लिए कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार तिवारी, लेखाकार श्री एस0 के0 पाण्डेय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री अमजद अली अंसारी एवं प्रमुख श्रीमती गुलबहार उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 56)

प्रस्तर- 137 वर्ष 2013-14 में तेरहवॉ वित्त आयोग मद से नौशहरा परसिया बहोरी में अखलाक के घर से जुल्फिकार के घर तक सी0सी0 इण्टरलाकिंग कार्य पर इण्टरलाकिंग ईट की आपूर्ति के सापेक्ष नवभारत

इण्टर प्राइजेज को हदनांक 28.11.13 को चेक सं० 000316 से रु० 64,420.00 का भुगतान ग्रान्ट रजिस्टर -2 में अंकित है। जबकि पत्रावली में सम्बन्धित फर्म का रु० 35,838.00 का ही प्रमाणक संलग्न है। शेष रु० 28,582.00 का प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा। इस प्रकार रु० 28,582.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार तिवारी, लेखाकार श्री एस० के० पाण्डेय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री रामऔतार, अवर अभियन्ता श्री आर०एम०उपाध्याय एवं प्रमुख श्रीमती गुलबहार उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 57)

प्रस्तर - 138 वर्ष 2014-15 में संस्था द्वारा चावला इलक्ट्रिक हाउस चौक, गोन्डा से विभिन्न चेकों के माध्यम से कुल रु० 3,25,248.00 का भुगतान कर क्रय किया गया है। इस व्यय से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राम औतार एवं लेखाकार श्री श्याम किशोर पाण्डेय उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०

02)

प्रस्तर - 139 तेरहवां वित्त आयोग मद से विज्ञापन मद पर चेक सं० 004994 दिनांक 10.04.14 द्वारा रु० 2901.00 का व्यय किया गया है। किन्तु इस व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए बी०डी०ओ० श्री राम औतार एवं लेखाकार श्री श्याम किशोर पाण्डेय उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं०

03)

प्रस्तर - 140 वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभिन्न कार्यों में श्रमांश/मजदूरी का भुगतान रु० 2,80,414.00 श्रमिकों का न करके कार्य प्रभारी श्री राजीव कुमार यादव ग्रा०वि०अधि० को रु० 57,582.00, श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ग्रा०पं०अ० को रु० 1,13,636.00 तथा श्री दिनेश चन्द्र ग्रा०वि०अ० को रु० 1,09,196.00 का भुगतान कर दिया गया है। पत्रावली में जो मस्टर रोल संलग्न हैं, उन पर क्रमांक अंकित नहीं हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर अंकित निशानी अंगूठा एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते हैं। अवास्तविक मस्टर रोल के आधार पर भुगतान कार्य प्रभारियों को किया गया है। इस प्रकार रु० 2,80,414.00 का योजनाबद्ध अपहरण किया गया है। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए श्री राम औतार व श्री प्यारेलाल खण्ड वि०अ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०सं० 04)

प्रस्तर - 141 वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभिन्न कार्यों में श्रमांश/मजदूरी का भुगतान रु० 6,75,221.00 श्रमिकों का न करके कार्य प्रभारी श्री दिनेश चन्द्र ग्रा०वि०अ० रु० 2,61,747.00 श्री राकेश तिवारी ग्रा०वि०अधि० को रु० 1,79,850.00, श्री प्रभाकर शुक्ल ग्रा०वि०अ० को रु० 95,000.00, श्री राकेश श्रीवास्तव ग्रा०पं०अ० को रु० 1,16,844 तथा श्री गजराज सिंह ग्रा०पं०अ० को 21,780.00 का भुगतान कर दिया गया है। पत्रावली में जो मस्टर रोल संलग्न हैं, उन पर क्रमांक अंकित नहीं हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर अंकित निशानी अंगूठा एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते हैं। अवास्तविक मस्टर रोल के आधार पर भुगतान कार्य प्रभारियों को किया गया है। इस प्रकार रु० 6,75,221.00 का योजनाबद्ध अपहरण किया गया है। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए श्री राम औतार व श्री प्यारेलाल खण्ड वि०अ०/जे०ई०/लेखाकार/कार्यप्रभारी/प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने हेतु नियमानुसार

प्रस्तर — 142 वित्तीय वर्ष 2014-15 में बी0आर0जी0एफ0 मद के अन्तर्गत निर्माण कार्य पर श्रमांश का भुगतान रू0 3,20,648.00 श्रमिकों का न करके कार्य प्रभारी श्री गजराज सिंह ग्रा0पं0अ0 को 74,786.00 श्री दिनेश चन्द्र ग्रा0वि0अ0 रू0 81,840.00 तथा श्री राकेश कुमार तिवारी ग्रा0वि0अधि0 को रू0 1,64,022.00 का भुगतान कर दिया गया है। पत्रावली में जो मस्टर रोल संलग्न हैं, उन पर क्रमांक अंकित नहीं हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि मस्टर रोल विकास खण्ड से निर्गत नहीं हैं। मस्टर रोल पर अंकित निशानी अंगूठा एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते हैं। संलग्न मस्टर रोलों के अवलोकन में अनेकों न्यूनतायें हैं, जबकि कार्य सं0 02 की पत्रावली में मस्टर रोल संलग्न नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अवास्तविक एवं काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किया गया है तथा बिना मस्टर रोल के ही मजदूरी का भुगतान रू0 3,20,648.00 का अपहरण योजनाबद्ध तरीके से कर लिया गया है। जो उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए श्री राम औतार व श्री प्यारेलाल खण्ड वि0अ0 / जे0ई0 / लेखाकार / कार्यप्रभारी / प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 06)

प्रस्तर — 143 वित्तीय वर्ष 2014-15 में विधायक निधि योजनान्तर्गत अहिरौलिया के हलबलजोत ग्राम पंचायत के चारो तरफ खडंजा निर्माण कार्य पर सामग्री मद में रू0 2,29,446.00 तथा श्रमांश मद में रू0 96,546.00 कुल रू0 3,25,992.00 व्यय दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्तियां लायी गयीं—

1. कार्य प्रारम्भ के पूर्व, कार्य के दौरान के फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं हैं।
2. ईंट आपूर्ति हेतु कोटेशन प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी है।
3. एम0बी0 में भुगतानों की प्रविष्टि नहीं की गयी है।
4. ईंट की आपूर्ति दो फर्मों से कराये जाने का औचित्य स्पष्ट रहा।
5. समस्त भुगतान जे0 ई0 के आख्या के बिना किया गया है।
6. मजदूरी भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत मस्टर रोल के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि यह एक ही दिन में एक व्यक्ति द्वारा बनाये गये हैं तथा मस्टर रोल पर अंकित अंगूठा निशान एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते हैं।
7. यह परियोजना मई 2013 में शुरू करायी गयी थी। मई 2013 के बाद उक्त परियोजना पर जुलाई एवं नवम्बर 2014 में कार्य कराया गया है, जबकि मई 2013 में इस मद में रू0 2,99,364.00 का अवशेष था तथा अगस्त 2013 में रू0 13,25,000.00 और प्राप्त हुयी। किन्तु कार्य जुलाई 2014 में कराया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि श्रमांश मद में व्यय रू0 96,546.00 का अपहरण एवं सामग्री मद में रू0 2,29,446.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार / श्री राम औतार व श्री प्यारेलाल बी0डी0ओ0 / कार्यप्रभारी / अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। उत्तरदायी से अपहृत धन की ब्याज सहित वसूली हेतु एवं वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0

07)

प्रस्तर — 144 वर्ष 2014-15 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अन्तर्गत सिसई बहलोलपुर में पक्की सड़क से रामदीन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पर सामग्री क्रय के सापेक्ष किसान ट्रेडर्स को चेक सं0 312182 दि0 27.02.15 से रू0 16,625.00, किसान ब्रिकफील्ड को चेक सं0 312186 दि0 27.02.15 से रू0 11,552.00 तथा श्री दिनेश चन्द्र ग्रा0वि0अ0 को रू0 3,912.00 का भुगतान किया गया है। जिसका भुगतान सम्बन्धित पक्षों को क्रमशः दि0 03.03.15, 02.03.15 तथा 17.03.15 को बैंक से हो गया है। इसी सामग्री व श्रमांश के सापेक्ष पुनः किसान ट्रेडर्स को चेक सं0 312178 दि0 10.07.14 से रू0 16,625.00, किसान ब्रिकफील्ड को चेक सं0 312179 दि0 10.07.14 से रू0 11,552.00 तथा श्री दिनेश चन्द्र ग्रा0वि0अ0 को चेक सं0 312180 दि0 10.07.14 से रू0 3,912.00 का भुगतान किया गया है। जिसका भुगतान सम्बन्धित पक्षों को क्रमशः दि0 03.03.15, 02.03.15 तथा 17.03.15 को बैंक से हो गया है। इस

सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि चेक सं० 312182 दि० 27.02.15 दो परियोजनाओं का था जिसमें ₹0 16,625.00, ₹0 19,602.00 = ₹0 36,227.00 का भुगतान दि० 03.03.15 को हुआ तथा चेक सं० 312186 दि० 27.02.15 ₹0 11,552.00 इसी परियोजना का था, जिसका भुगतान दि० 02.03.15 को हुआ तथा चेक सं० 312188 दि० 27.02.15 जो विभिन्न परियोजनाओं की मजदूरी ₹0 22,840.00 से सम्बन्धित था, का भुगतान दि० 17.03.15 को हुआ। एक ही परियोजना पर हुये व्यय की धनराशि को पहले जुलाई 14 में किया गया, पुनः उसी धनराशि को देसरी परियोजना में सम्मिलित कर भुगतान किया गया। जो ग्रान्ट रजिस्टर में दो बार अंकित है जबकि पत्रावली में प्रमाणक एक ही का है। इस प्रकार ₹0 32,059.00 का अपहरण सुनियोजित ढंग से किया गया है। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए लेखाकार/ श्री राम औतार व श्री प्यारेलाल बी०डी०ओ० उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 08)

प्रस्तर — 145 वित्तीय वर्ष 2014—15 में सामग्री क्रय कुल ₹0 80,83,178.00 के सापेक्ष 2.27: की दर से टी०डी०एस० कटौती कुल ₹0 1,83,488.00 के सापेक्ष कुल ₹0 1,50,059.00 की ही कटौती की गई है। जबकि टी०डी०एस० कटौती की धनराशि ₹0 1,50,059.00 राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया है। अतः ₹0 33,429.00 कम कटौती कर तथा टी०डी०एस० काटकर न जमा कर ₹0 1,50,059.00 का वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए लेखाकार/ श्री राम औतार व श्री प्यारेलाल बी०डी०ओ० उत्तरदायी है। उक्त वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 09)

प्रस्तर — 146 वित्तीय वर्ष 2014—15 सामग्री क्रय कुल ₹0 80,83,178.00 के सापेक्ष 4: की दर से वैट ₹0 3,23,327.00 काटा जाना है। जबकि कटौती शून्य है। इस प्रकार ₹0 3,23,327.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए लेखाकार एवं श्री राम औतार व श्री प्यारेलाल खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उक्त वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 10)

प्रस्तर — 147 वित्तीय वर्ष 2015—16 में सामग्री क्रय पर कुल ₹0 52,372.00 टी०डी०एस० कटौती की गई, किन्तु इसे राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार ₹0 52,372.00 वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए लेखाकार एवं श्री वी०डी० वर्मा व श्री रामऔतार बी०डी०ओ० उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 12)

प्रस्तर — 148 वित्तीय वर्ष 2015—16 में सामग्री क्रय के सापेक्ष वैट कुल ₹0 99,327.00 नहीं काटा गया है। यह वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए लेखाकार एवं श्री वी०डी० वर्मा व श्री रामऔतार बी०डी०ओ० उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 13)

प्रस्तर — 149 वित्तीय वर्ष 2016—17 में टी०डी०एस० कटौती ₹0 73,796.00 काटकर राजकोष में जमा नहीं किया गया है। यह वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए लेखाकार एवं श्री यशवन्त कुमार सिंह व श्री अशोक कुमार मौर्य बी०डी०ओ० उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 14)

प्रस्तर — 150 वित्तीय वर्ष 2016—17 में सामग्री क्रय के सापेक्ष वैट की कटौती ₹0 2,18,517.00 संस्था द्वारा नहीं किया गया है। यह वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए लेखाकार एवं श्री यशवन्त कुमार सिंह व श्री अशोक कुमार मौर्य बी०डी०ओ० उत्तरदायी है। जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा०आ०सं० 15)

क्षेत्र पंचायत — परसपुर

प्रस्तर— 151 वर्ष 2011—12 में क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत दिनांक 04.02.2012 को चेक सं० 001701 से ₹0

10,88,255.00 का भुगतान मेसर्स शिवा इन्टर प्राइजेज, बेलसर को 10 नग हाईमास्क लाइट क्रय हेतु किया गया है। जिसकी प्रति नग दर रु0 1,11,319.00 के अनुसार मूल्य रु0 11,13,190.00 हुआ। इस प्रकार उक्त क्रय पर रु0 24,935.00 का कम भुगतान किया गया है। जबकि उक्त व्यय/भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड) तक, के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत एवं लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 04)

प्रस्तर— 152 क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर वर्ष 2011-12 में 28 नग सोलर लाइट अवस्थापना रु0 26,884.00 प्रति सोलर लाइट की दर से रु0 7,52,752.00 ग्रांट दर्शित है। जबकि सोलर लाइट क्रय हेतु दिनांक 14.03.2012 को चेक सं0 001702 से की दर से रु0 7,70,000.00 का भुगतान मेसर्स शिवा इन्टर प्राइजेज, बेलसर को किया गया है। इस प्रकार उक्त क्रय पर ग्रांट से रु0 17,248.00 का अधिक भुगतान किया गया है। जबकि उक्त व्यय/भुगतान से सम्बन्धित पत्रावली/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड) तक, के अनुसार रु0 7,70,000.00 अपहरण है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत एवं लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 05)

प्रस्तर— 153 क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर सोलर लाइट अवस्थापना हेतु 04 नग सोलर लाइट कार्यालय पत्रांक मेमो दिनांक 02.05.2011 द्वारा मे0 कीरत ट्रेडर्स एवं जनरल आर्डर सप्लायर नन्दनगर, गोन्डा से बिल सं0 23 के आधार पर दर रु0 27,500.00 प्रति की दर से कुल रु0 1,10,000.00 का क्रय किया गया है। जिसका भुगतान रु0 2,464.00 की टी0डी0एस0 कटौती कर रु0 1,07,536.00 का भुगतान चेक सं0 041642 दि0 03.05.2011 द्वारा किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

1. उक्त क्रय बिना कोटेशन के सीधे मे0 कीरत ट्रेडर्स एवं जनरल आर्डर सप्लायर नन्दनगर, गोन्डा से किया गया है।
2. खण्ड विकास अधिकारी के क्रम में सोलर लाइट स्थापना से सम्बन्धित कोई पत्र पत्रावली में नहीं लगाया गया है।
3. परिसम्पत्ति पंजिका लेखा परीक्षा में जोच हेतु अप्रस्तुत रही।

जो उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड) तक, के अनुसार रु0 1,07,536.00 का भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत एवं लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव उत्तरदायी है। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0 06)

प्रस्तर— 154 वित्तीय वर्ष 11-12 में भिखारी मिश्र बालिका इण्टर कालेज तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पर व्यय का विवरण निम्नलिखित है—

क्रमांक	चेकसं0	दिनांक	धनराशि	टी0डी0एस0	भुगतान	मद	प्राप्त कर्ता
1—	041643	25.05.11	227200.00	5089.00	222111.00	सामग्री	मेसर्स कीरत ट्रेडर्स
2—	041644	25.05.11	0820.00	—	50820.00	मजदूरी	निर्भय सिंह जे0 ई0
3—	041645	10.06.11	354147.00	7933.00	346214.00	सामग्री	मेसर्स सिंह ट्रेडर्स
4—	041646	10.06.11	57132	1280.00	55852.00	ईंट	मेसर्स राकेश एण्ड ब्रदर्स
5—	041647	10.06.11	66540.00	—	66540.00	मजदूरी	निर्भय सिंह जे0 ई0

योग— 755839.00 14302.00 741537.00

उक्त व्यय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/प्रेजेक्ट से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत

नहीं किया गया। अतः धनराशि रु0 7,41,537.00 उ0 प्र0 क्षेत्र पं0 एवं जि0 पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अपहरित रही। जिसके लिए खन्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत एवं लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0 आ0 सं0-7)

प्रस्तर- 155 वित्तीय वर्ष 11-12 में अम्बर सिंह के घर से पंकज सिंह के घर तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पर विभिन्न चेकों के माध्यम से सामग्री मद में रु0 9,39,630.00 में टी0डी0एस0 रु0 17,484.00 की कटौती के बाद रु0 9,22,146.00 जिसमें श्रमांश रु0 1,59,080.00 सम्मिलित है, का भुगतान विभिन्न फर्मों/कार्य प्रभारी को किया गया है।

उक्त व्यय/भुगतान की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः धनराशि रु0 9,39,630.00 उ0 प्र0 क्षेत्र पं0 एवं जिला पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अपहृत रहा। जिसके लिए खन्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत एवं लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद श्री वास्तव एवं कार्य प्रभारी श्री रामलखन ए0डी0ओ0 आई0एस0 बी0 उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 8)

प्रस्तर- 156 वित्तीय वर्ष 11-12 में ग्राम पंचायत आंटा के पचई पुरवा से बकवा तक 400 मी0 खडंजा निर्माण पर कार्य प्रभारी के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रु0 3,78,666.00 का भुगतान किया गया है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

1. ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य कराया गया है। ग्राम पंचायत में कार्य कराने की स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा दी जाती है। लेकिन स्वीकृति की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी। क्रय सामग्री/श्रमांश पर देय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
3. टेण्डर/कोटेशन के नियमों का पालन नहीं किया गया है। टेण्डर की 10 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करायी गयी है।
4. लेखा परीक्षा में सृजित परिसम्पत्ति पजिका, कार्यवाही रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।
5. कार्य के कार्य प्रारम्भ के पूर्व, कार्य के मध्य एवं कार्य की समाप्ति की फोटो गाफ संलग्न नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त व्यय धनराशि रु0 3,78,666.00 उ0 प्र0 क्षेत्र पं0 एवं जिला पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अनियमित रही। जिसके लिए खन्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत, लेखाकार श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव एवं कार्य प्रभारी श्री रामलखन ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-9)

प्रस्तर- 157 वित्तीय वर्ष 11-12 में ग्राम आंटा के ठठठीपुरवा से तिवारी पुरवा तक 300 मी0 खडंजा निर्माण कार्य प्रभारी श्री रामलखन, ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रु0 3,40,995.00 का भुगतान किया गया है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

1. उक्त व्यय में सामग्री पर 61 तथा श्रमांश पर 39 प्रतिशत का अनुपात रहा। नियमानुसार उक्त अनुपात 60:40 का होना चाहिये।
2. लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. टेण्डर/कोटेशन के नियमों का पालन नहीं किया गया है।
4. टेण्डर की 10 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करायी गयी है।
5. लेखा परीक्षा में सृजित परिसम्पत्ति पजिका, कार्यवाही रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।
6. कार्य के कार्य प्रारम्भ के पूर्व, कार्य के मध्य एवं कार्य की समाप्ति की फोटो गाफ संलग्न नहीं है।

अतः व्यय धनराशि रु0 3,40,995.00 ,उ0 प्र0 क्षेत्र पं0 एवं जिला पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अनियमित रही। जिसके लिए खन्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत, लेखाकार श्रीराजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव एवं कार्य प्रभारी श्री

रामलखन ,ए0डी0 ओ0 आई0 एस0 बी0 उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-10)

प्रस्तर-158 वित्तीय वर्ष 11-12 में ग्राम पंचायत अकोहरी के ठेका के आंटा के जुड़ावनपुरवा प्राथमिक पाठशाला तक 600 मी0 तक खडंजा निर्माण कार्य प्रभारी श्री रामलखन ,ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 के माध्यम से विचिन्न चेकों के द्वारा कुल रू0 6,58,632.00 का भुगतान किया गया है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

1. मजदूरी पर 60 प्रतिशत तथा सामग्री पर 40 प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिये परन्तु निमों का उल्लंघन करते हुये सामग्री पर 64 प्रतिशत तथा मजदूरी पर 36 प्रतिशत व्यय किया गया है।
2. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 12.02.12 एवं समाप्ति का दिनांक 22.03.12 है। जबकि टेण्डर आमंत्रण की तिथि 11.02.12 एवं खुलने का दिनांक 13.02.12 है। पत्रावली में संलग्न मस्टररोल सं0 42 पर कार्य प्रारम्भ दिनांक 10.02.12 से 25.02.12 दर्शित है। इससे स्पष्ट है कि कार्य बिना टेण्डर प्रक्रिया के ही किया गया है। टेण्डर की 10 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करायी गयी है।
3. लेखा परीक्षा में माप पुस्तिका अप्राप्त रही। जिससे क्रय की गयी सामग्री एवं व्यय धनराशि की ब्याज सहित पुष्टि नहीं होती है।
4. कार्य के प्रारम्भ करने के पूर्व, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।
5. क्रय की गयी सामग्री की बिल सं0/डिलेवरी चालान पत्रावली में संलग्न नहीं है एवं क्रय की गयी सामग्री पर टी0डी0एस0 कटौती रू0 9420.00 के जमा की पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहा।
6. लेखा परीक्षा में सृजित परिसम्पत्ति पजिका, कार्यवाही रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।
7. कार्य प्रभारी श्री रामलखन ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 द्वारा मस्टररोल पर यह प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है कि समस्त भुगतान मेरे द्वारा किया गया है।

अतः व्यय धनराशि रू0 6,58,632.00 उ0 प्र0 क्षेत्र पं0 एवं जिला पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अनियमित रही। जिसके लिए खन्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत एवं लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव एवं कार्य प्रभारी श्री रामलखन ,ए0डी0 ओ0 आई0 एस0 बी0 उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0 सं0 -11)

प्रस्तर- 159 वर्ष 11-12 में ग्राम पंचायत आंटा के गजराज पुरवा में 350 मी0 सी0सी0 रोड निर्माण कार्य प्रभारी श्री रामलखन ए0डी0ओ0 आई0एस0बी0 के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रू0 9,98,780.00 का भुगतान किया गया है। जिसके संबंध में निम्न आपत्तियां हैं-

1. ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य कराया गया है। ग्राम पंचायत में कार्य कराने की स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा दी जाती है। लेकिन स्वीकृति की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 12.02.12 एवं समाप्ति का दिनांक 22.03.12 है। पत्रावली में संलग्न मस्टररोल सं0 42 पर कार्य प्रारम्भ का दिनांक 10.02.12 से 25.02.12 दर्शित है। जबकि टेण्डर आमंत्रण की तिथि 11.02.12 एवं खुलने का दिनांक 13.02.12 है। टेण्डर की स्वीकृति ख0वि0अ0 परसपुर के पत्रांक 2097 दिनांक 13.02.13 है। इससे स्पष्ट है कि कार्य टेण्डर के खुलने से पहले ही प्रारम्भ करा दिया गया है। टेण्डर की 10 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करायी गयी है। अतः टेण्डर की केवल खाना पूर्ति की गयी है।
3. कार्य प्रभारी द्वारा श्रमांश पर चेक के माध्यम से प्राप्त भुगतान, जो कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार रू0 1,62,640.00 दर्शित है, के सापेक्ष पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के अनुसार कुल श्रमांश रू0 का भुगतान रू0 1,53,240.00 रहा। जिससे स्पष्ट है कि कार्य प्रभारी श्री रामलखन ए0डी0ओ0 आई0एस0 बी0 द्वारा रू0 9,400.00 श्रमांश कम भुगतान कर धन अपहृत किया गया है।
4. मस्टररोल सं0 35 पर कुल 48 मानव दिवस सृजित है। जिसके अनुसार मजदूरी रू0 5,760.00 होती है। जबकि भुगतान रू0 5,880.00 का किया गया है। अतः 120.00 का अधिक भुगतान दर्शाकर श्री रामलखन द्वारा अपहरण किया गया है।
5. लेखा परीक्षा में एम0 बी0 प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः क्रय सामग्री एवं श्रमांश पर देय धनराशि की ब्याज सहित पुष्टि नहीं की जा सकी।

6. कार्य के प्रारम्भ करने के पूर्व, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।
7. लेखा परीक्षा में सृजित परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर कार्य योजना आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।
अतः उ० प्र० क्षेत्र पं० एवं जिला पं० (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत रु० 9,520.00 अपहरित एवं रु० 9,89,260.00 अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत एवं लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव एवं कार्य प्रभारी श्री रामलखन ,ए०डी०ओ० आई०एस०बी० उत्तरदायी हैं। अपहृत धनराशि रु० 9,520.00 की ब्याज सहित वसूली एवं अनियमित भुगतान रु० 9,89,260.00 हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-12)

प्रस्तर- 160 वर्ष 12-13 में कुड़ियांव में मदरसा से तेज बहादुर सिंह के घर तक 500 मी० खड़न्जा निर्माण कार्य प्रभारी श्री रुप नारायण भारती ग्रा०वि०अ० के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रु० 5,30,170.00 का भुगतान किया गया है। जिसके संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य कराया गया है। ग्राम पंचायत में कार्य कराने की स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा दी जाती है। लेकिन स्वीकृति की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. शासनादेश सं०-ए-1-864/दस-08/5(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के प्राविधानों के अनुसार निर्माण कार्य हेतु कोटेशन/टेण्डर के नियमों का पालन नहीं किया गया है।
3. शासनादेश सं०-6512/38-7-7010-10/एन० आर० जी०/05 (1) टी० सी० दिनांक 28.05.2010 के प्रस्तर-2 के अनुसार कार्य प्रभारी विकास खण्ड के अधिकारी स्तर को ही बनाया जाना चाहिए। क्षेत्र पंचायत द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है।
4. लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक पंजिका, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा कार्य के प्रारम्भ करने के पूर्व, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।

अतः उ० प्र० क्षेत्र पं० एवं जिला पं० (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत व्यय रु० 5,30,170.00 अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत एवं लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव एवं कार्य प्रभारी श्री रुपनारायण भारती उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा०आ०सं०-13)

प्रस्तर- 161 वर्ष 12-13 में परसपुर में रघुबीर प्रसाद मिश्र के घर से राजकुमार सोनी के घर के सामने तक 98 मी० इण्टर लाकिंग कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र कुमार ग्रा०वि०अ० के माध्यम से रु० 2,96,920.00 व्यय दर्शित है। जिसके संबंध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं—

1. ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य कराया गया है। ग्राम पंचायत में कार्य कराने की स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा दी जाती है। लेकिन स्वीकृति की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. शासनादेश सं०-6512/38-7-7010-10/एन० आर० जी०/05(1) टी० सी० दिनांक 28.05.2010 के प्रस्तर-2 के अनुसार कार्य प्रभारी विकास खण्ड के अधिकारी स्तर को ही बनाया जाना चाहिए। क्षेत्र पंचायत द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है।
3. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 28.02.13 एवं समाप्ति का दिनांक 14.05.13 है। जबकि पत्रावली में संलग्न मस्टररोल पर कार्य दिनांक 06.05.13 से 14.05.13 दर्शित है। जबकि टेण्डर आमंत्रण की तिथि 10.02.12 एवं खुलने का दिनांक 13.02.12 है। कार्यादेश के अनुसार कार्य 30 दिवसों में समाप्त होना चाहिए। जबकि कार्य लगभग 4 माह में पूर्ण दर्शाया गया है।
4. लेखा परीक्षा में काटेशन/निविदा से संबंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। न तो विज्ञापन की कटिंग ही प्रस्तुत की गयी। जमानत की 10 प्रतिशत धनराशि भी जमा नहीं करायी गयी।
5. कार्य के प्रारम्भ करने के पूर्व, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।

अतः व्यय धनराशि रु० 2,96,920.00 उ० प्र० क्षेत्र पं० एवं जिला पं० (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अनियमित रही। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत एवं लेखाकार श्रीराजाराम जायसवाल एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र कुमार ग्रा० वि० अ० उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार

प्रस्तर— 162 वर्ष 12-13 में ग्राम पंचायत कड़रु में टिकैला डीहा से चौरी मार्ग तक सी0सी0 कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र कुमार ग्रा0वि0अ0 के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा रु0 10,10,236.00 में रु0 18,472.00 की टी0डी0एस0 कटौती के उपरान्त कुल रु0 9,91,764.00 का भुगतान किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जो उ0 प्र0 क्षेत्र पं0 एवं जिला पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत रु0 10,10,236.00 अपहरित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत, लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र कुमार ग्रा0 वि0 अ0 उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0 आ0 सं0 -15)

प्रस्तर— 163 वर्ष 12-13 में ग्राम पंचायत अजही (परसपुर) में जीवन लाल के घर से कमरुददीन के घर तक 135 मी0 इण्टर लाकिंग कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र कुमार ग्रा0वि0अ0 के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा कुल रु0 3,75,131.00 का भुगतान किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं—

1. कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा कुल प्राप्त रु0 3,75,131.00 के सापेक्ष सामग्री एवं श्रमांश पर नकद भुगतान किया गया है।
2. ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य कराया गया है। ग्राम पंचायत में कार्य कराने की स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा दी जाती है। लेकिन स्वीकृति की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. शासनादेश सं0-6512/38-7-7010-10/एन0 आर0 जी0/05(1) टी0 सी0 दिनांक 28.05.2010 के प्रस्तर-2 के अनुसार कार्य प्रभारी विकास खण्ड के अधिकारी स्तर को ही बनाया जाना चाहिए। क्षेत्र पंचायत द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है।
4. टी0 डी0 एस0 कटौती रु0 7,409.00 ट्रेजरी में जमा नहीं की गयी है। आयकर अधिनियम-1961 की धारा 274 (बी0) के अनुसार काटे गए कर को न जमा करना अपराध माना गया है।
5. लेखा परीक्षा में काटेशन/निविदा से संबंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। न तो विज्ञापन की कटिंग ही प्रस्तुत की गयी। जमानत की 10 प्रतिशत धनराशि भी जमा नहीं करायी गयी।
6. कार्य के प्रारम्भ करने के पूर्व, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।
7. परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक पंजिका, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित पत्रावली, में संलग्न नहीं है।

अतः व्यय रु0 3,75,131.00, उ0 प्र0 क्षेत्र पं0 एवं जिला पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत एवं लेखाकार श्री राजाराम जायसवाल एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र कुमार ग्रा0वि0अ0 उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 -16)

प्रस्तर— 164 वर्ष 13-14 में ग्राम पंचायत पेवली (विलिन्दपुरवा) में जगदीश सिंह के घर से महादेव सिंह के हाता तक 300 मी0 इण्टर लाकिंग कार्य कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र कुमार ग्रा0वि0अ0 के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा रु0 8,19,485.00 में रु0 15,644.00 की टी0डी0एस0 कटौती के उपरान्त कुल रु0 8,03,841.00 का भुगतान किया गया है। जिसमें श्रमांश रु0 1,01,690.00 सम्मिलित है। उक्त व्यय के संबंध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं—

1. ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य कराया गया है। ग्राम पंचायत में कार्य कराने की स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा दी जाती है। लेकिन स्वीकृति की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. शासनादेश सं0-6512/38-7-7010-10/एन0 आर0 जी0/05(1) टी0 सी0 दिनांक 28.05.2010 के प्रस्तर-2 के अनुसार कार्य प्रभारी विकास खण्ड के अधिकारी स्तर को ही बनाया जाना चाहिए। क्षेत्र पंचायत द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है।
3. टी0 डी0 एस0 कटौती रु0 15,644.00 के ट्रेजरी में की पुष्टि हेतु प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं है। आयकर अधिनियम -1961 की धारा 274 (बी0) के अनुसार काटे गए कर को न जमा करना अपराध

माना गया है।

- कार्य के प्रारम्भ करने के पूर्व, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक पंजिका, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित पत्रावली में संलग्न नहीं है।

अतः व्यय रु० 8,19,485.00, उ० प्र० क्षेत्र पं० एवं जिला पं० (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत, सहायक लेखाकार श्री राजाराम जायसवाल एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र कुमार ग्रा०वि०अ० उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा० आ०

सं० -17)

प्रस्तर— 165 वर्ष 13-14 में ग्राम पंचायत नन्दौरा में ननके प्रधान के घर से रणवीर सिंह मास्टर के घर तक 105 मी० इंटरलाकिंग कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री रुप नारायण भारती ग्रा०वि०अ० के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा रु० 3,18,401.00 में रु० 6,249.00 की टी०डी०एस० कटौती के उपरान्त कुल रु० 3,24,650.00 का भुगतान किया गया है। उक्त के संबंध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं—

- कार्य प्रभारी द्वारा सामग्री पर व्यय रु० 2,79,751.00 एवं श्रमांश पर व्यय रु० 36,850.00 किया गया दर्शित है। जबकि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार सामग्री पर दर्शित व्यय रु० 2,78,980.00 है। इस प्रकार कार्य प्रभारी द्वारा अधिक आहरण कर कम भुगतान कर रु० 771.00 का अपहरण किया गया है।
- टी०डी०एस० कटौती रु० 6,249.00 ट्रेजरी में जमा न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है।
- ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य कराया गया है। ग्राम पंचायत में कार्य कराने की स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा दी जाती है। लेकिन स्वीकृति की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- शासनादेश सं०-6512/38-7-7010-10/एन० आर० जी०/०5 (1) टी० सी० दिनांक 28.05.2010 के प्रस्तर-2 के अनुसार कार्य प्रभारी विकास खण्ड के अधिकारी स्तर को ही बनाया जाना चाहिए। क्षेत्र पंचायत द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है।
- कार्य के प्रारम्भ करने के पूर्व, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक पंजिका, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः उ० प्र० क्षेत्र पं० एवं जिला पं० (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत व्यय रु० 3,24,650.00 अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत, लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव एवं कार्य प्रभारी श्री रुपनारायण भारती उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा० आ० सं०-18)

प्रस्तर— 166 वर्ष 13-14 में ग्राम पंचायत बक्सैला में ललित मिश्रा के घर तक 60 मी० इंटरलाकिंग कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र कुमार ग्रा०वि०अ० के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा रु० 1,60,639.00 में रु० 3,085.00 की टी०डी०एस० कटौती कर भुगतान किया गया है। जिसके संबंध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं—

- टी०डी०एस० कटौती रु० 3,805.00 ट्रेजरी में जमा न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है।
- ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य कराया गया है। ग्राम पंचायत में कार्य कराने की स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा दी जाती है। लेकिन स्वीकृति की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- शासनादेश सं०-6512/38-7-7010-10/एन० आर० जी०/०5 (1) टी० सी० दिनांक 28.05.2010 के प्रस्तर-2 के अनुसार कार्य प्रभारी विकास खण्ड के अधिकारी स्तर को ही बनाया जाना चाहिए। क्षेत्र पंचायत द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है।
- कार्य के प्रारम्भ करने के पूर्व, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक पंजिका, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं की गयी।

6. लेखा परीक्षा में काटेशन/निविदा से संबंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। न तो विज्ञापन की कटिंग ही प्रस्तुत की गयी। जमानत की 10 प्रतिशत धनराशि भी जमा नहीं करायी गयी।

अतः उ० प्र० क्षेत्र पं० एवं जिला पं० (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत व्यय रु० 1,60,639.00 अनियमित रहा। जिसके लिए खन्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत, लेखाकार श्रीराजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा० आ० सं०-19)

प्रस्तर- 167 वर्ष 13-14 में ग्राम पंचायत दुल्लापुर में ओम प्रकाश मिश्रा के घर से डीह रोड तक 75 मी० इंटरलाकिंग कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र कुमार ग्रा०वि०अ० के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा रु० 2,34,064.00 में रु० 4,514.00 की टी०डी०एस० कटौती कर भुगतान किया गया है। जिसके संबंध में निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं-

1. टी०डी०एस० कटौती रु० 4514.00 ट्रेजरी में जमा न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है।
2. ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य कराया गया है। ग्राम पंचायत में कार्य कराने की स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा दी जाती है। लेकिन स्वीकृति की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. शासनादेश सं०-6512/38-7-7010-10/एन० आर० जी०/०5 (1) टी० सी० दिनांक 28.05.2010 के प्रस्तर-2 के अनुसार कार्य प्रभारी विकास खण्ड के अधिकारी स्तर को ही बनाया जाना चाहिए। क्षेत्र पंचायत द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है।
4. कार्य के प्रारम्भ करने के पूर्व, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।
5. लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति पंजिका, स्टॉक पंजिका, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं की गयी।
6. लेखा परीक्षा में काटेशन/निविदा से संबंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। न तो विज्ञापन की कटिंग ही प्रस्तुत की गयी। जमानत की 10 प्रतिशत धनराशि भी जमा नहीं करायी गयी।

अतः उ० प्र० क्षेत्र पं० एवं जिला पं० (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत व्यय रु० 2,34,064.00 अनियमित रहा। जिसके लिए ख० वि० अ० श्री जगदीश प्रसाद रावत, लेखाकार श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (सा० आ० सं०-20)

प्रस्तर- 168 वर्ष 13-14 में ग्राम पंचायत बहवन में पंडित के घर से नदलाल यादव के घर तक सी०सी० रोड हेतु कार्य प्रभारी श्री बसन्त बहादुर ग्रा०पं०अ० के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा रु० 1,63,098.00 में रु० 2,749.00 की टी०डी०एस० कटौती कर भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।

अतः उ० प्र० क्षेत्र पं० एवं जिला पं० (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत व्यय रु० 1,63,098.00 अपहरित रहा। जिसके लिए प्रभारी खन्ड विकास अधिकारी श्री रणवीर सिंह, लेखाकार राजाराम जायसवाल एवं कार्य प्रभारी श्री बसन्त बहादुर उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा० आ० सं०-21)

प्रस्तर- 169 वर्ष 13-14 में ग्राम पंचायत खरथरी में घिरी के घर से गुलाम के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री रुपनारायण भारती ग्रा०वि०अ० के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा रु० 2,67,317.00 में रु० 3,973.00 की टी०डी०एस० कटौती कर भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।

अतः उ० प्र० क्षेत्र पं० एवं जिला पं० (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत व्यय रु० 2,67,317.00 अपहरित रहा। जिसके लिए प्रभारी खन्ड विकास अधिकारी श्री रणवीर सिंह एवं लेखाकार राजाराम जायसवाल एवं कार्य प्रभारी श्री रुपनारायण भारती

ग्रा0वि0अधि0 उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-22)

प्रस्तर- 170 वर्ष 13-14 में ग्राम पंचायत आंटा के लोहांगपुरवा में रामभवन की दुकान से स्वामी प्रसाद के पिछवाड़े तक इंटरलाकिंग कार्यहेतु कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र कुमार ग्रा0वि0अ0 के माध्यम से विभिन्न चेकों के द्वारा रु0 8,67,403.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान की पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।

अतः उ0 प्र0 क्षेत्र पं0 एवं जिला पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत व्यय रु0 8,67,403.00 अपहरित रहा। जिसके लिए तत्कालीन खन्ड विकास अधिकारी श्री एम0 पी0 प्रबल, लेखाकार राजाराम जायसवाल एवं कार्य प्रभारी श्री राजेन्द्र कुमार ग्रा0 वि0अ0 उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी से किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा0 आ0 सं0-23)

प्रस्तर- 171 वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की गयी टी0डी0एस0 कटौती राजकीय कोषागार में न जमा कर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

1- श्री राजाराम जायसवाल सहायक लेखाकार	-	01.04.11 से 31.05.11 तक।
2- श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव सहायक लेखाकार	-	01.06.11 से 31.03.12 तक।
3- राजाराम जायसवाल सहायक लेखाकार	-	01.04.12 से 31.03.14 तक।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कराए गए निर्माण कार्यों पर की गयी टी0डी0एस0 कटौती रु0 3,07,187.00 ग्रांट रजिस्टर में अंकित है। किन्तु टी0डी0एस0 कटौती राजकोष में न जमाकर राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है।

अतः उ0 प्र0 क्षेत्र पं0 एवं जिला पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत व्यय रु0 3,07,187.00 की अनियमितता रही। जिसके लिए खन्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत, श्री शिवबहादुर तिवारी प्रभारी श्री रणवीर सिंह, प्रभारी ख0वि0अ0 श्री एम0 पी0 प्रबल, लेखाकार राजाराम जायसवाल एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(सा0 आ0 सं0-24)

प्रस्तर- 172 वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्माण सामग्री पर व्यय धनराशि रु0 1,38,63,324.00 ग्रांट रजिस्टर के अनुसार दर्शित है। जिसका टी0डी0एस0 2.24 प्रतिशत की दर से रु0 3,10,538.00 होता है। जबकि टी0डी0एस0 कटौती रु0 3,07,187.00 दर्शित है। अतः रु0 3,351.00 कम टी0डी0एस0 की कटौती न कर राजस्व की क्षति की गयी है।

अतः राजस्व क्षति रु0 3,351.00 उ0 प्र0 क्षेत्र पं0 एवं जिला पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अनियमित रही। जिसके लिए खन्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत, श्री शिवबहादुर तिवारी प्रभारी, श्री रणवीर सिंह, प्रभारी ख0 वि0अ0 श्री एम0 पी0 प्रबल, लेखाकार राजाराम जायसवाल एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सा0 आ0 सं0-25)

प्रस्तर- 173 वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक निर्माण सामग्री पर व्यय धनराशि रु0 1,38,63,324.00 ग्रांट रजिस्टर के अनुसार दर्शित है। जिस पर वैट 4.00 प्रतिशत की दर से रु0 5,54,533.00 होता है। अतः रु0 5,54,533.00 वैट की कटौती न कर राजस्व की क्षति की गयी है।

अतः राजस्व क्षति रु0 5,54,533.00, उ0 प्र0 क्षेत्र पं0 एवं जिला पं0 (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अनियमित रही। जिसके लिए खन्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद रावत, श्री शिवबहादुर तिवारी प्रभारी, श्री रणवीर सिंह, प्रभारी ख0 वि0अ0 श्री एम0 पी0 प्रबल, लेखाकार राजाराम जायसवाल एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल उत्तरदायी हैं। उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

सा0 आ0 सं0-26

क्षेत्र पंचायत -करनैल गंज

प्रस्तर - 174 वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुदान पंजी के अनुसार रु0 4,31,45,235.00 का व्यय दर्शित है।

जिसके सापेक्ष रु0 2,50,36,424.00 की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। रु0 1,81,08,811.00 की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत रु0 1,81,08,811.00 अपहृत रहा। जिसके लिए खन्ड विकास अधिकारी श्री के0 एन0 पाण्डेय/श्री श्याम जी/श्री विवेक त्रिपाठी/श्री राकेश एवं लेखाकार श्री राम प्रकाश उत्तरदायी हैं। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(सा0 आ0 सं0

—8)

प्रस्तर —175 वर्ष 11—12 में प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों के सापेक्ष सामग्री क्रय पर रु0 68,35,935.00 का व्यय दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्तियाँ हैं —

1. समस्त क्रय प्रमाणक कैशमेमों/इनवायस पर है।
2. किसी क्रय प्रमाणक पर टी0डी0एस0 एवं वैट की दर का अंकन नहीं है।
3. क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री क्रय का मॉग पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।
4. फर्म द्वारा निर्गत सामग्री आपूर्ति चालान पत्रावली में संलग्न नहीं है।
5. लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत रु0 68,35,935.00 अपहरित रहा। जिसके लिए खन्ड विकास अधिकारी श्री के0 एन0 पाण्डेय/श्री श्यामजी/श्री विवेक त्रिपाठी/श्री राकेश, लेखाकार श्री राम प्रकाश संबन्धित अवर अभियन्ता कार्य प्रभारी एवं प्रमुख श्रीमती ममता सिंह उत्तरदायी हैं। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से की जानी चाहिए।

(सा0 आ0 सं0 —9)

प्रस्तर — 176

वित्तीय वर्ष 2011—12 में श्रमांश पर किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत है—

क्र0सं 0	कार्य का विवरण	मस्टर रोल की अवधि	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
01	बतरा में सोहन के घर से रामगोपाल के घर तक मि0 प0	16.05.11 से 18.07.11	1,36,800.00	श्री यमुना प्रसाद, ग्रा0पं0अ0
02	गुरुवलिया में रामरूप सिंह के खेत से दरबारी के खेत तक खड्डन्जा निर्माण	15.04.11 से 08.05.11	2,06,410.00	श्री अनन्त कुमार, ग्रा0पं0अ0
03	मलौली में उदयरज के खेत से श्री श्यामजी के घर तक मि0 प0	28.10.11 से 07.01.12	3,33,120.00	श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, ग्रा0पं0अ0
04	ढेमा से सुकई के खेत से ओमप्रकाश के खेत तक मि0 प0	26.10.11 से 19.12.11	1,15,200.00	श्रीमती प्रेमा देवी ग्रा0पं0अ0
05	रेक्सिया में मल्लहनपुरवा से तिवारी पुरवा, संजारिनपुरवा तक मिट्टी पटार्ई कार्य	16.04.11 से 29.02.12	4,46,400.00	श्री यमुना प्रसाद ग्रा0पं0अ0
06	मलौली में गंगाधर के खेत से बनियनपुरवा तक मि0प0	05.10.11 से 04.11.11	3,77,280.00	श्री दीपक कुमार ग्रा0पं0अ0
07	द्वारिकानाथ के खेत से दूबे के खेत तक मिट्टी पटार्ई	25.10.11 से 13.11.11	1,60,200.00	श्री यमुना प्रसाद ग्रा0पं0अ0
		योग	17,75,410.00	

उपर्युक्त तालिका में दर्शित कार्यों के सापेक्ष निम्न आपत्तियाँ पायी गयीं—

1. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र तथा मस्टररोल में कार्यारम्भ की तिथि के अंकन में भिन्नता है।
2. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र तथा मस्टररोल में कार्य समाप्ति की तिथि के अंकन में भिन्नता है।
3. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र खण्ड विकास अधिकारी/कार्य प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।
4. कार्यादेश में पत्रांक व दिनांक का अंकन नहीं है।
5. मस्टररोल पर आहरण वितरण अधिकारी, निरीक्षणकर्ता एवं मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं है।
6. कार्यादेश के अनुसार कार्यपूर्ति 15 दिन में होनी थी परन्तु कार्य में 1 माह 3 दिन का समय लगा।
7. कार्य स्थल पर मनरेगा नियमावली के अनुसार कार्य सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है।
8. कार्य प्रारम्भ के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं है।
9. क्र०सं० 02 पर दर्शित कार्य में सामग्री पर व्यय रु० 6,45,490.00 दर्शित है। इस पर 4 प्रतिशत की दर से वैट की कटौती रु० 26,497.20 की राजस्व क्षति की गयी है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य पर दर्शित व्यय केवल कागजी था।

उक्त बिन्दुओं के प्रकाश में स्पष्ट है कि काल्पनिक मस्टररोल तैयार कर धन रु० 17,75,410.00 का अपहरण किया गया है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री के०एन० पाण्डेय एवं श्याम जी, लेखाकार श्री रामप्रकाश श्रीवास्तव, अवर अभियंता श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, कार्य प्रभारी श्री यमुनाप्रसाद/श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव /श्री अनन्त कुमार/श्रीमती प्रेमा देवी ग्रा०प०अ० उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से अपहृत धनराशि कुल रु० 17,75,410.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-10)

प्रस्तर – 177 सामग्री व श्रमांश पर व्यय दर्शाकर समग्र धनराशि का अपहरण—

क्र०सं०	कार्य का नाम	सामग्री की धनराशि	कार्यप्रभारी
01	वि० ख० कार्यालय परिसर में प्रमुख के कक्ष की मरम्मत तथा सौन्दर्यकरण	सामग्री मद—1,07,360.00 श्रमांश मद—7,88,544.00	श्री विमलेश कुमार ग्रा०प०अ०
02	वि० ख० परिसर में प्रमुख कक्ष, ख०वि०अ० कक्ष अतिरिक्त सौन्दर्यकरण	सामग्री मद—2,74,622.00 श्रमांश मद— शून्य	श्री आदित्य प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०
03	कूरी में लखपत के खेत के पास पुलिया निर्माण	2,16,177.00	श्री आदित्य प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०
04	ख०वि० अधिकारी आवास में शौचालय व स्नानगृह निर्माण	93,631.00	श्री आदित्य प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०
05	धनवों में सी०सी० रोड निर्माण	6,18,950.00	श्री उत्तम कुमार ग्रा०प०अ०
	योग—	13,10,740.00	

उपर्युक्त तालिका में दर्शित कार्य राज्य वित्त के तहत करवाये गये हैं जिनके सापेक्ष निम्न आपत्तियाँ पायी गयी—

1. कार्य प्रभारी की नियुक्ति पत्र पर पत्रांक व दिनांक का उल्लेख नहीं है।
2. मास्टर्स ट्रेडर्स करनैलगंज को रु० 49651 का नगद भुगतान दर्शित है। जो नियम विरुद्ध है।
3. चावला इलेक्ट्रिक हाउस चौक बाजार को भुगतान क्रमशः रु० 69,450.00 एवं रु० 15,070.00 का भुगतान इनवाइस पर किया गया है।
4. मो० सईद एसोसियट मेवातियान गोण्डा को भुगतान क्रमशः रु० 1,57,284.00, रु० 78,993.00 व रु० 11,603.00 का भुगतान इनवाइस पर किया गया है।
5. राज मारबल्स मालवीयनगर गोण्डा को भुगतान किया क्रमशः रु० 63,614.00, रु० 1,05,030.00 व रु० 84,757.00 इनवाइस पर किया गया है।
6. हमीद अहमद जनरल आर्डर वर सप्लायर्स को भुगतान क्रमशः रु० 70,840.00 व रु० 44,812.00 इनवाइस पर किया गया।
7. बी०बी० मारबल्स मालवीय नगर गोण्डा को रु० 20,040.00 का भुगतान इनवाइस पर किया गया है।

जबकि राज मारबल्स को पहले से तीन भुगतान किये गये हैं। तो बी०बी० मारबरस से बिना कोटेशन के सामग्री क्रय करना नियम विरुद्ध है।

8. मस्टर रोल पर कोई क्रमांक अंकित नहीं हैं तथा मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को खाते में न करके सीधे कार्य प्रभारी को किया गया है। जो नियम विरुद्ध है।

9. सामग्री मद में किया गया भुगतान के सापेक्ष कोई चेक सं० व भुगतान का दिनांक प्राप्त नहीं हुआ है।

इससे स्पष्ट है कि ऊपर सभी दर्शित भुगतान व फर्म के नाम फर्जी है। निर्माण पत्रावली में न तो फर्म के नाम कोई मांगपत्र पाया गया है। और न ही फर्म का कोई सामग्री आपूर्ति चालान पाया गया है। लेखाकार के द्वारा सामग्री आमद/उपभोग/स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त बिन्दुओं के आलोक में स्पष्ट है कि उपरोक्त समस्त भुगतान रु० 13,10,740.00 का अपहरण हुआ है। इसके लिए बीडी०ओ० श्री के० एन० पाडेय/लेखाकार श्री रामप्रकाश श्रीवास्तव /अवर अभियंता श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह/ब्लाक प्रमुख श्रीमती ममता सिंह/कार्यप्रभारी श्री विमलेश कुमार/श्री आदित्य प्रताप सिंह/श्री उत्तम कुमार ग्रा०प०अ० समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से अपहृत धनराशि कुल रु० 13,10,740.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-11)

प्रस्तर – 178 संस्था द्वारा निर्माण कार्यों पर किये गये भुगतानों का विवरण निम्नवत है—

क्रम सं०	कार्य का नाम	धनराशि	कार्यप्रभारी	उत्तरदायी व्यक्ति
1	ढेमा में प्रधानमंत्री सड़क से बिरवा होते हुए गरीब के घर तक मिट्टी पटाई।	2,80,800.00	श्रीमती प्रेमादेवी ग्रा०प०अ०	तत्कालीन बी०डी०ओ०, लेखाकार, जे०ई०, सम्बद्ध कार्य—प्रभारी
2	बरतरा में शाहपुर भौरागंज मार्ग से हरीपुरवा होते हुए रुदौली सरहद तक खडन्जा निर्माण।	1,71,300.00	श्री यमुना प्रसाद ग्रा०प०अ०	
3	धनावा में रामनिहोरे के खेत के पास पुलिया निर्माण	71,880.00	श्री आदित्य प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०	
4	गुरुवलिया के बसन्तपुर में बाबूराम के घर से ननकू लोनिया के घर तक खडन्जा निर्माण।	2,43,580.00	श्री अनन्त कुमार ग्रा०प०अ०	
5	ढेमा में कई के खेत से ओमप्रकाश के खेत तक मि०पटाई कार्य	1,15,200.00	श्रीमती प्रेमादेवी ग्रा०प०अ०	
6	खजुरिया में चचरी रोड से डोहा गाँव तक मिट्टी पटाई।	12,880.00	श्री रंजीत कुमार ग्रा०प०अ०	
7	रुदोलिया में गोपी के घर से उसकापुर तक मिट्टी पटाई कार्य।	96,600.00	श्री उत्तम कुमार गुप्ता ग्रा०प०अ०	
योग—		9,92,240.00		

उपर्युक्त तालिका में तालिका 1 के अनुसार कार्यों के क्रम में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी हैं—

1. एम०बी० पर खण्ड विकास अधिकारी/अवर अभियंता के हस्ताक्षर नहीं हैं।
2. कार्यपूर्ति पर ख०वि०अ०/कार्यप्रभारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।
3. मस्टररोल पर एक ही व्यक्ति के अगुलियों के निशान हैं जो सत्यापित नहीं हैं। मस्टररोल पर आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। मस्टररोल पर लेखकार, कार्य निरीक्षणकर्ता के भी हस्ताक्षर नहीं हैं। निर्माण कार्य पत्रावली में कार्य के पूर्व दौरान, पश्चात के फोटोग्राफ नहीं हैं। कार्य स्थल पर कार्य सूचनापट भी नहीं लगाया गया है। जो मनरेगा नियमावली का उल्लंघन है। कार्य हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्य के नाम का उल्लेख नहीं है। अतएव ऐसे में बी०डी०ओ० एवं अवर अभियंता की स्वीकृति

मिलना सम्भव नहीं है। इससे स्पष्ट है कि यह सुनियोजित ढंग से धनापहरण योजना है पूर्णतः कल्पित एवं फर्जी है।

4. कार्य प्रारम्भ के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ पत्रावली में नहीं है।
5. क्रम सं० 02 से सम्बन्धित मिश्रा ईट भट्ठा को सामग्री मद में भुगतान कैशमेमो पर किया गया है जिसके सापेक्ष कोई मांगपत्र/आपूर्ति चालान पत्रावली में नहीं पाया गया।
6. क्रम सं० 04 से सम्बन्धित सामग्री क्रय का वाउचर सं 262 का भुगतान दि० 08.04.11 को दर्शित है जबकि वाउचर सं० 225 का भुगतान दि० 16.04.11 को दर्शित है। जिससे स्पष्ट है कि वाउचर्स/व्यय प्रमाणक फर्जी बनाये गये हैं।
7. क्रम सं० 06 से सम्बन्धित मस्टर रोल क्रमांक 50063 का दो बार प्रयोग हुआ है। जिसके सापेक्ष रु० 7,200.00 का भुगतान हुआ है।

उपर्युक्त आपत्तियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त कार्यों के नाम पर फर्जी निर्माण कार्य पत्रावलियां बनाकर रु० 9,92,240.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये सम्बन्धित बी०डी०ओ० श्री राकेश कुमार व श्री एस०बी०सिंह /कार्यप्रभारी/ लेखाकार अवर अभियंता उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से अपहृत धनराशि कुल रु० रु० 9,92,240.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० – 12)

प्रस्तर –179 बैट की कटौती न करके राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी—

वित्तीय वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध करवायी गयी निर्माण पत्रावलियों में सामग्री मद में व्यय रुपया 80,39,415.00 दर्शित है। जिसके सापेक्ष 4 प्रतिशत की दर से वैट रु० 3,21,576.00 होता है। जबकि उक्त वित्तीय वर्ष में वैट कटौती शून्य की गयी है। इस प्रकार वैट की कटौती न करके रु० 3,21,576.00 से राजस्व की क्षति की गई। उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सम्बन्धित बी०डी०ओ० श्री राकेश व श्री एस० बी० सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० – 13)

प्रस्तर – 180 बिना कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के सम्पन्न हुए कार्य निम्न तालिका का अवलोकन करें—

क्रम सं०	कार्य का नाम	धनराशि	कार्य प्रभारी
01	बरतरा में हरिपुरवा के पास 2 मी० आर०सी० पुलिया निर्माण।	66,485.00	श्री यमुना प्रसाद ग्रा०प०अ०
02	बरतरा के डीहा में मिश्रीलाल के खेत से सरैया सरहद तक खड़न्जा निर्माण।	1,54,140.00	श्री यमुना प्रसाद ग्रा०प०अ०
03	बरतरा में शुक्लनपुरवा गांव में नाला सफाई।	5,80,320.00	श्री यमुना प्रसाद ग्रा०प०अ०
04	काशीपुर में मुल्कीराम के खेत से नकहरा बार्डर तक मिट्टी पटाई कार्य	3,48,480.00	श्री राज कुमार ग्रा०प०अ०
05	रामगढ़ में धरकरनपुरवा से सियाराम के घर तक मिट्टी पटाई कार्य।	1,80,000.00	श्री राज कुमार ग्रा०प०अ०
06	नरायनपुर माझा में कारिन्दापुरवा से पिपरी रेलवे क्रासिंग तक मिट्टी पटाई कार्य।	2,88,000.00	श्री अरुण कुमार ग्रा०प०अ०
07	मलौली में जू०हा० लखनपुरवा से लोरी के घर तक मिट्टी पटाई कार्य	1,25,280.00	श्री दीपकुमार ग्रा०प०अ०
08	चतरौली में साहेबदीन के खेत से शिवनाथ क खेत तक मिट्टी पटाई कार्य।	3,45,600.00	श्री आदित्य प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०
09	हीरापुर कमियार चाहलारघार से राम अछेवर के खेत तक मिट्टी पटाई कार्य।	57,600.00	श्री दीपकुमार ग्रा०प०अ०
10	पाल्हापुर में बलदेवपुरवा पक्की सड़क से तिहददा तक मिट्टी पटाई कार्य	84,900.00	श्री दीपकुमार ग्रा०प०अ०

11	मलौली में रामप्रसाद के घर से राममिलन के घर तक मिट्टी पटाई कार्य।	2,67,360.00	श्री दीप कुमार ग्रा०प०अ०
12	रेक्साडिया में पक्की सड़क से विजयपुरवा होते हुए डीहा के आगे तक मिट्टी पटाई कार्य।	2,69,136.00	श्री आदित्य प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०
13	अल्लीपुर गोकुला में कृष्णपाल के खेत से रामस्वरूप के खेत तक मिट्टी पटाई कार्य।	1,44,000.00	श्रीमती प्रेमादेवी ग्रा०प०अ०
14	दिनकरिया में झब्बर के खेत से रामहतर खलिहान तक मिट्टी पटाई कार्य	2,13,240.00	श्री उत्तम कुमार ग्रा०प०अ०
15	चन्द्रमानपुर में पारसनाथ के खेत से देवदत्ताचार नदी तक मिट्टी पटाई कार्य।	1,98,480.00	श्री दीप कुमार ग्रा०प०अ०
16	लालमऊ निवहा से लालमऊ डीहा तक मिट्टी पटाई कार्य	3,06,000.00	श्री पवन कुमार ग्रा०प०अ०
17	पाल्हापुर में लोनियनपुरवा में महेश के घर के सामने से दोखपुरवा तक मिट्टी पटाई कार्य।	1,94,400.00	श्री विमलेश कुमार ग्रा०प०अ०
18	ग्राम पंचायत तरहटा में उदियापुर कमालपुर मार्ग से बदलनपुरवा तक मिट्टी पटाई कार्य।	2,20,320.00	श्री राजकुमार ग्रा०प०अ०
योग—		40,43,741.00	

उपर्युक्त तालिका में दर्शित कार्यों की निर्माण कार्य पत्रावलियों में कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र नहीं पाये गये हैं। जिसके कारण उपर्युक्त तालिका में दर्शित कार्यों के होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव उक्त कार्यों में दर्शित व्यय रु० 40,43,741.00 का उपभोग उक्त कार्यों पर हुआ, यह प्रमाणित नहीं है। जो अति गंभीर अनियमितता का प्रकरण है। इसके लिए श्री राकेश कुमार व श्री एस०बी०सिंह बी०डी०ओ०/लेखाकार/अवर अभियंता/कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० -

14)

प्रस्तर - 181 वित्तीय वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अनुदान पंजी के अनुसार व्यय रु० 48,12,652.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों के अनुसार उपभोगित व्यय रु० 18,79,548 दर्शित है। इस प्रकार अनुदान पंजी के अनुसार व्यय/उपभोगित रु० 29,33,104.00 के सापेक्ष कोई निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जो उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण है। इस प्रकार बी०डी०ओ० श्री राकेश एवं श्री एस०बी० सिंह /लेखाकार श्री रामप्रकाश श्रीवास्तव, श्री हरीराम उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से अपहृत धनराशि कुल रु० 29,33,104.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं० - 20)

प्रस्तर - 182 वित्तीय वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार सामग्री मद में दर्शित व्यय रु० 15,67,664.00 है। इसके सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. सामग्री क्रय के सन्दर्भ में पत्रावलियों में पाये गये क्रय प्रमाणक फर्म की कैशमेमों/इनवाइस है। जिस पर न तो टैक्स की दर का अंकन है और न ही धनराशि का अंकन है।
2. संस्था के द्वारा सामग्री मांगपत्र भी फर्म को भेजने के प्रमाण निर्माण कार्य पत्रावलियों में नहीं पाये गये हैं।
3. फर्म के द्वारा यदि सामग्री आपूर्ति की गई तो सामग्री आपूर्ति चालान निर्माण कार्य पत्रावलियों में होने चाहिए थे परन्तु वे नहीं पाये गये हैं।
4. लेखा परीक्षा के दौरान सामग्री आमद/उपभोग स्टॉक रजिस्टर भी नहीं प्रस्तुत किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार से स्पष्ट है कि सामग्री उपभोग के नाम पर रु० 15,67,664.00 का अपहरण किया गया है। इसके लिए बी०डी०ओ० श्री राकेश एवं श्री एस०बी०सिंह, लेखाकार श्री रामप्रकाश श्रीवास्तव एवं श्री हरीराम/अवर अभियंता श्री डी०बी० सिंह व सम्बन्धित कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से अपहृत धनराशि कुल रु० 15,67,664.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही

अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० – 21)

प्रस्तर – 183 संस्था द्वारा निर्माण कार्यों में श्रमांश पर किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत है—

क्र० सं०	कार्य का नाम	धनराशि	कार्यप्रभारी/भुगतान प्राप्तकर्ता
01	कूरी में संस्कृत पाठशाला के बगल से लल्ला भइया के फुलवारी तक खड़न्जा काय	1,03,220.00	श्री आदित्य प्रताप सिंह ग्रा०पं०अ०
02	धनावां में कबड़ियन टोला तक खड़न्जा कार्य।	26,818.00	श्री विजय प्रताप सिंह ग्रा०पं०अ०
03	धनावों में भरहार के खेत के पास पुलिया निर्माण	63,606.00	श्री आदित्य प्रताप सिंह ग्रा०पं०अ०
04	धनावों में सुन्दर के दुकान के पास पुलिया	65,836.00	श्री आदित्य प्रताप सिंह ग्रा०पं०अ०
योग—		2,59,480.00	

उपरोक्त दर्शित कार्यों के सापेक्ष भुगतान श्रमिकों को न करके कार्य प्रभारी द्वारा स्वयं ले लिया गया है। जो मस्टररोल पत्रावलियों में पाये गये हैं उन पर एक ही व्यक्ति के अंगूठा निशान है। जो सत्यापित भी नहीं है। मस्टररोल पर आहरण वितरण अधिकारी, लेखाकार, निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। इस प्रकार रु० 2,59,480.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए बी०डी०ओ० श्री राकेश/श्री एस० बी० सिंह /लेखाकार श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव व श्री हरीराम/अवर अभियंता श्री डी०बी० सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से अपहृत धनराशि कुल रु० 2,59,480.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० – 22)

प्रस्तर – 184 बिना मस्टररोल के कार्य पर भुगतान कर धनापहरण—

क्र० सं०	कार्य का नाम	धनराशि	कार्यप्रभारी/भुगतान प्राप्तकर्ता
01	कूरी में रानी बगिया के पास आर० सी० सी० पुलिया निर्माण।	1,92,100.00	बी०डी०ओ० / लेखाकार / जे०ई० / कार्यप्रभारी
02	कूरी में उमाशंकर के खेत के पास आर० सी० सी० पुलिया निर्माण।	1,43,980.00	
03	धनावां में नरई टोला के पास पुलिया निर्माण	2,26,027.00	
04	धनावां में शिवलाल के घर के पास पुलिया निर्माण	2,26,027.00	
05	धनावां खास में पुलिया निर्माण कार्य	2,26,027.00	
योग—		10,14,161.00	

उपरोक्त दर्शित कार्यों में वित्तीय वर्ष 2012-13 में सामग्री मद में रु० 10,14,161.00 का व्यय दर्शित है। परन्तु उपर्युक्त सभी पांच कार्यों की निर्माण पत्रावलियों में संलग्न मस्टररोल पर अमांश शून्य दर्शित है। इस प्रकार ये कार्य हुए ही नहीं हैं। जिन पर रु० 10,14,161.00 का अपहरण कर लिया गया है। इसके लिए बी०डी०ओ० श्री राकेश श्री डी०बी० सिंह/कार्य प्रभारी श्री आदित्य प्रताप सिंह उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से अपहृत धनराशि कुल रु० 10,14,161.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० –

23)

प्रस्तर – 185 वैट की कटौती न करके राजस्व की क्षति—

वित्तीय वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों के अनुसार सामग्री मद में व्यय रु० 25,81,825.00 दर्शित है। जिसके सापेक्ष 4 प्रतिशत की दर से वैट रु० 1,03,273.00 हुआ। वित्तीय वर्ष 2012-13 में वैट कटौती शून्य दर्शित है। अतएव रु० 1,03,273.00 की राजस्व क्षति की गयी है। उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सम्बन्धित बी०डी०ओ० श्री राकेश व श्री एस० बी० सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०- 25)

प्रस्तर – 186 फर्जी मस्टररोल पर भुगतान कर धनापहरण—

क्रम सं०	कार्य का नाम	मस्टररोल	भुगतान	कार्य प्रभारी
01	सकरौरा सुविधा से भगोले पुरवा तक	28.02.13 से 26.02.13	1,99,500.00	श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव ग्रा०पं०अ०
02	अल्लीपुर गोकुला में तेलियनपुरवा पुलिया से जमील के खेत तक	02.03.13 से 29.03.13	86,000.00	श्री विजय प्रताप सिंह ग्रा०पं०अ०
03	काशी के खेत से घुसवा तक मिट्टी पटाई।	28.02.13 से 20.03.13	1,40,875.00	श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव ग्रा०पं०अ०
04	चचरी रोड से लखनऊ रोड तक मिट्टी पटाई कार्य।	26.02.13 से 29.03.13	1,25,000.00	श्री आदित्य प्रताप सिंह ग्रा०पं०अ०
		योग	5,51,375.00	

उपरोक्त दर्शित निर्माण कार्यों में निम्न आपत्तियां पायी गयी—

1. कार्यपूति प्रमाण पत्र पत्रावली में नहीं है इससे इस व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. माप पुस्तिका में अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर तक नहीं है।
3. मस्टररोल पर क्रम संख्या का अंकन नहीं है जिससे स्पष्ट है कि यह मस्टररोल बाहरी है जो विकास खण्ड से निर्गत नहीं है।
4. मस्टररोल कार्य निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर भी नहीं है।
5. मस्टररोल पर एक ही व्यक्ति के अंगुलियों के निशान हैं, जो सत्यापित भी नहीं हैं।
6. कार्य स्थल पर कोई कार्य सूचना पट नहीं लगाया गया है जो आदेश का उल्लंघन है।
7. कार्य के तीनों चरणों के फोटो ग्राफ नहीं है।
8. कार्य का आरम्भ 14.03.13 को हो रहा है। जबकि मस्टररोल 28.02.13 से 26.02.13 तक के लगे है।
9. क्र० सं० 02 पर उल्लिखित कार्य से सम्बन्धित कार्यपूति प्रमाण-पत्र और मस्टररोल में अंकित तिथियों में भिन्नता है। कार्य में निर्धारित अवधि का ध्यान नहीं रखा गया है।
10. क्र० सं० 03 पर उल्लिखित कार्य से सम्बन्धित कार्यपूति प्रमाण-पत्र निर्माण पत्रावली में नहीं पाया गया है। माप पुस्तिका पर अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर व मुहर नहीं पाये गये। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा श्रमिकों के भुगतान हेतु सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक को श्रमिकों के भुगतान हेतु लिखित में बी०डी०ओ० के न तो हस्ताक्षर हैं और न ही मुहर तथा पत्रांक व दिनांक भी नहीं लिखे गये हैं।
11. क्र० सं० 04 पर उल्लिखित कार्य से सम्बन्धित कार्यपूति प्रमाण-पत्र और मस्टररोल में अंकित तिथियां भिन्न-भिन्न हैं।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि यह कार्य हुआ ही नहीं है। सुनियोजित ढंग से कुल रु० 5,51,375.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए बी०डी०ओ० श्री एस०वी० सिंह/लेखाकार हरीराम/अवर अभियन्ता श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह/सम्बन्धित कार्य प्रभारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से अपहृत धनराशि कुल रु० 5,51,375.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०- 24)

प्रस्तर – 187 वित्तीय वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि अनुदान पंजी के अनुसार

उपभोग रु० 1,32,45,210.00 का हुआ है। जबकि लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध करवायी गयी निर्माण कार्य पत्रावलियों के अनुसार उपभोग किया गया रु० 15,36,114.00 दर्शित है। इससे स्पष्ट है कि उपभोगित रु० 1,17,09,096.00 के सापेक्ष कोई निर्माण कार्य पत्रावली उपलब्ध नहीं करवाई गयी है। अतएव उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत बिना व्यय प्रमाणक के किया गया व्यय अपहरण माना जायेगा। जिसके लिये बी०डी०ओ० एस०बी० सिंह, श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, श्री मृणाल सिंह/लेखाकार श्री हरीराम उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से अपहृत धनराशि कुल रु० 1,17,09,096.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०- 28)

प्रस्तर - 188 वित्तीय वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि सामग्री मद में व्यय रु० 11,77,686.00 दर्शित है। इस सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी-

1. समस्त क्रय प्रमाणक फर्मों के कैशमेमो/इनवाइस के रूप में निर्माण कार्य पत्रावलियों में संलग्न है। इन पर टैक्स की दर व धनराशि का कहीं भी उल्लेख नहीं है।
2. संस्था के द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु फर्म कोई मांगपत्र प्रेषित किया गया है इसके प्रमाण निर्माण पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में नहीं पाये गये है।
3. फर्म द्वारा सामग्री आपूर्ति चालान का भी कोई प्रमाण निर्माण कार्य पत्रावलियों में नहीं पाया गया है।
4. लेखा परीक्षा के समय सामग्री की आमद/उपभोग/शेष स्टॉक रजिस्टर भी नहीं प्रस्तुत किये गये है।

उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी है। अस्तु रु० 11,77,686.00 के अपहरण के लिये बी०डी०ओ०/लेखाकार श्री हरीराम/अवर अभियंता श्री डी०बी० सिंह/सम्बन्धित कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से अपहृत धनराशि कुल रु० 11,77,686.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० 29)

प्रस्तर - 189 श्रमांश का अपहरण :- तालिका का अवलोकन करें।

क्रम सं०	कृत कार्य का नाम	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	धनावा पिच रोड से रामेश्वर के घर तक होते हुए हनुमान मंदिर तक एवं पप्पू मिश्रा के घर से सतीश मिश्रा के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण।	1,62,554.00	श्री विजय प्रताप सिंह ए०डी०ओ०
2	कूरी में संस्कृत पाठशाला के बगल से लल्ला भइया के फुलवारी तक खड़न्जा कार्य।	1,03,220.00	श्री आदित्य प्रताप सिंह ग्रा०प०ओ०
3	बनावा में कबड़ियन टोला में खड़न्जा निर्माण कार्य।	26,818.00	श्री आदित्य प्रताप सिंह ग्रा०प०ओ०
4	धनावा खास में तालाब के पास पुलिया निर्माण।	65,836.00	श्री आदित्य प्रताप सिंह ग्रा०प०ओ०
योग-		3,58,428.00	

उपरोक्त में समस्त श्रमांश की धनराशि सम्बन्धित कार्य प्रभारियों द्वारा चेक के माध्यम से सीधे प्राप्त कर अपहरण किया गया है। किन्तु क्र० सं० 04 पर दर्शित कार्य पर श्रमांश का धन कार्य प्रभारी श्री आदित्य प्रकाश सिंह के स्थान पर श्री विजय द्वारा प्राप्त किया गया।

उपर्युक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि उक्त श्रमांश रु० 3,58,428.00 का अपहरण हुआ है। जिसके लिए तत्कालीन बी०डी०ओ०/लेखाकार श्री हरीराम/अवर अभियंता श्री खुर्शीद आलम तथा कार्य प्रभारी श्री विजय प्रताप सिंह तथा आदित्य प्रताप सिंह ग्रा०प०ओ०, उत्तरदायी है। इसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं०-30)

प्रस्तर - 190 वैट न काटकर राजस्व की क्षति-

वित्तीय वर्ष 2013-14 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध करवायी गयी निर्माण कार्य पत्रावलियों के अनुसार सामग्री पर व्यय रु० 11,77,686.00 दर्शित है। इस का 4 प्रतिशत की दर से वैट रु० 47,108.00 होता है। जबकि विकास खण्ड द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 में वैट कटौती शून्य दर्शित है। उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के

अन्तर्गत रु0 47,108.00 की अनियमितता की गयी है। जिसके लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति सं०- 32)

प्रस्तर – 191 वित्तीय वर्ष 2013-14 में फुलवारी खडन्जा से रामकिशुन के घर तक खडन्जा कार्य करवाया गया है। परन्तु निर्माण कार्य पत्रावली में मजदूरी शून्य दर्शित है। इससे स्पष्ट है कि सामग्री मद में किया गया व्यय भी फर्जी एवं सुनियोजित अपहरण है। क्योंकि निर्माण पत्रावली में कोई सामग्री पत्र/सामग्री आपूर्ति चालान नहीं पाया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान उपभोग/आमद/स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार रु0 1,66,500.00 का अपहरण कार्य प्रभारी श्री आदित्य प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०/बी०डी०ओ०/लेखाकार श्री हरीराम/अवर अभियंता द्वारा मिलकर किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से अपेक्षित है (मूल आपत्ति सं०-31)

प्रस्तर – 192 वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान पंजी के अनुसार ब्याज प्राप्ति (क्षेत्र निधि) में प्रारम्भिक अवशेष रु0 15,140.00 था। 2014-15 में इस मद में रु0 8,392.00 प्राप्त हुआ है। उक्त वर्ष में इस मद से रु० 15,140 का व्यय दर्शित है। जो शासनादेश सं०-ए- 1-122/दस-20120-10 (33)/2010 दिनांक 21.03.12 के प्रस्तर (3) के अनुसार यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर व्याज अर्जित किया जाता है तो अर्जित व्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा करा दिया जायेगा। यदि अर्जित व्याज की धनराशि को अन्य कार्यों में व्यय दर्शित किया जाता है तो यह वित्तीय अनियमितता है। इस प्रकार रु0 15,140.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। इसके लिए बी०डी०ओ० श्री मृणाल सिंह एवं श्री रणजीत कुमार तथा लेखाकार श्री हरीराम उत्तरदायी है। जिसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।(सा० आपत्ति सं०-07)

प्रस्तर – 193 वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान पंजी के अनुसार इंदिरा आवास प्रशासनिक मद में दर्शित व्यय रु0 1,30,589.00 है जबकि इस मद के सापेक्ष प्रस्तुत व्यय प्रमाणक का विवरण निम्नवत है—

चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	व्यय मद
668140	31.03.2015	24,000.00	मुख्यमन्त्री के आगमन पर आवासीय योजनाओं पर
042029	16.02.2015	32,500.00	स्तोत्रगन आदि वापस किया गया वापस किया गया।
668137	10.11.2015	11,280.00	वापस किया गया
668139	03.02.2015	3,193.00	डीजल पर व्यय
668136	01.10.2014	3,225.00	आवासीय फीडिंग
338135	07.08.2014	5,000.00	फोटो अपलोड पर व्यय
668134	16.07.2014	800.00	कार्टेज क्रय पर व्यय
668133	30.06.2014	8,350.00	फोटो अपलोड पर व्यय
668132	29.04.2014	861.00	ब्राडवैण्ड कनेक्शन पर व्यय
668131	16.04.2014	4,900.00	स्केनर पर व्यय
668130	16.04.2014	31,900.00	आवासीय फीडिंग पर व्यय
योग		126009.00	

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि अनुदान पंजी में दर्शित व्यय रु० 1,30,189.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक रु0 1,26,009.00 ही है। इस प्रकार रु0 4,580.00 बिना व्यय प्रमाणक के व्यय हुआ है। जो उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण होता है। इस प्रकार रु0 4,580.00 के अपहरण के लिए श्री मृणाल सिंह एवं श्री रणजीत कुमार खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार श्री हरीराम उत्तरदायी है। जिनसे अपहृत धन रु0 4,580.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-194 वर्ष 2014-15 में अनुदान पंजी में दर्शित मदों के सापेक्ष दर्शित व्यय के विवरण इस प्रकार है-

क्र0स0	मदों का नाम	उपयोगित धनराशि
1	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	8,000.00
2	मनरेगा (ग्राम निधि)	22,106.00
3	वेतन एवं शासकीय चेक मद	56,199.00
4	मनरेगा, लघु सिंचाई	50,759.00
5	आंगनवाड़ी भवन निर्माण (केन्द्र)	2,22,940.00
6	अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना	75,000.00
योग		4,35,003.00

उपर्युक्त दर्शित मदों में व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय लेखाकार श्री हरीराम के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण होता है। जिसके लिये बी०डी०ओ० श्री मृणाल सिंह एवं श्री रणजीत कुमार/लेखाकार श्री हरीराम उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से अपहृत धनराशि रु0 4,35,003.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति सं0-07 ए)

प्रस्तर -195 वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान पंजी के अनुसार बी०आर०जी०एफ० योजना में रु0 8,81,440.00 का व्यय दर्शित है। इसके सापेक्ष व्यय प्रमाणकों के अनुसार रु0 8,32,772.00 की वापसी राज्य सरकार को की गयी दर्शित है। शेष रु0 48,668.00 को भी इसी मद से टी०डी०एस० जमा दर्शाया गया है। जबकि प्रत्येक सामग्री क्रय के सापेक्ष 2.24 या 2.27 प्रतिशत की दर से टी०डी०एस० की कटौती की गयी है। इस प्रकार बी०आर०जी०एफ० मद से टी०डी०एस० नहीं जमा करना औचित्यपूर्ण नहीं है। इससे स्पष्ट है कि रु0 48,668.00 का अपहरण किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण होता है। इसके लिए बी०डी०ओ० श्री रणजीत कुमार एवं लेखाकार श्री हरीराम उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से अपहृत धनराशि रु0 48,668.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति सं0-09)

प्रस्तर - 196 वित्तीय वर्ष 2015-16 में इंदिरा आवास प्रशासनिक मद में व्यय निम्नानुसार है-

क्र0स0	व्यय की मदें	धनराशि
1	चेक सं0 682644/ दि० 21.03.16 को इलाहाबाद बैंक विकास भवन के खाता सं0 20282092999 में आ०टी०जी०एस० के द्वारा वापस	1,13,898.00
2	चेक सं0 682643 दि० 17.03.16 द्वारा मशीन का टोनर इंक क्रय किया।	3,000.00
3	चेक सं0 682640 दि० 17.03.16 के द्वारा डीजल डाक टिकट	1,000.00
4	चेक सं0 682639 दि० 17.03.18 द्वारा डाटा फीडिंग पर व्यय	3,200.00
5	चेक सं0 682638 दि० 17.03.16 द्वारा स्टेशनरी व्यय	3,030.00
6	चेक सं0 682637 दि० 11.03.16 द्वारा आवासीय फीडिंग	17,000.00
7	चेक सं0 682636 दि० 08.03.16 द्वारा टेन्ट जनरेटर आदि	7,200.00
8	चेक सं0 042386 दि० 20.01.18 द्वारा वापस	64,018.00
9	बैंक चेक सं0 682633 दि० 11.01.16 की बी०डी०ओ० कक्ष का परदा इत्यादि	3,730.00
10	चेक सं0 682632 दि० 29.12.15 को फोटो स्टेट पर व्यय	3,000.00
11	चेक सं0 682631 दि० 26.11.15 को फोटो स्टेट पर व्यय	3,350.00
12	चेक सं0 682630 दि० 26.11.15 को डीजल क्रय पर व्यय	2,290.00
13	चेक सं0 682629 दि० 20.11.15 को फोटोस्टेट व मशीन कार्टेज पर व्यय	9,200.00

14	चेक सं० 682628 दि० 20.10.15 को फीडिंग पर व्यय	3,000.00
15	चेक सं० 682627 दि० 20.10.15 को फीडिंगफोटो अपलोड पर व्यय	3,000.00
16	चेक सं० 682626 दि० 16.10.15 को वाहन सर्विसिंग डीजल पर व्यय	11,569.00
17	चेक सं० 668150 दि० 03.10.15 को स्टेशनरी पर व्यय	5,950.00
18	चेक सं० 668149 दि० 26.09.15 को वीडियोग्राफी पर व्यय	1,500.00
19	चेक सं० 668148 दि० 08.09.15 को इलेक्ट्रोस्टेट मशीन रिपेयरिंग पर व्यय	18,050.00
20	चेक सं० 668147 दि० 22.08.15 को प्रिंटरस्कैनर का कार्टेज क्रय पर व्यय	3,500.00
21	चेक सं० 868146 दि० 17.08.15 को ब्राडवैश कनेक्शन बिल पर व्यय	4,868.00
22	चेक सं० 668145 दि० 12.08.15 को जनरेटर मरम्मत पर व्यय	6,320.00
23	चेक सं० 668144 दि० 27.07.15 को टोनर इक पर व्यय	500.00
24	चेक सं० 668143 दि० 05.06.15 को आवास फीडिंग पर व्यय	3,000.00
योग		2,95,173.00

उपर्युक्त दर्शित कुल व्यय रु० 2,95,173.00 है। जबकि अनुदान पंजी में दर्शित व्यय रु० 3,03,807.00 है। इस प्रकार रु० 8,634.00 के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक दर्शित नहीं किया है। अतएव उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण होता है। इसके लिए बी०डी०ओ० श्री रणजीत कुमार एवं लेखाकार श्री हरीराम उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से अपहृत धनराशि रु० 8,634.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा० आपत्ति सं०-11)**

प्रस्तर -197 वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान पंजी के अनुसार निम्न मदों में व्यय इस प्रकार है—

क्र०सं०	मदें	धनराशि
1	अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना	87,500.00
2	इंदिरा आवास योजना	3,88,320.00
3	पंचायत निर्वाचन	30,000.00
योग		5,05,820.00

उपर्युक्त दर्शित तीनों मदों के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण होता है। इसके लिए बी०डी०ओ० श्री रणजीत कुमार एवं लेखाकार श्री हरीराम उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से अपहृत धनराशि रु० 5,05,820.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा० आपत्ति सं०-12)**

प्रस्तर - 198 आंगनबाड़ी केन्द्र पारा के भवन निर्माण में दर्शित व्यय रु० 66,031.00 की सामग्री क्रय की गयी है। परन्तु इसके सापेक्ष निर्माण कार्य में तो वैट काटा गया है और न ही टी०डी०एस० काटा गया दर्शित है। न ही चेक संख्या का उल्लेख है और न ही फर्म का, जिसे भुगतान किया गया है। इस प्रकार रु० 66,031.00 का अपहरण हुआ है। जिसके लिए बी०डी०ओ० श्री रणजीत कुमार/लेखाकार श्री हरीराम/ अभियन्ता श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह समान रूप से उत्तरदायी है। जिनसे अपहृत धनराशि रु० 66,031.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। **(सा० आपत्ति सं०-13)**

प्रस्तर - 199 वर्ष 2015-16 में आंगनबाड़ी केन्द्र भुआ के भवन निर्माण हेतु सामग्री मद में रु० 2,28,119.00 का व्यय किया गया, जबकि इस व्यय के सापेक्ष श्रमांश पर व्यय शून्य दर्शित है। लेखा परीक्षा के दौरान आमद/उपभोग/स्टाक रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे इस व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार रु० 2,28,119.00 का अपहरण किया गया है। इसके लिए बी०डी०ओ० श्री रणजीत

कुमार/लेखाकार श्री हरीराम/जे०ई० धीरेन्द्र बहादुर सिंह/कार्यप्रभारी श्री हरिनारायण सिंह ग्रा०वि०अ० उत्तरदायी है। जिनसे अपहृत धनराशि रु० 2,28,119.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा० आपत्ति सं०-13 ए)

प्रस्तर – 200 वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त से कुल 22 कार्य कराये गये हैं। इन कार्यों के सापेक्ष सामग्री मद में रु० 71,17,251.00 व्यय दर्शित है। उक्त कार्यों में श्रमांश मद में रु० 9,34,170.00 का व्यय दर्शित है। जिसका विवरण इस प्रकार है-

क्र०सं०	कार्यों का नाम	श्रमांश	कार्य-प्रभारी
1	अहिरौरा में केथोली राजेपुर मार्ग से कारदेव बाबा स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य ।	18,960.00	श्री दीपकुमार श्रीवास्तव ग्रा०प०अ०
2	रामगढ़ अतरौलिया मार्ग से डा० सर्वेश के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य ।	17,634.00	श्री दीपकुमार श्रीवास्तव ग्रा०प०अ०
3	चचरी किहरा मार्ग से अतरसुइया राजकीय नलकूप तक इण्टर लाकिंग कार्य	1,27,980.00	श्री अभिषेक प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०
4	वासुदेव मिश्र के फाटक से देवेन्द्रनाथ के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	28,125.00	श्री अभिषेक प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०
5	नरायनपुर माझा से केशईपुरवा मोड़ से राजाराम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	21,189.00	श्री अभिषेक प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०
6	ढेमा में लोहासपुरवा सम्पर्क मार्ग से भोलानाऊ के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	15,405.00	श्री अभिषेक प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०
7	जहाँगिरवा में लखनऊ मार्ग से वंशी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य ।	27,255.00	श्री दीपकुमार श्रीवास्तव ग्रा०प०अ०
8	ढेमा में रामदयाल के घर से लक्ष्मणदास के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	35,724.00	श्री अभिषेक प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०
9	ढेमा विडवा में राजू बनिया के घर से विजय सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य ।	27,081.00	श्री अभिषेक प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०
10	जहाँगीरपुरवा में मुनवर के घर से होते हुए असगर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य ।	39,975.00	श्री दीपकुमार श्रीवास्तव ग्रा०प०अ०
11	गौरा माझा से मुजही तक इण्टरलाकिंग कार्य ।	1,06,302.00	श्री अभिषेक प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०
12	शीशामऊ कोटिया में इमाम चौक से नूरमोहम्मद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य ।	14,568.00	श्री दीपकुमार श्रीवास्तव ग्रा०प०अ०
13	शाहपुर लिंक मार्ग से इनदेश्वर मंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य ।	16,275.00	श्री दीपकुमार श्रीवास्तव ग्रा०प०अ०
14	बहादुरपुरवा में पक्की सड़क से कमल महाराज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य ।	62,475.00	श्री अभिषेक प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०
15	करूआ में शनिचरापुर गांव में प्रागदत्त के घर से सुरेश बी०डी०सी० के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	67,719.00	श्री अभिषेक प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०
16	मुण्डेरवा में मनिहारनपुरवा मस्जिद से सुबराती के घर तक इण्टर लाकिंग (सी०सी०) कार्य ।	24,744.00	श्री अभिषेक प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०
17	गौरीगंज चचरी से प्रा०पा० शाहपुर प्रथम तक खड़न्जा निर्माण कार्य	27,429.00	श्री अभिषेक प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०
18	कर्नलगंज ग्रामीण करवरपुरवा मुन्ना जायसवाल के घर से संतोष के घर तक सी०सी० रोड कार्य ।	20,841.00	श्री दीपकुमार श्रीवास्तव ग्रा०प०अ०

19	नरायनपुर माझा में शीतल के घर से विश्वनाथ के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य ।	21,852.00	श्री अभिषेक प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०
20	बेलहरी में जनकम सिंह के खेत से बहराइज वार्डर तक खडन्जा निर्माण कार्य	63,990.00	श्री दीपकुमार श्रीवास्तव ग्रा०प०अ०
21	लालमऊ में देवेन्द्र के घर से हवलदार सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	22,689.00	श्री दीपकुमार श्रीवास्तव ग्रा०प०अ०
22	सरैया में कप्तानपुरवा से पटकनपुरवा तक खडन्जा निर्माण कार्य	1,25,958.00	श्री अभिषेक प्रताप सिंह ग्रा०प०अ०
योग		9,34,170.00	

उपर्युक्त दर्शित 22 कार्यों के सापेक्ष श्रमांश पर व्यय रू० 9,34,170.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके निम्न कारण हैं—

1. श्रमांश का भुगतान श्रमिकों को न करके कार्य प्रभारी को किया गया है।
2. मस्टररोल पर क्रमांक का उल्लेख नहीं है।
3. मस्टररोल एक ही व्यक्ति द्वारा बनाये गये प्रतीत होते हैं।
4. मस्टररोल पर एक ही व्यक्ति के पाँचों अंगुलियों के निशान है।
5. श्रमिकों के अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है।
6. मस्टररोल पर आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
7. मस्टररोल पर लेखाकार/कार्य निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है।

उक्त रू० 9,34,170.00 के अपहरण के लिए बी०डी०ओ० श्री रणजीतकुमार/लेखाकर श्री हरीराम/अवर अभियंता श्री डी०बी० सिंह व कार्य प्रभारी श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव एवं अभिषेक प्रताप सिंह ग्रा०प०अ० उत्तरदायी है। जिनसे अपहृत धनराशि रू० 9,34,170.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (सा० आपत्ति सं०-17)

प्रस्तर — 201 वित्तीय वर्ष 2016-17 में आगनवाडी केन्द्र के भवन निर्माण पर चार कार्य की निर्माण पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है। जिससे आगनवाडी केन्द्र कचनापुर में सामग्री मद में रू० 2,39,077.00 व्यय दर्शित है। परन्तु इस कार्य में श्रमांश का व्यय नहीं दर्शित है। लेखा परीक्षा के समय आमद/उपभोग/स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। फर्म के द्वारा सामग्री आपूर्ति चालान भी निर्माण कार्य पत्रावली में नहीं पाया गया। संस्था के द्वारा फर्म नाम सामग्री मांग पत्र भी निर्माण कार्य पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे इस सामग्री के न तो क्रय की पुष्टि होती है। और न ही कार्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार रू० 2,39,077.00 के अपहरण हेतु बी०डी०ओ० श्री रणजीत कुमार/लेखाकर श्री हरीराम/अवर अभियंता श्री डी०बी० सिंह/कार्य प्रभारी राजकुमार ग्रा०प०अ० उत्तरदायी है। जिनसे अपहृत धनराशि रू० 2,39,077.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (सा० आपत्ति सं०-18)

प्रस्तर — 202 वित्तीय वर्ष 2016-17 में आगनवाडी केन्द्र धारा भवन निर्माण में सामग्री मद में रू० 24,996.00 का व्यय दर्शित है। परन्तु इसके सापेक्ष श्रमांश व्यय शून्य दर्शित है। निर्माण कार्य पत्रावली में कहीं भी संस्था द्वारा फर्म को सामग्री मांग पत्र भेजे जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला। फर्म द्वारा सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष सामग्री आपूर्ति चालान भी पत्रावली में नहीं पाया गया। लेखा परीक्षा के समय आमद/उपभोग/स्टॉक रजिस्टर भी नहीं प्रस्तुत किया गया है। इससे सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। इस प्रकार रू० 24,996.00 का अपहरण किया गया है इसके लिए बी०डी०ओ० श्री रणजीत कुमार/लेखाकर श्री हरीराम /अवर अभियंता श्री डी०बी० सिंह/कार्य प्रभारी श्री अजीत कुमार गुप्ता: ग्रा०प०अ० उत्तरदायी है। जिनसे अपहृत धनराशि रू० 24,996.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (सा० आपत्ति सं०-18 ए)

प्रस्तर — 203 वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान पंजी के अनुसार निम्न मदों में व्यय इस प्रकार है—

क्र०सं०	मदें	उपयोग की धनराशि

1	बी०आर०जी०एफ०	8,94,653.00
2	मनरेगा प्रशासनिक मद	24,01,020.00
3	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल (प्रशिक्षण मद)	10,000.00
5	अम्बेदकर विशेष रोजगार योजना	87,500.00
योग		33,93,173.00

उपर्युक्त मदों में दर्शित व्ययों के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) तक के अन्तर्गत प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण है। इस प्रकार रु० 33,93,173.00 का अपहरण किया गया है। इसके लिए बी०डी०ओ० श्री रणजीत सिंह/लेखाकर श्री हरीराम उत्तरदायी है। जिनसे अपहृत धनराशि रु० 33,93,173.00 की ब्याज सहित वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा० आपत्ति सं०-19)

प्रारूप : 03

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से 2016-17

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : हाटा की वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड : हाटा

प्रस्तर सं० : 1 शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 एवं शासनादेश संख्या 10/201/ए-1-502/दस -2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार समस्त विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों/अनुदानों की जमा पर बैंक से प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और उक्त प्राप्त/अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा कराया जाय। परन्तु आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक विभिन्न अनुदानों की जमा धनराशि पर कुल रु० 174978.00 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे राजकीय कोषागार में नहीं जमा कराया गया है। जो आपत्तिजनक है। दिनांक 31.03.2017 तक ब्याजमद में कुल रु० 1143833.00 शेष है। ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संज्ञान में आने के बाद भी राजकीय कोषागार में उक्त धनराशि जमा न करने के कारण यदि भविष्य में उक्त धनराशि का दुरुपयोग होगा तो उक्त का उत्तरदायी तत्कालीन के साथ-साथ वर्तमान में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार भी होंगे।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
	..	11423833.00	11423833.00

प्रस्तर सं० : 2 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के समस्त कार्यों हेतु सामग्री क्रय का भुगतान फर्म को चेक के माध्यम से अथवा कार्य प्रभारी द्वारा स्वयं भुगतान प्राप्त कर सीधे नगद रूप में दिया गया है। निम्न विवरण के अनुसार प्रस्तुत पत्रावली में वित्तीय वर्ष के दौरान क्रय की गयी सामग्री के भुगतान पर आयकर अधिनियम की धारा 194सी. के अनुसार भुगतान की गयी धनराशि पर सीधे आयकर तथा उ०प्र० वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम 2008 के अनुसार भुगतान की गयी धनराशि पर सीधे वैट कर की कटौती किए जाने का प्रविधान है। परन्तु फर्मों से वांछित टैक्स की कटौती न कर रु० 1457173.30 के राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। आयकर व वैटकर की धनराशि पेनाल्टी सहित वसूल कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है :-

वर्ष	प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार क्रय सामग्री की धनराशि	काटी गयी आयकर	काटा गया वैट कर	कुल आयकर तथा वैट कर जो काटा जाना चाहिए था	कम काटी गयी टैक्स की धनराशि
2014-1	18610888.00	409509.00	0.00	1116653.28	707144.28

5					
2015-16	8080342.00	181117.00	0.00	484820.52	303703.52
2016-17	11742425.00	258220.00	0.00	704545.50	446325.50
योग	38433655.00	848846.00	0.00	2306019.30	1457173.30

(मूल आपत्ति सं० : 35)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
..	1457173.30	—	1457173.30

प्रस्तर सं० : 3 वर्ष 2016-17 में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों से रु० 258220.00 आयकर व वैट कर की कटौती प्रस्तुत पत्रावलियों के अनुसार की गई है। लेखा परीक्षा में वैट कर काटे जाने की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। काटी गयी आयकर व वैट कर के सापेक्ष कोई भी धनराशि आयकर विभाग में जमा नहीं किया गया है। आयकर की काटी गयी धनराशि को उसी माह में अथवा अगले माह की 7 तारीख तक चालान से जमा कर दिया जाना चाहिए था। परन्तु उक्त का पालन नहीं किया गया है। अवशेष आयकर की धनराशि को राजकीय कोषागार में पेनाल्टी सहित जमा कराया जाय तथा पेनाल्टी की धनराशि सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से वसूल किया जाय। आयकर व वैट कर कटौती का विवरण निम्न है :-

वर्ष	काटी गयी आयकर	काटी गयी वैट कर	योग
2016-17	258220.00	0.00	258220.00
योग	258220.00	0.00	258220.00

(मूल आपत्ति सं० : 36)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	258220.00	258220.00

प्रस्तर सं० : 4 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में निम्न विवरण के अनुसार सामग्री आदि का क्रय हेतु फर्म को चेक निर्गत न कर कर्मचारियों को चेक का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में क्रय से सम्बंधित पत्रावली अप्राप्त रहने से क्रय की पुष्टि न की जा सकी। अस्तु भुगतानिक धनराशि रु० 78250.00 के अपहरण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व भुगतान प्राप्तकर्ता उत्तरदायी हैं। जांचोपरान्त सम्बंधित से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	भुगतान जिस हेतु किया गया	भुगतान जिसे किया गया
23.01.2015	4200.00	कम्प्यूटर मेज	श्री उमेश तिवारी क० सहा०
16.03.2015	20000.00	कार्यालय साज-सज्जा	श्री उमेश तिवारी क० सहा०
08.03.2016	51050.00	स्टेशनरी व जलपान	श्री उमेश तिवारी क० सहा०
28.09.2014	3000.00	पेय जल प्रचार प्रसार	श्री उमेश तिवारी क० सहा०
योग	78250.00		

(मूल आपत्ति सं० : 38)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
78250.00	—	—	78250.00

प्रस्तर सं० : 5 वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न तिथियों में लेखाकार व अन्य को बैटक व अन्य कार्य हेतु भुगतान किया गया है। भुगतान किए गए धनराशि से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में बार-बार मांगने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे उक्त धनराशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रमाणक के अभावमें रु० 381440.00 के अपहरण हेतु खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व कर्मचारी उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान जिसे किया गया	विवरण
22.11.2014	473600	94000.00	श्री रामप्रसाद	क्षेत्र पंचायत बैटक व्यवस्था
28.03.2016	2669	92000.00	श्री रामप्रसाद	---उपरोक्त---
01.12.2016	4443	102500.00	श्री रामप्रसाद	---उपरोक्त---
06.10.2016	12259	92940.00	श्री यतीन्द्र मोहन मल्ल	प्रशिक्षण व जलपान
योग		381440.00		

(मूल आपत्ति सं० : 37)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
381440.00	—	—	381440.00

प्रस्तर सं० : 6 वर्ष 2016-17 में ब्याज की धनराशि रु० 418097.95 को राज्य वित्त में आय में पकड़ कर व्यय कर लिया गया है। जबकि शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 एवं शासनादेश संख्या 10/201/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार समस्त विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों/अनुदानों की जमा पर बैंक से प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और उक्त प्राप्त/अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा कराया जाय। इस प्रकार शासनादेश में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमित रूप से रु० 418097.95 के व्यय हेतु खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। अस्तु दुरुपयोगित राजकीय धनराशि की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से किया जाना चाहिए।

(मूल आपत्ति सं० : 39)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
..		418097.95	418097.95

प्रस्तर सं० : 7 वर्ष 2016-17 में ब्याज की धनराशि रु० 104200.62 को सांसद निधि में आय में पकड़ कर व्यय कर लिया गया है। जबकि शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 एवं शासनादेश संख्या 10/201/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार समस्त विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों/अनुदानों की जमा पर बैंक से प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और उक्त प्राप्त/अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा कराया जाय। इस प्रकार शासनादेश में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमित रूप से रु० 104200.62 के व्यय हेतु खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। अस्तु दुरुपयोगित राजकीय धनराशि की ब्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से किया जाना चाहिए।

(मूल आपत्ति सं० : 39)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
..		104200.62	104200.62

प्रारूप : 03

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से 2016-17

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : सेवरही की वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड : सेवरही

प्रस्तर सं० :8. निम्न विवरण के अनुसार कुछ योजनाओं की बची धनराशि प्राप्ति मद में जमा करने हेतु सम्बंधित विभाग को चेक द्वारा वापस किये जाने का उल्लेख है। परन्तु लेखा परीक्षा में सम्बंधित विभाग से धन प्राप्ति की रसीद नहीं ली गयी है। प्राप्ति रसीदें अप्राप्त रहने से संस्था को वापस किया गया धन अपुष्ट रहा। पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

जिसे वापस किया जाना दर्शित है	धनराशि	मद का नाम
डी.डी.ओ. कुशीनगर	20000.00	बायो गैस की धनराशि
अपर मुख्य अधिकारी	497888.00	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान

(मूल आपत्ति सं० : 13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
..	..	517888.00	517888.00

प्रस्तर सं० :9 शासनादेश संख्या ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 एवं शासनादेश संख्या 10/201/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार समस्त विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों/अनुदानों की जमा पर बैंक से प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और उक्त प्राप्त/अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा कराया जाय। परन्तु आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक विभिन्न अनुदानों की जमा धनराशि पर कुल रु० 515189.00 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे राजकीय कोषागार में नहीं जमा कराया गया है। जो आपत्तिजनक है। इसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० :

14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
..		515189.00	515189.00

मिट्टी आपूर्ति पर नियमानुसार रायल्टी न काटने से राजकीय राजस्व की क्षति

प्रस्तर सं० :10 वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये मिट्टी खनन पर नियमानुसार रायल्टी का प्राविधान न तो स्टीमेट में किया गया है और न ही निर्धारित दर से रायल्टी काट कर खनन विभाग में जमा किया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा वर्ष 2014-15 से 2016-17 में रु० 32833.81 के राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता तथा लेखकार से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है :-

वर्ष/अवधि	मिट्टी कार्य का	मिट्टी की मात्रा	रायल्टी की दर	धनराशि
2014-15	243345.00	1843.52	14.00	25809.32
2015-16	0.00	0.00	14.00	0.00
2016-17	34420.00	234.15	30.00	7024.49
				32833.81

(मूल आपत्ति सं० : 15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

.	32833.81		32833.81

कार्य प्रभारियों द्वारा श्रमिकों नगद भुगतान कर की गयी अनियमितता

प्रस्तर सं० :11 वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित हुआ कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के आधार पर श्रमिकों को उनके मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्य प्रभारियों को चेक निर्गत किए गए हैं तथा कार्यप्रभारी द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं। श्रमिकों की उपस्थिति एवं निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत सदस्यों/सक्षम व्यक्ति से प्रमाणित नहीं कराये गये हैं। मजदूरों को उनके मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा उनके बैंक के माध्यम से उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं। जाचोंपरान्त विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है :-

कार्यप्रभारी का नाम	धनराशि
शैलेन्द्र कुमार	887101.00
अमरेन्द्र कुमार	1793978.00
कमलावती मिश्रा	16660.00
निषिद्ध कुमार राय	673975.00
रामअशीष कुशवाहा	702478.00
रविशंकर मिश्र	690770.00
ओमप्रकाश सिंह	248553.00
मनोरंन लाल श्रीवास्तव	71030.00
रामकृष्ण तिवारी	885257.00
नर्वदेश्वर प्रसाद	54740.00
नूरआलम	291228.00
योग	6315770.00

(मूल आपत्ति सं० : 16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	6315770.00	6315770.00

सामग्री आपूर्ति कर्ता को बिना आयकर व वैट कर की कटौती किये भुगतान कर राजस्व की क्षति

प्रस्तर सं० :12 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न योजनाओं के कार्यप्रभारी एवं लेखाकार द्वारा 4 प्रतिशत बिक्री कर की कटौती भी नहीं की गई है, जिससे रु० 768193.56 राजस्व की क्षति हुयी। इस क्षति हेतु खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है :-

क्र.सं.	वर्ष	धनराशि जिसपर	धनराशि जिसपर बिक्री कर	आयकर की धनराशि	बिक्री कर की	योग
1	2014-15	0.00	8776012.00	0.00	351040.48	351040.48
2	2015-16	0.00	5978396.00	0.00	239135.84	239135.84
3	2016-17	0.00	4450431.00	0.00	178017.24	178017.24
						768193.56

(मूल आपत्ति सं० : 18)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

..	768193.56	—	768193.56

प्रस्तर सं० :13 दिनांक 04.03.2016 को चेक संख्या-203015 द्वारा श्री नूरआलम को रु० 55000.00 का अग्रिम भुगतान प्रशिक्षण हेतु किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त भुगतान से सम्बंधित समायोजन प्रमाणक मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे किए गए भुगतान का अपहरण किया गया है। प्रमाणक के अभाव में अग्रिम धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री नूरआलम से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 20)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
55000.00	—	—	55000.00

प्रस्तर सं० :14 सामग्री आपूर्तिकर्ता के बिल संख्या-3/120/22.3.17 रु० 29007.00 के सापेक्ष रु० 650.00 टी.डी.एस. काटकर दिनांक 21.05.2017 को चेक संख्या-3132254 द्वारा रु० 38357.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार रु० 9350.00 का अधिक भुगतान लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बंधित से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 21)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
9350.00	—	—	9350.00

प्रस्तर सं० :15 राज्य वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में कार्यालय भवन में चैनल गेट एवं जंगला निर्माण हेतु रु० .221500.00 स्वीकृत था। पत्रावली में संलग्न प्रमाणकों में मात्र रु० .69142.00 का वाउचर संलग्न है तथा टी.डी.एस. काटकर रु० .67599.00 का भुगतान चेक संख्या-547475 द्वारा किया गया है। पत्रावली में मस्टर रोल का वाउचर न होने से क्रय सामग्री का अपहरण किया गया है। मस्टर रोल अप्राप्त होने से सामग्री खरीद अपुष्ट रहा। जिससे उक्त धनराशि दुरुपयोगित रहा। अतः रु० .67599.00 की ब्याज सहित वसूली कार्य प्रभारी श्री अमरेन्द्र शाही व खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं० : 22)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	67599.00	—	67599.00

प्रस्तर सं० : 16 वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न तिथियों में श्री नूरआलम कौशियर को बैठक व अन्य कार्यों हेतु भुगतान किया गया है। भुगतान किये गये धनराशि से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में बार-बार मांगने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। प्रमाणक के अभाव में रु० . 503832.00 के अपहरण हेतु खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व श्री नूरआलम उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है :-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान जिसे किया गया
08.08.2014	407663	102500.00	श्री नूरआलम
18.03.2016	492044	111000.00	श्री नूरआलम
04.08.2016	494948	69000.00	श्री नूरआलम
15.06.2016	497788	79422.00	श्री नूरआलम
23.06.2016	497809	70694.00	श्री नूरआलम
04.07.2016	497820	71216.00	श्री नूरआलम
योग		503832.00	

(मूल आपत्ति सं० : 24)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
503832.00	—	—	503832.00

प्रारूप : 03
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से 2016-17

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : दुदही की वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड : दुदही

प्रस्तर सं० :17 क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में आपूर्तिकर्ताओं के बिलों का भुगतान करते समय अनेकों बिलों पर टी.डी.एस. कटौती नियमानुसार 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत की गयी है अथवा कटौती नहीं की गयी। जिससे राजस्व की भारी हानि हुयी है। लेखा परीक्षा में कुल रु० 74061.10 टी.डी.एस. की कटौती न किये जाने/कम काटे जाने से राजस्व की हानि हुयी है। जिसकी क्षतिपूर्ति सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारियों, लेखाकार एवं कार्यप्रभारियों से अधिभार के तहत की जानी अपेक्षित। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	आपूर्तिकर्ता का नाम	भुगतान तिथि	बिल संख्या	बिल की धनराशि	काटी गई टी.डी.एस.	टी.डी.एस. जो वाजिब है	कम काटी गई टी.डी.एस..
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मै० जय माता दी	31.12.2014	15	399280.00	3993.00	7985.60	3992.60
2	मै० जय माता दी	10.01.2015	16	56560.00	566.00	1131.20	565.20
3	मै० जय माता दी	31.01.2015	17	84000.00	840.00	1680.00	840.00
4	मै० जय माता दी	31.01.2015	18	263200.00	2632.00	5264.00	2632.00
5	मै० जय माता दी	28.02.2015	19	264770.00	2648.00	5295.40	2647.40
6	मै० जय माता दी	01.01.2015	22	134400.00	1344.00	2688.00	1344.00
7	मै० जय माता दी	01.03.2015	20	170800.00	1708.00	3416.00	1708.00
8	मै० जय माता दी	01.03.2015	21	170800.00	1708.00	3416.00	1708.00
9	मै० जय माता दी	01.03.2015	23	119280.00	1193.00	2385.60	1192.60
10	मै० जय माता दी	03.03.2015	24	151800.00	1518.00	3036.00	1518.00
11	मै० जय माता दी	19.03.2015	31	82380.00	824.00	1647.60	823.60
12	मै० जय माता दी	19.03.2015	29	108000.00	1080.00	2160.00	1080.00
13	मै० जय माता दी	19.03.2015	30	200900.00	2009.00	4018.00	2009.00
14	मै० जय माता दी	18.03.2015	28	157920.00	1579.00	3158.40	1579.40
15	मै० जय माता दी	18.03.2015	26	100800.00	1008.00	2016.00	1008.00
16	मै० जय माता दी	18.03.2015	27	141680.00	1417.00	2833.60	1416.60
17	मै० जय माता दी	18.03.2015	25	114264.00	1143.00	2285.28	1142.28
18	मै० जय माता दी	01.10.2014	278	25870.00	0.00	517.40	517.40
19	मै० गर्ग कन्शट्रक्शन	25.08.2015	49	70268.00	703.00	1405.36	702.36
20	मै० गर्ग कन्शट्रक्शन	19.05.2015	4	19755.00	198.00	395.10	197.10
21	मै० गर्ग कन्शट्रक्शन	02.09.2015	53	219958.00	2200.00	4399.16	2199.16
22	मै० गर्ग कन्शट्रक्शन	—	55	75000.00	750.00	1500.00	750.00
23	मै० गर्ग कन्शट्रक्शन	01.09.2015	50	57000.00	570.00	1140.00	570.00

24	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	24.08.2015	47	75692.00	757.00	1513.84	756.84
25	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	10.06.2015	6	33600.00	336.00	672.00	336.00
26	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	10.06.2015	7	147600.00	1476.00	2952.00	1476.00
27	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	10.06.2015	8	184131.00	1842.00	3682.62	1840.62
28	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	11.06.2015	10	454565.00	4546.00	9091.30	4545.30
29	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	13.06.2015	12	110400.00	1104.00	2208.00	1104.00
30	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	14.06.2015	16	172480.00	1725.00	3449.60	1724.60
31	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	15.06.2015	17	173562.00	1736.00	3471.24	1735.24
32	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	29.06.2015	20	129600.00	1296.00	2592.00	1296.00
33	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	29.06.2015	21	80400.00	804.00	1608.00	804.00
34	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	01.07.2015	23	86814.00	868.00	1736.28	868.28
35	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	30.06.2015	22	61200.00	612.00	1224.00	612.00
36	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	19.08.2015	39	59400.00	594.00	1188.00	594.00
37	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	01.07.2015	26	132000.00	1320.00	2640.00	1320.00
38	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	02.07.2015	28	367800.00	3678.00	7356.00	3678.00
39	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	31.07.2015	29	33900.00	339.00	678.00	339.00
40	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	31.07.2015	30,37,41	539100.00	5391.00	10782.00	5391.00
41	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	16.08.2015	32	38100.00	381.00	762.00	381.00
42	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	23.08.2015	45	171421.00	1715.00	3428.42	1713.42
43	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	02.07.2015	27	102740.00	1028.00	2054.80	1026.80
44	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	—	—	164000.00	1640.00	3280.00	1640.00
45	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	23.08.2015	43	47819.00	479.00	956.38	477.38
46	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	15.08.2015	31	235800.00	2358.00	4716.00	2358.00
47	मै० कन्शट्रक्शन गर्ग	10.06.2015	5	130370.00	1304.00	2607.40	1303.40

	कन्स्ट्रक्शन						
48	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	11.06.2015	11	216016.00	2161.00	4320.32	2159.32
49	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	16.06.2015	19	243060.00	2431.00	4861.20	2430.20
योग				7380260.00	73558.00	147612.10	74061.10

(मूल आपत्ति सं० : 13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	74061.10	74061.10

प्रस्तर सं० :18 क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में आपूर्तिकर्ताओं के बिलों का भुगतान करते समय अनेकों बिलों पर नियमानुसार वैट कटौती 4 प्रतिशत नहीं की गयी है। जिससे राजस्व की भारी हानि हुयी है। लेखा परीक्षा में कुल रु० 177782.00 वैट कटौती न किये जाने/कम काटे जाने से राजस्व की हानि हुयी है। जिसकी क्षतिपूर्ति सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारियों, लेखाकार एवं कार्यप्रभारियों से अधिभार के तहत की जानी अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	आपूर्तिकर्ता/भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	भुगतान तिथि	बिल संख्या	बिल की धनराशि	वैट जो नहीं काटा गया
1.	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	07.12.2017	5	53952.00	2158.00
2.	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	25.03.2017	51	138006.00	5520.00
3.	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	25.03.2017	53	117173.00	4687.00
4.	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	26.12.2016	19	263991.00	10560.00
5.	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	26.12.2016	16	148350.00	5934.00
6.	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	14.12.2016	15	274950.00	10998.00
7.	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	20.12.2016	18	177458.00	7098.00
8.	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	18.06.2016	1	366599.00	14664.00
9.	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	20.06.2016	5	363046.00	14522.00
10.	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	07.07.2016	7	371178.00	14847.00
11.	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	18.06.2016	4	368090.00	14724.00
12.	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	21.09.2016	10	317387.00	12695.00
13.	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	01.12.2016	17	184590.00	7384.00
14.	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	21.09.2016	11	282958.00	11318.00
15.	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	07.07.2016	6	353993.00	14160.00
16.	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	25.09.2016	8	332243.00	13290.00
17.	मै० गर्ग कन्स्ट्रक्शन	21.09.2016	9	304689.00	12188.00
18.	मै० जय माता दी	01.10.2014	278	25870.00	1035.00
योग				4444523.00	177782.00

(मूल आपत्ति सं० : 14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—..	—	177782.00..	177782.00

प्रस्तर सं० :19 क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में विकास कार्य हेतु विभिन्न तिथियों में मिट्टी की आपूर्ति करायी गयी, किन्तु आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से नियमानुसार खनन रायल्टी की ब्याज सहित वसूली नहीं की गयी। जिससे राजस्व की हानि हुयी। निम्न विवरण के अनुसार रु० 49238.00 की रायल्टी स्वरूप राजस्व की हानि हुयी, जिसकी क्षतिपूर्ति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

क्र. सं.	तिथि	मिट्टी आपूर्तिकर्ता का नाम	मात्रा घनमीटर	रायल्टी की धनराशि जो काटी नहीं गयी
1.	17.11.2014	श्री स्वामी नाथन	39.00	546.00
2.	25.02.2015	श्री सुदामा	120.00	1680.00
3.	25.02.2015	श्री अब्दुल रहमान	36.00	504.00
4.	25.02.2015	श्री जवाहर	50.00	700.00
5.	25.02.2015	श्री बैरिस्टर	132.00	1848.00
6.	25.02.2015	श्री शाहबुद्दीन	144.00	2016.00
7.	25.02.2015	श्री ओम प्रकाश	120.00	1680.00
8.	13.03.2015	श्री ओम प्रकाश	36.00	504.00
9.	17.03.2015	श्री बैरिस्टर	50.00	700.00
10.	17.03.2015	श्री चन्द्र भुषण	50.00	700.00
11.	17.03.2015	श्री नथूनी	72.00	1008.00
12.	17.03.2015	मो० अंसारी	84.00	1176.00
13.	17.03.2015	श्री हरि	84.00	1176.00
14.	17.03.2015	इन्दू देवी	84.00	1176.00
15.	17.03.2015	मुन्ना	40.00	560.00
16.	17.03.2015	सूर्यभान	50.00	700.00
17.	17.03.2015	जनार्दन प्रसाद	168.00	2352.00
18.	05.06.2015	रियाजुद्दीन	80.00	1120.00
19.	30.03.2015	रमेसर	104.00	1456.00
20.	30.03.2015	दल्ला	100.00	1400.00
21.	30.03.2015	ओम प्रकाश	50.00	700.00
22.	30.03.2015	जवाहर	50.00	700.00
23.	30.03.2015	अहमद अली	50.00	700.00
24.	30.03.2015	सुदामा	72.00	1008.00
25.	26.02.2016	शाहबुद्दीन	100.00	1400.00
26.	26.06.2015	लतीफ खाँ	25.00	350.00
27.	25.06.2015	बिन्देश्वरी	100.00	1400.00
28.	25.06.2015	सुदामा	100.00	1400.00
29.	15.07.2015	बीर बहादुर	108.00	1512.00
30.	15.07.2015	सुदामा	72.00	1008.00
31.	15.07.2015	हनीफ खाँ	25.00	350.00
32.	28.08.2015	जनार्दन	25.00	350.00
33.	15.07.2015	रमायन राय	84.00	1176.00
34.	15.07.2015	बलेसर सिंह	84.00	1176.00
35.	24.08.2015	श्री ओम प्रकाश	168.00	2352.00
36.	28.08.2015	जनार्दन	120.00	1680.00
37.	28.08.2015	सुदामा	120.00	1680.00
38.	28.08.2015	कपिल कुशवाहा	120.00	1680.00
39.	28.08.2015	रमाकान्त	84.00	1176.00
40.	18.02.2017	सन्तोष	142.00	1988.00
41.	27.02.2017	सन्तोष	89.00	1246.00
42.	30.12.2016	सच्चिदानन्द	86.00	1204.00
योग			3517.00	49238.00

(मूल आपत्ति सं० : 16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	49238.00	49238.00

प्रस्तर सं० :20 दिनांक 31.03.20117 को क्षेत्र पंचायत के ग्राण्ट रजिस्टर तीन के अनुसार विभिन्न मदों के अन्तर्गत रु० 483362.30 का अनुदान अनुपयुक्त था। जिसे राज्य सरकार/सम्बंधित विभाग को वापस न कर अनियमित रूप से क्षेत्र पंचायत के खातों में पड़ा है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से राजकीय धन का दुरुपयोग है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	मद का नाम	अनुप्रयुक्त धनराशि
1.	स्वच्छ शौचालय की धनराशि	60203.00
2.	उर्जीकृत ग्रामों में बल्ब लगाने की धनराशि	1500.00
3.	सं०ग्रा०रो० योजना प्रशासनिक मद	253.00
4.	सांसद निधि योजना	55870.00
5.	लोकसभा निर्वाचन यात्राभत्ता	460.00
6.	विधायक निधि योजना	29364.00
7.	तेरहवाँ वित्त मद	177477.00
8.	सामा० आर्थिक एवं जातीय गणना मानदेय	36235.00
9.	बायोगैस अनुदान	2500.00
10.	दुग्ध संग्रह केन्द्र का निर्माण	90000.00
11.	अम्बेडकर जयन्ती जागरूकता अभियान	11000.00
12.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय निर्माण	18500.00
योग		483362.30

(मूल आपत्ति सं० : 17)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	483362.00	483362.00

प्रारूप : 03

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से 2016-17

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : फाजिलनगर की वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड : फाजिलनगर

प्रस्तर सं० :21 राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में विकास खण्ड फाजिलनगर के खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय की रंगाई-पुताई कार्य हेतु स्वीकृत लागत रु० 277500.00 के सापेक्ष रु० 296929.00 का व्यय भुगतान किया गया है। अन्तर की धनराशि (296929.00- 277500.00) रु० 19429.00 का अधिक भुगतान किया गया है। जो नियमों के विपरीत रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री वृजकिषोर पाठक तथा लेखाकार श्री चौधरी विधान चन्द उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०सं०-7)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	19429.00	—	19429.00

प्रस्तर सं० :22 तेरहवाँ वित्त योजना अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में बी.आर.जी.एफ. द्वारा निर्मित भवन का सुन्दरीकरण इत्यादि हेतु स्वीकृत लागत रु० 510000.00 के सापेक्ष रु० 554568.00 का व्यय भुगतान किया गया है। अन्तर की धनराशि (554568.00-510000.00) रु० 44568.00 का अधिक भुगतान किया गया है, जो नियमों के विपरीत रहा। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रभाषकर चौबे तथा लेखाकार श्री चौधरी विधान चन्द उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल

आ०सं०-8)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	44568.00	—	44568.00

प्रस्तर सं० :23 शासनादेश संख्या 6512/38-7-7010-10 एन.आर.जी.एफ./05 टी.सी. दिनांक 25.08. 2010 के प्रस्तर(2) के अनुसार यदि क्षेत्र पंचायत कार्यदायी संस्था है तो ग्राम विकास अधिकारियों/ग्राम पंचायत अधिकारियों को कार्य प्रभारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते तथा इस स्थिति में सम्बंधित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी तथा इन्हें कार्य प्रभारी नियुक्त करने वाले खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे। निम्न वर्षों में निम्नांकित कार्य ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कराया गया है जो कि शासनादेश के विपरीत है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष : 2015-16

क्र.सं.	कार्य का नाम	धनराशि	नाम कर्मचारी
1	बी.आर.जी.एफ. द्वारा निर्मित भवन का सुन्दरीकरण इत्यादि।	554568.00	श्री राजेश सिंह (ग्रा.वि.अ.)
योग	554568.00		

(मूल आ०सं०-9)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	554568.00	554568.00

प्रस्तर सं० :24 टी.डी.एस. एवं वैट कटौती व जमा की वर्षवार स्थिति :- लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 में वर्षवार आयकर की देय धनराशि, कटौती की धनराशि तथा वैट की देय व कटौती की स्थिति निम्नवत रही :-

वर्ष	सामग्री भुगतान धनराशि प्रारूप-3	पर की 2.24 प्रतिशत	आयकर की कटौती	आयकर की गई प्रतिशत	देय वैटकर 4 प्रतिशत	वैटकर की कटौती	की गई
2014-15	103440.57	231706.88	220616.00	413762.28	—		
2015-16	66065.79	147987.37	132057.00	264263.16	—		
2016-17	20296.97	45465.21	43826.00	81187.88	78262.00		
योग		425159.46	396499.00	759213.32	78262.00		

आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194सी. के अन्तर्गत शासकीय निर्माण कार्यों में सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा की जाने वाली सामग्री आपूर्ति के भुगतान के पूर्व निर्धारित दर 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती करनी चाहिए तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा-274बी. के अनुसार काटे गये कर को जमा न करना आपराधिक कृत्य माना गया है। जिससे सम्बंधित अधिकारी को कारावास की सजा हो सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचा संख्या के.ए.एन.आई./2-1315/सी-9-10/08 यू.पी.वैट ऐक्ट 2008 आर्डर(101)/2013 दिनांक 07.10.2013 के द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता को भुगतान धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से वैट काटना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संधित अधिनियम-2008(यू.पी.वैट ऐक्ट-2008) की धारा-34 के अनुसार वैट की कटौती करके जमा न करना अपराध माना गया है।

उपरोक्त विवरणानुसार लेखा परीक्षा में उपलब्ध पत्रावलियों के आधार पर नियमानुसार रू० 425159.46

आयकर की कटौती की जानी चाहिए। जबकि कटौती रु० 396499.00 ही की गयी है। इस प्रकार आयकर रु० 28660.46 कम काटा गया है। इसी प्रकार नियमानुसार वैट कटौती रु० 759213.32 होनी चाहिए परन्तु वैटकर कटौती रु० 78262.00 ही की गई है। इस प्रकार वैटकर रु० 680951.32 कम काटा गया है। संस्था द्वारा आयकर रु० 28660.46 कम काटकर तथा तथा वैट कटौती रु० 680951.32 की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी। जिसकी ब्याज सहित वसूली के लिए सहायक लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली करके आयकर व व्यापारकर विभाग में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आ०सं०-10)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	709611.78	—	709611.78

प्रस्तर सं० :25 वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में कुल रु० 17433314.75 की धनराशि व्यय प्रमाणकों के अभाव में अपुष्ट रही, जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत है :-

वर्ष	ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार व्यय की गयी धनराशि	प्रारूप-1 में सन्निहित धनराशि	अन्तर/बिना व्यय प्रमाणकों वाली धनराशि
2014-15	19950165.75	12915157.00	7035008.75
2015-16	14024187.00	7982839.00	6041348.00
2016-17	6726101.00	2369143.00	4356958.00
योग			17433314.75

इस प्रकार कुल रु० 17433314.75 का व्यय प्रमाणकों को प्रस्तुत न कर उनका अपहरण कर लिया गया है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०सं०-11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
17433314.75	—	—	17433314.75

प्रस्तर सं० :26 दिनांक 31.03.2017 को अवशेष धनराशि रु० 9374956.00 में (रु० 101727.00 ब्याज मद एवं शेष रु० 9273229.00 अनुदान की अप्रयुक्त धनराशि) से ब्याज मद की धनराशि रु० 101727.00 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 10/2015/ ए-1-502/दस/2615-10-(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो प्राप्त आय संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। अर्जित आय को राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए, इस प्रकार रु० 101727.00 राजकीय कोषागार में जमा न कर अनियमितता की गई है। इस ओर विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आ०सं०-12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	9374956.00	9374956.00

प्रस्तर सं० :27 शासनादेश संख्या 10/2015/ए-1-502/दस/2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 के अनुसार शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो प्राप्त आय संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी। अर्जित आय भी राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए। परन्तु ग्राण्ट रजिस्टर-3 में निम्न विवरण के अनुसार ब्याज मद से रु० 1629941.00 का अनियमित भुगतान कर दिया गया है। उक्त भुगतान के वित्तीय अनियमितता हेतु सहायक लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से धनराशि की ब्याज सहित वसूली कर सम्बंधित अनुदान खातों में जमा करायी जानी चाहिए।

(मूल आ०सं०-13)

वर्ष	व्यय की गयी ब्याज की धनराशि
2014-15	923080.00
2015-16	514304.00
2016-17	192557.00
योग	1629941.00

(मूल आ०सं०-13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	1629941.00	1629941.00

प्रारूप : 03

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से 2016-17

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : कसया की वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ ।

विकास खण्ड : कसया

प्रस्तर सं० :28 शासनादेश संख्या 6512/38-7-7010-10 एन.आर.जी.एफ./05 टी.सी. दिनांक 25.08.2010 के प्रस्तर-2 के अनुसार क्षेत्र पंचायत के कार्यों के कार्य प्रभारी, यदि क्षेत्र पंचायत कार्यदायी संस्था है तो ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी कार्य प्रभारी के रूप में कार्य नहीं करा सकते तथा इस स्थिति में सम्बंधित ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी तथा इन्हें प्रभारी के रूप में नियुक्त करने वाले खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

वर्ष : 2014-15

क्र. सं.	प्रारूप-1 के अनुसार क्रमांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम (ग्रा. वि. अ.)
1.	1	10000.00	श्री पंकज मिश्रा
2.	2	466060.00	श्री पंकज मिश्रा
3.	3	38000.00	श्री संदीप श्रीवास्तव
4.	4	20000.00	श्री संदीप श्रीवास्तव
5.	6	181033.00	श्री पंकज मिश्रा
6.	7	295744.00	श्री पंकज मिश्रा
7.	8	145701.00	श्री पंकज मिश्रा
8.	9	508993.00	श्री पंकज मिश्रा
9.	10	327944.00	श्री संदीप श्रीवास्तव
10.	11	446423.00	श्री अमरनाथ प्रजापति
11.	13	572476.00	श्री दिलीप पाण्डेय
12.	14	710749.00	श्री पंकज मिश्रा
13.	16	1045816.00	श्री पंकज मिश्रा
14.	17	1021499.00	श्री पंकज मिश्रा
15.	18	395648.00	श्री संदीप श्रीवास्तव
16.	21	45000.00	श्री अमरनाथ प्रजापति
17.	22	491928.00	श्री पंकज मिश्रा
18.	23	522803.00	श्री अमरनाथ प्रजापति
19.	24	359518.00	श्री संदीप श्रीवास्तव
20.	25	25000.00	श्री संदीप श्रीवास्तव
21.	27	1029416.00	श्री पंकज मिश्रा
22.	28	24492.00	श्री पंकज मिश्रा
23.	29	31484.00	श्री पंकज मिश्रा

24.	30	36816.00	श्री पंकज मिश्रा
25.	34	7488.00	श्री पंकज मिश्रा
योग		8760031.00	

वर्ष : 2015-16

क्र. सं.	प्रारूप के क्रमांक	अनुसार	धनराशि रुपये में	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम (ग्रा. वि. अ.)
1.	1		1255094.00	श्री पंकज मिश्रा
2.	2		1235683.00	श्री दिलीप पाण्डेय
3.	3		37972.00	श्री पंकज मिश्रा
4.	5		9285.00	श्री पंकज मिश्रा
5.	6		599752.00	श्री दिलीप पाण्डेय
6.	7		497737.00	श्री पंकज मिश्रा
7.	8		69733.00	श्री बृजेश गौड़
8.	9		285941.00	श्री पंकज मिश्रा
9.	10		42500.00	श्री अमरनाथ प्रजापति
10.	11		49510.00	श्री पंकज मिश्रा
11.	12		1210433.00	श्री पंकज मिश्रा
12.	13		105910.00	श्री पंकज मिश्रा
13.	14		151782.00	श्री संदीप श्रीवास्तव
14.	15		27489.00	श्री बृजेश गौड़
15.	16		346733.00	श्री अमरनाथ प्रजापति
16.	17		320872.00	श्री दिलीप पाण्डेय
17.	18		490644.00	श्री पंकज मिश्रा
योग			6737070.00	

वर्ष : 2016-17

क्र. सं.	प्रारूप के क्रमांक	अनुसार	धनराशि रुपये में	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम (ग्रा. वि. अ.)
1	1		601530.00	श्री पंकज मिश्रा
2	2		196999.00	श्री पंकज मिश्रा
3	3		746661.00	श्री संदीप श्रीवास्तव
4	4		482397.00	श्री दिलीप पाण्डेय
5	5		483134.00	श्री बृजेश गौड़
6	9		536936.00	श्री पंकज मिश्रा
7	10		547241.00	श्री पंकज मिश्रा
8	11		818156.00	श्री पंकज मिश्रा
योग			4413054.00	

(मूल आ०सं०-7)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	19910155.00	—	19910155.00

प्रस्तर सं० :29 टी.डी.एस. एवं वैट कटौती व जमा की वर्षवार स्थिति :- लेखा परीक्षा में वर्ष 2014-15 से 2016-17 में वर्षवार आयकर देय धनराशि, कटौती की धनराशि तथा वैट की देय व कटौती की धनराशि, जमा व शेष की स्थिति निम्नवत रही :-

वर्ष	सामग्री भुगतान धनराशि	पर की	देय आयकर 2.24 प्रतिशत	आयकर कटौती	देय वैटकर 4 प्रतिशत	वैटकर की कटौती

2014-15	11098521.00	248606.87	184185.00	443940.84	215240.00
2015-16	8695035.00	194768.78	24379.00	347801.40	116844.00
2016-17	4636613.00	103860.13	53867.00	185464.52	48213.00
योग		547235.78	262431.00	977206.76	380297.00

लेखा परीक्षा वर्ष 2014-15 से 2016-17 में कुल देय आयकर रु० 547235.78 तथा देय वैटकर रु० 977206.76 रही, इसके सापेक्ष मात्र रु० 262431.00 आयकर तथा रु० 380297.00 वैटकर का चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया, शेष धनराशि आयकर रु० 284804.78 तथा वैटकर रु० 596909.76 को जमा न कर कुल रु० 881714.54 के राजस्व की हानि की गयी है। उत्तरदायी व्यक्ति लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी से धनराशि वसूल कर आयकर व वाणिज्य कर विभाग में जमा करायी जानी अपेक्षित है।
(मूल आ.

सं. 08)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	881714.54	881714.54

प्रस्तर सं० :30 दिनांक 31.03.2017 को अनुदान मद की अवशेष धनराशि रु० 4878224.00 को अनुदान दाता को वापस न कर अनियमितता की गयी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आ.सं. 09)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	4878224.00	4878224.00

प्रस्तर सं० :31 वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में कुल रु० 8297021.00 की धनराशि प्राप्त मद से अधिक व्यय किया गया, जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वर्ष	ग्राण्ट रजिस्टर के अनुसार कुल व्यय की गयी धनराशि	प्रारूप-1 के अनुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व्यय प्रमाणकों की धनराशि	अन्तर की धनराशि रुपये में
2014-15	13286264.00	17227617.00	3941353.00
2015-16	10470697.00	13661738.00	3191041.00
2016-17	7386643.00	8551270.00	1164627.00
योग			8297021.00

(मूल आ०सं०-10)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	8297021.00	8297021.00

प्रस्तर सं० :32 वर्ष 2014-15 की लेखा परीक्षा में सांसद निधि योजना मद में आय से अधिक रु० 1922.00 व्यय किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न है :-

2015 को प्रारम्भिक शेष	माह में आय	माह में व्यय	31.01.2015 को शेष
322648.00	15000.00	39570.00	(-) 1922.00

(मूल आ०सं०-12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	1922.00	1922.00

प्रस्तर सं० :33 वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में दिनांक 31.03.2017 का अन्तिम अवशेष

रु० 4878224.00 रहा एवं ग्राण्ट रजिस्टर-3 में अंकित बैंक पासबुकों का अन्तिम अवशेष दिनांक 31.03.2017 को रु० 5057065.00 रहा। बैंक एवं अनुदान रजिस्टर का अन्तर रु० 178841.00 का रहा, जिसके सापेक्ष मात्र रु० 145457.00 का ही चेक ग्राण्ट रजिस्टर पर अंकित है (जो 31.03.2017 तक बैंक में प्रस्तुत नहीं है)। अन्तर की धनराशि रु० 33384.00 का उल्लेख नहीं किया गया है। इस ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (मूल आ.सं. 14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	33384.00	33384.00

प्रारूप : 03

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से 2016-17

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : पडरौना की वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड : पडरौना।

प्रस्तर सं० :34 दिनांक 07.08.2014 को रु० 192000.00 एवं दिनांक 21.08.2014 को रु० 183000.00 कुल योग धनराशि रु० 385000.00 का भुगतान बावत मिट्टी भराव पशु चिकित्सालय में कराने हेतु श्री खेदन प्रसाद, ए.डी.ओ./कार्य प्रभारी द्वारा किया गया। किन्तु मिट्टी खनन पर नियमानुसार रायल्टी की कटौती आपूर्तिकर्ता से न कर राजस्व की हानि पहुँचाई गई। तत्समय की मिट्टी दर रु० 70.00 प्रति धनमीटर से कुल 5500 धनमीटर मिट्टी की आपूर्ति की गयी। जिस पर रु० 14.00 प्रति धनमीटर की दर से रायल्टी कटौती न कर रु० 77000.00 के राजस्व की हानि पहुँचाई गई। जिसकी क्षतिपूर्ति कार्य प्रभारी श्री खेदन प्रसाद, खण्ड विकास अधिकारी श्री विनय तिवारी (प्रभारी) एवं लेखाकार श्री राम बहादुर चौरसिया से अधिभार की कार्यवाही के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित हैं। (मूल आ०सं०-12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	77000.00	77000.00

प्रस्तर सं० :35 दिनांक 31.03.2017 को क्षेत्र पंचायत द्वारा बैंक खातों पर रु० 2264890.00 ब्याज वर्षान्त में शेष दिखाया गया है। शासन को वापस न कर दिनांक 31.03.2017 तक अपने पास ही रखी गयी। शासनादेश संख्या 10/2015 /ए-1-502/दस/2015-10 -(33)/2010 दिनांक 29 मई 2015 में यह स्पष्ट निर्देश है कि ब्याज की राशि संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी तथा इस ब्याज को राजकोष में जमा करा दिया जाय। किन्तु ब्याज की राशि राजकोष में जमा न कराकर राजकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री राम बहादुर चौरसिया एवं महेन्द्र प्रसाद उत्सादायी हैं। (मूल आ०सं०-13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	2264890.00	2264890.00

प्रस्तर सं० :36 दिनांक 30.10.2014 को चैक संख्या-043559 द्वारा रु० 16000.00 का भुगतान श्री धर्मेन्द्र कुशवाहा, कम्प्यूटर आपरेटर को माह जुलाई 2014 एवं अगस्त 2014 के मानदेय का किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व दिनांक 26.08.2014 में रु० 26040.00 का भुगतान माह जुलाई 2014 तक का श्री कुशवाहा को किया जा चुका था। इस प्रकार श्री कुशवाहा को माह-जुलाई 2014 का भुगतान दो बार किया गया। अतः रु० 8000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री धर्मेन्द्र कुशवाहा से की जानी अपेक्षित हैं। (मूल आ०सं०-14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
8000.00	---	---	8000.00

प्रस्तर सं० :37 दिनांक 16.04.2015 में चैक संख्या-074736 द्वारा रु० 230000.00 का भुगतान श्री

चन्द्रभूषण मिश्र, कैशियर को बावत ए.डी.ओ. आवास बाबू टाईप के सम्मुख सी.सी. रोड निर्माण हेतु किया गया। कार्य की अनुमानित लागत रु० 470000.00 आंकी गयी। किन्तु दो वर्ष से अधिक व्यतीत होने पर भी श्री चन्द्रभूषण मिश्र द्वारा कार्य नहीं कराया गया। अन्ततः खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के पत्रांक 96/ब्याज सहित वसूली /लेखा /2016-17 दिनांक 25.04.2016 जिसके स्पष्टीकरण में श्री मिश्रा के पत्रांक दिनांक 16.06.2016 के तहत उनके द्वारा रु० 230000.00 का कार्य करा लिया गया है। किन्तु पत्रावली में कोई व्यय प्रमाणक एवं कार्य कराने का कोई साक्ष्य सुलभ नहीं है। स्पष्ट है कि श्री मिश्रा द्वारा राजकीय कार्य नहीं कराया गया है तथा राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः रु० 230000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री चन्द्रभूषण मिश्रा, कैशियर से अधिभार के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित हैं।

(मूल आ०सं०-15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
230000.00	—	—	230000.00

प्रस्तर सं० :38 राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत ग्राम आधार छपरा में उत्तिम गोंड के घर के पास से रेलवे क्रासिंग तक इण्टरलाकिंग कार्य कराने हेतु रु० 12.00 लाख का बजट स्वीकृत हुआ। उक्त कार्य को कराने हेतु श्री ललन प्रसाद, ए.डी.ओ. (कृषि) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया। जिसके लिए रु० 100000.00 तथा रु० 180000.00 का अग्रिम श्री ललन प्रसाद को दिया गया। किन्तु श्री प्रसाद द्वारा अद्यतन उक्त कार्य नहीं कराया गया तथा राजकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया। अन्ततः खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के पत्रांक 97/ब्याज सहित वसूली /लेखा/2016-17 दिनांक 25.04.2016 द्वारा श्री मिश्रा को उनके द्वारा उक्त कार्य हेतु प्राप्त धनराशि क्षेत्र पंचायत के खाता संख्या 50000031357909 में जमा कराने के निर्देश दिये गये तथा जमा न कराने की स्थिति में एफ.आई.आर. की संस्तुति की गई। स्पष्ट है कि श्री ललन प्रसाद द्वारा राजकीय कार्य नहीं कराया गया है तथा राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः रु० 280000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री ललन प्रसाद, ए.डी.ओ. (कृषि) से अधिभार के अन्तर्गत की कार्यवाही के अन्तर्गत की जानी चाहिए।

(मूल आ०सं०-16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
280000.00	—	—	280000.00

प्रस्तर सं० :39 क्षेत्र पंचायत-पडरौना की वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया कि उक्त अवधि में श्रीमती रीता शुक्ला पत्नी श्री आद्या शुक्ला क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के पद पर पदाशीन रहीं तथा इनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए अपनी स्वयं की फर्म मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड से ईटों की तथा अपने पुत्र तुषार कान्त शुक्ला के स्वामित्व वाली फर्म मै० कालिका ट्रेडर्स नामक फर्म से निर्माण सामग्री एवं इण्टर लाकिंग टाईल्स की आपूर्ति की गयी। जांच में पाया गया कि आमन्त्रित निविदाएं/कोटेशनं मुहर बन्द प्राप्त न कर खुली निविदाएं प्राप्त की गई। ब्लाक प्रमुख का पद एक संवैधानिक पद है तथा संवैधानिक पद पर किसी सदस्य के लिए विधायिका उसे किसी ऐसे पद को धारण करने से रोकती है, जिससे उसे वित्तीय लाभ प्राप्त हो। किन्तु श्रीमती रीता शुक्ला द्वारा अपने स्वामित्व वाली फर्म मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड से ईटें एवं अपने पुत्र के स्वामित्व वाली फर्म मै० कालिका ट्रेडर्स से निर्माण सामग्री एवं इण्टरलाकिंग टाईल्स की आपूर्ति कर अनियमित रूप से रु० 16472882.00 तथा रु० 11517732.00 कुल रु० 27990614.00 का भुगतान प्राप्त किया। अतः इस सम्बंध में लेखा परीक्षा अवधि में तैनात खण्ड विकास अधिकारियों श्री चन्द्रशेखर मिश्र(प्रभारी) श्री जे० एस० मणि व श्री रघुनाथ सिंह तथा ब्लाक प्रमुख श्रीमती रीता शुक्ला एवं अवर अभियन्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार कन्नौजिया के विरुद्ध अधिभार की कार्यवाही कर राज्य सरकार को हुई क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार से है :-

भुगतान तिथि	कार्य का विवरण	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड द्वारा आपूर्ति	मै० कालिका ट्रेडर्स द्वारा आपूर्ति	कुलयोग
1	2	3	4	5

09.07.2014	भगड़ा पिपरासी में इण्टरलाकिंग कार्य	158400.00	76100.00	234500.00
		57239.00	224700.00	281939.00
20.10.2014	पशु चिकित्सालय में मरम्मत कार्य	193565.00	47300.00	240865.00
01.11.2014	ग्राम पंचायत मईला में रसीद ठेकेदार के घर से हरि मास्टर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	40200.00	156800.00	197000.00
01.11.2014	ग्राम सभा बरहज में गगवरवा जाने वाले मार्ग पर हजरत मास्टर के खेत के पास पुलिया निर्माण	24800.00	—	24800.00
21.11.2014	कठकुइया में अधियारी टोला से लाला पट्टी जाने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण	54400.00	89000.00	143400.00
05.12.2014	पशु चिकित्सालय में इण्टरलाकिंग कार्य	23000.00	329940.00	352940.00
22.12.2014	राजकीय कृषि भण्डार में खड़जा निर्माण	231394.00	—	231394.00
22.12.2014	ए.डी.ओ. बाबू टाईप आवास के पीछे नाली निर्माण	181834.00	174500.00	356334.00
12.01.2015	धरमपुर में सड़क से भरटोली जाने वाले मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया मरम्मत	160500.00	22220.00	182720.00
12.01.2015	सिधुआ बांगर मठ में मुनीब के घर से उमेश बाबा के फुलवी तक मरम्मत	117300.00	—	117300.00
12.01.2015	नोनिया पट्टी में बेलवा जंगल जाने वाले मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य	152480.00	522822.00	675302.00
12.01.2015	विकास खण्ड परिसर में शौचालय निर्माण	45600.00	54400.00	100000.00
12.01.2015	बलौहा से देवरिया पाण्डे जाने वाले मार्ग से हरिजन बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	66200.00	270500.00	336700.00
19.01.2015	बलौहा से देवरिया पाण्डे जाने वाले मार्ग से हरिजन बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	59500.00	221900.00	281400.00
28.01.2015	जंगल अगवा में आत्मा पाण्डे के घर से अनिल के घर तक नाली निर्माण	251000.00	152849.00	403849.00
28.01.2015	ग्राम पंचायत खिरिकिया में विक्रम यादव महाविद्यालय से पश्चिम पिच तक खड़जा निर्माण	139600.00	—	139600.00
28.01.2015	पगरा में राजेश के भट्टे के आगे अवशेष खड़जा	551660.00	—	551660.00
28.01.2015	पगरा में देवमुनि के घर के पास से भट्टा तक खड़जा निर्माण	551660.00	—	551660.00
28.01.2015	सिधुआ मिश्रौली में डोमन के घोटा से रामसागर के पोखरा तक नाली निर्माण	305816.00	179840.00	485686.00

29.01.2015	कुरमौल नहर पर पुलिया से पश्चिम नहर की पट्टी पर खड़न्जा निर्माण	717160.00	—	717160.00
05.02.2015	रतनवा में प्रा० पा० के दक्षिण राजेन्द्र के खेत के पास पुलिया निर्माण	207500.00	131300.00	338800.00
07.02.2015	सिधुआ बांगर मठ में मुनीब के घर से उमेश बाबा के घर तक खड़न्जा मरम्मत	129000.00	—	129000.00
07.02.2015	जंगल कुरमौल में नहर पर पुलिया से पश्चिम नहर पर खड़न्जा	717000.00	—	717000.00
12.02.2015	सखवनिया में ओझा टोला में हब्बीबुल्ला के खेत के पास पुलिया निर्माण	147226.00	130411.00	277637.00
12.02.2015	जंगल कुरमौल में नहर पर पुलिया से पश्चिम नहर की पट्टी पर खड़न्जा	364096.00	—	364096.00
		386162.00	—	386162.00
12.02.2015	सहजवनिया में बाय में महरानी जाने वाले मार्ग पर खड़न्जा निर्माण	379300.00	—	379300.00
12.02.2015	बसहिया बनवीरपुर टोला पिपरा में अहमद अली के घर से नगोसर के घर होते हुए नगीना के घर तक नाली निर्माण	180400.00	137600.00	318000.00
28.02.2015	बसहिया बनवीरपुर टोला पिपरा में अहमद अली के घर से नगोसर के घर होते हुए नगीना के घर तक खड़न्जा निर्माण	391300.00	—	391300.00
06.04.2015	बेल्ही शुक्ल में धर्मेन्द्र के घर से भरोसे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	26400.00	77300.00	103700.00
06.04.2015	सादापुर में लखरहिया जाने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण	58500.00	—	58500.00
18.04.2015	मइला में रसीद ठेकेदार के घर से हरि मास्टर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	80700.00	85930.00	166630.00
18.04.2015	सखवनिया में ओझा टोला में हब्बीबुल्ला एवं कालिक के खेत के पास पुलिया निर्माण	48300.00	4900.00	53200.00
25.04.2015	त्रासर में पिच रोड से शंकर जी के मन्दिर होते हुए शम्भू के घर तक इण्टरलाकिंग	91600.00	225340.00	316940.00
12.05.2015	वेहरवलिया में सुरेश पाण्डे के घर से प्रानछापर तक नाली निर्माण	105500.00	58100.00	163600.00
12.05.2015	बतरौली में आफताब के घर से आंगनवाड़ी जाने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	62000.00	14700.00	76700.00
20.05.2015	रसूलपुर बेहली प्रसादपुर से नवोदय	349000.00	—	349000.00

	विद्यालय आने वाले पिच मार्ग पर खड़न्जा निर्माण	312480.00	—	312480.00
02.06.2015	बसडीला फाटक से नहर की पट्टी पर खड़न्जा मरम्मत	210000.00	—	210000.00
05.06.2015	प्रधान पट्टी में पुलिया निर्माण	194500.00	159350.00	353850.00
05.06.2015	खिरकिया जाने वाले रोड से पश्चिम बीरेन्द्र के खेत टावर तक खड़न्जा निर्माण	54000.00	—	54000.00
		197000.00	—	197000.00
17.06.2015	रसूलपुर बेहली पिच सड़क से पश्चिम मिलकी मार्ग पर खड़न्जा	340200.00	—	340200.00
19.06.2015	भारत राजीव गाँधी सेवा केन्द्र से सटे शौचालय का निर्माण	28910.00	—	28910.00
07.10.2015	रसूलपुर बेहली पिच सड़क से पश्चिम मिलकी तक खड़न्जा	210000.00	—	210000.00
15.10.2015	बसडीला फाटक से आगे नहर का पटरा पर खड़न्जा निर्माण	180000.00	—	180000.00
15.10.2015	कार्यालय में शौचालय निर्माण	—	19200.00	19200.00
23.10.2015	आवासीय भवनों में फर्श, प्लास्टर, खिड़की-दरवाजा की मरम्मत आदि	—	40000.00	40000.00
23.10.2015	विकास खण्ड परिसर में पश्चिम की तरफ ए.डी.ओ. टाईप भवनों में रंगार्ड-पुतार्ड	—	10400.00	10400.00
	विकास खण्ड परिसर में सेप्टिक टैंक व वाउण्ड्री वाल	16500.00	16500.00	33000.00
16.11.2015	ए.डी.ओ. टाईप भवनों में मरम्मत कार्य	155200.00	—	155200.00
16.11.2015	नरसर में पिच रोड से शंकर जी के मन्दिर के आगे शम्भू के घर तक इण्टरलाकिंग	414500.00	—	414500.00
30.11.2015	सिधुआ मिश्रौली में डोमन के घर से रामसागर के पोखर से आगे इण्टरलाकिंग	126100.00	74200.00	200300.00
09.03.2016	खण्ड विकास आवास गेट के सामने इण्टरलाकिंग कार्य	26000.00	185300.00	211300.00
01.07.2014	बरहज में गगरवा जाने वाले मार्ग पर हजरत मास्टर के खेत के पास पुलिया निर्माण	155530.00	—	155530.00
26.08.2014	बरहज में गगरवा जाने वाले मार्ग पर हजरत मास्टर के खेत के पास पुलिया निर्माण	45000.00	—	45000.00
07.02.2015	दलबहादुर छपरा में जगदीश के घर से पुलिस चौकी होते हुए राम नरेश के घर तक नाली निर्माण	189948.00	125524.00	315472.00
07.02.2015	खिरकिया में योगेन्द्र के घर से मती के घर तक नाली निर्माण	166200.00	114380.00	280580.00
02.03.2015	साखीवरिया में भारत चौहान के घर से प्राननोनिया पट्टी टोला तक	77900.00	225240.00	303140.00

	पुलिया निर्माण			
02.03.2015	बतरौली में आफताब के घर से आंगनवाड़ी जाने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	137840.00	477069.00	614909.00
02.03.2015	जंगल बेवा में जयन्ती के घर से जिदत के घर तक नाली निर्माण	134616.00	74800.00	209416.00
02.03.2015	पगरा में पगरा माईनर में पुलिया निर्माण	205500.00	89158.00	294658.00
02.03.2015	जंगल बनबीरपुर में सड़क के किनारे दोनों तरफ नाली निर्माण	195618.00	123655.00	319273.00
03.03.2015	साड़ी बुजुर्ग से लखटिया जाने वाले मार्ग पर महेश के खेत के पास पुलिया निर्माण	160600.00	124938.00	285538.00
03.03.2015	विकास खण्ड परिसर में सेप्टिक टैंक, सामापट, वाउण्ड्री वाल आदि का उच्चीकरण	88644.00	107145.00	195789.00
03.03.2015	ए.डी.ओ. बाबू टाईप आवास के पीछे नाली व इण्टरलाकिंग कार्य	10164.00	123667.00	133831.00
26.03.2015	उक्त कार्य	34984.00	117312.00	152296.00
26.03.2015	विकास खण्ड परिसर में आवासीय भवनों के फर्श एवं प्लास्टर	---	162478.00	162478.00
30.03.2015	विकास खण्ड परिसर में आवासीय भवनों की रंगाई-पुताई	---	82900.00	82900.00
30.03.2015	विकास खण्ड परिसर में सेप्टिक टैंक, सामापट, वाउण्ड्री वाल आदि का उच्चीकरण	3312.00	24000.00	27312.00
30.03.2015	सिकटा में मेन सड़क चौराहे से गौव जाने वाली सड़क के किनारे नाली निर्माण	158665.00	91113.00	249778.00
31.03.2015	जंगल बनबीरपुर में सिधुआ बाजार के किनारे दोनों तरफ नाली निर्माण	248311.00	143800.00	392111.00
06.04.2015	कल्याणपुर में राजकुमार के घर से शंकर के घर तक नाली निर्माण	134811.00	74200.00	209011.00
06.04.2015	कोंहरवलिया में सुरेश पाण्डेय के घर से प्रान छापर तक नाली निर्माण	100887.00	55700.00	156587.00
17.04.2015	सिधुआ मिश्रौली में डोमन के घोठा से रामसागर के खेत तक नाली निर्माण	12000.00	26000.00	38000.00
		---	9550.00	9550.00
17.04.2015	बैजनाथपुर में बाबू टोला से शमशान घाट जाने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण	160816.00	73516.00	234332.00
17.04.2015	बेलवा में जयश्री के घर से जोआ के घर तक नाली निर्माण	206176.00	113402.00	319578.00
17.04.2015	पिपरा जटरामपुर में ध्रुव के घर से नहर तक नाली निर्माण	73320.00	32400.00	105720.00
17.04.2015	पगरा में पगरा माईनर पर पुलिया	22500.00	136278.00	158778.00

	निर्माण			
17.04.2015	रखवलिया में ओझा टोला से हब्बीबुल्ला एवं कालिका के घर के पास पुलिया निर्माण	48300.00	4900.00	53200.00
17.04.2015	मईला में रसीद ठेकेदार के घर से हरि मास्टर के घर तक इण्टरलाकिंग	80700.00	85930.00	166630.00
25.04.2015	चौरा खास में योगेन्द्र के घर से पति मास्टर के घर तक नाला	275300.00	144700.00	420000.00
28.04.2015	नोनिया पट्टी में जावेद के घर रेलवे ढाला तक नाली निर्माण	90100.00	51000.00	141100.00
20.05.2015	सुखपुरा में अभ्यानन्द के घर के पास नाली निर्माण	197380.00	112000.00	309380.00
22.09.2015	कल्याण छापर में राजकुमार के घर से शंकर के घर तक नाली निर्माण	61200.00	54750.00	115950.00
16.11.2015	नरसर में पिच सड़क से शंकरजी के मन्दिर के आगे इण्टरलाकिंग कार्य	155400.00	.—	155400.00
20.06.2015	बैजनाथपुर में बाजूपट्टी में शमशान घाट जाने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण	83600.00	65900.00	149500.00
01.07.2015	मेहन पट्टी में पिच रोड से मुसहरी टोला बाबा स्थान जाने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	193600.00	490800.00	684400.00
01.07.2015	मिहिनिया में कुबेर स्थान मार्ग पर नाली निर्माण	78800.00	44000.00	122800.00
08.07.2015	राजीव गाँधी केन्द्र के प्रांगण में इण्टरलाकिंग कार्य	205000.00	387000.00	592000.00
28.07.2015	बेलवा मिश्र में ब्रह्म स्थान तक सी.सी. रोड	37600.00	63700.00	101300.00
14.08.2015	सरेया कुबेर स्थान मार्ग पर पुलिया निर्माण	129900.00	75900.00	205800.00
14.08.2015	होरलापुर पिच सड़क से बेलही मार्ग पर पुलिया निर्माण	194000.00	118000.00	312000.00
14.08.2015	भारत राजीव गाँधी केन्द्र के प्रांगण में वाउण्ड्री वाल एवं इण्टरलाकिंग कार्य	47900.00	136000.00	183900.00
22.08.2015	पिपरा जटामपुर कुबेर स्थान जाने वाले मार्ग तक नाली निर्माण	61000.00	40500.00	101500.00
01.09.2015	मटिहनिया में विदेशी के घर से कुबेर स्थान मार्ग पर नाली निर्माण	81100.00	59800.00	140900.00
01.09.2015	बसडीला फाटक से नहर की पटरी पर खड़न्जा निर्माण	39400.00	—	39400.00
16.09.2015	जंगल चौरिया में गजई यादव के घर से जू० हा० स्कूल तक इण्टरलाकिंग कार्य	79200.00	245400.00	324600.00
02.10.2015	नोनिया पट्टी में जावेद के घर से	73500.00	62500.00	136000.00

	रेलवे ढाला तक नाली निर्माण			
02.03.2015	ग्राम पंचायत कसिया में बम्बबहादुर के घर से देवकी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	67800.00	221622.00	289422.00
17.03.2015	परियोजना सिंघन जोड़ी में इण्टरलाकिंग कार्य	55500.00	149900.00	205400.00
25.04.2015	ग्राम पंचायत कसिया में बम्बबहादुर के घर से देवकी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	79186.00	241000.00	320186.00
19.05.2015	बतरौली में आफताब के घर से स्थेदिया विशुनपुरा मार्ग पर खड़न्जा निर्माण	89000.00	89000.00	89000.00
17.05.2015	सिंघन जोड़ी में खड़न्जा निर्माण	77400.00	229640.00	307040.00
सांसद क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कार्य				
16.04.2014	दीवानी न्यायालय में पुस्तकालय निर्माण	---	97381.00	97381.00
13.11.2014	दीवानी न्यायालय में पुस्तकालय निर्माण	---	9680.00	9680.00
28.12.2014	दीवानी न्यायालय में पुस्तकालय निर्माण	83500.00	---	83500.00
17.03.2015	सेमराहदों में मुसहरी टोला आनन्द पट्टी में खड़न्जा निर्माण	60810.00	---	60810.00
19.05.2015	हरका बालखण्डी स्थान पिच मार्ग से चौबे टोला बेलही जाने वाले मार्ग के खड़न्जे पर इण्टरलाकिंग	404440.00	239000.00	643440.00
17.06.2015	मटिहनिया में धर्मशाला निर्माण	18300.00	60900.00	79200.00
05.08.2015	मटिहनिया में धर्मशाला निर्माण	---	637396.00	637396.00
		---	264900.00	264900.00
02.11.2015	मटिहनिया में धर्मशाला निर्माण	43000.00	132000.00	175000.00
16.11.2015	नरसर में शंकर जी के स्थान के आगे तक इण्टरलाकिंग	---	341540.00	341540.00
योग		16472882.00	11517732.00	27990614.00

(मूल आ०सं०-17)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
	---	27990614.00	27990614.00

प्रस्तर सं० :40 क्षेत्र पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा अवधि में आपूर्तिकर्ता के बिलों का भुगतान करते समय अनेकों बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. एवं वैट की कम कटौती की गई है अथवा कटौती नहीं की गयी। जिससे राजस्व की भारी हानि हुयी है। लेखा परीक्षा में कुल रु० 00.00 टी.डी.एस. एवं रु० 4914.56 वैट की कटौती न किये जाने से कुल रु० 4914.56 की हानि हुयी। जिसकी क्षतिपूर्ति सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारियों, लेखाकार एवं कार्यप्रभारियों से अधिभार के अन्तर्गत कार्यवाही के तहत की जानी अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	भुगतान तिथि	आपूर्तिकर्ता का नाम	बिल का राशि	काटा गया टी.डी.एस.	काटा गया वैट	भारित टी.डी.एस.	भारित काटा गया वैट	शेष टी.डी.एस.	शेष वैट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07.09.2014	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	158400.0	3540.00	—	3168.0	6336.0	—	6336.0
			57239.0	1311.00	—	1144.8	2289.6	—	2289.6
2.	20.10.2014	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	193565.0	4435.0	—	3871.3	7742.6	—	7742.6
3.	11.01.2014	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	40200.0	—	—	804.0	1608.0	804.0	1608.0
4.	11.01.2014	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	24800.0	—	—	496.0	992.0	496.0	992.0
5.	21.11.2014	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	54400.	—	—	1088.0	2176.0	1088.0	2176.0
6.	12.05.2014	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	23000.0	—	—	460.0	920.0	460.0	920.0
7.	22.12.2014	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	231394.0	5300.0	—	4627.6	9255.8	—	
8.	22.12.2014	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	181834.0	4166.0	—	3636.7	7273.4	—	
9.	01.12.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	16050.0	3680.0	—	3210.0	6420.0	—	
10.	01.12.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	117300.0	2700.0	—	2346.0	4692.0	—	
11.	01.12.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	152480.0	3520.0	—	3049.6	6099.2	—	
12.	01.12.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	45600.0	—	—	912.0	1824.0	912.0	1824.0
13.	01.12.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	66200.0	—	—	1324.0	2648.0	1324.0	2648.0

14.	19.01.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	59500.0	—	—	1190.0	2380.0	1190.0	2380.0
15.	28.01.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	251000. 0	—	—	5020.0	10040. 0	5020.0	10040. 0
16.	28.01.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	139600. 0	3200.0	—	2792.0	5584.0	—	5584.0
17.	28.01.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	551660. 00	12640. 0	—	11033. 2	22066. 4	—	22066. 4
18.	28.01.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	551660. 00	12640. 0	—	11033. 2	22066. 4	—	22066. 4
19.	28.01.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	305816. 0	7000.0	—	6116.3	12232. 6	—	12232. 6
20.	29.01.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	717160. 0	—	—	14343. 2	28686. 4	14343. 2	28686. 4
21.	02.05.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	207500. 0	4755.0	—	4150.0	8300.0	—	8300.0
22.	02.07.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	129000. 0	—	—	2580.0	5160.0	—	5160.0
23.	02.07.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	717000. 0	—	—	14340. 0	28680. 0	14340. 0	28680. 0
24.	02.12.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	147226. 0	3374.0	—	2944.5	5889.0	2944.5	5889.0
25.	02.12.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	364096. 0	8342.0	—	7281.9	14563. 8	—	14563. 8
		मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	386162. 0	—	—	7723.2	15446. 5	7723.2	15446. 5
26.	02.12.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	379300. 0	8848.0	—	7586.0	15172. 0	—	15172. 0
27.	02.12.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	180400. 0	4135.0	—	3608.0	7216.0	—	7216.0
28.	28.02.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	391300. 0	8970.0	—	7826.0	15652. 0	—	15652. 0
29.	04.06.2015	मै०	26400.0	—	—	528.0	1056.0	528.0	1056.0

		अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड							
30.	04.06.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	58500.0	—	—	1170.0	2340.0	1170.0	2340.0
31.	18.04.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	80700.0	—	—	1614.0	3228.0	1614.0	3228.0
32.	18.04.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	48300	—	—	966.0	1932.0	966.0	1932.0
33.	25.04.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	91600.0	2100.0	—	1832.0	3664.0	—	3664.0
34.	05.12.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	105500. 0	2500. 00	—	2110.0	4220.0	—	4220.0
35.	05.12.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	62000.0	—	—	1240.0	2480.0	1240.0	2480.0
36.	20.05.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	349000. 0	8000.0	—	6980.0	13960. 0	—	13960. 0
			312480. 0	—	—	6249.6	12499. 2	6249.6	12499. 2
37.	06.02.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	210000. 0	4400.0	—	4200.0	8400.0	—	8400.0
38.	06.05.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	194500. 0	—	—	3890.0	7780.0	—	7780.0
39.	06.05.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	54000.0	4500.0	—	1080.0	2160.0	—	2160
			197000. 0	—	—	3940.0	7880. 00	3940.0	7880. 00
40.	17.06.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	340200. 0	7800.0	—	6804.0	13608. 0	—	13608. 0
41.	19.06.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	28910.0	—	—	578.2	1156.4	578.2	1156.4
42.	10.07.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	210000. 0	—	—	4200.0	8400.0	4200.0	8400.0
43.	15.10.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	180000. 0	—	—	3600.0	7200.0	3600.0	7200.0
44.	23.10.2015	मै० अहिरौली	16500.0	—	—	330.0	660.0	330.0	660.0

		ब्रिक्स फिल्ड							
45.	16.11.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	155200. 0	—	—	3104.0	6208.0	3104.0	6208.0
46.	16.11.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	414500. 0	9500.0	—	8290.0	16580. 0	—	16580. 0
47.	30.11.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	126100. 0	—	—	2522.0	5044.0	2522.0	5044.0
48.	03.09.2016	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	26000.0	—	—	520.0	1040.0	520.0	1040.0
49.	07.01.2014	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	155530. 0	3570.0	—	3110.6	6221.2	—	6221.2
50.	26.08.2014	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	45000.0	—	—	900.0	1800.0	900.0	1800.0
51.	02.07.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	189984. 0	4352.0	—	3799.0	7597.0	—	7597.9
52.	02.07.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	166200. 0	3800.0	—	3324.0	6648.0	—	6648.0
53.	03.02.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	77900.0	1780.0	—	1558.0	3116.0	—	3116.0
54.	03.02.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	137840. 0	3160.0	—	2756.8	5513.6	—	5513.6
55.	03.02.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	134616. 0	3084.0	—	2692.3	5384.6	—	5384.6
56.	03.02.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	205500. 0	4700.0	—	4110.0	8220.0	—	8220.0
57.	03.02.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	195618. 0	4482.0	—	3912.4	7824.7	—	7824.7
58.	03.03.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	160600. 0	3680.0	—	3212.0	6424.0	—	6424.0
59.	03.03.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	88644.0	—	—	1772.9	3545.8	—	3545.8
60.	03.03.2015	मै०	10164.0	—	—	203.3	406.6	203.3	406.6

		अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड							
61.	26.03.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	34984.0	2688.0	—	699.7	1399.4	—	1399.4
62.	30.03.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	3312.0	—	—	66.2	132.5	66.2	132.5
63.	30.03.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	158665. 0	3635.0	—	3173.3	6346.6	—	6346.6
64.	31.03.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	248311. 0	5689.0	—	4966.2	9932.4	—	9932.4
65.	04.06.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	134811. 0	3089.0	—	2696.2	5392.4	—	5392.4
66.	04.06.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	100887. 0	2313.0	—	2017.7	4035.5	—	4035.5
67.	17.04.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	12000.0	—	—	240.0	480.0	240.0	480.0
68.	17.04.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	160916. 0	3684.0	—	3216.3	6432.6	—	6432.6
69.	17.04.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	206176. 0	—	—	4123.5	8247.0	4123.5	8247.0
70.	17.04.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	73320.0	—	—	1466.4	2932.8	1466.4	2932.8
71.	17.04.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	22500.0	—	—	450.0	900.0	450.0	900.0
72.	17.04.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	48300.0	—	—	966.0	1932.0	966.0	1932.0
73.	17.04.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	80700.0	—	—	1614.0	3228.0	1614.0	3228.0
74.	25.04.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	275300. 0	6300.0	—	5506.0	11012. 0	—	11012. 0
75.	28.04.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फ़िल्ड	90100.0	—	—	1802.0	3604.0	1802.0	3604.0

76.	20.05.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	197380. 0	4520.0	—	3947.6	7895.2	—	7895. 02
77.	22.09.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	61200.0	1400.0	—	1224.0	2448.0	—	2448.0
78.	16.11.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	155400. 0	—	—	3108.0	6216.0	3108.0	6216.0
79.	20.06.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	83600.0	—	—	1672.0	3344.0	1672.0	3344.0
80.	07.01.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	193600. 00	4400.0	—	3872.0	7744.0	—	7744.0
81.	07.01.2017	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	78800. 00	—	—	1576.0	3152.0	1576.0	3152.0
82.	07.08.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	205000. 0	5000.0	—	4100.0	8200.0	—	8200.0
83.	28.07.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	37600.0	—	—	752.0	1504.0	752.0	1504.0
84.	14.08.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	129900. 0	2900.0	—	2598.0	5196.0	—	5196.0
85.	14.08.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	194000. 0	—	—	3880.0	7760.0	3880.0	7760.0
86.	14.08.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	47900.0	—	—	958.0	1916.0	958.0	1916.0
87.	22.08.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	61000.0	—	—	1220.0	2440.0	1220.0	2440.0
88.	09.01.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	81100.0	1860.0	—	1622.0	3244.0	—	3244.0
89.	09.01.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	39400.0	—	—	788.0	1576.0	788.0	1576.0
90.	16.09.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	79200.0	—	—	1584.0	3168.0	1584.0	3168.0
91.	10.02.2015	मै० अहिरौली	73500.0	—	—	1470.0	2940.0	1470.0	2940.0

		ब्रिक्स फिल्ड							
92.	03.02.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	67800.0	—	—	1356.0	2712.0	1356.0	2712.0
93.	17.03.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	55500.0	—	—	1110.0	2220.0	1110.0	2220.0
94.	25.04.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	79186.0	1814.0	—	1583.7	3167.4	—	3167.4
95.	19.05.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	373930.0	—	—	7478.6	14957.2	7478.6	14957.2
96.	17.05.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	77400.0	1800.0	—	1548.0	3096.0	—	3096.0
97.	28.12.2014	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	83500.0	—	—	1670.0	3340.0	1670.0	3340.0
98.	17.03.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	60810.0	—	—	1216.2	2432.4	1216.2	2432.4
99.	19.05.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	404440.0	9260.0	—	8088.8	16177.6	—	16177.6
100.	17.06.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	18300.0	—	—	366.0	732.0	366.0	732.0
101.	11.02.2015	मै० अहिरौली ब्रिक्स फिल्ड	43000.0	—	—	860.0	1720.0	860.0	1720.0
102.	07.09.2014	मै० कालिका ट्रेडर्स	76100.0 224700.0	1744.0 5150.0	— —	1522.0 4494.0	3044.0 8988.0	—	3044.0 8988.0
103.	20.10.2014	मै० कालिका ट्रेडर्स	47300.0	—	—	946.0	1892.0	946.0	1892.0
104.	11.01.2014	मै० कालिका ट्रेडर्स	156800.0	3600.0	—	3136.0	6272.0	—	6272.0
105.	21.11.2014	मै० कालिका ट्रेडर्स	89000.0	1840.0	—	1780.0	3560.0	—	3560.0
106.	12.05.2014	मै० कालिका ट्रेडर्स	329940.0	7560.0	—	6598.8	13197.6	—	13197.6
107.	22.12.2014	मै० कालिका ट्रेडर्स	174500.0	4000.0	—	3490.0	6980.0	—	6980.0
108.	01.12.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	22220.0	—	—	444.4	888.8	444.4	888.8
109.	01.12.2015	मै० कालिका	522822.	15498.	—	10456.	20912.	—	20912.

.		ट्रेडर्स	0	0		4	9		9
110	01.12.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	54400.0	—	—	1088.0	2176.0	1088.0	2176.0
111	01.12.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	270500.0	6200.0	—	5410.0	10820.0	—	10820.0
112	19.01.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	221900.0	5100.0	—	4438.0	8876.0	—	8876.0
113	28.01.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	152849.0	3224.0	—	3057.0	6114.0	—	6114.0
114	28.01.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	179870.0	4130.0	—	3597.4	7194.8	—	7194.8
115	02.05.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	131300.0	2940.0	—	2626.0	5252.0	—	5252.0
116	02.12.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	130411.0	2089.0	—	2608.2	5216.4	519.2	5216.4
117	02.12.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	137600.0	3153.0	—	2752.0	5504.0	—	5504.0
118	04.06.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	77300.0	—	—	1546.0	3092.0	1546.0	3092.0
119	18.04.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	85930.0	—	—	1718.6	3437.2	1718.6	3437.2
120	18.04.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	4900.0	—	—	98.0	196.0	98.0	196.0
121	25.04.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	225340.0	5048.0	—	4506.8	9013.6	—	9013.6
122	05.12.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	58100.0	—	—	1162.0	2324.0	1162.0	2324.0
123	05.12.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	14700.0	—	—	294.0	588.0	294.0	588.0
124	01.05.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	159350.0	3652.0	—	3187.0	6374.0	—	6374.0
125	15.10.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	19200.0	—	—	384.0	768.0	384.0	768.0
126	23.10.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	40000.0	—	—	800.0	1600.0	800.0	1600.0
127	23.10.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	10400.0	—	—	208.0	416.0	208.0	416.0
			16500.0	—	—	330.0	660.0	330.0	660.0
128	30.11.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	74200.0	—	—	1484.0	2968.0	1484.0	2968.0
129	03.09.2016	मै० कालिका ट्रेडर्स	185300.0	3700.0	—	3706.0	7412.0	6.0	7412.0
130	02.07.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	125524.0	2876.0	—	2510.5	5021.0	—	5021.0
131	02.07.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	114380.0	2620.0	—	2287.6	4575.2	—	4575.2
132	03.02.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	225240.0	5160.0	—	4504.8	9009.6	—	9009.6

133	03.02.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	477069. 0	10931. 0	—	9541.4	19082. 8	—	19082. 8
134	03.02.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	74800.0	—	—	1496.0	2992.0	1496.0	2992.0
135	03.02.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	89158.0	2045.0	—	1783.2	3566.3	—	3566.3
136	03.02.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	123655. 0	2835.0	—	2473.1	4946.2	—	4946.2
137	03.03.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	124938. 0	2862.0	—	2498.8	4997.5	—	4897.5
138	03.03.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	107145. 0	2455.0	—	2142.9	4285.8	—	4285.8
139	03.03.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	123667. 0	2833.0	—	2473.3	4946.7	—	4946.7
140	26.03.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	117312. 0	2688.0	—	2346.2	4692.5	—	4692.5
141	26.03.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	162478. 0	3722.0	—	3249.6	6499.1	—	6499.1
142	30.03.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	82900.0	—	—	1658.0	3316.0	1658.0	3316.0
143	30.03.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	24000.0	—	—	480.0	960.0	480.0	960.0
144	30.03.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	91113.0	2087.0	—	18223	3644.5	—	3644.5
145	31.03.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	143800. 0	3221.0	—	2876.0	5752.0	—	5752.0
146	04.06.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	74200.0	1700.0	—	1484.0	2968.0	—	2968.0
147	04.06.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	55700.0	—	—	1114.0	2228.0	1114.0	2228.0
148	17.04.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	26000.0 9550.0	— —	— —	520.0 191.0	1040.0 382.0	520.0 191.0	1040.0 382.0
149	17.04.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	73516.0	—	—	1470.3	2940.6	1470.3	2940.6
150	17.04.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	113402. 0	—	—	2268.0	4536.1	2268.0	4536.1
151	17.04.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	32400.0	—	—	648.0	1296.0	648.0	1296.0
152	17.04.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	136278. 0	3122.0	—	2725.6	5451.1	—	5451.1
153	17.04.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	4900.0	—	—	98.0	196.0	98.0	196.0
154	17.04.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	85930.0	—	—	1718.6	3437.2	1718.6	3437.2
155	25.04.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	144700	3300.0	—	2894.0	5788.0	—	5788.0
156	28.04.2015	मै० कालिका	51000.0	—	—	1020.0	2040.0	1020.0	2040.0

.		ट्रेडर्स							
157	20.05.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	112000.0	2560.0	—	2240.0	4480.0	—	4480.0
158	22.09.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	54750.0	1250.0	—	1095.0	2190.0	—	2190.0
159	20.06.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	65900.0	—	—	1318.0	2636.0	1318.0	2636.0
160	07.01.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	490800.0	11200.0	—	9816.0	19632.0	—	19632.0
161	07.01.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	44000.0	—	—	880.0	1760.0	880.0	1760.0
162	07.08.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	387000.0	9000.0	—	7740.0	15480.0	—	15480.0
163	28.07.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	63700.0	—	—	1274.0	2548.0	1274.0	2548.0
164	14.08.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	75900.0	—	—	1518.0	3036.0	1518.0	3036.0
165	14.08.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	118000.0	—	—	2360.0	4720.0	2360.0	4720.0
166	14.08.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	136000.0	—	—	2720.0	5440.0	2720.0	5440.0
167	22.08.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	40500.0	—	—	810.0	1620.0	810.0	1620.0
168	09.01.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	59800.0	—	—	1196.0	2392.0	1196.0	2392.0
169	16.09.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	245400.0	—	—	4908.0	9816.0	4908.0	9816.0
170	10.02.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	62500.0	—	—	1250.0	2500.0	1250.0	2500.0
171	03.02.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	221622.0	5078.0	—	4432.4	8864.9	—	8864.9
172	17.03.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	149900.0	3357.0	—	2998.0	5996.0	—	5996.0
173	25.04.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	241000.0	5626.0	—	4820.0	9640.0	—	9640.0
174	19.05.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	28320.0	—	—	566.4	1132.8	566.4	1132.8
175	17.05.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	229640.0	5260.0	—	4592.8	9185.6	—	9185.6
176	16.04.2014	मै० कालिका ट्रेडर्स	97381.0	2181.0	—	1947.6	3895.2	—	3895.2
177	13.11.2014	मै० कालिका ट्रेडर्स	9680.0	—	—	193.6	387.2	193.6	387.2
178	19.05.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	239000.0	5470.0	—	4780.0	9560.0	—	9560.0
179	17.06.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	60900.0	—	—	1218.0	2436.0	1218.0	2436.0

180	08.05.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	637396.0 264900.0	14600.0 7000.0	— —	12747.9 5298.0	25495.8 10596.0	— —	25495.8 10596.0
181	11.02.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	132000.0	—	—	2640.0	5280.0	2640.0	5280.0
182	16.11.2015	मै० कालिका ट्रेडर्स	341540.0	—	—	6830.8	13661.6	6830.8	13661.6
183	15.04.2014	मै० देव कंक्रीट	283610.0	6352.0	—	5672.2	11344.4	—	11344.4
184	15.04.2014	मै० भारत ब्रिक फिल्ड	93200.0	—	—	1864.0	3728.0	1864.0	3728.0
185	05.03.2014	मै० सिंह बिल्डिंग मैटे०	26000.0	—	—	520.0	1040.0	520.0	1040.0
186	07.01.2014	मै० पूर्वांचल बिल्डिंग मैटे०	150600.0	—	—	3012.0	6024.0	3012.0	6024.0
187	26.08.2014	मै० पूर्वांचल बिल्डिंग मैटे०	1868.0	—	—	37.4	74.7	37.4	74.7
188	15.04.2014	मै० सिंह बिल्डिंग मैटे०	95665.0	2145.0	—	1913.3	3826.6	—	3826.6
189	16.04.2014	माँ वैष्णवी देवी स्माल इण्टरप्राइजेज	92872.0	—	—	1857.4	3714.9	1857.4	3714.9
190	05.03.2014	माँ वैष्णवी देवी स्माल इण्टरप्राइजेज	96800.0	—	—	1936.0	3872.0	1936.0	3872.0
191	06.12.2014	मै० सिंह बिल्डिंग मैटे०	62350.0	—	—	1247.0	2494.0	1247.0	2494.0
192	08.02.2014	मै० सिंह बिल्डिंग मैटे०	30891.0	—	—	617.8	1235.6	617.8	1235.6
193	19.08.2014	मै० अब्दुल नासिर इन्जि०	152000.0	—	—	3040.0	6080.0	3040.0	6080.0
194	19.08.2014	मै० अरविन्द ट्रेडर्स	53184.0	1184.0	—	1063.7	2127.4	—	2127.4
195	19.08.2014	मै० शान्ति ईट उद्योग	79000.0	1500.0	—	1580.0	3160.0	80.0	3160.0
196	19.08.2014	माँ वैष्णवी देवी स्माल	67200.0	1350.0	—	1344.0	2688.0	—	2688.0

		इण्टरप्राइजे ज							
197	19.08.2014	मै० जय प्रकाश बी.के. डी.	80700.0	1800.0	—	1614.0	3228.0	—	3228.0
198	19.08.2014	मै० जय प्रकाश बी.के. डी.	49800.0	—	—	996.0	1992.0	996.0	1992.0
199	22.08.2014	श्री हनुमान ईट उद्योग	53900.0	1200.0	—	1078.0	2156.0	—	2156.0
200	11.05.2014	मै० शिवम् ईट उद्योग	110300. 0	2400.0	—	2206.0	4412.0	—	4412.0
201	11.05.2014	मै० शिवम् ईट उद्योग	59600.0	1300.0	—	1192.0	2384.0	—	2384.0
202	11.11.2014	मै० शान्ति ईट उद्योग	16228.0	—	—	324.6	649.1.	324.6	649.1.
203	11.11.2014	माँ वैष्णवी देवी स्माल इण्टरप्राइजे ज	79458.0	1780.0	—	1589.2	3178.3	—	3178.3
204	13.11.2014	मै० सिंह बिल्डिंग मैटे०	47780.0	—	—	955.6	1911.2	955.6	1911.2
205	12.09.2014	मै० शिवम् ईट उद्योग	117600. 0	2640.0	—	2352.0	4704.0	—	4704.0
206	24.12.2014	मै० गोरखनाथ ट्रेडिंग	85332.0	2032.0	—	1706.6	3413.3	—	3413.3
207	31.03.2015	मै० सिंह बिल्डिंग मैटे०	125800. 0	2800.0	—	2516.0	5032.0	—	5032.0
208	04.11.2015	श्री हनुमान ईट उद्योग	137340. 0	3076.0	—	2746.8	5493.6	—	5493.6
209	21.05.2014	मै० गोरखनाथ ट्रेडिंग	146267. 0	3276.0	—	2925.3	5850.7	—	5850.7
210	27.05.2014	मै० आदिल ईट उद्योग	198000. 0	4435.0	—	3960.0	7920.0	—	7920.0
211	27.05.2014	मै० शिवम् ईट उद्योग	147156. 0	3296.0	—	2943.1	5886.2	—	5886.2
212	06.06.2014	मै० गोरखनाथ ट्रेडिंग	51700.0	—	—	1034.0	2068.0	1034.0	2068.0
213	13.06.2014	मै० शिवम् ईट उद्योग	143600. 0	—	—	2877.2	5754.4	2877.2	5754.4
214	20.06.2014	मै० सुनील कुमार गुप्ता	155200. 0	—	—	3104.0	6208.0	3104.0	6208.0

215	07.08.2014	मै० शिवम् ईट उद्योग	396600.0	8700.0	—	7932.0	15864.0	—	15864.0
216	08.02.2014	मै० शिवम् ईट उद्योग	93600.0	2100.0	—	1872.0	3744.0	—	3744.0
217	22.08.2014	श्री हनुमान ईट उद्योग	53900.0	1200.0	—	1078.0	2156.0	—	2156.0
218	12.04.2014	मै० गोरखनाथ ट्रेडिंग	63200.0	—	—	1264.0	2528.0	1264.0	2528.0
219	12.04.2014	मै० भारत बिल्डिंग मैटे०	40600.0	—	—	812.0	1624.0	812.0	1624.0
220	01.03.2014	मै० सिंह बिल्डिंग मैटे०	75900.0	—	—	1518.0	3036.0	1518.0	3036.0
221	19.02.2015	मै० शिवम् ईट उद्योग	122864.0	3064.0	—	2457.3	4914.6	—	4914.6
	योग		3192852.3.0	497613.0	—	638570.2	127714.0.4	209891.3	127714.0.4

(मूल आ० सं०-18)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	1418192.66	1418192.66

प्रस्तर सं० :41 दिनांक 06.04.2016 को रु० 25000.00 भुगतान चेक संख्या 086287 द्वारा श्री धर्मेन्द्र कुशवाहा, कम्प्यूटर आपरेटर को बावत प्रियासॉफ्ट प्रोग्राम में डाटा इण्ट्री का पारिश्रमिक दिया गया। उल्लेखनीय है कि श्री कुशवाहा को प्रतिमाह 8000/— के मानदेय पर कार्य पर रखा गया है। मानदेय के अतिरिक्त कार्य कराने का भुगतान किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ० सं०-19)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
25000.00	—	—	25000.00

प्रस्तर सं० :42 लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम जंगल पचरुखिया में पचरुखिया पुल से लक्ष्मीपुर गन्ना फार्म तक खड़जा निर्माण कार्य कराया गया जिसके लिए तीन मिट्टी आपूर्तिकर्ता से कुल 217 ट्राली अर्थात 760 घनमीटर मिट्टी की आपूर्ति करायी गयी। क्षेत्र पंचायत द्वारा नियमानुसार खनन रायल्टी रु० 14/— घनमीटर की दर से कटौती नहीं की गयी तथा रु० 22800.00 की राजस्व हानि पहुँचाई गई। जिसकी क्षतिपूर्ति अधिभार के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी श्री रघुनाथ सिंह एवं लेखाकार श्री राम बहादुर चौरसिया व श्री महेन्द्र प्रसाद से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ० सं०-20)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	22800.00	22800.00

प्रस्तर सं० :43 लेखा परीक्षा अवधि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्षेत्र पंचायत प्रबंध कमेटी की बैठक में उपस्थित होने के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्यों को यात्रा भत्ता/मानदेय का भुगतान श्री चन्द्रभूषण मिश्र, कैशियर द्वारा किया गया दर्शित है। किन्तु भुगतान की पुष्टि में प्राप्तकर्ता से प्राप्त पावतियाँ तथा उपस्थिति की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। जिस कारण किये गये भुगतान की पुष्टि

नहीं होती है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है :-

भुगतान तिथि	कुल भुगतान की धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
07.06.2014	53600.00	क्षेत्र पंचायत/ग्राम प्रधान
20.10.2014	132000.00	क्षेत्र पंचायत/ग्राम प्रधान
07.02.2015	132000.00	क्षेत्र पंचायत/ग्राम प्रधान
05.06.2015	78000.00	क्षेत्र पंचायत/ग्राम प्रधान
23.08.2016	169000.00	क्षेत्र पंचायत/ग्राम प्रधान
29.12.2016	165000.00	क्षेत्र पंचायत/ग्राम प्रधान
17.03.2016	163000.00	क्षेत्र पंचायत/ग्राम प्रधान
	892600.00	

(मूल आ० सं०-21)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
892600.00	—	—	892600.00

प्रारूप : 03

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से 2016-17

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : मोतीचक की वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड : मोतीचक।

प्रस्तर सं० :44 शासनादेश संख्या ए-1-122/दस/2012-10-(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 एवं शासनादेश संख्या 10/201/ए-1-502/दस-2015 -10-(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार समस्त विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों/अनुदानों की जमा पर बैंक से प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और उक्त प्राप्त/अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा कराया जाय। परन्तु आलोच्य वर्ष 31.03.2017 तक विभिन्न अनुदानों की जमा धनराशि पर कुल रु० 599816.12 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे राजकीय कोषागार में नहीं जमा कराया गया है। जो आपत्तिजनक है। इसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संज्ञान में आने के बाद भी राजकीय कोषागार में उक्त धनराशि जमा न करने के कारण यदि भविष्य में उक्त धनराशि का दुरुपयोग होगा तो उक्त का उत्तरदायी तत्कालीन के साथ-साथ वर्तमान में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी व लेखा कार भी होंगे।

(मूल आ० सं०-14)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	599816.12	599816.12

प्रस्तर सं० :45 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के समस्त विभिन्न क्रय सामग्री का भुगतान फर्म को चेक के माध्यम से किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान सामग्री क्रय हेतु किये गये भुगतान पर आयकर अधिनियम की धारा 194सी. के अनुसार भुगतान की गयी धनराशि पर सीधे आयकर तथा उ०प्र० वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम 2008 के अनुसार भुगतान की गयी धनराशि पर सीधे वैटकर की कटौती किये जाने का प्राविधान है। परन्तु फर्मों से वांछित टैक्स की कटौती न कर रु० 518141.70 के राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। आयकर एवं वैटकर की धनराशि पेनाल्टी सहित सम्बंधित फर्म से वसूलकर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाय। अन्यथा की स्थिति में राजकीय राजस्व की क्षति हेतु सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार उत्तरदायी होंगे, जिनसे राजकीय क्षति की धनराशि वसूल किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष	वर्ष	दौरान	आयकर	वैट	काटा गया	अवशेष कर

	क्रय सामग्री			कर	
2014-15	8478322.00	169566.44	339132.88	174878.00	333821.32
2015-16	2474272.00	49485.44	98970.88	52297.00	96159.32
2016-17	2960751.00	59215.02	118430.04	89484.00	88161.06
योग	13913345.00	278266.90	556533.80	316659.00	518141.70

(मूल आ०सं०-15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	518141.70	---	518141.70

प्रस्तर सं० :46 वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित हुआ कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्य प्रभारियों को चेक निर्गत किये गये हैं तथा कार्यप्रभारी द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत सदस्यों/सक्षम व्यक्ति से प्रमाणित नहीं कराये गये हैं।

कार्य करने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा बैंक के माध्यम से उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। 2014-15 से 2016-17 में कार्यप्रभारियों को किये गये भुगतान का विवरण निम्न है :-

	कार्यप्रभारी का नाम	धनराशि
1.	श्री राजेश कुमार यादव	439108.00
2.	श्री ध्रुव दूबे	1545160.00
3.	श्री अवधेश कुमार	128130.00
4.	श्री यतीन्द्र मोहन मल्ल	361580.00
योग		2473978.00

(मूल आ०सं०-17)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	2473978.00	2473978.00

प्रस्तर सं० :47 वर्ष 2014-15 में ब्याज मद में रु० 52875.00 व्यय दर्शित है। उक्त व्यय धनराशि से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्याज की धनराशि को व्यय किया जाना गम्भीर अनियमितता के अन्तर्गत आता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं।

(मूल आ०सं०-20)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	52875.00	52875.00

प्रस्तर सं० :48 लेखा परीक्षा वर्ष में निम्न मदों पर किये गये व्यय से सम्बंधित पत्रावली व अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे दर्शित व्यय धनराशि अपुष्ट रहा। व्यय प्रमाणक व पत्रावली के अभाव में किये गये व्यय के दुरुपयोग/अपहरण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है :-

मद का नाम	व्यय धनराशि
सम्पूर्ण ग्रा० राज० योजना	57500.00
बायो गैस	43000.00
स्वर्ण जयन्ती योजना	57500.00
सामान्य निर्वाचन	76880.00

इन्दिरा आवास प्रशा० मद	300000.00

(मूल आ०सं०-21)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
534880.00	---	---	534880.00

प्रस्तर सं० :49 दिनांक 31.03.2017 को विभिन्न योजना मद में रु० 3499919.00 अनुदान अवशेष रहा। जिसे वर्ष दौरान न तो विकास कार्यों में प्रयुक्त किया गया और न ही सम्बंधित विभाग को वापस किया गया है। अनुदान की धनराशि का समयान्तर्गत उपभोग न किये जाने से विकास कार्य प्रभावित रहा। वर्षान्त में अवशेष धनराशियों को सम्बंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था। अगले वित्तीय वर्ष में पिछले अवशेष धनराशि के उपभोग हेतु सम्बंधित विभाग से अनुमति लेना चाहिए था। इस अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। इस प्रकरण की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(मूल आ०सं०-18)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	3499919.00	3499919.00

प्रारूप : 03

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से 2016-17

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : सुकरौली की वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड : सुकरौली।

प्रस्तर सं० :50 शासनादेश संख्या ए-1-122/दस/2012-10-(33)/2010 दिनांक 21.03.2012 एवं शासनादेश संख्या 10/201/ए-1-502/दस-2015 -10 -(33)/2010 दिनांक 29.05.2015 के अनुसार समस्त विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों/अनुदानों की जमा पर बैंक से प्राप्त ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और उक्त प्राप्त/अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा कराया जाय। परन्तु आलोच्य वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक विभिन्न अनुदानों की जमा धनराशि पर कुल रु० 384708.70 ब्याज अर्जित किया गया है। जिसे राजकीय कोषागार में नहीं जमा कराया गया है। जो आपत्तिजनक है। इसे राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संज्ञान में आने के बाद भी राजकीय कोषागार में उक्त धनराशि जमा न करने के कारण यदि भविष्य में उक्त धनराशि का दुरुपयोग होगा तो उक्त का उत्तरदायित्व तत्कालीन के साथ-साथ वर्तमान में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार भी होंगे।

(मूल आ०सं०-17)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	384708.70	384708.70

प्रस्तर सं० :51 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के समस्त विभिन्न कार्यों हेतु सामग्री क्रय अनियमित रूप से बिना टेण्डर आमन्त्रित किये किया गया है। क्रय सामग्री का भुगतान फर्म को चेक के माध्यम से अथवा कार्यप्रभारी द्वारा स्वयं भुगतान प्राप्त कर सीधे नगद रूप में किया गया है। निम्न विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान रु० 100000.00 या 100000.00 से उपर के भुगतान पर आयकर अधिनियम की धारा 194सी. के अनुसार भुगतान की गयी धनराशि पर सीधे आयकर तथा उ०प्र० वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम 2008 के तथा उ०प्र० सरकार की अधिसूचना सं० के.ए.एन.आई.-2-1315/सी.-4-10/08 यू०पी० वेट एक्ट आर्डर (101) /2013 दिनांक 7 अक्टूबर 2013 के द्वारा सामग्री आपूर्तिकर्ता को भुगतानित धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से वेट काटना चाहिए। किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा इस शासनादेश का पालन न कर आयकर व वेटकर की कटौती नहीं की गयी। अनुसार भुगतान की गयी धनराशि पर सीधे वेटकर की कटौती किये जाने का प्राविधान है। परन्तु फर्मों से वांछित टैक्स की कटौती न कर रु० 683201.36 के राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। आयकर एवं वेटकर की धनराशि पेनाल्टी सहित सम्बंधित फर्म से वसूलकर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाय। अन्यथा की स्थिति में राजकीय राजस्व की क्षति हेतु सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार उत्तरदायी

होंगे, जिनसे राजकीय क्षति की धनराशि वसूल किया जाना अपेक्षित हैं। विवरण संलग्न है :—

फर्म का नाम	वर्ष	आपूर्ति सामग्री की धनराशि	काटी गयी आयकर	काटी गयी वैट कर	कुल जो टैक्स काटा जाना चाहिए	टैक्स जो कम काटा गया है
इण्टरलाकिंग इन्डो	2014—15	257202.00	5480.00	0.00	15432.12	9952.12
इण्टरलाकिंग इन्डो	2015—16	1329300.00	29840.00	0.00	79758.00	94918.00
कश्यप बिल्डिंग मटेरियल	2014—15	419857.00	9296.00	0.00	25191.42	15895.42
कश्यप बिल्डिंग मटेरियल	2016—17	1764570.00	34438.00	0.00	105874.20	71436.20
त्रिवेणी ईट उद्योग	2015—16	457310.00	10244.00	0.00	27438.60	17194.60
त्रिवेणी ईट उद्योग	2014—15	821950.00	17679.00	0.00	49317.00	3163800
त्रिवेणी बिल्डिंग मटेरियल	2014—15	940056.00	19295.00	0.00	56403.36	37108.36
त्रिवेणी बिल्डिंग मटेरियल	2015—16	85394.00	1536.00	0.00	5123.64	3587.64
सिंह इण्टरलाकिंग	2014—15	500040.00	11200.00	0.00	30002.40	18802.40
सिंह इण्टरलाकिंग	2016—17	1115658.00	22595.00	0.00	66939.48	44344.48
पं० शशिशेखर ईट उद्योग	2015—16	1843976.00	40889.00	0.00	110638.56	96749.56
पं० शशिशेखर ईट उद्योग	2014—15	1855054.00	42744.00	0.00	111303.24	68559.24
पं० शशिशेखर ईट उद्योग	2016—17	1728567.00	34413.00	0.00	103714.02	69301.02
पी०एस० ईट उद्योग	2014—15	134820.00	2869.00	0.00	8089.20	5220.20
पूर्वांचल ईट उद्योग	2014—15	283608.00	6151.00	0.00	17016.48	10865.48
अमावस स्टील फर्नीचर	2014—15	92800.00	0.00	0.00	5568.00	5568.00
अमित एसोशिएट	2016—17	1298482.00	26390.00	0.00	77908.92	51518.92
अजय ट्रेडर्स	2015—16	1213242.00	26544.00	0.00	72794.52	46250.52
अजय ट्रेडर्स	2014—15	939918.00	21074.00	0.00	56395.08	35321.08
अजय ट्रेडर्स	2016—17	136722.00	2182.00	0.00	8203.32	6021.32
गौरव सिमेंट ईट उद्योग	2014—15	291780.00	6536.00	0.00	17506.80	10970.80
गौरव सिमेंट ईट उद्योग	2016—17	99450.00	1989.00	0.00	5967.00	3978.00
योग		17609756.00	373384.	0.00	1056585.36	683201.36

			00			

(मूल आ०सं०-21)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	683201.36	—	683201.36

प्रस्तर सं० :52 वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित हुआ कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों के आधार पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने हेतु कार्य प्रभारियों को चेक निर्गत किये गये हैं तथा कार्यप्रभारी द्वारा श्रमिकों को नगद भुगतान कर मस्टर रोल कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं। श्रमिकों की उपस्थिति व निशानी अंगूठा/हस्ताक्षर क्षेत्र पंचायत सदस्यों/सक्षम व्यक्ति से प्रमाणित नहीं कराये गये हैं। वर्ष 2016-17 के आंशिक मस्टररोलों पर कार्यरत दर्शित मजदूरों को मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा बैंक के माध्यम से उनके खाते में किया जाना चाहिए था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व कार्यप्रभारी उत्तरदायी हैं। विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। 2014-15 व 2015-16 में कार्यप्रभारियों चेक के द्वारा भुगतान का विवरण निम्न है :-

	कार्यप्रभारी का नाम	धनराशि
1.	वकील यादव	53067.00
2.	उमेश चन्द्र धर दूबे	298506.00
3.	लक्ष्मण चतुर्वेदी	105876.00
4.	संजय सिंह	57835.00
5.	योगेश्वर सिंह	453256.00
6.	कु० मृदुला राव	503782.00
7.	भूपनरायन राव	139196.00
8.	पुरुषोत्तम कुमार चौबे	243002.00
9.	श्रीमती आशा रानी	45890.00
10.	दयाशंकर राय	162016.00
11.	अरविन्द दिवाकर	60540.00
	योग	2122966.00

(मूल आ०सं०-23)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	—	2122966.00	2122966.00

प्रस्तर सं० :53 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में बिना कोटेशन लिए निम्न विवरण के अनुसार कुर्सी आदि का क्रय हेतु फर्म को चेक निर्गत न कर कर्मचारियों को चेक द्वारा भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में क्रय से सम्बंधित पत्रावली अप्राप्त रहने से क्रय की पुष्टि न की जा सकी। अस्तु भुगतानित धनराशि रु० 144000.00 के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार व भुगतान प्राप्तकर्ता उत्तरदायी है। सम्बंधित से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	भुगतान जिस हेतु किया गया	भुगतान जिसे किया गया है
09.07.2015	110200.00	कुर्सी आदि हेतु	श्री पुरुषोत्तम चौबे क०सहा०
31.12.2015	33800.00	कुर्सी आदि हेतु	श्री दिनेश कुमार राय स०वि०अ० पं०
	144000.00		

(मूल आ०सं०-26)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग

144000.00	---	---	144000.00

प्रस्तर सं० :54 दिनांक 31.03.2017 को ब्लाक प्रमुख श्री सचिन्द्र यादव को माह अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक कुल 6 माह का रु० 7000.00 प्रतिमाह की दर से रु० 42000.00 की जगह पर रु० 49000.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार ब्लाक प्रमुख को रु० 7000.00 का अधिक भुगतान कर वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए भुगतानकर्ता उत्तरदायी है। इसके पूर्व दिनांक 03.10.2016 को रु० 45150.00 का भुगतान 18.03.2016 से 30.09.2016 तक के मानदेय का भुगतान ब्लाक प्रमुख को किया जा चुका था। अस्तु रु० 7000.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बंधित से किया जाना अपेक्षित है। अधिक भुगतानित धनराशि रु० 7000.00 के निमित्त चेक निर्गत कर्ता खण्ड विकास अधिकारी श्री महेन्द्र प्रसाद चौबे व सहायक लेखाकार श्री महेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं।

(मूल आ०सं०-27)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
7000.00	---	---	7000.00

प्रस्तर सं० :55 दिनांक 31.03.2017 को जीप मरम्मत हेतु जीप चालक श्री अजीत सिंह को रु० 14645.00 तथा कनिष्ठ सहायक श्री पुरुषोत्तम चौबे को रु० 26940.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में जीप मरम्मत से सम्बंधित वाउचर्स अप्राप्त रहने से मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है। जीप चालक के रहते उसी दिन कनिष्ठ सहायक को जीप मरम्मत हेतु भुगतान किये जाने का औचित्य नहीं था। बिना प्रमाणक के जीप मरम्मत पर किये गये भुगतान के दर्शित धनराशि के अपहरण से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अस्तु रु० 41585.00 की ब्याज सहित वसूली सम्बंधित से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आ०सं०-28)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
41585.00	---	---	41585.00

प्रस्तर सं० :56 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में बिना कोटेशन लिए विभिन्न तिथियों में निम्न विवरण के अनुसार सामग्री आदि का क्रय हेतु फर्म को चेक निर्गत न कर श्री धर्मेन्द्र ग्राम सुकरौली को चेक द्वारा भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में क्रय से सम्बंधित पत्रावली अप्राप्त रहने से क्रय की पुष्टि न की जा सकी। अस्तु भुगतानित धनराशि रु० 89117.00 के अपहरण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार उत्तरदायी है। सम्बंधित से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	भुगतान जिस हेतु किया गया
17.06.2015	11750.00	इनवर्टर हेतु
10.08.2015	19500.00	सोलर लाइट हेतु
10.08.2015	13000.00	सोलर लाइट हेतु
20.11.2015	15317.00	वयरिंग हेतु
20.11.2015	5700.00	बैट्री हेतु
19.01.2017	14500.00	इनवर्टर सप्लाय हेतु
19.01.2017	9350.00	बैट्री तार हेतु
योग	89117.00	

(मूल आ०सं०-29)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
89117.00	---	---	89117.00

प्रस्तर सं० :57 वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत विकास खण्ड में ब्लाक गेट का निर्माण हेतु रु० 906000.00 स्वीकृत था। प्रस्तुत पत्रावली के अनुसार उक्त गेट निर्माण पर रु० 913970.00 सामग्री पर तथा रु० 223874.00 मजदूरी पर कुल रु० 1137844.00 का व्यय किया गया है। प्रस्तुत

मापन पुस्तिका के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त गेट के निर्माण पर अवर अभियन्ता द्वारा आवश्यकता से अधिक का मापन कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। अधिक मापन के कुछ उदाहरण निम्न है :-

(क) गेट का निर्माण जिस स्थान पर हुआ है, उस सड़क की कुल चौड़ाई लगभग 20 से 22 फुट है। सड़क पर गेट निर्माण के बाद भी पुराने पिच का अवशेष है। गेट के एक तरफ वाउण्ड्री वाल मौजूद है। मापन पुस्तिका के अनुसार गेट के पीलर हेतु 3.40मी० लम्बा, 3.40मी० चौड़ा तथा 3.62मी० गहरा गड्ढा दोनों तरफ खोदा गया है। जो भ्रामक एवं आवश्यकता से अधिक प्रतीत होता है। मौके को देखने से उक्त ल० व चौ० के गड्ढे खोदे जाने की पुष्टि नहीं हो रही है। इसी प्रकार नींव में कराये गये सी.सी. वर्क की मोटाई 30सेमी० दो बार अर्थात् 60 सेमी० दिखाई गयी है। अस्तु विदित होता है कि अवर अभियन्ता द्वारा अधिक मापन दिखाकर स्वीकृत धनराशि से अधिक रु० 231844.00 अधिक भुगतान कराकर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। उक्त की तकनीकी विशेषज्ञों की टीम से जांच कराकर दुरुपयोगित धनराशि रु० 231844.00 की ब्याज सहित वसूली अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी व कार्यप्रभारी से किया जाना अपेक्षित हैं।

(मूल आ०सं०-18)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
—	231844.00	—	231844.00

प्रस्तर सं० :58 क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विकास खण्ड सुकरौली की आवंटित दुकानों का किराया विगत कई वर्षों से वसूल नहीं किया जा रहा है और नहीं ही उनपर कोई वैधानिक कार्यवही ही की जा रही है। दुकानों का किराया बहुत ही कम है। जिसका पुनः परीक्षण करके किराये में वृद्धि नहीं की गई है। जिससे क्षेत्र पंचायत को आय नहीं हो पा रही है। बकाया किराया ब्याज सहित वसूली तथा किराये में संशोधन कर वृद्धि किया जाना अपेक्षित हैं। दुकान किराये के बकाये का विवरण निम्नवत् है :-

क्र. सं.	दुकानदार का नाम	किराये की मासिक दर	अगस्त 2016 तक का	सितम्बर 2016 से अप्रैल 2017 तक	कुल बकाया
1.	श्री खूबलाल	50.00	12025.00	1000.00	13025.00
2.	श्री बुद्धदेव तिवारी	50.00	9525.00	1000.00	10525.00
3.	श्री कैलाश यादव	50.00	12725.00	1000.00	13752.00
4.	श्री महेन्द्र	50.00	12525.00	1000.00	13525.00
5.	श्री पतरू	50.00	11275.00	1000.00	12275.00
6.	श्री नेमचन्द	50.00	12525.00	1000.00	13525.00
7.	श्री गुलाब	50.00	12300.00	1000.00	13300.00
8.	श्रीमती बरता देवी	50.00	11950.00	1000.00	12950.00
9.	श्रीमती बिशुनी देवी	50.00	11420.00	1000.00	12420.00
10.	श्रीमती शोभा देवी	50.00	11225.00	1000.00	12225.00
11.	श्रीमती समतुननिशा	50.00	12670.00	1000.00	13670.00
12.	श्रीमती सावित्री देवी	50.00	11725.00	1000.00	12725.00
13.	श्री रामभरोसा	75.00	20700.00	1500.00	22200.00
14.	श्री रामजी	75.00	14887.00	1500.00	16387.00
15.	श्री जगदीश शाही	75.00	18790.00	1500.00	20290.00
16.	श्री अशर्फी	75.00	20620.00	1500.00	22120.00
17.	श्री बिहारी	150.00	39975.00	3000.00	42975.00
18.	श्री हरिलाल	150.00	39600.00	3000.00	42600.00
19.	श्री श्रवण कुमार	150.00	39600.00	3000.00	42600.00
20.	श्री दीनदयाल	150.00	43549.00	3000.00	46549.00
योग			379611.00	30000.00	409611.00

(मूल आ०सं०-30)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	409611.00	409611.00

प्रारूप : 03

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से 2016-17

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : कप्तानगंज की वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड : कप्तानगंज।

प्रस्तर सं० :59 लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त/13वां वित्त से निम्नांकित व्यय किये गये हैं। व्यय से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रमाणक के अभाव में राजकीय धन के अपहरण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सका। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	ग्राण्ट 2/3 के अनुसार व्यय	ले०प० में प्राप्त निर्माण पत्रावली के अनुसार व्यय	अन्तर की धनराशि	उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का नाम
1.	2014-15	12237737.00	8984217.00	3263520.00	श्री टी० पी० मिश्र व श्री मारकण्डे पटेल
2.	2015-16	4916230.00	2348755.00	2572475.00	श्री ब्रह्मलाल व श्री मारकण्डे पटेल
3.	2016-17	3706660.00	2977952.00	728708.00	श्री रामविलास व श्री मारकण्डे पटेल
योग				6564703.00	

(मूल आ०सं०-17)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
6564703.00	---	---	6564703.00

प्रस्तर सं० :60 क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज की वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य वित्त/13वां वित्त से कराये गये निर्माण कार्यों पर सामग्री आपूर्तिकर्ता से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 के अनुसार 2.24 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती नहीं की गयी है।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	धनराशि जिसपर आयकर की कटौती की जानी थी	आयकर की धनराशि	उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी
1.	2014-15	218445.00	4893.16	श्री टी० पी० मिश्र व श्री मारकण्डे पटेल
योग			4893.16	

सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार आयकर की कटौती न करके रु० 4893.16 रातकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी है। आयकर की कटौती निमित्त नहीं किये जाने के निमित्त तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से रु० 4893.16 ब्याज सहित वसूली कर आयकर विभाग में जमा कराये जाने की पुष्टि लेखा परीक्षा में करायी जानी अपेक्षित है। (मूल आ०सं०-16)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	4893.16	4893.16

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : रामकोला की वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड : रामकोला।

प्रस्तर सं० :61 क्षेत्र पंचायत रामकोला की वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विधायक निधि से कराये गये निम्न निर्माण कार्यों में सामग्री आपूर्तिकर्ता से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(सी.) के अनुसार (2.24 प्रतिशत की दर से) आयकर की कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं. 0	वर्ष	कार्य का नाम	सामग्री आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री की धनराशि	आयकर काटा चाहिए	जो जाना
1.	2014-15	परोहरा लक्ष्मीगंज जाने वाले मार्ग पर 1/3 पुलिया निर्माण कार्य	बलराम कान्त्रैक्टर एंड सप्लायर	25200.00	564.48	
2.	2014-15	सपहा खान टोला से टड़वा जाने वाले मार्ग पर 1/3 मी० स्पान की पुलिया निर्माण	"	25200.00	564.48	
3.	2014-15	श्री कृष्ण प्रणव मंदिर के पास धर्मशाला निर्माण	"	52407.00 33253.00	1173.92 744.86	
4.	2014-15	मंसूरग्रज चौराहे के पास धर्मशाला निर्माण	"	31118.00	697.04	
5.	2015-16	रामकोला कप्तानगंज मार्ग से दक्षिण जाने वाले चकरोड पर बैजनाथ के खेत के पास 1/2 स्पान की पुलिया निर्माण	"	142698.00	3196.44	
6.	2015-16	लक्ष्मीपुर पिचरोड से प्राथमिक विद्यालय मुस्लिम टोला जाने वाले मार्ग पर 1/3 स्पान की पुलिया निर्माण	"	99986.00 20880.00	2127.68 467.71	
7.	2015-16	बड़हरा बाबू दक्षिण टोला में खड़जा निर्माण कार्य	"	24219.00	642.50	
8.	2015-16	परोहरा छपरा में इण्टरलाकिंग कार्य	"	89004.00	1993.77	
9.	2015-16	रामपुर बघहा टोला रामपुर खास सुरेश यादव के घर से प्राइमरी स्कूल होते हुए शिवमंगल यादव के घर के पीछे तक खड़जा कार्य	"	94378.00	8114.06	
10.	2015-16	रामकोला कप्तानगंज मार्ग से उत्तर जाने वाले सड़क पर जगदीश केडिया के खेत के पास 1/2 मी० स्पान की पुलिया निर्माण	"	139341.00	3121.24	
योग					17308.18	

उपरोक्त विवरणानुसार सामग्री आपूर्तिकर्ता से नियमानुसार आयकर की बटौती न करके रु० 17308.18 राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। उत्तरदायी व्यक्ति से रु० 17308.18 की ब्याज सहित वसूली कर आयकर विभाग में जमा कराये जाने की पुष्टि आगामी लेखा परीक्षा में कराई जानी अपेक्षित है।

(मूल आ०सं०-08)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
17308.18	—	—	17308.18

प्रस्तर सं० :62 लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में 12वां/13वां राज्य वित्त योजना अन्तर्गत निम्नांकित व्यय किये गये हैं। व्यय से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	नाम भुगतान प्राप्तकर्ता
16.08.2014	347552.	110000.00	श्री हरिओम शुक्ल, कैशियर
22.08.2014	347553	25000.00	भारत स्टील इन्डिया, पडरौना
13.10.2014	349796	32000.00	श्री मयंक कुमार भारती, क०आ०
25.11.2014	349869	3000.00	ज्ञानमंडल लि०, गोरखपुर
25.11.2014	349870	5914.00	मिडिया कम्यूनिकेशन प्रा० लि०, गोरखपुर
28.02.2015	349882	100000.00	श्री हरिओम शुक्ल, कैशियर
31.03.2015	349894	16000.00	श्री अमित मानू, क०आ०
10.04.2015	349908	40000.00	श्री मयंक कुमार भारती, क०आ०
06.07.2015	350152	46893.00	श्रीमती गीता यादव, प्रमुख
06.07.2015	350155	2500.00	सम्पादक स्वतन्त्र चेतना
06.07.2015	350156	6800.00	डी०ए० चेतना पब्लिकेशन, रामकोला
01.04.2016	350169	21300.00	मे० अम्बे बैटरी, रामकोला
01.04.2016	350174	100000.00	श्री हरिओम शुक्ल, कैशियर
01.04.2016	350175	32000.00	श्री अमित यादव, क०आ०
04.06.2016	350188	15926.00	हिन्दुस्तान मिडिया वेंचर्स
21.06.2016	350189	5460.00	डी०ए० चेतना प्रकाशन
21.06.2016	350190	32000.00	मे० अम्बे बैटरी, रामकोला
02.07.2016	350193	59640.00	श्रीमती नीता यादव, प्रमुख
02.07.2016	350194	24160.00	श्रीमती गुडिया देवी
06.07.2016	350195	40000.00	श्री मयंक कुमार भारती, क०आ०
06.07.2016	350196	22262.00	श्री हरिओम शुक्ल, कैशियर
07.10.2016	350199	32000.00	श्री अमित यादव, क०आ०
08.10.2016	350201	5000.00	स्वतन्त्र चेतना प्रकाशन
08.10.2016	350202	5761.00	आज प्रकाशन
योग		784416.00	

(मूल आ०सं०-09)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
784416.00	—	—	784416.00

प्रस्तर सं० :63 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में बायो गैस अनुदान योजना के अन्तर्गत निम्नांकित व्यय किये गये हैं। व्यय से सम्बंधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार

उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्कर्ता का नाम
06.10.2015	650972	38440.00	श्री रामअशीष, (ए.डी.ओ./पी.)
26.11.2015	650973	38440.00	श्री सुबाष, प्रभारी
02.04.2016	650974	37197.00	श्री जी०एम० इण्टरप्राइजेज, गोरखपुर
योग		114077.00	

(मूल आ०सं०-15)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
114077.00	---	---	114077.00

प्रस्तर सं० :64 लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत के ग्राण्ट 2 रजिस्टर के 12वां/तेरहवां राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत प्रायः भुगतानित चेक की धनराशि के साथ अवशेष धनराशि का उल्लेख नहीं किया गया है तथा इसे खण्ड विकास अधिकारी से प्रमाणित नहीं कराया गया है। फलस्वरूप दिनांक 31.03.2016 को खाते से रु० 866770.00 का अनियमित रूप से अधिविकर्ष हुआ है। इसके लिए खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आ०सं०-12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
---	---	866770.00	866770.00

प्रारूप : 03

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से 2016-17

संभाग : गोरखपुर

जनपद : कुशीनगर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ :

क्षेत्र पंचायत : खड्डा की वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा से सम्बंधित आपत्तियाँ।

विकास खण्ड : खड्डा।

प्रस्तर सं० :65 वर्ष 2014-15 से 2016-17 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न योजनाओं से प्राप्त अनुदान का उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक नहीं किया गया है।